विद्युत् मोटर (Electric Motor) उद्योगों में एक आदर्श प्रधान चालक (prime mover) है। अधिकांश मशीनें विद्युत् मोटरों द्वारा ही चलाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विद्युत् मोटरों की दक्षता दूसरे चालकों की तुलना में ऊँची होती है। साथ ही उसका निष्पादन (performance) भी अधिकतर उनसे अच्छा होता है। विद्युत् मोटर प्रवर्तन तथा नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी आदर्श है। मोटर को चलाना, अथवा बंद करना, तथा चाल को बदलना अन्य चालकों की अपेक्षा अधिक सुगमता से किया जा सकता है। इसका दूरस्थ नियंत्रण (remote control) भी हो सकता है। नियंत्रण की सुगमता के कारण ही विद्युत् मोटर इतने लोकप्रिय हो गए हैं।

विद्युत् मोटर अनेक कार्यों में प्रयुक्त हो सकते हैं। ये कई सौ अश्वशक्ति की बड़ी बड़ी मशीनें तथा छोटी से छोटी, $\frac{1}{10}$ अश्वशक्ति तक की, मशीनें चला सकते हैं। उद्योगों के अतिरिक्त ये कृषि में भी, खेतों के जोतने, बोने तथा काटने की मशीनों को और सिंचाई के पंपों को चलाने के लिये, प्रयुक्त होते हैं। घरों में प्रकाशन, धोवन, तथा अन्य विभिन्न कामों की मशीनें भी इनसे चलाई जाती हैं।

विद्युत् मोटर भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न भिन्न प्ररूपों के बने हैं। इनमें सरल नियंत्रक लगे रहते हैं, जिनसे अनेक प्रकार का काम लिया जा सकता है।

संचरण के अनुसार मोटर दो वर्गों में बाँटे जा सकते हैं : दिष्ट धारा मोटर और प्रत्यावर्ती धारा मोटर। अपने विशिष्ट लक्षणों के अनुसार दोनों ही के बहुत से प्ररूप होते हैं। विद्युत् मोटर विद्युत् ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के साधन हैं। फेराडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं। मोटर में एक चालक के स्थान पर बहुत से आगत में संबद्ध चालकों का तंत्र रहता है, जो एक आर्मेचर (armature) पर आरोपित होता है। आर्मेचर, नरम लोहे की बहुत सी पट्टिकाओं (plates) को जोड़कर बना होता है और बेलनाकार (cylindrical) होता है। इसमें चारों ओर नाली कटी हुई होती है, जिनमें चालक तंतुओं को कुंडली अथवा दंडों के रूप में रखा जाता है। इन चालकों को, एक निश्चित योजना के अनुसार, आगत में एक दूसरे से संबद्ध किया जाता है। इस निश्चित क्रम को आर्मेचर कुंडलन (armature winding) कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कुंडलनों के विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिनके विशिष्ट नाम होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे चालक तंतु है जो धारा को प्रवर्तित कर उत्पन्न किया जाता है। दिष्ट धारा मोटरों के आर्मेचर चालकों में उत्पन्न कुंडली द्वारा ये आई जाती है। ये कुंडल, तंतु, आर्मेचर के अक्ष विक्रमणिक (commutator) पर समाप्त होते हैं और समान व संबद्ध होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करनेवाले कुंडलनों को आगमन क्षेत्र कुंडली (field coil) कहते हैं। ये कुंडलनों आर्मेचर कुंडलन के श्रेणी में संबद्ध या समांतर में संबद्ध हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इनमें कुछ कुंडलन श्रेणी में हों और कुछ समांतर में। क्षेत्र कुंडलन के इस प्रकार संयोजन पर मोटर के विशिष्ट लक्षण निर्भर होते हैं। श्रेणी मोटर (Series Motor), शंट मोटर (Shunt motor) तथा संयुक्त (Compound motor)। श्रेणी मोटर में जो धारा आगत में से होकर प्रवाहित होती है, वही क्षेत्र कुंडली में भी प्रवाहित होती है। अतः, इसकी क्षेत्र कुंडली में मोटे तार के बहुत कुंडलन होते हैं। शंट मोटर में पूर्ण धारा का कुछ अंश ही कुंडली में होकर बहता है, जो उसके आरपार वोल्टता कुंडलन के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अतः इसकी क्षेत्र कुंडली बहुत पतले तार के बहुत अधिक कुंडलन होते हैं, जिससे इस कुंडली का प्रतिरोध सामान्यतः कई सौ ओम होता है।

विभिन्न प्ररूपों के दिष्ट धारा मोटरों के लक्षण भी बहुत भिन्न होते हैं, और उन्हीं के अनुसार इनका प्रयोग भी भिन्न प्रयोजनों के लिये होता है। शंट मोटर लगभग स्थिर चाल

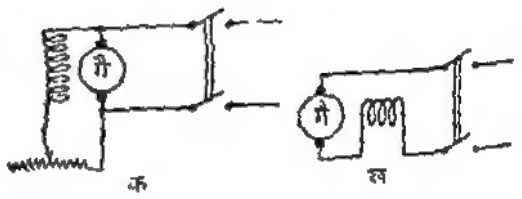

क ख

क. शंट मशीन का संबंधन तथा ख श्रेणी मशीन का संबंधन

प्रवर्तन करते हैं और भार के साथ उनका चाल विचरण अधिक होता। अतः वे उन सब उपयोगों में प्रयुक्त होते हैं जहाँ स्थिर चाल की आवश्यकता होती है। ये ड्राम, लिफ्ट, क्रेन इत्यादि के बड़े उपयोगी हैं। किसी भार को चलन में लाने से पहले अधिक लगाना पड़ता है, पर जब वह चलने लगता है तब उतने बल की आवश्यकता नहीं रहती। अतएव श्रेणी मोटर इन प्रवृत्तियों के आदर्श होते हैं और इनका उपयोग विस्तृत रूप में होता है।

अधिकांश प्रयोजनों के लिये शंट तथा श्रेणी प्ररूपों के भी आवश्यकता होती है, जो संयुक्त मोटर द्वारा प्राप्त की जा सकती

प्रत्यावर्ती धारा मोटरों में भी दिष्ट धारा मोटरों की ही क्षेत्रकुंडलियाँ तथा आर्मेचर होते हैं, परंतु कुछ विभिन्नता में। इनमें दो मुख्य भाग होते हैं : एक जो स्टेटर (stator) स्थिर रहता है, और दूसरा रोटर जो घूमता है। प्रत्यावर्ती मोटरें भी विभिन्न प्ररूपों के होते हैं। सबसे सामान्य प्रत्यावर्ती धारा मोटर प्रेरण मोटर (induction motor) है। प्रेरण मोटर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण मोटर में रोटर कुंडलन जिसमें आगत से संबद्ध होता है, जिससे एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र (rotating magnetic field) उत्पन्न होता है। रोटर के चालक आगत के विभिन्न कुंडलन के रूप में भी संबद्ध हो सकते हैं, अथवा केवल तांबे के छड़ों के रूप में भी हो सकते हैं, जो दोनों सिरों पर तांबे के वलय से संबद्ध (short circuited) हों। इसी स्थिति में बिजली के सिरों की आवश्यकता होती है। जब एक

सामान्यत गिलहरी पंजर प्रेरण मोटर, अथवा केवल पंजर मोटर ही कहते हैं। ये मोटर बनावट में बहुत सुदृढ होते हैं तथा साथ ही साथ सरल तथा सस्ते भी होते हैं। इनकी दक्षता भी उसी आकार के दूसरे मोटरों की अपेक्षा ऊँची होती है। अतएव इन मोटरो का प्रयोग प्राय सार्वत्रिक है। परंतु इन मोटरो का प्रचालन, एक प्रकार से, रोटर की बनावट के अनुसार निश्चित होता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन नही किया जा सकता। इनका आरंभिक बलघूर्ण (starting torque) बहुत कम होता है, जिसे सुधारने के लिये रोटर परिपथ मे कुछ प्रतिरोध निविष्ट (insert) करना आवश्यक होता है, परंतु स्थिर प्रकृत की रचना के कारण ऐसा सभव नहीं हो पाता। साथ ही स्थायी तौर पर रोटर चालको का प्रतिरोध भी अधिक नही किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर हानि अधिक बढ जाएगी और मोटर की दक्षता घट जाएगी। अधिक आरंभिक, बलघूर्ण प्राप्त करने के लिये द्विपंजर (double cage) मोटर प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें एक के स्थान पर दो पंजर होते हैं। रोटर के सांचो के प्ररूप तथा उनकी स्थिति के अनुसार प्रचालन लक्षणो में कुछ विभिन्नता प्राप्त की जा सकती है और उन्हें विविध प्रयोजनो के योग्य बनाया जा सकता है।

प्रेरण मोटर लगभग स्थिर चाल पर चलते हैं। भार के साथ उनका चाल विचरण बहुत कम होता है। अत, जिन भारों के लिये स्थिर चाल की आवश्यकता होती है, वहाँ ये बहुत उपयोगी होते हैं। परंतु जहाँ विचरणशील चाल की आवश्यकता हो, वहाँ पंजर मोटर सामान्यत प्रयुक्त नही किए जाते। इनकी चाल तुल्यकालिक चाल से कुछ ही कम होती है, जो ध्रुव संख्या तथा आवृत्ति पर निर्भर करती है। अत चाल विचरण करने के लिये या तो ध्रुव संख्या में परिवर्तन करना आवश्यक है, अथवा आवृत्ति का ही विचरण करना आवश्यक है। आवृत्ति विचरण करने का तात्पर्य है कि अलग ऐसे संभरण की व्यवस्था करना जिसकी आवृत्ति बदली जा सके। यह साधारणतया व्यावहारिक नहीं होता, क्योंकि विद्युत् संभरण सामान्यत स्थिर आवृत्ति पर होता है। ध्रुव संख्या को अवश्य ही एक विशिष्ट अनुपात मे, कुंडलन के संबंधन मे परिवर्तन करके, बदला जा सकता है, जैसे एक ४ ध्रुवी मोटर को ८ ध्रुवी अथवा ६ ध्रुवी मोटर में परिवर्तित करना संभव है। इस प्रकार इन ध्रुव संख्याओ के तत्संबंधी वेग भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ५० चक्रीय आवृत्ति पर ४ ध्रुवी मोटर की तुल्यकालिक चाल १,५०० प० प्र० मि० और ६ ध्रुवी तथा ८ ध्रुवी का क्रमश १,००० तथा ७५० प० प्र० मि० है। इस तरह ऐसी मोटर की ध्रुव संख्या में परिवर्तन कर, इनकी तत्संबंधी चाल प्राप्त की जा सकती है। पर ये केवल दो या तीन क्रमो मे ही हो सकते हैं। इस विधि से विस्तृत परास में चाल विचरण प्राप्त करना सभव नही है। कुछ निश्चित क्रमो मे चाल विचरण की एक दूसरी विधि 'सोपानीकृत नियंत्रण' (Cascade Control) कहलाती है। यह विधि बेलन मिलों (rolling mills) में अधिकतर प्रयुक्त की जाती है। विभिन्न प्रकार के मशीन औजारों (machine tools) में भी विचरणशील चाल की आवश्यकता होती है, परंतु उनमे सामान्यत, चाल विचरण गियर क्रमो को बदलकर किया जाता है।

यदि चाल व्यवस्थापन काफी विस्तृत परास मे करना हो, तो थ्राग मोटर (Schrage motor) बहुत उपयुक्त होते हैं। बहुत से स्थानो मे दिष्ट धारा, श्रेणी मोटर का प्रचालन लक्षण वांछनीय होता है। इसकी व्यवस्था करने के लिये प्रत्यावर्ती धारा मोटरो में भी प्रयत्न किया गया है। प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर (A C. Series motor) एवं दिक्परिवर्तक मोटर (commutator motorr) इसी प्रकार के विशिष्ट लक्षणों की व्यवस्था करते हैं। तुल्यकालिक मोटर (synchronous motor) केवल तुल्यकालिक चाल पर ही प्रचालन कर सकते हैं। अत. जहाँ एकसमान चाल की आवश्यकता हो, वहाँ ये आदर्श होते हैं। जिस प्रकार दिष्ट धारा जनित्र एव मोटर, वस्तुत एक ही मशीन हैं और दोनो को एक दूसरे के रूप मे प्रयोग करना संभव है, उसी प्रकार तुल्यकालिक मोटर भी, वस्तुत, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का, जिसे सामान्यत प्रत्यावर्तित्र (Alternator) कहते हैं, ही रूप है और दोनो को किसी भी रूप मे प्रयोग करना संभव है। इसके प्रचालन के लिये इसके स्टेटर में प्रत्यावर्ती धारा संभरण तथा रोटर में दिष्ट धारा उत्तेजन (D C excitation) दोनो की आवश्यकता होती है। इन मोटरो का प्रयोग कुछ सीमित है। दिष्ट धारा उत्तेजन के लिये प्रत्यावर्तित्र की भाँति ही इनमें भी एक उत्तेजक (exciter) की व्यवस्था होती है। इन मोटरों का मुख्य लाभ यह है कि उत्तेजना को बढाने से शक्तिगुणांक (power factor) भी बढाया जा सकता है। अत विशेषतया उन उद्योगों मे जहाँ बहुत से प्रेरण मोटर होने के कारण, अथवा किसी और कारण, से शक्तिगुणांक बहुत कम हो जाता है, वहाँ तुल्यकालिक मोटरों की व्यवस्था कर शक्तिगुणांक को सुधारा जा सकता है। बहुत से स्थानों में तो ये मोटर केवल शक्तिगुणांक सुधार के लिये ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसी दशा मे इन्हें तुल्यकालिक संधारित्र (Synchronous condenser) कहा जाता है।

बहुत से स्थानों में केवल एककलीय (single phase) संभरण ही उपलब्ध होता है। वहाँ एककलीय मोटर प्रयोग किए जाते हैं। छोटी मशीनों तथा घरेलू कार्यों के लिये एककलीय प्रेरण मोटर (single phase induction motor) बहुत लोकप्रिय हैं। बिजली के पंखों में भी एककलीय मोटर प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार धावन मशीनों, प्रशीतकों तथा सिलाई की मशीनों इत्यादि में एककलीय मोटर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। एककलीय मोटरों की मुख्य कठिनाई इनके आरंभ करने मे होती है। आरंभ करने के लिये किसी प्रकार का कला विपाटन (phase splitting) आवश्यक होता है। कला विपाटन साधारणतया एक सहायक कुंडली द्वारा किया जाता है, जिसके परिपथ मे एक संधारित्र दिया होता है, जो सहायक कुंडलन की धारा को मुख्य कुंडलन की धारा से लगभग १० विद्युत् डिग्री विस्थापित कर देता है। ... कारण घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति सभव हो सकती है

[illegible] विलयनों में [illegible] परिवर्तन, [illegible] का [illegible] का [illegible] होता है, पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के [illegible] विलयनों में विद्युत् धारा का भी उत्पादन हो सकता है। [illegible] धारा के विद्युत् धारा में परिवर्तन का [illegible] बैटरियाँ हैं। [illegible] बैटरियों की इसी सिद्धान्त पर [illegible] है। विद्युत् रासायनिक परिवर्तनों से विद्युत् धारा [illegible] है। जब दो विद्युत् प्रवाह के बल हाइड्रोजन और [illegible] के विलयन को [illegible] है। जब दो [illegible] विद्युत् प्रवाह से [illegible] और [illegible] के विलयन [illegible] जाता है। इनके परिणाम [illegible] हाइड्रोजन और [illegible] प्राप्त होते हैं। ये [illegible] दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं।

[illegible] के [illegible] के अवसर विभिन्न धातुओं का पृष्ठ [illegible] [illegible] विद्युत् धारा द्वारा प्राप्त की गई। फिर [illegible] के पृष्ठ की विद्युत् धारा द्वारा [illegible] हाइड्रोजन और [illegible] के विलयन किया गया। इसके बाद [illegible] के [illegible] के [illegible] विद्युत् प्रवाह से [illegible] धातु के [illegible] की गई। [illegible] इसी विधि से [illegible], [illegible] और [illegible] धातुएँ भी प्राप्त हुई थीं। फिर [illegible] बैटरियों के [illegible] के [illegible], विद्युत् रसायन को [illegible] बैटरियों के [illegible] [illegible], [illegible] और [illegible] के साथ विशेष रूप से [illegible] हैं।

[illegible] के दोनों के पृष्ठ विद्युतों का [illegible] विद्युत् है। [illegible] यह विदित [illegible] है कि [illegible] के [illegible] विद्युत् [illegible] के [illegible] है। [illegible] है कि [illegible] विद्युत् [illegible] के [illegible] [illegible] हो [illegible]।

[illegible]

[illegible] शुद्ध तांबा विद्युत् अपघटन से ही प्राप्त होता है। विद्युत् का भी विद्युत् अपघटन से ही संबंध है।

विद्युत् रसायन के संबंध ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जो तार पर संपन्न होते हैं। ऊँचे तार के लिये अनेक प्रकार की [illegible] धातुओं का तार धातुओं बनी हुई है। इस विधि से तार अनेक धातु मिश्रितों से प्राप्त होती है। ऐलुमिनियम का निर्माण [illegible] उदाहरण है। धातुओं की शुद्धि के अतिरिक्त अनेक उपयोगी धातुएँ जैसे कैल्सियम कार्बाइड, सिलिकन कार्बाइड, [illegible] के निर्माण में काम आता है), कॉस्टिक, [illegible] मैग्नीशियम, [illegible] आदि भी विद्युत् भट्ठियों में ही तैयार होते [illegible]

[illegible] वि

विद्युत्लेपन (Electroplating) विद्युत् धारा द्वारा [illegible] पर लेपन करने की विधि को विद्युत्लेपन कहते हैं। बहुधा [illegible] वस्तुओं को [illegible] से बचाने तथा चमक के लिये, उन पर [illegible] विलयन अथवा कोलिक का लेपन किया जाता है। आधार पर लेपन करने के बाद, लेपन की जानेवाली धातु के [illegible] पुनः दिखाई देते हैं। इससे वस्तु का बाहरी रूप निखर [illegible] है तथा साथ ही वस्तु [illegible] से भी बचती है। विद्युत् द्वारा लेपित की जानेवाली धातु, आधार धातु के [illegible] दृढ़ हो जाती है और लेपन अति स्थायी रूप से किया जाता है।

विद्युत्लेपन करने के कुछ [illegible] निम्नलिखित हैं —

१. विद्युत्लेपन कक्ष (Electroplating Bath) — [illegible] लेपन की जानेवाली धातु का कोषिक [illegible] होता है, जो [illegible] होने से धातु के कणों से [illegible] जाता है और वे [illegible] धातु की वस्तु पर लेपित हो जाते हैं।

२. दिष्ट धारा (Direct current) का स्रोत (source) [illegible] (test tube) होता है और [illegible] धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं।

३. आधार धातु की वस्तु विद्युत् लेपन किया जाता है — [illegible] ([illegible]) के [illegible] [illegible] के [illegible] धातु के [illegible] से [illegible] रहता है। [illegible] के [illegible] धातु के [illegible] लेपन [illegible] और [illegible] के लिये [illegible] है। लेपन की [illegible] के [illegible] विद्युत् [illegible] है।

[illegible]

[illegible]

होगा। साफ करने के लिये कुछ रासायनिक विलयनों का भी प्रयोग किया जाता है और उनसे धोने के बाद, धातवीय आक्साइडों को हटाने के लिये, लेपन की जानेवाली वस्तु को सल्फ्यूरिक अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन में डाल दिया जाता है। इसके पश्चात् वह वस्तु लेपन किए जाने के लिये कैथोड के रूप में लेपन बाथ में लटका दी जाती है।

लेपन बाथ, सामान्यत. प्रचालक पदार्थ की टंकी (tank) के रूप में होता है, जिसमें लेपन की जानेवाली धातु का रासायनिक विलयन भरा होता है। ताम्र लेपन के लिये, यह विलयन ताम्र सल्फेट का होता है। निकल लेपन के लिये निकल सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इनके कुछ दूसरे रासायनिक यौगिक, इनके विशिष्ट लेपन के लिये प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो कोई भी धातु, किसी दूसरी धातु पर लेपित की जा सकती है, परंतु व्यावहारिक रूप में अधिकांशत लोहे की वस्तुओं पर ताम्र, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है और तांबे तथा पीतल की वस्तुओं पर चाँदी अथवा सोने का लेपन किया जाता है।

लेपन में एक और व्यावहारिक कठिनाई है। यदि किसी सक्रिय धातु को ऐसे धातु के यौगिक के विलयन में डाल दिया जाय जिसमें आयन प्रचुर मात्रा में हों, (जैसे लोहे को ताम्र सल्फेट के बाथ में) तो पृथक्करण क्रिया होने लगती है। इसमें कुछ लोहा घुल जाता है और शेष में ताम्र लेपन होने लगता है। ऐसे लेपन टिकाऊ नहीं होते। तांबे या पीतल पर चाँदी-सोने का लेपन करने में भी यही कठिनाई होती है। इनमें प्रयोग होनेवाले रासायनिक विलयनों का संघटन बहुत संतुलित रखा जाता है।

लेपन बाथ में, सामान्यत, एक और यौगिक, जिसे योजित कारक (Additive agent) कहते हैं, मिलाया जाता है। गोंद, जिलेटीन, ऐल्बूमिन आदि सामान्य प्रयोग में आनेवाले योजित कारक हैं।

ताम्र लेपन में ताम्र सल्फेट के स्थान पर ताम्र साइनाइड का प्रयोग भी किया जाता है। इसे बहुधा इस्पात पर पहला ताम्र आवरण देने के लिये प्रयोग करते हैं और बाद में ताम्र आवरण पर निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ताम्र लेपन में भी पहले ताम्र साइनाइड द्वारा पहला आवरण देने के पश्चात् दूसरा आवरण ताम्र सल्फेट द्वारा दिया जाता है। चमक पैदा करने के लिये, साधारणतया, कुछ सोडियम थायो-सल्फेट भी लेपन बाथ में मिला दिया जाता है। अच्छे और टिकाऊ लेपन के लिये धारा घनत्व लगभग १०० ऐंपियर प्रति वर्ग फीट होता है। इस विषय में अनुभव ही मुख्य कसौटी है।

निकल लेपन अधिकतर इस्पात के पुर्जों पर किया जाता है, जिससे उनमें चमक आ जाए, तल भी चिकना हो जाए तथा संरक्षण भी होता जा सके।

क्रोमियम लेपन, निकल लेपन की भाँति ही होता है, परंतु सजावट के लिये उससे भी सुंदर माध्यम है।

चाँदी-सोने का लेपन मुख्यतः सजावट तथा बर्तनों के लिये, अथवा बरतनों पर किया जाता है। [शा० कु० व०]

विद्युत् लैंपों का निर्माण

(Electric Lamps, Manufacture of) विद्युत् लैंप सबसे सामान्य विद्युत् युक्ति है और सामान्य आवश्यकता की वस्तु है, परंतु इसका निर्माण असामान्यत विशिष्ट है। इनका उत्पादन बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

विद्युत् लैंप कई प्रकार के होते हैं। सामान्य लैंप, जिसे बल्ब भी कहते हैं, वस्तुत तापदीप्त (incandescent) प्ररूप का होता है, जिसमें किसी धातु के तंतु (filament) को गरम कर प्रकाश देने योग्य बनाया जाता है। ऊष्मा तंतु में विद्युत् धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। इन लैंपों में साधारणतया टंगस्टेन धातु का तंतु प्रयुक्त किया जाता है, जो एक कुंडलिनी (helix) अथवा कुंडली (coil) के रूप में होता है। यह तंतु एक निर्वातित (evacuated) काँच के बल्ब में, जिसे वायुरोधी सील से बंद कर दिया जाता है, निविष्ट रहता है। बंद किए हुए बल्ब की टोपी में तंतु के दोनों टर्मिनल (terminals) होते हैं, जिन्हें बल्ब के लैंप होल्डर (lamp holder) में लगाने पर तंतु का परिपथ पूरा हो जाता है और तंतु में से धारा प्रवाहित होने लगती है। इसमें तंतु गरम होकर पहले लाल और फिर सफेद हो जाता है। इस दशा में वह प्रकाश का स्रोत बन जाता है।

तंतु का बंद किए हुए निर्वातित बल्ब में होना आवश्यक है, नहीं तो वह सहज ही ऑक्सीइत (oxidized) हो जायगा, और अपने गुण को खो देगा। तंतु का परिचालन-ताप (operating temprature) बहुत अधिक होता है। अत, तंतु ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जो इस ताप पर पिघले नहीं और न ऑक्सीइत हो। इसलिये तंतु सामान्यत, टंगस्टेन, अथवा उसकी किसी मिश्रधातु, के बने होते हैं। तंतु की रचना भी ऐसी होती है कि न्यूनतम ताप पर अधिकतम प्रकाश उत्पन्न करे। इसलिये तंतु कुंडलिनी अथवा कुंडलित कुंडली (coiled coil) के रूप में बनाया जाता है।

बहुत से बल्बों को निर्वातित करके, उनमें कोई अक्रिय (inert) गैस भी भर दी जाती है। ऐसा तंतु को ऑक्सीइत होने से बचाने के लिये किया जाता है। निर्वातित करने पर भी बल्ब के धातु का पूरा निष्कासन नहीं हो पाता। विशेषतया पुराने बल्बों की तली में कुछ कालिख सी जम जाती है, जो वस्तुत टंगस्टेन ऑक्साइड होती है। उच्च ताप पर धातु का कुछ कुछ वाष्पन भी होता है और धातु के छोटे छोटे कण बल्ब की तली में जम जाते हैं। इसे बचाने के लिये, बल्ब में अक्रिय गैस भरकर उसकी दाब बढ़ा दी जाती है, जिससे वाष्पन न हो सके। मुख्यत. आर्गन गैस प्रयुक्त की जाती है। गैस से भरे बल्बों में ऊष्मा अधिक शीघ्रता से स्थानांतरित (transfer) होती है और इसलिये उनकी क्षमता भी अधिक होती है।

विद्युत् लैंपों की क्षमता उनकी चोटता तथा शक्ति द्वारा विर्णित की जाती है। सामान्य लैंप २००–२२० वाट और १२, २५, ४०, ६०, ७५, १००, २००, ५०० वाट की क्षमता के होते हैं। किसी लैंप की क्षमता उसके उपयोग पर निर्भर करती है, परंतु किसी भी तापदीप्त लैंप के चार मुख्य भाग होते हैं :

उपकरणों से प्रेक्षण करने पर पता चलता है कि पृथ्वी पर खुले वायुमंडल में सर्वत्र विद्युत् बलों का अस्तित्व है। अच्छे मौसम में औसत विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता या विभव प्रवणता (potential gradient) प्राय १०० वोल्ट प्रति मीटर से अधिक होती है। पृथ्वी के पृष्ठ से ऊँचे बढ़ने पर विद्युत् विभव बढ़ता है, परंतु क्षेत्र तीव्रता या विभव प्रवणता घटती है। अच्छे मौसम में वायुमंडल में स्थित विद्युत् क्षेत्र धनात्मक आयनों को भूपृष्ठ की ओर और ऋणात्मक आयनों को भूपृष्ठ से दूर प्रेरित करता है। इससे यह संकेत मिलता है कि तड़ित् झंझा (thunder storm) विस्थापक धूल आदि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को जिनसे वायुमंडल का सामान्य क्षेत्र अव्यवस्थित हो जाता है, छोड़कर पृथ्वी की सतह सभी स्थानों पर सदा ऋण आवेश में रहती है। वायुमंडलीय विद्युत् के सार्वत्रिक पहलू का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि खुले में स्थित वायु पूर्ण विद्युत् रोधी (insulator) नहीं है। यद्यपि वायु की चालकता बहुत कम होती है, तथापि वायुमंडल की वैद्युत् स्थिति का निर्धारण करने में वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रश्न यह उठता है कि पृथ्वी का ऋण आवेश किस प्रकार पोषित रहता है? वैद्युत चालन द्वारा हुई आवेशहानि की क्षतिपूर्ति के लिये पृथ्वी को क्षति की दर पर ऋण आवेश किस प्रकार कौन सा कारक प्रदान करता है? इस समस्या ने अनेक शोधकर्ताओं को प्रेरित किया और अनेक सैद्धांतिक और प्रायोगिक खोजों से कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिनसे इस सुझाव को बल मिला कि तड़ित् झंझा से पृथ्वी को इतना ऋण आवेश मिलता है कि पृथ्वी का ऋण विभव बना रहे। इसके अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित तड़ित् झंझा के सेल विद्युत् जनित्र के रूप में रहते हैं और पृथ्वी तथा उच्च वायुमंडल से पार्श्व संबंधित होते हैं एवं पूर्तिधारा प्रदान करते हैं, जिससे उच्च वायुमंडल पृथ्वी के सापेक्ष सैकड़ों किलोवोल्ट धन विभव पर रहता है।

वायु भू धारा — वायु भू धारा का घनत्व घ, जो बहुत अल्प होता है, अनेक वर्षों तक अनेक स्थानों पर स्वतःलेखी उपकरणों से निर्धारित किया गया। प्रत्यक्ष विधि से माप करने के लिये धारा को एक विद्युत्रोधी प्लेट पर, जो पृथ्वी के पृष्ठ के समतल रखा होता है, एकत्र करते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में विभव प्रवणता प्र, धनात्मक आयनों द्वारा वायु में उत्पादित वैद्युत संचालकता λ_1 तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा वायु में उत्पादित वैद्युत संचालकता λ_2 के मापनों से घ का मान सूत्र $घ = (\lambda_1 + \lambda_2)$ प्र, से प्राप्त किया जाता है।

वायु की वैद्युत चालकता — १८८७ ई० में पहली बार लिस (Linss) ने हवा की चालकता ज्ञात की। बाद में ऐल्स्टर, गीटेल और सी. टी. आर. विल्सन ने ज्ञात किया कि यह चालकता आयनों की उपस्थिति के कारण है, जो ऋण और धन आवेशों के वाहक हैं। हवा में आयनों के निर्माण के संबंध में ऐल्स्टर और गीटेल ने समाधान यह प्रस्तुत किया कि भूपर्पटी के अधिकांश महत्वपूर्ण अवयवों में रेडियोऐक्टिव पदार्थ होते हैं, जो सभी हवा को आयनित करते हैं। अन्वेषणों से सिद्ध हुआ कि निम्नतर वायुमंडल के आयनन के तीन प्रधान कारक हैं: (१) भूपर्पटी के रेडियोऐक्टिव अवयवों का [illegible], (२) हवा में ही उपस्थित रेडियोऐक्टिव पदार्थों का विकिरण और (३) अंतरिक्ष किरण (cosmic rays)। महासागर की सतह के ऊपर स्थित हवा और ऊपरी वायुमंडल के आयनन में अंतरिक्ष किरण ही प्रधान कारक है। १९११ ई० में वी० हेस (Hess) ने इसका संकेत दिया कि अंतरिक्ष किरणों में वेधनक्षमता अत्यधिक है और वे पार्थिवेतर उद्गम की हैं। बाद में अनेक अन्वेषकों ने इनके गुणों का बारीकी से अध्ययन किया। समुद्र की सतह पर अंतरिक्ष किरणें १५ से २० आयन प्रति घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की (भूचुंबकीय अक्षांश पर निर्भर) दर से युग्म आयन बनाती हैं, जिनमें से एक धन और दूसरा ऋण आवेशयुक्त होता है। यह अधिकांश समुद्री जलक्षेत्र और भूवीय स्थलक्षेत्र में आयन निर्माण की व्यवहारिक संपूर्ण दर है। पर अन्य अधिकांश स्थलीय क्षेत्रों में निम्नतर वायुमंडल में रेडियोऐक्टिव पदार्थों के कारण हवा के अतिरिक्त आयनन के कारण आयनों की जन्मदर इससे अनेक गुना अधिक होती है। आयनों की जन्मदर अधिक होने पर भी स्थलीय क्षेत्रों की हवा की वैद्युत चालकता समुद्र पर स्थित हवा की चालकता से अधिक नहीं होती, बल्कि बड़े शहरों की हवा की चालकता बहुत कम होती है। इस असंगति का कारण यह है कि अशुद्ध हवा में छोटे आयन बड़े आयनों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो छोटे आयनों की अपेक्षा धीरे अनुगमन करते हैं और फलस्वरूप हवा की चालकता को अंशदान कम कर पाते हैं। छोटे धन तथा ऋण आयनों की संख्या का निर्धारण करने के लिये, ऐबर्ट आयनमापी नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें एक भूयोजित (earthed) धातुनलिका होती है, जिसके अक्ष पर एक अविष्टरोधी छड़ चढ़ाया जाता है और उसे स्फटिक रेशा विद्युत्दर्शी (quartz fibre electroscope) से जोड़ दिया जाता है। एक घटीयंत्र द्वारा चालित पंखे के जरिए नलिका के द्वारा लगभग पाँच मिनट तक हवा का चूषण किया जाता है और वायुधारा की चाल नियंत्रित करके, इतनी कम रखी जाती है कि नलिका में प्रविष्ट होनेवाले सभी छोटे आयन, जिनका आवेश केंद्रीय छड़ के आयनों के विपरीत चिह्न का होता है, नलिका की तली तक पहुँचने के पहले छड़ से आकृष्ट हो सकें। इस क्रिया से एक प्रकार के आयनों की संख्या (जैसे न−) ज्ञात करने के लिये आवश्यक आँकड़े मिलेंगे, और यही प्रयोग विद्युत्रोधी छड़ को विपरीत आवेश देकर दुहराने पर दूसरे प्रकार के आयनों की संख्या (जैसे न+) ज्ञात करने के आँकड़े मिलेंगे।

भूवीय चालकता को मापने का गडियन उपकरण ऊपर वर्णित ऐबर्ट उपकरण जैसा ही है। इसमें हवा की धारा इतनी तीव्र कर दी जाती है और नलिका के अंदर का क्षेत्र इतना मंदित कर दिया जाता है कि कुल आयनों का बहुत ही छोटा अंश केंद्रीय छड़ तक पहुँच पाता है। यदि ऋणात्मक आवेशयुक्त विद्युद्दर्शी तंत्र की प्रवणता प्र (v), ताप्र/ताट (dv/dt) दर से बढ़ती है और यदि केंद्रीय तंत्र, छड़, और विद्युद्दर्शी की कुल धारिता घ (c) है, तो

$$-\frac{ताक}{ताट} = -घ\frac{ताप्र}{ताट}\left[-\frac{dQ}{dt} = -c\frac{dv}{dt}\right]$$

केंद्रीय तंत्र, छड़ और उसके आधार की धारा के प्रति अनावृत भाग की धारिता यदि घ' (c') हो, तो क = घ' प्र (Q = c'v), अतः

$$-\text{ध}\frac{\text{ताप्र}}{\text{ताट}} = 4\pi\lambda_+\text{ध}'\text{प्र}, \quad \left[-c\frac{dv}{dt} = 4\pi\lambda_+ c'v \right]$$

जिससे λ_+ का निर्धारण हो सकता है। λ_- ज्ञात करने के लिये केंद्रीय छड़ को धनात्मक आवेश देकर यही प्रयोग दोहराना पड़ेगा।

विभव प्रवणता — धरातल से दो भिन्न भिन्न ऊँचाइयों पर दो विद्युत्रोधी चालकों के विभव के अंतर को मापकर वायुमंडल की *विभव प्रवणता ताप्र/ताट* को ज्ञात किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से एक चालक पृथ्वी और दूसरा धरातल से लगभग एक मीटर ऊँचाई पर तना हुआ क्षैतिज तार होता है। इसका निश्चय कर लेना चाहिए कि तारों (चालकों) के टेकों, पेंडक तथा उपकरणों से मापन किए जानेवाले क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हो रहा है। विभव प्रवणताओं का लगातार अभिलेख (record) प्राप्त करने के लिये विद्युन्मापी को एक भवन में रखकर, उसकी दीवार से बहिर्विष्ट विद्युत्रोधी छड़ पर संग्राहक रखा जा सकता है। *संग्राहक रेडियोऐक्टिव हो भी सकता* है और नहीं भी। हर स्थिति में विद्युत्रोधी तंत्र को प्राय निम्न चुम्बकीय वृत्तपाद (quadrant) विद्युन्मापी की सुई से संबद्ध कर दिया जाता है। वृत्तपाद का केंद्र भूवेशित होता है और उसके सन्मुख युग्म बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं। सुई से संलग्न एक छो- दर्पण से प्राप्त प्रकाशबिंदु को घड़ी ढोल (clock drum) पर लिपटे हुए क्रोमाइड कागज पर संग्रहीत करके विद्युन्मापी सुई के विक्षेप का निरंतर अभिलेख प्राप्त किया जाता है। समुद्री क्षेत्र सहित विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त विभवप्रवणता के अभिलेखों से उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट हुई हैं :

(अ) पृथ्वी के पृष्ठ पर सर्वत्र अच्छे और बुरे मौसमों में विभव-*प्रवणता का चिह्न सदा धन है, किंतु स्थल भाग में इसका मान* स्थानीय विशेषताओं के अनुसार काफी बदलता है। समूची पृथ्वी के लिये इसका औसत मान लगभग १२० v/m है जबकि महासागरीय क्षेत्रों में यह लगभग १२६ v/m है।

(ब) अच्छे मौसम में स्थल भाग में विभवप्रवणता स्थानीय समयानुसार बदलती है, अर्थात् लगभग ४ बजे प्रातः निम्नतम और छह और आठ बजे शाम के बीच अधिकतम होती है। अनेक स्थानों पर इसका एक अतिरिक्त अधिकतम और न्यूनतम मान क्रमश ८ बजे प्रातः और मध्याह्न में होता है। स्थानीय समय के साथ विभव-*प्रवणता के बदलने और बड़े शहरों के पास वायुमंडल के धूम प्रदूषण* (smoke pollution) में, ह्विपल (Whipple) ने, सहसंबंध दिखाया है।

(स) स्थलीय प्रेक्षणस्थलों पर विभवप्रवणता के वार्षिक विचरण में स्थानीय जाड़े में एक अधिकतम, और स्थानीय गरमी में एक न्यूनतम, होता है। इस नियम का एक ही अपवाद दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र है, जहाँ विचरण स्थानीय गरमी में अधिकतम और जाड़े में न्यूनतम होता है।

विक्षुब्ध मौसम में विद्युत् क्षेत्र — वह सामान्य क्षेत्र, जो अच्छे और साफ मौसम में ऊपरी वायुमंडल से नीचे पृथ्वी के पृष्ठ की ओर दिष्ट होता है, बुरे मौसम में प्राय. गड़बड़ा जाता है। कोहरे के समय क्षेत्र बढ़कर प्रा : सामान्य मान से दस गुना हो जाता है। अर्धशुष्क प्रदेश और मरुस्थल में अंधड़ के समय क्षेत्र, प्राय उत्क्रमित (reversed) हो जाता है, जिसका मान १०,००० v/m तक हो सकता है। बदली और वर्षा में क्षेत्र परिवर्ती होता है और बारीक फुहार में कुछ सौ वोल्टों से लेकर गर्जन मेघ (thunder cloud) में ५०,००० v/m के परास में विचरित होता है। हलकी और स्थिर वर्षा में ऋणात्मक क्षेत्र होना भी सामान्य घटना है, यद्यपि कभी कभी धनात्मक क्षेत्र भी प्रेक्षित किया जाता है। भारी वर्षा और मेघ गर्जन की स्थिति में क्षेत्र का चिह्न, जो प्रेक्षण बिंदु के ऊपर से गुजरनेवाले मेघखंड पर निर्भर करता है, विचरण करता है, परंतु *अधिकतर ऋण विभव ही होता है। तड़ित् झंझा के समय* यदि मेघ तड़ित् उत्पादन में सक्रिय हो, तो क्षेत्र बहुत अधिक घटता बढ़ता है।

गर्जनमेघ विद्युतीकरण — यह वायुमंडलीय विद्युत् का महत्वपूर्ण विषय है। इसकी क्रियाविधि की अनेक व्याख्याओं में, सी० टी० आर० विल्सन की सुझाई विधि महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार क्रियाविधि ऊपर से गिरनेवाले बड़े जलबिंदुओं, या हिमकणों, द्वारा हवा से ऋण आयनों के वरणात्मक परिग्रहण पर निर्भर करती है और हवा में स्थित अवशिष्ट अतिरिक्त धनावेश बहुत छोटे जलबिंदुओं, या हिमकणों, द्वारा मेघ के सबसे ऊपरी भाग में अवशोषित होता है। विल्सन की क्रियाविधि में पहले से उपस्थित क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होती है।

[कि० चं० व०]

विद्युत् शक्ति का उत्पादन (Electric Power Generation)

व्यावहारिक रूप में विद्युत् शक्ति का उत्पादन, विद्युत् जनित्रों (generators) द्वारा किया जाता है (देखें विद्युत् जनित्र, विद्युत्, जल से उत्पन्न)। धारा प्रवाह का निदर्शन एक गैलवैनोमीटर (galvanometer) की सहायता से किया जा सकता है। गैलवैनोमीटर को संवाहक के दोनों सिरों से योजित कर देने पर, संवाहक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति (relative motion) की स्थिति में, गैलवैनोमीटर का सूचक उसमें धारा के प्रवाह को सूचित करेगा। इस प्रकार प्रेरित वोल्टता, वस्तुतः, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक गति पर निर्भर करती है और इसका परिमाण चालक संख्या तथा आपेक्षिक गति और चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करता है।

यह सरल सिद्धांत, विद्युत् इंजीनियरी का मूल सिद्धांत है। इसकी विवेचना करने पर ज्ञात होता है कि विद्युत् शक्ति के लिये, वस्तुतः, तीन संघटक आवश्यक हैं. (१) चालक, जो व्यावहारिक रूप में एक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार योजित संवाहक समूह होता है, (२) चुंबकीय क्षेत्र, व्यावहारिक रूप में एक कुंडली में विद्युत् धारा प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है और (३) चालक समूह को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने की व्यवस्था, जिसका तात्पर्य है यांत्रिक ऊर्जा का प्रावधान। वस्तुतः, यही यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत् ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है और ऊर्जा अविनाशिता नियम का प्रतिपादन करती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर किसी भी विद्युत् जनित्र के तीन मुख्य अवयव होते हैं :

१. चालकों को धारण करनेवाले आर्मेचर (armature) की, जो सामान्यतः नरम लोहे के पटलित टुकड़ों का बना होता है, परिधि के चारों ओर खाँचे बने होते हैं, जिनमें चालक कुंडलियाँ रखी जाती हैं। चालकों को एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार योजित किया जाता है, जिसे आर्मेचर कुंडलन (Armature winding) कहते हैं।

२. क्षेत्र कुंडली — इनमें धारा के प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है।

३. यांत्रिक शक्ति का संभारक — यह साधारणतया एक प्रधान चालक होता है। यह जल का टरबाइन, भाप का टरबाइन, भाप का इंजन, अथवा डीजल इंजन में से कोई भी हो सकता है।

धारा के प्रकार के अनुसार विद्युत् जनित्र, मुख्यतः, दो प्रकार के होते हैं दिष्ट धारा जनित्र (D C generator) और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र (A C generator)। यद्यपि मूलतः दोनों के मूल सिद्धांत एक ही होते हैं, परंतु बनावट के दृष्टिकोण से उनमें काफी अंतर होता है। दिष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र अचल क्षेत्र कुंडलियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है और आर्मेचर पर आरोपित चालक तंत्र घूर्णन करता है। इस प्रकार, चुंबकीय अभिवाह को काटने से उसमें एक वोल्टता जनित होती है। वस्तुतः, वोल्टता के जनन के लिये यह आवश्यक नहीं कि चालक में ही गति हो। यह भी हो सकता है कि चालकतंत्र स्थिर हो और चुंबकीय अभिवाह उनको काटता हुआ जाए। इसका तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र गतिशील हो और चालक अपने स्थान पर ही रहे। किसी भी प्रकार से चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र में आपेक्षिक गति होना आवश्यक है, जिससे चालक में वोल्टता जनित हो सके। वस्तुतः, दोनों विधियाँ ही व्यावहारिक हैं और प्रत्यावर्ती धारा जनित्रों में, जिन्हें प्रत्यावर्तित्र (Alternator) भी कहते हैं, चालक समूह अचल होता है और उसे स्टेटर (Stator) कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करनेवाले ध्रुव और कुंडली घूर्णी भाग होते हैं और उन्हें रोटर (Rotor) कहते हैं। आर्मेचर को अचल रखने का मुख्य लाभ यह है कि इस प्रकार सापेक्षतया उच्चतर वोल्टता जनित की जा सकती है। उच्च वोल्टता जनन के लिये या तो चालक की संख्या बढ़ानी पड़ती है, अथवा घूर्णन-वेग, या दोनों ही। चालक की संख्या बढ़ाने से आर्मेचर का आकार बहुत बढ़ जाता है और उसके घूर्णी भाग होने के कारण अपकेंद्री बल इतना बढ़ जाएगा कि संरचना के दृष्टिकोण से चालकों को अपने स्थानों पर स्थिर रखना भी एक समस्या हो जाएगी। बड़े आकार के घूर्णी भाग बनावट के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होते और न उनका वेग ही बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। अतः, घूर्णी आर्मेचर वाले जनित्रों में उच्च वोल्टता जनित करना परिसीमित हो जाता है, परंतु यदि अचल हो, तो उसका आकार भी बड़ा बनाया जा सकता है और अपकेंद्री बल का भी प्रश्न नहीं उठता। साथ ही जनित धारा को स्थिर संस्पर्शकों (contacts) से ले जाना होता है, जो बहुत सुगम हो जाता है। घूर्णी आर्मेचरों में [illegible] को कूचों द्वारा ही बाहरी परिपथ में ले जाया जा [illegible] के रोटर होने में समस्या इतनी जटिल नहीं होती, क्योंकि उनमें प्रवाहित होनेवाली दिष्ट धारा (exciting current) सामान्यतः बहुत कम होती है। उत्तेजन केवल दिष्ट धारा से ही संभव है और प्रत्यावर्ती धारा जनित्रों में क्षेत्र उत्तेजन के लिये दिष्ट धारा संभारक का होना आवश्यक है जो सामान्यतः इसी सेट (shaft) पर आरोपित एक छोटे से दिष्ट धारा जनित्र द्वारा, जिसे उत्तेजक (exciter) कहते हैं, संचालित किया जाता है।

आर्मेचर चालकों में चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष, आरोपित गति के कारण जनित होनेवाली वोल्टता, वस्तुतः प्रत्यावर्ती प्रकार की होती है। किसी भी क्षण पर इसका परिमाण कुंडलीय क्षेत्र के चालकों की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है। दिष्ट धारा जनित्र के आर्मेचर में भी इसी प्रकार की वोल्टता प्रेरित होती है, पर एक दिक्परिवर्तक (commutator) द्वारा उसे बाहरी परिपथ में दिष्ट धारा के रूप में प्राप्त किया जाता है। दिक्परिवर्तक आर्मेचर के साथ उसी ईंधा, पर आरोपित होता है (shaft) और आर्मेचर चालक निश्चित व्यवस्था के अनुसार उसके ताम्र खंडों (copper segments) में योजित होते हैं। धारा को दिक्परिवर्तक से बाहरी परिपथ में ले जाने के लिये बुरशों (brushes) का प्रावधान होता है, जो साधारणतया कार्बन के होते हैं और बुरश धारक (brush holder) में लगे होते हैं।

जहाँ तक यांत्रिक शक्ति का प्रश्न है, वह चाहे तो किसी टरबाइन से अथवा इंजन से प्राप्त की जा सकती है, या नदी के बहते हुए पानी से, जिसमें असीम शक्ति का भंडार निहित है। प्रयत्न तो किया जा रहा है कि समुद्र के ज्वार भाटे में निहित ऊर्जा को तथा ज्वालामुखी पर्वतों में छिपी हुई असीम शक्ति के भंडारों को भी काम में लाया जाए। परमाणवीय शक्ति का उपयोग तो विद्युत् उत्पादन के लिये शीघ्रता से बढ़ रहा है और बहुत से बड़े बड़े परमाणवीय बिजलीघर बनाए गए हैं, परंतु अभी तक, मुख्यतः, तीन प्रकार के बिजलीघर ही सामान्य हैं : पन, भाप एवं डीजल इंजन चालित।

पनबिजलीघर ऐसे स्थानों में बनाए जाते हैं जहाँ किसी नदी में सुगमतापूर्वक बाँध बाँधकर पर्याप्त जल एकत्रित किया जा सके और उसे आवश्यकतानुसार ऊँचाई से नलों द्वारा गिराकर जल टरबाइन चलाए जा सकें (देखें, विद्युत्, जल से उत्पन्न)। ये टरबाइन विद्युत् जनित्रों के प्रधान चालक होते हैं। पर्वतों से बहनेवाली नदियों में असीम जलशक्ति निहित होती है। ऐसे बिजलीघर बनाने के लिये पहले सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है और सबसे उपयुक्त ऐसा स्थान खोजा जाता है जहाँ न्यूनतम परिश्रम और लागत से यथासंभव बड़ा बाँध बनाया जा सके। ऐसे बिजलीघरों की लागत बहुत अधिक होती है, पर उनका प्रचालन व्यय (operating cost) बहुत कम होता है। ऐसे बिजलीघरों की स्थापना, मुख्यतः, उपयुक्त स्थान पर निर्भर करती है। यह हो सकता है कि ये बिजलीघर उद्योग स्थल से बहुत दूर हों। ऐसी दशा में बहुत लंबी [illegible] भी [illegible] सकती हैं। अतएव ऐसे बिजलीघरों [illegible] सिद्ध करने

के लिये संचरण दूरी तथा उसकी लम्बाई का विचार रखना भी आवश्यक है।

भाप चालित बिजलीघरों में भाप से चलनेवाले टरबाइन होते हैं। भाप इंजनों का उपयोग तो अब व्यावहारिक रूप में पुरानी बात हो गई है। भाप टरबाइन, साधारणतया, उच्च वेग पर चालन करते हैं और संतत प्रचालन के लिये बनाए जाते हैं। अधिकांश टरबाइनों में उच्च दबाव पर भाप प्रयुक्त की जाती है, जिसके लिये उच्च दबाव के वाष्पित्र (boilers) की आवश्यकता होती है। ६०० पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव अब सामान्य हो गया है और आधुनिक टरबाइन तो इससे भी अधिक दबाव पर प्रचालन करने के लिये बनाए जा रहे हैं। गैस टरबाइन भी अब इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयुक्त होने लगे हैं। टरबाइन की रचना में निरंतर नए शोध हो रहे हैं जिससे भाप चालित बिजलीघरों की दक्षता और भी अधिक बढ़ाई जा सके।

आजकल परमाणवीय बिजलीघरों की स्थापना में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। परमाणवीय बिजलीघर बहुत से देशों में बनाए गए हैं और उनकी बड़ी बड़ी योजनाएँ बनाई जा रही हैं। ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस में पिछले १० वर्षों में बहुत बड़े बड़े परमाणवीय बिजलीघर बनाए गए हैं और बहुत से बनाए जा रहे हैं। इनका मुख्य लाभ यह है कि ये भार केंद्रों के सन्निकट बनाए जा सकते हैं, जिससे लंबी संचरण लाइनों की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त, ईंधन की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण, परिवहन व्यय तथा उसकी समस्या नहीं रहती। परंतु इनका प्रतिष्ठापन व्यय सापेक्षतया अधिक होता है और फिर इनकी प्रचालन प्रणाली अभी तक शोध का विषय है। प्रणालियों में नित्य नए अनुसंधान के कारण इनकी स्थापना का निश्चय बहुत ही विवादास्पद है। जो प्रणाली आज से पाँच साल पहले अपनाई जाती थी, वह अब गई बीती बात हो चुकी है। दूसरे, इन्हें केवल बड़े रूप में बनाना ही आर्थिक तथा प्राविधिक रूप से उचित हो सकता है। उत्पादित की गई सारी शक्ति का उपयोग उसी स्थल पर हो जाना साधारणतया संभव नहीं होता। यह अवश्य महत्वपूर्ण है कि शक्ति के दूसरे स्रोत निरंतर समाप्त होते जा रहे हैं अथवा कहा जा सकता है कि उनमें से अधिकांश अनंत समाप्त होने को हैं। अनुमान के अनुसार यदि संसार में कोयले की खपत इसी प्रकार होती रही, तो वर्तमान कोयले की खानें संसार को अधिकतम २०० वर्ष तक कोयला देती रह सकती हैं। इसी प्रकार तेल की उपलब्धि के विषय में भी कहा जा सकता है। जलविद्युत् भंडार अक्षय ही समाप्त होनेवाला नहीं है, परंतु ये भंडार सामान्यतः उपयोग स्थलों से बहुत दूर हैं। उदाहरणतः, ब्रह्मपुत्र नदी के जल में, भारत की सीमा में प्रवेश करने के स्थल पर, लगभग ३५ लाख किला० शक्ति की क्षमता है। पर प्रथम तो वहाँ बिजलीघर की स्थापना करना इतना सुगम नहीं, और दूसरे यह स्थान उपयोग स्थलों से लगभग ५०० मील दूर है। भारत में लगभग ४०×१०^{९} टन कोयला होने का अनुमान है और जलविद्युत् शक्ति, जिसका उपलब्ध होना संभव है, लगभग ४०×१०^{६} किला० है। ये आँकड़े काफी आशाप्रद प्रतीत होते हैं, परंतु यदि हमारा स्तर भी अमरीका तथा दूसरे गतिशील देशों के समान हो और प्रति मनुष्य उतनी ही विद्युत् की खपत हो, तो इतनी शक्ति भी हमारे लिये बहुत अपर्याप्त होगी। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि परमाणवीय शक्ति का उपयोग किया जाए।

छोटे नगरों, अथवा छोटे उद्योगों के वैयक्तिक संभरणों के लिये डीजल इंजनों का भी उपयोग किया जाता है। ये सेट अधिकतर कम क्षमता के होते हैं। ये पवन एवं तापीय बिजलीघरों (कोयले का प्रयोग करनेवाले) की तरह बड़े आकारों में नहीं बनाए जा सकते तथा इनमें उत्पादित विद्युत् शक्ति का प्रति यूनिट मूल्य भी सापेक्षतया कहीं अधिक होता है, परंतु छोटे संभरणों के लिये ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन्हें आसानी से चलाया जा सकता है और कुछ ही मिनटों में भार लेने के अनुकूल हो जाते हैं। इस कारण ये अतिरिक्त (standby) संचायक के रूप में बहुत उपयोगी होते हैं। डीजल चालित बिजलीघरों को भी, जो आर्थिक रूप से मँहगे होने के कारण बंद कर दिए गए हैं, अतिरिक्त संचायक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है।

डीजल इंजन का स्थान आजकल गैस टरबाइन ले रहा है। गैस टरबाइन की दक्षता इनकी अपेक्षा कहीं अधिक होती है और ये बड़े आकारों में भी निर्मित किए जा सकते हैं, परंतु ये बहुत अधिक ताप एवं दबाव पर प्रचालन करते हैं। अधिक दक्षता के लिये और भी ऊँचे ताप पर प्रचालन करना आवश्यक है और अभी ऐसे पदार्थों का निर्माण संभव नहीं हो पाया है जिनका उपयोग गैस टरबाइनों के निर्माण में व्यावहारिक रूप से किया जा सके। अतः गैस टरबाइन विद्युत्शक्ति के उत्पादन में बहुत सामान्य नहीं हो पाया है।

प्रकृति में विद्युत्शक्ति के असीम साधन विद्यमान हैं। उपर्युक्त जाने माने साधनों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे साधन भी हैं जिनकी ओर पिछले २० वर्षों में ही मनुष्य का ध्यान आकर्षित हुआ है। समुद्र के ज्वार भाटे में अपरिमित शक्ति विद्यमान है। फ्रांस एवं ब्रिटेन में इस शक्ति का भी विद्युत् उत्पादन के लिये उपयोग किया गया है। समुद्री ज्वार के समय नदी के मुहाने की ओर बढ़ते हुए पानी को एक ओर खुलनेवाले बाँध द्वारा घिरे जलाशय में भर लिया जाता है। ज्वार के समय जलाशय में पानी भर जाने के बाद, भाटे के समय, वह समुद्र में वापस नहीं जाने दिया जाता। फिर तो इस जलाशय के पानी का कम ऊँचे शीर्षवाले बिजलीघर की भाँति ही जल-विद्युत् जनन के लिये उपयोग किया जा सकता है। ऐसे बिजलीघरों में नलिकाएँ एवं टरबाइन का रनर ऐसी धातु, सामान्यतः काँसा (bronze), का होना चाहिए जिसपर समुद्र का खारा पानी रासायनिक प्रतिक्रिया न कर सके। भारत में भी ज्वार भाटा बिजलीघर बनाने की योजना बनाई जा रही है और अगले २० वर्षों में ऐसे बिजलीघरों के सामान्य हो जाने का सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

शक्ति का दूसरा असीम साधन ज्वालामुखी पर्वतों के अन्तस्तल में निहित भयंकर ताप है। यदि इस अंतस्तल को छेदकर उसकी गरम गैस को बिजलीघर के वाष्पित्रों में प्रयुक्त किया जा सके, तो

सहज ही अपरिमित शक्ति का भंडार खुल जायगा। न्यूजीलैंड मे ऐसे बिजलीघर को क्रियात्मक रूप दिया गया है। वहाँ ३० M W का एक बिजलीघर ज्वालामुखी की शक्ति का उपयोग कर रहा है। इटली एवं जापान मे भी ऐसे बिजलीघरो की योजना बनाई जा रही है और इस प्रकार अभी तक जो ज्वालामुखी अपनी भयंकरता के लिये ही प्रसिद्ध थे, अब उपयोगिता के क्षेत्र मे भी अग्रगण्य हो जाएँगे।

सूर्य भी विद्युत्शक्ति का असीम साधन है। अभीतक तो केवल प्रयोगात्मक रूप में ही इसे विद्युत्शक्ति के उत्पादन के लिये प्रयोग किया गया है, परन्तु सहारा एवं अरब के रेगिस्तानों की चिलचिलाती धूप में सौर बिजलीघर बनाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं और आशा की जा सकती है कि यह भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण साधन बन जाएँगे।

हवा का उपयोग अभी तक केवल चक्की चलाने एवं कुएँ से पानी निकालने के लिये ही हुआ है। परंतु जर्मनी एवं हॉलैंड के कुछ दूरस्थ इलाकों मे इसका उपयोग छोटे जनित्र को चलाने के लिये भी किया गया है, जिससे विद्युत्शक्ति उत्पन्न हो सकती है। हवा के बहने की अनिश्चितता के कारण, इसका उपयोग सामान्य नहीं हो पाया है, परन्तु दूरस्थ इलाकों के लिये हवा से चलनेवाले छोटे संयंत्र उपयोगी हो सकते हैं।

वस्तुत बिजली की माँग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और मनुष्य को नित्य नए साधनों की खोज है, जिससे इस बढ़ती हुई माँग को पूरा किया जा सके। [रा० कु० ग०]

विद्युत्शक्ति का प्रेषण (Electric Power Transmission) विद्युत्शक्ति को जनित्रस्थल से उपयोगस्थल तक ले जाना प्रेषण (Transmission) कहलाता है। अधिकांश स्थानों मे विद्युत्शक्ति का उत्पादन उनके उपयोगस्थलों से दूर होता है। जनित्रस्थलों की स्थापना, वस्तुत, साधनों की उपलब्धि तथा आर्थिक औचित्य के आधार पर की जाती है। जलविद्युत्घरों को किसी विशिष्ट स्थान पर बना देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका स्थान तो प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है जो साधारणतया घनी आबादीवाले क्षेत्रों से दूर होते हैं। तापीय बिजलीघरों की स्थापना भी भारकेंद्र (load centre) के साथ साथ कोयले की उपलब्धि तथा इसके परिवहन की समस्या पर निर्भर करती है। अतः बहुधा जनित्रस्थलों की दूरी भार से कई सौ मील भी हो सकती है और ऐसी दशाओं में प्रेषण लाइनों द्वारा शक्ति को भार तक पहुँचाना होता है। अतएव प्रेषण भी विद्युत् उद्योग का उतना ही मुख्य और महत्वपूर्ण अंग है जितना स्वयं विद्युत्शक्ति का उत्पादन।

ऐसे तो जनित्रस्थल से उपयोगस्थल तक विद्युत्शक्ति को ले जाना ही प्रेषण कहलाता है, परंतु इस शब्द का व्यावहारिक अर्थ बहुधा दूरी तथा उच्च वोल्टता से संबंधित है। प्रेषण लाइनें पोल अथवा मीनारों पर आरोपित, ऊपरी लाइनों के रूप मे भी तथा भूमिगत केबिलों के रूप में भी होती हैं। ऊपरी लाइनें साधारणतया नंगे तार की होती हैं, परंतु ऐलुमिनियम तथा इस्पात और ऐलुमीनियम के संयुक्त चालक भी विस्तृत रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। ऊपरी लाइनें भूमितल से कम से कम २० फुट की ऊँचाई पर होनी चाहिए और इनका कोई भी भाग इससे कम ऊँचाई पर नहीं होना चाहिए। भूमि से इनकी ऊँचाई, उच्च वोल्टता की दशा मे और भी अधिक होती है। अतएव ये लाइनें पोलों से ले जाई जाती हैं और पॉर्सिलेन के विद्युत्रोधियों (insulators) पर आरोपित होती हैं। अधिक शक्ति प्रेषण करनेवाले, मोटे चालकों की लाइनें पोल के स्थान पर बड़ी बड़ी मीनारों पर ले जाई जाती हैं, जो चालक संख्या तथा उनपर लगनेवाले बलों के अनुसार विभिन्न आकृति की बनी होती हैं। विद्युत्रोधी भी विभिन्न प्रकार के होते हैं और मुख्यत अपनी स्थिति तथा वोल्टता के अनुसार विभिन्न वर्गों के होते हैं। इस प्रकार विद्युत्रोधी ४४० वोल्ट की अल्प वोल्टता से लेकर ११ किलोवोल्ट, ३३ किलोवोल्ट, ६६ किलोवोल्ट इत्यादि वर्गों के होते हैं और स्थिति के अनुसार विद्युत्रोधी शैकल (shackle), पिन (pin), डिस्क (disk) तथा निलंबक (suspension) प्रकार के होते हैं, जो विभिन्न स्थितियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत्रोधी साधारणतया पोल पर क्रॉस आर्म (cross arm) मे लगे होते हैं और इस प्रकार विन्यसित होते हैं कि किसी भी दशा में चालक झूलकर, दूसरे चालक से, अथवा पोल अथवा उसके किसी भी संरचना अंशक से न छू जाएँ। इनकी आकृति एवं रचना भी इस प्रकार की होती है कि किसी भी परिस्थिति में चालक तथा पोल के किसी संरचना अंशक के बीच चालक का संधारण कर सकें।

केबिल, वस्तुत, किसी भी विद्युत्रोधी चालक को कहा जा सकता है, परन्तु विद्युत् के प्रेषण मे प्रयुक्त होनेवाले केबिल का उपयोग मुख्यत भूमि के अंदर होता है। अत केबिलों की रचना भी ऐसी होती है कि वे भूमि के अंदर पड़नेवाले प्रभावों से सुरक्षित रह सकें। सामान्यत प्रेषण केबिल त्रिकलीय (triphase) होते हैं। अत. उनमे कम से कम तीन कोड (core) होते हैं, जो अलग अलग विद्युत्रुद्ध होते हैं और फिर ऊपर से भी उनपर दूसरा विद्युत्रोधी लपेट दिया जाता है। यह विद्युत्रोधी, साधारणतया, ग्रास कागज (impregnated paper), अथवा रुई की टेप (cotton tape) का होता है, जो केबिल की कार्यकारी वोल्टता के वर्ग पर निर्भर करता है। विद्युत्रोधी खराब न हो जाए, इसलिये चालक कोड तथा अचालक सीसे की नली में, जो नमी को अंदर नहीं जाने देती, समावृत होते हैं। इस नली को यांत्रिक हानि से बचाने के लिये जूट का फीता (braid) दिया जाता है और ऊपर से लोहे की पत्ती का कवच चढ़ा दिया जाता। इस कारण इन्हें कवचित केबिल (Armoured Cable) भी कहते हैं।

अति उच्च वोल्टता प्रेषण के केबिल, तेल से भरे केबिल भी होते हैं। तेल, वस्तुत, उत्तम अचालक माध्यम है। परन्तु ऐसे केबिलों की बनावट काफी जटिल होती है और इनकी देखभाल भी कठिन होती है। इसके कारण इनका उपयोग सीमित है।

विद्युत्प्रेषण की मितव्ययिता बहुत सीमा तक चालक के आकार पर निर्भर करती है। चालक का आकार मुख्यत बहन की जानेवाली धारा पर निर्भर करता है। किसी निर्धारित शक्ति के

लिये वहन की जानेवाली धारा, मुख्यत, वोल्टता पर निर्भर करती है। अतः प्रेषण के लिये उच्चतम वोल्टता प्रयोग करना ही उपयुक्त है, जिससे उस शक्ति के लिये वहन कीजानेवाली धारा कम हो सके और छोटे आकार के चालक प्रयुक्त किए जा सकें। परंतु उच्चतम वोल्टता की भी अपनी सीमाएँ हैं। ३६ किवो० से अधिक वोल्टताओं पर चालक का आकार धारा के परिमाण पर ही नहीं, वस्तुत, कोरोना (corona) के प्रभाव पर निर्भर करता है। कोरोना उच्च वोल्टताओं पर चालक के आसपास की वायु के अयनित (ionized) होने का प्रभाव होता है। इसके कारण हिस् हिस् की ध्वनि तथा चमक उत्पन्न होती है और यह अंतत शक्ति हानि के रूप में प्रकट होता है। इस कारण चालक के आकार का अभिकल्प इस शक्ति हानि तथा उसके प्रभावों को दृष्टि मे रखते हुए करना होता है। उच्चतम वोल्टताओं पर प्रेषण लाइनों का संचार लाइनों (communication lines) से व्यतिकरण दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है। उच्च वोल्टता प्रेषण करने वाली लाइनें समीपस्थ संचार लाइनों मे एक व्यतिकरण वोल्टता प्रेरित कर देती हैं, जिसके कारण संचार मे गड़बड़ी होती है, पर यह व्यतिकरण, संचार लाइनों को विद्युत् लाइनों से दूर रखकर, कम किया जा सकता है तथा दूसरे भी बहुत से उपचार किए जा सकते हैं।

तीसरी कठिनाई उच्च वोल्टता अचालकों तथा मीनारों की उचित संरचना की है, जिससे दोषी स्थितियाँ उत्पन्न न हो सकें। साथ ही साथ उनकी उचित देखभाल भी एक समस्या बन जाती है। इनके अतिरिक्त उच्चतम वोल्टताओं पर शक्ति स्थायित्व (power stability) महत्वपूर्ण समस्या है। अति उच्च वोल्टता की लंबी लाइनों मे, शक्तिप्रवाह, वस्तुत, शक्ति स्थायित्व द्वारा सीमित होता है। इस कारण निर्धारित शक्ति केवल किसी विशिष्ट वोल्टता पर विशिष्ट दूरी तक ही प्रेषित की जा सकती है। साथ ही साथ प्रेषित शक्ति तथा दूरी के अनुसार एक विशिष्ट वोल्टता पर प्रेषण ही सबसे अधिक मितव्ययी हो सकता है। ये समस्याएँ बड़ी बड़ी योजनाओं मे बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और प्रेषणतंत्र का अभिकल्प योजना का एक मुख्य अंग होता है।

इन समस्याओं के कारण अभी तक उच्चतम प्रेषण वोल्टता केवल ४०० किवो० तक ही सीमित है, यद्यपि इससे भी अधिक उच्च वोल्टता तंत्रों का अभिकल्प किया जा रहा है और उच्च वोल्टता प्रविधियों पर शोध जारी है। भारत मे अभी तक २२० किवो० तक के वोल्टतातंत्र ही प्रयुक्त किए गए हैं। फ्रांस, इटली एवं जर्मनी २२० किवो० के वर्तमान प्रेषणतंत्रों से, भविष्य की योजनाओं के लिये, ३८० किवो० का प्रयोग कर रहे हैं। स्वीडन में ४०० किवो० की लगभग १,२०० मील लंबी लाइनें हैं। स्वीडन की अधिकांश जलविद्युत्शक्ति देश के उत्तरी भाग में स्थित है, परंतु भार केवल सुदूर दक्षिणी भाग में है, जिसकी दूरी जनित्रस्थल से लगभग ६०० मील है। अतएव वहाँ पर प्रेषणतंत्रों को उच्चतम वोल्टताओं पर प्रचालन करने के लिये बनाया गया है और उच्चतम वोल्टताओं के क्षेत्र मे स्वीडन ने काफी प्रगति की है। इसी प्रकार रूस भी इस दिशा में बहुत प्रगति कर रहा है। साइबेरिया मे स्थित अपार जलविद्युत्शक्ति का उपयोग करने के लिये रूस को भी सैकड़ों मील लंबी प्रेषण लाइनों की आवश्यकता है और इसी अब ४०० किवो० से ८०० किवो० की वोल्टता प्रयुक्त करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। अमरीका में भी प्रगति लगभग इन्हीं लाइनों पर हो रही है और वस्तुत इन देशों में उच्च वोल्टता प्रविधि के क्षेत्र मे भी होड़ लगी हुई है।

प्रेषणतंत्र की योजना का आधार भार सर्वेक्षण (load survey) होता है। सबसे पहले विभिन्न स्थानों में प्रस्तावित भार का परिकलन कर लिया जाता है और तब उसके अनुसार उपकेंद्रों (substations) की स्थिति निश्चित की जाती है। भार तथा दूरी के अनुसार प्रेषण की वोल्टता तथा परिपथ की संख्या निश्चित की जाती है और प्रस्तावित लाइनों का पथ निश्चित किया जाता है। लाइन अभिकल्प के मुख्य अंशक हैं : चालक का आकार, मीनार अथवा पोलों का प्ररूप एवं अभिकल्प, विद्युत्रोधियों का प्ररूप और उनको लगाने का यंत्रविन्यास तथा संरक्षणतंत्र। किसी भी योजना के लिये आर्थिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रेषणतंत्र का सफल अभिकल्प भी आर्थिक कसौटी पर निर्भर करता है। किसी निर्धारित शक्ति के प्रेषण के तीन मुख्य संघटक हैं शक्ति, दूरी तथा वोल्टता। किसी भी प्रेषणतंत्र की योजना का सफल अभिकल्प इन तीनों संघटकों के उपयुक्त समन्वय पर निर्भर करता है। लाइन अभिकल्प की दिशा मे महत्वपूर्ण शोध हो रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप अब विद्युत्रोधों के स्तर को उतना ऊँचा नहीं रखा जाता जितना १० वर्ष पहले रखा जाता था। इस प्रकार लाइनों के मूल्य मे भारी बचत संभव हो सकी है।

अत्युच्च वोल्टता (११० किवो० से अधिक) का प्रेषण, साधारणतया, १०० मील से अधिक की दूरी के लिये ही किया जाता है। बहुधा प्रेषण को दो क्रमों मे करना पड़ता है। अत्युच्च वोल्टता पर प्रेषण साधारणतया बिजलीघर के उपकेंद्र से उपयोगक्षेत्र के भार केंद्र के निकटस्थ उपकेंद्रों तक किया जाता है, जहाँ से किसी मध्यम वोल्टता पर (उदाहरणतया ३३ किवो० अथवा ११ किवो० पर) उपयोगस्थल के उपकेंद्र तक शक्ति का प्रेषण किया जाता है। इस प्रकार इसे प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रेषण के नाम से पुकारा जाता है। अंतिम उपकेंद्र से भार तक वितरक अथवा संभरक (feeder) लाइनें ले जाई जाती हैं, जहाँ से व्यक्तिगत भारों का संभरण किया जाता है।

साधारणतया जनित वोल्टता को प्रेषण करने के लिये अति उच्च वोल्टताओं में रूपांतरित करना होता है। अतएव परिणामित्र भी प्रेषणतंत्र के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनके साथ ही बहुत सी संरक्षण युक्तियाँ तथा परिपथ त्रोटक (breaker) भी तंत्र के विशिष्ट अंशक हैं। परिणामित्र के दोनों ओर तेल परिपथ त्रोटक (oil circuit breakers) की व्यवस्था रहती है, जिससे परिणामित्र के दोनों ओर का परिपथ खोला जा सके। इसी प्रकार किसी भी लाइन अथवा उसके भाग को निष्क्रिय कर सकने का प्रावधान होता

है, जिससे दोष की स्थिति में लाइन की मरम्मत की जा सके। वस्तुतः [illegible] युक्तियाँ दोष की स्थिति में दोषी प्रभाग को अपने आप खोलकर अलग कर देती हैं। लाइन संरक्षण के लिये उपकेंद्र में बहुत प्रकार के रिले प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रिले अतिभार रिले (over current relay) और भूमि क्षरण रिले (earth leakage relay) हैं। अतिभार रिले, अतिभार की अवस्था में, परिपथ भंजक को प्रवर्तित कर परिपथ को खोल देते हैं और इस प्रकार लाइन तथा उससे संबंधित साजसज्जा को अतिभार से होनेवाली क्षति अथवा हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं। भूमि क्षरण रिले भूमिदोष की अवस्था में कार्य करते हैं और दोषी लाइन को पृथक् कर देते हैं। और भी बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के रिले प्रयुक्त किए जाते हैं। बहुत से रिले दोष की दूरी की व्यवस्था के आधार पर कार्य करते हैं और बहुत से एक पाइलट तार (pilot wire) का प्रयोग करते हैं, तथापि आधुनिकतम संरक्षण तंत्र कैरियर संरक्षण तंत्र है। कैरियर (carrier), वस्तुतः, एक उच्च आवृत्ति की धारा को कहते हैं, जो पावर तारों पर शक्ति आवृत्ति के साथ ही अध्यारोपित (superimpose) कर दी जाती है। दोष की स्थिति में उससे संयोजित रिले तत्क्षण कार्य कर, लाइन को वियोजित कर देते हैं। कैरियर संरक्षण तंत्र दूसरे तंत्रों की अपेक्षा अधिक द्रुतगामी है और अधिक विश्वसनीय भी है। परंतु यह केवल उच्च वोल्टता लाइनों के लिये ही आर्थिक रूप से उचित हो सकता है।

प्रेषण लाइनों के अभिकल्प में तड़ित् संरक्षण का प्राविधान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तड़ित् लाइन पर गिरकर उसे तथा उससे संबंधित सभी साजसज्जा को नष्ट कर सकती है। इससे बचाव के लिए बहुत सी युक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, जिनमें मुख्य [illegible] तड़ित्‌रोधक (lightning arrestors) [illegible] तड़ित् [illegible] तड़ित् को लाइन पर [illegible] है। [illegible] तड़ित् के [illegible] (earth) [illegible]

[illegible]

किसी एक बिजलीघर, अथवा मशीन, की शक्ति संपू
की तुलना में नगण्य होती है और संपूर्ण तंत्र के
रूप से प्रभावित नहीं कर पाती। भारत में भी ऐ
हैं, जैसे भाखड़ा ग्रिड, गंगा जलविद्युत् ग्रिड, शारदा
सी० ग्रिड, हीराकुड ग्रिड, मद्रास ग्रिड, बंबई ग्रिड
बड़ी योजनाएँ ग्रिड के रूप में हैं। अब तो इन
अंतर्संबंधित कर अखिल भारत ग्रिड की रूपरेखा बनाई
शायद ३५० किवो० अथवा इससे भी ऊँची
कार्य करेगी।

अल्प वोल्टता से उच्च वोल्टता में तथा उच्च से
में परिणामित्रों द्वारा रूपांतरण की सुविधा के कारण
विद्युत् प्रेषण प्रत्यावर्ती धारा पर ही होते हैं। परंतु
विचारधारा में एक गहन परिवर्तन आ रहा है और
वोल्टताओं पर दिष्ट धारा प्रेषण व्यावहारिक तथा आ
रूपों से अधिक उपयुक्त समझा जाने लगा है। ऐसे तंत्र
उपभोग दोनों ही प्र० धा० में होते हैं और केवल प्रे
ही दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। जनन की
शक्ति को दिष्टकारियों (rectifiers) के द्वारा उच्च
धा० में परिवर्तित किया जाता है और प्रेषण दि०
है। लाइन के दूसरी ओर फिर दि० धा० को उत्क
प्र० धा० कारियों (invertors) द्वारा प्र० धा० में प
होता है। दि० धा० प्रेषण के कुछ विशिष्ट लाभ हैं
लाइन विद्युत्रोधी उसी वोल्टता की प्र० धा० लाइन
वर्ग का प्रयुक्त किया जा सकता है, जिससे लाइन के
बचत संभव हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है
शक्ति स्थायित्व की समस्या नहीं रहती, जो प्र० धा० प्रे
मुख्य सीमाकारक है। इसी प्रकार और भी बहुत से ला
दिष्टकारियों तथा प्र० धा० कारियों का विश्वसनीय
अभिकल्प, उसकी मुख्य समस्या है। इस दिशा में संतोष
होने के कारण ही दि० धा० प्रेषण को व्यावहारिक रू
हो सका है। स्वीडन में, गाटलैंड योजना में, सबसे पहले
प्रेषण का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर और भी दि०
लाइनों की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। रूस में मास्को
[illegible] २०० कि० वो० की [illegible]
[illegible] ८०० कि० वो० की [illegible] लाइन पूर्ण
[illegible] १९६० [illegible]
[illegible] ८०० किवो० दि० धा० प्रेषण लाइन की योजना
[illegible] अमरीका में भी इस दिशा में [illegible]
है। ७५० किवो० की एक प्रायोगिक लाइन [illegible]
[illegible] है, जिसके अनुभव के आधार पर एक
[illegible] जा रही है। [११०

विद्युत्शक्ति, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक योजनाएँ (

[illegible]

विभिन्न राज्यों में विद्युत्शक्ति की विकास योजनाओं का सारांश सारणी ४ से स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें सरकारी संस्थानों की शक्तिक्षमता मेगावाट में दी गई है।

सारणी ४.

विभिन्न राज्यों की प्रतिष्ठापित शक्तिक्षमता मेगावाट में

क्रम	राज्य	१९५६	१९६१	१९६६
१.	असम	४७४	२४२३	७०
२	आंध्र	१०३	२८६	४३२
३.	बिहार	२०४	४११	६६६
४.	बम्बई (महाराष्ट्र+गुजरात)	७००	११२०	११३० महा० ३२० गुज०
५.	जम्मू व कश्मीर	१२४	३२	४६
६	केरल	८६५	१६३	९६०
७.	मध्यप्रदेश	८२	२६५	३७०
८	मद्रास	२२६७	३७८७	६००
९	मैसूर	१८८७	२६४३	४६७
१०	उड़ीसा	२१	२७८	३२४
११	पंजाब	१२६७	६७६७	८२०
१२	राजस्थान	४२६	११७५	१८६
१३	उत्तर प्रदेश	२६५०	६८३८	७०८
१४	प० बंगाल	५०६६	६८१५	११६५
१५	दिल्ली	५४०	१०४०	१६८०
१६	गोवा	२६	११८	२४५
	कुल	९,६६४	५,७२८	८,१२१५

कुछ प्रमुख योजनाओं का संक्षेप इस प्रकार है

१ भाखड़ा नंगल — यह योजना हिमाचल प्रदेश में [illegible] के लिए [illegible] है। [illegible] के [illegible] पर [illegible] के [illegible] है। [illegible] योजना का निर्माण दो [illegible] है। [illegible] चरण में [illegible] योजना, [illegible]।

[illegible] योजना में [illegible] की [illegible] है।

[illegible] योजना [illegible] है।

अमरीका की टेनेसी घाटी योजना के अनुसार किया गया है इसका संचालन भारत सरकार द्वारा गठित दामोदर घाटी [illegible]

सारणी ५.

बड़ी बड़ी योजनाओं की शक्तिक्षमता

क्रम	योजना	राज्य	[illegible]
१	भाखड़ा नंगल (जलविद्युत्)	पंजाब	११
२.	हिराकुड — (,,)	उड़ीसा	
	प्रथम चरण		१
	द्वितीय चरण		१
३	दामोदर घाटी योजना (दुर्गापुर, बोकारो आदि के तापीय बिजलीघरों सहित)	बिहार और बंगाल	[illegible]
४	चम्बल योजना (जलविद्युत्)	मध्यप्रदेश और राजस्थान	
५	मचकुंड (जलविद्युत्)	आंध्र प्रदेश	
६	कोरबा तापीय बिजलीघर	मध्यप्रदेश	
७	तुंगभद्रा (जलविद्युत्)	आंध्र और मैसूर	
८.	नागार्जुन सागर (जलविद्युत्)	आंध्र	४
९.	रामागुंडम (तापीय बिजलीघर)	आंध्र	
१०	[illegible] जलविद्युत्	,,	
११	शरावती (जलविद्युत्)	मैसूर	[illegible]
१२.	भद्रा ,,	,,	
१३	कुंडा ,,	महाराष्ट्र	२
१४	पेरियार ,,	महाराष्ट्र और केरल	१
१५	पेरियल कुंड ,,	केरल	१
१६	पेरिया [illegible] ,,	,,	
१७	[illegible] ,,	,,	
१८	उकाई	महाराष्ट्र	१
१९	कोयना (जलविद्युत्)	,,	२
२०	उमन्यू उमियम ,,	असम	१०
२१.	[illegible] (कोयला तापीय बिजलीघर [illegible])	उत्तर प्रदेश	
२२	[illegible] जलविद्युत् योजना		१०
२३	[illegible] बिजलीघर	बिहार	२
२४.	[illegible] ,,	,,	४०
२५	[illegible] जलविद्युत् योजना		२
२६.	[illegible] तापीय बिजलीघर	बंगाल	२५
२७.	[illegible] ,,	महाराष्ट्र	२५
२८	[illegible] ,,	मध्य प्रदेश	१
२९.	[illegible] ,,	गुजरात	२५
३०.	[illegible] ,,	उत्तर प्रदेश	१६
३१.	[illegible] ,,	[illegible]	२५
३२	[illegible] ,,	बिहार	४२
३३.	[illegible] ,,	[illegible] प्रदेश	११

[illegible] योजनाओं [illegible] है। [illegible] ६० [illegible] ६० [illegible] है। कुछ [illegible]

पर्याप्त पानी के न होने से जलविद्युत् की कमी को पूरा करने के लिये बोकारो में एक तापीय बिजलीघर बनाया गया जिसकी शक्तिक्षमता पहले १५० मेगावाट थी परंतु बाद में २४७.५ मेगावाट कर दी गई। शक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए, इसी निगम के अंतर्गत, बोकारो के अतिरिक्त दुर्गापुर में २५० मेगावाट क्षमता का एक तापीय बिजलीघर और बनाया गया। बाद में बंडेल एवं चंद्रपुरा में क्रमश: ६५० मेगावाट और ४२० मेगावाट के दो बड़े तापीय बिजलीघर बनाए गए। इससे झरिया एवं रानीगंज क्षेत्र की कोयले की खानों तथा दुर्गापुर, बोकारो, सिंद्री एवं जमशेदपुर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और पूर्वी रेलवे के विद्युतीकरण के लिये बिजली का संभरण होता है।

३. हिराकुद योजना — उड़ीसा में महानदी पर स्थित यह बृहत् जलविद्युत् योजना दो चरणों में बनाई गई है। प्रथम चरण में १२३ मेगावाट की शक्तिक्षमता का एक बिजलीघर बनाया गया, जिसे दूसरे चरण में बढ़ाकर २३२ मेगावाट शक्तिक्षमता का कर दिया गया।

सूखे महीनों में जलविद्युत् की कमी को पूरा करने के लिये तालचेर में एक बड़ा तापीय बिजलीघर भी बनाया गया जिसकी शक्तिक्षमता ८५० मेगावाट है।

इस योजना से राउरकेला इस्पात कारखाने तथा उड़ीसा के दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिजली का संभरण होता है।

४. शरावती योजना — यह योजना मैसूर राज्य में शरावती नदी पर स्थित भारत की एक बड़ी जलविद्युत् योजना है। इसे संयुक्त राज्य, अमरीका, के सहयोग से अभी हाल में ही पूरा किया गया है। इसकी कुल शक्तिक्षमता ८९० मेगावाट है (८९ मेगावाट के ११ जनित्र लगाए गए हैं)। इससे मैसूर राज्य के बढ़ते हुए औद्योगीकरण के लिये बिजली मिल सकेगी।

५. नागार्जुनसागर योजना — यह बृहद् जलविद्युत् योजना आंध्र प्रदेश के औद्योगीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेगी। इसके अंतर्गत कृष्णा नदी के ऊपर नंदीकोंडा में एक बहुत बड़े बाँध का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शक्ति क्षमता ४६० मेगावाट होगी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में तापीय बिजलीघरों के निर्माण को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। चंद्रपुरा, दुर्गापुर, बरौनी, बंडेल, धुवारन, खपुड़ा और पतरातू में बृहत्काय बिजलीघर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ तो चालू हो गए हैं और कुछ के शीघ्र चालू होने की आशा है। इसके साथ ही शक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए परमाणवीय बिजलीघर भी बनाए जा रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ट्रांबे (बंबई के निकट), राणाप्रताप सागर (राजस्थान) और मद्रास के निकट कलपक्कम में परमाणवीय बिजलीघर बनाए जा रहे हैं, जिनकी शक्तिक्षमता क्रमश: ३८० किलोवाट, २०० किलोवाट और २५० किलोवाट होगी। इनपर निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है और चौथी योजना के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

इस प्रकार, शक्ति के क्षेत्र में भारत अपनी इन राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक योजनाओं के आधार पर निरंतर प्रगति कर रहा है।

[रा० कु० ग०]

विद्युत् संधारित्र (Electric Condensers) का उपयोग विद्युत् आवेश, अथवा स्थिर वैद्युत ऊर्जा, का संचय करने के लिये होता है। यदि दो या दो से अधिक चालकों को एक विद्युत्रोधी माध्यम द्वारा अलग करके समीप समीप रखा जाए, तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। यदि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाए, तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, परंतु इसकी प्लेटों पर बराबर मात्रा में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश संचय हो जाएँगे। एक संधारित्र की धारिता की परिभाषा इस समीकरण द्वारा की जा सकती है,

$$C = \frac{q}{V}\left(\frac{\text{कूलॉम}}{\text{वोल्ट}}\right) \text{ फैरड} \qquad (1)$$

जहाँ [1 फैरड = ९×१०^{११} स्टेट फैरड] V दोनों चालकों के मध्य विभवांतर है तथा q उनमें से किसी एक पर आवेश है। एक आवेशित संधारित्र के संग कुछ स्थिर वैद्युत ऊर्जा भी संबंधित होती है। यदि हम एक धनात्मक आवेश dq को संधारित्र के ऋण भाग से धन भाग, जिसका विभव V वोल्ट अधिक है, ले जाएँ तो कार्य अथवा ऊर्जा में वृद्धि, $du = Vdq$ होगी तथा संधारित्र की कुल ऊर्जा,

$$U = \int_0^q Vdq = \int_0^q \frac{q}{C}\,dq = \tfrac{1}{2}\,q^2/C \text{ जूल।}$$

इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं,

$$U = \tfrac{1}{2}\,q^2 \text{ अथवा } U = \tfrac{1}{2}\,CV^2 \qquad \ldots(2)$$

किसी संधारित्र की रचना एवं रूप से उसकी धारिता की गणना की जा सकती है।

समांतर पट्टिका संधारित्र (Parallel plate condenser) —

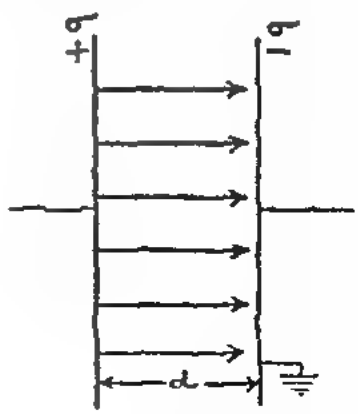

चित्र १.

यदि संधारित्र की एक पट्टिका (प्लेट) के एक ओर का क्षेत्रफल A हो, पट्टिकाओं के बीच की दूरी d हो तथा एक प्लेट पर उस

आवेश σ (σ = q/A) हो तथा दूसरी पर − σ हो, तो विद्युत् क्षेत्र E की दिशा प्लेटों के अभिलंब होगी तथा इसका, अथवा दिये माध्यम में उसका मान, माध्यम के लिए डाल (देखें विद्युत्), सी० जी० एस० (M. K. S.) पद्धति में

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{(माध्यम हवा अथवा शून्य)}$$

होगा। यदि एकसमान (uniform) विद्युत्क्षेत्र में हम विभवांतर V को $V = Ed$ लिख सकते हैं, इसलिये संधारित्र की धारिता,

$$C = \frac{q}{V} = \frac{\sigma A}{E.\ d} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \qquad (३)$$

$$\left[C = \frac{A}{4\pi d} \text{ सें० ग्रा० सें०}\right]$$

जहाँ ϵ_0 निर्वात की विद्युत्शीलता (permittivity) है। ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ फैरड/मीटर सी० जी० एस०, सें० ग्रा० सें० में $\epsilon_0 = 1$)। किसी और माध्यम के लिये

$$C = \frac{\epsilon K_e \epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon A}{d} \qquad ..(४)$$

जहाँ ε माध्यम की विद्युत्शीलता, तथा K_e माध्यम का परावैद्युत् गुणांक (dielectric coefficient) है।

संकेंद्री गोलोंवाला संधारित्र (Concentric spheres condenser) — दो गोलों (गोलों की त्रिज्या, r_1, r_2), के बीच का विभवांतर,

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right]$$

इसलिये, संधारित्र की धारिता,

$$C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0\left[\frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}\right] \qquad (५)$$

यदि $r_2 >> r_1$ अर्थात् एक ही गोला हो, तो धारिता

$$C = 4\pi\epsilon_0 r_1, \ [\text{ सें० ग्रा० सें०, } C = r_1\ ] \qquad ..(६)$$

समाक्ष सिलेंडरवाला संधारित्र (Co-axial cylinder condenser) — दो समाक्ष सिलेंडरों (लंबाई l तथा त्रिज्या r_1, r_2) के लिये विभवांतर,

$$V = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \log_e \frac{r_2}{r_1}$$

तथा संधारित्र की धारिता

$$C = \frac{q}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\log_e(r_2/r_1)} \qquad ..(७)$$

संधारित्रों का संयोजन — यह निम्नलिखित ढंग से किया जाता है :

(१) श्रेणी संयोजन

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} + \cdots \qquad ...(८)$$

(२) पार्श्व संयोजन

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \cdots \qquad ...(९)$$

फैरड धारिता की एक बहुत बड़ी इकाई है, इसलिये व्यवहार में माइक्रो फैरड (10^{-6}), अथवा माइक्रो माइक्रो फैरड (10^{-12}), का प्रयोग किया जाता है।

संधारित्र का प्रयोग दिष्ट धारा परिपथ तथा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, दोनों में ही होता है। विभवांतर V को एक छोर से संधारित्र को जोड़ने पर एक क्षणिक धारा, जो आवेश के बढ़ने की दर के बराबर होगी, बहेगी ($i = dq/dt$)। संधारित्र अधिक, यदि परिपथ में एक प्रतिरोध तथा एक प्रेरकत्व भी हो, तो संधारित्र का विसर्जन एक विशेष अवस्था में दोलनीय होगा है। संधारित्र के इस गुण का उपयोग बहुधा में होता है (देखें विद्युत्)। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में,

$$V = V_0 \sin \omega t, \qquad (\text{जहाँ } \omega = 2\pi f,\ f \text{ आवृत्ति है}) \quad (१०)$$

तथा

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}\ (C V_0 \sin \omega t) = i_0 \cos \omega t, \quad (११)$$

जहाँ $i_0 = V_0 (\omega C)$ तथा यदि $1/\omega C = X_C$ तो $V_0 = i_0 X_C$, X_C परिपथ का धारिता प्रतिघात (capacitive reactance) कहलाता है। यदि परिपथ में एक प्रतिरोध भी हो, अथवा संधारित्र का ही थोड़ा बहुत प्रतिरोध हो, तो कुल विभव

$$V = V_R + V_C = R\, i_0 \cos \omega t + X_C\, i_0 \sin \omega t$$
$$= V_0 \cos(\omega t - \theta) \qquad ...(१२)$$

जहाँ $R\, i_0 = V_0 \cos \theta$ तथा $X_C i_0 = V_0 \sin \theta$, अर्थात् एक श्रेणी संबद्ध R C परिपथ में धारा विभव से कला (phase) में आगे होती है, एवं

$$V_0 = i_0 \sqrt{R^2 + X_C^2} = i_0 Z,$$

Z परिपथ का प्रतिबाधा (impedance) कहलाता है।

एक संधारित्र का धारिता प्रतिघात, आवृत्ति का प्रतिलोमानुपाती होता है। इस कारण कम आवृत्तिवाली धारा का यह अधिक आवृत्तिवाली धारा की तुलना में अधिक विरोध प्रस्तुत करता है। यह

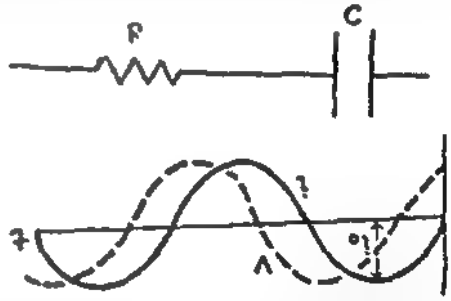

चित्र २

दिष्ट धारा प्रवाह को भी रोक देता है। इसके इस गुण का उपयोग छनना (filter) बनाने में किया जाता है।

व्यावहारिक संधारित्र — सबसे प्राचीन संधारित्र है लीडन जार (Leyden jar), परंतु आजकल प्रायः दो प्रकार के संधारित्र उपयोग में लाए जाते हैं : (१) निश्चित तथा (२) परिवर्ती।

(१) निश्चित संधारित्रों का विभाजन प्रयोग मे लाए जानेवाले विद्युत्रोधी (परावैद्युत्) के अनुसार होता है, उदाहरणार्थ अभ्रक, कागज, तेल इत्यादि।

अभ्रक संधारित्र में अभ्रक की पतली पत्तियाँ, टीन अथवा ऐलुमिनियम की पन्नियों (foils) मे प्रत्यावर्त रूप से, प्लास्टिक अथवा बेकेलाइट के खोल मे, रखी होती हैं तथा प्रत्यावर्त पन्नियाँ आपस में समांतर रूप से जुड़ी होती हैं। टीन की पन्नियों में एक विशेष प्रकार का कागज (रेंडी का तेल, खनिज तेल अथवा खनिज मोम में विशेष प्रकार से डुबाया हुआ) रखकर कागज संधारित्र बनाया जाता है। स्थान कम करने के लिये पन्नियों को बेल लिया जाता है तथा उन्हें गत्ते अथवा धातु की डिबिया मे रखकर डिबिया को मोम से बंद कर दिया जाता है। कई बार विभवांतर अधिक होने के कारण परावैद्युत् भंग (breakdown) हो जाता है, अर्थात् विद्युत्रोधी लगभग चालक हो जाता है तथा संधारित्र लघुपथित हो जाता है। इसको बचाने के लिये धातु लगे (metalized) कागज संधारित्र काम मे लाए जाते हैं जिनमें परावैद्युत् के भंग होने पर धातु की पतली फिल्म जल जाती है तथा संधारित्र की धारिता थोड़ी सी कम अवश्य हो जाती है, परन्तु वह व्यवहार के योग्य रहता है। जहाँ स्थायीपन, कम हानि (low loss), उच्च ताप अथवा उच्च आवृत्ति पर संधारित्र की आवश्यकता होती है वहाँ कागजी संधारित्र का प्रयोग सीमित होता है। उच्च धारिता के अभ्रक संधारित्र मँहगे एवं बड़े होते हैं। अतः इन अवस्था मे प्लास्टिक फिल्म संधारित्र का प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त चीनी मिट्टी के संधारित्रों का भी विशेष अवस्थाओं में प्रयोग होता है। रेडियो प्रेषी (transmitter) परिपथों में तेल परावैद्युत् वाले संधारित्र भी काम मे लाए जाते हैं। उच्च विभव पर काम करने के लिये दबाववाले संधारित्र भी, जिनमें परावैद्युत् नाइट्रोजन अथवा कोई और अक्रिय गैस कई गुना वायुमंडलीय दबाव पर होती है, प्रयोग मे लाए जाते हैं।

वैद्युद्विश्लेषिक संधारित्र — इसमें दो ऐलुमिनियम (कभी कभी टैंटालम) के इलेक्ट्रोड विद्युत् अपघट्य में डूबे होते हैं। धारा प्रवाहित होने पर एक अथवा दोनों इलेक्ट्रोडों पर एक (ऑक्साइड की) फिल्म बन जाती है, जो परावैद्युत् का कार्य करती है। यह फिल्म एक दिशा मे चालनीय तथा दूसरी में अचालनीय होती है। इस कारण जब एक ही इलेक्ट्रोड पर फिल्म बने, तो वह ध्रुवित हो जाता है तथा संधारित्र के एक इलेक्ट्रोड को ऐनोड तथा दूसरे को कैथोड मानकर काम में लाया जाता है। जब दोनों पर फिल्म बने, तो एक अध्रुवीय संधारित्र, जिसकी धारिता ध्रुवीय से आधी होती है, प्राप्त होता है। विद्युत् अपघट्य संधारित्रों से उच्च धारिता प्राप्त हो सकती है। ये सस्ते एवं छोटे आकारवाले होते हैं। इससे इनका उपयोग बहुतायत से होता है। ध्रुवीय संधारित्र का प्रयोग दिष्ट धारा परिपथ मे तथा अध्रुवीय का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में होता है। विद्युत् अपघट्य गीला भी हो सकता है और सूखा भी। गीले विद्युत् अपघट्यवाले संधारित्र में सोडियम या अमोनिया के बोरेट, फॉस्फेट, साइट्रेट, अथवा सिलीकेट पानी में घुले होते हैं। यह बेलनाकार होता है तथा ऊर्ध्वाधरतः (vertically) लगाया जाता है। सूखे विद्युत्अपघट्यवाले संधारित्र में घोल के स्थान पर जेली होती है। इसमें ऐलुमिनियम की धनपन्नी, ऋणपन्नी तथा विद्युत् अपघट्य जेली, तीनों को एक बेलनाकार रूप में लपेटकर गत्ते अथवा धातु के छोटे से डिब्बे मे रख दिया जाता है। इसको किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है।

(२) परिवर्ती संधारित्र — इसमें धातु के प्लेटों के दो क्रम (groups) होते हैं, एक स्थिर होता है तथा दूसरा घूर्णित। परावैद्युत् हवा होती है। घूर्णक क्रम को स्थिर प्लेटों के बीच घुमाने से क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण परिवर्ती धारिता प्राप्त होती है। इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिकी मे समस्वरण (tuning) के लिये बहुतायत से होता है।

स० ग्रं० — एम० ब्रदरटन : 'कैपेसिटर्स' (१९४६), एफ० ई० टरमन : इलेक्ट्रॉनिक ऐंड रेडियो इंजीनियरिंग (१९५५); ए० शीन गोल्ड : फंडामेंटल्स ऑव रेडियो कम्युनिकेशन (१९५५)।

[म० प्र० म०]

विद्युत् संभरण, प्राविधिक दृष्टिकोण से (Electric Supply, Technical Aspects) विद्युत् औद्योगिक विकास की पहली सीढ़ी है और आधुनिक मानव सभ्यता का आधारस्तंभ है। प्राविधिक दृष्टिकोण से विद्युत् संभरण को तीन भागों में बाँटा जा सकता है, १. जनन (Generation), २ प्रेषण (Transmission) तथा ३ वितरण (Distribution)।

विद्युत्, वस्तुतः, ऊर्जा का एक प्ररूप है। इसे किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे प्रकाश या ऊष्मा मे। ऊर्जा के दूसरे प्ररूपों से विद्युत् शक्ति का जनन किया जा सकता है। यह ऊर्जा चाहे नदी के बहते हुए पानी से प्राप्त हो, अथवा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में भाप के टरबाइन या किसी प्रकार के इंजन से प्राप्त हो। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा से भी विद्युत् शक्ति प्राप्त की जा सकती है।

नदी मे बाँध बाँधकर जमा किए हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा (potential energy) को गतिज ऊर्जा (kinetic energy) मे परिवर्तित कर जलविद्युत् टरबाइन चलाया जाता है। (देखें "विद्युत्, जल से उत्पन्न")

विद्युत् शक्ति जनन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन भाप का टरबाइन, अथवा विभिन्न प्रकार के इंजन हैं। वस्तुतः इनमें कोयला जलाकर प्राप्त होनेवाला ऊष्मा को भाप के द्वारा, अथवा किसी दूसरे साधन द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इन यांत्रिक ऊर्जा द्वारा विद्युत् जनित्र चलाए जाते हैं और, अतः, विद्युत् शक्ति जनित की जाती है। ऐसे बिजलीघरों को तापीय बिजलीघर (Thermal Power station), अथवा भाप बिजलीघर (Steam Power Station) कहते हैं। ये बिजलीघर सुविधानुसार कहीं भी बनाए जा सकते हैं और इनकी स्थिति केवल कोयले की उपलब्धि तथा उसके परिवहन के साधनों पर निर्भर करती है। इनको यथासम्भव उपयोग-

स्थल के निकट बनाया जाता है, जिससे लंबी प्रेषण लाइनों की आवश्यकता नहीं रहती। इनकी पूँजीगत लागत (capital cost) भी पनबिजलीघरों की अपेक्षा बहुत कम होती है। परंतु ईंधन के मूल्य तथा उसके परिवहन मूल्य के कारण ऐसे बिजलीघरों की परिचालन लागत (operating cost) पनबिजलीघरों की अपेक्षा काफी अधिक होती है। पनबिजलीघरों की परिचालन लागत लगभग नगण्य ही होती है, परंतु प्रतिष्ठापन मूल्य बहुत अधिक होता है। अतएव किसी भी बिजलीघर के प्ररूप की योजना बनाने से पहले दोनों प्रकार के बिजलीघरों की औसत लागत, प्रति वर्ष की इकाई के रूप में, ज्ञात कर लेना आवश्यक है और उसी आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है।

स्थानीय संभरण के लिये छोटे छोटे बिजलीघर डीजल इंजनों द्वारा चलनेवाले जनित्रों के भी होते हैं। इनका प्रति एकक मूल्य अधिक होता है। बड़े औद्योगिक स्तर पर विद्युत् के जनन के लिये छोटे बिजली घर आर्थिक रूप से उचित नहीं रहते, तथापि बहुत से स्थानों पर व्यक्तिगत संभरण के लिये ये बहुत उपयोगी होते हैं। बड़े बड़े तंत्रों में ये आपाती (standby) के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं।

आजकल परमाणु-ऊर्जा का उपयोग भी विद्युत् शक्ति के उत्पादन के लिये किया जा रहा है। पिछले १० वर्षों में, ब्रिटेन, रूस और अमरीका में बहुत बड़े बड़े परमाण्वीय बिजलीघरों की स्थापना हुई है और बहुतों की स्थापना होने जा रही है। परंतु पारमाण्वीय प्रणालियों पर अभी लगातार शोध हो रहे हैं और जो प्रणालियाँ ५ वर्ष पहले अपनाई गई थीं, वे आज समय से बहुत पीछे समझी जाती हैं। यद्यपि ऐसे बिजलीघरों के बहुत विशिष्ट लाभ हैं और सभी देश सामर्थ्य के अनुसार उनकी स्थापना के लिये तत्पर हैं, तथापि आधुनिकतम शोधों को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी प्रवर्तन प्रणालियों की जानकारी को समझते हुए, उनकी स्थापना के निश्चय में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। भारत में भी राणा प्रताप सागर एवं तारापुर में परमाणु बिजलीघर बनाए गए हैं।

शक्ति के इन सामान्य साधनों के अतिरिक्त बहुत से असामान्य साधन भी प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जैसे ज्वार भाटे की अपरिमित शक्ति का विद्युत् जनन के लिये उपयोग एवं सूर्य तथा आँधी की शक्ति का उपयोग, परंतु ये साधन अभी सामान्य उपयोग में नहीं आए हैं।

जनन के पश्चात् दूसरी महत्वपूर्ण समस्या विद्युत् शक्ति को उसके उपयोगस्थल तक ले जाने की है। यह समस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना विद्युत् शक्ति का जनन। उपयोगस्थल में भार के अनुसार विभिन्न स्थानों में उपकेंद्र (substations) बनाए जाते हैं, जहाँ बिजलीघर से शक्ति को विद्युत् लाइनों द्वारा प्रेषित किया जाता है और वहाँ से विभिन्न उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। हो सकता है, उपयोगस्थलों की बिजलीघर से दूरी बड़ी भी हो। जैसा कहा जा चुका है, पनबिजलीघरों के विकास में प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अक्सर घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर होते हैं। इसी प्रकार तापीय बिजलीघरों के लिये भी कोयले की उपलब्धि तथा उसके परिवहन की समस्या वस्तुतः उसकी स्थिति का निश्चय करती है। अतएव विद्युत् शक्ति के जननस्थल तथा उपयोगस्थल में पर्याप्त दूरी होने की काफी संभावनाएँ हो सकती हैं। ऐसी दशा में शक्ति को अति उच्च वोल्टताओं पर बड़ी बड़ी लाइनों द्वारा प्रेषित करना होता है। तार का आकार धाराक्षमता की कोटि पर निर्भर करता है। अतः, यथासंभव, उच्च वोल्टताओं का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। सामान्य प्रेषण वोल्टताएँ, ६६ किलो०, (K. V.) १३२ किलो०, २२० किलो० तथा ३८० किलो० हैं। इससे उच्च वोल्टताएँ भी प्रयोग की गई हैं। रूस में अभी हाल में ७०० किलो० की लाइन बनाई गई है और अमरीका में भी कुछ लाइनें ७०० किलो० की बनाई जा रही हैं। भारत में अभी तक उच्चतम वोल्टता ३८० किलो० की है, परंतु अखिल भारतीय ग्रिड (All India Grid) के लिये इससे भी ऊँची वोल्टता का प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है।

विद्युत्संभरण दो मुख्य रूपों में हो सकता है : दिष्ट धारा (Direct Current) एवं प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Current) द्वारा। अधिकांश कार्यों के लिये दोनों ही संभरणों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रकाश एवं ऊष्मा की अधिकांश प्रयुक्तियाँ दोनों ही संभरणों में प्रयुक्त की जा सकती हैं, परंतु उद्योग के लिये संभरण के अनुसार विभिन्न मोटरें एवं दूसरी सज्जाएँ प्रयुक्त करनी होती हैं। दि० धा० एवं प्र० धा० मोटरों की अपनी विशेषताएँ हैं तथा ये बहुत से प्ररूपों में उपलब्ध होते हैं, जिससे कार्य के अनुसार ही उनका चयन किया जा सकता है।

आर्थिक रूप से प्र० धा० का जनन एवं प्रेषण सस्ता पड़ता है। प्र० धा० जनित्र सापेक्षतया काफी ऊँची वोल्टताओं पर प्रवर्तन कर सकते हैं। प्रेषण के लिये इसे सुगमता से उच्चतर वोल्टताओं में रूपांतरित किया जा सकता है, जिससे उतनी ही शक्ति के लिये धाराक्षमता कम हो जाती है तथा प्रेषण लाइन के मूल्य में काफी बचत हो जाती है। साथ ही प्रेषणहानियाँ कम होने से प्रेषणक्षमता बढ़ जाती है।

बहुधा उपयोगस्थल की जननस्थल से दूरी कई सौ मील की भी हो सकती है। अतः प्रेषण वोल्टता यथासंभव ऊँची रखनी पड़ती है, जिससे चालक का आकार छोटा हो सके और प्रेषणहानियाँ कम की जा सकें। दि० धा० का उच्च वोल्टता पर जनन प्राविधिक दृष्टिकोण से कठिन होता है तथा उसमें वोल्टता का अल्प से उच्च तथा उच्च से अल्प में परिवर्तन उतनी सुविधा से नहीं किया जा सकता जितना प्र० धा० में। प्र० धा० सापेक्षतया, अधिक ऊँची वोल्टताओं पर जनित की जा सकती है और उसे परिणामित्र (transformers) द्वारा सुगमतापूर्वक, अल्प से उच्च तथा उच्च से अल्प वोल्टताओं में परिवर्तित किया जा सकता है। जनित्र वोल्टता साधारणतया ११ किलो० तक ही सीमित होती है, और इसे परिणामित्र द्वारा अति उच्च वोल्टता (११० किलो०, २२० किलो० या इससे भी अधिक) में रूपांतरित कर प्रेषित किया जा सकता है। उपयोगस्थल पर इस उच्च वोल्टता को आवायी (स्टेप-डाउन) परिणामित्र की सहायता से फिर अल्प वोल्टता में

रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्यत, इसी सुगमता के कारण प्र० धा० संभरण ही अधिक सामान्य है और जहाँ पहले से दि० धा० संभरण था वहाँ भी आजकल उसको विस्थापित कर प्र० धा० संभरण में परिवर्तित किया जा रहा है।

परिणामित्र, वस्तुतः, एक अत्यंत सरल विद्युत् मशीन है। यह ण के सिद्धांत पर चालन करता है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियाँ होती हैं, जिनका आपस में विद्युतया कोई संयोजन नहीं ा। पारस्परिक प्रेरण (mutual induction) के सिद्धांत के द्वार यदि एक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाए, तो ी कुंडली में भी, जो पहली के चुंबकीय क्षेत्र में होती है, एक वोल्टता त हो जाती है। यह दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के ात पर निर्भर करती है। यदि द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या मिक से दुगनी हो, तो उसमें प्राथमिक से लगभग दुगनी वोल्टता त होगी तथा धारा का परिमाण उसी अनुपात में कम हो जाएगा। च वोल्टता से अल्प वोल्टता में परिवर्तन के लिये, द्वितीयक में भग उसी अनुपात में कम फेरे होने चाहिएँ। इस प्रकार परिणा- ों द्वारा वोल्टता रूपांतरण बहुत सुगमतापूर्वक किया जा सकता ; परिणामित्रों की चालन दक्षता भी बहुत अधिक होती है। बड़े आकारों (१०,००० किलो० वै० के लगभग) के परिणामित्रों की लदक्षता ९९ ५ प्रति शत तक हो सकती है। अतएव यह वोल्टता ातरण न केवल सुगमतापूर्वक ही हो सकता है, वरन् साथ ही थ बिना विशिष्ट हानियों के भी होता है।

सामान्य उपयोग वोल्टता अधिकांश देशों में २२० वोल्ट के गभग होती है। परंतु मोटर तथा दूसरे औद्योगिक भार इससे धिक वोल्टता पर चालन करते हैं। अतः वितरणतंत्र, साधारणतया, ता होता है कि उसमें दो विभिन्न वोल्टताओं का संभरण भव हो सके, जैसे संभरण प्रकाशदीप अथवा पंखे इत्यादि के लिये ो हो सके और साथ ही साथ कुछ ऊँची वोल्टता, मोटर तथा अन्य ौद्योगिक भारों के लिये भी हो सके। दि० धा० परिपथ में यह तार प्रणाली द्वारा संभव हो सकता है, जिसमें बाहरी तारों की ोल्टता बीच वाले चालक के सापेक्ष +२२० वोल्ट और −२२० ोल्ट हो। इस प्रकार दोनों बाहरी चालकों के बीच ४४० वोल्ट मलता है और एक बाहरी तथा मध्य चालक के बीच केवल २२० ोल्ट। अतः विद्युत् दीप और पंखे इत्यादि, जो २२० वोल्ट पर चालन करते हैं, उन्हें एक बाहरी तथा मध्य चालक के बीच संबद्ध किया जा सकता है तथा मोटर इत्यादि दोनों बाहरी चालकों के बीच संबद्ध किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक ही संभरणतंत्र से दोनों का अलग अलग वोल्टताओं पर चालन संभव हो सकता है, परंतु इस तंत्र के सफल चालन के लिये मध्य चालक के दोनों ओर भार का संतुलित होना आवश्यक है। इसका ध्यान भार को संबद्ध करते समय ही रखा जाता है। भार का संतुलन करने के लिये संभरणतंत्र में संतुलकों (balancers) की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे दोनों ओर भार लगभग बराबर रहे।

प्र० धा० संभरण में दो विभिन्न वोल्टताओं की व्यवस्था त्रिफेज चार तार तंत्र द्वारा की जाती है। मोटर इत्यादि तो तीनों फेज चालकों से संबद्ध किए जाते हैं और बल्ब आदि एक फेज तार तथा न्यूट्रल के बीच। इस तंत्र में भी यथासंभव तीनों फेजों में भार संतुलित रखने का प्रयत्न किया जाता है। फेज तथा न्यूट्रल के बीच २३० वोल्ट की वोल्टता होती है और दो फेज चालकों के बीच, अर्थात् लाइन चालकों के बीच, लगभग ४०० वोल्ट की। वस्तुतः दो लाइनों के बीच की वोल्टता फेज वोल्टता का ३ गुना होती है। इस प्रकार इस तंत्र में भी दो विभिन्न वोल्टताओं की व्यवस्था होती है। मोटर इत्यादि ४०० वोल्ट पर चालन करते हैं और बल्ब तथा पंखे और दूसरी घरेलू विद्युत् युक्तियाँ केवल २३० वोल्ट पर कार्य करती हैं।

अति उच्च प्रेषण वोल्टताओं ■ उपयोग वोल्टता में रूपांतरण, सामान्यतः, दो क्रमों में किया जाता है। पहले अति उच्च वोल्टताओं को साधारणतया ११ किलो० में रूपांतरित कर लिया जाता है और इसके बाद ११ किलो० की पोषक लाइनें (Feeder Lines) ठीक उपभोगस्थल तक ले जाई जाती हैं, जहाँ उन्हें सामान्य उपयोग वोल्टता २३०/४०० वोल्ट में रूपांतरित किया जाता है। यहाँ से ४०० वोल्ट की अल्प वोल्टता लाइनें भार तक ले जाई जाती हैं। इन लाइनों को वितरक लाइनें (Distributor Lines) कहते हैं और ये सामान्यतः सड़कों ■ किनारे ले जाई जाती हैं, जहाँ से विभिन्न मकानों को वितरण संयोजन (service connection) दिए जाते हैं।

अति उच्च वोल्टता की प्रेषण लाइनें बड़ी बड़ी मीनारों (towers) पर ले जाई जाती हैं, परंतु मध्यम तथा अल्प वोल्टता लाइनें खंभे (pole) पर आरोपित होती हैं। बहुत से स्थानों में विद्युत् शक्ति का प्रेषण, अथवा वितरण, ऊपरी लाइनों के स्थान पर भूमिगत केबिलों (cables) द्वारा किया जाता है। ऊपरी लाइनें साधारणतया ताँबे के तार की होती हैं, परंतु ऐलुमिनियम और इस्पात संयुक्त ऐलुमिनियम (A C S R) के तार भी बहुतायत से प्रयुक्त किए जाते हैं। साधारणतया, तार एक ठोस रूप में न होकर बहुत से तारों को एक दूसरे पर ऐंठकर बने होते हैं। ये तार, खंभे अथवा मीनार पर लगे हुए विद्युत्रोधी (insulators) के ऊपर बँधे होते हैं। विद्युत्रोधी, साधारणतया, पॉर्सिलेन के होते हैं और विभिन्न प्रारूपों के बनाए जाते हैं। इनका वर्गीकरण वोल्टता के आधार पर होता है। ये चालक को सँभाले रहते हैं और उसे खंभे अथवा मीनार से नहीं छूने देते। इनकी बनावट भी ऐसी होती है कि किसी भी दशा में ये चालक तथा खंभे के बीच किसी प्रकार का भी विद्युत् संस्पर्श नहीं होने देते। उन्हें खंभे पर सीधे ही अथवा काँची (cross arm) पर लगाने का विन्यास होता है। तारों को उनमें दिए हुए एक खाँचे में रखकर ताँबे के बंधन तार (binding wire) द्वारा बाँध दिया जाता है।

खंभे अधिकतर लोहे की रेल, अथवा गोल नलिकाकार (tubular) प्ररूप के होते हैं। साधारणतया ये २६-३२ फुट ऊँचे होते हैं, जिसमें ५-६ फुट भूमि में गड़ा होता है। लकड़ी के खंभे भी बहुता- यत से प्रयुक्त होते हैं, परंतु उन्हें दीमक इत्यादि से बचाने के लिये पहले उपचारित करना आवश्यक होता है। सीमेंट कंक्रीट के खंभे भी बनाए जाते हैं, जो देखने में काफी सुंदर लगते हैं और बड़े नगरों की सड़कों पर विस्तृत रूप से प्रयुक्त होते ■ परंतु इनका

परिवहन कठिन होने के कारण इन्हें बहुधा नगरों के स्थान पर ही बनाया जाता है।

भूमिगत केबिलों द्वारा प्रेषण एवं वितरण से बहुत प्रकार के दोष एवं कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं। परंतु केबिल ऊपरी लाइनों की तुलना में मूल्यवान होते हैं और केवल बड़े नगरों में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जहाँ घनी आबादी के कारण ऊपरी लाइनें तो जाना सुविधाजनक अथवा उपयुक्त नहीं होता। केबिल में तांबे के एक या अधिक विद्युत्‌दण्ड तार होते हैं, जिनके ऊपर संरक्षण के लिये मूल अथवा रूई गुँथा होता है। ये ऊपर से सीसे की नली में बंद रहते हैं, जिससे नमी विद्युत्‌रोध तक न पहुँच सके। क्षति से बचाने के लिये सबसे ऊपर इस्पात की टेप का कवच भी लपेट दिया जाता है और इसलिये ऐसे केबिलों को कवचित केबिल कहते हैं। उच्चतर वोल्टताओं के लिये तेल से भरे केबिल भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तेल, वस्तुतः, अच्छा विद्युत्‌रोधी माध्यम होता है, परंतु ऐसे केबिलों की देखभाल में अधिक परेशानी होती है। अभी तक ४०० किलो० की वोल्टता तक के केबिल प्रयुक्त किए गए हैं।

बड़े बड़े जनित्रों, लाइनों तथा मीनारों के सिवाय विद्युत् संभरण के महत्त्वपूर्ण अंग बहुत से छोटे छोटे संघटक भी होते हैं, जो नियंत्रण (control) तथा संरक्षण (protection) के काम आते हैं। वस्तुतः, इन्हीं के द्वारा विश्वसनीय संभरण संभव होता है और इसलिये ये किसी भी बड़े संघटक से कम महत्त्व के नहीं होते। वोल्टता को स्थिर रखने के लिये स्वचालित वोल्टता नियामक (automatic voltage regulator) प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार भार, शक्ति गुणांक (power factor) तथा आवृत्ति के नियंत्रण के लिये दूरस्थ नियंत्रित (remote controlled) नियामकों की व्यवस्था होती है, जिनकी सहायता से नियंत्रण इंजीनियर (control engineer), नियंत्रण कक्ष (control room) में बैठा सब का नियंत्रण कर सकता है। रक्षण के लिये विविध प्रकार के रिले होते हैं, जो दोष की स्थिति में परिपथ को स्वयं खोल देते हैं और मूल्यवान सज्जा को क्षति से बचाते हैं। अतिभार की दशा में अतिभार रिले (overload relay), भूमिदोष की स्थिति में भूमि लीक रिले (earth leakage relay) तथा इसी प्रकार दूसरे प्रकार के दोषों में विभिन्न प्रकार के रिले की व्यवस्था होती है। ये रिले परिपथ विच्छेदक (circuit breaker) को प्रचालित कर, परिपथ को खोल देने में समर्थ होते हैं। ये साधारणतया बहुत ही द्रुतगामी होते हैं और दोष के होने पर, सेकंड के अंश में ही परिपथ को खोल देते हैं। इनका व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाता है कि ये केवल दोषी परिपथ को ही खोलें और, जिन प्रभागों में दोष न हो, उन्हें यथासंभव चालू रहने दें। इस प्रकार इनके चालन में विश्वसनीयता के साथ उपयुक्त वरणात्मक (selective) गुण भी रखा जाता है, जिससे दोषी परिपथों के साथ साथ निर्दोष परिपथों को भी बंद न होना पड़े।

परिपथ विच्छेदक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अल्प वोल्टता लाइनों के लिये बहुधा वायु विच्छेदक (air break) स्विच ही प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि ये सस्ते तथा सरल होते हैं। इनमें एक स्थिर संपर्क तथा एक चलन संपर्क होता है, जिनके संपर्क में लाकर बंद किया जा सकता है और हटाने से खोला जा सकता है। इसका सुंदर उपाय यह है कि खोलने अथवा बंद करने समय दोनों संपर्कों के बीच जो चाप (arc) बन जाता है, उससे हानिकारक प्रभावों से बचने की कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिये ऐसे स्विच उच्च वोल्टता लाइनों के लिये नहीं प्रयुक्त किए जा सकते। उनमें प्रयुक्त होनेवाले परिपथ विच्छेदक साधारणतः तेल प्रकार के होते हैं, जिनमें परिपथ को तेल के अंदर ही खोला अथवा बंद किया जाता है। इस प्रकार के परिपथ विच्छेदक में स्थिर और चलन संपर्क दोनों ही तेल की टंकी के अंदर होते हैं। तेल अच्छे विद्युत्‌रोधी माध्यम की व्यवस्था करने के साथ साथ, उत्पन्न होनेवाले चाप को भी बुझाने में सहायक होता है और उसके हानिकारक प्रभावों से बचाता है। ऐसा करने के लिये बहुत से परिपथ विच्छेदकों में विशेष व्यवस्थान भी किए जाते हैं। साथ ही अल्प वोल्टता तथा अतिभार (overload) संरक्षण युक्तियों (protective devices) की भी इन्हीं में ही व्यवस्था कर दी जाती है।

यद्यपि प्र० धा० संभरण ही सामान्य है, तथापि बहुत से विशिष्ट कार्यों के लिये दि० धा० का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जैसे बैटरी चार्ज करने के लिये, विद्युत् लेपन के लिये तथा अधिकांश ट्राम एवं लिफ्ट (lift) के चालन इत्यादि के लिये दि० धा० का ही प्रयोग किया जाता है। अतएव प्र० धा० संभरण की दशा में इनके लिये दि० धा० प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। प्र० धा० का दि० धा० में रूपांतरण बहुत सी युक्तियों द्वारा किया जाता है, जिनमें दिष्टकारी (rectifier), तुल्यकालिक (synchronous) अथवा घूर्णी परिवर्तित्र (rotary convertor) तथा मोटर जनित्र सेट (motor generator set) मुख्य हैं। दिष्टकारियों का प्रयोग ही अधिक सामान्य है, क्योंकि अधिकांश भारों के लिये इनकी दक्षता अधिक होती है और चालन सुगम। साथ ही यह घूर्णी परिवर्तित्र की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं और इनके अधिक देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती। शक्ति दिष्टकारी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, काँच बल्ब वाले, तथा इस्पात की टंकी वाले। काँच बल्ब वाले दिष्टकारियों में काँच का एक बड़ा बल्ब होता है, जिसकी तली में पारद का ताल होता है तथा ऊपर में ऐनोड (anode) सील किए रहते हैं। त्रिफेज चालन के लिये ऐनोड संख्या ३, ६, अथवा १२ होती है और ये बारी बारी से अपने तथा पारद ताल के बीच में चाप का संधारण करते हैं, और बाह्य परिपथ में दि० धा० उपलब्ध होती है। दि० धा० वोल्टता का परिमाण संभरण की जानेवाली प्र० धा० वोल्टता, फेज संख्या तथा चाप पात (arc drop) पर निर्भर करता है। अतएव दिष्टकारी को प्र० धा० की ओर संभरण करने के लिये एक परिणामित्र की आवश्यकता होती है, जो निर्गत (output) वोल्टता के अनुसार प्र० धा० वोल्टता संभरण कर सके। अतः उसी अनुपात में उसके फेरों की संख्या एवं रूपांतरण अनुपात (transformation ratio) निश्चित किए [illegible] दि० धा० वोल्टता

का व्यवस्थापन भी इस परिणामित्र मे टैप परिवर्तन (tap changing), अथवा ग्रिड नियंत्रण (grid control) द्वारा, सुगमता से किया जा सकता है। इस्पात की टंकीवाले दिष्टकारियों मे काँच के बल्ब के स्थान पर इस्पात की एक टंकी होती है, जिसके कारण वे काफी मजबूत होते हैं और बड़े आकारों मे भी निर्माण किए जा सकते हैं। साथ ही इनकी अतिभार क्षमता भी अधिक होती है। दिष्टकारियों द्वारा दि० धा० को प्र० धा० मे भी रूपांतरित किया जा सकता है, जिसमे उनका चालन ठीक विपरीत होता है। अत ये दिष्टकारी प्र० धा० कारी (Inverters) कहलाते हैं।

विद्युत् संभरण वस्तुत एक अनिवार्य सेवा (essential service) है और इसे जन उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। विद्युत् मशीनों एवं दूसरी सज्जा के प्रतिष्ठापन एवं संचारण दोनों में ही यह दृष्टिकोण ध्यान में रखना होता है। यदि किसी नगर का भार ५,००० किलोवाट हो, और वहाँ के बिजलीघर में ५,००० किवो० की केवल एक मशीन ही लगाई जाए, तो उस मशीन में किसी प्रकार दोष हो जाने पर, अथवा मरमत की दशा मे उसके बंद किए जाने पर, सारा संभरण ही बंद हो जाएगा। अत, या तो एक के स्थान पर ऐसी दो मशीनें लगानी होंगी, अथवा किसी दूसरे बिजलीघर से ऐसी संकटकालीन अवस्था मे बिजली लेने का समुचित प्रबंध करना होगा। व्यक्तिगत शक्ति-कंपनियों के लिये, जन उपयोगिता के दृष्टिकोण से, यह अनिवार्य है कि सामान्य भार के बराबर की शक्ति की मशीनें संकटकालीन अवस्था के लिये अलग रख छोड़ें, जिन्हें अल्पतम समय में व्यवहार में लाया जा सके। बड़ी बड़ी शक्ति योजनाओं में अब यह सामान्य हो गया है कि व्यक्तिगत बिजलीघरों के स्थान पर बहुत से बिजलीघरों को आपस में ग्रिड (grid) के रूप में अंतर्बद्ध कर दिया जाए, जिससे एक बिजलीघर की फालतू शक्ति का दूसरे स्थान पर उपयोग हो सके। ये ग्रिड, सामान्यत, अति उच्च वोल्टताओं पर चालन करते हैं। इनमें तंत्र की वोल्टता एवं आवृत्ति का परिशुद्ध नियमन (regulation) करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण तंत्र में शक्ति का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सकता है। संपूर्ण तंत्र की संमिलित शक्ति की तुलना मे किसी एक बिजलीघर की एक या दो मशीनों की शक्ति नगण्य होती है और यदि वे किसी कारणवश बंद हों, तो तंत्र पर व्यावहारिक रूप से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

स्पष्टतया विद्युत् संभरण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग है और प्राविधिक दृष्टिकोण से यह मानव की व्यवहारकुशलता का उच्चतम उदाहरण है। केवल स्विच खोल देने मात्र से सारा भवन विद्युत्प्रकाश से जगमगा उठता है, अथवा बड़ी बड़ी मशीनें चलने लगती हैं, परंतु प्राविधिक रूप से विद्युत् संभरण की समस्या इतनी सरल नहीं है जितना उसे उपयोग करना प्रतीत होता है। [रा० कु० ग०]

विद्युत् संभरण, वाणिज्य के दृष्टिकोण से (Electric Supply, Commercial Aspects) वाणिज्य के दृष्टिकोण से विद्युत् संभरण औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। वस्तुत, यह देश की औद्योगिक प्रगति का मापदंड है। आजकल विद्युत् मशीनें इतनी सामान्य हो गई हैं कि ऊर्जा संभरण के दूसरे रूप बहुत कम काम मे आते हैं, विशेषतया, जब विद्युत् संभरण उपलब्ध हो। लगभग सभी उद्योगों मे अधिकांश मशीनें विद्युत् मोटरों द्वारा चलाई जाती हैं। अधिकांश कारखानों मे कोयला अथवा तेल को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करने के स्थान पर, विद्युत् द्वारा ऊष्मा प्राप्त करना उपयुक्त समझा जाता है। प्रकाश के लिये तो विद्युत् का प्रयोग लगभग सार्वत्रिक ही है। इन्ही कारणों से विद्युत् की माँग दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और विद्युत् संभरण करनेवाला संगठन किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संगठन समझा जाता है।

उद्योग में विद्युत् संभरण तीन मुख्य प्रयोजनों के लिये होता है : यांत्रिक ऊर्जा के लिये, ऊष्मा के लिये, एवं प्रकाश के लिये। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत् मोटरों द्वारा प्राप्त की जाती है। आजकल अधिकांश मशीनें विद्युत् मोटरों द्वारा ही चलाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण विद्युत् मोटरों की सरल बनावट तथा सरल व्यवस्थापन एवं नियंत्रण (regulation) है। साथ ही विद्युत् मोटरें इतने विभिन्न रूपों मे, इतनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिये बनाई जा सकती हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिये कोई न कोई उपयुक्त विद्युत् मोटर का, जो उस प्रयोजन को वांछनीय रूप में निष्पादित कर सके, चयन किया जा सकता है। इसी प्रकार ऊष्मा प्राप्त करने के लिये विद्युत् भट्ठियों का उपयोग श्रेयस्कर समझा जाता है, क्योंकि इनमे एकसमान ऊष्मा प्राप्त कर सकना अधिक सुगम है और इन भट्ठियों का नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है। प्रकाश के लिये विभिन्न प्रकार के विद्युत् लैंप किसी भी स्थिति के लिये सबसे उपयुक्त होते हैं।

विद्युत् संभरण न केवल उद्योग की जीवन शक्ति है, वरन् इसके कारण बहुत से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। वस्तुत, विद्युत्-शक्ति की प्रचुर उपलब्धि ही, किसी स्थान के औद्योगिक विकास का सूचक है।

उद्योग मे विद्युत् संभरण के दो महत्वपूर्ण साधन हैं एक तो विद्युत् कंपनी और दूसरा विद्युत् को स्वयं ही जनित करना। यह, वस्तुत, एक आर्थिक समस्या है और किस स्थिति में क्या करना अच्छा रहेगा, मुख्यत, आर्थिक दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। यदि विद्युत् कंपनी द्वारा दिया गया संभरण विश्वसनीय तथा उचित दामों पर हो, तो बहुधा विद्युत् का स्वयं जनन करने के झंझट मे पड़ना ठीक नहीं समझा जाता। पर बहुत से उद्योग ऐसे भी हैं जहाँ विद्युत् का स्वयं उत्पादन ही सस्ता पड़ता है, विशेषतया, यदि माँग कुछ विशेष रूप की हो और विद्युत् कंपनी उसे उचित प्रस्ताव पर स्वीकार न करे। ऐसी दशा में उद्योग के लिये विद्युत् को स्वयं जनित करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाता। विद्युत् के स्वयं जनन करने में विशेष लागत लगानी पड़ती है, जिसका ब्याज तथा मूल्यह्रास (depreciation) का भी ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही उसके लिये विशेष प्राविधिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, जो सदैव हमारों के लिये सहज पा सकता है। विद्युत् कंपनी से विद्युत्

शक्ति खरीदने में निवेश खर्च के साथ साथ और भी बहुत सी झंझटों से बच जाते हैं तथा सारा ध्यान मुख्य उत्पादन की ओर केंद्रित किया जा सकता है। अतएव समस्या के सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर ही कुछ निर्णय किया जा सकता है।

विद्युत् की दर उसके उपयोग, आवश्यकता, अदायगी क्षमता, स्थिति तथा जन उपयोगिता के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। विभिन्न उपयोगों के लिये दरें विभिन्न होती हैं, जो उपयोग की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। उदाहरणतः, उद्योग से निश्चित की जानेवाली दर इस बात पर निर्भर करती है कि वह इतनी अधिक न हो कि उद्योग स्वयं अपने ही बिजलीघर लगाने लग जाएँ। उद्योग द्वारा विद्युत् का स्वयं जनन करने का निश्चय, विद्युत् दर का मुख्य सीमाकारक है। परंतु उपयोग के लिये दो बातें मुख्यतः ध्यान में रखनी होती हैं. एक तो उपभोक्ताओं की अदायगी क्षमता तथा दूसरा जन उपयोगिता का दृष्टिकोण। परंतु उपयोग के भी मुख्यतः दो भाग हैं. प्रकाश एवं पंखे का भार और दूसरा शक्ति भार, जिसमें प्रशीतित्र (refrigerator), पंप (pump), वातानुकूलक (air conditioner), विद्युत् चूल्हे इत्यादि आते हैं। इन प्रयुक्तियों में अधिक शक्ति का उपयोग होने की संभावना होती है और इनके लिये विद्युत् का खर्च, सामान्यतः, कम रखा जाता है, नहीं तो इनका उपयोग बहुत कम हो जाएगा। विद्युत् कंपनियों को प्रकाश भार का संभरण करने के लिये जो लाइन इत्यादि बनानी पड़ती है, वही शक्ति भार के लिये भी उपयुक्त हो जाती है। इन भारों के होने से माँग बढ़ जाती है, जो अंततः विद्युत् कंपनी के हित में होती है। विद्युत् के संभरण को लोकप्रिय बनाने के लिये, पहले उसकी माँग उत्पन्न करना आवश्यक है। प्रकाश एवं पंखे के लिये दरें मुख्यतः उपभोक्ताओं की अदायगी क्षमता पर निर्भर करती हैं और सामान्यतः, दूसरे उपयोगों की अपेक्षा ऊँची रहती हैं। वैसे प्रकाश भार की व्यवस्था करने के लिये वितरण तंत्र के रूप में विद्युत् कंपनी को अधिक निवेश खर्च भी करना पड़ता है। साधारणतया, ये भार लाइन क्षमता से बहुत कम होते हैं। साथ ही इन लाइनों की देखभाल के रूप में भी काफी खर्च होता है। अतएव प्रकाश भार की दरें कुछ ऊँची रखना न्यायसंगत है।

तीसरी प्रकार के भार ऐसे होते हैं जो मुख्यतः जन उपयोगिता के दृष्टिकोण पर ही आधारित होते हैं, जैसे जलकल आदि। यदि उनके लिये शक्ति की दर अधिक हो, तो उन्हें पानी की दर भी अधिक रखनी होगी, जो सामान्य जनता की पहुँच के बाहर हो सकती है। अतः ऐसे उपयोगों के लिये बिजली कंपनी न्यूनतम मूल्य पर विद्युत् दे देती है। इसी प्रकार स्कूल तथा अस्पतालों से भी कम मूल्य लिया जाता है।

विभिन्न दरों का अनुमान एक विद्युत् कंपनी के इन आँकड़ों से लगाया जा सकता है :

प्रकाश तथा पंखे	३७ पैसा प्रति यूनिट
घरेलू शक्ति भार	१८ „ „ „
उद्योग	८ „ „ „
स्कूल तथा अस्पताल	१२ पैसा प्रति यूनिट
जलकल	७ „ „ „

उद्योग में, साधारणतया, विद्युत् की दर केवल उपभोग की हुई शक्ति पर ही निर्भर नहीं करती। प्रतिष्ठापित शक्ति तथा अधिकतम माँग का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि विद्युत् की दर केवल उपभोग की हुई शक्ति पर ही निर्भर करे, तो हो सकता है, उद्योग में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हों, जिन्हें केवल कभी कभी ही चलाया जाए, परंतु वास्तविक उपयोग की जानेवाली शक्ति अधिक न हो। विभवमीय संभरण के लिये विद्युत् कंपनी को तो अपनी संस्थापन क्षमता के अनुसार अधिकतम माँग की व्यवस्था करनी पड़ती है। उन्हें अपना स्वयं का संस्थापन और सज्जा इसी के अनुसार करनी होती है, जिसपर निवेश खर्च काफी आ सकता है, परंतु वास्तविक उपयोग होनेवाली शक्ति के अनुसार उन्हें मूल्य बहुत कम मिलता है। अतः, उद्योग से लिए जानेवाले मूल्य के दो मुख्य घटक होते हैं : एक तो स्थिर संस्थापन मूल्य और दूसरा वास्तविक उपयोग में आनेवाली ऊर्जा का मूल्य। इस प्रकार उद्योग के लिये टैरिफ (tariff) दो भागों में बनाया जाता है और उसे द्विभाग टैरिफ (Two Part Tariff) कहते हैं। इस टैरिफ का एक भाग तो स्थिर मूल्य (fixed cost) होता है, जो उद्योग की संस्थापन शक्ति अथवा अधिकतम माँग के आधारित होता है, और दूसरा भाग प्रचालन लागत (operating costs) है, जो वास्तविक उपयोग में आनेवाली ऊर्जा पर आधारित होता है। अधिकतम माँग प्रदर्शित करने के लिये अधिकतम माँग सूचक (maximum demand indicator) प्रयुक्त किए जाते हैं जो किसी निर्धारित समय में (सामान्यतः आधा घंटा) अधिकतम माँग प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार किसी भी महीने में उस संस्थापन की अधिकतम माँग ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार का टैरिफ रखने से, उद्योग अपनी अधिकतम माँग को कम करने का प्रयत्न करेगा और विभिन्न मशीनों को इस क्रम में चलाएगा जिससे अधिकतम माँग न बढ़ जाए। इस प्रकार शक्ति का उपभोग सम (equalize) होने की ओर उन्मुख होगा, जो विद्युत् कंपनी के हित में होता है।

विद्युत् संभरण की दूसरी समस्या उद्योगों के कम शक्तिगुणांक पर प्रचालन करने में आती है। यदि शक्ति कम हो, तो उसी शक्ति के लिये किसी निर्धारित वोल्टता पर अधिक धारा ली जाएगी। इसका तात्पर्य है कि अधिक धारा क्षमता की मशीनें तथा उससे संबद्ध सज्जा लगानी होगी, जिसका अर्थ है संस्थापन लागत में वृद्धि। इस प्रकार, शक्तिगुणांक के कम होने पर, उसी शक्ति के लिये संस्थापन लागत बढ़ जाती है। यह भी हो सकता है कि इतने कम शक्तिगुणांक का अनुमान न किया गया हो और सज्जा की धारासमता, उतनी धारा वहन कर सकने योग्य न हो। इस प्रकार, कम शक्तिगुणांक विद्युत् संस्थापनों के लिये महत्वपूर्ण सीमाकारक हो जाता है। इसे प्राविधिक शब्दों में, शक्ति को दो घटकों में बाँटकर व्यक्त किया जाता है : शक्तिघटक, जो वस्तुतः उपयोग में लाई गई शक्ति को प्रदर्शित करता है, और वाटरहित घटक (wattless component), अथवा प्रतिधानी किलो वोल्ट ऐंपीयर (reactive K. V. A.), जो व्यर्थ जानेवाली

शक्ति को प्रदर्शित करता है। इकाई शक्तिगुणांक पर सारी शक्ति वाट घटक के रूप मे होती है और जैसे जैसे शक्तिगुणांक कम होता जाता है, वैसे वैसे प्रतिपादी कि० वो० ऐं० बढ़ते जाते हैं। अत, विद्युत् कंपनी को ऊँचा शक्तिगुणांक रखना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिये वह दो उपाय कर सकती है: पहला, स्वयं शक्तिगुणांक सुधारक का प्रयोग और दूसरा उद्योग को कम शक्तिगुणांक पर प्रचालन न करने देने के उपाय करना। इसके लिये विद्युत् संभरण की शर्तें ऐसी रखी जाती हैं कि उद्योग के लिये कम शक्ति गुणांक पर प्रचालन करना लाभदायक न हो। इसके लिये या तो बिजली कंपनियाँ कम शक्तिगुणांक पर एक अतिरिक्त कर लगा दें, अथवा ऊँचे शक्तिगुणांक के लिये दरों में कटौती कर दें। यह भी हो सकता है कि बिजली कंपनियाँ शक्ति का मापन ही किलोवाट के आधार पर न करके किलोवोल्ट ऐंपीयर के आधार पर करें। इस प्रकार, टैरिफ ऐसा बनाया जाता है कि उद्योग को निर्धारित से कम शक्तिगुणांक पर प्रचालन करने में हानि हो। अतः या तो उद्योग कम शक्तिगुणांकवाली सज्जा का उपयोग ही नहीं करेंगे, अथवा शक्तिगुणांक सुधार के लिये अलग सज्जा लगाएँगे। जहाँ बहुत से प्रेरण मोटर कार्यशील हों, वहाँ शक्तिगुणांक कम होने की संभावना होती है, विशेषतया यदि वे पूर्ण भार पर प्रचालन न करें। अतएव उद्योग की ओर से पहला प्रयत्न तो यह होगा कि सभी मोटर यथासंभव पूर्ण भार पर परिचलन करें (जिससे विद्युत् कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है) तथा अन्य दूसरी मशीनों में प्रेरण मोटर को न प्रयुक्त कर उसके स्थान पर तुल्यकालिक मोटर (synchronous motor) का प्रयोग करें, जिससे संपूर्ण भार का ही शक्तिगुणांक सुधारा जा सके, अथवा संधारित्र का प्रयोग करके ही शक्तिगुणांक को सुधारें।

बिजलीघर संस्थापित करने से पहले, विद्युत् का उत्पादन मूल्य तथा संभावी लाभांशों की गणना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना स्वयं संस्थापन। किसी भी बिजलीघर संस्थापन का आधार भार सर्वेक्षण (load survey) है। परंतु भार भी बहुत सी दशाओं में परिस्थिति और संभावी विद्युत् की दरों पर निर्भर करता है। उपयुक्त दरों द्वारा, विद्युत् संभरण, उद्योग को प्रोत्साहन देने का सरलतम साधन है। यदि विद्युत् संभरण की दर कम रखी जाए, तो वर्तमान उद्योगों के अतिरिक्त दूसरे उद्योग भी पनपने लगेंगे और वर्तमान उद्योग अपनी सारी आवश्यकताओं को विद्युत् द्वारा ही पूरी करने लगेंगे। इस प्रकार वर्तमान भार के आधार पर बिजलीघर के संस्थापन का परिकलन करना लाभप्रद होगी। सामान्यतः, पाँच वर्ष बाद संभावी भार के आधार पर परिकलन किया जाता है। बहुधा यही देखा गया है कि भार अनुमान से बहुत शीघ्र ही बढ़ जाता है। अतएव बिजलीघर के संस्थापनों के अभिकल्प करते समय, यह बात ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है और विस्तार की योजना भी पहले ही बना लेनी चाहिए।

परिस्थितियों के अनुसार ही भार में काफी परिवर्तन आ सकते हैं। भारों की प्रकृति में भी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। प्रकाश-भार, मुख्यतः, संध्या के समय होता है, उद्योगभार दिन के समय तथा इसी प्रकार विभिन्न भार विभिन्न समयों में हो सकते हैं अथवा यह कहिए कि उनकी मात्रा में काफी अंतर आ सकता है। यदि किसी भार के विचरण को समय के अनुसार ग्राफ पर अनुरेखित कर लिया जाए, तो जो वक्र प्राप्त होगा उसे भारवक्र (Load curve) कहते हैं। भारवक्र, समय के साथ भार का उतार चढ़ाव प्रदर्शित करता है। विभिन्न प्रकार के भारों के दैनिक भारवक्र खींच लिए जाते हैं और फिर एक ग्राफ पर एक दूसरे को अध्यारोपित कर संपूर्ण भार का भारवक्र खींच लिया जाता है। इसी प्रकार मासिक भारवक्र तथा वार्षिक भारवक्र भी प्राप्त कर लिए जाते हैं। इन तीनों के आधार पर ही तंत्र का भारविचरण निश्चित किया जाता है। हो सकता है, भार सारे महीने, अथवा सारे वर्ष उसी प्रकार से विचरण न करें। ऋतुओं के अनुसार भी यह परिवर्तन होता है। अतएव सभी भारवक्रों का खींचना आवश्यक है।

एक बात और ध्यान देने योग्य है, यह आवश्यक नहीं है, कि एक उद्योग में सभी मशीनें एक साथ कार्य करें। इस प्रकार संस्थापन क्षमता के आधार पर भार का निश्चय नहीं किया जा सकता। अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक प्रकार के भार के एक साथ कार्य करने की कितनी संभावना है। उदाहरणतः यदि एक मकान में २० विद्युत् लैंप हों, तो सामान्यतः उनमें से ८–१० से अधिक एक साथ नहीं जलाए जाएँगे। इस प्रकार अनुभव के आधार पर सभी प्रकारों के भार के लिये एक गुणक निश्चित किया जाता है, जिसे विभिन्नता गुणक (Diversity Factor) कहते हैं। यह संस्थापनक्षमता और अधिकतम भार का अनुपात होता है। यदि विभिन्नता गुणक २ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी प्रकार के भार की संस्थापनक्षमता १०० किवा० हो, तो विद्युत् कंपनी अपना परिकलन ५० किवा० के आधार पर कर सकती है, क्योंकि एक समय में संभवतः आधे से अधिक मशीनें कार्य नहीं करेंगी, अर्थात् आधे से अधिक भार नहीं होगा।

भारवक्रों को देखने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सभी भार सभी समय पूर्ण क्षमता पर प्रचालन नहीं करते। इस प्रकार विद्युत् के संभरण की संस्थापनक्षमता तथा वास्तविक भार में कार्य अंतर आ जाता है। यदि किसी समय वास्तविक भार पूर्ण क्षमता के बराबर हो जाए, पर अधिकांश समय काफी कम रहे, तो इसमें विद्युत् संभरण के लिये संस्थापनक्षमता तो अधिक रखनी पड़ेगी, परंतु पूर्णतया उसका उपयोग न हो सकेगा। इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि उत्पादन मूल्य बढ़ जाएगा। यह भी एक गुणक के रूप में, जिसे भार गुणक (Load Factor) कहते हैं, व्यक्त किया जाता है।

$$\text{भार गुणक} = \frac{\text{औसत अधिकतम भारों का उपयोग}}{\text{तंत्र की अधिकतम माँग}}$$

अधिकांश बिजलीघरों का भारगुणक ६० प्रति शत से अधिक नहीं होता। कम भारगुणक होने का तात्पर्य है कि बिजलीघर की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतएव विद्युत् कंपनियाँ अपना भारगुणक बढ़ाने के लिये अत्यंत प्रयत्न करती हैं। मुख्यतः, वे उद्योगों को ऐसे समय में प्रचालन करने के लिये प्रोत्साहन देती हैं जब उनका भार लगभग कम होता

है। ऐसा करने के लिये उद्योगों को बाध्य तो नहीं किया जा सकता, परंतु अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। संभरण के मूल्य में ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं, जिससे विद्युत् कंपनी की सुविधा के अनुसार उद्योग चलाने में अधिक लाभ हो। उदाहरणतः यदि किसी विद्युत् कंपनी का भार दिन में बहुत अधिक हो और रात में बहुत कम, तो वह उद्योगों के विद्युत् के संभरण में यह शर्त लगा सकती है कि यदि वे रात में प्रचालन करें, तो उन्हें निर्धारित दरों में कुछ छूट मिल सकती है। इस शर्त के कारण यदि अधिक लाभ होता है, तो उद्योगपति यह प्रयत्न करेंगे कि वे अपने उद्योगों को रात में चलाएँ। इस प्रकार विद्युत् उपभोग का समांकरण करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे उतनी भार क्षमता में अधिक ऊर्जा का उपभोग हो सके। अधिक ऊर्जा का उपभोग होने से विद्युत् कंपनी की आमदनी बढ़ जाएगी और उसे अंतत प्रति यूनिट मूल्य कम करना संभव हो सकेगा।

बिजली की दर निश्चित करने के लिये, पहले उत्पादनव्यय का परिकलन करना आवश्यक है। इस परिकलन में बिजलीघर का संस्थापन खर्च एवं प्रचालन लागत (operating costs) का परिकलन किया जाता है। संस्थापन खर्च में बिजलीघर के भवन तथा उसकी सज्जा एवं उपकरणों का मूल्य आता है। इसे निवेश लागत (Investment Cost) भी कहते हैं। प्रचालन लागत में कोयले अथवा ईंधन का मूल्य, उसका परिवहन एवं भंडार लागत (transportation and storage cost), कर्मचारियों का वेतन तथा अप्रत्यक्ष व्यय आते हैं। प्रति यूनिट मूल्य निकालने के लिये निवेश लागत को प्रति वर्ष के आधार पर परिकलित किया जाता है, जिससे बिजलीघर की क्षमता के अनुसार प्रति किलो-वर्ष निकाला जा सके। सभी खर्चों को वस्तुतः दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है: १. स्थिर घटक अथवा स्थिर लागत (fixed costs), जो उत्पादित शक्ति पर निर्भर नहीं करते परन्तु बिजलीघर की क्षमता पर निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत बिजलीघर की निवेशन लागत एवं कुछ निश्चित खर्च हैं, जैसे पट्टा अथवा बीमे का खर्च। यदि बिजलीघर एक बड़ी कंपनी का अंग हो, तो केंद्रीय करनी के संस्थापन खर्च तथा निरीक्षण एवं शोध के खर्च का अंश भी उसे वहन करना पड़ता है। यह खर्च भी खर्च का स्थिर घटक ही समझा जा सकता है। इन सभी खर्चों को प्रति वर्ष खर्च के रूप में आँका जाता है। निवेश लागत की प्रति वर्ष व्यय के रूप में परिकलन करने के लिये निवेश के ऊपर ब्याज एवं मूल्यह्रास (depreciation) का परिकलन किया जाता है, जो वस्तुतः कंपनी में लगाई गई पूँजी को वार्षिक रूप में व्यक्त करता है। दूसरे खर्च भी वार्षिक आधार पर व्यक्त कर लिए जाते हैं और वर्ष भर में उत्पादित ऊर्जा पर प्रति यूनिट खर्च निकाल लिया जाता है।

उपभोक्ताओं की देय दरों को निर्धारित करने के लिये, उत्पादन लागत (production costs) में प्रेषण एवं वितरण, अथवा वितरण का खर्च भी जोड़ना आवश्यक है। इनपर केवल वास्तविक खर्च ही नहीं, वरन् उनमें होनेवाली हानियों का परिकलन कर उनका मूल्य लगाना भी आवश्यक है। इसके उपरांत खर्चों निश्चित कर, देय दरों को निर्धारित किया जाता है।

प्रति यूनिट मूल्य को कम करने के लिये, न केवल परिचालन लागत में कमी करना आवश्यक है, वरन् बिजलीघर की अधिकतम क्षमता के अधिकतम उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि किसी विद्युत-घर की अधिकतम क्षमता १०,००० किलो-वाट और औसत में केवल आधी ही उपयोग में आ रही हो, तो स्थापन प्रति यूनिट खर्च भी अधिक होगा। यदि उसकी पीक पावर क्षमता का उपयोग होने लगे, तो प्रति यूनिट खर्च में भी कमी आ जाएगी। अतः इस महत्वपूर्ण कारण को प्राथमिक रूप से ध्यान देने के लिये, औसत उत्पादन शक्ति को भारगुणक के रूप में व्यक्त किया जाता है:

$$\text{भार गुणक} = \frac{\text{औसत उत्पादन}}{\text{अधिकतम उत्पादन क्षमता}}$$

सभी विद्युत् कंपनियाँ, यथासंभव, अधिकतम भारगुणक पर प्रचालन करने का प्रयत्न करती हैं। इसके लिये वे उपभोक्ताओं को सामान्यतः इस प्रकार के लिये प्रोत्साहन देती हैं कि उद्योग अपने अधिकतम भार के लिये अधिक से अधिक ऊर्जा का उपभोग करें, जिससे विद्युत् कंपनी अपनी भारक्षमता के अंदर ही अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। इसके कंपनियों का प्रति यूनिट खर्च घट जाता है और अंततः उपभोक्तओं की दरें भी घटाई जा सकती हैं।

उद्योग के लिये बिजली की दर अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उद्योग अच्छे से अच्छे उत्पादन और कम से कम मूल्य के आधार पर ही पनप सकता है। अधिकतम उद्योग विद्युत् को ही चालक शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि विद्युत् का समस्त विश्वसनीय रूप में और कम से कम खर्च में हो। यांत्रिक औद्योगिक भविष्य इस महत्वपूर्ण चालक शक्ति के वाणिज्यिक दृष्टिकोण की सफलता पर निर्भर करता है। [रा० कु० गु०]

विद्युन्मृत्यु मृत्युदंड देने की विधि है, जिसका उपयोग पहली बार न्यूयॉर्क में ६ अगस्त, १८९० ई० को हुआ था। माना जाता है कि इस विधि से कुछ बिना कष्ट के तत्काल होती है। इसके प्राथमिक उपकरण में २३०० वोल्ट, एकल प्रावस्था (single phase), ६० साइकिल (cycle) प्रत्यावर्ती धारा का एक प्रेरण वोल्टता (induction voltage) नियंत्रक और स्वपरिरक्षामित्र (autotransformer) होता है। साथ ही आवश्यक स्विच और मीटर होते हैं। यह सर्वप्रथम विद्युन्मृत्यु कुर्सी को, जिसपर दंडित व्यक्ति को बैठाया जाता है, २,००० वोल्ट की धारा प्रदान करता है और उसके सोते, भुजाओं, उरु संधि, टखने और पिंडली के बीच के पतले भाग की पट्टी से सुरक्षित रूप से बाँध दिया जाता है। उसके सिर के लिये टोप की व्यवस्था होती है और चेहरे पर नकाब डाली जाती है। नम, स्पंज-रेखित (sponge lined) और स्फुलित रूप से दो इलेक्ट्रोडों को सिर और एक पैर की पिंडली पर पट्टे द्वारा कसकर बाँध देते हैं। प्रारंभ में २,००० वोल्ट धारा का आघात दिया जाता है और फिर इसे तुरंत घटाकर ३०० वोल्ट कर दिया जाता है। ३० सेकंड के अंतर पर दो मिनट तक धारा को घटाया बढ़ाया जाता है। इस बीच धारा से आठ ऐंपियर तक की धारा प्रवाहित की जाती है।

स्विच खोल दिए जाते हैं और आधिकारिक डाक्टर शरीर की परीक्षा करके उसे कानूनन मृत करार देता है। विद्युन्मृत्यु के दौरान व्यक्ति तत्क्षण निश्चेत हो जाता है, अतः मरने की क्रिया बिना कष्ट के पूरी होती है। धारा के प्रथम सपर्क मे ही परिसंचरण और श्वसन बंद हो जाते हैं। देर तक धारा के अनुप्रयोग जैव क्रियाओं का स्थायी अपविन्यास (derangement) हो जाता है और उनमे पुनरुज्जीवन की कोई सभावना नहीं रह जाती। मृत्यु के कुछ मिनट बाद तक मेरुदंड और पैर पर बँधे थर्मोमीटर के निकट १२०° से १२८° फारेनहाइट तक, या इससे भी अधिक ताप पाया जाता है। [नि० न० गु०]

विधि आयोग (Law Commission, लॉ कमीशन) विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिये राज्य सरकार आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देती है; इन्हें विधि आयोग कहते हैं। भारत में भूतकाल मे चार आयोग कार्य कर चुके हैं, पंचम आयोग ५ अगस्त, १९५५ को बना। इसका भी कार्य प्रायः समाप्त हो चुका है।

प्रथम आयोग १८३३ के चार्टर ऐक्ट के अंतर्गत सन् १८३४ में बना। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था किंतु विधि पारित करने के लिये कोई एकमेव सत्ता न थी, न्यायालयों का अधिकारक्षेत्र अस्पष्ट एवं परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ विधियों का स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए लार्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लमेंट में भारत के लिये एक विधि आयोग की निर्मिति पर बल दिया।

प्रथम आयोग के चार सदस्य थे जिसमे मैकाले अध्यक्ष थे। इस आयोग को वर्तमान न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र एवं नियमावलि, तथा ब्रिटिश भारत मे प्रचलित समस्त विधि के विषय में जाँच करने, रिपोर्ट देने और जाति, धर्मादि को ध्यान में रखकर उचित सुझाव देने का कार्य सौंपा गया।

सर्वप्रथम इस आयोग का ध्यान आपराधिक विधि की ओर आकर्षित हुआ। बंगाल तथा मद्रास में इस्लामिक दंडविधि प्रचलित थी जो अपने आदिमपन एवं अविचारिता के कारण सर्वथा अनुपयुक्त थी। मैकाले के पथप्रदर्शन में प्रथम आयोग ने भारतीय दंडसंहिता का प्रारूप प्रस्तुत किया किंतु कारणवश उसे विधि का रूप न दिया जा सका।

भारत का सिविल लॉ भी अस्तव्यस्त दशा में था। उसपर दी गई रिपोर्ट, जिसे देशीय विधि (लेक्स लोकाई) रिपोर्ट नाम दिया गया, अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई किंतु वह गहन विवाद का विषय बनी रही। उसका केवल एक खंड ही पारित हुआ—जाति नियोग्यता निवारक विधि। मैकाले के अवकाशप्राप्त होते ही यह आयोग भी निष्क्रिय हो गया।

द्वितीय आयोग की नियुक्ति १८५३ ई० के चार्टर के अंतर्गत हुई। इसे प्रथम आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों, एवं न्यायालय तथा न्याय-प्रक्रिया के सुधार हेतु आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का परीक्षण कर रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया। इस आयोग के आठ सदस्य थे।

अपनी प्रथम रिपोर्ट में आयोग ने फोर्ट विलियम स्थित सर्वोच्च न्यायालय एवं सदर दीवानी और निजामत अदालतों के एकीकरण का सुझाव दिया, प्रक्रियात्मक विधि की संहिताएँ तथा योजनाएँ प्रस्तुत की। इसी प्रकार पश्चिमोत्तर प्रांतों और मद्रास तथा बंबई प्रांतों के लिये भी तृतीय और चतुर्थ रिपोर्ट मे योजनाएँ बनाईं। फलस्वरूप १८५९ ई० मे दीवानी व्यवहारसंहिता एवं लिमिटेशन ऐक्ट, १८६० मे भारतीय दंडसंहिता एवं १८६१ मे आपराधिक व्यवहार-संहिता बनीं। १८६१ ई० मे ही भारतीय उच्च न्यायालय विधि पारित हुई जिसमें आयोग के सुझाव साकार हुए। १८६१ मे दीवानी संहिता उच्च न्यायालयों पर लागू कर दी गई। अपनी द्वितीय रिपोर्ट में आयोग ने संहिताकरण पर बल दिया, किंतु साथ ही यह सुझाव भी दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों के वैयक्तिक कानून को स्पर्श करना बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा। यह कार्य फिर एक शताब्दी के बाद ही संपन्न हुआ। इस आयोग की आयु केवल तीन वर्ष रही।

तृतीय आयोग की नियुक्ति का प्रमुख कारण द्वितीय आयोग का अल्पायु होना था। सीमित समय मे द्वितीय आयोग कार्य पूर्ण न कर सका था। तृतीय आयोग १८६१ में निर्मित हुआ। इसके समुख मुख्य समस्या थी मौलिक दीवानी विधि के संग्रह का प्रारूप बनाना। तृतीय आयोग की नियुक्ति भारतीय विधि के संहिताकरण की ओर प्रथम पग था।

आयोग ने सात रिपोर्टें दीं। प्रथम रिपोर्ट ने आगे चलकर भारतीय साक्ष्य विधि १८७२ का रूप लिया। द्वितीय रिपोर्ट में था अनुबंध विधि का प्रारूप, तृतीय में भारतीय परक्राम्य-करण विधि का प्रारूप, चतुर्थ में विशिष्ट अनुतोष विधि का, पंचम में भारतीय साक्ष्य विधि का एवं षष्ठ में संपत्ति हस्तांतरण विधि का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। सप्तम एवं अंतिम रिपोर्ट आपराधिक संहिता के संशोधन के विषय में थी। इन रिपोर्टों के उपरांत भी उन्हें विधि का रूप देने में भारतीय शासन ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। १८९६ में इस विषय की ओर आयोग के सदस्यों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित भी किया। किंतु परिणाम कुछ न निकला। इसी बीच सदस्यों तथा भारत सरकार के मध्य अनुबंध विधि के प्रारूप पर मतभेद ने विकराल रूप ले लिया, फलतः आयोग के सदस्यों ने असंतोष व्यक्त करते हुए त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार तृतीय आयोग समाप्त हो गया।

चतुर्थ आयोग के जन्म का भी मुख्य कारण तृतीय आयोग के समान द्वितीय आयोग की द्वितीय रिपोर्ट थी। भारत सरकार ने अनेक शताब्दियों के विधि प्रारूप का कार्य विटली स्टोक्स को सौंपा था जो १८७९ ई० में पूर्ण किया गया। इसकी पूर्ति पर सरकार ने एक आयोग इन विधेयकों की धाराओं का परीक्षण करने तथा मौलिक विधि के शेष अंगों के लिखित सुझाव देने के लिये नियुक्त किया। यही था चतुर्थ आयोग। इसकी अध्यक्षता की ११ फरवरी, १८७९ और सदस्य थे विटली स्टोक्स, सर चार्ल्स टर्नर एवं रेजिनाल्ड वाल्टर,

इस आयोग ने नौ मास में अपनी रिपोर्ट पूर्ण कर दी। उसने कहा कि भारत में विधिनिर्माण के लिये आवश्यक तत्वों का अभाव है अतएव मूल सिद्धांत आंग्ल विधि से लिए जायें किंतु यह आगमन सीमित हो ताकि वह भारत की विरोधी परिस्थितियों में उपयुक्त एवं उपयोगी हो, संहिताओं के सिद्धांत विस्तृत, सादे एवं सरलतया समझ में आ सकनेवाले हों। विधि सर्वत्र अभिन्न हो, तथा विकृति विषयक विधि का निर्माण हो।

इन सिफारिशों के फलस्वरूप व्यवस्थापिका सभा ने १८८१ ई० में पत्राभ्यंकरण, १८८२ में न्यास, संपत्ति हस्तांतरण और सुखभोग की विधियाँ तथा १८८२ में ही समवाय विधि, दीवानी तथा आपराधिक व्यवहार संहिता का संशोधित संस्करण पारित किया। इन सभी संहिताओं में बैंथम के सिद्धांतों का प्रतिबिंब झलकता है। इन संहिताओं ने भारत की विधि को अस्पष्ट, परस्परविरोधी तथा अनिश्चित अवस्था से बाहर निकालने का श्रेय है। चारों आयोगों के परिश्रम से ही प्रथम आयोग के समुख उपस्थित किया गया कार्य संपन्न हो सका।

५ अगस्त, १९५५ को पंचम आयोग की घोषणा भारतीय संसद में हुई। इसका कार्य पूर्व आयोगों से भिन्नता लिए हुए था। उनका मुख्य कार्य था नवनिर्माण, इसका था संशोधन। इसके अध्यक्ष थे श्री मीतलवाड और उनके अतिरिक्त १० अन्य सदस्य थे।

इसके समक्ष दो मुख्य कार्य रखे गए। एक तो न्याय शासन का सर्वतोमुखी पुनरवलोकन और उसमें सुधार हेतु आवश्यक सुझाव, दूसरा प्रमुख केंद्रीय विधियों का परीक्षण कर उन्हें आधुनिक अवस्था में उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करना। प्रथम समस्या पर अपनी चतुर्दश रिपोर्ट में आयोग ने जाँच के परिणामस्वरूप उत्पन्न विचार व्यक्त किए। इस रिपोर्ट में आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तथा अधीन न्यायालय, न्याय में विलंब, वादनिर्णय, डिग्री निष्पादन, शासन के विरुद्ध वाद, न्यायालय शुल्क, विधिशिक्षा, वकील, विधिसहायता, विधि रिपोर्ट, एवं न्यायालय की भाषा आदि महत्वपूर्ण विषयों पर मत प्रकट किए।

अपने कार्य के दूसरे पक्ष में विधि आयोग ने अनेक प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत किए हैं। यह सभी अत्यंत योग्यपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। जिन विषयों पर अब तक रिपोर्ट आ चुकी है उनमें प्रमुख हैं दुष्कृति में शासन का दायित्व, विकीर्ण संबंधी संसदीय विधि, उच्चन्यायालयों के स्थान में गठित समस्या, ब्रिटिश विधि जो भारत में लागू है, संशोधन विधि १९०८, मानिला विधि १९३२ एवं भारतीय दण्ड विधि, इत्यादि।

सं० ग्रं० — डी० ई० आचार्य : कोडिफिकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ऐंड्रिक : डेवलपमेंट टु इंडियन लॉ, एच० पी० बैनर्जी : इंडियन कोडिफाइड लॉज़, लिंगेट — ला कमीशन (पत्रिका)।

[व० दि० अ०]

विधि और जनमत विधि (सं) [illegible] किया है। [illegible] है जो [illegible] है। विधि [illegible] है, उसकी [illegible] हेतु साधन मात्र है, कोई दैवी अथवा बाह्य तथ्य नहीं। फलतः विधि के लिये नहीं वरन् विधि मनुष्य के लिये है—यद्यपि समाज को नियंत्रित करती है, तथापि यह नियंत्रणबंधन समा[illegible] इच्छा के अनुसार होता है। समाज की सामूहिक इच्छा साम[illegible] नियंत्रीकरण में हर देश काल में किसी न किसी रूप में सदा मान्य शक्ति रही है। जनमत वह संगठित शक्ति है जो समाज के मान्य परंपरागत आदर्शों और अनुभूतियों का प्रतिरूप होती है उस समाज की तात्कालिक भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व [illegible] है। जनमत प्रवैगिक और स्थैतिक दो प्रकार का होता है। प्रवै[illegible] जनमत परंपरागत रूढ़ियों तथा आदर्श और व्यवहार पर आधा[illegible] होता है, स्थैतिक जनमत स्थायी भावना उद्गारों एवं उनके विश[illegible] से संबंधित होता है। इसलिये प्रति दिन निरंतर नया रूप ध[illegible] करता रहता है, धर्म की पुकार, अनन्य साहस का आकर्षण [illegible] प्रेरणात्मक साहित्य का लालित्य देश काल के अनुसार समय [illegible] पर जनमत बनाने में सहायक या साधन रूप रहे हैं। बीसवीं शता[illegible] के यंत्रयुग में पत्रकारिता जनमत को मुखरित करने में मुख्यत भ[illegible] है। यह अकाट्य सत्य है कि सामाजिक संस्थाओं का निर्माण सम[illegible] के विश्वास और अनुभूतियों पर निर्भर रहा है। विधि सामाजि[illegible] सुविधा हेतु नियंत्रणप्रणाली होने के नाते एक सामाजिक संस्था [illegible] इसी कारण विधिसंचालक अथवा विधिकार सदा जनमत से [illegible] प्राप्त करते हैं। विधि के संपर्क में जनमत का अभिप्राय है स[illegible] सजगता एवं सतर्कता जो विधि का औचित्य संतुलित कर [illegible] निश्चित कर सके कि कौन विधिनियम हितकारी है और नि[illegible] करने योग्य है और कौन विधिनियम लोक हितकारी नहीं है इसलि[illegible] निष्कृत कर देने योग्य है। इस जाग्रत अवस्था का जनमत विधि [illegible] आधार होना चाहिए। किंतु ऐसा प्रायः होता नहीं, बहुधा त्रुटिपू[illegible] जनमत विधि का आधार होता है। ऐसे भ्रमात्मक जनमत का कारण कभी अज्ञान और कभी भय दोनों ही होते हैं—जैसे प्राचीन का[illegible] में दासप्रथा की विधि जनमत पर अवश्य निर्भर थी किंतु यह जनम[illegible] त्रुटिपूर्ण, अज्ञान और भय निर्मित आधार था। ऐसे मत को वास्तविक अर्थ में जनमत कहना ही व्यर्थ है। सजग जिज्ञासापूर्ण मत ही वास्तविक जनमत है जो विधि के संबंध में क्रियात्मक हो सकता है। इसका अभाव प्रायः इसलिये होता है कि हर देश या समाज में इतनी तार्किक सक्षमता नहीं होती। अधिकतर मनुष्य चिंतन द्वारा नहीं वरन् रूढ़िगत अभ्यासों और भावनाओं द्वारा कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में बौद्धिक विवेचना के लिये स्थान ही नहीं होता—बहुधा ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं जहाँ विधिनिर्माण अथवा परिवर्तन जनसाधारण के बहुमत के विरोध विरुद्ध हुए हैं। यह विधिनियम एक या दो [illegible] थोड़े से व्यक्तियों की चेष्टा से निर्मित हुए। कहीं यह इसलिये संभव हुआ कि इन चुने व्यक्तियों या एक व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रभावपूर्ण था कि वह प्रभावशाली बना, कहीं संपूर्ण समाज का इतना दुर्बल स्तर था कि वे सफल हो गए। भारत में ब्रिटिश राज्य में भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहारक विधियों का निर्माण होता रहा, इसका कारण देश की सामूहिक दुर्बलता थी। दुर्व्यवहार में कमाल [illegible] अत्यधिक [illegible] कि [illegible] देश की भावनाओं के विरुद्ध था, [illegible] किसी व्यक्तित्व का। इसका

अवश्य है कि अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को देश का जनमत न प्राप्त होते हुए भी काल का या युग का मत प्राप्त होता है। इस युगकालीन बहुमत के आधार पर ही इनकी विधिरचना सफल हो पाती है। अब्राहम लिंकन के साथ दक्षिणी अमरीका के भूस्वामी नहीं थे किंतु युग की वाणी थी, जिसके बल पर दासप्रथा मिटाने की विधि वह बना सके। अनुभव से ज्ञात होता है कि युग की वाणी या शताब्दी का जनमत देश या स्थान के जनमत से अधिक प्रभावशील, शक्तिमान् और क्रियात्मक होता है। यह कदापि संभव नहीं कि देश, काल दोनों के बहुमत के विरोध में कोई विधिनिर्माण सफल हो सके। भारत के इतिहास में अति विद्वान् और अति असफल सम्राट् मोहम्मद तुगलक का दृष्टांत इस बात का द्योतक है। उसके सुधार अति मौलिक थे, किंतु देश और काल दोनों के बहुमत से परे थे इसीलिये वे असफल हुए। प्राय देश में समुचित प्रतिनिधित्ववाले विधानमंडल की अनुपस्थिति भी विधि में जनमत का अभाव उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति विद्रोहात्मक होती है। फ्रांस और अमरीका दोनों देशों में इसी प्रकार उचित प्रतिनिधित्व-युक्त विधानमंडल के अभाव के कारण जनमत के विरुद्ध विधि-निर्माण होता रहा जिसका अंत विद्रोह और विप्लव में हुआ। इन दृष्टांतों से सिद्ध है कि अनेक स्थितियों में, वास्तविक अर्थ में, जनमत विधि का आधार नहीं भी होता।

इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि यथार्थ में किसी भी समाज में सामाजिक जीवन में क्रियाशील भाग लेनेवाले व्यक्ति पूर्ण समुदाय नहीं, थोड़े से लोग ही होते हैं। विधिनिर्माण में इन्हीं का मत प्रभावात्मक होता है। वैसे इस सक्रिय समूह को अगणित अक्रिय सामाजिक इकाइयों का सदा भय बना रहता है कि कहीं इनकी कोई चेष्टा उस बृहत् जनसमाज की मान्यताओं के इतने विरुद्ध न हो कि वह विद्रोह कर उठे। अतएव साधारणतया जिस जनमत के आधार पर विधिरचना होती है वह सामाजिक शासकों के बौद्धिक चिंतन और जनसाधारण के मनोभावों का एक अद्भुत मिश्रण या समझौता सा होता है। इस समझौते का रूप निश्चय ही दोनों वर्गों की निजी शक्ति पर निर्भर करता है। ब्रिटेन की जनसाधारण चेतना इतनी सजग थी कि नई तिथिपत्री तक का विरोध हुआ और भारत में ब्रिटिश राज्य में भारतीयों के विरुद्ध बनी किसी विधि का अथवा स्वराज्य में भारतीय परंपरा के नितांत विरुद्ध बनी विवाह, संयुक्त परिवार और दत्तक अधिकार संबंधी विधि का भी विरोध नहीं हुआ। इसका कारण केवल भारतीय जनसाधारण की अक्रियात्मक सुप्त मनोदशा है। यहाँ पुन. इन विधियों के मूल में देश का नहीं युग के जनमत का बल स्पष्ट है।

प्रश्न का दूसरा रूप यह भी है कि अनेक कारण और प्रेरणाएँ एक ओर अपना महत्व रखती हैं और मनुष्य की निजी स्वार्थ प्रेरणा दूसरी ओर अपना प्रभाव और महत्व रखती है। व्यक्ति ही विधिकार होते हैं और विधिरचना के समय उनका स्वभाव मनुष्य का ही होता है, वीतरागी का नहीं। इतिहास इसका साक्षी है कि आदिकाल से विधिनियमों में व्यक्तिविशेष या समूहविशेष का हित और स्वार्थ सदा अंकित रहता है। विधिकार अपने निजी समूह विशेष का हित लक्ष्य रूप बना लेता है। मध्यकालीन शताब्दी युग भूस्वामियों का था, उस काल की विधिरचना में भूस्वामियों के हित पूर्णतया सुरक्षित हैं। उपनिवेशों और परतंत्र भागों की विधि में श्वेत वर्ण के स्वार्थरक्षक नियम हैं। यह समूह कभी सामाजिक और कभी राजनीतिक वर्ग के होते हैं जिनके वश में विधिरचना होती है किंतु इन समुदायों का निजी स्वार्थ का दृष्टिकोण भी तत्कालीन वातावरण, एवं युग की वाणी के अनुरूप ही होना स्वाभाविक है। अतएव अंत में विधि का रूप सदा किसी न किसी प्रकार युग, काल अथवा देश के वातावरण और मतानुकूल ही निर्धारित होता है तथा यह स्पष्टतया सिद्ध है कि विधि का आधार जनमत ही है।

[रा० कु० अ०]

विधिक वृत्ति (Legal Profession) विधि का स्वरूप और निर्माण स्वभावतया विधिकारों से संबद्ध और संतुलित होता है। विधि का रूप तभी परिष्कृत एवं परिमार्जित हो पाता है जब उस देश की विधिक वृत्ति पुष्ट और परिष्कृत होती है। प्राचीन आदियुग में समाज की संपूर्ण क्रियाशक्ति मुखिया के हाथ में होती थी। तब विधि का स्वरूप बहुत आदिम था। ज्यों ही न्यायप्रशासन व्यक्ति के हाथ से समुदायों के हाथ में आया कि विधि का रूप निखरने लगा, क्योंकि अब नियम व्यक्तिविशेष की निरंकुश मनोवांछाएँ नहीं, सार्वजनिक सिद्धांत के रूप में होते। विधि के उत्कर्ष में सदा किसी समुदाय की सहायता रही है। मध्य एशिया में सर्वप्रथम न्यायाधीशों, धर्मप्रधान देशों में धर्मपंडितों, मिस्र और मेसोपोटामिया में न्यायाधीशों, ग्रीस में अधिवक्ताओं और पर्चों, रोम में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं न्यायविशेषज्ञों, मध्यकालीन ब्रिटेन और फ्रांस में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं एटर्नी तथा भारत में विधिपंडितों ने सर्वप्रथम विधि को समुचित रूप दिया। प्रत्येक देश का क्रम यही रहा है कि विधिनिर्माण क्रमश. धर्माधिकारियों के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर विधिकारों के क्षेत्र में आता गया। विधिविशेषज्ञों के शुद्ध बौद्धिक चिंतन के समुख धर्माधिकारियों का अनुशासन क्षीण होता गया। आरंभ में व्यक्ति न्यायालय में स्वयं पक्षनिवेदन करते थे, किसी विशेषज्ञ द्वारा पक्षनिवेदन की प्रथा नहीं थी। विधि का रूप ज्यों ज्यों परिष्कृत हुआ उसमें जटिलता और प्राविधिकता आती गई, अत व्यक्ति के लिये आवश्यक हो गया कि विधि के गूढ़ तत्वों को वह किसी विशेषज्ञ द्वारा समझे तथा न्यायालय में विधिवत् निवेदन करवाए। कभी व्यक्ति की निजी कठिनाइयों के कारण भी यह आवश्यक होता कि वह अपनी अनुपस्थिति में किसी को प्रतिनिधि रूप में न्यायालय में भेज दे। इस प्रकार वैयक्तिक सुविधा और विधि के प्राविधिक स्वरूप ने अधिवक्ताओं (ऐडवोकेट्स) को जन्म दिया। पाश्चात्य एवं पूर्वी दोनों देशों में विधिज्ञाताओं ने सदा से समाज में, विद्वान् होने के कारण, बड़ा सम्मान प्राप्त किया। इनकी ख्याति और प्रतिष्ठा से आकृष्ट होकर समाज के अनेक युवक विधिज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे। क्रमश. विधिविशेषज्ञों के शिष्यों की संख्या में वृद्धि होती गई और विधिसंमति प्रदान करने के अतिरिक्त इनका कार्य विधिदीक्षा भी हो गया। फलस्वरूप इन्हीं के नियंत्रण में विधि-शिक्षा-केंद्र स्थापित हुए। विधि संमति देने अथवा न्यायालय में अन्य का प्रतिनिधि बन पक्षनिवेदन करने का यह पारिश्रमिक भी लेते थे। क्रमश. यह एक उपयोगी व्यवसाय बन गया। आरंभ में

पर्यवेक्षकों तथा न्यायालय इस विधिक व्यवसाय को नियंत्रित करते थे किंतु कुछ समय पश्चात् व्यवसाय तनिक पुष्ट हुआ तो इनके अपने संघ बन गए। जिनके नियंत्रण से विधिक वृत्ति शुद्ध रूप से प्रगतिशील हुई। विधिक वृत्ति में सदा दो प्रकार के विशेषज्ञ रहे—एक वह जो अन्य व्यक्ति की ओर से न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर पक्षनिवेदन करते, दूसरे वह जो न्यायालय में जाकर अधिवक्तृत्व नहीं करते किंतु अन्य सब प्रकार से दावे का विधि-सामर्थ्य लेते। यही भेद आज के सॉलिसिटर तथा बैरिस्टर में है। विधिक वृत्ति की प्रगति की यह रूपरेखा प्रायः सब देशों में रही है।

रोमन विधिक वृत्ति

वैयक्तिक सुविधा और विधि की जटिलता को लक्ष्य कर रोम में विधिविशेषज्ञों के विधिसंगति देने की प्रथा स्थापित हुई। विधिज्ञाता अपने उच्चतर ज्ञान द्वारा जनसाधारण की सहायता करते। चतुर विधिज्ञाता वादी या प्रतिवादी एक पक्ष को विधि के अनुकूल वक्तव्य राय देते, वह उन्हीं शब्दों में न्यायालय में अपना पक्ष निवेदन करता। इस सहायता के लिये यह परिश्रमिक भी लेते। रोमन युवक इस व्यवसाय को और आकृष्ट हुए और विधि का अध्ययन करने लगे। ३०० ई० पू० के पार्श्वकाल में विधिविशेषज्ञ वादी या प्रतिवादी को वक्तव्य लिखकर देने के स्थान पर उनके प्रतिनिधि बन न्यायालय में उनका पक्ष निवेदित करने लगे। तिसरी इसी प्रकार के एक प्रमुख अधिवक्ता थे। प्रमुख अधिवक्ताओं के संसर्ग में रहनेवाले युवक विधिज्ञता ग्रहण करते। इन वैयक्तिक शिक्षा केंद्रों में यह विशेषज्ञ सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा देते अतएव यह अधिवक्ताओं के स्रष्टा भी थे। इन वैयक्तिक शिक्षाकेंद्रों के अतिरिक्त यूरोप और मध्य यूरोप में अन्य विधि-शिक्षा केंद्र स्थापित हुए। एथेंस, एलगनाड्रिया, कुस्तुनतुनिया तथा बेरूत में ५ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ऐसे केंद्रों का वर्णन मिलता है। शिक्षाकेंद्रों के प्रादुर्भाव के साथ ही यह नियम भी बना कि अधिवक्ता पद ग्रहण करने के लिये इन केंद्रों में निश्चित काल की उपस्थिति एवं प्रमाणपत्र अनिवार्य है। यह अवधि कहीं चार तथा कहीं पाँच वर्ष तक निर्धारित थी। आटोमन साम्राज्य काल की समृद्धि में इटली, वेनिया, मिलान इत्यादि में विधिक वृत्ति की शिक्षा होती रही। बारहवीं शताब्दी में रेनासाँ के साथ रोम की विधिशिक्षा की पुनर्जाग्रति हुई तथा समस्त यूरोप में विधिक वृत्ति के शिक्षालय निर्मित हुए।

फ्रांस में

फ्रांस में भी अधिवक्ता और विधि सहायक दो प्रकार के विधि-वृत्तिकार थे। तेरहवीं शताब्दी से अधिवक्ताओं ने प्रतिनिधि रूप में पक्षनिवेदन आरंभ कर दिया था। चौदहवीं शताब्दी में अधिवक्ता इतने लोकप्रिय हो गए कि इनको पक्षनिवेदन की विशेषतः स्वीकृति मिल गई और इनके नियंत्रणार्थ राज्य द्वारा एक विधि नियम बना। इसके अनुसार इन्हें सहस्रवर्ष की शपथ ग्रहण करनी पड़ती तथा राज्य को शुल्क कर देना पड़ता। इन्हें उचित पारिश्रमिक लेने की अनुमति प्राप्त थी। साधारणतया अब सब न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा ही पक्षनिवेदन किया जाता। अधिवक्ता सब भी थे जो कालांतर में इतने अधिकसंपन्न हुए कि अधिवक्ता वृत्ति व्यवहार संचालन और नियंत्रण करने लगे। केवल इनके सदस्यों ही पक्षनिवेदन करने का एकाधिकार प्राप्त था।

इंग्लैंड में

इंग्लैंड में तेरहवीं शताब्दी में शुद्ध विधिक वृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इससे पूर्व विधिक वृत्ति धार्मिक संस्थाओं से संबंधित थी अधिवक्ता और विधि सहायक का भेद यहाँ भी विद्यमान था आरंभ में न्यायालय की विशेष अनुमति प्राप्त कर ही अधिवक्ता पक्षनिवेदन किया जाता; क्रमशः यह साधारण व्यवहार बन गया एडवर्ड प्रथम के काल से अधिवक्ता के विरुद्ध पद के प्रति अवज्ञा तथा घृणा का दावा चल सकता था। कानन ता अधिवक्ता तथा धार्मिक संस्थाओं के अधिवक्ताओं में भेद किया गया तथा कानन ता न्यायालयों में विशेष प्रश्नों के अतिरिक्त वक्तृत्व अधिकार नहीं रहा। ईवर तुक के अनुसार तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में ही देश में अधिवक्ता समुदाय संगठित रूप धारण कर चुका तथा इंग्लैंड की विधिप्रणाली की मुख्य शक्ति था। इसी समय इन दो भेद हुए, सार्जेंट तथा बैरिस्टर। जो राज्य की ओर से वकील पक्षनिवेदन करते वे सार्जेंट (राज्यसेवक) कहलाए, दूसरे बैरिस्टर माने गए। सार्जेंट को बैरिस्टर से अधिक सुविधाधिकार प्राप्त थे ईवर तुक संभवतः इन्हीं की संपादित है। अधिवक्ता और पक्षों के बीच एक समझौता होता, जिसका प्रवर्तन न्यायालय में विधिक अवावधानी या किसी अन्य दोष के लिये हो सकता था। अधिवक्ता संघ 'इन' कहलाते। मुख्य के नाम थे, लिंकन इन, ग्रेज इन, टेंपल इनर टेंपल, दि मिडिल टेंपल। इन सभी में इंग्लैंड की विधि की शिक्षा दी जाती जो विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती थी। अतएव ये विधि व्यवसाय के शिक्षालय भी थे। इनमें सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती। चौदहवीं शताब्दी तक ये सब पुष्ट हो चुके थे। शिष्यों को अधिवक्तृत्व का प्रमाणपत्र देने का इन्हें एकाधिकार प्राप्त था। इन्हीं की आज्ञा से अन्यों पक्षनिवेदन के अधिकार से वंचित हुए। यह भेद आज के सॉलिसिटर तथा अधिवक्ता में विद्यमान है, प्रथम सॉलिसिटर तथा दूसरा बैरिस्टर के नाम से प्रचलित है। इंग्लैंड की विधिक वृत्ति का एक विशेष रूप यह है कि जहाँ अन्य यूरोपीय देशों में विधिशिक्षा, शिक्षालयों द्वारा नियंत्रित हुई, वहाँ विधि वृत्ति संघों ने विधिशिक्षा का दायित्व ग्रहण कर इसे नियंत्रित किया। अतएव इंग्लैंड में विधि धार्मिक अंकुश से स्वाधीन हो शुद्ध रूप से प्रगतिशील हो पाई।

भारत की स्थिति

भारतीय आर्य परंपरा के अनुसार आदिकाल से विधिपूर्ण न्याय की घोषणा की जाती थी। न्यायाधीश के रूप में राजा सर्वत्र विधि-बाध्य होता। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित, शिक्षाचार्य, एवं धर्मसूत्रकाल में विधिवित्तों एवं उच्चतर समाजों की सहायता से न्यायशासन होता। गौतमसूत्र में इस प्रकार का विधिज्ञाता प्राड्विवाक के नाम से वर्णित है जिसके संभवतः क्रमशः न्यायाधीश का रूप लिया। बृहस्पति का कथन है कि न्यायालय में समस्त त्रुटिपूर्ण याचिका अस्वीकृत हो जाती। इससे स्पष्ट है कि

विधि का रूप बहुत कुछ प्राविधिक हो चुका था तथा न्याय कार्य में विधिविशेषज्ञों की सहायता आवश्यक थी। किंतु यह विधि-सहायक राज्य द्वारा नियुक्त होते तथा समाज में यह एक प्रमुख व्यवसाय था किंतु आधुनिक अधिवक्ता का परिचय इस काल में नहीं मिलता। विधिक प्रतिनिधि द्वारा पक्षनिवेदन की प्रथा नहीं थी। न्यायालयों में राजकीय विधिपंडित, तथा समाज में विधिज्ञाता होते, जिनसे विधिक सहायता लेने की प्रथा अवश्य थी। बहुधा यह पारिश्रमिक भी लेते।

यवनों (विदेशियों) के आगमन के पश्चात् न्यायप्रशासन यवन या मुसलिम प्रथा के अनुसार होने लगा। यवन प्रथा के अनुसार भी स्पेन, तुर्किस्तान, ईरान में इस्लाम राज्य के आरंभ में अधिवक्ता की प्रथा नहीं मिलती। काजी, मुफ्ती, मुज्तहिद विधिज्ञाता होते, जिनकी सहायता से कुरान एवं इज्मा के अनुकूल न्याय किया जाता। सुबुक्तगीन, महमूद गजनी तथा मोहम्मद गोरी ने यही प्रथा भारत में प्रचलित की। इब्नबतूता के कथनानुसार तुगलक काल में वकील का वर्णन मिलता है। अकबर के राज्यकाल में वकील प्रथा थी या नहीं, इसपर मतभेद है। इनका वर्णन वैसे फिक्हए फीरोजशाही तथा फतवा ए आलमगीरी में है। औरंगजेब के राज्यकाल में वकील प्रथा थी, यह प्रमाणित है। नियम था कि दोनों पक्षों की तथा उनके वकीलों की अनुपस्थिति में दावा अस्वीकृत हो जाता। इतिहासकार बादौनी, राय अरजानी नामक एक हिंदू वकील का वर्णन करता है। सर टामस रो ने भी इस काल में वकील प्रथा होने की बात की पुष्टि की है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कई दावों में वकीलों द्वारा पक्षनिवेदन का वर्णन प्राप्त होता है। भारत के अंतिम स्वतंत्र शासक बहादुरशाह के समय में ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति को चतुर अधिवक्ता होने के लिये वकालत खाँ की पदवी दी गई थी। औरंगजेब के काल से ही वकील (अधिवक्ता) राजकीय तथा साधारण दोनों प्रकार के होते थे। राजकीय अधिवक्ता वकील-ए-सरकार तथा साधारण अधिवक्ता वकील-ए-जहूरा कहलाते थे। वकील-ए-सरकार को एक रुपया प्रति दिन वेतन मिलता था। यह आवश्यक था कि सब अधिवक्ता वकालतनामा लेकर ही पक्षनिवेदन करें।

तत्पश्चात् ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में विशेष प्रदेशों में अधिवक्ता संबंधी रेग्यूलेशन धाराएँ बनीं। सर्वप्रथम १७९३ ई० में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लार्ड कार्नवालिस के उद्योग से विधिक वृत्ति व्यवस्थित हुई। इस धारा के अनुकूल इनकी शपथप्रणाली, निश्चित पारिश्रमिक, वकालतनामे द्वारा ही पक्षनिवेदन का अधिकार एवं सदर दीवानी अदालत द्वारा अधिवक्तृत्व की सनदप्राप्ति, सब बातें निश्चित हुईं तथा वकील एवं मुख्तार दोनों को अधिवक्तृत्व का अधिकार प्राप्त हुआ। १८०३ ई० में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में विधिक वृत्ति का नियम बना। १८०२ में मद्रास तथा १८०२ और १८२७ में बंबई प्रांत में इसी प्रकार के रेग्यूलेशन नियम बने। सब प्रदेशों के लिये सार्वजनिक रूप से विधिक वृत्ति का नियंत्रण सर्वप्रथम १८४६ ई० में विधिनियम द्वारा हुआ। इसके अनुसार पूर्व नियम के विरुद्ध केवल हिंदू, मुसलमान ही नहीं किसी धर्म का अनुयायी भी अधिवक्ता हो सकता था एवं बैरिस्टरों को सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त सदर अदालतों में भी पक्षनिवेदन की अनुमति प्राप्त हुई। किंतु यह केवल कंपनी के न्यायालयों से संबंधित था। १८६५ ई० में विधिनियम द्वारा प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू प्रतिनिधि विधिवत् रूप से अधिवक्तृत्व के अधिकारी हुए। १८७९ में इसका संशोधन हुआ तथा हाइकोर्ट को अधिवक्ताओं को सनद देने तथा उससे वंचित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। १९२३ ई० में स्त्रियों को अधिवक्ता होने का अधिकार स्पष्ट हुआ। अंत में देश के समस्त एवं विभिन्न श्रेणियों के अधिवक्ताओं में समानता लाने के हेतु १९२६ में इंडियन बार काउंसिल ऐक्ट पास हुआ। वर्तमान काल में बैरिस्टर सोलिसिटर (एटर्नी), वकील, प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट अधिवक्तृत्व के अधिकारी हैं। इनका नियंत्रण इनके अधिवक्ता संघ, बार काउंसिल, तथा देश के विशेष नियमों एवं अधिनियमों द्वारा होता है। अन्य देशों की भाँति यहाँ भी निजी सुविधा एवं विधि प्राविधिकता के कारण अधिवक्ता का जन्म हुआ। किंतु यहाँ तीन प्रेसीडेंसी टाउन के अतिरिक्त सालिसिटर की प्रथा कहीं नहीं मिलती।

विधिक वृत्ति आरंभ में न्यायालय में विधि के गूढ़ार्थ को स्पष्ट करने के सहायतार्थ थी। आज भी इसका मुख्य कार्य यही है। इसके अतिरिक्त आज अधिवक्ता केवल विधिविशेषज्ञ नहीं, समाज के निर्देशक भी हैं। आधुनिक समाज का स्वरूप एवं प्रगति मुख्यतः विधि द्वारा नियंत्रित होती है, और विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधि केवल सैद्धांतिक मूल नियम होती है, उसके शब्दजाल को व्यवस्थित कर जो स्वरूप चाहें अधिवक्ता उसे प्रदान करते हैं। अतएव विधि का व्यावहारिक रूप अधिवक्ताओं के हाथों ही निर्मित होता है, जिसके सहारे समाज प्रगति करता है—विधिक वृत्ति आधुनिक समाज का मुख्य आधार स्तंभ है।

स० ग्र०—इंसाइक्लोपीडिया ऑव सोशल साइनेज, आर० बी० पाल: इवोल्यूशन ऑव एंशेंट इंडियन ला; बशीर अहमद. ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑव जस्टिस इन मेडीवल इंडिया; एम० उल्ला: ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑव जस्टिस ऑव मुस्लिम इंडिया, के० सी० चक्रवर्ती. दी लीगल प्रैक्टीशनर्स ऐक्ट, सर तेजबहादुर सप्रू (संपादक): इंसाइक्लोपीडिया ऑव दी जेनरल ऐक्ट्स ऐंड कोड्स ऑव इंडिया। [रा० कु० अ०]

विधिक व्यक्तित्व (Legal Personality) विधि या कानून एकको को मुकदमा चलाने या जिनपर मुकदमा चलवाने की सुविधा देता है, उन्हें विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। विविध संस्थाओं को बहुत समय पूर्व से ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त था। विधिक व्यक्तित्व की प्रथा का उदय प्राचीन रोम में हुआ। वैसे ग्रीस (५९४ ई० पू०), फिनीशिया (९०० ई० पू०) तथा बेबीलोनिया (२२०० ई० पू०) में भी यह प्रचलित थी।

विधिक व्यक्तित्व सब व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सब मुकदमा चलाने या चलवाने के योग्य नहीं होते। प्राचीन काल में विदेशियों को ऐसे कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे और दासों को तो चल संपत्ति ही माना जाता था। शिशुओं और पागलों का तो अब भी सीमित व्यक्तित्व होता है। न्यूयॉर्क के विधानुसार जन्म कैदवाला कैदी एक प्रकार से मृत ही माना जाता है। दूसरी ओर

कुछ समाजों में गर्भस्थ शिशु को भी विधिक व्यक्तित्व मिल जाता है। कुछ में मानवसमूह को या धर्म को या मूर्ति जैसे निर्जीव पदार्थ को भी यह व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है। मध्य युग तक तो पक्षी और पशु भी यूरोप में अपराधी के रूप में विधि द्वारा दंडित किए जाते थे।

इंग्लैंड में १३वीं और १४वीं शताब्दी से ही काउंटी, बरो, हुंड्रेड, मेनोर, मर्चेंट गिल्ड, ट्रेडिंग गिल्ड, डीन इत्यादि विधिक व्यक्तित्व रूप में विकसित होने लगे। प्रसिद्ध लेखक बेंटन के समय सामूहिक व्यक्तित्व (कोरपोरेट पर्सनेलिटी) का विचार पूर्णतः स्पष्ट नहीं था, किंतु कुक के समय तक यह निश्चित हो गया था कि एक संस्थान सामान्य विधि (कॉमन लॉ) या संसदीय संविधि, शाही घोषणापत्र अथवा अधिकार भोग (प्रेस्क्रिप्शन) द्वारा स्थापित किया जा सकता है

इंग्लिश विधि ने संस्थानों को संघात (एग्रीगेट) संस्थान तथा एकक (सोल) संस्थान में वर्गीकृत किया है। संघात संस्थान सहजीवी व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था है और एकक संस्थान, उत्तराधिकारी व्यक्तियों का संयोजित क्रम है। पहले प्रकार के संस्थान का एक उदाहरण जाइंट स्टाक कंपनी है और दूसरे प्रकार का पार्सन। एकक संस्थान की अपेक्षा संघात संस्थान को अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एकक संस्थान का संबोध (यूरोप के) महाद्वीपीय विधि में स्थान न पा सका यद्यपि उसके द्वारा अन्य दो प्रकार के संस्थानों को मान्यता दी गई जो एंग्लो सेक्सन विधि द्वारा मान्य नहीं है।

भारत के व्यापारिक संस्थानों के, जिनमें सहकारी समितियों को छोड़कर बैंकिंग, बीमा और वित्तीय संस्थान संमिलित हैं, संयोजन (इन्कारपोरेशन), नियामन (रेगुलेशन) और समापन (विंडिंग अप) की शक्तियाँ संसद् में निहित हैं। इसी प्रकार अन्य संस्थानों की स्थापना भी जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हो, संसद् द्वारा ही होती है। उपर्युक्त संस्थानों के अतिरिक्त अन्य संस्थान राज्यों द्वारा भी स्थापित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेशों द्वारा भी संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं।

विधिक व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिये कई दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। सेविनी और सामंड ने कल्पना (फिक्शन) सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनका कहना था कि मानव के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में व्यक्तित्व की उपस्थिति कल्पना मात्र है। समूह में अस्तित्व की वास्तविकता होती है किंतु दार्शनिक दृष्टि से उसमें वास्तविक व्यक्तित्व नहीं होता। इस प्रकार केवल कल्पना स्वरूप ही राज्य, संस्थान, संस्थाएँ, प्रतिमाएँ इत्यादि अधिकारभोक्ता बने।

रिमायत (कंसेशन) सिद्धांत कल्पना सिद्धांत का ही एक भिन्न रूप है और कल्पना सिद्धांत के कई प्रतिपादकों ने भी इसका समर्थन किया है। इसकी यह मान्यता है कि विधिक व्यक्तित्व का उदय विधि के माध्यम से ही होता है। इसलिये संस्थान को विधिक व्यक्तित्व राज्य की विधि द्वारा ही प्राप्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं।

कोष्टक (बैंकेट) सिद्धांत के अनुसार संस्थान के सदस्य अधि और कर्तव्य के भोक्ता हैं, किंतु सुविधा के लिये संस्थान के सद ये अधिकार कर्तव्य समझे जाते हैं। इस प्रकार सभी सदस्यों अधिकार कर्तव्यों के संस्थान 'कोष्टक' में रख दिया जाता है। वस्तुस्थिति के ठीक बोध के लिये यह आवश्यक है कि इस को को हटाया जाय। हिस्सेदारों और कर्मचारियों के सारूप्य को अस्वी कर यह सिद्धांत व्यापारियों को समूह का पर्दा हटाकर वास्त हितों को देखने की शक्ति प्रदान करता है। स्टेर के ऑर्गन के सि के अनुसार भी केवल मानव ही व्यक्तित्व रखते हैं। इस सि का समर्थन बेकर और ब्रिज ने भी किया। यह सिद्धांत प्रकार से रियायत और कल्पना सिद्धांतों की स्थिति को ही प्र पादित करता है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि व्यक्ति किसी समूह के सदस्यों को नहीं दिया जाता वरन् यह किसी उद्ध और कार्य को प्राप्त होता है।

यथार्थवादी अथवा आर्गेनिक (ऑर्गेनिक) सिद्धांत अन्य सिद्धांतों से विचारोत्तेजक है। इसे गियर्के ने प्रवर्तित किया मेटलैंड इसका समर्थक था। यह सिद्धांत इस बात पर जोर दे है कि सामूहिक व्यक्तित्व भी उतना ही वास्तविक है जित सामान्य प्राणियों का। सामूहिक व्यक्तित्व न तो कल्पना है औ न ही यह राज्यप्रदत्त रियायत। यह इस बात को भी अस्वी कार करता है कि संस्थान के सदस्य अधिकारकर्तव्यों के वाह हैं। संस्थान स्वयं में वास्तविक व्यक्ति है। इसकी उत्पत्ति वै क्तिक अनुबंधों के आधिक्य से नहीं होती वरन् यह विधिक व्यक्ति की रचना के निमित्त किए गए सामूहिक एकवाही प्रयास होती है। यह सामूहिक प्रयास वैयक्तिक इच्छाशक्तियों को संघात स्वरूप प्रदान करता है जिससे सामूहिक व्यक्तित्व का उद्भ होता है। इसमें कार्य करने की योग्यता एवं निजी इच्छाशक्ति होती है। इस सारी प्रक्रिया का विश्लेषण करते समय, लगता है गियर्के रूसो के वैयक्तिक इच्छाशक्ति और सामान्य इच्छाशक्ति के संबंध से प्रभावित हुआ है। गियर्के शरीर से समूह की उपमा देते हुए यह स्वीकार करता है कि समूह की वास्तविक मस्तिष्क, वास्तविक इच्छाशक्ति और राज्य की वास्तविक शक्ति रखता है।

लियो कादियम केल्सन ने विशुद्ध विधि विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर सामूहिक व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। केल्सन स्वाभाविक और विधिक व्यक्तित्वों में कोई अंतर नहीं मानता। उसके अनुसार विधिक दृष्टि से व्यक्तित्व समन्वयकर्ता का मानवीकरण है। यह कतिपय अधिकार कर्तव्य समूहों को एकता प्रदान करनेवाला केंद्र बिंदु है।

इन सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि ये विधिक व्यक्तित्व की केवल दार्शनिक व्याख्या अथवा सामूहिक व्यक्तित्व का राजनीतिक विवेचन मात्र हैं। यही कारण है कि ये सिद्धांत एक व्यक्ति कंपनी संस्थान के अनुचरित, प्रमुख और सहायक कंपनियों के मध्य के आदान प्रदान की सम्यक् व्याख्या करने में असमर्थ हैं।

राजनीतिक दृष्टि से कल्पना सिद्धांत अबोध और व्यक्तिवादी है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही वास्तविक व्यक्तित्व मानता

है। प्रोफेसर वॉल्फ की यह मान्यता है कि यह सिद्धांत स्वतंत्र समिति के सिद्धांत के विपरीत है। रियायत सिद्धांत राज्य को समितियों को व्यक्तित्व प्रदान करने या छीन लेने की पूर्ण शक्ति देता है। यदि इस सिद्धांत का यह अर्थ लिया गया कि समस्त सामूहिक जीवन राज्यप्रदत्त रियायत का परिणाम है तो यह वस्तुस्थिति से भिन्न बात होगी। समूह सदैव रहते आए हैं। भारत में संयुक्त परिवार, रोम की परिवार पद्धति, धार्मिक और आर्थिक संगठन इत्यादि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं। यथार्थवादी सिद्धांत समूह के अस्तित्व की यथार्थता पर जोर देकर समूह की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों के नीतियुक्त स्वीकरण की माँग करता है। संस्थानों को वास्तविक व्यक्ति मानना विधि के लिये उपयुक्त है किंतु यह कहना गलत होगा कि किसी समूह के बनते ही उसे व्यक्तित्व मिल जाता है, क्योंकि विधि किसी भी समूह की विकासशील स्थितियों को नहीं आँक सकता। उसका इस बात पर ओर देना उचित है कि समूह अपना व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिये कतिपय औपचारिकताओं को पूरा करे। गियर्के के विचार हीगल से बहुत मिलते हैं। वह यह कहता है कि राज्य सर्वोच्च संस्थान है जिसकी वास्तविक इच्छाशक्ति और मस्तिष्क है और इसलिये उसे अन्य समूहों और संस्थानों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यथार्थवादी सिद्धांत उन समितियों के विधिक व्यक्तित्व को भी स्वीकार करता है जिन्हें विधिक मान्यता भी न मिली हो, यथा रोमन डच विधि जिसने कंपनीज ऐक्ट के लागू होने के पूर्व ही बिल्डिंग सोसायटी को मान्यता दे दी। लेकिन यह कहना कि विधिक व्यक्तित्व वास्तविक है, समाजशास्त्रीय तथ्य नहीं है। फ्रीडमैन ने उचित ही कहा है कि मानव व्यक्तित्व व्यक्तिवादिता और आत्मचेतना की अनुभूति होती है और उसमें एक अनुभव होता है किंतु सामूहिक चेतना और समूह के अनुभव केंद्र की खोज के सभी प्रयास असफल हुए हैं।

प्रोफेसर पेटन का कहना है कि बुद्धिमत्ता से प्रयुक्त न करने पर कोई भी एक सिद्धांत गलत परिणामों की ओर ले जा सकता है। इसलिये इन सिद्धांतों को प्रयुक्त करते समय यह ध्यान में रखा जाय कि ये उसी उद्देश्य के लिये प्रयुक्त हों जिसके लिये इन्हें प्रतिपादित किया गया। दूसरे अर्थों में किसी राजनीतिक दर्शन को समर्थित करने के लिये इन्हें प्रयुक्त न किया जाए।

व्यवहार में न्यायालयों ने किसी भी सिद्धांत का अनुकरण नहीं किया यद्यपि प्रारंभ में संस्थान कदाचित् कल्पना सिद्धांत के कारण अपराध से बचते रहे। अब उस क्षेत्र के लिये भी वे उत्तरदायी हैं। कर्मचारियों के अपराधों (टोर्ट) के लिये भी इन्हें उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस विचार का कि संस्थान उन्हीं व्यक्तियों के कार्यों के लिये उत्तरदायी है जो उनके लिये कार्य करते हैं और सोचते [illegible] अभी निश्चित निर्णय नहीं हो पाया है। यह अनिश्चित स्थिति [illegible] उसके [illegible]धारों के समक्ष समझने की न्यायालयों की [illegible] न्यायालय ने हिस्सेदारों को कंपनी [illegible] मानने में अस्वीकार कर [illegible] मूलभूत अधिकारों की अव-

सं० ग्रं० — फ्रीडमान : लीगल थ्योरी, पेटन : ज्यूरिसप्रूडेंस।

[रा० कृ०]

विधिकार (ला गिवर्स) अमरीका के प्रसिद्ध विधिशास्त्री डीन रस्को पाउंड ने अपनी पुस्तक 'फिलासफी ऑव ला' की भूमिका में विधि की व्याख्या करते हुए कहा है कि विधि के संबंध में कम से कम १२ विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ की जाती हैं। (१) कुछ लोग विधि को ईश्वरप्रदत्त मानते हैं। इस श्रेणी में हजरत मूसा, दस निदेश, हम्मुराबी और मनुसंहिताओं को रखा जा सकता है। (२) कुछ अन्य लोग विधि को परंपराजन्य मानते हैं और उन परंपराओं की रक्षा का भार अभिजात्य वर्ग अथवा पुरोहित वर्ग पर रहता है। (३) कुछ लोग विधि को विवेकजन्य मानते हैं। ई० पू० चौथी शताब्दी में एथेंस में डेमोस्थनीज (Demosthenes) ने विधि की इसी प्रकार व्याख्या की थी। (४) विधि प्राकृतिक नियमों के आधार पर विकसित होती है जिसका विकास परंपरा, विवेक और दार्शनिक सिद्धांतों के योग से होता है। (५) विधि नीति अनीति संबंधी शाश्वत नियमों का रूप है। (६) विधि संगठित समाज के राजनीतिक अधिकारों और नियमों का वह रूप है जिसे समाज में लोग परस्पर एक दूसरे के लिये स्वीकार करते हैं। (७) विधि ईश्वरीय न्याय है जिसका आभास ब्रह्माण्ड के प्राकृतिक नियमों से मिलता है और यह ईश्वरीय तर्क और विवेक का रूप है। (८) विधि सर्वसत्तासंपन्न सत्ता का आदेश है। रोम, आंग्ल, फ्रांसीसी नरेशों और अमरीकी क्रांति के बाद संसदीय सत्ता के रूप में भी इस सिद्धांत को लागू किया गया। (९) विधि वे नियम हैं जिन्हें मानव जाति अपने विकास में सीखती है और जिनके पालन से वह पहले से अधिक स्वतंत्रता पाने का प्रयास करती है। (१०) विधि प्राकृतिक दार्शनिक सिद्धांतों और तर्कप्रणाली के आधार पर विकसित ऐसे नियम हैं जिनमें व्यक्ति और समष्टि के हितों में संतुलन लाने का प्रयास किया जाता है। (११) विधि ऐसे नियम हैं जिनको समाज का शक्तिशाली वर्ग अन्य लोगों को अपने अधीन बनाए रखने के लिये लागू करता है। इस प्रकार विधि वर्गहितों की रक्षा और स्थापना के लिये ही लागू की जाती है। (१२) विधि समाज के आर्थिक और सामाजिक नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नियमों के रूप में विकसित होती है जिसमें समाज को स्थिर रखने के लिये सभी लोगों को सामान्य अधिकार देकर उनके हितों में एकरूपता और समरसता लाने का प्रयास किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा की जाती है।

विधि संबंधी विभिन्न व्याख्याओं के कारण इस संबंध में भी मतभेद है कि किस व्यक्ति को विधिकार माना जाय और किसको नहीं। ईश्वरप्रदत्त विधि मानने पर भी उनको संसार में लानेवाले माध्यम का महत्व कम नहीं होता अतः हजरत मूसा, ईसा, मुहम्मद, कन्फ्यूशियस, मनु आदि को इस श्रेणी में रखना पड़ेगा। यदि विधि समाज के विवेक और शील का प्रतीक है तो भी विधिकारता में उसे चाहे वह विधानमंडल हो अथवा न्यायालय, जो परंपराओं को नवीन स्थितियों में लागू करने के लिये नई व्याख्याएँ देते हैं अथवा ऐसे दार्शनिक विचारक को समाज के विनियंत्रणात्मक अध्ययन

कुछ समाजों में गर्भस्थ शिशु को भी विधिक व्यक्तित्व मिल जाता है। कुछ में मानवसमूह को या फर्म को या मूर्ति जैसे निर्जीव पदार्थ को भी यह व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है। मध्य युग तक तो पक्षी और पशु भी यूरोप में अपराधी के रूप में विधि द्वारा दंडित किए जाते थे।

इंग्लैंड में १३वीं और १४वीं शताब्दी से ही काउंटी, बरो, हुंड्रेड, मेनोर, मर्चेंट गिल्ड, ट्रेडिंग गिल्ड, डीन इत्यादि विधिक व्यक्तित्व रूप में विकसित होने लगे। प्रसिद्ध लेखक बेंथम के समय सामूहिक व्यक्तित्व (कोरपोरेट पर्सनैलिटी) का विचार पूर्णतः स्पष्ट नहीं था, किंतु कुक के समय तक यह निश्चित हो गया था कि एक संस्थान सामान्य विधि (कॉमन लॉ) या संसदीय संविधि, शाही घोषणापत्र अथवा अधिकार भोग (प्रेस्क्रिप्शन) द्वारा स्थापित किया जा सकता है

इंग्लिश विधि ने संस्थानों को संघात (एग्रीगेट) संस्थान तथा एकक (सोल) संस्थान में वर्गीकृत किया है। संघात संस्थान सहजीवी व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था है और एकक संस्थान, उत्तराधिकारी व्यक्तियों का संयोजित क्रम है। पहले प्रकार के संस्थान का एक उदाहरण जाइंट स्टाक कंपनी है और दूसरे प्रकार का पार्सन। एकक संस्थान की अपेक्षा संघात संस्थान को अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एकक संस्थान का संबोध (यूरोप के) महाद्वीपीय विधि में स्थान न पा सका यद्यपि उसके द्वारा अन्य दो प्रकार के संस्थानों को मान्यता दी गई जो एंग्लो सेक्सन विधि द्वारा मान्य नहीं है।

भारत के व्यापारिक संस्थानों के, जिनमें सहकारी समितियों को छोड़कर बैंकिंग, बीमा और वित्तीय संस्थान सम्मिलित हैं, संयोजन (इन्कारपोरेशन), नियामन (रेगुलेशन) और समापन (विंडिंग अप) की शक्तियाँ संसद् में निहित हैं। इसी प्रकार अन्य संस्थानों की स्थापना भी जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हो, संसद् द्वारा ही होती है। उपर्युक्त संस्थानों के अतिरिक्त अन्य संस्थान राज्यों द्वारा भी स्थापित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेशों द्वारा भी संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं।

विधिक व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिये कई दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। सेविनी और सामंड ने कल्पना (फिक्शन) सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनका कहना था कि मानव के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में व्यक्तित्व की उपस्थिति कल्पना मात्र है। समूह में अस्तित्व की वास्तविकता होती है किंतु दार्शनिक दृष्टि से उसमें वास्तविक व्यक्तित्व नहीं होता। इस प्रकार केवल कल्पना स्वरूप ही राज्य, संस्थान, संस्थाएँ, प्रतिमाएँ इत्यादि अधिकारभोक्ता बने।

रियायत (कंसेशन) सिद्धांत कल्पना सिद्धांत का ही एक भिन्न रूप है और कल्पना सिद्धांत के कई प्रतिपादकों ने भी इसका समर्थन किया है। इसकी यह मान्यता है कि विधिक व्यक्तित्व का उदय विधि के माध्यम से ही होता है। इसलिये संस्थान को विधिक व्यक्तित्व राज्य की विधि द्वारा ही प्राप्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं।

कोष्ठक (ब्रैकेट) सिद्धांत के अनुसार संस्थान के सदस्य अधिकार और कर्तव्य के भोक्ता हैं, किंतु सुविधा के लिये संस्थान के संबंध में अधिकार कर्तव्य समझे जाते हैं। इस प्रकार सभी सदस्यों के अधिकार कर्तव्यों के संस्थान 'कोष्ठक' में रख दिया जाता है। किंतु वस्तुस्थिति के ठीक बोध के लिये यह आवश्यक है कि इस कोष्ठक को हटाया जाय। हिंसेंडार्ग और कानी के साक्ष्य को अस्वीकार कर यह सिद्धांत व्यावहारिकों को समूह का पर्दा हटाकर वास्तविक हितों को देखने की शक्ति प्रदान करता है। ब्रेंटेनो और मॉर्लन के सिद्धांत के अनुसार भी केवल मानव ही व्यक्तित्व रखते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन बेकर और ब्रिज ने भी किया। यह सिद्धांत इस प्रकार से रियायत और कल्पना सिद्धांतों की स्थिति को ही अंगीकृत करता है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि व्यक्तित्व किसी समूह के सदस्यों को नहीं दिया जाता वरन् यह किसी उद्देश्य और कार्य को प्राप्त होता है।

यथार्थवादी अथवा आर्गेनिक (ऑर्गेनिक) सिद्धांत अन्य सब सिद्धांतों से विचारोत्तेजक है। इसे गियर्के ने प्रवर्तित किया। मेटलैंड इसका समर्थक था। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामूहिक व्यक्तित्व भी उतना ही वास्तविक है जितना सामान्य प्राणियों का। सामूहिक व्यक्तित्व न तो कल्पना है और न ही यह राज्यप्रदत्त रियायत। यह इस बात को भी अस्वीकार करता है कि संस्थान के सदस्य अधिकारकर्तव्यों के वाहक हैं। संस्थान स्वयं में वास्तविक व्यक्ति है। इसकी उत्पत्ति वैधानिक अनुबंधों के आधिक्य से नहीं होती वरन् यह विधिक व्यक्तित्व की रचना के निमित्त किए गए सामूहिक एकवादी प्रयास से होती है। यह सामूहिक प्रयास वैयक्तिक इच्छाशक्तियों को संघात स्वरूप प्रदान करता है जिससे सामूहिक व्यक्तित्व का उदय होता है। इसमें कार्य करने की योग्यता एवं निजी इच्छाशक्ति होती है। इस सारी प्रक्रिया का विश्लेषण करते समय, लगता है जिन रूपों के वैयक्तिक इच्छाशक्ति और सामान्य इच्छाशक्ति के संघर्ष से प्रभावित हुआ है। गियर्के शरीर से समूह की उपमा देते हुए यह स्वीकार करता है कि समूह भी वास्तविक मस्तिष्क, वास्तविक इच्छाशक्ति और राज्य की वास्तविक शक्ति रखता है।

नियो काटियन केल्सन ने विशुद्ध विधि विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर सामूहिक व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। केल्सन स्वाभाविक और विधिक व्यक्तित्वों में कोई अंतर नहीं मानता। उसके अनुसार विधिक दृष्टि से व्यक्तित्व मानवीकरण का मानवीकरण है। यह कतिपय अधिकार कर्तव्य समूहों में एकता प्रदान करनेवाला केंद्र बिंदु है।

इन सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि ये विधिक व्यक्तित्व की केवल दार्शनिक व्याख्या अथवा सामूहिक व्यक्तित्व का राजनीतिक विवेचन मात्र हैं। यही कारण है कि ये सिद्धांत एक व्यक्ति कंपनी संस्थान के अनुचरित्र, प्रमुख और सहायक कर्मचारियों के मध्य के भाव प्रदान की सम्यक् व्याख्या करने में असमर्थ हैं।

राजनीतिक दृष्टि से कल्पना सिद्धांत अबोध और व्यक्तिवादी है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही वास्तविक व्यक्तित्व मान

जाती हैं। पितामह स्मृति का उल्लेख मिताक्षरा, स्मृतिचंद्रिका और अपरार्क में मिलता है। कुछ लोग यम को धर्मशास्त्रों का व्याख्याकार मानते हैं और कुछ उन्हें स्मृतिकार कहते हैं। हरित स्मृति में व्यवहार शब्द की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है।

स्मृतियों के बाद निबंधों और टीकाओं का स्थान है जिनमें स्मृतियों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। ९०० ई० के बाद आधुनिक काल तक किसी नवीन स्मृति की रचना का उल्लेख नहीं मिलता, केवल टीकाओं और निबंधों की रचना हुई। इसके बाद हिंदू कानून दो भागों में बँट गया जिनके नामों से हम आज परिचित हैं। इनमें मिताक्षरा और दायभाग प्रमुख हैं। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है जिसकी रचना ११वीं शताब्दी में हुई। जीमूतिवाहन ने १३वीं और १५वीं शताब्दी के बीच में दायभाग की रचना की जिसमें सभी स्मृतियों की बातें शामिल हैं। दायभाग कानून केवल बंगाल में चलता है और उसके साथ ही, 'दायतत्त्व' और 'दाय-कर्म-संग्रह' नामक ग्रंथों का प्रचलन है।

मिताक्षरा के बाद उसमें चार उपविभाग हो गए हैं (१) बनारस में 'वीर मित्रोदय' और 'निर्णयसिंधु', (२) मिथिला में 'विवाद चिंतामणि', 'विवाद रत्नाकर', (३) द्रविड़ क्षेत्र में 'स्मृति चंद्रिका', 'पराशर माधव' और 'वीर मित्रोदय' (४) महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में 'व्यवहार मयूख', 'वीर मित्रोदय' और 'निर्णयसिंधु' की मान्यता है।

हिंदू न्याय और विधि के इतिहास में वैदिक ऋषियों के अतिरिक्त स्मृतिकारों को विधिकार कहा गया है।

भारत में मुसलमानी शासनकाल में अनेक सुलतानों और बादशाहों ने विधिनिर्माण का प्रयास भले ही किया हो लेकिन उन्हें विधिकार नहीं माना जाता।

अंग्रेजी शासनकाल में विधि आयोगों की स्थापना कर उनके माध्यम से विधि-रचना-प्रक्रिया शुरू की गई और बाद में विधान-मंडलों द्वारा विविध रचनाएँ की गईं।

भारत के स्वतंत्र होने पर संविधान परिषद् ने देश के संविधान की रचना की और उस समय देश के विधिमंत्री डा० बी० आर० अंबेडकर ने देश के अनेक विधिपंडितों के सहयोग से अपूर्व विधि-रचना की लेकिन शास्त्रीय परिभाषा में इन लोगों को विधिकार नहीं कहा जा सकेगा। इसी भाँति प्रसिद्ध न्यायाधीश श्री राधाविनोद पाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण विधिविद्या के प्रकांड पंडित हैं और न्याय तथा विधि की व्यवस्थाएँ देते हैं। इनको भी शास्त्रीय परिभाषा में विधिकार नहीं कहा जा सकता।

एक देश, काल में अनेक विधिकार हों, इसकी संभावना कम होती है। रोम में डेसेंवीरी (The Decemviri) ने रोम के १२ सूत्रों (twelve tables) की रचना की लेकिन उसे विधिकार नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ शासकों ने विशेष प्रकार की विधियों की रचना की, उन्हें विधिकार माना जाता है। इस श्रेणी में जस्टीनियन के कार्पस जूरिस (Corpus juris), नेपोलियन की संहिता (Code Napoleon) को कानून या विधि माना जाता था और उनके निर्माता विधिकार माने जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि विधिकार को उसके समसामयिक भी विधिकार मानें। ड्राको (Draco) को उसके अपने समय में केवल एक विशेष न्यायाधीश माना जाता था लेकिन उसकी व्यवस्थाओं ने बाद में विधि का रूप ले लिया और उसे विधिकार माना जाने लगा। थियोडोसियस द्वितीय (Theodosius II) ने संहिता की रचना की, उसे भी अब विधिकार माना जाता है।

विधिकार और न्यायाधीश का संबंध भी विचित्र है। पुराने जर्मन विधिकार न्यायाधीश होते थे। विधिकार को न्यायमूर्ति कहा जाता है। हम्मूराबी की संहिता में न्याय देने का उल्लेख है जिसका तात्पर्य यह है कि उस समय के नरेश न्याय देते थे। यूनान का ड्राको (Draco) न्यायाधीश (Themothetes) था। रोम के विधि-शास्त्री अपने नरेशों को विधिकार की अपेक्षा विधि का व्याख्याकार अधिक मानते थे। विधिकार और न्यायाधीश दोनों की समानता का यह कारण है कि जर्मन और आंग्ल अमरीकी विधिशास्त्री में यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायाधीश ईश्वरीय प्रेरणा से विधि का निर्माण करता है अतः वह स्वयं विधिकार है।

विधिकारों ने जिन विधियों की रचना की उनमें बहुत अंतर है, चाहे वे विधियाँ हजरत मूसा, हजरत मुहम्मद आदि धार्मिक नेताओं की रचना हों अथवा उनकी रचना रोमुलस (Romulus) अथवा लाइकरगस (Lycurgus) जैसे सामरिक नेताओं ने की हो अथवा हम्मूराबी संहिता और ड्राको की व्यवस्था में दंडव्यवस्था के रूप में विधि की रचना हुई हो अथवा मनुसंहिता के रूप में एक आदर्श सिद्धांत की स्थापना की गई हो। आधुनिक शोधों से मिले परिणामों के अनुसार सभी विधिकार अपनी समसामयिक परंपराओं, न्यायाधीशों की व्यवस्थाओं और मान्य अधिनियमों को ही विधियों का रूप प्रदान करते रहे हैं। यह बात हम्मूराबी संहिता और मूसा के दस सिद्धांतों पर लागू होती है। जस्टीनियन तो स्वयं यह स्वीकार करता है कि समसामयिक अधिनियम और न्यायाधीशों की व्यवस्थाओं के आधार पर उसने विधिरचना की।

मान्य विधिकारों के अतिरिक्त ऐसी अनेक विधिपुस्तकें मिलती हैं जिन्हें विधिशास्त्र की अच्छी रचनाएँ कहा जा सकता है और कुछ लोग ऐसे विधिशास्त्रियों को भी विधिकार की श्रेणी में रखना चाहते हैं।

लगश के सुमेरियाई नरेश 'उरुकगीना' (Urukagina) (अनुमानतः ई० २७५० ई० पू०), बेबीलोन के शासक नबूनायद (Nabu naid, अनुमानतः ५५६-५३९ ई० पू०) अपने समय के महत्त्वपूर्ण विधिकार माने जाते हैं। बेबीलोन के हम्मूराबी शासक की संहिता का तो सबसे अधिक महत्त्व है। इसका कालनिर्णय अभी नहीं हो सका है। असीरियाई विधिपुस्तकों और हिटाइट संहिता (Hittite code, अनुमानतः १३५० ई० पू०) की रचना करनेवाले विधिकारों का ठीक पता नहीं चला है। यूनानी लेखक डियोडोरस (Diodorus) ने मिस्र के फरावोह मेनेस (Pharaohs Menes, अनुमानतः

के उपरांत उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप विधि बनाने पर जोर देते हैं अथवा ऐतिहासिक विकासशृंखला के ऐसे नरेश, सत्तासंपन्न व्यक्ति जिन्होंने अपनी शक्ति और निदेश से नए नियमों की रचना की, उन सभी को विधिकार कहा जा सकता है।

सामान्य भाषा में विधिकार और विधायक शब्दों का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जाता है। विधिकार (Law giver) के प्रयोग से ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है जो स्वयं विधि का निर्माण करे और विधायक किसी एक अथवा कुछ विधियों का निर्माण कर सकता है लेकिन विधायक विधि संस्थानों — संसद, विधानमंडल आदि — में बैठकर अन्य विधायकों के साथ मिलकर विधि का निर्माता होता है अतः व्यक्तिगत रूप से वह विधि का निर्माण नहीं करता। विधिकार की परिभाषा देने के पूर्व विधि संबंधी दृष्टिकोण स्पष्ट होना आवश्यक है। विधि के सिलसिले में कानून, सत्य, धर्म, न्याय, राइट, रेक्ट, ड्रायट आदि भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लैटिन भाषा में लेजिस्लेटर (विधायक) अथवा जूरिसडेटर (न्यायनिर्माता) शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन 'लेजेनडेरे' और 'लेक्स डेट' में (विधि देने और प्रयुक्त विधि) का उल्लेख मिलता है। जस्टीनियन ऐसे विधिकार को विधायक की संज्ञा दी गई है। यूनानी भाषा में भी विधिकार के संबंध में इसी भाँति अस्पष्टता है। 'थेसमोस' (Thesmos) का अर्थ एक वाक्य, सूत्र अथवा विधि किया जाता है। विधिसंहिता की नोमोस (Nomos) की संज्ञा दी जाती है। सोलोन (Solon) ने थेसमोद (थेसमोस का बहुवचन) की रचना की जिसे २५० वर्ष बाद अरस्तू (Aristotle) ने विधिकार नाम से संबोधित किया।

विधिकार के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वह दैवी रूप से अनुप्राणित हो। हम्मूराबी (Hammurabi) की संहिता के आरंभ में यह घोषणा की गई है कि देव मर्दुक (God Marduk) ने उसे न्याय के सिद्धांतों को जनता को देने का आदेश दिया। उरुकागिना के उरुकागीना (Urukagina) ने निनगिरसु (Ningirsu) से विधि ज्ञान पाया था। हजरत मूसा ने ईश्वर की प्रेरणा से न्याय के दस निदेशों (Ten commandments) की रचना की। लेकिन मानव पुत्रों देवता ने जैलूकस (Zaleucus) को स्पार्टा में विधि का ज्ञान दिया। कुछ स्थानों में विधिकार स्वयं कोई देवता अथवा देवपुत्र आदि माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में ईश्वर को ही विधिकार कहा गया है। ईसाई मत के अतिरिक्त अन्य मतों और धर्मों में ईश्वर अथवा सर्वोच्च सत्ता को विधि का मूल स्रोत माना गया है। जिन में मैनेस (Manes), [illegible] ([illegible]), बोधिसत्व (Bodhisatva) [illegible] को जिन्हें विधिकार माना गया है, उन्हें ही विधिकार भी माना गया है।

[illegible] के धर्म और न्याय का मूल स्रोत 'ऋत' माना गया है। [illegible] के बाद माना जाता था कि ऋत [illegible] मनु का [illegible] है। [illegible] धर्म और [illegible] दोनों का मूल स्रोत ऋत है। ऋत से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म के [illegible] होते हैं। [illegible] के बाद [illegible] और [illegible] का [illegible] हो सकता है। इसमें व्यवहार और दंड की भी व्यवस्था थी। इस प्रकार भारतीय विधि का आरंभ इन धर्मसूत्रों से माना जाता है। मैक्समूलर और प्रोफेसर हापकिंस के अनुसार ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक के काल में याज्ञवल्क्य ने २० ऋषियों के नामों की सूची विधिकारों के रूप में दी है। डाक्टर बुहलर और डा० जाली ने गौतम, बोधायन आपस्तंब और वशिष्ठ के धर्मसूत्रों को प्राचीन विधिपुस्तकें माना है। धर्मसूत्रों के बाद मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, पितामह, यम, हरित, अंगिरस, ऋष्यशृंग, प्रजापति, शंख, कर्षणाजिनि, पुलस्त्य, प्रचेता लगाडी, विश्वामित्र की स्मृतियों को विधिग्रंथ माना गया है अतः ये लोग भारत के विधिकार माने जाते हैं।

मनु का कालनिर्धारण प्रायः १५०० वर्ष ई० पू० किया गया है। मनु ने विधि के चार स्रोत बतलाए हैं। इनमें (१) श्रुति, वेद, (२) स्मृति, (३) परंपराएँ और (४) प्रत्येक व्यक्ति की आत्मचेतना शामिल हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रुति और स्मृति में मतभेद होने पर श्रुति मान्य होती है और इन दोनों को अन्य दो स्रोतों से श्रेष्ठ माना जाता है। मनुस्मृति अथवा मनुसंहिता इनकी विधिसंहिता मानी जाती है।

याज्ञवल्क्य को कुछ लोग मनु का समसामयिक मानते हैं और कुछ लोग उनके बाद का मानते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में वही बातें कही गई हैं जिनका उल्लेख मनुसंहिता में है। याज्ञवल्क्य ने पूरी सामग्री को विभाजित कर उसे फिर से व्यवस्थित किया। याज्ञवल्क्य ने परंपराओं और सामान्य न्याय पर यथेष्ट जोर दिया है। साक्षी आदि प्रश्नों पर याज्ञवल्क्य ने अपनी परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं।

नारद स्मृति की रचना मनुस्मृति के आधार पर की गई, फिर भी उसमें अनेक नई बातों का समावेश है। न्यायालयों में न्याय की कैसी व्यवस्था हो, इसका नारद स्मृति में सविस्तार वर्णन है। नारद-स्मृति ने देश के न्यायप्रशासन का वर्गीकरण कर उसकी व्यवस्था किया। मनु और याज्ञवल्क्य ने व्यवहार को १८ भागों में विभाजित किया था, उन्हें नारद ने १३६ उपविभागों में विभाजित कर उसका स्पष्टीकरण किया।

बृहस्पतिस्मृति और मनुस्मृति की समानता को लक्ष्य कर कुछ विद्वानों ने उसे 'वार्तिक' कहा। बृहस्पतिस्मृति में अनेक नियमों की व्याख्या करते हुए उन्हें समयानुकूल बनाने का भी प्रयास किया गया है। बृहस्पतिस्मृति में न्यायप्रशासन और न्यायालय व्यवस्था का नारद स्मृति की भाँति सविस्तार वर्णन किया गया है। इसमें न्यायालय के अधिकारियों की संख्या दस बताई गई है जबकि नारद स्मृति में यह संख्या आठ रखी गई है। अमात्य और पुरोहित भी न्यायालय के अधिकारी बताए गए हैं। बृहस्पतिस्मृति में स्त्रियों को उत्तराधिकार का अधिकारी माना गया है। न्यायालय में अभियोग पक्ष देश और उसके बाद को कार्रवाइयों का भी उल्लेख है। दीवानी और फौजदारी व्यवस्था का इसमें अलग अलग उल्लेख है।

कात्यायन स्मृति का कालनिर्धारण ४००-६०० ई० के बीच [illegible] जाता है। [illegible], पुलस्त्य, पितामह और हरित [illegible] स्मृतियों की रचनाएँ ४०० से ६०० ई० के बीच के समय की बताई

भारतीय संविधान में कानून के संरक्षण की समानता न केवल देश के नागरिकों को, अपितु विदेशियों को भी समान रूप से, जाति, धर्म, वर्ण, जन्मस्थान आदि का भेद भाव किए बिना, दी गई है। पुरुषों और स्त्रियों के अधिकार में भी अंतर नहीं किया गया है (अनुच्छेद १५)। सभी नागरिकों को जीविका अथवा सरकारी नियुक्ति में समान अवसर मिलने का अधिकार मिला है (अनुच्छेद १६)। अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध हुआ है (अनुच्छेद १७)। सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अपने नागरिकों को अन्यान्य उपाधि नहीं दे सकता (अनुच्छेद १८)। कोई नागरिक विधि द्वारा निर्धारित अपराध के लिये ही केवल एक बार दंडित हो सकता है (अनुच्छेद २०)। किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड अथवा कारावास विधिसंमत रूप से ही दिया जा सकता है (अनुच्छेद २१) किसी की संपत्ति यदि सरकार ले तो उसे उसके लिये क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी (अनुच्छेद ३१)। संकटकालीन असाधारण परिस्थिति में ही सरकार बिना मामला चलाए किसी को नजरबंद कर सकती है (अनुच्छेद १९ (२))।

संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकारों के अपहरण पर कोई नागरिक न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मामला चला सकता है। संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालय तथा देश का सर्वोच्च न्यायालय इन मूल अधिकारों की रक्षा करें। निष्पक्ष तथा निर्भीक न्यायाधीशों द्वारा न्याय का विधान किया गया है। इनके आदेशों का पालन करना शासन का कर्तव्य है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र समाचारपत्र तथा जागरूक जनमत जनाधिकार के प्रहरी हैं :

सं० ग्रं० — बसु, दुर्गादास : भारतीय संविधान (कांस्टिट्यूशन ऑव इंडिया), तृतीय संस्करण, १९५५ भाग १, २। डाइसी; लॉ ऑव कांस्टिट्यूशन, नवम संस्करण १९३९; जेनिंग्स : लॉ ऑव कांस्टिट्यूशन, तृतीय संस्करण, वेड एवं फिलिप्स : कांस्टिट्यूशन, १९६। [न० कु०]

विधिशास्त्र (Jurisprudence, ज्यूरिस्प्रूडेंस) साधारण अर्थ में उन वैधानिक सिद्धांत विधिशास्त्र में अंतर्निहित हैं। विधिशास्त्र 'ज्यूरिस्प्रूडेंस' अर्थात् Juris = विधान, Prudence = ज्ञान। इस रूप में कानून की सारी पुस्तकें विधिशास्त्र की पुस्तकें हैं। इस रूप में कानून का एकमात्र अर्थ होता है देश का साधारण कानून (Civil Law), जो उन नियमों से सर्वथा पृथक् है, जिन्हें कानून से साधन रहने के कारण कानून का नाम दिया जाता है। यदि हम विधान शब्द का प्रयोग इसके अधिक से अधिक व्यापक रूप में करें जिसमें बौद्धिक अनुसंधान के किसी भी विषय का ज्ञान हो जाय तो हम कह सकते हैं कि विधिशास्त्र देश साधारण कानून (Civil Law) का विज्ञान है।

उक्त अर्थ में विधिशास्त्र तीन शाखाओं में विभक्त है—(१) दार्शनिक अधिवर्णन (Exposition), (२) वैधानिक इतिहास, (३) विधिनिर्माण के सिद्धांत (Principles of Legislation)। दार्शनिक अधिवर्णन का उद्देश्य है किसी प्रचलित विधि की प्रणाली के तथ्य को, चाहे वह वर्तमान हो अथवा भूतकाल में इसका अस्तित्व रहा हो, उपस्थित करना। वैधानिक इतिहास का उद्देश्य है उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को उपस्थित करना जिससे कोई कानूनी प्रणाली विकसित हुई है या हुई थी। विधिनिर्माण के सिद्धांत का उद्देश्य है कानून को उपस्थित करना—वह कानून नहीं जो वर्तमान है या भूतकाल में था, बल्कि वह कानून जो देश, काल, पात्र के अनुसार होना उचित है। विधिशास्त्र को किसी वैधानिक प्रणाली के वर्तमान या भूत से अपेक्षा नहीं है, यह इसके आदर्शमय भविष्य से संबद्ध है।

विधिशास्त्र सिद्धांत के तीन अंग होते हैं—विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, एवं नैतिक। विश्लेषणात्मक शाखा में क्रमबद्ध वैधानिक सिद्धांत के दार्शनिक अथवा सामान्य विचार होते हैं; ऐतिहासिक शाखा में वैधानिक इतिहास का दार्शनिक अथवा सामान्य भाग होता है; नैतिक शाखा में विधाननिर्माण के दार्शनिक सिद्धांत रहते हैं। किंतु ये तीनों शाखाएँ परस्पर संबद्ध हैं। अतः इन्हें एक दूसरे से पृथक् कर इनपर विचार नहीं कर सकते। विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र का उद्देश्य होता है विधान के मौलिक सिद्धांतों का विश्लेषण। इनके ऐतिहासिक उद्गम, विकास, नैतिक भाव अथवा मान्यता पर इस प्रसंग में विचार आवश्यक होता है। इनके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं—

१. देश के सामान्य कानून के आधार का विश्लेषण, २. देश के साधारण कानून तथा अन्यान्य कानूनप्रणाली के बीच पारस्परिक संबंध की परीक्षा; ३. विधान के विभिन्न अंगों के भाव, जिससे इसका स्वरूप तथा व्यक्तित्व बनता है, यथा—राज्य, सार्वभौमिकता, न्याय का शासन इत्यादि; ४. विधान के उद्गम—यथा देशाचार, रूढ़ाचार, ५. विधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण; ६. वैधानिक अधिकार की भावना का विश्लेषण; ७. वैधानिक दायित्व के सिद्धांत की परीक्षा; ८. अन्यान्य वैधानिक भावना की समीक्षा, यथा—नागरिक, न्यास इत्यादि।

ऐतिहासिक विधिशास्त्र मूलतः विधान के साधारण सिद्धांतों के उद्गम एवं उनके विकास से संबद्ध है। जिन स्रोतों से देश का साधारण विधान प्रभावित होता है, वे भी इसकी सीमा के अंतर्गत हैं। अन्य शब्दों में, यह विधान के मूल सिद्धांत एवं उनकी पद्धति की भावना का इतिहास है।

नैतिक विधिशास्त्र विधान की विवेचना नैतिक गांभीर्य एवं इसकी पूर्णता की दृष्टि से करता है। कानून की प्रणाली के बौद्धिक सार अथवा इसके ऐतिहासिक विकास से इसे कोई प्रयोजन नहीं है। विधान के उद्देश्य एवं किस सीमा तक तथा किस रूप में इसकी पूर्ति होती है, यही इसका विषय है। साधारणतः इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य किसी राजनीतिक रूढ़ि के अंतर्गत राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा न्याय का पालन करने में है। अतः नैतिक विधिशास्त्र यह देखता है कि न्याय के सिद्धांत का विधान से कहाँ तक संबंध है। यह नैतिक तथा वैधानिक दर्शन का बिंदु है। अपने सामान्य रूप में न्याय, नैतिकता अथवा नैतिक दर्शन से संबद्ध है। अपने विशेष रूप में न्याय, देश के कानून की संहित मूर्तता के रूप में वैधानिक

३४०० ई० पू०), रामसेस द्वितीय (Ramses II, १२९२-१२२५ ई० पू०), बोकोरिस (Bocchoris, ७१८-७१२ ई० पू०) और अमेसिस (Amesis ५६९-५२५ ई० पू०) का उल्लेख किया है। लेकिन इसकी पुष्टि अन्य सूत्रों से नहीं हुई है। हजरत मूसा यहूदी विधि के मुख्य विधिकार हैं लेकिन जितनी बातें उनके नाम से चलती हैं वे सब उन्हीं की लिखी नहीं हैं। इनके अतिरिक्त अनेक मसीहा अथवा ईश्वरीय दूतों का नाम विधिकारों के रूप में लिया जा सकता है। जूडा ला मसी (Juda La nisi) द्वितीय शताब्दी मैमोनिडेस (Maimonides, ११३५-१२०४) और जोसेफ कारो (Joseph Karo, १४८८-१५७५) अपने समय के प्रमुख विधिकार माने जाते हैं।

प्राचीन यूनान में एथिनियन लोगिस के जैल्युकस (Zaleucus ६५० ई० पू०), आई ओनियन केटना के चरोंडास (Charondas ६५० ई० पू०) की विधिकारों में गणना की जाती है। स्पार्टा के लाइकरगस (Lycurgus) प्रसिद्ध ड्राको (Draco ६२१ ई० पू०) और एथेंस के सोलोन (Solon, ५९४ ई० पू०) का प्रथम श्रेणी के विधिकारों में स्थान है।

प्राचीन रोम में रोमुलस (Romulus) और नूमा (Numa) को विधिकार कहा जाता है लेकिन जब तक रोम साम्राज्य की स्थापना नहीं हो गई थी और वहाँ विधिसंहिता (codification of law) नहीं बन गई थी उस समय तक किसी को विधिकार की संज्ञा देना उचित नहीं है। थियोडोसियस द्वितीय की संहिता विधि संबंधी सामग्री का संकलन मात्र थी। सन् ५२७-५६५ ई० में जस्टीनियन की संक्षिप्त सार (digesta) और संहिता प्रकाशित हुई। उसमें विधि और न्याय संबंधी साहित्य को एकत्र किया गया। जस्टीनियन संहिता में जिन विधिशास्त्रियों की रचनाओं का संग्रह है उनमें जूलियन (Julian, द्वितीय शताब्दी), पैपिनियन (Papinian, २१२ ई०) और पाल (Paul) (तीसरी शताब्दी के पूर्वार्द्ध) को विधिरचना में सहायक माना जा सकता है।

चीन और जापान के प्राचीन विधिकारों के संबंध में सामग्री प्रायः अप्राप्य है।

मध्ययुगीन जर्मन विधि में किसी व्यक्ति विशेष को विधिकार नहीं कहा गया। इस काल में जिन अधिनियमों की रचना हुई उनमें उनके बनानेवालों का उल्लेख नहीं है। इस युग में न्यायाधीशों को विधिकार की संज्ञा दी जाती थी। इस संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। गोथा नरेश अलारिक द्वितीय ने (Alaric II, ४८४-५०७ ई०), थियोडोरिक ने (५०० ई०) गोथा के निवासियों के अतिरिक्त वहाँ रहनेवालों के लिये विधिसंहिता की रचना की। पश्चिमी सैक्सन नरेश आल्फ्रेड ने (Alfred, ८७८-९०१ ई०) और चार्ल्स पंचम ने (१५१९-५८) 'कांस्टीट्यूशियो क्रिमिनलिस कारोलिना' की रचना की।

इस्लाम धर्म में मुहम्मद (५७०-६३२ माना जाता है। उन्होंने 'कुरान' का संकलन कर इस्लाम में चार प्रमुख संप्रदाय हो गए विधिकार हैं। अबू हनीफा (६९९-७५७ ई०), मलिक (७१५-९२ ई०) अल शाफई (७६७-८२० ई०) और इबु हनबाल (७८०-८५५ ई०) के नाम पर क्रमशः हनफी, मलिकी, शाफई और हनबाली नाम के संप्रदाय चल रहे हैं। भारत के अधिकांश सुन्नी मुसलमान हनफी विधि को मानते हैं। शिया संप्रदाय के मुसलमान हजरत मुहम्मद और हजरत अली को ही अपना विधिकार मानते हैं।

ईसाई धर्म की धार्मिक विधि बनानेवालों को भी यदि विधिकार माना जाय तो इनोसेंट तृतीय ने (Innocent III, ११९८-१२१६) 'कारपस जूरिस कैननिसी' नामक संहिता की रचना की और ग्रिगरी नवम ने (Gregori IX, १२२७-४१ में) अनेक विधि संबंधी व्यवस्थाएँ दीं, अतः इन दोनों को विधिकार की श्रेणी में रखा जा सकता है।

मध्ययुग के बाद तो प्रायः प्रत्येक देश में विधिकार हुए हैं। नेपोलियन संसार का मुख्य विधिकार माना जाता है क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन ने जिस विधिसंहिता की रचना करवाई उसका प्रभाव संसार के विधिविकास पर पड़ा है।

आंग्ल-अमरीकी विधिव्यवस्था का विकास जिस ढंग से परंपरा, विधानमंडलों द्वारा विधिरचना और न्यायाधीशों की व्यवस्था के माध्यम से हुआ है उससे यह कहना कठिन है कि कौन कौन व्यक्ति विधिकारों की श्रेणी में आते हैं। ब्रिटेन में ब्लैकस्टन, न्यायाधीश कोक, ब्लैकस्टोन, बैंथम, आस्टिन आदि विधि दार्शनिकों का विधिक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। [चं० शे०]

विधि शासन (Rule of Law) विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष सब लोगों की समता। भारत में इसे उसी अर्थ में ग्रहण करते हैं, जिसमें यह अंग्रेजी-अमरीकी विधान में ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में घोषित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के लिये एक ही कानून होगा जो समान रूप से लागू होगा। जन्म, जाति इत्यादि कारणों से किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा (अनुच्छेद १४)। किसी राज्य में यदि किसी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है तथा अन्यान्य लोग इससे वंचित हैं, तो वहाँ विधि का शासन नहीं कहा जा सकता। अतः प्राचीन राज्यों में अथवा मध्य युग के सामंत समाज में जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर था, वहाँ विधि की समता नहीं थी। उदाहरण के लिये रोम साम्राज्य के विधान में हम पैट्रीशियन (उच्च वर्ग) एवं प्लीबियन (जनसाधारण) तथा रोमन नागरिक एवं पेरेग्रिनस (विजित देश के निवासी) के अधिकारों में अंतर पाते हैं। दासता भी विधि द्वारा समर्थित थी। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे वह राजा हो या निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को साधारण न्यायालय में समान रूप से न्याय मिलता है। राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय पारस्परिक मर्यादा की दृष्टि से इस [illegible] के नीचे से अपवाद हैं। यथा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल देश के

शेष ३६१(१))

भारतीय संविधान मे कानून के संरक्षण की समानता न केवल देश के नागरिकों को, अपितु विदेशियों को भी समान रूप से, जाति, धर्म, वर्ण, जन्मस्थान आदि का भेद भाव किए बिना, दी गई है। पुरुषो और स्त्रियो के अधिकार में भी अंतर नही किया गया है (अनुच्छेद १५)। सभी नागरिकों को जीविका अथवा सरकारी नियुक्ति में समान अवसर मिलने का अधिकार मिला है (अनुच्छेद १६)। अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध हुआ है (अनुच्छेद १७)। सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अपने नागरिकों को अन्यान्य उपाधि नही दे सकता (अनुच्छेद १८)। कोई नागरिक विधि द्वारा निर्धारित अपराध के लिये ही केवल एक बार दंडित हो सकता है (अनुच्छेद २०)। किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड अथवा कारावास विधिसंमत रूप मे ही दिया जा सकता है (अनुच्छेद २१) किसी की संपत्ति यदि सरकार ले तो उसे उसके लिये क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी (अनुच्छेद ३१)। संकटकालीन असाधारण परिस्थिति मे ही सरकार बिना मामला चलाए किसी को नजरबंद कर सकती है (अनुच्छेद १९ (२))।

संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकारों के अपहरण पर कोई नागरिक न्यायालय मे सरकार के विरुद्ध मामला चला सकता है। संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि राज्यो के उच्च न्यायालय तथा देश का सर्वोच्च न्यायालय इन मूल अधिकारो की रक्षा करें। निष्पक्ष तथा निर्भीक न्यायाधीशो द्वारा न्याय का विधान किया गया है। इनके आदेशों का पालन करना शासन का कर्तव्य है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र समाचारपत्र तथा जागरूक जनमत जनाधिकार के प्रहरी हैं :

सं० ग्रं० — बसु, दुर्गादास . भारतीय संविधान (कांस्टिट्यूशन ऑव इंडिया), तृतीय संस्करण, १९५५ भाग १, २। डाइसी; लॉ ऑव कांस्टिट्यूशन, नवम संस्करण १९३९; जेनिंग्स : लॉ ऑव कांस्टिट्यूशन, तृतीय संस्करण; बेंज एव फिलिप्स : कांस्टिट्यूशन, १९४६। [न० कु०]

विधिशास्त्र (Jurisprudence, ज्यूरिसप्रूडेंस) साधारण अर्थ में समस्त वैधानिक सिद्धांत विधिशास्त्र मे अंतर्निहित हैं। विधिशास्त्र 'ज्यूरिसप्रूडेंस' अर्थात् Juris = विधान, Prudence = ज्ञान। इस अर्थ में कानून की सारी पुस्तकें विधिशास्त्र की पुस्तकें हैं। इस प्रसंग में कानून का एकमात्र अर्थ होता है देश का साधारण कानून (Civil Law), जो उन नियमो से सर्वथा पृथक् है, जिन्हें कानून से साक्षात रहने के कारण कानून का नाम दिया जाता है। यदि हम विज्ञान शब्द का प्रयोग इसके अधिक से अधिक व्यापक रूप में करें जिसमें बौद्धिक अनुसंधान के किसी भी विषय का ज्ञान हो जाय तो हम कह सकते हैं कि विधिशास्त्र देश के साधारण कानून (Civil Law) का विज्ञान है।

उक्त अर्थ में विधिशास्त्र तीन शाखाओं में विभक्त है—(१) वैधानिक अभिदर्शन (Exposition), (२) वैधानिक इतिहास, (३) विधिनिर्माण के सिद्धांत (Principles of Legislation)। वैधानिक अभिदर्शन का उद्देश्य है किसी प्रस्तावित विधि की प्रणाली के तथ्य को, चाहे वह वर्तमान हो अथवा भूतकाल मे इसका अस्तित्व रहा हो, उपस्थित करना। वैधानिक इतिहास का उद्देश्य है उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को उपस्थित करना जिससे कोई कानूनी प्रणाली विकसित हुई है या हुई थी। विधिनिर्माण के सिद्धांत का उद्देश्य है कानून को उपस्थित करना—वह कानून नही जो वर्तमान है या भूतकाल में था, बल्कि वह कानून जो देश, काल, पात्र के अनुसार होना उचित है। विधिशास्त्र को किसी वैधानिक प्रणाली के वर्तमान या भूत से अपेक्षा नहीं है, यह इसके आदर्शमय भविष्य से संबद्ध है।

विधिशास्त्र सिद्धांत के तीन अंग होते हैं—विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, एवं नैतिक। विश्लेषणात्मक शाखा मे क्रमबद्ध वैधानिक सिद्धांत के दार्शनिक अथवा सामान्य विचार होते हैं; ऐतिहासिक शाखा में वैधानिक इतिहास का दार्शनिक अथवा सामान्य भाग होता है; नैतिक शाखा मे विधाननिर्माण के दार्शनिक सिद्धांत रहते हैं। किंतु ये तीनों शाखाएँ परस्पर संबद्ध हैं। अतः इन्हें एक दूसरे से पृथक् कर इनपर विचार नहीं कर सकते। विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र का उद्देश्य होता है विधान के मौलिक सिद्धांतो का विश्लेषण। इनके ऐतिहासिक उद्गम, विकास, नैतिक भाव अथवा मान्यता पर इस प्रसंग में विचार आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं—

१ देश के सामान्य कानून के आधार का विश्लेषण; २ देश के साधारण कानून तथा अन्यान्य कानूनप्रणाली के बीच पारस्परिक संबंध की परीक्षा; ३. विधान के विभिन्न अंगों के भाव, जिससे इसका स्वरूप तथा व्यक्तित्व बनता है, यथा—राज्य, सार्वभौमिकता, न्याय का शासन इत्यादि; ४. विधान के उद्गम—यथा देशाचार, कुलाचार, ५ विधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण; ६. वैधानिक अधिकार की भावना का विश्लेषण; ७. वैधानिक दायित्व के सिद्धांत की परीक्षा; ८ अन्यान्य वैधानिक भावना की समीक्षा, यथा—संपत्ति, न्यास इत्यादि।

ऐतिहासिक विधिशास्त्र मूलतः विधान के साधारण सिद्धांतों के उद्गम एवं उनके विकास से संबद्ध है। जिन स्रोतों से देश का साधारण विधान प्रभावित होता है, वे भी इसकी सीमा के अंतर्गत हैं। अन्य शब्दों में, यह विधान के मूल सिद्धांत एवं उनकी पद्धति की भावना का इतिहास है।

नैतिक विधिशास्त्र विधान की विवेचना नैतिक गांभीर्य एवं इसकी पूर्णता की दृष्टि से करता है। कानून की प्रणाली के बौद्धिक तत्व अथवा इसके ऐतिहासिक विकास से इसे कोई प्रयोजन नहीं है। विधान के उद्देश्य एवं किस सीमा तक तथा किस रूप में इसकी पूर्ति होती है, यही इसका विषय है। साधारणतः इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य किसी राजनीतिक फर्म के अंतर्गत राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा न्याय का पालन करने में है। अतः नैतिक विधिशास्त्र यह देखता है कि न्याय के सिद्धांत का विधान से कहाँ तक संबंध है। यह नैतिक एवं वैधानिक दर्शन का मिलनबिंदु है। अपने सामान्य रूप में न्याय, नैतिकता अथवा नैतिक दर्शन से संबद्ध है। अपने विशेष रूप में न्याय, देश के कानून की अंतिम शृंखला के रूप में वैधानिक

[illegible] से संबद्ध है, जिसे नैतिक विधिशास्त्र कहते हैं। इसकी परिधि के अंतर्गत सामान्यतः निम्नलिखित विषय आते हैं— १. न्याय की धारणा (Conception of Justice); २. कानून एवं न्याय में संबंध, ३ न्याय के पालन के उद्देश्य की पूर्ति करने वाली प्रणाली, ४ कानून एवं नैतिकता पर आधारित अधिकार में अंतर, ५ नैतिक अर्थ एवं उन वैधानिक भावनाओं की मान्यता तथा सिद्धांत, जो ऐसे मौलिक हैं कि उनका विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र में अध्ययन किया जा सकता है।

संसार के भिन्न भिन्न देशों में विधिशास्त्र की परिभाषा किंचित् भिन्न भिन्न रूपों में की गई है। जर्मनी के विधान में विधिशास्त्र कानून का मोटामोटी वह पर्याय है, जिसका लक्ष्य वैज्ञानिक अध्ययन होता है। फ्रांस के विधान में इससे न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बोध होता है, जो कानून के 'कोड' की विकृति एवं विकास करता है। अंग्रेजी एवं अमरीकी विधान में कानून के सैद्धांतिक अध्ययन के भिन्न भिन्न पहलू विधिशास्त्र में सन्निहित हैं। सनातन भारतीय विधान में विधिशास्त्र धर्मशास्त्र पर आधारित है। 'धर्म' की परिभाषा निम्नलिखित रूप में की गई है—

> श्रुतिः स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन ।
> एतच्चतुर्विध प्राहु साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

अर्थात् वेद, स्मृति, सदाचार एवं सुनीति धर्म के उद्गम हैं। 'धर्म' व्यापक शब्द है। धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं वैधानिक दृष्टि से यह मनुष्य के कर्तव्य एवं दायित्व की समष्टि है। धार्मिक एवं धर्म निरपेक्ष भावना के बीच विभाजन रेखा स्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि कितने ही विषय ऐसे हैं जो धार्मिक एवं सांसारिक दोनों हैं।

भारत का सनातन 'धर्म' राजा अथवा शासक के आदेश पर आधारित नहीं है। इसकी मान्यता (Sanction) इसी में अंतर्निहित है। स्मृतिकारों और उनके पूर्वजों ने कहा है कि 'धर्म भगवान् की देन है। यह राजाओं का राजा है। इससे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं। इसकी सहायता से शक्तिहीन भी शक्तिशाली से अपना अधिकार ले सकते हैं। राजा न्याय का निर्माता नहीं, केवल इसका पालक है।' (शत ब्रा० १४—४ २ २६)

विधिवेत्ता ऑस्टिन जिन्हें बेंथम के सिद्धांत के अनुसार सनातन धर्म का अधिकांश नैतिकता में संनिविष्ट हो जायगा, क्योंकि यह 'धर्म' किसी राजा अथवा सार्वभौम सत्ताप्राप्त शासक का आदेश नहीं है। यह सत्य है कि स्मृति अपने तईं कानून नहीं है, क्योंकि इसे न तो व्यवस्थापिका सभा ने बनाया और न राज्य ने घोषित किया। पर यह जस रिसेप्टम (Jus Receptum) के सिद्धांत पर मान्य था अर्थात् समाज ने इसे ग्रहण कर लिया था। अतः एक मत के अनुसार स्मृति के कानून का उद्गम समाज ही है। इसका एक अंश नैतिक आदेश है, जिसका स्रोत नैतिक माना गया है एवं अखंड परंपरा एवं सदाचार है। स्मृतिकारों के व्यक्तित्व एवं संज्ञान तथा सुनीति पर आधारित होने के कारण स्मृति के वचनों की मान्यता ही इनके वैधानिक आदेश का प्राधिकार है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित होने पर यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि भारत में राजनिर्मित विधान धर्मशास्त्र द्वारा घोषित विधान से किसी समय अधिक मान्य था या नहीं। कौटिल्य ने कहा है कि विधान चार स्तंभों पर आधारित है — १ धर्म (Sacred Law) २ व्यवहार (Evidence), ३. चरित्र (History) एवं ४. राजशासन (Edicts of Kings)। इनमें परवर्ती आधार क्रमागत पूर्व के आधार से अधिक शक्तिशाली है किंतु यह स्मरणीय है कि राजशिलालेख (Edicts) द्वारा धर्मशास्त्र कथित किसी भी मौलिक आदेश अथवा व्यवहार का उल्लंघन नहीं हुआ। कौटिल्य ने भी सैद्धांतिक रूप में यह स्वीकार किया था कि राजनिर्मित विधान धर्मशास्त्र की परिधि से बाहर नहीं है।

१९वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ते कोंत (Auguste Comte) ने सोशियोलॉजी (Sociology = समाजशास्त्र) शब्द का नामकरण किया। समाजशास्त्र स्थूल रूप से समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्री के अध्ययन में विधान भी सम्मिलित है किंतु उसका दृष्टिकोण विधिवेत्ता के दृष्टिकोण से भिन्न है। वकील, अधिवक्ता या निर्णायक के रूप में, उन नियमों को देखता है जिन्हें सर्वसाधारण को अनुकरण करना चाहिए। समाजशास्त्रवेत्ता यह देखता है कि ये नियम क्या हैं। [illegible] हद तक दोनों हाथ चल सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये नियम वांछित चरित्र के द्योतक हैं। किंतु समाजशास्त्रवेत्ता को वास्तविक चरित्र में अधिक उत्सुकता रहती है, वांछित चरित्र के विचार में नहीं। वैधानिक समाजशास्त्र को अपराधशास्त्र भी कहते हैं। यह अपराधों के कारण, अपराधियों के चरित्र, विभिन्न प्रकार के दंडों का अपराधियों पर प्रभाव — विशेषतः कहाँ तक दंडों से अपराध के घटने पर प्रभाव पड़ता है — इन सब का अध्ययन करता है। इससे कानून के सुधार में सुविधा होती है।

अंत में, विधिशास्त्र से हमें उस अध्ययन, शोध एवं अनुमान (Speculation) का बोध होता है, जिनका प्राथमिक लक्ष्य सर्वसाधारण के प्रश्न — 'कानून क्या है'? का उत्तर देना होता है। विधिवेत्ता की दृष्टि में कानून उन प्रमाणों की समष्टि है, जिनके द्वारा न्यायालयों में निर्णय दिए जाते हैं। कानून का प्रथम लक्ष्य है सामाजिक द्वंद्वों का निराकरण, यद्यपि सब प्रकार के द्वंद्व इस सीमा के अंदर नहीं आते। विधिवेत्ता रस्को पाउंड के अनुसार कानून का कार्य यह है कि वह लोगों के पारस्परिक हक का संतुलन करे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम मिले एवं समाज के हित के लिये उसे न्यूनतम त्याग करना पड़े।

सं० ग्रं० — जॉन मैरीट : जुरिसप्रूडेंस, ११वाँ संस्करण, १९६०, डेनिस, स्वायड : इंट्रोडक्शन टु जुरिसप्रूडेंस, नवमा संस्करण, १९५९, डी० एफ० मुल्ला : हिंदू लॉ, १२वाँ संस्करण, १९५९, भूमिका पृष्ठ १—७१; एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, भाग ११ (१९५९) पृ० १९७—२०६; चैंबर्स एन्साइक्लोपीडिया, भाग ८, पृ० ५१२।

[न० कु०]

विधि-संहिता-इतिहास संहिता का शाब्दिक अर्थ है संग्रह। अतः विधिनियमों का लिपिबद्ध रूप ही, सामान्य अर्थों में, विधिसंहिता कहलाता है। विधिनियमों के विकासक्रम में यह अत्यंत उच्च स्तर माना गया है क्योंकि विधि का लिपिबद्ध संग्रह तभी संभव है जब उन नियमों का रूप स्थिर हो चुका हो और वे सर्वमान्य हो चुके हों। सामाजिक विकासक्रम में सामाजिक संबंधों का नियमन क्रमशः दैवी आदेश, लोकरीति (जिसे अंग्रेजी मे कस्टम कहते हैं), तथा न्यायिक निर्णय (जिसे अंग्रेजी में जुडीशल प्रीसीडेंट कहते हैं) द्वारा होना माना गया है। अतः स्पष्ट है कि विधिनियमों का संहिताकरण होने के पूर्व यह तीनों स्तर पार किए जा चुके होंगे।

संहिता शब्द से उसमे संगृहीत विधिनियमों के स्रोत का कोई आभास नहीं मिलता। भारत मे विधिनियमों के ऐसे संग्रह को संहिता के अतिरिक्त 'स्मृति' के नाम से संबोधित किया जाता है। इस 'स्मृति' शब्द से विधिनियमो के स्रोत का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। भारतीय शास्त्रकारों के मत से अन्य सभी प्रकार के ज्ञान की भाँति मनुष्य के कर्तव्याकर्तव्य के विधान का भी स्रोत चूँकि श्रुति ही है अतः विधिसंहिताओं का आधार उन संहिताकारो की स्मरणशक्ति ही है। इसी आधार पर मनुसंहिता का नाम मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यसंहिता का नाम याज्ञवल्क्य स्मृति, आदि है।

विधिनियमों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता कदाचित् तब पड़ी होगी जब एक व्यापक क्षेत्र की स्थानीय लोकरीतियों मे एकरूपता लाना जरूरी हो गया होगा। सब को कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान उपलब्ध हो सके, यह इच्छा भी संहिताकरण की प्रेरक रही होगी। संहिताकरण का उद्देश्य रूढ़ि के स्थान पर लिपिबद्ध विधिनियम को ही लोकव्यवहार का आधार बनाना होता है। किंतु प्रारंभिक विधि-संहिताएँ जिस रूप मे हमें उपलब्ध हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि वे संहिताएँ तत्कालीन लोकरीतियो के ही संग्रह हैं। और यह भी कि विधिनियमो को लिपिबद्ध करने के बाद भी लोकरीतियों से पूर्ण मुक्ति उपलब्ध नहीं हो सकी, क्योंकि उन संगृहीत विधिनियमों को व्यवहार में लोकरीति के ही अनुसार लाया जा सकता है।

विधिसंहिताओं का इतिहास हमें ईसा से दो-ढाई हजार वर्ष पूर्व से उपलब्ध है। उन सभी विधि-संहिताओं का संक्षिप्त परिचय देने के पूर्व कदाचित् उचित यही होगा कि हम विधि-संहिता का आधुनिक अर्थ भी समझ लें ताकि विधि-संहिता तथा विधान मंडलों द्वारा विभिन्न विषयों पर पारित 'स्टैट्यूट्स' का अंतर भी स्पष्ट हो जाय।

आधुनिक अर्थ में विधिसंहिता की संज्ञा उसी विधिसंग्रह को दी जा सकती है जिसमें संपूर्ण अधिनियमों (ऐक्ट्स) का समावेश हो और उन अधिनियमों को व्यवहृत करने के लिये किसी अन्य आधार (लोकरीति की जानकारी) की आवश्यकता न पड़े। सामान्य संविधि (स्टैट्यूट्स) और विधिसंहिता में अंतर के तीन आधार है। (१) सामान्य अधिनियम किसी विषय के संपूर्ण रूप से संबंधित हो सकता है जब कि विधिसंहिता में तद्विषयक संपूर्ण वाद्य विधिनियम एक ही स्थान पर संगृहीत रहते हैं। (२) विधिसंहिता में नियमो का संग्रह सुबोधता का ध्यान रखते हुए, वर्गीकृत व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। (३) विधि संग्रह मे भाषा की सरलता के साथ साथ स्पष्टता का भी ध्यान रखा जाता है ताकि नियमो का रूप विस्तारदोष से मुक्त संक्षिप्त होते हुए भी बहुअर्थ दोष उसमे न आ सके।

आधुनिक अर्थों में विधिसंहिता के विकास और राष्ट्रीय भावना का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है: उदाहरण के लिये फ्रांस मे कोड नेपोलियन की रचना के पीछे फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रीय भावना प्रेरक शक्ति थी। जर्मन कोड लगभग अपने पूर्ण रूप में यद्यपि विदेशी रोमन विधि पर ही आधारित था, तथापि सैविनी ने वोल्क-जीस्ट (जनचेतना) का ही सबल लिया था। दूसरी ओर विधिसंहिता की रचना के बाद उस समाज में राष्ट्रीय भावना के विकसित एवं व्याप्त होने मे वही विधिसंहिता (सभी समान रूप से एक ही विधि के संरक्षण में होने के कारण) सहायक होती है जैसा इटली के इतिहास से सिद्ध है।

यूरोप

पश्चिम के इतिहास में सबसे प्राचीन और विस्तृत विधिसंहिता हमुराबी की संहिता मानी जाती है। ई० पू० २१०० मे बेबीलोन के राजा हमुराबी के नाम से प्रसिद्ध इस संहिता में प्रकिया संपत्ति तथा व्यक्ति विषयक विधिनियमों का उल्लेख है। इसके लगभग १४ शताब्दियों बाद हिब्रू भाषा में 'बुक ऑव कावेनेंट' (बाइबिल के २० वें और २३ वें अध्याय — 'एक्सोडस') के रूप में विधि-संहिता मिलती है। इसी के एक सौ बाद 'बुक ऑव ला' (डेंट्रो-नोमी अर्थात् द्वितीय विधि) उपलब्ध है। इन विधिसंग्रहो से इसराइल के रीतिविधि के क्रमिक विकास का परिचय मिलता है।

विधिसंहिता के इतिहास मे 'रोमन ट्वेल्व टेबिल्स' का महत्व अक्षुण्ण है। प्रथम तो इसलिये कि विधिसंहिता के आस्त्रीय रूप का यह उदाहरण है और दूसरे इसलिये कि ईसा का विकसित रूप यूरोप के प्राय सभी राष्ट्रो मे तद्देशीय संहिताओं के रूप में प्रसारित है।

रोमन ट्वेल्व टेबिल्स की रचना के लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद इसमें क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के सिद्धांत का अंश जो 'लेक्स एक्विला' के नाम से प्रसिद्ध है, जोड़ा गया। तदुपरांत इसमें जोड़े जानेवाले अंश 'प्रिटोरियन एडिक्ट्स' तथा 'रिसपोंसा' के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार क्रमशः जुड़नेवाले अंशों के कारण कहीं कहीं परस्पर विरोधी नियम भी सम्मिलित हो गए तथा विषय-विभाजन भी अस्तव्यस्त सा हो गया। यह दोष जस्टीनियन द्वारा दूर किया गया और पूरी संहिता क्रमशः चार भागों—इंस्टीट्यूट्स, डाइजेस्ट, कोडेक्स तथा नोवेल्स में वैज्ञानिक रूप से विभाजित कर दी गई। रोमन विधिसंहिता का यही रूप यूरोप के विभिन्न देशों की संहिताओं का जनक कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ १३वीं सदी में स्पेन के अलफार्सो कोड के नाम से प्रसिद्ध स्पैनिश भाषा में इसी का उल्था मात्र था। सरबिया नरेश स्टीफेन दुशन की विधि-संहिता (१४वीं शताब्दी), बोहेमिया मे कोड ऑव फर्डिनेंड (१७वीं शताब्दी), रूस के जार एलेक्सिस का 'उलोजेनिक' (१७वीं

शताब्दी), डेनमार्क नरेश क्रिश्चियन पंचम का 'डेस्के लोव' (१७वीं शताब्दी), स्वीडेन का 'कोड फ्रेडरिक' (१८ वीं शताब्दी) तथा प्रशा का 'लैंडरेच बुच' एवं 'लेहरेच' (१८ वीं शताब्दी) इसी रोमन विधिसंहिता के आधार पर निर्मित हुए। १९वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में 'कोड सिविल' तथा दंड, अपराध, व्यापार आदि विषयक अन्य संहिताओं की रचना के बाद ये नई संहिताएँ ही अन्य भावी विधिसंहिताओं की पथनिर्देशक बन गईं, क्योंकि फ्रांसीसी संहिताओं का रूप अधिक विकसित विधिनियम आधुनिक परिस्थितियों के अधिक अनुकूल तथा उनका विषयविभाजन एवं भाषा अधिक सरल तथा बोधगम्य थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जापान, स्विट्जरलैंड तथा तुर्की ने अपनी विधिसंहिताओं की प्रेरणा फ्रांस से न लेकर जर्मनी की विधिसंहिता 'गसेट्ज बुच' से ली।

इंग्लैंड

इंग्लैंड की विधिव्यवस्था रोमन विधि से भिन्न 'सामान्य विधि' (कॉमन लॉ) व्यवस्था कहलाती है अर्थात् न्यायाधीशों के निर्णयों में निहित सिद्धांत ही विधिनियम हैं। कतिपय नियमों के निबंधित संग्रहों का उल्लेख इंग्लैंड पर आर्मेन विजय के पहले यद्यपि मिलता है जिन्हें 'बुल्स' कहा जाता था, तथापि विधिसंहिता अथवा उसके किसी कुछ भी किसी रचना के अस्तित्व का इंग्लैंड में अभाव ही रहा। १९वीं शताब्दी में जेरेमी बेंथम ने विधि के संहिताकरण की आवश्यकता पर आग्रह किया। उस आंदोलन का फल स्पष्ट आने देश में प्रकट होने के पहले भारत में प्रकट हुआ और भारतीय व्यवस्था लागू होने के बाद इंग्लैंड में भी यह प्रयास आरंभ हुआ। यद्यपि अब भी वहाँ कोई विधिसंहिता तो नहीं है और अब भी कुछ क्षेत्रों में सामान्य विधि ही लागू है तथापि काफी व्यापक क्षेत्र में विधि [illegible] निबंधित रूप में अब उपलब्ध है।

अमरीका

अमरीका में भी [illegible] विधिव्यवस्था है। १९वीं शताब्दी में वहाँ भी दूसरे विधिव्यवस्था तथा [illegible] करने और विधि के [illegible] को [illegible] पर बल दिया था। राज्य के विधि-[illegible] के पूर्ण [illegible] होने के बाद अपनी विधिव्यवस्था को [illegible] विधिसंहिता [illegible] हैं किंतु [illegible] विधिव्यवस्थाओं को भी [illegible] में [illegible] १९२३ में अमरीकन [illegible] को [illegible] पर प्रकाशित किया गया।

चीन में

चीन में भी [illegible] विधिव्यवस्था विधिसंहिता रूप में [illegible]। कुछ [illegible] का मत है कि चीनी विधिसंहिता [illegible] है। [illegible] —[illegible] [illegible] ५०० ई० की [illegible] है। [illegible] [illegible] के [illegible] १९०१ [illegible] में [illegible] की। [illegible] में [illegible] हुई है। [illegible] चीन की विधिव्यवस्था [illegible] विधिसंहिता [illegible] है। [illegible] [डॉ० वे० अ०]

[illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] (व्यवस्था) में

भिक्षुसंघ की स्थापना हुई। क्रमशः उसकी वृद्धि होती गई। प्रारंभिक संघ का शील संयम परिपूर्ण था। इसलिये बीस वर्ष तक इस के लिये कोई नियम नहीं बना था। बाद में संघ की वृद्धि के साथ कुछ असंयमी लोग भी उसमें प्रवेश करने लगे। इसलिये संघ की परिशुद्धि, संघटन और संचालन के लिये विनयनियम बनते गये। समय समय पर आवश्यकतानुसार नियम बनते गए और उनका संग्रह विनय पिटक में किया गया है।

प्राचीन परंपरा के अनुसार विनय पिटक के तीन विभाग हैं—१. उभतोविभंग, २. खंधक, और ३. परिवार। उभतोविभंग सुत्तविभंग भी कहलाता है। इसके दो भाग हैं—भिक्खुविभंग और भिक्खुणीविभंग। अट्ठकथाओं में इस प्राचीन विभाजन का ही उल्लेख आया है।

अर्वाचीन परंपरा के अनुसार पाँच विभाग हैं—१ पाराजिकपालि, २ पाचित्तियपालि, ३. महावग्गपालि, ४. चुल्लवग्गपालि और ५ परिवारपालि। पाराजिकपालि और पाचित्तियपालि उभतोविभंग के अंतर्गत हैं। महावग्गपालि और चुल्लवग्गपालि खंधक के अंतर्गत हैं। उभतोविभंग के अंतर्गत नियम निषेधात्मक हैं। उनके विभाजन हैं, जो सत्त आपत्ति क्खंध (सप्त आपत्तिस्कंध) कहलाते हैं। आपत्ति का अर्थ है अपराध। ये विभाजन सात प्रकार के अपराधों को लेकर हुए हैं। सप्त आपत्तिस्कंध इस प्रकार हैं—१ पाराजिका धम्मा, २ संघादिसेस धम्मा, ३ अनियता धम्मा, ४ निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा, ५. पाचित्तिया धम्मा, ६ पाटिदेसनीया धम्मा, ७. अधिकरणसमथा धम्मा।

१ पाराजिक का अर्थ है पराजय का कारण। इनमें मैथुन आदि चार बहुत निकृष्ट हैं, जिनसे भिक्षु भिक्षुभाव को खो देता है। संघ से उसका निष्कासन होता है।

२. संघादिसेस इत्यादि तेरह प्रकार के संघादिसेस हैं। इनमें से किसी आपत्ति को प्राप्त भिक्षु को कुछ दिन तक संघ से बाहर रह कर प्रायश्चित्त करना पड़ता है। फिर शुद्धि के बाद वह संघ में आ सकता है। इस प्रकार इस वर्ग के आदि और अंत में संघ की आवश्यकता पड़ती है।

३ अनियता दो हैं। अनियता का अर्थ है अनिश्चित। अनियता परिस्थितियों में विनयधर लोगों के अनुसार ये आपत्तियाँ का निर्णय होता है। दोनों स्त्रीसंसर्ग को लेकर हैं।

४. निस्सग्गिय पाचित्तिय तीस हैं। ये सब चीवर और पात्र संबंधी हैं। जो भिक्षु दशा से अधिक पात्र और चीवर रखता है, उसे उन्हें त्याग कर प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

५. पाचित्तिय बानवे हैं। [illegible] [illegible] के [illegible] के बाद [illegible] के लिए [illegible] करना पड़ता है।

६. पाटिदेसनीय चार हैं। ये [illegible] [illegible] के लिए [illegible] हैं। [illegible] के [illegible] (स्वीकारोक्ति) करना पड़ता है।

७. अधिकरणसमथा सात हैं। [illegible] के [illegible] [illegible]

इस प्रकार ये नियम कुल २२७ हैं, जो विशेष रूप से भिक्षु-संघ को लागू हैं। इनमें से अधिकांश भिक्षुणीसंघ को भी लागू हैं। इनके अतिरिक्त भिक्षुणीसंघ के लिये आठ गुरुधर्म जैसे कुछ विशेष नियम भी हैं। भिक्षुणियों के लिये ८ पाराजिक, १७ संघादिसेस, ३० निस्सग्गिय, और १६६ पाचित्तिय हैं। उभतोविभंग में संपूर्ण इतिहास के साथ इन नियमों की विशद व्याख्या है। प्राचीनता और महत्व के कारण इस व्याख्या को मूल विनय का ही अंश माना गया है।

भिक्खु पातिमोक्ख और भिक्खुणी पातिमोक्ख में इन नियमों का अलग अलग संग्रह हुआ है। महीने में दो बार—पूर्णिमा और अमावस्या के दिन—संघ में इन नियमावलियों का पाठ होता था। यदि कोई सदस्य किसी अपराध का दोषी होता तो वह नियमानुसार दंड के अधीन होता। बौद्ध देशों में यह प्रथा अब भी प्रचलित है।

खंधक का पहला भाग महावग्ग है। इसके प्रारंभ ही में बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर राजगृह प्रवेश तक की भगवान् बुद्ध की जीवनी आई है। इस वृत्तांत में सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन, पंचवर्गीयों, यश और भद्रवर्गीयों की प्रव्रज्या, गयाशीर्ष में शिष्यमंडली सहित तीन जटिल भाइयों की प्रव्रज्या और राजगृह में बिंबिसार नरेश की दीक्षा आदि बातों का उल्लेख आया है। फिर प्रव्रज्या, उपसंपदा, गुरु शिष्य का संबंध, उनके कर्तव्य, उपोसथ, वर्षावास, प्रवारणा आदि संस्कारों की विधि बताई गई है। चप्पल, चीवर, औषधि इत्यादि वस्तुओं के उचित प्रयोग संबंधी नियम भी दिए गए हैं। अंतिम अध्यायों में दंडविधान संबंधी कुछ बातों और कौशांबी के भिक्षुओं के विवाद का वर्णन आया है।

खंधक का दूसरा भाग चुल्लवग्ग है। इसमें अनुचित कुलसंसर्ग के दोष, संघादिसेस आपत्ति को प्राप्त भिक्षु के लिये विहित 'मानत्त' नामक प्रायश्चित्त, विवादों की समाधानविधि, लाना पीना पहनना इत्यादि छोटी छोटी बातों में भी उचित और अनुचित का ध्यान, अनुरूप विहार, देवदत्त द्वारा संघभेद, भिक्षुणीसंघ की स्थापना आदि बातों का वर्णन है। अंतिम दो अध्यायों में प्रथम और द्वितीय संगीतियों का वर्णन है।

परिवारपालि में कोई नई बात नहीं है। इसमें प्रकरण सहित विनय नियमों को प्रश्नोत्तर के रूप में सरल विधि से समझाया गया है। यह विनय के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लंका के किसी आचार्य द्वारा रचित है।

इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि संघ की शुद्धि, व्यवस्था और संचालन संबंधी नियमों को लेकर विनय पिटक का निर्माण हुआ है। प्रकारांतर से इसमें बुद्ध की जीवनी, संघ की स्थापना और धर्म के प्रचार संबंधी बातों का भी वर्णन आया है। इसलिये बुद्धशासन के लिये विनय पिटक का महत्व असाधारण है। साथ ही इससे बुद्धकालीन भारतीयों का सामाजिक अवस्था, नैतिक स्तर, रहन सहन आदि बातों पर भी प्रकाश पड़ता है। अतः विनय पिटक का ऐतिहासिक महत्व भी सुत्त पिटक से कम नहीं है।

थेरवादी विनय के अतिरिक्त विनय के और पाँच संस्करण चीनी में तथा एक आध तिब्बती में उपलब्ध हैं। वे इस प्रकार हैं: सर्वास्तिवादी विनय, मूलसर्वास्तिवादी विनय, धर्मगुप्त विनय, महासांघिक विनय, महिंसासक विनय। विद्वानों ने अपने निबंधों द्वारा इनपर प्रकाश डाला है। गिलगिट से प्राप्त बौद्ध ग्रंथों में भी विनय का कुछ अंश है। इसका संपादन डा० नलिनाक्ष दत्त ने किया है। स्वर्गीय राहुल जी जिन ग्रंथों को तिब्बत से लाए थे, उनमें भी विनय के कुछ ग्रंथ हैं। उनका संपादन बिहार शोध प्रतिष्ठान द्वारा हो रहा है। [ध०]

विनिक्स जाँ बैपटिस्ट (Weenix Jan Baptist) डच चित्रकार। जन्म ऐम्स्टर्डम में १६२१ ई० में हुआ। इसके पिता एक राजनेता थे। एब्राहम ब्लूमार्ट तथा निकोलस से इसने शिक्षा ग्रहण की। २२ वर्ष की अवस्था में रोम गया। वहाँ समुद्री दृश्यों, भूदृश्यों, तथा स्थापत्य की सुंदर कृतियों द्वारा यथेष्ट ख्याति अर्जित की। यह अत्यंत तीव्र गति से कार्य करनेवाला व्यक्ति था। इसकी मृत्यु उट्रेक्ट में १६६० में हुई। [गु० वि०]

विनिपेग १. नगर, स्थिति . ४९° ५०′ उ० अ० एवं ९७° १५′ प० दे०। यह कैनाडा के मैनिटोबा प्रांत की राजधानी एवं प्रमुख नगर है। यह प्रांत के पूर्वी भाग में ऐसिनिबाइन एवं रेड नदियों के संगम पर स्थित है। संयुक्त राज्य, अमरीका, की सीमा ९६ किमी० उत्तर में तथा विनिपेग झील से ७२ किमी० दक्षिण में, यह नगर स्थित है। झील के नाम पर ही नगर का नाम विनिपेग पड़ा है। नगर की जनसंख्या २,६५,४२९ (१९६१) है।

सन् १८८५ में कैनाडियन पैसिफिक रेलवे का निर्माण हो जाने पर कैनाडा के पश्चिमी भाग का सीधा संबंध पूर्वी भाग से हो गया, जिसके कारण विनिपेग बहुत बड़ा वितरणकेंद्र हो गया। यह कैनाडियन पैसिफिक और कैनाडियन राष्ट्रीय रेलवे का पश्चिमी मुख्य केंद्र है। इसका संयुक्त राज्य, अमरीका, से सीधा संबंध सू लाइन, ग्रेट नार्दर्न एवं नार्दर्न पैसिफिक रेल द्वारा है। हडसन के रेलवे द्वारा विनिपेग नगर मैनिटोबा राज्य के उत्तरी भाग से संबद्ध है। इस उत्तरी भाग में खदानों के विकास के कारण अनेक प्रकार की मशीनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आना जाना विनिपेग से होता है।

विनिपेग में थोक तथा निर्यात व्यापार बहुत अधिक है। पश्चिमी कैनाडा के गेहूँ के उत्पादन का ३/४ विनिपेग में ही आता है। यह नगर अनाज की मंडी भी है। यहाँ फर का भी व्यापार होता है।

विनिपेग नदी पर स्थित विनिपेग बिजली रेलवे कंपनी और म्युनिसिपल कारपोरेशन द्वारा सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के कारण विनिपेग में औद्योगिक विकास भी तीव्रता से हुआ है। यहाँ के प्रमुख उत्पादन हैं: आटा और उससे तैयार होनेवाले पदार्थ, कागज के डिब्बे, मांस तथा मांस से निर्मित पदार्थ, मशीनरी, औजार, ईंट और जिप्सम।

विनिपेग की चौड़ी सड़कों के किनारों पर वृक्ष लगे हुए हैं। नगर में डिक्टोरिया एवं एलिजाबेथ नाम की दो बड़ी पार्क हैं। मैनिटोबा विश्वविद्यालय, मिलिटरी बैरक और अस्पताल नगर के

बाहर हैं। यहाँ के मुख्य भवन १९२० ई० में ८४ लाख डालर के व्यय से निर्मित, मैनिटोबा संसद भवन, प्रेक्षागृह और लॉ कोर्ट भवन हैं।

२. झील, स्थिति : ५२° ३०′ उ० अ० तथा ९८° ०′ प० दे०। कैनाडा के मैनिटोबा प्रांत में लगभग २१७ मीटर की ऊँचाई पर यह झील स्थित है। झील लगभग ४१६ किमी० लंबी तथा ४० से ९६ किमी० तक चौड़ी है। इसका क्षेत्रफल लगभग २४०६० वर्ग किमी० है। झील में कई छोटे बड़े टापू हैं, जिनमें रेंडीयर (लगभग १४१ वर्ग किमी०) मुख्य है।

इसकी गहराई लगभग २१ मीटर है। इसका दक्षिणी किनारा काफी दलदली है। इसमें मिलनेवाली नदियों में मुख्य हैं दक्षिण की ओर से रेड नदी, पूरब की ओर से विनिपेग, ब्लडवेन, वैरेन और पाइनलट तथा पश्चिम की ओर से डॉफिन एवं सैस्केचेवान नदियाँ। इस झील में मैनिटोबा झील और विनिपेगोसिस झील का जल आता है तथा झील का जल नेल्सन नदी द्वारा हडसन की खाड़ी में जाता है। [श्री० ना० सिं०]

विनिपेगोसिस झील स्थिति ५१° ३४′ से ५३° ११′ उ० अ० तथा ९९° ३७′ से १०१° ६′ प० दे०। यह झील कैनाडा के मैनिटोबा और सैस्केचेवान प्रांतों में स्थित है। इसकी सबसे अधिक लंबाई १५२ मील और सबसे अधिक चौड़ाई १७ मील है। टापुओं को छोड़कर इस झील का कुल क्षेत्रफल २,०८६ वर्ग मील है। यह समुद्र-तट से ८३१ फुट की औसत ऊँचाई पर है। इसमें गिरनेवाली नदियों में वाटरहेन नदी है जो वाटरहेन झील से होकर आती है। इसकी खोज १७३९ ई० में पियरे डी ला वेरेंड्री ने की थी।

[श्री० ना० सिं०]

विनिमय, विदेशी विदेशी विनिमय के संबंध में विचार करने से पहले विनिमय शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है। विनिमय का साधारण अर्थ यह है कि किसी एक वस्तु के बदले आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ प्राप्त करना। वस्तुओं के क्रय विक्रय अथवा अदल बदल को भी विनिमय कहते हैं। विदेशी विनिमय में भिन्न देशों की लेनी देनी का पारस्परिक विनिमय होता है। इसमें विनिमय की दर के विवेचन के अतिरिक्त उस गत लेनी देनी का विवेचन भी सम्मिलित है जिसके द्वारा एक देश अन्य देशों का देनदार और लेनदार बन जाता है। विदेशी विनिमय में इस बात का भी विचार किया जाता है कि उस लेनी देनी का किस प्रकार भुगतान किया जाता है और उसकी विषमता का विनिमय की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है।

हमें यह विचार करना है कि कोई देश अन्य देश का किन बातों से देनदार और लेनदार हो जाता है। विदेशी रकम की वस्तुएँ बाहर से किसी देश में आती हैं उसी रकम का वह देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है और विदेशी रकम की वस्तुएँ वह बाहर अन्य देशों को भेजता है उसी रकम का वह लेनदार हो जाता है। विदेशी बहुतों पर माल का लदान होने से [illegible] के लिये वह अन्य देशों का देनदार हो जाता है। इसी प्रकार अपने जहाज पर माल बाहर भेजने के कारण वह अन्य देशों का लेनदार भी हो जाता है। देश की सरकार या व्यक्ति यदि अन्य देश के ऋणपत्र (सिक्यूरिटी) एवं शेयर आदि खरीदता है तो देश अन्य देशों का लेनदार हो जाता है। इसके अतिरिक्त विदेशियों से कर्ज लेने के समय भी अन्य देशों का देनदार हो जाता है। देश में कार्य करनेवाले विदेशियों की बचत और मुनाफे के कारण भी देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है। जब देश किसी कारण से अन्य देशों को विशेष 'कर' देने के लिये बाध्य किया जाता है तो वह इस रकम के लिये अन्य देश का देनदार हो जाता है।

उपर्युक्त लेन देन का भुगतान करने के लिये कुछ देशों में तो सोने चाँदी के सिक्के प्रचलित हैं और उनका लेन देन इन्हीं सिक्कों में कूता जाता है। यदि किसी कारण से देश को अपना कर्ज चुकाने का कोई अन्य साधन नहीं मिलता तो उसे सोना या चाँदी भेजने के लिये बाध्य होना पड़ता है। व्यापारी लोग प्रायः भुगतान विदेशी हुंडियों से ही करते हैं क्योंकि अब सरकार द्वारा सोना चाँदी बाहर भेजने पर रोक लगा दी गई है। हुंडी एक प्रकार का आज्ञापत्र है। हुंडी लिखनेवाला किसी व्यक्ति या संस्था को यह आज्ञा देता है कि वह हुंडी में लिखी रकम नामोल्लेख किए हुए व्यक्ति को दे दे। ऐसी हुंडी को व्यापारी हुंडी कहते हैं। व्यापारी हुंडी के अतिरिक्त एक और दूसरी तरह की हुंडियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें रोजगारी हुंडी कहते हैं। इसके अतिरिक्त यात्री हुंडी, सरकारी हुंडी और बैंकों द्वारा जारी की गई हुंडियों का उपयोग भी विदेशी व्यापारिक लेन देन चुकाने में होता है।

उपर्युक्त लेन देन जिस दर पर चुकाया जाता है उसे विनिमय दर कहते हैं। इस दर पर प्रायः बैंकों द्वारा विदेशी दर्शनी हुंडियाँ खरीदी जाती हैं और इसी दर पर किसी समय देश की लेनी देनी की विषमता का प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार द्वारा बाहर सोना भेजने में कोई रोक टोक न हो और देश की देनी लेनी से बहुत अधिक हो तो विनिमय की दर उस सीमा तक पहुँच जाती है जब देनदारियों को हुंडी के बदले सोना भेजने में ही सुविधा होती है। इस सीमा को स्वर्ण-निर्यात-दर कहते हैं और विनिमय की दर इसके बाहर नहीं जाती। इसके विपरीत अन्य देशों से किसी देश को देनी की अपेक्षा लेनी बहुत अधिक होती है तब उस देश की विनिमय की दर उस सीमा तक पहुँच जाती है जब अन्य देशों को उस देश में हुंडियाँ भेजने के बदले सोना भेजने में सुविधा होती है। इस दर को स्वर्ण-आयात-दर कहते हैं। विदेशी विनिमय की दर इस सीमा से बाहर नहीं जाती। इस प्रकार स्वर्ण आयात और निर्यात दर के अंदर ही किसी देश की विनिमय की दर घटती बढ़ती है।

अब हमें यह जानना है कि विनिमय की दर की अस्वाभाविक घटबढ़ का व्यापार का भिन्न भिन्न वर्गों के मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब विनिमय की दर स्वर्ण-आयात-दर से बाहर जाने लगती है तो देश में बाहर से माल मँगानेवालों को लाभ होता है और आयात को उत्तेजना मिलती है। साथ ही साथ देश से बाहर माल भेजनेवालों को हानि उठानी पड़ती है। देश के अंदर की वस्तुओं की कीमत कुछ घटने लगती है। उन व्यापारियों को हानि होती

है जिनका देश के अंदर विदेशी सस्ते माल से मुकाबला रहता है। इस प्रकार विनिमय की दर की अत्यधिक घटबढ़ से किसी को तो लाभ होता है और किसी को हानि। व्यापारियों को हजारों का नुकसान हो जाता है और कुछ को उतना ही फायदा हो जाता है। इस हानि लाभ से बचने के लिये प्रत्येक देश की सरकार का यह प्रयत्न हो जाता है कि वह विनिमय की दर को अत्यधिक घटने बढ़ने से रोके।

वर्तमान काल में संसार के अधिकांश देशों में (अमरीका को छोड़) सोने और चाँदी के प्रामाणिक सिक्के प्रचलित नहीं हैं। पत्र-मुद्रा का सर्वत्र ही प्रचार है। स्वर्ण के आयात और निर्यात पर सरकारों द्वारा रोक लगा दी गई है। इस कारण किसी भी देश की सरकार को अपने देश की विदेशी विनिमय की दर का नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। वह हमेशा प्रयत्न करती है कि यह किसी भी समय देश की देनी लेनी से बहुत अधिक न होने पावे।

विदेशी विनिमय के नियंत्रण करने का प्रधान कारण यह है कि विनिमय दर में घटबढ़ होने के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बहुत धक्का लगता है। अतः इस घटबढ़ को रोकने के लिये अनेक राष्ट्रों ने विदेशी विनिमय समीकरण कोषों की स्थापना की। उस कोष में स्वदेश का द्रव्य और अन्य देशों का द्रव्य और सोना भी रहता है। आर्थिक संकट के समय भी कभी कभी देश की पूँजी को बाहर जाने से रोकने के लिये विदेशी विनिमय का नियंत्रण किया जाता है।

संसार के प्रधान देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की है। इस कोष की स्थापना से देशों के बीच वित्तीय मामलों में अधिक निकट सहयोग का युगारंभ हुआ। इस कोष की कुल पूँजी ८०० करोड़ डालर के बराबर है। इसमें प्रत्येक देश का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया है। भारत का हिस्सा ४० करोड़ डालर है। इस कोष का प्रधान कार्य विदेशी विनिमय में अस्थिरता कम करने में सदस्य देशों की सहायता करना है। चालू व्यापार के लेन देन में व्यापकता लाने में भी यह कोष सहायक होता है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय लेन देन को सुगम करने में भी यह सहायक होता है।

विदेशी विनिमय की दर को स्थिर करने के लिये कोष के अधिकारियों ने कुछ नियम बनाए हैं जिनके अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपने द्रव्य का विनिमय मूल्य सोने अथवा डालर में निश्चित कर कोष के अधिकारियों को सूचित करना पड़ता है। भारत के रुपए का मूल्य ०.०८६३५७ औंस शुद्ध स्वर्ण के बराबर है जिसका आधार तत्कालीन विनिमय दर १ रुपया = १ शि० ६ पें०, १ पौं० = ४.३ डालर और एक शुद्ध औंस स्वर्ण = ३५ डालर थी।

सितंबर, १९४९ में इंग्लैंड ने स्टर्लिंग का अवमूल्यन कर दिया जिससे डालर का विनिमय अनुपात घट गया। भारत ने भी रुपए के डालर मूल्य को ३.२२५ सेंट से घटाकर २१ सेंट कर दिया किंतु स्टर्लिंग मूल्य को १ शिलिंग ६ पेंस ही रहने दिया। पाकिस्तान ने मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया। इस कारण भारतीय रुपए का मूल्य पाकिस्तानी रुपए के बराबर न रहा। परिवर्तित विनिमय दर के अनुसार १०० पाकिस्तानी रुपए १४४ भारतीय रुपए के बराबर हो गए।

भारतीय विदेशी विनिमय का इतिहास अपने ही ढंग का है। सन् १८९३ में भारत सरकार ने इंग्लैंड के सिक्के शिलिंग पेंस में रुपए की एक कानूनन दर निर्धारित की थी वह दर १ रु० = १ शि० ४ पें० थी। भारत सरकार इस दर को सन् १९१७ तक बनाए रखने में समर्थ रही। इसके बाद विनिमय की दर का बढ़ना प्रारंभ हुआ। विनिमय की दर के बढ़ने का प्रधान कारण चाँदी की कीमत में वृद्धि थी। चाँदी की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि भारत का चाँदी का रुपया प्रामाणिक सिक्का हो गया। सन् १९१८ में यह दर १ शि० ६ पें० हो गई। मई और अगस्त, सन् १९१९ में यह दर क्रमशः १ शि० ८ पें० और १ शि० १० पें० हो गई। चाँदी की कीमत फिर भी बढ़ती ही गई। इसी वर्ष विनिमय की दर सितंबर में २ शिलिंग, नवंबर में २ शि० २ पें० तथा दिसंबर में २ शि० ४ पें० तक बढ़ गई।

सन् १९२० के फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में करेंसी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कमेटी ने यह सिफारिश की कि भारतीय विनिमय की कानूनन दर बढ़ा दी जाय पर कमेटी ने ऊँची दर से होनेवाली हानियों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। इस दर से भारत के निर्यात व्यापार और उद्योग धंधों को भारी क्षति पहुँचने की संभावना थी, परंतु उसने इसकी परवाह न की। कुछ समय बाद विनिमय की दर घटना प्रारंभ हुआ और वह अप्रैल, सन् १९२० तक २ शि० पौने चार पेंस तक गिर गई। विनिमय की दर गिरती ही गई और १९२० के अंत तक वह गिरते गिरते १ शि० १०½ पें० तक आ गई। इस बीच भारत सरकार को कई लाख रुपयों की उल्टी हुंडियाँ एवं कई लाख रुपए का सोना घाटे पर बेचना पड़ा। उल्टी हुंडियों को बेचने से भारत सरकार को करीब ३२ करोड़ की हानि हुई और घाटे पर सोना बेचने से करीब ८ करोड़ की हानि हुई। इस प्रकार भारत को लगभग ४० करोड़ रुपयों की हानि हुई।

कई करोड़ रुपयों की हानि उठाने के बाद सितंबर, सन् १९२० से भारत सरकार ने विनिमय संबंधी बातों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। इससे विनिमय दर की अस्थिरता और भी बढ़ती गई। सन् १९२१ से १९२५ तक यह दर १ शि० ६ पें० एवं १ शि० ३ पें० के बीच घटती बढ़ती रही। इस अस्थिरता के कारण भी देश को बहुत नुकसान हुआ।

हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट सन १९२६ ई० में प्रकाशित हुई। इस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय विनिमय की दर १ शि० ६ पें० निश्चित हुई और भारत सरकार ने आवश्यक कानून बना दिए। आज तक वह उसी दर को बनाए रखने का प्रयत्न कर रही है। परंतु इस संबंध में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह दर कागजी पौंड की है, न कि स्वर्ण पौंड की।

सं० ग्रं० — (१) डब्ल्यू० एफ० स्टालिंग : फॉरेन एक्सचेंज ऐंड फॉरेन बिल्स (२) एच० एस० जेवंस : फ्यूचर ऑव एक्सचेंज इन इंडिया : (३) गार्थेन : थियरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। [द० शं० मु०]

विनोग्रेड्स्की, एस० एन० रूस के निवासी थे, किंतु इन्होंने फ्रांस में रहकर वैज्ञानिक कार्य किए। ये बड़े प्रसिद्ध सूक्ष्मजीव विज्ञानी (microbiologist) थे। इन्होंने सन् १८९१ में स्लोएजिंग तथा मुट्ज द्वारा खोज की गई नाइट्रीकरण क्रिया पर कार्य करते हुए, उन दो जीवाणुओं को ढूँढ़ निकाला जो नाइट्राइट तथा नाइट्रेट बनाते थे। इन्होंने मिट्टी में अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करनेवाले जीवाणुओं को नाइट्रोसोमोनास (Nitrosomonas) तथा नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करनेवाले जीवाणुओं को नाइट्रोबेक्टर (Nitrobacter) नाम प्रदान किए। भूमि संबंधी सूक्ष्मजीवविज्ञान के क्षेत्र में यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस खोज के पूर्व सन् १८९० में इन्होंने स्वपोषित (autotrophic) सूक्ष्म जीवाणुओं के संबंध में विस्तार से कार्य किया और गंधक जीवाणुओं (sulphur bacteria) तथा लौह जीवाणुओं (iron bacteria) की खोज की। १८९३ ई० में इन्होंने कतिपय जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकीकरण पर कार्य किया। इस दिशा में कार्य करते हुए, इन्होंने क्लॉस्ट्रीडियम पैस्टुरियानम (Claustridium pasturianum) नामक अवायु (anaerobic) जीवाणुओं की खोज की। ये जीवाणु मिट्टी में कुछ गहराई तक बिना ऑक्सीजन के भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को यौगिकीकृत करने में समर्थ होते हैं। इन जीवाणुओं की विशेषता यह है कि इन्हें जलविलेय शर्करा के घटन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि प्रणाली में अमोनियम लवण लेशमात्र भी पाया जाता है, तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं हो पाता।

इन खोजों के संबंध में जीवाणुओं के शुद्ध प्राप्त करने के लिये इन्होंने 'सिलिका जेल' विधि का सूत्रपात किया, जो बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है।

सन् १९४९ में इन्होंने माइक्रोबायलोजी द सोल प्राब्लेम्स एट मीथड (Microbiologie du Sol Problems et Methode) नामक एक पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित की, जिसमें न केवल इनके द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत वर्णन है वरन् सूक्ष्मजीवविज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किया जा चुका था उसकी भी समीक्षा है। [शि० गो० मि०]

विन्यासरसायन, या त्रिविमरसायन (Stereochemistry) स्टीरियो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टिरियॉस (sterios) से है, जिसका अर्थ ठोस होता है, हुई है और यह रासायनिक यौगिकों के उन गुणों से संबंधित है जो उनके अणु के परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था पर निर्भर हैं। इस लेख में हम इस शब्द का तीन अर्थ में उपयोग करेंगे, जिनका अभिप्राय किसी अणु के त्रिविम रासायनिक गुणों से है। परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था का इससे प्रमुख फल त्रिविम समावयवता (stereo-isomerism) है। समावयवी वे यौगिक हैं जिनका अणुसूत्र एक होता है, पर कुछ भौतिक तथा रासायनिक गुणों में वे भिन्न होते हैं। यह विभिन्नता इनके अणुओं के भीतर परमाणुओं की व्यवस्था की विभिन्नता के कारण [illegible]। एथिल ऐ[illegible] दोनों का अणुसूत्र एक ही का, अर्थात् (C_2H_6O) है, पर अणुओं में परमाणुओं का विन्यास भिन्न भिन्न है।

विन्यास समावयवता दो प्रकार की होती है: एक प्रकाशीय समावयवता और दूसरी ज्यामितीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवी असममित होने के कारण प्रकाशत सक्रिय होते हैं तथा बहुत से रासायनिक और भौतिक गुणों में समान होते हैं। इनका सबसे प्रमुख अंतर ध्रुवित प्रकाश के साथ की क्रिया है, क्योंकि इन समावयवियों का घूर्णन बराबर और विपरीत दिशा में हो सकता है। ज्यामितीय समावयवियों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों में भिन्नता होती है।

विन्यासरसायन के प्रारंभिक इतिहास का वास्तविक अध्ययन प्रकाश की कुछ घटनाओं की खोज से आरंभ होता है। १९०८ ई० में मालुस (Malus) ने घूर्णन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की खोज की और तीन वर्ष बाद आरागो (Arago) ने स्फटिक के प्रकाशीय सक्रिय होने का पता लगाया। १८१५ ई० में बियो (Biot) ने पता लगाया कि ठोसों के साथ साथ द्रव और गैसें भी विलयन में प्रकाशसक्रिय होती हैं।

विशिष्ट घूर्णन — किसी प्रकाशतः सक्रिय पदार्थ का विशिष्ट घूर्णन $[\alpha]^t_\lambda = \frac{\alpha}{l\,d}$ समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें विशिष्ट घूर्णन $[\alpha]^t_\lambda$, प्रकाश की तरंग लंबाई λ, तथा $t°$ ताप के लिये है और α प्रकाश के घूर्णन का अंश (degree) है, जो l सेंटीमीटर लंबी नली से होकर प्रकाश के जाने से प्राप्त हुआ तथा d नली में भरी हुई प्रकाशसक्रिय वस्तु की प्रति घन सेंमी० सांद्रता है। दाहिनी ओर के घूर्णन को धनात्मक (+) तथा बाईं ओर के घूर्णन को ऋणात्मक (−) कहते हैं। विशिष्ट घूर्णन प्रकाश तरंग, लंबाई, ताप, विलायक तथा सांद्रण पर निर्भर है। कभी कभी इनके परिवर्तन के कारण घूर्णन की दिशा ही विपरीत हो जाती है।

शेले (Scheele) ने १७९८ ई० में टार्टरिक अम्ल अंगूरों के टार्टर से प्राप्त किया तथा १८१९ ई० में केस्टनर (Kastner) ने उसी संघटन का एक अम्ल उपजात के रूप में पाया और इसका नाम रेसिमिक (Racemic) अम्ल रखा। १८३८ ई० में बियो ने पता लगाया कि टार्टरिक अम्ल प्रकाशतः सक्रिय है और रेसिमिक अम्ल प्रकाशतः निष्क्रिय है। ध्रुवित प्रकाश तथा प्रकाशत सक्रियता की खोज के उपरांत विन्यासरसायन के सिद्धांतों में उल्लेखनीय प्रगति पैस्टर (Pasteur) के द्वारा हुई। पैस्टर ने पता लगाया कि टार्टरिक और रेसिमिक अम्लों का संघटन तथा उनका संरचनासूत्र HOOC – CHOH – CHOH – COOH एक है, पर उनके भौतिक गुणों में भिन्नता है। रेसिमिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल की अपेक्षा पानी में कम विलेय है तथा टार्टरिक अम्ल और उसके लवण प्रकाशतः सक्रिय हैं, पर रेसिमिक अम्ल और उसके लवण प्रकाशतः निष्क्रिय हैं। पैस्टर की सबसे विख्यात खोज रेसिमिक अम्ल के सोडियम और अमोनियम लवण पर हुई। यह लवण जब क्रम से २२° पर क्रिस्टलीकृत होता है, तो इसके क्रिस्टल [illegible]

(hemihedral facets) होती हैं। दो प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, एक तो दक्षिणावर्त सोडियम अमोनियम टार्टरेट की भाँति सर्वसम और दूसरी तरह के क्रिस्टल, जिनकी अर्धफलकता (hemihedrism) इनके विपरीत होती है। इस दूसरे प्रकार के क्रिस्टल को दर्पण प्रतिबिंब की संज्ञा दी गई। इनको जब मिश्रण से पृथक् किया गया तो इसका जलीय विलयन वामावर्त (laevo-rotatory) था। इससे प्राप्त अम्ल का क्रिस्टल भी टार्टरिक अम्ल के क्रिस्टल के दर्पण प्रतिबिंब के रूप में था और विलयन भी वामावर्त था। इसलिये इस अम्ल को टार्टरिक अम्ल का दूसरा रूप समझा गया। इनके क्रिस्टल असममित होते हैं :

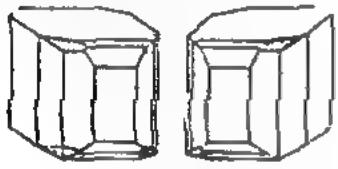

चित्र १. प्रतिबिंबरूपी क्रिस्टल

सोडियम अमोनियम टार्टरेट के ये दोनों क्रिस्टल परस्पर प्रतिबिंबरूपी हैं।

प्रकाशीय समावयवता (Optical Isomerism) — यह पाया गया कि केवल वे ही क्रिस्टल तथा अणु, जिनके दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित (superimpose) नहीं होते, प्रकाशत सक्रिय होते हैं। ऐसी संरचना को असममित कहते हैं।

बहुत से पदार्थ ठोस अवस्था में ही प्रकाशतः सक्रिय होते हैं, जैसे स्फटिक, सोडियम क्लोरेट आदि। सर्वप्रथम ज्ञात, प्रकाशत सक्रिय पदार्थ स्फटिक ही है, जिसके क्रिस्टल दो प्रकार के, एक दक्षिणावर्त और दूसरा वामावर्त, होते हैं। ये दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और अध्यारोपित नहीं होते। क्रिस्टल के ऐसे जोड़ों को प्रतिबिंब रूप (enantiomorphs) कहते हैं। स्फटिक के गलाने पर इनकी सक्रियता लुप्त हो जाती है। इसलिये स्फटिक की प्रकाशत सक्रियता उसके असममित क्रिस्टल संरचना के कारण होती है। इस वर्ग के पदार्थ प्रकाशत सक्रिय तभी तक रहते हैं जब तक वे ठोस रूप में होते हैं, और गलने पर, वाष्पीकरण से तथा विलयन में इनकी सक्रियता नष्ट हो जाती है।

बहुत से यौगिक ठोस, गलन, गैसीय या विलयन अवस्था में भी प्रकाशत सक्रिय होते हैं, जैसे ग्लूकोज, टार्टरिक अम्ल आदि। इनकी सक्रियता यौगिक की असममित आणविक संरचना के कारण होती है। इस अणु और उसके दर्पण प्रतिबिंब को प्रतिबिंब रूप, प्रकाशीय प्रतिविन्यासी (optical antipodes) या प्रकाशीय समावयवी कहते हैं।

प्रतिबिंब रूपों के गुण — केवल दो बातों को छोड़कर, ये रूप भौतिक गुणों में एक से होते हैं। एक ही ध्रुवित प्रकाश के साथ बराबर और विपरीत घूर्णन देते हैं और दूसरे दक्षिणावर्त तथा वामावर्त वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के साथ इनका अवशोषण गुणांक भिन्न होता है। प्रतिबिंब रूपों के रासायनिक गुण एक से होते हैं, पर किसी दूसरे प्रकाशत. सक्रिय पदार्थ के साथ की अभिक्रिया में प्राय अंतर होता है। शरीरक्रियात्मक सक्रियता (physiological activity) में भी अंतर हो सकता है, जैसे (+) हिस्टीडीन (histidine) मीठा होता है और (−) हिस्टीडीन स्वादहीन; (−) निकोटिन (+) निकोटिन से अधिक विषैला होता है।

चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु (Tetrahedral Carbon Atom)— सन् १८७४ में वाट हॉफ और ले बल (Van't Hoff and Le Bel) ने कार्बनिक यौगिकों की प्रकाशत. समावयवता के अस्तित्व का समाधान किया। वाट हाफ ने विचार किया कि कार्बन की चारों संयोजकता किसी समचतुष्फलक (regular tetrahedron) के चारों सिरों की तरफ निर्देशित है और कार्बन परमाणु उस चतुष्फलक के मध्य में स्थित है। इस सिद्धांत के अनुसार मेथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु समान होंगे, जिसे भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा सिद्ध भी किया गया। इसके पूर्व १८५८ ई० में यह समझा जाता था कि कार्बन की चारों संयोजकताएँ एक समतल में हैं और कार्बन परमाणु इस वर्ग के केंद्र पर है।

चतुष्फलकीय कार्बन की पुष्टि — CX_4 अणु में कार्बन की चारों संयोजकताएँ समान हैं और यह कल्पना की जा सकती है कि त्रिविम (space) में इनका सममित (symmetrical) विन्यास है। इस प्रकार तीन व्यवस्था संभव हो सकती है—(१) तलीय, (२) पिरैमिडीय और (३) चतुष्फलकीय।

(१) यदि अणु एकतलीय हो, तो यौगिक C a b d e के तीन रूप संभव हो सकते हैं।

(२) यदि अणु पिरैमिडी है, तो इस यौगिक के छह रूप संभव हो सकते हैं।

(३) यदि अणु चतुष्फलकीय है, तो यौगिक C a b d e के दो रूप ही संभव होंगे और दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे।

वास्तव में यौगिक C a b d e एक जोड़े प्रतिबिंब रूप में ही प्राप्त होते हैं, जो चतुष्फलकीय अणुसंरचना की पुष्टि करते हैं।

जब कार्बन से संयोजित चारों समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तब ऐसे कार्बन को असममित कार्बन (asymmetric carbon) कहते हैं। प्रकाशत सक्रिय कार्बनिक यौगिकों में एक, अथवा एक से अधिक, असममित कार्बन परमाणु अवश्य रहते हैं। असममित कार्बन यौगिक के C a b d e दोनों प्रतिबिंब रूप जब Ca_2bd में बदल जाते हैं, तो केवल एक ही प्रकाशतः निष्क्रिय पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों लैक्टिक अम्ल अवकृत होकर एक ही प्रोपिओनिक अम्ल देते हैं। इससे चतुष्फलकीय कार्बन की पुष्टि होती है।

रंटगेन किरण के क्रिस्टलीय विश्लेषण (crystallographic analysis), द्विध्रुव आघूर्ण (dipole moments), अवशोषण

कॉम्प्टन (कॉम्प्टन मूलकण) तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन (इलेक्ट्रॉन की विवर्तन) के प्रयोगों ने कार्बन के चतुष्फलक मॉडल को पुष्ट करते हैं।

कॉम्प्टन प्रभाव के द्वारा कार्बन की किसी भी संयोजकता के बीच का कोण 109° 28' निकाला गया। पहले यह विचार था कि यह संयोजक कोण स्थायी रहता है, पर अब ज्ञात है कि संयोजकता का कार्बन स्थान से विस्थापन हो सकता है और इस कारण इस कोण में भी परिवर्तन हो सकता है। जब कार्बन परमाणु से संयोजित सभी चारों परमाणु या समूह एक से होते हैं, तो यह कोण निश्चय ही 109° 28' होता है, जैसा मेथेन, CH_4, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl_4, में है। लेकिन डाइक्लोरो क्लोरोफॉर्म, $CHCl_3$, में कोण 111° पाया जाता है, क्योंकि क्लोरीन के बड़े परमाणुओं के प्रतिकर्षण के कारण संयोजकता कोण में अधिक वैस्तार संभव है।

एक असममित कार्बन परमाणुवाले यौगिक — एक असममित कार्बन परमाणुवाले समावयवियों में मुख्य अंतर उनकी प्रकाशीय सक्रियता में है। दोनों प्रतिबिंब रूपों के घूर्णन के चिह्न में ही केवल अंतर होता है। इसलिये इन्हें प्रकाशतः प्रतिक्रियाशी (antipodes) भी कहते हैं।

लैक्टिक अम्ल, $CH_3CHOH\,COOH$, के अणु के केवल दो ही प्रकाशतः सक्रिय समावयवी हैं, जो आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इन्हें डेक्स्ट्रो – (d –) और लेवो – (l –) लैक्टिक अम्ल कहते हैं। बराबर अनुपातों में दोनों रूपों का मिश्रण प्रकाशतः

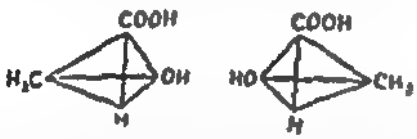

निष्क्रिय होता है, क्योंकि दोनों प्रतिबिंब रूपों का घूर्णन समान तथा दिशा विपरीत होती है। ऐसे अणु अनुपाती मिश्रण, जो बाह्यतः प्रतिकारित (externally compensated) तथा प्रकाशतः निष्क्रिय होते हैं, रेसिमिक रूपांतर (racemic modification) कहलाते हैं। ऐसे रेसिमिक यौगिकों को r (±) अथवा dl- उपसर्गों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इस प्रकार एक असममित कार्बन परमाणु वाला यौगिक तीन रूपों में प्राप्त हो सकता है। इन समावयवियों की संभावना असममित कार्बन परमाणु पर ही निर्भर है। कार्बन की असममिति नष्ट होने पर प्रकाशीय सक्रियता तथा समावयवता दोनों लुप्त हो जाती हैं। सक्रिय मैलिक अम्ल ($HOOC\,CH_2\text{-}CHOH\,COOH$) के दोनों रूपों के अवकृत करने पर निष्क्रिय सक्सिनिक अम्ल, $HOOC\,CH_2\,CH_2.COOH$, प्राप्त होता है।

दो या अधिक असममित कार्बन परमाणुवाले यौगिक — यौगिकों में ज्यों ज्यों असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है त्यों त्यों अधिक समावयवी रूपों की संभावना बढ़ती जाती है। साधारण दशा में एक असममित यौगिक के, जिसमें संख्या n असममित कार्बन परमाणु हों, प्रकाशतः सक्रिय समावयवों की संख्या 2^n हो सकती है और 2^{n-1} प्रतिबिंब रूपों के जोड़े, अर्थात् 2^{n-1} रूप होंगे।

ये यौगिक, जिनमें दो भिन्न असममित कार्बन परमाणु अर्थात् चार समूहों की संख्या रखते हैं। इनमें दो रूपों के जोड़े में एक दूसरे के समान और विपरीत विन्यास होते हैं। दोनों जोड़ों के दो रेसिमिक रूप भी प्राप्त होते हैं। [illegible] असममित कार्बनों को अ और ब के साथ तथा चार और – उनका विन्यास समझा जाए, तो प्रकारांतर दो इस प्रकार लिख सकते हैं :

(१)	(२)	(३)	(४)
+अ	–अ	+अ	–अ
+ब	–ब	–ब	+ब
१ रेसिमिक रूप		२ रेसिमिक रूप	

इस प्रकार के उदाहरण निर्देशित टेट्रिक अम्लों, $C_4H_6\,C\,H\,Br\,CHBr.\,COOH$, हैं, जो चार प्रकाशतः सक्रिय रूपों तथा दो रेसिमिक रूपों में प्राप्त हैं। यौगिक, जिनमें दोनों असममित कार्बन परमाणु हों, तीन विन्यासों में पाए जाते हैं, दो प्रकाशतः सक्रिय प्रतिबिंब रूप होते हैं और तीसरा प्रतिकारित (internally compensated) निष्क्रिय होता है। इसका विभेदन प्रकाशतः सक्रिय रूपों में नहीं हो सकता। अथवा दोनों सक्रिय रूपों से एक रेसिमिक रूप भी उत्पन्न है। जब अ = ब हो, तो तीसरा और चौथा रूप एक होता है।

(१)	(२)	(३)
+अ	–अ	+अ
+अ	–अ	–अ
रेसिमिक रूप		

संख्या ३. द्वारा निर्देशित पदार्थ प्रकाशतः निष्क्रिय होता यद्यपि इसमें दो सक्रिय कार्बन हैं, तथापि वे एक दूसरे को प्रकाशतः प्रतिकारित करते हैं, क्योंकि उनका घूर्णन समान और विपरीत है। इस प्रकार प्रतिकारित अणु को i अथवा मेसो (meso) रूप कहते हैं। निष्क्रिय अविभेदित रूप उन यौगिकों में संभव नहीं है जिनमें एक असममित कार्बन परमाणु हो। यह रेसिमिक रूपों से भिन्न है, जिनका विभेदन उनके प्रकाशतः सक्रिय रूपों में किया जा सकता है। इस प्रकार का सबसे उत्तम उदाहरण डाइहाइड्रोक्सिसिनिक अम्ल है, जिसमें दो समान असममित कार्बन हैं और जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। सिद्धांत के अनुसार यह दक्षिणावर्त, वामावर्त और मेसो-टार्टारिक अम्ल रूपों के समान मिश्रण से प्राप्त होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त प्रकाशतः प्रतिक्रियाशी हैं तथा मेसो और रेसिमिक निष्क्रिय हैं। इनके संरचनासूत्र निम्न रूप में दर्शाए जा सकते हैं :

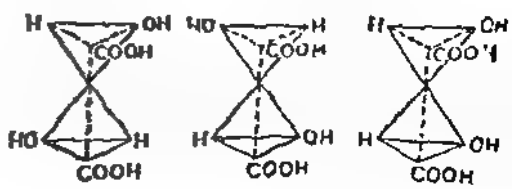

रेसिमिक रूपांतरण (Racemic Modification) — एक जोड़े प्रतिरूपों (वामावर्त तथा दक्षिणावर्त) के बराबर मिश्रण को रेसिमिक रूप कहते हैं। यह रूप निम्न कारणों से प्राप्त हो सकता है :

(१) बराबर मात्रा में दोनों प्रतिरूपों को मिलाने से।

(२) असममित यौगिकों के संश्लेषण (सममित यौगिकों से) में रेसिमिक रूप प्राप्त होता है।

रेसिमीकरण (Racemisation) — एक प्रकाशत. सक्रिय यौगिक को रेसिमिक रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। प्रायः यौगिकों के + और – रूपों का रेसिमीकरण ताप, प्रकाश और रासायनिक अभिकर्मकों के प्रभाव से हो सकता है। परिवर्तन की क्रिया यौगिक और अभिकर्मक के ऊपर निर्भर करती है। कुछ यौगिकों का रेसिमीकरण इतनी सरलता और शीघ्रता से होता है कि उनको प्रकाशत· सक्रिय रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता। कुछ थोड़े से ऐसे भी यौगिक हैं जो रेसिमीकृत नहीं होते।

रेसिमिक रूपों का विभेदन (Resolution) — विभेदन वह क्रिया है जिससे रेसिमिक रूपांतरण से उसके दोनों प्रतिबिंब रूप अलग किए जाते हैं। वास्तव में इनका मात्रात्मक पृथक्करण बहुत ही कम होता है और कुछ में तो केवल एक ही प्रतिरूप की प्राप्ति होती है। विभेदन की कुछ विधियाँ इस प्रकार हैं :

और कुछ लवण – अम्ल तथा + क्षारक के होंगे। इनके गुणों में विभिन्नता रह सकती है, जिनसे वे क्रिस्टलन द्वारा पृथक् किए जा सकते हैं।

(५) वरणात्मक अवशोषण (Selective absorption) — प्रकाशत सक्रिय पदार्थों का वरणात्मक अवशोषण किसी विशेष प्रकाशत. सक्रिय अवशोषक द्वारा हो सकता है। अनेक रसायनज्ञों ने इसके द्वारा विभेदन सपन्न किया है।

नामकरण — पहले दक्षिणावर्त और वामावर्त प्रतिबिंब रूपों को क्रमश. डेक्ट्रो (d) और लेवो (l) उपसर्गों से निर्देशित किया जाता था। इसी भाँति डक्ट्रो (d) टार्टरिक और लेवो (l) टार्टरिक अम्ल कहा जाता था। वाटहॉफ ने + और – चिह्नों का प्रयोग असममित कार्बन के विन्यास को दर्शाने के लिये किया है। बाद में फिशर ने प्रस्ताव किया कि d और l उपसर्गों का प्रयोग उनकी विन्यास स्थिति के लिये किया जाय और इनका प्रयोग घूर्णन की दिशा के लिये न किया जाए।

किसी प्रकाशत. सक्रिय पदार्थ के घूर्णन का चिह्न प्राय प्रायोगिक दशा में परिवर्तन से विपरीत हो सकता है और इसी भाँति उनके संजातों का, जिनका विन्यास उसी प्रकार है, चिह्न भी घूर्णन की दिशा से विपरीत हो सकता है, जैसे वामावर्त लैक्टिक अम्ल के [illegible]

इस तरह ग्लिसरैल्डिहाइड का पूरा नाम D (+) ग्लिसरैल्डिहाइड और L (−) ग्लिसरैल्डिहाइड होता है। (+) और (−) इसकी घूर्णन दिशा का संकेत करते हैं। इनके ऐल्डिहाइड समूह को अगले सजातीय − CHOH − CHO में बदला जा सकता है और जैसे कि इसमें एक और असममित कार्बन है वैसे ही हर ग्लिसरैल्डीहाइड दो रूप देंगे।

D (+) ग्लिसरैल्डिहाइड L (−) ग्लिसरैल्डिहाइड

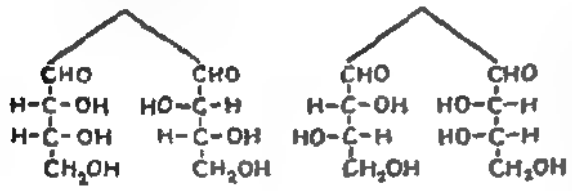

D− श्रेणी L− श्रेणी

इस सिद्धान्त के अनुसार वामावर्त टार्टरिक तथा लैक्टिक अम्ल D− श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये D ग्लिसरैल्डिहाइड से संबंधित हैं।

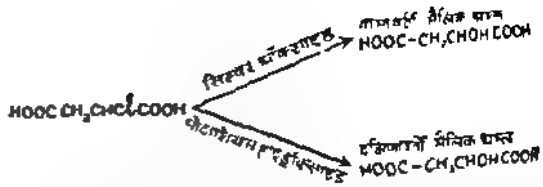

एक अभिक्रिया में क्लोरीन का प्रतिस्थापन साधारण तरह का है और दूसरी में प्रतिस्थापन अणु पुनर्विन्यास के साथ है, जो दर्पण प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। कौन सी अभिक्रिया साधारण है और कौन सी असाधारण, इसको जानने के लिये कुछ और तथ्य चाहिए। इसका प्रमाण मिलता है कि पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया से विन्यास में परिवर्तन होता है। यदि वामावर्त मैलिक अम्ल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिकृत किया जाय, तो दक्षिणावर्त क्लोरोसक्सिनिक अम्ल की प्राप्ति होती है, अर्थात् द्विपदीय अभिक्रिया से एक प्रकाशत सक्रिय यौगिक अपने प्रतिबिंब रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया रैसिमीकरण से भिन्न है, जिसमें प्रकाशत. सक्रिय पदार्थ केवल ५० प्रति शत ही अपने प्रतिबिंब रूप में बदलता है।

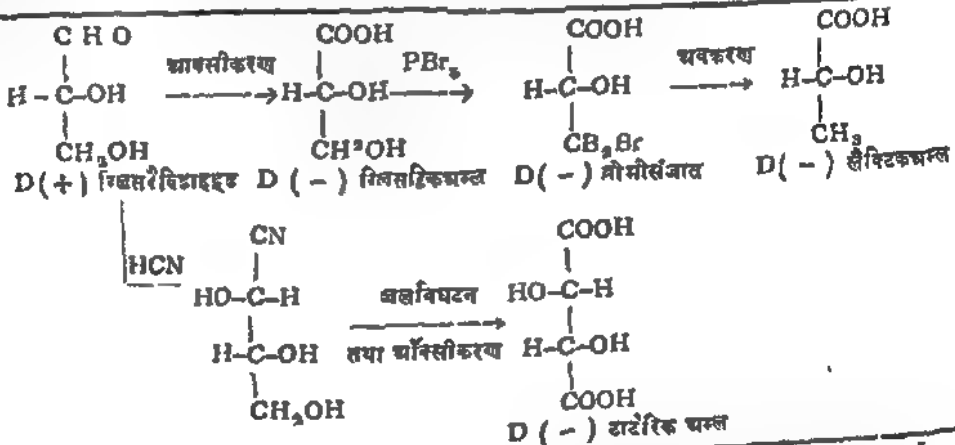

D ⟶ L या L ⟶ D, D ⟶ D L या L ⟶ D L
वॉल्डन प्रतिलोमन रैसिमीकरण

वाल्डन प्रतिलोमन (Walden Inversion) — कार्बन यौगिकों में जब एक समूह दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तब यह समझा जाता है कि प्रतिस्थापक हटाए हुए समूह का स्थान लेता है। यदि एक प्रकाशत. सक्रिय यौगिक का साधारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया से व यौगिक में परिवर्तित होता है, तो इनके विन्यास एक से होते हैं। यह सत्य है, पर कभी कभी प्रतिस्थापन के साथ साथ विन्यास में परिवर्तन भी हो जाता है। इस विन्यास परिवर्तन को प्रतीपी प्रतिलोमन, या आविष्कारक वॉल्डन के नाम से वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। इसका एक सरल उदाहरण क्लोरोसक्सिनिक अम्ल में क्लोरीन का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह से होने पर, मैलिक अम्ल प्राप्त होता है तथा पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के प्रभाव से दक्षिणावर्ती अम्ल प्राप्त होता है :

इस प्रक्रम के द्वारा एक पूर्ण प्रकाशीय चक्र प्राप्त हो सकता है।

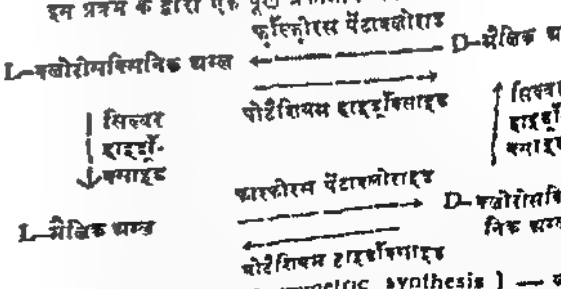

असममित संश्लेषण (Asymmetric synthesis) — जब किसी असममित यौगिक को साधारण रासायनिक अभिक्रिया से असममित यौगिक में परिवर्तित किया जाता है, तब उत्पन्न यौगिक

प्रकाशतः सक्रिय रूप में नहीं वरन् रैसिमिक रूप मे प्राप्त होता है, जैसे बैंजैल्डिहाइड तथा हाइड्रोजन सायनाइड की अभिक्रिया से रैसिमिक माइंड्राइल प्राप्त होता है -

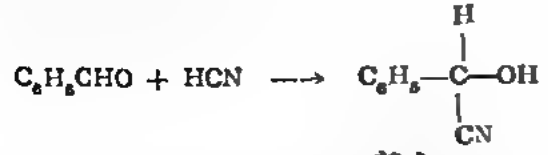

dl मैंडेलोनाइट्राइल

साधारण भौतिक और रासायनिक गुणों में दोनों प्रतिबिंब रूप एक से होते हैं, इसलिये ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक प्रतिबिंब रूप अधिकता से उत्पन्न हो। लेकिन यदि ऐसी ही अभिक्रिया किसी प्रकाशत सक्रिय समूह की उपस्थिति में हो, जिसे बाद मे अलग किया जा सके, तो उत्पन्न पदार्थ में सक्रियता हो सकती है। इस प्रकार के संश्लेषण को असममित संश्लेषण कहते हैं।

मार्कवाल्ड (Marckwald, सन् १९०४) ने सबसे पहले प्रकाशत सक्रिय वैलेरिक अम्ल (valeric acid) का असममित संश्लेषण किया। इस अम्ल को क्विनीन क्षारक के साथ उपचारित करने और विघटन से जो वैलेरिक अम्ल प्राप्त हुआ, वह प्रकाशत सक्रिय था।

इसी प्रकार प्रकाशतः सक्रिय लैक्टिक अम्ल भी प्राप्त हुआ। ऐंजाइमों की उपस्थिति में भी प्रकाशत सक्रिय यौगिक प्राप्त हुए हैं। बैंगनी ध्रुवित प्रकाश मे संश्लेषण के अनेक प्रयोग हुए हैं और इस में प्रकाशत सक्रिय यौगिक के निर्माण में सफलता भी मिली है।

प्रतिबिंबता के लिये प्रतिबिंब (Condition for Enantiomorphism) — किसी यौगिक के प्रकाशत सक्रिय रूप में होने के लिये आवश्यक है कि उसकी अणुसंरचना का दो दर्पण-प्रतिबिंब रूपों में अस्तित्व हो और वे एक दूसरे से अध्यारोपित न हो पाएँ। इस दशा के पूरा होने के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि अणु में एक असममित परमाणु विद्यमान हो। किसी यौगिक के प्रतिबिंब रूप मे होने की क्षमता तभी हो सकती है जब अणु मे सममित तल तथा सममित केंद्र की संभावना न हो।

जैसा वर्णन किया गया है, असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक का विन्यास सममित तल से रहित होता है। ऐसे पदार्थ का जिसमें असममित परमाणु न हों और जो दो दर्पण-प्रतिबिंब रूप मे संभव हो सके, एक सरल उदाहरण ऐलीन (Allen) संबंधों द्वारा दर्शाया जाता है।

ऐलीन दर्पण प्रतिबिंब

यदि हम C_1 के XY समूह को पृष्ठ के तल में समझें, तो कार्बनीय संयोजकताओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के अनुसार C_2 और C_3 के बीच का द्विबंध पृष्ठ के लगभग तल में होगा तथा C_2 और C_3 के बीच का बंध पुनः पृष्ठ तल में होगा। C_3 से संयोजित Y समूह पृष्ठ की सतह से बाहर और X पृष्ठ की सतह से पीछे होगा। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण संरचना में कोई सममित तल नहीं है और अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो पाता।

यदि ऐलिनों के द्विबंध वलयों द्वारा प्रतिस्थापित हो, तो स्पिरानों (spirans) की प्राप्ति होती है और इसमे उभयनिष्ठ परमाणुओं में संयोजित वलय एक दूसरे पर लंबवत् होते हैं। वाट हॉफ ने विचार प्रकट किया था कि इस प्रकार के यौगिकों का अस्तित्व प्रकाशतः सक्रिय रूपों में होना चाहिए, पर प्रयोगात्मक रूप से इसकी पुष्टि काफी बाद में हुई। ऐसे यौगिक का जिसमे कोई असममित परमाणु न हो, सबसे पहला सफल विभेदन पर्किन, पोप और वालाश ने (सन् १९०९) १-मेथिल साइक्लोहेक्सिलिडीन-४-ऐसीटिक अम्ल का किया। क्विनीन लवण के जलीय ऐल्कोहॉल द्वारा क्रिस्टलन पर, यह दो सक्रिय रूपों में प्राप्त किया गया

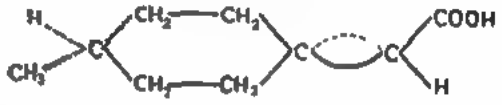

सममित केंद्र के अस्तित्व से भी प्रकाशीय सक्रियता की संभावना नष्ट हो जाती है।

एकल बंध पर बाधित घूर्णन द्वारा प्रकाशीय समावयवता (Optical isomerism due to restricted rotation about a single bond) — एक नए प्रकार की प्रकाशीय समावयवता डाइफेनिल (diphenyl) श्रेणी में पाई जाती है। क्रिस्टी और केनर (Christie and Kenner) के अन्वेषण के साथ ही इसका विकास हुआ, जिसमें उन्होंने पता लगाया कि प्रतिस्थापित डाइफेनिक अम्लों, जैसे ६ ६' (अ), या ४ ६' (ब) डाइनाइट्रो संजातों का विभेदन उनके प्रकाशीय समावयवों में किया जा सकता है। तब से बहुत से प्रतिस्थापित डाइफेनिक अम्लों का विभेदन हुआ

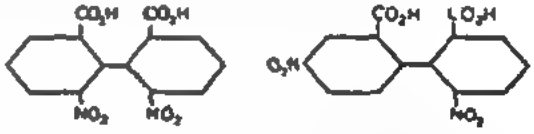

पहले यह विश्वास किया जाता था कि दोनों फेनिल समूह से संबंधित बंध के पास के चारों स्थानों में से तीन का प्रतिस्थापन अनिवार्य है। बाद में डाइयोर्थो प्रतिस्थापित यौगिकों के, जैसे २ २' डाइनाइट्रोफेनिक अम्ल, डाइफेनिल के विभेदन से ज्ञात हुआ कि यदि ये समूह काफी बड़े हैं, तो केवल दो ओर्थो स्थानों का प्रतिस्थापन आवश्यक है।

इस प्रकार की समावयवता का समाधान बाधित घूर्णन के सिद्धांत पर दिया गया। इन प्रतिस्थापित डाइफेनिल यौगिकों में दोनों वलयों के तल आपस में लंबित हैं और कार्बन-कार्बन बंध को

मैलिक अम्ल में दोनों कार्बोक्सिल समूह अणु के एक तरफ, तथा फूमैरिक अम्ल में इनकी स्थिति विपरीत होती है। ये यौगिक केवल भौतिक गुणों में ही नहीं, बल्कि रासायनिक गुणों में भी भिन्न होते हैं। मैलिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह निकट होने के कारण वे सरलता से स्थायी ऐनहाइड्राइड बनाते हैं।

इस समावयवता को सिस-ट्रांस (Cis-trans) समावयवता भी कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता बहुत से यौगिकों में, उन यौगिकों में, जिनमें द्विबंध कार्बन (C=C), द्विबंध नाइट्रोजन (N=N) अथवा द्विबंध कार्बन-नाइट्रोजन (C=N) विद्यमान हों तथा चक्रीय यौगिकों और डाइफेनिल यौगिकों में पाई जाती है।

एथिलीन यौगिकों की ही भाँति बहुमेथिलीन यौगिकों की चक्रीय संरचना कार्बन परमाणुओं के स्वतंत्र घूर्णन को बाधित करती है। प्रतिस्थापित बहुमेथिलिन चक्रीय यौगिकों में समावयवता का समाधान इस सिद्धांत से किया जाता है कि कुछ समूह विपरीत स्थान में स्थित हो सकते हैं। इन संतृप्त चक्रीय यौगिकों की संरचना एक स्थिर समतल में है और चक्रीय कार्बन अणु से संयोजित समूह इस समतल के ऊपर या नीचे हो सकते हैं। दो हेक्साहाइड्रो-बैंजिक अम्लों का संबंध, जैसा चित्र में दिखाया गया है, मैलिक और फूमैरिक अम्लों जैसा है :

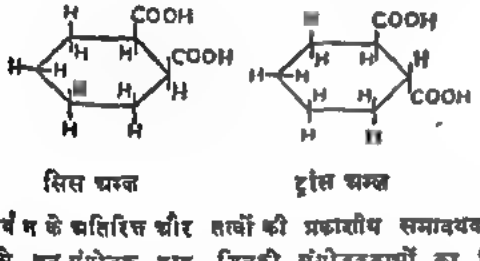

सिस अम्ल ट्रांस अम्ल

कार्बन के अतिरिक्त और तत्वों की प्रकाशीय समावयवता — बहुत से चतुःसंयोजक तत्व, जिनकी संयोजकताओं का विन्यास चतुष्फलकीय है, जैसे टिन और सिलिकन, प्रकाशीय सक्रिय रूपों में प्राप्त किए गए हैं।

नाइट्रोजन त्रि-सहसंयोजक, अथवा चतुः-सहसंयोजक, एक विद्युत् संयोजक हो सकता है। चतुःसंयोजकवाले नाइट्रोजन के आवेश (charge) का विचार छोड़ दिया जाय, तो अणु कार्बनिक यौगिकों के समान हो जाते हैं। मेथिल एलिल बेंजील अमोनियम आयोडाइड तथा एथिल मेथिल फेनिल ऐमिन ऑक्साइड के प्रकाशतः सक्रिय रूप प्राप्त हुए हैं।

यौगिकों का रेसिमीकरण कार्बन यौगिकों की अपेक्षा बहुत शीघ्रता से होता है। विन्यास रसायन की दृष्टि में त्रि-सहसंयोजक नाइट्रोजन का विवरण विशेष मनोरंजक है। किसी तृतीयक ऐमीन का विभेदन नहीं हो पाया है। इसलिये ऐसा विचार किया गया कि ये अणु समतलीय हैं, पर भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अमोनिया और ऐमीनों का विन्यास चतुष्फलकीय है। नाइट्रोजन परमाणु चतुष्फलक के एक सिरे पर है और उसकी संयोजकता १०९° का कोण बनाती है।

माइसनहाइमर (Meisenheimer) ने तृतीयक ऐमीन के विभेदन की असफलता के विषय में बताया कि नाइट्रोजन परमाणु शीघ्रता से समतल के ऊपर और नीचे किया करता है, जिससे प्रकाशीय व्युत्क्रम हमेशा हुआ करता है। आक्साइम भी त्रि-सहसंयोजक नाइट्रोजन के ही यौगिक हैं। वे ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अभी तक किसी तृतीयक फॉस्फीन का विभेदन सफल नहीं हुआ, पर बहुत से चतु-सहसंयोजक फॉस्फोरस के यौगिक प्रकाशतः सक्रिय रूपों में प्राप्त हुए हैं। त्रि-सहसंयोजक तथा चतुः-सहसंयोजक आर्सेनिक यौगिकों में भी विभेदन हुआ है। सल्फर, ऐंटिमनी, सिलिकन, जर्मेनियम, सिलीनियम, टेल्यूरियम इत्यादि के बहुत से यौगिकों के प्रकाशतः सक्रिय रूप प्राप्त हुए हैं।

[शि० मो० व०]

विपुला दे० 'विदेह कैवल्य' के बाद।

विभीषण रावण का छोटा भाई, कैकसी का तृतीय पुत्र जो धर्मात्मा था। ब्रह्मा के वरदान स्वरूप इसे धर्मबुद्धि, अमरत्व और ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। राम और सीता के विषय में लंका के राक्षसों से भिन्न मत होने के कारण ही रावण ने इसपर पादप्रहार किया था। लंका से यह कैलास भाग गया और वहाँ शिव की संमति से रामभक्त बन गया। रावणवध के बाद इसे ही लंका का राज्य मिला। [रा० द्वि०]

विमान एवं वैमानिकी उड़ने का विचार संभवतः उस समय से भी पहले का है जब मानव ने सर्वप्रथम विश्व का प्रेक्षण किया और उन्नति की संभावनाओं का अनुभव किया। भारतीय देवी देवताओं की आकाश में उड़ने संबंधी पौराणिक कथाएँ, डीडेलस (Daedalus) एवं आइकेरस (Icarus) संबंधी प्राचीन कथाएँ और घोड़े एवं गलीचों के उड़ने संबंधी पूर्व की प्राचीन कथाएँ ईसा से कई शताब्दियों पहले की हैं। यह स्वाभाविक था कि ये कहानियाँ मानव को प्रेरित करती रहें कि वह उड़ने के सतत प्रयास एवं प्रयोग में लगा रहे।

मानव के प्रारंभिक इतिहास से उड़ने संबंधी प्रयासों एवं प्रयोगों का पता चलता है। हवा से हलके यंत्र से उड़ने का सुझाव सर्वप्रथम द लेना (De Lana) ने १६७० ई० में प्रस्तुत किया। इन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि पात्र पर्याप्त हलका हो और उसकी हवा निकाल दी जाय, तो वह हवा में उठ जाएगा। इसी समय ग्लाइडिंग के द्वारा समस्या को हल करने का अनुभव किया गया और इस दिशा में प्रयास और पल्लेदार डैनों (flapping wings) संबंधी प्रयोग चलते रहे। प्रसिद्ध अंग्रेज गणितज्ञ सर जार्ज केले (Sir George Caylay, १७७३–१८३७ ई०) ने अपना ध्यान उड़ने की समस्या को हल करने में पूर्ण तत्परता से लगाया। चलायमान विमान, या ऑर्निथॉप्टर (Ornithopter), अर्थात् मानव की पेशीय शक्ति से पल्लेदार डैनों द्वारा उड़ने के विचार, को इन्होंने पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया और वस्तुतः यह सुझाव दिया कि समस्या का हल विस्फोटन इंजन से निकलेगा। १८०९ ई० में ऐसा सुझाव देना ईश्वरीय प्रतिभा की अपूर्व अभिव्यक्ति थी।

१७७६ ई० में हेनरी कैवेंडिश ने खोज निकाला कि हाइड्रोजन

हवा से हल्की होती है। इस संबंध में अनेक प्रयोग शुरू हुए। ऐसे प्रयोगों में एक उल्लेखनीय प्रयोग इटालवी भौतिकविद् टाइबेरियस कवाल्लो (Tiberius Cavallo) का था। इसमें इन्होंने साबुन के बुलबुले में हाइड्रोजन भरकर उड़ाया था। पीछे हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे उड़ाए गए। इसी के आधार पर इच्छानुसार [illegible] एक वायुपोत काउंट जैपेलिन ने १९०० ई० में बनाया।

१७८३ ई० में मोन्टगोल्फियर (Montgolfier) ने गुब्बारे को उड़ाया। इसी वर्ष पिलेट्री द रोज़ियर (Pilatre de Rozier) भी गुब्बारे में उड़े। [illegible] वर्ष [illegible] में टाइलर (Tytler) हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे में उड़े। ये पहले व्यक्ति थे, जो ब्रिटिश भूमि पर हवा में उड़े थे।

वायुयान युग की यह विशेषता है कि सन् १८९१ में लीलिएन्थाल (Lilienthal) जर्मनी ने पक्षियों के पंखों जैसे [illegible] बनाकर, [illegible] के लिये किया, पर शीघ्र ही [illegible] अनुभव किया कि इसके लिये कोई [illegible] आवश्यक है। [illegible] प्रयोग किए और इस प्रकार [illegible] में स्थान प्राप्त किया। लिओनार्डो दा विंची (Leonardo da Vinci), जो [illegible] [illegible] (air screw) का [illegible] [illegible]

[illegible] (Chanute) [illegible]

[illegible]

combustion motor) द्वारा चालित
रह गया था। १७ दिसंबर, १९०३ ई० को
हो गए। जनता की आँखों में पड़े बिन
प्रगति होती रही। इन प्रयोगों के लिये
Langley) तथा एच. मैक्सिम (H.
लगाया और बड़ा परिश्रम किया। अब
अंतिम मशीन वायु में उड़ने में समर्थ थी
का देहांत हो गया और १९१४ ई० में उन
सफलतापूर्वक उड़ाई गई। १९०८ ई० से १९१
वायुयानों की प्रगति होती रही, यद्यपि गति मद

प्रथम विश्व महायुद्ध ने वैमानिकी (ए
दिया तथा वायुयान का अधिकतर उपयोग
कि १९१९ ई० में सर जॉन ऐल्कॉक (
एवं सर ए० डब्लू० ब्राउन (A. W. Brow
वायुयान में १,८९० मील की दूरी १६ घंटे में
से एटलांटिक महासागर पार कर, [illegible]
[illegible] में क्रमशः [illegible] होने के कारण
[illegible] किया गया। अब व्यावहारिक वैमा
सफल हो गई और इसके निर्माण के लि
बनाए गए हैं।

१९२५ ई० में सर एलन कौब (Sir Al
केपटाउन गए और वापसी वर्ष में लगभग
उड़कर ऑस्ट्रेलिया गए और लगभग
लिंडबर्ग (Charles Lindbergh) ने
ऐरोप्लेन (aeroplane) वायुयान के
ऐटलांटिक महासागर पार कर पेरिस गए थे।
[illegible]
[illegible] ([illegible]) के ऑस्ट्रेलिया (
[illegible] मील दूरी उड़कर ११ दिन में
[illegible] (Kingsf
लगभग १० दिन में पूरी की।

[illegible]

के लिये अंतरराष्ट्रीय विमान प्रतियोगिता समय समय पर चल रही थी, पर १९३३ ई० से यह बंद हो गई है।

१९३० से १९३४ ई० तक ऑस्ट्रेलिया के लिये अनेक महत्वपूर्ण उड़ानें की गईं। सर मैकफर्लन (Sir Macpherson) द्वारा प्रदत्त ट्रॉफी के लिये होनेवाली, इंग्लैंड तु मेलबर्न अंतरराष्ट्रीय हवाई दौड (International Air Race) मे सी० डब्ल्यू० ए० स्कॉट (C. W A Scott) एवं टी० कैंपबेल (T. Campbell) ने, दौड के लिये विशेष रूप से बनी डी० एच० 'कामेट' मशीन द्वारा विजय प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में उड़ान का समय घटकर २ दिन २२ घंटा ५४ मिनट १८ सेकंड हो गया। १९३२ ई० में क्रॉयडन से केपटाउन के लिये आरंभ की गई नियमित उड़ान की अनुवर्ती व्यक्तिगत उड़ानें जे० ए० मॉलिसन (J A. Mollison) तथा उनकी पत्नी ऐमी जॉन्सन (Amy Johnson) और दो फ्रांसीसी उड़ाके कूलेती (Coulette) एवं सैलोल (Salel) द्वारा की गईं।

अन्य महत्वपूर्ण उड़ानें निम्नलिखित थीं : १९३० ई० में संयुक्त राज्य, अमरीका, के पोस्ट (Post) एवं ऑस्ट्रेलिया के गैटी (Gatty) द्वारा नौ दिन में की गई विश्वपरिक्रमा, १९३३ ई० मे फ्रेंच मोनोप्लेन द्वारा २ दिन, ९ घंटा २५ मिनट मे बिना रुके, फ्रैंनवेल से वाल्विस बे (Walvis bay) तक ५३०९ मील लंबी प्रथम उड़ान, ब्लेरिआट (Bleriot) मोनोप्लेन मे कोड्स (Codes) और रोज़ी (Rossi) द्वारा २ दिन ६ घंटा ४४ मिनट मे न्यूयॉर्क से सिरिया तक की ५६५, मील लंबी उड़ान। १९३५ ई० मे संयुक्त राज्य, अमरीका, के कैप्टन स्टीवेंस (Stevens) और ऐडर्सन (Aderson) समतापमंडल (stratosphere) गुब्बारे मे ७४,००० फुट (लगभग १४ मील) की ऊँचाई तक गए, पर रॉयल एयर फोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम० जे० ऐडम (M J Adam) वायुयान द्वारा ५३,९३७ फुट (लगभग १० मील) की अधिकतम ऊँचाई तक गए।

१९३७ ई० मे क्लाउस्टन (Clouston) और श्रीमती किर्बी ग्रीन (Mrs Kirby Green) ने इंग्लैंड से केपटाउन की प्रत्येक दिशा मे उड़ान का नया कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तरी ध्रुव से होते हुए मॉस्को से कैलिफॉर्निया की ६,७०० मील लंबी उड़ान सोवियत संघ के विमान द्वारा बिना रुके की गई। कुमारी जीन बैटन ने इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक की एकाकी उड़ान का नया कीर्तिमान स्थापित किया। १९३८ ई० में पनाइंग अफसर, ए० ई० क्लाउस्टन (A. E Clouston), को इंग्लैंड से उड़कर न्यूज़ीलैंड जाने और वहाँ से इंग्लैंड वापस आने मे ११ दिन से कम लगे। विभागीय विमान (service machine) को एडिनबर्ग से लंदन आने में ४८ मिनट लगे। अप्रैल, १९३८ ई० में एच० एफ० ब्राउवेंट नामक ऑस्ट्रेलियाई उड़ाके को डारविन से लिंपन (Lympne) तक की उड़ान में ५ दिन ४ घंटा २१ मिनट लगे। इसके पूर्व सन् १९३७ में डारविन से क्रॉयडन तक उड़कर जाने का, आस्ट्रेलियाई महिला उड़ाका जीन बैटन (Jean Batten) का कीर्तिमान ५ दिन १८ घंटा १५ मिनट था। जुलाई, १९३८ में अमरीकी हॉवर्ड ह्यूज (Howard Hughes) ने विश्व की परिक्रमा चार दिन में की।

जर्मनी और इंग्लैंड दोनों देशों में वर्तमान शताब्दी के ४०वें वर्ष में ग्लाइड करना (gliding) विमानकी का महत्वपूर्ण अंग हो चुका था। १९३६ ई० मे डिटमान (Dittman), एक यात्री सहित, ८,८६० फुट की ऊँचाई तक गए, जबकि जुलाई, १९३८ ई० मे जे० एफ० फॉक्स (J F. Fox) नामक एक अंग्रेज ने डनस्टेबल (Dunstable) से नॉर्विच (Norwich) तक ९६ मील लंबी उड़ान की। १९३८ ई० में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मरे (Murray) और जे० एस० स्प्राउले (J. S. Sproule) २८ घंटे तक हवा मे ठहरे रहे।

हवाई जहाज का उड़ना उसी सिद्धांत पर आधारित है जिस सिद्धांत पर पतंग उड़ते हैं। पतंग के चपटे पृष्ठ पर वायु के प्रवाह पड़ने पर यदि पतंग को ऊपर की ओर अल्पनत कर दिया जाय, तो वायुप्रवाह पतंगपृष्ठ को उठाता है। हवा में पक्ष प्रणोदित्र और पक्षों की मुड़ी सतह पर हवा के आपेक्षिक भार द्वारा हवा मे से होकर खींचे या ढकेले जाते हैं। पक्ष के नीचे का दबाव उत्थापन का एकमात्र कारण नहीं है, अपितु पक्षों के ऊपरी धरातल पर अत्यधिक एवं विपरीत घूर्णण विद्यमान रहता है। पक्ष एक एयर फॉयल (air foil) है और प्राय लकड़ी का बना होता है, जिस पर कपड़े का आवरण होता है। धातु और प्लास्टिक के पक्ष भी उपयोग में आ रहे हैं।

वायुयान के मुख्य अंग हैं : पक्ष या फलक (plane), एक या अनेक इंजन, वायु पेंच (air screw) या प्रणोदित्र (propeller), धड़ (fuselage) और रडर (rudder)। वायुयान का ढाँचा मुख्यत हलकी मिश्रधातु (alloy), जैसे डूरेलूमिन (Duralumin), का बना होता है और पक्ष तंतुओं (fabric) या पतली धातु का बना होता है। पक्षों की काट अल्प वक्रकार होती है और ये क्षितिज के साथ न्यून कोण बनाते हुए स्थित होते हैं। अत जब हवाई जहाज सरकता है, तब उत्थापन बल उत्पन्न होता है। हवाई जहाज के गतिशील होते ही उत्थापन बल यंत्र के भार के बराबर हो जाता है और विमान ऊपर उठता है। यदि उड़ान चाल अत्यधिक कम कर दी जाय, तो उत्थापन बल जहाज के भार से कम हो जाता है, जिससे जहाज अस्थिर हो जाता है। अस्थिरता को रोकने के लिये हवाई जहाज को अपेक्षाकृत कम वेग से उतारा जाता है। इस कार्य के लिये अनेक युक्तियाँ काम मे लाई जाती हैं। ये युक्तियाँ पक्ष के प्रति हवा के प्रतिरोध को उचित ढंग से परिवर्तित कर उत्थापन बल को सुधार देती हैं। सीमित स्थान मे सुगम अवतरण के लिये स्वघूर्णांश (autogyro) एवं हेलीकॉप्टर किस्म के वायुयानों का आविष्कार हुआ है। दोनों किस्मों में ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर घूमनेवाला क्षैतिज पिच्छ फलक (vanes) होता है। स्वघूर्णांश किस्म में घूर्णन यंत्र की अग्रगति (forward motion) से प्रभावित होता है तथा हेलीकॉप्टर में सीधे इंजन द्वारा प्रेरक ऊर्जा (motive energy) घूर्णन को प्रभावित करती है। स्वघूर्णांश विमान मंद गति से उड़ सकते हैं, पर हेलीकॉप्टर व्यवहारतः मंडरानेवाले होते हैं।

वायुयान की रचना का सामान्य सही ज्ञान होते हुए भी आधुनिक

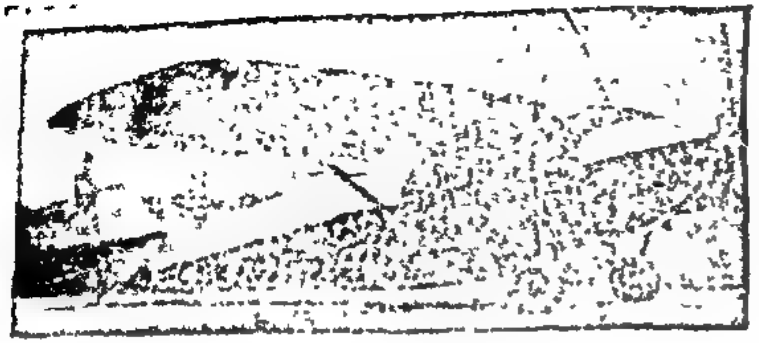

मूल ग्रॉस वायुयान
टाटा एयर लाइन्स द्वारा सन् १९३२ से प्रचलित।

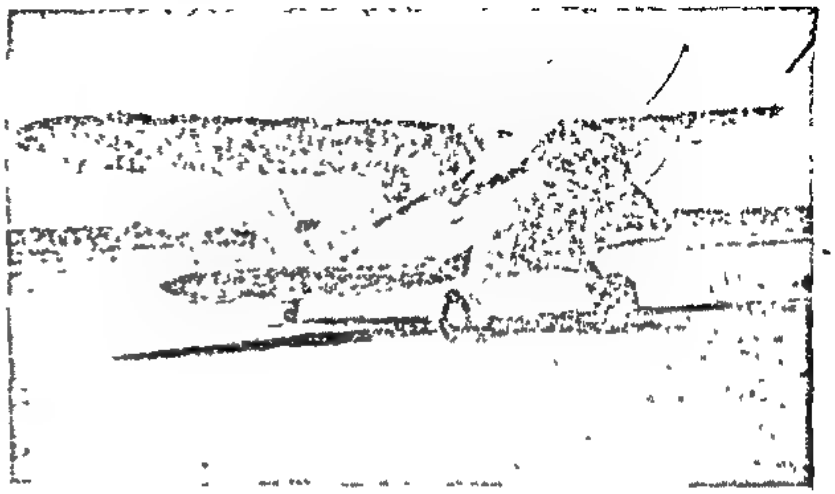

एकाकी इंजिनवाला वाको (Waco)

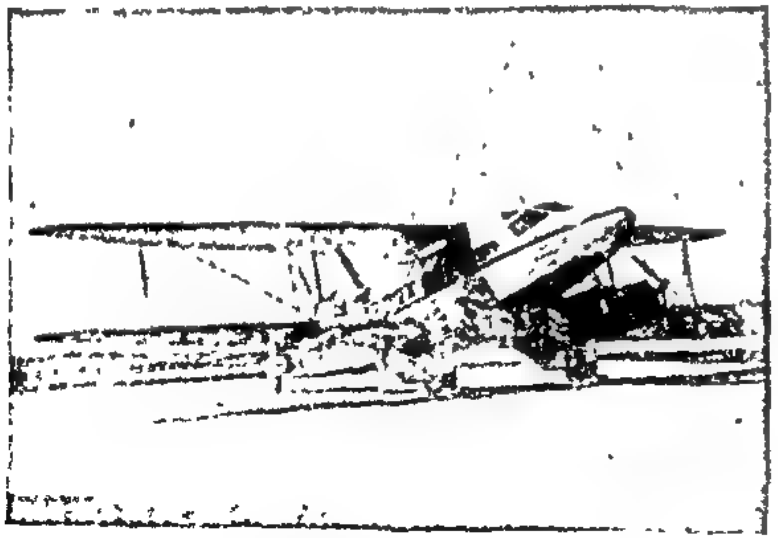

चार इंजिनोंवाला डीएच–८६
सन् १९३७–४१ में टाटा एयर लाइन्स इसका उपयोग करती थी।

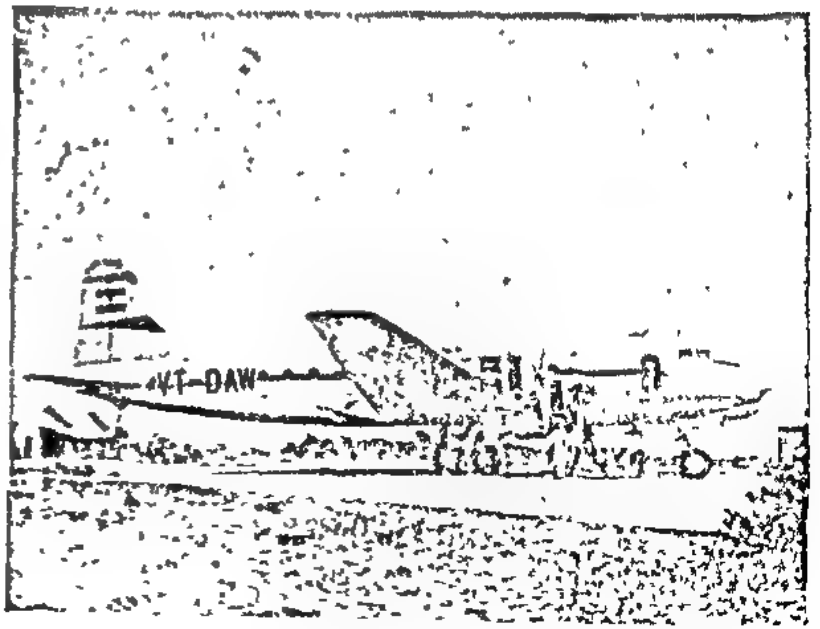

सन १९५० से भारत में चालू एकाइमास्टर विमान

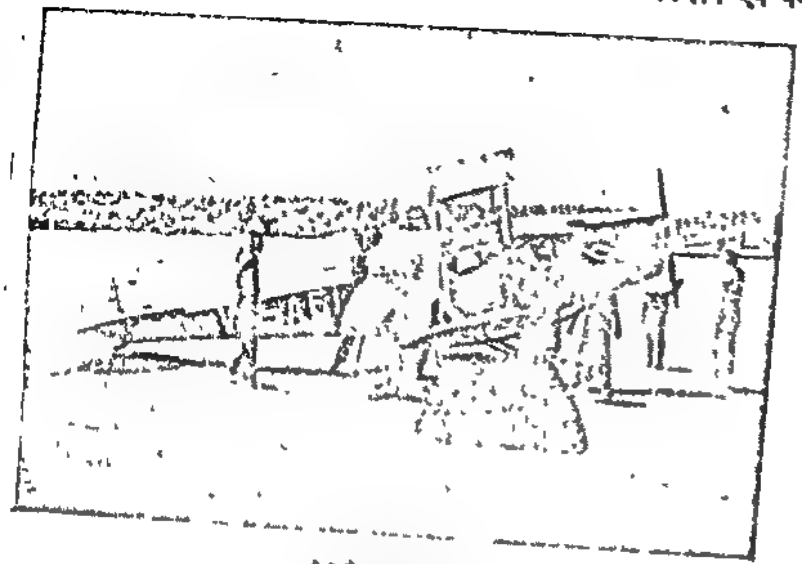

ब्लेरियट फ्रांसेस मॉथ
सन १९१४ से १९१६ तक टाटा एयर लाइन्स द्वारा प्रयुक्त।

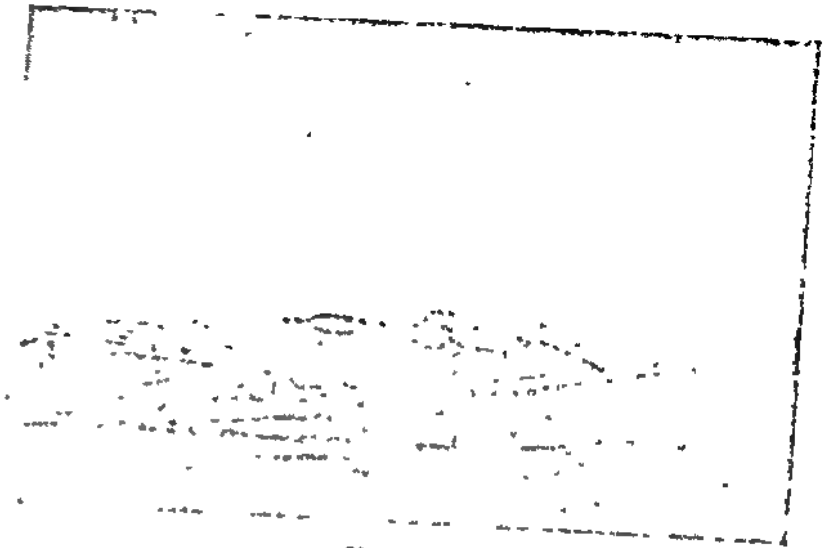

माइनर मॉडल मामक वायुयान
सन् १९३५ से टाटा एयर लाइन्स द्वारा प्रयुक्त।

पृथक् कर दिया जाता है। इस तरीके से समुद्री विमान जलपर तर जाता है।

१९४४ ई० के प्रारंभ मे संयुक्त राज्य, अमरीका, की सेना ने वमान के रोमांचकारी विकास की घोषणा की। इस हवाई जहाज नोदक नहीं होता। प्रसारित गैसों के विसर्जन बल (force f discharge) से यह चलता है। प्रारंभिक इंजन (starting ngine) के द्वारा यान के अग्रभाग से अंदर खींची गई हवा हले संपीडित की जाती है और तब दहन कक्ष में ठूँसकर भर दी ाती है, जहाँ यह जलते ईंधन से संयुक्त होकर अत्यधिक प्रसारित ोती है। प्रारंभिक इंजन बंद कर दिया जाता है। प्रसारित गैसों अल्पांश का उपयोग टरबाइन के द्वारा संपीडकों को चलाने के लिये रया जाता है, जबकि शेष गैसें विमान के पुच्छसिरे पर स्थित चु से विसर्जित हो जाती हैं। इस प्रकार शक्तिशाली प्रणोद, जो वाई जहाज को आगे की ओर चलाता है, उत्पन्न होता है। अगस्त १९४५ ई० में संयुक्त राज्य, अमरीका, के युद्ध विभाग ने जेट प्रणोदित लॉकहीड (Lockheed) पी० ८० (P-80)] शूटिंगस्टार Shooting Star)] के विवरण प्रकाशित किए, तब क्लेरेंस एल० ॉन्सन (Clarence L Johnson) के अभिकल्प पर बना विमान, ५० मील प्रति घंटे से अधिक चालवाला होने के कारण, संसार ा सर्वाधिक तीव्रगामी वायुयान था। इसमें ईंधन के लिये किरासन ा उपयोग होता है। इसमें कंपन नहीं होता तथा यह अमरीका का रलतम लड़ाकू विमान है, जिसका सुपर जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक ंपनी द्वारा बनाया गया है।

नवीनतम प्रचलित ऊरागेन (Ouragan) श्रेणी का जेट लड़ाकू मान समुद्रतल पर ६०० मील प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकने कर नियत स्थान पर पहुँचने के लिये विमानचालक को केवल नियत बटन दबाना पड़ता है। चालकरहित वायुयान के स्वचालित नियंत्रण की उपलब्धि उच्च स्तर तक पहुँच गई है। इसका नियंत्रण बेतारी संचार द्वारा आश्चर्यजनक सूक्ष्मता से होता है। विमान ऐसा बना है कि नियंत्रणकेंद्र पर अपने उड़ने के मार्ग को वह स्वयं अंकित करता है।

सर्वप्रथम बने प्रसिद्ध वायुयान

१४९० ई० मे इटली के लेओनार्डो डा विंचि (Leonoardo da Vinchi) ने पक्षियों के डैनों के नमूने का उपयोग कर उड़नयंत्र (flying machine) का प्रथम अभिकल्प बनाया।

१८४२ ई० मे इंग्लैंड के विलियम सैमुएल हेंसन (William Samuel Henson) ने भाप चालित वायुयान के अभिकल्प को पेटेंट कराया।

१८६८ ई० में मैथ्यू बोल्टन (Mathew Boulton) ने सहपक्षों (ailerons) के लिये ब्रिटिश पेटेंट प्राप्त किया।

१९०२ ई० मे कैनाडा के डब्लू० आर० टर्नबुल (W R Turnbull) ने अंतराल नोदक (pitch propeller) का विकास किया।

१७ सितंबर, १९०३ ई० को ऑरविल राइट (Orville Wright) ने वायुयान की प्रथम उड़ान का विमानचालन किया। वे किटी हॉक, एन० सी० (Kitty Hawk, N. c) पर १२० फुट तक उड़े।

१९०६ ई० में फ्रांस के ट्रेजैन वइमा (Trajan Vuia) ने तीन पहियेवाले अवतरण गियर और वातिल टायरों (pneumatic

१९२३ ई० में विमानचालक रहित, रेडियो नियंत्रित वायुयान ने फ्रांस के ईटैंपीज (Etampes) हवाई अड्डे पर उड़ान भरी।

१९२६ ई० में संयुक्त राज्य, अमरीका, के ग्रोवर लोएनिंग (Grover Loening) ने प्रत्यावर्तनीय (retractable) अवतरण गियर युक्त द्वितलीय उभयचर विमान (biplane amphibian) का विकास किया।

१९२८ ई० में स्पेरि जाइरोस्कोप कंपनी (Sperry Gyroscope Company) द्वारा जाइरो होराइजन (Gyro horizon) एयरक्राफ्ट उपकरण का विकास हुआ।

१० सितंबर, १९२९ ई० को जर्मनी के फ्रिट्ज फॉन ओपेल (Fritz Von Opal) ने १ मिनट १५ सेकंड तक राकेट चालित (rocket powered) वायुयान उड़ाया।

१९३० ई० में इंग्लैंड के फ्रैंक ह्विटल (Frank Whittle) ने प्रथम जेट इंजन का अभिकल्प बनाया।

१९३६ ई० में लॉकी एयरक्राफ्ट कार्पोरेशन (Lockoee Aircraft Corporation) ने एक सी-३५ (XC. 35) नामक वातानुकूलित केबिनयुक्त प्रथम विमान बनाया।

१६ फरवरी, १९३६ ई० को प्रथम डगलस डीसी-३ (DC-3) स्लीपर (sleeper) वायुयान हवाई कंपनी सेवा में प्रविष्ट हुआ।

१९३७ ई० में त्रिचक्री (tricycle) अवतरण गियर सामान्य उपयोग में आया।

१९४७ ई० में अमरीकी वायुसेना के चैल्स चार्ल्स याएर (Charles Yeager) द्वारा रॉकेट चालित बेल एक्स-१ में प्रथम पराध्वनिक (Supersonic) उड़ान (७६० मील प्रति घंटे से भी तेज) की गई।

३० नवंबर, १९५३ ई० को स्कॉट क्रॉसफील्ड (Scott Crossfield) ने डगलस डी-५५८-२ हवाई राकेट में ध्वनि की चाल (१,३२७ मील प्रति घंटा) की दुगनी चाल से प्रथम उड़ान की।

१९५४ ई० में प्रथम सार्वजनिक परीक्षण में पोगोस्टिक (Pogostick) नामक कॉनवेयर (Convair), एक्स एक्स वाई-१ (XFY-1) सीधा ऊपर उठा और सीधा भूमि पर उतरा (landed tail)।

२२ अप्रैल, १९५५ ई० को मैकडोनल ३५-१ (Mcdonnell XV-1) कांवेंशनल वायुयान (conventional plane) की परीक्षण उड़ान के लिए लौटने में हेलिकॉप्टर से परिवर्तनशील वायुयान में प्रथम सफल रूपांतरण हुआ।

९ मार्च, १९५६ ई० को संयुक्त राज्य, अमरीका, की नौसेना द्वारा विश्व के प्रथम जेट लड़ाकू विमान, मार्टिन एक्सबी-६ एम० सीमास्टर (Martin XB-6 M. Seamaster) का प्रदर्शन किया गया। [अ० मा० रा०]

वैमानिकी

[illegible] वायु के [illegible] द्वारा एक [illegible] की ओर [illegible] करता है। [illegible] तूफान में पत्तों और झोपड़ी की छतों से लेकर पक्षियों के डैनों के वायु प्लवन में यह तथ्य स्पष्टतः परिलक्षित होता था। पक्षियों की उड़ान में उनकी अग्रगति में पवन प्रतिरोध का डैनों के संचालन द्वारा प्रतिकार होते हुए मनुष्य देखता रहा। इससे उसे डैनों के सहारे उड़ने और नोदक (propeller) के द्वारा वायु के झोंकों को काटने की प्रेरणा मिली। कालांतर में उड़ुयन की यांत्रिकी को मानव ने बलों के संतुलन के नियमों की सहायता से निर्मित करने का प्रयत्न किया और डैनों, इंजन तथा नोदक एवं एक मानव के भार को वायु के उत्प्लावन (upthrust) द्वारा संतुलित करके वायुयान की विधि आविष्कृत की।

उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अतिभारी विमान इंजनों एवं मशीनों के निर्माण के प्रयास होते रहे। इस चेष्टा क्रम में सर्वप्रथम उल्लेखनीय इंजन की रूपरेखा का निर्माण हैंसन नामक यंत्रशास्त्री ने किया और उसे १८४२ ई० में पेटेंट कराया। इंजन के व्यावहारिक प्रतिरूप (model) स्ट्रिंगफेलो ने बनाए और उनका सफल प्रदर्शन पहला बार १८४८ ई० में और तदुपरांत १८६८ ई० में किया। इन प्रारूपों में डैनों की अधिकाधिक उपयोगी आकृतियों एवं आकारों का विकास करना ही प्रधान लक्ष्य रहा। कुछ ही वर्षों के अंदर वायुयान को अधिकाधिक उत्थापन क्षमता (lifting power) प्रदान करने के लिये उसके डैनों को समतल बनाने के बजाय, उनके ऊपरी पृष्ठ को उत्तल और निचले पृष्ठ को अवतल रखा जाने लगा। इससे वायुयानों की उड़ान अपेक्षाकृत सुगम हो गई। सन् १८९६ में भाप चालित इंजन युक्त एक परीक्षण विमान ने वाशिंगटन के निकट पोटोमैक नदी के ऊपर लगभग डेढ़ मील तक की सफल उड़ान भरी। इससे अधिक सफलता के लिये चार्ल्स मैनली एवं सैमुएल प्रभृति यंत्रशास्त्रियों ने इंजनों एवं यंत्रों के स्वरूप में विकास करने के लिये अनेक प्रयत्न किए, किंतु वे सभी प्रायः निष्फल ही रहे।

इंजनों में कोई प्रभावकारी विकास कर सकने की असमर्थता ने उड़ुयन यांत्रिकों का ध्यान इन वायुयानों की ओर से हटाकर ग्लाइडरों (gliders) की ओर फेर दिया, किंतु ग्लाइडरों की गतिविधि अत्यंत सीमित एवं अनुपयोगी होने के कारण, पुनः इंजनों के सुधार की दिशा में चेष्टाएँ प्रारंभ हुईं। अंत में बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही कांच के राइट बंधुओं ने उड़ुयन के क्षेत्र में चामत्कारिक सफलता प्राप्त की। वायुयानों को उड़ाने के लिये उन्होंने क्षैतिज पतवारों (rudders) का प्रयोग किया, जिन्हें राइट बंधुओं ने तो वायुयान के अग्रभाग में ही संयुक्त किया था, किंतु आधुनिक विमानों में वे वायुयान के पुच्छ भाग में लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त वायु में संतुलन बनाए रखने के हेतु, उन्होंने पुच्छ भाग के पृष्ठ कोर (rear edge) के समांतर (flexible) की अनुचित यांत्रिक व्यवस्था प्रदान की, ताकि वायु में संतुलन बनाए रखने के लिये एक या दोनों डैनों के उत्थापन(lift) में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके।

दूसरी शताब्दि (सन् १९०३) में नोदक (propeller) को चलाने के लिये इंजन में एक पैट्रोलीय मोटर का प्रयोग किया गया। इससे वायुयानों की उड़ुयन क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई। सन् १९०३ और १९०५ के राइट बंधुओं ने तथा १९०६ में ही

हेनरी फारमैन ने परीक्षणात्मक उड़ानें भरीं और काफी देर तक और दूर तक सफलतापूर्वक वायुसंतरण करने के पश्चात्, वे सकुशल भूमि पर उतर आने में समर्थ हो सके। इसी विकसित इंजन से संयुक्त वायुयान मे नवंबर, सन् १९०९, में फारमैन ने प्रथम उल्लेखनीय नभयात्रा की। उन्होने ४ घंटे १७ मिनट ५३ सेकंड मे लगभग १३४½ मील की यात्रा सपन्न की। आधुनिक वैमानिकी का प्रारंभ इसी ऐतिहासिक उड़ान से माना जा सकता है। इसके अनंतर तो उन्नत उड्डयन कला का अत्यंत द्रुत गति से विकास होता गया और लगभग पाँच वर्षों की अवधि के पश्चात् ही, प्रथम विश्वयुद्ध मे, वायुयानों का प्रथम व्यावहारिक उपयोग किया गया। इन वायुयानों मे, हेनसन और स्टिंगफेलो आदि के कौतुकी वायुयानों के बदले तीन लाख पाउंड और उससे भी भारी वायुयानों का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं सैनिक परिवाहक, बमवर्षक आदि के रूप में भी भारी इंजनों से युक्त वायुयानों का प्रयोग किया गया। प्रथम विश्वयुद्ध में वस्तुतः वायुयान ही प्रधान निर्णायक तत्व रहे। द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होते न होते जेट चालित युद्धक वायुयानों का भी निर्माण हो गया, जिनकी चाल ५०० मील प्रति घंटा या उससे भी अधिक थी। कुछ ही वर्षों बाद, बीसवीं शताब्दी के ६ठे दशक में इन विमानों की चाल बढ़कर ध्वनिवेग को भी पार कर गई। आज तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये प्रयुक्त राकेटों का वेग लगभग अठारह सहस्र मील प्रति घंटा, अर्थात् ध्वनिवेग का पच्चीसगुना या उससे भी अधिक होता है।

वैमानिकी का मौलिक सिद्धांत — वैमानिकी का मूल सिद्धांत तरल पदार्थ, जैसे द्रव या गैस में, ठोस पदार्थों के संतरण मे निहित है। ठोस पदार्थ इस प्रकार के संतरण में अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ को विस्थापित करता है और जब इस विस्थापित तरल का भार उक्त ठोस के भार से अधिक होता है, तब ठोस पर तरल का उत्प्लावन या उत्क्षेप अधिक हो जाता है और ठोस ऊपर उठकर तरल पदार्थ की ऊपरी सतह की ओर चलने लगता है। यदि ठोस पदार्थ गतिमान होता है, तो उसकी गति मे तरल पदार्थ के कारण प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रतिरोध का स्पष्टीकरण एवं मान ज्ञात करने के लिये अनेक भौतिकविदों, यथा न्यूटन (१६४२–१७२७ ई०), जोहैन बेर्नूली (१६६७–१७४८ ई०), जीन लॉ रॉण्ड डी' एलेंबर्ट (१७१७–८३ ई०), लेओन्हर्ड आयलर (१७०७–८३ ई०) तथा अन्य अनेक ने अपने अपने सिद्धांतों और सूत्रों का नियमन किया। इनकी सहायता से पवन के वेग और दबाव की विभिन्न स्थितियों में कोई वायुयान कितना भार लेकर कितनी ऊँचाई या दूरी तक उड़ान भर सकता है, इसका स्थूल अनुमान किया जा सकता है।

पवन सुरंगें (Wind Tunnels) — उपर्युक्त गणना एक जटिल प्रक्रिया तो है ही, साथ ही कुछ ऐसी अपरिहार्य समस्याएँ भी विमान की उड़ान के साथ उत्पन्न हो जाती हैं जिनका निदान विशुद्ध गणित की सहायता से नहीं किया जा सकता। उनका ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा ही संभव हो सकता है। यदि वायुयान को किसी प्रकार उसी मौलीय परिवेश में रखा जाय जिसमें उसे सचमुच उड़ना है और तब उसमें उसके उड्डयन संबंधी लक्षणों का अध्ययन किया जाय, तो यह ज्ञात हो सकता है कि वह वायुयान कितना भार वहन कर सकता है। इस प्रकार के कृत्रिम पवनपरिवेश की सृष्टि के लिये पवन सुरंगों का सहारा लिया गया। इनमें एक सुरंग या कंठ (throsat) में से पवन के झोंके एक आधार (stand) पर रखे एक प्रतिरूप (model) पर प्रवाहित किए जाते हैं। वास्तविक वायुयान के हवा मे उड़ने पर दोनों के बीच सापेक्ष गति की उत्पत्ति स्थिर यान पर पवन के झोंके प्रवाहित करके उत्पन्न की जाती है। इस विधि से उत्थापक (lift), कर्षण (drag) एवं संतुलन बल की गणना करने में सुविधा होती है। इतना ही नहीं, प्रतिरूप को आपाती पवन झोंकों की दिशा से विभिन्न कोण बनाते हुए रखा जाता है, जिससे वायुयान पर विभिन्न दिशाओं से पड़नेवाले पवन दबावों की भी गणना कर ली जाती है। पवन और वायुयानतल की दिशाओं के बीच बननेवाले कोण को हवाकाट कोण (angle of attack) कहते हैं।

वायुयान के किसी प्रस्तावित प्रतिरूप पर विभिन्न हवाकाट कोण पर पवन झोंकों को आरोपित कर उत्थापन घ (L), कर्षण घ (D), घूर्ण (M) तथा दबाव केंद्र घ (C P) के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं और उन्हें लेखाचित्र पर अंकित करके अभिलाक्षणिक वक्र (characteristic curves) प्राप्त कर लिए जाते हैं, फिर उन्हें वास्तविक

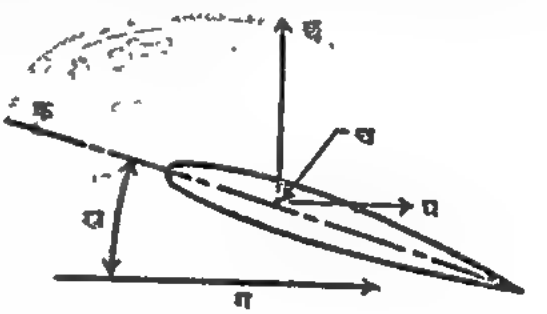

वायु की धारा में एयरफॉयल पर कार्यकारी बल

क कॉर्ड रेखा (Chord line), ख हवाकाट कोण (angle of attack), ग वायु का वेग, घ कर्षण (drag), ख दाब का केंद्र तथा घ उत्थापक बल।

वायुयान के विशाल आकार के लिये संशोधित किया जाता है। वैमानिकी की दृष्टि से अभिलाक्षणिक वक्रों का महत्व अत्यधिक है।

किसी दिए हुए हवाकाट कोण के लिये L, D और M के मान निम्नलिखित सूत्रों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं :

$$L = C_L \rho/_2 S V^2$$
$$D = C_D \rho/_2 S V^2$$
$$M = C_M \rho/_2 S V^2$$

यहाँ ρ वायु का घनत्व, S डैनों का क्षेत्रफल, तथा V वायु और यान का सापेक्ष वेग है। C_L, C_D तथा C_M क्रमशः उत्थापन, कर्षण और घूर्ण के वायुगतिक गुणांक हैं। इन्हें पृथक् प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिनसे पहले L, D, और M के मान ज्ञात कर, अभिलाक्षणिक

वक्र खींचे जाते हैं और इन वक्रों की प्रवणता (gradients) से उपर्युक्त स्थिरांकों की गणना की जाती है।

पवन सुरंगों में प्रतिरूप पर किए गए प्रयोगों द्वारा जो विवरण प्राप्त होते हैं, उन्हें सीधे वास्तविक या पूर्ण आकार के वायुयानों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य कारण वायुयान के आकार की विशालता के कारण उत्पन्न कुछ विशिष्ट किंतु जटिल प्रक्रियाएँ, वास्तविक वायुयान पर पड़नेवाले पवन झोंकों की गति की पवन सुरंगों में उत्पन्न पवन झोंकों की अपेक्षा कई गुना अधिक गति इत्यादि, हैं। इनके अतिरिक्त वायुमंडल के विभिन्न स्तरों में उड़ने के कारण वायुयान को विभिन्न वायु घनत्वों में से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण कर्षण वक्र (drag curve) के रूप में परिवर्तन तथा अधिकतम एवं न्यूनतम उत्थापन (lift) गुणांकों आदि के मानों का निरूपण करना पड़ता है। इन सब संशोधनों के उपरांत पवन सुरंगों में आरोपित पवन झोंकों के मानों को वास्तविक वायुयान द्वारा वायुमंडल में झेले जानेवाले पवन झोंकों तक प्रवर्धित करके वास्तविक गुणांकों की गणना कर ली जाती है। ये मान स्थायी रूप से वास्तविक यानों के निर्देशक अंक होते हैं।

संपीडन प्रभाव — जब वायुयान का वेग ४०० मील प्रति घंटा या इससे अधिक होता है, तब पवन झोंकों के आघात से यह अपने संपर्क में आनेवाली वायुराशि के घनत्व में परिवर्तन कर देता है। इससे वायुयान पर पवन झोंकों के आघातों की तीव्रता में अत्यंत द्रुत गति से परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन वायुयान में दोलन गति का आविर्भाव करता है, जो उसके लिये संकट का कारण बन सकता है। इसके लिये पवन सुरंग प्रयोगों द्वारा प्राप्त मानों में एक संशोधक गुणांक से गुणा करना पड़ता है, जिसका मान यान के वेग और वायु में ध्वनि के वेग के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात् संशोधन गुणांक = वायुयान का वेग / वायु में ध्वनि का वेग। जब वायुयान का वेग ध्वनि के वेग के बराबर हो जाता है, तब पवन प्रवाह की भौतिक दशाओं में इतना व्यापक परिवर्तन हो जाता है कि उपर्युक्त सामान्य नियम उसके लिये लागू नहीं हो सकते। इस दशा के लिये अभी तक कोई संतोषजनक संशोधनविधि आविष्कृत नहीं की जा सकी है।

अवतरण (landing) वेग — *पृथ्वी पर उतरते समय वायुयान का वेग एक निम्नतम मान से कम नहीं होना चाहिए।* यह वेग स्थूल रूप से निम्न लिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है :

$$V_{min} = [\ \{2/\rho C_L\ max\} \times W/S\ ]$$

यहाँ W/S, अर्थात् भार और पंखों के क्षेत्रफल का अनुपात 'पंख भरान' (Wing loading) कहलाता है। इस निम्नतम भार का मान अच्छे विमानों के कुशल अवरोहण के लिये यथासंभव कम होना चाहिए।

उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त अच्छे वायुयान के सफल एवं कुशल चालन के लिये कतिपय अन्य लक्षणों का होना भी आवश्यक होता है। यथा :

(१) इसकी शक्ति इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि यह वायुयान को शीघ्र गति से संचरित करने के साथ साथ उसके उत्थापन (lift) तथा आरोहण (climbing) के लिये भी वांछित शक्ति प्रदान कर सके तथा इसके लिये ईंधन पर अतिरिक्त अधिभार न पड़े और न वायुयान की गति में ही कमी हो सके।

(२) इंजन की दक्षता, अर्थात् नियत मात्रा में ईंधन देने पर अधिकाधिक दूरी और ऊँचाई तक उड़ान की क्षमता, यथासंभव अधिक हो।

(३) वायुयान में स्थायित्व हो, अर्थात् पवन झोंकों के वेग में अचानक परिवर्तन होने पर वायुयान शीघ्रातिशीघ्र संतुलन की दशा पुन: प्राप्त कर ले। इसके लिये अच्छे वायुयान में स्वचालित व्यवस्था होती है। [मु० चं० यो०]

विमा, मात्रकों की (*Dimension of Units*) जब हम किसी राशि के परिमाण का वर्णन करते हैं, तब उसे उसी के प्रकार के मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं। हम मात्रक का वर्णन करते हैं और यह बताते हैं कि राशि का मात्रक से क्या अनुपात है। उक्त अनुपात को मात्रक के पदों में राशि की *माप अथवा नाप कहते हैं।* जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की ऊँचाई ६ फुट है तब उक्त कथन में मात्रक फुट है और नाप ६ है। जब मात्रक बदलता है, तब नाप भी बदलती है, जैसे ६ फुट = २ गज = ७२ इंच। किसी राशि की नाप और मात्रक का गुणनफल सदैव एक सा रहता है। यदि किसी राशि की *नाप अ, अ'* (a, a') हो तथा मात्रक क्रमश: [क], [क'] $\{[K]\ [K']\}$ हो तो

$$\text{अ}\ [\text{क}] = \text{अ}'\ [\text{क}'],$$
$$\{a\ [K] = a'\ [K']\}$$

$$\text{अर्थात्}\ [\text{क}] : [\text{क}'] = \frac{1}{\text{अ}} : \frac{1}{\text{अ}'},$$

$$\left\{[K] \cdot [K'] = \frac{1}{a} : \frac{1}{a'}\right\}$$

अत: जिस मात्रक में कोई राशि नापी जाती है, वह नाप की व्युत्क्रमानुपाती (inversely proportional) होती है।

विमा (Dimension) — ऋजु रेखा में केवल लंबाई होती है। अत: हम कहते हैं कि ऋजु रेखा में लंबाई में एक ही विमा होती है, जिसे [ल] या [L] से निरूपित करते हैं। यह लंबाई का मूल मात्रक है। य (x) फुट लंबाई और र (y) फुट चौड़ाई के आयत का क्षेत्रफल य र (फुट)^2, $\{x\ y\ (ft)^2\}$ होता है, जिसमें दो लंबाइयाँ गुणित होती हैं। अन्य मूल मात्रक समय [स] या [T] और द्रव्यमान [द] या [M] होते हैं। शेष समस्त मात्रक इन्हीं तीनों पर आधृत होते हैं और व्युत्पन्न (derived) मात्रक कहलाते हैं।

जब स (t) सेकंड में लंबाई ल (l) फुट तय होती है, तब वेग $\frac{\text{ल}}{\text{स}}\ \frac{\text{फुट}}{\text{सेकंड}}$, $\left(\frac{l}{t}\ \frac{ft}{sec}\right)$ होता है, न कि केवल ल/स, (l/t) और हम इसे इस प्रकार लिखते हैं।

वेग $= \text{व} = \frac{\text{ल}}{\text{स}}$ (फुट) (सेकंड)$^{-1}$ अथवा फुट प्रति सेकंड

$$\left\{ v = \frac{l}{t} (\text{ft}) \ (\text{sec})^{-1} \text{ or. ft. per second} \right\}$$

और इसकी विमा [ल स$^{-1}$], [$L\,T^{-1}$] है।

$$\text{त्वरण} = \frac{\text{व}}{\text{स}} \text{ अर्थात् } \frac{\text{ल}}{\text{स}^2} \cdot \left(\frac{v}{t} \text{ or } \frac{l}{t^2}\right)$$

जिसकी विमा [ल स$^{-2}$], { [$L\,T^{-2}$] } है। जब हम कहते हैं कि किसी राशि की विमा लंबाई, समय और द्रव्यमान में अ (α), इ (β), उ (γ) है, तो इसका यह अर्थ होता है कि जिस मात्रक के पदों में उक्त राशि नापी गई है, वह

$$[\text{ल}^{\text{अ}}], [\text{स}^{\text{इ}}], [\text{द}^{\text{उ}}],$$
$$\{ [L^{\alpha}], [T^{\beta}], [M^{\gamma}] \}$$

का अनुक्रमानुपाती (directly proportional) है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अ लंबाइयाँ गुणित हुई हैं, इ समय गुणित हुए हैं और उ द्रव्यमान गुणित हुए हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि वेग के मात्रक की विमा लंबाई में १ और समय में − १ है।

समघातता का सिद्धांत (Principle of Homogeneity) — एक आधारभूत तथ्य, जिसके द्वारा विमों के ज्ञान का महत्व दृष्टिगोचर होता है, यह है कि हम एक ही प्रकार की वस्तुओं का योग, व्यवकलन और समीकरण कर सकते हैं। हम जितना चाहें लंबाइयों में लंबाई, समयों में समय अथवा वेगों में वेग को जोड़ सकते हैं, किंतु लंबाई में समय अथवा वेग जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार किसी भौतिक समीकरण में समस्त पदों की एक ही विमा होनी चाहिए। किसी भी पद में कई कई गुणनखंड हो सकते हैं और प्रत्येक गुणनखंड की विमा भिन्न हो सकती है, किंतु प्रत्येक पद के समस्त गुणनखंडों को मिलाकर एक ही विमा होनी चाहिए, जैसे यदि त्वरण अचर (constant) हो तो

तय किया गया अवकाश $= \frac{1}{2}$ क स^2,
(space described $= \frac{1}{2}\, a\, t^2$)

अर्थात् [ल] = [ल स$^{-2}$. स^2] = [ल]
{ [L] = [$L\,T^{-2}$. T^2] = [L] }

दोनों पक्षों की एक ही विमा है, यद्यपि दाहिने पक्ष में विभिन्न गुणनखंडों की विमाएँ भिन्न भिन्न हैं।

फिर, कार्य = ब × द = बल × दूरी
{ work = F × S = force × distance }

∴ [कार्य] = [द ल स$^{-2}$. ल] = [द ल^2 स$^{-2}$].
{ [work] = [$M\,L\,T^{-2}$. L] = [$M\,L^2\,T^{-2}$] }

और गतिज ऊर्जा $= \frac{1}{2}$ द व^2,
(kinetic energy = 1/2 m v^2)

∴ [ऊर्जा] = [द ल^2 स$^{-2}$]
or { { energy] = [$M\,L^2\,T^{-2}$] }

अतः कार्य और ऊर्जा की विमा एक सी होती है।

महत्व — इस विषय का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा भौतिकी के प्रश्नों के आंशिक हल निकल आते हैं और बहुत से फलों की जाँच उनकी अंतर्मुक्त विमाओं द्वारा हो जाती है। केवल विमाओं के विवेचन से बहुत से सूत्र, सांख्यिक अचरों को छोड़कर, पूर्ण रूप से निकल आते हैं। ल (l) लंबाई की एक डोरी द्वारा, द (M) द्रव्यमान का कोई पदार्थ एक स्थिर बिंदु से बाँधने से एक सरल दोलक (simple pendulum) बन जाता है। उक्त दोलक का दोलनकाल (time of oscillation) लंबाई ल (l), द्रव्यमान द (m) और गुरुत्वाकर्षण गु. (g) पर आश्रित होता है। यदि हम मान लें कि समय द^{अ} ल^{इ} गु^{उ} ($m^{\alpha}\, l^{\beta}\, g^{\gamma}$) के अनुपात में परिणमन करता है (varies), तो विमाओं के पदों में हम उसे इस प्रकार व्यक्त करेंगे :

$$[\text{स}] = [\text{द}]^{\text{अ}}\,[\text{ल}]^{\text{इ}}\,[\text{ल}^{\text{उ}}\,\text{स}^{-2\text{उ}}] = [\text{द}]^{\text{अ}}\,[\text{ल}^{\text{इ}+\text{उ}}\,\text{स}^{-2\text{उ}}]$$
$$[T] = [M]^{\alpha}\,[L]^{\beta}\,[L^{\gamma}T^{-2\gamma}] = [M]^{\alpha}\,[L^{\beta+\gamma}T^{-2\gamma}]$$

किसी मूल मात्रक के घातांकों का जोड़ दोनों पक्षों में एक सा होना चाहिए। अतः, समय के घातांकों के विचार से

$$\text{इ} = -2\,\text{उ}, \ (1 = -2\gamma)$$

इसी प्रकार,

$$\text{इ} + \text{उ} = 0, \ (\beta + \gamma = 0), \ \text{अ} = 0, \ (\alpha = 0)$$
$$\text{उ} = -1/2 \text{ और इ} = 1/2, \ (\gamma = -1/2) \text{ and } (\beta = 1/2)$$

अतएव दोलन काल, $\sqrt{\text{ल/गु}}$, ($\sqrt{l/g}$) का अनुक्रमानुपाती है और अचर का मान प्रयोग द्वारा निकाला जा सकता है।

शुद्ध और अनुप्रयुक्त गणित के भिन्न भिन्न प्रश्नों में इस विषय के बहुत से अनुप्रयोग हैं (देखें विमीय विश्लेषण)।

[शो० ना० म०]

विमीय विश्लेषण (Dimensional Analysis) न्यूटन (Newton) द्वारा लिखित पुस्तक 'प्रिंसीपिया' (Principia) में विमाएँ तथा विमीय विश्लेषण 'सादृश्य का सिद्धांत' (Principle of Similitude) नाम से वर्णित हैं। इस विषय को बढ़ाने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, वे हैं : ई० बकिंघम (E. Buckingham), लार्ड रैले (Lord Rayleigh) और पी० डब्लू० ब्रिजमैन (P. W. Bridgman)। प्रारंभ में विमीय विश्लेषण यांत्रिकी (mechanics) की समस्याओं में प्रयुक्त किया गया, किंतु आजकल यह सभी प्रकार की भौतिकी एवं इंजीनियरी की समस्याओं में प्रयुक्त होने लगा है। विमीय विश्लेषण का मान उसकी इस क्षमता में है कि भौतिकविज्ञानी और इंजीनियर के प्रति दिन की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक समस्याओं के समाधान में यह सहायक होता है।

संपूर्ण भौतिक राशियाँ दो वर्गों में विभाजित की जाती हैं : (क) मौलिक (Fundamental) तथा (ख) व्युत्पन्न (Derived)। यांत्रिक समस्याओं में तीन स्वतंत्र प्राथमिक राशियाँ (distinct primary quantities), लंबाई (length = L), द्रव्यमान (mass = M), तथा समय (time = T), की आवश्यकता किसी

थी। किंतु यदि चुंबकीय, विद्युतीय और ऊष्मीय राशियों के लिये भी इसका उपयोग करें तो हमें मान होकर दो मान राशियों (विद्युत् की मात्रा Q एवं ताप θ) को समाविष्ट करना होगा। अब सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियों को इन पाँच भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, बल की विमा $M\ L\ T^{-2}$, ऊष्मा धारिता की विमा $L\ M\ T^{-2}\ \theta^{-1}$ और धारिता की विमा $Q^2\ T^2\ M^{-1}\ L^{-2}$ है। वास्तविक उपयोग में मात्रक पद्धति (system of units) प्रयोग में आती है

(१) सेंटीमीटर ग्राम-सेकंड पद्धति (C G, S System) — इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है।

(२) फुट पाउंड सेकंड पद्धति (F. P S. System) — इसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमश फुट, पाउंड और सेकंड हैं।

(३) मीटर किलोग्राम सेकंड (M K. S System)— इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमश मीटर, किलोग्राम और सेकंड हैं।

सारणी (क) में मौलिक, सारणी (ख) में ऊष्मीय तथा (ग) में वैद्युत्-चुंबकीय राशियाँ तथा विमाएँ (देखें पृष्ठ ६२) दी गई हैं।

(क) मौलिक राशियाँ

क्र० सं०	राशि	मात्रक (मी० किला० से०)	विमाएँ
१	लंबाई (l)	मी (m)	L
२	द्रव्यमान (m)	किग्रा (kg)	M
३	समय (t)	सेकंड (s)	T
४.	वेग (v)	मीसे$^{-1}$	$L\ T^{-1}$
५.	प्रकाश का वेग (c)	२ ९९८ × १०^{८} मीसे$^{-1}$	$L\ T^{-1}$
६.	त्वरण (a)	मीसे$^{-2}$	$L\ T^{-2}$
७	बल (F)	न्यूटन (N) = १०^{५} डाइन	$L\ M\ T^{-2}$
८	कार्य, ऊर्जा (W)	जूल = न्यूटनमीटर	ML^2T^{-2}
९.	शक्ति (P)	वाट = जूल/से०	ML^2T^{-3}
१०.	पृष्ठतनाव (σ)	न्यूटन/मी = १०^{३} डाइन/सेमी०	$M\ T^{-2}$
११.	श्यानता (η)	न्यूटन सेकंड/मी^{2} = १० प्वॉज	$ML^{-1}T^{-1}$
१२	बल आघूर्ण		ML^2T^{-2}
१३.	कोणीय त्वरण (α)	राडियन/सेकंड	T^{-2}
			T^{-2}

कंड पद्धति में परिवर्तन के लिये निम्न संबंध उप- है :

मीटर = ३९·३७ इं

= २·२

(ख) ऊष्मीय राशियाँ

क्र० सं०	राशियाँ	विमाएँ
१	ताप	θ
२.	ऊष्मा की मात्रा (H)	ML^2T^{-2}
३	विशिष्ट ऊष्मा	$L^2T^{-2}\theta^{-1}$
४.	ऊष्मा धारिता प्रति एकक द्रव्यमान	$L^2\ T^{-2}\theta^{-1}$
५	ऊष्मा धारिता प्रति एकक आयतन	$ML^{-1}T^{-2}\theta^{-1}$
६	चालकता (Conductivity)	$MLT^{-3}\theta^{-1}$
७.	ऐंट्रोपी (Entropy)	$ML^2T^{-2}\theta^{-1}$
	$H\theta^{-1}$	

विमीय विश्लेषण के सिद्धांत (Principles of Dimensional Analysis) — जब किसी समीकरण का रूप मापन (measurement) के मौलिक मात्रकों (fundamental units) पर निर्भर नहीं करता, तब वह विमीय रूप से समांगी (Homogeneous) कहलाता है। उदाहरण के लिये, सरल लोलक का दोलनकाल $T = 2\ \pi(l/g)^{\frac{1}{2}}$ मान्य है चाहे लंबाई फुट या मीटर में नापी गई हो, अथवा समय T मिनट या सेकंड में नापा गया हो। किसी प्रश्न के विमीय विश्लेषण का प्रथम सोपान प्रश्न में आए चरों (variables) का निर्णय करना है। यदि घटना (phenomenon) में वे चर, जो वास्तव में प्रभावहीन हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो प्रतिरूप समीकरण में बड़ी संख्या में पद दिखाई पड़ेंगे। फिर हम प्रश्न के चर-समुच्चय (set) के विमाविहीन उत्पादों (products) के पूर्ण समुच्चय का परिकलन (calculation) करते हैं और उनके बीच एक सामान्य संबंध लिखते हैं। इस संबंध में ई० बकिंघम द्वारा प्रणीत निम्नलिखित मौलिक प्रमेय महत्वपूर्ण है : "यदि कोई समीकरण विमीय रूप से समांगी है, तो वह विमाविहीन उत्पादों के पूर्ण समुच्चय के, जिसकी संख्या प्रश्न में समाविष्ट मौलिक चरों की संख्या एवं मौलिक प्राथमिक राशियों की संख्या के अंतर (जिनके पदों में वे व्यक्त किए जाते हैं) के बराबर होती है, संबंध में बदला जा सकता है।" विलोमतः इसे इस तरह कहा जा सकता है कि यदि मौलिक चरों का संबंध इन चरों के उत्पादों के निम्नतम समुच्चय में बदला जा सकता है, तो ये सभी उत्पाद विमाविहीन होंगे। बकिंघम का प्रमेय, जिसे द्वितीय (π) प्रमेय भी कहते हैं, विमीय विश्लेषण के संपूर्ण सिद्धांत का सारांश प्रस्तुत करता है।

(stream) में अनुभव करती है। v को धारा का वेग माना गया है। इन चरों की विमाएँ तीन प्राथमिक राशियों लंबाई L, द्रव्यमान M तथा समय T के पदों में हम लिख सकते हैं। बकिंघम के π प्रमेयानुसार ५ − ३ = २ विमाविहीन उत्पाद होगा, जिसे हम यों लिख सकते हैं :

$$\pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 D^2} \text{ और } \pi_2 = \frac{vD\rho}{\mu}$$

इस प्रकार निम्न रूप में यह संबंध व्यक्त किया जा सकता है—

$$\pi_1 = f\ (\pi_2)$$

$$\text{या } F = \rho\, v^2\, D^2 f\left(\frac{vD\rho}{\mu}\right).$$

यहाँ f एक अनिर्दिष्ट फलन (unspecified function) है तथा $R = \frac{vD\rho}{\mu}$ रेनाल्ड संख्या (Reynold's number) है।

यदि R क्रांतिमान (critical value) से, जिसकी कोटि (order) २००० है, अधिक है, तो f का मान अचल हो जाता है और प्रवाह तब 'विक्षुब्ध' (turbulent) कहा जाता है। फिर भी यदि रेनाल्ड संख्या क्रांतिक मान से कम है तो

$$F = \mu\, v\, D f_1\left(\frac{v D \rho}{\mu}\right),$$

जहाँ फलन f_1 अनिर्दिष्ट है और इस दशा में इसका मान एक अचल (constant) होता है। उदाहरणार्थ, कम वेगों के लिये स्टोक का नियम (Stoke's law) है :

$$F = 3\pi\, \mu\, v\, D$$

अर्थात् फलन f_1 अचल 3π के बराबर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ अचलों या फलों को छोड़कर, अधिकर मौलिक प्रश्नों का हल निकाला जा सकता है।

एक दूसरा दृष्टांत रेलि समस्या (Rayleigh's problem) का दिया जा सकता है। निश्चित ज्यामितीय आकार का किंतु पर निरपेक्ष (absolute) विमा D का एक ठोस पिंड, वेग v से बहते हुए तथा पिंड से सुदूर (remote) बिंदुओं पर, द्रव के ताप से उच्चतर निश्चित ताप θ पर, पोषित द्रव की धारा में बद्ध (fixed) है। पिंड से द्रव को स्थानांतरित होनेवाली ऊष्मा की दर h निकालना अपेक्षित है। यह समस्या गति के समीकरणों द्वारा आसानी से नहीं सुलझाई जा सकती, किंतु विमीय विधियों को प्रयुक्त कर यह दिखाया जा सकता है कि

$$h = k\, D\, \theta\, f\left(\frac{D\, v\, c}{k}\right),$$

जहाँ K द्रव की ऊष्मीय चालकता (thermal conductivity), C उसकी ऊष्मा धारिता (heat capacity) और θ तापांतर (temperature difference) है। यहाँ ऊर्जा के रूप में विचारित लंबाई, समय, ताप और ऊष्मा के लिये हम क्रमशः L, T, θ और H प्राथमिक राशियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। $\left(\frac{D\, v\, c}{k}\right)$ को पेक्लेट (Peclet's number) और $h/kD\theta$ को नसेल्ट संख्या (Nusselt number) कहते हैं। यदि श्यानता (viscosity) को भी लिया जाय, तो $h = kD\theta F\left(\frac{D\, v\, C}{k}, \frac{v\, D\, \rho}{\mu}\right)$। किसी निर्दिष्ट द्रव को लेकर प्रयोग करने पर, फलनों f और F के मान निकाले जा सकते हैं।

दूसरे द्रवों के आँकड़े (data) तथा प्राचलों (parameters) $D\, v\, c/k$ और $v\, D\, \rho/\mu$ के मान प्रयोग करने पर फलन F का मान निकाला जा सकता है। अतः h का मान निकल जाता है। विमाओं की विधि चालन और संवहन (convection) के प्रश्नों के लिये भी, जो सामान्यतः विश्लेषित नहीं हो सकते, प्रयुक्त हो सकती है।

विमा सिद्धांत के अत्यंत महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों (applications) में से एक 'प्रतिरूप परीक्षण' (model testing) है। किसी व्ययसाध्य (expensive) इंजीनियरी प्रायोजना (project) के पहले कभी कभी निर्मित होनेवाले आदिप्रारूप (prototype) पद्धति की लघुमान प्रतिकृति (small scale replica) की क्रिया का अध्ययन करना परामर्श्य (advisable) होता है। प्रतिरूप अध्ययन मँहगी त्रुटियों (costly mistakes) को दूर करने के लिये तथा आदि प्ररूप की अभिकल्पना (design) में सहायक सूचना प्राप्त करने के लिये किया जाता है। माना किसी प्रश्न में Q_1, Q_2, Q_3 ....आदि चर हैं, बकिंघम के (π) प्रमेय द्वारा इनके बीच का संबंध बहुत से विमाविहीन उत्पादों के मध्य के संबंध में परिणत किया जा सकता है। Q_1 के मान में रुचि लेने पर हम लिख सकते हैं कि :

$$Q_1 = Q_2^{\alpha_2}\ Q_3^{\alpha_3}\ \ldots\ldots F\ (\pi_2, \pi_3, \pi_4)$$

$$\text{जहाँ } \pi_2 = Q_2^{\beta_2}\ Q_3^{\beta_3}\ \ldots\ldots,$$

$$\pi_3 = Q_2^{\gamma_2}\ Q_3^{\gamma_3}\ \ldots\ldots \text{ आदि}$$

किसी प्रतिरूप पर, जिसके लिये सभी π के मान आदि प्ररूप के π के मानों के बराबर हैं, प्रयोग करके π के मान के विभिन्न समुच्चयों के लिये फलन F के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिरूप के लिये उनके मान ज्ञात होने से आदिप्ररूप के मानों को ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्रतिरूप तथा आदिप्ररूप गतिकीय समरूप (dynamically similar) कहलाते हैं। वास्तविक विमान बनने के पूर्व, एक प्रतिरूप (आकार में विमान का $\frac{1}{20}$) पर वायु सुरंग (wind tunnel) में प्रयोग किए जाते हैं और विभिन्न प्रणोदों (thrusts) के मान ज्ञात किए जाते हैं। इन आँकड़ों से विमान के लिये संगत मान (corresponding values) निकाल लिए जाते हैं। यह विधि जलयान उद्योग (ship industry), अंतर्जलीय विस्फोट (underwater explosion), प्रक्षेपिकी विज्ञान (science of ballistics) और दूसरी इंजीनियरी प्रायोजनाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रतिरूप पर प्रयोग करना, किसी प्रस्तावित ज्वारनदमुख (estuary), या पोताश्रय (harbour), के प्रभावों के विषय में पूर्व जानकारी देने, अन्वेषण करने (investigating) तथा व्ययसाध्य

व्यवसाय (undertaking) का तुत उपाय (ready means) है।

विमाओं के सिद्धांत ने तरलयांत्रिकी (fluid mechanics) और ऊष्मा स्थानांतरण (heat transfer) के आधुनिक विकासों (developments) में महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। विद्युत् चुंबकीय सिद्धांत तथा बहुत सी दूसरी भौतिक समस्याओं में भी यह सिद्धांत अनुप्रयोगित है।

किसी समस्या का विस्तृत विश्लेषण करने के पूर्व किसी प्रश्न में किसी परिमाण की कोटि (order of magnitude) के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तव में विमीय विश्लेषण प्राकृतिक घटनाओं (natural phenomena) के अन्वेषण के लिये एक महत्वपूर्ण साधन (tool) हो रहा है।

(ग) वैद्युत् एवं चुंबकीय राशियाँ

क्र० सं०	राशि	मात्रक (मी० किग्रा० से०)	विमाएँ
१.	आवेश	कूलॉम	Q
२.	आकाश की विद्युत्शीलता (ϵ_0) (Permittivity of space)	फैरड / मी०	
	विद्युत्शीलता (ϵ)	$= 8.854 \times 10^{-12}$ फैरड / मी० (आकाश के लिये)	$F^{-1} L^{-2} Q^2$
	आपेक्षिक विद्युत्शीलता (ϵ_r) $(F = q q'/4\pi \epsilon r^2)$		$M^{-1} L^{-3} T^2 Q^2$
३	धारा (I)	ऐंपियर = कूलॉम/सेकंड $= 3 \times 10^9$ स्थि० वै० मा०	$T^{-1} Q$
४	धारा घनत्व ($\underline{J}$)	ऐंपियर / मी०^2 $= 3 \times 10^{14}$ स्थि० वै० मा० $= 10^{-4}$ ऐंपि/सेंमी०^2	$L^{-2} T^{-1} Q$
५	विभवांतर (v)	वोल्ट = जूल/कूलॉम $= \frac{1}{300}$ स्थि० वै० मा०	$ML^2 T^{-2} Q^{-1}$
६	विद्युत् क्षेत्र $(\underline{E}) = \frac{F}{q}$	$\frac{\text{न्यूटन}}{\text{कूलॉम}} = \frac{\text{वोल्ट}}{\text{मी०}}$ $= \frac{1}{3} \times 10^{-4}$ स्थि० वै० मा०	$MLT^{-2} Q^{-1}$
७.	विद्युत्वाहक बल $(E) = \frac{F\,l}{q}$	वोल्ट	$ML^2 T^{-2} Q^{-1}$
८.	द्विध्रुव आघूर्ण (Dipole moment) (q l)	कूलॉम मी०	LQ
९.	प्रतिरोध (R)	ओम $= \frac{1}{\text{म्हो (mho)}}$ $= 3 \times 10^{-11}$ स्थि० वै० मा०	$ML^2 T^{-1} Q^{-2}$
१०	चालकता $(\vec{I})/(\vec{E})$	म्हो/मी० $= 9 \times 10^9$ स्थि० वै० मा०	$Q^2 T M^{-1} L^{-3}$

क्र० सं०	राशि	मात्रक (मी० किग्रा० से०)	विमाएँ
११.	धारिता (C)	फैरड = कूलॉम/वोल्ट $= ९ \times १०^{११}$ स्थि० वै० मा०	$Q^2 T^2 M^{-1} L^{-2}$
१२.	विद्युत्विस्थापन (D)	कूलॉम/मी०^2 $= १२\pi \times १०^{५}$ स्थि० वै० मा०	$Q L^{-2}$
१३.	विद्युत्ध्रुवण (P)	कूलॉम/मी०^2 $= ३ \times १०^{५}$ स्थि० वै० मा०	$Q L^{-2}$
१४.	आकाश की चुंबकशीलता (μ_0) (Permeability of space) $FT^{+2}Q^{-2}$ चुंबकशीलता (μ) आपेक्षिक चुंबकशीलता (μ_r)	वेबर/मी० ऐंपियर $= ४\pi \times १०^{-७}$ हेनरी/मी०	$ML Q^{-2}$
१५.	चुंबकीय अभिवाह घनत्व B (Flux density) प्रवण	वेबर/मी०^2	$ML^2 T^{-2} Q^{-1}$
१६.	चुंबकीय अभिवाह (I)	वेबर = हेनरी ऐंपियर = वोल्ट सेकंड	$ML^2 T^{-2} Q^{-1}$
१७.	चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता (H)	ऐंपियर चक्कर/मी० या ऐंपि/मी०	$L^{-1} T^{-1} Q$
१८.	प्रेरकत्व (L) (Inductance)	हेनरी = वोल्ट सेकंड/ऐंपि० = वेबर/ऐंपियर	$ML^2 Q^{-2}$
१९.	चुंबक वाहक बल (चुंबकीय विभव)	ऐंपियर चक्कर = ऐंपियर	QT^{-1}
२०.	प्रतिघ्न (R) (Reluctance)	ऐंपियर चक्कर/वेबर = रौलैंड (Rowland)	$M^{-1} L^{-2} Q^2$
२१.	चुंबकीय आघूर्ण (m)	ऐंपियर मी०^2	$L^2 T^{-1} Q$
२२.	चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य	ऐंपियर मीटर	$LT^{-1} Q$
२३.	चुंबकन तीव्रता (M) (Intensity of Magnetisation)	ऐंपियर/मीटर	$L^{-1} T^{-1} Q$

मीटर किलोग्राम सेकंड की स्थिर वैद्युत मात्रक तथा विद्युत् चुंबकीय मात्रक में बदलने के लिये केवल आवेश के मात्रक बदलने होंगे।

अर्थात् १ कूलॉम $= ३ \times १०^{९}$ स्थि० वै० मा० (e. s. u)
$= \frac{१}{१०}$ वि० चु० मा० (e m. u.)
[फ० चं० सी०]

वियतनाम (Vietnam) इंडोचीन का एक राज्य था, जिसके अंतर्गत तीन फ्रांसीसी अधीन राज्य थे : टांकिङ् (Tonking), अनाम (Annam) तथा कोचीनचीन। १९४९ ई० में पूर्व संमिलित टांकिङ् तथा अनाम के साथ कोचीनचीन के मिलने से वियतनाम बना था। गृहयुद्ध के कारण जुलाई, १९५४ ई० में जेनेवा (Geneva) में हुए समझौते के अनुसार वियतनाम, कम्युनिस्ट शासित उत्तरी वियतनाम, तथा राजा द्वारा शासित दक्षिणी वियतनाम में, राजनीतिक रूप से विभाजित हो गया। सन्, १९५६

व्यवसाय (undertaking) का हल उपाय (ready means) है।

विमाओं के सिद्धांत ने तरलगतिकी (fluid mechanics) और ऊष्मा स्थानांतरण (heat transfer) के आधुनिक विकासों (developments) में महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। विद्युत् चुंबकीय सिद्धांत तथा बहुत सी दूसरी भौतिक समस्याओं में भी यह सिद्धांत अनुप्रयोजित है।

किसी समस्या का विशुद्ध विश्लेषण करने के पूर्व किसी में किसी परिमाण की कोटि (order of magnitude) परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तव में विमीय विश्लेषण प्राकृतिक घटनाओं (natural phenomena) के अध्ययन लिये एक महत्वपूर्ण साधन (tool) हो रहा है।

(ग) वैद्युत् एवं चुंबकीय राशियाँ

क्र० सं०	राशि	मात्रक (मी० किग्रा० से०)	विमाएँ
१.	आवेश	कूलॉम	Q
२.	आकाश की विद्युत्शीलता (ϵ_0) (Permittivity of space)	फैरड / मी०	
	विद्युत्शीलता (ϵ)	$= ८.२४ \times १०^{-१२}$ फैरड / मी० (आकाश के लिये)	$F^{-1} L^{-3} Q^2$
	आपेक्षिक विद्युत्शीलता (ϵ_r) $(F = q q'/4\pi \epsilon r^2)$		$M^{-1} L^{-3} T^2 Q^2$
३.	धारा (I)	ऐंपियर = कूलॉम/सेकंड $= ३ \times १०^{९}$ स्थि० वै० मा०	$T^{-1} Q$
४	धारा घनत्व ($\underline{j}$)	ऐंपियर / मी०^2 $= ३ \times १०^{५}$ स्थि० वै० मा० $= १०^{-४}$ ऐंपि/सेमी०^2	$L^{-2} T^{-1} Q$
५.	विभवांतर (v)	वोल्ट = जूल/कूलॉम $= \frac{१}{३} \times १०^{-२}$ स्थि० वै० मा०	$ML^2 T^{-2} Q^{-1}$
६	विद्युत् क्षेत्र $\left(\frac{E}{F}\right) = \frac{F}{q}$	$\frac{\text{न्यूटान}}{\text{कूलॉम}} = \frac{\text{वोल्ट}}{\text{मी०}}$ $= \frac{१}{३} \times १०^{-४}$ स्थि० वै० मा०	$MLT^{-3} Q^{-1}$
७.	विद्युत्वाहक बल (E) $= \frac{F.l}{q}$	वोल्ट	$ML^2 T^{-2} Q^{-1}$
८.	द्विध्रुव आघूर्ण (Dipole moment) (q l)	कूलॉम मी०	LQ
९.	प्रतिरोध (R)	ओम $= \frac{१}{\text{म्हो (mho)}}$ $= ३\frac{१}{३}^{-११}$ स्थि० वै० मा०	$ML^2 T^{-1} Q^{-2}$
१०	चालकता $(\vec{j})/(\vec{E})$	म्हो/मी० $= ९ \times १०^{९}$ स्थि० वै० मा०	$Q^2 T M^{-1} L^{-3}$

नाम का दक्षिण-पश्चिमी खंड, कोचीन चीन, मेकॉङ् ग डेल्टा में ही है और यह डेल्टा विश्व के प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। दक्षिणी मध्यभाग का अधिकांश पठारी है।

यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधी है। राजधानी साइगॉन का ताप १८° सें० से लेकर ३३° सें० तक जाता है। वर्षा ऋतु मई से नवंबर तक रहती है। हुए (Hue) की वार्षिक वर्षा का औसत लगभग २९५ सेमी है तथा साइगॉन की वार्षिक वर्षा का औसत लगभग २४६ सेमी है। संपूर्ण देश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग १९८ सेमी है। पूर्वी तटीय क्षेत्र, उत्तरी तथा उत्तरी मध्य भाग में बार बार टाइफून आते हैं, जिनके कारण भयावह बाढ़ आती है।

दक्षिणी वियतनाम में उष्ण कटिबंधी सदाबहार वृक्ष तथा चीड़ के जंगल प्रचुर हैं। कोचीनचीन क्षेत्र में सवाना (Savannah) अत्यधिक है उष्णकटिबंधी घास ट्रान (Tranh) दूर दूर तक फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम में तट के साथ साथ मैंग्रोव (mangrove) के जंगल हैं। हरिण, भैंस, जंगली साँड, हाथी, बाघ और तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। तटीय जल और अंतर्देशीय जल में मछलियों की बहुतायत है।

दक्षिणी वियतनाम की ८० प्रति शत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। वर्ष के छह महीने भारी वर्षा होती है और शेष के छह महीने सूखे रहते हैं। अतः साल में केवल एक फसल मिलती है।

सिंचाई की समस्या को हल करने के लिये सिंचाई के साधनों को विकसित किया जा रहा है। देश की प्रमुख फसलें हैं . धान और रबर। अन्य कृषि उत्पाद हैं . सेमल की रुई, गरी, शकरकंद, काली मिर्च, मंडिशक (manioc), चीनी, तंबाकू, चाय, कॉफी, मूँगफली, मक्का, तिलहन और कुनैन। रैमी (ramie) और केनैफ, जो जाल, बोरा इत्यादि बनाने के काम आते हैं, अन्य उत्पाद हैं।

यहाँ कोयले, सोने तथा नमक की कुछ खानें हैं। कोचबालू, मालिब्डेनम, सीस, बिस्मथ, ताँबा तथा फॉस्फेट के निक्षेप भी इस देश में हैं। कुटीर उद्योग दक्षिणी वियतनाम के उद्योग की विशेषता है। प्रमुख कुटीर उद्योग हैं . चमड़ा, चंदन, साबुन, कागज, ईंट, खपरैल, दियासलाई, चीनी, ऑक्सीजन, ऐसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐल्कोहॉल, चावल, तंबाकू, बीयर, नमक और सूती वस्त्र।

साइगॉन (१४,३१,०००, सन् १९६२) दक्षिणी वियतनाम की राजधानी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बड़े बंदरगाहों में से एक है। साइगॉन के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध नगर हैं . हू (१,०४,६००) तथा तूरॉन (Tourane) या दा नाग (Da Nong, १,२१,४००)। गणतंत्र में १४८३२ किमी० लंबी रेल लाइनें ११,५५३ किमी० लंबे मोटर मार्ग तथा ४,४०० किमी० लंबा जलमार्ग है। अंतर्देशीय, तथा कंबोडिया, लाओस, थाइलैंड एवं हांगकांग के लिये, वायु-सेवा भी है।

सन् १९५४ में दक्षिण वियतनाम के स्वतंत्र होने पर सम्राट् बाओ दाइ (Bao Dai) ने शासनभार संभाला। सन् १९५५ में सम्राट् को हटाकर गणतंत्रात्मक संविधान लागू हुआ। सन् १९६३ में सैनिक जुंटा ने रक्तहीन अवैध राज्यक्रांति (coup d'etat) के द्वारा राष्ट्रपति डिएम (Diam) को पदच्युत कर उनके अधिनायकवाद को समाप्त कर दिया और सैनिक शासन की स्थापना की। अब यहाँ पुनः नागरिक शासन स्थापित हो गया है। संप्रति एन० वान थिव राष्ट्रपति हैं। [अ० ना० मे०]

वियना स्थिति : ४८° १२′ उ० अ० तथा १६° २५′ पू० दे०। यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी है तथा वीनर वाल्ड के पूर्वी पद पर डैन्यूब नदी के दाहिने किनारे पर समुद्रतल से ५५० फुट की ऊँचाई पर बसा है। जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। वार्षिक औसत ताप ९° से० तथा वार्षिक वर्षा २७ इंच है। नगर एक प्रसिद्ध औद्योगिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र है। कलात्मक सुंदर वस्तुएँ, चमड़ा, गहना, रेशम, अन्य कपड़ा, स्त्रियों की टोपी एवं अन्य विलासिता की वस्तुओं के लिये यह प्रमुख स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त दृष्टि संबंधी यंत्र, पीतल के तार, लोहे एवं इस्पात की भारी मशीनें, फर्नीचर, कागज तथा रासायनिक पदार्थ भी यहाँ बनते हैं। फिल्म उद्योग भी यहाँ है। यहाँ के अजायबघर, पुस्तकालय तथा कला, संगीत एवं विज्ञान के केंद्र अनूठे हैं। सुंदर भवन, उद्यान एवं सड़कों से युक्त यह नगर स्वयं गृहशिल्प का अजायबघर है। इसकी जनसंख्या १६,२७,०३४ (१९६१) है। [सु० चं० श०]

विरंजन रंगीन पदार्थों से रंग निकालकर उन्हें श्वेत करने को विरंजन करना कहते हैं। विरंजन से केवल रंग ही नहीं निकलता, वरन् प्राकृतिक पदार्थों से अनेक अपद्रव्य भी निकल जाते हैं। अनेक पदार्थों को विरंजित करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पदार्थों में रुई, वस्त्र, लिनेन, ऊन, रेशम, कागज लुगदी, मधु, मोम, तेल, चीनी और अनेक अन्य पदार्थ हैं।

ऊन और सूती वस्त्र के विरंजन की कला हमें बहुत प्राचीन काल से मालूम है। प्राचीन मिस्रवासी, यूनानी, रोमवासी तथा फिनिशियावासी विरंजित सामान तैयार करते थे, पर कैसे करते थे इसका पता आज हमें नहीं है। प्लिनी (Pliny) ने कुछ पेड़ों और पौधों की राखों का उल्लेख किया है। ऐसा मालूम होता है कि यूरोप में डच लोग विरंजन की कला में अधिक विख्यात थे। इंग्लैंड में १४वीं शताब्दी में विरंजन करने के स्थानों का वर्णन मिलता है। १८वीं शताब्दी में इसका प्रचार वस्तुतः व्यापक हो गया था। उस समय वस्त्रों को क्षारीय द्रावों (lye) में कई दिनों तक डुबाकर धोते और घास पर कई सप्ताह सुखाते थे। इसके बाद वस्त्रों को मट्ठे में कई दिन डुबाकर फिर धोकर साफ करते थे।

पीछे मट्ठे के स्थान में हल्के अम्ल का उपयोग शुरू हुआ। डा० फ्रैंसिस होम ने १८५६ ई० में विरंजन का एक कारखाना खोला।

विरंजन व्यवसाय की स्थापना वस्तुतः १७८७ ई० में हुई। तब तक क्लोरीन का आविष्कार हो चुका था और वस्त्रों के विरंजन में यह बड़ा प्रभावकारी सिद्ध हुआ था। बेर्टोले (Berthollet) पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि वस्त्रों

से कम्युनिस्ट शासित उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम की सप्रभुता के प्रति सशस्त्र विरोध किया जा रहा है।

उत्तरी वियतनाम

स्थिति : १७° से २३° उ० अ० तथा १०२° १५' से १०८° पू० दे०। इस लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र (Democratic republic) की जनसंख्या १,५६,०३,००० (१९६०) तथा क्षेत्रफल १,५५,२०३ वर्ग किलोमीटर है। यह इंडोचीन प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी भाग मे स्थित है। इसके उत्तर में साम्यवादी चीन, १७ वें समांतर के दक्षिण मे दक्षिणी वियतनाम, पश्चिम में लॉओस तथा पूर्व में दक्षिणी चीनी सागर है। अनामाइट कार्डियेरा (Annamite-Cordillera) एकमात्र पर्वतशृंखला है, जो पश्चिमी सीमांत के साथ साथ फैली हुई है। अनाम में जहाँ दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम की सीमाएँ मिलती हैं, वहाँ पर्वत समुद्र के समीप है। टॉङ्किङ् प्रदेश मे सम्मिलित लाल नदी का डेल्टा वियतनाम का घना आबाद क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व ५७५ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है। यह डेल्टा समुद्रतल से ३ मीटर से कम ऊँचा है। उत्तरी टॉङ्किङ् का उच्च भूभाग आग्नेय पर्वतों और बलुआ पत्थर या चूनापत्थर के पठारों से बना है। लाल नदी प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई लगभग ८०० किमी० है। लाल नदी को कॉय (Coi) या सोङ्काय (Songi-koi) भी कहते हैं।

उत्तरी वियतनाम में वर्षा मध्य अप्रैल से मध्य अक्टूबर तक होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त मे होती है। राजधानी हनोइ मे औसत वार्षिक वर्षा ६८ इंच होती है। अनामाइट कार्डियेरा क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा १६० इंच से अधिक होती है। डेल्टा क्षेत्र के दैनिक ताप में पर्याप्त उतार चढ़ाव रहता है। हनोइ का औसत ताप जून मे २५° सें० तथा जनवरी में १७° सें० रहता है। जुलाई से नवंबर तक टाइफून (typhoon) की ऋतु रहती है।

टॉङ्किङ् क्षेत्र के पर्वत तथा अनामाइट कार्डियेरा की विशेषता उष्ण कटिबंधी वर्षावाले जंगल हैं, जिनमें बड़ा भाग मानसूनी वर्षा वाले जंगलों का है। पश्चिमी टॉङ्किङ् के पर्वतीय क्षेत्र मे चीड़ के जंगल हैं। स्थानांतरी कृषि गौण जंगलों के अनेक भागों में फलीभूत हुई है। ट्रोन (Tron) घास दूर दूर तक फैली हुई है। मैंग्रोव जंगल टॉङ्किङ् डेल्टा के तटीय भाग मे हैं। हरिण, भैंस, जंगली साँड, हाथी, बाघ और तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तटीय तथा अवदेशीय जल मे मछलियों का बाहुल्य है। पक्षियों और कीटों की अनेक जातियाँ यहाँ पाई जाती हैं।

उत्तरी वियतनाम की कृषि सामूहिकीकरण के उच्च स्तर पर पहुँच गई है। १९६२ ई० में ८८ प्रति शत कृषकों ने सहकारिता को अपना लिया था। लगभग ३०,००,००० हेक्टेयर भूभाग पर कृषि होती है, जिसमें से २,००,००० हेक्टेयर पर सरकार के ५५ फार्म हैं। अधिकांश भूभाग पर धान की खेती होती है। लाल नदी के डेल्टा में तथा अनाम के तट के किनारे के डेल्टाओं में वर्ष में धान की दो फसलें होती हैं। कुछ क्षेत्रों में वर्ष में धान की तीन फसलें होती हैं। मक्का, शकरकंद, गन्ना, कपास, मूँगफली (peanut), जूट, चाय, कॉफी, सोयाबीन और रबर अन्य फसलें हैं।

भारवाही पशुओं (draft animal) का पालन का कार्य यहाँ होता है। थान हो (Than Hoa) और उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र पशुपालन के प्रमुख केंद्र हैं। मछली मारना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। इमारती लकड़ियों के अतिरिक्त बाँस, रेजिन और लैकर (lacquer) जंगल से प्राप्त होनेवाले उत्पाद हैं।

ऐपाटाइट कोयला, टिन, क्रोमियम, ऐपाटाइट तथा फॉस्फेट मुख्य खनिज हैं। यूरेनियम फॉस्फेट तथा टंगस्टन भी उत्तरी वियतनाम में मिलते हैं।

देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों में से ५७ ६ प्रति शत सरकारी संस्थान हैं, जिनके अंतर्गत कोयला, टिन, क्रोमियम तथा अन्य खानें, हनोइ स्थित इंजीनियरी निर्माणशाला, विद्युत् केंद्र और तवाई, चाय, एवं डिम्बाबंदी के आधुनिक कारखाने हैं। सीमेंट, सूती वस्त्र, दियासलाई तथा कागज निर्माण अन्य प्रमुख उद्योग हैं। १९६६ ई० से इस्पात का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है।

हनोइ स्थित उत्तरी वियतनामी राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय संग्रहालय वियतनाम की दर्शनीय संस्थाएँ हैं। युनिवर्सिटी ऑव हनोइ एकमात्र विश्वविद्यालय है। १० वर्ष तक की आयु के बालकों के लिये अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध है।

राजधानी हनोइ (९,४३,५७६) के अतिरिक्त (३,९९,२४८) नाम डिन्ह (Nam Dinh) तथा विन्ह (अन्य प्रमुख नगर हैं। निम्न भूमि पर निवास करनेवाली ज का ८५·१ प्रति शत थाई एवं चीनी जातियों का मिश्रण है। वियतनाम के ७० प्रति शत भूभाग में पहाड़ी जाति चीनी, मोनक्मेर (Mon Khmer) और मलाया-पॉलि जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा वियतना

नदियों का उपयोग परिवहन के लिये अधिक किया जा रेल की लाइन ८४० किमी० लंबी है और १३,४४० किमी० सड़कें हैं। अवदेशीय वायुसेवाएँ हैं और पीकिंग के लिये सीधी सेवा है।

दक्षिणी वियतनाम

स्थिति : ८° ३०' से १७° उ० अ० तथा १०४° ३०' से १९' पू० दे०। यह गणतंत्र स्याम की खाड़ी एवं दक्षिणी चीनी के मध्य में फैले हुए इंडोचीन के निम्न पूर्वी पार्श्व पर स्थि उत्तरी वियतनाम से यह १७वीं समांतर द्वारा पृथक् है। क्षेत्रफल १,७१,६६५ वर्ग किमी० तथा जनसंख्या १,४२,७५, (१९६२) है। आबादी का घनत्व ७३ व्यक्ति प्रति वर्ग किलो है। दक्षिणी वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में दक्षिणी चीनी स पश्चिम में लाओस तथा कंबोडिया एवं उत्तर मे उत्तरी वियत है। यहाँ की प्रमुख भाषा वियतनामी है। मेकांग यहाँ की नदी है, जिसकी लंबाई ४,१६० किमी० है।

मेकांग नदी का डेल्टा फनोम पेन्ह (Phonon Penh) के स से आरंभ होता है और दो मुख्य भागों में बँट जाता है। डेल्टा और निकटवर्ती वाइको साइगॉन डेल्टा नदीय बाढ़ अनियमित पट्टियों से युक्त चिकनी मिट्टी से बना है। दक्षिणी वि

जांतव और वानस्पतिक दोनों प्रकार के सामानों का इससे समान रूप से विरंजन किया जा सकता है। इसके अनेक तैयार विलयन बाजारों में बिकते हैं और घरेलू विरंजनों में प्रयुक्त होते हैं। इसमें दोष है तो यही कि अन्य विरंजकों से यह कीमती होता है। [स० व०]

विरंजनचूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। यह चूने का क्लोराइड होता है और देखने में चूने की तरह सफेद होता है पर इसमें क्लोरीन की गंध होती है। इसका निर्माण सर्वप्रथम ग्लैसगो के चार्ल्स टेनेंट ने सन् १७९९ में किया था।

विरंजन चूर्ण स्थायी नहीं होता। समय बीतने के साथ साथ इसमें क्लोरीन की मात्रा कम होती जाती है, जिससे इसके विरंजन गुण का ह्रास होता जाता है। व्यापारिक विरंजन चूर्ण में विरंजन की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में निष्क्रिय पदार्थ मिले रहते हैं। उच्च ताप पर यह विघटित हो जाता है। वायु की आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से भी इसका विघटन धीरे धीरे होता है।

विरंजनचूर्ण का निर्माण चूने और क्लोरीन से होता है। बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से यह बनता है। चूने के दो से तीन इंच गहरे स्तर पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। चूने का यह स्तर १० से लेकर २० फुट चौड़े, १०० फुट लंबे और ६ से लेकर ७ फुट ऊँचे कक्ष में बना होता है और आवश्यकतानुसार समय समय पर स्तर को उलटते रहने की व्यवस्था रहती है। क्लोरीन का अवशोषण पहले तीव्रता से होता है पर पीछे मंद पड़ जाता है। कक्ष के स्थान में अब नलों का व्यवहार होता है, जिनमें ऊपर से चूना गिरता है और नीचे से क्लोरीन प्रविष्ट करता है और दोनों नलों के मध्य चूने द्वारा क्लोरीन अवशोषण से तत्काल चूर्ण प्राप्त होता है।

विरंजनचूर्ण का सूत्र कैल्सो(ऑक्सो) [CaCl (OCl)] दिया गया है। इसमें कैल्सियम का एक बंध क्लोरीन से और दूसरा बंध हाइपोक्लोरस (OCl) मूलक से संबद्ध है। चूर्ण में कुछ असंयुक्त चूना भी मिला रहता है। अतः इसके संघटन का आभास कैल्सो ऑक्सो). के(ऑह), [CaCl (OCl). Ca(OH)$_2$] सूत्र से बहुत कुछ लगता है। चूर्ण का समस्त क्लोरीन विरंजन के लिये उपलब्ध नहीं होता। अधिक से अधिक ४०% क्लोरीन ही उपलब्ध होता है, और सामान्य चूर्ण में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा सदा ही इससे कम होती है और समय के बीतने के साथ घटती जाती है। विरंजन के लिये और कीटाणुनाशक रूप में इस चूर्ण का प्रयोग व्यापकता से होता है, पर चूर्ण के स्थान में अब अन्य कई पदार्थ, जैसे द्रव क्लोरीन, कैल्सियम हाइपोक्लोराइट, के(ऑक्सो), रहा ऑ [Ca(OCl)$_2$.2H$_2$O] सोडियम क्लोराइट, सोक्सोऑ, [NaClO$_2$], जिनमें उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा ब्लीचिंग पाउडर से कहीं अधिक है, अधिकाधिक प्रयोग में आ रहे हैं। [स० व०]

विरल मृदा धातुओं के उन दुर्लभ ऑक्साइडों को कहते हैं जिनके तत्व तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की सारणी के तृतीय समूह में आते हैं। इनमें १५ तत्व हैं, जिनकी परमाणुसंख्या ५७ और ७१ के बीच है। ये ऐसे खनिजों में पाए जाते हैं जो कहीं कहीं ही, और वह भी बड़ी अल्पमात्रा में ही, पाए जाते हैं। ऐसे खनिज स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, ब्राजिल, भारत, श्री लंका, कैरोलिना, फ्लोरिडा, आइडाहो आदि देशों में मिलते हैं। खनिजों से विरल मृदा का पृथक्करण कठिन, परिश्रमसाध्य और व्ययसाध्य होता है। अतः ये बहुत महँगे बिकते हैं। इस कारण इनका अध्ययन विस्तार से नहीं हो सका है। १८८७ ई० में क्रूक्स (Crookes) इस परिणाम पर पहुँचे थे कि विरल मृदा के तत्व वस्तुतः कई तत्वों के मिश्रण हैं। एक्स-रे स्पेक्ट्रम के अध्ययन से ही इनके संबंध में निश्चित ज्ञान प्राप्त किया जा सका है।

इन तत्वों के खनिजों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक को सेराइट (Cerite) और दूसरे को गैडोलाइट (Gadolite) कहते हैं। ये खनिज साधारणतया सिलिकेट होते हैं, पर फॉस्फेट रूप में भी कुछ पाए गए हैं।

पृथक्करण और शोधन — तत्वों में बहुत समानता होने के कारण इनका पृथक्करण कठिन होता है। अतः कुछ तत्वों के रूप में अभी भी संदेह है कि ये वस्तुतः एक तत्व हैं या तत्वों के मिश्रण हैं। खनिजों से इन्हें निकालने के लिये खनिजों को महीन पीस अम्लों में उपचारित कर निष्कर्ष निकालते अथवा गालक (flux) के साथ गलाते हैं। इन्हें फिर सीरियम और इट्रियम समूहों में पृ करते हैं। सोडियम या पोटैशियम लवणों के साथ ये स बनते हैं। उपर्युक्त अभिकर्मकों की सहायता से ये अवक्षिप्त किए सकते हैं। कुछ लवण अधिक विलेय होते हैं और कुछ कम। इन्हें उपयुक्त द्विगुण लवणों में परिणत कर, उनके प्रभाजी क्रिस्टल प्रभाजी अवक्षेपण, प्रभाजी विघटन, प्रभाजी जलविघटन द्वारा, जो उपयुक्त हो, पृथक् करते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिये प्र को कई बार दोहराना पड़ सकता है। विरल मृदा के तत्व नि लिखित हैं :

लैंथेनम — संकेत लै (La), परमाणुसंख्या ५७। इ लवण त्रिसंयोजक क्षारक होते हैं। ये अधिक वैज्ञानिक म के हैं।

सीरियम — संकेत से. (Ce), परमाणुसंख्या ५८। समूह के तत्वों में यह अधिक व्यापक पाया गया है। इसका पृथक्क भी सरलता से हो जाता है। देखने में यह इस्पात सा लगता है प्रातःकर्म, तम्य, कुछ कोमल तथा अनुचुंबकीय (paramagnetic होता है। सीरियम ऊष्मा का सुचालक, पर बिजली का कुचालक है। यह चमक के साथ जलता है तथा मिश्रधातुओं के निर्मा उत्प्रेरक के रूप तथा धातुकर्म में काम आता है। इसका लवण ऑ सल्फेट विश्लेषण में प्रयुक्त होता है।

प्रेजियोडिमियम — संकेत प्रे (Pr) परमाणुसंख्या ५९। नि डिमियम से इसका पृथक्करण कुछ कठिन होता है। इसके लवण रंग के होते हैं।

निओडिमियम — संकेत, नि, (Nd), परमाणुसंख्या ६० प्रेजियोडिमियम से इसका पूर्ण रूप से पृथक्करण कठिन होता है इसके लवण बैंगनी रंग के होते हैं। यह बीटा-रेडियोधर्मी मान जाता है।

विरंजन में क्लोरीन गैस का उपयोग हो सकता है और इसका उल्लेख उन्होंने अपने एक निबंध में किया था, जो जर्मन द्विज में १७८६ ई० में छपा था। फिर तो इसका उपयोग कई देशों में होने लगा। विरंजन के लिये क्लोरीन गैस असुविधाजनक थी। इससे इसके उपयोग में कुछ समय तक अच्छी प्रगति न हो सकी। पीछे देखा गया कि क्लोरीन को शुष्क चौक में अवशोषित करके उपयोग करने पर भी विरंजन हो सकता है। फिर क्लोरीन को चूने में अवशोषित कर विरंजन चूर्ण तैयार किया गया, जिसका उपयोग आज तक होता आ रहा है। इसके स्थान में अब सोडियम हाइपो-क्लोराइट और द्रव क्लोरीन का प्रयोग भी होने लगा है।

रूई का विरंजन — कच्ची रूई में अपद्रव्य के रूप में मोम, वसाम्ल, पेक्टिन, रंजक, ऐल्बुमिनॉयड और खनिज लवण रहते हैं। इनकी मात्रा लगभग पाँच प्रति शत तक रह सकती है। विरंजन से ये अपद्रव्य बहुत कुछ निकल जाते हैं। यदि रूई का विरंजन पहले नहीं हुआ है, तो अपद्रव्यों को निकलने के लिये रूई के सूतों और वस्त्रों का भी विरंजन होता है।

कपास के सूत के विरंजन के लिये सूत को तीन से चार प्रति शत सोडा ऐश, या दो प्रति शत दाहक सोडा, के साथ छह से आठ घंटे तक न्यून दबाव पर उबालते हैं। फिर उसे धोकर विरंजन द्रव के साथ आधे से दो घंटे तक उपचारित करते हैं। उसे फिर पानी से धोकर २° द्वाधेल हाइड्रोक्लोरिक या गंधपूरिक अम्ल में डुबाकर भली भाँति धो लेते हैं। यदि सूत को बिल्कुल सफेद बनाना है, तो उसको साबुन के दुर्बल विलयन में निलंबित अल्ट्रामेरीन या बहुत अल्प विक्टोरिया ब्लू में निलंबित कर कुछ रंग लेते हैं। उबालने से सूत से अधिकांश अपद्रव्य निकल जाते हैं। यदि अल्प रेजिन साबुन मिलाकर उबालें, तो मोम प्राय समस्त निकल जाता है।

यदि वस्त्र का विरंजन किया जाय, तो उससे मोम के साथ साथ वे पदार्थ भी, जैसे स्टार्च, मैग्नीशियम लवण आदि, जो सज्जीकरण में प्रयुक्त होते हैं, बहुत कुछ निकल जाते हैं। विरंजन के पश्चात् वस्त्र हलके नीले रंग से रँगने से कपड़े बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। यदि कपड़े पर छींट की छपाई करनी हो, तो वस्त्रों को विरंजित कर बिल्कुल सफेद बनाना आवश्यक होता है।

सन के सूतों का विरंजन अधिक पेचीदा और श्रमसाध्य होता है, क्योंकि ऐसे सूत में अपद्रव्यों की मात्रा २० प्रति शत या इससे भी अधिक रहती है, जबकि रूई में अपद्रव्यों की मात्रा ५ प्रति शत से अधिक नहीं रहती। सन के सूतों में जो अपद्रव्य रहते हैं, उनमें रंजकों के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का मोम, 'सनई मोम', रहता है, जिसपर किसी अभिकर्मक की क्रिया कठिन होती है। यदि सनई के वस्त्रों का विरंजन करना है, तो कठिनता और बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे वस्त्रों में विरंजकों का प्रवेश कुछ कठिन होता है।

सनई के सूतों और वस्त्रों का विरंजन प्राय वैसे ही होता है जैसे रूई के सूतों और वस्त्रों का। अंतर केवल इस बात में रहता है [illegible] घास पर रखकर धूप में सुखाना पड़ता है। इसमें समय बहुत [illegible] है। [illegible] और वस्त्रों का विरंजन एक सप्ताह में कम समय में हो जाता है, वहाँ सनई के सूतों और वस्त्रों के विरंजन में कम से कम छह सप्ताह लगते हैं। विरंजन में लगनेवाला समय और खर्च कम करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं, पर उनमें अभी संतोषजनक सफलता नहीं मिली है। यदि अधिक प्रबल विरंजक प्रयुक्त किए जायँ, तो रेशों के क्षतिग्रस्त हो जाने की आशंका रहती है और उनकी लंबाई भी बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। समय समय पर इस विरंजन में और सुधार हुए हैं, जिनमें विरंजनचूर्ण के स्थान पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का व्यवहार, धूप में सुखाने के स्थान पर विद्युत् से प्रज्वलित आर्गन की किरण, उबालने के बाद सोडा साबुन से तन्तुओं के बीच रगड़ना, या लाइट्रिक अम्ल के तनु विलयन में डुबाना आदि है। जूट के रेशों या वस्त्रों का विरंजन भी रूई या सनई के रेशों और वस्त्रों के समान ही होता है। केवल क्षार का उपयोग इनके साथ नहीं करते। इन्हें केवल सोडियम हाइपोक्लोराइट से उपचारित कर अम्ल से धो डालते हैं। पुआलों का विरंजन हाइड्रोजन परॉक्साइड के विलयन में १२ घंटे से लेकर कई दिनों तक डुबाकर, फिर गंधपूरित अम्ल की क्रिया से किया जाता है।

ऊन का विरंजन — ऊन के सामानों का विरंजन करने से वे उतने सफेद नहीं होते जितना रूई या लिनेन के सामान होते हैं, पर यदि उनका उपचार गंधपूरस अम्ल या हाइड्रोजन परॉक्साइड से किया जाय, तो उनका रूप बहुत कुछ सुधर जाता है। उपचार के बाद सूत को धोकर लटकाया जाता है। फिर भिगाया जाता है और अल्प नीला रंग देकर एक्स्ट्रा के विलयन में ले जाया जाता है जहाँ पहुँचकर बाइसल्फाइट बनता है। रात भर सामान को यह रहने देते हैं। इसी रीति से जानवर रोमों या फूलों को भी विरंजित करते हैं। सोडियम बाइसल्फाइट के कुछ प्रबल विलयन में डुबाकर रखने से भी ऊन का विरंजन होता है। ऐसे विरंजित ऊन को साबुन से धोने पर रंग फिर लौट आता है। यदि हाइड्रोजन परॉक्साइड से विरंजित किया जाय और पीछे अमोनिया या सोडियम सिलिकेट से क्षारीय बना लिया जाय, तो विरंजन स्थायी होता है। काले या भूरे ऊन को विरंजन से बिल्कुल सफेद तो नहीं बनाया जा सकता, पर उन्हें सुनहरा किया जा सकता है।

रेशम — प्राकृतिक रेशम के ऊपर सेरिसिन (*sericine*), या रेशम गोंद, रहने के कारण वह देखने में मंद लगता है। सेरिसिन १६-२५ प्रति शत तक रह सकता है। सेरिसिन को निकालने के लिये, ३० प्रति शत क्षार के साबुन की पानी में डुबाकर उसमें रेशम को लगभग ३ घंटे तक कथनांक से निम्न ताप पर तपाया जाता है। इससे सेरिसिन घुलकर निकल जाता है और रेशों पर विशेष चमक आ जाती है। अब रेशम को हलके सोडा विलयन से धोकर वांछित रंग में रँग लेते हैं। एक विशेष प्रकार के रेशम, टसर के विरंजन के लिये, हाइड्रोजन परॉक्साइड का उपयोग होता है।

यदि पक्षियों के पंखों को विरंजित करना हो, तो हाइड्रोजन परॉक्साइड को अल्प अमोनिया डालकर, क्षारीय बनाकर विरंजित किया जा सकता है। हाथी के दाँतों का भी विरंजन इसी प्रकार होता है। हाइड्रोजन परॉक्साइड वस्तुतः सर्वश्रेष्ठ विरंजक है।

दोनों ओर के मोटे भाग को दीर्घ स्वर का प्रतीक मानकर यह नाम दिया गया है। इन चार विरामों को विवृति के चार भेद या चार विवृतियाँ भी माना गया है।

विवृतिविराम (या विवृति) के ये भेद माण्डूकी, नारदीय तथा याज्ञवल्क्य शिक्षा आदि में मिलते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि विवृतिविराम एक मात्रा का होता है, किंतु इसके चारों भेदों की मात्रा समान नहीं है। इनमें प्रथम दो की मात्रा तो एक एक है, किंतु तीसरे की ३।४ मात्रा तथा चौथे की १।४ मात्रा। आश्चर्य होता है भारतीय मनीषियों के इस सूक्ष्म अध्ययन को देखकर। यदि स्वर उक्त प्रकार से आएँ तो विरामकाल सचमुच ही कुछ इसी प्रकार का होता है।

पहला विराम चरणांत या छंदांत का था, दूसरे और तीसरे दो पदों के बीच के थे। चौथा विराम शब्द या पद के भीतर का है। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द में दो स्वर पास पास आते हैं, किंतु उनकी संधि नहीं होती। जिस प्रकार दो पदों के बीच स्वरों की असंधि का नाम 'विवृति' है, उसी प्रकार एक ही पद में दो स्वरों में असंधि का नाम समानपदविवृत्ति है। ऐसे स्वरों के बीच के विराम को समानपदविवृति विराम कहा गया है। ऐसी स्थिति संस्कृत में बहुत कम आती थी, किंतु फिर भी कुछ उदाहरण तो मिल ही जाते हैं, जैसे प्रउगम्, लिउड़।

पाणिनि में भी 'विराम' शब्द (विरामोऽवसानम् १.४, ११०) आता है। यहाँ भी विराम का अर्थ लगभग वही है अर्थात् 'मौन' या ध्वनि का अभाव। काशिकाकार कहता है 'विरतिर्विराम' विरम्यते अनेन इति वा विराम।

काशिकाकार ने उपर्युक्त विरामों से आगे बढ़कर भी विचार किया है। उनका कहना है कि शब्द की हर दो ध्वनियों के बीच थोड़ा सा विराम होता है अर्थात् हर दो व्यंजनों या स्वरव्यंजन के बीच। इसे वे आधी मात्रा के बराबर मानते हैं। आधी मात्रा आज की दृष्टि से उदात्त स्वर या ह्रस्वार्ध स्वर के बराबर मानी जा सकती है।

भारत में लेखन में विरामचिह्नों का प्रयोग काफी प्राचीन काल से मिलता है। अशोक के अभिलेखों में —, ○ तथा '।' प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार पूर्व प्रदेशीय चालुक्य अभिलेखों में । का प्रयोग मिलता है। अन्य प्राचीन अभिलेखों में

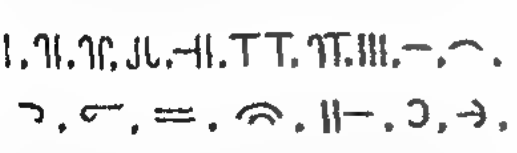

आदि भी प्रयुक्त हुए हैं। भारत में विरामचिह्नों का व्यवस्थित एवं नियमित प्रयोग यूरोपीय संपर्क के बाद प्रेस के प्रचार के साथ बढ़ा।

यूरोप में यूनानियों तथा रोमनों में इसका प्रचार था। प्रसिद्ध लेखक दोनेतुस ने अपने 'आर्स ग्रामेतिका' (Ars Grammatica) में उच्च बिंदु (·) ; 'कामा' के लिये, मध्यबिंदु (·) कोलन के लिए तथा निम्नबिंदु (.) पूर्ण विराम के लिये दिया है। धीरे धीरे इससे वर्तमान चिह्नों का विकास हुआ। मध्ययुग में इसके एकाधिक रूप मिलते हैं। यूरोप में १६वीं सदी से विराम का नियमित प्रयोग मिलने लगता है। आरंभ में इसका विरोध भी बहुत हुआ। द मनु जियो अपने को 'कामा' का शत्रु कहा करता था। बारतोली ने यह कहते हुए विरोध किया था कि मुद्रित पुस्तकों में विराम चिह्न पतिंगों की तरह हैं जो पाठक को बहुत खटकते हैं। किंतु इस प्रकार के विरोधों के बावजूद अपनी उपयोगिता के कारण विरामचिह्नों का प्रयोग बढ़ता ही गया और अब वे लेखन एवं मुद्रण के आवश्यक अंग बन गए हैं।

हिंदी में खड़ी पाई या पूर्ण विराम भारतीय परंपरा का है, जिसका प्राचीन नाम 'दंड' था। शेष चिह्न अंग्रेजी के माध्यम से यूरोप से आए हैं। अधिकांश विरामचिह्न (. : , ;) मूलतः बिंदु पर आधारित हैं। लिखते समय रुकने पर कलम कागज पर रखने से बिंदु सहज ही बन जाता था। इस प्रकार पूर्ण विराम के रूप में अंग्रेजी आदि का बिंदु सहज ही पूर्ण विराम का द्योतक बन बैठा। कामा, पूर्ण विराम या बिंदु में ही नीचे की ओर एक डोरा बढ़ा देने से बना है। प्रश्नवाचक या आश्चर्यसूचक चिह्नों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। इसकी उत्पत्ति के बारे में मतभेद है। मेरे विचार में प्रश्नवाचक चिह्न लैटिन भाषा के प्रश्नार्थी शब्द Quaestio का संक्षिप्त रूप (Qo) है, जिसमें (Q) ऊपर तथा o नीचे (?) है। इसी प्रकार आश्चर्यसूचक चिह्न (!) लैटिन भाषा का प्रश्नार्थी शब्द Io है जिसमें I और o ऊपर नीचे हैं। [भो० ति०]

विलयन जब दो पदार्थों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तब उसके चार परिणाम हो सकते हैं : १. वे दोनों पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी अलग अलग रहें, २. वे दोनों पदार्थ, यदि उनमें से एक जल है तो एक दूसरे से मिलकर, पायस (emulsion) बनें, ३. वे दोनों पदार्थ एक दूसरे से मिलकर एक समांग मिश्रण बनें तथा ४. उन दोनों पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया होकर, एक या अधिक दूसरे यौगिक बनें। यदि हम खड़िया के कुछ टुकड़ों को पानी में डालकर भली भाँति हिला डुलाकर रख दें, तो खड़िया के टुकड़े पात्र के पेंदे में बैठ जायँगे और पानी से घिरे रहेंगे। यदि खड़िया को महीन पीसकर पानी में डालें, तो खड़िया के बहुत छोटे छोटे कणों के पानी के साथ मिलने से पानी दूध की भाँति बन जाता है और वह कुछ समय तक उसी दशा में रहता है। यहाँ खड़िया का पानी में पायस बना है। यदि इसे छने कागज पर छानें, तो खड़िया जल से अलग हो जायगी। यदि नमक के टुकड़े को पानी में डालें और उसे हिलावें डुलावें, तो कुछ ही समय में नमक का टुकड़ा पानी में घुलकर समाप्त हो जायगा और जो पदार्थ बनेगा वह पानी सा ही दिखाई पड़ेगा। यदि उसे चखें, तो उसका स्वाद नमकीन होगा। ऐसे नमक घुले जल को नमक का जल में विलयन (solution) कहते हैं। खड़िया जल में घुलती नहीं है, वह जल में अविलेय (insoluble) है। पर बहुत महीन खड़िया यद्यपि पानी के साथ घुलती नहीं है, तथापि वह पायस या इमल्शन बन जाती है। नमक जल में विलेय है। क्या नमक अनिश्चित मात्रा में जल में घुल सकता है? नहीं, जल में नमक के, वस्तुतः किसी भी पदार्थ के, जल में घुलने की एक सीमा होती है। यह सीमा ताप और, दाँतों की दशा में, दबाव पर भी निर्भर करती है।

प्रोमेथियम — संकेत प्रो॰ (Pm), परमाणुसंख्या ६१। यह रेडियधर्मी होता है और बड़ी अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका नाम पहले इलिनियम (Illinium) और फ्लोरेंटिनियम (Florentinium) पड़ा था। १९४६ ई॰ में प्रोमिथियम नाम दिया गया।

समेरियम — संकेत स (Sm) परमाणुसंख्या ६२। इसके लवण हल्के पीले रंग के होते हैं। यह रेडियधर्मी होता है और बहुत धीरे धीरे ऐल्फा कण उत्सर्जित करता है।

यूरोपियम — संकेत यू॰ (Eu), परमाणुसंख्या ६३। यह बहुत कम पाया जाता है। इसके सल्फेट अविलेय होने के कारण इसका पृथक्करण सरल है। इसके त्रिसंयोजक लवण हरे रंग के और द्विसंयोजक लवण हल्के गुलाबी रंग के होते हैं।

विरल मृदा के अन्य तत्वों में गैडोलिनियम [संकेत, गै॰, (Gd), परमाणुसंख्या ६४], टर्बियम [संकेत ट॰ (Tb), परमाणुसंख्या ६५], डिस्प्रोशियम [संकेत डि (Dy), परमाणुसंख्या ६६], होल्मियम संकेत, हो (Ho), परमाणुसंख्या ६७], इट्रियम [संकेत, इ॰ (Y), परमाणुसंख्या ३९], एर्बियम [संकेत ए॰ (Er), थूलियम [संकेत थू (Tm) परमाणुसंख्या ६९], इटर्बियम [संकेत इ॰ (Yb), परमाणुसंख्या ७०] तथा ल्यूटीशियम [संकेत ल्यू (Lu), परमाणुसंख्या ७१] हैं।

धातुनिर्माण — इस समूह के तत्वों की धातु के रूप में प्राप्ति उनके द्रवित क्लोराइड के विद्युत् अपघटन से होती है। इट्रियम समूह की धातुएँ अब भी बिल्कुल शुद्धावस्था में प्राप्त नहीं हो सकी हैं। अशुद्ध इट्रियम भी कठिनता से प्राप्य है। इनकी मिश्रधातु 'मिश धातु' (Misch metal) बड़े महत्व की है। लोहे या जस्ते के साथ ये स्फुलिंग (pyrophoric) गुणवाले होते हैं। फॉस्फरस के ऐसी यही मिश्रधातु है, जिससे आग पैदा हो सकती है। इसी का उपयोग 'सिगरेट लाइटर' में होता है। विरलमृदा के लवणों का अध्ययन अधिक विस्तार से हुआ है। इन लवणों के अनेक उपयोग पाए गए हैं। ऑक्साइड या फ्लोराइड गतिमान प्रक्षेपित्र (projectorse), सर्चलाइट (search light) तथा क्षणदीप (flash light) में काम आनेवाले कार्बन-आर्क इलेक्ट्रोड के क्रोडों (cores) के निर्माण में काम आते हैं। उदीप्त गैस मैंटल में सीरियम और थोरियम के ऑक्साइडों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। विशिष्ट प्रकार के काँच निर्माण में इन धातुओं के हाइड्रेट प्रयुक्त होते हैं। कुछ लवण वस्त्र व्यवसाय और काँच की पालिश में भी काम आते हैं। निम्न ताप, अर्थात् परमशून्य ताप, की प्राप्ति में गैडोलियम का अष्ट या ओक्टा हाइड्रेट काम आता है। प्रकाश फिल्टर में निओडिमियम और प्रोजियोडिनियम काम आते हैं।

सं॰ ग्रं॰ — जे॰ एन॰ फ्रॅंड : टेक्स्टबुक ऑव इनार्गेनिक केमिस्ट्री, खंड ४। [स॰ व॰]

विराम — यह शब्द वि + रम् + घञ् से बना है और इसका मूल अर्थ है 'ठहराव', 'रुकना', 'आराम' आदि। जिन सर्वसंमत चिह्नों द्वारा, अर्थ की स्पष्टता के लिये वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बाँटते हैं, या पाठक को स्वरविन्यास (Intonation) या अर्थ के संकेत के लिये जिन्हें वाक्य के अंत में लगाते हैं, व्याकरण या रचनाशास्त्र में उन्हें 'विराम' कहते हैं। 'विराम' का ठीक अंग्रेजी समानार्थी 'स्टॉप' (Stop) है, किंतु प्रयोग में इस अर्थ में 'पंक्चुएशन' (Punctuation) शब्द मिलता है। 'पंक्चुएशन' का संबंध लैटिन शब्द (Punctum) शब्द से है, जिसका अर्थ 'बिंदु' (Point) है। इस प्रकार 'पंक्चुएशन' का यथार्थ अर्थ 'बिंदु रखना' या 'वाक्य में बिंदु रखना' है।

प्रायः लोग समझते हैं कि 'विराम' शब्द का इस अर्थ में प्रयोग आधुनिक है, और यह शब्द 'पंक्चुएशन' का अनुवाद है। किंतु बात ऐसी बात नहीं है। पाणिनि से भी बहुत पूर्व प्रातिशाख्यों एवं शिक्षाओं में विराम शब्द का प्रयोग इनसे मिलते जुलते अर्थों में मिलता है। तैत्तरीय प्रातिशाख्य चार प्रकार का माना गया है: ऋग्विराम पदविरामो विवृत्ति विराम समानपदविवृत्तिविरामस्त्रिमात्रो द्विमात्र एक मात्रोर्धमात्र इत्यनुपूर्वेण, अर्थात् ऋग्विराम, पदविराम, विवृत्तिविराम, समानपदविवृत्तिविराम, इन विरामों की मात्राएँ क्रमशः तीन, दो, एक तथा अर्ध मानी गई हैं। इनमें ऋग्विराम चरण या छंद के अंत के लिये अर्थात् आज के पूर्ण विराम जैसा है। 'ऋक्' का अर्थ है छंद, इसीलिये इस विराम को 'ऋग्विराम' कहा गया है। इसके लिये प्रायः एक या दो खड़ी पाई देने की परंपरा रही है। कभी कभी छोटा वृत्त या फूल भी बनाते रहे हैं। 'पदविराम' दो शब्दों या पदों के बीच में आता है। पदों के बीच में होने के कारण ही इसका नाम 'पदविराम' है। वस्तुतः पदों के बीच कोई विरामचिह्न दिया नहीं जाता। इसका आशय मात्र यह है सामान्य भाषा में पदों के बीच विराम अथवा ध्वनि का अभाव होता है और उसे लगभग दो मात्रा (अर्थात् दीर्घ ई या दीर्घ ऊ जितना) का होना चाहिए। तीसरा विराम 'विवृत्तिविराम' भी शब्दों या पदों के बीच में ही आता है, किंतु ये विशेष प्रकार के शब्द या पद होते हैं। कभी कभी संस्कृत में ऐसा होता है कि शब्द के अंत में स्वर आता है और उसके बादवाले शब्द के प्रारंभ में भी स्वर। सामान्यतः ऐसी स्थिति में संधि हो जाती है। किंतु जब इनके बीच संधि नहीं होती, तो इन दोनों शब्दों के बीच का विराम अन्य प्रकार के सामान्य शब्दों या पदों के बीच के विराम से आधा अर्थात् केवल एक मात्रा (अर्थात् अ, इ जितना) का होता है। यही 'विवृत्तिविराम' है। 'हरी एषो,' 'अहो इशा' के बीच के विराम इसी वर्ग के हैं। 'विवृत्ति', स्वरों की असंधि विवृत्ति स्वरयोरसंधि — तैत्तिरीय प्रातिशाख्य) का पारिभाषिक नाम है। इसी आधार पर इस विराम को इस नाम से अभिहित किया गया है। विवृत्ति विराम के चार उपभेद भी किए गए हैं: (१) वत्सानुसृता (अर्थात् वह गाय बछड़ा अनुसरण करे) जिसमें पहला स्वर ह्रस्व तथा दूसरा स्पष्ट ही यह नाम बहुत काव्यात्मक है। ह्रस्व को बछड़ा को गाय कहा गया है। इसे याज्ञवल्क्य शिक्षा में वत्सानुसृ गया है। (२) वत्सानुसारिणी (अर्थात् गाय जो बछड़े का करे) इस विराम के पूर्व का स्वर दीर्घ तथा बाद का स्वर ह्र है। यहाँ भी वे ही प्रतीक हैं। (३) पाकवती (यहाँ 'पाक' है 'बच्चा', इस प्रकार 'पाकवती' का अर्थ है 'बच्चोंवाली') विराम के पहले और बाद में दोनों ही ओर ह्रस्व स्वर होते हैं ही यहाँ ह्रस्व स्वरों को 'बच्चा' कहा गया है। (४) पि (अर्थात् छोटी लाल चींटी)—इसमें विराम के दोनों ओर दी होते हैं। चींटी बीच में पतली होती है और दोनों ओर

घुली हुई गैस बुदबुद करके निकल जाती है। यदि गैसों के मिश्रण को घुलाया जाय, तो विभिन्न गैसें स्वतंत्र रूप से अपनी विलेयता के अनुसार घुलती हैं तथा दूसरी गैस की उपस्थिति से उनकी विलेयता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

द्रव — कई द्रव एक दूसरे में किसी भी अनुपात में मिलाने से घुल जाते हैं। जल और मेथेनॉल सब अनुपात में विलेय हैं। इन्हें हम मिश्रणीय (miscible) कहते हैं। ये ही द्रव मिश्रणीय द्रव होते हैं, जिनमें परस्पर रसायनतः समानता होती है। कुछ द्रव ऐसे हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल नहीं घुलते, जैसे पारा और पानी, पानी और बेंजीन। इन्हें हम अमिश्रणीय (nonmiscible) कहते हैं। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में कुछ घुल जाते हैं और घुलकर दो स्तर बनाते हैं। ऐसे दो द्रव जल और ईथर हैं। जल और ईथर के मिलाने से दो स्तर बन जाते हैं। ऊपर का स्तर ईथर का और नीचे का स्तर जल का होता है। परंतु ऊपर के ईथर के स्तर में कुछ जल तथा नीचे के जल के स्तर में कुछ ईथर भी घुला हुआ रहता है। ये अंशतः मिश्रणीय द्रव होते हैं और इन दोनों स्तरों को संयुग्मी स्तर (conjugate layers) कहते हैं। यहाँ भी विलेयता ताप और कुछ सीमा तक दाब पर निर्भर करती है।

ठोस — द्रवों में ठोसों की विलेयता सीमित होती है। प्रत्येक ताप पर ठोसों की एक निश्चित मात्रा ही द्रव में घुलती है। यह बहुत कुछ विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। साधारणतया अनेक लवण जल में विलयशील होते हैं। कुछ लवण, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, जल में बहुत विलयशील हैं और कुछ लवण, जैसे कैल्सियम सल्फेट, जल में अल्प विलेय होते हैं। जब कोई ठोस किसी द्रव में घुलता है, तो सामान्यतया ऊष्मा का अवशोषण होता है। ताप की वृद्धि से सामान्यतः ठोसों की विलेयता बढ़ जाती है, पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कैल्सियम सल्फेट और कैल्सियम ऐसीटेट की विलेयता ताप की वृद्धि से कुछ कम हो जाती है। यदि किसी ठोस की विलेयता उच्च ताप पर अधिक है, तो क्रिस्टलन द्वारा उस ठोस का शोधन किया जा सकता है। ऊँचे ताप पर संतृप्त विलयन बनाकर, उसको ठंडा करने से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ के क्रिस्टल पृथक् होकर शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। अशुद्धियों की मात्रा कम रहने से संतृप्त विलयन नहीं बनता और ठंडा करने से क्रिस्टल नहीं निकलते हैं।

ठोसों का ठोसों में भी विलयन बनता है। या तो ये पूरा घुल कर मिश्रणीय ठोस बन सकते हैं, अथवा अंशतः घुलकर संयुग्मी स्तर (conjugate layer) बना सकते हैं। अनेक मिश्रधातुएँ ठोसों के विलयन हैं, या अंशतः मिश्रणीय मिश्रण हैं। ठोसों के विलयन मात्र ठोसों के मिलाने से नहीं बनते, अपितु इन्हें पूरा गलाकर मिलाने पर बनते हैं।

विलयनों का सांद्रण — साधारणतया किसी वस्तु की विलेयता को उसके प्रति शत संघटन में प्रदर्शित करते हैं। जब हम कहते हैं कि नमक का अमुक विलयन १५% विलयन है, तो इसका आशय यही होता है कि १०० आयतन विलायक में १५ ग्राम नमक घुला हुआ है। यह रीति वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक रीति में सांद्रण को ग्राम-अणु-सांद्रण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक लिटर विलयन में जितनी ग्राम-अणु-भार की मात्रा घुली हुई होती है उसी से सांद्रण की माप जानी जाती है। इसे ग्राम-अणुकता (molarity) कहते हैं। चूँकि ताप और दाब से विलयन का आयतन घटता बढ़ता है, अतः सांद्रण प्रदर्शित करने के लिये यह उपयुक्त नहीं है। इसके स्थान में ग्राम आणवता (molality) का व्यवहार होता है। १०० ग्राम विलयन में विलेय का कितना ग्राम अणु (moles) घुला हुआ है यह ग्राम आणवता दर्शाती है। यदि विलयन तनु है, तो किसी विशिष्ट विलेय और विलायक के लिये ग्राम अणुकता और आणवता विभिन्न सांद्रण के लिये एक दूसरे के समानुपात में होते हैं। विश्लेषण में विलयनों का सांद्रण नार्मलता (normality, N) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नार्मल विलयन के एक लिटर में किसी विलेय का एक ग्रामतुल्यांक घुला रहता है। विलयनों के अन्य सांद्रण नार्मलता में ही सूचित किए जाते हैं, जैसे २ नार्मल, ५ नार्मल १० नार्मल, दशांश नार्मल, सहस्रांश नार्मल इत्यादि। [म० मि०]

विलियम ब्लेक अंगरेजी कवि, चित्रकार और रहस्यवादी। उसका जन्म लंदन में २८ सितंबर १७५७ ई० को हुआ और मृत्यु १२ जुलाई १८२७ को हुई। सेंट पाल के ड्राइंग स्कूल में उसने परंपरित शैली की ड्राइंग की ट्रेनिंग पाई। जेम्स बेज़ीयर उसके रायल एकेडेमी में गुरु रहे। परंतु उसने परंपरित शैली से विद्रोह किया। अच्छे घर का होने पर भी ब्लेक को बहुत सघर्षों में से गुजरना पड़ा। उसका अंत आर्थिक दैन्य में हुआ। उसने प्राचीन और नवीन लेखकों के लिये कई प्रकार के रेखाचित्र और धातुतक्षणवाले चित्र (एचिंग) आदि बनाए। बाइबिल, दांते, चॉसर, मेरी वाल्स्टोनक्रैफ्ट और एडवर्ड यंग की कृतियों और अपनी स्वयं की रचनाओं पर चित्र बनाए, विशेषतः प्रतीकात्मक चित्र। कविता और चित्र के निकट संबंध में प्रयोग ब्लेक का बहुत बड़ा योगदान साहित्य को है। कुछ लोग उसे विक्षिप्त समझते थे परंतु वह रूढ़िवाद का विरोध, धर्म संस्था के प्रति और कला साहित्य के क्षेत्र में भी, करता रहा।

ब्लेक अपने समय के अतिभौतिकवाद और अति बौद्धिकता से ऊब गया था। उसने अपने आसपास के और कल्पना में के भी पापी, अपराधी और दुष्ट व्यक्तियों का चित्रण किया, परंतु उनके भीतर कोई दैवी शक्ति निवास कर रही है, कोई सुधरने की संभावना है, यह मानकर। उसकी पंक्तियाँ हैं कि 'दया को मानवी हृदय है; करुणा को मानवी चेहरा; और प्रेम को मानवी रूप है जो दैवी है।' उसके चित्रों में बार बार खिड़की से झाँकता हुआ ईश्वरीय अंश दिखाई देता है। ईश्वर और उसके देवदूत वृक्षों की छाँह में विश्राम कर रहे हैं। हर फूल और पत्ते में वे हैं। ब्लेक ने अपनी कविताओं पर स्वयम् चित्र बनाए। कविता और चित्र ताँबे की प्लेटों पर उकेरे। स्वयम् अपनी कविता पुस्तकें छापीं, उनपर जलरंगों से चित्र बनाए। ऐसी पुस्तकें अब संग्रहकर्ताओं के लिये बहुत अमूल्य हो गई हैं। ब्लेक की कविता और चित्र दोनों का प्रधान उद्देश्य नैतिक था। आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता की माँग वह अपनी रचनाओं द्वारा देना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक नहीं था। वह सामाजिक, राजनीतिक सुधार

जिस नमक के विलयन मे और नमक न घुल सके, उसे हम नमक का संतृप्त (saturated) विलयन कहते हैं। जिस विलयन में और नमक घुल जाता है, उसे असंतृप्त (unsaturated) विलयन कहते हैं। कभी कभी हम कुछ ठोस पदार्थों को इतनी मात्रा मे घुला सकते हैं कि विलयन मे उनकी मात्रा संतृप्त विलयन मे उपस्थित मात्रा से अधिक रहे, तो ऐसे विलयन को अतिसंतृप्त (supersaturated) विलयन कहा जाता है। अतिसंतृप्त विलयन सामान्यतः अस्थायी होते हैं और किसी विशिष्ट परिस्थिति में ही बनते हैं। अधिक घुला हुआ ठोस उससे कभी भी निकल कर अलग हो जा सकता है। घुलनेवाले पदार्थ को विलेय (solute) और घुलानेवाले पदार्थ को विलायक (solvent) कहते हैं। जब गैस या कोई ठोस किसी द्रव मे घुलता है, तब द्रव को विलायक एवं गैस या ठोस को विलेय कहते हैं। जब एक द्रव दूसरे द्रव में घुलता है, तब अधिक मात्रावाले द्रव को विलायक और कम मात्रावाले द्रव को विलेय कहते हैं।

विलायक — विलायक दो प्रकार के होते हैं, एक को ध्रुवीय (Polar) और दूसरे को अध्रुवीय (Nonpolar) कहते हैं। ध्रुवीय विलायकों में हाइड्रॉक्सिल या कार्बोक्सिल समूह रहते हैं और ये प्रोटोन्स ग्रहित होते हैं तथा इनका परावैद्युतांक ऊँचा होता है। अध्रुवीय विलायक रासायनतः निष्क्रिय होते हैं और इनका परावैद्युतांक निम्न होता है। ध्रुवीय विलायक अधिक प्रबल होते हैं, और अनेक पदार्थों को घुलाते हैं। एक दूसरी दृष्टि से विलायकों को अकार्बनिक और कार्बनिक विलायकों मे विभाजित किया गया है। अकार्बनिक विलायकों में जल का स्थान सर्वोपरि है। विलायक के रूप मे इसकी श्रेष्ठता इस कारण है कि यह सरलता से शुद्ध रूप मे प्राप्त है। यह न विषाक्त और न ज्वलनशील होता है। ऊष्मा मे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और अनेक पदार्थों को यह घुलाता है। औषधियों मे भी विलायक के रूप मे इसका व्यवहार बहुतायत रूप मे होता है। पर अनेक कार्बनिक पदार्थ जल मे नहीं घुलते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों को घुलाने के लिये जिन विलायकों का व्यवहार होता है, उन्हें कार्बनिक विलायक कहते हैं। अनेक उद्योगधंधों मे कार्बनिक विलायकों का व्यवहार होता है। कुछ कार्बनिक विलायक हाइड्रोकार्बन, कुछ हैलोजेन यौगिक, कुछ ऐल्कोहॉल, कीटोन, ईथर और एस्टर होते हैं। कुछ विलायक बड़े वाष्पशील होते हैं तथा कुछ विषाक्त भी। अतः इनके प्रयोग में बड़ी सावधानी बरतनी होती है। ऐसे वाष्पशील एवं विषाक्त विलायक पेट्रोल, बेंजीन, टॉलुइन, मेथेनॉल, एथानॉल, ब्यूटानॉल, ऐसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐथिल ऐसीटेट आदि हैं। इन विलायकों का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग पेंट, वार्निश, लाख और अन्य अनेक प्रकार के आवरण चढ़ाने के लेपों में होता है।

अनेक वस्तुओं की सफाई मे विलायक काम में आते हैं। कपड़ों और वस्त्रों के कलंकों की सफाई भी विलायकों द्वारा होती है। इनसे तैल पूर्णतः विलग जाती है और वस्तु साफ हो जाती है। एक समय ऊनी कपड़ों की धुलाई में पेट्रोल, या केरोसीन व्यवहार में प्रयुक्त हुआ था। ज्वलनशीलता के कारण हाइड्रोकार्बनों का स्थान क्लोरीनयुक्त यौगिक, ट्राइक्लोरोएथिलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं। भोज्यपदार्थों, औषधियों और अनुरागों में विषहीन विलायकों का ही प्रयोग होना चाहिए। इनमें अप्रिय गंध या स्वाद भी न रहना चाहिए। इसलिये टिंचर निष्कर्षों आदि में केवल एथिल ऐल्कोहॉल का व्यवहार होता है। जहाँ अवाष्पशील या मीठे स्वादवाले विलायक की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल प्रयुक्त होते हैं। अनेक प्राकृतिक पदार्थों से किसी विशिष्ट यौगिक के निकालने मे भी विलायकों का उपयोग होता है। प्राकृतिक स्रोतों से विलायकों के द्वारा ही ऐल्केलॉइड, क्लोरोफिल, पेनिसिलिन, तैल आदि नाना प्रकार के पदार्थ निकाले जाते हैं।

गैस — यदि दो गैसों को एक दूसरे के संपर्क मे लाया जाय, तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं : (१.) दोनों के बीच मे रासायनिक क्रियाएँ होकर एक तीसरा पदार्थ बन सकता है, जैसे अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिलाने से होता है; (२) यदि दोनों गैसों के बीच कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, तो दोनों परस्पर मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को मिलाने से होता है। ऐसी दशा मे दोनों गैसें मिलकर एक समांग मिश्रण बन जाती हैं। यहाँ दोनों गैसें किसी भी अनुपात मे मिलाई जा सकती हैं। यहाँ संतृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी गैस को द्रव के संपर्क में लाया जाय, तो विशिष्ट ताप और दाब पर गैस द्रव में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है। कुछ गैसें, जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, जल मे बहुत अधिक घुलती हैं और कुछ गैसें, जैसे नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन, जल मे कम घुलती हैं। गैसों की विलेयता गैसों की प्रकृति, विलायकों की प्रकृति, ताप और दबाव पर निर्भर करती है, जैसा नीचे की सारणी से प्रकट है.

कुछ गैसों की विलेयता

(एक लिटर जल मे विलेय का आयतन लिटर मे)

गैसों का नाम	०° और ७६० मिलीमीटर दाब	२०° और ७६० मिलीमीटर
अमोनिया	१,१००	७१०
हाइड्रोजन क्लोराइड	५०६	४४२
कार्बन डाइऑक्साइड	१·७१	०·७७
नाइट्रोजन	०·०२३५	०·०१५
ऑक्सीजन	०·०४९	०·०३१
हाइड्रोजन	०·०२१५	०·०१८

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि ऊँचे ताप से गैसों की विलेयता कम हो जाती है और अधिक दबाव से विलेयता बढ़ जाती है। सोडा की बोतल में अधिक दबाव पर ही कार्बन डाइऑक्साइड अधिक घुला रहता है और बोतल के खोलने पर दबाव कम होने पर

भी चाहता था और पूरी स्वतंत्रता का पक्षपाती था। वह मनुष्य की महत्ता और स्वाभिमानरक्षा में विश्वास करता था। वह हर प्रकार के अन्याय और तानाशाही का विरोधी था।

परंतु ब्लेक को उसके समय के लोग पूरी तरह समझ नहीं सके। उसके संकेतवादी प्रतीकों पर अत्यधिक बल, अंतर्मुखी कला, विशिष्ट निजी शैली के कारण उसको लोगों ने पागल मान लिया। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ब्लेक के मौलिक क्रांतिकारी सिद्धांत, शैली, विचार तथा टेकनीक को अंग्रेजी साहित्य में प्रतिष्ठा न प्राप्त हो सकी। उसकी कई कविताएँ तो अब तक अबूझ हैं। उसके छोटे छोटे गीत बहुत लोकप्रिय हुए। सुलभ सहजता जो उसकी 'दि लैंब', 'दि टाइगर', 'दि चिमनी', 'स्वीपर' जैसी कविताओं में है वह बाद के रहस्यवादी कवियों के लिये प्रेरणा बनी। बौद्धिकता के युग में उसका विरोध वैज्ञानिक शंका के युग में श्रद्धा का समर्थन ब्लेक को बहुत महत्वपूर्ण कवि बनाता है।

ब्लेक की कृतियाँ. 'पोएटिक स्केचेज' (१७८३); 'सॉन्ग्ज ऑव इनोसेंस' (१७८९); 'बुक ऑव थेल' (१७८९); 'दि मैरेज ऑव हेवेन एंड हेल' (१७९०); 'दि फ्रेंच रिवोल्यूशन' (१७९१); सॉन्ग्ज ऑव इक्स्पीरेंस' (१७९४), विजन ऑव दि डाटर्स ऑव एल्बियान' (१७९३), अमरीका (१७९३); 'यूरोप ए प्रॉफेसी' (१७९४), दि बुक ऑव यूरिजेन' (१७९४) 'दि सॉन्ग ऑव लास (१७९५); 'दि सॉन्ग ऑव आहनिया' (१७९५); 'जेरूसेलम' तथा 'मिल्टन' (१८०४); 'दि प्रॉफेटिक राइटिंग्ज ऑव डब्ल्यू० बी०। [प्र० मा०]

विल्की, सर डैविड (Wilkee, Sir David) स्काटलैंड के इस चित्रकार का जन्म फाइफशायर में १८ नवंबर, १७८५ को हुआ। 'गाँव के राजनीतिज्ञ' चित्र ने इसे विश्वप्रसिद्ध बना दिया। वसूली का दिन, कुर्की तथा साधारण विवाह, इसके कतिपय प्रसिद्ध चित्र हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में 'जार्ज चतुर्थ का पवित्र देश में प्रवेश', 'स्पेन की युद्धसमिति', तथा 'सारगोसा की परिचारिका' की रचना की। १८३६ में इसे नाइट की उपाधि मिली। १८४० में पूर्वी देशों की यात्रा पर निकला और लौटते समय १ जून, १८४१ को जिब्राल्टर के समुद्र में उसकी हत्या कर दी गई। [गु० त्रि०]

विल्क्स, जॉन इंग्लैंड के एक धनी व्यवसायी के घर क्लेर्कनवेल में १७ अक्टूबर १७२७ को विल्क्स का जन्म हुआ। लाइडेन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर १७४९ में, आयु में दस वर्ष बड़ी, धनी घराने की उत्तराधिकारिणी, कन्या, मीड से उसने विवाह किया। पुत्री के जन्म के बाद दोनों का संबंधविच्छेद हो गया। इस प्रसंग में विल्क्स के चरित्र की निंदा भी हुई। वह बकिंघमशिर चला गया और वहीं रहने लगा। कुछ काल में काउंटी के शेरिफ के पद पर नियुक्त हो गया। १७५७ में एलसबरी के नगर क्षेत्र से वह कॉमंस सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। वह ह्विग पार्टी का उत्कट समर्थक था। विरोधी टोरी पार्टी की तीखी आलोचना के कारण वह शीघ्र प्रसिद्ध हो गया। न्यूट मंत्रिमंडल की सरकारी नीति के खंडन के उद्देश्य से जून १७६२ में उसने 'नॉर्थ ब्रिटन' नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला। पत्र के ४५ वें अंक में पेरिस संधि के संबंध में उसने राजा जॉर्ज तृतीय पर असत्य कथन का आरोप किया। राजा के आदेश से व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम-रहित साधारण वारंट के आधार पर उसके घर की तलाशी हुई। कुछ अन्य कागज पत्रों के साथ ४५ वें अंक की प्रतियाँ उठा ली गईं और विल्क्स सहित ४९ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कारागार में भेजा गया। गिरफ्तारी से मुक्ति पाने के पार्लमेंट के सदस्य के विशेष अधिकार के नाम पर विल्क्स ने अपनी मुक्ति की माँग की। न्यायाधीश ने उसको मुक्त कर दिया पर प्रधान मंत्री ग्रेनविल ने १७६३ के नवंबर मास में कॉमंस सभा से ४५ वें अंक के लेख को 'असत्य, राजद्रोहात्मक और अपमानजनक' घोषित करा दिया, उसकी प्रतियों को सार्वजनिक रूप से जलाने का आदेश और ऐसे लेख के संबंध में कारामुक्ति के विशेष अधिकार के लागू न होने का निर्णय भी दिलाया। विल्क्स सफाई देने के लिये कॉमंस सभा में नहीं गया। सभा ने उसको सदस्यता से हटा दिया। वह फ्रांस चला गया। न्यायालय में भी उसके विरुद्ध अभियोग था। उसके उपस्थित न होने के कारण न्यायालय ने भी उसको विद्रोही घोषित कर दिया। साधारण वारंट के मामले में विल्क्स की विजय हुई। १७६५ में प्रधान न्यायाधीश प्रैट ने साधारण वारंट के उपयोग को अवैध घोषित किया। हानि की पूर्ति के लिये १,००० पौंड सरकार से विल्क्स को दिलाए। चार वर्ष बाद अवैध गिरफ्तारी और कारावदी के लिये भी न्यायालय के निर्णय से उसने ४,००० पौंड सरकार से वसूल किए। इसी बीच में लॉर्ड सभा के दो सदस्यों के नाम से संबद्ध 'ऐसे ऑन बूमन' नामक अपमानजनक और कुत्सापूर्ण कविता के प्रकाशन का आरोप लगाकर लॉर्ड सभा ने भी विल्क्स की गिरफ्तारी का आदेश निकाला किंतु वह पहले ही देश से बाहर चला गया था। अपनी अनुपस्थिति में ही प्रजा की सहानुभूति उसको प्राप्त हो गई थी। लंदन की कौंसिल ने प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये उसको धन्यवाद दिया था। १७६८ में वह इंग्लैंड लौट आया। मिडिलसेक्स की काउंटी ने उसको कॉमंस सभा का सदस्य निर्वाचित किया था पर विद्रोही घोषित होने के कारण वह गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह के कलंक से न्यायालय ने उसको मुक्त कर दिया पर ४५ वें अंक के लेख के मामले में २२ मास के कारावास और १,००० पौंड जुरमाने का दंड उसको दिया। पार्लमेंट के अधिवेशन के उद्घाटन के दिन कॉमंस सभा में उसको ले जाने के लिये बड़ी संख्या में प्रजा कारागार के द्वार पर पहुँच गई। उसको हटाने में सरकार को सेना का उपयोग करना पड़ा और कुछ रक्तपात भी हुआ। जूनियस के नाम से 'पब्लिक एडवर्टाइजर' में राज्य सचिव लॉर्ड सेमथ की इस कांड के संबंध में निंदा प्रकाशित हुई। लेख का जनक विल्क्स को मानकर लॉर्ड सभा ने उसपर विचार किया और लेख को उद्दंडतापूर्ण, निंदायुक्त तथा राजद्रोहात्मक घोषित कर यह मामला कॉमंस सभा को सौंपा गया। विल्क्स ने लेखक होना स्वीकार किया। सभा ने लेख के संबंध में लॉर्ड सभा के निर्णय को मान लिया और इस बार भी विल्क्स को सदस्यता से वंचित कर दिया। नए चुनाव का आदेश होने पर काउंटी ने फिर विल्क्स को निर्वाचित किया पर सभा ने उसको सदस्य नहीं माना। चौथी बार भी काउंटी ने उसको ही अपना प्रतिनिधि चुना पर इस

विद्युत्तीर

उपकेंद्र (Substation)

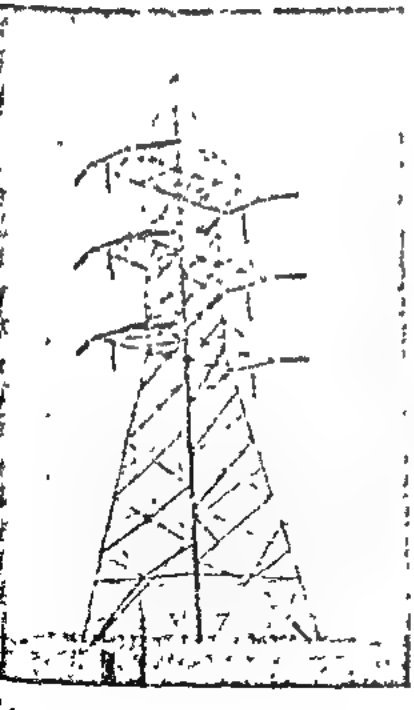

संचरण मीनार (Transmission Tower)

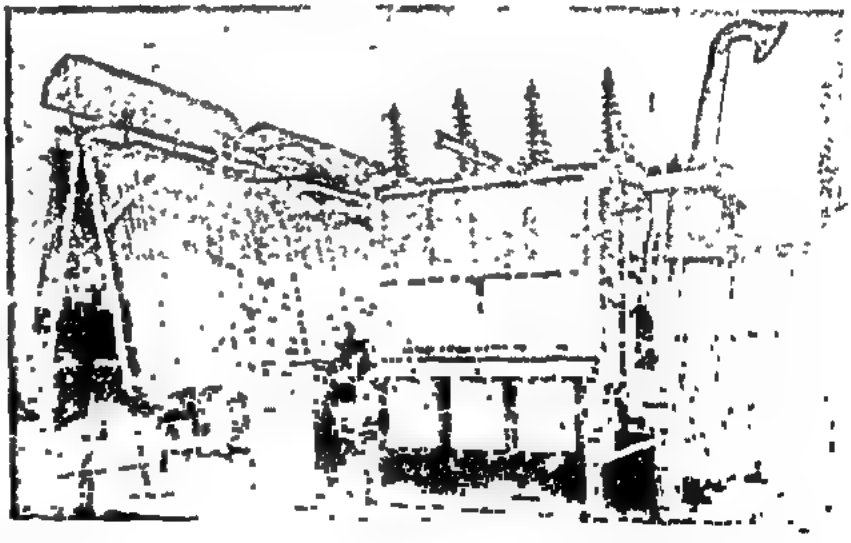

विद्युत् संभरण में उपयोगी परिणामित्र (Transformer)

प्रकाश उत्पन्न होता है और छायाचित्र उतर आता है। वाष्पित प्रकाश का लाभ यह है कि प्रकाश की गरमी से गैस गरम नहीं होने पाती, अतः बूंदों का पुनः वाष्पीकरण नहीं होने पाता।

विल्सन अभ्रकोष्ठ द्वारा लिए गए चित्रों से यह भी पता चल सकता है कि आवेशित कण का द्रव्यमान कितना है। यदि आवेशित कण भारी हो, जैसे ऐल्फा-कण (alpha particles), तो उनकी आयनन शक्ति हलके कणों (जैसे इलेक्ट्रॉन) की अपेक्षा अधिक होती है। अतः भारी कणों के मार्ग में अधिक आयन बनते हैं और इनका मार्ग प्रदर्शित करनेवाली रेखाएं मोटी बनती हैं। विल्सन अभ्रकोष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाय, तो इस क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कणिकाओं का मार्ग वक्रीय हो जाता है। मार्ग की वक्रता की त्रिज्या (radius of curvature) ज्ञात करके कणिका का संवेग (momentum) निम्न सूत्र से प्राप्त हो सकता है :

$$p = H e r$$

यहां p कणिका का संवेग, H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, e कणिका पर आवेश तथा r मार्ग की वक्रता की त्रिज्या है।

आजकल गणित्र नियंत्रित (counter controlled) अभ्रकोष्ठ बनाए जाते हैं, जिनसे किसी विशेष दशा में विशेष कणिकाओं के ही चित्र लिए जाते हैं। इसके लिये अभ्रकोष्ठ के चतुर्दिक् गाइगर म्यूलर गणित्र (Geiger–Muller counter) लगा दिए जाते हैं। अभ्रकोष्ठ स्वचालित होता है और उसके लिये संकेत इन गणित्रों से आता है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि कणिका के जिस गणित्र में प्रवेश करने की संभावना हो, उससे प्राप्त संकेत से ही अभ्रकोष्ठ चले। उदाहरण के लिये यदि ऐसे कणों का, जो अभ्रकोष्ठ में प्रवेश करके दूसरी ओर बाहर निकल जाते हैं, चित्र लेना है, तो अभ्रकोष्ठ के ऊपर और नीचे गणित्रों की पंक्तियां लगा दी जाती हैं। यदि कणिका अभ्रकोष्ठ में प्रवेश करने के बाद बाहर निकल जाती है, तो ऊपर और नीचे दोनों पंक्तियों के एक-एक गणित्र से संकेत मिलता है। इन दोनों संकेतों के संमिलन से ही यदि अभ्रकोष्ठ के चलने की व्यवस्था हो, तो केवल वे कणिकाएं ही अंकित होंगी जो अभ्रकोष्ठ से पुनः बाहर निकल जाती हैं। इसके विपरीत कणिका यदि कक्ष में ही अवशोषित हो जाती है, तो निचली पंक्ति के गणित्रों से कोई संकेत नहीं मिलता और अभ्रकोष्ठ नहीं चलता।

विल्सन अभ्रकोष्ठ द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। उदाहरण स्वरूप, पॉजिट्रॉन (Positron) तथा म्यू-मेसान (μ–Meson), के आविष्कार अभ्रकोष्ठ द्वारा ही हुए हैं (देखें पॉजिट्रॉन तथा मैसॉन)। [ध० कि० गु०]

विल्सन, चार्ल्स टॉमसन रीज़ (Wilson, Charles Thomson Rees) स्कॉच भौतिकविज्ञानी का जन्म १८६९ ई० में स्कॉटलैंड की मिडलोथियन काउंटी के ग्लैंकोर ग्राम में हुआ था। इन्होंने कैंब्रिज के सिडनी सस्सेक्स कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। १९०० ई० में ये इसी कालेज में युनिवर्सिटी प्रोफेसर नियुक्त हुए तथा साथ

[illegible] में [illegible] की शिक्षा के निरीक्षक भी रहे। १९१८ ई० से १९३३ ई० केंब्रिज विश्वविद्यालय के विद्युत् चुंबकीय विज्ञान के [illegible] और बाद में वे इसी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक दर्शन के नियुक्त हुए। १९३४ ई० में इन्होंने अवकाश ग्रहण किया।

इन्होंने १९१२ ई० में विल्सन अभ्रकोष्ठ (Wilson's Chamber) का आविष्कार किया (देखें विल्सन अभ्रकोष्ठ) परमाणु भौतिकी संबंधी अनुसंधानों पर इन्हें १९३७ ई० में [illegible] का नोबल पुरस्कार मिला। इन्होंने वायुमंडलीय विद्युत् पर [illegible] किया और सुदूर हुए स्थलीय विद्युत्धारा का अभिलेख बनाया। [अ० प्र०

विल्सन रिचर्ड अंग्रेज भूगर्भ विज्ञानी। जन्म आइलैंड के पेनेलोग नामक स्थान में अप्रैल, १७१४ में हुआ। इनके साधारण पादरी थे। आयु साढ़े के साथ इन्होंने में [illegible] का अध्ययन किया। इटली में अकारेली से मिला, जिसने भूदृश्य चित्रण की प्रेरणा दी। १७३६ में रायल अकादमी का सदस्य बना। इनकी श्रेष्ठ रचना है— आकाश के रोम का। १७८२ में अचानक इनकी मृत्यु हो गई। [गु०

विवर्तन (Diffraction) यदि किसी प्रकाशोत्पादक और पर्दे के बीच कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी जाय, तो पर्दे पर की छाया बन जाती है। वस्तु की छाया का किनारा तीक्ष्ण (sh[illegible]) होता है और उसके चारों ओर पर्दे का भाग समान रूप से प्र[illegible] रहता है। यदि प्रकाशोत्पादक स्रोत बिंदुवत् छोटा हो, तो [illegible] देखने पर छाया का किनारा तीक्ष्ण नहीं पाया जाता है। [illegible] प्रकाश और अंधकार (brightness and darkness) की [illegible] दिखाई पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि प्रकाश की [illegible] मुड़कर ज्यामितीय छाया की सीमा के भीतर तक पहुंच गई है। घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। छाया के किनारे [illegible] धारियां बनती हैं, उन्हें विवर्तन पैटर्न (Diffraction Pattern) कहा जाता है। विवर्तन की जानकारी से पूर्व यही माना जाता था कि किसी एक माध्यम में प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, किंतु विवर्तन की व्याख्या प्रकाश के सरल रैखिक गमन के आधार पर नहीं की जा सकती है। सर्वप्रथम न्यूटन (Newton), ग्रिमाल्डी (Grimaldi) और टी. यंग (T. Young) ने इस घटना पर ध्यान दिया था। न्यूटन और ग्रिमाल्डी प्रकाश के कणिका सिद्धांत (Corpuscular Theory) के प्रवर्तक और समर्थक थे, अतः उन्होंने विवर्तन की घटना को इसी आधार पर समझाने का असफल प्रयास किया। बाद में क्रिश्चियन हाइगेंज ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ए० जे० फ्रेनेल (A. J. Fresnel) तथा फ्राउनहोफर (Fraunhofer) ने इसी सिद्धांत के आधार पर विवर्तन तथा विवर्तन से संबंधित अन्य घटनाओं को सफलतापूर्वक समझाया।

जब प्रकाश के मार्ग में गोल छेद, आयताकार रेखाद्वार [illegible] वस्तु की तीक्ष्ण कोर (edge) या महीन तार रखा जाता है तब प्रत्येक दशा में भिन्न प्रकार के विवर्तन पैटर्न बनते हैं। [illegible]

की सभी घटनाओं को दो विभागों में बाँटा जा सकता है : (१) फ्राउनहोफर विवर्तन (Fraunhofer Diffraction) और (२) फ्रेनेल विवर्तन (Fresnel Diffraction)। जब प्रकाश-स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से अत्यंत दूर होते हैं, अर्थात् विवर्तक पर समतल तरंगाग्र (plane wavefront) आपतित होता है, तब विवर्तन पैटर्न को फ्राउनहोफर पैटर्न और घटना को फ्राउनहोफर विवर्तन कहा जाता है। जब स्रोत, पर्दा, या ये दोनों, विवर्तक वस्तु से नियत (finite) दूरी पर होते हैं, अर्थात् विवर्तक पर गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र आपतित होता है, तब विवर्तन की घटना को फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। फ्रेनेल विवर्तन देखना अपेक्षाकृत सरल होता है, किंतु इसे समझना कठिन होता है। फ्राउनहोफर विवर्तन देखने के लिये विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे समतल तरंगाग्र प्राप्त हो। विवर्तन के बाद उसे पुन: फोकस करने की व्यवस्था करनी पड़ती है, किंतु इसका सिद्धांत समझना बहुत सरल है।

फ्राउनहोफर विवर्तन

(अ) अकेले रेखाछिद्र का विवर्तन पैटर्न (Diffraction pattern of single slit) — सोडियम लैंप से पीले रंग का एकवर्णी प्रकाश (monochromatic light) प्राप्त होता है। एक लेंस की सहायता से इस प्रकाश को एक काले पर्दे में कटे हुए अत्यंत संकरे रेखाछिद्र (slit) पर डाला जाय, तो यही रेखाछिद्र स्वयं एक प्रकाश स्रोत का काम देता है। अब इस रेखाछिद्र के आगे लेंस लगाकर समांतर किरणपुंज को एक दूसरे रेखाछिद्र पर डाला जाय तथा इस रेखाछिद्र के पीछे सफेद पर्दा रखा जाय, तो पर्दे पर दूसरे रेखाछिद्र का विवर्तन पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न के बीच में अत्यंत तीव्र बैंड (intense band) या पट्टी होती है। इस पट्टी के दोनों ओर अपेक्षाकृत बहुत कम तीव्रता की और भी पट्टियाँ पाई जाती हैं। बीचवाली पट्टी को मुख्य उच्चिष्ठ (Principal

चित्र १.

Maxima) तथा अन्य पट्टियों को द्वितीयक उच्चिष्ठ (Secondary Maxima) कहते हैं। चित्र १ के अनुसार इनका बनना समझा जा सकता है। AB एक रेखाछिद्र है जिसपर समतल तरंगाग्र पड़ रहा है और S एक पर्दा है। बिंदु A और B तथा रेखाछिद्र के आगे ऊपरी भाग और आधे निचले भाग के सभी बिंदुओं से चलनेवाली द्वितीयक तरंगें (secondary waves) P_0 पर एक ही कला में (phase) में पहुँचती हैं, अत: वहाँ अधिकतम प्रकाश मिलता है और मुख्य उच्चिष्ठ बनता है। A और B बिंदुओं से P_1 की दूरियाँ बराबर नहीं हैं। यदि P_1 A और P_1 B का अंतर एक तरंग की लंबाई (λ) के बराबर हो, तो A और O से चलनेवाली द्वितीयक तरंगें P_1 पर $\lambda/2$ पथांतर से, या π कलांतर (phase difference) से, पहुँचेंगी और व्यतिकरण के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगी। इसी प्रकार A के नीचेवाले सभी बिंदुओं का प्रभाव B के नीचेवाले सभी बिंदुओं के प्रभाव को P_1 पर समाप्त कर देता है, अत: यहाँ काली धारी बन जाती है। यदि P_1 के लिये विवर्तन का कोण θ हो और रेखाछिद्र की चौड़ाई b हो तथा रेखाछिद्र के विपरीत कोरों (edges) की ओर से पर्दे के किसी बिंदु पर पहुँचनेवाली द्वितीयक तरंगों का कलांतर δ हो, तो $\delta/2 = \pi/\delta\ b\ (\sin\theta + \sin i)$ होता है। i रेखाछिद्र पर पड़नेवाले तरंगाग्र का आपतन कोण है। इस सूत्र से पर्दे के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बननेवाली प्रकाशित तथा काली धारियों का बनना समझा जा सकता है। जहाँ पर $\delta/2$ का मान $\pm\pi$, $\pm 2\pi$, .. $\pm m\pi$ इत्यादि होता है, वहाँ निम्निष्ठ, या काला बैंड, और जहाँ $\delta/2 = 0, \pi/2, 3\pi/2, .(2m+1)\pi/2$ होता है वहाँ उच्चिष्ठ बनता है।

विवर्तन ग्रेटिंग (Diffraction Grating) — दो समीपवर्ती रेखाछिद्रों का विवर्तन पैटर्न एक रेखाछिद्र के विवर्तन पैटर्न से कुछ भिन्न होता है। एक रेखाछिद्र के पैटर्न में जहाँ जहाँ उच्चिष्ठ मिलता है, दो रेखाछिद्र के पैटर्न में उन्हीं स्थानों पर कई धारियाँ बनती हैं, जो पहले के बैंडों की अपेक्षा अधिक पतली और तीक्ष्ण होती हैं। ज्यों ज्यों रेखाछिद्रों की संख्या बढ़ती जाती है, द्वितीयक उच्चिष्ठ की धारियाँ क्षीण होती जाती हैं और मुख्य उच्चिष्ठ की धारियाँ अत्यंत तीक्ष्ण होती जाती हैं (देखें चित्र २)। रेखाछिद्रों की चौड़ाई तथा उनकी पारस्परिक दूरी भी इन धारियों

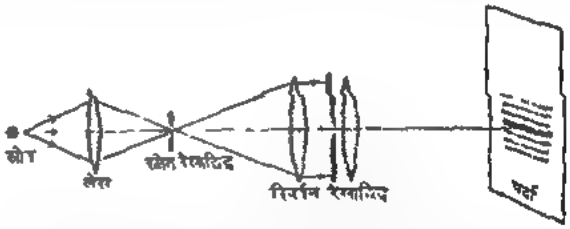

चित्र २.

की तीक्ष्णता को बहुत प्रभावित करती है। शीशे की समतल पट्टी पर हीरे की कनी से रेखाएँ खींच दी जायँ, तो प्रत्येक दो रेखा के बीच का पारदर्शक स्थान रेखाछिद्र का काम करता है। ऐसे ही रेखाछिद्रों के समूह को ग्रेटिंग कहते हैं। ग्रेटिंग का आविष्कार फ्राउनहोफर ने किया था। उन्होंने दो स्क्रू के ऊपर महीन तार लपेटकर ग्रेटिंग बनाया था। प्रत्येक दो तारों के बीच का रेखाछिद्र का काम करता है। आगे चलकर उन्होंने कीच के रेखाएँ खींचकर ग्रेटिंग बनाया। रोलैंड ने १८८२ ई० में ग्रेटिंग के रेखाएँ बनानेवाली मशीन बनाई। आजकल अच्छी मशीनों से एक इंच पर ३०,००० या ४०,००० तक रेखाएँ खींची जाती हैं।

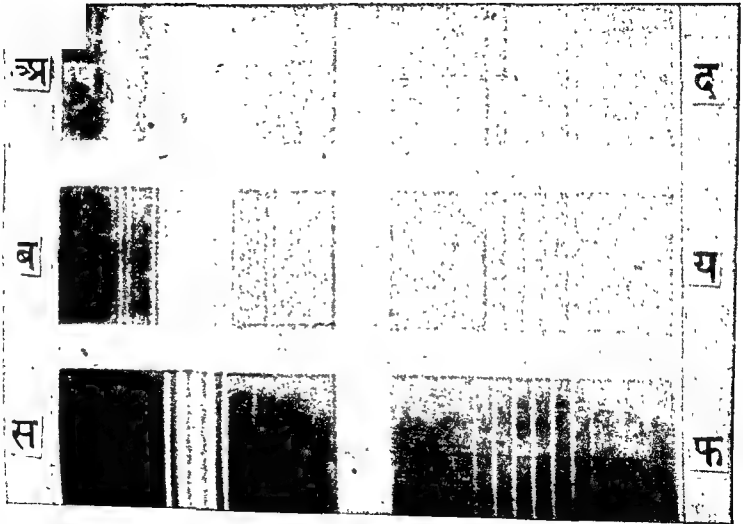

रेखा-पट्टों (Slits) के विवर्तन पैटर्न

अ. अकेले रेखाछिद्र का पैटर्न; ब दो रेखाछिद्रों का पैटर्न; स तीन रेखाछिद्रों का पैटर्न; द चार रेखाछिद्रों का पैटर्न; य. पांच रेखाछिद्रों का पैटर्न तथा फ. अनेक रेखाछिद्रों का पैटर्न।

की नन्हीं बूँदों द्वारा प्रकाश का विवर्तन होने से ही किरीट बनते हैं। स्पष्ट किरीट के लिये नन्ही बूँदों का समाकार होना आवश्यक होता है। ये बूँदें जितनी ही अधिक छोटी होती हैं, किरीट का व्यास उतना ही बड़ा होता है। टी यंग (T. Young) ने किरीटों का व्यास नापकर जलकणों के व्यास की गणना करने के लिये यंत्र बनाया था, जिसे तंतुमापी (Eriometer) कहते हैं।

विवर्तन और व्यतिकरण में भेद — विवर्तन और व्यतिकरण में सिद्धांततः कोई भेद नहीं है। तब भी बहुधा यह कहा जाता है कि व्यतिकरण में कुछ नियत संख्या के प्रकाशपुंजों का अध्यारोपण (superposition) होने से तरंग आयाम (wave amplitude) के प्रत्येक अतिसूक्ष्म खंडों (elements) के प्रभाव का समाकलन (integrate) करके तरंग का आयाम ज्ञात किया जाता है। एक से अधिक रेखाछिद्रों का विवर्तन पैटर्न, विवर्तन और व्यतिकरण के संयुक्त प्रभाव से, बनता है। संक्षेप में विवर्तन व्यतिकरण का ही किंचित् क्लिष्ट रूप है। [थ० कु० सि०]

विवाह मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा या संस्था है। यह समाज का निर्माण करनेवाली सबसे छोटी इकाई— परिवार— का मूल है। इसे मानव जाति के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान साधन माना जाता है। इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से दो अर्थों में होता है। इसका पहला अर्थ वह क्रिया, संस्कार, विधि या पद्धति है जिससे पतिपत्नी के स्थायी संबंध का निर्माण होता है। प्राचीन एवं मध्यकाल के धर्मशास्त्री तथा वर्तमान युग के समाजशास्त्री समाज द्वारा स्वीकार की गई परिवार की स्थापना करनेवाली किसी भी पद्धति को विवाह मानते हैं। मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि (३।२०) के शब्दों में विवाह एक निश्चित पद्धति से किया जानेवाला, अनेक विधियों से संपन्न होनेवाला तथा कन्या को पत्नी बनानेवाला संस्कार है। रघुनंदन के मतानुसार उस विधि को विवाह कहते हैं, जिससे कोई स्त्री (किसी की) पत्नी बनती है। वैस्टरमार्क ने इसे एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ ऐसा संबंध बताया है जो इस संबंध को करनेवाले दोनों पक्षों को तथा उनकी संतान को कुछ अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करता है।

विवाह का दूसरा अर्थ समाज में प्रचलित एवं स्वीकृत विधियों द्वारा स्थापित किया जानेवाला दांपत्य संबंध और पारिवारिक जीवन भी होता है। इस संबंध से पति पत्नी को अनेक प्रकार के अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। इससे जहाँ एक ओर समाज पति पत्नी को कामसुख के उपभोग का अधिकार देता है, वहाँ दूसरी ओर पति को पत्नी तथा संतान के पालन एवं भरणपोषण के लिये बाध्य करता है। संस्कृत में पति का शब्दार्थ है पालन करनेवाला तथा भार्या का अर्थ है भरणपोषण की जाने योग्य नारी। पति के संतान और बच्चों पर कुछ अधिकार माने जाते हैं। विवाह प्रायः समाज में नवजात प्राणियों की स्थिति का निर्धारण करता है। संपत्ति का उत्तराधिकार अधिकांश समाजों में वैध विवाहों से उत्पन्न संतान को ही दिया जाता है।

विवाह का उद्गम — मानव समाज में विवाह की संस्था के प्रादुर्भाव के बारे में १९वीं शताब्दी में बेखोफन (१८१५–८० ई०), मोर्गन (१८१८–८१ ई०) तथा मैकलीनान (१८२७–८१) ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था कि मानव समाज की आदिम अवस्था में विवाह का कोई बंधन नहीं था, सब नरनारियों को यथेच्छ कामसुख का अधिकार था। महाभारत (१।१२२।३-३१) में पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को नियोग के लिये प्रेरित करते हुए कहा है कि पुराने जमाने में विवाह की कोई प्रथा न थी, स्त्री पुरुषों को यौन संबंध करने की पूरी स्वतंत्रता थी। कहा जाता है, भारत में श्वेतकेतु ने सर्वप्रथम विवाह की मर्यादा स्थापित की। चीन, मिस्र और यूनान के प्राचीन साहित्य में भी कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं। इनके आधार पर लार्ड एवबरी, फिसीन, हाविट, टेलर, स्पेंसर, जिलनकोव लेवस्की, लिप्यर्ट और गुर्से आदि पश्चिमी विद्वानों ने विवाह की आदिम दशा कामचार (प्रामिस-कुइटी) की अवस्था मानी। क्रोपाटकिन ब्नाल और ब्रिफाल्ट ने प्रतिपादित किया कि प्रारंभिक कामचार की दशा के बाद बहुभार्यता (पोलीजिनी) या अनेक पत्नियाँ रखने की प्रथा विकसित हुई और इसके बाद अंत में एक ही नारी के साथ पाणिग्रहण करने (मोनोगेमी) का नियम प्रचलित हुआ।

किंतु चार्ल्स डार्विन ने प्राणिशास्त्र के आधार पर विवाह के आदिम रूप की इस कल्पना का प्रबल खंडन किया, वैस्टरमार्क, सीग्रास तथा फाले प्रभृति समाजशास्त्रियों ने इस मत की पुष्टि की। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रिवर्स ने लिखा है कि हमारे पास इस कल्पना का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि भूतकाल में कभी कामचार की सामान्य दशा प्रचलित थी। विवाह की संस्था मानव समाज में जीवशास्त्रीय आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई है। इसका मूल कारण अपनी जाति को सुरक्षित बनाए रखने की चिंता है। यदि पुरुष यौन संबंध के बाद पृथक् हो जाय, गर्भावस्था में पत्नी की देखभाल न की जाय, संतान उत्पन्न होने पर उसके समर्थ एवं बड़ा होने तक उसका पोषण न किया जाय तो मानव जाति का अवश्यमेव उन्मूलन हो जायगा। अतः आत्मसंरक्षण की दृष्टि से विवाह की संस्था की उत्पत्ति हुई है। यह केवल मानव समाज में ही नहीं, अपितु मनुष्य के पूर्वज समझे जानेवाले गोरिल्ला, चिंपाजी आदि में भी पाई जाती है। अतः कामचार से विवाह के प्रादुर्भाव का मत अप्रामाणिक और अमान्य है।

विवाह के विभिन्न पक्ष — वैयक्तिक दृष्टि से विवाह पतिपत्नी की मैत्री और साझेदारी है। दोनों के सुख, विकास और पूर्णता के लिये आवश्यक सेवा, सहयोग, प्रेम और स्वार्थत्याग के अनेक गुणों की शिक्षा वैवाहिक जीवन से मिलती है। नरनारी की अनेक आकांक्षाएँ विवाह एवं संतानप्राप्ति द्वारा पूर्ण होती हैं। उन्हें यह संतोष होता है कि उनके न रहने पर भी संतान उनका नाम और कुल की परंपरा अक्षुण्ण रखेगी, उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी तथा वृद्धावस्था में उन्हें अवलंब देगी। हिंदू समाज में वैदिक यह विश्वास प्रचलित है कि पत्नी मनुष्य का आधा अंग है, तब तक अधूरा रहता है, जब तक वह पत्नी प्राप्त करके संतान नहीं उत्पन्न कर लेता (श० ब्रा०, ५।२।१।१०)। पुरुष प्रकृति के बिना और शिव शक्ति के बिना अधूरा है।

विवाह एक धार्मिक संबंध है। प्राचीन यूनान, रोम, भारत आदि

यदि किसी प्रकाशस्रोत के संयुक्त लेंस रखकर, एकवर्णी समांतर किरणों को एक ग्रेटिंग पर डाला जाय, तो इससे प्राप्त विवर्तन में एक दूसरी से दूर दूर कई तीक्ष्ण रेखाएँ पाई जाती हैं। ये रेखाएँ वास्तव में रेखांकित स्रोत का विवर्तन बिंब होती हैं। बीच की सबसे तीव्र रेखा को शून्य कोटि (Zero order) की रेखा कहते हैं। इसके दोनों ओर पहली, दूसरी, तीसरी आदि रेखाएँ क्रमश: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की रेखाएँ कहलाती हैं। यदि ग्रेटिंग पर श्वेत प्रकाश डाला जाय, तो शून्य कोटि की रेखा श्वेत होती है, किंतु अन्य कोटि की रेखाओं के स्थान पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इन्हें क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कोटि के स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यदि ग्रेटिंग से विवर्तित होनेवाले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य λ, आपतित तरंगाग्र का आपतन कोण i और विवर्तन कोण θ हो तथा किन्हीं दो समीपस्थ रेखाछिद्रों के मध्यबिंदुओं की पारस्परिक दूरी d हो, तो

$d (\sin i + \sin \theta) = n \lambda$ होता है।

n स्पेक्ट्रम की कोटि (order) का सूचक है।

ऊपर जिस ग्रेटिंग का विवरण दिया गया है, उसे समतल विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। यदि वक्र शीशे पर ऐलुमिनियम की कलई कर दी जाय और उसी पर हीरे की कनी से रेखाएँ गुरच दी जाएँ, तो प्रत्येक दो रेखाओं के बीच का भाग एक नन्हें परावर्ती दर्पण का काम करता है। इन भागों से परावर्तित तरंगों के व्यतिकरण से भी विवर्तन पैटर्न बनता है। इस ग्रेटिंग को अवतल ग्रेटिंग (Concave grating) कहते हैं। इसका आविष्कार रोलैंड (Rowland) ने किया था। अवतल ग्रेटिंग अवतल दर्पण का भी काम करता है। अतः विवर्तित किरणों को फोकस करने के लिये लेंस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है।

स्पेक्ट्रमिकी (spectroscopy) में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिये वक्र ग्रेटिंग से बड़े उपयोगी स्पेक्ट्रोग्राफ बनाए गए हैं। वक्र ग्रेटिंग के लिये भी तरंगदैर्ध्य का सूत्र $d (\sin i + \sin \theta) = n\lambda$ ही होता है। दो विभिन्न वर्णों की रश्मियों (λ_1, λ_2) को एक दूसरे से पृथक् करने की क्षमता को ग्रेटिंग की वर्णविश्लेषण क्षमता (Dispersive Power) कहा जाता है। यदि $\lambda_1 - \lambda_2 = \Delta\lambda$ हो और इनके विवर्तन कोण क्रमश: θ_1 और θ_2 हों तथा $\theta_1 - \theta_2 = \Delta\theta$ हो, तो ग्रेटिंग की वर्ण विश्लेषण क्षमता $\frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda}$ होती है। तरंगदैर्ध्य के सूत्र से इसका मान $\frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda} = \frac{m}{d \cos\theta}$ होता है। क्रमश: उच्चतर कोटि में वर्ण विश्लेषण क्षमता बढ़ती जाती है। यदि λ और $\lambda + d\lambda$ दो अत्यंत समीपवर्ती विकिरण (radiations) हों और ग्रेटिंग द्वारा इनको एक दूसरे से अलग अलग देखा जा सके तो $\lambda/d\lambda$ को ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता (resolving power) कहते हैं। तरंगदैर्ध्य के सूत्र से $\frac{\lambda}{d\lambda} = nN$ होता है। N ग्रेटिंग पर बनी हुई कुल रेखाओं (या रेखाछिद्रों) की संख्या है। क्रमश उच्चतर कोटि में विभेदन क्षमता भी बढ़ती जाती है।

फ्रेनेल विवर्तन

(अ) छाया का बनना—छाया के किनारे पर विवर्तन पैटर्न का बनना प्रकाश के तरंग सिद्धांत से ही समझाया जा सकता है। इसे समझाने के लिये फ्रेनेल ने तरंग सिद्धांत का उपयोग किया। किसी तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं का प्रभाव समझाने के लिये उन्होंने अर्ध काल क्षेत्र (Half Period Zones) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के आधार पर बनाया गया क्षेत्र प्लेट लेंस की भाँति काम करता है और फ्रेनेल के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

(ब) गोल छिद्र से विवर्तन — यदि किसी अत्यंत छोटे छिद्र पर एकवर्णी समतल तरंगाग्र आपतित होता हो, तो पर्दे पर इसका विवर्तन पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में वृत्ताकार धारियाँ (circular fringes) पाई जाती हैं। सबसे बाहरी धारी सबसे अधिक चौड़ी होती है और भीतरी धारियाँ क्रमश: पतली होती हैं। फ्रेनेल के अर्ध-काल क्षेत्र के आधार पर इस विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। यदि छिद्र का आकार प्रथम अर्धकाल क्षेत्र के बराबर हो और पैटर्न के केंद्र तथा छिद्र की परिधि की दूरियों का अंतर $(2m+1) \lambda/2$ हो, तो पैटर्न का केंद्र प्रकाशित होता है। यदि पर्दे से छिद्र की दूरी स्थिर रखकर छिद्र का आकार बढ़ाते जायँ, तो यह केंद्र क्रमश प्रकाशित (bright) और अप्रकाशित (dark) होता है। जब छिद्र का आकार $(2m+1)$ अर्धकाल-क्षेत्र समाविष्ट करता है, तो पैटर्न का केंद्र चमकीला होता है और जब छिद्र में $2m$ अर्ध-काल-क्षेत्र समाविष्ट होते हैं, तो केंद्र काला होता है। छिद्र को स्थिर रखकर पर्दे को उससे समीप या दूर लाने पर केंद्र पर परिवर्तन होता है। यदि पैटर्न के केंद्र से छिद्र के केंद्र तथा छिद्र की परिधि की दूरियों का अंतर $(2m+1) \lambda/2$ हो, तो केंद्र चमकीला, अन्यथा काला, होता है।

गोल डिस्क के विवर्तन पैटर्न के केंद्र पर सर्वदा एक काली बिंदी बनती है।

प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन क्षमता (Resolving power of optical instruments)— किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा किसी स्रोत का बिंब वास्तव में उस यंत्र के द्वारक (aperture) से आनेवाली तरंगों का विवर्तन पैटर्न होता है। यदि दो बिंदु अत्यंत पास पास हों, तो यंत्र द्वारा प्रत्येक का एक एक विवर्तन पैटर्न बनता है। चूँकि सभी प्रकाशीय यंत्रों में वर्तुल (circular aperture) होता है, अतः बिंदु स्रोतों के विवर्तन पैटर्न में वर्तुल बिंदु (spot) बनता है और उसके चारों किनारे कई वर्तुल वलय (rings) होते हैं। यंत्र द्वारक जितना ही बड़ा होता है, विवर्तन पैटर्न उतने ही छोटे बनते हैं। यदि प्रकाशीय यंत्र द्वारा दो अत्यंत समीपस्थ बिंदु स्रोतों के विवर्तन पैटर्न इतने छोटे और स्पष्ट बनें कि एक का केंद्रीय उच्चतम (central maximum) प्रकाशित भाग दूसरे के सर्वप्रथम न्यूनतम (first minimum) प्रकाशित भाग पर पड़े, तो दोनों के केंद्रीय बिंदु (spots) स्पष्ट देखे जा सकते हैं। प्रकाशीय यंत्रों की इस क्षमता को विभेदन क्षमता (Resolving Power) कहते हैं।

किरीट या कोरोना (Corona) — बहुधा आकाश में बादलों की उपस्थिति के समय सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर एक चमकीला घेरा दिखाई पड़ता है। इसे किरीट कहते हैं (देखें किरीट)। प

बाहरी वृत्त होता है। इस वृत्त से बाहर किसी व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध वर्जित होता है. किंतु इस बड़े वृत्त के भीतर अनेक छोटे छोटे समूहों के अनेक वृत्त होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इस छोटे वृत्त के समूह के बाहर, किंतु बड़े वृत्त के भीतर ही विद्यमान किसी अन्य समूह के व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ता है। हिंदू समाज में इस प्रकार का विशाल वृत्त जाति का है और छोटे वृत्त विभिन्न गोत्रों के हैं। सामान्य रूप से इस शताब्दी के आरंभ तक प्रत्येक हिंदू को अपनी जाति के भीतर, किंतु गोत्र से बाहर विवाह करना पड़ता था। वह अपनी जाति से बाहर और गोत्र के भीतर विवाह नहीं कर सकता था।

वधू के चुनाव के लिये निश्चित किए जानेवाले अंतर्विवाही समूह नस्ल (रेस) जनजाति (ट्राइब), जाति, वर्ण आदि कई प्रकार के होते हैं। अधिकांश वन्य एवं सभ्य जातियों में अपनी नस्ल या प्रजाति से बाहर विवाह करना वर्जित होता है। कैलिफोर्निया के रेड इंडियन गौरवर्ण यूरोपियन नस्ल के पुरुष के साथ विवाह करनेवाली रेड इंडियन स्त्री का वध कर देते थे। सं० रा० अमरीका के अनेक दक्षिणी राज्यों में नीग्रो लोगों के साथ श्वेताग यूरोपियनों के विवाह को निषिद्ध ठहरानेवाले कानून बने हुए हैं। रोमन लोगों के बर्बर जातियों के साथ वैवाहिक निषेध के नियम का प्रधान कारण अपनी नस्ल की उत्कृष्टता और श्रेष्ठता का अहंकार तथा अपने से भिन्न जाति के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना है। इसी प्रकार अपनी जनजाति से बाहर भी विवाह निषिद्ध होता है। बिहार के ओरावों के बारे में यह कहा जाता है कि यदि इनमें कोई अपनी जनजाति से बाहर विवाह कर ले तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसे तब तक जाति में वापस नहीं लिया जाता जब तक वह अपनी भिन्न जातीय पत्नी का परित्याग न कर दे। प्राय सभी धर्म भिन्न धर्मवालों से विवाह का निषेध करते हैं। यहूदी धर्म में ऐसे विवाह वर्जित थे। मध्ययुग में ईसाइयों और यहूदियों के विवाह कानून द्वारा निषिद्ध थे। कुरानशरीफ में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस्लाम न स्वीकार करनेवाले नाना देवीदेवताओं की पूजा करने वाले व्यक्तियों के साथ विवाह वर्जित है। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम (उच्च वर्ण के पुरुष के साथ उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह) विवाहों का प्रचलन होते हुए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अपने वर्णों में ही विवाह करते थे। बाद में इन वर्णों में विभिन्न जातियों का विकास हुआ और अपनी जातियों में ही विवाह के नियम का कठोरतापूर्वक पालन किया जाने लगा।

पश्चिमी देशों में जातिभेद की कठोर व्यवस्था न होने पर भी सामाजिक वर्ग—कुलीन वर्ग, नगरवासी (बुर्जुआ) व्यापारी वर्ग, किसान और मजदूर प्राय अपने वर्गों में ही विवाह करते हैं। राजा राजवंशीय वर्ग में ही विवाह कर सकते हैं। राजवंश से भिन्न सामान्य वर्ग की स्त्रियों से यदि विवाह हो तो उस स्त्री को तथा उनकी संतान को राजकीय पद और उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होते। ब्रिटिश सम्राट् एडवर्ड अष्टम ने अपनी राजगद्दी इसीलिये छोड़ी थी कि उसने राजकीय वर्ग से बाहर की एक साधारण स्त्री सिंपसन से विवाह किया था और वह ब्रिटिश परंपरा के अनुसार रानी नहीं बन सकती थी।

बहिर्विवाह — इसका तात्पर्य किसी जाति के एक छोटे समूह तथा निकट संबंधियों के वर्ग से बाहर विवाह का नियम है। समाज में पहले को असगोत्रता का तथा दूसरे को असपिंडता का नियम कहते हैं। असगोत्रता का अर्थ है कि वधू वर के गोत्र से भिन्न गोत्र की होनी चाहिए। असपिंडता का आशय समान पिंड या देह का अथवा घनिष्ठ रक्त का संबंध न होना है। हिंदू समाज में प्रचलित सपिंडता के सामान्य नियम के अनुसार माता की पाँच तथा पिता की सात पीढ़ियों में होनेवाले व्यक्तियों को सपिंड माना जाता है, इनके साथ वैवाहिक संबंध वर्जित है। प्राचीन रोम में छठी पीढ़ी के भीतर आनेवाले संबंधियों के साथ विवाह निषिद्ध था। १२१५ ई० की लैटरन की ईसाई धर्मपरिषद् ने इनकी संख्या घटाकर चार पीढ़ी कर दी। अनेक अन्य जातियाँ पत्नी के मरने पर उसकी बहिन के साथ विवाह को प्राथमिकता देती हैं किंतु कैथोलिक चर्च मृत पत्नी की बहिन के साथ विवाह वर्जित ठहराता है। इंग्लिश चर्च में यह स्थिति १९०७ तक बनी रही। कुछ जातियों में स्थानीय बहिर्विवाह का नियम प्रचलित है। इसका यह अर्थ है कि एक गाँव या खेड़े में रहनेवाले नरनारी का विवाह वर्जित है। छोटा नागपुर के ओरावों में एक ही ग्राम के निवासी युवक युवती का विवाह निषिद्ध माना जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से यह माना जाता है कि ऐसा विवाह वर अथवा वधू के लिये अथवा दोनों के लिये अमंगल लानेवाला होता है।

असपिंडता तथा असगोत्रता के नियमों के प्रादुर्भाव के कारणों के संबंध में समाजशास्त्रियों तथा नृवंशशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। एक ही गाँव में रहनेवाले अथवा एक गोत्र को माननेवाले समान आयु के व्यक्ति एक दूसरे को भाई बहिन तथा नजदीकी रिश्तेदार मानते हैं और इनमें प्राय. सर्वत्र विवाह वर्जित होता है। किंतु यहाँ यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह निषेध समाज में क्यों प्रचलित हुआ? सर हेनरी मेन, मोर्गन आदि विद्वानों ने यह माना है कि आदिम मनुष्यों ने निकट विवाहों के दुष्परिणामों को शीघ्र ही अनुभव कर लिया था तथा जीवनसंघर्ष में दीर्घजीवी होने की दृष्टि से उन्होंने निकट संबंधियों के घेरे से बाहर विवाह करने का नियम बना लिया। किंतु अन्य विद्वान् इस मत को ठीक नहीं मानते। उनका कहना है कि आदिम मनुष्यों में अंतर्विवाह के दुष्परिणामों जैसी जटिल जीवशास्त्रीय प्रक्रिया को समझने की बुद्धि स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। वैस्टरमार्क और हैवलाक एलिस ने इसका कारण नजदीकी रिश्तेदारों के बचपन से सदा साथ रहने के कारण उनमें यौन आकर्षण उत्पन्न न होने को माना है। अन्य विद्वानों ने इस व्याख्या को सही नहीं माना। वैस्टेड ने यह बताया है कि प्राचीन मिस्र में समाज के सभी भागों में भाई बहिन के विवाह प्रचलित थे। बहिर्विवाह (एक्सोगेमी) शब्द को अंग्रेजी में सबसे पहले प्रचलित करनेवाले विद्वान् मैक्लीनान ने यह कल्पना की थी कि आरंभिक योद्धा जातियों में बालिकावध की कारण प्रथा प्रचलित होने के कारण विवाह योग्य स्त्रियों की संख्या कम हो गई और दूसरी जनजातियों की स्त्रियों को अपहरण करके लाने की पद्धति से बहिर्विवाह के नियम का श्रीगणेश हुआ। किंतु इस कल्पना में बालिकावध

सभी सभ्य देशों में विवाह को धार्मिक बंधन एवं कर्तव्य समझा जाता था। वैदिक युग में यज्ञ करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य था, किंतु यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, अतः विवाह सबके लिये धार्मिक दृष्टि से आवश्यक था। पत्नी शब्द का अर्थ ही यज्ञ में साथ बैठनेवाली स्त्री है। श्री राम का अश्वमेध यज्ञ पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सका था, अतः उन्हें सीता की प्रतिमा स्थापित करनी पड़ी। याज्ञवल्क्य (१।८९) ने एक पत्नी के मरने पर यज्ञकार्य चलाने के लिये फौरन दूसरी पत्नी के लाने का आदेश दिया है। पितरों की आत्माओं का उद्धार पुत्रों के पिंडदान और तर्पण से ही होता है, इस धार्मिक विश्वास ने भी विवाह को हिंदू समाज में धार्मिक कर्तव्य बताया है। रोमनों का भी यह विश्वास था कि परलोक में मृत पूर्वजों का सुखी रहना इस बात पर अवलंबित था कि उनका मृतक संस्कार यथाविधि हो तथा उनकी आत्मा की शांति के लिये उन्हें अपने वंशजों की प्रार्थनाएँ, भोज और भेंटें यथासमय मिलती रहें। यहूदियों की धर्मसंहिता के अनुसार विवाह से बचनेवाला व्यक्ति उनके धर्मग्रंथ के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण हत्यारे जैसा अपराधी माना जाता था। विवाह का धार्मिक महत्व होने से ही अधिकांश समाजों में विवाह की विधि एक धार्मिक संस्कार मानी जाती रही है।

मई, १९५५ से लागू होनेवाले हिंदू विवाह कानून से पहले हिंदू समाज में धार्मिक संस्कार से संपन्न होनेवाला विवाह अविच्छेद्य था। रोमन कैथोलिक चर्च इसे अब तक ऐसा धार्मिक बंधन समझता है। किंतु अब औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न होनेवाले परिवर्तनों से तथा धार्मिक विश्वासों में आस्था शिथिल होने से विवाह के धार्मिक पक्ष का महत्व कम होने लगा है।

विवाह का आर्थिक पक्ष भी अब निर्बल होता जा रहा है। प्रसूति के समय में तथा उसके बाद कुछ काल तक कार्यक्षम न होने के कारण पत्नी को पति के अवलंब की आवश्यकता होती है, इस कारण दोनों में श्रमविभाजन होता है, पत्नी बच्चों के लालन पालन और घर के काम को सँभालती है और पति पत्नी तथा संतान के भरणपोषण का दायित्व लेता है। १८वीं शताब्दी के अंत में होनेवाली औद्योगिक क्रांति से पहले तक विवाह द्वारा उत्पन्न होनेवाला परिवार आर्थिक उत्पादन का केंद्र था, कृषक अथवा कारीगर अपने घर में रहता हुआ अन्न वस्त्रादि का उत्पादन करता था; परिवार के सब सदस्य उसे इस कार्य में सहायता देते थे। घरेलू आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन घर में ही परिवार के सब सदस्यों द्वारा हो जाने के कारण परिवार आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी इकाई था। किंतु कारखानों में वस्त्र आदि का निर्माण होने से उत्पादन का केंद्र घर नहीं, मिलें बन गईं। मिलों द्वारा प्रभूत मात्रा में तैयार किए गए माल ने घर में इनके उत्पादन को अनावश्यक बना दिया। विवाह एवं परिवार की संस्था से उसके कुछ आर्थिक कार्य छिन गए, स्त्रियाँ कारखानों आदि में काम करने के कारण आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो गईं, इससे उनकी स्थिति में कुछ अंतर आने लगा है। फिर भी, पत्नी और बच्चों के पालनपोषण के आर्थिक व्यय को वहन करने का उत्तरदायित्व अभी तक प्रधान रूप से पति का माना जाता है। पति द्वारा उपार्जित धन पर उसकी पत्नी और वैध पुत्रों का ही अधिकार स्वीकार किया जाता है।

विवाह का एक कानूनी या विधिक पक्ष भी है। परिणय सहवास मात्र नहीं है। किसी भी मानव समाज में नरनारी को उस समय तक दांपत्य जीवन बिताने और संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं दिया जाता, जब तक इसके लिये समाज की स्वीकृति न हो। यह स्वीकृति धार्मिक कर्मकांड की अथवा कानून द्वारा निश्चित विधियों को पूरा करने से तथा विवाह से उत्पन्न होनेवाले दायित्वों को स्वीकार करने से प्राप्त होती है। अनेक आधुनिक समाजों में विवाह को वरवधू की सहमति से होनेवाला विशुद्ध कानूनी अनुबंध समझा जाता है। किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अन्य सभी प्रकार के अनुबंधों या संविदाओं से भिन्न है क्योंकि उनमें अनुबंध करनेवाले व्यक्ति इसकी शर्तें तय करते हैं, किंतु विवाह के कर्तव्य और दायित्व वरवधू की इच्छा पर अवलंबित नहीं हैं, वे समाज की रूढ़ि, परंपरा और कानून द्वारा निश्चित होते हैं।

विवाह का सामाजिक और नैतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। विवाह से उत्पन्न होनेवाली संतति परिवार में रहते हुए ही समुचित विकास और प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज का उपयोगी अंग बनती है, बालक को किसी समाज के आदर्शों के अनुरूप ढालने का तथा उसके चरित्र-निर्माण का प्रधान साधन परिवार है। यद्यपि आजकल शिशुशालाएँ, बालोद्यान, स्कूल और राज्य बच्चों के पालन, शिक्षण और सामाजीकरण के कुछ कार्य अपने ऊपर ले रहे हैं, तथापि यह निर्विवाद है कि बालक का समुचित विकास परिवार में ही संभव है। प्रत्येक समाज विवाह द्वारा मनुष्य की उद्दाम एवं उच्छृंखल यौन भावनाओं पर अंकुश लगाकर उसे नियमित करता है और समाज में नैतिकता की रक्षा करता है।

किसी भी समाज में मनुष्य विवाह करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। उसे इस विषय में कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम प्रधान रूप से निम्नलिखित बातों के संबंध में होते हैं—(१) वरवधू के चुनाव के नियम, (२) पत्नी प्राप्त करने के नियम, (३) विवाह संस्कार की विधियाँ, (४) विवाह के विभिन्न रूप (५) विवाह की अवधि के नियम।

वरवधू चुनने के नियम—अंतर्विवाह और बहिर्विवाह

लगभग सभी समाजों में वधू चुनने के संबंध में दो प्रकार के नियम होते हैं। पहले प्रकार के नियम अंतर्विवाह विषयक (एंडोगैमस) होते हैं। इनके अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहनेवाले व्यक्तियों में से ही वधू को चुनना पड़ता है। वे उस वर्ग से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के (बहिर्विवाही) नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट समूह से बाहर के व्यक्तियों के साथ ही, विवाह करना पड़ता है। ये दोनों नियम ऊपर से परस्पर-विरोधी होते हुए भी वास्तव में ऐसे नहीं हैं, क्योंकि इनका संबंध विभिन्न प्रकार के समूहों से होता है। इन्हें वृत्तों के उदाहरण से भली भाँति समझा जा सकता है। प्रत्येक समाज में एक विशाल

है यह सऊदी अरब राज्य के संस्थापक इब्न सऊद के उदाहरण से स्पष्ट है। इस्लाम में चार से अधिक स्त्रियों से विवाह वर्जित है, अतः इब्न सऊद को जब किसी नवीन स्त्री से विवाह करना होता था तो वह अपनी पहली चार पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे देता था। इस प्रकार उसने चार पत्नियों की मर्यादा का पालन करते हुए भी सौ से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह किया। कुछ वन्य जातियों में सरदारों द्वारा अपने समाज की इतनी अधिक स्त्रियों पर अधिकार कर लिया जाता है कि कुछ निर्धन युवा पुरुष विवाह के लिये वधू नहीं प्राप्त कर सकते। आस्ट्रेलिया की कुछ जातियों में ऐसे पुरुष को कई स्त्रियाँ रखनेवाले व्यक्ति को चुनौती देकर उससे पत्नी प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। बहुभार्यता का एक विशेष रूप श्याली विवाह (सोरोरल sororal पोलिजिनी) अर्थात् एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी की बहिनों से विवाह करना है। इसमें बड़ा लाभ संभवतः सौतिया-डाह का कम होना तथा बहिनों का प्रेमपूर्वक मिलकर रहना है। यह प्रथा अमरीका के रेड इंडियनों में बहुत मिलती है।

बहुभर्तृता अथवा एक स्त्री से अनेक पुरुषों के विवाह का सुप्रसिद्ध प्राचीन भारतीय उदाहरण द्रौपदी का पाँच पाण्डवों के साथ विवाह है। यह परिपाटी अब भी भारत के अनेक प्रदेशों — लद्दाख में, पंजाब के काँगड़ा जिले के स्पीती लाहौल परगनों में, चंबाकु, कुल्लू और मंडी के ऊँचे प्रदेशों में रहनेवाले कानेतों में, देहरादून जिले के जौनसार बावर में, दक्षिण भारत में मलाबार के नायरों में, नीलगिरि के टोडों, कुरुंबों और कोटों में पाई जाती है। भारत से बाहर यह कुछ दक्षिणी अमरीकन इंडियन जातियों में मिलती है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहले प्रकार में एक स्त्री के पति आपस में सगे या सौतेले भाई होते हैं। इसे भ्रातृक बहुभर्तृता कहते हैं। द्रौपदी के पाँचों पति भाई थे। आजकल इस प्रकार की बहुभर्तृता देहरादून जिले में जौनसार बावर के खस लोगों में तथा नीलगिरि के टोडों में पाई जाती है। बड़े भाई के शादी करने पर उसकी पत्नी सब भाइयों की पत्नी समझी जाती है। इसके दूसरे प्रकार में एक स्त्री के अनेक पतियों में भाई का संबंध या अन्य कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता। इसे अभ्रातृक या मातृसत्ताक बहुभर्तृता कहते हैं। मलाबार के नायर लोगों में पहले इस प्रकार की बहुभर्तृता का प्रचलन था।

बहुभर्तृता के उत्पादक कारणों के संबंध में समाजशास्त्रियों तथा भूवंशशास्त्रियों में प्रबल मतभेद है। वैस्टरमार्क ने इसका प्रधान कारण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का संख्या में कम होना बताया है। उदाहरणार्थ नीलगिरि के टोडों में बालिकावध की कुप्रथा के कारण एक स्त्री के पीछे दो पुरुष हो गए, अतः वहाँ बहुभर्तृता का प्रचलन स्वाभाविक रूप से हो गया। किंतु राबर्ट ब्रिफाल्ट ने यह सिद्ध किया कि स्त्रियों की कमी इस प्रथा का एकमात्र कारण नहीं है। तिब्बत, सिक्किम, लद्दाख, लाहौल, आदि बहुभर्तृक प्रथावाले प्रदेशों में स्त्री पुरुषों की संख्या में कोई बड़ा अंतर नहीं है। बनिचम के मतानुसार लद्दाख में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। अतः सुमनेट, लोई, बेल्यू आदि विद्वानों ने इसका प्रधान कारण निर्धनता को माना है। सुमनेर ने इसे तिब्बत के उदाहरण से पुष्ट करते हुए कहा है कि वहाँ पैदावार इतनी कम होती है कि एक पुरुष के लिये कुटुंब का पालन संभव नहीं होता, अतः कई पुरुष मिलकर पत्नी रखते हैं। इससे बच्चे कम होते हैं, जनसंख्या मर्यादित रहती है और परिवार की भूसंपत्ति विभिन्न भाइयों के बँटवारे से विमुक्त नहीं होती।

एक विवाह की प्रथा मानव समाज में सबसे अधिक प्रचलित और सामान्य परिपाटी है। जिन समाजों में बहुभार्यता की प्रथा है, उनमें भी यह प्रथा प्रचलित है क्योंकि बहुभार्यता की प्रथा का पालन प्रत्येक समाज में बहुत थोड़े व्यक्ति ही करते हैं। उदाहरणार्थ ग्रीनलैंड वासियों को बहुभार्यतावादी समाज कहा जाता है, किंतु क्रॉज को इस प्रदेश में २० में से एक पुरुष ही दो स्त्रियों से विवाह करनेवाला मिला याने वहाँ केवल पाँच प्रति शत पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह के नियम का पालन करनेवाले थे। एकविवाह की व्यवस्था का प्रचलन सबसे अधिक होने का बड़ा कारण यह है कि अधिकांश समाजों में स्त्री पुरुषों की संख्या का अनुपात लगभग समान होता है और एक विवाह की व्यवस्था अधिकतम नरनारियों के लिये जीवनसाथी प्रस्तुत करती है। युद्ध, कन्यावध की दारुण प्रथा तथा काम धंधों की जोखिम स्त्रीपुरुषों की संख्या के संतुलन को कुछ हद तक बिगाड़ देते हैं, किंतु प्रायः यह संतुलन बना रहता है और एकविवाह की व्यवस्था में सहायक होता है, क्योंकि यह अधिकतम व्यक्तियों को विवाह का अवसर प्रदान करता है। सभ्यता की उन्नति एवं प्रगति के साथ कई कारणों से यह प्रथा अधिक प्रचलित होने लगती है. पहला कारण यह होता है कि बड़ा परिवार आर्थिक दृष्टि से बोझ बन जाता है। घरेलू पशुओं, नवीन औजारों तथा मशीनों के आविष्कार के कारण पत्नी की मजदूर के रूप में काम करने की उपयोगिता कम हो जाती है। संतान की प्रबल आकांक्षा में कमी आना तथा सामाजिक गरिमा और प्रतिष्ठा के नए मानदंडों का विकास होना भी इसमें सहायक होता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के प्रति समान की भावना का विकास, स्त्रियों की उच्च शिक्षा और दांपत्य प्रेम के नवीन आदर्शों का विकास तथा सौतियाडाह के झगड़ों से छुटकारा भी एकविवाह को समाज में लोकप्रिय बनाते हैं। पश्चिमी जगत् में आजकल एकविवाह का नियम सार्वभौम है। हिंदू समाज में संतानप्राप्ति आदि के उद्देश्य पूर्ण करने के लिये प्राचीन शास्त्रकारों ने पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति दी थी किंतु १९५५ के हिंदू विवाह कानून ने इस पुरानी व्यवस्था का अंत करते हुए एकविवाह के नियम को आवश्यक बना दिया है।

वैवाहिक विधियाँ

लगभग सभी समाजों में विवाह का संस्कार कुछ विशिष्ट विधियों के साथ सम्पन्न किया जाता है। यह नरनारी के पतिपत्नी बनने की घोषणा करता है, संबंधियों को संस्कार के समारोह में बुलाकर उन्हें इस नवीन दांपत्य संबंध का साक्षी बनाया जाता है, धार्मिक विधियों द्वारा इसे कानूनी मान्यता और सामाजिक सहमति प्रदान की जाती है। वैवाहिक विधियों का प्रधान उद्देश्य नवीन संबंध का विज्ञापन करना, इसे दृढ़तर बनाना तथा नानाप्रकार के अनिष्टों से इसकी रक्षा करना है। विवाह संस्कार की

एवं अपहरण द्वारा विवाह का अत्यधिक अतिरंजित और अवास्तविक चित्रण है। बहिर्विवाह का नियम प्रचलित होने के कुछ अन्य कारण ये बताए जाते हैं—दूसरी जातियों की स्त्रियों को पकड़ लाने में गर्व और गौरव की भावना का अनुभव करना, गणविवाह (एक समूह में सब पुरुषों का सब स्त्रियों का पति होना) की काल्पनिक दशा के कारण दूसरी जातियों से स्त्रियाँ ग्रहण करना। अभी तक कोई भी कल्पना इस विषय में सर्वसंमत सिद्धांत नहीं बन सकी।

पत्नीप्राप्ति की विधियाँ — अतविवाह और बहिर्विवाह के नियमों का पालन करते हुए वधू को प्राप्त करने की विधियों के संबंध में मानव समाज में बड़ा वैविध्य दृष्टिगोचर होता है। भार्याप्राप्ति की विभिन्न विधियों को अपहरण, क्रय और सहमति के तीन बड़े वर्गों में बाँटा जा सकता है। अपहरण की विधि का तात्पर्य पत्नी की तथा उसके संबंधियों की इच्छा के बिना उस-पर बलपूर्वक अधिकार करना है। इसे भारतीय धर्मशास्त्र में राक्षस और पैशाच विवाहों का नाम दिया गया है। यह आज तक कई वन्य जातियों में पाई जाती है। उड़ीसा की भुइयाँ जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी युवक का युवती से प्रेम हो, किंतु युवती अथवा उसके मातापिता उस विवाह के लिये सहमत न हों तो युवक अपनी मित्रमंडली की सहायता से अपनी प्रेमिका का अपहरण कर लेता है और इससे प्राय. भीषण लड़ाइयाँ होती हैं। संथाल, मुंडा, भूमिज, गोंड, भील और नागा आदि आरण्यक जातियों में यह प्रथा पाई जाती है। अन्य देशों और जातियों में भी इसका प्रचलन मिलता है।

पत्नीप्राप्ति का दूसरा साधन क्रय विवाह अर्थात् पैसा देकर लड़की को खरीदना है। हिंदू शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार इसे आसुर विवाह कहा जाता है। भारत की संथाल, हो, ओरांव, खड़िया, गोंड, भील आदि जातियों में कन्या के मातापिता को कन्याशुल्क (डाइज प्राइस) देकर पत्नी प्राप्त करने की परिपाटी है। हिंदू समाज के उच्च वर्ग में लड़कों का महत्व होने से उनके मातापिता कन्या के मातापिता से स्नेह कर में धन प्राप्त करते हैं, किंतु निम्न वर्ग में तथा वन्य जातियों में कन्या का अधिक महत्व होने के कारण कन्या का पिता वर से अथवा वर के मातापिता से कन्या देने के बदले में धनराशि प्राप्त करता है। यदि वर धनराशि देने में असमर्थ होता है तो वह श्वसुर के यहाँ सेवा करके कन्याशुल्क प्रदान करता है। ओंडो और डेंडा जातियों में श्वसुर के यहाँ इस प्रकार तीन से दस वर्ष तक नौकरी तथा कड़ी मेहनत करने के बाद पत्नी प्राप्त होती है। इसे सेवा विवाह भी कहा जाता है।

पत्नीप्राप्ति का तीसरा साधन वरवधू के मातापिता की सहमति से अरेंजिड विवाह अर्थात् विवाह है। [illegible] के आरंभ तक हिंदू समाज में अरेंजिड विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण अधिकांश विवाह इसी प्रकार के होते थे, अब भी अधिकांश विवाह के प्रकार [illegible] के कारण वरवधू की सहमति से होनेवाले [illegible] विवाहों की संख्या बढ़ रही है। अधिकांश अधिकतर विवाह अब भी मातापिता की सहमति से होते हैं।

पत्नीप्राप्ति के उपर्युक्त साधन आधुनिक समाजशास्त्रीय विद्वानों के वर्गीकरण के आधार पर हैं। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने इन्हीं को ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच नामक आठ प्रकार के विवाहों का नाम दिया था। इनमें पहले चार प्रकार के विवाह प्रशस्त तथा धर्मानुकूल समझे जाते थे। ये सब विवाह मातापिता की सहमति से किए जानेवाले उपर्युक्त विवाह के अंतर्गत हैं। धार्मिक विधि के साथ संपन्न होनेवाले सभी विवाहों में कन्या को वस्त्राभूषण से अलंकृत करके उसका दान किया जाता था। किंतु पिछले चार विवाहों में कन्या का दान नहीं होता, वह मूल्य से या प्रेम से या बलपूर्वक ली जाती है। आसुर विवाह उपर्युक्त क्रयविवाह का दूसरा रूप है। इसमें वर कन्या के पिता को कुछ धनराशि देकर उसे प्राप्त करता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण पांडु के साथ माद्री का विवाह है। गांधर्व विवाह वर और वधू के पारस्परिक प्रेम और सहमति के कारण होता है। इसका प्रसिद्धतम प्राचीन उदाहरण दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था। राक्षस विवाह में वर कन्यापक्ष के संबंधियों को मारकर या घायल करके रोती चीखती कन्या को अपने घर ले आता था। यह प्रथा क्षत्रियों में प्रचलित थी। इसका प्रसिद्ध उदाहरण श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी का तथा अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण है। पैशाच विवाह में सोई हुई, शराब आदि पीने से उन्मत्त स्त्री से एकांत में संबंध स्थापित करके विवाह किया जाता था। मनु ने (३।३४) इसकी निंदा करते हुए इसे सबसे अधिक पापपूर्ण और अधम विवाह कहा है।

विवाह के संख्यात्मक रूप

बहुभार्यता, बहुभर्तृता, एक विवाह, बहु —पति या पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के तीन रूप माने जाते हैं। जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो इसे बहुभार्यता या बहुपत्नीत्व (पोलीजिनी) कहते हैं। एक स्त्री के साथ एक से अधिक पुरुषों के विवाह को बहुभर्तृता या बहुपतित्व कहा जाता है। एक पुरुष के एक स्त्री के साथ विवाह को एक विवाह (मोनोगेमी) या एकपत्नीव्रत कहा जाता है। मानव जाति के विभिन्न समाजों में इनमें से पहला और तीसरा रूप अधिक प्रचलित है। दूसरे रूप बहुभर्तृता का प्रचलन बहुत कम है। समाज में स्त्रीपुरुषों की संख्या लगभग समान होने के कारण इस अवस्था में कुछ पुरुषों द्वारा अधिक स्त्रियों को पत्नी बना लेने पर कुछ पुरुष विवाह से वंचित रह जाते हैं, अतः कुछ वन्य समाजों में एक मनुष्य द्वारा पत्नी बनाई जानेवाली स्त्रियों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है और प्रथा द्वारा इसे निश्चित कर दिया जाता है। पूर्वी ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका की वालानिया जाति में एक पुरुष को तीन से अधिक स्त्रियों के साथ, भेंडु जाति में तथा इस्लाम में चार से अधिक स्त्रियों के साथ, उत्तरी नाइजीरिया की कुछ जातियों में छह से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। राजाओं तथा सरदारों के लिये यह संख्या बहुत अधिक होती है। पश्चिमी अफ्रीका में गोल्डकोस्ट बस्ती के अशांति नामक राज्य के राजा के लिये पत्नियों की निश्चित संख्या, ३,३३३ थी। राजा और इन निश्चित संख्याओं का अतिक्रमण और उल्लंघन किस प्रकार करते

तथा परपुरुष अथवा पर-स्त्री-गमन (एक बार में भी) अधिनियम की धारा १३ के अनुसार — संसर्ग, धर्मपरिवर्तन, पागलपन (३ वर्ष), कुष्ट रोग (३ वर्ष), रतिज रोग (३ वर्ष), संन्यास, मृत्यु, निष्कर्ष (७ वर्ष) पर नैयायिक पृथक्करण की डिक्री पास होने के दो वर्ष बाद तथा दांपत्याधिकार प्रदान करनेवाली डिक्री पास होने के दो साल बाद 'संबंधविच्छेद' प्राप्त हो सकता है।

स्त्रियों को निम्न आधारों पर भी संबंधविच्छेद प्राप्त हो सकता है; यथा—द्विविवाह, बलात्कार, पुंमैथुन तथा पशुमैथुन। धारा ११ एवं १२ के अंतर्गत न्यायालय 'विवाहशून्यता' की घोषणा कर सकता है। विवाह प्रवृत्तिहीन घोषित किया जा सकता है, यदि दूसरा विवाह सपिंड और निषिद्ध गोत्र में किया गया हो (धारा ११)।

नपुंसकता, पागलपन, मानसिक दुर्बलता, छल एवं कपट से अनुमति प्राप्त करने पर या पत्नी के अन्य पुरुष से (जो उसका पति नहीं है) गर्भवती होने पर विवाह विवर्ज्य घोषित हो सकता है। (धारा १२)।

अधिनियम द्वारा अब हिंदू विवाह प्रणाली में निम्नांकित परिवर्तन किए गए हैं :

(१) अब हर हिंदू स्त्रीपुरुष दूसरे हिंदू स्त्रीपुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी जाति का हो। (२) एकविवाह तय किया गया है। द्विविवाह अमान्य एवं दंडनीय भी है। (३) न्यायिक पृथक्करण, विवाह-संबंध-विच्छेद तथा विवाहशून्यता की डिक्री की घोषणा की व्यवस्था की गई है। (४) प्रवृत्तिहीन तथा विवर्ज्य विवाह के बाद और डिक्री पास होने के बीच उत्पन्न संतान को वैध घोषित कर दिया गया है। परंतु इसके लिये डिक्री का पास होना आवश्यक है। (५) न्यायालयों पर यह वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े में समाधान कराने का प्रयत्न करें। (६) बाद के बीच या संबंधविच्छेद पर निर्वाहव्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है। तथा (७) न्यायालयों को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अवयस्क बच्चों की देख रेख एवं भरण पोषण की व्यवस्था करे।

विधिवेत्ताओं का यह विचार है कि हिंदू विवाह के सिद्धांत एवं प्रथा में परिवर्तन करने की जो आवश्यकता उपस्थित हुई है उसका कारण संभवत: यह है कि हिंदू समाज अब पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से अधिक प्रभावित हुआ है।

अधिनियम में नई विचारधाराओं को ग्रहण करने का प्रयास तो सुंदर किया गया है किंतु उससे अनेक जटिलताएँ उत्पन्न हो गई हैं। इसलिये यह अनुभव किया जा रहा है कि हिंदू समाज उनको अपनाने में झिझक रहा है।

[के० च० श्री०]

विवृतबीज (Gymnosperms) वनस्पति जगत् का एक अत्यंत पुराना वर्ग है। यह टेरिडोफाइटा (Pteridophyta) से अधिक जटिल और विकसित है और आवृतबीज (Angiosperm) से कम विकसित तथा अधिक पुराना है। इस वर्ग की प्रत्येक जाति या प्रजाति में बीज नग्न रहते हैं, अर्थात् उनके ऊपर कोई आवरण नहीं रहता। पुराने वैज्ञानिकों के विचार में यह एक प्राकृतिक वर्ग माना जाता था, पर अब नग्न बीज होना ही एक प्राकृतिक वर्ग का कारण बने, ऐसा नहीं भी माना जाता है। इस वर्ग के अनेक पौधे पृथ्वी के गर्भ में दबे या फॉसिल के रूपों में पाए जाते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि ऐसे पौधे लगभग चालिस करोड़ वर्ष पूर्व से ही इस पृथ्वी पर उगते चले आ रहे हैं। इनमें से अनेक प्रकार के तो अब, या लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ही, लुप्त हो गए और कई प्रकार के अब भी घने और बड़े जंगल बनाते हैं। चीड़, देवदार आदि बड़े वृक्ष विवृतबीज वर्ग के ही सदस्य हैं।

इस वर्ग के पौधे बड़े वृक्ष या साइकस (cycas) जैसे छोटे, या ताड़ के ऐसे, अथवा झाड़ी की तरह के होते हैं। सिकोया जैसे बड़े वृक्ष (३५० फुट से भी ऊँचे), जिनकी आयु हजारों वर्ष की होती है, वनस्पति जगत् के सबसे बड़े और भारी वृक्ष हैं। वैज्ञानिकों ने विवृतबीजों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया है। वनस्पति जगत् के दो मुख्य अंग हैं : क्रिप्टोगैम (Cryptogams) और फैनरोगैम (Phanerogams)। फैनरोगैम बीजधारी होते हैं और इनके दो प्रकार हैं : विवृतबीज और आवृतबीज, परंतु आजकल के वनस्पतिज्ञ ने वनस्पति जगत् का कई अन्य प्रकार का वर्गीकरण करना आरंभ कर दिया है, जैसे (१) वैस्कुलर पौधे (Vascular) या ट्रेकियोफाइटा (Tracheophyta) और (२) एवैस्कुलर या नॉन वैस्कुलर (Avascular or nonvascular) या एट्रैकियोफाइटा (Atracheophyta) वर्ग। वैस्कुलर पौधों में जल, लवण इत्यादि के लिये बाह्य ऊतक होते हैं। इन पौधों को (क) लाइकोप्सिडा (Lycopsida), (ख) स्फीनॉप्सिडा (Sphenopsida) तथा (ग) टिरॉप्सिडा (Pteropsida) में विभाजित करते हैं। टिरॉप्सिडा के अंतर्गत अन्य फर्न, विवृतबीज तथा आवृतबीज रखे जाते हैं।

विवृत बीज के दो मुख्य उपप्रभाग हैं : (१) साइकाडोफाइटा (Cycadophyta) और (२) कोनिफेरोफाइटा (Coniferophyta)। साइकाडोफाइटा के मुख्य तीन गण हैं : (क) टेरिडोस्पर्मेलीज या साइकाडोफिलिसेलीज (Pteridospermales, or Cycadofilicales), (ख) बेनीटिटेलीज या साइकाडिओइडेलीज (Bennettitales or Cycadeoidales) और (ग) साइकाडेलीज (Cycadales)। कोनिफेरोफाइटा में चार मुख्य गण हैं : (क) कॉर्डेटेलीज (Cordaitelles), (ख) गिंगोएलीज (Ginkgoales) (ग) कोनीफरेलीज (Coniferales) और (घ) नीटेलीज (Gnitales)। इनके अतिरिक्त और भी जटिल और ठीक से नहीं समझे हुए गण पेंटोक्साइलेलीज (Pentoxylales), कायटोनियेलीज (Caytoniales) इत्यादि हैं।

टेरिडोस्पर्मेलीज, या साइकाडोफिलिसेलीज — इस गण के अंतर्गत आनेवाले पौधे भूवैज्ञानिक काल के कार्बनी (Carboniferous) युग में, लगभग २५ करोड़ वर्ष से भी पूर्व के जमाने में, पाए जाते थे। इस गण के पौधे वृक्ष में फर्न समझे गए थे, परंतु इनमें

विधियों में विस्मयावह वैविध्य है। किंतु इन्हें चार बड़े वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहले वर्ग में वर वधू की स्थिति में आनेवाले परिवर्तन को सूचित करनेवाली विधियाँ हैं। विवाह में कन्यादान कन्या के पिता से पति के नियंत्रण में जाने की स्थिति को द्योतित करता है। इंग्लैंड, पैलेस्टाइन, जावा, चीन में वधू को नए घर की देहली में प्रवेश के समय उठाकर ले जाना वधूद्वारा घर के परिवर्तन को महत्वपूर्ण बनाना है। स्काटलैंड में वधू के पीछे पुराना जूता यह सूचित करने के लिये फेंका जाता है कि अब पिता का उसपर कोई अधिकार नहीं रहा। दूसरे वर्ग की विधियों का उद्देश्य दुष्प्रभावों को दूर करना है। यूरोप और अफ्रीका में विवाह के समय दुष्टात्माओं को मार भगाने के लिये बाण फेंके जाते हैं और बंदूकें छोड़ी जाती हैं। दुष्टात्माओं का निवासस्थान अंधकारपूर्ण स्थान होते हैं और विवाह में अग्नि के प्रयोग से इनका विद्रावण किया जाता है। विवाह के समय वर द्वारा तलवार आदि का धारण, इंग्लैंड में वधू द्वारा दुष्टात्माओं को भगाने में समर्थ समझी जानेवाली घोड़े की नाल ले जाने की विधि का कारण भी यही समझी जाती है। तीसरे वर्ग में उर्वरता की प्रतीक और संतानसमृद्धि की कामना को सूचित करनेवाली विधियाँ आती हैं। भारत, चीन, मलाया में वधू पर चावल, अनाज तथा फल डालने की विधियाँ प्रचलित हैं। जिस प्रकार अन्न का एक दाना बीसियों नए दाने पैदा करता है, उसी प्रकार वधू से प्रचुर संख्या में संतान उत्पन्न करने की आशा रखी जाती है। स्लाव देशों में वधू की गोद में इसी उद्देश्य से लड़का बैठाया जाता है। चौथे वर्ग की विधियाँ वर वधू की एकता और अभिन्नता को सूचित करती हैं। दक्षिणी सेलीबीज में वरवधू के वस्त्रों को सीकर उनपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है। भारत और ईरान में प्रचलित ग्रंथिबंधन की पद्धति का भी यही उद्देश्य है।

विवाह की अवधि तथा तलाक

इस विषय में मानव समाज के विभिन्न भागों में बड़ा वैविध्य दृष्टिगोचर होता है। वेस्टरमार्क के मतानुसार सभ्यता के निम्न स्तर में रहने वाली, आखेट तथा आरंभिक कृषि से जीवनयापन करनेवाली, श्रीलंका की वेद्दा तथा अंडेमान आदिवासी जातियों में विवाह के बाद पतिपत्नी मृत्यु पर्यंत इकट्ठा रहते हैं और इनमें तलाक नहीं होता। जिन समाजों में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता है, उनमें प्रायः विवाह अविच्छेद्य संबंध माना जाता है। हिंदू एवं रोमन कैथोलिक ईसाई समाज इसके सुंदर उदाहरण हैं। किंतु विवाहविच्छेद या तलाक के नियमों के संबंध में अत्यधिक भिन्नता होने पर भी कुछ मौलिक सिद्धांतों में समानता है। विवाह मुख्य रूप से संतानप्राप्ति एवं दांपत्य संबंध के लिये किया जाता है, किंतु यदि किसी विवाह में ये प्राप्त न हों तो दांपत्य जीवन को नारकीय या विषम बनाने की अपेक्षा विवाहविच्छेद की अनुमति दी जानी चाहिए। इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, इस दृष्टि से तलाक का अधिकार अनेक प्रतिबंधों के साथ विशेष अवस्था में ही दिया जाता है। तलाक का मुख्य आधार व्यभिचार है क्योंकि यह वैवाहिक जीवन के मूल पर ही कुठाराघात करनेवाला है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं (देखो 'हिंदू विवाह नियम १९५५')।

विवाह का भविष्य — प्लेटो के समय से विचारक विवाह की समाप्ति की तथा राज्य द्वारा बच्चों के पालन की कल्पना कर रहे हैं। वर्तमान समय के औद्योगिक एवं वैज्ञानिक परिवर्तन तथा पश्चिमी देशों में तलाकों की बढ़ती हुई भयावह संख्या के आधार पर विवाह की संस्था के लोप की भविष्यवाणी करने की कमी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय विवाह परंपरागत स्वरूपों में कई कारणों से बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। विवाह को धार्मिक बंधन के स्थान पर कानूनी बंधन तथा पति का निजी मामला मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। औद्योगिक विकास और शिक्षा के प्रसार से स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बन रही हैं। पहले उनके सुखमय जीवनयापन का एकमात्र साधन विवाह था, अब ऐसी स्थिति नहीं रही। विवाह और तलाक के कानून दांपत्य अधिकारों में नरनारी के अधिकारों को समान कर रहे हैं। धर्म के प्रति आस्था में शिथिलता और गर्भनिरोध के साधनों के आविष्कार ने विवाह विषयक पुरानी मान्यताओं को, प्राचीन सतीत्व और पवित्रता को गहरा धक्का पहुँचाया है। किंतु इन परिवर्तन होते हुए भी भविष्य में विवाहप्रथा के बने रहने का कारण यह है कि इससे कुछ ऐसे प्रयोजन पूरे होते हैं, जो अन्य साधन या संस्था से नहीं हो सकते। पहला प्रयोजन संतान का है। यद्यपि विज्ञान ने कृत्रिम गर्भाधान का आविष्कार किया, किंतु कृत्रिम रूप से शिशुओं का प्रयोगशालाओं में उत्पादन विकास संभव प्रतीत नहीं होता। दूसरा प्रयोजन संतान का पालन है, राज्य और समाज शिशुशालाओं और बालोद्यानों का विस्तार ही विकास कर ले, उनमें इनके सर्वांगीण समुचित विकास की व्यवस्था संभव नहीं, जैसी विवाह एवं परिवार की संस्था में है। तीसरा प्रयोजन सच्चे दांपत्य प्रेम और सुखप्राप्ति का है, जो भी विवाह के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से संभव नहीं। ये प्रयोजनों की पूर्ति के लिये भविष्य में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था बनी रहेगी, भले ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहें।

सं० ग्रं० — वेस्टरमार्क हिस्ट्री ऑव ह्यूमन मैरिज, इरा कार्वे; हरिदत्त वेदालंकार हिंदू विवाह का इतिहास। [ह० द०]

हिंदू विवाह अधिनियम १९५५

स्मृतिकाल से ही हिंदुओं में विवाहको एक पवित्र संस्कार माना गया है और हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ में भी इसको इसी रूप में बनाए रखने की चेष्टा की गई है। किंतु विवाह, जो पहले पवित्र एवं अटूट बंधन था, अधिनियम के अंतर्गत, ऐसा नहीं रह गया है। कुछ विधिविचारकों की दृष्टि में यह विचार अब शिथिल पड़ गई है। अब यह जन्म जन्मांतर का संबंध अथवा बंधन नहीं वरन् विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, (अधिनियम के अंतर्गत) वैवाहिक संबंध विघटित किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा १० के अनुसार न्यायिक पृथक्करण निम्न आधारों पर न्यायालय से प्राप्त हो सकता है:

त्याग २ वर्ष, निर्दयता (शारीरिक एवं मानसिक), [illegible] रोग (१ वर्ष), रतिजरोग (३ वर्ष), विकृतिमन (२ वर्ष)

१) विलियमसोनियेसिई (Williamsoniaeae) और (२) साइकाडिऑइडेसिई (Cycadeoidaceae).

विलियमसोनियेसिई कुल का सबसे अधिक अच्छी तरह समझा हुआ पौधा विलियमसोनिया सीवार्डियाना (Williamsonia sewardiana) का रूपकरण (reconstruction) भारत के प्रख्यात वनस्पति शास्त्री स्व० बरबिल साहनी ने किया है। इसके तने को बकलैंडिया इंडिका (Bucklandia indica) कहते हैं। इसमें से कहीं कहीं पर शाखाएँ निकलती थीं, जिनमें प्रजनन हेतु अंग पैदा होते थे। मुख्य तना तथा शाखा के सिरों पर बड़ी पत्तियों का समूह होता है, जिसे टीलोफिलम कटचेनसी (Tilophyllum cutchense) कहते हैं। तना तथा मादा फूल भी इस क्रम में रखे गए हैं जिनमें विलियमसोनिया स्कॉटिका (Williamsonia scotica) तथा विलियम स्पेक्टेबिलिस (W. spectabilis), विलियम सैंटेलेंसिस (W santalensis) इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त विलियमसोनिएला (Williamsoniella) नामक पौधे का भी काफी अध्ययन किया गया है।

साइकाडिआइडेसी कुल में मुख्य वंश साइकाडिआइडिया (Cycadeoidea), जिसे बेनीटिटस (Bennettitus) भी कहते हैं, पाया जाता था। करोड़ों वर्ष पूर्व पाए जानेवाले इस पौधे का फॉसिल सजावट के लिये कमरों में रखा जाता है। इसके तने बहुत छोटे और नक्काशीदार होते थे। प्रजननहेतु अंग विविध प्रकार के होते थे। सा० वीलैंडी (C. wielandi), सा० इनजेन्स (C ingens), सा० डकोटेनसिस (C dacotensis), इत्यादि मुख्य स्पोर बनाने वाले भाग थे। इस कुल की पत्तियों में रंध्र सिंडिटोकीलिक (syndetochelic) प्रकार के होते थे जिससे यह विवृतबीज के अन्य पौधों से भिन्न हो गया है और आवृतबीज के पौधों से मिलता जुलता है। इस गण के भी सभी सदस्य लाखों वर्ष पूर्व ही लुप्त हो चुके हैं। ये लगभग २० करोड़ वर्ष पूर्व पाए जाते थे।

साइकडेलीज गण के दो वंश आज कल भी मिलते हैं, इनके अतिरिक्त अन्य सब लुप्त हो चुके हैं।

आज कल पाए जानेवाले साइकैड (cycad) में पाँच तो पृथ्वी के पूर्वार्ध में पाए जाते हैं और चार पश्चिमी भाग में। पूर्व के वर्गों में साइकस सर्वव्यापी है। यह छोटा मोटा ताड़ जैसा पौधा होता है और बड़ी पत्तियाँ एक मुड़ने तने के ऊपर से निकलती हैं। पत्तियाँ प्रजननवाले अंगों को घेरे रहती हैं। अन्य चार वंश किसी एक भाग में ही पाए जाते हैं, जैसे मैक्रोज़ेमिया (Microzamia) की कुल १४ जातियाँ और बोवीनिया (Bowenia) की एकमात्र जाति आस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। एनसिफैलॉर्टस (Encephalortos) और स्टैनजीरिया (Stangeria) दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है।

पश्चिम में पाए जानेवाले वंश में जेमिया (Zamia) अधिक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसाइकस (Microcycas) सिर्फ पश्चिमी क्यूबा, सिरेटोज़ेमिया (Ceratozamia) और डियून (Dioon) दक्षिण में ही पाए जाते हैं। इन सभी वंशों में से भारत में भी पाया जानेवाला साइकस का वंश प्रमुख है।

साइकस भारत, चीन जापान, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में स्वतः तथा वाटिकाओं में उगता है। इसकी मुख्य जातियाँ साइकस पेक्टिनेटा (Cycaspectinata), सा० सरसिनेलिस (C. circinalis), सा० रिवोल्यूटा (C. revoluta), इत्यादि हैं। इनमें एक ही तना होता है। पत्ती लगभग एक मीटर लंबी होती है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार की जड़, जिसे प्रवालाभ मूल (Coralloid root) कहते हैं, निकलती है। इस जड़ के भीतर एक गोलाई में हरे, नीले शैवाल निवास करते हैं। तने मोटे होते हैं, परन्तु बड़े नहीं होते। इन तनों के वल्कुट के अंदर से साबूदाना बनानेवाला पदार्थ निकाला जाता है, जिससे साबूदाना बनाया जाता है। पत्तियों में घुमने वाली

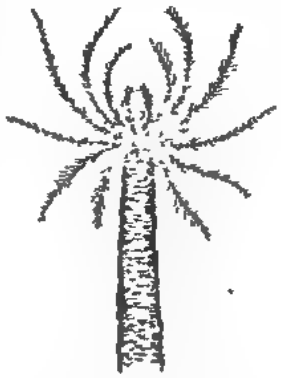

चित्र २ साइकस का पौधा

नलिका जोड़े में स्तम्भ में निकल कर डंठल में जाती है, जहाँ कई संवहन पूल (vascular bundle) पाए जाते हैं। पत्तियों के आकार और अंदर की बनावट से पता चलता है कि ये जल को संचित रखने में सहायक हैं। रंध्र सिर्फ निचले भाग ही में घुसी हुई दशा में पाया जाता है। प्रजनन दो प्रकार के कोन (cone) या शंकु द्वारा होता है। लघु बीजाणु (microspore) पैदा करनेवाले माइक्रोस्पोरोफिल के मिलने से नर कोन, या नर शंकु (male cone, और बड़े बीजाण्ड (ovule) वाले गुरु बीजाणुपर्ण (megasporophyll) के संयुक्त मादा कोन (female cone), या मादा शंकु बनते हैं। समस्त वनस्पति जगत के बीजाण्ड में सबसे बड़ा बीजाण्ड साइकस में ही पाया जाता है। यह लाल रंग का होता है। इसमें अध्यावरण के तीन परत होते हैं, जिनके नीचे बीजाण्डकाय और मादा युग्मकोद्भिद (female gametophyte) होता है। स्त्रीधानी (archegonium) ऊपर की ओर होती है और परागकण बीजाण्डद्वार (micrapyle) के रास्ते से होकर, परायवक्ष तक पहुँच जाता है। गर्भाधान के पश्चात् बीज बनता है। परागकण से दो शुक्राणु (sperm) निकलते हैं, जो पक्ष्माभिका (cilia) द्वारा तैरते हैं।

चित्र ३. साइकस का मेगास्पोरोफिल

पेंटाग्जिलेनीज एक ऐसा अनिश्चित वर्ग है जो साइकाडोफाइटा तथा कोनीफेरोफाइटा दोनों से मिलता जुलता है। इस कारण इसे यहाँ उपर्युक्त दोनों वर्गों के मध्य में ही लिखा जा रहा है। यह अब गण के स्तर पर रखा जाता है। इस गण की खोज

बीज की खोज के बाद इन्हें टेरिडोस्पर्म कहा जाने लगा। पुराजीव कल्प के टेरिडोस्पर्म तीन वर्गों में बाँटे गए हैं (१) लिजिनॉप्टेरिडेसिई (Lyginopteridaceae), (२) मेडुलोजेसिई (Medullosaceae) और कैलामोपिटिएसिइ (Calamopityaceae)।

लिजिनाप्टेरिडेसिई की मुख्य जाति कालिमाटोथीका हानिंघानी (Calymmatotheca hoeninghanii) है। इनके तने को लिजिनॉप्टेरिस (Lyginopteris) कहते हैं, जो तीन या चार सेंटीमीटर मोटा होता था। इनके अंदर मज्जा (pith) में काले कड़े ऊतक गुच्छे, जिन्हें स्क्लेरोटिक नेस्ट (sclerotic nest) कहते हैं, पाए जाते थे। बाह्य वल्कुट (cortex) भी विशेष प्रकार से मोटे और पतले होते थे। तनों से निकलनेवाली पत्तियों के डंठल में विशेष प्रकार के समुंड रोम (capitate hair) पाए जाते थे। इनपर लगनेवाले बीज मुख्यतः लैजिनोस्टोमा लोमेक्साइ (Lagenostoma lomaxi) कहलाते हैं। ये छोटे गोले (आधा सेंटीमीटर के बराबर) आकार के थे जिनमें परागकण एक परागकोश में इकट्ठे रहते थे। इस स्थान पर एक पनालक के आकार का भाग, जिसे लैजिनोस्टोम कहते हैं, पाया जाता था। अध्यावरण (integument) और बीजांडकाय (nucellus) आपस में जुड़े रहते थे। बीज एक प्रकार के प्याले के आकार की प्यालिका (cupule) से घिरा रहता था। इस प्यालिका के बाहर भी उसी प्रकार के समुंड रोम, जैसे तने और पत्तियों के डंठल पर उगते थे, पाए जाते थे। अन्य प्रकार के बीजों को कोनोस्टोमा (Conostoma) और फाइसोस्टोमा (Physostoma) कहते हैं। लैजिनॉप्टेरिस के परागकोश पुंज (poller bearing organ) को क्रॉसोथीका (Crossotheca) और टिलैंजियम (Telangium) कहते हैं। क्रॉसोथीका में निचले भाग चौड़े तथा ऊपर के पतले होते थे। टहनियों जैसे पत्तियों के विशेष आकार पर, नीचे की ओर किनारे से दो पंक्तियों में परागकोश लटके रहते थे। टिलैंजियम में परागकोश ऊपर की ओर मध्य में निकले होते थे।

चित्र १ क्रॉसोथिका का भाग

कुछ नई खोज द्वारा लिजिनॉप्टेरिस के अतिरिक्त अन्य तने भी पाए गए हैं, जैसे कैलिस्टोफाइटॉन (Callistophyton), शाप फिएस्ट्रम (Schopfiastrum), या पहले से जाना हुआ हेटेरैंजियम (Heterangium)। इन सभी तनों में बाह्य वल्कुट में विशेष प्रकार से स्क्लेरेनकाइमेटस (sclerenchymatous) धागे (strands) पाए जाते हैं।

मेडुलोजेसिई (Medullosaceae) का मुख्य पौधा मेडुलोजा (Medullosa) है, जिसकी अनेकानेक जातियाँ पाई जाती थीं। मेडुलोजा की जातियों के तने बहुरंभी (polystelic) होते थे। स्टिवार्ट (Stewart) और डेलिवोरियस (Delevoryas) ने सन् १९५६ में मेडुलोजा के पौधे के भागों को जोड़कर एक पूरे पौधे का रूप दिया है, जिसे मेडुलोजा नोइ (Medullosa noei) कहते हैं। यह पौधा लगभग १५ फुट ऊँचा रहा होगा तथा इसके तने के निचले भाग से बहुत सी जड़ें निकलती थीं। मेडुलोजा में परागकोश के पुंज कई प्रकार के पाए गए हैं, जैसे डीलिरोथीका (Deleratheca), विटलसिया (Whittleseyan), सीडोनोथीका (Cedanotheca), आलाकोथीका (Aulacotheca) और एक नई कोटि गाल्डेनबर्गिया (Goldenbergia)। डीलिरोथीका एक पंखे के आकार का था, जिसके किनारे की दीवार पर परागपुंज लगाई से लगे होते थे। ऊपर का भाग दीवार होता था। कोडोनोथीका में ऊपर का भाग न होकर, अंगुली की तरह ऊँचा निकला भाग होता था। मेडुलोजा के बीज गोल गोल होते थे, जो आजकल ट्राइगोनोकार्पेलीज (Trigonocarpales) में रखे जाते हैं। इनमें ट्राइगोनोकार्पस (Trigonocarpus) मुख्य है। अन्य बीजों के नाम इस प्रकार हैं: पैकीटेस्टा (Pachytesta) और स्टीफेनोस्पर्मम (Stephanospermum)।

कैलामोपिटिएसिई (Calamopityaceae) कुल ऐसे तनों के समूह से बना है जिन्हें अन्य टेरिडोस्पर्मम में स्थान नहीं प्राप्त हो सका। इनमें मुख्यतः चार प्रकार के तने हैं, जिनमें कैलामोपिटिस (Calamopitys), स्टीनोमाइलान (Stenomyelon) और स्फीनोजाइलान (Sphenoxylon) अधिक महत्वपूर्ण हैं। मीसोजोइक टेरिडोस्पर्म (Mesozoic pteridosperm) के पौधे पेल्टेस्पर्मेसिई (Peltaspermaceae) और कोरिस्टोस्पर्मेसिई (Corystospermaceae) कुलों में रखे जाते हैं। ये ६ करोड़ से १८ करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उगते थे। इनके अवशेष कोयले या कुछ चिह्न के रूप में मिलते हैं। इनके कुछ मुख्य पौधों के नाम इस प्रकार हैं: लेपिडोप्टेरिस (Lepidopteris), उम्कोमेसिया (Umkomasia), पालोफोरोस्पर्मम (Palophorospermum), स्पर्मेटोकोडॉन (Spermatocodon), टेरुचस (Pteruchus), जुबेरिया (Zuberia) इत्यादि।

टेरिडोस्पर्मलीज से मिलते जुलते ही एक कुल काइटोनियेसी (Caytoniaceae) को भी गण का पद दिया गया है और इसे काइटोनियेलीज (Caytoniales) कहते हैं। इसके पौधे काइटोनिया (Caytonia) को शुरू में आवृतबीज समझा गया था, परंतु फिर अधिक अनुसंधान पर इन्हें विवृतबीज पाया गया।

इसके तना का एक छोटा टुकड़ा मिला है, जिसे कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। पत्ती को सेजिनॉप्टेरिस (Sagenopteris) कहते हैं, जो एक स्थान से चार की संख्या में निकलती हैं। पत्ती की शिराएँ जाल जैसा आकार बनाती हैं। इनमें रंध्रों (stomata) के किनारे के कोश हैप्लोसीलिक (haplocheilic) प्रकार के होते हैं। परागकण चार या तीन के गुच्छों में लगे होते हैं, जिन्हें काइटोनैन्थस (Caytonanthus) कहते हैं। परागकण में दो हवा भरे, फूले, बैलून जैसे आकार के होते हैं। बीज की फल से तुलना की जाती है। ये गोल आकार के होते हैं और इनके अंदर कई बीजांड (ovules) लगे होते हैं।

बेनीटिटेलीज या साइकडिओइडेलीज (Bennettitales or Cycadeoidales) गण को दो कुलों में विभाजित किया गया है।

टैक्सेसी के अंतर्गत दो उपकुल (१) पोडोकारपिनी (Podocarpineae) और (२) टैक्सिनी (taxineae) हैं। कई वनस्पति शास्त्रियों ने टेक्सिनी को कुल का नहीं, गण (टैक्सेल्स) का स्तर दे रखा है।

(१) एबिटिनी में बीजाड पत्र (oruliferous bract) एक विशेष प्रकार का होता है और परागकण में दोनों तरफ हवा में तैरने के लिये हवा भरे गुब्बारे जैसे आकार होते हैं। इस उपकुल के मुख्य उदाहरण हैं : पाइनस या चीड, सीड्रस या देवदार, लैरिक्स (Larix), पीसिया (Picea) इत्यादि।

(२) टैक्सोडिनी में बीजाड पत्र और अन्य पत्र आपस में सटे होते हैं और परागकण में पक्ष जैसे आकार नहीं होते। इनके मुख्य उदाहरण हैं : सियाडोपिटिस (Sciadopitys), सिकोया (Sequoia), क्रिप्टोमीरिया (Cryptomeria), कनिंघेमिया (Cuninghamia) इत्यादि।

क्यूप्रेसिनी के मुख्य पौधे कैलिट्रिस (Callitris), थूजा (Thuja), जिसे मोरपंखी भी कहते हैं, क्यूप्रेसस (Cupressus), जूनिपेरस (Juniperus) इत्यादि हैं।

अराकेरिनी के अंतर्गत वाटिकाओं में लगाए जानेवाले सुंदर पौधे अराकेरिया (Araucaria) और एगैथिस (Agathis) हैं।

पाइनेसी कुल के पौधों में एक मध्य स्तंभ जैसा लंबा, सीधा तना होता है, जिससे नीचे की ओर बड़ी और ऊपर छोटी शाखाएँ निकलती हैं। फलस्वरूप पौधे का आकार एक कोन या पिरामिड का रूप धारण करता है। तने के शरीर (anatomy) का काफी अध्ययन किया गया है। वैस्कुलर ऊतक बहुत बृहत् होता है। वल्कुट (cortex) तथा मज्जा दोनों ही पतले होते हैं। वल्कुट के बाहर कार्क (cork) पाए जाते हैं। जड़ की रचना एक द्विबीजी सवृतबीज से मिलती जुलती है।

इस कुल में अन्य कोनीफरेलीज की तरह दो प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। एक पत्ती के रूप की, और दूसरी छोटे पतले कागज के टुकड़े जैसे शल्क पत्र (scale leaf) सी होती है। पाइनस में यह अलग प्रकार की पत्तियाँ अलग शाखा पर निकलती हैं, परंतु ऐबीस (Abies) के पौधे में, दोनों पत्र हर डाल पर भी पाए जा सकते हैं। पत्तियों की आयु काफी लंबी होती है और कोई कोई १०-२२ वर्ष तक नहीं झड़ती। इनका आकार एक सूखे स्थान में उगनेवाले पौधों की पत्ती जैसा होता है। बाह्यचर्म के कोश सटे होते हैं, जिनके बाहर के भाग पर मोम जैसा क्यूटिन (cutin) पदार्थ जमा रहता है। रंध्र अंदर की ओर धुसा होता है। मीसोफिल (mesophyll) भाग के कोश पट्टे की भाँति अंदर को सिपटे (infolded) से रहते हैं। एक प्रकार के कोश द्वारा वैस्कुलर ऊतक घिरे रहते हैं, जिसे खोल (sheath) कहते हैं।

प्रजनन मुख्यतः बीज द्वारा होता है। यह एक विशेष प्रकार के अंग में, जिसे कोन (cone) या शंकु कहते हैं, बनता है। कोन दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। नर कोन में पराग बनते हैं, जो हवा द्वारा उड़कर मादा कोन के बीजांड तक पहुँचते हैं, वहाँ गर्भाधान होता है। दोनों किस्म कोन अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, जैसे पाइनस में, या एक ही पौधे में, जैसे ऐबिस या कभी कभी क्यूप्रेसेसी उपकुल के पौधों में। लघुबीजाणुधानी (microsporangium) के निकलने का स्थान स्थिर नहीं रहता। किसी में यह डंठल के सिरे पर और किसी में पत्ती के कोण से निकलती है। पाइनस में तो बौने प्ररोह (dwarf shoot) पर ही यह प्रजनन अंग निकलते हैं। लघुबीजाणुधानी जिस पत्र में लगी रहती है, उसे लघुबीजाणु पर्ण (Microsporophyll) कहते हैं। लघुबीजाणुधानी के बाह्यचर्म से नीचे अधस्त्वचा (hypodermis) के कुछ कोश बढ़ते तथा जीव द्रव से भरे रहते हैं और विभाजित होकर, बीजाणुजन ऊतक बनाते हैं और फिर इन्हीं कोशों के कई बार विभाजन होने पर परागकण और अन्य ऊतक बनते हैं।

बीजाड पैदा करनेवाले अंगों को गुरुबीजाणुपर्ण (megasporophyll) कहते हैं। इनके एक स्थान पर झुंड में होने से एक कोन या मादा शंकु बनता है। बीजाड एक प्रकार के शल्क बीजाडधर शल्क पर, नीचे की ओर लगे होते हैं। बीजांड भ्रूणपोष (endosperm) से नीचे की ओर से घिरा रहता है, और दो आवरण होते हैं। ऊपर की ओर एक अंडद्वार होता है जिससे होकर परागकण बीजांड के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ ये कण अंकुरित होते हैं और पराग नलिका बनती है, जिसमें नलिका केंद्रक (tube nucleus) नर युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से अंडबीजाणु बनते हैं, जो फिर विभाजन द्वारा बीज को जन्म देते हैं।

ऐसा अनुमान है कि पाइनेसी कुल का जन्म पृथ्वी के प्रथम बड़े वृक्षवाले गण कारबाइटेलीज (Cordaitales) द्वारा ही हुआ है।

दूसरा कोनीफरेलीज का कुल है टैक्सेसी। इसके दो उपकुल हैं — पोडोकारपिनी और टैक्सिनी। पोडोकारपिनी में भी परागकण में हवा भरे पक्ष (wings) पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं, पोडोकारपस तथा डैकीडियम। टैक्सिनी के परागकण में पक्ष (wing) नहीं होता। टैक्सस, टोरेया और सिफैलोटैक्सस इसके मुख्य उदाहरण हैं। इनमें भी पाइनस जैसे वैस्कुलर ऊतक होते हैं, परंतु कुछ विशेष अंतर भी होता है।

पत्तियाँ कई प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ में छोटे नुकीले (जैसे टैक्सस) या चौड़े पत्ते (पोडोकारपस में) होते हैं, या नहीं भी होते हैं, जैसे फाइलोक्लेडस में। प्रजनन हेतु लघुबीजाणुधानी तथा गुरुबीजाणुधानी नर तथा मादा शंकु में लगी होती हैं। इन शंकुओं में शल्क (scales) के अध्ययन काफी किए गए हैं। प्रत्येक बीजाणुपर्ण (sporophyll) में बीजाणुधानी (sporangium) की संख्या भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न होती है, जैसे टैक्सस में चार से छह, टोरेया (torreya) में शुरू में छह, परंतु बीजाणुधानी पकने तक १ या २ ही रह जाती है। मादा शंकु इस कुल में (अन्य कोनीफर से) बहुत छोटे कद का होता है। अधिकतर यह शंकु पत्तीवाले तने के सिरे पर उगता है। बीजाड की संख्या एक या दो होती है। इनमें अध्यावरण एवं बीजांडकाय की परतें अलग रहती हैं। पराग दो केंद्रक की दशा में, हवा में उड़कर, मादा शंकु तक पहुँचते हैं और बीजांडु

भारतीय वनस्पतिशास्त्री आचार्य बीरबल साहनी ने की है। इसके अंतर्गत आनेवाले पौधों, या उनके अंगों के फॉसिल बिहार प्रदेश के राजमहल की पहाड़ियों के पत्थरों में दबे मिले हैं। तने को पेंटोज़ाइलान (Pentoxylon) कहते हैं, जो कई सेंटीमीटर मोटा होता था और इसमें पाँच रंभ (stoles) पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त राजमहल के ही इलाके में निपानिया ग्राम से प्राप्त तना निपानियोज़ाइलान (Nipanioxylon) भी इसी गण में रखा जाता है। इस पौधे की पत्ती को निपानियोफिलम (Nipaniophyllum) कहते हैं, जो एक चौड़े पट्टे के आकार की होती थी। इसका रंभ आवृतबीज की तरह सिनडिटोचीलिक (syndetocheilic) प्रकार का होता है। बीज की दो जातियाँ पाई गई हैं, जिन्हें कारनोकोनाइटिस कॉम्पैक्टम (Carnoconites compactum) और का० लैक्सम (C. laxum) कहते हैं। बीज के साथ किसी प्रकार के पत्र इत्यादि नहीं लगे होते। नर फूल को सहानिया (Sahania) का नाम दिया गया है।

कोनीफेरोफाइटा का प्रथम गण कॉर्डाइटेलीज़ (cordaiteles) है, जो साइकाडोफाइटा के पौधों से कहीं बड़े और विशाल वृक्ष हुआ करते थे। पृथ्वी पर प्रथम वृक्षोंवाले जंगल इन्हीं कारडाइटीज़ के ही थे, जो टेरिडोस्पर्म की तरह, २५ करोड़ वर्ष से पूर्व, इस धरती पर राज्य करते थे। इनकी ऊँचाई कभी कभी १०० फुट से भी अधिक होती थी। इन्हें तीन कुलों में विभाजित किया गया है: (१) पिटिई (Pityeae), (२) कारडाइटीई (Cordaiteae) और (३) पोरोज़ाइलीई (Poroxyleae)।

पिटिई मुख्यतः तने की अंदरूनी बनावट पर स्थापित किया गया है। इस कुल के पौधों में कैसी पत्ती या फूल थे, इसका ज्ञान अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। एक वंश कैलिज़ाइलान (Callixylon) का, अमेरिका से प्राप्त कर, अच्छी तरह अध्ययन किया गया है, यह एक विशाल वृक्ष रहा होगा, जिसकी शाखा की चौड़ाई लगभग १७-१८ फुट की थी।

कॉर्डाइटी का मुख्य वंश कॉर्डाइटिज़ (Cordaites) है। इनकी लकड़ी को कॉर्डियोज़ाइलान (Cordioxylon) डैडोज़ाइलान (Dadoxylon), जड़ को एमिलान (Amyelon), पुष्पगुच्छ को कॉर्डाइऐंथस (Cordaianthus) और बीज को कॉर्डाइकार्पस (Cordaicarpus) और समारॉप्सिस (Samaropsis) कहते हैं। पत्ती भी लगभग ३-४ फुट लंबी और १ फुट चौड़ी होती थी। पत्ती के अंदर के ऊतकों की बनावट से ज्ञात होता है कि ये सूखे स्थानों पर उगते होंगे। कॉर्डाइटीज़ के तने के मध्य का छिद्र या मज्जा विशेष रूप से विकास (discoid) लगता है। कॉर्डाइटीज़ के फूल एकलिंगी होते थे, जो अधिकतर अलग अलग वृक्ष पर, या कभी कभी एक ही वृक्ष की अलग शाखा पर, लगे होते थे। कॉर्डाइऐंथस पेडोनी के पुंकेसर (stamen), एक शाखा से ३-४ की संख्या में, नीचे ऊपर निकलते हैं। परागकण में दो परतें होती हैं। मादा कोन एक बड़े स्तंभ पर ऊपर की ओर लगा होता है।

पोरोज़ाइलीई कुल में सिर्फ एक ही प्रजाति पोरोज़ाइलान है, जिसके तने के भीतर वृहद् मज्जा होती है।

कोनीफेरोफाइटा का दूसरा गण है, गिंगोएलीज़ (Ginkgo ales)। यह मेसोज़ोइक युग से, अर्थात् लगभग ५-७ करोड़ वर्ष पूर्व से, इस पृथ्वी पर पाया जा रहा है। उस समय में तो इसके कई वंश थे, पर आज कल सिर्फ एक ही जाति जीवित मिलती है। यह गिंगो बाइलोबा (Ginkgo biloba) एक अत्यंत सुंदर वृक्ष चीन देश में पाया जाता है। इसके कुछ इने गिने पौधे भारत में भी लगाए गए हैं। इसकी सुंदरता के कारण इसे 'मेडेन हेयर ट्री' (Maiden-hair tree) भी कहा जाता है।

फॉसिल जिंकगोएलीज़ में जिंकगोआइटीज़ (Ginkgoites) और बइरा (Baiera) अधिक अध्ययन किए गए हैं। इनके अतिरिक्त ट्राइकोपिटिस (Trichopitys) सबसे पुराना सदस्य है। जिंकगो को वैज्ञानिकों ने शुरू में आवृतबीज का पौधा समझा था, फिर इसे विवृतबीज कोनिफरेल् समझा गया, परंतु अधिक विस्तार से अध्ययन करने पर इसका सही आकार समझ में आया और इसे एक स्वतंत्र गण, गिंगोएलीज़ का स्तर दिया गया। यह वृक्ष छोटी अवस्था में काफी विस्तृत और चौड़े गोले आकार का होता है, जैसे आम के वृक्ष होते हैं, परंतु आयु बढ़ने से वह नुकीले पतले आकार का, कुछ चीड़ के वृक्ष या पिरामिड की शक्ल का हो जाता है। इसके तने, दो प्रकार के होते हैं, लंबे तने, जो बनावट में कोनीफेरोफाइटा की तरह होते हैं, और बौने प्ररोह (dwarf shoots), जो साइकेडोफाइटा जैसे अंदर के आकार के होते हैं। इनकी पत्ती बहुत ही सुंदर होती है, जो दो भागों में विभाजित होती है। पत्ती में नसें भी अगल बगल दो में विभाजित होती रहती हैं। नर और मादा कोन अलग अलग निकलते हैं। बीजांड के नीचे एक 'कॉलर' जैसा भाग होता है।

ऐसा अनुमान है कि इस गण के पौधे कॉर्डाइटी वर्ग से ही उत्पन्न हुए होंगे। इसमें नरयुग्मक तैरनेवाले होते हैं, जिससे यह साइकड से भी मिलता जुलता है। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि ये पौधे सीधे टेरीडोफाइटा (Pteridophyta) से ही उत्पन्न हुए होंगे।

कोनीफरेलीज़ गण, न केवल कोनिफेरोफाइटा का ही बल्कि पूरे विवृतबीज का, सबसे बड़ा और आज कल विस्तृत रूप में पाया जानेवाला गण है। इसमें लगभग ५० प्रजातियाँ और ५०० से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें अधिकांश पौधे ठंडे स्थान में उगते हैं। छोटी झाड़ी से लेकर संसार के सबसे बड़े और लंबी आयुवाले पौधे इस गण में रखे गए हैं। कैलिफॉर्निया के लाल लकड़ीवाले वृक्ष (red wood tree), जिन्हें वनस्पति जगत् में सिकोया (sequoia) कहते हैं, लगभग ३५० फुट लंबे भी होते हैं और इनके तने ३०-३५ फुट चौड़े होते हैं। यह संसार का सबसे विशालकाय वृक्ष होता है। इसकी आयु ३,०००-४,००० वर्ष तक की होती है।

कोनीफरेलीज़ गण को मुख्य दो कुल पाइनेसी और टैक्सेसी में विभाजित किया गया है। इनमें फिर कई उपकुल हैं, परंतु बहुत से विद्वानों ने सभी उपकुलों को कुल का ही स्तर दे दिया है।

पाइनेसी कुल के अंतर्गत चार उपकुल हैं: (१) एबिटिनी (Abietineae), (२) टैक्सोडिनी, (Taxodineae), (३) क्यूप्रेसिनी (Cupressineae) और (४) अरावेरिनी (Araucarineae) हैं।

नीटम के तने की बनावट काफी जटिल होती है। बाह्य त्वचा बाहर का भाग मोटी दीवार से बना होता है। रंध्र गहरे गड्ढे में बनता है, वल्कुट की कोशिकाएँ पतली होती हैं और नमे क्लोरोफिल कभी कभी पाया जाता है। मज्जा पतली भित्ति की दीवार होती है। नीटम नीमोन में गौण वृद्धि साधारण ढंग की होती है, परंतु लतरजाती जातियों में ऐसी वृद्धि एक विशेष प्रकार की होती है, जिससे वल्कुट ही एधा सक्रियता (ambial activity) उत्पन्न करता है। गवदन ऊपर २-३ वक्र में बन जाते हैं, जैसे नीटम ऊला में। संवाहिनी (vessel) के छोर की दीवार एक ही छिद्र से मिली रहती है। ट्रकीड (trachied) के किनारे की दीवारों पर गर्त (pit) होती है। मज्जक रश्मि (medullary ray) काफी चौड़ी और ऊँची होती है।

पत्ती बड़े अंडे के आकार की होती है, जिसमें शिराएँ डिक्टियोज शक्ल पत्ती की भाँति जाल बनाती हैं। ये छोटे तने पर अधिक निकलती हैं। ऐसा समझा जाता था कि इनके रंध्र आवृतबीज जैसे सिनडिटोकीलिक होते हैं, पर हाल ही में माहेश्वरी और वासिल (१९६१) ने इसे अन्य विवृतबीज जैसा ही, हैप्लोकीलिक, पाया है, जिसमें गौण कोशिका की उत्पत्ति द्वारकोशिका (guard cell] से स्वतंत्र होती है।

सभी जातियों में नर तथा मादा प्रजनन अंग अलग अलग पौधे पर उगते हैं। नर फूल, जिनकी संख्या ३ से ६ या ७ तक होती है, एक गोलाई में निकलते हैं। परागकोश की संख्या प्रति पुष्प १, २, या चार होती है। मादा शंकु में भी 'कॉलर' (स्कंध मूल संधि) जैसा भाग होता है, जिसके ऊपर ४ से १० तक बीजांड लगे होते हैं। ये भी एक गोलाई में निकलते हैं। नीटम को संवृतबीजों का पूर्वज भी कहा गया है।

इन सभी गणों के अतिरिक्त कुछ फॉसिल (fossil) विवृतबीज भी मिले हैं, जिन्हें नए गण, या समूह, में रखा गया है, जैसे वॉजनोवस्किएलीस (Vojnovkyales) और ग्लॉसॉप्टरिस विवृतबीज।

वाजनोवस्किएलीज गण की स्थापना सन् १९५५ में न्यूबर्ग (Neuburg) ने रूस के परमियन और अंगारा फ्लोरा से की।

इसका मुख्य पौधा वाजनोवस्किया पैरेडाक्सा (Vojnovskya paradoxa) है, जो झाड़ी जैसा वृक्ष था और पंखे जैसी जिसकी पत्तियाँ थीं। चेकेनोवस्किया (Czekanowskia) भी एक ऐसा ही पौधा था।

ग्लॉसॉप्टरिस के कई पौधे भारत तथा अफ्रीका के गोंडवाना भूमि से अनुसंधान द्वारा प्राप्त हुए हैं। इनके मुख्य उदाहरण हैं: ग्लॉसॉप्टरिस (Glossopteris) तथा गैंगॉप्टरिस की पत्ती (Gangamopteris), ओटोकेरिया (Ottokaria) इत्यादि।

[रा० क० अ०]

विवेकानंद दे० स्वामी विवेकानंद

विशाखपट्टणम् १. जिला, स्थिति : १७° १५' से १८° २०' उ० अ० तथा ८१° ५०' से ८३° ५०' पू० दे०। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है, जिसका क्षेत्रफल ५,२०० वर्ग मील तथा जनसंख्या २२,९०,७५९ (१९६१) है। इस जिले के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में पूर्वी गोदावरी जिला, तथा उत्तर में उड़ीसा राज्य एवं श्रीकाकुलम जिला है। जिले का धरातल असम है। इसका उत्तरी भाग पहाड़ी एवं दक्षिणी भाग मैदानी है। तटीय भाग की जलवायु नम एवं भीतरी भाग की शुष्क है। वार्षिक औसत वर्षा ४० इंच है। धान मुख्य पैदावार है। इसके अतिरिक्त गन्ना, दलहन, कपास, तंबाकू आदि अन्य उपज हैं। सूती वस्त्र तथा हाथीदाँत एवं सींग के सामान यहाँ बनते हैं। मैंगनीज, तेलहन, चमड़ा आदि का निर्यात होता है। विशाखपट्टणम्, विजयनगरम् आदि मुख्य नगर हैं।

२. नगर स्थिति १७° ४५' उ० अ० तथा ८३° २०' पू० दे०। यह भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य में उपर्युक्त जिले का प्रशासनिक नगर एवं बंदरगाह है। पूर्वी तट के बंदरगाहों में इसका स्थान तीसरा है। यह दक्षिण रेलमार्ग पर कलकत्ता से ५०० मील दक्षिण पश्चिम एवं मद्रास से ३२४ मील उत्तर पूर्व में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसका विकास मैंगनीज के बढ़े हुए व्यापार के कारण हुआ है। इस बंदरगाह के दक्षिण में कॉलफिन नोज नामक कठोर शैलीय भाग समुद्र के भीतर तक गया हुआ है, जिसके द्वारा चक्रवातों एवं मानसूनी हवाओं से बंदरगाह की रक्षा होती है। यह बंदरगाह मुख्य रूप से निर्यात बंदरगाह है। निर्यात पदार्थों में मुख्य हैं मैंगनीज, चमड़ा, तेलहन, मूँगफली का तेल एवं खली। सूती वस्त्र, दवाओं एवं मशीनों का आयात इस बंदरगाह से होता है। यहाँ पर पोतनिर्माण का केंद्र तथा कैल्टेक्स का तेलशोधक कारखाना है।

[सु० च० श०]

विशिष्टाद्वैत वेदांत संप्रदाय में विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत तो शंकर से पूर्व बोधायन, द्रमिड आदि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित हो चुके थे। परंतु उनको तार्किक दृष्टि से पुष्ट करके एक सुनियोजित दार्शनिक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य बारहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य (दे० रामानुज) ने किया। तमिल प्रबंधों में सुरक्षित आलवार भक्तों की भक्ति को वेदांत की प्राचीन परंपरा से जोड़कर रामानुज ने वेदांत को वैष्णव बना दिया।

विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण माने गए हैं। सविकल्प और निर्विकल्प प्रत्यक्ष का भेद मानकर भी रामानुज ने निर्विकल्प प्रत्यक्ष को भेदग्राही कहा। ज्ञान के विषय में भेदग्रहण होता ही है और वस्तु का ज्ञान विशेषण-विशिष्ट ही संभव है। निर्विशेष वस्तु कभी ज्ञात हो ही नहीं सकती। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में जातिविशिष्ट वस्तु का ग्रहण होता है पर इस जाति का सामान्य रूप में ग्रहण सविकल्प प्रत्यक्ष में ही संभव है। अनुमान के लिये भी भेदग्रहण व्याप्ति ज्ञान में आवश्यक ही है। अतः ज्ञान सर्वदा भेदग्राही होता है — अभेद ज्ञान संभव ही नहीं है।

ज्ञान घटने बढ़ने का आश्रय होने के कारण द्रव्य तथा आत्मा का गुण होने के कारण गुण कहलाता है। द्रव्य जड़ और चेतन भेद से दो प्रकार के होते हैं पर ज्ञान दोनों से विलक्षण एक अजड़ द्रव्य है। बिना किसी सहायक के ज्ञान स्वयं को और अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है अतः जड़ नहीं है, पर आत्मा की तरह इसमें

पर पहुँचकर जमते हैं। वहाँ ये बढ़कर एक नलिका बनाते हैं और संसेचन का कार्य संपन्न करते हैं।

इस कुल का संबंध अन्य कुल या गण से कई प्रकार से रखा गया है। ऐसा विचार भी है कि इस कुल के पौधे जीवित कोनीफर में सबसे पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। इनका संबंध जिंकगो या अराकेरिया या कारडाइटीज से हो सकता है। ऐसा भी कई वैज्ञानिकों का विचार है कि यह स्वतंत्र रूप से (अन्य कोनीफर से नहीं) उत्पन्न हुए होंगे।

कोनीफरलीज गण काफी बड़ा और विस्तृत है, जिसमें बहुत से आर्थिक दृष्टि से अच्छे पौधे पाए जाते हैं, जैसे चीड़, चिलगोजा, देवदार, [illegible] तथा अन्य, जो अच्छी लकड़ी या तारपीन का तेल देते हैं।

कोनीफेरोफाइटा का सबसे उन्नत गण है, नीटेलीज। इस गण में तीन जीवित पौधे हैं : नीटम (Gnetum), एफिड्रा (Ephedra) और वेलविट्शिया (Welwitschia)। आज के कई वैज्ञानिकों ने इन तीनों प्रजातियों की रचना तथा पाए जानेवाले स्थान की भिन्नता के कारण अलग अलग आर्डर का दर्जा दे रखा है। फिर भी कुछ गुण ऐसे हैं जैसे वाहिका (Vessel) का होना, संयुक्त शंकु (compound cone), [illegible] माइक्रोपाइल, पत्तियों का आमने सामने (opposite) होना इत्यादि, जो तीनों प्रजातियों में मिलते हैं। इस गण के पौधों को कोनीफेरोफाइटा से हटाकर एक नए [illegible] क्लैमाइडोस्पर्मोफाइटा में रखा जाने लगा है।

एफिड्रा, जिससे एफिड्रीन जैसी उपयोगी औषधि मिलती है, एक झाड़ी के प्रकार का पौधा है। इसकी लगभग चालीस जातियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई जाती हैं। पश्चिम में [illegible], [illegible] इत्यादि, में यह उगता है। [illegible] (medullary ray) [illegible] (vascular [illegible]) [illegible]

[illegible]

४-५ या ६ तक होती है। मादा शंकु काफी लंबा तथा २-३ या ४ चक्र में हरे रंग का होता है। सहपत्रों (bracts) की संख्या भी नर से अधिक होती है। अंडकोशिका (egg cell) के चारों ओर कोशिकाद्रव्य (cytoplasm) भरा होता है। परागाणु चिपचिपे द्रव की बूँद में फँस जाता है और तब बीजांडद्वार द्वारा खिंचकर अंड तक पहुँचता है। तीन या चार भ्रूण तक एक बीजांड में देखे गए हैं।

वेलविट्शिया (Welwitschia) दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ही उगता है और कहीं भी नहीं पाया जाता। यह तट के कुछ मील के भीतर ही सीमित है। प्रथम इसे टमबोआ मिरेबिलिस कहा गया था, परंतु बाद में इसके आविष्कारक डा० वेल्विश के नाम पर इसे वेल्विशिया मिरेबिलिस कहा गया। यह अत्यंत मरुद्भिदी (xerophytic), अर्थात् सूखे स्थान पर उगनेवाले पौधों में, होता है। जहाँ यह उगता है वहाँ वर्ष भर की पूरी वर्षा लगभग एक इंच ही होती है। सारा पौधा तो गाजर जैसा होता है, पर इसमें बहुत बड़ा, लगभग ३-४ फुट चौड़ा, होता है। पौधे के ऊपर एक मोटा [illegible] परिचर्म (periderm) होता है। इसमें दो ही पत्तियाँ होती हैं, जो बहुत मोटे चमड़े के सदृश कड़ी होती हैं। मध्य भाग में [illegible], जो पकने पर बाहर गिर जाते हैं और वे गिरने के स्थान पर एक [illegible] छोड़ देते हैं। पौधे की प्रथम दो पत्तियाँ ही, [illegible], लगभग ६०-७० या १०० वर्ष तक, बनी रहती हैं। तेज हवा के झोंके से पत्तियाँ [illegible] फट जाती हैं। सिरा से पत्ती सूखती चलती है और नीचे से बढ़ती चलती है। जड़ तो बहुत गहराई तक जाती है।

वेल्विशिया के पौधे के बारे में कहा जाता है कि [illegible] (spicule) की तरह की कोशिकाएँ होती हैं। [illegible] (vascular tissue) भी [illegible] पाए जाते हैं। [illegible]

नीटम (Gnetum) [illegible]

लता है कि अधिक थकावट के बाद गहरी निद्रा आ जाती है जिससे जगने पर थकावट नहीं मालूम पड़ती है तथा व्यक्ति पुन: स्फूर्ति और प्रफुल्लता का अनुभव करता है। पर यदि पूरा विश्राम न मिले, या निद्रा में विघ्न पड़ जाय, तब व्यक्ति को थकान, आलस्य तथा शक्तिलोप का अनुभव होता है तथा मनन और समझने की मानसिक शक्ति में अव्यवस्था पाई जाती है। जानवरों को भी कार्य के बाद विश्राम तथा निद्रा की आवश्यकता होती है जिससे उन्हें पुन: कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। [उ० नं० प्र०]

विश्लेषक (Analyst) रसायनविज्ञान में विश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल (Robert Boyle) ने पदार्थों का संघटन ज्ञात करने की विधि के लिये किया था। रासायनिक विश्लेषणविधि के विशेषज्ञ को विश्लेषक कहते हैं। उसका कार्य है अनेक प्रकार के पदार्थों का विश्लेषण करके उनके संघटन तथा उनकी शुद्धता के विषय में अपनी रिपोर्ट देना। प्रयोगशालाओं तथा उद्योगशालाओं के अतिरिक्त व्यापारिक निर्माण के कारखानों में भी विश्लेषक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर उसका कार्य निर्माण-प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना तथा पदार्थों की शुद्धता की समय समय पर परीक्षा करना है। इसके अतिरिक्त उन विशेष व्यवसाय संबंधी शोध कार्यों में भी उसकी सेवा रहना पड़ता है।

अपराध अभियोगों, या नागरिक अभियोगों की न्यायिक जाँच के अंतर्गत भी विश्लेषक की सेवाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। इन कार्यों के लिये सरकार ने रासायनिक परीक्षक (chemical examiner), या सार्वजनिक विश्लेषक (public analyst), के पद स्थापित कर रखे हैं, जिनकी प्रयोगशालाओं में, अभियोगों की न्यायिक जाँच संबंधी कार्यों के अतिरिक्त, खाद्यपदार्थों, पेय पदार्थों, शराब, तथा दूध आदि का विश्लेषण कार्य भी होता रहता है। विश्लेषक आयात या निर्यात संबंधी पदार्थों का भी विश्लेषण प्रयोगशालाओं में, या चुंगी अथवा सीमा-शुल्क-विभागों द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं में, करता है। इन सबमें विश्लेषक का विशेष महत्व है। सरकारी विश्लेषकों के अतिरिक्त कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी इस कार्य को करते हैं। विश्लेषक को रासायनिक विश्लेषण के अतिरिक्त सूक्ष्मदर्शकी, भेषजी तथा चिकित्साविज्ञान का भी ज्ञान होना आवश्यक है।

रासायनिक विश्लेषण में सूक्ष्म विश्लेषण (microanalysis) विधियों का ज्ञान हो जाने के फलस्वरूप प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म विश्लेषकों (microanalyst) का विशेष स्थान हो गया है। रासायनिक प्रयोगशालाओं से अनुसंधान कार्य संबंधी प्राप्त यौगिकों के अतिरिक्त, अन्य अनुसंधान कार्यों में, जहाँ प्राप्त पदार्थ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, विश्लेषण में सूक्ष्म विश्लेषकों की सहायता अनिवार्य है। [रा० दा० ति०]

विश्लेषण शब्दार्थ के अनुसार, संश्लेषण अथवा समन्वय का विपरीतबोधक है एवं किसी विधान या व्यवस्थाक्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया का नाम है।

गणित के क्षेत्र में ग्रीक गणितज्ञों ने प्रमेय को पहले ही सिद्ध किए गए कथनों या प्रमेयों में, अथवा स्वीकृत स्वसिद्ध तथ्यों में, रूपांतरित करके सिद्ध करने की पद्धति को विश्लेषण' नाम से अभिहित किया।

व्यापक अर्थ में विश्लेषण प्रतीकों तथा समीकरणों के प्रयोग की वह पद्धति है जिसके द्वारा बीजगणित तथा अवकलीय कलन की प्रक्रियाएँ गणित के विभिन्न क्षेत्रों की अनेक समस्याओं का समुचित हल निकालने के लिये सुलभ होती हैं।

यूरोप में सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी के जागरण के युग में रेने देकार्त (१५९६-१६५० ई०) की वैश्लेषिक ज्यामिती ने विश्लेषण का विशेष रूप निर्धारित किया। इसी कृति के आधार पर कलन, अवकलनगणित तथा समाकलनगणित की सुचारु भावनाओं का विकास हुआ। आज गणितीय विश्लेषण के अंतर्गत गणित की वे सभी पद्धतियाँ हैं जो अपनी क्रियाओं के लिये किसी न किसी प्रकार कलन का अवलंब ग्रहण करती हैं।

अवकलनगणित तथा समाकलनगणित, वास्तविक चर तथा सम्मिश्र चर कलन सिद्धांत, अनंत श्रेणी, फूरिये श्रेणी एवं फूरियेर समाकल, विशेष कलन (Special Functions), अवकल, अंतर तथा समाकल समीकरण, विचरण कलन एवं विभवसिद्धांत (Potential Theory), प्रायिकता (Probability) और सांख्यिकी के गणितीय पक्ष आदि, इस प्रकार के सभी विषय विश्लेषण की विभिन्न शाखाएँ हैं। कुछ अन्य विषय भी समान प्रणाली का प्रयोग करने के कारण विश्लेषण का नाम ग्रहण करते हैं, जैसे संख्या सिद्धांत के अंतर्गत डायोफैंटी (diophantine) विश्लेषण, संदिश विश्लेषण आदि। परंपरागत गणितीय विश्लेषण में स्थान (topological) बीजगणित की पद्धतियों के प्रयोग के फलस्वरूप बीजगणितीय, अथवा फलनिक, विश्लेषण का जन्म हुआ है।

[प्र० श्री०]

विश्वकर्मा वैदिक और देवता जिन्हें 'धातृ' तथा 'विधातृ', सर्वद्रष्टा, पृथ्वी तथा प्राणिजगत् का जनक और समस्त देवों का नामकरण करनेवाला कहा गया है। वैदिकोत्तर साहित्य में ये ही शिल्पशास्त्र या शिल्पप्रजापति के रूप में प्रतिष्ठित हैं जो प्रभास वसु और बृहस्पति की बहन वरवर्णिनी या योगसिद्धा अथवा वास्तु और आंगिरसी के पुत्र थे। इन्होंने देवताओं के लिये विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, आभूषण, विमान, प्रासाद आदि बनाए और द्वारका, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, वृंदावन, लंका, इंद्रलोक आदि की रचना की। ब्रह्मा के लिये पुष्पक विमान बनाया था जो ब्रह्मा से कुबेर और कुबेर से रावण को मिला। इनके पुत्र नल ने लंका का सेतु बनाया था। इन्होंने दो प्रकार के धनुषों की रचना की थी। इनमें से एक देवताओं ने त्रिपुरासुर के वधार्थ शिव जी को दिया था। दूसरा विष्णु को दिया जो परशुराम को प्राप्त हुआ था।

रामायण में विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप का वध इंद्र द्वारा कराया गया है (किष्किंधाकांड) और उसी में उस भवन का वर्णन है जिसे कुंजर पर्वत पर विश्वकर्मा ने अगस्त्य के लिये बनाया था। इनकी अन्य रचनाओं में सहस्रार चक्र और कुबेर की अलकापुरी

स्वय को जानने की शक्ति नहीं है अतः चेतन भी नहीं है। स्वयं-प्रकाशक और स्वयचेतना मे भेद है। आत्मा स्वयंचेतन और स्वय-प्रकाशक दोनों है। पर चेतन आत्मा मे ज्ञान विषय-विषयी-संबंध से ही संभव है। चेतनता आत्मा का आगतुक गुण नहीं उसका अविभाज्य गुण है। पर आत्मा चेतनता से पृथक् है — शंकर की तरह रामानुज शुद्ध चेतनता और आत्मा में अभेद नहीं मानते। चेतनता सर्वदा विशिष्ट होती है क्योंकि इसमे ज्ञान रहता है और ज्ञान विषय और विषयी दोनो का अवगाहन करता है। यह चैतन्य आत्मा अणुरूप और नित्य है।

अभेद का ज्ञान भेद पर आधारित है — भेद के बिना अभेद-प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिये रामानुज शकर के सकल भेद-व्यावृत्त ब्रह्म को अस्वीकार करके भेदविशिष्ट अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। परस्पर भिन्न, आश्रित विशेषणों में विशेष्य एकात्मकता स्थापित करता है — ब्रह्म विशेषणों से विशिष्ट एक विशेष्य है। यही ब्रह्म अंतर्यामी परमसत्ता है जिसके कारण आश्रित द्रव्य तथा जीवात्माएँ उसके शरीर मे एकता को प्राप्त होती हैं।

विशिष्टाद्वैत में तीन तत्व माने गए हैं। तीनों तत्व सत् हैं पर चित् और अचित् तत्व ईश्वर तत्व पर आश्रित हैं। चित् और अचित् अपने आप में द्रव्य हैं पर ईश्वर की दृष्टि से वे ईश्वर के गुण हैं। चित् और अचित् ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर उनकी आत्मा है। प्रकृति और जीवात्माओं की आत्मा ही ईश्वर या ब्रह्म है। अतः ब्रह्म शरीरी और सगुण है — निर्गुण ब्रह्म कल्पनामात्र है। जीवात्माएँ ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्म अंशी है।

ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है — वह सजातीय और विजातीय भेदों से रहित है परंतु इसमे स्वगत भेद वर्तमान है। अतएव जड और चित् रूप विश्व उसी एक ब्रह्म से उत्पन्न है — वही इसका उपादान और निमित्त कारण है। वह विश्वातीत भी है क्योंकि विश्व का नियमनकर्ता है। अनंत सद्गुणों से युक्त ईश्वर अपनी सहचरी लक्ष्मी के साथ वैकुंठधाम में निवास करता है।

जीव ब्रह्म के साथ अपना संबंध नहीं जानता अत वह अपने को स्वतंत्र समझकर कर्म करता है और उनके बंधन में पड़कर दुःख भोगता है। वेदांत वाक्यों का श्रवण करके उसके मन में मुक्ति की अभिलाषा जागती है। मुक्ति का प्रथम सोपान है कामनारहित होकर कर्म करना जिससे कर्मबंधन न उत्पन्न हों। उसके बाद निदिध्यासन की अवस्था में अपने को सर्वतोभावेन ईश्वर में समर्पित कर देना इसे प्रपत्ति कहते हैं। यह प्रपत्ति मोक्ष का मार्ग है। जब ईश्वर प्रसन्न होकर भक्त के ऊपर अनुग्रह करते हैं तो भक्त को शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है — यह ज्ञान जीव और ब्रह्म के संबंध का होता है। इस ज्ञान को भक्ति कहते हैं। तदनंतर देहपात के बाद जीव ब्रह्म के शरीर का अंश होकर ब्रह्म के सान्निध्य सुख का अनुभव करता हुआ वैकुंठ में निवास करता है। इस प्रकार मोक्ष के लिये भगवद्-भक्ति आवश्यक है — भक्ति ईश्वर के अनुग्रह पर अवलंबित है। जीवन्मुक्ति की कल्पना अस्वीकार्य है — देहपतन से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है।

रामानुज कर्म को ज्ञान का आवश्यक सहचारी मानते हैं। यदि ज्ञानमात्र से मोक्ष मिलने लगे तो सभी वेदांत पढ़नेवाले मुक्त हो जायँ। माया या अज्ञान बंध का कारण नहीं है—कर्म से ही बंध होता है अत. उससे छुटकारा भी एक विशेष प्रकार के कर्म से ही संभव है। इसलिये रामानुज शंकर के ज्ञानमार्ग और मायावाद का खंडन करके उपासना मार्ग का प्रतिपादन करते हैं तथा मीमांसा और वेदांत को एक दूसरे का पूरक शास्त्र समझते हैं। ('रामानुज' तथा 'वेदांत')।

सं० ग्रं० — रामानुज : श्रीभाष्य; लोकाचार्य : तत्त्वत्रय; श्रीनिवासाचारी : द फिलासफी ऑव विशिष्टाद्वैत। [रा० चं० पां०]

विश्राम (Rest) सब प्रकार के जीवों को कार्य के बाद विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे थकावट दूर हो जाय। थकावट मानसिक तथा शारीरिक, दोनों होती है और विश्राम से दोनों प्रकार की थकावट दूर होती है। हृदयगति, श्वसन क्रिया, मांसपेशियों के संकुंचन आदि जीवन की आवश्यक क्रियाओं में और चलने फिरने, बोलने, नेत्रों की मांसपेशियों द्वारा दृष्टि कार्य में तथा शारीरिक श्रम, जैसे हथौड़ा चलाना, मिट्टी खोदना, बोझ ढोना, दौड़ना आदि, सभी कार्यों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।

$$\text{यांत्रिक दक्षता} = \frac{\text{कार्य में रूपांतरित होनेवाली ऊर्जा}}{\text{समस्त उपयुक्त ऊर्जा}}$$

मांसपेशियों की दक्षता आदर्श दशा में ४० % से अधिक नहीं होती है। मनुष्य मे तो यह और कम होती है। खिलाड़ी की यांत्रिक क्षमता प्रायः २० % से ३० % ही होती है। इस क्रिया में, ऊतकों द्वारा ऊर्जा के लिये प्रदान शर्करा तथा ऑक्सीजन आदि की माँग तथा जलना बढ़ जाता है, जिसके लिये अधिक रक्त-संचार तथा अधिक ऑक्सीजन देने के उद्देश्य से क्रमशः हृदयगति तथा श्वसन क्रिया वेगपूर्ण हो जाती है। इससे शरीर की ऊष्मा बढ़ जाती है तथा लैक्टिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को क्रमशः गुर्दा तथा श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहर निकाल फेंका जाता है। जब मांसपेशी का संकुंचन बार बार होता है, तब व्यक्ति को थकान आने लगती है। यदि विद्युत् उत्तेजन द्वारा मांसपेशी में संकुंचन किया जाय, तो संकुंचन धीरे धीरे कम होता जाएगा तथा अंत में अनुक्रिया नहीं होगी। कुछ समय तक उत्तेजना को रोक रखने के बाद विश्राम द्वारा मांसपेशी स्वस्थ हो जाएगी तथा संकुंचन गुण पुनः वापस आ जाएगा। थकावट की अवस्था से मुक्त होने के लिये ऑक्सीजन आवश्यक है। मनुष्य जितना ही अधिक थका रहेगा, उतने ही अधिक समय बाद कार्य करने की क्षमता उसमें आएगी। यदि अपेक्षाकृत कम विश्राम के बाद कार्य किया जाय, तो इसके परिणाम बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जैसे थका मोटरचालक दुर्घटना अधिक करता है, क्योंकि वह आवश्यकता पड़ने पर, या संकेत के अनुसार, प्रबल वेगवाले वाहन को रोकने में जहाँ एक से दो सेकंड लगाता है, वहाँ थकावट की अवस्था में कई सेकंड लगा देता तथा उस काल में प्रबल वेगवाला वाहन बहुत आगे बढ़ जाएगा, जिससे दुर्घटना हो सकती है।

उपर्युक्त कारणों से मानसिक तथा शारीरिक विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि मानसिक विश्राम नहीं होगा, तो मनुष्य में थकावट के कारण संतुलन तथा स्फूर्ति नहीं रहेगी। यह साधारणतः देखा

न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या कम होती है तथा उन्हें किसी विशेष विवाद मे ही निर्णय देना होता है, जिसका प्रभाव केवल विवादग्रस्त देशों पर ही पड़ता है, अतः उसके सदस्यो के चुनाव में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। किंतु स्थायी न्यायाधिकरण के सदस्यो की समस्या भिन्न है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के विवादों को सुलझाने का भार उठाना पड़ता है, तथा उनके निर्वाचन में भी बहुत से देशों को भाग लेना पड़ता है। एक विश्व न्यायाधिकरण के सदस्य के निर्वाचन मे उसके निम्नलिखित गुण विचाराधीन होते हैं : नैतिक सच्चाई, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, भाषाओं की योग्यता, उम्र तथा आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण। इंटरनेशनल कोर्ट ऑव जस्टिस के विधान के दूसरे अनुच्छेद मे यह दिया है कि उसके सदस्य उन उच्च चरित्रवाले मनुष्यों में से निर्वाचित किए जायेंगे, जो कि उन विशेषणों से युक्त हैं जिनकी उनके देश में उच्चतम न्याय अधिकारी की नियुक्ति के लिये आवश्यकता है, अथवा जो अंतरराष्ट्रीय विधि मे मानी हुई योग्यता के न्यायतत्वज्ञ हैं।

जहाँ तक विश्व न्यायाधिकरण के अधिकारक्षेत्र (jurisdiction) का प्रश्न है, आमतौर पर राष्ट्र ही अपने विवाद उसके समुख उपस्थित कर सकते हैं। यही बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑव जस्टिस के ३४ अनुच्छेद में भी दी गई है। स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने माइनारिटी स्कूल्स इन अपर साइलेशिया (Minority-schools in Upper Silesia, 1928) वाद मे, अपने निर्णय में कहा है कि 'न्यायालय का अधिकारक्षेत्र पक्षों की इच्छा पर निर्भर है'। इसी प्रकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑव जस्टिस ने कारफ्यू चैनल [Corfu channel (preliminary objection) case 1948.] वाद मे कहा : 'पक्षों की सहमति न्यायालय को अधिकारक्षेत्र प्रदान करती है। 'यह सहमति दो प्रकार की हो सकती है, पहली व्यापक रूप में, दूसरी किसी विशिष्ट वाद में।

विश्व न्यायाधिकरण की क्रियाविधि (Procedure) अधिकतर वही होती है, जो उसके स्थापन करनेवाले आलेख में लिखी हो, पर उसको यह अधिकार भी दिया जाता है कि वह ऐसे नियम बना ले जो उसका कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये आवश्यक हों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑव जस्टिस के विधान के ३८वें अनुच्छेद में दिया हुआ है कि उसको विवादों का निर्णय अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार करना होगा, और इसमें उसको अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं (Conventions), अंतरराष्ट्रीय आचार (Customs) तथा सभ्य देशो द्वारा अंगीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतो को विशेष ध्यान मे रखना होगा। पर इसके अतिरिक्त विवादग्रस्त पक्ष न्यायाधिकरण को किसी और सिद्धांत को भी, निर्णय देते समय, ध्यान मे रखने को कह सकते हैं। यह विश्वन्यायालयो या न्यायाधिकरणों के समक्ष विवादास्पद कार्यवाही (Contentious Proceedings) एक निर्णय या पंचनिर्णय के रूप में प्रगट होती है। स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मोसुल वाद (Mosul case, 1925) मे कहा है कि 'मध्यस्थ न्यायाधिकरणो ने आम तौर से यह सिद्धांत मान लिया है कि उनका निर्णय वही होगा जो बहुमत द्वारा दिया गया हो।' उक्त न्यायालय के विधान में इसका समावेश है कि विमत या अल्पमत (dissenting) न्यायाधीश अपना मत अलग प्रगट कर सकते हैं। एक बार जब विश्वन्यायाधिकरण गुण दोष के आधार पर निष्पत्ति (decision on merits) दे देता है तो वह स्थिर और अंतिम होती है।

जब कोई विश्वन्यायाधिकरण अपना अंतिम निर्णय दे देता है, तो उसका कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस निर्णय को प्रचलित करने (enforcing) का अधिकार उसके पास नहीं होता। पर यह एक विशेष ध्यान देनेवाली बात है कि विश्वन्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय बहुत कम ही राष्ट्रो द्वारा ठुकराए गए हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण से एक आंदोलन चला है, जो राष्ट्रों को अपने विवादो को शांतिपूर्ण रीतियों से सुलझाने तथा न्यायाधिकरणों को विवादों में एक प्रकार का बाध्यकारी अधिकारक्षेत्र (Obligatory jurisdiction) प्रदान करने की प्रेरणा देता है। जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की निष्पक्षता तथा न्यायिक चरित्रता दृढ़ होती जायगी, वैसे वैसे राष्ट्रो के अपने अंतरराष्ट्रीय विवादों को विश्व न्यायाधिकरणों को न सौंपने की क्रिया मे कमी होती जायगी।

सं० ग्र० — हडसन, एम० ओ० . इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स; रासस्टोन, जे० एच० : इंटरनेशनल आरबिट्रेशन फ्राम एथेन्स टू लोकार्नो; डारबी, डब्लू० ई० : इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स, १९०४, ब्वाज़नबरजर, जी० : इंटरनेशनल ला, पहला खंड, लाटरपेट, एच० : दि डेवलपमेंट ऑव इंटरनेशनल ला बाई दि परमानेंट कोर्ट ऑव इंटरनेशनल जस्टिस। [जे एम स.]

विश्वयुद्ध, प्रथम (१९१४-१९१९) औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहाँ से वे कच्चा माल पा सकें तथा मशीनों से बनाई हुई वस्तुएँ बेच सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सैनिक शक्ति बढ़ाई गई और गुप्त कूटनीतिक संधियाँ की गईं। इससे राष्ट्रों में अविश्वास और वैमनस्य बढ़ा और युद्ध अनिवार्य हो गया। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रेडिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। यह घटना २८ जून, १९१४, को सेराजेवो में हुई थी। एक मास पश्चात् ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। अगस्त मे जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से, और कुछ समय बाद टर्की, जर्मनी की ओर से, युद्ध में शामिल हुए। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका तीन महाद्वीपों और जल, थल तथा आकाश में लड़ा गया। प्रारंभ में जर्मनी की जीत हुई। १९१७ में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाजों को डुबोया। इससे अमरीका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा किंतु रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हो गया। १९१८ ई० में ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर ११ नवंबर, १९१८ को युद्ध स्थगित कर दिया गया। २८ जून, १९१९, को वर्साई की संधि से युद्ध की समाप्ति हुई। [ओं० प्र०]

इस महायुद्ध के अंतर्गत अनेक लड़ाइयाँ हुईं। इनमें से टैनेनबर्ग

भी थी। कृति के अतिरिक्त रति, प्राप्ति और नंदी इनकी चार भार्याओं, मनु चाक्षुष, शम, काम, हर्ष, नय, विश्वरूप, वृत्रासुर सात पुत्रों और संज्ञा, छाया, तिलोत्तमा तथा बर्हिष्मती चार कन्याओं का उल्लेख मिलता है। [रा० द्वि०]

विश्वन्यायाधिकरण (International Tribunal) एक तदर्थ (Ad hoc) संस्था है, जो राष्ट्रों के बीच उत्पन्न विवाद को, समझौते की शर्तों के अनुसार, सुलझाने के लिये स्थापित की जाती है। राजनीतिक संमेलनों को छोड़कर, कहा जा सकता है कि आधुनिक विश्व न्यायाधिकरण की उत्पत्ति अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र से ही हुई है।

प्राचीन काल में राष्ट्र बहुधा अपने विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने के लिये किसी मध्यस्थ का निर्वाचन कर लेते थे। उस समय यह मध्यस्थ एक न्यायाधिकरण का रूप धारण कर लेता था। यद्यपि सोलहवीं, सत्रहवीं और अट्ठारहवीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय विधि में काफी उन्नति हुई, तथापि इस बीच मध्यस्थता के बहुत कम दृष्टांत मिलते हैं।

१९ नवंबर, १७९४ को संयुक्त राष्ट्र-अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुई जे संधि (Jay Treaty) को वर्तमान मध्यस्थता की नींव माना जाता है। मध्यस्थता के कुछ उदाहरण जैसे १८७० की अलाबामा मध्यस्थता (Alabama Arbitration), १८९३ की बेहरिंग सागर मध्यस्थता (Behring sea Arbitration), और १८९७ की ब्रिटिश गायना मध्यस्थता (British Guiana Arbitration) ऐसे हैं जिनमें मध्यस्थता का कार्य योग्य न्यायाधिकरणों द्वारा निष्पादित किया गया था, जिससे इस बात की संभावना उत्पन्न हो गई कि राष्ट्र अपने राजनैतिक तथा प्रादेशिक विवाद भी विधिक रीति से निपटा सकेंगे।

२९ अक्टूबर, १८९९ को हेग शांतिसंमेलन ने अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के विषय पर एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा एक स्थायीमध्यस्थन्यायालय (Permanent Court of Arbitration) की स्थापना की गई। पर यह स्थायी न्यायालय केवल एक रीति (method) और एक प्रक्रिया (procedure) ही था, वास्तव में वह एक स्थायी न्यायालय नहीं था, बल्कि कहना चाहिए कि वह न्यायालय ही नहीं था।

पहले महायुद्ध के पश्चात्, सन् १९१९ की वेरिस शांतिसंधि में यह तय हुआ कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिये एक स्थायी न्यायालय स्थापित किया जाय। इस कारण सन् १९२० में लीग ऑव नेशन्स के चार्टर के अंतर्गत एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय-न्यायालय (Permanent Court of International Justice) स्थापित किया गया। परंतु इस न्यायालय की स्थापना ने राष्ट्रों के आपसी मतभेदों को दूसरे न्यायाधिकरणों द्वारा सुलझाए जाने के अधिकार को किसी प्रकार भी कम नहीं किया। उदाहरणार्थ १९२२ से १९३७ तक जर्मनी और पोलैंड के बीच दो प्रादेशिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए। पहला अपर साइलेशियन मिक्स्ड कमीशन (Upper Silesian Mixed Commission) तथा दूसरा अपर साइलेशियन मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Upper Silesian Tribunal)। इस न्यायालय की सफलता के कारण न्यायाधिकरणों की स्थापना के प्रस्ताव भी किए गए हैं अंतरराष्ट्रीय संमेलनों में वाणिज्य (Commercial) निपटाने के लिये एक स्थायी न्यायाधिकरण की मांग की प्रकार अंतरराष्ट्रीय पारितोषिक न्यायालय (International Court) तथा अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय (International Court) की मांग भी कई बार प्रस्तावित की जा चुकी

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर, यूनाइटेड नेशन्स अंतर्गत, स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (Permanent International Justice) को समाप्त कर इंटरनेशनल जस्टिस (International Court of Justice) की स्थापना यद्यपि विधिक दृष्टि से यह एक दूसरा न्यायालय है तथापि में यह पहले न्यायालय का ही अनवरित रूप है, जैसा चार्टर के ९२वें अनुच्छेद से प्रतीत होता है। इस प्रकार हम कि १५० वर्ष के अनवरत प्रयत्नों ने विश्व न्यायाधिकरणों ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया है।

किसी भी विश्वन्यायाधिकरण का प्रथम कार्य उन वि न्यायिक निर्धारण करना है, जो राष्ट्रों के बीच उत्पन्न हों जिन्हें विवादग्रस्त राष्ट्र उसे निर्णय के लिये समर्पित करते हैं न्यायाधिकरणों के संचालन में कुछ सामान्य समस्याएँ उत्प हैं। पहली समस्या होती है उसका निर्माण। सबसे साधारण के विश्वन्यायाधिकरण में एक ही सदस्य होता है, जिसमें सुप्रसिद्ध मनुष्य का निर्वाचन किया जाता है, जैसे प्राचीन बहुधा पोप को मध्यस्थ चुना जाता था। कभी कभी किसी राजा को भी यह स्थान प्रदान किया जाता था, उदाहरण १९३१ में इटली के सम्राट् ने फ्रांस और मेक्सिको के बीच क्लिपर्टन द्वीप (Clipperton Island) के विवाद को निपटाया था। प्रकार का विश्वन्यायाधिकरण एक मिश्रित कमीशन के रूप में है, जिसमें प्रत्येक पक्ष के सदस्य होते हैं। इसका उदाहरण अलास्का सीमा न्यायाधिकरण (Alaskan Boundary Tribunal जो संयुक्त राष्ट्र अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच सन् १९ स्थापित किया गया था। एक तीसरे प्रकार का विश्वन्यायाधि जो सबसे अधिक प्रचलित है, एक मिश्रित कमीशन के रूप में है जिसमें दोनों पक्ष बराबर संख्या में सदस्य भेजते हैं, और वे मिलकर एक अन्य सदस्य को चुनते हैं जो किसी भी पक्ष का होता। पर जब बहुत से राष्ट्र मिलकर एक स्थायी न्यायाधि स्थापित करते हैं, तो उसका रूप कुछ अलग होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का विधान लिखते समय न्यायतत्त्वज्ञों समिति ने एकमत हो यह निश्चय किया कि इस न्यायाधिकरण स्वतंत्र न्यायाधीश, जो संख्या में १५ होंगे, बिना राष्ट्रीयता को वि में रखते हुए निर्वाचित किए जायँगे। यही बात इंटरनेशनल ऑव जस्टिस के दूसरे और तीसरे अनुच्छेदों में भी दी गई है।

दूसरा महत्त्वपूर्ण तथा कठिन प्रश्न है विश्वन्यायाधिक के सदस्यों के चुनाव का। संसार में कुछ ही मनुष्य ऐसे योग्य होते हैं कि उनकी योग्यता में सबको विश्वास हो। अस्था

आ गई। राष्ट्रसंघ ने उनके अत्याचारों को रोकना चाहा परंतु असफल रहा। रूस और जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की ओर से युद्ध में कूद पड़े। प्रारंभ में जर्मनी और इटली ने फ्रांस को पराजित किया और उसे इन दोनों देशों से संधि करनी पड़ी। अमरीका की सहायता से ब्रिटेन लड़ता रहा। जापान जर्मनी की ओर से अमरीका के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा। इटली ने ब्रिटेन के विरुद्ध अफ्रीका में भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। १९४१ में जर्मनी और रूस ने प्राय समस्त यूरोप पर अधिकार कर लिया। जब बाल्कन प्रदेशों पर जर्मनी ने अधिकार किया तो रूस उसके विरुद्ध हो गया। जर्मनी ने उसपर आक्रमण किया तो ब्रिटेन और अमरीका ने उसकी सहायता की। १९४२-४४ तक जर्मनी आदि देश आक्रामक नीति छोड़कर अपनी सुरक्षा में लगे रहे। अंत में रूस, ब्रिटेन और अमरीका विजयी हुए। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी और इटली को बुरी तरह हराया। ७ मई, १९४५ को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमरीका ने पहली बार परमाणु बम का प्रयोग हीरोशीमा (६ अगस्त, १९४५) तथा नागासाकी पर करके जापान को पराजित किया। भविष्य में शांति रखने के लिये ५१ राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की।

[ओं० प्र०]

विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसमें सभी प्रकार की विद्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती हो, परीक्षा ली जाती हो तथा लोगों को विद्या संबंधी उपाधियाँ आदि प्रदान की जाती हों। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के मैदान, भवन, प्रमाण, तथा विद्यार्थियों का संगठन आदि भी संमिलित हैं।

प्राचीन काल में यूरोप के देशों में मान्य अर्थ में कोई विश्वविद्यालय न थे, यद्यपि अनेक महत्वपूर्ण विद्यालय थे, जैसे एथेंस के दार्शनिक विद्यालय, अथवा रोम के साहित्य और रीतिशास्त्र के विद्यालय जो उच्च शिक्षा संस्थाएँ थीं। मध्य युग में शिक्षा पर धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण रहा। धार्मिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों की व्यवस्था की जाती थी जिनमें पादरियों को धार्मिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस युग में पेरिस का धार्मिक विद्यालय धर्मशिक्षा का एक केंद्र बन गया, तथा सन् ११६८ तथा १२१५ ई० के बीच पेरिस विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया, और उसमें धर्मविज्ञान, कला तथा चिकित्सा के विभाग बनाए गए। बाद में विशेषज्ञ अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मिलकर विश्वविद्यालय चलाए। १२वीं शताब्दी के मध्य के लगभग बोलोना में कानून के विद्यार्थियों के प्रयास से एक कानून विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सन् १२५० ई० के लगभग विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगा और वे पांडित्यपूर्ण विद्यार्थियों के बजाय शासकों द्वारा अपने राज्यों की राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थापित किए जाने लगे। मध्ययुगीन विश्वविद्यालय १३वीं शताब्दी के मध्य के सर्वोत्कृष्ट समय में बौद्धिक स्वतंत्रता की अद्वितीय अवस्था को प्रकट करते हैं। अंत के कारण इनकी प्रगति बाधित नहीं हुई और ये अपने स्वत्व अधिकारों को नष्ट करनेवाले प्रयत्नों का विरोध करने में सक्षम रहे। ये अपने युग की संस्कृति को निर्धारित करने में प्रभावशाली बने। मध्ययुगीन दर्शन का जन्म कुछ महान् धार्मिक आंदोलनों के समान महाविद्यालयों में हुआ जिसने मध्य युग के यूरोप को हिला दिया और उसकी एकता को विभाजित कर दिया। इसी १३वीं शताब्दी में यूरोप के प्रभाव से इंग्लैंड में भी ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे।

यूरोप में धर्म-सुधार-आंदोलन के साथ विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण और विस्तार में एक निश्चित परिवर्तन हुआ। उनकी परंपरागत स्वव्यवस्था और स्वतंत्रता लुप्त हो गई, आचार्य राज्य के सेवक हो गए, कठोर नियंत्रण तथा जाँच की व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालय को राज्य तथा तत्संबंधित चर्च के लिये कार्यकर्ताओं को दीक्षित करनेवाली संस्था माना जाने लगा। ये विश्वविद्यालय धार्मिक संस्थाओं से संबंधित होते हुए भी १६वीं शताब्दी के धार्मिक संघर्षों से दूर रहे। इस शताब्दी में विश्वविद्यालय वैज्ञानिक खोजों के केंद्र बन गए। बाद में १७वीं शताब्दी में शिक्षण ही इनका मुख्य कार्य हो गया। १८वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होते गए और उन विभिन्न विषयों की शिक्षा देने का प्रयत्न करने लगे जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये आवश्यक थे। फ्रांस की क्रांति के बाद विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की आयोजना होने लगी। १९वीं शताब्दी में यह अनुभव किया गया कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा तथा शोधकार्य पर अपने को केंद्रित करें और माध्यमिक शिक्षा को अपने कार्यक्षेत्र से हटा दें। वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया। इस काल के विश्वविद्यालय केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि राजनीति के केंद्र भी बने, और विभिन्न देशों के राष्ट्रीय उत्थान में राष्ट्रीयता के स्थायी भावों को उत्पन्न करके उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। १९वीं शताब्दी के अंत तक विश्वविद्यालय का संबंध जनता के साथ काफी घनिष्ठ हो गया। २०वीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों के दृष्टिकोण में विस्तृत परिवर्तन हुए। बौद्धिक विकास की परंपरागत सीमाओं की उपेक्षा करके उनमें सभी प्रकार के प्राविधिक विषय प्रारंभ किए गए। उपयोगितावाद के प्रभाव में आकर कभी कभी तो उनमें पूर्णतया उपयोगी पाठ्यक्रम की ही प्रधानता हो गई। आधुनिक विश्वविद्यालय अपनी उत्पत्ति तथा सामाजिक संबंध के विचार से तीन में से किसी एक प्रकार के होते हैं: या तो वे धार्मिक संस्था से संबंधित हैं, या राज्य की संस्थाएँ हैं, या फिर व्यक्तिगत समूह द्वारा संचालित हैं। इस प्रकार धीरे धीरे विश्वविद्यालय प्रधानतया धार्मिक क्षेत्र से हटकर जनसाधारण से संबंधित होते गए।

भारत में वैदिक काल के गुरुकुलों को विश्वविद्यालय का प्राचीन रूप कहा जा सकता है क्योंकि उन्हीं में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। बाद में, उपनिषद् तथा ब्राह्मण काल में, हम 'परिषदों' को विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करते हुए पाते हैं। ये परिषदें पांडित्यपूर्ण अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के समवेत के रूप में होती थीं और उपाधियाँ प्रदान करने के अधिकारिणी थीं। बौद्ध काल में शिक्षा के सुसंगठित केंद्रों की स्थापना हुई जिनमें तक्षशिला और नालंदा अत्यंत प्रसिद्ध थे। इनमें मुख्य शिक्षा पाता था। पाठ्यक्रम में वेद, वेदांग तथा विभिन्न कलाएँ, जैसे चिकित्सा, शल्य, ज्योतिष, मंत्र

(२६ से ३१ अगस्त, १९१४), मार्न (५ से १० सितंबर, १९१४), सरी बेयर (Sari Bair) तथा सुवला खाड़ी (६ से १० अगस्त, १९१५), यूर (२१ फरवरी, १९१६ से २० अगस्त, १९१७), आमिएँ (८ से ११ अगस्त, १९१८), एवं सिलेसियो बेसेगो (२३ से २६ अक्तूबर, १९१८) इत्यादि की लड़ाइयों को अत्यंत-धृत अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ केवल दो का ही संक्षिप्त वृत्तांत दिया गया है।

जर्मनी द्वारा किए गए १९१६ के आक्रमणों का प्रधान लक्ष्य वर्दू था। महाद्वीप स्थित मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का विघटन करने के लिये फ्रांस पर आक्रमण करने की योजनानुसार जर्मनी की ओर से २१ फरवरी १९१६ ई० को वर्दू युद्धमाला का श्रीगणेश हुआ। नौ जर्मन डिवीजन ने एक साथ वॉर्डेस (Moselle) नदी के दाहिने किनारे पर आक्रमण किया तथा प्रथम एवं द्वितीय युद्ध मोर्चों पर अधिकार किया। फ्रेंच सेना का ओज जनरल पेतें (Petain) की अध्यक्षता में इस चुनौती का सामना करने के लिये बढ़ा। जर्मन सेना २६ फरवरी को वर्दू की सीमा से केवल पाँच मील दूर रह गई। कुछ दिनों तक भीषण संग्राम हुआ। १२ मार्च तक जर्मन आक्रमण शिथिल पड़ने लगा तथा फ्रांस को अपनी भूमि-रक्षणता तथा रसद आदि की सुचारु व्यवस्था का अवसर मिल गया। म्यूज के पश्चिमी किनारे पर भी भीषण युद्ध छिड़ा जो लगभग अप्रैल तक चलता रहा। मई के अंत में जर्मनी ने नदी के दोनों ओर आक्रमण किया तथा भीषण युद्ध के उपरांत ७ फूल को वाक्स (Vaux) का किला लेने में सफलता प्राप्त की। जर्मनी अब अपनी सफलता के शिखर पर था। फ्रेंच सैनिक मार्ट होमे (Mert Homme) के शक्तिशाली ढालू स्थलीय मोर्चों पर डटे हुए थे। संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश सेना ने सॉम (Somme) पर आक्रमण कर वर्दू को छुड़वाने दिलाया। जर्मनी का अंतिम आक्रमण ३ सितंबर को हुआ था। जनरल मैनगिन (Mangin) के नेतृत्व में फ्रांस ने प्रत्याक्रमण किया तथा प्रथम लोए हुए स्थल विजित कर लिए। २० अगस्त, १९१७ के वर्दू के अंतिम युद्ध के उपरांत जर्मनी के हाथ में केवल वूमांट (Beaumont) रह गया। वुर्दों ने फ्रेंच सेना को शिथिल कर दिया था, जब कि आहत जर्मनी की संख्या लगभग तीन लाख थी और उनका ओज फीका पड़ गया था। [गि० वं० मि०]

आमिएँ, (Amiens) के युद्धक्षेत्र में मुख्यतः मोर्चाबंदी अर्थात् खाइयों की लड़ाइयाँ हुईं। २१ मार्च से लगभग २० अप्रैल तक, जर्मन अपने मोर्चे से बढ़कर अंग्रेजी सेना की लगभग २५ मील फैलेवाले उस रेखाने जाल पर अधिकार करना था, जो कैले बंदरगाह से पेरिस जाती है और जिसमें अंग्रेजी सेना और साधारण फ्रांस की सहायता के लिये पहुँचाया जाता था।

लगभग २० अप्रैल से १८ जुलाई तक जर्मन आमिएँ के निकट रुके रहे। दूसरी ओर मित्र देशों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाकर संगठित कर ली, तथा उनकी सेनाएँ जो इससे पूर्व अपने अपने सेनाध्यक्षों के निर्देशन में लड़ती थीं, एक प्रधान सेनापति, फ़ोश के अधीन कर दी गईं।

जुलाई, १९१८ के उत्तरार्ध जनरल फ़ोश के निर्देशन में मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी को कई स्थलों में पराजय दिया।

जर्मन प्रधान सेनापति लूडेनडार्फ ने एक स्थल पर प्रहार आरम्भ किया जहाँ अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी सेनाओं का संगम था। यह आक्रमण २६ मार्च को प्रातः ४॥ बजे, जब कोहरे के कारण सेना की गतिविधि का पता नहीं चल सकता था, ४००० तोपों की गोलाबारी से आरंभ हुआ। ४ अप्रैल को जर्मन सेना ऐमेन्स रेलवे से केवल दो मील दूर थी। ११-१२ अप्रैल को अंग्रेजी सेना पश्चिमी से पीछे को पीछे हटने का प्रस्ताव किया।

तत्पश्चात् एक सप्ताह से अधिक समय तक जर्मनी ने अमिएँ के निकट लड़ाई जारी रखी, पर वे ऐमेन्स रेल जाल पर अधिकार न कर सके। उनका अंग्रेजों को आगीवियों से पीछे धकेलने का प्रयास असफल रहा।

२० अप्रैल से लगभग तीन महीने तक जर्मन मित्र देशों के अन्य क्षेत्रों में प्रहार करने का प्रयास करते रहे, और सफल भी हुए। किंतु इस सफलता से लाभ उठाने का अवसर उन्हें नहीं मिला। मित्र देशों के इस भीषण स्थिति में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर लिए थे।

२३ मार्च को जनरल फ़ोश एवं सेर में मित्र देशों की सेनाओं के सेनापति नियुक्त हुए। ब्रिटेन की पार्लमेंट ने अप्रैल में ब्रिटिश सेना की उम्र बढ़ाकर ४० वर्ष कर दी, और ३,२५,००० ब्रिटिश सैनिक अप्रैल के भीतर ही फ्रांस भेज दिए गए। अमरीका से भी सैनिक फ्रांस पहुँचने लगे थे, और धीरे धीरे उनकी संख्या ६,००,००० पहुँच गई। नए अस्त्रों तथा अन्य आविष्कारों के कारण मित्र देशों की बाहुलता प्रबल हो गई। विशेषकर उनके टैंक बहुत कार्यक्षम हो गए।

१ जुलाई को जर्मनों ने अपना अंतिम आक्रमण मार्न नदी पार रेरिस की ओर बढ़ने के प्रयास में किया। फ्रांसीसी सेना ने इसे रोककर तीन दिन बाद जर्मनों पर उसी क्षेत्र में शक्तिशाली आक्रमण कर ३०,००० सैनिक बंदी किए। फिर ८ अगस्त को आमिएँ के निकट जनरल हेग की अध्यक्षता में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेना ने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में चार मिनट लोगों से गोले बनाने के बाद, सैकड़ों टैंक सेना के आगे भेज दिए गए, जिसके कारण जर्मन सेना में हलचल मच गई। आमिएँ के पूर्व आक एवं सॉम नदियों के बीच १४ मील के घेरने पर आक्रमण हुआ, और उस लड़ाई में जर्मनों की इतनी क्षति हुई कि लूडेनडार्फ ने इस दिन को लाक्रमण जर्मन सेना के लिये काला दिन लिया।

जर्मनी की संधि में जर्मनी पर कड़ी शर्तें लादी गईं। इसका दुष्परिणाम द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में प्रकट हुआ और राष्ट्रसंघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी। [प०]

द्वितीय — (१९३९-१९४५) वेरिस की संधि के पश्चात् विजयी राष्ट्रों ने विजित राष्ट्रों को मनमाना दंड देना चाहा। जर्मनी और इटली आदि देशों में आर्थिक स्थिति इतनी विगड़ गई कि सत्ता हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाही शासकों के हाथ में

अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष प्रायः प्रोफेसर (प्राचार्य) कहलाते हैं। उनके सहायक अध्यापकगण रीडर, लेक्चरर अथवा असिस्टेंट लेक्चरर आदि होते हैं। विश्वविद्यालय में एक या अनेक प्रभाग होते हैं। कुछ में एक ही प्रभाग है जैसे रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानेवाली उपाधियाँ भी कई प्रकार की हैं। शोध कार्य के निमित्त उच्च उपाधियाँ डी० फिल०, डी० एस-सी०, एल०-एल० डी०, पी-एच० डी०, डी० लिट०, आदि हैं। बी० ए०, एम० ए०, बी० एस-सी०, बी० कॉम०, एम० कॉम०, एल-एल० बी०, एल-एल० एम०, बी० टी०, बी० एड्०, एम० एड्० आदि की उपाधियाँ प्रायः लिखित परीक्षा के उपरांत दी जाती हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रति वर्ष एक समावर्तन समारोह (Convocation) होता है जिसमें परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधिदान किया जाता है।

आज के विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयीय शिक्षा की अनेक समस्याएँ हैं जिनपर शासन तथा शिक्षाविदों का ध्यान केंद्रित है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार के कारण विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, और प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय उन सभी विद्यार्थियों को स्थान दें जो आगे पढ़ना चाहते हैं, अथवा केवल उन्हीं को चुनकर लें जो उच्च शिक्षा से लाभ उठाने में समर्थ हों? धन की कमी आज सभी विश्वविद्यालयों को महसूस हो रही है। भारत में विश्वविद्यालयीय शिक्षा का माध्यम क्या हो? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोध कार्य को प्रश्रय देने की समस्या भी ध्यान आकर्षित करती है। कुछ विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता भी एक समस्या है। योग्य अध्यापकों को विश्वविद्यालय में आकर्षित करना तथा उन्हें बनाए रखना कम महत्वपूर्ण नहीं। देश की वर्तमान दशा को देखते हुए तथा हमारी आज व कल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के पाठ्यविषय प्रारंभ किए जाएँ और आगे के विश्वविद्यालयों का क्या रूप हो? ये प्रश्न राष्ट्रोत्थान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सं० ग्रं० — इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका; इंसाइक्लोपीडिया ऑव सोशल साइंसेज; ए० एन० बसु : यूनिवर्सिटीज इन इंडिया; रिपोर्ट ऑव द यूनिवर्सिटी कमिशन; आर० के० मुकर्जी : एंशेंट इंडियन एजूकेशन; ए० एस० अल्तेकर : एजूकेशन इन एंशेंट इंडिया; इंसाइक्लोपीडिया ऑव माडर्न एजूकेशन; हुमायूँ कबीर : एजूकेशन इन न्यू इंडिया। [सु० अ०]

विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालय

परंपरागत प्राप्त मानवज्ञान का संरक्षण, नवीन ज्ञान का संरक्षण, नवीन ज्ञान का अनुसंधान, संवर्धन एवं प्रसार आधुनिक विश्वविद्यालयों के प्रमुख कार्य हैं। इसीलिये वे साहित्य, कला, दर्शन, समाजविज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, व्यवसाय, व्यापार उद्योग एवं तकनीकी आदि के शिक्षण एवं अनुसंधान की अपने यहाँ व्यवस्था करते हैं, और शिक्षा-सेवा-विस्तार (एक्सटेंशन एक्सटेंशन) द्वारा उनको भी लाभान्वित करने की चेष्टा करते हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र होकर अध्ययन नहीं कर सकते। ज्ञानानुसंधान, एवं प्रसार के लिये यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में बौद्धिक स्वातंत्र्य हो। विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सद्भावना स्थापित करने के भी शक्तिशाली माध्यम हैं।

प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नदिया, उदयंतपुरी, कांची आदि विश्वविद्यालयों ने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। इनमें विदेशों से भी छात्र अध्ययन के लिये आते थे। भारतीय शिक्षा परंपरा में आत्मज्ञान के लिये शिक्षा, गुरु और शिष्य का पिता तुल्य संबंध, शिक्षाकाल में ब्रह्मचर्यपालन का तपस्यामय जीवन, निःशुल्क शिक्षा तथा बौद्धिक स्वातंत्र्य आदि भावों की प्रधानता थी। मध्यकाल के शिक्षाकेंद्रों में लाहौर, दिल्ली, रामपुर, जौनपुर, बीदर और अजमेर आदि विशाल शिक्षाकेंद्र थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के उपरांत सन् १८५७ में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर हुई थी। ये केवल परीक्षा लेनेवाले विश्वविद्यालय थे। कैंब्रिज और आक्सफोर्ड के समान इनमें सहजीवन न था। सन् १९१३ से सन् १९२१ तक छह आवास एवं शिक्षणसमन्वित विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन् १९१६ में महामना पं० मदनमोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तथा सन् १९२० में सर सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन् १९१८ में निजाम हैदराबाद ने उसमानिया विश्वविद्यालय स्थापित किया। उसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू रखा गया था।

स्वाधीनताप्राप्ति के उपरांत भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। भारत के विश्वविद्यालयों में से कुछ विश्वविद्यालय विशिष्ट विषयों कृषि, इंजीनियरिंग, संस्कृत, संगीत आदि के अध्ययन को प्रधानता देने की दृष्टि से स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिये 'उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर नैनीताल, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर (उड़ीसा), आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय रुड़की आदि हैं। इसी प्रकार काशी तथा दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय तथा खैरागढ़ (मध्यप्रदेश) इंदिरा कला,और संगीत विश्वविद्यालय हैं। केवल महिलाओं के लिये बंबई में थैकरसी विश्वविद्यालय है।

इनके अतिरिक्त कुछ शिक्षण संस्थाओं को उनके विशिष्ट महत्व के कारण विश्वविद्यालय के समक्ष माना गया है। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामेमिलिया देहली, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, ने स्वाधीनताप्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः उन्हें विश्वविद्यालय के समकक्ष स्थान दिया गया। विज्ञान तकनीकी एवं समाजविज्ञान के शिक्षानुसंधान की विशिष्टताओं के कारण बिड़ला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देहली, टाटा समाजविज्ञान संस्थान बंबई तथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान देहली को भी विश्वविद्यालय के समकक्ष माना गया है।

तेरहवीं शताब्दी में स्थापित ब्रिटेन के आक्सफर्ड एवं कैंब्रिज विश्वविद्यालय उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी तक निर्मित बरमिंघम,

गणना, कृषि, बहीखाता, धनुर्विद्या आदि, संमिलित थे। बौद्ध तथा जैन दर्शन एवं तर्कशास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। काठियावाड़ में वल्लभी तथा दक्षिण में कांची भी तक्षशिला और नालंदा के समान शिक्षा के बड़े केंद्र थे।

मुसलमानों के आक्रमण तथा उनके द्वारा राज्यस्थापन से प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय नष्ट हो गए। मुसलमान शासकों ने विभिन्न स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिये 'मदरसा' अथवा महाविद्यालय स्थापित किए। इस काल में लाहौर, दिल्ली, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, अजमेर, बीदर, आदि स्थानों के मदरसे प्रसिद्ध थे, और उनमें अरबी फारसी साहित्य, इतिहास, दर्शन, रीतिशास्त्र, कानून, ज्यामिति, ज्योतिष, अध्यात्मशास्त्र, धर्मविज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाते थे। वस्तुतः यह मदरसे ही विश्वविद्यालयीय शिक्षा की व्यवस्था करते थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कालेज उच्च शिक्षाकेंद्र के रूप में स्थापित हुए। सन् १८४५ ई० में बंगाल काउंसिल ऑव एजूकेशन ने पहली बार कलकत्ते में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रस्ताव पास किया जिसे आगे चलकर सन् १८५४ ई० के बुड के घोषणापत्र ने स्वीकार किया। इसके अनुसार कलकत्ता विश्वविद्यालय की योजना लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर बनाई गई थी और उसमें कुलपति, उपकुलपति, सीनेट, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा, आदि की व्यवस्था की गई। सन् १८५६ ई० तक कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये योजनाएँ तैयार हो गईं, और २४ जनवरी, १८५७ ई० को तत्संबंधी बिलों को भारत के गवर्नरजनरल की स्वीकृति प्राप्त हो गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पहले कार्य आरंभ किया और बाद में उसी वर्ष बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय ने। प्रारंभ में इन विश्वविद्यालयों में चार प्रधान, कला, कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग के खोले गए। ये विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को संबंधित (affiliate) करनेवाले थे। बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों का यह अधिकार अपने ही प्रांतों तक सीमित रहा। सन् १८६७ ई० में पंजाब प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रस्ताव किया गया और सन् १८८२ ई० में विशेषतः पूर्वी भाषाओं के अध्ययन के लिये पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन् १८८२ ई० के शिक्षा आयोग ने महाविद्यालयीय शिक्षा तथा वित्त संबंधी परिस्थिति का पूर्णरूपेण पुनरवलोकन किया और अपने सुझाव दिए। सन् १८८७ ई० में इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सन् १९०२ ई० के विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों को 'शिक्षण संस्थाओं' के रूप में, तथा सीनेट, सिंडीकेट और फ़ैकल्टी' को मान्यता देने की संस्तुति की। सन् १९०४ ई० के विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा सीनेट के संघटन में परिवर्तन हुआ, उसकी सदस्यता में वृद्धि हुई; सिंडीकेट को कानूनी मान्यता मिली और उसमें अध्यापकों का प्रतिनिधित्व भी रहा; आचार्य एवं अध्यापकों की नियुक्ति के नियम तथा शर्तें निश्चित हुईं। सन् १९११ ई० की संशोधित नीति के आधार पर ढाका, अलीगढ़, बनारस, पटना, नागपुर आदि में नए शिक्षण तथा आवास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन् १९१६ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर शिक्षा विभागों को प्रारंभ किया। इस विश्वविद्यालय की दशा की जाँच के लिये सन् १९१७ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना जिसकी रिपोर्ट ने देश में उच्च शिक्षा के विकास पर विशेष प्रभाव डाला। अब विश्वविद्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्य से अलग हो गए और उनका ध्यान तथा स्नातकोत्तर अध्ययन पर केंद्रित हुआ। पाठ्य विषयों तथा उनके विस्तार में वृद्धि हुई, और शिक्षक प्रशिक्षण, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, भवननिर्माण, कृषि आदि विषयों का अध्यापन होने लगा। सन् १९२४ ई० में अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड बना जिसने विश्वविद्यालयों के कार्य को सुगठित किया। उच्च शिक्षा के निरंतर विस्तार होने से विश्वविद्यालयों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई जैसा कि केंद्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट से प्रकट होता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् १९४८ ई० में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय एवम् जनता के आधार पर पुनः संगठित करने के लिये विस्तृत सुझाव दिए। देश की दशा एवम् आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने पर जोर दिया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के बाद विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी। विश्वविद्यालयों की दशा की जाँच करने और उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु उन्हें अनुदान देने के लिये केंद्रीय सरकार ने एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grants Commission) बनाई। विश्वविद्यालय शिक्षण तथा संबंधित करनेवाले (affiliating) दोनों प्रकार के हैं। विश्वविद्यालय अनुदान समिति शिक्षण रूप धारण करने पर अधिक बल देती है।

कुछ भारतीय विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार पर आधारित हैं, यथा बनारस, अलीगढ़, विश्वभारती आदि। अन्य विश्वविद्यालय शिक्षण करनेवाले तथा आवास हैं। इनमें छात्रावास में रहते, तथा विद्याध्ययन करते हैं। दूसरे विश्वविद्यालय वे हैं जो केवल परीक्षा लेते तथा महाविद्यालय संबंधित करते हैं। इन विश्वविद्यालयों में भी अब शिक्षण कार्य होने लगा है।

विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिये कुलपति, उपकुलपति, समिति (सीनेट), कोर्ट (सभा), शिक्षा समिति (Academic Council), रजिस्ट्रार और उसके सहायक आदि होते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रायः प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, अवैतनिक हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति को (Visitor) के रूप में माना जाता है।

पाठ्यक्रमीय संघटन की दृष्टि से प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रधान (Faculties), यथा कला, विज्ञान, वाणिज्य, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि, आदि में बँटा हुआ है। प्रधान के प्रधान अध्यक्ष (Dean) होते हैं। इनके अंतर्गत विभिन्न विभाग होते हैं जिनके

और ज्ञान तथा निष्पक्षता और असंबद्धता की भावना के आधार पर इन्हें चुना जाता है। सरकार का प्रतिनिधित्व दो अधिकारी, सामान्यतः वित्त-सचिव और शिक्षा-सचिव, करते हैं। अन्य चार सदस्य प्रसिद्ध शिक्षाविद् और उच्च शैक्षिक योग्यताप्राप्त व्यक्ति होते हैं। इनमें से एक को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी अध्यक्ष नहीं बन सकते। पिछले दस वर्षों में आयोग को इससे बड़ा लाभ हुआ। प्रसिद्ध शासक एवं शिक्षाविद् डा० वि० दा० देशमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति तथा भारत के भूतपूर्व वित्तमंत्री, १९५६ के बाद ६ साल तक इसके अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात् सौभाग्यवश डा० दौलतसिंह कोठारी अध्यक्ष हुए। प्रथम अध्यक्ष ने आयोग की कार्यविधियों के लिये मजबूत नींव तैयार की और विश्वविद्यालयों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श की परंपरा स्थापित की। इसके बाद डा० दौलतसिंह कोठारी ने विश्वविद्यालयों में विकास के नए कार्यक्रम शुरू किए जैसे उच्च अध्ययन केंद्र की स्थापना, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये, विशेषतया विज्ञान में, ग्रीष्मकालीन कक्षाओं का आयोजन, और विश्वविद्यालय की सहायता के लिये अन्य बहुत सी योजनाएँ। अध्यक्ष और सचिव आयोग के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होते हैं और अन्य सदस्य अवैतनिक।

आयोग की सहायता के लिये एक सचिवालय है जिसमें एक सचिव, एक संयुक्त सचिव, तीस अन्य अधिकारी तथा करीब दो सौ अन्य कर्मचारी हैं। नई दिल्ली में इसके दफ्तर के लिये अपना मकान है और इसका प्रशासनिक व्यय बहुत ही कम है—कुल वार्षिक बजट का प्रायः १½ प्रतिशत। उदाहरणार्थ, १९६५-६६ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कुल बजट करीब १५·६ करोड़ रुपए था जिसमें से प्रशासनिक व्यय सिर्फ २० लाख रुपए हुआ। १५·४ करोड़ रुपए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को उचित विकास अनुदान देने पर तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान देने पर खर्च हुए। आज ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या इस प्रकार है—केंद्रीय विश्वविद्यालय ४, राज्य विश्वविद्यालय ६५ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएँ ९।

स्तर बनाए रखने के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह भी अधिकार है कि यह विश्वविद्यालय विभागों का निर्धारित तरीके से निरीक्षण कर सके। इसके लिये विश्वविद्यालय को निरीक्षण की तिथि सूचित करना आयोग के लिये जरूरी होगा और निरीक्षण कार्य से विश्वविद्यालय भी संबद्ध रहेगा। निरीक्षण परिणाम के संबंध में आयोग अपने विचार विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगा और विश्वविद्यालय की राय मालूम करने के बाद उससे यह सिफारिश करेगा कि निरीक्षण के फलस्वरूप विश्वविद्यालय क्या क्या करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में यह भी अधिकार है कि विश्वविद्यालय की ओर से दी गई सफाई को ख्याल में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देना रोक दे। अपवाद स्वरूप ही ऐसे अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। पिछले दस वर्षों में अब तक इनका प्रयोग नहीं किया गया है परंतु ये विश्वविद्यालयों की रोकथाम का काम करते हैं।

इसी तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में धारा २० के अधीन राष्ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीतियों के प्रश्न पर आयोग को केंद्रीय सरकार के निर्देशन में मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। फिर भी, यह बता दिया जाए कि अब तक ऐसे निर्देश दिए जाने का मौका नहीं हुआ है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें पूर्ण समन्वित रूप में कार्य करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हितों को सरकार का समर्थन प्राप्त होता है और राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय नीति पर सरकार के विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों में प्रतिध्वनित होते हैं।

अधिनियम ने आयोग को जो काम करने की जिम्मेदारी दी है उनके कार्यान्वयन के लिये आयोग की बैठक जनवरी और जून छोड़कर हर महीने में एक बार होती है—साधारणतः महीने के प्रथम बुधवार को। इस प्रकार साल में दस बैठकें होती हैं, यद्यपि विशेष बातों के लिये असाधारण बैठकें भी हो सकती हैं। आयोग की बैठकों में प्रस्ताव पारित होते हैं जिनके अनुसार सचिवालय अनुदान देता है या विश्वविद्यालय, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को आयोग के परामर्श प्रेषित करता है। विशेष समस्याओं के लिये अनेक तदर्थ या विशेष समितियाँ बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे उच्च अध्ययन केंद्र समिति, नवीन विश्वविद्यालय समिति, क्षेत्र अध्ययन समिति, ग्रीष्मकालीन कक्षा समिति इत्यादि। इनमें से कुछ अब स्थायी समितियाँ बन गई हैं।

प्रत्येक पंचवर्षीय विकास योजना के प्रारंभ में योजना आयोग की सलाह पर सरकार आयोग को बता देती है कि विकास कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल कितनी निधियाँ मिलेंगी। चार केंद्रीय विश्वविद्यालय-दिल्ली, वाराणसी, अलीगढ़ और विश्वभारती के अनुरक्षण अनुदान के लिये तथा दफ्तर के प्रशासनीय खर्च के लिये सरकार अतिरिक्त निधि देती है। प्रत्येक योजना के शुरू में आयोग जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाता है वह है विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये जाँच समिति नियुक्त करना। आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को बता दिया जाता है कि विभिन्न विभागों और संबद्ध कालेजों के विकास के लिये उनको आयोग करीब करीब कितनी रकम देगा। तब जाँच समितियाँ विश्वविद्यालय योजनाओं की परीक्षा करती हैं और योजनावधि में होनेवाली वित्तीय आवश्यकताओं पर आयोग को राय देती हैं। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने वित्तीय साधन देखते हुए हर विश्वविद्यालय को विकास के लिये धनराशि वितरित करता है। कार्यक्रमों की मंजूरी विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विशेषज्ञों द्वारा की गई जाँच को देखते हुए दी जाती है। कालेज विकास, उच्च अध्ययन केंद्र, ग्रीष्मकालीन कक्षा जैसे विशेष कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान

लीड्स, मैनचैस्टर, लिवरपूल, न्यूकैसल, ग्लासगो, एडिनबरा, विक्टोरिया, डरहम, आदि विश्वविद्यालयों के समान ही ज्ञान, विज्ञान के आधुनिकतम शिक्षा संस्थानों से संपन्न होकर प्राचीन और आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूरोप के इसी प्रकार के अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों में फ्रांस के, पेरिस विश्वविद्यालय (स्थापित १२५३ ई०), टाउलोज (१२२६ ई०), मांपेलिया (Montpellier, १२८६ ई०), इटली के नेपल्स (१२२४ ई०), फ्लोरेंस (१३२१ ई०), रोम (१३०३ ई०), जेनोआ (१४७१ ई०); जर्मनी का म्यूनिख (१४७२ ई०) स्पेन के बारसीलोना (१४५० ई०) मैड्रिड (१५०८), पुर्तगाल के कोइंब्रा [Coimbra (१२८० ई०)], स्वीडन का अपसाला (१४७७ ई०) तथा नीदरलैंड का लाइडन (१५७५ ई०) आदि विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन एवं नवीन शिक्षा परम्पराओं के संदेशवाहक होकर विद्यमान हैं।

कोलंबिया, स्टैनफर्ड, शिकागो, कैलीफोर्निया, फ्लोरिडा, शिकागो, हार्वर्ड, वाशिंगटन, इंडियाना, मिशीगन, येल आदि अमरीका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं।

रूस में मास्को, लेनिनग्राड जैसे विशाल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सोवियत संघ के विशाल भूभागों के लिये सेंट्रल एशियन लेनिन विश्वविद्यालय 'फार ईस्ट विश्वविद्यालय' तथा सोवियत संघ के विभिन्न राज्यों के अपने अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। सोवियत संघ की प्रगतिशीलता ने अनुसंधान क्षेत्र में युगपरिवर्तनकारी कार्य किए हैं।

चीन में पीकिंग यूनिवर्सिटी और चाइना, पेकिंग, के नमूने पर चीन के सभी प्रमुख प्रदेशों में विश्वविद्यालय की पुनःस्थापना की गई है जिनमें भारतीय दर्शन और प्राचीनतम शिक्षा की प्रधानता है। सफार्ड, टूलन, मुंबिन, मार्सिल आदि यहां के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं।

एशिया एवं अफ्रीका के सभी देशों के प्रमुख नगरों में विश्वविद्यालय हैं। किसी किसी नगर में कई विश्वविद्यालय हैं। जिनेवा के समीप यों नगर में ही पांच विश्वविद्यालय हैं। छात्रों की संख्या की दृष्टि से एशिया में चीन, जापान और भारत में बड़े विश्वविद्यालय हैं। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त यहां जापान ने अपने क्षेत्रों में पुनर्निर्माण किया है यहां विश्वविद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में भी। [illegible] विश्वविद्यालय अपने एवं शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय क्षेत्र की शिक्षा में अमरीका भी उल्लेखनीय है। [illegible] के लिए [illegible], बराक, हरवर्ड, केम्ब्रिज, [illegible] आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। [र० म० भ०]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : संगठन और कार्य

[illegible] १९२५ ई० के [illegible] विश्वविद्यालय अनुदान [illegible] की गई है। [illegible] [illegible] और शैक्षिक स्थान के आधार पर चुने जाते हों, वास्तव में [illegible] मंडलीय युक्ति है। संयुक्त राज्य की विश्वविद्यालय अनुदान [illegible] १९१९ ई० में स्थापित की गई अब विश्वविद्यालयों के [illegible] असंतुलन से संयुक्त राज्य सरकार बहुत चिंतित थी। [illegible] कोष ने विश्वविद्यालय शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं की [illegible] पड़ताल करने के लिये तथा संसद् द्वारा दिए जा सकनेवाले [illegible] की प्रयुक्ति पर सरकार को मंत्रणा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से एक स्थायी समिति का प्रारंभ किया।

भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १९५६ में स्थापित हुआ, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय आयोग १९५९ में, न्यूजीलैंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १९६१ में, और श्रीलंका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १९६२ में। ये सब संस्थाएँ उसी प्रयोजन के लिये स्थापित हुई जिसके लिये अद्वितीय ब्रिटानी विश्वविद्यालय अनुदान समिति १९१९ में स्थापित हुई थी। इन सब संस्थाओं ने ब्रिटानी विश्वविद्यालय अनुदान समिति के ४५ वर्षों के अनुभव का लाभ प्राप्त है। गैर-राष्ट्रमंडलीय देशों में इसके सदृश संस्था अमरीका की नैशनल साइंस फाउंडेशन जो १९५० में स्थापित और जो अमरीकी सरकार की संघीय निधि से भौतिक, [illegible] और जैव विज्ञानों के संपूर्ण क्षेत्र में आधारभूत अनुसंधान के लिए मुख्यतः कालेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान द्वारा [illegible] और परामर्श देती है।

भारत सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [illegible] विश्वविद्यालय अनुदान समिति से थोड़ा अलग ढंग से कार्य [illegible] है, क्योंकि इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं और इसके कार्य [illegible] अधिनियम के अधीन संपादित होते हैं। इसके अतिरिक्त [illegible] की परिगणना (Schedule) VII की प्रविष्टि (entry) [illegible] अंकित सर्वधानिक कर्तव्य (obligation) भी इसकी [illegible] ओर हैं। वास्तव में, संविधान के अनुसार भारत में शिक्षा का [illegible] राज्यों के अधीन है लेकिन प्रविष्टि ६६ से स्पष्ट है कि [illegible] निर्माताओं ने भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य पर दूरदर्शिता [illegible] विचार किया था। इसका अर्थ है कि उच्च शिक्षा संबंधी [illegible] स्तरों का समन्वय और निर्धारण केंद्रीय सरकार का कर्तव्य [illegible] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा १२ के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के काम इस प्रकार बताए गए हैं [illegible] "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह साधारण कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित संस्थाओं की [illegible] विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन और समन्वय के लिये [illegible] विश्वविद्यालय के शिक्षा, परीक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों के लिए [illegible] और अनुरक्षण के लिये वह ऐसे सब काम करे जो इसे [illegible] करें। इस धारा के अधीन आयोग को इस प्रकार के कार्य [illegible] सकती है जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों की [illegible] का तथा अध्यापन और उनके स्तरों के अनुसंधान एवं [illegible] लिये निधियाँ देना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के [illegible] द्वारा [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] [illegible] है। देश की विश्वविद्यालय शिक्षा के [illegible]

र विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को राज्य एवं केंद्र सरकारों समक्ष रखने में एक अच्छे दूत का काम करेगा।

विश्वविद्यालय-शिक्षा ज्ञान के अर्जन, संप्रेषण और प्रयोग के ये है और किसी भी विकास के लिये विश्वविद्यालय के इन तीन य कामों में से प्रत्येक को सशक्त करने की जरूरत होती है। अनुसंधान से ज्ञान का अर्जन होता है, शिक्षण से ज्ञान का संप्रेषण र विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करनेवाली कसेवाओं में ज्ञान का प्रयोग। इस तरह, किसी भी समाज में, सकर अविकसित देशों में, जनता के आर्थिक और प्रगतिशील कास का गढ़ विश्वविद्यालय ही है, और व्यावसायिक संस्था के र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परामर्श, शैक्षिक प्रेरणा, रचार विमर्श और विकास की निधियों के जरिए इस राष्ट्रीय उद्देश्य ा समर्थन करता है। [के० एल० जो०]

विश्वामित्र गोत्रसूची में यह नाम है। अतः विश्वामित्र नाम के अनेक व्यक्ति होंगे, यह निश्चित है। वस्तुतः वैदिक वाङ्मय के विश्वामित्र और पुराणादि में पठित विश्वामित्र (जिनकी अनेक कथाएँ मिलती हैं) एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि इस गोत्र के विभिन्न व्यक्ति हैं, जो विभिन्न काल में हुए थे। श्रुति पुराणादि में विश्वामित्र संबंधी कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन से कई पृथक् विश्वामित्रों की सत्ता ज्ञात होती है, जैसा रजिंटर महोदय ने दिखाया है (Ancient Indian Historical Tradition, Ch-XXI)। वेदोक्त सुदास् नामक राजा से संबंधित विश्वामित्र, अयोध्याराज कल्माषपाद नृप से संबंधित विश्वामित्र, ताड़कानिधनकारी राम का सहायक विश्वामित्र एवं मेनका के गर्भ में शकुंतला को जन्म देनेवाला विश्वामित्र एक व्यक्ति नहीं हो सकता—ऐसा ज्ञात होता है।

काण्यकुब्जनृप कुशिकपुत्र गाधि का पुत्र विश्वामित्र पुराणों में बहुधा निर्दिष्ट हुआ है। वसिष्ठ के पुत्रों का नाश, स्नानादि की सुविधा के लिये कौशिकी नदी का निर्माण, नंदिनी धेनु के अपहरण को लेकर वसिष्ठ के साथ विवाद करना और उनके तपोबल से पराजित होकर ब्राह्मण्य लाभ के लिये यत्न करना इत्यादि कथाएँ बार बार इतिहास पुराण में कही गई हैं।

विश्वामित्र के मधुच्छंदा अष्टक आदि कई पुत्र हैं। ये सब पुत्र विभिन्न विश्वामित्रों के हैं — यह ज्ञात होता है। इसके वंशजों ने अनेक गोत्रों की प्रवर्तना की जिनमें देवरात, जाबाल, मालव, पाणिनि, सुश्रुत, याज्ञवल्क्य आदि नाम प्रसिद्ध हैं।

विश्वामित्र के साथ कई शास्त्रों का संबंध है। किसी विश्वामित्र ने भरद्वाज से आयुर्वेदाध्ययन किया, यह चरक से ज्ञात होता है। शाङ्खायन आरण्यक से विदित होता है कि किसी विश्वामित्र ने इंद्र से यज्ञज्ञान प्राप्त किया। अनुर्वेदाचार्यों में विश्वामित्र का नाम है—यह प्रवचहृदय के वाक्य से ज्ञात होता है। विश्वामित्र स्मृतिकार भी हैं। ये सब विश्वामित्र विभिन्न व्यक्ति हैं, ऐसा मानना संगत प्रतीत होता है। [र० शं० म०]

विश्वेदेव यह नाम अग्नि तथा श्राद्ध देवता का भी है और इस नाम का एक राक्षस भी हुआ है, पर प्रायः विश्वेदेवाः उन सभी को या उस देवताओं के समूह के लिये आता है जिनके नाम वेद, संहिता तथा अग्निपुराणादि में दिए गए हैं। भागवत में इन्हें धर्म ऋषि तथा (दक्षकन्या) विश्वा के पुत्र बताया है और इनके नाम दक्ष, क्रतु, वसु, काम, सत्य, काल, रोचक, आद्रव, पुरूरवा तथा कुरुज दिए हैं। इन सभों ने राजा मरुत के यज्ञ में सभासदों का काम किया था।

वर्तमान मन्वंतर में सात ही विश्वेदेव माने गए हैं और मार्कंडेय पुराणानुसार विश्वामित्र के तिरस्कार करने के कारण इन्हें द्रौपदी के गर्भ से उनके पाँच पुत्रों के रूप में जन्म लेना और अश्वत्थामा के हाथों मरना पड़ा था। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में विश्वेदेवों की स्तुति की गई है और शुक्ल यजुर्वेद में इन्हें गणदेवता के रूप में माना गया है। वेद संहिता में इनकी संख्या केवल नौ है और इन्हें इंद्र, अग्नि आदि से कुछ निम्न श्रेणी का माना है। ये मानवों के रक्षक तथा सत्कर्मों के पुरस्कारदाता कहे जाते हैं और ऋक्संहिता के एक मंत्र में इन्हें विश्व के अधिपति की उपाधि दी गई है। [रा० द्वि०]

विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम (सन् १८६१–१९६२) प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर तथा प्रशासक थे। इनकी शिक्षा बंगलूर के सेंट्रल कॉलेज तथा साइंस कॉलेज, पूना, में हुई थी। पूना से ही सन् १८८३ के परीक्षार्थियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर, आप इंजीनियरी के स्नातक हुए तथा बंबई के सरकारी निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद से उन्नति करते हुए अधीक्षक इंजीनियर के पद तक पहुँचकर सन् १९०८ में आपने स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण किया।

इन चौबीस वर्षों में आपने अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें एक नए प्रकार के अपशिष्ट-बंधिका पूरद्वार (waste weir floodgate) का निर्माण तथा एडेन (Aden) की सैनिक बस्ती के जलसंरक्षण तथा जलनिकास आयोजन तैयार करना, सम्मिलित है।

अवकाश ग्रहण के पश्चात् कुछ काल तक निजाम के हैदराबाद राज्य में बाढ़ रोकने और जलनिकास के संबंध में राय देने का काम आपने किया, पर बाद में मैसूर राज्य के सरकारी निर्माण विभाग में मुख्य इंजीनियर और सेक्रेटरी नियुक्त हुए तथा सन् १९१२ में इसी राज्य के दीवान का पद आपने सँभाला। इस पद पर छह वर्ष रहकर आपने न केवल इंजीनियरी, वरन् समाजसुधार तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व काम किए। आपके सुझावों से राज्य के शासन तथा शिक्षा-पद्धति में सुधार हुए, सन् १९१६ में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा प्रजा को प्रतिनिधि संस्थाओं को विस्तृत अधिकार मिले। यहाँ का कृष्णराज सागर बाँध आपका ही बनवाया हुआ है। आपकी चेष्टाओं के फलस्वरूप राज्य में नए नए उद्योग स्थापित हुए। राज्य से सुदूरवर्ती रेल का प्रबंध भी आपने अपने हाथ में लेकर उसमें सुधार किए। सेवानिवृत्त होने पर भी राज्य के सलाहकार के अनेक काम आपके हाथों पूरे हुए।

इंजीनियरी विषयक कामों के संबंध में आपकी सलाह की समस्त देश में बहुत माँग थी। बंबई और कराची के म्यूनिसिपलटी को सलाह देने के सिवाय, कई नगरों के जलसंरक्षण और निकास, उड़ीसा में बाढ़ निवारण तथा सुरक्षा के संबंधित आयोजन आपकी

आयोग सुदूर ही विश्वविद्यालयों और कालेजों के विचार विमर्श से चलाता है। वार्षिक योजना के जरिए बजट बनाने का सामान्य तरीका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर भी लागू होता है। परियोजनाओं को घटाने बढ़ाने की भी बड़ी जरूरत होती है क्योंकि कुछ परियोजनाओं की प्रगति अच्छी होती है और कुछ परियोजनाएँ निर्माण में कठिनाइयों के कारण या नए पदों के लिये उपयुक्त व्यक्ति न मिलने के कारण या ऐसे ही कारणों से, पिछड़ जाती हैं।

इस तरह के काम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिवालय के अधिकारियों पर बहुत अधिक भार पड़ता है। विश्वविद्यालयों की कुछ कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिये तदर्थ विशेष समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। विश्वविद्यालयों और कालेजों के कार्यक्रमों को देखने जाने का और विशिष्ट प्रश्नों पर विचार विमर्श करने का प्रबंध करना होता है। विश्वविद्यालयों में जानेवाली समितियाँ और अधिकारीगण रिपोर्ट देते हैं और इनकी राय पर आयोग कोई निर्णय करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विगत दस वर्षों के अस्तित्व में, उच्च शिक्षा स्तर के विकास के लिये किए गए कामों का प्रभाव भौतिक एवं शैक्षिक रूप में प्रकट है। स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है और इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि अब हमारे विश्वविद्यालय पहले की अपेक्षा ज्ञान के अधिक व्यापक क्षेत्र में कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई समीक्षा समितियाँ पाठ्यक्रम विषयों की उन्नति पर राय देने के लिये नियुक्त की हैं। विश्वविद्यालय अब इन परामर्शों को कार्यान्वित कर रहे हैं और विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बातचीत के फलस्वरूप पाठ्यक्रम विषय की उन्नति का कार्यक्रम निरंतर जारी रहता है। इसका यह परिणाम हुआ है कि पाठ्यक्रम-विषय दस वर्ष पहले की अपेक्षा गुण और विस्तार में अब बहुत ही बेहतर हो गए हैं।

एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में या एक ही विश्वविद्यालय के एक विभाग से दूसरे विभाग में विद्यार्थियों के

को दिए गए विभाग अनुदानों के फलस्वरूप विभाग स्तर पर छात्रसंख्या १९५०-१९५१ के ४०० १९६३-१९६४ में १७००० हो गया। यह वृद्धि अधिक है। विज्ञान में अनुसंधान के लिये छात्रसंख्या में ७११ से बढ़कर २२५५ हो गया। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में तिगुनी वृद्धि हुई है। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ज्ञात है कि विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर स्नातकपूर्व क्षेत्र में शिक्षा के लिये स्नातकोत्तर विभागों को सर्वप्रथम प्राथमिकता देता है क्योंकि इस प्रकार से प्रशिक्षित छात्र भविष्य की शक्ति हैं। राष्ट्रीय विकास के काम में वे आगे रहते हैं। विद्यालय तथा कालेजों में शिक्षक रूप में लौटकर आते हैं। इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता विद्यालय की प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों को विकसित करने में है। पिछले सात वर्षों में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं और करीब ६ भवननिर्माण आदि पर तथा इतने ही रुपए अतिरिक्त खरीद के लिये खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार की प्रयोगशालाओं के विकास पर और नई प्रयोगशालाएँ खोलने पर है। इतने अधिक छात्रों को, चाहे स्नातकपूर्व हों, अध्ययन के लिये पुस्तकालयों में और प्रायोगिक एवं के लिये प्रयोगशालाओं में अनुकूल वातावरण पहले तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। इसी तरह सबल विकसित किया गया है और विगत पाँच वर्षों में इन वास, २६३ पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाएँ, २०४ ६५ हॉबी वर्कशाप, और ६०० पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय गए हैं। ७२३ कालेजों को त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के विकास के लिये बड़े अनुदान दिए गए हैं और बेतन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों की प्रगतता हुई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न कार्य

नलिकाओं का उपयोग कर सकने की स्थिति में न हो। निद्रालु या अचेतन रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसके आमाशय की अंतर्वस्तु के तरलापनयन (aspiration) का भय रहता है। संक्षारक विषों के उपशमकों के अंतर्ग्रहण की स्थिति में भी वमन वर्जित है।

वमन कराने के लिये गले में अंगुली या अन्य वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, या निम्नलिखित वस्तुओं में से कोई चीज खिलानी चाहिए: ऐपोमॉरफीन हाइड्रोक्लोराइड, चूर्णित सरसों, (powdered mustard) और नमक या प्रबल साबुन जल (strong soap suds)।

जठरीय तरलापनयन और वस्तिक्रिया — इन क्रियाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं (१) अतिरिक्त असंक्षारक विषों का निष्कासन, जिन्हें बाद में जठरांत्र क्षेत्र (gastro intestinal tract) से अवशोषित किया जा सकता है; (२) वमन केंद्र के निर्बल होने पर जब वमन नहीं होता, तब केंद्रीय तंत्रिकातंत्र को अवसादित करनेवाले विष का निष्कासन; (३) विषों की पहचान के लिये जठरीय अंतर्वस्तुओं के संचय और परीक्षण के लिये तथा (४) विषप्रतिकारकों के सुविधाजनक प्रयोग के लिये।

निषेधक लक्षण — निम्नलिखित स्थितियों में जठरीय तरलापनयन और वस्ति क्रिया नहीं की जाती है: (१) विष के द्वारा ऊतकों का व्यापक संक्षारण, (२) तीव्र निःसंज्ञ, जड़िमाग्रस्त (stuporous), या निश्चेतनताग्रस्त (comatose), रोगी, क्योंकि उसे तरलापनयन फुफ्फुसार्ति (pnuemonia) का खतरा रहता है।

विधि — नाक या मुँह द्वारा आमाशय में एक चिकनी, मृदु, न दबनेवाली आमाशय नली को धीमे धीमे प्रवेश कराना चाहिए। वस्तिक्रिया प्रचुर हो, परन्तु आमाशय का आध्मान (distention) न किया जाय। कुछ स्थितियों में थोड़े थोड़े अंतर पर अल्प तरल के साथ वस्तिक्रिया करना अच्छा होता है। वस्तिक्रिया के विलयन के आधिक्य को निकालना अनिवार्य है।

जठरीय वस्तिक्रिया के तरल — १. गुनगुना पानी या १ प्रति शत नमकीन पानी, २ पतला विलेय स्टार्च पेस्ट (paste), ३. एक प्रति शत सोडियम बाइकार्बोनेट, ४. पोटैशियम परमैंगनेट (१:२०००) विलयन, ५. एक प्रति शत विलेय थायोसल्फेट तथा ६. एक या दो प्रति शत हाइड्रोजन परऑक्साइड।

विरेचन (Cathartsis) — यह मंदकारी अवशोषण में प्रभावकारी हो सकता है। आंत्रिक अवशोषण के पहले विष का निष्क्रियकरण करने के लिये जठरीय वस्तिक्रिया अनिवार्य है, यदि तीव्र अम्ल या क्षार से विषाक्तता न हुई हो। जिस स्थिति में वस्तिक्रिया संभव नहीं है, उसके लिये निम्नलिखित उपाय करना चाहिए: (१) विष प्रतिकारकों के द्वारा अम्लों और क्षारों का उदासीनीकरण, (२) विशिष्ट रसायनकों का अवशोषण (यह क्रिया विशिष्ट कारकों पर निर्भर होनी चाहिए) तथा (३) लवणों द्वारा निष्क्रियकरण (लवण धातुओं को अवशोषित करते हैं, अनेक विषों के अवशोषण को कम करने में सहायक होते हैं और वे प्रदाहग्रस्त श्लेष्मल झिल्लियों को बड़ी शांति प्रदान करते हैं)। ३-४ ग्रामों का श्लेषक ५०० मिली लिटर दूध या पानी में, मक्खियां दूध, पतले आटे या मंड के विलयन में (यदि सम्भव हो तो उबले हुए में) मिलाकर देना चाहिए।

सहायक और लाक्षणिक उपाय — तीव्र विषाक्तता के शिकार लोगों को जागरूक डाक्टरी देखभाल में रखना चाहिए, जिससे विषाक्तता की तात्कालिक और विलंबित जटिलताओं का पूर्वानुमान किया जा सके। विष खाकर आत्महत्या करने में विफल लोगों को किसी मनश्चिकित्सक की देखरेख में रखना चाहिए।

परिसंचारी विफलता (Circulatory failure) — इसमें (१) संक्षोभ के समय मुख्य उपाय हैं, पार्श्वशायी स्थिति (recumbent position), ऊष्मा, उद्दीपकों का प्रयोग और प्रभावी रुधिर आयतन की वृद्धि के लिये आंत्रेतर तरलों का (parenteral fluids) प्रयोग, (२) हृदीय असफलता के समय मुख्य उपाय है, ऑक्सीजन, डिजिटेलिस (digitalis), पारदीयमूत्रवर्धक औषधियों का सेवन, तथा (३) फुफ्फुसशोथ (pulmonary oedema) के समय मुख्य उपाय है, धनात्मक दबाव के साथ ऑक्सीजन सेवन, आंत्रेतर (parenteral) लवण या अन्य आंत्रेतर तरल (प्लाज्मा छोड़कर) से बचाना।

श्वसन असामान्यताएँ — (१) श्वसन अवरोध के समय मुखग्रसनी (oropharyngeal) वायुपथ और आंतरश्वासप्रणाल (intra-tracheal) निगालन (intubation) को ठीक करना चाहिए। (२) श्वसन अवनमन (depression) के समय रोगी को खुली हवा में कृत्रिम श्वसन कराना चाहिए। पुनरुज्जीवक (resuscitator), या अन्य स्वयंचल संवातन, यथाशीघ्र करना चाहिए। उद्दीपकों से लाभ होना संदिग्ध है। साधारणतया उपयोग में आनेवाले उद्दीपक निम्नलिखित हैं:

(क) गरम, कड़ी काली कॉफी, मुख से या गुदामार्ग से,

(ख) गरम कड़ी चाय मुख से,

(ग) एक प्याले पानी में दो या चार मिलिलीटर अमोनिया का ऐरोमेटिक स्पिरिट,

(घ) ५०-१२० मिलिलीटर एकेड्रिन सल्फेट मुख से या अधस्त्वक् रूप से

(ङ) कोरामिन (coramine) की सूई,

(च) ऐंफाटेमिन सल्फेट ५-४० मिलिग्राम मुख से या सूई तथा

(छ) मेथाऐंफाटेमिन हाइड्रोक्लोराइड, २.५-१५ मिलिग्राम मुख से

केंद्रीय तंत्रिकातंत्र संक्षोभ — (१) केंद्रीय तंत्रिकातंत्र की उत्तेजना होने पर संक्षोभक या प्रति आक्षेप (anti-convulsant) का प्रयोग करना चाहिए: (क) ऐमोबारबिटल सोडियम (ऐमिटल) का ताजा १० प्रति शत विलयन २५०-५०० मिलिलीटर, (ख) पैराऐल्डिहाइड मुख से, गुदामार्ग से या निर्जल में तथा (ग) कैल्सियम ग्लूकोनेट १० प्रतिशत, १०-२० मिलिलीटर, सूई से।

निर्जलीकरण (Dehydration) — संक्षेपानुसार मौखिक या आंत्रेतर तरल।

पीड़ा—पीड़ाहर और स्वापक (Narcotic) औषधि देनी चाहिए।

ही सूझ के परिणाम थे। बाँधों और जलाशयों पर सौराष्ट्र शासन को तथा बिहार में गंगा के पुल निर्माण पर केंद्रीय सरकार को भी आपने बहुमूल्य सलाहें दीं।

सन् १९२२ के सत्याग्रह आंदोलन के समय सर्वदल परिषद् के अध्यक्ष के रूप में आपने राउंड टेबुल कॉन्फरेंस बुलाने पर जोर दिया तथा सन् १९२९ में आप दक्षिण भारत राज्य जन परिषद् के सभापति रहे। सन् १९४१ में आपने सर्वभारतीय निर्माता संघ की स्थापना की, जिससे उद्योगों को लाभ पहुँचा।

कलकत्ता, पटना तथा इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों ने आपको डी० एस सी०, बंबई तथा मैसूर विश्वविद्यालयों ने एल-एल० डी० तथा बनारस हिंदू युनिवर्सिटी ने डी० लिट्० की संमानसूचक उपाधियाँ दीं। ब्रिटिश भारत सरकार ने सन् १९१५ में के० सी० आइ० ई० की तथा स्वतंत्र भारत ने सन् १९५५ में भारतरत्न की उपाधि प्रदान की।

देश की सेवा में अनेक सृजनात्मक कार्यों का संपादन और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर, पूरे सौ वर्ष की आयु भोगकर, अपनी जन्मशताब्दी के उत्सव के बाद, १४ अप्रैल, १९६२, को आप दिवंगत हुए। [म० दा० व०]

विष ऐसे पदार्थों के नाम हैं, जो खाए जाने पर श्लेष्मल झिल्ली (mucous membrane), ऊतक या त्वचा पर सीधी क्रिया करके, अथवा परिसंचरण तंत्र (circulatory system) में अवशोषित होकर, घातक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करने, या जीवन नष्ट करने, में समर्थ होते हैं।

विषाक्तता (poisoning) के लक्षण निम्नलिखित हैं :

(१) जठरांत्र उत्तेजन (Gastrointestinal irritation) — साधारणतया वमन, पेट की पीड़ा और अतिसार (diarrhea) विषाक्तता के प्रमुख लक्षण हैं। यदि कुछ ही घंटों के भीतर अनेक व्यक्ति विषाक्तता के शिकार हुए हों, तो किसी खाद्यवस्तु को क्षोभक (irritant) का वाहक समझा जा सकता है। (२) प्रलाप — यह रासायनिक विष या उपापचयी (metabolic) गड़बड़ी और ज्वर के परिणामस्वरूप उत्पन्न रुधिरविषाक्तता (toxaemia) के कारण होता है। थोड़ी मात्रा में ही प्रलाप उत्पन्न करनेवाले रासायनिक विषों में बारबिट्यूरेट, ब्रोमाइड का चिरकालिक प्रयोग, ऐल्कोहॉल, हाइओसायनिन (hyocyanine) आदि हैं। इनमें से प्रथम तीन अधिक प्रचलित हैं और प्रलाप प्रायः अत्यधिक नशे का सूचक होता है। (३) संमूर्च्छा (coma) — प्रमस्तिष्कीय (cerebral) क्षति अधिक होने पर प्रलाप संमूर्च्छा में परिवर्तित होता है। सामान्यतया बारबिट्यूरेट और ऐल्कोहॉल ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं। (४) ऐंठन (Convulsions) — ये दो प्रकार की होती हैं : (क) मेरुदंडीय या टाइटेनिक ऐंठन, जो अत्यंत बाह्य उत्तेजन, जैसे स्ट्रिक्निन (strychnine), से उत्पन्न होती है (इसमें स्फूर्ति (tone) रहती है और संज्ञा संमुलित रहती है), (ख) [illegible] या विटीमिन्स ऐंठन में संज्ञाहीनता होती है, [illegible] ऐंठन पर्यावरण से होती है।

हैं। प्रतिहिस्टामिन औषधि, कपूर, फेरस सल्फेट और ऐंफाटेमिन इसके उदाहरण हैं। (५) परिणाह चेताकोष (Peripheral neuritis)— सीसा, आर्सेनिक, सोना, पारा आदि से चिरकालिक (chronic) विषाक्तता होने पर परिणाह पेशी की दुर्बलता होती है, जिसमें शरीर क्षीणता है और जठरांत्र (gastrointestinal) विक्षोभ भी होता है।

विषों का वर्गीकरण — लक्षणों के अनुसार विषों के वर्गीकरण निम्नलिखित हैं :

(१) संक्षारक : सांद्र अम्ल और क्षार; (२) उत्तेजक : (क) अकार्बनिक — फॉस्फोरस, क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि अधात्विक और आर्सेनिक, ऐंटिमनी, पारा, ताँबा, सीसा, जस्ता, चाँदी आदि धात्विक; (ख) कार्बनिक — रेंड़ी का तेल और बीज, मदार, क्रोटन (croton) तेल, घृतकुमारी (aloes) आदि वनस्पति और हरिभृंग (cantharides), साँप तथा अन्य कीटों के दंश, (ग) यांत्रिक—हीरे की धूल, चूर्णित काच, बाल आदि; (३) स्नायुतंत्रिक (neurotic) : (क) मस्तिष्क को क्षति पहुँचानेवाले, अफीम और उसके ऐल्केलॉयड, ऐल्कोहॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, धतूरा, बेलाडोना, हायोसायामस (hyoscyamus); (ख) मेरुरज्जु को प्रभावित करनेवाले — कुचला (nux vomica), जेलसेमियम मूल। (ग) हृदय को प्रभावित करनेवाले — वच्छनाभ (aconite), डिजिटैलिस (digitalis), कनेर, तंबाकू, हाइड्रोसायनिक अम्ल, (घ) श्वासावरोधक (Asphyxiants) — कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयला गैस, (ङ) परिणाह — विषगर्जर (conium) कोरारी (curare)।

तीक्ष्ण विषाक्तता के उपचार के सिद्धांत — विषाक्तता में आपाती उपचार (emergency treatment) के लिये, जिसमें जीवविष (toxin) खा लिया गया हो, निम्नलिखित क्रियाविधि अपनानी चाहिए :

(१) यथाशीघ्र उलटी, बस्तिक्रिया (lavage), विरेचन (catharsis) या मूत्रता (diuresis) द्वारा विष को निकालना।

(२) विशिष्ट या सामान्य प्रतिकारक (antidote) से विष को निष्क्रिय करना और तब बस्तिक्रिया का उपचार।

(३) संक्षोभ (shock), पात (collapse) और अन्य विशिष्ट अभिव्यक्तियों (manifestations) के होते ही उनसे संघर्ष करना।

(४) श्लेष्मल झिल्लियों को श्लक्ष्णकों (demulcents) के प्रयोग द्वारा बचाना।

विष का निष्कासन — तीव्र अम्ल, क्षार या अन्य संक्षारक पदार्थ द्वारा विषाक्तता होने पर आमाशय नलिकाओं (stomach tubes), या वमनकारियों, का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनसे जठरीय वेधन (gastric perforation) हो सकता है। जठर के स्थित अंतर्वस्तु को खाली करने का सबसे सरल उपाय वमन है। वमन का प्रयोग तभी करना चाहिए जब रोगी विशिष्टक को सहयोग देने की स्थिति में हो, उसके शरीर में अतिरिक्त विष हो और आमाशय नलिकाओं का अभाव हो, या रोगी आकस्मिक

ुरी, नया गाम, काशी, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, मथुरा, हरिद्वार आदि तीर्थ तथा विभिन्न अवसरों पर होनेवाले हार, पर्व और विवाहों की बारातें भी इस रोग के प्रसार में होती हैं।

ल में विषूचिका का आगमन जनवरी के शीतकाल में सबसे ा है, पर मई जून तक बढ़ता है, वर्षा के आगमन पर जाता है और अक्टूबर में इसकी बार फिर बढ़ने लगता है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंबई तथा पंजाब में यह महामारी के रूप में अप्रैल से अक्टूबर तक होता रहता है। ा बंगाल के निकट है, वहाँ कम समय में और जो दूर हैं बक समय में यह रोग पहुँच पाता है। उत्तर प्रदेश और सटवर्ती प्रदेशों में प्रयाग तथा हरिद्वार के कुंभ तथा अर्धकुंभ में रोग अधिक फैलता रहा है। पंजाब में रोग का प्रवेश में होता है और कुरुक्षेत्र के सूर्यग्रहण के पर्व के समय यह धिक फैलता रहा है। दक्षिणपूर्वी एशिया में विषूचिका कम। यहाँ रोग व्यापक तो बहुत है, परंतु अधिक घातक नहीं। ाशास्त्र की उन्नति और रोग प्रतिरोधी उपायों के कारण में भी इस रोग की भयंकरता बहुत कम हो गई है, किंतु ामारी के (endemic) रूप में रोग की जड़ें अभी ई हैं। यह स्थानिकमारी समय समय पर भारी उत्पात खड़ा ती है। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि रोग की ता तथा आगमन में यह कमी स्थायी है, या नहीं।

ा रोग से कोई पशु पक्षी पीड़ित नहीं होता। यह केवल मनुष्यों रोग है और एक मनुष्य से ही दूसरे को होता है। रोगकारक ा लोलाणु, या विब्रियो कोलरी (Vibrio choleare), एक एक चलन जीवाणु है, जो रोगी के मल तथा वमन में पाया है। यह रोगी की आंत्रप्रणाली में ही बना रहता है और , लसीका ग्रंथियों, अथवा अन्य अवयवों में साधारणतः नहीं कर पाता। आंत्र प्रणाली में ही घातक जीवविष ंदिन) उत्पन्न करता है, जो रुधिर द्वारा शरीर के अन्य भागों हुँचकर रोगविकार उत्पन्न करता है। बहुत थोड़ा उद्भवन (एक या दो दिवस), तीव्र वेग से रोगवृद्धि (कभी केवल घंटों में ही घातक) तथा अत्यधिक विषाक्तता, इस रोग की ये तीन ानाएँ हैं। इसका कारण यह है कि लोलाणु की अल्प समय में ही ा अधिक वंशवृद्धि हो जाती है कि रोगी का मल इस लोलाणु संवर्धन (culture) घोल सा प्रतीत होता है और अन्य प्रकार जीवाणु का प्रायः अभाव सा होता है। यह जीवाणु चंचल होता है मल की एक सूक्ष्म बूँद में असंख्य लोलाणु सरोवर में मछली भाँति, एक ही ओर, छोटी बड़ी पंक्ति में चलते दिखाई पड़ते हैं। ा अग्र वक्र होता है। इस कारण इसे कॉमा बैसिलस (Comma cillus) भी कहते हैं। विषूचिका के लोलाणु से मिलते जुलते प्रकार के अन्य लोलाणु भी होते हैं, जो विषूचिका रोग उत्पन्न ने में असमर्थ पाए गए हैं। विषूचिका का वास्तविक लोलाणु ा माना जाता है जो लोलाणु वर्ग के ओ-उपभेद प्रथम (O bgroup 1) के अंतर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। इसकी विशेषता यह होती है कि इसके प्रथम उपभेद का ओ-सिरम से समूहन (agglutination) हो जाता है। फ्लाजेलर एच-समूहन (Flgellar H-agglutination) परीक्षा से इस उपभेद का पता नहीं चल सकता, किंतु कायिक ओ समूहन (Somatic O-agglutination) परीक्षा से इस लोलाणु के अन्य सजातीय लोलाणुओं से अलग पहचाना जा सकता है। इसके इनाबा (Inaba), ओगावा (Ogawa) और हिकोजीमा (Hikojima) नामक तीन प्रकार के भेद हैं, जो विषूचिका रोगकारी हैं। जो लोलाणु विषूचिका के लोलाणु से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, किंतु ओ-सिरम की समूहन परीक्षा में भिन्न पाए जाते हैं, उन्हें असमूहनीय लोलाणु कहा जाता है। इन असमूहनीय लोलाणुओं का विषूचिका रोग से क्या संबंध है, इसका निर्णय अभी नहीं हो सका है, किंतु यह अवश्य देखने में आया है कि कुछ असमूहनीय लोलाणु विषूचिका के अनुरूप हलका रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका उद्भवन काल भी अल्प है और संक्रमण द्वारा रोगप्रसार भी शीघ्र होता है, किंतु मृत्यु संख्या नगण्य सी है। संभव है कि समूहनीय अथवा असमूहनीय लोलाणु एक दूसरे की परिवर्तित अवस्थाएँ हों और असमूहनीय लोलाणु समूहन गुण प्राप्तकर, अधिक विषाक्तपूर्ण होकर, रोग उत्पन्न करने में समर्थ हो जाते हों।

विषूचिकाजनक लोलाणु अल्पजीवी है और सुगमता से नष्ट किया जा सकता है। अन्य जीवाणुओं के समान ६०° सें० के आर्द्र ताप पर कुछ ही मिनिट में यह मर जाता है, किंतु शुष्कता इसके लिये बहुत घातक है। यह सूखी अवस्था में साधारण ताप पर कुछ ही घंटों में मर जाता है। यह शीत वातावरण सहन कर सकता है। हिमांक के ताप पर भी कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। रोगाणुनाशी रासायनिक पदार्थों द्वारा सुगमता से इन लोलाणुओं का नाश किया जा सकता है। तारकोलजन्य फिनोल तथा क्रिसोलयुक्त रोगाणुनाशी पदार्थ इसे मारने के लिये बहुत उपयोगी हैं। यह लोलाणु मल में एक दो सप्ताह में ही मर जाता है और कूपों, तालाब, नदी आदि के जल में भी १०-१५ दिन से अधिक नहीं जीता। यह लवण और कार्बनिक पदार्थ युक्त जल, अथवा आर्द्र भूमि तल, में अधिक समय तक जीवित रहता है। अम्लीय वातावरण की अपेक्षा क्षारीय वातावरण में अधिक पनपता रहता है।

इस रोग का निश्चयात्मक निदान लोलाणुपरीक्षा द्वारा संभव है। परीक्षा के लिये रोगी के मल का कुछ अंश लवणयुक्त प्रतिरोधक बफर विलयन में मिलाकर, प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहाँ पेप्टोन के क्षारीय जल में तथा अन्य पौष्टिक पदार्थों में लोलाणु का संवर्धन कर, विशिष्ट प्रकार के ओ-सिरम से समूहन के अतिरिक्त अन्य परीक्षा कर, रोग का निदान किया जाता है। रोग के लक्षणों से तथा एक साथ अनेक व्यक्तियों के रोगग्रस्त होने से निदान संबंधी अनुमान किया जा सकता है, किंतु लोलाणु संबंधी परीक्षा से निदान पूर्णतः निश्चित हो जाता है। भोजन विषाक्तता तथा अतिसार, जलानगोटा एवं कुचले के विष से उत्पन्न लक्षण विषूचिका का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आवश्यक परीक्षा से वास्तविकता का पता लगाना संभव है।

चाहे कैसी ही विषाक्तता हो, यह चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह वमित पदार्थ, आमाशय धावन (wash) और मल मूत्र का नमूना सुरक्षित रखे। रोगी का नाम, संरक्षित पदार्थ का नाम, परीक्षण की तिथि और नमूने को ताले में बंद कर रखना चाहिए।

यदि गैरसरकारी चिकित्सक को शंका हो जाय कि रोगी की हत्या करने के लिये विष दिया गया है, तो उसे आपराधिक कार्यवाही संहिता की ४४ वीं धारा के अंतर्गत इसकी सूचना निकटस्थ पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिये, हर विषाक्तता के रोगी की सूचना पुलिस में दे देनी चाहिए। सरकारी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी सभी संदिग्ध विषाक्तता की सूचना पुलिस को देने के लिये बाध्य है। यदि रोगी मृत अवस्था में लाया, जाय, तो डाक्टर उसे मृत्यु का प्रमाणपत्र न दे और इसकी सूचना पुलिस को दे।

सामान्य विषों की चिकित्सा — देखें विष प्रतिकारक।

[गो० ना० च० तथा वि० पां०]

विषकन्या का प्रयोग राजा अपने शत्रु का छलपूर्वक अंत करने के लिये किया करते थे। किसी रूपवती बालिका को बचपन से ही विष की अल्प मात्रा देकर पाला जाता था और विषैले वृक्ष तथा विषैले प्राणियों के संपर्क से उसको अभ्यस्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त उसको संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी जाती थी, एवं सब प्रकार की छल विधियाँ सिखाई जाती थीं। अवसर आने पर इस विषकन्या को युक्ति और छल के साथ शत्रु के पास भेज दिया जाता था। इसका श्वास तो विषमय होता ही था, परंतु यह मुख में भी विष रखती थी, जिससे संभोग करनेवाला पुरुष रोगी होकर मर जाता था। [म० ला० श०]

विषप्रतिकारक विष कष्टकारक और घातक होते हैं। इनके प्रभाव के निराकरण के लिये कुछ औषधियाँ और उपचार प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विषप्रतिकारक कहते हैं। विष के खाने के अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ लोग आत्महत्या के लिये विष खाते हैं। कुछ लोग दूसरे का धनमाल हड़पने के लिये विष खिलाकर बेहोश कर, धनमाल लेकर चंपत हो जाना चाहते हैं। ऐसी बातें रेलयात्रियों के संबंध में बहुधा सुनी जाती हैं। कुछ लोग अनजान में विष खा लेते हैं और उसके अहितकर प्रभाव का शिकार बनते हैं। विषों के लाभकारी उपयोग भी हैं। कष्टकारक कीड़ों मकोड़ों, जैसे मच्छड़ और खटमल, और रोगोत्पादक जंतुओं, जैसे चूहों आदि, के नाश करने में विषों का प्रयोग होता है।

भारत में जो विष साधारणतः प्रयुक्त होते हैं, वे हैं अफीम, संखिया, तूतिया, धतूरे के बीज, कार्बोलिक अम्ल इत्यादि। कुछ विष अम्लीय होते हैं, जैसे प्रबल ऐसीटिक अम्ल, प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल नाइट्रिक अम्ल, प्रबल सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कार्बोलिक अम्ल। कुछ विष क्षारीय होते हैं, जैसे ऐम्कोनियम और कुछ उदासीन होते हैं, जैसे सीस, पारद के लवण, संखिया आदि। अम्लीय विषों के निराकरण के लिये किसी क्षारीय पदार्थ का प्रयोग होता है, जैसे बहुत तनु अमोनिया (आधे पाइंट जल में एक चाय चमच अमोनिया), चूने का पानी, प्लास्टर ऑव पेरिस, मैग्नीशिया, खड़िया इत्यादि। क्षारीय विषों के लिये अम्लीय प्रतिकारकों का प्रयोग होता है, जैसे हलका ऐसीटिक अम्ल, सिरका, नीबू का रस इत्यादि। जिस विष की प्रकृति न मालूम हो, उसे बहुत पानी में दूध मिलाकर अंडा, तेल, आटा और पानी या चूना पानी देना चाहिए। कुछ विशिष्ट विषों के विषप्रतिकारक इस प्रकार हैं :

अम्लीय विष — बहुत तनु अमोनिया, पारचूर्ण, मैग्नीशिया, खड़िया, चूना या साबुन पानी। दंतमंजन तथा वमनकारी औषधियों का सेवन निषिद्ध है।

क्षारीय विष — सिरका, नीबूरस, बहुत तनु ऐसीटिक अम्ल (२ से ३%) तथा शामक द्रव, जैसे तेल, घी, दूध, मलाई आदि, का सेवन।

अफीम — आमाशय का धोना, विशेषतः। मंद पोटाशपरमैंगनेट के विलयन से धोना चाहिए। ७ प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए ऑक्सीजन का सेवन, आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम श्वसन, वमनकारी एवं उद्दीपक औषधियों का सेवन तथा रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए।

संखिया — आमाशय की धुलाई, विशेष रूप से सोडियम थायोसल्फेट के विलयन से। सोडियम थायोसल्फेट की अंतः शिरा सूई भी दी जा सकती है। पीने को गरम काफी, जल और मॉर्फिन की सूई भी दी जाती है।

ऐकोनाइटम — आमाशय को टैनिक अम्ल या पोटैशपरमैंगनेट से धोना चाहिए। कृत्रिम श्वसन तथा उत्तेजना रोकने के लिये बारबिट्यूरेट का सेवन कराना चाहिए।

पारद लवण — आमाशय को विशेषतः सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट से, धोना चाहिए। कच्चा अंडा या दूध का सेवन, अम्लोपचय (acidosis) पर कैल्सियम लैक्टेट।

सीस — आमाशय को धोना तथा वमनकारी औषधियों, जैसे सोडियम सल्फेट या एप्सम, देना चाहिए, ताकि सीस शीघ्र ही निकल जाय। प्रचुर मात्रा में कैल्सियम तथा फॉस्फरस वाला आहार देना चाहिए।

रजत — रजत लवण के विषों के लिये बड़ी मात्रा में नमक जल तथा दूध या साबुन पानी पिलाना चाहिए। पारचूर्ण का सेवन कराना चाहिए।

ताम्र — ताम्र लवणों के विष के लिये दूध, अंडा, साबुन पानी, आटा और पानी का सेवन कराना चाहिए।

फॉस्फरस — तनु पोटैशपरमैंगनेट (१ भाग १,००० भाग जल में)। जल में मैग्नीशिया; वमन के लिये पाँच ग्रेन तूतिया, एक गिलास दूध या जल में आधा चायचमच तारपीन देना चाहिए। तेल या घी का सेवन वर्जित है।

कार्बोलिक अम्ल — एप्सम और ग्लोबर लवण (सोडियम सल्फेट) का सेवन, बहुत तनु ऐल्कोहॉल, कच्चा अंडा, आटा और पानी, दूध, रेंडी या जैतून का तेल देना चाहिए।

आयोडीन — स्टार्च और पानी देना चाहिए।

ऐंटीमनी — कड़ी चाय या कॉफी, आधे गिलास जल में आधा चायचमच टैनिक अम्ल; बाद में अंडा या दूध देना चाहिए।

विषैले पौधे — वमनकारी, उद्दीपक और रेंड़ी तेल सरश कड़ी जलकारी ओषधियाँ देना चाहिए।

सोमेन विष — गड़ी मछली, मांस, शाक भाजियों और डब्बे। बद खाद्यान्नों के खाने से होता है। वमनकारी ओषधियाँ तथा जलकारी ओषधियाँ, जैसे रेंड़ी का तेल एवं एप्सम लवण देना चाहिए। एक चायचमच तारपीन या दो चाय चमच ग्लिसरीन डालकर, साबुन पानी से एनीमा देना चाहिए। [कु० स० व०]

विषम दृष्टि (Ametropia) जब विषमपूर्ण नेत्र में समांतर प्रकाश किरणें रेटिना (retina) पर संगमित न होकर उसके संमुख अथवा पार्श्व में होती हैं, तो ऐसी अवस्था को विषम दृष्टि कहते हैं।

विषम दृष्टि (प्रकाश के अपवर्तन की त्रुटियाँ) निम्न प्रकार की होती है: (क) दीर्घ दृष्टि (Hypermetropia), (ख) निकट दृष्टि (Myopia) तथा (ग) दृष्टि वैषम्य (Astigmatism)।

दीर्घ दृष्टि — यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें नेत्र का मुख्य अक्ष लघु हो जाता है, अथवा नेत्र की अपवर्तन शक्ति क्षीण होती है। अतः समांतर प्रकाशकिरणें रेटिना के पार्श्व में संगमित हो जाती हैं।

निकट दृष्टि — यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें नेत्र का मुख्य अक्ष दीर्घ हो जाता है, अथवा नेत्र की अपवर्तन शक्ति अधिक हो जाती है। अतः समांतर प्रकाशकिरणें रेटिना के समक्ष संगमित हो जाती हैं।

दृष्टि वैषम्य —यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें नेत्र के वृत्ताकारों (meridians) में प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है।

दृष्टिवैषम्य दो प्रकार का होता है:

(१) नियमित (Regular)

(२) अनियमित (Irregular)

अनियमित दृष्टिवैषम्य मौलिक दोषों के कारण होता है, जैसे किरेटोनस, अथवा प्राप्त दशा, जैसे कॉर्निया की अपारदर्शकता।

नियमित दृष्टिवैषम्य निम्न प्रकार का होता है

(१) साधारण दीर्घ दृष्टि दृष्टिवैषम्य, (२) यौगिक दीर्घ दृष्टि दृष्टिवैषम्य, (३) साधारण निकट दृष्टि दृष्टिवैषम्य, (४) यौगिक निकट दृष्टि दृष्टिवैषम्य तथा (५) मिश्रित दृष्टिवैषम्य, जिसमें एक वृत्ताकार दीर्घ दृष्टि एवं अन्य निकट दृष्टि होती है। [स० पा० गु०]

विषाक्त पादप साधारणतः विषाक्त पादप ऐसे पौधे होते हैं जिनका समस्त अथवा थोड़ा अंश किसी भी दशा में खा लेने पर, किसी किसी में केवल स्पर्शमात्र से भी, हानिकारक परिस्थिति पैदा हो जाती है। इसके फलस्वरूप तत्काल मृत्यु हो सकती है, अथवा विष के धीरे धीरे प्रभाव से कालांतर में मृत्यु हो सकती है।

विषाक्त पौधों में निश्चित रूप से विषैले पदार्थ रहते हैं। विषैले पदार्थ कई रासायनिक तत्वों के संमिश्रण से बने होते हैं। ऐसे पदार्थ १ ऐमिन, २. प्युरिन, ३. ऐल्केलॉयड, ४ ग्लूकोसाइड तथा ५. सैपोनिन हैं। कुछ प्रोटीन भी विषैले होते हैं। कार्बोलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल तथा फॉर्मिक अम्ल के कारण भी कुछ पौधे विषाक्त होते हैं।

छोटे से लेकर बड़े बड़े वृक्ष तक विषाक्त होते हैं। कुछ एक कोशिका बैक्टीरिया, कुछ शैवाल, जैसे माइक्रोसिस्टस (Microcystus) और एनाबीना (Anabaena) भी विषाक्त होते हैं। कुछ कवक, जैसे क्लेविसेप्स (claviceps), मशरूम आदि भी, विषाक्त होते हैं। विषैले मशरूम कई प्रकार के होते हैं। कुछ आंत को, कुछ रुधिर को, कुछ तंत्रिकातंत्र को, कुछ मस्तिष्क को और कुछ नेत्रों को आक्रांत करते हैं।

विषाक्त पादपों में एकोनिटम नैपेलस (Aconitum napelus), (देखें बज्रनाभ), रैननकुलस स्क्लेरेटस (Ranunculus scleratus), एनोना स्क्वैमोसा (Anona squamosa), भड़भाड़ (Argemone mexicana, बिहार में इसे 'घमोई' कहते हैं), सत्यानाशी, अफीम (देखें, अफीम), (देखें, कुचिला), तथा मदार (calotropis) हैं। भड़भाड़ के बीज काले सरसों के ऐसे और आकार के होते हैं। इसके तेल के खाने से बेरी बेरी से मिलता जुलता रोग होता है।

सं० ग्रं० — रामनाथ चोपड़ा और एस० जी० घोष . विषाक्त पौधा (१९४९)। [र० श० डि०]

विषाणु को अंग्रेजी में वायरस (Virus) कहते हैं। वायरस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ विष है। तंबाकू के चितीरोग के कारण की खोज करने पर पता लगा कि यह रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, वरन् एक ऐसे जीवित पदार्थ के कारण होता है। जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, इस सूक्ष्म पदार्थ का ही नाम वायरस पड़ा। मनुष्य का पीतज्वर तथा आलू, कद्दू और सलाद का चितीदार रोग वायरसों के कारण ही होते हैं। वायरस बैक्टीरीया को भी आक्रांत करते हैं। कुछ वायरस पौधों में रहते हुए भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचाते। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और पीछे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ये देखे जा सके हैं। तंबाकू का वायरस छड़ के आकार का दिखलाई पड़ता है। इसके क्रिस्टल न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ये जंतुओं और पौधों की कोशिकाओं में पाए जानेवाले क्रोमोजीन के न्यूक्लियोप्रोटीन के समान होते हैं।

वायरस बड़े सूक्ष्म होते हैं। अधिकांश २१० मिलिमाइक्रॉन (१ मिलिमाइक्रान = मिलिमिटर का १/१०,००,०००) भी छोटे होते हैं। ये १५ और ४६० मिलीमाइक्रॉन के बीच होते हैं। न्यूफीवर का वायरस सबसे बड़ा ४५० मिलिमाइक्रॉन के लगभग होता है। छोटा से छोटा वायरस लगभग प्रोटीन के अणु के बराबर होता है। पोलियो रोग का वायरस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में गोल्फ के गेंद सा दिखाई देता है।

वायरस के बाह्य भाग में प्रोटीन का एक पर्दा और केंद्र में न्यूक्लिनिक अम्ल के सिवा और कुछ नहीं होता। जंतुओं के वायरस

के मध्य में डी-ऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल रहता है। अधिकांश

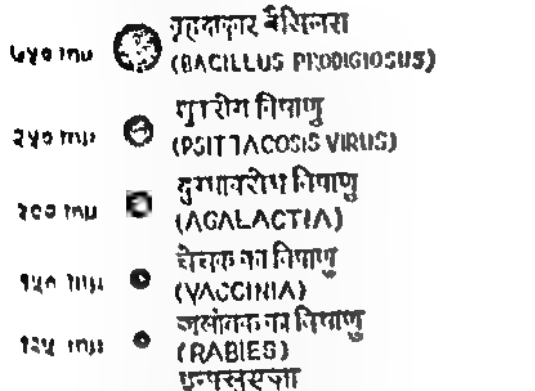

विषाणुओं का आकार

प्रोटीन के एक बृहद् अणु, हीमोग्लोबिन, तथा सूक्ष्म कहे जानेवाले बैसिलस के आकारों से विविध विषाणुओं के आकारों की तुलना।

पौधों के बायरस कीटों द्वारा फैलते हैं। पत्तियों के घर्षण से भी ये पत्तियों में फैलते हैं। बायरस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी फैलता है। ये कफ, खाँसी, छींक और बातचीत से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चले जाते हैं। बायरस से ही न्यूमोनिया, कनपेड़ा, मसूरिका, जर्मन मसूरिका, इनफ्लूएन्जा और जुकाम होते हैं। यकृतशोथ और पोलियो के बायरस रोगी के मल में पाए जाते हैं तथा मक्खियों द्वारा फैलते हैं। पागल कुत्ते का बायरस कुत्ते के काटने से फैलता है। भोजन और पानी से बहुत कम बायरस फैलते हैं। बायरसजनित रोगों में रैबीज, पोलियो, बायरस न्यूमोनिया, चेचक, [illegible] फीवर, चिकेन पॉक्स, टेकोमा, पीतज्वर तथा कीटजनित एन्सेफलाइटिस इत्यादि भी हैं। इन रोगों का कोई निश्चित इलाज नहीं है। सल्फा ड्रग और ऐंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैक्सीन का उपयोग ही एकमात्र इलाज है। [कृ० स० व०]

विषाणु रोग (Virus Diseases) — विषाणु बड़े सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें से विशेष विषाणुओं में विशेष संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। प्राय. ऐसे ५० रोग मनुष्य को होते हैं जिनका कारण विषाणु माना जाता है। विषाणु की प्रकृति का अभी पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ बातें ठीक ठीक ज्ञात हैं। विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी (electron microscope) द्वारा देख सकते हैं। जीवित कोशिका की उपस्थिति तथा अनुकूल वातावरण में विषाणु बढ़ने लगते हैं, पर जीवित कोशिका की अनुपस्थिति में विषाणु का बढ़ना कभी नहीं पाया गया है। परिमाण, बनावट की भिन्नता तथा स्थायित्व (stability) के अनुसार विषाणुओं की कई जातियाँ हैं। विषाणु जीव हैं या नहीं इसपर भी पृथक् मत है। विषाणुओं के संक्रमण द्वारा कोशिका के उपापचय (metabolism) में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जो भिन्न भिन्न विषाणुओं से विभिन्न प्रकार की होती है। इनसे रोगलक्षण भी पृथक् पृथक् होते हैं। विषाणु संक्रमण के बाद मनुष्य में अधिकतर प्रतिरक्षा (immunity) उत्पन्न हो जाती है। अभी विषाणुओं के संक्रमण की चिकित्सा की विशेष (specific) औषधि नहीं मिली है। साधारण जुकाम (common cold), डेंगू (dengue), हर्पिस (herpes), संक्रामी यकृतशोथ (infective hepatitis), मसूरिका (measles) कनपेड़ (mumps), चेचक (small pox), लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरियम (lympho-granuloma venereum), जलसंत्रास (hydrophobia) नेत्र में रोहे (trachoma) आदि रोग विषाणुओं के संक्रमण द्वारा होते हैं।

हरारत, सिरदर्द, ज्वर, त्वचा पर उद्भेदन, प्रवि उभरना, सरेसाम आदि विषाणु संक्रमण के विविध तथा पृथक् लक्षण होते हैं। चिकित्सा में अधिकतर रोगलक्षण का उपचार मुख्य है। रोगी की शुश्रूषा, तरल तथा पौष्टिक भोजन और परिचर्या आवश्यक है। [उ० चं० प्र०]

विषूचिका इस रोग को कॉलरा अथवा हैजा भी कहते हैं। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है, जिसमें चावल [illegible] माँड सा वर्णविहीन अतिसार (diarrhoea) और वमन होता है। शरीर से मल और वमन के रूप में जल और लवण का अत्यधिक अंश निकल जाने के कारण मूत्रस्राव रुक जाता है, पेशियों में ऐंठन (cramp) होने लगती है और रोगी पात (collapse) की अवस्था प्राप्त कर लेता है। शरीर का ताप गिर जाता है, रुधिर गाढ़ा हो जाता है, रक्तचाप गिर जाता है, नाड़ी क्षीण हो जाती है और हृदयगति मंद होते होते रुक जाने की संभावना हो जाती है। इस रोग का उद्भवन काल बहुधा तीन दिवस से कम का और कभी तो कुछ घंटों का ही होता है। पाँच दिवस से अधिक का उद्भवन काल विश्वस्त रूप से कभी नहीं पाया गया। यह रोग विशेष रूप से घातक होता है, किंतु यदि उपयुक्त उपायों से शरीर से जल और लवण का ह्रास न होने दिया जाय, या आवश्यकता पड़ने पर उस ह्रास की तुरंत ही पूर्ति कर दी जाय, तो रोगी के प्राण बच जाते हैं।

समस्त संसार के लिये इस घातक रोग का स्थायी निवास बंगाल में गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है, जहाँ से यह रोग भारत के अन्य भागों में और कभी कभी देश देशांतरों में फैलकर विकराल रूप से घातक हो जाता है। भारत में पूर्वीय समुद्रतट के समीप स्वर्ण रेखा, महानदी, चिलका झील, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टा क्षेत्र भी विषूचिका के केंद्र हैं। भारत के पश्चिमी तट तथा सिंधु, नर्मदा और ताप्ती के डेल्टा क्षेत्रों में इस रोग का स्थायी निवास नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के तीर्थस्थानों में यात्रियों के आवागमन तथा भीड़भाड़ से इस रोग का गहरा संबंध है।

जगन्नाथपुरी, गया धाम, काशी, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार आदि तीर्थ तथा विभिन्न अवसरों पर होनेवाले मेले, त्योहार, पर्व और विवाहों की बारातें भी इस रोग के प्रसार में सहायक होती हैं।

बंगाल में विसूचिका का आतंक जनवरी के शीतकाल में सबसे कम होता है, पर मई तक बढ़ता है, वर्षा के आगमन पर कम हो जाता है और अक्टूबर में दूसरी बार फिर बढ़ने लगता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंबई तथा पंजाब में यह रोग महामारी के रूप में अप्रैल से अक्टूबर तक होता रहता है। जो प्रदेश बंगाल के निकट हैं, वहाँ कम समय में और जो दूर हैं वहाँ अधिक समय में यह रोग पहुँच पाता है। उत्तर प्रदेश और उसके निकटवर्ती प्रदेशों में प्रयाग तथा हरिद्वार के कुंभ तथा अर्धकुंभ के वर्षों में रोग अधिक फैलता रहा है। पंजाब में रोग का प्रवेश हरिद्वार से होता है और कुरुक्षेत्र के सूर्यग्रहण के पर्व के समय यह रोग अधिक फैलता रहा है। दक्षिणपूर्वी एशिया में विसूचिका कम नहीं है। वहाँ रोग व्यापक तो बहुत है, परंतु अधिक घातक नहीं। चिकित्साशास्त्र की उन्नति और रोग प्रतिरोधी उपायों के कारण भारत में भी इस रोग की भयंकरता बहुत कम हो गई है, किंतु स्थानिकमारी के (endemic) रूप में रोग की जड़ें अभी जमी हुई हैं। यह स्थानिकमारी समय समय पर भारी उत्पात खड़ा कर देती है। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि रोग की भयंकरता तथा आतंक में यह कमी स्थायी है, या नहीं।

इस रोग से कोई पशु पक्षी पीड़ित नहीं होता। यह केवल मनुष्यों का ही रोग है और एक मनुष्य से ही दूसरे को होता है। रोगकारक विशेषता यह होती है कि इसके प्रथम उपभेद का ओ-सिरम से समूहन (agglutination) हो जाता है। फ्लाग्ल एच-समूहन (Flagellar H-agglutination) परीक्षा से इस उपभेद का पता नहीं चल सकता, किंतु कायिक ओ समूहन (Somatic O-agglutination) परीक्षा से इस लोलाणु के अन्य सजातीय लोलाणुओं से अलग पहचाना जा सकता है। इसके इनाबा (Inaba), ओगावा (Ogawa) और हिकोजीमा (Hikojima) नामक तीन प्रकार के भेद हैं, जो विसूचिका रोगकारी हैं। जो लोलाणु विसूचिका के लोलाणु से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, किंतु ओ-सिरम की समूहन परीक्षा से भिन्न पाए जाते हैं, उन्हें असमूहनीय लोलाणु कहा जाता है। इन असमूहनीय लोलाणुओं का विसूचिका रोग से क्या संबंध है, इसका निर्णय अभी नहीं हो सका है, किंतु यह अवश्य देखने में आया है कि कुछ असमूहनीय लोलाणु विसूचिका के अनुरूप हलका रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका उद्भवन काल भी अल्प है और संक्रमण द्वारा रोगप्रसार भी शीघ्र होता है, किंतु मृत्यु संख्या नगण्य सी है। संभव है कि समूहनीय अथवा असमूहनीय लोलाणु एक दूसरे की परिवर्तित अवस्थाएँ हों और असमूहनीय लोलाणु समूहन गुण प्राप्तकर, अधिक विषाक्तपूर्ण होकर, रोग उत्पन्न करने में समर्थ हो जाते हों।

विसूचिकाजनक लोलाणु अल्पजीवी है और सुगमता से नष्ट किया जा सकता है। अन्य जीवाणुओं के समान ६०° सें० के आर्द्र ताप पर कुछ ही मिनिट में यह मर जाता है, किंतु शुष्कता इसके लिए बहुत घातक है। यह सूखी अवस्था में साधारण ताप पर कुछ ही घंटों में मर जाता है। यह शीत वातावरण सहन कर सकता है। हिमांक के ताप पर भी कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है।

विषूचिका का रोगी यदि अन्य स्वस्थ पुरुषों से अलग कर दिया जाय, तो रोग का प्रसार भयंकर रूप से नहीं हो पाता। परंतु रोगी को सबसे अलग करना कठिन होता है। इस कारण रोग का प्रसार होता रहता है, जो कभी कभी बहुत व्यापक हो जाता है। कोई बिरला ही मनुष्य ऐसा होगा जो प्राकृतिक रूप से रोग से प्रतिरक्षित हो। रोगी के स्वस्थ हो जाने पर भी प्राकृतिक रूप से उपार्जित प्रतिरक्षा कुछ ही महीनों में लुप्त हो जाती है और टीके द्वारा कृत्रिम उपायों से प्राप्त सक्रिय प्रतिरक्षा भी अस्थायी होती है। इस कारण अधिकांश जनता में रोगक्षमता का अभाव ही रहता है। इसके फलस्वरूप थोड़े ही काल में दूर दूर तक रोग की बाढ़ सी आ जाने की संभावना रहती है।

विषूचिका का लोलाणु जल और भोजन के साथ मुख द्वारा शरीर में प्रवेश पाता है। लवण तथा कार्बनिक पदार्थयुक्त क्षारीय जल में लोलाणु अधिक काल तक जीवित रह सकता है। इस कारण समुद्रतट पर तथा नदी के डेल्टा क्षेत्र में विषूचिका प्रायः प्रति वर्ष होता है। गाँवों में शौचालय के अभाव में मलोत्सर्जन का ढंग दोषपूर्ण है। नगरों तथा तीर्थों में भी स्वच्छता का स्तर निराशाजनक है। इस कारण बस्ती के आसपास की आर्द्र भूमि लोलाणुओं से प्रदूषित (polluted) रहती है। ऐसी प्रदूषित आर्द्र भूमि से लोलाणु का जलस्रोत में प्रवेश पा जाना सुगम है, फिर लोलाणुयुक्त जल से भोजन भी दूषित हो जाता है। लोलाणु द्वारा भोजन को दूषित करने में मक्खियाँ भी बहुत सहायक होती हैं। ये लोलाणुओं को अपने पैर तथा पंखों द्वारा मल अथवा वमन से दूध, मिठाई, फल, भोजन आदि तक पहुँचा देती हैं। इस प्रकार लोलाणु-प्रदूषित जल तथा भोजन के सेवन से रोग का प्रसार होता रहता है। विषूचिका संक्रमण का प्रसार मार्ग इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है :

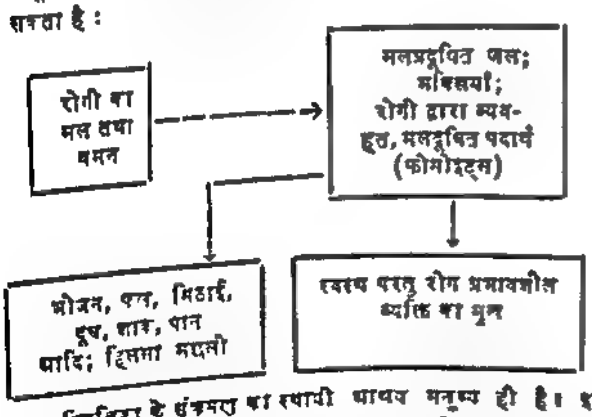

विषूचिका के संक्रमण का स्थायी आश्रय मनुष्य ही है। इस कारण विषूचिका के प्रसार में स्वस्थ रोगवाही व्यक्तियों का योगदान अवश्य होता होगा, परंतु बहुत खोज करने पर भी ऐसे स्वस्थ रोगवाही व्यक्ति नहीं मिले जिनके मल में जो उपभेद प्रथम के समूहनीय विषूचिकाकारी लोलाणु विद्यमान हों। रोगाभाव काल में, अथवा एक महामारी के अंत के पश्चात् और दूसरी के आरंभ होने के पूर्व के अंतर्काल में, जब कोई मनुष्य रोगी नहीं पाया जाता, तब यह लोलाणु भूमिगत, नदी, तालाब आदि कहीं नहीं मिलता और न किसी स्वस्थ व्यक्ति के मल में मिलता है। असमूहनीय लोलाणु अवश्य मिलते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि रोगाभाव काल में समूहनीय, विषूचिकाजनक लोलाणु कहाँ छिपा रहता है। रोग के प्रारंभ होते ही रोगी के मल तथा वमन में लोलाणु के मिलने के समय यह फिर नदी, तालाब तथा भूमितल पर मिलने लगता है। अनुमानतः असमूहनीय लोलाणु जो निरंतर ही पाए जाते हैं, समूहन गुण प्राप्त कर रोगकारी हो जाते हैं, किंतु यह परिवर्तन निश्चयात्मक रीति से सिद्ध नहीं हो पाया है। हिंसक जाति की मछली के शरीर में यह परिवर्तन होने की संभावना बताई जाती है।

विषूचिका की रोकथाम के उपाय कई देशों में सफल सिद्ध हुए हैं। भारत में भी कुछ सफलता अवश्य मिली है, किंतु स्थानिकमारी के क्षेत्र में रोग की जड़ें पूर्ववत् जमी हुई हैं। पूरी सफलता के लिये बहुमुखी, स्थायी प्रयास आवश्यक है। अब तक केवल अधूरे और अस्थायी उपाय ही व्यवहार में लाए गए हैं, जिनसे केवल आंशिक सफलता मिल पाई है। रोग पर पूर्ण विजय पाने के लिये स्वास्थ्य-शिक्षा तथा स्वास्थ्यप्रद साधनों द्वारा स्वच्छ वातावरण में रहने के लिये प्रत्येक प्राणी को सभी आवश्यक सुविधाएँ यथासंभव शीघ्र ही प्राप्त होनी चाहिए। अस्वच्छता ही रोग की जननी है। ग्रामों तथा नगरों की पूरी पूरी सफाई द्वारा ही रोग की रोकथाम संभव है। उच्चस्तरीय स्वच्छता का आदर्श सभी को अपनाना चाहिए। इसके लिये आवश्यक वैधानिक नियम भी होने चाहिए, जिनका उल्लंघन दंडनीय हो। स्वास्थ्य के प्रति जनता की चेतना जागृत होनी चाहिए। धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण मठ मंदिरों की जल तथा भोजन व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता। धनाभाव के कारण भी स्वच्छता का स्तर गिरा हुआ है। गंदी बस्तियाँ सर्वत्र ही देखने को मिलती हैं। घृणोत्पादक कुकर्म जनता द्वारा निरंकुश और निस्संकोच रूप से संपन्न होते रहते हैं। स्थायी उपायों में शुद्ध, स्वच्छ, निर्दोष और पर्याप्त मात्रा में जल वितरण की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रामों की सफाई के लिये सामूहिक ढंग की तत्परता आवश्यक है। जल के स्रोतों को अर्थात् कूप, बावड़ी, ताल, तलैया, नदी आदि को, पूर्ण देखभाल और सुरक्षा द्वारा दूषित न होने देना चाहिए। जल की शुद्धता के अभाव में भोजन की शुद्धता असंभव है। अब अनेक मनुष्यों को बाजार में हलवाई, होटल तथा जलपानगृहों से भोजन प्राप्त करना पड़ता है। इस कारण भोजन में स्वच्छता संबंधी कोई त्रुटि न होने देनी चाहिए। फल, शर्बत, गन्ने का रस, मलाई का बर्फ, सड़े गले फल, दूध, शाक, मिठाई आदि को धूल और मक्खियों से सुरक्षित रखने के नियमों का उल्लंघन दंडनीय होना चाहिए।

जल और भोजन के दूषित हो जाने का मुख्य कारण ग्रामों तथा नगरों में मलोत्सर्जन के लिये शौचालयों का अभाव है। अब घरों की ही व्यवस्था नहीं है तो फिर शौचालयों का प्रबंध कैसे संभव है? प्रत्येक परिवार के लिये स्वीकृत नमूने के परिशुद्ध शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनकी सफाई भी निरंतर होती रहे। मल के निस्तारण का ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे भूमितल दूषित न हो और जल के स्रोत स्वच्छ बने रहें। नगरों में जनसंख्या

शौचालय तथा ग्रामों में स्थित कूप शौचालय, अथवा परिशोधी गुणों से युक्त किसी अन्य प्रकार के शौचालय, निर्माण किए जाने चाहिए। पशुओं का गोबर, सोंद और घरों तथा गलियों के कूड़ा कर्कट का निस्तारण परिशोधी ढंग से हो, जिससे मक्खियों की वंशवृद्धि न हो सके। मल द्वारा जल तथा भोजन के दूषित होने से जो जो रोग फैलते हैं, उन सभी की रोकथाम में ये स्थायी उपाय सहायक हैं।

अस्थायी उपाय रोग की संभावना होने पर, या रोग के फैलने पर, तुरंत ही किए जाते हैं। ये उपाय तात्कालिक हैं और इनके लिये साधन पहले से ही जुटा लेने चाहिए। रोगी की चिकित्सा के लिये और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये, उसे अन्य व्यक्तियों से अलग रखना आवश्यक है। रोगी के घर पर चिकित्सा का तथा पृथक्करण का प्रबंध करना कठिन है। इस कारण उसे संक्रामक रोग चिकित्सालय में भेज देना चाहिए। स्थान स्थान पर आवश्यक सामग्री से सुसज्जित चिकित्सालय स्थापित करने चाहिए। बड़े बड़े नगरों में तथा तीर्थस्थानों में संक्रामक रोग चिकित्सालय स्थायी होने चाहिए। रोग का निदान भी शीघ्रातिशीघ्र हो सके, इसकी व्यवस्था भी आवश्यक है। रोग की सूचना स्वास्थ्याधिकारियों को तुरंत ही मिल सके, इसकी अचूक और विश्वस्त व्यवस्था होनी चाहिए। सूचना देने में देर करने का भयंकर परिणाम हो सकता है, क्योंकि रोग शीघ्र ही आग के समान फैलता है। एक दिन की देर भी अत्यंत घातक हो सकती है। सूचना पाते ही रोगी को चिकित्सालय में भेजना चाहिए और उसके मल वमन तथा अन्य प्रदूषित पदार्थों का तुरंत ही रोगाणुनाशन करना चाहिए। मक्खियों को अवरोधक पदार्थों के प्रयोग द्वारा मल और वमन पर न बैठने देना चाहिए और भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। गरम गरम ताजा भोजन खाना चाहिए। बासी, अजीर्णकारी और मक्खियों से दूषित पदार्थ खाना वर्जित है। संदिग्ध अवस्था में पकाया भोजन भी दूषित हो सकता है। भूखे पेट रहना भी ठीक नहीं है। विरंजक चूर्ण से शोधित जल व्यवहार में लाना चाहिए, अन्यथा जल उबालकर प्रयोग करना चाहिए। कूपों तथा जल के अन्य स्रोतों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और उनके जल को विरंजक चूर्ण से शुद्ध कर जनता में स्वच्छतापूर्ण रीति से वितरण करना चाहिए।

रोगी की चिकित्सा के लिये लवण तेल के स्थान में अब सल्फाग्वानिडीन (sulphaguanidine) का उपयोग किया जाता है। रोगी के शरीर से जल और लवण का ह्रास रोकने की चेष्टा करनी चाहिए और यदि ह्रास हो गया हो, तो उसकी पूर्ति पिचकारी द्वारा आवश्यक लवणयुक्त जल को रुधिर में प्रवेश कराकर की जाती है। इस रोग में मृत्यु का मुख्य कारण जल तथा शरीर के लवणों का ह्रास ही है। जब रोगी स्वस्थ होने लगता है, तो वमन और दस्त बंद हो जाते हैं। मूत्रस्राव होने लगता है, शरीर का ताप बढ़ने लगता है और नाड़ी की गति सुधर जाती है। नीरोग हो जाने पर बहुधा इस भयंकर रोग का कोई विकार भी शेष नहीं रहता।

जनता को रोग से सुरक्षित रखने के लिये उपर्युक्त स्थायी और करना अत्यंत लाभकारी है। टीके से प्रतिरक्षित अधिकांश मनुष्य रोग से सर्वथा बचे रहते हैं, किंतु यह रोगक्षमता केवल पाँच छह महीनों में ही जाती रहती है। इस टीके के वैक्सीन के प्रति मिलीलिटर में इनाबा जाति के चार अरब और ओगावा जाति के भी चार अरब मृत जीवाणु होते हैं। साधारणतः प्रत्येक वयस्क को एक मिलीलिटर की मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। एक सप्ताह के अंतर से दो बार टीका लेना अधिक लाभकारी है। पहली बार आधा मिलीलिटर और दूसरी बार एक मिलीलिटर की मात्रा दी जाती है। विदेशी यात्रियों को दो टीके लगाए जाते हैं। रोग के फैलने की संभावना होने पर तुरंत ही टीका लेना चाहिए। देर करना अनुचित है। टीके के बाद चार पाँच दिवस में ही प्रतिरक्षा उत्पन्न होने लगती है और प्रायः दस दिन में पूर्ण प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। यह टीका रोग की रोकथाम में इतना अधिक सफल सिद्ध हुआ है कि बड़े बड़े मेले, त्योहारों और पर्वों पर सभी यात्रियों के लिये टीका अनिवार्य कर दिया जाता है और कोई भी यात्री बिना टीके के उस मेले या पर्व में संमिलित नहीं हो सकता। विषूचिका की रोकथाम में यह टीका अन्य सभी उपायों की अपेक्षा अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। प्रतिरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि रोग की संभावना होने पर संक्रमण के पूर्व ही टीका लेना चाहिए। जीवाणुओं द्वारा संक्रमण होने के पश्चात् उद्भवन काल में लिया हुआ टीका रोगनिरोध के लिये निरर्थक है। रोगी को टीका नहीं दिया जाता। यह टीका सर्वथा निर्दोष है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। औषधि अधिनियम के अंतर्गत, इस वैक्सीन का निर्दोषपूर्ण रीति से निर्माण होता है। टीके द्वारा रोग का प्रसार रुकता है, किंतु उसके उन्मूलन के लिये स्थायी उपायों की व्यवस्था आवश्यक है। विषूचिका के समूल नाश के लिये सर्वत्र पूर्ण स्वच्छता ही अमोघ मंत्र है। प्रतिरक्षा तथा रोगचिकित्सा के लिये स्थान स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे जनता के स्वास्थ्य संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ रोगचिकित्सा के साधन भी सुलभ हो सकें। प्रति वर्ष समय समय पर ग्रामों और छोटी छोटी बस्तियों की सफाई कराने के लिये सामूहिक प्रयास द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन करना चाहिए। [म० श० या०]

विसरण (Diffusion) सभी वस्तुएँ, ठोस, द्रव और गैसें, बड़े सूक्ष्म कणों से बनी हुई हैं। सबसे छोटे कणों को अणु (molecules) कहते हैं। अणु पदार्थों में सतत गतिशील रहते हैं। इनकी गतियाँ बहुत कुछ ताप पर भी निर्भर करती हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं को यदि एक साथ रखा जाय, तो इन गतियों के कारण वे परस्पर मिल जाती हैं। ठोसों के अणु एक दूसरे से बहुत निकटता से सटे हुए रहते हैं। द्रवों के अणु ठोसों के अणुओं की अपेक्षा कम सटे हुए रहते हैं। गैसों के अणु तो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहते हैं, यही कारण है कि गैसें बड़ी शीघ्रता से एक दूसरे में मिल जाती हैं। द्रवों के अणु उतनी शीघ्रता से नहीं मिलते और ठोसों के अणु तो और देर से परस्पर मिलते हैं। इस प्रकार पदार्थों के अणुओं के परस्पर मिल जाने को विसरण कहते हैं। [illegible]

होता रहता है। यह क्रिया सभी पदार्थों में होती है। क्लोरीन गैस के जार पर यदि एक हवा भरा जार रख दिया जाय, तो क्लोरीन गैस के भारी होने पर भी उसके अणु विसरण द्वारा ऊपर उठकर दोनों जारों में मिल जाते हैं और कुछ समय में वे एक से संगठन के हो जाते हैं। यदि किसी जल के पात्र में तूतिया का एक क्रिस्टल रख दिया जाय, तो पहले क्रिस्टल के निकट का जल तूतिए के विलयन सा हो जायगा और कुछ समय के बाद सारा जल तूतिए के रंग का हो जायगा। ऐसा विसरण के कारण होता है। यदि सोने के एक टुकड़े को सीसे के टुकड़े के संपर्क में रखा जाय, तो कुछ दिनों के बाद सीसे में सोना और सोने में सीसे की उपस्थिति मालूम की जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण से विसरण में कोई रुकावट नहीं पड़ती और न उत्प्लावकता का ही उसपर कोई प्रभाव पड़ता है।

गैसों का विसरण — गैसें शीघ्रता से विसरण करती हैं। हलकी गैसें, कम घनत्व के कारण, अधिक शीघ्रता से और भारी गैसें, अधिक घनत्व के कारण, कम शीघ्रता से विसरण करती हैं। इस संबंध में ग्राहम ने एक नियम जो 'ग्राहम के गैस विसरण के नियम' के नाम से विख्यात है, प्रतिपादित किया है। इस नियम के अनुसार समान दाब और ताप पर विसरण की गति गैसों के आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि किसी गैस का आयतन V, T समय में विसरित होता है, तो गैस की विसरण गति V/T निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित होती है

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{T_2}{T_1}=\sqrt{\frac{d_2}{d_1}}$$

जहाँ d_1 और d_2 दोनों गैसों के आपेक्षिक घनत्व हैं।
चूँकि $2\,d = M$ (अणुभार), अत

$$\text{अनुपात} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

गैसों के विसरण से हमें बड़े उपयोगी परिणाम प्राप्त होते हैं। इसकी सहायता से हम कुछ गैसों का आपेक्षिक घनत्व और [illegible] निकाल सकते हैं तथा कुछ गैसों के मिश्रण से [illegible] अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं। विसरण से कुछ गैसों के [illegible] में हम [illegible] मिली है। [illegible]

द्रवों का विसरण — [illegible]

अपेक्षया सरल होता है। मान लें, किसी पात्र में रखे विलयन का सांद्रण c है और इसके सांद्रण की ऊर्ध्वाधर दिशा x है। यदि सांद्रण प्रवणता (तल के लंब कोण पर मापित x दूरी पर सांद्रण में परिवर्तन $\frac{dc}{dx}$ है, तब तल के एकक क्षेत्र को पार करती हुई विलेय वस्तु का द्रव्यमान होगा $D\frac{dc}{dx}$, जहाँ D एक स्थायी गुणांक (विलयन के विसरण का गुणांक) है। इस संबंध को फिक (Fick) का नियम कहते हैं और इससे प्रकट होता है कि विसरण-धारा-घनत्व सांद्रण प्रवणता के अनुपात में और समांतर होता है।

यदि दो तल A और B, δx दूरी से पृथक् हैं और प्रत्येक का एकक क्षेत्र है, तब किसी समय T में A तल का सांद्रण c है, तो B तल का सांद्रण $C-\left(\frac{dc}{dx}\right)\delta x$ होगा। A तल पर विलेय वस्तु का अंतर्वाह होगा $D\left(\frac{dc}{dx}\right)\delta t$, जब कि B तल पर का बहिर्वाह होगा $D\left(\frac{dc}{dx}\right)\delta t-D\left(\frac{d^2c}{dx^2}\right)\delta x\delta t$, इस पर A और B के बीच के स्थल को प्रति सेकंड नेट लाभ होगा $D\left(\frac{d^2c}{dx^2}\right)\delta x$। चूँकि तलों के बीच का परिबद्ध आयतन δx है, सांद्रण का परिवर्तन है, $D\left(\frac{d^2c}{dx^2}\right)\delta t$ और सांद्रण परिवर्तन की गति है।

$$\frac{dc}{dt}=D\frac{d^2c}{dx^2}$$

इसी समीकरण से विसरण प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। यह फिक का दूसरा नियम है।

यदि विलयन में विद्युत् से आवेशित कण नहीं हैं, तो D का संबंध कणों की गतिशीलता (mobility) B से है और यह D = k T B, जहाँ k बोल्ट्समान का (Boltzmann's) स्थिरांक, T परम ताप और B कणों की गतिशीलता है। यदि कण [illegible] के गोले (spheres) हैं और विलायक के अणु से बड़े हैं तो B स्टोक (Stokes) के नियम से प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार

$$B = \frac{1}{6\pi a\eta}$$, जहाँ η द्रव का श्यानता गुणांक है।

यदि विलयन कण विद्युत् से आवेशित हैं, तब D का [illegible] विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करता है। [illegible] विद्युत् [illegible] (electrolyte) [illegible] [illegible] [illegible]

$$D = \frac{kT\,2B_1B_2}{B_1+B_2}$$

जहाँ B_1 और B_2 दो आयनों की गतिशीलताएँ हैं। [illegible] विसरण गुणांक का [illegible] सकता है और [illegible] के विलयन का [illegible] किया जा सकता है। [illegible] विसरण गुणांक का [illegible]

में निर्धारण कठिन इसलिये होता है कि द्रवों का विसरण बड़ी मंद-गति से होता है। आरंभ और परिवर्तन हो सके, इसमें हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। इस समय विसरण द्रवों का द्रवों बिना किसी विलोड़न के रहना चाहिए। ऐसा होना कठिन काम है। इन कठिनाइयों के कारण ऐसे उपकरण की, जिसमें झिल्ली का बड़ा सूक्ष्म अंतर लाया जा सके, आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये एक विशिष्ट प्रकार का कक्ष बना है, जिसमें झिल्ली का बड़ा सूक्ष्म अंतर लाया जा सकता है। इसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली जाती है। रक्त के विलयनों के विसरण मापने में यह उपयोगी सिद्ध हुआ है। रक्त की सर्वविधि और जैव तत्वों के अभिरंजन के अध्ययन में भी यह यंत्र उपयोगी सिद्ध हुआ है।

विसरण गुणांक, D, का मान भिन्न भिन्न द्रवों के लिये बहुत भिन्न भिन्न होता है। यदि किसी द्रव के विसरण गुणांक का मान बहुत ऊँचा है, तो ऐसे द्रव को हम क्रिस्टलाभ (Crystalloid) कहते हैं और जिसका विसरण गुणांक का मान कम रहता है, उसे कोलॉइड (Colloid) कहते हैं। क्रिस्टलाभ, में अम्ल, लवण और अन्य वस्तुएँ आ जाती हैं, जो क्रिस्टलाभ बनती हैं और कोलॉइड में गोंद, ऐल्बूमेन, स्टार्च तथा सरेस आते हैं। क्रिस्टलाभ साधारणतया पानी में घुलते हैं, जबकि कोलॉइड पानी में जेली बन जाते हैं। कोलॉइड के अणु बड़े जटिल (complex) होते हैं। इस कारण उनका विसरण गुणांक कम होता है। वे अपेक्षया स्वादहीन होते हैं, क्योंकि विसरित होकर तंत्रिका टर्मिनल (nerve terminal) तक नहीं पहुँच पाते। इसी कारण वे अखाद्य भी होते हैं। [वि० ना० सिं०]

विसूवियस स्थिति : ४०° ४६′ उ० अ० तथा १४° २६′ पू० दे०। यह नेपल्स से आठ मील पूर्व-दक्षिण-पूर्व में, नेपल्स की खाड़ी पर ३,८६१ फुट की ऊँचाईवाला, यूरोप का अकेला जीवित ज्वालामुखी, कैंपेनिया, दक्षिणी इटली, में स्थित है। खाड़ी के पास इसकी ढाल १०° है और ऊपर पहुँचते पहुँचते यह ३०°-३५° हो जाती है। इसके सभी तरफ लावा का जमाव है। पश्चिमी ढाल पर १,६६५ फुट की ऊँचाई पर मूर्खर मापनेवाला यंत्र लगा है। इस पहाड़ के नीचे का घेरा करीब ४५ मील है। इसके चारों ओर सुंदर रेलें साधन एवं सड़क बनी है। १,६५० फुट से नीची ढालों पर शराब के योग्य अंगूर तथा अन्य रसदार फल, तरकारियाँ आदि उगाए जाते हैं। मवेशी पालन भी यहाँ होता है। प्रत्येक विस्फोट के बाद इसका मुख (उद्गम) बंद गया, जिससे पहाड़ की ऊँचाई बढ़ती गई, पर इसकी औसत ऊँचाई ४,००० फुट रही है। [वि० मु०]

विसेलियस, आंद्रेऐस, (Vesalius, Andreas, सन् १५१४-१५६६) बेल्जियमवासी, शारीर वैज्ञानिक, का जन्म ब्रसल्स नामक नगर में हुआ था। इन्होंने लूवें में सिलियस तथा जोहैनीज गंथर से शिक्षा पाई थी।

सन् १५३७ में इन्होंने मुस्लिम, ईसाई चिकित्सक रेजीज [illegible]) के एक ग्रंथ का संपादन किया और तब वेनिस के [illegible] विश्वविद्यालय से [illegible] डी० की उपाधि प्राप्त की। यहीं वे [illegible] तथा [illegible] के आचार्य नियुक्त हुए। सन् [illegible] कुछ [illegible] तु गैलेन (Galen) की विचार-पद्धति पर आधारित, छह शारीर-विज्ञान-सारणियों का प्रकाशन किया। सन् १५३९ में इन्होंने रक्तमोक्षण (blood-letting) पर एक लेख लिखा तथा सन् १५४१ में गैलेन के तीन ग्रंथों का संपादन किया। सन् १५४३ में इनका फैब्रिका (Fabrica) एवं एपिटोम (Epitome) के साथ प्रकाशित हुआ। बाद में ये बादशाह चार्ल्स पाँचवें तथा उनके उत्तराधिकारी फिलिप दूसरे के चिकित्सक के पद पर रहे।

विसेलियस को सर्वोच्च शारीर वैज्ञानिक कहा जाता है और मानव शरीर की रचना पर इनके ग्रंथ की गणना इस विषय के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में होती है। इसमें अस्थियों और तंत्रिकातंत्र के वर्णन तो उत्कृष्ट हैं ही पर पेशियों के वर्णन के लिये यह विशेषकर प्रसिद्ध है। विसेलियस ने अध्यापन के समय स्वयं विच्छेदन (dissection) कर, शारीरविज्ञान की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी। [भ० दा० व०]

विस्चुला पोलैंड की ६७७ मील लंबी नदी है, जो बाल्टिक सागर के डैंजिग की खाड़ी में गिरती है। साइलेशिया से कोयला और लकड़ी विस्चुला द्वारा भेजे जाते हैं। छोटे छोटे स्टीमरों के लिये यह नौगम्य बनाई गई है। इसकी सहायक नदी नान के मुहाने तक बड़े बड़े जहाज भी आ सकते हैं। [श्री ना० सिं०]

विस्फोटक कुछ यौगिक या मिश्रण ऐसे होते हैं जिनमें आग लगाने पर या आघात करने पर बड़े धमाके के साथ वे विस्फुटित होते हैं। धमाके का कारण बड़े अल्प काल में बहुत बड़ी मात्रा में गैसों का बनना होता है। ऐसे पदार्थों को 'विस्फोटक' कहते हैं। आज बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का निर्माण होता है। विस्फोटकों के दो उद्देश्य होते हैं : (१) शांतिकाल में उनसे चट्टानों को उड़ाया और कोयले और अन्य खनिजों को कम खर्च में खानों से निकाला जाता है तथा (२) युद्धकाल में विस्फोटकों से शत्रुओं को हानि पहुँचाकर अपनी रक्षा की जाती है। जिस तीन मील लंबी सुरंग के बनाने में तीस हजार व्यक्ति ११ वर्षों तक काम में लगे थे, वही सुरंग आधुनिक मशीनों और विस्फोटकों की सहायता से केवल १०० व्यक्तियों द्वारा दस मास में बन सकती है।

विस्फोटक रासायनिक पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसे हथौड़े से आघात करने या ज्वाला से छूने, या विद्युत् स्फुलिंग से एकाएक ऊष्मा के विकास के साथ बहुत बड़ी मात्रा में गैस बनने के कारण विस्फोटन होता है। यदि किसी बंद कक्ष में विस्फोटन हो, तो कक्ष की दीवारें छिन्न भिन्न हो जाती हैं। पर लाभकारी विस्फोटक अपेक्षया निष्क्रिय होते हैं, ताकि उनका निर्माण और परिवहन निरापद हो सके। कुछ विस्फोटक ऐसे होते हैं कि एक से छूने पर भी वे विस्फुटित हो जाते हैं। ऐसे विस्फोटक किसी उपयोगी काम के नहीं होते। उपयोगी विस्फोटकों में कुछ उच्च विस्फोटक होते हैं और कुछ सामान्य या मंद विस्फोटक। यह विभेद उनकी सुग्राहिता के आधार पर नहीं किया जाता, वरन् उनके छिन्न भिन्न करने की क्षमता पर किया जाता है। कुछ विस्फोटक, जैसे मर्करी फल्मिनेट तथा लेड ऐज़ाइड (Lead azide), जो बड़े सुग्राही होते हैं, प्राथमिक विस्फोटक के

रूप में न्यून सुग्राही विस्फोटक के विस्फोटन मे उपयुक्त होते हैं। कुछ प्रमुख विस्फोटक ये हैं .

१. डायनामाइट	तीव्र विस्फोटक,	शांतिकाल के लिये
२. विस्फोटक जिलेटिन	,, ,	,,
३ टीएनटी (TNT)	,, ,	युद्ध के लिये
४. पिक्रिक अम्ल	,, ,	,,
५ अमोनियम नाइट्रेट	,, ,	,,
६ धूमहीन चूर्ण	मंद विस्फोटक,	,,
७. कालाचूर्ण या बारूद	,, ,	शांति और युद्ध दोनों के लिये
८. मर्करी फल्मिनेट	सहायक विस्फोटक,	युद्ध के लिये
९. लेड ऐज़ाइड	,,	,,

डायनामाइट के निर्माण मे नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है। नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यकता से अधिक सुग्राही होता है। इसकी सुग्राहिता को कम करने के लिये कीज़लगर का उपयोग होता है। अमरीका मे कीज़लगर के स्थान में काठ चूरा, या काठ समिता और सोडियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। डायनामाइट मे नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा २०, ४०, या ६० ७५ प्रति शत रहती है। इसकी प्रबलता नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा पर निर्भर करती है। ७५ प्रतिशत नाइट्रोग्लिसरीन वाला डायनामाइट प्रबलतम होता है। कीज़लगर, या काष्ठचूर्ण, या समिता के प्रयोग का उद्देश्य डायनामाइट का संरक्षण होता है, ताकि यातायात में वह विस्फुटित न हो जाय। नाइट्रोग्लिसरीन १३° सें० पर जम जाता है। जम जाने पर यह विस्फुटित नहीं होता। अत. ठंडी जलवायु मे जमकर वह निकम्मा न हो जाय, इससे बचाने के लिये उसमें २० भाग ग्लिसरीन डाइ-नाइट्रो-मोनोक्लो-रहाइड्रिन मिलाया जाता है। यह जमावरोधीकारक का काम करता है। इससे नाइट्रोग्लिसरीन –३०° सें० तक द्रव रहता है। नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान मे नाइट्रोग्लाइकोल का उपयोग अब होने लगा है।

विस्फोटक जिलेटिन में ९० प्रति शत ग्लिसरीन और १० प्रति शत नाइट्रोसेलुलोज रहता है। टी एन टी ट्राइनाइट्रोटोल्विन है। यह ८१° सें० पर पिघलता है। टी एन टी के साथ अमोनियम नाइट्रेट के मिले रहने से टी एन टी अधिक प्रबल विस्फोटक हो जाता है। पिक्रिक अम्ल उच्च विस्फोटक है। फिनोल के नाइट्रेटीकरण से यह बनता है। यह पीला ठोस है, जो १२२° सें० पर पिघलता है। इसका सीस लवण पिक्रिक अम्ल से ५ गुना अधिक सुग्राही होता है। स्वयं पिक्रिक अम्ल खोल मे भरा जाता है। अमोनियम नाइट्रेट टी एन टी के साथ मिलाकर प्रयुक्त होता है। यह आक्सीकारक का भी कार्य करता है। स्वयं यह कठिनता से प्रस्फोटित (detonate) होता है।

धूमहीन चूर्ण में नाइट्रोसेलुलोज रहता है। यह ऐसीटोन से जिलेटिनीकृत किया रहता है। स्थायित्वकारी (stabilizer) के रूप में अल्प मात्रा में डाइफेनिलेमिन और यूरिया प्रयुक्त होते हैं।

विस्फोटकों के गुण और परीक्षण — विस्फोटकों की क्षमता दो बातों, प्रस्फोट की तीव्रता और प्रस्फोट के प्रसारण के वेग पर निर्भर करती है। इन दोनों गुणों पर ही छिन्न भिन्न करने की क्षमता आधारित है। तीव्रता गैसों और ऊष्मा के उन्मुक्त होने पर निर्भर करती है। इसके लिये विस्फोटक के एक ज्ञात भार को सीस निपिंड (block) की गुहा में रखकर, विस्फुटित करते हैं। इससे सीस निपिंड की गुहा का उत्तनन (distension) हो जाता है। गुहा के आयतन की माप विस्फोटक की प्रबलता की माप है। एक दूसरी विधि में ५०० पाउंड मॉर्टर (छोटे तोप) को लोलक के रूप में लटकाते हैं और उससे ३६ पाउंड का गोला छोड़ते हैं। इससे मॉर्टर का प्रतिक्षेप (recoil) होता है। मॉर्टर का यही प्रतिक्षेप प्रबलता की माप है। दोनो विधियों से प्राय. एक से ही परिणाम प्राप्त होते हैं। कठोर चट्टानों को उड़ाने के लिये प्रबल और उच्च वेगवाले विस्फोटकों की आवश्यकता पड़ती है और कम कठोर चट्टानों के लिये कम प्रबल और मंद वेग वाले विस्फोटकों से काम चल जाता है। विस्फोटक के महत्व का एक गुण उसकी सुग्राहिता है। सुग्राहिता का परीक्षण विस्फोटक पर भार गिराकर किया जाता है। जितना ही अधिक ऊँचाई से गिरकर वह विस्फुटित होता है, उतना ही कम सुग्राही वह होता है। जो विस्फोटक कोयले की खानो मे व्यवहृत होते हैं, उनका परीक्षण एक विशेष प्रकार से होता है, क्योंकि कोयले की खानो मे ज्वलनशील गैसें रह सकती हैं। ऐसी गैसों में जो विस्फोटक विस्फुटित नही होते, वे ही खानो मे प्रयुक्त होते हैं। ऐसे विस्फोटकों की ज्वाला छोटी और अल्पकालिक होती है। ज्वाला की लंबाई और समयावधि फोटोग्राफी से मापी जाती है। बारूद की समयावधि ०·०७७ सेकंड और ज्वाला की लंबाई ११० मिमी० (१०० ग्राम का) तथा गनकॉटन (guncotton) की समयावधि ०.००१३ सेकंड और ज्वाला की लंबाई ९७ मिमी० होती है। पिक्रिक अम्ल और अमोनियम नाइट्रेट की समयावधि एवं ज्वाला लंबाई इससे बहुत छोटी होती है। गनकॉटन को लोपकल मे विस्फुटित करने से प्रति वर्ग इंच लगभग ३ टन का दबाव उत्पन्न होता है।

युद्ध में काम आनेवाले विस्फोटक दो प्रकार के होते हैं. (१) प्रणोदक (propellent), जो कारतूसों में भरे जाते हैं, तथा (२) वे जो गोल खोल में भरे जाते हैं। राइफल के कारतूस में भी एक प्रणोदक और दूसरी बुलेट या गोली जो यशद-ताम्र मिश्रधातु की बनी होती है, सीस के निबोल में रखी होती है। टैंकमार (anti-tank) राइफलों में इस्पात की गोलियाँ होती हैं। हथगोले में कोई प्रणोदक नहीं होता।

रेशे के रूप में नाइट्रोसेलूलोज (गनकॉटन) उच्च विस्फोटक होता है, किंतु जिलेटनीकृत हो जाने पर मंद विस्फोटक बन जाता है। अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, यही प्रधानतया मंद विस्फोटक के रूप में व्यवहृत होता है। गोली के खोल में टी एन टी, या एमेटोल (टी एन टी के साथ अमोनियम नाइट्रेट मिला हुआ), पिक्रिक अम्ल, या इसके लवण, रहते हैं। इसका काम होता है निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचकर, तीव्रगामी टुकड़ों में चूर चूर हो जाना और वास्तविक मिसाइल या अस्त्र बन जाना। खोल में रोडिन या बारूद से बँधा हुआ गेंद रहता है। ऐसे खोल को 'श्रेपनेल शेल' (Shrapnel shell) कहते हैं। गेंद के स्थान में गुड बॉल भी रह सकती है। खोल को फ्यूज़ (fuse) द्वारा

जलाया जाता है। खोल इस्पात का बना होता है। बहुधा उसमें ऐलुमिनियम की नाकनुमा धार लगी रहती है।

विस्फोटक में प्रयुक्त होनेवाले नाइट्रोसेलुलोज में नाइट्रोजन १२·८ प्रति शत रहता है। रखने पर घूमहीन चूर्ण का ह्रास होता है। अतः बीच बीच में उसका परीक्षण करते रहना आवश्यक होता है। कॉर्डाइट में नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन दोनों रहते हैं। इनकी आपेक्षिक मात्रा निश्चित नहीं रहती। एक कॉर्डाइट में नाइट्रोसेलुलोज ६५ भाग, नाइट्रोग्लिसरीन ३० भाग और खनिज जेली ०·५ भाग रहते हैं। एक दूसरे कॉर्डाइट में नाइट्रोसेलुलोज ३७ भाग, नाइट्रोग्लिसरीन ५८ भाग और जेली ०·५ भाग रहते हैं। ऐसीटोन जिलेटिनीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटैशियम क्लोरेट, पोटैशियम परक्लोरेट, नाइट्रोग्वेनिडिन, मर्करी फल्मिनेट, लेड ऐज़ाइड, नाइट्रो स्टार्च, द्रव ऑक्सीजन और काष्ठ कोयला भी विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। [स० व०]

वीतेस्लव नेज़्वल (Viteslav Nezval, १९००–१९५८) आधुनिक चेक कवियों में मुख्य। नेज़्वल का काव्य संबंधी विकास बहुत ही जटिल रहा। उनकी सभी कविताओं में आशावाद और श्रमिक वर्ग के ऐतिहासिक संदेश की प्रबल झलक मिलती है। 'रात के संगीत' के संग्रह में कवि की सबसे अच्छी प्रारंभिक कविताएँ, जैसे 'एडिसन', 'चमत्कारपूर्ण जादूगर' आदि पाई जाती हैं। दूसरे महायुद्ध के उपरांत नेज़्वल ने नई कविताएँ लिखीं। उस काल की उनकी क्रांतिवादी श्रमिक वर्ग विषयक कविताएँ चेक प्रगतिशील काव्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उनकी उत्तर युद्ध-कालीन कविता की पराकोटि 'शांतिगान' है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति की शक्ति में अपना अटूट विश्वास अभिव्यक्त किया गया है। नेज़्वल को अंतरराष्ट्रीय शांति पदक मिला है। अन्य कवितासंग्रह मुख, 'मातृभूमि से' आदि हैं। [ओ० स्मे०]

वीरचंद्र प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र, जन्म सं० १४९० में। इन्होंने वैष्णवों का ऐसा नेतृत्व किया कि बंगाल में गौडीय समाज का बहुत प्रचार हुआ। इन्हें इतना सम्मान मिला कि यह भी प्रभु कहे जाने लगे। [ब० र० दा]

वीरशैव दर्शन वीरशैव का शाब्दिक अर्थ है, जो शिव का परम भक्त हो, किंतु समय बीतने के साथ वीरशैवों का तत्वज्ञान दर्शन, साधना, कर्मकांड, सामाजिक संघटन, आचारनियम आदि अन्य संप्रदायों से भिन्न होते गए। यद्यपि वीरशैव देश के अन्य भागों—महाराष्ट्र, आंध्र, तमिल क्षेत्र आदि—में भी पाए जाते हैं किंतु उनकी सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में पाई जाती है।

शैव लोग अपने धार्मिक विश्वासों और दर्शन का उद्गम वेदों तथा २८ शैवागमों से मानते हैं। वीरशैव भी वेदों में अविश्वास नहीं प्रकट करते किंतु उनके दर्शन, कर्मकांड तथा समाजसुधार आदि में ऐसी विशिष्टताएँ विकसित हो गई हैं जिनकी व्युत्पत्ति मुख्य रूप से शैवागमों तथा ऐसे अंतर्दृष्टि योगियों से हुई मानी जाती है जो वचनकार कहलाते हैं। १२वीं से १६वीं शती के बीच लगभग तीन शताब्दियों में कोई ३०० वचनकार हुए हैं जिनमें से ३० स्त्रियाँ रही हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम बासव का है जो कल्याण (कर्नाटक) के जैन राजा बिज्जल (१२वीं शती) का प्रधान मंत्री था। वह योगी महात्मा ही न था बल्कि कर्मठ संघटनकर्ता भी था जिसने वीरशैव संप्रदाय की स्थापना की। बासव का लक्ष्य ऐसा आध्यात्मिक समाज बनाना था जिसमें जाति, धर्म या स्त्री-पुरुष का भेदभाव न रहे। वह कर्मकांड संबंधी आडंबर का विरोधी था और मानसिक पवित्रता एवं भक्ति की गहराई पर बल देता था। वह मात्र एक ईश्वर की उपासना का समर्थक था और उसने पूजा तथा ध्यान की पद्धति में सरलता लाने का प्रयत्न किया। जाति भेद की समाप्ति तथा स्त्रियों के उत्थान के कारण समाज में अद्भुत क्रांति उत्पन्न हो गई। ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा कर्मयोग—तीनों वचनकारों को मान्य हैं किंतु भक्ति पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। बासव के अनुयायियों में बहुत से हरिजन थे और उसने अंतर्जातीय विवाह भी संपन्न कराए।

वीरशैवों का संप्रदाय 'शक्ति विशिष्टाद्वैत' कहलाता है। परम चैतन्य या परम संविद् देश, काल तथा अन्य गुणों से परे है। परा संविद् की शक्ति ही इस विश्व का उत्पादक कारण है। विश्व या संसार मिथ्या (भ्रम मात्र, इंद्रजाल) नहीं है। एक लंबी और बहुमुखी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बहुरूपधारी संसार की उत्पत्ति होती है। मनुष्य में हम जो कुछ देखते हैं वह विशिष्टीकरण एवं आत्मचेतना का विकास है किंतु यह आत्मचैतन्य ही परम चैतन्य के साथ पुनर्मिलन के प्रयास का प्रेरक कारण है। साधना के परिणाम स्वरूप जब ईश्वर का सच्चा भक्त समाधि की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त होता है तब समरसैक्य की स्थिति अर्थात् ईश्वर के प्रत्येक स्वरूप के साथ पूर्ण एकता की स्थिति उत्पन्न होती है। यही मनुष्य के परमानंद या मोक्ष की स्थिति है। इसे पूर्ण विलयन न मानकर मिलन के परमानंद में बराबरी से हिस्सा ग्रहण करना समझना अधिक अच्छा होगा।

वीरशैवों ने एक तरह की आध्यात्मिक अनुशासन की परंपरा स्थापित कर ली है जिसे 'षट्स्थल शास्त्र' कहते हैं। यह मानव की साधारण चेतना का भवस्थल के प्रथम प्रक्रम से लिंगस्थल के सर्वोच्च क्रम पर पहुँच जाने की स्थिति का सूचक है। साधना अर्थात् आध्यात्मिक अनुशासन की समूची प्रक्रिया में भक्ति और शरण याने आत्मार्पण पर बल दिया जाता है। वीरशैव महात्माओं को कभी कभी 'शरण' या लिंगशरण कहते हैं याने ऐसे लोग जिन्होंने शिव की शरण में अपने आपको अर्पित कर दिया है। उनकी साधना लिंगयोग कहलाती है।

वीरशैववाद मूलतः अद्वैतवादी दर्शन है किंतु यह परमात्मा क्रिया और ध्यान से परे है और हमारे वास्तविक अनुभव की दुनिया के अस्तित्व की व्याख्या इच्छा तथा क्रिया के बिना नहीं की जा सकती, इसलिये शिव की शक्ति सिद्धांत की कल्पना की गई। ईश्वर से एकता स्थापित करने के लिये आध्यात्मिक साधक अपनी एक या तीनों शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रेमशक्ति के प्रयोग का नाम भक्तियोग, चिंतनशक्ति के प्रयोग का ज्ञानयोग तथा कर्म

शक्ति के प्रयोग का नाम कर्मयोग है। इन्हीं के जरिए परमेश्वर के साथ अंतिम रूप में एकता स्थापित होती है।

इसमें संदेह नहीं कि वीरशैवों के भी मंदिर, तीर्थस्थान आदि वैसे ही होते हैं जैसे अन्य सम्प्रदायों के, अंतर केवल उन देवी देवताओं में होता है जिनकी पूजा की जाती है। जहाँ तक वीरशैवों का संबंध है देवालयों या साधना के अन्य प्रकारों का उतना महत्व नहीं है जितना इष्ट लिंग का जिसकी प्रतिमा शरीर पर धारण की जाती है। आध्यात्मिक गुरु प्रत्येक वीरशैव को इष्ट लिंग अर्पित कर उसके कान में पवित्र पञ्चाक्षर मंत्र 'ओम् नमः शिवाय' फूँक देता है। प्रत्येक वीरशैव स्नानादि कर हाथ की गदेली पर इष्ट लिंग की प्रतिमा रखकर चिंतन और ध्यान द्वारा आराधना करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक वीरशैव में सत्यपरायणता, अहिंसा, बंधुत्वभाव जैसे उच्च नैतिक गुणों के होने की आशा की जाती है। वह निरामिष भोजी होता है और शराब आदि मादक वस्तुओं से परहेज करता है। बासव ने इस संबंध में जो निर्देश जारी किए थे, उनका साराश यह है—चोरी न करो, हत्या न करो और न झूठ बोलो, न अपनी प्रशंसा करो न दूसरों की निंदा, अपनी पत्नी के सिवा अन्य सब स्त्रियों को माता के समान समझो।'

वेद, उपनिषद् और शैवागम तो सब संस्कृत में हैं अतः वीरशैव वचनकारों ने उनका सार और शाश्वत सत्यों का स्थूलांश कन्नड भाषा एवं साहित्य में समाविष्ट कर उनकी संवृद्धि की।

[आर० आर० दिवाकर]

वीरसिंह देव, बुंदेला, राजा राजा मधुकरशाह बुंदेला का पुत्र। आरंभ से मुगल राजकुमार सलीम की सेवा में रहा। शेख अबुलफजल की हत्या कर देने पर यह सम्राट् अकबर का कोप-भाजन हुआ। सलीम के जहाँगीर के नाम से सिंहासनारूढ़ होने पर इसे तीनहजारी मनसब मिला। दक्षिण प्रदेश में कार्यकुशलता का परिचय देने पर इसके मनसब में वृद्धि हुई। जहाँगीर और शाहजहाँ के मनोमालिन्य के समय सुल्तान परवेज के साथ शाहजहाँ का पीछा करने पर नियुक्त हुआ। इसने षड्यंत्र से बहुत से प्रदेश अपने अधीन कर लिए थे। १६२७ में इसकी मृत्यु हुई। मथुरा का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे औरंगजेब ने मस्जिद का रूप दे दिया, इसी के द्वारा बनवाया गया था।

वीरसिंह, भाई (१८७२-१९५७ ई०) आधुनिक पंजाबी साहित्य के प्रवर्तक; नाटककार, उपन्यासकार, निबंधलेखक, जीवनी-लेखक तथा कवि। जन्मस्थान अमृतसर (पंजाब), पिता सिंघ नेता डाक्टर चरणसिंह। आरंभ में सीख सभा दीवान और 'सिंघ सभा' आंदोलन की सफलता के लिये अनेक ट्रैक्ट लिखे जिनका उद्देश्य सिंघ धर्म की श्रेष्ठता, एकता और हिंदू धर्म से पृथकता का जनता में प्रचार करना था। पंजाबी के विविध साहित्य में इन ट्रैक्टों का महत्वपूर्ण स्थान है। १८९४ ई० में आपने 'सिंघ ट्रैक्ट सोसाइटी' की नींव रखी। १८९९ ई० में साप्ताहिक 'सिंघ समाचार' निकाला। इससे पहले 'सुंदरी' (१८९७ ई०) के प्रकाशन के साथ आप पंजाबी के प्रथम उपन्यासकार के रूप में आ चुके थे। १८९९ ई० में आपका दूसरा उपन्यास 'विचित्र सिंघ' और १९०० ई० में तीसरा 'सतवंत कौर' प्रकाशित हुआ। इनका अंतिम उपन्यास 'सिंघ' बहुत बाद (१९२१ ई०) में प्रकाश में आया। दृष्टि से ये उपन्यास उच्च कोटि के नहीं कहे जा सकते। इनका प्रमुख ध्येय है। इनके लिए पात्र धार्मिक, त्यागी हैं, मुसलमान पात्र क्रूर, निर्दय और भिखारी हैं, तथा हिंदू भीरु, स्वार्थी तथा धोखेबाज हैं। कथानक की दृष्टि से आज के पाठकों को नीरस और सतही लगते हैं, किंतु वर्तमान शती के चरण में इनका सिंघों में बहुत प्रचार था। इनकी कहानियाँ इसी तरह की हैं — अधिकतर का संबंध सिंघ इतिहास से है। इन जीवनियों के अतिरिक्त आपने गुरु गोविंदसिंह की जीवनी 'चमत्कार' नाम से और नानक की 'गुरु नानक चमत्कार' नाम से लिखी। 'राजा लखदाताशिंघ' आपका एकमात्र नाटक है। गद्य साहित्य के विशेष गुण हैं भावों की मृदुता, भाषा की व्यंजना की तीव्रता, वर्णन की काव्यात्मकता, और गद्य साहित्यिकता।

यद्यपि मात्रा में कविता की अपेक्षा आपका गद्य अधिक है आप मुख्यतः कवि के रूप में विख्यात हैं। आपकी प्रथम 'राणा सूरतसिंघ' सिरखंडी छंद में अनुवाद कथा है। विषय और कथावस्तु प्रवाहात्मक है। कुछ साहित्यिक गुण अवश्य कम। बाद की कविताएँ मुक्तक हैं और इनमें भाई जी की सजीवता से युक्त होते गए हैं। 'लहरां दे हार' (१९ 'प्रीत वीणा', 'कंब दी कलाई', 'कत महेली' और 'साइयाँ' आपके प्रसिद्ध काव्यसंग्रह हैं। इनमें अधिकतर गीत हैं। अन्य कविताओं में रुबाइयाँ हैं जो पंजाबी साहित्य में विशेष देन में बहुमान्य हैं। बड़ी कविताओं में 'मरद दा कुत्ता' और 'जी है' आदि हैं, पर इनमें वह रस नहीं है। कवि का काव्यक्षेत्र के 'निरंजनहार' के बाहर नहीं रहा। वे राजनीति और स झमेलों से दूर भावलोक में रहकर मस्ती और बेहोशी आ उनका कहना है कि जीवन की दुरंगी से दूर एकांत में मन प्राप्ति हो सकती है। उनकी कविताएँ प्रायः छायावादी या वादी हैं। शांत रस की प्रधानता है। प्रकृति संबंधी कविता कश्मीर के दृश्य बहुत सुंदर बन पाए हैं। कवि पदार्थों का यथातथ्य रूप में नहीं करते, अपितु उनमें से संदेश पाने का करते हैं। कवि ने अंग्रेजी और उर्दू काव्य तथा पंजाबी लो से अनेक तत्व ग्रहण करके उन्हें नया रूप प्रदान किया है काव्यरूप और छंद भी इन्हीं स्रोतों से आपने अपनाए हैं, कुछ दिए हैं। छंदों की विविधता, विचारों और भावों का संगम भाषा की प्रभावपूर्णता आपकी कविता के विशेष गुण हैं।

व्यक्तिगत रूप से आप संगीत और कला के प्रेमी थे। विश्वविद्यालय ने आपको डी० लिट्० की उपाधि देकर स किया था। भाई जी की रचनाएँ भाषाविभाग (पंजाब) साहित्य अकादमी (नई दिल्ली) द्वारा पुरस्कृत हुई हैं।

[ए०

बीरूबाई बीरूबाई छत्रपति साहू के जीवन में कब और किस प्रकार आईं, यह अज्ञात है। ये किसकी पुत्री थीं तथा इनका बाल्यकाल और किस प्रकार बीता, प्रमाण के अभाव में नहीं कहा जा सकता। कुछ लेखकों के अनुसार बीरूबाई सावित्री बाई के विवाह के ही साहू के पास आई थीं। जिस समय साहू मुगल शिविर में १७०७ ई० में दक्षिण लौटे, बीरूबाई भी उनके साथ थीं। और बीरूबाई जीवनपर्यंत एक साथ रहे और एक दूसरे के सुख दुःख बँटाते रहे। दक्षिण में आने पर साहू ने सकवारबाई गुणाबाई से विवाह किए। किंतु बीरूबाई का वही स्थान रहा। न केवल साहू वरन् दोनों स्त्रियाँ भी बीरूबाई को आदर की दृष्टि से देखती थीं। बीरूबाई ने अपने मृदु स्वभाव, कुशल व्यवहार चातुर्य से अपना प्रभुत्व न केवल महल वरन् मराठा दरबार और विदेशी व्यक्तियों तक में स्थापित कर लिया था।

हुसैन जाधव और बालाजी विश्वनाथ में अनबन हो जाने से बालाजी विश्वनाथ के प्राण संकट में पड़े तो बीरूबाई के कहने पर ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता के लिये सेना भेजी। बालाजी विश्वनाथ सतारा लौटे। इस प्रकार साहू के लिये बीरूबाई योग्य व्यक्ति के अटूट और निष्ठापूर्ण सेवाभाव को सदा के लिए अर्जित किया।

बीरूबाई विदेशी मामलों में भी अपने कार्यों और सेवाओं के लिए प्रसिद्ध थीं। वे दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से मिलती भी थीं।

बीरूबाई के द्वारा ही महल का सब कार्य संपन्न होता था। वे सरदारों को पत्र भी लिखती थीं। युद्ध की योजनाओं से अवगत रहती थीं। इनके जीवनकाल में महल में अशांति नहीं हो पाई। इनकी मृत्यु २४ दि०, १७४० को हुई। साहू अत्यंत दुखी हुए। राज्य में झगड़े होने लगे। सरदेसाई के शब्दों में बीरूबाई बहुत चतुर और कुशल स्त्री थीं। उनमें त्याग, तपस्या और मधुरता का गुण था। [सु० वै०]

सिमों (१५६०-१६४६) फ्रांसीसी चित्रकार। इटली में चौदह वर्ष रहने के पश्चात् वूए सिमों फ्रांस वापस आया। सज्जात्मक चित्र बनाने में वह बड़ा निपुण था। धार्मिक आख्यानों पर उसने धार्मिक तथा रोचक चित्र बनाए हैं। वह अपने चित्रों में बड़े तैलीय तथा कमनीय रंग लगाता था और उन्हें सुंदरता के साथ पूर्ण करता था। उसी के द्वारा फ्रांसीसी कला में शास्त्रीय चित्रण कला का सुमेल एक स्वस्थ रूप में पदार्पण करता है। [रा० चं० शु०]

वूल्जे, टॉमस (१४७५-१५३०) राबर्ट वूल्जे और उनकी पत्नी जोन के पुत्र टॉमस वूल्जे का जन्म १४७५ के लगभग इप्सविच में हुआ। उनकी शिक्षा आक्सफोर्ड के मैग्डालेन कालिज में हुई, जहाँ उन्होंने १५ वर्ष की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे इस कालिज के शिक्षक भी नियुक्त हुए। १४९८ में उन्हें धर्माचार्य बना दिया गया, और 'डारसेट के मार्क्विस' की कृपा से 'लिमिंगटन' के रेक्टर नियुक्त हुए। १५०१ में डीन के आर्चबिशप ने उन्हें अपना निजी पादरी नियुक्त किया। इसके बाद वे सर रिचर्ड नान फान के द्वारा अपने पादरी नियुक्त किए गए और उन्होंने इनकी सिफारिश इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम से की। १५०७ में नान फान की मृत्यु के पश्चात् राजा ने उन्हें अपना पादरी नियुक्त किया और उन्हें कूटनीतिक कार्य भी दिया। १५०८ में उन्हें स्कॉटलैंड के राजा जेम्स चतुर्थ के पास भेजा गया।

राजा हेनरी अष्टम ने उन्हें पुरोहित संबंधी अनेक कार्य सौंपे। १५११ में वे प्रिवी काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए, और इस नियुक्ति ने उन्हें सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखने का अवसर दिया। इस समय सरकार का नियंत्रण दो दलों में विभक्त था। (१) पादरी और शांतिदल—जिसका नेतृत्व रिचर्ड फॉक्स तथा आर्चबिशप वारहम करते थे। (२) युद्ध दल—वूल्जे इस संतुलन को भंग कर युद्ध दल में मिल गए, और १५१२-१३ में युद्ध की तैयारी कर उत्तरी फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस को पराजित कर १५१४ में मेरी ट्यूडर का विवाह फ्रांस के लुई द्वादश से करवाया। १५१५ में फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम की विजय 'मैरिगनानो' के युद्धस्थल में हुई। फ्रांसिस को नीचा दिखाने के लिये वूल्जे ने सम्राट् मैक्सिमिलियन की सहायता की। वूल्जे की इन युद्धयोजनाओं को देखकर फॉक्स और वारहम ने त्यागपत्र दे दिए, और इस प्रकार परिस्थिति वूल्जे के हाथ में आ गई।

वे विदेश नीति में काफी सफल रहे। सम्राट् चार्ल्स पंचम से उनकी मित्रता थी। चार्ल्स ने उन्हें पोप बनाने का आश्वासन दिया। परंतु वे १५२१ और १५२४ में असफल रहे। १५२५ में वूल्जे ने चार्ल्स को फ्रांस की पराजय में सहायता दी। इस प्रकार शक्ति का संतुलन हुआ। इस संतुलन पर इंग्लैंड का मान निर्भर था। १५२६ में और १५२८ के बीच वे जनता में अप्रिय रहे। वूल्जे पर इन निरर्थक युद्धों में इंग्लैंड को फँसाने का आरोप लगाया गया। १५२९ में सम्राट् और फ्रांस के बीच संधि हुई, और इस संधि में इंग्लैंड को नहीं पूछा गया।

वूल्जे की विदेश नीति की असफलता की प्रतिक्रिया गृहनीति पर भी हुई। न्याय का सुदृढ़ शासन, सामंतों का दमन और उनकी राजा के प्रति राजभक्ति ने उन्हें अप्रिय बनाया। सामंत पादरियों द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे। वूल्जे के दुर्भाग्य से १५२९ में एक दुर्घटना हुई। इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम अपनी पत्नी कैथरीन को त्यागना चाहता था, और उसके लिये वह पोप से आज्ञा लेना चाहता था। यह कार्य वूल्जे को सौंपा गया। पोप सम्राट् चार्ल्स के हाथ में था। वूल्जे अपने राजा की इस इच्छा को पूरा न कर सके। संसद् उनके विरोध में थी। सामंत उनसे घृणा करते थे। पादरी भी उनसे रुष्ट थे। ऐसी परिस्थिति में राजा का भी खिन्न हो जाना गिरते को लात मारना था। राजा ने निश्चय किया कि अब वह स्वयं शासन करेगा। वूल्जे को अपने समस्त पदों को त्यागना पड़ा और उन्हें पेंशन दी गई। अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षण उन्होंने धार्मिक कृत्यों के पालन में बिताए। राजा का उनपर संदेह पूर्ववत् बना रहा और उन्हें लंदन बुलाया गया।

मार्ग में लिसिस्टर में ३० नवंबर, १५३० को उसकी इहलीला समाप्त हो गई। [गि० कि० ग०]

वूवेर्मन फिलिप (Wovierman Philip) डच चित्रकार। जन्म हारलेम में मई, १६२० में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पिता से ग्रहण की। जीवन पर्यंत इसे विशेष आदर नहीं मिला लेकिन बाद में लोगों ने पहचाना। मृत्यु काल के कुछ दिन पूर्व इसने अपनी अनेक रचनाएँ नष्ट कर दी, फिर भी अभी ८०० चित्र प्राप्त हैं। इसके प्रत्येक चित्र में कोई न कोई घोड़ा अवश्य रहता है। इसके सर्वोत्तम चित्रों का संग्रह ड्रेसडेन की चित्रदीर्घा में है। म्यूनिख, वियना, ऐम्स्टर्डम, हेग आदि की चित्र दीर्घाओं में भी इसके चित्र उपलब्ध हैं। ९ मई, १६६८ को इसकी मृत्यु हो गई। [गु० त्रि०]

वृंदावनदास ठाकुर इनके पिता कुमारहट्ट निवासी वैकुंठनाथ ठाकुर थे। नवद्वीप में सं० १५८२ में इनका जन्म हुआ। कुछ दिन अनंतर माता के साथ यह कुमारहट्ट लौट गए, जहाँ इनकी माता का भी शरीरांत हो गया। इन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा है, जो बाद में चैतन्य भागवत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बंगला भाषा का आदि काव्य ग्रंथ माना जाता है। कृष्णदास कविराज ने इसकी बड़ी प्रशंसा अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में की है और कवि कर्णपूर ने इन्हें व्यास का अवतार कहा है। अंतिम अवस्था में ये वृंदावन गए। इनकी अन्य रचनाएँ हैं श्रीनित्यानंद चरितामृत, आनंदलहरी, तत्वसार, तत्वविलास, भक्तिचिंतामणि आदि। [ब्र० र० दा०]

वृक्क के रोग (Diseases of kidney), देखें मूत्र-रोग-विज्ञान।

वृत्त (Circle) किसी समतल में ऐसे एक वक्र बिंदु का बिंदुपथ है, जिसकी एक स्थिर बिंदु (केंद्र) से दूरी (त्रिज्या) सदा बराबर हो। चित्र १. में बद वक्र एक वृत्त है और परिबद्ध (enclosed) भाग अभ्यंतर (Interior) कहलाता है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलानेवाली सरल रेखा जीवा (Chord) कहलाती है। महत्तम जीवा व्यास है, जो त्रिज्या का दूना होता है। परिधि के दो बिंदुओं के बीच का भाग चाप (Arc) कहलाता है। ल प फ म दीर्घ चाप और ल थ म लघु चाप है। चाप और जीवा के मध्य स्थित समतल का भाग वृत्त का खंड (segment) है। ल प फ म म ल दीर्घ खंड और ल थ म म ल लघु खंड है। दो त्रिज्याओं और उनके छोरों को मिलानेवाले किसी चाप के बीच का क्षेत्र वृत्त का त्रिज्यखंड (Sector) कहलाता है। स ल थ म स त्रिज्यखंड और कोण ल स म त्रिज्यखंड का कोण है।

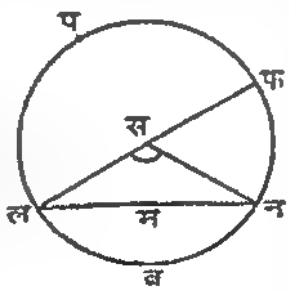

चित्र १.

विश्लेषिक विवेचन (Analytical treatment)

यदि किसी वृत्त (चित्र २) की त्रिज्या थ और [illegible] प्र) ज्ञात हों, और वृत्त पर प (य, र) कोई बिंदु हो, तो परि अनुसार :

$$स प^2 = थ^2 = (य-च)^2 + (र-छ)^2$$

अतः वृत्त का समीकरण है :

$$(य-च)^2 + (र-छ)^2 = थ^2 \quad \cdots\cdots(1$$

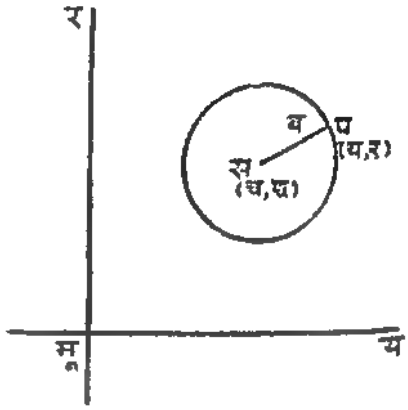

चित्र २.

यदि केंद्र मूल बिंदु पर हो, तो वृत्त के समीकरण का निम्नलिखित हो जाता है :

$$य^2 + र^2 = थ^2$$

समीकरण (१) वृत्त का मानक रूप (standard form) है। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है :

$$य^2 + र^2 + 2 द य + 2 ध र + स = 0 \quad \cdots\cdots($$

जिसमें द, ध और स स्थिरांक हैं। समीकरण (२) को निम्नलिखित रूप में भी निगमित (deduced) किया जा सकता है :

$$(य-च)^2 + (र-छ)^2 = स$$

यदि स > ०, तो स = थ² रखकर समीकरण को मानक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यदि स = ०, तो वृत्त घटकर बिंदु हो जाता है और यदि स < ० तो समीकरण (२) का वृत्त के बिंदुपथ का अस्तित्व शून्य हो जाता है। अतः समीकरण (२) यदि इसका बिंदुपथ हो, तो यह वृत्त या बिंदु का समीकरण होता है और वृत्त का सामान्य रूप कहलाता है। समीकरण के मानक रूप का महत्व यह है कि वह च, छ और थ के गुणों को स्पष्टतः व्यक्त करता है, जिनसे वृत्त ज्यामितीय रूप से संबंधित होता है और वृत्त का सामान्य समीकरण वृत्त की सरल बीजगणितीय संरचना बताता है। यह एक द्विघात समीकरण है, जिसमें य², र² के गुणांक बराबर हैं और य र का अनुपस्थित है। स्थिरांकों की संख्या तीन है, जो वृत्त के ज्यामितीय गुणों के अनुरूप है, अर्थात् वृत्त तीन स्वतंत्र प्रतिबंधों (independent conditions) को पूरा करता है। उदाहरणार्थ, यह दिए हुए तीन बिंदुओं से गुजर सकता है, या तीन सरल रेखाओं को स्पर्श कर सकता है।

यदि हम समीकरण (२) के बाएँ बाजू को ल से निरूपित करें, तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि कोई बिंदु प (य, र)) वृत्त

= ० के बाहर, वृत्त पर या वृत्त के अंदर पड़ता है। इसका प्रति-
ष ज, [य = य, और र = र, होने पर ज का मान] का मान एक
अधिक, एक या शून्य होता है। समीकरण (२) द्वारा निरूपित
त्त का केंद्र (−द, −घ) है और त्रिज्या $\sqrt{[घ^2+द^2-स]}$ है।

रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेदन (Intersection) — वृत्त
$^2+र^2=म^2$ (१) और रेखा र = मय + स (२) का प्रतिच्छेदन
बिंदु समीकरण (१) और (२) से र को मुक्त करके द्विघात समी-
करण को हल करने से प्राप्त होता है :

$$(१+म^2)\, य^2 + २\, म\, स\, य + (स^2 - म^2) = ०$$

समीकरण के मूल वास्तविक (और भिन्न), बराबर या काल्पनिक इस
प्रतिबंध के अनुसार होते हैं : $म^2\,(१+म^2) - स^2 >$ या < ०।
पहली स्थिति में रेखा वृत्त को दो वास्तविक और सुस्पष्ट बिंदुओं पर
काटती है। दूसरी स्थिति में रेखा वृत्त को दो समपाती (coinci-
dent) बिंदुओं पर काटती है तथा तीसरी स्थिति काल्पनिक
बिंदुओं की है।

वृत्त की स्पर्शरेखा और अभिलंब (normal) — बिंदु प जब
क की ओर रुख करता है, तो वृत्त की जीवा प क जिस सरल रेखा की
ओर रुख करती है, उसे प बिंदु पर वृत्त का स्पर्शी कहते हैं। अत-
अक्सर कहा जाता है कि स्पर्शरेखा वृत्त से समपाती बिंदुओं पर
मिलती है। वृत्त $य^2 + र^2 + २\,द\,य + २\,घ\,र + स = ०$ के (य,र)
बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण होता है :

$$य\,य_1 + र\,र_1 + द\,(य+य_1) + घ\,(र+र_1) + स = ०$$

वृत्त के किसी बिंदु पर अभिलंब वह सरल रेखा है, जो उस
बिंदु से गुजरती है और उस बिंदु की स्पर्शरेखा पर लंब होती है।
अभिलंब का समीकरण है :

$$र\,(य_1+द) - य\,(र_1+घ) + द\,य_1 - घ\,र_1 = ०$$

समीकरण से जाहिर है कि अभिलंब केंद्र से गुजरता है।

किसी भी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएँ खींची जा सकती
हैं और ये वास्तविक, समपाती या काल्पनिक होंगी। इसका प्रतिबंध
क्रमश बिंदु का वृत्त के बाहर, वृत्त पर या वृत्त के अंदर होना है।
समीकरण (२) वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु $(य_1, र_1)$, से खींची
गई स्पर्शरेखा की लंबाई है $य_1^2+र_1^2+२द\,य_1+२\,घ\,र_1+स$।

संपर्क की जीवा (Chord of Contact) — यदि किसी बाह्य
बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएँ खींची जायँ, तो संपर्क के बिंदुओं
को मिलानेवाली सरल रेखा उस बिंदु से खींची गई स्पर्शी रेखाओं
के संपर्क की जीवा कहलाती है। $(य_1, र_1)$ बिंदु से समीकरण (२)
वाले वृत्त पर बनाई गई स्पर्शरेखाओं के संपर्क की जीवा का
समीकरण होगा :

$$य\,य_1 + र\,र_1 + द(य+य_1) + घ\,(र+र_1) + स = ०$$

ध्रुवी (Polar) — किसी स्थिर बिंदु से गुजरनेवाली वृत्त
की जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के प्रतिच्छेदनबिंदु
बिंदुपथ को उस बिंदु का ध्रुवी और बिंदु को ध्रुव (Pole)
कहते हैं। $(य_1, र_1)$ बिंदु का ध्रुवी समीकरण (२) वाले वृत्त के

मूलाक्ष (Radical axis) — दो वृत्तों का मूलाक्ष उस बिंदु
का बिंदुपथ है जो इस प्रकार चर होता है कि उससे दोनों वृत्तों
पर खींची गई स्पर्शरेखाएँ बराबर लंबाई की होती हैं। इसका
समीकरण होगा :

$$२(द-द')य + २(घ-घ')र + स - स' = ०$$

यह समीकरण सरल रेखाओं को निरूपित करता है, जिससे स्पष्ट है
कि दो वृत्तों का मूलाक्ष उनकी उभयनिष्ठ जीवा है। इसे अनंत
त्रिज्या के वृत्त के रूप में समझा जा सकता है।

समाक्ष वृत्त (Coaxal Circles) — उस वृत्त निकाय
(system) को समाक्ष वृत्त कहते हैं, जिसके हर दो वृत्तों का
मूलाक्ष एक ही हो। दो स्थिर बिंदुओं से गुजरनेवाले वृत्त समाक्ष
निकाय निर्मित करते हैं। समीकरण $य^2+र^2+२\lambda य+स = ०$
समाक्ष वृत्तों के निकाय को निरूपित करता है, जिनका मूलाक्ष
र-अक्ष है। यदि स ऋणात्मक है, तो वृत्त र-अक्ष को वास्तविक
बिंदुओं $(०, +\sqrt{-स})$ और $(०, -\sqrt{-स})$ पर काटता है और ये
बिंदु वृत्तनिकाय के हर वृत्त के लिये होते हैं। यदि स धनात्मक हो,
तो वृत्त र-अक्ष को काल्पनिक बिंदुओं पर काटता है।

लंबकोणीय वृत्त (Orthogonal circles) — यदि दो वृत्त
बिंदु अ और ब पर मिलें, तो वे अ और ब पर बराबर कोण पर
एक दूसरे को काटते हैं। जब यह कोण समकोण होता है, तो वृत्त
लंबकोणीय कहलाते हैं। लंबकोणीय वृत्त का प्रतिबंध है :

$$२\,द\,द' + २\,घ\,घ_1 = स + स_1$$

वृत्त के संदर्भ में किसी बिंदु की शक्ति (Power) — यदि प
$(य_1, र_1)$ से गुजरनेवाली रेखा समीकरण (२) वाले वृत्त को
अ और ब पर काटे तो गुणनफल पअ × पब, जो प से गुजरने-
वाली रेखा की दिशा से स्वतंत्र है, वृत्त के संदर्भ में बिंदु की शक्ति
कहलाता है। यह धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक होती है, जिसका
प्रतिबंध क्रमश बिंदु का वृत्त के बाहर, वृत्त पर या वृत्त के भीतर
होना है।

वृत्त का विस्तार कलन (Mensuration)

वृत्त की ज्यामिति उसके कुछ बहुत महत्व के गुणों को प्रदर्शित
करती है। ये गुण वृत्त की सममिति (symmetry) प्रकृति के
कारण हैं। केंद्र के चारों ओर घूर्णन करने (rotate) पर वृत्त का
रूप नहीं बदलता। एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि प्रत्येक जीवा
उस लंब से समद्विभाजित होती है जो उसपर केंद्र से डाला
जाता है। वृत्त के किसी चाप के छोरबिंदुओं को केंद्र से मिलाने
वाली रेखाओं के बीच का कोण उस कोण का दूना होता है
जो इन्हीं छोर के बिंदुओं को बाकी चाप के किसी बिंदु से
मिलानेवाली रेखाओं के बीच बनता है। अर्धवृत्त का कोण
समकोण होता है।

वृत्त का क्षेत्रफल $\pi व^2$ होता है, जहाँ व त्रिज्या तथा π
परिधि और व्यास की लंबाइयों का अनुपात है। दशमलव के बीस

जहाँ ख चाप की लंबाई है और ब त्रिज्या है। वृत्त की परिधि २π ब है। इन परिणामों से यह ज्ञात होता है कि वृत्त की परिधि की लंबाई की सरल रेखा, या वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर का वर्ग खींचना संभव नहीं है। वृत्त के किसी चाप के बराबर लंबाई की सरल रेखा भी नहीं खींची जा सकती। [प्र० दा० शा०]

वृषभ युद्ध स्पेन वासियों का राष्ट्रीय खेल है। इस युद्ध में जो साँड भाग लेते हैं, वे पालतू नहीं होते, वरन् एक विशेष जंगली जाति के होते हैं। वृषभ युद्ध ग्रीक और रोमन साम्राज्य में भी प्रचलित थे, किंतु इनमें पालतू साँडों द्वारा प्रदर्शन होता था। बाद में इन्हें बंद कर दिया गया, किंतु स्पेन और मेक्सिको में ये राष्ट्रीय रूप में अभी भी प्रचलित हैं।

इन युद्धों की व्यवस्था झंडों और बंदनवारों से सजाए हुए, एक गोल क्रीडांगण में, जिसे 'प्लाजा द टोरोस' (Plaza de toros) कहते हैं, की जाती है। अध्यक्ष के इशारा करने पर, साँड आँगन में छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसे भाले से लैस घुड़सवार, जिन्हें पिकाडोर (picadores) कहते हैं, तैयार मिलते हैं। ये बर्छे से छेदकर साँड को क्रोधित करने और इधर उधर दौड़ाकर उसे थकाने की चेष्टा करते हैं। यदि वृषभ साहसी हुआ, तो घुड़सवारों को बड़ी सतर्कता से अपना बचाव करना पड़ता है। यदि साँड आक्रमण के बजाय स्वयं भागने का उपक्रम करता है, तो दर्शक उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे तुरंत मार डाला जाता है।

साहसी वृषभ जब किसी घोड़े को घायल कर देता है या पिकाडोर गिर जाता है, तो चुलो (chulos), अर्थात् दो फुट लंबी फनदार बर्छियाँ लिए पैदल, उसे घेर और छेड़कर, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब साँड थक जाता है, तो पिकाडोर हट जाते हैं और उनका स्थान चुलो ले लेते हैं, जो साँड को छेड़ने, थकाने, घायल और क्रोधित करने का क्रम जारी रखते हैं। अंत में मैटाडोर (matador) या एस्पाडा (espada), अर्थात् एक अभिजातवंशीय पुरुष, अकेला साँड का सामना करता है। क्रोध से

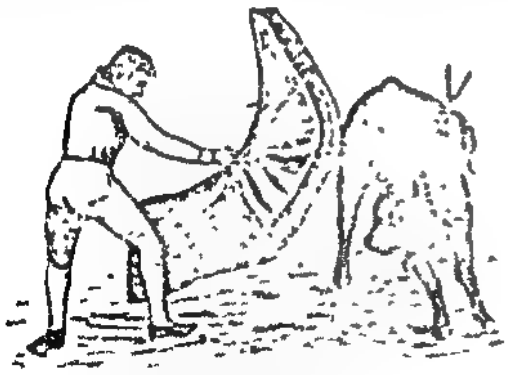

मैटाडोर और वृषभ

ऊँचे साँड की ग्रीवा पर वह अपने हाथ बढ़ाने को उसके आगे कर, स्वयं एक ओर हट जाता है। जब अपने शत्रु और कुत्तों के बदले चमत्कार वह दर्शकों को दिखा कर प्रसन्न कर चुकता है, तो साँड के अंतिम आक्रमण के समय अपने को बचाकर तलवार से उसके कंधों के बीच, मेरुदंड को छेदकर साँड का अंत कर देता है।

तब झंडियों और घंटियों से सज्जित, सुंदर खच्चरों का दल अखाड़े में आता है और खून में लिपटे साँड के मृत शरीर को बाहर घसीट ले जाता है। इस क्रूर खेल का अंत एक साँड की मृत्यु से ही नहीं होता, वरन् प्रत्येक प्रदर्शन में कई साँड अखाड़े में छोड़े जाते हैं। [प्र० दा० श०]

वृषभानु राधिका के पिता जो पुराणानुसार नारायण के अंश हुए थे। ये रावल गाँव के निवासी गोकुल के बड़े सरदारों में थे, अतः ये कंस के अत्याचारों के कारण बरसाने में रहने लगे थे। इनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का सेरभानु था। [रा० मि०]

वृहदांत्र (Large Intestine) आहारनाल (alimentary canal) का एक भाग है, जो क्षुद्रांत्र (ileum) के अंत से प्रारंभ होकर गुदा तक फैला है। इसकी लंबाई १·५ मीटर है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं : (१) अंधनाल (Caecum), (२) कोलन (Colon), (३) मलाशय (Rectum) और (४) गुदानाल (Anal canal)।

(१) अंधनाल — यह ६ सेंमी० लंबा और ७·५ सेंमी० चौड़ा होता है। यह वृहदांत्र का पहला भाग है और दक्षिण श्रोणीय कोष्ठ (right iliac fossa) में स्थित है। यह एक फूला हुआ कोष्ठ (sac) है, जो नीचे की ओर बंद है, ऊपर आरोही कोलन (ascending colon) में खुलता है और भीतर की ओर क्षुद्रांत्र से घिरा है। इसकी पश्चाभ्यंतर दीवार (posterio-medial wall) एक केंचुली (worm) की ऐसी नली निकलती है, जिसको कृमिरूप परिशेषिका (Vermiform appendix) कहते हैं। यह परिशेषिका २ सेंमी० से २० सेंमी० तक लंबी होती है। इसकी औसत लंबाई लगभग ९ सेंमी० है। इसका स्थान भिन्न भिन्न तरह का है : (क) प्रत्यक् अंधांत्र (retrocaecal), या प्रत्यक् कोलन (retrocolic) परिशेषिका — जहाँ परिशेषिका अंधांत्र या कोलन के पीछे रहती है, (ख) श्रोणीय या अवरोही परिशेषिका (pelvic or descending appendix) — जहाँ परिशेषिका श्रोणीय (pelvic) पर्दा पर, या नीचे श्रोणीय गुहा (pelvic cavity) में चली जाती है। स्त्रियों में ऐसी परिशेषिका अंडाशय या गर्भाशय (uterus) के पास भी पहुँच जा सकती है, (ग) अंध कृमिरूप परिशेषिका — जहाँ परिशेषिका अंधनाल के नीचे रहती है, (घ) और (ङ) पुरःक्षुद्रांत्र (pre-ileal) और पश्चक्षुद्रांत्र परिशेषिका के सामने या पीछे रहता है। इन सबों में प्रत्यक् अंधांत्र या प्रत्यक् कोलन प्रकार (type) अधिक होता है। परिशेषिका के भिन्न भिन्न स्थान होने के कारण, इनके कोष्ठ में जो पीड़ा होती है, वह उदर की भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है।

(२) कोलन (Colon) — इसके चार हिस्से हैं : (क) आरोही, (ख) अनुप्रस्थ (Transverse), (ग) अवरोही (Descending) और (घ) अवपृष्ठनी (Sigmoid)।

(क) आरोही कोलन — यह १५ सेंमी० लंबा होता है और अंधनाल से संबंधित होता है। यह अंधनाल से आरंभ होता है और यकृत की दक्षिण पालि (right lobe) के अंत तक फैला है। वहाँ एक कोलन चिह्न (colic impression) बनाता है। वहाँ से यह बाईं ओर मुड़ता है और अनुप्रस्थ कोलन कहलाता है। इस मोड़ को दक्षिण कोलन आनमन (right colic flexure) कहते हैं।

(ख) अनुप्रस्थ कोलन — इसकी लंबाई ५० सेंमी० है और यह यकृत के दक्षिण छोर से प्लीहा तक फैला है। यह चित्र में दिखाए

गया है और अधिकतर थोड़ा मुड़ा रहता है, किंतु किसी किसी में नाभि, या उससे भी नीचे तक उदर में, पहुँच जाता है। प्लीहा के पास पहुँचकर यह उसके पार्श्व प्रांत (lateral end) के पास से नीचे की ओर मुड़ता है और अवरोही कोलन बनाता है। इस तरह यहाँ जो वाम कोलन आनमन बनता है, वह बहुत तीक्ष्ण (acute) होता है और अनुप्रस्थ कोलन के प्रारंभ भाग के सामने हो जाता है। वाम कोलन आनमन का स्थान दक्षिण कोलन आनमन से कुछ ऊँचा होता है और इसे एक स्नायु (ligament), जिसको मध्यच्छद कोलन स्नायु (Phrenico colic ligament) कहते हैं, डायाफ्राम (diaphragm) से बाँधे रहती है।

(ग) अवरोही कोलन — यह २५ सेमी० लंबा होता है और वाम कोलन आनमन से मुख्य श्रोणि (true pelvis) के अंतद्वार तक फैला है, जो वंक्षण वलन (fold of groin) के पास है।

(घ) अवग्रहरूपी कोलन या श्रोणीय (pelvic) कोलन — यह प्रायः ४० सेमी० लंबा होता है और मुख्य श्रोणि के अंतःद्वार से प्रारंभ होकर एक पाश के रूप में नीचे उतरता है। अंत में सेक्रम (sacrum) के प्रथम टुकड़े के सामने मध्यम तल में मलाशय में खुलता है। यह एक पाश है जैसा चित्र में दिखाया गया है, तथा पुरुषों के मूत्राशय और स्त्रियों के गर्भाशय के ऊपर स्थित है। इसलिये जब मूत्राशय में मूत्र भर जाता है या गर्भाशय में बच्चा बढ़ता है तब अवग्रहरूपी कोलन भी उदर में ऊपर उठता है।

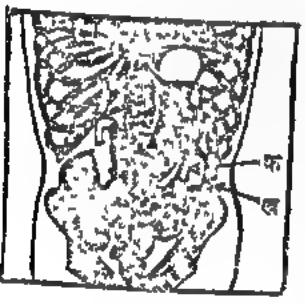

बृहदांत्र
नीचे का काला, मालाकार भाग बृहदांत्र है।

(३) मलाशय — यह १२ सेमी० लंबा है और अवग्रहरूपी कोलन से सेक्रम और अनुत्रिक (coccyx) के सामने से उतरकर अनुत्रिक [redacted] निचले सिरे के २-३ सेमी० सामने और नीचे, गुदानाल में प्रवेश करता है। इस यात्रा में यह पीछे की ओर मुड़ा रहता है और सेक्रम आनमन (sacral flexure) बनाता है। इसका अंतिम हिस्सा, जिसको मलाशय तुंबिका (Rectal ampulla) कहते हैं, फूला हुआ है। मलाशय के ऊपरी दो तिहाई भाग के साथ पेरिटोनियम (peritoneum) और सामने पेरिटोनियम गुहा (peritoneum cavity) है। इसके निचले एक तिहाई भाग के सामने पुरुषों में मूत्राशय का आधार, शुक्राशय (seminal vesicle), शुक्रवाहिनी (ducts deferens), मूत्रवाहिनी (ureter) का अंतिम भाग और प्रोस्टेट (prostate) रहता है और स्त्रियों में योनि का निचला भाग रहता है। मलाशय के अंदर श्लेष्मल कला में अनुप्रस्थ पुटक (transverse, or horizontal folds) हैं, जो अर्धचंद्राकार हैं। ये साधारणतया तीन हैं, जिनमें बीच वाला स्थायी और सबसे बड़ा है। इसमें मांसपेशियाँ भी हैं। यह मलाशय के ऊपरी दो तिहाई भाग के नीचे है, जो पेरिटोनियम गुहा के पीछे है। इसलिये मलाशय का यह हिस्सा (जो मध्य स्थित पुटक के ऊपर है) मल से फूलता है और इसमें मल रहता है पर इस पुटक के नीचे का हिस्सा खाली रहता है।

(४) गुदनाल — यह ३८ सेमी० लंबा है और मलाशय के संकीर्ण भाग से प्रारंभ होकर नीचे तथा पीछे की ओर मुड़ता है और अंत में गुदा [redacted] बाहर खुलता है, जिससे मल बाहर निकलता है।

डाक्टरों को मलाशय में अँगुली डालकर कभी कभी जाँच करने की आवश्यकता होती है। इस जाँच से मलाशय से मिले हुए श्रोणीय अंग (pelvic organs), जैसे पुरुषों में मूत्राशय, प्रोस्टेट, शुक्राशय, मूत्रवाहिनी और स्त्रियों में योनि, गर्भाशय-ग्रीवा आदि का ज्ञान होता है। [ता० प्र० सिं०]

बेंसिटार्ट, हेनरी आपका जन्म ३ जून, सन् १७३२ ई० को लंदन में हुआ था। आपने १३ वर्ष की अवस्था से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी प्रारंभ की। सन् १७४५ ई० में आप मद्रास आए। थोड़े ही दिनों में आपने फारसी भाषा सीख ली। यहीं आपका परिचय राबर्ट क्लाइव से हुआ जो गाढ़ी मित्रता में परिणत हो गया। सन् १७५० में आपकी पदोन्नति एक फैक्टर के रूप में हुई। क्लाइव की सिफारिश पर सन् १७६० में आप बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए। आपने मीर जाफर को गद्दी से उतारकर उसी के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। पटना के नायब नवाब रामनारायण को जिसे क्लाइव ने संरक्षता प्रदान की थी, आपको मीर कासिम की रक्तपिपासा शांत करने के लिये, विवश हो, देना पड़ा। अंग्रेजों का यह बड़ा भारी विश्वासघात था। सन् १७६२ में आपने वारेन हेस्टिंग्स के साथ जाकर नवाब से मुंगेर की संधि की। परंतु अब तक बंगाल की कौंसिल से आपका बहुमत जाता रहा था। परिणामतः इसने उस संधि को रद्द कर दिया। अंग्रेजों की उस नीति के कारण नवाब से युद्ध छिड़ गया। अंत में खिन्न होकर आपने पदत्याग कर दिया। इंग्लैंड पहुँचकर आपको क्लाइव तथा उसके मित्रों का कोपभाजन बनना पड़ा। सन् १७६९ में आप कंपनी के डाइरेक्टर बनाए गए तथा उसी साल भारत में कंपनी की स्थिति की जाँच करने के लिये रवाना हुए परंतु रास्ते में ही आपका जहाज घटनाग्रस्त हो गया। [जि० ना० सा०]

वेणुगंगा नदी मध्य प्रदेश राज्य की महादेव पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है और दक्षिण में गोदावरी की सहायक प्राणहिता नदी से मिल जाती है। इसकी घाटी की रचना आद्यमहाकल्पी चट्टानों की है। घाटी अधिक ऊँचा नीचा लगभग १००० फुट ऊँचा भूभाग है। यहाँ भारत का ६० प्रति शत मैंगनीज प्राप्त होता है। कुछ छोटे छोटे कोयला क्षेत्र भी मिलते हैं। दक्षिण में दुर्ग और चाँदा जिलों में उत्तम लोहा प्राप्त होता है पर खनन कार्य अभी कम हुआ है। [रा० स० त०]

वेद का अर्थ 'ज्ञान के ग्रंथ' है। ये वेद चार हैं, परंतु इन चारों को मिलाकर एक ही 'वेद ग्रंथ' समझा जाता था।

'एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः।—महाभारत

वेद को पढ़ना बहुत कठिन प्रतीत होने लगा, इसलिये उसी एक वेद के तीन या चार विभाग किए गए। तब उनको 'वेदत्रयी' अथवा 'चतुर्वेद' कहने लगे।

की परिधि २πr है। इन परिणामों से यह ज्ञात होता है कि वृत्त की परिधि की लंबाई की सरल रेखा, या वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर का वर्ग खींचना संभव नहीं है। वृत्त के किसी चाप के बराबर लंबाई की सरल रेखा भी नहीं खींची जा सकती। [प्र० दा० शा०]

वृषभ युद्ध स्पेन वासियों का राष्ट्रीय खेल है। इस युद्ध में जो साँड़ भाग लेते हैं, वे पालतू नहीं होते, वरन् एक विशेष जंगली जाति के होते हैं। वृषभ युद्ध ग्रीक और रोमन साम्राज्य में भी प्रचलित थे, किंतु इनमें पालतू साँडों द्वारा प्रदर्शन होता था। बाद में इन्हें बंद कर दिया गया, किंतु स्पेन और मेक्सिको में ये राष्ट्रीय रूप में अभी भी प्रचलित हैं।

इन युद्धों की व्यवस्था झंडों और बंदनवारों से सजाए हुए, एक गोल क्रीड़ांगण में, जिसे 'प्लाजा द टोरोस' (Plaza de toros) कहते हैं, की जाती है। अध्यक्ष के इशारा करने पर, साँड आँगन में छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसे भाले से लैस घुड़सवार, जिन्हें पिकाडोर (picadores) कहते हैं, तैयार मिलते हैं। ये बर्छे से छेदकर साँड़ को क्रोधित करने और इधर उधर दौड़ाकर उसे थकाने की चेष्टा करते हैं। यदि वृषभ साहसी हुआ, तो घुड़सवारों को बड़ी सतर्कता से अपना बचाव करना पड़ता है। यदि साँड आक्रमण के बजाय स्वयं भागने का उपक्रम करता है, तो दर्शक उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे तुरत मार डाला जाता है।

साहसी वृषभ जब किसी घोड़े को घायल कर देता है या पिकाडोर गिर जाता है, तो चुलो (chulos), अर्थात् दो फुट लंबी फलदार बर्छियाँ लिए पैदल, उसे घेर और छेदकर, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब साँड़ कुछ थक जाता है, तो पिकाडोर हट जाते हैं और उनका स्थान चुलो ले लेते हैं, जो साँड़ को छेदने, थकाने, घायल और क्रोधित करने का क्रम जारी रखते हैं। अंत में मैटाडोर (matador) या एस्पाडा (espada), अर्थात् एक असिकलाप्रवीण पुरुष, अकेला साँड़ का सामना करता है। क्रोध से

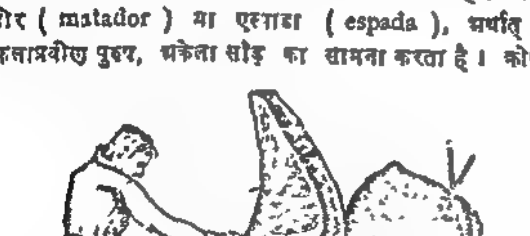

मैटाडोर और वृषभ

अंधे साँड़ की प्रत्येक झपट पर वह अपने लाल लबादे को उसके आगे कर, स्वयं एक ओर हट जाता है। जब अपने साहस और फुर्ती के यथेष्ट चमत्कार वह दर्शकों को दिखाकर प्रसन्न कर चुकता है, तो साँड़ के अंतिम आक्रमण के समय अपने को बचाकर तलवार से उसके कंधों के मध्य, मेरुदंड को छेदकर साँड़ का अंत कर देता है।

तब झंडियों और पंटियों से सज्जित, सुंदर सजधजे दल अखाड़े में आता है और खून में लिपटे सींग के मूठ को बाहर घसीट ले जाता है। इस क्रूर खेल का अंत एक साँड़ के ही नहीं होता, वरन् प्रत्येक प्रदर्शन में कई साँड़ मारे जाते हैं। [प्र० दा०

वृषभानु राधिका के पिता जो पुराणानुसार नारायण के हुए थे। ये रावल गाँव के निवासी गोकुल के बड़े सरदारों में अंत में कंस के अत्याचारों के कारण बरसाने में रहने लगे थे। माता का नाम पद्मावती और पिता का वृषभानु था। [प्र०

बृहदांत्र (Large intestine) आहारनाल (alimentary का एक भाग है, जो क्षुद्रांत्र (ileum) के अंत से आरंभ गुहा तक फैला है। इसकी लंबाई १.५ मीटर है। इसके तिन भाग होते हैं : (१) अंधनाल (Caecum), (२) कोलन (C (३) मलाशय (Rectum) और (४) गुदानाल (Anal ca

(१) अंधनाल — यह ६ सेंमी० लंबा और ७.५ सेंमी होता है। यह बृहदांत्र का पहला भाग है और दक्षिण श्रोणि (right iliac fossa) में स्थित है। यह एक फूला हुआ बाग है, जो नीचे की ओर बंद है, ऊपर आरोही कोलन (asc colon) में खुलता है और भीतर की ओर क्षुद्रांत्र से ि इसकी पश्चाभ्यंतर दीवार (posterio-medial wall) सीवनी (worm) की ऐसी नली निकलती है, जिसको परिशेषिका (Vermiform appendix) कहते हैं। यह ग २ सेंमी० से २० सेंमी० तक लंबी होती है। इसकी चौड़ा लगभग ६ सेंमी० है। इसका स्थान भिन्न भिन्न तरह का है: प्रत्यक् अंत्रांत्र (retrocaecal), या प्रत्यक् कोलन (retr परिशेषिका — जहाँ परिशेषिका अंत्रांत्र या कोलन के पीछे (ख) श्रोणीय या अवरोही परिशेषिका (pelvic or desc appendix) — जहाँ परिशेषिका श्रोणीय (pelvic) या नीचे श्रोणीय गुहा (pelvic cavity) में चली जाती है में ऐसी परिशेषिका अंडाशय या गर्भाशय (uterus) के पास जा सकती है, (ग) अध कृमिरूप परिशेषिका — जहाँ अंधनाल के नीचे रहती है, (घ) और (ङ) पुरःक्षुद्रांत्र (pr और पश्चक्षुद्रांत्र परिशेषिका के सामने या पीछे रहता है। में प्रत्यक् अंत्रांत्र या प्रत्यक् कोलन प्रकार (type) अधिक परिशेषिका के भिन्न भिन्न स्थान होने के कारण, इसके पीड़ा होती है, वह उदर की भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती

(२) कोलन (Colon) — इसके चार हिस्से हैं: आरोही, (ख) अनुप्रस्थ (Transverse), (ग) (Descending) और (घ) अवरोही (Sigmoid)

(क) आरोही कोलन — यह १५ सेंमी० लंबा और अंधनाल से संकीर्ण होता है। यह अंधनाल से आरंभ और यकृत की दक्षिण पालि (right lobe) के अधस्तल जहाँ एक कोलन चिह्न (colic impress यह बाईं ओर मुड़ता है और को दक्षिण कोलन आनमन (right

(ख) अनुप्रस्थ कोलन — यकृत के दक्षिण खंड से प्लीहा

सोलहवें अध्याय में शतरुद्रीय होम है। सत्रहवें अध्याय से इक्कीसवें अध्याय तक वसोधारा आदि प्रयोग हैं। बाइसवें अध्याय से उनतीसवें अध्याय तक अश्वमेधादि यज्ञों का वर्णन है। तीस और इकतीसवें अध्यायों में नरमेध है। बत्तीस और तैंतीस अध्यायों में सर्वमेध यज्ञ है, चौंतीसवें अध्याय में ब्रह्मयज्ञ है, पैंतीसवें अध्याय में पितृयज्ञ, छत्तीसवें अध्याय में शांतिपाठ, सैंतीस से उनतालीस तक महावीर आदि यज्ञकर्म और चालीसवें अध्याय में परमात्मस्वरूप का दर्शन है।

यज्ञों में पशु का वध होता है, ऐसा कई मानते हैं, पर यज्ञ में पशु का वध करने के लिये कोई मंत्र नहीं है। 'ओषधे त्रायस्व स्वधिते मा एनं हिंसी' यह मंत्र प्रयुक्त होता है। इस मंत्र का अर्थ है—हे ओषधि! इसका संरक्षण कर, हे शस्त्र इसकी हिंसा न कर।' इस कारण इस मंत्र से पशु का वध करना इष्ट नहीं है। क्योंकि मंत्र का स्पष्ट भाव तो पशु का संरक्षण करना ही है।

गोमेध में भी गौ का वध करना उचित नहीं है, क्योंकि वेदों में गौ का नाम 'अघ्न्या' है। इस 'अघ्न्या' पद का अर्थ 'अवध्य' है। वेद जिसको अघ्न्या अर्थात् 'अहंतव्या' कहता है, उसका वध नहीं किया जा सकता। अर्थात् गोमेध में गौ का वध नहीं है।

महाभारत में कहा है कि—

> बीजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमिति वा वैदिकी श्रुतिः।
> अजसंज्ञानि बीजानि छाग नो हन्तुमर्हथ॥
>
> महाभारत, शांतिपर्व

'यज्ञ में बीजों से हवन करना चाहिए, ऐसा वेदमंत्रों का आदेश है। अज नाम के बीज हैं, अतः बकरे का वध नहीं करना चाहिए।'

अजमेध में बकरे का वध करना अनुचित है, क्योंकि अज एक प्रकार के धान्य का नाम है। कोश में 'अज' के अर्थ हैं, सुवर्णमाक्षिक, अजशृंगी ओषधि, चलानेवाला, प्रेरक नेता, असुरों की सेना का नायक, दक्ष का नेता, अग्निरथ, सूर्यकिरण, सूर्यरथ, चावल का एक प्रकार, चंद्रमा, प्रकृति, माया, मरुत्, इंद्र, कामदेव।

अश्वमेध के विषय में कहा है कि 'राष्ट्रं वा अश्वमेधः। श० ब्रा० ११।१४६।३

राष्ट्रसेवा ही अश्वमेध है। राष्ट्रशासन को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। 'मेध' का अर्थ बुद्धिवैभव बढ़ाना है। इस प्रकार ये यज्ञ होते थे। यज्ञ में 'सत्कार-संगतिकरण-दान' ये तीन कार्य मुख्य हैं। जो सत्कार के योग्य हों उनका सत्कार करना, आपस का संगठन करना और गरीबों को दान देना, यों तीन प्रकार से यज्ञ होता है। यह राष्ट्रीय उन्नति का महान् कार्य है। यह यजुर्वेद के यज्ञों का स्वरूप है।

सामवेद

सामवेद गायन करने के मंत्रों का संग्रह है। सामगायन गाने के लिये तैयार रहते हैं, वे गाए जाते हैं। गायन करने के सिवाय सामवेद के मंत्रों का दूसरा कोई प्रयोग नहीं है।

अथर्ववेद

'अ-थर्व' का अर्थ 'गति रहितता अर्थात् शांति है। सचमुच अथर्ववेद आत्मज्ञान देकर विश्व में शांतिस्थापना करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

'थर्वतिः चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधो निपातः।' निरुक्त

'थर्व' का अर्थ 'गति' है और अथर्व का अर्थ 'शांति' अर्थात् अथर्ववेद शांति का प्रसार करनेवाला वेद है। यज्ञ में 'ब्रह्मा' के पद के लिये अथर्ववेदी ही योग्य समझा जाता है, वह इसीलिये कि यह सब दोषों को दूर करके यज्ञ से शांतिस्थापन करने का कार्य करता है।

अथर्ववेद के २० कांड हैं, इनमें प्रथम के ७ कांड फुटकर सूक्तों के हैं, आगे के १८वें कांड तक के ११ कांड विषयवार हैं, देखिए—

कांड	विषय
८ अष्टम कांड	दीर्घायु, रोगनाशन आदि
९ नवम "	मधुविद्या, यक्ष्मनाशन
१० दशम "	इष्या दूषण आदि
११ एकादश "	ब्रह्मौदन आदि
१२ द्वादश "	मातृभूमि "
१३ त्रयोदश "	अध्यात्म
१४ चतुर्दश "	विवाह प्रकरण
१५ पंचदश "	अध्यात्म
१६ षोडश "	दुःखविमोचन
१७ सप्तदश "	अभ्युदय
१८ अष्टादश "	पितृमेध

कांड १९ और २० फुटकर मंत्रसंग्रह के कांड हैं। यह सब देखकर स्पष्ट होता है कि वेदमंत्रों का संग्रह सर्वत्र समान दृष्टि से नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ अथर्ववेद में ही देखिए, प्रथम ७ कांड और अंत के २ कांड ऐसे हैं जिनका विषयवार वर्गीकरण नहीं है, परंतु कांड ८ से १८ तक के ११ कांड विषयवार हैं। ऋग्वेद में भी द्वितीय मंडल से दशम मंडल तक के ७ मंडल ऋषिवार हैं तथा अथर्ववेद में कांड ८ से १८ तक के कांड विषयवार हैं, पर बाकी के वैसे नहीं हैं।

अथर्ववेद में १९वें कांड के अंत में यह मंत्र है—

> यस्मात् कोशादुदभराम वेदं
> तस्मिन्नन्तरवदध्म एनम्।
> कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण
> तेन मा देवास्तपसावतेह॥ अथर्व १९।७२।१

'जिस आलमारी से हमने वेद का ग्रंथ निकाले थे, उसी में हम इनको पुनः रखते हैं। इस वेद के ज्ञान से हमने इष्ट कार्य किया, इस तप से देवता हमारा यहाँ रक्षण करें।'

इस मंत्र से स्पष्ट मालूम होता है कि इस समय वेद के लिखित ग्रंथ थे। वे कार्य हो जाने पर संदूक में रखे जाते थे।

इस प्रकार चारों वेदों का मंत्रसंग्रह है। ये वेद मानव की उन्नति करने का सच्चा धर्म बताते हैं। यह बात अब अति संक्षेप से देखिए—ऋग्वेद का उपदेश ऐसा है—

'मिलकर रहो, परस्पर प्रेम का आचरण करो, अपने मनों को दुर्विचारों से दूर रखो। पूर्व समय के उत्तम ज्ञानी जिस प्रकार

वेदत्रयी

वेदों के मंत्रों के 'पद्य, गद्य और गान' ऐसे तीन विभाग होते हैं। हर एक भाषा के ग्रंथों में पद्य, गद्य और गान ऐसे तीन भाग होते ही हैं। वैसे ही ये वैदिक वाङ्मय के तीन भाग हैं —

१ वेद का पद्य भाग—ऋग्वेद, अथर्ववेद
२ वेद का गद्य भाग—यजुर्वेद
३ वेद का गायन भाग—सामवेद

इनको 'वेदत्रयी' कहते हैं, अर्थात् ये वेद के तीन विभाग हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यह 'त्रयी विद्या' है। इसका भाव यह है कि ऋग्वेद पद्यसंग्रह है, यजुर्वेद गद्यसंग्रह है और सामवेद गानसंग्रह है। इस ऋक्संग्रह में अथर्ववेद सम्मिलित है, ऐसा समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि अथर्ववेद भी पद्य-संग्रह ही है।

यजुर्वेद गद्यसंग्रह है, अतः इस यजुर्वेद में जो ऋग्वेद के छंदोबद्ध मंत्र हैं, उनको भी यजुर्वेद पढ़ने के समय गद्य जैसा ही पढ़ा जाता है।

सामवेद

सामवेद के मंत्र प्रायः ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। 'या ऋक् तत् साम' ऐसा छांदोग्य उपनिषद् में कहा है। इसका अर्थ यह है कि 'जो पाद-बद्ध मंत्र हैं वे ऋचा या ऋग्वेद के मंत्र हैं। और पादबद्ध मंत्र ही गाए जाते हैं। अर्थात् सब पादबद्ध मंत्र गाए जा सकते हैं। आज के सामवेद में जो मंत्र हैं वे 'साम-योनि-मंत्र' हैं, अर्थात् उनका गान हो सकता है। सामवेद में जो मंत्र हैं वे वैसे के वैसे गाए नहीं जाते, परंतु उन मंत्रों [illegible] जो गान बने हैं, वे ही गाए जाते हैं। सामवेद के मंत्रों को लेकर उन मंत्रों से अनेक गान बने हैं। वे गान ही गाए जाते हैं। सामगान अनेक प्रकार के हैं, अतः उनको कहा है 'सहस्रवर्त्मा सामवेदः' अर्थात् इन मंत्रों पर हजारों प्रकार के सामगान होते हैं, जो यज्ञों में गाए जाते हैं।

आज के सामवेद में १८७५ मंत्र हैं, इनमें करीब ६६ मंत्र ऐसे [illegible] जो ऋग्वेद में मिलते नहीं हैं, बाकी के मंत्र ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। परंतु कई मंत्रों में थोड़ा सा पाठभेद भी है।

ऋग्वेद की मंत्रगणना

अब वेदों की मंत्रगणना देखिए। ऋग्वेद की मंडलानुसार मंत्रगणना होती है और अष्टकानुसार भी होती है। अब देखिए—

मंडलानुसार मंत्रसंख्या

	सूक्तसंख्या		मंत्रसंख्या	
१ प्रथम मंडल	१६१	सूक्तसंख्या	२००६	मंत्रसंख्या
२ द्वितीय ,,	४३	,,	४२६	,,
३ तृतीय ,,	६२	,,	६१७	,,
४ चतुर्थ ,,	५८	,,	३८९	,,
५ पंचम ,,	८७	,,	७२९	,,
६ षष्ठ ,,	७५	,,	७६९	,,
७ सप्तम ,,	१०४	,,	८४१	,,
८ अष्टम ,,	९३	,,	१६२६	,,
९ नवम ,,	११४	,,	११०८	,,
१० दशम ,,	१९१	,,	१७५४	,,
	१०१७	,,	१०४०३	,,
वालखिल्य	११	,,	८०	
	१०२८	,,	१०६६१	

अब इनके ऋषि देखिए—

१ प्रथम मंडल	(अनेक ऋषि)
२ द्वितीय ,,	गृत्समद ऋषि
३ तृतीय ,,	विश्वामित्र ,,
४ चतुर्थ ,,	वामदेव ,,
५ पंचम ,,	अत्रि ,,
६ षष्ठ ,,	भरद्वाज ,,
७ सप्तम ,,	वसिष्ठ ,,
८ अष्टम ,,	कण्व ,,
९ नवम ,,	(सोम देवता)
१० दशम ,,	(अनेक ऋषि)

द्वितीय मंडल से अष्टम मंडल तक सात मंडलों के सात ऋषि हैं, तथापि उनमें उस ऋषि के गोत्र में उत्पन्न [illegible] ऋषि भी हैं।

अब अष्टकानुसार मंत्रसंख्या देखिए—

१ प्रथम अष्टक	१२१ सूक्त	२६५ वर्ग	१३[illegible]
२ द्वितीय ,,	११९ ,,	२२१ ,,	११४
३ तृतीय ,,	१२२ ,,	२२५ ,,	१२०
४ चतुर्थ ,,	१४० ,,	२५० ,,	१२८
५ पंचम ,,	१२९ ,,	२३८ ,,	१२१
६ षष्ठ ,,	१२४ ,,	२१३ ,,	१६५
७ सप्तम ,,	११६ ,,	२४८ ,,	१२६
८ अष्टम ,,	१४६ ,,	२४६ ,,	१२८
	१०१७	२००६	१०४०३
वालखिल्य	११	१८	८
	१०२८	२०२४	१०६६१

प्रथम मंडल और दशम मंडल के अनेक ऋषि हैं। प्रायः ऋषियों को 'क्षुद्रसूक्ता ऋषयः' अर्थात् छोटे सूक्तों के ऋषि कहते नवम मंडल 'सोम देवता' का मंडल है। बाकी के सात मंडल ऋषियों के हैं। इनको 'महासूक्ता ऋषयः' अर्थात् बड़े सूक्तों के कहते हैं। ये महासूक्तवाले ऋषि सप्तर्षि कहकर सम्मानित हो इनके नाम ऊपर देखें (गृत्समद से कण्व तक) इनके मंत्र अधिक से ये ऋषि अधिक सम्माननीय माने गए हैं। इन मंडलों को ऋषियों के नाम भी दिए गए हैं और इनके गोत्र में उत्पन्न ऋषि भी इनमें लिए गए हैं।

यजुर्वेद

यजुर्वेद में 'शुक्ल यजुर्वेद' और 'कृष्ण यजुर्वेद' ऐसे दो भेद शुक्ल यजुर्वेद में 'वाजसनेयि' और काण्व संहिता है और यजुर्वेद में 'तैत्तिरीय संहिता' मानी है। शुक्ल यजुर्वेद प्रकाशित

प्रथम आठ अध्यायों में प्रारंभिक यज्ञकर्म का उपदेश है, [illegible] तथा दशम अध्यायों में वाजपेय तथा राजसूय यज्ञ का [illegible] है, ग्यारह से पंद्रहवें अध्याय तक अनेक चितियों की चिति

ये श्रौतसूत्र अनेक हुए हैं। इसी प्रकार स्मार्तसूत्र भी सोलह संस्कारों का वर्णन करते हैं, इसलिये वे भी पर्याप्त विस्तृत हैं। श्रौतसूत्रों में यज्ञयाग के सब नियम मिलेंगे और स्मार्तसूत्रों में अर्थात् गृह्यसूत्रों में उपनयन, जातकर्म, विवाह, गर्भाधान आदि षोडश संस्कारों का विधि विधान रहेगा।

(३) व्याकरण — व्याकरण अनेक हैं जिनमें पाणिनि का व्याकरण आज भारत में प्रसिद्ध है। इसको अष्टाध्यायी कहते हैं, चौंकि इसमें आठ ही अध्याय हैं। इसपर पतंजलि ऋषि का महाभाष्य है। और भट्टोजी दीक्षित की टीका, कौमुदी नाम की व्याख्या बनाई टीका, सुप्रसिद्ध है।

(४) निरुक्त — शब्द की उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति कैसे हुई, यह निरुक्त बताता है। इस विषय पर यही महत्व का ग्रंथ है। यास्काचार्य जी का यह निरुक्त प्रसिद्ध है। इसको शब्द-व्युत्पत्ति-शास्त्र भी कह सकते हैं। वेद का यथार्थ अर्थ समझने के लिये इस निरुक्त की अत्यंत आवश्यकता है।

(५) छंद — गायत्री, अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, बृहती आदि छंदों का ज्ञान होने के लिये छंद शास्त्र की उपयोगिता है। प्रत्येक छंद के पाद कितने होते हैं और ह्रस्व दीर्घादि अक्षर प्रत्येक पाद में कैसे होने चाहिए, यह विषय इसका है।

(६) ज्योतिष — खगोल में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि ग्रह किस प्रकार गति करते हैं, सूर्य, चंद्र आदि के ग्रहण कब होंगे, अन्य तारकों की गति कैसी होती है, यह विषय ज्योतिष शास्त्र का है। वेदमंत्रों में ग्रह नक्षत्रों का जो वर्णन है, उसे ठीक प्रकार से समझने के लिये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बहुत उपयोगी है।

इस प्रकार वेदांगों का ज्ञान वेद का उत्तम बोध होने के लिये अत्यंत आवश्यक है। [श्री० दा० सा०]

वेदांत उपनिषद् वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिये इसको वेदांत कहते हैं। कर्मकांड और उपासना का मुख्यतः वर्णन मंत्र और ब्राह्मणों में है, ज्ञान का विवेचन उपनिषदों में। आदिम मनुष्य प्रकृति के रूपों को देखकर आश्चर्य करता है, उनकी पूजा करने का विधान बताता है। कर्मकांड का इस प्रकार विकास हो जाने पर सुस्थिर चित्त से मनुष्य उनके पीछे कार्य कर रहे नियमों का चिंतन करने लगता है और यहीं उसकी जिज्ञासा प्रारंभ होती है। स्व का पर के साथ संबंध होने पर स्व और पर के वास्तविक स्वरूप तथा उनके पारस्परिक संबंध के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है। यदि स्व जीव है तो पर को जगत् कहा जा सकता है। स्व और पर में विभिन्नता प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होती है पर प्रत्यक्ष से आगे विचार करने पर मनुष्य स्व-पर में समान रूप से रहनेवाले तत्व विशेष (ब्रह्म) की कल्पना करता है। उपनिषदों में कर्मकांड को 'अवर' कहकर ज्ञान को इसलिये महत्व दिया गया कि ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत् का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। कालांतर में जिन ग्रंथों में उपनिषद् की परंपरा का पालन करते हुए इन विषयों पर विचार किया गया, उनको भी वेदांत कहा जाने लगा। भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं।

तीनों ग्रंथों में प्रगट विचारों का कई तरह से व्याख्यान किया जा सकता है। इसी कारण से ब्रह्म, जीव तथा जगत् के संबंध में अनेक मत उपस्थित किए गए और इस तरह वेदांत के अनेक रूपों का निर्माण हुआ।

१. अद्वैत वेदांत — गौडपाद (३०० ई०) तथा उनके अनुवर्ती शंकराचार्य (७०० ई०) ब्रह्म को प्रधान मानकर जीव और जगत् को उससे अभिन्न मानते हैं। उनके अनुसार तत्व को उत्पत्ति और विनाश से रहित होना चाहिए। मायावाद जगत तत्वशून्य है, जीव भी वैसा दिखाई देता है वैसा तत्वतः नहीं है। जाग्रत और स्वप्नावस्थाओं में जीव जगत् में रहता है परंतु सुषुप्ति में जीव प्रपंच ज्ञानशून्य चेतनावस्था में रहता है। इससे सिद्ध होता है कि जीव का शुद्ध रूप सुषुप्ति जैसा होना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था अनित्य है अतः इससे परे तुरीयावस्था को जीव का शुद्ध रूप माना जाता है। इस अवस्था में नश्वर जगत् से कोई संबंध नहीं होता और जीव को पुनः नश्वर जगत् में प्रवेश भी नहीं करना पड़ता। तुरीयावस्था अभ्यास से प्राप्त होती है। ब्रह्म-जीव-जगत् में अभेद का ज्ञान उत्पन्न होने पर जगत् जीव में तथा जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। तीनों में वास्तविक अभेद होने पर भी अज्ञान के कारण जीव जगत् को अपने से पृथक् समझता है। परंतु स्वप्नसंसार की तरह जाग्रत संसार भी जीव की कल्पना है। भेद इतना ही है कि स्वप्न व्यक्तिगत कल्पना का परिणाम है जबकि जाग्रत अनुभव-समष्टि-गत महाकल्पना का। स्वप्नजगत् का ज्ञान होने पर दोनों में मिथ्यात्व सिद्ध है। परंतु बौद्धों की तरह वेदांत में जीव को जगत् का अंग होने के कारण मिथ्या नहीं माना जाता। मिथ्यात्व का अनुभव करनेवाला जीव परम सत्य है, उसे मिथ्या मानने पर सभी ज्ञान को मिथ्या मानना होगा। परंतु जिस रूप में जीव संसार में व्यवहार करता है उसका वह रूप अवश्य मिथ्या है। जीव की तुरीयावस्था भेदज्ञान शून्य शुद्धावस्था है। ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान का संबंध मिथ्या संबंध है। इससे परे होकर जीव अपनी शुद्ध चेतनावस्था को प्राप्त होता है। इस अवस्था में भेद का लेश भी नहीं है क्योंकि भेद द्वैत में होता है। इसी अद्वैत अवस्था को ब्रह्म कहते हैं। तत्व असीम होता है, यदि दूसरा तत्व भी हो तो पहले तत्व की सीमा हो जाएगी और सीमित हो जाने से वह तत्व बुद्धिगम्य होगा जिसमें ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान का भेद प्रतिभासित होने लगेगा। अनुभव साक्षी है कि सभी ज्ञेय वस्तुएँ नश्वर हैं। अतः यदि हम तत्व को अनश्वर मानते हैं तो हमें उसे अदृश्य, अज्ञेय, शुद्ध चैतन्य मानना ही होगा। ऐसे तत्व को मानकर जगत् की अनुभूयमान स्थिति का हमें विवर्तवाद के सहारे व्याख्यान करना होगा। रस्सी में प्रतिभासित होनेवाले सर्प की तरह यह जगत् न तो सत् है, न असत् है। सत् होता तो इसका कभी नाश न होता, असत् होता तो सुख, दुःख का अनुभव न होता। अतः सत् असत् से विलक्षण अनिर्वचनीय अवस्था ही वास्तविक अवस्था हो सकती है। उपनिषदों में नेति नेति कहकर इसी अज्ञातावस्था का प्रतिपादन किया गया है। अज्ञान भाव रूप है क्योंकि इससे वस्तु के

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

वा० यजु० ४०।१

इस जगत् में जो कुछ है, उस सब में परमेश्वर व्याप रहा है। इसलिये त्याग से भोग करो (लोभ न करो), किसी का धन न ग्रहण करो।

सामवेद का उपदेश है—'ज्ञानी, तेजस्वी, सत्यधर्मपालक, रोग-निवारक ईश्वर की स्तुति करो।' और अथर्ववेद का उपदेश है—

यूयं गावो मेदयथा कृशं चित्
अश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्।
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो
बृहद्वो वय उच्यते सभासु ॥

'हे गौवो! तुम कृश मनुष्य को पुष्ट करती हो, शोभारहित मनुष्य को सुंदर बनाती हो, तुम कल्याणकारी शब्द करके घर को कल्याणमय करती हो, इसलिये सभाओं में हम तुम्हारी बहुत स्तुति करते हैं।'

इस प्रकार विविध क्षेत्रों में उत्तम से उत्तम उपदेश वेदों में है। स्तुति, प्रार्थना और उपासना की पद्धति से वे मानव को उन्नति का श्रेष्ठ मार्ग बतलाते हैं। [श्री० दा० सा०]

वेद मुनि आपका उदासीन सम्प्रदाय की गुरुपरंपरा में १६२वाँ स्थान है। आपके शिष्य अविनाशी मुनि थे जो आचार्य श्री चंद्रदेव के गुरुदेव थे। आपका समय विक्रम १५ वीं शताब्दी का अंतिम दशक है। [स्वा० गं०]

वेदमूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर वेदों का गहन अध्ययन करनेवाले शीर्षस्थ विद्वान्। जन्म १९ सितंबर, १८६७ को रत्नगिरि (महाराष्ट्र) के कोलगाँव में हुआ। 'जे० जे० स्कूल ऑव आर्ट्स' में शिक्षा प्राप्त कर हैदराबाद में चित्रशाला स्थापित की। अपने व्यवसाय के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी उत्साहपूर्वक भाग लेना आरंभ किया। वेदों के आधार पर लिखित आपका लेख 'तेजस्विता' राजद्रोहात्मक समझा गया जिसके कारण आपको तीन वर्ष तक कैद की सजा भोगनी पड़ी।

वेदों के अर्थ और आशय का जितना गंभीर अध्ययन और मनन सातवलेकर जी ने किया उतना कदाचित् ही किसी अन्य भारतीय ने किया हो। वैदिक साहित्य के संबंध में उन्होंने अनेक लेख लिखे और हैदराबाद में विवेकवर्धिनी नामक शिक्षासंस्था की स्थापना की। राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत आपकी ज्ञानोपासना निजाम को अच्छी न लगी, अतः आपको शीघ्र ही हैदराबाद छोड़ देना पड़ा। हरिद्वार, लाहौर आदि में कुछ समय बिताने के बाद सन् १९१८ में आप औंध में बस गए और वहाँ पर स्वाध्यायमंडल की स्थापना कर साहित्यसेवा में निरत रहने लगे। गांधी हत्याकांड के बाद उन्हें वहाँ से हट जाना पड़ा। अब उन्होंने गुजरात के पारडी नामक गाँव को अपना निवासस्थान बनाया और स्वाध्याय मंडल की पुनः स्थापना कर सातवलेकर जी ने कोई ४०९ ग्रंथों की रचना की। इनमें से कुछ ये हैं—भगवद्गीता, उपनिषद् भाष्य संस्कृत, ऋग्वेद संहिता, दैवत संहिता, महाभारत, यजुर्वेद, वैदिक व्याकरणकोश, इत्यादि। आपके द्वारा संकलित 'वैदिक राष्ट्रगीत' तो अद्भुत ग्रंथ है। यह एक साथ ही मराठी तथा हिंदी भाषा में बंबई और इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रशत्रु का विनाश करने में सशस्त्र वैदिक मंत्रों के इस संग्रह से विदेशी शासन हिल उठा और उसने इसकी सभी प्रतियाँ जब्त कर नष्ट कर डालने का आदेश दे दिया। देश के स्वतंत्र होने पर सन् १९५९ में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के विशिष्ट विद्वान् के रूप में पुरस्कृत किया और २६ जनवरी, १९६८ को 'पद्मभूषण' की उपाधि द्वारा उनका संमान किया गया। इसके पूर्व वे विद्यामार्तंड, महामहोपाध्याय, विद्यावाचस्पति, वेदमहर्षि, वेदमूर्ति आदि उपाधियों से समादरित हो चुके थे। अंत में 'जीवेम शरदः शतम्' इस वेदवाक्य को चरितार्थ करते हुए १०१ वर्ष की आयु प्राप्त कर ३१ जुलाई, १९६८ को आपने देवलोक की ओर प्रयाण किया। [मु०]

वेदांग छह हैं, वेद का अर्थज्ञान होने के लिये इनका उपयोग होता है। वेदांग ये हैं —

(१) शिक्षा — वेदों के स्वर, वर्ण आदि के शुद्ध उच्चारण करने की शिक्षा जिससे मिलती है, वह 'शिक्षा' है। वेदों के मंत्रों का पठन पाठन तथा उच्चारण ठीक रीति से करने की सूचना इस 'शिक्षा' से प्राप्त होती है। इस समय 'पाणिनीय शिक्षा' भारत में विशेष मननीय मानी जाती है।

स्वर, व्यंजन ये वर्ण हैं; ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत ये स्वर के उच्चारण के तीन भेद हैं। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित ये भी स्वर के उच्चारण के भेद हैं। वर्णों के स्थान आठ हैं — (१) छाती, (२) कंठ, (३) सिर, (४) जिह्वामूल, (५) दंत, (६) नासिका, (७) ओष्ठ, और (८) तालु। इन आठ स्थानों में से यथायोग्य रीति से, जहाँ जैसा होना चाहिए वैसा, वर्णोच्चार करने की शिक्षा यह पाणिनीय शिक्षा देती है। अतः हम इसको 'वर्णोच्चार शिक्षा' भी कह सकते हैं।

२ कल्पसूत्र — वेदोक्त कर्मों का विस्तार के साथ संपूर्ण वर्णन करने का कार्य कल्पसूत्र ग्रंथ करते हैं। ये कल्पसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक 'श्रौतसूत्र' है और दूसरे 'स्मार्तसूत्र' हैं। वेदों में जिस यज्ञयाग आदि कर्मकांड का उपदेश आया है, उनमें से किस यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, किसमें कौन सा अनुष्ठान किस रीति से करना चाहिए, इत्यादि कर्मकांड की संपूर्ण विधि इन कल्पसूत्र ग्रंथों में कही होती है। इसलिये कर्मकांड की पद्धति जानने के लिये इन कल्पसूत्र ग्रंथों की विशेष आवश्यकता होती है। यज्ञ यागादि का ज्ञान श्रौतसूत्र से होता है और षोडश संस्कारों का ज्ञान स्मार्तसूत्र से मिलता है।

वैदिक कर्मकांड में यज्ञों का बड़ा भारी विस्तार मिलता है। और हर एक यज्ञ की विधि श्रौतसूत्र से ही देखनी होती है। इस-

से वह जीव और जगत् के रूप में आविर्भूत होता है। ये ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न हैं। अपने आपमें वह निमित्त कारण है परंतु शक्ति से संपर्क होने के कारण वह उपादान कारण भी है। उसकी तटस्थ-शक्ति से जीवों का तथा मायाशक्ति से जगत् का निर्माण होता है। जीव अनंत और अणु रूप हैं। ये सूर्य की किरणों की तरह ईश्वर पर निर्भर हैं। संसार उसी का प्रकाश है अतः मिथ्या नहीं है। मोक्ष में जीव का अज्ञान नष्ट होता है पर संसार बना रहता है। सारी अभिलाषाओं को छोड़कर कृष्ण का अनुसेवन ही भक्ति है। वेद-शास्त्रानुमोदित मार्ग से ईश्वरभक्ति के अनंतर जब जीव ईश्वर के रंग में रंग जाता है तब वास्तविक भक्ति होती है जिसे रुचि या रागानुगा भक्ति कहते हैं। राधा की भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। वृंदावन धाम में सर्वदा कृष्ण का आनंदपूर्ण प्रेम प्राप्त करना ही मोक्ष है।

सं० ग्रं०—उपनिषद्; भगवद्गीता; गौडपादकारिका; ब्रह्मसूत्र; उपनिषद्गीता और ब्रह्मसूत्र पर साम्प्रदायिक भाष्य; राधाकृष्णन् : इंडियन फिलासफी, भाग १-२; दासगुप्त : हिस्टरी ऑव इंडियन फिलासफी, भाग १-३। [रा० चं० पां०]

वेदांत दर्शन (इतिहास) वैदिक वाङ्मय मंत्र और ब्राह्मण इन दो भागों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण के अंतिम भाग को भी दो भागों में बाँटकर एक को आरण्यक और उसके अंत के भाग को उपनिषद् कहा गया है। इस तरह उपनिषद् वेदों का अंत है। वेद में प्रतिपादित यज्ञ यागादि कर्मों की दार्शनिक व्याख्या उपस्थित करनेवाले सिद्धांत (मत) का (जैसे बृहदारण्यक उपनिषद् में अश्वमेध की दार्शनिक व्याख्या, छांदोग्य में मधुविद्या और सामतत्व) इसी भाग में प्रतिपादन है। इन दो कारणों से उपनिषद् वेदांत कहलाते हैं। उपनिषदों पर आधारित सभी मत इसी नाम से जाने जाते हैं।

उपनिषद् को ज्ञानकांड कहते हैं और इनको ब्राह्मणों के कर्मकांड से भिन्न माना गया है। किसी फल को लक्ष्य कर कर्म करना सभी जानते हैं पर कर्म का जो कर्ता पर प्रभाव होता है उसका विश्लेषण दार्शनिक बुद्धि की अपेक्षा रखता है। अतः उपनिषदों में कर्म और कर्ता के संबंध, कर्ता के स्वरूप एवं कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के उपाय का वर्णन होने के कारण एक रहस्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है। यह रहस्य तब और भी बढ़ जाता है जब उपनिषद् दृश्यमान स्थूल जगत् के पीछे इसको संचालन और नियंत्रित करने-वाली सत्ता का वर्णन करते हैं। इन बातों को समझने के लिये शिष्य को गुरु की कृपा पानी होगी। अतः वेदांत ज्ञान गुरु के पास (उप) भली भाँति (नि) बैठकर ही (सद्) मिल सकता है (उप-नि-षद्)। इस गुह्य ज्ञान के बिना वेद का तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता अतः वेदांत वैदिक विद्या का सार है।

वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिये जो शास्त्र बना उसे मीमांसा कहते हैं। मीमांसा का अर्थ होता है पुनः पुनः मनन। इस शास्त्र का उद्देश्य है—वैदिक वचनों की व्याख्या, उनसे आपाततः प्रतीयमान विरोध का निराकरण, उनमें निहित रहस्य का उद्घाटन तथा व्याख्या के तर्कसंमत नियमों (न्याय) का निर्धारण। मीमांसा की यह परंपरा बहुत प्राचीन है पर उन परंपराओं का संकलन ई० पू० ३०० से २०० के बीच किया गया। पूर्वमीमांसा में जैमिनि ने कर्मकांड की तथा उत्तरमीमांसा में बादरायण ने उपनिषद् की मीमांसाएँ उपस्थित की। हमारा यहाँ उत्तरमीमांसा-परक वेदांत या ब्रह्मसूत्र से प्रयोजन है।

वेदांत सूत्र से ज्ञात होता है कि वेदांत की परंपरा बादरायण से प्राचीन थी क्योंकि इसमें ही आश्मरथ्य, बादरि, काशकृत्स्न, औडुलोमि आदि प्राचीन आचार्यों के मतों का उल्लेख है। बादरायण ने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' कहकर ब्रह्म के अध्ययन को वेदांत का विषय माना। ब्रह्म के बारे में अनेक वचन उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। कभी ब्रह्म और जीव को अभिन्न माना गया, कभी उनको अत्यंत भिन्न कहा गया, कभी ब्रह्म को अंशी और जीव को अंश कहा गया। इसी प्रकार ब्रह्म और जगत् में भी विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के संबंध का प्रतिपादन किया गया। यदि मीमांसा का लक्ष्य वेद की व्याख्या करना है तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि वेद का तात्पर्य एक ही मत से है—एक ही वेद विभिन्न विरोधी मतों का प्रतिपादन नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखकर बादरायण ने 'समन्वय' का सिद्धांत बनाया और परस्पर विरोधी वचनों की एक समन्वयात्मक व्याख्या उपस्थित करने का प्रयत्न किया। पर सूत्र रूप में लिखे जाने के कारण बादरायण का भी आशय स्पष्ट नहीं होता; भगवद्गीता किंचित् विस्तार से उपनिषदों का निचोड़ उपस्थित करती है पर उसमें भी स्पष्ट एकरूपता नहीं परिलक्षित होती। लेकिन उपनिषद्, वेदांतसूत्र और भगवद्गीता ये तीन ग्रंथ वेदांत के प्रमाण हैं—इनमें अंतिम दो ग्रंथ इसीलिये प्रमाण हैं कि वे उपनिषदों (श्रुति) पर आधारित हैं। इन्हीं को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है।

अद्वैत वेदांत — जिस प्रकार उपनिषद्वाक्यों में समन्वय करने के लिये वेदांतसूत्र और गीता की रचना हुई उसी प्रकार इन तीनों प्रस्थानों में एक ही दृष्टि का प्रतिपादन है, यह बतलाने के लिये विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इन तीनों की व्याख्या प्रस्तुत की। इस प्रकार वेदांत के अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ।

शंकराचार्य ने अपने मत का नाम अद्वैतवाद रखा। अद्वैतवाद के तत्त्व उपनिषदों में सर्वाधिक स्पष्ट रूप में मिलते हैं। शंकर के परमगुरु गौडपाद ने इसका प्रतिपादन भी अपनी कारिकाओं में किया। पर शंकर ने सर्वप्रथम एक निर्दोष ढंग से तार्किक पद्धति पर इसका विवेचन किया इसलिये ये इसके प्रचारक आचार्य कहे जाते हैं।

शंकर के अनुसार सारे उपनिषद् एक अद्वितीय और निर्गुण सत्ता का प्रतिपादन करते हैं जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म पूर्ण है, उसकी पूर्णता इसी से हो सकती है कि वह विकाररहित और अपने से अतिरिक्त सत्ता से शून्य हो। इसलिये शंकर ने जगत् और ब्रह्म में एक विशेष प्रकार के कार्य-कारण-भाव की कल्पना की जिसे विवर्तवाद कहा है। (इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं।) ब्रह्म इस विश्व का अधिष्ठान है पर इस कारण से ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। विश्व सर्प की तरह न तो एकदम सत्य है और न एकदम मिथ्या। यह अनिर्वचनीय है। प्राणी जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहता है। उसकी

माना जाता है। अज्ञान का ब्रह्म के साथ क्या संबंध है, इसका सही उत्तर कठिन है परंतु ब्रह्म अपने शुद्ध निर्गुण रूप में अज्ञान विरहित है, किसी तरह वह भावाभाव विलक्षण अज्ञान से आवृत्त होकर सगुण ईश्वर कहलाने लगता है और इस तरह सृष्टिक्रम चालू हो जाता है। ईश्वर को अपने शुद्ध रूप का ज्ञान होता है परंतु जीव को अपने ब्रह्मरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये साधना के द्वारा ब्रह्मीभूत होना पड़ता है। गुरु के मुख से 'तत्त्वमसि' का उपदेश सुनकर जीव 'अहं ब्रह्मास्मि' का अनुभव करता है। उस अवस्था में संपूर्ण जगत् को आत्ममय तथा अपने में संपूर्ण जगत् को देखता है क्योंकि उस समय उसके (ब्रह्म) के अतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं होता। इसी अवस्था को तुरीयावस्था या मोक्ष कहते हैं।

२. विशिष्टाद्वैत वेदांत — रामानुजाचार्य ने (११वीं शताब्दी) शंकर मत के विपरीत यह कहा कि ईश्वर (ब्रह्म) स्वतंत्र तत्त्व है परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध हैं। उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत् और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत् जड़ है, जीव अज्ञान और दुःख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं क्योंकि जगत् और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक् इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा करने के लिये ही हैं। इस दर्शन में अद्वैत की जगह बहुत्व की कल्पना है परंतु ब्रह्म अनेक में एकता स्थापित करनेवाला एक तत्त्व है। बहुत्व से विशिष्ट अद्वय ब्रह्म का प्रतिपादन करने के कारण इसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है।

विशिष्टाद्वैत मत में भेदरहित ज्ञान असंभव माना गया है। इसीलिये शंकर का शुद्ध अद्वय ब्रह्म इस मत में ग्राह्य नहीं है। ब्रह्म सविशेष है और उसकी विशेषता इसमें है कि उसमें सभी सत् गुण विद्यमान हैं। अतः ब्रह्म वास्तव में सगुण ईश्वर है। सभी वैयक्तिक आत्माएँ सत्य हैं और इन्हीं से ब्रह्म का शरीर निर्मित है। ये ब्रह्म में, मोक्ष होने पर, लीन नहीं होतीं; इनका अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहता है। इस तरह ब्रह्म अनेकता में एकता स्थापित करनेवाला सूत्र है। यही ब्रह्म प्रलय काल में सूक्ष्मभूत और आत्माओं के साथ कारण रूप में स्थित रहता है परंतु सृष्टिकाल में सूक्ष्म स्थूल रूप धारण कर लेता है। यही कार्य ब्रह्म कहा जाता है। अनंत ज्ञान और आनंद से युक्त ब्रह्म को नारायण कहते हैं जो लक्ष्मी (शक्ति) के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। भक्ति के द्वारा इस नारायण के समीप पहुँचा जा सकता है। सर्वोत्तम भक्ति नारायण के प्रसाद से प्राप्त होती है और वह अनवद्यज्ञानमय है। भक्ति मार्ग में जाति-वर्ण-मत भेद का स्थान नहीं है। सबके लिये भगवत्प्राप्ति का यह राजमार्ग है।

३. द्वैत वेदांत — मध्व (११२७ ई०) ने द्वैत वेदांत का प्रचार किया जिसमें पाँच भेदों को आधार माना जाता है। जीव ईश्वर, और जीव, जीव जड़, ईश्वर जगत्, जड़ जगत्, इनमें भेद स्वतः-

संभव है। जगत् और जीव [illegible] ईश्वर द्वारा नियंत्रित हैं। सगुण ईश्वर का स्रष्टा, पालक और संहारक है। भक्ति से प्रसन्न होनेवाले इशारे पर ही सृष्टि का खेल चलता है। यद्यपि जीव स्वभावतः मय और आनंदमय है परंतु शरीर, मन आदि के संसर्ग से भोगना पड़ता है। यह संसर्ग कर्मों के परिणामस्वरूप हो जीव ईश्वरनियंत्रित होने पर भी कर्ता और फलभोक्ता है। में नित्य प्रेम ही भक्ति है जिससे जीव मुक्त होकर, ईश्वर के स्थित होकर, आनंदभोग करता है। भौतिक जगत् ईश्वर के है और ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि और प्रलय में यह प्रकट और सूक्ष्म अवस्था में स्थित होता है। रामानुज की तरह मध्व और जगत् को ब्रह्म का शरीर नहीं मानते। ये स्वतंत्र स्थित हैं। उनमें परस्पर भेद वास्तविक है। ईश्वर केवल इनका नि करता है। इस दर्शन में ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण है, (भौतिक तत्त्व) उपादान कारण है।

४. द्वैताद्वैत वेदांत — निंबार्क (११ वीं शताब्दी) का रामानुज से अत्यधिक प्रभावित है। जीव ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञा आधार है। जीव और ज्ञान में धर्मी-धर्म-भाव-संबंध अथवा अ संबंध माना गया है। यही ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। ईश्वर का नियंता, भर्ता और साक्षी है। भक्ति से ज्ञान का उदय हो संसार के दुःख से मुक्त जीव ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करता अप्राकृत भूत से ईश्वर का शरीर तथा प्राकृत भूत से जग निर्माण हुआ है। काल तीसरा भूत माना गया है। ईश्वर को राधा के रूप में माना गया है। जीव और भूत इसी के अ यही उपादान और निमित्त कारण है। जीव-जगत् तथा ईश्वर में भी है अभेद भी है। यदि जीव-जगत् तथा ईश्वर एक होते तो ईश्वर को भी जीव की तरह कष्ट भोगना पड़ता। यदि भिन्न होते ईश्वर सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा कैसे कहलाता ?

५. शुद्धाद्वैत वेदांत — वल्लभ (१४७९ ई०) के इस म ब्रह्म स्वतंत्र तत्त्व है। सच्चिदानंद श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं और तथा जगत् उनके अंश हैं। यही अणोरणीयान् तथा महतो महीय है। वह एक भी है, नाना भी है। यही अपनी इच्छा से अपने को जीव और जगत् के नाना रूपों में प्रकट करता है। माया उ शक्ति है जिसकी सहायता से वह एक से अनेक होता है। परंतु मिथ्या नहीं है। श्रीकृष्ण से जीव-जगत् की स्वभावतः उत्पत्ति है। इस उत्पत्ति से श्रीकृष्ण में कोई विकार नहीं उत्पन्न हो जीव जगत् तथा ईश्वर का संबंध चिनगारी आग का सदृश ईश्वर के प्रति स्नेह भक्ति है। सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य ले ईश्वर में राग लगाना जीव का कर्तव्य है। ईश्वर के अनुग्रह से यह भक्ति प्राप्य है, भक्त होना जीव के अपने वश में नहीं है। ईश्व जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जीव को (अंश) अपने भीतर ले लेते या अपने पास नित्यमुक्त का उपभोग करने के लिये रख लेते हैं इस भक्तिमार्ग को पुष्टिमार्ग भी कहते हैं।

६. अचिंत्य भेदाभेद वेदांत — महाप्रभु चैतन्य (१४८६ १५३३ ई०) के इस संप्रदाय में अनंत गुणनिधान, सच्चिदानंद श्रीकृष्ण परब्रह्म माने गए हैं। ब्रह्म भेदाभेदातीत है। परंतु अपनी [illegible]

वह जीव और जगत् के रूप में आविर्भूत होता है। ये ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न हैं। अपने आपमें वह निमित्त कारण है परंतु शक्ति से संपर्क होने के कारण वह उपादान कारण भी है। उसकी तटस्थ-शक्ति से जीवों का तथा मायाशक्ति से जगत् का निर्माण होता है। जीव अनंत और अणु रूप हैं। ये सूर्य की किरणों की तरह ईश्वर पर निर्भर हैं। संसार उसी का प्रकाश है अतः मिथ्या नहीं है। मोक्ष में जीव का अज्ञान नष्ट होता है पर संसार बना रहता है। सारी अभिलाषाओं को छोड़कर कृष्ण का अनुसेवन ही भक्ति है। वेद-शास्त्रानुमोदित मार्ग से ईश्वरभक्ति के अनंतर जब जीव ईश्वर के राग में रँग जाता है तब वास्तविक भक्ति होती है जिसे रुचि या रागानुगा भक्ति कहते हैं। राधा की भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। वृंदावन धाम में सर्वदा कृष्ण का आनंदपूर्ण प्रेम प्राप्त करना ही मोक्ष है।

सं० ग्रं०—उपनिषद्; भगवद्गीता; गौड़पादकारिका; ब्रह्मसूत्र; उपनिषद्गीता और ब्रह्मसूत्र पर साम्प्रदायिक भाष्य; राधाकृष्णन्: इंडियन फिलासफी, भाग १-२; दासगुप्त: हिस्टरी ऑव इंडियन फिलासफी, भाग १-३। [रा० चं० पां०]

वेदांत दर्शन (इतिहास) वैदिक वाङ्मय मंत्र और ब्राह्मण इन दो भागों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण के अंतिम भाग को भी दो भागों में बाँटकर एक को आरण्यक और सबसे अंत के भाग को उपनिषद् कहा गया है। इस तरह उपनिषद् वेदों का अंत है। वेद में प्रतिपादित यज्ञ यागादि कर्मों की दार्शनिक व्याख्या उपस्थित करनेवाले सिद्धांत (मत) का (जैसे बृहदारण्यक उपनिषद् में अश्वमेध की दार्शनिक व्याख्या, छांदोग्य में मधुविद्या और सामतत्व) इसी भाग में प्रतिपादन है। इन दो कारणों से उपनिषद् वेदांत कहलाते हैं। उपनिषदों पर आधारित सभी मत इसी नाम से जाने जाते हैं।

उपनिषद् को ज्ञानकांड कहते हैं और इनको ब्राह्मणों के कर्मकांड से भिन्न माना गया है। किसी फल को लक्ष्य कर कर्म करना सभी मानते हैं पर कर्म का जो कर्ता पर प्रभाव होता है उसका विश्लेषण दार्शनिक बुद्धि की अपेक्षा रखता है। अतः उपनिषदों में कर्म और कर्ता के संबंध, कर्ता के स्वरूप एवं कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के उपाय का वर्णन होने के कारण एक [illegible] होती है। यह रहस्य तब और भी [illegible] दृश्यमान स्थूल जगत् के पीछे इसको [illegible] वाली सत्ता का वर्णन करते [illegible] शिष्य को गुरु की कृपा [illegible] (उप) भली भाँति (नि) [illegible] षद्)। इस गुह्य ज्ञान के [illegible] वेदांत वैदिक विद्या का [illegible]

वैदिक साहित्य की [illegible] मीमांसा कहते हैं। [illegible] शास्त्र का उद्देश्य [illegible] प्रतीयमान विरोध [illegible] तथा व्याख्या [illegible] मीमांसा की [illegible] संकलन है। [illegible] में जैमिनि ने कर्मकांड की तथा उत्तरमीमांसा में बादरायण ने उपनिषद् की मीमांसाएँ उपस्थित कीं। हमारा यहाँ उत्तरमीमांसा-परक वेदांत या ब्रह्मसूत्र से प्रयोजन है।

वेदांत सूत्र से ज्ञात होता है कि वेदांत की परंपरा बादरायण से प्राचीन थी क्योंकि इसमें ही आत्मरथ्य, बादरि, काशकृत्स्न, औडुलोमि आदि प्राचीन आचार्यों के मतों का उल्लेख है। बादरायण ने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' कहकर ब्रह्म के अध्ययन को वेदांत का विषय माना। ब्रह्म के बारे में अनेक वचन उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। कभी ब्रह्म और जीव को अभिन्न माना गया, कभी उनको अत्यंत भिन्न कहा गया, कभी ब्रह्म को अंशी और जीव को अंश कहा गया। इसी प्रकार ब्रह्म और जगत् में भी विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के संबंध का प्रतिपादन किया गया। यदि मीमांसा का लक्ष्य वेद की व्याख्या करना है तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि वेद का तात्पर्य एक ही मत से है—एक ही वेद विभिन्न विरोधी मतों का प्रतिपादन नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखकर बादरायण ने 'समन्वय' का सिद्धांत अपनाया और परस्पर विरोधी वचनों की एक समन्वयात्मक व्याख्या उपस्थित करने का प्रयत्न किया। पर सूत्र रूप में लिखे जाने के कारण बादरायण का भी आशय स्पष्ट नहीं होता; भगवद्गीता किंचित् विस्तार से उपनिषदों का निचोड़ उपस्थित करती है पर उसमें भी स्पष्ट एकरूपता नहीं परिलक्षित होती। लेकिन उपनिषद्, वेदांतसूत्र और भगवद्गीता ये तीन ग्रंथ वेदांत के प्रमाण हैं—इनमें अंतिम दो ग्रंथ इसलिये प्रमाण हैं कि वे उपनिषदों (श्रुति) पर आधारित हैं। इन्हीं को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है।

अद्वैत वेदांत — जिस प्रकार उपनिषद्वाक्यों में समन्वय करने के लिये वेदांतसूत्र और गीता की रचना हुई उसी प्रकार इन तीनों प्रस्थानों में एक ही दृष्टि का प्रतिपादन है, यह बताने के लिये विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इन तीनों की व्याख्या प्रस्तुत की। इस प्रकार वेदांत के अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ।

शंकराचार्य ने अपने मत का नाम अद्वैतवाद [illegible] में सर्वाधिक स्पष्ट रूप में [illegible] ने इसका प्रतिपादन भी [illegible] सर्वप्रथम एक [illegible] इसलिये वे [illegible]

[illegible] उपपादन [illegible] सहारे [illegible] इसपर [illegible] प्रति- [illegible] प्रमाण [illegible] सूत्र [illegible]]

[illegible] परमाणु [illegible] कहलाता है। इस बेरी में ब्रह्म-

आत्मा ही इन सारी अवस्थाओं का कारण है। यदि यह आत्मा जड़ विषय से एक दम असंपृक्त होकर स्थित हो तो इसका शुद्ध चैतन्य रूप स्पष्ट हो जाएगा। तुरीय अवस्था में आत्मा विषयवासना से शून्य हो जाती है और इसलिये उस अवस्था में परिच्छेदक के अभाव से आत्मा में भेद और भेदक गुण नहीं रह जाते। विश्व के सारे पदार्थ परिवर्तनशील होने के कारण तत्व नहीं हो सकते, पर चैतन्य आत्मा में परिवर्तन नहीं होता अतः अपने शुद्ध रूप में चैतन्य निर्गुण आत्मा ही तत्व है—उससे अतिरिक्त सब कुछ केवल सर्प की तरह व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं। यही अपरिच्छिन्न आत्मा ब्रह्म है और जो कुछ अनुभूत होता है सब इसी आत्मा में अधिष्ठित है। 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किंचन' इस दर्शन का मूल वाक्य है। इस ब्रह्म में और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। परिच्छिन्न होने पर ब्रह्म ही व्यक्ति या जीव कहलाता है और मुक्त होने पर जीव ब्रह्म हो जाता है। तत्वतः सारे जीव ब्रह्म ही हैं। इस ब्रह्म का स्वरूप हमसे इसलिये छिपा है कि हम जीव अज्ञानी हैं। अज्ञान के कारण तत्व आवृत होकर अनेक प्रकार के विशेषों की सृष्टि करता है। यह अज्ञान सारे प्राणियों में है अतः यह एक विश्वजनीन शक्ति है जिसे माया कहा गया। माया ही ब्रह्म को परिच्छिन्न सी करती है। यही विवर्त का कारण है। ब्रह्म की दृष्टि से माया का अभाव है क्योंकि ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, जीव की दृष्टि से माया सत्य है क्योंकि इसी के कारण उसकी स्थिति है। अतएव शांकर संप्रदाय के एक अंश में माया अनिर्वचनीय कही जाती है। शांकर वेदांत मायावादी कहा गया है। प्राणी का लक्ष्य है अपने ब्रह्म रूप का ज्ञान प्राप्त करना जो शंकर के अनुसार कर्म से नहीं हो सकता क्योंकि कर्म तो प्राणी को बाँधते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त वास्तव में कुछ नहीं है अतः इस दर्शन को द्वैतरहित अथवा अद्वैत कहते हैं।

विशिष्टाद्वैत वेदांत — इसके प्रतिष्ठापक रामानुजाचार्य हैं। इनके अनुसार निर्गुण वस्तु अस्तित्वहीन होती है। ज्ञान भी सगुण का ही होता है। अतः गुण से विशिष्ट गुणी का ही अस्तित्व और ज्ञान संभव है। इसलिये ब्रह्म सगुण है निर्गुण नहीं। ब्रह्म ही परम सत्य है। जड़ (अचित्) और जीव (चित्) उसके विशेषण या अंश हैं। ये अंश परिवर्तित होते हैं पर अंशी अपरिवर्तित ही रहता है। परिवर्तन परिणामवाद कहलाता है। जैसे दूध दही में परिवर्तित होता है उसी प्रकार ब्रह्म के गुण परिवर्तित होते हैं। चित् और अचित् ब्रह्म के शरीर हैं, ब्रह्म इनकी आत्मा है। अतः ब्रह्म सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। जैसे शरीर और शरीरी एक हैं वैसे ही ब्रह्म और उसका शरीर रूपी ब्रह्मांड एक है। पर इस एकता में गुण और गुणी का भेद भी है। इसलिये इस दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहते हैं।

द्वैत वेदांत — इनके प्रतिष्ठापक मध्व हैं। इनके अनुसार स्वतंत्र और परतंत्र ये दो तत्व हैं। ईश्वर स्वतंत्र तथा जीव और प्रकृति परतंत्र तत्व हैं। सर्वगुणसंपन्न ब्रह्म या ईश्वर संसार का बनानेवाला है, प्रकृति उसका उपादान है। विष्णु ही ईश्वर हैं। उनकी नित्य सहचरी लक्ष्मी उनपर आश्रित हैं। पर लक्ष्मी अपने आपमें स्वतंत्र हैं। प्रकृति ईश्वर की इच्छा है और वे एक साथ रहती हैं। ईश्वर और जीव में, ईश्वर और प्रकृति में, जीव और में जीव और जीव में तथा प्रकृति और प्रकृति में नित्य प्रकृति, जीव और ईश्वर को मिलाया नहीं जा सकता। आत्म है तथा धर्म अधर्म से आवृत है। मोक्ष होने पर आवरण क हो जाता है और इसको पूर्ण ज्ञान तथा आनंद मिल जा आत्मा यद्यपि ईश्वराश्रित है, तथापि यह स्वतंत्र कर्ता है इसका स्वातंत्र्य सीमित है। ईश्वर इसकी क्रिया को नि करता है। ईश्वर आत्मा में रहता है पर आत्मा मुक्त हु उससे ज्ञान नहीं होता। मुक्ति ईश्वर की कृपा होने पर उसकी से ही प्राप्य है।

द्वैताद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक निंबार्काचार्य हैं। अनुसार ब्रह्म अनंत-सद्गुण-संपन्न है। वही सृष्टि, स्थिति संहार करता है तथा पूर्ण स्वतंत्र है। ब्रह्म ही विश्व का उ और निमित्त कारण है। ईश्वर एक सर्व है और उसकी जगत् है। ईश्वर और जगत् में समुद्र और लहरों की तरह और अभेद दोनों हैं। जीव नित्य और ब्रह्म से भिन्न है। प भेद आत्यंतिक नहीं है क्योंकि ईश्वर की कृपा से जब अज्ञान हो जाता है तो जीव ब्रह्म के समान हो जाता है।

शुद्धाद्वैत वेदांत की स्थापना वल्लभ ने की। ब्रह्म और सविशेष है। वही विश्व है। आत्मा तथा प्रकृति का है। आत्माएँ ब्रह्म के नित्यअंश हैं। माया ईश्वर की शक्ति ईश्वर अशरीरी है पर लीला से भक्तों के हित के लिये वह शरीर धारण कर सकता है। ब्रह्म अपने गुणों का आविर्भाव तिरोभाव करता रहता है। विश्व के सारे पदार्थ इन्हीं के आविर्भाव और तिरोभाव की अवस्था में हैं। जब ई चेतना और आनंद को छिपा लेता है तो वह विश्व हो जाता अतः सृष्टि तिरोभाव और प्रलय आविर्भाव है। ब्रह्म विश्व समवायी और निमित्त कारण है। जैसे आग से चिनगारियाँ फू हैं वैसे ही ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं। ये जीव आध्यात्मि अणु रूप हैं।

अचिंत्य भेदाभेद वेदांत — चैतन्य के द्वारा प्रवर्तित इस में ईश्वर में अचिंत्य गुण और शक्तियाँ रहती हैं। वह आनंदस्व और माया का स्वामी है। जीव उससे भिन्न है। संसार सत्य परिणामी है। ईश्वर की जीवशक्ति से जीव तथा मायाशक्ति संसार उत्पन्न होता है। सारी शक्तियाँ उसी ईश्वर की हैं ये अपनी इयत्ता में अचिंत्य हैं। उस कृष्णरूपधारी ईश्वर की सर्वांगीण उपासना से मोक्ष मिलता है।

इस प्रकार वेदांत के विभिन्न संप्रदाय पारमार्थिक सत्ता, जि और जीव इनके परस्पर संबंध के आधार पर एक दूसरे से भि हैं। ये सारे संप्रदाय अपने दृष्टिकोण से प्रस्थानत्रयी की व्याख्या करते हुए अपने मत को ही वेदांत की संज्ञा देते हैं। सभी संप्रदा ईश्वर या ब्रह्म की स्थिति मानते हैं, श्रुति को तर्क से बलवा मानते हैं और कर्म के सिद्धांत तथा मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं।

अद्वैत को छोड़कर सारे वेदांत संप्रदाय भक्ति को मोक्ष सर्वोत्कृष्ट मार्ग मानते हैं। वेदांत के प्रायः सारे संप्रदाय दक्षि

भारत में उत्पन्न हुए। दक्षिण भारत वैष्णव और शैव मतों का गढ़ रहा है। सामान्य जन भक्ति में ही अपने दुःखपूर्ण मन का समाधान पाते हैं इसलिये यदि वेदांत को भक्ति के साथ मिला दिया जाय तो भक्ति की महत्ता और भी बढ़ जाएगी। रामानुज, वल्लभ, मध्व और चैतन्य ने भक्ति को अपने अपने ढंग से वेदांत का प्रतिपाद्य माना और विष्णु को किसी न किसी रूप में पूजित करने का उपदेश दिया। शैवों ने अपने भक्ति के सिद्धांत को वेदांत से जोड़ने का उतना अधिक प्रयत्न नहीं किया। केवल श्रीकंठ ने शैवभाष्य लिखा है जो उतना लोकप्रिय नहीं हो सका।

ज्ञानमूलक होने के कारण अद्वैत वेदांत ने विद्वानों में आदर पाया और भक्तिमूलक वेदांत संप्रदायों ने साधारण जनता में। लोगों ने वेदांत को अपने जीवन का अंग बना लिया। इसीलिये वेदांत दर्शन ही भारत में एक ऐसा दर्शन है जिसमें आज भी नए विचार और उद्भावनाएँ पैदा होती हैं। अरविंद का दर्शन इसका ताजा उदाहरण है।

स० ग्रं० — स० राधाकृष्णन् : इंडियन फिलासफी, द्वितीय भाग; सुरेंद्रनाथ दासगुप्त : हिस्ट्री ऑव इंडियन फिलासफी, चारों भाग; बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, टी० एम० पी० महादेवन् : द फिलासफी ऑव अद्वैत; श्रीनिवासाचारी : द फिलासफी ऑव विशिष्टाद्वैत; नागराज शर्मा : द फिलासफी ऑव मध्व, उमेश मिश्र : निंबार्क फिलासफी; डेसिकाला : फिलासफी ऑव वल्लभाचार्य, केनेडी . चैतन्य मूवमेंट। [रा० च० पा०]

वेदांत देशिक इनका दूसरा नाम वेंकटनाथ था। तेरहवीं शताब्दी में इनकी स्थिति मानी जाती है। रामानुज संप्रदाय तेरहवीं शताब्दी में दो गुटों में बँट गया। वेंगलाई अथवा दक्षिणी गुट के अनुसार तामिल प्रबंध को मुख्य प्रमाणग्रंथ माना जाने लगा और संस्कृत की उपेक्षा कर दी गई। इस संप्रदाय की यह भी मान्यता थी कि ईश्वर दोष का ओज करता है। दोषपोषता का यह सिद्धांत आगे चलकर खतरनाक सिद्ध हुआ। इस गुट के विरोध में एक उत्तरी गुट का, जिसे वेडगलाई कहते हैं, विकास हुआ। वेदांत देशिक इसी गुट के प्रतिष्ठापक आचार्य थे।

वेडगलाई गुट के अनुसार तामिल प्रबंध और संस्कृत ग्रंथों को समान रूप से प्रमाण माना जाता है। इस गुट में तामिल की अपेक्षा संस्कृत को अधिक महत्व दिया गया। तत्त्वमीमांसा में इन लोगों ने शाक्त धर्म की विशेषताओं का भी समावेश किया।

वेदांत देशिक काजीवरम् के रहनेवाले थे पर इनका अधिकांश समय श्रीरंगम् में व्यतीत हुआ। अनेक विषयों पर इनकी लेखनी चली। इनके मुख्य दार्शनिक ग्रंथ परमतभंग और रहस्यत्रयसार तामिल में लिखे गए। पांचरात्ररक्षा नामक ग्रंथ में इन्होंने पांचरात्र धर्म के सिद्धांतों तथा क्रियाविधि का प्रतिपादन किया। रामानुज के श्रीभाष्य तथा गीताभाष्य पर इन्होंने टीकाएँ भी लिखीं। सेश्वर मीमांसा नामक अपने ग्रंथ में इन्होंने प्रतिपादित किया कि पूर्वमीमांसा और वेदांत एक दूसरे के पूरक हैं। पूर्वमीमांसा द्वारा प्रतिपादित कर्म ईश्वर के अनुग्रह के बिना फलदायक नहीं हो सकता। इसी प्रकार केवल ज्ञान भी तब तक निष्फल है जब तक ईश्वर में व्यक्ति अपने को पूर्णतः समर्पित करने का कर्म — उपासना — नहीं करता। अतः ईश्वरमीमांसा अर्थात् वेदांत कर्म मीमांसा के बिना निष्फल है। शतदूषणी नामक अपने खंडन मंडनात्मक संस्कृत ग्रंथ में रामानुज के मत का अनुसरण करते हुए वेदांत देशिक ने अद्वैत वेदांत की तीव्र आलोचना की है। रामानुज के बाद उनके संप्रदाय में वेदांत देशिक का ही नाम लिया जाता है।

स० ग्रं० — वेदांत देशिक डा० सत्यव्रत सिंह। [रा० च० पा०]

वेदांतसूत्र प्राचीन परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के लेखक बादरायण माने जाते हैं। पर इन सूत्रों में ही बादरायण का नामोल्लेख करके उनके मत का उद्धरण दिया गया है अतः कुछ लोग इसे बादरायण की कृति न मानकर किसी परवर्ती संग्राहक की कृति कहते हैं। बादरायण और व्यास को कभी कभी एक माना जाता है। जैमिनि ने अपने पूर्वमीमांसासूत्र में बादरायण का तथा बादरायण ने वेदांतसूत्रों में जैमिनि का उल्लेख किया है। यदि बादरायण और व्यास एक ही हैं तो महाभारत की परंपरा के अनुसार जैमिनि व्यास के शिष्य थे। और गुरु अपनी कृति में शिष्य के मत का उल्लेख करे, यह विचित्र सा लगता है।

इन सूत्रों में सांख्य, वैशेषिक, जैन और बौद्ध मतों की ओर संकेत मिलता है। गीता की ओर भी इशारा किया गया है। इन सूत्रों में बहुत से ऐसे आचार्यों और उनके मत का उल्लेख है जो श्रौत सूत्रों में भी उल्लिखित हैं। गरुड़पुराण, पद्मपुराण और मनुस्मृति वेदांत सूत्रों की चर्चा करते हैं। हापकिंस के अनुसार हरिवंश का रचनाकाल ईसा की दूसरी शताब्दी है और इसमें स्पष्ट रूप से वेदांतसूत्र का उल्लेख है। बोध के अनुसार यह रचना २०० ई० के बाद की नहीं होगी, जाकोबी इसे २०० से ४५० ई० के बीच का मानते हैं। मैक्समूलर इसे भगवद्गीता के पहले की रचना मानते हैं क्योंकि उनमें ब्रह्मसूत्र शब्द आया है जो वेदांतसूत्र का पर्यायवाची है। भारतीय विद्वान इसका रचनाकाल ई० पू० ५०० से २०० के बीच मानते हैं।

जिस प्रकार मीमांसासूत्र में वेद के कर्मकांड भाग की व्याख्या प्रस्तुत की गई है उसी तरह चार अध्यायों में विभाजित लगभग ५०० वेदांतसूत्रों में वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग अर्थात् उपनिषदों की व्याख्या की गई है। उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धांत इतने परस्पर विरोधी तथा बिखरे हुए हैं कि उनसे एक प्रकार का दार्शनिक मत निकालना कठिन है। वेदांत सूत्र 'समन्वय' के सिद्धांत का सहारा लेकर उपनिषदों में एक दार्शनिक दृष्टि का प्रतिपादन करता है। पर ये सूत्र स्वयं इतने संक्षिप्त हैं कि बिना व्याख्या के सहारे उनसे अर्थ निकालना कठिन है। इनकी संक्षिप्तता के कारण इनपर कई व्याख्याएँ लिखी गई जो परस्पर विरोधी दृष्टि से वेदांत का प्रतिपादन करती हैं। वेदांत के सभी प्रस्थान इन सूत्रों को अपना प्रमाण मानते हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने के कारण इन सूत्रों को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। [रा० च० पा०]

वेदी वैदिक एवं स्मार्त कर्म के लिये वेदी या वेदि का निर्माण अत्यावश्यक है। कर्मकांडीय अनुष्ठान के लिये एक निश्चित परिमाण की शास्त्रानुसार परिष्कृत भूमि वेदी कहलाती है। इस वेदी में यज्ञ-

पात्रों का स्थापन, यज्ञपशु का बंधन एवं अन्यान्य याज्ञिक कर्म अनुष्ठित होते हैं।

श्रौत परंपरा में वेदी के विषय में अनेक विशिष्ट तथ्य मिलते हैं। यथा स्फ्य (खड्गाकृति अस्त्र जो खदिर वृक्ष से बनाया जाता है, जिसका प्रमाण १ अरत्नि = २४ अंगुल है; १ अंगुल = ¾ इंच) से भूमि खोदने, तृण को हटाने और शुद्ध पांशु लाकर वेदी का निर्माण करने का निर्देश है।

वेदी अनेक आकृतियों की होती है। अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास के लिये एक ही वेदी बनाई जाती है, जबकि चातुर्मास यज्ञांतर्गत वरुणप्रघास में दो वेदियाँ होती हैं। यज्ञकर्मानुसार वेदी का स्थान निश्चित होता है, यथा — आहवनीय अग्नि के पूर्व में, निरूढ पशुबंध यज्ञ की वेदी बनाई जाती है, जबकि दर्शपूर्णमास में अग्नि के पश्चिम में। वेदी का परिमाण भी यज्ञकर्म के भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। एक ही यज्ञ की वेदियाँ विभिन्न श्रौतसूत्रों के अनुसार कुछ विभिन्न रूपों से बनाई जाती हैं। आपस्तंबानुसारी जहाँ वेदी को गार्हपत्याग्नि से कुछ दूर बनाते हैं, वहाँ सत्याषाढानुसारी वेदी को अग्नि के पास ही बनाते हैं। [रा० शं० भ०]

वेधन (Boring) किसी भी वस्तु या जगह पर यंत्रों द्वारा छेद करने की क्रिया को कहते हैं। कारखानों की यंत्रशाला (machine shop) में यंत्र के कलपुर्जों के निर्माण के लिये लोहा, पीतल आदि में छेद करने की कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये वेधन अपनाया जाता है। वेधन का उपयोग भूविज्ञानियों द्वारा अधिक होता है। वे लोग इस क्रिया का प्रयोग भू विज्ञानिक एवं अन्य वैज्ञानिक खोजों के लिये करते हैं। किसी नई जगह में जमीन के नीचे खनिज पदार्थ के भंडार का पता वेधन द्वारा चल सकता है। सिविल इंजीनियरों को भी वेधन का प्रयोग करना पड़ता है। किसी विशाल मकान को बनाने के पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जिस जमीन पर मकान बनाना है उसकी सतह के नीचे कितनी दूरी पर पत्थर का स्तर है। यही नहीं, ऊपरी जमीन की सतह और नीचे पत्थर के स्तर के बीच की मिट्टी का विश्लेषण करना भी आवश्यक हो जाता है। अतः यह देखा जाता है कि वेधन यांत्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, खनि-इंजीनियर एवं भूविज्ञानियों के लिये उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है।

कोयला, सोना आदि की खानों में भी, जिनसे खनिज पदार्थ निकाला जा रहा हो, वेधन उपयोगी है, क्योंकि यह जानना आवश्यक होता है कि किस जगह से खनिज निकल रहे हैं, उसके आगे भी खनिज का भंडार है, या नहीं। खानों में कभी कभी अकस्मात् स्थान भी सामने आ जाता है, जिससे उन खानों में कार्य करनेवाले श्रमिकों को कुछ तंग हो सकती है। इस तरह के स्थानों का पता वेधन द्वारा पहले ही कर लिया जाता है, ताकि दुर्घटनाएँ न घटें।

पेट्रोलियम आदि खनिज तेलों के भंडार का पता वेधन द्वारा किया जाता है एवं इसी क्रिया की सहायता से खनिज तेल खान से बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद परिष्करण इत्यादि के लिये वह दूसरी जगह भेज दिया जाता है। कभी कभी नीचे सेंधा नमक मिलता है। इसको निकालने के लिये छेद बना लिया जाता है। उन छेदों के द्वारा ऊपर से पानी जाता है। उसके बाद लवणजल (brine) को पंप द्वारा निकाला जाता है।

वेधन के साधन

चट्टानों में वेधन करने के लिये बहुत से साधन प्रयुक्त हैं, जिनमें ये मुख्य हैं :

(क) हीरा ड्रिल (Diamond Drill) — सभी में यह सर्वोत्कृष्ट है। इसकी सहायता से किसी भी कोण पर छेद किया जा सकता है। प्रायः तिरछे छेदों के लिये इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अन्य तरीकों से सिर्फ सीधा छेद ही हो सकता है। इसके द्वारा वलयाकार (annular) छेद बनता है, जिसमें (core) में छेद की गई जमीन के नीचे की सारी बनावट ज्ञात हो जाती है। इससे प्रत्येक स्तर (stratum) की सतह से उसकी दूरी एवं और अन्य बातें जानी जा सकती हैं। उपकरण में पेंच द्वारा जुड़ी हुई बहुत सी खोखली छड़ों की पंक्ति सी होती है। इसके निचले हिस्से में वलयाकार कुंडल का एक बरमा (bit) लगा रहता है (देखें चित्र १.), जिसमें आकार के अनुसार आठ या अधिक, हीरे (carat) के, हीरे लगाए जाते हैं। ये हीरे इस तरह निकले रहते हैं। कार्य करते समय बीच बीच में बरमे की ओर से पानी छोड़ा जाता है, ताकि जैसे ही हीरा घिस जाय, उसे पूर्ववत् कर दिया जाय। जमीन की सतह पर एक छोटे इंजन की सहायता से छड़ों को जोर से घुमाया जाता है। ज्यों ज्यों छेद गहरा होता जाता है, त्यों त्यों छड़ें बढ़ाई जाती हैं। इंजन की गति सतह के नीचेवाली चट्टान की कठोरता पर निर्भर करती है। वेधन के समय एक पंप की सहायता से जल इन खोखली छड़ों में डाला जाता है, जो छेद की दीवार और छड़ों के बीच की सतह द्वारा वापस लौट आता है। इसके साथ हुई वस्तुएँ सतह पर लाई जाती हैं।

चित्र १. हीरा जटित इस्पात का बरमा

(ख) एक द्वारा बँधा हुआ पात ड्रिल (Drop Drill) — यह उपकरण बहुत दिनों से वेधन के लिए प्रयुक्त हो रहा है।

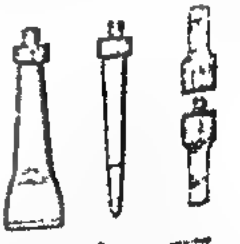

चित्र २. पात ड्रिल का बाल
बनाने की घनी, काटनेवाला औजार तथा [illegible]

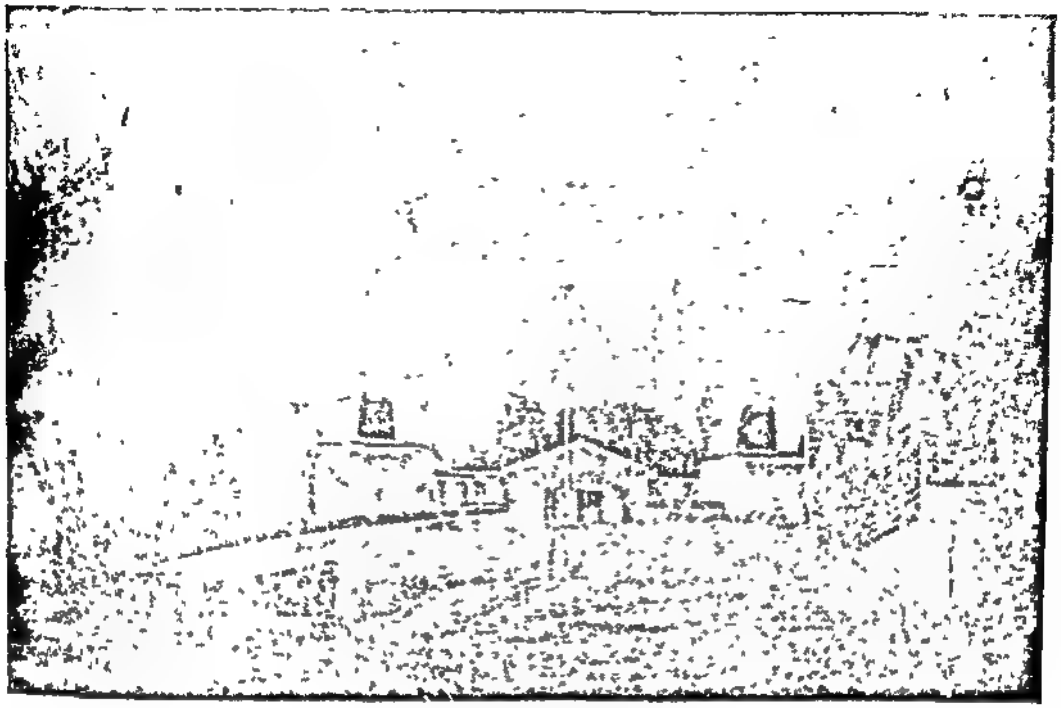

कोडैकानल वेधशाला का व्यापक दृश्य

बाएँ : ८ इंच का अपवर्तक दूरदर्शी; दाहिने : ६ इंच का अपवर्तक दूरदर्शी तथा अग्रभूमि में मौसम संबंधी यंत्र और वर्कशॉप की इमारत।

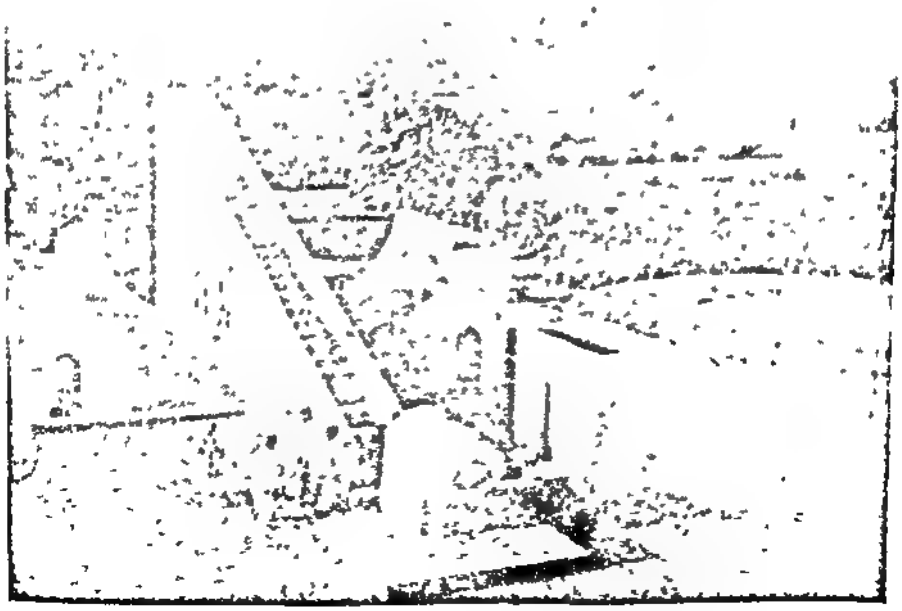

प्राचीन वेधशाला, धार

हर्शेल (Herschel) द्वारा [illegible] (Fyzabad) की वेधशाला [illegible] है। इसका निर्माण [illegible] १८७६ ई० में हुआ और इसका नाम [illegible] (Lowe) रखा गया। [illegible] और [illegible] दिशाओं में [illegible] दिशा के निर्देशक ([illegible], दिशा निर्धारक और [illegible]) [illegible] बिन्दु। [illegible] ([illegible]) [illegible] गई। [illegible] (equatorial [illegible]) [illegible] उपकरण [illegible] है। १९०६ ई० में [illegible] ने आधुनिक ज्योतिष के [illegible], दूरदर्शक, [illegible] किया। [illegible] १९३२ ई० में [illegible] प्रथम वेधशाला [illegible] की। १९६७-१९७१ ई० में [illegible] वेधशाला [illegible] और १९७४ ई० में [illegible] वेधशाला स्थापित हुई, जिसका प्रथम [illegible] (Flamsteed) था। हेवेलियस (Hevelius) नामक ज्योतिर्विद् ने १९१४ ई० में एक निजी वेधशाला बनवाई। हेवेलियस ने मिश्र तारतम्य की किरणों को एक [illegible] के फोकस [illegible] के लिये १०० फुट फोकस दूरी के लेंस से युक्त अतिशयी दूरदर्शक बनवाया।

आधुनिक वेधशालाओं के संबंध में कुछ कहने के पूर्व जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाओं का उल्लेख आवश्यक है। ये वेधशालाएँ दिल्ली, जयपुर, वाराणसी और मथुरा में हैं। दिल्ली की वेधशाला १७१० ई० में बनी और इसके पश्चात् की जाँच के लिए बाद में दूसरे स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण हुआ। इन वेधशालाओं में उन्नतांश, दिगंश, विषुवदंश, क्रांति, घटी-कोण आदि मापने के ज्योतिष उपकरण पत्थर, चूने आदि से बने हैं। दिल्ली की वेधशाला के उपकरण सम्रायंत्र, रामयंत्र, जयप्रकाशयंत्र और मिश्रयंत्र हैं। जिस यंत्रचक्र से, जो मिश्रयंत्र का एक भाग है, चाँद का समय निकाला जा सकता है। ऐसी चार और वेधशालाएँ जावा के नोट्के (Notke), प्रशांत के सरिचेन (Sarichen), न्यूरिख और ग्रीनिच में हैं।

आधुनिक वेधशालाओं के संस्थापन और विकास प्रकाशीय काँच उद्योग की प्रगति के साथ साथ चलते हैं। १७वीं सदी के दूरदर्शक वर्णविपथन आदि अनेक कारणों से भी संतोषप्रद नहीं थे। काउन और फ्लिंट काँच के संयोजन से अवर्णक अभिदृश्यक (objective) बनने पर बड़े द्वारक और कम फोकस दूरी के लेंस बनने लगे। १८२५ ई० में रूस में स्थापित डॉरपैट (Dorpat) वेधशाला में दूरदर्शक का अभिदृश्यक फ्रॉनहोफर द्वारा बिना हुआ तथा ९½ इंच व्यास का था। १८३९ ई० में स्थापित रूस की पुलकोवा राज्य वेधशाला, यथार्थ उपकरणों से सुसज्जित, उन दिनों की एक सर्वश्रेष्ठ वेधशाला थी, जिसके अपवर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक १५ इंच से अधिक व्यास का था। इस वेधशाला के पहले निदेशक विलहेल्म स्ट्रूवे (Wilhelm Struve) थे, जो इसी नाम के अनेक ज्योतिर्विदों के वंश के प्रधान पुरुष हैं। यह वेधशाला द्वितीय विश्वयुद्ध में लेनिन-[illegible] के [illegible] हुई और [illegible] १९४२ ई० [illegible] हुई।

[illegible] के द्वारक को [illegible] ई० में [illegible] (S[illegible] को [illegible] के लिये [illegible] का [illegible] दूरदर्शक के द्वारक [illegible] ३४,००० फुट की। इसके [illegible] बनाने की [illegible] है। [illegible] को [illegible] दूरदर्शकों के [illegible] के [illegible] दूरदर्शक के [illegible] है। [illegible] को [illegible] दूरदर्शक बनाने की [illegible] है। इसी लिये नेत्र [illegible] दूरदर्शक बनाने की [illegible] हुई थी। [illegible] के [illegible] का [illegible] दूरदर्शक बनाया था। [illegible] वेधशाला में [illegible] फुट लम्बा और [illegible] था। [illegible] ([illegible]) के [illegible] दूरदर्शक [illegible] ३२ इंच [illegible] और ३२ फुट फोकस दूरी के [illegible] बनाया। [illegible] के [illegible] के [illegible] के [illegible] के [illegible] दूरदर्शक के [illegible] २०वीं सदी में हुआ। [illegible] के [illegible] पर [illegible] दिशा में [illegible] का [illegible] इस [illegible] के विकास के [illegible] माउंट विल्सन वेधशाला में १९१७ ई० [illegible] १०० इंच परावर्तक के निर्माण में [illegible] दिनों। नाम हुकर दूरदर्शक है, जो प्रकाश एकत्र करने में [illegible] से २०,००० गुना सक्षम है। [illegible] के [illegible] में लगाए गए २०० इंच [illegible] (reflector) का ३० वर्षों के प्रयास के बाद [illegible] हुआ। ६२,३०,००० डॉलर की लागत से निर्मित [illegible] सहित भार ३०० टन है और केवल [illegible] टन है। इस दूरदर्शक में प्रकाश एकत्र करने की [illegible] से ३,६०,००० गुना अधिक है और इससे [illegible] प्रकाशवर्ष की दूरी तक देखा जा सकता है। दूरदर्शक प्रधान फोकस ५४ फुट तथा केंद्र में स्थित ४० इंच [illegible] कारण कैसेग्रेनीय फोकस (Cassegrain focus) [illegible] कूडे फोकस (coude' focus) ४६२ फुट है।

इन परावर्तकों में प्रकाश अक्ष पर प्रतिबिंब [illegible] किंतु कुछ दूर के बिंदुओं पर यह धुँधला होता है, [illegible] क्षेत्र कम हो जाता है और घटकर कभी कभी [illegible] जाता है। इस गंभीर बाधा का निराकरण स्मिट (Sch[illegible] १९३० ई० में हुआ, जब उन्होंने गोलीय अवतल दर्पण [illegible] एक जटिल किस्म के संशोधनपट्ट का व्यवहार किया। [illegible] से १० अंश तक के आकाशीय क्षेत्र का फोटोग्राफ लिया है। ऐसा स्मिट दूरदर्शक माउंट पैलोमार में है, जिस

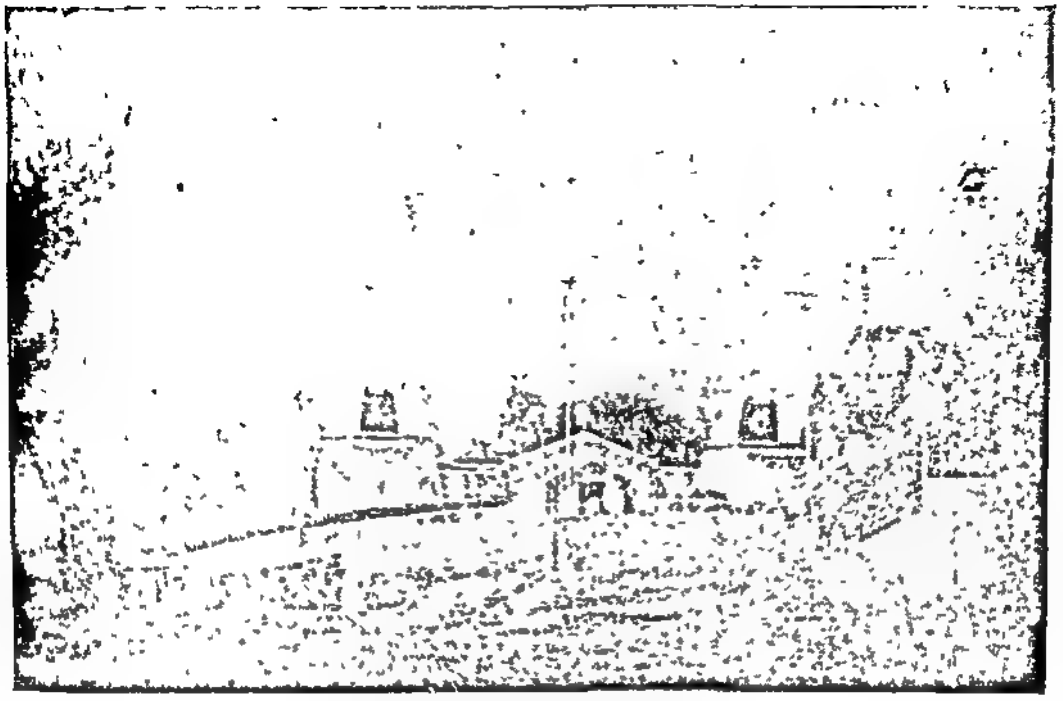

कोडैकानल वेधशाला का व्यापक दृश्य
बाएँ : ८ इंच का अपवर्तक दूरदर्शी; दाहिने : ६ इंच का अपवर्तक दूरदर्शी तथा अग्रभूमि में मौसम संबंधी यंत्र और वर्कशॉप की इमारत।

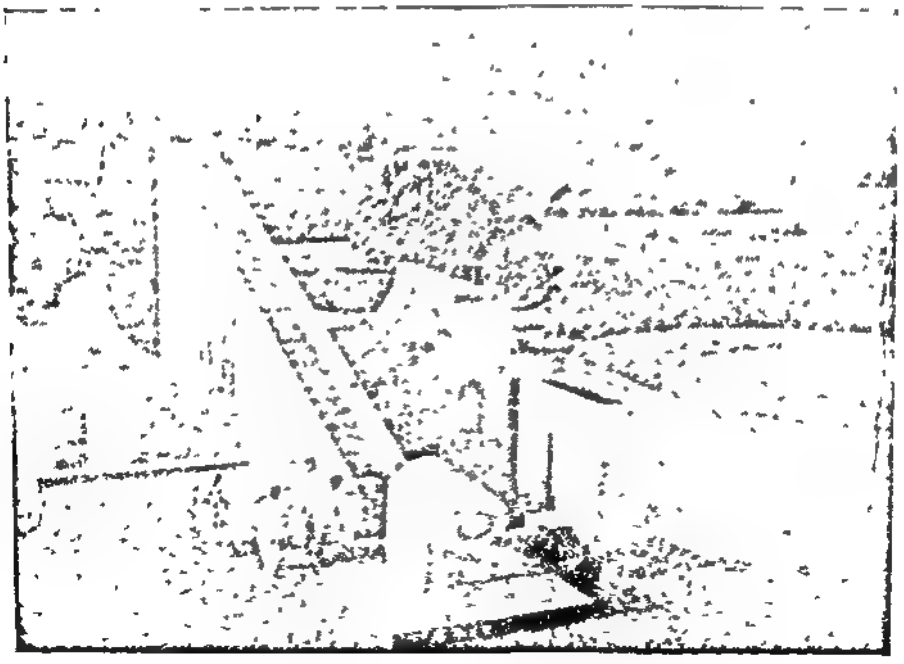

प्राचीन वेधशाला, धार

(देखिए पृष्ठ १३१)

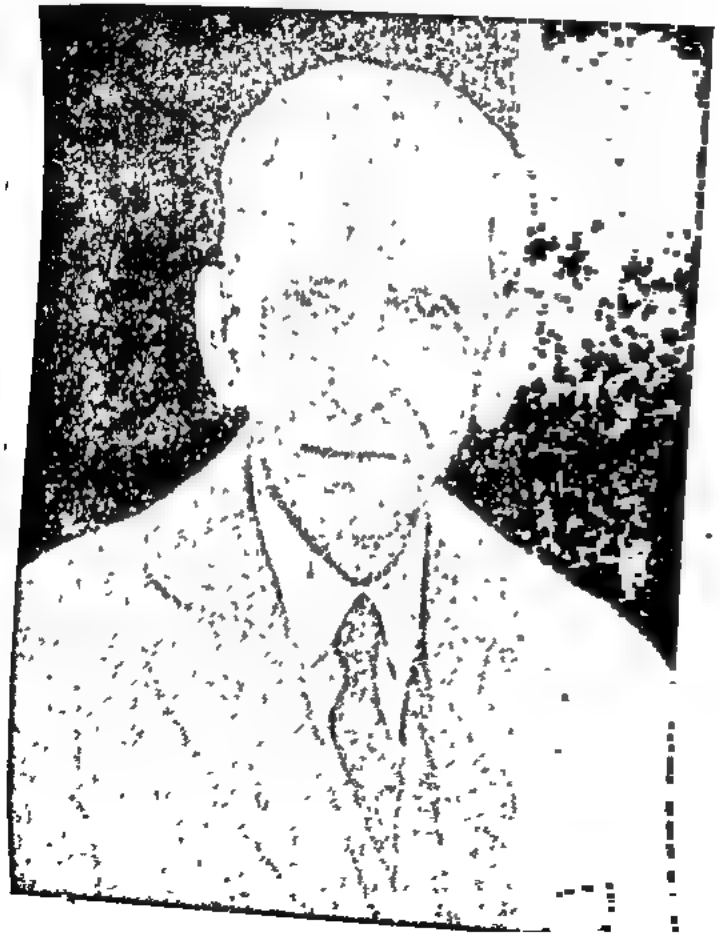

(देखिए पृष्ठ १८१)

व्यास का और संशोधनपट्ट ४८ इंच द्वारक का है। ३० करोड़ वर्ष की दूरी तक के तारों को अंकित करने में समर्थ इस दर्शी से सात वर्षों में पैलोमार से दिखाई पड़नेवाले आकाश के भाग का मानचित्र बनाया जा चुका है।

कुछ विशिष्ट वेधशालाओं में प्रकाशीय दूरदर्शक रूपी ज्योतिष-ी से खगोलीय पिंडों की प्रकाशतरंगों के अध्ययन के स्थान पर ड्यो दूरदर्शक से उनकी रेडियो तरंगों का अंकन और अध्ययन या जाता है। रेडियो दूरदर्शक पर धूल, धुंध, वर्षा, मेघ, दिन र रात का प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु रेडियो तरंग प्रेषित न करने-ले खगोलीय पिंडों के संबंध में इनसे कोई जानकारी नहीं प्राप्त सकती। इंग्लैंड में मैनचेस्टर के निकट जॉड्रेल तट पर पूर्णतः ुनीय (steerable), विशाल रेडियो दूरदर्शक है, जिसका रेडियो ंग एकत्र करने का २५० फुट व्यास का कुंड परावर्तक (bowl flector) है। यह रेडियो तरंगों को फोकस पर स्थित ऐंटेना र एकत्र करता है। इससे बड़ा और हाल ही का बना रेडियो दर्शक पश्चिमी वर्जीनिया (संयुक्त राज्य, अमरीका) में है, जिसका ६०० फुट व्यास का है। रेडियो दूरदर्शक का एक विशिष्ट प्रयोग कृत्रिम उपग्रहों से संकेत प्राप्त करके, उनके प्रक्षेपक की लोक कल्पना है। घूर्णमान गुंबदवाली परंपरागत वेधशालाओं के विपरीत, विशाल दूरदर्शक खुले मैदान में बिठाए जाते हैं तथा इनका यंत्रण दूरस्थ कक्ष से होता है।

समस्त संसार में फैली ज्योतिष वेधशालाओं के उद्देश्य और ार्य बहुविध हैं। संयुक्त राज्य, अमरीका, की नौसैनिक वेधशाला और ेनिच वेधशाला आदि, राष्ट्रीय वेधशालाओं में सूर्य, चंद्र, ग्रह, ारा आदि के निर्देशांकों का यथार्थ निर्धारण, पंचांग निर्माण, ानक समय संकेतों का प्रेषण, उन्नतांश निर्धारण आदि कार्य ोते हैं। कुछ वेधशालाएँ उपगूहन (occultations), ग्रहण, ौर प्रज्वालाओं (solar flares), लवणमापन आदि के अध्य-यन का कार्य सहकारी आधार पर करती हैं। वेधशालाओं में खगोल यांत्रिकी आदि विषयों पर मौलिक अनुसंधान कार्य भी होता है, जिसमें युग्मक तंत्र, तारों का वर्णक्रमीय वर्गीकरण, खगोलीय पिंडों का त्रैज्य वेग, फोटो वैद्युतिक फोटोमिति, अतिरिक्त आकाशगंगीय नीहारिकाएँ, तारों की आंतरिक रचना आदि का अध्ययन समाविष्ट है।

वेधशालाएँ ऐसे स्थानों पर स्थापित की जाती हैं, जहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है और मेघ, धुंधा, धूल से रहित दिनों की संख्या अधिक से अधिक होती है। संभव होने पर पहाड़ की चोटी या शैल आधार पर वेधशाला का निर्माण होता है। वेधशाला से संबद्ध फोटोग्राफी कक्ष और वर्णक्रमीय प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। कुछ वेधशालाएँ ज्योतिविज्ञान की नई खोजों का समाचार प्रसारित करती हैं। सौर वर्णक्रम, कॉस्मिक विकिरण आदि के अध्ययन के लिये अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित करने के अनेक प्रयत्न चल रहे हैं।

भारत की वेधशालाओं में दक्षिण भारत में कोडाइकैनाल की खगोल-भौतिकीय वेधशाला विख्यात है। विगत ६० वर्षों से अधिक के सूर्य के दैनिक अभिलेख वहाँ प्राप्य हैं। वहाँ की वेधशाला उन वेधशाला शृंखलाओं में से एक है, जहाँ शुद्ध आवृत्ति पर रेडियो पारेषण के लिये सौर प्रज्वलता का अध्ययन होता है। उत्तर प्रदेश राज्य की नैनीताल स्थित वेधशाला में चरकांति तारों का अध्ययन होता है। हैदराबाद की निज़ामिया वेधशाला में तारों के त्रैज्य वेग संबंधी मापन किए जाते हैं। भारत सर्वेक्षण से संबंधित तीन अन्य वेधशालाओं में अक्षांश और भोगांश का निर्धारण होता है। [रा० सु०]

वेनिज़्वीला (Venezuela) गणतंत्र, स्थिति ०° ४५′ से १२°१२′ उ० अ० तथा ५९° ४५′ से ७३° ०९′ प० दे०। यह दक्षिणी अमरीका में कैरिबीएन सागर के तट पर एक गणराज्य है। इसका क्षेत्रफल ९,१२,०५० वर्ग किमी० है। अतः यह ब्रिटेन का लगभग चार गुना है। यहाँ की जनसंख्या लगभग ८४,२९,७११ है। इसमें भारतीय, नीग्रो तथा यूरोपवासी सभी लोग पर्याप्त संख्या में हैं। पेट्रोल तथा लौह धातु जैसे प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता के बल पर यह देश २०वीं शताब्दी में काफी धनी हो गया, किंतु इस संपन्नता का फायदा इने गिने लोगों ने ही उठाया है।

वेनिज़्वीला का अर्थ है लिटिल वेनिस (Little Venice)। यह नाम १४९९ ई० में अलान्सो द ओहेदा (Alonso de Ojeda) ने, जो १४९९ ई० में वेनिज़्वीला की खाड़ी से पहुँचा था, रखा था। वेनिज़्वीला के उत्तर में कैरिबीएन सागर, दक्षिण में ब्राज़िल, पश्चिम में कोलंबिया तथा पूरब में ब्रिटिश गियाना हैं। इसको चार भौगोलिक प्रदेशों में बाँटा सकते हैं :

उत्तर-पश्चिम में मैराकाइबो की नीची भूमि चारों ओर पर्वत श्रेणियों से घिरी है। इस प्रदेश में १६,१२८ वर्ग किमी० में विस्तृत मैराकाइबो झील काफी महत्वपूर्ण है। इस झील के किनारे दल-दल मिलते हैं।

उत्तरी पठार के चार विभाग हैं। पठार के दक्षिणपश्चिमी हिस्से में सिएरा नेवेदा थे। मेरीदा श्रेणी के अंतर्गत वेनिज़्वीला की सभी ऊँची चोटियाँ मिलती हैं। यह पर्वत श्रेणी मैराकाइबो झील से दक्षिणी कोलंबिया से आरंभ होकर, दक्षिण-पूर्व दिशा में कैरिबीएन सागर तक जाती है। इसके उत्तर में सेगोविया पठार में छोटे छोटे पहाड़ हैं। ग्वारटो कावेलो तथा केप वाडेरा नगरों के बीच की समांतर श्रेणियाँ कैरिबीएन सागर के किनारे किनारे चलती हैं। इन दोनों में समुद्रतटीय श्रेणी (coastal range) अधिक ऊँची है तथा उसकी खड़ी ढाल समुद्र की ओर है। इन श्रेणियों के बीच मध्य का पठार है, जिसमें उपजाऊ घाटियाँ भी हैं। यह भाग वेनिज़्वीला के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यों का प्रधान क्षेत्र है। अरया तथा पारिया प्रायद्वीपों के पठारी भाग में भी छोटे छोटे पर्वत हैं।

ओरिनिको का मैदान ३,०७,२०० वर्ग किमी० में फैला है। यह विस्तृत समतल क्षेत्र उत्तरी पठार तथा ओरिनिको नदी के बीच है। विशाल ओरिनिको नदी दक्षिणी वेनिज़्वीला से निकलकर २,७२०

किमी० तक बहने के पश्चात् कई शाखाओं में बँटकर एटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके मैदान से होकर इसकी कई सहायक नदियाँ बहती हैं।

ओरिनिको के दक्षिण में गियाना पठार है, जिसके अंतर्गत वेनिज़ुएला का आधा भाग आता है। इस प्रदेश में पठारों के ऊपर ऊँचे समतल चोटीवाले पहाड़ (Mesas) मिलते हैं। पठार के उत्तरी-पूर्वी भाग में संसार का सबसे ऊँचा जलप्रपात एंजिल (Angel falls) मिलता है, जिसकी ऊँचाई ९७९ मीटर है।

कैरिबीएन सागर में कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जो वेनिज़ुएला के अंतर्गत हैं। इनमें मार्गारिटा सबसे बड़ा है।

जलवायु में ऊँचाई के अनुसार विभिन्नता मिलती है। समुद्रतट पर ऊमस तथा पहाड़ों पर ठिठुरनेवाली ठंढक पड़ती है। मैराकाइबो क्षेत्र में ताप सबसे ऊँचा रहता है। यहाँ न्यूनतम ताप लगभग २८° सें० है। कारेकास शहर के आसपास औसत ताप लगभग २०° सें० रहता है तथा इसमें वसंत ऋतु बनी रहती है। ओरिनोको के मैदान में दिसंबर से अप्रैल तक शुष्क मौसम रहता है तथा मई से नवंबर तक वर्षा होती है।

वेनिज़ुएला में पेट्रोलियम, सोना, लौह धातु, मैंगनीज़, तांबा, कोयला, ऐस्फाल्ट, हीरा तथा नमक का प्रचुर भंडार है। इनमें पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व के पेट्रोलियम उत्पादक देशों में इसका दूसरा स्थान है। यहाँ प्रति दिन तेल का उत्पादन लगभग १०,००,००० बैरेल है। ७० प्रति शत तेल मैराकाइबो क्षेत्र से निकलता है। वेनिज़ुएला के तेल से संसार के तेल की माँग का दसवाँ हिस्सा पूरा होता है। एल पाओ पर्वत से लोहा निकाला जाता है। यहाँ अनुमानतः ७,००,००,००० टन उच्च कोटि का लोह भंडार है। सेरो बोलिवर नामक ६१० मीटर ऊँचा पहाड़ दूसरा लोह भंडार है, जो विशेषज्ञों के अनुसार दुनियाँ का सबसे बड़ा लोहभंडार है। इसमें ५०,००,००,००० टन उच्च कोटि का लोहा विद्यमान है।

खेती मुख्यतः उत्तरी पठार में होती है, जहाँ देश का अधिकांश अन्न उपजता है। कॉफी मुख्य व्यापारिक फसल है। ईख, धान, कपास, तंबाकू, सब्जी, फल, खासकर काकाओ तथा अमरीकी चीकुँवार (Sisal), तिल (sesame) अन्य प्रमुख उपज हैं।

वेनिज़ुएला में सूती तथा अन्य प्रकार के कपड़े, सीमेंट, शराब, सिगरेट, जूते, दवाइयाँ, शुद्ध तेल, टायर, ट्यूब इत्यादि निर्मित होते हैं। वेनिज़ुएला का व्यापार अधिकतर संयुक्त राज्य, अमरीका, से होता है। पेट्रोल, कच्चा लोहा, कॉफी, काकाओ मुख्य निर्यात हैं। आयात में मशीन, लोहा, इस्पात की वस्तुएँ, कपड़े, गाड़ियाँ, रासायनिक पदार्थ, गेहूँ तथा आटा प्रमुख हैं।

वेनिज़ुएला में २४,००० किमी० लंबी सड़कें हैं, जिनमें आधे से अधिक पक्की हैं। १,१३० किमी० लंबी सीमोन बोलिवर (Simon-Bolivar) सड़क कारेकास से कोलंबिया तक जाती है। १,२४० किमी० लंबा रेल मार्ग है, जिसमें से अधिकांश समुद्रतटीय क्षेत्र में है। ओरिनिको तथा उसकी सहायक नदियाँ १०,००० किमी० परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। [च० सिं०]

वेनिस स्थिति : ४५° ३०′ उ० अ० तथा १२° १९′ पू० दे०। इटली का यह नगर संसार के सुंदरतम नगरों में से एक है। यह ऐड्रिऐटिक लहरों की रानी (The Queen City of Adriatic) के नाम से विख्यात है। इस नगर के मकान ठोस धरातल पर नहीं, बल्कि ऐड्रिऐटिक सागर के बालू पर कीचड़ निर्मित छोटे छोटे द्वीपों के समूह पर बने हैं। मकानों की नींव कीचड़ में गहराई तक धँसाए हुए पायों पर रखी जाती है। यहाँ द्वीपों के बीच बहनेवाली नहरें सड़कों का काम करती हैं तथा सवारी गाड़ियों की जगह चौरस पेंदे वाली नावें चलती हैं, जिन्हें गोंडोला (Gondolas) कहते हैं। नहरों के आर पार विविध प्रकार के पत्थर निर्मित पुल हैं। नहरों के किनारे आलीशान अट्टालिकाएँ हैं, जो प्राचीन वेनिस की समृद्धि की यादगार हैं। यद्यपि राजनीतिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से वेनिस का महत्व घट गया है, तथापि दुनिया के सुंदर एवं सुखमय शहरों में यह अब भी अग्रगण्य है।

वेनिस शहर के १२० द्वीप इटली के उत्तर पूर्वी समुद्रतट से लगे एक सुरक्षित झील में स्थित हैं। झील पो तथा पियावे नदियों के मुहानों के बीच में फैली हुई है। लीडो नामक एक बालू की दीवार (sand bar) झील की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। यह बालू का द्वीप वेनिसवासियों के समुद्र-तट-विहारस्थल का काम देता है। वेनिस नगरद्वीप २½ मील लंबे रेल सड़क-पुल पुल द्वारा मुख्य इटली प्रदेश से संबद्ध है।

नगर अंग्रेजी अक्षर एस (S) आकारवाली, ग्रैंड कैनाल नहर द्वारा दो भागों में विभक्त है। ग्रैंड कैनाल के अतिरिक्त लगभग १२० अन्य नहरें हैं। नगर के अनगिनत द्वीप एक दूसरे से लगभग ४०० पुलों द्वारा संबद्ध हैं। पुल ऊँचे पायों पर बने हैं, ताकि उनके अंदर से नावें आ जा सकें। सबसे प्रसिद्ध पुल रियालटो (Rialto) नगर के मध्य में ग्रैंड कैनाल के आर पार है। इन टेढ़ी मेढ़ी नहरों के किनारे मकान हैं। वेनिस की प्रमुख इमारतें पियात्सा ऑव सेंट मार्क (Piazza of St Mark) नामक चौक में हैं।

यद्यपि वेनिस भूमध्यसागर का सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक केंद्र अब नहीं रहा, फिर भी नगर में व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है। मार्घेरा (Marghera) बंदरगाह में माल लादने उतारने की अच्छी सुविधा है। इटली के बंदरगाहों में वेनिस का सातवाँ स्थान है। हर प्रकार के माल वेनिस में आते हैं। वेनिस अपनी परंपरागत वस्तुओं के निर्माण के लिये अब भी विख्यात है। मुरानो द्वीप में सुंदर शीशे बनते हैं। बुरानो द्वीप की औरतें अत्यंत सुंदर हाथ के बने कंठे बनाती हैं। कसीदे का काम, टैपेस्ट्री (tapestry), लकड़ी की खुदाई, तांबे की मूर्तियाँ तथा अन्य कला की वस्तुओं के लिये वेनिस अधिक प्रसिद्ध है। १९०० ई० के बाद से नगर में नौकानिर्माण का उद्योग भी महत्वपूर्ण हो गया है।

वेनिस की जलवायु समशीतोष्ण है। यह पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। नगर का संबंध रेलमार्ग द्वारा मिलान (Milan) तथा बोलोन्या (Bolegna) से है। टारिसिओ (Tarisio) तथा ट्रिएस्ट (Trieste) से लेकर क्रमशः आस्ट्रिया तथा यूगोस्लाविया

भी रेलमार्ग जाते हैं। सांता लुसिया (Santa Lucia) स्टेशन ड कैनाल के पश्चिमी छोर पर है। वेनिस को वायुमार्ग की सुविधा १ मील दूर स्थित ट्रेवीजो (Treviso) हवाई अड्डे से मिलती है। ोडो के उत्तरी सिरे पर बसा सान निकोलो (San Nicolo) हवाई ड्डा भी कुछ अर्थों में उपयोग में आता है। [ज० सि० [

व, सिडनी जेम्स (१८५९–१९४७) फेबियन समाजवादी चारधारा के मुख्य सिद्धांतकार सिडनी जेम्स का जन्म निम्न ध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। माता पिता की आर्थिक स्थिति च्छी तो न थी, फिर भी उन्हें शिक्षा के लिये स्विटजरलैंड और र्मनी भेजा गया। लंदन के विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अध्ययन किया। १९ वर्ष की उम्र में उन्होंने जानपद सेवा में प्रवेश किया, और वहाँ पर १८९१ तक कार्य किया। इसके पश्चात् त्यागपत्र देकर वे फेबियन सोसायटी द्वारा समाजसुधार के कार्य में लग गए। उनके लेख 'फेबियन ऐसेज' में प्रकाशित हुए जिन्हें बीट्रिस पोटर ने पढ़ा और वह इनसे प्रभावित हुई। १८९२ में वेब का विवाह बीट्रिस से हुआ। पोटर का परिवार १९वीं शताब्दी के औद्योगिक विकास से लाभान्वित था। यह बड़े उद्योगपति थे और धनाढ्य भी। इसके कारण बीट्रिस का संपर्क प्रमुख व्यक्तियों से था। १८८७ में वे समाजकार्य में प्रविष्ट हुई थीं और अपने चचेरे भाई के साथ 'लाइफ ऐंड लेबर ऑव दी पीपुल ऑव लंदन' प्रकाशित कर चुकी थी। सिडनी से भेंट के समय वह 'दि कोऑपरेटिव मूवमेंट इन ग्रेट ब्रिटेन' पुस्तक पर कार्य कर रही थीं।

१८९२ में विवाह के पश्चात् उनका लंदनगृह बौद्धिक कार्य और गंभीर सामाजिक चिंतन का केंद्र बना। इसके पश्चात् इन दोनों ने मिलकर कई ग्रंथों की रचना की और स्थानीय सरकार, मजदूर संघ आंदोलन, निर्धन नियम प्रशासन और सहकारी आंदोलन पर निष्पक्ष अनुसंधान द्वारा व्यावहारिक विचार प्रस्तुत किए।

सक्रिय राजनीति और शासन से वेब का संपर्क काफी घनिष्ठ था। वे लंदन काउंटी काउंसिल के १८९२ से १९१० तक सदस्य थे और उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप 'लंदन स्कूल ऑव इकनामिक्स ऐंड पोलिटिकल साइंस' की स्थापना हुई, तथा १९०२ से १९१९ तक उन्होंने इसमें जन प्रशासन के आचार्य का कार्य किया। १९२२ में वे संसद्सदस्य निर्वाचित हुए और १९२४ में मैकडोनल के मंत्रिमंडल में 'बोर्ड ऑव ट्रेड' के सभापति नियुक्त हुए। १९२९ में जब मजदूर दल को पुन: सत्ता प्राप्त हुई तो वे उपनिवेश मंत्री नियुक्त हुए, जिस पद पर उन्होंने १९३१ तक कार्य किया। १९२९ में मैकडानल के जोर देने पर उन्होंने पियरेज (बैरन पास फील्ड) स्वीकार की। १९३१ में उन्होंने जनजीवन से अलग रहकर अपना शेष जीवन लेखन कार्य में लगाया।

१९१३ में उन्होंने 'दी न्यू स्टेट्समैन' की स्थापना की। १९३२ में वे सोवियत संघ गए और वहाँ से लौटने पर १९३५ में अपनी पुस्तक 'सोवियत कम्युनिज्म' प्रकाशित की। १९४३ में बीट्रिस की मृत्यु हुई। उसके चार वर्ष बाद सिडनी की भी जीवनलीला समाप्त हुई। [वि० कि० प०]

वेरिओ, अंतोनिओ (Varrio, Antonio ,१६४०–१७०७) इटली का दरबारी चित्रकार। फ्रांसीसी कला अकादमी से वह लगभग १६७१ ई० में इंग्लैंड आया। विंडसर तथा व्हाइट हाल के राजभवनों में उसे चित्र बनाने का काम दिया गया। बाद में उसने चेटसवर्थ तथा बर्ली में भी चित्र बनाए। १६९९ में वह क्वीन एन की आज्ञा से हैंपटन कोर्ट के लिये चित्र बनाने में संलग्न हुआ।

वेरिओ की चित्रकला अलंकरणप्रधान थी। वह गाढ़े चमकदार रंगों से तड़क भड़कवाले चित्र बनाता था और चित्र के पात्रों की वेशभूषा को खूब अलंकृत कर चित्रित करता था। ऐसे चित्र उस समय इंग्लैंड में नए नए चले थे और साधारण दर्शकों का खूब मनोरंजन करते थे। [रा० च० गु०]

वेरेश्चगिन वासिली वास्सिलीविच (Vereshchagin Vassili Vassilievich, १८४२-१९०४ ई०) रूसी यायावर तथा चित्रकार। १८६१ में जर्मनी, फ्रांस, तथा स्पेन गया। १८६९ में उसने साइबेरिया की यात्रा की। १८७४ में प्रिंस ऑव वेल्स के साथ भारत आया। रूसी तुर्की युद्ध में भाग लिया। यूरोप अमरीका का भ्रमण किया। युद्ध दृश्यों के चित्रांकन में निपुण था। इसके प्रमुख चित्र हैं—विजय के पूर्व, पराजय के पश्चात्, युद्ध का जीवन, घायलों का लौटना, कैदी तथा विस्मृत सिपाही। इसका धार्मिक चित्र है—'ईसा परिवार'। [गु० त्रि०]

वेरोकीओ, आंद्रिया देल (१४३५-१४८८) इटली का सुप्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और स्वर्णशिल्पी। फ्लोरेंस में उत्पन्न हुआ, पर कालांतर में समूचे इटली प्रदेश का इतना वरेण्य कलाकार माना गया कि लियोनार्दो द विंची और लोरेंजो द कुर्दी जैसे कलाकार भी अर्से तक उसके शिष्य एवं सहायक के रूप में कार्य करते रहे। इतिहासकार वेंचेरी ने 'बैप्टिज्म ऑव क्राइस्ट' नामक केवल एक चित्रकृति उसकी मानी है, पर उक्त चित्र में भी संभवतः देवदूतों के रूपाकारों की गढ़न में—उसी के कथनानुसार—लियोनार्दो की सजीव तूली का सस्पर्श विद्यमान है।

मूर्तिशिल्प की दिशा में वेरोकीओ बेजोड़ है। 'डेविड' की कांस्यप्रतिमा के अतिरिक्त फ्लोरेंस स्थित सान लारेंजो के शवागार में उसने जिओवान्नी और पियरो द मेदिचि की कलात्मक कब्रों का निर्माण किया था। १४७४ में पिस्तोआ गिर्जाघर में उसने कार्डिनल की 'मुखी प्रतिमा' बनानी प्रारंभ की, किंतु उसके जीवनकाल में वह पूरी न हो सकी। सा सेपिएजा के कलाकक्ष में वह आज भी सुरक्षित है, और मिट्टी द्वारा निर्मित उसका मूल ढाँचा साउथ केंसिंग्टन में मौजूद है। उसकी सर्वोत्कृष्ट कलाकृति जनरल बर्थोलम्यू की अश्वारोही कांस्यप्रतिमा है जिसके मॉडल के निर्माण में ही उसे पर्याप्त समय लगा था। मृत्यु से पूर्व इस अधूरे कार्य को वह लारेंजो को सौंप गया, पर वेनिस की सीनेट ने एलेंद्रो लियोपार्दी द्वारा इसे संपन्न कराया। विश्व की अश्वारोही प्रतिमा में यह अपना सानी नहीं रखती। अश्व और सवार पकड़े हुए जनरल की भंगिमा में आश्चर्यजनक यथार्थता और सौंदर्य की व्यंजना हुई है। इसके अतिरिक्त वेरोकीओ ने चाँदी के बर्तन और छोटी मूर्तियाँ तथा

रहस्यवादी वातावरण, न ही आधुनिक चित्रकला का सा भयातुर क्रांतिकारी स्वरूप। उसने समकालीन जीवन के उस संतुलित रूप को चित्रित किया है जिसमे शांति और सौंदर्य प्रधान है। चित्र की छोटी से छोटी वस्तु भी रुचि के साथ पूरी रसार्द्रता से चित्रित हुई है। एक भी बिंदु, रेखा, रंग या आकार ऐसा नही जो जरूरत से ज्यादा उभर पड़े। [रा० चं० शु०]

वेलासक्वेज, दिएगो डि सल्वा ई (Velasquez, Diego de Silva y, १५९९-१६८० ई०) स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार जो रूबेंस, रेंब्रां आदि का समकालीन था। बाल्यकाल में उसका पिता उसे चित्रकला का शिक्षण ग्रहण करने के लिये उत्साहित करता रहा। फ्रांसिस्को पाचेको उसके कलागुरु बने। बाद मे पाचेको की लड़की जुवाना द मिरांदा से (सन् १६१८ मे) वेलासक्वेज का विवाह हो गया। उसके यश का सूत्रपात हुआ जब उसकी उम्र थी २४ साल की। वह राजा फिलिप चतुर्थ का व्यक्तिचित्र (पोर्ट्रेट) बनाने के लिये माद्रिद आया। उसने अपने काम से और व्यवहार से राजा पर ऐसा जादू डाला कि उस समय से वह देश का दरबार-नियुक्त एक शक्तिशाली चित्रकार बन गया। सन् १६२८ मे जब रूबेंस नामक ख्यातनामा उत्तरी चित्रकार स्पेन के दरबार मे उपस्थित हुआ तब उसने स्वयं पत्र में लिखा था कि 'राजा फिलिप और वेलासक्वेज मे घनिष्ठ संबंध है और वेलासक्वेज एक प्रतिभासपन्न चित्रकार है।'

सन् १६३० मे वेलासक्वेज ने पहली बार इटली की यात्रा की। उन दिनो वेनिस और रोम अपने कलावैभव के कारण अधिक प्रसिद्ध थे। उसकी यह यात्रा बड़ी ही सफल रही। वेनिस, फ्लारेंस, रोम के मार्ग से वह नेपल्स आ पहुँचा। यहाँ उसने राजा फिलिप की सहोदरा मेरी का व्यक्तिचित्र बनाया।

वेलासक्वेज ने राजा फिलिप के अनेक व्यक्तिचित्र, युवावस्था से लेकर वार्धक्य तक के, बनाए। इन चित्रो में उसकी चित्र विषयक उत्क्रांति पूर्णतया दृष्टिगोचर होती है। उसका एक ऐतिहासिक चित्र सरेंडर ऑव ब्रेडा' (Surrender of Breda) बहुत प्रसिद्ध है। इस चित्र का विषय है, डच सेनापति ब्रेडा शहर की कुंजी स्पेन के उदार वीर स्पिनोला के हाथ सौंप रहे हैं। पार्श्वभूमि में सैनिक, घोड़े, शस्त्रास्त्र आदि का निसर्ग दृश्य, अत्यंत सहृदय हाथों से प्रस्तुत किया गया है। सारा वातावरण जयपराजय के द्वंद्वों के ऊपर उठ गया है; रही है मात्र एक महान् धीरोदात्त मानवता, जिससे पराजित को भी प्रेम की विजय मिलती है।

१६४९ में वेलासक्वेज दूसरी बार इटली की यात्रा करने के लिये निकला। इस यात्रा में फिलिप के संग्रहालयार्थ उसने अनेक इतालवी चित्र खरीदे। इसी यात्रा में उसने पोप दशम इनोसेंट का अद्वितीय चित्र तैयार किया जो अब डोरिया प्रासाद (रोम) का अग्रगण्य चित्र माना जाता है।

१६५१ में माद्रिद लौटने पर कुछ विख्यात चित्रों पर उसने काम किया। अब राजदरबार में उत्तरोत्तर उसका सम्मान बढ़ता गया। सन् १६६० में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी अंत्येष्टि में सारे स्पेन का दरबार पूरी शान शौकत से उपस्थित हुआ था।

वेलासक्वेज की चित्रकारी यूरोपीय कला के इतिहास मे अपना एक विशेष और अटल स्थान रखती है, हालांकि उसकी मृत्यु पश्चात् दो सौ साल तक उसकी विशेष ख्याति नहीं हुई। सारे सारे कलारसिक इटली की ही यात्राएँ किया करते थे और इतालवी चित्रकारों का सर्वत्र गौरवपूर्ण उल्लेख हुआ करता था, परंतु वेलासक्वेज के लिये कोई विशेष चाह दिखाई नही देती थी। गत शताब्दी के मध्य मे माने (Manet), व्हिस्लर आदि चित्रकारों ने जब उसका स्तुतिगान किया तब से उसका नाम फिर से विश्वमान्य हो गया। कलासमीक्षकों ने भी उसकी प्रशंसा मे किताबें लिखी और उसकी कीर्ति फैलाई।

वेलासक्वेज को बरोक (Baroque) कलाप्रथा का चरम उत्कर्ष माना जाता है, कारण, वह क्लासिक प्रथा की तरह सत्य को ध्येय या तत्त्व के साँचे मे ढालना नहीं चाहता। वह सत्य को ज्यों का त्यों निहारता था। उस सत्य को एल ग्रेको या रूबेंस की तरह भावनाओं की आग से तिलमिलाता नहीं था। [दि० को०]

वेलूर (Vellore) नगर, स्थिति : १२° ५७' उ० अ० तथा ७९° १०' पू० दे०। यह नगर मद्रास (तमिलनाडु) राज्य के उत्तर आर्काट (N. Arcot) जिले मे, पलार नदी के किनारे, मद्रास नगर से ८७ मील पश्चिम मे स्थित है। वर्ष भर यहाँ का ताप ऊँचा रहता है और ३० से ५० इंच तक वार्षिक वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। नगर व्यापार का केंद्र है। नगर में पुराना किला है, जिसका कर्नाटक युद्ध के समय बड़ा महत्व था। सन् १७६० में अंग्रेजो ने इस नगर को अपने अधिकार मे ले लिया, पर सन् १७८० से १७८२ तक यह हैदरअली के कब्जे में रहा। श्री रंगपट्टणम के पतन के पश्चात् यह नगर टीपू सुल्तान के पुत्रों का निवासस्थान चुना गया। सन् १८०६ के सिपाही विद्रोह का सूत्रपात भी वेलूर से हुआ था। आर्काट मिशन द्वारा संचालित मेडिकल कालेज एवं अस्पताल हृदय की शल्यचिकित्सा एवं हृदय के रोगो की चिकित्सा के लिये विश्व के इने गिने अस्पतालों मे से एक है। नगर की जनसंख्या १,१२,७६१ (१९६१) है। [अ० मा० मे०]

वेलेजली, लार्ड रिचर्ड कोले वेलेजली का जन्म डबलिन मे २० जून, १७६० ई० को आयरलैंड के एक समृद्ध परिवार मे हुआ। उसकी मृत्यु लंदन मे २६ सितंबर, १८४२ को हुई। रिचर्ड कोले वेलेजली की शिक्षा हैरो तथा ईटन में हुई, और बाद में सन् १७७८ ई० में उसे ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिये भेजा गया। उसे १७८१ ई० मे बिना कोई उपाधि प्राप्त किए ऑक्सफोर्ड छोड़ना पड़ा। उसके पिता की मृत्यु पर उसे मॉर्निंग्टन के द्वितीय अर्ल का स्थान प्राप्त हुआ।

वेलेजली पहले आयरलैंड के 'हाउस ऑव लार्ड्स' का सदस्य बना किंतु अधिक प्रखर बुद्धि का तथा महत्वाकांक्षी होने के कारण वह सन् १७८४ ई० में ब्रिटेन के 'हाउस ऑव कामंस' का भी सदस्य हो गया। सन् १७८६ ई० में वह 'जूनियर लार्ड ऑव द ट्रेजरी' और सन् १७९३ ई० में 'बोर्ड ऑव कंट्रोल का सदस्य हुआ। बोर्ड ऑव कंट्रोल के प्रधान डंडस थे। सन् १७९७ ई० में वेलेजली ब्रिटिश

भारत का गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ, और इस पद को संभालने के लिये वह ९ नवंबर को इंग्लैंड से प्रस्थान करके मई, सन् १७९८ ई० में कलकत्ते पहुँचा।

वेलेजली भारत में विस्तारवादी नीति का समर्थक था। उसका पहला उद्देश्य फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करना और दूसरा अंग्रेजी प्रभुत्व को भारत में स्थापित करना था। अपने उद्देश्य में सफलता पाने के लिये उसने क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्ज के समय से चल रही सहायक-संधि-प्रणाली को प्रोत्साहित तथा विस्तृत किया।

वेलेजली की सहायक-संधि-प्रणाली के अनुसार अंग्रेजों ने अपने मित्रराज्यों को सेना प्रदान की, जो मित्रराज्यों की सीमाओं में रहती थी और जिसका खर्च मित्रराज्यों को ही वहन करना पड़ता था। वे राज्य किसी दूसरे यूरोपीय देशों के लोगों को अपने राज्य में नहीं रख सकते थे, तथा अन्य किसी भारतीय राज्य से कोई संबंध, अंग्रेजों की आज्ञा के बिना, नहीं रख सकते थे। हर आश्रित राज्य के दरबार में एक अंग्रेज रेजीडेंट नियुक्त किया जाता था। संधि की शर्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रणाली मुख्यत अंग्रेजों के लिये ही लाभदायक थी क्योंकि इसके द्वारा उनके प्रभाव का क्षेत्र बिना किसी खर्च के विकसित हो रहा था। यह भारतीय राज्यों में विरोधात्मक प्रवृत्तियों पर कड़ा नियंत्रण रख सकती थी। किंतु यह नीति भारतीय राज्यों के लिये हानिकारक सिद्ध हुई।

वेलेजली ने पहली सहायक संधि निजाम से सितंबर, १७९८ ई० में की। इसके कारण निजाम को फ्रांसीसी रेमंड के नेतृत्व में संगठित किए गए १४,००० सैनिकों के स्थान पर अंग्रेजों की एक बटैलियन हैदराबाद में अपने खर्च पर रखनी पड़ी। बाद में सन् १७९२ ई० और १७९९ ई० में निजाम ने फौज के खर्च के लिये मैसूर से प्राप्त राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया।

टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से सहायक संधि कर ली थी। वेलेजली ने टीपू सुल्तान से उसके फ्रांसीसियों से मित्रता स्थापित करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। चूँकि वह उसके उत्तर से संतुष्ट न था, उसने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और टीपू के आंतरिक विरोधियों की सहायता से उसकी शक्ति समाप्त कर दी (४ मई, १७९९)। अपनी इस नीति से न केवल वेलेजली ने मैसूर में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त किया वरन् एक विस्तृत महत्वपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजी अधिकार प्राप्त कर लिया गया।

अक्तूबर, १७९९ ई० में वेलेजली ने तंजोर पर, उत्तराधिकार के प्रश्न पर होनेवाली गड़बड़ी से लाभ उठाकर, अधिकार कर लिया। इसी वर्ष सूरत के नवाब की मृत्यु पर उसने नए नवाब को धोखा देकर उसके राज्य पर भी अधिकार कर लिया। १८०१ ई० में उसने अवध के नवाब को सहायक संधि करने पर विवश कर [illegible] उसके राज्य की आधी आय, उसके राज्य में अंग्रेजी सेना [illegible] कर ली। २५ जुलाई, १८०१ ई० में कर्नाटक के [illegible] पर अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू सुल्तान से मिले [illegible] उसके राज्य पर अधिकार कर लिया।

[illegible] लिये बहुत उपयुक्त था। पूना में चल रहे मराठों के आंतरिक संघर्ष ने गवर्नर-जनरल को पूरा अवसर प्रदान किया। अक्तूबर, १७९९ ई० में जसवंतराव होल्कर ने पेशवा और सिंधिया दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया जिसके कारण बाजीराव को वहाँ भागना पड़ा तथा अंग्रेजों की सहायता से उसे पुनः पूना प्राप्त हो गया। किंतु मराठा सामंतों ने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप युद्ध छिड़ा। आर्थर वेलेजली को 'असाई' और 'अरगांव' की विजयों से मोंसले राजा की शक्ति [illegible] गई। लेक द्वारा पेरों की सेना को दिल्ली एवं लसवाड़ी में [illegible] दिल्ली पर अधिकार किए जाने से सिंधिया का साहस समाप्त [illegible] गया। परिणामस्वरूप सिंधिया और भोंसला को सहायक [illegible] स्वीकार करनी पड़ी और अंग्रेजों ने भोंसला से कटक अपने अधि[illegible] ले लिया। सिंधिया से गंगा-जमुना दुआब का भाग तथा [illegible] और आगरा अंग्रेजों ने प्राप्त किए। इस प्रकार मुगल [illegible] शाह आलम अंग्रेजों के अधीन हो गया। होल्कर के साथ वेलेजली अपनी नीति में कम सफल हुआ। अप्रैल, १८०४ ई० में जब [illegible] प्रारंभ हुआ तो मॉन्सन को हार खानी पड़ी और लेक भरतपुर [illegible] अधिकार करने में असफल रहा। इन युद्धों पर अपार धनराशि [illegible] करने के कारण वेलेजली की घोर निंदा हुई और उसे १८०५ [illegible] में भारत से वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा।

इंग्लैंड लौटने पर वेलेजली ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर का[illegible] किया। सन् १८०९ ई० में वह स्पेन में राजदूत नियुक्त हुआ तथा १८०९ ई० से १८१२ ई० तक विशेष सचिव के पद पर का[illegible] करता रहा। १८२१ से १८२८ तक वह आयरलैंड में ला[illegible] लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन रहा। उसे लॉर्ड स्ट्रूबर्ड तथा [illegible] में लार्ड चैंबरलेन के पद पर भी कार्य करने का अवसर मि[illegible] किंतु उसके जीवन के महत्वपूर्ण दिन भारत में ही व्यतीत हुए [illegible] उसने भारत पर फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। [illegible] टीपू सुल्तान को पराजित किया तथा मराठों की शक्ति क्षीण [illegible] भारत में अंग्रेजों की सत्ता को शक्तिशाली बनाया। वेलेजली [illegible] सफलता उसकी परिश्रमशीलता, महान् कार्यक्षमता आदि गुणों [illegible] परिणाम थी। इसमें मैलकम, मुनरो, एलफिंस्टन, एवं [illegible] वेलेजली जैसे व्यक्तियों का भी योगदान कम न था। उसके कार्य [illegible] उसके मनचाहे ही भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता [illegible] शक्ति प्रदान की। [illegible]

वेल्ज स्थिति : ५२° ३०′ उ० अ० तथा ३° ३०′ प० दे०। [illegible] ग्रेट ब्रिटेन का एक राज्य है, जिसका क्षेत्रफल ७,४६,८०७ वर्ग मी[illegible] है। यहाँ की जनसंख्या २६,४०,६३२ (१९६१)। इसके उत्त[illegible] तथा पश्चिम की ओर आइरिश सागर, दक्षिण में ब्रिस्टल चैनल [illegible] तथा पूरब की ओर इंग्लैंड का स्थल भाग है। अतः यह वास्तव[illegible] में एक प्रायद्वीप है।

वेल्ज पुराजीवी महाकल्प (Palaeozoic era) की चट्टानों से निर्मित एक पहाड़ी प्रदेश है। गहरी नदी घाटियों द्वारा यह काफी कटा फटा है। उत्तर पश्चिम की तरफ स्नोडन पठार वेल्ज का [illegible] ऊँचा भाग है, जहाँ इंग्लैंड तथा वेल्ज की सबसे ऊँची चोटी स्नोडन

३,५६० फुट) विद्यमान है। पूरे पर्वतीय प्रदेश में वनस्पतिविहीन ढालें हैं। ये ढालें २,००० फुट से ऊपर मृदा अपरदन (soil erosion) के कारण अत्यंत ऊबड़ खाबड़ हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर ढालों की ऊँचाई कम होती गई है। स्नोडन् का इलाका झीलों से भरा है। हिमनदी की घाटियों में स्थित ये झीलें लंबी तथा गहरी हैं। स्नोडन् के उत्तर पूर्व में २,००० फुट ऊँचा पठार है। इसके भी आगे चौड़े पठार के ऊपर, गोलाकार पहाड़ियों की शृंखला मिलती है। इस चंद्राकार पठार के दक्षिण पूर्व तरफ पुराने लाल बलुआ पत्थर एवं कोयले की खानोंवाला प्रदेश मिलता है। कोयला क्षेत्र अंडाकार आकृति का है, जिसका पश्चिमी छोर पतला है। इससे होकर अनेक लंबी, पतली, खड़े किनारोंवाली नदियाँ बहती हैं, जिनके कारण बस्तियों तथा यातायात के मार्गों के निर्माण की कठिन समस्या रहती है। कोयला क्षेत्र के दक्षिण ग्लामोरगन घाटी नामक नीचा पठारी प्रदेश है। वेल्ज का दक्षिणी समुद्रतट कारमारथेन तथा स्वान्सी की खाड़ियों द्वारा कट फट गया है। उत्तरी वेल्ज का समुद्रतट की के मुहाने के पश्चिम में नीचा है। लिन (Lleyn) समुद्रतट चट्टानी है, क्योंकि पहाड़ समुद्र के अंदर घुस गए हैं।

वेल्ज की नदियाँ भीतरी पठारी भाग से निकलकर, चारों तरफ बहती हैं। क्लाइड तथा कॉनवे उत्तर दिशा में बहती हैं। डवारीड, मावडरव, डोवे, रीडल आदि का बहाव पश्चिम की ओर है। दक्षिणवाहिनी नदियों में क्लोडाड, टाफ, टोवी, नीथ इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

यहाँ के पेड़ पौधे ब्रिटेन के अन्य भागों के अनुरूप हैं तथा वनरोपण का काफी विस्तार हुआ है, फलतः कई भागों में कोणधारी वृक्षों की बहुलता बढ़ती जा रही है। वेल्ज के दुर्गम भागों में कुछ विरल पक्षी तथा पशु भी पाए जाते हैं। पोलकैट वेल्ज के सिवा अन्य कहीं नहीं मिलता।

वेल्ज का अधिकांश क्षेत्र ६०० फुट से अधिक ऊँचा है। जलवायु की अनुकूलता के कारण २/३ भाग में घास के मैदान हैं। अतः दुधारू पशुओं का पालन प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ दुधारू पशुओं के पालने का उद्योग तथा दूध का उत्पादन प्रगति कर रहा है। खेती भी यहाँ इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक होती है। द्वितीय महायुद्ध के समय कृषि-पद्धति में हुए आमूल परिवर्तन के फलस्वरूप, यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया, जिससे वेल्ज के अतिरिक्त इंग्लैंड की माँग भी पर्याप्त मात्रा में पूरी होने लगी। यहाँ के कृषिफार्म अपेक्षाकृत छोटे हैं तथापि मशीनों के अधिकाधिक उपयोग से कृषि का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है।

उद्योग के दृष्टिकोण से वेल्ज के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग एक दूसरे से भिन्न हैं। पूरब-पश्चिमी की अपेक्षा उत्तर-दक्षिणी भाग में आवागमन के साधनों के निर्माण में सुविधा होने के कारण, उत्तरी वेल्ज का आर्थिक संपर्क दक्षिणी वेल्ज की अपेक्षा लैंकाशिर तथा मिडलैंड्स से अधिक है। उत्तरी वेल्ज की डी नदी की घाटी में ४० मील लंबी कोयले की खान है, परंतु यह उत्पादन तथा प्रकार में दक्षिणी वेल्ज की खानों से कम महत्वपूर्ण है। कोयले के साथ साथ अग्निसह मिट्टी (fire clay) भी, जो भट्ठों में काम आती है, निकलती है। कारखानों में इस्पात उद्योग उल्लेखनीय है। रुथावन में रासायनिक उद्योग तथा होंलीवेल एवं फ्लीट में कागज तथा नकली रेशम बनाने के कारखाने हैं। वेल्ज उत्तम स्लेट के उत्पादन के लिये भी विश्वविख्यात है, पर द्वितीय महायुद्ध के बाद स्लेट उत्पादन की स्थिति डावाँडोल सी है। बेथेस्डा, लानबेरिस, नॉटल तथा फेस्टीनियाग में स्लेट की खुदाई होती है।

दक्षिणी वेल्ज १८८१ ई० से ही उत्तम प्रकार के कोयले का निर्यात करता है। १९५६ ई० में कोयले का उत्पादन १६,४०,००० टन था। टालबॉट (Talbot), कारडिफ (Cardiff) तथा एब्बेल (Ebbwvale) में इस्पात के भारी सामानों का निर्माण होता है। ताँबा उद्योग पहले स्वान्सी में था, लेकिन उसके ह्रास के पश्चात् लानेल, टालबॉट तथा लाडोर में ताँबे के कारखाने स्थापित हुए हैं।

[ज० सिं०]

वेल्डन धातु के दो या अधिक टुकड़ों को स्थायी रूप से जोड़ देने की क्रिया को वेल्डन कहते हैं। वेल्डन दबाव द्वारा और द्रवण द्वारा किया जाता है। लोहार लोग दो धातुपिंडों को पीटकर जोड़ देते हैं, यह दबाव द्वारा वेल्डन है। दबाव देने के लिये आज अनेक द्रवचालित दाबक बने हैं, जिनका उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। द्रवण द्वारा वेल्डन में दोनों तलों को संपर्क में लाकर गलित अवस्था में कर देते हैं, जो ठंडा होने पर आपस में मिलकर ठोस और स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। गलाने का कार्य विद्युत् आर्क द्वारा संपन्न किया जाता है।

दबाव द्वारा वेल्डन में टक्कर, (Butt), चित्ती (Spot) प्रक्षेपी (Projection) और सीवन (Seam) की विधियाँ मुख्य हैं।

टक्कर विधि — इस विधि में मशीन के एक शिकंजे में एक टुकड़े को पहले स्थिरता से जकड़कर, दूसरे टुकड़े को सरकनेवाले दूसरे शिकंजे में इस प्रकार बाँध देते हैं कि दोनों को निकट लाने पर जोड़ सही सही बैठ जाय। यह दोनों शिकंजे विद्युतरोधी आवरणों द्वारा एक दूसरे से विद्युदरुद्ध रहते हैं और इनमें विद्युत् धारा देने से एक की धारा दूसरे में नहीं जाने पाती। जब सरकनेवाले शिकंजे को धातुपिंड सहित स्थिर शिकंजे की ओर सरकाते हैं, तब इन धातुपिंडों के जुड़नेवाले किनारों का ताप, किनारों के निकट आने पर, विद्युत् धारा के उच्च प्रतिरोध के प्रभाव से एकदम गरम होने के कारण, वेल्डन के ताप तक पहुँच जाता है; फिर किनारों को धीरे धीरे खूब दबा दिया जाता है और विद्युत् धारा बंद कर दी जाती है।

दमक वेल्डन (Flash Welding) — वेल्डन की यह विधि भी टक्कर की वेल्डन विधि के समान ही है, भेद केवल इतना ही है कि दोनों पिंडों को संपर्क में लाने के पहले ही बंद में विद्युत् धारा प्रवाहित कर दी जाती है और पिंडों के निकट आने पर उनके बीच के अंतराल में विद्युत् आर्क के चालू होने से धातुपिंड के किनारे पिघलने लगते हैं। जब धातु के कुछ छोटे उनमें से उबलने लगते हैं, तब धारा को बंद कर यंत्र से ही उन्हें दबाकर जोड़ देते हैं।

चित्ती वेल्डन (Spot Welding) — वेल्डन की यह विधि वहीं अपनाई जाती है जहाँ धातु की चादरों के किनारों को एक पर एक रखकर जोड़ना हो। इसका सिद्धांत भी टक्कर के वेल्डन के समान ही है। इस काम के यंत्र में, वेल्डन करनेवाले किनारों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर, यंत्र में लगे दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रख देते हैं। फिर पैर से एक लीवर को दबाने पर, ऊपर-वाला इलेक्ट्रोड नीचे उतरकर संपीडित वायु की शक्ति से उन प्लेटों को दबा देता है और इलेक्ट्रोडों तथा प्लेटों के संपर्क में आते ही, उनमें विद्युत् धारा प्रवाहित होकर प्लेटों में से होती हुई नीचे के इलेक्ट्रोड में प्रवेश करती है, उस समय प्लेटों का वह भाग, जो उन इलेक्ट्रोडों के संपर्क में आता है, गरम होकर ज्यों ही वेल्डन के ताप पर पहुँचता है, उन इलेक्ट्रोडों का दबाव और बढ़ा दिया जाता है, जिससे वे उस स्थान पर आपस में जुड़ जाते हैं और वहाँ एक चित्ती सी पड़ जाती है।

प्रक्षेपी वेल्डन — वेल्डन की इस विधि के सिद्धांत भी वे ही हैं जो चित्ती वेल्डन के हैं, केवल भेद यही है कि इसमें इलेक्ट्रोड से प्राप्त होनेवाली ऊष्मा एक छोटे से बिंदु पर ही केंद्रित कर दी जाती है। वैसे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल तो काफी बड़ा होता है। ऊष्मा को केंद्रित करने के लिये एक अथवा दोनों प्लेटों में उभार या गड्ढा बना दिया जाता है। इस विधि से विभिन्न मोटाई के प्लेटों को भी आपस में जोड़ा जा सकता है।

सीवन वेल्डन — यह विधि भी सिद्धांत और क्रिया में चित्ती वेल्डन के समान ही है, अंतर यही है कि इलेक्ट्रोड स्थिर स्तंभ के आकार के होने के बदले बेलनाकार घूमते हुए बनाए जाते हैं और जुड़नेवाले प्लेटों को उनके बीच यंत्र से चलाया जाता है तथा उन बेलनों की विद्युत् धारा आंतरायिक रूप (intermittent) से चटका लगाती हुई चलती है। धारा के प्रवाहित होने और रुकने के समय का अनुपात १:१ से लेकर १:१० तक रखा जा सकता है, इस कारण जोड़ ऐसा लगता है मानो डोरे से सी दिया गया हो।

विद्युत् आर्क वेल्डन (Arc Welding)

इस विधि में जोड़ी जानेवाली वस्तुओं की टक्करों को गलाने के लिये एक इलेक्ट्रोड तो वेल्डन की बत्ती के रूप में होता है और दूसरा उन जोड़नेवाले भागों के रूप में होता है तथा इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत् आर्क स्थापित कर, आवश्यक ऊष्मा प्राप्त कर ली जाती है। इस काम के लिये दिष्ट और प्रत्यावर्ती किसी भी धारा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा अधिक सुविधाजनक रहती है।

वेल्डन के इलेक्ट्रोड — इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं: (१) कार्बन के और (२) धातु के। धातु के इलेक्ट्रोड भी तीन प्रकार के होते हैं: (१) नंग, (२) ढंके और (३) लोहे। धातु के इले-क्ट्रोड ही अधिक काम में आते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रोड तो कुछ स्थानिक कार्यों में ही प्रयुक्त होते हैं। जिस [illegible] प्रति इंच से अधिक [illegible] दिया हुआ है, वे [illegible] है। इसी प्रकार ऐलुमिनियम को वेल्डन की [illegible] देती है।

विद्युत् धारा का विभवांतर — यह धातु की बत्तियों के लिए १० से ३० वोल्ट और कार्बन के साथ ८० से १०० वोल्ट तक रखा जाता है। यह आर्क की लंबाई के अनुसार ही घटता बढ़ता रहता है और उसी के अनुपात से गलित धातु का जमाव भी होता है। हाथ से वेल्डन करने के उपकरणों में बहुधा ३० से ३०० ऐंपियर तक की धारा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वचालित यंत्रों में वह १,२०० ऐंपियर तक पहुँच जाता है।

इलेक्ट्रोडों की मोटाई — धातु के इलेक्ट्रोड १/१६ इंच से १/४ इंच व्यास के और १३ इंच से १८ इंच तक लंबे होते हैं तथा कार्बन के इलेक्ट्रोड ५/३२ इंच से १ इंच व्यास के और ११ इंच लंबे होते हैं। विद्युत् धारा का प्रवाह इलेक्ट्रोड के सार की मोटाई के अनुसार ही होना चाहिए।

यदि धारा का प्रवाह हलका होगा, तो इलेक्ट्रोड की धातु झिरियों में प्रवेश नहीं करेगी और वेल्डनवाली सतह भी नहीं गलेगी। यदि प्रवाह बहुत तेज होगा, तो इलेक्ट्रोड की धातु गल जाएगी और जोड़ कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी यही उचित है कि विद्युत् धारा की गति अनुपात से मंद रखने की अपेक्षा कुछ तेज ही रखी जाय। ढंके हुए इलेक्ट्रोडों में अधिक तेज धारा प्रवाहित करने से उसकी गली धातु पर स्लैग नहीं आने पाता, जो उसके रक्षा के लिये अत्यंत उपयोगी है। बहुत हलकी धारा के कारण जो स्लैग उत्पन्न होता है, वह बहुत श्यान प्रकृति का होता है। इस स्लैग का गली धातु के भीतर ही कैद हो जाने का डर रहता है। नंगे इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करने से, उसकी धातु गलकर बड़ी बड़ी बूँदों के रूप में जोड़ने की जगह पर जम जाती है, जिससे विद्युत् आर्क लघुपथन (short circuit) करने लगता है। ढंके इलेक्ट्रोडों से छोटी बूँदें निकलती हैं, धारा एकरस चलती है और लघुपथन नहीं होता।

वेल्डन की विधि — वेल्डन किए जाने वाली तल की रेखा से इलेक्ट्रोड को ६० से ७५ अंश के कोण तक झुका हुआ रखना चाहिए। अपने सिर के ऊपर (overhead) के जोड़ों को करते समय बत्ती का कोण ६० से ९० अंश तक रखा जाता है।

जोड़ों को तैयार करना — वेल्डन के पहले जोड़ों को तैयार करना बड़े ही महत्व की बात है और इसी पर वेल्डन की सफलता निर्भर करती है।

१८ गेज अथवा उससे कम मोटाई की चादरों के वेल्डनवाले किनारों को मोड़ा मोड़ दिया जाता है, जिससे उनके वेल्डन के समय बत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे मोटे, अर्थात् ३/१६ इंच से १/४ इंच तक मोटाई के, प्लेटों में भी कोई खाँचा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इनसे अधिक मोटे प्लेटों के आगे आने वाले किनारों पर चित्र १. की आकृति क से च तक दिखाए अनुसार V आकार का खाँचा, आधा आधा दोनों भागों में काटकर, तैयार करना चाहिए। कुछ लोग U आकार का खाँचा काटना भी पसंद करते हैं। आकृति च में दोनों तरफ खाँचा काटा गया है। खाँचे के कोण [illegible] ६०° से ९०° तक बनाया जाता है। इस विधि में [illegible] और बाँये हाथ का वेल्डन करने का रिवाज है।

हरे कोण के साथ सीधे हाथ के वेल्डन में सुविधा रहती है और एँ हाथ की झाल लगाने के लिये चौड़े कोण की आवश्यकता होती । दाएँ और बाएँ का भेद समझने के लिये देखें गैस द्वारा वेल्डन । त्र १. की आकृति क से घ तक खाँचा बनाते समय दोनों प्लेटों के च कुछ फासला स्वतः रह जाता है, जो बड़े महत्व की चीज है । अधिक सला रखने से गली हुई धातु नीचे गिर जाती है तो फिर वेल्डन रना कठिन हो जाता है, और कम फासला छोड़ने से प्लेटों की जड़ क धातु नहीं पहुँचने पाती । अतः पतले प्लेटों में तो फासला लगभग /१६ इंच चौड़ा और ३ इंच मोटाई तक के प्लेटों में उसे क्रमशः बढ़ाते ए ३/१६ इंच तक कर दिया जाता है । समकोण पर रखकर झाले नेवाले प्लेटों को घाई (फिलेट) का जोड़ कहते हैं, जो चित्र १. की से घ तक की आकृतियों में दिखाया गया है । ऊपर नीचे रखकर ोड़े जानेवाले प्लेटों की भी घाइयाँ झाली जाती हैं, जैसा चित्र १ के और ङ में दिखाया गया है, इनके लिये किसी प्रकार का खाँचा टना आवश्यक नहीं है । आकृति घ और ज में एकहरी पट्टी का जोड़ और झ में दोहरी पट्टी का, जिसे 'बट' जोड़ भी कहते हैं । वेल्डन

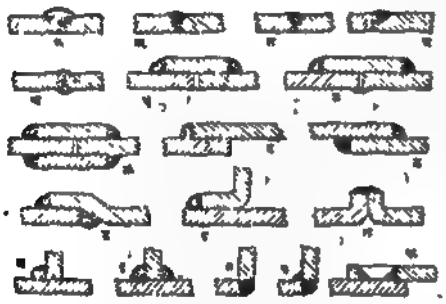

चित्र १.

करते समय पतले प्लेटों में, जिनकी मोटाई लगभग ३/१६ इंच होती है, तो झलाई के एक दौरे (run) से भी काम चल जाता है । अधिक मोटी चीजों के वेल्डन में सीधी और उलटी कई परत लगानी होती हैं जिससे उनका खाँचा पूरा भर जाय ।

कुट्टित वेल्डन (Forge Welding)

इस्पात अथवा लोहे के दो टुकड़ों को खूब सफेद गरम कर, पीटने की क्रिया द्वारा जोड़ने को कुट्टित वेल्डन या चटका लगाना कहते हैं । प्रत्येक धातु को खूब तपाने से वह ठोस से द्रव रूप में बदलने लगती है लेकिन पिटवाँ लोहा अथवा मुलायम इस्पात में एकदम ऐसा नहीं होता । सफेद चमकते हुए गरम होने पर वे बहुत मुलायम और चिपचिपे हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में यदि दो टुकड़ों को पास पास सटाकर दबाव के साथ मिला दिया जाय, तो वे जुड़कर एक हो जाते हैं । यह ताप ८१५° से ८७०° सें० तक होता है । इससे कम ताप पर गरम कर टुकड़ों को कितना ही पीटकर जोड़ने की चेष्टा की जाय, वे कभी नहीं जुड़ेंगे और उन्हें उपर्युक्त ताप से अधिक ताप पर गरम करने से उनकी धातु जलकर बेकार हो जाएगी । पिटवाँ लोह को अधिक गरम करने से उसमें से बारीक बारीक सफेद चिनगारियाँ स्वतः ही निकलने लगती हैं । मुलायम इस्पात में कुट्टित वेल्डन योग्य ताप कुछ नीचा होता है और वह उस समय आता है, जब उसका लाल रंग सफेद में बदलने लगता है । मजबूत और उत्तम जोड़ लगाने के लिये जोड़े जानेवाले तलों को भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार की अशुद्धियों से, जैसे लोह ऑक्साइड की पपड़ी या भट्ठी की राख, रहित कर देना चाहिए । अशुद्धियों को छुड़ाने के लिये तलों पर सुहागा और दानेदार शुद्ध बालू छिड़क दी जाती है, जो उपर्युक्त ताप पर गलकर उन तलों पर जमनेवाली ऑक्साइड की पपड़ी और राख को गलाकर दूर करती है और बाद में ऑक्साइड जमने भी नहीं देती । सुहागा और बालू छिड़कने का समय वह होता है, जब लोहा पीला दिखाई देने लगे । गलकर बालू का जो स्लैग बन जाता है, वह पीटते समय छिटककर बाहर आ जाता है । जोड़ने के उद्देश्य से दो टुकड़ों को आपस में मिलाकर चोट मारने की क्रिया जोड़ के मध्य भाग से आरंभ करनी चाहिए । कठिन किस्म के इस्पातों के लिये कुट्टित वेल्डन का ताप इतना ऊँचा नहीं होता कि उसपर बालू छिड़कने से वह गल सके, अतः शुद्ध सुहागा अथवा चार भाग सुहागा और एक भाग सोडाबर के मिश्रण की लाग बनाकर छिड़की जाती है ।

कुट्टित वेल्डन के जोड़ — पिटवाँ लोहा और मुलायम इस्पात के टुकड़ों को सीधा जोड़ लगाने के लिये बहुधा तीन प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है जिन्हें क्रमशः टक्कर का जोड़, ऊपर नीचे का जोड़, जिसे लप्पा लगाना भी कहते हैं, और चिरवाँ जोड़ कहते हैं । चित्र २. में इनकी आकृति क्रमशः क, ख और ग में दिखाई गई है ।

टक्कर का जोड़ — यह जोड़ वस्तु की लंबाई की दिशा से समकोण पर बनाया जाता है । ठंडी हालत में ही सही सही जोड़ बनाकर फिर वेल्डनवाली वस्तुओं को सफेद गरम कर उन्हें आपस में दबाते हुए चोटें मारते हैं, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि हाथ से दबाने पर पूरा दबाव न पड़ने के कारण गरम तल एकदम एक दूसरे से नहीं मिलते जिस कारण जोड़ कच्चा रहकर बाद में टूट जाता है, अतः अच्छे कारखानों में एक विशेष प्रकार के यंत्र में वस्तुओं को दबाकर वहीं यंत्र के साथ लगी निहाई पर रखकर चोटें मारते हैं ।

लप्पे का जोड़ — इस जोड़ को बनाने के लिये ठंडी हालत में किसी प्रकार की तैयारी नहीं करनी पड़ती । लेकिन यह जोड़ चित्र २. की आकृति ख में दिखाए अनुसार मोटा रह जाता है और जहाँ एक टुकड़े का मोटा किनारा दूसरे में घुसता है, वहाँ दरार रह जाती है, अतः जोड़ मिलाने के पहले प्रत्येक टुकड़े के सिरे को अलहदा से तपा और पीटकर काफी पतला कर लिया जाता है, जैसा चित्र २. की आकृति ख और झ में दिखाया गया है । इन जोड़ों को बनाने की तैयारी में खास बात यह है कि उन दोनों टक्करों की आकृति ऐसी बनाई जाय कि इनके तेज गरम होने की हालत में उनपर बननेवाला स्लैग संपर्क के कारण दबते ही स्वतः बाहर की तरफ आसानी से निकल जाय,

अतः दोनों सिरों को थोड़ा थोड़ा ठाँस कर उन्हें कुछ उत्तोदर आकृति में दी जाती है (चित्र १. घ)। ऐसी आकृति बनाने के लिये विशेष प्रकार के ठस्सों का भी प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार के सिरे चित्र २ की आकृति च मे दिखाए गए हैं, वे बिलकुल गलत हैं, क्योंकि जोड़ के बीच में जहाँ टक्करें आपस मे मिलेंगी एक गुहा बन जायगी, जिसमे से स्लैग बाहर नही निकल सकेगा, अतः दोनों टक्करों को आपस में मिलाते समय किनारा सबसे पहले जुड़ेगा, फलत जोड़ कमजोर रहेगा। गोल छड़ों को जोड़ने के लिये सिरे बनाने की आकृति चित्र २. के छ में दिखाई गई है।

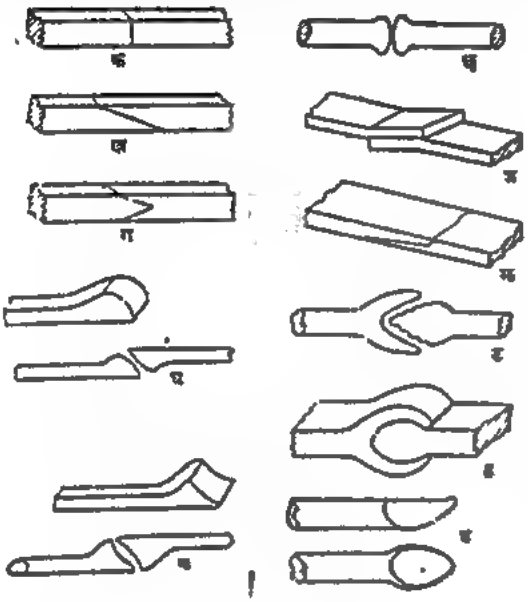

चित्र २.

यही विधि प्रायः जंजीरों की कड़ियों के मुँह जोड़ने के लिये अधिक उपयुक्त रहती है।

चिरवाँ जोड़ — यह जोड़ बहुत भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिये बनाया जाता है। ऐसा साधारण जोड़ तो चित्र २. की आकृति ग में दिखाया गया है लेकिन विशेष भारी वस्तुओं के उपयुक्त जोड़ चित्र २. की आकृति ट और ठ में दिखाया गया है। इस जोड़ में घर्षण से आनेवाली सतह तो अधिक होती ही है, बल्कि चिरे हुए द्विभाजित भाग की नोकें, कमीनुमा दूसरे भाग की बोलाई के पीछे मुड़कर उसे मजबूती से पकड़ लेती हैं और फिर बार में पीटकर पतला करने पर एक भाग की धातु दूसरे भाग में प्रविष्ट होकर एकजान हो जाती है। दूसरे टुकड़े के कमीनुमा भाग को बनाते समय उसे चिकना न बनाकर सीढ़ीनुमा दाँतेदार बनाकर मुरहरा कर देना चाहिए।

विशेष प्रकार के जोड़ — चित्र ३. में विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिये विकार दर्शाए गए हैं। चित्र ३. की आकृति क में कीलीनुमा जोड़, ख में विस्तृत जोड़, ग में कोने का जोड़ और घ में [illegible] के उपयुक्त विस्तृत जोड़ बनाने की विधि दिखाई गई है। [illegible] और जहाजों के बड़े बड़े व्यास के पुरों को, जिन्हें शक्ति पारेषण

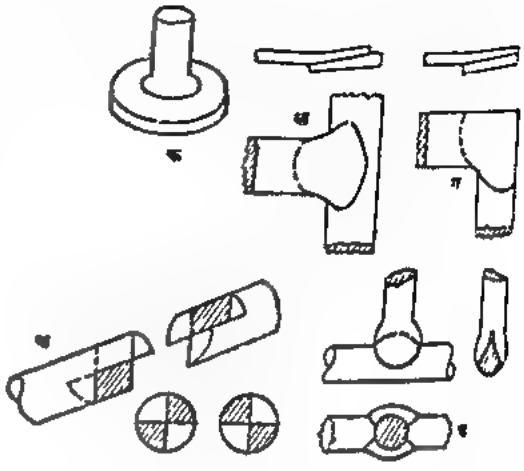

चित्र ३.

के काम मे लाने से उनपर मरोड़ बल भी पड़ता है, जोड़ना अभीष्ट होता है, तब उन्हें चित्र ३. की आकृति च में दिखाए अनुसार ठप्पा ही चीरकर और फिर गरम कर आपस में बैठा दिया जाता है।

गैस वेल्डन (Gas Welding)

गैसों की सहायता से वेल्डन की क्रिया एक सी होती है लेकिन उनका विभाजन उपयोग में आनेवाली गैस के अनुसार किया जाता है। ये गैसें बहुधा ऑक्सीजन और ऐसीटिलीन का मिश्रण, कोल गैस और हाइड्रोजन आदि हुआ करती हैं। इनमें से ऑक्सी-ऐसीटिलीन वेल्डन सबसे अधिक प्रचलित है। वेल्डन-उपयोगी गैसें तैयार करनेवाली व्यापारिक कंपनियाँ इस्पात के मजबूत सिलिंडरों (cylinders) में गैस को कई वायुमंडलों के दबाव पर भरकर वेल्डन के लिये बेचा करती हैं। वेल्डन के बड़े कारखानों में निजी गैस जनित्रों द्वारा कैल्सियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से यह गैस कम दाब पर तैयार की जाती है। ऐसीटिलीन को ऐसीटोन में घुला देने से उसके विस्फोटन का डर नहीं रहता।

चाहे किसी भी प्रकार की गैस का व्यवहार किया जाय, वेल्डन के लिये उसे किसी प्रकार की फुंकनी (blowpipe) के द्वारा ही वेल्डन के स्थान पर पहुँचाया जाता है, जिनमें लगे एक वाल्व की सहायता से गैस के बहाव पर नियंत्रण कर उचित आकार की लौ बना ली जाती है। चित्र ४. की आकृति क में फुंकनी के मुँह पर लगनेवाली एक घुण्डी की बनावट दिखाई गई है और ख में लौ की आकृति है। लौ को छोटी, बड़ी, पतली या मोटी बनाने के लिये विभिन्न आकार के जेट फुंकनी पर अदल बदलकर लगाए जाते हैं। जेट की मात्रा अर्थात् उसकी शक्ति प्रति घंटा गैस के खर्च के अनुसार निर्धारित की जाती है। सबसे छोटे जेट द्वारा एक घंटे में एक घन फुट और सबसे बड़े जेट द्वारा लगभग २०० घन फुट गैस खर्च हो जाती है तथा फुंकनी में गैस की दाब २ से ८ पाउंड प्रति वर्ग इंच तक रखी जाती है। प्रयोग करते समय ऐसीटिलीन गैस को पहले सोखकर

मुँह पर उसे जला दिया जाता है, फिर ऑक्सीजन के सिलिंडर को धीरे धीरे इतना खोला जाता है कि जिससे उचित प्रकार की लौ बन जाय।

जलनेवाली गैस के मिश्रण में अधिक ऐसीटिलीन होने से उसकी कार्बुरीकर (carburising) होकर कुछ मोटी पड़ जाती है।

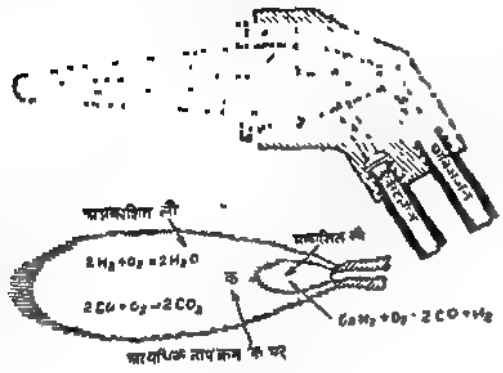

चित्र ४.

लेकिन वह आरंभ से अंत तक एक सी तेज चमकदार बनी रहती है यदि मिश्रण में ऑक्सीजन की अधिकता हो, तो लौ ऑक्सीकारक (oxidising) प्रभाव से युक्त हो जाती है और उसका मुंह सदा चमकदार हो जाता है, लेकिन दोनों प्रकार की गैसों की मात्रा उचित समायोजन कर देने से जो लौ बनती है उसके मुंह का चमकदार भाग छोटा और स्पष्ट आकृतियुक्त होता है और उसी की नोक पर सबसे अधिक ताप होता है, जैसा चित्र ४. में दिखाया गया है। अतः झाल लगाते समय धातु को गलाने के लिये लौ को धातु के सतह से लगभग १/८ इंच से १/१६ इंच तक दूर रखा जाता है।

वेल्डन — वेल्डन करते समय वेल्डन की जानेवाली वस्तुओं के टुकड़ों को मिलाकर, ऊपर से गैस की लौ द्वारा उनको जोड़ कर गला दिया जाता है जिससे दोनों पृथक् भागों की धातुएँ आपस में गलकर मिल जाती हैं और साथ ही साथ उसी प्रकार की कुछ फालतू धातु, जो पतली बत्तियों के रूप में होती है तथा जिसे पूरक (फिलर) या बत्ती भी कहते हैं, गलाकर भर दी जाती है और जब उसके ठंडा हो जाने पर ठोस संधि बन जाती है।

फुँकनी को चलाने की दो तरकीबें होती हैं, एक तो बाएँ हाथ की और दूसरी दाहिने हाथ की। बाएँ हाथ की क्रिया में वेल्डन का काम दाहिनी ओर से बाईं ओर को बढ़ता है जिससे लौ बिना झुके हुए आगे की तरफ झुकी रहती है और फुँकनी को दाहिने हाथ से थामकर बत्ती को बाएँ हाथ से थामा जाता है। वेल्डन करते समय फुँकनी वेल्डन की जानेवाली वस्तु से ६० से ७० अंश का कोण और धातु की बत्ती १० से ४० अंश का कोण बनाती है। दाहिने हाथ की क्रिया में लौ का मुँह झुके हुए आगे की ओर झुका रहता है और झलाई [illegible] क्रिया बाईं ओर से दाहिनी ओर [illegible] है। बाएँ [illegible] करते समय [illegible] चलाना [illegible] दाहिने हाथ के वेल्डन में फुँकनी को बहुत ही कम या बिलकुल ही नहीं लहराया जाता, लेकिन बत्ती को गोल छल्लों के आकार में घुमाते हुए चलाया जाता है।

वेल्डन की बत्ती — बत्ती का व्यास वेल्ड की जानेवाली वस्तु की मोटाई और फुँकनी की नाप के अनुपात से होना चाहिए। पतली बत्ती स्वयं तो जल्दी गल जायगी और वेल्डित किया जानेवाला जोड़ गरम होकर गलित अवस्था में आने भी नहीं पाएगा। यदि बत्ती अधिक मोटी होगी, तो वह स्वयं देर से गलेगी और वस्तु के पहले से गले [illegible] भागों को जल्दी से ठंडा कर देगी। बत्ती की मोटाई और प्लेट की नाप का सही अनुमान लगाने के लिये निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है जिनमें व बत्ती का व्यास है और म बत्ती की मोटाई इंचों में है, तथा श फुँकनी का शक्तिसूचक अंक है, जो प्रति घंटा ऐसीटिलीन के खर्च के अनुसार निश्चित किया जाता है :

$व = \frac{1}{2} म + \frac{1}{16}$ इंच (एक मारे हुए प्लेटों के लिये)।

$व = \frac{1}{2} म$ (बिना एक मारे हुए प्लेटों के लिये)।

$श = ६० म + ८$

दोहरी लौ की फुँकनी — इस प्रकार की फुँकनी का रिवाज आजकल बढ़ता जा रहा है। इसमें दो लौ एक साथ निकलती है, आगेवाली लौ तो धातु को अगाऊ गरम करने का काम करती है, जिसमें थोड़ी अधिक ऐसीटिलीन खर्च हो जाती है लेकिन लाभ यह होता है कि वह कार्बुरीकर होकर प्लेटों को ऑक्सीकरण होने से बचा लेती है, क्योंकि उस समय प्लेटों में कार्बन का अवशोषण हो जाने से उनका द्रवणांक घट जाता है और पिछली छोटी लौ वहाँ पहुँचते ही सरलता से अपना काम कर लेती है। इस प्रकार की लौ से वेल्डित किए जानेवाले भागों में सिकुड़न और ऐंठन के दोषों का भी परिहार हो जाता है तथा वेल्डन का काम भी शीघ्रता से होता है। [ओं० ना० ग०]

वेस्ट इंडीज उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका के मध्य १,००० मील में फैला हुआ द्वीपसमूह है। इसका दूसरा नाम ऐंटिलिज है। ये द्वीप पश्चिम में युकटैन तथा फ्लोरिडा प्राय द्वीपों से लेकर वृत्ताकार रूप में दक्षिण की ओर वेनिजुएला तक विस्तृत हैं। बहामा को छोड़कर शेष द्वीप दो भागों में विभक्त हैं : (१) बृहद् ऐंटिलिज तथा (२) लघु ऐंटिलिज। बृहद् ऐंटिलिज के अंतर्गत क्यूबा, जमैका, हिस्पैन्योला (जिसके अंतर्गत हैटि तथा डोमिनिकन गणतंत्र हैं) तथा प्वेर्टो रीको द्वीप सम्मिलित हैं तथा लघु ऐंटिलिज के अंतर्गत बारबेडोज, ट्रिनिडैड एवं टोबेगो द्वीप आते हैं (देखें क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन गणतंत्र, प्वेर्टो रीको, बारबेडोज, ट्रिनिडैड)। सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा है जिसका क्षेत्रफल ४४,२१८ वर्ग मील है। संपूर्ण द्वीपसमूह का क्षेत्रफल ९१,००० वर्ग मील है।

वेस्टइंडीज के द्वीपों के प्राकृतिक स्वरूप, आर्थिक विकास तथा निवासियों की रहन सहन एवं भाषा में बड़ी विभिन्नता है।

वेस्टइंडीज के द्वीप संभवतः जलमग्न पर्वतशृंखला के अवशेष चिह्न हैं। यह शृंखला हौंडुरैस तथा कोलंबिया होकर गई है। इसकी कई शाखाएँ हिस्पैन्योला से जमैका तक दिखाई पड़ती हैं

वृहत् ऐंटिलिज की बाहरी चट्टानें परतदार चट्टानों की बनी हैं। लघु ऐंटिलिज का भीतरी भाग ज्वालामुखी निर्गत चट्टानों से बना है। ट्रिनिडैड की संरचना दक्षिणी अमरीका से मिलती जुलती है। वेस्ट-इंडीज में पाई जानेवाली सबसे पुरानी चट्टान क्रिटेशियस युग की है जिससे यह पता चलता है कि उस समय ये द्वीप एक विस्तृत भूखंड से मिले हुए थे। बाद में इओसीन (Eocine) तथा ऑलिगोसीन (Oligocene) युग में एक भारी अवतलन (subsidence) हुआ जिससे वृहत् ऐंटिलिज पूर्णरूपेण जलमग्न हो गया। तदनंतर ऑलिगोसीन युग के मध्य में एक प्रबल प्रोत्थान (upheaval) हुआ और साथ ही साथ मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ जिससे वृहत् ऐंटिलिज के द्वीप धरातल से ऊपर उठ गए तथा शृंखलाबद्ध हो गए। इसके बाद कई हल्के अवतलन एवं प्रोत्थान की प्रक्रिया के फलस्वरूप धरातल का वर्तमान स्वरूप बना। लघु ऐंटिलिज में ट्रिनिडैड एवं बारबेडोज के अलावा अन्य कहीं गहरे समुद्र के जमाव के चिह्न नहीं मिलते। कतिपय द्वीपों में ज्वालामुखी के अवशेष मिलते हैं। ज्वालामुखी हलचलें तृतीयक (tertiary) काल से होती रही हैं। सामान्यतः द्वीपों में अधिक उच्चावच है। सबसे ऊँचा स्थान हिस्पैन्योला में स्थित पिकोद्रुजिलो है जिसकी ऊँचाई १०,४१९ फुट है। जमैका के ब्लू माउंटेन की ऊँचाई ७,४०२ फुट है। ४,००० फुट से अधिक ऊँचाई के क्षेत्र ग्रेटर रीको तथा अन्य कई द्वीपों में मिलते हैं। अधिकतर द्वीपों में एक मध्यवर्ती पर्वतशृंखला मिलती है जिससे निकलकर पहाड़ों की लंबी शाखाएँ समुद्रतट तक पहुँचती हैं। इन शाखाओं के बीच गहरी घाटियाँ मिलती हैं। नदियाँ छोटी एवं तीव्र-वाहिनी हैं तथा मैदान केवल समुद्रतट तक ही सीमित हैं। क्यूबा ही ऐसा द्वीप है, जहाँ विस्तृत समतल नीची भूमि मिलती है। वहाँ सिंदरा माइस्त्रा पर्वत पूर्वी छोर पर है और कहीं भी अवरोधक नहीं बनता। बारबेडोज तथा ऐंटीग्वा मूँगे के बने हैं तथा नीची धरातल-वाले हैं। बहामा तथा ऐंगुइला समुद्रतट से नाममात्र ऊँचे हैं।

यहाँ समुद्रतटीय झीलें तथा दलदल अधिकतर पाए जाते हैं। मूँगे के पर्वतों के कारण भी समुद्रतट अधिक टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। प्राकृतिक बंदरगाह बहुत हैं जिनमें हवाना तथा सेंट जार्ज उल्लेखनीय हैं।

[ज० सिं०]

वेस्ट बेंजामिन (West Benjamin, १७३८-१८२०) अमरीकन ऐतिहासिक विषयों का चित्रकार। न्यूयार्क से इटली होते हुए रोम आया और वहीं बस गया। १७९२ में रायल अकादमी का सभापति बना। 'ईसा द्वारा रोगी की परिचर्या', 'जूनीफिकेशन आदि इसके सुप्रसिद्ध चित्र हैं।

[गु० त्रि०]

वेस्ट लैंड (Waste Land) सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, टी० एस० इलियट की प्रमुख काव्यरचना। इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, यद्यपि इसमें कुल ४३३ पंक्तियाँ हैं। यह बहुत तीव्र और गहरी संवेदना से लिखा हुआ काव्यग्रंथ है।

इसका प्रकाशन सन् १९२२ में हुआ। यह प्रथम महासमर के बाद का काल था। इलियट इस काव्य में बंजर धरती का वर्णन करते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं उगता। न वहाँ जल है, न छाया। वे रोमन कैथलिक विश्वासों के कवि हैं। जिस बंजर भूमि का वे वर्णन करते हैं, वह आस्था और विश्वासों से रहित भूमि है। महायुद्ध के बाद संपूर्ण देश ही वीरान और उजड़ा लगता था।

'वेस्ट लैंड' एक नई शैली की कविता है। इसमें अनेक सूत्र एक साथ जुड़े हैं और वे उलझा दिए गए हैं। अनेक पंक्तियाँ पूरे साहित्य की प्रतिध्वनियाँ जगाती हैं। कहीं विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, कहीं विचित्र उपमाएँ हैं। कहीं अतीत का वर्णन है, तो वर्तमान का। कहीं यथार्थवादी चित्र हैं, कहीं रोमैंटिक चित्र।

'वेस्ट लैंड' में आधुनिक यूरोपीय जीवन की गहरी पीड़ा व्यक्त हुई है। इसका स्वर दुःखांत काव्य का स्वर है। शैली और टेकनीक की दृष्टि से इस रचना का अंग्रेजी काव्य के विकास पर भारी प्रभाव पड़ा है। (दे० इलियट, टी० एस०)

[प्र० च० गु०]

वेस्पूचि आमेरीगो (Vespucci, Amerigo, १४५४-१५१२ ई०) इतालवी नाविक तथा सौदागर थे। इनके पैतृक नाम अमेरीगो पर अमरीका महाद्वीप का वर्तमान नाम पड़ा, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने इसे नई दुनिया के रूप में पहचाना। वेस्पूचि अमेरीगो का जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपने जमाने में ये अंतर्देशीय यात्रा की गणना में सबसे कुशल व्यक्ति थे। फ्लोरेंस में मेडिसी (Medici) के व्यापारिक कार्यालय में लिपिक का कार्य करने के काल में इनकी अभिरुचि भूगोल के अध्ययन तथा ग्लोब, रेखाचित्र, एवं मानचित्रों के संग्रह में लगी और क्रमशः ये कुशल मानचित्रकार भी बन गए। १४८९ ई० तथा १४९१ ई० के बीच ये मेडिसी के प्रतिनिधि स्वरूप किसी महत्वपूर्ण कार्यवश बारसेलोना भेजे गए। १४९३ ई० में इनका संबंध जानेत्तो बेरार्दी (Giannetto Berardi) के सेविल स्थित व्यापारगृह से हो गया। बेरार्दी स्पेन के राजा के अधीन था। सेविल स्थित व्यापारगृह अटलांटिक महासागर के आरपार अभियान करनेवाले पोतों के निर्माण का ठेका लेता था। जानेत्तो की मृत्यु के पश्चात् उसके काम को वेस्पूचि ने संभाला और इस प्रकार संभवतः कोलंबस की दूसरी समुद्री यात्रा के लिये पोतनिर्माण में वेस्पूचि ने हाथ बटाया।

वेस्पूचि की समुद्रयात्राएँ १४९७-१५०५ ई० की अवधि में हुईं। मई, १४९९ ई० तथा जून, १५०० ई० के बीच स्पेन के अभियान में वेस्पूचि ने नाविक की हैसियत से भाग लिया। इस यात्रा में एमाजान का मुहाना, ओरिनोको का मुहाना आदि का पता लगा। वेस्पूचि ने समझा कि वे सुदूर पूर्व एशिया प्रायद्वीप का चक्कर लगा रहे हैं तथा इसके आगे एशिया के समुद्र मिलेंगे। १६ मई, १५०१ ई० को सिलोन तथा हिंदमहासागर में पहुँचने के विचार से पुर्तगाल सरकार के तत्वावधान में इनका दूसरा अभियान हुआ। इसमें वे ब्राजिल तट से होकर पैटागोनिया तट के आगे सान सूलिना (San Sulina) की खाड़ी के आसपास तक गए।

भौगोलिक अन्वेषणों के इतिहास में इस यात्रा का बड़ा महत्व है। इसके बाद वेस्पूचि तथा अन्य विद्वानों को इस बात का विश्वास हो गया कि उपर्युक्त भाग एशिया के नहीं वरन् नई दुनिया के हिस्से थे। १५०८ ई० में वेस्पूचि स्पेन के प्रमुख नाविक नियुक्त हुए। साथ ही साथ नए खोजे गए देशों एवं उन तक पहुँचने

स्तों के नक्शे बनाने एवं विभिन्न पोत कप्तानों द्वारा प्रेषित ड़ों की तुलना एवं व्याख्या करने का काम भी इन्होंने सँभाला। कार्य में अपने मृत्यु काल तक करते रहे। [ज० सिं०]

ुवर १. नगर, स्थिति : ४९° २०' उ० अ० तथा १२३° १०' दे०। कैनाडा का यह नगर गेहूँ की विश्वविख्यात मंडी है। नगर एवं बंदरगाह कैनाडा के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित है। ी आवागमन के साधन बहुत अच्छे हैं। यह नगर रेल द्वारा वन में ऐलबर्नि एवं दक्षिण में प्रादेशिक राजधानी विक्टोरिया मिला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या लगभग ७,९०,१६५ ९६१) है।

२. नगर, स्थिति : ४५° ४०' उ० अ० तथा ११२° ३५' प० । यह संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिण पश्चिमी वाशिंगटन में लंबिया नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। कोलंबिया नदी सबसे बड़ा बंदरगाह होने के कारण यह नगर व्यापार का ्र है। यहाँ अनाज और कागज की लुग्दी का व्यापार होता है। ह सेना का स्थायी केंद्र है नगर की जनसंख्या लगभग ४१,६६४ १९५०) है। [नि० को०]

वैक्सीन और वैक्सीन चिकित्सा (Vaccine and Vaccination) शरीर की विभिन्न रक्षाशक्तियों को भेदकर परजीवी रोगकारी जीवाणु अथवा विषाणु शरीर में प्रवेश कर पनपते हैं और जीवविष (toxin) उत्पन्न कर अपने परपोषी के शरीर में रोग उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इनके फलस्वरूप शरीर की कोशिकाएँ भी जीवविष तथा उसके उत्पादक सूक्ष्म कीटाणुओं की आक्रामक प्रगति के विरोध में स्वाभाविक प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिजीवविष (antitoxin), प्रतिरक्षी (antibody) अथवा प्रतिरक्षित पिंड (immune body) उत्पन्न करती हैं। कीटाणुओं के जीवविषनाशक प्रतिरक्षी के विकास में कई दिन लग जाते हैं। यदि रोग से तुरंत मृत्यु नहीं होती और प्रतिरक्षी के निर्माण के लिये यथेष्ट अवसर मिल जाता है, तो रोगकारी जीवाणुओं की आक्रामक शक्ति का ह्रास होने लगता है और रोग शमन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जिस जीवाणु के प्रतिरोध के लिये प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं वे उसी जीवाणु पर अपना घातक प्रभाव डालते हैं। मात्र ज्वर (typhoid fever) के जीवाणु के प्रतिरोधी प्रतिरक्षी प्रवाहिका (dysentery) अथवा विषूचिका (cholera) के जीवाणुओं के लिये घातक न होकर केवल मात्र ज्वर के जीवाणु को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। प्रतिरक्षी केवल अपने उत्पादक प्रतिजन (antigen) के लिये ही घातक होने के कारण जाति विशेष के कहलाते हैं।

यदि किसी के शरीर में किसी रोगविशेष के रोगनिरोधी प्रतिरक्षी उस रोग के जीवाणु द्वारा संक्रमण होने के पूर्व ही प्रचुर मात्रा में विद्यमान हों, तो वह जीवाणु रोग उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। यदि प्रतिरक्षी की मात्रा अपर्याप्त हो, तो हलका सा रोग होने की संभावना रहती है। संक्रमण होने पर रोगनिरोधी प्रतिरक्षियों की उत्पत्ति के कारण यह देखा गया है कि एक बार रोग हो जाने पर वही रोग दूसरी बार कुछ काल तक नहीं होता। एक बार चेचक हो जाने पर दूसरी बार इस रोग के होने की संभावना प्राय. नहीं रहती। कुछ बालरोग शैशवकाल में हो जाने पर युवा या जरावस्था में पुन. नहीं होते। इसी सिद्धांत के आधार पर कृत्रिम टीके (vaccination or inoculation) द्वारा रोगनिरोधी प्रतिरक्षी शरीर में उत्पन्न कर, रोगविशेष की रोकथाम सफलतापूर्वक की जाती है।

टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोगनिरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। प्राकृतिक रूप से तो प्रतिरक्षी रोगाक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण बनते हैं, परंतु टीके द्वारा एक प्रकार का शीतयुद्ध छेड़कर शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण कराया जाता है। रोग उत्पन्न करने में असमर्थ मृत जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश होते ही प्रतिरक्षियों का उत्पादन होने लगता है। मृत जीवाणुओं का उपयोग सर्वथा निरापद होता है किंतु कुछ रोगों में जीवित जीवाणुओं का उपयोग आवश्यक होता है। ऐसी अवस्था में जीवित जीवाणुओं की आक्रामक शक्ति को निर्बल कर उन्हें पहले निस्तेज कर दिया जाता है जिससे उनमें रोगकारी क्षमता तो नहीं रहती, किंतु प्रतिरक्षी बनाने की शक्ति बनी रहती है। जो जीवाणु जीवविष उत्पन्न कर सकते हैं, उनके इस जीवविष को फ़ार्मेलिन के संयोग से शिथिल कर टीके में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के फ़ार्मेलिन प्रभावित जीवविष को जीवविषाभ (Toxoid) कहते हैं। अतः रोगनिरोधी प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिये मृत जीवाणु, निस्तेजित जीवाणु अथवा जीवविषाभ का प्रयोग टीके द्वारा किया जाता है। रोगनिरोधी टीके के लिये जो द्रव काम में लाया जाता है उसे वैक्सीन कहते हैं। यह वास्तव में मृत अथवा निस्तेजित जीवाणुओं का निलंबन (suspension) होता है। इसमें फ़िनोल अथवा कोई अन्य जीवाणुनाशक पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे वैक्सीन की शुद्धता बनी रहे।

वैक्सीन बनाने के लिये पोषक पदार्थों से युक्त अनुकूल वातावरण में जीवाणु का संजनन (cultivation) किया जाता है और फिर लवण विलयन में उनका विलयन बनाया जाता है। यदि जीवाणु को मारना आवश्यक हुआ, तो गरम जल द्वारा ६०° सें० के ताप से अथवा फ़िनोल से निर्जीव कर दिया जाता है। विलयन में जीवाणु की संख्या का पता लगाते हैं और फिर आवश्यक मात्रा में लवण विलयन मिलाकर विलयन में जीवाणुओं की संख्या पूर्वनिर्धारित संख्या के अनुसार कर दी जाती है। आवश्यक परीक्षा द्वारा वैक्सीन की शुद्धता, निर्दोषिता और प्रतिरक्षण शक्ति का पता लगाते हैं और यदि वैक्सीन औषधि निर्माण अधिनियम (Act) द्वारा निर्धारित विशिष्ट गुणों से युक्त है, तो इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अधिनियम के प्रत्येक नियम का पालन आवश्यक है।

रोगनिरोधन के लिये जो वैक्सीन मुख्यतः काम में लाए जाते हैं उनका सूक्ष्म परिचय इस प्रकार है :

(अ) विषाणुजन्य वैक्सीन

(१) चेचक निरोधी वैक्सीन — चेचक (smallpox) के विषाणु

वृहद् ऐंटिलिज की बाहरी चट्टानें परतदार चट्टानों की बनी हैं। लघु ऐंटिलिज का भीतरी भाग ज्वालामुखी निर्मित चट्टानों से बना है। ट्रिनिडैड की संरचना दक्षिणी अमरीका से मिलती जुलती है। वेस्ट-इंडीज में पाई जानेवाली सबसे पुरानी चट्टान क्रिटेशियस युग की है जिससे यह पता चलता है कि उस समय यह द्वीप एक विशाल भूखंड से मिले हुए थे। बाद में इयोसीन (Eocine) तथा ओलिगोसीन (Oligocene) युग में एक भारी अवतलन (subsidence) हुआ जिससे वृहद् ऐंटिलिज पूर्णरूपेण जलमग्न हो गया। तदनंतर मॉलियोसीन युग के मध्य में एक प्रबल प्रोत्थान (upheaval) हुआ और साथ ही साथ मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ जिससे वृहद् ऐंटिलिज के द्वीप धरातल से ऊपर उठ गए तथा भूखंडावद्ध हो गए। इसके बाद कई हल्के धरातलन एवं प्रोत्थान की प्रक्रिया के फलस्वरूप धरातल का वर्तमान स्वरूप बना। लघु ऐंटिलिज में ट्रिनिडैड एवं बारबेडोज के अलावा अन्य कहीं गहरे समुद्र के जमाव के चिह्न नहीं मिलते। कतिपय द्वीपों में ज्वालामुखी के अवशेष मिलते हैं। ज्वालामुखी हलचलें तृतीयक (tertiary) काल से होती रही हैं। सामान्यतः द्वीपों में अधिक उच्चावच है। सबसे ऊँचा स्थान हिस्पेन्योला में स्थित पिकोडुजिलो है जिसकी ऊँचाई १०,४१८ फुट है। जमैका के ब्लू माउंटेन की ऊँचाई ७,४०२ फुट है। ४,००० फुट से अधिक ऊँचाई के क्षेत्र ग्रेटर रीको तथा अन्य कई द्वीपों में मिलते हैं। अधिकतर द्वीपों में एक मध्यवर्ती पर्वतशृंखला मिलती है जिससे निकलकर पहाड़ों की लंबी शाखाएँ समुद्रतट तक पहुँचती हैं। इन शाखाओं के बीच गहरी घाटियाँ मिलती हैं। नदियाँ छोटी एवं तीव्र-वाहिनी हैं तथा मैदान केवल समुद्रतट तक ही सीमित हैं। क्यूबा ही ऐसा द्वीप है, जहाँ विस्तृत समतल नीची भूमि मिलती है। वहाँ सिएरा माइस्ट्रा पर्वत पूर्वी छोर पर है और कहीं भी अवरोधक नहीं बनता। बारबेडोज तथा ऐंटीग्वा मूँगे के बने हैं तथा नीची धरातल-वाले हैं। बहामा तथा ऐंगुइला समुद्रतट से नाममात्र ऊँचे हैं।

यहाँ समुद्रतटीय झीलें तथा दलदल अधिकतर पाए जाते हैं। मूँगे के पर्वतों के कारण भी समुद्रतट अधिक टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। प्राकृतिक बंदरगाह बहुत हैं जिनमें हवाना तथा सेंट चार्ल्स उल्लेखनीय हैं।

[ज० सिं०]

वेस्ट, बेंजामिन (West Benjamin, १७३८-१८२०) अमरीकन ऐतिहासिक विषयों का चित्रकार। न्यूयार्क से इटली होते हुए रोम आया और वहीं बस गया। १७९२ में रायल अकादमी का सभापति बना। 'ईसा द्वारा रोगी की परिचर्या', क्रूसीफिकेशन आदि इसके सुप्रसिद्ध चित्र हैं।

[गु० त्रि०]

वेस्ट लैंड (Waste Land) सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, टी० एस० इलियट की प्रमुख काव्यरचना। इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, यद्यपि इसमें कुल ४३३ पंक्तियाँ हैं। यह बहुत तीव्र और गहरी संवेदना से लिखा हुआ काव्यग्रंथ है।

" इसका प्रकाशन सन् १९२२ में हुआ। यह प्रथम महासमर के बाद का काल था। इलियट इस काव्य में बंजर धरती का वर्णन करते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं उगता। न यहाँ जल है, न छाया। वे रोमन कैथलिक विश्वासों के कवि हैं। जिस बंजर भूमि का वे वर्णन करते हैं, वह आस्था और विश्वासों से रहित पूर्व है। युद्ध के बाद संपूर्ण देश ही वीरान और उजड़ा पड़ा था।

'वेस्ट लैंड' गुरु नई शैली की कविता है। इसमें अनुभूति साथ जुड़ी है और वे उलझा लिए गए हैं। इसके संकेतों ने साहित्य की प्रतिध्वनियाँ बनाई हैं। कहीं विरोधी कथोपकथन है, कहीं विचित्र उलझनें हैं। कहीं अतीत का स्मरण है और वर्तमान का। कहीं दयावादी चित्र है, कहीं रहस्यमय चित्र।

'वेस्ट लैंड' में आधुनिक यूरोपीय जीवन की बड़ी सजीव झलक हुई है। इसका स्वर दुखांत काव्य का स्वर है। वैसी दृष्टि-नीक की दृष्टि से इस रचना का अर्थ ही काव्य के लिए एक प्रभाव पड़ा है। (डे० इलियट. टी० एस०) [ज० स०]

वेस्पूचि आमेरीगो (Vespucci, Amerigo, १४५४-१५१२) इतालवी नाविक तथा खोजकर्ता थे। इनके पैतृक नाम अमेरीगो पर अमरीका महाद्वीप का वर्तमान नाम पड़ा, क्योंकि इन्होंने इसे नई दुनिया के रूप में पहचाना। वेस्पूचि फ्लोरेंस का था। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर लिया था। अपने जमाने में ये अच्छे नेवीगेटर की गणना में सबसे कुशल व्यक्ति थे। फ्लोरेंस में मेडिसी (Medici) के व्यापार कार्यालय में लिपिक का कार्य करने के काल में इनकी रुचि भूगोल के अध्ययन तथा ग्लोब, रेखाचित्र एवं मानचित्रों के संग्रह में थी और क्रमशः ये कुशल मानचित्रकार भी बन गए। १४८९ ई० तथा १४९१ ई० के बीच ये मेडिसी के प्रतिनिधि [illegible]

सेविल स्थित व्यापारगृह ऐंटलैंटिक महासागर के आरपार [illegible] करनेवाले पोतों के निर्माण का ठेका लेता था। जानोटो की मृत्यु के पश्चात् उसके काम को वेस्पूचि ने संभाला और इस काम संभवतः कोलंबस की दूसरी समुद्री यात्रा के लिये पोतनिर्माण वेस्पूचि ने हाथ बटाया।

वेस्पूचि की समुद्रयात्राएँ १४९७-१५०२ ई० की अवधि में हुई। मई, १४९९ ई० तथा जून, १५०० ई० के बीच स्पेन के [illegible] यान में वेस्पूचि ने नाविक की हैसियत से भाग लिया। इस यात्रा में एमेजॉन का मुहाना, ओरिनोको [illegible] मुहाना आदि का पता लगा। वेस्पूचि ने समझा कि वे सुदूर पूर्व एशिया प्रायद्वीप का चक्कर लगा रहे हैं तथा इसके आगे एशिया के समुद्र मिलेंगे। ११ मई, १५०१ ई० को सिलोन तथा हिंदमहासागर में पहुँचने के विचार से पुर्तगाल सरकार के तत्त्वावधान में इनका दूसरा अभियान हुआ। इसमें ब्राजील तट से होकर पैटागोनिया तट के आगे सान जूलियन (San Sulina) की खाड़ी के आसपास तक गए।

भौगोलिक अन्वेषणों के इतिहास में इस यात्रा का बड़ा महत्त्व है। इसके बाद वेस्पूचि तथा अन्य विद्वानों को इस बात का विश्वास हो गया कि उपर्युक्त भाग एशिया के नहीं वरन् नई दुनिया के हिस्से थे। १५०८ ई० में वेस्पूचि स्पेन के प्रमुख नाविक नियुक्त हुए। साथ ही साथ नए खोजे गए देशों एवं उन तक पहुँचने

श्लेषित केसीन (केसीन हाइड्रोलाइसेट) में उत्पन्न करके फार्मेलिन निर्विष करते हैं, तब वैक्सीन बनाते हैं जिसे फिनील मरक्यूरिक एसीटेट में सुरक्षित रखते हैं। एक सप्ताह के अंतर से दो बार टीका दिया जाता है और निरोधशक्ति छह मास तक बनी रहती है।

(४) क्षयनिरोधी वैक्सीन — इसे बी० सी० जी० वैक्सीन कहते हैं। संश्लेषित पोषक पदार्थ में गोक्षय के निस्तेजित कीटाणुओं को उत्पन्न कर उनसे वैक्सीन बनाते हैं। इस वैक्सीन का टीका केवल उन्हीं को, जो मैंटो (Mantoux) की ट्यूबरकुलीन परीक्षा द्वारा क्षय-संक्रमण से सर्वथा निर्लिप्त पाए जाते हैं, दिया जाता है। इस टीके का रोग की रोकथाम करने में बड़ा महत्व है और सभी क्षय-संक्रमण-रहित व्यक्तियों को लगाना आवश्यक है। जनता में इस टीके का प्रसार व्यापक रूप से होना चाहिए। इस टीके की उपयोगिता क्षयग्रस्त निर्धन देशों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी सफलता पूर्णतः प्रमाणित हो चुकी है। टीका निर्दोष, निरापद और प्रभावशाली है इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है। कल्पित अथवा नगण्य दोषों को बढ़ावा देकर टीके का विरोध करना अनुचित है। लाखों करोड़ों प्राणियों को यह टीका लग चुका है और शैशव कालीन प्राथमिक क्षयसंक्रमण की रोकथाम में यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

(५) टाइफस निरोधी वैक्सीन — भेड़ की अपरापोषिका कला पर टाइफस के रिकेट्सिया को उत्पन्न कर इसके फ़िनोलयुक्त विलयन को टीके के काम में लाते हैं। एक एक सप्ताह के अंतर से तीन टीके लगाए जाते हैं।

(६) कुक्कुरखाँसी निरोधी वैक्सीन — यह वैक्सीन कुक्कुर खाँसी के हीमोफाइलस पर्ट्यूसिस नामक कीटाणु के विलयन को फार्मेलिन से निर्जीव कर फिटकिरी से अवक्षेपित कर बनाया जाता है। एक एक मास के अंतर से तीन टीके दिए जाते हैं।

(७) डिप्थीरिया निरोधी वैक्सीन — डिप्थीरिया के कीटाणु से उसका जीवविष (toxin) पृथक् कर फ़ार्मेलिन के संयोग से जीवविषाभ (toxoid) बनाते हैं जिसे फिटकिरी से अवक्षेपित कर ए० पी० टी० (Alum Precipetated Toxoid) नामक टीका बनाते हैं। एक मास के अंतर से इसके दो टीके बालकों को दिए जाते हैं। हाल ही में जीवविषाभ को और भी शोधित कर पी० टी० ए० पी० (प्योरीफाइड टॉक्साइड ऐलम फॉस्फेट प्रेसिपिटेटेड) [illegible] वयस्क व्यक्तियों [illegible] है टी० ए० एफ० [illegible] है जिसमें जीवविषाभ की तीव्रता को प्रतिजीवविष (antitoxin) द्वारा कम कर दिया जाता है।

(८) टेटनस अथवा धनुस्तंभ निरोधी वैक्सीन — यह भी डिप्थीरिया के ए० पी० टी० की तरह बनाया जाता है। एक मास के अंतर से दो टीके दिए जाते हैं। डिप्थीरिया तथा टिटेनस के टीके वस्तुतः वैक्सीन नहीं, प्रत्युत जीवविषाभ हैं।

उपर्युक्त रोगनिरोधी टीकों द्वारा सक्रिय रोग प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है जिसमें रोगकारी जीवाणुओं के प्रतिजन से रोगनिरोधी प्रतिरक्षी टीका लेनेवाले व्यक्ति के शरीर में ही बनते हैं। इस प्रकार की सक्रिय प्रतिरक्षी उत्पन्न करने में कुछ समय लगता है किंतु रोगनिरोधी क्षमता दीर्घकालीन होती है। यदि सक्रिय प्रतिरक्षादायी वैक्सीन को किसी पशु में प्रयुक्त किया जाय और उसके रक्त में उत्पन्न प्रतिरक्षी किसी मनुष्य को टीके द्वारा दिया जाय, तो जो प्रतिरक्षा प्राप्त होगी वह निष्क्रिय (Passive) कहलाएगी। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिये वैक्सीन के स्थान पर किसी सक्रिय प्रतिरक्षित पशु के रुधिर का प्रतिरक्षीयुक्त सीरम काम में लाते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षी तुरंत ही प्रभावकर होता है किंतु उसकी व्याप्ति अल्पकालिक होती है। इस कारण रोगनिरोध की अपेक्षा वह रोग की चिकित्सा में अधिक उपयोगी होता है। कुछ सक्रिय प्रतिरक्षादायी वैक्सीन चिरकालिक रोगों की चिकित्सा के लिये भी प्रयुक्त किए जाते हैं। किंतु नवीन संश्लेषित और ऐंटीबायोटिक औषधियों के प्रसार से चिकित्सा में वैक्सीनों का प्रयोग बहुत कम हो गया है।

रुधिर में पाया जानेवाला गामा ग्लोब्यूलिन रोगनिरोध में बहुत सहायक होता है। रोमांतक अथवा मसूरिका (measles) की रोकथाम में गामा ग्लोब्यूलिन देना लाभदायक है। जिन संक्रामक रोगों की रोकथाम या चिकित्सा के लिये कोई विशेष औषधि ज्ञात नहीं है उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के रुधिर का सीरम काम में लाते हैं जो हाल ही में उस रोग से मुक्त हुआ हो। रोगमुक्त व्यक्ति के रुधिर के सीरम में प्रतिरक्षी होते हैं, जो रोग शमन के लिये रोगियों को दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिरक्षीयुक्त रुधिर का सीरम प्राप्त करने के लिये रुधिर बैंक खोलने की आवश्यकता है जिसमें रोगमुक्त व्यक्ति, रोगियों के लाभ के लिये अपना रुधिर दान दे सकें। रुधिराधान (blood transfusion) द्वारा भी दाता के रुधिर के विशेष प्रतिरक्षी रुधिर ग्रहण करनेवाले को प्राप्त हो जाते हैं।

बालकों में डिप्थीरिया, टेटनस और कुक्कुरखाँसी के प्रतिषेध के लिये सक्रिय प्रतिरक्षाकारी जीवविषाभों तथा वैक्सीनों को मिलाकर त्रिधर्मी वैक्सीन बना लेते हैं जिससे उपर्युक्त तीनों रोगों के लिये एक ही टीका दिया जा सके। अब त्रिधर्मी वैक्सीन में पोलियो वैक्सीन भी मिलाकर चारों रोगों का प्रतिषेध एक साथ किया जा सकता है (देखें 'संक्रमण')। [भ० शं० या०]

वैखानस 'मनुस्मृति' (६।२१) में वानप्रस्थ यतियों के लिये, वैखानसमत में स्थित रहकर फलादि के सेवन का निर्देश मिलता है। इस प्राचीन मत का संबंध 'कृष्ण यजुर्वेद' की 'औखेय' शाखा से है और इसके अपने 'गृह्यसूत्र', 'धर्मसूत्र,' 'श्रौतसूत्र' एवं 'मंत्रसंहिता' ग्रंथ भी हैं। इसकी आचार्यपरंपरा विखनस मुनि से आरंभ होती है जिनके पिता नारायण, माता हरिप्रिया तथा पुत्र भृगु, आदि कहे गए हैं और जिनके अनंतर आनेवाले दो आचार्य क्रमशः कश्यप एवं मरीचि बतलाए गए हैं। मरीचि का 'वैखानस आगम' ग्रंथ उपलब्ध है जिसमें ७० पटल हैं और जिसमें इस मत का बहुत कुछ परिचय मिल जाता है। इसके अनुसार परमात्मा की चार मूर्तियाँ 'विष्णु', 'महाविष्णु,' 'सदाविष्णु' तथा 'सर्वव्यापी' नाम की होती हैं जिनसे फिर चार ब्रह्म क्रमशः 'पुरुष', 'सत्य', 'अच्युत' एवं 'अनिरुद्ध' उत्पन्न

होते हैं और इन्हीं से युक्त रहकर नारायण 'पंचमूर्ति' कहे गए हैं जिनके नामजप, हुत, ध्यान एवं अर्चन द्वारा जीवों का मायाबंधन दूर किया जा सकता है। इन विष्णु या नारायण की पैंसो मूर्ति की स्थापना के लिये विशिष्ट मंदिर के निर्माण का विधान है जहाँ पर, वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी सम्यक् आराधना करके 'सामोद', 'प्रमोद, 'संमोद' एवं 'वैकुंठ' नामक लोकों तक पहुँचा जा सकता है तथा क्रमश सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर अमूर्त की आराधना से समूर्त के पूजन को श्रेष्ठ ठहराया गया है और अवतारों की चर्चा भी प्राय गौण रूप से ही की गई मिलती है। 'वैखानस गृह्य सूत्र' में जो पैंसो पूर्णिमावाले पूजन की विधि निर्दिष्ट है उसके पीछे कृषि, पशु, ग्राम एवं जन के कल्याण की भी भावना काम करती है।

इस मत की चार शाखाएँ मानी जाती हैं जिन्हें अत्रेय, काश्यपीय, मारीच एवं भार्गव कहा गया है और इनकी केवल संहिताएँ मात्र ही भिन्न हैं। इसका आगम, पांचरात्र आगम से कहीं अधिक प्राचीन वैदिक परंपरा का अनुसरण करता है और इसका प्रभाव, स्वामी रामानुजाचार्य के समय से कम होते जाने पर भी, अभी दक्षिण में तिरुपति आदि कई स्थानों पर पाया जाता है। 'गौतमधर्मसूत्र' (३।२) 'बौधायन धर्मसूत्र' (२।६।१७) एवं 'वसिष्ठधर्मसूत्र' (९-१०) में वानप्रस्थ यतियों को 'वैखानस' कहा गया है तथा कालिदास, भवभूति एवं तुलसीदास, आदि की रचनाओं में भी, इन दोनों को अभिन्न माना गया है। (दे० क्रमश शाकुंतल अं० १ श्लो० २४, उ० रा० अ० १ श्लो० २५ तथा 'मानस, अयो० दो० १७३, २०६, २२४, आदि।)

[प० च०]

वैगन (Wagon) कोई भी चौपहिया वाहन जो केवल माल ढोने के काम में आता है वैगन या माल डिब्बा कहलाता है। जैसा भारी काम इनसे लिया जाता है उसी के अनुरूप इनकी बनावट भी होती है। बनावट में सुंदरता और सजावट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना ध्यान उनकी दृढ़ता पर दिया जाता है। बहुत भारी बोझा लदा रहने के कारण वैगनों के नीचे के फ्रेम पर स्थितिज दाब तथा विशेष लिंचाव बल पड़ते हैं और शंटिंग (shunting) के समय उपर्युक्त स्थितिज दाब के अतिरिक्त भारी मात्रा में संघट्ट बल भी पड़ता है। इनके प्रत्येक अवयव की अभिकल्पना करते समय ढाँचे को, उक्त सब प्रकार की दाबों तथा बलों को सह सकने योग्य बनाने तथा अवांछित प्रकार की विषम परिस्थितियों से बचाने के उपाय सोचने की तरफ निर्माता को ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इनकी चौड़ाई तथा ऊँचाई किसी विशेष मानक के अनुसार सीमित रखी जाती है।

प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक विभिन्न देशों की विभिन्न रेलवे तथा उपयोगकर्ता व्यापारिक संस्थाएँ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माल डिब्बे स्वयं बनवा लिया करती थीं। ये माल डिब्बे किसी एक मानक नियमावली के अनुसार न बने होने के कारण रेल के यातायात मार्गों पर चलते समय बड़ी बड़ी अड़चनें पैदा करते थे। अतः जब रेलवे प्रबंधकों ने वैगन बनाने का काम हाथ में लिया, तब उन्होंने माल डिब्बों के मानकीकरण का काम शुरू किया, जिसमें ४-५ वर्षों के भीतर ही काफी प्रगति हुई। पहले लादनों के १० से २० टन तक माल लादने के वैगनों का फिर से ४५ टन तक भार लादने योग्य, कोयलाढुलाई लायक वैगनों का मानकीकरण किया गया। बड़े वैगनों का प्रचार अधिक पाया। ऐसे बड़े वैगनों का उपयोग रेलवे विभाग तथा बड़ी कंपनियाँ ही अधिक मात्रा में कोयला मँगवाने के लिये करती जब तक कोयला वैगन नहीं बने थे, तब तक बहुत लंबी चीजों के लिये दो दो या तीन तीन गुने वैगनों का भी एक साथ प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब बहुत लंबे तथा मजबूत वैगन बन जाने से इस प्रकार के काम में बहुत सुविधा हो गई है। चित्र (देखें फलक) में ४५ टन भार लादने योग्य ६½ फुट लंबे एक गुला वैगन दिखाया गया है और चित्र में कोयलाढुलाई वाले दिखाए गए हैं (देखें फलक)। इनमें ७० फुट लंबाई तक सामान ले जाया जा सकता है। इनके केंद्रीय धुरियों (bolsters के बीच का फासला ही ४० फुट है।

रेल यातायात में छोटे वैगनों का अधिक उपयोग होने के कारण उन्नत प्रकार के माल गोदामों में वैगन खोलने के लिये टेबल और ट्रैवर्सर आदि यंत्र भी १२ फुट फासले के वैगनों के लिये ही लगाए जाते हैं, और मालगोदाम का (siding) भी उन्हीं के अनुसार बनाई जाती हैं। कोयला खानों में कोयला छाँटने के जो यंत्र लगे होते हैं, वे भी इन्हीं के नाप के होते हैं। इन यंत्रों के द्वारा कोयला सीधा ही वैगन में गिराकर भर दिया जाता है। कोयला खर्च करनेवाले स्थानों पर कोयला रखने की जो विशेष कोठियाँ होती हैं, वे इन वैगनों के नीचे सही सही आ जाती हैं, और वैगन के नीचे का द्वार खोलते ही पूरा वैगन उन कोठियों में एकदम खाली हो जाता है। इसी प्रकार से कोयले की मोटर ट्रकें भी वैगन के नीचे रखकर भर दी जाती हैं। इंजन गोदामों के बड़े स्टेशनों पर इस प्रकार से इंजनों के टेंडरों में भी वैगनों से सीधा ही कोयला भर दिया जाता है जिससे परिश्रम और समय की बचत हो जाती है। पत्थर की गिट्टियाँ लादने के लिये विशेष प्रकार का वैगन (देखें फलक) और कोयला लादने के योगीकृत विशेष प्रकार के बड़े वैगन (देखें फलक) होते हैं।

जिन देशों में लकड़ी बहुतायत से मिल जाती है, वहाँ छोटे वैगनों का ऊपरी ढाँचा लकड़ी से बनाना बड़ा सुविधाजनक तथा सस्ता रहता है, क्योंकि प्रथम तो लकड़ी पर यंत्रोपचार बड़ी जल्दी हो जाता है, दूसरे छोटे स्टेशनों पर उनकी मरम्मत भी सरलता से हो सकती है। जिन इलाकों के वायुमंडल में अमोनिया गैस तथा ऐसे रासायनिक पदार्थों के कण, जिनके कारण इस्पात की वस्तुओं का अपरदन (erosion) बड़ी जल्दी होने लगता मिले रहते हैं, अथवा उस क्षेत्र में मिलनेवाले कोयले घटकावयव ही ऐसे हों जिनपर बरसाती पानी पड़ने से वैगन के इस्पाती अवयवों का अपरदन बड़ी शीघ्रता से होने लगे, तो वैगनों के ढाँचे लकड़ी से बनाना ही लाभकर रहता है। शुद्ध लोहे से बने अवयवों पर उपर्युक्त वातावरण आदि का इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता जितना इस्पात के बने वैगनों के अवयवों पर होता

डोबला वैगन (अमेरिकन स्टेट रेलवे)
उच्च धारिता १०० टन ।

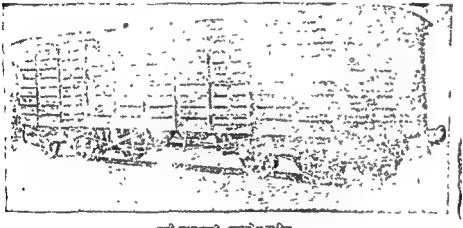

ट्रकी मालगाड़ी, इंजन के सहित
धारिता ४० टन ।

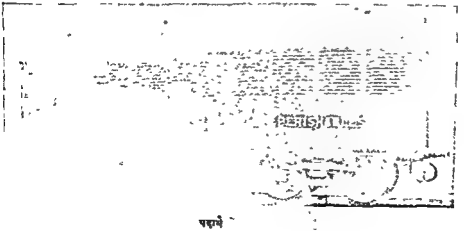

हाँ, यदि खनिज लोह-मयस्क इस्पात के बने वैगनों मे लादा तो उसका बुरा प्रभाव नही पड़ता। लकड़ी से बने वैगनों ांचो के फ्रेम यदि इस्पात के बनाकर, उन्हे अपरदन विरोधी रग रोगन से पोत दें, फ्रेम पर लकड़ी के तख्ते कसकर फिर रंग दिया जाए और समय समय पर तख्तों एवं फ्रेम को रँगते तो उनकी उमर बढ़ सकती है।

२० टन से अधिक भार लादे जाने योग्य वैगनो को तो पूर्णतया त का ही बनाने का रिवाज है। आरंभ में २० टन से अधिक लादे जानेवाले वैगन मे, जिनके पहियो का फासला १२ से अधिक होता था, तीन धुरे अर्थात् ६ पहिए लगाने की थी, जो अब बोगियो का प्रचार हो जाने से बंद हो गई वें फलक)।

आजकल फल, दूध आदि विकारी, अर्थात् जल्दी बिगड़ जानेवाले यों को जल्दी जल्दी ढोने के लिये एक्सप्रेस माल गाड़ियाँ ने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। अत. उनके लिये विशेष प्रकार ने तथा छतवाले वैगनों का उपयोग होता है (देखें फलक)। निक प्रकार के इन वैगनों में, दोनों तरफ, पेंचयुक्त कपलिंग, र, वैक्युअम द्वारा स्वचालित ब्रेक तथा लीवर, या चकरी और द्वारा चालित हाथ ब्रेक अवश्य लगाए जाते हैं। फलक में आदि का प्रबंध स्पष्ट दिखाया गया है। जो वैगन जिस ी विशेष काम के लिये बनाया जाता है, उसमें उस काम के ोगी उपकरण भी लगाए जाते हैं। गोश्त तथा मछली आदि मय पदार्थ ढोने के लिये वातानुकूलित वैगन बनाए जाते हैं। ओ को ढोने योग्य वैगनो में हवा के लिये उपयुक्त प्रकार की लियाँ, सफाई करने तथा गोबर आदि फेंकने के लिये विशेष ड़की बनाई जाती है तथा उनका फर्श डामर से बनाया जाता घोड़े ले जानेवाले वैगनों में उपर्युक्त पशु वैगनों की सब ेषताओं के अतिरिक्त कुछ आड़बंद तथा आड़ी दिशा में कुछ ीदार दीवारें बनाकर प्रत्येक घोड़े के लिये एक एक खाना ा दिया जाता है, जिससे कीमती घोड़ों को सफर करने में न हो। इन वैगनों में आगे और पीछे साईसों के लिये काम ने का गलियारा बना दिया जाता है और इनमे पानी का भी ध होता है। मोटर गाड़ियों को ढोने के लिये जो वैगन बनते हैं, का प्रवेशद्वार सिरे की तरफ रहता है, जिससे डेड ऐंड (dead d) प्लैटफार्म से मोटर गाड़ी सीधी ही भीतर ढकेल दी जा है। वैगन के भीतर खड़ी की गई मोटर गाड़ी को स्थिरता से धने के लिये आवश्यक साधन भी लगाए जाते हैं। तेल तथा व प्रकार के द्रवों को ढोने के लिये टंकीनुमा वैगन भी, नपर उन्हें खाली करने तथा भरने के वास्ते, पंप और द्वार भी ते हैं, बनाए जाते हैं। पेट्रोल आदि ढोने के लिये विशेष प्रकार की ियाँ बनाई जाती हैं, जिससे उन द्रवों के कारण मार्ग में कोई तरा न उपस्थित हो।

वैगनों का बृहत् उत्पादन — आजकल वैगनो के अवयवों तथा ों का पूर्णतया मानकीकरण हो चुका है, जिससे उनके बृहत्-त्पादन तथा मरम्मत में सुविधा रहे। लोकोमोटिव पब्लिशिंग कंपनी, ११-२३ मदन, द्वारा प्रकाशित एक लेख के आधार पर डरबी नगरस्थ, एल० एम० ऐंड एस० (L M & S) रेलवे के कारखाने मे होनेवाली बृहत् उत्पादन के लिये प्रयुक्त प्रणाली का सारांश यहाँ दिया जा रहा है।

बहुमुखी रंदो आदि यंत्रो पर लकड़ी के समस्त अवयवो को सही सही नाप मे बनाकर, बहुत से बरमे एक साथ लगे छिद्रणयंत्रो पर, एक समान अनेक अवयवो को एक साथ ऊपर नीचे रखकर, छेद दिया जाता है, जिससे समय की बहुत बचत हो जाती है। इन यंत्रों में लगे बरमो तथा कटरो के फासले पहले से ही सही सही समायोजित कर लिए जाते हैं, जिससे कम से कम प्रक्रियाओ मे ही काम चल जाता है। इस्पात की चादरो से बने अवयव यांत्रिक कैंचियो तथा प्रेसो पर काटे एव मोड़े जाते हैं। इनमे छेद करने का काम जिगो की सहायता से बरमा यंत्रो द्वारा किया जाता है, जिससे प्रत्येक अवयव पर छेदों का अलग अलग रेखांकन न करना पड़े और सब छेद पूर्व निश्चित फासलो पर एक ही नाप के बन जाएं।

वैगन के अवयवों को उक्त प्रकार से बनाने के बाद, एक दूसरे से जोड़ने का काम पूर्वसुनिश्चित योजना के अनुसार, क्रमानुसार प्रक्रियाओ से किया जाता है। इन प्रक्रियाओ का समय भी अनुभव के आधार पर पहले से ही निर्धारित किया होता है। विभिन्न अवयवो को सही स्थान पर जोड़ने की क्रिया जिगो द्वारा की जाती है। अवयवों को उठाने, ले जाने तथा उपयुक्त स्थान पर धरने का काम, संपीडित वायु की दाब से चलनेवाले हविसों (hoists) और बेलनयुक्त वाहकों (conveyers) से किया जाता है। अवयवों को यथास्थान जड़ते समय, स्थिरता से थामने का काम जलयांत्रिक-चालित क्लिंपों से लिया जाता है। इन अवयवों को आपस में जोड़ने में सहायता करनेवाला जिग इस प्रकार का बना होता है कि उसके कारण प्रत्येक अवयव अपने स्थान पर सीधा एवं ठीक ठीक ही बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। डिबरी और पेंचों को कसने तथा रिवेट लगाने का काम संपीडित वायुचालित उठौआ यंत्रों से होता है। साथ ही साथ आवश्यक स्थानों पर बिजली द्वारा वेल्डिंग भी होता रहता है। उपर्युक्त कारखानो में एक वैगन को जोड़कर खड़ा करने की क्रिया में, आरंभ से अंत तक, लगभग २½ घंटे लगते हैं और ड्रेवर्स द्वारा प्रति बीस मिनट में एक वैगन रस्से द्वारा खिंचकर अपने आगे के स्थान पर ढकेल दिया जाता है तथा इस वैगन द्वारा खाली की गई जगह मे पीछे की तरफ बननेवाले अन्य वैगन क्रम से आते रहते हैं। वैगनो को रँगने आदि का काम संपीडित वायुचालित फुहारों से होता है। रँगाई किए जानेवाले स्थान का ताप तथा संवातन का प्रबंध भी ऐसा होता है कि वैगनों के रंग को सूखने में देर नहीं लगती।

सं० ग्रं० — रेलवे कैरेज ऐंड वैगन, थ्योरी ऐंड प्रैक्टिस

[ओं० ना० ग०]

वैज्ञानिक विधियाँ विज्ञान प्रकृति का विशेष ज्ञान है। यद्यपि मनुष्य प्राचीन समय से ही प्रकृति संबंधी ज्ञान प्राप्त करता रहा है फिर भी विज्ञान अर्वाचीन काल की ही देन है। इसी युग में ..

प्रयोग और साधारण निरीक्षण में क्या अंतर है? प्रयोग में तो निरीक्षण का कार्य होता है। वास्तव में साधारण निरीक्षण प्रकृति के साथ किसी प्रकार का दखल नहीं दिया जाता, किंतु प्रयोग दखल दिया जाता है। फलस्वरूप ऐसी संभावनाएँ एवं परिस्थितियाँ निकल आती हैं जिनसे प्रयोग के समय का निरीक्षण रहस्योद्घाटन में बड़ा सहायक होता है।

प्रयोग सत्य जानने के लिये किए जाते हैं, किंतु निरंतर वैज्ञानिक प्रयोगों के फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि केवल सत्य के ही नाम पर प्रयोग करना श्रेयस्कर नहीं, यदि वह सत्य मंगलकारी न हो। उस सत्य से क्या लाभ जिसके फलस्वरूप सारे संसार का विनाश निश्चितप्राय हो। इसलिये अच्छा ही है कि इस समय सारे संसार में परमाणुबम परीक्षण का विरोध हो रहा है। सत्य की खोज के वास्ते ही यह परीक्षण कुछ राष्ट्रों के द्वारा होते रहते हैं, किंतु उसके परिणामस्वरूप रेडियो ऐक्टिवता बढ़ती जा रही है और हो सकता है, भविष्य में उसके कारण जनजीवन के लिये भारी खतरा पैदा हो जाय।

प्रयोग करते समय सच्चाई और ईमानदारी बरतनी पड़ती है। शुद्धि और त्रुटियों का ध्यान रखना पड़ता है। अनेक विभिन्नताओं के अध्ययन के पश्चात् कोई परिणाम निकाला जाता है। यदि कोई असंगत बात दिखलाई पड़े, तो उसे छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि ध्यानपूर्वक उसपर विचार किया जाता है। कभी कभी इसी क्रम में बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। निरीक्षण को कई बार दुहराया जाता है और मध्यमान परिणाम पर ही बल दिया जाता है। तकनीकी भाषा में विधि, निरीक्षण एवं परिणाम का वर्णन किया जाता है।

(५) परिकल्पना — प्रयोग करने का एक मात्र उद्देश्य प्रकृति के किसी रहस्य का उद्घाटन होता है। कोई घटना क्यों और कैसे घटित होती है, इसको समझना पड़ता है। वर्षा क्यों होती है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिये एक परिकल्पना की आवश्यकता पड़ती है। यदि परिकल्पना ठीक है, तो वह जाँच में ठीक बैठेगी। परिकल्पना की जाँच के लिये विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं। आगे चलकर ऐसे तथ्य भी प्रकाश में आते हैं जो उस परिकल्पना की पुष्टि कर सकते हैं। यदि ऐसी बातें हैं, तो उसी परिकल्पना को सिद्धांत या नियम की संज्ञा दी जाती है, अन्यथा उसका संशोधन करना पड़ता है, या उसे छोड़ देना पड़ता है। न्यूटन के गति के नियम और आइन्स्टाइन का सापेक्षवाद का सिद्धांत इसके उदाहरण हैं।

(६) आगमन — जब किसी वर्ग के कुछ सदस्यों के गुण ज्ञात हों, तो उनके आधार पर उस वर्गविशेष के गुणों के बारे में अनुमान लगाना उपपादन कहलाता है। उदाहरण के लिये, अ, ब, स आदि। मनुष्य मरणशील प्राणी हैं; इसके आधार पर कहा जाता है कि सब मनुष्य मरणशील प्राणी हैं। इस प्रकार के सामान्यीकरण (generalisation) के लिये यह आवश्यक है कि जो नमूने इकट्ठे किए जायँ, वे नियत तरीके से किए जाएँ, नहीं तो जो परिणाम निकाला जायगा वह ठीक नहीं होगा। कभी कभी कुछ राशियों का मध्यमान निकाला जाता है, किंतु यह तभी करना ठीक होगा जब ऐसा करना तर्कसंगत हो। उदाहरणार्थ, 'लेखा जोखा माहे, लड़का डूबा काहे' से पता चलता है कि नदी की औसत गहराई किसी लड़के की ऊँचाई से कम होते हुए भी लड़का डूब सकता है।

(७) निगमन (Deduction) — आगमन (induction) में जो कार्य होता है, उसका उल्टा निगमन में होता है। इसमें किसी वर्ग विशेष के गुणों के आधार पर उस वर्ग के किसी सदस्य के गुणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है, जैसे मानव मरणशील प्राणी है, इसलिये 'क', जो एक मनुष्य है, मरणशील है। निष्कर्ष निकालने की इस विधि को ही निगमन कहते हैं। इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं, निगमन व्यवहार्य और तर्कसंगत होना चाहिए।

(८) गणित और प्रतिरूप — बहुत सी बातें हमारी समझ से परे हैं, उनके समझने में प्रतिरूप (model) से बड़ी सहायता मिलती है। शरीर की आंतरिक रचना, अणुओं का संगठन आदि विषय प्रतिरूप की सहायता से अच्छी तरह बोधगम्य हो जाते हैं। गणित के द्वारा भी विज्ञान के कठिन प्रश्नों को हल करने में बड़ी सहायता मिलती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आत्मसात् नहीं की जा सकतीं, जैसे पदार्थतरंगें, किंतु गणित के सूत्रों के द्वारा उनकी छानबीन संभव हो पाई है और प्रयोगों द्वारा उनकी पुष्टि भी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति में गणित का बहुत बड़ा हाथ है।

(९) वैज्ञानिक दृष्टिकोण — अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि रह जाती है। वह है किसी प्रश्न के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपनाना। खुले दिमाग से खोज की भावना रखकर विचार करना ही सही दृष्टिकोण है। अपने व्यक्तित्व को प्रश्न से अलग रखना चाहिए और सच्चाई एवं पक्षपातरहित भाव से किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। जीवन के रोज के प्रश्नों में भी इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना श्रेयस्कर है। [र० श० सिं०]

वैटिकन १. नगर राज्य (City State), पृथ्वी पर सबसे छोटा, स्वतंत्र राज्य है, जिसका क्षेत्रफल केवल ४४ हेक्टेयर (१०८·५ एकड़) है। यह नगर, एक प्रकार से, रोम नगर का एक भाग है। इसमें सेंट पीटर गिरजाघर, वैटिकन प्रासादसमूह, वैटिकन बाग तथा कई अन्य गिरजाघर सम्मिलित हैं। सन् १९२९ में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। इस राज्य के अधिकारी, ४५ करोड़ ६० लाख रोमन कैथोलिक धर्मावलंबियों से पूजित, पोप हैं। राज्य के राजनयिक संबंध संसार के लगभग सब देशों से हैं। सन् १९३० में पोप की मुद्रा पुनः जारी की गई और सन् १९३२ में इसके रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। यहाँ की मुद्रा इटली में भी चलती है।

आकर्षक गिरजाघरों, मकबरों तथा कलात्मक प्रासादों के अतिरिक्त वैटिकन के संग्रहालय तथा पुस्तकालय अमूल्य हैं।

२. पोप के सरकारी निवास का नाम भी वैटिकन है। यह रोम नगर में, टाइबर नदी के किनारे, वैटिकन पहाड़ी पर स्थित है तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारणों से प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रासादों का निर्माण तथा इनकी सजावट विश्वस्तर कलाकारों [illegible] गई है। [भू० ना० स०]

इतिहास — आठवीं शताब्दी ई० में रोम के निकटवर्ती प्रदेशों पर चर्च का शासन स्वीकार किया जाने लगा। इस प्रकार 'पेपल स्टेट्स' का प्रारंभ हुआ (दे० चर्च का इतिहास)। सन् १८७० ई० में इटली ने 'पेपल स्टेट्स' को अपने अधिकार में ले लिया, इससे इटली और चर्च में तनाव पैदा हुआ, क्योंकि रोमन कैथालिक चर्च अपने परमाध्यक्ष को ईसा का प्रतिनिधि जानकर यह आवश्यक समझता है कि वह किसी राज्य के अधीन न रहे। सन् १९२९ ई० में इटली ने रोमन कैथोलिक चर्च के साथ समझौता करके उसे सेंट पीटर के महामंदिर के आसपास लगभग १०९ एकड़ की जमीन दे दी और उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिया। इस प्रकार चिट्टादेल वाटिकानो (Citta Del Vaticano) अर्थात् वेटिकन नगर नामक एक नया स्वायत्त राज्य उत्पन्न हुआ। उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और उसके अपने सिक्के, अपना डाक विभाग, रेडियो आदि हैं। उसके नागरिकों की संख्या लगभग ७०० है। उस केंद्र से पोप पूर्ण स्वतंत्रता से दुनिया भर में फैले हुए रोमन कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक संचालन करते हैं। [का० बु०]

वैतरणी पुराणों में वर्णित नरकलोक की नदी। गरुड़ पुराण, शंखलिखित स्मृति आदि कुछ ग्रंथों के अनुसार यह शत योजन विस्तीर्ण, तप्त जल से भरी हुई रक्त-पूय-युक्त, मांस-कर्दम-संकुल एवं दुर्गंधपूर्ण है। इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद (प्रेतशरीर धारण कर) रोते हुए गिरते हैं और भयंकर जीव जंतुओं द्वारा दंशित एवं त्रासित होकर रोते रहते हैं। पापियों के लिये इसके पार जाना अत्यंत कठिन माना गया है। यमलोक में स्थित इस नदी को पार करने के लिये धर्मशास्त्र में कुछ उपाय भी कहे गए हैं।

महाभारत में यह सूचना भी मिलती है कि भागीरथी गंगा ही जब पितृलोक में बहती है तब वह वैतरणी कहलाती है।

वैतरणी नाम की एक भौतिक नदी भारत में है (महा० भीष्म०, ६।३४)। (दे० 'नरक')। [रा० चं० भ०]

वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र पुराण-कथा-शास्त्र वह सरलतम माध्यम माना जा सकता है जिसके द्वारा प्रारंभिक मानव ने अपने धार्मिक विचारों को प्रकट किया। वैदिक धर्म को प्रकृतिपरक कहा गया है, क्योंकि, दूसरे शब्दों में, इस धर्म में मुख्य रूप से प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा की जाती थी, हालांकि यह पूर्णतः सही नहीं है। वैदिक धर्म एवं परिणामतः वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र एक विकास की परंपरा में हैं और उनका अध्ययन वैदिक लोगों के सांस्कृतिक इतिहासानुक्रम से संबंधित करके ही किया जा सकता है। अपने सांस्कृतिक जीवन के प्रारंभिक काल में वैदिक आर्य, या उनके पूर्वज, प्रकृति के धर्म के रूप में उसके अधिकाधिक समीप थे। इस काल में वे प्रकृति की विशालता एवं समृद्धि तथा चमत्कार से पूर्णतः अभिभूत थे। अपने इस सरल भावुकता में उन्होंने धार्मिक भावना का पुट देना चाहा जिससे स्तवकर दैवीय माता पिता के पौराणिक रूप 'द्यावापृथिवी' की भावना आई। उन लोगों ने यह भी अनुभव किया कि प्रकृति अपरि विज्ञान है, तथापि अतियोजित एवं अनियंत्रित कुछ निश्चित विधानों से होता है। यह विशृंखल नहीं बल्कि व्यवस्थित है। इस ज्ञान से ऋत (ब्रह्मांड संबंधी नियमों) एवं वरुण (ब्रह्मांड संबंधी नियमों के नियंता) के पौराणिक रूपों का उद्भवन हुआ। वरुण असुर थे अर्थात् उनके पास असु नामक चमत्कारिक शक्ति थी और अपनी माया से उन्होंने इस संसार को बांध रखा था एवं इसके छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के कार्यों के नियामक थे। उन्होंने इस प्रकार सम्राट् पद प्राप्त किया। दैवीय आचारशास्त्र (और विस्तृत रूप में मानवीय नैतिकता) की इस पौराणिक जटिलता में मित्र, अदिति एवं आदित्य भी थे। इस दैवीय पुराणकथा के साथ ही साथ अग्नि के देवत्व का भी विकास हुआ जो वैदिक धार्मिक कार्यों का एकमात्र आधार थी। साथ ही साथ यज्ञीय पेय सोम के देवत्व का भी विकास हुआ। अग्नि जो वैदिक देवों में सर्वाधिक दृष्टिगम्य थी, आर्यों के गृहस्थ जीवन का केंद्र एवं मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करनेवाली मानी गई।

सामान्य सिद्धांत के रूप में यह स्वीकृत किया जा सकता है कि किन्हीं विशेष लोगों के धर्म एवं पुराण-कथा-शास्त्र की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। वरुण का सार्वभौम धर्म एवं अग्नि और सोम का यज्ञीय धर्म आर्यों के पूर्वजों की आवश्यकता की पूर्ति कर देता था जब वे घुमंतू जीवन प्रकृति के साथ बिताते थे एवं प्रारंभिक प्रकार के यज्ञीय धर्म का पालन करते थे। किंतु बल्ख (जहाँ वे काफी दिनों तक रहे) से आगे सप्तसिंधु में आने पर इन लोगों को अनेक प्रतिद्वंद्वी आदिवासियों से (जो बाद में सामूहिक रूप से ऋग्वेद में वृत्र या दास कहे गए हैं) भिड़ना पड़ा। अतः उनकी धार्मिक प्रवृत्ति ने एक नए देवता को जन्म दिया जो उनके युद्ध संबंधी साहस को बढ़ावा दे सके। उसका नाम युद्धदेवता इंद्र था। वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र की विकसनशील प्रवृत्ति इंद्र के व्यक्तित्व के विकास में स्पष्ट दिखाई देती है। मूलतः इंद्र एक मानवनायक था जो सोम से उत्तेजित होकर वैदिक आर्यों का नेतृत्व करते हुए सप्तसिंधु पहुँचा। इतिहास कथा पुराण-कथा-शास्त्र में परिवर्तित हो गया और मानवनायक एवं राष्ट्रीय युद्धदेवता बन गया। इस प्रकार के पौराणिकीकरण में अन्य इंद्र पर अन्य कई विशेषताओं का आरोपण किया गया। इंद्र वर्षा का देवता माना जाता था जिसने अपने वज्र से मेघासुर वृत्र को मारकर स्वर्ग के जल को मुक्त किया। प्राचीन कथाओं के अहिसंहारक वीर से भी उसका तादात्म्य किया गया। चूँकि ऋग्वेद का एक बृहद् अंश विजय एवं उपनिवेश बनाने के समय से संबंधित है, यह स्वाभाविक ही था कि वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र इंद्र की कथाओं से अभिभूत हो। मरुतों, अश्विनों एवं ऋभुओं के पौराणिक रूपों में अनुमानतः ऐतिहासिक घटनाओं के पौराणिकीकरण ही कारण हैं। वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण बात 'सौरीकरण' की है, अर्थात् सौर देवताओं से संबंधित पौराणिक व्यक्ति जो मूलतः सौर देवता से बिल्कुल ही संबंधित नहीं थे। वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र का प्रमुख सौर देवता सूर्य था। किंतु कई कारणों से सौर गुण का समावेश दूसरे देवताओं में भी किया गया, जैसे विष्णु (जो मूलतः उर्वरता का देवता था), पूषन (जो पशुपालन का देवता था), और मित्र एवं अर्यमन्

दोनों ही वरुण से संबंधित थे)। इस संबंध में इस बात का संकेत किया जा सकता है कि पौरोहित्यपूर्ण धर्म में विष्णु एवं पूषन जैसे देवताओं को ऊँचा स्थान देने का एक साधन था उनको यज्ञ बूझकर, यद्यपि बनावटी रूप से, इंद्र या अग्नि अथवा सोम से संबंधित करना। इस संदर्भ में यह उल्लेख्य है कि उषा प्रकृति देवी के रूप में सूर्य जैसी है, बिल्कुल पारदर्शक, यद्यपि वैदिक कवियों ने उसके मानवीय सौंदर्य के विशद वर्णन किए हैं।

भारत में प्राक् वैदिक अनार्यों के धर्म के प्रभावस्वरूप वैदिक आर्य धर्म में रुद्र के पौराणिक रूप का उद्भवन हुआ। इस देवता को मूल भारतीय शिव का आर्यीकृत रूप माना जा सकता है। किंतु जब शिव को वैदिक धर्म में रुद्र के रूप में अपना लिया गया तो उसके पूरे व्यक्तित्व के केवल एक भाग, मृत्यु एवं संहार के देवता के रूप को ही महत्व दिया गया। दूसरी ओर यम मानव जाति का जनक था (प्रजापति को परवर्ती वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र में महत्व प्राप्त हुआ), और मानव जाति के संरक्षण के लिये स्वमेव द्वारा यम मृत्यु के लिये पहला व्यक्ति भी हुआ। तदनंतर वह मानव जाति की उन सभी पीढ़ियों अर्थात् पितरों का स्वामी हुआ जो उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुईं। प्रसंगवश इस बात का भी संकेत किया जा सकता है कि यम के साम्राज्य के वर्णनों में स्वर्ग का वर्णन भी प्राप्त होता है, किंतु प्रारंभिक वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र में नरक का ज्ञान था, ऐसा नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार प्रारंभिक वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र में गंधर्व एवं अप्सराएँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, हालांकि ऋग्वेद के एक मंत्र में उर्वशी (दैवीय अप्सरा) और पुरूरवा (मानव राजा) की पौराणिक कथा का जिक्र है। लघु देवताओं में सूर्या के स्वामी 'ब्रह्मणस्पति' का विशेष महत्व है। इस संबंध में मनु, भृगु एवं अंगिरस जैसे पौराणिक ऋषियों का उल्लेख किया जा सकता है। वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र में व्रत-नियम-पूजा का शायद ही कोई संकेत हो किंतु दैवीय एवं अर्धदैवीय गुण कुछ पशुओं एवं जड़ पदार्थों में आरोपित किए गए हैं।

वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र के विषय में बताते हुए ब्राह्मणों में उल्लिखित अनेक पौराणिक कथाओं का उल्लेख भी किया जाना चाहिए, जैसे मनु एवं प्रलय, शुनःशेप और वरुण, यद्यपि इनमें कई बातें किन्हीं दूसरी बातों के गौरववर्धन या यज्ञ से संबंधित हैं। ब्राह्मणों में दो अत्यधिक प्रचलित पौराणिक अभिप्राय प्रजापति के तपस एवं देवासुरसंग्राम के हैं। उपनिषदों के अनेक दार्शनिक उपदेश भी इंद्र, विरोचन एवं उमा हैमवती की पौराणिक कथाओं के माध्यम से बताए गए हैं। [आर० एन० दां०]

वैदिक शाखाएँ शाखा मूलवस्तु से निकले हुए विभाग अथवा अंग को कहते हैं—जैसे वृक्ष की शाखा। वैदिक साहित्य के संदर्भ में वैदिक शाखा शब्द से उन विशेष परंपराओं का बोध होता है जो गुरु-शिष्य-प्रणाली, देशविभाग, उच्चारण की भिन्नता, काल एवं विशेष परिस्थितिजन्य कारणों से चार वेदों के भिन्न भिन्न पाठों के रूप में विकसित हुईं। उन्हें कभी कभी चरण भी कहा जाता है। इन शाखाओं का विवरण श्रौतसूत्र के चरणव्यूह और पुराणों में विशद रूप से मिलता है। वैदिक शाखाओं की संख्याएँ सब जगह एक रूप में दी गई हों, ऐसा नहीं। फिर, विभिन्न स्थलों में वर्णित सभी वैदिक शाखाएँ आजकल उपलब्ध भी नहीं हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १००, सामवेद की १००० तथा अथर्ववेद की ९ शाखाएँ बताई हैं। किंतु चरणव्यूह में उल्लिखित संख्याएँ इनसे भिन्न हैं। चरणव्यूह से ऋग्वेद की पाँच शाखाएँ ज्ञात होती हैं—शाकलायन, बाष्कलायन, आश्वलायन, शांखायन और माण्डूकायन। पुराणों से उसकी केवल तीन ही शाखाएँ ज्ञात होती हैं—शाकलायन, बाष्कलायन और माण्डूकायन। यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं—शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैं—माध्यंदिन और काण्व, जो क्रमशः उत्तर भारत और महाराष्ट्र में मिलती हैं। चरणव्यूह में कृष्ण यजुर्वेद की ८५ शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये चार ही उपलब्ध हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठलकठशाखा। किंतु कपिष्ठलशाखा कठ की ही एक उपशाखा है। कठशाखा पंजाब में तथा तैत्तिरीय और मैत्रायणी शाखाएँ क्रमशः नर्मदा नदी के निचले प्रदेशों एवं दक्षिण भारत में प्रचलित हुईं। वहाँ उनकी और भी उपशाखाएँ हो गईं। सामवेद की शाखासंख्या पुराणों में एक हजार बताई गई है। पतंजलि ने भी सामवेद को सहस्रवर्त्मा कहा है। भागवत, विष्णु और वायुपुराणों के अनुसार वेदव्यास के शिष्य जैमिनी हुए। उन्हीं के वंश में सुकर्मा हुए, जिनके दो शिष्य थे—एक हिरण्यनाभ कौशल्य, जो कोसल के राजा थे, और दूसरे पौष्यंजि। कोसल की स्थिति पूर्वी (वास्तव में उत्तर पूर्वी) भारत में थी और इस कारण हिरण्यनाभ से चलनेवाली ५०० शाखाएँ प्राच्य कहलाईं। पौष्यंजि से चलनेवाली ५०० शाखाएँ उदीच्य कहलाईं। अथर्ववेद की भी शाखाएँ मिलती हैं। उनके नाम हैं—पिप्पलाद, स्तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श तथा चारणवैद्य। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखाएँ हैं पिप्पलाद और शौनक। [वि० पा०]

वैद्युतमुद्रण (Electrotyping) वैसे तो अधिकांश मुद्रणमशीनें विद्युत् शक्ति से परिचालित होती हैं, परंतु वैद्युतमुद्रण, वस्तुतः, उस विधि का नाम है, जिससे विद्युत् की सहायता से टाइप (type) तैयार किए जाते हैं। सामान्यतः, मुद्रण के लिये दोहरे प्लेट (duplicate plates) बनाए जाते हैं और विद्युत् टाइप, जिसे इलेक्ट्रो (Electro) कहते हैं, मूल टाइप के स्थान पर लगा दिया जाता है। ये लकड़ी काट (wood cut) एवं लकड़ी की नक्शीकारी (wood engraving) के स्थान पर भी प्रयुक्त किए जाते हैं।

वैद्युतमुद्रण की विधि का आविष्कार एक जर्मन वैज्ञानिक, मोरिस जैकोबी, ने सन् १८३९ में किया, परंतु इसका व्यावहारिक प्रयोग करनेवाली मशीन पहले पहल अमरीका में सन् १८६२ में बनाई गई। वैद्युतमुद्रण के लिये पहले विद्युत् टाइप बनाना जाता है। यह विद्युत् अपघटन (electrolysis) द्वारा मूल काट (original cut) अथवा टाइप के साँचे (mould) पर ताम्र की पतली तह जमाने से बनाया जाता है। सबसे पुरानी और सस्ती विधि, मोम के साँचे बनाने की है। टाइप अथवा कट का, जिसकी प्रतिलिपि करनी हो, एक विशेष ढंग से साँचाकर इसके बराबर किए हुए

मोम में दबाया जाता है। इस साँचे के ठंडा होने पर उसमें चाँदी, अथवा ग्रेफाइट और पानी के छींटे दिए जाते हैं, जिससे साँचा विद्युत् का चालक बन जाए। तब साँचे को एक टंकी में, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और ताम्र सल्फेट का विलयन भरा होता है, डुबा दिया जाता है और विद्युत् के ऋण इलेक्ट्रोड से संबद्ध कर दिया जाता है। इस प्रकार ताँबे की एक पतली तह इस साँचे पर जम जाती है। इस पर सीसे की एक दूसरी तह जमाकर, टाइप बनाया जाता है। विशिष्ट कार्यों के लिये ताँबे के स्थान पर निकल का भी प्रयोग किया जाता है।

इस विधि से बनाए गए टाइप बहुत मजबूत और साफ होते हैं। जब किसी चीज को बार बार छापना हो, अथवा एक ही प्लेट बहुत से मुद्रकों के पास भेजनी हो, तो विद्युत् टाइप बहुत उपयोगी होते हैं। इस विधि का मुख्य लाभ टाइप को, जिनका अधिक व्यवहार में आने के कारण घिस जाना अवश्यंभावी है, क्षति से बचाना है। बंधुतमुद्रण द्वारा उपर्युक्त प्रकार से बनाए गए टाइपों से चार लाख प्रतियाँ कर पाना भी संभव है। इस प्रकार, मुद्रण के क्षेत्र में, बंधुतमुद्रण विधि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। [रा० कु० ग०]

वैधता विधि के अनुसार वैधता एक ऐसा संबंध है जिसमें बाध्यता का समावेश होता है। पुरुष और संतान का संबंध, पिता तथा पुत्र या पुत्री के रूप में उसका संबंध, पुरुष और स्त्री के संबंध पर आधारित है जिससे उस संतान की उत्पत्ति होती है। सभी सभ्य पद्धतियों में विवाह, जो भी इसका रूप हो, प्रामाणिक व्यवस्था है और उसे नैतिक तथा विधिक अनुमोदन प्राप्त है। विवाह के पूर्व की संतानोत्पत्ति अनुमोदित नहीं होती और संतान के लिये उत्तराधिकार से वंचित करनेवाली तथा माता के लिये निंदा की वस्तु मानी जाती है। उसी प्रकार विधवाओं की संतानें भी, मरणोपरांत उत्पन्न संतान को छोड़कर, समाज द्वारा घृणा की निगाह से देखी जाती हैं। जहाँ पति जीवित है लेकिन यदि संतान की उत्पत्ति उसकी माता तथा दूसरे पुरुष के अनुचित संबंध से होती है, तो वह कलंकर या वारक समझी जाती है। केवल उन्हीं संतानों को, जो वैध वैवाहिक बंधन से उत्पन्न होता है, वैधानिक स्थिति होती है और वे ही वैध समझी जाती हैं।

आंग्ल विधि के अंतर्गत, जो भारतवर्ष में स्वीकृत तथा अपनाई गई है, संतान की वैधता का सर्वमान्य प्रमाण तभी है जब उसकी उत्पत्ति उसकी माता तथा पुरुष के वैध विवाह से हुई हो या विवाह के विच्छेद के उपरांत की हो किसी दिन के भीतर अपनी माता तथा पिता से उसकी उत्पत्ति हुई हो जब तक यह न प्रमाणित हो जाए कि उनके बीच उसके उत्पत्तिकाल में कोई संबंध न हुआ हो। अनेक बार वैधता को प्रमाणित करने के लिये आवश्यकतानुसार कठिनाई न रखने के लिये कानून ने निम्नलिखित नियमों का एक कानूनी अनुमान निर्धारित किया है कि जब तक इसके विपरीत प्रमाणित न किया जाए, विवाह के काल में उत्पन्न सभी संतानें वैध मानी जाएँगी। यदि यह विवाह अनिवार्यतः न होता तो कानून के लिये कानूनी कोई पैतृक उत्पत्ति के संबंध में कुछ नहीं कहते थे। [illegible] विवाह [illegible] नहीं, [illegible] पिता

अवैधता का अन्य कोई प्रमाण स्वीकार्य नहीं हो सकता। यहाँ अभिप्राय, व्यापक रूप से, संभोग के अर्थ से है। इस प्रकार पति अपने को पिता या जनक न कहकर अपने पैतृक उत्तरदायित्व से वंचित नहीं हो सकता। विधि इसमें इतनी कठोर है कि वैध काल में उत्पन्न संतान के पितृत्व का भार उसे वहन करना पड़ता है, भले ही स्त्री वास्तव में विश्वासघात की अपराधिनी हो। यह तभी और पत्नी आपस में संभोग करते हों, उससे उत्पन्न संतान निश्चित रूप से वैध मानी जाती है।

इस विषय में हिंदू विधि आंग्ल विधि का अनुसरण करती है किंतु मुसलमान विधि के अंतर्गत वैधता भिन्न रीतियों से निर्धारित होती है। इसलाम विधि यह व्यवस्था देती है कि विवाह काल के छह माह के भीतर उत्पन्न संतान अवैध है जबतक कि पिता उसे अपनी संतान न स्वीकार करे या छह माह के उपरांत उत्पन्न संतान वैध है बशर्ते कि पिता उसे अस्वीकार न करे या विवाहविच्छेद के बाद दस चांद्र मासों के भीतर उत्पन्न संतान सुन्नी विधि के अंतर्गत वैध है और शिया विधि के अंतर्गत दो चांद्र वर्षों के भीतर। शफी और मालिकी विधि के अंतर्गत चार वर्ष के भीतर उत्पन्न संतान वैध है। इस विषय और अवधि के विस्तार तथा विभिन्नता के दो कारण दिए जाते हैं। एक तो यह कि प्रारंभिक इसलामी विधिवेत्ताओं को गर्भधारण या गर्भाधान के काल की कोई जानकारी थी तथा दूसरा था स्त्री और उससे उत्पन्न संतान की अयोग्यता एवं प्रतिष्ठा के बचाव के लिये मानवीय भावनाओं का आग्रह। मुसलमान विधि, जहाँ जानकारी न हो या कठिनाई आती हो, वहाँ पितृत्व के अधिकार को स्वीकार करती है।

हिंदू का अवैध पुत्र निर्वाहव्यय का अधिकारी है लेकिन उत्तराधिकार में संपत्ति के किसी भाग का अधिकारी नहीं है, किंतु यदि यदि अहिंदू हो तो उसकी संतान निर्वाहव्यय से भी वंचित हो जाएगी। अवैध पुत्री अपने पिता की संपत्ति पाने की अधिकारिणी नहीं है, यद्यपि वह अपनी माता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है। मुसलमान विधि के अंतर्गत सुन्नी पद्धति में यह अवस्था है कि अवैध संतान अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती लेकिन पुत्र या पुत्री माता की उत्तराधिकारिणी हो सकती है। लेकिन शिया पद्धति अवैध संतान को बाहरी व्यक्ति की दशा देती है और उसे पिता अथवा माता किसी से भी उत्तराधिकार में [illegible] पाने की अनुमति नहीं देती।

सभी पद्धतियों में वैध संतान अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है और साथ ही उसके ऋण के लिये भी उत्तरदायी है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात् तत्काल उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति का अधिकार पा जाता है और वह स्वयं के लिये उसे ग्रहण करता है, जब तक मृतपुरुष द्वारा कोई वसीयत नहीं हो जाता।

वैधानिक विधियों का ध्यान न रखते हुए माता के [illegible] मैजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह किसी अवैध संतान को अपनी संतानों को विवाह उचित समझे उसका अधिक [illegible] देने की आज्ञा दे, चाहे वे वैध हों या अवैध। [illegible]

ानों को अवाछनीय मार्ग से जीविका उपार्जन करने से रोकना है, ही पिता संरक्षण में उदासीन है या भरणपोषण का व्यय देना स्वीकार करता है। यदि कोई व्यक्ति आदेश होने पर उस आदेश पूर्ति बिना पर्याप्त कारण के नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट प्रत्येक से आदेश के उल्लंघन के लिये वारंट जारी कर सकता है और उसे द का दंड भी दे सकता है जो एक मास से अधिक का न होगा या र्वाहश्यक की अदायगी यदि इससे पहले हो जाय तो अदायगी ने तक का दंड दे सकता है। [एल० एन० मा०]

नेडियम (Vanadium) आवर्त सारणी के पंचम अवर्वर्ती समूह का पहला तत्व है। इसका केवल एक स्थायी समस्थानिक, जिसका द्रव्यमान ५१ है, प्राप्त है। कृत्रिम रूप से इससे चार रेडियो-क्रियिक समस्थानिक प्राप्त हुए हैं, जिनकी द्रव्यमानसंख्या ४७, ४८, ४९ और ५२ है।

सन् १८०१ में डेल रिओ (Del Rio) ने वैनेडाइट (Vanadite) खनिज में एक नए तत्व की खोज की, जिसका नाम उन्होंने एरिथ्रोनियम (Erythronium) रखा। १८३० ई० में स्कैंडिनेविया के वैज्ञानिक, सेफस्ट्रम (Sefstrom), ने इस तत्व के यौगिक को लौह के धातुमल से अलग किया। विलीन अवस्था में यह अनेक रंग प्रदर्शित करता था। इस कारण सेफस्ट्रम ने इस तत्व का नाम सुंदरता की देवी, वैनेडिस, के आधार पर वैनेडियम रखा। उसी वर्ष यह भी ज्ञात हुआ कि एरिथ्रोनियम और वैनेडियम एक ही तत्व हैं। बर्ज़ीलियस ने वैनेडियम तत्व और उसके यौगिकों के गुणधर्मों की भली प्रकार जाँच की।

पैट्रोनाइट (Patronite) वैनेडियम का मुख्य अयस्क है, जिसमें वैनेडियम सल्फाइड यौगिक उपस्थित रहता है। यह मुख्यकर दक्षिणी अमरीका के पेरू प्रदेश में पाया जाता है। कार्नोटाइट और वैनेडिनाइट द्वारा भी वैनेडियम प्राप्त किया जाता है।

वैनेडियम अयस्क (मुख्यकर पैट्रोनाइट) को सोडियम कार्बोनेट से समलित कर, जल द्वारा निष्कर्षित करते हैं। प्राप्त विलयन में अमोनियम क्लोराइड डालने पर अमोनियम वैनेडेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसे दहन कर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड प्राप्त हो सकता है तथा अन्य यौगिक भी प्राप्त हो सकते हैं।

वैनेडियम धातु अनेक अपचयन क्रियाओं द्वारा प्राप्त हो सकती है। वैनेडियम डाइक्लोराइड पर हाइड्रोजन गैस की क्रिया, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड पर विरल मृदा धातुओं के सम्मिश्रण द्वारा अपचयन, अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम वैनेडेट के विलयन के विद्युत् अपघटन द्वारा वैनेडियम धातु मिलती है।

गुणधर्म — वैनेडियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है। इसके प्रधान भौतिक गुणधर्म ये हैं : संकेत वै (V), परमाणु संख्या २३, परमाणु भार ५०.९४, गलनांक १७३५° सें०, क्वथनांक ३,४००° सें० तथा आपेक्षिक घनत्व ५.९६ हैं।

वैनेडियम वायु में अप्रभावित रहता है। इसपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शीतल सल्फ्यूरिक अम्ल, विलेय क्षार या शीतल जल द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है। वैनेडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गरम सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर, हरा विलयन बनाता है। वैनेडियम पर पिघला कॉस्टिक पोटैश, या पोटैशियम नाइट्रेट, क्रिया कर पोटैशियम वैनेडेट बनाते हैं।

यौगिक — वैनेडियम के २, ३, ४ और ५ संयोजकता के यौगिक बनते हैं। वैनेडियम के ५ संयोजकता के यौगिक अपचयन द्वारा क्रमशः ४, ३ तथा २ संयोजकता की अवस्था में आते हैं। इस क्रिया द्वारा विलयन के रंग में अनेक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि प्रत्येक संयोजित अवस्था के विभिन्न रंग हैं (२ का गहरा बैंगनी, ३ का हरा, ४ का नीला, ५ का पीला या नारंगी)।

वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, (V_2O_5), अमोनियम वैनेडेट के ज्वलन द्वारा, पीले-लाल रंग के क्रिस्टल के रूप में बनता है। यह क्षार में घुलकर वैनेडेट यौगिक बनाता है। इसके द्वारा अनेक जटिल यौगिक बनाए गए हैं। इसके मंद अपचयन के फलस्वरूप नीला रंग लिये वैनेडियम ट्रैटऑक्साइड (V_2O_4) बनेगा। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, (V_2O_5), का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर काले रंग का वैनेडियम ट्राइऑक्साइड, (V_2O_3), बनता है। इसके द्वारा और त्रिसंयोजी यौगिक बनाए जाते हैं। इन ऑक्साइडों को पोटैशियम द्वारा अपचयित कर, वैनेडस ऑक्साइड, (VO) बनाया जाता है। वैनेडस ऑक्साइड और वैनेडिक-ऑक्साइड (V_2O_3) में क्षारीय गुण प्रधान हैं।

वैनेडियम ट्राइसल्फेट, [$V_2(SO_4)_3$], अमोनियम या अन्य क्षारीय सल्फेटों से मिलकर, वैनेडियम ऐलम बनाता है। क्लोरीन के साथ इसके तीन क्लोराइड ज्ञात हैं। वैनेडस यौगिक तीव्र अपचायक (reductors) होते हैं।

उपयोग — इस्पात उद्योग में वैनेडियम धातु का बहुत उपयोग होता है। इस निमित्त एक मिश्रधातु फेरोवैनेडियम (Ferrovanadium) लौह वैनेडेट के अपचयन द्वारा बनाई जाती है। इस्पात में वैनेडियम की सूक्ष्म मात्रा डालने से इस्पात की दृढ़ता और चीमड़पन बहुत बढ़ जाता है। वैनेडियम यौगिक अनेक रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं। इसके कुछ यौगिक कृमिनाशक हैं तथा चिकित्सा में उपयोग में आते हैं। [र० चं० क०]

वैमानिक आक्रमण का तात्पर्य वायुमार्ग से धरती पर स्थित शत्रु पर, मुख्यतः नगर में स्थित शत्रु पक्ष की असैनिक आबादी पर, हमला करना है। हवाई बमबारी का सूत्रपात प्रथम विश्वयुद्ध में हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मन अधिकारियों को ज़ेप्लिन (zeppelin) वायुपोतों से बड़ी उम्मीदें थीं। १९१५ ई० में जर्मनी की नौसेना ने लंदन पर खुला हमला करने की अनुमति माँगी और उसे अनुमति मिल गई। १९ जनवरी, १९१५ ई० के दिन ग्रेट ब्रिटेन में स्थित नॉरफॉक (Norfolk) नामक स्थान पर पहला वैमानिक आक्रमण हुआ। फिर तो वैमानिक आक्रमणों का सिलसिला चला और टाइन (Tyne), साउथैंड और मई, १९१५ ई० में लंदन पर भी, हमला हुआ। अक्टूबर, १९१५ ई० में ब्रिटेन पर गंभीर वैमानिक आक्रमण हुए। १९१७ ई० तक ज़ेप्लिन के आक्रमण कुल ५२ बार हुए। कुल ५,८०६ बम, जिनका वजन लगभग १९६ टन आँका गया है, गिराए गए, जिनके फलस्वरूप ५७७ व्यक्ति मरे और १,३१८ आहत [illegible]। संपत्ति की हानि अनमय

मोम मे दबाया जाता है। इस साँचे के ठंडा होने पर उसमें चाँदी, अथवा ग्रेफाइट और पानी के छींटे दिए जाते हैं, जिससे साँचा विद्युत् का चालक बन जाए। उस साँचे को एक टंकी में, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और ताम्र सल्फेट का विलयन भरा होता है, डुबा दिया जाता है और विद्युत् के ऋण इलेक्ट्रोड से संबद्ध कर दिया जाता है। इस प्रकार तांबे की एक पतली तह इस साँचे पर जम जाती है। इस पर सीसे की एक दूसरी तह जमाकर, टाइप बनाया जाता है। विशिष्ट कार्यों के लिये तांबे के स्थान पर निकल का भी प्रयोग किया जाता है।

इस विधि से बनाए गए टाइप बहुत मजबूत और साफ होते हैं। जब किसी चीज को बार बार छापना हो, अथवा एक ही प्लेट बहुत से मुद्रकों के पास भेजनी हो, तो विद्युत् टाइप बहुत उपयोगी होते हैं। इस विधि का मुख्य लाभ टाइप को, जिनका अधिक व्यवहार मे आने के कारण घिस जाना अवश्यंभावी है, क्षति से बचाना है। वैद्युतमुद्रण द्वारा उपर्युक्त प्रकार से बनाए गए टाइपों से चार लाख प्रतियाँ कर पाना भी संभव है। इस प्रकार, मुद्रण के क्षेत्र मे, वैद्युतमुद्रण विधि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। [रा० कु० ग०]

वैधता विधि के अनुसार वैधता एक ऐसा संबंध है जिसमें वाध्यता का समावेश होता है। पुरुष और संतान का संबंध, पिता तथा पुत्र या पुत्री के रूप मे उसका संबंध, पुरुष और स्त्री के संबंध पर आधारित है जिनसे उस संतान की उत्पत्ति होती है। सभी सभ्य पद्धतियो मे विवाह, जो भी इसका रूप हो, प्रामाणिक व्यवस्था है और उसे नैतिक तथा विधिक अनुमोदन प्राप्त है। विवाह के पूर्व की संतानोत्पत्ति अनुमोदित नहीं होती और संतान के लिये उत्तराधिकार से वंचित करनेवाली तथा माता के लिये निंदा की वस्तु मानी जाती है। उसी प्रकार विधवाओं की संतानें भी, मरणोपरांत उत्पन्न संतान को छोड़कर, समाज द्वारा घृणा की निगाह से देखी जाती हैं। जहाँ पति जीवित है लेकिन यदि संतान की उत्पत्ति उसकी माता तथा दूसरे पुरुष से अनुचित संबंध से होती है, तो वह वर्णसंकर या जारज समझी जाती है। केवल उन्ही संतानों की, जो वैध वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होता है, वैधानिक स्थिति होती है और वे ही वैध समझी जाती हैं।

आंग्ल विधि के अंतर्गत, जो भारतवर्ष में स्वीकृत तथा अपनाई गई है, संतान की वैधता का सर्वमान्य प्रमाण तभी है जब उसकी उत्पत्ति उसकी माता तथा पुरुष के वैध विवाह से हुई हो या विवाह के विच्छेद के उपरांत दो सौ अस्सी दिन के भीतर अपनी माता तथा पिता से उसकी उत्पत्ति हुई हो जब तक यह न प्रमाणित हो जाय कि उभय पक्ष के बीच उसके उत्पत्तिकाल में कभी संपर्क न हुआ हो। प्रत्येक वाद में वैधता को प्रमाणित करने के निमित्त व्यावहारिक कठिनाई से बचने के लिये कानून ने निष्कर्ष निकालने का एक सरल उपाय प्रदान किया है कि जब तक इसके विपरीत प्रमाण न दिया जाय, विवाह के काल में उत्पन्न सभी संतानें वैध मान ली जाएँगी। यदि यह सिद्धांत प्रतिपादित न होता तो समाज के लिये अपने सीधे सादे लोगों की पैतृक उत्पत्ति के संबंध में खोज बीन करते रहने की व्यर्थ की झंझट में फँसे रहने की संभावना थी। पति का पत्नी के साथ सहयोग हुआ ही नहीं, इसके सिवा अवैधता का अन्य कोई प्रमाण स्वीकार्य नहीं हो सकता। यह अभिप्राय, व्यापक रूप से, संभोग के अर्थ से है। इस प्रकार का पति अपने को पिता या जनक न कहकर अपने पैतृक उत्तरदायित्व से वंचित नहीं हो सकता। विधि इसमें इतनी कठोर है कि संतान काल में उत्पन्न संतान के पितृत्व का भार उसे वहन करना, भले ही स्त्री व्यभिचार में विश्वासघात की अपराधिनी हो। यदि पति और पत्नी आपस में संभोग करते हों, उससे उत्पन्न संतान किसी रूप से वैध मानी जाती है।

इस विषय में हिंदू विधि आंग्ल विधि का अनुसरण करती है किंतु मुसलमान विधि के अंतर्गत वैधता भिन्न रीतियों से निर्धारित होती है। इसलाम विधि यह व्यवस्था देती है कि विवाह काल के माह के भीतर उत्पन्न संतान अवैध है जबतक कि पिता उसे संतान न स्वीकार करे या छह माह के उपरांत उत्पन्न संतान वैध बशर्ते कि पिता उसे अस्वीकार न करे या विवाहविच्छेद के उपरांत दस चांद्र मासों के भीतर उत्पन्न संतान सुन्नी विधि के अंतर्गत वैध है और शिया विधि के अंतर्गत दो चांद्र वर्षों के भीतर। हनफी और मालिकी विधि के अंतर्गत चार वर्ष के भीतर उत्पन्न संतान वैध है। इस विषय और अवधि के विस्तार तथा भिन्नता के दो कारण दिए जाते हैं। एक तो यह कि प्रारंभिक इसलामी विधिवेत्ताओं को गर्भधारण या गर्भाधान के काल की पूर्ण जानकारी थी तथा दूसरा था स्त्री और उसके उत्पन्न संतान की अयोग्यता एवं प्रतिष्ठा के बचाव के लिये मानवीय भावनाओं का आग्रह। मुसलमान विधि, जहाँ जानकारी न हो या कठिनता संभव हो, वहाँ पितृत्व के अधिकार को स्वीकार करती है।

हिंदू का अवैध पुत्र निर्वाहव्यय का अधिकारी है लेकिन उत्तराधिकार मे संपत्ति के किसी भाग का अधिकारी नहीं है, किंतु यदि अहिंदू हो तो उसकी संतान निर्वाहव्यय के भी अधिकारी नहीं आएगी। अवैध पुत्री अपने पिता की संपत्ति पाने की अधिकारिणी नहीं है, यद्यपि वह अपनी माता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है। मुसलमान विधि के अंतर्गत सुन्नी पद्धति में यह व्यवस्था है कि अवैध संतान अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती लेकिन पुत्र या पुत्री माता की उत्तराधिकारिणी हो सकती है। लेकिन शिया पद्धति अवैध संतान को बाहरी व्यक्ति की तरह देखती और उसे पिता अथवा माता किसी से भी उत्तराधिकार में संपत्ति पाने की अनुमति नहीं देती।

सभी पद्धतियो मे वैध संतान अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी है और साथ ही उसके ऋण के लिये भी उत्तरदायी है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात् तत्काल उत्तराधिकारी के रूप मे संपत्ति का अधिकार आ जाता है और वह स्वामी के रूप में उसे ग्रहण करता है, जब तक मृत्युपत्र द्वारा भुगतान नहीं हो जाता।

वैयक्तिक विधियों का ध्यान दंड संहिता मैजिस्ट्रेट को अपनी संतानों को जितना देने की आज्ञा दे, चाहे वे

७२६ के चार्टर द्वारा प्रेसीडेंसी वाले तीनों नगरों में मेयर के न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। इन न्यायालयों द्वारा जिस विधि को व्यवहार में लाने का विचार था वह इंग्लैंड की विधि थी जो देशजों तथा विदेशियों दोनों पर समान रूप से लागू होती थी। इसके कारण लोगों को कठिनाई हुई और यह प्रश्न उठा कि इंग्लैंड की व्यवहार विधि को भारतीयों पर लागू किया जाए या नहीं। १७५३ के चार्टर में इस बात की स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई थी कि मेयरों के न्यायालयों को भारतीयों के आपसी अभियोगों की सुनवाई तब तक नहीं करनी है जब तक दोनों पक्ष अपनी सहमति से इन अभियोगों को मेयरों के न्यायालयों के निर्णय के लिये प्रस्तुत न करें। इस व्यवस्था के बारे में मोरले द्वारा यह कहा गया है कि यह उनकी अपनी विधियों का प्रथम आरक्षण है। इस व्यवस्था के सिद्धांत को वारेन हेस्टिंग्ज ने अपना लिया और १७७२ की योजना में यह व्यवस्था की गई कि दाय, विवाह, जाति और अन्य धार्मिक प्रथाओं अथवा विधिसूत्रों संबंधी सभी मामलों में, मुसलमानों के लिये कुरान की विधि और हिंदुओं के लिये शास्त्रों में दी गई विधि का सदा ही अवलंबन किया जाएगा। ऐसे कानून का उद्देश्य यह था कि भारत के लोगों को अपने पूर्वजों की उन विधियों के अधीन रहने का एक अवसर दिया जाए जिनके वे अभ्यस्त थे और जिनके साथ उनका अनेक प्रकार से गठबंधन था। हेस्टिंग्ज को यह विश्वास हो गया था कि बाह्य वैधिक प्रणाली पर आधारित किसी संहिता को लादने से भारी असफलता का सामना करना पड़ेगा।

इस योजना का विशेष पहलू इसका सीमित स्वरूप है। वैयक्तिक विधि को केवल विशेष विषयों, जैसे दाय, विवाह, जाति और धार्मिक विधिसूत्रों तक ही सीमित रखा गया था। इसके अतिरिक्त हिंदू और मुसलमान विभिन्न अप्रदायों तथा उपसंप्रदायों में विभक्त हैं। हिंदू विभिन्न समूहों में, जैसे सिख, जैन और बौद्ध में बंटे हुए हैं। मुसलमानों के शीया और सुन्नी ये दो मुख्य संप्रदाय हैं। शीया विधि तथा सुन्नी विधि में काफी भिन्नता है। जहाँ तक उनपर उनकी वैयक्तिक विधि के लागू किए जाने का संबंध था, यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी कि इन विभिन्न संप्रदायों की क्या स्थिति रहेगी। कालांतर में ऐसे प्रश्न उठे और उनका निपटारा केवल न्यायालयों द्वारा किया गया था। राजा दीदार हुसैन बनाम रानी जुहूरुन्नुसा के मामले में प्रिवी कौंसिल ने यह व्यवस्था दी थी कि शीया लोग अपनी शीया विधि के अनुसार न्याय प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

हेस्टिंग्ज की १७७२ की व्यवस्था को, जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिये वैयक्तिक विधि विहित की गई थी, केवल अंग्रेज न्यायाधीशों की सहायता से कार्यरूप देना असंभव हो जाता क्योंकि वे भारतीय भाषाओं, भारतीयों के अभ्यासों और उनकी रूढ़ियों से अपरिचित थे और उन्हें इन विधियों का कोई ज्ञान नहीं था। अतः हेस्टिंग्ज ने न्यायिक प्रणाली को चलाने के लिये इन न्यायाधीशों को उन भारतीय विधि अधिकारियों, काजियों और पंडितों की सहायता उपलब्ध कराई जिनका काम इन विधियों के सिद्धांतों की व्याख्या उन न्यायाधीशों के समक्ष करना था। अंग्रेज न्यायाधीशों ने उन भारतीय विधि अधिकारियों का कभी विश्वास नहीं किया जिनके बारे में यह समझा जाता था कि वे भ्रष्टाचार कर सकते हैं और रिश्वत ले सकते हैं। इस संबंध में केवल एक यही चारा रह गया था कि अनुभवी तथा योग्य भारतीय विधिशास्त्रियों की सहायता से हिंदू तथा मुस्लिम विधि के पूर्ण निबंध तैयार करके उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाए। अतः हिंदू तथा मुस्लिम विधि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने तथा उनकी परिभाषा करने के प्रयत्न किए गए। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप पहले पहल हिंदू विधि संबंधी हेलहीड की संहिता तैयार हुई। इसी प्रकार अरबी के 'हिदाया' का फारसी रूपांतर तैयार किया गया जिसका अंग्रेजी अनुवाद श्री हैमिलटन ने तैयार किया। इसी प्रकार सर्व श्री. वैयक्तिक विधि के संबंध में अंग्रेजों के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा रचित कई अन्य उत्तम पुस्तकें सामने आईं।

परंतु दंड विधि के क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं किए गए। मुस्लिम दंड विधि में, जो उस समय लागू थी, भारी परिवर्तन किए गए और यह विधि दंडसंहिता, १८६० तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६१ के प्रवर्तन तक लागू रही। इन अधिनियमों ने उस समय विद्यमान दंडविधियों को निष्प्रभावी कर दिया और ये अधिनियम जाति, पंथ और धर्म के भेदभाव के बिना सभी पर लागू कर दिए गए।

हालांकि हिंदुओं तथा मुसलमानों की विधियों को विवाह, दत्तक-ग्रहण, दाय आदि मामलों में बनाए रखा गया था, तथापि यह अनुभव किया गया कि हिंदू विधि की प्राचीन प्रणाली बदलते हुए जमाने के अनुकूल नहीं है। अतः कई ऐसे कानून बनाए गए जिनके द्वारा वैयक्तिक विधियों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बना दिया गया। इस संबंध में हिंदू विधि में संशोधन करनेवाला पहला महत्वपूर्ण अधिनियम वह था जिसमें 'सती' प्रथा की समाप्ति की व्यवस्था की गई। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये कई कानून बनाए गए। १८५६ में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा हिंदू विधवा के पुनर्विवाह को वैध बना दिया गया। १८७२ के विशेष विवाह अधिनियम ने ऐसे हिंदुओं को इस अधिनियम के अधीन विवाह करने योग्य बना दिया जो यह घोषणा करें कि वे हिंदू धर्म को नहीं मानते। इस अधिनियम में १९२३ में संशोधन हुआ और अपने आपको हिंदू माननेवाले व्यक्तियों को भी इसके अनुसार विवाह करने के योग्य बना दिया गया। १९३७ के आर्य विवाह वैधीकरण अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि ऐसे व्यक्तियों के बीच सभी विवाह वैध होंगे जो विवाह के समय आर्यसमाजी होंगे चाहे विवाह से पूर्व वे भिन्न जातियों के हों अथवा भिन्न धर्म को मानते रहे हों। इन विधियों के द्वारा विवाह संबंधी कठोर हिंदू विधियों में परिवर्तन कर दिया गया। १९४६ के हिंदू विवाहिता पृथक् निवास तथा पोषण अधिकार अधिनियम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में हिंदू विवाहिता निवास तथा पोषण का अधिकार दे दिया गया। १९५० के हिंदू विधवा अभिलाभ अधिनियम ने हिंदू अविभक्त परिवार के एक

के अधिकारों की उस संपत्ति के बारे में परिभाषा की गई है जो उसने अपनी विद्या के बल पर अर्जित की हो।

दाय के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन किए गए। हिंदू दाय (निर्योग्यता निराकरण) अधिनियम द्वारा कतिपय अनर्ह वारिसों का दाय से अपवर्जन संबंधी हिंदू विधि के नियम में संशोधन किया गया। १९२९ के हिंदू दाय विधि (संशोधन) अधिनियम द्वारा मिताक्षरा विधि के अधीन उत्तराधिकार के क्रम में परिवर्तन किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि किसी पुत्रहीन हिंदू पुरुष की संपदा के लिये उत्तराधिकारी के रूप में दूर गोत्रीय की अपेक्षा कतिपय निकट बंधु को वरीयता दी जाएगी। १९३७ के हिंदू स्त्री संपत्ति अधिकार अधिनियम द्वारा सहभागता, बँटवारे और दाय से संबंधित हिंदू विधि में संशोधन किया गया तथा स्त्रियों को और अधिक अधिकार दिए गए।

इन अधिनियमों ने हिंदू विधि की रूढ़िवादी प्रणाली को अनेक दृष्टियों से प्रभावित किया परंतु कोई उग्र परिवर्तन नहीं किए जा सके। अंग्रेज प्रशासक वैयक्तिक विधियों में परिवर्तन करने से डरते थे। उनका विचार था कि दाय, विवाह आदि से संबंधित विधियों में हस्तक्षेप करने पर यह समझा जाएगा कि देशजों के धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है क्योंकि दोनों का निकट संबंध है और देशजों में इससे खीज पैदा हो सकती है परंतु स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् स्थिति बदल गई। वैयक्तिक विधियों के संहिताकरण के लिये कई ठोस कारण थे। हिंदू विधि पर विचार करने के लिये १९४१ में एक समिति नियुक्त की गई। इसने यह सिफारिश की कि विधि को क्रमिक अवस्थाओं में संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। १९४४ में राव समिति नामक एक अन्य समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संहिता का एक प्रारूप उपस्थित किया। हिंदू विधि विधेयक को, जो एक लंबे अर्से तक संसद् के समक्ष रहा, कड़े विरोध के कारण छोड़ दिया गया। अततोगत्वा यह निश्चय किया गया कि अपेक्षित विधान को किस्तों में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ में बनाया गया तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण तथा पोषण अधिनियम १९५६ में पारित किए गए।

हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा हिंदुओं में विवाह संबंधी विधि में संशोधन किया गया तथा इसे संहिताबद्ध किया गया। इसके द्वारा वैध हिंदू विवाह की शर्तों तथा अपेक्षाओं को भी सरल कर दिया गया है। इसके द्वारा द्विविवाह को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन, न्यायिक पृथक्करण और विवाह तथा तलाक की नास्तित्वता संबंधी नियम भी इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए।

१९५६ के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा हिंदुओं में इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार संबंधी नियमों में उग्र परिवर्तन किए गए हैं। इस अधिनियम में दाय की एक समान प्रणाली की व्यवस्था की गई है और यह मिताक्षरा तथा दाय भाग द्वारा विनियमित व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। मिताक्षरा द्वारा स्वीकृत वारिसों की तीन श्रेणियाँ, जैसे गोत्रज सपिंड, समानोदक और बंधु तथा दायभाग द्वारा स्वीकृत वारिसों की तीन श्रेणियाँ सपिंड, गोत्रज और बंधु अब नहीं रही हैं। अब वारिसों को चार प्रवर्गों में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार हैं (१) अनुसूची के वर्ग १ में दिए गए वारिस, (२) अनुसूची के वर्ग २ में दिए गए वारिस, (३) गोत्रीय, तथा (४) अन्य गोत्रीय। अवयस्क संपत्ति अनुसूची के वर्ग १ में दिए गए वारिसों को मिलती है। और यदि ऐसा कोई वारिस न हो तो दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ग के वारिसों को मिलती है। अब पुरुष तथा स्त्री वारिस समान समझे जाने लगे हैं। हिंदू स्त्रियों की सीमित संपदा को समाप्त कर दिया गया है और हिंदू स्त्री द्वारा पूर्ण संपत्ति उसकी अपनी (एक मात्र उसकी) संपत्ति होगी। उस अधिनियम द्वारा संयुक्त संबंधी उत्तराधिकार से संबंधित कानून में भी संशोधन कर दिया गया है।

हिंदू दत्तक ग्रहण तथा पोषण अधिनियम के द्वारा दत्तक ग्रहण तथा पोषण की विधि को संहिताबद्ध किया गया है। पिछली विधि के अनुसार पुत्री को गोद नहीं लिया जा सकता था परंतु इस अधिनियम में लड़कों तथा लड़कियों दोनों के गोद लिए जाने की व्यवस्था है। इस अधिनियम द्वारा एक हिंदू स्त्री को भी स्वाधिकार से गोद लेने का अधिकार दिया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त अधिनियमों से हिंदू विधि की रूढ़िवादी प्रणाली में भारी परिवर्तन हुआ है।

वारेन हेस्टिंग्ज की १७७२ की योजना में दाय, विवाह, जाति और अन्य धार्मिक प्रथाओं संबंधी सभी मामलों में मुसलमानों पर कुरान की विधियों को लागू करने के लिये व्यवस्था की गई थी। कानून द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों के अलावा यह योजना आज भी बहुत कुछ वैसी ही है। इस संबंध में पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन १९१३ के वक्फ अधिनियम द्वारा किया गया।

१९३७ में शरीयत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य यह था कि सभी मुस्लिम सम्प्रदायों के लिये मुस्लिम विधि को पुनः स्थापित किया जाए। खोजा तथा मेमन जैसे कुछ सम्प्रदाय ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को ग्रहण कर लिया था। धर्मपरिवर्तन के पश्चात् भी इन सम्प्रदायों ने हिंदू विधि को पूर्णतः नहीं छोड़ा था। कुछ मामलों के बारे में उनका विनियमन हिंदू विधि द्वारा होता था क्योंकि वह उनकी रूढ़िविधि थी। १९३७ के शरीयत अधिनियम द्वारा ऐसी रूढ़ि का निराकरण कर दिया गया। अब यह अधिनियम प्रत्येक मुसलमान पर लागू होता है चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय का हो। इसके दो वर्ष पश्चात् एक अन्य अधिनियम, मुस्लिम विवाहविच्छेद अधिनियम, १९३९ पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुस्लिम पत्नी को अपने पति से न्यायिक रूप से अलग रहने के बारे में अधिकार दिया गया। इन अधिनियमों से मुस्लिम विधि में किसी हद तक परिवर्तन तो हुआ, परंतु जो परिवर्तन हुए हैं, वे अपर्याप्त हैं। जब प्राचीन प्रणाली विकसित हुई थी तब समाज आधुनिक भारतीय समाज से भिन्न था। अब सामाजिक वातावरण तथा आर्थिक परिस्थितियाँ

वर्तन हो जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस विधि नियम आज की सामाजिक परिस्थितियों से मेल न खाते हों। तः इस विधि में ऐसा परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है आज की परिस्थितियों, आवश्यकताओं और वाञ्छनीयताओं योगी सिद्ध हो सके। [क० कि० पो०]

क दर्शन जीवन का मुख्य लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति या ी आत्यंतिक निवृत्ति। यह 'आत्मदर्शन' से ही होता है। 'आत्मा ट द्रष्टव्य.', यह भारतीय दर्शनों का तथा धर्म का भी लक्ष्य स लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग भी एक ही है—'नान्यः पथा यनाय'। इसलिये आत्मा को देखने का प्रयत्न करते हुए ो लोगों ने अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न समय में नों के द्वारा प्राप्त अपने अपने अनुभवों को नियमबद्ध किया। नुभवों को उनके विषय के अनुसार संकलित कर और उन्हें भिन्न नाम देकर आचार्यों ने भिन्न भिन्न दर्शनों को प्रवर्तित । इन दर्शनों की संख्या अनियत है और अनंत हो सकती है।

प्रत्येक प्रसिद्ध भारतीय दर्शन इसी दर्शनमार्ग का एक एक मस्थान है। प्रत्येक विश्रामस्थान से स्वतंत्र रूप में परमतत्त्व ोज की गई है। अतएव एक दर्शन दूसरे दर्शन से भिन्न है। दृष्टिकोण के भेद से परस्पर भेद होना स्वाभाविक किंतु इनमें परस्पर वैमनस्य नहीं है। कोरक से क्रमशः विकसित के समान सोपान की क्रमिक बढ़ती हुई परंपरा में लक्ष्य की ा जाते हुए दर्शनों में एक आगे है, और एक पीछे है। सभी एक ाय के पथिक हैं।

भारतीय दर्शनों का एक विशिष्ट दर्शन — इसके नामकरण ो कारण कहे जाते हैं — (१) प्रत्येक नित्य द्रव्य को पर पृथक् करने के लिये तथा प्रत्येक तत्त्व के वास्तविक रूप को पृथक् पृथक् जानने के लिये इन्होंने एक 'विशेष' नाम पदार्थ माना है (२) तथा 'द्वित्व', 'पाकजोत्पत्ति' एवं 'विभा- विभाग' इन तीन बातों में इनका अपना विशेष मत है इसमें ये दृढ़ हैं। अभिप्राय यह है कि वैशेषिक दर्शन व्यावहारिक ों का विचार करने में संलग्न रहने पर भी स्थूल दृष्टि से या व्यवहारतः समान रहने पर भी, प्रत्येक वस्तु दूसरे से भिन्न इसके परिचायक एक मात्र 'विशेष' पदार्थ को इन्होंने माना । इसलिये इस शास्त्र को 'वैशेषिक' शास्त्र या दर्शन कहते हैं। य शास्त्रों ने इस बात का विवेचन नहीं किया है। इन्हीं कारणों इस दर्शन को 'वैशेषिक दर्शन' कहते हैं।

[illegible] तथा न्याय ये दो [illegible] 'समानतंत्र' हैं। व्यावहारिक [illegible] वास्तविक [illegible] जगत् तथा अंतर्जगत् की [illegible] निष्ठ [illegible] । बाह्य जगत् मानसिक- [illegible] र निर्भर [illegible] है।

[illegible] के [illegible] को सबसे [illegible] ने [illegible] ये। ये [illegible]

[illegible] का [illegible] ती [illegible] कलाव' [illegible] । [illegible] ना [illegible] है,

इसलिये इन्हें 'कणाद' कहते हैं। किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे और रात्रि को कणों का संग्रह करते थे। यह वृत्ति 'उलूक' पक्षी की है। किसी का कहना है कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उलूक पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया। इन्हीं कारणों से यह दर्शन 'औलूक्य', 'काणाद', वैशेषिक' या 'पाशुपत' दर्शन के नामों से प्रसिद्ध है।

आत्मदर्शन के लिये विश्व की सभी छोटी बड़ी, तात्त्विक तथा तुच्छ वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इन तत्त्वों के ज्ञान के लिये प्रमाणों की अपेक्षा होती है। न्यायशास्त्र में प्रमाण का विशेष विचार है, किंतु वैशेषिक में मुख्य रूप से प्रमेय का विचार है।

वैशेषिक दर्शन के मुख्य ग्रंथ कणादसूत्र, उसकी टीका भाष्य (रावण) कटंदी, वृत्ति – उपस्कार (शंकर मिश्र १५वीं सदी), वृत्ति, भाष्य (चंद्रकांत २०वीं सदी), विवृति (जयनारायण २० वीं सदी), पदार्थ-धर्म-संग्रह (प्रशस्तदेव, ४ थी सदी के पूर्व), उसकी टीका 'व्योमवती' (व्योमशिवाचार्य, ८ वीं सदी), 'किरणावली' (उदयनाचार्य १० वीं सदी), 'कंदली' (श्रीधराचार्य, १० वीं सदी), वल्लभाचार्य न्यायलीलावती (१२ वीं सदी), कणाद रहस्य, सप्तपदार्थी, तार्किकरक्षा आदि अनेक मूल तथा टीका रूप ग्रंथ हैं।

पठन पाठन में विशेष प्रचलित न होने के कारण वैशेषिक सूत्रों में अनेक पाठभेद हैं तथा त्रुटियाँ भी पर्याप्त हैं। मीमांसासूत्रों की तरह इसके कुछ सूत्रों में पुनरुक्तियाँ हैं — जैसे 'सामान्यविशेषाभावेच' (४ बार) 'सामान्यतोदृष्टाच्चा विशेष' (२ बार), 'तत्त्व भावेन' (४ बार), 'द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते' (३ बार), 'संदिग्ध-स्तूपचारः' (२ बार)।

वैशेषिकों के स्वरूप, वेष तथा आचार आदि नैयायिकों की तरह होते हैं; जैसे, ये लोग शैव हैं, इन्हें शैवी दीक्षा दी जाती थी। इनके चार प्रमुख भेद हैं — शैव, पाशुपत, महाव्रतधर, तथा कालमुख एवं भरट, भल्लर, आदि गौण भेद हैं। वैशेषिक विशेष रूप से 'पाशुपत' कहे जाते हैं। (षड्दर्शनसमुच्चय, गुणरत्न की टीका न्याय वैशेषिक मत। इस ग्रंथ से अन्य आचारों के संबंध में ज्ञान हो सकता है)।

यहाँ स्मरण कराना आवश्यक है कि न्याय की तरह वैशेषिक भी लौकिक दृष्टि ही से विश्व के वास्तविक तत्त्वों का दार्शनिक विचार करता है। लौकिक जगत् की वास्तविकी परिस्थिति की उपेक्षा वह कभी नहीं करता, तथापि जहाँ किसी तत्त्व का विचार बिना सूक्ष्म दृष्टि का हो नहीं सकता, वहाँ किसी प्रकार अतीन्द्रिय, अदृष्ट, सूक्ष्म, योगज आदि हेतुओं की दुहाई देकर अपना कार्य सिद्ध कर लेना इन लोगों का स्वभाव है, अन्यथा उनके विचार पूर्ण हो नहीं सकते; जैसे, परमाणु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन आदि पदार्थों का स्वीकार करना।

वैशेषिक मत में समस्त विश्व 'भाव और अभाव' इन दो विभागों में विभाजित है। इनमें 'भाव' के छह विभाग किए गए हैं, जिनके नाम हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, तथा समवाय। अभाव

के चार भेद हैं—प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव तथा अन्योन्याभाव। इनके लक्षण आदि नीचे दिए जाते हैं :

(१) द्रव्य — जिसमें 'द्रव्यत्व जाति' हो वही द्रव्य कहलाता है। कार्य के समवायिकरण को द्रव्य कहते हैं। गुणों का आश्रय द्रव्य होता है। पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मनस् ये नौ 'द्रव्य' कहलाते हैं। इनमें से प्रथम चार द्रव्यों के नित्य और अनित्य दो भेद हैं। नित्यरूप को 'परमाणु' तथा अनित्य रूप को कार्य कहते हैं। चारों भूतों के उस हिस्से को 'परमाणु' कहते हैं जिसका पुन भाग न किया जा सके, अतएव यह नित्य है। पृथ्वी-परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के गुण भी नित्य हैं।

जिसमें गंध हो वह 'पृथ्वी', जिसमे शीत स्पर्श हो वह 'जल' जिसमे उष्ण स्पर्श हो वह 'तेजस्', जिनमें रूप न हो तथा अग्नि के संयोग से उत्पन्न न होनेवाला, अनुष्ण और अशीत स्पर्श हो, वह 'वायु', तथा शब्द जिसका गुण हो अर्थात् शब्द का जो समवायिकरण हो, वह 'आकाश' है। ये पाँच 'भूत' भी कहलाते हैं।

आकाश, काल, दिक् तथा आत्मा ये चार 'विभु' द्रव्य हैं। मनस् अभौतिक परमाणु है और नित्य भी है। आज, कल, इस समय, उस समय, मास, वर्ष, आदि समय के व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह काल' है। यह नित्य और व्यापक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आदि दिशाओं तथा विदिशाओं का जो असाधारण कारण है, वह 'दिक्' है। यह नित्य तथा व्यापक है। आत्मा और मनस् का स्वरूप न्यायमत के समान ही है।

(२) गुण — कार्य का असमवायिकरण 'गुण' है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह (चिकनापन), शब्द, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म तथा संस्कार ये चौबीस गुण के भेद हैं। इनमें से रूप, गंध, रस, स्पर्श, स्नेह, स्वाभाविक द्रवत्व, शब्द तथा ज्ञान से लेकर संस्कार पर्यंत, ये 'वैशेषिक गुण' हैं, अवशिष्ट साधारण गुण हैं। गुण द्रव्य ही मे रहते हैं।

(३) कर्म — क्रिया को 'कर्म' कहते हैं। ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, सिकुड़ना, फैलाना तथा (अन्य प्रकार के) गमन, जैसे भ्रमण, स्पंदन, रेचन, आदि, ये पाँच 'कर्म' के भेद हैं। कर्म द्रव्य ही में रहता है।

(४) सामान्य — अनेक वस्तुओं मे जो एक सी बुद्धि होती है, उनके कारण प्रत्येक घट मे जो 'यह घट है' इस प्रकार की एक सी बुद्धि होती है, उसका कारण उसमें रहनेवाला 'सामान्य' है, जिसे वस्तु के नाम के आगे 'त्व' लगाकर कहा जाता है, जैसे—घटत्व, पटत्व। 'त्व' से उस जाति के अंतर्गत सभी व्यक्तियों का ज्ञान होता है।

यह नित्य है और द्रव्य, गुण तथा कर्म में रहता है। अधिक स्थान मे रहनेवाला 'सामान्य', 'परसामान्य' या 'सत्तासामान्य' या 'पर सत्ता' कहा जाता है। सत्तासामान्य द्रव्य, गुण तथा कर्म इन तीनों में रहता है। प्रत्येक वस्तु में रहनेवाला तथा अव्यापक जो सामान्य हो, वह 'अपर सामान्य' या 'सामान्य विशेष' कहा जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक् करना सामान्य का कार्य है।

(५) विशेष — द्रव्यों के अंतिम विभाग में रहनेवाला तथा नित्य द्रव्यों में रहनेवाला 'विशेष' कहलाता है। नित्य द्रव्यों में परस्पर भेद करनेवाला एकमात्र यही पदार्थ है। यह अनंत है।

(६) समवाय — एक प्रकार का संबंध है, जो अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान्, जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य के बीच रहता है। यह एक है और नित्य भी है।

अभाव — किसी वस्तु का न होना, उस वस्तु का 'अभाव' कहा जाता है। इसके चार भेद हैं—'प्राग् अभाव' कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण में उस कार्य का न रहना, 'प्रध्वंस अभाव' कार्य के नाश होने पर उस कार्य का न रहना, 'अत्यंत अभाव' तीनों कालों में जिसका सर्वथा अभाव हो, जैसे वंध्या का पुत्र तथा 'अन्योन्य अभाव' परस्पर अभाव, जैसे घट में पट का न होना तथा पट में घट का न होना।

ये सभी पदार्थ न्यायदर्शन के प्रमेयों के अंतर्गत हैं। इसलिये न्यायदर्शन में इनका पृथक् विचार नहीं है, किंतु वैशेषिक दर्शन में तो मुख्य रूप से इनका विचार है। वैशेषिक मत के अनुसार इन सातों पदार्थों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति मिलती है।

इन दोनों समान तत्त्वों मे पदार्थों के स्वरूप में इतना भेद रहने पर भी दोनों दर्शन एक ही में मिले रहते हैं। इसका कारण है कि दोनों शास्त्रों का मुख्य प्रमेय है 'आत्मा'। आत्मा का स्वरूप दोनों दर्शनों में एक ही सा है। अन्य विषय है—उसी आत्मा के जानने के लिये उपाय। उसमें इन दोनों दर्शनों मे विशेष अंतर भी नहीं है। केवल शब्दों में तथा कहीं कहीं प्रक्रिया मे भेद है। फल मे भेद नहीं है। अतएव न्यायमत के अनुसार प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से दोनों से एक ही प्रकार की 'मुक्ति' मिलती है। दोनों का दृष्टिकोण भी एक ही है।

न्याय वैशेषिक मत मे पृथिवी, जल, तेजस् तथा वायु इन्हीं चार द्रव्यों का कार्य रूप मे भी अस्तित्व है। इन लोगों के मत में सभी कार्य द्रव्यों का नाश हो जाता है, और वे परमाणु रूप में आकाश में रहते हैं। यही अवस्था 'प्रलय' कहलाती है। इस अवस्था में प्रत्येक जीवात्मा अपने मनस् के साथ तथा पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों के साथ तथा अदृष्ट रूप में धर्म और अधर्म के साथ विद्यमान रहती है। परंतु इस समय सृष्टि का कोई कार्य नहीं होता। कारण रूप में सभी वस्तुएँ उस समय की प्रतीक्षा मे रहती हैं, जब जीवों के सभी अदृष्ट कार्य रूप में परिणत होने के लिये तत्पर हो जाते हैं। परंतु अदृष्ट जड़ है, शरीर के न होने से जीवात्मा भी कोई कार्य नहीं कर सकती, परमाणु आदि सभी जड़ हैं, फिर 'सृष्टि' के लिये किस प्रकार उत्पन्न हो ?

इसके उत्तर में यह जानना चाहिए कि उत्पन्न होनेवाले जीवों के कल्याण के लिये परमात्मा में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीवों के अदृष्ट कार्योन्मुख हो जाते हैं। परमाणुओं में एक प्रकार की क्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयुक्त हो जाते हैं। दो परमाणुओं के संयोग से एक 'द्व्यणुक' [illegible] शरीर को उत्पन्न करते

के लिये जो दो परमाणु इकट्ठे होते हैं वे पार्थिव परमाणु हैं। वे दोनों उत्पन्न हुए 'द्व्यणुक' के समवायिकारण हैं। उन दोनों का संयोग असमवायिकारण है और अदृष्ट, ईश्वर की इच्छा, आदि निमित्तकारण हैं। इसी प्रकार जलीय, तैजस, आदि शरीर के संबंध में समझना चाहिए।

यह स्मरण रखना चाहिए कि सजातीय दोनों परमाणु मात्र ही से सृष्टि नहीं होती। उनके साथ एक विजातीय परमाणु, जैसे जलीय परमाणु, भी रहता है। 'द्व्यणुक' में 'अणु-परिमाण' है इसलिये वह दृष्टिगोचर नहीं होता। 'द्व्यणुक' से जो कार्य उत्पन्न होगा वह भी अणुपरिमाण का ही रहेगा और वह भी दृष्टिगोचर न होगा। अतएव द्व्यणुक से स्थूल कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने के लिये 'तीन संख्या' की सहायता ली जाती है। न्याय-वैशेषिक में स्थूल द्रव्य, स्थूल द्रव्य या महत् परिमाणवाले द्रव्य से तथा तीन संख्या से उत्पन्न होता है। इसलिये यहाँ द्व्यणुक की तीन संख्या से स्थूल द्रव्य 'त्र्यणुक' या 'त्रसरेणु' की उत्पत्ति होती है। चार त्र्यणुक से चतुरणुक उत्पन्न होता है। इसी क्रम से पृथिवी तथा पार्थिव द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। द्रव्य के उत्पन्न होने के पश्चात् उसमें गुणों की भी उत्पत्ति होती है। यही सृष्टि की प्रक्रिया है।

संसार में जितनी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं सभी उत्पन्न हुए जीवों के भोग के लिये ही हैं। अपने पूर्वजन्म के कर्मों के प्रभाव से जीव संसार में उत्पन्न होता है। उसी प्रकार भोग के अनुकूल उसके शरीर, योनि, कुल, देश, आदि सभी होते हैं। जब वह विशेष भोग समाप्त हो जाता है, तब उसकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार अपने अपने भोग के समाप्त होने पर सभी जीवों की मृत्यु होती है।

न्यायमत — 'संहार' के लिये भी एक क्रम है। कार्य द्रव्य में, अर्थात् घट में, प्रहार के कारण उसके अवयवों में एक क्रिया उत्पन्न होती है। उस क्रिया से उसके अवयवों में विभाग होता है, विभाग से अवयवी (घट) के धारक संयोगों का नाश होता है। और फिर घट नष्ट हो जाता है। इसी क्रम से ईश्वर की इच्छा से समस्त कार्य द्रव्यों का एक समय नाश हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि असमवायिकारण के नाश से कार्यद्रव्य का नाश होता है। कभी समवायिकारण के नाश से भी कार्यद्रव्य का नाश होता है।

इतना ध्येय है कि बिना कारण के नाश हुए कार्य का नाश नहीं हो सकता। अतएव सृष्टि की तरह संहार के लिये भी परमाणु में ही क्रिया उत्पन्न होती है और परमाणु तो नित्य है, उसका नाश नहीं होता, किन्तु दो परमाणुओं के संयोग का नाश होता है और फिर उससे क्रमशः 'द्व्यणुक' रूप कार्य का तथा उसी क्रम से 'त्र्यणुक' एवं 'चतुरणुक' तथा अन्य कार्यों का भी नाश होता है। वैज्ञानिक लोग स्थूल दृष्टि के अनुसार इतना सूक्ष्म विचार नहीं करते। उनके मत में घटादि नाश ही से एक बारगी स्थूल द्रव्य नष्ट हो जाता है। कार्य द्रव्य के नाश होने पर उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। इसके भी दृष्टांत तो मत है जिसका विवरण 'तार्क रक्षिका' में दिया गया है।

न्याय मत की तरह वैशेषिक मत में भी बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान तथा प्रत्यय ये समान अर्थ के बोधक शब्द हैं। अन्य दर्शनों में ये सभी शब्द भिन्न भिन्न पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बुद्धि के अनेक भेद होने पर भी प्रधान रूप से इसके दो भेद हैं— 'विद्या' और 'अविद्या', अविद्या के चार भेद हैं—संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय तथा स्वप्न।

संशय तथा विपर्यय का निरूपण न्याय में किया गया है। वैशेषिक मत में इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। अनिश्चयात्मक ज्ञान को 'अनध्यवसाय' कहते हैं। जैसे—पथिक को देखकर बालक को, एक खम्भा आदि से युक्त गाँव को देखकर नारिकेल द्वीपवासियों के मन में शंका होती है कि यह क्या है?

दिन भर कार्य करने से शरीर के सभी अंग थक जाते हैं। उनको विश्राम की अपेक्षा होती है। इन्द्रियाँ विशेषकर थक जाती हैं और मन में लीन हो जाती हैं। फिर मन मनोवह नाड़ी के द्वारा पुरीतत् नाड़ी में विश्राम के लिये चला जाता है। वहाँ पहुँचने के पहले, पूर्वकर्मों के संस्कारों के कारण तथा वात, पित्त और कफ इन तीनों के वैषम्य के कारण, अदृष्ट के सहारे उस समय मन को अनेक प्रकार के विषयों का प्रत्यक्ष होता है, जिसे स्वप्नज्ञान कहते हैं।

यहाँ इतना ध्यान में रखना चाहिए कि वैशेषिक मत में ज्ञान के अतिरिक्त ही 'अविद्या' को रखा है और इसीलिए 'अविद्या' को 'मिथ्या ज्ञान' भी कहते हैं। बहुतों का कहना है कि ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध हैं। जो मिथ्या है, वह ज्ञान नहीं कहा जा सकता और जो ज्ञान है, वह कदापि मिथ्या नहीं कहा जा सकता।

विद्या भी चार प्रकार की है—प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति तथा आर्ष। यहाँ यह ध्यान में रखना है कि न्याय में 'स्मृति' को यथार्थज्ञान नहीं कहा है। वह तो प्रायः ही भ्रम ज्ञान है। इसी प्रकार 'आर्ष ज्ञान' भी वैशेषिक नहीं मानते। वैशेषिकों के मत का आगम को अनुमान में तथा उपमान को प्रत्यक्ष में वैशेषिकों ने अन्तर्भूत किया है।

वेद के रचयिता ऋषियों को दूर तथा भविष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के समान होता है। उनमें इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं रहती। यह 'आर्षज' (ऋषियों से उत्पन्न) ज्ञान का 'आर्षज्ञान' कहलाता है। यह ज्ञान विशुद्ध अन्तःकरण और में भी कभी कभी हो जाता है। जैसे — एक पथिक कहता है — कल मेरे भाई आवेंगे और अवश्य ही उनके आने का ही काल है। यह 'आर्षज ज्ञान' है।

प्रत्यक्ष और अनुमान के विचार में दोनों दर्शनों में कोई भी मतभेद नहीं है। इसलिये पुनः इसका विचार यहाँ नहीं किया गया।

शब्द का बहुत विस्तृत विवेचन वैशेषिक दर्शन में किया गया है। न्याय दर्शन में यह शब्द 'शब्द' के रूप में [illegible] के [illegible] को [illegible] करते हैं। [illegible] [illegible] शब्दों में शब्द कहते हैं। फिर भी इसी [illegible] [illegible] ही के होती है। [illegible] वैशेषिक दर्शन में [illegible] के [illegible] तथा [illegible] में [illegible] [illegible] हुए हैं, जिन्हें [illegible] कहते हैं, कोई [illegible] [illegible] हैं।

जिन्हें 'अवस्थान्तर-कर्म' कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ दैव कर्म होते हैं, जैसे पुण्य आदि महापुरुषों में, जो बिना किसी प्रयत्न के होते हैं, उन्हें 'अवस्थान्तर-कर्म' कहते हैं।

इन सब बातों को देखकर यह स्पष्ट है कि वैशेषिक मत में बातों का बहुत गूढ़ विचार है। फिर भी तात्त्विक विषयों में न्याय के मत से वैशेषिक बहुत सदृश है। अतएव ये दोनों 'समानतंत्र' कहे जाते हैं।

इन दोनों दर्शनों में जिन बातों में 'भेद' है, उनमें से कुछ बातों का यहाँ उल्लेख किया जाता है।

(१) न्यायदर्शन में प्रमाणों का विशेष विचार है। प्रमाणों ही के द्वारा तत्त्वज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साधारण लौकिक दृष्टिकोण को त्याग कर न्यायशास्त्र के द्वारा तत्त्वों का विचार किया जाता है। न्यायदर्शन में सोलह पदार्थ हैं और सो प्रमेय हैं।

वैशेषिक दर्शन में प्रमेयों का विशेष विचार है। इस शास्त्र के अनुसार तत्त्वों का विचार करने में लौकिक दृष्टि से दूर भी जाना पड़ता है। इनकी दृष्टि सूक्ष्म अणु के द्वार तक जाती है इसलिये इस शास्त्र में प्रमाण का विचार गौण समझा जाता है। वैशेषिक मत में सात पदार्थ हैं और सो द्रव्य हैं।

(२) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द इन चार प्रमाणों को न्याय दर्शन मानता है, किन्तु वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं दो प्रमाणों को मानता है। इसके अनुसार शब्दप्रमाण अनुमान में अंतर्भूत है। कुछ विद्वानों ने इसे स्वतंत्र प्रमाण भी माना है।

(३) न्यायदर्शन के अनुसार जितनी इंद्रियाँ हैं उतने प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे—चाक्षुष, श्रावण, रासन, घ्राणज तथा स्पार्शन। किन्तु वैशेषिक के मत में एकमात्र चाक्षुष प्रत्यक्ष ही माना जाता है।

(४) न्याय दर्शन के मत में समवाय का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु वैशेषिक के अनुसार इसका ज्ञान अनुमान से होता है।

(५) न्याय दर्शन के अनुसार संसार की सभी कार्यवस्तु स्वभाव ही से छिद्रवाली (Porous) होती हैं। वस्तु के उत्पन्न होते ही उन्हीं छिद्रों के द्वारा उन समस्त वस्तुओं में भीतर और बाहर आग या तेज प्रवेश करता है तथा परमाणु पर्यंत उन वस्तुओं को पकाता है। जिस समय तेज की कणाएँ उस वस्तु में प्रवेश करती हैं, उस समय उस वस्तु का नाश नहीं होता। यह अंग्रेजी में केमिकल ऐक्शन (chemical action) कहलाता है। जैसे — कुम्हार घड़ा बनाकर आवें में रखकर जब उसमें आग लगाता है, तब घड़े के प्रत्येक छिद्र से आग की कणाएँ उस में प्रवेश करती हैं और घड़े के बाहरी और भीतरी सभी हिस्सों को पकाती हैं। घड़ा वैसे का वैसा ही रहता है, अर्थात् घड़े के नाश हुए बिना ही उसमें पाक हो जाता है। इसे ही न्याय शास्त्र में 'पिठरपाक' कहते हैं।

वैशेषिकों का कहना है कि कार्य में जो गुण उत्पन्न होता है, उसे पहले उस कार्य के समवायिकारण में उत्पन्न होना चाहिए। इसलिये जब कच्चा घड़ा आग में पकने को दिया जाता है, तब आग और उसमें दूसरा रंग उत्पन्न करती है। फिर घड़े का रंग नष्ट हो जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है। इस प्रकार जब दूसरा घड़ा पकने को आग में रखने के लिये तब तेज के जोर से उस घड़े का सामान्य पर्यंत नष्ट हो जाता और उसके परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। वस्तु दूर हो जाता है, कर्मतु घड़ा नष्ट हो जाता है और परमाणु के रूप परिवर्तित हो जाता है तथा रंग बदल जाता है, फिर उन दोनों नाश प्रक्रियाओं में अरूप के सामान्य वृद्धि के कारण फिर एकदम वह घड़ा तैयार हो जाता है। इस प्रकार उन सामान्य गुणों से संसार के समस्त पदार्थ, भौतिक या अभौतिक इन के साथ चलते रहते हैं। इन गुणों में जिनसे परिवर्तन होते हैं वे कर्म पांच प्रकार (केमिकल ऐक्शन) के माने गये हैं। यह अन्य रखना आवश्यक है कि यह पाक केवल पृथिवी के बनी हुई वस्तुओं में होता है। इसे वैशेषिक 'पीलुपाक' कहते हैं।

(६) नैयायिक अविद्या, विद्या, अविद्याविद्या, अस्तित्व तथा नास्तित्वविशिष्ट ये पाँच ज्ञेयप्रमाण मानते हैं, किन्तु वैशेषिक सिद्ध, अविद्या तथा अविद्या, ये ही तीन ज्ञेयप्रमाण मानते हैं।

(७) नैयायिकों के मत में पुरुष से उत्पन्न 'शब्द' कंठ और तालु से उत्पन्न शब्द प्रकार होते हैं, किन्तु वैशेषिक के मत में सभी शब्द प्रकार हैं।

(८) नैयायिक जीव भिन्न के मत हैं और वैशेषिक महात्मा या परमात्मा के मत हैं। भाषय शास्त्र के अनुसार इन देवताओं में परस्पर भेद है।

(९) इनके अतिरिक्त कर्म की स्थिति में, देवालय संस्कार में, सर्वज्ञोपाधि में, विवाह विचार में, द्विरुक्तता की उत्पत्ति में, विभुओं के बीच संयोग में, आत्मा के स्वरूप में, अर्थ ज्ञान के अभिप्राय में, मुमुक्षारूप और कर्मसार जाति के विचार में, अनुमान संबंधों में, स्मृति के स्वरूप में, आर्ष ज्ञान में तथा पार्थिव शरीर के विभागों में भी परस्पर इन दोनों शास्त्रों में मतभेद है।

इस प्रकार के दोनों शास्त्र कतिपय सिद्धांतों में भिन्न भिन्न मत रखते हुए भी परस्पर संबद्ध हैं। इनके अन्य सिद्धांत परस्पर साधु होते हैं। [श्री० उ० मि०]

वैश्वानर पुराणों में इस नाम के कई व्यक्ति हैं। पहला वैश्वानर दानवपति कश्यप तथा दनु के सौ पुत्रों में से एक था, जिसकी दो कन्याएँ पुलोमा तथा कालका थीं। भागवत के अनुसार इसकी चार कन्याएँ उपदानवी, कोला, पुलोमा तथा हयशिरा थीं। इनमें से कोला तथा पुलोमा का विवाह ब्रह्मा के आदेश से कश्यप प्रजापति के साथ और उपदानवी का ब्याह हिरण्याक्ष एवं हयशिरा का क्रतु के साथ हुआ था (भाग, ६-६-६)। दूसरे वैश्वानर की कन्या शालिनी को मरुत हिमालय की ओर ले जाना चाहते थे परंतु उनके पंख जल गए। तीसरे वैश्वानर ने केतु के साथ उस समय युद्ध किया था जब समुद्रमंथन के पश्चात् देवताओं को जालंधर नामक दैत्य से लड़ना पड़ा था।

ऋग्वेद में अग्नि का नाम भी वैश्वानर दिया है और उन्हें एक मंडल के द्वितीय अष्टक के

अनुसार विश्वामित्र ने वैश्वानर देव की स्तुति करके कुछ ऋक् मंत्रों की रचना की थी।

वैष्णवदास रसज्ञानि यह नाभा जी कृत भक्तमाल की टीका भक्तिरसबोधिनी के कर्ता प्रियादास जी के पौत्र थे, जिन्होंने इन्हें 'रसज्ञानि' की उपाधि दी। इनके गुरु श्रीहरिजीवन जी थे। इन्होंने श्रीमद्भागवत के बारहो स्कंधों का पद्यानुवाद किया है। भागवतमाहात्म्य के अनुवाद में रचनाकाल सं० १८०२ दिया है। जयदेव के गीतगोविंद का पद्यानुवाद सं० १८१४ में पूर्ण हुआ। इनका समय संवत् १७७० से सं० १८३० के लगभग है। [रा० द्वि०]

वैस्पाजियन् जन्म—१८ नवंबर ९, मृत्यु २९ जून ७९ रोमन-साम्राज्य का अत्यंत प्रभावशाली सम्राट् वैस्पाजियन् (पूरा नाम—टाइटस फ्लैवियस वैस्पाजियन, शासनकाल-७०-७९) का जन्म मामूली साहूकार के घर में हुआ था और उसका जीवन बहादुर सैनिक के रूप में शुरू हुआ। इसी हैसियत से वह जर्मनी, इंग्लैंड, अफ्रीका, यूनान, और मिस्र गया। बड़ा यश पैदा किया। १ जुलाई, ६९ ई० को मिस्र में रोमन सेनाओं ने उसको सम्राट् घोषित किया। अन्य स्थानों की सेनाओं ने भी उसके प्रति वफादारी की शपथ ली। उनके द्वारा ही वह रोमन साम्राज्य का शासक बनाया गया, उसने शीघ्र ही शासन सुधार की घोषणा करके अपने को लोकप्रिय बना लिया। गाल प्रदेश के विद्रोह को दबाकर जर्मन सीमाओं को सुरक्षित बनाया। जेरूसलम में भी रोमन साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाया। जैनूस के मंदिर को बंद करके अपने शासन काल के ९ वर्ष में वहाँ रोमन आधिपत्य कायम रखा। ७८ ई० में इंग्लैण्ड के वेल्स और आंग्लेसी द्वीप में रोमन साम्राज्य का विस्तार किया।

सन् ७० में उसने रोम में प्रवेश किया। वह घरेलू युद्ध में आग की भेंट हो चुका था। उसका पुनर्निर्माण कर उसको सुंदर एवं वैभवशाली बनाया। उसका सबसे बड़ा काम सिनेट के सहयोग से रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाना, सेनाओं का पुनर्गठन कर उसमें फैली हुई अनैतिकता को दूर करना, साम्राज्य के अंतर्गत प्रदेशों को उन्नत बनाना और पिछड़े हुए प्रदेशों में रोमन संस्कृति का प्रसार करना था। वह बहादुर सैनिक, कुशल शासक, तथा चरित्रवान, ईमानदार, हँसमुख, मिलनसार और उदार व्यक्ति था। उसके समय में रोमन साम्राज्य का पहला सुप्रसिद्ध इतिहास लिखा गया। अपने सरल और मितव्ययी जीवन से उसने रोमन सामंतों और जनता के जीवन में बड़ा सुधार किया और सादगी से रहना सिखाया।

एक रोमन सरदार की लड़की फ्लेविया डामाटिला से उसका विवाह हुआ। उसके दो पुत्र हुए और दोनों रोमन साम्राज्य के सम्राट् हुए। [स० सि०]

वोयेकर, जे० ए० (Voelcker, J. A.) इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध भूमिरसायनज्ञ (soil chemist) थे। इन्होंने विश्वविख्यात रोथम्स्टेड अनुसंधान केंद्र में भूमि से होनेवाली खनिज क्षति का पता लगाया। जब विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में नाइट्रोजनी, अंतर्भौतिक अथवा पोटैशीय उर्वरक मिलाए जाते हैं, तब पोषक तत्वों की क्षति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका सूक्ष्म अध्ययन इन्होंने किया। परीक्षणों से यह देखा गया कि अमोनियम लवणों के कारण कैल्सियम, मैग्नीशियम आदि की क्षति में वृद्धि होती है।

सन् १८८९ में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के आमंत्रण पर ये भारत आए और दक्षिण भारत से अपना भ्रमण प्रारंभ कर बंगाल, उत्तरप्रदेश तथा पंजाब का दौरा किया। सन् १८९१ में ये वापस चले गए। इन्होंने भारतीय कृषि की जो अवस्था देखी, इंग्लैंड पहुँचकर उसके संबंध में अपने विचारों को पुस्तकाकार रूप में, 'भारतीय कृषि के सुधार' (Improvements of Indian Agriculture) के नाम से प्रकाशित किया। यह पुस्तक भारतीय कृषि के विविध पक्षों पर सूचना देने में समर्थ है।

भारतीय कृषि के संबंध में व्यक्त किए गए इनके अनेक विचारों से कृषि के उन्नयन में योग मिला है। [शि० गो० मि०]

वोहलगमथ माइकेल (Wohlgemuth Michael) जर्मन चित्रकार। जन्म न्यूरेमबर्ग में १४३४ ई० को हुआ। १४७२ में चित्रकार होलपिट्सवर्म की विधवा से विवाह किया। इसने एक बहुत बड़ी संस्था का संचालन किया जिसके अंतर्गत कला के अनेक रूपों पर कार्य होता था। माइकेल धार्मिक चित्रों तथा काष्ठकला के लिये प्रसिद्ध है। इसकी कृतियाँ म्यूनिख की चित्रदीर्घा तथा न्यूरेमबर्ग की प्रदर्शनी में प्राप्त हैं। न्यूरेमबर्ग में १५१९ में इसका देहांत हो गया। [गु० सि०]

व्यंग्यरचना (प्रहासक, बरलेस्क) 'बरलेस्क' शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में राजसत्ता की पुनः स्थापना (रेस्टोरेशन-१६६०) से कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ जिसका अर्थ पहले मुक्त विनोद ही था, साहित्यिक पद्धति नहीं। उसके पश्चात् 'ड्रोल' (चित्र विचित्र; विनोदपूर्ण, हास्यास्पद) के पर्याय के रूप में इसका प्रयोग हुआ जिसका अर्थ था अत्यंत हास्यजनक। अब भी यही अर्थ उन साहित्यिक रूपों के लिये प्रयुक्त होता है जो परिवृत्ति (अनुकृति काव्य, पैरोडी), व्यंग्यचित्रण (कैरीकेचर) और छद्मरूपक (ट्रावेस्टी) की श्रेणी में आते हैं। सर्वप्रथम सन् १६४३ में स्कारोन ने इसका प्रयोग किया था और फिर सन् १६४८ में उसके बाद 'वर्जिल के छद्म रूपक' (ट्रावेस्टी ऑव वर्जिल) के लिये इसका प्रयोग हुआ था। चार्ल्स कोटन ने अंग्रेजी में जो इसका अनुकरण किया था (प्रथम भाग १६६४) उसका शीर्षक था स्कारोनिडेस, ऑर वर्जिल ट्रावेस्टी (ए मॉक पोएम, बीइंग दि फर्स्ट बुक ऑव वर्जिल्स ईनीड इन इंग्लिश, बरलेस्क—एक हास्य कविता जो वर्जिल के ईनीड की अंग्रेजी में प्रथम पुस्तक प्रहासक, बरलेस्क है)। इस शब्द का प्रयोग 'हुडिब्रास' के लिये भी हुआ था जिसकी उन बड़े अटपटे डिबरणों पर रचना हुई थी जिनका प्रयोग आगे चलकर सभी प्रहासकों के लिये स्वीकृत हो गया था।

'बरलेस्क' शब्द का प्रयोग अब उन सभी कविताओं, कथा—उपन्यासों और नाटकों के लिये होता है जिनमें उच्चतर अनुकरण के द्वारा रीति नीति, भाषा, व्यक्ति या सांस्कृतिक इकाई (कोई विशेष इति या किसी श्रेणी की इकाई) हास्यास्पद तथा अस्वाभाविक कर

जिन्हें 'अप्रत्यय-कर्म' कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जैसे पृथ्वी आदि महाभूतों में, जो बिना किसी प्रयत्न के होते हैं, उन्हें 'अप्रत्यय-कर्म' कहते हैं।

इन सब बातों को देखकर यह स्पष्ट है कि वैशेषिक मत में तत्त्वों का बहुत सूक्ष्म विचार है। फिर भी सांसारिक विषयों में न्याय के मत से वैशेषिक बहुत सहमत है। अतएव ये दोनों 'समानतंत्र' कहे जाते हैं।

इन दोनों दर्शनों में जिन बातों में 'भेद' है, उनमें से कुछ भेदों का पुनः उल्लेख यहाँ किया जाता है।

(१) न्यायदर्शन में प्रमाणों का विशेष विचार है। प्रमाणों ही के द्वारा तत्त्वज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साधारण लौकिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर न्यायशास्त्र के द्वारा तत्त्वों का विचार किया जाता है। न्यायमत में सोलह पदार्थ हैं और नौ प्रमेय हैं।

वैशेषिक दर्शन में प्रमेयों का विशेष विचार है। इस शास्त्र के अनुसार तत्त्वों का विचार करने में लौकिक दृष्टि से दूर भी शास्त्रकार जाते हैं। इनकी दृष्टि सूक्ष्म जगत् के द्वार तक जाती है इसलिये इस शास्त्र में प्रमाण का विचार गौण समझा जाता है। वैशेषिक मत में सात पदार्थ हैं और नौ द्रव्य हैं।

(२) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द इन चार प्रमाणों को न्याय दर्शन मानता है, किंतु वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं दो प्रमाणों को मानता है। इसके अनुसार शब्दप्रमाण अनुमान में अंतर्भूत है। कुछ विद्वानों ने इसे स्वतंत्र प्रमाण भी माना है।

(३) न्यायदर्शन के अनुसार जितनी इंद्रियाँ हैं उतने प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे—चाक्षुष, श्रावण, रासन, घ्राणज तथा स्पार्शन। किंतु वैशेषिक के मत में एकमात्र चाक्षुष प्रत्यक्ष ही माना जाता है।

(४) न्याय दर्शन के मत में समवाय का प्रत्यक्ष होता है, किंतु वैशेषिक के अनुसार इसका ज्ञान अनुमान से होता है।

(५) न्याय दर्शन के अनुसार संसार की सभी कार्यवस्तु स्वभाव ही से छिद्रवाली (Porous) होती हैं। वस्तु के उत्पन्न होते ही उन्हीं छिद्रों के द्वारा उन समस्त वस्तुओं में भीतर और बाहर आग या तेज प्रवेश करता है तथा परमाणु पर्यंत उन वस्तुओं को पकाता है। जिस समय तेज की कणाएँ उस वस्तु में प्रवेश करती हैं, उस समय उस वस्तु का नाश नहीं होता। यह अंग्रेजी में केमिकल ऐक्शन (chemical action) कहलाता है। जैसे — कुम्हार घड़ा बनाकर आँवे में रखकर जब उसमें आग लगाता है, तब घड़े के प्रत्येक छिद्र से आग की कणाएँ उस में प्रवेश करती हैं और घड़े के बाहरी और भीतरी सभी हिस्सों को पकाती हैं। घड़ा वैसे का वैसा ही रहता है, अर्थात् घड़े के नाश हुए बिना ही उसमें पाक हो जाता है। इसे ही न्याय शास्त्र में 'पिठरपाक' कहते हैं।

वैशेषिकों का कहना है कि कार्य में जो गुण उत्पन्न होता है, उसे पहले उस कार्य के समवायिकारण में उत्पन्न होना चाहिए। इसलिये जब कच्चा घड़ा आग में पकने को दिया जाता है, तब आग सबसे पहले उस घड़े के जितने परमाणु हैं, उन सबको पकाती है और उनमें दूसरा रंग उत्पन्न करती है। फिर क्रमशः वह सब पक जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार जब कुम्हार कच्चे घड़े को आग में पकने के लिये रखता है तब तेज के जोर से उस घड़े का परमाणु पर्यंत नाश हो जाता है और उसके परमाणु अलग अलग हो जाते हैं पश्चात् उनमें रंग आता है, अर्थात् घड़ा नष्ट हो जाता है और परमाणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा रंग बदल जाता है, फिर उन परमाणुओं से लाभ उठानेवालों के अदृष्ट के कारणवश सृष्टि के क्रम से फिर बनकर वह घड़ा तैयार हो जाता है। इस प्रकार उन एक परमाणुओं से संसार के समस्त पदार्थ, भौतिक या अभौतिक तेज के साथ पकते रहते हैं। इन परमाणुओं में जितने परिवर्तन होते हैं वे सब पाकज प्रक्रिया (केमिकल ऐक्शन) के कारण होते हैं। यह बात रखना आवश्यक है कि यह पाक केवल पृथिवी से बनी हुई वस्तुओं में होता है। इसे वैशेषिक 'पीलुपाक' कहते हैं।

(६) नैयायिक असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरणसम तथा कालात्ययापदिष्ट ये पाँच हेत्वाभास मानते हैं, किंतु वैशेषिक सिद्ध, असिद्ध तथा संदिग्ध, ये ही तीन हेत्वाभास मानते हैं।

(७) नैयायिकों के मत में पुण्य से उत्पन्न 'स्वप्न' सत्य और पाप से उत्पन्न स्वप्न असत्य होते हैं, किंतु वैशेषिक के मत में सभी स्वप्न असत्य हैं।

(८) नैयायिक लोग शिव के भक्त हैं और वैशेषिक महेश्वर या पशुपति के भक्त हैं। आगम शास्त्र के अनुसार इन देवताओं में परस्पर भेद है।

(९) इनके अतिरिक्त कर्म की स्थिति में, वेगाख्य संस्कार में, सत्तोपाधि में, विभागज विभाग में, द्वित्वसंख्या की उत्पत्ति में, विभुओं के बीच अप्रसंयोग में, आत्मा के स्वरूप में, अर्थ शब्द के अभिप्राय में, सुकुमारत्व और कर्कशत्व जाति के विचार में, अनुमान संबंधी में, स्मृति के स्वरूप में, आर्ष ज्ञान में तथा पार्थिव शरीर के विभागों में भी परस्पर इन दोनों शास्त्रों में मतभेद है।

इस प्रकार के दोनों शास्त्र कतिपय सिद्धांतों में भिन्न भिन्न मत रखते हुए भी परस्पर संबद्ध हैं। इनके अन्य सिद्धांत परस्पर बहुत होते हैं। [श्री० उ० मि०]

वैश्वानर पुराणों में इस नाम के कई व्यक्ति हैं। पहला वैश्वानर दानवपति कश्यप तथा दनु के सौ पुत्रों में से एक था, जिसकी दो कन्याएँ कालका तथा पुलोमा थीं। भागवत के अनुसार इसकी चार कन्याएँ उपदानवी, कोला, पुलोमा तथा हयशिरा थीं। इनमें से कोला तथा पुलोमा का विवाह ब्रह्मा के आदेश से कश्यप प्रजापति के साथ और उपदानवी का ब्याह हिरण्याक्ष एवं हयशिरा का क्रतु के साथ हुआ था (भाग, ६-६-६)। दूसरे वैश्वानर की कन्या शाल्वियों को गरुड़ हिमालय की ओर ले जाना चाहते थे परंतु उनके पक्ष कट गए। तीसरे वैश्वानर ने केतु के साथ उस समय युद्ध किया था जब समुद्रमंथन के पश्चात् देवताओं को जालंधर नामक दैत्य से लड़ना पड़ा था।

ऋग्वेद में अग्नि का नाम भी वैश्वानर दिया है और उन्हें एक प्रधान देवता माना गया है। उसके तृतीय मंडल के द्वितीय सूक्त में

प्रारंभ में ही कामभावना की प्रेरणा से वह बहुत लोकप्रिय हो गया था। कामभावना पर अधिक बल देना अमरीका में उस समय से प्रारंभ हुआ जब १८६९ में एक अंग्रेजी नाट्य मंडली अमरीका में आई जिसमें अंगों का सौंदर्यमय प्रदर्शन, सुंदरी बालाओं और नीच पेंट चारों ओर हाहाकार मच गया। अब तो केवल उस हाहाकार का और प्रहासक का नाममात्र बच गया है जिसने उस समय के लोगों को प्रभावित किया था। अब उस प्रकार का अंगप्रदर्शन, संगीतमय प्रहसन और रेव्यू में पहुँच गया है।

सं० ग्रं०—आर पी० वांड : इंगलिश बर्लेस्क पोइट्री, १९३१, जी० किचिन : ए सर्वे ऑव बरलेस्क ऐंड पैरोडी इन इंगलिश, १९१३; डब्ल्यू जे० राड और एम० स्यूनोड : ए सेंचुरी ऑव पैरोडीएट इमीटेशन, १९१३; ए० बी० सेपरसन : दी नावेल इन मार्टले, १९३६; सीताराम चतुर्वेदी : समीक्षा शास्त्र। [सी० रा० च०]

व्यक्तित्व—दे० 'मनोभिति'

व्यक्ति प्रति अपराध समाज में मनुष्य के प्रति तीन प्रकार के अपराध होते हैं, अर्थात् (क) जीवन के प्रति, (ख) शरीर के प्रति, अथवा (ग) स्वाधीनता के प्रति।

(क) जीवन के प्रति अपराध

मनुष्य के जीवन के प्रति किए जानेवाले अपराध चार प्रकार के होते हैं—(१) नरहत्या, (२) आत्महत्या, (३) भ्रूणहत्या और (४) शिशुहत्या।

(१) नरहत्या — एक मनुष्य द्वारा किसी दूसरे मनुष्य का वध नरहत्या कहलाता है। प्राचीन काल में नरहत्या के सभी मामलों में एक सा दंड दिया जाता था। लेकिन आधुनिक काल में उच्चतर भावनाओं के जन्म तथा आपराधिक मनोविज्ञान के सिद्धांत का विकास होने के साथ नरहत्या व अपराधियों की दंडव्यवस्था में अंतर उत्पन्न हो जाता है। आधुनिक धारणाओं के अनुसार नरहत्या या तो वैध होती है या अवैध (अथवा अभियोज्य)।

वैध नरहत्या—वैध नरहत्या या तो क्षम्य होती है या फिर न्यायोचित। (१) बिना किसी अपराधात्मक इरादे के दुर्घटना या दुर्भाग्यवश (धारा ८०); अथवा (२) किसी बालक या असंतुलित मस्तिष्कवाले व्यक्ति द्वारा पागलपन या नशे की दशा में (धारा ८२, ८३); अथवा (३) मृतक के हितार्थ किए गए सद्भावनापूर्ण कार्य द्वारा (धारा ८७, ८८ और ९२) होनेवाली नरहत्याएँ क्षम्य होती हैं। नरहत्याएँ निम्नलिखित दशाओं में न्यायोचित होती हैं—(१) विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति द्वारा (धारा ७६); अथवा (२) न्यायानुसार कार्यरत न्यायाधीश द्वारा (धारा ७७); अथवा (३) किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश का पालन करनेवाले व्यक्ति द्वारा (धारा ७८); अथवा (४) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो विधि के अंतर्गत हत्या करने के औचित्य में सद्भावनापूर्वक विश्वास रखता है (धारा ७९); अथवा (५) शरीर या संपत्ति को अन्य हानियों से बचाने या उनको टालने के लिये अपराधात्मक इरादे से रहित व्यक्ति द्वारा (धारा ८१); अथवा (६) शरीर या संपत्ति की रक्षा के निजी अधिकार का प्रयोग कर रहे व्यक्ति द्वारा (धारा १०१ और १०३)। क्षम्य और न्यायोचित नरहत्याओं के मामलों में दंड नहीं दिया जाता और इसीलिये ऐसी हत्याएँ वैध कहलाती हैं।

अभियोज्य नरहत्या — अभियोज्य नरहत्या (अर्थात् अवैध नरहत्या) या तो हत्या की श्रेणी में आती है या हत्या की श्रेणी में नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति (१) जान से मार डालने के इरादे से अथवा (२) ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से जिससे मृत्यु संभव हो अथवा (३) यह जानते हुए कि उसके ऐसे कार्य से मृत्यु की संभावना हो सकती है, मृत्यु का कारण बनता है तो ऐसा व्यक्ति अभियोज्य नरहत्या का अपराध करता है (धारा ३०६)। अभियोज्य नरहत्या के लिये उक्त तीन तत्वों में से किसी एक का रहना आवश्यक है। इस प्रकार यदि निश्चित इरादे और जानकारी से किसी की हत्या हो जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या होगी। लेकिन यदि मृत्यु बिना किसी ऐसे इरादे अथवा जानकारी के हो जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या नहीं होगी। दुर्भावना अथवा बुरा इरादा इसके लिये आवश्यक नहीं है। उदाहरणस्वरूप यदि अ जान लेने के इरादे से अथवा इस जानकारी के साथ कि उसके कार्य से मृत्यु संभावित है, एक गड्ढे के ऊपर पतली लकड़ियाँ और घास डाल देता है और ब उसे ठोस भूमि समझकर उसपर चला जाता है, गिर पड़ता है और मर जाता है तो अ इस हत्या का अपराधी है। पुनः, अ जानता है कि ब झाड़ी के पीछे है, ब यह नहीं जानता। अ ब की जान लेने के इरादे से ब को झाड़ी पर गोली चलाने के लिये प्रेरित करता है। ब गोली चला देता है और ब मारा जाता है। यहाँ पर ब निरपराध हो सकता है लेकिन अ अभियोज्य नरहत्या करता है। इसी प्रकार अ प्रास्ता का शिकार कर उसको चुराने के उद्देश्य से गोली चलाता है जिससे झाड़ी के पीछे खड़े ब की मृत्यु हो जाती है। अ यह नहीं जानता था कि ब वहाँ खड़ा है। यहाँ यद्यपि अ एक अवैध कार्य कर रहा था लेकिन वह अभियोज्य नरहत्या का अपराधी नहीं है क्योंकि उसका इरादा जान लेने का नहीं था और न वह जानता था कि उसके इस कार्य से किसी की मृत्यु हो सकती है। इस दृष्टांत से यह नियम प्रतिपादित होता है कि यदि कोई अपराधी एक अपराध करते हुए किसी की मृत्यु का कारण बनता है जब कि उसका न ऐसा इरादा था और न वह यह जानता था कि ऐसा कार्य मृत्यु का कारण बन सकता है तो ऐसे व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिये दंड दिया जायगा, दुर्घटनावश जान लेने के लिये नहीं।

अभियोज्य नरहत्या का अस्तित्व किसी विशेष अपराध के रूप में नहीं है। इसका प्रयोग मूल अर्थ में ही होता है और इसीलिये भारतीय दंड संहिता में इसके लिये दंड का विधान नहीं है। यह दो प्रकार का होता है। अर्थात् (क) अभियोज्य नरहत्या जो हत्या की श्रेणी में आती है (धारा ३००, उपधारा १, २, ३ और ४) और (ख) अभियोज्य नरहत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती (धारा ३०४, ३०४ अ और धारा ३०० के बाद प्रावधान)। पहली विधि के अंतर्गत दूसरे को आवश्यक कहते हैं।

हत्या — अभियोज्य नरहत्या हत्या कहलाती है यदि वह

कार्य, जिससे मृत्यु होती है (१) प्राण लेने के इरादे से किया जाता है (उदाहरणस्वरूप अ जान लेने के इरादे से ज पर गोली चलाता है जिसके फलस्वरूप ज मर जाता है। ऐसी दशा में अ ने हत्या की); अथवा (२) यदि वह कार्य ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है जिसके बारे में अपराधी जानता है कि जिस व्यक्ति को चोट पहुँचाई जायगी उसकी मृत्यु होने की संभावना है (उदाहरणस्वरूप यह जानते हुए कि ज ऐसे रोग से पीड़ित है कि एक ठोकर लगने से उसकी मृत्यु संभावित है, अ उसको शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से ठोकर लगाता है जिसके फलस्वरूप ज मर जाता है। ऐसी दशा में अ हत्या का अपराधी है यद्यपि हो सकता है, स्वाभाविक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की ऐसी ठोकर से मृत्यु न होती); अथवा (३) यदि वह कार्य किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है और इस प्रकार पहुँचाई जानेवाली चोट स्वाभाविक रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिये पर्याप्त है (उदाहरणस्वरूप अ जान बूझकर ज पर तलवार का ऐसा घाव करता है जिससे किसी भी व्यक्ति की साधारण रूप से मृत्यु हो सकती है। ऐसी दशा में अ हत्या का अपराधी है यद्यपि हो सकता है, उसका इरादा ज की जान लेने का न रहा हो); अथवा (४) यदि उस कार्य को करनेवाला व्यक्ति यह जानता है कि उसका कार्य इतना खतरनाक है कि प्रत्येक दशा में इससे मृत्यु होने की पूर्ण संभावनाएँ हैं अथवा वह ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है और जान से लेने के खतरे को उठाए बिना किसी कारण के ऐसा कार्य करता है अथवा पूर्वकथित ऐसी चोट पहुँचाता है। उदाहरणस्वरूप अ अकारण मनुष्यों की एक भीड़ पर भरी हुई बंदूक चलाता है और उनमें एक व्यक्ति को जान से मार देता है। ऐसी दशा में अ हत्या का अपराधी है, यद्यपि हो सकता है, उसकी किसी व्यक्तिविशेष को जान से मारने की कोई पूर्वनिर्धारित योजना न रही हो। वह इसलिये हत्या का अपराधी कहा जायगा क्योंकि उसका कार्य सामान्य रूप से इतना खतरनाक है कि इससे प्रत्येक दशा में मृत्यु होगी (धारा ३००)।

अभियोज्य नरहत्या और हत्या में अंतर — कोई अपराध तब तक हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा जब तक वह अभियोज्य नरहत्या की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि स्वयं हत्या की परिभाषा उन दशाओं की ओर संकेत करती है जिनमें अभियोज्य नरहत्या हत्या की श्रेणी में आती है। लेकिन समस्त अभियोज्य नरहत्याएँ हत्या की श्रेणी में नहीं आ सकतीं। उदाहरणस्वरूप जब वह धारा ३०० के पाँच अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत आ जाती है। एक समय था जब यह समझा जाता था कि अभियोज्य [illegible] हत्या (धारा ३००) के [illegible] [illegible] दोनों स्थितियों में [illegible] वास्तविक अंतर इरादे अथवा जानकारी की सापेक्षता में है। अभियोज्य नरहत्या की अपेक्षा हत्या में घातक प्रहार करने का इरादा अथवा जानकारी अधिक रहती है। जान लेने की सभी दशाओं में ये दोनों प्रकार आपस में एक दूसरे के न बहिष्कारकर्ता हैं और न विस्तारकर्ता।

सामान्यतः जब इरादा प्राण लेने का होता है तो निश्चय अपराध हत्या है, यदि वह धारा ३०० के पाँच अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता। यदि अ जानता है कि ब की जिन्दगी खतरे में है और इस तथ्य की जानकारी के साथ अ उसकी जिन्दगी लेने में शक्तिपूर्वक घूँसा मारता है और ब मर जाता है तो यह अपराध हत्या है, अभियोज्य नरहत्या नहीं, क्योंकि अ को निश्चित जानकारी थी। पुनः, यदि शारीरिक चोट से मृत्यु संभावित है तो यह अभियोज्य नरहत्या है। जब कि यदि ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा है जो सामान्य रूप से जान लेने के लिये काफी है, तो यह हत्या होगी। दूसरे शब्दों में, यदि किए गए कार्य का परिणाम समस्त संभावित दशाओं में मृत्यु है तो यह हत्या है न कि यदि मृत्यु होने की संभावना मात्र है तो अपराध अभियोज्य नरहत्या है।

मानववध — अभियोज्य नरहत्या की, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, अथवा इस विशेष विधि में मानववध की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है और न इसकी आवश्यकता ही समझी गई। इसके अंतर्गत दो प्रकार के अपराध आते हैं: (१) वे जो अभियोज्य नरहत्या के अंतर्गत आते हैं (धारा २९९) किंतु हत्या की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते (धारा ३०० की चार उपधाराएँ), और (२) वे जो धारा ३०० के पाँच अपवादों के अंतर्गत आते हैं।

हम प्रथम प्रकार के मामलों का स्पष्टीकरण सबसे पहले लेंगे। यदि कोई कार्य शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है तो यह मानववध है। उदाहरणस्वरूप अ अपनी पत्नी को पूर्ण शक्ति से तमाचा लगाता है। फलस्वरूप वह गिर पड़ती है और मर जाती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वह बीमार थी। ऐसी दशा में अ मानववध का अपराधी है। यदि प्राण लेने के इरादे का अभाव है और जाँच का फल यह है कि कार्य इस जानकारी के साथ किया गया था कि उससे मृत्यु होने की संभावना थी तो यह मानववध है। उदाहरणस्वरूप जब मुकदमे के अपराध में झूठी गवाही देने के लिये किसी को घूस दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह अपराध मानववध है। कभी कभी यह निश्चित करना कठिन हो जाता है जब अ अपराध के चिह्न छिपाने के लिये एक व्यक्ति किसी को जान से मार देता है जिसे वह मृत समझता है। उदाहरणस्वरूप अ, ब को जान से मारने के इरादे से उसके सिर पर तीन प्रहार करता है। फलस्वरूप ब बेहोश होकर गिर पड़ता है यद्यपि वह मरा नहीं है। अ उसको मृत समझकर अपराध के सारे प्रमाण नष्ट करने के लिये [illegible] झोपड़ी में आग लगा देता है जिसमें ब पड़ा है। वास्तवी [illegible] यह है कि मृत्यु जलने से हुई है, प्रहारों से नहीं। [illegible] ने 'सम्राट् बनाम [illegible]' ([illegible]) [illegible] के [illegible]

र्णय दिया था कि अ हत्या करने के प्रयत्न का अपराधी है, या का नहीं। बहुमत न्यायाधीश श्री पारसन ने उसको इस धार पर हत्या का अपराधी होना निश्चित किया कि दोनों कार्य— ार करना और झोपड़ी जलाना एक दूसरे से इतनी घनिष्ठता से द्ध हैं कि वे एक ही प्रक्रिया—मृतक की जान लेने—के अंग हैं। ारे देश के अनेक उच्च न्यायालयों ने न्यायाधीश श्री पारसन के इस का समर्थन किया है और जिसको प्रिवी कौंसिल ने 'वेली बनाम ड्रारानी' (१९५४) १. ए० ई० आर० ३७३ में स्वीकार या है।

द्वितीय श्रेणी में धारा ३०० के पांच अपवादों के अंतर्गत आने- ले मामले आते हैं जिन्हें जान लेना कहते हैं: (१) उत्तेजना में कर, अथवा (२) निजी रक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करके थवा (३) सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण रके, अथवा (४) बिना पूर्व विचार के अकायक समर्थ होने पर, थवा (५) अनुमति से जान लेना। जान लेने के इन सभी मामलों मानववध अथवा अभियोज्य नर हत्या का, जो हत्या की श्रेणी में हीं आती, छोटा अपराध होता है।

हत्या अथवा अभियोज्य नरहत्या का प्रयत्न—हत्या का प्रयत्न क पृथक् अपराध है और इसके लिये धारा ३०७ के अंतर्गत दंड दिया जाता है। इस अपराध को सिद्ध करने के लिये स्वयं प्रयत्न से ही मृत्यु होने की सम्भावना होनी चाहिए, अगर किसी परिस्थिति- श इसको कार्यान्वित होने से न रोका जाय। इसमें दो बातें सिद्ध होनी चाहिए: (१) जान लेने का इरादा और (२) अभिकर्ता की चेष्टा शक्ति से स्वतंत्र रहकर किसी परिस्थिति के कारण उस इरादे की असफलता। इसी प्रकार अभियोज्य नरहत्या करने का प्रयत्न धारा ३०८ के अंतर्गत दंडनीय है।

२. आत्महत्या — आत्महत्या स्वयं अपनी जान लेना है। आत्महत्या का अपराधी दंडनीय नहीं है क्योंकि अपराधी जीवित ही नहीं बचता। केवल आत्महत्या का प्रयत्न धारा ३०५ और ३०६ के अंतर्गत दंडनीय है। आत्महत्या साधारणतः वित्तीय विनाश, पारि- वारिक कलह, निराश्रयता, शारीरिक संताप अथवा प्रेम की असफलता आदि के कारण की जाती है। इसके लिये गोली मारने, फांसी पर लटकने, जहर खाने, पानी में डूबने, आग में जलने, गला काटने जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है।

हत्या करने के प्रयत्न की अपेक्षा आत्महत्या के प्रयत्न के लिये दंड हल्का है क्योंकि विधि या कानून [illegible] दंड की अपेक्षा हत्या का अधिक उपयुक्त विषय [illegible]

[illegible] है। [illegible] दंडनीय है बशर्ते [illegible] गर्भपात न कराया [illegible] कोई [illegible] खिलाई गई है तो वह दंडनीय नहीं है। सब ऐसे अपराध ३१२ से लेकर ३१४ के अंतर्गत दंडनीय हैं।

४. शिशुहत्या यह अपराध बच्चे का परित्याग करने उसके जन्म को छिपाने तथा उसको फेंक देने से होता है। साध हरामी बच्चों के माता पिता यह अपराध करते हैं क्योंकि वे अनैतिक कार्य के प्रमाण को सार्वजनिक दृष्टि से छिपाने के चिंतित रहते हैं। संकटग्रस्त माता पिता भी ऐसा कार्य करने झुक सकते हैं।

जन्म के बाद जब तक बच्चे में विवेक नहीं आ जाता १२ वर्ष की अवस्था तक विधि उसको संरक्षण प्रदान करा इसलिये यदि उसका पिता अथवा माता अथवा अभिभावक किसी जगह छोड़ जाता है तो उसे दंड मिलता है। यदि बच प्रकार परित्याग किए जाने से मर जाता है तो अपराधी, जै स्थिति हो, हत्या अथवा अभियोज्य नरहत्या के लिये दंडनीय है (धारा ३१७)। बच्चे के पालनपोषण का प्राथमिक दायित्व माता पिता पर होता है, जो उसको अस्तित्व में इसलिये यदि वे अपना यह कर्तव्य नहीं पालन करते तो आप विधि उनको दंड देती है।

शिशुहत्या का दूसरा पहलू नवजात शिशु का छिपाना है धारा ३१८ के अंतर्गत दंडनीय है। सभी देशों में विधि की स नीति यह है कि जन्म और मृत्यु का पूर्ण रूप से प्रकाशन चाहिए। इसलिये शिशु को गुप्त रूप से फेंकना संदेहजनक और फलस्वरूप दंडनीय है। इस अपराध के लिये गोपनीयत परित्याग दोनों का होना आवश्यक है।

(ख) शरीर के प्रति अपराध

मानव शरीर की सुरक्षा के प्रति अपराध का, गंभीरता से, दूसरा स्थान है। इस प्रकार के अपराध दो प्रकार के हो (१) चोट, मामूली या सख्त और (२) आक्रमण।

(१) चोट, मामूली अथवा सख्त (धारा ३१६-३२

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे में शारीरिक पीड़ा, रोग निर्बलता उत्पन्न करता है तो उसके लिये कहा जाता है कि चोट पहुंचाई। गंभीर चोटें सख्त कहलाती हैं। इस अपराध मानसिक तत्व बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, अपराधी तो चोट पहुंचाने का इरादा होना चाहिए अथवा वह यह हो कि उसके कार्य से चोट पहुंचने की संभावना है और ऐसे अवश्य पहुंचाई जानी चाहिए।

मामूली अथवा सख्त चोट (१) चोट पहुंचाने के ए जैसे घातक हथियार, अग्नि तथा ऐसे उपकरणों के उ अथवा (२) इसको पहुंचाने के लिये सम्पत्ति छीनने, या अवै करने या सरकारी कर्मचारी को अपना कर्तव्यपालन क रोकने के अपराधी के उद्देश्यों के अनुसार गुरुतर हो जा ऐसे मामलों में गुरुतर दंड दिया जाता है। इस प्रकार सख्त चोट का अपराध हल्का हो जाता है यदि यह

गंभीर या आकस्मिक उत्तेजनावश अथवा (२) बिना विचारे अथवा असावधानीवश पहुँचाई जाती है। ऐसे मामलों में हल्का दंड दिया जाता है।

(२) आक्रमण (धारा ३४९-३५०) किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी शक्ति के प्रयोग को बल का प्रयोग कहते हैं। यह प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है, किंतु दूसरे या किसी अन्य वस्तु में गति का आना, गति का रुक जाना या गति में परिवर्तन होना आवश्यक है। बल उस समय अपराधात्मक बल हो जाता है जब इसका प्रयोग (१) बिना अनुमति के, (२) कोई अपराध करने के लिये या (३) किसी दूसरे व्यक्ति को आघात, भय या संताप पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है।

कोई व्यक्ति उस समय आक्रमण का अपराध करता है जब वह (१) कोई मुद्रा बनाता है या तैयारी करता है, (२) इस इरादे से या यह जानते हुए (३) कि इस प्रकार की मुद्रा या तैयारी से किसी उपस्थित व्यक्ति के इस प्रकार भयभीत होने की संभावना है, (४) कि मुद्रा बनानेवाला या तैयारी करनेवाला व्यक्ति उसके विरुद्ध अपराधात्मक बल का प्रयोग करनेवाला है। उदाहरणस्वरूप अ, ज पर घूँसा तानता है, इस इरादे से अथवा यह जानते हुए कि इस बात की संभावना है कि इससे ज को यह विश्वास हो सकता है कि अ उसको मारनेवाला है। ऐसी दशा में अ आक्रमण का अपराध करता है।

आक्रमण का अपराध उस समय गुरुतर हो जाता है जब यह (१) किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्यपालन से रोकने के लिये (धारा ३५३); अथवा (२) किसी स्त्री का सतीत्व नष्ट करने के लिये (धारा ३५४); अथवा (३) किसी व्यक्ति को बेइज्जत करने के लिये उदाहरणस्वरूप किसी ब्राह्मण का जनेऊ तोड़कर या किसी सिख की दाढ़ी काटकर; अथवा (४) किसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में (धारा ३५६), उदाहरणस्वरूप यदि कोई जेबकतरा किसी मुसाफिर पर उसके हाथ में लगी घड़ी या किसी स्त्री पर उसके कान की बालियाँ छीनने के लिये करता है; अथवा (५) किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से कैद करने के प्रयास में (धारा ३५७) किया जाता है। इन पाँचों दशाओं में गुरुतर दंड दिया जाता है। इसी प्रकार आक्रमण का अपराध हल्का हो जाता है, अगर यह गंभीर अथवा आकस्मिक उत्तेजनावश किया जाता है।

(ग) स्वाधीनता के प्रति अपराध (धारा ३५९ और ३७४)

प्रत्येक व्यक्ति का शरीर पवित्र और स्वतंत्र समझा जाता है और इसीलिये कानून उसको दंड देता है जो उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता को संकुचित करता है, यद्यपि यह हो सकता है कि उसके शरीर के विरुद्ध उसका कोई अभिप्राय न हो। ऐसे अपराध दो प्रकार के होते हैं : (१) अनुचित पाबंदी और अनुचित कैद जिनके कारण आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है और (२) बालापहरण तथा तत्सम अपराध, जो पूर्ण रूप से शारीरिक स्वाधीनता को चित करते हैं।

• अनुचित पाबंदी और अनुचित कैद — इन अपराधों का [illegible] के आवागमन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से है। अनुचित पाबंदी में (धारा ३३९ और ३४१) आवागमन की स्वतंत्रता पर आंशिक रोक रहती है। इस अपराध में दो तत्व रहते हैं: (१) [illegible] रुकावट डालना और (२) इस प्रकार किसी व्यक्ति को उस दिशा की ओर जाने से रोकना जिधर उसको जाने का [illegible] है। उदाहरणस्वरूप अ उस रास्ते में रुकावट डालता है [illegible] ज को चलने का अधिकार है और [illegible] प्रकार वह ज को उस पर जाने से रोकता है। ऐसी दशा में अ अनुचित पाबंदी का अपराध करता है। पाबंदी शारीरिक और व्यक्तिगत होनी चाहिए।

अनुचित कैद में व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण रूप से रुकावट रहती है। अनुचित कैद में रखा गया व्यक्ति परिसीमित क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकता। उदाहरणस्वरूप कोई जेल डाक्टर किसी बंदी को एनिमा देने के लिये एक कोठरी में बंद रखता है। ऐसी दशा में वह अनुचित कैद का अपराधी है। अनुचित [illegible] के करने के समय (धारा ३४३ और ३४४); या (२) कैद करने के समय की गोपनीयता (धारा ३४६); अथवा (३) रिहाई के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी किए जाने पर कैद को [illegible] (धारा ३४५); अथवा (४) कैद के उद्देश्य, जैसे संपत्ति का ऐंठना (धारा ३४७); के अनुसार अथवा अगर जबरदस्ती इकबाल कराने का उद्देश्य हो (धारा ३४८), तो अनुचित कैद का अपराध गुरुतर हो जाता है।

२. बालापहरण और तत्सम अपराध (धारा ३५९-३६८) — ऐसे अपराध पाँच प्रकार के होते हैं : क. बालापहरण, ख. [illegible] अपहरण, ग. अवैध अनिवार्य श्रम, घ. दासता और ङ. अनैतिक [illegible] के लिये अवयस्क का क्रय विक्रय।

क. बालापहरण — बालापहरण का शाब्दिक अर्थ बच्चे को चुराना है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत यह व्यक्ति की स्वाधीनता की अपेक्षा अभिभावक के अधिकार का अतिक्रमण अधिक [illegible] जाता है। इसमें मानव स्वाधीनता को इसलिये क्षति पहुँचती है कि कानूनन बालक व्यावहारिक रूप में एक ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण और निगरानी में रहता है जो उसका वास्तविक अभिभावक नहीं होता।

बालापहरण दो प्रकार के होते हैं : (१) भारत से और (२) वैध अभिभावकता से (धारा ३५९), यद्यपि ये दोनों अपराध एक दूसरे में उपस्थित रह सकते हैं। भारत से बालापहरण (धारा ३६०), वयस्कों तथा अवयस्कों दोनों का उनके अभिभावक अथवा स्वयं उनकी रजामंदी के बिना हो सकता है, [illegible] बालापहरण अवयस्क का अर्थात् १६ वर्ष से कम के लड़के [illegible] १८ वर्ष से कम की लड़की अथवा किसी भी उम्र के विक्षिप्त [illegible] का वैध अभिभावकता से हो सकता है। इस अपराध में अपराधी [illegible] इरादा आवश्यक नहीं। इस अपराध के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं : १६ वर्ष से कम के लड़के अथवा १८ वर्ष से कम की लड़की अथवा किसी विक्षिप्त व्यक्ति को (२) वैध अभिभावक के संरक्षण (३) बिना उसकी रजामंदी के ले जाना।

ख. बलात् अपहरण — जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिये बलात् से बाध्य करता है [illegible] प्रपंच से फुसलाता है तो यह कहा जाता है कि उसने उस व्यक्ति

बलात् अपहरण किया (धारा ३६२)। बलात् अपहरण एक सहायक अपराध है। जब यह धारा ३६४ तथा आगे की धाराओं में उल्लिखित उद्देश्यों से किया जाता है तो यह दंडनीय होता है।

बालापहरण अथवा बलात् अपहरण का अपराध गुरुतर हो जाता है और उसके लिये गुरुतर दंड दिया जाता है यदि वह निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है — (१) हत्या करने के लिये (धारा ३६४), उदाहरणस्वरूप काली देवी को प्रसन्न करने की गरज से उसको बलि चढ़ाने के लिये; अथवा (२) गुप्त रूप से या अनुचित रूप से कैद करने के लिये (धारा ३६५); अथवा किसी स्त्री को विवाह के लिये बाध्य करने या निषिद्ध संभोग के लिये जबरदस्ती करने या फुसलाने के लिये (धारा ३६६); अथवा (४) दस वर्ष से कम के बच्चे के शरीर से चल संपत्ति चुराने के लिये (धारा ३६९); अथवा (५) किसी स्त्री को आपराधिक धमकी, अधिकार के दुरुपयोग अथवा बलप्रयोग के किसी दूसरे तरीके द्वारा निषिद्ध संभोग के उद्देश्य से किसी स्थान से जाने के लिये बाध्य करने के लिये (धारा ३६६); अथवा (६) १८ वर्ष से कम की अवयस्क लड़की को, इस इरादे से अथवा इस जानकारी में कि उसको निषिद्ध संभोग के लिये बाध्य किया जायगा अथवा फुसलाया जायगा किसी स्थान से जाने के लिये बाध्य करने के लिये (धारा ३६६ अ); अथवा (७) २१ वर्ष से कम की लड़की का भारत से बाहर किसी देश से अथवा जम्मू तथा कश्मीर से आयात करने के लिये, इस इरादे से या इस जानकारी में कि उसको निषिद्ध संभोग के लिये बाध्य किया जायगा (धारा ३६६ ब), अथवा (८) किसी व्यक्ति को सख्त चोट पहुँचाने, दास बनाने अथवा व्यभिचार के लिये (धारा ३६७), अथवा (९) किसी व्यक्ति को छिपाकर रखने अथवा कैद करने के लिये (धारा ३६८)।

ग. अवैध अनिवार्य श्रम — व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य का स्वनिहित अधिकार है। इसीलिए कोई भी यहाँ तक कि राज्य भी, उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध, सार्वजनिक हित को छोड़कर, सेवाकार्य करने के लिये मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिये सेवाकार्य करने के लिये बाध्य करना दंडनीय है (धारा ३७४)। इस अपराध के लिये तीन तत्त्व आवश्यक हैं: (१) श्रम, (२) अनिवार्यता और (३) अवैधता। 'श्रम' शब्द का अर्थ शारीरिक और मानसिक दोनों परिश्रम है, उदाहरणस्वरूप खाई खोदना, गीत गाना, अथवा चित्र बनाना। भारत के संविधान के अनुच्छेद २३ के अनुसार भी मानव-क्रय-विक्रय तथा बेगार अथवा जबरदस्ती कार्य कराने के इसी प्रकार के तरीके निषिद्ध हैं।

घ. दासता (धारा ३७०–३७१) — भारतीय दंड संहिता के अनुसार दासों का क्रय विक्रय दंडनीय है। दासता के अंतर्गत दो तत्त्व हैं: (१) किसी व्यक्ति के जीवन का क्रय विक्रय और (२) किसी को काम करने की स्वाधीनता से वंचित करना।

भारत में दास प्रथा प्रचलित थी, जो १८४३ ई० के अधिनियम ५ से समाप्त कर दी गई थी। अब इस अधिनियम की व्यवस्थाएँ भारतीय दंड संहिता की धारा ३७० में सम्मिलित कर ली गई हैं जिनके अनुसार किसी व्यक्ति का दास के रूप में क्रय, विक्रय, आयात अथवा निर्यात दंडनीय है। जो कोई भी आदतन दासव्यापार करता है वह धारा ३७१ के अंतर्गत दंडनीय है।

ङ. अनैतिक कार्य के लिये अवयस्क का क्रयविक्रय (धारा ३७२–३७१) — अनैतिक कार्य के लिये अवयस्क का क्रय और विक्रय दोनों भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय हैं। अवयस्कों के विक्रेता धारा ३७२ के अंतर्गत और क्रेता धारा ३७३ के अंतर्गत दंडनीय हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि १८ वर्ष से कम की लड़की का विक्रय मात्र उस स्थिति में अपराध नहीं है जब वह गोद लेने अथवा विवाह के लिये किया जाता है। [रा० च० नि०]

व्यक्तिवाद, साधारण अर्थ में, स्वार्थ के समर्थन की, अथवा विशिष्ट समझे जानेवाले व्यक्तियों की महत्ता स्वीकार करने की प्रवृत्ति, दर्शन में, प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट व्यक्ति ठहराने की प्रवृत्ति।

पाश्चात्य दर्शन में व्यक्तिवाद की समस्या पहले पहल सोफिस्त विचारकों के समय, पाँचवीं शताब्दी ईसापूर्व के आसपास, उत्पन्न हुई। मूलतः यह सामाजिक समस्या थी। आरंभिक शासन योद्धाओं के शौर्य पर स्थापित हुए थे। कालांतर में, उन आरंभिक शासकों के वंशज, परिवार तथा उनके संबंधियों के कुल कुलीन बन गए थे। योद्धा उनके सहायक एवं अनुचर थे। सोफिस्त काल के यूनानी समाज में कुलीनों और योद्धाओं की ही गिनती थी। इन्हीं को सुख सुविधाएँ उपलब्ध थीं। कुलीन समाज परंपराओं को दैवी बताकर सामान्य जनों के अधिकारों का अपहरण कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में सोफिस्तों ने परंपराओं को माननीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया। सोफिस्तों में वयोवृद्ध प्रोतागोरस (४८०–४१०) ने मनुष्य को सभी वस्तुओं का मानदंड घोषित किया। प्रोतागोरस का उक्त कथन पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में व्यक्तिवाद का मूल स्रोत प्रसिद्ध है। इसी प्रतिज्ञा के अनुरूप प्रोतागोरस ने ज्ञान की व्याख्या में कहा, 'हम वस्तुओं को नहीं, प्रत्यक्ष के विषयों को जानते हैं।' सामान्य प्रत्यक्ष को ज्ञान का स्रोत बताना मानसिक आधार पर सामान्य व्यक्ति की सत्ता का तथा उसके मूल्य का समर्थन था। यह 'अल्प' की सैद्धांतिक सत्ता के विरुद्ध सामान्यतः ज्ञात 'बहु' की सत्ता का समर्थन था। किंतु विवाद का अंत न हुआ।

अफलातून ने सत्ता की समस्या पर विचार करते हुए वस्तुओं के 'सार' को सत्ता स्वीकार किया। उसी को उसने द्रव्य ठहराया। पर वह 'सार' वस्तुओं के वर्गों में व्याप्त 'सामान्य' था। इस प्रकार उसने विशिष्ट वस्तुओं को अयथार्थ और उनके सामान्यों को यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया। अफलातून प्रत्यक्ष की बहुता को, उसके सार को पृथक् सत्ता मानकर, निस्सार एवं असत्य सिद्ध करना चाहता था। अरस्तू ने अफलातून के सामान्यवादी दर्शन में तत्काल कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं किया, किंतु उसने इस बात पर बल दिया कि 'पदार्थ' और 'आकार' वस्तु के दो सहयोगी कारण हैं।

इन्हें वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। बात ठीक लगती है। वस्तुएँ केवल सारभूत गुण तो नहीं हो सकतीं; केवल सार समग्र वस्तु का स्थानापन्न कैसे हो सकता है.

अफलातून और अरस्तू के दर्शन के बाद, सिनिक और स्टोइक दार्शनिकों ने भौतिक वस्तु की सत्ता पर बल दिया तथा नैतिक आधार पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। छठी शताब्दी में बोथियस ने, अरस्तू की 'कैटागोरिया' नामक पुस्तक का पॉर्फिरी (२३३-३०४) कृत परिचय अनूदित कर, नामवाद (नॉमिनलिज्म) का मार्ग प्रशस्त किया। पाश्चात्य दर्शन के मध्यकाल में, ११ वीं से १४ वीं शताब्दी तक, नामवादी विचारकों ने बराबर ही कहा कि सामान्य प्रत्यय नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, वास्तविक सत्ता वस्तुओं की है। इस प्रसंग में विलियम ऑव ओकम (१२८०-१३४९) का स्मरण किया जा सकता है। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि विशिष्ट वस्तुएँ ही होती हैं। इन्हीं की हमें अपरोक्षानुभूति होती है, जिसे हम निर्णय के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वस्तुओं के सामान्य धर्मों को अलग कर, हम सामान्य प्रत्ययों की रचना करते हैं। किंतु विवाद चलता रहा। परम्पराओं के पोषक जगत् की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु को स्थान देने के लिये तैयार न थे।

आधुनिक काल में, जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के समय (१७२४-१८०४) तक, बाह्य जगत् की बहुता को असत्य सिद्ध करने के प्रयत्नों का सिलसिला चलता रहा। प्राकृतिक विज्ञानों का विकास भी होता रहा। इस विकास ने प्रत्यक्ष को भ्रामक मानने में अकचन पैदा कर दी थी। कांट ने, जो स्वयं विज्ञान का अध्येता रह चुका था, वस्तुओं की सत्ता स्वीकार की। उसने जगत् की भ्रमात्मकता को कायम रखा, किंतु ज्ञान की प्रक्रिया को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया। अब वस्तु जगत् के समर्थन की समस्या समाप्त हो गई थी; समस्या थी उसे जानने की।

२०वीं शताब्दी के व्यवहारवादी दर्शन (प्रैग्मेटिज्म) ने प्रत्यक्ष को ज्ञान का उचित माध्यम बनाने में काफी योग दिया। इस दार्शनिक प्रवृत्ति का विकास अमरीका में हुआ। चार्ल्स एस० पीयर्स (१८३९-१९१४) को इसका संस्थापक माना जाता है। किंतु इसके प्रमुख व्याख्याता विलियम जेम्स (१८४२-१९१०) हैं। जेम्स ने प्रयोग को तत्त्वान्तर विवेक का माध्यम बताया। उनके अनुसार हमें देखना चाहिए कि दी हुई वस्तु हमारी आकांक्षाओं को पूरी करती है अथवा नहीं। यदि करती है तो वह उसी प्रकार की वस्तु है जैसी हम उसे समझते हैं। प्रत्ययवादी अद्वैत के विरुद्ध उसने ठोस वस्तुओं की बहुता की स्थापना की। उसने कहा, 'यदि मनुष्य सहित प्रत्येक वस्तु मात्र आकस्मिक निराकार का क्रमीय क्रम का परिणाम है, तो नैतिक उत्तरदायित्व, कर्म करने की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत प्रयत्नों और आकांक्षाओं का अर्थ क्या होगा ?'

यहीं से मनुष्य सहित प्रत्येक वस्तु की बहुता दार्शनिकों के वैचारिक ऊहापोह से मुक्त हुई। मनोविज्ञान ने प्रत्यक्ष का अध्ययन कर अधिक प्रत्यक्ष और भ्रम के कारणों को स्पष्ट किया। मनोविज्ञान [illegible] कार्यकारी विज्ञान स्वतंत्र हुआ। मनुष्य और वस्तु [illegible] कोई [illegible] न रह गई और प्रत्यक्ष दोनों के बीच प्रेषणीयता का माध्यम समझा जाने लगा। [illegible] शताब्दी में दार्शनिक ज्ञानमीमांसा और मनोवैज्ञानिक [illegible] में समझौता हो जाने से दार्शनिकों ने अपरोक्षानुभूति अथवा [illegible] प्रत्यक्ष पर बल दिया। मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व के अध्ययन [illegible] प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र प्रकार निश्चित किया। फ्रांसीसी विचारक हेनरी बर्ग्सां (१८५९-१९४१) ने वस्तुओं के मानसिक बोध की अपेक्षा आंतरिक अनुभव (इंट्यूशन) को अधिक मूल्य दिया। व्यक्ति की अपरोक्षानुभूति उसे अन्य व्यक्तियों से विशिष्ट बना देती है। यह अनुभूति किसी विशिष्ट व्यक्ति में नहीं, सभी में होती है। अभिप्राय यह है कि एक ही संसार में रहते हुए, सबके दृष्टिकोण भिन्न हैं, सभी अपने अपने ढंग के व्यक्ति हैं। इस प्रकार, बर्ग्सां ज्ञानमीमांसा व्यक्तियों की समष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट स्थान देती है।

वर्तमान अस्तित्ववाद इससे भी थोड़ा आगे बढ़कर विशिष्ट मनःस्थितियों एवं वासनाओं का उद्घाटन करने में प्रवृत्त है। यदि हम व्यापारसमष्टि में, इन व्यक्तिगत मानवीय व्यापारों को स्थान देते हैं, तो निश्चय ही समान रूप से सभी व्यक्तियों के अस्तित्व एवं मूल्य को स्वीकार करते हैं। दार्शनिक व्यक्तिवाद का यही आशय है। विशेष दे० 'पाश्चात्यदर्शन', 'सोफिस्त', 'सिनिक', 'सिनिकवाद', 'स्टोइक'।

सं० ग्रं० — विलियम जेम्स : प्लूरलिस्टिक यूनीवर्स; हेनरी बर्ग्सां, इंट्रोडक्शन टु मेटाफिजिक्स। [शि० द०]

व्यतिकरण (Interference) से किसी भी प्रकार की तरंगों की एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशेष स्थितियों में तरंगों और उनके प्रभावों में वृद्धि, कमी या उदासीनता आ जाती है।

भौतिक प्रकाशिकी में इस धारणा का समावेश टॉमस यंग (Thomas Young) ने किया। उनके बाद व्यतिकरण का व्यवहार किसी भी तरह की तरंगों या कणों के समवेत या उनके प्रभावों को व्यक्त करने के लिये किया जाता रहा है। सरल में किसी भी तरह की (जल, प्रकाश, ध्वनि, तार या विद्युत् से उत्पन्न) तरंगगति के कारण लहरों के टकराव से उत्पन्न स्थिति को व्यतिकरण की संज्ञा दी जाती है। जब कभी जल या अन्य किसी द्रव की सतह पर दो भिन्न तरंगसमूह एक साथ मिलें, तो व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहाँ एक तरंगसमूह के तरंग लहरों के तरंगशृंगों का दूसरी शृंखला के तरंग लहरों के तरंगशृंगों के सम्मिलन होता है, वहाँ द्रव की सतह का उन्नयन उस स्थान पर लहरों के स्वतंत्र और एकांश अस्तित्व के समय उन्नयनों के योग के बराबर होता है। जब तरंगों में से एक के तरंगशृंग का दूसरे के तरंगगर्त पर समागमन होता है, तब द्रव की सतह पर तरंगों का उद्वेलन कम हो जाता है और अधिकांशतः उन्नयन (या अवनयन) एक तरंग अवयव (component) के उन्नयन और दूसरे के अवनयन के अंतर के बराबर हुआ करता है। ध्वनि में [illegible] विस्पंद (beats) [illegible] है, यहाँ [illegible]

या ■ से अधिक तरंगसमूह, जिनके तरंगदैर्घ्य में मामूलीसा अंतर होता है, करीब एक ही दिशा में अग्रसर होते हुए मिलते हैं।

प्रकाश की गति तरंगीय होती है। किसी एकल प्रकाशस्रोत से निःसृत ऊर्जा माध्यम के पार्श्व में समान रूप से बिखर जाती है। यदि प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत, जिनसे समान परिमाण और अभिन्न कला की तरंगें सतत निःसृत हों, एक दूसरे के सन्निकट रखे जायँ, तो माध्यम के आसपास ऊर्जा का वितरण समांग नहीं होता, जहाँ एक प्रकाशतरंग का शृंग दूसरे प्रकाशतरंग के शृंग (crest) पर, या एक का तरंगगर्त (trough) दूसरे के तरंगगर्त पर गिरता है, वहाँ आयाम (amplitude) बढ़ जाता है और आयाम स्वरूप ऊर्जा या प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। साथ ही, यदि एक का तरंगशृंग दूसरे के तरंगगर्त पर गिरे, तो परिणामी आयाम (resultant amplitude) शून्य होता है और प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। पहली स्थिति को सपोषी (constructive) व्यतिकरण और दूसरी स्थिति को विनाशी (destructive) व्यतिकरण कहते हैं।

पारदर्शी ठोस के पतले पट्टों (plates) और साबुन के बुलबुलों पर प्रकाश की किरणों के पड़ने पर व्यतिकरण का स्पष्ट परिचय मिल सकता है। जब प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों, या शीशे के पतले पट्टों, पर पड़ती हैं, तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आँखों की ओर लौटती हैं और प्रकाश के तरंगसमूहों में, जो दोनों स्रोतों (सतहों) से आँखों तक पहुँचती हैं, कलाओं (phases) में सूक्ष्म अंतर होने के कारण (जो बुलबुले या पट्ट के प्रत्येक बिंदु पर भिन्न होता है) व्यतिकरण होता है, जिससे उत्पन्न प्रभाव काफी मोहक और चित्ताकर्षक होते हैं। साबुन का कोई बुलबुला एकवर्णी (monochromatic) प्रकाश में प्रायः कुछ काली रेखाओं से आवृत दिखाई पड़ता है। कारण यह है कि काले दिखाई पड़नेवाले बिंदुओं पर प्रकाश के दो तरंगसमूह, जो क्रमशः बुलबुले की भीतरी और बाहरी सतहों से आते हैं, करीब करीब या पूर्णतः एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यदि बुलबुला श्वेत प्रकाश में देखा जाय, तो हमें सामान्यतया काली रेखाएँ नहीं दिखाई पड़तीं। उनके स्थान पर रंगों की पट्टियाँ (bands) होती हैं। ऐसा इसलिये होता है कि विभिन्न रंग, जिनके योग से श्वेत प्रकाश की उत्पत्ति होती है भिन्न भिन्न तरंगों के होते हैं, जिससे बुलबुले के किसी बिंदु पर व्यतिकरण से रंग के केवल एक अंश मात्र का विनाश होता है और उजले प्रकाश के शेष अवयव बच रहते हैं, जो आँखों पर अपना पूर्ण वर्णीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

व्यतिकरण के लिये कुछ मौलिक शर्तें हैं, जिनकी पूर्ति आवश्यक है। इनमें से कुछ तो प्रकाश की प्रकृति में ही अंतर्निहित हैं और दूसरी, यदि परिणाम का प्रेक्षण प्रयोग द्वारा करना हुआ तो, आवश्यक हो उठती हैं। सरलता के लिये हम दो विद्युत् चुंबकीय लहरों पर विचार कर सकते हैं, जो किसी दिक्बिंदु पर, जहाँ से दोनों लहरें गुजरती हैं, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करें।

यदि व्यतिकरण का प्रतिरूप स्थिर (steady) रहा, अर्थात् यदि प्रकाश की तीव्रता (intensity) का परिणामी तथाकथित बिंदु पर समय के प्रत्येक मान के लिये शून्य हो, तो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है: (१) व्यतिकरण उत्पन्न करनेवाली तरंगों का दैर्घ्य और उनकी आवृत्तिसंख्या समान होनी चाहिए, (२) दो तरंगों की कलाओं का अंतर किसी निश्चित बिंदु पर समय के साथ कभी भी नहीं बदलना चाहिए, (३) दोनों तरंगों का परिमाण आवश्यक रूप से समान ■ निकटतः समान होना चाहिए, (४) दोनों तरंगों का समान ध्रुवीकरण (polaristion) नितांत आवश्यक है। अतः प्रकाशतरंगों के लिये यह आवश्यक है कि वे तरंगसमूह, जो मिलकर व्यतिकरण उत्पन्न करें, अवश्य एक ही स्रोत से निःसृत हों। प्रकाशतरंगों की असंबद्ध (incoherent) प्रकृति से भी यह अनुमान लगाया जा सकता है। एक ही स्रोत से निःसृत तरंगों में स्रोत की परमाण्वीय रचना की समानता के चलते और परमाणुओं की कक्षाओं (orbits) में प्रायः एक ही तरह के संक्रमणों के कारण, कला समान होती है, या उनका कलांतर (phase difference) स्थिर रहता है।

प्रकाश द्वारा उत्पन्न प्रतिरूपों के सफल प्रेक्षण के लिये दो अन्य शर्तें, जिनकी पूर्ति होनी चाहिए, निम्नलिखित हैं (१) यदि प्रकाश एकवर्णी (monochromatic), या बहुत हद तक वैसा न हो, तो उन दोनों प्रकाशपुंजों के, जो मिलकर व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, प्रकाशीय पथ की दूरी का अंतर बहुत कम होना चाहिए ($१०^{-८}$ सेंमी० के क्रम का) तथा (२) दोनों व्यतिकरणशील तरंगों के अग्रसर होने की दिशा प्रायः समान होनी चाहिए, अर्थात् तरंगाग्र (wave fronts) का एक दूसरे के साथ अति न्यून कोण बनाना आवश्यक है।

यदि दो अतिसन्निकट प्रकाशस्रोत के समान परिमाण और कलांतर (period) की तरंगें किसी कलांतर विशेष पर कुछ दूर स्थित पर्दे के एक बिंदु पर मिलें, तो पर्दे पर कुछ बिल्कुल काली रेखाएँ, जिनके अंतराल में अधिकतम तीव्रता की रेखाएँ रहती हैं, देखी जाती हैं। ये न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता की रेखाएँ व्यतिकरण फिंजें कहलाती हैं।

जब कभी व्यतिकरण फिंजें (fringes) पतली फिल्मों के चलते बनती हैं, तब उनका कारण व्यतिकरण में भाग लेनेवाली किरणों के कलांतर का परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन फिल्म (film) की मोटाई के परिवर्तन, या आपतन कोण के परिवर्तन, के कारण होता है। यदि मोटाई समान नहीं हुई, तो प्रायः दोनों तथ्य एक ही साथ क्रियाशील हो उठते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब कोई फिल्म आँख द्वारा देखी जा रही है तो उसे आँख से करीब २५ सेंमी० की दूरी पर रखा जाना चाहिए।

यदि फिल्म का परास (range) बहुत बड़ा न हो, तो हमारी आँखों तक फिल्म के विभिन्न बिंदुओं से आती हुई किरणों के झुकाव की भिन्नता कोई अधिक नहीं होती और प्रत्येक किरण का आपतन कोण करीब करीब समान होता है। अतः फिंजें मुख्यतः फिल्म की मोटाई की भिन्नता के कारण बनती हैं। यह भी नितांत स्पष्ट है कि फिल्म के उन सभी बिंदुओं पर, जहाँ मोटाई समान है, वहाँ प्रकाश

इन्हें वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। बात ठीक लगती है। वस्तुएँ केवल सारभूत गुण तो नहीं हो सकती, केवल सार समग्र वस्तु का स्थानापन्न कैसे हो सकता है

अफलातून और अरस्तू के दर्शन के बाद, सिनिक और स्टोइक दार्शनिकों ने भौतिक वस्तु की सत्ता पर बल दिया तथा नैतिक आधार पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। छठी शताब्दी में बोथियस ने, अरस्तू की 'कैतागोरिया' नामक पुस्तक का पोर्फिरी (२३३-३०४) कृत परिचय अनूदित कर, नामवाद (नॉमिनलिज्म) का मार्ग प्रशस्त किया। पाश्चात्य दर्शन के मध्यकाल में, ११ वीं से १४ वीं शताब्दी तक, नामवादी विचारकों ने बराबर ही कहा कि सामान्य प्रत्यय नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, वास्तविक सत्ता वस्तुओं की है। इस प्रसंग में विलियम ऑव ओकम (१२८०-१३४९) का स्मरण किया जा सकता है। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि विशिष्ट वस्तुएँ ही होती है। इन्हीं की हमें अपरोक्षानुभूति होती है, जिसे हम निर्णय के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वस्तुओं के सामान्य धर्मों को अलग कर, हम सामान्य प्रत्ययों की रचना करते हैं। किंतु विवाद चलता रहा। परम्पराओं के पोषक जगत् की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु को स्थान देने के लिये तैयार न थे।

आधुनिक काल में, जर्मन दार्शनिक इमैनुएल काट के समय (१७२४-१८०४) तक, बाह्य जगत् की बहुता को असत्य सिद्ध करने के प्रयत्नों का सिलसिला चलता रहा। प्राकृतिक विज्ञानों का विकास भी होता रहा। इस विकास ने प्रत्यक्ष को भ्रामक मानने में अड़चन पैदा कर दी थी। काट ने, जो स्वयं विज्ञान का अध्येता रह चुका था, वस्तुओं की सत्ता स्वीकार की। उसने जगत् की भ्रमात्मकता को कायम रखा, किंतु ज्ञान की प्रक्रिया को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया। अब वस्तु जगत् के समर्थन की समस्या समाप्त हो गई थी; समस्या थी उसे जानने की।

२०वीं शताब्दी के व्यवहारवादी दर्शन (प्रैग्मेटिज्म) ने प्रत्यक्ष को ज्ञान का उचित माध्यम बनाने में काफी योग दिया। इस दार्शनिक प्रवृत्ति का विकास अमरीका में हुआ। चार्ल्स एस० पीयर्स (१८३९-१९१४) को इसका संस्थापक माना जाता है। किंतु इसके प्रमुख व्याख्याता विलियम जेम्स (१८४२-१९१०) हैं। जेम्स ने प्रयोग को सत्यासत्य विवेक का माध्यम बताया। उनके अनुसार हमें देखना चाहिए कि दी हुई वस्तु हमारी आकांक्षाओं को पूरी करती है अथवा नहीं। यदि करती है तो वह उसी प्रकार की वस्तु है जैसी हम उसे समझते हैं। प्रत्ययवादी अद्वैत के विरुद्ध उसने ठोस वस्तुओं की बहुता की स्थापना की। उसने कहा, 'यदि मनुष्य सहित प्रत्येक वस्तु मात्र प्राथमिक निराकार या असीम द्रव्य का परिणाम है, तो नैतिक उत्तरदायित्व, कर्म संबंधी स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत प्रयत्नों और आकांक्षाओं का अर्थ क्या होगा?'

यहीं से मनुष्य सहित प्रत्यक्ष जगत् की बहुता दार्शनिकों के तात्विक ऊहापोह से मुक्त हुई। मनोविज्ञान ने प्रत्यक्ष का अध्ययन कर उचित प्रत्यक्ष और भ्रम के आधारों को अलग किया। मनोविज्ञान के प्रभाव से यथार्थवादी चिंतन व्यापक हुआ। मनुष्य और जगत् की सत्ता पर संदेह करने की कोई बात न रह गई और प्रत्यक्ष दोनों के बीच श्रेयणीयता का माध्यम समझा जाने लगा। इसे शताब्दी में दार्शनिक ज्ञानमीमांसा और मनोवैज्ञानिक आधार में समझौता हो जाने से दार्शनिकों ने अपरोक्षानुभूति अथवा अन्तर्दृष्टि प्रत्यक्ष पर बल दिया। मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व के अध्ययन में प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतन्त्र प्रकार निश्चित किया। अन्य विचारक हेनरी बर्गसाँ (१८५९-१९४१) ने वस्तुओं के मानसिक बोध की अपेक्षा आंतरिक अनुभव (इंट्यूशन) को अधिक मूल्य दिया। व्यक्ति की अपरोक्षानुभूति उसे अन्य व्यक्तियों से विशिष्ट बना देती है। यह अनुभूति किसी विशिष्ट व्यक्ति में नहीं, सभी में होती है। अभिप्राय यह है कि एक ही संसार में रहते हुए, वर्ग के दृष्टिकोण भिन्न हैं, सभी अपने अपने ढंग के व्यक्ति हैं। इस प्रकार सत्ता ज्ञानमीमांसा व्यक्तियों की समष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट स्थान देती है।

वर्तमान अस्तित्ववाद इससे भी थोड़ा आगे बढ़कर विशिष्ट मनःस्थितियों एवं वासनाओं का उद्घाटन करने में प्रवृत्त है। यदि हम व्यापारसमष्टि में, इन व्यक्तिगत मानवीय व्यापारों को स्थान देते हैं, तो निश्चय ही समान रूप से सभी व्यक्तियों के अस्तित्व के मूल्य को स्वीकार करते हैं। दार्शनिक व्यक्तिवाद का यही आधार है। विशेष दे० 'पाश्चात्यदर्शन', 'सोफिस्त', 'सिनिक', 'सिनिकवाद', 'स्टोइक'।

सं० ग्रं० — विलियम जेम्स : प्लूरलिस्टिक यूनीवर्स, एवं बर्गसाँ, इंट्रोडक्शन टु मेटाफिजिक्स। [कि० ग०]

व्यतिकरण (Interference) से किसी भी प्रकार की तरंगों की एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशेष स्थितियों में कंपनों और तरंगों प्रभावों में वृद्धि, कमी या उदासीनता आ जाती है।

भौतिक प्रकाशिकी में इस धारणा का समावेश टॉमस यंग (Thomas Young) ने किया। उनके बाद व्यतिकरण का व्यवहार किसी भी तरह की तरंगों या कंपनों के समावेश या अन्य प्रभावों को व्यक्त करने के लिये किया जाता रहा है। समुद्र में किसी भी तरह की (जल, प्रकाश, ध्वनि, तार या विद्युत् से जाता) तरंगगति के कारण लहरों के टकराव से उत्पन्न स्थिति को व्यतिकरण की संज्ञा दी जाती है। जब कभी जल या अन्य किसी द्रव की सतह पर दो भिन्न तरंगसमूह एक साथ मिलें, तो व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहाँ एक तरंगसमूह से संबद्ध लहरों के तरंगशृंगों का दूसरी शृंखला से संबद्ध लहरों के तरंगगर्तों से समिलन होता है, वहाँ द्रव की सतह का उन्नयन उस स्थान पर लहरों के स्वतन्त्र और एकांत अस्तित्व के समय उन्नयनों के योग के बराबर होता है। जब तरंगों में से एक के तरंगशृंग का [illegible] तरंगगर्त पर समापातन होता है, तब द्रव की सतह पर तरंगों [illegible] उद्वेलन कम हो जाता है और [illegible] एक तरंग अवयव (comp [illegible] अवनयन के अंतर के [illegible] (beats) इसी व्य[illegible]

पता लगाने के लिये परिवहनीय व्यावहारिक व्यतिकरणमापी का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप, जैसे वास्पा भट्ठी का ताप, तथा पेंच की परिशुद्धता की जाँच के लिये भी व्यतिकरणमापी प्रयुक्त किया जा रहा है। व्यतिकरणमापी से १ इंच के १/१०,००,००,००० तक की शुद्धता की जाँच की जा सकती है।

[प्र० ना० मे०]

व्यवहार प्रक्रिया (Behaviour Process) सांसारिक उद्दीपनों की टक्कर खाकर सजीव प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखने के निमित्त कई प्रकार की प्रतिक्रियाएँ करता है। उसके व्यवहार को देखकर हम प्रायः अनुमान लगाते हैं कि वह किस उद्दीपक (स्टिमुलस) या परिस्थिति विशेष के लगाव से ऐसी प्रतिक्रिया करता है। जब एक चिड़िया पेड़ की शाखा या भूमि पर चोंच मारती है, तो हम झट समझ जाते हैं कि वह कोई अन्न या कीट आदि खा रही है। जब हम उसे चोंच में तिनका लेकर उड़ते देखते हैं, तो तुरंत अनुमान लगाते हैं कि वह नीड़ (घोंसला) बना रही है। इसी प्रकार मानवी शारीरिक व्यवहार से उसके मनोरथ तथा स्वभाव आदि का भी पता लगता है। मुख की मुद्रा, देह की भंगिमा, तथा कर्मेंद्रियों के हिलने चलने के व्यवहार से अगोचर मानसिक क्रियाएँ विचार, रागद्वेष आदि भी दूसरे लोगों पर व्यक्त होते हैं। शारीरिक व्यवहार का सरलतम रूप 'सहज क्रिया' (रिफ्लेक्स ऐक्शन) में मिलता है। यदि आँख पर प्रकाशरेखा फेंकी जाय, तो पुतली तत्काल सिकुड़ने लगती है। यह एक जन्मसिद्ध, प्राकृतिक अनायास क्रिया है। इस क्रिया का न तो कोई पूर्वगामी अथवा सहचारी चेतन अनुभव होता है, और न ही यह व्यक्ति की इच्छा के वश में रहती है। इसी प्रकार मिरच के स्पर्शमात्र से आँखों में अश्रु आ जाते हैं। यह भी एक जन्मसिद्ध या सहज क्रिया है। छींक लेना, खाँसना आदि कुछ जटिल सहज क्रियाएँ हैं। इनको मनुष्य इच्छानुसार न्यूनाधिक प्रभावित कर सकता है। मल मूत्र त्याग भी सहज क्रियाएँ हैं, जिनपर मनुष्य विशेष नियंत्रण रखना सीख लेता है। सूई चुभते ही हम हठात् हाथ खींच लेते हैं। इन सबका मूलाधार है, ज्ञानेंद्रियों से नस द्वारा कर्मेंद्रियों (पेशी, ग्रंथि आदि) के साथ सीधा प्राकृतिक संबंध। सूई के दबाव से पीड़ास्थल से संलग्न नसें सक्रिय हो उठती हैं, और नसों द्वारा तत्संबंधित पेशी-संकोच होता है।

अनेक बार विशेष उद्दीपक की संगति से सहज क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। यथा मिठाई खाने से मुख में रसस्राव एक सहज क्रिया है। किंतु मिठाई के दर्शन अथवा नाम के सुनने मात्र से भी लार टपकने लगती है। इसका कारण ग्रंथिस्राव की सहज क्रिया का, अर्थात् संलग्न नसों का रूप, शब्द विशेष की ज्ञानेंद्रिय से एक नवीन अवांतरित संयोग होता है। किंतु अनेक आवृत्ति द्वारा नस संयोग के अवांतरित होने से यह एक 'अभ्यानुकूलित प्रतिवर्त' (कंडीशंड रिफ्लेक्स) का नवीन रूप ले लेती है। 'अभ्यानुकूलित क्रियाओं' का भी कोई पूर्वगामी या सहचारी चेतना अनुभव नहीं होता, और यह आचरण भी व्यक्ति की इच्छा के अधीन नहीं होता। इसमें चेतन इच्छा की उपेक्षा, तथा सूक्ष्म दैहिक नस संयोग की स्वतंत्रता का ही संकेत प्राप्त होता है। सामाजिक आदर्श व आचरण के सतत प्रभाव से जहाँ एक व्यक्ति मांसाहार परोसे जाने के समाचार से खिन्न होता है, वहीं दूसरा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार पूर्वानुभव या अभ्यानुकूलन भेद से एक जन विदेशी वस्तु के आभास मात्र से आनंदित, और अन्य क्रुद्ध होता है। स्वजातीय साम्प्रदायिक व्यक्तियों के साथ सौजन्य तथा मित्रता, परंतु विजातीय वर्ग के प्रति स्वाभाविक वैरभावना भी अभ्यानुकूलन का उदाहरण है। आधुनिक युग में सर्वप्रथम इसका महत्व एक रूसी वैज्ञानिक प्रो० आईवन पेट्रोविच पैवलॉव ने सुझाया। अमरीका के एक वैज्ञानिक डा० जॉन बी० वाटसन ने इस सिद्धांत को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। सामाजिक आचरण की अनेक गुत्थियों को सुलझाने में इस अभ्यानुकूलन प्रक्रिया का उपयोग होता है।

जन्म से ही पशुओं में अनेक प्रकार के जटिल कार्य करने की क्षमता होती है। ये कार्य जीवनयापन के निमित्त अत्यंत आवश्यक होते हैं, यथा शिशु का स्तनपान, संतान के हित पशु जाति का व्यवहार, चिड़िया की घोंसला बनाने की प्रवृत्ति, इत्यादि। ऐसी प्रवृत्तियाँ भी जन्मजात प्रकृति का अंग होती हैं। यदि चौपाए भागते दौड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते फिरते हैं। जहाँ मधुमक्खी सुगंधित फूलों पर मँडराती है वहाँ छिपकली कीट, फतिंगों का शिकार करती है। ऐसी प्राकृतिक जीवनोपयोगी वृत्तियों को सहज प्रवृत्ति, वृत्ति व्यवहार (इंस्टिंक्ट) अथवा जातिगत प्रकृति भी कह सकते हैं। पशुवर्ग का प्रत्येक आचरण, मूल रूप से उसकी विशेष प्रकृत प्रवृत्ति से विकसित होता है। एक बैल या उसका बछड़ा, घासफूस, पत्ते, तृण आदि से पेट भरता है। परंतु एक उच्च वर्ग का सभ्य आदमी तथा उसके बच्चे विशेष ढंग से पकवान बनवाकर, और उचित रूप से आसन या बर्तन आदि सजाकर ही भोजन करते हैं। सभ्यता के कृत्रिम आवरण में हम प्रकृत मूल प्रवृत्ति की एक धुँधली सी झलक देख सकते हैं। अतः कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति के सुदृढ़ आधार पर ही उच्चाकांक्षी बृहत् सभ्यता की झाँकी खुलकर खेलती है। एक आंग्ल वैज्ञानिक प्रो० विलियम मैक्डूगल के विचार से प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के तीन अंग होते हैं—(i) एक विशेष उद्दीपक परिस्थिति, (ii) एक विशिष्ट रसना अथवा संवेग, और (iii) एक विशिष्ट प्रतिक्रिया क्रम। इनमें से संयोगवश उद्दीपक परिस्थिति तथा अनुकूल कार्य के क्रम में अत्यधिक परिवर्तन होता है। सामान्यतः, कष्टप्रद अपमानजनक व दुःसाध्य परिस्थिति में मनुष्य क्रोधित होकर प्रतिकार करता है। किंतु जहाँ बच्चा खिलौने से रुष्ट होकर उसे तोड़ने का प्रयास करता है, वहाँ एक वयस्क स्वदेशाभिमान के विरुद्ध विचार सुनकर घोर प्रतिकार करता है। जहाँ बच्चे का प्रतिकार लात, घूँसा तथा दाँत आदि का व्यवहार करता है, वहाँ वयस्क का क्रोध अपवाद, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक हानि तथा अद्भुत भौतिक रासायनिक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है। किंतु क्रोध का अनुभव तो सब परिस्थितियों में एक समान रहता है। प्रो० मैक्डूगल ने पशु वर्ग के विकास, तथा संवेगों के निश्चित रूप की कसौटी से एक मूल प्रवृत्तियों की सूची भी बनाई है। संवेग अथवा भय, क्रोध आदि को ही मुख्य मानकर तदनुसार मूल प्रवृत्तियों

[illegible] प्राय. अनेक आधुनिक समाजशास्त्रों मे मिलती है। परंतु वर्तमान काल मे उसका मान कुछ घट गया है। डा० वाटसन ने अस्पताल में सद्य जात शिशुओं की परीक्षा की तो उन्हें केवल क्रोध, भय और काम वृत्तियो का ही तथ्य मिला। एक जापानी वैज्ञानिक डा० कूमो ने यह पाया है कि सभी बिल्लियाँ न तो चूहों को प्रकृत स्वभाव से मारती हैं, और न ही उनकी हत्या करके खाती हैं। उचित सीख से तो बिल्लियों की मूल प्रवृत्ति में इतना अधिक विकार आ सकता है कि चूहेमार जाति की बिल्ली का बच्चा, बड़ा होकर भी चूहे से डरने लगता है। अतः अब ऐसा समझते हैं कि जो वर्णन मैक्डूगल ने किया है वह अत्यधिक सरल है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्थिति को सरलतम बनाकर समझने के निमित्त, मानसिक उद्देश्यपूर्ति की उलझन से बचकर, शरीर के सूक्ष्म क्रियाव्यवहार को ही मूल प्रकृति मानने लगे हैं। उन्हें दैहिक तंतुओं के मूल गुण प्रकृति मर्यादित तनाव (Tissue Tension) में ही मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। जब उद्दीपक या परिस्थिति विशेष के कारण देह के भिन्न तंतुओं (रेशों) में तनाव बढ़ता है, तो उस तनाव के घटाने के हित एक मूल वृत्ति सजग हो जाती है, और इसकी प्रेरणा से जीव अनेक प्रकार की क्रियाएँ आरंभ करता है। जब उचित कार्य द्वारा उस दैहिक तंतु तनाव मे यथेष्ट ढिलाव हो जाता है, तब तत्संबंधित मूल वृत्ति तथा उससे उत्पन्न प्रेरणा भी शांत हो जाती है। दैहिक तंतुओं का एक गुण और है कि विशेष क्रिया करते करते थक जाने पर विश्राम की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक दैहिक तथा मनोदैहिक क्रिया में न्यूनाधिक थकान तथा विश्राम का धर्म देखा जाता है। अतः निद्रा को यह आहार, भय, मैथुन आदि से सूक्ष्म पृथक्स्थ वृत्ति मानते हैं। अर्थात् आधुनिक मत केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति मानने का है—(१) दैहिक तंतु तनाव को घटाने की प्रवृत्ति (या अपनी मर्यादा बनाए रखने की प्रवृत्ति); (२) दैहिक तंतुओं के थक जाने पर उचित विश्राम की प्रवृत्ति।

मनुष्य के आचरण को समझने के लिये एकमात्र उपाय, उनकी विभिन्न प्रेरणाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। प्रेरणा और प्रवृत्ति के संबंध से कुछ विद्वान् मूल प्रवृत्ति से ही मूल प्रेरणा की उत्पत्ति मानते हैं। किंतु आज जीवन में कृत्रिम या सीखी हुई मनोवृत्तियों का भी उचित स्थान है। इस दृष्टि से मनोवर्जन का कार्य सबको ही करना पड़ता है। धन की इच्छा तो आज इष्टप्राप्ति का निमित्त मात्र है। वास्तविक प्रेरणा तो अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति, तथा उनके उपयोग की मनोवृत्ति से होती है। अतः मनोवर्जन की प्रेरणा एक कृत्रिम अर्थात् आधुनिक व्यवस्था में जीती हुई प्रेरणा है। धन के अतिरिक्त विविध सुख के कारण ही धन पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। किंतु इस प्रेरणात्मक सामान्य सुख धन कमाने में उतना ही निहित रहता है, जितना आहार विहार की प्रेरणाओं में। यदि किसी बच्चे में आर्थिक कमाई की प्रेरणा है, तो वह कभी दुराचारी न बन नहीं होगी। दोनों [illegible] कृत्रिम प्रेरणाएँ हैं, किंतु उनमें विशुद्ध [illegible] विद्या है। [illegible] बच्चे के लिये [illegible] [illegible] प्रेरणा को [illegible]

[illegible] प्रति और (ii) अपकर्षक या दुःखद प्रेरक से बचने के प्रति। [illegible] पहले वर्ग की प्रेरणा को अनुकूल या धनात्मक (+) कहें, तो [illegible] वर्ग की प्रेरणा को प्रतिकूल या ऋणात्मक (-) कह सकते हैं। [illegible] मे व्यक्ति प्रेरक के लोभ से अग्रसर होता है और दूसरी मे [illegible] प्रस्तुत प्रेरक से भयभीत होकर पीछे हटता है, या विमुख होकर [illegible] भागता है, अथवा रक्षा का अन्य उपाय करता है। यदि पहली [illegible] प्रवृत्ति है तो दूसरी में निवृत्ति।

सामान्य परिस्थिति न तो शुद्ध सुखस्वरूप और न ही पूर्णतः दुःखरूप होती है। वह प्रायः मिश्रित होती है; यदि कुछ अंशों में वह सुखद होती है, तो साथ ही दूसरे अंशों में वह दुःखद भी होती है। जहाँ एक अवयव हमें खींचता है, वहाँ दूसरा अवयव हमें [illegible] देता है। जब हम चाकर वृत्ति ग्रहण कर जीविका चलाते हैं, तो हम पराधीनता में भी फँस जाते हैं। अनेक परिस्थितियाँ हमारे सामने न्यूनाधिक उग्र रूप में रागद्वेष का द्वंद्व उपस्थित करती हैं। जब इष्ट की मात्रा अधिक लगती है, तब हम उधर की ओर प्रवृत्त होते हैं। और जहाँ अनिष्ट की मात्रा अधिक लगती है, वहाँ हम तुरत सँभलकर हट जाते हैं। किंतु जब राग द्वेष की उभय प्रेरणाएँ समान मात्रा में दिखाई देती हैं, तब मनुष्य को चिंता होती है और समयवश उसे विचार तथा परामर्श का आश्रय लेना पड़ता है। कभी दो मनोहर प्रेरणाएँ एक साथ उपस्थित किंतु विरोधी दिशाओं में मनुष्य को खींचती हैं। यह भी कम चिंताजनक द्वंद्व नहीं है। जब बच्चे के सामने यह समस्या आती है कि वह खिलौना ले या मिठाई तो बेचारा दुविधा में पड़ कर विकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। कभी कभी हम दोनों ओर की विपत्तियों के बीच फँस जाते हैं; एक ओर कुआँ है, तो दूसरी ओर खाई। यदि सच कहते हैं तो दंड मिलेगा और यदि झूठ बोलते हैं तो आत्मग्लानि होती है। सिद्धांतरूप से प्रेरणाओं का द्वंद्व इन तीनों प्रकार का ही होता है। किंतु सामान्य परिस्थिति में अनेक धनात्मक और ऋणात्मक अंश एक साथ ओतप्रोत रहते हैं।

प्रेरक परिस्थिति में कभी बहुत अंश सुख, और कभी थोड़े भी होते हैं। प्रेरक वस्तुओं और परिस्थितियों का मूल्यांकन अधिकतर सामाजिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता की मान से होता है। यदि कोई बच्चा खिलौने की अपेक्षा पुस्तक को श्रेष्ठ मानता है, तो उसके मूल्यांकन में सामाजिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक [illegible] और अनुभूति का ही विशेष प्रभाव रहता है। इसी प्रकार [illegible] परिस्थिति के अंश के साथ, न्यूनाधिक स्पष्ट मात्रा में [illegible] सामाजिक श्रेष्ठता के अंश का संयोग रहता है। [illegible] परिस्थिति में प्रबल अंश की मात्रा सामाजिक [illegible] महत्त्व रहता है। [illegible] होने से हम [illegible] अस्वीकार करते हैं। कभी [illegible] के मोह से हम [illegible] लेकर अधिक [illegible] [illegible]

प्रेरणा [illegible] [illegible] [illegible]

और युवती के लिये गृहस्थ जीवन में प्रवेश की समस्या प्रायः संघर्षात्मक होती है। किंतु निर्णय होते ही, तदनुकूल क्रियाएँ धारा-रूप से दूरवर्ती ध्येय की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक संघर्षात्मक परस्पर विरोधी इच्छाओं की समस्या में हम एक को मानकर दूसरी को छोड़ देते हैं। परंतु मान्य इष्टप्राप्ति के प्रयास में त्यक्त इच्छाएँ भी कभी अवसर पाकर सिर उठाती हैं, पश्चात्ताप बढ़ाती हैं, और विशेष अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि हरने में सफल होकर उसे न्यूनाधिक पथभ्रष्ट भी कर देती हैं।

परिस्थिति के साथ अभियोजन तो व्यक्ति की सहज प्रकृति है। वह कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल मनोवृत्ति से प्रतिक्रिया करता है। यदि किसी अभियोजन के विधान से व्यक्ति या समाज को सुख या प्रगति की आशा होती है, तो उसे उचित, अन्यथा अनुचित कह देते हैं। किंतु तात्कालिक और दीर्घकालीन दृष्टिकोण में अंतर भी हो सकता है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात को विषपान का मृत्युदंड भी एक ऐसी सामाजिक अभियोजन की घटना थी, जिसपर वर्तमान काल में उभय पक्ष से वादविवाद होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभियोजन का विधान, नियम अथवा क्रिया तो सरल है। परिस्थिति के मोहक तथा भयानक अंशों के अनुमान से मनुष्य अधिक सुखप्राप्ति के निमित्त कार्य करता है। किंतु परिस्थिति विशेष के प्रतिकूल अवयव के नित्य के संघर्ष से वह या तो उससे उदासीन हो जाता है, या उसके मूल्यांकन का परिवर्तन कर उसको परोक्ष रूप से न्यूनाधिक लाभप्रद मानने लगता है। जब एक ग्रामीण युवक सेना में भरती होता है, तो उसे सारा दिन चुस्त वरदी या भारी बूट आदि पहनकर रहना प्रायः खलता है। परंतु कुछ ही दिनों में वह उस वेश भूषा को सैनिक मर्यादा का संकेत कहकर, तथा उसमें आत्मसम्मान का आभास देखकर, उससे संलग्न दुःख को भी सहने की आदत बना लेता है। इस अभियोजन प्रक्रिया से मनुष्य दुःखाश के प्रति उदासीन होता है और समय बीतने से वह उस अनिवार्य दुःख को भूल भी जाता है, या उसे ही सुखद समझने लगता है।

यह तो दैहिक वस्तुओं का भी नियम है कि वे सतत कार्य करते रहने से थक जाते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ भी थककर संज्ञाशून्य हो जाती हैं। बहुत मिठाई खाने से मिठास का अनुभव सुखहीन या फीका पड़ जाता है। धूप जलाने पर उसकी गंध तो कुछ समय तक हम अनुभव करते हैं किंतु थोड़ी देर में वह सुगंध प्राय लुप्त हो जाती है। यही दशा दैनिक संघर्ष द्वारा परिस्थिति के दुःखद अंश की होती है। कह सकते हैं कि इस चेतनालोप द्वारा हम शोकमुक्त होकर समाज के साथ समायोजित होते हैं। परंतु ये लुप्त प्रेरणाएँ अज्ञात मानस अवस्था में गुप्त रूप से बनी रहती हैं और उचित अवसर पाकर छद्म रूप से ज्ञात मन द्वारा इष्टपूर्ति का प्रयास करती हैं।

[ब्रा० स्व० ज०]

व्याकरण किसी भी 'भाषा' के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन 'व्याकरण' कहलाता है, जैसे कि शरीर के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन 'शरीरशास्त्र' और किसी देश प्रदेश आदि का वर्णन 'भूगोल'। यानी व्याकरण किसी भाषा को अपने आदेश से नहीं चलाता घुमाता, प्रत्युत भाषा की स्थिति प्रवृत्ति प्रकट करता है। 'चलता है' एक क्रियापद है और व्याकरण पढ़े बिना भी सब लोग इसे इसी तरह बोलते हैं, इसका सही अर्थ समझ लेते हैं। व्याकरण इस पद का विश्लेषण करके बताएगा कि इसमें दो अवयव हैं — 'चलता' और 'है'। फिर वह इन दो अवयवों का भी विश्लेषण करके बताएगा कि (चल + त + आ =) 'चलता' और (ह + इ =) 'है' के भी अपने अवयव हैं। 'चल' में दो वर्ण स्पष्ट हैं; परंतु व्याकरण स्पष्ट करेगा कि 'च' में दो अक्षर हैं 'च्' और 'अ'। इसी तरह 'ल' में भी 'ल्' और 'अ'। अब इन अक्षरों के टुकड़े नहीं हो सकते, 'अक्षर' हैं ये। व्याकरण इन अक्षरों की भी श्रेणी बनाएगा, 'व्यंजन' और स्वर'। 'च्' और 'ल्' व्यंजन हैं और 'अ' स्वर। चि, ची और लि, ली में स्वर हैं 'इ' और 'ई', व्यंजन 'च्' और 'ल्'। इस प्रकार का विश्लेषण बड़े काम की चीज है; व्यर्थ का गोरखधंधा नहीं है। यह विश्लेषण ही 'व्याकरण' है।

व्याकरण का दूसरा नाम 'शब्दानुशासन' भी है। वह शब्द-संबंधी अनुशासन करता है — बतलाता है कि किस शब्द का किस तरह प्रयोग करना चाहिए। भाषा में शब्दों की प्रवृत्ति अपनी ही रहती है; व्याकरण के कहने से भाषा में शब्द नहीं चलते। परंतु भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार व्याकरण शब्दप्रयोग का निर्देश करता है। वह भाषा पर शासन नहीं करता, उसकी स्थितिप्रवृत्ति के अनुसार लोकशिक्षण करता है।

संसार का सर्वप्रथम व्याकरण

संसार में सबसे पहले 'व्याकरण' विद्या का जन्म कहाँ हुआ ?

संसार के भाषाविदों ने एकमत से स्वीकार किया है कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध साहित्य में सबसे प्राचीन 'वेद' है। ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम साहित्य है। जब कोई भाषा साहित्य की समृद्धि से जगमगाने लगती है, तब उसके व्याकरण की जरूरत पड़ती है। 'वेद' कैसा महत्त्वपूर्ण साहित्य है, यह इसी से समझा जा सकता है कि इसे इतने दिनों तक मनुष्य ने गले से लगाकर प्राणों की तरह इसकी रक्षा की है। उसके प्रत्येक मंत्र को यथास्थित रूप में कंठस्थ रखना और बहुत कुछ उसकी 'ध्वनि' सुरक्षित रखना सरल काम नहीं है। भूखे नंगे चरा चराकर तपस्वी ब्राह्मणों ने वेदों की रक्षा की है। तभी तो वे बने रहे।

वेद जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्य के व्याकरण की जरूरत पड़ी। व्याकरण के सहारे सुदूर देश प्रदेशों के ज्ञानपिपासु यहाँ अनन्य उद्भूत साहित्य को समझ सकते हैं और अनंत काल बीत जाने पर भी लोग उसे समझने में सक्षम रहते हैं। वेद जैसा साहित्य देवकाल की सीमा में बँधा रहनेवाला नहीं है, इसलिये प्रबुद्ध 'देव' जनों ने अपने राजा (इंद्र) से प्रार्थना की — 'हमारी (वेद —) भाषा का व्याकरण बनना चाहिए। आप हमारी भाषा का व्याकरण बना दें।' तब तक वेदभाषा 'अव्याकृता' थी; उसे यों ही लोग काम में ला रहे थे। इंद्र ने 'तथ्यं' कहकर देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर पदों को

('मध्यतोऽवक्रम्य') बीच से तोड़ तोड़कर प्रकृति प्रत्यय आदि का भेद किया — व्याकरण बन गया।

यों इस देश (भारत) में सबसे पहले 'व्याकरण' विद्या का जन्म हुआ।

व्याकरण से भाषा की गति नहीं रुकती, जैसा पहले कहा गया है; और न व्याकरण से वह बदलती ही है। किसी देश प्रदेश का भूगोल क्या वहाँ की गतिविधि को रोकता बदलता है? भाषा तो अपनी गति से चलती है। व्याकरण उसका (गति का) न नियामक है, न अवरोधक ही। हाँ, सहस्रों वर्ष बाद जब कोई भाषा किसी दूसरे रूप में आ जाती है, तब वह (पुराने रूप का) व्याकरण इस (नए रूप) के लिये अनुपयोगी हो जाता है। तब इस (नए रूप) का पृथक् व्याकरण बनेगा। वह पुराना व्याकरण तब भी बेकार न हो जाएगा; उस पुरानी भाषा का (भाषा के उस पुराने रूप का) यथार्थ परिचय देता रहेगा। यह साधारण उपयोगिता नहीं है।

हाँ, यदि कोई किसी भाषा का व्याकरण अपने अज्ञान से गलत बना दे, तो वह (व्याकरण) ही गलत होगा। भाषा उसका अनुगमन न करेगी और यों उस व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने पर भी भाषा को कोई गलत न कह देगा। संस्कृत के एक वैयाकरण ने 'पुंसु' के साथ 'पुंक्षु' पद को भी नियमबद्ध किया; परंतु वह वहीं धरा रह गया। कभी किसी ने 'पुंक्षु' नहीं लिखा बोला। पाणिनि ने 'विषम' शब्द साधु बतलाया; 'श्रम' की ही तरह 'विश्रम'। परंतु संस्कृत साहित्य में 'विश्राम' चलता रहा; चल रहा है और चलता रहेगा। भाषा की प्रवृत्ति है। जब पाणिनि ही भाषा के प्रवाह को न रोक सके, तो दूसरों की गिनती ही क्या।

व्याकरण और भाषाविज्ञान

व्याकरण तथा भाषाविज्ञान दो शब्दशास्त्र हैं; दोनों का कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न है; पर एक दूसरे के दोनों सहयोगी हैं। व्याकरण पदप्रयोग मात्र पर विचार करता है; जब कि भाषाविज्ञान 'पद' के मूल रूप (धातु तथा प्रातिपदिक) की उत्पत्ति व्युत्पत्ति या विकास की पद्धति बतलाता है। व्याकरण यह बतलाएगा कि (निषेध के पर्युदास रूप में) 'न' (नञ्) का रूप (संस्कृत में) 'अ' या 'अन्' हो जाता है। व्यंजनादि शब्दों में 'अ' और स्वरादि में 'अन्' होता है — अद्वितीय', 'अनुपम'। जब निषेध में प्रधानता हो, तब ('प्रसज्य प्रतिषेध' में) समास नहीं होता — अयं ब्राह्मणो नास्ति' 'अस्य उपमा नास्ति'। अन्यत्र 'अब्राह्मणः' वेदाध्ययने मदादराः शुचिः' और 'अनुपमं काश्मीरसौंदर्यं दृष्ट्वा' आदि में समास होगा; क्योंकि निषेध विधेयात्मक नहीं है। व्याकरण समास बता देगा और कहाँ समास ठीक रहेगा, कहाँ नहीं; यह सब बतलाना 'साहित्य शास्त्र' का काम है। 'न' से व्यंजन (न्) उड़कर 'अ' रह जाता है और ('न' के ही) वर्णलय से 'अन्' हो जाता है। इसी 'अन्' को उच्चार करके 'अन' रूप में 'समास' के लिये हिंदी ने ले लिया है—'अनहोनी', 'अनजान' आदि। 'न' के ये विविध रूप व्याकरण बता नहीं देता; बने बनाए रूपों का वह 'अन्वाख्यान' भर करता है। यह काम भाषाविज्ञान का है कि वह 'न' के इन रूपों पर प्रकाश डाले।

व्याकरण बतलाएगा कि किसी धातु से 'न' भावसाधन प्रत्यय करके उसमें हिंदी की संज्ञाविभक्ति 'आ' लगा देने से (इस भाववाचक संज्ञाएँ बन जाती हैं—जाना, आना, उठना, बैठना आदि परंतु व्याकरण का काम यह नहीं है कि जा, आ, उठ, बैठ धातुओं की विकासपद्धति समझाए। यह काम भाषाविज्ञान का है। संस्कृत में ऐसी संज्ञाएँ नपुंसक वर्ग में प्रयुक्त होती हैं — गमनम्, गमनम्, उत्थानम्, उपवेशनम् आदि। परंतु हिंदी में ऐसा होता है—'आपका आना कब हुआ?' हिंदी ने पुंल्लिंग क्यों किया, यह व्याकरण न बताएगा। वह अन्वाख्यान भर करेगा—'ऐसी संज्ञाएँ पुंवर्गीय रूप रखती हैं' बस। यह बताना भाषाविज्ञान का काम है कि ऐसा क्यों हुआ।

परकीय शब्दों का शासन

जब कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से कोई शब्द लेती है, तो उसे अपने शासन में चलाती है — अपने व्याकरण के अनुसार उसकी गति नियंत्रित करती है। हिंदी का कोई शब्द अंग्रेजी में गया, तो वहाँ इसे अंग्रेजी व्याकरण को मानना पड़ा। प्रयोग होता है अंग्रेजी में — 'हिंदू बनर शब्द' वहाँ 'चोली' का बहुवचन 'चोलियाँ' न चलेगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ गलत समझा जाएगा।

इसी तरह अंग्रेजी का 'फुट' शब्द हिंदी ने लिया और अपने शासन में रखा। अंग्रेजी में 'फुट' का बहुवचन 'फीट' होता है, पर हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण न चलेगा। प्रयोग होता है — 'चार फुट ऊँचाई', 'चार फीट ऊँचाई' गलत है। 'ऊँचाई' की जगह 'लंबाई' शुद्ध है। 'लंबाई ऊँचाई' होता है; 'लंबाई ऊँचाई' नहीं।

संस्कृत में इकारांत शब्दों के द्विवचन [illegible] 'कवी समागतौ'; हिंदी में ऐसा न होगा। 'दो कवि [illegible] जाएगा। इसी तरह संस्कृत में 'राजदंपती समागतौ' [illegible] 'राजदंपति' सर्वत्र।

परकीय शब्दों को आत्मसात् करने की यह भी एक [illegible] कि अनमेल रूप को काट छाँटकर अपने ढंग का बना लेना [illegible] का 'गंगा जी' शब्द अंग्रेजी में गया; पर 'बेंजिज' [illegible] 'लैंटर्न' शब्द हिंदी ने लिया; पर 'लालटेन' बनाकर [illegible] को 'अस्पताल' बनाकर। 'हस्पताल' भी हिंदी में [illegible] 'हॉस्टल' और 'डॉक्टर' जैसे रूप हिंदी को ग्राह्य नहीं। हिंदी [illegible] रण नियमन करेगा कि हिंदी में यह उच्चारण है [illegible] स्वर पर उल्टा टोप रख कर प्रकट किया जाता है। [illegible] की ही तरह 'डाक्टर' चलता है। हाँ, नागरी लिपि [illegible] लिखनी हो तब यह उपाय भी काम आएगा — [illegible] फुलिस'। इसी तरह नागरी में फारसी जैसी भाषा [illegible] 'बाजार', 'उकरत' आदि रूप रहेंगे; पर हिंदी [illegible] रहेगी — 'उकरी चीजों के लिये बाजार है।' [illegible] लिखने हों तो भी [illegible] जाएगी। [illegible] निर्भर [illegible]

व्याकरण (संस्कृत का) संस्कृत का व्याकरण वैदिक काल में ही स्वतंत्र विषय बन चुका था। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चार आधारभूत तथ्य यास्क (ई० पू० लगभग ७००) के पूर्व ही व्याकरण में स्थान पा चुके थे। पाणिनि (ई० पू० लगभग ५५०) के पहले कई व्याकरण लिखे जा चुके थे जिनमें केवल आपिशलि और काशकृत्स्न के कुछ सूत्र आज उपलब्ध हैं। किंतु संस्कृत व्याकरण का क्रमबद्ध इतिहास पाणिनि से आरंभ होता है।

पाणिनि ने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों के लिये 'अष्टाध्यायी' की रचना की। अपने लगभग चार हजार सूत्रों में उन्होंने सदा के लिये संस्कृत भाषा को परिनिष्ठित कर दिया। उनके प्रत्याहार, अनुबंध आदि गणित के नियमों की तरह सूक्ष्म और वैज्ञानिक हैं। उनके सूत्रों में व्याकरण और भाषाशास्त्र संबंधी अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश है। कात्यायन (ई० पू० लगभग ३००) ने पाणिनि के सूत्रों पर लगभग ४२६५ वार्तिक लिखे। पाणिनि की तरह उनका भी ज्ञान व्यापक था। उन्होंने लोकजीवन के अनेक शब्दों का संस्कृत में समावेश किया और न्यायों तथा परिभाषाओं द्वारा व्याकरण का विचारक्षेत्र विस्तृत किया। कात्यायन के वार्तिकों पर पतंजलि (ई० पू० १५०) ने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य आकर ग्रंथ है। इसमें प्रायः सभी दार्शनिक वादों के बीज हैं। इसकी शैली अनुपम है। इसपर अनेक टीकाएँ मिलती हैं जिनमें भर्तृहरि की 'त्रिपादी', कैयट का 'प्रदीप' और शेषनारायण का 'सूक्तिरत्नाकर' प्रसिद्ध हैं। सूत्रों के अर्थ, उदाहरण आदि समझाने के लिये कई वृत्तिग्रंथ लिखे गए जिनमें काशिका वृत्ति (छठी शताब्दी) महत्वपूर्ण है। जयादित्य और वामन नाम के आचार्यों की यह एक रमणीय कृति है। इसपर जिनेंद्रबुद्धि (लगभग ६५० ई०) की काशिकाविवरणपंजिका (न्यास) और हरदत्त (ई० १२००) की पदमंजरी उत्तम टीकाएँ हैं। काशिका की पद्धति पर लिखे गए ग्रंथों में भागवृत्ति (अनुपलब्ध), पुरुषोत्तमदेव (ग्यारहवीं शताब्दी) की भाषावृत्ति और भट्टोजि दीक्षित (ई० १६००) का शब्दकौस्तुभ मुख्य हैं। पाणिनि के सूत्रों के क्रम बदलकर कुछ प्रक्रियाग्रंथ भी लिखे गए जिनमें धर्मकीर्ति (ग्यारहवीं शताब्दी) का रूपावतार, रामचंद्र (ई० १४००) की प्रक्रियाकौमुदी भट्टोजि दीक्षित की सिद्धांतकौमुदी और नारायण भट्ट (सोलहवीं शताब्दी) का प्रक्रियासर्वस्व उल्लेखनीय हैं। प्रक्रियाकौमुदी पर विट्ठलकृत 'प्रसाद' और शेषकृष्णरचित 'प्रक्रिया प्रकाश' पठनीय हैं। सिद्धांतकौमुदी की टीकाओं में प्रौढमनोरमा, तत्त्वबोधिनी और शब्देंदुशेखर उल्लेखनीय हैं। प्रौढमनोरमा पर हरि दीक्षित का शब्दरत्न भी प्रसिद्ध है। नागेश भट्ट (ई० १७००) के बाद व्याकरण का इतिहास धूमिल हो जाता है। टीकाग्रंथों पर टीकाएँ मिलती हैं। किसी किसी में न्यायशैली देख पड़ती है। पाणिनिसंप्रदाय के पिछले दो सौ वर्ष के प्रसिद्ध टीकाकारों में वेंकटनाथ वेदांतदेशिक, विश्वेश्वर, ओरमभट्ट, भैरव मिश्र, राघवेंद्राचार्य गजेंद्रगडकर, कृष्णमित्र, नित्यानंद पर्वतीय एवं जयदेव मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं।

पाणिनीय व्याकरण के अतिरिक्त संस्कृत के जो अन्य व्याकरण इस समय उपलब्ध हैं वे सभी पाणिनि की शैली से प्रभावित हैं। अधिकांश ऐंद्र व्याकरण को लोग पाणिनि के पूर्व का मानते हैं। किंतु यह मत असंदिग्ध नहीं है। थर्नेल के अनुसार ऐंद्र व्याकरण का संबंध कातंत्र से और तमिल के प्राचीनतम व्याकरण तोल्काप्पियम से है। ऐंद्र व्याकरण के आधार पर सातवाहन युग में शर्व वर्मा ने कातंत्र व्याकरण की रचना की। इसके दूसरे नाम कालापक और कौमार भी हैं। इसपर दुर्गसिंह की टीका प्रसिद्ध है। चांद्र व्याकरण चंद्रगोमी (ई० ५००) की रचना है। इसपर उनकी वृत्ति भी है। इसकी शैली से काशिकाकार प्रभावित हैं। जैनेंद्र व्याकरण जैन आचार्य देवनंदी (लगभग छठी शताब्दी) की रचना है। इसपर अभयनंदी की वृत्ति प्रसिद्ध है। उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द मिलते हैं। जैनेंद्र व्याकरण के आधार पर किसी जैन आचार्य ने ९वीं शताब्दी में शाकटायन व्याकरण लिखा और उसपर अमोघवृत्ति की रचना की। इसपर प्रभाचंद्राचार्य का न्यास और यक्ष वर्मा की वृत्ति प्रसिद्ध हैं। भोज (ग्यारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध) का सरस्वतीकंठाभरण व्याकरण में वार्तिकों और गणपाठों को सूत्रों में मिला दिया गया है। पाणिनि के अप्रसिद्ध शब्दों के स्थान पर सुबोध शब्द रखे गए हैं। इसपर दंडनाथ नारायण की हृदयहारिणी टीका है। सिद्ध हेम अथवा हैम व्याकरण आचार्य हेमचंद्र (ग्यारहवीं शताब्दी) रचित है। इसमें संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश व्याकरण का भी समावेश है। इसपर प्रभाचंद्र का न्यास और देवेंद्र सूरि का लघुन्यास उल्लेखनीय हैं। सारस्वत व्याकरण के कर्ता अनुभूतिस्वरूपाचार्य (तेरहवीं शताब्दी) हैं। इसपर सारस्वत प्रक्रिया और रघुनाथ का लघुभाष्य ध्यान देने योग्य हैं। इसका प्रचार बिहार में पिछली पीढ़ी तक था। बोपदेव (तेरहवीं शताब्दी) का मुग्धबोध व्याकरण नितांत सरल है। इसका प्रचार अभी हाल तक बंगाल में रहा है। पद्मनाभदत्त ने (१५वीं शताब्दी) सुपद्म व्याकरण लिखा है। शेष श्रीकृष्ण (१६वीं शताब्दी) की पदचंद्रिका एक स्वतंत्र व्याकरण है। इसपर उनकी पदचंद्रिकावृत्ति उल्लेखनीय है। क्रमदीश्वर का संक्षिप्तसार (जौमार) और रूपगोस्वामी का हरिनामामृत भी स्वतंत्र व्याकरण हैं। कर्वींद्राचार्य के संग्रह में ब्रह्मव्याकरण, यमव्याकरण, वरुणव्याकरण, सौम्यव्याकरण और शब्दरत्नव्याकरण के हस्तलेख थे जिनके बारे में आज विशेष ज्ञान नहीं है। प्रसिद्ध किंतु अनुपलब्ध व्याकरणों में वामनकृत विश्रांतविद्याधर उल्लेखनीय है।

प्रमुख संस्कृत व्याकरणों के अपने अपने गणपाठ और धातुपाठ हैं। गणपाठ संबंधी स्वतंत्र ग्रंथों में वर्धमान (१२वीं शताब्दी) का गणरत्नमहोदधि और भट्ट यज्ञेश्वर रचित गणरत्नावली (ई० १८७४) प्रसिद्ध हैं। उणादि के विवरणकारों में उज्ज्वलदत्त प्रमुख हैं। काशकृत्स्न का धातुपाठ कन्नड भाषा में प्रकाशित है। भीमसेन का धातुपाठ तिब्बती (भोट) में प्रकाशित है। पूर्णचंद्र का धातुनारायण, मैत्रेयरक्षित (दसवीं शताब्दी) का धातुप्रदीप, क्षीरस्वामी (दसवीं शताब्दी) की क्षीरतरंगिणी, सायण की माधवीय धातुवृत्ति, श्रीहर्षकीर्ति की धातुतरंगिणी, बोपदेव का कविकल्पद्रुम, भट्टमल्ल की धातुप्रदीपिका विशेष उल्लेखनीय हैं। निघंटुक ग्रंथों में पाणिनि, वररुचि, वामन, हेमचंद्र, शाकटायन, सातवाहनाचार्य, हर्षवर्धन आदि के नियमानुशासन प्रचलित हैं। [illegible] विश्व की प्राचीन पुस्तक 'विश्वकारिका' अनुपलब्ध है।

संस्कृत व्याकरण के दार्शनिक पक्ष का विवेचन व्याडि (लगभग ई० पू० ४००) के 'संग्रह' से प्रारंभ होता है जिसके कुछ वाक्य ही आज अवशेष हैं। भर्तृहरि (लगभग ई० ५००) का वाक्यपदीय व्याकरणदर्शन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। स्वोपज्ञवृत्ति के अतिरिक्त इसपर वृषभदेव (छठी शताब्दी), पुण्यराज (नवी शताब्दी) और हेलाराज (दसवी शताब्दी) की टीकाएँ विश्रुत हैं। कौण्डभट्ट (ई० १६००) का वैयाकरणभूषण और नागेश की वैयाकरण सिद्धांतमंजूषा उल्लेखनीय हैं। नागेश का स्फोटवाद, कृष्णभट्टमौनि की स्फोटचंद्रिका और भरतमिश्र की स्फोटसिद्धि भी इस विषय के लघुकाय ग्रंथ हैं। सीरदेव की परिभाषावृत्ति, पुरुषोत्तमदेव की परिभाषावृत्ति, विष्णुशेष का परिभाषाप्रकाश और नागेश का परिभाषेंदुशेखर पठनीय हैं। पिछले डेढ़ सौ वर्षों में परिभाषेंदुशेखर पर लगभग २५ टीकाएँ लिखी गई हैं जिनमें गदा, भैरवी, भावार्थदीपिका के अतिरिक्त तात्या शास्त्री पटवर्धन, गणपति शास्त्री मोकाटे भास्कर शास्त्री, वासुदेव अभ्यंकर, मन्नुदेव, विट्ठपाथय आदि की टीकाएँ हैं।

संस्कृत व्याकरण के इतिहास में यूरोप के विद्वानों का भी योग है। पी०सासेत्ती ने, जो १५८३ से १५८८ तक भारत में था, संस्कृत और इसकी भाषा का साम्य दिखलाया था। किंतु संस्कृत का नियमबद्ध व्याकरण जर्मन-यहूदी जे० ई० हाल्हेडेव ने लिखा। उसकी अप्रकाशित कृति के आधार पर जर्मन पादरी पौलिनस ने १७९० में संस्कृत का व्याकरण प्रकाशित किया जिसका नाम 'सिद्ध रुबम्' स्यू ग्रामाटिका संस्कृतामिका' था। फोर्ट विलियम कालेज के अध्यापक डा० विलियम केरे ने १८०२ में संस्कृत का व्याकरण अँगरेजी में प्रकाशित किया। विलियम कोलब्रुक ने १८०५ में, विल्किन्स ने १८०८ में, फोर्स्टर ने १८१० में, संस्कृत के व्याकरण लिखे। १८२३ में फ्रांसिस बोप ने लैटिन भाषा में संस्कृत व्याकरण लिखा। १८१४ में बाप्प ने जर्मन भाषा में संस्कृत व्याकरण लिखा जिसका नाम 'क्रिटिसे ग्रामाटिक डे संस्कृत स्प्राख' है। वेनफ्री ने १८६३ में, कौलहार्न ने १८७० में, मोनियर विलियम्स ने १८७५ में और अमरीका के ह्विटनी ने १८७६ में अपने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किए। एम० रेनो ने फ्रेंच भाषा में संस्कृत व्याकरण (१९२०) और वैदिक व्याकरण (१९५२) प्रकाशित किए। बनारस और बालुराट के मत में वेस्टरगार्ड का रेडिमेड लिंग्वा संस्कृता (१८४१), लांडविक का फाउनिट ग्रामाटिक (१८८७), मोनियर का बालुराट (१९२०) और गार्ट विर्थे का 'डर संस्कृत' (१९५१) उल्लेखनीय हैं। यूरोप के विद्वानों की कृतियों में मैक्डोनेल का 'वैदिक ग्रामर' (१९१०) और आप्टेकोलेज का 'आन्द्रहिम ग्रामटिक' (१ भाग, १९१६-१९२४) उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। वर्तमान में विल्किन्स की पुस्तक का 'आधुनिक संस्कृत ग्रामर' भी प्रसिद्ध है।

संस्कृत व्याकरण का इतिहास पिछले कई हजार वर्षों के तीव्र विद्वानों के अध्ययन से [illegible] होता रहा है। इस [illegible] विद्वानों का [illegible] रहा है किन्तु कोई [illegible] विद्वान, किन्तु [illegible] व्याकरण के [illegible] है। [स० पू० वि०]

व्यूह (Matrices) इस विषय के अंतर्गत हम संख्याओं को [illegible] कार सारणियों (rectangular arrays) में प्रस्तुत करते हैं। इस विषय में संख्याओं [illegible]

$$\begin{matrix} १ & ५ & -७ & ६ \\ ४ & ० & -२ & -१ \end{matrix}$$

अब तनिक इन समीकरणों पर विचार कीजिए:

$$३य - र + ५ ल = १,$$
$$२य + र - ल = -३,$$
$$य + २र + ३ ल = ७$$

इन समीकरणों से दो व्यूहों की उत्पत्ति होती है:

$$\begin{bmatrix} ३ & -१ & ५ \\ २ & १ & -१ \\ १ & २ & ३ \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} ३ & -१ & ५ & १ \\ २ & १ & -१ & -३ \\ १ & २ & ३ & ७ \end{bmatrix}$$

इनमें से पहले दो को गुणांक मैट्रिक्स (Coefficient Matrix) दूसरे को आगमित मैट्रिक्स (Augmented Matrix) कहते हैं।

सर्वप्रथम सिल्वेस्टर (१८५० ई०) ने व्यूह की यह संज्ञा दी थी कि "संख्याओं के किसी आयताकार सारणी को, जिससे सारणिक (determinants) बन सकें, व्यूह कहते हैं।" आधुनिक समय में व्यूह को एक अतिसंमिश्र (hypercomplex) संख्या के रूप में मानते हैं। इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक हैं मिर (१८५३ ई०) और केली (१८५८ ई०)।

जिस व्यूह में पंक्तियों (rows) और स्तंभों (columns) की संख्या समान हो, उसे वर्ग व्यूह या मैट्रिक्स (Square Matrix) कहते हैं। मान लीजिए क और ख दो सं[illegible] वर्ग के वर्ग व्यूह हैं:

$$क = \begin{pmatrix} क_{११} & क_{१२} \cdots\cdots क_{१न} \\ क_{२१} & क_{२२} \cdots\cdots क_{२न} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ क_{न१} & क_{न२} \cdots\cdots क_{नन} \end{pmatrix},$$

$$ख = \begin{pmatrix} ख_{११} & ख_{१२} \cdots\cdots ख_{१न} \\ ख_{२१} & ख_{२२} \cdots\cdots ख_{२न} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ ख_{न१} & ख_{न२} \cdots\cdots ख_{नन} \end{pmatrix}$$

तो क + ख उस व्यूह को कहते जिसका [illegible] क और ख के [illegible] हो, और [illegible] कहते जिसकी [illegible] पंक्ति के [illegible] के [illegible] हो। इस प्रकार [illegible] $क_{११} ख_{११} + क_{१२} ख_{२१} + क_{१३} ख_{३१} + \cdots\cdots क_{१न} ख_{न१}$ [illegible] मैट्रिक्स (ख.क) [illegible] कहते जिसका [illegible] हो।

[illegible] कि व्यूहों [illegible] और [illegible]

वितरणशील होता है, किंतु व्यत्ययशील नहीं होता। उदाहरणार्थ,

$$\begin{bmatrix} १ & -३ \\ २ & ४ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} १ & ० \\ १ & -१ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -२ & -१ \\ ६ & -४ \end{bmatrix},$$

किंतु

$$\begin{bmatrix} १ & ० \\ १ & -१ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} १ & -३ \\ २ & ४ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} १ & -३ \\ -१ & -७ \end{bmatrix}$$

अतः, साधारणतया, का का ≠ का का।

जिस व्यूह में प्रत्येक घटक ० हो, उसे ० व्यूह कहते हैं। यह व्यूह योग का एकात्म्य (Identity of addition) कहलाता है, क्योंकि यदि का कोई भी व्यूह हो, तो ० + का = का + ० = का।

जिस व्यूह के विकर्ण का प्रत्येक घटक १ हो और शेष सारे घटक ० हों, उसे एकात्म्य व्यूह कहते हैं, क्योंकि यह गुणन का एकात्म्य (identity of multiplication) होता है। सांकेतिक भाषा में, यदि उक्त व्यूह को I कहें तो का I = I का = का।

जिस व्यूह में विकर्ण के घटकों छोड़कर शेष सारे घटक ० हों, उसे विकर्ण व्यूह या मैट्रिक्स (Diagonal Matrix) कहते हैं।

सं० ग्रं० — सी० सी० मेक्डफी : दि थियोरी ऑव मैट्रिसेज, बर्लिन १९३२; जे० एच० एम० वेडरबर्न : लेक्चर ऑन मैट्रिसेज, न्यूयार्क १९३४। [डी० मो०]

व्रण (Ulcer) शरीरपृष्ठ (body surface) पर संक्रमण द्वारा शोथ उत्पन्न होता है। इस संक्रमण के जीवविष (toxins) उपकला (epithelium) को नष्ट कर देते हैं। नष्ट ऊपर मृत कोशिकाएं एवं पूय संचित हो जाता तथा पूय के हट जाने पर नष्ट हुई कणिकामय ऊतक (granular tissues) की विलति को व्रण कहते हैं। दूसरे ऊतक की कोशिकीय मृत्यु को व्रण

अनावरित क्षत व्रण पार्श्व में, यदि कोई गया है, तो वहाँ व्रण वाले को नहीं भरता। ऐसा है कि उसमें या तो होता रहता है, या of blood) उचित की एक कोशिका बनता है। हो जाते हैं :

(१) मुख, शोथयुक्त परिगलन पाचक तंत्र के रोग)

(२) निम्न परिसंचरण के जाता है, जिससे

(३) गर्भाशय-ग्रीवा (Cervix of the uterus)

व्रण की अवस्थाएँ — व्रण का जीवन निम्नलिखित तीन अवस्थाओं (phases) में विभाजित है :—

(१) विस्तार (Extension), (२) परिवर्त (Transition) तथा (३) सुधार (Repair)

विस्तार की अवस्था में व्रण का तल स्राव एवं गलित पदार्थों से ढँका रहता है। व्रण के परिसर तीव्र होते हैं तथा इसमें से पूयमुक्त स्राव निकलता रहता है।

परिवर्त अवस्था में व्रण का भरना प्रारंभ होने लगता है। इसके तल का भाग साफ होने लगता है। तल में कणिकामय ऊतक बनने प्रारंभ हो जाते हैं और आपस में जुड़ने के कारण संपूर्ण तल इनसे ढँक जाता है।

सुधार की अवस्था में कणिकामय रेशेदार तंतु ऊतक (fibrous tissue) में, जो धीरे धीरे संकुचित होते हुए एक व्रणचिह्न (scar) बनाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कणिकामय ऊतकों का अधिक बनना भी उचित नहीं है। यदि किसी व्रण में कणिकामय ऊतक अधिक बन गए हों, तो उनको खुरच देना चाहिए अथवा सिल्वर नाइट्रेट जैसे किसी कॉस्टिक पदार्थ से जला देना चाहिए।

व्रण के प्रकार — व्रण निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं :

(१) विशिष्ट (specific), (२) विशिष्टताहीन (nonspecific) तथा (३) दुर्दम्य (Malignant)।

विशिष्टताहीन व्रण — इसके होने का कारण क्षत (wound) का संक्रमण है। यह क्षत अभिघात, अथवा किन्हीं उत्तेजक पदार्थों, के कारण हो जाता है। स्थानिक शोथ, जैसा दबव्रण में, [illegible] जैसा स्फीत शिराओं (varicose [illegible] इसके उत्पन्न करने में प्राथमिक कारण हैं। पोषणज [illegible] ulcer) वाहिका प्रेरक नियंत्रण (vasomotor [illegible] अपोषित्य से संबंधित है। अस्वस्थावस्था में यह व्रण भरने में

[illegible] विशिष्ट रोगों के सूक्ष्म जीवों के [illegible] होते हैं। ये रोग हैं : यक्ष्मा, सिफिलिस [illegible] करते समय स्थानिक चिकित्सा के [illegible] चिकित्सा भी करनी होती है।

[illegible] यह किसी संक्रमण की शोथज प्रतिक्रिया के फल- [illegible] होता, अपितु दुर्दम्य अर्बुद द्वारा ऊतकों को [illegible] होता है। इसके द्वारा उत्पन्न व्रण के [illegible] ही विलीन हो जाते हैं। यह व्रण अविशोषक अर्बुद हैं : (१) कार्सिनोमा [illegible] रोहेट व्रण

[illegible] जाती है, [illegible] रहता है। [illegible] भर जाता है

(२) स्फीत शिराओं के कारण रुधिर संकुलता (congestion) एवं कुपोषण (malnutrition) तथा

(३) ऊतकों में संवर्धन माध्यम (culture medium) की अधिक मात्रा में उपस्थिति, अर्थात् मधुमेह (diabetes) में शर्करा का होना आदि।

[र० ग०]

व्रत और उपवास संकल्पपूर्वक किए गए कर्म को 'व्रत' कहते हैं। मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मानव की इस परिस्थिति को अवगत कर त्रिकालज्ञ और परहित में रत ऋषिमुनियों ने वेद, पुराण, स्मृति और समस्त निबंधग्रंथों को आत्मसात् कर मानव के कल्याण के हेतु सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति के लिये अनेक उपाय कहे हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय हैं। व्रतों के विधान करनेवाले ग्रंथों में व्रत के अनेक अंगों का वर्णन देखने में आता है। उन अंगों का विवेचन करने पर दिखाई पड़ता है कि उपवास भी व्रत का एक प्रमुख अंग है। इसीलिये अनेक स्थलों पर यह कहा गया है कि व्रत और उपवास में परस्पर अंगांगि भाव संबंध है। अनेक व्रतों के आचरणकाल में उपवास करने का विधान देखा जाता है।

व्रत धर्म का साधन माना गया है। संसार के समस्त धर्मों ने किसी न किसी रूप में व्रत और उपवास को अपनाया है। व्रत के आचरण से पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि, अभिलषित मनोरथ की प्राप्ति और शांति तथा परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अनेक प्रकार के व्रतों में सर्वप्रथम वेद के द्वारा प्रतिपादित अग्नि की उपासना रूपी व्रत देखने में आता है। इस उपासना के पूर्व विधानपूर्वक अग्निपरिग्रह आवश्यक होता है। अग्निपरिग्रह के पश्चात् व्रती के द्वारा सर्वप्रथम पौर्णमास याग करने का विधान है। इस याग को प्रारंभ करने का अधिकार उसे उस समय प्राप्त होता है जब याग से पूर्वदिन वह विहित व्रत का अनुष्ठान संपन्न कर लेता है। यदि प्रमादवश उपासक ने आवश्यक व्रतानुष्ठान नहीं किया और उसके अंगभूत नियमों का पालन नहीं किया तो देवता उसके द्वारा समर्पित हविर्द्रव्य स्वीकार नहीं करते।

ब्राह्मणग्रंथ के आधार पर देवता सर्वदा सत्यशील होते हैं। यह लक्षण अपने त्रिगुणात्मक स्वभाव से पराधीन मानव में घटित नहीं होता। इसीलिये देवता मानव से सर्वदा परोक्ष रहना पसंद करते हैं। व्रत के परिग्रह के समय उपासक अपने आराध्य अग्निदेव से करबद्ध प्रार्थना करता है—'मैं नियमपूर्वक व्रत का आचरण करूँगा, मिथ्या को छोड़कर सर्वदा सत्य का पालन करूँगा।' इस उपर्युक्त मंत्र के द्योतक वैदिक मंत्र का उच्चारण कर वह अग्नि में समित् [illegible] उस दिन वह [illegible] में केवल एक बार [illegible]

कुछ समय के पश्चात् वही उपासक जब सोमयाग का अनुष्ठान प्रारंभ करता है तो उसके लिये अत्यंत कठोर व्रत और नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। याग के प्रारंभ में क्रयणी दीक्षा लेते ही उसे व्रत और नियमों के पालन करने का आदेश और सूत्र देते हैं। यागकालीन उन दिनों में सपत्नीक उस यजमान को आहार के निमित्त केवल गोदुग्ध दिया जाता है। यह भी अल्प मात्रा में नहीं अपितु प्रथम दिन एक गौ के एक स्तन से, दूसरे दिन दो स्तनों से और तीसरे दिन तीन स्तनों से जितना भी प्राप्त हो उतना ही दूध पीने की शास्त्र की अनुज्ञा है। उसी दूध में से कुछ उसको और भार्या उसकी धर्मपत्नी को दिया जाता है। यही उन दोनों के लिये अहोरात्र का आहार होता है। शास्त्रकारों ने इस दुग्धाहार की व्रत संज्ञा कही है। व्रत के समय में अल्पाहार करने से शरीर में हलकापन और चित्त की एकाग्रता अक्षुण्ण रहती है। व्रती के लिये अनुष्ठान के समय मद्य, मांस प्रभृति निषिद्ध द्रव्यों का त्याग तथा प्रातःकाल एवं सायंकाल के समय शयन वर्ज्य है। सत्य और मधुर भाषण तथा प्राणिमात्र के प्रति कल्याण की भावना रखना आवश्यक है।

वैदिक काल की अपेक्षा पौराणिक युग में अधिक व्रत देखने में आते हैं। उस काल में व्रत के प्रकार अनेक हो जाते हैं। व्रत के समय व्यवहार में लाए जानेवाले नियमों की कठोरता भी कम हो जाती है तथा नियमों में अनेक प्रकार के विकल्प भी देखने में आते हैं। उदाहरण रूप में जहाँ एकादशी के दिन उपवास करने का विधान है, वहीं विकल्प में लघु फलाहार और वह भी समर्थ न हो तो फिर एक बार ओदनरहित अन्नाहार करने तक का विधान शास्त्रसंमत देखा जाता है। इसी प्रकार किसी भी व्रत के आचरण के लिये तदर्थ विहित समय अपेक्षित है। 'वसंते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' अर्थात् वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्निपरिग्रह व्रत का [illegible] करे, इस श्रुति के अनुसार जिस प्रकार वसंत ऋतु [illegible] अग्निपरिग्रह व्रत के प्रारंभ करने का विधान है वैसे ही चांद्रायण आदि व्रतों के आचरण के निमित्त वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण तक का विधान है। पौराणिक युग में तिथि पर आश्रित रहनेवाले व्रतों की बहुलता है। कुछ व्रत अधिक समय में, कुछ अल्प समय में पूर्ण होते हैं।

नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इन भेदों से व्रत तीन प्रकार के होते हैं। जिस व्रत का आचरण सर्वदा के लिये आवश्यक है और जिसके न करने से मानव दोषी होता है वह नित्यव्रत है। सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, क्रोध न करना, अप्रमोद भाषण न करना और परनिंदा न करना आदि नित्यव्रत हैं। किसी प्रकार के पातक के हो जाने पर या अन्य किसी प्रकार के निमित्त के उपस्थित होने पर चांद्रायण प्रभृति जो व्रत किए जाते हैं वे [illegible] व्रत हैं। जो व्रत [illegible] की कामना [illegible] विशेष से [illegible] मानव के [illegible] जाते हैं [illegible]

मिलकर ही कर सकते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, हस्त या श्रवण नक्षत्र में किया जानेवाला उपाकर्म व्रत केवल पुरुषों के लिये विहित है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आचरणीय हरितालिका व्रत केवल स्त्रियों के लिये कहा है। एकादशी जैसा व्रत दोनों ही के लिये सामान्य रूप से विहित है। शुभ मुहूर्त में किए जानेवाले कन्यादान जैसे व्रत दंपति के द्वारा ही किए जा सकते हैं।

प्रत्येक व्रत के आचरण के लिये थोड़ा या बहुत समय निश्चित है। जैसे सत्य और अहिंसा व्रत का पालन करने का समय यावज्जीवन कहा गया है वैसे ही अन्य व्रतों के लिये भी समय निर्धारित है। महाव्रत जैसे व्रत सोलह वर्षों में पूर्ण होते हैं। वेदव्रत और ध्वजव्रत की समाप्ति बारह वर्षों में होती है। पंचमहाभूतव्रत, सवानष्टमीव्रत, शक्रव्रत और शीलावाप्तिव्रत एक वर्ष तक किया जाता है। अरुंधती व्रत वसंत ऋतु में होता है। चैत्रमास में वत्सराधिपव्रत, वैशाख मास में स्कंदषष्ठीव्रत, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी व्रत, आषाढ़ मास में हरिशयनव्रत, श्रावण मास में उपाकर्मव्रत, भाद्रपद मास में स्त्रियों के लिये हरितालिकाव्रत, आश्विन मास में नवरात्रव्रत, कार्तिक मास में गोपाष्टमीव्रत, मार्गशीर्ष मास में भैरवाष्टमीव्रत, पौष मास में मार्तंडव्रत, माघ मास में षट्तिलाव्रत, और फाल्गुन मास में महाशिवरात्रिव्रत प्रमुख हैं। महालक्ष्मीव्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रारंभ होकर सोलह दिनों में पूर्ण होता है। प्रत्येक संक्रांति को आचरणीय व्रतों में मेष संक्रांति को मुजन्मावाप्ति व्रत, किया जाता है। तिथि पर आश्रित रहनेवाले व्रतों में एकादशी व्रत, वार पर आश्रित व्रतों में रविवार को सूर्यव्रत, नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र में शिवव्रत, योगों में विष्कुंभ योग में कृतदानव्रत, और करणों में नवकरण में विष्णुव्रत का अनुष्ठान विहित है। भक्ति और श्रद्धानुकूल चाहे जब किए जानेवाले व्रतों में सत्यनारायण व्रत प्रमुख है।

किसी भी व्रत के अनुष्ठान के लिये देश और स्थान की शुद्धि अपेक्षित है। उत्तम स्थान में किया हुआ अनुष्ठान शीघ्र तथा अच्छे फल को देनेवाला होता है। इसीलिये किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में संकल्प करते हुए सर्वप्रथम काल तथा देश का उच्चारण करना आवश्यक होता है। व्रतों के आचरण से देवता, ऋषि, पितृ और मानव प्रसन्न होते हैं। ये लोग प्रसन्न होकर मानव को आशीर्वाद देते हैं जिससे उसके अभिलषित मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किए गए व्रत और उपवास के अनुष्ठान से मानव को ऐहिक तथा आमुष्मिक सुखों की प्राप्ति होती है।

[म० ला० हि०]

व्रत (जैन) सत्प्रवृत्ति और दोषनिवृत्ति को ही जैनधर्म में व्रत कहा जाता है। सत्कार्य में प्रवृत्त होने के व्रत का अर्थ है उसके विरोधी असत्कार्यों से पहले निवृत्त हो जाना। फिर असत्कार्यों से निवृत्त होने के व्रत का मतलब है, उसके विरोधी सत्कार्यों में मन, वचन और काय से प्रवृत्त होना। मुख्य व्रत पाँच हैं—अहिंसा, अस्तेय, अमैथुन और अपरिग्रह। [म० गु०]

व्लाडीमीर, सेंट, (ल० ९५६-१०१५ ई०) रूस का सम्राट्। ग्रांड ड्यूक स्वीयातोस्लाव की उपपत्नी मलुशका से उत्पन्न संतान। ९७० में पिता से नोवगोरोड की जागीर मिली। ९७२ में पिता का देहांत हुआ। गृहयुद्ध हुआ और सेष साम्राज्य यारोपॉक और ओलेग नामक पुत्रों में बँटा। ९७७ में यारोपॉक ने ओलेग को मार डाला। व्लाडीमीर स्विडेन भाग गया और वहीं छिपा रहा। तीन साल बाद वह सेना सहित रूस लौटा (९८०) और यारोपॉक को मारकर रूस का एकछत्र राजा हो गया। साम्राज्य बढ़ाया और कीएव को अपनी राजधानी बनाया।

व्लाडीमीर ने सेरसन (क्रीमीया) शहर को घेरा। परंतु बाइजेंटियन सम्राट् ने लड़ाई न कर अपनी बहन अन्ना रोमनोवना का इसके साथ विवाह कर दिया। इस विवाह का फल यह हुआ कि व्लाडीमीर ईसाई हो गया (९८९) और ग्रीक चर्च की रूस में स्थापना की गई। ईसाई धर्म की दीक्षा लेने के साथ व्लाडीमीर की प्रकृति बदल गई। अब उसने गिर्जाघर, मठ और विहार बनवाने पर ध्यान दिया, फाँसी की सजा रद्द कर दी, धर्म, पवित्रता और शुचिता को जीवन में स्थान दिया। सारा साम्राज्य अपने बारह पुत्रों में बाँट दिया। धर्मप्रचार के लिये विभिन्न देशों में अपने दूत भेजे और ईसाइयों की संख्या बढ़ाई। [म० कु० वि०]

व्लाडीवॉस्टॉक, स्थिति : ४३° ४' उ० अ० और १३१° ५०' पू० दे०। साइबीरिया के दक्षिण पूर्वी तटपर एक प्रसिद्ध नगर और बंदरगाह है। इसकी स्थापना १८६० ई० में हुई थी। पूर्वी रूस का यह प्रमुख बंदरगाह तथा ट्रांससाइबीरियन रेलवे का अंतिम पूर्वी स्टेशन है। नौसैनिक दृष्टि से इस नगर का बहुत विकास और विस्तार हुआ है। रूस ने यहाँ सुदृढ़ किलेबंदी की है। अतः सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। यह बहुत ठंडा देश है। जाड़े के तीन महीनों में यह बंदरगाह हिमभंजक द्वारा ही जहाजों के लिये खुला रहता है। यहाँ से चीनी, चाय, सोयाबीन, नमक, पेट्रोलियम और इमारती लकड़ी का व्यापार होता है। यहाँ अनेक कल कारखाने, जहाज निर्माण, वस्त्रनिर्माण, मछली पकड़ने और उन्हें डिब्बे में भरने, आटा पीसने, ताँबे और जस्ते के शोधन, धातुकर्म और रसायनक के कारखाने हैं। यहाँ हवाई अड्डा और रेडियो स्टेशन भी है। यहाँ के निवासी, रूसी के अतिरिक्त, कोरीयाई और चीनी भी हैं। १९१८ ई० से १९२२ ई० तक यह जापान के अधिकार में था। [रा० स० स०]

ह्विस्लर (Whistler) **जेम्स एबट मेकनील** (१८३४-१९०३) अमरीकी चित्रकार। उसका पिता मेजर जार्ज वाशिंगटन ह्विस्लर अमरीकी सेना का अफसर था। सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसे रेलवे इंजिनियर के रूप में रूस जाना पड़ा। फलतः जेम्स ने पुत्रावस्था में ही रूसी भाषा सीखी। पिता की मृत्यु के बाद जेम्स ने कुछ साल सैनिक विद्यालय में शिक्षा पाई। फिर वह पेरिस चला गया और वहाँ उसने चित्रकला का अध्ययन शुरू किया।

जेम्स ह्विस्लर के चित्रों पर इस दिशा में वेलाज़्क्वेज नामक

(२) स्फीत शिराओं के कारण रुधिर संकुलता (congestion) एवं कुपोषण (malnutrition) तथा

(३) ऊतकों में संवर्धन माध्यम (culture medium) की अधिक मात्रा में उपस्थिति, अर्थात् मधुमेह (diabetes) में शर्करा का होना आदि।

[र० ग०]

व्रत और उपवास संकल्पपूर्वक किए गए कर्म को 'व्रत' कहते हैं। मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मानव की इस परिस्थिति को अवगत कर त्रिकालज्ञ और परहित में रत ऋषिमुनियों ने वेद, पुराण, स्मृति और समस्त निबंधग्रंथों को आत्मसात् कर मानव के कल्याण के हेतु सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति के लिये अनेक उपाय कहे हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय हैं। व्रतों के विधान करनेवाले ग्रंथों में व्रत के अनेक अंगों का वर्णन देखने में आता है। उन अंगों का विवेचन करने पर दिखाई पड़ता है कि उपवास भी व्रत का एक प्रमुख अंग है। इसीलिये अनेक स्थलों पर यह कहा गया है कि व्रत और उपवास में परस्पर अंगांगि भाव संबंध है। अनेक व्रतों के आचरणकाल में उपवास करने का विधान देखा जाता है।

व्रत धर्म का साधन माना गया है। संसार के समस्त धर्मों ने किसी न किसी रूप में व्रत और उपवास को अपनाया है। व्रत के आचरण से पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि, अभिलषित मनोरथ की प्राप्ति और शांति तथा परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अनेक प्रकार के व्रतों में सर्वप्रथम वेद के द्वारा प्रतिपादित अग्नि की उपासना रूपी व्रत देखने में आता है। इस उपासना के पूर्व विधानपूर्वक अग्निपरिग्रह आवश्यक होता है। अग्निपरिग्रह के पश्चात् व्रतों के द्वारा सर्वप्रथम पौर्णमास याग करने का विधान है। इस याग को प्रारंभ करने का अधिकार उसे उस समय प्राप्त होता है जब याग से पूर्वदिन वह विहित व्रत का अनुष्ठान संपन्न कर लेता है। यदि प्रमादवश उपासक ने आवश्यक व्रतानुष्ठान नहीं किया और उसके अंगभूत नियमों का पालन नहीं किया तो देवता उसके द्वारा समर्पित हविर्द्रव्य स्वीकार नहीं करते।

ब्राह्मणग्रंथ के आधार पर देवता सर्वदा सत्यशील होते हैं। यह लक्षण अपने त्रिगुणात्मक स्वभाव से पराधीन मानव में घटित नहीं होता। इसीलिये देवता मानव से सर्वदा परोक्ष रहना पसंद करते हैं। व्रत के परिग्रह के समय उपासक अपने आराध्य अग्निदेव से करबद्ध प्रार्थना करता है—'मैं नियमपूर्वक व्रत का आचरण करूँगा, मिथ्या को छोड़कर सर्वदा सत्य का पालन करूँगा।' इस उपर्युक्त अर्थ के द्योतक वैदिक मंत्र का उच्चारण कर वह अग्नि में समित् की आहुति करता है। उस दिन वह अहोरात्र में केवल एक बार [illegible] अग्नि पर रात्रि में शयन

कुछ समय के पश्चात् यही उपासक जब सोमयाग का अनुष्ठान प्रारंभ करता है तो उसके लिये अत्यंत कठोर व्रत और नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। याग के प्रारंभ के पूर्व दीक्षा लेते ही उसे व्रत और नियमों के पालन करने का आदेश देते सूत्र देते हैं। यागशालीन उन दिनों में सपत्नीक उस उपासक को आहार के निमित्त केवल गोदुग्ध दिया जाता है। यह भी एक मात्रा में नहीं अपितु प्रथम दिन एक गौ के एक स्तन से, दूसरे दिन दो स्तनों से और तीसरे दिन तीन स्तनों से जितना भी प्राप्त हो उतना ही दूध पीने की शास्त्र की अनुज्ञा है। उसी दूध में से एक अंश उसकी और आधा उसकी धर्मपत्नी को दिया जाता है। यही उन दोनों के लिये अहोरात्र का आहार होता है। शास्त्रकारों ने इस दुग्धाहार की व्रत संज्ञा कही है। व्रत के समय में अल्पाहार करने से शरीर में हलकापन और चित्त की एकाग्रता अक्षुण्ण रहती है। इसी के लिये अनुष्ठान के समय मद्य, मांस प्रभृति निषिद्ध द्रव्यों का सेवन तथा प्रातःकाल एवं सायंकाल के समय शयन वर्ज्य है। सत्य और मधुर भाषण तथा प्राणिमात्र के प्रति कल्याण की भावना रखना आवश्यक है।

वैदिक काल की अपेक्षा पौराणिक युग में अधिक व्रत देखने में आते हैं। उस काल में व्रत के प्रकार अनेक हो जाते हैं। व्रत के समय व्यवहार में लाए जानेवाले नियमों की कठोरता भी कम हो जाती है तथा नियमों में अनेक प्रकार के विकल्प भी देखने में आते हैं। उदाहरण रूप में जहाँ एकादशी के दिन उपवास करने का विधान है, वहीं विकल्प में लघु फलाहार और वह भी न हो तो फिर एक बार ओदनरहित अन्नाहार करने तक का विधान शास्त्रसंमत देखा जाता है। इसी प्रकार किसी भी व्रत के आचरण के लिये तदर्थ विहित समय अपेक्षित है। 'वसते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' अर्थात् वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्निपरिग्रह व्रत का आचरण करे, इस श्रुति के अनुसार जिस प्रकार वसंत ऋतु में अग्निपरिग्रह व्रत के प्रारंभ करने का विधान है वैसे ही चांद्रायण आदि व्रतों के आचरण के निमित्त वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण तक का विधान है। इस पौराणिक युग में तिथि पर आश्रित रहनेवाले व्रतों की बहुलता है। कुछ व्रत अधिक समय में, कुछ अल्प समय में पूर्ण होते हैं।

नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इन भेदों से व्रत तीन प्रकार के होते हैं। जिस व्रत का आचरण सर्वदा के लिये आवश्यक है और जिसके न करने से मानव दोषी होता है वह नित्यव्रत है। सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, क्रोध न करना, अश्लील भाषण न करना और परनिंदा न करना आदि नित्यव्रत हैं। किसी प्रकार के पातक के हो जाने पर या अन्य किसी प्रकार के निमित्त के उपस्थित होने पर चांद्रायण प्रभृति जो व्रत किए जाते हैं वे नैमित्तिक व्रत हैं। जो व्रत किसी प्रकार की कामना विशेष से प्रोत्साहित होकर मानव के द्वारा संपन्न किए जाते हैं वे काम्य व्रत हैं, यथा पुत्रप्राप्ति के लिये राजा दिलीप ने जो [illegible] किया था वह काम्य व्रत [illegible]

कर ही कर सकते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, हस्त या श्रवण
त्र में किया जानेवाला उपाकर्म व्रत केवल पुरुषों के लिये
हित है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आचरणीय हरितालिका व्रत
न स्त्रियों के लिये कहा है। एकादशी जैसा व्रत दोनों ही के लिये
मान्य रूप से विहित है। शुभ मुहूर्त में किए जानेवाले कन्यादान
व्रत दंपति के द्वारा ही किए जा सकते हैं।

प्रत्येक व्रत के आचरण के लिये थोड़ा या बहुत समय निश्चित
। जैसे सत्य और अहिंसा व्रत का पालन करने का समय यावज्जीवन
हा गया है वैसे ही अन्य व्रतों के लिये भी समय निर्धारित है।
द्वादश जैसे व्रत सोलह वर्षों में पूर्ण होते हैं। वेदव्रत और ध्वजव्रत
समाप्ति बारह वर्षों में होती है। पंचमहाभूतव्रत, सप्तानाष्टमीव्रत,
व्रत और शीलावाप्तिव्रत एक वर्ष तक किया जाता है। अरुंधती
त वसंत ऋतु में होता है। चैत्रमास में वत्सराधिपव्रत, वैशाख मास
स्कंदषष्ठीव्रत, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी व्रत, आषाढ़ मास
हरिशयनव्रत, श्रावण मास में उपाकर्मव्रत, भाद्रपद मास में
व्रतों के लिये हरितालिकाव्रत, आश्विन मास में नवरात्रव्रत,
र्तिक मास में गोपाष्टमीव्रत, मार्गशीर्ष मास में भैरवाष्टमीव्रत,
ष मास में मार्तंडव्रत, माघ मास में षट्तिलाव्रत, और फाल्गुन
मास में महाशिवरात्रिव्रत प्रमुख हैं। महालक्ष्मीव्रत भाद्रपद शुक्ल
ष्टमी को प्रारंभ होकर सोलह दिनों में पूर्ण होता है। प्रत्येक
संक्रांति को आचरणीय व्रतों में मेष संक्रांति को सुजन्मा-
किया जाता है। तिथि पर आश्रित रहनेवाले व्रतों में
वार पर आश्रित व्रतों में रविवार को सूर्यव्रत,
नक्षत्र में शिवव्रत, योगों में विष्कुंभ योग में
में नवकरण में विष्णुव्रत का
अनुकूल चाहे जब किए जाने-
प्रमुख है।

किसी भी व्रत के अनुष्ठान
अपेक्षित है। उत्तम स्थान में
फल को देनेवाला होता है
प्रारंभ में संकल्प करते हुए
करना आवश्यक होता है।
और मानव प्रसन्न होते
आशीर्वाद देते हैं जिससे
इस प्रकार श्रद्धापूर्वक नि
मानव को ऐहिक तथा

व्रत (जैन) सत्संवृत्ति
कहा जाता है। सत्कार्य
विरोधी असत्कार्यों से
निवृत्त होने के व्रत का
वचन और काय से
अमृषा, अस्तेय, अमैथुन

व्लाडीमीर, सेंट, (ल० ९५६-१०१५ ई०) रूस का सम्राट्। प्रिंस
ड्यूक स्वोयातोस्लाव की उपपत्नी मलुश्का से उत्पन्न संतान। ९७०
में पिता से नोवगोरोड की जागीर मिली। ९७२ में पिता का देहांत
हुआ। गृहयुद्ध हुआ और शेष साम्राज्य यारोपॉक और ओलेग नामक
पुत्रों में बँटा। ९७७ में यारोपॉक ने ओलेग को मार डाला। व्लाडी-
मीर स्विडेन भाग गया और वहीं छिपा रहा। तीन साल बाद वह
सेना सहित रूस लौटा (९८०) और यारोपॉक को मारकर रूस का
एकछत्र राजा हो गया। साम्राज्य बढ़ाया और कीएव को अपनी
राजधानी बनाया।

व्लाडीमीर ने खेरसन (क्रीमीया) शहर को घेरा। परंतु बाइजें-
टियन सम्राट् से लड़ाई न कर अपनी बहन अन्ना रोमनोवना का
इसके साथ विवाह कर दिया। इस विवाह का फल यह हुआ कि
व्लाडीमीर ईसाई हो गया (९८९) और ग्रीक चर्च की रूस में
स्थापना की गई। ईसाई धर्म की दीक्षा लेने के साथ व्लाडीमीर की
प्रकृति बदल गई। अब उसने गिर्जाघर, मठ और विहार बनवाने पर
ध्यान दिया, फाँसी की सजा रद्द कर दी, धर्म, पवित्रता और शुचिता
को जीवन में स्थान दिया। सारा साम्राज्य अपने बारह पुत्रों में बाँट
दिया। धर्मप्रचार के लिये विभिन्न देशों में अपने दूत भेजे और
ईसाइयों की संख्या बढ़ाई। [अ० कु० वि०]

व्लाडीवॉस्टॉक, स्थिति : ४३° ५′ उ० अ० और १३१° ५०′ पू०
दे०। साइबीरिया के दक्षिण पूर्वी तटपर एक प्रसिद्ध नगर और
बंदरगाह है। इसकी स्थापना १८६० ई० में हुई थी। पूर्वी रूस का
यह [illegible] तथा ट्रांससाइबीरियन रेलवे का अंतिम पूर्वी स्टेशन
[illegible] से इस नगर का बहुत विकास और विस्तार
[illegible] यहाँ सुदृढ़ किलेबंदी की है। अतः सामरिक
[illegible] बड़ा महत्व है। यह बहुत ठंडा देश है। जाड़े के
[illegible]नों में यह बंदरगाह हिममंजक द्वारा ही जहाजों के
[illegible]ला रहता है। यहाँ से चीनी, चाय, सोयाबीन, नमक,
और इमारती लकड़ी का व्यापार होता है। यहाँ अनेक
[illegible] वस्त्रनिर्माण, मछली पकड़ने
[illegible]ने, तेल और अस्त्रे के शोधन,
[illegible]ने हैं। यहाँ हवाई अड्डा और
[illegible]सी, रूसी के अतिरिक्त, कोरी-
१९१८ ई० से १९२२ ई० तक यह जापान
[रा० स० ख०]

जेम्स एबट मेकनील (१८३४-१९०३)
[illegible] पिता मेजर जार्ज वाशिंगटन ह्विस्लर
[illegible] था। सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसे रेलवे
[illegible] जाना पड़ा। फलतः जेम्स ने युवावस्था में
[illegible]। पिता की मृत्यु के बाद जेम्स ने कुछ साल
[illegible] पाई। फिर वह पेरिस चला गया और
[illegible] अध्ययन शुरू किया।
चित्रों पर- इन दिनों में वे

रोम के सबसुधी गदी के महान् चित्रकार का असाधारण प्रभाव रहा। साथ ही साथ जापानी और चीनी कलाकारों का रंग-रेखा-सर्वथा सामंजस्य भी उसको मुग्ध किया करता था। होकुसाई हिरोशिगे की काष्ठ खुदाई के साथ यूरोपीय कलाशोधियों में अति मूल्यवान् माने जा रहे थे। [illegible] सब कामों का यथेष्ट प्रभाव उसके चित्रों में दिखाई देने लगा।

ह्विस्लर मार्मिक टीकाकार भी था। उसका (Nocturn — blue and gold-old Battersea Bridge) "निशा – नील – सुनहला – पुराना बेटरसी पुल" यह चित्र लंदन की प्रदर्शनी में जब दिखाया गया, तो रस्किन ने, जो उन दिनों का एक विख्यात कला-समीक्षक था, उसके काम की निंदा करते हुए कहा—'जनता के मुँह पर रंगों के डिब्बों को दे मारना, यह सच्चे चित्रकार का काम नहीं। यह तो जनता की सदभिरुचि का जान बूझकर अपमान करना है। और इस हीन कार्य के लिये इतना दाम माँगना मोचता की पराकाष्ठा है।" इसपर अदालत में मामला चला और रस्किन को एक फार्दिंग (लगभग एक पैसा) जुर्माना हुआ। ह्विस्लर ने अपने उद्गार "जटिल आर्ट ऑव् मेकिंग एनीमीज" (शत्रु बनाने की शिष्ट कला) में प्रकट किए।

ह्विस्लर लंदन और पेरिस में दोनों जगह अंत तक काम करता रहा। उसने अनेक etchings निरेखण चित्र प्रस्तुत किए। (यह माध्यम रेंबाँ और गोया के बाद लुप्तप्राय हो चुका था) उसके बहुत से ऐसे चित्र कलासंग्राहकों में अत्यंत प्रिय हो गए। उसके चित्रों में पौर्वात्य कला का मंडन तत्व (डेकोरेटिव क्वालिटी) और पाश्चात्य कला की रूपयाथार्थता भी है। उसकी सारी आयु और ताजन्म वाद विवाद, तर्क वितर्क, झगड़ों, कलाविषयक गोष्ठियों के गठन, और कानूनी मामलों में इतस्ततः बिखर गई थी। फिर भी अंत में उसका काम यूरोप के अच्छे संग्रहालयों में स्थान पा सका और गौरवान्वित हुआ। [दि० को०]

शंकरदेव असमी के अत्यंत प्रसिद्ध कवि; जन्म नवगाँव जिले में बरदोवा के समीप अलिपुखुरी में हुआ। इनकी जन्मतिथि अब भी विवादास्पद है, यद्यपि प्रायः यह १३०१ शक मानी जाती है। जन्म के कुछ दिन पश्चात् इनकी माता सत्यसंध्या का निधन हो गया। २१ वर्ष की उम्र में सूर्यवती के साथ इनका विवाह हुआ। मनु कन्या के जन्म के पश्चात् सूर्यवती परलोकगामिनी हुई।

शंकरदेव ने ३२ वर्ष की उम्र में विरक्त होकर प्रथम तीर्थयात्रा आरंभ की और उत्तर भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन किया। रूप और सनातन गोस्वामी से भी शंकर का साक्षात्कार हुआ था। तीर्थयात्रा से लौटने के पश्चात् शंकरदेव ने ५४ वर्ष की उम्र में कालिंदी से विवाह किया। तिरहुतिया ब्राह्मण जगदीश मिश्र ने बरदोवा जाकर शंकरदेव को भागवत सुनाई तथा यह ग्रंथ उन्हें भेंट किया। शंकरदेव ने जगदीश मिश्र के स्वागतार्थ 'महानाट' के अभिनय का आयोजन किया। इसके पूर्व 'चिह्नयात्रा' की प्रशंसा हो चुकी थी। शंकरदेव ने १४३८ शक में भुइयाँ राज्य का त्याग कर अहोम रा[illegible] प्रवेश किया। कर्मकांडी विप्रों ने शंकरदेव के भक्ति-प्रचार का घोर विरोध किया। डिहिंगिया राजा के कहने से ब्राह्मणों ने प्रार्थना की कि शंकर वेदविरुद्ध मत का प्रचार कर रहा है। कठिन प्रश्नोत्तर के पश्चात् राजा ने इन्हें निर्दोष घोषित किया। हुसैन शाह के पश्चात् शंकरदेव ने अहोम राज्य को भी छोड़ दिया। पाटबाउसी में १८ वर्ष निवास करके इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। ९७ वर्ष की अवस्था में इन्होंने दूसरी बार तीर्थयात्रा आरंभ की। उन्होंने कबीर के मठ का दर्शन किया तथा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस यात्रा के पश्चात् वे बरपेटा वापस चले आए। कोच राजा नरनारायण ने शंकरदेव को आमंत्रित किया। कूचबिहार में १४९० शक में वे वैकुंठवासी हुए।

शंकरदेव के वैष्णव संप्रदाय का मत एक शरण है। इस धर्म में मूर्तिपूजा की प्रधानता नहीं है। धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ चौकी पर रख दिया जाता है, इसे ही नैवेद्य तथा भक्ति निवेदित की जाती है। इस संप्रदाय में दीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

मार्कंडेयपुराण के आधार पर शंकरदेव ने ६१३ छंदों का हरिश्चंद्र उपाख्यान लिखा। 'भक्तिप्रदीप' में भक्तिपाक ३०० छंद हैं। इसकी रचना का आधार गरुड़पुराण है। हरिवंश तथा भागवत-पुराण की मिश्रित कथा के सहारे इन्होंने रुक्मिणीहरण काव्य की रचना की। शंकरकृत कीर्तनघोषा में ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण तथा भागवतपुराण के विविध प्रसंगों का वर्णन है। वामनपुराण तथा भागवत के प्रसंगों द्वारा 'अनादिपतन' की रचना हुई। अजामिलोपाख्यान ४२६ छंदों की रचना है। 'अमृतमंथन' तथा बलिछलन का निर्माण अष्टम स्कंध की दो कथाओं से हुआ है। 'आदिदशम' कवि की अत्यंत लोकप्रिय रचना है जिसमें कृष्ण की बाललीला के विविध प्रसंग चित्रित हुए हैं। 'कुरुक्षेत्र' तथा 'निमिनवसिद्धसंवाद' और 'गुणमाला' उनकी अन्य रचनाएँ हैं। उत्तरकांड रामायण का छंदोबद्ध अनुवाद उन्होंने किया। विप्र-पत्नीप्रसाद, कालिदमनयात्रा, केलिगोपाल, रुक्मिणीहरण नाटक, पारिजात हरण, रामविजय आदि नाटकों का निर्माण शंकरदेव ने किया। असमिया वैष्णवों के पवित्र ग्रंथ 'भक्तिरत्नाकर' की रचना इन्होंने संस्कृत में की। इसमें संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों का निरूपण हुआ है।

सं० ग्रं० — पूर्वाराम महंत : गुरुचरित्; भूषण द्विज : गुरुचरित्; दैत्यारि : गुरुचरित्; रामानंद : गुरुचरित्; म० उपेंद्रचंद्र लेखक . कथागुरुचरित्; लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ . श्री शंकरदेव, महेश्वर नेयोग । श्री शंकरदेव . १८३३ शक [ला० गु०]

शंकु, या नोमन (Gnomon), दिन में समय ज्ञात करने का सरल प्राचीन उपकरण था। इसमें मुख्यतः फर्श, या किसी क्षैतिज समतल, पर एक खड़ा छड़ होता था, जिसकी छाया की स्थिति दिन का समय बताती थी। २,००० ई० पू० में ही बैबिलोनिया में इसका प्रयोग होता था और हेरोडोटस (Herodotus) के अनुसार अनैक्सिमैंडर (Anaximander) ने लगभग ६०० ई० पू० यूनान में इसका प्रचार किया। खड़े छड़ की छाया की लंबाई, दिशा तथा छाया के अग्र द्वारा [illegible] रेखा से रविमार्ग की

दिवंशा, अयनांत की तिथि (मत्र और वर्ष) और याम्योत्तर का पता लगाना संभव होता था।

कभी कभी शंकु का बड़ा छड़ किसी गोलार्ध के धरातल पृष्ठ के केंद्र में बिठाया जाता है। एक रूपांतरण में, यह एक ऊँचा गुंबद था, जिसके ऊपरी भाग में छेद बना था, जिससे होकर सूर्य का प्रकाश फर्श पर बिंदु के रूप में पड़ता था। रोम की प्राचीन काल की कुछ घड़ियों में, जिन्हें चक्रार्ध (hemicycle) कहते थे, यह एक क्षैतिज शलाका (style) के रूप में था, जो पट्ट (dial) के सर्वोच्च वक्र कोर के केंद्र पर आबद्ध होता था। पार्थिव अक्ष के समांतर आबद्ध छड़ों को त्रिकोणी शलाका को भी शंकु कहते हैं। [रा० मु०]

शंकुक भरत नाट्यशास्त्र के व्याख्याता। इनकी व्याख्या प्राप्त नहीं है पर अभिनवभारती में उसका उल्लेख है। भरत के रससूत्र की इन्होंने जो व्याख्या की है वह 'अनुमितिवाद' नाम से प्रसिद्ध है। भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद या तथा सहृदयों में रसानुभव न माननेवाले सिद्धांत का इन्होंने सर्वप्रथम खंडन किया है। ये नैयायिक थे। इन्होंने विभाव आदि साधनों और रसरूप साध्य में अनुमाप्य-अनुमापक भाव की कल्पना की है और रस का आस्वाद अनुमान द्वारा अनुमेय या अनुमितिगम्य बताया है। इन्होंने रस की स्थिति सहृदयों या सामाजिकों में मानी है। 'चित्रतुरगादि न्याय' की इनकी विवेचना के अनुसार नट सच्चे राम नहीं हैं, वे चित्र में लिखे अश्व की तरह हैं। जैसे अश्व के चित्र को देखकर उसका अनुभव होता है, वैसे ही नट के अभिनयात्मक रूप को देखकर सहृदयों को अनुभव होता है। इस प्रकार शंकुक ने रस की स्थिति सहृदयों या सामाजिकों में मानी है। राजतरंगिणी के उल्लेख के अनुसार शंकुक विद्वान् थे और अजितापीड़ के शासनकाल में विद्यमान थे। 'भुवनाभ्युदय' नामक महाकाव्य में सन्य और युद्ध का वर्णन किया है जिसमें मारे गए वीरों [illegible] नदी का प्रवाह रुक गया था। [illegible] दुश्मन 'त्रिपुरशोक.' कहा है। शंकुक [illegible] भाग्य है।

शार्ङ्गधरपद्धति तथा [illegible] मयूर का पुत्र कहा गया है। [illegible] भी एक शंकु या शंकुक [illegible] के व्याख्याता, भुवनाभ्युदय महाकाव्य के [illegible]

शंघाई स्थिति : ३१° २०' [illegible] यह चीन का बड़ा नगर [illegible] मुहाने के समीप एक [illegible] वाली एक छोटी नदी, [illegible] मी० दक्षिण की [illegible] स्थित है। चीन के [illegible] स्थिति अधिक [illegible] जिससे बड़े बड़े [illegible] बंदरगाह की [illegible] कारण शंघाई चीन का मुख्य रूप से व्यापारिक एवं वाणिज्य नगर बन गया है। चीन के ६७% रेशम, ५०% चाय, कपास एवं ऊनों के पाउडर, चमड़े आदि का निर्यात यहीं से होता है। यहाँ से तंबाकू, तेल, आदि का आयात होता है। यहाँ रेशमी एवं सूती कपड़े, रसायनक, लोहा एवं इस्पात, साबुन, ग्रामोफोन, सीमेंट, कागज आदि के उद्योग भी हैं। इसे चीन का मैंचेस्टर भी कहते हैं। इस नगर की जनसंख्या ६६,००,००० (१९६३) है। [मु० च० श०]

शंतनु अथवा शांतनु कहे जानेवाले कुरुवंशी राजा ने महाभारत युद्ध के चार पीढ़ियों पूर्व हस्तिनापुर में राज्य किया था। पुराणों (विष्णु, चतुर्थ, २०,८-१३; भागवत०, नवम्, २२, ११-१३; मत्स्य०, ५०, ३८-४१, ब्रह्म० १३, ११४-१२१; वायु०, २३४-२३७) में उसे प्रतीप का द्वितीय पुत्र कहा गया है। उसके बड़े भाई देवापि के बचपन में ही वन चले जाने तथा कुष्ठ होने के कारण ब्राह्मणों के नेतृत्व में जनता द्वारा उसके उत्तराधिकार का विरोध किए जाने के फलस्वरूप पिता ने उसका त्याग कर दिया था। फलतः शंतनु को राज्य मिला। शंतनु महाभिषक था और जिसे भी अपने हाथों से छू देता था, उसके सभी शारीरिक रोग दूर हो जाते तथा उसे प्रत्येक प्रकार की शांति मिल जाती थी। इसी स्पर्शगुण (शं+तनु) के कारण उसका नाम शंतनु पड़ा। उसके समय में कौरवों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। गंगा नामक उसकी पहली रानी से देवव्रत भीष्म पैदा हुए। उसने दूसरा विवाह एक नीच जाति की पुत्री (दाशेयी) [illegible] किया, जिससे उसके बाद क्रमशः राज्याधिकारी होने-[illegible] और विचित्रवीर्य नामक पुत्र हुए।

[illegible] इंडियन हिस्टारिकल ट्रैडीशंस, [illegible] तालकर और मजुमदार (संपादित) [वि० पा०]

[illegible] तथा पौराणिक असुर : वैदिक शंबर जिसने 'वृत्र' की तरह आकाश में नब्बे, निन्यानवे [illegible] निर्माण किया था (ऋ०, २-१४, १९)। अपने [illegible] अश्विनियों की सहायता [illegible] वध कर दिया एवं समस्त [illegible]

[illegible] नु के पुत्रों में से एक था [illegible] तनीतिज्ञ था। वृत्रासुर से [illegible] के हाथों हुआ।

[illegible] दानव जो कंस का अनुयायी [illegible] मारे जाने की [illegible] सुनकर [illegible] गया

[illegible] का पुत्र, उल्लेखनीय है। [चं० भा० पां०]

शंबुक, शंबूक पौराणिक कथा के अनुसार एक शूद्र जिसने देवत्व एवं स्वर्गप्राप्ति के लिये विंध्याचल के अंगभूत श्रीवल नामक पर्वत पर घोर तप किया था। किंतु शूद्रधर्म त्याग कर तप करने से एक ब्राह्मणपुत्र की असामयिक मृत्यु हो गई। अतः रामचंद्र ने उसका वध किया; तब ब्राह्मणपुत्र जीवित हो गया। (वा० रा०, उ०, ७५; महा० शां० १४९-६२)। [चं० भा० पा०]

शंबुजय (क) सौवीर देश का राजकुमार था। महाभारत के युद्ध में यह जयद्रथ के रथ के पीछे पीछे हाथ में पताका लेकर चलता था। द्रौपदीहरण के समय पार्थ ने इसका वध कर डाला था।

(ख) धृतराष्ट्र के पुत्रों में से था जिसपर दुर्योधन ने भीष्म की रक्षा का भार सौंपा था। युद्ध में भीमसेन ने इसका वध किया। [च० भा० पा०]

शकटार महानंद के दो मंत्री थे, एक शकटार शूद्र और दूसरा राक्षस ब्राह्मण। एक बार महानंद ने क्रुद्ध होकर शकटार को बंदीगृह में डाल दिया। वह केवल दो सेर सत्तू उसके परिवार को देता जिससे एक एक करके उसके परिवार के सब लोग मर गए। शकटार अकेला रह गया। महानंद ने उसे राक्षस के नीचे मंत्री बना दिया। शकटार वैसे भी तो महानंद से वैर का बदला लेना चाहता था। ढूंढ़ते ढूंढ़ते उसे एक ब्राह्मण मिला जो कुश से पाँव कट जाने के कारण कुश की जड़ में मट्ठा डालकर उसे नष्ट कर रहा था। शकटार इस ब्राह्मण को महानंद के महल में ले गया और वहाँ उसे श्राद्ध के आसन पर बैठा दिया। राजा ने उसे बाल पकड़वाकर वहाँ से निकलवा दिया। आगे चलकर यही ब्राह्मण कूटनीतिज्ञ विष्णुगुप्त चाणक्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। शकटार ने चाणक्य द्वारा महानंद और उसके पुत्रों की हत्या कराकर अपने वैर का बदला लिया। उसके बाद वह अपने पापों से संतप्त हो वन में चला गया और अनशन करके मर गया।

जैन परंपरा के अनुसार कल्पक वंश में उत्पन्न शकटार नवें नंद राजा का मंत्री था। उसके दो पुत्र थे, एक स्थूलभद्र और दूसरा श्रियक। नंद राजा की सभा में वररुचि नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो शकटार से द्वेष रखता था। उसने राजा से झूठी चुगली लगाकर शकटार के पुत्र श्रियक के हाथ से उसे मरवा दिया। तत्पश्चात् श्रियक को मंत्री का पद दिया गया, और स्थूलभद्र ने जैन दीक्षा ले ली। आगे जाकर यही स्थूलभद्र जैन आगम के उद्धारक प्रसिद्ध जैन आचार्य हुए। [ज० चं० जै०]

शकरकंद (Ipomoea batatas) कॉन्वॉल्वुलेसी (Convolvulaceae) कुल का एकवर्षी पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थिति में बहुवर्षी का व्यवहार कर सकता है। यह उष्ण अमरीका का देशज है। अमरीका से विभिन्न होते हुए, यह चीन, जापान, मलेशिया और भारत आया, जहाँ आपक कर से तथा सभी अन्य उष्ण प्रदेशों में इसकी खेती होती है। यह ऊर्जा उत्पादक आहार है। इसमें अधिक विटामिन रहते हैं, विटामिन 'ए' और 'सी' की मात्रा सर्वाधिक है। इसमें लौह की अपेक्षा अधिक स्टार्च रहता है। यह उबाल-[illegible] खाया जाता है। कच्चा भी खाया जा सकता है। सूखे में यह खाद्यान्न का स्थान ले सकता है। इससे स्टार्च और ऐल्कोहॉल भी तैयार होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इसकी खेती होती है। फलाहारियों का यह बहुमूल्य आहार है। इसका पौधा गरमी सहन कर सकता है, पर तुषार से शीघ्र मर जाता है।

शकरकंद सुपूर्ण तथा अच्छी जोती हुई भूमि में अच्छा उपजता है। इसके लिये मिट्टी बलुई से बलुई दुमट तथा कम पोषक उपजाऊ अच्छी होती है। भारी और बहुत समृद्ध मिट्टी में इसकी उपज कम और जड़ें निम्नगुणीय होती हैं। शकरकंद की उपज के लिये भूमि की अम्लता विशेष बाधक नहीं है। यह पीएच ५·० से ६·८ तक में पनप सकता है। इसकी उपज के लिये प्रति एकड़ लगभग ३० पाउंड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फॉस्फेट और पोटैश उर्वरक लाभप्रद होते हैं। पौधा बेल के रूप में उगता है। पौधों में कदाचित ही फूल और बीज लगते हैं।

शकरकंद का रोपण आषाढ़ सावन महीने में कलम द्वारा होता है। कलमें पिछले मौसम में बोई गई फसलों से प्राप्त की जाती हैं। ये लगभग १ फुट से १½ फुट लंबी होती हैं। इनको २ से ३ फुट की दूरी पर मेड़ों पर रोपना चाहिए। हलकी बौछार के बाद रोपण करना अच्छा होता है। रोपण की साधारणतया तीन रीतियाँ प्रचलित हैं :

१. लगभग एक फुट लंबी कलमें, मेड़ों पर एक से डेढ़ फुट की दूरी पर, ५ से ६ इंच गहरी तथा ६०° का कोण बनाते हुए, दबा दी जाती हैं।

२. कलमें मेड़ों के ऊपर एक कतार में लिटा दी जाती हैं। फिर दोनों सिरों पर लगभग ४ इंच खुला छोड़कर, बाकी हिस्सा मिट्टी से ढँक दिया जाता है।

३. कलमें उपर्युक्त रीति से ही रोपित की जाती हैं, किंतु वे मेड़ों पर न होकर उसकी दोनों ढाल पर होती हैं। यह रीति अन्य दो रीतियों से अधिक उपज देती है।

बरसात में बेल को सीधा नहीं जाता, पर बरसात के बाद इसकी भूमि को तीन या चार बार सीधा जाता है। जब तक भूमि बेलों से पूरी ढँक नहीं जाती, तब तक हलकी जुताई या अन्य रीतियों से घास को खर पतवार से साफ रखना चाहिए। साधारणतया दो बार मिट्टी चढ़ाई जाती है। बेलों की छँटाई निश्चित रूप से हानिकारक है। चार से पाँच मास में फसल तैयार हो जाती है, फिर भी कंद को बड़ा हो जाने पर खोदा जाता है। परिपक्व हो जाने पर ही उपज अधिक होती है और शकरकंद अच्छे गुण का होता है। शकरकंद के परिपक्व हो जाने पर, उसका ऊपरी भाग हवा में जल्द सूख जाता है।

शकरकंद की तीन जातियाँ, पीली, श्वेत और लाल, ही साधारणतया उगाई जाती हैं। पीली जाति के गूदे में पानी का अंश कम रहता है और विटामिन 'ए' की मात्रा अधिक रहती है। श्वेत जातियों में जल की मात्रा अधिक रहती है। लाल जातियाँ साधारणतया सुस्वादु होती हैं, पर भूमि के दृष्टिकोण से अन्य जातियों से अधिक कठिनाइयों या कठिनाइयाँ होती हैं। कुछ नई लाल जातियाँ

श्री अनुसंधान द्वारा विकसित की गई है। एक अमरीकी जाति इंडियन ऐग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली, से प्राप्त हो सकती है। औसत उपज १२०-१५० मन प्रति एकड़ है।

[य० रा० मे०]

शकुंतला मेनका से उत्पन्न विश्वामित्र की कन्या जिसे कण्व ने वन में पाया था। कण्व ने इसे पाला पोसा और आश्रम में अपनी कन्या की भाँति रखा जिससे यह प्राय उन्हीं की पुत्री समझी जाती है। दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेमकथा कालिदास के प्रसिद्ध नाटक में लिखी गई है। शकुंतला के ही पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। कालिदास के नाटक 'शकुंतला' का अनुवाद अंग्रेजी में आज से १०० वर्ष पूर्व हुआ। फिर तो इसके अनुवाद सभी यूरोपीय भाषाओं में प्रकाशित हुए और अनेक देशों में इसका सफल अभिनय भी किया गया।

[रा० द्वि०]

शकुनि नामक अनेक राजा अथवा राजकुमार प्राचीन भारतीय अनुश्रुति से ज्ञात होते हैं। १. ऐक्ष्वाकु वंशी विकुक्षि के १५ पुत्रों में एक का नाम शकुनि था। २. मार्कंडेयपुराण के अनुसार दुःसह नामक राजा का भी शकुनि नामक एक पुत्र था। ३ विदेहराज्य के संस्थापक निमि का भी इस नाम का एक वंशज था। उसके अनेक नामरूप — यथा शकुनि, सकुनि, अथवा सकुलि मिलते हैं। ४. एक अन्य शकुनि था चंद्रवंशी राजा दशरथ का पुत्र और यदुपुत्र क्रोष्टु का वंशज। उसकी स्थिति त्रेता युग में रखनी होगी। उसी के वंश में आगे चलकर मधु, भीम, अंधक, कुकुर, वृष्णि, उग्रसेन और कंस नामक राजा हुए। ५ पाँचवाँ शकुनि हुआ महाभारतकालीन दुर्योधनादि कौरवों का मामा; अनुश्रुति से वही सर्वाधिक ज्ञात और प्रसिद्ध है। अपने पिता सुबल के नाम से वह सौबल भी कहलाया। वह गांधार देश का राजा तथा गांधारी का भाई था। दुर्योधन के मंत्री के रूप में उसने पांडवों से कपटयुद्ध खेला था तथा उन्हें जुआ खेलने के लिये आमंत्रित कर उनके वनवास आदि का प्रेरक बना। इस प्रकार महाभारत युद्ध के कारणों में उसकी नीति भी उत्तरदायी थी। पांडवों ने जैसे कृष्ण पर भरोसा किया वैसे ही कौरवों ने शकुनि पर। उसकी कूटनीतिक बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। अंत में वह सहदेव के हाथों पुत्र सहित मारा गया (महाभारत, सभा और शल्य पर्व)।

[वि० पा०]

शक्ति और शक्तिसंचरण (Power and Power Transmission) शक्ति शब्द का प्रयोग मानवनियंत्रित ऊर्जा को जो यांत्रिक कार्य करने के लिये प्राप्य हो, सूचित करने के लिये किया जाता है। शक्ति के मुख्य स्रोत (source) हैं: मनुष्यों एवं जानवरों की पेशीय ऊर्जा (muscular energy), सरिता एवं वायु की गतिज ऊर्जा, उच्च सतहों पर स्थित जलाशय की स्थितिज (potential) ऊर्जा, लहरों एवं ज्वारभाटा की ऊर्जा, पृथ्वी एवं सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा, ईंधन को जलाने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा आदि। पालतू जानवरों की शक्ति का उपयोग मानवीय सभ्यता का प्रथम कदम था। बाद में क्रमशः विभिन्न प्रकार की शक्तियों को उपयोग में लाने के लिये प्रयास किए जाते रहे। अभी भी अधिक से अधिक शक्तियों को नियंत्रित करने में वैज्ञानिक व्यस्त हैं एवं प्रयत्न जारी है।

ऊपर लिखे गए शक्तिस्रोतों में वायु, लहर, एवं सूर्य द्वारा प्राप्त शक्तियाँ आवर्तामिक (intermittent) होती हैं और यही इन सब का सबसे बड़ा अवगुण है, क्योंकि शक्ति की माँग यदि संतत (continuous) हो, तो इस प्रकार की शक्तियों को उपयोग में लाने के लिये इनके संग्रह की व्यवस्था करनी होगी। शक्ति संयंत्र (plant) के आकार एवं कीमत को ध्यान में रखते हुए, बड़े पैमाने (large scale) पर शक्तिजनन की अवस्था में वायु, लहर तथा सूर्य द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग लाभप्रद नहीं होता है। कुछ स्थानों में बड़े पैमाने पर शक्तिजनन के लिये ज्वारभाटा की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के संयंत्र के निर्माण में व्यय अत्यधिक होता है।

वैज्ञानिकों द्वारा 'शक्ति' शब्द का प्रयोग ऊर्जासंचरण की दर के लिये किया जाता है। सामान्य व्यवहार में शक्ति की इकाई अश्वशक्ति है। फुट-पाउंड-सेकंड प्रणाली में एक अश्वशक्ति का अर्थ होता है, ५५० फुट-पाउंड-प्रति सेकंड की दर से संचरण, एवं मीट्रिक प्रणाली में एक मीट्रिक अश्वशक्ति का अर्थ होता है, ७५ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की दर से संचरण।

ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों को उपयोग में लाने के लिये प्रतिष्ठापन (installation) द्वारा संबंधित उपकरण तीन वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं: (१) मूल चालक, जिसकी सहायता से प्राकृतिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार के वर्ग में भाप इंजन, भाप टरबाइन, जल टरबाइन, गैस टरबाइन, गैस इंजन, तेल इंजन आदि आते हैं, (२) किसी भी प्रकार का यंत्र, जो मूल चालक द्वारा प्राप्त ऊर्जा से चलाया जाता हो। वस्तुतः इस वर्ग में वे सभी प्रकार के यंत्र, जैसे सभी मशीन औजार (machine tools), पंप (pump) यंत्र, लिफ्ट (lift), क्रेन (crane) आदि आते हैं, जिन्हें चलाने के लिये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा (३) वे उपकरण, जिनकी सहायता से मूल चालक द्वारा प्राप्त ऊर्जा यंत्रों को प्रेषित की जाती है।

प्रायः मूल चालक उन स्थानों में, जहाँ ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत प्रचुर मात्रा में प्राप्य हों, स्थापित किया जाता है, जैसे जलप्रपात के निकट या कोयले की खानों के क्षेत्र में। जलप्रपात या प्राकृतिक जल के स्रोत, जैसे नदी, झील आदि के निकट द्रवचालित (hydraulic) शक्ति संयंत्र की, जिसमें जल की ऊर्जा जल टरबाइन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, स्थापना की जाती है। दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना, बिहार राज्य के धनबाद जिले में माइथान एवं पंचेत, और हजारीबाग जिला में तिलैया नामक स्थानों पर की गई है। इस प्रकार के संयंत्र भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जैसे भाखरा नंगल, हीराकुंड, नुंगभट्टा, रिहंद आदि। कोयले की खानवाले क्षेत्रों में कोयले द्वारा प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को, ऊष्मीय शक्तिसंयंत्र में भाप टरबाइन, या भाप इंजन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिये कोयले को जलाकर

वाष्पित्र (boiler) में भाप तैयार की जाती है और इस भाप का उपयोग मूल चालक, जैसे भाप टरबाइन या भाप इंजन को चलाने के लिये किया जाता है। इस तरह के ऊष्मीय शक्तिसंयंत्र बोकारो (बिहार राज्य) एवं दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में हैं। उपर्युक्त प्रकार के द्रवचालित एवं ऊष्मीय शक्तिसंयंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा विपुल परिमाण में बहुत दूरी पर स्थित कल कारखानों आदि में संचारित की जाती है। इस तरह के शक्तिसंचरण की अवस्था में शक्तिवितरण के तरीके एवं उपकरण अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मूल चालक से उन स्थानों की दूरी, जहाँ यंत्रों द्वारा ऊर्जा का उपयोग होता है, वितरण की दक्षता पर निर्भर करती है।

कुछ कारखानों में मूल चालक द्वारा प्राप्त ऊर्जा निकटवर्ती यंत्रों में ही संचारित की जाती है। इस अवस्था में तेल द्वारा चालित मूल चालक, जैसे तेल इंजन, का प्रयोग अधिक होता है। इसमें संचरणयंत्र का अधिक महत्व रहता है, क्योंकि संचरण की दक्षता पूरे संयंत्र की दक्षता को प्रभावित करती है। कभी कभी मूल चालक को यंत्र से इस तरह जोड़ दिया जाता है कि संचरण उपकरण सुगमतापूर्वक मूल चालक, या यंत्र से अलग नहीं किया जा सकता। इस वर्ग में रेल इंजन आदि आते हैं।

शक्तिसंचरण के विभिन्न तरीके हैं : (१) यांत्रिक तरीके, (२) द्रवचालित तरीके, (३) वैद्युत तरीके तथा (४) वाति प्रणाली।

शक्तिसंचरण के यांत्रिक तरीके — शक्ति का यांत्रिक संचरण पट्टी (belt) या रज्जु (rope) की सहायता से शैफ्ट (shaft) द्वारा, अथवा चक्रिक (wheel gearing) और जंजीर (chain) की सहायता से होता है। परिस्थिति के अनुसार शक्ति को संचारित करने के निम्न ये तरीके अलग अलग, या एक दूसरे के साथ, व्यवहृत किए जाते हैं। मूल चालक के अनुसार शक्तिसंचरण के यांत्रिक उपकरणों का अभिकल्प एवं निर्माण किया जाता है।

मूल चालक के संचालक चक्र (flywheel) पर लगे हुए पट्टी द्वारा, शक्ति को रेखा शैफ्ट (line shaft) में संचारित किया जाता है। रेखा शैफ्ट पर अभिकल्प के अनुसार घिरनियाँ (pulleys) लगी रहती हैं। इन घिरनियों पर लगे हुए पट्टी द्वारा शक्ति को रेखाशैफ्ट से विभिन्न यंत्रों में संचारित किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में सबसे बड़ा अवगुण यह है कि किसी भी कारखाने में रेखाशैफ्ट का चलना बंद होते ही सभी यंत्र, जिन्हें रेखाशैफ्ट से शक्ति संचरित की जाती है, बंद हो जाते हैं।

इस प्रकार के अवगुणों का कारणात्मक विश्लेषण करने के लिये इंजन के फ्लैंज शैफ्ट को संचरण का कारक बिंदु एवं यंत्र के उपयोग शैफ्ट को संचरण का अंतिम बिंदु मान लिया जाता है। यह अनुमान विशिष्ट यंत्र के लिये उपयुक्त है। मान लिया कि इंजन की गति N परिक्रम (revolutions) प्रति मिनट है। इस गति से चलते हुए इंजन फ्लैंज शैफ्ट पर संचारित बल आघूर्ण (torque) T_1 है। मान लिया कि बल आघूर्ण की मात्रा T किलोग्राम मीटर है। इस अवस्था में इंजन की कोणीय (angular) गति ω_1 का मूल्य [illegible] है। यदि

ω की इकाई रेडियन प्रति सेकंड है। अतः इंजन फ्लैंज द्वारा किए गए कार्य की दर $T\omega$ किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात् फ्लैंज शैफ्ट द्वारा $T\omega/75$ मैट्रिक अश्वशक्ति प्राप्त होती है। सुविधा के लिये मान लिया, फ्लैंज शैफ्ट से प्राप्त बल आघूर्ण एक ही यंत्र को संचरित होती है। मान लिया, उस यंत्र में डाला जानेवाला बल आघूर्ण T_2 किलोग्राम प्रति मीटर है और कोणीय रेडियन प्रति सेकंड यंत्र की कोणीय गति है, तब इस यंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा की दर होगी $T_2\omega_2$ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। घर्षण एवं अन्य अवरोधों को अभिभूत (overcome) करने के लिए ऊर्जा का कुछ अंश संचरणयंत्र द्वारा अवशोषित (absorbed) होता है। यदि ऐसा नहीं हो, तो यंत्र द्वारा ऊर्जा अवशोषण की दर मूल चालक द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की दर के समतुल्य होगी। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, इसलिये वास्तव में $T_2\omega_2$ का मूल्य $T\omega$ के मूल्य से अवश्य कम होगा। यदि संचरण की दक्षता η हो तो $T_2\omega_2 = \eta(T\omega)$ होगा।

अब हम संचरण के विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे :

शैफ्ट — जब एक शैफ्ट मूल चालक से किसी यंत्र को ऊर्जा संचरित करता है, तो इसके प्रत्येक अनुभाग (section) को बलआघूर्ण का सामना करना पड़ता है। यदि बलआघूर्ण की मात्रा T किलोग्राम प्रति मीटर हो तथा शैफ्ट ω रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय गति से घूम रहा हो, तो संचरण की दर $T\omega$ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगी। शैफ्ट का डिजाइन बनाते समय, उसके आकार एवं परिमाण का पता लगाना होता है। इस संबंध में यह ध्यान दिया जाता है कि बलआघूर्ण द्वारा उत्पन्न प्रतिबल एक विशिष्ट सीमा के अंदर ही रहे। शैफ्ट का डिजाइन कभी कभी इस आधार पर भी किया जाता है कि शैफ्ट के अक्ष से संलग्न कोणीय दिशा की अनुप्रस्थ आपेक्षिक कोणीय विस्थापन (displacement) का मान एक विशिष्ट कोण से कम ही रहे। स्थिति के अनुसार डिजाइन के लिये प्रथम या द्वितीय विधि का चुनाव किया जाता है। प्रथम विधि विधि में निम्नलिखित समीकरण व्यवहृत होता है :

$$D^3 = \frac{16T}{\pi f},$$

जहाँ D शैफ्ट का व्यास, T बलआघूर्ण एवं f अपरूपण प्रतिबल (shear stress) है।

द्वितीय विधि में व्यवहृत समीकरण निम्नलिखित है :

$$D^4 = \frac{32lT}{\pi C\theta}$$

जहाँ l दो अनुभागों के बीच की दूरी, C दृढ़ता मापांक ([illegible]) है एवं θ दोनों अनुभागों के बीच आपेक्षिक कोणीय विस्थापन है।

इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि [illegible] समीकरण द्वारा शैफ्ट एवं एकसमान [illegible] के लिये उपयुक्त है। [illegible] के लिये उपयुक्त दो समीकरणों के स्थान पर निम्नलिखित का समीकरण से व्यवहार में लाते हैं

$$T = \frac{\pi f (D^4 - d^4)}{16 D} \text{ एवं } T = \frac{\pi G \theta (D^4 - d^4)}{32 l}$$

जहाँ D, d खोखले गोलाकार शैफ्ट के क्रमशः बाहर एवं अंदर के व्यास हैं।

अन्य आकारवाले शैफ्ट के लिये ऊपर बताए गए समीकरण व्यवहार में नहीं लाए जा सकते हैं। विभिन्न आकारवाले शैफ्ट के लिये विभिन्न समीकरण निगमित (deduced) किए जाते हैं और उनका प्रयोग डिजाइन बनाने के लिये किया जाता है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, साधारणतः यह अनुमान कर लिया जाता है कि मरोड़ एक समान होगा, किंतु वस्तुतः मरोड का मान सर्वदा परिवर्तित होता रहता है, यह एक समान नहीं रह पाता है। परिवर्तित अवस्थाओं के लिये आरूपक प्रतिबल का मान उसी के अनुसार चुना जाता है। इन विषमताओं के अलावा एक बात और ध्यान देने योग्य है कि किसी भी शैफ्ट को केवल मरोड का ही सामना नहीं करना पड़ता है, वरन् मरोड के साथ ही साथ बकन आघूर्ण (bending moment) का भी सामना करना पड़ता। इस तरह वास्तव में शैफ्ट का डिजाइन बनाना उतना सरल नहीं है जितना लगता है। शैफ्ट का डिजाइन बनाते समय, इन सारी विषमताओं को ध्यान में रखना पड़ता है एवं अवस्थानुसार उसके परिमाण का मान ज्ञात करना होता है।

कभी कभी एक ही शैफ्ट से विभिन्न यंत्रों को शक्ति प्रेषित की जाती है। ऐसे यंत्रों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाता है एवं ये सारे यंत्र शैफ्ट के विभिन्न भागों से शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्तिसंचरण की इस अवस्था में स्वभावतः मूल चालक के निकटतम शैफ्ट के भाग को संपूर्ण शक्ति संचारित करनी होती है एवं ज्यों ज्यों अन्य यंत्र शैफ्ट के विभिन्न भागों से शक्ति प्राप्त करते जाते हैं, त्यों त्यों शैफ्ट द्वारा संचरित शक्ति कम होती जाती है। इसलिये मूल चालक के निकटतम शैफ्ट के भाग की शक्ति का परिमाण अधिकतम होगा और शैफ्ट के विभिन्न भागों की दूरी के अनुसार शक्ति का परिमाण भी कम होता जायगा।

दंति या गियर चक्र — एक शैफ्ट से दूसरे शैफ्ट को शक्ति संचारण करने के लिये दंतिचक्र (चित्र १.) का व्यवहार होता है। दो शैफ्ट

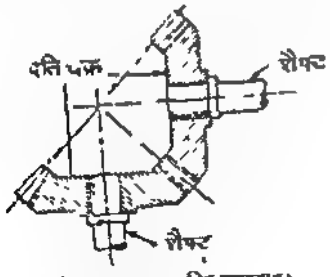

(दंतिचक्र द्वारा शक्ति संचरण)

चित्र १.

समांतर अवस्था में रखे जाते हैं, या एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके रहते हैं। प्रथम अवस्थावाले चक्र स्पर गियर (spur gear) तथा दूसरी अवस्थावाले चक्र बेवेल गियर (Bevel gear) कहलाते हैं। गियर का डिजाइन बहुधा स्थिर गति अनुपात के लिये किया जाता है किंतु कभी कभी विशिष्ट यंत्रों के लिये परिवर्ती गति के अनुमान के आधार पर भी गियर का डिजाइन बनाना होता है। शैफ्ट की तरह दंतिचक्र का परिमाण भी बलभारपूर्ण पर निर्भर करता है। शक्तिसंचरण के लिये दंतिचक्र का व्यवहार इन स्थानों में किया जाता है, जैसे जहाज में स्थित, उच्चगति भाप टरबाइन से निम्न गति प्रणोदक में शक्तिसंचरित करने में तथा मोटर गाड़ी में व्यवहृत गियर बॉक्स (gear box) आदि में। दंतिचक्र का निर्माण करते समय विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतराल की एक समानता अत्यधिक शुद्धता से प्राप्त हो। यदि अंतराल एक समान न हो, तो दंतिचक्रों द्वारा उच्च गति पर अत्यधिक कोलाहल होगा, जो अवांछनीय है। अतः आधुनिक प्रविधि में दंतिचक्रों को कठोर बनाकर सूक्ष्म पेषणचक्की (grinder) द्वारा यथार्थ अंतराल और आकार में पेषित किया जाता है।

पट्टा — शक्तिसंचरण में साधारणतया यह भी व्यवहार में लाया जाता है। इसके लिये दो घिरनियों पर पट्टे को चढ़ाया जाता है। जब घिरनी एक समान गति पर घूमती है, तब एक घिरनी से दूसरी घिरनी में शक्ति संचरित होती रहती है। इस अवस्था में पट्टा एक तरफ कड़ा रहता है और दूसरी तरफ ढीला, किंतु दोनों तरफ तनाव की ही स्थिति रहती है। यदि T_1 और T_2 क्रमशः पट्टे के कड़े एवं ढीले भाग का तनाव बल हो (चित्र २.), θ रेडियन में स्पर्श का चाप

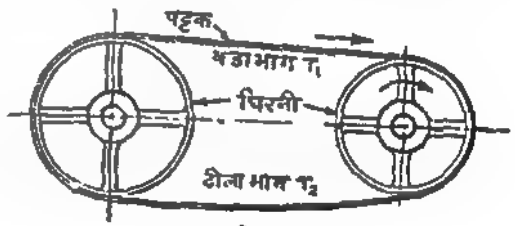

पट्टक द्वारा शक्ति संचरण

चित्र २

और μ पट्टे एवं घिरनी का घर्षण गुणांक हो, तो $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$ होता है। पट्टे का डिजाइन बनाते समय इस समीकरण का सर्वप्रथम उपयोग कर, अधिकतम तनाव बल T_1 का मान ज्ञात किया जाता है। फिर दिए गए अश्वशक्ति को दी हुई गति पर प्रेषित करने के लिये पट्टे के आकार और परिमाण का डिजाइन बनाया जाता है।

शृंखला या जंजीर — शक्ति का संचरण करनेवाले यंत्रों में शृंखला का स्थान भी महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य गुण ये हैं: (१) अत्यंत उच्च दक्षता, (२) उच्च गति की प्राप्ति, (३) उत्क्रमणीयता (reversibility), (४) विस्तृत शक्तिप्रेषण सीमा, (५) सर्पण (Slip) का कम भय तथा (६) ऊष्मा या शीत से

प्रभावित नहीं होता। विभिन्न प्रकार की शृंखलाएँ, जो व्यवहार में आती हैं, उनमें से मुख्य ये हैं : (१) वियोज्य, आघातवर्धनीय लोहे

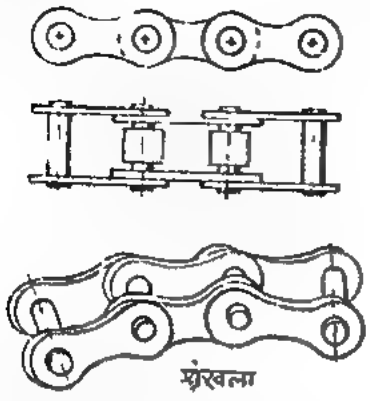

चित्र ३.

(detachable malleable iron) शृंखला — इस प्रकार की शृंखला आघातवर्धनीय लोहे की कड़ियों को जोड़कर बनाई जाती है। इसका डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है कि संयोजन (assembly) में सुविधा हो। इस प्रकार की शृंखला का व्यवहार अधिकतर ४०० पूर्ण प्रति मिनट एवं गति अनुपात ५ और १ की अवस्था में होता है, (२) इस्पात बेलन (roller) शृंखला — प्रथम प्रकार की शृंखला निम्नगति के योग्य है। आधुनिक युग उच्च गति का युग है। इसलिये उच्च गति पर शक्ति प्रेषित करने के लिये इस्पात की शृंखला बनाई गई। इस प्रकार की शृंखला हल्की बनावट की होती है एवं इसमें अंतराल बहुत यथार्थ रखा जाता है। इसके निर्माण में मध्यम-कार्बन-ऊष्मा-वेल्लित इस्पात का उपयोग किया जाता है। यह शृंखला ७०० पूर्ण प्रति मिनट एवं ५ गति अनुपात तक की अवस्था में व्यवहृत होती है, (३) नीरव (silent) शृंखला — शक्तिप्रेषण के लिये निर्मित शृंखलाओं में इसका स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च शक्ति को उच्च गति पर प्रेषित करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है। इसकी कड़ियों का डिजाइन और निर्माण अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं विशिष्ट विधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की शृंखला का व्यवहार मुख्यत. १,२०० से १,५०० पूर्ण प्रति मिनट एवं १५ गति अनुपात के लिये किया जाता है।

रज्जु — बहुत पहले शक्तिप्रेषण के लिये रज्जु का व्यवहार भी किया जाता था। घिरनी की परिधि (rim) पर बनाए गए खाँचे (groove) पर रज्जु को लपेटकर उसके द्वारा शक्ति प्रेषित की जाती है। चूँकि रज्जु पट्टे की तुलना में कम नम्य (flexible) है, इसलिये यह ध्यान देना चाहिए कि रज्जु के व्यास की अपेक्षा कम व्यासवाली घिरनी से रज्जु द्वारा शक्ति प्रेषित की जाए। पट्टे की तुलना में रज्जु का क्रियाशील प्रतिबल बहुत ही कम होता है, किन्तु तनाव बल का अनुपात अत्यधिक होता है।

आधुनिक शक्तिप्रेषण की यांत्रिक विधि — विज्ञान के कारण में कम खर्च की आवश्यकता होती है, निर्माण हो रहा है, जिस मूल चालक की दक्षता अधिक होती है। इसके साथ ही यांत्रिक शक्तिप्रेषण के यंत्रों में सुधार हो रहा है। आधुनिक यांत्रिक शक्तिप्रेषण की विधियों में ये विधियाँ प्रमुख हैं :

(१) प्रत्यक्ष मोटर युग्मित संबंध (Direct motor coupled connection) — इसमें मोटर और शक्ति प्राप्त करने वाला शैफ्ट एक दूसरे से युग्मन (coupling) द्वारा संबंधित रहते हैं। यह युग्मन बहुधा नम्य प्रकार का होता है। इस तरह का संबंध सघन (compact) रहता है तथा इस युग्मन का उपयोग आधुनिक यंत्रों को चलाने के लिये किया जाता है; (२) प्रत्यक्ष मोटर पट्टे संबंध — इसमें मोटर और शक्ति प्राप्त करनेवाले शैफ्ट के बीच पट्टा लगा रहता है। इसका व्यवहार विभिन्न यांत्रिक उपकरणों को चलाने में किया जाता है। कहीं कहीं पट्टे के स्थान पर शृंखला का भी उपयोग किया जाता है; (३) पट्टा और रेखा शैफ्ट — इस विधि का विवरण ऊपर दिया जा चुका है; (४) गियर न्यूनीकरण प्रणाली (Gear reduction system) — विद्युत् मोटर बहुधा उच्च गति पर ही चलता है, किन्तु यंत्रों के शक्ति प्राप्त करनेवाले शैफ्ट को निम्न गति पर ही कार्य करना होता है। स्वभावतः मोटर और शैफ्ट का प्रत्यक्ष संबंध कर देने से शैफ्ट भी उसी उच्च गति पर चलना आरंभ करेगा। इसलिये शक्ति को मोटर से शैफ्ट में प्रेषित करने के लिये गति के न्यूनीकरण की अत्यंत आवश्यकता हो जाती है और यह कार्य यांत्रिक न्यूनीकरण प्रणाली द्वारा ही संपन्न होता है। इस प्रणाली द्वारा ५० और १ के अनुपात एवं कभी कभी तो १०० और १ के अनुपात में भी शक्ति का न्यूनीकरण हो सकता है; (५) बहु तंतु रज्जु प्रणाली (Multiple fabric rope system) — इस प्रणाली का प्रचार हाल में आरंभ हुआ है। रज्जु अंग्रेजी अक्षर वी (V) के आकार के बने होते हैं और चक्रों की परिधि पर बनाए गए वी (V) आकार के खाँचे पर कार्य करते हैं। यह प्रणाली किसी भी प्रकार के यंत्र के प्रत्यक्ष चालन में व्यवहृत होने के योग्य है तथा (६) परिवर्ती गति संबंध — विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रविधियों में इस तरह के संबंध का उपयोग किया जाता है। इसमें गति का परिवर्तन सुगमतापूर्वक एवं बिना किसी बाधा के ही संपन्न हो जाता है।

कभी कभी स्थान के अभाव में ऊपर बताई गई प्रणालियों में से कुछ के संयोग का व्यवहार किया जाता है। आधुनिक विधियों में सहत का होना अधिक महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इन विधियों द्वारा अधिक दक्षता प्राप्त की जा सकती है और संपूर्ण व्यय भी कम ही होता है।

शक्तिप्रेषण के द्रवचालित तरीके — शक्तिप्रेषण की विधियों में द्रवचालित प्रणाली सबसे आधुनिक है। द्रवचालित प्रणाली में शक्ति एक तरल की सहायता से प्रेषित की जाती है। यह तरल बहुधा तेल होता है, किन्तु कभी कभी जल का भी व्यवहार किया जाता है। द्रवचालित प्रणाली को दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है : द्रवचालित स्थैतिक प्रणाली [illegible] स्थैतिक प्रणाली

करना है। इस प्रणाली के मुख्य अंग हैं : पंप करने का यंत्र, द्रवचालित मोटर, और दो मुख्य अंगों को मिलाने के लिये उपकरण। चूँकि पंप करने का यंत्र तरल दाब को प्रेषित करता है, इसलिये यंत्र को प्रेषी कहते हैं। द्रवचालित मोटर तरल दाब की सहायता से शक्ति प्राप्त करता है, इसलिये मोटर को ग्राही (receiver) कहा जाता है। इस प्रकार की प्रणाली का उदाहरण है, द्रवचालित संपीडक (Hydraulic Press)। इसमें पंप करने का यंत्र प्रेषी है और द्रवचालित संपीडक ग्राही। पंप द्वारा किए गए कार्य का उपयोग बल के विरुद्ध तेल को विस्थापित करने के लिये किया जाता है। द्रवचालित संपीडक-पिस्टन (piston) की गति से उत्पन्न अवरोध से बल की उत्पत्ति होती है। द्रवचालित गतिज प्रणाली में, क्रियाशील तरल के प्रवाह की गति के परिवर्तन की सहायता से शक्ति प्रेषित की जाती है। इसमें दाब के परिवर्तन को यथासाध्य कम करने का प्रयास किया जाता है। द्रवचालित गतिज प्रेषी के मुख्य अंग हैं : चालक शैफ्ट पर स्थित अपकेंद्री पंप प्रणोदक और चालित शैफ्ट पर स्थित तेल टरबाइन रोटर (rotar)। पंप प्रणोदक और टरबाइन रोटर के बीच तेल के परिवहन से शक्ति चालक शैफ्ट से चालित शैफ्ट को प्रेषित होती है। इस प्रकार की प्रणाली के उदाहरण हैं द्रवचालित युग्मन (Hydraulic Coupling), द्रवचालित बलआघूर्ण परिवर्तक (Hydraulic Torque Converter) आदि।

आजकल शक्तिप्रेषण के द्रवचालित तरीके का उपयोग यंत्र को चलाने में अधिक हो रहा है। तरल की दाब की सहायता से आधुनिक यंत्रों में विभिन्न प्रकार की गतियों को प्राप्त किया जाता है। एक या एक से अधिक पंप के द्वारा तेल उच्च दाब पर भेजा जाता है। हाल के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है। यंत्र में शक्ति-प्रेषण के लिये इस विधि के उपयोग से ये लाभ होते हैं : [१] गति एक समान रूप से और धीरे धीरे परिवर्तित की जा सकती है, [२] विस्तृत गतिसीमा प्राप्त होती है, [३] यांत्रिक प्रेषण द्वारा मुक्त

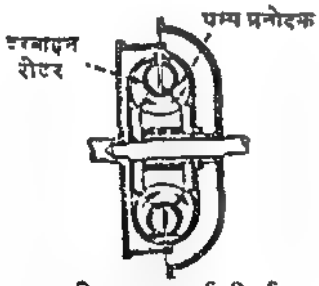

द्रवचालित बलआघूर्ण परिवर्तक

चित्र ४.

यंत्र की तुलना में इस विधि से ... % अधिक टिकाऊ होता है, [४] ... आघातहीन

... जानेवाले यंत्र की डिजाइन और निर्माणविधि आसान होती है। आधुनिक युग में व्यवहृत प्रायः सभी यंत्रों एवं उपकरणों में शक्तिप्रेषण की इस विधि का प्रयोग हो रहा है। शक्तिप्रेषण की द्रवचालित स्थैतिक प्रणाली का उपयोग इसके अलावा निम्नलिखित यंत्रों में भी होता है द्रवचालित दाबक, द्रवचालित क्रेन, द्रवचालित लिफ्ट (Hydraulic Lift) आदि। कृषि संबंधी यंत्रों, जैसे ट्रैक्टर आदि में भी शक्ति-प्रेषण के द्रवचालित तरीकों का उपयोग होता है।

द्रवचालित गतिज प्रणाली के आधार पर शक्तिप्रेषण के लिये निर्मित, द्रवचालित युग्मन में चालक शैफ्ट और चालित शैफ्ट में कोई यांत्रिक संबंध नहीं रहता है। इस तरह के यंत्र में आघात और कंपन नहीं होता है। द्रवचालित युग्मन में शक्ति को प्रेषित करते समय चालक और चालित शैफ्ट पर समान बलआघूर्ण कार्य करता है, किंतु द्रवचालित बलआघूर्ण परिवर्तक शक्ति प्रेषित करते समय बलआघूर्ण की वृद्धि करता है। द्रवचालित युग्मन का उपयोग

द्रवचालित युग्मन

चित्र ५.

रेलगाड़ियों और मोटर गाड़ियों में अंतर्दहन इंजन से गतिपालक चक्र को शक्ति प्रेषित करने में किया जाता है। डीजल इंजन चालित युद्धयान में बड़े आकार के द्रवचालित युग्मन का प्रयोग होता है। १ अश्वशक्ति से लेकर १६,००० अश्वशक्ति तक के द्रवचालित युग्मन का निर्माण हो चुका है। द्रवचालित युग्मन और बलआघूर्ण परिवर्तक के अनुसंधान के बाद आधुनिक मोटर गाड़ियों में शक्तिप्रेषण के पुराने प्रकार के उपकरण, जैसे घर्षणचक्र आदि, का व्यवहार कम ही होने लगा है। इस तरह शक्तिप्रेषण के द्रवचालित तरीकों की उपयोगिता बहुत ही बढ़ गई है और अभी भी निरंतर नई नई खोजें हो रही हैं, ताकि इस प्रणाली का कार्यक्षेत्र और भी विस्तृत हो जाय।

वैद्युत युक्ति — शक्तिप्रेषण की वैद्युत युक्ति पर निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं। अतः परिवर्ती वैद्युत शक्ति का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है। अवरोध को अवस्थापित करके, बल के फ्लक्स की प्राप्ति की युक्तियाँ वस्तुतः परिवर्ती प्रेषण नहीं कही जा सकती हैं। शक्तिप्रेषण की वैद्युत युक्तियों का उपयोग वैद्युत ... में अधिक होता है। अंतर्दहन इंजन के आरंभकों

[illegible] के लिये [illegible] है और [illegible] के लिये [illegible] को [illegible] जाता है।

[illegible] को [illegible] है। [illegible] [illegible]

शची इंद्र की पत्नी जो पुलोमन की कन्या थीं। [illegible] से उत्पन्न हुई थीं और ये स्वयं प्रकृति की अंशरूप मानी जाती थीं। जयंत इन्हीं के पुत्र थे।

बृहद्देवता के मत से एक बार जब इंद्र [illegible] में छिपे हुए थे तो देवताओं ने नहुष को इंद्र बना दिया। नहुष ने शची पर कुदृष्टि की तो बृहस्पति की आज्ञा से उन्होंने भुवनेश्वरी की आराधना की और उनसे अभय प्राप्त किया। फिर शची ने मानसरोवर जाकर छिपे हुए इंद्र से अपनी व्यथा कही। इंद्र की सलाह से शची ने नहुष से कहलाया 'यदि सप्तर्षियों के कंधे पर रखी पालकी में बैठकर आवें तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी।' नहुष ने ऐसा ही किया। ऋषियों को धीरे धीरे चलते देखकर उसने आदेश दिया 'सर्प सर्प' (जल्दी चलो) फलतः क्रोधित ऋषियों के शाप से नहुष को सर्प हो जाना पड़ा।

अपने विवाह के पूर्व शची ने शंकर से सुंदर पति, स्वेच्छानुगत रूप तथा सुख एवं आयु का वरदान माँगा था। ऋग्वेद में शचीरचित कुछ सूक्त हैं जिनमें सपत्नी का नाश करने के लिये प्रार्थना की गई है (ऋ०, १०-१५९)। कुछ विद्वानों के मत से सूक्त बहुत बाद की रचनाएँ हैं। [रा० द्वि०]

शतरूपा स्वायंभुव मनु की स्त्री जिनका जन्म ब्रह्मा के वामांग से हुआ था (ब्रह्मांड० २-१-५७)। इन्हें प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि सात पुत्र और तीन कन्याएँ उत्पन्न हुईं। [illegible] पुत्रों के बाद ब्रह्मा ने अंगजा नाम की एक कन्या उत्पन्न की जिसके शतरूपा, सरस्वती आदि नाम भी थे। मत्स्य पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा से इसे स्वायंभुव मनु, मारीच आदि सात पुत्र हुए (मत्स्य० ४-२४-३०) हरिवंशपुराणानुसार शतरूपा ने घोर तपस्या करके स्वायंभुव मनु को पति रूप में प्राप्त किया था और इनसे वीर नामक एक पुत्र हुआ।

मार्कंडेयपुराण में शतरूपा के दो पुत्रों के अतिरिक्त ऋद्धि तथा प्रसूति नाम की दो कन्याओं का भी उल्लेख है। कहीं कहीं एक और तीसरी कन्या देवहूति का भी नाम मिलता है। शिव तथा वायुपुराणों में दो कन्याओं प्रसूति एवं आकूति का नाम है। वायुपुराण के अनुसार ब्रह्मा शरीर के दो भाग हुए थे जिनमें से एक से शतरूपा हुई थीं। देवीभागवत आदि में शतरूपा की कथाएँ कुछ भिन्न दी हुई हैं। [रा० द्वि०]

शतानीक [illegible] के पुत्र [illegible] और [illegible] के पुत्र [illegible] हुए।

[illegible] नाम के [illegible] के पुत्र तथा [illegible] के पुत्र का भी यही नाम था। [रा० द्वि०]

शनि यह सूर्य से दूरी के क्रम में छठा ग्रह है। [illegible] है। यह सूर्य से [illegible] है।

अत्यधिक दूर होने पर भी इसे बिना दूरबीन के देखा जा सकता है। आकार में यह आकाश में [illegible] से भी अधिक [illegible] है। इसकी [illegible] है, जो केवल बृहस्पति से कम है। शनि का व्यास [illegible] है। पृथ्वी से ७०० गुनी बड़ी वस्तु शनि में समा सकती है। आकार में बहुत विशाल होने पर भी यह बड़ी [illegible] (massive) नहीं है। यह पृथ्वी से केवल लगभग ९५ गुना भारी है। शनिग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यदि इसके डूबने के लिये पर्याप्त पानी मिल सके, तो यह उसपर उतरा सकता है। इसके घनत्व की कमी शायद यह बताती है कि शनिग्रह का एक छोटा ठोस कोड़ (core) है, जिसके चारों ओर बहुत घनघोर वायुमंडल का आवरण है।

स्पेक्ट्रम प्रेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन हैं, जिनमें प्रधानता मेथेन की है।

शनिग्रह का ताप –१५०° सें० है। शनिग्रह के ताप और इसके वायुमंडल की संरचना से स्पष्ट है कि शनि की सतह पर वैसा जीवन संभव नहीं है जैसा हम पृथ्वी पर पाते हैं।

ग्रह होने के कारण यह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। कक्षा का दीर्घवृत्त लगभग वृत्त है। लगभग ६ मील प्रति सेकंड के वेग से यह लगभग २९½ वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते हुए, यह अपने अक्ष पर लगभग १०¼ घंटे के घूर्णनकाल में घूर्णन भी करता है।

शनि के नौ उपग्रह हैं। इनमें सबसे बड़ा टाइटेन है, जिसका व्यास ३,५५० मील है। ज्योतिर्विदों को इससे बड़े उपग्रह की जानकारी नहीं है। यह उपग्रह बुधग्रह से भी बड़ा है।

शनि की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वलयपद्धति है, जिसके कारण इसे ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण स्थान प्राप्त है। इस के विषुवत समतल में, ग्रह की सतह के हजारों मील ऊपर से शुरू होनेवाली क्रमिक व्यवस्था में, अंतरपूर्वक या बिना अंतर के, कम से कम तीन एककेंद्रीय वलय हैं। वलयपद्धति का व्यापक बाह्य व्यास लगभग १,७०,००० मील है। किंतु मोटाई बहुत कम है, १० मील से शायद ही कुछ अधिक हो। ये वलय अत्यंत पतले हैं। अतः ये जब

किनारे की ओर से हमारे सामने पड़ते हैं, तो इन्हें हम शक्तिशाली दूरदर्शी की सहायता से एक सूक्ष्म रेखा के रूप में देख पाते हैं।

अनेक सैद्धांतिक और प्रेक्षणात्मक अध्ययनों से यह निश्चयपूर्वक प्रतिपादित हो चुका है कि ये वलय असंख्य छोटे छोटे पिंडों से, जो

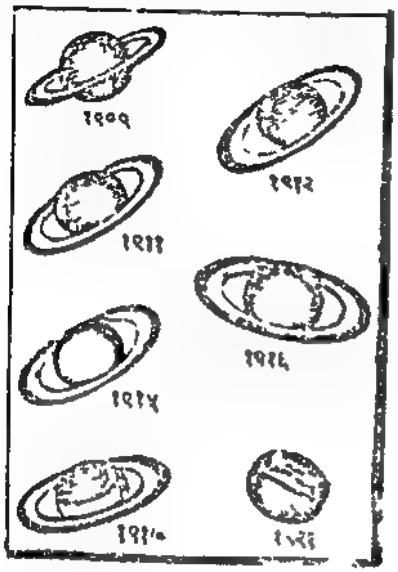

शनि और उसके वलय

ये वलय शनि के परिक्रामी छोटे छोटे पिंडों से बने हैं। चित्र में दिखाया गया है कि विभिन्न वर्षों में ये वलय पृथ्वी से कैसे, कभी चौड़े कभी सकरे, दिखाई पड़ते हैं।

उपग्रहों के समान ग्रह की परिक्रमा करते हैं, निश्चित हैं। वलय [illegible] ज्ञात नहीं हुआ [illegible] बताया है कि ये [illegible] कैसी प्रकार संचित हो गया, या अस्तित्व में आ नहीं पाया। [र० स०]

शनि – (फलित ज्योतिष के अनुसार) सूर्यपुत्र जो नवग्रहों में प्रसिद्ध पापग्रह माने जाते हैं। सती की मृत्यु से दुखी शिव के आँसुओं से ये कृष्ण वर्ण के हो गए। ये महातेजस्वी और अत्यंत तीक्ष्ण स्वभाववाले ग्रह हैं। इनके द्वारा रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करनेवाले योग में संसार के लिये महान् भय उपस्थित होने की सूचना समझी जाती है। ऋतुस्नाता इनकी पत्नी, चित्ररथ की पुत्री ने इनके पत्नीगमन न करने के कारण इन्हें यह शाप दिया था कि यह जिसकी ओर दृष्टिपात करेंगे [illegible] नष्ट हो जायगा। बाल गणेश की ओर दृष्टिपात करने से उनका सिर धड़ से अलग होकर गोलोक में जा गिरा था। पार्वती ने उन्हें शाप दिया किंतु वस्तुतः निर्दोष होने के कारण इन्होंने उन्हें चिरजीवी और हरिभक्ति परायण होने का वरदान दिया। इन्होंने वरदानुसार शिव की पूजा की और अवधान तथा पिप्पल का वध किया था। शिव-शिव मनु के पद पर आसीन होंगे (महा०, शां०, ३४६-५५)। [प० ना० पा०]

शब्दावली (Glossary) 'ग्लासरी' शब्द — शब्दावली जिसका प्रतिशब्द है — मूलतः 'ग्लॉस' शब्द से बना है। 'ग्लॉस' ग्रीक भाषा का (glossa) है जिसका प्रारंभिक अर्थ 'वाणी' था। बाद में यह 'भाषा' या 'बोली' का वाचक हो गया। आगे चलकर इसमें और भी अर्थपरिवर्तन हुए और इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के शब्द (पारिभाषिक, सामान्य, क्षेत्रीय, प्राचीन, अप्रचलित आदि) के लिये होने लगा। ऐसे शब्दों का संग्रह ही 'ग्लॉसरी' या 'शब्दावली' है।

शब्दावली की परंपरा 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' में तथा अन्यत्र भी फिलेटस (Philetas) से मानी जाती है। इनका काल तीसरी सदी ई० पू० है। इन्होंने 'अतक्ता (Atakta) शीर्षक शब्दावली संगृहीत की थी। किंतु वस्तुतः शब्दावली का इतिहास अब बहुत पीछे चला गया है, और अब तक प्राप्त प्राचीनतम शब्दावली हित्ताइत (हित्ती) भाषा की है, जिसका समय ईसा से प्रायः १००० वर्ष पूर्व से भी आगे है। भारत में प्राचीनतम शब्दावली 'निघंटु' रूप में मिलती है। संस्कृत भाषा में विकास के कारण जब वैदिक संस्कृत लोगों के लिये दुरूह सिद्ध होने लगी तो वैदिक शब्दों के संग्रह किए गए, जिन्हें 'निघंटु' (निघण्टति लोभते, नि घण्ट+कु) की संज्ञा दी गई। आज जो निघंटु उपलब्ध है [illegible] यास्काचार्य का है, किंतु ऐसे विकास के पर्याप्त प्रमाण हैं कि यास्क के समय में ऐसे ४-५ और भी निघंटु थे। यास्क का समय ५वीं सदी ई० पू० माना गया है। इसका आशय यह हुआ कि पश्चिमी विद्वान् फिलेटस की जिस शब्दावली (glossary) को प्राचीनतम मानते हैं, वह भारतीय निघंटुओं से कम से कम ४-५ सौ वर्ष बाद की है। यूरोप में जो शब्दावलियाँ प्रारंभ में संगृहीत की गईं, एकभाषिक थीं किंतु बाद में बहुभाषिक शब्दावलियों की परंपरा चली। यूरोप की प्राचीनतम प्राप्त द्विभाषिक शब्दावली लैटिन-ग्रीक की है, जिसके संग्रहकर्ता डिमॉस्थेनेस माने जाते रहे हैं, यद्यपि यह सिद्ध हो चुका है कि मूलतः यह रचना उनकी नहीं थी। इसका काल मोटे रूप से ५वीं सदी ई० है। यह उल्लेख है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका आदि में इसे प्राचीनतम बहुभाषिक शब्दावली माना गया है, किंतु वस्तुतः पीछे जिस हित्ताइत शब्दावली का उल्लेख किया जा चुका है, वह द्विभाषिक ही नहीं त्रिभाषिक (हित्ती सुमेरी-अक्कादी) है। इस प्रकार प्राचीनतम बहुभाषिक शब्दावली का काल लैटिन-ग्रीक से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पीछे है। १००० ई० के आसपास ग्रीक लैटिन लैटिन-ग्रीक की कई शब्दावलियाँ बनीं। भारत में बहुभाषिक शब्दावलियों की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। अमरसिंह के पूर्व — [illegible] का 'नामलिंगानुशासन', वाचस्पति का 'शब्दार्णव', अमरदत्त का 'अमरकोश' या वाचस्पति का 'शब्दार्णव' आदि — एवं बाद के — पुरुषोत्तम देव के 'हारावली' तथा 'त्रिकाण्डकोश', हेमचंद्र का 'अभिधान रत्नमाला', महेश्वरकवि का 'मंदारी' आदि — कोश एकभाषिक ही हैं। [illegible] — [illegible] 'नाम [illegible]', हेमचंद्र की 'देशीनाममाला' तथा [illegible], [illegible] आदि के [illegible]

कोश'—इस दिशा के पुराने कोश — जैसे नंददास, नवाजीदास, बदीदास, हरिचरणदास, चतुर्भुजदास, विश्वनाथ आदि की 'नाममाला', प्रयागदास की 'अनेकार्थावली' या हरिचरणदास का 'अनेकार्थ' आदि—इसी परंपरा में, अर्थात् एकभाषिक शब्दावलियों हैं। इस परंपरा में कदाचित् अंतिम कोश पुर्तगाल पुरुष का 'उमरावकोश' (१९ वीं सदी) है।

भारत में एकाधिक भाषाओं की शब्दावलियों की परंपरा मुसलमानों से प्रारंभ होती है। इसका पहले प्रसिद्ध कोश 'खालिकबारी' है, जिसमें हिंदी, फारसी, तुर्की के शब्द हैं। खालिकबारी परंपरा में इस प्रकार के कई कोश लिखे गए, जिनमें पहले प्रसिद्ध रचना अमीर खुसरो की कही जाती है, यद्यपि इस संबंध में पर्याप्त विवाद है। अनेक विद्वानों के अनुसार खालिकबारी किसी 'खुसरोशाह' की रचना है, जो प्रसिद्ध कवि खुसरो के बहुत बाद में हुए थे। विद्वानों ने भी राजनीति की फ़ारसी-संस्कृत शब्दावली बनाई थी, जिसमें लगभग १५०० शब्द थे। उसके बाद खालिकबारी परंपरा में हिंदी फारसी के कई कोश लिखे गए। किंतु वैज्ञानिक ढंग से यह कार्य अंग्रेजों के संपर्क के बाद प्रारंभ हुआ। यूरोप में इस दिशा में कार्य को वैज्ञानिक स्तर पर लाने का श्रेय जे० गेलिक्रिस्ट (१७४०-१८०९) को है। १७७१ में प्रकाशित हेनरी हेस्टिंग्स की द्विभाषिक शब्दावली इस क्षेत्र की प्रथम महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। भारत में अंग्रेज पादरियों ने धर्म एवं राजकार्य की दृष्टि से यहाँ की कई भाषाओं के अंग्रेजी कोश प्रकाशित किए। हिंदी की दृष्टि से इस संदर्भ के प्रथम कोश जे० फरगुसन की 'ए डिक्शनरी ऑफ हिंदोस्तान लैंग्विज' है जो १७७३ ई० में लंदन से छपी थी। यह उल्लेख्य है कि इस परंपरा में होते हुए भी ये कोश शब्दावली की सीमा के बाहर हैं।

अब बहुभाषिक शब्दावलियों की परंपरा बहुत विकसित हो गई है तथा इधर ३-४ से लेकर १०-१२ भाषाओं की विभिन्न विषयों की शब्दावलियाँ प्रकाशित हुई हैं। इस दिशा में इंग्लैंड, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस तथा रूस ने पर्याप्त श्रम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस दिशा में योग दिया है।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि शब्दावलियों का ही विकास कोशों के रूप में हुआ है, किंतु दोनों एक नहीं हैं। दोनों में अंतर यह है कि शब्दावली में एक या अधिक भाषाओं के शब्दों का संग्रह रहता है, किंतु कोश में शब्दों का अर्थ या उनकी व्याख्या आदि भी रहती है। कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि के विभिन्न विषयों के द्विभाषिक या बहुभाषिक कोशों के अतिरिक्त, पर्याय एवं विलोमकोश (Thesaras) भी शब्दावलियों की ही परंपरा में आते हैं। मध्य-युगीन हिंदी साहित्य का 'नाममाला' साहित्य इस दृष्टि से उल्लेख्य है। अब पर्याय कोशों की परंपरा बड़ी वैज्ञानिक हो गई है और लेखकों आदि के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

[मो० ना० ति०]

शम्स सिराज अफ़ीफ़ का जन्म लगभग १३५०-५१ ई० में हुआ था। उसके प्रपितामह मलिक साबुल मुल्क शिहाब अफ़ीफ़ को फ़ीरोजपुर के अबूहर नामक स्थान पर सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लक़ द्वारा एक पद प्राप्त था। उसके पिता भी सुल्तान फ़ीरोज शाह के दरबार में विभिन्न पदों पर आसीन रह चुके थे। वह सुल्तान के साथ बंगाल तथा नगरकोट के अभियान पर भी गया था। अपने विवरण में भी सुल्तान फ़ीरोज शाह के दरबार में तीन वर्ष बिताने के संस्मरणों के साथ सुल्तान के अभियानों हेतु अपने प्रयाण का व सुल्तान फ़ीरोज शाह विजय यात्रा तथा उसकी मृत्यु तक साथ होना था। इस प्रकार उसका यह दावा सच है कि उसे फ़ीरोजशाह के समकालीन राजकाज का पूर्ण ज्ञान था। उसके बाद के शासक तथा शासन एवं अन्य घटनाओं की जानकारी के अनुसार वह हुई थी। उसने केवल एक ही ग्रंथ लिखा जिसका नाम फ़ीरोजशाही है। इस ग्रंथ में उसने मसलिके सुल्तान मसूद तुग़लक़, मसलिके सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक़ तथा मसलिके सुल्तान मुहम्मद इब्ने फ़ीरोज का उल्लेख किया है। इस से यह समझना चाहिए कि उसने इन सुल्तानों का कोई इतिहास लिखा अथवा किसी के पूर्व सुल्तानों का कोई इतिहास लिखा होगा जिसमें उपर्युक्त तुग़लक़ सुल्तानों का भी इतिहास दिया होगा। अब वे ग्रंथ नहीं मिलते। केवल फ़ीरोजशाही प्राप्त है जो इसी बृहद् इतिहास का एक अंश होगा है। सुल्तान फ़ीरोज शाह के इतिहास की कारेरा के लिए यह लिखता है, "बरनी ने सुल्तान का हाल १०१ अध्यायों में लिखा लिखकर किया था किंतु वह केवल ११ अध्याय ही लिख सका। क्योंकि वह उसे पूरा न कर सका अतः इस इतिहासकार ने इसके अध्याय लिखे हैं। यह ५ जिल्दों (भागों) में विभाजित है और प्रत्येक भाग में १८ अध्याय हैं।" खेद है, उसके ५वें भाग के केवल १५ अध्याय मिलते हैं और शेष ३ अध्यायों का पता नहीं।

अफ़ीफ़ ने अपने इतिहास में सुल्तान फ़ीरोज के जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण दिया है। वह सुल्तान की धर्मनिष्ठता एवं मृदुलता से अत्यधिक प्रभावित था और उसने उसे एक आदर्श मुसलमान बादशाह के रूप में प्रस्तुत किया है। सुल्तान के सार्वजनिक निर्माणकार्यों, भवनों, नहरों इत्यादि के निर्माण से वह स्वयं समकालीनों की भाँति प्रभावित था। उसने सुल्तान के अमीरों तथा मुख्य पदाधिकारियों का भी बड़ा विशद विवरण दिया है, किंतु इतिहासकार के लिये जो निष्पक्षता आवश्यक है, उसका उसमें अभाव था। काव्यमयी भाषा के प्रयोग ने भी उसके विवरण के महत्व को बहुत घटा दिया है।

स० ग्रं० — तारीखे फ़ीरोजशाही (कलकत्ता १८६० ई०); रिज़वी, सै० अ० अ० : तुग़लुक़ कालीन भारत, भाग २, (अलीगढ़ १९५७ ई०) ।

[सै० अ० अ० रि०]

शम्सुद्दीन तुर्क (पानीपती) हज़रत शेख शम्सुद्दीन तुर्क (पानीपती) बिन सैयद अहमद बुज़ुर्ग का जन्म तुर्किस्तान में हुआ। विद्यार्जन कर चुकने के उपरांत ईश्वर मार्ग की जिज्ञासा में जन्मभूमि से निकल पड़े और नवाख़ज़हर के अनेक सूफ़ियों की सेवा में रहकर उन्होंने अध्यात्मवाद की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात् भारतवर्ष पधारे तथा अजोधन में आकर हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजेशकर से मिले। खिलाफ़त का खिर्क़ा भी प्राप्त किया। उन्होंने सुल्तान ग़यासुद्दीन बलबन की सेवा में कुछ समय तक नौकरी की थी। दीक्षागुरु की

मृत्यु से पहले वह नौकरी से त्यागपत्र देकर उनकी सेवा में पहुँच गए। फिर वे पानीपत गए और वहाँ अपनी खानक़ाह स्थापित कर धर्मप्रचार करने लगे तथा हजारों व्यक्तियों में अध्यात्मवाद की शिक्षाएँ प्रसारित कीं। उन्होंने साबिरिया सम्प्रदाय को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इनका स्वर्गवास ७१५/१३१५ में हुआ। समाधि पानीपत में है और उससे मिली हुई एक भव्य मस्जिद भी है।

स० ग्रं० — शैख़ अल्लाह दिया चिश्ती : तैरुल अकताब (नवलकिशोर, लखनऊ, १९३१) १८४-१९७; मौलवी गुलाम सर्वर लाहौरी : ख़ज़ीनतुल अस्फ़िया (नवलकिशोर) १,३२१-३२५; ग़ैबुल्लाम; मुईनुद्दीन अब्दुल्ला (ख़लीफ़ा ख़ेजी चिश्ती): अख़बारिज़-उल-विलायत (हस्तलिपि); ख़लीक़ अहमद निज़ामी तारीख़े मशायख़े चिश्त (दिल्ली, १९५३) २१५-२१६; मौलाना सैयद मुहम्मद मियाँ : पानीपत और बुज़ुर्गाने पानीपत (दिल्ली) १७१-१९७। [मु० उ०]

शरत्चंद्र चट्टोपाध्याय बँगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार। जन्म १८७६ ई० के १५ सितंबर को हुगली जिले के एक छोटे से गाँव देवानंदपुर में हुआ। वे अपने माता पिता की नौ संतानों में एक थे। घर में बच्चों का ठीक ठीक शासन नहीं हो पाता था। जब शरत भागने लायक उम्र के हुए तो वह जब तब पढ़ाई लिखाई छोड़कर भाग निकलते। इसपर कोई विशेष शोर नहीं मचता था, पर जब वह लौटकर आते तो उनपर मार पड़ती थी। अट्ठारह साल की उम्र में उन्होंने इंट्रेंस पास किया। इन्हीं दिनों उन्होंने 'बासा' (घर) नाम से एक उपन्यास लिख डाला, पर यह रचना उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे फाड़कर फेंक दिया। इसी प्रकार कई रचनाएँ फाड़कर फेंक दी गईं, इसलिये यह धारणा गलत है कि शरत् ने एकाएक परिपूर्ण और परिपक्व प्रतिभा लेकर साहित्यक्षेत्र में प्रवेश किया। नीरव साधना चलती रही। वह रवींद्र साहित्य के अतिरिक्त थैकरे, डिकेंस आदि उपन्यासकारों का अध्ययन करते रहे। हेनरी के उपन्यास ईस्टलीन के आधार पर उन्होंने 'अभिमान' नाम से एक उपन्यास लिखा था। साथ ही उन्होंने मेरी कारेली के माइटी ऐटम पुस्तक का बँगला अनुवाद किया था, पर इनमें से किसी के छपने की नौबत नहीं आई।

रवींद्रनाथ का प्रभाव उनपर बहुत अधिक पड़ा पर बंकिमचंद्र का प्रभाव भी कम नहीं था। उनकी कालेज की पढ़ाई बीच में ही रह गई। वह तीस रुपए मासिक के क्लार्क होकर बर्मा पहुँच गए। इन दिनों उनका संपर्क बंगचंद्र नामक एक व्यक्ति से हुआ जो था तो बड़ा विद्वान् पर शराबी और उच्छृंखल था। यहीं से 'चरित्रहीन' का बीज पड़ा, जिसमें मेस जीवन के वर्णन के साथ मेस की नौकरानी से प्रेम की कहानी है।

शरत् नहीं जानते थे कि उनकी साधना पूरी हो चुकी है। जब वह एक बार बर्मा से कलकत्ता आए तो अपनी कुछ रचनाएँ कलकत्ते में एक मित्र के पास छोड़ गए। शरत् को बिना बताए उनमें से एक रचना 'बड़ी दीदी' का १९०७ में धारावाहिक प्रकाशन शुरू हो गया। दो एक किस्त निकलते ही लोगों में सनसनी फैल गई और वे कहने लगे कि शायद रवींद्रनाथ नाम बदलकर लिख रहे हैं। शरत् को इसकी खबर साढ़े पाँच साल बाद मिली। कुछ भी हो ख्याति तो हो ही गई, फिर भी 'चरित्रहीन' के छपने में बड़ी दिक्कत हुई। भारतवर्ष के संपादक कविवर द्विजेंद्रलाल राय ने इसे यह कहकर छापने से इन्कार कर दिया कि यह सदाचार के विरुद्ध है।

पर प्रतिभा को कौन रोक सकता था। अब एक के बाद एक उनकी रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं। 'पंडित मोशाय', 'वैकुंठेर बिल', 'मेज दीदी', 'दर्पचूर्ण', 'श्रीकांत', 'अरक्षणीया', 'निष्कृति', 'मामलार फल', 'गृहदाह', 'शेष प्रश्न,' 'दत्ता', 'देवदास', 'बाम्हन की लड़की', 'विप्रदास', 'देना पावना' आदि उपन्यास निकलते चले गए। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर 'पथेर दाबी' उपन्यास लिखा गया। पहले यह 'वंग वाणी' में धारावाहिक रूप से निकला, फिर पुस्तकाकार छपा तो तीन हजार का संस्करण तीन महीने में समाप्त हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया।

शरत् के उपन्यासों के एक एक भारतीय भाषा में कई कई अनुवाद हुए हैं। कहा गया है, उनके पुरुष पात्रों से उनकी नायिकाएँ अधिक बलिष्ठ हैं। शरत्चंद्र की जनप्रियता उनकी कलात्मक रचना और नपे तुले शब्दों या जीवन से ओतप्रोत घटनावलियों के कारण नहीं है बल्कि उनके उपन्यासों में नारी जिस प्रकार परंपरागत बंधनों से छटपटाती दृष्टिगोचर होती है, जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के संबंधों को एक नए आधार पर स्थापित करने के लिये पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसी से शरत् को जनप्रियता मिली। उनकी रचना हृदय को बहुत अधिक स्पर्श करती है। पर शरत्साहित्य में हृदय के सारे तत्व होने पर भी उसमें समाज के संघर्ष, शोषण आदि पर कम प्रकाश पड़ता है। पल्ली समाज में समाज का चित्र कुछ कुछ सामने आता है। महेश आदि कुछ कहानियों में शोषण का प्रश्न उभरकर आता है।

इसमें कोई संदेह नहीं, शरत् बहुत बड़े उपन्यासकार थे। उनकी नश्वर देह का अंत १९३८ में हुआ।

सं० ग्रं०—सुकुमार सेन : हिस्ट्री ऑव बंगाली लिटरेचर; मन्मथनाथ गुप्त : शरत्चंद्र। [म० ना० गु०]

शरभंग दक्षिण भारत के गौतम कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध महर्षि जिनका उल्लेख रामायण में है। इनकी गणना उन महर्षियों में है जिन्होंने दंडकारण्य में गोदावरीतट पर अपना आश्रम बनाया, उत्तर की आर्य सभ्यता का प्रचार तथा विस्तार दक्षिण के जंगली प्रांत में किया और अंत में अग्नि में आत्माहुति देकर स्वर्ग प्राप्त किया था। वनवास के समय रामचंद्र इनका दर्शन करने गए थे। [रा० द्वि०]

शरर, अब्दुल हलीम इनका जन्म लखनऊ में सन् १८६० ई० में हुआ। सन् १८७९ ई० में शिक्षा के लिये यह दिल्ली आए। इसके दो वर्ष बाद लखनऊ के 'अवध अख़बार' के सहायक संपादक नियत हुए और साहित्यिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों पर लेख लिखते रहे। सन् १८८७ ई० में अपना एक पत्र 'दिलगुदाज़' निकालना आरंभ किया। इसमें इनके प्रसिद्ध उपन्यास हसन एजिलिना, मंसूर मोहाना आदि क्रमशः निकले। इसके अनंतर यह हैदराबाद गए, जहाँ सिप

[illegible]

[illegible]

[illegible]

का प्राकृतिक स्वरूप क्या है, कठिन है। इसके अतिरिक्त सभी शारीरक्रियात्मक प्रयोगों के परिणामों में पर्याप्त स्पष्ट अंतर प्रदर्शित होता है, जो प्रयोज्य प्राणियों की व्यक्तिगत प्रकृति पर निर्भर करता है। इसीलिये महत्वपूर्ण समुचित नियंत्रणों का और महत्वपूर्ण परिणाम का अधिमूल्यन नहीं होना चाहिए। प्राय परिणाम के निश्चय के लिये आदर्श परिणामों का विचार किया जाता है। प्रयोगों की पुनरावृत्तियाँ आवश्यक हैं। प्रेक्षण की त्रुटि, जो यथार्थ विज्ञानों में प्राय. अल्प होती है, जैविकी में बहुत अधिक होती है, क्योंकि परिवर्ती व्यष्टि के कारण प्रेक्षण में परिवर्तनशीलता आ जाती है। जिस प्रकार अन्य विज्ञानों में परिणामों को सांख्यिकी द्वारा विवेचित किया जाता है, वैसे ही फ़िज़ियॉलोजी को परिणामों की संभाविता के नियम की प्रयुक्ति से विवेचित किया जाता है। सीमित संख्या में किए प्रयोगों से निर्णय लेने में बहुत सावधानी इस दृष्टि से अपेक्षित है कि प्राप्त परिणाम नियमित श्रेणियों से भिन्न हैं अथवा नहीं।

कठिनाइयों को दूर करने की एक विधि के रूप में औसतों, अर्थात् समांतर माध्य (arithmetic mean), का आश्रय लिया जाता है, जैसे हम कहते हैं, मानव के किसी समुदाय विशेष में प्रति घन मिलिमीटर रक्त में लाल सेलों की औसत संख्या ५ करोड २० लाख है। यह विधि यद्यपि सबसे सरल और प्रति व्यवहृत है, परंतु यह इसलिये असंतोषजनक है कि इससे यह ज्ञात नहीं होता कि माध्य से विचलन किस परिमाण में और आपेक्षिक रूप से कितने अधिक बार (relatively frequent) होता है। हमारे पास यह ज्ञात करने का कोई साधन नहीं रह जाता कि उपर्युक्त उदाहरण में ४ करोड ५० लाख सामान्य परास के अंदर है या नहीं। परिणामतः, सांख्यिकी [redacted] परिणामों की अभिव्यक्ति के लिये अधिक यथार्थ साधन के उपयोग का व्यवहार बढ़ता जा रहा है।

उपयोग में आनेवाली एक विधि आवृत्ति आरेख (frequency diagram) है, जिसका एक उदाहरण निम्न आरेख चित्र में दिया है।

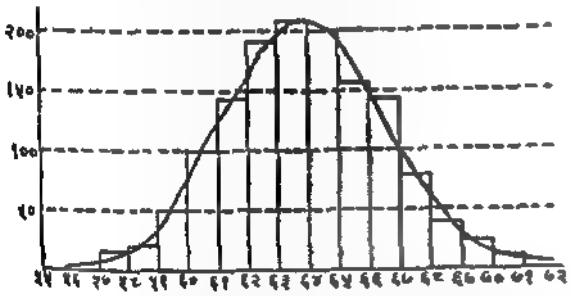

स्त्रियों की ऊँचाई का आवृत्ति वक्र

स्त्रियों [illegible] दों को नापकर ऐसे दलों [illegible] जिनमें ऊँचाई का अंतर ऐसे दलों की बारंबारता [illegible] है।

लिखित 'स्टैटिस्टिक्स [illegible] रिसर्च [illegible])।

वक्र ([illegible]) को निर्दलित के [illegible] में विभाजित किया गया है। आयत की ऊँचाई नुजाख पर प्रदर्शित ऊँचाई की व्यष्टियों की संख्या की अनुपाती है। समूहित आकृति को आयत चित्र (histogram) कहते हैं। इससे खींचा हुआ निष्कोणित वक्र (smoothed curve), या आवृत्तिवक्र, उस आवृत्ति को प्रदर्शित करता है जिससे दी हुई सीमाओं के अंदर कोई कद हुआ करता है।

फ़िज़ियॉलोजी का विकास — चूँकि किसी विज्ञान की वर्तमान अवस्था को समझने के लिये उसके विकास का इतिहास ज्ञात होना

सारणी

नाम	जीवनकाल	महत्वपूर्ण प्रकाशन	
		वर्ष	महत्व
विसेलियस	१५१४-६४ ई०	१५४३ ई०	आधुनिक शारीर का प्रारंभ
हार्वि	१५७८-१६६७ ई०	१६२८ ई०	जीवविज्ञान में प्रायोगिक विधि
मालपीघि	१६२८-१६९४ ई०	१६६१ ई०	जीवविज्ञान में सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग का प्रारंभ
न्यूटन	१६४२-१७२७ ई०	१६८७ ई०	आधुनिक भौतिकी का विकास
हालर	१७०८-१७७७ ई०	१७६० ई०	फ़िज़ियॉलोजी का पाठ्यग्रंथ
लाव्वाज़्ये	१७४३-१७९४ ई०	१७७५ ई०	दहन और श्वसन का संबंध स्थापित हुआ
मूलर जोहैनीज	१८०१-१८५८ ई०	१८३४ ई०	महत्वपूर्ण पाठ्यग्रंथ
श्वान	१८१०-१८८२ ई०	१८३९ ई०	कोशिका सिद्धांत की स्थापना
बेर्नार (Bernard)	१८१३-१८७८ ई०	१८४०-१८७० ई०	महान् प्रयोगवादी
लूटविख (Ludwig)	१८१६-१८९५ ई०	१८५०-१८९० ई०	महान् प्रयोगवादी आरेखविधि का आविष्कारक
हेल्महोल्ट्ज़	१८२१-१८९४ ई०	१८५०-१८९० ई०	भौतिकी की प्रयुक्ति

आवश्यक है, इसलिये फ़िज़ियॉलोजी से रुचि रखनेवाले व्यक्ति के लिये उसके इतिहास की रूपरेखा से परिचित होना आवश्यक है। जहाँ तक समग्र विषय के विकास का प्रश्न है, यह ध्यान रखने की बात है कि विज्ञान का कोई अंग अन्य से विच्छिन्न नहीं हो सकता,

सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उदाहरणार्थ, एक निश्चित सीमा तक शारीर (Anatomy) के ज्ञान के बिना फिजियॉलोजी की कल्पना असंभव थी और इसी प्रकार भौतिकी और रसायन की एक सीमा तक विकसित अवस्था के बिना भी इसकी प्रगति असंभव थी।

आंद्रेस विसेलियस (Andreas Vesalius) द्वारा १५४३ ई० में फेब्रिका ह्यूमनी कार्पोरीज (Fabrica Humani Corporis) के प्रकाशन को आधुनिक शारीर का सूत्रपात मानकर, नीचे हम उन महत्वपूर्ण नामों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने समय समय पर विषय को युगांतरकारी मोड़ दिया है

१७६५ ई० में फिजियॉलोजी की पहली पत्रिका निकली। १८७८ ई० में इंग्लिश जर्नल ऑव फिजियॉलोजी तथा १८९८ ई० में अमरीकन जर्नल ऑव फिजियॉलोजी प्रकाशित हुई। १८७४ ई० में लंदन में युनिवर्सिटी कालेज और अमरीका के हार्वर्ड में १८७६ ई० में फिजियॉलोजी के इंग्लिश चेयर की स्थापना हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिजियॉलोजी एक नया विषय है, जिसका प्रारंभ मुश्किल से एक सदी पूर्व हुआ। जीवरसायन और भी नया विषय है तथा फिजियॉलोजी की एक प्रशाखा के रूप में विकसित हुआ है।

स० ग्र० — एंडॉल्फ (१९४३) : फिजियोलॉजिकल रेग्युलेशन; फॅकलिन (१९४९ ई०) . ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑव फिजियॉलोजी, लंदन स्टेप्लस प्रेस। [रा० चं० शु०]

शरीररचना विज्ञान (Anatomy) अनॅटोमि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी जीवित (चल या अचल) वस्तु को काटकर, उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन करना। अचल में वनस्पतिजगत् तथा चल में प्राणीजगत् का समावेश होता है। जब किसी प्राणी या वनस्पति विशेष की शरीररचना का अध्ययन किया जाता है, तब उसे विशेष शरीररचना (Special Anatomy) अध्ययन कहते हैं। जब एक प्राणी, या वनस्पति, के शरीर की रचना का दूसरे प्राणी या वनस्पति के शरीर की रचना से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तब उसे तुलनात्मक शरीररचना (Comparative Anatomy) कहते हैं। जब किसी प्राणी के अंग की रचना का अध्ययन किया जाता है, तब उसे आंगिक शरीररचना (Regional Anatomy) कहते हैं।

व्यावहारिक या लौकिक दृष्टि से मानव शरीररचना का अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक चिकित्सक को शरीररचना का अध्ययन कई दृष्टि से करना होता है, जैसे रूप, स्थिति, आकार एवं अन्य रचनाओं से संबंध।

आकारिकीय शरीररचना विज्ञान (Morphological Anatomy) की दृष्टि से मानवशरीर के भीतर अंगों की उत्पत्ति के कारणों का ज्ञान, अन्वेषण का विषय बन गया है। इस ज्ञान की वृद्धि के लिये भ्रूणविज्ञान (Embryology), जीवविकास विज्ञान, जातिविकास विज्ञान एवं ऊतक विज्ञान (Histo-anatomy) का अध्ययन आवश्यक है।

स्वस्थ मानव शरीर की रचना का अध्ययन निम्न भागों में किया जाता है :

१. चिकित्साशास्त्रीय शरीररचना विज्ञान, २. शल्यचिकित्सा शरीररचना विज्ञान (Surgical Anatomy), ३. स्त्री शरीररचना विज्ञान, ४. पराछलीय शरीररचना विज्ञान (Surface Anatomy), ५. सूक्ष्मदर्शीय शरीररचना विज्ञान (Microscopic Anatomy) तथा ६. भ्रूण शरीररचना विज्ञान (Embryology)।

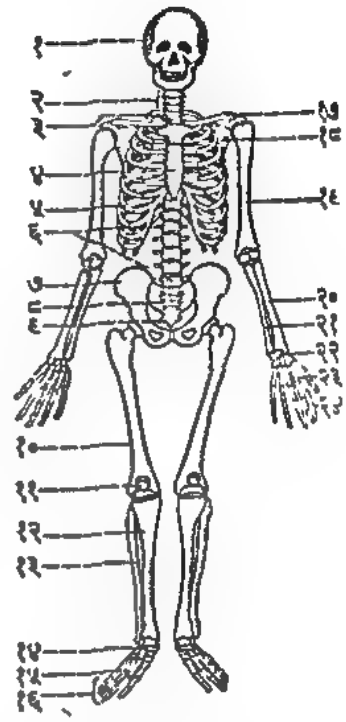

कंकाल

१. खोपड़ी; २. ग्रीवा कशेरुक (Cervical vertebra); ३. पहली और दूसरी पृष्ठ कशेरुकाएँ; ४. उरोस्थि (Sternum); ५. पसलियाँ (Ribs); ६. कटि कशेरुकाएँ, ७ इलियम (Ilium); ८ त्रिक (Sacrum); ९. अनुत्रिक; १०. उर्विका (Femur), ११. पटेला (Patella); १२. टिबिया (Tibia); १३. बहिर्जंघिका (Fibula), १४. गुल्फास्थि (Tarsal); १५. प्रपदिका अस्थियाँ (Metatarsal bones); १६ अंगुलास्थियाँ (Phalanges); १७. जत्रुक (Clavicle); १८ अंसफलक (Scapula); १९. प्रगंडिका (Humerus); २०. बहिर्प्रकोष्ठिका (Radius); २१. अंतःप्रकोष्ठिका (Ulna); २२. मणिबंधिका अस्थियाँ (Carpal bones); २३. करभिकास्थियाँ (Metacarpal bones); तथा २४. अंगुलास्थियाँ (Phalanges)।

विकृत अंगों की रचना के ज्ञान को विकृत शरीररचनाविज्ञान (Pathological Anatomy) कहते हैं।

मानव की विभिन्न प्रजातियों की शरीररचना का जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तब मानवविज्ञान (Anthropology) का सहारा लिया जाता है। आजकल शरीररचना का अध्ययन सर्वांगी (systemic) विधि से किया जाता है।

शरीररचना विज्ञान को पढ़ने के लिये एक विशेष प्रकार की शब्दावली तथा इन शब्दों की परिभाषाओं को विशेष रूप से पढ़ना होता है।

ईसा से १,००० वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने शवच्छेद कर शरीररचना का पर्याप्त वर्णन किया था। धीरे धीरे यह ज्ञान अरब और यूनान होता हुआ यूरोप में पहुँचा और वहाँ पर इसका बहुत विस्तार एवं उन्नति हुई। शव की संरक्षा के साधन, सूक्ष्मदर्शी, ऐक्सरे आदि के उपलब्ध होने पर शरीररचना विज्ञान का अध्ययन अधिक सूक्ष्म एवं विस्तृत हो गया है।

कोशिका

शरीर का निर्माण करनेवाले जीवित एकक को कोशिका कहते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। कोशिका एक स्वच्छ लसलसे रस से, जिसे जीवद्रव्य कहते हैं, भरी रहती है। कोशिका को चारों ओर से घेरनेवाली कला को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में न्यूक्लियस रहता है, जो कोशिका पर नियंत्रण करता है। कोशिका के जीवित होने का लक्षण यही है कि उसमें अभिक्रिया, शक्ति, एकीकरण शक्ति, वृद्धि, विसर्जन शक्ति तथा उत्पादन शक्ति, उपस्थित रहे। शरीर का स्वास्थ्य कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कार्यानुसार कोशिकाएँ अपना आकार इत्यादि परिवर्तित कर, भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका आदि। एक प्रकार की आकृति एवं कार्य करनेवाली कोशिकाएँ मिलकर, एक विशेष प्रकार के ऊतक का निर्माण करती हैं।

ऊतक

ऊतक (Tissues) मुख्यतः पाँच प्रकार के होते हैं: (१) उपत्वचा, (२) संयोजी ऊतक, (३) स्केलेरस ऊतक, (४) पेशी ऊतक तथा (५) तंत्रिका ऊतक।

(१) उपत्वचा (Epithelial tissue) — यह ऊतक शरीर को बाहर से ढँकता है तथा समस्त खोखले अंगों को भीतर से भी ढँकता है। रुधिरवाहिनियों के भीतर ऐसा ही ऊतक, जिसे अंतःस्तर (Endothelium) कहते हैं, रहता है। उपत्वचा के भेद ये हैं: (क) साधारण, (ख) स्तंभाकार, (ग) रोमश, (घ) स्तरित, (च) परिवर्तनशील तथा (छ) रंजकरंजित।

(२) संयोजी ऊतक (Connective tissue) — यह ऊतक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। इसके अंतर्गत (क) रुधिर ऊतक, (ख) अस्थि ऊतक, (ग) लस ऊतक तथा (घ) वसा ऊतक आते हैं। (क) रुधिर ऊतक के, लाल रुधिरकणिका तथा श्वेत रुधिरकणिका, दो भाग होते हैं। लाल रुधिरकणिका ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है तथा श्वेत रुधिरकणिका रोगों से शरीर की रक्षा करती है। मानव की लाल रुधिरकोशिका में न्यूक्लियस नहीं रहता है। (ख) अस्थि ऊतक का निर्माण अस्थिकोशिका से, जो चूना एवं फॉस्फोरस से पूरित रहती है, होता है। इसकी गणना हम स्केलेरस ऊतक में करेंगे, (ग) लस ऊतक लसकोशिकाओं से निर्मित है। इसी से लसपर्व तथा टॉन्सिल आदि निर्मित हैं। यह ऊतक शरीर का रक्षक है। आघात तथा उपसर्ग के तुरत बाद लसपर्व शोथयुक्त हो जाते हैं। (घ) वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं: (अ) एरिओलर तथा (आ) एडिपोस।

इनके अतिरिक्त (१) पीत इलैस्टिक ऊतक, (२) म्युकाइड ऊतक, (३) रंजक कणांकित संयोजी ऊतक, (४) न्यूराग्लिया आदि भी संयोजी ऊतक के कार्य, आकार, स्थान के अनुसार भेद हैं।

(३) स्केलेरस ऊतक — यह संयोजी तंतु के समान होता है तथा शरीर का ढाँचा बनाता है। इसके अंतर्गत अस्थि तथा कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज भी तीन प्रकार के होते हैं: (अ) हाइलाइन, (आ) फाइब्रो-कार्टिलेज तथा (इ) इलैस्टिक फाइब्रो-कार्टिलेज या पीत कार्टिलेज।

(४) पेशी ऊतक — इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं, जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। (अ) रेखांकित या ऐच्छिक पेशी ऊतक वह है जो शरीर को नाना प्रकार की गतियाँ कराता है, (आ) अनैच्छिक या अरेखांकित पेशी ऊतक वह है जो आशयों की दीवार बनाता है तथा (इ) हृद् पेशी ऊतक रेखांकित तो है, परंतु ऐच्छिक नहीं है।

(५) तंत्रिका ऊतक — इसमें संवेदनाग्रहण, चालन आदि के गुण होते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिका तथा न्यूराग्लिया रहता है। मस्तिष्क के धूसर भाग में ये कोशिकाएँ रहती हैं तथा श्वेत भाग में न्यूराग्लिया रहता है। कोशिकाओं से ऐक्सोन तथा डेंड्रॉन नामक प्रवर्ध निकलते हैं। नाना प्रकार के ऊतक मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों (organs) का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के कार्य करनेवाले विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र (system) का निर्माण करते हैं।

तंत्र

शरीर का निर्माण निम्नलिखित तंत्रों द्वारा होता है: (१) अस्थि तंत्र, (२) संधि तंत्र, (३) पेशी तंत्र, (४) रुधिर परिवहन तंत्र, (५) आशय तंत्र: (क) श्वसन तंत्र, (ख) पाचन तंत्र, (ग) मूत्र एवं जनन तंत्र, (६) तंत्रिका तंत्र तथा (७) ज्ञानेंद्रिय तंत्र।

(१) अस्थि तंत्र — मानव अस्थिपंजर के ज्ञान जैसे अस्थि की उत्पत्ति, वृद्धि, अस्थिप्रसू कोशिका, अस्थि भक्षक कोशिका आदि, के संबंध में काफी उन्नति हुई है। अस्थियों द्वारा मानव एवं पशु की भिन्नता का ज्ञान होता है तथा लिंग एवं वय का निश्चय किया जा सकता है। अस्थियों एवं कार्टिलेज के द्वारा

शरीर के ढाँचे का निर्माण होता है। अस्थियाँ आकार एवं कार्य के अनुसार चार प्रकार की होती हैं : (क) दीर्घ, (ख) ह्रस्व, (ग) सपाट तथा (घ) अऋजु। अस्थियों के निम्न कार्य होते हैं : (अ) शरीर को आकार प्रदान करना, (आ) शरीर को सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करना, (इ) शरीर की रक्षा करना, (ई) कार्य के लिये लीवर तथा संधियाँ प्रदान करना और (उ) पेशियों को संरग्न तथा शरीर को गति प्रदान करना। अस्थि कोशिकाओं से निर्मित ऊतक से अस्थियाँ बनती हैं। अस्थियों द्वारा रुधिरकणों का निर्माण भी होता है। हमारे शरीर में कुल मिलाकर २०६ अस्थियाँ होती हैं, जो इस प्रकार हैं : खोपड़ी में २२ अस्थियाँ, रीढ़ में २६ अस्थियाँ — ३३ कशेरुक, इनमें से क्रम ५ कशेरुक से मिलकर तथा कोक्सिक्स ४ कशेरुक से मिलकर बनता है। यदि इन्हें १-१ माना जाय, तो कुल अस्थियाँ २६ ही होंगी, वक्ष तथा पर्शुकाओं, में २५ अस्थियाँ, (ऊर्ध्व शाखा) बाहु आदि में ६४, अधः शाखा (जाँघ आदि) में ६२ अस्थियाँ, हा ोइड अस्थि १ तथा श्रोत्र अस्थिका ६। लंबी नलिकाकार अस्थियों में मज्जा होती है, जो रुधिर कण बनाती है। ऐक्सकिरण से देखने पर अस्थियाँ अपारदर्शक होती हैं।

(२) संधि तंत्र — दो या अधिक अस्थियों के जोड़ को संधि कहते हैं। इसमें स्नायु (ligaments) सहायक होते हैं। संधियाँ कई प्रकार की होती हैं। गति के अनुसार इनके भेद निम्नलिखित हैं :

(क) चल संधियाँ, जैसे स्कंध संधि (Shoulder joint)। चल संधियों के प्रभेदों में हैं (अ) घिसलनेवाली संधियाँ, जैसे रीढ़ की संधियाँ, (आ) खूँटीदार संधियाँ, जैसे प्रथम, द्वितीय कशेरुक तथा पश्च कपालास्थि संधि, (इ) कब्जेनुमा संधि, जैसे कूर्पर संधि तथा (ई) गेंद गड्ढा संधि, जैसे वंक्षण संधि।

(ख) अचल संधियाँ, जैसे करोटि और कपाल संधि (cranial suture)।

(ग) अल्प गतिशील संधियाँ—भगास्थि संधि।

आकृति के अनुसार संधियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है : (क) तांतव संधि (fibrous joint), (ख) उपास्थि संधि (cartilaginous joint) तथा (ग) स्नेहक संधि (synovial joints)।

(क) तांतव संधि—इसके उदाहरण कपाल संधियाँ, दाँत के उन्नूखल तथा अधिकांतर संधि (tibiofibular joint)।

(ख) उपास्थि संधि — यह दो प्रकार की होती है। इनमें अल्पगति होती है, जैसे भगास्थि संधि।

(ग) स्नेहक संधि — इसके अन्तर्गत प्रायः शरीर की समस्त संधियाँ आती हैं। इस प्रकार की संधियाँ विभिन्न गतियों के अनुसार अनेक वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं।

संधियों के ऊपर के पेशियाँ गुजरती हैं तथा उन्हें गति प्रदान करती हैं। संधियों को अपनी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। संधियों का विकास चोट लगने से होता है। इसे संधिशोथ कहते हैं। संधियों की स्नायु [illegible] को मोच कहते हैं।

[illegible] मिलने से होता है। ये पेशीतंतु पेशीऊतक से बनते हैं। पेशियाँ रचना एवं कार्य के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं : (क) रेखित (striated) या ऐच्छिक, (ख) अरेखित या अनैच्छिक तथा (ग) हृदयपेशी (cardiac)। ऐच्छिक पेशियाँ, अस्थियों पर संलग्न होती हैं तथा संधियों पर गति प्रदान करती हैं। पेशियाँ नाना आकार की होती हैं तथा कंडरा (tendon) या वितान (aponeurosis) बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये कार्य के लिये प्रेरित की जाती हैं। पेशियों का पोषण रुधिरवाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में प्राय ५०० पेशियाँ होती हैं। ये शरीर को सुंदर, सुडौल, कार्यक्षम बनाती हैं। इनका गुण संकुचन एवं प्रसार करना है। कार्यों के अनुसार इनके नामकरण किए गए हैं। शरीर के विभिन्न कार्य पेशियों द्वारा होते हैं। कुछ पेशी समूह एक दूसरे के विरुद्ध भी कार्य करते हैं, जैसे एक पेशी समूह हाथ को ऊपर उठाता है, तो दूसरा पेशी समूह हाथ को नीचे करता है, अर्थात् एक समूह संकुचित होता है, तो दूसरा विस्तृत होता है।

पेशियाँ सदैव स्फूर्तिमय (toned) रहती हैं। मृत व्यक्ति में पेशी रस के जमने से पेशियाँ कड़ी हो जाती हैं। मांसवर्धक पदार्थ खाने से, उचित व्यायाम से, ये शक्तिशाली होती हैं। कार्यरत होने पर इनमें थकावट आती है तथा आराम एवं पोषण से पुनः सामान्य हो जाती हैं।

(४) रुधिर परिसंचरण तंत्र — इस तंत्र में हृदय, [illegible] दो अलिंद, दो निलय, उनका कार्य, फुफ्फुस में रुधिर शोधन तथा प्रत्येक अंगों को शुद्ध रुधिर से जानेवाली धमनियाँ एवं हृदय में अशुद्ध रुधिर को वापस लानेवाली शिराएँ रहती हैं।

रुधिर परिसंचरण तीन चक्रों में विभक्त किया जा सकता है : (१) फुफ्फुसीय, (२) सस्थानिक तथा (३) पोर्टल। फुफ्फुस एवं वृक्क में जानेवाली धमनियाँ अशुद्ध रुधिर ले जाती हैं तथा वहाँ से शुद्ध किया हुआ रुधिर वापस शिराओं से हृदय को वापस आता है। शरीर में धमनियों का जाल होता है तथा उनकी शाखाएँ एवं प्रशाखाएँ एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिससे एक के कटने पर दूसरों से अंग को रुधिर पहुँचाया जाता है। मस्तिष्क की तथा हृदय की धमनियाँ अंत धमनियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इनकी शाखाएँ आपस में संगम नहीं करतीं।

गर्भ के रुधिर परिवहन तथा गर्भावस्था के पश्चात् के रुधिर परिवहन में अंतर होता है। गर्भ में रुधिर का शोधन फुफ्फुस द्वारा नहीं होता। इसी तंत्र में लसवाहिनियों का वर्णन भी किया गया है। लसकण शरीर के रक्षक होते हैं। शोथ, उत्तेजना तथा आघात होने पर ये पुनः आते हैं।

रुधिर में प्लाज्मा, लाल रुधिर कोशिकाएँ, श्वेत रुधिर कोशिकाएँ आदि रहती हैं। मानव के एक घन मिलि० रुधिर में ५०,००,००० लाल रुधिर कोशिकाएँ तथा ६,००० से ८,००० तक श्वेत रुधिर कोशिकाएँ रहती हैं। शरीर में रुधिर नहीं बनता, पर शरीर से बाहर निकलकर ही रुधिर जमने लगता है। (देखें रुधिर)।

[illegible] शरीर के रुधिर को हृदय

क्षण में अलिंद में लाती है, जहाँ से रुधिर दक्षिणी निलय में है। निलय से रुधिर हृदय के स्पंदन के कारण फुफ्फुसीय द्वारा फुफ्फुस में शोधन के लिये जाता है तथा शुद्ध होने के वह फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएँ अलिंद में आता है। बाएँ द के संकुचन के कारण रुधिर बाएँ निलय में जाता है, जहाँ से धमनी एवं उसकी शाखाओं द्वारा समस्त शरीर में जाता है। ओं में अशुद्ध रुधिर और धमनियों में शुद्ध रुधिर रहता है, फुफ्फुसीय धमनी एवं वृक्क धमनी इसका अपवाद हैं। हृदय स्पंदन एक मिनट में ७२ बार होता है। हृदय हृदयावरण आवृत रहता है। अलिंद तथा निलय के मध्य कपाट रहते हैं, रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं (देखें हृदय)।

(५) आशय तंत्र — इसके अंतर्गत निम्नलिखित आशय हैं :

(क) श्वसन तंत्र — इस तंत्र में श्वासोच्छ्वास क्रिया में काम आनेवाले समस्त अंगों की रचना का वर्णन आता है। इसमें नासा, कंठ, स्वरयंत्र, श्वासनली, श्वसनिका फुफ्फुस, फुफ्फुसावरण तथा उन क्रियाओं का, जो श्वासोच्छ्वास क्रिया कराती हैं, वर्णन मिलता है। इस तंत्र द्वारा रुधिर का शोधन होता है। मनुष्य एक मिनट में १६-२० बार श्वास लेता है (देखें श्वसनतंत्र)।

(ख) पाचन तंत्र — इस तंत्र में वे सब अंग सम्मिलित हैं, जो भोजन के पाचन, अवशोषण, चयोपचय से संबंधित हैं, जैसे ओष्ठ, दाँत, जिह्वा, कंठ, अन्ननलिका, आमाशय, पक्वाशय, लघु आंत्र, बृहद् आंत्र, मलाशय, यकृत अग्न्याशय (pancreas) तथा लालाग्रंथियाँ। अन्न नलिका १० इंच लंबी होती है तथा विशेषतः वक्ष गुहा में रहती है। आंत्र की लंबाई २० फुट होती है। पक्वाशय अंग्रेजी के सी (C) के आकार का, अग्न्याशय के चारों ओर, १० इंच लंबा होता है। यकृत (देखें यकृत) उदर गुहा में ऊपरी तथा दाहिनी ओर रहता है। इसका भार १½ किलोग्राम है तथा यह खंडों में विभाजित रहता है। इसके पास में पित्ताशय होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। उदर गुहा के ये सब अंग पेरिटोनियम कला से आवृत रहते हैं। इस कला के दो भाग होते हैं : एक वह जो गुहाभित्ति पर लगा रहता है, दूसरा आशयों पर संलग्न रहता है। यह कला फुफ्फुसावरण तथा मस्तिष्कावरण के समान ही है। पेरिटोनियम कला की गुहा, इसके दो स्तरों के मध्य में होती है, जिसमें जल का पतला स्तर होता है, परंतु स्त्रियों में डिंबवाहिनी गुहा, गर्भाशय गुहा तथा योनि गुहा द्वारा यह बाह्य वातावरण से खुलती है। इस पेरिटोनियम कला की परतों के द्वारा आशय उदर गुहा में लटके रहते हैं।

(ग) मूत्र तथा जनन तंत्र — इन तंत्रों का वर्णन निम्नलिखित है :

(१) मूत्रतंत्र — मूत्राशय, मूत्रनली, प्रोस्टेटग्रंथि तथा इनकी रुधिर वाहिनियाँ आदि इस तंत्र के अंतर्गत हैं। वृक्क के दो कोश कटि कशेरुक के दोनों ओर रहते हैं। ये रुधिर से मूत्र को पृथक् करते हैं। यह मूत्र, नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में एकत्रित होता है तथा वहाँ से मानव के इच्छानुसार मूत्रनली से बाहर निकलता है। नलिकाओं की लंबाई १० इंच होती है। मूत्राशय भगास्थि के पीछे श्रोणि गुहा में रहता है तथा मूत्र के मात्रानुसार आकार में फैलता जाता है। पुरुषों में मूत्र नली की लंबाई ७½ इंच तथा स्त्रियों में मूत्र नली की लंबाई १½ इंच होती है (देखें मूत्रतंत्र)।

(२) जनन तंत्र — पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन तंत्र के भिन्न भिन्न अंग हैं। पुरुष के अंडकोष में दो अंड ग्रंथियाँ रहती हैं। यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु शुक्रवाहिनियों द्वारा श्रोणिगुहा स्थित शुक्राशयों में ले जाए जाते हैं। वहाँ शुक्राशय द्रव इनमें मिल जाता है। दोनों शुक्राशय मूत्रनली के पुरस्थ भाग में खुलते हैं। मैथुन द्वारा पुरुष अपने शुक्र का त्याग मूत्रनली द्वारा करता है। स्त्रियों में भगास्थि तथा मूत्राशय के पीछे स्थित ऊर्ध्व, संकीर्ण गर्भाशय स्थित है। श्रोणि गुहा में दोनों ओर बादाम के समान दो ग्रंथियाँ रहती हैं, जिन्हें डिंब ग्रंथियाँ कहते हैं। इनमें ग्राफियन पुटिका (Graafian follicle) से डिंब का निर्माण होता है। डिंब प्रति मास डिंब वाहिनियों द्वारा ग्रहण किया जाता है और वहाँ शुक्राणु द्वारा प्रफलित होने पर गर्भाशय में अवस्थित होकर, वृद्धि प्राप्त करता है, अथवा प्रति मास गर्भाशय अंतर्कला टूटकर निकलने से होनेवाले मासिक रुधिरस्राव के साथ, यह अप्रफलित डिंब बाहर फेंक दिया जाता है। (देखें जननतंत्र)।

(६) तंत्रिका तंत्र — इसको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : (अ) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा (आ) स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र।

(अ) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मस्तिष्क मेरु तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अग्र मस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोंस, पेशक, मेरुशीर्ष, मेरु एवं मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के १२ जोड़े तथा मेरु तंत्रिकाओं के ३१ जोड़े होते हैं (देखें तंत्रिकातंत्र तथा मस्तिष्क)।

मस्तिष्क करोटि गुहा में रहता है तथा तीन कलाओं से, जिन्हें तानिकाएँ कहते हैं (देखें तंत्रिकाएँ), आवृत रहता है। भीतरी दो कलाओं के मध्य में एक तरल रहता है, जो मेरुद्रव कहलाता है। यह तरल मस्तिष्क के भीतर पाई जानेवाली गुहाओं में तथा मेरु की नालिका में भी भरा रहता है। मेरु कशेरुक नलिका में स्थित रहता है तथा मस्तिष्कावरणों से आवृत रहता है। यह तरल इन अंगों को पोषण देता है, इनकी रक्षा करता है तथा मलों का निष्कासन करता है।

मस्तिष्क में बाहर की ओर धूसर भाग तथा अंदर की ओर श्वेत भाग रहता है तथा ठीक इससे उल्टा मेरु में रहता है। मस्तिष्क का धूसर भाग कोशाओं के द्वारा कई सिलवटों से युक्त रहता है। इस धूसर भाग में दो तंत्रिका कोशिकाएँ रहती हैं तथा श्वेत भाग तंत्रिकाक तंतुओं का होता है। तंत्रिकाएँ दो प्रकार की होती हैं : (१) प्रेरक (Motor) तथा (२) संवेदी (Sensory)।

मस्तिष्क के बारह तंत्रिका जोड़ों के नाम निम्नलिखित हैं (देखें तंत्रिका) : (१) घ्राण तंत्रिका, (२) दृष्टि तंत्रिका, (३) अक्षिचेरक तंत्रिका, (४) चक्रक (Trochlear) तंत्रिका, (५) त्रिक तंत्रिका, (६) अपवर्तनी तंत्रिका (Abducens), (७) आनन तंत्रिका, (८) श्रवण तंत्रिका, (९) जिह्वा कंठिका तंत्रिका, (१०) वेरुक-

तंत्रिका (Vagus), (११) मेरु सहायिका तंत्रिका तथा (१२) अधोजिह्वक (Hypoglossal) तंत्रिका। मस्तिष्क एवं मेरु के धूसर भाग में ही संज्ञा केंद्र एवं नियंत्रण केंद्र रहते हैं। मेरु में संवेदी (पश्च) तथा पेष्टायह (अग्र) तंत्रिका मूल रहते हैं।

अग्र मस्तिष्क दो गोलार्धों में विभाजित रहता है तथा इसके भीतर दो गुहाएँ रहती हैं, जिन्हें पार्श्वीय निलय कहते हैं। संवेदी तंत्रिकाएँ शरीर की समस्त संवेदनाओं को मस्तिष्क में पहुँचाकर अनुभूति देती हैं तथा पेष्टायह तंत्रिकाएँ यहाँ से आज्ञा लेकर अंगों से कार्य कराती हैं। केंद्रीय तंत्रिकाएँ विशेष कार्यों के लिये होती हैं। इन सब तंत्रिकाओं के अधः तथा ऊर्ध्व केंद्र रहते हैं। जब कुछ क्रियाएँ अधः केंद्र कर देते हैं तथा पश्च ऊर्ध्व केंद्रों को ज्ञान प्राप्त होता है, तब ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएँ (Reflex action) कहते हैं। ये क्रियाएँ मेरु से निकलनेवाली तंत्रिकाओं तथा मेरु केंद्रों से होती हैं। मस्तिष्क का भार ४० औंस होता है। मस्तिष्क की धमनियाँ अंतः धमनियाँ होती हैं, अतः इनमें अवरोध होने पर, या इनके फट जाने पर, संबंधित भाग को पोषण मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण वह केंद्र कार्य नहीं करता, अतः उस केंद्र से नियंत्रित क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं। इसे ही पक्षाघात (Paralysis) कहते हैं (देखें पक्षाघात)।

(आ) स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र — यह स्वेच्छा से कार्य करता है। इसमें एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करनेवाली अनुकंपी (sympathetic) तथा सहानुकंपी (parasympathetic), दो प्रकार की तंत्रिकाएँ रहती हैं। शरीर के अनेक कार्य, जैसे रुधिरपरिसंचरण पर नियंत्रण, हृदयगति पर नियंत्रण आदि स्वतंत्र तंत्रिका से होते हैं। अनुकंपी शृंखला करोटि गुहा से श्रोणि गुहा तक कशेरुक दंड के दोनों ओर रहती है तथा इसमें कई गुच्छिकाएँ (ganglions) रहती हैं।

(७) ज्ञानेंद्रिय तंत्र — इनका वर्णन निम्नलिखित है :

(क) घ्राणेंद्रिय — इसका अंग नासा है। इसके द्वारा गंध का ज्ञान होता है। नासा छत से घ्राण तंत्रिका गंध के ज्ञान को मस्तिष्क में ले जाती है।

(ख) स्वादेंद्रिय — जिह्वा पर के स्वादांकुर इसका अंग होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वादों को भिन्न भिन्न स्थानों से ग्रहण करते हैं।

(ग) दृष्टीद्रिय — इसका मुख्य अंग नेत्र है। नेत्र गोलक फोटो कैमरा के समान है। यह श्वेत पटल, मध्य पटल, तथा अंत पटल (रेटिना) से निर्मित है। इसमें रेटिना ही दृष्टीद्रिय का काम करता है। नेत्रगोलक छिद्र, या तारा (pupil), से प्रकाश भीतर जाता है। तारा पर आइरिस (iris) रहता है, जो तारे का संकोच और प्रसार कराता है। यह प्रकाश अग्र कक्ष के तरल, लेंस तथा पश्च कक्ष के तरल से होकर रेटिना पर पड़ता है, जहाँ से दृष्टि नाड़ियाँ इस ज्ञान को अग्र मस्तिष्क की अनुकपाल पालि (occipital lobe) को ले जाती हैं। रेटिना तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। सबसे बाहर नेत्र में कॉर्निया (cornea) तथा उसपर एक कला रहती है। नेत्र के पास ही अक्षि गुहा में अश्रुग्रंथि एवं अश्रुथैली [illegible] रहता है (देखें नेत्र)।

(घ) श्रवणेंद्रिय — इसका अंग कर्ण है। कर्ण तीन विभागों में विभक्त है : बाह्य, मध्य एवं अंत। बाह्यकर्ण के आंतरिक छोर पर स्थित श्रवण पटल पर जल के कंपन, ध्वनि लहरियों के [illegible] में होते हैं, जिन्हें मध्य कर्ण की तीन अस्थियाँ, मैलियस (Malleus), इंकस (Incus) तथा स्टेपीज (Stapes) ग्रहण करती हैं तथा अंतकर्ण के कर्णावर्त (cochlea) की ओर भेजती हैं। कर्णावर्त में तरल रहता है तथा श्रवण तंत्रिकाओं द्वारा ध्वनि का ग्रहण कर अग्र मस्तिष्क की शंखपालि (temporal lobe) में श्रवण [illegible] कार्य होता है। कर्ण शंखास्थि में स्थित है। अंतकर्ण में स्थित अर्धवृत्ताकार नलिकाएँ संतुलन का काम करती हैं (देखें कान)।

(च) स्पर्शेंद्रिय — इसके अंतर्गत त्वचा आती है। त्वचा से ही गरमी, ठंडक, मृदुता, कठोरता, पीड़ा, स्पर्श आदि का ज्ञान होता है। त्वचा के दो भाग होते हैं : (१) बाह्य त्वचा तथा (२) अंतस्त्वचा। तलुए और हथेली में त्वचा की मोटाई मुख की त्वचा की मोटाई से १० गुनी होती है। त्वचा शरीर को बाहर से आवृत कर रखा एवं मलविसर्जन भी करती है। त्वचा में एक स्तर रंजक कणों का भी होता है। त्वचा में रोमकूप तथा स्वेद ग्रंथियाँ भी होती हैं। त्वचा ताप का नियंत्रण भी करती है। इसी तरह त्वचा में अवशोषण का कार्य भी होता है। त्वचा में नख सम्पा भी होती है (देखें त्वचा)।

भ्रूण विज्ञान

इसके अंतर्गत शुक्राणु, डिंब, उनका निर्माण, संमिलन, गर्भाशय में स्थिति, पोषण, जरायु, अपरा का निर्माण, भ्रूण की साप्ताहिक एवं मासिक वृद्धि, भ्रूण के भिन्न भिन्न अंगों प्रत्यंगों, संस्थानों का निर्माण तथा यमल के निर्माण का संपूर्ण विषय आता है। आजकल इस संबंध में ज्ञान की अभिवृद्धि बहुत हो गई है, अतः यह अब एक भिन्न शास्त्र ही माना जाने लगा है। इसके अध्ययन के अंतर्गत आनुवंशिकी, प्रायोगिक भ्रूण विज्ञान तथा रासायनिक भ्रूण विज्ञान भी आता है। जन्मजात विकृतियों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत आता है। शरीर के मुख्य अंग हैं : सिर, ग्रीवा, वक्ष, उदर, हाथ और पैर होते हैं। शरीर की गुहाएँ हैं : (अ) शिरो गुहा, (आ) वक्षगुहा तथा (इ) उदर गुहा। वक्षगुहा और उदरगुहा महाप्राचीरा [illegible] द्वारा विलग की जाती हैं। उदर गुहा में वास्तविक उदरगुहा तथा श्रोणि गुहा दोनों का समावेश होता है।

वाहिनीहीन ग्रंथियाँ

इनके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, थाइरॉइड (thyroid), पैराथाइरॉइड, थायमस, अधिवृक्क, पैंक्रियस (pancreas), अंड ग्रंथि, अथवा डिंब ग्रंथि, तथा पीनियल (penial) ग्रंथि आती हैं। पीयूष ग्रंथि इन सबकी निदेशक और संचालक है। यह शिरोगुहा में अग्रभाग में मस्तिष्क के अधः रहती है। इसके कई स्राव हैं, जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। थाइरॉइड, पैराथाइरॉइड ग्रीवा में सामने की ओर स्थित हैं। थायमस हृदय के सामने युवावस्था तक रहती है। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर रहती है। पैंक्रियस में स्थित लैंगरहैंस के द्वीप वस्तुतः अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। यह ग्रहणी (duodenum) के घेरे में उदर गुहा के पश्चभाग में रहते हैं। पुरुष में

अंड ग्रंथि अंडकोष में तथा स्त्रियों में डिंब ग्रंथि श्रोणि गुहा में रहती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में रहती है।

धरातलीय शरीररचना विज्ञान

शरीर शास्त्र की यह महत्वपूर्ण शाखा है और शल्य चिकित्सा तथा रोग निदान में अत्यंत सहायक होती है। इसी से ज्ञात होता है कि दाहिनी दसवीं पर्शुका के कार्टिलेज के नीचे पित्ताशय रहता है, या हृदय का शीर्ष (apex) ५ वीं अंतरपर्शुका से सटा, शरीर की मध्य रेखा से ९ सेमी० बाईं ओर होता है, अथवा भगास्थि, ट्यूबरकल से १ सेमी० ऊपर होती है तथा १ सेमी० पार्श्व में बाह्य उदरी मुद्रिका स्थित रहता है। शरीर में स्थित जहाँ बिंदु, त्वचा पर पहचाने जा सकते हैं, वहाँ से त्वचा के अंतः स्थित अंगों को त्वचा पर खींचकर, उस स्थान पर काटने पर वही अंग हमें मिलना चाहिए।

इसी प्रकार इस शास्त्र को अध्ययन करने की एक और विधि है जिसमें एक्सरे से सहायता लेते हैं। इसे रेडियोलोजिकल अनैटोमी कहते हैं। अस्थियों के अतिरिक्त अब धमनियों, वृक्क, मूत्राशय आदि अनेक अंगों की रचना तथा स्थिति का अध्ययन इससे करते हैं। इससे अंगों की वास्तविक रचना तथा विकृत रचना दोनों का ज्ञान प्राप्त होता है। [स० शं० वि० गु० तथा अ० सि०]

शर्करा देखें चीनी।

शर्मा, केदार का जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी सं० १९५४ में भागलपुर जिले के साहबगंज में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई किंतु बाद में ये काशी चले आए। इन्होंने प्रयाग के इंडियन प्रेस में जर्मन कलाकार लुई जोमर के सान्निध्य में चित्रकला की साधना की। इनका घर का नाम नारायण था किंतु कलाजगत् में चित्रकार केदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। कलम और कूची के समान रूप से धनी थे। बनारस, बनारसी रंग और जीवन इनकी कला और साहित्य में विशेषतः व्यंजित हुए। रंग और रेखाओं के अंकन में बड़े सिद्ध थे। १९२० में केदार जी ने अपनी व्यंग्य और हास्यमूलक अनुभूतियों को आकार देना शुरू किया और १९२५ तक पौराणिक, साहित्यिक और राजनीतिक संदर्भों में अनेक व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किए। कलाक्षेत्र में ये प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने सांस्कृतिक विषयों को लेकर हास्य चित्र बनाए। इन्होंने व्यंग्य चित्रों की कई सीरीज चलाई थी। इनमें व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता थी। बिहारी सतसई के दोहों पर अनेक व्यंग्य चित्र बनाए जो प्रयाग की प्रसिद्ध पत्रिका 'सरस्वती' में प्रकाशित हुए। इन चित्रों की विशेषता यह रही है कि आकृतियों में मूल प्रकृति और भावना का हनन नहीं हुआ। इनके राजनीतिक कार्टूनों में बड़ा तीखापन था। इन्होंने मंडूक मिश्र के नाम से दैनिक 'आज' में धारावाहिक रूप से व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किए। व्यक्तिचित्र, हास्यचित्र, रेखाचित्र और व्यंग्यचित्रों में इनकी समान गति थी। ये यथार्थवादी शैली के चित्रकार थे। भारतेंदु और निराला जैसे साहित्यकारों पर इन्होंने प्रतीकात्मक चित्र बनाए थे। दो युगों तक हिंदीजगत् में एकमात्र पुस्तक-चित्रकार थे। इनके भावचित्र बड़े मार्मिक होते थे। लेखक के रूप में इनके व्यक्तिव्यंजक निबंधों को हिंदी संसार में मान्यता मिली। इनके प्रारंभिक निबंध 'खिलौना', 'बालसखा', 'चाँद' और 'माधुरी' में और व्यक्तिव्यंजक निबंध 'आज' के रविवारी अंकों में प्रकाशित हुए जिनके लिये चित्रों की डिजाइन भी ये स्वयं बना देते थे। [illegible] वर्षों तक 'आज' और 'तरंगिनी' में व्यंग्य चित्रकार के रूप में काम किया। संगीत में गहरी अभिरुचि थी। स्वयं सुरीले बाँसुरी वादक थे और हारमोनियम भी अच्छा बजाते थे। इनके शिष्य कलाजगत् में बहुविधि कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी सं० २०२३ वि० को काशी में स्वर्गवास हुआ। इनकी छोटी लड़की श्रीमती श्यामलता तिवारी बंबई में ख्यातिप्राप्त चित्रकार हैं।

[पा० ना० सि०]

शर्मा, चंद्रधर, गुलेरी जन्म सं० १९४० (१८८३ ई०) में हुआ। पिता पंडित शिवराम संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् थे। उनकी विद्वत्ता की ख्याति सुनकर जयपुर नरेश रामसिंह ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया था। 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' के अनुसार चंद्रधर शर्मा ने शैशव में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्वान् पिता से हुई। छह सात वर्ष की अवस्था में ही वे अच्छे प्रकार संस्कृत में बोलने लगे। सं० १९५६ वि० (१८९९ ई०) में प्रयाग विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके पश्चात् इन्होंने अपने अध्ययन क्रम में ही जयपुर के मानमंदिर के उद्धार में दो विदेशी विद्वानों की सहायता की तथा लेफ्टिनेंट गरट के साथ (The Jaipur Observatory and its Builder) ग्रंथ लिखा और इस कार्य के एक वर्ष के पश्चात् सं० १९६० (१९०३ ई०) में प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ए० प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए किया। वे दर्शन शास्त्र में एम० ए० करना चाहते थे, किंतु जयपुर के महाराजा के आग्रह से उन्हें अध्ययन छोड़कर खेतड़ी के राजा जयसिंह के संरक्षक तथा शिक्षक बनकर मेयो कालेज, अजमेर जाना पड़ा। कुछ वर्ष पश्चात् वे वहीं संस्कृत के प्रधानाध्यापक हो गए। परंतु उनके अपने स्वाध्याय में व्याघात नहीं पड़ा। वे अति प्रतिभावान् थे। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश पर तो उनका असाधारण अधिकार था ही, मराठी, बंगला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, भाषाविज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व का गंभीर अध्ययन किया। गुलेरी जी की प्रतिभा एवं विद्वत्ता से प्रभावित होकर ही महामना मालवीय जी ने उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग में 'मणींद्रचंद्र नंदी' पीठ का आचार्य (प्रोफेसर) और साथ ही प्राच्यविद्या एवं धर्मविज्ञान महाविद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। परंतु भारतीय वाङ्मय का यह दुर्भाग्य था कि सं० १९७९ (सन् १९२२ ई०) में केवल ३९ वर्ष की आयु में गुलेरी जी का निधन हो गया।

गुलेरी जी ने वर्षों तक 'समालोचक' का बड़ी ही योग्यता से संपादन किया था। उनके शोधपूर्ण लेखों ने इस पत्र का स्तर अति उन्नत बना दिया था। भाषा, संस्कृति, इतिहास, दर्शन आदि का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसपर गुलेरी जी ने साधिकार कुछ न लिखा हो। उनकी अधिकांश रचनाएँ हिंदी में ही हैं। हिंदी के प्रति उन्हें विशेष अनुराग था। काशी की 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' के संपादकों में उनका विशिष्ट स्थान था। गुलेरी जी की प्रेरणा से ही

तंत्रिका (Vagus), (११) मेरु सहायिका तंत्रिका तथा (१२) अधोजिह्वक (Hypoglossal) तंत्रिका। मस्तिष्क एवं मेरु के धूसर भाग में ही सत्ता केंद्र एवं नियंत्रण केंद्र रहते हैं। मेरु में संवेदी (पश्च) तथा चेष्टावह (अग्र) तंत्रिका मूल रहते हैं।

अग्र मस्तिष्क दो गोलार्धों में विभाजित रहता है तथा इसके भीतर दो गुहाएँ रहती हैं, जिन्हें पार्श्वीय निलय कहते हैं। संवेदी तंत्रिकाएँ शरीर की समस्त संवेदनाओं को मस्तिष्क में पहुँचाकर अनुभूति देती हैं तथा चेष्टावह तंत्रिकाएँ वहाँ से आज्ञा लेकर अंगों से कार्य कराती हैं। केंद्रीय तंत्रिकाएँ विशेष कार्यों के लिये होती हैं। इन सब तंत्रिकाओं के अग्र तथा ऊर्ध्व केंद्र रहते हैं। जब कुछ क्रियाएँ अग्र केंद्र कर देते हैं तथा पश्च ऊर्ध्व केंद्रों को ज्ञान प्राप्त होता है, तब ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएँ (Reflex action) कहते हैं। ये क्रियाएँ मेरु से निकलनेवाली तंत्रिकाओं तथा मेरु केंद्रों से होती हैं। मस्तिष्क का भार ४० औंस होता है। मस्तिष्क की धमनियाँ अंतः धमनियाँ होती हैं, अतः इनमें अवरोध होने पर, या इनके फट जाने पर, संबंधित भाग को पोषण मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण वह केंद्र कार्य नहीं करता, अतः उस केंद्र से नियंत्रित क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं। इसे ही पक्षाघात (Paralysis) कहते हैं (देखें पक्षाघात)।

(आ) स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र — यह स्वेच्छा से कार्य करता है। इसमें एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करनेवाली अनुकंपी (sympathetic) तथा सहानुकंपी (parasympathetic), दो प्रकार की तंत्रिकाएँ रहती हैं। शरीर के अनेक कार्य, जैसे रुधिरपरिसंचरण पर नियंत्रण, हृदयगति पर नियंत्रण आदि स्वतंत्र तंत्रिका से होते हैं। अनुकंपी शृंखला करोटि गुहा से श्रोणि गुहा तक कशेरुक दंड के दोनों ओर रहती है तथा इसमें कई गुच्छिकाएँ (ganglions) रहती हैं।

(०) ज्ञानेंद्रिय तंत्र — इनका वर्णन निम्नलिखित है :

(क) घ्राणेंद्रिय — इसका अंग नासा है। इसके द्वारा गंध का ज्ञान होता है। नासा छत से घ्राण तंत्रिका गंध के ज्ञान को मस्तिष्क में ले जाती है।

(ख) स्वादेंद्रिय — जिह्वा पर के स्वादांकुर इसका अंग होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वादों को भिन्न भिन्न स्थानों से ग्रहण करते हैं।

(ग) दृष्टीद्रिय — इसका मुख्य अंग नेत्र है। नेत्र गोलक कोटो कैमरा के समान है। यह श्वेत पटल, मध्य पटल, तथा अंतः पटल (रेटिना) से विभिन्न है। इसमें रेटिना ही दृष्टीद्रिय का काम करता है। नेत्रगोलक छिद्र, या तारा (pupil), से प्रकाश भीतर जाता है। तारा पर आइरिस (iris) रहता है, जो तारे का संकोच और प्रसार कराता है। यह प्रकाश अंतः कक्ष के तरल, लेंस तथा पश्च कक्ष के तरल से होकर रेटिना पर पड़ता है, जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएँ इस ज्ञान को अग्र मस्तिष्क की अनुकपाल पालि (occipital lobe) को ले जाती हैं। रेटिना तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। सबसे बाहर नेत्र में कॉर्निया (cornea) तथा उसपर एक कला रहती है। नेत्र के पास ही अक्षिगुहा में अक्षुदृष्टि एवं अक्षुगोलक रहती है। अक्षु अक्षुगोलक में इसमें रहता है (देखें नेत्र)।

(घ) श्रवणेंद्रिय — इसका अंग कर्ण है। कर्ण तीन विभागों विभक्त है : बाह्य, मध्य एवं अंतः। बाह्यकर्ण के आरंभिक पर स्थित श्रवण पटल पर शब्द के कंपन, ध्वनि लहरियों के का होते हैं, जिन्हें मध्य कर्ण की तीन अस्थियाँ, मैलियस (Malleus) इंकस (Incus) तथा स्टेपीज (Stapes) ग्रहण करती हैं तथा अंतःकर्ण के कर्णावर्त (cochlea) की ओर भेजती हैं। कर्णावर्त तरल रहता है तथा श्रवण तंत्रिकाओं द्वारा ध्वनि का ग्रहण अग्र मस्तिष्क की शंखपालि (temporal lobe) में श्रवण का होता है। कर्ण शंखास्थि में स्थित है। अंतःकर्ण में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाएँ संतुलन का काम करती हैं (देखें कान)।

(च) स्पर्शेंद्रिय — इसके अंतर्गत त्वचा आती है। त्वचा से ही गरमी, ठंडक, मृदुता, कठोरता, पीड़ा, स्पर्श आदि का ज्ञान होता है। त्वचा के दो भाग होते हैं : (१) बाह्य त्वचा तथा (२) अंतःत्वचा। तलुए और हथेली में त्वचा की मोटाई पूरे त्वचा की मोटाई से १० गुनी होती है। त्वचा शरीर को बाह्य से आवृत्त कर रक्षा एवं मलविसर्जन भी करती है। त्वचा के स्तर रंजक कणों का भी होता है। त्वचा में रोमकूप तथा स्वेद ग्रंथियाँ भी होती हैं। त्वचा ताप का नियंत्रण भी करती है। इसी तरह त्वचा में अवशोषण का कार्य भी होता है। त्वचा में सब शय्या भी होती है (देखें त्वचा)।

भ्रूण विज्ञान

इसके अंतर्गत शुक्राणु, डिंब, उनका निर्माण, संचरण, [illegible] में स्थिति, पोषण, जरायु, अपरा का निर्माण, भ्रूण की [illegible] एवं मासिक वृद्धि, भ्रूण के भिन्न भिन्न अंगों प्रत्यंगों, [illegible] निर्माण तथा यमल के निर्माण का संपूर्ण विषय आता है। [illegible] इस संबंध में ज्ञान की अभिवृद्धि बहुत हो गई है, अतः यह [illegible] भिन्न शास्त्र ही माना जाने लगा है। इसके अध्ययन के [illegible] आनुवंशिकी, प्रायोगिक भ्रूण विज्ञान तथा रासायनिक भ्रूण [illegible] भी आता है। जन्मजात विकृतियों का अध्ययन भी इसके [illegible] आता है। शरीर के मुख्य अंग हैं : सिर, ग्रीवा, धड़, उदर, [illegible] पैर होते हैं। शरीर की गुहाएँ हैं : (अ) सिरो गुहा, (आ) [illegible] तथा (इ) उदर गुहा। वक्षगुहा और उदरगुहा महाप्राचीरा [illegible] द्वारा विलग की जाती हैं। उदर गुहा में वास्तविक उदरगुहा [illegible] श्रोणि गुहा दोनों का समावेश होता है।

वाहिनीहीन ग्रंथियाँ

इसके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, थाइरॉइड (thyroid), [illegible] रॉइड, थायमस, अधिवृक्क, पैंक्रियस (pancreas), [illegible] अथवा डिंब ग्रंथि, तथा पीनियल (penial) ग्रंथि आती हैं। [illegible] ग्रंथि इन सबकी निदेशक और संचालक है। यह [illegible] आधार में मस्तिष्क के अग्र रहती है। इसके कई भाग हैं [illegible] भिन्न कार्य करते हैं। थाइरॉइड, पैराथाइरॉइड [illegible] की ओर स्थित हैं। थायमस हृदय के आगे [illegible] है। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर रहती है। पैंक्रियस [illegible] लैंगरहैंस के द्वीप समूह, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। यह [illegible] denum) के नीचे उदर गुहा के पश्चभाग में रहते हैं। [illegible]

शरीर एवं शरीर-क्रिया विज्ञान (Anatomy and physiology)— सजीव शल्यचर्मा का शारीरिक विन्यास पंचबाहु या पंच करणों का होता है। यह बहुशाखित, बहुसंख्यक या आंशिक रूप में विलुप्त भी रहते हैं। शरीर पंच शरीय होता है और शरीय क्षेत्र पांच शरीय क्षेत्रों से एकांतरित रहते हैं। समसिति दर्शानेवाले अंग असंख्य स्थूल नाल आदि हैं, जो शरीर में जलसंचरण का कार्य करते हैं तथा एक जल-संचरण-तंत्र का निर्माण करते हैं। शरीय क्षेत्रों को बीथी क्षेत्र (ambulocrum) तथा दो बीथी क्षेत्रों के बीच के स्थान को मध्य बीथी क्षेत्र कहते हैं। अनेक शल्यचर्मा की त्वचा पर कैल्सियम कार्बोनेट की कटिकाओं से युक्त एक बाह्य कंकाल होता है।

देहगुहा के तीन युग्मों में विभाजन के अतिरिक्त सभी शल्यचर्मों में तीन तन्त्रिका संस्थान होते हैं : १. बाह्य मौलिक संवेदक संस्थान, २ गहन मौलिक संवेदक संस्थान तथा, ३ अंत्र या शीर्ष चालक संस्थान।

इन संस्थानों के द्रवों में देहगुहा के द्रव की अपेक्षा ऐल्बूमिन (albumen) अधिक होता है। सभी अंतरंग द्रवों में विभिन्न भौतिक पदार्थ प्लावित होते हैं। कुछ रुधिर के सदृश लाल होते हैं, जो श्वसन में सहायक होते हैं। कुछ श्वेतकण अनेक कार्य करते हैं, ये कुछ अवशिष्ट पदार्थों का भक्षण कर निष्कीलित होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि इन जीवों में कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है।

जनन एवं परिवर्धन — अधिकांश शल्यचर्मों में लिंग पृथक् होते हैं, किंतु बाह्य लक्षणों से लिंगभेद ज्ञात नहीं होता है। जनन उत्पाद (genital products) जल में छोड़ दिए जाते हैं और अंडे शुक्र द्वारा निषेचित होते हैं। युग्मनज (zygote) अनेक कोशों में विभाजित होने के बाद एक खोखला कंदुक सदृश रचना बनाता है, जिसका एक सिरा अंदर बढ़ता जाता है और परिणामतः एक खुले मुख और दोहरी दीवारवाला कोश (sac) बन जाता है। दीवार से कुछ कोशिकाएँ मध्य में आकर, एक मध्य स्तर (middle layer) बनाती हैं। देहगुहा कोश से एक कोष्ठ (pouch) के रूप में निकलकर मध्य स्तर में प्रसारित होती है। कोष्ठ के बार बार विभाजनों से देहगुहा के तीन युग्म बनते हैं। इसी बीच कोश लंबाई में बढ़ता है तथा एक तरफ से, जिधर मूल गुहा नीचे की ओर झुककर लार्वा का मुँह बनाती है, चिपटा हो जाता है और मुख द्वार को लार्वा का निर्गम छिद्र (outlet) बनने देता है। इस प्रकार का लार्वा स्वतंत्र प्लावी होता है। विभिन्न वर्गों में इसके विशेष रूपांतरण के फलस्वरूप, विभिन्न शल्यचर्मों का विकास होता है।

स्वयं विभाजन तथा पुनर्जनन — अनेक शल्यचर्मा अपने शरीर के कुछ भाग को, भय अथवा कष्टप्रद स्थिति के समय, स्वयं पृथक् कर देने में समर्थ होते हैं। इतना ही नहीं अलग किए हुए भागों को स्वयं पुनः उत्पन्न भी कर सकते हैं। यदि कोई खंड मध्य डिंब (disc) युक्त हो, तो उसमें पुनर्जनन संभव है। इस प्रकार के खंड पूर्ण शल्यचर्मा बनाने में समर्थ होते हैं। शल्यचर्मा में पुनर्जनन की शक्ति पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तारामीन (asteroids) मोती एकत्रित करनेवालों के कंदु हैं। मोती एकत्रित करनेवाले इनको समुद्र में टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते थे। शीघ्र ही उन्हें अपनी भूल ज्ञात हो गई कि इस प्रकार तो इनकी संख्या में और भी शीघ्रतापूर्वक वृद्धि होती है। [द० कृ० मा०]

शल्यचिकित्सा (Surgery) अति प्राचीन काल से ही चिकित्सा के दो प्रमुख विभाग चले आ रहे हैं यथा कायचिकित्सा (Medicine) एवं शल्यचिकित्सा। इस आधार पर चिकित्सकों में भी दो परंपराएँ चलती हैं। एक कायचिकित्सक (Physician) और दूसरा शल्यचिकित्सक (Surgeon)। यद्यपि दोनों में ही औषधोपचार का न्यूनाधिक सामान्यरूपेण महत्व होने पर भी शल्यचिकित्सा में चिकित्सक के हस्तकौशल का महत्व प्रमुख होता है, जबकि कायचिकित्सा का प्रमुख स्वरूप औषधोपचार ही होता है। आयुर्वेद में भी धन्वंतरि संप्रदाय, या सुश्रुत संप्रदाय, शल्यचिकित्सा एवं आत्रेय संप्रदाय या चरक संप्रदाय कायचिकित्सा के प्रतीक हैं। इसी प्रकार पश्चिम में भी जालीनूस (Galenus) के समय में केवल औषध प्रयोग करनेवालों, अर्थात् कायचिकित्सकों, को मेडिसी (Medice) और शस्त्रक्रिया करनेवालों को चिररजी और ब्रन्डनेरारी कहते थे। ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय पर्यालोचन के दृष्टिकोण से भारत में इस विज्ञान को चार प्रमुख कालों में विभक्त किया जा सकता है : (१) आयुर्वेदिक काल, (२) यूनानी काल, (३) अरबी, यूनानी एवं (४) पश्चिमी काल (१२०० ई० से १५०० ई० तथा उसके बाद का उन्नत आधुनिक काल)। शास्त्रीय प्रमाणों से शल्यचिकित्सा का मूल स्रोत वेदों में मिलता है, जहाँ इंद्र, अग्नि और सोम देवता के बाद स्वर्ग के युगल वैद्य अश्विनीकुमारों की गणना की गई है। इनके कायचिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा संबंधी दोनों प्रकार के कार्य मिलते हैं। शरीर की व्याधियों को दूर करने के लिये तथा अंगभंग की स्थिति में नवीन आँखें एवं नवीन अंग प्रदान करने के लिये अश्विनीकुमारों की प्रार्थना की गई है। गर्भाशय को चीरकर गर्भ को बाहर निकालने तथा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं वृक्कों में यदि मूत्र रुका हो, तो उसे वहाँ से शस्त्र कर्म या अन्य प्रकार से बाहर निकालने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में क्षत, विद्रधि, व्रण, टूटी या कटी अस्थियों को जोड़ने, कटे हुए अंग को ठीक करने, पृथक् हुए मांस मज्जा को स्वस्थ करनेवाली औषधि से प्रार्थना की गई है रक्तस्राव के लिये पट्टी बाँधने, अपची (गले की ग्रंथि का एक रोग) के लिये वेधन छेदन आदि उपचारों का उल्लेख मिलता है। भगवान् बुद्ध के काल में जीवक नामक चिकित्सक द्वारा करोटि एवं उदरगत बड़े शल्यकर्म सफलतापूर्वक किए जाने का वर्णन है। सुसंगठित एवं शास्त्रीय रूप से आयुर्वेदीय शल्यचिकित्सा की नींव इंद्र के शिष्य धन्वंतरि ने डाली। धन्वंतरि के शिष्य सुश्रुत ने इस शास्त्र को सर्वांगोपांग विकसित कर व्यवहारोपयोगी स्वरूप दिया। उस समय भी शल्य का क्षेत्र सामान्य बाह्य शल्यचिकित्सा था और ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों एवं शल्यकर्म (अर्थात् नेत्ररोग, नासा, कंठ, कर्ण आदि के रोग एवं तत्संबंधी शल्यकर्म) का विचार अष्टांगायुर्वेद के शालाक्य नामक शाखा में पृथक् रूप से किया जाता था।

इसी प्रकार पश्चिम मे असीरिया, बेबिलोनिया एव मिस्र तथा मिस्र के बाद यूनान और रोम में सभ्यता एवं अन्य ज्ञान विज्ञान के साथ चिकित्साविज्ञान तथा तदंतर्गत शल्यचिकित्सा का विकास हुआ। ई० पू० ३०१ मे मिस्र देश मे शल्यतत्र उन्नत अवस्था मे था। मिस्र देश के भूगर्भ से मिले शवो के शरीर में कपालभेद के सधान के चिह्न मिलते हैं। प्रारभ में रोम नगर के सभी चिकित्सक सिकंदरिया या उसके पूर्व के निवासी थे। केलसस का 'दी मेडिसिना', जो ईसवी सन् २६ मे प्रसिद्ध हुआ, पूर्णतया ग्रीक प्रणाली का था। उक्त महाग्रथ आठ खडो मे है। सातवें खड मे शल्यशास्त्र और छठे खड के छठे अध्याय मे और सातवें खंड के सातवें अध्याय में नेत्ररोगो का विवेचन है। इस महाग्रथ में वर्णित अर्म (अग्रीस रोमन टेरिजियम्) पोथकी तथा मोतियाबिंद (cataract) की शल्यचिकित्सा बहुत कुछ सुश्रुत से मिलती जुलती है।

जालीनूस ने जो एक प्रकार से यूनानी परपरा का अतिम विद्वान् चिकित्सक था, अनेक बडे बड़े ग्रंथ चिकित्सा शास्त्र पर लिखे। उसके ग्रथ सारे ग्रीक वैद्यक के विश्वकोश हैं। पश्चिमी काल के पूर्ववर्ती युग (७०० ई० से १,२०० ई०) में अरबों ने चिकित्सा विज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया और शल्यचिकित्सा में भी प्रशंसनीय उन्नति की, जिसका प्रभाव स्पेन तक था। इसी ज्ञान को आधार मानकर आधुनिक शल्यचिकित्सा आज पराकाष्ठा पर पहुँच रही है। अबुल कासिम जहरावी का प्रसिद्ध ग्रथ, अत्तसरीफ, यूरोप में शल्यतंत्र की उन्नति की आधारभूत नींव है। आधुनिक शल्यचिकित्सा की अद्भुत उन्नति की प्रधान कारण उत्तम चेतनाहर एव सवेदनाहर औषधियों (anaesthetics) तथा विश्वसनीय रक्तस्तभक द्रव्य (haemostatics), पूतिरोधी एवं प्रतिवैषिक पदार्थ की सुलभता है, जिनकी सुविधा विगत युगों में प्राय नहीं सी थी। अतएव विचारकों के लिये यह एक नितात जिज्ञासापूर्ण विषय बना रहा कि इन साधनों के अभाव में प्राचीन लोग गभीर स्वरूप के शल्यकर्म (operation) कैसे करते थे।

आधुनिक उन्नत शल्यचिकित्सा का आरंभ यूरोपीय देशो में जर्राही के रूप में हुआ, जिसमें प्रधानतः हस्तकर्म द्वारा साधारण शल्यचिकित्सा (minor surgery), यथा अस्थिभग्न (fracture) सधिच्युति (dislocation) आदि का ठीक करना, रक्तमोक्षण (blood-letting) की दक्षता, दाँत उखाड़ना तथा उक्त क्रियाओं एव अशोपयोगी मलहम (ointment), गुदावस्ति (enema) तथा रेचक आदि के निर्माण एव प्रयोग आदि का ही समावेश होता था। समाज में भी शल्यचिकित्सक इस कार्य को हीन दृष्टि से देखते थे। इसी के परिणामस्वरूप मध्यकालीन युग में फ्रांस, जर्मनी तथा इंग्लैंड में नाविक नाईयों (barber surgeons), व्रण चिकित्सकों (wound surgeons) एवं जर्राह भैषजज्ञ (surgeon apothecaries) की उत्पत्ति हुई। इंग्लैंड में पहले शल्यकर्म हस्तकार्य का नाविक के व्यवसाय के साथ किया हुआ था। इसी अध्यक्ष के शासन काल में नाईयों का शल्यचिकित्सकों के संघटन में बार्बर (नाई) चिकित्सक मान्यता द्वारा सम्मिलित थे, और दोनों के स्वरूपों को स्पष्ट करने के लिये इनके कार्यक्षेत्र का स्पष्टीकरण विधान द्वारा किया गया था। नाई को केवल रक्तमोक्षण तथा दाँत उखाड़ना आदि साधारण शल्यकर्म की आज्ञा थी और इसके लिये बार्बर के व्यावसायिक चिह्न निश्चित थे। विकास एवं उन्नति के साथ सन् १७४५ में जॉर्ज द्वितीय के शासनकाल में दोनों समुदाय पूर्णतः पृथक् होकर, दो भिन्न सघों में सगठित हुए। आज का रॉयल कॉलेज ऑव सर्जन इसी का विकसित रूप है।

१८वी शताब्दी से शल्यचिकित्सोपयोगी शास्त्रों, यथा शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-क्रिया-विज्ञान एवं क्रियात्मक (operative) शल्यचिकित्सा आदि के विकास के साथ साथ शल्यचिकित्सा में भी तीव्रतापूर्वक विकास, सुधार एवं उन्नति होने लगी, जिससे शल्यचिकित्सा की भाँति समाज में शल्यचिकित्सा के लिये भी संमान बढ़ने लगा। किंतु शल्यकर्म मे वेदना एवं शस्त्रकर्मोत्तर पूति (surgical infection), इन दो महान् कठिनाइयों के कारण शल्यचिकित्सा की सफलता बहुत कुछ सीमित रही। पैस्टचर नामक रसायनज्ञ द्वारा बैक्टीरिया एवं तज्जन्य विशिष्ट उपसर्ग का संबंध प्रमाणित किए जाने पर, उसके सिद्धांतो से प्रेरणा लेकर १८६७ ई० में जोसेफ लिस्टर द्वारा प्रतिरोधी शल्यकर्म (antiseptic surgery) के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् संज्ञाहर एवं सवेदनाहर द्रव्यों तथा साधनों के आगमन के साथ, आधुनिक उन्नत शल्यचिकित्सा का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा शल्यचिकित्सा की आधारभूत कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद, उसमे निरंतर सुधार होने लगा और सन् १९३० के बाद से तो सवेदनाहरण एक स्वतंत्र विज्ञान ऐनेस्थीसियॉलोजी (Anesthesiology) के रूप में विकसित हो गया है और आज प्रायः सभी प्रकार की शरीर एवं रोग स्थिति तथा शल्यकर्म के अनुरूप संज्ञाहरण एवं सवेदनाहरण उपकरण, द्रव्य एव साधन उपलब्ध हैं। इसके कारण होनेवाले उपद्रवों एव तत्संबंधी आज ज्ञातव्य का भी पर्याप्त अध्ययन किया जा चुका है। सिरोटेरियन ऐंटिसेप्टिक सभी की दिशा मे भी इसी प्रकार की उन्नति आज उपलब्ध साधनों एवं ऐंटिबायोटिक वर्ग जैसी औषधियों के कारण हो गई है। इससे शल्यकर्मोत्तर पूतिरोध (sepsis) एवं संक्रमण (infection) तथा तज्जन्य उपद्रवों एवं दुष्परिणामों का प्रतिशत नगण्य हो गया है। इसके प्रत्यक्ष साक्ष्य का अनुभव द्वितीय महायुद्ध एवं कोरिया युद्ध में हुआ, जबकि पहले के युद्धों की अपेक्षा आज्ञों का समय से शल्योपचार होने पर, संक्रमण एवं पूतिजन्य दुष्परिणाम अपेक्षाकृत अत्यल्प रूप हुई। उक्त साधनोन्नति के परिणामस्वरूप आज बड़े से बड़े शल्यकर्म पहले की अपेक्षा अधिक निरापद एवं निश्चितता से किए जाते हैं। यही नहीं, शस्त्रकर्मोत्तर उपचार (post operative care), जो पहले नितांत अवहेलना एवं चिंता का विषय हुआ करता था, आज उपलब्ध साधनों के कारण सरल हो गया है।

शल्यचिकित्सा में संक्षोभ (surgical shock) भी एक विशेष एवं महत्त्व का विषय है। संक्षोभ में रोगी का रक्त कोशों में जाता है तथा वह स्वस्थचेत एवं सजग भी होती है। प्रायः इसका मुख्य कारण दुःख का अपना वास्तविक रूप में होकर, शरीर का वास्तविक परिचालनात्मक, रक्तपरिवाह अपूर्ण होती है, जिससे दुःख की परिस्थितिजनित कारण [illegible]

भी धमनियों का रुधिरसंभरण हीन कोटि का होता है। युद्ध में प्रायशों में यह स्थिति प्रायः पाई जाती है। अब ऐसी स्थिति में रक्त की तत्काल पूर्ति रुधिराधान द्वारा, अथवा अन्य स्थानापन्न उपायों यथा समदाही लवणजल (normal saline) के शिराएँ प्रवेश आदि द्वारा की जाती है। अब बड़े स्थानों में सुदृढ़ रुधिर बैंक (blood bank) की व्यवस्था भी है, जहाँ से प्रत्येक रोगी के उपयुक्त रुधिर तत्काल प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानापन्न द्रव्य (substitutes) भी सुलभ हैं।

शल्यचिकित्सोपयोगी उपकरण — शल्यचिकित्सा की सफलता एवं सरलकर्म में प्रगतिशील उपलब्धि के लिये, यथासमय आवश्यक यन्त्रास्त्र एवं अन्य उपकरणों की सुलभता अपना विशिष्ट महत्व रखती है। उपकरणों के प्रयोग में शल्यचिकित्सक का हस्तकौशल सर्वप्रमुख है, क्योंकि सभी शस्त्रकर्म उसके हस्तकौशलाधीन हैं। शस्त्रकर्म के क्षेत्र, स्वरूप एवं तत्सम्बंधी क्रियाओं की नानाविधिकता है। ऐतिहासिक युगों के साथ साथ यंत्र और उपकरणों के निर्माण हेतु प्रयुक्त पदार्थों में भी सुधार होता रहा और अपेक्षित अच्छे शस्त्रचिकित्सोपयोगी यन्त्र उपलब्ध हैं, जिनमें रोगाणुशोधन एवं निर्जीवाणुकरण की शोधन प्रक्रियाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। चिकित्सा विज्ञान के अन्य अंगों के विकास तथा आधारभूत वैज्ञानिक विषयों एवं धातुकर्म तथा औषधनिर्माण आदि अन्य तकनीकी विज्ञानों की उन्नति एवं विकास के साथ साथ, इन उपकरणों में भी अद्भुत सुधार किए जा रहे हैं। सफलतापूर्वक शस्त्रकर्म एवं अन्य शल्य प्रक्रियाओं के लिये आवश्यक साधनसामग्री के तुल्य आपरेशन थियेटर एवं उसी से संलग्न निर्जीवाणुकरण, ड्रेसिंग एवं शस्त्रकर्मोपयोगी तत्काल रेडियेज के हेतु रोगी को रखने एवं तत्सम्बंधी अन्य आवश्यकताओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अभिप्रेत इस दिशा में भी पर्याप्त सुधार हो गया है।

वर्तमान काल में रेडियोलॉजी (Radiology) एवं न्यूक्लियर मेडिसिन के विकास ने भी शल्यचिकित्सा की प्रगति में पर्याप्त सहायता की है। ऐसे किरण चित्रण द्वारा अब अंतःस्थित अन्य, विकृति एवं शस्त्रकर्मोपयुक्त स्थान का निर्धारण निश्चित रूपेण एवं सुगमता से कर लिया जाता है। विशेषतः विकलांगचिकित्सा एवं अस्थिभग्नचिकित्सा में ऐसे किरण प्रदान सहायक होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन भौतिकविदों (nuclear physicists) ने भी अनेक महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की है, जिनका विशिष्ट उपयोग कायचिकित्सा में भी किया जाता है। इस प्रकार आधारभूत विज्ञानों (basic sciences) एवं चिकित्सा विज्ञान के अन्य विभागों की उन्नति के साथ शल्यचिकित्सा ने भी अपना विशिष्ट होकर, विशेष विभाग के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लिया है, जैसे नेत्ररोग विज्ञान (Ophthalmology), नाक-कर्ण-कंठ रोग विज्ञान (E. N. T. Surgery), विकलांग चिकित्सा (Orthopaedics), प्लास्टिक शल्यचिकित्सा (Plastic Surgery), उरोपर शल्यचिकित्सा (Thoracic Surgery), मूत्रवेशयनी शल्यचिकित्सा, तंत्रिका शल्यचिकित्सा (Neuro-surgery), स्त्रीरोग विज्ञान (Gynaecology), दंतरोग विज्ञान (Dental Surgery) आदि। विभिन्न देशों में इनके विशेष प्रशिक्षण के लिये अभिन्न संस्थान एवं विशेषज्ञों की संस्थाएँ स्थापित हो गई हैं, जो प्रशिक्षण का नियंत्रण करती हैं तथा विशेषज्ञ के रूप में चिकित्सा करने का अधिकार प्रदान करती हैं, जैसे इंग्लैंड का रॉयल कॉलेज ऑव साइर्जनोलॉजी, रॉयल कॉलेज ऑव सर्जन्स, अमरीकन कॉलेज ऑव सर्जन्स आदि। परीक्षणात्मक शल्यचिकित्सा (Experimental Surgery) भी वर्तमान युग की एक देन है। [रा० सु० सि० तथा भू० ना० सि०]

शवपरीक्षा (Autopsy) मृत्यु के पश्चात् आकस्मिक दुर्घटना-ग्रस्त, अथवा रोगग्रस्त, मृतक के विषय में वैज्ञानिक अनुसंधान के हेतु शरीर की परीक्षा, अथवा शवपरीक्षा, करना अतिआवश्यक है। रोग उपचारक शवपरीक्षा के द्वारा ही रोग की प्रकृति, विस्तार, विशालता एवं जटिलता के विषय में भली प्रकार तथ्य जान सकता है।

शवपरीक्षा भली प्रकार करना उचित है एवं सहयोग के हेतु रोगविशेष अंग अथवा ऊतक, की शल्यकर्मी द्वारा परीक्षा एवं कीटाणुजात्मीय परीक्षा अपेक्षित है। उस प्रत्येक मृतक को, जिसकी मृत्यु का कारण आकस्मिक दुर्घटना हो और उचित कारण ज्ञात हो, मृत्यु का कारण एवं उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिये शवपरीक्षा करना नितांत आवश्यक रूप से अपेक्षित है।

शवपरीक्षा करने के पूर्व मृतक के निकट संबंधी से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है और शवपरीक्षा मृत्यु के ६ से १० घंटे के भीतर ही कर लेनी चाहिए, अन्यथा यह में मृत्योत्तर अवस्थावादी प्राकृतिक परिवर्तन हो जाने की आशंका रहती, जैसे जड़ ऐंठन (rigor mortis), शवपरिवर्तन (postmortem) एवं विघटन (decomposition)। यह परिवर्तन अधिकतर रोगावस्था के परिवर्तनों के समान ही होते हैं।

आवश्यक वस्तुएँ — कुछ अन्य अन्य उदाहरणार्थ चाकू, चिमटियाँ, कैंची, सलाई आदि, की शवपरीक्षा में आवश्यकता पड़ती है। अब को सीने के लिये सुई एवं प्रबल धागे की भी आवश्यकता होती है।

शवपरीक्षा करने की निम्नलिखित दो विधियाँ होती हैं :

(अ) बाह्य निरीक्षण एवं परीक्षा — इसके अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षा करना आवश्यक है :

(१) शरीर का विकास, (२) शरीर की पोषिकता, (३) धातु एवं मेद, (४) मर पेशियों की विद्यमानता एवं उसकी ग्रंथियाँ, (५) त्वचा का रंग, जैसे नीलिमायन, (७) त्वचा विस्फोट, मिलती, आघात-चिह्न (८) मूत्रत्याग तथा (९) शरीर के सब छिद्रों आदि का पूर्ण सतर्कतापूर्वक परीक्षण। यह करना नितांत आवश्यक होता है।

(ब) आंतरिक परीक्षा — प्रथम छाती के उदर (pubic) जोड़ तक कर्तन कर, त्वचा एवं मांसपेशियों को हटाकर, वक्षास्थि को पृथक् कर दिया जाता है। तत्पश्चात् आँत के द्वारा की झिल्ली तथा फुफ्फुस झिल्ली का पूर्ण परीक्षण करना आवश्यक है।

हृदयुक्त के सर्व तत्वों को पृथक् कर, उनका भार एवं उनका स्थिति विवरण ज्ञात किया जाता है। यह अंगों को उनके यथा विषयन में, जैसे कॉर्नेजेन्ट में, भली प्रकार रख देना आवश्य

इसी प्रकार पश्चिम मे असीरिया, बेबिलोनिया एव मिस्र तथा मिस्र के बाद यूनान और रोम में सभ्यता एवं अन्य ज्ञान विज्ञान के साथ चिकित्साविज्ञान तथा तदंतर्गत शल्यचिकित्सा का विकास हुआ। ई० पू० ३०१ मे मिस्र देश मे शल्यतंत्र उन्नत अवस्था मे था। मिस्र देश के भूगर्भ से मिले शवो के शरीर में कपालभेद के सधान के चिह्न मिलते हैं। प्रारभ में रोम नगर के सभी चिकित्सक सिकंदरिया या उसके पूर्व के निवासी थे। केलसस का 'डी मेडिसिना', जो ईसवी सन् २९ मे प्रसिद्ध हुआ, पूर्णतया ग्रीक प्रणाली का था। उक्त महाग्रंथ आठ खंडो मे है। सातवें खड मे शल्यशास्त्र और छठे खड के छठे अध्याय मे और सातवें खंड के सातवें अध्याय में नेत्ररोगो का विवेचन है। इस महाग्रंथ में वर्णित अर्म (अग्रीस रोमन टेरिजियम्) पोथकी तथा मोतियाबिंद (cataract) की शल्यचिकित्सा बहुत कुछ सुश्रुत से मिलती जुलती है।

जालीनूस ने जो एक प्रकार से यूनानी परपरा का अंतिम विद्वान् चिकित्सक था, अनेक बड़े बड़े ग्रंथ चिकित्सा शास्त्र पर लिखे। उसके ग्रंथ सारे ग्रीक वैद्यक के विश्वकोश हैं। पश्चिमी काल के पूर्ववर्ती युग (७०० ई० से १,२०० ई०) में अरबो ने चिकित्सा विज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया और शल्यचिकित्सा मे भी प्रशंसनीय उन्नति की, जिसका प्रभाव स्पेन तक था। इसी ज्ञान को आधार मानकर आधुनिक शल्यचिकित्सा आज पराकाष्ठा पर पहुँच रही है। अबुल कासिम जहरावी का प्रसिद्ध ग्रंथ, अलतसरीफ, यूरोप में शल्यतंत्र की उन्नति की आधारभूत नींव है। आधुनिक शल्यचिकित्सा की अद्भुत उन्नति की प्रधान कारण उत्तम चेतनाहर एवं संवेदनाहर औषधियों (anaesthetics) तथा विश्वसनीय रक्तस्तंभक द्रव्य (haemostatics), पूतिरोधी एवं प्रतिजैविक पदार्थ की सुलभता है, जिनकी सुविधा विगत युगों में प्राय नहीं सी थी। अतएव विचारकों के लिये यह एक विशेष जिज्ञासापूर्ण विषय बना रहा कि इन साधनों के अभाव में प्राचीन लोग गंभीर स्वरूप के शल्यकर्म (operation) कैसे करते थे।

आधुनिक उन्नत शल्यचिकित्सा का आरंभ यूरोपीय देशो में जर्राही के रूप में हुआ, जिसमें प्रधानतः हस्तकर्म द्वारा साधारण शल्यचिकित्सा (minor surgery), यथा अस्थिभग्न (fracture) अस्थिच्युति (dislocation) आदि का ठीक करना, रक्तमोक्षण (blood-letting) की दक्षता, दांत उखाड़ना तथा उक्त क्रियाओं एवं औषधियों मलहम (ointment), गुदावस्ति (enema) तथा रेचक आदि के निर्माण एवं प्रयोग आदि का ही समावेश होता था। समाज में भी शल्यचिकित्सक इस कार्य को हीन दृष्टि से देखते थे। इसी के परिणामस्वरूप मध्यकालीन युग में फ्रांस, जर्मनी तथा इंग्लैंड में नापित सर्जनों (barber surgeons), वस्त्र चिकित्सकों (wound surgeons) एवं जर्राह मंडल (surgeon ap thecaries) की उत्पत्ति हुई। इंग्लैंड में पहले शल्यकर्म हस्थाम का नापित के व्यवसाय के साथ किया हुआ था। हेनरी अष्टम के शासन काल में सर्जन का शल्यचिकित्सकों के संघटन व नापित (जर्राह) चिकित्सक मंडल द्वारा अभिनिर्णय व, और दोनों के स्वरूपगत भेद को स्पष्ट करने के लिये इनके कार्यक्षेत्र का स्पष्टीकरण विधान द्वारा किया गया था। यहाँ की रॉयल रक्तमोक्षण तथा दांत उखाड़ना आदि साधारण शल्यकर्म की आज्ञा थी और इसके लिये नापित के व्यावसायिक कर्म निषिद्ध थे। विकास एवं उन्नति के साथ सन् १७४५ में जॉर्ज द्वितीय के शासनकाल में उक्त दोनों समुदाय पूर्णतः पृथक् होकर, दो भिन्न संघों मे संगठित हुए। आज का रॉयल कॉलेज ऑव सर्जन इसी का विकसित रूप है।

१८वीं शताब्दी से शल्यचिकित्सोपयोगी शास्त्रों, यथा शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-क्रिया-विज्ञान एवं क्रियात्मक (operative) शल्यचिकित्सा आदि के विकास के साथ साथ शल्यचिकित्सा में भी तीव्रतापूर्वक विकास, सुधार एवं उन्नति होने लगी, जिससे आंतरिक चिकित्सा की भाँति समाज में शल्यचिकित्सा के लिये भी संमान बढ़ने लगा। किंतु शल्यकर्म मे वेदना एवं शस्त्रकर्मोत्तर पूति (surgical infection), इन दो महान् कठिनाइयों के कारण शल्यचिकित्सा की सफलता बहुत कुछ सीमित रही। पैस्टचर नामक रसायनज्ञ द्वारा बैक्टीरिया एवं तज्जन्य विशिष्ट उपसर्ग का संबंध प्रमाणित किए जाने पर, उसके सिद्धांतो से प्रेरणा लेकर १८६७ ई० में जोसेफ लिस्टर द्वारा प्रतिरोधी शल्यकर्म (antiseptic surgery) के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् संज्ञाहर एवं संवेदनाहर द्रव्यों तथा साधनों के आगमन के साथ, आधुनिक उन्नत शल्यचिकित्सा का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा शल्यचिकित्सा की आधारभूत कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद, उसमें विशेष सुधार होने लगा और सन् १९३० के बाद से तो संवेदनाहरण एक स्वतंत्र विज्ञान ऐनेस्थीसियॉलोजी (Anesthesiology) के रूप में विकसित हो गया है और आज प्रायः सभी प्रकार की शरीर एवं रोग स्थिति तथा शल्यकर्म के अनुरूप संज्ञाहरण एवं संवेदनाहरण उपकरण, द्रव्य एवं साधन उपलब्ध हैं। इसके कारण होनेवाले उपद्रवों एवं तत्संबंधी अन्य ज्ञातव्य का भी विशेष अध्ययन किया जा चुका है। लिस्टेरियन ऐंटिसेप्टिक सर्जरी की दिशा मे भी इसी प्रकार की उन्नति आज उपलब्ध सल्फाएँ एवं ऐंटिबायोटिक वर्ग जैसी औषधियों के कारण हो गई है। इससे शल्यकर्मोत्तर पूतिरोध (sepsis) एवं संक्रमण (infection) तथा तज्जन्य उपद्रवों एवं दुष्परिणामों का प्रतिशत बहुत घट गया है। इसके प्रत्यक्ष साक्ष्य का अनुभव द्वितीय महायुद्ध एवं कोरिया युद्ध में हुआ, जबकि पहले के युद्धों की अपेक्षा घायलों का समय से शल्योपचार होने पर, संक्रमण एवं पूतिजन्य दुष्परिणाम अपेक्षाकृत अत्यंत कम हुए। उक्त साधनोन्नति के परिणामस्वरूप आज बड़े से बड़े शल्यकर्म पहले की अपेक्षा अधिक विश्वास एवं निश्चितता से किए जाते हैं। यही नहीं, शल्यकर्मोत्तर उपचार (post operative care), जो पहले नितांत सतर्कता एवं चिंता का विषय हुआ करता था, आज उपलब्ध साधनों के कारण बहुत सुकर हो गया है।

शल्यचिकित्सा में शल्यांघात (surgical shock) भी एक विशेष एवं महत्त्व का विषय है। शल्यांघात में रक्तचाप का एकाएक गिर जाता है तथा यह स्थानगत एवं सार्वांगिक दोनों प्रकार का होता है। प्रायः इसका मुख्य कारण हृदय का अपना कार्यात्मक दोष न होकर, शरीर का आंतरिक परिसंचरण, रक्तपरिसंचरण अपर्याप्त हो जाता है, जिससे हृदय की पर्याप्त रक्तपूर्ति [illegible] हृदय का

भी धमनियों का रुधिरसंभरण हीन कोटि का होता है। युद्ध में आहतों में यह स्थिति प्रायः पाई जाती है। अब ऐसी स्थिति में रक्त की तत्कालपूर्ति रुधिराधान द्वारा, अथवा अन्य स्थानापन्न उपायों यथा समदाबी लवणजल (normal saline) के शिरांतः प्रवेश आदि द्वारा की जाती है। अब बड़े स्थानों में संपूर्ण रुधिर बैंक (blood bank) की व्यवस्था भी है, जहाँ से प्रत्येक रोगी के उपयुक्त रुधिर तत्काल प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानापन्न द्रव (substitutes) भी सुलभ हैं।

शल्यचिकित्सोपयोगी उपकरण — शल्यचिकित्सा की सफलता एवं शल्यकर्म में अभीष्ट की उपलब्धि के लिये, यथासमय आवश्यक यंत्रशस्त्र एवं अन्य उपकरणों की सुलभता अपना विशिष्ट महत्व रखती है। उपकरणों के प्रयोग में शल्यचिकित्सक का हस्तकौशल सर्वप्रमुख है, क्योंकि सभी शल्यकर्म सर्जन के हस्तकौशलाधीन हैं। शल्यकर्म के क्षेत्र, स्वरूप एवं तत्संबंधी क्रियाओं की नानाविधिकरता है। ऐतिहासिक युगों के साथ साथ यंत्र और उपकरणों के निर्माण हेतु प्रयुक्त पदार्थों में भी सुधार होता रहा और अब अच्छे शल्यचिकित्सोपयोगी यंत्र उपलब्ध हैं, जिनमें रोगाणुसंक्रमण एवं निर्जीवाणुकरण की शोधन प्रक्रियाओं का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। चिकित्सा विज्ञान के अन्य अंगों के विकास तथा आधारभूत वैज्ञानिक विषयों एवं धातुकर्म तथा औषधनिर्माण आदि अन्य तकनीकी विज्ञानों की उन्नति एवं विकास के साथ साथ, इन उपकरणों में भी अद्भुत सुधार किए जा रहे हैं। सफलतापूर्वक शल्यकर्म एवं अन्य शल्य प्रक्रियाओं के लिये आवश्यक साजसज्जा से युक्त आपरेशन थिएटर एवं उसी से संलग्न निर्जीवाणुकरण, ड्रेसिंग एवं शल्यकर्मोत्तर तत्काल देखरेख के हेतु रोगी को रखने एवं तत्संबंधी अन्य आवश्यकताओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब इस दिशा में भी पर्याप्त सुधार हो गया है।

वर्तमान काल में रेडियोलॉजी (Radiology) एवं न्यूक्लियर मेडिसिन के विकास ने भी शल्यचिकित्सा की प्रगति में पर्याप्त सहायता की है। ऐक्स किरण चित्रण द्वारा अब अंतःस्थित शल्य, विकृति एवं शल्यकर्मोपयुक्त स्थल का निर्धारण निश्चित रूपेण एवं सुगमता से कर लिया जाता है। विशेषतः विकलांगचिकित्सा एवं अस्थिभंगचिकित्सा में ऐक्स किरण प्रधान सहायक होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन भौतिकविदों (nuclear physicists) ने भी अनेक महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की है, जिनका विशिष्ट उपयोग कायचिकित्सा में भी किया जाता है। इस प्रकार आधारभूत विज्ञानों (basic sciences) एवं चिकित्सा विज्ञान के अन्य विभागों की उन्नति के साथ शल्यचिकित्सा ने भी अत्यंत विकसित होकर, विशेष विभाग के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लिया है, जैसे नेत्ररोग [illegible] (Ophthalmology), नासा-कर्ण-कंठ रोग विज्ञान [illegible] Surgery), विकलांग चिकित्सा (Orthopaedics), [illegible] (Plastic Surgery), उरोमत [illegible] Surgery), मूत्रसंस्थानी शल्यचिकित्सा, [illegible]), स्त्रीरोग विज्ञान [illegible] (Dental Surgery) आदि। [illegible] के लिये अधिकृत संस्थान एवं विशेषज्ञों की संस्थाएँ स्थापित हो गई हैं, जो प्रशिक्षण का नियंत्रण करती हैं तथा विशेषज्ञ के रूप में चिकित्सा करने का अधिकार प्रदान करती हैं, जैसे इंग्लैंड का रॉयल कॉलेज ऑव गाइनिकॉलोजी, रॉयल कॉलेज ऑव सर्जन्स, अमरीकन कॉलेज ऑव सर्जन्स आदि। परीक्षणात्मक शल्यचिकित्सा (Experimental Surgery) भी वर्तमान युग की एक देन है। [रा० सु० सिं० तथा भू० ना० सिं०]

शवपरीक्षा (Autopsy) मृत्यु के पश्चात् आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त, अथवा रोगग्रस्त, मृतक के विषय में वैज्ञानिक अनुसंधान के हेतु शरीर की परीक्षा, अथवा शवपरीक्षा, करना अतिआवश्यक है। रोग उपचारक शवपरीक्षा के द्वारा ही रोग की प्रकृति, विस्तार, विशालता एवं जटिलता के विषय में भली प्रकार तथ्य जान सकता है।

शवपरीक्षा भली प्रकार करना उचित है एवं सहयोग के हेतु रोगग्रसित अंग अथवा ऊतक, की सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षा एवं कीटाणुशास्त्रीय परीक्षा अपेक्षित है। उस प्रत्येक मृतक की, जिसकी मृत्यु का कारण आकस्मिक दुर्घटना हो और उचित कारण अज्ञात हो, मृत्यु का कारण एवं उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिये शवपरीक्षा करना नितांत आवश्यक रूप से अपेक्षित है।

शवपरीक्षा करने के पूर्व मृतक के निकट संबंधी से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है और शवपरीक्षा मृत्यु के ६ से १० घंटे के भीतर ही कर लेनी चाहिए, अन्यथा शव में मृत्योपरांत अवश्यंभावी प्राकृतिक परिवर्तन हो जाने की आशंका रहेगी, जैसे शव ऐंठन (rigor mortis), शवश्लिथता (postmortem) एवं विघटन (decomposition)। यह परिवर्तन अधिकतर रोगावस्था के परिवर्तनों के समान ही होते हैं।

आवश्यक वस्तुएँ — कुछ शल्य अस्त्र, उदाहरणार्थ चाकू, चिमटियाँ, कैंची, सलाई आदि, की शवपरीक्षा में आवश्यकता पड़ती है। शव को सीने के लिये सुई एवं प्रबल धागे की भी आवश्यकता होती है।

शवपरीक्षा करने की निम्नलिखित दो विधियाँ होती हैं :

(अ) बाह्य निरीक्षण एवं परीक्षा — इसके अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षा करना आवश्यक है।

(१) शरीर का विकास, (२) शरीर की पौष्टिकता, (३) धातु एवं लिंग, (४) शव ऐंठन की विद्यमानता एवं उसकी श्रेणी, (५) त्वचा का रंग, जैसे नीलिमायन, (७) त्वचा विच्छेद, गिल्टी, आघातचिह्न (८) मुखन तथा (९) शरीर के सब छिद्रों आदि का पूर्ण सतर्कतापूर्वक परीक्षण। यह करना नितांत आवश्यक होता है।

(ब) आंतरिक परीक्षा — प्रथम ठुड्डी से जघन (pubic) जोड़ तक अवच्छेदन कर, त्वचा एवं मांसपेशियों को हटाकर, वक्षास्थि को पृथक् कर दिया जाता है। तत्पश्चात् आँत के ऊपर की झिल्ली तथा फुफ्फुस झिल्ली का पूर्ण परीक्षण करना आवश्यक है।

देहगुहा के सब अंगों को पृथक् कर, उनका भार एवं उनका विस्तृत विवरण ज्ञात किया जाता है। सब अंगों को उनके स्थान विशेषज्ञ में, जैसे फॉर्मेलिन में, भली प्रकार रख देना अपेक्षित

है। फॉसिल ऊतक की रचना को पूर्ववत् बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। रक्षित ऊतक के खंड कर तथा उचित रंगविलयता प्रदान कर, सूक्ष्मदर्शी से उनका परीक्षण किया जाता है।

यदि मृत्यु का कारण रोग न होकर कोई आकस्मिक दुर्घटना, विषपान, अथवा अन्य कोई कारण हो, तो देहमुद्रा के तंत्र रक्षित विलयन में सुरक्षित रखे जाते हैं, तत्पश्चात् रासायनिक परीक्षण द्वारा परीक्षा होने पर मृत्यु का उचित कारण ज्ञात किया जाता है।

शरीर के मुख्य अंगों का प्राकृतिक भार — (१) हृदय १०० ग्राम, (२) फुफ्फुस १२५-१६० ग्राम, (३) यकृत १,५००-१,८०० ग्राम, (४) वृक्क १५० ग्राम, (५) प्लीहा १५०-२०० ग्राम तथा (६) अग्न्याशय ९०-१२० ग्राम। [उ० ना० मु०]

शशक (Rabbit) दंतीवर्ग श्रेणी का एक प्राणी है। यह सीधा, डरपोक तथा भोला भाला प्राणी है। यह एक फुट लंबा होता है और बहुत ही मुलायम बालों से ढँका रहता है। इसका शरीर चार भागों में बाँटा जा सकता है: (क) सिर (ख) गर्दन, (ग) धड़ तथा (घ) पूँछ। ऊपरवाला ओष्ठ बीच में फटा होता है, जिससे कड़ा भोजन कुतरते समय शशक को कोई चोट नहीं आती। कर्णपल्लव (कान का छोर) लंबे, मुड़े हुए और ऊपर की ओर नुकीले होते हैं, जो इच्छा से हिलाए जा सकते हैं। मेढक की भाँति शशक की पिछली टाँगें बहुत लंबी होती हैं। इनके द्वारा वह उछलता कूदता चलता है, अथवा छलाँग मारता है। इसकी दुम छोटी होती है, और खतरे के समय झुंड के अन्य सदस्यों को खतरे का संकेत देने के काम आती है।

शशक एक सर्वपरिचित जानवर है और प्रायः सभी देशों में पाया जाता है। इसका आदि निवास भूमध्यसागर (Mediterranean sea) के किनारेवाले देशों में रहा है, जहाँ से यह अन्य देशों में स्वयं, अथवा मनुष्यों द्वारा, संसार के विभिन्न भागों में प्रसारित हो गया है। यह भारत में प्रायः सभी भागों में पाया जाता है और आसानी से पाला जा सकता है। वैसे इसका प्राकृतिक निवासस्थान जंगलों में है, जहाँ यह कच्ची भूमि में सुरंग या बाँध खोदकर रहता है। यह शाकाहारी होता है। खेतों में घुसने पर कृषि को बड़ी हानि पहुँचाता है।

शशक की औसत आयु आठ वर्ष होती है और जब छह मास का रहता है तभी से जनन प्रारंभ कर देता है। मादा साल में चार या पाँच बार बच्चे देती है, और प्रत्येक बार पाँच से आठ बच्चे होते हैं। कुछ ही काल में इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। पैदा होने के समय बच्चे बालरहित, अंधे तथा स्वतंत्र रूप से चलने और भोजन ढूँढ़ने में असमर्थ होते हैं। माँ के स्तन से बच्चे दूध पीते हैं और दूध पर ही पलते हैं। बच्चे लगभग तीन सप्ताह में बड़े होकर देखने लग जाते हैं। इनके शरीर पर मुलायम बाल उग आते हैं और वे शाकाहारी हो जाते हैं।

शशक की तीव्र घ्राण, तीक्ष्ण श्रवण तथा व्यापक दृष्टिशक्ति शत्रुओं से रक्षा पाने के साधन हैं, क्योंकि इन शक्तियों के कारण यह बहुत ही चौकन्ना रहता है, और ज्यों ही किसी शत्रु का भान होता है, बड़ी लंबी लंबी छलाँगें मारकर भाग खड़ा होता है। कुत्ते, लोमड़ियाँ, बिल्लियाँ, बिज्जू, तथा बाज अथवा चिकरा आदि इसके मुख्य शत्रु हैं। इसका मांस स्वादिष्ट होता है, अतः मनुष्य भी इसका शिकार करते हैं। शशक अपने शत्रुओं से बचने के लिए प्रायः गोधूलि के समय ही चरने निकलते हैं।

शशक की अनेक उपजातियाँ हैं। पालतू अवस्था में बंधन करने के कारण, इनके स्वभाव तथा आकृति में अंतर हो गया है। जंगली शशक से मनुष्य ने पालतू शशक का परिवर्धन किया है।

पालतू शशक के समान जंगलों और खेतों में एक दूसरी जाति भी मिलती है, जिसको सामान्यतः खरहा कहते हैं। खरहे का रंग भूरा, और लंबाई होती है, जिसके कारण इसका सुरंगों में रहा लगाना कठिन होता है। यह शशक की भाँति झुंड में न रहकर अकेला रहता है और बिल या सुरंगें नहीं खोदता, बल्कि झाड़ियों में छिपा रहता है। इसकी बाह्य रचना शशक से भिन्न होती है। दाँत तथा खरहे की आंतरिक रचना में भी अंतर होता है।

[मु० ना० म०]

शस्त्र और कवच (Arms and Armour) मनुष्य की शारीरिक शक्ति अन्य जीवधारियों की तुलना में बहुत ही सीमित है। अपने शत्रुओं को परास्त करने या जानवरों के शिकार के लिये मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से, अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने पहले डंडों का और उसके बाद, अस्त्रों का आविष्कार किया। जिन वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य ने सीखा, उनको उसने अस्त्र शस्त्र बनाने के काम में भी प्रयुक्त किया। इस प्रकार जब मनुष्य को केवल पत्थर या लकड़ी का प्रयोग मालूम था, तब शस्त्र पत्थर या लकड़ी के बनते थे। इसके बाद जैसे जैसे धातुओं के प्रयोग में मनुष्य उन्नति करता गया, उसके साथ ही साथ शस्त्रों के बनाने में भी धातुएँ प्रयुक्त होने लगीं। साथ ही बहुत से नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी बनने लगे, जो पहले पत्थर, लकड़ी या मुलायम धातुओं से नहीं बनाए जा सकते थे।

अस्त्र शस्त्रों के विकास के साथ साथ मनुष्य ने उनसे अपने को बचाने के लिये कवच के प्रयोग में भी उन्नति की। कवच बनाने के लिये भी बहुत प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया गया। जैसे जैसे हथियार उत्तरोत्तर कारगर बनने लगे, कवच को भी उसी अनुपात में उतना ही अधिक मजबूत बनाना आवश्यक हो गया (देखें अस्त्र शस्त्र)।

जब तक मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग नहीं सीखा था, तब तक अस्त्र शस्त्र पत्थर के बनते थे। पत्थर के बाद हथियारों के बनाने में धातुओं में पहले पहल काँसे का प्रयोग हुआ। काँसे के हथियार मिस्र की खुदाई में प्राचीन यूनान, भारत में मोहनजोदड़ो और इसके समकालीन अन्य स्थानों में मिले हैं। ग्रीक कवि होमर के काव्यों में काँसे के कवच का भी उल्लेख है।

लोहे का आविष्कार होने के बाद हथियार लोहे के बनने लगे। प्राचीन यूनानियों के मुख्य हथियार भाला, बरछे और तलवार थे। इन सब में भाला, जो ६ से २४ फुट तक लंबा होता था, सबसे मुख्य माना जाता था। ग्रीक तलवार दो फुट से भी छोटी होती थी और काटने के बजाय घुसेड़ने के काम में लाई जाती थी। परशे में ग्रीक तलवार दाहिनी ओर लगाई जाती थी। होमर ने अपने काव्य

मे तीर कमान के प्रयोग का उल्लेख किया है। इससे यह होता है कि प्राचीन यूनानी तीर कमान के प्रयोग में रंतु उस समय की लड़ाइयों के वृतांत से पता चलता है कि ार का कभी विस्तृत रूप से यूनान में प्रयोग नहीं हुआ। ीन यूनान की सैन्य संचालन की शैली पर कोई असर नहीं

कमान का सबसे अधिक प्रयोग प्राचीन मिस्र में होता था। ा का यह मुख्य हथियार समझा जाता था। मिस्री कमानें मनुष्य के कद से कुछ छोटी होती थीं। तीर सेठे के बनाए जिनमें नोक कांसे की लगाई जाती थी। मिस्र देश की विशे- कांटेदार हथियार था, जो दुश्मन की तलवार को फेंककर काम में लाया जाता था। प्राचीन ऐसिरिया में भी तीर ा विस्तृत रूप से प्रयोग होता था, परंतु उन लोगों में भाला ेद का मिस्र देश वासियों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता था। तिरिक्त युद्ध के यंत्रों में प्राचीन ऐसिरिया में काफी उन्नति हो । रथ, जिनकी धुरी में हँसिए लगे हुए होते थे, घेरा डालने के किलों के अंदर भारी पत्थर फेंकने के यंत्र इत्यादि, लड़ाई के ा ऐसिरिया में आविष्कार हुआ था। प्राचीन भारत में तीर का विस्तृत रूप से प्रयोग होता था। रामायण और महाभारत ा बहुत जगह उल्लेख है। इसके अतिरिक्त शक्ति, गदा, फरसा, र इत्यादि भी उस समय प्रयुक्त किए जाते थे। लड़ाई में रथों त प्रयोग होता था।

ाचीन रोम के मुख्य हथियार तलवार, भाला और

इस ढाल में ऊपर की ओर एक सुराख रहता था, जिसमें से निशाना लिया जा सकता था। प्राचीन यूनान में बहुत बड़ी ढाल का प्रयोग होता था, जिससे सारे शरीर का बचाव हो सकता था। इसका आकार गोल या अंडाकार होता था और सामने से उभरी हुई रहती थी। धीरे धीरे ढालों का आकार उत्तरोत्तर छोटा बनने लगा।

प्राचीन भारत में ढालें आम तौर से काम में लाई जाती थीं। ढालें गोल होती थीं और उनसे शरीर के ऊपरी भाग का बचाव हो जाता था। अधिकतर ढालें भैंसे, या गैंडे के चमड़े की बनाई जाती थीं।

रोमन सैनिक दो प्रकार की ढालों का प्रयोग करते थे: एक को स्कूटम (Scutum) कहते थे, जो आयताकार, बड़ी और बहुत उभरी हुई होती थी। यह ढाल बड़ी पैदल सेना को मिलती थी। दूसरी जो 'पार्मा' कहलाती थी, छोटी, गोल या अंडाकार और चपटी ढाल होती थी तथा छोटी, पैदल और घुड़सवार सेना के लिये थी। ढालों के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही और रोम के अंतिम दिनों में तो ढालें बहुत बड़ी बनने लगीं।

झिलम या जिरहबख्तर प्राचीन ऐसिरिया, मिस्र, यूनान और रोम में आम तौर से प्रयुक्त होता था। ऐसिरियाई झिलम गावदुम होता था। कभी कभी इसकी कलँगी आगे की ओर झुकी हुई होती थी। यूनानी झिलम की, जो गरदन के पीछे झुकी हुई होती थी, कलँगी बहुत ऊँची होती थी, रोमन झिलम में गर्दन और चेहरे के बचाव का भी बंदोबस्त रहता था। महाभारत में जिरहबख्तर के प्रयोग का उल्लेख

थी। कुछ काल पश्चात् ढाल चमड़े की जगह लोहे से मढ़ी जाने लगी और उसकी शकल गोलाकार बनाई जाने लगी।

फ्रैंक जाति का विशेष हथियार कुल्हाड़ी थी जिसको फ्रासिस्का कहते थे। इसके फल मे एक ही तरफ धार होती थी और बेंट छोटी होती थी। इस कुल्हाड़ी को फेंककर मारा जाता था। फ्रैंक लोगो का बरछा रोमन बरछे के समान होता था और उसके प्रयोग करने की विधि भी रोमन बरछे की तरह थी। फ्रैंक लोगो में तलवार केवल घुड़सवार ही रखते थे। फ्रैंक लोग कवच का प्रयोग नहीं करते थे, बचाव के लिये केवल एक गोल ढाल रखते थे। इन्हीं के समकालीन स्कैंडिनेविया की जातियो के मुख्य हथियार तलवार और ढाल थी। तलवार सीधी, लंबी और दुधारी होती थी। ढाल गोल, चपटी और लकड़ी की बनी हुई होती थी, जो कभी काँसे से और कभी लोहे से मढ़ी जाती थी। इन ढालो का व्यास २२ इंच से ४४ इंच तक होता था। ऐंग्लो सैक्सन पैदल सैनिको के आम हथियार भाला, कुल्हाड़ी और एक विशेष प्रकार का भारी चाकू होता था। तलवार फ्रैंक लोगो की तरह केवल घुड़सवार रखते थे। यह तलवार तीन फुट लंबी, चौड़े फल की, और गोल नोकवाली होती थी। ऐंग्लो सैक्सन ढाल गोल या अंडाकार लकड़ी की बनती थी, जिसपर चमड़ा चढ़ा हुआ होता था और बाहर की तरफ एक नोक लगी रहती थी।

क्रूसेड्स के काल में चेन का जिरहबकतर बनना आरंभ हो गया था। १४वीं शताब्दी तक जिरह बकतर चेन के ही बनते रहे। १५ [illegible] सदी में चेन तथा प्लेट; दोनों के जिरह चलने लगे और शताब्दी के अंत मे केवल प्लेट के ही जिरहबकतर का चलन रह गया। इससे प्लेट के जिरह बकतर बनाने की कारीगरी का विकास हुआ जो सोलहवीं शताब्दी प्रारंभ होते होते उच्चतम शिखर पर पहुँच गई। जिरहबकतर अंत में इतने भारी हो गए कि उनको पहनकर पैदल लड़ना लगभग असंभव हो गया। इसलिये

चित्र १. विविध जिरहबकतर

चेन के : १. और २. घोड़ा के लिये तथा ३. घोड़े के लिये। प्लेट के : ४. घोड़ा के लिये तथा ५. मानव के लिये।

घोड़ों के बचाव के लिये जिरह बकतर का प्रयोग आवश्यक हो गया। कारीगरी इस हद तक पहुँच गई कि जिरहबकतर ओढ़कर उसमें कोई सेंध पाकर दुश्मन के शरीर पर चोट करना करीब करीब असंभव हो गया। इसलिये विपक्षी को जख्मी करने के बजाय घोड़े से गिराना लड़ाई का मुख्य उद्देश्य हो गया। घोड़े से गिरा कर गदा से मार मारकर, दुश्मन की जान निकाल देना लड़ाई का माना हुआ तरीका हो गया।

अच्छे जिरह या बकतर बनने पर ढालो की कोई आवश्यकता नहीं रह गई और धीरे धीरे उनका प्रयोग बंद हो गया।

प्लेट के जिरहबकतर मे शरीर के अवयवों की हरकत में काफी विघ्न पड़ता था, इसलिये १७वीं शताब्दी में छोटे छोटे प्लेट, जो कपड़े में टँके हुए होते थे, जिरह बनाने के लिये काम में लाए जाने लगे। इस काल मे बकतरबंद योद्धाओं के हथियार बल्लम, तलवार,

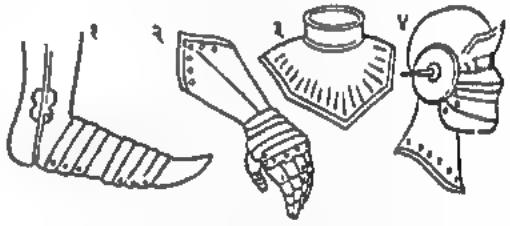

चित्र २. प्लेट के बने अंगों के कवच

१. पादत्राण, २. हस्तत्राण; ३. वक्षत्राण तथा ४. शिरस्त्राण।

गदा और कुल्हाड़ी थे। ये सब हथियार भारी और मजबूत बनाए जाते थे, क्योंकि हलके हथियारों का प्लेट के जिरहबकतर पर कोई असर नहीं हो सकता था। बल्लम का प्रयोग जख्म करने के अतिरिक्त विपक्षी को धक्के से घोड़े से गिरा देने के लिये भी होता था। तलवारें भारी होने के कारण दोनों हाथों से चलाई जाती थीं।

प्लेट का जिरहबकतर इतना भारी होता था कि केवल घुड़सवार ही उसको पहनकर लड़ सकते थे, इसलिये सेनाओं में घुड़सवार सेना ही मुख्य सेना हो गई थी और पैदल सेना का गिनती में नहीं रह गई थी। केवल इंग्लैंड में पैदल तीरंदाज सेना के आवश्यक और कभी कभी तो मुख्य अंग बने रहे। मध्य विजय के समय लॉंबेन कमानें गज भर लंबी होती थीं। [illegible] पाँच और छह फुट की कमानें बनने लगीं, जिनसे एक गज लंबा तीर चलाया जाता था। जर्मनी और इटली में भी कमानों का चलन था, जो करीब डेढ़ गज लंबी होती थीं। बाद में क्रॉसबो (crossbow) का आविष्कार हुआ। इसकी मार हाथ से खींचनेवाली कमान से बहुत अधिक होती थी और तीर में ताकत भी बहुत अधिक होती थी, पर इसके कमान में बहुत समय लगता था। इसलिये क्रॉसबो कमान का चलन बंद न कर सकी। [illegible] कमान और क्रॉसबो पुरोहित देशों में १७वीं शताब्दी तक चलते रहे। बारूद का आविष्कार होने से पहले, पुरोहित देशों के [illegible] मुख्य हथियार थे। [illegible] बड़ी बड़ी [illegible] थी, जो [illegible] होती थी, चलती रहीं।

पैदल सिपाही सेना के बहुत गौण अंग माने जाते थे और उनके बचाव के लिये केवल चमड़े के, या ईर्ष्ट मेरे, कोट दिए जाते थे।

बारूद का आविष्कार तो चौदहवीं शताब्दी में ही हो गया था, पर बारूद से चलनेवाले हथियारों, तोपों, बंदूकों, और पिस्तौलों में बहुत काल तक कोई उन्नति नहीं हुई। क्रमश इन हथियारों में

चित्र १. कवचित अश्वारोही
अश्व तथा योद्धा के जिरहबख्तर प्लेट के बने हैं तथा हाथ में तोड़ेदार माथ बंदूक है।

उन्नति होने पर, लड़ाई के हथियार, रणतैकों और बचाव के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। सब से पहले तोप का प्रयोग ग्रांस में, जंगे शहर के घेरे में, सन् १३३६ ई० में हुआ। इन तोपों से पत्थर का गोला चलाया जाता था और यह पीछे से भरी जाती थीं। पहली सदी में लड़ाई के मैदान में ले जाई जानेवाली तोपें बनने लगीं। १७वीं सदी के लगभग बीच में, फ्रांस देश में मार्टर या बम गोला फेंकनेवाली छोटी तोपें बनीं। बंदूकों का बनना १५वीं सदी में आरम्भ हुआ। स्विस सेना ने बड़े पैमाने पर बंदूकों का प्रयोग सन् १४०६ ई० में मोरात की लड़ाई में किया। इंग्लैंड में सन् १४०५ में, ग्रीनैन पट्टन को पहले पहल बंदूकें मिलीं। ये प्रारम्भिक बंदूकें बहुत ही भद्दी बनी हुई होती थीं, उनका निशाना बहुत गलत लगता था, और मार भी बहुत कम होती थी। इन बंदूकों को चलाने में, दो मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती थी और चलाते समय नाल को साधने के टेक लगाए जाते थे। इन बंदूकों को चलाने के लिये, हाथ से पलीता लगाया जाता था। १४७९ ईस्वी में, पलीता लगाने के लिये घोड़े का प्रयोग आरम्भ हुआ। जलता हुआ पलीता एक पुर्जे में बँधा हुआ होता था, जो घोड़ा दबाने पर झुककर, नाल में सटे हुए बारूद के सिर में लग जाता था, और फायर हो जाता था। और भी कई प्रकार की कलों का बंदूकों को फायर करने के लिये आविष्कार हुआ, जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ १९वीं शताब्दी तक चलती रही। सन् १८०७ ई० में स्कॉटलैंड के एक पादरी ने टोपीदार बंदूक का आविष्कार किया। इस आविष्कार के साथ बंदूकों की शकल बहुत कुछ आधुनिक हो गई। सन् १८३६ में जर्मनी के शहर हरफर्ट में सबसे पहले कारतूसी बंदूक बनी और २०वीं शताब्दी का आरंभ होने तक, उसकी बनावट में बहुत कुछ उन्नति हो गई। कारतूसी बंदूकों के साथ साथ तोपें भी, जो मुँह से भरी जाती थीं, पीछे से भरनेवाली बनने लगीं। इसी समय स्पाट नली की जगह घूमेदार नली का आविष्कार होने से सफल बनी। इस आविष्कार से बंदूकों और तोपों की मार पहले से कहीं अधिक हो गई और उनके निशाने में बहुत अधिक सच्चाई आ गई। १६५० ई० में फ्रेंच मार्शल वर्वां ने संगीन का आविष्कार किया। इस हथियार के ईजाद होने से पैदल सेना का भाला अनावश्यक हो गया।

आरम्भ में बंदूक की मार से बचने के लिये अधिक मजबूत कवच बनाए गए। ऐसा करने से कवच का बोझ बढ़ गया। जैसे जैसे बंदूक और पिस्तौल की बनावट और मार में उन्नति होती गई, वैसे वैसे उनसे बचने के लिये कवच का बोझ बढ़ता गया। अंत में यह बोझ इतना बढ़ गया कि कवच की कोई व्यावहारिक उपयोगिता न रह गई। रायफल का आविष्कार होने के बाद तो बंदूकों और पिस्तौलों में इतनी शक्ति बढ़ गई कि कवच उनके सामने बेकार हो गया। इस प्रकार १८वीं सदी में जिरहबख्तर का चलन उठ गया। बिना बचाव के रायफलों और तोपों के सामने जाने का मतलब तो निश्चित मृत्यु के मुख में जाना था। फिर मशीनगन का आविष्कार होने के बाद तो सेनाओं का खुले मैदान में आना असम्भव हो गया। सन् १९१४-१८ की लड़ाई में जर्मन और मित्र राष्ट्रों की फौजें आमने सामने खाइयों में पड़ी रहीं, और हमला करके हराना दोनों फौजों के लिये बहुत हानिकारक और कठिन काम हो गया।

अंत में टैंक का आविष्कार होने पर ही इस कठिनाई का अंत हुआ। वास्तव में टैंक वही कार्य करने के लिये बने जो काम पहले

चित्र ४. चोटों से सुरक्षित यान
एक हल्का टैंक।

जिरहबख्तर किया करता था। इसीलिये टैंक सेना का नाम बार्गर

पड़ा। टैंकों के आने से और पिछले महायुद्ध में उनके बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने से, युद्ध की शकल ही बिल्कुल बदल गई। लड़ाई के दौरान टैंकों की बनावट और उनके प्रयोग में बहुत प्रगति हुई। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के टैंक बनाए गए। हलके, मझोले और भारी, तेज और धीमे, हलकी और भारी तोपवाले, तरह तरह के टैंक लड़ाई के मैदान में दिखाई देने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि लड़ाई की शैली का भविष्य टैंकों के हाथ में है।

पर साथ ही साथ टैंकमार तोपों की उन्नति से एक संतुलन स्थापित हो गया। पहले पहल तो टैंकों की ही जीत रही, पर धीरे-धीरे, जैसे जैसे अधिक शक्तिशाली तोपें बनीं, टैंक काबू में आ गए। पहले टैंकमार तोपों को खींचने के लिये किसी दूसरी गाड़ी को जोतना पड़ता था। बाद में स्वचालित तोपें बनने लगीं। वैलेंटाइन आर्चर इसी प्रकार की तोप थी, जो पिछले महायुद्ध के समाप्त होने पर बहुत उत्तम टैंकमार तोप समझी जाती थी। महायुद्ध के बाद लोपका आर्म, और बिना धक्केवाली तोपों के आविष्कार से सेनाओं की टैंकमार शक्ति बहुत [illegible] गई। अब यह कहा जा सकता है कि इस समय टैंक शक्ति से टैंक मार शक्ति अधिक प्रबल है।

नौसेना में भी इसी प्रकार, तोप और जहाजों के आर्मर में भी प्रतियोगिता चलती रही। वायुशक्ति के विकास से इस प्रतियोगिता का इतना महत्व नहीं रह गया। आजकल जहाजों के आर्मर के बजाय उनकी तोपों और चाल की तेजी का अधिक महत्व है।

[म० पं० च०]

शहडोल १. जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जिला है, जिसके उत्तर पश्चिम में सतना, उत्तर पूर्व में सीधी, पूर्व में सरगुजा, दक्षिण-पूर्व में बिलासपुर, दक्षिण-पश्चिम में मंडला और पश्चिम में जबलपुर जिले हैं। इस जिले का क्षेत्रफल ५,४१२ वर्ग मील एवं जनसंख्या ८,१८,९१८ (१९६१) है। यह जिला मध्य प्रदेश का प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ के [illegible] नामक धान से बना चावल अपने सुगंध एवं स्वाद के लिये प्रसिद्ध है। जिले के उमरिया, सोहागपुर तथा [illegible] में कोयले की खानें हैं। जिले का बड़ा भूभाग जंगलों से आच्छादित है। इमारती लकड़ियाँ, बीड़ी बनाने के पत्ते, लाख, बाँस तथा महुए का व्यापार जिले में होता है। [illegible] तथा शहडोल जिले के प्रमुख नगर हैं।

२. नगर, स्थिति : २३° [illegible] उ० अ० तथा ८१° २०' पू० दे० ; यह शहडोल जिले का [illegible] केंद्र है। नगर में [illegible] भी है। यह [illegible] का स्टेशन भी है। नगर की जनसंख्या [illegible] (१९६१) है।

[अ० ना० म०]

शहतूत या तूत (Mulberry) [illegible] (Moraceae) [illegible]

लिये की जाती है, यद्यपि इसके फल भी उपयोग में मैसूर में इसकी बागवानी लगभग ७०,००० एकड़ भूमि है। मद्रास और बिहार के भागलपुर में भी इसकी होती है। जहाँ जहाँ रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, वहाँ

शहतूत

शाख, पत्तियाँ तथा फल।

पेड़ उगाए जाते हैं। यह शीतकटिबंधी वृक्ष है। [illegible] कटिबंधी और समोष्ण कटिबंधी स्थानों में भी उगता है। [illegible] बहुत [illegible] सकता है। [illegible] पेड़ में कीड़े का रोग लग सकते हैं।

[illegible] (Cuttings, [illegible]) [illegible]

[illegible] है। यूरोप में इससे शराब भी बनाई जाती है। फल में औसतन ९ प्रति शत चीनी और ०·६५ प्रति शत अम्ल पाया जाता है।

स० ग्रं०—रामसागर राय - उद्यान-कृषि दर्शन, प्रकाशक, कला निकेतन, पटना। [फू० स० व०]

शांडिल्य यह नाम गोत्रसूची में है, अत. पुराणादि में शांडिल्य नाम से जो कथाएँ मिलती हैं, वे सब एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद् में शांडिल्य का प्रसंग है। पंचरात्र की परंपरा में शांडिल्य आचार्य प्रामाणिक पुरुष माने जाते हैं (द्र० ईश्वरसंहिता)। शांडिल्यसंहिता प्रचलित है; शांडिल्य भक्तिसूत्र भी प्रचलित है। इसी प्रकार शांडिल्योपनिषद् नाम का एक ग्रंथ भी है, जो बहुत प्राचीन ज्ञात नहीं होता।

युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडिल्य का नाम है। राजा सुमंतु ने इनको प्रचुर दान दिया था, यह अनुशासन पर्व (१३७।२२) से जाना जाता है। अनुशासन ६५।१९ से जाना जाता है कि इसी ऋषि ने बैलगाड़ी के दान को श्रेष्ठ दान कहा था।

शांडिल्य नामक आचार्य अन्य शास्त्रों में भी स्मृत हुए हैं। हेमाद्रि के लक्षणप्रकाश में शांडिल्य को आयुर्वेदाचार्य कहा गया है। विभिन्न व्याख्यान ग्रंथों से पता चलता है कि इनके नाम से एक गृह्यसूत्र एवं एक स्मृतिग्रंथ भी था। [रा० श० भ०]

शांतिपुर स्थिति : २३° १५′ उ० अ० तथा ८८° २७′ पू० दे०। यह भारत में पश्चिमी बंगाल राज्य के नदिया जिले में रानाघाट उपविभाग का हुगली नदी के किनारे स्थित एक नगर है। इस नगर की जनसंख्या ५१,१९० (१९६१) है। पहले शांतिपुर कपड़ा बुनने के उद्योग के लिये विख्यात था, पर अब यह स्थिति नहीं रही। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को रासयात्रा का उत्सव मनाया जाता है। यह एक अच्छा बाजार भी है। [अ० सि०]

शांपोलियों, जाँ फ्रांस्वा (१७९०-१८३२) २३ दिसंबर, १७९० ई० को फ्रांस में जन्म। सोलह वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रेनोब्ल की अकादमी के समक्ष एक लेख पढ़ा जिसमें कोप्टी मिस्र की प्राचीन भाषा स्वीकार की गई थी। इस लेख ने लोगों का ध्यान मिस्री विद्या की ओर आकृष्ट किया। वस्तुतः इससे मिस्री पुरातत्व का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ होता है। शीघ्र ही वे पेरिस जा पहुँचे जहाँ ग्रेनोब्ल की एक साहित्यिक संस्था द्वारा १८०९ ई० में इतिहास के प्राध्यापक पद पर नियुक्त होकर संमानित हुए। इन्होंने मिस्री चित्रलेख की कुंजी १८२१ में प्रस्तुत की। १८२४ में चार्ल्स १०वें की आज्ञा से इटली के संग्रहालयों में संगृहीत मिस्री पुरावशेषों के अध्ययनार्थ इन्हें जाना पड़ा। वहाँ से लौटने पर तूरिन के मिस्री संग्रहालय के ये डायरेक्टर बने। १८२८ में मिस्र के पुरावशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का भार इन्हें सौंपा गया। १८३१ में कालेज द फ्रांस में मिस्र के पुरातत्व प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए और मृत्यु के पूर्व तक मिस्री खोजों के निष्कर्षों को प्रकाशित करने में व्यस्त रहे। [illegible] पुरातत्व के संस्थापक के रूप में प्रख्यात हैं। मिस्री लिपि की कुंजी 'रोज़ेटा स्टोन' को पढ़ने का श्रेय टॉमस यंग के साथ इनको ही है। [क० ना० गु०]

शांसी (Shansi) प्रांत, स्थिति : ३८° २०′ उ० अ० तथा ११२° ०′ पू० दे०। चीनी भाषा में शांसी का अर्थ है, पर्वत के पश्चिम में। उत्तरी चीन में, शांसी, पहाड़ों के पश्चिम, ६०,३९१ वर्ग मील तथा लगभग एक करोड़ जनसंख्यावाला एक प्रांत है। इसकी राजधानी योंगचु या ताइयुआन है। इसके पश्चिम में शेंसी, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में होनैन तथा पूर्व और पूर्व उत्तर में होपे प्रांत एवं उत्तर में इनर मंगोलिया क्षेत्र है। शांसी पीली मिट्टी (लोयस) से ढँका पठार है। इसकी औसत ऊँचाई १,००० फुट है। फन नदी इस प्रांत को दो भागों में बाँटती है। शांसी की जलवायु महाद्वीपीय है। ताइयुआन तथा लिनफेन झीलों की घाटियों में गेहूँ, जौ, मक्का, कपास आदि की खेती होती है। पूरे प्रांत में, धरातल के नीचे कोयले की समांतर, मोटी परतें हैं। [पु० क०]

शाइस्ता खाँ मीर जुमला की मृत्यु (मार्च, १६६३ ई०) के बाद औरंगजेब का मामा शाइस्ता खाँ बंगाल का गवर्नर बनाया गया। उसने इस पद पर लगभग तीस वर्ष तक कार्य किया। औरंगजेब ने शाइस्ता खाँ को दक्षिण का भी गवर्नर बना दिया था। इस समय मराठों का सरदार शिवाजी दिन पर दिन अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। शाइस्ता खाँ को शिवाजी की कारवाइयों को दबाने का आदेश दिया गया। शाइस्ता खाँ ने पूना पर अधिकार कर लिया कल्याण के जिले से मराठों को खदेड़ दिया तथा चाकन के दुर्ग को जीत लिया। शिवाजी बीजापुर से सुलह करके निश्चिंत हो जाने पर अप्रैल, १६६३ की एक रात में शाइस्ता खाँ के पूना के निवासस्थान में चुपके से घुस गया। हरम के कई अधिकारियों आदि की हत्या करके उसने शाइस्ता खाँ पर आक्रमण किया। शाइस्ता खाँ बाल बाल बच गया। पर इस चक्कर में उसे अपना एक अँगूठा गँवा देना पड़ा। इस कांड के बाद भी शिवाजी सुरक्षित बचकर निकल गया।

समुद्री डाकुओं का अस्तित्व मिटाने के लिये शाइस्ता खाँ ने पुर्तगाली समुद्री डाकुओं पर आक्रमण करके बंगाल की खाड़ी में स्थित उनके मुख्य अड्डे सोन द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त सन् १६६६ में इन डाकुओं के मित्र, अराकान के राजा, से उसने चटगाँव भी छीन लिया था। पर शाइस्ता खाँ का यह प्रयत्न बहुत सफल सिद्ध नहीं हुआ और अट्ठारहवीं शताब्दी तक समुद्री डाकुओं का अस्तित्व बना रहा।

सन् १६७२ में शाइस्ता खाँ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक 'फरमान' प्रदान किया। इस फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल में व्यापार संबंधी करों से मुक्त कर दिया गया। दो वर्ष बाद उसने फ्रांसीसियों को बंगाल में चंद्रनगर नामक स्थान पर फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी। फ्रांसीसियों ने इस स्थान पर अपनी प्रसिद्ध फैक्ट्री बनाई। सन् १६९४ में शाइस्ता खाँ का देहांत आगरा में हुआ। [मि० चं० पा०]

शाकंभरी शाकंभरी का वर्तमान नाम सांभर है। यह पश्चिमी राजस्थान में सांभर झील के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है और नमक के निर्यात के कारण काफी प्रसिद्ध है। महाभारत के आदि पुराण में इसका उल्लेख है। स्कंदपुराण ने इसके आसपास के प्रदेश को शाकंभर सपादलक्ष की संज्ञा दी है। यहाँ की खुदाई में प्राप्त यवन, यौधेय, और हिंद-ससानी मुद्राएँ एवं उसी समय के मकान और अन्य वस्तुएँ भी इसकी प्राचीनता की द्योतक हैं।

शाकंभरी (सांभर) कई सदियों तक चौहानों की राजधानी रही और सांभर के हाथ से निकल जाने पर भी चौहान राजा 'संभरीश्वर' (शाकंभरीराज) कहलाते रहे। अजयराज चौहान ने संवत् ११७० के लगभग सांभरी के स्थान पर अजमेर को अपना राजनगर बनाया। पृथ्वीराज की पराजय के बाद यहाँ मुसलमानों का राज्य हुआ। सन् १७०८ में जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने इसपर अधिकार किया। अब इसका महत्व मुख्य रूप से सांभर नमक के कारण है।

सांभर में शाकंभरी देवी के मंदिर का उल्लेख पृथ्वीराजविजय में भी है। नगर का नाम शाकंभरी देवी के नाम से शाकंभरी (सांभर) हो गया है।

[द० श०]

शाकद्वीपीय अथवा शाकद्वीपी भारतीय वर्णव्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों का एक वर्ग है। इनके पूर्वज मूलतः शकद्वीप के निवासी थे। महाभारत तथा पुराणों में सप्तद्वीपा पृथ्वी (वसुमति) के वर्णन आते हैं। उनमें एक शकद्वीप अथवा शाकद्वीप भी था। उसकी स्थिति कहाँ थी, इसका एकमत से निरूपण नहीं हो सका है। परंतु इतना तो निश्चित है कि शकद्वीप शक नामक जाति का निवासक्षेत्र था। हीरोडोटस, दियोडोरस और स्ट्रैबो आदि ग्रीस और रोम के इतिहासकारों ने सीथिया (सिकदिया) की चर्चा की है। पर वही शकद्वीप था, यह अधिकांश विद्वानों के मत में अस्वीकार्य है। कभी कभी शकों को ईरानी और तूरानी जातियों से भी मिलाया जाता है। पारसीक अभिलेखों में शकों का निवास सिर दरया और आमू दरया के मैदानों में ज्ञात होता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे शक वहाँ से हटकर पूर्वी फारस और पश्चिमी अफगानिस्तान में चले आए। शकों के निवास का यह वही क्षेत्र है, जिसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और कुछ अभिलेखों में शकस्थान, मध्यकालीन फारसी उद्धरणों में सिजिस्तान और आधुनिक सीस्तान कहा जाता है। चीनी इतिवृत्तों से ज्ञात होता है कि शक लोग प्रारंभ में आधुनिक काशगर के आसपास रहते थे पर ईसा पूर्व दूसरी शती में यू ची नामक जाति द्वारा वहाँ से हटाए जाने पर अफगानिस्तान और फारस की सीमाओं से होते हुए उन्होंने भारतवर्ष में प्रवेश किया। सैनिक आक्रमणकारी और राजनीतिक विजेता होते हुए भी यहाँ की संस्कृति द्वारा वे जीते गए और भारतीय समाज में मिला लिए गए। संभवतः वर्णविभाजन उनमें पहले से ही था और भारतीय वर्णव्यवस्था स्वीकार करते उन्हें देर न लगी। ब्राह्मणों में उनका एक विशेष वर्ग ही हो गया, जिसे आज 'शाकद्वीपी' अथवा शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहते हैं। किसी [illegible] काल में ये ही शकस्थानी या 'सीस्तानी' कहलाते हैं। ये आज उत्तरी भारत में फैले हुए हैं। इन्होंने वैदिक काल में विशेष सफलता की।

सं० ग्रं० — दि० चं० सरकार : स्टडीज इन दि जियाग्राफी ऑव ऐंशेंट ऐंड मेडिवल इंडिया, पृ० १६३; मजुमदार और पुसलकर (संपादित) : 'दि एज ऑव इंपीरियल यूनिटी, पृष्ठ १२०; हे० रायचौधुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव ऐंशेंट इंडिया, पृ० ४३१-४३६।

[वि० प०]

शाजापुर १. जिला, स्थिति : २२° ३४' से २४° १६' उ० अ० तथा ७५° ४४' से ७७° ६' पू० दे०। भारत के मध्यप्रदेश राज्य में स्थित, इस जिले का क्षेत्रफल २,३८८ वर्ग मील तथा जनसंख्या ५,२६,११२ (१९६१) है। जिला मालवा के पठार पर स्थित है तथा यहाँ की भूमि अत्यधिक उर्वरा है। जिले में काली सिंध, चंबल तथा पार्वती मुख्य नदियाँ हैं। जिले के प्रमुख नगर शाजापुर, गुलाना तथा आगर हैं।

२ नगर, स्थिति : २३° २६' उ० अ० तथा ७६° १७' पू० दे०। यह उपर्युक्त जिले का प्रशासनिक नगर है, जो काली सिंध की सहायक नदी सकुंदर के बाएँ किनारे पर स्थित है। १६४० ई० में मालवा में आने के समय मुगल सम्राट् शाहजहाँ ने इसे बसाया था और इसका नाम शाहजहाँपुर था, जो बिगड़कर अब शाजापुर हो गया है। नगर की जनसंख्या १७,३१७ (१९६१) है।

[अ० ना० वे०]

शातोब्रियाँ (Chateaubriant १७६८-१८४८) प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक का जन्म 'से मालो' में ब्रेतान के एक प्राचीन कुलीन परिवार में हुआ था। आप अपने सरल किंतु उदास पिता, जिन अस्वस्थ माता, सुशिल नामक धार्मिक किंतु स्नायुदुर्बल बहन, ब्रेतान के वन्य दृश्य तथा समुद्र से प्रभावित हुए। सतत् युवावस्था; निर्वासन एवं निर्धनता में इंग्लैंड में प्रवास; अमरीका, जेरूसलम, मिस्र तथा स्पेन की यात्राएँ, फ्रांस में साहित्यिक एवं राजनीतिक जीवन तथा अवकाशग्रहण आपके जीवन के प्रमुख पक्ष हैं। आपकी मित्रता फोंतान तथा जुबेर नामक लेखकों और मादाम रेकामियर तथा मादाम द नोआ नामक सामाजिक महिलाओं से थी। आपकी पुस्तक 'ल जेनि दु क्रिस्तियानिस्म' संधि-दिवस १८०२ के सुअवसर पर प्रकाशित होकर फ्रांस में कैथोलिक मत की पुनःस्थापना में सहायक हुई। आपकी पुस्तिका 'द बुनापार्त ए दे बुरबों' फ्रांस में बिरबोंओं के प्रवेश के दिन (३१-३-१८१४) प्रकाशित हुई। आपने नैपोलियन की अधीनता में तथा बुरबों परिवार में कई पदों पर कार्य किया, किंतु अपनी दर्पपूर्ण स्वतंत्र प्रकृति के कारण आपको इन्हें त्यागना पड़ा। सन् १८११ में आप अकादमि के सदस्य चुने गए। सन् १८१० में आपने राजनीति से अवकाश ग्रहण किया।

आपकी पुस्तकें आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब हैं। 'एसाइ सुर ले रेव्होलुसियों' तरुण-साहित्य-पूर्ण ग्रंथ है। 'ल जेनिय क्रिस्तियानिस्म' नामक पुस्तक में आपकी धार्मिक नास्तिकता के प्रायश्चित, ईसाई मत के समर्थन, सौंदर्य विन्यास एवं मौलिक समालोचना का विधान है। 'अतिला' और 'रे' नए युग के दो उपन्यास हैं। 'अतिला' रोमैंटिक पद्धति का एक विदेशी उपन्यास है। आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति 'रे' में एक खिन्न, परिचारक एवं विलासकारी रोमैंटिक की कथा वर्णित है। यह जिनेवा और वालेन्स के 'वालेन्स हेरल्ड' के

च की कड़ी है। 'ले मारतिर' में प्रकृतिपूजक आदर्शों की अपेक्षा आई आदर्शों की उच्चता दिखाई गई है। यह एक महाकाव्य है; किंतु आपकी प्रतिभा अधिकतर इतिहासोन्मुखी है। आपने अंगरेजी साहित्य पर एक निबंध, यात्रावर्णन, 'ला ब्हि द सि' तथा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे; और 'पैराडाइज लॉस्ट' का अनुवाद किया। भव्य चित्रण एवं उपकथाओं से परिपूर्ण आपका श्रेष्ठ ग्रंथ 'मेमवार दु तॉम्ब' आत्मसमर्थन का एक प्रयत्न था।

शातोब्रियाँ विचारक नहीं थे, वरन् भव्य वर्णनों के लिये प्रसिद्ध एक कलाकार थे। आपकी अहमन्यता सभी रचनाओं में परिलक्षित होती है। आपने बुद्धिवादी युग के अंत तथा रोमैंटिक युग के आरंभ की घोषणा की। इनके रोमैंटिसिज्म के मुख्य तत्व हैं :—प्रकृति एवं आत्मा की पूजा, प्रगीतात्मकता, भावुकता इत्यादि। इन्होंने ऐसे गद्य की रचना की जिसमें केवल स्पष्टता एवं यथार्थता के स्थान पर कोमलता एवं लचीलापन है। शातोब्रियाँ का दृष्टिकोण सौंदर्य प्रधान था। आपने कविता, उपन्यास, इतिहास तथा समालोचना के क्षेत्रों में फ्रेंच साहित्य को प्रभावित किया। [एम० एम० देसाई]

शान राज्य स्थिति : २१° ३०' उ० अ० तथा ९८° ३०' पू० दे०। यह बर्मा का पूर्वी सीमांत प्रदेश है। उत्तरी तथा दक्षिणी शान राज्य और वा राज्य सम्मिलित कर, यह प्रशासनिक इकाई बनाई गई है। इसका क्षेत्रफल ६०,००० वर्ग मील तथा जनसंख्या २०,८६,००० है। इसकी राजधानी ताउंजी (Taunggyi) है। इस प्रांत में ३,००० फुट औसत ऊँचाईवाले शान पठार हैं। यहाँ की मुख्य चट्टान नीस है। राज्य में कुछ जवाहरातों की खानें भी हैं। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा ४५ इंच से ५० इंच तक है। यहाँ धान, कपास, पोस्ते तथा तरकारियों की खेती होती है। रंगून एवं मंडला रेल लाइन द्वारा लाशो आदि मुख्य केंद्रों तक पहुँचा जा सकता है। [पु० क०]

शोपेनहावर (१७८८-१८६०) "दृढ़नशील" एवं निराशावादी दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का जन्म पोलैंड के डांजिग नगर में एक धनाढ्य व्यापारी के यहाँ हुआ। १७९३ में पोलैंड के द्वितीय विभाजन के बाद तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण शोपेनहावर परिवार को पाँच वर्ष के बालक आर्थर के साथ हैंबर्ग में शरण लेनी पड़ी। परिवार की समृद्धि में कमी नहीं आई और आर्थर की शिक्षा-दीक्षा सुचारु रूप से चलती रही। १७९७-१७९९ में उसे पेरिस और हावें का भ्रमण करने का अवसर मिला। किशोर शोपेनहावर फ्रांस की साहित्यिक गतिविधि से अत्यंत प्रभावित हुआ और वोल्तेयर के विचारों ने उसके चिंतन पर अच्छी छाप छोड़ी। इंगलैंड के जीवन से उसे ऊब महसूस हुई। वहाँ से पुनः फ्रांस, स्विटजरलैंड और वियना तथा बर्लिन की यात्रा ने शोपेनहावर को जीवन की विविधता से परिचित कराया।

१८०५ में शोपेनहावर के पिता की मृत्यु एक दुर्घटना से हो गई। इससे पूरा परिवार ही छिन्न भिन्न हो गया। आर्थिक स्थिति को भी इससे धक्का लगा। उसकी माँ और दस वर्षीया बहन वेमर में चली गईं, और आर्थर हैंबर्ग में अकेला रह गया — पूर्ण एकाकी। इन घटनाओं और परिस्थितियों ने शोपेनहावर को एकांतप्रिय और आत्मलीन बना दिया। वह परछिद्रान्वेषक, आलोचक और शकालु हो उठा। पारिवारिक संबंध कटु हो गए और शोपेनहावर की मनःस्थिति इन सबसे पूरी तरह डावाँडोल हो गई। घुटन और कुंठाओं ने उसे घेर लिया।

२१ वर्ष की उम्र में शोपेनहावर ने गोटिंजन में चिकित्साशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया; किंतु उसकी रुचि उसकी अपेक्षा दर्शन शास्त्र में अधिक रही। यहीं उसने प्लेटो और कांट के सिद्धांतों का अनुशीलन किया। बर्लिन विश्वविद्यालय में वह फ़िक्टे के संपर्क में भी आया।

१८१३ में उसने सेना को भी अपनी सेवाएँ अर्पित कीं; फलस्वरूप उसे बर्लिन छोड़कर भागना पड़ा। उसे ड्रेसडेन और रूडोल्सटाड में शरण मिली। यहीं पर उसकी पहली पुस्तक (आन द फ़ोर फ़ोल्ड रूट ऑव द प्रिंसिपल ऑव सफ़ीशेंट रीजन, रूडोल्सटाड, १८१३) प्रकाशित हुई, जिसपर उसे बर्लिन विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि मिली।

वह अपनी माँ के पास वेमर गया। किंतु माँ की विलासपूर्ण जिंदगी के ढर्रे से वह निराश हो गया और अंततः १८१४ में उन्हें हमेशा के लिये त्याग दिया। माँ के प्रति उसकी यह घृणा समस्त नारी जाति की घृणा के रूप में प्रकट हुई। इसका प्रभाव इतना रहा कि शोपेनहावर ने आजीवन विवाह ही नहीं किया।

वेमर में शोपेनहावर गेटे के संपर्क में भी आया। यहीं उसने अपनी पुस्तक "आन विजन ऐंड कलर्स" लिखी, जो १८१६ में लाइपजिग से प्रकाशित हुई। १८१४ से १८१८ के बीच वह ड्रेसडेन में रहा और वहीं उसने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक "द वर्ल्ड ऐज़ विल ऐंड आइडिया" लिखी। १८१८ में वह इटली गया। १८२० में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्यापन की कोशिश की, किंतु हीगेल से मतभेद होने के कारण उसे छोड़ दिया। अब वह अपना समय यात्रा और मनन में बिताने लगा। नाटक और संगीत के प्रति भी उसकी रुचि बढ़ी। १८३१ में वह फ्रैंकफ़र्ट चला आया। यहीं पर १८३६ में उसकी पुस्तक "आन द विल इन नेचर" प्रकाशित हुई। १८३८ में उसे नार्वेजियन सोसायटी से पुरस्कार मिला। १८४१ में उसके दो महत्वपूर्ण लेख "द टू फ़ंडामेंटल प्राब्लम्स ऑव एथिक्स" प्रकाशित हुए, जिनमें उसने अपने नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या की।

शोपेनहावर को सबसे अधिक प्रसिद्धि "द वर्ल्ड ऐज़ विल ऐंड आइडिया" से मिली। उसको प्रसिद्धि तो मिली, किंतु बड़ी देर से। तब तक उसकी माँ बहन की मृत्यु हो चुकी थी। १८५५ में प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार गोबेल ने उसका चित्र बनाया। बाद का जीवन एकाकी बीता और फ्रैंकफ़र्ट में २१ सितंबर, १८६० को उसकी मृत्यु हुई।

दार्शनिक शोपेनहावर के मतानुसार परमतत्व इच्छाशक्ति है, जो अपना विकास बुद्धि के रूप में करती है। हमें कॉस्मस (Nous) के अस्तित्व का प्रत्यक्ष अवबोध होता है, जिसका अनुभव बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होता है। कांट की भाँति वह भी दिक् काल को बुद्धि का रूप मानता है। शोपेनहावर के लिये संसार का आविर्भाव

नाड़ीमंडल के विकास के रूप में होता है। इस प्रकार इच्छाशक्ति शासन करती है। यदि कोई मनुष्य शांति की स्थिति तक पहुँचना चाहता है, तो वह उसे जीने की इच्छाशक्ति को पूर्णरूपेण त्याग देने से प्राप्त कर सकता है। वह प्रयत्न करके "निर्वाण" (शॉपेनहावर द्वारा प्रयुक्त बौद्ध दर्शन का तत्व) — अनस्तित्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जहाँ इच्छाशक्ति विलुप्त होकर बुद्धिमात्र शेष रहती है।

शॉपेनहावर का जीवन सदा दुःखी और अवसादपूर्ण रहा, इसीलिये निराशावाद उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इच्छाशक्ति आत्मप्रदर्शन के लिये सतत संघर्षशील रहती है, जिसमें व्यक्ति को कभी संतोष नहीं प्राप्त होता। इच्छाशक्ति अंधी है, इसीलिये कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती। हम सुख के पीछे भागते हैं, यही दुःख का कारण है। वैयक्तिक इच्छाशक्ति को अपने से अलग करना अपेक्षित है। यही त्याग हमें परमतत्व की ओर प्रेरित करेगा। इस प्रकार शॉपेनहावर पर बौद्ध दर्शन की छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

शॉपेनहावर ने कहा है कि संसार के दुःखों से पलायन करके कला-चिंतन में रत रहना श्रेयस्कर है। संगीत से वह क्षमता है कि वह मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति कराती है। इसीलिये, शॉपेनहावर दार्शनिक के साथ साथ कवि अथवा कलाकार के रूप में भी माना गया है। उसने स्वयं कहा है कि उसका दर्शन "कला के रूप में दर्शन" है।

[मु० मु०]

शार्दें, जाँ शोम्पो (१६९९-१७७९) अट्ठारहवीं शताब्दी की फ्रांसीसी चित्रशैली का उत्कृष्ट चित्रकार। उस समय फ्रांस में इस शैली के चित्र खूब प्रचलित थे पर शार्दें ने बजाय इसके फ्रांसीसी लोक-रुचि के आधार पर चित्र बनाए। उसके चित्र सीमित विषय-वस्तु के होते हुए भी अपनी सादगी, सलीकी तथा पवित्र यथार्थता के कारण प्रभावशाली हैं। साधारण जीवन के दृश्य जैसे बर्तन, सादगी, नेकदिल, फलदार की टोकरियाँ इत्यादि के चित्र उसने बड़े ही मनोहारी ढंग से अंकित किए हैं। इसी प्रकार वस्तु जीवन के चित्रों को भी वह वहाँ सजीवता से चित्रित करता था। व्यक्ति-चित्रण (पोर्ट्रेट) में उसने विशेष कुशलता दिखाई। उसके अपने चित्रों में उसकी शैली के व्यक्तित्व बड़े ही मोहक हुए हैं। कला के प्रति विलक्षण कुशलता तथा रंग के कारण ही वह फ्रांसीसी कलाकारों का गुरु भी बना दिया गया था।

[रा० च० मु०]

शार्लट मेरिया टकर (Charlotte Marica Tucker) कुमारी शार्लट मेरिया टकर का जन्म २४ दिसंबर, १८२१ ई० को अदन (इंग्लैंड) में हुआ था।

इनकी शिक्षा विदेशों का वातावरण में ठीक था। इनका उच्च शिक्षा [illegible] इंग्लैंड की कई परिवारों में व्यतीत हुआ। [illegible] ई० में [illegible] आने लगीं। उनकी पुस्तकें [illegible] ([illegible]) के नाम से प्रकाशित होती थीं। इस [illegible] बहुत [illegible]।

१८७५ ई० में कुमारी टकर ने मिशनरी कार्य करने के उद्देश्य से भारत आने का विचार किया। रवाना होने के पहले उन्होंने उर्दू भाषा सीख ली क्योंकि वह साहित्य के द्वारा ही सेवा करना चाहती थीं। भारत में पहुँचते ही उन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिया। वे अधिकांश यीशु के दृष्टांतों को कहानी रूप में लिखती थीं और उनको ऐसी भाषा और भावनाओं में प्रकट किया करती थीं जो भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसमें उन्हें काफी सफलता मिली।

अमृतसर से वे बटाला गईं और वहाँ मुसलमानों के बीच काम करने लगीं। अठारह साल तक मिशनरी सेवा करने के पश्चात् ११ दिसंबर, १८९३ को उनकी मृत्यु हुई। [वि० व०]

शार्क सिलैकियाई (Selachii) उपवर्ग की उपास्थियुक्त मछलियाँ हैं, जो संसार के सभी समुद्रों में पाई जाती हैं। कंकाल में अस्थि की अनुपस्थिति तथा सिर के पिछले भाग में प्रत्येक ओर पाँच से सात गिलछिद्र, इनको अस्थिल मछलियों से अलग करते हैं। इन मछलियों में वायुआशय (air bladder) भी नहीं होता।

प्रारूपी शार्क मछलियाँ क्रियाशील तथा मछलियों को खानेवाली होती हैं और सामान्यतः नीले या हरे रंग की होती हैं। इनकी त्वचा छोटे छोटे पट्टाभ शल्कों (placoid scales) के होने के कारण खुरदरी होती है। इनका शरीर साधारण मछलियों के आकार का होता है। थूथन (snout) नुकीला होता है तथा धनुषाकार मुँह सिर के निचले भाग में होता है। दाँत विशेष होते हैं तथा इनके किनारे तीक्ष्ण होते हैं। पंख (fins) सुदृढ़ होते हैं तथा पूँछ का पिछला सिरा ऊपर की ओर मुड़ा रहता है। कुछ बड़ी शार्क मछलियों के दाँत, जो प्लवकों (plankton) को खाती हैं, छोटे छोटे होते हैं। समुद्रतल पर पाए जानेवाले जंतुओं का मुँह अनुदैर्घ्य होता है और इनके दाँत छोटे तथा गोल होते हैं। शार्क में दर्शन, घ्राण तथा पीछेवाले दाँत भी होते हैं।

शिकार को खोजने के लिये, इनकी प्राण इंद्रिय विशेष रूप से विकसित होती है। कुछ शार्क बड़े वेग से, परंतु अधिकांश धीमे प्रचलक (viviparous) होते हैं। शार्क में आंतरनिषेचन (internal fertilization) होता है।

सबसे बड़ा एवं भयावह शार्क, जिसे हुंग शार्क (Whale shark) कहते हैं, ३० फुट से भी अधिक लंबा होता है। यह मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, क्योंकि इसका प्रमुख भोजन समुद्री जीव तथा पौधे होते हैं। यह सबसे बड़ी मछली है। हुंग (Whale), जो मछली के आकार का होता है, वास्तव में मछली नहीं है। यह स्तनधारी वर्ग का एक जंतु है।

बास्किंग शार्क (Basking shark) दूसरा भयावह शार्क है। यह आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। थ्रेशर शार्क (Thresher shark) लगभग १२ फुट लंबा होता है। इसकी पूँछ विशेष रूप से लंबी होती है। यह भी भयंकर शार्क है। इसके अतिरिक्त यह [illegible] ([illegible]) तथा [illegible] ([illegible]) मछलियों के जंतुओं का पीछा करते हुए पाया जाता है।

बड़े शार्कों में एक, सक्रिय एवं बहु
है। इसकी लंबाई ४० फुट तक हो सकती है,
सफेद शार्क नहीं पाया जाता। साधारणतः
शार्कों की लंबाई २० से ३० फुट होती है।
कहा जाता है, परंतु इसका रंग राख के रंग का होता है। इसकी
निचली सतह केवल सफेद होती है। यह मानवभक्षी शार्क गरम
समुद्रों में पाया जाता है तथा कभी कभी ही ठंढे जल में प्रवेश करता
है। अन्य मानवभक्षी शार्क हैं: व्याघ्र शार्क (Tiger shark),
अयोघन शिर शार्क (Hammer headed shark) रेत शार्क
(Sand shark) आदि।

एक अन्य प्रकार का शार्क, जिसे डॉग फिश (Dog fish)
कहते हैं, आकार में तो छोटा होता है, परंतु यह मनुष्यों के कार्य में
विशेष व्यवधान उपस्थित करता है। आरा शार्क (Saw shark)

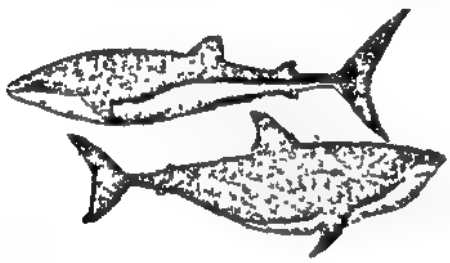

शार्क

ऊपर का चित्र व्हेल शार्क का है, जो ५० फुट
तक लंबा होता है। नीचे मानवभक्षी शार्क
चित्र है।

इंडोपैसिफिक सागर में पाया जाता है। इसका
बढ़कर एक चौरस फलक बना देता है, जिसके
दाँत लगे रहते हैं।

केवल कुछ शार्क ही मानव जाति की दृष्टि
सूखे पत्तों से चीन में जिलेटिन बनाया
उपयोग लकड़ी के बने सामानों को चिप
में भी किया जाता है। शार्कों का एक
में पाए जानेवाले तेल के कारण है,
मात्रा पाई जाती है। इसका व्यापारिक
है। शार्क से सरेस तथा उर्वरक भी तैयार

शार्ट, सर फ्रैंक जॉन (१८५७-१९
कार। प्रारंभ में सिविल इंजी
प्रेरणा के वशीभूत हो साउथ कें
स्कूल में प्रवेश किया। जितने ही आर्ट
नक्काशी, धातुचित्रण और अन्य म
नदियों के कगारों, जलगर्तों और हरे
कियों में उसको मौलिक प्रति
दर्शन हुए।

हेमचंद्र ने अपने 'दशाकाश' में शालिवाहन, सालन, हाल तथा कुंतल नामक किसी एक ही व्यक्ति का उल्लेख किया है, किंतु अंतिम दो नाम पर्यायवाची न होकर विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित हैं जो शालिवाहन कुमार थे। शालिवाहन अथवा शातवाहन उस राजवंश का नाम है जिसने दक्षिण भारत में कई शताब्दियों तक राज्य किया और जिसका शक, पह्लव, तथा यवन राजाओं के साथ पश्चिमी-दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर कई पीढ़ियों तक संघर्ष चलता रहा। इसी प्रसंग को लेकर बहुत सी किंवदंतियाँ भी प्रचलित हुईं। शालिवाहन नामक सम्राट् को शक संवत् का स्थापक भी माना जाता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि शालिवाहन प्रतिष्ठान-पैठान की एक ब्राह्मण कन्या तथा शेष के संसर्ग से पैदा हुआ था। बड़े होने पर उज्जयिनी के शक सम्राट् ने इसे नष्ट करने के हेतु प्रतिष्ठान पर आक्रमण किया, पर शेष की सहायता से वह स्वयं पराजित हुआ। शालिवाहन का मंत्री गुणाढ्य था जिसने सात भागों में बृहत्कथा लिखी थी और वह इन्हें सम्राट् को अर्पित करना चाहता था। स्वीकृति न मिलने पर उसने छह भाग जला दिए। अंतिम भाग को शालिवाहन ने गुणाढ्य के शिष्यों से स्वयं जाकर लिया। इस [illegible] गौतमीपुत्र शातकर्णि से की गई है जिसने शक, [illegible] शासकों को हराया था तथा नहपान के वंश [illegible] था। [illegible] सौ वर्षों से शक संवत् [illegible] व किया जाने लगा है।

—[illegible] हिस्ट्री ऑव डेकन;
[illegible] ऑव इंडिया—भाग २।
[वै० पु०]

[illegible] के अंश से उत्पन्न शालिवाहन का [illegible] पुत्री अवंती ने इसे मन ही मन अपना [illegible] के समय वह भीष्म से पराजित हुआ। [illegible] किया। [illegible] यादवों से [illegible] को पुत्र इस नाम के [illegible] उल्लेख प्राप्त
[प० भा० पा०]

[illegible] १९६६-१९४६] भारतीय एक गरीब ब्राह्मण परिवार में [illegible] में जीवन प्रारंभ। शुरू से [illegible] में अभिरुचि होने के कारण [illegible] सर्वेंट्स ऑव इंडिया नामक [illegible] उद्देश्यों की पूर्ति में उनकी सदस्य [illegible] के

मांटेग-चेम्सफोर्ड सुधार आयोग की योजना कार्यान्वित होने के बाद वे नई काउंसिल ऑव स्टेट के सदस्य चुने गए। १९२१ की रेलवे समिति में भी उन्हें शामिल किया गया। अपने समय के सबसे अधिक कुशल वक्ता होने के कारण अंतरराष्ट्रीय संस्था लीग ऑव नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रिवी काउंसिल में शामिल होनेवाले वे तीसरे भारतीय थे। १९२७ में सरकार ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एजेंट नियुक्त किया। लंदन की गोल मेज परिषद् की पहली बैठक के वे सक्रिय सदस्य थे। [मु० रा०]

शाहजहाँ मुगल वंश के पंचम बादशाह तथा 'ताज' के निर्माता शाहजहाँ का जन्म ५ जनवरी, १५९२, बृहस्पतिवार की रात्रि में हुआ। इनका पालन पोषण इनके पितामह अकबर की निस्संतान स्त्री सुलताना रज़िया बेगम ने किया। पितामह ने इनका नाम खुर्रम रखा। चगताई रीति के अनुसार इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध भी उन्हीं ने किया। अबुल फ़ज़ल का भाई फैज़ी इनका शिक्षक नियुक्त किया गया। १५ वर्ष की उम्र में (१६०७) इनकी सगाई ऐतकाद-खाँ (आसफ खाँ) की पुत्री अर्जुमंदबानू बेगम से हुई। पर कुछ कारणों से शीघ्र विवाह संपन्न न हो पाया। सितंबर, १६०९ में उनकी सगाई मिर्ज़ा मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से हुई और २८ अक्टूबर, १६१० को विवाह भी संपन्न हो गया। मार्च, १६१२ में खुर्रम का दूसरा विवाह अर्जुमंदबानू से हुआ, और वहीं से उनके जीवन का सितारा उद्दीप्तमान होने लगा। अर्जुमंदबानू बेगम, जो बाद में मुमताजमहल या ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुई, नूरजहाँ की भतीजी थी और यही कारण था कि उसके पति खुर्रम नवीन शाही गुट के कृपापात्र बन गए। १६१७ में जब मलिक अंबर की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने खुर्रम दक्षिण गए तो वहाँ उन्होंने अब्दुर्रहीम खानेखाना के पुत्र शाहनवाज खाँ की पुत्री से विवाह किया। इस राजनीतिक संबंध ने उनकी शक्ति और स्थिति को दृढ़ कर दिया। अपनी तीनों पत्नियों में से खुर्रम सबसे अधिक अर्जुमंदबानू से ही प्रेम करते थे। उनसे उनके १४ बच्चे हुए जिनमें से ७ की मृत्यु बचपन में ही हो गई और शेष सात में से ४ पुत्रों—दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद—तथा दो पुत्रियों—जहाँनारा बेगम व रोशनआरा बेगम—ने उनके जीवन के अंतिम काल में, मुगल साम्राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया।

अपने पिता जहाँगीर के राज्यकाल में ही खुर्रम ने प्रतिभा, कार्यकुशलता, अपूर्व बुद्धि तथा सैन्य चातुर्य का परिचय दिया। उनकी योग्यता की परीक्षा लेने के लिये उन्हें मेवाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में भेजा गया जहाँ सिसोदिया रणबाँकुरों ने बार बार मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। कार्यक्षेत्र में पहुँचते ही खुर्रम ने सैनिक चौकियाँ स्थापित करके, चारों ओर से मेवाड़ की नाकाबंदी कर दी। राज्य में रसद के अभाव के कारण हाहाकार मच गया। महाराणा अमरसिंह की प्रजा भूखों मरने लगी और उसके सैनिकों का संहार निरंतर होता जा रहा था। विवश होकर उसने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। खुर्रम की यह पहली विजय थी। इसमें उन्होंने सैनिक योग्यता, कूटनीति एवं राजनीतिज्ञ और कुशल कार्यपटुता का प्रमाण देकर [illegible]

होकर उनके पिता सम्राट् जहाँगीर ने उन्हें दक्षिण सीमा पर मलिक अंबर से मोर्चा लेने भेजा। इस क्षेत्र में खानेजहाँ, अब्दुल्ला खाँ, खानेजहाँ जैसे नामी सेनापतियों ने एक हल्की मुहिम के हाथ मात खाई थी। परंतु भाग्य और योग्यता ने खुर्रम का साथ दिया और उनको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने दक्षिण के राज्यों के ऐक्य को अपनी बहुसंख्यक सेना का प्रदर्शन करके तथा नीति द्वारा तोड़ दिया। मलिक अंबर और उसके सहयोगियों को नीचा देखना पड़ा और मुगल आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। तीन साल में ही खुर्रम ने वह काम कर दिखाया जिसमें अन्य सेनापति वर्षों से व्यस्त थे। दक्षिण में मुगल प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। सम्राट् जहाँगीर तो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने विजयी राजकुमार को शाहजहाँ की उपाधि से विभूषित किया तथा उसका मनसब ३०,००० जात व ३०,००० सवार कर दिया। दरबार में उसके बैठने के लिये, सिंहासन के निकट एक स्वर्ण कुर्सी भी रखी जाने लगी। एक मुगल राजकुमार के लिये यह उच्चतम सम्मान था।

अगले तीन वर्ष शाहजहाँ अपने पिता के सन्निकट ही रहा। इसी बीच उसने अपने नए मित्र बनाए और वह यह सोचने लगा कि वह कैसे नूरजहाँ बेगम की सहायता एवं सद्भावना के बिना भी अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। इधर उसकी महत्वाकांक्षाओं और सतत सफलताओं के कारण नूरजहाँ को उसके प्रति यह संदेह होने लगा कि वह कहीं उसके प्रति विरोध न कर [illegible] और राज्य को न दबा बैठे। इस प्रकार शाहजहाँ और नूरजहाँ में तनाव हो गया।

काम में व्यस्त थी। फिर भी उसे आदेश दिया गया कि वह शीघ्र से दक्षिण सीमांत की ओर जाकर वहाँ की बिगड़ती [illegible] को संभाले। इस आज्ञा के पीछे शाहजहाँ को नूरजहाँ की चाल [illegible] संदेह हुआ। जहाँगीर की बीमारी के कारण शाहजहाँ दरबार [illegible] दूर नहीं जाना चाहता था। उसे भय था कि कहीं उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद खुसरव या शहरयार को गद्दी पर न बिठा दिया जाय अतः उसने खुसरव को अपने साथ ले जाने की माँग की। जहाँगीर को उसकी योजना पर संदेह हुआ। पर नूरजहाँ तो यह चाहती ही थी कि खुसरव का वध दूसरे के हाथों हो। अतः उसके कहने पर जहाँगीर ने उसकी माँग स्वीकार कर ली। खुसरव को लेकर शाहजहाँ दक्षिण आया और एक बार फिर अपनी कूटनीति द्वारा उसने बीजापुर, गोलकुंडा और मलिक अंबर को संधि करने पर विवश किया। उसके पश्चात् उसने खुसरव को मौत के घाट उतार दिया। अभी वह अपनी शक्ति को दृढ़ करने का प्रयत्न कर ही रहा था कि खबर आई कि कंधार पर फारस के शाह ने अधिकार कर लिया है। शीघ्र ही सम्राट् का आदेश उसे मिला कि वह तुरंत उत्तर पश्चिमी सीमांत पर जाकर कंधार के किले पर अपना प्रभुत्व [illegible] और उसकी रक्षा करे। राजकुमार ने सफलता पाने के

विचार से, जहाँगीर के सामने कुछ माँगें प्रस्तुत कीं। सम्राट् ने उन माँगों को अस्वीकार कर दिया और शाहजहाँ को आदेश दिया कि वह तुरत ही अपनी सेना सहित उत्तर पश्चिम की ओर चला जाए। उसकी माँगों से रुष्ट होकर सम्राट् ने उसकी हिसार फिरोजा की जागीर उससे छीनकर शाहजादे शहरयार को दे दी। इन घटनाओं ने उसे विद्रोह करने पर विवश किया। उसका विद्रोह दबा दिया गया। तत्पश्चात् वह दक्षिण में ही रहा। जहाँगीर की मृत्यु का समाचार मिलते ही आसफ खाँ के आदेशानुसार वह दक्षिण से आगरे पहुँचा और गद्दी पर आसीन हुआ।

शाहजहाँ के सिंहासनारोहण से एक नए युग का आविर्भाव होता है। राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, देश में शांति, सुख वैभव, समृद्धि, कलाकौशल तथा साहित्य की उन्नति इत्यादि साम्राज्य के चमत्कार के लक्षण थे। शाहजहाँ के राज्यकाल में तीन विद्रोह हुए। (१) खानेजहाँ लोदी दक्षिण का गवर्नर और जहाँगीर तथा नूरजहाँ का कृपापात्र था। वह शाहजहाँ की बढ़ती हुई शक्ति एवं ख्याति को सहन न कर सका। सम्राट् जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात् की परिस्थिति से लाभ उठाकर उसने उस क्षेत्र में जो निजामशाही प्रदेश मुगलों के हाथ आ गए थे उनमें से बालाघाट को, घूस लेकर, अहमदनगर के मंत्री हामिद खाँ को दे दिया और उसने अहमदनगर के किले के रक्षक को आज्ञा दी कि वह भी किले को निजामशाही सैनिकों को सौंप दे। परंतु दुर्गरक्षक ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। जब शाहजहाँ गद्दी पर बैठा तब उसने खानेजहाँ से कहा कि वह उक्त प्रदेशों को वापस ले ले। परंतु खानेजहाँ ने इस काम को करने में आनाकानी की। इसलिये उसे दरबार में वापस बुला लिया गया। वह आगरा आ गया परंतु उसका हृदय उद्विग्न रहने लगा। यह समाचार पाकर कि उसके विरुद्ध कार्यवाही होनेवाली है भयभीत होकर वह भाग खड़ा हुआ और दक्षिण में जाकर उसने निजामशाह की शरण ली। शाहजहाँ एक बड़ी फौज लेकर दक्षिण पहुँचा। उसने स्वयं सैन्यसंचालन किया। खानेजहाँ लोदी विवश होकर उत्तर की ओर भागा पर शाही सेना ने उसका पीछा किया और उसे घेरकर मार डाला। (२) दूसरा विद्रोह जुझारसिंह बुंदेले का था। शाहजहाँ के हुक्म के विपरीत भी उसने ओरछा के किले पर अधिकार कर लिया। शाही सेना ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की। सभी किलों और चौकियों पर अधिकार स्थापित किया तथा जुझारसिंह को क्षमा करने पर विवश किया। (३) तीसरा विद्रोह नूरपुर के जमींदार जगत सिंह का था। जगत सिंह ने चंबा राज्य पर हमला किया और जब शाहजहाँ ने उसे दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया तो वह न आया। शाही सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसने क्षमायाचना की तब उसे शाहजहाँ ने क्षमा कर उसके पहलेवाले मंसब पर उसे बहाल कर दिया। इन तीन विद्रोहों के अतिरिक्त कुछ छोटी घटनाएँ भी घटीं। मुगलों ने बंगाल में पुर्तगाली लुटेरों का दमन किया। १६३२ में मंगीरथ भील, १६४४ में मालवा के सरदार भारवी गौंड, १६४२ में पालामऊ के राजा प्रताप को हराकर उसके राज्यों तथा जागीरों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। मुगल सेनाओं ने कूचबिहार और कामरूप पर अधिकार स्थापित किया और आसाम के साथ व्यापारिक संबंध पुनः स्थापित किए।

शाहजहाँ के राज्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण अभियान बल्ख और बदख्शाँ को विजय करने के लिये हुए। इन प्रदेशों पर मुगल अपना पैत्रिक अधिकार समझते थे। अकबर और जहाँगीर दोनों ही उनपर पुनः मुगल आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। पर समय अनुकूल न होने के कारण अपनी योजनाएँ कार्यान्वित करने में वे सफल न हो सके। परंतु इस समय बुखारा के शासक नजर मुहम्मद और उसके पुत्र अब्दुल में संघर्ष छिड़ जाने के कारण शाहजहाँ को मध्य एशिया में अपने भाग्य की परीक्षा लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जून, १६४६ में राजकुमार मुराद की अध्यक्षता में, ५०,००० घुड़सवार तथा १०,००० पैदल सिपाहियों की एक सेना बल्ख पर चढ़ाई करने भेजी गई। बिना विरोध के मुगलों का बल्ख पर अधिकार हो गया। नजर मुहम्मद वहाँ से ईरान भाग गया। इसी कारण मुगलों के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ गई। इस अभियान के प्रति मुराद पहले से ही उदासीन था। आगामी कठिनाइयों का अनुमान करके ही वह व्याकुल हो उठा और सम्राट् की आज्ञा का उल्लंघन करके बल्ख से चल दिया। उसकी जगह औरंगजेब को भेजा गया लेकिन उसे भी कोई सफलता उजबेकों के विरुद्ध न मिल सकी और वह भी हताश होकर लौट आया। समस्त प्रदेश पर शत्रु ने पुनः अधिकार कर लिया।

कूटनीति का प्रयोग करके शाहजहाँ ने १६३८ में कंधार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और अगले दस वर्ष तक इस दुर्ग पर मुगलों का अधिकार भी बना रहा। बल्ख की हार के पश्चात् परिस्थिति एकाएक बदल गई। १६४६ में शाह अब्बास द्वितीय ने योजना बनाकर कंधार को मुगलों के हाथ से छीन लिया। शाहजहाँ के गौरव पर यह गहरी चोट थी, अतः उसने कंधार वापस लेने का निश्चय किया। दो बार औरंगजेब के और एक बार दारा शिकोह के नेतृत्व में सेनाएँ भेजी गईं, परंतु सफलता प्राप्त न हो सकी। इससे मुगलों की धन और जन की हानि के अलावा उनकी सामरिक प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ा।

यद्यपि शाहजहाँ अपने पैत्रिक प्रदेशों को वापस न ले सका और कंधार पर भी अपना अधिकार पुनः स्थापित न कर सका तथापि शाही सेनाओं ने उस क्षति की पूर्ति दक्षिणी सीमांत पर सफलता प्राप्त करके की। मलिक अंबर के उत्तराधिकारी, फतह खाँ, पर न किसी को विश्वास था और न उसमें पिता के समान गुण विद्यमान थे, जो निजामशाही राज्य को बचा सकते। एक गलत कूटनीति का अनुसरण कर, जब मुर्तजा निजामशाह द्वितीय ने, मुगल साम्राज्य के विद्रोही खानेजहाँ लोदी की शरण ली उसी दिन से निजामशाही राज्य के भाग्य का निर्णय हो गया। शाही फौजों ने, अहमदनगर को जीतकर दौलताबाद को घेर लिया। खानेजहाँ लोदी के निष्कासन के पश्चात् फतह खाँ ने शाहजहाँ से संधि की वार्ता आरंभ की और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसका नाम खुतबा में पढ़ेगा तथा सिक्कों में अंकित करेगा। लेकिन शाहजहाँ को उसकी बातों पर विश्वास न हुआ। विश्वास दिलाने के हेतु ही फतह खाँ ने मुर्तजा को मौत के घाट उतार दिया और हुसैन

ग्रान्थर (১৮৮৬-১৯৪১)

या ११,३०,२५६ (१९६१) है। यह जिला गंगा से ऊपर
प लय की ओर जानेवाली एक तंग पट्टी पर स्थित है। जिले की
ख नदियाँ गोमती, खनौत, गढ़ई और रामगंगा हैं। गोमती
ा खनौत नदियों के मध्य के भूभाग का उत्तरी भाग जंगली
ा अस्वास्थ्यकर और दक्षिणी भाग घना आबाद है। जिले में
ना तथा अन्य फसलें होती हैं। रामगंगा से लेकर गंगा तक
म्न भूभाग है, जिसमें दलदली एवं कठोर भूमि एकांतरण से है।
ोर भूभाग के लिये अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है।

२. नगर, स्थिति : २७° ५०′ उ० अ० तथा ७९° ५८′ पू० दे०। यह नगर दीमोहा नदी के किनारे पर स्थित है तथा उपर्युक्त जिले का मुख्यालय है। शाहजहाँ के शासनकाल में एक पठान, नवाब बहादुरखाँ, द्वारा इस नगर की स्थापना हुई और संस्थापक का कबरा ही नगर का एकमात्र ऐतिहासिक भवन है। नगर की जनसंख्या १,१७,७०२ (१९६१) है। नगर में सैनिक छावनी भी है। [अ० ना० मे०]

शाहजी (१५९४-१६६४ ई०) मालोजी भोंसले के पुत्र शाहजी का जन्म १५ मार्च, १५९४ ई० को हुआ था। इनका उत्कर्ष नाधारण परिस्थिति से संघर्षों में प्रविष्ट होकर आरंभ हुआ। ये प्रकृति से साहसी चतुर, साधनसम्पन्न, तथा दृढ़निश्चयी थे। व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होते हुए भी, पृष्ठभूमि के रूप में, इन्हें महाराष्ट्र के राजनीतिक अभ्युत्थान का प्रथम चरण माना जा सकता है। इनकी प्रथम पत्नी जीजाबाई से महाराष्ट्र के निर्माता शिवाजी का जन्म हुआ तथा दूसरी पत्नी तुकाबाई से तंजोर राज्य के संस्थापक एकोजी का। शाहजी का वास्तविक उत्कर्ष निजामशाही वजीर फतहखाँ के समय से प्रारंभ हुआ। निजामशाह की हत्या के बाद, राज्य की संकटाकीर्ण परिस्थिति में, मुगलों की नौकरी छोड़ शाहजी ने दस वर्षीय बालक मुर्तजाशाह द्वितीय को सिंहासनासीन कर (१६३२) मुगलों से तीव्र संघर्ष किया। निजामशाही राज्य की समाप्ति पर इन्होंने बीजापुर राज्य का आश्रय लिया (१६३६)। [illegible] शाहजी भी कर्नाटक [illegible] स्थ करने के संदेह में [illegible] । १६४९ में आदिलशाह ने इन्हें विमुक्त कर पुनः कर्नाटक भेजा जहाँ इन्होंने गोलकुंडा के सेनानायक मीरजुमला को परास्त किया (१६५१)। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से आतंकित हो, बीजापुर पर शिवाजी के आक्रमणों को शाहजी द्वारा स्थगित कराने का प्रयत्न किया गया (१६६२)। तभी, प्रायः बारह वर्ष बाद, पिता पुत्र की भेंट हुई; तथा शाहजी और जीजाबाई के टूटे संपर्क पुनः स्थापित हुए। २३ जनवरी, १६६४, को शिकार खेलते समय घोड़े पर से गिरने से शाहजी की मृत्यु हो गई।

सं० ग्रं० — जी० एस० सरदेसाई : दि न्यू हिस्ट्री ऑव दि मराठाज; यदुनाथ सरकार : शिवाजी; दि हाउस ऑव शिवाजी।
[ग० ना०]

शाह बदीउद्दीन मदार आपके संबंध में, समय समय पर इतने आख्यान और दंतकथाएँ प्रचलित हो गई हैं कि उनके आधार पर आपके जीवन संबंधी सही तथ्यों का पता लगा सकना अत्यंत कठिन है। केवल इतना ही पता चलता है कि आप आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को पैगंबर की वंशपरंपरा का बतलाते थे, पर्दे में रहते थे, २८ नवंबर, १४३६ ई० (१७, जमादिउलअव्वल ८४० हिजरी) को आपकी मृत्यु हुई और कन्नौज के निकट मकनपुर गाँव में आप दफन किए गए।

दाराशुकोह के काल में आपके मृत्युदिवस पर आपके मजार पर पाँच लाख से अधिक व्यक्तियों का जमाव हुआ था। आपके नाम पर आपका पंथ मदारिया कहलाया और आपके अनुयायी 'मदारी' के नाम से विख्यात हुए।

सं० ग्रं० — अब्दुल हक : अख़बारुल अख़यार, मुजतबई प्रेस, दिल्ली, मुहम्मद गौथी : गुलज़ारी अबरार हस्तलिखित ग्रंथ, आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़, दारा शिकोह सफीनतुल औलिया, १८५३, आगरा; अमीर हसन सजकिरातुल मुत्ताकीन, आजाद प्रेस, कानपुर, १३२३ हि०।
[का० मु० अ०]

शाहबाज गढ़ी सम्राट् अशोक के प्रधान शिलाभिलेखों में १४ प्रज्ञापन हैं जो मुख्यतया अब तक छह विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। चौदहों प्रज्ञापनों की पाँचवीं प्रतिलिपि पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के पेशावर जिले की युसुफजई तहसील में शाहबाजगढ़ी गाँव के पास एक चट्टान पर खुदी मिली है। यह पहाड़ी पेशावर से ४० मील उत्तर-पूर्व है। मानसेहरा की तरह शाहबाजगढ़ी की प्रतिलिपियाँ खरोष्ठी लिपि में खुदी हैं, जो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है, शेष पाँचों स्थानों की प्रतिलिपियाँ ब्राह्मी लिपि में हैं।

इन चौदह प्रज्ञापनों की मुख्य बातें ये हैं —

(१) जीवहिंसा का निषेध एवं राजा के रसोईघर में खाद्य व्यंजनों में जीवहिंसा पर संयम; (२) सम्राट् अशोक के जीते हुए सब स्थानों में एवं विशेषकर सीमांत प्रदेशों में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध; (३) अधिकारियों का धर्मानुशासन के लिये भी दौरा एवं आचार की सामान्य बातें, (४) धर्माचरण में शील का पालन, (५) लोगों को धर्माचरण की बातें बताने के लिये धर्ममहामात्यों का नियत किया जाना, (६) राजा के कर्तव्य-पालन की बातें, (७) संयम, भावशुद्धि एवं विभिन्न धर्मों का आदर, (८) विहार यात्रा की जगह धर्मयात्रा का सम्राट् का संकल्प, (९) निरर्थक मंगल कार्यों की जगह समाज में धर्ममंगल की बातों को स्थान देना; (१०) कर्तव्य कार्यों में धर्ममंगल की बातों का समावेश; धर्म के लिये विशेष प्रयत्न की चेष्टा।

शेष प्रज्ञापनों में लोगों में समान एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार, अपने अपने धर्मों की अच्छी बातों का परिपालन, सार की बढ़ती, कलिंग-युद्ध के पश्चात् युद्ध के लिये सम्राट् के मन में पश्चात्ताप एवं जीते हुए प्रदेशों में धर्मानुशासन के कार्य तथा विभिन्न स्थानों में धर्मलेखों के लिखाने की बातें हैं। [डा० प्र० गो०]

निजामशाह को गद्दी पर बिठाया। अब शाहजहाँ के नाम का खुतबा पढ़ा गया जिससे सम्राट् प्रसन्न हुआ। दौलताबाद का किला फतह खाँ के हाथ सौंपकर वह उत्तर की ओर लौट गया। लेकिन जैसे ही उसने पीठ फेरी, फतह खाँ ने बीजापुर के सेनापति मुकर्रब खाँ की बातों में आकर मुगलों के विरुद्ध फिर लड़ाई प्रारंभ कर दी। इसपर महावत खाँ ने दौलताबाद के किले पर घेरा डाल दिया। किले पर कब्जा करके फतह खाँ और हुसैन निजामशाह को बंदी बना लिया। परंतु महावत खाँ की कठिनाइयों का अंत न हुआ। मराठा सरदार साहू तथा बीजापुर की सेनाओं की गतिविधि के कारण, उसे अपमान ही न सहना पड़ा बल्कि नैराश्य से उसकी मृत्यु भी हो गई और दक्षिण की परिस्थिति पूर्व के समान बिगड़ गई। साहू ने बीजापुर से मदद लेकर, मुगलों के प्रदेशों पर छापा मारना प्रारंभ कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि शाहजहाँ को स्वयं दक्षिणी सीमांत की ओर प्रस्थान करना पड़ा। शाही सेनाओं ने साहू को निजामशाही राज्य और महाराष्ट्र से निकाल दिया और बीजापुर तथा गोलकुंडा के शासकों को संधि करने और धन देने पर विवश किया। औरंगजेब को दक्षिण का वाइसराय नियुक्त कर शाहजहाँ आगरे लौट गया। अगले आठ वर्ष तक दक्षिण का शासन प्रबंध औरंगजेब के हाथ में रहा। उसने बगलाना, औसा और उदगीर पर अधिकार किया तथा देवगढ़ के सरदार को धन देने पर विवश किया। सं० १६४४ में दक्षिण के प्रांत से हटाकर औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। सं० १६४४ ई० में सम्राट् ने उसे दूसरी बार दक्षिण भेजा। यहाँ पहुँचकर उसने शासन प्रबंध को सुव्यवस्थित किया।

६ दिसंबर, १६५३ ई० को शाहजहाँ के रोगग्रस्त हो जाने से, [illegible] पर दक्षिणी की काली घटाओं ने मँडराना प्रारंभ किया। रोग के कारण सम्राट् का दरबार में प्रति दिन आना, जाना [illegible] दर्शन देना तथा समाचारवाहकों से मिलना, [illegible] हो गया। ज्यों ज्यों उसका रोग करवट बदलता, त्यों त्यों, [illegible] एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से [illegible] एक दूसरे को उत्सुक थे। ईर्ष्या और विद्वेष [illegible] कर दिया। इस रक्तपूर्ण युद्ध का [illegible] सम्राट् का आजन्म कारावास [illegible] यातनाएँ सहन करनी [illegible] जहाँनारा ने [illegible] के मकबरे [illegible] बंद कर [illegible] किया।

तथा सदैव अपनी न्यायप्रियता, उदारता, सहनशीलता के लिये प्रसिद्धि प्राप्त की। वह सदा प्रजा के लिये सुख, शांति तथा समृद्धि लाने का प्रयत्न करता रहा।

संतति के लिये वह, महान् चिरस्थायी, वैभवशाली, [illegible] कार्यों को रूपवद्ध करके छोड़ गया, जिसका वर्णन पूर्वी तथा पश्चिमी इतिहासकारों ने ओजस्वी भाषा में किया है। उसकी [illegible], उसकी सौंदर्य में अनुरक्ति, उसका उच्च तथा श्रेष्ठ संस्कृति से अनुराग और उसका साहित्यप्रेम उसकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। आगरे और दिल्ली में जिन भवनों तथा प्रासादों का निर्माण शाहजहाँ ने किया वे उसकी संस्कृति एवं शिष्टता के महान् द्योतक हैं। शिल्पकला एवं चित्रकला का हर एक नमूना हमें विचारों की उन गहराइयों में ले जाता है जहाँ चित्रकार, शिल्पकार, कलाकार कौतूहलविभोर हो जाते हैं और मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। दिल्ली के 'दीवाने खास' में यह पंक्ति 'यदि कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है' अक्षरशः सत्य है। ताजमहल का सौंदर्य अद्भुत है। वह भारतीय नारी की आदर्श सुंदरता, रमणीयता, नम्रता, कोमलता, सुशीलता एवं सौम्यता का नमूना है। कर्नल स्लीमैन की स्त्री ने उसको देखकर सहसा यही कहा कि मेरी स्मृति में यदि ऐसी इमारत का निर्माण हो सके तो मैं सौ बार मरना चाहूँगी। उसके अतिरिक्त शाहजहाँ ने अन्य इमारतें भी बनवाईं जो वास्तुकला की प्रगति की द्योतक हैं। इनमें आगरे के किले में मोती मस्जिद, दिल्ली में लाल किले में नौबतखाना, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंगमहल, दिल्ली की जामा-ए-मस्जिद इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।

चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। मुहम्मद फकीर [illegible] और मीर हाशिम की कृतियों में उस युग की मनोवृत्तियों का [illegible] मिलता है। सौंदर्य की भावना रंगों द्वारा अभिव्यक्त की गई। इन चित्रों में स्वर्ण के अत्यधिक प्रयोग से मुगलों के [illegible] जीवन, अतुल धन और वैभव की झलक मिलती है। शाहजहाँ संगीतप्रेमी भी था। ध्रुपद राग उसका प्रिय राग था, जिसे वह प्रसिद्ध गायक तानसेन के दामाद लाल खाँ से सुना करता था। उस युग के प्रसिद्ध गायक जगन्नाथ को भी शाहजहाँ ने संरक्षण दिया। शाहजहाँ को साहित्य से भी प्रेम रहा, सईदाबी निसाली, [illegible] कलीम, मुहम्मद जान कुदसी, मीर मुहम्मद महिया, [illegible] सलीम, नसीह, शैदा, चंद्रभान, ब्राह्मन, खयाली और [illegible] जैसे कवि, तुबराई तथा मुहम्मद अफजल, अमानुल्लाह और मुहम्मद सादिक, बनमाली दास, और इब्न हुसैन जैसे लेखकों ने फारसी साहित्य की ही वृद्धि की बल्कि संस्कृत ग्रंथों का भी [illegible] अनुवाद भी किया। शाहजहाँ ने हिंदू कवियों, जैसे सुंदरदास, [illegible] मणि व कवींद्र आचार्य, को भी संरक्षण दिया। यदि उसने [illegible] और साम्राज्य का विस्तार किया, सुख और [illegible] की तो दूसरी ओर पुर्तगिज सभ्यता के वैभव [illegible] को उसकी पराकाष्ठा पर ले जाने के लिये [illegible] प्रोत्साहन देकर स्वर्ण युग की स्थापना करने [illegible] न रखी।

शाहजहाँपुर १. जिला, भारत के उत्तर [illegible] पश्चिम में स्थित, इस जिले का क्षेत्रफल १,७६२ [illegible]

हाँ के जनता पुस्तकालय में २१,९६,७४२ पुस्तकें हैं। शिकागो का विश्वविद्यालय संसार में अद्वितीय स्थान रखता है। लोहा एवं इस्पात, सीमेंट आदि के बड़े उद्योगों के अतिरिक्त यहाँ मांस को डिब्बों में बंद करने का लकड़ी का काम तथा आटा पीसने एवं चमड़ा कमाने का कार्य पहले ही से हो रहा है। शिकागो नगर की जनसंख्या ३६,५६,२१३ (१९६०) है। [सु० च० श०]

शिकार (आखेट) और मनुष्य दोनों सहजन्मा हैं। बहुत प्राचीन काल में जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ नहीं किया था, तब वह अपने भोजन और वस्त्र दोनों के लिये विभिन्न पशुओं के मांस और खाल पर ही पूर्णतया निर्भर था। पशुओं की हड्डियों से ही वह शस्त्रास्त्रों का भी काम लेता था। सर्दियों तक अंधेरे में प्रकाश के लिये मनुष्य पशुओं की चर्बी का प्रयोग करता था। कृषियुग के उद्भव के साथ साथ, शिकार का महत्व केवल मनोरंजन और अभ्यास तक ही सीमित रह गया। शांति के समय अपने साहस, पौरुष और बहादुरी की वृत्ति को भी मनुष्य कभी कभी शिकार के माध्यम से संतुष्ट करता था।

धीरे धीरे शिकार केवल राजा महाराजाओं और उनके दरबारियों तथा दरबार से संबंधित योद्धाओं का ही कार्य रह गया, क्योंकि यही एक ऐसा वर्ग था जिसके पास आखेटोपयुक्त समय और साधन सुलभ थे। मुख्य रूप से प्राचीन भारत में आखेट उपर्युक्त वर्ग में ही प्रचलित था। वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा मायामृग के पीछा किए जाने का तथा महाभारत में वनवास के समय पांडवों के आखेट का वर्णन आया है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, जो संस्कृत के महान् नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम् का कारण बना, आखेट की पृष्ठभूमि में ही पनपा। शाकुंतलम् में आखेट के गुणों की चर्चा करते हुए कवि ने लिखा है :

मेदश्छेद कृशोदर भवत्युत्साह योग्य वपुः,
सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तभयक्रोधयोः।
उत्कर्षं स च धन्विनां यदिषवः सिद्धयन्ति लक्ष्ये चले,
मिथ्यैव व्यसन वदन्ति मृगया नीदृग विनोदः कुतः॥
अभि० शा० ।१।५।

प्राचीन काल में राजे, महाराजे और सामंत गण, दैनिक जीवन की चहल पहल से थोड़ी राहत पाने के विचार से, आखेट हेतु जंगलों में डेरा डालते थे। हिरन तथा अन्य जानवरों का पीछा छिपकर पैदल, रथ पर, या घोड़े पर सवार होकर किया जाता था।

मध्यकाल में राजपूत राजे महाराजे बराबर आखेट का आयोजन किया करते थे। आज भी राजपूत राजाओं के यहाँ दशहरे के दिन शिकार की प्रसिद्ध दिताएँ होती हैं और जिसे सबसे पहला शिकार मिल जाता है, वह उसे प्रसन्नता का प्रतीक और शकुन समझता है।

मुस्लिम शासनकाल में सभी बादशाह आखेट के लिये अपने अपने स्थायी जंगल रखते थे। देहरादून के पास स्थित, 'राजाजी अभयारण्य' मुगलों के काल में बादशाही शिकारगाह था, जहाँ पर प्रायः राजवंश के लोग शिकार के लिये जाते थे। इन दिनों सभी प्रकार के शिकारों के लिये इतने प्रचुर आखेट्य पशु थे कि पैदल का (जो प्राय देश के कुछ भागों, जैसे असम और नेपाल को छोड़कर अन्य सब जगह समाप्त हो चुका है) शिकार पेशावर के पास बाबर ने किया था। इसका उल्लेख उसकी आत्मकथा में मिलता है। मुस्लिम शासनकाल में शिकार जंगली जानवरों के लिये कत्लेआम के सदृश होता था। पूरा जंगल घेर कर हाँके के कोलाहल से गुंजायमान कर दिया जाता था हाँके के अलावा जंगल में तीन ओर से आग लगा दी जाती थी और केवल एक दिशा ही जानवरों के भागने के लिये छोड़ दी जाती थी। इस दिशा की ओर शिकारी पैदल, हाथी और घोड़े पर सवार, शिकार की प्रतीक्षा किया करते थे और जो भी जानवर उधर से निकलता वह शिकारी के विषैले हथियारों का शिकार हो जाता। हथियारों से लैस हाँकावाले भी सामने पड़नेवाले जानवरों का शिकार करते थे। शिकार का रूप उस जमाने में शिकारी और शिकार के बीच एक तरह के संघर्ष का था। बीसवीं शताब्दी में अच्छी बंदूकों के आविष्कार के साथ साथ, शिकार अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित तथा जंगली जानवरों के लिये ज्यादा खतरनाक हो गया। परिणाम-स्वरूप जंगली जानवरों की जातियों में बड़ी तीव्र गति से ह्रास होने लगा है। प्रमुख जंगली जानवरों के शिकार का वर्णन निम्न लिखित है —

चीता — हिरन तथा छोटे जानवरों का शिकार करने के लिये भारत में आखेटक चीतों का प्रयोग करने की भी एक पद्धति थी। आखेटक चीतों को पकड़ने के लिये, पीछा करके दौड़ाते दौड़ाते थका दिया जाता था तथा उनको डराने के लिये बीच बीच में फायरिंग भी की जाती थी और जब वे थककर बिल्कुल अशक्त और नि सहाय हो जाते थे, तो उन्हें मोटे और मजबूत रस्सों में फँसाकर बाँध रखा जाता था और बाद में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। चीतों को पूर्ण प्रशिक्षित कर उन्हें हिरन और बारहसिंगों के आखेट के लिये प्रयुक्त किया जाता था।

चीतों का प्रशिक्षण बड़ा आसान काम होता था। चीतों की आँख पर चढ़ा हुआ पट्टा हटाकर, हिरन और बारहसिंगों के पुतले दिखलाकर, उसे बंधनमुक्त कर दिया जाता था। इन पुतलों को देखकर, चीता अपने मूल स्वभाव की प्रेरणा से, उनपर प्रहारार्थ झपटता था और जब वह उन पुतलों का काम तमाम कर चुकता था, तो प्रशिक्षक गोश्त के टुकड़े लेकर, उसके पास जाता था और उसको उस पुतले के शिकार से विरत कर देता था। इस प्रकार प्रशिक्षित किए जाने के बाद, छोटी छोटी बैलगाड़ियों में बैठाकर, चीतों को हिरनों और बारहसिंगों का आखेट करने के लिये जंगलों में ले जाया जाता था, और जब भी हिरन और बारहसिंगे दिखलाई पड़ते, तो शिकारी चीते की आँख की पट्टी हटाकर उसकी जंजीर खोल दी जाती थी। दूरी के अनुसार शिकारी चीता या तो दौड़ाकर शिकार का पीछा करता था, या उन्हें खतम कर डालने के लिये उनपर टूट पड़ता था, या शिकार को खूब दौड़ाकर पैरों से उसपर प्रहार करता था और पकड़ पाने पर, तब तक दबाए रखता था जब तक उसका मालिक शिकार के पास आकर शिकार की गर्दन न काट दे। गर्दन कटने पर जब तक शिकारी चीता शिकार के खून को चाटता था तबतक मरा हुआ शिकार गाड़ी में पहुँचा दिया जाता था और चीते की आँख पर आँख ढँकनेवाली पट्टी चढ़ा दी जाती थी तथा गले में जंजीर लगाकर, उसका मस्तिष्क उसे गाड़ी

शाह मंसूर, ख्वाजा पुरुषपुर में जिलाब (ईरान) के भाग भागा और अकबर के साथी हकीमी विभाग में मुख्य अफसर हो गया। लेकिन मुर्तद बाद ही अकबर के दीवान मुजफ्फर खाँ से अनबन के कारण उसे गोकुल में हाथ धोना पड़ा। तदनंतर वह गोकुल के मुनीमखाँ खानखाना का दीवान हो गया।

मुनीमखाँ की मृत्यु के बाद राजा टोडरमल ने ख्वाजा को राजकोष के दुरुपयोग के कारण जेल में डाल दिया। अकबर ने उसे दरबार में बुलवाया और दीवान बना दिया (१५७६)। १५७७ में उसे सादिकखाँ तथा अन्य सामंतों के साथ आगरे के साही खजाने के निरीक्षण का भार सौंपा गया। उसी वर्ष वह गोकुल की साही टकसाल का निदेशक नियुक्त किया गया। १५८० में बंगाल के साही अफसरों के विद्रोह करने पर वह जेल में बंद कर दिया गया, उस पर आरोप लगाया गया कि उसने राजस्व को बढ़ाने तथा फौजी अधिकारियों के भत्ते काटने का काम सख्ती से किया। १५८१ में ख्वाजा शाह मंसूर को मिर्जा हकीम से गुप्त पत्रव्यवहार के आरोप पर मृत्युदंड दिया गया।

शाह मंसूर को सैनिक अनुभव न थे, किंतु आर्थिक मामलों में उसकी गहरी पैठ थी।

सं० ग्रं० — अबुल फजल : अकबरनामा (बेवरिज द्वारा संपादित), आईन-ए-अकबरी (सर सैयद अहमद खाँ द्वारा संपादित); बदायूँनी : मुंतखबुत्तवारीख (भाग २); निजामुद्दीन : तबकात-ए-अकबरी (भाग २); शाहनवाज खाँ : मआसिर-उल-उमरा (कलकत्ता, १८८८); रामप्रसाद त्रिपाठी : सम आस्पेक्ट्स ऑव मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेशन (इलाहाबाद, १९५६), राइज ऐंड फाल ऑव द मुगल एंपायर। [इ० हु० सि०]

शाह वली उल्लाह (१७०३-१७६२ ई०) शाह वली उल्लाह की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से मिली जिसके फलस्वरूप मुजद्दिद से अत्यधिक प्रभावित होने पर भी वे शहीदे शहीदी से सहमत न थे। जब वे १७ वर्ष के थे तभी उनके पिता चल बसे। इसके बाद भी वे १२ वर्ष तक अपने पिता के मदरसे में व्यस्त रहे। ११४३ हि० (१७३१ ई०) में उन्होंने हज किया। मक्के तथा मदीने के विद्वानों से लाभान्वित होकर १७३३ ई० में दिल्ली लौट आए। मृत्यु तक सुन्नी मुसलमानों के धर्म के शुद्धतम रूप का प्रचार करते रहे।

शाह साहब का सबसे बड़ा कार्य हिंदुस्तानी मुसलमानों के पतन के कारणों का विश्लेषण है। उनका विचार था कि हजरत मुहम्मद के प्रथम चारों खलीफाओं के समय की शासनपद्धति को १८वीं शताब्दी के हिंदुस्तान में चलाने से मुसलमानों का कल्याण हो सकता है।

उनकी रचनाओं में कुरान शरीफ का फारसी अनुवाद, हुज्जतिल्लाहिल बालेगा, फयूजुल हरमैन, इनतबाह फी सलासिल औलिया अल्लाह, इजालतुल खेफा, अनफासुल आरेफीन, तफहीमाते इलाहिया एवं पत्रों का संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सं० ग्रं०—मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी : शाह वली उल्लाह और उनकी सियासी तहरीक; शाह वली उल्लाह और उनका फलसफा;

शाहाबाद स्थिति : २४° ३१' से २५° ५६' उ० अ० तथा [illegible] से ८४° ३१' पू० दे०। बिहार के पटना डिवीजन का एक जिला। इसका क्षेत्रफल ४,४०० वर्ग मील है एवं जनसंख्या [illegible] (१९६१) है। जनपद के दक्षिणी भाग को [illegible] बाँटा जा सकता है : (१) रेतुर पठार दक्षिण में, एवं [illegible] में है। इसकी औसत ऊँचाई १,००० से १,२०० फुट है, मैदानी भाग वाली तीन चौथाई भाग में फैला है। इसी दक्षिण से उत्तर की ओर है। कर्मनाशा, दुर्गावती तथा [illegible] मुख्य नदियाँ हैं, जो पठार से निकलती हैं। पूरब में [illegible] तथा उत्तर में गंगा नदी जिले की सीमा निर्धारित करती है। जिले की धान, गेहूँ, चना, तंबाकू, ईख आदि प्रधान उपज [illegible] सोन नदी से निकाली गई नहरों द्वारा यहाँ सिंचाई होती है, जिससे यह जिला खाद्यान्न के लिये अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कई [illegible] रासायन, चीनी आदि के कारखाने हैं, जो प्रधानतः [illegible] केंद्रित हैं। आरा इस जिले का प्रशासनिक नगर है जिसकी [illegible] ७६,७६६ (१९६१) है। [अ० सिं०]

शिंजियांग (Sinkiang) चीनी भाषा में इसका अर्थ है नया राज्य। सुदूर उत्तर-पश्चिम में यह चीन का सबसे बड़ा स्वायत्तशासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल १६,७६,००० वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या ५६,४०,००० तथा राजधानी उरुमची है। यह स्वायत्तशासी क्षेत्र तियेनशान पर्वतशृंखला द्वारा दो असमान विभागों में बँट गया है : पहला जुगारिया पठार के उत्तर में, और दूसरा तारीम (Tarim) बेसिन के दक्षिण में, जिसमें तक्लामाकान मरुभूमि भी सम्मिलित है। यहाँ की नदियाँ पहाड़ों से निकलकर नमकीन झीलों में मिल जाती हैं, जो समुद्र तक नहीं पहुँचतीं। तारीम नदी सबसे लंबी नदी है। केवल [illegible] इरतिश नदी का पानी समुद्र में पहुँचता है। यहाँ की जलवायु मानसूनी और महाद्वीपीय है। मरुभूमि भागों के लोग खानाबदोश [illegible] जीवन व्यतीत करते हैं। पहाड़ी नदियों की घाटियों में कपास, [illegible] धान, मक्का, फल आदि की उपज होती है। [पु० क०]

शिकागो स्थिति : ४१° ५०' उ० अ० तथा ८७° १८' प० दे०। [illegible] संयुक्त राज्य, अमरीका, का प्रसिद्ध नगर, बंदरगाह तथा आर्थिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। यह मिशिगन झील के दक्षिण पूर्वी कोने पर न्यूयार्क से ९१३ मील, लॉस ऐंजिलेस से २३६२ मील, न्यूऑर्लिएंज से ९१२ मील तथा सिएटल से २३३० मील दूर है। नगर की जलवायु परिवर्तनशील है। दैनिक तापांतर १७° सें० तक पहुँच जाता है। यह यातायात का प्रमुख केंद्र है लगभग ३० रेलमार्ग यहाँ पर आकर मिलते हैं। यह कैनाडा के रेलमार्ग का भी केंद्र है। यहाँ पर शिकागो मंदिर, ट्रिब्यून मीनार, सिविक सेंटर एवं सिटी भवन, ऑडिटोरियम, प्यूपिल्स गैस भवन, मारकेट भवन, जनता पुस्तकालय, शिकागो प्राकृतिक इतिहास अजायबघर, आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। यहाँ कई पार्क हैं, जिनके कारण इसे उद्यननगर कहा जाता है। नगर, कला एवं संगीत का भी केंद्र रहा है। जॉन एल्डिन वारडेर [illegible] ति तथा जी० पी० ए० हीले जैसे चित्रकार यहीं पैदा हुए हैं। [illegible] का आर्ट्स इंस्टिट्यूट संसार का प्रसिद्ध अजायबघर है।

शेर और वनशूकर का सामना

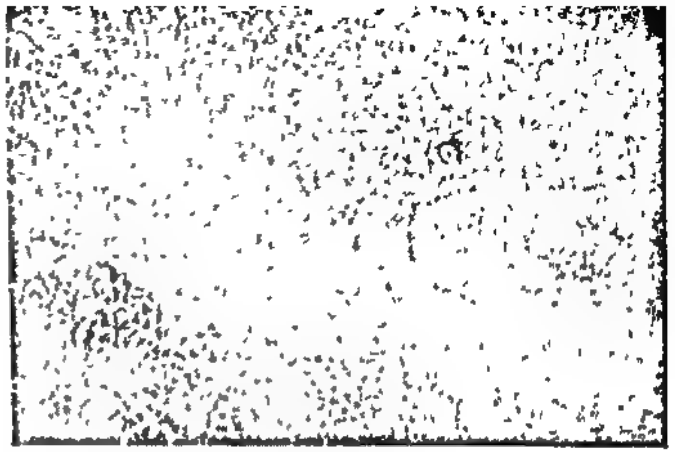

दोनों का युद्ध

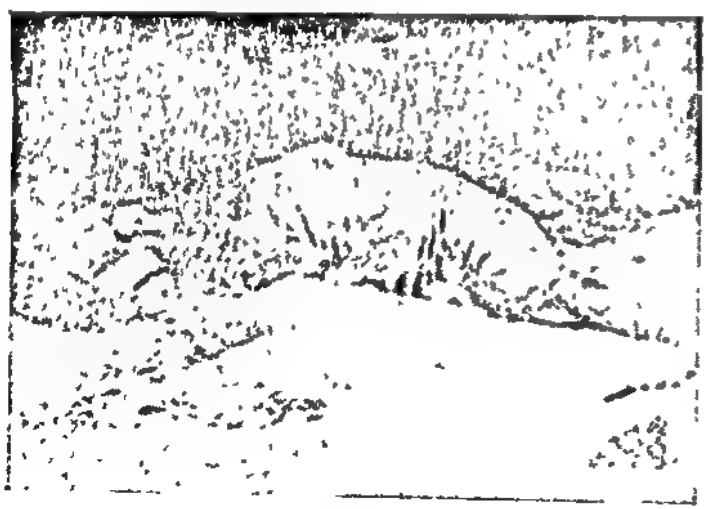

शावक मृगवन में बस पीता शेर

शिकारी तथा शेर

पर ले जाता था। इस प्रकार दिन भर में एक अच्छा शिकारी चीता ४–५ हिरनों का शिकार कर लेता था। शिकार की यह पद्धति, जिसका उपयोग प्राचीन काल के राजे महराजे और सामंत करते थे, भारत में अब समाप्त हो चुकी है। अकबर के पास इस प्रकार के लगभग ६०० चीतों की पूरी पलटन थी। यह परंपरा भारत में सन् १९२० तक मिलती है। इसके बाद आखेटक चीतों का नामो-निशान भी नहीं मिलता।

आखेटक चीता लगभग तेंदुए के कद का होता है (देखें चीता, खंड ४, पृष्ठ १३५)। खड़ा होने पर अधिक ऊँचा और पतला मालूम होता है। पुतलियाँ और आँखें गोल तथा कान छोटे एवं गोल होते हैं। इसके बाल अपेक्षाकृत रूखे होते हैं तथा अन्य जगहों की अपेक्षा गर्दन पर कुछ लंबे होते हैं। खाल का रंग पाटुर, भूरा और पीला तथा कहीं कहीं रक्तपीत होता है, जो निचले हिस्सों में पार्श्व और पृष्ठ भागों की अपेक्षा हलका होता है। खाल लगभग सब जगह छोटे छोटे ठोस तथा गोले, काले धब्बों से अच्छादित रहती है। तेंदुए के समान इस पर गुल नहीं होते। इसकी ठुड्डी और गर्दन श्वेत वर्ण की होती है। आँख से लेकर ऊपरी होठों तक, एक काली रेखा खिंची रहती है। लगता है, जैसे आँख से आँसू ऊपर के रोओं पर गिर रहे हैं। दूसरी ओर यह रेखा बालों में खो जाती है तथा आँख के कोनों से लेकर कानों तक धब्बे पड़े रहते हैं। यह ऊपरी हिस्सों पर काला और बगल तथा निम्न भागों में पाटुर-भूसर वर्ण का होता है। शरीर की तरह ही पूरे शरीर की लंबाई के आधे से अधिक लंबी पूँछ भी अंतिम छोर तक धब्बेदार होती है और नोक पर हलके वृत्त होते हैं। इसके तलवे और पंजे कुत्ते के समान होते हैं। बिल्लियों की तरह इसके पंजों के नाखून अंदर की ओर नहीं जाते।

ये कभी भी मनुष्यों पर आक्रमण नहीं करते। ये अपने शिकार के पास बड़ी सावधानी और शांति से आते हैं और उसके बाद एकाएक, बड़ी द्रुत गति से, शिकार पर आक्रमण करते हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन और घासों के झुरमुट का पूरा फायदा उठाते हुए, उनमें छुपते छिपते, ये अपने शिकार का पीछा करते हैं। कृष्णसार और चिकारा का पीछा करने में इनकी गति तीव्रतम होती है। इतनी तीव्रता कोई भी साधारण या शिकारी कुत्ता नहीं दिखला सकता। पूरा भोजन कर लेने के बाद, चीता दो दिन तक अपनी माँद में विश्राम करता है। इसके बाद किसी विशेष पेड़ के पास जाता है, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आखेटक चीते इकट्ठे होकर अपने पंजे तेज करते रहे हैं। कभी कभी ये बहेलियों द्वारा भी पकड़ लिए जाते हैं और इस आशय से कि ये मानव गंध के आदी हो जाएँ, ये बच्चों तथा स्त्रियों के बीच रखे जाते हैं। छह महीने में ये पूर्णतया कुत्तों के समान प्रशिक्षित और पालतू हो जाते हैं तथा अपरिचितों के साथ भी इनका व्यवहार बड़ा मधुर हो जाता है। पालतू हो जाने के बाद, ये पालतू बिल्लियों के समान पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं और मनुष्य भवन मानव मित्रों के बीच में रहना पसंद करते हैं। ये पिंजड़े में कभी नहीं रखे जाते, बल्कि जमीन में गड़े खूँटे या दीवार में जड़े हुए किसी पत्ते के सहारे लोहे की जंजीरों से बाँधकर रखे जाते हैं।

तेंदुआ — यद्यपि तेंदुआ (देखें तेंदुआ) व्याघ्र से कम शक्तिशाली होता है, तथापि इसके आक्रमण और प्रहार की प्रकृति किसी भी हिंसक जानवर से अधिक भयंकर और क्रोधपूर्ण होती है। इसकी बोली गुड़गुड़ाने और खाँसने की कर्कश सी होती है और उसकी तीन या चार आवृत्तियाँ होती हैं। इसकी आवाज समवेत रूप से आरे की ध्वनि जैसी होती है। इसके ये घनी झाड़ियों और पेड़ों के झुरमुट में इस प्रकार छिपकर हैं कि हाँकेवालों और शिकारियों को पूर्णतया निराश होना पड़ता है। हाँके में ये प्रायः बहुत कम बाहर निकलते हैं। इसलिए इसपर गोली चलाना बड़ा मुश्किल होता है।

तेंदुए का शिकार करने के लिये, व्याघ्र के शिकार के समान एक पेड़ या ऐसे जलाशय के पास जहाँ वे प्रायः पानी पीने या अपने पंजों को साफ और तेज करने के लिये आते हैं, बकरी या कुत्ता बाँध दिया जाता है। शिकारी किसी मचान, या अपनी इच्छानुसार किसी कगार में छिपा, प्रतीक्षा करता रहता है। शिकारी कुछ ऐसा करता है कि तेंदुए के लिये बाँधा गया शिकार बीच बीच में चिल्लाता रहे, जिससे आकृष्ट होकर तेंदुआ उसके पास तक आ सके। तेंदुआ के शिकार की दूसरी पद्धति यह होती है कि शिकारी सड़कवाला कोई रेखा जंगल चुन लेता है, जहाँ तेंदुए अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सड़क के पार्श्व भाग में छोटे छोटे मंच बना दिए जाते हैं, जिनकी ऊँचाई कभी तीन या चार फुट से अधिक नहीं होती। उसी मंच पर एक कुत्ता बाँध दिया जाता है। तेंदुये कुत्तों का माँस बहुत पसंद करते हैं और वे एक मील की दूरी से ही सूँघकर उसके पास आने का उपक्रम करते हैं। एक से दूसरे [illegible] तक [illegible] होती है। मंचों के अंधेरा हो जाने पर, या तीन मंचों में से किसी एक पर से ही तेंदुए का शिकार करने में सफल हो पाता है। यह पद्धति उस समय प्रचलित थी जब सर्चलाइट के सहारे शिकार किए जाते थे।

शेर या व्याघ्र — (देखें बाघ) भारत में व्याघ्र का शिकार ही गौरव का कार्य माना जाता है। किसी जलाशय या हाँके के माध्यम से, व्याघ्र के आश्रय स्थल के पास शिकार किया जाता है। हाँका मनुष्यों तथा प्रशिक्षित हाथियों, दोनों से किया जाता है। मनुष्यों के हाँके में ऐसा होता है कि पूरे जंगल को तीन ओर घेर लिया जाता है और शेष चौथी दिशा में शिकारी के बैठने के लिये एक मचान बना लिया जाता है, जिसकी ऊँचाई ७ से १० फुट तक होती है। मचान को चारों ओर से हरी पत्तियों तथा टहनियों से ढँक दिया जाता है और शिकारी के चढ़ने लायक एक सीढ़ी बना दी जाती है। मचान का निर्माण ऐसे ढंग से किया जाता है कि अगर व्याघ्र सिर ऊपर उठाकर देखे भी, तो शिकारी को देख नहीं सकता। व्याघ्र द्वारा मचान में बैठे हुए शिकारी के न देखे जा सकने का एक कारण मचान की ऊँचाई भी होती है, जो व्याघ्र की दर्शन शक्ति के कारण बहुत ऊँची होती है। हाँके के पहले ही कुछ लोग भी पेड़ों पर बैठा दिए जाते हैं। ऐसा इसलिये किया जाता कि अगर व्याघ्र हाँके से बचना चाहे तो ठीक अपनी दुरुहाइयों से पेड़ के तनों को ठोंक ठोंककर व्याघ्र को उसी ओर भागने को बाध्य करते हैं जिधर [illegible] शिकारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।

व्याघ्र या और कोई जंगली जानवर किसी प्रकार की आवाज सुनकर रुक नहीं सकता और पहली आवाज पर ही वह इतना चौकन्ना हो जाता है कि जंगल के सबसे सुनसान अंचल में भाग जाने का प्रयास करता है। हाँका वाले ढोल तथा कनस्टर पीट पीटकर और चिल्लाकर, बड़ा तुमुल घोष करते हैं। जंगल के घने घासवाले अंचलों में, जहाँ मनुष्यों का जाना कठिन होता है, प्रशिक्षित हाथियों द्वारा हाँका कर दिया जाता है। ये प्रशिक्षित हाथी व्याघ्र के लिये लगभग २०० गज का वृत्ताकार अवरोध उत्पन्न करते हैं और शिकारी किसी एक हाथी की पीठ पर बैठा होता है। धीरे-धीरे ये हाथी वृत्त को संकरा करते जाते हैं। इस प्रक्रिया को पारिभाषिक शब्दावली में घेरा डालना (ringing) कहते हैं। नेपाल में इसका बहुत प्रचलन था। हाँके में प्रयुक्त प्रत्येक हाथी के पास कँटीले तारों की लंबी लंबी जंजीरें होती हैं। जब हाँका शुरू होता है, तब विलक्षण किस्म की आवाज होती है, एक तरफ जंजीरों की झनझनाहट से संयुक्त हाथियों की चिंघाड़ और दूसरी ओर वृत्तावरोध में कैद व्याघ्र की गर्जना। हाथियों के घेरे की मजबूत चहारदिवारी में पड़ा व्याघ्र किसी कमजोर मोहरे की तलाश में इधर से उधर दौड़ता हाथियों के पैरों पर प्रहार करता है। उधर शिकारी ज्यों ही काली पृष्ठभूमि में सफेद दागवाले बाघ के व्याघ्र को देखता है त्योंही गोली चलाना शुरू कर देता है। जब व्याघ्र उस घेरे को तोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है, तब हाथी के सिर पर छलांग मारता है और हाथी अपनी सूँड़ में पकड़ी हुई, उन कँटीली जंजीरों से उसपर प्रहार करते हैं तथा हाथी की पीठ पर स्थापित हौदे में बैठा शिकारी ऊपर से गोलियाँ चलाता है।

व्याघ्र का शिकार करने की दूसरी पद्धति यह है कि उसके आगे रास्ते में तीन या चार साल का भैंस का पँड़वा बाँध दिया जाता है, जिसके गले में एक घंटी बँधी होती है। भोजन की तलाश में निकला हुआ व्याघ्र ज्यों ही वहाँ पहुँचता है, तुरत पँड़वे को मार डालता है और उसे थोड़ा बहुत खाने के बाद दूसरे दिन खाने के लिये लेकर चल देता है और कुछ दूर पर किसी जंगली जलाशय के पास, घनी झाड़ियों में उसे छिपाकर रख देता है तथा उसके पास ही बैठा रहता है, जिससे कोई दूसरा जानवर उसके शिकार के पास न जाने पाए। मरे हुए पँड़वे के आस पास गिद्ध और कौवे यदि पेड़ पर बैठे हुए दिखलाई पड़ जाँय, तो समझ लेना चाहिए कि व्याघ्र के डर से ही वे शिकार के पास नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक मचान बनाकर हाँका शुरू कर दिया जाता है और मचान में बैठा हुआ शिकारी मरे हुए पँड़वे के पास, सन्ध्या में सूर्यास्त के पश्चात् या रात में, व्याघ्र के आने की प्रतीक्षा करता है। कभी कभी शिकारी बिना हाँके के ही, भूखे व्याघ्र के निकलने की प्रतीक्षा में, बँधे हुए शिकार के पास रात भर बैठा रहता है।

तेंदुआ पहले अपने शिकार का पेट फाड़ता है और वहीं से खाना शुरू करता है, लेकिन व्याघ्र पहले पुट्ठों की ओर से शिकार को खाता है। प्राचीन काल में भारत के सभी जंगलों में व्याघ्र बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अब ये बहुत कम रह गए हैं और कहीं कहीं तो पूर्णतया दुर्लभ हैं। इसका एक मात्र कारण अंधाधुंध और अनुशासनहीन शिकार ही है। हिमालय की उपत्यका तथा मध्य प्रदेश के जंगली अंचलों में अब भी ये प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। व्याघ्र की सामान्य रूपरेखा पर्याप्त परिचित होती है। यह बिल्ली के कुल का होता है। इसकी पुतलियाँ गोल होती हैं। पूरे नौजवान व्याघ्र के कान के पिछले हिस्से के आस पास गर्दन के चारों ओर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिन्हें फर कहते हैं। फर छोटे और घने होते हैं, लेकिन उनकी लंबाई, घनेपन और रंग में जलवायु के अनुसार अंतर होता है। इसकी धारियाँ बिलकुल काली और स्पष्ट होती हैं। उसका शिरोप्रदेश और पूरा शरीर काली धारियों से, जो पूँछ की ओर जाते जाते वृत्ताकार हो जाती हैं, ढँका रहता है। शरीर और पार्श्व भाग का रंग पांडुर-धूसर वर्ण का होता है, लेकिन निचले हिस्से सफेद होते हैं। उत्तरी भारत में पाए जाने वाले व्याघ्र मध्य और दक्षिणी भारत के व्याघ्रों की अपेक्षा अधिक गहरे रंग के और लवधोंह होते हैं। व्याघ्र के बाल काले होते हैं, जिनके पिछले हिस्से पर एक सफेद धब्बा होता है, जो शिकारियों को छिपे व्याघ्र का पता देता है। तीन साल की अवस्था में व्याघ्र पूरा नौजवान हो जाता है। यह दिन भर आराम करता है और शाम को शिकार की खोज में निकलता है और किसी निश्चित रास्ते या नदी के बलुआ तट पर चला जाता है। अनुभवी और जानकार शिकारी पहले इन रास्तों का पता लगाता है और उन्हीं पर पड़वा बाँधता है। पूरी रात भर और मौसम के अनुसार सुबह के सात से नौ बजे तक व्याघ्र टहलते घूमते हैं। उसके बाद जंगल के किसी ठंढे, घने और शांत अंचल में जाकर विश्राम करते हैं। व्याघ्र को सोते समय आसानी से मारा जा सकता है, शर्त यह है कि व्याघ्र के सोने के स्थान का पता लग जाय और वहाँ व्याघ्र की निद्रा में बिना विघ्न डाले चुपके से शिकारी पहुँच जाय।

किसी व्याघ्र पर अगर गोली का निशाना बहक जाय, या वह घायल होकर भाग जाय, तो वह फिर कभी उस ओर, जहाँ वह घायल हुआ था, नहीं लौटता। जंगल के किसी दूसरे अंचल की शरण लेता है, क्योंकि यह बहुत ही चालाक और मक्कार जानवर है, जो अपनी गलतियों को कभी दुहराता नहीं। घायल होने के बाद अगर यह मरने से बच जाता है, तो नरभक्षी हो जाता है। किसी भी हाँके में बचा हुआ व्याघ्र दुबारा हाँके के चक्कर में जल्दी नहीं पड़ता। हाँके का जरा भी संकेत पाकर पुराने अनुभव के आधार पर वह बहुत दूर भाग जाता है। व्याघ्र मादाएँ नर की अपेक्षा भयंकर तथा खूँखार होती हैं। बुड्ढा, अशक्त तथा घायल व्याघ्र और बच्चोंवाली व्याघ्र मादाएँ, जो अपना स्वाभाविक शिकार करने में असमर्थ होती हैं, पहले छोटे छोटे पालतू जानवरों पर प्रहार करना शुरू करती हैं और चरवाहों के संसर्ग में आते आते, जब मनुष्य के प्रति इनका स्वाभाविक डर समाप्त हो जाता है, तो ये पूर्णतया नरभक्षी बन जाते हैं। कुछ व्याघ्र, बिलकुल सफेद होते हैं, जिन्हें रंगहीन (albino) व्याघ्र कहते हैं। इनके शरीर की धारियाँ, गहरे भूरे रंग की तथा आँखें भूरी हरी होने की जगह, हल्की गुलाबी होती हैं।

व्याघ्र के शिकारी को चाहिए कि वह अगर उसपर गोली चलाए, तो उसे जिंदा न छोड़े। यह उसका नैतिक कर्तव्य और शिकार संहिता का आग्रह होता है। इसका पालन करने के लिये, घायल

लॉर्ड हार्डिंज तथा हाथी में मारे गए बाघ शेर

जंगलों में नहीं बल्कि खुले घास के मैदानों और वृक्षों के पास रहता है। जाड़ों में यह तीस और चालीस तक के झुंड में टहलता है, लेकिन वसंत ऋतु में यह इस नियम का पालन नहीं करता। सांभर की अपेक्षा यह रात्रि में कम निकलता है, लेकिन दोपहर के पहले और दोपहर के बाद सामान्यतया अधिक देर तक चरता रहता है।

कांकर — यह एक छोटा और अजीब किस्म का हिरन होता है, जो खुले मैदानों में नहीं दिखलाई पड़ता, प्रत्युत हिमालय के जंगलों में पाँच से छह हजार फुट की ऊँचाई तक मिलता है। इसके सींग छोटे होते हैं, जिनकी ऊपरी नोक थोड़ी अंदर की ओर घूमी रहती है। सींगों के नीचे से मुख तक एक काली धारी आती है। सामान्यतया इसका रंग गहरा अखरोटी होता है, जो पृष्ठ प्रदेश पर अधिक गहरा और निचले हिस्सों में हलका होता है। ठुड्डी गले का ऊपरी हिस्सा एवं निचले भाग (जिसमें पूँछ का निचला हिस्सा भी सम्मिलित होता है) तथा जबड़े के अंत प्रदेश सफेद रंग के होते हैं। अपने जोड़े के साथ यह प्रायः अकेला रहता है। घने जंगलों से बाहर केवल घास के मैदानों तक चरने के लिये यह निकलता है और प्रायः गोधूलि में या प्रातःकाल ही चरता है। इसकी गति बड़ी तीव्र होती है।

चिकारा (Indian Hazel) — दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर बिहार के पलामू, छोटा नागपुर तथा संयुक्त उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों को सींगे होती हैं। नर के सींगों में मूंगरी के समान वृत्त बने होते हैं और ऊपरी सिरे नुकीले होते हैं। मादा के सींग छोटे और नुकीले होते हैं। इनका रंग पृष्ठ भाग पर अखरोट के समान भूरा होता है, जो पार्श्व भागों में गहरा होता है तथा निचले हिस्सों में सफेद। लेकिन पूँछ का रंग काला होता है। ये प्रायः झुंड में रहते हैं। बरसात से कटी हुई ऊँची नीची जमीन, रेतीली पहाड़ियाँ तथा इधर उधर छिटकी झाड़ियाँ और पेड़ों की पंक्तियाँ इनके निवास स्थान होते हैं। भयभीत होने पर, ये कूदकर हवा में उछलते नहीं, बल्कि जहाँ रहते हैं वहीं खड़े रहकर खुर पटकते और हुंकार भरते रहते हैं।

कृष्णसार — भारत का कृष्णसार अपने सींगों और शारीरिक सौंदर्य में संसार का सबसे सुंदर जानवर है। यह केवल भारत में पाया जाता है और वृक्षों से रहित समतल मैदानी प्रदेश में रहता है। यह मलाबार और सूरत से दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़कर शेष पूरे देश में पाया जाता है। गंगा और यमुना के दुआबा में इनकी बड़ी संख्या मिलती है। इनके खुर नुकीले होते हैं और घुटने पर थोड़े से गुच्छेदार बाल होते हैं। केवल नर के ही सींग होते हैं, जो जड़ पर नजदीक होती हैं और उनमें मूंगरी के समान वृत्त बने रहते हैं तथा ऊपर जाने पर सींग छितरा जाते हैं। समवेत रूप से सींग गोल और छल्लेदार होते हैं। पूरा नौजवान नर कृष्णसार काला बादामी होता है और अधिक अवस्था हो जाने पर बिलकुल काला हो जाता है। चेहरा काला बादामी तथा कानों के नीचे सफेद लंबी धारी होती है और आँखें एक सफेद वृत्त से घिरी होती हैं। शरीर के निचले भाग सफेद होते हैं। ये झुंडों में रहते हैं और इनके भोजन करने का कोई निश्चित समय नहीं रहता, मलाप या विश्राम दोपहर को भी करते हैं। ये दौड़ने में बड़े तेज होते हैं और ज्यों ही किसी खतरे की सूचना मिलती है त्यों ही ये बड़ी लंबी चौकड़ियाँ भरते हुए हवा से बातें करने लगते हैं।

चौसिंगा — इसके चार छोटे सींगे होते हैं, जिनमें से दो सिर पर आँखों के बीच में होते हैं और दो इन्हीं दोनों के पीछे। आकार में ये सींग सीधे तथा गोल होते हैं। सामने के सींग छोटे और पिछले बड़े होते हैं। इनके बाल पतले रूखे और छोटे होते हैं। साधारणतया इनका रंग खैरा होता है, जो शनैः शनैः नीचे उतरते उतरते सफेद हो जाता है। थूथन तथा कान के बाहरी हिस्सों का रंग अपेक्षाकृत गहरा होता है। यह बड़ा शर्मीला जानवर है। जंगल के किनारों पर यह बहुत प्रातः या शाम के झुटपुटे में चरने के लिये निकलता है।

उपर्युक्त सभी हिरनों का शिकार बहुत सावधान होकर, लुक छिपकर किया जाता है। ये सभी बड़े शर्मीले और सावधान होते हैं। जब भी ये दिखलाई पड़ते हैं तब आखेटक सदैव अपने को जानवर की ओर से आती हुई हवा की विपरीत दिशा में रखकर बड़े चुपके चुपके घासों के झुरमुट तथा झाड़ियों के बीच से होकर छिपता छिपता, इनका पीछा करता है। अगर जानवर को यह मालूम हो जाय कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो शिकारी को अपने स्थान पर बिलकुल खामोश होकर पत्थर के समान जड़ हो जाना चाहिए और जब जानवर का भय दूर हो जाय, तो फिर चुपके से पीछा करना चाहिए। हाँका किए जाने पर, ये सबके सब बहुत तेज दौड़ते हुए बाहर निकल आते हैं, लेकिन चीतल सदैव कावा काटते हुए, बहुत तेज दौड़ते हुए निकलता है। एक बार बदूक दग जाने पर, ये पूरी रफ्तार से भागते हैं, जिनमें से सांभर और चीतल तो हाँका वालों की पंक्तियाँ तोड़कर भाग जाते हैं।

इनका शिकार करने का दूसरा ढंग इनके चरागाह और जलाशय का पता लगाकर, वहाँ जानवरों के पहले पहुँचकर, किसी झाड़ी, वृक्ष या चट्टान के पीछे छिपकर बैठने का है। प्रतीक्षा की घड़ियों में बिलकुल खामोश और शांत रहना चाहिए। बैठने के पहले हवा का रुख थोड़ी सी धूल उड़ाकर, या सूखी गिरती पत्तियों को देखकर मालूम कर लेना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके हवा की विपरीत दिशा में रहना चाहिए। जलाशय या चरागाह के पास छिपकर बैठने वाले शिकारी को बार बार अपनी जगह नहीं बदलनी चाहिए। इन जानवरों का आखेट करने के लिये एक और उपयुक्त स्थल होता है, जिसे नुनचट कहते हैं, जहाँ पर नमक चाटने के लिये जंगल के अधिकांश जानवर समय समय पर प्रायः आते हैं। ऐसी जगहें प्रायः प्रत्येक जंगल में पाई जाती हैं। कौन सा जानवर वहाँ कब आया है, इसका पता उनके खुर और पैर के निशानों को देखकर लग सकता है। ताजे निशान बहुत स्पष्ट और गहरे होते हैं और ज्यों ज्यों समय बीतता है, हवा के संचार और सूरज की रोशनी से ये निशान धुँधले और अस्पष्ट हो जाते हैं। कृष्णसार का, जो वृक्ष से रहित, सपाट घास के मैदानों में रहता है, पीछा करना बड़ा मुश्किल होता है। दिन के समय ये छिपने के लिये किसी गन्ने या अरहर के खेत में चले जाते हैं और जब यह मालूम हो जाता है

व्याघ्र का पीछा करने के लिये कुछ पालतू भैंसों को लगा देना चाहिए और शिकारी उनका अनुगमन करे। घायल व्याघ्र किस रास्ते से गया है, इसका पता लगाने के लिये जमीन पर, घनी मोटी और मुलायम घासों पर पड़े हुए उसके पैरों के निशान पर्याप्त होते हैं। इसके साथ साथ उसके घाव से टपकने वाले खून के धब्बे भी, जो सूखी टहनियों, घासों, झाड़ियों और जमीन पर होते हैं, रास्ते का निर्देश करते हैं। भैंसे व्याघ्र को बहुत जल्दी सूँघ लेते हैं। इनकी उत्तेजित गतिविधि देखकर, शिकारी को यह समझते देर नहीं लगती कि व्याघ्र नजदीक ही है। इतना मालूम हो जाने पर, पहले इसके कि व्याघ्र कुछ करने के लिये सावधान हो सके, शिकारी को चाहिए कि तुरंत उसे समाप्त कर देने का प्रयास करे।

भालू — (देखें भालू) भालू का शिकार करने के लिये हांके वालों को भालू को उसके रहने के स्थान से बिलकुल बाहर निकालकर लाना पड़ता है। चूँकि यह बहुत ही चालाक और शरारती जानवर होता है, इसलिये इसे बाहर ले आना बड़ा कठिन कार्य होता है। गर्मी के दिनों में जब जल का अभाव होता है, तब किसी जलाशय के पास पानी पीते समय इसका शिकार किया जा सकता है, या फिर शाम को या बहुत सुबह जब भालू भोजन की तलाश में महुआ, तेंदु और जंगली मकोय के पेड़ों के पास आते हैं तब इनका शिकार सुलभ होता है। शिकारी पहले हवा की दिशा का अंदाज लगाता है और अपने को जानवर की ओर से आने वाली हवा के विपरीत दिशा में रखते हुए, किसी झाड़ी के पीछे, या वृक्ष की आड़ में ही छिप जाता है। अगर वह महुए का पेड़ हुआ तो शिकारी उसपर चढ़कर अपने को पत्तियों में अच्छी तरह छिपा लेता है और भालू की प्रतीक्षा करता रहता है।

स्लोथ भालू ताड़ी बहुत पसंद करता है, इसलिये उसका शिकार ताड़ी के पेड़ के पास आसानी से किया जा सकता है। लबनी में भरे रस को पीने के बाद जब वह बिलकुल मस्त तथा लापरवाह हो जाता है, तब उसे आसानी से बंदूक का निशाना बनाया जा सकता है। गन्ने के मौसम में प्राय वह गन्ने के खेतों के पास आते या जाते मिल सकता है। भालू के शिकार में हाथियों के हांके का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भालू ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ हाथी जा ही नहीं सकते।

हिरन — भारत के हिरन परिवार के चीतल, कृष्णसार, बोंगिया काकर, पाड़ा तथा बारहसिंघों पर गर्व किया जा सकता है। इनका वर्णन निम्नलिखित है :—

चीतल — ये देश भर में पाए जाते हैं और इनके सींग तीस इंच तक लंबे होते हैं तथा कभी कभी इन्हें इन लंबे भी पाए जाते हैं। इनके सींग बिलकुल सीधे होते हैं और बाहरी सींग प्राय लंबे होते हैं। इनका रंग लगभग भूरा होता है, जिस पर सफेद सफेद बिंदियाँ सी होती हैं। संस्कृत के पुराने कवियों ने इन्हें ही स्वर्णमृग की संज्ञा दी है। लंबी लंबी बिंदियाँ इनकी पूँछ के एक सिरे से लेकर पीठ तक लंबी काली धारी होती है, जिसके दोनों ओर सफेद धब्बों की दो या तीन पंक्तियाँ होती हैं। टुड्डी, गर्दन का ऊपरी हिस्सा, उदर भाग, पैरों का भीतरी हिस्सा तथा पूँछ का निचला भाग बिल्कुल सफेद होता है। कान बाहर से बादामी और अंदर से सफेद होता है। सिर का रंग एक समान गहरा भूरा तथा चेहरे पर बादामी होता है और थूथन के ऊपर काली धारी होती है, जो आँखों के पास तक चली जाती है।

साँभर — भारतीय हिरनों में साँभर बहुत बड़ा होता है। यह पहाड़ी इलाकों के जंगली हिस्सों में पाया जाता है। हिमालय की पर्वतीय उपत्यका में यह दस हजार फुट की ऊँचाई तक और दक्षिण में विंध्य के पूरे पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। मैदानी भागों में ये नहीं रहते। इनके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनका थूथन बड़ा होता है और शरीर पर रूखे रूखे मोटे बाल उगे होते हैं। नर साँभर के गले और गर्दन में बाल घने होते हैं। इनके शरीर का रंग गहरा भूरा होता है, जो कुछ कुछ राख के रंग को लेकर पीलिमा लिए होता है। पुट्ठे और पेट के हिस्सों में पीलापन अधिक स्पष्ट होता है। पुराने साँभर कभी कभी काले, या स्लेटी भूरे रंग के, हो जाते हैं। ये कभी भी बड़े झुंडों में नहीं रहते, फिर भी चार या पाँच का परिवार इनका सदैव साथ रहता है। आदतन ये रात्रिचर होते हैं। इन्हें शाम और सुबह भी चरते हुए देखा जा सकता है, लेकिन प्राय ये रात को ही अपना पेट भरते हैं और दिन में किसी घनी मोटी झाड़ी में छिपे रहते हैं। ये बहुत ही चुपके होते हैं और इतने सावधान होकर चलते हैं कि जरा भी आवाज नहीं होती।

पाड़ा, हॉगडीयर (Hog-deer) — ये तराई क्षेत्रों और घने घासके मैदानों में पाए जाते हैं, और कभी भी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर नहीं चढ़ते। इनकी पूँछ लंबी और पैर छोटे होते हैं। इनके सींग अर्वन में झड़ जाते हैं और ये साधारणतया एक फुट से ज्यादा लंबे नहीं होते। चीतल, साँभर, पाड़ा, सभी के सींग समयानुसार अपने आप झड़ते हैं और जब नए सींग उगते हैं, तो उन्हें वेलिवेट इन वेलवेट (antelers in velvet) कहा जाता है। पाड़े का रंग लगभग सौंह विषित बादामी होता है, लेकिन रोमों के सिरे में हलकी सफेदी होती है। निचले हिस्सों में रंग गहरा बादामी होता है। गर्मियों में कानों के भीतरी भाग तथा पूँछ के निचले हिस्से सफेद रहते हैं। छह महीने की अवस्था तक का पाड़ा पूरे शरीर पर धब्बा लिए रहता है। पाड़ा आदतन ऊँची झाड़ियों तथा ऊँचे घास के मैदानों में रहता है। दौड़ते समय यह अपना सिर नीचा कर लेता है और उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। यद्यपि एक जंगल में बहुत से पाड़े रहते हैं, तथापि स्वभावत. ये या तो अकेले रहेंगे, या जोड़े में।

बारहसिंघा — ये हिमालय की तलहटी, गंगा एवं गोदावरी की घाटियों तथा कहीं कहीं नर्मदा की घाटियों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बस्तर आदि जिले के कुछ भागों में भी ये मिलते हैं। इनके सींग चिकने होते हैं और कई भागों में बँट जाते हैं, जिसके कारण उनमें चार नोक या जाती हैं। इनके बाल, जो गर्दन पर अधिक घने हो जाते हैं, घने और कोमल होते हैं। जाड़े में शरीर का रंग ऊपरी हिस्से में गाढ़ा भूरा तथा निचले हिस्से में बादामी अधिक पीला होता है, लेकिन गर्मियों में शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग बहुत लगभग बादामी हो जाता है तथा निचले हिस्से का रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है। बारहसिंघा

रहता है। जाड़ों में यह तीस और चालीस तक के झुंड में टहलता है, लेकिन वसंत ऋतु में यह इस नियम का पालन नहीं करता। सांभर की अपेक्षा यह रात्रि में कम निकलता है, लेकिन दोपहर के पहले और दोपहर के बाद सामान्यतया अधिक देर तक चरता रहता है।

काँकर — यह एक छोटा और अजीब किस्म का हिरन होता है, जो खुले मैदानों में नहीं दिखलाई पड़ता, प्रत्युत हिमालय के जंगलों में पाँच से छह हजार फुट की ऊँचाई तक मिलता है। इसके सींग छोटे होते हैं, जिनकी ऊपरी नोक थोड़ी बाहर की ओर घूमी रहती है। सींगों के नीचे से मुख तक एक काली धारी आती है। सामान्यतया इसका रंग गहरा अखरोटी होता है, जो पृष्ठ प्रदेश पर अधिक गहरा और निचले हिस्सों में हलका होता है। कुहनी, गले का ऊपरी हिस्सा एवं निचले जाँघ (जिसमें पूँछ का निचला हिस्सा भी सम्मिलित होता है) तथा जबड़ों के अंत प्रदेश सफेद रंग के होते हैं। अपने जोड़े के साथ यह प्रायः अकेला रहता है। घने जंगलों से बाहर केवल चरने के मैदानों तक चरने के लिये यह निकलता है और प्रायः गोधूलि में या प्रातःकाल ही चरता है। इसकी गति बड़ी तीव्र होती है।

चिकारा (Indian Hazel) — दक्षिण में कृष्णा नदी से [illegible] बिहार के पलामू, छोटा नागपुर तथा संयुक्त उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों को सींगे होती हैं। नर के सींगों में मुड़ी के समान बल बने होते हैं और ऊपरी सिरे नुकीले होते हैं। मादा के सींग छोटे और नुकीले होते हैं। इनका रंग पृष्ठ [illegible] पर अखरोट के समान भूरा होता है, जो पार्श्व भागों में गहरा होता है तथा निचले हिस्सों में सफेद। लेकिन पूँछ का रंग [illegible] होता है। ये प्रायः झुंड में रहते हैं। बरसात से बची हुई [illegible] नीची जमीन, ऐसी पहाड़ियाँ तथा इधर उधर छिटकी [illegible] और पेड़ों की पत्तियाँ इनके निवास स्थान होते हैं। [illegible] पर, ये दूरकर हवा में उछलते नहीं, बल्कि जहाँ रहते हैं [illegible] रहकर खुर पटकते और हुंकार भरते रहते हैं।

कृष्णसार — भारत का कृष्णसार अपने सींगों और [illegible] सौंदर्य में संसार का सबसे सुंदर जानवर है। यह [illegible] पाया जाता है और पूर्वों से दक्षिण समतल [illegible] है। यह मैदानों और [illegible] पूरे देश में [illegible]

[illegible] के [illegible] निकलते हैं [illegible] करके चरते हैं।

[illegible] — [illegible] के [illegible] के [illegible] है [illegible] उनके [illegible] था। उनकी [illegible] के समीप के एक [illegible] की झोपड़ी की ओर [illegible] ये और उनकी माँ [illegible] न पहुँचाकर शेर [illegible] कर गाँव के लोग इकट्ठे [illegible] खुलता था अतः भीतर [illegible] र बंद करना खतरनाक [illegible] टट्टर धुपके से दरवाजे के [illegible] डोली झाड़ियाँ आदि इकट्ठी [illegible] उन्होंने लेखक के पास आकर [illegible] में आ नहीं रही थी किंतु [illegible] था कठिन था। टट्टर आदि को [illegible] का खतरे से खाली न था, अतः [illegible] जरिए निशाना बाँधकर गोली [illegible] दुर्घटना के बाद शेर खड़ा हो गया। [illegible] जब देखा गया तो पता चला कि [illegible] वे जिनमें कीड़े पड़ गए थे। स्पष्ट था [illegible] हुई लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो [illegible] घाटकर जंगलों को भाग नहीं कर सकता [illegible] कि वे छुटकारा पाने की गरज से ही उसने [illegible] चले आने का निश्चय किया था। जो हो, [illegible] री जीवन में ऐसी अनेक घटनाओं का अनुभव [illegible] बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र, जो मनुष्य [illegible] है, संकट में पड़कर उसकी सहायता की आकांक्षा [illegible] स्पष्टतया परिलक्षित होती है कि आवश्यकता के समय [illegible] हो जाते हैं।

सिंह और व्याघ्र

[illegible] सिंह पुरा[illegible] के पास आते रहे हैं। [illegible] पी रियासतों में [illegible] करते थे [illegible] छोड़कर अन्य स्थानों में [illegible]। उनके [illegible] का मुख्य कारण [illegible] जंगलों की [illegible] बढ़ती [illegible] था और [illegible] का [illegible] भरा दिया, [illegible] के [illegible] किसी। यह [illegible] बहुत

जायगी। ऐसा ही हुआ। 'हैपी' ने झपटकर शेरनी की गर्दन पकड़ ली और जब तक वह मर नहीं गई उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की।

२ श्रेष्ठता दिखाने को लड़ते — कभी कभी अपनी शक्ति या श्रेष्ठता दिखलाने के लिये भी वन्य पशु एक दूसरे पर आक्रमण कर मर मिटने को आमादा हो जाते हैं। ऐसा एक दृश्य लेखक ने उस समय देखा जब वह डिगोटा नामक स्थान में एक मचान पर बैठकर एक हिंस्र व्याघ्र को मारने की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस पोखरे में पानी पीने के लिये व्याघ्र आया करता था, उसी में पानी पीने की गरज से एक सूअर थोड़ी देर पहले आया। खतरे की घंटी बजते ही जंगल के सब पशु सावधान हो गए। सूअर ने भी वह आवाज सुनी पर वह वहाँ से हटा नहीं और बाघ के आने की राह देखने लगा। जब बाघ पानी के निकट पहुँचा तो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों का, अपने अपने जख्मों के कारण, प्राणांत न हो गया। दोनों अपने अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी श्रेष्ठता दिखलाना चाहते थे, यद्यपि व्याघ्र का एक लक्ष्य सूअर को मारकर उसके मांस से अपने को तृप्त करना भी रहा होगा।

३ मनुष्य से भय — वन्य पशुओं की तीसरी विशेषता यह है कि वे स्वभावतः मनुष्य से भय खाते हैं। प्रकृति ही मानो व्याघ्र को सिखा देती है कि मानव बुद्धिबल के कारण उससे प्रबलतर है और वह (मनुष्य) काफी दूर रहकर भी उसपर प्रहार कर सकता है, इसलिये वह मनुष्य से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। किंतु एक बार यदि यह भय दूर हो जाय तो फिर वह मानवभक्षी बन जाता है; नहीं तो वह शिकार के पशुओं को ही मारकर या मवेशियों को उठा ले जाकर संतोष कर लेता है।

४ पेड़ पर नहीं चढ़ते — व्याघ्र साधारणतः वृक्षों पर नहीं रहते, न उनपर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं किंतु अत्यंत लाचारी की स्थिति में कभी कभी वे ऐसा प्रयास कर भी बैठते हैं। एक बार बैरठ के जंगल से कुछ ही दिन पूर्व पकड़ा गया एक मनुष्यभक्षी व्याघ्र जब शोरगुल करनेवाली भीड़ से चारों तरफ घिर गया और बीच में पड़नेवाली ३० फुट चौड़ी खाई के कारण जब उसने उसपर हमला करने में अपने को असमर्थ पाया, तब वह पास के पीपल के पेड़पर ३० फुट तक चढ़ गया और वहाँ बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ ही मिनट बाद वह वहाँ से आसानी से उतर भी आया। इसपर लोगों को सहसा विश्वास न होगा, लेकिन लेखक की यह प्रत्यक्ष देखी घटना है। वृक्ष की तिरछी या लटकती हुई शाखा पर तो व्याघ्र को १०-१२ फुट तक की ऊँचाई पर चढ़ते कई बार देखा गया है किंतु ३० फुट तक चढ़ जाने की ऊपर की घटना सचमुच अद्भुत और निराली है।

५ संकट में मनुष्य की शरण चाहते — वन्य पशुओं की एक आदत यह होती है कि यद्यपि वे मनुष्य की संगति से बचते रहते हैं, फिर भी संकट के समय वे मनुष्य की शरण में आने से भी नहीं हिचकते। ऐसी ही एक घटना सन् १९३३ में सवाई माधोपुर के निकट एक जंगल में देखी गई थी। एक स्थान पर शिकारियों का खेमा गड़ा हुआ था। सवेरे के वक्त, जब लोग नाश्ता पानी कर रहे थे, एक सांभर मृग, जो स्वभावतः बहुत लज्जालु होता है और मनुष्य के सामीप्य से दूर भागता है, अचानक छह फुट ऊँची कनात की दीवार को लाँघकर सामने आ खड़ा हुआ। कुछ समय स्थिर रहने के बाद जब वह दूसरी तरफ से चौकड़ी भरते हुए निकल गया तो शामियाने के बाहर निकल कर देखने से पता चला कि कुछ जंगली कुत्ते उसका तेजी से पीछा कर रहे थे, अतः उनसे जान बचाने के लिये वह मनुष्यों की शरण में आ पहुँचा था। उसकी यह युक्ति काम कर गई और उसके प्राण बच गए।

एक और घटना १९४० की है जब बिजनगढ़ के समीप के एक गाँव में प्रातः ९ बजे एक शेर मीना परिवार की झोपड़ी की ओर आता दिखाई दिया। बाहर दो बच्चे खेल रहे थे और उनकी माँ भोजन बना रही थी किंतु उन्हें कोई नुकसान न पहुँचाकर शेर झोपड़ी के अंदर घुसकर बैठ गया। समाचार पाकर गाँव के लोग इकट्ठे हो गए। झोपड़ी का दरवाजा भीतर की ओर खुलता था अतः भीतर हाथ डालकर उसे बाहर की ओर खींचकर बंद करना खतरनाक था, इसलिये उन लोगों ने ढूँढ ढाँढकर एक टट्टर चुपके से दरवाजे के सामने लगा दिया और फिर गाड़ी भर कँटीली झाड़ियाँ आदि इकट्ठी कर उससे सटाकर रख दीं। इसके बाद उन्होंने लेखक के पास आकर सहायता की याचना की। बात कुछ समझ में आ नहीं रही थी किंतु पगचिह्नों को देखकर अविश्वास करना कठिन था। टट्टर आदि को हटाकर गोली चलाने की चेष्टा करना खतरे से खाली न था, अतः छप्पर पर बैठकर एक सुराख के जरिए निशाना बाँधकर गोली चलाई गई। एक दर्दीली तेज गुर्राहट के बाद शेर ठंडा हो गया। काँटों का अंबार हटवाने के बाद जब देखा गया तो पता चला कि शेर की गर्दन में बहुत से घाव थे जिनमें कीड़े पड़ गए थे। स्पष्ट था कि किसी अन्य बाघ के साथ हुई लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो गया था और वह जीभ से चाटकर जख्मों को साफ नहीं कर सकता था, अतः इस दुःखद स्थिति से छुटकारा पाने की गरज से ही उसने मनुष्य के निवास तक चले आने का निश्चय किया था। जो हो, लेखक को अपने शिकारी जीवन में ऐसी अनेक घटनाओं का अनुभव हुआ। सचमुच यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र, जो मनुष्य का स्वाभाविक शत्रु है, संकट में पड़कर उसकी सहायता की आकांक्षा करे! इससे यह कहावत चरितार्थ होती है कि आवश्यकता के समय कानून के बंधन टूट जाते हैं।

सिंह और व्याघ्र

भारत में सिंह पुरातन काल से पाए जाते रहे हैं। राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के जंगलों में तो वे प्रायः ही दिखाई दे जाया करते थे किंतु देश में अब सौराष्ट्र के गिर जंगल को छोड़कर अन्य स्थानों से उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। उनके लोप का मुख्य कारण यह है कि इन स्थानों में बाहर से आनेवाले व्याघ्रों की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने सिंहों को या तो मार डाला या उन्हें भगा दिया, जिसके अंत में उन्हें गिर जंगल में पनाह मिली। यह जंगल बहुत

कुछ अलग थलग सा पड़ जाता है और उसके इर्द गिर्द सौ मील से भी अधिक दूरी तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ व्याघ्र पाए जाते हों।

ऐसा जान पड़ता है कि व्याघ्र इस देश में चीन से और बर्मा से बंगाल में आया, इसी से आज भी हम "बंगाल के व्याघ्र" की बात किया करते हैं। वह सिंह से ज्यादा होशियार और ताकतवर होता है, इसलिये जहाँ जहाँ वह पहुँचा उसने सिंहों का या तो विनाश कर दिया या उन्हें भगा दिया। यों तो सिंह बड़ा साहसी होता है और व्याघ्र से सामना होने पर पहले वही आक्रमण करता है किंतु वह प्राय उतना संघर्षशील नहीं होता और बाघ के पंजों के दो चार आघात झेलकर ही हट जाना बेहतर समझता है।

शिकारी के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो सिंह की अपेक्षा व्याघ्र का शिकार करना अधिक मनोरंजक तथा स्फूर्तिमय होता है। बाघ के शिकार में गोली चलाने की सुविधा आदि की दृष्टि से लंबा चौड़ा इंतजाम करना पड़ता है और इतना करने पर भी संभावना इस बात की रहती है कि वह चकमा देकर निकल जाय। सचमुच वह सिंह की तुलना में अधिक सावधान और चालाक होता है।

सन् १९५२ में जूनागढ़ के जंगलों में सिंह का शिकार करने के लिये जाने का लेखक को दो तीन बार मौका लगा। उस समय यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सिंह ने झाड़ में या झाड़ी आदि के पीछे मुंह छिपाकर सतर्कतापूर्वक आने की चेष्टा नहीं की। वह निर्भयतापूर्वक यों सामने निकल आया मानो वह चहलकदमी के लिये निकला हो। इसलिये उसे गोली का निशाना बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। किंतु एक बार घायल हो जानेपर सिंह भी उतना ही भयानक हो उठता है जितना व्याघ्र।

इन दोनों की आदतों में बड़ा अंतर होता है। सिंह अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने के लिये पंजे का प्रयोग करता है, जब कि व्याघ्र अपने शिकार को दबोचे रखने के लिये उन्हें काम में लाता है। सिंह बड़े परिवार के साथ गर्वपूर्वक रहता है किंतु व्याघ्र की आदत इससे बिलकुल भिन्न होती है। सिंह प्राय. शिकार के लिये झुंड में निकलते हैं जब कि व्याघ्र अकेला ही चलता है। सिंह, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, साहसी अधिक होता है किंतु ताकत में व्याघ्र ही बलवान होता है और उसकी तुलना में बाघ भी चालाक नहीं होता। व्याघ्र के साथ यदि उसके बच्चे और व्याघ्रिणी भी हो तो व्याघ्र ही शिकार पर हमला करेगा और वह पेट भरने का प्रयत्न करेगा, तब कहीं परिवार के किसी सदस्य को आहार में कुछ अवशेष देगा। सिंह के बारे में प्रायः सिंहनी ही शिकार पर आक्रमण करती है और पहले वही उसे मारना शुरू करती है; बाद में सिंह भी उसके साथ हो लेता है।

वन्य जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता

यह देखा हुआ कि भारत के सिंहों का तथा अन्य कई वन्य पशु पक्षियों का विनाश हुआ जा रहा है, इस बात की विशेष आवश्यकता है कि [illegible] के लिये [illegible] करके उपाय करें। वन्य पशु पक्षियों के क्रमिक ह्रास का एक कारण यह है कि यहाँ शिकारी चोरों अर्थात् अनधिकारिक रूप से पशुपक्षियों का शिकार करनेवालों के खिलाफ कड़ी कारवाई नहीं की जाती। इसके सिवा प्रायः प्रत्येक राज्य का वन विभाग प्रति वर्ष बहुत बड़ी संख्या में वृक्षों को कटवाता जा रहा है जिससे वन्य जंतुओं को आत्मरक्षा के लिये समुचित शरण्य स्थान नहीं मिल पाता।

पशुपक्षियों के वन्य जीवन की रक्षा के दो उपाय हो सकते हैं—(१) लेखों, भाषणों, पुस्तिकाओं द्वारा प्रचार कराना, तथा (२) विधान और नियम बना देना। पहले से सर्व अधिक पढ़ने की संभावना है और भारत जैसे अल्पशिक्षित देश में इससे उतना लाभ भी नहीं हो सकता, इसलिये कानून बना देना और कड़ाई से उसका पालन कराना ही श्रेयस्कर है।

ह्रासमान पशुपक्षियों की रक्षा के लिये आवश्यक है कि संरक्षित शरण्य स्थानों (मृगवनों, सैंक्चुअरीज) तथा राष्ट्रीय उद्यानों की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। इन शरण्य स्थानों—संरक्षित वनों—की समुचित देखभाल और रक्षा से वन्य पशुपक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी और वे प्राकृतिक वातावरण में उचित ढंग से पनप सकेंगे। ऐसा होने से सामान्य जनता और वैज्ञानिकों को भी उन्हें स्वाभाविक परिस्थितियों में देखने का अवसर मिल सकेगा। कतिपय विद्वानों की यह मांग कि समस्त वन्य पशुपक्षियों की समाप्ति कर दी जाय क्योंकि उनसे कृषि के उत्पादन में बाधा पड़ती है, उचित नहीं है। फसल की रक्षा के लिये यथोचित उपाय करने की छूट तो उन्हें मिलनी चाहिए किंतु साथ ही यह भी आवश्यक है कि उन वन्य क्षेत्रों में, जहाँ अन्न का उत्पादन न होता हो, वन्य पशुपक्षियों के संरक्षणार्थ बनाए गए नियमों का उल्लंघन न होने दिया जाय।

यदि शिकार के पशुपक्षियों का ह्रास होता जायगा तो व्याघ्र, तेंदुआ आदि हिंस्र पशुओं को उनका स्वाभाविक आहार न मिल पाएगा और वे घरेलू जानवरों तथा मनुष्यों पर भी हमला शुरू कर देंगे, जैसा लखनऊ, दिल्ली आदि के समीप कई बार हो चुका है। इससे उन्हें मार डालना आवश्यक हो जायगा। तब सिंहों की तरह व्याघ्रों, तेंदुओं आदि की संख्या भी घटने लगेगी जिससे शिकार के लिये भारत आनेवाले विदेशियों का आकर्षण कम हो जायगा और उनसे देश को प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा की जो आमदनी होती है वह भी बंद हो जायगी। स्पष्ट है कि संरक्षित शरण्य स्थलों के रहने से हिंस्र पशुओं के लिये यथोचित आहार प्राप्त होता रहेगा किंतु इसके साथ ही शाकाहारी पशु पक्षियों के लिये चीतल, सूअर, खरगोश तथा अन्यान्य फलभुक्त की बड़ी संख्या में आरोपण भी आवश्यक होगा जिससे भालू, हिरण, सांभर आदि पशुओं की वृद्धि हो सके। [क० सिं०]

शिकोहू स्थिति: ३३°३०' उ० अ० तथा १३१° ३१' पू० दे०। जापान का सबसे छोटा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल ७,३८२ वर्ग मील है। जापान-सागर यह पहाड़ी प्रदेश है। यह औद्योगिक आबादी, खेती, जलवायु के कारण जाना जाता है।

[illegible] शिकोहू में अधिक आबादी है। [illegible] को [illegible] है। [illegible]

गों मे ताड और कपूर के वृक्ष अधिक उत्पन्न होते हैं। शिकोकू का निज पदार्थों के खनन मे कोई महत्व नही है। उत्तर के पर्वतीय गों मे थोड़ा ताँबा मिल जाता है। पहाड़ी भागों मे वन काफी होने तथा समुद्र निकट होने से लकड़ी काटने तथा मछली मारने का धंधा महत्वपूर्ण है।

शिकोकू मे कृषि एवं उद्योगो की कम उन्नति होने के कारण ही यहाँ छोटे छोटे नगर हैं। यातायात के साधन कम तथा जनसंख्या भी कम है। [रा० स० स०]

शिक्षण विधियाँ जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षणविधि कहते हैं। 'शिक्षणविधि' पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ मे होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ एवं योजनाएँ संमिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएँ भी संमिलित कर ली जाती हैं। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं; परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती हैं, पूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियो मे प्रयुक्त हो सकती है।

पाठ्यविषय को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जाँच या पुष्टि के लिये अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे मे पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक और दूसरी को आगमनात्मक विधि कहते हैं।

दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षणविधि के दो अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्यवस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ाने मे पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तत्पश्चात् शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाएँ विधि कहलाएगी क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों

शिक्षण का एक प्रसिद्ध
वास्तव मे हमें बाह्य
होता है जिनमें नेत्र प्रमुख
उसका सामान्य परिचय
करने का सबसे
सहारा लिया जाता है
का प्रदर्शन करके उनके
तक कि अमूर्त को भी
तीन और दो
तीन गोलियाँ रखी
सबको एक साथ
जाता है।

वस्तुविधि का

जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है दृष्टांतविधि मे उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा। दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी। इसमें चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, पुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है।

वस्तु एवं दृष्टांतविधियो से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चो को कुछ कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है तब कथनविधि का सहारा लिया जाता है। इसमे वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्यवस्तु का ज्ञान दिया जाता है। परंतु इस विधि मे छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं और पाठन प्रभावशाली नहीं होता। इसी से प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है—'बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए'। व्याख्यानविधि इसी की सहचरी है। उच्च कक्षाओं मे प्रायः व्याख्यानविधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है।

कथनविधि मे प्रायः हर्बर्ट के पाँच सोपानों का प्रयोग किया जाता है। वे हैं (१) प्रस्तावना, (२) प्रस्तुतीकरण, (३) तुलना या सिद्धांतस्थापन, (४) आवृत्ति, (५) प्रयोग। परंतु केवल ज्ञानार्जन के पाठों में ही पाँचो सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग होता है।

प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है।

जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है न अध्यापक वरन् छात्र है
में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है।
स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल
शिक्षणसिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर
ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों
द्वारा शिक्षा देने पर अधिक
सिद्धांत के आधार पर बेसिक
के अंतर्गत अनेक विधियाँ
योजनाविधि (ह्यूरिस्टिक),
बेसिक-शिक्षा-विधि,

द्वारा योजनाविधि का प्रतिपादन
को उपयुक्त वातावरण में रखकर
लिये प्रेरित किया जाता है। इसका
कुछ नहीं करता और छात्रों को
देता है। सब पूछिए तो
गलत

निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया न जाय। इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया। फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल तथा अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग होने लगा।

अमरीका के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना (प्रोजेक्ट) विधि है। इसके अनुसार ज्ञानप्राप्ति के लिये स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिये पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या को हल करने के लिये उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्यामूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाय।

अमरीका के डाल्टन नामक स्थान में १९१२ से १९१५ के बीच कुमारी हेलेन पार्खर्स्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षाशिक्षण के दोषों को दूर करने के लिये आविष्कृत की गई थी। डाल्टन योजना में कक्षा-भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिये पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के अतिरिक्त संदर्भग्रंथ भी रहते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता, उनके कार्यों का संशोधन तथा जाँच करता है। वर्ष भर का कार्य ९ या १० भागों में बाँटकर निर्धारित कार्य (असाइनमेंट) के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर पूरा करता है। कार्य अन्वितियों में बँटा रहता है। जितनी अन्विति का कार्य पूरा हो जाता है उतनी का उल्लेख उसके रेखापत्र (ग्राफकार्ड) पर किया जाता है। एक मास का कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरे मास का निर्धारित कार्य दिया जाता है। इस प्रकार छात्र की उन्नति उसके किए हुए कार्य पर निर्भर रहती है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उनमें स्वावलंबन भी आ जाता है। इस योजना के अनेक रूपांतर हुए जैसे बटेविया, विनेटका आदि योजनाएँ। डेकोली योजना यद्यपि इससे पूर्व की है, फिर भी उसके सिद्धांतों में डाल्टन योजना के आधार पर परिवर्तन किए गए।

महात्मा गांधी की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा भी अपने ढंग की एक शिक्षाविधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्तकौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में कृषि एवं कताई बुनाई बुनियादी धंधे हैं जिनमें देश की तीन चौथाई जनता लगी हुई है। अतः उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्तकौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ हैं: — (१) मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, (२) हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा, (३) सात से १४ वर्ष तक नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा, (४) शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात् कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के किए हुए कार्यों की बिक्री से आ जाए। अंतिम सिद्धांत का बड़ा विरोध हुआ और बेसिक शिक्षा में से इसे हटा दिया गया।

अंग्रेजी शिक्षा ने देश के अधिकांश शिक्षित वर्ग को ऐसा पंगु बना दिया है कि वे हाथ से काम करना हेय मानते हैं। यही कारण है कि संपन्न तथा उच्च वर्ग के लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई जिससे यह शिक्षा केवल निर्धन वर्ग के लिये रह गई है। अतः यह धीरे धीरे असफल होती जा रही है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शिक्षणविधियाँ अनेक हैं। सबका प्रवर्तन किसी न किसी विशेष परिस्थिति में किसी शिक्षा-शास्त्री के द्वारा हुआ है। वास्तव में प्रत्येक अध्यापक की अपनी शिक्षाविधि होती है जिससे वह छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। जो विधि जिसके लिये अधिक उपयोगी हो वही उसके लिये सर्वश्रेष्ठ विधि है।

स० ग्रं० — ऐडम्स, जे० : द न्यू टीचिंग; रेमंट, टी० : प्रिंसिपल्स ऑव टीचिंग, एजुकेशन, राइवर्न डब्ल्यू० एम० : प्रिंसिपल्स ऑव टीचिंग, स्मिथ, फ्रैंक तथा हैरिसन, ए० एस० : प्रिंसिपल्स ऑव क्लास टीचिंग; जोवनायकम्, डी० : थ्योरी ऐंड प्रैक्टिस ऑव एजुकेशन। [र० गु०]

शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अर्थ किसी क्षेत्र में निश्चित आयु के अंतर्गत आनेवाले बालकों की शाला में विधान द्वारा अनिवार्य उपस्थिति है। यह आयुसीमा प्राय: छह वर्ष से १६ वर्ष तक की होती है। प्रारंभ में उपस्थिति की अनिवार्यता न रखते हुए, केवल १२ वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को लिखने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक था। इसका आधार धार्मिक सिद्धांतों का महत्व और व्यक्ति पर अपने चरित्रनिर्माण की जिम्मेदारी थी। आधुनिक काल में इस विश्वास ने कि प्रजातंत्र की सफलता शिक्षित नागरिक पर निर्भर करती है, अनिवार्य शिक्षा को बहुत बल दिया है।

सर्वप्रथम जर्मनी में मार्टिन लूथर ने प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिये राज्य द्वारा नियंत्रित सार्वभौम शिक्षा पर जोर दिया। फलतः सन् १६१९ ई० में वाइमार में और फिर सन् १७६३ में प्राय संपूर्ण जर्मनी में अनिवार्य शिक्षा का कानून लगाया गया। इसके अनुसार छह से १२ वर्ष की उम्र के बालकों की शाला में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। बाद में अंतिम सीमा बढ़ाकर १४ वर्ष कर दी गई।

फ्रांस में, जनक्रांति के पूर्व मानव स्वतंत्रता के आधार को लेकर अनिवार्य शिक्षा का बड़ा विरोध किया गया। किंतु धीरे धीरे शिक्षा सुविधाएँ बढ़ाकर मार्ग प्रशस्त बनाया गया, तब कहीं सन् १८८१ में एक कानून के अनुसार छह से १२ वर्ष के बालकों की शिक्षा अनिवार्य की जा सकी और नियम भंग करनेवाले अभिभावकों पर जुर्माना करने की व्यवस्था हुई। सन् १८८२ के विधान ने प्राथमिक शिक्षा समस्त देश में अनिवार्य कर दी।

इस दिशा में इंग्लैंड के प्रथम प्रयत्न मानवता भावना से प्रेरित बालकों की सुरक्षा पर आधारित थे। सन् १८७० में बोर्ड स्कूलों की स्थापना के साथ अनिवार्यता का सिद्धांत भी आया। सन् १८७६ में पाँच से १४ वर्ष के बालकों के माता पिता से उन्हें प्रमाणित शालाओं में भेजने के लिये कहा गया और २०वीं सदी के प्रथम दशक में ऐसे बालकों की शाला में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई।

अमरीका के मेसाचुसेट्स राज्य में इस दिशा में प्रथम प्रयास सन् १८५२ ई० में हुआ जिसमें आठ से १४ वर्ष के बालकों को वर्ष के बारह सप्ताहों में शाला में उपस्थित होना अनिवार्य बनाया गया। सन् १८८८ में उपस्थिति के संबंध में कठोर नियम बने। इनकी अवहेलना करनेवाले माता पिता को जुर्माना देने और सजा का अनुष्ठान कर कर देने की व्यवस्था हुई। आजकल अनिवार्य शिक्षा *आयुसीमा छह से १६ वर्ष है किंतु कुछ राष्ट्रों में इससे कम या* अधिक उम्र तक के बालकों को शाला में रखा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अनिवार्य उपस्थिति के नियमों को चुनौती दी गई है किंतु न्यायालयों का निर्णय रहा है कि व्यक्ति को न्यूनतम शिक्षा देने का अधिकार राष्ट्र को प्राप्त है।

भारतवर्ष में सन् १८३५ ई० में विलियम ऐडम ने अनिवार्य शिक्षा के विचार को जन्म दिया। सन् १८४६ में पश्चिमोत्तर प्रांत के गवर्नर टामसन ने इसकी शालाओं में और १८५२ में कैप्टेन विनयट ने बंबई प्रांत में इसको क्रियात्मक रूप देना चाहा किंतु इसमें अधिक सफलता न मिल सकी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तथा बीसवीं के प्रारंभ में अनिवार्य शिक्षा करने के लिये भारतीय नेताओं ने बहुत जोर लगाया किंतु विदेशी शासन के समक्ष उनकी एक न चली। बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सन् १८९३ में अमरेली क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा आरंभ की और उसकी सफलता से प्रेरित हो बाद में संपूर्ण राज्य में इसकी व्यवस्था की। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद सभी प्रांतों में अनिवार्य शिक्षा के नियम बनाए गए जिसका श्रीगणेश विट्ठलभाई पटेल के बंबई विधान परिषद् के प्रस्ताव से सन् १९१९ में हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतों के मंत्रिपद ग्रहण करने पर सन् १९३८ में इस दिशा में बड़े प्रयास हुए। इस समय महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना में छह से १४ वर्ष के बालकों के लिये शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क की गई जिसका अधिकांशतः प्रसार हुआ। भारत के स्वतंत्र होने पर विधान में १४ वर्ष की उम्र तक बालकों की शिक्षा अनिवार्य करने की जिम्मेदारी शासन पर रखी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ४९ प्रतिशत बालकों को शालाओं में लाए जा सकने की आशा व्यक्त की गई।

अनिवार्य शिक्षा प्रायः प्राथमिक स्तर तक दी जाती है किंतु कुछ प्रगतिशील देशों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक जोर दिया जा रहा है। इस शिक्षा की सार्थकता एवं सफलता बालकों की शाला में उपस्थिति पर निर्भर करती है जिसका आधार निम्नांकित है: अनिवार्य आयुसीमाएँ, सत्र में शाला खुलने के दिनों की संख्या, दैनिक कार्यविधि, उपस्थिति का न्यूनतम प्रतिशत, और अपेक्षित शिक्षा संप्राप्ति। गरीब बालकों और उनके पालकों को आर्थिक सहायता देना, शाला से दूर रहनेवाले बालकों के आने जाने का प्रबंध करना, अनिवार्य उपस्थिति के नियमों का पालन कराना और बालकों की उपस्थिति नियमित बनाना आदि समस्याओं के उचित समाधान पर अनिवार्य शिक्षा की सफलता निर्भर है।

[मा० मि०]

शिक्षा, उच्च उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जानेवाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष, विस्तृत तथा सूक्ष्म शिक्षा। ऐसी शिक्षा का स्वरूप विशिष्टता के साथ भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हुआ था। उच्च शिक्षा देनेवाले भारतीय गुरुकुलों की बड़ी विशेषता यह थी कि उनमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा शिष्याध्यापक प्रणाली (मोनीटोरियल सिस्टम) से दी जाती थी। सबसे ऊपर के छात्र अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को पढ़ाते थे और वे अपने से नीचे वाले को। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पुत्र ही भर्ती किए जाते थे और वर्णों के अनुरूप ही बालकों को शिक्षा भी दी जाती थी तथापि नित्यकर्म, स्वच्छता, शील और शिष्टाचार की शिक्षा प्रत्येक छात्र को दी जाती थी और प्रत्येक छात्र को गुरुकुल में रहकर आश्रम का समस्त कार्य स्वयं करना पड़ता था। कुछ गुरुकुल तो इतने बड़े थे कि वहाँ एक एक कुलपति, दस दस सहस्र ऋषियों और ब्रह्मचारियों को अन्न दानादि देकर उनको पढ़ाने का प्रबंध करते थे। इन गुरुकुलों का पोषण राजा, धनी और गृहस्थ करते थे और छात्र भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुदक्षिणा देते थे किंतु कोई भी राजा इन गुरुकुलों के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करता था। इन गुरुकुलों का प्रारंभ वास्तव में उन परिषदों से हुआ जिनमें चार से लेकर २१ तक विद्वान् और मनीषी किसी नैतिक सामाजिक या धार्मिक समस्या पर व्यवस्था देने के लिये एकत्र होते थे। कुछ गुरुकुलों ने वर्तमान सावास विश्वविद्यालय (रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी) का रूप धारण कर लिया था। इन गुरुकुलों में वेद, वेदांग, दर्शन, नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दंडनीति, सैन्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद और आयुर्वेद आदि सभी विषयों की उच्चतम शिक्षा दी जाती थी और जब छात्र सब विद्याओं में पूर्ण निष्णात हो जाता था तभी वह *स्नातक हो पाता था। ब्राह्मणों को यह छूट थी कि वे चाहें तो* जीवन भर विद्यार्जन करते रहें।

योरप में मिस्र की सभ्यता सर्वप्राचीन मानी जाती है किंतु वहाँ की उच्च शिक्षाप्रणाली का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। बाबुल, असुरिया (असीरिया) के निवासियों तथा हिब्रू और फिनीसी लोगों में राजशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और भूगोल की उच्च शिक्षा चुने चुने लोगों को ही दी जाती थी। यूनान में सौंदर्य की उदात्त भावना के साथ व्याकरण, काव्य, भाषा, शैली, अलंकारशास्त्र, वक्तृत्वकला, संगीत, गणित, भौतिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। एक एक व्यक्ति एक एक विषय का पंडित होता था। उसी के पास युवक शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। स्पार्टा के लोगों को केवल युद्ध की ही शिक्षा मिली, अन्य विषयों का पूर्ण अभाव रहा। वास्तव में एथेंस ही यूनानी उच्च शिक्षा का विद्यानगर था जहाँ सुकरात,

जेनोफन, अफलातून और अरस्तू जैसे विद्वान् शिक्षाशास्त्री और दार्शनिक विद्यमान थे। जब रोमवालों ने यूनान को जीत लिया तब रोम की शिक्षाप्रणाली पर यूनान का यह प्रभाव पड़ा कि वहाँ भी इतिहास, विज्ञान, दर्शन, वक्तृत्वकला और शास्त्रार्थ-कला की उच्च शिक्षा दी जाने लगी जिसके प्रभाव से सिसरो, सैनेका, और क्विंतिलियन जैसे शिक्षाशास्त्री और वक्ता उत्पन्न [illegible] तथा थोड़े ही समय में उच्च शिक्षा के अनेक विद्यालय भी खुल गए। किंतु रोम साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के साथ ही यूनान और रोम की संपूर्ण शिक्षापद्धति समाप्त हो गई। ईसाई मठों में पहले धर्मशिक्षा और प्रार्थना के साथ पढ़ना लिखना, गाना, पूजा करना और गणित की शिक्षा दी जाती थी किंतु इसके पश्चात् वहाँ विद्यात्रयी (लातिन का व्याकरण, भाषणकला तथा तर्कशास्त्र) और ज्ञान चतुष्टयी (गणित, ज्यामिति, ज्योतिष और संगीत) को मिलाकर सात ज्ञानविस्तारक कलाओं के शिक्षण का क्रम चला और तभी से इन शास्त्रों के लिये (आर्ट) शब्द का प्रयोग चल पड़ा जो आजकल भ्रामक रूप से हमारे विश्वविद्यालयों की उपाधि में प्रयुक्त हो रहा है। योरप में प्रारंभ में कुछ विद्यार्थी किसी विशेष विद्या के आचार्य के पास अध्ययन के लिये एकत्र होते थे जैसे पेरिस में धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिये, सालेरनो में भैषज्यविद्या के लिये या बोलोना में न्यायनीति (कानून) सीखने के लिये। इस प्रकार दक्षिण योरप में बोलोना के आदर्श पर विश्वविद्यालय खुले और उत्तर में पेरिस के आदर्श पर। इनके अतिरिक्त एक शिक्षाचार्य (बैकेलोरिएट) का प्रमाणपत्र भी था जो शिक्षक होने के लिये अनुज्ञापत्र समझा जाता था। धीरे धीरे विश्वविद्यालयों ने वर्तमान रूप धारण किया। इनमें उच्चतम शिक्षा का अर्थ है हाई स्कूल के पश्चात् महाविद्यालयों (कालेजों) या व्यावसायिक संस्थाओं (ट्रेनिंग कालेज, मेडीकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेज, टेक्निकल कालेज, कला महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, न्यायनीति (लॉ), कृषि, वाणिज्य महाविद्यालय आदि) में दी जानेवाली शिक्षा जिसके लिये विश्वविद्यालय से उपाधि या राजकीय विभागों की ओर से परीक्षा लेकर प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा देने का अधिकांश कार्य विश्वविद्यालय ही करते हैं।

आजकल एक नए प्रकार के विश्वविद्यालय की बात चल रही है जो बीच में स्थापित किया जाय और जिसे साथ विश्वविद्यालय (कम्युनिटी) कहा जाय। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का उद्देश्य है कि अन्य विषय पढ़ाने के साथ यह प्रेरणा दी जाय कि लोग दोनों के बंधनों से ऊपर उठ कर मानवीय जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करें (रॉबिंस विश्वविद्यालय)। [जो० च०]

शिक्षा, तुलनात्मक किसी देश अथवा विभिन्न देशों की शिक्षात्मक व्यवस्थाओं, विधियों, समस्याओं, एवं विकासों के अधिक, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक एवं विश्वसनीय अध्ययन को तुलनात्मक शिक्षा कहते हैं। [illegible] के राष्ट्रीय शिक्षा सुधार के उद्देश्यों के विभिन्न देशों की शिक्षाप्रणालियों के विश्लेषणात्मक [illegible] अध्ययन

शिक्षा, शिक्षा संस्थानों का समाज की पृष्ठभूमि में किया हुआ विश्लेषणात्मक अध्ययन है। वस्तुतः तुलनात्मक शिक्षा की कोई उचित व्याख्या करना कठिन है। शिक्षा का अध्ययन समाज की पृष्ठभूमि में ही वांछनीय है। अतः तुलनात्मक शिक्षा के गहन अध्ययन में देशों की ऐतिहासिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक, अवस्थाओं का अध्ययन जुड़ा रहता है।

कैंडल ने तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र के दो पहलू बतलाए हैं। एक ओर शिक्षा संस्थान की रचना, शिक्षा का संगठन, शाब्दिक स्रोत, पाठ्यक्रम एवं विषय, अध्यापन कार्य तथा अध्यापन कला; और दूसरी ओर समाजगत आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव है। ये प्रभाव [illegible] रूप से शिक्षा को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि बिना इनके ज्ञान के तुलनात्मक शिक्षा के प्रश्न पक्ष का ज्ञान शून्य एवं निष्फल होगा। साथ ही समाज की आकांक्षा, भविष्य के विकास का मोड़ और झुकाव, एवं समाजगत होनेवाले परिवर्तनों की जानकारी भी आवश्यक है। सूक्ष्म रूप में समाज के चतुर्मुखी अध्ययन की पृष्ठभूमि में शिक्षा के विकास, उत्थान एवं आगे के रुझान का अध्ययन तुलनात्मक शिक्षा का क्षेत्र है। समाज का सम्यक् ज्ञान, इतिहास, दर्शन, संस्कृति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं मनुष्य-शरीर-रचना-शास्त्र के अध्ययन के बिना अधूरा रहा है। शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन सभी सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा है। इसलिये वर्तमान तुलनात्मक शिक्षाविदों को अंतःवेधक अध्ययन करना आवश्यक है। इसी आधार पर अमरीका में इस विषय का नामकरण 'शिक्षा आधार' किया गया है।

बैरेडे के अनुसार इस विषय के दो मूल महत्व हैं: (क) बौद्धिक, चूँकि अन्य ज्ञानक्षेत्रों के समान, यह विषय भी एक ज्ञानीय (academic) विषय है। (ख) व्यावहारिक, चूँकि इसका भार शिक्षा-सुधार-माध्यम द्वारा समाज का कायाकल्प करना है। इस विषय का अध्ययन वर्तमान अंतरराष्ट्रीय युग में उत्तरोत्तर बल पकड़ता जा रहा है। तुलनात्मक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थाओं का विस्तृत स्रोत देती है। शिक्षा समाज का दर्पण है और साथ ही सामाजिक कसौटी भी। शिक्षाध्ययन समाज का वास्तविक चित्र प्रकट करता है और उसका मूल्यांकन भी। इस विषय के मुख्य कार्य हैं: (१) सामाजिक सुधार का रास्ता खोलना एवं सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा समाज का कायाकल्प करना जिसका अधिक महत्व समाज का [illegible] है। (२) किसी शिक्षा संस्थानों का विशेष मूल्यांकन करना, [illegible] संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उनके कारणों की ओर ध्यान केंद्रित करना, साथ ही अन्य देशों की [illegible] तुलनाओं से स्वदेशीय शिक्षा संस्थाओं के समाधान की सूक्ष्म स्थिति करना। (३) शिक्षाविकास की संभावनाओं तथा [illegible] का निरूपण करना एवं भविष्य के संभावित परिवर्तनों का [illegible] करना, उनके अनुरूप शिक्षा को ढालने के लिए सुझाव। (४) किसी देश की शिक्षाप्रणाली का मूल्यांकन उसकी पृष्ठभूमि में [illegible] है इसका [illegible] [illegible] के आधार है। विभिन्न देशों की [illegible] कारण [illegible] है। [illegible] विभिन्न की [illegible] है। दूसरे देशों के शिक्षा [illegible] के [illegible] [illegible] हैं। (५) [illegible] कराना कि विभिन्न

ों के शिक्षा संस्थानों एवं प्रणालियों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव
ड़ सकता है। (६) शिक्षा को प्रभावित करनेवाले प्रत्यक्ष एवं
रोक्ष प्रभावों को समझना। (७) अंतरराष्ट्रीयता की भावना को
न देना।

विदेशियों की शिक्षा का अध्ययन प्राचीन काल से चला आ रहा
। शैक्षिक विचारों का आदान प्रदान भी नवीन नहीं है। रोम ने
नान पर सैनिक विजय प्राप्त करने के उपरांत विजेता की शिक्षा
ो अपनाया। भारत में भी विदेशी पर्यटकों, विद्वानों, एवं विद्यार्थियों
ा ताँता लगा रहा है। फाहियान, युवान च्युआंग (ह्वेन सांग)
व इत्सिंग, तीनों चीनियों ने भारत की तत्कालीन शिक्षा का सम्यक्
र्शन एवं प्रशंसा लिखी है। यूरोपियन यात्रियों ने भी भारत की
शिक्षा का उल्लेख किया है। भारत एवं यूरोप दोनों ही जगह शिक्षा
के उपर्युक्त ढंग के उल्लेख महत्वपूर्ण होते हुए भी वास्तविक रीति से
तुलनात्मक शिक्षा नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये सभी अनियोजित,
अक्रमिक एवं अवैज्ञानिक थे। अतः शास्त्रीय रूप से इस विषय का
अध्ययन १९वीं शताब्दी से माना जाता है। इस ज्ञानक्षेत्र के वास्त-
विक निर्माता मार्क एन्टोन जूलियन माने जाते हैं। इनके ग्रंथ में
तुलनात्मक शिक्षा की सम्यक् योजना प्रस्तुत है तथा अध्ययन के लिये
विश्लेषणात्मक प्रणाली के प्रयोग का सुझाव दिया गया है। यद्यपि
आज जूलियन तुलनात्मक शिक्षा का मूल निर्माता माना जाता है
तथापि यह जानना आवश्यक है कि इसकी योजना लगभग बीसवीं
शताब्दी के मध्य तक लुप्त रही इसलिये तुलनात्मक शिक्षाशास्त्रियों
को इसका इतिहास संयोजित करने के हेतु शिक्षा रिपोर्टों की शरण
लेनी पड़ी। १९वीं शताब्दी में कई प्रसिद्ध अमरीकनों एवं आंग्लों ने
यूरोपीय शिक्षा संस्थानों का अपने राष्ट्र की शिक्षा के सुधार के
दृष्टिकोण से अध्ययन किया। इनमें मुख्य थे (क) अमरीका में
नीफ (Neef), ग्रिसकम (Griscom), विक्टर कज़िन (Victor
Cousin), होरेस मैन (Horace Mann), स्टो (Stowe),
एवं बर्नार्ड (Barnard); (ख) इंग्लैंड में मैथ्यू आर्नल्ड
(Mathew Arnold) व सर माइकिल सेडलर (Sir Michael
Sadler)। इन्हीं सदीयों के परिवेदन से तुलनात्मक शिक्षा के
प्रारंभिक इतिहास बने। यह वृत्तांत वर्णनात्मक थे और प्रायः इनका
लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा सुधार था। क्रमशः तुलनात्मक शिक्षा का स्वरूप
निखरने लगा और इस विषय ने सैद्धांतिक रूप लेना प्रारंभ किया।
इसका मुख्य श्रेय रूसी शिक्षा शास्त्री हैसन (Hessen) को है।
इस शैली को प्रोत्साहन कैंडल (Kandel) यूलिक (Ulich),
बैरेडे (Bereday) एवं कई अन्य वर्तमान विद्वानों ने दिया है।
द्वितीय-विश्व युद्ध से इस विषय को एक नई प्रेरणा मिली और
इसके विकास व प्रगति ने तीव्र गति धारण की। सन् १९४५ के बाद
इस विषय पर बहुत सा साहित्य निकलने लगा और इसका अध्ययन
संसार के कई देशों में होने लगा। प्रायः संसार की सभी प्रसिद्ध
शिक्षा संस्थाओं में इसका अध्यापन होता है। इस विषय से संबंधित
तीन बृहद् पुस्तकें विश्वकोषों के स्तर की हैं.

(१) थिंकर बुक ऑव एजुकेशन
(२) इंटरनेशनल एजुकेशन
(३) इंटरनेशनल थिंकर बुक ऑव एजुकेशन

यूनेस्को (Unesco) ने तीन प्रकरण वर्ल्ड सर्वे ऑव एजुकेशन (World Survey of Education) प्रकाशित किए हैं। अमरीका, यूरोप और जापान में तुलनात्मक शिक्षा परिषदों की स्थापना क्रमशः १९५६, १९६१, एवं १९६४ में हुई।

इस विषय से संबंधित दो प्रमुख पत्रिकाएँ हैं. कंपैरेटिव एजुकेशन रिव्यू (अमरीका), कंपैरेटिव एजुकेशन इंग्लैंड। इस विषय के प्रमुख शास्त्री हैं—कैंडल (Kandel), बैरेडे (Bereday), ब्रिकमैन (Brickman), यूलिक (Ulich), लौरावेज़ (Lauwerys), हैंस (Hans), किंग (King), रोजेलो (Rossello), एवं श्नाइडर (Schneider)। वर्तमान समवायी, विशिष्टतायुक्त विश्व में, जिसकी छाप प्रामाणिकता एवं सर्वव्यापकता है, इस विषय का स्थान उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होगा क्योंकि अब विश्वशांति स्थापना, विश्वबंधुत्व एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना जाग्रत करने का एकमात्र माध्यम शिक्षा ही है।

[स० वा०]

शिक्षा दर्शन शिक्षा का क्या प्रयोजन है और मानव जीवन के मूल उद्देश्य से इसका क्या संबंध है, यही शिक्षा दर्शन का विजिज्ञास्य प्रश्न है। चीन के दार्शनिक मानव को नीतिशास्त्र में दीक्षित कर उसे राज्य का विश्वासपात्र सेवक बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। प्राचीन भारत में सांसारिक अभ्युदय और पारलौकिक कर्मकांड तथा लौकिक विषयों का बोध होता था और परा विद्या से निःश्रेयस की प्राप्ति ही विद्या के उद्देश्य थे। अपरा विद्या से अध्यात्म तथा परात्पर तत्व का ज्ञान होता था। परा विद्या मानव की विमुक्ति का साधन मानी जाती थी। गुरुकुलों और आचार्यकुलों में अंतेवासियों के लिये ब्रह्मचर्य, तप, सत्य व्रत आदि श्रेयों की प्राप्ति परमाभीष्ट थी और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय प्राकृतिक विषयों के सम्यक् ज्ञान के अतिरिक्त नैतिक शीलपूर्ण जीवन के महान् उपस्तंभक थे। भारतीय शिक्षा दर्शन का आध्यात्मिक धरातल विनय, नियम, आश्रममर्यादा आदि पर सदियों तक अवलंबित रहा।

प्लेटो (अफलातून) और अरस्तु दार्शनिक चिंतन के समर्थक थे किंतु सांसारिक कर्म की उपेक्षा उन्हें इष्ट नहीं थी। प्लेटो का कहना है, बीस वर्ष की उम्र तक भावी राज्यशासकों को शारीरिक उन्नति, साहित्य, धर्मशास्त्र, पुरातत्व और संगीत की शिक्षा मिलनी चाहिए। बीस से तीस वर्ष तक रेखागणित, अंकगणित, ज्योतिर्गणित आदि का पारदर्शी ज्ञान उन्हें प्राप्त करना है। तीस से पैंतीस वर्ष तक उन्हें गंभीर दार्शनिक ऊहापोह कर प्रत्ययों (Ideas) का और शिवप्रत्यय (आयडिया ऑव दी गुड) का प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करना है। गणित और दर्शन का इतना विशद ज्ञान प्राप्त करने पर भी सिर्फ चिंतन में निरत रहना उनका उद्देश्य नहीं है। दर्शन के उत्तुंग शिखर से उतर-कर उन्हें फिर अज्ञानावृत संसार में आकर राज्य और समाज की बुराइयों का निराकरण करना है। पैंतीस से पचास वर्ष की अवस्था तक अवश्य ही उन्हें राजकीय कर्मयोग का मार्ग अपनाना है और सामष्टिक कल्याण की सिद्धि करनी है। राजनीतिक दृष्टिकोण, प्लेटो की अपेक्षा अरस्तु में अधिक प्रबल है। मानव को राजनीतिक प्राणी मानकर शिक्षा को सदभ्यासप्राप्ति का वह परम साधन मानता

है। विभिन्न नागरिकों में शिक्षा से ही सामंजस्यिक शील का विकास संभव है। शिक्षा से मानसिक उन्नयन तथा परिमार्जन का सहयोग होता है, ऐसा अरस्तू ने स्वीकार किया है किंतु प्लेटो के समान न शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा पर उसने ध्यान नहीं दिया है। फिर भी प्लेटो की भाँति अरस्तू भी राज्य का पूर्ण नियंत्रण शिक्षा पर मानता है।

मध्ययुगीन युरोप में देववाद की प्रधानता थी। चर्च अरस्तीन ने दिव्य नगर का संदेश दिया और टॉमस अक्वायनास ने सनातन नियम और दैवनिक नियम का उद्घोष किया। मध्ययुग के अंतिम चरण में ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज, पेरिस विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उनमें भी प्रारंभ में धर्मशास्त्र के अध्ययन का ही महत्व रखा गया था। भारतवर्ष में भी मध्ययुग में शंकर, रामानुज, निंबार्क, मध्व, वल्लभ आदि ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का ही संदेश प्रतिपादित किया।

मध्ययुग का अंत होने पर यूरोपीय पुनरुत्थान आंदोलन से पुनरपि प्रकृतिवाद और मानववाद पर बल पड़ा। यदि दांते और दुशा के निरीक्षण दैवी चिंतन और आध्यात्मिक संस्कृति के संदेशवाहक थे [illegible] ध्यान आकृष्ट किया। [illegible] विकास कर अतिशयी [illegible] और मानवतावाद ने ज्ञान को अधिक महत्व माना। लॉक ने सदभ्यास के द्वारा चारित्रिक उत्थान पर बल दिया तथापि उसने शिक्षा में अभिजाततंत्री दृष्टिकोण समर्थित किया, यद्यपि वह राजनीतिक विचारों में नैसर्गिक अधिकारवाद का पोषक था। रूसो ने पूँजीवाद, सभ्यता और बुद्धिवाद का खंडन कर प्रकृतिवाद और शिशुशिक्षा का पोषण किया किंतु उसका ग्रंथ "एमिल" दार्शनिक शिक्षा के प्रश्न पर बिलकुल मौन है। मनोविज्ञान का महत्व स्वीकार कर पेस्टालॉजी ने शिशुओं के पूर्ण विकास को गौरव दिया। स्वतःप्रेरित विकास और निजाभिव्यक्ति को मूलोद्देश्य मानकर फ्रोबेल ने बालोद्यान (किंडरगार्टन) पद्धति का सूत्रपात किया।

हेगेल शिक्षा का आध्यात्मिक प्रयोजन स्वीकार करता था। शिक्षा का नियंत्रण वह राज्य के हाथ में न देकर नागरिक समाज को सुपुर्द करता था। तथापि उसने स्वतंत्रता पर बल नहीं दिया। हेगेल के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को अपनाकर शिक्षा को व्यक्तित्व के पैतृक का अभिव्यंजन जेंटीले (Gentile) ने माना है। समस्त विषयों का अध्यापन आध्यात्मिक उन्मेष के लिये ही वह अभीष्ट मानता है। प्रकृतिवादी और व्यवहारवादी जॉन डिवी शिक्षा और जीवन का अत्यंत निकट संबंध मानता है। ईश्वरवाद, आत्मवाद या अनुशासन को लोगों पर लादना उसे पसंद नहीं है। शिक्षा की प्रक्रिया को वह इतना आकर्षक और वृत्तियों को तुष्टिप्रद करानेवाला बनाना चाहता है कि भयोत्पादक बाह्य अनुशासन लादना न पड़े। शिक्षा और जीवन में गहरा संबंध मानकर सामाजिकताप्राप्ति पर उसने जोर दिया है। ह्वाइटहेड (Whitehead) शिक्षा के द्वारा सतत जागरूकता, सर्जनात्मकता, जीवनोत्साह, [illegible] का प्रसार करना चाहता है। बर्ट्रेंड रसल के अनुसार शिक्षा सम्पर्कबद्ध न होकर ऐसी प्रक्रिया है जिसे [illegible] प्रभाव और वस्तु में अपना [illegible] स्थान [illegible] और वर्ग के [illegible] और [illegible] से शिक्षा निर्बंध [illegible] चाहिए। शिक्षा में [illegible] और [illegible] [illegible] रखने की बड़ी विशेषता है।

समन्वित एवं पूर्ण शिक्षा (Integral and complete education) वही कही जा सकती है जो उत्तरों के [illegible] को [illegible] बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक [illegible] का [illegible] [illegible] सके। समस्त व्यापारों का [illegible] शरीर है अतः इसकी [illegible] परमावश्यक है। [illegible] दर्शनीय [illegible] व्यक्तियों के लिये [illegible] ठीक है किंतु समस्त नागरिकों का शरीर [illegible] हो [illegible] बन सके, ऐसी शिक्षा आवश्यक है। मानववादी [illegible] और [illegible] कला की शिक्षा अधिक लोगों को मिलनी चाहिए। [illegible] का [illegible] और भावनाओं का [illegible] होता है। साहित्य का [illegible] वासनाओं का विलास नहीं किंतु स्वस्थ मानव की सृष्टि और चारित्रिक उन्नयन है। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन नैतिकता के बिना नहीं चल सकता। अतः नैतिक शिक्षा [illegible] अवस्था से ही मिलनी चाहिए और इस कार्य में धर्मग्रंथों के [illegible] [illegible] का शिक्षण होना चाहिए। वर्तमान सभ्यता वैज्ञानिक और [illegible] और आज कोई भी राष्ट्र उद्योग और विज्ञान की उपेक्षा कर न। नागरिकों के जीवनस्तर को उठा सकता है और न अपनी सत्ता। कायम कर सकता है। डार्विन, हक्सले, स्पेंसर आदि ने भी वैज्ञानिक शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था। एक [illegible] तक [illegible] शिक्षा समस्त नागरिकों को मिलनी चाहिए और कुछ नागरिक [illegible] प्रमुख व्यवसाय बनाकर इसमें परम वैचारिक प्राप्त करें। बुद्धि [illegible] उन्मुक्ति सतत जागरूकता के द्वारा व्यक्त होती है अतः विश्वव्यापी [illegible] नानामुख अभिव्यक्तियों के विषय में जिज्ञासापूर्ण कुतूहल [illegible] संवर्धित रखना शिक्षित मानव का लक्ष्य है। किंतु कुछ नागरिक इतने से ही संतुष्ट न हों, निखिल देश और मानवता की सेवा में अपने स्वार्थ का विसर्जन ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानें। मनुष्य एक सावयव इकाई है अतः शरीर, मन, बुद्धि, चरित्र, हृदय और आत्मा इन सभी की पूर्णता परमाभिप्रेत है। जीविकाप्राप्ति और समाज के साथ सामंजस्य, तथा भद्र व्यक्तित्व ही शिक्षा की इयत्ता नहीं बताते। मानव का सर्वविध विनिर्मुक्त विकास और पूर्णताप्राप्ति ही समग्र शिक्षा का उद्देश्य है।

स० ग्र०—बर्ट्रेंड रसल : 'प्रॉब्लम्स ऑव एजुकेशन' तथा 'एजुकेशन ऐंड द सोशल ऑर्डर'; जॉन डिवी : 'डेमॉक्रेसी ऐंड एजुकेशन'; ह्वाइटहेड : 'एम्स ऑव एजुकेशन'; जेंटीले : 'द रिफॉर्म ऑव एजुकेशन', प्लेटो : 'द रिपब्लिक'; रूसो : 'एमिल'।

[वि० प्र० व०]

शिक्षा न्यास भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांशतः न्यासों के अधीन गैरसरकारी संस्थाओं का कार्य पर्याप्त महत्वपूर्ण है। विविध स्तरों पर मौलिक संस्थाओं की कुल संख्या वर्ष १९६०-६१ में गैरसरकारी शिक्षा संस्थाओं का प्रतिशत, शिक्षा आयोग १९६४-६६ के प्रतिवेदन से उद्धृत निम्न सूची में द्रष्टव्य है —

स्तर	प्रतिशत
१. पूर्व प्राथमिक	७०९
२. निम्नतर प्राथमिक	२२·२
३. उच्चतर प्राथमिक	२७·१
४. माध्यमिक	६९·२
५. व्यावसायिक स्कूल	५७·४
६. विशिष्ट स्कूल	७९·०
७. उच्चतर सामान्य शिक्षण संस्थाएँ	७८·८
८. व्यावसायिक शिक्षण संबंधी कॉलेज	४९·८
९. विशेष शिक्षा संबंधी कालेज	७४·९
१०. कालेजों की कुल संख्या सेक्टरों के लिये	३३·२

शिक्षा के विकास में स्वयंसेवी अभिकरणों का योगदान गुजरात, केरल, उड़ीसा तथा मद्रास जैसे प्रदेशों में दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। योग्यता तथा कार्यनिष्पादन की दृष्टि से भी गैर-सरकारी संस्थाओं की भिन्न भिन्न कोटियाँ हैं। शिक्षा आयोग के मतानुसार—'यह सत्य है कि कुछ निजी संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में धनात्मक योगदान की अपेक्षा निषेधात्मक कार्य ही अधिक किया है, किंतु साथ ही यह भी हमें मानना पड़ता है कि वर्तमान भारत में शैक्षिक विकास की दृष्टि से निजी संस्थाओं का विशिष्ट महत्व है। हमारे अधिकांश श्रेष्ठ संस्थान निजी क्षेत्र से ही संबद्ध हैं। आगामी वर्षों में शिक्षाविकास के लिये इनका योगदान और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। अतएव राज्य को शैक्षिक विकास में निजी क्षेत्र के इस सहयोग का यथासंभव उपयोग करना चाहिए।'

शिक्षा आयोग यह अनुभव करता है कि राज्य द्वारा संपूर्ण आवश्यक शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के परिणामस्वरूप निजी कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत गौण एवं सीमित हो सकता है। शिक्षाविस्तार के बृहत् कार्य को देखते हुए निजी संस्थाएँ निस्संदेह इसमें अधिक योग तो नहीं दे सकतीं, किंतु शिक्षास्तर की उन्नति में स्वयंसेवी संस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षाविकास में महत्वपूर्ण योगदान सतत रहेगा। ऐसी भी शिक्षण संस्थाएँ हैं जो सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती हैं और आत्मनिर्भर हैं। इनकी कार्यकुशलता सरकारी संस्थाओं से निस्संदेह श्रेष्ठ है। इनकी आय का आधार भेंट, दान तथा अन्य निजी साधन हैं और ये इनपर ही निर्भर करती हैं। ये सरकार से केवल मान्यता प्राप्त करती हैं, वित्तीय सहायता नहीं लेतीं। तो भी अनेक ऐसी निजी संस्थाएँ हैं जो सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं और यह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के फलस्वरूप उन्हें सरकार द्वारा अधिरोपित नियमों तथा उपनियमों के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। देश में शैक्षिक विकास की समस्याएँ, विशेषतः निम्नतर स्तर पर, शिक्षाविस्तार से संबद्ध हैं और सामान्यतः शिक्षास्तर के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। न्यासों द्वारा पोषित स्वयंसेवी अभिकरण इन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं और विशेषतः शिक्षास्तर के उन्नयन में। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग तथा शोध की अत्यधिक आवश्यकता है। स्वयंसेवी शैक्षिक अभिकरण अथवा न्यास प्रभविष्णु तथा क्रांतिकारी योजना बना सकते हैं, क्योंकि ये उन समस्त सरकारी नियमों तथा बंधनों से मुक्त हो सकते हैं जिनके निर्जीव नियमबद्ध धम्मासों में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है।

यह मानी हुई बात है कि स्वयंसेवी अभिकरण जब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं तो इन्हें विद्यार्थियों के प्रवेश, स्थान, पाठ्यक्रम-अतिरिक्त क्रियाओं, अध्यापकों के सेवाप्रतिबंधों इत्यादि से संबंधित नियमों तथा उपनियमों का पालन करना पड़ता है। सरकार को इस संबंध में सतर्क रहना पड़ेगा कि इस प्रकार की संस्थाओं में से किसी में भी अनियमितता न आने पावे। स्वयंसेवी संस्थाओं में एक सामान्य परिवाद यह है कि उनकी वित्तीय आवश्यकताएँ बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती हैं। इसकेलिये भेंट तथा परोपकारी जीवों के नियमित योगदान के अतिरिक्त आय के अन्य साधन उपलब्ध करने पड़ते हैं।

सम्पन्न समाज एवं जमींदारों से उपलब्ध होनेवाली दान दक्षिणा के पुरातन साधन तो अब समाप्त हो चुके हैं। किंतु योजना के परिणामस्वरूप उद्योगों तथा व्यापारिक क्षेत्रों के विकास ने अन्य साधन प्रदान किए हैं। इनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। शैक्षिक न्यासों में दानस्वरूप दी गई राशि पर सरकार द्वारा कर में अधिक उदार छूट की नीति का अनुकरण किया जा सकता है। साथ ही सरकार द्वारा धार्मिक संस्थाओं की आय का उपयोग भी इस क्षेत्र में किया जा सकता है। कुछ दक्षिणी राज्यों में सरकार ने धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध में एक विशिष्ट नीति का अनुसरण किया है। श्री वेंकटेश्वर न्यास का उदाहरण देश के अन्य भागों के लिये भी स्पृहणीय है।

[रा० कृ० भा०]

शिक्षा, बुनियादी महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। सन् १९३५ ई० के गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट की घोषणा के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत के सात प्रांतों में जब कांग्रेसी सरकारों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिये कार्यक्रम बनाया तो उसकी चौदह आधारशिलाओं में बुनियादी शिक्षा भी एक आधारशिला थी। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन समझते थे। वे इसे शांत सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता को ही उन्होंने मनुष्य के पूर्ण विकास का आधार माना। वे शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसीलिये उन्होंने सात से चौदह वर्षवाले वर्ग के सभी बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक समझा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा योजना की स्वीकृति के बाद सन् १९३८ से ही बुनियादी शिक्षा में अनेक प्रयोग आरंभ हो गए थे किंतु वे अलग अलग और सीमित स्तर पर किए गए। सन् १९३९ ई० में द्वितीय महायुद्ध के

गिर जाने से एक ओर कठिनाई उपस्थित हो गई। पर्याप्त अभिनिर्माण को राजनीतिक कारणों से हतोत्साह देना पड़ा। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे बुनियादी शिक्षा के विकास में सहायक होंगे। किन्तु उनके हतोत्साह के परिणामस्वरूप, कुछ प्रान्तों में प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिए गए और अन्य प्रान्तों में प्रयोग के प्रति उदासीनता दिखाई देने लगी। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद ही बुनियादी शिक्षा को शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के रूप में गंभीरतापूर्वक स्वीकार किया गया।

बुनियादी शिक्षा निरंतर प्रगति करती रही है क्योंकि बेसिक स्कूलों की संख्या बराबर बढ़ती रही है। किन्तु साधारण प्रारंभिक और मिश्रित स्कूलों की अपेक्षा बेसिक स्कूलों की संख्या की वृद्धि की गति में कमी रही है। बेसिक स्कूलों में प्रवेश का जहाँ तक संबंध है, स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। लक्ष्य तो यह था कि बेसिक शिक्षा में ६ से १४ वर्ष के वर्गवाले सभी लड़कों एवं लड़कियों के लिये बुनियादी शिक्षा का प्रबंध किया जाय। किन्तु प्रथम दो योजनाओं में कोई महत्वपूर्ण प्रगति इस शिक्षा में नहीं हुई। इस काल में बुनियादी शिक्षा के प्रसार की प्रगति उतनी भी नहीं हुई जितनी साधारण प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की, यद्यपि साधारण प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है।

अध्यापक शिक्षण की स्थिति भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। भारत में प्रारंभिक शिक्षकों की शिक्षा के बारे में प्रथम राष्ट्रीय विचारगोष्ठी की १९६० ई० की रिपोर्ट और हाल में अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में प्लान प्रोजेक्ट्स की समिति की १९६३ ई० की रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनेक त्रुटियाँ हैं। इसमें न केवल उचित एवं योग्य कर्मचारियों, भवनों, उपकरणों और अन्य स्कूल साधनों की कमी रही है बल्कि अपर्याप्त पाठ्य विषय और शिक्षण की प्रभावहीन विधि तथा शैली का भी दोष रहा है।

बुनियादी शिक्षा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिससे लोग साधारणतया सहमत हों। बुनियादी शिक्षा के वास्तविक मूल तत्व एवं निश्चित लक्ष्य के संबंध में बहुत ही गड़बड़ी दिखाई देती है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते समय एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। वह उत्पादक कार्य को शिक्षा का केंद्र मानते थे किंतु वास्तविक प्रयोग में उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के सिद्धांत के भिन्न भिन्न अर्थ हो गए हैं। कुछ शिक्षाविद्, जो गांधी जी के अनुयायी होने का दावा करते हैं, विद्यालयों में प्रयोग योग्य वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन पर जोर देते हैं। कुछ लोगों का मत है कि इसका अर्थ खेल विधि द्वारा शिक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

बुनियादी शिक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रश्न और भी विवादपूर्ण है। गांधी जी आत्मनिर्भरता को शिक्षा का वास्तविक मापदंड समझते थे। आत्मनिर्भरता से उनका तात्पर्य यह था कि बेसिक स्कूल इस सीमा तक स्वावलंबी हो जायें कि अध्यापकों का वेतन विद्यालयों में बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचकर दिया जा सके। इसलिये आरंभ में बुनियादी शिक्षा के समर्थकों का बहुत बड़ा वर्ग इस बात की आशा करने लगा कि प्रति बुनियादी शिक्षा के लिये अधिक [illegible] ऐसा किया जाय तो इसका अधिक भाग में वर्ग [illegible] अवसर प्राप्त सरकार के [illegible] सकेगा। किन्तु अनुभव ने यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ। [illegible] के लिए [illegible] द्वारा नियुक्त [illegible] समिति ने [illegible] का [illegible] किया और बताया कि १९५०-१९५१ में बिहार में बुनियादी शिक्षा का प्रमुख प्रदेश समझा जाता था, कोई भी [illegible] बेसिक स्कूल, जो हिंदुस्तानी तालीमी संघ के [illegible] से चल रहा था, ६३ प्रतिशत तक स्वावलंबी था। इसके [illegible] बेसिक विद्यालयों की सूची में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने का [illegible] प्राप्त किया था। तथा १९४८-१९५० में बिहार प्रदेश के १०० [illegible] स्कूल, जिनमें १८ सीनियर बेसिक स्कूल भी थे, केवल [illegible] प्रतिशत स्वावलंबी हो सके। तब से, साधारण तौर से, परिस्थिति में [illegible] की ओर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। भारत सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो [illegible] कन समिति नियुक्त हुई थी वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची। [illegible] सरकार ने बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करने के लिये [illegible] 'बुनियादी शिक्षा की संकल्पना' शीर्षक पुस्तिका में स्वावलंबन का उल्लेख तक नहीं किया। यहाँ तक कि गांधीवाद के आदर्शों के [illegible] पोषक विनोबा भावे का भी मत यह विचार हो गया है कि [illegible] द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का लाभ शिक्षा पर होनेवाले [illegible] खर्च के कम करने पर प्रयोग न किया जाय बल्कि [illegible] (माता पिता) को मिलना चाहिए जिससे वे अपने काम में [illegible] बच्चों की सहायता से लाभ न उठा सकने के कारण [illegible] को पूरा कर सकें। ऐसा लगता है, सरकार भी सिद्धांत रूप से यह स्वीकार करती है कि बच्चों के उत्पादक कार्य से प्राप्त लाभ [illegible] के हित में खर्च किया जाय, जैसे विद्यालय के परिधान (यूनीफार्म) या मध्याह्न के भोजन के प्रबंध पर।

इसलिये यह निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है कि गांधी जी [illegible]

शिक्षा की सार्वभौम पद्धति बनाना हो तो इसके लिये प्रचुर मात्रा में बढ़ाई गई अर्थव्यवस्था आवश्यक है।

बुनियादी शिक्षा को सार्वभौम बनाने के प्रश्न को यथार्थ के पर सोचना चाहिए। भारत ने समाजवादी आदर्शवाले समाज स्थापना का संकल्प किया है। ऐसे समाज की अनिवार्य बातों में एक यह है कि इसके सभी सदस्य सुशिक्षित हों ताकि वे सामान्य [illegible] के लिये अधिक से अधिक योगदान कर सकें और अपने समिति प्रयत्न का जो फल हो उससे उचित रूप से लाभ उठा सकें। इसलि कम से कम समय के अंदर सार्वभौम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान का प्रबंध सबसे पहले होना चाहिए। संविधान की ४५वें धारा के अनुसार १९६० ई० तक १४ वर्ष की अवस्थावाले सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का राज्य की ओर से प्रबंध [illegible]

इसके समा-

ान के लिये मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के महान् साधनों की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि यदि देश अपनी राष्ट्रीय आय का दो प्रतिशत केवल प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च करे तो आवश्यक साधन इतनी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं कि छह से १४ वर्ष-तक के वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ १९८०-१९८१ तक प्राप्त हो जायँ।

अब यदि बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों को दी जाय तो सार्वभौम शिक्षा के स्तर तक पहुँचने में बहुत अधिक समय लगेगा। बुनियादी शिक्षा उच्च कोटि की होने के कारण अधिक महँगी है। बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त सहायक समिति (१९६३) की सिफारिशों से स्पष्ट है कि एक साधारण प्रारंभिक विद्यालय को बेसिक स्कूल में परिवर्तित करने में कम से कम जितने साधनों की आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ ही बुनियादी शिक्षा का विकास होना आवश्यक प्रतीत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि एक दूरदर्शी योजना बनाई जाय जिसके अनुसार बुनियादी शिक्षा का विस्तार बराबर होता रहे ताकि अंत में यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की सुधरी हुई पद्धति के रूप में विकसित हो जाय। कुछ बातें जिनके करने की आवश्यकता है, नीचे प्रस्तावित की जाती हैं :

परंपरागत सिद्धांतों पर ही काम कर रहे बेसिक स्कूलों को कम से कम अनिवार्य शर्तों की पूर्ति करते हुए सच्चे बेसिक स्कूल बनाना चाहिए। जिन विद्यालयों का पूर्ण विकास नहीं हो सका है उनको अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिए ताकि वे आदर्श बेसिक स्कूल बन सकें और दूसरे उनका अनुकरण करें।

बुनियादी शिक्षा के विस्तार को लगातार बढ़ाते रहें। साधारण विद्यालयों को बेसिक स्कूलों में बदलें और नए बेसिक स्कूल खोलें। अधिकांश प्रदेश बेसिक स्कूलों की संख्या को प्रतिवर्ष कम से कम ५ प्रतिशत तो बढ़ा ही सकते हैं।

बेसिक स्कूलों के लिये उद्योग चुनते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उद्योग शिक्षा की दृष्टि से समृद्ध हो तथा सामाजिक वातावरण और बच्चों की अवस्था के अनुकूल हो। कच्चे माल की बरबादी को रोकने के लिये बेसिक स्कूलों की निम्न श्रेणियों में उद्योग संबंधी कार्य उस समय तक न कराया जाय जब तक बच्चे इतने परिपक्व न हो जायँ कि वे इसका प्रयोग लाभपूर्वक कर सकें। मिट्टी का काम, प्रारंभिक बागवानी या कुछ कम खर्चवाले हाथ के काम नीचे की कक्षाओं में कराए जा सकते हैं। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस आधार पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

सभी प्रारंभिक विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा के कुछ तत्व सरलतापूर्वक अपनाए जा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएँ, सामाजिक सेवा के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यकलाप इत्यादि। ऐसे विद्यालय, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि हो और सिंचाई की सुविधाएँ पर्याप्त हों, फल और तरकारियों के उत्पादन का कार्य कर सकता है। यह आवश्यक है कि जिन विद्यालयों में ये क्रियाएँ आरंभ की जायँ, उनका भली भाँति नियोजन किया जाय और साथ ही, उनसे पूरा पूरा शैक्षिक लाभ उठाया जाय। उत्तर बुनियादी विद्यालय को बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक शाखा समझना चाहिए जहाँ उस उद्योग में योग्यता प्राप्त करने पर बल दिया जाय जिसे एक छात्र बेसिक स्कूल से करता चला आया है। १९५७ में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑव एजुकेशन की राय से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मामले के सविस्तार अध्ययन के लिये नियुक्त की गई समिति ने उत्तर बुनियादी शिक्षा के देश की प्रचलित माध्यमिक शिक्षा पद्धति का एक अंग बने रहने पर जोर दिया है।

बेसिक स्कूल की शैक्षिक योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि अध्यापकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि उच्च कोटि की हो और वे अपने कार्य में प्रवीण हों। प्रारंभिक विद्यालयों के लिये अध्यापक तैयार करनेवाली सभी प्रशिक्षण संस्थाएँ बेसिक ढंग की होनी चाहिए। प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया जाय। इस प्रशिक्षण विद्यालय के साथ चार पाँच बेसिक स्कूल संलग्न होने चाहिए। इस केंद्र में पर्याप्त रूप से अध्यापक एवं उपकरण हों और बुनियादी शिक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम इसी के द्वारा पूरा किया जाय। यह एक प्रशिक्षण के बहुपक्षी महाविद्यालय (कांप्रीहेंसिव कालेज ऑव एजुकेशन) का अभिन्न अंग हो जिसमें कई प्रशिक्षण संस्थाएँ हों जो शिक्षा के सभी स्तरों एवं विद्यालय के कार्यक्रम की भिन्न भिन्न शाखाओं के लिये अध्यापक तैयार करें। १९३८ में बुनियादी शिक्षा की मौलिक योजना जाकिर हुसैन समिति ने तैयार की थी। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा की एक समिति स्थापित होनी चाहिए जिसके कार्यों में बुनियादी शिक्षा में खोज और संगठन का कार्य भी सम्मिलित किया जाय। प्रत्येक प्रदेश में स्थापित शिक्षा की प्रदेशीय संस्था (स्टेट इंस्टिट्यूट ऑव एजुकेशन) बुनियादी शिक्षा की विविध समस्याओं का अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य करे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (नैशनल काउंसिल ऑव एजुकेशनल रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग) को राष्ट्रीय स्तर के महत्व-वाली समस्याओं का अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधान द्वारा समवाय (कोरीलेशन) पद्धति को अध्यापक के लिये सुबोध तथा सुगम बना दिया जाय। बुनियादी शिक्षा संबंधी कुछ ऐसी मुख्य समस्याएँ हैं जिन्हें सुलझाने के लिये शीघ्र ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जैसे एक ही शिक्षक द्वारा अनेक कक्षाओं के पढ़ाने की समस्या, ऐसी कक्षाओं को पढ़ाने की समस्या, जिनमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो, भिन्न भिन्न उद्योगों की शैक्षिक संभावनाओं का पता लगाने और उनकी पद्धति तथा उत्पादन क्षमता का विकास करने के कार्य, मूल्यांकन की ऐसी विधियों और उपकरणों का विकास करना जिनके द्वारा जाँच की जा सके कि कहाँ तक बुनियादी शिक्षा की प्रगति उसके उद्देश्यों के अनुसार हो रही है ताकि इन विधियों और उपकरणों से बुनियादी शिक्षा के अध्यापक एवं प्रशासक आवश्यकतानुसार लाभ उठा सकें, बेसिक स्कूलों के लिये अध्यापक तैयार करनेवाली प्रशिक्षण संस्थाओं की समस्याओं की ओर ध्यान देना ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सके, और छात्राध्यापकों के लिये उपयुक्त साहित्य की तैयारी पर ध्यान देना इत्यादि।

बुनियादी शिक्षा की प्रगति के संबंध में निराशा का कोई कारण नहीं दिखलाई देता। ऐसी आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य

छिड़ जाने से एक और कठिनाई उपस्थित हो गई। कांग्रेस मंत्रिमंडल को राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे बुनियादी शिक्षा के विकास में सहायक होंगे। किंतु उनके इस्तीफे के परिणामस्वरूप, कुछ प्रांतों में प्रयोग बिलकुल बंद कर दिए गए और अन्य प्रांतों में प्रयोग के प्रति उदासीनता दिखाई देने लगी। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद ही बुनियादी शिक्षा को शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के रूप में गंभीरतापूर्वक स्वीकार किया गया।

बुनियादी शिक्षा निरंतर प्रगति करती रही है क्योंकि बेसिक स्कूलों की संख्या बराबर बढ़ती रही है। किंतु साधारण प्रारंभिक और मिश्रित स्कूलों की अपेक्षा बेसिक स्कूलों की संख्या की वृद्धि की गति में कमी रही है। बेसिक स्कूलों में प्रवेश का जहाँ तक संबंध है, स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। लक्ष्य तो यह था कि बेसिक शिक्षा में ६ से १४ वर्ष के वर्गवाले सभी लड़कों एवं लड़कियों के लिये बुनियादी शिक्षा का प्रबंध किया जाय। किंतु प्रथम दो योजनाओं में कोई महत्वपूर्ण प्रगति इस शिक्षा में नहीं हुई। इस काल में बुनियादी शिक्षा के प्रसार की प्रगति उतनी भी नहीं हुई जितनी साधारण प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की, यद्यपि साधारण प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है।

अध्यापक शिक्षण की स्थिति भी बिलकुल संतोषजनक नहीं है। भारत में प्रारंभिक शिक्षकों की शिक्षा के बारे में प्रथम राष्ट्रीय विचारगोष्ठी की १९६० ई० की रिपोर्ट और हाल में अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में प्लान प्रोजेक्ट्स की समिति की १९६३ ई० की रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनेक त्रुटियाँ हैं। इसमें न केवल उचित एवं योग्य कर्मचारियों, भवनों, उपकरणों और अन्य स्थूल साधनों की कमी रही है बल्कि अपर्याप्त पाठ्य विषय और शिक्षण की प्रभावहीन विधि तथा शैली का भी दोष रहा है।

बुनियादी शिक्षा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिससे सब साधारणतया सहमत हों। बुनियादी शिक्षा के वास्तविक मूल तत्त्व एवं निश्चित लक्ष्य के संबंध में बहुत ही मतभेद दिखाई देता है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते समय एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। वह उत्पादक कार्य को शिक्षा का केंद्र मानते थे किंतु वास्तविक प्रयोग में उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के सिद्धांत के भिन्न भिन्न अर्थ हो गए हैं। कुछ शिक्षाविद्, जो गांधी जी के अनुयायी होने का दावा करते हैं, शिक्षार्थियों के प्रयोग योग्य वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन पर जोर देते हैं। कुछ लोगों का मत है कि इसका अर्थ केवल विधि द्वारा शिक्षा के सांस्कृतिक मूल्य नहीं है।

बुनियादी शिक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रश्न और भी विवादग्रस्त है। गांधी जी आत्मनिर्भरता को शिक्षा का वास्तविक आधार मानते थे। आत्मनिर्भरता से उनका आशय यह था कि बेसिक स्कूल इस योग्य तक स्वावलंबी हो जायँ कि अध्यापकों का वेतन विद्यार्थियों से बसूली हुए उत्पादित वस्तुओं को बेचकर [illegible] सके। इसलिये [illegible] बुनियादी शिक्षा के समर्थकों [illegible] कार्य इस [illegible] कहा कि यदि बुनियादी शि[illegible] वस्तुओं [illegible]

वैसा किया जाय तो इसका अधिक मात्रा में खर्च शिक्षा संस्थाओं से प्रत्येक खर्च सरकार से देनी चाहिये बेसिक स्कूल [illegible] सकेंगे। किंतु अनुभव से यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त निरंतर-शिक्षा समिति ने इस तथ्य का अध्ययन किया और बताया कि १९५०–१९५१ में बिहार में बुनियादी शिक्षा का प्रमुख प्रदेश उत्पादन मात्रा का, कोई भी विषय ४१.०६ प्रतिशत से अधिक स्वावलंबी नहीं था। बेसिक (सं०) या बेसिक स्कूल, जो हिंदुस्तानी तालीमी संघ के तत्वावधान एवं निर्देशन में चल रहा था, ६३ प्रतिशत तक स्वावलंबी था। इसके [illegible] बेसिक विद्यालयों की सूची में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया था। किंतु १९४९-१९५० में बिहार प्रदेश के १०० बेसिक स्कूल, जिनमें १८ सीनियर बेसिक स्कूल भी थे, केवल ११ प्रतिशत ही स्वावलंबी हो सके। तब से, साधारण तौर से, परिस्थिति में उन्नति की ओर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में जो कुछ-एक समिति नियुक्त हुई थी वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची। भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करने के लिये अपनी 'बुनियादी शिक्षा की संकल्पना' शीर्षक पुस्तिका में स्पष्टतया उल्लेख तक नहीं किया। यहाँ तक कि गांधीवाद के कट्टर पोषक विनोबा भावे का भी अब यह विचार हो गया है कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का लाभ शिक्षा पर होनेवाले शैक्षिक खर्च के कम करने पर प्रयोग न किया जाय बल्कि यह अभिभावकों (माता पिता) को मिलना चाहिए जिनके ये बच्चे बच्चों की सहायता से लाभ न उठा सकने के कारण [illegible] पूरा कर सकें। ऐसा लगता है, सरकार भी विवश हो कर यह स्वीकार करती है कि बच्चों के उत्पादक कार्य से प्राप्त लाभ उन्हीं के हित में खर्च किया जाय, जैसे विद्यालय के परिसर (कैम्पस) या अध्यापकों के भोजन के प्रबंध पर।

इसलिये यह निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है कि गांधी जी की कल्पना के अनुसार बेसिक स्कूलों में उत्पादक व्यवसायों को लागू कर देने से बुनियादी शिक्षा का खर्च बड़ी मात्रा में कम नहीं किया जा सकता। इसलिये बुनियादी शिक्षा को यदि देश भर में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौम पद्धति बनाना हो तो इसके लिये अधिक धन की बढ़ाई गई अर्थव्यवस्था आवश्यक है।

बुनियादी शिक्षा को सार्वभौम बनाने के प्रश्न को स्थानीय के साथ [illegible] चाहिए। भारत ने अनिवार्य सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा को स्थापना का संकल्प किया है। ऐसे संकल्प की [illegible] एक यह है कि इसके सभी [illegible] सुनिश्चित हों [illegible] के लिये अधिक से अधिक योगदान कर सकें और [illegible] प्रश्न का भी फल हो [illegible] कम से कम समय के अंदर सार्वभौम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा [illegible] प्रयत्न करते रहने होना चाहिए। [illegible] भारत के [illegible] १९६० [illegible] १४ वर्ष की [illegible] बच्चों [illegible] ओर से [illegible]

छात्रों को कोई एक विषय पढ़ाने के लिये समकेंद्रिय विधि का विशेष रूप से उपयोग होता था सूत्र, वृत्ति, भाष्य, वार्तिक इस विधि के अनुकूल थे। कोई एक ग्रंथ के बृहत् और लघु संस्करण इस परिपाटी के लिये उपयोगी समझे जाते थे।

बौद्धों और जैनों की शिक्षापद्धति भी इसी प्रकार की थी।

भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। फारसी जाननेवाले ही सरकारी कार्य के योग्य समझे जाने लगे। हिंदू अरबी और फारसी पढ़ने लगे। बादशाहों और अन्य शासकों की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लामी आधार पर शिक्षा दी जाने लगी। इस्लाम के संरक्षण और प्रचार के लिये मस्जिदें बनती गईं, साथ ही मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे और मदरसे उच्च शिक्षा के। मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी। विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों को कंठस्थ करते थे। वे पढ़ना, लिखना, गणित, अर्थोनवीसी और चिट्ठीपत्री भी सीखते थे। इनमें हिंदू बालक भी पढ़ते थे।

मकतबों में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों में प्रविष्ट होते थे। यहाँ प्रधानतः धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। साथ साथ इतिहास, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून इत्यादि की पढ़ाई होती थी। सरकार शिक्षकों को नियुक्त करती थी। कहीं कहीं प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा भी उनकी नियुक्ति होती थी। अध्यापन फारसी के माध्यम से होता था। अरबी मुसलमानों के लिये अनिवार्य पाठ्य विषय था। छात्रावास का प्रबंध किसी किसी मदरसे में होता था। दरिद्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती थी। अनाथालयों का संचालन होता था। शिक्षा निःशुल्क थी। हस्तलिखित पुस्तकें पढ़ी और पढ़ाई जाती थीं।

राजकुमारों के लिये महलों के भीतर शिक्षा का प्रबंध था। राज्यव्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्धसंचालन, साहित्य, इतिहास, व्याकरण, कानून आदि का ज्ञान गृहशिक्षक से प्राप्त होता था। राजकुमारियाँ भी शिक्षा पाती थीं। शिक्षकों का बड़ा सम्मान था। वे विद्वान् और सच्चरित्र होते थे। छात्र और शिक्षकों का आपसी संबंध प्रेम और संमान का था। छात्रावासों में वे साथ ही रहते थे। सादगी, सदाचार, विद्याप्रेम और धर्माचरण पर जोर दिया जाता था। कंठस्थ करने की परंपरा थी। प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उदाहरणों द्वारा पाठ पढ़ाए जाते थे। कोई परीक्षा नहीं थी। अध्ययन अध्यापन में प्राप्त अवसरों में शिक्षक छात्रों की योग्यता और विद्वत्ता के विषय में तथ्य प्राप्त करते थे। दंड प्रयोग किया जाता था। जीविका उपार्जन के लिये भी शिक्षा दी जाती थी। दिल्ली, आगरा, बीदर, जौनपुर, मालवा मुसलिम शिक्षा के केंद्र थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में भी संस्कृत काव्य, नाटक, व्याकरण, दर्शन ग्रंथों की रचना और उनका पठन पाठन बराबर होता रहा।

भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्मप्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई। उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। धीरे धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को विद्यालय बंद रहता था। अनेक शिक्षक छात्रों की पढ़ाई अनेक श्रेणियों में कराते थे। अध्यापन का समय नियत था। साल भर में छोटी बड़ी अनेक छुट्टियाँ हुआ करती थीं।

प्रायः १५० वर्षों के बीतते बीतते व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य करने लगी। विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कंपनी शिक्षा के विषय में उदासीन रही। फिर भी विशेष कारण और उद्देश्य से १७८० में कलकत्ते में 'कलकत्ता मदरसा' और १७९१ में बनारस में 'संस्कृत कालेज' कंपनी द्वारा स्थापित किए गए। धर्मप्रचार के विषय में भी कंपनी की पूर्वनीति बदलने लगी। कंपनी अब अपने राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता को समझने लगी। १८१३ के आज्ञापत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। किस प्रकार की शिक्षा दी जाय, इसपर प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में मतभेद रहा। वाद विवाद चलता चला। अंत में लार्ड मेकाले के तर्क वितर्क और राजा राममोहनराय के समर्थन से प्रभावित हो १८३५ ई० में लार्ड बेंटिंक ने निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य और यूरोपीय इतिहास, विज्ञान, इत्यादि की पढ़ाई हो और इसी में १८१३ के आज्ञापत्र में अनुमोदित धन का व्यय हो। प्राच्य शिक्षा चलती चले, परंतु अंग्रेजी और पश्चिमी विषयों के अध्ययन और अध्यापन पर जोर दिया जाय।

पाश्चात्य रीति से शिक्षित भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुधरते देख जनता इधर झुकने लगी। अंग्रेजी विद्यालयों में अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रविष्ट होने लगे क्योंकि अंग्रेजी पढ़े भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्त करने की नीति की सरकारी घोषणा हो गई थी। सरकारी प्रोत्साहन के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत सहयोग भी मिलता गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अधिक कर्मचारियों की और चिकित्सकों, इंजिनियरों और कानून जाननेवालों की आवश्यकता पड़ने लगी। उपयोगी शिक्षा की ओर सरकार की दृष्टि गई। मेडिकल, इंजिनियरिंग और लॉ कालेजों की स्थापना होने लगी। स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा।

१८५३ में शिक्षा की प्रगति की जाँच के लिये एक समिति बनी। १८५४ में बुड के शिक्षासंदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास भेज दिए गए। संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। औद्योगिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। प्रांतों में शिक्षा विभाग अध्यापक प्रशिक्षण नारीशिक्षा इत्यादि की सिफारिश की गई। १८५७ में स्वतंत्रता युद्ध छिड़ गया जिससे शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ी। प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित ही रही। उच्च शिक्षा की उन्नति होती गई। १८५७ में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा की दशा की जाँच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिये १८८२ में सर विलियम हंटर

में निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा पद्धति बुनियादी शिक्षा पद्धति में परिवर्तित हो जायगी। [स०]

शिक्षा, भारत में प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रारंभिक रूप हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद युग की शिक्षा का उद्देश्य था तत्व-साक्षात्कार। ब्रह्मचर्य, तप, और योगाभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करनेवाले ऋषि, विप्र, वेधस, कवि, मुनि, मनीषी के नामों से प्रसिद्ध थे। साक्षात्कृत तत्वों का मंत्रों के आकार में संग्रह होता गया वैदिक संहिताओं में, जिनका स्वाध्याय, सांगोपांग अध्ययन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन वैदिक शिक्षा रही।

विद्यालय गुरुकुल, आचार्यकुल, गुरुगृह इत्यादि नामों से विदित थे। आचार्य के कुल में निवास करता हुआ, गुरुसेवा और ब्रह्मचर्य व्रतधारी विद्यार्थी षडंग वेद का अध्ययन करता था। शिक्षक को आचार्य और गुरु कहा जाता था और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतेवासी, आचार्यकुलवासी। मंत्रों के द्रष्टा अर्थात् साक्षात्कार करनेवाले ऋषि अपनी अनुभूति और उसकी व्याख्या और प्रयोग को ब्रह्मचारी, अंतेवासी को देते थे। गुरु के उपदेश पर चलते हुए वेदग्रहण करनेवाले व्रतचारी श्रुतर्षि होते थे। वेदमंत्र कंठस्थ किए जाते थे। आचार्य स्वर से मंत्रों का पारायण करते और ब्रह्मचारी उनको उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे। इसके पश्चात् अर्थबोध कराया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन सभी विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य था। स्त्रियों के लिये भी आवश्यक समझा जाता था। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले विद्यार्थी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे। ऐसी विद्यार्थिनी ब्रह्मवादिनी कही जाती थी।

यज्ञों का अनुष्ठान विधि से हो, इसलिये होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा को आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त उनके पाठ्य होते थे। पांच वर्ष के बालक की प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। गुरुगृह में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती थी। ८ वें वर्ष में ब्राह्मण बालक के, ११ वें वर्ष में क्षत्रिय के और १२ वें वर्ष में वैश्य के उपनयन की विधि थी। अधिक से अधिक यह १६, २२, और २४ वर्षों की अवस्था में होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरुगृह में १२ वर्ष वेदाध्ययन करते थे। विद्यार्थी जीवन बिताकर ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा से समावर्तन करते थे। तब वे स्नातक कहलाते थे। समावर्तन के अवसर पर गुरुदक्षिणा देने की प्रथा थी। समावर्तन के पश्चात् भी स्नातक स्वाध्याय करते रहते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन अध्ययन करते थे। समावर्तन के समय ब्रह्मचारी दंड, कमंडलु, मेखला, आदि को त्याग देते थे। ब्रह्मचर्य व्रत में जिन जिन वस्तुओं का निषेध था अब से उनका उपयोग हो सकता था। प्राचीन भारत में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी और न कोई उपाधि ही दी जाती थी। नित्य पाठ पढ़ाने के पूर्व ब्रह्मचारी ने पढ़ाए हुए पाठ को समझा है और उसका अभ्यास नियम से किया है या नहीं, इसका पता आचार्य लगा लेते थे। ब्रह्मचारी अध्ययन और अनुसंधान में सदा लगे रहते थे तथा वाद विवाद और शास्त्रार्थ में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता का प्रमाण देते थे।

भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा ही गौरव का था। उनका बड़ा आदर और सम्मान होता था। आचार्य पारंगत विद्वान, सदाचारी, क्रियावान, निःस्पृह, निरभिमान होते थे और विद्यार्थियों के कल्याण के लिये सदा कटिबद्ध रहते थे। अध्यापक, छात्रों का चरित्रनिर्माण, उनके लिये भोजनवस्त्र का प्रबंध, रुग्ण छात्रों की चिकित्सा, शुश्रूषा करते थे। कुल में सम्मिलित ब्रह्मचारी मात्र को आचार्य अपने परिवार का अंग मानते थे और उनसे वैसा ही व्यवहार रखते थे। आचार्य धर्मबुद्धि से निःशुल्क शिक्षा देते थे।

विद्यार्थी गुरु का संमान और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। आचार्य का चरणस्पर्श कर दिनचर्या के लिये प्रातःकाल ही प्रस्तुत हो जाते थे। गुरु के आसन के नीचे आसन ग्रहण करना, सुसंयत वेश में रहना, गुरु के लिये दातौन इत्यादि की व्यवस्था करना, उनके आसन को उठाना और बिछाना, स्नान के लिये जल ला देना, समय पर वस्त्र और भोजन के पात्र को साफ करना, ईंधन संग्रह करना, पशुओं को चराना इत्यादि छात्रों के कर्तव्य माने जाते थे। विद्यार्थी ब्राह्ममुहूर्त में उठते थे और प्रातःकृत्यों से निवृत्त होकर, स्नान, संध्या, होम आदि कर लेते थे। फिर अध्ययन में लग जाते थे। इसके उपरांत भोजन करते थे और विश्राम के पश्चात् आचार्य से पाठ ग्रहण करते थे। सायंकाल समिधा एकत्र कर ब्रह्मचारी संध्या और होम का अनुष्ठान करते थे। विद्यार्थी के लिये भिक्षाटन अनिवार्य कृत्य था। भिक्षा से प्राप्त अन्न गुरु को समर्पित कर विद्यार्थी मनन और निदिध्यासन में लग जाते थे।

वेदों का अध्ययन श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म से प्रारंभ होकर पौष पूर्णिमा को उपसर्जन से समाप्त होता था। शेष महीनों में अधीत पाठों की आवृत्ति, पुनरावृत्ति होती रहती थी। विद्यार्थी पृथक् पृथक् पाठ ग्रहण करते थे, एक साथ नहीं। प्रतिपदा और अष्टमी को अनध्याय होता था। गाँव, नगर अथवा पड़ोस में आकस्मिक विपत्ति से और विशिष्टजनों के आगमन से विशेष अनध्याय होते थे। अनध्याय में अधीत वेदमंत्रों की पुनरावृत्ति और विषयांतर का अध्ययन निषिद्ध न थे। विनय के नियमों का उल्लंघन करनेवाले विद्यार्थी को दंड देने की परिपाटी थी। पाठ्यक्रम के विस्तार के साथ वेदों और वेदांगों के अतिरिक्त साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण और चिकित्साशास्त्र इत्यादि विषयों का अध्यापन होने लगा। टोल पाठशाला, मठ और विहारों में पढ़ाई होती थी।

काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वलभी, ओदंतपुरी, जगद्दल, नदिया, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के केंद्र थे। दक्षिण भारत के एन्नारियम, सलोत्तिम, तिरुमुक्कुदल, मलकपुरम् तिरुवोरियूर में प्रसिद्ध विद्यालय थे। अग्रहारों के द्वारा शिक्षा का प्रचार और प्रसार शताब्दियों होता रहा। कांचीपुर और सर्वज्ञपुर के अग्रहार विशिष्ट शिक्षाकेंद्र थे। प्राचीन शिक्षा प्रायः वैयक्तिक ही थी। कथा, अभिनय इत्यादि शिक्षा के साधन थे। अध्यापन विद्यार्थी के योग्यतानुसार होता था अर्थात् विषयों को स्मरण रखने के लिये सूत्र, कारिका और सारनों से काम लिया जाता था। पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष पद्धति किसी भी विषय को गहराई तक पहुँचने के लिये बड़ी उपयोगी थी। भिन्न भिन्न अवस्था के

हर्टांग समिति इस आयोग का एक आवश्यक अंग थी। इसका काम [illegible] च करना। समिति [illegible] के गुण और दोष [illegible]

१९३०–१९३५ के बीच संयुक्त प्रदेश में बेकारी की समस्या के समाधान के लिये समिति बनी। व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दो वर्षों में से एक वर्ष स्कूल के साथ कर दिया जाय, जिससे पढ़ाई ११ वर्ष की हो। बाकी एक वर्ष बी० ए० के साथ जोड़कर बी० ए० पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जाय। माध्यमिक छह वर्ष के दो भाग हों— तीन वर्ष का निम्न माध्यमिक और तीन वर्ष का उच्च माध्यमिक। अंतिम तीन वर्षों में साधारण पढ़ाई के साथ साथ कृषि, शिल्प, व्यवसाय शिक्षाएं जायें। समिति की ये सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुईं।

१९३७ में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो १९३८ में बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सात से ११ वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य हो। शिक्षा मातृभाषा में हो। हिंदुस्तानी पढ़ाई जाय। चरखा, करघा, कृषि, लकड़ी का काम शिक्षा का केंद्र हो जिसकी बुनियाद पर साहित्य, भूगोल, इतिहास, गणित की पढ़ाई हो। १९४५ में इसमें परिवर्तन किए गए और परिवर्तित योजना का नाम रखा गया 'नई तालीम।' (१) पूर्व बुनियादी, (२) बुनियादी, (३) उच्च बुनियादी और (४) वयस्क शिक्षा इसके चार विभाग थे। हिंदुस्तानी तालीमी संघ पर इसका संचालन-भार छोड़ दिया गया।

१९४५ में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होते होते सार्जेंट योजना का निर्माण हुआ। छह से १४ वर्ष की अवस्था के बालकों तथा बालिकाओं के लिये अनिवार्य शिक्षा हो। जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, साहित्यिक हाई स्कूल और व्यावसायिक हाई स्कूल की पढ़ाई ११ वर्ष की अवस्था से १७ वर्ष की अवस्था तक हो। इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो। इंटरमीडिएट कक्षा समाप्त कर दी जाय। पाँच से छह अवस्था-वालों के लिये नर्सरी स्कूल हों। माध्यम मातृभाषा हो। १९५२–५३ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिये अनेक सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन से शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।

१९४८–४९ में विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग की सिफारिशों को बड़ी तत्परता से कार्यान्वित किया गया। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त [illegible] आगरा, बड़ौदा, पूना, रुड़की, कश्मीर, बड़ौदा, कर्णाटक, गुजरात, [illegible] विश्वविद्यालय, विश्वभारती, बिहार, श्रीवेंकटेश्वर, गोरखपुर, जबलपुर, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर, जबलपुर, विक्रम, संस्कृत वि० वि० आदि अनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में उन्नति होने लगी। विश्वभारती, गुरुकुल, अरविंद आश्रम, जामिया मिलिया इसलामिया, विद्यामंदिर, महिला विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध बनारस विद्यापीठ आधुनिक भारतीय शिक्षा के विद्यालय, और प्रयोग हैं। [स० मो० मु०]

शिक्षा, माध्यमिक (भारत में) सामान्यतया 'माध्यमिक शिक्षा' से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो प्राथमिक स्तर के बाद परंतु विश्वविद्यालय स्तर (जिसमें इंटरमीडिएट भी सम्मिलित है) से पहले दी जाती है। इस शिक्षा के अंतर्गत ११ से १६ अथवा १७ वर्ष के बच्चे आते हैं और इसमें ५वीं से १०वीं अथवा ११वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है।

माध्यमिक स्कूल तीन प्रकार के होते हैं — (१) मिडिल स्कूल, जिनमें सामान्यतः आठ कक्षाओं (पहली से आठवीं) तक शिक्षा दी जाती है। इन आठ कक्षाओं में प्रथम पाँच कक्षाएं प्राथमिक स्तर की तथा अन्य तीन माध्यमिक स्तर की होती हैं। (२) हाई स्कूल, जिनमें सामान्यतः दस कक्षाएं (१ से १०), पाँच कक्षाएं (६ से १०), या किन्हीं किन्हीं स्कूलों में केवल दो कक्षाएं (९ और १०) ही होती हैं। (३) उच्च माध्यमिक स्कूल, जिनमें पाठ्यक्रम की अवधि हाई स्कूलों के पाठ्यक्रम से एक वर्ष अधिक होती है। उच्च माध्यमिक स्कूल में ११ कक्षाएं (१ से ११) या छह कक्षाएं (५ से ११) अथवा केवल तीन कक्षाएं (९ से ११) हो सकती हैं। १९५८-१९५९ ई० में भारत में ५३,८७३ माध्यमिक स्कूल थे। इनमें से ३९,५४९ मिडिल, ११,१२९ हाई और ३,१६६ उच्च माध्यमिक स्कूल थे। इस स्तर पर भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या ९९'९५ लाख और छात्राओं की कुल संख्या १८'४५ लाख थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये निरंतर प्रयत्न किए गए। १९४८ के राधाकृष्णन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किए बिना विश्वविद्यालयीय शिक्षा का पुनर्गठन संभव नहीं है। १९५२ में डा० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक पाठ्यचर्या का विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं, इसके कोरे किताबी ज्ञान और इसकी जीवन से पूर्णतया पृथकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। आयोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट स्तर (कक्षाएं ११ और १२) को जिसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है - समाप्त कर दिया जाए और इस प्रकार जो दो वर्ष बचें उनमें से एक (प्रथम) विश्वविद्यालय स्तर में तथा दूसरा माध्यमिक स्तर में जोड़ दिया जाए। आयोग ने यथासंभव बड़े पैमाने पर माध्यमिक पाठ्यचर्या में विविधता लाने की भी सिफारिश की। कक्षा ९ से ११ तक का नया पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है : (१) मूल (आंतरिक) पाठ्यक्रम और (२) चुने हुए विषय। मूल पाठ्यक्रम में तीन भाषाओं का अनिवार्य अध्ययन, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान और एक हस्तकला सम्मिलित है। चुने हुए विषयों के अध्ययन के लिये निम्नलिखित सात समूहों में से किसी एक से तीन विषय चुनने आवश्यक हैं : मानव विद्याएँ, विज्ञान, वैज्ञानिकी, कृषि, वाणिज्य, ललित कलाएँ और गृहविज्ञान। अंतिम उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में लगभग ३,१२१ उच्च माध्यमिक स्कूल और ७,११२ बहुद्देशीय स्कूल हैं।

अभी यह कहना कठिन होगा कि पुनर्गठित स्कूलों में पुनर्गठन के मूल उद्देश्यों की कहाँ तक सिद्धि हो सकी है। प्राप्त सूचना के अनुसार यह पता चलता है कि माध्यमिक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय छात्र

हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिये उचित सुझाव दिए। सरकारी प्रयत्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की सिफारिश की। सरकारी माध्यमिक स्कूल प्रत्येक जिले में एक से अधिक न हों; शिक्षा का माध्यम माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी रहे। माध्यमिक स्कूलों के सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिये आयोग ने सिफारिशें कीं। सहायता अनुदान प्रथा और सरकारी शिक्षाविभागों का सुधार, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा इत्यादि पर भी आयोग ने प्रकाश डाला।

आयोग की सिफारिशों से भारतीय शिक्षा में उन्नति हुई। विद्यालयों की संख्या बढ़ी। नगरों में नगरपालिका और गाँवों में जिला परिषद् का निर्माण हुआ और शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को इनपर छोड़ दिया परंतु इससे विशेष लाभ न हो पाया। प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधर न पाई। सरकारी शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा की सहायता करता रहा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रही। मातृभाषा की उपेक्षा होती गई। शिक्षा संस्थाओं और शिक्षितों की संख्या बढ़ी, परंतु शिक्षा का स्तर गिरता गया। देश की उन्नति चाहनेवाले भारतीयों में व्यापक और स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता का बोध होने लगा। स्वतंत्रताप्रेमी भारतीयों और भारतप्रेमियों ने सुधार का काम उठा लिया। १८७० में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कालेज, १८८६ में आर्यसमाज द्वारा लाहौर में दयानंद ऐंग्लो वैदिक कालेज और १९१८ में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कालेज स्थापित किए गए।

१९०१ में लार्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा संमेलन किया था जिसमें १५२ प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। इसमें कोई भारतीय नहीं बुलाया गया था और न संमेलन के निर्णयों का प्रकाशन ही हुआ। इसको भारतीयों ने अपने विरुद्ध रचा हुआ षड्यंत्र समझा। कर्जन को भारतीयों का सहयोग न मिल सका। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिये कर्जन ने उचित रकम की स्वीकृति दी, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा शिक्षा अनुदान पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार किया। कर्जन का मत था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों पर सरकारी शिक्षाविभाग और विश्वविद्यालय दोनों का नियंत्रण आवश्यक माना गया। आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई। पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। कर्जन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का हटना उचित नहीं समझता था, अपितु सरकारी प्रभाव का बढ़ना आवश्यक मानता था। इसलिये वह सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाना चाहता था। लार्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिये १९०२ में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कालेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों का पुनर्संगठन इत्यादि विषयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव प्रस्तुत किए। इस आयोग में भी कोई भारतीय न था। इसपर भारतीयों में क्षोभ बढ़ा। उन्होंने विरोध किया। १९०४ में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। पाठ्यक्रम विस्तार की स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संग्रह होने लगा। १९०५ के स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ते में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई और नैशनल कालेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल टेक्निकल इन्स्टिट्यूट की स्थापना भी हुई।

१९११ में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। अंग्रेज सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके। १९१३ में भारत सरकार ने शिक्षानीति में अनेक परिवर्तनों की कल्पना की। परंतु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण कुछ हो न पाया। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। आयोग ने शिक्षकों का प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट कालेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों का संगठन, शिक्षा का माध्यम, ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ते में कालेजों की व्यवस्था, वैज्ञानिक उपकुलपति, परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्रीशिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा आदि विषयों पर सिफारिशें कीं। बंबई, बंगाल, बिहार, आसाम आदि प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा अनुदान बनाये जाने लगे। माध्यमिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। छात्रों की संख्या बढ़ी। माध्यमिक पाठ्य में वाणिज्य और व्यवसाय रखे दिए गए। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा चली। अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया। अधिक संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण होने लगा।

१९१६ तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय थे। [illegible] तक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा मैसूर विश्वविद्यालय १९१६ में, पटना विश्वविद्यालय १९१७ में, उस्मानिया विश्वविद्यालय १९१८ में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय १९२० में, और लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय १९२१ में स्थापित हुए। असहयोग आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा को प्रगति में बल और वेग आए। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गौड़ीय वर्सिटी, तिलक विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इसलामिया आदि राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। शिक्षा में स्वाधीनता लाने की चेष्टा की गई। १९२१ से नए शासनसुधार कानून के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा भारतीय मंत्रियों के अधिकार में आ गई। परंतु सरकारी सहयोग के अभाव के कारण उपयोगी योजनाओं को कार्यान्वित करना संभव न हुआ। प्रायः सभी प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की कोशिश अवश्य हुई। माध्यमिक शिक्षा में विस्तार होता गया परंतु उचित संगठन के अभाव से उसकी उपयोगिता हल न हो पाई। शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी युद्ध करने के योग्य बन पाते। दिल्ली (१९२२), नागपुर (१९२३), आगरा (१९२७), पटना (१९२६) और अलीगढ़ (१९२६) में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बंबई, पटना, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों का पुनर्संगठन हुआ। कालेजों की संख्या में वृद्धि होती गई। व्यावसायिक शिक्षा, स्त्रीशिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा, तथा आदिवासी जातियों की शिक्षा में उन्नति होती गई।

[illegible] के लिए [illegible] आयोग की नियुक्ति हुई।

ग समिति इस आयोग का एक आवश्यक अंग थी। इसका काम भारतीय शिक्षा की समस्याओं की सांगोपांग जाँच करना। समिति रिपोर्ट में १९१८ से १९२७ तक प्रचलित शिक्षा के गुण और दोष विवेचन किया और सुधार के लिये निर्देश दिया।

१९३०–१९३५ के बीच संयुक्त प्रदेश में बेकारी की समस्या के समाधान के लिये समिति बनी। व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दो वर्षों में से एक वर्ष स्कूल के साथ कर दिया जाय, जिससे पढ़ाई ११ वर्ष की हो। बाकी एक वर्ष बी० ए० के साथ जोड़कर बी० ए० पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जाय। माध्यमिक छह वर्ष के दो भाग हों—तीन वर्ष का निम्न माध्यमिक और तीन वर्ष का उच्च माध्यमिक। अंतिम तीन वर्षों में साधारण पढ़ाई के साथ साथ कृषि, शिल्प, व्यवसाय सिखाए जायँ। समिति की ये सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुईं।

१९३७ में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो १९३८ में बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सात से ११ वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य हो। शिक्षा मातृभाषा में हो। हिंदुस्तानी पढ़ाई जाय। चरखा, करघा, कृषि, लकड़ी का काम शिक्षा का केंद्र हो जिसकी बुनियाद पर साहित्य, भूगोल, इतिहास, गणित की पढ़ाई हो। १९४५ में इसमें परिवर्तन किए गए और परिवर्तित योजना का नाम रखा गया 'नई तालीम।' (१) पूर्व बुनियादी, (२) बुनियादी, (३) उच्च बुनियादी और (४) वयस्क शिक्षा इसके चार विभाग थे। हिंदुस्तानी तालीमी संघ पर इसका संचालन-भार छोड़ दिया गया।

१९४५ में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होते होते सार्जेंट योजना का निर्माण हुआ। छह से १४ वर्ष की अवस्था के बालकों तथा बालिकाओं के लिये अनिवार्य शिक्षा हो। जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, साहित्यिक हाई स्कूल और व्यावसायिक हाई स्कूल की पढ़ाई ११ वर्ष की अवस्था से १७ वर्ष की अवस्था तक हो। इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो। इंटरमीडिएट कक्षा समाप्त कर दी जाय। पाँच से कम अवस्थावालों के लिये नर्सरी स्कूल हों। माध्यम मातृभाषा हो। १९५२–५३ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिये अनेक सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन से शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।

१९४८–४९ में विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग की सिफारिशों को बड़ी तत्परता के साथ कार्यान्वित किया गया। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। पंजाब, गौहाटी, पूना, रुड़की, कश्मीर, बड़ौदा, कर्णाटक, गुजरात, महिला विश्वविद्यालय, विश्वभारती, बिहार, श्रीवेंकटेश्वर, यादवपुर, वल्लभभाई, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर, जबलपुर, विक्रम, संस्कृत वि० वि० आदि अनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में प्रगति होने लगी। विश्वभारती, गुरुकुल, अरविंद आश्रम, जामिया मिलिया इसलामिया, विद्याभवन, अहिंसा विश्वक्षेत्र में प्रशंसनीय वनस्थली विद्यापीठ आधुनिक भारतीय शिक्षा के विद्यालय, और प्रयोग हैं। [स० मो० मु०]

शिक्षा, माध्यमिक (भारत में) सामान्यतया 'माध्यमिक शिक्षा' से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो प्राथमिक स्तर के बाद परंतु विश्वविद्यालय स्तर (जिसमें इंटरमीडिएट भी सम्मिलित है) से पहले दी जाती है। इस शिक्षा के अंतर्गत ११ से १६ अथवा १७ वर्ष के बच्चे आते हैं और इसमें ५वीं से १०वीं अथवा ११वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है।

माध्यमिक स्कूल तीन प्रकार के होते हैं — (१) मिडिल स्कूल, जिनमें सामान्यत: आठ कक्षाओं (पहली से आठवीं) तक शिक्षा दी जाती है। इन आठ कक्षाओं में प्रथम पाँच कक्षाएँ प्राथमिक स्तर की तथा अन्य तीन माध्यमिक स्तर की होती हैं। (२) हाई स्कूल, जिनमें सामान्यत: दस कक्षाएँ (१ से १०), पाँच कक्षाएँ (६ से १०), या किन्हीं किन्हीं स्कूलों में केवल दो कक्षाएँ (९ और १०) ही होती हैं। (३) उच्च माध्यमिक स्कूल, जिनमें पाठ्यक्रम की अवधि हाई स्कूलों के पाठ्यक्रम से एक वर्ष अधिक होती है। उच्च माध्यमिक स्कूल में ११ कक्षाएँ (१ से ११) या छह कक्षाएँ (५ से ११) अथवा केवल तीन कक्षाएँ (९ से ११) हो सकती हैं। १९५८-१९५९ ई० में भारत में ५३,८७३ माध्यमिक स्कूल थे। इनमें से ३९,५४९ मिडिल, ११,१२९ हाई और ३,१६६ उच्च माध्यमिक स्कूल थे। इस स्तर पर भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या ६६·९५ लाख और छात्राओं की कुल संख्या १८·४५ लाख थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये निरंतर प्रयत्न किए गए। १९४८ के राधाकृष्णन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किए बिना विश्वविद्यालयीय शिक्षा का पुनर्गठन संभव नहीं है। १९५२ में डा० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक पाठ्यचर्या का विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं, इसके कोरे किताबी ज्ञान और इसकी जीवन से पूर्णतया पृथकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। आयोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट स्तर (कक्षाएँ ११ और १२) को जिसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है - समाप्त कर दिया जाए और इस प्रकार जो दो वर्ष बचें उनमें से एक (प्रथम) विश्वविद्यालय स्तर में तथा दूसरा माध्यमिक स्तर में जोड़ दिया जाए। आयोग ने यथासंभव बड़े पैमाने पर माध्यमिक पाठ्यचर्या में विविधता लाने की भी सिफारिश की। कक्षा ९ से ११ तक का नया पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है: (१) मूल (आंतरिक) पाठ्यक्रम और (२) चुने हुए विषय। मूल पाठ्यक्रम में तीन भाषाओं का अनिवार्य अध्ययन, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान और एक हस्तकला सम्मिलित हैं। चुने हुए विषयों के अध्ययन के लिये निम्नलिखित सात समूहों में से किसी एक से तीन विषय चुनने आवश्यक हैं: मानव विद्याएँ, विज्ञान, टेक्नालाजी, कृषि, वाणिज्य, ललित कलाएँ और गृहविज्ञान। अंतिम उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में माध्यम ३,१२१ उच्च माध्यमिक स्कूल और ७,११५ बहुद्देशीय स्कूल हैं।

अभी यह बताना कठिन होगा कि पुनर्गठित स्कूलों में पुनर्गठन के मूल उद्देश्यों की कहाँ तक सिद्धि हो सकी है। प्राप्त सूचना के अनुसार यह पता चलता है कि माध्यमिक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय द्वारा

हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिये उचित सुझाव दिए। सरकारी प्रयत्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की सिफारिश की। सरकारी माध्यमिक स्कूल प्रत्येक जिले में एक से अधिक न हों; शिक्षा का माध्यम माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी रहे। माध्यमिक स्कूलों के सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिये आयोग ने सिफारिशें कीं। सहायता अनुदान प्रथा और सरकारी शिक्षाविभागों का सुधार, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा इत्यादि पर भी आयोग ने प्रकाश डाला।

आयोग की सिफारिशों से भारतीय शिक्षा में उन्नति हुई। विद्यालयों की संख्या बढ़ी। नगरों में नगरपालिका और गाँवों में जिला परिषद् का निर्माण हुआ और शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को इनपर छोड़ दिया परंतु इससे विशेष लाभ न हो पाया। प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधर न पाई। सरकारी शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा की सहायता करता रहा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रही। मातृभाषा की उपेक्षा होती गई। शिक्षा संस्थाओं और शिक्षितों की संख्या बढ़ी, परंतु शिक्षा का स्तर गिरता गया। देश की उन्नति चाहनेवाले भारतीयों में व्यापक और स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता का बोध होने लगा। स्वतंत्रताप्रेमी भारतीयों और भारतप्रेमियों ने सुधार का काम उठा लिया। १८७० में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कालेज, १८८६ में आर्यसमाज द्वारा लाहौर में दयानंद ऐंग्लो वैदिक कालेज और १८९८ में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कालेज स्थापित किए गए।

१९०१ में लार्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया था जिसमें १५२ प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। इसमें कोई भारतीय नहीं बुलाया गया था और न सम्मेलन के निर्णयों का प्रकाशन ही हुआ। इसको भारतीयों ने अपने विरुद्ध रचा हुआ षड्यंत्र समझा। कर्जन को भारतीयों का सहयोग न मिल सका। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिये कर्जन ने उचित रकम की स्वीकृति दी, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा शिक्षा अनुदान पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार किया। कर्जन का मत था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों पर सरकारी शिक्षाविभाग और विश्वविद्यालय दोनों का नियंत्रण आवश्यक मान लिया गया। आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई। पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। कर्जन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का हटना उचित नहीं समझता था, प्रत्युत सरकारी प्रभाव का बढ़ाना आवश्यक मानता था। इसलिये वह सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाना चाहता था। लार्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिये १९०२ में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कालेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन इत्यादि विषयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव उपस्थित किए। इस आयोग में भी कोई भारतीय न था। इसपर भारतीयों में क्षोभ बढ़ा। उन्होंने विरोध किया। १९०४ में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। पुरातत्त्व विभाग की स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संरक्षण होने लगा। १९०५ के स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई और नैशनल कालेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल टेक्निकल इन्स्टिट्यूट की स्थापना भी हुई।

१९११ में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। अंग्रेज सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके। १९११ में भारत सरकार ने शिक्षानीति में अनेक परिवर्तनों की कल्पना की। परंतु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण कुछ हो न पाया। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। आयोग ने शिक्षकों का प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट कालेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों का संगठन, शिक्षा का माध्यम, ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ते में कालेजों की व्यवस्था, वैतनिक उपकुलपति, परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्रीशिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा आदि विषयों पर सिफारिशें कीं। बंबई, बंगाल, बिहार, आसाम आदि प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा कानून बनाये जाने लगे। माध्यमिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। छात्रों की संख्या बढ़ी। माध्यमिक पाठ्य में वाणिज्य और व्यवसाय रखे दिए गए। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा चली। अंग्रेजी का महत्त्व बढ़ता गया। अधिक संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण होने लगा।

१९१६ तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय थे। अब सात नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा मैसूर विश्वविद्यालय १९१६ में, पटना विश्वविद्यालय १९१७ में, ओसमानिया विश्वविद्यालय १९१८ में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय १९२० में, और लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय १९२१ में स्थापित हुए। असहयोग आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति में बल और वेग आए। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गौड़ीय सर्वविद्यायतन, तिलक विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इसलामिया आदि राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। शिक्षा में व्यावहारिकता लाने की चेष्टा की गई। १९२१ से नए शासनसुधार कानून के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा भारतीय मंत्रियों के अधिकार में आ गई। परंतु सरकारी सहयोग के अभाव के कारण उपयोगी योजनाओं को कार्यान्वित करना संभव न हुआ। प्रायः सभी प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की कोशिश व्यर्थ हुई। माध्यमिक शिक्षा में विस्तार होता गया परंतु उचित संगठन के अभाव से उसकी समस्याएँ हल न हो पाईं। शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी कुछ करने के योग्य न बन पाते। दिल्ली (१९२२), नागपुर (१९२३) आगरा (१९२७), आंध्र (१९२६) और अन्नामलाई (१९२६) में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बंबई, पटना, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन हुआ। कालेजों की संख्या में वृद्धि होती गई। व्यावसायिक शिक्षा, स्त्रीशिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा, तथा अपराधी जातियों की शिक्षा में उन्नति होती गई।

अगले शासनसुधार के लिये साइमन आयोग की नियुक्ति हुई।

हर्टांग समिति इस आयोग का एक आवश्यक अंग थी। इसका काम था भारतीय शिक्षा की समस्याओं की सांगोपांग जाँच करना। समिति ने रिपोर्ट में १९१८ से १९२७ तक प्रचलित शिक्षा के गुण और दोष का विवेचन किया और सुधार के लिये निर्देश दिया।

१९३०–१९३५ के बीच संयुक्त प्रदेश में बेकारी की समस्या के समाधान के लिये समिति बनी। व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दो वर्षों में से एक वर्ष स्कूल के साथ कर दिया जाय, जिससे पढ़ाई ११ वर्ष की हो। बाकी एक वर्ष बी० ए० के साथ जोड़कर बी० ए० पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जाय। माध्यमिक छह वर्ष के दो भाग हों— तीन वर्ष का निम्न माध्यमिक और तीन वर्ष का उच्च माध्यमिक। अंतिम तीन वर्षों में साधारण पढ़ाई के साथ साथ कृषि, शिल्प, व्यवसाय शिक्षाएं आयें। समिति की ये सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुईं।

१९३७ में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो १९३८ में बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सात से ११ वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य हो। शिक्षा मातृभाषा में हो। हिंदुस्तानी पढ़ाई जाय। चरखा, करघा, कृषि, लकड़ी का काम शिक्षा का केंद्र हो जिसकी बुनियाद पर साहित्य, सामाजिक, इतिहास, गणित की पढ़ाई हो। १९४५ में इसमें परिवर्तन किए गए और परिवर्तित योजना का नाम रखा गया 'नई तालीम।' (१) पूर्व बुनियादी, (२) बुनियादी, (३) उच्च बुनियादी और (४) वयस्क शिक्षा इसके चार विभाग थे। हिंदुस्तानी तालीमी [illegible] उपयोगिता-[illegible] और छोड़ दिया गया।

१९४५ में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त [illegible] का निर्माण हुआ। [illegible] से १४ [illegible] बालिकाओं के लिये सीनियर बेसिक स्कूल, स्कूल की पढ़ाई ११ वर्ष [illegible] हो। इसके बाद [illegible] का हो। इंटरमीडिएट [illegible] बालकों के लिये नर्सरी [illegible] में माध्यमिक शिक्षा [illegible] अनेक सुझाव दिए [illegible] सफलता प्राप्त हुई

१९४८–४९ [illegible] आयोग की [illegible] के साथ [illegible] हुई। पंजाब, [illegible] बम्बई, युक्त [illegible] आदि अनेक [illegible] राज्य शिक्षा में [illegible] आसाम, जम्मू [illegible] क्षेत्र में [illegible] विद्यालय, और

शिक्षा, माध्यमिक (भारत में) सामान्यतया 'माध्यमिक शिक्षा' से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो प्राथमिक स्तर के बाद परंतु विश्वविद्यालय स्तर (जिसमें इंटरमीडिएट भी सम्मिलित है) से पहले दी जाती है। इस शिक्षा के अंतर्गत ११ से १६ अथवा १७ वर्ष के बच्चे आते हैं और इसमें ५वीं से १०वीं अथवा ११वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है।

माध्यमिक स्कूल तीन प्रकार के होते हैं — (१) मिडिल स्कूल, जिनमें सामान्यत: आठ कक्षाओं (पहली से आठवीं) तक शिक्षा दी जाती है। इन आठ कक्षाओं में प्रथम पाँच कक्षाएँ प्राथमिक स्तर की तथा अन्य तीन माध्यमिक स्तर की होती हैं। (२) हाई स्कूल, जिनमें सामान्यत: दस कक्षाएँ (१ से १०), पाँच कक्षाएँ (६ से १०), या किन्हीं किन्हीं स्कूलों में केवल दो कक्षाएँ (९ और १०) ही होती हैं। (३) उच्च माध्यमिक स्कूल, जिनमें पाठ्यक्रम की अवधि हाई स्कूलों के पाठ्यक्रम से एक वर्ष अधिक होती है। उच्च माध्यमिक स्कूल में ११ कक्षाएँ (१ से ११) या छह कक्षाएँ (६ से ११) अथवा केवल तीन कक्षाएँ (९ से ११) हो सकती हैं। १९५८-१९५९ ई० में भारत में २१,८७३ माध्यमिक स्कूल थे। इनमें से १९,५४९ मिडिल, ११,१२९ हाई और २,१६६ उच्च माध्यमिक स्कूल थे। इस स्तर पर भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या ६६·९५ लाख और छात्राओं की कुल संख्या १०·४५ लाख थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये निरंतर प्रयत्न किए गए। १९४८ के राधाकृष्णन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किए बिना [illegible] शिक्षा का पुनर्गठन संभव नहीं है। १९५२ [illegible] मुदालियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा [illegible] ने माध्यमिक पाठ्यचर्या का विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं, [illegible] और विद्यार्थी ज्ञान और इसकी जीवन से पूर्णतया पृथकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। आयोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट स्तर (कक्षाएँ ११ और १२) को जिसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई [illegible] स्थान नहीं है - समाप्त कर दिया जाए और इस [illegible] उनमें से एक (प्रथम) विश्वविद्यालय स्तर में [illegible] में जोड़ दिया जाए। आयोग ने [illegible] पाठ्यचर्या में विविधता लाने की भी [illegible] से ११ तक का नया पाठ्यक्रम दो भागों में (१) कुछ (आंतरिक) पाठ्यक्रम और (२) कुछ [illegible] पाठ्यक्रम में तीन भाषाओं का अनिवार्य अध्ययन, [illegible] विज्ञान और एक हस्तकला सम्मिलित है। कुछ [illegible] के लिये निम्नलिखित बात [illegible] एक [illegible] आवश्यक है। [illegible] विज्ञान, [illegible] [illegible] और [illegible] के अनुसार भारत में [illegible] १,१११ [illegible]

[illegible] के अनुसार

पातक प्रतुता और मैट्रिक के पश्चात् उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों की दौड़ केवल एक शैक्षणिक समस्या ही नहीं है, वरन् यह हमारे समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी घनिष्ट संबंध रखती है। १९५८-१९५९ में माध्यमिक स्कूलों में ५·११ लाख अध्यापक थे। इनमें से ४·०१ लाख पुरुष और १·१ लाख महिलाएँ थीं। इस वर्ष में देश में शिक्षा के २३३ प्रशिक्षण कालेज और विश्वविद्यालय विभाग थे जिनमें प्रत्येक वर्ष १८,८०२ स्नातकों को प्रशिक्षित किया जाता था। १९५८-१९५९ में ६४६ प्रतिशत माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षित थे। प्रशिक्षित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमशः ६१·९ और ७४·५ प्रतिशत था। कई राज्यों में अभी पिछले वर्षों में माध्यमिक अध्यापकों के वेतनमानों में उचित संशोधन किया गया है। उसी वर्ष माध्यमिक स्तर पर ८५·४ लाख विद्यार्थी थे। इनमें से ५८·४६ लाख मिडिल स्तर पर और २६·९४ लाख उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर थे। इस स्तर पर के विद्यार्थियों की कुल संख्या में से ६६·९३ लाख बालक और १८·४२ लाख बालिकाएँ थीं। माध्यमिक स्तर पर छात्रछात्राओं का अनुपात २५·१ था। यह अनुपात पिछले कई वर्षों से स्थिर-प्राय रहा है।

देश में १७ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं, जो माध्यमिक स्तर के अंत में सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करते हैं और परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। इन बोर्डों के नाम इस प्रकार हैं — (१) बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, पटना, (२) बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, त्रिवेंद्रम, (३) बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, दिल्ली, (४) बोर्ड ऑफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (५) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद (६) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश भोपाल (७) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मद्रास (८) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पूर्वी, पंजाब, (९) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान, अजमेर, (१०) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बंबई, बंबई, (११) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, [illegible], (१२) पुरातन सेकेंडरी स्कूल बोर्ड [illegible] एग्जामिनेशन बोर्ड, [illegible], (१३) सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, मैसूर स्टेट, बंगलौर, (१४) सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड, [illegible], पूना, और (१५) विदर्भ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नागपुर।

[illegible]

[illegible]

व्यवस्था करती हैं, बशर्ते विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो कि अतिरिक्त व्यय को उपयोगी समझा जाए। कुछ माध्यमिक स्कूलों में विशेषतया उन स्कूलों में जो माध्यमिक शिक्षा की ऐंग्लो-इंडियन बोर्ड से और इंडियन कान्फरेंस ऑफ पब्लिक स्कूल से संबद्ध हैं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। १९५८-१९५९ में स्कूलों की संख्या का विवरण (प्रबंध वार) इस प्रकार था — सरकार द्वारा संचालित, १९·५ प्रतिशत मिडिल स्कूल तथा १९·६ प्रतिशत हाई और उच्च माध्यमिक स्कूल, स्थानीय निकाय, ३०·६ प्रतिशत मिडिल स्कूल, तथा १०·१ प्रतिशत हाई व उच्च माध्यमिक स्कूल; प्राइवेट २९·६ प्रतिशत मिडिल स्कूल तथा ७०·१ प्रतिशत हाई और उच्च माध्यमिक स्कूल। लेकिन व्यय का अधिकांश भाग सरकार ने दिया था। इस वर्ष में प्रत्येक साधन द्वारा किए गए खर्च का वितरण निम्न प्रकार था सरकार, ५४·६ प्रतिशत; स्थानीय निकाय, ९·६ प्रतिशत, शुल्क, ३०·४ प्रतिशत तथा अन्य साधन, ५·४ प्रतिशत।

१९५८-१९५९ में देश में माध्यमिक शिक्षा पर कुल [illegible] करोड़ रुपए प्रत्यक्ष खर्च हुए। यह उस वर्ष के कुल [illegible] व्यय का ३९·२ प्रतिशत था।

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केंद्रीय सरकार राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देती रही है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने कई [illegible] महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ भी की हैं। इसने १९५५ में माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की स्थापना की। परिषद् माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और विस्तार से संबंधित [illegible] मंत्रालय को सलाह देती है। माध्यमिक शिक्षा विस्तार [illegible] निदेशालय, जो परिषद् के निर्णयों को कार्यान्वित करने का [illegible] करता है, माध्यमिक स्कूलों के विस्तार कार्यक्रमों के लिये उत्तरदायी है। इस निदेशालय का गठन महत्वपूर्ण [illegible] हुआ है कि इसने कुछ दूर दर्शी अभिनव कार्यक्रमों के विस्तार के लिये स्थापित किए हैं जो अन्य कार्यों के साथ साथ [illegible] अध्यापकों के लिये [illegible] तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम [illegible] विदेशी और [illegible] का आयोजन भी करते हैं। माध्यमिक शिक्षा के [illegible] मंत्रालय द्वारा स्थापित अन्य संस्थाएँ इस प्रकार हैं [illegible]—अनुसंधान और विकास [illegible] शिक्षा [illegible] और [illegible] स्कूलों, [illegible] स्कूल और माध्यमिक स्कूलों के [illegible] के स्तर के सुधार के लिये [illegible] [illegible]

[illegible]

शिक्षा, विस्तार [illegible]

कि वे कक्षा की समस्याओं को प्रशिक्षण विद्यालय में समाधानार्थ लावें।

डाइरेक्टरेट ऑव एक्सटेंशन प्रोग्रैम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा-प्रसार-सेवा केंद्र प्रशिक्षण विद्यालयों में खोले गए। यह विभाग १९५९ तक शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित रहा। उसके उपरांत १९६१ से डाइरेक्टरेट, नेशनल कौंसिल ऑव एजुकेशनल रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग का एक प्रमुख भाग बन गया। शिक्षा-प्रसार-सेवा-विभाग प्रशिक्षण महाविद्यालयों का एक प्रमुख अंग है। यह एक स्थायी समायोजक द्वारा संगठित एवं क्रियान्वित होता है। यह कालेज के प्रिंसिपल की सरक्षकता में कार्य करता है जो विभागों के अवैतनिक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसकी सारी आर्थिक व्यवस्था नै० को० ऑव ए० रि० ऐं० ट्रे० अपने डाइरेक्टर ऑव एक्सटेंशन प्रोग्रैम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (DEPSE) के द्वारा करता है जो दिल्ली में स्थित है। इसके सभी कार्यक्रम डाइरेक्टरेट ऑव एक्सटेंशन प्रोग्रैम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन तथा एक सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित होते हैं। यह विभाग समय समय पर अध्यापकों की गोष्ठी करता है जिसमें विचार विमर्श होते हैं। इन सभी गोष्ठियों का व्ययभार यही विभाग वहन करता है।

शिक्षा-प्रसार-सेवा-विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक कार्यक्षमता एवं ज्ञान में वृद्धि करना। माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक स्तर तथा छात्रों का संपूर्ण विकास करना। शिक्षण विद्यालयों के द्वारा शिक्षकों तथा माध्यमिक विद्यालयों की पूर्ण रूप से सहायता करना तथा दोनों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। उपयोगी सूचना एकत्र करना। नई नई विचारधाराओं का संकलन कर उन्हें दूसरे विद्यालयों तक पहुँचाना। माध्यमिक स्तर की शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का पता लगाकर उनके हल के उपाय सोचना।

समय समय पर यह विभाग विचारगोष्ठी (सेमिनार) तथा शिल्पशाला (वर्कशाप) एवं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संगठित करता है। पुस्तकालय की भी व्यवस्था करता है जहाँ से अध्यापक पुस्तक, पत्रिकाएँ आदि मँगा सकते हैं जिसका व्यय यही विभाग वहन करता है। शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्टर, फिल्म, टेपरेकार्ड नक्शा, चार्ट इत्यादि की व्यवस्था करता है। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान क्लब तथा अन्य विषयों के क्लबों की स्थापना में सहयोग करता है, यहाँ तक कि १२०० रु० तक की आर्थिक सहायता भी देता है। माध्यमिक शिक्षालयों के सहयोग से शिक्षा विषयक प्रदर्शनी भी कराता है। यदि कोई उत्साही अध्यापक कोई प्रयोग करना या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उनके प्रोजेक्ट तथा प्रयोगों को सफल बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग, यहाँ तक कि आर्थिक सहायता भी, प्रदान करता है। अध्यापकों के हितार्थ यह समय समय पर उपयोगी प्रकाशन भी करता है जो उनको उचित दिशा की ओर अग्रसर करते हैं और ये सभी प्रकाशन विद्यालयों में नि शुल्क भेज दिए जाते हैं।

[ज्ञा० ना०]

शिक्षा, शारीरिक इस शिक्षा से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होती है। किसी भी समाज में शारीरिक शिक्षा का महत्व उसकी युद्धोन्मुख प्रवृत्तियों, धार्मिक विचारधाराओं, आर्थिक परिस्थिति तथा आदर्श पर निर्भर होता है। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मांसपेशियों को विकसित करके शारीरिक शक्ति को बढ़ाने तक ही सीमित था और इस सब का तात्पर्य यह था कि मनुष्य आखेट में, भारवहन में, पेड़ों पर चढ़ने में, लकड़ी काटने में, नदी, तालाब या समुद्र में गोता लगाने में सफल हो सके। किंतु ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में भी परिवर्तन होता गया और शारीरिक शिक्षा का अर्थ शरीर के अवयवों के विकास के लिये सुसंगठित कार्यक्रम के रूप में होने लगा। वर्तमान काल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन आदि विषय आते हैं। साथ साथ वैयक्तिक स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य का भी इसमें स्थान है। कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिये शरीररचना तथा शरीर-क्रिया-विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान के सिद्धांतों से अधिकतम लाभ उठाया जाता है। वैयक्तिक रूप में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शक्ति का विकास और माँसपेशी स्नायु संबंधी कौशल की वृद्धि करना है तथा सामूहिक रूप में सामूहिकता की भावना को जाग्रत करना है।

संसार के सभी देशों में शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया जाता रहा है। ईसा से २५०० वर्ष पहले चीन देशवासी बीमारियों के निवारणार्थ व्यायाम में भाग लेते थे।

ईरान में युवकों को घुड़सवारी, तीरंदाजी तथा सत्यप्रियता आदि की शिक्षा प्रशिक्षणकेंद्रों में दी जाती थी।

यूनान में खेलकूद की प्रतियोगिताओं का बड़ा महत्व होता था। शारीरिक शिक्षा से मानसिक शक्ति का विकास होता था, सौंदर्य में वृद्धि होती थी तथा रोगों का निवारण होता था। स्पार्टा में जगह जगह व्यायामशालाएँ बनी हुई थीं। रोम में शारीरिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा तथा चारित्रिक शिक्षा में परस्पर घनिष्ठ संबंध था और राष्ट्र की रक्षा करना इन सबका उद्देश्य था। पाश्चात्य देशों के धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने के कारण तपस्या तथा शारीरिक यातनाओं पर बल दिया जाने लगा। किंतु आगे चलकर खेलकूद, तैराकी, व्यायाम तथा अस्त्रशस्त्र के अभ्यास में लोगों की अभिरुचि पुन: जगी। इस काल के माइकिल ई० माटेन, जे० जे० रूसो, जॉन लॉक, तथा कमेनियस आदि शिक्षाशास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा का आवाहन किया।

उन्नीसवीं शताब्दी में पेस्टोलाजी और फ्रोबेल ने एक स्वर से बतलाया कि छोटे बच्चों की शिक्षा में खेलों का प्रमुख स्थान है।

जर्मनी में जोहान क्रिस्टॉफ फ्रीड्रिक गूट्स मूट्स (Johann Christoph Guts Muths) ने शारीरिक शिक्षा में दौड़, कूद, प्रक्षेप, कुश्ती आदि प्रक्रियाओं के साथ साथ यांत्रिक व्यायामों का प्रचार किया। फ्रीडरिक लुडविक जान (Friedrich Ludwig

बालक प्रतुता और मैट्रिक के पश्चात् उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों की दौड़ केवल एक शैक्षणिक समस्या ही नहीं है, वरन् यह हमारे समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी घनिष्ट संबंध रखती है। १९५८-१९५९ में माध्यमिक स्कूलों में ५·११ लाख अध्यापक थे। इनमें से ४·०१ लाख पुरुष और १·१ लाख महिलाएँ थीं। उस वर्ष में देश में शिक्षा के २३३ प्रशिक्षण कालेज और विश्वविद्यालय विभाग थे जिनमें प्रत्येक वर्ष १४,८०२ स्नातकों को प्रशिक्षित किया जाता था। १९५८-१९५९ में ६४६ प्रतिशत माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षित थे। प्रशिक्षित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमश ६१·९ और ७४·५ प्रतिशत था। कई राज्यों में अभी पिछले वर्षों में माध्यमिक अध्यापकों के वेतनमानों में उचित संशोधन किया गया है। उसी वर्ष माध्यमिक स्तर पर ८५·४ लाख विद्यार्थी थे। इनमें से ५८·४६ लाख मिडिल स्तर पर और २६·९४ लाख उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर थे। इस स्तर पर के विद्यार्थियों की कुल संख्या में से ६६·९५ लाख बालक और १८.४५ लाख बालिकाएँ थीं। माध्यमिक स्तर पर छात्रअध्यापक का अनुपात २५·१ था। यह अनुपात पिछले कई वर्षों से स्थिरप्राय रहा है।

देश में १७ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं, जो माध्यमिक स्तर के अंत में सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करते हैं और परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। इन बोर्डों के नाम इस प्रकार हैं — (१) बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, पटना, (२) बोर्ड फॉर पब्लिक ऐग्जामिनेशन, त्रिवेंद्रम, (३) बोर्ड ऑव हायर एजूकेशन, दिल्ली, (४) बोर्ड ऑव हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (५) बोर्ड ऑव सेकेंडरी एजूकेशन, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद (६) बोर्ड ऑव सेकेंडरी एजूकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल, (७) बोर्ड ऑव सेकेंडरी एजूकेशन, मद्रास (८) बोर्ड ऑव सेकेंडरी एजूकेशन, उड़ीसा, कटक, (९) बोर्ड ऑव सेकेंडरी एजूकेशन, राजस्थान, जयपुर, (१०) बोर्ड ऑव सेकेंडरी एजूकेशन, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, (११) सेंट्रल बोर्ड ऑव सेकेंडरी एजूकेशन, अजमेर, (१२) गुजरात सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड, बड़ौदा, (१३) सेकेंडरी एजूकेशन बोर्ड, मैसूर स्टेट, बंगलोर, (१४) सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट, पूना, और (१) विदर्भ बोर्ड ऑव सेकेंडरी एजूकेशन, नागपुर।

असम और पंजाब, केवल ये दो ही ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी माध्यमिक शिक्षा का कोई बोर्ड नहीं है। असम में इस परीक्षा का संचालन गौहाटी विश्वविद्यालय और पंजाब में पंजाब विश्वविद्यालय करता है। १९५८-१९५९ में, ५·६२ लाख विद्यार्थियों ने एस० एल० सी० परीक्षा पास की। यह संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और शीघ्र ही १० लाख तक पहुँच जाएगी। इस परीक्षा को पास करनेवाले विद्यार्थियों में से लगभग ५० प्रतिशत विद्यार्थी हर साल उच्च शिक्षा में प्रवेश करते हैं।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम (संबंधित क्षेत्र की) प्रादेशिक भाषा है, फिर भी राज्य सरकारें सामान्य तौर पर भाषायी [illegible] को उनकी अपनी विशेष भाषा के द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था करती हैं, बशर्ते विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो कि अतिरिक्त व्यय को उपयोगी समझा जाए। [illegible] माध्यमिक स्कूलों में, विशेषतया उन स्कूलों में जो माध्यमिक शिक्षा को ऐंग्लो-इंडियन बोर्ड से और इंडियन कान्फ्रेंस ऑव पब्लिक स्कूल से संबद्ध हैं, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। १९५८-१९५९ में स्कूलों की व्यवस्था का विवरण (प्रबंध वार) इस प्रकार था — सरकार द्वारा व्यवस्थित, १९·५ प्रतिशत मिडिल स्कूल तथा ११·६ प्रतिशत हाई और उच्च माध्यमिक स्कूल; स्थानीय निकाय, ३०·६ प्रतिशत मिडिल स्कूल, तथा १०·२ प्रतिशत हाई व उच्च माध्यमिक स्कूल; प्राइवेट २९·९ प्रतिशत मिडिल स्कूल तथा ७०·२ प्रतिशत हाई और उच्च माध्यमिक स्कूल। लेकिन व्यय का अधिकांश भाग सरकार ने दिया था। इस वर्ष में प्रत्येक साधन द्वारा किए गए खर्च का विवरण निम्न प्रकार था सरकार, ५४.६ प्रतिशत; स्थानीय निकाय, ६·६ प्रतिशत; शुल्क, ३०·४ प्रतिशत तथा अन्य साधन, ८·४ प्रतिशत।

१९५८-१९५९ में देश में माध्यमिक शिक्षा पर कुल ७९·५५ करोड़ रुपए प्रत्यक्ष खर्च हुए। यह उस वर्ष के कुल प्रत्यक्ष व्यय का ३९·२ प्रतिशत था।

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केंद्रीय सरकार राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देती रही है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने कई अन्य महत्वपूर्ण कारवाइयाँ भी की हैं। इसने १९५५ में माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की स्थापना की। परिषद् माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और विस्तार से संबंधित समस्याओं पर मंत्रालय को सलाह देती है। माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, जो परिषद् के निर्णयों को कार्यान्वित करने का काम करता है, माध्यमिक स्कूलों में विस्तार कार्यक्रमों के विकास के लिये उत्तरदायी है। इस निदेशालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ है कि इसने चुने हुए ५४ प्रशिक्षण संस्थानों में विस्तार सेवा विभाग स्थापित किए हैं जो अन्य कार्यों के साथ साथ माध्यमिक अध्यापकों के लिये सेवा में रहते हुए तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कार्य, गोष्ठियों और संमेलनों का आयोजन भी करते हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा स्थापित अन्य संस्थान इस प्रकार हैं — केंद्रीय शिक्षा संस्थान—अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण के लिये शिक्षा संबंधी और व्यावसायिक संदर्शन का केंद्रीय ब्यूरो; पाठ्यपुस्तक अनुसंधान का केंद्रीय ब्यूरो और माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये अंग्रेजी का केंद्रीय संस्थान, हैदराबाद।

[वे० प्र०]

शिक्षा, विस्तारी भारत की केंद्रीय सरकार ने सन् १९५५-५६ में विभिन्न प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षा प्रसार-सेवा-विभागों की स्थापना की। इनका प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उचित मार्ग प्रदर्शन करना तथा उनको नवीन शिक्षाप्रणालियों एवं योजनाओं से अवगत कराना था। उनसे यह भी आशा की गई

कि वे कक्षा की समस्याओं को प्रशिक्षण विद्यालय में समाधानार्थ लावें।

डाइरेक्टरेट ऑव एक्सटेंशन प्रोग्रैम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा-प्रसार-सेवा केंद्र प्रशिक्षण विद्यालयों में खोले गए। यह विभाग १९५९ तक शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित रहा। उसके उपरांत १९६१ से डाइरेक्टरेट, नेशनल कौंसिल ऑव एजुकेशनल रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग का एक प्रमुख भाग बन गया। शिक्षा-प्रसार-सेवा-विभाग प्रशिक्षण महाविद्यालयों का एक प्रमुख अंग है। यह एक स्थायी समायोजक द्वारा संगठित एवं क्रियान्वित होता है। यह कालेज के प्रिंसिपल की संरक्षकता में कार्य करता है जो विभागों के अवैतनिक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसकी सारी आर्थिक व्यवस्था नै० सी० ऑव ए० टि० ऐं० ट्रे० अपने डाइरेक्टर ऑव एक्सटेंशन प्रोग्रैम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (DEPSE) के द्वारा करता है जो दिल्ली में स्थित है। इसके सभी कार्यक्रम डाइरेक्टरेट ऑव एक्सटेंशन प्रोग्रैम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन तथा एक सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित होते हैं। यह विभाग समय समय पर अध्यापकों की गोष्ठी करता है जिसमें विचार विमर्श होते हैं। इन सभी गोष्ठियों का व्ययभार यही विभाग वहन करता है।

शिक्षा-प्रसार-सेवा-विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक कार्यक्षमता एवं ज्ञान में वृद्धि करना। माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक स्तर तथा छात्रों का संपूर्ण विकास करना। शिक्षण विद्यालयों के द्वारा शिक्षकों तथा माध्यमिक विद्यालयों को पूर्ण रूप से सहायता करना तथा दोनों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। उपयोगी सूचना एकत्र करना। नई नई विचारधाराओं का संकलन कर उन्हें दूसरे विद्यालयों तक पहुँचाना। माध्यमिक स्तर की शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का पता लगाकर उनके हल के उपाय सोचना।

समय समय पर यह विभाग विचारगोष्ठी (सेमिनार) तथा शिल्पशाला (वर्कशाप) एवं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संगठित करता है। पुस्तकालय की भी व्यवस्था करता है जहाँ से अध्यापक पुस्तकें, पत्रिकाएँ आदि मँगा सकते हैं जिसका व्यय यही विभाग वहन करता है। शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्टर, फिल्म, टेपरेकार्ड नक्शा, चार्ट इत्यादि की व्यवस्था करता है। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान क्लब तथा अन्य विषयों के क्लबों की स्थापना में सहयोग करता है, यहाँ तक कि १२०० रु० तक की आर्थिक सहायता भी देता है। माध्यमिक विद्यालयों के सहयोग से शिक्षा विषयक प्रदर्शनी भी कराता है। यदि कोई उत्साही अध्यापक कोई प्रयोग करना या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उनके प्रोजेक्ट तथा प्रयोगों को सफल बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग, यहाँ तक कि आर्थिक सहायता भी, प्रदान करता है। अध्यापकों के हितार्थ यह समय समय पर उपयोगी प्रकाशन भी करता है जो उनको उचित दिशा की ओर अग्रसर करते हैं और ये सभी प्रकाशन विद्यालयों में निःशुल्क भेज दिए जाते हैं।

[ज्ञा० ना०]

शिक्षा, शारीरिक इस शिक्षा से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होती है। किसी भी समाज में शारीरिक शिक्षा का महत्व उसकी युद्धोन्मुख प्रवृत्तियों, धार्मिक विचारधाराओं, आर्थिक परिस्थिति तथा आदर्श पर निर्भर होता है। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मांसपेशियों को विकसित करके शारीरिक शक्ति को बढ़ाने तक ही सीमित था और इस सब का तात्पर्य यह था कि मनुष्य आखेट में, भारवहन में, पेड़ों पर चढ़ने में, लकड़ी काटने में, नदी, तालाब या समुद्र में गोता लगाने में सफल हो सके। किंतु ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में भी परिवर्तन होता गया और शारीरिक शिक्षा का अर्थ शरीर के अवयवों के विकास के लिये सुसंगठित कार्यक्रम के रूप में होने लगा। वर्तमान काल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन आदि विषय आते हैं। साथ साथ वैयक्तिक स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य का भी इसमें स्थान है। कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिये शरीररचना तथा शरीर-क्रिया-विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान के सिद्धांतों से अधिकतम लाभ उठाया जाता है। वैयक्तिक रूप में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शक्ति का विकास और नाड़ी स्नायु संबंधी कौशल की वृद्धि करना है तथा सामूहिक रूप में सामूहिकता की भावना को जाग्रत करना है।

संसार के सभी देशों में शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया जाता रहा है। ईसा से २५०० वर्ष पहले चीन देशवासी बीमारियों के निवारणार्थ व्यायाम में भाग लेते थे।

ईरान में युवकों को घुड़सवारी, तीरंदाजी तथा सत्यप्रियता आदि की शिक्षा प्रशिक्षणकेंद्रों में दी जाती थी।

यूनान में खेलकूद की प्रतियोगिताओं का बड़ा महत्व होता था। शारीरिक शिक्षा से मानसिक शक्ति का विकास होता था, सौंदर्य में वृद्धि होती थी तथा रोगों का निवारण होता था। स्पार्टा में जगह जगह व्यायामशालाएँ बनी हुई थीं। रोम में शारीरिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा तथा चारित्रिक शिक्षा में परस्पर घनिष्ट संबंध था और राष्ट्र की रक्षा करना इन सबका उद्देश्य था। पाश्चात्य देशों के धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने के कारण तपस्या तथा शारीरिक यातनाओं पर बल दिया जाने लगा। किंतु आगे चलकर खेलकूद, तैराकी, व्यायाम तथा अस्त्रशस्त्र के अभ्यास में लोगों की अभिरुचि पुनः जगी। इस काल के माइकिल ई० मांटेन, जे० जे० रूसो, जॉन लॉक, तथा कमेनियस आदि शिक्षाशास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा का आवाहन किया।

उन्नीसवीं शताब्दी में पेस्टोलाजी और फ्रोबेल ने एक स्वर से बतलाया कि छोटे बच्चों की शिक्षा में खेलों का प्रमुख स्थान है।

जर्मनी में जोहान क्रिस्टॉफ फ्रीड्रिक गूट्स मूथ्स (Johann Christoph Guts Muths) ने शारीरिक शिक्षा में दौड़, कूद, प्रक्षेप, कुश्ती आदि प्रक्रियाओं के साथ साथ यांत्रिक व्यायामों का प्रचार किया। फ्रीडरिक लुडविक जान (Friedrich Ludwig

John) के नेतृत्व में लोकप्रिय व्यायामशालाओं की स्थापना संबंधी आंदोलन का सूत्रपात हुआ और यह आंदोलन शीघ्र विभिन्न देशों में व्यापक हो गया। भारतवर्ष में वर्तमान शारीरिक शिक्षा का आंदोलन सन् १७७५ ई० में जर्मनी में ही प्रारंभ हुआ।

डेनमार्क में फ्रांज नाख्टेगाल (Franz Nachtegall) ने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अगला कदम बढ़ाया। आपकी विचारधारा जर्मनी की विचारधारा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी और आपके ही सहयोग से सन् १८१४ ई० में स्कूलों के लिये शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

स्वीडन देश में शारीरिक शिक्षा का श्रेय पेर हेनरिक लिंग (Per Henrik Ling) को प्राप्त हुआ। आप शरीररचना तथा शरीर-क्रिया-विज्ञान के विद्वान थे। आपने एक व्यायामपद्धति निकाली जिसने बाद में चलकर चैकिसिक व्यायाम की संज्ञा पाई। सन् १८१४ में आपने स्टाकहोम में रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस संस्था के अनुसंधान कार्य शारीरिक जगत् में विख्यात हैं।

जर्मनी, स्वीडन तथा डेनमार्क देशों के शारीरिक शिक्षापद्धति के सिद्धांत हॉलैंड, बेल्जियम, स्विटजरलैंड आदि देशों में भी पहुँचे। किंतु इन देशों में समुचित नेतृत्व के अभाव से उन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन न हो सका। ग्रेट ब्रिटेन में आर्चिबाल्ड मेकलारेन (Archibald Maclaren) ने अपने यहाँ के स्कूलों के कार्यक्रम में स्वीडन के जिमनास्टिक्स तथा अन्य खेलों का समावेश करवाया।

अमरीका में शारीरिक शिक्षा का इतिहास सन् १८२० से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष जर्मनी के दो शरणार्थी जिनके नाम चार्ल्स बेक (Charles Beck) और चार्ल्स फोलेन (Charles Follen) थे, अमरीका पहुँचे और वहाँ व्यायामशिक्षक नियुक्त हुए। इन्हीं के प्रयासों द्वारा सन् १८५० ई० में 'अमरीकन टरनरबंड' संगठन की स्थापना हुई। सन् १८६० ई० में डा० डीओ लिविस Dio Lewis) के प्रयत्न से अमरीका के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को स्थान प्राप्त हुआ।

सोवियत रूस में छोटे बच्चों को बचपन में ही आग, पानी तथा तूफान से बचने की शिक्षा दी जाती है। १२ वर्ष तक केवल शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। उसके उपरांत कुछ ऐसी व्यावहारिक कसरतें भी कराई जाती हैं जो उनके लिये भविष्य में टैंक, ट्रैक्टर तथा इंजन आदि के चलाने में उपयोगी हों। युवकों को पुष्ट और सशक्त बनाने के लिये जिम्नास्टिक का आधार लिया जाता है और खेलकूद की प्रतियोगिता के लिये सुगठित किया जाता है।

भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय व्यायामपद्धति का प्रमुख स्थान है। यह विश्व की सबसे पुरानी व्यायाम प्रणाली है। जिस समय यूनान, स्पार्टा और रोम में शारीरिक शिक्षा के झिलमिलाते हुए तारे का अभ्युदय हो रहा था उस समय भी भारतवर्ष में वैज्ञानिक आधार पर शारीरिक शिक्षा का ढाँचा बन चुका था और उस ढाँचे का प्रयोग भी हो रहा था। आश्रमों तथा गुरुकुलों में छात्रगण तथा अध्यापक और व्यायामशालाओं में दूसरे लोग प्रातःकाल व्यायाम का अभ्यास करते थे। इन व्यायामों में दंड-बैठक, मुगदर, गदा, भाला, धनुर्विद्या, मुट्ठी, कुश्ती, कलरी, प्राणायाम, अग्निहोत्र प्राणायाम, सूर्यनमस्कार, नवली, तैरना, दौड़ना, घुड़सवारी, इत्यादि क्रियाएँ प्रमुख थीं।

भारतीय व्यायामपद्धति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पद्धति के द्वारा ध्यान को एकाग्र करना, चित्तवृत्ति का निरोध करना तथा स्मरण शक्ति आदि की वृद्धि करना सुगमतया संभव है। इसी विशेषता से आकर्षित होकर अन्य देशों में इन व्यायामों का तीव्र गति से प्रचार और प्रसार हो रहा है। यही नहीं, वहाँ पर तो इन व्यायामों के विभिन्न अनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं।

मनोविज्ञान के युग का प्रारंभ होते ही शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम तथा संगठन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हुआ। फलतः बच्चों की अभिरुचि, प्रवृत्ति, उम्र तथा अवस्था को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा के पाठों का निर्माण हुआ।

शैशव काल में खेल को हटाकर छोटे छोटे आकर्षक खेल तथा कसरतों पर अधिक बल दिया गया। इसके बाद जिमनास्टिक्स की ओर युवकों को आकर्षित किया गया। सारी कसरतें संगीत की लय पर युवकों में अधिक सुखद और रुचिकर बनाने के प्रयत्न हुए। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत बना दिया गया। इस यह विषय अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान का एक सुगम साधन हो गया है। शारीरिक शिक्षा सामाजिक सुधार के लिये अत्यंत उपयोगी समझी जाती है। इसके द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा ऊँच नीच का भेदनिवारण संभव माना जाता है। सर्वेक्षणविधि के द्वारा पाठ पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। इसी कारण बच्चों की शिक्षा को शारीरिक शिक्षा के आधार पर ही निर्धारित करना उचित समझा जाता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में युवतियों का भी स्थान होता जाता है।

सभी प्रगतिशील देशों में इस शिक्षा के कार्यक्रमों की अत्यधिक प्रतियोगिताओं तथा समारोहों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस विषय में प्रशिक्षण देने के लिये शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खुले हैं जहाँ पर अध्यापक तथा अध्यापिकाएँ प्रावधान के अनुसार तीन वर्ष, दो वर्ष या एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या अब तक ३० से ऊपर हो चुकी है। शारीरिक-परिपक्वता परीक्षा वर्तमानकालीन शारीरिक शिक्षा का प्रमुख विषय है और इसके लिये वय के अनुसार विभिन्न स्तर बनाए गए हैं।

विभिन्न स्तरों पर शारीरिक शिक्षा के संवर्धन के लिये संस्थाएँ तथा संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। ये संस्थाएँ समय समय पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी आयोजित करती हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये प्रतियोगियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। यही कारण है कि विश्व की प्रतियोगिताओं में दिनोंदिन प्रगति होती जाती है।

आज खेलकूद (स्पोर्ट्स) भी शारीरिक शिक्षा का एक अंग

हो चला है। इसके अंदर सभी खेल संमिलित हो जाते हैं जिनके द्वारा स्फूर्ति तथा मनोरंजन प्राप्त होता है। शारीरिक शिक्षा आज सामान्य शिक्षा का प्रमुख अंग समझी जाने लगी है। [मु० चो०]

शिक्षाशास्त्री पूरब और पश्चिम के अनेक शिक्षाशास्त्रियों — शंकर रामानुज, निंबार्क, कर्वे, मदनमोहन मालवीय, सुकरात न्यूटन, स्पेंसर आदि का वर्णन उनके संबंधित लेखों के साथ तथा 'शिक्षादर्शन' आदि लेखों में किया गया है। कुछ के नाम तथा संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। पश्चिम के शिक्षाशास्त्रियों में सुकरात, अफलातून और उसके शिष्य अरस्तू का प्रमुख स्थान है।

अफलातून — यूनान का अति प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षाविद् था। उसने अकादेमी नामक स्थान में एक बड़े शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी जिसमें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। उसका विश्वास था कि परिपक्व बुद्धिवाला ज्ञानी दार्शनिक ही सुयोग्य शासक बन सकता है। इसके लिये उत्तम शिक्षाप्रणाली का होना आवश्यक है। उसने राजनीति, सौंदर्य तत्व, सृष्टि तत्व, गणतंत्र तथा शिक्षाशास्त्र आदि विषयों पर दो दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। यूरोप के परवर्ती शत शत विचारकों पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। (दे० अफलातून, खंड १, पृ० १५१, १५२, तथा २२१, ३४०, दे० 'शिक्षा दर्शन')।

अरस्तू — अफलातून का प्रमुख शिष्य था। वह १८ वर्ष की उम्र में एथेंस आकर अफलातून का शिष्य बना। २० वर्ष तक उसके समीप रहकर उसने विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। वह बड़े अरसे तक अध्ययन और अध्यापन के कार्य में व्यस्त रहा। उसने बहुत सी पुस्तकें लिखीं। वह अनेक विषयों का जानकार और उन्हें एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न करनेवाला उच्च श्रेणी का दार्शनिक था। (दे० अरस्तू, तथा खंड १, पृ० ३४०,४१, दे० 'शिक्षादर्शन')।

अहमद खाँ सर सैयद (दे० खंड, १, पृ०३०४,०५)

आशुतोष मुखर्जी — महान् शिक्षाशास्त्री तथा राष्ट्रनेता श्री आशुतोष मुकर्जी का नाम देश में राष्ट्रीय शिक्षा की पुनर्रचना के लिये स्मरणीय रहेगा। आपका जन्म २९ जून, सन् १८६४ ई० को कलकत्ता में हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में ही हुई। विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण हो जाने पर आपकी इच्छा गणित में अनुसंधान करने की थी किंतु अनुकूलता न होने के कारण कानून की ओर आकृष्ट हुए। तीस वर्ष की अवस्था के पूर्व ही आपने विधि में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। सन् १९०४ में आप कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए। देश के विधिविशारदों में आपका प्रमुख स्थान था। सन् १९२० ई० में आपने कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रधान के पद पर भी कुछ समय तक कार्य किया। २ जनवरी, १९२४ को आपने इस पद से अवकाश ग्रहण किया। विश्वविद्यालयीय शिक्षा के मानदंड को स्थिर करने तथा उत्सवधी आदर्शों की स्थापना के लिये भी आशुतोष का नाम राष्ट्र के इतिहास में अमर रहेगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय को परीक्षा लेनेवाली संस्था से उन्नत कर शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्था बनाने का मुख्य श्रेय आपको ही है। सन् १९०६ से १४ तक तथा १९२१ से १९२३ तक आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर रहे। विश्वविद्यालय के 'फेलो' तो आप सन् १८८९ से सन् १९२४ तक बने रहे। बँगला भाषा को विश्वविद्यालयीय स्तर प्रदान कराने का श्रेय भी आपको ही प्राप्त है। कवींद्र रवींद्र ने आपके विषय में यह कथन किया था — 'शिक्षा के क्षेत्र में, देश को स्वतंत्र बनाने में आशुतोष ने वीरता के साथ कठिनाइयों से संघर्ष किया।' राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा स्थिर कर उसे आदर्श रूप में कार्यान्वित करने के लिये आपका सदा स्मरण किया जाएगा। सन् १९२४ ई० में आपका निधन हुआ। [व० प्र० ब्या०]

आर्मस्ट्रांग — दे० 'शिक्षादर्शन'।

ऐक्वाइनस, सेंट टॉमस (१२२६-१२७४ ई०) इटली का विद्वान् धर्मशास्त्री। तेरहवीं शताब्दी के तत्ववेत्ताओं में वह पहला व्यक्ति था जिसने इंद्रियानुभूति के महत्व और मानवीय ज्ञान के प्रयोगात्मक आधार पर बल दिया।

ऐलक्विन — दे० खंड २, पृ० २४१।
कमेनियस — जॉन एमॉस, दे० खंड २, पृ० ३५२।
कर्वे, डी० के० — दे० खंड ६, पृ० ३२५।
के० एफ० ई० — दे० खंड ३, पृ० १४६।
जियोवानी, जेंतीले — दे० खंड ४, पृ० ४९६-९८।
हुई, जॉन — दे० खंड ५, पृ० २५२।
देकार्त, रेने — दे० खंड ६, पृ० १०३।
पार्लस्टर्ट, कृ० हेलेन — दे० खंड ५, पृ० २३२-३३, दे० 'शिक्षादर्शन'।

पेस्तालॉत्सी, जोहान् हाइनरिख — (१७४६-१८२७ ई०) प्रसिद्ध पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री। बचपन में पिता चल बसे अतः माता ने इन्हें पाला। इनके दादा का भी इनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। रूसो के विचारों में कुछ संशोधन कर इन्होंने उन्हें कार्यरूप में परिणत कराने के प्रयास किए। विद्यार्थी जीवन में ही समाजसेवा की ओर झुकाव हो गया था। पत्रिकाओं में लेख लिखते थे। आगे चलकर इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। १७८१ और १७८७ के बीच इनकी 'लियोनार्ड ऐंड गर्ट्रूड' शीर्षक पुस्तक चार खंडों में प्रकाशित हुई। १७९२ में जर्मनी के गेटे, फिक्टे इत्यादि विद्वानों से उन्हीं के देश में जाकर वे मिले। सौ एकड़ भूमि मोल लेकर अपने नवीन कृषिक्षेत्र (Neuhof) में इन्होंने कुछ बच्चों को उद्योग के साथ साथ शिक्षा देने का असफल प्रयास किया था। १७९९ के पूर्वार्ध में स्टैंज में इन्हें कुछ अनाथ बच्चों को शिक्षा देने का अवसर मिला। उसी वर्ष के अंत में बर्गडॉर्फ के दुर्ग में इनका विद्यालय स्थापित हुआ। इन्हें अच्छे अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हुआ। १८०१ में इनकी 'हाउ गर्ट्रूड टीचेज हर चिल्ड्रेन' शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रारंभिक शिक्षा संबंधी कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी गईं। १८०४ में इन्हें बर्गडॉर्फ का दुर्ग सैनिकों के लिये खाली कर देना पड़ा। १८०५ से १८२५ तक इनका विद्यालय इवर्डन में चलता रहा। अर्थाभाव के कारण इनकी योजनाओं में बाधा पड़ जाती थी।

पेस्तालॉत्सी ने व्यक्ति की समस्त शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास को शिक्षा का उद्देश्य माना। उन्होंने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधार बनाने के प्रयास किए। आधुनिक शिक्षण के कई प्रमुख

सिद्धांतों को पेस्तालॉत्सी के शैक्षिक प्रयोगों द्वारा महत्व प्राप्त हुआ। शिक्षणविधि में संप्रेक्षण एवं स्वानुभव को इन्होंने मुख्य स्थान दिया। बाद में आनेवाले शिक्षाशास्त्रियों तथा अध्यापकों पर इनके विचारों का प्रचुर प्रभाव पड़ा।

फेलेनबर्ग, फिलिप इमैनुएल फॉन — (१७७१-१८४४ ई०) स्विट्ज़रलैंड का शिक्षाविद् तथा अर्थशास्त्रज्ञ। १७९९ ई० में हॉफविल नामक स्थान पर इन्होंने एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जिसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इन्होंने अन्य शैक्षिक संस्थाओं तथा एक अनाथालय की स्थापना भी की।

फ्रोबेल — दे० खंड ३, पृ० २-३ (किंडरगार्टन)।

बेकन, फ्रांसिस — दे० खंड ८, पृ० ३३९-३४०

बेन, अलेक्ज़ैंडर — (१८१८-१९०३ ई०) ऐबरडीन में तर्कशास्त्र का प्राध्यापक था जो बाद में रेक्टर निर्वाचित हुआ। उसकी महत्वपूर्ण रचनाएँ ये हैं — 'इंद्रियाँ तथा प्रज्ञा' (दि सेंसेज ऐंड इंटिलेक्ट), 'मनोभाव तथा संकल्प', 'मानस तथा नैतिक विज्ञान', और 'तर्कशास्त्र'। उसका मनोविज्ञान शरीरविज्ञान पर आधारित था किंतु उसका मत था कि मनुष्य ऐसा चेतन प्राणी है जो बाहरी प्रभावों और संस्कारों के अनुसार ही कार्य नहीं करता वरन् संवेगों को स्वयं भी जन्म दे सकता है।

बेल पेंड्रयू — (१७५३-१८३२ ई०) अंग्रेज शिक्षाशास्त्री जिसने 'मद्रास शिक्षाप्रणाली' का प्रचलन शुरू किया। सन् १७८७ में वह भारत आया और दो वर्ष बाद मद्रास के सैनिक अनाथालय का अधीक्षक नियुक्त हुआ। उसने कक्षानायक द्वारा शिक्षा चलाने की प्रणाली शुरू की और स्वयं विद्यार्थियों की ही सहायता से शिक्षा प्रसार का प्रयत्न किया। उसकी पुस्तिका 'शिक्षा में परीक्षात्मक प्रयोग' सन् १७९७ में प्रकाशित हुई। सन् १८११ में जब गरीबों की शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय सभा स्थापित की गई तो वह उसका अधीक्षक बनाया गया। यह सभा गरीबों के १२ हजार स्कूलों का संचालन करती थी।

बैनर्जी, गुरुदास — दे० खंड ८, पृ० ३६६।

बैज़ीडो, जोहान बर्नहार्ड — (१७२३-१७९० ई०) जर्मन शिक्षाशास्त्री जिसने रूसो तथा कमेनियस के सिद्धांत वचनों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया (मेयर द्वारा लिखित उसकी जीवनी देखिए)। उसने शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया।

भगवान्दास, डाक्टर — दे० खंड ८, पृ० ४२६-२९।

मांटेसरी, डा० मारिया — दे० खंड ९, पृ० २१५-१६, (दे० 'शिक्षा दर्शन')।

माधवीय, मदनमोहन — दे० खंड ९, पृ० २६४-६५।

मुंशीराम (श्रद्धानंद) — दे० खंड २, पृ० ४०९-१०।

रसेल — दे० 'शिक्षा दर्शन'।

रूसो — दे० खंड १०, पृ० १७३-७४, दे० 'शिक्षा दर्शन'।

रैटिख (रेटके) (१५७१-१६३८) एक जर्मन शिक्षाशास्त्री। उसके विचारानुसार राष्ट्रीय एवं धार्मिक एकता के लिये समस्त राष्ट्र में एक भाषा का ज्ञान आवश्यक है और मातृभाषा में पटु हो जाने के बाद उसी के माध्यम से अन्य भाषाओं का ज्ञान सहज हो जाता है। रैटिख के अन्य शिक्षा सिद्धांतों में प्रमुख हैं — प्राकृतिक क्रम से विद्यार्जन, साहित्य एवं अभ्यास के द्वारा भाषाशिक्षण, रटना निरर्थक, दबाव अनावश्यक तथा भाषाओं की व्याकरण संबंधी समानता पर ध्यान। रैटिख ने १६१८ तथा १६२० में दो असफल शैक्षिक प्रयोग किए। उस का दंभी स्वभाव, युगीन धार्मिक अस्थिरता और दूसरे में अटूट आस्था उसकी असफलता के कारण थे। परंतु रैटिख के बिखरे विचार कमेनियस के शैक्षिक सुधारों में सजग हो उठे थे।

[शि० कु० गु०]

रेक्स, रॉबर्ट (१७३५-१८११) इंगलैंड में 'संडे स्कूल' का प्रवर्तक। पिता के देहावसान के बाद 'ग्लॉस्टर जर्नल' का मालिक एवं संपादक बना। उसने ग्लॉस्टर नगर में जेल की दशा सुधारने के लिये प्रयास किए। समस्या का सही हल कारण के निवारण में था। पिन की फैक्टरी में काम करनेवाले बच्चे इतवार को ऊधम करते थे। उनके लिये १७८० में 'संडे स्कूल' खोला। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में भी अवकाश के समय में उनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। उसकी पत्रिका उसके प्रयास के प्रचार का सफल साधन बनी। फलस्वरूप १७८५ में वृहत् ब्रिटानिया के समस्त साम्राज्य में संडे स्कूल की स्थापना एवं सहायता के लिये एक समाज की स्थापना हुई। १८०३ में संडे स्कूल सब बना।

[शि० कु० गु०]

लेंकैस्टर जोसेफ, (१७७८-१८५८) ई० — अंग्रेज शिक्षाविद्। १८०१ में इन्होंने अपने जन्मस्थान साउथवार्क में एक विद्यालय खोला जिसमें कक्षानायकों (monitors) द्वारा शिक्षण की व्यवस्था की गई। 'ब्रिटिश ऐंड फॉरेन स्कूल्स सोसाइटी' ने बाद में इसी प्रणाली का प्रयोग अपने विद्यालयों में किया। लैंकैस्टर को असांप्रदायिक धार्मिक शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है।

लोयोला, इग्नेशियस (१४९३-१५४०) — स्पेन स्थित बैस्कियों में ६ मार्च, १४९२ को जन्म। यह चिंतक, मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाशास्त्री था। पेरिस में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोयोला में प्राध्यापक नियुक्त हुआ। बाद में आक्सफोर्ड में नियुक्ति हुई और राजकुमारी मेरी ट्यूडर का शिक्षक भी रहा। जीवन का शेष समय दुनिया में बीता। यह आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। कारण-चेतन व्यवहार को आध्यात्मिक और भौतिक स्तरों में मनोवैज्ञानिक आधार दिया। इसके शैक्षिक सिद्धांत मनोविज्ञान एवं नीतिशास्त्र पर आधारित होने के कारण पुष्ट हैं। शैक्षिक क्षेत्र में उनका निश्चित प्रभाव बेकन और डेकार्ट पर पड़ा था। उसने बताया कि आत्मा का आभास उसके विकसित दैवीय स्वरूप को जान लेने में है और मानस, व्यवहार से ही परखा जा सकता है।

[शि० कु० गु०]

गुडाल — दे० खंड १, पृ० २२१, १४०, दे० 'शिक्षा दर्शन'।

स्पेंसर — दे० 'शिक्षादर्शन'।

हर्बार्ट — दे० 'हर्बार्ट'।

हैर्टांग, सर फिलिप — इन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा की उन्नति के संबंध में कुछ विश्लेषण कार्य किया। सन् १९०४ के विश्वविद्यालय अधिनियम (ऐक्ट) पास होने के बाद से भारत में उच्च शिक्षा का प्रसार होने लगा था और कई नए विश्वविद्यालय खुलते जा रहे थे। सन् १९१९ से लेकर सन् १९३६ तक कई कमीशन नियुक्त किए गए जिन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। सर फिलिप हैर्टांग भारतीय स्टैटुटरी कमीशन की उपसमिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने सन् १९२९ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें शिक्षा की प्रगति के संबंध में इसने अपनी कुछ सिफारिशें कीं। भारत सरकार ने समिति की कई सिफारिशें मान लीं और उनका प्रयोग किया। [मि० च० पा०]

शिक्षा, सोवियत सोवियत शिक्षा का विकास महान् अक्टूबर की समाजवादी क्रांति के बाद चारसाही रूस की शिक्षाव्यवस्था में सुधार करके हुआ। इसके चार प्रमुख अंग हैं — शिशुशालाएँ और किंडरगार्टन, सामान्य शिक्षा के विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षा के संस्थान, विश्वविद्यालय और अकादमियाँ। शिशु शालाओं में तीन वर्ष तक के और किंडरगार्टनों में तीन से सात वर्ष तक के बच्चे भर्ती किए जाते हैं। इन दोनों प्रकार की संस्थाओं को मिलाकर अब एक कर दिया गया है। इनकी संख्या लगभग ३०,००० है जिनमें २० लाख शिशु भर्ती हैं। इस स्तर पर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिये परीक्षा का विधान नहीं है। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों में सात वर्ष से १४ वर्ष तक की अवस्था के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इसमें पहला क्रम कक्षा १ से ४ तक प्राथमिक शिक्षा का और दूसरा क्रम कक्षा ५ से ७ तक माध्यमिक शिक्षा का है। जहाँ कहीं दूसरा क्रम चार वर्ष का है वहाँ ये विद्यालय अष्टवर्षीय हैं। इसके आगे तीन वर्ष पढ़कर छात्र माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करते हैं। माध्यमिक विद्यालय या तो अष्टवर्षीय स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं या अलग भी हैं। चौथी कक्षा से पाँचवीं कक्षा में जाने के लिये एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। इसके बाद सातवीं और दसवीं कक्षाओं की पढ़ाई के अंत में परीक्षाएँ होती हैं। अष्टवर्षीय स्कूल से उत्तीर्ण होनेवाला कोई छात्र बिना कोई परीक्षा पास किए माध्यमिक विद्यालय की नवीं कक्षा में भर्ती हो सकता है। ११वीं कक्षा के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण कर छात्र उच्च शिक्षा की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों की संख्या लगभग तीन लाख है जिनमें तीन करोड़ छात्र भर्ती हैं। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों में जो छात्र शास्त्रीय विषयों में अच्छे नहीं होते, वे धंधा सीखने के लिये तेकनीकम अर्थात् तकनीकी स्कूलों में भर्ती होते हैं। रूस में ३५०० तेकनीकम हैं। इनका पाठ्यक्रम पाँच वर्ष का है। जातीय जीवन से अधिक सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के लिये माध्यमिक शिक्षा का पुनःसंगठन किया गया है। इसके अनुसार सात या आठ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा के बाद दो या तीन वर्ष छात्र नगरों में फैक्ट्री स्कूलों में और ग्रामों में कृषिविज्ञान तथा उससे संबंधित पशुपालन आदि शाखाओं का तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। सोवियत शिक्षा में एक नया प्रयोग बोर्डिंग स्कूल खोलकर किया गया है। बोर्डिंग स्कूलों में दो वर्ष तक के शिशुओं के लिये शिशु विद्यालय, दो वर्ष से सात वर्ष तक के बच्चों के लिये किंडरगार्टन और सात वर्ष से १७-१८ वर्ष तक के छात्रों के लिये सामान्य और तकनीकी शिक्षा के विद्यालय सम्मिलित हैं। इनमें ४३ लाख छात्र भर्ती हैं। उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय, संस्थान, अकादमियाँ आदि हैं। रूस में उच्च शिक्षा की ७६६ संस्थाएँ हैं जिनमें २२ लाख छात्र भर्ती हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या ३५ है। उच्च प्राविधिक शिक्षा सोवियत संघ में बहुत व्यापक है। प्राविधिक कालेजों की संख्या २०० है। इनमें कुल मिलाकर ९ लाख १५ हजार छात्र भर्ती हैं। इन विद्यालयों से लगभग १ लाख इंजीनियर स्नातक बनकर प्रति वर्ष निकलते हैं। उच्च शिक्षा के अनेक संस्थानों में सांध्यकालीन कक्षाएँ और पत्रव्यवहार द्वारा शिक्षा देनेवाले विभाग हैं जिनकी सहायता से कोई भी नागरिक काम करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वर्ष १९६१ ई० में १३ लाख ८५ हजार व्यक्ति सांध्यकालीन कक्षाओं या पत्रव्यवहार द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसी वर्ष १ लाख २५ हजार व्यक्ति काम करते हुए स्नातक बने। संपूर्ण शिक्षा शासन द्वारा नियंत्रित है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें शासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। शिक्षा के सुधार के लिये अकादमियाँ हैं जिनमें मास्को की शिक्षण विज्ञान की अकादमी प्रमुख है। सभी विद्यालयों में सहशिक्षा की पद्धति है। शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती है। जिन मातृभाषाओं का लिखित स्वरूप नहीं था उनके लिखित रूप का विकास किया गया है। अवकाश के समय के लिये छात्रों की अनेक सांस्कृतिक संस्थाएँ और मनोरंजन संघ हैं। संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क है। विशेष माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के अधिकतर छात्रों को राज्य की ओर से छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। शिक्षा जनवादी है। साक्षरता प्रायः शत प्रति शत है और जन जन को शिक्षा सुलभ है। कुल मिलाकर लगभग ५ करोड़ छात्र सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सं० ग्रं०—एडोल्फ ई० मायर : द डेवेलपमेंट ऑव एजुकेशन इन द ट्वेंटियथ सेंचुरी, थाई० एल० कैंडल : द न्यू एरा इन एजुकेशन; निकोलस हैंस : कंपेरेटिव एजुकेशन ए स्टडी ऑव एजुकेशनल फैक्टर्स ऐंड ट्रैडिशंस; एम० डीनेको (Deineko) : पब्लिक एजुकेशन इन द यू० एस० एस० आर०; एन० के० क्रुप्स्काया : शिक्षा (हिंदी रूपांतर) । [म० द० श०]

शिखंडी द्रुपदपुत्र जो पूर्व जन्म में उनकी कन्या 'शिखंडिनी' था और जो भीष्म से अपना बदला चुकाने के लिये परशुराम के वरदान से अपना स्थूलाकर्ण नामक यक्ष की कृपा से उसी राजा के पुत्र शिखंडी के रूप में जन्मा। यद्यपि भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल हुए थे तथापि अंतिम बाण, जिससे वे मरे, शिखंडी ने ही छोड़ा था। [रा० द्वि०]

शिबली नोमानी इनका जन्म सन् १८५० ई० में आजमगढ़ के एक ग्राम बंगौन में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ में हुई और इसके अनंतर अरबी, फारसी आदि की उच्च शिक्षा प्रसिद्ध उस्तादों से प्राप्त की, जिसके लिये इन्होंने रामपुर, लाहौर, सहारनपुर तथा लखनऊ की यात्राएँ कीं। परीक्षोत्तीर्ण होने पर यह वकालत करने लगे पर उसमें इनका मन नहीं लगा। सन् १८९२ ई० में यह

अलीगढ़ चले गए और वहाँ के कालेज में फारसी के अध्यापक का कार्य सोलह वर्ष तक किया। यहाँ के वातावरण में इनकी साहित्यिक रुचि जाग्रत हुई और इन्होंने अल् मामून, अल् फारूक, सीरतुन्नोमान, अल् मिजाली आदि लिखीं। इस कारण कि ये पुस्तकें इसलाम के खलीफों तथा बड़े लोगों के संबंध में थीं, यह इनके लिये सामग्री एकत्र करने को शाम, मिस्र, कुस्तुनतुनिया आदि तक गए।

१८९८ ई० में सर सैयद की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने आजमगढ़ में स्थायी रूप से रहने का निश्चय कर अलीगढ़ त्याग दिया किंतु सैयद अली बिलग्रामी ने इन्हें हैदराबाद (दक्षिण) बुलाकर शिक्षा विभाग में प्रबंधकार्य पर रख लिया। यहाँ यह चार वर्ष रहे और कई पुस्तकें लिखीं, जो वहीं प्रकाशित हुईं। इल्मुल् कलाम, अलकलाम, मुआजनए अनीसोदबीर तथा सवानेह उमरी लिखीं और अल्गिज़ाली को पूरा किया। सन् १८९९ ई० में इन्हें शम्सुल उलमा की पदवी मिली। इसके पहले तुर्की के सुलतान ने इन्हें मजीदिया पदक सन् १८७२ ई० में दिया था। सन् १९०४ ई० में यह हैदराबाद से लखनऊ आए और नदवतुल् उलमा का कार्य देखने लगे। यह संस्था इस उद्देश्य से सन् १८९४ ई० में स्थापित हुई थी कि विद्वानों के बीच के विवाद मिटाए जायँ, मुसलमानों की साधारण अवस्था सुधारी जाय, शुद्ध धार्मिक शिक्षा फैलाई जाय तथा फारसी, अरबी एवं उर्दू के विभिन्न पाठ्यक्रम की पुस्तकों का निरीक्षण किया जाय। इस संस्था का नौ वर्ष तक सुप्रबंध करने के अनंतर वहाँ के मौलवियों के संकुचित विचारों के कारण दुखित हो यह आजमगढ़ चले आए। यहीं दूसरे वर्ष सन् १९१४ ई० में इनकी मृत्यु हो गई। आजमगढ़ में इन्होंने दारुल् मुसन्नफीन स्थापित किया, जिसको अपना गृह, बाग तथा पुस्तकालय दान दे दिया। यहीं शेबुल् अजम पाँच खंडों में लिखा, जिसमें पूरे फारसी साहित्य की आलोचना सरल उर्दू में लिखी गई है।

शिबली ने उर्दू गद्य को विद्वानों का गद्य बनाया और अनेक विषयों पर रचनाएँ लिखकर उसे उन्नत किया। आलोचना शैली को भी अग्रसर किया। इनकी इतिहास लिखने की शैली औपन्यासिक ढंग की है पर अन्वेषण तथा सत्यता कहीं नहीं छोड़ी गई है। इनके लेखों ने मुसलमानों के हृदय तथा मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला।

[र० जु०]

शिवसागर १. जिला, स्थिति : २५° ४९' से २७° १६' उ० अ० तथा ९३° ३' से ९५° २२' पू० दे०। यह भारत के असम राज्य का जिला है, जिसका क्षेत्रफल ३,४५३ वर्ग मील है। इस जिले के पूर्व में लखीमपुर, उत्तर में ब्रह्मपुत्र एवं सुबांसरी नदी, पश्चिम में नौगाँव तथा दक्षिण में नागालैंड है। पूर्वी भाग मैदानी एवं पश्चिमी भाग पहाड़ी है। मैदान जलोढ़ है एवं मिट्टी बलुई तथा चिकनी है। ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी दिहिंग आदि प्रमुख नदियाँ हैं। जलवायु आर्द्र, अपेक्षाकृत शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद है। जनवरी एवं जुलाई का औसत ताप क्रमशः १५° सें० तथा २७° सें० है। मैदानी भाग में वर्षा ८० इंच से ९५ इंच तक होती है। जिले की मुख्य कृषि उपज धान है। दलहन, मक्का, तंबाकू, तरकारियाँ आदि अन्य उपज हैं। चाय मुख्य उद्यानी फसल है। जिले के सुरक्षित वनों में विविध प्रकार की इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं। कोयला, खनिज तेल, चूने का पत्थर एवं रबर मुख्य खनिज हैं। यहाँ सूती एवं रेशमी वस्त्र बनाने, चाय को डिब्बे में भरने आदि के उद्योग हैं। जिले से चाय, कपास, रेशम तथा [illegible] बाहर जाते हैं और खाद्यान्न, लोहे एवं इस्पात आदि के सामान यहाँ बाहर से मँगाए जाते हैं। शिवसागर, जोरहाट एवं गोलाघाट, जिले के प्रमुख नगर एवं तहसीलें हैं। जिले की जनसंख्या १,०८,३६० (१९६१) है।

२. नगर, स्थिति : २६° ५९' उ० अ० तथा ९४° १८' पू० दे०। यह भारत के असम राज्य में उपर्युक्त जिले का नगर एवं प्रशासनिक केंद्र है, जो दिखो (Dikho) नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नगर का नाम, अहोम राजा शिवसिंह द्वारा १७३२ ई० में निर्मित, सागर नामक तालाब के आधार पर पड़ा है। नगर की औसत वार्षिक वर्षा ९४ इंच के लगभग है। नगर की जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। शिवसागर व्यापारिक नगर है, जहाँ से कई वस्तुओं का निर्यात होता है। यह नगर रेलवे स्टेशन भी है। [सु० च० अ०]

शिमला १. जिला, भारत के हिमाचल प्रदेश का जिला है, जिसकी जनसंख्या १,१२,९५३ (१९६१) तथा क्षेत्रफल ९९२·७ वर्ग किमी० है। इसमें १,०२३ ग्राम तथा ५ नगर हैं। प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व ५०७ (१९६१) है। पहले के शिमला हिल स्टेट्स एजेन्सी में बलहर, जुब्बल, कथोचल, नालागढ़ और अन्य २३ छोटे छोटे राज्य सम्मिलित थे। १९२१ ई० में इन राज्यों का नियंत्रण तत्कालीन पंजाब सरकार को स्थानांतरित [illegible] किया गया।

२. नगर, ३१° ६' उ० अ० तथा ७७° १३' पू० दे०। नगर दिल्ली से २८० किमी० उत्तर, समुद्रतल से २,०१२ मीटर से २,४१८ मीटर की ऊँचाई पर स्थित, नैसर्गिक दृश्यों का आकर है। नगर से लगभग ५ किमी० दक्षिण, जुतोग नामक सैन्यावास है। यहाँ से दक्षिण, कसौली, सबाथू, डगशाई, और सोलन स्वास्थ्य विहार (health resorts) हैं। शिमला भारत का अत्यंत महत्त्वपूर्ण सैनावास (hill station) है। यहाँ दो स्नातकीय महाविद्यालय, एक महिला प्रशिक्षण कालेज और अनेक अच्छे स्कूल हैं। यहाँ १८१९ ई० में अंग्रेजों का प्रथम आवास बना। यह १८४० ई० से १९१९ ई० तक भारत एवं पंजाब सरकारों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ हो जाने पर, आवश्यक राजकीय विभाग दिल्ली में बने रहे, किंतु अपेक्षाकृत कम महत्त्व के विभाग शिमला में स्थानांतरित कर दिए गए थे। १९४७ ई० से १९५३ ई० तक यह पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय रहा, फिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। यहाँ पर अनेक अच्छे अच्छे होटल हैं और प्रति वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग बहुत विकसित है। मैदानी भागों से इसका संबंध मोटर तथा पर्वतीय रेलमार्गों द्वारा है। रेलमार्ग कालका से होकर आता है। कालका से शिमला तक १०३ सुरंगें पड़ती हैं। जनवरी में माध्य न्यूनतम ताप १° सें० तथा जुलाई में अधिकतम ताप १९° सें० रहता है। वार्षिक वृष्टि ६३ इंच है। जाड़ों में हिमपात भी हो जाता है। नगर की जनसंख्या ४२,५९७ (१९६१) तथा क्षेत्रफल १८·१६ वर्ग किमी०।

[मा० प्रा० का०]

शिमोगा १. जिला, यह भारत के मैसूर राज्य में स्थित है। इस जिले का क्षेत्रफल ४,०६५ वर्ग मील तथा जनसंख्या १०,१७,३६८ (१९६१) है। जिले का पश्चिमी अर्धभाग पहाड़ी है और जंगलों से घिरा हुआ है। कुछ चोटियाँ समुद्रतल से ४,००० फुट ऊँची हैं। जिले की सामान्य ढलान २,००० फुट है और इसका पूर्वी भाग मैदानी है। जिले में मैंगनीज, लोहा तथा सेंटराइट की खानें हैं। पहाड़ी भाग की मिट्टी बलुई और ढीली है। उत्तर पूर्व में काली मिट्टी मिलती है। जिले की जलवायु विभिन्न प्रकार की है। शिमोगा में घाटों से २५ मील दूर तक जोरदार वर्षा होती है, पर शिमोगा स्टेशन पर ३५ इंच और चेन्नाशिरी में २५ इंच वर्षा होती है। जिले की प्रमुख फसल धान है। गन्ना तथा सुपारी अन्य प्रमुख फसलें हैं। फल, सब्जी और काली मिर्च की भी यहाँ खेती होती है।

२. नगर, स्थिति : १३° ५७′ उ० अ० तथा ७५° ३२′ पू० दे०। यह उपर्युक्त जिले का मुख्यालय है और तुंग नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कपास से बिनौला निकालने तथा रूई की गाँठ बाँधने के कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त लोहे और इस्पात के कारखाने भी हैं। नगर की जनसंख्या ६३,७६४ (१९६१) है। [अ० ना० मे०]

शिरपीड़ा (Headache) केवल एक लक्षण है, कोई रोग नहीं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे साधारण चिंता से लेकर घातक मस्तिष्क अर्बुद तक। अधिक कारणों का वर्णन यहाँ संभव नहीं है, पर उल्लेखनीय कारण निम्नांकित समूहों में वर्णित हैं :

१. शिर पीड़ा के करोटि के भीतर के कारण — (क) मस्तिष्क के रोग — अर्बुद, फोड़ा, मस्तिष्कशोथ तथा मस्तिष्काघात; (ख) तानिका के रोग — तानिकाशोथ, अर्बुद, सिस्ट (cyst) तथा रुधिरसमूह (हीमेटोमा); (ग) रक्तनलिकाओं के रोग — रक्तस्राव, रक्तावरोध, थ्रॉम्बोसिस (thrombosis) तथा रक्तनलिका फैलाव (aneurism), धमनी काठिन्य आदि।

२. शिर.पीड़ा के करोटि के बाहर के कारण — (क) शिरोवल्क के अर्बुद, मांसपेशियों का गठिया तथा तृतीयक उपदंश; (ख) नेत्र गोलक के अर्बुद, फोड़ा, ग्लॉकोमा (glaucoma), नेत्र श्लेष्मला शोथ तथा दृष्टि की कमजोरी; (ग) दाँतों के रोग — फोड़ा तथा अस्थिक्षय; (घ) करोटि के वायुविवर के फोड़े, अर्बुद तथा शोथ; (च) कर्णरोग — फोड़ा तथा शोफ; (छ) नासिका रोग — नजला, पॉलिप (polyp) तथा नासिका पट का टेढ़ापन और (ज) गले के रोग — नजला, टॉन्सिल के रोग, ऐडिनाइड (adenoid) तथा पॉलिप।

३. विषजन्य शिर.पीड़ा के कारण — (क) बहिर्जनित विष — विषैली गैस, बंद कमरे का वातावरण, मोटर की गैस, कोल गैस, क्लोरोफॉर्म, ईथर और औषधियाँ, जैसे कुनैन, ऐस्पिरिन, अफीम, तंबाकू, शराब, अत्यधिक विटामिन डी, सीसा विष, खाद्य विष तथा ऐलर्जी (allergy); (ख) अंतर्जनित विष — रक्तमूत्र विषाक्तता, रक्तपित्त विषाक्तता, मधुमेह, गठिया, कब्ज, अपच, यकृत के रोग, मलेरिया, टाइफॉइड, (typhoid), टाइफस (typhus) इन्फ्लूएंजा, फोड़ा, फुंसी तथा कारबंकल।

४. शिर.पीड़ा के क्रियागत कारण — (क) अति रुधिर तनाव — धमनी काठिन्य तथा गुर्दे के रोग; (ख) अल्प तनाव — रक्ताल्पता तथा हृदय के रोग; (ग) मानसिक तनाव — अंतर्द्वंद्व, चेतन एवं अचेतन मस्तिष्क का संघर्ष (घ) शिर पर अत्यधिक दबाव; (च) अत्यधिक शोर; (छ) विशाल चित्रपट से आँखों पर तनाव; (ज) लंबी यात्रा (मोटर, ट्रेन, हवाई यात्रा); (झ) लू लगना; (ट) हिस्टीरिया; (ठ) मिरगी; (ड) तंत्रिका शूल; (ढ) रजोधर्म; (त) रजोनिवृत्ति; (थ) शिर की चोट तथा (द) माइग्रेन (अर्ध शिर.पीड़ा,)।

शिर.पीड़ा की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सी धारणाएँ हैं। मस्तिष्क स्वयं चोट के लिये संवेदनशील नहीं है, किंतु इसके चारों ओर जो झिल्लियाँ या तानिकाएँ होती हैं, वे अत्यंत संवेदनशील होती हैं। ये किसी भी क्षोभ, जैसे शोथ, खिंचाव, तनाव, विकृति या फैलाव द्वारा शिर.पीड़ा उत्पन्न करती हैं। आँख तथा करोटि की मांसपेशियों के अत्यधिक तनाव से भी दर्द उत्पन्न होता है।

शिर.पीड़ा निम्नलिखित कई प्रकार की हो सकती है

(१) मंद — करोटि के विवर के शोथ के कारण मंद पीड़ा होती है। यह दर्द शिर हिलाने, झुकने, खाँसने, परिश्रम करने, यौन उत्तेजना, मदिरा, आलस्य, रजोधर्म आदि से बढ़ जाता है।

(२) स्पंदी — अति रुधिरतनाव, पेट की गड़बड़ी या करोटि के भीतर की धमनी के फैलाव के कारण स्पंदन पीड़ा होता है। यह दर्द लेटने से कम हो जाता है तथा चलने फिरने से बढ़ता है।

(३) आवेगी — तंत्रिकाशूल के कारण आवेगी पीड़ा होती है। यह दर्द झटके से आता है और चला जाता है।

(४) तालबद्ध — मस्तिष्क की धमनी का फैलाव, धमनीकाठिन्य तथा अतिरुधिर तनाव से इस प्रकार की पीड़ा होती है।

(५) बेधक — हिस्टीरिया में जान पड़ता है जैसे कोई करोटि में छेद कर रहा हो।

(६) लगातार — मस्तिष्क के फोड़े, अर्बुद, सिस्ट, रुधिरस्राव तथा तानिकाशोथ से लगातार पीड़ा होती है।

शिर.पीड़ा के स्थान, समय, प्रकार तथा शरीर के अन्य लक्षणों एवं चिह्नों के आधार पर शिर.पीड़ा के कारण का निर्णय या रोग का निदान होता है।

चिकित्सा — सर्वप्रथम शिर.पीड़ा के कारण की खोज करनी चाहिए और उसकी उचित चिकित्सा करनी चाहिए। विश्राम अत्यावश्यक है। साधारण शिर.पीड़ा के लिये कुछ औषधियाँ प्रयुक्त होती हैं, जैसे ऐस्पिरिन, सोडा-सैलिसिलास, नोवलजीन, इरगापाइरीन आदि। तीव्र शिर.पीड़ा के लिये पेथिडीन या मॉर्फिया की सूई दी जा सकती है। [गो० दा० अ०]

शिराज स्थिति : २९° ३८′ उ० अ० तथा ५२° १५′ पू० दे०। यह दक्षिण मध्य ईरान के फारस प्रांत की राजधानी है। यह बुशिर से ११५ मील पूर्व-उत्तर-पूर्व में है और इसकी जनसंख्या ४,००,०६९ (१९५६) है। ५,२०० फुट की ऊँचाई पर तथा फारस की खाड़ी पर बसा यह बंदरगाह भी है। मध्य जावोस श्रेणियों में यह व्यापार तथा

सड़कों का केंद्र है। सड़कों द्वारा ही यह मुशिर, इस्फाहन, मेराह तथा करमान से मिला है। खेती योग्य मैदानों के बीच में बसा, यह नगर कंबल, हाथ के बुने कपड़े तथा चांदी के काम के लिये प्रसिद्ध है। १६ वीं शताब्दी में लगातार कई भूकंपों द्वारा इसे यथेष्ट क्षति पहुँची थी। [पु० क०]

शिरावि (Phlebitis) शिराओं को प्रभावित करनेवाले प्रदाह को कहते हैं। प्राय शिराओं को घेरनेवाले तथा इनकी दीवारों तक जानेवाले ऊतकों में प्रदाह के कारण शिरात्मक दशा (venous condition) हो जाती है। शिरावि में शिरा मोटी तथा संभवत लाल हो जाती है, जिससे उसे निश्चयात्मक रूप से पहचाना जा सकता है। यदि शिरा पृष्ठीय होती है, तो शिरावि बड़ी कष्टदायी होती है। जब प्रदाह शिरा के भीतर आवरण की ओर बढ़ता है और अंतःकला (endothelium) का पोषण क्षीण हो जाता है, तब शिरा में रुधिर थक्का बनने लगता है। शिरा में जहाँ प्रथम बार रुधिर थक्का बनता है, वह वहीं पर दीवार पर चिपक जाता है और ल्यूमेन (lumen) के बीच में, ऊपर नीचे, तीनों ओर फैलने लगता है। थक्का प्रमुख शिराओं से सहायक शिराओं में फैलने लगता है और इस प्रकार रुधिर के लौटने में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे शिरा से संबंधित अंग में शोफ (oedema) आ जाता है। इस दशा में रोगी को पूर्ण विश्राम दिया जाता है, ताकि थक्के के विस्थापन से रुधिर-स्रोत-रोधन (embolism) का खतरा न उत्पन्न हो जाय। जब पूतिदूषित (septic) अवस्था होती है, तब रोगी के जीवन का खतरा अधिक रहता है। विश्राम करने पर, अधिकांश रोगियों में प्रदाह शांत हो जाता है और प्रारंभ में प्रभावित शिरा, नवीन तंतुओं के बनने के कारण, स्थायी रूप से अधिधारित (occluded) हो जाती है। प्रभावित शिरा से संबंधित अंग के रुधिर परिसंचरण का पुनःस्थापन, समपार्श्वी मार्ग को खोलकर, किया जाता है। शरीर के कुछ भागों की शिरावि खतरनाक होती है, जैसे पार्श्व शिरानाल (lateral sinus) की शिरावि, जिसमें प्रदाह मध्यकर्ण के रोगों के कारण होता है और यह प्रदाह परिवर्ती, प्रमस्तिष्क फोड़े के रूप में, या पूयमय मैनिंजाइटिस (purulent meningitis), या सामान्य रुधिरपूयता (pyaemia) रूप में फैलता है। इस अवस्था में केवल शल्यकर्म के द्वारा ही रोगी के प्राणों की रक्षा की आशा की जा सकती है। [अ० ना० मे०]

सिलचर (Silchar), स्थिति : २४° ४९′ उ० अ० तथा ९२° ४८′ पू० है। यह भारत के असम राज्य के कछार जिले का नगर एवं प्रशासनिक केंद्र है और जिले के इसी नाम के उपविभाग का भी प्रशासनिक केंद्र है। नगर बराक नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है। भारी वर्षा (१२४ इंच) और अपेक्षाकृत उच्च औसत ताप के कारण वर्षा ऋतु में उमस रहती है। चाय, धान तथा सरसों उत्पादों का यह व्यवसायकेंद्र है। नगर की जनसंख्या [illegible] (१९६१) है। नगर की नगरपालिका १८९३ ई० से [illegible] है। [अ० ना० मे०]

सिलांग स्थिति : २५° ३०′ उ० अ० तथा ९२° ०′ [illegible] यह नगर भारत के असम राज्य की राजधानी है तथा [illegible] जयंतिया पहाड़ियाँ नामक जिले का मुख्यालय है। यह [illegible] से ४,९७८ फुट ऊँचे पठार पर, गौहाटी से दक्षिण में ६३ [illegible] स्थित है। यहाँ पैस्टर इंस्टिट्यूट और शोध प्रयोगशा[illegible] स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के कारण यह नगर लोकप्रिय है [illegible] में सैनिक छावनी भी है। नगर की जनसंख्या १,० [illegible] (१९६१) है। [अ० ना०]

शिवकुमार सिंह, ठाकुर (१८७०-१९९८) काशी नागरीप्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से एक। आपने चंदौली के मिडिल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात् आप काशी में स्थित क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। उसी समय आपने अपने कुछ साथियों के सहयोग से काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना की। तत्पश्चात् स्वर्गीय पं० श्री रामनारायण मिश्र और बाबू श्यामसुंदर दास तथा अन्य सहयोगियों को साथ लेकर ये सभा की उन्नति में लग गए।

अध्ययन के समय तत्कालीन विद्वान् श्री सुधाकर द्विवेदी, हिंदी के सर्वप्रथम उपन्यासकार श्री देवकीनंदन खत्री आदि विद्वानों के संपर्क का इनपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। दसवीं श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर आपने लखनऊ के सी. टी. (C. T.) ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कला का अध्ययन किया।

ट्रेनिंग के पश्चात् आपने चुनार के एक विद्यालय में एक वर्ष तक प्रधानाध्यापक का कार्य किया। वहाँ लोगों के साथ प्रेमव्यवहार तथा अनुशासनशीलता के कारण आप लोकप्रिय हो गए। फलस्वरूप वहाँ के तत्कालीन अंग्रेज निरीक्षक ने आपकी प्रशंसा इलाहाबाद में शिक्षा संचालक से की, जिसके परिणामस्वरूप आप राजकीय सेवा में ले लिए गए और डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। इसके पश्चात् आप इलाहाबाद की नगरपालिका की शिक्षा संस्था में सुपरिंटेंडेंट बनाए गए। आपने जहाँ जहाँ कार्य किया, सभी स्थानों में अपनी कर्तव्यनिष्ठा, अदम्य साहस तथा उत्साह का परिचय दिया। भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा हिंदी शिक्षा का प्रचार आपके ये दो मुख्य उद्देश्य थे। आपको ब्रिटिश सरकार से राय साहब की पदवी प्राप्त हुई थी। आपने वायसराय से मिलकर डिप्टी इंस्पेक्टरों के वेतनक्रम की वृद्धि करवाई थी। उनके वेतन तक आप नहीं पहुँच सके थे, परंतु अन्य पदाधिकारियों को बड़ा लाभ हुआ। सरकारी नौकरी में व्यस्त रहते हुए भी आपका अध्ययन, लेखन तथा नागरीप्रचारिणी सभा की उन्नति के प्रयत्न जारी रहे। आपकी निजी पुस्तकें "कालबोध", "हिंदी सरल व्याकरण" "आदर्श भाषाएँ", आदर्श पतिव्रताएँ, "पंचम जार्ज की जीवनी"

शिवपुरी १. जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का यह जिला है। इसके पूर्व में झाँसी, पूर्व-उत्तर में दतिया, उत्तर में ग्वालियर, उत्तर पश्चिम मे मुरैना, पश्चिम में कोटा तथा दक्षिण में गुना जिले हैं। जिले का क्षेत्रफल ३,६८६ वर्ग मील तथा जनसंख्या ५,५७,६५४ (१९६१) है। पिछोरा, शिवपुरी, कोलरस तथा पोहरी जिले के प्रमुख नगर हैं।

२ नगर, स्थिति : २५° १८' उ० अ० तथा ७७° ४२' पू० दे०। यह उपर्युक्त जिले का प्रशासनिक नगर है। यहाँ की जनसंख्या २७,६७१ (१९६१) है। [भ० ना० मे०]

शिवरात्रि इसका नामांतर महाशिवरात्रि भी है। माघ मासीय कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि या फाल्गुन मास (यदि पूर्णिमांत गणना हो) के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि ही प्रकृत शिवरात्रि है। यह 'शिवव्रत' है। व्रतकारी को शिवचिंतापरायण होकर उपवास, पूजा और रात्रिजागरण करना पड़ता है। यह व्रत रात्रिप्रधान है।

इस व्रत की महिमासूचक कई कथाएँ पुराणों में विस्तार के साथ कही गई हैं। किस प्रकार साधारण रूप से इस दिन उपवास आदि कर सामान्य लोगों ने असाधारण फल प्राप्त किया—यह इन कथाओं में दिखाया गया है। ईशान संहिता में कहा गया है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव का लिंग रूप से आविर्भाव हुआ था।

शिवरात्रि व्रत के अनुष्ठान के विषय में आचार्यों में मतभेद है—कोई प्रदोष, कोई रात्रि (निशीथ) और कोई अर्धरात्र पर बल देते हैं। इस व्रत में शिवलिंग की विशिष्ट रीति से पूजा की जाती है, जिसका विवरण तिथितत्त्व में दिया गया है। इस व्रत के अनुष्ठान में सम्प्रदायानुसार कुछ विभिन्नताएँ हैं। [रा० सं० भ०]

शिवराम कश्यप (सन् १८८२–१९३४), भारतीय वनस्पति शास्त्र, का जन्म पंजाब के झेलम नगर के एक प्रतिष्ठित सैनिक परिवार में हुआ था। सन् १८९९ मे आपने पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की तथा सन् १९०४ में आगरा के मेडिकल स्कूल की उपाधि परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। मेडिकल स्कूल में पढ़ते समय ही आपने इंटरमीडिए साइंस की परीक्षा दी और पंजाब विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। उत्तर प्रदेश के मेडिकल विभाग में सेवा आरंभ की और सेवा करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय की बी०एस-सी० परीक्षा भी दी और फिर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। सन् १९०६ में गवर्नमेंट कालेज, लाहौर, में आप सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए तथा तीन वर्ष बाद वनस्पति शास्त्र का विषय लेकर, आपने एम० एस-सी० परीक्षा पास की और विश्वविद्यालय के एम० ए० और एम० एस-सी० कक्षाओं के विद्यार्थियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। सन् १९१० मे आप विलायत गए तथा दो वर्ष पश्चात् कैंब्रिज विश्वविद्यालय से आपको नैचुरल साइंस ट्राइपोस की डिग्री प्राप्त हुई।

स्वदेश वापस आने पर, आप गवर्नमेंट कालेज, लाहौर, में वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन् १९१९ में आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हुए तथा सन् १९२९ में आपकी पदोन्नति इंडियन एडुकेशनल सर्विस में हुई। आप पंजाब विश्वविद्यालय के फेलो तथा सिंडिकेट के सदस्य भी निर्वाचित हुए और दीर्घ काल तक विज्ञान विभाग के डीन रहे। आगरा, लखनऊ तथा बनारस विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों से भी आप बराबर संबद्ध थे। विज्ञान को आपकी बहुमूल्य देन के आधार पर, पंजाब विश्वविद्यालय ने सन् १९३३ मे आपको डॉक्टर ऑव साइंस की मानोपाधि दी। सन् १९१९ मे इंडियन साइंस कांग्रेस के वनस्पति अनुभाग के तथा सन् १९३२ में पूर्ण अधिवेशन के आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सन् १९२० में इंडियन बोटैनिकल सोसायटी की स्थापना पर आप उसके मंत्री तथा पाँच वर्ष बाद उसके सभापति हुए। इस संस्था के जर्नल के मुख्य संपादक रहने के सिवाय, आप हॉलैंड के 'कॉनिका बोटैनिका' नामक पत्र के सलाहकार संपादक रहे।

डा० कश्यप ने वनस्पति शास्त्र से संबंधित अनेक मौलिक अनुसंधान किए और मूल्यवान लेख लिखे हैं, जिनमें इक्विसीटम (Equisetum) के लैंगिक जनन, पश्चिमी हिमालय के लिवरवर्ट (liverworts) तथा तिब्बत के वनस्पतिसमूह पर लिखे लेखों ने आपकी ख्याति देश और विदेश में फैला दी। इन्होंने पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी और मध्य तिब्बत में लंबी यात्राएँ कीं। इस प्रदेश की खोज तथा यहाँ की वनस्पतियों के अध्ययन में इनकी विशेष रुचि थी। दुर्बल स्वास्थ्य पर भी निरंतर खोज मे लगे रहकर, डा० कश्यप ने सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के आगे वे अपने जीवन तक को भी कोई महत्त्व नहीं देते थे। [भ० दा० व०]

शिवसिंह सेंगर (संवत् १८९०–१९३५ वि०)। ग्राम कांथा जिला उन्नाव के जमींदार श्री रणजीतसिंह के पुत्र थे। शिवसिंह सेंगर पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी संस्कृत, फारसी और हिंदी कविता के मर्मज्ञ, रसिक काव्यप्रेमी तथा स्वयं भी कवि थे। 'ब्रह्मोत्तर खंड' और 'शिवपुराण' का हिंदी अनुवाद करने के अतिरिक्त आपकी प्रसिद्धि हिंदी कविता के पहले इतिहासग्रंथ 'शिवसिंह सरोज' (र० का० सं० १९१४ वि०) लिखने के कारण है। इसमें लगभग एक सहस्र कवियों के जीवन और काव्य का अत्यंत संक्षिप्त परिचय है। कवियों के जीवनकाल आदि के संबंध में कुछ त्रुटियों के होते हुए भी, जिनका अपने ढंग के पहले ग्रंथ में होना बहुत स्वाभाविक है, इस कृति के लिये हिंदी जगत् सर्वदा उनका आभारी रहेगा। डॉ० ग्रियर्सन का 'माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑव हिंदुस्तान' 'शिवसिंह सरोज' पर ही लगभग आधारित है। आज भी यह कृति हिंदी कविता के इतिहास के लिये संदर्भग्रंथ बनी हुई है।

द० ग्र० — मिश्रबंधु : 'मिश्रबंधु विनोद'; रामनरेश त्रिपाठी : 'कविता कौमुदी' [रा० के० त्रि०]

शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत की बाह्यतम, निम्नतम तथा तरुणतम शृंखला है। उत्तरी भारत में ये पहाड़ियाँ गंगा से लेकर ब्यास तक २०० मील की लंबाई में फैली हुई हैं और इनकी

सर्वोच्च ऊँचाई लगभग २,२०० फुट है। गंगा नदी से पूर्व में शिवालिक सदृश संरचना पाटली, नाहकोट तथा कोटद्वार को कालाढूंगी तक हिमालय की बाह्य श्रृंखला से पृथक् करती है। ये पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी के बीच में पड़ती हैं और सहारनपुर जिले को देहरादून से पृथक् करती हैं। ये पहाड़ियाँ पंजाब में होशियारपुर एवं अम्बाला जिलों तथा हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले को पार कर जाती हैं। इस भाग की शिवालिक शृंखला अनेक नदियों द्वारा खंडित हो गई है। इन नदियों में पश्चिम से पानी बहने लगी गयी है। पानीपत के पश्चिम में ये पहाड़ियाँ दीवार की तरह पानी गई हैं और अम्बाला की सिरसा नदी की सूखी एवं तंग घाटी से दक्षिण तक, जहाँ पहाड़ियों को सतलज घाटी से अलग करती है। स्याह नदी की घाटी से ये पहाड़ियाँ तराई पहाड़ियों के रूप में समाप्त हो जाती हैं। [illegible] पहाड़ियों की उत्तरी ढलान की चौरस उपत्यका घाटियों को दून कहते हैं। ये दून सघन, आबाद एवं सघन कृष्ट क्षेत्र हैं। सहारनपुर और देहरादून को जोड़नेवाली सड़क मोहन दर्रे से होकर जाती है।

भूवैज्ञानिक दृष्टि से शिवालिक पहाड़ियाँ मध्य अल्प नूतन से लेकर निम्न अत्यंत नूतन युग के बीच में, सुदूर उत्तर में, हिमालय के उत्थान के समय पृथ्वी की हलचल द्वारा स्तरीभूत, वलित एवं भ्रंशित हुई हैं। ये मुख्यतः संगुटिकाश्म तथा बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और इनमें स्तनी वर्ग के प्राणियों के प्रचुर जीवाश्म मिले हैं (देखें शिवालिक समूह)। [म० ना० मे०]

शिवालिक समूह (Siwalik System) भारत में अल्पनूतन युग (Miocene period) के अवसाद से मैलों के एक नए समूह का आरंभ होता है, जो अवसाद जलीय निक्षेपों से बना है और निर्दिष्ट समूह के नाम से अभिहित है। तृतीय युग के आरंभ के समय से ही भारत पृथ्वी की सतहों में अनेकानेक परिवर्तन हुए और अन्त में विशाल में उथल पुथल हुआ। हिमालय प्रदेश, जो पुरातन काल से ही समुद्र सागर से ढँका था, धीरे धीरे उच्च भूमि के रूप में परिणत लगा और अनेक पुरातनों के अवसादन एवं उन पर्वतश्रेणी में परिवर्तित हो गया। आकस्मिक दबाव से बड़े तीव्र के कारण हिमालय के दक्षिणी ढलान में धँस गया और धीरे धीरे एक बड़े गर्त का रूप धारण कर लिया। इस गर्त में स्थित अवसादन गर्त का शिवालिक गर्त कहते हैं। यह गर्त पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में पंजाब से होते हुए बलूचिस्तान, सिंध तक फैला था और अरब सागर में मिलता था। इसी गर्त के साथ साथ दून निजेर शिवालिक समूह के अंतर्गत आते हैं।

शिवालिक नाम हरद्वार की शिवालिक पर्वतश्रेणी के आधार पर दिया गया है, जहाँ पहले पहल जंतुसमूहों में से कशेरुकी जीवों के जीवाश्मों का एक भंडार मिला था। ये जीवाश्म इतने अधिक और इतने प्रकार के थे कि उनसे उस युग के जीवविकास पर आश्चर्यजनक प्रकाश पड़ता है। धीरे धीरे इस समूह के निक्षेप भारत के अन्य भागों में भी मिले। इस प्रकार बलूचिस्तान के मकरान, सिंध के मंचर, असम के डिफ्थ, डूपीटीला एवं सिंहिम और बर्मा के इरावदी जंतुसमूह शिवालिक समूह के विभिन्न उदाहरण हैं।

शिवालिक जंतुसमूह अवसादन जलीय निक्षेपों से, जिनमें बलुआ पत्थर, मृत्तिका, गोलाश्म मृत्तिका, पलाश मुख्य हैं, बना है। ये

वर्गीकरण

वर्गीकरण	शिवालिक जंतुसमूह	कालविभाजन	जीवाश्म
उपरि शिवालिक	गोलाश्म संगुटिकाश्म (Boulder conglomerate) पिंजार स्टेज (Pinjor stage) टैट्राट स्टेज (Tatrot stage)	निम्न अत्यंतनूतन युग (Lower Pleistocene) अतिनूतन युग (Pliocene)	प्राइमेट्स, स्यार, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, हाथी, घोड़ा। राइनोसिरस (Rhinoceros), भैंसा, हिप्पोटैमस, बैसा, ऊँट आदि।
मध्य शिवालिक	धोक पठान स्टेज (Dhok Pathan stage) नागरी स्टेज (Nagari stage)	पोंटैन (Pontain) सारमेशैन (Sarmatian)	प्राइमेट्स, मांसाहारी जीव और रोडेंट्स (Rodents)। स्तनधारी जीव, प्राइमेट्स, शिवाथेरियम, मांसाहारी जीव, सूँड़धारी जीव, जिराफ।
पूर्व शिवालिक	चिंजी स्टेज (Chinji stage) कमलियाल स्टेज (Kamlial stage)	टॉरटोनिएन (Tortonian) हेल्वीशैन (Helvetian)	पक्षी वर्ग, रेंगनेवाले जीव (घड़ियाल, छिपकली साँप, कछुआ आदि)। मछली।

निक्षेप आधुनिक मिट्टी की ही भाँति हैं। इनमें केवल इतना अंतर है कि समय के बीतने से ये कड़े हो गए हैं।

विस्तार तथा वर्गीकरण — शिवालिक समूह के निक्षेप समस्त दक्षिणी हिमालय प्रदेश में एक पतली सीक के रूप में फैले हैं। ये निक्षेप असम, उत्तर प्रदेश, शिमला, पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान एवं सिंध में विशेष रूप से विस्तृत हैं। इनका वर्गीकरण ऊपर दिया हुआ है।

शिवालिक समूह का महत्व — जीवविकास की दृष्टि से शिवालिक समूह का महत्व भारतीय स्तरित-शैल-विज्ञान (stratigraphy) में विशेष है। जो स्तनधारी जीव, अल्पनूतनयुग के अपराह्न के जीव जगत् में मुख्य थे, उनके जीवाश्म अत्यधिक संख्या में शिवालिक शैलसमूहों में मिलते हैं। विद्वानों का मत है कि पानी और भोजन की बहुतायत के कारण दूर दूर से जानवर हिमालय प्रदेश में रहने के लिये आए। उदाहरणार्थ, सुअर, हिपोपोटेमस और सूँड़धारी जीव मध्य अफ्रिका से अरब और ईरान होते हुए भारत आए थे। गैंडा, घोड़ा और ऊँट उत्तरी अमरीका से आए हुए माने जाते हैं। इस समूह में न केवल विभिन्न वर्ग के जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, अपितु इस समूह के काल में समस्त जीवविकास इतनी शीघ्रता से हो रहा था कि ऐसे भी जीवाश्म मिलते हैं जिनमें दो जीवों के अंश हैं। इनमें शिवाथेरियम नामक जीव मुख्य है। शिवालिक का यह अनन्य जीवों का खजाना यदि शताश रूप में भी रह गया होता, तो शायद आजकल पृथ्वी इन्हीं जीवों से ढँकी रहती और भोजन, पानी कभी का समाप्त हो चुका होता, परंतु प्रकृति के नियम विचित्र हैं। समस्त जगत् के स्वामी होते हुए भी इन जीवों का अंत भी उतनी ही शीघ्रता से हुआ जितनी शिघ्रता से इनका विकास हुआ था। अल्पनूतनयुग की हिमनद अवधि और अतिशीतोष्ण जलवायु के फलस्वरूप सभी ताल, तालाब जम गए, जीव मरने लगे, महामारी का प्रकोप हुआ और शनैः शनैः इन जीवों का अंत हो गया। जो कुछ जीव बच पाए, उन्हीं की संतान आधुनिक जगत् के जीव हैं।

[रा० चं० सि०]

शिवि महाराज ययाति के दौहित्र तथा राजा उशीनर के पुत्र, वैदिक मंत्रद्रष्टा तथा यज्ञकर्ता (ऋ० १०.१७६.१), 'शिवि औशीनर' जिनकी उदारता एवं दयालुता जगत्प्रसिद्ध है (ब्रह्माड० ३.७४.२०)। इन्हीं गुणों की परीक्षा लेने के लिये इंद्र तथा अग्नि बाज एवं कबूतर बनकर इनके पास पहुँचे। बाज कबूतर को खा जाना चाहता था पर शिवि ने उसे अपनी गोद में छिपा लिया। बाज ने भूख मिटाने के लिये कबूतर के बराबर ही स्वयं राजा का मांस माँगा। कबूतर को तराजू के एक पलड़े पर रखकर शिवि दूसरे पलड़े पर अपना मांस काट काटकर रखने लगे, पर वह पक्षी इतना भारी हो गया कि शिवि को स्वयं पलड़े पर बैठना पड़ा। इसपर अपने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं ने महाराज शिवि को वर दिया। (महा० वन० १३०.१९-२०) इनके पुण्य तथा औदार्य की कथाएँ पद्मपुराण तथा महाभारत में अन्यत्र भी मिलती हैं।

[रा० द्वि०]

शिशुपाल चेदि के राजा दमघोष का पुत्र जिसकी माता श्रुतदेव वसुदेव की बहन थी। कृष्ण का नातेदार पर उनका परम शत्रु। शत्रुता का कारण रुक्मिणी थी जिससे वह ब्याह करना चाहता था पर जिसे श्रीकृष्ण उठा लाए थे। जन्म के समय शिशुपाल के चार हाथ और तीन आँखें थीं जिन्हें देखकर इसके माँ बाप डरे। वे बच्चे को फेंक देना चाहते थे पर आकाशवाणी हुई कि कृष्ण के छूते ही इसका अद्भुत रूप नष्ट हो जायगा और उन्हीं के हाथ इसकी मृत्यु होगी। बाद में ऐसा ही हुआ। माघरचित 'शिशुपालवध महाकाव्य' में इसका विशद वर्णन है। [रा० द्वि०]

शिशुशिक्षा शिशु मनुष्य का पूर्वरूप है। मनुष्य की संपूर्ण शक्तियाँ और संभावनाएँ शिशु में संनिहित रहती हैं। उसके समुचित पालन पोषण एवं शिक्षादीक्षा पर ही भावी मनुष्य का विकास निर्भर रहता है। अतः मनुष्य की शिक्षा को पूर्ण बनाने की नींव शैशवावस्था में ही पड़ जानी चाहिए। इसी से आज के युग में शिशुशिक्षा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

'शिशु' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक होता है। कोई जन्म से लेकर ढाई तीन वर्षों तक, कोई पाँच वर्ष तक और कोई छह या सात वर्ष तक के बच्चे को शिशु कहता है। परंतु शिशुशिक्षा का अर्थ 'दो से ग्यारह या बारह वर्ष तक की शिक्षा' माना जाता है। इस पर्याप्त लंबी अवधि को प्रायः दो भागों में बाँटा जाता है। दो वर्ष से छह वर्ष की शिक्षा को शिशुशिक्षा (इनफंट या नर्सरी एजुकेशन) कहते हैं, जो प्रायः शिशुशालाओं (नर्सरी स्कूलों) में दी जाती है। छह वर्ष के पश्चात् ग्यारह या बारह वर्ष की शिक्षा को बालशिक्षा (चाइल्ड एजुकेशन) या प्रारंभिक शिक्षा (एलीमेंटरी एजुकेशन) कहते हैं। संसार के सभी प्रगतिशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है। अतः कहीं छह वर्ष के पश्चात् और कहीं सात वर्ष से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा आरंभ की जाती है जो प्रायः पाँच वर्षों तक चलती है। तत्पश्चात् बच्चे माध्यमिक शिक्षा में प्रविष्ट होते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी तक शिशु को शिक्षित करने का ढंग बड़ा ही कठोर था। उसके प्रति अध्यापक की सहानुभूति का अभाव था। शिक्षा में शारीरिक दंड का विधान प्रमुख था। शिशु का भी कोई पृथक् व्यक्तित्व है—उसकी अपनी आवश्यकताएँ, स्वतंत्र रुचि एवं आकांक्षाएँ हैं—इसपर अध्यापक का ध्यान नहीं जाता था। शिशु के सामान्य (तथाकथित) अपराध पर अध्यापक का क्रुद्ध होना और उसे शारीरिक दंड देना स्वाभाविक था। माता पिता भी 'दशवर्षाणि ताडयेत्' को वेदवाक्य मानकर शिक्षा में शिशु के दंड का विधान नतमस्तक होकर स्वीकार करते थे।

शिशु की स्वतंत्रता का सर्वप्रथम प्रचारक रूसो (१७१२–१७७८ ई०) हुआ। तत्पश्चात् पेस्तालोत्सी (१७४६-१८२७) ने शिशुशिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में फ्रोबेल नामक जर्मन शिक्षाशास्त्री ने 'बालोद्यान' (किंडरगार्टन) पद्धति द्वारा शिशुशिक्षा में क्रांति उत्पन्न की; परंतु अनेक कारणों से उसका प्रचार मंद गति से हुआ जिससे उन्नीसवीं शताब्दी का अंत होते होते यह पद्धति यूरोप के अन्य

देशों तथा अमरीका में फैली। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अमरीका के एडवर्ड थार्नडाइक तथा चार्ल्स जुड ने शिशुशिक्षा को सरल, सरस एवं आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया। अब शिक्षाशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों का ध्यान शिशु मनोविज्ञान की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। इटली की प्रसिद्ध महिला शिक्षाशास्त्रिणी मेरिया मांतेस्सोरी ने ज्ञानेंद्रियों की साधना पर विशेष बल दिया जिससे शिशु-शिक्षण-पद्धति में एक नवीन युग आरंभ हुआ और शिशु की शिक्षा सामूहिक से व्यक्तिप्रधान हो गई। प्रत्येक शिशु की पृथक् रुचि एवं मानसिक विकास के अनुरूप उसे शिक्षा देने की व्यवस्था हुई। महात्मा गांधी ने शिशुशिक्षा में उपयोगितावाद को प्रधानता दी और जीवनोपयोगी किसी व्यवसाय (जैसे कताई बुनाई या कृषि) को शिक्षा का आधार बनाया जिससे यह शिक्षा आधार (बेसिक) शिक्षा कहलाती है।

अधिकांश देशों में शिक्षा की दो प्रमुख पद्धतियाँ व्यवहार में लाई जाती हैं—एक बालोद्यान की, दूसरी मांतेस्सोरी। बालोद्यान पद्धति में बच्चों को कुछ खिलौनों या क्रीड़ा उपकरणों (जिन्हें फ्रोबेल ने 'उपहार' कहा है) तथा शिशु गीतों (नर्सरी सोंग्स) द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रुचि से आकृष्ट होते हैं और विद्यालय उनके लिये आकर्षण का केंद्र बन जाता है। परंतु शिशुमनोविज्ञान के विकास से पता चला है कि प्रत्येक शिशु दूसरे से भिन्न होता है। अतः उसकी शिक्षा दूसरों से पृथक् ढंग से होनी चाहिए। उसे अपनी सहज शक्तियों एवं संभावनाओं का विकास करने के लिये अवसर मिलना चाहिए। केवल सामूहिक शिक्षा देने से उसकी बहुत सी शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं। अतः बालोद्यान का स्थान धीरे धीरे मांतेस्सोरी पद्धति ले रही है। मांतेस्सोरी पद्धति के मूल आधार हैं ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता। इस पद्धति के द्वारा तीन से छह या सात वर्ष के बच्चों को अनेक प्रकार के शैक्षिक यंत्रों (डिडैक्टिक) ऐपैरेटस द्वारा वस्तुओं के रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान कराया जाता है। परंतु प्रायः संपूर्ण ज्ञान बच्चे स्वयं प्राप्त करते हैं। आत्मशिक्षण इस पद्धति का मूल मंत्र है। अध्यापिका दर्शक के रूप में विद्यमान रहकर शिशु के कार्यों का संप्रेक्षण एवं निर्देश करती है। इससे उसे 'अध्यापिका' न कहकर 'संचालिका' कहते हैं। मांतेस्सोरी विद्यालयों में इंद्रियसाधना के साथ साथ व्यावहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है, जैसे भोजन परसना, कमरा साफ करना, कमरे के सामान व्यवस्थित रूप से सजाकर रखना, इत्यादि। स्वच्छता के साथ ही वेशभूषा धारण करने के ढंग, जैसे बालों में कंघी करना, कपड़ों में बटन लगाना, फीता बाँधना इत्यादि भी सिखाए जाते हैं। इन विद्यालयों में टेबुल, कुर्सी, चौकी इत्यादि सभी आवश्यक सामान हल्के बनवाए जाते हैं जिससे बच्चे सरलता से उन्हें स्थानांतरित कर सकें। इस प्रकार उन्हें अपने सभी कार्य स्वयं करने की शिक्षा दी जाती है।

उक्त दोनों प्रकार की पद्धतियों में शिशु के व्यक्तित्व का महत्व स्वीकार किया जाता है और उसे किसी प्रकार का शारीरिक दंड न देकर प्रेम से शिक्षा देना श्रेयस्कर माना जाता है। शिक्षा में दंड या पुरस्कार के बिना वातावरण से जो प्रेरणा मिलती है वही शिशु के विकास में सहायक होती है। बालोद्यान पद्धति में [illegible] तो है परंतु पुरस्कार का नहीं है। मांतेस्सोरी पद्धति में भी पुरस्कार या प्रलोभन देकर शिक्षा की ओर आकृष्ट करने का कोई चिह्न नहीं है। दोनों ही पद्धतियों में सक्रियता का सिद्धांत मान्य है। उन्हें में क्रियाशीलता एवं स्फूर्ति की अधिकता होती है जिसका संचालन उपयुक्त दिशा में होना चाहिए। अतः आधुनिक शिक्षा में शिशु को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रखा जाता है और शिक्षा को खेल का रूप प्रदान किया जाता है जिससे वह शिशु को बोझ न बन पड़े। आधुनिक शिक्षा का एक बहुमान्य सिद्धांत है 'करके सीखना'। इस सिद्धांत के अनुसार ही उक्त दोनों पद्धतियों में व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। शिशु के शरीर में निरंतर वर्धमान शक्ति एवं स्फूर्ति का उपयोग करने के लिये शारीरिक व्यायाम तथा खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाती है। खेलकूद के नियमों के पालन से अनुशासन की शिक्षा मिलती है, साथ ही सहयोग द्वारा कार्य करने एवं आदान प्रदान करने का अभ्यास बढ़ता है।

शिशुशिक्षा में कहानी, कविता तथा संगीत को भी प्रमुख स्थान दिया जाता है। यद्यपि श्रीमती मांतेस्सोरी परियों की काल्पनिक कथाओं के विरुद्ध हैं और बच्चों के लिये उन्हें अनुपयुक्त मानती हैं फिर भी व्यवहार में प्रायः देखा जाता है कि ऐसी कथाओं से बच्चों का केवल मनोरंजन ही नहीं होता वरन् उनमें कल्पनाशक्ति का विकास भी होता है। अतः उनके पाठ्यक्रम में इनका होना लाभदायक सिद्ध होता है। बच्चों के लिये कविता एवं संगीत के महत्व को श्रीमती मांतेस्सोरी भी स्वीकार करती हैं। अतः उनके विद्यालयों में बच्चों को कविताएँ—विशेषतः नादसौंदर्यात्मक, लययुक्त एवं अभिनेय कविताएँ सिखाई जाती हैं। प्रमाण गीतों तथा नृत्य के साथ चलनेवाले गीतों को प्रधानता दी जाती है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान शिशुशिक्षा पद्धति में शिशु को सब प्रकार की स्वतंत्रता देकर आत्माभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। इसके लिये अनुकूल वातावरण एवं उपकरण प्रस्तुत करना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है।

उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार शिशुशिक्षा के समुचित प्रसार के लिये निम्नोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपेक्षित है—दो से छह वर्ष के बच्चों के लिये शिशुशालाओं (नर्सरी स्कूलों) तथा छह से सात वर्ष के बच्चों के लिये बालोद्यान की स्थापना; सभी शिशुविद्यालयों में जलपान एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था; शिशु छात्रावासों की स्थापना; शिशुशिक्षा के लिये उपयुक्त प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति; बच्चों के क्रीड़ोपकरणों की व्यवस्था; बालक्लबों (चिल्ड्रेंस क्लबों) की स्थापना जहाँ बच्चे एकत्र होकर परस्पर मिल सकें तथा मनोरंजन के साधनों द्वारा जी बहला सकें; शिशुशिक्षा के लिये उपयुक्त साहित्य—आकर्षक पुस्तकें, पत्रपत्रिकाएँ आदि—के अतिरिक्त उपयोगी एवं आकर्षक खिलौने प्रस्तुत करना; विकलांग, विकृतबुद्धि एवं अपराधी बच्चों के लिये पृथक् विद्यालयों की स्थापना; शिशुप्रदर्शनियों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना; तथा राज्य द्वारा शिक्षा का संपूर्ण भारवहन जिससे सभी बच्चों को समान अवसर मिले, भोजन, जलपान, आवास आदि निःशुल्क प्राप्त हों एवं उनके शारीरिक या मानसिक विकास में बाधक [illegible]

समय जब व्यावसायिक नाटक कंपनियों का शोर था, बाबू ऐश्वर्य-नारायण सिंह, उर्फ़ सरकार बबुआ के प्रयत्न से काशी में 'बनारस थियेटर' के मंच पर पेश हुआ एकावली, सं० १९२५ वि० को, काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के आदेश से त्रिपाठी जी द्वारा रचित, उपर्युक्त नाटक सबसे पहले खेला गया। भारतेंदु जी ने इस अभिनय में लक्ष्मण की भूमिका प्रस्तुत की थी जिसका विवरण ८ मई, १८९८ के 'इंडियन मेल' में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि हिंदी की पद्यप्रधान नाट्य परंपरा का निर्वाह करने के कारण इसमें अभिनय नाट्य प्रणाली तथा कलात्मक उपलब्धि की आशा करना व्यर्थ है, तथापि खड़ी बोली गद्य की प्रधानता तथा अभिनेयता की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। कथावस्तु, संवादयोजना आदि पर तुलसी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है अनेक प्रसंग या तो रामचरितमानस, विनयपत्रिका और गीतावली के उद्धरणों पर आधारित हैं या वे कुछ घटा बढ़ाकर ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं। इसकी नाटकीयता तथा रोचकता का श्रेय वस्तुतः 'मानस' की नाटकीय संवादयोजना को है। जानकीमंगल के अतिरिक्त त्रिपाठी जी ने 'रामचरितावली' (१८८५ ई० में प्रकाशित), 'सावित्रीचरित्र' (१८९५ ई०), 'नवरत्नमंजरी', 'विनय-पुष्पावली' और 'भारतोन्नति स्वप्न' 'करुणाविलासिका' (१८९४) आदि पुस्तकें रची हैं। संभव है, भारतेंदुकृत 'नाटक' में उल्लिखित 'प्रबोधचंद्रोदय' के हिंदी अनुवादक पं० शीतलाप्रसाद भी यही हों। रामदीन सिंह की डायरी के अनुसार इनकी मृत्यु जनवरी, १८९५ में हुई।

सं० ग्रं० — शिवनंदन सहाय : सचित्र भारतेंदु, खड्गविलास प्रेस, १९०५; सोमनाथ गुप्त : हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास; रामदीन सिंह की डायरी, श्रीवेणी पुस्तकालय, तारणपुर, पुनपुन, पटना में सुरक्षित; शिवनंदन सहाय : साहबबहादुर सिंह की जीवनी; रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास; ग्रियर्सन : माडर्न वर्नाक्यूलर लिट्रेचर ऑव हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्रकृत नाटक निबंध; श्यामसुंदरदास : रूपक रहस्य। [बी० ना० सिं०]

शोया संप्रदाय सभी शीया लोग इस्लाम के प्रथम तीन खलीफाओं अबू बक्र, उमर और उस्मान को पैगंबर के आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं मानते किंतु इस धारणा को छोड़कर, जो निश्चित रूप से निषेधात्मक है, शीयावादी दो वर्गों में विभक्त हैं : (क) बहुरपंथी अस्ना अशरी शीया, जिन्होंने सुन्नी पंथियों की भाँति ही कुरान और पैगंबर में विश्वास प्रकट किया है और (ख) संप्रदायवादी इस्माइली शीया (जो बाटिनी, साबी भी कहे जाते थे, किंतु सामान्यतया सुन्नी लोग उन्हें इबहाती के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वे निषिद्ध कार्यों की अनुमति देते थे। कभी कभी किए जानेवाले उत्पीड़नों और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति से वंचित किए जाने के बावजूद सुन्नी पंथियों और अस्ना अशरी शीयाओं ने एक दूसरे का मुस्लिम होना अस्वीकार नहीं किया है। उन दोनों में वास्तविक मतभेद है, किंतु यह मतभेद कुरान में दी हुई बातों और धार्मिक सिद्धांतों को तत्वतः स्पर्श नहीं करता। सुन्नियों का विश्वास है कि जब किसी विषय पर कुरान और पैगंबर का कोई निदेश न प्राप्त होता हो, तो सभी समस्याएँ इमाम-ए उम्मत या जनता के बहुमत का विचार करके सुलझाई जानी चाहिए, क्योंकि कुरान में लिखा है 'वे (मुसलमान) अपने कार्यों का निर्णय परामर्श या मंत्रणा से करते हैं।' शीया लोग उन मामलों में, जिनका निर्णय करना सर्वसाधारण की शक्ति से परे हो, और जो सिर्फ दैवी शक्ति द्वारा ही निर्णीत हो सकते हैं, जनता का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते। इसलिये मुस्लिमों के 'खिलाफत' की टक्कर में शीयाओं का इमामत या इमाम बंश है। 'मैं तुमसे इसके सिवा और कोई पारिश्रमिक नहीं चाहता कि तुम मेरे बंधुओं से प्यार करो' ऐसा कुरान में लिखा है। शीयाओं का विश्वास है कि पैगंबर के बाद अली पहला इमाम था और उसने अपने पुत्रों हसन और हुसैन को अपना उत्तराधिकारी बनाया और कहा कि उनके बाद इमाम पद हुसैन वंश के उत्तराधिकारियों को ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के अनुसार प्राप्त होता रहेगा। किंतु कोई भी इमाम, दैवी आदेशों के अनुसार कार्य करते हुए, इमाम पद का अधिकार अपने छोटे बेटे को भी दे सकता था।

इमामत के मुख्य लक्षण फारस के एक शीया विद्वान् मुल्ला बाकर मजलिसी (मृत्यु १७०० ई०) ने निम्न प्रकार से बताए हैं :

(१) इमामत, ईश्वर और पैगंबर की सत्ता पर आधारित है और जनमत या जनता की इच्छाओं से निर्धारित नहीं होती। जनता द्वारा इमाम के अमान्य ठहरा दिए जाने पर भी उसके ईश्वर-प्रदत्त धर्माधिकार या पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। (२) पैगंबरों की नियुक्ति की भाँति, इमाम की भी नियुक्ति ईश्वर के लिये आवश्यक है, क्योंकि वह अपने द्वारा निर्मित मनुष्यों के उचित पथप्रदर्शन के लिये भी उत्तरदायी है। (३) इमाम अभ्रांत (इर्रेफ़ेबिल) और पापमुक्त हैं। (४) 'प्रत्येक जनसमूह या जनता के लिये एक पथप्रदर्शक हो, ऐसा कुरान में कहा गया है। इमाम कुरान और कानून के आधिकारिक अर्थनिर्णायक और व्याख्याता हैं। (५) अंत में इमाम ही ईश्वर और मानव जाति के बीच मध्यस्थता करने वाले हैं। 'उनकी मध्यस्थता के सिवा अन्य किसी भी स्थिति में मानव जाति के लिये ईश्वर के दंड से बच सकना संभव नहीं है'।

पैगंबरों के वचनों (हदीस) के चार मुख्य शीया संग्रह ये हैं—कुलायनी का 'काफी फी इल्मुद्दीन' अल कुमी का मान ला यहजुरुल फकीह, और अत-तूसी के 'तहजीबुल अहकम' इस्तिबसार। ये बगदाद के बुवइ हिर्दों के राज्यकाल (९४६-१०५५) में तैयार किए गए थे। शीयों और सुन्नियों के वचनसंग्रहों के बीच परिवार के सदस्यों जैसी समानता है।

बारह शीया इमामों का संक्षिप्त परिचय — (१) शीया और सुन्नियों दोनों द्वारा मान्य सदियों तक प्रचलित हदीसों से अली की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है—'मैं ज्ञान का नगर हूँ, और अली इसका मुख्य द्वार है' तथा 'वह जो मेरी प्रभुता मानता है, अली की भी प्रभुता मानता है'। शीया लेखकों का दावा है कि पैगंबर जब अपनी अंतिम तीर्थयात्रा से लौट रहे थे, खादिर खुम नामक जलापूर्ति स्थान के निकट उन्होंने अली को अपना उत्तराधिकारी (वली)

उसे इमाम नामांकित किया और अपने शिष्यों से कहा कि वे अली के पास जायें और उसे बधाई दें। (२) अली के पुत्र हसन ने ६६१ ई० में मुसलमानों के नागरिक कलह को शांत करने के लिये मुआविया से सुलह कर ली लेकिन पदत्याग के बाद भी आठ वर्ष वह जीवित रहा। (३) अली के पुत्र हुसेन का ५६ वर्ष की आयु में कर्बला में मोहर्रम के दिन १०, ६१, (हिजरी) ए० एच० (अक्तू० १०, ६८० ई०) शहीद हो जाना ऐसी घटना है जो मुसलिम जगत् को हमेशा से आंतरिक चोट पहुँचाती रही है। कूफा के अस्थिरचित्त निवासियों ने हुसेन को आमंत्रित किया कि वह आकर उनके नगर पर अधिकार कर ले। इमाम लगभग ५०० घुड़सवारों के साथ मदीना से चल पड़ा। किंतु मुआविया के पुत्र यजीद की ओर से कूफा और बसरा के गवर्नर ओबेदुल्ला बिन जियाद ने कूफा की जनता को भयाक्रांत कर आत्मसमर्पण के लिये विवश कर दिया। इमाम के अनुयायियों को क्रूरता के साथ अनावश्यक युद्ध के लिये विवश किया गया जिसमें उसके ७७ रिश्तेदार और अनुयायी मारे गए। कहा जाता है कि इमाम के शरीर पर तलवार और भाले के ६७ घाव गिने जा सकते थे। इसलाम के इतिहास में 'कर्बला ट्रैजेडी' के सदृश ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं है जिसने शीयावाद के विकास में इससे अधिक सहायता पहुँचाई हो। लेकिन कट्टर शीयावादी मत के अनुसार हुसेन मानव जाति के उद्धारक के रूप में चित्रित हैं। दैवी प्रेरणा से उन्हें यह पहले ही मालूम हो गया था कि आगे क्या होनेवाला है और उन्होंने स्वेच्छा से आत्मबलिदान करना स्वीकार किया। (४) हुसेन के पुत्र अली ने राजनीति से अलग रहकर ३५ वर्ष (६८१–७१४) इमाम के रूप में उपासना और धर्मप्रचार में व्यतीत किए और अब धार्मिक पथप्रदर्शक के रूप में इमाम के कर्तव्य खलीफा के कर्तव्यों से, जो शासन का अध्यक्ष होता था, बिलकुल अलग कर दिए गए। (५) उसका पुत्र मुहम्मद बाकर उसी के चरण-चिह्नों पर चला और १९ वर्षों तक शीयावाद के [illegible] के रूप में प्रतिष्ठित रहा। (६) इमाम जफर [illegible] को शीया सुन्नी दोनों का आदर [illegible] नाम से बहुत सी किताबें [illegible] वह सचमुच [illegible] मूसा [illegible] में ही [illegible] इमाम [illegible] उसका [illegible] १२० [illegible] ६)

(११) उसके बेटा हसन अस्करी ने विद्वान् और आपाविज्ञ के रूप में ख्याति अर्जित की, यद्यपि वह किशोरावस्था में अपने पिता के साथ समर्रा में कैद रहा था। (१२) अंतिम इमाम मोहम्मद महदी, अपने पिता की मृत्यु पर केवल ४ या ५ वर्ष का था। जन्नतुल खुल्द के अनुसार वह अपने समर्रा के घर के तहखाने में छिप गया। शीयों का यह दृढ़ विश्वास है कि इमाम छिपा हुआ है, और वह समय का अंत होने पर अपने को प्रकट करेगा। इमाम के प्रकट न होने तक धार्मिक विवेचन का कार्य मुजतहीदियों द्वारा संपन्न होगा। शीया मुजतहीद वह विद्वान् होता है जिसके पास कोई ऐसा प्रमाण-पत्र हो, जो किसी इमाम द्वारा दिया गया हो। मुल्लियों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता।

(ब) इस्माइली शीया — इस संप्रदाय के लोग जो अभी तक पाए जाते हैं, (यथा, बोहरा खोजा, आगाखानी, द्रूज इत्यादि) धर्म परिवर्तन न करानेवाले समुदाय हैं, जो अपने अन्य मुस्लिम भाइयों के साथ मिल जुलकर रहते हैं, और जहाँ तक उनके राज्य का कानून अनुमति देता है, वे अपने सारे कार्यों का प्रबंध इमाम (नेता) या दाई (इमाम का कार्यवाहक) के नियंत्रण में करते हैं। किंतु मध्य काल में इस्माइली शीयाओं ने इमाम के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रचार किया, जो प्राचीन रूढ़ इस्लाम से पूर्णतया असंगत प्रतीत हुए। वे हुलूल में विश्वास करते थे (कि परमात्मा इमाम के रूप में अवतरित हुआ), और तनासुख याने पुनर्जन्म में भी अर्थात् जब इमाम मरता था, तो परमात्मा उसका शरीर छोड़कर उसके उत्तराधिकारी में अवतरित हो जाता था जो वयोज्येष्ठता के आधार पर इमाम पद प्राप्त करता था। इन दो आर्य विचारों के आधार पर यह मान लिया गया था कि इमाम पैगंबर से अधिक उच्च था। चूँकि ईश्वर का कर्तव्य है कि वह सदा मानव का पथप्रदर्शन करे, इसलिये इमामों की शृंखला का कभी अंत नहीं होगा। इमाम प्रकट अथवा अप्रकट रह सकता है। यदि इमाम अप्रकट हो तो उसका प्रतिनिधित्व दाई [illegible] कार्यवाहक करेगा, जो पुनः बारी बारी से अन्य कार्य-[illegible] उप कार्यवाहक नियुक्त करेगा। यह अपेक्षित था कि [illegible] और अप्रकट इमाम सात सात की संख्या के दलों में एक दूसरे का अनुगमन करेंगे अर्थात् सात प्रकट इमामों के बाद सात अप्रकट इमाम हुआ करेंगे, जब तक समय का अंत न हो जाए। दिव्य आत्मा का अवतार होने के कारण इमाम समय [illegible] [illegible]यों के अनुसार कुरान के नियमों का निरा-[illegible] न कर सकता था। कट्टर इस्माइलियों [illegible] रसूल इमामों के दाई या कार्यवाहक [illegible] उल्लेख्य है कि सामान्य जनवर्ग से तो कुछ [illegible] था किंतु चुने हुए लोगों को, जो ७ या ९ [illegible] थे, कुरान के प्रतीकात्मक अर्थ की व्याख्या [illegible] । श्री लियरी के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में शिक्षार्थी [illegible] जाता था, 'कि सातवें इमाम (अर्थात् जफर [illegible] के बेटे ने इस्माइल [illegible] के बेटे मोहम्मद) [illegible] मोहम्मद [illegible] निराकरण कर नया देवी [illegible] (इस्माइ[illegible] [illegible]दिक का सबसे बड़ा बेटा

इस्माइल मादक वस्तुओं का सेवन करता था; वह अपने पिता के जीवनकाल मे ही मर गया और जफ़र सादिक ने, जिसने उसे पहले ही अपने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था, उसे मदीना के मजार बाग़ी मे प्रतिष्ठित नागरिको की उपस्थिति मे दफ़ना दिया। किंतु इस्माइलियो का कहना है कि इस्माइल और उसके उत्तराधिकारियों को सुन्नियो के अत्याचारों से बचाने के लिये ही यह फ़रेब किया गया था।

इस्माइली संप्रदाय की स्थापना का श्रेय अब्दुल्ला बिन साबा को है, जो यमन का मुसलिम धर्मदीक्षित यहूदी था। उसने उसमान के खलीफ़ाकाल मे अली को दैवी अवतार घोषित किया था। किंतु इसके विशिष्ट सिद्धातो का विवेचन, जफ़र सादिक की मृत्यु (७६५ ई०) के कुछ दिनो बाद अब्दुल्ला बिन मेमून ने किया।

आंदोलन — फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र के किरमाती विद्रोह, मिस्र में फ़ातिमी विप्लव और अलामुत के इमामो के विद्रोहो से स्पष्ट है कि शासक मुस्लिम वर्ग द्वारा जनसाधारण का इतना दमन हुआ था कि वे असहाय होकर एक असभव मुक्तिदायक की कल्पना करने लगे थे। प्रोफ़ेसर बर्नार्ड लावेस ने राउली महान् के एक वक्तव्य का उल्लेख कर कहा है: 'ईरानी यमिक वर्ग को इस्माइली पाखंडधर्मियो से प्रभावित होने से बचाना असभव था।' उपर्युक्त तीन बड़े आंदोलनों की असफलता के पश्चात् इस्माइली क्रांतिकारी नहीं रह गए, और उनका भी सुन्नियों तथा शीयाओ की तरह रूढ़िवादी सप्रदाय बन गया।

शीर्षाभिसूचक (Cephalic Index) वह अंक है, जो खोपड़ी की चौड़ाई को लबाई से भाग देने पर प्राप्त भाग फल में १०० से गुणा करने पर प्राप्त होता है। खोपड़ी की चौड़ाई कानों के ठीक ऊपर मापी जाती है और लबाई भ्रूमध्य (glabella) से लेकर पश्चकपाल के उदय बिंदु तक मापी जाती है। शीर्षाभिसूचक, यदि ७५ से कम होता है, तो सिर या खोपड़ी दीर्घशिरस्क (dolichocephalic), यदि ७५ से ८० के मध्य होता है, तो खोपड़ी मध्यशिरस्क (mesaticephalic) तथा यदि ८० या इससे अधिक होता है, तो खोपड़ी लघुशिरस्क (brachycephalic), कहलाती है। स्वीडन के ए. ए. रेत्सियस (A. A. Retzius) नामक मानवशास्त्री ने इस अंक का सुझाव दिया था। मानव की विभिन्न प्रजातियों में विभेद करने में शीर्षाभिसूचक बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। मानव जाति में यह अंक ६० से १०० तक पाया जाता है। लोगों से सिद्ध हो गया है कि शीर्षाभिसूचक वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। अतः अब इस अंक का उपयोग बहुत कम किया जाता है। यह कपालीय सूचक (Cranial index) से, जो केवल कपाल की माप से संबंध रखता है, भिन्न होता है। [अ० ना० मे०]

शुक्र (Venus) सबसे सभी ग्रहों में सर्वाधिक कांतिमय है। यही नहीं, यह अत्यधिक कांति के स्थिर तारों से भी अधिक कांतिवाला है। यदि आकाश की सीधी पृष्ठभूमि प्राप्त हो, तो उच्चतम सा-[illegible] कांतिमान — [illegible] की अवस्था में जब यह उच्चतम [illegible] है, तब इसे दिन में भी देखा सकता है। रात में जब यह क्षितिज के ऊपर आ जाता है, तब इसके प्रकाश में वृक्षों की छाया बन सकती है। सूर्य से पृथ्वी से निकटता और अपतः इसका उच्च, ६१ प्रतिशत, काशानुपात इसकी कांति का कारण है। ग्रहों के क्रम में इसका दूसरा स्थान है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग ६,७०,००,००० मील है। इसका व्यास ७,५८४ मील है, जो करीब करीब पृथ्वी के व्यास के बराबर है। सूर्य से इसका प्रसार कोण (angle of elongation) ४८° तक हो सकता है, जिसके कारण इसे सूर्यास्त के बाद ४½ घंटे तक देख सकते हैं। चंद्रमा के समान ही इसकी भी कलाएँ होती हैं, किंतु इसके आकार में ग्रहण की संख्या अत्यधिक होती है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि इसका पूर्ण काल इसके २२५ दिनों के परिक्रमण काल के बराबर ही होता है। शुक्र सतह पर घने मेघों का अविच्छिन्न आवरण है। अधिक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का अस्तित्व संदिग्ध है। इसके पृष्ठ का ताप ४३८° सें० है। [illegible] संकेत मिलता है कि शुक्र ग्रह पर प्राणि या वनस्पति जीवन संभव नहीं है। [मं० म० प०]

शुक्ल, रामचंद्र (सन् १८८४-१९४१ ई०) आलोचक, निबंधकार, साहित्येतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि। जन्म बस्ती जिले के अगौना गाँव में। मीरजापुर के लंदन मिशन स्कूल से १९०१ में स्कूल फाइनल परीक्षा पास की जहाँ उनके पिता सुपरवाइजर कानूनगो थे। प्रतिकूल कौटुंबिक परिस्थितियों के कारण आगे की शिक्षा में सफलता न मिल सकी। १९०३ से १९०८ तक 'आनंद कादंबिनी' के सहायक संपादक का कार्य किया। १९०४ से १९०८ तक काशी मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर रहे। १९०८ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा में 'हिंदी शब्दसागर' के संपादक नियुक्त होकर आए। श्यामसुंदरदास के शब्दों में 'शब्दसागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का अधिकांश श्रेय पं० रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है।' १९१९ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए जहाँ १९३७ से जीवन के अंतिम काल (१९४१) तक विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित किया।

प्रमुख रचनाएँ — आदर्श जीवन १९१४; विश्वप्रपंच १९२० ई०; बुद्धचरित १९२२; जायसी ग्रंथावली १९२४; हिंदी साहित्य का इतिहास १९२९; सं०-प्रकाशित १९४०; गोस्वामी तुलसीदास सं०-संस्करण १९३३; चिंतामणि प्र० भा० १९३९ (विचार वीथी १९५० का संशो०-परिवर्द्धित रूप); सूरदास १९४१; चिंतामणि द्वि० भा० १९४५; रसमीमांसा १९४९।

शुक्ल जी आधुनिक हिंदी के पहले समीक्षक हैं जिन्होंने वैज्ञानिकता के ताने बाने में सुचिंतित काव्य के गहरे और व्यापक सत्यों का साक्षात्कार करने का वास्तविक प्रयत्न किया। उन्होंने 'भाव या रस' को काव्य की आत्मा माना है। पर उनके विचार से काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार और [illegible] लोकमंगल की प्रतिष्ठा है। उनकी दृष्टि में कविता

ो की समस्त मौलिक विचारणा लोकजीवन के मूर्त आदर्शों से सिद्ध है। 'हमारे हृदय का सीधा लगाव प्रकृति के गोचर रूपों है' इसलिये कवि का सबसे पहला और आवश्यक काम 'बिंबग्रहण' 'चित्रानुभव' कराना है। पूर्ण बिंबग्रहण के लिये वर्ण्य वस्तु 'परिस्थिति' का चित्रण भी अपेक्षित होता है। इस प्रकार शुक्ल ो काव्य द्वारा जीवन ■ समग्र बोध पर बल देते हैं। जीवन में ोर काव्य में किसी तरह की एकांगिता उन्हें अभीष्ट नहीं।

शुक्ल जी की स्थापनाएँ शास्त्रबद्ध उतनी नहीं हैं जितनी ौलिक। उन्होंने अपनी लोकभावना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ाव्यशास्त्र का संस्कार किया। इस दृष्टि से वे आचार्य कोटि में ते हैं। काव्य में लोकमंगल की भावना शुक्ल जी की समीक्षा की क्ति भी है और सीमा भी। उसकी शक्ति काव्यनिबद्ध जीवन व्यावहारिक और व्यापक अर्थों के मार्मिक अनुसंधान में निहित । पर उनकी आलोचना का पूर्वनिश्चित नैतिक केंद्र उनकी ाहित्यिक मूल्यचेतना को कई अवसरों पर सीमित भी कर देता उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि आलोच्य कवि की मनोगति की ूक्ष्मता में अद्वितीय है।

जायसी, सूर और तुलसी की समीक्षाओं द्वारा शुक्ल जी ने

शुक्ल जी का 'हिंदी साहित्य का इतिहास' हिंदी का गौरवग्रंथ है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया कालविभाग, साहित्यिक धाराओं का सार्थक निरूपण तथा कवियों की विशेषता-बोधक समीक्षा इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। शुक्ल जी की कविताओं में उनके प्रकृतिप्रेम और सावधान सामाजिक भावों द्वारा उनका देशानुराग व्यंजित है। इनके अनुवादग्रंथ भाषा पर इनके सहज आधिपत्य के साक्षी हैं।

आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उसपर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युगप्रवर्तक की है।

सं० ग्रं० — आचार्य रामचंद्र शुक्ल—डा० शिवनाथ; आलोचक रामचंद्र शुक्ल—संपा० गुलाबराय और डा० विजयेंद्र स्नातक; आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना—डा० रामविलास शर्मा; रामचंद्र शुक्ल (जीवन और कर्तृत्व) —चंद्रशेखर शुक्ल। आचार्य शुक्ल के समीक्षासिद्धांत—डा० रामलाल सिंह।

[वि० ना० म०]

कपार पर फिर अपना अधिकार जमाने की अवसर हो तो वह उसका विरोध करे और दुर्ग की रक्षा करे। लेकिन अगले कुछ वर्षों तक आक्रमण न होने के कारण शुजा को आगरे न जाने दिया गया तथा बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा गया। १६४९ में कंधार को ईरानी फौजों ने फिर अपने अधिकार में कर लिया। जब १६५२ में शाहजहाँ ने दूसरी बार कंधार पर अभियान की योजना बनाई तब उसने शुजा को बंगाल से बुला लिया। औरंगजेब की कमान में सेना ने धावा बोला परंतु पूर्व के समान इस बार भी सफलता न मिली। अतएव शुजा बंगाल वापस गया और वहाँ वह १६५२ से १६५६ तक शांतिपूर्वक रहा। इस प्रकार बंगाल में रहते रहते उसे सत्रह वर्ष हो चुके थे।

बंगाल की जलवायु तथा वहाँ के आलस्य एवं विलासपूर्ण जीवन ने उसके शरीर पर कुछ हानिकारक प्रभाव तो डाला परंतु उसकी चेतना, स्फूर्ति, बुद्धिक्षमता में कोई कमी न आई। पिता की बीमारी तथा दारा के राजनीतिक बागडोर के सम्हालने का समाचार सुनकर उत्तराधिकार युद्ध के लिये वह अधीर हो गया। इस विषय पर उसने औरंगजेब और मुराद से भी पत्रव्यवहार किया। तीनों ने एक समझौते के अनुसार विभिन्न दिशाओं से दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इतना ही नहीं, उसने अपने आपको स्वतंत्र कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलाए। औपचारिक रूप से तो उसके शाही पद में कोई कमी न रह गई थी, अब केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने और दिल्ली के सिंहासन को हस्तगत करने की बात रह गई थी। अतएव वह एक विशाल सेना लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ा। बिहार के सूबे को पार करता हुआ वह बनारस तक बिना किसी रोकटोक के पहुँच गया। शाहजहाँ और दारा ने उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिये सुलेमान शिकोह व मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, पर जब वह वापस न हुआ तब शाही फौजों ने उसपर आकस्मिक आक्रमण कर उसे बहादुरपुर की लड़ाई में परास्त किया और उसका पीछा किया। सुलेमान शिकोह सूरजगढ़ तक आगे बढ़ता ही गया और वह अपने शत्रु से केवल १८ मील दूर था जब उसे अपने पिता का यह आदेश मिला कि औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेनाओं का विरोध करने के लिये वह तुरंत आगरा वापस आ जाए। अतः सुलेमान शिकोह ने शुजा से संधि कर ली और उसे बंगाल, उड़ीसा तथा मुंगेर के पूर्व का बिहार का क्षेत्र देकर वह आगरा की ओर चल पड़ा, पर रास्ते में ही उसे अपने पिता की हार की खबर मिली।

गद्दी पर बैठने के पश्चात् औरंगजेब ने शुजा को मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा, उसे बंगाल के सूबे के अतिरिक्त बिहार का समस्त सूबा प्रदान कर दिया और दारा को परास्त करने के पश्चात् धन और भूमि के रूप में उसे अधिक संमान देने का वचन भी दिया। तत्काल तो शुजा को संतोष और हर्ष हुआ परंतु औरंगजेब के अपने पिता और भाई मुराद के प्रति व्यवहार को देखकर उसे अपने ज्येष्ठ भाई की उदारता में संदेह हुआ। अतः जब शुजा को यह सूचना मिली कि औरंगजेब दिल्ली छोड़कर पंजाब चला गया है और दारा को परास्त करने में व्यस्त है तब उसकी महत्वाकांक्षा फिर उ[illegible]। अतः उसने लड़ाई की तैयारियाँ प्रारंभ कर दीं और बंगाल से प्रयाण करके पटना होता हुआ [illegible] पहुँचा। उसके बढ़ने की खबर औरंगजेब को सुलतान [illegible] अतः दारा का पीछा करने का कार्य उसने अपने [illegible] दिया, और स्वयं आगरे आया (नवंबर, १६५८)। [illegible] शुजा का रास्ता रोकने के लिये राजकुमार मुअज्जम [illegible] भेजा। परंतु शुजा आगे बढ़ता ही गया। अंततोगत्वा औरंगजेब स्वयं खजुवा के मैदान में उससे होड़ ली और उसे हराकर [illegible] दिया। वीर जुमला की फौजों ने उसका पीछा किया। [illegible] १६५९ से अप्रैल १६६० तक बंगाल में शुजा ने शाही फौजों [illegible] मुकाबला वीरता और साहस से किया। अंत में विवश होकर [illegible] १६६० में अपने कुटुंब के साथ वह आराकान की ओर [illegible] वहाँ पहुँचकर शुजा ने आराकान राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र [illegible] उसके राज्य पर अधिकार कर फिर बंगाल पर हमला [illegible] योजनाएँ बनाईं। पर इस षड्यंत्र का आभास जैसे ही [illegible] राजा को हुआ, वैसे ही उसने शुजा का वध करने की एक [illegible] बनाई। शुजा डरकर जंगलों में भागा वहाँ जनवरी, १६६१ [illegible] वह मार डाला गया। मुहम्मद शुजा, युग को देखते हुए [illegible] साहसी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था [illegible]

शुनक रुरु के पुत्र एक महर्षि, जिनकी उत्पत्ति प्रमद्वरा के [illegible] हुई थी। पुराणों के प्रसिद्ध शौनक के यही पितामह हैं (म० [illegible] आदि० ५-१०)। शौनक को इनका पुत्र भी कहा गया है ([illegible] अनु० ३०-६५)। श्री कृष्ण का दूत बनकर ये हस्तिनापुर गए थे। (वं० भा० पं०)

शुनफू (क्वो हुसी) (ल० १०२०-९०)। चीनी चित्रकार। [illegible] कला के प्रख्यात मूल्यकारों में इसका स्थान है। कला के ऊपर [illegible] व्याख्यान भी उपलब्ध हैं जिन्हें उसके पुत्र ने 'वनों तथा जलप्रपातों के महान् संदेश' नामक ग्रंथ में संगृहीत किया। शुन-फू ने [illegible] अकादमी से अल्पावस्था में चित्रकला सीखकर उसमें उत्तरोत्तर [illegible] व्यक्तित्व का विकास किया। वह प्रकृति के अवयवों में [illegible] आकृतियाँ प्रतिष्ठित करने के लिये प्रसिद्ध है। 'उसके पर्वतों [illegible] बादल इस प्रकार बिठाए जाते थे जैसे त्वचा पर झुर्रियाँ, [illegible] कुंडलियों की भाँति उनमें बल होते थे, उनके पत्थर ऐसे [illegible] होते थे जैसे दैत्यों के चेहरे, वृक्षों की डालियाँ जैसे शिकारी [illegible] पंजे। उसके बनाए चित्र आज उपलब्ध नहीं पर 'फ़ीअर पैवेलियन' [illegible] सुरक्षित, चित्रण की शक्ति और शालीनता में अप्रतिम देहात के [illegible] को काव्य के छंद से अभिव्यक्त 'पीतनद की घाटी में पतझड़' नाम [illegible] चित्र उसका बनाया कहा जाता है। [illegible]

शुह्सिएन (क्वो चुंग-शू) दसवीं शती ई० का चीनी चित्रकार [illegible] होनान प्रांत के लो-यांग नगर में जन्म। वह असाधारण प्रतिभाशाली [illegible] था और सात वर्ष [illegible] ही साम्राज्य चित्रकला कालेज में प्रवेश [illegible] प्रगति करता हुआ वह सम्राट् [illegible] के पद [illegible] जा पहुँचा। वह [illegible] लिये [illegible] हुआ। उसके [illegible] रेखा [illegible] अनुपात [illegible]

शूद्र — भारतीय समाजव्यवस्था में चतुर्थ वर्ण या जाति शूद्र है। वायुपुराण (१. ८. १५८), वेदांतसूत्र (१. ३. ३४) और छांदोग्य एवं वेदांतसूत्र के शांकरभाष्य में शुच और द्रु धातुओं से शूद्र शब्द व्युत्पन्न किया गया। वायुपुराण का कथन है कि "शोक करके द्रवित होनेवाले परिचर्यारत व्यक्ति शूद्र हैं"। भविष्यपुराण में श्रुति की द्रुति (अवशिष्टांश) प्राप्त करनेवाले शूद्र कहलाए (१. ४४. ३३)। दीघनिकाय में क्षुद्राचार (क्षुद्राचार) में शूद्र शब्द संबद्ध किया गया (३,९५)। होमर के द्वारा उल्लिखित 'शूद्रों' से शूद्र शब्द जोड़ने का भी प्रयत्न हुआ (वाकरनागेल, द्रष्टव्य रामशरण शर्मा, पृ० ३२)।

शूद्र शब्द मूलतः विदेशी है और संभवतः एक पराजित अनार्य जाति का मूल नाम था (नीचे देखिए)।

उत्पत्ति — अ० पारंपरिक संभावनाएँ — ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१०, ९२, २) से पुरुष के पदों से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। पुरुषोत्पत्ति का यह सिद्धांत ब्राह्मणग्रंथ (पंचविंश ब्राह्मण, ५,१,६-१०), वाजसनेयी संहिता (३१,११), महाभारत (१२,७३,४-८), पुराण (वायु, १,८,१५२-५९, विष्णु (१,६), धर्मसूत्र (वसिष्ठ ध० सू० ४, २), स्मृतियों में (मनु, १, ३१) शुद्ध अथवा संमिश्र रूप से प्राप्त होता है। ब्राह्मणग्रंथों (शतपथ ब्रा० १४,४,२,२३, बृहदारण्यक १,४,११) में सूर्यदेव पूषा से शूद्र की उत्पत्ति बतलाई गई है। विष्णु और वायुपुराण के अनुसार यज्ञनिष्पत्ति के लिये चतुर्वर्णों का सर्जन हुआ। शांतिपर्व (अ० १८८) और गीता में गुणकर्म के आधार पर चातुर्वर्ण्य प्रतिष्ठित है। हिंसा, अनृत, लोभ और अशुचिता के कारण तामसी द्विज कृष्ण होकर शूद्र वर्ण में परिणत हुए (वायु० ९, १६४-१६५, विष्णु १,६.५-६ भी)। बौद्ध परंपरा में ब्रह्मपादपक्ष्य (ब्रह्मा के पदों ?) से इष्य (सेवक) और किन्ह (कृष्ण) निकले (दीघनि० १,९० और १००)। जैन परंपरा में तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके शिष्य भरत ने चारों वर्णों का निर्माण किया (आचारांगसूत्रचूर्णि, ४,५,६, आदिपुराण, १६,१४८)।

ऐतिहासिक पर्यालोचन — पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार प्रारंभ में दो ही वर्ण थे, आर्य और दास (हत्वादस्युन् प्र आर्यं वर्णमावत्)। अथर्ववेद में आर्य दास का युग्म आर्यशूद्र में परिणत हो गया (प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रार्याय)। अतः शूद्र दास दस्यु के उत्तराधिकारी हैं। किंतु यह मत निर्भ्रांत नहीं। उपर्युक्त स्थलों पर (अर्थात् १९, ३२,८, वाजसनेयी संहिता में) शब्द आर्य नहीं किंतु अर्य (वैश्य) है। वेबर, अबेडकर, जिमर और रामशरण शर्मा क्रमशः शूद्रों को मूलतः भारतवर्ष में प्रथमागत आर्यस्कंध, क्षत्रिय, ब्राहुई भाषी और आभीर संबद्ध मानते हैं। शूद्र जनजाति का उल्लेख डायोडोरस, टालेमी, और ह्वेनसांग भी करता है। शूद्र वर्ण में संभवतः आर्य और अनार्य कर्मकरों के युगल तत्व थे।

धार्मिक स्थिति

विविध युगों और परंपराओं में शूद्रों की स्थिति विभिन्न थी।

(अ) वैदिक परंपरा — यज्ञ आधान के अधिकारी न होते थे। याज्ञिक समारोह में संमिलित हो सकते थे। पुरुषमेध के प्रसंग में (वाजस० सं० ३०, ५) वे वैश्यों के साथ वर्णित हैं। राजसूय में दानप्राप्ति (काठक सं० ३०,७,१) और सोमपान (ऐतरेय ब्रा० ७, २९४) करते थे। हविष्कृत में आधान से आहूत होते थे और महाव्रत में उनका अपना कार्य था।

अथर्ववेद (१९,३२,८) में कल्याणी वाक् (वेद ?) का श्रवण शूद्रों को विहित था। बृहद्देवता (४,१५ २६) और पंचविंश ब्राह्मण (१४,११,१७) से दासीपुत्र कक्षीवत्, पंचविंश (१४,६,६) से शूद्रोत्पन्न वत्स, छांदोग्य से सत्यकाम जाबाल तथा शूद्रराजा रैक्व के वेद विद्या का अध्ययन ज्ञात होता है। दासीपुत्र कवष ऐलूष ऋग्वेद १०,३०-३४ के ऋषि के रूप में विख्यात है। परंपरा है कि ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महीदास इतरा (शूद्रा) का पुत्र था। किंतु बाद में वेदाध्ययन का अधिकार शूद्रों से ले लिया गया। गौतमधर्मसूत्र (१२,४) में वैदिक श्रवण, उदाहरण और धारण करने पर शूद्र को दंडार्ह माना गया।

(आ) बौद्ध—अश्वघोष की वज्रसूची (पृ० ५) का कथन है कि "दृश्यते च शूद्रा अपि क्वचिद् वेदव्याकरण — सर्वशास्त्रविदः।" शार्दूलकर्णावदान में चांडाल त्रिशुक सांगोपांग वेद, उपनिषद् का ज्ञाता है। उद्दालक जातक में शूद्र भी श्रुति का अध्ययन और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं :—

> खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुद्दा चण्डाल पुक्कसा।
> सब्बे वा सोरता दाता सब्बे वा परिनिब्बुता॥

(इ) जैन — 'उत्तराध्ययन सूत्र' (१२,१,२) का चांडाल हरिकेशी, 'उवासगदसाओ' (पृ० २०४) का सद्दाल कुंभार, और 'अंतगडदसाओ' का मालाकार अर्जुन निम्नवर्ण होकर भी आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त कर सके। अनवद्य आचार और उपस्कार की शुचिता होने पर शूद्र भी देवपूजन देवकार्य के योग्य माना जाता था (नीतिवाक्यामृत, ८,१२)। किंतु शूद्र श्रावक हो सकता है मुनि नहीं (प्रवचनसार ३,) यशस्तिलक (८, ४३)। इसी प्रकार शूद्र पूजकाचार्य नहीं हो सकता (धर्मसंग्रह श्रावकाचार, ९,१४५-१४६)।

(ई) आगम (शैव) — शैव संप्रदायों में कुछ, यथा शैव सिद्धांत संप्रदाय तथा पाशुपत, वर्णभेद को स्वीकार करते हैं। पाशुपतसूत्र में 'शूद्रेण नाभिभाषेत्' का विधान है किंतु पंचतंत्र में पाशुपत तपस्वी के वर्णन में कहा है कि शूद्र अथवा चांडाल भी दीक्षित होने पर भस्मांग—शिवस्वरूप हो जाता है। कौल (कुलार्णव तंत्र, ८,९६) तो यह मानते हैं कि 'भैरवीचक्र में प्रविष्ट होने पर शूद्र भी द्विजाति हो जाता है।' स्वच्छंदतंत्र दीक्षा के पश्चात् शूद्र को उपवीत धारण करने की व्यवस्था करता है (४,६७,७५)।

(वैष्णव) वैष्णवी दीक्षा सारे वर्णों को विहित है। किंतु दीक्षोपरांत भी वर्णभेद की स्थिति रहती है। यथा नामसंस्कार में चारों वर्णों का नामांत क्रमशः शर्मा, वर्मा, गुप्त और दास (परमसंहिता, १७,१३-१४) होना चाहिए, पंचगव्य क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र (जयाख्य, १२, १८७-८८) को देना चाहिए। शूद्र का उपवीत मुखमंत्र (परमसंहिता, १७, १४) से युक्त होता है, कवचमंत्र (सात्वत, १९,२३-२४) से नहीं। शूद्रों के लिये

कंधार पर फिर अपना अधिकार जमाने को अवसर हो तो वह उसका विरोध करे और दुर्ग की रक्षा करे। लेकिन अगले कुछ वर्षों तक आक्रमण न होने के कारण शुजा को आगरे व पस बुला लिया गया तथा बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा गया। १६४९ मे कंधार को ईरानी फौजों ने फिर अपने अधिकार में कर लिया। जब १६५२ में शाहजहाँ ने दूसरी बार कधार पर अभियान की योजना बनाई तब उसने शुजा को बगाल से बुला लिया। औरंगजेब की कमान में सेना ने धावा बोला परंतु पूर्व के समान इस बार भी सफलता न मिली। अतएव शुजा बगाल वापस गया और वहाँ वह १६५२ से १६५६ तक शांतिपूर्वक रहा। इस प्रकार बंगाल मे रहते रहते उसे सत्रह वर्ष हो चुके थे।

बगाल की जलवायु तथा वहाँ के आलस्य एवं विलासपूर्ण जीवन ने उसके शरीर पर कुछ हानिकारक प्रभाव तो डाला परंतु उसकी चेतना, स्फूर्ति, बुद्धिक्षमता मे कोई कमी न आई। पिता की बीमारी तथा दारा के राजनीतिक बागडोर के सम्हालने का समाचार सुनकर उत्तराधिकार युद्ध के लिये वह अधीर हो गया। इस विषय पर उसने औरंगजेब और मुराद से भी पत्रव्यवहार किया। तीनों ने एक समझौते के अनुसार विभिन्न दिशाओं से दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इतना ही नहीं, उसने अपने आपको स्वतंत्र कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलाए। औपचारिक रूप से तो उसके शाही पद में कोई कमी न रह गई थी, अब केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने और दिल्ली के सिंहासन को हस्तगत करने की बात रह गई थी। अतएव वह एक विशाल सेना लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ा। बिहार के सूबे को पार करता हुआ वह बनारस तक बिना किसी रोकटोक के पहुँच गया। शाहजहाँ और दारा ने उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिये सुलेमान शिकोह व मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, पर जब वह वापस न हुआ तब शाही फौजों ने उसपर आकस्मिक आक्रमण कर उसे बहादुरपुर की लड़ाई में परास्त किया और उसका पीछा किया। सुलेमान शिकोह मुंगेर तक आगे बढ़ता ही गया और वह अपने शत्रु से केवल १८ मील दूर था जब उसे अपने पिता का यह आदेश मिला कि औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेनाओं का विरोध करने के लिये वह तुरत आगरा वापस आ जाए। अतः सुलेमान शिकोह ने शुजा से संधि कर ली और उसे बंगाल, उड़ीसा तथा मुंगेर के पूर्व का बिहार का क्षेत्र देकर वह आगरा की ओर चल पड़ा, पर रास्ते में ही उसे अपने पिता की हार की खबर मिली।

गद्दी पर बैठने के पश्चात् औरंगजेब ने शुजा को मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा, उसे बंगाल के सूबे के अतिरिक्त बिहार का समस्त सूबा प्रदान कर दिया और दारा को परास्त करने के पश्चात् धन और भूमि के रूप में उसे अधिक संमान देने का वचन भी दिया। शाहजहाँ तो शुजा को सतोष और हर्ष हुआ परंतु औरंगजेब के अपने पिता और भाई मुराद के प्रति व्यवहार को देखकर उसे अपने ज्येष्ठ भाई की उदारता में संदेह हुआ। अतः जब शुजा को यह सूचना मिली कि औरंगजेब दिल्ली छोड़कर पंजाब चला गया है और दारा को परास्त करने में व्यस्त है तब उसकी महत्वाकांक्षा फिर उग्र हो उठी। अतः उसने लड़ाई की तैयारियाँ प्रारंभ कर दीं और बंगाल से प्रस्थान करके पटना होता हुआ [illegible] पहुँचा। उसके बढ़ने की खबर औरंगजेब को [illegible] अतः दारा का पीछा करने का कार्य उसने अपने [illegible] दिया, और स्वयं आगरे आया (नवंबर, १६५८)। [illegible] शुजा का रास्ता रोकने के लिये राजकुमार मुअज्जम [illegible] भेजा। परंतु शुजा आगे बढ़ता ही गया। [illegible] स्वयं खजुवा के मैदान में उससे होड़ ली और उसे [illegible] दिया। मीर जुमला की फौजों ने उसका पीछा किया [illegible] १६५९ से अप्रैल १६६० तक बगाल में शुजा ने बड़ी [illegible] मुकाबला वीरता और साहस से किया। अंत में सितंबर [illegible] १६६० मे अपने कुटुंब के साथ वह आराकान की [illegible] वहाँ पहुँचकर शुजा ने आराकान राज्य के विरुद्ध [illegible] उसके राज्य पर अधिकार कर फिर बगाल पर [illegible] योजनाएँ बनाईं। पर इस षड्यंत्र का आभास [illegible] राजा को हुआ, वैसे ही उसने शुजा का वध करने की [illegible] बनाई। शुजा डरकर जंगलों में भागा जहाँ जनवरी, [illegible] वह मार डाला गया। मुहम्मद शुजा, पुत्र को देखते [illegible] साहसी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था [illegible]

शुनक ऋषि के पुत्र एक महर्षि, जिनकी उत्पत्ति [illegible] हुई थी। पुराणों के प्रसिद्ध शौनक के यही पिता [illegible] आदि० ५-१०)। शौनक को इनका पुत्र भी कहा [illegible] अनु० ३०-६५)। श्री कृष्ण का दूत बनकर वे हस्तिनापुर [illegible]

शुनफू (क्वो हूसी) (ल० १०२०-९०)। चीनी चित्रकला के प्रख्यात भूदृश्यकारों में इसका स्थान है। [illegible] व्याख्यान भी उपलब्ध हैं जिन्हें उसके पुत्र ने 'वनों [illegible] के महान् संदेश' नामक ग्रंथ मे संगृहीत किया। [illegible] अकादमी से अल्पावस्था मे चित्रकला सीखकर उसने [illegible] व्यक्तित्व का विकास किया। वह प्रकृति के [illegible] आकृतियाँ प्रतिष्ठित करने के लिये प्रसिद्ध है। [illegible] बादल इस प्रकार बिठाए जाते थे जैसे [illegible] कुंडलियों की भाँति उनमें बल होते थे, [illegible] होते थे जैसे दैत्यों के चेहरे, वृक्षों की शाखाएँ [illegible] पत्ते। उसके बनाए चित्र आज उपलब्ध नहीं [illegible] सुरक्षित, चित्रण की शक्ति और शालीनता में [illegible] को काव्य के स्तर से अभिव्यक्त 'पीतनर की [illegible] चित्र उसका बनाया कहा जाता है।

शुह्सिएन (क्वो चुंग-शू) दसवीं शती ई० का [illegible] होनान प्रांत के सो-यांग नगर मे जन्म। [illegible] था और सात वर्ष की उम्र में ही साम्राज्य चित्रकला [illegible] के लिये प्रार्थी हुआ। दुरगति से प्रगति करता हुआ [illegible] सुंग के समय 'महान् राष्ट्रीय आचार्य' के पद पर [illegible] 'चिएह-हुआ' नामक चित्रशालों के लिये [illegible] चित्र अधिकतर वास्तुपरक हैं, जिनमें रेखाएँ, [illegible] आदि का यह कुशल चित्रकार है।

यम से यह अनुमित किया जा सकता है कि शूद्र के ऊपर नत्व नहीं माना जाता था।

बौद्ध वाङ्मय में वड्ढकी, कंमार (लोहार), चम्मकार, कार (जातक, ६, पृ० २२ और ४२७) आदि की श्रेणियों उल्लेख है। इनके 'जेट्ठक' और 'पमुख' रहा करते थे।

बौद्ध साहित्य की 'हीन जाति' और 'हीन सिप्प' के समान ही वाङ्मय में 'आर्य सिप्प' और 'अनार्य सिप्प' का भेद है। आर्य- प में दर्जी, तंतुवाय, चित्रकार इत्यादि तथा अनार्य शिल्पियों में ार, नाई की गिनती थी।

व्यवहारगत (Legal स्टेटस) — धर्मसूत्र, अर्थशास्त्र और तियों से शूद्र संबंधी व्यवहार ज्ञात होता है। सामाजिक वैषम्य कारण सामान्यतः चतुर्वर्णपरक दंडसमता प्रचलित नहीं थी। वाक्पारुष्य और स्त्रीसंग्रहण में समान अपराधों के लिये ब्राह्मण, त्रिय, शूद्र के *लिये विभिन्न दंडों का विधान था* (गौतम, ध० सू० २, १)।

सं०ग्रं० — १. विधुशेखर भट्टाचार्य : 'दि स्टेटस ऑव् शूद्राज न एंशेंट इंडिया,' विश्वभारती त्रैमासिक १९२४; तथा 'शूद्र', डियन एंटीक्वैरी १९४१; २. रामशरण शर्मा : 'स्टडीज इन एंशेंट इंडिया, दिल्ली १९५८; ३. बी० आर० अंबेडकर : 'हू वेर दि शूद्राज', बंबई, १९४६; ४. आल्फ्रेड हिल्लेब्राट : 'ब्राह्मण शूद्राज', सलाउ १८९६। [वि० शं० पा०]

शूद्रक संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध रूपक मृच्छकटिक के यह निर्माता माने जाते हैं। इनकी एक और कृति पद्मप्राभृतक नामक भाण है। इनकी रचनाशैली बड़ी मनोहर एवं समाज की सच्ची अवस्था प्रतिबिंबित करनेवाली है। शूद्रक ने समाज में विविध स्तर के मानवों के सहज अनुभवों का चित्रण बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। प्रयुक्त भाषा और शैली के आधार पर इनकी *प्राचीनता सिद्ध* होती है। यह कालिदास से पूर्व और भास के बाद के कवि प्रतीत होते हैं। कई पाश्चात्य संस्कृतज्ञों ने शूद्रक को काल्पनिक पुरुष माना है। वे यह स्वीकार नहीं करते कि शूद्रक कोई ऐतिहासिक पुरुष था। उसी तरह उनकी प्रसिद्ध कृति मृच्छकटिक को भी वे मौलिक रचना नहीं मानते। उनका मत है कि मृच्छकटिक भासरचित 'चारुदत्त' नामक रूपक का ही एक परिबृंहित संस्करण मात्र है। (दे० मृच्छकटिक)।

वस्तुतः शूद्रक के संबंध में सूक्ष्म एवं तात्विक विचार किया जाय *तो उनके अस्तित्व में संदेह करने के लिये कहीं अवकाश नहीं मिलता।* कविवर राजशेखर ने वंदनीय कवियों का स्मरण करते [illegible] रामिल-सोमिल को शूद्रक पर रचित एक परिकथा का निर्माता बताया है—'तौ शूद्रक कथाकारौ वंद्यौ रामिल सोमिलौ'। यह प्रसिद्ध उक्ति है—'वररुचिरीश्वरदत्तश्यामिलक शूद्रकाश्च चत्वार एते भाणान् बभणुः, *का शक्तिः कालिदासस्य*' जिसमें भी शूद्रक का उल्लेख है। कथासरित्सागर में शूद्रक को शोभावती का राजा बताया गया है; वेतालपंचविंशति में इन्हें वर्धमाननरेश कहा है; हर्षचरित् में महाराज चंद्रकेतु के साथ शूद्रक के विग्रह का उल्लेख मिलता है और कादंबरी में कथारंभ विदिशाधिपति शूद्रक से होता है। ऐतिहासिक कवि कल्हण ने शूद्रक को सत्यसंध एवं दृढ़ प्रशासक बताते हुए विक्रमादित्य से पूर्वतन कहा है [राज० त० ३ ३४३]। शूद्रक के उदात्त चरित् पर विरचित अनेक रचनाओं के उद्धरण भी परवर्ती ग्रंथों में मिलते हैं। भोजदेव ने अपने शृंगारप्रकाश (अ० २८) में 'शूद्रककथायां हरिमन्त्रीवृत्तान्ते यथा—' कहकर एक पद्य *उद्धृत किया*, पुनः ३०वें अध्याय में 'अभ्रातस्त्वरितमसौ....' पद्य को शूद्रकचरित् नामक आख्यायिका से उद्धृत बताया है। आचार्य हेमचंद्र ने भी अपने काव्यानुशासन में शूद्रककथा [illegible] 'आनंद. पंचशिखस्य शूद्रककथायाम्' कहकर उल्लेख किया है। अनंत कवि कृत 'वीरचरित्' नामक महाकाव्य में शकप्रवर्तक शालिवाहन के मित्र रूप में शूद्रक का वर्णन किया और साथ ही यह भी कहा है कि शालिवाहन के पुत्र शक्तिकुमार के उद्दंड हो जाने पर शूद्रक ने उसे पदच्युत कर स्वयं राज्यासन ग्रहण किया था। पार्जिटर के मत से कातंत्र व्याकरण के प्रवर्तक हाल सातवाहन ईसवी पहली शताब्दी के राजा हुए जो आंध्र नरेशों की परंपरा में १०वें राजा थे और कातंत्र पद्धति का उपहास करनेवाले महाराज शूद्रक उनके समकालिक थे (ब्यूह्लर—कश्मीर विवरण)। पुराणों के आधार पर महाराज शिवस्वाती के समकालिक महाराज शूद्रक के होने का प्रमाण मिलता है। पार्जिटर शिवस्वाती का काल ईसवी सन् का आरंभ मानते हैं अतः शूद्रक की तिथि ईसा पूर्व ठहरती है। लासेन शूद्रक का काल सन् १५० ई० के लगभग तथा विल्सन स्कंदपुराण के आधार पर ई० सन् १९० मानते हैं। विल्फर्ड का मत है कि शूद्रककाल ईसा पूर्व १-२ शताब्दी के मध्य है। नक्षत्रगणना के आधार पर श्री पाठक महोदय शूद्रक का समय ईसा पूर्व ३री शताब्दी निर्धारित करते हैं। मोनियर विलियम्स 'इंडियन विज़डम' नामक ग्रंथ में शूद्रक का अस्तित्व ई० प्रथम शताब्दी में सिद्ध करते हैं। विशेप, रेग्नॉ, पिशेल एवं मैक्डोनल आदि लेखकों के मत में ई० २०० से ई० ६०० के बीच की विभिन्न तिथियाँ शूद्रक के संबंध में कल्पित की गई हैं। अतएव अधिकांश प्रमाण इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि शूद्रक एक ऐतिहासिक पुरुष थे और उनका आविर्भावकाल ईसवी सन् के प्रारंभ के लगभग निश्चित होता है। इससे यह भी निर्विवाद है कि मृच्छकटिक उनकी ही मौलिक कृति है जिसका संक्षेप केरल के चाक्यार (नटमंडली) द्वारा अभिनयार्थ नाटकीय *शैली में प्रसारित किया गया जो त्रिवेंद्रम रूपकसंग्रह में संगृहीत* उपलब्ध होने मात्र से भास की रचना माना जा रहा है।

अश्मकवासी विप्रकुल में प्रसूत शूद्रक राजकुमार स्वाती के साथ शैशव में संवर्धित हुए और उनका एक अभिन्नहृदय मित्र बंधुदत्त *नामक विप्र था। कहा जाता है कि एक बार अपालिका नामक भवत* ने शूद्रक को किसी कंदरा में बंद कर वध करना चाहा था, परंतु अपने पराक्रम से उसे परास्त कर शूद्रक बच निकले और अनेक देशों का पर्यटन करते हुए उज्जयिनी पहुँचे और वहाँ के राजा को पदच्युत कर स्वयं राज्यारूढ़ हुए। वह ऋक्साम के विशिष्ट वेत्ता थे और श्रौत परंपरा से उन्होंने अनेक याग किए और अश्वमेध भी किया। वह शतायु हुए। वस्तुतः वही शकारि महाराज शूद्रक थे जो विक्रमादित्य प्रथम कहलाए तथा विक्रम संवत् के प्रवर्तक हुए। महाराज समुद्रगुप्त स्वयं अपने कृष्णचरित् काव्य के प्रारंभ में

अतिरुद्ध विशेष रूप से पूज्य हैं। पांचरात्र में कुछ शूद्र भक्त हुए जो सम्प्रदाय में विशेष प्रतिष्ठित हो सके। धोंदास देवदासी का नाम विशेष विख्यात है।

(उ) पुराण — अनेक अमत्रक संस्कार शूद्रों को विहित हैं। साधारण वृद्धि श्राद्ध, पंचमहायज्ञ, वृषोत्सर्ग तथा संपूर्ण पूर्त कर्म एवं पुराण, महाभारत श्रवण शूद्र कर सकते हैं। आर्य क्रम से शूद्र कश्यपगोत्रीय और वाजसनेय शाखा के हैं। पुराणों को स्मार्त वैष्णव और स्मार्त शैव परंपरा के शूद्रों को भी क्रमशः गोपीचंदन, तुलसी और ऊर्ध्वपुंड्र (स्कंद, वैष्णव, मार्गशीर्ष माहात्म्य २,२१-२६) तथा भस्मयुक्त पुंड्र एवं रुद्राक्ष माला का विधान है (देवी भागवत, १२, ७, १०)।

(ऊ) महाभारत — शांतिपर्व (६०,३८) पंचयज्ञ और पूर्ण पात्र दक्षिणा का विधान शूद्रों के लिये करता है। शूद्र पंजवन ने ऐंद्राग्न यज्ञ किया था।

> शूद्रो पंजवनो नाम सहस्राणां शतं ददौ।
> ऐंद्राग्नेन विधानेन दक्षिणाभिति नःश्रुतम्॥
>
> —शांतिपर्व ६०,३८

(ए) मध्ययुग — स्मार्त परंपरा के तुलसीदास शूद्र को 'ताड़नीय' और 'विप्र अवमानी शूद्र' को शोचनीय मानते हुए भक्त शूद्र को 'भुवन भूषण' भी मानते हैं। उन्हें शूद्रों के द्वारा उपवीत धारण कर व्यासपीठ पर आसीन हो द्विजों को उपदेश देना आलोचनीय लगता है (मानस, उत्तरकांड)। वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य कृष्णदास शूद्र होते हुए भी सम्प्रदाय में विशेष संमानित थे। छीतस्वामी ने विट्ठल के विषय में कहा कि 'अबकें लोसुद्रादिक सबकों ब्रह्म संबंध करावे।' निर्गुनियों और संत संप्रदाय में जाति-भेद मान्य नहीं था। कबीर, रैदास, सेना, पीपा इस काल के प्रसिद्ध शूद्र संत हैं। असम के शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित मत, पंजाब का सिक्ख सम्प्रदाय और महाराष्ट्र के वारकरी सम्प्रदाय ने शूद्रमहत्व धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया। दशनामी नागा साधुओं के जूना, आवाहन, निरंजनी, आनंद, महानिर्वाणी, अटल, अगन, अवलिया, सूरज और पूदड़ अखाड़ों में शूद्रप्रवेश हो सकता था।

सामाजिक स्थिति

वत्स कवष ऐलूष, कक्षीवान और सत्यकाम जाबाल की कथाओं से ज्ञात होता है कि शूद्र और द्विजों में उत्तर वैदिक काल में वैवाहिक संबंध हो जाया करता था यद्यपि यह सामान्यतः अच्छा नहीं माना गया होगा। वैश्य और शूद्रों में विवाह सामान्य रूप से प्रचलित था (तैत्तरीय सं० ७,४,१६, ३)।

(आ) बौद्ध — महासालजातक और वातवखत्तिया के पुत्र विडूडभ की कथाओं से ज्ञात होता है कि बौद्ध समाज में अन्नपान और विवाह के संबंध में जातिगत वैषम्य था किंतु बौद्ध संघ में यह विभेद स्वीकार नहीं था। सुत्तनिपात के आमगंधसुत्त में बुद्ध का स्पष्ट कथन है कि किसी के द्वारा भी बनाए गए भोजन से अशौच नहीं होता। महापरिनिब्बान के ठीक पहले बुद्ध ने कम्मार पुत्र चुंदा के यहाँ सूकरमद्दव ग्रहण किया था। श्रावस्ती के मालाकार सेट्ठक की पौत्री ही मल्लिका थी जो उदयन के साथ विवाहित हुई। काष्ठहारी की पुत्री (कट्ठहार जातक) और छवकार की कन्या (जातक, ३, १४) अग्रमहिषी बन सकती थी। बंधु विस्तर और वज्रसूची में प्रतिनिधि बौद्ध मत उन्हीं के शूद्रों से विवाह पातक का कारण नहीं।

(आ) जैन — 'शूद्र भोजन शुश्रूषा करण वर्जित' (बृहत्कथा कोष, ३०, ११) प्रतिनिधि जैन मत है। किंतु शूद्रों को ऊँच नीच के भेद करने का निषेध था (उपासकाध्ययन पृ० ६४)। इसी प्रकार 'शूद्रा शूद्रेण' वोढव्या नान्या' (अनुशासन २६,२४७) विवाह का प्रचलित विचार था। किंतु शूद्रों का अन्य वर्णों में संभवतः विवाह होता था। मालाकार की पुत्री सोमा पद्मावती से राजा दंडीवाहन का विवाह करके महाराज [illegible] (बृहत्कथा कोष, १४५-१४७) में वर्णित है।

(इ) धर्मसूत्र स्मृति — पद से उत्पन्न होने के कारण परिचर्या शूद्रों का विशिष्ट व्यवसाय है। द्विजों के साथ मन, वाक् और पथ में समता की इच्छा रखनेवाला शूद्र शूद्र है (गौतम ध० सू० १२, ५)। द्विजों के प्रति आक्रोश करने पर शूद्र को शारीरिक दंड दिया जा सकता है, (वही, २, १०, ७-१४)। उम्र का आर्य वृद्ध शूद्र से भी प्रणाम का अधिकारी है (मनु० ६, ११, १२)। शूद्रा के साथ ब्राह्मण का विवाह विहित है अन्य द्विजों का अप्रशस्त है। (मनु० ३, १६, १९)। मनु ने शूद्रों को आसुर विवाह पद्धति विशेष रूप से विहित है (मनु० [illegible]

किया था और शृंगेरी तथा शारदा मठों की स्थापना की थी। नौ मील पश्चिम की ओर, शृंगगिरि पहाड़ी पर, शृंगी ऋषि (ऋष्यशृंग) का जन्म हुआ था।

शेंसी प्रांत शेंसी का अर्थ है थान के पश्चिम। ७५,००० वर्ग मील क्षेत्रफल तथा १,००,००,००० जनसंख्या वाला यह चीन का एक प्रांत है। यह मध्य चीन के उत्तर पश्चिम में है। इसकी राजधानी सिआन है। इसके पूर्व में [illegible] शेन्सान, पश्चिम में [illegible] हैं। शेंसी के दो [illegible] घाटी, जो इस प्रांत का आर्थिक केंद्र है, इसका विभाजन करती है। इसकी जलवायु पर निकटवर्ती मरुभूमि का प्रभाव है, जिससे जाड़े में जलवायु सूखी, ठंडी और तूफानी रहती है। गेहूँ तथा बाजरा मुख्य उपज है। यह प्रांत चीन का प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र है। येनचांग एवं येनचान मुख्य तेलकेंद्र हैं। यहीं देश का एक तिहाई कोयला मिलता है। यहाँ लोहा भी मिलता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में यह प्रांत स्वतंत्र रहा। [पु० क०]

शेक्सपियर, विलियम (१५६४-१६१६) वे जॉन शेक्सपियर तथा मेरी आर्डेन के ज्येष्ठ पुत्र एवं तीसरी संतान थे। इनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड आन एवन में हुआ। बाल्यकाल में उनकी शिक्षा स्थानीय की ग्रामर स्कूल में हुई। पिता की बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पाठशाला छोड़कर छोटे मोटे धंधों में लग जाना पड़ा। जीविका के लिये उन्होंने लंदन जाने का निश्चय किया। इस निश्चय का एक दूसरा कारण भी था। उन्होंने कदाचित् चार्लकोट के जमींदार सर टामस लूसी के उद्यान से हिरण की चोरी की और कानूनी कार्यवाही के भय से उन्हें अपना जन्मस्थान छोड़ना पड़ा। उनका विवाह सन् १५८२ में एन हैथावे से हो चुका था। सन् १५८५ के लगभग शेक्सपियर लंदन आए। शुरू में उन्होंने एक रंगशाला में किसी छोटी नौकरी पर काम किया, किंतु कुछ दिनों के बाद वे लार्ड चैंबरलेन की कंपनी के सदस्य बन गए और लंदन की प्रमुख रंगशालाओं में समय समय पर अभिनय में भाग लेने लगे। ग्यारह वर्ष के उपरांत सन् १५९६ में वे स्ट्रैटफोर्ड आन एवन लौटे और अब इन्होंने अपने परिवार की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ बना दी। सन् १५९७ में इन्होंने न्यू प्लेस नामक विशाल भवन मोल लिया जिसका इन्होंने धीरे धीरे नवनिर्माण एवं विस्तार किया। इसी भवन में सन् १६१० के बाद वे अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे और वहीं सन् १६१६ में उनका देहांत हुआ।

शेक्सपियर की रचनाओं के तिथिक्रम के संबंध में काफी मतभेद है। सन् १९३० में प्रसिद्ध विद्वान् सर ई० के० चैंबर्स ने तिथिक्रम की जो तालिका प्रस्तुत की वह आज प्रायः सर्वमान्य है। तब भी इधर पिछले तीस वर्षों की खोज से तिथियों के संबंध में कुछ नवीन धारणाएँ बनी हैं। इन नई खोजों के आधार पर मैक मैनेवे महोदय ने एक नवीन तालिका तैयार की है जो सर ई० के० चैंबर्स की सूची से कुछ भिन्न है।

लगभग २० वर्षों के साहित्यिक जीवन में शेक्सपियर की सर्जनात्मक प्रतिभा निरंतर विकसित होती गई। सामान्य रूप से इस विकासक्रम में चार विभिन्न अवस्थाएँ दिखाई देती हैं। प्रारंभिक अवस्था १५९५ में समाप्त हुई। इस काल की प्रायः सभी रचनाएँ प्रयोगात्मक हैं। शेक्सपियर अभी तक अपना मार्ग निश्चित नहीं कर पाए थे, अतएव विभिन्न प्रचलित रचनाप्रणालियों को क्रम से कार्यान्वित करके अपना रचनाविधान सुस्थिर कर रहे थे। प्राचीन सुखांत नाटकों की प्रहसनात्मक शैली में उन्होंने 'दी कामेडी ऑव एरर्स' और 'दी टेमिंग आफ दी शू' की रचना की। तदुपरांत 'लव्स लेबर्स लॉस्ट' में इन्होंने लिली के दरबारी सुखांत नाटकों की परिपाटी अपनाई। इसमें राजदरबार का वातावरण उपस्थित किया गया है जो चतुर पात्रों के रोचक वार्तालाप से परिपूर्ण है। 'दी टू जेंटिलमेन ऑव वेरोना' में ग्रीन के स्वच्छंदतावादी सुखांत नाटकों का अनुकरण किया गया है। दुःखांत नाटक भी अनुकरणात्मक हैं। 'रिचर्ड तृतीय' में मार्लो का तथा टाइटस एंड्रानिकस' में किड का अनुकरण किया गया है किंतु रोमियो ऐंड जुलियट' में मौलिकता का अंश अपेक्षाकृत अधिक है। इसी काल में लिखी हुई दोनों प्रसिद्ध कविताएँ 'दी रेप आव् लुक्रीस' और वीनस ऐंड एडोनिस पर तत्कालीन इटालियन प्रेमकाव्य की छाप है।

विकासक्रम की दूसरी अवस्था सन् १६०० में समाप्त हुई। इसमें शेक्सपियर ने अनेक प्रौढ़ रचनाएँ संसार को भेंट कीं। अब उन्होंने अपना मार्ग निर्धारित तथा आत्मविश्वास अर्जित कर लिया था। 'ए मिड समर नाइट्स ड्रीम' तथा 'दी मर्चेंट आव वेनिस' रोचक एवं लोकप्रिय सुखांत नाटक हैं किंतु इनसे भी अधिक महत्व रखनेवाले शेक्सपियर के सर्वोत्कृष्ट सुखांत नाटक 'मच एडो एबाउट नथिंग', 'ऐज यू लाइक इट' तथा 'ट्वेल्थ नाइट' इसी काल में लिखे गए। इन नाटकों में कवि की कल्पना तथा उसके मन के आह्लाद का उत्तम प्रकाशन हुआ है। सर्वोत्तम ऐतिहासिक नाटक भी इसी समय लिखे गए। मार्लो से प्रभावित 'रिचर्ड द्वितीय' उसी श्रेणी की पूर्ववर्ती कृति 'रिचर्ड तृतीय' से रचनाविन्यास में कहीं अधिक सफल है। 'हेनरी चतुर्थ' के दोनों भाग और 'हेनरी पंचम' जो सुविख्यात ऐतिहासिक नाटक हैं, इसी काल की रचनाएँ हैं। शेक्सपियर के प्रायः सभी सानेट, जो अपनी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिये अनुपम हैं, सन् १५९५ और १६०७ के बीच लिखे गए।

तीसरी अवस्था, जिसका अंत लगभग १६०७ में हुआ, शेक्सपियर के जीवन में विशेष महत्व रखती है। इन वर्षों में पारिवारिक विपत्ति एवं स्वास्थ्य की खराबी के कारण कवि का मन अवसन्न था। अतः इन दिनों की अधिकांश रचनाएँ दुःखांत हैं। जगद्विख्यात दुःखांत नाटक हैमलेट, आथेलो, किंग लियर और मैकबेथ एवं रोमन दुःखांत नाटक जूलियस सीजर, एंटोनी ऐंड क्लिओपाट्रा एवं कोरिओलेनस इसी कालावधि में लिखे गए और अभिनीत हुए। ट्रायलस ऐंड क्रेसिडा, आल्स वेल दैट एंड्स वेल और मेजर फार मेजर में सुख और दुःख की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है, तब भी दुःखद अंत का ही प्राधान्य है।

विकास की अंतिम अवस्था में शेक्सपियर ने पेरिक्लीस, सिंबेलिन, दी विंटर्स टेल, दी टेंपेस्ट प्रभृति नाटकों का सर्जन किया,

शूद्रक का उल्लेख करते हुए लिखते हैं — "नमस्तस्मै कवये शूद्रकाय विरचितं प्रावरणमिव प्रबन्धम्"। विदिशा अभिलेख में मृच्छकटिक द्वारा लिखित 'मृच्छकटिक' में राजा शूद्रक देवल वर्णमालिन्य चारिणी' और महाकवि ज्योतिरीश्वर (१४ वी) में 'बाणादित्यमुनुत्सोना-शूद्रकाद्याः कवीश्वराः" आदि शूद्रक लिखित प्रमाणों के आधार पर संवत्प्रवर्तक महाराज शूद्रक का अस्तित्व सिद्ध होता है।

[गु० ना० ना०]

शून्य (Zero) वह अंक (०) है, जिसका मान 'कुछ नहीं' है। इसके आविष्कार के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना सब मानते हैं कि अन्य अंकों की भांति इसकी खोज भी भारत में हुई। ब्रह्मगुप्त (५२८ ई०) को शून्य की संकल्पना का बोध था। अरबवासियों ने भारत से शून्य तथा अन्य अंकों को लिया और उनका तथा स्थैतिक मान (position value) के आधार पर संख्या लेखन का प्रचार ७१६ ई० से स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों में किया। १२वीं शताब्दी के महानतम, भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ने शून्य की क्रियाओं के नियम दिए हैं। ऐसे भिन्न को, जिसका हर (denominator) शून्य और अंश (numerator) कोई अन्य संख्या हो, भास्कराचार्य ने अनंत (Infinity) की संज्ञा दी थी। शून्य को अरबवासियों ने सिफर कहा और उसके लैटिन अनुवाद के अपभ्रंश से अंग्रेजी रूपांतर जीरो बना। ज्ञान-विकास के इतिहास में शून्य और अंकों के स्थैतिक मान के आविष्कार का प्रमुख स्थान है।

सं० ग्रं० — कैंटर : हिस्ट्री ऑव मैथेमैटिक्स; डिक्सन : हिस्ट्री ऑव दि थ्योरी ऑव नंबर्स; बि० दत्त और ए० एन० सिंह : हिस्ट्री ऑव हिंदू मैथेमैटिक्स (१९३५ ई०); जे० एफ० स्कॉट : ए हिस्ट्री ऑव मैथेमैटिक्स (१९४८ ई०)। [ह० च० गु०]

शूर्पणखा (जिसके नख सूप जैसे लंबे चौड़े हों) रावण की बहन जो राम तथा लक्ष्मण द्वारा प्रेमप्रस्ताव में निराश्रय होने पर सीता की ओर झपटी थी। तब लक्ष्मण ने इसके नाक कान काट लिए और यह रोती हुई अपने भाई के पास गई। राम-रावण-युद्ध का तात्कालिक कारण यही हुई थी। [रा० द्वि०]

शूल लौकिक व्यवहार का शब्द है, जो कालांतर से उदर में होनेवाली तीव्र पीड़ा के आक्रमणों का द्योतक है, जिसका कारण क्रमहीन और अव्यवस्थित संकोच होता है। उदर में चार अंगों में इस प्रकार की पीड़ा होती है। संबंधित अंगों के अनुसार शूल आंत्रिक (intestinal), पैत्तिक (biliary), वृक्कीय (renal) और उंडुकी (appendicular) कहलाता है। रोगी भला चंगा स्वस्थ दशा में होता है। अकस्मात् बिना किसी पूर्वलक्षण के पीड़ा, जो दारुण होती है, प्रारंभ हो जाती है, जिससे रोगी छटपटाता है। निकल जाने के पश्चात् शूल बंद हो जाता है। यह शूल दाहिने पार्श्व में तथा दाहिने स्कंध में प्रतीत होता है। कंधों में शूल प्रतीत हो सकता है।

वृक्कीय शूल, अंतरों के वृक्क से मूत्रनली में रुकावट से, वहीं पर अटक जाने से होता है और वहीं से निकलकर मूत्राशय में चले जाने पर शूल का अंत हो जाता है। शूल की पीड़ा पीठ की ओर आरंभ होकर, नीचे और अन्त में नीचे की ओर जाता प्रतीत होता है। उंडुकी शूल दक्षिण कटि खात (fossa) में परिमित रहता है। आमाशय और आंतों के स्थानीय रोग के सब लक्षणों में साथ होता है। [वि० ना० मि०]

शूलपर्णी (Holly) आइलेक्स (Ilex) जीनस का सदाहरित वृक्ष है। यह शीतों शीतोष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधों में उगाया जाता है। यह अपनी सुंदर पत्तियों एवं आकर्षक लाल बीजों के कारण लगाया जाता है। इस वंश के वृक्ष या क्षुप (shrub) पर्णपाती (deciduous), या सदाहरित होते हैं। पर्णपाती स्पीशीज अधिकांशतः क्षुप होते हैं, जबकि सदाहरित स्पीशीज वृक्ष छोटे, या मध्यम ऊँचाई के, होते हैं। वृक्ष की ऊँचाई ३० से ५० फुट तथा कभी कभी १०० फुट तक होती है। इसके पादप एकलिंगी या उभयलिंगी (hermaphrodite) होते हैं।

अ ब

आइलेक्स (Ilex)
अ. पुष्प चित्र तथा ब. पुष्प।

इसकी पत्तियाँ प्रायः अरीय, पुष्प हरे तथा लाल, काली या कभी कभी पीली बेरियाँ होती हैं, जो शीत ऋतु पर्यंत डालियों पर रहती हैं। इस वृक्ष की लकड़ी, कठोर, भारी, सफेद तथा सुंदर गठन वाली होती है, जिसका उपयोग मापने के पैमाने की बनाने तथा फर्नीचरों में अस्तर देने के लिये होता है। बगीचों में बाड़ लगाने के लिये शूलपर्णी का उपयोग किया जाता है। पतझड़ या वसंत ऋतु सदाहरित स्पीशीज लगाने का सर्वोत्तम समय है। शूलपर्णी के लगभग ३०० स्पीशीज ज्ञात हैं। [अ० ना० मे०]

शृंगी (१) ऋषि विभांडक के पुत्र जो महाराज दशरथ के दामाद थे। इनका नाम ऋष्य शृंग भी था। शांता का विवाह इनके साथ कर दिया गया था। अयोध्या के राज्य में जब कई वर्ष तक अवर्षण चल रहा था तब इन्हें ही लाकर वर्षा कराई गई थी। इनका आश्रम आज तक सरयू के तट पर अयोध्या से कुछ दूर पूर्व है। २) शमीक ऋषि के पुत्र जिनके शाप से अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा था। [रा० द्वि०]

राज्य के चिकमगलूर जिले का एक नगर है। जनसंख्या (१९६१)। श्री शंकराचार्य ने यहाँ कुछ दिन वास

विलियम शेक्सपियर (देखें पृष्ठ २६६)

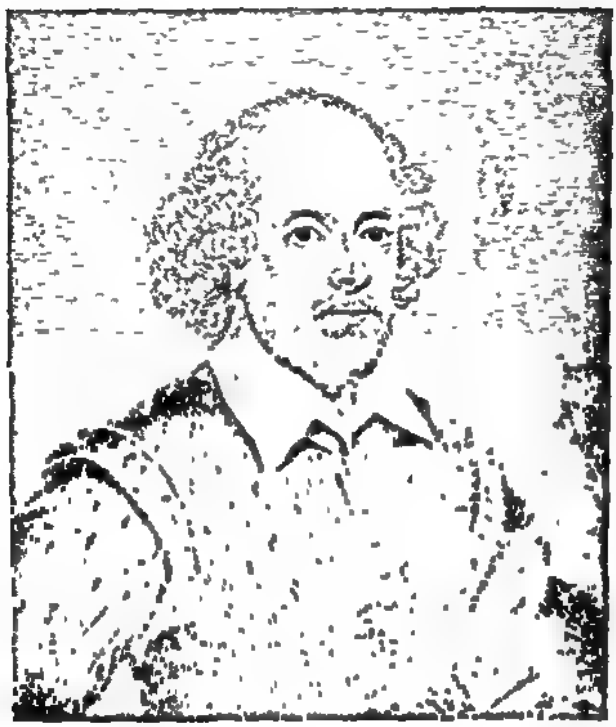

जो सुखांत होने पर भी दुःखद संभावनाओं से भरे हैं एवं एक सांध्य वातावरण की सृष्टि करते हैं। इन सुखांत दुःखांत नाटकों को रोमांस अथवा शेक्सपियर के अंतिम नाटकों की संज्ञा दी जाती है।

शेक्सपियर के सुखांत नाटकों की अपनी निजी विशेषताएँ हैं। यद्यपि दी कामेडी आव एरर्स में प्लाटस का अनुसरण किया गया है तथापि अन्य सुखांत नाटक प्राचीन क्लासिकी नाटकों से सर्वथा भिन्न हैं। इनका उद्देश्य प्रहसन द्वारा कुरूपताओं का मिटाना तथा त्रुटियों का सुधार करना नहीं वरन् रोचक कथा और चरित्रचित्रण द्वारा लोगों का मनोरंजन करना है। इस प्रकार के प्रायः सभी नाटकों का विषय प्रेम की ऐसी तीव्र अनुभूति है जो युवकों और युवतियों के मन में सहज आकर्षण के रूप में स्वतः उत्पन्न होती है। प्रेमी जनों के मार्ग में पहले तो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं किंतु नाटक के अंत तक कठिनाइयाँ विनष्ट हो जाती हैं और उनका परिणय संपन्न होता है। इन रचनाओं में जीवन की कवित्वपूर्ण एवं कल्पना-प्रवण अभिव्यक्ति हुई है और समस्त वातावरण आह्लाद से ओत-प्रोत है। शेक्सपियर का परिचय कतिपय उच्चवर्गीय परिवारों से हो गया था और उनमें जिस प्रकार का जीवन उन्होंने देखा उसी का प्रकाशन इन नाटकों में किया है।

दुःखांत नाटकों में मानव जीवन की गंभीर समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इन नाटकों के अभिजात कुलोत्पन्न नायक कुछ समय तक सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के उपरांत यातना और विनाश के शिकार बनते हैं। उनके दुःख और मृत्यु के क्या कारण हैं, इस विषय पर शेक्सपियर का मत स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। नायक का दुर्भाग्य अनेक प्रतिकूल नियति एवं परिस्थितियों से उद्भूत है, किंतु इससे कहीं बड़ा कारण उसकी चारित्रिक दुर्बलता में मिलता है। प्राचीन यूनानी दुःखांत नाटकों में नायक केवल त्रुटिपूर्ण निर्णय अथवा त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण विनष्ट होता था परंतु, कदाचित् ईसाई धर्म और नैतिकवाद से प्रभावित होकर, शेक्सपियर ने अपने नाटकों में नायक के पतन की प्रधान जिम्मेदारी उसकी चारित्रिक दुर्बलता पर ही रखी है। हैमलेट, ओथेलो, लियर और मैकबेथ — इन सभी के स्वभाव अथवा चरित्र में ऐसी कमी मिलती है जो उनके कष्ट एवं मृत्यु का कारण बनती है। इन दुःखांत नाटकों में दुहरा द्वंद्व परिलक्षित हुआ है, आंतरिक द्वंद्व एवं बाह्य द्वंद्व। आंतरिक द्वंद्व नायक के मन में, उसके विचारों और भावनाओं में उत्पन्न होता है और अपनी तीव्रता के कारण न केवल निर्णय कठिन बना देता है अपितु कुछ समय के लिये नायक को आमूल विचलित भी कर देता है। इस प्रकार के आंतरिक द्वंद्व के कारण नाटकों में मनोवैज्ञानिक गूढ़ता और रोचकता का आविर्भाव हुआ है। बाह्य द्वंद्व बाहरी शक्तियों की स्पर्धा और उनके संघर्ष से उत्पन्न होता है, जैसे दो विरोधी राजनीतिक दलों अथवा सेनाओं का पारस्परिक विरोध। शेक्सपियर के प्रमुख दुःखांत नाटकों में रक्तपात एवं भयावह दृश्यों की अवतारणा के कारण अत्यंत आतंकपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ है। इसी भाँति हत्या और प्रतिशोध सदृश दृश्यों के समावेश से भी अवसाद का पुट गहरा हो गया है। इन सभी विशेषताओं और उपकरणों को शेक्सपियर ने कतिपय पुराने नाटकों तथा सेनेका, किड, मार्लो आदि नाटककारों से ग्रहण किया था और सामयिक लोकरुचि को ध्यान में रखकर ही उनका उपयोग अपने नाटकों में किया। दुःखांत नाटकों की जिन विशेषताओं का उल्लेख हमने यहाँ किया वे न केवल हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, और मैकबेथ में मिलती हैं वरन् रोमियो ऐंड जुलियट तथा इंग्लैंड और रोम के इतिहास पर आधृत दुःखांत नाटकों में भी आंशिक रूप में विद्यमान हैं।

शेक्सपियर ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की कई रोमन इतिहास विषयक हैं। इन रोमन नाटकों में शेक्सपियर ने इतिहास के तथ्यों को थोड़ा बहुत बदल दिया कतिपय स्थलों पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जीवन चित्र उपस्थित किया गया है वह प्राचीन रोम का नहीं अपितु ऐलिजाबेथ कालीन इंग्लैंड का है। इतना होने पर भी ये नाटक लोकप्रिय रहे हैं, विशेषकर जुलियस सीजर तथा ऐंटोनी ऐंड क्लियोपाट्रा। ऐंटोनी ऐंड क्लियोपाट्रा कवित्वपूर्ण शब्दों में है तथा क्लियोपाट्रा की चरित्रकल्पना अत्यंत प्रभावोत्पादक है। ट्राइमन आव एथेंस और पेरिक्लिस में यूनानी इतिहास की कथा का निरूपण किया गया है। अंग्रेजी इतिहास पर आधारित नाटकों में कुछ तो ऐसे हैं जो केवल आंशिक रूप में शेक्सपियर द्वारा लिखे हैं किंतु हेनरी चतुर्थ के दोनों भाग और हेनरी पंचम पूर्ण रूप से शेक्सपियर द्वारा प्रणीत हैं। इन तीनों नाटकों में कवि को सफलता मिली है। इनमें शौर्य और सम्मानभावना का आकर्षक प्रतिपादन हुआ है और फाल्स्टाफ का चरित्र अत्यंत रोचक एवं स्पृहणीय है। रिचर्ड तृतीय और रिचर्ड द्वितीय में मार्लो का अनुकरण सफलतापूर्वक किया गया है। शेक्सपियर के पूर्व के अंग्रेजी ऐतिहासिक नाटकों में तथ्यों और घटनाओं का निर्जीव विवरण रहता था तथा कोरी इतिवृत्तात्मकता के कारण वे नीरस होते थे। शेक्सपियर ने इस प्रकार के नाटकों को जीवंत रूप देकर सफल पूर्ण बना दिया है।

अंतिम नाटकों में शेक्सपियर का परिपक्व जीवनदर्शन मिलता है। महाकवि को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए जिनकी झलक उनकी कृतियों में दिखाई पड़ती है। प्रारंभिक सुखांत नाटकों में कल्पनाविलास है और कवि का मन ऐश्वर्य और यौवन की विलासिता में रमा है। दुःखांत नाटकों में ऐसे दुःखद अनुभवों की अभिव्यक्ति है जो जीवन को विषाक्त बना देते हैं। शेक्सपियर के कृतित्व की परिणति ऐसे नाटकों की रचना में हुई जिनमें उनकी सम्यक बुद्धि का प्रतिफलन हुआ है। कवि अब जीवन को विवेकपूर्ण दृष्टि से देखता है कि जीवन में सुख और दुःख परस्पर संनिविष्ट रहते हैं, अतः दोनों ही दायित्व हैं। जीवन में दुःख के बाद सुख आता है, अतएव विचार और व्यवहार में समतल बनाये रखना है। इन अंतिम नाटकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंसा और प्रतिशोध की अपेक्षा दया और क्षमा अधिक स्तवनीय हैं। इनमें गंभीर नैतिक संदेश के कारण इन नाटकों का विशेष महत्व है।

शेक्सपियर के नाटक स्वच्छंदतावादी हैं तथा प्राचीन यूनानी और लैटिन नाटकों की परंपरा से पृथक् हैं। अतः उनमें वस्तुविन्यास की शास्त्रीय विशेषताओं को ढूँढ़ना उचित नहीं है। केवल अपने एक नाटक 'दी टेंपेस्ट' में उन्होंने तीनों अन्वितियों का निर्वाह किया है।

केदार शर्मा (देखें पृष्ठ २२६)

चंद्रधर शर्मा गुलेरी (देखें पृष्ठ २२६)

१० ग्रं० — मुजद्दिद के पत्रों का संग्रह, ३ भाग; मुहम्मद र: जुब्दतुल मकामात; बद्रुद्दीन सरहिंदी: हजरातुलकुद्स; अली अकबर हुसैनी: मजमउल बोलिया; मुहम्मद अमीन ी; मनाकिबुल हजरात; बुरहानुद्दीन अहमद फरूकी: दि रदस कनसेप्शन ऑव तौहीद; सै० अ० अ० रिजवी: मुस्लिम इनलिस्ट मूवमेंट्स इन नार्दर्न इंडिया इन दि सिक्सटीथ ऐंड थ सेंचुरीज। [सै० अ० अ० रि०]

फख्रुद्दीन ईराकी आपका नाम तो फख्रुद्दीन था किंतु ी ख्याति 'ईराकी' उपनाम से हुई। आप हमदन के रहनेवाले शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी के शागिर्द थे। १७ वर्ष की उम्र मे ने अपनी पढ़ाई समाप्त की और स्वयं अपने मदरसे की स्थापना बाद में आप मुल्तान गए और वहाँ शेख बहाउद्दीन जकरिया ाथ रहने लगे। उन्होंने आपको खिलाफतनामा का वरदान और अपनी लड़की का विवाह भी आपके साथ कर दिया।

शेख बहाउद्दीन जकरिया की मृत्यु हो जाने पर आप जियारत एशिया माइनर चले गए और वहाँ सदरुद्दीन कौनवी के साथ लगे। बाद में दमिश्क मे १२८९ ई० में आपकी मृत्यु हो गई।

आप धर्मशास्त्रों के विद्वान् थे और आपके ग्रंथ 'लम आत' से की ख्याति फैली। [का० मो० अ०]

ा सादी (शेख मुसलिहुद्दीन सादी), १३वीं शताब्दी का सुप्रसिद्ध ृत्यकार। ईरान के दक्षिणी प्रांत में स्थित शीराज नगर में ११८४ ११८६ में पैदा हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा शीराज में हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिये उसने बगदाद के निज़ामिया ा में प्रवेश किया। अध्ययन समाप्त होने पर उसने इसलामी या के कई भागों की लंबी यात्रा पर प्रस्थान किया—अरब, रया, तुर्की, मिस्र, मोरक्को, मध्य एशिया और संभवत. भारत जहाँ उसने सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर देखने की चर्चा की है। रिया मे धर्मयुद्ध में हिस्सा लेनेवाले यात्रियों ने उसे गिरफ्तार लिया, जहाँ से उसके एक पुराने साथी ने सोने के दस सिक्के ीनार) मुक्तिधन के रूप मे देकर उसका उद्धार किया। उसी १०० दीनार दहेज में देकर अपनी लड़की का विवाह भी सादी कर दिया। यह लड़की बड़ी उद्दंड और दुष्ट स्वभाव की थी। अपने पिता द्वारा धन देकर छुड़ाए जाने की चर्चा कर सादी खिल्लाया करती थी। ऐसे ही एक अवसर पर सादी ने उसके य का उत्तर देते हुए जवाब दिया 'हाँ, तुम्हारे पिता ने दस ीनार देकर जरूर मुझे आजाद कराया था लेकिन फिर सौ दीनार बदले उसने मुझे पुनः दासता के बंधन में बाँध दिया।'

कई वर्षों की लंबी यात्रा के बाद सादी शीराज लौट आया और ानी प्रसिद्ध पुस्तकों — 'बोस्तां' तथा 'गुलिस्तां' — के लेखन का ारंभ किया। इनमें उसके साहसिक जीवन की अनेक मनोरंजक टनाओं का और विभिन्न देशों मे प्राप्त अनोखे तथा मूल्यवान् नुभवों का वर्णन है। वह शताधिक वर्षों तक जीवित रहा और ाद् १२९२ के लगभग उसका देहांत हुआ।

गुलिस्तां का प्रणयन सन् १२५८ में पूरा हुआ। यह मुख्य रूप से गद्य में लिखी हुई उपदेशप्रधान रचना है जिसमें बीच बीच में सुंदर पद्य और दिलचस्प कथाएँ दी गई हैं। यह आठ अध्यायों में विभक्त है जिनमें अलग अलग विषय वर्णित हैं; उदाहरण के लिये एक में प्रेम और यौवन का विवेचन है। 'गुलिस्तां' ने प्रकाशन के बाद से अद्वितीय लोकप्रियता प्राप्त की। वह कई भाषाओं में अनूदित हो चुकी है—लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, तुर्की, हिंदुस्तानी आदि। अनेक परवर्ती लेखकों ने उसका प्रतिरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया, किंतु उसकी श्रेष्ठता तक पहुँचने में वे असफल रहे। ऐसी प्रतिरूप रचनाओं में से दो के नाम हैं—बहारिस्तां तथा निगारिस्तां।

बोस्तां की रचना एक वर्ष पहले (१२५७ में) हो चुकी थी। सादी ने इसे अपने शाही संरक्षक अतालीक को समर्पित किया था। गुलिस्तां की तरह इसमें भी शिक्षा और उपदेश की प्रधानता है। इसके दस अनुभाग हैं। प्रत्येक में मनोरंजक कथाएँ हैं जिनमे किसी न किसी व्यावहारिक बात या शिक्षा पर बल दिया गया है। एक और पुस्तक पदनामा (या करीमा) भी उनकी लिखी बताई जाती है किंतु इसकी सत्यता मे संदेह है। सादी उत्कृष्ट गीतिकार भी थे और हाफिज के आविर्भाव के पहले तक वे गीतिकाव्य के महान् रचयिता माने जाते थे। अपनी कविताओं के कई संग्रह वे छोड़ गए हैं।

फारस के अन्य बहुत से कवियों की तरह सादी सूफी नहीं थे। वे व्यावहारिक व्यक्ति थे जिनमें प्रचुर मात्रा में सांसारिक बुद्धि एवं विलक्षण परिहासशीलता विद्यमान थी। उनकी ख्याति उनकी काव्यशैली एवं गद्य की उत्कृष्टता पर ही अवलंबित नहीं है वरन् इस बात पर भी आश्रित है कि उनकी रचनाओं में अपने युग की विद्वत्ता और ज्ञान की तथा मध्यकालीन पूर्वी समाज की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपरा की छाप मौजूद है। [मु० व० मि०]

शेख हमीदुद्दीन सूफी नागौरी यह अपने पिता शेख मुहम्मद अली सूफी की मृत्यु के बाद दिल्ली मे उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था में ही ख्वाजा मोईनउद्दीन अजमेरी का शिष्य हो गया। बाद में वह नागौर के निकट सुवाली गाँव में रहने लगा और वहीं ६७३ हिजरी, १२७४ ई० मे मर गया।

एक छोटे से मिट्टी के घर मे रहता था, केवल एक बीघे भूमि की खेती से जीवननिर्वाह करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके आध्यात्मिक गुरु ने उसे सुल्तान-उत-तारीकिन (वैरागियों का सम्राट्) की उपाधि दी थी।

सं० ग्रं० — सैयद मोहम्मद: सियार-उल-औलिया (११०२ हिजरी, दिल्ली); फजल उल्लाह: सियार-उल-आरीफिन, (१३११ हि०, रिजवी प्रेस, दिल्ली)। [का० मु०]

शेटलैंड द्वीपसमूह (Shetlands Islands) स्कॉटलैंड से २०८ किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसमें ३० मानवयुक्त एवं ७० छोटे मानवरहित द्वीप सम्मिलित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल १,४३१ वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या १६,३४३ (१९५१) है। मेनलैंड इस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी लरविक (Lerwick) है। यहाँ पर मुख्यतः जौ, जई और आलू की

रखते हैं जिसने विवाह न करने का निश्चय कर लिया था। शेक्सपियर ने उसके रूप और गुणों की चर्चा करते हुए उससे अपना निश्चय बदलने के लिये आग्रह किया है। सानेटों का दूसरा क्रम एक श्यामवर्ण महिला से संबंधित है जिसके प्रति कवि के मन मे तीव्र आकर्षण उत्पन्न हुआ था किंतु जिसने उस स्नेह का आदर न करके कवि के उस मित्र को अपना प्रणय दिया, जिसको ध्यान मे रखकर सानेटो का प्रथम क्रम लिखा गया था। शेक्सपियर ने इन सानेटो में अपनी आंतरिक भावनाओं का प्रकाशन किया है अथवा ये परपरागत रचनाएँ मात्र हैं, यह प्रश्न अत्यंत विवादग्रस्त है।

शेक्सपियर मे अत्यंत उच्च कोटि की सर्जनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही उन्हे कला के नियमो का सहज ज्ञान भी था। प्रकृति से उन्हें मानो वरदान मिला था अत उन्होने जो कुछ छू दिया वह सोना हो गया। उनकी रचनाएँ न केवल अंग्रेज जाति के लिये गौरव की वस्तु हैं वरन् विश्ववाङ्मय की भी अमर विभूति हैं। शेक्सपियर की कल्पना जितनी प्रखर थी उतना ही गंभीर उनके जीवन का अनुभव भी था। अत जहाँ एक ओर उनके नाटकों तथा उनकी कविताओं से आनंद की उपलब्धि होती है वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाओं से हमको गंभीर जीवनदर्शन भी प्राप्त होता है। विश्वसाहित्य के इतिहास में शेक्सपियर के समकक्ष रखे जानेवाले विरले ही कवि मिलते हैं।

सं० ग्रं० — ब्रैंडले, ए० सी० : शेक्सपीरियन ट्रैजेडी (१९५२), निकोल, अलेक्जांडर : स्टडीज इन शेक्सपियर (१९२७), हैरिसन, जी०बी०, शेक्सपीयर्स ट्रैजेडीज (१९५१), बार्डर, ग्रैनविले : प्रीफेसेज शेक्सपियर। [रा० अ० द्वि०]

शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के पूर्वज बुखारा निवासी थे। उनके पिता शेख सैफुद्दीन एवं चाचा शेख रिफ्फुल्लाह मुत्ताकी बड़े विद्वान् थे। शेख रिफ्फुल्लाह हिंदी के भी कवि थे। राजन उनका उपनाम था और पैमान एवं ज्योतिनिरंजन नामक दो काव्यों की उन्होंने रचना की थी। शेख अब्दुल हक का जन्म १५५१ ई० में हुआ था। अध्ययन में उनकी बड़ी रुचि थी। १५८८ ई० में वे मक्का गए और वहाँ शेख अब्दुल वहाब मुत्ताकी से हदीस की शिक्षा ग्रहण की। १५९१ में वे दिल्ली लौट आए और आजीवन शिक्षा दीक्षा में संलग्न रहे। शाहजादा एवं शेख फरीद बुखारी को इनपर बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने हदीस एवं मुहम्मद साहब की जीवनी से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें अशअतुल्लमआत अति प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मुअज्जिजुत्तवारीख बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब्दुल वहाब मुत्ताकी के ग्रंथों में उन्होंने मुसलमानों एवं आर्यों के सांस्कृतिक विरोध को दूर करने का प्रयत्न किया है। इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ इस्लाम के गुरुतत्वों को अभिव्यक्त करता है। इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का सांस्कृतिक विवरण दिया है और उनकी रचनाओं के उद्धरणों का भी संकलन कर दिया है। जहाँगीर के राज्य काल में रचना के कारण उन्हें कारा [illegible] में रहना पड़ा किंतु बाद में उनके प्रति जहाँगीर के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। इनका १६४० ई० में देहांत हुआ, वहीं वह [illegible] हुआ था। इसी बीच जहाँगीर की मृत्यु हो गई।

ऐसा ज्ञात होता है कि शेख की इस्लाम के गुरुतत्व [illegible] की शिक्षा को जहाँगीर ने शासन के हित मे न समझकर उसपर प्रतिबंध लगाना चाहा था। जून, १६४२ ई० में शेख की मृत्यु हो गई। शाहजहाँ के राज्यकाल के सभी इतिहासकारों ने इनकी अत्यधिक प्रशंसा की है। [सै० अ० अ० रि०]

शेख अहमद सरहिंदी (मुजद्दिद अल्फे सानी) का जन्म १४ शव्वाल, ९७१ हि० (२६ मई, १५६४ ई०) को सरहिंद में हुआ, जो उस समय अकबर के विरोधी शेखजादों का केंद्र था। शेख अहमद ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता शेख अब्दुल अहद से प्राप्त की जो चिश्ती एवं क़ादिरी सिलसिले के अनुयायी थे। कुछ समय के लिये वे आगरा भी पहुँचे किंतु वहाँ का 'सुलह कुल' (सब धर्मों के प्रति शांति) का वातावरण उन्हें पसंद न आया और वे सरहिंद लौट गए। १७ रजब, १००७ हि० (१४ फरवरी, १५९९ ई०) को उनके पिता की मृत्यु हो गई और साल भर बाद वे हज के लिये चल खड़े हुए। दिल्ली में ख्वाजा बाकी बिल्लाह नामक नक्शबंदी सूफी से प्रभावित होकर हज का विचार त्याग दिया और ख्वाजा साहब की मृत्यु (नवंबर, १६०३ ई०) के पश्चात्, ख्वाजा साहब के प्राचीन शिष्यों के घोर विरोध के बावजूद उनके उत्तराधिकारी बने। शेख साहब का विचार था कि १००० वर्ष बीत जाने के कारण तथा अकबर की 'सुलह कुल' की नीति से इस्लाम भ्रष्ट हो गया है। इस्लाम के गुरुतत्व रूप को बचाने के लिये उन्होंने अपनी उपाधि मुजद्दिद अल्फेसानी (इस्लाम के दूसरे हजारे का पुनरुत्थान करनेवाला) रखी। अकबर की मृत्यु के उपरांत उन्होंने शेख फरीद बुखारी, खाना बेग (जहाँगीर कुली खाँ), मीरान सद्रेजहाँ, मिर्जा अजीज कोका को इस प्रकार के पत्र लिखे कि जहाँगीर के राज्यकाल के प्रारंभ में ही इस्लाम के गुरुतत्व रूप को प्रचलित करने का दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए, खाने खाना, उसके पुत्र मिर्जा दाराब, कुलीज खाँ, ख्वाजे जहाँ तथा खाने जहाँ को लिखे पत्रों में भी उन्होंने इस्लाम के गुरुतत्व रूप की उन्नति पर जोर दिया जिसकी परिभाषा किसी काल में भी एकमत से नहीं स्वीकार की गई। बुरे आलिमों तथा सूफियों को भी उन्होंने फटकारा किंतु किसी भी बुरे आलिम तथा सूफी का नाम नहीं लिखा। इन पत्रों को साधारण रूप से पढ़नेवालों का विचार है कि मुजद्दिद के समकालीन अमीरों में उनके विचारों का अत्यधिक प्रचार किया, किंतु इन अमीरों की जीवनियों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वे अकबर की नीति पर, जिसका जहाँगीर पोषक रहा, चलते रहे; यहाँ तक कि शेख फरीद बुखारी भी, जिन्हें ख्वाजा बाकी बिल्लाह एवं मुजद्दिद पर बड़ी श्रद्धा थी, मुजद्दिद की शिक्षा को व्यावहारिक नहीं समझते थे। जब इनके पत्रों का उत्तम [illegible] लोगों के हाथों में पहुँचा तो इनकी बड़ी आलोचना हुई और १६२२ ई० में जहाँगीर ने इन्हें ग्वालियर के किले में बंदी बना दिया, किंतु साथ ही इन्हें साथ [illegible] हो गई तो उन्हें शेख के शिविर में रहने अथवा घर चले जाने की अनुमति दे दी। वे घर आ गए [illegible] और शेख ने प्रचार [illegible] किया, किंतु जहाँगीर की [illegible] में [illegible] कोई परिवर्तन नहीं [illegible]। १६५४ ई० में मुजद्दिद की मृत्यु हो गई।

सं० ग्रं० — मुजद्दिद के पत्रों का संग्रह, ३ भाग; मुहम्मद हाशिम : ख़ुज़्ज़तुल मकामात; बदरुद्दीन सरहिंदी : हज़रातुलक़ुद्स; मीर अली अख़्तर हुसैनी : मज़मउल औलिया; मुहम्मद अमीन बदख़्शी; मनाक़िबुल हज़रात; बुरहानुद्दीन अहमद फ़रूक़ी : दि मुजद्दिद्स कनसेप्शन ऑव तौहीद; सै० अ० अ० रिज़वी : मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स इन नार्दर्न इंडिया इन दि सिक्सटीथ ऐंड सेवेंटीथ सेंचुरीज। [सै० अ० अ० रि०]

शेख फ़ख़्रुद्दीन ईराक़ी आपका नाम तो फ़ख़्रुद्दीन था किंतु आपकी ख्याति 'ईराक़ी' उपनाम से हुई। आप हमदान के रहनेवाले और शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी के शागिर्द थे। १७ वर्ष की उम्र में आपने अपनी पढ़ाई समाप्त की और स्वयं अपने मदरसे की स्थापना की। बाद में आप मुल्तान गए और वहाँ शेख बहाउद्दीन ज़करिया के साथ रहने लगे। उन्होंने आपको ख़िलाफ़तनामा का वरदान दिया और अपनी लड़की का विवाह भी आपके साथ कर दिया।

शेख बहाउद्दीन ज़करिया की मृत्यु हो जाने पर आप ज़ियारत करने एशिया माइनर चले गए और वहाँ सदरुद्दीन कौनवी के साथ रहने लगे। बाद में दमिश्क में १२८९ ई० में आपकी मृत्यु हो गई।

आप धर्मशास्त्रों के विद्वान् थे और आपके ग्रंथ 'लम आत' से आपकी ख्याति फैली। [का० मो० अ०]

शेख़ सादी (शेख़ मुसलिहुद्दीन सादी), १३वीं शताब्दी का सुप्रसिद्ध साहित्यकार। ईरान के दक्षिणी प्रांत में स्थित शीराज़ नगर में ११८५ या ११८६ में पैदा हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा शीराज़ में ही हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिये उसने बग़दाद के निज़ामिया कालेज में प्रवेश किया। अध्ययन समाप्त होने पर उसने इसलामी दुनिया के कई भागों की लंबी यात्रा पर प्रस्थान किया—अरब, सीरिया, तुर्की, मिस्र, मोरक्को, मध्य एशिया और संभवतः भारत भी, जहाँ उसने सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर देखने की चर्चा की है। सीरिया में धर्मयुद्ध में हिस्सा लेनेवाले यात्रियों ने उसे गिरफ़्तार कर लिया, जहाँ से उसके एक पुराने साथी ने सोने के दस सिक्के (दीनार) मुक्तिधन के रूप में देकर उसका उद्धार किया। उसी ने १०० दीनार दहेज में देकर अपनी लड़की का विवाह भी सादी से कर दिया। यह लड़की बड़ी उद्दंड और दुष्ट स्वभाव की थी। वह अपने पिता द्वारा धन देकर छुड़ाए जाने की चर्चा कर सादी को खिजाया करती थी। ऐसे ही एक अवसर पर सादी ने उसके व्यंग्य का उत्तर देते हुए जवाब दिया 'हाँ, तुम्हारे पिता ने दस दीनार देकर जरूर मुझे आज़ाद कराया था लेकिन फिर सौ दीनार के बदले उसने मुझे पुनः दासता के बंधन में बाँध दिया।'

कई वर्षों की लंबी यात्रा के बाद सादी शीराज़ लौट आया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों — 'बोस्ताँ' तथा 'गुलिस्ताँ' — के लेखन का आरंभ किया। इनमें उसके साहसिक जीवन की अनेक मनोरंजक घटनाओं का और विभिन्न देशों में प्राप्त अनोखे तथा मूल्यवान् अनुभवों का वर्णन है। [illegible] शताधिक वर्षों तक जीवित रहा और सन् १२९२ के लगभग उसका देहांत हुआ।

सन् १२५८ में पूरा हुआ। यह मुख्य रूप से गद्य में लिखी हुई उपदेशप्रधान रचना है जिसमें बीच बीच में सुंदर पद्य और दिलचस्प कथाएँ दी गई हैं। यह आठ अध्यायों में विभक्त है जिनमें अलग अलग विषय वर्णित हैं; उदाहरण के लिये एक में प्रेम और यौवन का विवेचन है। 'गुलिस्ताँ' ने प्रकाशन के बाद से अद्वितीय लोकप्रियता प्राप्त की। वह कई भाषाओं में अनूदित हो चुकी है—लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, तुर्की, हिंदुस्तानी आदि। अनेक परवर्ती लेखकों ने उसका प्रतिरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया, किंतु उसकी श्रेष्ठता तक पहुँचने में वे असफल रहे। ऐसी प्रतिरूप रचनाओं में से दो के नाम हैं—बहारिस्ताँ तथा निगारिस्ताँ।

बोस्ताँ की रचना एक वर्ष पहले (१२५७ में) हो चुकी थी। सादी ने इसे अपने शाही संरक्षक अतालीक को समर्पित किया था। गुलिस्ताँ की तरह इसमें भी शिक्षा और उपदेश की प्रधानता है। इसके दस अनुभाग हैं। प्रत्येक में मनोरंजक कथाएँ हैं जिनमें किसी न किसी व्यावहारिक बात या शिक्षा पर बल दिया गया है। एक और पुस्तक पंदनामा (या करीमा) भी उनकी लिखी बताई जाती है किंतु इसकी सत्यता में संदेह है। सादी उत्कृष्ट गीतिकार भी थे और हाफ़िज़ के आविर्भाव के पहले तक वे गीतिकाव्य के महान् रचयिता माने जाते थे। अपनी कविताओं के कई संग्रह वे छोड़ गए हैं।

फ़ारस के अन्य बहुत से कवियों की तरह सादी सूफ़ी नहीं थे। वे व्यावहारिक व्यक्ति थे जिनमें प्रचुर मात्रा में सांसारिक बुद्धि एवं विलक्षण परिहासशीलता विद्यमान थी। उनकी ख्याति उनकी काव्यशैली एवं गद्य की उत्कृष्टता पर ही अवलंबित नहीं है वरन् इस बात पर भी आश्रित है कि उनकी रचनाओं में अपने युग की विद्वत्ता और ज्ञान की तथा मध्यकालीन पूर्वी समाज की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपरा की छाप मौजूद है। [मु० ब० मि०]

शेख हमीदुद्दीन सूफ़ी नागौरी यह अपने पिता शेख मुहम्मद अल सूफ़ी की मृत्यु के बाद दिल्ली में उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था में ही ख़्वाजा मोईनुद्दीन अजमेरी का शिष्य हो गया। बाद में वह नागौर के निकट मुबाली गाँव में रहने लगा और वहीं ६७३ हिजरी, १२७४ ई० में मर गया।

एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था, केवल एक बीघे भूमि की खेती से जीवननिर्वाह करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके आध्यात्मिक गुरु ने उसे सुल्तान-उत-तारीकिन (वैरागियों का सम्राट्) की उपाधि दी थी।

सं० ग्रं० — सैयद मोहम्मद : सियार-उल-औलिया (११०२ हिजरी, दिल्ली), फ़ज़ल उल्लाह : सियार-उल-आरीफ़ीन, (१३११ हि०, रिज़वी प्रेस, दिल्ली)। [बा० मु०]

शेटलैंड द्वीपसमूह (Shetlands Islands) स्कॉटलैंड से २०८ किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसमें ३० मानवयुक्त एवं ७० छोटे मानवरहित द्वीप संमिलित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल १,४३१ वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या १९,३४३ (१९५१) है। मेनलैंड इस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी लरविक (Lerwick) है। यहाँ पर मुख्यतः जौ, जई और आलू की

फसलें होती हैं। कृषि के अतिरिक्त पशु एवं भेड़ पालन तथा मत्स्य उद्योग मुख्य व्यवसाय हैं। इसका तटीय प्रदेश पर्यटन का केंद्र है। यह द्वीपसमूह सन् ८७५ से सन् १४६८ तक नॉर्वे के अधिकार में रहा। तत्पश्चात् इसका स्कॉटलैंड के साथ विलय हो गया।

[स० सि० ड०]

शेनन, चार्ल्स हेजलवुड (१८६३-१९३७) अंग्रेज चित्रकार, विशेषकर अपने लिथोग्राफ के लिये प्रसिद्ध। वह पादरी का पुत्र था, किंतु परिस्थितिवश छोटी उम्र में ही एक व्यापारी काष्ठशिल्पी के यहाँ काम पर नियुक्त हो गया जहाँ उसे कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण मिला। वहाँ एक दूसरे कलाकार चार्ल्स रिकेट से उसकी भेंट हुई जिसके साथ मिलकर वह वर्षों काम करता रहा। वे दोनों एक नियतकालिक पुस्तकाकार पत्रिका निकालते थे जिसमें कितने ही प्रसंगानुकूल चित्र, डिजाइन और सज्जापूर्ण सामग्री भी दी जाती थी। उसके लिथोग्राफ पर प्रारंभिक रेनासाँ काल की छाप पड़ी, किंतु बाद के लिथोग्राफ उसकी अपनी मौलिक प्रतिभा की सौम्य गरिमा लिए हुए सामने आए। चित्रों में वह अधिकतर धार्मिक विषयों एवं परंपरागत कथाप्रसंगों का चित्रण करता था जिनपर टिशियन और तिंतरेतो का प्रभाव द्रष्टव्य है। किंतु पोर्ट्रेट कला में उससे कोई होड़ न ले सकता था। उसके जार्ज मूर, पिसारो आदि के पोर्ट्रेट बड़े ही कमाल के बन पड़े।

गिर पड़ने के कारण वह बाद में अशक्त हो गया था, पर इस परिस्थिति में भी वह आठ वर्ष जीवित रहकर कलासाधना में जुटा रहा। ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में उसके ४६ लिथोग्राफों का एक संग्रह मिलता है।

[श० रा० गु०]

शेनयांग (Shenyang) **या मूकडेन** स्थिति ४१° ५१′ उ० अ० तथा १२३° २५′ पू० दे०। यह दक्षिणी मंचूरिया के लिआउनिंग प्रांत की राजधानी है, जो पीकिंग के ३८० मील पूर्व-उत्तर-पूर्व लिआउ ही नदी की सहायक हुन हो नदी पर स्थित है। मूकडेन का पहले चीनी नाम फंगत्यंन (Fengtien) था, लेकिन अब इसे शनयांग या शेनयांग कहा जाता है। उपजाऊ कृषिक्षेत्र के बीच में स्थित यह नगर रेल मार्गों का केंद्र है। नगर के समीपवर्ती कृषिक्षेत्र में सोयाबीन, जुकंदर और अनाज की उपज होती है। पहाड़ी भागों से समूर और खालों की प्राप्ति होती है। संपूर्ण चीन में सबसे बड़ी कोयला खान फूशून की है, जो इस नगर के पास ही में स्थित है। यहाँ आटा पीसने, तिलहन पेरने, चमड़ा पकाने, एवं कागज, साबुन और लोह इस्पात के कारखाने हैं। मूकडेन में मिग-१७ एवं ऐन (An) -२ विमान बनाने का एक राष्ट्रीय कारखाना है। नगर में शाही प्रासाद तथा जापानी आवासस्थान उल्लेखनीय दर्शनीय स्थान हैं। शेनयांग की जनसंख्या २४,११,००० (१९६०) है। यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है।

१२वीं शताब्दी में यह कितान राजवंश की राजधानी थी। उत्तरी भाग में प्राचीन सम्राटों के मकबरे (शेनु मोसोलियम) चीन के प्रसिद्ध स्मारकों में से हैं। सन् १६४४ से सन् १९११ तक यह मंचू राजवंश की राजधानी रहा तथा उन लोगों ने ही इसे मूकडेन नाम प्रदान किया। जोर्फेनटिएन यार्जेनकिंग (और अब लिआउनिंग) [illegible] राजधानी रहा। जापान और रूस के बीच में मंचूरिया पर प्रभुत्व रखने के लिये मूकडेन की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह रूसियों का गढ़ था। १० मार्च, १९०५ ई० को मूकडेन की लड़ाई में जापान ने इसपर अधिकार कर लिया। चीनी क्रांति के बाद यह अपने पुराने नाम शेनयांग के नाम से जाना जाने लगा और वहाँ जनरल चांग त्सो लीन का आवास था। सन् १९३१ में नगर पुनः जापानियों के अधिकार में चला गया और १९३४-४६ ई० फेंगतेन प्रांत की राजधानी रहा। युद्ध के बाद नगर का नाम पुनः शेनयांग हो गया और इसपर केंद्रीय सरकार का शासन था। सन् १९५१ में यह मंचूरियाई आंचलिक सरकार की राजधानी हो गया।

[रा० प्र० सिं०]

शेफील्ड स्थिति : ५३° २३′ उ० अ० तथा १° २८′ प० दे०। यह इंग्लैंड के यार्कशिर में, लंदन से लगभग १६० मील उत्तर पश्चिम में, शीफ़ तथा डॉन नदियों के किनारे सुहावनी जंगल से ढकी, पहाड़ी ढाल पर स्थित औद्योगिक नगर है। पश्चिमी यूरोप के तुल्य प्रदेश के सदृश यहाँ की जलवायु सम तथा आर्द्र है।

यहाँ सार्वजनिक स्नानागार, निःशुल्क पुस्तकालय, पार्क, प्रयोगशाला, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की सुविधाएँ हैं।

शेफील्ड सन् १४०० के प्रारंभ से ही उत्तम चाकू, छुरी, कैंची, कटारी, आरा, आरी आदि के अतिरिक्त मोमबत्ती, तश्तरी, चाँदी के पुट दिए गए चाय के बरतन, मैंगनीज स्टील, क्रोमियम स्टील और टंग्स्टन स्टील के निर्माण के लिये प्रसिद्ध है।

यहाँ की जनसंख्या लगभग ५,१३,००० है, जो काफी घनी है।

[रा० स० ग०]

शेयर (Share, अंश) व्यक्ति की चलसंपत्ति दो प्रकार की होती है — भोगाधीन वस्तु (Chose in possession) और दावाधीन स्ववस्तु (Chose in action)। भोगाधीन वस्तु के माने हैं वह संपत्ति जो आपके वास्तविक व्यक्तिगत अधिकार में है लेकिन दावाधीन स्ववस्तु के माने वह संपत्ति है जो आपके तात्कालिक अधिकार में नहीं है। उसपर आपका अधिकार है जिसे वैधानिक कार्रवाई द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। यह अधिकार सामान्यतया दस्तावेज (Document) द्वारा प्रमाणित होता है, उदाहरणार्थ — रेलवे की रसीद द्वारा। प्रमंडल (कंपनी या समवाय) में एक अंश (हिस्सा या शेयर) भी दावाधीन स्ववस्तु है और अंशपत्र उसका प्रमाण है। लेकिन भारतवर्ष में अंश माल (Goods, गुड्स) माना जाता है। प्रमंडल (समवाय) अधिनियम (Company act) १९५६ की धारा ८२ की परिभाषा में कहा गया है कि प्रमंडल में किसी व्यक्ति का अंश या अन्य निहित स्वार्थ 'चल संपत्ति' माना जाता है। वस्तुविक्रय अधिनियम (Sale of Goods Act) में वस्तु या माल की परिभाषा में दूर प्रकार की चल संपत्ति सम्मिलित है। इसलिये प्रमंडल के अंश केवल दावाधीन स्ववस्तु ही नहीं, अपितु वस्तु या माल (गुड्स) भी हैं।

अंश का वास्तविक स्वरूप सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमंडल उसका निर्माण करनेवाले अंशधारियों से संबंध से सर्वथा भिन्न है। संस्थापित प्रमंडल (Incorporated Company) की अंशपूंजी (Capital stock) का होना आवश्यक

है, यद्यपि अनिवार्य नहीं। यह भी समान रूप से सार्वत्रिक है, अनिवार्य नहीं, कि पूँजी को अभिहितमूल्य (nominal value) के अंशों में बाँटा जाय। वह व्यक्ति जिसके पास इस प्रकार का अंश है, अंशधारी (Shareholder) कहलाता है। इसलिये प्रत्येक अंशधारी के पास प्रमंडल की पूँजी का एक भाग रहता है। लेकिन विधिक दृष्टि से अंशधारी उस उद्यम या कारखाने का आंशिक स्वामी नहीं है। उद्यम अंशधारियों की संपूर्ण पूँजी से कुछ भिन्न वस्तु है। प्रमंडल की समस्त परिसंपत्ति (Assets) उक्त सुसंगठित संस्थान में निहित है, उसे बनानेवाले व्यक्तियों में नहीं।

विधान की दृष्टि में अंशधारियों के कुछ अधिकारों और निहित-स्वार्थों के साथ साथ कुछ दायित्व भी हैं। अंशधारी का हित या स्वार्थ महज चल संपत्ति से नहीं, वरन् स्वयं प्रमंडल से होता है। यह स्वार्थ स्थायी ढंग का होता है। अंश प्रमंडल में अंशधारी का वह हित है जो दो दृष्टियों से धन की रकम के रूप में मापा जाता है, एक तो दायित्व और लाभांश की दृष्टि से, दूसरे ब्याज की दृष्टि से। और इसमें प्रमंडल की अंतर्नियमावली (Article of Association) में निहित संविदाएँ भी सम्मिलित हैं। अंश मुद्रा या धन (money) नहीं, अपितु मुद्रा के रूप में आँका गया वह हित है जिसमें विभिन्न अधिकार और दायित्व जुड़े हुए हैं। अंश अधिकारों या हकों का विद्यमान समूह है। उदाहरणार्थ, अंश के कारण अंशधारी प्रमंडल के लाभों का एक समानुपातिक भाग प्राप्त करने, अंतर्नियमों के आधार पर प्रमंडल के कारोबार में हाथ बँटाने, कारोबार की समाप्ति पर संपत्ति का आनुपातिक भाग पाने तथा सदस्यता के सभी अन्य लाभों का अधिकारी हो जाता है। अंश के कुछ दायित्व भी हैं। उदाहरणार्थ — प्रमंडल की परिसमाप्ति पर पूर्ण मूल्य की देयता। यह सभी अधिकार और दायित्व प्रमंडल के अंतर्नियमों में दी गई शर्तों और स्थितियों पर निर्भर करते हैं। अंतर्नियमों द्वारा नियमित अधिकार और दायित्व शेयर या अंश का मूलभूत तत्व है। [अ० सिं०]

शेलिंग, फ्रेडरिख डब्ल्यू० जे० फॉन (Schelling, Friedrich W. J. Von) शेलिंग का जन्म २७ जनवरी, १७७५ को वर्टेंबर्ग के एक छोटे नगर ल्यूनबर्ग में हुआ था। उसने दर्शन और ईश्वरशास्त्र का अध्ययन १७९० से १७९५ तक टुबिंजन विश्वविद्यालय के थियोलाजिकल सेमीनरी में किया। वह कांट, फिख्टे और स्पिनोजा का विद्यार्थी रहा था। हीगेल और होल्डरलिन उसके समकालीन विद्यार्थी थे। सन् १७९८ में वह जेना में दर्शन का अध्यापक हो गया। सन् १८०३ के उपरांत वुर्जबर्ग, म्यूनिख और अर्लेंजन में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अंत में वह हीगेल का प्रभाव रोकने के लिये बर्लिन में बुलाया गया था किंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। सन् १८५४ में उसकी मृत्यु हुई।

शेलिंग की प्रमुख रचनाएँ हैं — आइडियाज फार ए फिलासफी ऑव नेचर (१७९७), दि सोल ऑव दि वर्ल्ड (१७९८), फर्स्ट स्केच ऑव ए सिस्टम ऑव दि फिलॉसफी ऑव नेचर (१७९९), सिस्टम ऑव ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म (१८००), ब्रूनो और दि डिवाइन एंड नेचुरल प्रिंसिपल ऑव थिंग्स (१८०२), क्रिटिकल जर्नल ऑव फिलासफी (इन कनजनक्शन विद हीगेल, १८०२-३), हिस्ट्री ऑव फिलॉसफी। सन् १८५६ में शेलिंग के पुत्र द्वारा संपादित 'कम्प्लीट वर्क्स ऑव शेलिंग' के नाम से उसकी सब रचनाएँ १४ भागों में प्रकाशित हुईं।

शेलिंग के दार्शनिक चिंतन में तीन मोड़ स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। प्रारंभ में वह फिख्टे के दर्शन से प्रभावित था और उसी को विकसित करने में व्यस्त रहा। फिर वह ब्रूनो और स्पिनोजा से प्रभावित होकर परम तत्व के दो पक्ष प्रकृति और मन स्वीकार करने लगा। तीसरे मोड़ में शेलिंग ने अपनी मौलिकता प्रदर्शित की, किंतु उसके इस समय के विचार भी जेकोब बोहेम से मिलते जुलते हैं। अब वह संसार को ईश्वर से उत्पन्न हुआ समझने लगा।

शेलिंग के समय में जर्मनी हीगेल के दर्शन से अभिभूत था। अतः हीगेल के जीवनकाल में शेलिंग अपना मुँह नहीं खोल सका। सन् १८३४ में हीगेल की मृत्यु के बाद उसने उसका विरोध प्रकट किया। वह अपने धार्मिक और पौराणिक विचारों को हीगेल के नकारात्मक तार्किक या परिकल्पनावादी दर्शन का स्वीकारात्मक परिपूरक समझता था।

शेलिंग के विचार से मन और प्रकृति (नेचर) एक ही तत्व के दो पक्ष हैं। प्रकृति दृष्टिगत मन है और मन अदृष्ट प्रकृति है। मन और प्रकृति के इसी संबंध के कारण हम प्रकृति को समझ सकते हैं। प्रकृति में भी जीवन, विचार और उद्देश्य हैं। एक ही शक्ति मन में स्वचेतन प्रतीत होती है और इंद्रियों, पशुप्रवृत्ति, आंगिक विकास, रासायनिक प्रक्रिया, विद्युत् और गुरुत्वाकर्षण में अचेतन रूप से कार्य करती है। हमारे शरीर को संचालित करनेवाली अब अचेतन शक्ति मन में स्वचेतन होकर आत्मा कहलाती है। शेलिंग मन और प्रकृति को स्पिनोजा की भाँति परमतत्व के दो समानांतर पक्ष नहीं मानता। वे तो निरपेक्ष मन के विकास में दो भिन्न स्तर या युग हैं। निरपेक्ष मन में क्रमिक उत्क्रांति हुआ करती है। उसका अंतिम लक्ष्य आत्मचेतना प्राप्त करना है।

शेलिंग के अंतिम दार्शनिक विचार केवलोपादानेश्वरवादी प्रतीत होते हैं। संसार एक जीवित, सतत विकासशील आंगिक सृष्टि की भाँति है। इसके प्रत्येक अंग का अपना महत्व है। इनकी उपेक्षा करके संसार के समष्टि रूप को नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार संसार का प्रत्येक अंग भी समग्र पर अवलंबित है। इस तत्व को शेलिंग कई प्रकार से प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है। एक तो वह संसार को बुद्धिप्रधान समझता है, इसलिये बुद्धि के द्वारा उसे जाना भी जा सकता है। दूसरे, संसार का इतिहास तर्कसंगत है, इसलिये इसके प्रत्येक सृष्टि-विकास-क्रम को तार्किक भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। शेलिंग अंतर्ज्ञान की सार्थकता भी स्वीकार करता है। अंतर्ज्ञान से मूल तर्कवाक्य प्राप्त होते हैं और उनके आधार पर हम संसार के तर्कसंगत सिद्धांत की रचना स्वीकार कर सकते हैं।

शेलिंग कला के पर्यावरण में रह रहा था। उससे प्रभावित होकर उसने स्वीकार किया है कि संसार एक कलात्मक रचना है। निरपेक्ष सत्ता विश्व की रचना करके अपने उद्देश्य की पूर्ति

भी हैं। उनके पत्र भी महत्वपूर्ण हैं और उनकी आलोचनात्मक पुस्तक 'डीकॅंड ऑव पोएट्री' अत्यंत प्रसिद्ध है। [बी० एल० सा०]

शेले, कार्ल विल्हेल्म (Scheele, Karl Wilhelm, सन् १७४२-१७८६), स्वीड रसायनज्ञ, का जन्म पॉमरेन्या (Pomerania) के स्ट्रालजुंड (Stralsund) नामक नगर में हुआ था। गोथनबर्ग Gothenburg) में एक औषधविक्रेता के यहाँ आठ वर्ष काम किया। इन्होंने रसायन का प्रारंभिक ज्ञान पाया। बाद में ये माल्मो (Malmo), स्टॉकहोम (Stockholm), अपसाला (Uppsala) तथा कॉपिंग (Koping) में भी सहायक रसायनज्ञ रहे।

इन्होंने अपना सारा जीवन रासायनिक प्रयोग और अनुसंधान में बिताया। आदिकालीन उपकरणों और सीमित साधन ही इन्हें उपलब्ध थे, किंतु इन्होंने इन्हीं का उपयोग कर अनेक महत्व की खोजें की। बिना किसी अन्य की सहायता के, इन्होंने क्लोरीन, सोडा, ऑक्सीजन, ग्लिसरीन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड को पृथक किया और हाइड्रोफ्लोरिक, टार्टरिक, बेंजोइक, आर्सिनियस, लैक्टिक, लैक्टिक, साइट्रिक, मैलिक, ऑक्जैलिक, गैलिक तथा यूरिक अम्ल खोज निकाले। मैंगनीज के लवण आपने तैयार किए और दिखाया कि इनसे कांच किस प्रकार रँगा जाता है। इन्हीं के नाम पर तांबे के आर्सेनाइट, एक हरे वर्णक, का तथा टंगस्टेन के एक मोलाइट का नाम पड़ा है।

इन्होंने स्वतंत्र रूप से यह बात खोज निकाली कि वायु का एक अंश तो ज्वलनशील पदार्थों को जलने देता है और दूसरा इसे रोकता है। प्रूसिक अम्ल का वर्णन करने के पश्चात्, इन्होंने सिद्ध किया कि प्रशियन नील का रंजक गुण इसी के कारण है।

रोग और दरिद्रता से ग्रसित रहने पर भी वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्साह के कारण, ये अथक परिश्रम करते रहे और विपत्तियों से अपनी रक्षा की भी विशेष परवाह न की, जिसके कारण अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। [म० दा० म०]

शेष (१) प्रसिद्ध आचार्य जिन्होंने यजुर्वेदीय वेदांग ज्योतिष का निर्माण किया जिसमें कुल ४३ श्लोक हैं। इसपर सोमाकर की टीका है। (२) कद्रू से उत्पन्न कश्यप के पुत्र जो नागों में प्रमुख हैं। इनके सहस्र फणों के कारण इनका दूसरा नाम अनंत है। यह पाताल में ही रहते थे और इनकी एक गुफा क्षीरसागर में है जिसपर विष्णु भगवान् शयन करते हैं। अपनी तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मा से संपूर्ण पृथ्वी धारण करने का वरदान प्राप्त किया। लक्ष्मण जी शेष के ही अवतार माने जाते हैं। [गो० मि०]

शैक्लटन, सर अर्नेस्ट हेनरी (Shackleton, Sir Ernest Henry) प्रख्यात, ब्रिटिश यात्री और अन्वेषक थे। इनका जन्म १८७४ ई० में आयरलैंड के किल्ली ग्राम में हुआ था और इन्होंने डब्लिन कॉलेज में शिक्षा पाई थी। इन्होंने आरंभिक व्यापारिक सेवा ग्रहण की और रॉयल नेवी रिजर्व में लेफ्टिनेंट हो गए। ये स्कॉट के साथ १९०१-१९०४ ई० में ऐंटार्कटिक की यात्रा में ८२° १७' दक्षिणी अक्षांश तक पहुँचे। सन् १९०७ में कमांडर के रूप में, इन्होंने न्यूजीलैंड 'निमरोड' जहाज द्वारा यात्रा प्रारंभ की और दक्षिणी ध्रुव से १०० मील दूर एक स्थान पर पहुँच गए। लौटने पर इन्हें 'सर' की उपाधि दी गई। १९१४-१६ ई० में इन्होंने ऐंटार्कटिक महाद्वीप को पार करने का निरर्थक प्रयत्न किया। इनका जहाज 'एड्यूरेंस' बर्फ में फँस गया और २५ अक्टूबर, १९१५ ई० को डूब गया। सितंबर, १९२१ ई० में शैक्लटन पुन 'क्वेस्ट' जहाज में यात्रा के लिये निकले, किंतु हृदयरोग से ५ जनवरी, १९२२ ई० को मर गए और दक्षिणी जॉर्जिया में दफना दिए गए। इन्होंने 'दि हार्ट ऑव ऐंटार्कटिक ऐंड साउथ' नामक पुस्तक लिखी है।

[शा० सा० शा०]

शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन निर्देशन प्रक्रिया में उन सभी वैयक्तिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श सेवाओं का समावेश हो जाता है जिनका प्रमुख उत्तरदायित्व व्यक्ति में उसकी अपनी क्षमताओं का ज्ञान कराकर उन्हें उचित प्रयोग में लाना है, जिससे उसका समुचित वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास हो सके। निर्देशक व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाता, न ऐसा कुछ आदेश देता है कि वह उसके बताए हुए मार्ग पर चले अपितु उसमें एक ऐसी सूझ, ऐसी आत्मशक्ति एवं विश्वास को विकसित करने में सहायता देता है जिससे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक एवं अर्जित क्षमताओं की सीमा एवं प्रकृति को ठीक रूप से समझ सके और अपने आस पास के बाह्य वातावरण को ठीक रूप से परखकर समायोजन कर सके। इस तरह व्यक्ति में धीरे धीरे आत्मविश्वास और सूझ बूझ से व्यवहार करने की सामर्थ्य विकसित होती है और वह आत्मनिर्देशित हो जाता है। यही निर्देशनप्रक्रिया का चरमोद्देश्य है।

सामान्य रूप से यह माना जाता रहा है कि निर्देशनप्रक्रिया की आवश्यकता प्रमुख रूप से तभी समझी जाती है जब कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाय जिसे व्यक्ति सुलझा न सके, परंतु अब मनोविश्लेषण एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के निष्कर्षों ने यह सिद्ध कर दिया है कि समस्या के समाधान से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है। अतः निर्देशनप्रक्रिया की आवश्यकता जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक है। व्यक्ति के विकास में एक निरंतरता है, जिसके साथ निर्देशन की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। फिर भी प्रक्रिया की सरलता के लिये इसे जीवन के अलग अलग पथों के आधार पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से विभाजित किया है। बहुधा इसे सामाजिक, मैत्रिक, वैयक्तिक, शारीरिक, नैतिक, मानसिक एवं आर्थिक आदि विभागों में विभाजित किया जाता है परंतु जीवन की आवश्यक दशाओं का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निर्देशन प्रमुखतः तीन तरह का हो सकता है: (१) वैयक्तिक निर्देशन, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की वैयक्तिक समस्याओं के समाधान में व्यक्ति की सहायता देना है। ये समस्याएँ वैवाहिक एवं पारिवारिक, मानसिक एवं अन्य किसी से संबंधित हो सकती हैं। (२) शैक्षिक निर्देशन, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के शैक्षिक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करना है। (३) व्यावसायिक निर्देशन, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसके कार्यव्यापार जगत् में सुव्यवस्थित एवं सफल जीवन बिताने में मदद देना है। नीचे हम बाद की दो निर्देशन विधियों का ही विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे।

करती है। इसलिये मनुष्य का भी सर्वोच्च कार्य कला की सृष्टि करना है। कला में सभी प्रकार के द्वैत सामंजस्य प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति स्वयं एक महान् काव्य है। कला में उसका अनावरण होता है। कला का सर्जन प्रकृति के सर्जन की भाँति ही संपन्न होता है। इसलिये कलाकार जानता है कि प्रकृति कैसे कार्य करती है। इस प्रकार कला दर्शन का आवश्यक और उपयोगी अंग बन जाती है। शेलिंग स्पष्ट कहता है कि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, किंतु जिस व्यक्ति में अनुभव से प्राप्त सर्वोच्च विचारों का अतिक्रमण करने की क्षमता नहीं है वह न दार्शनिक बन सकता है और न यथार्थता का मर्म समझ सकता है।

अंत में शेलिंग के विचार रहस्योन्मुख हो गए। उसके विचार से मनुष्य अपना व्यक्तित्व बढ़ाते हुए अनंत का हो जाता है, वह निरपेक्ष सत्ता में लय प्राप्त कर लेता है। उस समय वह स्वतंत्र होता है, उसे किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती। वह सब प्रकार से द्वैत से ऊपर उठ जाता है। [हु० ना० सिं०]

शेली, पर्सी बिस्शी अंग्रेजी के विख्यात कवि। इनका जन्म ४ अगस्त, १७९२ ई० को ससेक्स के हार्शम नगर के निकट फील्ड प्लेस में हुआ था। तेरह वर्ष की उम्र में वे ईटन नामक प्रसिद्ध सार्वजनिक विद्यालय में प्रविष्ट हुए। वे बहुत कुशल छात्र थे और पढ़ने लिखने में उनकी अत्यंत रुचि थी। शीघ्र ही उन्होंने ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया। विद्यालय छोड़ने से पूर्व उन्होंने विचित्रवाद शैली के दो उपन्यास लिखे — 'जेस्ट्रोजी' और 'सेंट इर्विन' जो १८१० ई० तथा १८११ ई० में प्रकाशित हुए। उन्होंने अनेक कविताओं की भी रचना की जो १८१० ई० में 'ओरिजिनल पोएट्री बाइ विक्टर ऐंड के० आवर' के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुईं। वे अपनी छात्रावस्था ही में प्रत्येक प्रकार के क्रूर अत्याचार तथा रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी बन गए थे और इसी कारण विद्यालय में प्रायः सभी लोग उन्हें पागल तथा नास्तिक कहते थे।

सन् १८१० ई० में शेली ईटन छोड़कर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कालेज में भरती हुए। किंतु एक वर्ष पश्चात् उन्होंने 'दी निसेसिटी ऑव एथीज्म' नामक दो पृष्ठ की पुस्तिका लिखी जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुसार अनीश्वरवाद की आवश्यकता प्रमाणित की और जिसकी प्रतियाँ उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास भेजीं। वे सब क्रोध से तिलमिला उठे और शेली तत्काल विश्वविद्यालय से निकाल दिए गए। जब उनके पिता को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने शेली को घर लौटने से वंचित कर दिया। इस कारण वे लंदन पहुँचे और वहाँ हेरियट वेस्टब्रुक नामक एक युवती से उनका संपर्क हो गया। १८११ ई० में एडिनबरा में उन्होंने उससे विवाह कर लिया।

शेली एक उत्तम क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उस समय आयरलैंड में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बड़ी हलचल थी और शेली इस राजद्रोही हलचल की सहायता तथा प्रोत्साहन के लिये वहाँ गए और अनेक सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए। १८१३ ई० में उनका 'क्वीन मैब' नामक काव्यग्रंथ प्रकाशित हुआ। [illegible] पत्नी पत्नी से मतभेद हो गया और १८१४ ई० में वे [illegible] सदा के लिये पृथक् हो गए। इस दुर्घटना का उनके हृदय पर इतना बुरा पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। [illegible] शेली का मेरी गोडविन नामक ग्रंथ पढ़ने से [illegible] था और १८१६ ई० में उनका विवाह भी मतभेद में हो [illegible] उनका प्रसिद्ध काव्यग्रंथ 'अलास्टर' प्रकाशित हुआ। [illegible] के लिए [illegible] का अनुभव करते [illegible] इंग्लैंड छोड़ा तो उनके पिता ने उनकी [illegible] कर दिया [illegible] सब आर्थिक कष्ट, जो उन्हें बहुत [illegible] था, दूर हो गया।

कुछ समय बाद तथा विलियम नामक बच्चों के साथ शेली और उनकी पत्नी इटली चले गए और वहाँ के [illegible] नगरों में भ्रमण किया। किंतु वे सब अत्यंत [illegible] शेली के स्वास्थ्यानुकूल सिद्ध न हुए और अंततः [illegible] वे पीसा नगर में रहने लगे। इस बीच शेली ने 'सेंसी', [illegible] 'रोसालिंड ऐंड हेलन', तथा 'ओड टु दी वेस्टविंड' [illegible] रचना की और पीसा में उन्होंने 'एडोनेइस' 'एपिसाइकीडियन' [illegible] अनेक सर्वोत्तम गीतात्मक कविताओं की सृष्टि की। वहाँ [illegible] सर्वदा स्वतंत्र विचारों के अनुयायी रहे। उन्होंने पुरानी [illegible] का खंडन किया। स्पेन, इटली तथा जर्मनी की [illegible] अधिकार प्राप्त किया। किंतु यह सब करने पर भी उनके [illegible] कहीं शांति न मिली। अतः, पीसा से रवेन्ना, रवेन्ना से [illegible] लेरीची से वेन्होर्न भटकते रहे। जब वे १८२२ ई० में [illegible] रहे थे तो उनकी नाव समुद्र में डूब गई और उनकी [illegible]

जो व्यवसाय के अनुरूप योग्यता एवं क्षमताओं का अनुसंधान कर सके लिये तैयारी, प्रवेश और प्रयास करने में सहायता पहुँचाता है जिससे व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र में अपना समुचित विकास कर सके और संतुष्ट रह सके। अविचारजन्य चुनाव से न केवल व्यक्ति का अहित होता है अपितु समाज को भी हानि पहुँचती है। यदि व्यक्ति उस व्यवसाय के लिये योग्य नहीं होता, जिसमें वह बाह्य प्रभावों के कारण प्रविष्ट हो जाता है तो उस व्यवसाय की उन्नति में वह बाधक होता है, और जिस व्यवसाय के लिये उसमें समुचित योग्यता हो यदि उसमें वह प्रवेश नहीं करता तो उसकी उपयोगिता से वह व्यवसायक्षेत्र वंचित रह जाता है। जिस समाज में व्यक्ति अपने व्यावसायिक जीवन से जितना ही सुनियोजित एवं संतुष्ट होता है उस समाज के मूल्य उतने ही स्थायी होते हैं और उसमें विघटनकारी एवं घातक तत्वों की उपस्थिति उतनी ही कम होती है।

निर्देशन प्रक्रिया का नियोजन केवल वैयक्तिक विकास के लिये ही अर्थयुक्त नहीं है, अपितु समाज में उपयुक्त वातावरण का संचार करने के लिये तथा मानववृत्ति की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के निराकरण के लिये भी बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के विकास में ही सामाजिक विकास निहित है। अतः व्यक्ति विकास के सिद्धांत को गतिशील, उपयोगी एवं अर्थपूर्ण बनाए रखने के लिये व्यक्ति का अध्ययन, विश्लेषण एवं पर्यालोचन होना आवश्यक है। निर्देशन प्रक्रिया इन्हीं मानववादी मूल्यों पर खड़ी है। [एस० के० पी०]

शैतान ईसाई बाइबिल में इस शब्द के अर्थ में क्रमिक विकास हुआ है। इब्रानी पूर्वार्ध में इसका अर्थ है — अभियोक्ता, विरोधी, आक्रामक। प्रारंभ में इसका प्रयोग किसी भी मानवीय विरोधी के लिये हुआ है। इय्योब नामक काव्यग्रंथ में शैतान एक पारलौकिक सत्व है जो ईश्वर के दरबार में इय्योब पर पाखंड का आरोप लगाता है। यहूदियों के निर्वासनकाल के बाद (छठी शताब्दी ई० पू०) शैतान एक पतित देवदूत है जो मनुष्यों को पाप करने के लिये प्रलोभन देता है।

बाइबिल के उत्तरार्ध में शैतान बुराई की समष्टिगत अथवा व्यक्तिगत सत्ता का नाम है। उसको पतित देवदूत, ईश्वर का विरोधी, दुष्ट, प्राचीन सर्प, परदार साँप (ड्रैगन), गरजनेवाला सिंह, इहलोक का नायक आदि कहा गया है। जहाँ मसीह अथवा उनके शिष्य जाते, वहाँ शैतान अधिक सक्रिय बन जाता क्योंकि मसीह उसको पराजित करेंगे और उसका प्रभुत्व मिटा देंगे। किंतु मसीह की वह विजय संसार के अंत में ही पूर्ण हो पाएगी (दे० कयामत)। इतने में शैतान को मसीह और उसके मुक्तिविधान का विरोध करने की छुट्टी दी जाती है। दुष्ट मनुष्य स्वेच्छा से शैतान की सहायता करते हैं। संसार के अंत में जो खीस्त विरोधी (ऐंटी क्राइस्ट) प्रकट होगा वह शैतान की कठपुतली ही है। उस समय शैतान का विरोध अत्यंत सक्रिय रूप धारण कर लेगा किंतु अंततोगत्वा वह सदा के लिये नरक में डाल दिया जायगा। ईसा पर अपने विश्वास के कारण ईसाई शैतान के सफलतापूर्वक विरोध करने में समर्थ समझे जाते हैं।

बाइबिल के उत्तरार्ध तथा चर्च की शिक्षा के अनुसार शैतान प्रतीकात्मक शैली की कल्पना मात्र नहीं है; पतित देवदूतों का अस्तित्व असंदिग्ध है। दूसरी ओर वह निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा एक सृष्ट सत्व मात्र है जो ईश्वर के मुक्तिविधान का विरोध करते हुए भी किसी भी तरह से ईश्वर के समकक्ष नहीं रखा जा सकता।

सं० ग्रं० — डब्ल्यू० बौवर ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन ऑव दि न्यू टेस्टामेंट, शिकागो, १९६३। [आ० दे०]

शैनतुंग (Shantung) स्थिति : ३०° २५′ उ० अ० तथा १२२° ४५′ पू० दे०। जनवादी चीनी गणतंत्र में उत्तर-पूर्व में स्थित प्रांत है जिसका क्षेत्रफल १,५३,३०० वर्ग किमी० तथा अनुमानित जनसंख्या ५,४०,३०,००० (१९५९) है। यह प्रांत गेहूँ की कृषि का प्रमुख केंद्र है। यहाँ अच्छे किस्म के रेशम का, जो प्रांत के नाम पर शैनतुंग रेशम कहलाता है, उत्पादन भी होता है, प्रांत के उद्योग चिनदाउ (Tsingtao) नगर में, जो बंदरगाह भी है, केंद्रित हैं। चीनान (Tsinan) प्रांत की राजधानी है। प्रांत का अन्य प्रमुख नगर चफू (Chefoo) या येंताइ (Yentai) है।

प्रांत पहाड़ी एवं मैदानी भाग में लगभग समान रूप से विभक्त है। जाड़े का न्यूनतम ताप —२° सं० तथा ग्रीष्म का अधिकतम ताप ३१° सें० है। औसत वार्षिक वर्षा ७८ सेमी० है। वर्षा अधिकांशतः जुलाई तथा अगस्त महीनों में होती है। येलो नदी प्रांत की प्रमुख नदी है। शैनतुंग में बिटुमेनी कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। यहाँ लोहे के भी बड़े भंडार हैं। सोना, ताँबा और सीसे की भी कुछ खानें हैं। रेलों का जाल प्रांत के उत्तर-दक्षिण भाग के मध्यक्षेत्र में तथा पूर्व-दक्षिण भाग में फैला हुआ है। प्रांत के राजपथ विकसित हैं। [अ० ना० मे०]

शैलविज्ञान (Petrology) शैलों का, अर्थात् जिन निश्चित इकाइयों से पृथ्वी न्यूनाधिक निर्मित है उनका, अध्ययन है। यद्यपि उल्काओं में हमें पृथ्वी के आभ्यंतर (interior) का निर्माण करनेवाले शैलों के सदृश एवं समरूप शैलों के नमूने प्राप्त हो जाते हैं, तो भी जैसा अब तक संभव है, यह अध्ययन पृथ्वी की अभिगम्य पर्पटी (accessible crust) तक ही सीमित है। इसके अध्ययनक्षेत्र में शैलों की प्राप्ति, आकार, प्रकार, रचना, उत्पत्ति तथा उनका भूतात्विक प्रक्रियाओं एवं इतिहास से संबंध आ जाते हैं। इस प्रकार शैल विज्ञान भूविज्ञान का आधारभूत भाग है, जिसमें उन सबका अध्ययन है जिनके इतिहास का उद्घाटन करना भूविज्ञान की समस्या है। [वि० सा० दु०]

शैवाल (Algae) भूमंडल पर पाए जानेवाले पौधों का विभाजन दो बड़े विभागों में किया गया है। जो पौधे फूल तथा बीज नहीं उत्पन्न करते उनको क्रिप्टोगैम (Cryptogams) कहते हैं और जो फूल,

शैक्षिक निर्देशन — शैक्षिक प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात होता है कि इसके प्रमुख तीन अंग [illegible] है (उसकी बौद्धिक, भावनात्मक एवं शारीरिक क्षमताएँ); उसका वातावरण (विद्यालय का व विद्यालय और पाठ्यक्रम); इस वातावरण से बालक का [illegible] व्यवहार ([illegible] आदि)। इन बिन्दुओं [illegible] विद्यार्थी के शैक्षिक एवं मानसिक विकास में सहायता [illegible] होता है।

यह तो सुविदित तथ्य है कि विद्यालय का वातावरण सामान्य रूप से सुनियोजित होता है [illegible], बालक एवं [illegible] के सामान्य जीवन से भिन्न होता है। दूसरी ओर बालक की अपनी स्वाभाविक समस्याएँ [illegible] होता है, न उसकी मनोस्थिति से वह परिचित होता है और न यह [illegible] जाता है कि वातावरण के परिवर्तन के साथ साथ वह अपनी समस्याओं का उपयोग किस तरह करता है। [illegible] संदर्भ में शिक्षक का कार्य तो पाठ्यक्रम से विद्यार्थी को अवगत करा देने से ही हो जाता है। शिक्षक के इस सीमित और निश्चित कार्य के अन्तर्गत बहुत सी ऐसी समस्याएँ नहीं आ पाती जिनके वास्तविक एवं समुचित समाधान से विद्यार्थियों [illegible] हो सके और विद्यार्थी का विकास सहज रूप से हो। वातावरण की विविधता, पारिवारिक परिवेश की विविधता, रुचियों की विविधता, मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं की विविधता आदि से उत्पन्न समस्याओं का केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी स्वयं है। परन्तु कुछ दूसरी प्रकार की समस्याएँ हैं जिनका स्रोत विद्यालय एवं विद्यालय में होनेवाली क्रियाओं से ढूँढा जा सकता है; यथा, विद्यालय का संगठन, अनुशासन, परख, समय-विभाजन, पाठ्यपुस्तकों की रचना तथा चुनाव, अध्यापनविधि, प्रयोगशाला, व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का नियोजन आदि। तीसरी प्रकार की समस्याएँ वे हैं जिनका संबंध उन अनुभवों से है जिन्हें विद्यालय पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र को देना चाहता है; यथा, पाठ्यक्रमगत एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम का विषयगत वर्गीकरण, वर्गों का संगठन, चुनाव के आधार एवं सुविधाएँ, पाठ्यक्रम का सामाजिक वातावरण, सामाजिक आवश्यकता एवं व्यावसायिक कार्यव्यापार से सामंजस्य आदि। निर्देशक छात्र को मार्गनिर्देशन नहीं करता, वह केवल उसे मार्ग ढूँढने में सहायता भर देता है। इस सहायता का क्रम तीन स्तरों पर चलता है। विद्यार्थी के वातावरण का स्पष्टीकरण, उसकी अपनी स्वाभाविक, अर्जित एवं भौतिक क्षमताओं का मूल्यांकन, और तदनुसार मार्ग का निर्धारण। यदि यह क्रिया स्वाभाविक रूप से निरंतर चलती रहती है तो शिक्षाक्रम में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता। यही कारण है कि विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम का संगठन प्रत्येक स्तर पर किया जाता है।

निर्देशन कार्यक्रम का संगठन आजकल के विद्यालयों के लिये बहुत आवश्यक हो गया है। इसके कई कारण हैं, यथा, शिक्षा का सार्वजनीन होना, शैक्षिक पद्धति में तेजी से होते [illegible] परिवर्तन, विषयों की अधिकता और चुनाव में ऐच्छिक विषयों का बाहुल्य, विषयों के तथ्यगत क्षेत्र का वैविध्य और विस्तार, विशिष्टीकरण के प्रति झुकाव, सामाजिक अंत:क्रिया एवं गत्यात्मकता में अप्रत्

का सर्वांगीण, [illegible] से काफी सीख लेता है।

[illegible] किया जा चुका है।

व्यावसायिक निर्देशन — व्यावसायिक निर्देशन [illegible] के प्रभाव ही तीन तत्वों पर आधारित है — व्यक्तित्व का विश्लेषण, एवं व्यक्ति का व्यवसाय से तालमेल। [illegible] चुनाव में व्यक्ति की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, [illegible] अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। परन्तु इनका [illegible] बौद्धिक, शारीरिक एवं भावनात्मक क्षमताओं [illegible] है। अतः निर्देशन के प्रथम चरण में [illegible] होता है।

जिस व्यवसाय का व्यक्ति चुनाव कर पा [illegible] सीमाएँ, मार्ग एवं संभावनाएँ हैं उनका निर्धारण करना [illegible] है। इस तरह व्यावसायिक निर्देशन में व्यावसायिक [illegible] कार्य विश्लेषण एवं परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के [illegible] समस्याओं को स्पष्ट करने में सहयोग देता है तथा [illegible] निहित अनेक तत्वों को स्पष्ट कर देता है जिससे व्यक्ति [illegible] मार्गनिर्धारण कर सके।

व्यावसायिक निर्देशन का अंतिम चरण है व्यक्ति का [illegible] से समायोजन स्थापित करना। इस समायोजन को [illegible] स्तर है — पूर्वसूचना, अर्थात् उन सभी प्रकार की [illegible] सुलभ होना जिनके द्वारा व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र के विषय [illegible] रहता है। व्यवसाय में लग जाने पर भी निर्देशक का [illegible] संपर्क बना रहना चाहिए। बहुत सी ऐसी समस्याएँ हो [illegible] जिनका सूत्रपात व्यक्ति के व्यवसाय में लग जाने के [illegible] सकता है।

यहाँ पर दो प्रमुख तत्वों की ओर भी संकेत करना [illegible] है। इनका संबंध 'उचित व्यक्ति को उचित स्थान' या [illegible] व्यवसाय के सिद्धांत से है। वे हैं 'व्यवसाय का चुनाव' [illegible] विश्लेषण हम ऊपर कर चुके हैं और 'व्यवसाय के लिये [illegible] जिसका तात्पर्य व्यवसाय के लिये योग्यतम व्यक्ति का [illegible] प्रथम व्यक्तिपरक है और द्वितीय व्यवसायपरक।

उपर्युक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं [illegible] व्यावसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्देशक

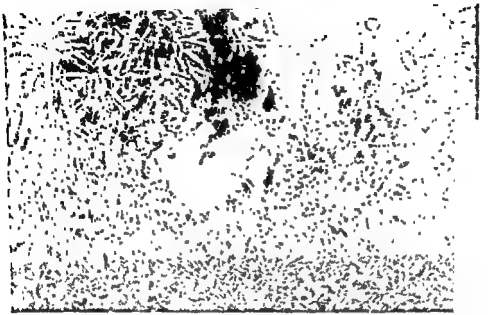

खेत में बंगली बटेर

श्येन (पृष्ठ ३१६)

स्वर्ण महाश्येन (Golden Eagle)

फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं वे फैनीरोगैम (Phanerogams) कहलाते हैं। शैवालों का वर्गीकरण क्रिप्टोगैम के थैलोफाइटा (Thallophyta) वर्ग में किया गया है। ये पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं, जिनमें पर्णहरित (chlorophyll) प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पर्णहरित विद्यमान होने के कारण, ये बहुधा हरे रंग के होते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जिनका रंग लाल, भूरा अथवा नीला हरा होता है। अधिकांश शैवाल पानी में तालाबों, रुके हुए जलाशयों तथा समुद्रों में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल पादपों के तनों पर, अथवा पत्थर की शिलाओं के ऊपर, हरी परत के रूप में उगा करते हैं। कुछ नीले हरे वर्ण के शैवाल स्नानागार, नदियों तथा तालाबों के सोपानों पर भी उगते हैं। ये एक प्रकार का चिकना पदार्थ छोड़ते हैं, जिसके कारण बहुधा लोग फिसलकर गिर जाया करते हैं। पानी में पैदा होनेवाले शैवालों का विभाजन दो भागों में किया जाता है। कुछ मीठे पानी के शैवाल होते हैं, जो तालाबों, झीलों, नदियों आदि में उगते हैं, तथा कुछ खारे पानी के, जो समुद्रों में पाए जाते हैं। मीठे पानी के शैवालों को अलवण जलशैवाल (Fresh water algae) कहते हैं तथा खारे पानीवालों को सामुद्रिक शैवाल (Marine algae) की संज्ञा देते हैं। पानी में ये या तो स्वतंत्र रूप में तैरते रहते हैं, अथवा धरातल पर एक विशेष अंग द्वारा, जिसे स्थापनांग (Hold fast) कहते हैं, स्थिर रहते हैं। पानी में तैरनेवाले शैवाल या तो एककोशीय या बहुकोशीय होते हैं।

रचना के विचार से शैवालों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। कुछ तो अति सूक्ष्म एककोशिक होते हैं, जो केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही दृश्य हैं तथा कुछ ऐसे होते हैं जो कई सेंमी० लंबे होते हैं। क्लोरेला (Chlorella), क्लैमिडोमोनैस (Chlamydomonas) आदि प्रथम कोटि में ही आते हैं। बड़े कोटिवाले शैवाल सूत्रवत् (filamentous) होते हैं, जो कई कोशिकाओं के बने होते हैं। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस (Macrocystis) है, जो लाखों कोशिकाओं से बना तथा कई सौ फुट लंबा होता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक (nucleus) होता है, जिसके चारों ओर कोशिकारस होता है। प्रत्येक कोशिका चारों ओर से कोशिकीय दीवारों से घिरी होती है। पर्णहरित तथा क्लोरोप्लास्ट (chloroplast) कोशिकारस में बिखरे रहते हैं।

वर्धी संरचना (vegetative structure) के विचार से शैवाल कई विभागों में बाँटे जा सकते हैं। कुछ तो एककोशिक तथा भ्रमणशील होते हैं, जिनमें कशाभिका (flagellum) विद्यमान रहता है, जैसे यूग्लिना (Euglena) में। कुछ जातियों के अनेक एककोशिक मिलकर झुंड बनाते हैं और कशाभिका के सहारे एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं, जैसे स्यूडोराइना (Pseudorina), वॉलवॉक्स (Volvox) आदि। कुछ गोल (Coccoid) रूप धारण किए होते हैं, जैसे क्लोरोकॉकस (Chlorococcum), कुछ सूत्रवत् (filamentous) होते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा (Spirogyra) तथा यूलोथिक्स (Ulothrix)। कुछ में दंडवत् रूप तथा चौड़ा रूप एक साथ होता [illegible] रहते हैं, जैसे फ्रिटशियेला (Fritschiella)। इस शैवाल में दो विभाग होते हैं, एक जो वर्धन में धरातल के समानांतर सूत्रवत् अंग होता है, जिसे सुप्त (prostrate) भाग कहते हैं। इन्हीं भागों में से सीधे उगनेवाले सूत्रवत् भाग (filamentous form) पैदा होते हैं, जिन्हें रोक सिस्टेम (Erect system) कहते हैं। ऐसे ही शैवालों से पृथ्वी पर के बड़े बड़े पादपों के प्रादुर्भाव का होना समझा जाता है।

शैवालों में पोषण की समस्या स्वतः हल होती है। इनमें पर्णहरित विद्यमान रहता है, इसलिये प्रकाशसंश्लेषण की विधि से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अतः ऐसे पौधे स्वपोषी (Autotrophs) कहे जाते हैं।

शैवालों में जनन कई प्रकार से होता है। कुछ तो स्वयं विभाजित होते रहते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। यह क्रिया अधिकतर कोशिका विभाजन की रीति से होती है। एककोशिक शैवाल इसी रीति से जनन करते हैं। बड़े कोटि के शैवालों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। अलैंगिक जनन कई ढंग से हो सकता है। कुछ शैवालों में चलबीजाणुओं (Zoospores) की उत्पत्ति होती है। चलबीजाणु नग्न जीवद्रव्य (protoplasm) का पिंड होता है, जो कशाभिका के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। चलबीजाणु पानी के शैवालों में पैदा होते हैं। ये स्वतः अंकुरित होकर नया शैवाल बनाते हैं। जब पानी की मात्रा कम होने लगती है, अथवा विपरीत वातावरण आ पड़ता है तो अचलबीजाणु (Aplanospores) बनते हैं जो मोटे आवरण से चारों ओर घिरे रहते हैं। इनमें कशाभिका नहीं होती। कुछ शैवालों में अलैंगिक जनन निश्चेष्ट बीजाणुओं (akinetes) द्वारा होता है। इनके बनने की रीति यह है कि शैवाल की कोई भी कोशिका गोलाकार होकर मोटी तह के आवरण रूप में चारों ओर से आच्छादित हो जाती है। ऐसी दशा तो प्रतिकूल परिस्थिति में ही देखी जाती है, विशेषकर जब कुछ गरम वातावरण हो जाता है। जब अनुकूल वातावरण आ जाता है तब इनका अंकुरण होने लगता है और ऊपरी, मोटी दीवार धीरे से टूट जाती है और नवजात शैवाल का निर्माण होने लगता है। कुछ शैवाल पानी के किनारे पड़े रहते हैं। जब विपरीत वातावरण होता है, तब इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता ही रहता है, परंतु ये विलग नहीं हो पातीं, अपितु कोशिका की दीवार मोटी होती जाती है और उसके अंदर कई कोशिकाएँ पड़ी रहती हैं। जब अनुकूल वातावरण आता है, तब ये अंकुरित होकर नया शैवाल बनाती हैं। ऐसी दशा को पैलमेला अवस्था (Palmella stage) कहते हैं।

लैंगिक जनन (sexual reproduction) दो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के संयोग से होता है। इन कोशिकाओं को युग्मक (gametes) कहते हैं। ये युग्मक युग्मकधानियों (gametangia) में पैदा होते हैं। दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोग (fusion) से युग्मज (zygote) बनता है। युग्मकों के दो, जिनमें से एक निश्चल का तथा दूसरा चालक का होता है, दो प्रकार के होते हैं :

(१) समयुग्मक (isogametes) में दोनों प्रकार के युग्मकों रचना तथा आकार समान होता है। इनके द्वारा होनेवाले को समयुग्मकी (isogamous) जनन की संज्ञा देते हैं।

(२) दो संयोजित युग्मक (fusing gametes) देखने में एक के होते हैं तथा कशाभिका द्वारा भ्रमणशील होते हैं, परंतु एक तथा दूसरा बड़ा होता है। छोटे युग्मक को लघुयुग्मक (Microgamete) तथा बड़े को गुरुयुग्मक (Macrogamete) हैं। ये युग्मक विषम होते हैं तथा ऐसे जनन को असमयुग्मकी (Anisogamous) जनन कहते हैं।

(३) दोनों प्रकार के युग्मक भिन्न आकार के होते हैं। एक छोटा और भ्रमणशील तथा दूसरा बड़ा और स्थिर होता है। प्रथम वाले को पुंयुग्मक (Male gamete) तथा दूसरे को स्त्रीयुग्मक (Female gamete) या अंडा कहते हैं। इस प्रकार के जनन को विषमयुग्मक (oogamoos) जनन कहते हैं। इस प्रकार का जनन बहुधा बड़े शैवालों में होता है और इसे विषमयुग्मकता (Oogamy) कहते हैं।

संयोजन (fusion) की क्रिया के फलस्वरूप युग्मज और युग्माणु (zygospore) बनते हैं। ये अंकुरित होते हैं। अंकुरण के समय इनमें चलबीजाणु बनते हैं, जो बाहर आने पर अंकुरित होकर नए शैवाल को जन्म देते हैं। समयुग्मकी साधारण कोटि का तथा विषमयुग्मकी उच्च कोटि का जनन समझा गया है।

शैवालों का विभाजन विभिन्न वैज्ञानिकों के मत से विभिन्न विभागों में किया गया है। एफ० ई० फ्रिट्श (F. E. Fritsch) नामक एक महान् शैवालविज्ञानवेत्ता ने शैवालों को ग्यारह विभागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार हैं

(१) मिक्सोफाइसिई (Myxophyceae), (२) यूग्लीनोफाइसिई (Euglenophyceae), (३) क्लोरोफाइसिई (Chlorophyceae), (४) जैंथोफाइसिई (Xanthophyceae), (५) क्राइसोफाइसिई (Chrysophyceae), (६) बैसिलेरियोफाइसिई (Bacillariophyceae), (७) क्रिप्टोफाइसिई (Cryptophyceae), (८) कैरोफाइसिई (Charophyceae), (९) डाइनोफाइसिई (Dinophyceae), (१०) फीयोफाइसिई (Phaeophyceae) तथा (११) रोडोफाइसिई (Rhodophyceae)।

उपर्युक्त विभागों का वर्णन निम्न प्रकार है :

(१) मिक्सोफाइसिई — ये शैवाल साधारण कोटि के होते हैं, जिनकी कोशिका में निश्चित केंद्रक नहीं होता, परंतु केंद्रकजनित वस्तुएँ कोशिका में विद्यमान रहती हैं। पर्णहरित के अतिरिक्त फाइकोसाइनिन (phycocyanin) तथा फाइकोएरिथ्रिन (phycoerythrin) भी विद्यमान रहते हैं। जनन विखंडन (fission) द्वारा होता है। लैंगिक जनन नहीं होता। सूत्रवत् पौधों (filamentous members) में हेटरोसिस्ट्स (heterocysts) विद्यमान होते हैं। किसी किसी में समेरुका (hormogonium) बनता है, जो जनन में सहायक होता है। इस विभाग के पौधे जमीन, वृक्षों के तनों एवं डालियों तथा ईंटों पर और पानी में पैदा होते हैं। एककोशिक शैवाल कभी कभी चिपचिपा पदार्थ पैदा करते हैं और इसी में हजारों की संख्या में पड़े रहते हैं।

(२) यूग्लीनोफाइसिई — ये मीठे पानी या खारे पानी में पाए जाते हैं। बहुधा एकाकी और स्वतंत्र रूप में भ्रमणशील अथवा स्थिर रहते हैं। इनमें पौधों तथा जानवरों के गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका में केंद्रक तथा कशाभिका विद्यमान रहती हैं। जनन विभाजन द्वारा होता है।

(३) क्लोरोफाइसिई — इन शैवालों में निश्चित केंद्रक तथा पर्णहरित विद्यमान रहते हैं। वर्फीले स्थानों के शैवालों की बनावट में विभिन्नता पाई जाती है। एककोशिक से लेकर सूत्रवत् पौधे तक इनमें मिलते हैं। लैंगिक जनन समयुग्मक से असमयुग्मक तक मिलता है।

(४) जैंथोफाइसिई — इन शैवालों में पर्णपीत (xanthophyll) रंग विद्यमान रहता है। स्टार्च के अतिरिक्त तैल पदार्थ भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है। कशाभिका दो होती हैं, जो लंबाई में समान नहीं होतीं। लैंगिक जनन बहुधा नहीं होता। यदि होता है, तो समयुग्मक ही होता है। कोशिका की दीवार में दो सम या असम विभाजन होते हैं।

(५) क्राइसोफाइसिई — इनमें भूरा या नारंगी रंग का वर्णकीलवक (chromatophore) होता है। भ्रमणशील कोशिका में एक, दो या तीन कशाभिकाएँ होती हैं। लैंगिक जनन समयुग्मक ढंग का होता है।

(६) बैसिलेरियोफाइसिई — इनकी कोशिकाओं की दीवारों पर सिकता (बालू) विद्यमान रहती है। दीवार आमूलित रहती है। रंग पीला, या स्वर्ण रंग का, अथवा भूरा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मक होता है। कभी कभी असमयुग्मक भी होता है।

(७) क्रिप्टोफाइसिई — इनकी प्रत्येक कोशिका में दो बड़े वर्णकीलवक होते हैं, जिनका रंग विभिन्न होता है। इनमें भूरे रंग का बाहुल्य होता है। भ्रमणशील कोशिका में दो असमान कशाभिकाएँ होती हैं। लैंगिक जनन केवल एक प्रजाति में असमयुग्मक होता है।

(८) कैरोफाइसिई — ये पौधों के तने तथा शाखाएँ सदृश रूप के बने होते हैं। शाखाएँ मुंड बनाती हैं। पर्णहरित रहता है। लैंगिक जनन असमयुग्मक होता है। युग्माणु में दो कशाभिकाएँ होती हैं। स्टार्च प्रत्येक कोशिका में विद्यमान रहता है। कभी कभी लैंगिक जनन विषमयुग्मक प्रकार का भी होता है।

(९) डाइनोफाइसिई — इस कुल के शैवाल अधिकतर एककोशिकीय होते हैं, परंतु सूत्रवत् होने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कोशिकीय दीवारें आमूलित रहती हैं। स्टार्च तथा वसा प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनते हैं।

(१०) फीयोफाइसिई — ये अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। इनका रंग भूरा होता है, क्योंकि इनमें फ्यूकोजैंथिन (fucoxanthin) विद्यमान रहता है। प्रकाशसंश्लेषण के फलस्वरूप वसा, पॉलिसैकेराइड (polysaccharides) तथा चीनी बनती

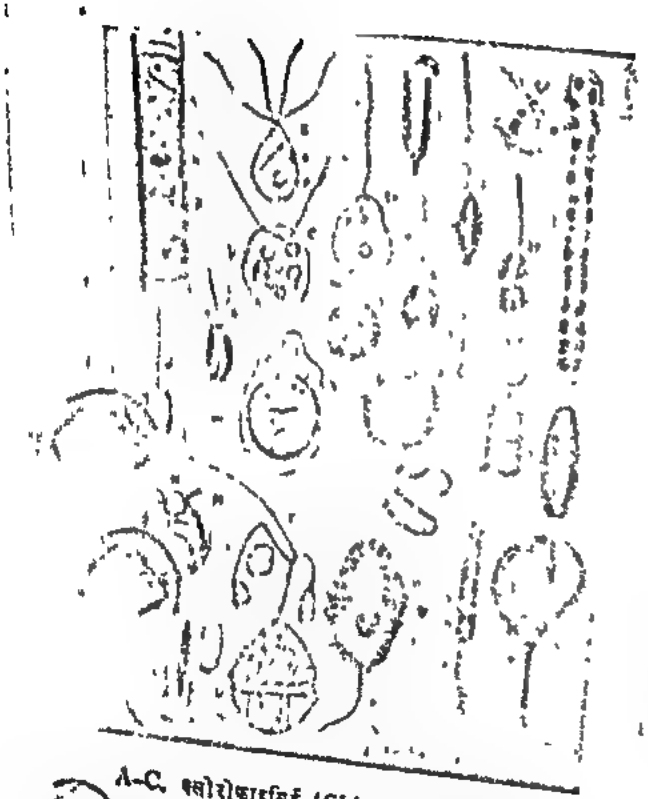

A–C. क्लोरोफाइसिई (Chlorophyceae); D–I. जैन्थोफाइसिई (Xanthophyceae); I–N, S. क्राइसोफाइसिई (Chrysophyceae); O–R बेसिलारिफाइसिई (Bacillarcophyceae); T तथा U क्रिप्टोफाइसिई; U तथा W. डाइनोफाइसिई (Dinophyceae) और X तथा Y यूग्लेनिनीई (Euglenineae) ।

A–C, G. फियोफाइसिई (Pheophyceae); D, E, H–K. रोडोफाइसिई (Rhodophyceae) तथा F और L मिक्सोफाइसिई (Myxcphyceae) ।

A–I क्लोरोफाइसिई तथा फाइसोफाइसिई के समान रूप; J तथा J' अमीबा (Amaeba); K. ल्यूकोक्राइसिस (Leucochrysis), अमीबा का सिस्ट से बाहर निकलना; L तथा M. डाइडिमोक्राइसिस पैराडोक्सा (Didimochrysis paradoxa), N. साइनुरा (Synura)

(१) समयुग्मक (isogametes) में दोनों प्रकार के युग्मकों की रचना तथा आकार समान होता है। इनके द्वारा होनेवाले जनन को समयुग्मकी (isogamous) जनन की संज्ञा देते हैं।

(२) दो संयोजित युग्मक (fusing gametes) देखने में एक से होते हैं तथा कशाभिका द्वारा भ्रमणशील होते हैं, परंतु एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। छोटे युग्मक को लघुयुग्मक (Microgamete) तथा बड़े को गुरुयुग्मक (Macrogamete) कहते हैं। ये युग्मक विषम होते हैं तथा ऐसे जनन को असमयुग्मकी (anisogamous) जनन कहते हैं।

(३) दोनों प्रकार के युग्मक भिन्न आकार के होते हैं। एक छोटा और भ्रमणशील तथा दूसरा बड़ा और स्थिर होता है। प्रथम कोटिवाले को पुंयुग्मक (Male gamete) तथा दूसरे को स्त्री युग्मक (Female gamete) या अंड कहते हैं। इस प्रकार के जनन को विषमयुग्मक (oogamoos) जनन कहते हैं। इस प्रकार का जनन बहुधा बड़े शैवालों में होता है और इसे विषमयुग्मकता (Oogamy) कहते हैं।

समोजन (fusion) की क्रिया के फलस्वरूप युग्मज और युग्माणु [zygospore) बनते हैं। ये अंकुरित होते हैं। अंकुरण के [illegible] र अंकुरित होकर [illegible] नु कोटि का तथा [illegible]

शैवालों का विभाजन विभिन्न वैज्ञानिकों के मत से विभिन्न विभागों में किया गया है। एफ० ई० फ्रिट्श (F. E Fritsch) नामक एक महान् शैवालविज्ञानवेत्ता ने शैवालों को ग्यारह विभागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार हैं :

(१) मिक्सोफाइसिई (Myxophyceae), (२) यूग्लीनोफाइसिई (Euglenophyceae), (३) क्लोरोफाइसिई (Chlorophyceae), (४) जैंथोफाइसिई (Xanthophyceae), (५) क्राइसो[illegible] (Chrysophyceae), (६) बैसिलेरियो[illegible] phyceae) ([illegible]) [illegible]

हैं। एककोशिक शैवाल कभी कभी चिपचिपा पदार्थ पैदा करते हैं और इसी में हजारों की संख्या में पड़े रहते हैं।

(२) यूग्लीनोफाइसिई — ये मीठे पानी या खारे पानी में पाए जाते हैं। बहुधा एकाकी और स्वतंत्र रूप में भ्रमणशील अथवा स्थिर रहते हैं। इनमें पौधों तथा जानवरों के गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका में केंद्रक तथा कशाभिका विद्यमान रहती हैं। जनन विभाजन द्वारा होता है।

(३) क्लोरोफाइसिई — इन शैवालों में निश्चित केंद्रक तथा पर्णहरित विद्यमान रहते हैं। वर्फीले स्थानों के शैवालों की बनावट में विभिन्नता पाई जाती है। एककोशिक से लेकर सुघटित पौधे तक इनमें मिलते हैं। लैंगिक जनन समयुग्मक से असमयुग्मक तक मिलता है।

(४) जैंथोफाइसिई — इन शैवालों में पर्णपीत (xanthophyll) रंग विद्यमान रहता है। स्टार्च के अतिरिक्त तैल पदार्थ भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है। कशाभिका दो होती हैं, जो लंबाई में समान नहीं होतीं। लैंगिक जनन बहुधा नहीं होता। यदि होता है, तो समयुग्मक ही होता है। कोशिका की दीवार में दो सम या असम विभाजन होते हैं।

(५) क्राइसोफाइसिई — इनमें भूरा या नारंगी रंग का वर्णकोलवक (chromatophore) होता है। भ्रमणशील कोशिका में एक, दो या तीन कशाभिकाएँ होती हैं। लैंगिक जनन समयुग्मक ढंग का होता है।

(६) बैसिलेरियोफाइसिई — इनकी कोशिकाओं की दीवारों पर सिलिका (बालू) विद्यमान रहती है। दीवार आवृत्त रहती है। रंग पीला, या स्वर्ण रंग का, अथवा भूरा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मक होता है। कभी कभी असमयुग्मक भी होता है।

(७) क्रिप्टोफाइसिई — इनकी प्रत्येक कोशिका में दो बड़े वर्णकोलवक होते हैं, जिनका रंग विभिन्न होता है। इनमें भूरे रंग का बाहुल्य होता है। भ्रमणशील कोशिका में दो असमान-कशाभिकाएँ होती हैं। लैंगिक जनन केवल एक प्रजाति में असमयुग्मक

है। पौधे गुरुवत् होते हैं। वनस्पतियों में दो कशाभिकाएँ होती हैं। लैंगिक जनन विषमयुग्मक या होता है। कभी कभी समयुग्मक जनन भी होता है।

(११) रोडोफाइसिई — इस कुटुंब के शैवाल भी समुद्र में पाए जाते हैं। इस कुटुंब में बहुत कम ऐसे शैवाल होते हैं जो मीठे पानी में उगते हैं। यह गुलाबी रंग का होता है, क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन (Phycoerythrin) नामक वर्णक विद्यमान हुआ है। जनन अग्र बिना कशाभिका के होते हैं। पौधे गुरुवत् तथा अधिकतर अशाखारूप रूप के होते हैं। लैंगिक जनन विषमयुग्मक (oogamous) होता है। सिस्टोकार्प (cystocarp) में फलीभाग (carpospores) बनते हैं। [र० सं० सि०]

शैवाल का आर्थिक महत्व — शैवाल का उपयोग तीन क्षेत्रों- कृषि, उद्यान और चिकित्सा— में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पिछले २० वर्षों से कृषि में शैवाल के उपयोग पर अनेक महत्वपूर्ण बातें स्थिर की गई हैं। प्रयोगशालाओं में अनुसंधान करने से पता चला है कि शैवाल वायु से नाइट्रोजन लेकर, मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिकों में परिणत कर, उसे स्थिर करते हैं। पौधों के लिये नाइट्रोजन अत्यधिक उपयोगी पोषक तत्व है। इस कारण शैवाल की महत्ता बढ़ गई है। यह नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और फसल में वृद्धि करता है। भारत में अनेक वैज्ञानिकों के अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि शैवाल द्वारा प्रायः २० से लेकर ३० पाउंड प्रति एकड़ तक नाइट्रोजन की वृद्धि मिट्टी में हो सकती है। सभी जाति के शैवाल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं करते। केवल मिक्सोफाइसिई (Myxophyceae) जाति के शैवाल ही इस कार्य में प्रवीण हैं। इनमें नॉस्टक (Nostuc), टोलिपोथ्रिक्स (Tolypothrix), ओलिसोरा फर्टिलिसिमा (Aulisora Fertilissima) तथा एनाबीना (Anabaena) इत्यादि ही सबसे अधिक महत्व के स्थापक सिद्ध हुए हैं। कटक के धान-अनुसंधान केंद्र के अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि टोलिपोथ्रिक्स सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थापित करता है। धान के पौधों के विश्लेषण से यह भी पता लगा है कि शैवाल को खादवाले खेतों के पौधे मिट्टी से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं।

कटक अनुसंधान केंद्र में परीक्षा करके देखा है कि खेतों में शैवाल को कृत्रिम रूप से उपजाने पर धान की फसल में ४०० पाउंड तक की वृद्धि हुई। नाइट्रोजन स्थिर करनेवाले शैवाल की बहुत न्यून मात्रा बालू में मिलाकर, खेतों में डाली गई तथा सिंचाई की गई। इससे शैवाल की वृद्धि हुई, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिट्टी में प्राप्त हुआ तथा धान की फसल में भी वृद्धि हुई। लेखक के अनुसंधान से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि शैवाल से मिट्टी की ऊपरी सतह पर लगभग २४ पाउंड फॉस्फेट की वृद्धि होती है। साथ साथ १,००० पाउंड जैव कार्बन भी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की संरचना और उर्वरा शक्ति में उन्नति होती है।

शैवाल के औद्योगिक प्रयोग विभिन्न दिशाओं में किए गए हैं। से ऐगार-ऐगार (Agar-agar) नामक जटिल कार्बनिक जो शर्करा वर्ग के अंतर्गत है, निकाला जाता है। इससे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जीवाणुओं पदार्थ (media) रूप में पाया है। यह रूप परिरक्षण में भी काम आता है। यह जेलिडियम (Gelidium) और ग्रासिलारिया (Gracillaria) नामक शैवाल से अधिक पाया जाता है।

शैवाल में आयोडिन (Iodine) नामक तत्व विद्यमान पाया है, जो औषधि में तथा अन्य शैवालों में काम आता है। लेमिनेरिया (Lithodymenia) और फिलोफोरा (Phyllophora) नामक शैवालों में आयोडिन अधिक रहता है।

समुद्र में पाए जानेवाले शैवाल घोड़ियों के लिये चारे के रूप में व्यवहृत होते हैं। इनका ऐसा उपयोग सफलतापूर्वक प्रयोगशाला में हो चुका है।

शैवाल मनुष्य का भी खाद्य पदार्थ है। कहा जाता है, संकट में शैवाल उपयोगी खाद्यपदार्थ सिद्ध हो सकता है। शैवाल में सभी विटामिन, प्रोटीन, वसा, शर्करा तथा लवण, जो खाद्यपदार्थों की मुख्य सामग्री है, वर्तमान है। निचिया (Nitzscia) शैवालों में विटामिन ए (A) अधिक है। उल्वा (Ulva) तथा पोर्फिरा (Porphyra) में विटामिन बी की मात्रा अधिक होती है। अलेरिया वालिडा (Alaria Valida) में विटामिन सी (C) अधिक पाया जाता है। नीचे दिए हुए आँकड़ों से कुछ शैवालों के पोषक तत्वों का पता चलता है :

शैवाल	जल प्रतिशत	प्रोटीन प्रतिशत	वसा प्रतिशत	शर्करा प्रतिशत	रेशा प्रतिशत	लवण प्रतिशत
नॉस्टक कम्यून फ्लैजेलीफॉर्म (Nostuc commune Flagelliform)	१०६	२०२	१२	३३७	४१	७१
उल्वा लैक्टूका (Ulva Lactuca) और उल्वा फासिएटा Ulva Faciata	१८७	१४६	००४	५०६	०२	१६

जापान, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलाया इत्यादि पूर्वी देशों में शैवाल मुख्य खाद्य पदार्थ है।

शैवाल मछलियों का आहार है। जल में रहनेवाले अन्य कीट जंतुओं के लिये भी शैवाल पोषक पदार्थ है। पशुओं के चारे के रूप में भी इसका उपयोग हो सकता है। बढ़ती हुई आबादी के आतंक से छुटकारा पाने तथा खाद्य समस्या को हल करने के लिये, शैवाल पर तीव्र गति से प्रयोग जारी हैं। यह कहा जाता है कि अन्नसंकट को दूर करने में क्लोरेला (Chlorella) नामक शैवाल बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह शैवाल पौष्टिक पदार्थों से परिपूर्ण है। यह फैलने के लिये अधिक स्थान भी नहीं लेता। जितनी जमीन आज हमें प्राप्त है, उसके १/५ हिस्से में ही क्लोरेला के उपजाने से २०५० ई० में अनुमानित ७० अरब जनसंख्या के लिये भोजन, विद्युत् और जलावन प्राप्त हो [illegible] है [illegible] होंगी इस्टिट्यूट

युक्त राज्य, अमरीका,) के वैज्ञानिकों ने एक प्रायोगिक कारखाना बड़े पैमाने पर क्लोरेला उत्पादन के हेतु खोला है। अब तक के ादन से यह अनुमान किया गया है कि प्रति एकड़ जमीन से टन क्लोरेला सुगमतापूर्वक उगाया जा सकता है। इन वैज्ञानिकों विश्वास है कि यह मात्रा १५० टन तक पहुँच सकती है।

वेनिज़ुवेला में, कुष्ठरोग की चिकित्सा में शैवाल लाभप्रद सिद्ध है। शैवाल से 'लेमेनरिन' नामक एक पदार्थ बनाया गया है, उसका उपयोग औषधियों में तथा शल्यचिकित्सा में हो सकता है। शैवालों से विटामिन भी तैयार हो सकता है। कुछ शैवालों में रिया के मच्छड़ों के डिंभों का नाश करने की क्षमता भी पाई गई अतः इनका उपयोग मलेरिया उन्मूलन में भी हो सकता है।

क्लोरेला से हम पर्याप्त परिमाण में ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते वैज्ञानिक यह खोज कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को कैसे कृत्रिम यों द्वारा शैवाल से निकालकर औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त या जाय।

विभिन्न क्षेत्रों में शैवाल के उपयोगों को देखते हुए यह ज्ञात ता है कि कुछ ही दिनों में इसके महत्वपूर्ण तथा चमत्कारी गुणों रा हम मानव जाति की अनेक समस्याओं को आसानी से हल सकेंगे।

जहाँ शैवालों के अनेक लाभप्रद उपयोग हैं, वहाँ इनमें कुछ दोष पाए गए हैं। कुछ शैवाल जल को दूषित कर देते हैं। कुछ से ी गैसें निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। कुछ वाल दूसरे पौधों पर रोग भी फैलाते हैं। चाय की पत्ती का ल रोग, सेफेलयूरस (Cephaleuros), शैवाल के कारण ही ता है।

शैवाल के रासायनिक अवयव — इसकी जानकारी १८८३ ० से शुरू हुई जब स्टैनफर्ड (Stanford) ने शैवाल में ऐल्जि- क (Alginic) अम्ल की उपस्थिति का पता लगाया। विल्स- टर और स्टॉल (Willstatter and Stoll) ने शैवालों में पर्ण- रित और अन्य रंगीन पदार्थों की उपस्थिति बतलाई। १८९६ ई० मॉलिश (Molisch) ने सिद्ध किया कि शैवालों की वृद्धि के ये खनिज लवण आवश्यक हैं। फिर अनेक ने पूर्णतया अलग करके संघर्ष विलयन में किया। इनमें सबसे अधिक ी मिली। शैवाल के करने का श्रेय ी है, जिन्होंने सिद्ध क्रियाएँ प्रायः एक शैवालों में ारबुर्ग (शैवालों की ल्क (शैवाल कप ।

एनी (Eny, १९५० ई०), ऐंडरसन (Anderson, १९४५ ई०) और वेब्स्टर (Webster, १९५१ ई०) के अनुसंधान विशेष उल्लेखनीय हैं। इन वैज्ञानिकों के मतानुसार श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया है, जिसमें शर्करा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और शैवाल के निर्माण और वृद्धि में काम आती है।

सभी शैवालों में वर्णक यौगिक, विशेषतः पर्णहरित और कैरोटीन, होते हैं। किसी किसी में फाइकोसायानिन (Phycocyanin) भी पाया जाता है। यह वर्णक यौगिक प्रकाश के अवशोषण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर पर्णहरित बनाता है। पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालता है, जिसके द्वारा यौगिकों के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अपचयित पदार्थ का पुनः ऑक्सीकरण होकर, प्रकाश द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। ऐसी ही क्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा, स्टार्च, सेलूलोस आदि और फिर उनसे प्रोटीन, वसा, तेल आदि संश्लेषित होते हैं।

शैवाल के उपापचय के उत्पाद — शैवाल में शर्कराएँ पाई जाती हैं। कुछ में ग्लूकोस, कुछ में ट्रेहलोस, कुछ में पेंटोस पाए जाते हैं। इनकी मात्राएँ विभिन्न शैवालों में विभिन्न रहती हैं। अनेक शैवालों में स्टार्च पाए जाते हैं। ऐसे सब स्टार्च एक से नहीं होते हैं, कुछ में ग्लाइकोजेन भी पाया गया है। कुछ में लैमिनैरिन नामक शर्करा पाई गई है। शैवाल की कोशिकाओं की भित्ति होती है।

समुद्री शैवाल में ऐगार-ऐगार नामक पॉलिसैकराइड मिलता है। अन्य कई पॉलिसैकराइड विभिन्न शैवालों में मिलते हैं। शैवालों में वसा भी मिलती है। ऐसी वसा में प्रधानतया पामिटिक अम्ल रहता है। स्टेरॉल भी कुछ शैवाल में मिलते हैं। कुछ शैवालों में मिटोल भी, जो संभवतः फ्रक्टोस के अपचयन से बनता है, पाया गया है। शैवालों में जो प्रोटीन पाए गए हैं उनके विघटन उत्पाद, ऐमिनो अम्लों, का विस्तार से अध्ययन हुआ है। लगभग १६ ऐमिनो अम्ल अब तक पृथक् किए जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में आर्जिनिन पाया गया। [शि० ना० प्र०]

टिन (१४४२–१४९१) मार्टिन का पिता सुनार था, कला की दिशा में प्रेरित करने में उसने विशेष के एक बड़े ही मशहूर 'इनग्रेविंग स्कूल' गया, जहाँ से कितने ही विशिष्ट । पलाडर्स के समकालीन कलाकारों, की कलाटेकनीक और चित्रण- प्रभाव पड़ा। कोलमार की सेंट 'बर्थिन और बालक क्राइस्ट' की ही भव्य आकृति उसने अंकित नक्काशी में दक्ष था। उसने अनेक की जिनकी न सिर्फ जर्मनी में बल्कि स्पेन में भी खूब बिक्री हुई। विषय

ईसा-माँ के राज्यारोहण संबंधी चित्रमाला के अतिरिक्त मनोरागों के निदर्शन में रेखाओं की सुसंयोजना, प्रतिपाद्य विषय को सूक्ष्मता से आँकने तथा सघन एवं सुंदर आकृतियों के निर्माण में उसकी विशेष मौलिकता दृष्टिगत होती है। [ध० गु०]

शोधसंस्थान, भांडारकर प्राच्य इसकी स्थापना ६ जुलाई, १९१७ को पूना में श्री रामकृष्ण गोपाल भांडारकर की स्मृति में की गई थी। श्री भांडारकर भारत में प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध अग्रगामी नेताओं में से एक थे। स्थापना के दिन ही रामकृष्ण भांडारकर ने अपनी पुस्तकों और शोध संबंधी पत्रिकाओं का बृहद् पुस्तकालय संस्थान को अर्पित कर दिया और एक वर्ष बाद बंबई (अब महाराष्ट्र) की सरकार ने संस्कृत और प्राकृत के बीस हजार से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथों का अपना बहुमूल्य संग्रह संस्थान को दे देने का निश्चय किया। इसके सिवा उसने बंबई संस्कृत तथा प्राकृत ग्रंथमाला के प्रबंध का भार भी संस्थान को सौंप दिया। (इस ग्रंथमाला का आरंभ सन् १८६८ में किया गया था) यह बहुमूल्य परिसंपत्ति पाकर इस नवस्थापित संस्थान ने कई शैक्षिक योजनाएँ आरंभ करने का निश्चय किया। सन् १९१९ में उसने पूना में प्रथम सर्वभारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का आयोजन किया। उसने अपनी ओर से भी एक प्राच्य ग्रंथमाला का आरंभ किया। अप्रैल, १९१९ में उसने महाभारत का समीक्षात्मक संस्करण प्रकाशित करने का काम हाथ में लिया और उसी वर्ष उसने अपने शोध संबंधी पत्र 'ऐनल्स' का प्रथमांक प्रकाशित किया। युवकों को वैज्ञानिक अनुसंधान की विधियों में प्रशिक्षित करने के लिये संस्थान ने एक स्नातकोत्तर और गवेषणा विभाग की स्थापना की।

शोधसंस्थान के मुख्य विभाग ये हैं — १. हस्तलिखित ग्रंथ विभाग; २. प्रकाशन विभाग; ३. शोध विभाग; ४. महाभारत विभाग। हस्तलिखित ग्रंथ विभाग उन बहुसंख्यक पांडुलिपियों की देखभाल करता है, जो इस तरह के ग्रंथों का देश का सबसे बड़ा संग्रह है। अध्ययन और शोध में लगे छात्रों को ये पांडुलिपियाँ मँगनी भी दी जा सकती हैं। इन ग्रंथों का बृहद् सूचीपत्र ४५ खंडों में प्रकाशित हो रहा है जिनमें से २० से अधिक छप चुके हैं। यह विभाग संदर्भ ग्रंथों संबंधी सूचना प्रसारित करने के केंद्र का भी काम करता है और भारत के तथा बाहर के अन्य स्थलों के संग्रहों से हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त करने का भी प्रयत्न करता है। प्रकाशन विभाग कई ग्रंथमालाओं का, जैसे बंबई संस्कृत और प्राकृत ग्रंथमाला, राजकीय प्राच्य ग्रंथमाला, भांडारकर प्राच्य ग्रंथमाला आदि का, प्रकाशन करता है। संस्कृत एवं प्राकृत के कितने ही प्राचीन ग्रंथों के समीक्षात्मक एवं संक्षिप्त मूल पाठ प्रकाशित करने का श्रेय उसे प्राप्त है। कतिपय मौलिक व्याख्यात्मक एवं ऐतिहासिक पुस्तकें भी उसने प्रकाशित की हैं। कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें ये हैं — प्रोफेसर पी० वी० काणे द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रोफेसर एच० डी० वेलंकर द्वारा संपादित 'जिनरत्नकोश' तथा श्री आर० एन० दांडेकर द्वारा संपादित 'भारत विषयक सामग्री के अध्ययन की प्रगति।' इसके सिवा प्रकाशन विभाग 'ऐनल्स' (ऐतिहासिक अभिलेख) का भी प्रकाशन करता है।

स्नातकोत्तर तथा गवेषणा विभाग पूना विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त अंगीभूत संस्था है जो विश्वविद्यालय की डाक्टरेट उपाधि के लिये शिक्षार्थियों को तैयार करती है। बहुत से विदेशी विद्यार्थी भी इस विभाग में अध्ययन करते हैं। संस्थान का सब से अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य महाभारत का संक्षिप्त एवं समीक्षात्मक संस्करण प्रकाशित करना है। कई खंडोंवाले, १३,००० पृष्ठों के इस ग्रंथ का सारे संसार के सुयोग्य विद्वानों ने स्वागत किया है और इसे भारतीय विद्वत्ता की महती उपलब्धि माना है। संस्थान 'हरिवंश' का भी ऐसा ही समीक्षात्मक संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है। भांडारकर शोध संस्थान ही सर्व भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का केंद्रीय कार्यालय है जिसे सब भारतीय प्राच्यविदों की राष्ट्रीय संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो चुकी है। संस्थान का अपना पुस्तकालय तथा वाचनालय और एक अतिथिभवन भी है। [आर० एन० दांडेकर]

शोर, सर जॉन (१७५१-१८३४ ई०) सर जॉन शोर सन् १७९३ में भारत का गवर्नर जेनरल बनाया गया। भारत पहुँचने पर उसके सामने निजाम और मराठों का मामला आया। दोनों शक्तियों में शांति के संबंध में खटपट हुई थी और युद्ध की नौबत आ गई। दूसरे निजाम ने मराठों के विरुद्ध जॉन शोर से सहायता माँगी। शोर विचार कर शोर ने निजाम को सहायता देने से इनकार कर दिया। इस कार्य से देशी शक्तियों का अपनी पर विश्वास उत्पन्न हुआ। १७९५ में मराठों की निजाम पर विजय हुई।

पिछली संधि के विरुद्ध शोर ने अवध में सेना बढ़ा दी और नवाब आसफुद्दौला से धन माँगा। नवाब के विरोध करने पर शोर ने स्वयं लखनऊ जाकर नवाब को मजबूर किया। आसफुद्दौला की मृत्यु पर शोर की राय से वजीर अली गद्दी पर बैठा, पर बाद में उसने अपनी राय बदल दी और फायदे की शर्तों पर आसफ अली को गद्दी पर बिठला दिया। इसके अतिरिक्त, इस समय सेना में अशांति थी। सैनिक अफसरों ने अपनी माँगों पर इतना जोर दिया कि सन् १७९९ में शोर को उनकी बहुत सी बातें माननी पड़ीं। १७९८ में शोर इंग्लैंड लौट गया। [मि० ब० सं०]

शोलापुर १. जिला, भारत के महाराष्ट्र राज्य का जिला है, जिसका क्षेत्रफल ५,८०९ वर्ग मील तथा जनसंख्या १८,६०,११६ (१९६१) है। जिले की प्रमुख नदी भीमा है। जिले में कपास एवं गन्ने की खेती होती है। जिले में वर्षा कम होती है, अतः सिंचाई के लिये नहरें एवं तालाब बनाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा तालाब एकरुक (Ekruk) है, जिससे नगर को पानी मिलता है और आसपास की हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। पंढरपुर जिले का एक तीर्थस्थान है।

२. नगर, स्थिति : १७° ४१' उ० अ० तथा ७५° ५५' पू० दे०, महाराष्ट्र राज्य के उपर्युक्त जिले का यह नगर पूना से रेलमार्ग १६४ मील दूर है। यह नगर सूती वस्त्र उद्योग के भारत के ५ केंद्रों में से एक है और इसी कारण इसका विकास हुआ है और हो रहा है। यहाँ की बनी चादरें प्रसिद्ध हैं। नगर की जनसंख्या [illegible] (१९६१) है। [ध० ना० व०]

शौरसेनी यह उस प्राकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मध्यदेश में प्रचलित थी और जिसका केंद्र शूरसेन अर्थात् मथुरा और उसके आसपास का प्रदेश था। सामान्यतः उन समस्त लोकभाषाओं का नाम प्राकृत था जो मध्यकाल (ई० पू० ६०० से ई० सन् १००० तक) में समस्त उत्तर भारत में प्रचलित हुईं। प्रदेशभेद से मूलतः ही वर्णोच्चारण, व्याकरण तथा शैली की दृष्टि से प्राकृत के अनेक भेद थे, जिनमें से प्रधान थे — पूर्व देश की मागधी एवं अर्ध मागधी प्राकृत, पश्चिमोत्तर प्रदेश की पैशाची प्राकृत तथा मध्यदेश की शौरसेनी प्राकृत। मौर्य सम्राट् अशोक से लेकर असंख्य प्राचीनतम लेखों तथा साहित्य में इन्हीं प्राकृतों और विशेषतः शौरसेनी का ही प्रयोग पाया जाता है। भरत नाट्यशास्त्र में विधान है कि नाटक में शौरसेनी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाय अथवा प्रयोक्ताओं के इच्छानुसार अन्य देशभाषाओं का भी (शौरसेनं समाश्रित्य भाषा कार्या तु नाटके, अथवा सदृशः कार्या देशभाषाप्रयोक्तृभिः.—भ० ना० शा० १८,३४)। प्राचीनतम नाटक अश्वघोषकृत हैं (प्रथम शताब्दी ई०)। उनके जो खण्डावशेष उपलब्ध हुए हैं, उनमें मुख्यतः शौरसेनी तथा कुछ अंशों में मागधी और अर्धमागधी का प्रयोग पाया जाता है। भास के नाटकों में भी मुख्यतः शौरसेनी का ही प्रयोग पाया जाता है। पश्चात्कालीन नाटकों की प्रवृत्ति गद्य में शौरसेनी और पद्य में महाराष्ट्री की ओर पाई जाती है। आधुनिक विद्वानों का मत है कि शौरसेनी प्राकृत से ही कालांतर में भाषाविकास के क्रमानुसार उन विशेषताओं की उत्पत्ति हुई जो महाराष्ट्री प्राकृत के लक्षण माने जाते हैं (जिनके लिये देखिए 'महाराष्ट्री')। वररुचि, हेमचंद्र आदि वैयाकरणों ने अपने अपने प्राकृत व्याकरणों में पहले विस्तार से प्राकृत सामान्य के लक्षण बतलाए हैं और तत्पश्चात् शौरसेनी आदि प्राकृतों के विशेष लक्षण निर्दिष्ट किए हैं। इनमें शौरसेनी प्राकृत के मुख्य लक्षण दो स्वरों के बीच में आनेवाले त् के स्थान पर द् तथा थ् के स्थान पर ध्। जैसे अतीत > अदीद, कथं > कधं; तदनुसार ही क्रियापदों में भवति > भोदि, होदि; व भूत्वा > भोदूण, होदूण। भाषाविज्ञान के अनुसार ईसा की दूसरी शती के लगभग शब्दों के मध्य में आनेवाले त् तथा द् एवं क् ग् आदि वर्णों का भी लोप होने लगा और यही महाराष्ट्री प्राकृत की विशेषता मानी गई। प्राकृत का उपलब्ध साहित्य रचना की दृष्टि से इस काल से [illegible] ही है। अतएव उसमें शौरसेनी का उक्त शुद्ध रूप न [illegible] महाराष्ट्री मिश्रित रूप प्राप्त होता है और इसी [illegible] विद्वानों ने उसे उक्त प्रवृत्तियों की बहुलतानुसार जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। जैन शौरसेनी परंपरा का पाया जाता है। प्रमुख [illegible] पुष्पदंत एवं भूतबलिकृत षट्खंडागम नामक सूत्रग्रंथ हैं (समय [illegible] विशाल टीकाएँ वीरसेन तथा [illegible] लिखी गई हैं (९ वीं शती [illegible] पद्य में सबसे प्राचीन [illegible] तीसरी शती ई०)। [illegible] जिनके नाम हैं — रयणसार, बारस अणुवेक्खा तथा दर्शन, बोध पाहुडादि अष्ट पाहुड। इन ग्रंथों में मुख्यतया जैन दर्शन, अध्यात्म एवं आचार का प्रतिपादन किया गया है। मुनि आचार संबंधी मुख्य रचनाएँ हैं — शिवार्य कृत भगवती आराधना और वट्टकेर कृत मूलाचार। अनुप्रेक्षा अर्थात् अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाएँ भावशुद्धि के लिये जैन मुनियों के विशेष चिंतन और अभ्यास के विषय हैं। इन भावनाओं का संक्षेप में प्रतिपादन तो कुंदकुंदाचार्य ने अपनी 'बारस अणुवेक्खा' नामक रचना में किया है, उन्हीं का विस्तार से भले प्रकार वर्णन कार्तिकेयानुप्रेक्षा में पाया जाता है, जिसके कर्ता का नाम स्वामी कार्तिकेय है। (लगभग चौथी पाँचवीं शती ई०)।

(१) यति वृषभाचार्य कृत तिलोयपण्णत्ति (६ वीं शती ई० से पूर्व) में जैन मान्यतानुसार त्रैलोक्य का विस्तार से वर्णन किया गया है, तथा पद्मनंदीकृत जंबूदीवपण्णत्ति में जंबूद्वीप का।

(२) स्याद्वाद और नय जैन न्यायशास्त्र का प्राण है। इसका प्रतिपादन शौ० प्रा० में देवसेन कृत लघु और बृहत् नयचक्र नामक रचनाओं में पाया जाता है (१० वीं शती ई०)।

जैन कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करनेवाला शौ० प्रा० ग्रं० है — नेमिचंद्रसिद्धांत चक्रवर्ती कृत गोम्मटसार, जिसकी रचना गंगनरेश मारसिंह के राज्यकाल में उनके उन्हीं महामंत्री चामुंडराय की प्रेरणा से हुई थी, जिन्होंने मैसूर प्रदेश के श्रवणबेलगोला नगर में उस सुप्रसिद्ध विशाल बाहुबलि की मूर्ति का उद्घाटन कराया था (११ वीं शती ई०)। उपर्युक्त समस्त रचनाएँ प्राकृत-गाथा-निबद्ध हैं।

जैन साहित्य के अतिरिक्त शौ० प्रा० का प्रयोग राजशेखरकृत कर्पूरमंजरी, रुद्रदासकृत चंद्रलेखा, अनंगसेनकृत आनंदसुंदरी नामक सट्टकों में भी पाया जाता है। यद्यपि कर्पूरमंजरी के प्रथम विद्वान् संपादक डा० स्टेनकोनो ने दर्जनों प्राचीन प्रतियों के प्रमाण के विरुद्ध अपनी एक धारणा के बल पर गद्य में शौरसेनी और पद्य में महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियाँ लाने का प्रयास किया, तथापि डा० सत्यमोहन घोष ने इस प्रवृत्ति को अनुचित बतलाकर समस्त सट्टक में ही शौरसेनी की प्रवृत्ति [illegible] की है। शेष सट्टकों में भी गद्य [illegible] भाषा दृष्टिगोचर होती है, जो [illegible] हुए है। (देखिए : विशाल [illegible] का व्याकरण, दिनेशचंद्र [illegible] डु [illegible] न डु [illegible] ला०]

शौनेसीन की [illegible] किलोमीटर [illegible] पोमेरेनिया की [illegible] ओर जेम्स [illegible] में नष्ट कर [illegible] १८७४ में तोड़ [illegible] विद्यमान हैं। प्राचीन [illegible] नगर का लगभग ५०

प्रति का भाग द्वितीय विश्वयुद्ध में नष्ट हो गया था। यह नगर सन् १९४८ से १७२० तक प्रशिया के अधिकार में रहा, सन् १७२० से १९४५ तक प्रशिया का भाग रहा तथा १९४५ ई० की पोट्सडम संधि के बाद यह पोलैंड में मिल गया। तभी से नगर के पुनर्निर्माण एवं नवीन विकास का कार्य तेजी से नियोजित ढंग पर हो रहा है। यह लोहा, इंजिनियरी, चरम, रसायन, सीमेंट, मादुर, तेल, कागज और चीनी उद्योग का केंद्र है। यहाँ से चीनी, शराब, साबुन, मादुर एवं आटे का निर्यात किया जाता है तथा लोहा, काठ, सीमेंट, कहवा, रसायन, मक्खन एवं लकड़ी का आयात किया जाता है। नगर की जनसंख्या, २,९६,००० (१९६०) है। [ग० ला० ड०]

श्नोर्र फान कारोल्सफेल्ड जूलियस (१७९४–१८७२) जर्मन चित्रकार। १७ वर्ष की अवस्था में ही उसका चित्र एकेडेमी में प्रवेश हो गया, किंतु प्राचीन परंपरागत कलाकृतियों के प्रतिक्रियास्वरूप जो वहाँ उपस्थित हुआ उसमें भाग लेने के कारण उसे शिक्षा समाप्त होने के एक वर्ष पूर्व ही निकाल दिया गया। १८१८ में रेफलाइट (रैफेल पूर्व) जर्मन कलाकारों का एक दल रोम की कलायात्रा के लिये रवाना हुआ। वह भी उसमें संमिलित हो गया। १८२५ में वह रोम छोड़कर म्यूनिख में आ गया। प्राचीन धार्मिक रूढ़ कला के विरुद्ध उसने एक विशिष्ट कला टेक्नीक का आविष्कार किया। उसने भित्तिचित्रण और इमारतसज्जा की नींव डाली। रोम की कलापरंपराओं को उसने जर्मनी में प्रचलित किया। मैसिमो विला के प्रवेशद्वार की चित्रणसज्जा का कार्य उसे सौंपा गया था जो उसने दो अन्य कलाकारों के साथ मिलकर सम्पन्न किया। चर्च की दीवारों, खिड़कियों, गवाक्षों में निर्मित उसके सैकड़ों डिजाइनों में बाइबिल के धार्मिक कथाप्रसंगों के अतिरिक्त उसके व्यंगचित्र भी मिलते हैं। उदार और प्रगतिशील विचारों का होने के कारण वह धार्मिक चित्रण में सदैव नए और तरीकों का समर्थक रहा। [स० रा० गु०]

श्पेमान, हैंस (Spemann, Hans, सन् १८६९–१९४१), जर्मन प्राणिविज्ञानी, का जन्म स्टटगार्ट (Stuttgort) में हुआ था और इन्होंने हाइडेलबर्ग, म्यूनिख तथा वर्टसबुर्ग (Wurburg) में शिक्षा पाई थी।

सन् १९०८ में रॉस्टॉक में, सन् १९१४ में कैसर विल्हेल्म इंस्टिट्यूट में तथा सन् १९१६ में फ्राइबुर्ग इम ब्राइसगॉउ (Freiburg im Brisgou) में ये प्रोफेसर नियुक्त हुए।

श्पेमान विचक्षण प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने भ्रूण के ऊतकों के रोपण की एक रीति का विकास किया। उभयचरों के भ्रूणविकास निर्धारण के कालिक तथा स्थैतिक संबंधों की खोज के लिये आपने अनेक प्रयोग किए। ये भ्रूणों में संगठनकेंद्रों के आविष्कर्ता थे। इन्होंने कोरकरंध्र (blastopore) के ओष्ठ के संगठन कर्म का सप्रयोग निदर्शन किया। इस उपलब्धि ने अन्य जीवों में, इसी प्रकार के संगठनकेंद्रों का पता लगाने तथा पहचानने की रीतियों से संबंधित रासायनिक अध्ययनों को जन्म दिया। सन् १९३५ में आपकी खोजों के उपलक्ष्य में आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

श्मिट, जोहैनीस (Schmidt, Johannes, सन् १८३८–१९०१), डेनमार्क वासी भाषावैज्ञानिक, का जन्म सीसलिंग (Jesslingen) में तथा शिक्षा कोपनहेगन में हुई थी।

सन् १८६६ में इन्होंने बल्गार बनारसियों की ओर से स्लाव (पार्टिक) को अधिकार कर, वैज्ञानिक जीवन धारण किया। सन् १९१० में कार्लब्रुन सरवार की प्रयोगशाला में ध्वनि (Lup) के क्षेत्र तथा भाषावैज्ञानिक अनुसंधान में आप लगे रहे, परंतु विज्ञान को आपकी सबसे बड़ी देन सागर विज्ञान के क्षेत्र में थी। कुछ समय तक ये सागर अन्वेषण के लिये गठित, अंतरराष्ट्रीय संस्था के सदस्य रहे। आपकी रुचि मछलियों के विकास की ओर थी।

एक सागरयात्रा में मुद्रा अंध महासागर में आपने ऐसे एक वासी ईल (eel) मछली के डिंभक (लार्वा) पाए और उन्हें एकत्र किया। इससे प्रेरित होकर, इन्होंने भिन्न आयुओं के डिंभों की खोज आरंभ की तथा यह सिद्ध करने में सफल हुए कि नदियों के मीठे जल की ईल मछली के अंडे देने का स्थान, जिसकी खोजकर्ता ये खोज थी, सीवर्ड और बाहामा द्वीपों के मध्य स्थित है।

सागर विज्ञान के क्षेत्र में इस महत् खोज के सिवाय, आपके सागरयात्राओं तथा मछलियों के बच्चों संबंधी जीवशास्त्रीय अनुसंधानों से, सागरों के प्राणीसमूह तथा मत्स्यों के बारे में हमारी जानकारी में अतीव वृद्धि हुई। [अ० द० द०]

श्यानता (Viscosity) आम तौर पर यह देखा जाता है कि सभी वस्तुएँ, चाहे वे गैस, द्रव अथवा ठोस हों, यदि उनका विरूपण (deformation) होता है, अथवा उनके पिंड (body) के विभिन्न हिस्सों में सापेक्ष गति (relative motion) करा जाती है, तो उनमें अवरोध करने की प्रवृत्ति होती है। कुछ वस्तुओं में इस प्रवृत्ति की कोटि (degree) ज्यादा होती है और कुछ में कम। जब हम पानी को चिकनी सतह पर गिराते हैं, तो यह देखा जाता है कि पानी तेजी से बहता है, लेकिन यदि हम शीरा (treacle) या ग्लिसरीन की उतनी ही मात्रा उसी प्रकार की चिकनी सतह पर गिराएँ, तो यह सतह पर फैलने में ज्यादा समय लेता है। शीरे की किस्म की वस्तुओं को, जो फैलने में ज्यादा समय लेती हैं, साधारण लोगों की भाषा में चिपचिपी या श्यान (viscous) कहते हैं, जब कि पानी जैसी वस्तुओं को तरल अथवा गतिशील (mobile) की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शीरा पानी से ज्यादा श्यान है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि स्वरूपपरिवर्तन शीरे में धीरे धीरे होता है, जब कि पानी जैसी वस्तुओं में तेजी से। श्यानता तरलों (fluids) का वह गुण है जिसके कारण तरल उन बलों (forces) का विरोध करता है जो उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं। इस प्रकार हम श्यानता को किसी भी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण (internal friction) के रूप में भी देख सकते हैं। द्रवों तथा गैसों, दोनों में, श्यानता का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रव गैसों की अपेक्षा ज्यादा श्यान होते हैं। इसी श्यानता के कारण द्रव की एक परत (layer) [illegible] होकर आगे बढ़ती है।

द्रवों की श्यानता (Viscosity of liquids) — दो ऐसी असीमित समांतर पट्टिकाओं (plates) की कल्पना करें जिनके बीच में एक द्रव पदार्थ रखा हुआ है (देखें चित्र)। मान

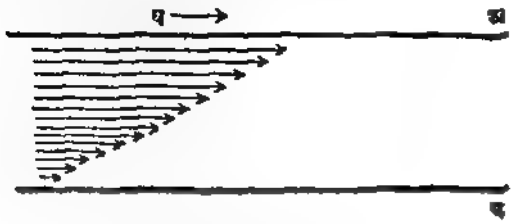

चित्र

लीजिए पट्टिका अ अपने ही समतल (plane) में, दाहिनी दिशा में, एक स्थिर वेग (constant velocity) व से आगे बढ़ रही है, जिसे चित्र में तीर द्वारा दिखाया गया है, तथा पट्टिका ब अपनी स्थिर अवस्था में है। तात्पर्य यह है कि पट्टिका अ का सापेक्ष वेग व है। ऐसी अवस्था में यह कहा जाता है कि द्रव पदार्थ पूरा का पूरा वेग व से तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में गतिमान है। यदि द्रव का प्रवाह धारारेखी गति (streamline motion) में हो रहा हो, तो द्रव की वह परत जो स्थिर पट्टिका ब के संपर्क में है, अचल अवस्था में रहती है, जबकि अन्य दूसरी परतों का प्रवाह सतह के समांतर होता रहता है। लेकिन इन परतों का वेग, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अंतिम परत, जो पट्टिका अ के संपर्क में होती है, उसका वेग व ही होता है। अब हम द्रव में किसी क्षैतिज समतल (horizontal plane) पर ध्यान देंगे। इस समतल के अणुओं को इसके ठीक ऊपरवाली परत के अणुओं द्वारा त्वरण (acceleration) मिलता है, क्योंकि ऊपरवाली परत के अणुओं का वेग इस समतल के अणुओं के वेग से ज्यादा होता है, जबकि क्षैतिज समतल के ठीक नीचे की परत के अणुओं द्वारा क्षैतिज समतल के अणुओं की गति में मंदन लाया जाता है। इसी प्रकार द्रव की प्रत्येक परत अपने ठीक ऊपरवाली परत पर एक स्पर्शरेखीय पश्च बल (tangential backward force) डालती है, जिसके कारण इन दोनों परतों के बीच की सापेक्ष गति नष्ट होती है। परिणामस्वरूप यदि हमें द्रव की समांतर परतों के बीच सापेक्ष गति रखनी हो, तो यह अत्यावश्यक है कि एक बाहरी बल (external force) को इस पश्चकर्षण (backward drag) पर हावी (overcome) होना चाहिए। यदि बाहरी बल नहीं होगा, तो कुछ समय के बाद द्रव की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति समाप्त हो जायगी। किसी द्रव का वह गुण जिसके सामर्थ्य की बदौलत, द्रव अपनी ही विभिन्न परतों के बीच की सापेक्ष गति का विरोध करता है, द्रव की श्यानता, अथवा आंतरिक घर्षण (internal friction), कहलाता है। यह गुण, जो एक द्रव से दूसरे द्रव में केवल डिग्री या कोटि में ही अंतर रखता है, हर एक तरल का एक अंतर्निहित गुणधर्म है।

धारारेखी गति के लिये, न्यूटन के श्यान प्रवाह (Viscous flow) के नियम के अनुसार, द्रव की समांतर परतों के बीच स्पर्शरेखीय श्यान बल F को नीचे दिए गए संबंध द्वारा दिखलाया जाता है :

$$F = -\eta . A . \frac{dv}{dx} \quad \ldots \ldots (१)$$

जहाँ A = समांतर परतों का क्षेत्रफल, dx = परतों के बीच की दूरी, dv = परतों की सापेक्ष गति, dv/dx = वेग प्रवणता (velocity gradient) तथा η एक स्थिरांक (constant) है, जिसे 'द्रव की श्यानता का गुणांक' कहा जाता है। यह, अथवा इसका मान, द्रव की प्रकृति तथा भौतिक दशाओं (physical conditions) पर निर्भर करता है। यदि हम ऊपर दर्शाए गए संबंध (1) में A = 1 , dv/dx = 1 रखें, तो F = − η होगा। अतएव किसी द्रव की 'श्यानता के गुणांक' की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है : किसी द्रव के दो समांतर तलों के बीच इकाई वेग प्रवणता रखने के लिये जो स्पर्शरेखीय बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिये आवश्यक होता है, उसे उस द्रव की 'श्यानता का गुणांक' कहते हैं। भौतिक शास्त्र में जो इकाइयाँ आम तौर पर बल लंबाई तथा समय के लिये आती हैं, वही श्यानता गुणांक के लिये प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे डाइन, सेंटीमीटर तथा सेकंड।

यद्यपि ऊपर दी पट्टिकाओं तथा उनके बीच द्रव की उपस्थिति जैसी व्यवस्था की कल्पना कर, आसानी से 'श्यानता के गुणांक' की परिभाषा की गई है, तथापि प्रयोगात्मक रूप में ऐसी व्यवस्था को पाना संभव नहीं है। पहले पहल पानी जैसी तरल वस्तुओं का 'श्यानता का गुणांक' पानी के बहाव को, केशिका नलिकाओं से गुजरने के बाद, मापकर निकाला गया और आजकल भी यह तरीका विशद रूप से प्रयोग में लाया जाता है।

मान लीजिए कि, कोई द्रव, जैसे पानी, किसी वृत्तीय छेद की संकीर्ण नली से होकर गुजर रहा है। यदि पानी धारारेखी गति से संकीर्ण नली से होकर प्रवाहित हो रहा है तथा नली के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के ऊपर दबाव एक समान हो और द्रव की वह परत जो नली की गोलीय दीवार के संपर्क में हो एवं प्रयोगात्मक रूप से स्थिर हो, तो पानी का श्यानतागुणांक नीचे दिए हुए संबंध द्वारा निकाला जा सकता है :

$$Q = \frac{\pi p a^4}{8 l \eta} \ldots \ldots \ldots \ldots (२)$$

जहाँ Q = पानी का वह आयतन जो प्रति सेकंड नली से होकर गुजरता है, a = संकीर्ण नली का अर्धव्यास, p = दबाव का अंतर जो नली के दोनों सिरों के बीच होता है, l = संकीर्ण नली की लंबाई तथा η = श्यानता का गुणांक है।

केशिका श्यानतामापी (Capillary viscometers) — श्यानता-गुणांक के शुद्ध, पूर्ण तथा ठीक ठीक निर्धारण के लिये यह आवश्यक है कि श्यानता के यथार्थ आयाम (exact dimensions) मालूम हों, पर यह कठिन कार्य है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्यानतामापन के लिये सरल उपकरण, जिन्हें श्यानतामापी कहते हैं, प्रयुक्त होते

हैं। इन उपकरणों को उन द्रवों द्वारा अंशांकित किया जाता है जिनकी श्यानता मालूम है। ये उपकरण साधारणतया केशिका प्रवाह अथवा घूर्ण ऐंठन (rotational torque) के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। केशिकाप्रवाह किस्म के उपकरणों में ओसवाल्ट का बनाया हुआ उपकरण सर्वविदित है तथा सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। इस उपकरण में द्रव के नवचंद्रक (meniscus) के एक स्थिर चिह्न से दूसरे स्थिर चिह्न तक के गिरने का समय मापा जाता है तथा नीचे दिए हुए सूत्र से श्यानता का गुणांक निकाला जाता है। इन उपकरणों को प्रयोग में लाते समय एक मानक आयतन ही लिया जाता है।

गतिक श्यानता (Kinematics viscosity) =

$$K = \eta/\rho = At - B/t \qquad \ldots\ldots (३)$$

जहाँ η = श्यानतागुणांक है, ρ = द्रव का घनत्व है, तथा A एवं B = उपकरण स्थिरांक हैं तथा t = द्रवप्रवाह का समय है।

जिन द्रवों की श्यानता बहुत ज्यादा होती है, उनके लिये सूत्र (३) का दूसरा खंड (factor) शून्य होता है और इस प्रकार :

$$K = \eta/\rho = At \qquad \ldots\ldots (४)$$

अतएव गतिक श्यानताओं का अनुपात, दो द्रवों में, सूत्र (५) द्वारा दिया जाता है :

$$K_1/K_2 = t_1/t_2 \qquad \ldots\ldots (५)$$

तथा यही सूत्र ओसवाल्ट द्वारा प्रयोग में लाया गया था।

श्यानता और ताप (Viscosity and Temperature) — प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि, काफी हद तक, द्रवों की श्यानता ताप पर निर्भर है। यद्यपि इस क्षेत्र में काफी प्रयोग किए जा चुके हैं, तथापि कोई ऐसा साधारण सूत्र नहीं मिला जो श्यानता तथा ताप के संबंध की उच्च यथार्थता को प्रदर्शित करे। प्रायः यह पाया जाता है कि पूरे क्षेत्र में ताप के बढ़ने के साथ साथ श्यानता घटती चली जाती है, लेकिन श्यानता में यह घटाव प्रति अंश निम्न ताप पर ऊँचे ताप की अपेक्षा ज्यादा होता है। श्यानता तथा ताप के संबंध में सर्वप्रथम स्लॉट (Slotte) द्वारा एक मूलानुपाती सूत्र (empirical formula) दिया गया, जो बाद में संशोधित हुआ तथा शुद्ध द्रवों के संबंध में ही लागू होता है। आगे चलकर ऐंड्राडे के सिद्धांत (Andrade's theory) पर एक जटिल श्यानता-ताप-संबंध दिया गया, जो प्रयोगों से काफी संतोषप्रद पाया गया है और वह इस प्रकार है :

$$\eta\, v^{1/3} = Ae^{C/vT} \qquad \ldots (६)$$

यहाँ A तथा C स्थिरांक (constants) हैं, T = ताप तथा v = विशिष्ट आयतन (specific volume) है।

ताप के बढ़ने के साथ साथ गैसों का श्यानता गुणांक बढ़ता है। इसके संबंध में सदरलैंड (Sutherland) ने एक सूत्र दिया है, जो इस प्रकार है :

$$\frac{\eta_1}{\eta_0} = \frac{273 + C}{T + C}\left(\frac{T}{273}\right)^{3/2} \qquad \ldots (७)$$

जहाँ η_1 तथा η_0 क्रमशः ताप T° तथा 0° सेंटीग्रेड पर श्यानता के गुणांक हैं, तथा C को सदरलैंड स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, जो भिन्न भिन्न गैसों के लिये भिन्न होता है।

श्यानता और दबाव (Viscosity and Pressure) — जिन द्रवों की श्यानता ज्यादा होती है, जैसे खनिज तेल की, उनकी श्यानता का गुणांक दबाव के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। केवल पानी को छोड़कर अन्य सभी द्रवों में करीब करीब ऐसी ही स्थिति पाई गई है। पानी में पहले कई सौ वायु दबाव (few hundred atmospheric pressures) तक श्यानतागुणांक घटता जाता है, तदुपरांत इसका श्यानतागुणांक अन्य द्रवों की तरह दबाव के साथ साथ बढ़ता है।

गैसों के बारे में यह पाया गया है कि साधारणतया उनके दबाव का श्यानतागुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु सूक्ष्म दबाव पर श्यानतागुणांक दबाव के घटने के साथ साथ ही घटता जाता है। जिस दबाव पर यह प्रभाव आरंभ होता है, वह इन दो बातों पर निर्भर करता है : (१) बरतन के आकार पर, जिसमें गैस भरी होती है, तथा (२) गैस की प्रकृति पर।

श्यानता और रासायनिक रचना (Viscosity and Chemical Constitution) — सर्वप्रथम टॉमस ग्राहम (Thomas Graham) ने यह सुझाव दिया कि एक ही प्रकार की रचना के यौगिकों का श्यानता गुणांक नियमित ढंग से बढ़ सकता है, यदि उनके अणुओं या समूहों की संख्या बढ़ाई जाय। प्रयोगों से थॉर्प तथा रॉडजर (Thorpe and Rodger) ने यह पाया कि किसी सजातीय श्रेणी का श्यानतागुणांक उसके अणुभार के साथ बढ़ता जाता है। यह वृद्धि नियमित ढंग से होती है, जबकि सजातीय श्रेणी के [illegible] या तीन यौगिक अनियमता दर्शाते हैं।

श्यानता का महत्व — जब जहाज पानी पर विचरण करता है तब समुद्र का पानी श्यान अवरोध प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार हवा भी हमारे हवाई जहाजों तथा कारों की राह में अवरोध उपस्थित करती है। हमारी कलम की स्याही की विशेषता काफी हद तक उसकी श्यानता पर निर्भर है। स्नेहकों (lubricants) के प्रयोग का आधार ही श्यानता है। हम सब लोगों की धमनियों तथा शिराओं में रुधिरपरिसंचरण (circulation of blood) रुधिर की श्यानता पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार जनजीवन में श्यानता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। [अ० ला०]

श्यामसुंदर दास, डॉ० (जन्म १८७५-१९४५ ई०) हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान्, आलोचक और शिक्षाविद्। जन्म काशी में हुआ और यहीं क्वींस कालेज से सन् १८९७ में बी० ए० किया। जब इटर के छात्र थे तभी सन् १८९३ में मित्रों के सहयोग से काशी नागरीप्रचारिणी सभा की नींव डाली और ४२ वर्षों तक निरंतर उसके संवर्धन में बहुमूल्य योग देते रहे। १९२२-२६ में 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' निकलने पर उसके प्रथम संपादक नियुक्त हुए और बाद में कई बार वर्षों तक उसका संपादन किया। 'सरस्वती' के भी आरंभिक तीन वर्षों (१९२२-२४) तक संपादक रहे। १९२२ में हिंदू स्कूल के अध्यापक नियुक्त हुए और कुछ दिनों बाद

श्यामसुंदर दास (देखें पृष्ठ ३१४)

रामचंद्र गुप्त (

हिंदू कालेज में अंगरेजी के जूनियर प्रोफेसर नियुक्त हुए। १९०९ में जम्मू महाराज के स्टेट आफिस में काम करने लगे जहाँ दो वर्ष रहे। १९१३ से १९२१ तक सपनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में हेडमास्टर रहे। इनके उद्योग से विद्यालय की अच्छी उन्नति हुई। १९२१ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुल जाने पर इन्हें अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया। पाठ्यक्रम के निर्धारण से लेकर हिंदी भाषा और साहित्य की विश्वविद्यालयस्तरीय शिक्षा के मार्ग की अनेक बाधाओं को हटाकर योग्यतापूर्वक हिंदी विभाग का संचालन और संवर्धन किया। इस प्रकार इन्हें हिंदी की उच्च शिक्षा के प्रवर्तन और आयोजन का श्रेय है। उस समय विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों और आलोचना ग्रंथों का अभाव था। इन्होंने स्वयं अपेक्षित ग्रंथों का संपादन किया, समीक्षाग्रंथ लिखे और अपने सुविज्ञ सहयोगियों से लिखवाए।

काशी नागरीप्रचारिणी सभा के माध्यम से श्री श्यामसुंदरदास ने हिंदी की बहुमुखी सेवा की और ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का सूत्रपात एवं संचालन किया जिनसे हिंदी की अभूतपूर्व उन्नति हुई। न्यायालयों में नागरी के प्रवेश के लिये मालवीय जी आदि की सहायता से उन्होंने सफल उद्योग किया। हिंदी वैज्ञानिक कोश के निर्माण में भी योग दिया। हिंदी की लेख तथा लिपि प्रणाली के सुधार के लिये आरंभिक प्रयत्न (१८९८) किया। हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का काम आरंभ कर इन्होंने उसे नौ वर्षों तक चलाया और उसकी सात रिपोर्टें लिखीं। 'हिंदी शब्दसागर' के ये प्रधान संपादक थे। यह विशाल शब्दकोश इनके अप्रतिम बुद्धिबल और कार्यक्षमता का प्रमाण है। १९०७ से १९२९ तक अत्यंत निष्ठा से इन्होंने इसका संपादन और कार्यसंचालन किया। इस कोश के प्रकाशन के अवसर पर इनकी सेवाओं को मान्यता देने के निमित्त 'कोशोत्सव स्मारक संग्रह' के रूप में इन्हें अभिनंदन ग्रंथ अर्पित किया गया।।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापनकार्य के समय उच्च अध्ययन में उपयोग के लिये इन्होंने भाषाविज्ञान, आलोचना शास्त्र और हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकासक्रम पर श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे।

इन्होंने परिचयात्मक और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने के साथ ही कई दर्जन पुस्तकों का संपादन किया। पाठ्य पुस्तकों के रूप में इन्होंने कई दर्जन सुसंपादित संग्रह ग्रंथ प्रकाशित कराए। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं — हिंदी कोविद रत्नमाला भाग १, २ (१९०९-१९१४), साहित्यालोचन (१९२२), भाषाविज्ञान (१९२३), हिंदी भाषा और साहित्य (१९३०) रूपकरहस्य (१९३१), भाषारहस्य भाग १ (१९३५), हिंदी के निर्माता भाग १ और २ (१९४०-४१), मेरी आत्मकहानी (१९४१), कबीर ग्रंथावली (१९२८), साहित्यिक लेख (१९४५)।

श्यामसुंदरदास का व्यक्तित्व तेजस्वी और जीवन हिंदी की सेवा के लिये अर्पित था। जिस जमाने में उन्होंने कार्य शुरू किया उस समय का वातावरण हिंदी के लिये अत्यंत प्रतिकूल था। सरकारी कामकाज और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में वह उपेक्षित थी। हिंदी बोलनेवाला अशिक्षित समझा जाता था। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हिंदी के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिये उन्होंने काशी नागरीप्रचारिणी सभा को केंद्र बनाकर जो अभूतपूर्व संघबद्ध प्रयत्न किया उसका ऐतिहासिक महत्व है। वे उच्च कोटि के संगठनकर्ता और व्यवस्थापक थे। समर्थ मित्रों के सहयोग और अपने बुद्धिबल तथा कर्मठता से उन्होंने हिंदी की उन्नति के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों का डटकर सामना किया और सफलता प्राप्त की। उनकी दृष्टि व्यक्तियों की क्षमता पहचानने में अचूक थी। उन्होंने अनेक व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर साहित्य के क्षेत्र में ला खड़ा किया। इसीलिये कहा गया है कि उन्होंने 'ग्रंथों की ही नहीं, ग्रंथकारों की भी रचना की'।

उनकी हिंदीसेवाओं से प्रसन्न होकर अंगरेज सरकार ने 'रायबहादुर', हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 'साहित्यवाचस्पति' और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डी० लिट्० की सम्मानोपाधि प्रदान की। [वि० शं० म०]

श्यामाचरण लाहिड़ी १९ वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक जिन्होंने सद्गृहस्थ के रूप में यौगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। आपका जन्म बंगाल के नदिया जिले की प्राचीन राजधानी कृष्णनगर के निकट धरणी नामक ग्राम के एक संभ्रांत ब्राह्मण कुल में अनुमानतः १८२५-२६ ई० में हुआ था। आपका पठनपाठन काशी में हुआ। बँगला, संस्कृत के अतिरिक्त आपने अंग्रेजी भी पढ़ी यद्यपि कोई परीक्षा नहीं पास की। जीविकोपार्जन के लिये छोटी उम्र में सरकारी नौकरी में लग गए। आप दानापुर में मिलिटरी एकाउंट्स आफिस में थे। कुछ समय के लिये सरकारी काम से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक स्थान पर भेज दिए गए। हिमालय की इस उपत्यका में गुरुप्राप्ति और दीक्षा हुई। आपके तीन प्रमुख शिष्य युक्तेश्वर गिरि, केशवानंद और प्रणवानंद ने गुरु के संबंध में प्रकाश डाला है। योगानंद परमहंस ने 'योगी की आत्मकथा' नामक जीवनवृत्त में गुरु को बाबा जी कहा है। दीक्षा के बाद भी इन्होंने कई वर्षों तक नौकरी की और इसी समय से गुरु के आज्ञानुसार लोगों को दीक्षा देने लगे थे। सन् १८८० में पेंशन लेकर आप काशी आ गए। इनकी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योगदर्शन और अनेक संहिताओं की व्याख्या भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिरशांति प्राप्त कर मोक्ष के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। आपने अपने सहज आडंबररहित गार्हस्थ्य जीवन में यह प्रमाणित कर दिया था। धर्म के संबंध में बहुत कट्टरता के पक्षपाती न होने पर भी आप प्राचीन रीतिनीति और मर्यादा का पूर्णतया पालन करते थे। शास्त्रों में आपका अटूट विश्वास था।

जब आप रानीखेत में थे तो अवकाश के समय शून्य विजन में पर्यटन कर प्राकृतिक सौंदर्यनिरीक्षण करते। इसी भ्रमण में दूर से अपना नाम सुनकर द्रोणगिरि नामक पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ थोड़ी सी खुली जगह में अनेक गुफाएँ थीं। इसी एक गुफा के कगार पर एक तेजस्वी युवक खड़े दीख पड़े। उन्होंने हिंदी में गुफा में विश्राम करने का संकेत किया। उन्होंने कहा

'मैंने ही तुम्हें बुलाया था'। इसके बाद पूर्वजन्मों का वृत्तांत बताते हुए शक्तिपात किया। बाबा जी से दीक्षा का जो प्रकार प्राप्त हुआ उसे क्रियायोग कहा गया है। क्रियायोग की विधि केवल दीक्षित साधकों को ही बताई जाती है। यह विधि पूर्णतया शास्त्रोक्त है और गीता उसकी कुंजी है। गीता में कर्म, ज्ञान, सांख्य इत्यादि सभी योग हैं और वह भी इतने सहज रूप में जिसमें जाति और धर्म के बंधन बाधक नहीं होते। आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी को बिना भेदभाव के दीक्षा देते थे। इसीलिये आपके भक्त सभी धर्मानुयायी हैं। उन्होंने अपने समय में व्याप्त कट्टर जातिवाद को कभी प्रश्रय नहीं दिया। वह अन्य धर्मावलंबियों से यही कहते थे कि आप अपनी धार्मिक मान्यताओं का आदर और अभ्यास करते हुए क्रियायोग द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पात्रानुसार भक्ति, ज्ञान, कर्म और राजयोग के आधार पर व्यक्तित्व और प्रवृत्तियों के अनुसार साधना करने की प्रेरणा देते। उनके मत से शास्त्रों पर श्रद्धा अथवा विवाद न कर उनका तत्व आत्मसात् करना चाहिए। अपनी समस्याओं के हल करने का आत्मचिंतन से बढ़कर कोई मार्ग नहीं।

लाहिड़ी महाशय के प्रवचनों का पूर्ण संग्रह प्राप्त नहीं है किंतु गीता, उपनिषद्, संहिता इत्यादि की अनेक व्याख्याएँ बँगला में उपलब्ध हैं। भगवद्गीताभाष्य का हिंदी अनुवाद लाहिड़ी महाशय के शिष्य श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल ने प्रस्तुत किया है। श्री लाहिड़ी की अधिकांश रचनाएँ बँगला में हैं। [धी० पां०]

श्यामानंद इनका जन्म पौष शु० १२, सं० १६६० को उड़ीसा के धारेंदा ग्राम में हुआ। पिता का नाम कृष्णमंडल तथा माता का दुरिका दासी था। बाल्य के अनंतर यह सुवर्णरेखा नदी के तटस्थ अंबुया ग्राम में चले गये। वहीं इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनका नाम दुखी कृष्णदास था। [illegible] हृदयचैतन्य से दीक्षा लेकर [illegible] वृंदावन पहुँचे। वहाँ श्री जीव गोस्वामी के यहाँ [illegible] कुछ वर्ष रहे। [illegible] [illegible]

[illegible]

श्येन [illegible]

फैल्कोनिडी कुल — इस कुल के पक्षी महाश्येन, बाज, बहरी, शिकरा, टीसा, तुरमती, शेर मुतिया, लगर, चरग या चरख और [illegible] हैं। महाश्येन कई प्रकार के होते हैं। ये अनेक देशों में पाए जाते हैं और भारत के हिमालय के ऊँचे प्रदेश में भी पाए जाते हैं। भारत के मैदानों में पाए जानेवाले महाश्येन छोटे होते हैं, जिन्हें उकाब (Tawny eagle) कहते हैं (देखें महाश्येन)। उकाब गहरे रंग का, [illegible] तथा लंबी पूँछवाला पक्षी है। इसकी शक्ल सूरत बहुत कुछ चील से मिलती जुलती है। इसके पंजे बड़े मजबूत होते हैं। इसकी मादा २६ इंच की और नर लगभग २४ इंच के होते हैं। मादा पेड़ों पर घोंसला बनाकर, उसमें एक से तीन तक अंडे देती है। अंडे [illegible] या सफेद रंग के होते हैं।

बाज (goshawk) भारत में सर्वत्र पाया जाता है। लगभग २० इंच लंबा यह पक्षी बड़ा बहादुर शिकारी है। इसके पंजे मजबूत होते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा राखीरंग लिए भूरा होता और सिर भूरा और गरदन के दोनों बगल का हिस्सा काला होता है। नर तथा मादा दोनों एक रूप के होते हैं। मादा को बाज और नर को जुर्रा कहते हैं। इन्हें गुलाबचश्म भी कहते हैं। यह छोटे जंतुओं, खरगोशों और चिड़ियों को खाता है। एक बार में इसकी मादा तीन से चार अंडे तक देती है। ये तीतर, बटेर, चकोर, मोर, जंगली मुर्गियाँ, हंस आदि पक्षियों को खाते हैं। ये अनेक अन्य छोटे जानवरों का भी शिकार करते हैं।

बहरी (peregrine falcon) समस्त भारत में पाई जाती है। यह [illegible] से लेकर [illegible] तक पाई जाती है। बाज से यह पक्षी छोटा होता है। इसका नर १६ इंच और मादा २० इंच की होती है। नर और मादा दोनों ही एक रंग के होते हैं।

शिकरा (shikra, astur, badius) भारत के सब भागों में पाई जानेवाली चिड़िया है। इसका नर १२ इंच लंबा और मादा १४ इंच लंबी होती है।

टीसा (white-eyed buzzard) चिड़िया [illegible]

[illegible]

[illegible] (kestrel) [illegible]

[illegible]

[illegible]

ी और पैर पीले होते हैं। यह बड़ी तेजी से झपट्टा
की चीज ले भागती है। यह पशु, पक्षी, सरीसृप
ोंडों के अतिरिक्त मुर्दा भी खाती है (देखें चील)।

ी कुल — इस कुल में विभिन्न प्रकार के गिद्ध आते
ष्ट बड़ी तेज होती है। मुर्दे खाकर ये अपना पेट भरते
: लिये सफाई का काम करते हैं। जहाँ कहीं भी मरा
देखते हैं, वहाँ ये पहुँचकर नोच नोचकर मांस खा
भिन्न प्रकार के गिद्धों (vultures) में चमर गिद्ध
icked vulture), राज गिद्ध (king vulture)
गिद्ध (scavenger vulture) अधिक महत्व के हैं।
कार के गिद्ध भारत में बारहो मास पाए जाते हैं।
ा और कद में थोड़ा अंतर है। इसमें चमर गिद्ध सबसे
, राज गिद्ध सबसे छोटा होता है। चमर गिद्ध यूथ-
। भड़कीले लाल और काले रंग के कारण इसे राज,
मिला है। गोबर गिद्ध, चील से अधिक मिलता जुलता
ंग सफेद होता है। अतः इसे कहीं कहीं सफेद गिद्ध भी
ह गोबर और पाखाना भी खाता है, जिससे इसका नाम
र पड़ा है। अन्य गिद्धों की तरह इसकी गरदन लंबी
इसके पैर का रंग प्याजी सफेद होता है। मादा एक
ा दो अंडे देती है (देखें गिद्ध)।

कुल — इस कुल के पक्षियों में मछारंग (osprey)
र का है। मछारंग मछली का शिकार करता है। इसी
ाम मछारंग पड़ा है। साधारणतः यह मीठे और खारे
ारे पाया जाता है। इसके नर तथा मादा एक रूपरंग के
ीर का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा भूरा और नीचे का सफेद
चोंच कलछौंह और पैर पीले होते हैं। यह जाड़े में ही
ा देखा जाता है, (देखें कुररी)।

० — सुरेश सिंह : जीव जगत्, हिंदी समिति, लखनऊ।
[रा० चं० स०]

नें (Falconry) एक कला है, जिसके द्वारा श्येनों और
शिकार के लिये साधा, या प्रशिक्षित, किया जाता है। मनुष्य
ता का ज्ञान ४,००० वर्षों से भी अधिक समय से है। भारत
ा का व्यवहार ईसा से ६०० वर्ष पूर्व से होता आ रहा
ाम शासनकाल में, विशेषतः मुगलों के शासनकाल में,
ो पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। क्रीड़ा के रूप में, लड़ाकू
में, श्येनपालन बराबर प्रचलित रहा है। राइफल और
ों के व्यवहार में आने के बाद श्येनपालन में ह्रास शुरू
ाज इसका प्रचार अधिक नहीं है। शौक के रूप में इसे
जा सकता है, क्योंकि वस्तुतः यह सबसे कम खर्चीला

वर्ग की [illegible] चिड़ियाँ शिकारी होती हैं। कुछ तो शिकार
ाती हैं और कुछ उचित प्रशिक्षण से शिकार को पकड़कर
ा पास ले आती हैं। ऐसे शिकार छोटी बड़ी चिड़ियाँ,
ा खरगोश सदृश छोटे छोटे जानवर भी होते हैं। शिकारी
पेड़ों पर रहनेवाले पक्षी हैं, जो हवा में पर्याप्त ऊँचाई
तक उड़ लेते हैं। इनके नाखून बड़े नुकीले और टेढ़े होते हैं। इनकी
चोंच टेढ़ी और मजबूत होती है। इनकी निगाह बड़ी तेज होती
है। सभी मांसभक्षी चिड़ियों में से अधिकांश जिंदा शिकार करती
हैं और कुछ मुर्दाखोर भी होती हैं। शिकारी पक्षियों की एक
विशेषता यह है कि इनकी मादाएँ नरों से कद में बड़ी और
अधिक साहसी होती हैं।

शिकारी पक्षियों के तीन प्रमुख कुल हैं, पर साधारणतया
इन्हें बड़े पंखवाली और छोटे पंखवाली चिड़ियों में विभक्त करते
हैं। पहली किस्म को 'स्याहचश्म' या काली आँखवाली और
दूसरी किस्म को 'गुलाबचश्म' या पीली आँखवाली कहते हैं।
जो शिकारी चिड़ियाँ पाली जाती हैं, उनमें बाज, बहरी, शाहीन,
तुरमती, चरग (या चरख), लगर, बासीन, बाज़ा, शिकरा
और शिकरचा, बीसरा, चूनी तथा जुर्रा प्रमुख हैं (देखें, श्येन)।

शिकारी चिड़ियों को फँसाना — भिन्न भिन्न देशों, जैसे यूरोप,
अमरीका, अफ्रीका, चीन और भारत में, शिकारी चिड़ियों के फँसाने
के भिन्न भिन्न तरीके हैं। भारत में जो तरीके काम में आते हैं, उन्हीं
का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है :

उत्तरी पहाड़ी लोग जो तरीका अपनाते हैं, वह सरल और पर्याप्त
कारगर होता है। इन पहाड़ी लोगों के मकानों की छतें नीची और
सपाट (flat) होती हैं तथा धुआँ निकलने के लिये छत में
छोटा सूराख बना होता है। उसी सूराख के ऊपर चकोर को एक
रस्सी में बाँधकर रख [illegible] हैं और रस्सी को पकड़े रहते हैं।
चकोर वहाँ फड़फड़ाता है और इस प्रकार ऊपर उड़ते [illegible] शिकारी
पक्षियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। फड़फड़ाते
चकोर को पकड़ने के लिये शिकारी चिड़िया चकोर के पास आती
है। शिकारी चिड़िया और चकोर दोनों को खींचकर फँसानेवाला
सूराख के मुँह पर लाता है और हाथ से शिकारी चिड़िया को पकड़
लेता है।

एक दूसरी रीति 'दो गजा रीति' है। इसमें दो गज का एक
जाल, २ गज × ४ गज माप का होता है, जो लगभग दो गज लंबे बाँस
के दो डंडों में बँधा होता है। जाल महीन, मजबूत, काले धागे का
बना होता है। जाल के मध्य से दो तीन फुट की दूरी पर, एक
खूँटे में जिंदा चिड़िया चारे (bait) के रूप में बँधी रहती है। उस
बँधी चिड़िया के फड़फड़ाने पर, शिकारी चिड़िया उस ओर आकर्षित
होकर, उसपर झपटती है और जाल में फँस जाती है। यदि शिकारी
चिड़िया चारे को पकड़ लेती है और जाल में नहीं फँसती, तब
शिकारी चिड़िया को धमकाकर उसे जाल में फँसा लेते हैं।

लगर के फँसाने का एक दिलचस्प तरीका लेखक ने स्वयं देखा
है। इसमें चील की सहायता ली जाती है। चील को बीच डोरे से
ऐसे बाँध दी जाती है कि वह केवल आसमान की ओर देख सके।
उसके पैर में ऊन का एक गोला बाँध दिया जाता है, जिसमें एक
सरकफंदा लगा रहता है। मैदान में, जहाँ लगर देख पड़ते हैं, चील
को छोड़ दिया जाता है। लगर ऊन के गोले को पकड़ने की कोशिश
में चील के साथ घूम जाता है और दोनों लड़ते लड़ते धरती पर

या गिरते हैं और फँसानेवाला लगर को पकड़ लेता है। चील के शिकार को छीन लेने की लगर सदा ही चेष्टा करता है।

एक अन्य रीति 'पिंजड़ा रीति' है। खुले पिंजड़े में एक जिंदा चिड़िया बाँध दी जाती है और पिंजड़े को प्रायः घोड़े के बालों के बने फंदों के ढेरे से ढंक दिया जाता है। ये फंदे सरक फंदे होते हैं। शिकारी चिड़िया पिंजड़े के पास आकर इन फंदों में फँस जाती है। फंदे को मजबूती से बँधा रहना चाहिए और शिकारी चिड़िया को पकड़कर फंदे से जल्द निकाल लेने के लिये, निकट में कोई आदमी सदा तैयार रहना चाहिए, वरना शिकारी चिड़िया का पैर या पंख टूट जा सकता है।

एक तरीका 'पट्टी तरीका' है जिसको चिड़ियाँ फँसानेवाले व्यवसायी काम में लाते हैं। इसमें फँसानेवाला देखता है कि प्रवास के समय शिकारी चिड़िया किस रास्ते से आती जाती है। जिस रास्ते से चिड़िया आती जाती है, उस रास्ते में पहाड़ की चोटियों या कूटों (ridges) पर अनेक जाल, ६ फुट × ३०० फुट माप के, फैला दिए जाते हैं। उड़ती हुई शिकारी चिड़िया उन जालों में फँस जाती है, क्योंकि वह चिड़िया पहाड़ी चोटियों या कूटों से ऊपर उठकर उड़ने का कष्ट नहीं करती।

शिकारी चिड़ियों को सिखाना और साधना — शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के बाद, उन्हें कुछ दिन के लिये अंधा बना दिया जाता है, अन्यथा वे कलाई पर बैठेंगी ही नहीं। इसके लिये या तो उनकी आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है, या उनकी आँखें सी दी जाती हैं, या टोपी (hood) पहना दी जाती है। [illegible] प्रकार की टोपियाँ चित्र १. और २ में दिखाई गई हैं। सीने में जिनने पलकों (eyelids) में तागा लगाकर उसे सिर के पीछे से

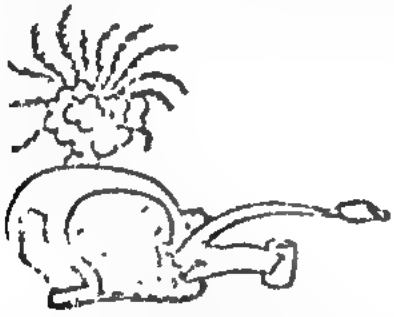

चित्र १. [illegible] टोपी (hood)

बाँध देते हैं। दूसरी विधि पहली विधि की अपेक्षा व्यवहार में अधिक आती है। इसके दूसरी विधि अत्यन्त कुछ चुर आसान देती है, पर इसमें चिड़ियों के पंखों का कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ केवल यह देखना आवश्यक है कि पंख के सिरे को चोट न लगे, वह सुरक्षित रहे। [illegible] या कठोर [illegible] दूसरे पक्षी को दुःख पहुँचा सकता है।

[illegible] चिड़ियों को [illegible] [illegible] पर बैठना सिखाया जाता है और [illegible] बाँध और [illegible] (ring) पर [illegible] है। [illegible] चिड़िया [illegible] पर चोंच मारने लगती है और उसे खाना शुरू कर देती है। यदि ऐसा न करे, तो चिड़िया को चारपाई के बीच में बैठाकर, उसके पैर के [illegible] गाँठ बाँध देते हैं। इससे वह कष्ट अनुभव करती है और [illegible] चोंच मारने लगती है। अब गाँठ के निकट कच्चे मांस के टुकड़े

चित्र २. भारतीय टोपी

टुकड़ों को रख देने से, चिड़िया मांस पर चोंच मारने और [illegible] लग जाती है। जब चिड़िया मांस खाने लगे, तब बंधन को धीरे धीरे काट देते हैं। कुछ दिनों के बाद चिड़िया खाने के समय का [illegible] करने लगती है। ऐसे समय मांस को धीरे धीरे खोल देते हैं। [illegible] वह बिना किसी बनावट के खाने लगती है। उपर्युक्त प्रक्रिया में आठ दिन, या इससे अधिक, समय लग सकता है। यह सावधान रहना चाहिए कि कलाई पर बैठाने के समय, विशेषकर [illegible] में, [illegible] सजाना अवश्य रहना चाहिए।

शिकारी चिड़ियों से डर का भगाना — नई शिकारी चिड़िया मनुष्य के निकट आने पर [illegible] डर जाती है। पहले इस डर को हटाना आवश्यक होता है। इसके लिये यह देखना चाहिए कि फड़फड़ाने से चिड़िया के पंख टूटें नहीं और चिड़िया के [illegible] को पूँछ पर दुबरा (dubara) या 'बही' से बाँधकर, उसे मनुष्यों या हलचल के पास रखते हैं, अथवा चिड़िया को रात में कई दिनों बिना चमड़े की टोपी पहनाए रखते हैं और फिर अवसर [illegible] से टोपी को कभी कभी पहनाते और निकाल लेते हैं। [illegible] इसके बाद करने की उचित रीति यह है कि पक्षी के पूँछ के [illegible] के दो पंख के [illegible] (quill) को [illegible] पर [illegible] तागा पहनाकर, तार को पूँछ से लपेट कर बाँध देना [illegible] का एक टुकड़ा लेकर पूँछ के चारों ओर [illegible] देना चाहिए। [illegible] बही या [illegible] को कई दिन तक पहनाकर रखा जाता है। [illegible] दो दिन तक तो बही को निकाला ही नहीं जाता है। [illegible] केवल रात में निकाल दिया जाता है। बही में [illegible] चारपाई के बीच में बाँध दिया जाता है और उसको [illegible] रखी जाती है। ऐसी चारपाई [illegible] पर [illegible] है। [illegible] के, [illegible] के व्यवहार के बाद मनुष्य, [illegible], [illegible] आदि का काटी हो जाता है। [illegible] पर [illegible] पुकारा जाता है। ऐसा व्यवहार, [illegible] के, पुराने चिड़ियों के साथ किया जाता है।

[illegible] चमड़े [illegible] बना दिया जाता है और [illegible]

खाने पीने
दिखलाकर,
बार दुहरा।

कुछ दूरी से कच्चे मांस का टुकड़ा
र बुलाया जाता है। यह क्रिया अनेक
ार दूरी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता

चित्र ३. बैठने का अड्डा
इसके निचले भाग को जमीन में गाड़ देते हैं
और पक्षी इसपर बैठा दिया जाता है।

है। शिकार को पकड़कर पालक के पास लाने की भी शिक्षा दी जाती है। चिड़िया का मूल्य चिड़िया की किस्म, प्रशिक्षण और उपादेयता पर निर्भर करता है। [ए० एस० बे०]

श्रद्धाराम फुल्लौरी (सन् १८३७-१८८१) लुधियाना-जालंधर-मार्ग पर स्थित 'फुल्लौर' नामक कस्बे में उत्पन्न हुए। आपके पिता श्री जयदयाल जोशी एक निर्धन ब्राह्मण थे। १८ वर्ष की अवस्था में कथावाचक का पैतृक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही फुल्लौरी जी ने फारसी और पंजाबी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हिंदी, संस्कृत और संगीत आपको बपौती में मिले। आपकी लगभग दो दर्जन रचनाओं का पता चलता है, यथा —

(क) संस्कृत — (१) नित्यप्रार्थना (शिखरिणी छंद के ११ पद्यों में ईश्वर की दो स्तुतियाँ)। (२) भृगुसंहिता (दो कुंडलियों में फलादेश वर्णन), यह अधूरी रचना है। (३) हरितालिका व्रत (शिवपुराण की एक कथा)। (४) 'कृष्णस्तुति' विषयक कुछ श्लोक, जो अब अप्राप्य हैं।

(ख) हिंदी — (१) तत्वदीपक (प्रश्नोत्तर में श्रुति, स्मृति के अनुसार धर्म कर्म का वर्णन)। (२) सत्य धर्म मुक्तावली (फुल्लौरी जी के शिष्य श्री तुलसीदेव संगृहीत भजनसंग्रह) प्रथम भाग में ठुमरियाँ, बिसन पदे, दूती पद हैं; द्वितीय में रागानुसार भजन, अंत में एक पंजाबी बारामाह। (३) भाग्यवती (स्त्रियों की हीनावस्था के सुधार हेतु प्रणीत उपन्यास)। (४) सत्योपदेश (सौ दोहों में अनेकविध शिक्षाएँ) (५) बीजमंत्र ('सत्यामृतप्रवाह' नामक रचना की भूमिका)। (६) सत्यामृतप्रवाह (फुल्लौरी जी के सिद्धांतों, और आचार विचार का दर्पण ग्रंथ)। (७) पाखंडखंडनी (रसोई शिक्षा विषयक)। (८) कौतुक संग्रह (मंत्रतंत्र, जादूटोने संबंधी)। (९) दृष्टांतावली (सुने हुए दृष्टांतों का संग्रह, जिन्हें श्रद्धाराम अपने भाषणों और शास्त्रार्थों में प्रयुक्त करते थे)। (१०) रामलकामधेनु ('नित्य प्रार्थना' में प्रकाशित विज्ञापन से पता चलता है कि यह ज्योतिष ग्रंथ संस्कृत से हिंदी में अनूदित हुआ था)। (११) आत्मचिकित्सा (पहले संस्कृत में लिखा गया था। बाद में इसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया। अंततः इसे फुल्लौरी जी की अंतिम रचना 'सत्यामृत प्रवाह' के प्रारंभ में जोड़ दिया गया था)। (१२) महाराजा कपूरथला के लिये विरचित एक नीतिग्रंथ (अप्राप्य है)।

(ग) उर्दू — (१) दुर्जन मुख-चपेटिका, (२) धर्मरत्नोटी (दो भाग), (३) धर्मसंवाद (४) उपदेश संग्रह (फुल्लौरी जी के भाषणों आदि के विषय में प्रकाशित समाचारपत्रों की रिपोर्टें), (५) असूल ए मजाहिब (पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इच्छानुसार फारसी पुस्तक 'दबिस्तानि मजाहिब' का अनुवाद)। पहली तीनों रचनाओं में भागवत (सनातन) धर्म का प्रतिपादन एवं भारतीय तथा अभारतीय प्राचीन अर्वाचीन मतों का जोरदार खंडन किया गया।

(घ) पंजाबी — (१) बारहमासा (संसार से विरक्ति का उपदेश)। (२) सिक्खाँ दे इतिहास दी विथिया (यह ग्रंथ अंग्रेजों के पंजाबी भाषा की एक परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिये लिखा गया था। इसमें कुछेक अनैतिहासिक और जन्मसाखियों के विपरीत बातें भी उल्लिखित थीं)। (३) पंजाबी बातचीत, पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों की उपभाषाओं के नमूनों, खेलों और रीति रिवाजों का परिचयात्मक ग्रंथ)। (४) गीत और बिसनपदों में विरचित समग्र 'रामलीला' तथा कृष्णलीला' (अप्राप्य)।

फुल्लौरी जी की अधिकांश रचनाएँ गद्य में हैं। वे १८ वीं शताब्दी उत्तरार्ध के हिंदी और पंजाबी के प्रतिनिधि गद्यकार हैं। उनके हिंदी गद्य में खड़ी बोली का प्राधान्य है। यत्रतत्र उर्दू और पंजाबी का पुट भी है। पंजाबी गद्य दो शैलियों में उपलब्ध है। 'सिक्खाँ दे इतिहास दी विथिया' में सरल, गंभीर तथा अलंकार-विहीन भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें दुआबी और मालवी का मिश्रित रूप उपलब्ध होता है। 'पंजाबी बातचीत' में मुहावरेदार और व्यंग्यपूर्ण भाषा व्यवहृत हुई है। उसमें पंजाबी की प्रमुख क्षेत्रीय उपभाषाओं का समुच्चय है। उनकी पद्यरचना अधिक नहीं है। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी काव्यरचना हेतु ब्रज को अपनाया था, किंतु खड़ी बोली को जनोपयोगी भाषा समझकर वे उस ओर प्रवृत्त हुए। उनके भजनों में खड़ी बोली ही व्यवहृत हुई है। उत्तर भारत के वैष्णव समाज में पूजा के समय उनकी प्रसिद्ध आरती (जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट छिन में दूर करे .) आज भी गाई जाती है।

ईसाई मत की ओर उन्मुख हो रहे कपूरथला नरेश रणधीर सिंह के सतत निवारण से इनका प्रभाव खूब बढ़ा। समय समय पर इन्हें पटियाला, कपूरथला, जम्मू तथा काँगड़ा प्रदेश के राजाओं से सम्मान और वृत्तियाँ भी प्राप्त हुईं। 'असूल ए मजाहिब' तथा 'भाग्यवती' नामक उनकी रचनाएँ पुरस्कृत भी हुईं।

सं० ग्रं० — आचार्य रामचंद्र शुक्ल . हिंदी साहित्य का इतिहास; प्रो० प्रीतम सिंह (संपादित) . सिक्खाँ दे राज दी विथिया (हिंदी पब्लिशर्ज लिमिटेड, जालंधर, सन् १९५६) [न० क०]

श्रमण जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहते हैं, जो पूर्णतः हिंसादि का प्रत्याख्यान करता और सर्वविरत कहलाता है। श्रमण

को पाँच महाव्रतों सर्वप्राणापात, सर्वमृषावाद, सर्वमदत्तादान, सर्वमैथुन और सर्वपरिग्रह विरमण को तन, मन तथा काय से पालन करना पड़ता है।

[म० मु०]

श्रमिक विधि (लेबर ला) श्रमिक विधि के अंतर्गत उन नियमों का समावेश है, जिनसे मालिक (Employer) एवं मजदूर (Employee) के बीच पारस्परिक संबंध का संचालन होता है। इस प्रसंग में 'औद्योगिक विधि' का भी बहुधा प्रयोग होता है। पर यह एक सीमित अर्थ में लिया जाता है अर्थात् औद्योगिक कारखानों से संबंधित नियमों का ही इससे संकेत मिलता है।

जब मालिक मजदूर का वास्तविक या प्रच्छन्न (Potential) संबंध स्थापित होता है, तब हम श्रमिक विधि की सीमा के अंदर आ जाते हैं। मजदूर पर मालिक का आधिपत्य इस प्रसंग में मुख्य कसौटी है। 'मजदूर', 'स्वतंत्र कंट्रैक्टर' तथा कुशल कर्मी (Skilled worker) के बीच बहुधा परस्पर अंतर परिलक्षित नहीं होता। पर इंग्लैंड के कानून के अनुसार मालिक का मजदूर पर पूर्ण आधिपत्य होना चाहिए। मजदूर किस प्रकार काम करता है, उसके काम की मात्रा क्या है, इसकी उपादेयता क्या है, इन सब पर उसका नियंत्रण हो। (डे० क्वारमेन बनाम बेनेट, १८४०, ६ एम० तथा डब्ल्यू० ४६६)

मालिक और मजदूर के बीच संबंधित काम से उत्पन्न परस्पर एक दूसरे के प्रति कानूनी बाध्यता (obligations) एवं मजदूर के कमजोर पार्टी होने के कारण उनकी समुचित रक्षा के लिये राज्य की ओर से निर्दिष्ट नियम श्रमिक विधि के सार अंश हैं। किंतु ट्रेड यूनियन, दुर्घटना, बीमारी तथा बुढ़ापा के प्रसंग में जीवन बीमा; बेकारी दूर करने तथा मजदूर के बेकार हो जाने पर उसे सहायता; बेकारी सहायताएँ (यथा, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज, एम्प्लायमेंट बीमा); मजदूरों के निष्क्रमण एवं आगमन (Emigration तथा Immigration) के कानून भी श्रमिक विधि के अंतर्गत हैं। श्रमिक विधि या कानून संबंध किसी देश के कानून में कोड के रूप में नहीं पाया जाता। यह देश के साधारण अधिनियम कानून, विधान परिषद् एवं पार्लियामेंट द्वारा विहित दूर तक के नियमों, न्यायालयों सरकार की डिक्री (डिक्री, आज्ञप्ति) एवं सर्वमान्य औद्योगिक, दिवानी तथा श्रमिक कोड में मिलता है।

अमरीका में सन् १७९२ तक इंग्लैंड के साधारण कानून के विरुद्ध — आपराधिक षड्यंत्र (Criminal conspiracy) — का प्रचलन रहा। किसी भी श्रमिक संघ के लिये मजदूरों पर अपनी स्थिति को बाध्यता के लिये अर्थनीतिक दबाव डालना आपराधिक समझा जाता था। पर इसके ट्रेड यूनियन मूवमेंट (श्रमिक संघ आंदोलन) का [illegible] हो गया। कोर्ट के [illegible] (Recession) के कारणों के [illegible] (Injunction) निकालना शुरू किया। [illegible] (Tort का [illegible]) होने पर [illegible] मजदूरों द्वारा [illegible] किए जाने पर पूँजीपतियों को [illegible] उन्हें [illegible], पर यह [illegible]

राज्य अमरीका के भिन्न भिन्न राज्यों ने श्रमिक विधि [illegible] किया, जिसके द्वारा न्यूनतम मजदूरी तथा श्रम की अधिकतम [illegible] अवधि निर्धारित की गई। बच्चों के श्रम एवं जेल में [illegible] की बिक्री पर नियंत्रण हुआ। पर न्यायालय ने इस प्रकार [illegible] कानून को अवैधानिक घोषित कर दिया। पूँजीपतियों ने मजदूरों को काम देने के पहले उनसे ऐसी शर्तें लिखाना आरंभ किया [illegible] श्रमिक संघ के सदस्य न होंगे। अब न्यायालय ने इसी प्रकार [illegible] आदेश जारी करना शुरू किया। निदान नैशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी ऐक्ट (National Industrial Recovery Act) [illegible] की धारा ७ (ए) के अनुसार श्रमिकों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपना संघटन कर सकते हैं। राष्ट्र के अधिकारों वाले अधिनियम (National Labour Relations Act,) [illegible] उक्त अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा गया कि मजदूर मजदूरी [illegible] साधारण स्थिति का विकास करने के उद्देश्य से अपना संघटन [illegible] समष्टि रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा पूँजीपतियों से [illegible] कर सकते हैं।

इंग्लैंड में भी श्रमिक विधि का विकास क्रमशः हुआ है। [illegible] शताब्दी में जब उस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई एवं [illegible] फैक्टरियाँ या निर्माणशालाएँ शहरों में स्थापित होने लगीं तो [illegible] जीविका उपार्जन के उद्देश्य से शहरों में आकर इन फैक्टरियों में [illegible] करने लगे। पूँजीपतियों का व्यवहार बड़ा कठोर था। वे [illegible] पर अपना आधिपत्य उसी प्रकार रखना चाहते थे, जैसा [illegible] पर रखते थे। पूँजी कानून भी वे ही बनाते थे, इसलिये [illegible] को कहीं शरण नहीं मिलती थी। निदान मजदूर जब अपनी [illegible] के लिये अपना संघटन कायम करने लगे तो उनके संघ को [illegible] ने अवैध घोषित कर दिया। वर्तमान शताब्दी के आरंभ से इंग्लैंड में पूँजीपतियों और मजदूरों में पूर्ण रूप से संघर्ष [illegible] हुआ। सन् १८२३ और सन् १८३३ ई० वहाँ मजदूर [illegible] संयुक्त सरकार कायम की। सन् १८४६ ई० में तो मजदूर [illegible] अत्यधिक बहुमत से शासन का भार अपने हाथ में लिया तथा [illegible] के माध्यम से उसने विधेयक को एक जनकल्याणकारी राज्य के [illegible] कर दिया।

भारत में श्रमिक विधि इंग्लैंड के समसामयिक श्रमिक [illegible] एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघटन (International Labour Organisation) के द्वारा मजदूरों के हित में अनुमोदित [illegible] है। इस संबंध में फैक्टरीज ऐक्ट (ऐक्ट ६३/१९४८) एवं [illegible] संबंध है। इसके पूर्व श्रम से संबंधित कानून फैक्टरीज ऐक्ट, [illegible] के विरुद्ध था। यह सफल से बहुत पिछड़ा था। मजदूरों की [illegible] स्वास्थ्य एवं कल्याण का दृष्टि से इनमें बहुत सी त्रुटियाँ थीं। [illegible] यह ऐक्ट एक सीमित वर्ग के मजदूरों के लिए ही था। यह [illegible] ऐक्ट के अनुसार सभी प्रकार के फैक्टरियों के मजदूरों के स्वास्थ्य, काम की अवधि, अवकाश, [illegible] आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। [illegible]

। फैक्टरियों में काम करनेवाले बच्चों की न्यूनतम अवस्था बढ़ाकर १३ कर दी गई है और उनके काम की सीमा ५ घटाकर ४½ घंटे कर दी गई है। प्रांतीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अधिक खतरावाले उद्योगों में ी की न्यूनतम अवस्था और भी अधिक की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटन (I. L. O.) संसार के विभिन्न देशों मिक कानून की सतत समीक्षा करता रहता है एवं इसमें एक- लाने का प्रयास भी वह करता रहा है। सदस्य देशों के ो मालिक, मजदूर एवं सरकारी प्रतिनिधियों का अधिवेशन ा (स्विटजरलैंड) में हुआ करता है, जिसमें मजदूरों के ए से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं तथा विभिन्न राष्ट्रों से न किया जाता है कि वे इन्हें अपने अपने देश में कार्यान्वित इस प्रकार संसार की श्रमिक विधि के विकास में काफी प्रेरणा है।

सं० ग्रं० — इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, भाग १३ (१९५९), ३७–५५७; एस० एन० घोष : इंडियन लेबर कोड (१९५७)। [न० कु०]

गुवेलगोल यह स्थान विंध्यगिरि और चंद्रगिरि के मध्य स्थित विंध्यगिरि पर ७ तथा चंद्रगिरि पर १४ जैन मंदिर हैं। एक बाहुबली स्वामी का मंदिर है।

शिर (Shropshire) ब्रिटेन की एक काउंटी है, जिसके म में वेल्स, उत्तर में चेशिर, पूर्व में स्टैफर्डशिर, दक्षिण-पूर्व स्टरशिर और दक्षिण में हेरेफर्डशिर है। इसकी जनसंख्या ९८०२ (१९५१) तथा क्षेत्रफल ३,५०१ वर्ग किलोमीटर है। काउंटी सेवर्न नदी द्वारा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की दो भागों में विभाजित है। नदी के उत्तर में कुछ पहाड़ियों छोड़कर समतल मैदान है। एल्समियर यहाँ की सबसे बड़ी ा है। सेवर्न नदी के दक्षिण में पहाड़ी धरातल है। यह काउंटी

आधुनिक सहेत महेत ग्राम है जो एक दूसरे से लगभग डेढ़ फर्लांग के अंतर पर स्थित हैं। यह बुद्धकालीन नगर था, जिसके भग्नावशेष उत्तर प्रदेश राज्य के, बहराइच एवं गोंडा जिले की सीमा पर, राप्ती नदी के दक्षिणी किनारे पर फैले हुए हैं। इन भग्नावशेषों की जाँच सन् १८६२-६३ में जेनरल कनिंघम ने की और सन् १८८४-८५ में इसकी पूर्ण खुदाई डा० डब्लू० हुइ (Dr. W. Hoey) ने की। इन भग्नावशेषों में दो स्तूप हैं जिनमें से बड़ा महेत तथा छोटा सहेत नाम से विख्यात है। इन स्तूपों के अतिरिक्त अनेक मंदिरों और भवनों के भग्नावशेष भी मिले हैं। खुदाई के दौरान अनेक उत्कीर्ण मूर्तियाँ और पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो नमूने के रूप में प्रदेशीय संग्रहालय (लखनऊ) में रखी गई हैं। यहाँ संवत् ११७६ या १२७६ (१११९ या १२१९ ई०) का शिला-लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म इस काल में प्रचलित था। बौद्ध काल के साहित्य में श्रावस्ति का वर्णन अनेकानेक बार आया है और भगवान बुद्ध ने यहाँ के जेतवन में अनेक चातुर्मास व्यतीत किए थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने भी श्रावस्ति में विहार किया था। चीनी यात्री फाहियान ५वीं सदी ई० में भारत आया था। उस समय श्रावस्ति में लगभग २०० परिवार रहते थे और ७वीं सदी में जब ह्युएन सियांग भारत आया, उस समय तक यह नगर नष्टभ्रष्ट हो चुका था। सहेत महेत की खुदाई में प्राप्त ७ फुट ४ इंच ऊँची बोधिसत्व की एक मूर्ति पर अंकित लेख से यह निष्कर्ष निकाला गया कि बल नामक भिक्षु ने इस मूर्ति को श्रावस्ति के विहार में स्थापित किया था। इस मूर्ति के लेख के आधार पर सहेत को जेतवन माना गया। कनिंघम का अनुमान था कि जिस स्थान से उपर्युक्त मूर्ति प्राप्त हुई वहाँ कोसंबकुटी विहार था। इस कुटी के उत्तर में प्राप्त कुटी को कनिंघम ने गंधकुटी माना, जिसमें भगवान् बुद्ध वर्षावास करते थे। महेत की अनेक बार खुदाई की गई और वहाँ से महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई, जो उसे श्रावस्ति नगर सिद्ध करती है। श्रावस्ति

१९०५ में वे राजनीतिक कार्यों में सक्रिय सहयोग देने लगे। इसी काल में 'वंदे मातरम्', 'धर्म' और 'कर्मयोगिन' का संपादन किया। तत्कालीन वायसराय के सचिव ने लिखा था — 'सारी भारतीय हलचल का दिल और दिमाग यही व्यक्ति है जो ऊपर से कोई गैरकानूनी काम नहीं करता और किसी तरह कानून की पकड़ में नहीं आता।' सरकार ने 'वंदे मातरम्' के नाते इनपर अलीपुर बम केस का मुकदमा चलाया और इन्हें लगभग साल भर तक अलीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। यहीं पर उन्हें 'वासुदेवमिदं सर्वम्' का साक्षात्कार हुआ जिसने कुछ ही दिनों में उनके कार्य की दिशा बदल दी। वे मुकदमे में निर्दोष सिद्ध हुए और बाहर आकर फिर अपने काम में लग गए। वे दैवी आदेश पाकर १९१० में राजनीति छोड़कर पांडिचेरी में आ बैठे। पांडिचेरी से उन्होंने आर्य नामक अंग्रेजी मासिक का संपादन भी किया। उन्हें २४ नवंबर, १९२६ को सिद्धि प्राप्त हुई। क्रमशः उन्हें और श्रीमाता जी को केंद्र बनाकर एक आश्रम बनता गया।

पांडिचेरी काल में श्री अरविंद ने लोगों से मिलना बंद कर रखा था। उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के समय सार्वजनिक रूप से मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया था, और क्रिप्स योजना स्वीकार करने की अपील की थी। उनका कहना था कि इससे भारत विभाजन से बच जायगा। १९४७ में भारत की स्वाधीनता के अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि भारत एक और अविभाज्य है, जल्दी हो या देर में भारत फिर से एक होकर रहेगा। ५ दिसंबर, १९५० को श्री अरविंद ने शरीर त्याग दिया।

श्री अरविंद के योग तथा दर्शन को समझने के पहले कुछ आधारभूत बातों का ज्ञान लेना जरूरी है। श्री अरविंद जीवन को मिथ्या अथवा सब कष्टों का मूल नहीं मानते जिससे भागकर निर्वाण प्राप्त करना ही श्रेयस्कर हो। उनके मतानुसार समस्त विश्व और विश्वातीत एक ही चेतना के भिन्न भिन्न रूप हैं। वे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा सच्चिदानंद कोषों में विज्ञानमय, अतिमानस तथा चैत्यपुरुष की भी गिनती करते हैं। उनके मतानुसार उपरार्ध अपने आपमें विश्वातीत होते हुए भी विश्व तत्वों में सहत है। सत जड़तत्व में, चित प्राण में और आनंद चैत्यपुरुष में निहित है। उसी प्रकार अतिमानस या विज्ञान ने मन का रूप धारण किया है। विकासक्रम में निम्नार्ध के अविद्या, अंधकार और मिथ्या तत्व को बदलना अतिमानस का काम है। वह नीचे अवतरित होकर यहाँ असत् को सत् में, अंधकार को ज्योति में और अज्ञान को ज्ञान में बदल देगा और तब दुःख, कष्ट और असामंजस्य का अंत हो जाएगा।

मनुष्य में यह क्षमता है कि अपने प्रयास द्वारा प्रकृति की इस गति को तेज कर सके। इस प्रयास का नाम ही योग है। श्री अरविंद ने योग की सभी प्राचीन प्रणालियों का अनुभव प्राप्त किया और उसके सार तत्व को अपने 'पूर्णयोग' में अपना लिया। इस प्रकार उनके मार्ग में ज्ञान, कर्म, भक्ति और तंत्र योगों का सामंजस्य है। पूरी सहृदयता के साथ अभीप्सा और भगवान् के प्रति सहर्ष आत्म-समर्पण इसके मुख्य अंग हैं।

समाज तथा राजनीति के क्षेत्र में श्री अरविंद व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता देने के पक्ष में हैं। प्रत्येक इकाई अपने आपमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हुए भी एक समष्टि का अंग होगी और इन दोनों में किसी प्रकार का संघर्ष न होगा। संसार में एक विश्वराज्य होगा जिसमें प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक समूह स्वतंत्र रूप से अपना रहेगा। कुछ देशों अथवा राष्ट्रों का स्वाभाविक प्रभाव कम या अधिक हो सकता है पर राज्य की दृष्टि में वे सब एक ही स्तर पर होंगे।

इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी श्री अरविंद की अपनी राय है। उनके अनुसार सच्ची कविता आत्मा की गहराइयों में से उठे और उसका रूप मंत्र जैसा होगा। उसका छंद, दृष्टिगत भाव के साथ कदम मिलाकर चलता है। उसमें असीम सीमाओं में प्रकट होता है। शब्द और वाणी के पीछे जो संगीत छिपा है वह शब्दों का चोला पहन लेता है। श्री अरविंद का महाकाव्य (सावित्री) इस प्रकार की कविता का पहला नमूना है।

श्री अरविंद ने जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा है। शारीरिक काम को वे शरीर द्वारा की गई प्रार्थना मानते हैं। इसी प्रकार वे शरीर, मन, प्राण और आत्मा चारों की शिक्षा को एक समान आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे आपको पहचानना और अपने अंदर निहित सब शक्तियों को खिल सकने का पूरा अवसर देना है। श्री अरविंद शिक्षाकेंद्र में इस दिशा में कुछ प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थी को पूर्ण स्वाधीनता देते हुए उसके विकास में सहायक होना, सबको एक साँचे में ढालने की जगह प्रत्येक को अपने अलग व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर देना और फिर स्वतंत्र व्यक्तियों में सामंजस्य पैदा करना इस शिक्षा का लक्ष्य है।

श्री अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में स्थित है जिसमें भिन्न भिन्न देशों और प्रदेशों के लोग एक साथ रहते हैं। श्रीमाता जी श्री अरविंद के काम को आगे बढ़ाते हुए आश्रम का संचालन भी कर रही हैं। हजार डेढ़ हजार की बस्ती में इतने प्रकार के विभिन्न कार्य इतने सुचारु रूप से चलते हुए शायद ही कहीं मिलें। फिर आश्रम जीवन में कोई नियम ऊपर से नहीं लादा जाता। अंतःप्रेरणा ही से पथप्रदर्शन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। [श्री० र०]

श्रीकंठ भट्ट (भवभूति) संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककार। भवभूति ने अपने संबंध में महावीरचरित् की प्रस्तावना में लिखा है। ये विदर्भ देश के पद्मपुर नामक स्थान के निवासी श्री भट्टगोपाल के पौत्र थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी था। इन्होंने अपना उल्लेख 'भट्टश्रीकंठ पदलांछनो भवभूतिर्नाम' से किया है। इनके गुरु का नाम 'ज्ञाननिधि' था। मालती माधव की पुरातन प्रति में प्राप्त 'भट्ट श्री कुमारिल शिष्येण विरचितमिदं प्रकरणम्' तथा 'भट्ट श्री कुमारिल प्रसादासाद्य कवित्वस्य उम्बेकाचार्यस्येयं कृतिः' इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि श्रीकंठ के गुरु कुमारिल थे जिनका 'ज्ञाननिधि' भी नाम था और भवभूति ही मीमांसक उम्बेकाचार्य थे जिनका उल्लेख दर्शन ग्रंथों में प्राप्त होता है और इन्होंने कुमारिल के श्लोक वार्तिक की टीका भी की थी। संस्कृत साहित्य में महान् दार्शनिक और कवि होने के

ते ये अद्वितीय हैं, पांडित्य और विदग्धता का यह अनुपम योग कृत साहित्य में दुर्लभ है।

भवभूति के लिये तीन नाटक प्राप्त होते हैं — १. महावीरचरित, इसमें रामविवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा निबद्ध गई है। कवि ने कथा में कई काल्पनिक परिवर्तन किए हैं जिनसे परिचित रामकथा में रोचकता आ गई है। यह वीररस-प्रधान नाटक है। २. मालतीमाधव, यह १० अंकों का प्रकरण जिसमें मालती और माधव की कल्पनाप्रसूत प्रेमकथा है। युवावस्था के उन्मादक प्रेम का इसमें उत्कृष्ट वर्णन है। इसमें स्थान स्थान पर प्रकृति का विशेष वर्णनचित्र प्राप्त होता है। ३. उत्तररामचरित, संस्कृत साहित्य में करुण रस की मार्मिक अभिव्यंजना यह नाटक सर्वोत्कृष्ट है। इसमें सात अंकों में राम के उत्तर जीवन को, जो अभिषेक के बाद आरंभ होता है, चित्रित किया गया है जिसमें सीतानिर्वासन की कथा मुख्य है। अंतर यह है कि रामायण में जहाँ इस कथा का पर्यवसान (सीता का अंतर्धान) शोकपूर्ण है, वहाँ इस नाटक की समाप्ति राम सीता के सुखद मिलन से की गई है।

भाषा और शैली के प्रयोग में इनकी विचक्षणता अद्वितीय है। सरल और क्लिष्ट, समासबहुल गाढ़बंध और समासरहित दोनों प्रकार की शैलियों का इन्होंने उत्कृष्ट प्रयोग किया है—कहीं मधुर पदावली और कहीं विकट गाढ़बंध। साथ ही उनकी भाषा अवसर और व्यक्ति के अनुरूप होती है। उनकी शैली में वाच्यार्थ की स्वाभाविकता है किंतु व्यंग्य का वागाडंबर नहीं। प्रकृति के ओर और प्रकृत रूप की ओर कवि का ध्यान अधिक है। साथ ही अर्थ के अनुरूप ध्वनि उत्पन्न करने में कवि का नैपुण्य पदे पदे व्यंजित होता है।

यह एक नाटक ही कवि की प्रतिभा और पांडित्य की अभिव्यक्ति के लिये अलं है। इन्होंने कहा है — 'एको रस करुण एव'। इस नाटक में अनेक रसों का रूप धारण करके करुण रस सहृदयों के हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। अपने नाटक में प्रेम के जिस उच्च और आदर्श रूप की कवि ने प्रतिष्ठा की है वह अवस्था के साथ ढलता नहीं, और भी पूर्ण तथा उदात्त रूप प्राप्त करता है। संभवतः यही कारण है कि कवि ने नारी के बाह्य सौंदर्य के वर्णन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है और उसके अंतः सौंदर्य को ही उद्घाटित किया है। प्रेम की इस पवित्रता के साथ विश्वास की महिमा, हृदय की महत्ता, भाषा की गंभीरता और भावों के तरंगायित क्रीड़ाविलास में यह नाटक साहित्य में 'एको रस करुण एव' के समान एक ही है।

राजतरंगिणी के उल्लेख से इनका समय एक प्रकार से निश्चित सा है। ये कान्यकुब्ज के नरेश यशोवर्मा के सभापंडित थे, जिन्हें ललितादित्य ने पराजित किया था। यशस्तिलक के निर्माता वाक्पतिराज भी उसी दरबार में थे अतः इनका समय आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है।

पांडित्य और प्रतिभा के धनी भवभूति के नाटकों में शब्दों का व्यापक ज्ञान, भाषा की प्रौढ़ता, भाव की गरिमा और विशेषण की सुलभता के कारण सरलता के स्थान पर गांभीर्य और उदात्तता विशेष प्राप्त होती है। संभवतः इन कारणों से उस समय कवि की रचनाएँ अधिक लोकप्रिय न हो सकीं और उनके नाटकों का उस समय किसी राजसभा में अभिनय न हो सका। उज्जयिनी में महाकालयात्रा के अवसर पर एकत्र पुरवासियों के समक्ष ही उनके नाटकों का अभिनय हुआ और तदनंतर वे यशोवर्मा के राज्य में समाश्रित हुए। मालतीमाधव की प्रस्तावना में उनकी गर्वोक्ति 'ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञाम्' संभवतः उन्हीं दुरालोचकों के प्रति है जिनसे ये निराश्रय होते रहे।

शंकर दिग्विजय से ज्ञात होता है कि उम्बेक, मंडन, सुरेश्वर, एक ही व्यक्ति के नाम थे। भवभूति का एक नाम उम्बेक प्राप्त होता है अतः नाटककार भवभूति, मीमांसक उम्बेक, और अद्वैतमत में दीक्षित सुरेश्वराचार्य एक ही हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है।

[वि० त्रि०]

श्रीकाकुलम १. जिला, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का यह जिला है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व-उत्तर, उत्तर तथा पश्चिम में उड़ीसा राज्य और दक्षिण में विशाखपट्टनम जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल ३,६०१ वर्ग मील तथा जनसंख्या २३,४०,८७८ (१९६१) है।

२. नगर, स्थिति : १८° १४' उ० अ० तथा ८४° ४' पू० दे०। उपर्युक्त जिले के इस नगर का प्राचीन नाम चिकाकोल है और यह लगुलियां नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कलिंग राजाओं की राजधानी था और मुस्लिम शासनकाल में भी यह उत्तरी सरकारों में से एक की राजधानी था। लगुलियां नदी के किनारे की एक पहाड़ी पर बहुत सी लिंगमूर्तियाँ खुदी हुई हैं। यहाँ के लोग इस पर्वत को कोटिलिंगालु कहते हैं। बाजार के रास्ते पर बुर्ज़विहीन मीनार का एक सुंदर मकबरा है। नगर की जनसंख्या ३५,०७१ (१९६१) है। [अ० ना० वे०]

श्रीचंद्रमुनि आप लुप्तप्राय उदासीन संप्रदाय के पुनः प्रवर्तक आचार्य हैं। उदासीन गुरुपरंपरा में आपका १६६ वाँ स्थान है। आपकी आविर्भावतिथि संवत् १५५१ भाद्रपद शुक्ला नवमी तथा अंतर्धानतिथि संवत् १७०० श्रावण शुक्ला पंचमी है। आपके प्रमुख शिष्य श्री बालहास, असमता, पुष्पदेव, गोविंददेव, सुदर्शन भगवद्दत्त, कर्णाश्रय, कमलाक्षादि मुनि थे। [रमा० गो० वे०]

श्रीधर (Sridhara) आठवीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने ७५० ई० के लगभग चार प्रसिद्ध पुस्तकें, त्रिशतिका, पाटीगणित, बीजगणित और गणितसार, लिखीं। इन्होंने बीजगणित के अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किए। वर्गात्मक समीकरण को पूर्ण बनाकर हल करने का इनके द्वारा आविष्कृत नियम आज भी 'श्रीधर नियम' अथवा 'हिंदू नियम' के नाम से प्रचलित है।

[रा० कु०]

श्रीधर पाठक सारस्वत ब्राह्मणों के उस परिवार में जो दो सौ वर्षों से पंजाब के जिरका ग्राम से आकर आगरा जिले के जोंधरी गाँव में बसा था वहीं २६ जनवरी, १८५८ ई० को इनका जन्म हुआ। पिता जोधराज बड़े बलवान्‌ और व्यक्तिष्ठ थे।

पाठक जी को आरंभ में घर पर संस्कृत की शिक्षा मिली। १०।११ वर्ष की अवस्था तक उन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो गया। इस बीच गृहकलह के कारण जोधरी छोड़ 'सोठि को नगरा' जाना पड़ा जहाँ उनके दिन बुरे कटे। कुछ फारसी पढ़कर फिर हिंदी प्रवेशिका' (१८७५ ई०), 'अंग्रेजी मिडिल' (१८७६ ई०) और 'एंट्रेंस' (१८८०-८१ ई०) की परीक्षाएँ ससम्मान उत्तीर्ण की। एफ० ए० और कानून का भी अध्ययन किया परंतु एकाधिक कारणों से वे परीक्षा न दे पाए। तदनंतर उनके जीवन का अधिकांश राजकीय सेवा में बीता। कलकत्ते के मेंसस कमिश्नर, लाट साहब तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में उन्होंने बहुत दिनों तक काम किया। बाद में नौकरी से अवकाश पाकर सूकरगंज (प्रयाग) में 'पद्मकोट' संज्ञक रमणीय भवन बनवाकर रहने लगे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पर उनका समान अधिकार था। वे प्रकृतिप्रेमी, सरल, उदार, नम्र, सहृदय, स्वच्छंद तथा विनोदी थे। वे हिंदी साहित्यसम्मेलन के पाँचवें अधिवेशन (१९१५, लखनऊ) के सभापति हुए और 'कविभूषण' की उपाधि से विभूषित भी। पिछले दिनों वे असाध्य श्वासरोग से दुष्पीड़ित रहे। शरीरपात १३ सितंबर, १९२८ ई० को हुआ।

रचनाएँ — मनोविनोद, बाल भूगोल, एकांतवासी योगी, जगत सचाई सार, ऋतुग्राम, आठ पथिक, काश्मीरसुषमा, भारतभ्रमण, जार्ज वंदना, भक्ति विभा, श्री गोखले प्रशस्ति, श्री गोखले गुणाष्टक, देहरादून, श्रीगोपिकागीत, भारतगीत, तिलस्वाती मुंदरी और विभिन्न स्फुट निबंध तथा पत्रादि।

पाठक जी मौलिक उद्भावनाओं के कवि हैं। विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से आधुनिक हिंदी काव्य को एक नया मोड़ देने के कारण उन्हें स्वच्छंद भावधारा का सच्चा प्रवर्तक ठहराया गया। उन्होंने काव्य को अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद, वैयक्तिक और यथार्थपरक दृष्टि से देखने का सफल प्रयास किया जिससे आगामी छायावादी भावभूमि को बड़ा बल मिला और पूर्वागत परंपरित रूढ़ काव्यशैली टूट गयी। सफल काव्यानुवादों द्वारा उन्होंने हिंदी को नई दृष्टि देने का प्रयत्न किया। यद्यपि उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ीबोली दोनों में रचनाएँ कीं तथापि समर्थक वे खड़ीबोली के ही थे। थोड़े में, उनके काव्य की विशेषताएँ हैं — सहज प्रकृति-चित्रण, वैयक्तिक अनुभूति, राष्ट्रीयता, नए छंदों, लयों और बंदिशों की खोज, निष्पक्षपात दृष्टि, नवीन भावप्रकाशन की क्षमता से भरकर नवीन भावाभिव्यंजना, प्राच्य और पाश्चात्य तथा पुराने और नए का समन्वय।

[illegible] — [illegible] : हिंदी साहित्य का इतिहास, [illegible]; [illegible] : 'श्रीधर पाठक तथा हिंदी का पुनरुज्जीवनवादी काव्य', डॉ० श्यामसुंदर दास — हिंदी कविता [illegible]। [रा० के० मि०]

श्रीधर वेंकटेश केतकर (१८८८-१९३०) मराठी विश्वकोश (ज्ञानकोश) के मूर्धन्य संपादक। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई। विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने अच्छी रुचि दिखलाई और साहित्य संबंधी अनेक क्रियाओं में उत्साहपूर्वक दिलचस्पी ली, फिर भी वे यहाँ विश्वविद्यालय की कोई उपाधि प्राप्त न कर सके। सन् १९०६ में वे अमेरिका चले गए। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पाँच वर्ष बिताने के बाद १९११ में उन्होंने पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध-प्रबंध का शीर्षक था 'भारत में जातियों का इतिहास'। इसमें उन्होंने मनुस्मृति में परिलक्षित सामाजिक स्थितियों का विस्तृत विश्लेषण किया (मनुस्मृति का रचनाकाल उन्होंने [illegible] ई० के बीच में माना है)। इसके परिशिष्ट रूप में दिए गए 'जाति और मानव-जाति-विज्ञान' में उन्होंने 'वर्ण' तथा 'जाति' के मौलिक भेद पर बल दिया। अमरीका में उन्होंने अपना समय [illegible] विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में बिताया जो उनके जीवन के [illegible] ग्रंथ मराठी ज्ञान कोश के निर्माण में सहायक हुआ। लौटते समय [illegible] वर्ष तक वे लंदन में रुके और वहाँ भी सामाजिक विषयों [illegible] अध्ययन एवं गवेषणा कार्य जारी रखा। यहाँ उन्होंने जातियों के इतिहास का दूसरा खंड 'हिंदुत्व पर निबंध' नाम से प्रकाशित किया।

भारत आने के बाद केतकर ने कुछ वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र पढ़ाने में व्यतीत किए। इस समय उन्होंने दो अन्य ग्रंथ प्रकाशित किए — भारतीय अर्थतंत्र तथा हिंदू विधि (कानून)। जनवरी, १९१६ में ही वस्तुतः उन्होंने मराठी ज्ञानकोश के महान् साहित्यिक अनुष्ठान का औपचारिक रूप से आरंभ किया। उन्हें इसे पाँच वर्ष में प्रकाशित करने की आशा थी किंतु वास्तव में केवल पहला खंड ही वह [illegible] में निकल सका और इक्कीसवाँ खंड (अनुक्रमणिका) [illegible] प्रकाशित हुआ। १९१६ से १९२९ तक का [illegible] केतकर के लिये असाधारण दौड़ धूपवाली सक्रियता का [illegible] क्योंकि उन्हें एक साथ ही ज्ञानकोश के संपादक, व्यवस्थापक, मुद्रक, प्रकाशक, यहाँ तक कि स्थान स्थान पर जाकर उसके ग्राहक बनाने का भी कार्य करना पड़ता था। पूर्ण सक्षमता चाहनेवाले इस [illegible] के साथ साथ, और उसके समाप्त हो जाने के बाद भी, वे [illegible] कार्यों में — साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनीतिक — [illegible] जुटे रहते थे। वे एक दैनिक समाचारपत्र तथा एक साप्ताहिक [illegible] का संपादन करते थे और उपन्यास, राजनीतिक पुस्तिकाएँ तथा समाजविज्ञान संबंधी निबंध लिखा करते थे। इसके अतिरिक्त अपनी भावी पुस्तक 'प्राचीन महाराष्ट्र का इतिहास' के लिए बहुत सा गवेषणा कार्य भी करते रहते थे। किंतु यह बात [illegible] ही लेनी पड़ती है कि सन् १९३० के बाद की उनकी रचनाएँ [illegible] से स्पष्ट हो जाता है कि पहले के कुशल लेखक की मानसिक [illegible] क्षीणता में कमी आ गई है।

सन् १९२० में केतकर ने एक जर्मन महिला, एलिस [illegible] विवाह किया, जो आत्मस्तोम के द्वारा हिंदू धर्म में दीक्षित [illegible] गई थी। इसी महिला ने विदरनित्स द्वारा लिखित [illegible] साहित्य का इतिहास' का अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया। [illegible] जीवन को स्थिरता प्रदान करने में [illegible] विवाह ने [illegible] दिखी।

[आर० [illegible]]

श्रीनगर १. जिला, यह भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य का जिला है जिसका क्षेत्रफल ३,१२०·७५ वर्ग किमी० तथा जनसंख्या ६,४०,४११ (१९६१) है। इसके उत्तर में बारमूला, उत्तरपूर्व में लद्दाख, दक्षिण-पूर्व एवं दक्षिण में अनंतनाग तथा पश्चिम में पुंछ जिले स्थित हैं। जिले में नाशपाती, अखरोट, केसर आदि उत्पन्न किए जाते हैं और शहद इकट्ठा किया जाता है।

२. नगर, स्थिति : ३४° ६०' उ० अ० तथा ७१° ५१' पू० दे०। यह श्रीनगर जिले में स्थित जम्मू एवं कश्मीर राज्य की राजधानी है, जो श्रीनगर घाटी में, झेलम नदी के दोनों किनारों पर, दो मील की लंबाई में एवं सागर तल से लगभग ५,२५० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। शहर के दोनों भाग लकड़ी के लगभग आठ पुलों द्वारा आपस में संबद्ध हैं। यह नगर अपनी नैसर्गिक छटा, प्राकृतिक झरनों, डल झील तथा शालीमार, निशात आदि रमणीक उद्यानों के कारण प्रसिद्ध शैलावास (hill station) बन गया है। आग तथा बाढ़ के कारण नगर को कई बार क्षति भी उठानी पड़ी है। यहाँ शाल, कालीन एवं रेशमी कपड़ा बनाने, चाँदी तथा ताँबे का काम, लकड़ी पर नक्काशी, चमड़ा एवं कागज उद्योग और गुलाबों से इत्र निकालने का काम होता है। नगर की कुल जनसंख्या २,६५,०८४ (१९६१) है।

[शा० ला० वा०]

पौराणिक, धार्मिक महत्व — कश्मीर की वर्तमान राजधानी। इसके निकट पोंड़ी में अष्टावक्र मुनि ने तपस्या की थी। पुराणों के अनुसार यहाँ अग्नि ने शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। श्रीनगर में गुंबदयुक्त बारहदरी के अंदर कमलेश्वर का मंदिर है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को यहाँ मेला लगता है। इसके अतिरिक्त श्रीनगर में नागेश्वर, अष्टावक्र महादेव और राजराजेश्वरी के मंदिर हैं।

श्रीनगर (गढ़वाल) स्थिति : ३०° १३' उ० अ० तथा ७८° ४९' पू० दे०। यह आधुनिक ऋषिकेश बदरीनाथ मार्ग पर स्थित सबसे बड़ा नगर है। यह विस्तृत एवं आकर्षक उपत्यका में समुद्र तल से १,७०६ फुट की ऊँचाई पर अलकनंदा के तट पर स्थित है तथा वर्तमान गढ़वाल जिले का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी शिक्षा के कई विद्यालय तथा एक राजकीय स्नातक महाविद्यालय भी है। नगर की जनसंख्या ३,०३१ (१९६१) है।

[illegible] की राजधानी रहने का [illegible] द्वारा लिखित विवरण [illegible] इसका इतिहास विवरण [illegible] पड़ा है।

ऐतिहासिक श्रीनगर की स्थापना १७५६ ई० के आसपास गढ़वाल के द्वितीय प्रसिद्ध शासक महाराज अजयपाल के समय में हुई। उन्होंने यहाँ विपणि तथा प्रासाद का निर्माण किया। इस संबंध में किंवदंती है कि एक दिन हमारा ने सपने में उस भूमि में पहुँच [illegible] यहाँ अनेक अप्सरायें थे। यहाँ उनके मुखड़े को चुंबन ने बार [illegible] दिया। रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ, "यह परम सिद्ध स्थान है। यहाँ अलकनंदा के मध्य में एक शिला पर श्रीयंत्र है, जिससे इसका नाम श्रीक्षेत्र है। उसी के प्रभाव से एक निर्बल शशक ने मृगराज को मार डाला। तेरे लिये यह अनिष्टसूचक नहीं है। तू इस स्थान में अपनी राजधानी स्थापित कर तथा नित्य प्रति मेरे यंत्र का पूजन अर्चन करता रह। तेरी सब बातें सिद्ध होंगी।" इस आदेश के अनुसार उन्होंने अपनी राजधानी वहाँ बसाई। श्रीनगर के संबंध में जनश्रुति है कि यह ग्यारह बार बसाया गया और उजड़ा।

महाकवि भारवि के 'किरातार्जुनीयम्' का क्रीड़ास्थल यहीं था तथा संभवतः इस महाकाव्य की रचना यहीं अलकनंदातट पर हुई थी। विभिन्न मतों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि ह्वेन सांग के यात्रावृत्तांत में वर्णित ब्रह्मपुर (पो-लो-मो-हो-मो-पु लो) श्रीनगर ही है। चीनी यात्री ६३४ ई० के लगभग यहाँ आया था। स्थापना के काल से लेकर गोरखा आक्रमण तक श्रीनगर को गढ़वाल नरेशों की राजधानी रहने का सौभाग्य रहा और निरंतर उसके सौंदर्य तथा ऐश्वर्य की वृद्धि हुई। १८२८ [illegible] 'एशियाटिक रिसर्चेज' के सोलहवें खंड में कुमायूँ प्रांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए श्री ट्रेल ने श्रीनगर के प्रासाद के स्थापत्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता को उत्तराखंड की यात्रा के समय श्रीनगर के मंदिरों के स्थापत्य को देख आश्चर्य हुआ था। राज्यश्री की समाप्ति के साथ १८९४ ई० में बिरही गंगा की बाढ़ में प्राचीन प्रासाद तथा विपणि (बाजार) बह गए। वर्तमान श्रीनगर इस बाढ़ के उपरांत बसा है।

गढ़वाल राज्य के प्रथम शासक महाराज कनकपाल थे। पैंवा प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञात है, वे ८८८ ई० में सिंहासनारूढ़ हुए। उनकी तेईसवीं पीढ़ी में महाराज अजयपाल हुए। इन्हीं के समय में ऐतिहासिक श्रीनगर की स्थापना हुई। महाराज अजयपाल के पश्चात् महाराज बलभद्रशाह हुए। उन्हें दिल्ली के सम्राट् से शाह की उपाधि मिली (१४९६ ई०)। तभी से यह उपाधि गढ़वाल नरेशों के नाम के साथ चली आ रही है। महाराज बलभद्र शाह के पश्चात् प्रसिद्ध गढ़वा नरेशों में महाराज फतेहशाह, महाराज प्रदीपशाह, महाराज प्रद्युम्नशाह तथा महाराज सुदर्शनशाह के नाम उल्लेखनीय हैं। महाराज फतेहशाह के समय में कुमायूँ राज्य से अनवरत युद्ध हुए। गढ़वाल के मंत्रीप्रवर श्रीपुरिया नैथानी ने बड़ी चतुरता से श्रीनगर की रक्षा की। अल्पवयस्क महाराज प्रदीपशाह के समय में कठैत उपद्रवों से श्रीनगर की रक्षा का श्रेय भी श्रीपुरिया नैथानी को ही है। महाराज प्रद्युम्नशाह के समय में गोरखा आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण के फलस्वरूप गोरखा राजदूत श्रीनगर दरबार में रहने लगा (१७९० ई०)। द्वितीय आक्रमण (१८०३ ई०) में महाराज प्रद्युम्नशाह वीरगति को प्राप्त हुए तथा गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हो गया। गोरखा शासनकाल में प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ। गोरखा युद्ध के फलस्वरूप अलकनंदा तथा मंदाकिनी के पूर्व का गढ़वाल अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया (१८१५ ई०)। शेष गढ़वाल टिहरी गढ़वाल के नाम से महाराज सुदर्शन शाह को दे दिया गया। टिहरी गढ़वाल राज्य के अन्य नरेश महाराज कीर्तिशाह, महाराज नरेंद्रशाह तथा महाराज मानवेंद्रशाह हुए। १ अगस्त, १९४९ को टिहरी राज्य का भारत में विलीनीकरण हो गया।

श्रीनगर का सांस्कृतिक इतिहास कम गौरवपूर्ण तथा आकर्षक नहीं है। श्रीनगर तथा श्रीनगर दरबार को सदा साहित्यकों, कलाकारों तथा पंडितों एवं विद्वानों की आश्रयदात्री रहने का सौभाग्य रहा है। महाराज प्रतापसिंह, शासक तथा संगीत के प्रेमी एवं कलामर्मज्ञ थे। इनकी राजसभा में दूर दूर के कवि आते रहते थे। प्रसिद्ध कवि रत्नाकर विद्यापति तथा पुरुष इनकी राजसभा में पधारे थे। महाराजा विजयराम ने ही संस्कृत भाषायें, पुस्तकें तथा इतिहास-लेखक श्री श्रीनारायण श्रीनगर दरबार की विभूति थे। [र० उ०]

श्रीनिवासाचार्य एक विद्वान का नाम श्रीनगर भट्टाचार्य उपनाम नेत्रावधान था। सं० १६७६ में वैशाखी पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। श्री चार गोस्वामी के गुरु श्यामानन्द जी तथा नरोत्तमदास ठाकुर के साथ भक्ति के प्रचार का बहुत दिनों तक सम्पन्न किया। श्री चार के भारत व भक्तिग्रंथ को पर प्रतिलिपियाँ करके वे सीधे सं० १६२६ में बंगाल तथा उड़ीसा में धर्मप्रचार करने चले। विष्णुपुर में बाकुड़ा के पास उसमकर ग्रंथों के बहुत पुट लिए। वहाँ के राजकुमार इनकी भक्ति तथा विद्वत्ता से प्रभावित होकर इनका शिष्य हो गया और उधर ग्रंथों को ढूँढ निकाला। पूर्व तथा पश्चिम बंगाल में इस धर्म के प्रचार का श्रेय इन्हीं तथा नरोत्तमदास ठाकुर को है। इनकी मृत्यु सं० १६६४ में हुई। [प्र० र० दा०]

श्रीपाद कृष्ण वेलवेलकर का जन्म सन् १८८० में हुआ। बचपन में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा राजाराम हाईस्कूल और कॉलेज, कोल्हापुर तथा डेक्कन कॉलेज, पूना, में हुई। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण परीक्षाओं में उत्तम स्थान प्राप्त करते रहे। सन् १९०२ में बी० ए० उत्तीर्ण हुए तथा भाषा, इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शन में सन् १९०४, १९०५ और १९१० में एम० ए० की परीक्षाएँ उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डॉ० लनमन के निर्देशन में उच्च अनुसंधान का कार्य कर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। अमरीका जाने के पूर्व डेक्कन कॉलेज में लिखित पोथियों के संग्रह के क्यूरेटर के रूप में सन् १९०७ से १९१२ तक कार्य करते रहे। इसके कैटलाग का प्रथम खंड प्रकाशित करने के लिये प्रेस में दे दिया। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा के भिन्न भिन्न व्याकरणों (Systems of Sanskrit Grammar) पर एक निबंध लिखकर 'भंडारकर पुरस्कार पदक' तोषिक के रूप में प्राप्त किया। अमरीका से लौटने पर डेक्कन कॉलेज में ही संस्कृत के प्राध्यापक बन गए। सन् १९१४ में सरकारी अधिकारियों के प्रयत्नों से यह कॉलेज बंद कर दिया गया। उसके बंद हो जाने तक के काल में संस्कृत के अध्यापक रूप में यहीं पर बने रहे। डेक्कन कॉलेज के विद्यार्थियों के विशेष प्रयत्नों से तथा डॉ० मुकुंदराव जयकर के उद्योग से डेक्कन कॉलेज की पुनः स्थापना हुई। सेवानिवृत्ति के पूर्व कुछ समय तक अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज में भी संस्कृत प्राध्यापक रहे तीन वर्ष तक कार्य किया।

उनके द्वारा लिखित तथा प्रकाशित उनकी निम्नलिखित पुस्तकें हैं: (१) Systems of Sanskrit Grammar, (२) भरतमुनि के 'उत्तर रामचरितम्' का संपादन और अनुवाद Translation and critical edition of Uttar Ramacharita (३) साहित्य मर्मज्ञों के लिए काव्यदर्श का अनुवाद, (४) English Translation of Kavyadarsha, (५) प्राचीन और मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक भाग, (६) प्राचीन और मध्य भारत का इतिहास, खंड १ व २। इसे आपने डॉ० आर० डी० रानडे के सहयोग से तैयार किया। (७) मनु और याज्ञवल्क्य का देवाड़ दर्शन पर, (८) Papers on Various Aspects of Indology in Oriental Journals of India and outside.

अमरीका से लौटने पर भांडारकर प्राच्य विद्या अनुसंधान की स्थापना में उन्होंने प्रमुख रूप से योगदान दिया। इस संस्था का उद्घाटन लार्ड रोलो जुलाई, सन् १९१७ में हुआ। संस्था के आरंभ से वर्षों तक आपने सेक्रेटरी के पद को विभूषित किया। उसकी कार्यकारिणी समिति के भी आप ही निरंतर सदस्य होते रहे। पूना के संस्कृत कॉलेज की स्थापना में भी आपका हाथ रहा है और उसके कार्यों से भी आपका निरंतर संबंध रहा है। सन् १९१२ की ६ जुलाई को सेंट्रल में भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में महाभारत का critical edition निकालने की योजना बनी और अक्टूबर, १९१९ में यह कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य के प्रधान संपादक के नाते १९४३ से १९६१ तक वेलवेलकर जी ने सुचारु रूप से कार्य संपन्न किया तथा भीष्म पर्व, शांति पर्व, आश्रम वासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्वों के आप संपादक भी रहे। इनके सिवा प्रत्येक खंड के संपादन कार्य में वेलवेलकर जी का मार्गदर्शन मिलता रहा है।

अखिल भारतीय ओरिएंटल कान्फरेंस का प्रथम अधिवेशन सन् १९१९ में हुआ था। इसमें सम्मिलित होकर प्रारंभ से ही हर अधिवेशन में आपने कार्य संपन्न किया। कई वर्षों तक इस शाखा के सेक्रेटरी भी बने रहे। सन् १९४३ में बनारस में जब इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ तब आप उसके सभापति बनाए गए।

अनुसंधान और लेखन को अपने जीवन का प्रधान व्यवसाय मानकर वे कार्य करते रहे। कई महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का आलोचनात्मक संपादन, अनुवाद तथा उपनिषद्, वेद, सांख्य, भगवद्गीता, वेदांतसूत्र आदि विषयों पर शोधपूर्ण स्वतंत्र निबंध (करीब करीब ४०-५० की संख्या में) प्रकाशित किए। इससे प्राच्य विद्याविदों में भारत के बाहर भी उनकी कीर्तिपताका फहराने लगी। २२ सितंबर, १९६६ के दिन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा महाभारत के संपादन कार्य की पूर्णाहुति सुसंपन्न की गई। तब वयोवृद्ध श्री वेलवेलकर जी का भी रौप्य करंडक देकर धन्य विद्वान और शास्त्रियों के साथ सम्मान किया गया।

[एन० एम० जो०]

श्रीरंगम् स्थिति: १०° ५१' उ० अ० तथा ७८° ४३' पू० दे०। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के त्रिचिनापल्लि जिले का नगर है जिसकी जनसंख्या ४१,९४२ (१९६१) है। यह कावेरी की शाखाओं और कोल्लिडम के मध्य एक द्वीप पर स्थित है। मद्रास और त्रिचिनापल्लि नगर को जोड़नेवाली सीधी सड़क यहीं से जाती है।

यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। नगर मुख्यतः धार्मिक नगर है। यहाँ का वेष्णुमंदिर अपनी विशालता, वास्तु और मूर्तिकला के लिये प्रसिद्ध है। नगर के समीप ही जंबुकेश्वरम नामक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है।

[प्र० व०]

इतिहास — भगवान् राम और श्री बलदेव इस स्थान पर पधारे थे। विख्यात दार्शनिक स्वामी रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम में रहकर अपने मत का प्रचार किया था, और यहीं उनकी मृत्यु हुई।

यहाँ के विशाल श्रीरंगम मंदिर (२,६०० फुट लंबे, और २,५०० फुट चौड़े) का निर्माण १७वीं, १८वीं शताब्दी में हुआ। दूसरा मंदिर जंबुकेश्वरम का है। शिल्प और मनोज्ञता में इसका स्थान भी विशिष्ट है।

श्रीरामपुर १. हुगली जिले का दक्षिण-पूर्वी उपविभाग है। यहाँ समतल मैदान विस्तृत क्षेत्र में मिलता है, इसलिये जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसके अंतर्गत श्रीरामपुर, उत्तरपाड़ा, बैद्यवाटी, भद्रेश्वर तथा कोठरांग प्रमुख नगर हैं। ये सभी हुगली नदी के किनारे बसे हैं तथा उद्योगों के केंद्र हैं। तारकेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ है।

२. नगर, स्थिति : २२° ४५′ उ० अ० तथा ८८° २१′ पू० दे०। श्रीरामपुर नगर उपर्युक्त उपविभाग का प्रशासनिक केंद्र है। यह बैरकपुर के सामने हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ कई बड़े कारखाने हैं। नगर की जनसंख्या ९१,५२१ (१९६१) है।

[ज० सिं०]

श्रीलंका (Ceylon) हिंद महासागर में स्थित, भारत से मनार की खाड़ी तथा पाक जलडमरूमध्य द्वारा पृथक्, एक बड़ा द्वीप है। इसकी अधिकतम लंबाई २७० मील (उत्तर से दक्षिण), चौड़ाई १४० मील (पूरब से पश्चिम) तथा क्षेत्रफल २५,३१२ वर्ग मील है।

यह प्राचीन द्वीप ब्राह्मण साहित्य में लंका, ग्रीक और रोमवासियों में तप्रोबेन, समुद्री व्यापारियों में सेरन द्वीप (सिंहल द्वीप का अपभ्रंश) तथा पुर्तगालवासियों में जेलन (अब सीलोन) के नाम से विख्यात था। रत्नद्वीप के नाम से भी यह विख्यात था। भारतीय महाकाव्य रामायण में महाकाव्य के नायक श्रीराम द्वारा लंका विजय का विशद वर्णन है।

द्वीप का क्रमबद्ध इतिहास राजा विजय के शासनकाल से प्रारंभ होता है। राजा का पदार्पण उत्तर-पूर्व भारत से ईसा के ४८३ वर्ष पूर्व हुआ और तब से १६ वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यहाँ राजतंत्र रहा। १५०५ ई० में दक्षिण और पश्चिम भाग में पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। १७वीं शताब्दी के मध्य में इसपर डच लोगों का अधिकार हो गया। पर १७९६ ई० में अंग्रेजों ने डचों को हटाकर इसपर अधिकार कर लिया। इस प्रकार १८०२ ई० में यह ब्रिटिश उपनिवेश का एक अंग बन गया। १८१४ ई० से १९४८ ई० तक ब्रिटिश शासनातंर्गत रहने के बाद ४ फरवरी, १९४८ ई० को लंका स्वतंत्र हुआ तथा जुलाई, [illegible] गणतंत्र बना। यह कॉमनवेल्थ का सदस्य भी है।

मध्य में ४,३१२ वर्ग मील में फैला एक पर्वतपिंड और समतल मैदान है। समुद्रतट से पर्वतपिंड की दूरी ४५ से ७० मील है। इसकी मुख्य चोटी पिदुरुतलागला ८,२९६ फुट ऊँची है। तोतापेला (७,७४० फुट) तथा आदम (७,३५२ फुट) अन्य प्रमुख चोटियाँ हैं। नुवारा एलिया, यहाँ का मुख्य स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है, जो ६,००० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। बादुला, बदारावेला, दियातालावा, हैटन और कैंडी अन्य स्वास्थ्यवर्धक केंद्र हैं।

नदियाँ — यहाँ की सभी नदियाँ दक्षिण के पहाड़ी भाग से निकलती हैं। २०६ मील लंबी प्रसिद्ध महावेली गंगा पश्चिमी ढाल से बहती हुई पूरब में ट्रिंकोमाली के निकट समुद्र से मिलती है। अन्य प्रमुख नदियाँ कालुगंगा और केलानीगंगा हैं जो पश्चिम में क्रमशः कालुबारा और कोलंबो के पास समुद्र से मिलती हैं। यहाँ की सभी नदियाँ छोटी पर नौगम्य तथा सिंचाई की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

भूगर्भ और खनिज — यहाँ की भूमि कड़े रवादार चट्टानों से निर्मित है। मध्यभाग में खोंडालाइट चट्टान की पट्टी है जिसमें ग्रैफाइट और रवादार चूना पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण पूर्व में 'चिरनकम' की नाइस चट्टानें वर्तमान हैं। उत्तरी भाग में अल्पनूतन युग (Miocene) का चूना पत्थर पाया जाता है। खोंडालाइट के उत्तर में अत्यल्प-नूतन युग (Pleistocene) की चट्टानों की पट्टी है। पूर्वी और पश्चिमी तट पर आधुनिक जमाव का विशृंखलित क्रम है। नदियों के कंकड़ों में कीमती पत्थर मिलते हैं, जिनमें नीलम मुख्य है।

जलवायु — विषुवत् रेखा के निकट स्थित यह गरम और मानसूनी देश है। गरमी में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के प्रभाव के फलस्वरूप दक्षिणी और पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। जाड़े में उत्तर-पश्चिमी मानसूनी हवा से सारे देश में साधारण वर्षा हो जाती है। इस तरह यहाँ की औसत वर्षा ५० इंच है। पर पहाड़ी भागों में २०० इंच तक वर्षा होती है। मैदानी भागों में औसत तापमान २७° सें० रहता है जबकि पहाड़ी प्रदेशों में १५° सें०। यहाँ (कोलंबो) का मानक समय ग्रीनिच समय से ५ घंटा १९ मिनट २३ सेकंड आगे है।

वनस्पति — श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम के वर्षाशाली क्षेत्रों में सदाबहार वन हैं। विषुवतीय वन की तरह यहाँ ऊँचे पेड़ हैं जिनमें बटापार्चा, सिनरोना और रबर के वृक्ष मुख्य हैं। पहाड़ी भागों के वृक्षों के कद छोटे हैं। अधिक ऊँचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। आबनूस, सेटिनवुड तथा झाड़ीदार वृक्ष शुष्क पतझड़ वन की विशेषता हैं। दक्षिणी और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल के सघन क्षेत्र हैं।

जीवजंतु — घने जंगलों में स्थानीय उपजाति के हाथी पाए जाते हैं। पालतू तथा जंगली भैंसों के अलावा हिरन की चार, बंदरों की पाँच, मगर की दो तथा साँपों की पाँच जातियाँ पाई जाती हैं। स्थिर साँपों में कोबरा और वाइपर मिलते हैं। घने जंगलों में चीते मिलते हैं। यहाँ ३०२ प्रकार के पक्षियों के होने का ज्ञान है जिनमें से १२० जाति के पक्षी ठंडे दिनों में एशिया के देशों से यहाँ चले आते हैं।

कृषि — यहाँ कृषि तथा चरागाह के अंतर्गत क्रमशः ३७ और

४.५६ लाख एकड़ भूमि है। धान की खेती अधिक भूमि पर होते हुए भी देश इसमें स्वावलंबी नहीं है। रबर उत्पादन में इसका स्थान मलाया और हिंदचीन के बाद है। चाय उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है। इलायची, कोको, तंबाकू और कपास अन्य प्रमुख फसलें हैं। फलों में आम, केला, नाशपाती, नारंगी, अनार और काजू भी होते हैं।

उद्योग धंधे — श्रीलंका हाथकरघा उद्योग, चटाइयों, टोकरियों, काँच की चूड़ियों, लकड़ी तथा हाथीदाँत की चीजों, चाँदी, एवं पीतल के बरतनों आदि के कुटीर उद्योगों के लिये विख्यात है। बड़े उद्योगों में सूती वस्त्र, सीमेंट, काँच और चमड़े के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तटवर्ती क्षेत्रों का मुख्य धंधा मछली पकड़ना है जिनमें यंत्रचालित नौकाओं का व्यवहार होता है। पकड़ी जानेवाली मछलियों में बानिटो, टूना, स्पाइनल, मैकेल, ट्राउट, कॉर्ड, क्रोमफिश, कैटफिश इत्यादि मुख्य हैं।

जनसंख्या — यहाँ की कुल जनसंख्या १,०६,२४,००० (१९६३) है। कोलंबो यहाँ की राजधानी, बंदरगाह एवं प्रमुख औद्योगिक तथा शिक्षाकेंद्र है। कोलंबो की जनसंख्या ५,१५,३०० (१९६३), जफ्ना की जनसंख्या ८६,८०० (१९६३), कैंडी की जनसंख्या ७२,००० (१९६३) तथा गाल की जनसंख्या ६७,५०० (१९६३) है।

धर्म — यहाँ बौद्ध धर्म की प्रधानता है जिसका प्रचार ईसा के ३०० वर्ष पूर्व हुआ था।

शिक्षा — यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रणाली है। ६ से १४ वर्ष के बच्चों के लिये स्कूल शिक्षा अनिवार्य है। सीलोन विश्वविद्यालय की स्थापना १९२१ ई० में हुई है, जहाँ कला, विज्ञान, औषध, नियम, इंजीनियरी व्यवसाय, कृषि एवं पशुचिकित्सा की शिक्षा का प्रबंध है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, सिंहली या तमिल है।

यातायात — १९५८ ई० में रेलमार्ग की लंबाई ८९८ मील थी। हवाई मार्ग स्थानीय एवं विदेश के मुख्य शहरों को मिलाता है।

व्यवसाय — चावल, सूतीवस्त्र, तरल ईंधन, आटा, मछली, चीनी, उर्वरक, कोयला तथा दूध से बनी सामग्री का आयात तथा चाय, रबर, नारियल का तेल, इलायची, कोको तथा सुपारी का निर्यात होता है।

संविधान एवं राजनीति — श्रीलंका स्वतंत्र देश है। संविधान के अनुसार संसद् की दो सदनें हैं, सिनेट तथा हाउस ऑव रिप्रेजेंटेटिव, जिनकी सदस्यसंख्या क्रमशः ३० और १५१ है। शासनकार्य मंत्रिमंडल द्वारा संपन्न होता है जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है। १९६४ ई० से सिंहली यहाँ की राष्ट्रभाषा है। [सु० नं० प्र०]

श्रीवास इनके माता पिता श्रीहट्ट से नवद्वीप में आ बसे थे। यहीं सं० १५१० में इनका जन्म हुआ। ये आरंभ में निष्ठुर, नास्तिक तथा दंभी थे पर स्वप्न में प्रेरणा प्राप्त कर भक्त हो गए। श्री गौरांग ने इन्हें तथा इनके परिवार को प्रत्यक्ष अवतारी महाभावावेश का दर्शन दिया था और एक वर्ष इनके गृह पर रहकर भक्ति का प्रचार किया। श्री गौरांग के कृष्णलीलाभिनय में इन्होंने नारद जी की भूमिका ग्रहण की थी। श्री गौरांग के पुरी चले जाने पर वह श्रीहट्ट चले गए और वहाँ भक्तिकीर्तन का प्रचार किया। १५९० में श्रीगौर के [illegible] होने पर यह भी अंतर्हित हो गए। इस संप्रदाय के प्रव[illegible] यह भी एक हैं। [ब० र० [illegible]

श्रीहर्ष का 'नैषधीयचरित्' 'बृहत्त्रयी' में बृहत्तम महाकाव्य [illegible] महाकवि श्रीहर्ष की माता का नाम मामल्ल देवी और पि[illegible] 'हीरपंडित' था। गहड़वालवंशी काशी के राजा विजयचंद्र और [illegible] पुत्र राजा जयचंद्र (जयंतचंद्र) — दोनों के वे राजसभापंडित [illegible] राजा कान्यकुब्जेश्वर कहे जाते थे, यद्यपि उनकी राजधानी [illegible] चलकर काशी में हो गई थी। कान्यकुब्जराज द्वारा सम्मान [illegible] कारण उन्हें राजसभा में दो बीड़े पान तथा आसन का सम्मान [illegible] था। इन राजाओं का शासनकाल ११५६ ई० से ११९३ ई० [illegible] माना गया है। अतः श्रीहर्ष भी बारहवीं शती के उत्तरार्ध में [illegible] थे। किंवदंती के अनुसार 'चिंतामणि' मंत्र की साधना द्वारा त्रि[illegible] देवी के प्रसन्न होने से उन्हें वरदान मिला तथा वाणी, काव्यनिर्मा[illegible] शक्ति एवं पांडित्य की अद्भुत क्षमता उन्हें प्राप्त हुई। यह भी [illegible] जाता है कि काव्यप्रकाशकार 'मम्मट' उनके मामा थे विद्वा[illegible] 'नैषध महाकाव्य' में आ गए कुछ दोषों से श्रीहर्ष की परिचि[illegible] कराया। परिचय कवि केवल काव्यनिर्माण की विलक्षण प्रतिभा से ही संपन्न न थे अपितु वे उच्च कोटि के दर्शन-शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। सुकुमार वस्तुमय साहित्यनिर्माण में उनकी वाणी का जैसा अबाधित विलास प्रगट होता है वैसी ही शक्ति प्रौढ़ तर्कों से पुष्ट, शास्त्रीय ग्रंथ के निर्माण में भी उन्हें प्राप्त थी। पंडित मंडली में प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार तार्किकशिरोमणि उदयनाचार्य को भी उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। नैयायिकों की तर्कमूलक पद्धति से न्याय के सिद्धांतों का खंडन करनेवाला श्रीहर्ष का 'खंडनखंडखाद्य' नामक ग्रंथ अद्वैत वेदांत की अति प्रकृष्ट और प्रौढ़ रचना मानी जाती है। इसके अतिरिक्त 'स्थैर्यविचारप्रकरण' और 'शिवशक्तिसिद्धि' (या 'शिवभक्तिसिद्धि') नामक दो दार्शनिक ग्रंथों का श्रीहर्ष ने निर्माण किया था। 'विजय प्रशस्ति', 'गौडोर्वीशकुलप्रशस्ति' तथा 'छिंदप्रशस्ति' नामक तीन प्रशस्तिकाव्यों के तथा 'अर्णव वर्णन' और 'नवसाहसांकचरित चंपू' काव्यों के भी वे प्रणेता थे। परम प्रौढ़ शास्त्रीय वैदुष्य से ओतप्रोत, कविप्रौढोक्तिसिद्ध कल्पना से वैदग्ध्यपूर्ण और अलंकृत काव्यशैली के उत्कृष्टतम महाकाव्य के रूप में 'नैषधीयचरित्' का संस्कृत महाकाव्यों में अद्वितीय स्थान है। 'भारवि' के किरातार्जुनीय से आरंभ अलंकरणप्रधान सायास काव्यरचना शैली का चरमोत्कर्ष नैषधीयचरित् (नैषधचरित् या नैषध काव्य) में विकसित है। महाभारतीय नलोपाख्यान से गृहीत इस महाकाव्य की कथावस्तु में नल और दमयंती के पूर्वराग, विरह, स्वयंवर, विवाह और नवदंपतिमिलन एवं संभोगकेलियों का वर्णन हुआ है। प्रसंगतः अन्य मध्यागत विषय भी काव्यप्रबंध में गुंफित हैं। २२ सर्गोंवाले इस विशालकाय काव्य के अनेक सर्गों की श्लोकसंख्या १५० से भी अधिक है। परंतु इसका वस्तु कथानक काव्याकार के अनुपात में छोटा है। कथाविस्तार में सीमालघुता रहने पर अवांतर प्रसंगों में वर्णनविस्तृति के कारण ही इसका काव्यकलेवर बढ़ा है। चार सर्गों में नल का श्लोकानुराग, पूर्वरागजन्य विरह, हंसमिलन का दौत्य, दमयंतीविरह आदि मात्र वर्णित है। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम

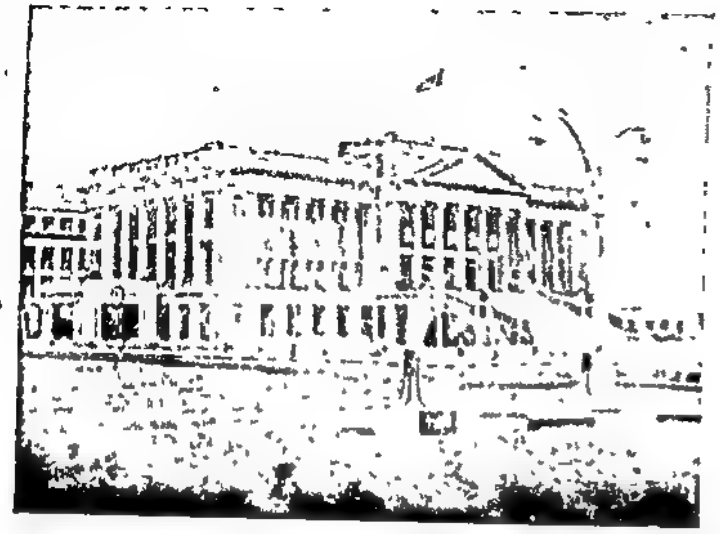

प्रतिनिधिभवन, कोलंबो

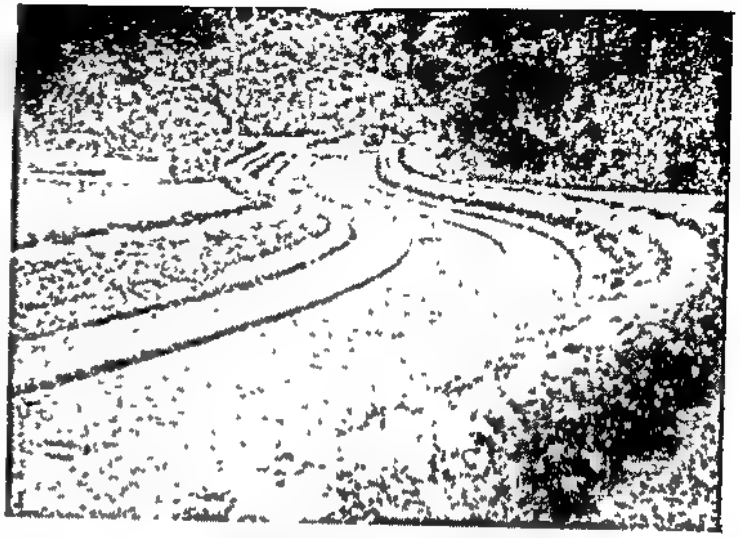

पेरादेनिया उद्यान में पुष्पावलि

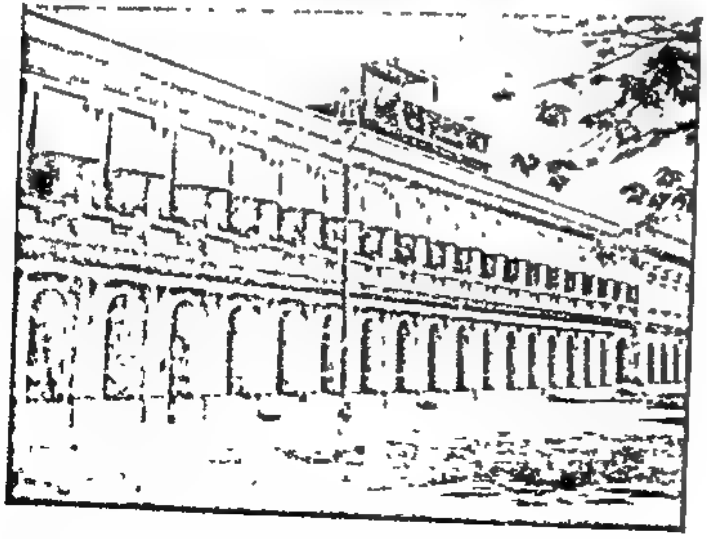

सेनेट भवन, कोलंबो

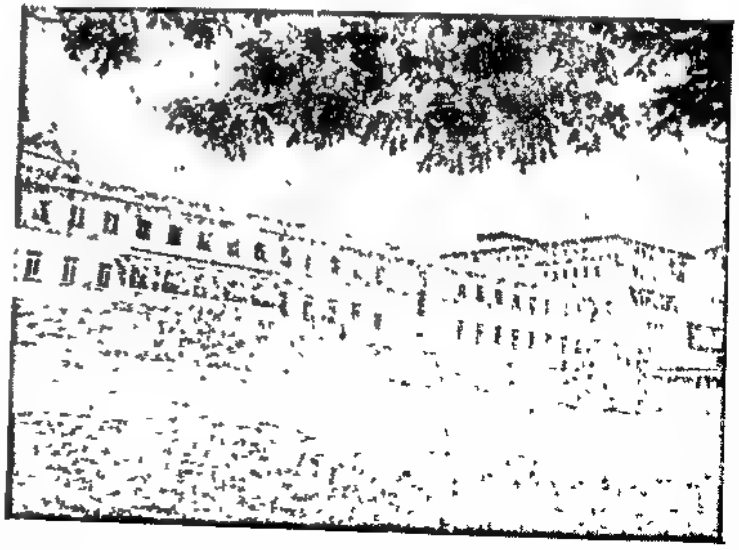

निवासभवन, सीलोन विश्वविद्यालय, पेरादेनिया

फोटो (पृष्ठ [illegible])

[illegible]

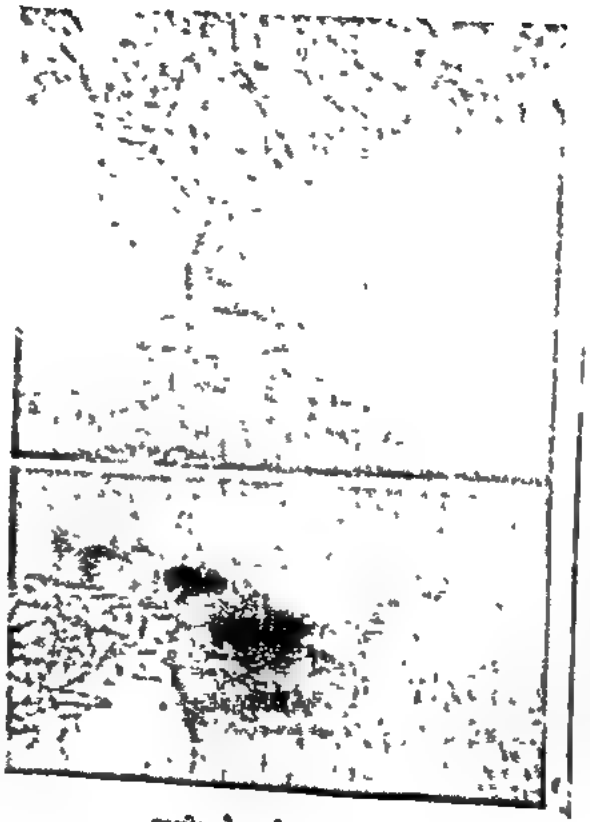

[illegible] देवपुर्ग, [illegible]

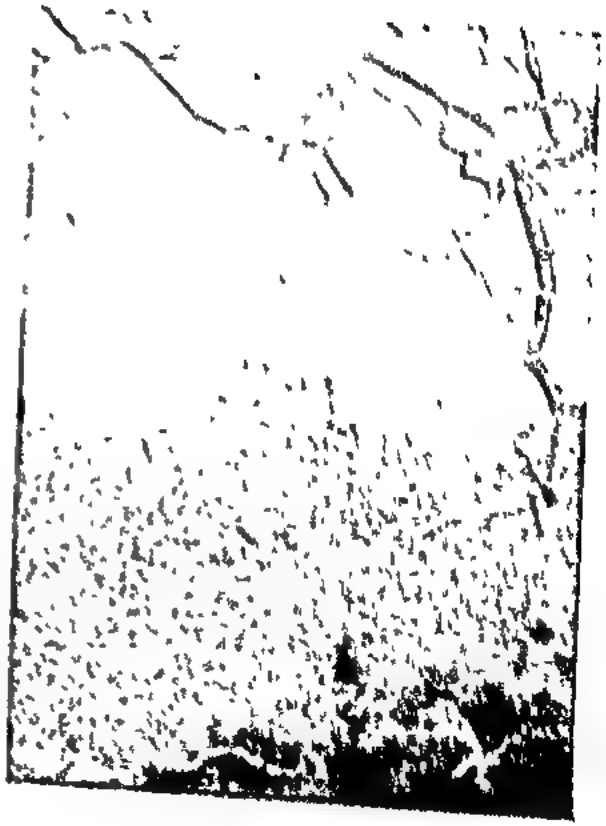

[illegible] का [illegible]

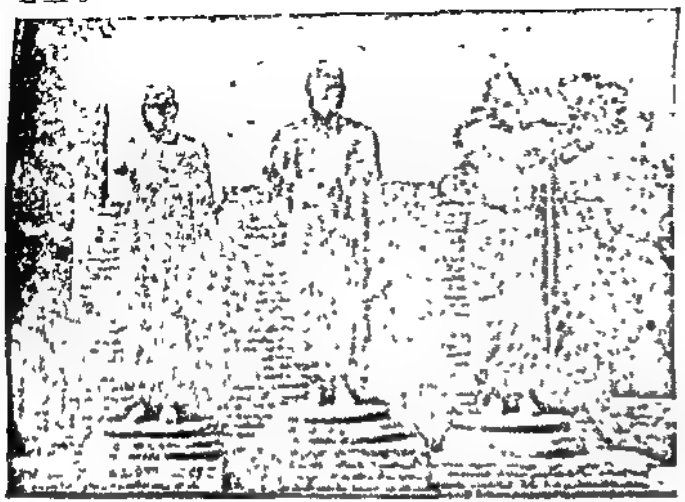

प्राचीन मूर्तियाँ, पोलोन्नारुव

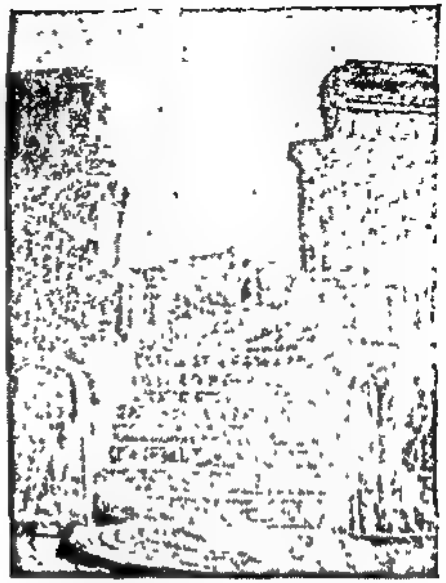

शिल्पकृतियाँ, पोलोन्नारुव

महातिलक विहार, पोलोन्नारुव

बुद्ध मूर्तियाँ, जलविहार, पोलोन्नारुव

[illegible]

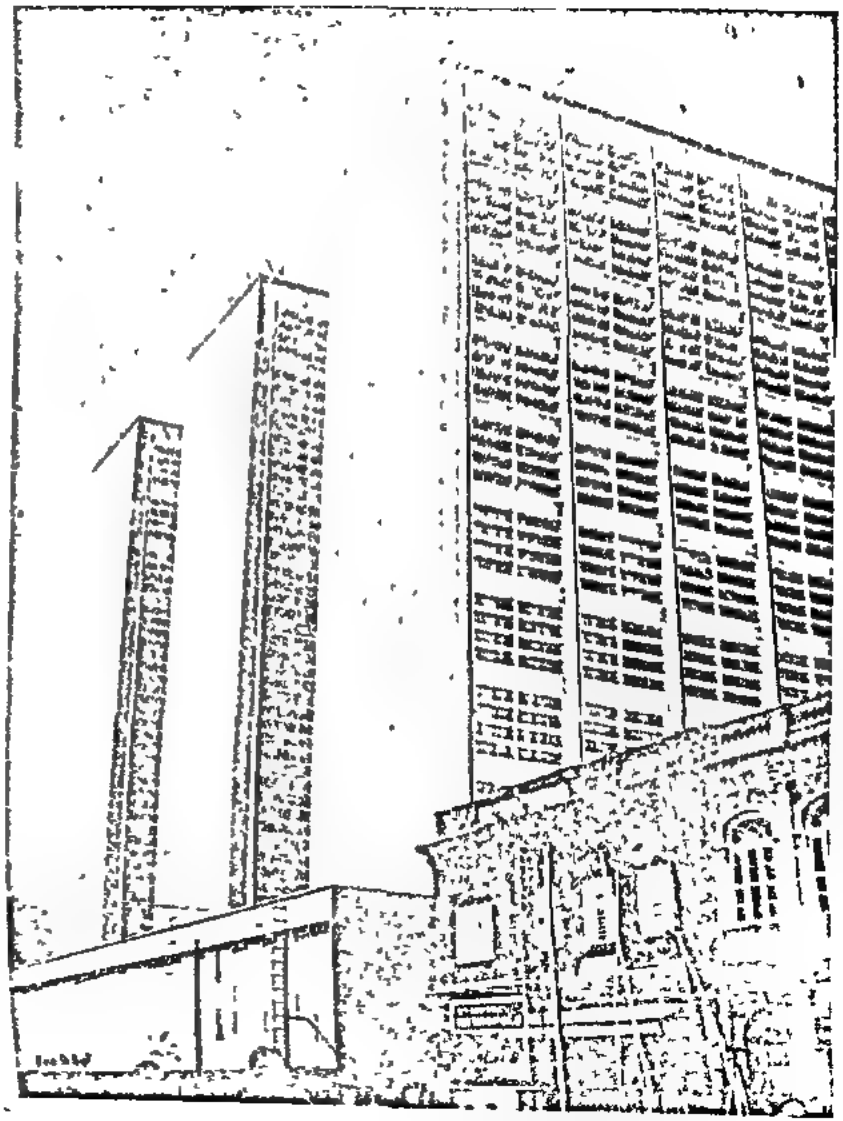

[illegible] बैंक भवन, कोलंबो

श्रीलंका (पृष्ठ ३२७)


श्रीलंका
मील
० २० ४० ६० ८० १००
भारत
पाक जल संधि
कंकेसंतुरै
जफ्फना
काइत्सा
जफ्फना
प्रायद्वीप
डेल्फ्टद्वीप
पाक खाड़ी
मुलैतीवु
रामेश्वरम
आदम की पुल
मन्नारद्वीप
मन्नार
बंगाल की
वावूनिया
मन्नार की
महावली
त्रिंकोमाली
कोट्टलियर
खाड़ी
निलावेलि
अनुराधापुर
कलपितिया
प्रायद्वीप
पुत्तलम् अनूप
पुत्तलम्
खाड़ी
खाड़ी
पोलोन्नरुवा
महावेलीगंगा
मट्टिकलोआ
चिलाव
मदंपी
कुरुनेगला
केगल्ला
कंडी
अंपारा
निगोम्बो
कटुनायक
मुतवल
पिदुरुतलागला
गाल
कोलंबो
कोट्टी
आटगली
चोटी
नुवारा
एलिया
नवुल्य
देहिवाल माउंट
लविनिया
मोरातुवा
किरिगलपोत्ता
रत्नपुर
कोलुदरा
हंबानटोटा
गाल
मतारा
हिंद महासागर

श्रीलंका (पृष्ठ ३२७)

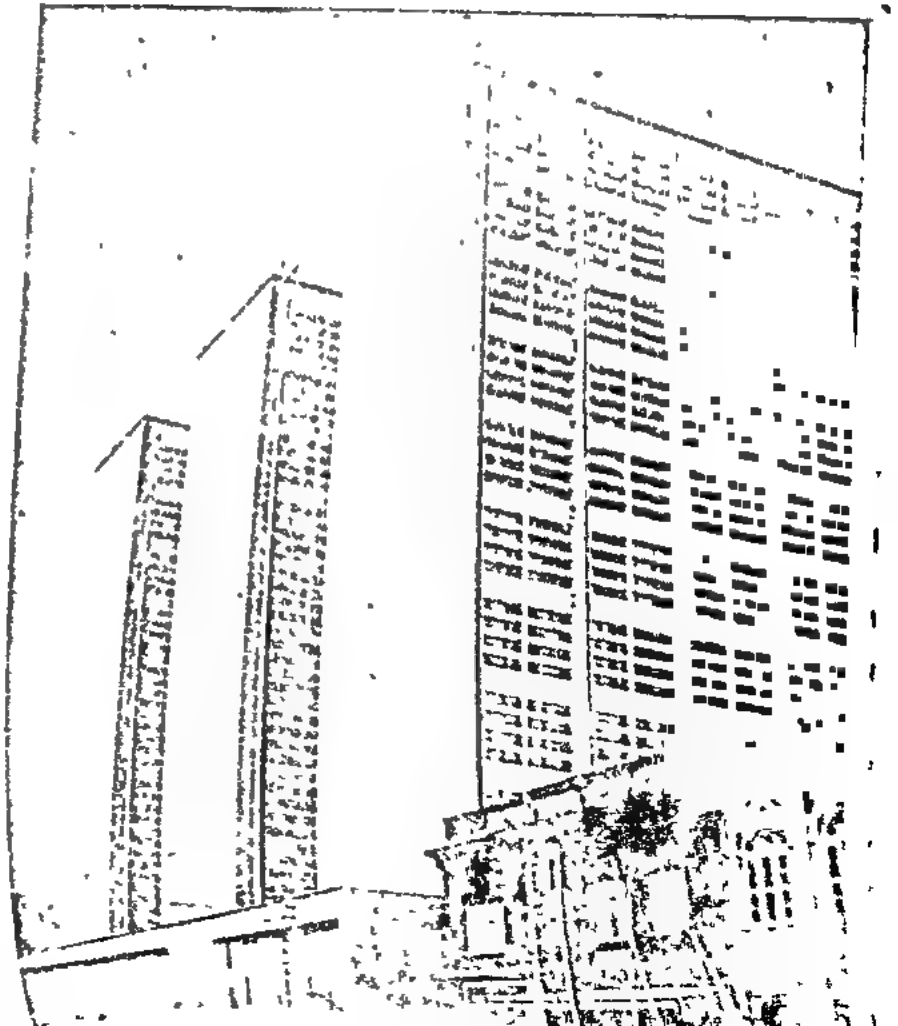

श्रीलंका (पृष्ठ ३२७)

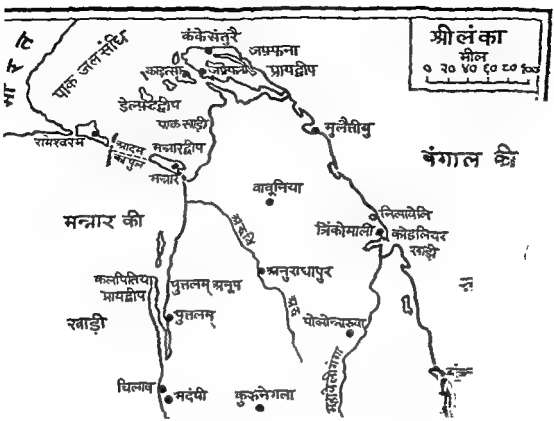
श्रीलंका
मील
० २० ४० ६० ८० १००
पाक जलसंधि
कंकेसंतुरै
जफ़्फना
प्रायद्वीप
कइतसू
जफ़्फना
डेल्फ़्टद्वीप
पाक खाड़ी
मुलैतीवु
रामेश्वरम
मन्नारद्वीप
मन्नार
बंगाल की
वावुनिया
मन्नार की
त्रिंकोमाली
कोडलियर
खाड़ी
अनुराधापुर
कलपितिया
प्रायद्वीप
पुत्तलम् अनूप
पुत्तलम्
खाड़ी
पोलोन्नरुवा
चिलाव
मदंपी
कुरुनेगला

$\sum_1^\infty a_n$ द्वारा व्यक्त करते हैं। माना $S_n = a_1 + \ldots + a_n$ इस श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है। यदि n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर S_n एक परिमित सीमा S की ओर अग्रसर हो, तो श्रेणी $\sum_1^\infty a_n$ अभिसरित (converge) कही जाती है S की ओर, और S श्रेणी का योग कहलाता है। यदि S_n अग्रसर होता है $\pm\infty$ की ओर, तो श्रेणी परिस्थिति के अनुसार $+\infty$ या $-\infty$ की ओर अपसारित (diverge) होती कही जाती है। यदि S_n परिमित रूप से दोलित होता है, अर्थात् यदि प्रत्येक n के लिये $|S_n| < K$ है, और यदि S_n किसी सीमा की ओर अग्रसर नहीं होता है, तो श्रेणी परिमित रूप से दोलित करती कही जाती है। यदि n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर, $|S_n|$ अपरिमित रहता है और S_n किसी सीमा की ओर अग्रसर नहीं होता, तो श्रेणी अनंत रूप से दोलित होती कही जाती है। श्रेणी $1-1+1-1+\ldots$ के लिये n के सम या विषम होने के अनुसार $S_n = 0$ या 1 है। अतः यह श्रेणी परिमित रूप से दोलित है। श्रेणी $1-2+3-4+\ldots$ के लिये $S_{2n} = -n$, $S_{2n-1} = n$ है और यह श्रेणी अनंत रूप से दोलन करती है।

अतः किसी श्रेणी का अभिसरण, या अपसरण, अपूर्ण योगों $\{S_n\}$ के अनुक्रम के अभिसरण, या अपसरण, पर निर्भर होता है। अभिसरण के लिये आवश्यक एवं पर्याप्त अनुबंध यह है कि किसी लघु अविहित धनराशि ϵ के निश्चित होने पर एक ऐसा पूर्णांक N ज्ञात किया जा सकता है कि $|S_m - S_n| < \epsilon$ हो, यदि $m > N$, $n > N$ हो। विशेषतः यदि श्रेणी अभिसरित है, तो n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर $|S_n - S_{n-1}| = |a_n| \to 0$ होगा। सामान्यतः जो श्रेणी अभिसरित नहीं होती, वह अपसारित कही जाती है। गुणोत्तर (geometrical) श्रेणी $1+r+r^2+\ldots$ के लिये $S_n = (1-r^n)/(1-r)$ यदि $r \neq 1$, और $S_n = n$ यदि $r = 1$ है। यदि $|r| < 1$ है तो यह श्रेणी योग $1/(1-r)$ की ओर अभिसरित होती है, अन्यथा अपसरित रहती है। श्रेणी $\sum_{r=1}^\infty 1/r^p$, जिसमें p वास्तविक है, $p > 1$ के लिये श्रेणी अभिसारी और $p \leq 1$ के लिये श्रेणी अपसारी है।

S_n के लिये निश्चित व्यंजक ज्ञात करना सदैव सरल नहीं है। अतः हम यह जानने के लिये कि कोई विशिष्ट श्रेणी अभिसारी है या नहीं, अभिसारी और अपसारी की परीक्षाविधियों का प्रयोग करते हैं। यदि कोई श्रेणी केवल धनात्मक पदों से बनी है, तो किसी पद के उपरांत $\{S_n\}$ एक वृद्धिमय अनुक्रम होगा और ऐसे वृद्धिमय अनुक्रम के अभिसरण के लिये आवश्यक और पर्याप्त अनुबंध यह है कि वह परिमित हो, अर्थात् एक ऐसी अचर राशि K का अस्तित्व हो कि n के अनंत मानों के लिये $S_n < K$ हो। धनात्मक पदोंवाली श्रेणी के अभिसरण परीक्षण की विधियाँ निम्नलिखित हैं :

(अ) तुलनात्मक कसौटी — यदि a_n और b_n धनात्मक पदों की दो श्रेणियाँ हों और यदि A और B दो ऐसी धनात्मक संख्याएँ अस्तित्व में हों कि $A < a_n/b_n < B$ हो, तो एक श्रेणी का अभिसरण या अपसरण दूसरी श्रेणी के अभिसरण या अपसरण को सूचित करता है। यदि a_n/b_n शून्य की ओर अग्रसर हो, तो $\sum a_n$ अभिसारी होगा यदि $\sum b_n$ भी अभिसारी हो। यदि a_n/b_n अनंत की ओर अग्रसर हो, तो $\sum a_n$ अपसारी होगा यदि $\sum b_n$ भी अपसारी हो। अतः यदि $a_n = 1/(n^\alpha + c)$, $0 < \alpha < 1$, $c > 0$ हो, तो $b_n = 1/n$ रखने पर $\sum a_n$ अपसारी होगा।

(आ) कौशी (Cauchy) की मूल परीक्षा — यदि $\lim_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} < 1$ हो तो श्रेणी अभिसारी और यदि $\lim_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} > 1$ हो, तो श्रेणी अपसारी होगी।

(इ) समाकल परीक्षा — यदि $a_n = f(x)$ और $x > x_0$ के लिये $f(x)$ अनपहृत हो, तो $S_n = \int_1^n f(x)\,dx$ का मान θ और $f(1)$ के अंतर्गत होगा अतः समाकल $\int_1^\infty f(x)\,dx$ और श्रेणी दोनों ही एक साथ अभिसारी या अपसारी होंगे। यदि हम $f(x) = 1/x^p$, $p > 0$, लें तो श्रेणी $\sum 1/n^p$, $p > 1$ के लिये अभिसारी और $p \leq 1$ के लिये अपसारी होगी। और यदि $p = 1$ है तो, $\lim_{n\to\infty} \left\{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \log n\right\}$ (यॉयलर का अचल) का अस्तित्व होगा और इसका मान 0 और 1 के अंतर्गत होगा।

(ई) डिनी (Dini) और कुमर (Kummer) के निम्नलिखित साध्य से डालंबेयर, राबे इत्यादि प्रणीत निम्नलिखित परीक्षाएँ निकलती हैं। यदि $\sum 1/D_n$ कोई धनात्मक पदोंवाली अपसारी श्रेणी हो और यदि $L = \lim_{n\to\infty} \left\{D_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - D_{n+1}\right\}$ अतः हो तो $\sum a_n$ अभिसारी होगा यदि $L > 0$, और अपसारी होगा यदि $L < 0$। $D_n = 1$ और n रखने पर हमें क्रमशः डालंबेयर और राबे की परीक्षाविधियाँ प्राप्त होती हैं।

अब हम किसी श्रेणी के विशेष अभिसरण की व्याख्या करें। यह विचार विशेषतः दो श्रेणियों के तुलन में लाभकर है। $\sum a_n$ विशेषतः अभिसारी उस समय कहा जाता है, जब $\sum |a_n|$ अभिसारी हो। यदि $\sum a_n$ अभिसारी, किंतु $\sum |a_n|$ अपसारी हो तो श्रेणी $\sum a_n$ अविशेषतः अभिसारी, अथवा सर्त अभिसारी, कही जाती है। क्रमानुसार धनात्मक और ऋणात्मक पदों से बनी श्रेणी $\sum a_n$ तभी अभिसारी होगी जब $|a_n|$ एकरसी ह्रासमान और $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ हो। उदाहरणार्थ, श्रेणी $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \ldots$ अभिसारी है, किंतु विशेषतः अभिसारी नहीं। यदि धनात्मक पदोंवाली श्रेणी अभिसारी हो, तो इसका योग पदों के क्रम पर निर्भर

क्रम की विधि) कहते हैं, यदि n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर $\sigma_n = \frac{s_0+\dots+s_n}{n+1}$ एक परिमित सीमा की ओर अग्रसर होता हो। यदि श्रेणी अभिसारी हो, तो वह उसी योग की ओर (C, 1) संकलनीय होगी, और यदि श्रेणी $+\infty$ (या $-\infty$) की ओर अपसारी हो, तो n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर σ_n $+\infty$ (या $-\infty$) की ओर अग्रसर होगा। श्रेणी $1-1+1-1+\dots$ अभिसारी नहीं है, किंतु इसका (C, 1) योग $\frac{1}{2}$ है। (C, k) संकलन की विधि भी इसी प्रकार व्यक्त की जाती है। यदि $\lim_{x\to 1-0}\sum_{0}^{\infty} a_n x^n$ अस्तित्वमय हो, तो श्रेणी $\sum_{0}^{\infty} a_n$ (A) संकलनीय कही जाती है। एबेल के साध्य द्वारा यह स्पष्ट है कि यदि $\sum_{0}^{\infty} a_n$ अभिसारी हो S की ओर, तो $\lim_{x\to 1-0}\sum_{0}^{\infty} a_n x^n$ S होगा। अत: प्रत्येक अभिसारी श्रेणी समान योग की ओर (A) संकलनीय होती है, किंतु इसका विपर्यय सत्य नहीं है।

सं० ग्रं० — के० नॉप : थ्योरी ऐंड ऐप्लिकेशन ऑव इनफिनिट सीरीज (१९२८); ब्रॉमविच : ऐन इंट्रोडक्शन टु दि थ्योरी ऑव इनफिनिट सीरीज (१९२६); हार्डी : डाइवर्जेंट सीरीज (१९४९); टिचमार्श : थ्योरी ऑव फंक्शंस (१९३९)। [स० मो० या०]

श्रेणी (Guild गिल्ड) श्रेणियाँ मूलतः शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ होती थीं। इनका काम था सदस्यों की सहायता करना। मध्यकालीन युग में धर्मनिरपेक्ष [illegible] था। बड़े बड़े [illegible] के स्थान पर [illegible] प्रयोग होता था। नगर औद्योगिक समुदायों के केंद्र होते थे। वहीं दस्तकारों की वस्तुएँ तैयार होती थीं। वहीं के [illegible] शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे। तत्कालीन आर्थिक संगठन में इन श्रेणियों का महत्वपूर्ण स्थान था। [illegible] के आधार पर ही इनका संगठन होता था। [illegible] श्रेणी के लोग एक ही प्रकार का [illegible] [illegible]

[illegible]

थीं परंतु बाद में एकाधिकार प्राप्त हो जाने के कारण साधारण शिल्पियों का शोषण प्रारंभ कर दिया। शिल्पियों ने भी अपने आपको श्रेणियों में संगठित [illegible] के साथ इनकी उपादेयता भी बढ़ती गई और श्रेणियों [illegible] दृढ़ तथा सुव्यवस्थित संगठन का रूप लिया। [illegible] तथा अमीरों के संघर्ष में तो इन श्रेणियों ने साधारण [illegible] हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया। [illegible] इनका संगठन बहुत दृढ़ हो चुका था और इन्हें राजनीतिक [illegible] भी प्राप्त होने लगे थे। नगरपालिकाओं का संगठन इन्हीं [illegible] आधार पर हुआ तथा उनके संविधान भी श्रेणियों के [illegible] आगे चलकर श्रेणियों का महत्व इतना अधिक बढ़ा कि जो [illegible] स्वायत्तशासन में भाग लेना चाहता था, उसके लिये [illegible] हो गया कि वह श्रेणी का सदस्य हो जाय। प्राचीन भारत [illegible] मायोग भी इन्हीं श्रेणियों के [illegible] रूप थे और नगर [illegible] जो कार्य थे उन्हीं से मिलते जुलते कार्य [illegible] जर्मनी आदि देशों में इन श्रेणियों के थे। [illegible] श्रेणियाँ इतनी संपन्न हो गईं कि [illegible] व्यवसाय के [illegible] संचालित होने लगे। अधिकांश श्रेणियों का संगठन [illegible] आधार पर था। १३वीं और १४वीं शताब्दी [illegible] और व्यावसायिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण [illegible] इन दो शताब्दियों में श्रेणियों का विकास भी [illegible] से हुआ। इस युग में यूरोप के अन्य देशों में भी श्रेणियों [illegible] हुआ और उनके संगठन का रूप तथा उनके [illegible]

इन श्रेणियों [illegible] केवल अपने सदस्यों की [illegible] करना ही नहीं अपितु वस्तु की उत्कृष्टता को [illegible] था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सदस्यों द्वारा [illegible] den) का चुनाव किया जाता था।

यद्यपि व्यापारिक श्रेणियों तथा शिल्प श्रेणियों [illegible]

[illegible]

समाजवादियों ने नौकरशाही और उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण की भर्त्सना की तथा 'राज्य समाजवादियों' की तरह राजनीतिक संगठन और नियंत्रण के यंत्र के रूप में राज्य को आवश्यक माना। राज्य के उद्योगों के मालिक बने रहने में इन्हें कोई आपत्ति न थी परंतु उद्योगों का नियंत्रण और संचालन उन सभी उद्योग में लगे हुए शारीरिक और मानसिक श्रमिकों के श्रमसंघों द्वारा हो। श्रेणी समाजवाद सामाजिक स्वामित्व को स्वीकार करता है और औद्योगिक स्वायत्तता का समर्थन करता है। इस विचारधारा के अनुसार ऐसे राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं जिसमें उद्योगों का नियंत्रण निरंकुशता के आधार पर होता है। राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् श्री जी० डी० एच० कोल ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: यह समाजवाद राज्य की आवश्यकता को स्वीकार करता है परंतु यह यह मानता है कि समाज के मूलगामी परिवर्तन के लिये यह आवश्यक है कि औद्योगिक शक्ति प्रधान रूप से मजदूरों के हाथ में हो। श्रेणी समाजवाद राजनीतिक तथा प्रशासकीय मामलों को औद्योगिक तथा आर्थिक मामलों से पृथक् रखने के पक्ष में है। राजनीतिक अधिकारियों तथा श्रमिक अधिकारियों के ऊपर एक ऐसी समिति की कल्पना की गई जिसमें दोनों के ही प्रतिनिधि हों। यही संमिलित समिति सभी विवादग्रस्त प्रश्नों पर अंतिम निर्णय देगी। इस विचारधारा के विरोधियों ने इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक मामलों का विभाजन असंभव माना है।

अर्नेस्ट बारकर ने लिखा है "राजनीतिक तथा औद्योगिक अधिकारों के विभाजन की वकालत करनेवाला कोई भी सिद्धांत इस सत्य के सामने कि वर्तमान युग के सभी कार्यकलाप एक दूसरे पर आश्रित हैं, ध्वस्त हो जायगा।" राज्य का क्या रूप हो, इस प्रश्न के उत्तर पर भी सभी श्रेणी समाजवादी एकमत नहीं थे। कुछ तो राज्यसत्ता के वर्तमान रूप के ही समर्थक थे और कुछ संघीय रूप के पोषक जिसमें श्रमिक संघ के, उपभोक्ता संघ के, स्थानीय स्वायत्त शासन के तथा अन्य दूसरे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हों। वास्तव में श्रेणी समाजवादियों का लक्ष्य था आर्थिक विकेंद्रीकरण तथा श्रम समस्याओं के समाधान द्वारा मध्यकालीन श्रेणियों की पुनः स्थापना।

श्रेणी समाजवाद का प्रारंभ १९वीं शताब्दी के मध्य से होता है। समाजवाद के इस रूप की कल्पना सर्वप्रथम रस्किन तथा कुछ अन्य क्रिश्चियन समाजवादियों ने की। केटेलर और काउंट डी० मन जैसे समाजसुधारकों ने भी इसका समर्थन किया। परंतु इसने अपना वास्तविक रूप २०वीं शताब्दी के प्रथम भाग में लिया। ए० जे० पैंटी ने 'श्रेणीप्रणाली की पुनः स्थापना' (रेस्टोरेशन ऑव दी गिल्ड सिस्टम) नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक तथा ओरेज द्वारा संपादित 'नवयुग' (न्यू एज) पत्रिका ने इस आंदोलन को आवाज बुलंद की। प्रथम युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही इस आंदोलन ने दृढ़ता प्राप्त की। वह काल श्रमिक अशांति का काल कहा जा सकता है। बेजोड़ हड़तालें हुईं। श्रमिकों में नवचेतना जाग्रत हुई। आर्थिक क्षति के लिये श्रमिकों में नया जोश पैदा हुआ। श्रमिक वर्ग आयोगों में अपने महत्वपूर्ण स्थान को समझने लगा तथा अधिकार के प्रति जागरूक हो गया। महायुद्ध की अवधि में ही जी० डी० एच० कोल, डब्ल्यू० मेलोर, तथा रेकेट के प्रयास से इंग्लैंड में राष्ट्रीय श्रेणी संघ की स्थापना हुई। तत्कालीन श्रेणियों में ग्लासगो और लीड्ज की दर्जी श्रेणियों तथा लंदन के पिपानी कर्मचारी श्रेणी का महत्वपूर्ण स्थान है। लंदन की 'राष्ट्रीय निर्माण श्रेणी' ने युद्धकाल में कई महत्वपूर्ण ठेके लिए तथा महत्व के कार्य किए। दलीय 'शाप स्टिवर्ड' आंदोलन के द्वारा श्रमिकों ने युद्ध उद्योग में नियंत्रण की मांग की। खदानों के राष्ट्रीयकरण की मांग करनेवाले खदक संघ ने अपना कार्यक्रम बदल दिया और खदानों के स्वामित्व तथा गणतंत्रात्मक सिद्धांतों पर उसके नियंत्रण की मांग करना आरंभ किया। युद्धकाल में सरकार से भी इन श्रेणियों को सहायता मिलती रही। परंतु युद्ध के बाद १९२१ की मंदी इस आंदोलन के लिये घातक सिद्ध हुई। जब राष्ट्रीय निर्माण श्रेणी को सरकारी सहायता बंद हो गई तो वह श्रेणी समाप्त हो गई। 'शाप स्टिवर्ड' आंदोलन भी विच्छिन्न हो गया। सत्य तो यह है कि श्रेणी समाजवाद आंदोलन जन आंदोलन का रूप न ले सका और युद्ध की समाप्ति के कुछ ही वर्ष बाद यह आंदोलन ध्वस्त हो गया। आज यह केवल आर्थिक इतिहास का विषय भर रह गया है।

स० ग्रं० — टॉजिग : 'अर्थ शास्त्र के सिद्धांत', अमरीकन तथा ब्रिटिश विश्वकोश। [उ० ना० पा०]

श्रेयांसनाथ जैनधर्म के ११वें तीर्थंकर माने गए हैं। उनके पिता का नाम विष्णु और माता का विष्णुश्री था। उनका जन्मस्थान सिंहपुर (सारनाथ) और निर्वाणस्थान समेदशिखर माना जाता है। गैंडा इनका चिह्न था। श्रेयांसनाथ के काल में जैन धर्म के अनुसार अचल नाम के प्रथम बलदेव, त्रिपृष्ठ नाम के प्रथम वासुदेव और अश्वग्रीव नाम के प्रथम प्रतिवासुदेव का जन्म हुआ।

श्रेयांस एक राजा का भी नाम था। वह भरत चक्रवर्ती का पुत्र था और हस्तिनापुर का निवासी था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को इक्षुरस का आहार देकर राजा श्रेयांस ने उन्हें प्रथम पारणा कराई थी।

भगवान् महावीर के पिता सिद्धार्थ को भी श्रेयांस नाम से कहा गया है। [ज० च० जै०]

श्रौतसूत्र श्रुतिविहित कर्म को श्रौत एवं स्मृतिविहित कर्म को स्मार्त कहते हैं। श्रौत एवं स्मार्त कर्मों के अनुष्ठान की विधि वेदांगकल्प के द्वारा नियमित है। वेदांग छह हैं और उनमें कल्प प्रमुख है। पाणिनीय शिक्षा उसे वेद का हाथ कहती है। कल्प के अंतर्गत श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्वसूत्र समाविष्ट हैं। इनमें श्रौतसूत्र श्रौतकर्म के विधान, गृह्यसूत्र स्मार्तकर्म के विधान, धर्मसूत्र सामयिक आचार के विधान तथा शुल्वसूत्र कर्मानुष्ठान के निमित्त कर्म में अपेक्षित यज्ञशाला, वेदि, मंडप और कुंड के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। श्रौतसूत्र उन्हीं वेदविहित कर्मों के अनुष्ठान का विधान करते हैं जो श्रौत अग्नि पर आहिताग्नि द्वारा अनुष्ठेय हैं। श्रौतसूत्र वस्तुतः वैदिक कर्मकांड का वस्तुविधान है। श्रौतसूत्र के अंतर्गत हवन, याग, इष्टियाँ एवं सत्र प्रकल्पित हैं। इनके द्वारा ऐहिक एवं पारलौकिक फल प्राप्त होते हैं।

श्रौतसूत्र के अनुसार अनुष्ठानों की दो प्रमुख संस्थाएँ हैं जिन्हें

हवि:संस्था तथा सोमसंस्था कहते हैं। स्मार्त अग्नि पर क्रियमाण पाकसंस्था है। इन तीनों संस्थाओं में सात सात प्रभेद हैं जिनके योग से २१ संस्थाएँ प्रचलित हैं। हविःसंस्था में देवताविशेष के उद्देश्य से समर्पित हविर्द्रव्य के द्वारा याग किया जाता है। सोमसंस्था में श्रौताग्नि पर सोमरस की आहुति की जाती है तथा पश्वालंभन भी विहित है। इसीलिये ये पशुयाग हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अग्निचयन, राजसूय और अश्वमेध प्रभृति याग तथा सारस्वतसत्र प्रभृति सत्र एवं काम्येष्टियाँ हैं।

श्रौतकर्म के दो प्रमुख भेद हैं। नित्यकर्म जैसे अग्निहोत्रहवन तथा नैमित्तिकर्म जो किसी प्रसंगवश अथवा कामनाविशेष से प्रेरित होकर यजमान करता है। स्वयं यजमान अपनी पत्नी के साथ ऋत्विजों की सहायता से याग कर सकता है। यजमान द्वारा किए जानेवाले क्रियाकलाप, ऋत्विजों के कर्तव्य, प्रत्येक कर्म के आराध्य देवता, याग के उपयुक्त द्रव्य, कर्म के अंग एवं उपांगों का सांगोपांग वर्णन तथा उनका पौर्वापर्य क्रम, विधि के विपर्यय का प्रायश्चित्त और विधान के प्रकार का विधिवत् विवरण श्रौतसूत्र का एकमात्र लक्ष्य है।

श्रौतकर्मों में कुछ कर्म प्रकृतिकर्म होते हैं। इनके सांगोपांग अनुष्ठान की प्रक्रिया का विवरण श्रौतसूत्रों ने प्रतिपादित किया है। जिन कर्मों की मुख्य प्रक्रिया प्रकृतिकर्म की रूपरेखा में आबद्ध होकर केवल फलविशेष के अनुसंधान के अनुरूप विशिष्ट देवता या द्रव्य और काल आदि का ही केवल विवेचन है वे विकृतिकर्म हैं, कारण श्रौतसूत्र के अनुसार 'प्रकृति भाँति विकृतिकर्म करो' यह आदेश दिया गया है। इस प्रकार श्रौतसूत्रों के प्रतिपाद्य विषय का आयाम गंभीर एवं जटिल हो गया है, कारण कर्मानुष्ठान में प्रत्येक विहित अंग एवं उपांग के संबंध में दिए हुए नियमों का प्रतिपालन अत्यंत कठोरता के साथ किया जाना अभीष्ट फलाप्ति के लिये अनिवार्य है। श्रौतकर्म के अनुष्ठान में चारों वेदों का सहयोग अपेक्षित है। ऋग्वेद के द्वारा होतृत्व, यजुर्वेद के द्वारा अध्वर्युकर्म, सामवेद के द्वारा उद्गातृत्व तथा अथर्ववेद के द्वारा ब्रह्मा के कार्य का निर्वाह किया जाता है। अतएव श्रौतसूत्र वेदचतुष्टयी से संबंध रखते हैं। यजमान जिस वेद का अनुयायी होता है उस वेद अथवा उस वेद की शाखा की प्रमुखता है। इसी कारण यज्ञीय कर्म में प्रत्येक वेदशाखानुसार प्रभेद हो गए हैं जिनपर देशाचार, कुलाचार आदि स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण कर्मानुष्ठान की प्रक्रिया में कुछ अंतर भी शाखा-भेद के कारण चला आ रहा है और हर शाखा का यजमान अपने अपने वेद से संबद्ध कल्प के अनुशासन से नियंत्रित रहता है। इस परंपरा के कारण श्रौतसूत्र भी वेदचतुष्टयी की प्रत्येक शाखा के अनुसार पृथक् पृथक् रचित हैं। ये रचनाएँ दिव्यदर्शी, कर्मनिष्ठ महर्षियों द्वारा सुदूरवर्ती में रचित हैं जिनपर परवर्ती आचार्य विद्वानों के द्वारा अनेक भाष्य एवं टीकाएँ तथा उपयोगी पद्धतियाँ एवं अनेक निबंधग्रंथ उपलब्ध हैं। इस प्रकार श्रौतसूत्र पूर्ण तथा उनके भाष्य ग्रंथों को ये प्रमाणित करते हैं कि भारतीय वाङ्मय में इनका स्थान कितना प्रमुख रहा है। इस प्रकार भारतीयों को भी श्रौत वाङ्मय की बहुत से प्रकरणों की ओर आकर्षित किया जिनके [illegible] विद्वानों द्वारा [illegible] [illegible]

श्लीपद या फीलपाँव (Elephantiasis) पाँव का फूलना हाथी के पाँव के समान हो जाने का द्योतक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि पाँव ही सदा फूले; कभी हाथ, कभी अंडकोष, कभी स्तन आदि विभिन्न अवयव भी फूल जाते हैं।

श्लीपद सदा फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टी (Filaria Bancrofti) नामक विशेष प्रकार के कृमियों द्वारा होता है और इसका प्रसार क्यूलेक्स (Culex) नामक विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। इस कृमि का स्थायी स्थान लसीका (lymph) वाहिनियाँ हैं, परंतु ये निश्चित समय पर, विशेषतः रात्रि में, रक्त में प्रवेश कर भ्रमण करते रहते हैं। कभी कभी ये ज्वर तथा लसीका-वाहिनियों में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोथ लगातार होता

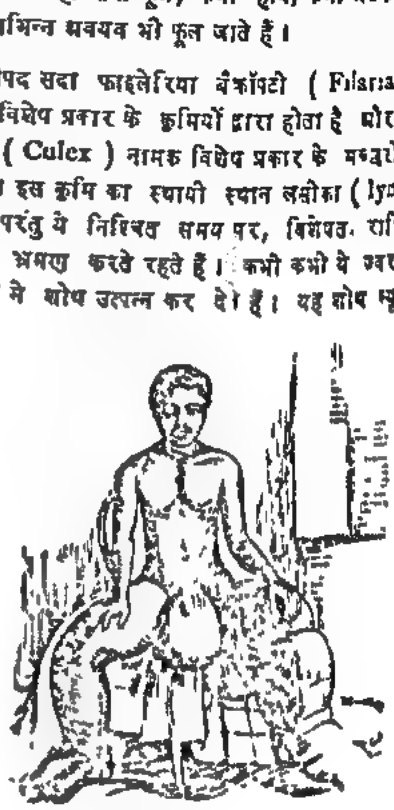

श्लीपद का रोगी

रहता है, परंतु जब ये कृमि अंदर ही अंदर मर जाते हैं, तब लसीका वाहिनियों का मार्ग सदा के लिये बंद हो जाता है और उस स्थान की त्वचा मोटी तथा कड़ी हो जाती है। लसीका वाहिनियों के मार्ग बंद हो जाने से यदि अंग फूल जाएँ, तो कोई भी औषध ऐसी नहीं है जो अवरुद्ध लसीकामार्ग को खोल सके। कभी कभी किसी किसी रोगी में शस्त्रकर्म द्वारा लसीकावाहिनी का नया मार्ग बनाया जा सकता है। इस रोग के लक्षण लक्षण फाइलेरिया के लक्षणों के समान होते हैं।

उपचार — यद्यपि इसके कृमि और अंडों को मारनेवाली किसी भी औषध का ज्ञान नहीं हो पाया है, तथापि श्लीपद प्रारंभ होने के पूर्व, जब इस रोग के अंडे रक्त और लसीका में अल्प संख्या में रहते हैं, तब टेट्रासान (Tetrasan) तथा इसके समकक्ष अन्य औषधियों से पर्याप्त लाभ होता है। शस्त्रकर्म श्लीपद का एकमात्र उपचार है। [वि० कु० सी०]

श्वसन (Respiration) जीव जंतु भी किया है। जीव जंतु के शरीर में [illegible] होते हैं। एक मार्ग से बाहर की वायु शरीर के अंदर फुफ्फुस में जाती है। इस निःश्वसन (inhalation) कहते हैं। दूसरे मार्ग से शरीर की दूषित वायु शरीर के बाहर निकलती है।

उच्छ्वसन (exhalation) कहते हैं। ये दोनों कार्य साथ
चलते हैं। इसके लिये प्राणी को कोई विशेष प्रयास नहीं करना
ा। जीवित प्राणियों का यह आवश्यक कार्य है और प्राण-
के लिये ऐसा संतत होता रहता है। निश्वसन से शरीर की
शिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उच्छ्वसन से शरीर का
न डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस प्रकार शरीर की
शिकाओं के बीच गैसों के स्थानांतरण को आंतरश्वसन (inter-
respiration) कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं को, अपने
ों के सुचारु रूप से संचालन के लिये, ऑक्सीजन की आवश्यकता
ी है। यदि आवश्यक मात्रा में कोशिकाओं को ऑक्सीजन न
ले, तो उनका कार्य शिथिल हो जायगा और ऑक्सीजन के पूर्ण
ाव में कोशिकाओं का कार्य तुरत ठप पड़ जाएगा। सभी जीवित
शिकाएँ उच्छिष्ट उत्पाद (waste product) के रूप में
र्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। हमारे आहार में जो
र्बन रहता है, वह ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत होकर
र्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस क्रिया से हमें ऊष्मा और
र्जा प्राप्त होती है।

निश्वसन और उच्छ्वसन वक्ष की पेशियों की क्रिया से होता है। हमारा फुफ्फुस एक खोखले गर्त के अंदर रहता है। इसे वक्षगुहा (Thoracic, or Chest, cavity) कहते हैं। इसका विस्तार न्यूनाधिक हो सकता है। निश्वसन के समय वक्षगुहा का बहुत प्रसार होता है। इस प्रसार के दो कारण हैं : (१) ऊपरी वक्षगुहा और निचली उदरीय गुहा के बीच में एक कलशाकार ढक्कन, या मध्यपट या डायफ्राम (diaphragm) रहता है। यह मध्यपट चिपटा होता है। इसके कारण वक्षगुहा को अधिक स्थान मिल जाता है, (२) प्रसार का दूसरा कारण पसलियों का ऊपर, या पार्श्व की ओर, हट जाना है। इससे वक्षगुहा को प्रसार का स्थान मिल जाता है।

फुफ्फुस वक्षगुहा को, कितना ही बड़ा वह क्यों न हो, पूरा भर देता है। निश्वसन के समय जब वक्षगुहा का प्रसार होता है, तब फुफ्फुस भी बड़े स्थान को भर देने के लिये फैलता है। प्रसार के कारण फुफ्फुस के अंदर की वायु का दबाव कम हो जाता है, तब श्वासनली द्वारा वायु बाहर से खींच ली जाती है। उच्छ्वसन के समय की क्रिया ठीक इसके प्रतिकूल होती है। वक्षगुहा के छोटी हो जाने के कारण फुफ्फुस से वायु बाहर निकलती है। फुफ्फुस का

हविर्संस्था तथा सोमसंस्था कहा है। इसमें अग्नि पर किसमान पाकसंस्था है। इन तीनों संस्थाओं में सात सात प्रकार हैं जिनके योग से २१ संस्थाएँ प्रचलित हैं। हविर्संस्था में देवताविशेष के उद्देश्य से समर्पित हविर्द्रव्य के द्वारा याग किया जाता है। सोमसंस्था में सोमलता पर सोमरस की आहुति की जाती है तथा पशुआलभन भी विहित है। इसीलिये वे पशुयाग हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अग्निचयन, राजसूय और अश्वमेध प्रभृति याग तथा सारस्वतसत्र प्रभृति सत्र एवं काम्येष्टियाँ हैं।

श्रौतकर्म के दो प्रमुख भेद हैं। नित्यकर्म जैसे अग्निहोत्रहवन तथा नैमित्तिकर्म जो किसी प्रसंगवश अथवा कामनाविशेष से प्रेरित होकर यजमान करता है। स्वयं यजमान अपनी पत्नी के साथ ऋत्विजों की सहायता से याग कर सकता है। यजमान द्वारा किए जानेवाले क्रियाकलाप, ऋत्विजों के कर्तव्य, प्रत्येक कर्म के आराध्य देवता, याग के उपयुक्त द्रव्य, कर्म के अंग एवं उपांगों का सांगोपांग वर्णन तथा उनका पौर्वापर्य क्रम, विधि के विपर्यय का प्रायश्चित्त और विधान के प्रकार का विधिवत् विवरण श्रौतसूत्र का एकमात्र लक्ष्य है।

श्रौतकर्मों में कुछ कर्म प्रकृतिकर्म होते हैं। इनके सांगोपांग अनुष्ठान की प्रक्रिया का विवरण श्रौतसूत्रों ने प्रतिपादित किया है। जिन कर्मों की मुख्य प्रक्रिया प्रकृतिकर्म की रूपरेखा में आबद्ध होकर केवल फलविशेष के अनुसंधान के अनुरूप विशिष्ट देवता या द्रव्य और काल आदि का ही केवल विवेचन है वे विकृतिकर्म हैं, कारण श्रौतसूत्र के अनुसार 'प्रकृति भाँति विकृतिकर्म करो' यह आदेश दिया गया है। इस प्रकार श्रौतसूत्रों के प्रतिपाद्य विषय का आयाम गंभीर एवं जटिल हो गया है, कारण कर्मानुष्ठान में प्रत्येक विहित अंग एवं उपांग के संबंध में दिए हुए नियमों का प्रतिपालन अत्यंत कठोरता के साथ किया जाना अभीष्ट फलावाप्ति के लिये अनिवार्य है। श्रौतकर्म के अनुष्ठान में चारों वेदों का सहयोग प्रकल्पित है। ऋग्वेद के द्वारा होतृत्व, यजुर्वेद के द्वारा अध्वर्युकर्म, सामवेद के द्वारा उद्गातृत्व तथा अथर्ववेद के द्वारा ब्रह्मा के कार्य का निर्वाह किया जाता है। अतएव श्रौतसूत्र वेदचतुष्टयी से संबंध रखते हैं। यजमान जिस वेद का अनुयायी होता है उस वेद अथवा उस वेद की शाखा की प्रमुखता है। इसी कारण यज्ञीय कल्प में प्रत्येक वेदशाखानुसार प्रभेद हो गए हैं जिनपर देशाचार, कुलाचार आदि स्वीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण कर्मानुष्ठान की प्रक्रिया में कुछ अवांतर भेद शाखा-भेद के कारण चला आ रहा है और हर शाखा का यजमान अपने अपने वेद से संबद्ध कल्प के अनुशासन से नियंत्रित रहता है। इस परंपरा के कारण श्रौतसूत्र भी वेदचतुष्टयी की प्रभिन्न शाखा के अनुसार पृथक् पृथक् रचित हैं। ये रचनाएँ दिव्यदर्शी, कर्मनिष्ठ महर्षियों द्वारा सूत्रशैली में रचित ग्रंथ हैं जिनपर परवर्ती याज्ञिक विद्वानों के द्वारा प्रणीत भाष्य एवं टीकाएँ तथा तदुपकारक पद्धतियाँ एवं अनेक निबंधग्रंथ उपलब्ध हैं। इस प्रकार उपलब्ध सूत्र तथा उनके भाष्य पर्याप्त रूप से प्रमाणित करते हैं कि भारतीय साहित्य में इनका स्थान कितना प्रमुख रहा है। पाश्चात्य मनीषियों को भी श्रौत साहित्य की महत्ता ने अध्ययन की ओर आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप पाश्चात्य विद्वानों द्वारा संपादित अनेक अनर्घ संस्करण आज उपलब्ध हो रहे हैं।

[म० सा० द्वि०]

श्लीपद या फीलपाँव (Elephantiasis) [illegible] हाथी के पाँव के समान हो जाने का [illegible] नहीं कि पाँव ही बड़ा हो; कभी हाथ, कभी [illegible] आदि विभिन्न अवयव भी सूज जाते हैं।

श्लीपद प्रायः 'वुचेरिया बैंक्रोफ्टी' (Filaria [illegible]) नामक विशेष प्रकार के कृमियों द्वारा होता है और [illegible] कयूलेक्स (Culex) नामक विशेष प्रकार के मच्छरों [illegible] होता है। इस कृमि का स्थायी स्थान लसीका ([illegible]) निधियाँ हैं, परंतु ये निधियाँ अवरुद्ध, विकृत और [illegible] अवरुद्ध कर भ्रमण करते रहते हैं। कभी कभी ये लसीका वाहिनियों में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोथ मूर्धा[illegible]

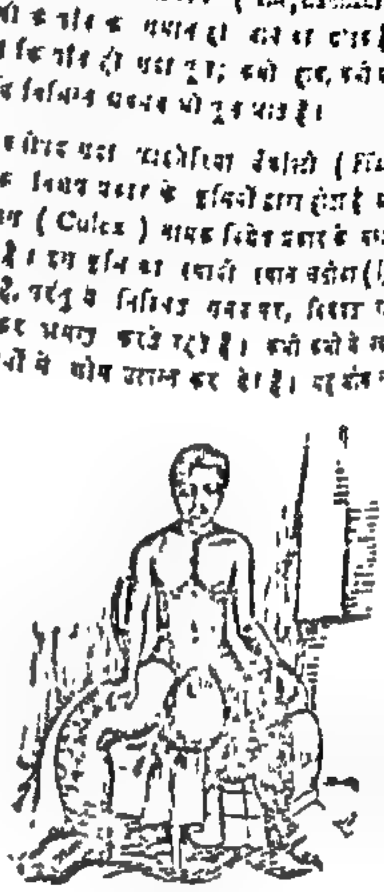

श्लीपद का रोगी

रहता है, परंतु जब ये कृमि अंदर ही अंदर मर जाते हैं, तब लसीका वाहिनियों का मार्ग सदा के लिये बंद हो जाता है और उस स्थान की त्वचा मोटी तथा कड़ी हो जाती है। लसीका वाहिनियों के [illegible] बंद हो जाने से यदि बंध फूल जाएँ, तो कोई भी औषध ऐसी [illegible] है जो अवरुद्ध लसीकामार्ग को खोल सके। कभी कभी किसी [illegible] रोगी में शल्यकर्म द्वारा लसीकावाहिनी का नया मार्ग [illegible] जा सकता है। इस रोग के समस्त लक्षण फाइलेरिया के [illegible] के समान होते हैं।

उपचार — यद्यपि इसके कृमि और अंडों को मारनेवाली किसी भी औषध का ज्ञान नहीं हो पाया है, तथापि श्लीपद अवस्था उत्पन्न होने के पूर्व, जब इस रोग के अंडे रक्त और लसीका में भ्रमण कर रहे होते हैं, तब हेट्राजान (Hetraazan) तथा इसके समान इन औषधियों से पर्याप्त लाभ होता है। शल्यकर्म श्लीपद का एकमात्र उपचार है।

[प्र० कु० चौ०]

श्वसन (Respiration) साँस लेने की क्रिया है। साँस लेने में दो कार्य होते हैं। एक कार्य में बाहर की वायु शरीर के अंदर फुफ्फुस में जाती है। इसे निश्वसन (inhalation) कहते हैं। [illegible] कार्य में शरीर की दूषित वायु शरीर के

उच्छ्वसन (exhalation) कहते हैं। ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। इसके लिये प्राणी को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवित प्राणियों का यह आवश्यक कार्य है और प्राण-रक्षा के लिये ऐसा सतत होता रहता है। निश्वसन से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उच्छ्वसन से शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस प्रकार शरीर को कोशिकाओं के बीच गैसों के स्थानांतरण को आंतरश्वसन (internal respiration) कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं को, अपने कार्य के सुचारु रूप से संचालन के लिये, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक मात्रा में कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिले, तो उनका कार्य शिथिल हो जायगा और ऑक्सीजन के पूर्ण अभाव में कोशिकाओं का कार्य तुरत ठप पड़ जाएगा। सभी जीवित कोशिकाएँ उच्छिष्ट उत्पाद (waste product) के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। हमारे आहार में जो कार्बन रहता है, वह ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस क्रिया से हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है।

सभी प्राणियों को, छोटे हों या बड़े, सूक्ष्म हों या विशाल, कोशिकाओं को किसी न किसी रूप में श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यों की भाँति पेड़ पौधे भी साँस लेते हैं। उनकी पत्तियाँ वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करती और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे एक और कार्य, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, करते हैं। यह कार्य सूर्यप्रकाश में ही होता है। इस कार्य में वे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को वे ग्रहण कर वृद्धि प्राप्त करते और उसके ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देते हैं। इससे वायु का शोधन होता है। यह कार्य दिन में सूर्य के प्रकाश में ही होता है।

प्राणी सुप्त या जाग्रत दोनों अवस्थाओं में साँस लेते हैं। इसके लिये उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यह आपसे आप होता रहता है। यदि साँस को कुछ क्षण के लिये रोकना चाहें, तो उसके लिये हमें विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। पर ऐसा कुछ क्षण के ही लिये किया जा सकता है। शीघ्र ही प्राणियों में लयात्मक श्वसन शुरू हो जाता है।

श्वसनक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन साथ साथ चलता है। मानव फुफ्फुस अनेक छोटे छोटे वायुकोशों (sacs) से बना होता है। इन कोशों को वायुकोष्ठिका (Alveoli) कहते हैं। कोशों की दीवारें बड़ी पतली होती हैं और उनमें सूक्ष्म रुधिरवाहिनियों का जाल बिछा हुआ रहता है। इन रुधिरवाहिनियों को केशिका (Capillaries) कहते हैं। साँस द्वारा जो वायु फुफ्फुस में जाती है, वह वायुकोष्ठिकाओं में प्रवेश करती और वहाँ रुधिरवाहिनियों के संपर्क में आती है। यहाँ रुधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। निश्वसन और उच्छ्वसन के बीच बड़ा अल्प विराम (pause) होता है। जल्दी जल्दी साँस लेने से विराम की अवधि बहुत कम हो जाती है और अंत में उसका सर्वथा अभाव हो जाता है।

निश्वसन और उच्छ्वसन वक्ष की पेशियों की क्रिया से होता है। हमारा फुफ्फुस एक खोखले गर्त के अंदर रहता है। इसे वक्षगुहा (Thoracic, or Chest, cavity) कहते हैं। इसका विस्तार न्यूनाधिक हो सकता है। निश्वसन के समय वक्षगुहा का बहुत प्रसार होता है। इस प्रसार के दो कारण हैं. (१) ऊपरी वक्षगुहा और निचली उदरीय गुहा के बीच में एक कलशाकार ढक्कन, या मध्यपट या डायफ्राम (diaphragm) रहता है। यह मध्यपट चिपटा होता है। इसके कारण वक्षगुहा को अधिक स्थान मिल जाता है, (२) प्रसार का दूसरा कारण पसलियों का ऊपर, या पार्श्व की ओर, हट जाना है। इससे वक्षगुहा को प्रसार का स्थान मिल जाता है।

फुफ्फुस वक्षगुहा को, कितना ही बड़ा वह क्यों न हो, पूरा भर देता है। निश्वसन के समय जब वक्षगुहा का प्रसार होता है, तब फुफ्फुस भी बड़े स्थान को भर देने के लिये फैलता है। प्रसार के कारण फुफ्फुस के अंदर की वायु का दबाव कम हो जाता है, तब श्वासनली द्वारा वायु बाहर से खींच ली जाती है। उच्छ्वसन के समय की क्रिया ठीक इसके प्रतिकूल होती है। वक्षगुहा के छोटी हो जाने के कारण फुफ्फुस से वायु बाहर निकलती है। फुफ्फुस का वास्तव में प्रसारण या संकोचन नहीं होता। यह केवल वायु को निकालता या खींच लेता है। ऐसा वक्षगुहा के प्रसार और संकोचन से होता है।

जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे शांत भाव से बिना किसी प्रयास के साँस लेता है, तब वह प्रत्येक साँस में एक पाइंट वायु अंदर खींचता या बाहर निकालता है। वायु की इस मात्रा को प्राणवायु (tidal air) कहते हैं। सामान्य दशा में शरीर की आवश्यकताओं के लिये इतनी वायु खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पर्याप्त होता है। जब मनुष्य गहरी साँस लेता है, तब फुफ्फुस में लगभग चार क्वार्ट वायु अँट सकती है। इस मात्रा को श्वासधारिता (vital capacity) कहते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा स्वस्थ युवकों और बलवती मनुष्यों में श्वासधारिता अधिक होती है। सामान्य रूप से साँस लेने में फुफ्फुस ऊतक का प्रायः चतुर्थांश भाग ही फैलता है। इससे प्रत्येक साँस में फुफ्फुस को पर्याप्त ताजी वायु नहीं मिलती। इसी से गहरी साँसवाले व्यायाम अधिक लाभप्रद होते हैं। उनसे फुफ्फुस अधिक पूर्णता से भरकर पूरा फैलता है। इससे फुफ्फुस के रुधिर परिसंचरण में सहायता मिलती है। योग संबंधी व्यायामों का भी इसी कारण अधिक महत्व है।

साँस गहरी और जल्द जल्द चलनेवाली हो सकती है। इससे शरीर की कोशिकाओं को अपनी आवश्यकता के लिये पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें किसी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ना है, तो जल्दी जल्दी साँस लेने की आवश्यकता इस कारण पड़ती है कि अधिक ऊँचाई पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। अतः आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिये हमें जल्दी जल्दी साँस लेकर, अधिक वायु के लेने की आवश्यकता पड़ती है।

जो पेशियाँ पसलियों को उठाती और डायफ्राम को चिपटा बनाती हैं, उनके लिये तंत्रिका आवेग (nerve impulse) की आवश्यकता पड़ती है। यह आवेग मस्तिष्क के निचले भागों से चलता है। इस भाग की कोशिकाओं को श्वसनकेंद्र (respiratory centre)

हवि संस्था तथा सोमसंस्था कहते हैं। इसमें अग्नि पर हविष्यान्न पाकसंस्था है। इन दोनों संस्थाओं में मात्र भाग प्रभेद है जिनके योग से २१ संस्थाएँ प्रचलित हैं। हविःसंस्था में देवताविशेष के उद्देश्य से समर्पित हविर्द्रव्य के द्वारा याग किया जाता है। सोमसंस्था में श्रौतयज्ञ पर सोमरस की आहुति की जाती है तथा पशुयाग भी विहित है। इसीलिये ये पशुयाग हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अग्निचयन, राजसूय और अश्वमेध प्रभृति याग तथा द्वादशाहयज्ञ प्रभृति सत्र एवं यागविशेषों हैं।

श्रौतकर्म के दो प्रमुख भेद हैं। नित्यकर्म जैसे अग्निहोत्रहवन तथा नैमित्तिककर्म जो किसी प्रयोजन अथवा कामनाविशेष से प्रेरित होकर यजमान करता है। स्वयं यजमान अपनी पत्नी के साथ ऋत्विजों की सहायता से याग कर सकता है। यजमान द्वारा किए जानेवाले क्रियाकलाप, ऋत्विजों के कर्तव्य, प्रत्येक कर्म के आराध्य देवता, याग के उपयुक्त द्रव्य, कर्म के अंग एवं उपांगों का सांगोपांग वर्णन तथा उनका पौर्वापर्य क्रम, विधि के विपर्यय का प्रायश्चित्त और विधान के प्रकार का विधिवत् विवरण श्रौतसूत्र का एकमात्र लक्ष्य है।

श्रौतकर्मों में कुछ कर्म प्रकृतिकर्म होते हैं। इनके सांगोपांग अनुष्ठान की प्रक्रिया का विवरण श्रौतसूत्रों ने प्रतिपादित किया है। जिन कर्मों की मुख्य प्रक्रिया प्रकृतिकर्म की रूपरेखा में आबद्ध होकर केवल फलविशेष के अनुसंधान के अनुरूप विशिष्ट देवता या द्रव्य और काल आदि का ही केवल विवेचन है वे विकृतिकर्म हैं, कारण श्रौतसूत्र के अनुसार 'प्रकृति भाँति विकृतिकर्म करो' यह आदेश दिया गया है। इस प्रकार श्रौतसूत्रों के प्रतिपाद्य विषय का आयाम गंभीर एवं जटिल हो गया है, कारण कर्मानुष्ठान में प्रत्येक विहित अंग एवं उपांग के संबंध में दिए हुए नियमों का प्रतिपालन अत्यंत कठोरता के साथ किया जाना अभीष्ट फलावाप्ति के लिये अनिवार्य है। श्रौतकर्म के अनुष्ठान में चारों वेदों का सहयोग प्रकल्पित है। ऋग्वेद के द्वारा होतृत्व, यजुर्वेद के द्वारा अध्वर्युकर्म, सामवेद के द्वारा उद्गातृत्व तथा अथर्ववेद के द्वारा ब्रह्मा के कार्य का निर्वाह किया जाता है। अतएव श्रौतसूत्र वेदचतुष्टयी से संबंध रखते हैं। यजमान जिस वेद का अनुयायी होता है उस वेद अथवा उस वेद की शाखा की प्रमुखता है। इसी कारण यज्ञीय कल्प में प्रत्येक वेदशाखानुसार प्रभेद हो गए हैं जिनपर देशाचार, कुलाचार आदि स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण कर्मानुष्ठान की प्रक्रिया में कुछ अवांतर भेद शाखा-भेद के कारण चला आ रहा है और हर शाखा का यजमान अपने वेद से संबद्ध कल्प के अनुशासन से नियंत्रित रहता है। इस परंपरा के कारण श्रौतसूत्र भी वेदचतुष्टयी की प्रभिन्न शाखा के अनुसार पृथक् पृथक् रचित हैं। ये रचनाएँ दिव्यदर्शी, कर्मनिष्ठ महर्षियों द्वारा सूत्रशैली में रचित ग्रंथ हैं जिनपर परवर्ती याज्ञिक विद्वानों के द्वारा प्रणीत भाष्य एवं टीकाएँ तथा तदुपकारक पद्धतियाँ एवं अनेक निबंधग्रंथ उपलब्ध हैं। इस प्रकार उपलब्ध सूत्र तथा उनके भाष्य पर्याप्त रूप से प्रमाणित करते हैं कि भारतीय साहित्य में इनका स्थान कितना प्रमुख रहा है। पाश्चात्य मनीषियों को भी श्रौत साहित्य की महत्ता ने अध्ययन की ओर आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप पाश्चात्य विद्वानों द्वारा संपादित अनेक अनर्घ संस्करण आज उपलब्ध हो रहे हैं। [म० सा० द्वि०]

श्लीपद या फीलपाँव (Elephantiasis) रोग [illegible] हाथ के पैर के अंगों में [illegible] कहीं कि पाँव ही [illegible] कभी हाथ, कभी अंडकोष, [illegible] आदि विभिन्न अवयव भी पूर्ण [illegible] हैं।

श्लीपद प्रायः फाइलेरिया बैंक्रोफ्टी (Filaria Bancrofti) नामक विशेष प्रकार के कृमियों द्वारा होता है और [illegible] क्यूलेक्स (Culex) नामक विशेष प्रकार के मच्छरों [illegible] होता है। इस कृमि का स्थायी स्थान लसीका (lymph) [illegible] नियों है, परंतु वे निश्चित अवसर पर, विशेषतः रात्रि में, [illegible] प्रवेश कर अंडे करते रहते हैं। कभी कभी वे लसीका वाहिनियों में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोथ मूत्रांग [illegible]

श्लीपद का रोगी

रहता है, परंतु जब ये कृमि अंदर ही अंदर मर जाते हैं, तब लसीका वाहिनियों का मार्ग सदा के लिये बंद हो जाता है और उस स्थान [illegible] त्वचा मोटी तथा कड़ी हो जाती है। लसीका वाहिनियों के [illegible] बंद हो जाने से यदि अंग फूल जाएँ, तो कोई भी औषध ऐसी [illegible] है जो अवरुद्ध लसीकामार्ग को खोल सके। कभी कभी किसी [illegible] रोगी में शल्यकर्म द्वारा लसीकावाहिनी का नया मार्ग बनाया जा सकता है। इस रोग के समस्त लक्षण फाइलेरिया के उस प्रकोप के समान होते हैं।

उपचार — यद्यपि इसके कृमि और अंडों को मारनेवाली किसी भी औषध का ज्ञान नहीं हो पाया है, तथापि श्लीपद अवस्था उत्पन्न होने के पूर्व, जब इस रोग के अंडे रक्त और लसीका में भ्रमण कर रहे होते हैं, तब हेट्राजान (Hetrazan) तथा इसके समरूप अन्य औषधियों से पर्याप्त लाभ होता है। शल्यकर्म श्लीपद का एकमात्र उपचार है। [त्रि० कु० जो०]

श्वसन (Respiration) साँस लेने की क्रिया है। साँस लेने में दो कार्य होते हैं। एक कार्य में बाहर की वायु शरीर के अंदर फुफ्फुस में जाती है। इसे निःश्वसन (inhalation) कहते हैं। दूसरे कार्य में [illegible] वायु शरीर के बाहर निकलती है।

श्वसन (exhalation) कहते हैं। ये दोनों कार्य साथ
ते हैं। इसके लिये प्राणी को कोई विशेष प्रयास नहीं करना
जीवित प्राणियों का यह आवश्यक कार्य है और प्राण-
लिये ऐसा सतत होता रहता है। निश्वसन से शरीर को
ओं को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उच्छ्वसन से शरीर का
डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस प्रकार शरीर की
ओं के बीच गैसों के स्थानांतरण को आंतरश्वसन (inter-
spiration) कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं को, अपने
नुचारु रूप से संचालन के लिये, ऑक्सीजन की आवश्यकता
है। यदि आवश्यक मात्रा में कोशिकाओं को ऑक्सीजन न
ो उनका कार्य शिथिल हो जाएगा और ऑक्सीजन के पूर्ण
में कोशिकाओं का कार्य तुरंत ठप पड़ जाएगा। सभी जीवित
ाएँ उच्छिष्ट उत्पाद (waste product) के रूप में
डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। हमारे आहार में जो
रहता है, वह ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत होकर
डाइऑक्साइड बनता है और इस क्रिया से हमें ऊष्मा और
प्राप्त होती है।

सभी प्राणियों को, छोटे हों या बड़े, सूक्ष्म हों या विशाल,
ाओं को किसी न किसी रूप में श्वसन की आवश्यकता पड़ती
मनुष्यों की भाँति पेड़ पौधे भी साँस लेते हैं। उनकी पत्तियाँ
ऑक्सीजन का अवशोषण करती और कार्बन डाइऑक्साइड
ती हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे एक और कार्य, जिसे प्रकाश
ण कहते हैं, करते हैं। यह कार्य सूर्यप्रकाश में ही होता है।
कार्य में वे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते
कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को वे ग्रहण कर वृद्धि प्राप्त
और उसके ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देते हैं। इससे
का शोधन होता है। यह कार्य दिन में सूर्य के प्रकाश में ही
है।

प्राणी सुप्त या जाग्रत दोनों अवस्थाओं में साँस लेते हैं। इसके
उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यह आपसे
होता रहता है। यदि साँस को कुछ क्षण के लिये रोकना चाहें,
सके लिये इन्हें विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। पर
कुछ क्षण के ही लिये किया जा सकता है। शीघ्र ही प्राणियों
यात्मक श्वसन शुरू हो जाता है।

श्वसनक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड
निष्कासन साथ साथ चलता है। मानव फुफ्फुस अनेक छोटे छोटे
कोशों (sacs) से बना होता है। इन कोशों को वायुकोष्ठिका
lveoli) कहते हैं। कोशों की दीवारें बड़ी पतली होती हैं और
में क्षुद्र रुधिरवाहिनियों का जाल बिछा हुआ रहता है। इन रुधिर-
हिनियों को केशिका (Capillaries) कहते हैं। साँस द्वारा जो
फुफ्फुस में जाती है, वह वायुकोष्ठिकाओं में प्रवेश करती
वहाँ रुधिरवाहिनियों के संपर्क में आती है। यहाँ रुधिर वायु
ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को
ता है। निश्वसन और उच्छ्वसन के बीच बड़ा अल्प विराम
pause) होता है। जल्दी जल्दी साँस लेने से विराम की अवधि
त कम हो जाती है और अंत में उसका सर्वथा अभाव हो जाता है।

निश्वसन और उच्छ्वसन वक्ष की पेशियों की क्रिया से होता है। हमारा फुफ्फुस एक खोखले पात्र के अंदर रहता है। इसे वक्षगुहा (Thoracic, or Chest, cavity) कहते हैं। इसका विस्तार न्यूनाधिक हो सकता है। निश्वसन के समय वक्षगुहा का बहुत प्रसार होता है। इस प्रसार के दो कारण हैं: (१) ऊपरी वक्षगुहा और निचली उदरीय गुहा के बीच में एक कलछाकार ढक्कन, या मध्यपट या डायफ्राम (diaphragm) रहता है। यह मध्यपट चिपटा होता है। इसके कारण वक्षगुहा को अधिक स्थान मिल जाता है, (२) प्रसार का दूसरा कारण पसलियों का ऊपर, या पार्श्व की ओर, हट जाना है। इससे वक्षगुहा को प्रसार का स्थान मिल जाता है।

फुफ्फुस वक्षगुहा को, कितना ही बड़ा वह क्यों न हो, पूरा भर देता है। निश्वसन के समय जब वक्षगुहा का प्रसार होता है, तब फुफ्फुस भी बड़े स्थान को भर देने के लिये फैलता है। प्रसार के कारण फुफ्फुस के अंदर की वायु का दबाव कम हो जाता है, तब श्वासनली द्वारा वायु बाहर से खींच ली जाती है। उच्छ्वसन के समय की क्रिया ठीक इसके प्रतिकूल होती है। वक्षगुहा के छोटी हो जाने के कारण फुफ्फुस से वायु बाहर निकलती है। फुफ्फुस का वास्तव में प्रसारण या संकोचन नहीं होता। यह केवल वायु को निकालता या खींच लेता है। ऐसा वक्षगुहा के प्रसार और संकोचन से होता है।

जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे शांत भाव से बिना किसी प्रयास के साँस लेता है, तब वह प्रत्येक साँस में एक पाइंट वायु अंदर खींचता या बाहर निकालता है। वायु की इस मात्रा को प्राणवायु (tidal air) कहते हैं। सामान्य दशा में शरीर की आवश्यकताओं के लिये इतनी वायु खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पर्याप्त होता है। जब मनुष्य गहरी साँस लेता है, तब फुफ्फुस में लगभग चार क्वार्ट वायु अँट सकती है। इस मात्रा को श्वासधारिता (vital capacity) कहते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा स्वस्थ युवकों और कसरती मनुष्यों में श्वासधारिता अधिक होती है। सामान्य रूप से साँस लेने में फुफ्फुस ऊतक का प्रायः चतुर्थांश भाग ही फैलता है। इससे प्रत्येक साँस में फुफ्फुस को पर्याप्त ताजी वायु नहीं मिलती। इसी से गहरी साँसवाले व्यायाम अधिक लाभप्रद होते हैं। उनसे फुफ्फुस अधिक पूर्णता से भरकर पूरा फैलता है। इससे फुफ्फुस के रुधिर परिसंचरण में सहायता मिलती है। योग संबंधी व्यायामों का भी इसी कारण अधिक महत्व है।

साँस गहरी और जल्द जल्द चलनेवाली हो सकती है। इससे शरीर की कोशिकाओं को अपनी आवश्यकता के लिये पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें किसी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ना है, तो जल्दी जल्दी साँस लेने की आवश्यकता इस कारण पड़ती है कि अधिक ऊँचाई पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। अतः आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिये हमें जल्दी जल्दी साँस लेकर, अधिक वायु के लेने की आवश्यकता पड़ती है।

जो पेशियाँ पसलियों को उठाती और डायफ्राम को चिपटा बनाती हैं, उनके लिये तंत्रिका आवेग (nerve impulse) की आवश्यकता पड़ती है। यह आवेग मस्तिष्क के निचले भागों से चलता है। इस भाग की कोशिकाओं को श्वसनकेंद्र (respiratory centre)

हवि.संस्था तथा सोमसंस्था कहते हैं। स्मार्त अग्नि पर क्रियमाण पाकसंस्था है। इन तीनों संस्थाओं में सात सात प्रभेद हैं जिनके योग से २१ संस्थाएँ प्रचलित हैं। हवि.संस्था में देवताविशेष के उद्देश्य से समर्पित हविर्द्रव्य के द्वारा याग किया जाता है। सोमसंस्था में श्रौताग्नि पर सोमरस की आहुति की जाती है तथा पशुआलंभन भी विहित है। इसीलिये ये पशुयाग हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अग्निचयन, राजसूय और अश्वमेध प्रभृति याग तथा सारस्वतसत्र प्रभृति सत्र एवं काम्येष्टियाँ हैं।

श्रौतकर्म के दो प्रमुख भेद हैं। नित्यकर्म जैसे अग्निहोत्रहवन तथा नैमित्तिकर्म जो किसी प्रसंगवश अथवा कामनाविशेष से प्रेरित होकर यजमान करता है। स्वयं यजमान अपनी पत्नी के साथ ऋत्विजों की सहायता से याग कर सकता है। यजमान द्वारा किए जानेवाले क्रियाकलाप, ऋत्विजों के कर्तव्य, प्रत्येक कर्म के आराध्य देवता, याग के उपयुक्त द्रव्य, कर्म के अंग एवं उपांगों का सांगोपांग वर्णन तथा उनका पौर्वापर्य क्रम, विधि के विपर्यय का प्रायश्चित्त और विधान के प्रकार का विधिवत् विवरण श्रौतसूत्र का एकमात्र लक्ष्य है।

श्रौतकर्मों में कुछ कर्म प्रकृतिकर्म होते हैं। इनके सांगोपांग अनुष्ठान की प्रक्रिया का विवरण श्रौतसूत्रों ने प्रतिपादित किया है। जिन कर्मों की मुख्य प्रक्रिया प्रकृतिकर्म की रूपरेखा में आबद्ध होकर केवल फलविशेष के अनुसंधान के अनुरूप विशिष्ट देवता या द्रव्य और काल आदि का ही केवल विवेचन है वे विकृतिकर्म हैं, कारण श्रौतसूत्र के अनुसार 'प्रकृति भाँति विकृतिकर्म करो' यह आदेश दिया गया है। इस प्रकार श्रौतसूत्रों के प्रतिपाद्य विषय का आयाम गंभीर एवं जटिल हो गया है, कारण कर्मानुष्ठान में प्रत्येक विहित अंग एवं उपांग के संबंध में दिए गए नियमों का प्रतिपालन अत्यंत कठोरता के साथ किया जाना अभीष्ट फलावाप्ति के लिये अनिवार्य है। श्रौतकर्म के अनुष्ठान में चारों वेदों का सहयोग प्रकल्पित है। ऋग्वेद के द्वारा होतृत्व, यजुर्वेद के द्वारा अध्वर्युकर्म, सामवेद के द्वारा उद्गातृत्व तथा अथर्ववेद के द्वारा ब्रह्मा के कार्य का निर्वाह किया जाता है। अतएव श्रौतसूत्र वेदचतुष्टयी से संबंध रखते हैं। यजमान जिस वेद का अनुयायी होता है उस वेद अथवा उस वेद की शाखा की प्रमुखता है। इसी कारण यज्ञीय कल्प में प्रत्येक वेदशाखानुसार प्रभेद हो गए हैं जिनपर देशाचार, कुलाचार आदि स्वीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण कर्मानुष्ठान की प्रक्रिया में कुछ अवांतर भेद शाखा-भेद के कारण चला आ रहा है और हर शाखा का यजमान अपने अपने वेद से संबद्ध कल्प के अनुशासन से नियंत्रित रहता है। इस परंपरा के कारण श्रौतसूत्र भी वेदचतुष्टयी की अभिन्न शाखा के अनुसार पृथक् पृथक् रचित हैं। ये रचनाएँ विभिन्न कर्मनिष्ठ महर्षियों द्वारा सूत्रशैली में रचित ग्रंथ हैं जिनपर परवर्ती याज्ञिक विद्वानों के द्वारा प्रणीत भाष्य एवं टीकाएँ तथा अनुसारक पद्धतियाँ एवं अनेक निबंधग्रंथ उपलब्ध हैं। इस प्रकार उपलब्ध सूत्र तथा उनके भाष्य प्रभृति ग्रंथ इस से प्रमाणित करते हैं कि भारतीय साहित्य में इनका स्थान कितना प्रमुख रहा है। पाश्चात्य मनीषियों को जो श्रौत साहित्य की महत्ता ने आकर्षण की ओर आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रकाशित अनेक ग्रंथ पाश्चात्य भाषा उपलब्ध हो रहे हैं। [प० बा० द्वि०]

श्लीपद या फीलपाँव (*Elephantiasis*) पाँव का हाथी के पाँव के समान हो जाने का रोग है, ... नहीं कि पाँव ही सदा फूले; कभी हाथ, कभी मस्तक, ... आदि विभिन्न अवयव भी फूल जाते हैं।

श्लीपद सदा फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टी (*Filaria Bancr* ... नामक विशेष प्रकार के कृमियों द्वारा होता है और इसका ... क्यूलेक्स (*Culex*) नामक विशेष प्रकार के मच्छरों से ... होता है। इस कृमि का स्थायी स्थान लसीका (*lymph*) ... नियाँ हैं, परंतु ये निश्चित समय पर, विशेषतः रात्रि में, ... प्रवेश कर भ्रमण करते रहते हैं। कभी कभी ये ज्वर तथा ... वाहिनियों में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोथ मूत्रांत्र ...

श्लीपद का रोगी

रहता है, परंतु जब ये कृमि अंदर ही अंदर मर जाते हैं, तब लसीका-वाहिनियों का मार्ग सदा के लिये बंद हो जाता है और उस स्थान की त्वचा मोटी तथा कड़ी हो जाती है। लसीका वाहिनियों के मार्ग बंद हो जाने से यदि अंग फूल जाएँ, तो कोई भी औषध ऐसी नहीं है जो अवरुद्ध लसीकामार्ग को खोल सके। कभी कभी किसी ... रोगी में अस्त्रकर्म द्वारा लसीकावाहिनी का नया मार्ग बनाया जा सकता है। इस रोग के समस्त लक्षण फाइलेरिया के उपद्रव के समान होते हैं।

उपचार — यद्यपि इसके कृमि और अंडों को मारनेवाली किसी भी औषध का ज्ञान नहीं हो पाया है, तथापि श्लीपद अवस्था उत्पन्न होने के पूर्व, जब इस रोग के चले रहे और लसीका में भ्रमण कर रहे होते हैं, तब डेट्रमान (*Hetrazan*) तथा इसके सदृश अन्य औषधियों से पर्याप्त लाभ होता है। अस्त्रकर्म श्लीपद का एकमात्र उपचार है। [त्रि० कु० चौ०]

श्वसन (*Respiration*) साँस लेने की क्रिया है। साँस लेने में दो कार्य होते हैं। एक कार्य में बाहर की वायु शरीर के अंदर प्रवृत्त में जाती है। इस निश्वसन (*inhalation*) कहते हैं। दूसरे कार्य में ... शरीर के बाहर निकलती है।

उच्छ्वसन (exhalation) कहते हैं। ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। इसके लिये प्राणी को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवित प्राणियों का यह आवश्यक कार्य है और प्राणधारण के लिये ऐसा संतत होता रहता है। निश्वसन से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उच्छ्वसन से शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस प्रकार शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों के स्थानांतरण को आंतरश्वसन (internal respiration) कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं को, अपने कार्य के सुचारु रूप से संचालन के लिये, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक मात्रा में कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिले, तो उनका कार्य शिथिल हो जायगा और ऑक्सीजन के पूर्ण अभाव में कोशिकाओं का कार्य तुरत ठप पड़ जाएगा। सभी जीवित कोशिकाएँ उत्सृष्ट उत्पाद (waste product) के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। हमारे आहार में जो कार्बन रहता है, वह ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस क्रिया से हमें ऊष्मा और शक्ति प्राप्त होती है।

सभी प्राणियों की, छोटे हों या बड़े, सूक्ष्म हों या विशाल, कोशिकाओं को किसी न किसी रूप में श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यों की भाँति पेड़ पौधे भी साँस लेते हैं। उनकी पत्तियाँ वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करती और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे एक और कार्य, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, करते हैं। यह कार्य सूर्यप्रकाश में ही होता है। इस कार्य में वे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को वे ग्रहण कर वृद्धि प्राप्त करते और उसके ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देते हैं। इससे वायु का शोधन होता है। यह कार्य दिन में सूर्य के प्रकाश में ही होता है।

प्राणी सुप्त या जाग्रत दोनों अवस्थाओं में साँस लेते हैं। इसके लिये उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यह आपसे आप होता रहता है। यदि साँस को कुछ क्षण के लिये रोकना चाहें, तो उसके लिये इन्हें विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। पर ऐसा कुछ क्षण के ही लिये किया जा सकता है। शीघ्र ही प्राणियों में लयात्मक श्वसन शुरू हो जाता है।

श्वसनक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन साथ साथ चलता है। मानव फुफ्फुस अनेक छोटे छोटे वायुकोशों (sacs) से बना होता है। इन कोशों को वायुकोष्ठिका (Alveoli) कहते हैं। कोशों की दीवारें बड़ी पतली होती हैं और उनमें शुद्ध रुधिरवाहिनियों का जाल बिछा हुआ रहता है। इन रुधिरवाहिनियों को केशिका (Capillaries) कहते हैं। साँस द्वारा जो वायु फुफ्फुस में जाती है, वह वायुकोष्ठिकाओं में प्रवेश करती और वहाँ रुधिरवाहिनियों के संपर्क में आती है। यहाँ रुधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। निश्वसन और उच्छ्वसन के बीच बड़ा अल्प विराम (pause) होता है। जल्दी जल्दी साँस लेने से विराम की अवधि बहुत कम हो जाती है और अंत में उसका सर्वथा अभाव हो जाता है।

निश्वसन और उच्छ्वसन वक्ष की पेशियों की क्रिया से होता है। हमारा फुफ्फुस एक खोखले गर्त के अंदर रहता है। इसे वक्षगुहा (Thoracic, or Chest, cavity) कहते हैं। इसका विस्तार न्यूनाधिक हो सकता है। निश्वसन के समय वक्षगुहा का बहुत प्रसार होता है। इस प्रसार के दो कारण हैं: (१) ऊपरी वक्षगुहा और निचली उदरीय गुहा के बीच में एक कलशाकार ढक्कन, या मध्यपट या डायफ्राम (diaphragm) रहता है। यह मध्यपट चिपटा होता है। इसके कारण वक्षगुहा को अधिक स्थान मिल जाता है, (२) प्रसार का दूसरा कारण पसलियों का ऊपर, या पार्श्व की ओर, हट जाना है। इससे वक्षगुहा को प्रसार का स्थान मिल जाता है।

फुफ्फुस वक्षगुहा को, कितना ही बड़ा वह क्यों न हो, पूरा भर देता है। निश्वसन के समय जब वक्षगुहा का प्रसार होता है, तब फुफ्फुस भी बड़े स्थान को भर देने के लिये फैलता है। प्रसार के कारण फुफ्फुस के अंदर की वायु का दबाव कम हो जाता है, तब श्वासनली द्वारा वायु बाहर से खींच ली जाती है। उच्छ्वसन के समय की क्रिया ठीक इसके प्रतिकूल होती है। वक्षगुहा के छोटी हो जाने के कारण फुफ्फुस से वायु बाहर निकलती है। फुफ्फुस का वास्तव में प्रसारण या संकोचन नहीं होता। यह केवल वायु को निकालता या खींच लेता है। ऐसा वक्षगुहा के प्रसार और संकोचन से होता है।

जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे शांत भाव से बिना किसी प्रयास के साँस लेता है, तब वह प्रत्येक साँस में एक पाइंट वायु अंदर खींचता या बाहर निकालता है। वायु की इस मात्रा को प्राणवायु (tidal air) कहते हैं। सामान्य दशा में शरीर की आवश्यकताओं के लिये इतनी वायु खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पर्याप्त होता है। जब मनुष्य गहरी साँस लेता है, तब फुफ्फुस में लगभग चार क्वार्ट वायु अँट सकती है। इस मात्रा को श्वासधारिता (vital capacity) कहते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा स्वस्थ युवकों और कसरती मनुष्यों में श्वासधारिता अधिक होती है। सामान्य रूप से साँस लेने में फुफ्फुस ऊतक का प्रायः चतुर्थांश भाग ही फैलता है। इससे प्रत्येक साँस में फुफ्फुस को पर्याप्त ताजी वायु नहीं मिलती। इसी से गहरी साँसवाले व्यायाम अधिक लाभप्रद होते हैं। उससे फुफ्फुस अधिक पूर्णता से भरकर पूरा फैलता है। इससे फुफ्फुस के रुधिर परिसंचरण में सहायता मिलती है। योग संबंधी व्यायामों का भी इसी कारण अधिक महत्व है।

साँस गहरी और जल्द जल्द चलनेवाली हो सकती है। इससे शरीर की कोशिकाओं को अपनी आवश्यकता के लिये पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें किसी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ना है, तो जल्दी जल्दी साँस लेने की आवश्यकता इस कारण पड़ती है कि अधिक ऊँचाई पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। अतः आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिये हमें जल्दी जल्दी साँस लेकर, अधिक वायु के लेने की आवश्यकता पड़ती है।

जो पेशियाँ पसलियों को उठाती और डायफ्राम को चिपटा बनाती हैं, उनके लिये तंत्रिका आवेग (nerve impulse) की आवश्यकता पड़ती है। यह आवेग मस्तिष्क के निचले भागों से चलता है। इस भाग की कोशिकाओं को श्वसनकेंद्र (respiratory centre)

हविर्संस्था तथा सोमसंस्था कहते हैं। स्मार्त अग्नि पर क्रियमाण पाकसंस्था है। इन तीनों संस्थाओं में सात सात प्रभेद हैं जिनके योग से २१ संस्थाएँ प्रचलित हैं। हविर्संस्था में देवताविशेष के उद्देश्य से समर्पित हविर्द्रव्य के द्वारा याग किया जाता है। सोमसंस्था में श्रौताग्नि पर सोमरस की आहुति की जाती है तथा पशुबलि भी विहित है। इसीलिये ये पशुयाग हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अग्निचयन, राजसूय और अश्वमेध प्रभृति याग तथा सारस्वतसत्र प्रभृति सत्र एवं काम्येष्टियाँ हैं।

श्रौतकर्म के दो प्रमुख भेद हैं। नित्यकर्म जैसे अग्निहोत्रहवन तथा नैमित्तिकर्म जो किसी प्रबलबल अथवा कामनाविशेष से प्रेरित होकर यजमान करता है। स्वयं यजमान अपनी पत्नी के साथ ऋत्विजों की सहायता से याग कर सकता है। यजमान द्वारा किए जानेवाले क्रियाकलाप, ऋत्विजों के कर्तव्य, प्रत्येक कर्म के आराध्य देवता, याग के उपयुक्त द्रव्य, कर्म के अंग एवं उपांगों का सांगोपांग वर्णन तथा उनका पौर्वापर्य क्रम, विधि के विपर्यय का प्रायश्चित्त और विधान के प्रकार का विधिवत् विवरण श्रौतसूत्र का एकमात्र लक्ष्य है।

श्रौतकर्मों में कुछ कर्म प्रकृतिकर्म होते हैं। इनके सांगोपांग अनुष्ठान की प्रक्रिया का विवरण श्रौतसूत्रों में प्रतिपादित किया है। जिन कर्मों की मुख्य प्रक्रिया प्रकृतिकर्म की कसौटी में आबद्ध होकर केवल फलविशेष के अनुसंधान के अनुरूप विशिष्ट देवता या द्रव्य और काल आदि का ही केवल विवेचन है वे विकृतिकर्म हैं, कारण श्रौतसूत्र के अनुसार 'प्रकृति भाँति विकृतिकर्म करो' यह आदेश दिया गया है। इस प्रकार श्रौतसूत्रों के प्रतिपाद्य विषय का आयाम गंभीर एवं जटिल हो गया है, कारण कर्मानुष्ठान में प्रत्येक विहित अंग एवं उपांग के संबंध में दिए हुए नियमों का प्रतिपालन अत्यंत कठोरता के साथ किया जाना अभीष्ट फलावाप्ति के लिये अनिवार्य है। श्रौतकर्म के अनुष्ठान में चारों वेदों का सहयोग प्रकल्पित है। ऋग्वेद के द्वारा होतृत्व, यजुर्वेद के द्वारा अध्वर्युकर्म, सामवेद के द्वारा उद्गातृत्व तथा अथर्ववेद के द्वारा ब्रह्मा के कार्य का निर्वाह किया जाता है। अतएव श्रौतसूत्र वेदचतुष्टयी से संबंध रखते हैं। यजमान जिस वेद का अनुयायी होता है उस वेद अथवा उस वेद की शाखा की प्रमुखता है। इसी कारण यज्ञीय कल्प में प्रत्येक वेदशाखानुसार प्रभेद हो गए हैं जिनपर देशाचार, कुलाचार आदि स्वीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण कर्मानुष्ठान की प्रक्रिया में कुछ अवांतर भेद शाखा-भेद के कारण चला आ रहा है और हर शाखा का यजमान अपने अपने वेद से संबद्ध कल्प के अनुशासन से नियंत्रित रहता है। इस परंपरा के कारण श्रौतसूत्र भी वेदचतुष्टयी की प्रभिन्न शाखा के अनुसार पृथक् पृथक् रचित हैं। ये रचनाएँ दिव्यदर्शी, कर्मनिष्ठ महर्षियों द्वारा सूत्रशैली में रचित ग्रंथ हैं जिनपर परवर्ती याज्ञिक विद्वानों के द्वारा प्रणीत भाष्य एवं टीकाएँ तथा तदुपकारक पद्धतियाँ एवं अनेक निबंधग्रंथ उपलब्ध हैं। इस प्रकार उपलब्ध सूत्र तथा उनके भाष्य पर्याप्त रूप से प्रमाणित करते हैं कि भारतीय साहित्य में इनका स्थान कितना प्रमुख रहा है। पाश्चात्य मनीषियों की भी श्रौत साहित्य की महत्ता ने अध्ययन की ओर आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप पाश्चात्य विद्वानों द्वारा संपादित अनेक अनर्घ संस्करण [म० सा० द्वि०]

श्लीपद या फीलपाँव (Elephantiasis) पाँव या हाथों के पाँव के समान हो जाने का रोग है, [illegible] नहीं कि पाँव ही सदा फूले; कभी हाथ, कभी अंडकोष, स्तन आदि विभिन्न अवयव भी फूल जाते हैं।

श्लीपद सदा फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टी (Filaria Bancrofti) नामक विशेष प्रकार के कृमियों द्वारा होता है और इसका [illegible] क्यूलेक्स (Culex) नामक विशेष प्रकार के मच्छरों के द्वारा होता है। इस कृमि का स्थायी स्थान लसीका (lymph) [illegible] नियाँ हैं, परंतु ये निश्चित समय पर, विशेषतः रात्रि में, रक्त में प्रवेश कर भ्रमण करते रहते हैं। कभी कभी ये ज्वर तथा लसीका वाहिनियों में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोथ मुख्यतः टाँ

श्लीपद का रोगी

रहता है, परंतु जब ये कृमि अंदर ही अंदर मर जाते हैं, तब लसीका-वाहिनियों का मार्ग सदा के लिये बंद हो जाता है और उस स्थान की त्वचा मोटी तथा कड़ी हो जाती है। लसीका वाहिनियों के मार्ग बंद हो जाने से यदि अंग फूल जाएँ, तो कोई भी औषध ऐसी नहीं है जो अवरुद्ध लसीकामार्ग को खोल सके। कभी कभी किसी किसी रोगी में शल्यकर्म द्वारा लसीकावाहिनी का नया मार्ग बनाया जा सकता है। इस रोग के समस्त लक्षण फाइलेरिया के उग्र प्रकार के समान होते हैं।

उपचार — यद्यपि इसके कृमि और अंडों को मारनेवाली किसी भी औषध का ज्ञान नहीं हो पाया है, तथापि श्लीपद अवस्था उत्पन्न होने के पूर्व, जब इस रोग के अंडे रक्त और लसीका में भ्रमण कर रहे होते हैं, तब हेट्राजान (Hetrazan) तथा इसके समकक्ष अन्य औषधियों से पर्याप्त लाभ होता है। शल्यकर्म श्लीपद का एकमात्र उपचार है। [प्रि० कु० चौ०]

श्वसन (Respiration) साँस लेने की क्रिया है। साँस लेने में दो कार्य होते हैं। एक कार्य में बाहर की वायु शरीर के अंदर फुफ्फुस में जाती है। इसे निश्वसन (inhalation) कहते हैं। दूसरे कार्य में शरीर की [illegible] वायु शरीर के बाहर निकलती है।

उच्छ्वसन (exhalation) कहते हैं। ये दोनों कार्य साथ चलते हैं। इसके लिये प्राणी को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवित प्राणियों का यह आवश्यक कार्य है और प्राणियों के लिये ऐसा सतत होता रहता है। निश्वसन से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उच्छ्वसन से शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस प्रकार शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों के स्थानांतरण को अंतरश्वसन (inter-respiration) कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं को, अपने ठीक सुचारु रूप से संचालन के लिये, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक मात्रा में कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिले, तो उनका कार्य शिथिल हो जायगा और ऑक्सीजन के पूर्ण अभाव में कोशिकाओं का कार्य तुरत ठप पड़ जाएगा। सभी जीवित क्रियाएँ उच्छिष्ट उत्पाद (waste product) के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। हमारे आहार में जो कार्बन रहता है, वह ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस क्रिया से हमें ऊष्मा और शक्ति प्राप्त होती है।

सभी प्राणियों को, छोटे हों या बड़े, सूक्ष्म हों या विशाल, कोशिकाओं को किसी न किसी रूप में श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यों की भाँति पेड़ पौधे भी साँस लेते हैं। उनकी पत्तियाँ वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करती और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे एक और कार्य, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, करते हैं। यह कार्य सूर्यप्रकाश में ही होता है। इस कार्य में वे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को वे ग्रहण कर वृद्धि प्राप्त करते और उसके ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देते हैं। इससे वायु का शोधन होता है। यह कार्य दिन में सूर्य के प्रकाश में ही होता है।

प्राणी सुप्त या जाग्रत दोनों अवस्थाओं में साँस लेते हैं। इसके लिये उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यह आपसे आप होता रहता है। यदि साँस को कुछ क्षण के लिये रोकना चाहें, तो उसके लिये इन्हें विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। पर ऐसा कुछ क्षण के ही लिये किया जा सकता है। शीघ्र ही प्राणियों में लयात्मक श्वसन शुरू हो जाता है।

श्वसनक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन साथ साथ चलता है। मानव फुफ्फुस अनेक छोटे छोटे वायुकोशों (sacs) से बना होता है। इन कोशों को वायुकोष्ठिका (Alveoli) कहते हैं। कोशों की दीवारें बड़ी पतली होती हैं और उनमें खूब रुधिरवाहिनियों का जाल बिछा हुआ रहता है। इन रुधिरवाहिनियों को केशिका (Capillaries) कहते हैं। साँस द्वारा जो वायु फुफ्फुस में जाती है, वह वायुकोष्ठिकाओं में प्रवेश करती और वहाँ रुधिरवाहिनियों के संपर्क में आती है। यहाँ रुधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। निश्वसन और उच्छ्वसन के बीच बड़ा अल्प विराम (pause) होता है। जल्दी जल्दी साँस लेने से विराम की अवधि बहुत कम हो जाती है और अंत में उसका सर्वथा अभाव हो जाता है।

निश्वसन और उच्छ्वसन पेशियों की क्रिया से होता है। हमारा फुफ्फुस एक खोखले गर्त के अंदर रहता है। इसे वक्षगुहा (Thoracic, or Chest, cavity) कहते हैं। इसका विस्तार न्यूनाधिक हो सकता है। निश्वसन के समय वक्षगुहा का बहुत प्रसार होता है। इस प्रसार के दो कारण हैं: (१) ऊपरी वक्षगुहा और निचली उदरीय गुहा के बीच में एक कलशाकार ढक्कन, या मध्यपट या डायफ्राम (diaphragm) रहता है। यह मध्यपट चिपटा होता है। इसके कारण वक्षगुहा को अधिक स्थान मिल जाता है, (२) प्रसार का दूसरा कारण पसलियों का ऊपर, या पार्श्व की ओर, हट जाना है। इससे वक्षगुहा को प्रसार का स्थान मिल जाता है।

फुफ्फुस वक्षगुहा को, कितना ही बड़ा रूप क्यों न हो, पूरा भर देता है। निश्वसन के समय जब वक्षगुहा का प्रसार होता है, तब फुफ्फुस भी बड़े स्थान को भर देने के लिये फैलता है। प्रसार के कारण फुफ्फुस के अंदर की वायु का दबाव कम हो जाता है, तब श्वासनली द्वारा वायु बाहर से खींच ली जाती है। उच्छ्वसन के समय की क्रिया ठीक इसके प्रतिकूल होती है। वक्षगुहा के छोटी हो जाने के कारण फुफ्फुस से वायु बाहर निकलती है। फुफ्फुस का वास्तव में प्रसारण या संकोचन नहीं होता। यह केवल वायु को निकालता या खींच लेता है। ऐसा वक्षगुहा के प्रसार और संकोचन से होता है।

जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे शांत भाव से बिना किसी प्रयास के साँस लेता है, तब वह प्रत्येक साँस में एक पाइंट वायु अंदर खींचता या बाहर निकालता है। वायु की इस मात्रा को प्राणवायु (tidal air) कहते हैं। सामान्य दशा में शरीर की आवश्यकताओं के लिये इतनी वायु खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पर्याप्त होता है। जब मनुष्य गहरी साँस लेता है, तब फुफ्फुस में लगभग चार क्वार्ट वायु अँट सकती है। इस मात्रा को श्वासधारिता (vital capacity) कहते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा स्वस्थ युवकों और कसरती मनुष्यों में श्वासधारिता अधिक होती है। सामान्य रूप से साँस लेने में फुफ्फुस ऊतक का प्रायः चतुर्थांश भाग ही फैलता है। इससे प्रत्येक साँस में फुफ्फुस को पर्याप्त ताजी वायु नहीं मिलती। इसी से गहरी साँसवाले व्यायाम अधिक लाभप्रद होते हैं। उससे फुफ्फुस अधिक पूर्णता से भरकर पूरा फैलता है। इससे फुफ्फुस के रुधिर परिसंचरण में सहायता मिलती है। योग संबंधी व्यायामों का भी इसी कारण अधिक महत्व है।

साँस गहरी और जल्द जल्द चलनेवाली हो सकती है। इससे शरीर की कोशिकाओं को अपनी आवश्यकता के लिये पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें किसी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ना है, तो जल्दी जल्दी साँस लेने की आवश्यकता इस कारण पड़ती है कि अधिक ऊँचाई पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। अतः आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिये हमें जल्दी जल्दी साँस लेकर, अधिक वायु के लेने की आवश्यकता पड़ती है।

जो पेशियाँ पसलियों को उठाती और डायफ्राम को चिपटा बनाती हैं, उनके लिये तंत्रिका आवेग (nerve impulse) की आवश्यकता पड़ती है। यह आवेग मस्तिष्क के निचले भागों से चलता है। इस भाग को कोशिकाओं को श्वसनकेंद्र (respiratory centre)

हविर्संस्था तथा सोमसंस्था कहते हैं। स्मार्त अग्नि पर क्रियमाण पाकसंस्था है। इन तीनों संस्थाओं में सात सात प्रभेद हैं जिनके योग से २१ संस्थाएँ प्रचलित हैं। हविर्संस्था में देवताविशेष के उद्देश्य से समर्पित हविर्द्रव्य के द्वारा याग किया जाता है। सोमसंस्था में श्रौताग्नि पर सोमरस की आहुति की जाती है तथा पशुबंधन भी विहित है। इसीलिये ये पशुयाग हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अग्निचयन, राजसूय और अश्वमेध प्रभृति याग तथा सारस्वतसत्र प्रभृति सत्र एवं वाजपेयादि हैं।

श्रौतकर्म के दो प्रमुख भेद हैं। नित्यकर्म जैसे अग्निहोत्रहवन तथा नैमित्तिककर्म जो किसी प्रतिबंधक अथवा कामनाविशेष से प्रेरित होकर यजमान करता है। स्वयं यजमान अपनी पत्नी के साथ ऋत्विजों की सहायता से याग कर सकता है। यजमान द्वारा किए जानेवाले क्रियाकलाप, ऋत्विजों के कर्तव्य, प्रत्येक कर्म के आराध्य देवता, याग के उपयुक्त द्रव्य, कर्म के अंग एवं उपांगों का सांगोपांग वर्णन तथा उनका पौर्वापर्य क्रम, विधि के विपर्यय का प्रायश्चित्त और विधान के प्रकार का विधिवत् विवरण श्रौतसूत्र का एकमात्र लक्ष्य है।

श्रौतकर्मों में कुछ कर्म प्रकृतिकर्म होते हैं। इनके सांगोपांग अनुष्ठान की प्रक्रिया का विवरण श्रौतसूत्रों ने प्रतिपादित किया है। जिन कर्मों की मुख्य प्रक्रिया प्रकृतिकर्म की रूपरेखा में आबद्ध होकर केवल फलविशेष के अनुसंधान के अनुरूप विशिष्ट देवता या द्रव्य और काल आदि का ही केवल विवेचन है वे विकृतिकर्म हैं, कारण श्रौतसूत्र के अनुसार 'प्रकृति भाँति विकृतिकर्म करो' यह आदेश दिया गया है। इस प्रकार श्रौतसूत्रों के प्रतिपाद्य विषय का आयाम गंभीर एवं जटिल हो गया है, कारण कर्मानुष्ठान में प्रत्येक विहित अंग एवं उपांग के संबंध में दिए हुए नियमों का प्रतिपालन अत्यंत कठोरता के साथ किया जाना अभीष्ट फलावाप्ति के लिये अनिवार्य है। श्रौतकर्म के अनुष्ठान में चारों वेदों का सहयोग प्रकल्पित है। ऋग्वेद के द्वारा होतृत्व, यजुर्वेद के द्वारा अध्वर्युकर्म, सामवेद के द्वारा उद्गातृत्व तथा अथर्ववेद के द्वारा ब्रह्मा के कार्य का निर्वाह किया जाता है। अतएव श्रौतसूत्र वेदचतुष्टयी से संबंध रखते हैं। यजमान जिस वेद का अनुयायी होता है उस वेद अथवा उस वेद की शाखा की प्रमुखता है। इसी कारण यज्ञीय कल्प में प्रत्येक वेदशाखानुसार प्रभेद हो गए हैं जिनपर देशाचार, कुलाचार आदि स्वीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। इसी कारण कर्मानुष्ठान की प्रक्रिया में कुछ अवांतर भेद शाखा-भेद के कारण चला आ रहा है और हर शाखा का यजमान अपने अपने वेद से संबद्ध कल्प के अनुशासन से नियंत्रित रहता है। इस परंपरा के कारण श्रौतसूत्र भी वेदचतुष्टयी की प्रभिन्न शाखा के अनुसार पृथक् पृथक् रचित हैं। ये रचनाएँ दिव्यदर्शी, कर्मनिष्ठ महर्षियों द्वारा सूत्रशैली में रचित ग्रंथ हैं जिनपर परवर्ती याज्ञिक विद्वानों के द्वारा प्रणीत भाष्य एवं टीकाएँ तथा तदुपकारक पद्धतियाँ एवं अनेक निबंधग्रंथ उपलब्ध हैं। इस प्रकार उपलब्ध सूत्र तथा उनके भाष्य पर्याप्त रूप से प्रमाणित करते हैं कि भारतीय साहित्य में इनका स्थान कितना प्रमुख रहा है। पाश्चात्य मनीषियों को भी श्रौत साहित्य की महत्ता ने अध्ययन की ओर आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप पाश्चात्य विद्वानों द्वारा संपादित अनेक अनर्घ संस्करण आज उपलब्ध हो रहे हैं। [म० ला० द्वि०]

श्लीपद या फीलपाँव (Elephantiasis) पाँव का फूलकर हाथी के पाँव के समान हो जाने का द्योतक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि पाँव ही सदा फूले; कभी हाथ, कभी अंडकोष, कभी स्तन आदि विभिन्न अवयव भी फूल जाते हैं।

श्लीपद सदा फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टी (Filaria Bancrofti) नामक विशेष प्रकार के कृमियों द्वारा होता है और इसका प्रसार क्यूलेक्स (Culex) नामक विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। इस कृमि का स्थायी स्थान लसीका (lymph) वाहिनियाँ हैं, परंतु ये निश्चित समय पर, विशेषतः रात्रि में, रक्त में प्रवेश कर भ्रमण करते रहते हैं। कभी कभी ये ज्वर तथा लसीका-वाहिनियों में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोथ न्यूनाधिक होता

श्लीपद का रोगी

रहता है, परंतु जब ये कृमि अंदर ही अंदर मर जाते हैं, तब लसीका-वाहिनियों का मार्ग सदा के लिये बंद हो जाता है और उस स्थान की त्वचा मोटी तथा कड़ी हो जाती है। लसीका वाहिनियों के मार्ग बंद हो जाने से यदि बंध फूल जाएँ, तो कोई भी औषध ऐसी नहीं है जो अवरुद्ध लसीकामार्ग को खोल सके। कभी कभी किसी किसी रोगी में शल्यकर्म द्वारा लसीकावाहिनी का नया मार्ग बनाया जा सकता है। इस रोग के समस्त लक्षण फाइलेरिया के उग्र प्रकोप के समान होते हैं।

उपचार — यद्यपि इसके कृमि और अंडों को मारनेवाली किसी भी औषध का ज्ञान नहीं हो पाया है, तथापि श्लीपद अवस्था उत्पन्न होने के पूर्व, जब इस रोग के अंडे रक्त और लसीका में भ्रमण कर रहे होते हैं, तब हेट्राजान (Hetraazan) तथा इसके समकक्ष अन्य औषधियों से पर्याप्त लाभ होता है। शल्यकर्म श्लीपद का एकमात्र उपचार है। [प्रि० कु० चो०]

श्वसन (Respiration) साँस लेने की क्रिया है। साँस लेने में दो कार्य होते हैं। एक कार्य में बाहर की [illegible] के अंदर फुफ्फुस में जाती है। इसे [illegible] है। दूसरे कार्य में शरीर की [illegible] है।

इसे उच्छ्वसन (exhalation) कहते हैं। ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। इसके लिये प्राणी को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवित प्राणियों का यह आवश्यक कार्य है और प्राण-रक्षा के लिये ऐसा संतत होता रहता है। निश्वसन से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उच्छ्वसन से शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस प्रकार शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों के स्थानांतरण को आंतरश्वसन (internal respiration) कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं को, अपने कार्य के सुचारु रूप से संचालन के लिये, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक मात्रा में कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिले, तो उनका कार्य शिथिल हो जायगा और ऑक्सीजन के पूर्ण अभाव में कोशिकाओं का कार्य तुरत ठप पड़ जाएगा। सभी जीवित कोशिकाएँ उच्छिष्ट उत्पाद (waste product) के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। हमारे आहार में जो कार्बन रहता है, वह ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस क्रिया से हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है।

सभी प्राणियों को, छोटे हों या बड़े, सूक्ष्म हों या विशाल, कोशिकाओं को किसी न किसी रूप में श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यों की भाँति पेड़ पौधे भी साँस लेते हैं। उनकी पत्तियाँ वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करती और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे एक और कार्य, जिसे प्रकाश विश्लेषण कहते हैं, करते हैं। यह कार्य सूर्यप्रकाश में ही होता है। इस कार्य में वे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को वे ग्रहण कर वृद्धि प्राप्त करते और उसके ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देते हैं। इससे वायु का शोधन होता है। यह कार्य दिन में सूर्य के प्रकाश में ही होता है।

प्राणी सुप्त या जाग्रत दोनों अवस्थाओं में साँस लेते हैं। इसके लिये उन्हें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यह आपसे आप होता रहता है। यदि साँस को कुछ क्षण के लिये रोकना चाहें, तो उसके लिये हमें विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। पर निश्वसन और उच्छ्वसन वक्ष की पेशियों की क्रिया से होता है। हमारा फुफ्फुस एक खोखले गर्त के अंदर रहता है। इसे वक्षगुहा (Thoracic, or Chest, cavity) कहते हैं। इसका विस्तार न्यूनाधिक हो सकता है। निश्वसन के समय वक्षगुहा का बहुत प्रसार होता है। इस प्रसार के दो कारण हैं: (१) ऊपरी वक्षगुहा और निचली उदरीय गुहा के बीच में एक कलशाकार ढक्कन, या मध्यपट या डायफ्राम (diaphragm) रहता है। यह मध्यपट चिपटा होता है। इसके कारण वक्षगुहा को अधिक स्थान मिल जाता है, (२) प्रसार का दूसरा कारण पसलियों का ऊपर, या पार्श्व की ओर, हट जाना है। इससे वक्षगुहा को प्रसार का स्थान मिल जाता है।

फुफ्फुस वक्षगुहा को, जितना ही बड़ा वह क्यों न हो, पूरा भर देता है। निश्वसन के समय जब वक्षगुहा का प्रसार होता है, तब फुफ्फुस भी बड़े स्थान को भर देने के लिये फैलता है। प्रसार के कारण फुफ्फुस के अंदर की वायु का दबाव कम हो जाता है, तब श्वासनली द्वारा वायु बाहर से खींच ली जाती है। उच्छ्वसन के समय की क्रिया ठीक इसके प्रतिकूल होती है। वक्षगुहा के छोटी हो जाने के कारण फुफ्फुस से वायु बाहर निकलती है। फुफ्फुस का वास्तव में प्रसारण या संकोचन नहीं होता। यह केवल वायु को निकालता या खींच लेता है। ऐसा वक्षगुहा के प्रसार और संकोचन में होता है।

जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे शांत भाव से बिना किसी प्रयास के साँस लेता है, तब वह प्रत्येक साँस में एक पाइंट वायु अंदर खींचता या बाहर निकालता है। वायु की इस मात्रा को प्राणवायु (tidal air) कहते हैं। सामान्य दशा में शरीर की आवश्यकताओं के लिये इतनी वायु खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पर्याप्त होता है। जब मनुष्य गहरी साँस लेता है, तब फुफ्फुस में लगभग चार क्वार्ट वायु अँट सकती है। इस मात्रा को श्वासक्षमता (vital capacity) कहते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की अपेक्षा स्वस्थ युवकों और कसरती मनुष्यों में श्वासक्षमता अधिक होती है। सामान्य रूप से साँस लेने में फुफ्फुस ऊतक का प्रायः चतुर्थांश भाग ही फैलता है। इससे प्रत्येक साँस में फुफ्फुस को पर्याप्त ताजी वायु नहीं मिलती। इसी से गहरी साँसवाले व्यायाम अधिक लाभकर [illegible]

कहते हैं। यह केंद्र संतत संबद्ध तंत्रिकाओं में रहकर, तंत्रिका द्वारा श्वसन पेशियों को आदेश भेजता है। ये पेशियाँ तब वक्षगुहा का प्रसार करती हैं, जिससे फिर फुफ्फुस का प्रसार होता है।

कभी कभी, विशेषकर कठिन शारीरिक परिश्रम करने के समय, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बनती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में जमा हो जाता है। वहाँ से यह सारे शरीर में फैल जाता है। मस्तिष्क का श्वसनकेंद्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बड़ा सुग्राही होता है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की अल्प वृद्धि होने पर भी, और ऐसे रुधिर के मस्तिष्क में पहुँचने पर, मस्तिष्क की तंत्रिका-कोशिकाएँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं और केंद्र अधिकाधिक आदेश श्वसन तंत्रिका को भेजता है, जिससे व्यक्ति बड़ी जल्दी जल्दी साँस लेने लगता है। जल्दी जल्दी साँस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और तब श्वसन की गति सामान्य हो जाती है। [कु० स० व०]

श्वसनतंत्र की रचना ईसा से १,००० वर्ष पूर्व, भारत के महर्षियों को इस तंत्र की रचना का ज्ञान समुचित रूप से था, जैसा चरक, सुश्रुत आदि के ग्रंथों के अवलोकन से ज्ञात होता है।

पाश्चात्य शरीर-रचना-शास्त्र के अनुसार श्वसनतंत्र इन छह अंगों द्वारा निर्मित होता है : नासागुहा (Nasal cavity), ग्रसनी (Pharynx), कंठ (Larynx), श्वासनली (Trachea), श्वसनी (Bronchus) तथा फुफ्फुस (Lungs)।

नासा गुहा — शरीररचना के अनुसार यह बहुखंडक नासागुहा से बना हुआ है। इसका ऊपरी भाग गंधवाही श्लेष्मांकला से संलग्न रहता है तथा निम्न भाग श्वसन अंग का कार्य करता है। नासिका का अस्थिढाँचा खोपड़ी का ही एक भाग है, जिसमें नासिका का ऊपरी भाग आश्रित है तथा निम्न भाग केवल उपास्थियों से निर्मित है। नासा के दोनों ओर के बाह्य विस्तृत हिस्से, नासिका एला (ala), रचना तथा वसासंतवीय ऊतक से निर्मित रहते हैं। नासागुहा, नासापट (nasal septum) द्वारा दो गुहाओं में विभाजित होती है। नासापट का निचला दो तिहाई भाग स्थूल एवं अधिक रुधिरवाहिनियों वाली श्लेष्मांकला से, जो स्तंभाकार, पक्ष्माभिरामय उपकला (columnar ciliated epithelium) तथा गुच्छकोष्ठक (acinus) ग्रंथिसमूहों से निर्मित होती है, आवृत है। नासापट का ऊपरी हिस्सा विशिष्ट गंधवाही कला से आवृत रहता है। ऊपर की ओर झर्झरिका (ethmoid) अस्थि, नीचे की ओर सीरिका (vomer) तथा नासापट की उपास्थि अग्र भाग में, यही नासापट का ढाँचा है। नासागुहा की बाह्य दीवार में तीन कुहर (meatuses) रहते हैं, जो तीन नासालट्टू-रूपी (turbinated) अस्थियों के लटकने के कारण बनते हैं। उच्च नासालट्टू के ऊपर तथा नासागुहा छत के मध्य, एक अवकाश (space) है, जिसको जतुक-झर्झरिका-दरी (Spheno-ethmoidal recess) कहते हैं। इस अवकाश के पश्चभाग में जतुक वायुकोशिका खुलती है। ऊपरी एवं मध्य नासालट्टू के बीच में उच्च कुहर (superior meatus) है, जिसमें पश्चझर्झरी-वायुकोशिका खुलती है। मध्य एवं निम्न लट्टूरूपी अस्थि के मध्य में मध्यकुहर है, जो तीनों कुहरों में सबसे बड़ा है तथा इसमें गोल उभार है, जिसे झर्झरिका कंद (Bulla ethmoidalis) कहते हैं। इस झर्झ[illegible] कंद के नीचे ऊपरी ओर, मध्यझर्झरी वायुकोशिका खुल[illegible] तथा नीचे की ओर अग्र भाग में एक दरार के आकार [illegible] नाली रहती है, जिसे अर्धचंद्रदर्शन (Hiatus semilunar[illegible] कहते हैं, जो ऊपर पूर्व कपाल वायुकोशिका और नीचे की [illegible] अस्थिका गह्वर (maxillary antrum) को खोलता है। जब कि नासाश्रवास्थि उठती है, तो नासावाहिनी (nasal duct) द्वार दिखाई देता है।

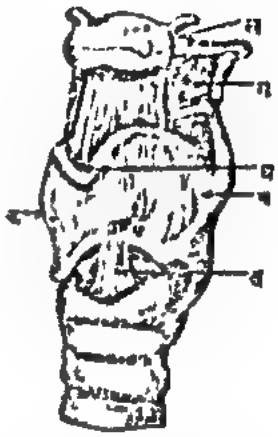

चित्र १. कंठ (समुख दृश्य)

क. कंठमणि (Adam's apple); ख. हाइड अस्थि; ग. अवटुग्रंथि कला; घ. अवटुग्रंथि गर्त; च अवटुग्रंथि उपास्थि तथा छ क्रिकोथायरॉयड स्नायु।

नासामूल सकीर्ण है तथा गंधवह तंत्रिकाएँ यहाँ से झर्झरास्थि के छिद्रित पट्ट से होकर गुजरती हैं। नासा का पूर्व भाग चौड़ा होता है।

ग्रसनी — इसकी रचना एक गह्वर के समान है, जिसमें नासिका तथा मुखगुहा खुलती हैं। यह नीचे की ओर अन्ननलिका से संबंधित है, जहाँ कंठ की रचना नीचे और सामने की ओर रहती है। अग्र भाग में नासा तथा मुखगुहा खुलने के अनुसार इसके भी दो भाग हैं : नासाग्रसनी तथा मुखग्रसनी। इस गह्वर के बगल तथा पीछे की ओर तीन संकोचक (constrictor) मांसपेशियाँ रहती हैं, जो इसका निर्माण भी करती हैं। आंतरिक भाग मोटी श्लेष्मांकला से बना है। ग्रसनी ऊपर पालास्थि से तथा नीचे ग्रसनिकापट्ट (pterygoid plate) से टिकी तथा तनी रहती है। निचले भाग में अग्र पश्च दीवारें सटी रहती हैं। इसकी सामने की दीवार में कठोर तालु के पीछे एक मृदुतालु (soft palate) रहता है, जो ऊपर नासाग्रसनी तथा नीचे मुखग्रसनी को अलग करता है। मृदुतालु के स्वतंत्र किनारे के मध्य में मांसल [illegible] जिह्वा (uvula) होती है। मृदुतालु [illegible] तरफ, यूस्टेकी नलिका (eustachian [illegible] मुख खुलता है, जिस[illegible]) तक होता [illegible]

:म छिद्र के पीछे ग्रसनी में लसीकाभ तंतुओं का समूह है, जिसे ग्रसनी टांसिल कहते हैं। यह ऐडिनाइड (adenoid) रोग में वृद्धि करता है।

मुखग्रसनी ऊपर की ओर, नासाग्रसनी से मृदु तालु की स्वतंत्र धारा द्वारा विभाजित है। मुखग्रसनी के अग्र भाग में मुखगुहा है। इसके दोनों ओर मृदु तालु से जिह्वा तक श्लेष्माकला के दो वलन

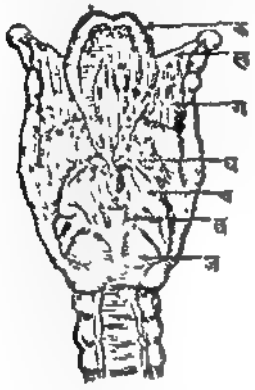

चित्र २ कंठ। पश्च दृश्य)

क. घांटी ढक्कन (Epiglottis); ख. हाइड ग्रंथि; ग अवटुकीय कला; घ. शृंगी उपास्थि (Corniculate cartilage); च. दर्विकाभ उपास्थि (Arytenoid cartilage); छ. पश्च - वलय - दर्विका स्नायु तथा ज. मुद्रिका उपास्थि (Cricoid cartilage)।

(folds) हैं। इनके अंदर अग्र वलन में तालुजिह्विका तथा पश्च वलन में तालुकंठिकापेशियाँ रहती हैं। अग्र वलन मुखगुहा को मुखग्रसनी से विभाजित करता है। इन दोनों वलनों के मध्य का निम्न भाग गुटिका विवर (tonsillar sinus) कहलाता है, जिसमें गलगुटिका (tonsil) रहती है।

टांसिल, यह अंडाकार रचना है, जो लसीकाभ ऊतक द्वारा निर्मित होती है तथा श्लेष्माकला द्वारा आच्छादित रहती है, यह रुधिर-वाहिनियों द्वारा घिरी रहती है। यहाँ पाँच धमनियाँ एकत्र होती हैं। बाह्य त्वचा की ओर से यह चिबुकास्थि के कोण पर स्थित है।

टांसिल के नीचे, ग्रसनी की अधसीमा जिह्वा के पश्च भाग या ग्रसनी की सतह से निर्मित होती है तथा इसके नीचे का भाग घांटी-ढक्कन (epiglottis) एवं कंठ के ऊपरी द्वार से निर्मित होता है।

कंठ का ऊपरी द्वार पार्श्व में दर्विकाभ घांटीढक्कन वलन (arytenoid epiglottis fold) से सीमित है। इन वलनों के पार्श्व में नाशपाती के आकार के नासकोटर (sinus pyriformis) नाम के दो [illegible] इनके नीचे ग्रसनी संकुचित होने [illegible] है, जब [illegible] स्थि (cricoid cartilage) [illegible] ग्रसनी की श्लेष्माकला तथा श्वसननलिका का बचा हुआ भाग भी स्तंभ उपकला से बना है। पर मुखग्रसनी में उपकला स्तरित, शल्की प्रकार की होती है। असंख्य द्राक्षाभ ग्रंथियाँ (racemose glands) यहाँ रहती हैं। लसीकाभ ऊतक (lymphoid tissue) भी विकृत रहता है, बालकों में विशेष रूप से होता है।

(३) कंठ (Larynx) — यह वायुनलिका का ऊपरी भाग है तथा ध्वनि के नाना तारत्व (pitch) के स्वरों (notes) की उत्पत्ति करता है। यह पूर्ण स्वर के लिये जिम्मेदार नहीं है।

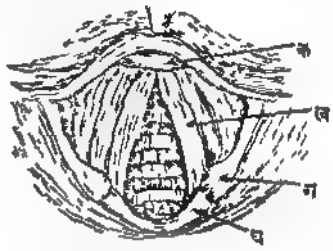

चित्र ३. कंठ की संरचना

क घांटीढक्कन गुलिका (Epiglottis tubercle); ख वाक् वलन (Vocal fold); ग. फानाकार उपास्थि (Cuneiform cartilage) तथा घ शृंगी उपास्थि (Corniculate cartilage).

इसका ढाँचा उपास्थि का बना हुआ है, जो मांसपेशियों द्वारा गतिमान होती है। अंदर की ओर इसमें श्लेष्माकला का अस्तर होता है। यह ग्रसिका के सामने स्थित है तथा चार, पाँच तथा छठे ग्रीवाकशेरुक तक विस्तृत रहता है। कंठ में अवटु उपास्थि (thyroid cartilage) सबसे बड़ी उपास्थि है, जिसके दो पट्टे अग्र भाग में मध्य अधररेखा में जुड़े रहते हैं। इसकी दूसरी सीमा पर मध्य में अवटु गर्त के ठीक नीचे मध्य अधर रेखा (mid ventral) में एक उभरा हुआ भाग है, जो युवावस्था में अधिक उभरता है। इसे आदम का सेब कहते हैं। इस उपास्थि के पश्च किनारे का ऊपरी कोना शृंग (cornu) रूप में रहता है, जिसपर पार्श्वीय अवटु स्नायु लगी रहती है। यह स्नायु ऊपर कंठिका अस्थि (hyoid bone) के बृहत् शृंग (superior cornu) पर भी लगी रहती है। इसकी मुद्रिका उपास्थि (cricoid cartilage) एक अँगूठी के समान होती है। इसके ऊपरी किनारे पर अग्रमध्य भाग में वलयावटु (crico-thyroid) कला का मध्यवर्ती भाग लगा रहता है तथा यह कला अवटु उपास्थि के निचले किनारे पर लगती है। कंठ की लंबाई ३५ से ४४ मिमी० होती है।

इस कला का पार्श्वीय भाग भीतर से ऊपर, जहाँ अवटु उपास्थि है, और उसके ऊपरी स्वतंत्र किनारे तक, जहाँ वास्तविक वाक्तंतु (vocal cords) बनता है, जाता है। मुद्रिका के सिगनेट (signet) भाग के ऊपर दो दर्विकाभ (arytenoid) अस्थियाँ रहती हैं, जो पिरामिड बनाती हैं और जिसकी चोटी ऊपर होती है। इस अस्थि का तल उत्तलोदर होकर मुद्रिका के साथ संधि बनाता है, जो वलय-

कहते हैं। यह केंद्र सतत संबद्ध सक्रियता में रहकर, तंत्रिका द्वारा श्वसन पेशियों को आवेग भेजता है। ये पेशियाँ तब वक्षगुहा का प्रसार करती हैं, जिससे फिर फुफ्फुस का प्रसार होता है।

कभी कभी, विशेषकर कठिन शारीरिक परिश्रम करने के समय, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बनती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में जमा हो जाता है। वहाँ से वह सारे शरीर में फैल जाता है। मस्तिष्क का श्वसनकेंद्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बड़ा सुग्राही होता है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की अल्प वृद्धि होने पर भी, और ऐसे रुधिर के मस्तिष्क में पहुँचने पर, मस्तिष्क की तंत्रिका-कोशिकाएँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं और केंद्र अधिकाधिक आवेग श्वसन तंत्रिका को भेजता है, जिससे व्यक्ति बड़ी जल्दी जल्दी साँस लेने लगता है। जल्दी जल्दी साँस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और तब श्वसन की गति सामान्य हो जाती है। [फू० स० व०]

श्वसनतंत्र की रचना ईसा से १,००० वर्ष पूर्व, भारत के महर्षियों को इस तंत्र की रचना का ज्ञान समुचित रूप से था, जैसा चरक, सुश्रुत आदि के ग्रंथों के अवलोकन से ज्ञात होता है।

पाश्चात्य शरीर-रचना-शास्त्र के अनुसार श्वसनतंत्र इन छह अंगों द्वारा निर्मित होता है : नासागुहा (Nasal cavity), ग्रसनी (Pharynx), कंठ (Larynx), श्वासनली (Trachea), श्वसनी (Bronchus) तथा फुफ्फुस (Lungs)।

नासा गुहा — शरीररचना के अनुसार गंध ग्रहणतंत्र नासागुहा से बना हुआ है। इसका ऊपरी भाग गंधग्राही श्लेष्मांकला से संलग्न रहता है तथा निम्न भाग श्वसन अंग का कार्य करता है। नासिका का अस्थिढाँचा खोपड़ी का ही एक भाग है, जिसमें नासिका का ऊपरी भाग आश्रित है तथा निम्न भाग केवल उपास्थियों से निर्मित है। नासा के दोनों ओर के बाह्य विस्तृत हिस्से, नासिका एला (ala), स्वचा तथा वसातंतवीय ऊतक से निर्मित रहते हैं। नासागुहा, नासापट (nasal septum) द्वारा दो गुहाओं में विभाजित होती है। नासापट का निचला दो तिहाई भाग स्थूल एवं अधिक रुधिरवाहिनियों वाली श्लेष्मांकला से, जो स्तंभाकार, पक्ष्माभिरामय उपकला (columnar ciliated epithelium) तथा गुच्छरोधक (acinus) ग्रंथिसमूहों से निर्मित होती है, आवृत है। नासापट का ऊपरी हिस्सा विशिष्ट गंधग्राही कला से आवृत रहता है। ऊपर की ओर झर्झरिका (ethmoid) अस्थि, नीचे की ओर सीरिका (vomer) तथा नासापट की उपास्थि अग्र भाग में, यही नासापट का ढाँचा है। नासागुहा की बाह्य दीवार में तीन कुहर (meatuses) रहते हैं, जो तीन नासाशंखी (turbinated) अस्थियों के लटकने के कारण बनते हैं। उच्च नासाशंख के ऊपर तथा नासागुहा छत के मध्य, एक अवकाश (space) है, जिसको जतुक-झर्झरिका-दरी (Spheno-ethmoidal recess) कहते हैं। इस अवकाश के पश्चभाग में जतुक वायुकोशिका खुलती है। ऊपरी एवं मध्य नासाशंखों के बीच में उच्च कुहर (superior meatus) है, जिसमें पश्चझर्झरी-वायुकोशिका खुलती है। मध्य एवं निम्न शंखों अस्थि के मध्य में मध्यकुहर है, जो तीनों कुहरों में सबसे बड़ा है तथा इसमें दोनों ऊपर झर्झरिका कंद (Bulla ethmoidalis) रहते हैं। इस झर्झरिका कंद के नीचे ऊपरी ओर, मध्यझर्झरी वायुकोशिका खुलती है तथा नीचे की ओर अग्र भाग में एक हँसुए के आकार की नाली रहती है, जिसे अर्धचंद्रभंग (Hiatus semilunaris) कहते हैं, जो ऊपर पूर्व कपाल वायुकोशिका और नीचे की ओर जंभिका गह्वर (maxillary antrum) को जोड़ता है। जब निम्न नासाशंखास्थि उठती है, तो नासावाहिनी (nasal duct) का द्वार दिखाई देता है।

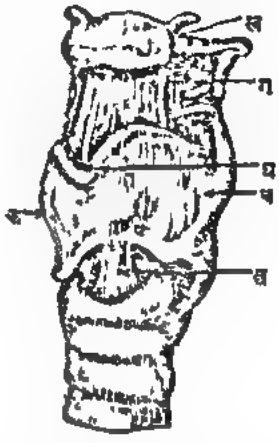

चित्र १. कंठ (सम्मुख दृश्य)

क. कंठमणि (Adam's apple), ख. हाइड अस्थि; ग. अवटुमणि कला, घ. अवटुमणि गर्त; च अवटुमणि उपास्थि तथा छ क्रिकोथायरॉयड स्नायु।

नासामूल संकीर्ण है तथा गंधवह तंत्रिकाएँ यहाँ से झर्झरास्थि के छिद्रित पट्ट से होकर गुजरती हैं। नासा का पश्च भाग चौड़ा होता है।

ग्रसनी — इसकी रचना एक गह्वर के समान है, जिसमें नासिका तथा मुखगुहा खुलती हैं। यह नीचे की ओर अन्ननलिका से संबंधित है, जहाँ कंठ की रचना नीचे और सामने की ओर रहती है। अग्र भाग में नासा तथा मुखगुहा खुलने के अनुसार इसके भी दो भाग हैं नासाग्रसनी तथा मुखग्रसनी। इस गह्वर के बगल तथा पीछे की ओर तीन संकोचक (constrictor) मांसपेशियाँ रहती हैं, जो इसका निर्माण भी करती हैं। आंतरिक भाग मोटी श्लेष्मांकला से बना है। ग्रसनी ऊपर पाश्चास्थि से तथा नीचे पक्षिकाग्र (pterygoid plate) से टिकी तथा तनी रहती है। निचले भाग में अग्र पश्च दीवारें सटी रहती हैं। इसकी सामने की दीवार में कठोर तालु के पीछे एक मृदुतालु (soft palate) रहता है, जो ऊपर नासाग्रसनी तथा नीचे मुखग्रसनी को अलग करता है। मृदुतालु के स्वतंत्र किनारे के मध्य में मांसल अलिजिह्वा (uvula) होती है। मृदुतालु [illegible] ग्रसनी के दोनों तरफ, पूर्व की तरफ [illegible] मुख खुलता है, [illegible]) तक

इस छिद्र के पीछे ग्रसनी में लसीकाभ तंतुओं का समूह है, जिसे ग्रसनी टांसिल कहते हैं। यह ऐडिनाइड (adenoid) रोग में वृद्धि करता है।

मुखग्रसनी ऊपर की ओर, नासाग्रसनी से मृदु तालु की स्वतंत्र धारा द्वारा विभाजित है। मुखग्रसनी के अग्र भाग में मुखगुहा है। इसके दोनों ओर मृदु तालु से जिह्वा तक श्लेष्माकला के दो वलन

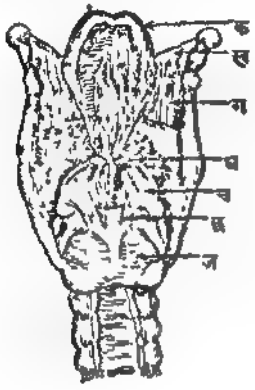

चित्र २. कंठ (पश्च दृश्य)

क. घांटी ढक्कन (Epiglottis); ख. हाइड अस्थि; ग. अवटुवर्म कला; घ. शृंगी उपास्थि (Corniculate cartilage); च. दर्विकाभ उपास्थि (Arytenoid cartilage); छ. पश्च - वलय - दर्विका स्नायु तथा ज. मुद्रिका उपास्थि (Cricoid cartilage)।

(folds) हैं। इनके अंदर अग्र वलन में तालुजिह्विका तथा पश्च वलन में तालुकठिकापेशियाँ रहती हैं। अग्र वलन मुखगुहा को मुखग्रसनी से विभाजित करता है। इन दोनों वलनों के मध्य का निम्न भाग गुटिका विवर (tonsillar sinus) कहलाता है, जिसमें गलगुटिका (tonsil) रहती है।

टांसिल, यह अंडाकार रचना है, जो लसीकाभ ऊतक द्वारा निर्मित होती है तथा श्लेष्माकला द्वारा आच्छादित रहती है, यह रुधिर-वाहिनियों द्वारा घिरी रहती है। यहाँ पाँच धमनियाँ एकत्र होती हैं। बाह्य त्वचा की ओर से यह चिबुकास्थि के कोण पर स्थित है।

टांसिल के नीचे, ग्रसनी की अग्रसीमा जिह्वा के पश्च भाग या ग्रसनी की सतह से निर्मित होती है तथा इसके नीचे का भाग घांटी-ढक्कन (epiglottis) एवं कंठ के ऊपरी द्वार से निर्मित होता है।

कंठ का ऊपरी द्वार पार्श्व में दर्विकाभ घांटीढक्कन वलन (arytenoid epiglottis fold) से सीमित है। इन वलनों के पार्श्व में नाशपाती के आकार के नासकोटर (sinus pyriformis) नाम के दो गर्त रहते हैं। इनके नीचे ग्रसनी संकुचित होने लगती है, जब तक मुद्रिका उपास्थि (cricoid cartilage) छठे कशेरुक तक न पहुँच जायें। नासाग्रसनी की श्लेष्माकला तथा श्वसननलिका का बचा हुआ भाग भी स्तंभ उपकला से बना है। पर मुखग्रसनी में उपकला स्तरित, शल्की प्रकार की होती असंख्य द्राक्षाभ ग्रंथियाँ (racemose glands) यहाँ रहती हैं लसीकाभ ऊतक (lymphoid tissue) भी विकृत रहता है, बालकों में विशेष रूप से होता है।

(३) कंठ (Larynx) — यह वायुनलिका का ऊपरी भाग है तथा ध्वनि के नाना तारत्व (pitch) के स्वरों (notes) उत्पत्ति करता है। यह पूर्ण स्वर के लिये जिम्मेदार नहीं है।

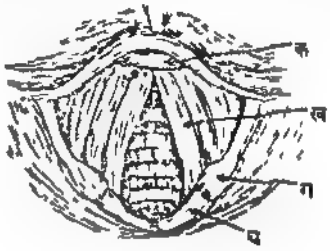

चित्र ३. कंठ की संरचना

क घांटीढक्कन गुलिका (Epiglottis tubercle); ख. वाक् वलन (Vocal fold); ग. फानाकार उपास्थि (Cuneiform cartilage) तथा घ शृंगी उपास्थि (Corniculate cartilage)

इसका ढाँचा उपास्थि का बना हुआ है, जो मांसपेशियों द्वारा गति मान होती है। अंदर की ओर इसमें श्लेष्माकला का अस्त होता है। यह ग्रसिका के सामने स्थित है तथा चार, पाँच तथा छ ग्रीवाकशेरुक तक विस्तृत रहता है। कंठ में अवटु उपास्थि (thyroid cartilage) सबसे बड़ी उपास्थि है, जिसके दो पट्ट अग्र भाग मध्य अधररेखा में जुड़े रहते हैं। इसकी दूसरी सीमा पर मध्य अवटु गर्त के ठीक नीचे मध्य अधर रेखा (mid ventral) में एक उभरा हुआ भाग है, जो युवावस्था में अधिक उभरता है। इसे आदम का सेब कहते हैं। इस उपास्थि के पश्च किनारे का ऊपरी कोण शृंग (cornu) रूप में रहता है, जिसपर पार्श्वीय अवटु स्नायु लगी रहती है। यह स्नायु ऊपर कंठिका अस्थि (hyoid bone) के बृहत् शृंग (superior cornu) पर भी लगी रहती है। इसकी मुद्रिका उपास्थि (cricoid cartilage) एक अँगूठी के समान होती है। इसके ऊपरी किनारे पर अग्रमध्य भाग में वलयाभ (crico-thyroid) कला का मध्यवर्ती भाग लगा रहता है तथा यह कला अवटु उपास्थि के निचले किनारे पर लगती है। कंठ की लंबाई ३८ से ४८ मिली० होती है।

इस कला का पार्श्वीय भाग भीतर से ऊपर, जहाँ अवटु उपास्थि है, और उसके ऊपरी स्वतंत्र किनारे तक, जहाँ वास्तविक वाक्तंतु (vocal cords) बनता है, जाता है। मुद्रिका के त्रिपलेट (segment) भाग के ऊपर दो दर्विकाभ (arytenoid) उपास्थियाँ रहती हैं, जो पिरामिड बनाती हैं और जिनकी चोटी ऊपर होती है। इस उपास्थि का तल उत्तलोदर होकर मुद्रिका के साथ सांधे बनाता है, जो बलय-

दर्विकाकला से घिरी रहती है। ये दर्विकाभ उपास्थियाँ आपस में फिसलती रहती हैं तथा लंब अक्ष पर घूमती रहती हैं। इनके तल के प्रवर्ध पर वास्तविक वाक्तंतु संलग्न रहते हैं तथा तल के बाहरी मजबूत प्रवर्ध पर वलयदर्विका (crico arytenoid) मांसपेशियाँ संलग्न रहती हैं।

घांटी ढक्कन (Epiglottis) — यह पत्राकार ढक्कन है तथा कंठपेटी के ऊपर रहता है। इसका अग्रतल जिह्वा एवं कंठिका अस्थि से संलग्न है तथा पश्चतल कंठ के ऊर्ध्वमुख पर झुका रहता है। यह भोजन को कंठ में जाने से रोकता है। इसका ठठल अवटु अस्थि से कंठ के भीतरी भाग तक लगा रहता है। पत्र का ऊपरी भाग कंठिका अस्थि से, तथा जिह्वामूल के समीप, लगता है।

कंठ की केवल तीन उपास्थियों को छोड़कर, जो पीत लचीली प्रकार की होती हैं प्राय. सभी उपास्थियाँ काचाभ (hyaline) प्रकार की होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन तीनों उपास्थियों को छोड़कर अन्य सब उपास्थियाँ युवावस्था में अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं।

कंठ की मांसपेशियाँ — प्रथम पेशी वलयावटु (crico thyroidens) है यह अवटु के अधोभाग पर लगी रहती है। इसका अगला हिस्सा मुद्रिका को ऊपर की ओर खींचता हुआ सिगनेट का ऊपरी हिस्सा बनाता है, जहाँ दर्विकाभ इससे लगा रहता है तथा पीछे की ओर गति करता है और वाक्तंतु को ठीक से तने रखता है।

द्वितीय पेशी — अवटु दर्विकाभ के पक्षक (alae) के जोड़ से पीछे की ओर जाती है तथा दर्विकाभ के सामने तथा घांटी ढक्कन के बगल में रहती है। ये दर्विकाभ को अवटु की ओर खींचती हैं और तंतु को ढीला करती हैं ताकि वे सट जाँय। तृतीय पेशी, दर्विकाभ पेशी है। यह एक होती है। यह दर्विकाभ के पीछे से चलती है तथा उपास्थियों को सम समान रखती है। इसके दो भाग होते हैं एक तिर्यक् तथा दूसरा अनुप्रस्थ। चतुर्थ पेशी, पार्श्वीय वलय दर्विका (crico arytenoid) पेशी है। यह दर्विकाभ अस्थि के पेशीप्रवर्ध को आगे की ओर खींचती है और इस तरह स्वरप्रवर्ध और तंतुओं को मोड़ देती है। पंचम पेशी, पश्च वलयदर्विका है, जो सिगनेट भाग के पिछले भाग से लेकर दर्विकाभ के प्रवर्ध के पीछे तक रहती है। यह स्वरप्रवर्ध को पीछे खींचकर वाक्तंतु को विलग करती है।

केवल वलयावटु पेशी को, जो ऊर्ध्व स्वरतंत्रिका की बाह्य शाखा से संचालित होती है, छोड़कर अन्य चारों पेशियाँ आवर्तक (recurrent) स्वरतंत्रिका द्वारा संचालित होती हैं।

कंठ की श्लेष्मावला श्वसनी की कला से संतत जारी रहती है, विशेषतः दर्विघांटी ढक्कन वलय (aryteno-epiglottis fold) पर घांटी ढक्कन के पार्श्व से दर्विकाभ उपास्थि के शिखर तक जाती है। इन वलयों के बाहर की ओर चौड़ाकी विवर रहता है। अवटु के पक्षक (alae) के संयोजन के मध्य से लेकर दर्विकाभ के स्वरप्रवंध तक यह कला परावर्तित एवं संलग्न रहती है। कला के पार्श्वीय स्वतंत्र भाग ही स्वररज्जु बनाते हैं। स्वतंत्र स्वररज्जुओं के मध्य के खाल को घांटी (Glottis) कहते हैं। स्वररज्जुओं के ऊपर आगे से पीछे की ओर खात है, जिसे कंठविवर (laryngeal sinus) कहते हैं। इस खात में कंठ लघुकोष (laryngeal saccule) का मुख रहता है। कंठविवर के ऊपरी भाग को कूट स्वररज्जु कहते हैं।

घांटी ढक्कन और स्वररज्जु पर श्लेष्मल कला संलग्न है, परंतु अन्य जगह पर्याप्त श्लेष्मल ऊतक रहते हैं। कंठ के ऊपरी भाग के अग्र एवं पार्श्व में झूठी उपकला (squamous epithelium) रहती है, परंतु और स्थानों पर स्तंभाकार या पक्ष्माभिकामय उपकला रहती है। इसकी तंत्रिका ऊर्ध्व स्वरतंत्रिका (वेगस की शाखा) है।

श्वासनली (Trachea) — यह ४ से ४॥ इंच लंबी वायुनलिका है। वायु, नासा से ग्रसनी में होकर, कंठ से गुजरकर इस नली से फुप्फुस को जाती है। इसका कुछ भाग गर्दन में तथा कुछ वक्ष में रहता है। यह नली कंठ के अधोभाग से प्रारंभ होकर पंचम वक्ष कशेरुक के ऊपरी किनारे पर दो श्वासप्रणालियों (bronchi) में विभाजित हो जाती है। यह नलिका अस्थियों के छल्लों से बनी होती है। इसके पीछे ग्रसिका (oesophagus) रहती है। इसके सामने और पार्श्व में अवटु ग्रंथि रहती है। इसके वाम पार्श्व में अनामी शिरा (innominate vein), धमनी तथा महाधमनी (aorta) का चाप रहता है। इसका ग्रीवा भाग १ इंच का है। इसी भाग में ट्रेकियाटामी नामक शल्यकर्म किया जाता है। यह फाइबो-इलेस्टिक तंतु से निर्मित है तथा तरुणास्थियों के छल्लों का पृष्ठ भाग अनैच्छिक मांसपेशियों से निर्मित होता है। जब ये मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं तब श्वासनली का व्यास एवं परिधि कम हो जाती है। इसके भीतर उपकला में स्तंभाकार उपकला रहती है।

श्वसनी — दो नलिकाएँ हैं, जिनमें श्वासनली विभाजित होकर फुप्फुस के मध्यभाग तक जाती है। श्वसनी की संरचना श्वासनली के समान होती है। श्वसनी विभाजित होकर फुप्फुस के अलग अलग खंडों तथा प्रखंडों में जाती है। इनका एक भाग फुप्फुस से बाहर दूसरा फुप्फुस के अंदर रहता है। इनके संकुचित होने पर, श्वासोच्छ्वास में कठिनाई होती है, जैसा दमा रोग में देखा जाता है। प्रत्येक श्वसनी की कई सूक्ष्म शाखाएँ होती हैं।

फुप्फुस — दो पिरेमिड आकार के स्पंजी रुधिरवाहिनी अंग हैं। इनमें रुधिर ऑक्सीजनजनित रहता है। यह सामान्यतः गुलाबी रंग का होता है। नगरवासियों के फुप्फुस का रंग कार्बन जमा होने के कारण स्लेटी रंग का होता है। यह चारों ओर से फुप्फुसावरणी गुहा (pleural cavity) से आवृत रहता है। इसका कोर्ध ग्रीवा में रहता है तथा आधार (base) महाप्राचीरा पेशी पर। इसका बाह्य भाग (वरातल) उत्तरोदर तथा पर्शुकाओं की ओर रहता है। इसका भीतरी भाग (वरातल) हृदयावरण तथा महारुधिर वाहिनियों की तरफ रहता है और पश्च किनारा गोलाई लिए होता है एवं कशेरुक दंड की ओर होता है।

प्रत्येक फुप्फुस दो खंडों में (lobes) में एक प्राथमिक विदर

(primary fissure) द्वारा विभाजित रहता है। यह विदर ऊपर से नीचे तिरछी दिशा में रहता है। दक्षिण फुफ्फुस में एक और विदर रहता है, जिसके कारण यह तीन खंडों में विभाजित होता है तथा वाम फुफ्फुस केवल दो खंडों में विभाजित रहता है। प्रत्येक फुफ्फुस के, हृदय की ओर के धरातल पर मध्य भाग में नाभिक (hilum) रहता है, जहाँ से इसमें वाहिकाएँ, धमनियाँ तथा शिराएँ

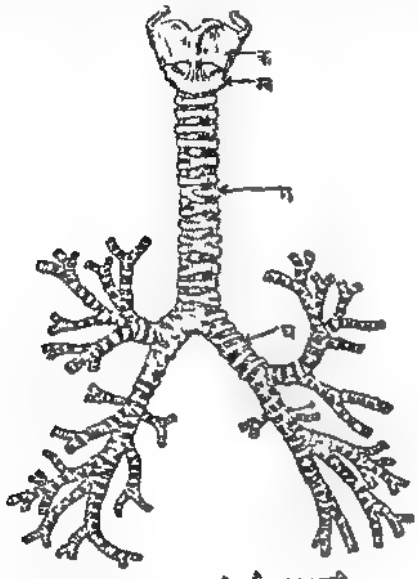

चित्र ४. श्वासनली और श्वसनी

क. अवटुपर्ति उपास्थि (Thyroid cartilage);
ख. मुद्रिका उपास्थि (Cricoid cartilage);
ग. श्वासनली तथा घ. श्वसनी।

प्रवेश करती हैं। इन्हें फुफ्फुसमूल कहा जाता है। प्रत्येक फुफ्फुस के इस मूल में फुफ्फुसीय धमनी, शिरा तथा श्वसनी रहती है और लसिकाओं का जाल एवं लसीका वाहिनियाँ तथा लसीका पर्व रहते हैं। फुफ्फुस में जानेवाली धमनियाँ हृदय से अशुद्ध रुधिर को इसमें शुद्धि के लिये ले जाती हैं तथा निकलनेवाली शिराएँ फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर हृदय को लाती हैं। श्वसनी की शाखाएँ प्रशाखाएँ इसमें ऑक्सीजन वायु को ले जाती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को इससे बाहर ले जाती हैं। रुधिर इस आशय में अपने कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागकर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इसे ही रुधिर का शोधन कहते हैं। श्वसनी की अंतिम शाखाओं में उपास्थि नहीं होती। फुफ्फुस एवं श्वसनी के इस भाग को कूपिका (Alcol) कहा जाता है। फुफ्फुस के रुधिरवहन को फोफ्फुसीय रुधिर परिवहन कहते हैं। सद्यःजात में फुफ्फुस घन होते हैं। जन्म लेते ही पहला श्वसन होने पर फुफ्फुस वन हो, अर्थात् पानी में डालने पर डूब जाता हो, तो यह माना जाता है कि शिशु मृतावस्था में पैदा हुआ था। मनुष्य एक फुफ्फुस के द्वारा भी जीवित रह सकता है। फुफ्फुसावरण की एक पर्त फुफ्फुस पर सटी रहती है तथा दूसरी वक्षगुहा की दीवार के अंतःभाग पर। इन दोनों पर्तों के मध्य में चिकना तरल रहता है। [अ० वि० मु० तथा अ० घो०]

श्वसनतंत्र के रोग (Diseases of Respiratory System) श्वसन तंत्र के रोगों में कुछ लक्षण तथा चिह्न, अकेले अथवा एक दूसरे के साथ, प्रकट होते हैं। ये इस प्रकार हैं : (१) कास या खाँसी (२) कफोत्सारण, (३) फुफ्फुसी रुधिरस्राव, (४) वक्ष में पीड़ा तथा (५) श्वासकृच्छ्रता अथवा मंदश्वसन। इनके लाक्षणिक स्वरूप को जितनी शीघ्रता से अभिज्ञान किया जाय, निदान तथा चिकित्सा एवं रोग की साध्यासाध्यता में सुगमता होती है।

यदि शुष्क कास दीर्घकालिक स्वरूप का हो, तो इससे राजयक्ष्मा, या क्षय, अथवा फुफ्फुस के कैंसर की आशंका की जा सकती है। इसी प्रकार परघरघराहट युक्त कास श्वसन-मार्ग-संकीर्णक रोगों का सूचक होता है, यथा श्वास या दमा, श्वासमार्ग में स्थित बाह्यागत द्रव्य, श्वसनपथ की संकीर्णता तथा श्वसन-नली-शोथ आदि। अर्बुद की स्थिति के कारण कंठ के स्वरयंत्र पर दबाव पड़ने से शुष्क ध्वनि-कास होने लगता है। एन्यूरिज्म (aneurysm), स्वररज्जु (vocal cord) के रोग, कर्णगूथ, अलिजिह्वा वृद्धि (uvula) एवं टॉन्सिल शोथ (tonsillitis) आदि रोगों में भी, विशेषतः बालकों में, कास एक प्रधान लक्षण होता है। इसी प्रकार विशिष्ट लाक्षणिक स्वरूप का कफोत्सारण भी फुफ्फुस के किसी विशिष्ट रोग का सूचक होता है। न्यूमोकोकसजन्य न्यूमोनिया (pneumococal pneumonia) में मोरचे के रंग का कफ (बलगम) आता है। फ्रीडलैंडर की (Friedlander's) न्यूमोनिया में कफ अत्यंत चिपचिपा होता है। फुफ्फुस विद्रधि एवं श्वासनाल-स्फीत (bronchiectasis) में दुर्गंधित कफ आता है और फुफ्फुसांतर्गत रक्तपिंड में झागदार एवं रक्तरंजित बलगम निकलता है।

फुफ्फुस से रुधिरस्राव प्रायः निम्न विकृतियों में होता है : श्वासनाल स्फीत, फुफ्फुसी राजयक्ष्मा, फुफ्फुसी कैंसर, विद्रधि, फंगस एवं परजीवी रोग (parasitic diseases)। इसके अतिरिक्त कतिपय हृद्रोग, फीडलैंडर दंडाणु न्यूमोनिया, कतिपय रक्तरोग, फुफ्फुसी रुधिरवाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से, स्कर्वी रोग तथा फुफ्फुस का आघातज क्षत होने पर भी रुधिरस्राव हो सकता है। रुधिरस्रावी विकृतियों में प्रायः रुधिरमिश्रित या रुधिररंजित कफ आता है।

उरोवेदना (छाती में दर्द) प्रायः फुफ्फुसावरणशोथ (pleurisy) के कारण होती है (देखें फुफ्फुसावरण शोथ), जो मुख्यतः राजयक्ष्मा तथा न्यूमोनिया आदि औपसर्गिक रोगों में पाया जाता है। यह वेदना तीव्र तथा चुभने की तरह होती है, जो प्रायः वक्ष के संमुख या पार्श्विक भाग में होती है तथा श्वसन के साथ और भी उग्र अनुभूत होती है। मध्यपट (diaphragm) की संक्रमित फुफ्फुसावरण की विकृति में पीड़ा वक्षस्थल में न होकर स्कंध, ग्रीवापार्श्व या कभी कभी उदर में ज्ञात होती है। उदरपीड़ा कभी कभी उंडुकशोथ (appendicitis) की पीड़ा के अनुकरण अनुभव पड़ती है। कभी कभी शुष्क फुफ्फुसावरण शोथ के पश्चात् फुफ्फुसावरणांतराल (फुफ्फुसावरण के विशीर्ण (parietal) तथा आंत्रिक, या विसरल, पर्तों के बीच के अवकाश) में सीरसी द्रव या पूय एकत्रित होकर, वक्षशोथ (hydrothorax) तथा पूयोरस (पायोथो-

रेक्ष एंफायसमा) की स्थिति उत्पन्न होती है। फेफड़े की स्थिति में उपर्युक्त द्रव रक्तरंजित होता है। उरोवेदना कभी कभी हृदय, महाधमनी एवं पित्ताशय के रोगों में तथा पर्शुकाओं के आघातज क्षत एवं पर्शुकांतर तंत्रिकाशूल में भी पाई जाती है।

मंदश्वसन, या द्रुतश्वसन, शरीर में अपर्याप्त ऑक्सीजन का द्योतक होता है। कभी कभी यह साधारण होने से प्रायः आयास की स्थिति में हो, यथा आरंभिक वातस्फीति (emphysema) रोग में, प्रकट रूप से ज्ञात होता है। किंतु फुफ्फुसगत रक्ताधिक्य, हृत्पात एवं कंठ (larynx) तथा श्वासनली (trachea) में बाह्यागत, या अर्बुद अथवा शोथजन्य, अवरोध की स्थिति, डिप्थीरिया रोग में मंद या द्रुत श्वसन उग्र और स्थायी स्वरूप का होता है, और स्थिति के गंभीर एवं भयावह होने का सूचक होता है। श्वासनली श्वसनीशोथ, न्युमोनिया, दमा, फुफ्फुसी रक्ताधिक्य, सूत्रणरोग (fibrosis), राजयक्ष्मा, अनिष्टकारी शूल एवं शूलिकरण के सूँघने से और फुफ्फुस एवं उरोभित्ति के बीच वायु, रक्तपूय या अन्य द्रव का संचय होने पर भी श्वसनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके तीव्र एवं उग्रस्वरूप होने पर प्रायः ओठों एवं नखों पर रक्तिमा के स्थान में नीलिमा होती है। न्यूनाधिक श्वसनहीनता फुफ्फुसगत सभी औपसर्गिक रोगों में पाई जाती है। कभी कभी श्वसनपथ के पार्श्ववर्ती अंगों की विकृतियों से जब श्वासपथ पर दबाव पड़ता है, तब भी न्यूनाधिक श्वसनहीनता का उपद्रव लक्षित होता है।

श्वसनतंत्र के रोगों की उत्पत्ति मुख्यतः निम्न कारणों से होती है : विकारी उपसर्ग, विजातीय कणों एवं अनिष्टकारी धूमाघ्राणन, फुफ्फुसी रुधिर परिसंचरण की विकृति, ऐलर्जी एवं श्वसनपथ में अवरोधोत्पादक बाह्य द्रव्यों का प्रवेश।

प्रतिश्याय या जुकाम यद्यपि सामान्यतः साधारण रोग है, तथापि कभी कभी उपेक्षा के कारण यह अन्य गंभीर रोगों की उत्पत्ति तथा श्वसनतंत्र के अन्य आनुषंगिक उपसर्गों में सहायक बन जाता है। जल में बहुत देर तक तैरने या डुबकी मारने से तथा दंतविद्रधि से विकारी जीवाणुओं का संक्रमण उपनासा कोटरों में हो सकता है। स्वरोच्चारण के मिथ्यायोग तथा अतियोग से, अत्यधिक ऐलकोहल एवं धूमपान से तथा ऊर्ध्वश्वसनपथ के उपसर्ग के संसर्ग से स्वरभंगयुक्त कंठशोथ (laryngitis) हो जाता है। फुफ्फुस के कतिपय अन्य संक्रामक रोगों, यथा राजयक्ष्मा, फिरंग आदि, में भी उपद्रवस्वरूप कंठशोथ हो जाता है। स्वरयंत्रवर्धन रिकेटी शिशुओं में पाया जाता है।

तरुण या उग्रश्वासनली शोथ (acute bronchitis) कभी कभी साधारण जुकाम के परिणामस्वरूप होता है। कभी नासाग्रसनीमार्ग तथा श्वसनी में इनफ्लूएंजा के विषाणु, या अन्य विकारी जीवाणुओं, की उपस्थिति भी इसकी जनक होती है। बालकों तथा दुर्बल व्यक्तियों में श्वासनलीशोथ ही बढ़कर न्युमोनिया का रूप ले लेता है। कभी कभी कुकुरखाँसी, टाइफाइड तथा टाइफस ज्वर, विषाणुज न्युमोनिया तथा कवकसंक्रमण भी श्वासनलीशोथ [illegible] (chronic bron-

इनफ्लूएंजा, फुफ्फुसावरणशोथ, न्युमोनिया, कुकुरखाँसी, राजयक्ष्मा आदि श्वसनतंत्र के कतिपय महत्वपूर्ण एवं भयानक स्वरूप के रोग हैं। इनमें इनफ्लूएंजा, कुकुरखाँसी तथा राजयक्ष्मा संक्रामक स्वरूप के हैं तथा इनफ्लूएंजा तो कभी कभी महामारी रूप से भी फैल जाता है। किसी समय में यह महामारी (epidemic) के रूप में फैलता था तथा इससे भयंकर जनसंक्षय हुआ करते थे। श्वसनतंत्र के रोग विशेषतः बिंदुक संक्रमण (droplet infection) से फैलते हैं।

श्वासनलस्फीति (bronchiectasis) में जीवाणु उपसर्ग के साथ साथ श्वासनलिकाओं का विस्फारण हो जाता है। यह सहज जन्मजात तथा जन्मोत्तर दो प्रकार का होता है। बाह्यागत अवरोधक द्रव्य, अर्बुद, दीर्घकालिक नासाकोटरशोथ, राजयक्ष्मा एवं अन्य औपसर्गिक अवस्थाओं के कारण श्वसनीअवरोध के परिणामस्वरूप यह रोग उत्पन्न होता है। जीर्णकास एवं अत्यधिक दुर्गंधित बलगम का निकलना (कभी कभी रक्त भी आता है) तथा हाथ पैर की अंगुलियों के अग्र सिरों का मोटा हो जाना, इस रोग के प्रधान चिह्न होते हैं (देखें श्वासनल स्फीति)।

सामान्य कायिक संज्ञाहरण द्वारा मुख एवं गले के शल्यकर्म में कभी कभी भोज्यकण, द्रव या अन्य विजातीयकण या संक्रांत ऊतकों का श्वसनपथ में चूषण हो जाने से, अथवा उदरगत या श्रोणिगत शल्यकर्म में पूतिदूषित रक्तस्रोतरोधी (emboli) के फुफ्फुस में पहुँचने से, फुफ्फुस या आमाशयी (vesophagus) के अर्बुद से, फुफ्फुसशोथ तथा बाह्याघातजन्य फुफ्फुसक्षत से फुफ्फुस के विद्रधि की उत्पत्ति होती है। इसमें खाँसी, दुर्गंधित तथा रक्तमय बलगम का आना, छाती में दर्द, अनियमित स्वरूप का ज्वर तथा अंगुलियों के सिरों का मोटा होना आदि लक्षण होते हैं।

फुफ्फुस में कवक के उपसर्ग के परिणामस्वरूप निम्न विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं : ऐस्परजिलस रोग (aspergillosis), मोनिलिऐसिस (moniliasis), कॉक्सीडिमो माइकोसिस (coccidioidomycosis), स्पोरोट्राइकोसिस, (sporotrichosis), ब्लास्टोमाइकोसिस (blastomycosis), तथा एक्टिनोमाइकोसिस (actinomycosis) आदि। इनमें सामान्यरूप से ज्वर, जीर्णकास, कफोत्सारण, वक्ष में पीड़ा, कभी रक्तोत्सारण तथा दुर्बलता आदि लक्षण होते हैं। रोग की उग्र या तरुण अवस्था बहुत कुछ न्युमोनिया के अनुरूप तथा दीर्घकालिक अवस्था फुफ्फुसीय राजयक्ष्मा के अनुरूप होती है।

व्यावसायिक एवं उद्योगधंधों के कारखानों, मिलों तथा खानों में काम करने वाले व्यक्तियों एवं संगतराशी का काम करनेवालों में, या इसी प्रकार की अन्य दस्तकारी में, सिलिका के सूक्ष्म कण श्वसन के साथ फुफ्फुसों में पहुँचकर यत्रतत्र जमा होकर, कालांतर में सिलिकोसिस (silicosis) की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे फुफ्फुसों में सूत्रणरोग (fibrosis)

अधिक
प्रकट

होते हैं। कभी कभी रक्तोत्सारण (haemoptysis) भी होता है। दिनोंदिन शक्ति का क्षय होता जाता है। दीर्घकालिक सिलिकोसिस से फुफ्फुसावरणों का मोटा होना, वातस्फीति आदि उपद्रव होते हैं तथा फुफ्फुसीय राजयक्ष्मा के समान लक्षण दिखाई देते हैं। इन रोगियों में हृद्घात् की भी आशंका रहती है। रोग से बचने के लिये मुख और नासा पर कपड़ा बाँधकर काम करना चाहिए। प्रवृद्ध सिलिकोसिस में राजयक्ष्मा की निर्दिष्ट चिकित्सा से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता और रोगी को प्राण से हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार ऐस्बेस्टॉस के कारखानों में काम करनेवालों को तथा ईख की खोई (begasse) के छोटे छोटे कणों के कारण इक्षुबूसिमयता (begassosis) एवं रुई के सूक्ष्म रेशों के कारण तूलोर्णमयता (byssinosis) नामक विकृतियाँ होती हैं। इन सभी के स्वभाव एवं उपद्रवक्रम प्रायः समान हैं। कभी कभी उग्र स्वरूप के रासायनिक द्रव्यों के आघ्राणन द्वारा फुफ्फुसों में शोथ होने से श्वासावरोध उत्पन्न होकर सहसा दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। कभी कभी श्वसन द्वारा ऐसे द्रव्यों के सूक्ष्म कणों के फुफ्फुसों में पहुँचने से, जिनके प्रति व्यक्ति को ऐलर्जी हो, सहसा ऐलर्जीजन्य विकृति पैदा हो जाती है, जिससे श्वसनकष्ट, छींक आना तथा नाक से पानी बहना आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं और रोगी को दमा जैसे कष्ट की अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति में संवेदनशीलता परीक्षण द्वारा कारण का ज्ञान कर उसका परिवर्जन करना चाहिए। चिकित्सार्थ विषुग्राहीकरण करने तथा हिस्टामीन प्रतिरोधी औषधियों के प्रयोग से बहुत लाभ होता है।

कभी कभी अकस्मात् ऐसे विजातीय द्रव्यों के, जो वायुपथ में स्थित होकर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, श्वसनपथ में पहुँचने से फुफ्फुस अनुन्मीलन (एटिलेक्टेसिस) की आपत्कालिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में अविलम्ब श्वसनोदर्शक की सहायता से उक्त अवरोधक घटक का निर्हरण आवश्यक हो जाता है। श्वास या दमा दौरे से होनेवाला रोग है। दौरे के समय रोगी को श्वसनकृच्छ्रता होती है, जिसका मुख्य कारण श्वासनलिकाओं का संकोच होता है। दौरे के समय श्वासनलिकाओं को विस्तृत करनेवाली औषधियों का अविलम्ब उपयोग होना चाहिए।

रोगनिदान — श्वसनतंत्र के रोगों का निदान सामान्यतया उपदिष्ट भौतिक एवं लाक्षणिक चिह्नों के परीक्षण द्वारा किया जाता है। सम्प्रति वैद्युतिक द्रव्यों के प्रयोगशालीय परीक्षणों द्वारा रोग एवं उसके जनक कारणों के [illegible] निर्धारण में विशेष सहायता मिलती है। विकृतियों में [illegible] इनका विशेष [illegible] एवं [illegible] यंत्रों [illegible] में [illegible] उपयोग से [illegible] से [illegible]

क्षीणता की स्थिति में कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन का आघ्राणन कराना चाहिए। [रा० सु० सिं० एवं भू० ना० सिं०]

श्वान, थियोडोर (Schwann, Theodor, सन् १८१०-१८८२), जर्मन जीववैज्ञानिक, का जन्म राइनलैंड प्रदेश के नॉयस (Neuss) नगर में हुआ था। इन्होंने बॉन तथा बर्लिन में शिक्षा पाई थी।

कुछ काल तक जोहैनीज़ मुलर के अधीन कार्य करने के पश्चात् ये लूवें (Louvain) के विश्वविद्यालय में शारीरशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन् १८४७ में लिएज्ह (Liege) में प्रोफेसर का पद पाने पर, ये वहाँ चले गए और मृत्युपर्यंत वहीं रहे।

इन्होंने शरीर-क्रिया-विज्ञान संबंधी विविध अनुसंधान किए, जैसे मुर्गी के भ्रूण के श्वसन तथा पेशियों के कार्य करने की रीतियों को और पेप्सिन नामक एंजाइम को खोज निकाला तथा पदार्थों के सड़ने में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका का होना आवश्यक सिद्ध किया। विज्ञान को इनकी प्रमुख देन यह प्रतिपादित करना था कि जीवों के ऊतक भी उसी प्रकार कोशिकाओं के बने होते हैं जैसे वनस्पतियों के तथा ये मुख्यतः एक सदृश होते हैं। इस विचार ने पीछे अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए महत्व के अनेक अनुसंधानों को जन्म दिया। [म० दा० व०]

श्वासनलस्फीति (Bronchiectasis) फुफ्फुस का रोग है, जिसमें श्वासनलिकाओं का विस्फारण (dilatation) हो जाता है। यह विस्फारण आकार में मटर अथवा पैसे या पुटी के समान हो सकता है। साथ ही नलिकाओं की भित्तियों में शोथ हो जाता है और वे गलने लगती हैं। श्वासनली जीर्ण रोगों में राजयक्ष्मा के पश्चात् इसी रोग का स्थान है। अतएव यह रोग बहुत फैला हुआ है। रोग के लक्षणों के कारण जीवाणुसंक्रमण और श्वासनलिकाओं की रचना में परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण उनमें बना हुआ स्राव पूर्णतया बाहर नहीं निकल पाता। चेचक, कुकरखाँसी या श्वासकास में कुकरखाँसी के कई आक्रमणों से इस रोग की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

रोग के विशेष लक्षण निरंतर खाँसी का आना और दुर्गंधयुक्त स्राव का बहुत अधिक मात्रा में निकलना है। रुधिर का आना दूसरा लक्षण है। फुफ्फुस से अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो सकता है। चिकित्सा में सावधानी की आवश्यकता है (देखें श्वसनतंत्र के रोग)। [मु० रा० व०]

श्वासनलीशोथ (Bronchitis) श्वासनली की श्लेष्मावरण का प्रदाह है, जो तीव्र हो सकता है अथवा दीर्घकालिक। नासिका से वायु के फेफड़े तक पहुँचने के साथ ही वायु से जीवाणु तथा अन्य संक्रमी पदार्थों को, जो नासिका की श्लेष्मावरण द्वारा नहीं रोके जा सकते, श्वासनली रोकती है। श्लेष्मावरण की भीतरी सतह पक्ष्माभिकामय उपकला होती है। ये पक्ष्माभिका एक लहर के रूप में गतिशील होते हैं तथा बाह्य पदार्थों को ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं। श्लेष्मावरण, जो चिपचिपा पदार्थ अर्थात् श्लेष्मा उत्पन्न [illegible] है, उसमें जीवाणु तथा बाह्य पदार्थ चिपक जाते हैं तथा [illegible] की सहायता से बाहर आते हैं। खाँसी को एक सुरक्षात्मक

पार्श्व है। बाह्य पदार्थ जब श्लेष्मकला के संपर्क में आते हैं तो खाँसी या श्वासनली की उत्तेजना प्राप्त होती है तथा श्वासनलिकाओं के एकाएक संकुचन से वायु का एक तीव्र झोंका उन्हें से बाहर निकलता है तथा विदेशक पदार्थ को बाहर कर देता है।

उग्र श्वासनलीशोथ — कुछ रासायनिक, भौतिक तथा जीवित पदार्थ श्वसनी की श्लेष्मकला को इस रूप में प्रभावित करते हैं कि खाँसी, ज्वर, गति पूर्वक, आदि उत्पन्न हो जाते हैं तथा यह दशा उग्र श्वासनलीशोथ कहलाती है। कुछ विषैले धुएँ, जैसे सुरमा गैस (सल्फर डाइऑक्साइड) तीव्र धूम के साथ, अमोनिया, क्लोरीन आदि, कुछ जीवाणु तथा कुछ रोग, जैसे इन्फ्लूएंजा, कुकर-खाँसी, खसरा वगैरह भी तीव्र श्वासनलीशोथ उत्पन्न करते हैं।

इन पदार्थों के क्षोभ द्वारा श्लेष्मकला की रुधिरवाहिकाएँ फैल जाती हैं तथा उनसे रुधिर और द्रव पदार्थ बाहर निकल आते हैं। श्लेष्मस्राव अधिक होता है। ये सब खाँसी तथा पक्ष्माभिका की सहायता से बाहर आते हैं। अत्यधिक क्षोभ होने पर कोशिकाओं की सतह नष्ट हो जाती है। अधिक श्लेष्मा एकत्र हो जाने पर श्वास की गति बढ़ जाती है।

लक्षण — बुखार, दर्द लगना, शरीर में दर्द, नाक से स्राव, गले में खराश महसूस होना, खाँसी पहले सूखी, फिर कफयुक्त के साथ तथा साँस फूलना आदि। न्यूमोनिया होने का भय रहता है।

चिकित्सा — विश्राम करना, द्रव भोजन, तथा कारण दूर करना। खाँसी की दवाइयाँ — यदि सूखी खाँसी है तो कोडीन जैसी दवाइयाँ, यदि कफ निकलता है तो अमोनियम कार्बोनेट, टिंचर इपिकाक इत्यादि कफोत्सारक औषधियाँ देनी चाहिए। भाप में साँस लेना भी कफ निकालने में सहायता करता है। पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, तथा अन्य जीवाणुनाशक औषधियों का प्रयोग भी आवश्यक है।

दीर्घकालिक श्वासनलीशोथ — जब श्वसनी की श्लेष्मकला का प्रदाह अधिक समय तक बना रहता है तथा श्वसनी में अन्य दोष उत्पन्न कर देता है तो वह दीर्घकालिक श्वासनलीशोथ कहलाता है।

ऐसे व्यवसाय, जिनमें धूल, गर्द तथा धुएँ का अधिक संपर्क होता है, और कुछ जीवाणु इस रोग के कारण होते हैं।

इस रोग में श्वसनी की श्लेष्मकला को अत्यधिक क्षति पहुँचती है। कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं, पक्ष्माभिका समाप्त हो जाते हैं। श्वसनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा स्राव अधिक होता है। अन्य रोग, जैसे वातस्फीति, सूत्रण रोग, दमा आदि, हो सकते हैं।

लक्षण — दीर्घकालिक खाँसी तथा कफ। खाँसी ताप के आकस्मिक परिवर्तन तथा जाड़े में बढ़ जाती है। कभी कभी तीव्र श्वासनलीशोथ का रूप ले लेती है।

चिकित्सा — कफोत्सारक औषधियाँ या खाँसी दूर करनेवाली औषधियाँ आवश्यकतानुसार दी जाती हैं। यदि श्वासनलिकाएँ संकुचित हो जाती हैं, तो ऐफेड्रीन, ऐमिनोफाइलीन नामक दवाएँ दी जाती हैं। जब रोग तीव्र रूप धारण करे तो जीवाणुनाशक दवाओं [illegible] जाड़े में गरम, शुष्क वातावरण लाभप्रद होगा।

अत्यधिक धूमपान से [illegible] रोग में खाँसी बहुत [illegible] साधारण व्यक्ति को खाँसी नहीं होती। [वा० श०

श्वासावरोध अगर कोई जन्तु एक छोटी नली में [illegible] वायु को बार बार अंदर खींचता है और उस दूषित वायु [illegible] देता है, तो श्वासावरोध के कारण थोड़े समय में वह मर जाता [illegible] ऐसी स्थिति श्वासनली के रोग, वक्षिनलिका के द्वारा [illegible] मांसपेशियों के पक्षाघात इत्यादि कारणों से भी हो सकती है। [illegible] घटना तीन रूपों में होती है : (क) अधिरक्तता, इसमें [illegible] अधिकता से अवरुद्ध होकर आँख बाहर आ जाती है और इस [illegible] के अंत में प्राणी चेतनाहीन हो जाता है, (ख) दूसरे रूप [illegible] उच्छ्वसन ऐंठन उत्पन्न होती है। रक्तवाहिका में अवरोध [illegible] है। मार के साथ तथा आक्षेपों में या तो अवरोध होता [illegible] या वृद्धि तथा (ग) दूसरे रूप के अंत में उच्छ्वास ऐंठन [illegible] हो जाती है तथा प्रश्वसन ऐंठन होती है। ऐसी अवस्था में [illegible] साँस लेने के लिये अथवा मुँह बाहर निकालता है। साँस लेने [illegible] लिये मुख खोला करता है और उस तीन चार मिनट के बाद [illegible] साँस लेता है।

सं० ग्रं०—डेविस, हॉल्डेन, हिनेर : जे० फिजियोल, १९२०, [illegible] ३२, बी० ई० उलर एवं सॉंडरबर्ग : जे० फिजियोल, १९३२, [illegible] ५८५. [रा० चं० गु०]

रिंड, मोरित्स फान (१८१४-१८९१) वियना के चित्रकार। चित्रकला के साथ साथ संगीत और कविता के भी शौकीन। १७ वर्ष की उम्र में कलाकारों की जमात में सम्मिलित हो गए। जर्मनी में कला के पुनर्जागरण के कारण उन्होंने अपनी कुछ भिन्न धारणाएँ और मत स्थिर किए। गेटे और अन्य कवियों की कविताएँ चित्रांकित कर कल्पना की ऊँची उड़ानें भरीं। लुडविग द्वितीय के नए राजमहल में भित्तिचित्रों का निर्माण किया। १८४४ में वह फ्रैंकफर्ट आ बसे, पर कुछ वर्ष बाद म्यूनिख यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हो गए वहाँ जीवनपर्यंत कार्य करते रहे।

उन्होंने किले और महल के विशाल प्राचीरों पर चित्रकला प्रस्तुत की। सैकड़ों कविताओं और पुस्तकों के डिजाइन बनाए। जेलरों में अनेक काम किए। रेखाचित्र और पोर्ट्रेटचित्र दोनों में उनका दखल था। 'सात रेवेन' (seven ravens) चित्रमालाक्रम में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। म्यूनिख और वियना कलासंग्रहालय में आज भी उनके अनेक चित्र उपलब्ध हैं। [श० रा० गु०]

श्वेत यों तो यह शब्द एक द्वीपविशेष तथा शुक्र ग्रह के लिये आता है पर श्रीमद्भागवत में किसी श्वेत पर्वत का परिमाणादि वर्णित है (स्कंध ५, अध्याय १६)। पर उससे भी प्रसिद्ध है शिव जी का श्वेत-अवतार जिसका विवरण शैव के ५० वें अध्याय में इस प्रकार दिया है :

"आदौ कलियुगे श्वेतो देवदेवो महाद्युतिः।
नाम्ना हिताय विप्राणां प्रभुर्वैवस्वतेऽन्तरे॥
हिमवच्छिखरे रम्ये विमले पर्वतोत्तमे।
तस्य शिष्या शिखायुक्ता बभूवुरमितप्रभाः॥

श्वेतः श्वेतशिखश्चैव श्वेताश्वः श्वेतलोहितः।
चत्वारस्ते महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः॥
+ × ×
श्वेतस्तथा परः शूली तिंडी मुंडी च वै क्रमात्।
सहिष्णुः सोमशर्मा च नकुलीशोऽन्तिमे प्रभु॥
वैवस्वतेऽन्तरे शम्भोरवतारा त्रिशूलिनः।
अष्टाविंशतिराख्याता ह्यन्तेकलियुगे प्रभो॥"

रामायण में श्वेत नामक एक बलवान् वानर का भी वर्णन है—'श्वेतो रजतसंकाशः बलो भीमविक्रमः। बुद्धिमान् वानरवरस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। [रा० द्वि०]

श्वेतकि प्रसिद्ध राजा जो परम धर्मपरायण तथा यागशील था। इसने सौ वर्ष में पूर्ण होनेवाले एक महान् यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें महर्षि दुर्वासा पुरोहित बने थे। [रा० द्वि०]

श्वेतकेतु इस नाम के कई व्यक्ति हुए हैं: (१) महर्षि उद्दालक के पुत्र जो कहीं उत्तराखंड में रहते थे। इन्होंने एक बार ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया जिससे इनके पिता ने इनका परित्याग कर दिया। इन्होंने यह नियम प्रचारित किया कि पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जानेवाली स्त्री तथा अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से संबंध कर लेनेवाला पुरुष दोनों ही भ्रूणहत्या के अपराधी माने जायँ। इनकी कथा महाभारत के आदिपर्व में है और उनके द्वारा प्रचारित यह नियम धर्मशास्त्र में अब तक मान्य है।

(२) महर्षि अरुण के पुत्र आरुणि जिन्हें आरुणेय भी कहते हैं। इन्होंने पांचालराज महर्षि प्रवाहण से ब्रह्मविद्या संबंधी अनेक उपदेश ग्रहण किए। इनकी कथा छांदोग्योपनिषद् में दी गई है।

(३) पुरुवंशीय सर्वजित् के पुत्र जिनके तीन भाई और थे। इन भाइयों में से वत्स अवंती के अधिपति हुए जिनकी कथा हरिवंश-

उनके मतानुसार कुछ मनीषियों का काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, पृथिवी आदि भूत अथवा पुरुष को कारण मानना भ्रांतिमूलक है। ध्यान योग की स्वानुभूति से प्रत्यक्ष देखा गया है कि सब का कारण ब्रह्म की शक्ति है और वही इन कथित कारणों की अधिष्ठात्री है (१.३)। इस शक्ति को ही प्रकृति, प्रधान अथवा माया की अभिधा प्राप्त है। यह अज और अनादि है, परंतु परमात्मा के अधीन और उससे अस्वतंत्र है।

वस्तुतः जगत् माया का प्रपंच है। वह क्षर और अनित्य है। और मूलतः जीवात्मा ब्रह्मस्वरूपी है, परंतु माया के वशीभूत होने से अपने को उससे पृथक् मानता हुआ नाना प्रकार के कर्म करता और उनके फल भोगने के लिये पुनः पुनः जन्म धारण करता हुआ सुख दुःख के आवर्त में अपने को घिरा पाता है। स्थूल देह में सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर जो धर्माधर्म से लिप्त रहता है उसके साथ जीवात्मा जन्मांतर में प्रवेश करता है। इस प्रकार यह संसार निरंतर चल रहा है। इसे ब्रह्मचक्र (१.६ ६-१) या विश्वमाया कहा गया है।

जब तक अविद्या के कारण जीव अपने को भोक्ता, जगत् को भोग्य और ईश्वर को प्रेरिता मानता अथवा ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान को पृथक् पृथक् देखता है तब तक इस ब्रह्मचक्र से वह मुक्त नहीं हो सकता। सुख दुःख से निवृत्ति तथा अमृतत्व की प्राप्ति का एकमात्र उपाय जीवात्मा और ब्रह्म का अभेदात्मक ज्ञान है। ज्ञान के बिना ब्रह्मोपलब्धि आकाश की चटाई बनाकर लपेटने जैसा असंभव है (६, १५, २०)।

ब्रह्म का स्वरूप केवल निर्गुण, सगुणनिर्गुण और सगुण बतलाया गया है। जहाँ सगुणनिर्गुण रूप से विरोधाभास दिखानेवाले विशेषणों से युक्त परमेश्वर के वर्णन और स्तुतियाँ मिलती हैं, [illegible] तीन मंत्रों में हाथ में बाण लिए हुए मंगलमय शरीरधारी रुद्र [illegible] (३ ५ ६ ४ २४)।

षोडश शृंगार भारतीय साहित्य में सोलह शृंगारों की यह प्राचीन परंपरा रही है

> मंगलमुखी, मंजन, वसन, मांग, महावर, केश।
> तिलक भाल, तिल चिबुक में, भूषण मेंहदी वेश॥
> मिस्सी काजल अरगजा, बीरी और सुगंध।

अर्थात् अंगों में उबटन, स्नान, स्वच्छ वस्त्रधारण, मांग भरना, महावर लगाना, बाल सँवारना, तिलक लगाना, ठोडी पर तिल बनाना, आभूषण धारण करना, मेंहदी रचाना, दाँतों में मिस्सी, आँखों में काजल लगाना, आदि सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग, पान खाना, माला पहनना, सोना कमल धारण करना।

इस देश में आदि काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों प्रसाधन करते आए हैं और इस कला का यहाँ इतना व्यापक प्रचार था कि प्रसाधक और प्रसाधिकाओं का एक अलग वर्ग ही बन गया था। इनमें से प्रायः सभी शृंगारों के रूप हमें रेलिंग या द्वारस्तंभों पर अंकित (उभारे हुए) मिलते हैं।

स्नान के पहले उबटन का बहुत प्रचार था। इसका दूसरा नाम अंगराग है। अनेक प्रकार के चंदन, कालीयक, अगरु और सुगंध मिलाकर इसे बनाते थे। जाड़े और गर्मी में प्रयोग के हेतु यह अलग अलग प्रकार का बनाया जाता था। सुविधा और सौकर्य के लिए स्त्री पुरुष दोनों ही इसका प्रयोग करते थे।

स्नान के अनेक प्रकार काव्यों में वर्णित मिलते हैं पर इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय जलविहार या जलक्रीडा था। कभी-कभी स्नान के जल को सुगंधित कर लिया जाता था जैसे आजकल 'बाथ-सॉल्ट' का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार के कुंकुम का भी प्रयोग होता था जो केवल 'कुंकुमा' था और जिसमें से भाव भी निकलते थे।

[illegible]

[illegible]

महावर लगाने की रीति तो आज भी प्रचलित है, विशेष त्योहारों या मांगलिक अवसरों पर। इससे नाखून और पैर तलवे तो रचाए ही जाते थे, साथ ही इसे होंठों पर लगाकर आधुनिक 'लिपस्टिक' का काम भी लिया जाता था। होंठों पर महावर लगाकर लोध्रपूर्ण छिड़क देने से अत्यंत मनमोहक पाटुला का आभास मिलता था।

मुँह का प्रसाधन तो नारियों को विशेष रूप से प्रिय था। इसके 'पत्ररचना', विशेषक, पत्रलेखन और भक्ति आदि अनेक नाम थे। माथे और कपोल चंदन के लेप से गालों, मस्तक और भौंहों के आस पास अनेक प्रकार के फूल पत्ते और छोटी बड़ी बिंदियाँ बनाई जाती थीं। इसमें पीली या सुर्ख केसर या कुमकुम का भी प्रयोग होता था। बाद में इसका स्थान बिंदी ने ले लिया जो आज भी इस देश की स्त्रियों का प्रिय प्रसाधन है। कभी केवल काजल की अकेली बिंदी भी लगाने की रीति थी। आजकल की भाँति ही ठोढ़ी पर दो छोटे छोटे काजल के तिल लगाकर सौंदर्य को आकर्षक बनाने का चलन था।

आजकल की तरह प्राचीन भारत में भी हथेली और नाखूनों को मेंहदी से लाल करने का आम रिवाज था।

आभूषणों की तो अनंत परंपरा थी जिसे नर नारी दोनों ही धारण करते थे। मध्यकाल में तो आभूषणों का प्रयोग इतना बढ़ा कि शरीर का शायद ही कोई भाग बचा हो जहाँ गहने न पहने जाते हों।

आँखों में काजल या अंजन का प्रयोग अत्यंत [illegible] से होता था। मुस्लिमों में बहुधा अनारदाने से अंजन बनाती हुई नारी का चित्रण हुआ है।

अरगजा एक प्रकार का लेप है जिसे केसर, चंदन, कपूर आदि मिलाकर बनाते थे। आधुनिक इत्र या सेंट की तरह शरीर को सुगंधित करने के लिये इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता था।

मुँह को सुगंधित करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही [illegible] [illegible] की परिचारिकाओं में ताम्बूलवाहिनी का कार्य विशेष महत्व था।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

लाए जाते रहे हैं। पैदल और घुड़सवार संदेशवाहकों के सिवाय, प्राचीन काल में ऋषियों, प्रकाश तथा धुएँ द्वारा संकेतों से संदेश भेजने के प्रमाण मिलते हैं। अफ्रीका में यही कार्य नगाड़ों से लिया जाता रहा है। आधुनिक काल में संकेतन का उपयोग सड़कों पर आवागमन तथा रेलगाड़ियों के नियंत्रण में भी किया जा रहा है।

कहा जाता है, ग्रीसवासियों ने ट्रॉय नगर की विजय (११९४ ई० पू०) की सूचना प्रज्वलित अग्नि के प्रकाश द्वारा ३०० मील दूर पहुँचाई थी। इंग्लैंड में स्पेन के जहाजी बेड़े, आर्मेडा, की चढ़ाई (१५८८ ई०) की सूचना, ६ से ८ मील की दूरीवाले स्थानों पर अग्नि जलाकर, समस्त दक्षिणी इंग्लैंड में भेजी गई। संकेतों द्वारा संदेशों के पहुँचाने के इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण इतिहास में उपस्थित हैं। कालांतर में जिस प्रकार स्थल पर संकेतन का विकास हुआ उसी प्रकार और लगभग वैसे ही साधनों से सागर पर जहाजों के बीच भी संदेश भेजने की रीतियाँ प्रचलित हुईं।

सन् १६६६ में पर्शीमुख की मूर्तियों से मिलते जुलते उपकरण की सहायता से आधुनिक सेमाफोर कूट (code) सरल संकेतन का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ और सन् १७९१ में क्लॉड शाप (Claude Chappe) नामक फ्रांसीसी ने सेमाफोर संकेतन (देखें चित्र १.) नियमों के अनुसार, लील (Lille) और पैरिस

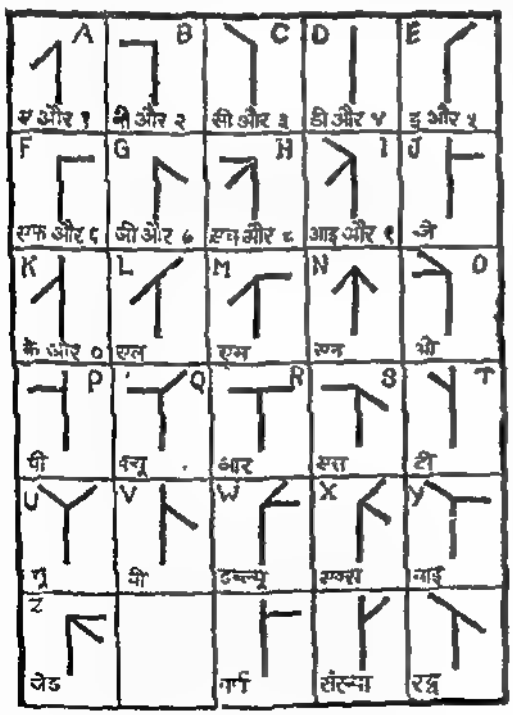

चित्र १. सेमाफोर संकेत और उनके तात्पर्य

के पक्ष, दूरसंदेश भेजने का प्रबंध किया। आगे चलकर कई लोगों ने सेमाफोर पद्धति का विकास किया, किंतु इनमें सबसे सरल तथा उपयोगी दो बाँहों से सेमाफोर संकेतन प्रणाली थी, जिसको ऐडमिरल सर होम पॉफ़ैम ने सन् १८०३ में जन्म दिया और जो आज तक नौसेनाओं में प्रयुक्त होती है (देखें चित्र १)।

दूरसंकेतन के लिये सूर्य के प्रकाश का उपयोग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। कहते हैं, सिकंदर ने इस कार्य के लिये ढाल पर चमचमाती धातु की सतह का प्रयोग किया था, किंतु बाद में दर्पणों का तथा इन्हीं के समुन्नत रूप, हीलियोग्राफ़, का प्रयोग होना आरंभ हुआ। इस उपकरण द्वारा संदेश भारत में सन् १८७७-७८ में, सन् १८७९-८० के अफगान और जुलू युद्ध में, सन् १८९९-१९०१ के दक्षिण अफ्रीकी युद्ध में और प्रथम विश्वयुद्ध के समय पूर्वी क्षेत्रों में, बराबर भेजे गए। संकेतन के लिये ऐसे लैंपों का, जिनके समुख चलकपाट लगे होते हैं, प्रयोग सन् १९१४ तक होता रहा है। बिजली के लैंप बन जाने पर, इनके जलाने और बुझाने का काम चलकपाट के स्थान पर स्विचों से लिया जाने लगा। इनका भी प्रथम विश्वयुद्ध में बहुत प्रयोग हुआ।

सन् १८५२ में मोर्से कूट (code) के आविष्कार [देखें तारयंत्र, हिंदी विश्वकोश, खंड ५, पृष्ठ ३५०-३५१] तथा बिजली के विकास के कारण, ध्वनि से संकेत भेजने की रीति निकली। सन् १८५४ के क्रीमिया युद्ध में क्षेत्रीय तार (टेलिग्राफ़) का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। दक्षिणी अफ्रीका के युद्ध में विभिन्न मुखबारों को क्षेत्रीय टेलिग्राफ़ों से संबद्ध किया गया था, यद्यपि युद्ध के अग्रक्षेत्रों में तारघर स्थापित करने का कार्य हीलियोग्राफ़ और झंडों से ही लिया जाता रहा। संदेश भेजने के लिये टेलिफोन का प्रयोग सर्वप्रथम सन् १९०४-०५ के रूस जापान युद्ध में और सन् १९०७ से ब्रिटिश सेना में किया गया, पर सैन्यदलों में व्यापक रूप से इसका प्रयोग सन् १९१४ के विश्वयुद्ध से आरंभ हुआ।

बेतार के तार का उपयोग भी सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका के युद्ध में हुआ, पर सन् १९१८ तक यह हुपबल की स्वतंत्र टुकड़ियों तक सीमित रहा। युद्ध के अग्रिम क्षेत्रों में उपयोग के लिये, सन् १९१९ से १९३९ तक के काल में, बेतार के टेलिफोन बनाए गए और इन्हें कवचित टुकड़ियों के उपयोग के लिये विकसित किया गया। सन् १९४१ से १९४४ के बीच सब सैन्यदलों में रेडियो टेलिफोन का प्रयोग होने लगा। तार वाले टेलिफोनों का प्रयोग निश्चल स्थिति के समय तथा बेतार के टेलिफोनों का चल कार्यवाहियों में सामान्य हो गया। बेतार (wireless) के तार (telegraph) या टेलिफोन के प्रयोग का फल यह हुआ कि भेजे हुए संदेश शत्रु सैन्य द्वारा भी प्राप्त हो गए और इस कारण सुरक्षा के विचार से संदेशों को कूट रूप में भेजना आवश्यक हो गया तथा संकेत विभाग के कर्मचारियों में कूटों तथा कोडों को तैयार करने, संकेतित अनुवादों तथा सैन्य टुकड़ियों में इनका वितरण करने, और बेतार के तार की सूचनाओं की जाँच करने का कार्य बढ़ गया।

अनुमुद्री संकेतन — एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच संकेतन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह कार्य प्राचीन काल से

[illegible], तार और झंडों के, जिनके संकेतों, या तीरों की तरह के, किया जाता रहा है, किंतु ये पुराने तरीके पर्याप्त संतोषजनक सिद्ध नहीं हुए। सन् १८०० में विभिन्न जहाजों के बेड़े के कप्तान, मार्क हार्ड (Mark Hood) ने अपने द्वारा संकेत भेजने की प्रणाली का एक पुस्तक तैयार की। बाद में इसके विरुद्ध अनेक सुधार हुए, किंतु फिर भी ये संकेत पूर्णतः संतोषजनक नहीं सिद्ध हुए। आज भयंकर विस्फोटकों के लिए विशेष उपयुक्त पुस्तक भी नहीं है, इसके लिए १९वीं सदी में सेमाफोर (देखें चित्र १.) तथा स्फुरित लैंपों का प्रयोग किया जाने लगा। खोजबत्तियों (searchlights) में चमकदार सफेद और लालों के प्रकाश का परावर्तन कराकर, संकेत अधिक स्पष्ट और बहुत दूर तक भेजना संभव हो गया।

१०वीं सदी के आरंभ में यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध पर संचारसूत्र के लिये बेतार का तार बड़े काम की चीज है। इसमें खोज प्रगति हुई और सन् १९१४ तक बेतार के तार के संकेतन का तब प्रायः प्रचलन हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जहाजी बेड़ों में संकेतन तथा तीरों की मार के नियंत्रण के लिये बेतार के तार का प्रयोग पूर्ण रूप से विकसित हो गया और सब जहाजों पर प्रशिक्षित दूरस्थ, बेतार के तार का प्रयोग जाननेवाले नाविक तथा उच्च योग्यता वाले संकेतज्ञ नियुक्त किए गए।

अंतरराष्ट्रीय संकेतन — १९वीं सदी के आरंभ में अंतरराष्ट्रीय प्रयोग के लिये संकेत प्रणालियाँ तैयार और प्रकाशित की गईं।

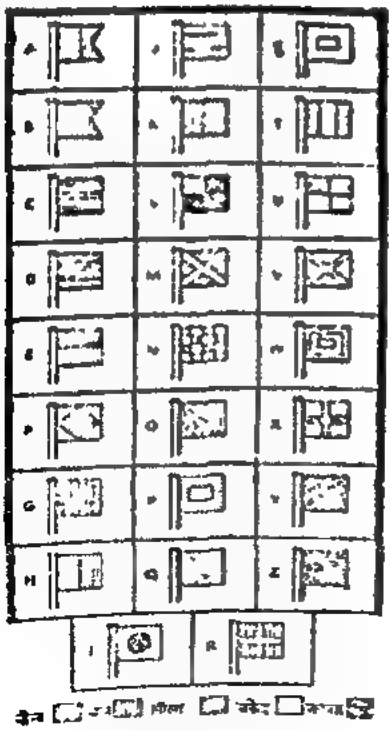

चित्र २. अंतरराष्ट्रीय संकेतन कूट
वर्णमालात्मक झंडे।

इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कैप्टेन मैरयेट की प्रणाली थी, जिसमें किसी भी संकेतन के लिये अधिक से अधिक चार झंडों प्रयोग कर, [illegible] संकेत भेजा जा सकते थे। सन् १८१२

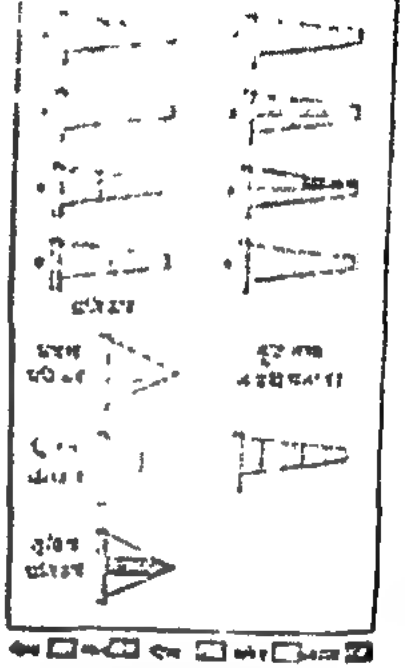

चित्र ३. अंतरराष्ट्रीय संकेतन कूट
संख्यात्मक पताकाएँ।

एक समिति ने ऐसा कूट तैयार किया जिसमें ७०,००० संकेत थे और १८ झंडों (flags) का प्रयोग कर, (X) और जेड (Z) को छोड़कर, अंग्रेजी वर्णमाला के सब व्यंजनों का निरूपण हो जाता था। सन् १८८९ में वाशिंगटन में हुई अंतरराष्ट्रीय परिषद् ने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिये एक झंडा, अर्थात् कुल २६ झंडों का, एक कूट तथा जवाबी पताका (pendant) स्थिर की (देखें चित्र २)। इस कूट का प्रयोग प्रथम विश्वयुद्ध में किया गया, पर यह भी असंतोषजनक सिद्ध हुआ। इसलिये सन् १९२७ वाली विभिन्न राष्ट्रों की वाशिंगटन परिषद् ने सुधार के लिये निम्नलिखित सुझाव दिए: (१) रेडियो टेलिग्राफी तथा चालुक संकेतन के लिये अलग अलग संकेत पुस्तकें तैयार की जाएँ, (२) अंकों के लिये दस झंडे तथा तीन प्रतिस्थापित झंडे और बढ़ा दिए जायँ, (देखें चित्र ३.), (३) मार्स के संकेतन को रेडियो टेलिग्राफी के अनुकूल कर दिया जाय, (४) दूरसंकेत और अचल सेमाफोर को बंद कर दिया जाय तथा (५) जहाजों के संकेताक्षर वे ही होने चाहिए जो रेडियो द्वारा बुलाने के हों तथा वे चार अक्षरों से बनने चाहिए। इन सुझावों के अनुसार स्थिर निरूपणों में भी आवश्यकतानुसार सामान्य परिवर्तन किए गए हैं।

सेमाफोर वर्णमाला का, जिसका उपयोग हाथों में लिए झंडों द्वारा [illegible]

ध्वनि, या बेतार के तार द्वारा संकेतन के काम में लाया जाता है। प्रयोग सभी देश समान रूप से करते हैं। महत्व के सब बंदरगाहों में तूफानों के तथा ज्वारभाटा के आने की सूचनाओं के लिये विशिष्ट संकेत ऊँचाई पर, या मस्तूलों पर, प्रदर्शित किए जाते हैं।

वैमानिकीय संकेत — वैमानिकी में चाक्षुष संकेतन का स्थान रेडियो टेलिफोन तथा रेडियो टेलिग्राफी ने ले लिया है, किंतु एयरोड्रोम की कार्यविधि का निर्देश करनेवाले कुछ चाक्षुष संकेत एयरोड्रोम की भूमि पर तथा ऊँचे धरातल पर प्रदर्शित किए जाते हैं। जिन वायुयानों में रेडियो टेलिफोन नहीं होता, उनको एयरोड्रोम नियंत्रक के आदेश मोर्स कूट में, एक विशेष प्रकार के लैंप द्वारा, दिए जाते हैं। अन्य संदेशों और संकेतों के लिये रेडियो टेलिफोन का प्रयोग किया जाता है।

रेलवे संकेतन — सिगरी ने सन् १८४१ में, यातायात की सुरक्षा के लिये, स्वचालित सेमाफोर संकेतन की युक्ति निकाली थी, पर बाद में इसका स्थान अन्य रीतियों ने, जैसे रंगीन प्रकाश द्वारा संकेतन, मार्ग परिपथ (track circuit) तथा स्वचालित गाड़ीनियंत्रण उपस्कर (automatic train control equipment) ने ले लिया।

रंगीन प्रकाश द्वारा संकेतन की एक विधि में तीन रंगों के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग से "रुक जाओ", पीले से "आगे के सिगनल पर रुकने के लिये तैयार रहते हुए आगे बढ़ो" तथा हरे प्रकाश से "आगे बढ़े जाओ" का संकेत किया जाता है (देखें सिगनल, रेलवे भी) चार प्रकार की प्रकाशवाली विधि में एक के ऊपर दूसरा, ऐसे दो पीले प्रकाशों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि "सावधानी से आगे बढ़ो और आगे एक पीले, अथवा दो पीले प्रकाशों पर अन्य संकेत के लिये तैयार रहो।"

मार्गपरिपथवाली रीति में लाइन पर गाड़ी का आगमन एक रिले स्विच द्वारा संकेत प्रचालन परिपथ को खोल देता है।

स्वचालित गाड़ीनियंत्रण उपस्कर में, रेलपथ पर स्थित ऐसी युक्ति होती है, जो रेल के इंजन तथा गाड़ी के बाहर रहते हुए भी, रेल के इंजन के नियंत्रकों का आवश्यकतानुसार परिचालन करती है।

उपर्युक्त रीतियों के सिवाय, संदेशप्रेषण के लिये अब उच्चावृत्ति, सघुपराव रेडियो के तथा रेडार के उपयोग की संभावनाओं की जाँच की जा रही है। [भ० दा० व०]

संक्रमण (Infection) मर्त्यलोक के सभी प्राणियों के जीवनक्रम में जन्म के पश्चात् मृत्यु एक अपरिहार्य घटना है। जीवनकाल में प्राणी अनेक बाह्य एवं आभ्यंतर, विषम परिस्थितियों एवं शरीर विनाशक तत्वों का ग्रास होता रहता है। इनका सामना करने की शरीर की शक्ति के क्षीण या दुर्बल होने पर, प्रायः वह मृत्यु का शिकार हो जाता है। इन कारणों में रोग एक प्रधान कारण है। रोगों में भी कुछ रोग तो ऐसे हैं जो पीड़ित प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होने पर दूसरे व्यक्तियों में संक्रांत नहीं होते। इसके विपरीत दूसरे रोग पीड़ित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क, या उनके रोगोत्पादक, विशिष्ट तत्वों से दूषित पदार्थों के सेवन एवं निकट संपर्क, से एक से दूसरे व्यक्तियों पर संक्रमित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में ऐसे रोगों को छुतहा रोग कहते हैं। रोगग्रस्त या रोगवाहक पशु या मनुष्य संक्रमण के कारक होते हैं। संक्रामक रोग तथा इन रोगों के संक्रमित होने की क्रिया समाज की दृष्टि से विशेष महत्व की है, क्योंकि विशिष्ट उपचार एवं अनागत बाधाप्रतिषेध की सुविधाओं के अभाव में इनसे महामारी (epidemic) फैल सकती है, जो कभी कभी फैलकर सार्वदेशिक (pandemic) रूप भी धारण कर सकती है।

१६वीं शताब्दी में पाश्चात्य वैज्ञानिक पैस्टर ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया कि जीवाणुओं (bacteria) द्वारा विशिष्ट व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। कॉक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया अध्ययन की कतिपय प्रयोगशालीय पद्धतियों पर भी प्रकाश डाला। तत्पश्चात् इस प्रकाश से प्रेरणा लेकर अनेक वैज्ञानिक संहारक रोगों के जनक इन जीवाणुओं की खोज में लग गए और १९वीं शताब्दी के अंतिम चरण में वैज्ञानिकों ने रोगजनक जीवाणुओं की खोज यक्ष्मा पूयोत्पादक, राजयक्ष्मा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, विसूचिका (cholera), धनुस्तंभ (tetanus), प्लेग एवं प्रवाहिका (dysentery) आदि संक्रामक रोगों के विशिष्ट जीवाणुओं का पता लगाकर इनके गुणधर्म, संक्रमण एवं नैदानिक पद्धतियों पर भी प्रकाश डाला (देखें जैवाणुक एवं संक्रामक रोग)।

अब इस दिशा में अत्यधिक सफलता प्राप्त की गई है तथा इस प्रकार के अधिकांश रोगों के जीवाणुओं का निश्चित रूप से पता लगा लिया गया है। परिणामत इनके संक्रमण की रोकथाम की तथा चिकित्सा में भी पर्याप्त सफलता मिलने लगी है। ये रोगजनक जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इसलिये इनको जीवाणु कहते हैं। सूक्ष्माकार के ही कारण इनकी लंबाई माइक्रोन (माइक्रोन = १ मिली० का $\frac{1}{1000}$ वाँ भाग) में बतलाई जाती है (देखें जीवाणु, जीवाणु विज्ञान तथा विषाणु)। ये जीव वर्ग के एक कोशिकावाले अतिसूक्ष्म जीव होते हैं।

रोगजनक संक्रमण में किसी न किसी जीवाणु का प्रायः हाथ होता है। ये जीवाणु वायु, जल, भूमि तथा प्राणियों के शरीर में कहीं कम, कहीं अधिक तथा समय विशेष एवं विशेष जलवायु क्षेत्र में न्यूनाधिक संख्या में पाए जाते हैं। प्रायः एक विशिष्ट प्रकार की विकृति तथा लक्षण उत्पन्न करनेवाले संक्रमण में एक विशिष्ट प्रकार का जीवाणु उत्तरदायी होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक प्रकार के जीवाणुओं का संक्रमण एक साथ भी होता है, जिसे मिश्र संक्रमण कहते हैं, और कभी एक ही प्रकार की विकृति अनेक भिन्न प्रकार के जीवाणुसंक्रमण से भी होती है।

संक्रामी व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में संक्रमण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। किरण (syphilis), सूजाक (gonorrhoea) तथा विसर्प (erysipelas) एवं मसूरिका आदि रोगों का संक्रमण मृत, संक्रांत या वाहक मनुष्य या पशु के प्रत्यक्ष संसर्ग से होता है। कुछ संक्रमण, जैसे जलसंत्रास आदि, कुत्ते, स्यार तथा चूहे के काटने से होते हैं। श्वसनतंत्र के कुछ रोगों का

संक्रमण खाँसने, छींकने या जोर से बोलते समय छोटे छोटे बिंदुओं के बाहर निकलने से समीप में बैठनेवालों को हो जाता है। इसे बिंदुक संक्रमण होना (Droplet infection) कहते हैं। संक्रांत, व्याधित या वाहक व्यक्ति के दूषित वस्त्र, पात्र, खाद्य, पेय, हाथ, मंत्र, शस्त्र, वायु एवं मुख संबंधी वस्तुओं के सेवन से अप्रत्यक्ष संक्रमण होता है। पाचन तंत्र के संक्रामक रोगों को फैलाने में परंतु मक्खी एक प्रमुख यांत्रिक वाहक (machanical carrier) है। कुछ रोग जैसे मलेरिया, कालाजार, श्लीपद, प्लेग आदि का संक्रमण कीटाणुओं के वाहक मच्छर, पिस्सू, खटमल, जूँ और किलनी के दंश से होता है।

संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस काल को उद्भवन काल (Incubation period) कहते हैं। विभिन्न रोग-जनक-जीवाणुओं के उद्भवन काल भिन्न भिन्न होते हैं।

संप्रति अधिकांश रोगजनक संक्रमणों के विशिष्ट निदान एवं चिकित्सा उपलब्ध हैं और आगे इस दिशा में तीव्रतापूर्वक कार्य हो रहा है। [रा० गु० सिंह० तथा भू० ना० सि०]

संख्या (नंबर, Number) ऐतिहासिक संबद्ध दृष्टिकोण से संख्या की विचारधारा प्राकृतिक संख्याओं १, २, ३, ... के अनुक्रम से है। सामान्यतः संख्या का अर्थ धनात्मक पूर्णांक, वास्तविक राशि या धनात्मक पूर्णांकों, या वास्तविक संख्याओं के विन्यास के अनेक अमूर्त, गणितीय व्यापकीकरणों में से एक से संयोजित तत्व है। इन व्यापकीकरणों में समिश्र, अतिसंमिश्र (hypercomplex), परिमितातीत (transfinite), गणन (cardinal) एवं क्रमसूचक (ordinal) संख्याएँ समाविष्ट हैं।

संख्या की विचारधारा को सर्वप्रथम गति देनेवाले हिंदू ही थे, जिन्होंने उपर्युक्त अनुक्रम में आरंभ में ० (शून्य) को स्थान देकर, तत्संबंधी विचारों के प्रयोजनों में वृद्धि की। शून्य के समावेश के कारण अंकगणनाओं की पद्धति में काफी सरलता आ गई। हिंदुओं द्वारा आविष्कृत स्थैतिक पद्धति, जिसमें दशमलव बिंदु के बाईं ओर किसी अंक की स्थिति मूलांक (radix) का घात, अथवा आधार बल, निर्देशित करती है, अन्य प्राचीन पद्धतियों की अपेक्षा सुखकर है। प्रयोग एवं सिद्धांत रूप में किसी पूर्णांक को २ की मापनी द्वारा व्यक्त करना बहुत सुगम है।

धनात्मक पूर्णांक — प्रागैतिहासिक काल में संख्या की विचारधारा समान समुदायों से प्रस्फुटित हुई। दो समुदाय समान कहे जाते हैं, यदि उनके तत्व एक एकैकी संवादिता द्वारा संबद्ध हों। किसी समुदाय की गणना संख्या उन समस्त समुदायों का कुलक है जो उसके समान हैं। उदाहरणार्थ समस्त युग्मों का कुलक संख्या २ का निरूपण करता है, समस्त त्रियों का कुलक संख्या ३ निर्दिष्ट करता है, इत्यादि। संख्या ० वह कुलक है जिसका सदस्य केवल शून्य समुदाय है। अतः इस परिभाषा के द्वारा हम दो संख्याओं का योग [illegible] (commutative) $(a+b)+c$। गुणन के क्रमविनिमेय, साहचर्य और वितरण (distributive) नियम भी सिद्ध किए जा सकते हैं, जैसे $a \times b = b \times a$, $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$ और $a \times (b+c) = (a \times b) + (a \times c)$।

ऋणात्मक पूर्णांक — ऋणात्मक गणना संख्याओं $-1, -2, -3, \ldots$ के उपानयन के फलीभूत व्यवकलन (subtraction) की क्रिया का निर्बाध उपयोग किया जा सकता है। यदि दो पूर्णांक a और b दिए हों, तो एक अन्य निश्चित पूर्णांक d ऐसा होगा कि $a = b + d$ घटित हो, और हम $d = a - b$ लिख सकते हैं।

पिनो (Peano) ने १९०० ई० के लगभग धनात्मक पूर्णांकों का समग्र अंकगणित पाँच स्वयंसिद्धियों (axioms) के समुदाय से विकसित किया है।

भाग की कठिनाइयाँ दूर करने के लिये परिमेय (rational) संख्याओं का समावेश किया गया है। ये संख्याएँ p/q जैसी होती हैं, जिनमें p कोई पूर्णांक और q कोई अन्य अशून्य पूर्णांक है। परिमेय संख्याओं के समुदाय में योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की क्रियाएँ संभव हैं, किंतु किसी परिमेय संख्या का भिन्नात्मक घात सामान्यतः संभव नहीं है। उदाहरण के लिये, $\sqrt{2}$ परिमेय

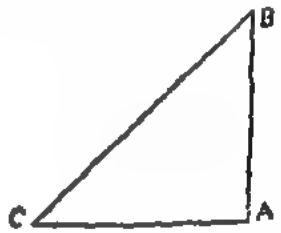

संख्या नहीं है। ज्यामितीय रूप में यदि हम एक द्विसमबाहु समकोणीय त्रिभुज ABC ऐसा बनावें कि $AB = AC = 1$ हो, तो $(BC)^2 = 2$ होगा। $\sqrt{2}$ जैसी एक वास्तविक संख्या, जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय (irrational) कहलाती है। जॉर्ज कैंटर (१८७१ ई०) ने अपरिमेय संख्याओं के सिद्धांत को विकसित किया है। वास्तविक संख्याओं की, जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ दोनों समाविष्ट हैं, परिमेय संख्याओं x_n, y_n के अनंत अनुक्रमों $x = (x_1, x_2, x_3, \ldots)$, $y = (y_1, y_2, y_3, \ldots)$ द्वारा इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि x_n, y_n इस भाँति अभिसरित (converge) होती हैं कि m और n के अनंत की ओर बढ़ने पर $|x_m - x_n|$, $|y_m - y_n|$ शून्य की ओर अग्रसर हों। हम x को अनुक्रम $\{x_1, x_2, x_3, \ldots\}$ की सीमा मानते हैं। दो संख्याएँ x और y समान होंगी, यदि n के अनंत की ओर बढ़ने पर $|x_n - y_n|$ शून्य की ओर अग्रसर हो।

डेडेकिंड (१८७२ ई०) ने वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्याओं के दो वर्गों L और R की धारणा देकर व्यक्त किया है। प्रत्येक [illegible] और L का [illegible] सबसे छोटा,

ता है। परिमेय संख्याओं का इन दो वर्गों, L और R, में विभाजन डेकिंड (Dedekind) परिच्छेद कहलाता है और परिमेय संख्याओं का एक परिच्छेद, जिसमें दोनों वर्ग आते ही और सबुत्तर वर्ग में कोई महत्तम संख्या न हो, वास्तविक संख्या कहा जाता है। बर्ट्रेंड रसेल ने इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया है, तदनुसार परिमेय संख्याओं की राशियों के क्रम में अवस्थित श्रेणी का एक खंड वास्तविक संख्या होगा। डेडेकिंड की परिभाषा कैंटर की परिभाषा के समतुल्य सिद्ध की जाती है।

इस पद्धति द्वारा व्यक्त वास्तविक संख्याएँ योग, व्यवकलन, गुणन और भाग (शून्य द्वारा छोड़कर) की क्रियाओं के योग्य होती हैं। किंतु यदि हम एक बीजीय समीकरण, यथा $x^2 = -1$, पर विचार करें, तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या x का अस्तित्व नहीं होगा जिसके लिये $x^2 = -1$ हो। यदि हम $i = \sqrt{-1}$ को एक काल्पनिक संख्या मान लें और योग तथा गुणन के नियमों का पालन करें, तो हमें सम्मिश्र संख्याओं : $a + ib = a + \sqrt{-1}\, b$ की धारणा स्पष्ट हो जाएगी। बीजगणित के मूलभूत प्रमेय द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि वास्तविक अथवा सम्मिश्र गुणकों $a_n, n > 1, a_n \neq 0$, वाले प्रत्येक बीजीय समीकरण

$$a_0 + a_1 z + \ldots + a_n z^n = 0 \quad \ldots\ldots (1)$$

की तुष्टि कम से कम एक सम्मिश्र संख्या $Z = x + iy$ द्वारा होती है।

पूर्णांक गुणकोंवाले समीकरण (1) की तुष्टि जो संख्याएँ करती हैं, उन्हें बीजीय संख्याएँ कहते हैं। वास्तविक या सम्मिश्र संख्याएँ, जो बीजीय नहीं हैं, अबीजीय (transcendental) कहलाती हैं। उदाहरण के लिये, $\pi = 3.14\ldots$ और $e = 2.718$ अबीजीय संख्याएँ हैं। प्राय: समस्त वास्तविक संख्याएँ इस अर्थ में अबीजीय होती हैं कि यदि R अंतराल (0, 1) में अवस्थित परिमेय संख्याओं के कुलक को, A उसी अंतराल में अवस्थित बीजीय संख्याओं के कुलक को, I उसी अंतराल में अवस्थित अपरिमेय संख्याओं के कुलक को और T उसी अंतराल में अवस्थित संख्याओं के कुलक को निरूपित करें, तो $R \subset A$ और $m(R) =$ कुलक R का मान $= 0$, $m(A) = 0$, $m(I) = 1$ और $m(T) = 1$ होगा। ल्यूवील (Liouville) ने सिद्ध किया है कि n घात वाली वास्तविक बीजीय संख्या n से अधिक किसी मूल्य को उपनयनशील नहीं है। इस प्रमेय द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि संख्याएँ :

$$\xi = 10^{-3!} + 10^{-5!} + 10^{-7!} + \ldots,$$

$$\eta = \frac{1}{10^{2!}} + \frac{1}{10^{4!}} + \frac{1}{10^{6!}} + \ldots$$

अबीजीय हैं।

ज्यामितीय दृष्टिकोण से सम्मिश्र संख्याओं को समतल पर निरूपित कर सकते हैं; संख्या $z = x + iy$ उस बिंदु द्वारा निरूपित होगी जिसके निर्देशांक (x, y) हों। इस समतल को तब सम्मिश्र समतल कहते हैं।

सम्मिश्र संख्याओं को विस्तार देने पर चतुर्भिश संख्याएँ (Quarternions) प्राप्त होती हैं। इनका रूप $a + bj + ck + dl$ जैसा होता है, जिसमें a, b, c, d, वास्तविक हैं। ऐसी दो संख्याओं का योग सम्मिश्र संख्याओं की भाँति व्यक्त किया जाता है, जो गुणन की व्याख्या $j^2 = k^2 = l^2 = -1$, $jk = l$, $kj = -l$, $lj = j$, $lk = -j$, $ly = k$, $jl = -k$ जैसे समीकरणों (जो $i^2 = -1$ के व्याप्त रूप हैं) की सहायता से होती है। अतिसम्मिश्र संख्याएँ भी इसी प्रकार व्यक्त की जा सकती हैं।

स० ग० — जी० एच० हार्डी : ए कोर्स इन प्योर मैथेमैटिक्स (१९३५); ई० लंडाऊ : ग्रुंडलागेन डर ऐनालिसिस (१९३०); बी रसेल : इंट्रोडक्शन टू मैथेमैटिकल फिलॉसोफी (१९१०); जी० बर्कहॉफ और एस० मैकलेन : ए सर्वे ऑव मॉडर्न ऐल्जेबरा (१९४०) ई० डब्ल्यू० हॉबसन : थ्योरी ऑव फंक्शंस ऑव ए रीयल वेरियेबिल, खंड १ (१९२७)। [स्व० मो० शा०]

संख्या पद्धतियाँ (Numeral Systems) हरेक भाषा में कुछ न कुछ अंक अवश्य होते हैं। इकाई की संकल्पना से 'एक' की और अनेकता की संकल्पना से 'दो' की रचना हुए बिना नहीं रहती। अव्यवस्थित संख्यालेखन कदाचित् ही किसी भाषा में होगा। ऑस्ट्रेलिया की भाषाओं, यूरल — फ़िनो आदि, तथा वहाँ की मध्य दक्षिणी भाषाओं में ऐसी अव्यवस्था है। अडमन द्वीपों और मलक्का के वासियों ने एक और दो के लिये अंक तो बनाए हैं, लेकिन जोड़ते वे एक एक करके ही हैं। ऐसी ही बात दक्षिण अमरीका की किकीटो के बारे में है। व्यवस्थित पद्धतियों के संक्षिप्त विवरण ये हैं :

युग्मक पद्धति में एक और दो के लिये अंक हैं और ३ को २+१ (अर्थात् एक युग्म और एक), ४ को २+२ इत्यादि के रूप में प्रकट करते हैं। यह पद्धति ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी की जातियों, अफ्रीका की बुसमैन, दक्षिण अमरीका की एपूजियन, यमन, ग्वादिको, लिपया आदि जातियों में है। इस पद्धति की उत्पत्ति शरीर के उन अंगों को देखकर हुई जो जोड़ों में हैं।

चतुष्टक पद्धति में चार से अधिक संख्याएँ, संयोजन द्वारा, इस प्रकार प्रकट की जाती हैं : ५ = ४ + १, ७ = ४ + ३, ८ = ४ + ४ या २ × ४। विशेष रूप से कैलिफोर्निया में यनिना जाति द्वारा यह पद्धति प्रयुक्त होती है। यहाँ आकाश के चार भागों का धर्म, परंपरा और देवताओं में विशेष महत्व है।

पंचक पद्धति मूल रूप से उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका की हुआ, बुर्नेला, एम्बो जातियों में प्रचलित है। आगे चलकर यह द्वादश पद्धति में विकसित हुई। इसकी विशेषता यह है कि १२ के निर्देश कर दिये ही हो जाते हैं। इसी कारण यह ज्योतिष, सवाई भाषा और मुद्रामणालों में प्रचलित हुई।

षंडक पद्धति अविकसित रूप से दक्षिण अमरीका के मागेरेरा की अरोवक भाषा में मिलती है। अन्यत्र इसका संयोजन दशमक या विंशति पद्धति के साथ हो गया है। विंशति पद्धति के आधार २० हैं। इसे षष्टक, दशमक और द्वादशक पद्धतियों से संयुक्त पाया जाता है। इस पद्धतियों का आरंभ हाथ और पैर की अंगुलियों से हुआ। इस प्रकार 'बीस' का अर्थ हाथ, दस का अर्थ दोनों हाथ, ११ का अर्थ दोनों हाथ और एक पैर

संक्रमण खाँसने, छींकने या जोर से बोलते समय छोटे छोटे बिंदुओं के बाहर निकलने से समीप में बैठनेवालों को हो जाता है। इसे बिंदुक संक्रमण होना (Droplet infection) कहते हैं। संक्रांत, व्याधित या वाहक व्यक्ति के दूषित वस्त्र, पात्र, शय्या, पेय, हाथ, यंत्र, शस्त्र, वायु एवं मुख संबंधी वस्तुओं के सेवन से अप्रत्यक्ष संक्रमण होता है। पाचन तंत्र के संक्रामक रोगों को फैलाने में घरेलू मक्खी एक प्रमुख यांत्रिक वाहक (machanical carrier) है। कुछ रोग जैसे मलेरिया, कालाजार, श्लीपद, प्लेग आदि का संक्रमण कीटाणुओं के वाहक मच्छर, पिस्सू, घुनगे, जूँ और किलनी के दंश से होता है।

संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस काल को उद्भवन काल (Incubation period) कहते हैं। विभिन्न रोग-जनक-जीवाणुओं के उद्भवन काल भिन्न भिन्न होते हैं।

संप्रति अधिकांश रोगजनक संक्रमणों के विशिष्ट निदान एवं चिकित्सा उपलब्ध हैं और आगे इस दिशा में तीव्रतापूर्वक कार्य हो रहा है। [रा० गु० सिंह० तथा भू० ना० सि०]

संख्या (नंबर, Number) ऐतिहासिक संबद्ध दृष्टिकोण से संख्या की विचारधारा प्राकृतिक संख्याओं १, २, ३, ... के अनुक्रम से है। सामान्यतः संख्या का अर्थ धनात्मक पूर्णांक, वास्तविक राशि या [illegible] अपूर्ण, [illegible] ई. व्यापकीकरण में सामर्थ्य, अतिसंमिश्र (hypercomplex), परिमितातीत (transfinite), गणन (cardinal) एवं क्रमसूचक (ordinal) संख्याएँ समाविष्ट हैं।

संख्या की विचारधारा को सर्वप्रथम गति देनेवाले हिंदू ही थे, जिन्होंने उपर्युक्त अनुक्रम के प्रारंभ में ० (शून्य) को स्थान देकर, तत्संबंधी विचारों के प्रयोजनों में वृद्धि की। शून्य के समावेश के कारण अंकगणनाओं की पद्धति में काफी सरलता आ गई। हिंदुओं द्वारा आविष्कृत स्थैतिक पद्धति, जिसमें दशमलव बिंदु के बाईं ओर किसी अंक की स्थिति मूलांक (radix) का घात, अथवा आधार दस, निर्देशित करती है, अन्य प्राचीन पद्धतियों की अपेक्षा सुखकर है। प्रयोग एवं सिद्धांत रूप में किसी पूर्णांक को २ की आपनी द्वारा व्यक्त करना बहुत सुगम है।

धनात्मक पूर्णांक — प्रागैतिहासिक काल में संख्या की विचारधारा समान समुदायों से प्रस्फुटित हुई। दो समुदाय समान कहे जाते हैं, यदि उनके तत्व एक एकैकी सर्वादिता द्वारा संबद्ध हों। किसी समुदाय की गणना संख्या उन समस्त समुदायों का कुलक है जो उसके समान हैं। उदाहरणार्थ समस्त युग्मों का कुलक संख्या २ का निरूपण करता है, समस्त त्रियों का कुलक संख्या ३ निर्दिष्ट करता है, इत्यादि। संख्या ० वह कुलक है जिसका सदस्य केवल मोघ समुदाय है। अतः इस परिभाषा के द्वारा हम दो संख्याओं का योग और गुणन व्यक्त कर सकते हैं और योग के क्रमविनिमेय (commutative) एवं साहचर्य (associative) नियमों को सिद्ध कर सकते हैं: $a + b = b + a$ और $a + (b + c) = (a + b) + c$। गुणन के क्रमविनिमेय, साहचर्य (distributive) नियम भी सिद्ध किए जा सकते हैं: $a \times b = b \times a$, $a \times (b \times c) = (a \times b) \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$।

ऋणात्मक पूर्णांक — ऋणात्मक गणना संख्या $-1, \ldots$ के उपानयन के क्रमीकृत व्यवकलन (sub[illegible] क्रिया का निर्बाध उपयोग किया जा सकता है। [illegible] a और b दिए हों, तो एक अन्य निश्चित पूर्णांक [illegible] कि $a = b + d$ घटित हो, और हम $d =$ [illegible] सकते हैं।

पिनो (Peano) ने १८०० ई० के लगभग [illegible] का समग्र अंकगणित पाँच स्वयंसिद्धियों (axioms [illegible] से विकसित किया है।

भाग की कठिनाइयाँ दूर करने के लिये परिमेय [illegible] संख्याओं का समावेश किया गया है। ये संख्याएँ p/q [illegible] हैं, जिनमें p कोई पूर्णांक और q कोई अन्य [illegible] हैं। परिमेय संख्याओं के समुदाय में योग, व्यवकलन, [illegible] भाग की क्रियाएँ संभव हैं, किंतु किसी परिमेय संख्या का [illegible] घात सामान्यतः संभव नहीं है। उदाहरण के लिये, [illegible]

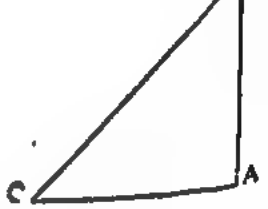

संख्या नहीं है। ज्यामितीय रूप में यदि हम एक [illegible] समकोणीय त्रिभुज A B C ऐसा बनावें कि $AB = A$ [illegible] हो, तो $(BC)^2 = 2$ होगा। $\sqrt{2}$ जैसी एक वास्तविक [illegible] जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय (irrational) कहलाती [illegible] कैंटर (१८७१ ई०) ने अपरिमेय संख्याओं के सिद्धांत को [illegible] किया है। वास्तविक संख्याओं की, जिनमें परिमेय और [illegible] संख्याएँ दोनों समाविष्ट हैं, परिमेय संख्याओं x_n, y_n के [illegible] क्रमों $x = (x_1, x_2, x_3, \ldots)$, $y = (y_1, y_2, y_3 \ldots)$ [illegible] द्वारा इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि x_n, y_n इस भाँति [illegible] (converge) होती हैं कि m और n के अनंत की ओर [illegible] $| x_m - x_n |$, $| y_m - y_n |$ शून्य की ओर अग्रसर हों। [illegible] x को अनुक्रम $\{ x_1, x_2, x_3, \ldots \}$ की सीमा मानते हैं। [illegible] संख्याएँ x और y समान होंगी, यदि n के अनंत रूप से बढ़ने [illegible] $| x_n - y_n |$ शून्य की ओर अग्रसर हो।

डेडकिंड (१८७२ ई०) ने वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या के दो वर्गों L और R की धारणा देकर व्यक्त किया है। [illegible] परिमेय संख्या या तो L वर्ग में आती है या R वर्ग में और L [illegible] प्रत्येक सदस्य R के प्रत्येक सदस्य के समान, या उससे [illegible]

जो यमल अभाज्यों के व्युत्क्रमों से बनी है, अभिसारी (convergent) है।

अभाज्य संख्या प्रमेय (Prime Number Theorem) — अभाज्यों का वितरण (distribution) बड़ा बेतुका है और kवें (k th) अभाज्य के लिये कोई सूत्र देना सम्भव नहीं है। यदि x बड़ी संख्या है, तो उन अभाज्यों की संख्या का आकलन (estimate) जो $\leqslant x$ है, दिया जा सकता है। यदि $\pi(x)$ उन अभाज्यों की संख्या है जो $\leqslant x$ हैं, तो

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\pi(x)}{x/\log_e x} = 1$$

यही अभाज्य संख्या प्रमेय है। एरडॉस (Erdos) और सेलबर्ग (Selberg) ने १९४९ ई० में इसकी प्रारंभिक उपपत्ति दी थी। हैडामार्ड (Hadamard) और दी ला वाली पॉशिन (de la' valle Paussin) ने इसकी वैश्लेषणिक उपपत्ति १८९६ ई० में ही दी थी।

ऑयलर का टोशेंट फलन (Euler's Totient Function)— दो संख्याओं a और b के महत्तम समापवर्तक (G C D.) को साधारणतः संकेत (a, b) द्वारा निरूपित करते हैं, उदाहरणस्वरूप (36, 28) = 4। जब (a, b) = 1, तो a और b को परस्पर अभाज्य कहते हैं। $\phi(n)$ से हम उन संख्याओं की संख्या निरूपित करते हैं जो n के प्रति अभाज्य हैं और n से बड़ी नहीं हैं। यह ऑयलर का टोशेंट फलन है। इस फलन का संख्या सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है।

$$\phi(1) = 1, \phi(2) = 1, \phi(3) = 2, \phi(4) = 2, ..$$

और सामान्यतः

$$\phi(n) = n \prod_{p/n} (1 - p^{-1})$$

जहाँ p/n से ज्ञात होता है कि गुणनफल में n के सभी अभाज्य विभाजक सम्मिलित हैं।

समशेषताएँ (Congruences) — दो पूर्ण संख्याओं a और b (धन, ऋण या शून्य) को मापांक m (modulo m) के प्रति समशेष (congruent) कहते हैं, जब m से a − b विभाज्य है। इसको हम लोग निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं :

$$a \equiv b \pmod m$$

व्यापकता की कुछ आघात पहुँचाए बिना, यह कहा जा सकता है कि m धनात्मक पूर्णांक है।

समशेषता के गुणधर्म समीकरणों के गुणधर्मों के समान हैं। यदि $a \equiv b \pmod m$ और $c \equiv d \pmod m$, तब $a+c \equiv b+d \pmod m$ और $ac \equiv bd \pmod m$।

यदि x का एक बहुपदीय फलन f(x) है, जिसमें x के गुणक पूर्णांक हैं और $a \equiv b \pmod m$, तो $f(a) \equiv f(b) \pmod m$, परंतु यदि $ab \equiv ac \pmod m$, तो यह आवश्यक नहीं है कि $b \equiv c \pmod m$, उदाहरणार्थ $\blacksquare \equiv 6 \pmod 4$, परंतु 1 और 3 समशेष नहीं हैं (mod 4) के प्रति।

$ab \equiv ac \pmod m$ से जो उचित फल निकाला जा सकता है, वह केवल यही है कि $b \equiv \blacksquare \pmod{m/(a, m)}$। समशेषता की इस अंकन पद्धति (notation) का एक बड़ा लाभ यह है कि इसकी सहायता से संख्या सिद्धांत के बहुत से फलों को सुंदर ढंग से निरूपित किया जा सकता है।

संपूर्ण और लघुकृत अवशेषों का समुच्चय (Complete and Reduced Residue Sets) — समशेषता संबंध तुल्यता संबंध है। इसका अर्थ यह है कि निम्नांकित संबंध सत्य है :

(1) $a \equiv a \pmod m$; (2) $a \equiv b \pmod m$ का अर्थ $\blacksquare \equiv a \pmod m$ है।

(3) $a \equiv b \pmod m$, $b \equiv \blacksquare \pmod m$ का अर्थ $a \equiv c \pmod m$ है।

इसलिये समशेषता संबंध पूर्णांकों (integers) के समुच्चय को अतुल्यता के वर्गों में इस प्रकार बाँटता है कि एक वर्ग के प्रत्येक दो पूर्णांक मापक m के प्रति समशेष हैं और भिन्न भिन्न वर्गों के दो पूर्णांक मापक m के प्रति समशेष नहीं हैं। यदि m वर्गों में से प्रत्येक वर्ग से एक एक पूर्णांक लिया जाए, तो मापाक m के प्रति संपूर्ण अवशेषों का एक एक समुच्चय प्राप्त होगा। इस प्रकार −3, 3, 2, 12, 14, 20, −6 मापाक 7 के प्रति संपूर्ण अवशेषों का समुच्चय है। मापाक m के प्रति सरलतम अवशेषों का समुच्चय (१) 0, 1, 2, 3.. m − 1 है और (२) निरपेक्ष लघुतम संपूर्ण अवशेषों का समुच्चय निम्नांकित है :

$0, \pm 1, \pm 2, \ldots\ldots, \pm(m-1)/2$, जब m विषम है
तथा $0, \pm 1, \pm 2, \ldots\ldots \pm(m-2)/2$, जब m सम है।

इसी प्रकार यदि m के प्रति अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय लिया जाए, तो वे $\phi(m)$ तुल्यता के ऐसे वर्गों में बँट सकते हैं कि किसी एक वर्ग की प्रत्येक 2 संख्याएँ मापाक m के प्रति समशेष होंगी और भिन्न भिन्न वर्गों की कोई 2 संख्याएँ मापाक m के प्रति समशेष नहीं हैं। पहले की भाँति यदि प्रत्येक वर्ग से एक एक संख्या ली जाय, तो मापांक m के प्रति लघुकृत अवशेषों का एक समुच्चय प्राप्त होता है। m = 12 के लिये इस प्रकार का एक समुच्चय 1, 5, 7, 11 है।

यह स्मरणीय है कि यदि मापाक m के प्रति संपूर्ण अवशेषों के समुच्चय अवयवों को m के सापेक्ष किसी अभाज्य संख्या r से गुणा किया जाए, तो मापाक m के प्रति संपूर्ण अवशेषों का एक दूसरा समुच्चय प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि मापाक m के प्रति लघुकृत अवशेषों के समुच्चय के सभी अवयवों को m के सापेक्ष किसी अभाज्य संख्या r से गुणा किया जाए, तो मापाक m के प्रति लघुकृत अवशेषों का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होगा। इससे निम्नांकित आयलर फेर्मा (Euler-Fermat) प्रमेय प्राप्त है :

$$r^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod m, \text{ यदि } (r, m) = 1$$

कुछ संख्यासैद्धांतिक फलन (Some Number-Theoretic Functions) — उन फलनों को जो धन के पूर्णांक मानों के किसी समुच्चय के लिये परिभाषित हैं, संख्यासैद्धांतिक फलन

तथा २० का अर्थ दोनों पैर और हाथ, अर्थात् पूर्ण मनुष्य, हो जाता है।

पंचक विगति पद्धति प्राय आस्ट्रेलिया तथा न्यूगिनी के कुछ भागों में, एशिया-पूरोप की सीमा पर और दक्षिणी अमेरिका की भाषाओं के हिमालयी वर्ग में है। दशमक विगति पद्धति, मूरा भाषाओं, हिमालय के तिब्बती-बोली वर्ग और दक्षिणी अमेरिका की भाषाओं में प्रचलित है।

दशमक पद्धति के पंचक – दशमक क्रम में द्वितीय पंचक की संख्याएँ पाँच में जोड़कर बनती हैं, यथा ६ = ५ + १, या गुणों द्वारा, यथा ९ = ३ × २, या व्याकलन द्वारा भी, यथा ६ = १० – ४। यह पद्धति कृषिप्रधान सभ्यताओं में प्रचलित हुई। अफ्रीका की बटू, मीलोटी, न्यूल, स्लोनी और मन्डू भाषाओं में इसका विशेष प्रचलन है।

शुद्ध दशमक पद्धति में पंचक का प्रयोग नहीं होता। इसकी उत्पत्ति यायावर (खानाबदोश) वर्गों में हुई, जिन्हें गाय, घोड़े, ऊँट, भेड़ के झुंडों को गिनने होते थे। तब से फैलते फैलते अब यह पद्धति विश्वव्यापी हो गई है। केवल मेक्सिको और मध्य अमरीका में, अब भी ज्योतिष में प्रयुक्त होने के कारण, विगति पद्धति सुरक्षित है। [ह० चं० गु०]

संख्यासिद्धांत को गाउस (Gauss) गणित की रानी कहता था। यह सिद्धांत मुख्यतः प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3 .... के गुण धर्मों का अध्ययन करता है। पूर्णता के विचार से इन संख्याओं में हम ऋण संख्याओं तथा शून्य को भी संमिलित कर लेते हैं। जब तक निश्चित रूप से न कहा जाय, तब तक संख्या से कोई प्राकृतिक संख्या, धन, या ऋण पूर्ण संख्या या शून्य समझना चाहिए।

अभाज्य (prime) तथा संयुक्त (composite) संख्याओं का भेद बतलाना ही प्राकृतिक संख्याओं का पहला वर्गीकरण है, जिसका उपनयन इनके अध्ययन में हुआ है।

उन संख्याओं को अभाज्य कहते हैं, जिनके धन विभाजक केवल दो ही होते हैं। संयुक्त संख्याओं के धन विभाजक दो से अधिक होते हैं। 1 का विभाजक केवल एक ही है, अतः 1 न तो अभाज्य संख्या है और न संयुक्त। अभाज्य संख्याओं को p से निरूपित किया जाता है।

अंकगणित के मूल प्रमेय (fundamental theorem) की प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रत्येक पूर्ण संख्या (integer), जो एक से बड़ी है, या तो अभाज्य है, या अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में निरूपित हो सकती है। उन दो गुणनफलों को, जिनमें एक ही गुणनखंड भिन्न भिन्न क्रम में रखे गए हैं, सर्वसम (identical) कहते हैं, उदाहरणार्थ : 360 = 2. 2. 2. 3. 3. 5.। यह प्रमेय स्वयसिद्ध सा प्रतीत हो सकता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिये अनेक उपपत्तियाँ उपलब्ध हैं।

इस गणित की रानी के अनुपम गुणों में से एक गुण, जिसके कारण छोटे बड़े सभी प्रकार के गणितज्ञ इसकी ओर आकर्षित हुए हैं, यह है कि संख्या सिद्धांत के अनेक प्रश्न साधारण विद्यालयों के विद्यार्थियों की समझ में तो आ जाते हैं, परंतु हल करने में वे इतने सरल नहीं हैं। उदाहरणार्थ, गोल्डबेक (Goldbach) के अनुमान को लें, जिसके अनुसार प्रत्येक सम संख्या > 6, दो अभाज्यों के योगफल के रूप में निरूपित की जा सकती है। इस अनुमान का सत्यापन तो बहुत अधिक हो गया है, परंतु अभी तक इसको सिद्ध करने में, या इसको अमान्य करने में किसी गणितज्ञ को सफलता नहीं मिली है। इसके विपरीत एक ही उदाहरण इसको अमान्य ठहराने के लिये पर्याप्त होता, जब कि इस पक्ष में लाखों उदाहरण इसकी सत्यता को सिद्ध ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकते। विनोग्राडोव (Vinogradov) की दिशा से हम इस अनुमान के निकट पहुँचे हैं। यह सिद्ध किया जा चुका है कि सब बड़ी विषम संख्याएँ तीन अभाज्यों के योगफल हैं।

यदि कोई संख्या यादृच्छिक (at random) दी गई है, तो सामान्यतः यह कहना संभव नहीं है कि वह संख्या अभाज्य है अथवा नहीं, जबकि किसी भी संयुक्त संख्या n का एक विभाजक अवश्य ही $\leq \sqrt{n}$ है। यदि n बड़ी संख्या है, तो इसकी जाँच में बहुत श्रम करना पड़ेगा। इस श्रम को कम करने की कई विधियाँ निकाली गई हैं, परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

सिद्धांततः n एक अभाज्य संख्या है, यदि और केवल यदि n द्वारा $(n-1)! + 1$ विभाज्य है। (उदाहरणार्थ, $6! + 1 = 721$, जो अभाज्य संख्या 7 से विभाज्य है तथा एक संयुक्त संख्या 6 द्वारा $5! + 1$ विभाज्य नहीं है)। यह विल्सन (Wilson) का प्रमेय है।

यूक्लिड (Euclid) ने एक बहुत ही सरल ढंग से यह सिद्ध किया है कि अभाज्यों की संख्या अनंत है। मान लिया कि अभाज्यों की संख्या सीमित है और ये संख्याएँ केवल 2, 3, 5... ..., p हैं। निम्नलिखित संख्या पर विचार करें :

$$N = 2.\ 3.\ 5 \ldots\ldots p + 1$$

N एक ऐसी संख्या है जो 1 से बड़ी है और 2, 3, 5.....P अभाज्यों में से किसी भी अभाज्य से विभाज्य नहीं है, तब यह संख्या N या तो अभाज्य होगी, या किसी ऐसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है जो हमारे अभाज्यों की सूची में नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि अभाज्यों की हमारी सूची अपूर्ण है और प्रमेय सत्य है।

यमल अभाज्य (Twin primes) — उन दो अभाज्यों को, जिनमें 2 का अंतर होता है, यमल अभाज्य कहते हैं। इस प्रकार के यमल 3, 5; 5, 7; 11, 13; 17, 19; 29, 31.....हैं। यह ज्ञात नहीं है कि यमल अभाज्यों की संख्या सीमित या असीमित है। यमल अभाज्यों के संबंध में एक दूसरी रुचिकर बात यह है कि यद्यपि सभी क्रमागत अभाज्यों के व्युत्क्रमों (reciprocals) से बनी हुई श्रेणी :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \ldots\ldots$$

अपसारी (diverge[illegible]) है, तथापि श्रेणी

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) + \left(\right.$$

य तथा इन्हीं के सदृश कुछ अन्य प्रमेयों का व्यापीकरण हो ा है।

वर्ग अवशेष (Quadratic Residues) — रैखिक समशेषता पश्चात् कोई भी व्यक्ति स्वभावतः वर्ग समशेषता पर विचार ना चाहेगा। इस प्रकार की समशेषताएँ, जैसा अंतिम विश्लेषण nal analysis) से ज्ञात होता है, ऐसी समशेषताओं पर निर्भर जिनका रूप निम्नलिखित है :

$x^2 \equiv n \pmod p$, p एक अभाज्य है और $(n, p) = 1$

n के उन मानों को, जिनके लिये इस समशेषता के हल हैं, मापांक के वर्ग अवशेष कहते हैं और n के उन मानों को, जिनके लिये का कोई हल नहीं है, मापांक p के वर्ग अनवशेष (Quadratic n-residues) कहते हैं। विषम अभाज्य p के लिये यथार्थतः -1)/2 वर्ग अवशेष और इतने ही वर्ग अनवशेष हैं।

मापांक p के प्रति n के वर्ग अवशेष के लक्षण को दिखाने के ये लज़ांद्र (Legendre) ने एक संकेत (n/p) का उपानयन या। परिभाषा के अनुसार $(n/p) = 1$, जब p का वर्ग अवशेष है और $(n/p) = -1$, जब p का वर्ग अनवशेष n है और $(n/p) = 0$, जब $p \mid n$।

$$(n/p) \equiv n^{\frac{p-1}{2}} \pmod p$$

यलर ने सिद्ध किया कि।

गाउस ने बहुत अधिक व्यापक निकष (criterion) प्रदान किया, जिससे वर्गात्मक व्युत्क्रमता (quadratic reciprocity) का नियम ात होता है। इसके अनुसार यदि p और q दो विषम अभाज्य तब

$$(p/q)\ (q/p) = (-1)^{PQ}$$

जहाँ $P = (p-1)/2$ और $Q = (q-1)/2$। इस फल के क के तौर पर हमको प्राप्त है :

$$(2/p) = (-1)^R, \text{ जहाँ } R = (p^2-1)/8$$

आयलर के निकष से यह फल निकलता है कि $4k+1$ के रूप सभी अभाज्यों का वर्ग अवशेष -1 है और $4k-1$ रूप के किसी अभाज्य का अवशेष -1 नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ऐसी ी संख्याओं x का अस्तित्व है कि

$$x^2+1 \equiv 0 \pmod p$$

न उसी समय जब p का रूप $4k+1$ का है। यहाँ पर यह रणीय है कि केवल इसी प्रकार के अभाज्यों का ही निरूपण वर्गों के योग के रूप में, और वह भी एक अद्वितीय ढंग से, हो ता है। उदाहरणार्थ,

$$29 = 5^2+2^2$$

वस्तुतः यदि कोई संख्या दो वर्गों के योग के रूप में दो या दो से क भिन्न भिन्न विधियों से निरूपित की जा सकती है, तो वह क संख्या है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसपर अधिक ी हम लोगों को वर्ग रूपों (quadratic forms) जैसे कोटक य के अध्ययन की ओर खींच ले जाएगी।

पूर्वगत मूल और घातांक (Primitive Roots and Indices) — यदि $(a, m) = 1$, तब एक ऐसे पूर्णांक $k > 0$ का अस्तित्व है कि

$a^k \equiv 1 \pmod m$, परंतु a और 1 समशेष नहीं हैं (mod m) के प्रति, जब $0 < j < k$। इस k को a मापांक m का क्रम (order) कहते हैं। हम लोग यह भी कहते हैं कि k मापांक से a संबद्ध है।

यदि किसी ऐसी पूर्ण संख्या g का, जो m के लिये अभाज्य है, इस प्रकार अस्तित्व है कि यह मापांक m के $\phi(m)$ से संबद्ध है, तो g को m का पूर्वगत मूल (Primitive Root) कहते हैं। पूर्वगत मूलों का अस्तित्व सर्वदा नहीं रहता। 15 का कोई पूर्वगत मूल नहीं है। 15 से छोटी और इसके प्रति अभाज्य संख्याएँ केवल 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 और 14 हैं। ये क्रम से 1, 4, 2, 4, 4, 2, 4 और 2 मापांक 15 से संबद्ध हैं। इस प्रकार 15 के प्रति कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो $\phi(15) = 8$ मापांक 15 से संबद्ध हो। ऐसी संख्याएँ जिनके पूर्वगत मूल हैं, निम्नांकित हैं

$$n = 2,\ 4\ p^k,\ 2\ p^k;$$

जहाँ p एक विषम अभाज्य है और $k \geq 1$। इनमें से प्रत्येक के पूर्वगत मूलों की संख्या $\phi(\phi(n))$ है। उदाहरणार्थ, 7, 9, 98 343 के पूर्वगत मूल हैं।

यदि m का पूर्वगत मूल g है, तो संख्याएँ

$$g, g^2, g^3 \ldots, g^{\phi(m)}$$

मापांक m के लघुकृत अवशेषों का एक समूच्चय बनाती हैं। प्रत्येक n के लिये, जो m के प्रति अभाज्य है, एक ऐसे अद्वितीय $j < \phi(m)$ का अस्तित्व है कि

$$g^j \equiv n \pmod m$$

मापांक m के प्रति आधार g के n का घातांक यही j है। हम लोग इसको निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं :

$$\text{घात}_g\, n = j,\ \{\text{ind}_g\, n = j\}$$

यहाँ पर मापांक m लुप्त है। चूँकि

$$g^{j+\phi(m)} \equiv g^j \equiv n \pmod m$$

घात$_g$ n_1 + घात$_g$ n_2 ≡ घात$_g$ $(n_1 n_2)$ $\{\text{mod } \phi(m)\}$। यह देखा जाएगा कि लघुगुणक के नियमों के समान ही नियम घातांकों पर लागू है। यदि घातांकों की सारणी दी हो, तो कुछ विशेष प्रकार की समशेषताएँ हल हो जाती हैं। उदाहरण के लिये, निम्नलिखित समशेषता पर विचार करें।

$$x^4 \equiv 2 \pmod 7$$

जब 7 का पूर्वगत मूल 3 है और घात$_3$ 2 = 2। इसलिये घातांकों को लेकर

$$4\ \text{घात}_3\, x \equiv 2 \pmod 6$$

यह एक रैखिक समशेषता है। इसको हल करने से

$$\text{घात}_3\, x = 2, 5$$

$$\text{अतः } x \equiv 3^2, 3^5 \pmod 7$$

$$\equiv 2, 5 \pmod 7$$

संख्याओं का बँटवारा (Partitions of Numbers) — यह

बढ़ते हैं। इस प्रकार का एक फलन $\phi(n)$ है, जिसकी परिभाषा पहले ही दी जा चुकी है। कुछ अन्य फलन निम्नांकित हैं :

(१) $\sigma(n)$: प्राकृतिक संख्या n के विभाजकों का जोड़;

(२) $d(n)$: n के विभाजकों की संख्या।

यदि किसी संख्या n का विघटन $p_1^{a_1}, p_2^{a_2}, p_3^{a_3} \quad p_k^{a_k}$ है, जहाँ सभी p एक दूसरे से भिन्न अभाज्य हैं, तो

$$d(n) = (a_1+1)(a_2+1)(a_3+1) \ldots (a_k+1) = \prod_{i=1}^{k} (a_i+1)$$

$$\text{और } \sigma(n) = \prod_{i=1}^{k} \frac{p_i^{a_i+1}-1}{p_i-1}.$$

(३) $pot_p(n)$ (जिसको आधार p पर n का पोटेंसी कहते हैं) अभाज्य p का वह महत्तम घात है, जो n को विभाजित करता है। उदाहरणार्थ $pot_2(300) = 2$ और $pot_p(n!) = [n/p] + pot_p([n/p]^{-1})$, जब यहाँ, और आगे भी, $[x]$ का अर्थ x से महत्तम पूर्णांक होता है। उदाहरणार्थ $[3\cdot3] = 3$।

एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण संख्या सैद्धांतिक फलन मोबियस (Mocbius) फलन है, जो निम्नवत् परिभाषित होता है :

$\mu(1) = 1$;

$\mu(n) = 0$, जब n का कोई विभाजक 1 से बड़ा और वर्ग संख्या हो;

$\mu(n) = (-1)^r$, जब $n = p_1 p_2 p_3 \ldots\ldots p_r$ और सभी p एक दूसरे से भिन्न अभाज्य हैं।

यह स्मरणीय है कि $n > 1$ के लिये

$$\sum_{d|n} \mu(d) = 0$$

जहाँ संकेत $d|n$ से प्रकट होता है कि जोड़ n के सभी विभाजकों से होकर जाता है। उदाहरणार्थ मान लिया कि $n = 12$, तब

$$\sum_{d|12} \mu(d) = \mu(1)+\mu(2)+\mu(3)+\mu(4)+\mu(6)+\mu(12)$$

$$= 1 + (-1) + (-1) + 0 + 1 + 0 = 0$$

टोशेंट फलन (Totient function) के लिये इसी प्रकार का फल निम्नलिखित है :

$$\sum_{d|n} \phi(d) = n$$

विख्यात मोबियस व्युत्क्रम सूत्र (Moebius inversion formula) की प्रतिज्ञा के अनुसार

यदि $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$, तब $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F(n/d)$

उदाहरणार्थ, चूँकि $n = \sum_{d|n} \phi(d)$, इसलिये

$$\phi(n) = \sum_{d|n} \mu(d)\, n/d = n \sum_{d|n} \mu(d)/d$$

यहाँ का तृतीय फलन (Liouville's function) $\lambda(n)$ को निम्नलिखित संकेतों द्वारा परिभाषित है, जहाँ [illegible] है :

$\lambda(1) = 1$; $\lambda(pn) = -\lambda(n)$, यदि p एक [illegible]

पोलया (Polya) ने अनुमान लगाया था कि

$$L(n) = \sum_{j=1}^{n} \lambda(j) \geq 0 \text{ के लिए } n \geq 1, \text{ जब } n > 1$$

[illegible] ही में [illegible] मीमेन (R. Sherman Lehman) ने इसको गलत सिद्ध किया है। इन्होंने दिखा दिया है कि $L(n)$ [illegible] है, जब $n = 90,63,00,000$; $90,63,00,000$ से $90,64,00,000$ तक $90,64,10,000$।

रैखिक समशेषता (Linear Congruence) — [illegible] समशेषताओं को, जिनका रूप $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$ [illegible] जहाँ a, b, और m पूर्ण संख्याएँ हैं, रैखिक समशेषता कहते हैं। ऐसी समशेषताओं के हल हैं यदि, और केवल यदि, $(a, m) \mid b$ (किसी समशेषता के मूल या हल के अस्तित्व का अर्थ है कि [illegible] प्रकार की पूर्ण संख्याएँ (integers) x हैं, जो समशेषता को [illegible] करती हैं)।

यदि किसी समशेषता का एक ही हल, मान लिया c है, मापांक m के प्रति c के समशेष सभी संख्याएँ भी इस समशेषता के हल हैं। [illegible] प्रकार के सभी हल सर्वसम (identical) माने जाते हैं। मापांक m के प्रति किसी समशेषता को [illegible] करने के लिए x के केवल $0, 1, 2, 3 \ldots\ldots, m-1$ मानों पर ही विचार करना चाहिए, जब $(a, m) \mid b$, तब समशेषता का कोई हल नहीं। अन्यथा इसके यथार्थतः (a, m) हल होते हैं।

इस स्थल पर इसका भी उल्लेख किया जा सकता है कि $f(x)$, x में एक बहुपदीय फलन है, जिसके सभी गुणक पूर्ण संख्या हैं और जिसमें x का k है, तो समशेषता $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ के हलों संख्या, जहाँ p अभाज्य है, k से अधिक नहीं हो सकती। यदि इस प्रकार की कोई ऐसी समशेषता है, जो x के k [illegible] असमशेष मानों से संतुष्ट होती है, तो अवश्य ही यह एक सर्व समशेषता होगी, अर्थात् $f(x)$ में x के सभी गुणक p से [illegible] हैं। उदाहरणार्थ, समशेषता

$$(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = [illegible]$$

एक ऐसी समशेषता है, जिसमें x का [illegible] के चार मानों 1, 2, 3, 4 से संतुष्ट हो[illegible] सर्व समशेषता है। इसका [illegible] वास्तव में यह समशेषता निम्नलि[illegible]

$$10x^3 - 35x^2 + 5[illegible]$$

इसका प्रत्येक गुणक 5 से [illegible]

प्रथम n प्राकृतिक [illegible] फलों के योगफलों को [illegible] गुणधर्मों तथा उनके [illegible] कुछ विस्तारपूर्वक [illegible]

बहुत काल बीत जाने के बाद उसने गान [illegible] व्यवस्थित रूप धारण किया। जब स्वर और लय व्यवस्थित रूप धारण करते हैं तब एक कला का प्रादुर्भाव होता है और इस कला को संगीत, म्यूजिक या मौसीकी कहते हैं।

युद्ध, उत्सव और प्रार्थना या भजन के समय मानव गाने बजाने का उपयोग करता चला आया है। संसार में सभी जातियों में बाँसुरी इत्यादि फूँक के वाद्य (सुषिर), कुछ तार या तांत के वाद्य (तत), [illegible] चमड़े से मढ़े हुए वाद्य (अवनद्ध या आनद्ध), कुछ ठोककर बजाने के वाद्य (घन) मिलते हैं।

ऐसा जान पड़ता है कि भारत में भरत के समय तक गान को पहले केवल गीत कहते थे। वाद्य में जहाँ गीत नहीं होता था, केवल ढाढ़ा, दिंडदिंड जैसे शुष्क प्रकार होते थे, वहाँ उसे निर्गीत या बहिर्गीत कहते थे और नृत्त अथवा नृत्य को एक अलग कला थी। किंतु धीरे धीरे गान, वाद्य और नृत्य तीनों का 'संगीत' में अंतर्भाव हो गया — 'गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते"। भारत से बाहर अन्य देशों में केवल गीत और वाद्य को संगीत में गिनते हैं, नृत्य को एक भिन्न कला मानते हैं। भारत में भी नृत्य को संगीत में केवल इसलिये गिन लिया गया कि उसके साथ बराबर गीत या वाद्य अथवा दोनों रहते हैं। हम ऊपर कह चुके हैं कि स्वर और लय की कला को संगीत कहते हैं। स्वर और लय गीत और वाद्य दोनों में मिलते हैं, किंतु नृत्य में लय मात्र है, स्वर नहीं। हम संगीत के अंतर्गत केवल गीत और वाद्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि संगीत केवल इसी अर्थ में अन्य देशों में भी व्यवहृत होता है।

भारतीय संगीत में यह माना गया है कि संगीत के आदि प्रेरक शिव और सरस्वती हैं। इसका तात्पर्य यही जान पड़ता है कि मानव इतनी उच्च कला को बिना किसी दैवी प्रेरणा के, केवल अपने बल पर, विकसित नहीं कर सकता।

भारतीय संगीत का आदि रूप वेदों में मिलता है। वेद के काल के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है, किंतु उसका काल ईसा से लगभग २००० वर्ष पूर्व था — इसपर प्रायः सभी विद्वान् सहमत हैं। इसलिये भारतीय संगीत का इतिहास कम से कम ४००० वर्ष प्राचीन है।

वेदों में वाण, वीणा और कर्करि इत्यादि तत वाद्यों का उल्लेख मिलता है। अवनद्ध वाद्यों में दुंदुभि, नगर इत्यादि का, घनवाद्यों में आघाट या आघाटि और सुषिर वाद्यों में बाकुर, नाडी, तूणव, शंख इत्यादि का उल्लेख है। यजुर्वेद में ३०वें काण्ड के १६वें और २०वें मंत्र में कई वाद्य बजानेवालों का उल्लेख है जिससे प्रतीत होता है कि उस समय तक कई प्रकार के वाद्यवादन का व्यवसाय हो चला था।

संसार भर में सबसे प्राचीन संगीत सामवेद में मिलता है। उस समय 'स्वर' को 'यम' कहते थे। साम का संगीत से इतना घनिष्ठ संबंध था कि साम को स्वर का पर्याय समझने लग गए थे। छांदोग्योपनिषद् में यह बात प्रश्नोत्तर के रूप में स्पष्ट की गई है। 'का साम्नो गतिरिति ? स्वर इति होवाच' (छा० उ० १।८।४)। (प्रश्न 'साम की गति क्या है ?' उत्तर 'स्वर'। साम का 'स्व' अपनापन 'स्वर' है। 'तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद, भवति ह्यस्य स्वं, तस्य स्वर एव स्वम्' (बृ० उ० १।३।२५) अर्थात् जो साम के स्वर को जानता है उसे 'स्व' प्राप्त होता है। साम का 'स्व' स्वर ही है।

वैदिक काल में तीन स्वरों का गान सामिक कहलाता था। 'सामिक' शब्द से ही जान पड़ता है कि पहले 'साम' तीन स्वरों से ही गाया जाता था। ये स्वर 'म रे स' थे। धीरे धीरे साम गान चार, पाँच, छह और सात स्वरों के होने लगे। छह और सात स्वरों के तो बहुत ही कम साम मिलते हैं। अधिक 'साम' तीन व पाँच स्वरों तक के मिलते हैं। साम के यमों (स्वरों) की जो संज्ञाएँ हैं उनसे उनकी प्राप्ति के क्रम का पता चलता है। जैसा हम कह चुके हैं, सामगायकों को स्पष्ट रूप से पहले 'म रे स' इन तीन यमों (स्वरों) की प्राप्ति हुई। इनका नाम हुआ—प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये सब अवरोही क्रम में थे। इनके अनंतर नि की प्राप्ति हुई जिसका नाम चतुर्थ हुआ। अधिकतर साम इन्हीं चार स्वरों के मिलते हैं। इन चारों स्वरों के नाम संख्यात्मक शब्दों में हैं। इनके अनंतर जो स्वर मिले उनके नाम वर्णनात्मक शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इससे इस कल्पना की पुष्टि होती है कि इनकी प्राप्ति बाद में हुई। 'गांधार' से एक ऊँचे स्वर 'मध्यम' की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम 'क्रुष्ट' (जोर से उच्चारित) पड़ा। निषाद से एक नीचे का स्वर जब प्राप्त हुआ तो उसका नाम 'मंद्र' (गंभीर) पड़ा। जब इससे भी नीचे के एक और स्वर की प्राप्ति हुई तो उसका नाम पड़ा 'प्रतिस्वार अथवा प्रतिस्वार्य'। इसका अर्थ है स्वरण (स्वनन) करने की अंतिम सीमा।

साधारण स्वरों के नियत क्रम का जो समूह है वह संगीत में 'साम' कहलाता है। यूरोपीय संगीत में इसे 'स्केल' कहते हैं।

हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे विकसित होकर साम का पूर्ण साम इस प्रकार बना —

क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, प्रतिस्वार्य। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि साम का प्राप्त अवरोही क्रम था। नीचे हम सामसाम और उनकी आधुनिक संज्ञाओं को एक तालिका में देते हैं :

साम	आधुनिक	
क्रुष्ट	मध्यम	(म)
प्रथम	गांधार	(ग)
द्वितीय	ऋषभ	(रे)
तृतीय	षड्ज	(स)
चतुर्थ	निषाद	(नि)
मंद्र	धैवत	(ध)
प्रतिस्वार्य	पंचम	(प)

सामगान के प्रायः सात भाग होते हैं—हिंकार अथवा हिंकार, प्रस्ताव, आदि उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इनके कुछ मानक को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता के दो सहायक मानक होते

उन प्रकरणों में से एक है, जिनकी ओर पिछले ५० वर्षों में बहुत ध्यान दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन विधियों की संख्या प्राप्त करना है जिनसे एक दी हुई प्राकृतिक संख्या n दूसरी प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में निरूपित की जा सकती है। योग के घटकों की संख्या प्रतिबंधित (restricted), या अप्रतिबंधित (unrestricted), हो सकती है। घटक स्वयं निर्दिष्ट (specified) या अनिर्दिष्ट हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, 7 को लीजिए। योग [redacted] रूप में यह निम्नलिखित विभिन्न विधियों से व्यक्त किया जा सकता है (घटकों का क्रम विसंगत है).

7; 6+1, 5+2, 4+3; 5+1+1; 4+2+1; 3+3+1; 3+2+2, 4+1+1+1, 3+2+2; 2+2+2+1; 3+1+1+1+1; 2+2+1+1+1, 2+1+1+1+1+1; 1+1+1+1+1+1+1

7 के ये 15 अप्रतिबंधित बँटवारे हैं। n के अप्रतिबंधित बँटवारे की संख्या को हम p(n) लिखते हैं और n को ठीक k घटकों के रूप में निरूपित करने की विधियों की संख्या को p (n, k) लिखते हैं। इस प्रकार

p (7, 1) = 1; p (7, 2) = 3; p (7, 3) = 4; p(7, 4) = 3; [redacted] (7, 5) = 2; p (7, 6) = 1; p (7, 7) = 1 और p (7) = 15

मौलक, चायला और गुप्त ने अनुमान किया कि पर्याप्त रूप से एक बड़ी संख्या n के लिये यथार्थतः एक ऐसी संख्या k है कि

p (n, 1) < p (n, 2) < ..... < p (n, k − 1) < p (n, k) > p (n, k + 1) > ..... > p (n, n − 2) > p (n, n − 1)

जी० जेकरीज (G. Szekeres) ने ऐसे k के लिये एक सूत्र ज्ञात किया है, परंतु अभी तक इस अनुमान की व्यापकता की उत्पत्ति नहीं दी गई है।

प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ रामानुजन ने n > 200 के p(n) के मानों की सारणी का अध्ययन करते समय निम्नांकित अनुमान लगाया था :

यदि $24n - 1 \equiv 0 \pmod{5^a 7^b 11^c}$, a, b, c, > 0 तब अवश्य ही $p(n) \equiv 0 \pmod{5^a 7^b 11^c}$

यह अद्भुत अनुमान गलत निकल गया, क्योंकि जब गुप्त ने बँटवारे की सारणी को n = 300 तक बढ़ाया, तो देखा गया कि जब n = 243, तब

$$24n - 1 \equiv 0 \pmod{7^3}$$
$$p(n) = 13397\ 82593\ 44888 \equiv 0 \pmod{7^3},$$

परंतु 0 समशेष नहीं है (mod 7^3) के प्रति

रामानुजन के अनुमान के गलत सिद्ध हो जाने पर डी० एच० लेहमर (D. H. Lehmer), वाटसन (Watson) और अन्य जनों ने इसपर बहुत काम किया और अंत में जी० एन० वाटसन (G. N. Watson) और ए० ओ० एल० आट्किन (A. O. L. Atkin) यह सिद्ध करने में सफल हो गए कि

यदि $24n - 1 \equiv$ [redacted] (mod $5^a 7^b 11^c$), a, [redacted]
तब $p(n) \equiv$ [redacted] (mod $5^a 7^d 11^c$), जहाँ d = [(

p (n) के लिये समशेषता के अनेक संबंध ज्ञात [redacted] अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि n के किस प्र[redacted] लिये p(n) विषम है और किसके लिये सम है।

एच० राडेमाकर (H. Rademacher) ने [redacted] एक अभिसारी (convergent) श्रेणी दी है [redacted] रामानुजन (Hardy and Ramanujan) ने [redacted] (divergent) श्रेणी दी थी, जिसके प्रथम कुछ पदों [redacted] का ऐसा निकटतम मान प्राप्त होता था जिससे p ([redacted] बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार हार्डी-रामानुजन-[redacted] 8 पदों [redacted] यह प्राप्त होता है कि

p (300) = 9 25308 29367 23602 00[redacted]

जिसका सही उत्तर से केवल ·0040 का अंतर है।

वारिंग का प्रश्न (Waring's Problem) — [redacted] आदर्श प्रमेय की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रत्येक प्राकृतिक [redacted] निरूपण अधिकतम I पूर्ण संख्याओं के [redacted] में बात के [redacted] हो सकता है, जहाँ

$$I = [(3/2)^k)] + 2^k - 2$$

एस० एस० पिल्लै (S. S. Pillai) तथा एल० ई० डिक्सन Dickson) ने इस प्रमेय को प्रायः सभी k के लिये [redacted] दिया है।

अभाज्यों तथा 1 के घातों से संबंधित प्रश्नों का [redacted] द्वारा किया गया है, परंतु निश्चित रूप से कुछ सिद्ध [redacted] सका है। [हं० [redacted]

संगरूर १. जिला, पंजाब राज्य (भारत) का एक [redacted] तहसील तथा नगर है। जिले का क्षेत्रफल ७,८५० वर्ग [redacted] जनसंख्या १४,२४,६८८ (१९६१) है। इसमें १,००६ [redacted] १७ नगर हैं। प्रति वर्गमील जनसंख्या का घनत्व ४७० [redacted] जिला, लुधियाना जिला [redacted] दक्षिण तथा पटियाला जिला के [redacted] में स्थित है। धरातल मैदानी है, जहाँ कुएँ और नहरों से [redacted] होती है। कृषि मुख्य उद्यम है, जिसकी प्रमुख उपजें गेहूँ, [redacted] तिलहन और दलहन हैं। पहले के मालेरकोटला, माझा, [redacted] राज्यों के भाग अब इसी जिले के अंतर्गत आ गए हैं। [redacted] जिले के मध्य से प्रवाहित होती है।

२. नगर स्थिति : ३०° १२' उ० अ० तथा ७५° ५१' [redacted] नगर की जनसंख्या २८,३४४ (१९६१ ई०) तथा क्षेत्रफल [redacted] वर्ग किमी० है। यह उपर्युक्त नाम के जिला एवं तहसील [redacted] मुख्यालय है। यह रेलों द्वारा धूरी से होकर लुधियाना, [redacted] और भटिंडा से मिला हुआ है। [डी० [redacted]

संगीत गान मानव के लिये प्रायः उतना ही स्वाभाविक है [redacted] भाषण। जब से मनुष्य ने गाना प्रारंभ किया, यह बताना [redacted] कठिन है जितना कि कब से उसने बोलना प्रारंभ किया [redacted]

नरान पर निषाद रखा है। इस प्रकार श्रुतियों की कुल संख्या २२ मानी है। भरत ने षड्जग्राम और मध्यमग्राम ऐसे दो ग्राम माने हैं। ऊपर जो श्रुतियों का अंतराल दिया है वह षड्ज ग्राम का है। यह ग्राम षड्ज से प्रारंभ होता है। इसलिये इसका षड्जग्राम नाम पड़ा। जो ग्राम मध्यम से प्रारंभ होता है उसका नाम है 'मध्यम ग्राम'। मध्यम ग्राम में मध्यम चतुश्श्रुति, पंचम त्रिश्रुति, धैवत चतुश्श्रुति, निषाद द्विश्रुति, षड्ज चतुश्श्रुति, ऋषभ त्रिश्रुति, और गान्धार द्विश्रुति होता है। गांधार ग्राम भरत को मान्य नहीं है।

मूर्छना का अर्थ है उभार या चमक। सात स्वरों के क्रमयुक्त प्रयोग की संज्ञा मूर्छना है (क्रमयुक्ता स्वराः सप्त मूर्च्छनास्त्वभिसंज्ञिताः-भरत, ब० सं० अ० २८ पृ० ४३५)। भरत ने षड्ज और मध्यम दोनों ग्रामों में सात सात मूर्छनाएँ मानी हैं। मूर्छनाएँ 'जाति' गान का आधार थीं। विशिष्ट स्वर विशेष प्रकार के सन्निवेश में 'जाति' कहलाते थे। जिसमें ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, न्यास, बहुत्व, षाडवत्व और औडुवत्व के नियमों द्वारा स्वर-सन्निवेश किया जाता था, वह 'जाति' कहलाता था। जातिगान संगीत की बहुत विकसित अवस्था का सूचक है। भरत के समय में जातिगान परिपूर्ण अवस्था पर पहुँचा हुआ था। जाति ही राग की जननी है। भरत ने सात ग्रामराग भी गिनाए हैं और यह बतलाया है कि वे जाति से प्रादुर्भूत होते हैं।

नाट्यशास्त्र में चच्चत्पुट, चाचपुट अथवा चच्चपुट, षट्पितापुत्र अथवा षट्पाणि, संपक्केष्टक, उद्घट्ट अथवा उद्घट्ट तालों का उल्लेख है। ये क्रमशः ८, ६, १२, १२, और ६ मात्राओं के ताल थे।

मद्रास प्रदेश के कुडुमियमालइ स्थान में एक उत्कीर्ण लेख मिला है जो संभवतः ७वीं ई० शती का है। इसमें सात जातियों, सात स्वरों और कुछ श्रुतियों का तथा अंतर गांधार और काकलि निषाद का उल्लेख है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में सातवीं शती तक संगीत की पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी और उसके मुख्य विषय उत्तर से दक्षिण तक प्रसिद्ध और ग्राह्य हो चुके थे।

कुछ लोग नारदीय शिक्षा को भी ७ वीं शती के आसपास का ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रंथ के देखने से तो यही पता चलता है कि यह भरत के नाट्यशास्त्र से अधिक प्राचीन है। इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम का उल्लेख तो है ही, वैदिक संगीत और गाथावीणा का भी विशद वर्णन है। नाट्यशास्त्र में वैदिक संगीत का वर्णन नहीं है।

भरत के अनंतर मतंग ने संगीत पर बहुत प्रकाश डाला है। उनका काल लगभग ८५० ई० है। उनकी बृहद्देशी जाति और राग, गांधर्व और देशी संगीत के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने 'द्वादशस्वर मूर्च्छना' पद्धति चलाई, जिसका लगभग २०० वर्ष तक प्रचुरत्व रहा। अभिनव गुप्त (लगभग १००० ई०) ने अपने ग्रंथ "अभिनव भारती" में द्वादश स्वर मूर्छनावाद का खंडन किया है।

१ वीं शती में मिथिला के राजा नान्यदेव ने 'सरस्वती हृदयालंकार' की रचना की। यह भरत के संगीत पर एक विस्तृत और [illegible] है। इस ग्रंथ के अभी तक थोड़े से ही भाग [illegible]

पश्चिमी चालुक्यों के वंशज महाराज सोमेश्वर संगीत के प्रकांड विद्वान् थे। उन्होंने अपने 'अभिलषितार्थ चिंतामणि' के चौथे प्रकरण में एक हजार एक सौ सोलह श्लोक संगीत पर लिखे हैं। भिन्न प्रकार के प्रबंधों का उदाहरण इस ग्रंथ की विशेषता है। इनका राज्यकाल ११२७ ११३४ ई० है।

सोमेश्वर के पुत्र प्रतापचक्रवर्ती हुए जिनका दूसरा नाम जगदेकमल्ल था। इनका राज्यकाल ११३४ से ११४३ ई० तक रहा। इन्होंने 'संगीत चूडामणि' नामक ग्रंथ की रचना की। यह बहुत प्रामाणिक ग्रंथ था। अब यह केवल खंडित रूप में मिलता है। बड़ोदा ओरिएंटल इंस्टिट्यूट ने इस खंडित ग्रंथ को १९५८ में प्रकाशित किया है। इसमें स्वर, प्रबंध, ताल और राग के प्रकरण दिए हुए हैं। ताल का वर्णन इसमें बहुत विस्तृत है।

चालुक्यवंशीय सौराष्ट्रनरेश महाराज हरिपाल संगीत के प्रसिद्ध विद्वान् थे। इनका काल ११७५ ई० है। इन्होंने 'संगीत सुधाकर' नामक ग्रंथ की रचना की है जो अभी तक अप्रकाशित है। इसमें लगभग ७० रागों का वर्णन है। इसमें नृत्य, वाद्य और गीत तीनों का प्रतिपादन हुआ है।

सोमराज देव ने ११८० में 'संगीतरत्नावली' की रचना की। इनका दूसरा नाम सोमभूपाल था। यह सम्राट् अजयपाल के वेणधर थे। इनके ग्रंथ में स्वर, ग्राम, प्रबंध, राग, ताल, सभी का विशद वर्णन है। इन्होंने एकतंत्री और आलापिनी वीणा के भी लक्षण दिए हैं।

१२वीं शती ई० में जयदेव ने 'गीतगोविंद' की रचना की। इनका जन्म बोलपुर के पास केंदुला ग्राम में हुआ था। जयदेव ने विभिन्न राग और तालों में प्रबंध लिखे हैं। उन्होंने मालव, गुर्जरी, वसंत, रामकरी, मालवगौड, कर्णाट, देशाख्य, देशीवराडी, गौंडकरी, भैरवी, वराडी, विभास, इत्यादि रागों और रूपक, यति, एकताल, इत्यादि तालों का प्रयोग किया है। अपने प्रबंधों को उन्होंने स्वरलिपि नहीं दी है, अतः यह कहना कठिन है कि वह इन्हें किस प्रकार गाते थे। किंतु इतना स्पष्ट है कि १२वीं शती तक प्रबंध की गायन-शैली ख्याति प्राप्त कर चुकी थी और कई राग और ताल लोकप्रिय हो गए थे।

पाल्कुरिकि सोमनाथ ने तेलुगु में १२७० ई० में 'पंडिताराध्य-चरित्रम्' नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें लगभग ३२ प्रकार की वीणाओं का उल्लेख है और मृदंग में समहस्त और वंशलम् इत्यादि की चर्चा है। इसके अतिरिक्त गमक, टाय, नृत्य इत्यादि का भी इसमें विस्तृत वर्णन है।

भारतीय संगीत का 'नाट्यशास्त्र' के अनंतर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ शार्ङ्गदेव का 'संगीतरत्नाकर' है। शार्ङ्गदेव के पूर्वज कश्मीर से आए थे और दक्षिण के यादववंश के देवगिरि के राजा के यहाँ नियुक्त हो गए। अतः शार्ङ्गदेव को उत्तर और दक्षिण दोनों की संगीतपद्धतियों के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने समस्त भारतीय संगीत का विस्तृत शास्त्र 'संगीतरत्नाकर' में दिया है। इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, राग, प्रबंध, नृत्य, ताल सभी

हैं जिनको प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहते हैं। गान एक हिंकार अथवा हुंकार से प्रारंभ होता है जिसका उच्चार उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता एक साथ करते हैं। उसके मुख्य भाग को उद्गीथ कहते हैं। इसे उद्गाता गाता है। इसके अनंतर एक भाग होता है जिसे प्रतिहार कहते हैं। इसे प्रतिहर्ता गाता है। इसके अनंतर जो भाग आता है उसे उपद्रव कहते हैं। इसे उद्गाता गाता है। निधन या अंतिम भाग को उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता तीनों एक साथ मिलकर गाते हैं। अंत में सब एक साथ मिलकर प्रणव अर्थात् ओंकार का सस्वर उच्चारण करते हैं।

सामगान की स्वरलिपि — सामगान की अपनी विशिष्ट स्वरलिपि (नोटेशन) है। लोगों में एक भ्रांत धारणा है कि भारतीय संगीत में स्वरलिपि नहीं थी और यह यूरोपीय संगीत का परिदान है। सभी वेदों के सस्वर पाठ के लिये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के विशिष्ट चिह्न हैं, किंतु सामवेद के गान के लिये ऋषियों ने एक पूरी स्वरलिपि तैयार कर ली थी। संसार भर में यह सबसे पुरानी स्वरलिपि है। सुमेर के गान की भी कुछ स्वरलिपि यत्र-तत्र खुदी हुई मिलती है। किंतु उसका कोई साहित्य नहीं मिलता। अतः उसके विषय में विशिष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु साम के सारे मंत्र स्वरलिपि में लिखे मिलते हैं, इसलिये वे आज भी उसी रूप में गाए जा सकते हैं।

आजकल जितने भी सामगान के प्रकाशित ग्रंथ मिलते हैं उनकी स्वरलिपि संख्यात्मक है। किसी साम के पहले अक्षर पर लिखी हुई १ से ५ के भीतर की जो पहली संख्या होती है वह उस साम के आरंभक स्वर की सूचक होती है। ६ और ७ की संख्या आरंभ में कभी नहीं दी होती। इसलिये इनके स्वर आरंभक स्वर नहीं होते। हम यह देख चुके हैं कि सामग्राम अवरोही क्रम का था। अतः उसके स्वरों की सूचक संख्याएँ अवरोही क्रम से ही लेनी चाहिए।

प्रायः १ से ५ के अर्थात् मध्यम से निषाद के भीतर का कोई न कोई आरंभक स्वर अर्थात् षड्ज स्वर होता है। संख्या के पास न कोई आरंभक स्वर अर्थात् षड्ज स्वर होता है। संख्या के पास का 'र' अक्षर दीर्घत्व का द्योतक है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित 'आग्नयोहम्' साम के स्वर इस प्रकार होंगे :

२ र २ र २र २ र ३ ४र ५
हाउ हाउ हाउ। आ ग्न यो हम्।
सऽग्न सऽग्न सऽग्न। सऽ नि प ऽ
मूऽर्धा भुवोऽ हाइ। आ ऽ३ ३ ४ र।
सऽ २ऽ२ २ २ सऽ नि २ २

२ र ३ ४र ५ २र ३ ४र ५
आ ग्न यो हम्। आ ग्न यो हम्
सऽ नि प ऽ प सऽ नि प ऽ प
दिऽ वं कि ऽ म्। ।
स नि प प

इस साम में २, ३, नि, प ऽ प—ये पाँच स्वर नये हैं। संख्या के अनुसार भिन्न भिन्न सामों के आरंभक स्वर बदल जाते हैं। आरंभक स्वरों के बदल जाने से भिन्न भिन्न मूर्छनाएँ बनती हैं जो जाति और राग की जननी हैं। सामवेद के काल में स्वर, ग्राम और मूर्छना का विकास हो चुका था। सामवेद में ताल तो नहीं था, किंतु लय थी। स्वर, ग्राम, लय और मूर्छना सारे संगीत के आधार हैं। इसलिये सामवेद को संगीत का आधार मानते हैं।

प्रातिशाख्य और शिक्षा काल में स्वरों के नाम षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद हो गए। ग्राम का क्रम आरोही हो गया : स्वर के तीनों स्थान मंद्र, मध्य और उत्तम (जिनका पीछे नाम पड़ा मंद्र, मध्य और तार) निर्धारित हो गए। ऋक्प्रातिशाख्य में उपर्युक्त तीनों स्थानों और सातों स्वरों के नाम मिलते हैं।

वाल्मीकि रामायण में भेरी, दुंदुभि, मृदंग, पटह, घट, पणव, डिंडिम, आडंबर, वीणा इत्यादि वाद्यों और जातिगायन का उल्लेख मिलता है। जाति राग का आदिरूप है। महाभारत में सप्त स्वरों और गांधार ग्राम का उल्लेख आता है। महाजनक जातक (लगभग २०० ई० पू०) में चार परम महाशब्दों का उल्लेख है। इन्हें राजा उपाधि रूप में विद्वान् को प्रदान करता था।

पुरनानूरु और पत्तुपाट्टु (१००-२०० ई०) नामक तमिल ग्रंथों में अवनद्ध (चमड़े से मढ़े हुए) वाद्यों को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसे वाद्य का विशिष्ट स्थान होता था जिसे 'मुरसुकट्टिल' कहते थे। तमिल के परिपाटल (१००-२०० ई०) ग्रंथ में स्वरों और सात पालइ का उल्लेख है। 'पालइ' मूर्छना से मिलता है। उसमें 'याल' नामक तंत्री वाद्य का भी उल्लेख है। 'याल' के एक प्रकार में एक सहस्र तक तार होते थे।

दक्षिण के एक बौद्ध नाटक सिलप्पदिकारम् (३०० ई०) में भी कुछ संगीतविषयक बातों का समावेश है। इसमें वीणा, याल, बाँसुरी, पटह इत्यादि वाद्यों के वादकों का जिक्र है। उस समय के प्रचलित रागों का भी इसमें उल्लेख है। उसी समय के दिवाकरम् नामक एक जैन कोश में भी संगीत के विषय में कुछ जानकारी दी गई है। इसमें संपूर्ण षाडव और औडव रागों का उल्लेख है तथा २२ श्रुतियों और सात स्वरों का भी वर्णन है।

कालिदास के नाटकों में संगीत की चर्चा इतस्ततः आई है। मालविकाग्निमित्र में तो संगीत में दो शिष्यों की पूरी प्रतियोगिता ही दिखाई गई है।

भारतीय संगीत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलता है वह है भरत का नाट्यशास्त्र। भरत के काल के विषय में विवाद है। यह एक संग्रह ग्रंथ है। इसलिये इसके काल का निर्णय करना और कठिन हो गया है। विद्वान् लोग इसका काल लगभग ई० पू० ३०० से ४०० ई० तक मानते हैं। नाट्यशास्त्र में श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति और तान का विस्तार विवेचन किया गया [illegible] श्रुतियों का विचार स्वर की स्थापना [illegible] ४ श्रुतियों के अंतराल पर षड्ज, [illegible] ३ श्रुतियों के अंतराल पर ऋषभ, [illegible] ४ श्रुतियों के अंतराल पर मध्यम, [illegible] पर पंचम, ३ श्रुतियों के अंतराल पर [illegible]

अंतराल पर निषाद रखा है। इस प्रकार श्रुतियों की कुल संख्या २२ मानी है। भरत ने षड्जग्राम और मध्यमग्राम ऐसे दो ग्राम माने हैं। ऊपर जो श्रुतियों का अंतराल दिया है वह षड्ज ग्राम का है। यह ग्राम षड्ज से प्रारंभ होता है। इसलिये इसका षड्जग्राम नाम पड़ा। जो ग्राम मध्यम से प्रारंभ होता है उसका नाम है 'मध्यम ग्राम'। मध्यम ग्राम में मध्यम चतुश्श्रुति, पंचम त्रिश्रुति, धैवत चतुश्श्रुति, निषाद द्विश्रुति, षड्ज चतुश्श्रुति, ऋषभ त्रिश्रुति, एवं गांधार द्विश्रुति होता है। गांधार ग्राम भरत को मान्य नहीं है।

मूर्छना का अर्थ है उभार या चमक। सात स्वरों के क्रमयुक्त प्रयोग की संज्ञा मूर्छना है (क्रमयुक्ता स्वरा सप्त मूर्च्छनास्त्वभिसंज्ञिता - भरत, ब० सं० अ० २८ पृ० ४३५)। भरत ने षड्ज और मध्यम दोनों ग्रामों में सात सात मूर्छनाएँ मानी हैं। मूर्छनाएँ 'जाति' गान का आधार थीं। विशिष्ट स्वर विशेष प्रकार के संन्निवेश में 'जाति' कहलाते थे। जिसमें ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडवत्व और औडुवत्व के नियमों द्वारा स्वर-संन्निवेश किया जाता था, वह 'जाति' कहलाता था। जातिगान संगीत की बहुत विकसित अवस्था का सूचक है। भरत के समय में जातिगान परिपूर्ण अवस्था पर पहुँचा हुआ था। जाति ही राग की जननी है। भरत ने सात ग्रामराग भी गिनाए हैं और यह बतलाया है कि वे जाति से प्रादुर्भूत होते हैं।

नाट्यशास्त्र में चच्चत्पुट, चाचपुट अथवा चञ्चपुट, षट्पितापुत्र अथवा पंचपाणि, संपक्वेष्टक, उद्घट्ट अथवा उद्घट तालों का उल्लेख है। ये क्रमशः ८, ६, १२, १२, और ६ मात्राओं के ताल थे।

मद्रास प्रदेश के कुडुमियमालइ स्थान में एक उत्कीर्ण लेख मिला है जो संभवतः ७वीं ई० शती का है। इसमें सात जातियों, सात स्वरों और कुछ श्रुतियों का तथा अंतर गांधार और काकलि निषाद का उल्लेख है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में सातवीं शती तक संगीत की पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी और उसके मुख्य विषय उत्तर से दक्षिण तक प्रसिद्ध और ग्राह्य हो चुके थे।

कुछ लोग नारदीय शिक्षा को भी ७ वीं शती के आसपास का ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रंथ के देखने से तो यही पता चलता है कि यह भरत के नाट्यशास्त्र से अधिक प्राचीन है। इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम का उल्लेख तो है ही, वैदिक संगीत और वाक्वीणा का भी विशद वर्णन है। नाट्यशास्त्र में वैदिक संगीत का वर्णन नहीं है।

भरत के अनंतर मतंग ने संगीत पर बहुत प्रकाश डाला है। उनका काल लगभग ८५० ई० है। उनकी बृहद्देशी जाति और राग, गांधर्व और देशी संगीत के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने 'द्वादशस्वर मूर्च्छना' पद्धति चलाई, जिसका लगभग २०० वर्ष तक प्रचुर रहा। अभिनव गुप्त (लगभग १००० ई०) ने अपने ग्रंथ "अभिनव भारती" में द्वादश स्वर मूर्छनावाद का खंडन किया है।

११ वीं शती में मिथिला के राजा नान्यदेव ने 'सरस्वती हृदयालंकार' ग्रंथ की रचना की। यह भरत के संगीत पर एक विस्तृत और प्रौढ़ भाष्य है। इस ग्रंथ के अभी तक थोड़े से ही अंश

पश्चिमी चालुक्यों के वंशज महाराज सोमेश्वर संगीत के प्रकांड विद्वान् थे। उन्होंने अपने 'अभिलषितार्थ चिंतामणि' के चौथे प्रकरण में एक हजार एक सौ सोलह श्लोक संगीत पर लिखे हैं। भिन्न प्रकार के प्रबंधों का उदाहरण इस ग्रंथ की विशेषता है। इनका राज्यकाल ११२७-११३४ ई० है।

सोमेश्वर के पुत्र प्रतापचक्रवर्ती हुए जिनका दूसरा नाम जगदेकमल्ल था। इनका राज्यकाल ११३४ से ११४३ ई० तक रहा। इन्होंने 'संगीत चूडामणि' नामक ग्रंथ की रचना की। यह बहुत प्रामाणिक ग्रंथ था। अब यह केवल खंडित रूप में मिलता है। बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टिट्यूट ने इस खंडित ग्रंथ को १९५८ में प्रकाशित किया है। इसमें स्वर, प्रबंध, ताल और राग के प्रकरण दिए हुए हैं। ताल का वर्णन इसमें बहुत विस्तृत है।

चालुक्यवंशीय सौराष्ट्रनरेश महाराज हरिपाल संगीत के प्रसिद्ध विद्वान् थे। इनका काल ११७५ ई० है। इन्होंने 'संगीत सुधाकर' नामक ग्रंथ की रचना की है जो अभी तक अप्रकाशित है। इसमें लगभग ७० रागों का वर्णन है। इसमें नृत्य, वाद्य और गीत तीनों का प्रतिपादन हुआ है।

सोमराज देव ने ११८० में 'संगीतरत्नावली' की रचना की। इनका दूसरा नाम सोमभूपाल था। यह सम्राट् अजयपाल के वंशधर थे। इनके ग्रंथ में स्वर, ग्राम, प्रबंध, राग, ताल, सभी का विशद वर्णन है। इन्होंने एकतंत्री और आलापिनी वीणा के भी लक्षण दिए हैं।

१२वीं शती ई० में जयदेव ने 'गीतगोविंद' की रचना की। इनका जन्म पुरीपुर के पास केंदुली ग्राम में हुआ था। जयदेव ने विभिन्न राग और तालों में प्रबंध लिखे हैं। उन्होंने मालव, गुर्जरी, वसंत, रामकरी, मालवगौड़, कर्णाट, देशाख्य, देशीवराडी, गौडकरी, भैरवी, वराडी, विभास, इत्यादि रागों और रूपक, यति, एकताल, इत्यादि तालों का प्रयोग किया है। अपने प्रबंधों को उन्होंने स्वर-लिपि नहीं दी है, अतः यह कहना कठिन है कि वह इन्हें किस प्रकार गाते थे। किंतु इतना स्पष्ट है कि १२वीं शती तक प्रबंध की गायन-शैली ख्याति प्राप्त कर चुकी थी और कई राग और ताल लोकप्रिय हो गए थे।

पाल्कुरिकि सोमनाथ ने देवगिरि में १२७० ई० में 'पंडिताराध्य-चरित्रम्' नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें लगभग ३२ प्रकार की वीणाओं का उल्लेख है और मृदंग में समहस्त और वंशमन्द इत्यादि की चर्चा है। इसके अतिरिक्त वंशी, ताल, वाद्य इत्यादि का भी इसमें विस्तृत वर्णन है।

भारतीय संगीत का 'नाट्यशास्त्र' के अनंतर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ शार्ङ्गदेव का 'संगीतरत्नाकर' है। शार्ङ्गदेव के पूर्वज कश्मीर से आए थे और दक्षिण के यादववंश के देवगिरि के राजा के यहाँ नियुक्त हो गए। अतः शार्ङ्गदेव को उत्तर और दक्षिण दोनों की संगीतपद्धतियों के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने समस्त भारतीय संगीत का विस्तृत आकर 'संगीतरत्नाकर' में दिया है। इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, राग, प्रबंध, वाद्य, ताल सभी

पर प्रकाश डाला गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह भारतीय संगीत का प्रामाणिक ग्रंथ है। इसकी रचना १३ वीं शती में हुई थी।

शार्ङ्गदेव के बाद हम्मीर ने लगभग १३०० ई० में 'शृंगारहार' की रचना की। इसमें [illegible] और देशी रागों का वर्णन है। [illegible] राग और [illegible], [illegible], किन्नरी और [illegible] इत्यादि वाद्यों की भी चर्चा है। [illegible] ने लगभग १३०० में 'संगीत-समयसार' की रचना की, जिसमें उस समय के संगीत का बहुत ही विशद वर्णन है।

१४वीं और १५वीं शती में उत्तरी भारत के संगीत पर मुसलमानों के [illegible] [illegible] संगीत [illegible] प्रभाव पड़ने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन (१२९६-१३१६ ई०) के दरबार में अमीर खुसरो संगीत के [illegible] [illegible] [illegible] का प्रचार किया। कहा जाता है, सितार [illegible] [illegible] उन्हीं ने किया। किंतु "कव्वाली" [illegible] [illegible] [illegible] है, इसका [illegible] [illegible] [illegible]। कहा जाता है, [illegible] [illegible] [illegible] किया गया है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की (१४५८-१४९९ ई०) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

संगीत पर हिंदी में कदाचित् यह पहला ग्रंथ है। इसमें उस समय के रागों पर उचित प्रकाश डाला गया है।

मुगल बादशाहों में अकबर (१५५६-१६०५ ई०) ने संगीत को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया। इस काल में वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत के बहुत ही प्रकांड आचार्य थे। कहा जाता है तानसेन ने संगीत में इनसे शिक्षा पाई थी। इन्होंने केवल ध्रुपद और धमार की रचना की। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास इत्यादि वैष्णव कवियों ने 'विष्णुपद' की रचना की। ये कवि भी गायक थे। ये पद के गायक थे, किंतु सूरदास तो [illegible] के गायक थे।

तानसेन पहले रीवाँ के महाराज रामचंद्र बघेल के दरबार में थे। अकबर ने इन्हें वहाँ से बुलाकर अपना दरबारी गायक नियुक्त किया। तानसेन को [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] था। यह प्राचीन [illegible] पद्धति से भी परिचित थे। इन्होंने दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार इत्यादि रागों का निर्माण किया। यह ध्रुपद गायक थे। इन्होंने [illegible] [illegible] और [illegible] और [illegible] गायन को [illegible] [illegible] जीवित रखा।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

लगभग सन् १६३० ई० में दामोदर मिश्र ने 'संगीतदर्पण' लिखा जो उस समय के उत्तरी भारत के संगीत पर अच्छा प्रकाश डालता है। इन्होंने गीत, ताल और नृत्त तीनों का विस्तृत वर्णन किया है।

१७वीं शती में गोविंद ने 'संग्रहचूडामणि' लिखा। इसमें ७२ मेलकर्ता और वीणा का विस्तृत वर्णन है। गोविंद दक्षिण के निवासी थे। उन्होंने संभवतः १६८० और १७०० के बीच में उपर्युक्त ग्रंथ लिखा।

१७वीं शती में ही अहोबल ने 'संगीतपारिजात' नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का महत्व यह है कि इसमें वीणा के तार की लंबाई के द्वारा स्वरों के अंतराल समझाए गए हैं।

१८वीं शती में श्रीनिवास ने 'रागतत्त्वविबोध' लिखा। इन्होंने भी वीणा के तार द्वारा शुद्ध और विकृत स्वरों के स्थान बतलाए हैं। १७वीं-१८वीं शती के बीच भावभट्ट ने अनूपविलास, अनूप संगीत-रत्नाकर और अनूपांकुश की रचना की। यह बीकानेर के महाराज अनूपसिंह (१६७४-१७०९ ई०) के दरबार के पंडित थे। इनके ग्रंथ उत्तर भारत के संगीत पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। अपने ग्रंथ में इन्होंने ध्रुवपद का भी उल्लेख किया है।

वैसे तो ख्याल की गायकी अमीर खुसरो से प्रारंभ हो गई थी, किंतु जौनपुर के शर्की राजाओं के समय में यह अधिक पनपी और मुहम्मद शाह (१७१९) के समय में पुष्पित हुई। इनके दरबार में अदारंग और सदारंग दो प्रसिद्ध वीणकार और गायक थे। इन लोगों ने सबसे अधिक ख्याल गायकी को प्रोत्साहन दिया और सैकड़ों ख्यालों की विभिन्न रागों में रचना की।

१८वीं शती में तंजोर के मराठा राजा तुलजा जी ने 'संगीतसारामृतम्' की रचना की। यह संगीत के अच्छे विद्वान् थे। इन्होंने २१ मेल माने हैं।

१८२१ ई० में पटना के मुहम्मद रजा ने 'नग़माते असफ़ी' की रचना की। इन्होंने मुख्य समानताओं के आधार पर रागों का वर्गीकरण किया है, और बिलावल को शुद्ध ठाठ माना है।

जयपुर के महाराज प्रतापसिंह (१७७९-१८०४ ई०) ने देश भर के संगीत के विद्वानों को एकत्र किया। उन सबके परामर्श से 'संगीतसार' नामक ग्रंथ रचा गया। इसमें भी बिलावल शुद्ध ठाठ माना गया है।

१९वीं शती में दक्षिण में त्यागराज ने बहुत सी कृतियों और कीर्तनों की रचना की। इन्होंने अपनी रचनाओं में रागों की स्वरसंगतियों को बहुत सुंदर रीति से ग्रथित किया है। मुत्तुस्वामी दीक्षित और श्याम शास्त्री उनके समकालीन थे। इन्होंने भी बहुत सी सुंदर कृतियों और कीर्तनों की रचना की।

१९वीं शती के अंतिम भाग में बंगाल के राजा शौरींद्र मोहन ठाकुर ने भारतीय संगीत को बहुत प्रोत्साहन दिया और 'यूनिवर्सल हिस्टरी आफ़ म्यूजिक' नामक ग्रंथ लिखा।

२०वीं शती में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने शास्त्रीय संगीत के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न किया और लगभग ३५-४० पुस्तकों में गीतों की स्वरलिपि में प्रकाशित किया।

पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीतशास्त्र पर 'हिंदुस्तानी संगीत पद्धति' नामक ग्रंथ चार भागों में प्रकाशित किया और ध्रुवपद, धमार, तथा ख्याल का संग्रह करके 'हिंदुस्तानी संगीत क्रमिक' नामक ग्रंथ के छह भाग प्रकाशित किए।

तंत वाद्यों में भारत में इस समय मुख्यतः वीणा, सितार, इसराज और सरोद तथा सारंगी उपयोग में आ रहे हैं। सुषिर वाद्यों में बाँसुरी, अलगोजा, शहनाई, तूर या तुरही, सिंगी (शृंगी) और शंख; अवनद्ध या आनद्ध वाद्यों में मृदंग (पखावज), मर्दल (माहल या मादिलरा) दुंदुक, दुंदुभि (नगाड़ा) ढोलक या ढोल, डमरू, डफ, खंजरी, तथा घन वाद्यों में करताल, झाँझ, और मंजीरा प्रचलित हैं।

भारत से बाहर सबसे प्राचीन संगीत सुमेरु, बबेल (बाबल या बैबिलोनिया), असुर (असीरिया) और मुर (मीरिया) का माना जाता है। उनका कोई साहित्य नहीं मिलता। मंदिरों और राजमहलों पर उद्धृत कुछ वाद्यों से ही उनके संगीत का अनुमान किया जा सकता है। उनके एक वाद्य बलगु या बलगु का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान् इसका अर्थ एक अवनद्ध वाद्य लगाते हैं और कुछ लोग धनुषाकार वीणा। एक तंत्रवाद्य होता था जो आधुनिक डफ जैसा बना होता था। कुछ मंदिरों पर एक ऐसा उद्धृत तंत वाद्य मिला है जिसमें पाँच से सात तार तक होते थे। एक गिगिद नामक बाँसुरी भी थी। बैबिलोनिया की कुछ चक्कियों में कुछ शब्दों के साथ अ, इ, उ इत्यादि स्वर लगे हुए मिलते हैं जिससे कुछ विद्वान् यह अनुमान लगाते हैं कि यह एक प्रकार की स्वरलिपि थी। जिस प्रकार ऋग्वेद का सस्वर पाठ होता था उसी प्रकार बैबिलोनिया में भी होता था और 'अ' स्वरित का चिह्न था, 'ए' विकृत स्वर का, 'इ' उदात्त का 'उ' अनुदात्त का। किंतु इस कल्पना के पोषक प्रमाण अभी नहीं मिले हैं।

चीन में प्रायः पाँच स्वरों के ही गान मिलते हैं। सात स्वरों का उपयोग करनेवाले बहुत ही कम गान हैं। उनकी एक प्रकार की बहुत ही प्राचीन स्वरलिपि है। बौद्धों के पहुँचने पर यहाँ के संगीत पर कुछ भारतीय संगीत का भी प्रभाव पड़ा।

इरानी संगीत भी बहुत ही प्राचीन है। यहाँ के संगीत पर सुमेरु — बैबिलोनिया इत्यादि के संगीत का प्रभाव पड़ा। वे लोग मंदिरों में जो गान करते थे उसे समय या साम कहते थे। इनका एक तंत वाद्य होता था जिसको वे 'किन्नर' कहते थे।

मिस्र देश का संगीत भी बहुत ही प्राचीन है। इन लोगों का विश्वास था कि मानव में संगीत देवी आइसिस अथवा देव थाथ द्वारा आया है। इनका प्रसिद्ध तंत वाद्य बीन या बिनु कहलाता था। मिस्र देश के लोग स्वर को हर्ष कहते थे। इनके मंदिर संगीत के केंद्र बन गए थे। अकनातून, जो मिस्र देश में धर्मपंथ के लिये गया था, कहता है, यहाँ के मंदिरों में संगीत के नियम ऐसी पूर्णता से बरते जाते थे कि कोई गायक वादक उनके विरुद्ध नहीं जा सकता था। कहा जाता है कि कोई १०० वर्ष ई० पू० मिस्र में लगभग ६०० वादकों का एक वाद्यवृंद था जिसमें १०० तो केवल बीन बजानेवाले थे। इनके संगीत में कई प्रकार के तंत, सुषिर, अवनद्ध और घन वाद्य थे। मिस्र से पाइथागोरस और अकनातून दोनों ने संगीत

सीखा। यूनान के संगीत पर मिस्र के संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।

यूरोप में सबसे पहले यूनान में संगीत एक व्यवस्थित कला के रूप में विकसित हुआ। भारत की मूर्छनाओं की तरह यहाँ भी कुछ 'मोड़' थे जिनमें प्रत्येक प्रकार की 'धुनें' बनती थीं। यहाँ भी तार, सुषिर, अवनद्ध और घन वाद्य कई प्रकार के थे। यूरोप में पाश्चात्य संगीत पहला क्रांतिकारी हुआ है जिसने संतुलन के नियमों द्वारा स्वरों के स्थान को निर्धारित किया।

मध्यकाल (६वीं शती से) यूरोप में संगीत का एक नई दिशा में विकास हुआ। इसे स्वरसंहति (हार्मनी) कहते हैं। संहति में कई स्वरों का मधुर मेल होता है, जैसे स, म, प (षड्ज, गांधार, पंचम) की संगति। इस प्रकार के एक से अधिक स्वरों के गुच्छ को 'संघात' (कार्ड) कहते हैं। एक संघात के बाद दूसरा एक साथ भिन्न भिन्न मात्रों से मिलकर एक में मिलकर एक मधुर रसात्मक वातावरण की सृष्टि करते हैं। इसी के आधार पर यूरोप के आरकेस्ट्रा (वृंदवादन) का विकास हुआ है। स्वरसंहति एक विशिष्ट तत्त्व है जिससे पाश्चात्य संगीत पूर्वीय संगीत से भिन्न हो जाता है।

सं० ग्रं०— नारदीय शिक्षा; रामकृष्ण-भरतकोश; भातखंडे— 'ए शार्ट हिस्टारिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया', पुर्वे-तारद — 'ए शार्ट हिस्टरी ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक'। [ज० दे० सिं०]

संगीतगोष्ठी पहले गायक या वादक अपने गायन या वादन का प्रदर्शन राजाओं या रईसों के सामने करता था अथवा किसी धार्मिक उत्सव के समय मंदिरों में करता था। कभी कभी वह मेले इत्यादि में भी जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता था। किंतु उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा वह संगीत के एक पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम को जनता के सामने प्रस्तुत कर सके।

यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इत्यादि देशों में संगीत-गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ हुआ। इसे 'कंसर्ट' (concert) कहते हैं। संगीत सभाएँ या संगीत विद्यालय अथवा कुछ व्यवसायी लोगों ने संगीतगोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया। किसी अच्छे कलाकार या कलाकारों के गायन वादन का कार्यक्रम निश्चित करके विज्ञापन प्रकाशित किया जाने लगा। यह कार्यक्रम किसी बड़े भवन में संपन्न होता था। इस संगीतगोष्ठी में जनता का प्रवेश टिकट या चंदे के द्वारा होने लगा। इस प्रकार की संगीतगोष्ठियाँ अमरीका और अन्य देशों में प्रारंभ हुईं। बड़े बड़े नगरों में इस प्रकार की गोष्ठियों के लिये विशाल गोष्ठीभवन (concert hall) या सभाभवन (Auditorium) बन गए। भारत में इस प्रकार की संगीतगोष्ठी का आयोजन बंबई, पूना, कलकत्ता इत्यादि बड़े नगरों में प्रारंभ हो गया है। इन संगीतगोष्ठियों के अतिरिक्त भारत में कई स्थानों में संगीतोत्सव या संगीतपरिषदों का आयोजन भी होता है जिनमें बहुत से कलाकार एकत्र होते हैं और उनका कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इनमें श्रोताओं का प्रवेश टिकट द्वारा होता है।

यूरोप में १८वीं शती में संगीतगोष्ठी के आयोजन और [illegible] हो गई। ये संस्थाएँ संगीत-गोष्ठियों का आयोजन करने लगीं और [illegible] तथा आयोजन और प्रबंध के लिये एक [illegible] के लिये स्थान स्थान पर संस्थाएँ स्थापित हुईं [illegible] तक इन संस्थाओं ने एक [illegible] कर लिया।

संगीतगोष्ठी के अर्थ के अतिरिक्त आज, [illegible] एक विशिष्ट वाद्य-संगीत-प्रबंध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। [ज० दे० सिं०]

संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार ने एक [illegible] द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में संगीत नाटक अकादमी स्थापना करने का निश्चय किया। तदनुसार १९५३ में अकादमी स्थापना हुई। १९५९ में अकादमी अलग कर दी गई और इसका रूप में संगठन किया गया। १९६० के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधीन यह संस्था पंजीकृत हो गई। इसकी नई परिषद् और का-रिणी समिति का गठन किया गया। अकादमी अब इसी रूप कार्य कर रही है।

संगठन व्यवस्था — संगीत नाटक अकादमी की एक महापरिषद् होती है जिसमें ४८ सदस्य होते हैं। इनमें से ६ सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं — एक शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि, एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त सलाहकार (पदेन), १-१ मनोनीत सदस्य प्रत्येक राज्य सरकार का, २-२ प्रतिनिधि संगीत कला अकादमी और साहित्य अकादमी के होते हैं। इस प्रकार मनोनीत ये २४ सदस्य एक बैठक में २० और सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये व्यक्ति संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में विख्यात कलाकार और विद्वान् होते हैं। इनका चयन इस प्रकार से किया जाता है कि संगीत और नृत्य की विभिन्न पद्धतियों और शैलियों तथा विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो सके। इस प्रकार गठित महापरिषद् कार्यकारिणी का चुनाव करती है जिसमें १५ सदस्य होते हैं। सभापति का मनोनयन शिक्षा-मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उप-सभापति का चुनाव महापरिषद् करती है। सचिव का पद वैतनिक होता है और सचिव की नियुक्ति कार्यकारिणी करती है।

कार्यकारिणी कार्य के संचालन के लिये अन्य समितियों का गठन करती है, जैसे वित्त समिति, अनुदान समिति, प्रकाशन समिति आदि। अकादमी के संविधान के अधीन सभी अधिकार सभापति को प्राप्त होते हैं। महापरिषद्, कार्यकारिणी तथा सभापति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।

अकादमी के सबसे पहले सभापति श्री पी० वी० राजमन्नार थे। दूसरे सभापति मैसूर के महाराजा श्री जयचामराज वडयर थे और वर्तमान सभापति श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। वर्तमान सचिव डा० सुरेश अवस्थी हैं।

उद्देश्य — संगीत नाटक अकादमी की स्थापना संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देना तथा उनके विकास और उन्नति के लिये विविध प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना है। संगीत

नाटक अकादमी अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश भर में संगीत, नृत्य और नाटक की संस्थाओं को उनकी विभिन्न कार्ययोजनाओं के लिये अनुदान देती है, सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देती है; संगीत, नृत्य और नाटक के प्रशिक्षण के लिये संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है; विचारगोष्ठियों और समारोहों का संगठन करती है तथा इन विषयों से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन के लिये आर्थिक सहायता देती है।

कार्यक्रम : अकादमी का इन कलाओं के अभिलेखन का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके अधीन पारंपरिक संगीत और नृत्य तथा नाटक के विविध रूपों और शैलियों की फिल्में बनाई जाती हैं, फोटोग्राफ लिए जाते हैं और उनका संगीत 'टेपरिकार्ड' किया जाता है। अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती है और नवोदित प्रतिभाशील कलाकारों को प्रोत्साहन देती है। इसका सीमित प्रकाशन कार्यक्रम भी है जिसके अधीन इन विषयों की विशिष्ट पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। अकादमी अंग्रेजी में एक त्रैमासिक पत्रिका 'संगीत नाटक' का प्रकाशन करती है।

पुरस्कार : अकादमी प्रतिवर्ष संगीत और नृत्य तथा नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट कलाकारों को पुरस्कृत करती है। पुरस्कारों का निर्णय अकादमी महापरिषद् करती है। पुरस्कार समारोह में पुरस्कारवितरण राष्ट्रपति द्वारा होता है। संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में अकादमी प्रतिवर्ष कुछ रत्नसदस्यों (फेलो) का चुनाव करती है। सन् ५१ से अब तक पुरस्कृत कलाकारों की नामावली नीचे दी जाती है :

रत्नसदस्यों एवं पुरस्कार विजेताओं की सूची
सन् १९५१ से १९६६ तक

रत्नसदस्य — १. उस्ताद अल्लाउद्दीन खाँ, २. उस्ताद हाफिज अली खाँ, ३ श्री पृथ्वीराज कपूर, ४. श्री केराईकुडी सांबशिव अय्यर, ५. श्री अरियक्कुडि रामानुज आयंगर, ६. श्रीमती अंजनी बाई मालपेकर, ७. श्री गोपेश्वर बंद्योपाध्याय, ८. श्री पापनाशम आर० शिवन, ९ श्री बी० कृष्णास्वामी भागवतर, १०. श्री उदयशंकर, ११ श्री बी० वी० (भाभा) वरेरकर, १२. डॉ० एस० एन० रतनजनकर, १३. प्रो० पी० सांबमूर्ति, १४. स्वामी प्रज्ञानानंद, १५. डॉ० पी० वी० राजमन्नार, १६. श्री टी० एल० वेंकटराम अय्यर १७. श्री वीरेंद्रकिशोर रायचौधरी, १८ डॉ० बी० रामन, १९. डॉ० बी० आर० देवधर, २०. श्रीमती सी० सरस्वती बाई, २१. श्री दिलीपकुमार राय, २२. प० विनायकराव पटवर्धन, २३. डॉ० डी० जी० व्यास, २४. ठाकुर जयदेव सिंह, २५. प्रो० जी० एच० रानडे, २६. महामहिम श्री० जयचामराज वडयर बहादुर, २७. श्री इ० कृष्ण अय्यर, २८. श्री शंभु मित्र, तथा २९ डॉ० आशुतोष भट्टाचार्य।

हिंदुस्तानी संगीत गायन — १. श्री मुश्ताक हुसेन खाँ, २. श्रीमती केसर बाई केरकर, ३. श्री रजब अली खाँ, ४. श्री अनंत मनोहर जोशी, ५. श्री राजा भैया पूंछवाले, ६ श्रीमती रसूलन बाई, ७. श्री गणेश रामचंद्र बेहरे बुआ, ८ श्री कृष्णराव शंकर पंडित, ९. श्री अल्ताफ हुसेन खाँ, १०. श्री यशवंत एस० मिराशी बुआ, ११. उस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ १२. श्री रहीमुद्दीन खाँ डागर, १३. श्रीमती हीराबाई बरोडेकर, तथा १४. श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी।

हिंदुस्तानी संगीत वादन — १. उस्ताद अल्लाउद्दीन खाँ, २. श्री हाफिज अली खाँ, ३ श्री अहमद जान थिरकवा, ४. श्री गोविंद राव बुरहानपुरकर, ५ श्री बिस्मिल्ला खाँ, ६. श्री यूसुफ अली खाँ, ७ श्री जहाँगीर खाँ, ८ श्री बहोद खाँ, ९. श्री कंठे महाराज १०. श्री रविशंकर, १२ श्री अली अकबर खाँ, १२ प० सखाराम तावडे, तथा १३ श्री शकूर खाँ।

कर्नाटक संगीत गायन — श्री अरियक्कुडि रामानुज आयंगर, २. श्री शेम्मांगुडि आर० श्रीनिवास अय्यर, ३ श्री के० वासुदेवाचार्य, ४. श्री महाराजपुरम विश्वनाथ अय्यर, ५ श्रीमती एम० एस० सुब्बलक्ष्मी ६ श्री मदुरै सुब्रह्मण्यम् अय्यर, ७ श्री चेंबई वैद्यनाथ भागवतर ८ श्री गूडलूर एन० बालसुब्रह्मण्यम्, ९ श्री मदुरई मणि अय्यर, १०. श्री मुसीकोडान वेंकटराम अय्यर, ११. श्रीमती डी० के० पट्टम्माल १२. श्री बी० देवेंद्रप्पा, १३ श्री चित्तूर सुब्रह्मण्यम् पिल्ले, १४. श्रीमती टी० वृंदा, १५ मदुरई श्री आर० श्रीरंगम् अय्यंगार।

कर्नाटक संगीत वादन — १ काराईक्कुडि सांबशिव अय्यर, २. द्वारम वेंकटस्वामी नायडू, ३ श्री पल्लादम् संजीव राव, ४. श्री टी० एन० राजरत्नम् पिल्ले, ५. श्री टी० एस० पालघाट मणि अय्यर, ६ श्री टी० चौडय्या, ७. श्री वूडलुर कृष्णमूर्ति शास्त्री, ८ श्री के० राजमणिक्कम पिल्लई, ९ श्री शेरमादेवी एल० सुब्रह्मण्य शास्त्री, १० श्री टी० एन० स्वामीनाथ पिल्ले, ११. श्री० डी० एस० सुब्रह्मण्य पिल्ले, १२ श्री टी० के० जयराम अय्यर, २३ श्री के० एन० चिन्नअय्यर, १४ श्री टी० आर० महालिंगम्, तथा १५ श्री पी० एस० वीरस्वामी पिल्ले।

नृत्य

भरतनाट्यम् — १ श्रीमती टी० बालसरस्वती, २. श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ३. श्रीमती मैलापुर गौरी अम्मा, ४. श्रीमती आर० मुत्तुरत्नावल, ५. श्रीमती के० वेंकटलक्ष्मा, ६ श्रीमती स्वर्ण सरस्वती भरतनाट्यम् शिक्षक, ७. आर० पी० चौकलिंगम्, तथा ८ श्री वी० वी० रामय्या पिल्ले।

कत्थक — १. श्री शंभु महाराज, २. श्री लच्छू महाराज, ३. श्री सुंदरप्रसाद, ४. श्री मोहनराव कल्याणपुरकर, तथा ५. श्री बिरजू महाराज।

कथकलि — १ गुरु कुंचु कुरुप, २. श्री टी० के० चंदू पणिक्कर, ३. श्री के० रसुणी नायर, ४. श्री चेंगानूर रमण पिल्ले, तथा ५. गुरु गोपीनाथ।

मणिपुरी — १. गुरु अमुबी सिंह, २. गुरु एच० अतवा सिंह, ३ श्री तबेलचंद अमुबन शर्मा, ४. श्री अतवापू शर्मा, तथा ५. गुरु बिपिन सिंह।

अन्य नृत्य शैली : किरतिया नृत्य — श्री उदयशंकर, तमाशा; श्री बापू राव खुडे नारायणगांवकर, कुचिपुडि; श्री वेदांतम् सत्यनारायण, ओडिसी; श्री केलुचरण महापात्र, थनिया; श्री मणिराम दत्ता मुखार, झाऊ; श्री गुरुवेंदनारायण सिंह देव, यक्षगान; श्री हारबो राम मणिपा, चाक्कियार कूत्तु; एवं श्री पी० मणियाचन चाक्कियार।

निर्देशन — श्री पृथ्वीराज कपूर, श्री जयशंकर सुंदरी, श्री शंभु मित्र, श्री कसमभाई नाथूभाई मीर, श्री इब्राहिम अलकाजी, श्री टी० एस० राजकृष्णम्, श्री उत्पल दत्त।

नाट्यलेखन — श्री वी० वी० (मामा) वारेरकर, श्री प्रफुल्ल द्विवेदी, श्री आद्य रंगाचार्य, श्री उपेंद्रनाथ अश्क।

अभिनय — श्री गुब्बी वीरण्णा, श्री बाल गंधर्व नारायण राव राजहंस, श्री गणपत राव बोडस, श्री चिंतामणि राव कोल्हटकर, श्री महेंद्र चौधरी, श्री पफल संवाद मुर्डालियार, श्री अशरफ़ खाँ, श्री सी० आई० परमेश्वरन पिल्लै, श्री गोपाल गोविंद पाठक, श्री स्थानम् नरसिंह राव, श्री मित्रदेव महंत अधिकारी, श्री वेंकटय्या सुब्बैय्य नाइडू, श्री सेमुअल साहू उर्फ बाबी, श्रीमती तृप्ति मित्रा, श्री टी० के० परमुखम् श्री बदा कनकलिंगेश्वर राव, श्रीमती जोहरा सहगल, श्री केशव त्रिबक दाते।

क्षेत्रीय भाषाओं में अभिनय — मलयालम : श्री अरविंदाक्ष मेनन, संस्कृत : श्री कृष्णचंद्र मोरेश्वर गुजराती: श्री नायक मुलजी भाई दुधालभाई। [सु० प्र०]

संघनित्र (Condenser) भाप को ठंडा कर द्रव रूप में लाने के लिये जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वह संघनित्र कहलाता है। अर्क उतारने या शराब चुआने के अनेक प्रकार के भभकों (stills) के रूप में इनका विस्तृत उपयोग अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। सरलतम रूप में यह एक नली होती है, जिसे ठंडे पानी से, या अन्य प्रकार से ठंडा रखा जाता है, जिससे भाप द्रव रूप में बदल जाय (देखें चित्र १.)। उपर्युक्त क्रिया को आसवन कहते हैं।

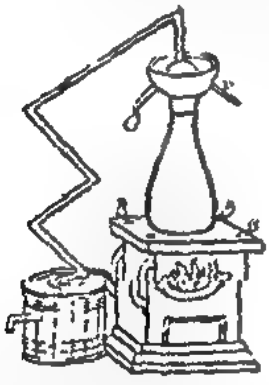

चित्र १. प्राचीन भभका

इसका पश्चवाही भाग बड़ा, शीर्ष का ताप स्थिर तथा आसवन प्रभावी होता है।

इसमें एक पात्र में रखे किसी पदार्थ को गरम कर, भाप में बदल देते हैं और उस भाप को संघनित्र की सहायता से ठंडा कर फिर तरल रूप में ले आते हैं। इस क्रिया का साम्य रूप तब देखने में आता है जब उबलती हुई दाल के बरतन पर पानी भरा कटोरा रख देने पर, कटोरे के नीचे, भपका भाप की केटली से निकलती हुई भाप के साथ ठंडा बरतन रखने से उत्तर, पानी की बूँदें बन जाती हैं।

रासायनिक क्रियाओं में रसायनज्ञ, जस्टस फॉन लीबिग, द्वारा प्रचलित संघनित्र का व्यापक प्रयोग होता है। यह संघनित्र चित्र २. में दिखाया गया है तथा इसकी क्रिया समझाई गई है। जब

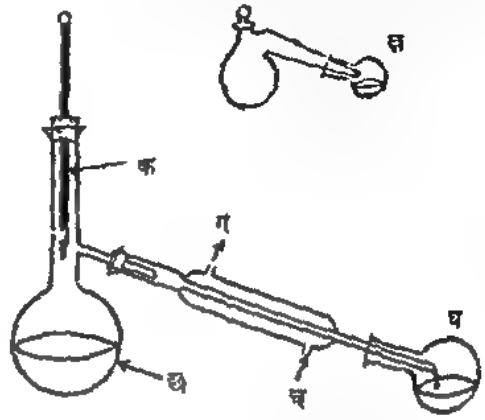

चित्र २. लीबिग के संघनित्र द्वारा आसवन

क. तापमापी, ख. सामान्य भभका (रिटॉर्ट और पतासक), ग लीबिग का संघनित्र तथा जल का निर्गमन, घ. ग्राही या पतासक, च. जल का अंतर्गमन तथा छ आसुत किया जानेवाला तरल। ऊपर और नीचे के दोनों चित्रों में भाप भभके से संघनित्र में जाती है, जहाँ ठंडी होकर तथा संघनित होकर ग्राही (पतासक) में तरल एकत्रित हो जाता है।

अथवा अन्य द्रव पदार्थ का आसवन (distillation) कर, शुद्ध पदार्थ पाने के लिये इसका उपयोग होता है। प्रभावी आसवन में भी संघनित्र काम में आता है (देखें चित्र ३)।

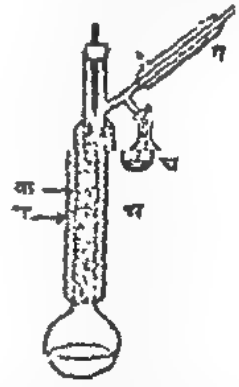

चित्र ३. प्रभावी आसवन

क. पेंदिन, ख. विलायक पदार्थ, ग. संघनित्र, घ. आसुत तथा च. प्रभावक स्तंभ।

दोनों को साथ रख करके तथा उन्हें ठंडा करके भी नैल द्रव रूप में लाई जाती है। इस क्रिया में [illegible] उदाहरण को

भी संघनित्र कहते हैं (देखें गैसों का द्रवण)। ये कई प्रकार के होते हैं। किंतु सब में किसी कम तापवाले पदार्थ से एक नली या बरतन को ठंडा करते हैं और उसमें से द्रव में बदली जानेवाली गैस को गुजारते हैं। [म० दा० व०]

संघवाद (फेडलिज्म) संघवाद संवैधानिक राजसंचालन की उस प्रवृत्ति का द्योतक है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयों हो जाती हैं। सामान्य रूप से प्रभुसत्ता का विभाजन संघीय एवं राज्य-सरकारों के मध्य उनके संविधान में उल्लिखित होता है जो उस संविदा को अंतिम रूप से पुष्ट करता है। साधारणतया संघीय सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है जिन्हें क्षेत्रविस्तार अनोखा अथवा दुरूह होने के कारण राज्य स्वयं चलाने में कठिनाई प्रतीत करते हैं। अतः इन कार्यों के चलाने के लिये वे सब इकाइयाँ अपनी राजशक्तियों का एक निश्चित भाग संघीय सरकार को अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उनके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन संविधान द्वारा लेते हैं। इस प्रकार एकात्मक संविधान (यूनिटरी संविधान) के विपरीत संघात्मक संविधान एक ही संविधान के अंतर्गत राजनैतिक (डुएल पालिटी) की स्थापना करता है। परिणामस्वरूप ऐसे संघ के नागरिक दो प्रकार की सरकारों, संघीय एवं राज्य सरकारों के अधीनस्थ होते हैं। संघात्मक संविधान में निम्नलिखित विशेषताएँ अपेक्षित होती हैं: प्रथम, राजनैतिक शक्तियों का संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य संवैधानिक विभाजन, द्वितीय, संघीय संविधान की प्रभुसत्ता अर्थात् प्रथम तो न संघीय और न राज्य सरकारें अन्य से पृथक् हो सकती हैं और द्वितीय, संघात्मक संविधान उन दोनों से समान रूप से सर्वोपरि होता है। तृतीय, चूँकि संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है, अतः संघात्मक संविधान का लिखित होना भी आवश्यक है। चतुर्थ, संघात्मक संविधान संघीय एवं राज्य-सरकारों के समझौते को अंतिम रूप से पुष्ट करता है। अतः ऐसे संविधान का व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय भी होना अपेक्षित है। कम से कम किसी एक पक्ष के मत से ऐसा संविधान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान का परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। पंचम, किसी भी प्रकार के विवाद जो संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच में संवैधानिक कार्य-संचालन में कर्तव्य, अधिकार अथवा साधनों के विषय में आ गए हों तो उनके निर्णय के लिये न्यायालय को संविधान के संघात्मक प्रावधानों की मीमांसा करने का पूर्ण एवं अंतिम अधिकार दिया जाना चाहिए। इन विशेषताओं के साथ संघात्मक संविधान का एक आदर्श प्रारूप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है जिसका निर्माण सन् १७८७ में १३ स्वतंत्र राष्ट्रों की संविदा के अनुसार हुआ था। इसके पश्चात् कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं फ्रांस इत्यादि के संघात्मक संविधानों का निर्माण हुआ। भारत का संविधान भी, जो सन् १९५० से लागू हुआ, संघात्मक संविधानों का एक नवीन दृष्टांत है। प्रधानतः भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपर्युक्त विशेषताएँ विद्यमान हैं। किंतु भारतीय संघात्मक संविधान में कुछ विशिष्ट प्राविधान हैं जिनका समावेश अन्य संविधानों के कार्यसंचालन से उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत करके किया गया है। उदाहरणार्थ, सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसका निर्माण स्वतंत्र राष्ट्रों की किसी संविदा द्वारा नहीं हुआ है; बल्कि यह उन सब इकाइयों के मेल (यूनियन) से बना है जो परतंत्र एकात्मक भारत के अंग के रूप में पहले से ही विद्यमान थे। दूसरी विशेषता यह है कि आपत्काल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये प्रावधान निहित हैं। तृतीय विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता भारतीय नागरिकता का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्यसंचालन के लिये व्यवस्थाएँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के मतानुसार भारत एक लिखु गणतंत्र की अवस्था में है, अतः देश के तीव्र एवं सर्वतोमुखी विकास एवं उन्नति के लिये समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिये संविधान संशोधन की तीन विभिन्न प्रक्रियाएँ दी गई हैं। केवल विशेष संघात्मक प्रावधानों के संशोधन के लिये ही राज्यों का मत आवश्यक है, बाकी संशोधन संसद् स्वयं कर सकती है। इस प्रकार संघात्मक संविधानों के विकास में भारतीय संविधान एक नई प्रवृत्ति, केंद्रीयकरण, का सूत्रपात करता है। [सु० कु०]

संचयिक विश्लेषण (Combinational Analysis) यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय, तो संचयिक विश्लेषण के अंतर्गत बहुत से विषय आते हैं, जैसे सारणिक (Determinants), प्रायिकता (Probability), स्थलाकृति विज्ञान (Topology) आदि किंतु अब इनमें से प्रत्येक विषय ने अपने लिये पृथक् स्थान बना लिया है। अब तो संचयिक विश्लेषण के अंतर्गत केवल वे ही प्रकरण आते हैं जिनमें किसी न किसी स्थल पर इस बात का विचार किया जाय कि किसी समस्या के हल करने की कितनी विधियाँ हैं, अथवा कोई काम कितने प्रकार से हो सकता है।

उदाहरण १. — मान लें, रेल के एक डिब्बे की शायिका (berth) पर चार आसन (seats) हैं, जिनपर निम्नलिखित संख्याएँ पड़ी हुई हैं:

१ २ ३ ४

मान लें कि हमारे पास यात्री क और च हैं, तो प्रश्न यह है कि इन दो यात्रियों को शायिका पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। स्पष्ट है कि पहले यात्री क को हम चारों में से किसी भी आसन पर बैठा सकते हैं। इस प्रकार क को बैठाने की चार विधियाँ हुईं। मान लें, हमने क को आसन संख्या १ पर बैठा दिया। अब च को बैठाने के लिये तीन आसन बचे। अतः च को तीनों में से किसी भी आसन पर बैठाया जा सकता है। अतः क को किसी एक आसन पर बैठाने पर च को बैठाने की तीन विधियाँ हुईं और क को बैठाने के चार प्रकार हैं। अतः क और च दोनों को बैठाने की ४ × ३, अर्थात् १२ विधियाँ हुईं, या यों कहिए कि क को बैठाने की विधियों और

घ को देकर की विधियों के ११ क्रमचय (permutations) हो सकते हैं। इसलिए इस विषय का नाम संचयिक विश्लेषण पड़ा। उपर्युक्त विधियाँ नहीं वास्तुओं के क्रम से बनी हैं

१	२	३	४
क	ख		
क		ख	
क			ख
ख	क		
	क	ख	
	ख		क
ख		क	
	ख	क	
		क	ख
ख			क
	ख		क
		ख	क

उदाहरण २ — तीन अंकों १, २, ४, में से कोई दो लेने से कितनी संख्याएँ बन सकती हैं? स्पष्ट है कि निम्नलिखित संख्याएँ बनेंगी :

११, १४, २४,
२१, ४१, ४२।

इन संख्याओं की संख्या ६ है। यह संख्या ६ कहाँ से आई? उदाहरण १. की भाँति तर्क करने से पता चलेगा कि प्रश्न का उत्तर ३×२ अर्थात् ६ ही होगा। इस उदाहरण में यह मान लिया गया है कि कोई भी अंक दुबारा नहीं लिया जायगा, अन्यथा तीन संख्याएँ ११, २२, ४४ और मिल जातीं।

आधारभूत प्रमेय (१) — स विभिन्न वस्तुओं में से घ वस्तुएँ लेने से कितने विन्यास बन सकते हैं? मान लें कि हमें इन घ स्थानों को

१ २ ३ ४.....(घ—१) घ

स वस्तुओं में से एक एक वस्तु लेकर भरना है। पहले स्थान को भरने की स विधियाँ हैं, क्योंकि स वस्तुओं में से कोई भी एक लेकर हम उक्त स्थान पर बैठा सकते हैं।

जब एक वस्तु से एक स्थान भर गया, तब दूसरे स्थान को भरने के लिये हमारे पास (स—१) वस्तुएँ बचीं। अतः दूसरा स्थान भरने की (स—१) विधियाँ हुईं। इस प्रकार प्रथम दोनों स्थान भरने की स (स—१) विधियाँ हो गईं। इसी प्रकार प्रत्येक पग पर एक गुणनखंड बढ़ता जायगा और अंत में घ स्थान भरने की निम्नलिखित विधियाँ प्राप्त होंगी

स (स—१) (स—२) .....घ गुणन खंडों तक,

अर्थात् स (स—१) (स—२) ..... (स—घ+१)

स=४, घ=२ रखने से उदाहरण १. का उत्तर ४×३, अर्थात् १२, आता है। इसी प्रकार स=३, घ=२ रखने से उदाहरण २. का उत्तर ६ आ जाता है।

इन विन्यासों को 'क्रमचय' (Permutations) कहते हैं और [illegible] लिखा जाता है :

$$^{स}P_{घ} = स\,(स-१)\,(स-२)\cdots\cdots(स-घ+१)$$

अब मान लें, उदाहरण २ के द्वारा उत्तर यह हो कि तीन संख्याओं १, २, ४ में से जितने प्रकार से दुगने संख्याएँ बन सकती हैं, तो इसका यह अर्थ हुआ कि इस पुनरावृत्ति में अंकों के क्रम का कोई विचार नहीं होगा। अतः इस पुनरावृत्ति में १४ और ४१ को एक दूसरे से भिन्न नहीं माना जायगा। स्पष्ट है कि केवल तीन पुनरावृत्ति होंगे :—

(१,२) (१,४) (२,४)

पारिभाषिक भाषा में हम कहेंगे कि इस प्रकार के केवल तीन संचय होंगे।

आधारभूत प्रमेय (२) — स विभिन्न वस्तुओं में से घ वस्तुएँ लेने पर कितने संचय बन सकते हैं?

स्पष्टता के लिये मान लें कि स=४, घ=३, और वस्तुओं के स्थान पर हम चार अक्षर क, ख, ग, घ ले लें, तो स्पष्ट है कि इन अक्षरों में से तीन लेने से ४×३×२, अर्थात् २४, क्रमचय बनेंगे। इन २४ क्रमचयों में से कोई एक क्रमचय, लेकिए कघग, तीन अक्षरों के इस संचय से हम ३×२, अर्थात् ६, क्रमचय बना सकते हैं :

कघग; कगघ, घकग, घगक, गघक, गकघ

इसी प्रकार प्रत्येक संचय से ६ क्रमचय बनेंगे। अतः सबकी की संख्या = ६ (क्रमचयों की संख्या)। इसी प्रकार आरंभ स्थान में प्रत्येक संचय से अनेक क्रमचय बनेंगे। यदि प्रत्येक संचय में घ अक्षर हैं, तो उक्त संचय से उतने क्रमचय बनेंगे जितने विन्यास घ अक्षरों के पारस्परिक हेरफेर से बनेंगे, अर्थात् घ (घ—१) (घ—२).....(घ—घ+१), अर्थात् $\lfloor घ$।

अतः संचयों की संख्या = १/$\lfloor घ$ (क्रमचयों की संख्या)। इसी फल को पारिभाषिक भाषा में हम इस प्रकार लिखेंगे :

$$^{स}C_{घ} = \frac{स\,(स-१)\,(स-२)\cdots(स-घ+१)}{\lfloor घ}$$

सं० ग्रं० — पी० ए० मैक्मोहन कंबिनेटरी ऐनैलिसिस, दो खंड (१९१५-१६); इट्रोडक्शन टु कंबिनेटरी ऐनैलिसिस (१९२०)।

[ब० मो०]

संचायक (Accumulator) ऊर्जा संचित करनेवाला उपकरण है। हाइड्रोलिक्स (hydraulics) में द्रवचालित संपीडक तथा उत्थापक (elevator) को शक्ति (power) प्रदान करने के लिये, एक प्रकार का संचायक होता है, जिसके ऊर्ध्वाधर बेलन में मज्जक (plunger) भारी भार से भारित रहता है। बेलन में पानी, जो भारयुक्त मज्जक उठा देता है, पंप द्वारा भर दिया जाता है। भारयुक्त मज्जक की क्रिया के कारण उच्चदाब पर पानी तीव्रता से विसर्जित होता है, जिससे यंत्रों को चलाने के लिये द्रवचालित शक्ति प्राप्त होती है। संचायक अल्पकाल के लिये बड़े परिमाण में शक्ति संभरित करता है और इसका भरण निम्न शक्तिवाले पंप से हो सकता है। जल-विद्युत्-शक्ति प्रणाली में संचायक संयंत्र के रूप में दूसरे प्रकार के संचायक का उपयोग किया जाता है। ब्रिटेन में

रासायक बैटरी — संचायक बैटरी एक युक्ति है, जिसमें रासा-
ऊर्जा, जो विद्युत् के रूप में किसी भी समय निर्मुक्त हो
है, संचित की जाती है। सामान्य उपयोग में आनेवाली
क बैटरियाँ दो प्रकार की होती हैं : (१) लेड अम्ल संचायक
तथा (२) क्षारीय संचायक बैटरी।

लेड अम्ल संचायक बैटरी — यह बैटरी एक या अनेक सर्वसम
यों की, जिन्हें सेल कहते हैं, बनी होती है। प्रत्येक सेल का
दो वोल्ट होता है। ६ वोल्ट की साधारण आटोमोबाइल
में तीन सेल श्रेणीसंयोजित होते हैं। प्रत्येक सेल में अम्लीय
अपघट्य, जो प्रायः सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तथा अपने
अधिक रासायनिक रूपों में सीस के इलेक्ट्रोड रहते हैं।
लेड प्रायः धन या ऋण पट्टिका कहलाते हैं। ये पट्टिकाएँ
लिंक कंप तथा विद्युत् चालक से, जिसे ग्रिड कहते हैं, युक्त
हैं। ग्रिड, धात्विक लेड या मिश्रधातु तथा सक्रिय लेड
यौगिक अवस्था) का बना होता है। सक्रिय ग्रिड लेड
को भरता है तथा आवश्यक विद्युत् रासायनिक कार्य
है। ग्रिड लेड, ऐंटिमनी (६ से १२ प्रति शत यांत्रिक
में), टिन, बिस्मथ, आर्सेनिक तथा अन्य तत्वों के अल्प
मात्रिक प्रति शत वाली मिश्रधातु से ढालकर बनाया जाता
पट्टिका में सक्रिय पदार्थ लेड परमॉक्साइड, (सी ओ$_2$)
O_2) है। ऋण पट्टिका के सक्रिय पदार्थ ये हैं : सरंध्र, सूक्ष्म
कण स्पंज, धात्विक शुद्ध लेड तथा अल्पयोज्य पदार्थ,
कार्य रंध्रता को बनाए रखना है। बैटरी के जीवनकाल में
पट्टिका बार बार आवेशित और विसर्जित होती है, अतः ऋण
को सरंध्रता को बनाए रखने के लिये योज्य (additive)
की आवश्यकता पड़ती है।

धनात्मक धन तथा ऋण पट्टिकाओं के मध्य में पृथक्कारक
, इन दोनों पट्टिकाओं को पृथक् कर समयोजित करते हैं।
क धन और ऋण पट्टिकाओं को एक दूसरे से छूने से बचाता
पृथक्कारक को अम्लप्रतिरोधी तथा विद्युत् अपघट्य एवं विद्युत्-
के लिये सरलता से पारगम्य होना चाहिए। यह पारगम्यता
रंध्र होनी चाहिए जिससे बैटरी की क्रिया के समय धन
तों से निकलते हुए सक्रिय पदार्थों के कणों का प्रवेश न
पृथक्कारक का ऋण पट्टिका के बाद का भाग समतल होता
धन पट्टिका के विपरीत ओर का भाग खाँचेदार या
होता है।

सामान्यतः लकड़ी का उपयोग पृथक्कारक के रूप में अधिक
। पृथक्कारक के लिये प्रयुक्त होनेवाली लकड़ी का अधिकांश
या अम्ल रासायनिक क्रिया द्वारा निकाल लिया जाता है।
की कुछ किस्मों की लकड़ी पृथक्कारक के लिये अत्युत्तम
हुई है। सूक्ष्म रंध्रवाले रबर के कृत्रिम पृथक्कारक का
भी अत्यधिक किया जा रहा है। जलवायु या परिवर्तनशील
र (charging rate) संबंधी उच्च ताप का सामना
लिये कृत्रिम पृथक्कारक का उपयोग किया जाता है।

वैसे शीशे के तंतु या छिद्रिल
दिया जाता है। यह प्रबलन
पट्टिका के पार्श्व के विपरीत रखा जाता है। जब बैटरी अधिक
करती है, तब इसके जीवनकाल में यह प्रबलन सक्रिय पदार्थ
ह्रासक के नियंत्रण में सहायक होता है।

लेड अम्ल बैटरी में विद्युत् अपघट्य प्रायः तनु सल्फ्यूरि
अम्ल, जो बैटरी के आवेश की अवस्था के साथ साथ परिवर्ति
होता है, रहता है। जब बैटरी आवेशित रहती है, तब सल्फ्यू
रिक अम्ल की तनुता अधिक होती है और बैटरी के विसर्जित
जाने पर अम्ल सांद्र होता जाता है। जब बैटरियाँ पूर्णतः आ
शित रहती हैं, तब अधिकांश बैटरियों के विद्युत् अपघट्य
आपेक्षिक घनत्व लगभग १.२८० रहता है, लेकिन उष्ण जलवा
में यह घनत्व १.१२५ और ठंडी जलवायु में १.३०० रहता है
सामान्यतः, विद्युत् अपघट्य का १.१५ आपेक्षिक घनत्व इस बा
का द्योतक है कि बैटरी ६० प्रति शत विसर्जित हो चुकी है।

विसर्जन अभिक्रिया — जब संचायक आवेशित रहता है, उ
समय लेड, सी (Pb), ऋण पट्टिका और लेड ऑक्साइड
सी ओ$_2$ (PbO_2), धन पट्टिका का कार्य करता है। ये दोनों
पट्टिकाएँ सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत् अपघट्य में डूबी रहती हैं।
विसर्जन के समय सक्रिय पदार्थ तथा विद्युत् अपघट्य में रासायनिक
परिवर्तन होता है। ऋण पट्टिका का लेड दो इलेक्ट्रॉन, इ (e),
वंचित होता, जब कि धन पट्टिका का लेड ऑक्साइड दो इलेक्ट्रॉन
अर्जित करता है। ऋण पट्टिका पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है

सी → सी$^{++}$ + २इ, सी$^{++}$ + सं ओ$_4$ → सी सं ओ$_4$
[$Pb \rightarrow Pb^{++} + 2e$, $Pb^{++} + SO_4 \rightarrow PbSO_4$]

धन पट्टिका पर निम्नलिखित सयकालिक अभिक्रिया होती है :

सी ओ$_2$ + २ हा$^+$ → सी ओ + हा$_2$ ओ − २ इ
[$PbO_2 + 2H^+ \rightarrow PbO + H_2O - 2e$]

लेड मोनोऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर निम्न-
लिखित फल देता है :

सी ओ + हा$_2$ सं ओ$_4$ → सी सं ओ$_4$ + हा$_2$ ओ
[$PbO + H_2SO_4 \rightarrow PbSO_4 + H_2O$]

विसर्जन काल में धन और ऋण दोनों पट्टिकाएँ लेड सल्फेट से आच्छा-
दित हो जाती हैं। इस समय विद्युत् अपघट्य, अर्थात् सल्फ्यूरिक
अम्ल, का आपेक्षिक घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि कुछ सल्फ्यूरिक
अम्ल पानी में परिवर्तित हो जाता है।

आवेश अभिक्रिया — बैटरी के क्रियाशील रहते समय जिस
दिशा में धारा चलती है उसके विपरीत धारा प्रवाहित कर बैटरी
को आवेशित किया जाता है, जिसके कारण बैटरी अपनी मूल दशा
को पुनः प्राप्त कर लेती है, अर्थात् धन पट्टिका का लेड सल्फेट, लेड
ऑक्साइड की पूर्वावस्था में आ जाता है। इस प्रकार ऋण पट्टिका
पर हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इसकी अभिक्रिया
निम्नलिखित है :

[illegible]

[illegible]

यह पट्टिका पर अनेक छिद्रों को इकट्ठाकर युक्त करता है, जिसकी अभिक्रिया निम्नलिखित है :

[illegible]

चूँकि अधिक मात्रा में तो ये स्थायी नहीं हैं, अतः अंतिम अभिक्रिया [illegible] प्रकार होती है

[illegible]

सीसे की अभिक्रिया से विद्युत् अपघट्य का आयनिक घनत्व बढ़ जाता है। सीसे और सिल्फेट का एक उच्च घनत्व तक बनता रहता है, जब तक बैटरी की भौतिक संरचना विद्युत् अपघटन के कारण या पृथक्कारक पदार्थ के ऑक्सीकरण के कारण नष्ट नहीं हो जाती।

बैटरी की दक्षता तार के परिवर्तन से प्रभावित होती है। निम्न-ताप निम्न दक्षता का कारण होता है। बैटरी के आवेशित और विसर्जित होने की दर पर भी बैटरी की दक्षता निर्भर करती है। जब बैटरी धीरे धीरे आवेशित की जाती है और वह धीरे धीरे विसर्जित होती है, तब बैटरी की दक्षता अधिक होती है।

क्षारीय संचायक बैटरी — इस प्रकार की बैटरी में विद्युत् अपघट्य क्षार का जलीय घोल होता है। सर्वाधिक प्रचलित क्षारीय बैटरी एडिसन (Edison) सेल प्रकार की बैटरी है। यह बैटरी निकल-लोह क्षारीय प्रकार का सेल है। एक अन्य बैटरी निकल कैडमियम प्रकार की है।

इस बैटरी का विद्युत् अपघट्य पोटैशियम और लीथियम ऑक्साइड का जलीय विलयन है। इस विद्युत् अपघट्य से सक्रिय पदार्थ का किसी भी अवस्था में विघटन या विलयन नहीं होता। उच्च निकल ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड पर पोटैशियम और लीथियम हाइड्रॉक्साइड का अल्प परिमाण में अवशोषण होता है, लेकिन आवेशन तथा विसर्जन के संपर्क के दौरान विद्युत् अपघट्य के संघटन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। अतः विद्युत् अपघट्य का आपेक्षिक घनत्व एवं चालकता व्यवहारतः स्थिर रहती है। लीथियम हाइड्रॉक्साइड उच्च निकल ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड में सक्रिय पदार्थों को अत्यधिक उपयोगी कर देता है। लीथियम हाइड्रॉक्साइड के कारण बैटरी की दक्षता और जीवन में वृद्धि हो जाती है। अतः यह विद्युत् अपघट्य का अत्यावश्यक घटक है।

पट्टिकाएँ बनाने के लिये छिद्रित निकल इस्पात की नलियों या खानों (pockets) में सक्रिय पदार्थ भर दिए जाते हैं। घन पट्टिकाएँ, जो एक दूसरे के बगल में रखी रहती हैं, अनेक ऊर्ध्वाधर नलियों के रूप में रहती हैं। घन पट्टिका में इसके वैद्युत गुण को बढ़ाने के लिये, निकल हाइड्रेट के साथ फ्लेक निकल [illegible] स्तरों में भरा रहता है। नलियाँ, [illegible] वाले आठ वलयों से प्रबलित रहती हैं, जिस पर [illegible] पट्टिका [illegible] पट्टिका के [illegible] रहती है। [illegible] है कि ऋण पट्टिका में [illegible] के स्थान पर [illegible] विसर्जित लोह ऑक्साइड [illegible] पदार्थ के [illegible] है। ऋण एवं धन पट्टिकाएँ [illegible] और ऋण पट्टी [illegible] रहती हैं। ऐसा किसी के [illegible] के पेंदों में [illegible] किया जाता है। [illegible] के पुर्जे (washer) के [illegible] ऊपर जाल किया जाता है। [illegible] (p[illegible] का आधार होता है। [illegible] (back washer) तथा [illegible] पट्टिकाओं [illegible] एक दूसरे के बाद [illegible] जाता है। [illegible] तथा [illegible] विकल [illegible] है। पट्टि[illegible] को पूर्ण एलिमेंट (element) में संयोजित करते [illegible] पट्टिकाओं के समूह में धन पट्टिकाओं के समूह को [illegible] अधिक पट्टिका होती है। ऊर्ध्वाधर कठोर रबर सिरों (p[illegible] द्वारा, जो पट्टिकाओं की लम्बाई के बराबर होते हैं, प्रत्या[illegible] एवं धन पट्टिकाएँ विद्युत्रोधी बनाई जाती हैं। रबर [illegible] ऋण पट्टिकाओं के बाह्य भागों को पात्र के प्रति विद्युत्रोधी [illegible] है। कठोर रबर संरचना द्वारा पट्टिकाओं के सिरों तथा सि[illegible] विद्युत्रोधन होता है। यह संरचना सिरों का पृथक्करण [illegible] और पट्टिकाओं के पतिबंधन को ठीक रखती है। इस बरत[illegible] अधिकतर ऐसा होता है कि विद्युत् अपघट्य [illegible] परिसंचरण [illegible] होता है।

निकल-लोह-क्षारीय सेल का पात्र निकल इस्पात का [illegible] जाता है, क्योंकि इस्पात पर पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड (वि[illegible] अपघट्य) की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सेल संचयी बैटरी की रहती है। इस्पात के वलयों से प्रसारित और कठोर र[illegible] के छल्लों या ग्लैंड कैपों (gland caps) से पोल पीस [illegible] विद्युत्रोधन उन स्थानों पर होता है जहाँ से पोल आन्ध्र[illegible] से बाहर निकलता है। संपूर्ण सेल को विद्युत्रोधी पेंट से रंग दि[illegible] जाता है। सेल के शीर्ष पर रोधित पेट्रोलियम जेली का छिल[illegible] दिया जाता है। नट को कसने से संयोजक सुरक्षित हो जाते हैं। नट को ढीला करके जैक द्वारा हटाया जाता है।

कठोर लकड़ी की ट्रे में निकल-लोह-क्षारीय सेल को बैटरी के रूप में समायोजित किया जाता है। यह समायोजन प्रत्येक सेल को अपने स्थान पर रखता है और दे तथा समस्त सेलों के प्रति सेल को विद्युत्रोधी बनाता है।

संचायक सेल के सक्रिय पदार्थ विद्युत् का संचय नहीं करते, पर विद्युत् ऊर्जा के उपयोग से इन सक्रिय पदार्थों में इस प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनसे वे विद्युत् ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। बैटरी को आवेशित करने पर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत् अपघट्य पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड, २ पो ओ ह (2 KOH), २ पो$^+$ (2K)$^+$ और २ओ [illegible] (2OH)$^-$ में आयनित हो जाता है। फेरस ऑक्साइड, जो ओ (Fe O), की बनी ऋण पट्टिका पर होनेवाली अभिक्रिया [illegible]

की बनी धन पट्टिका पर होनेवाली अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरणों से क्रमशः व्यक्त की जा सकती है :

$$\text{लो औ} + \text{हा}_2\text{ औ} + 2\,\text{पो}^+ \rightarrow \text{लो} + 2\,\text{पो औ हा} + 2\text{इ}$$

$$2\,\text{पो औ हा} \xrightarrow{\text{आयनीकृत}} 2\,\text{पो}^+ + 2\,\text{औ हा}^-$$

$$\text{नि औ} + 2\,\text{औ हा}^- + \text{हा औ} \rightarrow \text{नि औ}_2 + \text{हा औ}_2 - \text{इ}$$

$$[\text{FeO} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{K}^+ \rightarrow 2\,\text{KOH} + 2e$$

$$2\,\text{KOH} \xrightarrow{\text{ionizing}} 2\text{K}^+ + 2\text{OH}^-$$

$$\text{NiO} + 2\text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NiO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} - 2e\,]$$

जब सेल विसर्जित होता है, तब ऋण एवं धन पट्टिका पर निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन होता है :

$$\text{लो} + 2\,\text{औ हा}^- \rightarrow \text{लो औ} + \text{हा}_2\text{ औ} - 2\text{इ}$$

$$2\,\text{पो औ हा} \xrightarrow{\text{आयनीकृत}} 2\,\text{पो}^+ + 2\,\text{औ हा}^-$$

$$\text{नि औ}_2 + \text{हा}_2\text{ औ} + 2\,\text{पो}^+ \rightarrow \text{नि औ} + 2\,\text{पो औ हा} + 2\text{इ}$$

$$[\text{Fe} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{FeO} + \text{H}_2\text{O} - 2e$$

$$2\,\text{KOH} \xrightarrow{\text{ionizing}} 2\text{K} + 2\,\text{OH}$$

$$\text{NiO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{K} \rightarrow \text{Ni O} + 2\text{KOH} + 2e]$$

प्रत्येक सेल की, ५ घंटे में, सामान्य औसत विसर्जन दर लगभग १.२० वोल्ट होती है, जबकि लेड एसिड बैटरी की विसर्जन दर २ वोल्ट है। अतः एक ही वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये लेड सेल की अपेक्षा एडिसन सेल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। वैद्युत परीक्षण द्वारा बैटरी का आवेश निर्धारित किया जाता है। हाइड्रोमीटर के पाठ्यांक के द्वारा आवेश निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विद्युत् अपघटन में आदेशिक घनत्व आवेश की अवस्था के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता। [अ० ना० मे०]

संचित लाभांश (Accumulated Dividend) सबसी पूर्वाधिकार अंशों (Cumulative preference shares) पर न दिया जा सकनेवाला लाभांश, जिसे कंपनी को भविष्य में देना होता है, संचित लाभांश कहलाता है। कंपनियाँ बहुधा पूर्वाधिकार अंश निर्गमित करती हैं जिन्हें लाभांश की एक निश्चित दर पर मिलने का (और कभी कभी कंपनी के निस्तार के समय पूँजी वापस पाने का) पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी वर्ष पर्याप्त लाभ न हुआ तो इन अंशों पर आश्वासित दर का लाभांश घोषित नहीं हो पाता, और अदत्त लाभ संचित होता रहता है। भविष्य में जब भी लाभ होता है, तब सबसे पहले उसमें से संचित लाभांश का भुगतान करना पड़ता है। [अ० ना० अ०]

संजय इस नाम के दो व्यक्ति हुए हैं — (१) उज्जयिनी का एक राजा जिसकी कन्या वासवदत्ता थी। (२) धृतराष्ट्र का प्रसिद्ध मंत्री तथा सारथी जो महाभारत के पूर्व पांडवों के पास दूत बनाकर भेजा गया था। गवल्गण का पुत्र होने से इसे गावल्गणि भी कहते हैं। इसी के मुख से धृतराष्ट्र को भगवद्गीता सुनाई गई है। [रा० द्वि०]

संजीवनी विद्या संजीवनी या मृतसंजीवनी विद्या का उल्लेख आयुर्वेद और पुराणों में मिलता है। असुर पुरोहित शुक्राचार्य इस विद्या के बल पर मरे हुए दानवों को जीवित कर देते थे (आदिपर्व ७६।८), यह प्रसिद्ध है। ब्रह्माण्ड पुराण में 'मृतसंजीवनी विद्या यो वेद मुनिदुर्लभाम्' कहकर इस तथ्य को पुष्ट किया गया है। आयुर्वेद में 'मृतसंजीवनी रस' प्रसिद्ध है — मृतसंजीवनी नाम रसोऽयं शंकरोदितः', 'मृतसंजीवन एवं ब्राह्मणा कथित पुरा' इत्यादि वाक्य इस प्रसंग में द्रष्टव्य हैं। मत्स्य पुराण २४६।६ से जाना जाता है कि उशना (शुक्र) ने यह विद्या महेश्वर से सीखी थी। वस्तुतः भारत की यह विद्या (जो मृत या मृतप्राय को पुनः सजीवित कर सकती है) अत्यंत प्राचीन है।

वायु पुराण ४९।३५ में कहा गया है कि द्रोण नामक पर्वत में अनेक बलकारक ओषधियाँ, विशल्यकरणी एवं मृतसंजीवनी ओषधि, मिलती हैं। रामायण (युद्धकांड ३०।२९-३२ दाक्षिणात्य पाठ) में भी ऐसा निर्देश मिलता है। यह द्रोण पर्वत क्षीरोद समुद्र के पास है। कोई कोई आधुनिक गवेषक इस समुद्र को कास्पियन सागर समझते हैं। [रा० यं० अ०]

संततिनिरोध (Birth Control) शब्द का अर्थ है संतान की उत्पत्ति को रोकना। किंतु अब इसका अर्थ कुछ विस्तृत हो गया है। संतानोत्पत्ति को रोकने के साथ संतान को इस क्रम से उत्पन्न करना कि उनमें कुछ वर्षों का, कम से कम दो वर्षों का, अंतर रहे, यह भी इस शब्द के अंतर्गत समझा जाता है, और बहुधा इस शब्द के स्थान पर 'परिवारनियोजन' शब्द का प्रयोग किया जाता है। संसार के सभी मातृकला तथा स्त्रीरोग विषयों के विद्वान् इसपर सहमत हैं कि संतान और माता दोनों के स्वास्थ्य के लिये तथा बच्चों के उचित परिपालन, शिक्षा तथा आवश्यक सुविधाओं के लिये दो बच्चों के जन्म में पाँच वर्ष का अंतर होना उचित है। दो वर्ष का तो न्यूनतम समय रखा गया है।

प्राचीन लेखों से पता चलता है कि उस समय भी इसका महत्व समझा जाता था और प्रायः प्रत्येक युग और जाति में संततिनिरोध का प्रयत्न किया गया था। इसके लिये ओषधियाँ, तंत्रमंत्र, तथा यांत्रिक साधनों से गर्भपात कराने की विधियों का भी प्रयोग किया जाता था। सबसे प्राचीन लेख इस संबंध में मिस्र देश के पैपिरस लेखों में (१८२० ई० पू० के लगभग) पाया जाता है। अरस्तू, हिपोक्रेटीज तथा सेक्स्टस के लेखों में (सन् ९८-११८) इस विषय की चर्चा की है। मालथस ने सन् १७९८ में प्रकाशित अपनी जनसंख्या (पॉपुलेशन) संबंधी निबंध पुस्तक में संतति-

निरोध के प्राकृतिक उपायों का समर्थन किया है। उसके पश्चात् ही इंग्लैंड और अमरीका में कितने ही क्रांतिकारी लेखकों ने, विशेषकर फ्रांसिस प्लेस ने, सन् १८२२ में और रिचर्ड कारलाइल ने सन् १८२५ में इंग्लैंड में, और रॉबर्ट हेल ब्रोवन ने सन् १८३१ में, अमरीका में इस संबंध में उग्र आंदोलन किया था। जनता में संततिनिरोध की आवश्यकता तथा उसके लाभ का जोरों से प्रचार किया। इंग्लैंड में सन् १८७७ में डॉक्टर ऐनी बेसेंट ब्रेडलॉ के मुकदमे से इस आंदोलन को विशेष प्रोत्साहन मिला। श्रीमती ऐनी बेसेंट और चार्ल्स ब्रेडलॉ कई वर्ष पूर्व से संततिनिरोध का जनता में प्रचार कर रहे थे। सन् १८७७ में उनपर जनता में डॉक्टर चार्ल्स नोल्टन की लिखी हुई 'फ्रूट्स ऑव फिलॉसोफी' नामक पुस्तिका की प्रतियाँ बेचने का आरोप लगाया गया और सरकार की ओर से मुकदमा चला। इस मुकदमे से संततिनिरोध के उपायों का जनता में जितना प्रचार हुआ, उतना उससे पूर्व नहीं हुआ था। उसी के पश्चात् माल्थस लीग की स्थापना हुई, जिसने इस विषय संबंधी एक पत्रिका निकाली। इससे संततिनिरोध के उपायों का जनता में प्रचार किया गया। इसी प्रकार की संस्थाएँ फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम तथा अन्य देशों में खुल गईं। डॉक्टर मेरी स्टोप्स (इंग्लैंड) की अनेक पुस्तकों और लेखों द्वारा इस विषय के ज्ञान का बहुत प्रचार हुआ और सभी देशों में संततिनिग्रह की भावनाओं की जड़ जम गई। कई स्थानों में अन्वेषण केंद्र भी खोल दिए गए।

अमरीका में मिसेज मार्गरेट सेंगर ने इस संबंध में बहुत बड़ा कार्य किया। बर्थ कंट्रोल का शब्द पहले इन्होंने ही प्रयोग किया (सन् १९१४-१५)। गरीब स्त्रियों और उनकी बहुत सी संतानों की दशा देखकर श्रीमती सेंगर का हृदय पिघल गया। उन स्त्रियों को न रहने का उपयुक्त स्थान था, न पर्याप्त भोजन ही मिलता था। बच्चों को भोजन तक का अभाव था, पहनने के वस्त्रों की कौन कहे। तो भी उनको संतान होती जाती थी। प्रत्येक बच्चे के माने थे अधिक व्यय। इन सबका परिणाम था बच्चों की मृत्यु, क्योंकि चिकित्सा या सुश्रूषा का कोई साधन न था।

इस दारुण दयनीय दशा को देखकर श्रीमती सेंगर ने निश्चय कर लिया कि उन स्त्रियों के दुःख को मिटाने का एकमात्र रास्ता उनकी संतानोत्पत्ति को घटाना था। सन् १९१६ में इन्होंने पहला क्लिनिक ब्रूम्सविल जिले में खोला, जिसको पुलिस ने अवैध बताकर बंद कर दिया और श्रीमती सेंगर जेलखाने में डाल दी गईं। बहुत दिनों तक मुकदमा चला। किंतु अंत में अदालत ने इनको मुक्त कर दिया और पूर्व कार्य करने की आज्ञा भी दे दी। सन् १९२१ में इन्होंने न्यूयार्क में बर्थ कंट्रोल कॉन्फरेंस बुलाई और उसके पश्चात् ही बर्थ कंट्रोल लीग की स्थापना की, जिसका इनको अध्यक्ष चुना गया। सन् १९२३ में इन्होंने एक अन्वेषण केंद्र भी खोला। इसके पश्चात् "लीग फॉर पेरेंटहुड फेडरेशन" खोला गया, जिसकी अब तक लगभग ६०० शाखाएँ खुल चुकी हैं। भारत में आर्थिक कठिनाइयों के कारण विशिष्ट समुदाय कुछ समय से संततिनिरोध की आवश्यकता अनुभव करने लगा है और अनुभवता मिलने के पश्चात् खाद्य के संकट के कारण भारत सरकार को जनता की संख्या को परिमित करने के लिये संततिनिरोध को वर्धित बनाने के उद्देश्य से विशेष आयोजन करना पड़ा है। जनसंख्या प्रति वर्ष ४५ लाख बढ़ जाती है। इस गति से ५० वर्षों में यहाँ की जनसंख्या दुगनी हो जायगी। इसी खाद्य उत्पत्ति का दुगना हो जाना असंभव है। अतएव सभ्य जातियों को भोजन देने के लिये एकमात्र यही उपाय है कि संख्या की वृद्धि को रोकने के उपाय किए जायँ। इसी लिए सरकार ने संततिनिरोध के उपायों के प्रचार का प्रबंध किया और प्रायः सभी प्रदेशों के बड़े बड़े नगरों में ऐसे केंद्र खोले जहाँ से आवश्यक उपायों के ज्ञान का प्रसार किया जा सके और जनता को इसकी आवश्यकता समझाई जा सके।

वास्तव में यह प्रश्न इस समय भूमंडल के सभी देशों में और सभी के सामने यही समस्या है। अतएव संततिनिरोध सर्वव्यापी आंदोलन हो गया है।

संततिनिरोध के उपाय

संततिनिरोध के जितने उपाय हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि पुरुष के शुक्राणु का स्त्री की अंडकोषिका से संयोग न होने पाए, जिससे गर्भ की स्थापना न होने पाए। अतएव निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जाता है.

(१) विधान (Sheath) — ये शिश्न के आकार के रबर के थैले होते हैं, जिनको मैथुन के पूर्व शिश्न पर चढ़ा लिया जाता है। अपूर्ण मैथुन के अतिरिक्त अन्य उपायों की अपेक्षा अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इस प्रयोग में कुछ सफलता मिलती है, किंतु इसको अचूक विधि नहीं कहा जा सकता। मैथुनक्रिया में कभी कभी रबर फट जाता है। फिर

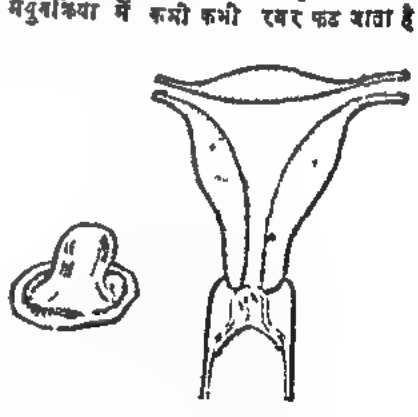

चित्र १. विधान का उपयोग

लोग इसका प्रयोग करना पसंद नहीं करते। उनका कथन है कि विधान के प्रयोग से मैथुन के समय की भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं।

विधान सदा और मोटे रबर का होना चाहिए। केवल विश्वसनीय दुकानों से इसे लेना चाहिए। विधान को प्रयोग करते समय उसमें कोई शुक्राणुनाशक वस्तु (क्रीम) भर देनी चाहिए। जिन विधानों में आगे एक छोटी नली सी बनी होती है, वे अधिक उपयुक्त होते हैं। स्खलन के पश्चात् [illegible] में भर जाता है।

इस टोपी की उपयोगिता योनिमार्ग के आकार और भित्तियों की दृढ़ता पर निर्भर है। योनि की भित्तियाँ ही टोपी को संभाले रहती है। यदि वे ढीली हैं या गर्भाशयद्वार के सामने अवस्थित के पीछे की ओर, मूत्राशयभ्रंश आदि के कारण, पर्याप्त स्थान नहीं है, तो यह टोपी अपने स्थान में नहीं टिकेगी, या मैथुन के समय हट जाएगी।

(ख) ड्यूमा की टोपी — यह डच टोपी से छोटी और उथली होती है। इस कारण जब गर्भाशय की ग्रीवा लंबी या बड़े आकार की हो, तब उसपर यह टोपी ठीक नहीं बैठती। यदि ग्रीवा पीछे को मुड़ी हो, या सीधी हो, तो भी यह टोपी उपयुक्त नहीं है; मैथुन के समय वह हट सकती है। जिनमें मूत्राशयभ्रंश या गुदभ्रंश हो उनके लिये यह उपयुक्त है। इसको निकालना भी कठिन होता है। यह टोपी तीन आकारों में बनाई जाती है, जो वृहत्, मध्यम और लघु कहलाते हैं।

(ग) ग्रीवा की टोपी (Cervical cap) — ये टोपियाँ गर्भाशय की ग्रीवा पर बैठ जाती है। इस कारण ये योनिमार्ग की भित्ति पर आश्रित नहीं रहती। ये पाँच आकारों की बनाई जाती हैं, जिनके नंबर ०, १, १, २ और ३ हैं। इस प्रकार की टोपी केवल उन स्त्रियों को प्रयुक्त करनी चाहिए जिनमें गर्भाशय की ग्रीवा बड़ी हो और ग्रीवा पर व्रण या शोथ के कोई चिह्न न हों। इसमें सुगमता यह है कि इसको लगाना सहज है और गर्भाशय के भ्रंश की दशा में भी प्रयुक्त हो सकती है। इसमें दोष यह है कि यह मैथुन के समय हट सकती है। यदि गर्भाशय में, या ग्रीवा में, कुछ शोथ हुआ, तो उनका स्राव टोपी के भीतर ही रह जाता है जो हानिकारक है।

(घ) मध्यपट या डायाफ्राम — टोपियों के समान डायाफ्राम भी रबर, या प्लास्टिक का बना, छतरी सा होता है, जो योनिनलिका के ऊपर के छोर (अंत) पर, आर पार, लगा दिया जाता है, जिससे वह गर्भाशय के मुख को ढँकने के अतिरिक्त, उसके चारों ओर तक के क्षेत्र तक पहुँचने के मार्ग को भी बंद कर देता है। इसको मैथुन के पूर्व लगाया जाता है और मैथुन के आठ घंटे पश्चात् तक नहीं निकाला जाता। उसके पश्चात् निकालकर और साबुन और जल से स्वच्छ करके और पाउडर लगाकर, रख दिया जाता है। इसका फिर प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ किसी पुक्रानुनाशक जेली का प्रयोग करना चाहिए। यह एक विश्वस्त विधि है, किंतु इसको लगाने में सावधानी आवश्यक है। ठीक प्रकार से न लगने पर यह निरर्थक हो जायगा।

साधारण सिद्धांत — इन सब प्रकार की टोपियों के प्रयोग के सिद्धांत समान हैं। इनको लगाने की विधियों को सीखने की आवश्यकता होती है। सरकार की ओर से खुले हुए केंद्रों में यह शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।

निश्चित सफलता की प्राप्ति के लिये एक से अधिक विधियों का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। टोपियों के साथ पुक्रानुनाशक मरहम का प्रयोग किया जाय। टोपी लगाने के पूर्व उसके किनारे पर मरहम लगा दिया जाय तथा टोपी के भीतर भी भर दिया जाय। मैथुन से कुछ समय पूर्व, ऐसे मरहम से भरकर, टोपी लगा दी जाय और मैथुन के समय योनिवस्ति में किसी वेगों

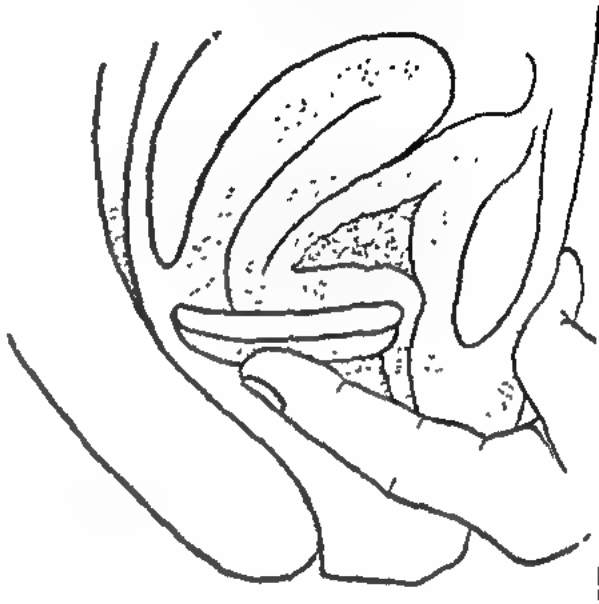

चित्र ४ डायाफ्राम का लगाना

भी योनि में प्रविष्ट कर दिया जाय। इससे गर्भस्थापना की संभावना नहीं रहती।

टोपी को मैथुन के ८, १० घंटे पश्चात् तक लगाए रखना उचित है। १८ घंटे से अधिक समय तक टोपी न लगी रहनी चाहिए। टोपी को निकाल कर, साबुन से धोकर और सुखाकर तथा शरीर पर लगानेवाले सामान्य पाउडर को लगाकर, रख देना चाहिए।

अब टोपियों का स्थान डायाफ्राम और जेली अथवा क्रिमिनाशक ने ले लिया है, जिनका प्रयोग अधिक सरल है।

(६) निर्भय काल (Safe period) — यह पाया गया है कि अंडधारण (अंडकोषिका का अंडग्रंथि से निकलना) आर्तव के समय नहीं होता। किंतु आर्तवों के अंतर्काल में आर्तव के पश्चात् १४ वें से २० वें दिन के बीच में होता है और अंडकोषिका १४ घंटे से अधिक संसेचन के योग्य नहीं रह पाती। शुक्राणु की संसेचन शक्ति भी तीन चार दिन में नष्ट हो जाती है। अतएव आर्तव के पूर्व का सप्ताह 'निर्भय काल' कहलाता है, जिसमें गर्भस्थापना का भय नहीं रहता। जिन स्त्रियों को अन्य विधियों के उपयोग में कोई बाधा होती है, उनके लिये केवल यही विधि उपयुक्त है।

यह विधि केवल उन्हीं स्त्रियों में विश्वसनीय है जिनका आर्तव-चक्र सदा एक समान २८ दिन का होता है। इस काल के बढ़ जाने से, अंडधारण के समय में भी घटाबढ़ी हो सकती है।

कुछ और विधियाँ भी काम में लाई जाती थीं। स्त्रीजननांग को दूध, सिरका का प्रयोग, योनि के संकोचक (जिससे शरीर में शुक्राणुओं को कठिनाई उत्पन्न हो जाय), अंड और अंडग्रंथि पर दाब डालकर

डालना, जिससे अस्थायी वंध्यता उत्पन्न हो जाए, आदि विधियाँ, अब केवल ऐतिहासिक महत्त्व की बातें हैं।

(७) स्त्री में अंडवाहिकाओं या फालोपियो-नलिकाओं के तथा

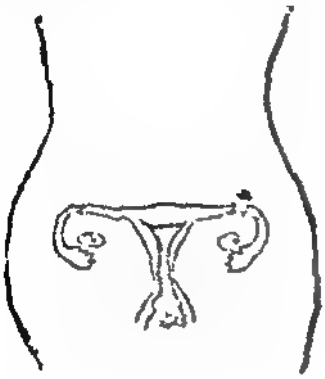

चित्र ५. ऊफोरेक्टोमी (Oophorectomy)
अंडवाहिका का बंधन तथा उच्छेदन।

पुरुष में शुक्रवाहिका नलिकाओं के छेदन और बंधन (क्रमशः Ligature of fallopian tubes and Vasectomy) से गर्भ-धारणा की तनिक भी संभावना नहीं रहती। इस शल्यकर्म से शुक्राणु

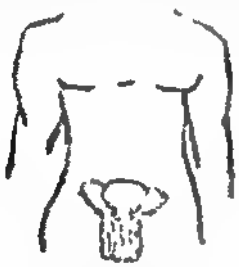

चित्र ६. वासेक्टोमी (Vasectomy)
और अंडकोषिका का संबंध समाप्त हो जाता है और फिर संतान होने की संभावना सदा के लिये मिट जाती है।

(८) लूप — यह गर्भनिरोध की एक नई विधि है, जिसका आविष्कार कुछ वर्ष पूर्व हुआ है और तभी से इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। यह प्लास्टिक की बनी एक नली होती है, जिसको गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया जाता है। इसको एक डाक्टर द्वारा

चित्र ७. लूप
गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया जाता है। यह पुरुषों का विकल्प विधि पाई गई है और संसार के सभी देशों की स्त्रियों द्वारा प्रयोग की जा रही है। लूप गर्भाशय में तब तक लगा रहता है, जब तक दंपति संतान नहीं उत्पन्न करना चाहें। यदि दंपति संतान के इच्छुक होते हैं, तो वे डाक्टर से लूप को निकलवा सकते हैं और तभी वे गर्भवती कर सकती हैं। लूप को गर्भाशय में रखने के लिये किसी आपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। डाक्टर को लूप को गर्भाशय में रखने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इसमें पेशू में कोई बाधा नहीं पड़ती है। कुछ स्त्रियों में आरंभ में रक्तस्राव दो चार दिन तक हो सकता है, अथवा लूप लगाने पर प्रथम मासिक में अधिक स्राव होता है, किंतु यह बाद रखने पर शीघ्र ठीक हो जाता है। सरकार की ओर से जो अनेक परिवार-नियोजन-केंद्र स्थापित हैं, उनमें निपुण डाक्टर लूप लगाने के विशेषज्ञ नियुक्त होते हैं।

(९) गर्भनिरोधक गोलियाँ — इन गोलियों का उपयोग गर्भ-निरोध की अत्युत्तम विधि है। इन गोलियों का सभी देशों में प्रचुर उपयोग किया जा रहा है। इनका प्रभाव अंडग्रंथि से अंड के बाहर आने (अंडमोचन) पर होता है। एक गोली नित्य खानी होती है। परिवार नियोजन-केंद्र के डाक्टर से गोलियों का पैकेट मिलता है, जिसमें २१ सफेद और दूसरी गोलियाँ होती हैं। २१ दिन तक एक सफेद गोली नित्य दिन तक और उसके पश्चात् ७ दिन तक दूसरी रंगी गोली खानी होती है। गर्भ का निरोध करने के अतिरिक्त, इन गोलियों से मासिक के साधारण दोष, मासिक में पीड़ा, मासिक का बंद या अधिक से न होना, आदि भी दूर हो जाते हैं। साधारण इन गोलियों से कोई कष्ट नहीं होता। कुछ स्त्रियों को सिर दर्द आदि हो सकता है, किंतु यह शीघ्र ही जाता रहता है। जिन स्त्रियों को हृदय, यकृत, या रक्त संबंधी रोग हों, उनको ये गोलियाँ नहीं खानी चाहिए। मासिक के कारण से चार दिन के पश्चात्, पाँचवें दिन से गोलियाँ खानी आरंभ की जाएँ।

(१०) कुछ इंजेक्शन के रोग भी [illegible] किए गए हैं, किंतु वे अभी अन्वेषणाधीन ही हैं।

उपर्युक्त उपाय कुछ स्थितियों में काम आ सकते हैं, किंतु वे सभी सफल ही हों।

[illegible] — [illegible]

[illegible]

[illegible]-इंजेक्शन (C[illegible]) [illegible]

[illegible]

इस टोपी की उपयोगिता योनिमार्ग के आकार और भित्तियों की दृढ़ता पर निर्भर है। योनि की भित्तियाँ ही टोपी को सँभाले रहती हैं। यदि वे ढीली हैं या गर्भाशयद्वार के सामने भगास्थि के पीछे की ओर, मूत्राशयभ्रंश आदि के कारण, पर्याप्त स्थान नहीं है, तो यह टोपी अपने स्थान में नहीं टिकेगी, या मैथुन के समय हट जाएगी।

(ख) ड्यूमा की टोपी — यह डच टोपी से छोटी और उथली होती है। इस कारण जब गर्भाशय की ग्रीवा लंबी या बड़े आकार की हो, तब उसपर यह टोपी ठीक नहीं बैठती। यदि ग्रीवा पीछे को मुड़ी हो, या सीधी हो, तो भी यह टोपी उपयुक्त नहीं है; मैथुन के समय वह हट सकती है। जिनमें मूत्राशयभ्रंश या गुदभ्रंश हो उनके लिये यह उपयुक्त है। इसको निकालना भी कठिन होता है। यह टोपी तीन आकारों में बनाई जाती है, जो वृहत्, मध्यम और लघु कहलाते हैं।

(ग) ग्रीवा की टोपी (Cervical cap) — ये टोपियाँ गर्भाशय की ग्रीवा पर बैठ जाती हैं। इस कारण ये योनिमार्ग की भित्ति पर आश्रित नहीं रहतीं। ये पाँच आकारों की बनाई जाती हैं, जिनके नंबर ०, १, १, २ और ३ हैं। इस प्रकार की टोपी केवल उन स्त्रियों को प्रयुक्त करनी चाहिए जिनमें गर्भाशय की ग्रीवा बड़ी हो और ग्रीवा पर व्रण या शोथ के कोई चिह्न न हों। इसमें सुगमता यह है कि इसको लगाना सहज है और गर्भाशय के भ्रंश की दशा में भी प्रयुक्त हो सकती है। इसमें दोष यह है कि यह मैथुन के समय हट सकती है। यदि गर्भाशय में, या ग्रीवा में, कुछ शोथ हुआ, तो उसका स्राव टोपी के भीतर ही रह जाता है जो हानिकारक है।

(घ) मध्यपट या डायाफ्राम — टोपियों के समान डायाफ्राम भी रबर, या प्लास्टिक का बना, कटोरी का होता है, जो योनिनलिका के ऊपर के छोर (फ़ोर्निक्स) पर, कार पार, लगा दिया जाता है, जिससे यह गर्भाशय के मुख को ढँकने के अतिरिक्त, उसके चारों ओर तक के शोथ तक पहुँचने के मार्ग को भी बंद कर देता है। इसको मैथुन के पूर्व लगाया जाता है और मैथुन के आठ घंटे पश्चात् तक नहीं निकाला जाता। [illegible] निकालकर और साबुन और [illegible] से धोकर, रख दिया जाता है। इसका फिर प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ किसी शुक्रनाशक जेली का प्रयोग करना चाहिए। यह एक विश्वस्त विधि है, किंतु इसको भरने में [illegible] है। ठीक प्रकार से [illegible] यह विधि [illegible]।

[illegible] — इस [illegible] प्रकार की टोपियों के समान [illegible] है। इसका [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] है।

[illegible]

जाय। मैथुन से कुछ समय पूर्व, ऐसे मरहम से [illegible] लगाया जाय और मैथुन के समय योनिवर्त्ति या [illegible]

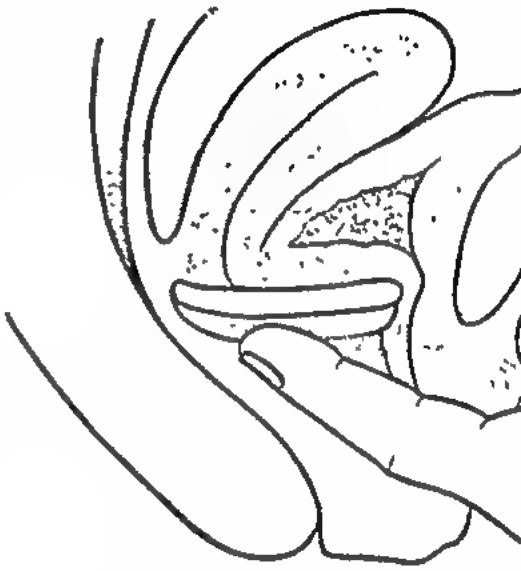

चित्र ४ डायाफ्राम का लगाना

भी योनि में प्रविष्ट कर दिया जाय। इससे गर्भस्थापना की [illegible] नहीं रहती।

टोपी को मैथुन के ६, १० घंटे पश्चात् तक लगाए [illegible] उचित है। १८ घंटे से अधिक समय तक टोपी न [illegible] चाहिए। टोपी को निकाल कर, साबुन से धोकर और [illegible] तथा शरीर पर लगानेवाले सामान्य पाउडर को लगाकर [illegible] देना चाहिए।

अब टोपियों का स्थान डायाफ्राम और जेली अथवा [illegible] ने ले लिया है, जिसका प्रयोग अधिक सरल है।

(६) विघ्न काल (Safe period) — यह [illegible] अंडस्राव (अंडकोशिका का अंडाशय से निकलना) [illegible] समय नहीं होता। किंतु मासिक के अंडस्राव में आर्तव के [illegible] १४ से १० वें दिन के बीच में होता है और अंडकोशिका [illegible] के अधिक अवेचन के योग्य नहीं रह पाती। [illegible] मासिक की [illegible] चार दिन में नष्ट हो जाती है। [illegible] पूर्व का अंडाणु [illegible] है, जिसके [illegible] नहीं रहता। [illegible] है, [illegible] है।

यह विधि [illegible] है जिसका [illegible] एक दिन का होता है। [illegible] के [illegible] हो सकती है।

[illegible]

विष्ठा अवस्थाओं (O, [illegible])
[illegible]

खेती के लिये उपयुक्त है। उत्तरी उत्तर प्रदेश में संतरे की फसल अच्छी नहीं होती।

संतरा समशीतोष्ण और कम उष्ण प्रदेशों में सफलता से पैदा होता है। जलवायु के साथ साथ इसकी सफल खेती के लिये उपयुक्त भूमि का होना भी अत्यंत आवश्यक है। संतरे के लिये हलकी दुमट भूमि, जिसमें चूने की मात्रा भी हो, सबसे उत्तम मानी जाती है। अधिक रेतीली जमीन उपजाऊ नहीं होती और संतरे के लिये खराब है। अधिक चिकनी मिट्टीवाली जमीन में पानी ठहरता है और यह भी संतरे के लिये बहुत उपयुक्त नहीं होती। संतरे के लिये जमीन चुनते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए

(१) भूमि में कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, (२) निचली सतह, अर्थात् ४, ५ फुट गहराई में, कंकड़ या पत्थर आदि की सतह नहीं होनी चाहिए, (३) पानी की सतह बहुत ऊँची नहीं होनी चाहिए। नहर आदि के किनारे, जहाँ पानी बहुत कम गहराई में होता है, संतरा अच्छा नहीं फलता, (४) निचली सतह में बहुत चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी का निकास अच्छा नहीं होता तथा (५) ऐसी जमीन जहाँ वर्षाकाल में पानी भरता है, संतरा लगाने के लिये नहीं चुननी चाहिए। पानी भरने से संतरे की जड़ें गलकर खराब होने लगती हैं।

संतरे को काफी पानी की आवश्यकता होती है। यदि कुएँ के पानी से सिंचाई की जाती है, तो यह देख लेना चाहिए कि पानी खारा तो नहीं है। खारे पानी से संतरे के पेड़ों को हानि पहुँचती है।

ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रखकर ही संतरा लगाने के लिये भूमि को चुनना चाहिए। यदि भूमि और स्थान संतरे के लिये उपयुक्त न हों, तो वहाँ संतरा लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। पेड़ लगाने से पहले भूमि को ठीक करना पड़ता है। यदि उसमें पहले काश्त होती रही है, तो अधिक काम नहीं रहता। नई जमीन हो, तो पहले पूरे क्षेत्र की सफाई करनी चाहिए। जंगली झाड़ियाँ आदि काट फेंकना चाहिए। फिर पूरी जमीन की गहरी जुताई कर देना चाहिए। यह काम मई, जून में करना चाहिए। इससे पूरी भूमि के घासफूस की सफाई हो जाती है। यदि जमीन की सतह ठीक न हो, तो उसे भी सिंचाई की नालियों की सुविधा देखते हुए ठीक कर लेना चाहिए। इसके बाद वर्गाकार रूप में पूरे खेत में २० फुट के अंतर से गोल गड्ढे खोद लेना चाहिए। गड्ढों की गहराई तीन फुट और गोलाई भी तीन फुट होनी चाहिए। वर्षा प्रारंभ होने पर, गड्ढों को मिट्टी से फिर भर देना चाहिए। भरने से पहले, कंकड़, पत्थर आदि मिट्टी से निकाल लेना चाहिए। प्रति गड्ढे में लगभग ३० सेर सड़े गोबर की खाद और पाँच सेर हड्डी का बुरा मिलाकर भर देना चाहिए। अब गड्ढे पेड़ लगाने के लिये तैयार हो गए। दो पानी पड़ जाने के बाद उनमें पेड़ लगा देना चाहिए।

किस्मों का चुनाव — केवल वे ही किस्में लगानी चाहिए जिनकी बाजार में खपत हो। जलवायु के अनुसार निम्नलिखित किस्में चुननी चाहिए : गर्म जिलों के लिये — १. कोंडानेरम, २. मैंडरीन इंडोरियस तथा ३. केवला।

ठंडे प्रदेशों के लिये — १. श्रीनगर, २ तथा ३. किन्नू।

पेड़ों का चुनाव — संतरे के पेड़ चार्मा बढ़ाकर तैयार हैं। खट्टे का बीज बोकर जमीन (स्टाक) तैयार कर संतरे की किस्मों के पेड़ बनाते हैं।

चाहे कुछ अधिक मूल्य देना पड़े, सदा भरोसे की जगह से पेड़ अच्छे मिलें, लेना चाहिए। अधिक पुराने या छोटे, पीली पत्तियोंवाले पेड़ नहीं लेने चाहिए।

बाद की देखभाल — सदा आवश्यकतानुसार सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए। फल बैठाने के बाद पानी न होनी चाहिए। पेड़ के तने से फूटकर बढ़नेवाले अंकुर (suckers) को सदा काटते रहना चाहिए।

प्रतिवर्ष थालों की गुड़ाई करना चाहिए। साथ ही उन्हें मिला देनी चाहिए। प्रारंभ में दी गई खाद के अलावा, प्रति की उमर बढ़ने के साथ निम्नलिखित खाद भी बढ़ाकर चाहिए :

गोबर की खाद, दो सेर; अमोनियम सल्फेट, एक पाव; हड्डी खाद, एक पाव तथा लकड़ी की राख, दो पाव।

किसी भी बीमारी के, अथवा कीड़ा, लगते ही जाँच कर उचित दवा के छिड़काव आदि का प्रबंध करना चाहिए।

संतरे के फल को वनस्पति विज्ञानी नारंगक (hesperidium) कहते हैं, यद्यपि साधारण व्यक्ति इसे नारंगी के नाम से ही जानते हैं। फल के मध्य में मज्जा (pith) का बना मुलायम अंश होता है। फल में १० से १२ फाँकें पिथ (pith) को घेरे रहती हैं और फाँकों में रस रहता है। समस्त नारंगी मुलायम छिलके से ढँकी रहती है। छिलके का भीतरी अंश सफेद और स्पंजी होता है। इसमें जेली सा पदार्थ पेक्टिन रहता है। छिलके का बाहरी भाग नारंगी रंग की छोटी छोटी ग्रंथियों से बना होता है। इन ग्रंथियों में वाष्पशील तेल होता है, जो निकाला जा सकता है और सुगंध के काम आता है। नारंगी के रस में शर्करा, साइट्रिक अम्ल तथा खनिज लवण रहते हैं। रस में विटामिन ए, बी और सी की प्रचुरता रहती है। इन घटकों के कारण ही इस फल की गणना बहुमूल्य आहार के रूप में होती है। नारंगी के फल में अनेक बीज रहते हैं। कुछ नारंगियाँ बिना बीज की भी होती हैं। आहार विज्ञान के विशेषज्ञ डा० कालेग का कथन है कि यदि संतरे के एक गिलास रस का प्रतिदिन सेवन किया जाए, तो मनुष्य कम से कम सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है।

[श्री रा० शु०]

संताल परगना जिला, स्थिति. २३° ४८′ से २५° १८′ उ०अ० तक तथा ८६° २८′ से ८७° ५७′ पू०दे० तक विस्तृत है। बिहार का यह एक जिला है, जो पूरब में बंगाल से सटा हुआ है। इसका क्षेत्रफल ५,४७० वर्ग मील एवं जनसंख्या २६,७५,२०३ (१९६१) है। जिले का [illegible] भाग पठारी एवं पहाड़ी है। इसके बीच [illegible] उत्तर दक्षिण में फैली हुई हैं। पहाड़ि[illegible] पथरीली भूमि है। मोर, बाहुनी, बांसलो[illegible]

हैं, जो पहाड़ियों से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई बंगाल में चली जाती हैं। इन नदियों की घाटियों में अपेक्षाकृत समतल भूमि मिलती है, जहाँ धान की खेती होती है। दूसरी महत्वपूर्ण फसल मक्का है। इस जिले में छोटी तथा बिखरी हुई कोयले की खानें हैं। यहाँ मुख्यतः संथाल जाति के आदिवासी रहते हैं। दुमका इस जिले का प्रमुख नगर है, जिसकी जनसंख्या १८,७२० (१९६१) है। [ज० सिं०]

संतोख सिंह, भाई (सन् १७८८-१८४३) वेदांत और सिक्ख दर्शन के विद्वान् और ज्ञानी संप्रदाय के विचारक थे। आपके पूर्वज छिब्बा या छिब्बर नाम के ब्रोह्मल ब्राह्मण थे। आपका जन्म अमृतसर में हुआ। आपके पिता भाई देवासिंह निर्मला संतों के संपर्क में रहे। आपकी माता का नाम राजदेई (राजदेवी) था। आप रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। अपनी पारिवारिक परंपराओं की अवमानना करके आपने रोहिल्ला परिवार में विवाह किया। आपके सुपुत्र भजयसिंह भी बड़े विद्वान् थे।

भाई साहब ने ज्ञानी संतसिंह से काव्याध्ययन किया। तदनंतर संस्कृत की शिक्षा काशी में प्राप्त की। सन् १८२३ में आप पटियाला-नरेश महाराज कर्मसिंह के दरबारी कवि के रूप में पधारे। दो वर्ष बाद कैथल के रईस श्री उदयसिंह आपको अपने यहाँ लिवा ले आए। पटियाला की भाँति कैथल में भी आपका बड़ा सम्मान हुआ और वहाँ पर अनेक विद्वानों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। आपकी निम्नोक्त रचनाएँ उपलब्ध हैं : (१) 'नामकोश' (सन् १८२१) 'अमरकोश' का भाषानुवाद है। (२) गुरु नानक प्रताप सूर्य अथवा गुरु नानक प्रकाश (सन् १८२३) में गुरु नानक देव का जीवनचरित् उल्लिखित है। (३) जपुजी : गरब गंजिनी टीका (सन् १८२६) गुरु नानक देव की रचना की टीका है जिसमें पूर्ववर्ती टीकाओं का खंडन मंडन भी है। लेखक स्वयं वेदांत और स्मृतियों का पोषक दिखाई पड़ता है। (४) आत्मपुराण का उलथा (रचनाकाल अज्ञात)। (५) वाल्मीकि रामायण (१८३४ ई० [illegible] आधार पर राम-[illegible]

कर्तव्य के दायित्व की सृष्टि होती है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संधियों का वह स्थान है जो देशीय क्षेत्र में विधिनियमों का होता है। यह वह साधन है जिनके द्वारा विभिन्न राज्य अपने अंतरराष्ट्रीय जीवन का व्यवहार संतुलित करते हैं। संधियाँ नाना प्रकार की होती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिकारपत्र रचना जिसके द्वारा अनेक देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के मूल नियम नियोजित तथा घोषित किए; या किसी भू प्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को स्थानांतरण, जैसे अक्टूबर, १९५४ ई० में फ्रांस एवं भारत के मध्य 'समर्पण' संधि द्वारा हुआ अथवा कोई सामरिक संघ स्थापना, जैसा 'उत्तरी अटलांटिक संधि' द्वारा हुआ या किसी देश विशेष के तटस्थ रूप की घोषणा, जैसे लंदन संधि १८३१ द्वारा बेल्जियम के संबंध में हुई। अंतरराष्ट्रीय भाषा में संधि के अनेक पर्यायवाची हैं जैसे 'कान्वेंशन' 'प्रोटोकोल', 'ऐग्रीमेंट', 'डिक्लेरेशन', 'जेनरेल ऐक्ट' इत्यादि।

संधि के नियमों के अनुसार संबंधित पक्ष आबद्ध हो जाते हैं। यह दायित्व आबद्धता ही संधि का उद्देश्य होता है।

कोई देश जब एक बार संधि में संमिलित हो जाता है तो वह उसके दायित्व बंधन से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक संधि करनेवाले अन्य पक्षों से अनुमति न प्राप्त कर ले। संधि-अनुबंधों की अपेक्षा किए बिना अंतरराष्ट्रीय जीवन नितांत अव्यवस्थित तथा विधिविहीन हो जाएगा। किंतु दुर्भाग्यवश बहुधा राज्य संधि-नियमों का उल्लंघन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वह राज्य संधि उल्लंघन का आरोप कभी स्वीकार नहीं करते। कभी वे कहते हैं कि उनके कार्य से संधिनियमों का हनन हो नहीं हुआ, कभी यह स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं कि वह संधि उनपर लागू ही नहीं होती थी, कभी यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपत्काल में उन्होंने उल्लंघन किया। किसी भी प्रकार कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था या समुदाय स्पष्टतया संधि की उपेक्षा स्वीकार नहीं करता, अतएव सिद्धांत रूप में संधिमान्यता सर्वथा स्वीकृत है।

संधि संबंध स्थापित करने के हेतु सर्वप्रथम एक प्रतिनिधि [illegible] होता है। इस प्रतिनिधि को जो राज्य

पुष्टीकरण के लिये भेज दिया जाता है। सिद्धांततः राज्य के प्रधानाध्यक्ष अथवा सरकार द्वारा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का समर्थन ही पुष्टीकरण माना जाता है किंतु आधुनिक व्यवहारप्रणाली के अनुसार यह पुष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

पुष्टीकरण की व्यवस्था इस कारण लाभकारी है कि इससे संबंधित पक्षों की सरकारों को संधिप्रस्ताव पर अंतिम पुनर्विचार का अवकाश तथा जनमत टटोलने का अवसर मिल जाता है। विश्व में जब राजतंत्रवाद की मान्यता थी, तब संधिप्रस्तावों का अनुमोदन स्वभावतया राजा द्वारा होता था। वर्तमान युग में भी इंग्लैंड तथा इटली में राजा, जापान में सम्राट्, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति के नाम पर संधिप्रस्ताव निर्मित एवं उनके द्वारा अनुमोदित होते हैं। पाश्चात्य जनतंत्रवादी संविधानों के अनुसार संधि पुष्टीकरण के लिये यह अनिवार्य है कि कार्यकारिणी के प्रधान की स्वीकृति के अतिरिक्त किसी रूप में विधायिनी सहमति भी प्राप्त की जाए। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र अमरीका में संधि की पुष्टि तब होती है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा २/३ उपस्थित सेनेटरों की सहमति प्राप्त हो जाए। फ्रांस में सब संधिप्रस्तावों के विषय में नहीं किंतु कुछ विशेष महत्वपूर्ण संधियों की पुष्टि के लिये नियम है कि 'सेनेटरों एवं डेपुटीज' का बहुमत प्राप्त हो। ब्रिटेन में सिद्धांत रूप से सम्राट् को संधि-पुष्टीकरण में पार्लिमेंट की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, किंतु व्यवहार में कुछ दूसरी ही प्रथा है। सारे महत्वपूर्ण संधिप्रस्ताव अनुमोदन के पूर्व 'हाउस ऑव कामन्स' के समक्ष सहमति प्राप्त करने के लिये रख दिए जाते हैं। स्विटजरलैंड में कुछ विशेष संधिप्रस्ताव, पुष्टीकरण के पूर्व 'जनमत ग्रहण' के लिये सर्वसाधारण जनता के संमुख भी रखे जा सकते हैं। भारत की संवैधानिक प्रणाली के अनुसार संधिप्रस्ताव संसद् में केवल सूचनार्थ रख दिए जाते हैं, अन्य कोई क्रिया आवश्यक नहीं होती। एकतंत्रात्मक के अंतर्गत पुष्टीकरण एकांगी रूप से कार्यकारिणी द्वारा संपन्न होता है।

पुष्टीकरण के पूर्व किसी भी संबंधित राज्य की कार्यपालिका या विधानमंडल कुछ संशोधन या संरक्षण उपांत प्रस्ताव में रख सकते हैं किंतु उनकी बाध्यता तब तक मान्य नहीं होती जब तक अन्य संबंधित पक्ष उन्हें स्वीकार न कर लें। इन संरक्षण उपांतों द्वारा पक्षविशेष प्रस्ताव के कुछ नियमों से अपने को मुक्त रख सकते हैं, अथवा किसी नियमविशेष को संशोधित कर दें या किसी विशेष अर्थ में मानकर भी संधि को स्वीकार कर सकते हैं।

पुष्टीकरण पूर्ण हो चुकने पर पक्षों में पुष्टीकरणपत्रों का परस्पर विनिमय होता है। जब संधि बहुपक्षीय होती है तो सब पुष्टीकरणपत्र उस देश के वैदेशिक विभाग में रख दिए जाते हैं जहाँ संधि अधिवेशन की बैठक हुई हो। यदि संधि अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में हुई हो तो सब पुष्टीकरणपत्र संघ के सचिवालय में रखे जाते हैं। संघ के नियमानुसार यह अनिवार्य है कि संघ का कोई भी सदस्य जब कोई संधि करे तो संघ [illegible] उसका पंजीकरण तथा प्रकाशन करवाए। इसका [illegible] कि राष्ट्रों में [illegible] हो जाती है। साधारणतया जब तक कोई [illegible] की गई हो, हस्ताक्षर तिथि से ही संधि लागू की [illegible] अन्य राज्य भी संधि अंगीकार कर सकते हैं [illegible] संधिकारों की सहमति आवश्यक होती है।

अंतिम सीढ़ी है संधि का वस्तुतः कार्यान्वित न[illegible] राज्यों के पौर विधान (सिविल ला) से नियंत्रित हो[illegible] में संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति की घो[illegible] उद्घोषणा पर्याप्त होती है। इंग्लैंड तथा भारत में [illegible] का विधिवत् समाविष्ट होना अनिवार्य है।

संधि का समापन कई प्रकार से हो सकता है। [illegible] के स्वरूप पर निर्भर करता है। निश्चित अवधि [illegible] कारण, संधि के नियमों की पूर्ति हो जाने पर, अ[illegible] से एक देश की विनष्टि के कारण, या किसी न[illegible] द्वारा जो पूर्वस्थित संधि को स्पष्ट रूप से अवकमि[illegible] इन सभी अवस्थाओं में स्वभावतः संधि का समापन [illegible] वस्तुस्थिति में प्राणघ्न परिवर्तन होना भी संधि को [illegible] कर सकता है, किंतु यह स्पष्ट नहीं कि इस प्रकार की [illegible] एक पक्ष के मत से सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं। [illegible] होते ही स्वभावतः युध्यमान देशों की पारस्परिक समर[illegible] संधियों का समापन हो जाता है, अन्य सब प्रकार की [illegible] क्रियात्मकता युद्धकाल के लिये स्थगित कर दी जा[illegible] समझौते मान्य रह जाते हैं जो विशेषतया युद्धकालीन [illegible]

[illegible] में केवल उस पक्ष की ओर से संधि समापन होता है, जि[illegible] का समापन तुरंत ही कार्यान्वित नहीं हो जाता। अ[illegible] सामयिक सूचना के उपरांत कुछ निश्चित अवधि मिलती है [illegible] विभक्त पक्ष से व्यवहारसंतुलन व्यवस्थित कर सके, अ[illegible] आकस्मिक परिवर्तन समस्त संबंधित पक्षों के पूर्वनियोजि[illegible] को अवश्य ही अव्यवस्थित और असंतुलित कर दे।

यह स्पष्ट है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समाज इतना [illegible] कि उसमें राजनीतिक संधियाँ कभी सततमान्य या अ[illegible] नहीं हो सकतीं। विश्वकुटुंब में राज्यरूपी इकाइयाँ या ऐ[illegible] हैं कि जिस उनकी दलगत स्थितियाँ पारस्परिक आ[illegible] दृष्टिकोण को लेकर बदलती रहती हैं। ऐसे परिवर्तनशील [illegible] में सततमान्य समझौते कैसे संभव हो सकते हैं? इसकी [illegible] राजनीतिक वस्तुस्थिति तथा संविनियमों में सदा सम[illegible] करेगी। अतएव समस्त संधियोजनाओं का सामयिक [illegible] निर्धारण आवश्यक है जिससे परिवर्तित राजनीतिक [illegible] संविनियमों से अनुनय बना रहे और कोई पक्ष अवैध [illegible] कमाल अथवा उल्लंघन न करे। इस दृष्टिकोण को [illegible] संधियोजनाओं में संशोधन करने की अनुमति तथा प्रणाली [illegible] जाती है। अधिकतर [illegible] संविधानों की सहमति से संबंध[illegible] १४५ ई० में एक नवीन प्रणाली [illegible] संविधान अंतरराष्ट्रीय समाज [illegible]

हैं, जो पहाड़ियों से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई बंगाल मे चली जाती हैं। इन नदियो की घाटियो में अपेक्षाकृत समतल भूमि मिलती है, जहाँ धान की खेती होती है। दूसरी महत्वपूर्ण फसल मक्का है। इस जिले में छोटी तथा बिखरी हुई कोयले की खानें हैं। यहाँ मुख्यतः संथाल जाति के आदिवासी रहते हैं। दुमका इस जिले का प्रमुख नगर है, जिसकी जनसंख्या १८,७२० (१९६१) है। [ज० सिं०]

संतोख सिंह, भाई (सन् १७८८-१८४३) वेदांत और सिक्ख दर्शन के विद्वान् और ज्ञानी संप्रदाय के विचारक थे। आपके पूर्वज शिवा या शिम्बर नाम के मोहाल ब्राह्मण थे। आपका जन्म अमृतसर में हुआ। आपके पिता श्री देवासिंह निर्मला साधो के संपर्क में रहे। आपकी माता का नाम राजादेई (राजदेवी) था। आप रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। अपनी पारिवारिक परंपराओं की अवमानना करके आपने रोहिल्ला परिवार में विवाह किया। आपके सुपुत्र अजयसिंह भी बड़े विद्वान् हुए।

भाई साहब ने ज्ञानी साधसिंह से काव्याध्ययन किया। उदनतर संस्कृत की शिक्षा काशी में प्राप्त की। सन् १८२३ में आप पटियाला-नरेश महाराज कर्मसिंह के दरबारी कवि के रूप मे पधारे। दो वर्ष बाद कैथल के रईस श्री उदयसिंह आपको अपने यहाँ लिवा ले आए। पटियाला की भाँति कैथल में भी आपका बड़ा सम्मान हुआ और वहाँ पर अनेक विद्वानों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। आपकी निम्नोक्त रचनाएँ उपलब्ध हैं : (१) 'नामकोश' (सन् १८२१) 'अमरकोश' का भाषानुवाद है। (२) गुरु नानक प्रताप सूर्य अथवा गुरु नानक प्रकाश (सन् १८२३) में गुरु नानक देव का जीवनचरित् उल्लिखित है। (३) जपुजी : गरब गंजिनी टीका (सन् १८२९) गुरु नानक देव की रचना की टीका है जिसमें पूर्ववर्ती टीकाओं का खंडन मंडन भी है। लेखक स्वयं वेदांत और स्मृतियों का पोषक दिखाई पड़ता है। (४) आत्मपुराण का उलथा (रचनाकाल अज्ञात)। (५) वाल्मीकि रामायण (१८३४ ई०) वाल्मीकि के आधार पर राम-चरित का स्वतंत्र ग्रंथ। (६) गुरु-प्रताप-सूर्य (सन् १८४३) दो खंडों में है। पहले भाग में आदि सिक्ख गुरु नानक देव का तथा दूसरे भाग में शेष नौ गुरुओं का जीवनचरित् उल्लिखित है। इसपर पौराणिक प्रभाव स्पष्ट है।

इनकी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्राधान्य है। यत्रतत्र संस्कृत, फारसी और पंजाबी शब्द भी व्यवहृत हुए हैं। छंदों मे दोहा, चौपाई का प्रयोग प्रचुर परिमाण में हुआ है, यथास्थान त्रिभंगी, कवित्त और सवैये का भी उपयोग हुआ है।

सं० ग्रं० — काहनसिंह : गुरुशब्द रत्नाकर : महान् कोश; भाषा विभाग, पंजाब, पटियाला (द्वितीय संस्करण, सन् १९६०)। चंद्रकांत बाली : पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास (प्रथम संस्करण, सन् १९६२)। सत्यपाल गुप्त : पंजाब का हिंदी साहित्य (प्रथम संस्करण, सन् १९५९)। [

संधि (Treaties) अंतरराष्ट्रीय संधियाँ देशों समझौते हैं जिनका स्वरूप अनुबंध के समान अनुसार संबंधित पक्षों के प्रति कुछ में कर्तव्य के दायित्व की सृष्टि होती है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संधियों का वह स्थान है जो देशीय क्षेत्र में विधिनियमों का होता है। यह वह साधन हैं जिनके द्वारा विभिन्न राज्य अपने अंतरराष्ट्रीय जीवन का व्यवहार संतुलित करते हैं। संधियाँ नाना प्रकार की होती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकारपत्र रचना जिसके द्वारा अनेक देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के मूल नियम निर्मोजित तथा घोषित किए, या किसी भू प्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को स्थानांतरण, जैसे अक्टूबर, १९५४ ई० मे फ्रांस एवं भारत के मध्य 'समर्पण' संधि द्वारा हुआ अथवा कोई सामरिक संबंध स्थापना, जैसा 'उत्तरी अटलांटिक संधि' द्वारा हुआ या किसी देश विशेष के तटस्थ रूप की घोषणा, जैसे लंदन संधि १८३१ द्वारा बेल्जियम के संबंध मे हुई। अंतरराष्ट्रीय भाषा में संधि के अनेक पर्यायवाची हैं जैसे 'कान्वेंशन' 'प्रोटोकोल', 'ऐग्रीमेंट', 'डिक्लेरेशन', 'जेनरेल ऐक्ट' इत्यादि।

संधि के नियमों के अनुसार संबंधित पक्ष आबद्ध हो जाते हैं। यह दायित्व आबद्धता ही संधि का उद्देश्य होता है।

कोई देश जब एक बार संधि में संमिलित हो जाता है तो वह उसके दायित्व बंधन से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक संधि करनेवाले अन्य पक्षों से अनुमति न प्राप्त कर ले। संधि-अनुबंधों की अपेक्षा किए बिना अंतरराष्ट्रीय जीवन नितांत अव्यवस्थित तथा विधिविहीन हो जाएगा। किंतु दुर्भाग्यवश बहुधा राज्य संधि-नियमों का उल्लंघन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह राज्य संधि उल्लंघन का आरोप कभी स्वीकार नहीं करते। कभी वे कहते हैं कि उनके कार्य से संधिनियमों का हनन हो नहीं हुआ, कभी यह स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं कि वह संधि उनपर लागू ही नहीं होती थी, कभी यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपत्काल मे उन्होंने उल्लंघन किया। किसी भी प्रकार कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था या समुदाय स्पष्टतया संधि की उपेक्षा स्वीकार नहीं करता, अतएव सिद्धांत रूप मे संधिमान्यता सर्वथा स्वीकृत है।

संधि संबंध स्थापित करने के हेतु सर्वप्रथम एक प्रतिनिधि निश्चित करना आवश्यक होता है। इस प्रतिनिधि को जो राज्य नियुक्त करता है, वह उसे लिखित रूप मे एक प्रति[illegible] 'अधिकारपत्र' प्रदान करता है जिसके अनुसार वह देश [illegible] से संधि वार्ता करने का अधिकारी हो जाता है। इस अधि[illegible] को अंतरराष्ट्रीय भाषा मे 'संपूर्ण अधिकार' कहते हैं। अंत[illegible] संधिवार्ता संबंधी अधिवेशन में सर्वप्रथम एक 'संपूर्ण अ[illegible] समिति' बनाई जाती है जो संमेलन में आए सब प्रतिनिधि[illegible] 'संपूर्ण अधिकार' (प्रतिनिधित्व अधिकारपत्र) की जाँच [illegible] है। तत्पश्चात् गोपनीय रूप से संधिवार्ता की शर्तों की चर्चा [illegible] जाती है। गोपनीयता सर्वथा वांछनीय है, जिससे संधि की [illegible] बाह्य जगत् में प्रचारित होकर [illegible] सब प्रतिनिधि इस [illegible] करते [illegible]

खेती के लिये उपयुक्त हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में सतरे की फसल अच्छी नहीं होती।

संतरा समशीतोष्ण और कम उष्ण प्रदेशों में सफलता से पैदा होता है। जलवायु के साथ साथ इसकी सफल काश्त के लिये उपयुक्त भूमि का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सतरे के लिये हलकी दुमट भूमि, जिसमें चूने की मात्रा भी हो, सबसे उत्तम मानी जाती है। अधिक रेतीली जमीन उपजाऊ नहीं होती और सतरे के लिये खराब है। अधिक चिकनी मिट्टीवाली जमीन में पानी ठहरता है और वह भी सतरे के लिये बहुत उपयुक्त नहीं होती। सतरे के लिये जमीन चुनते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए

(१) भूमि में कड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए, (२) निचली सतह, अर्थात् ४, ५ फुट गहराई में, कड़ा या पत्थर आदि की सतह नहीं होनी चाहिए, (३) पानी की सतह बहुत ऊँची नहीं होनी चाहिए। नहर आदि के किनारे, जहाँ पानी बहुत कम गहराई में होता है, संतरा अच्छा नहीं फलता, (४) निचली सतह में बहुत चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी का निकास अच्छा नहीं होता तथा (५) ऐसी जमीन जहाँ वर्षाकाल में पानी भरता है, सतरा लगाने के लिये नहीं चुननी चाहिए। पानी भरने से सतरे की जड़ें गलकर खराब होने लगती हैं।

सतरे को काफी पानी की आवश्यकता होती है। यदि कुएँ के पानी से सिंचाई की जाती है, तो यह देख लेना चाहिए कि पानी खारा तो नहीं है। खारे पानी से संतरे के पेड़ों को हानि पहुँचती है।

ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रखकर ही सतरा लगाने के लिये भूमि को चुनना चाहिए। यदि भूमि और स्थान सतरे के लिये उपयुक्त न हो, तो वहाँ सतरा लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। पेड़ लगाने के पहले भूमि को ठीक करना पड़ता है। यदि उसमें पहले काश्त होती रही है, तो अधिक काम नहीं रहता। नई जमीन हो, तो पहले पूरे खेत की सफाई करनी चाहिए। जंगली झाड़ियाँ आदि काट फेंकना चाहिए। फिर पूरी जमीन की गहरी जुताई कर देना चाहिए। यह काम मई, जून में करना चाहिए। इससे पूरी भूमि के कीटाणुओं की सफाई हो जाती है। यदि जमीन की सतह ठीक न हो, तो उसकी सिंचाई की सुविधा देखते हुए ठीक कर लेना चाहिए। इसके बाद सर्वेक्षण कर के पूरे खेत में २० फुट के अंतर से कतार बना लेना चाहिए। गड्ढों की गहराई और चौड़ाई की लंबाई फुट होनी चाहिए। वर्षा प्रारंभ होने पर, गड्ढों को मिट्टी से फिर भर देना चाहिए। भरने के पहले, गड्ढों में [illegible] मिट्टी में मिलाकर डाल देना चाहिए। यदि गड्ढों में लगभग १० सेर गले गोबर की खाद और [illegible] गड्ढों को पूरा भरकर [illegible] के लिये तैयार हो जाते हैं। [illegible]

[illegible] — [illegible]

तराई के ठंडे प्रदेशों के लिये — १. [illegible] तथा ३. किन्नू।

पेड़ों का चुनाव — सतरे के पेड़ चश्मा [illegible] हैं। खट्टे का बीज बोकर पनीर (स्टाक) तैयार [illegible] संतरे की किस्मों के चश्मे बाँधते हैं।

चाहे कुछ अधिक मूल्य देना पड़े, सदा भरोसे [illegible] से पेड़ अच्छे मिलें, लेना चाहिए। अधिक पुराने [illegible] पीली पत्तियोंवाले पेड़ नहीं लेने चाहिए।

बाद की देखभाल — सदा आवश्यकतानुसार [illegible] निराई का ध्यान रखना चाहिए। फल बेचने के बाद [illegible] न होनी चाहिए। पेड़ के तने से फूटकर बढ़नेवाले (suckers) को सदा काटते रहना चाहिए।

प्रतिवर्ष थालों की गुड़ाई करना चाहिए। खाद मिला देनी चाहिए। प्रारंभ में दी गई खाद के अलावा पेड़ की उमर बढ़ने के साथ निम्नलिखित खाद भी चाहिए :

गोबर की खाद, दो सेर; अमोनियम सल्फेट, एक [illegible] खाद, एक पाव तथा लकड़ी की राख, दो पाव।

किसी भी बीमारी के, अथवा कीड़ा, लगते ही [illegible] उचित दवा के छिड़काव आदि का प्रबंध करना चाहिए।

संतरे के फल को वनस्पति विज्ञानी नारंगक (hesperidium) कहते हैं, यद्यपि साधारण व्यक्ति इसे नारंगी के नाम से [illegible] हैं। फल के मध्य में मज्जा (pith) का बना सुनाव [illegible] फल में १० से १२ फाँकें पिथ (pith) की घेरे रहती हैं [illegible] रस रहता है। समस्त नारंगी मुलायम छिलके से ढँकी [illegible] छिलके का भीतरी भाग सफेद और स्पंजी होता है। इसमें [illegible] पदार्थ पेक्टिन रहता है। छिलके का बाहरी भाग कागजी [illegible] छोटी छोटी थैलियों से बना होता है। इन थैलियों में [illegible] तेल होता है, जो निकाला जा सकता है और सुगंध के [illegible] है। नारंगी के रस में शर्करा, साइट्रिक अम्ल तथा [illegible] रहते हैं। रस में विटामिन ए, बी और सी की [illegible] इन पदार्थों के कारण ही इस फल की गणना [illegible] के रूप में होती है। नारंगी के फल में अनेक बीज [illegible] नारंगियाँ बिना बीज की भी होती हैं। [illegible] डा० कानेय का कथन है कि यदि सतरे के एक [illegible] प्रतिदिन सेवन किया जाय, तो मनुष्य [illegible] [illegible]

गुंजान परगना [illegible]

डालना, जिससे अस्थायी बध्यता उत्पन्न हो जाए, आदि विधियाँ, अब केवल ऐतिहासिक महत्व की बातें हैं।

(७) स्त्री में अंडवाहिकाओं या फालोपियो-नलिकाओं के तथा

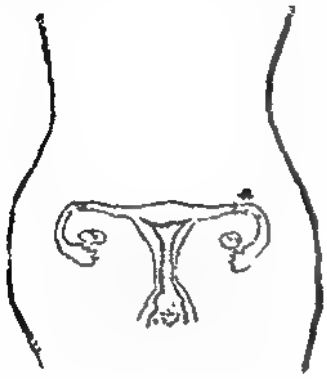

चित्र ५. ऊर्ध्वरेक्टोमी (Oophorectomy)
अंडवाहिका का बंधन तथा उच्छेदन।

पुरुष में शुक्रवाहिका नलिकाओं के छेदन और बंधन (क्रमशः Ligature of fallopian tubes and Vasectomy) से गर्भ-स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं रहती। इस शस्त्रकर्म से शुक्राणु

चित्र ६. वासेक्टोमी (Vasectomy)

और अंडकोषिका का संगम असंभव हो जाता है और फिर संतान होने की संभावना सदा के लिये मिट जाती है।

(८) लूप — यह गर्भनिरोध की एक नई विधि है, जिसका आविष्कार कुछ वर्ष पूर्व हुआ है और तभी से इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। यह प्लास्टिक की बनी एक नली होती है, जिसको उसी पर कुंडलित कर दिया जाता है। इसको एक डाक्टर द्वारा

चित्र ७. लूप

स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया जाता है। यह कुंडलित विस्तार विधि पाई गई है और संसार के सभी देशों की स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त की जा रही है। लूप गर्भाशय में तब तक रखा रहता है, जब तक दंपति संतान नहीं उत्पन्न करना चाहें। यदि दंपति संतान के इच्छुक होते हैं, तो वे डाक्टर से लूप को निकलवा सकते हैं और स्त्री गर्भ धारण कर सकती है। लूप को गर्भाशय में रखने के लिये किसी आपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। डाक्टर को लूप को गर्भाशय में रखने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इससे मैथुन में कोई बाधा नहीं पड़ती है। कुछ स्त्रियों में अत्यल्प रक्तस्राव दो चार दिन तक हो सकता है, अथवा लूप लगाने पर प्रथम आर्तव की अधिक मात्रा होती है, किंतु ये बातें स्वयं ही शीघ्र ठीक हो जाती हैं। सरकार की ओर से जो अनेक परिवार-नियोजन-केंद्र खोले गए हैं, उनमें नियुक्त डाक्टर लूप लगाने में विशेषतया शिक्षित होते हैं।

(९) गर्भनिरोधक गोलियाँ — इन गोलियों का उपयोग गर्भ-निरोध की अत्युत्तम विधि है। इन गोलियों का सभी देशों में प्रचुर उपयोग किया जा रहा है। इनका प्रभाव अंडग्रंथि से अंड के बाहर आने (अंडोत्सरण) पर होता है। एक गोली नित्य प्रति खानी होती है। परिवार-नियोजन-केंद्र के डाक्टर से गोलियों का पैकट मिलता है, जिसमें २१ श्वेत और गुलाबी गोलियाँ होती हैं। २१ दिन तक एक श्वेत गोली प्रति दिन तक और उसके पश्चात ७ दिन तक गुलाबी गोली खानी होती है। गर्भ का निरोध करने के अतिरिक्त, इन गोलियों से मासिक के सामान्य दोष, मासिक में पीड़ा, मासिक का कम या समय से न होना, आदि भी दूर हो जाते हैं। सामान्यतः इन गोलियों से कोई कष्ट नहीं होता। कुछ स्त्रियों को सिर दर्द, आदि हो सकता है, किंतु वह शीघ्र ही जाता रहता है। जिन स्त्रियों को कैंसर, यकृत रोग, या रक्त संबंधी रोग हों, उनको ये गोलियाँ नहीं खानी चाहिए। मासिक के प्रारंभ से चार दिन के पश्चात्, पाँचवें दिन से गोलियाँ खानी प्रारंभ की जायँ।

(१०) कुछ इंजेक्शन के योग भी तैयार किए गए हैं, किंतु वे अभी अन्वेषणमात्र ही हैं।

उपर्युक्त उपाय उन्हीं व्यक्तियों को करने चाहिए जिनके पहले ही से कई संतान हों।

[illegible] — मेरी स्टोप्स : ऑन कंट्रोलिंग बर्थ [illegible]; ऑन [illegible] ऑव [illegible] इस विषय पर प्रकाशित [illegible]; मार्गरेट सेंगर : ऑन [illegible]; डाक्टर [illegible] : संतति-निरोध; [illegible] प्रकाशित परिवार-नियोजन [illegible] चाहिए।

[मु० स० क०]

संवर (Citrus) की किस्मों में से सबसे अधिक [illegible] और प्रचलित [illegible] है। इसके उत्पादन का श्रेय [illegible] को [illegible] किस्म, जैसे [illegible], मुसम्बी, [illegible], नीबू आदि, के अधिक है। [illegible] इसकी [illegible] और [illegible] है। [illegible] है। [illegible] और [illegible]

इस टोपी की उपयोगिता योनिमार्ग के आकार और भित्तियों की दृढ़ता पर निर्भर है। योनि की भित्तियाँ ही टोपी को थामे रहती हैं। यदि ये ढीली हैं या गर्भाशयद्वार के सामने भगास्थि के पीछे की ओर, मूत्राशयस्थल आदि के कारण, पर्याप्त स्थान नहीं है, तो यह टोपी अपने स्थान में नहीं टिकेगी, या मैथुन के समय हट जाएगी।

(ख) ड्यूमा की टोपी — यह डच टोपी से छोटी और उथली होती है। इस कारण जब गर्भाशय की ग्रीवा लंबी या बड़े आकार की हो, तब उसपर यह टोपी ठीक नहीं बैठती। यदि ग्रीवा पीछे को मुड़ी हो, या सीधी हो, तो भी यह टोपी उपयुक्त नहीं है; मैथुन के समय वह हट सकती है। जिनमें मूत्राशयभ्रंश या गुदभ्रंश हो उनके लिये यह उपयुक्त है। इसको निकालना भी कठिन होता है। यह टोपी तीन आकारों में बनाई जाती है, जो वृहत्, मध्यम और लघु कहलाते हैं।

(ग) ग्रीवा की टोपी (Cervical cap) — ये टोपियाँ गर्भाशय की ग्रीवा पर बैठ जाती हैं। इस कारण ये योनिमार्ग की भित्ति पर आश्रित नहीं रहती। ये पाँच आकारों की बनाई जाती हैं, जिनके नंबर ०, ½, १, २ और ३ हैं। इस प्रकार की टोपी केवल उन स्त्रियों को प्रयुक्त करनी चाहिए जिनमें गर्भाशय की ग्रीवा बड़ी हो और ग्रीवा पर व्रण या शोथ के कोई चिह्न न हों। इसमें सुगमता यह है कि इसको लगाना सहज है और गर्भाशय के भ्रंश की दशा में भी प्रयुक्त हो सकती है। इसमें दोष यह है कि यह मैथुन के समय हट सकती है। यदि गर्भाशय में, या ग्रीवा में, कुछ शोथ हुआ, तो उनका स्राव टोपी के भीतर ही रह जाता है जो हानिकारक है।

(घ) मध्यपट या डायाफ्राम — टोपियों के समान डायाफ्राम भी रबर, या प्लास्टिक का बना, तश्तरी सा होता है, जो योनिनलिका के ऊपर के छोर (अंत) पर, आर पार, लगा दिया जाता है, जिससे वह गर्भाशय के मुख को ढँकने के अतिरिक्त, उसके चारों ओर तक के क्षेत्र तक पहुँचने के मार्ग को भी बंद कर देता है। इसको मैथुन के पूर्व लगाया जाता है और मैथुन के आठ घंटे पश्चात् तक नहीं निकाला जाता। उसके पश्चात् निकालकर और साबुन और जल से स्वच्छ करके और पाउडर लगाकर, रख दिया जाता है। इसका फिर प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ किसी शुक्राणुनाशक जेली का प्रयोग करना चाहिए। यह एक विश्वस्त विधि है, किंतु इसको लगाने में सावधानी आवश्यक है। ठीक प्रकार से न लगने पर वह निरर्थक हो जायगा।

साधारण सिद्धांत — इन सब प्रकार की टोपियों के प्रयोग के सिद्धांत समान हैं। इनको लगाने की विधियों को सीखने की आवश्यकता होती है। सरकार की ओर से खुले हुए केंद्रों में यह शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।

निश्चित सफलता की प्राप्ति के लिये एक से अधिक विधियों का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। टोपियों के साथ शुक्राणुनाशक मरहम का प्रयोग किया जाय। टोपी लगाने के पूर्व उसके किनारे पर मरहम लगा दिया जाय तथा टोपी के भीतर भी भर दिया जाय। मैथुन से कुछ समय पूर्व, ऐसे मरहम के मरकर, टोपी में लगाया जाय और मैथुन के समय योनिनलिका या किसी बड़े भ

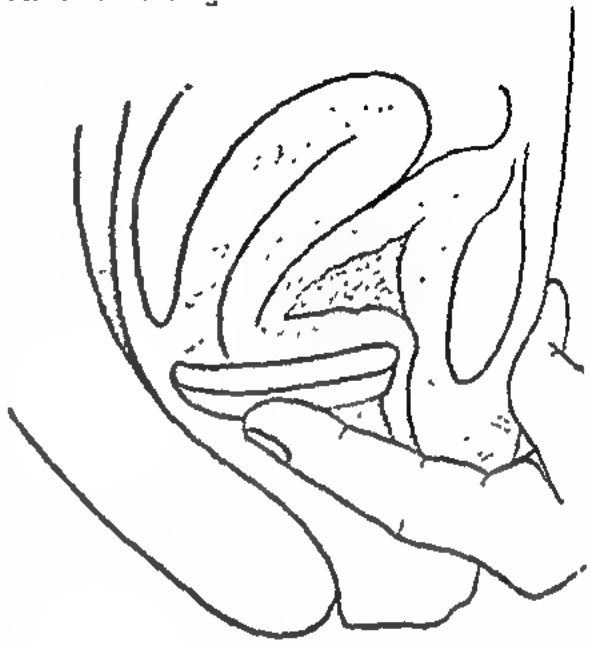

चित्र ४ डायाफ्राम का लगाना

भी योनि में प्रविष्ट कर दिया जाय। इससे गर्भस्थापना की शंका नहीं रहती।

टोपी को मैथुन के ८, १० घंटे पश्चात् तक लगाए रखना उचित है। १८ घंटे से अधिक समय तक टोपी न लगी रहनी चाहिए। टोपी को निकाल कर, साबुन से धोकर और सुखाकर तथा शरीर पर लगानेवाले सामान्य पाउडर को लगाकर, रख देना चाहिए।

अब टोपियों का स्थान डायाफ्राम और जेली अथवा क्रीम ने ले लिया है, जिनका प्रयोग अधिक सरल है।

(६) निर्भय काल (Safe period) — यह पाया गया है कि अंडक्षरण (अंडकोषिका का अंडग्रंथि से निकलना) आर्तव के समय नहीं होता। किंतु आर्तवों के अंतर्काल में आर्तव के पश्चात् १४ वें से २० वें दिन के बीच में होता है और अंडकोषिका १८ घंटे से अधिक संसेचन के योग्य नहीं रह पाती। शुक्राणु की संसेचन शक्ति भी तीन चार दिन में नष्ट हो जाती है। अतएव आर्तव के पूर्व का सप्ताह 'निर्भय काल' कहलाता है, जिसमें गर्भस्थापना का भय नहीं रहता। जिन लोगों को अन्य विधियों के उपयोग में कोई आपत्ति होती है, उनके लिये केवल यही विधि उपयुक्त है।

यह विधि केवल उन्हीं स्त्रियों में विश्वसनीय है जिनका आर्तव चक्र सदा एक समान २८ दिन का होता है। इस काल के घट या बढ़ जाने से, अंडक्षरण के समय में भी घटाबढ़ी हो सकती है।

कुछ और विधियाँ भी काम में लाई जाती थीं। गर्भाशय पर दूध, स्पंज का प्रयोग, वीर्य के इंजेक्शन (जिससे शरीर में शुक्राणुओं की वस्तुएँ उत्पन्न हो जाएँ), अंड और अंडग्रंथि पर एक्स किरणों का

में हो तो सर्वसंमति नहीं, केवल पक्षों के बहुमत से भी संशोधन क्रियात्मक हो सकता है।

अतः यह कहना अत्युक्ति नहीं कि वर्तमान संधियोजनाओं ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की अनेक विरोधात्मक अभिरुचियों में शांतिपूर्ण संतुलन प्रस्तुत कर एक प्रकार का वैधानिक अनुशासन उत्पन्न कर दिया है। संविनियमों द्वारा अनेक अंतरराष्ट्रीय विवादों का स्पष्टीकरण और समाधान हुआ है, तथा विश्व के समस्त राज्यों की सुरक्षा कुछ सीमा तक सुरक्षित हो गई है। जब तक अंतरराष्ट्रीय विधान परिषद् का स्वप्न विश्वसमाज में साकार नहीं हो जाता उस समय तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सुव्यवस्था संधि द्वारा होना अनिवार्य एवं निश्चित है।

सं० ग्रं० —(१) इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज (२) ओपेनहीम : इंटरनेशनल ला; (३) स्टार्क : इंटरनेशनल ला, (४) फेनविक : इंटरनेशनल ला। [सु० कु० अ०]

संधिपाद प्राणी (Arthropoda) सखंड (segmented) शरीर और उपांगों (appendages) वाले अकशेरुकी जंतुओं को कहते हैं। ये प्राणी प्राणिजगत् में सबसे बड़ा संघ (phylum) बनाते हैं। लगभग सात लाख संधिपादों का अब तक वर्णन हो चुका है, जो संसार के समस्त वर्णित जंतुओं का ४/५ वाँ भाग है। वितरण में इनसे अधिक विस्तृत वितरण किसी अन्य जंतुसमूह का नहीं है। ये प्राणी मीठे और खारे पानी में, भूमि के ऊपर और नीचे, मरुस्थलों, गरम सोतों तथा पर्वतों पर पाए जाते हैं। पृथ्वी का शायद ही कोई स्थान ऐसा बचा हो, जहाँ ये प्राणी न पाए जाते हों। केकड़े की एक जाति, एथुसिना एबिसिकोला (Ethusina abyssicola), १४ हजार फुट समुद्र की गहराई से तथा मकड़ी की एक किस्म २२ हजार फुट की ऊँचाई के हिमालय पर्वत से प्राप्त की गई है। एफिड्रिड (ephydrid) मक्खी का लार्वा कैलिफोर्निया की पेट्रोलियम की खान तक में रहता हुआ पाया गया है।

माप — माप में ये प्राणी सूक्ष्म से सूक्ष्म और काफी बड़े तक हो सकते हैं। परजीवी माइट (mite), डेमोडेक्स (Demodex), १/२५० इंच लंबा होता है। इसके विपरीत जापानी केकड़ा मैक्रोकाइरा (Macrocheira) के उपांग के फैलाव का विस्तार ११ फुट तक हो सकता है।

बाह्य रचना — इस संघ के सभी प्राणी द्विपार्श्व सममिति (bilateral symmetry) वाले होते हैं। शरीर का प्रत्येक खंड ऊपर और नीचे काइटिन (chitin) के प्लेट से ढँका होता है। उपांगों के जोड़े या तो शरीर के सभी खंडों में, जैसे मिरियापोडा (Myriapoda) में, अथवा केवल कुछ मध्यस्थ खंडों में, जैसे कीटवर्ग (Insects) और कुछ ऐरेक्निडा (Arachnida) में, ही उपस्थित होते हैं। ये उपांग अनेक कार्यों, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, मिट्टी खोदना, शिकार पकड़ना आदि, के लिये प्रयुक्त होते हैं।

आंतरिक रचना

आहारनली — साधारणतया आहारनली को तीन मुख्य भागों में विभाजित करते हैं : मुखपथ (stomodaeum), मध्यांत्र (mesenteron) तथा गुदपथ (proctodaeum)। मुखपथ को ग्रसनी (pharynx), ग्रसिका (oesophagus), अन्नाशय (crop) और बहुधा गिजर्ड (gizzard) जैसे भागों में विभक्त किया जाता है। मध्यांत्र, जो पाचन और अवशोषण का मुख्य अंग है, अविभाजित होता है। गुद पथ को अग्र आंत्र और पृष्ठ आंत्र में विभक्त किया जाता है। मध्यांत्र तथा गुदपथ के जोड़ पर सौ महीन और लंबी मैलपीगी (malpighian) नलिकाएँ खुलती हैं, जो उत्सर्जक पदार्थ एकत्रित कर आहारनली के इस भाग में विसर्जन हेतु पहुँचाती हैं।

परिसंचरण तंत्र — कशेरुकी जंतुओं से संधिपाद प्राणियों का परिसंचरण संस्थान इस विशेष बात में भिन्न है कि इनमें रुधिर नलिकाओं में न बहकर देहगुहा में, जिसे इसी कारण रुधिरगुहा (haemocoel) कहते हैं, बहता है। फलस्वरूप सभी अंग रुधिर में डूबे रहते हैं। कुछ आद्य सदस्यों, जैसे पौरोपोडा (Paurapoda), में हृदय नहीं होता, परंतु अधिक विकसित सदस्यों में स्पंदमान, मांसल, पृष्ठीय (dorsal) नलिका होती है, जिसमें शरीर के प्रति खंड के लिये एक जोड़ा आस्य (ostia) होता है। इस संघ के कुछ सदस्यों, जैसे माइट (mite), में हृदय केवल कुछ खंडों तक जाता है, परंतु अन्य में वह काफी दूर तक फैला होता है और बहुधा महाधमनी (aorta) तथा पृष्ठीय, मांसल, स्पंदमान, छिद्रयुक्त हृदय में विभक्त हो जाता है। कशेरुकी प्राणियों के प्रतिकूल संधिपादों में रुधिर साधारणतया रंगहीन होता है।

श्वसन तंत्र — संधिपाद प्राणियों का श्वसन या तो देहभित्ति द्वारा, अथवा कुछ विशेष अंगों द्वारा, होता है। ये अंग जलीय संधिपादों में गिल (gill) तथा स्थलीय में श्वासनलियों (trachea) के रूप में होते हैं। गिल शरीर या उपांगों के पट्टिकासदृश या शाखित उद्वर्ध (outgrowth) होते हैं तथा श्वासनलियाँ देहभित्ति की अंतर्वृद्धि (ingrowth) से बनती हैं, और बाहर श्वासरंध्रों (spiracles) द्वारा खुलती हैं। इन श्वासनलियों की असंख्य शाखाओं द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँच जाती है।

उत्सर्जन तंत्र — कुछ संधिपादों में नाइट्रोजनी उत्सर्जक पदार्थ क्रिस्टल के रूप में, शरीर में आजीवन एकत्रित रहते हैं, या निर्मोचन (moulting) के साथ निकल जाते हैं, परंतु अधिकांश में उत्सर्जन कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है।

तंत्रिका तंत्र — संधिपाद का तंत्रिका तंत्र ऐनेलिडा (Annelida) से व्युत्पन्न माना जाता है। यहाँ भी यह संस्थान प्रत्येक खंड में एक गुच्छिका (ganglion) और उन्हें मिलानेवाले दो तंत्रिका तंतुओं (nerve cords) से मिलकर बनता है। संधिपादों में शरीर खंडों के संयुतीकरण के कारण उनकी गुच्छिकाएँ भी युक्त हो गई हैं। अंतिम तीन गुच्छिकाओं के युक्त होने से मस्तिष्क बनता है तथा कीटों में जहाँ शरीर खंडों के और अधिक संयुतीकरण से वक्ष एवं उदर बने हैं, वहाँ बहुधा उनकी गुच्छिकाएँ भी आपस में जुड़ गई

वर्गीकरण

संधिपाद संघ को दो उपसंघों में विभक्त उपसंघ कीलिसेरेटा तथा (२) उपसंघ

पुष्टीकरण के लिये भेज दिया जाता है। सिद्धांततः राज्य के प्रधानाध्यक्ष अथवा सरकार द्वारा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का समर्थन ही पुष्टीकरण माना जाता है किंतु आधुनिक व्यवहारप्रणाली के अनुसार यह पुष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

पुष्टीकरण की व्यवस्था इस कारण लाभकारी है कि इससे संबंधित पक्षों की सरकारों को संधिप्रस्ताव पर अंतिम पुनर्विचार का अवकाश तथा जनमत टटोलने का अवसर मिल जाता है। विश्व में जब राजतंत्रवाद की मान्यता थी, तब संधिप्रस्तावों का अनुमोदन स्वभावतया राजा द्वारा होता था। वर्तमान युग में भी इंग्लैंड तथा इटली में राजा, जापान में सम्राट्, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति के नाम पर संधिप्रस्ताव निर्मित एवं उनके द्वारा अनुमोदित होते हैं। पाश्चात्य जनतंत्रवादी संविधानों के अनुसार संधि पुष्टीकरण के लिये यह अनिवार्य है कि कार्यकारिणी के प्रधान की स्वीकृति के अतिरिक्त किसी रूप में विधायिनी सहमति भी प्राप्त की जाए। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र अमरीका में संधि की पुष्टि तब होती है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा २/३ उपस्थित सेनेटरों की सहमति प्राप्त हो जाए। फ्रांस में सब संधिप्रस्तावों के विषय में नहीं किंतु कुछ विशेष महत्वपूर्ण संधियों की पुष्टि के लिये नियम है कि 'सेनेटरों एवं डेपुटीज' का बहुमत प्राप्त हो। ब्रिटेन में सिद्धांत रूप से सम्राट् को संधि-पुष्टीकरण में पार्लिमेंट की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, किंतु व्यवहार में कुछ दूसरी ही प्रथा है। सारे महत्वपूर्ण संधिप्रस्ताव अनुमोदन के पूर्व 'हाउस ऑव कामन्ज' के समक्ष सहमति प्राप्त करने के लिये रख दिए जाते हैं। स्विटजरलैंड में कुछ विशेष संधिप्रस्ताव, पुष्टीकरण के पूर्व 'जनमत ग्रहण' के लिये सर्वसाधारण जनता के संमुख भी रखे जा सकते हैं। भारत की संवैधानिक प्रणाली के अनुसार संधिप्रस्ताव संसद् में केवल सूचनार्थ रख दिए जाते हैं, अन्य कोई क्रिया आवश्यक नहीं होती। एकशास्त्रुत्र के अंतर्गत पुष्टीकरण एकांगी रूप से कार्यकारिणी द्वारा संपन्न होता है।

पुष्टीकरण के पूर्व किसी भी संबंधित राज्य की कार्यपालिका या विधानमंडल कुछ संशोधन या संरक्षण उपाय प्रस्ताव में रख सकते हैं किंतु इनकी बाध्यता तब तक मान्य नहीं होती जब तक अन्य संबंधित पक्ष उन्हें स्वीकार न कर लें। इन संरक्षण उपायों द्वारा पक्षविशेष प्रस्ताव के कुछ नियमों से अपने को मुक्त रख सकते हैं, अथवा किसी नियमविशेष को संशोधित रूप में या किसी विशेष अर्थ में मानकर भी संधि को स्वीकार कर सकते हैं।

पुष्टीकरण पूर्ण हो चुकने पर पक्षों में पुष्टीकरणपत्रों का परस्पर विनिमय होता है। जब संधि बहुपक्षीय होती है तो सब पुष्टीकरणपत्र उस देश के वैदेशिक विभाग में रख दिए जाते हैं जहाँ संधि अधिवेशन की बैठक हुई हो। यदि संधि अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में हुई हो तो सब पुष्टीकरणपत्र संघ के सचिवालय में रखे जाते हैं। संघ के घोषणापत्र के अनुसार यह अनिवार्य है कि संघ का कोई भी सदस्य जब कोई संधि करे तो संघ सचिवालय द्वारा उसका पंजीयन तथा प्रकाशन करवाए। इसका उद्देश्य केवल यही है कि राज्यों में परस्पर गुप्त समझौते न होने पाएँ। पुष्टीकरण विनिमय के उपरांत संधि पूर्णरूपेण प्रभावशील हो जाती है। साधारणतया जब तक कोई अन्य [illegible] की गई हो, हस्ताक्षर तिथि से ही संधि लागू की [illegible] अन्य राज्य भी संधि अंगीकार कर सकते हैं [illegible] संधिकारों की सहमति आवश्यक होती है।

राज्यों [illegible]

में संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति की ओर [illegible] उद्घोषणा पर्याप्त होती है। इंग्लैंड तथा भारत में संसद् का विधिवत् समाविष्ट होना अनिवार्य है।

संधि का समापन कई प्रकार से हो सकता है। [illegible] के स्वरूप पर निर्भर करता है। निश्चित अवधि समाप्त [illegible] कारण, संधि के नियमों की पूर्ति हो जाने पर, अथवा [illegible] से एक देश की विनष्टि के कारण, या किसी नवीन [illegible] द्वारा जो पूर्वस्थित संधि को स्पष्ट रूप से अवरुद्ध [illegible] इन सभी अवस्थाओं में स्वभावतः संधि का समापन हो [illegible] वस्तुस्थिति में प्राणभूत परिवर्तन होना भी संधि को समाप्त [illegible] कर सकता है, किंतु यह स्पष्ट नहीं कि इस प्रकार की समाप्ति [illegible] एक पक्ष के मत से सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं। युद्ध [illegible] होते ही स्वभावतः युध्यमान देशों की पारस्परिक समस्त [illegible] संधियों का समापन हो जाता है, अन्य सब प्रकार की संधि [illegible] क्रियात्मकता युद्धकाल के लिये स्थगित कर दी जाती है [illegible] समझौते मान्य रह जाते हैं जो विशेषतया युद्धकालीन [illegible] संबंधित हों। इसके अतिरिक्त संधिकारों की पारस्परिक [illegible] से भी किसी संधि का समापन हो सकता है। कोई एक पक्ष भी [illegible] पक्षों को सूचित कर संधि अनुबंधन से विलग हो सकता है, इस [illegible] में केवल उस पक्ष की ओर से संधि समापन होता है, किंतु इस [illegible] का समापन तुरंत ही कार्यान्वित नहीं हो जाता। अन्य पक्षों [illegible] सामयिक सूचना के उपरांत कुछ निश्चित अवधि मिलती है जिससे [illegible] विभक्त पक्ष में व्यवहारसंतुलन व्यवस्थित कर सके, अन्यथा ऐसे [illegible] आकस्मिक परिवर्तन समस्त संबंधित पक्षों के पूर्वनियोजित व्यवहार [illegible] को अवश्य ही अव्यवस्थित और असंतुलित कर दें।

यह स्पष्ट है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समाज इतना गतिमान [illegible] कि उसमें राजनीतिक संधियाँ कभी सततमान्य या अपरिवर्तनशील [illegible] नहीं हो सकतीं। विश्वकुटुंब में राज्यरूपी इकाइयों का ऐसा स्वरूप [illegible] है कि नित्य उनकी दलगत स्थितियाँ पारस्परिक लाभ हानि के [illegible] दृष्टिकोण को लेकर बदलती रहती हैं। ऐसे परिवर्तनशील समाज [illegible] में सततमान्य समझौते कैसे संभव हो सकते हैं? इसकी चेष्टा मात्र [illegible] राजनीतिक वस्तुस्थिति तथा संधिनियमों में सदा संघर्ष उत्पन्न करेगी। अतएव समस्त संधियोजनाओं का सामयिक संशोधन नितांत आवश्यक है जिससे परिवर्तित राजनीतिक दशाओं और संधिनियमों में संतुलन बना रहे और कोई पक्ष अनेक कर से इनका समापन अथवा उल्लंघन न करे। इस दृष्टिकोण को लक्ष्य कर बहुधा संधियोजनाओं में संशोधन करने की अनुमति तथा प्रणाली भी दी जाती है। अधिकतर समस्त संधिकारों की सहमति से संशोधन किए जाते हैं। अधिकतर समस्त संधिकारों की सहमति से संशोधन किए जाने की प्रथा है, किंतु १९४२ ई० से एक नवीन प्रणाली आरंभ हुई है जिसके अनुसार यदि संशोधन अंतर्राष्ट्रीय [illegible] के [illegible]

अधिक खंड, जिनमें साधारणतया १२ जोड़े उपांग होते हैं, तथा पूंछ (cerci) में रेशम ग्रंथि की नलिकाएँ उपस्थित होती हैं।

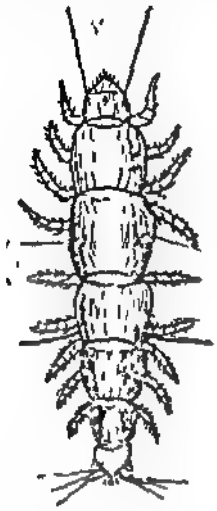

चित्र ४. पॉरोपस (Pauropus)

२. ओपिस्थोगोनिएटा (Opisthogoneata) — इस उपखंड के प्राणियों में जननछिद्र शरीर के पृष्ठभाग में, १४ खंडों के पीछे, तथा एक नखर (claw) होता है। इसके अंतर्गत केवल निम्नलिखित एक श्रेणी आती है :

काइलोपोडा (Chilopoda) — इस श्रेणी के प्राणी औसत से लेकर बड़े आकार के संधिपाद होते हैं, जिनका शरीर केवल सिर और धड़ में विभक्त किया जा सकता है। धड़ कई खंडों से मिलकर बनता है और प्रत्येक खंड में केवल एक ही जोड़ा उपांग होता है। प्रथम जोड़ा उपांग से विषदंत (fang) बनता तथा दूसरा अनुपस्थित होते हैं, जैसे स्कोलोपेंद्रा (Scolopendra) में।

३. हेटरोगोनिएटा (Heterogoneata) — इस उपखंड के प्राणियों में जननछिद्र ८, १०, १३ या १४ वें खंड पर तथा दो नखर

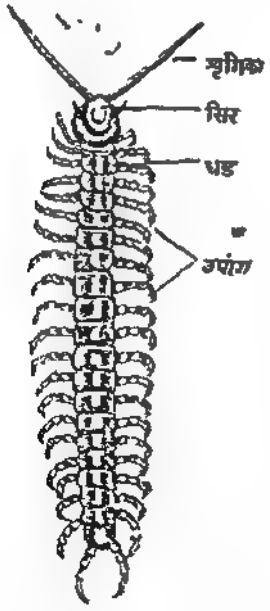

चित्र ५. स्कोलोपेंद्रा या शतपाद (Scolopendra)

होते हैं। इसके अंतर्गत भी केवल निम्नलिखित एक ही श्रेणी है :

कीट (Insecta) — इस श्रेणी के प्राणी छोटे से, औसत आकार के जंतु हैं। इनका शरीर तीन भागों में विभक्त होता है : सिर, वक्ष और उदर। वक्ष तीन जोड़े उपांग धारण करता है।

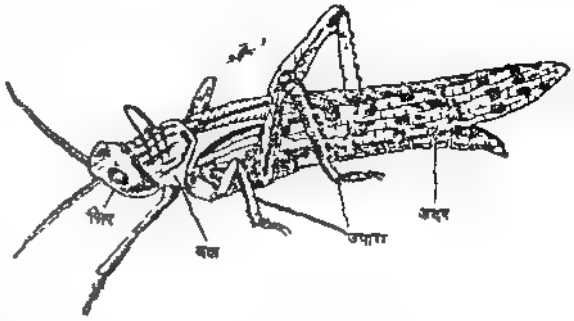

चित्र ६. टिड्डी (Locusta)

अतएव इन संधिपादों को षट्पाद भी कहते हैं। इस श्रेणी के सदस्य (जैसे टिड्डी), संख्या, अनुकूलनों, एवं विविधताओं में अन्य सभी संधिपाद श्रेणियों से अधिक विकसित होते हैं।

लुप्त और संबंधित समूह

लुप्त समूह — इन समूहों को अब केवल जीवाश्म (fossils) द्वारा ही जाना जाता है। इस समूह को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है :

१. यूरिप्टरिडा (Eurypterida) — इस श्रेणी के प्राणी, *ऐरेक्निडा संबंधी जंतु थे, जो साइलूरियन (Silurian) से लेकर* कार्बनीफेरस (Carboniferous) में पाए जाते थे। इनका सिरोवक्ष छोटा तथा धड़ ११ खंडों का होता था। अंतिम खंड को पुच्छखंड (telson) कहते हैं। यह जोड़े उपांगों में अंतिम जोड़ा पतवार के रूप में होता था, जिससे इनकी जलीय प्रकृति का पता चलता है, जैसे टेरीगोटस (Pterygotus)।

२. ट्राइलोबाइटा (Trilobita) — इस श्रेणी के प्राणी *क्रस्टेशिया संबंधी संधिपाद थे, जो मुख्यतः कैंब्रियन (Cambrian)*

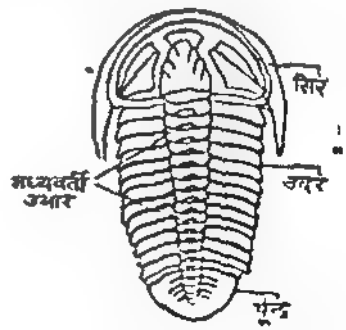

चित्र ७. कोनोसेफैलाइटिस (Conocephalitis)

और आर्डोविशन (Ordovician) युगों में पाए जाते थे।

कीलिसरेटा (Chelicerata) — इस उपसंघ के प्राणियों के जबड़े कीलेट (Chelate) तथा द्वितीय शिरस्थ (cephalic) उपांगों द्वारा बनते हैं। प्रथम उपांग, या शृंगिका (antenna), अनुपस्थित होती हैं। इस उपसंघ को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है .

१. जाइफोसुरा (Xiphosura) — इस श्रेणी के प्राणी बृहत् समुद्री जंतु हैं, जिनमें सिर और वक्ष संयुक्त होकर शिरोवक्ष (cephalothorax) बनाते हैं, जो छह जोड़े उपांगों को धारण

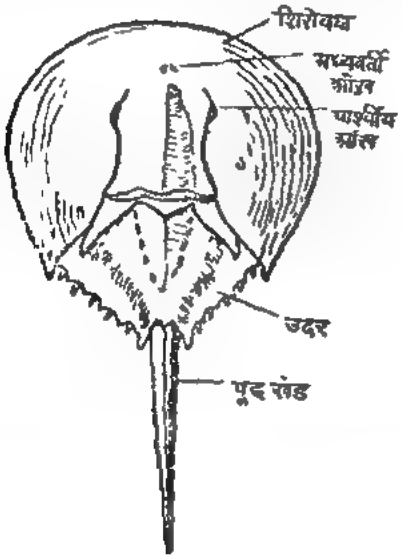

चित्र १. किंग क्रैब (King Crab)

करता है। उदर के अंत में एक लंबा कांटेदार पुच्छखंड होता है। इनमें श्वसनक्रिया पुस्तकगिलों (book gills) द्वारा होती है, जैसे किंग क्रैब में।

२ पिक्नोगोनिडा (Pycnogonida) — इस श्रेणी के प्राणी छोटे और औसत माप के समुद्री जंतु हैं, जिनमें शिरोवक्ष पंच-खंडित,

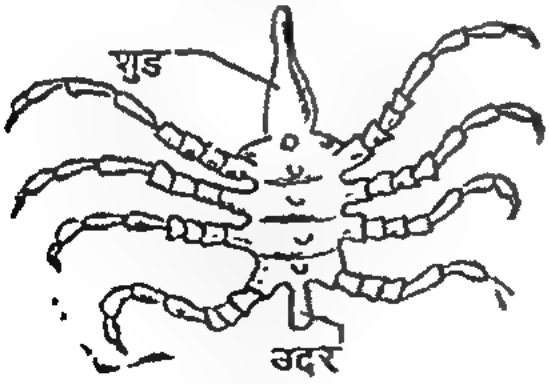

चित्र २. समुद्री मकड़ी (Pycnogonum)

उदर सूक्ष्म (अति संकुचित), अवशिष्ट जोड़ों में तथा श्वसन और उत्सर्जन अंग अनुपस्थित होते हैं, जैसे समुद्री मकड़ी (Pycnogonum) में।

३. ऐरेक्निडा (Arachnida) — सूक्ष्म से लेकर औसत माप के जंतु हैं जिनमें शिरोवक्ष चार जोड़े उपांग धारण करता है। श्वसन पुस्तक गिल (book lung) अथवा श्वासनली द्वारा होता है, जैसे बिच्छू, मकड़ी, किलनी आदि में।

मैंडिबुलेटा (Mandibulata) — इस उपसंघ के प्राणियों के जबड़े मैंडिबुलाकार (mandibulate) होते हैं तथा तृतीय शिरस्थ उपांगों द्वारा बनते हैं। प्रथम उपांग शृंगिका (antenna) बनाते हैं। इस उपसंघ के निम्नलिखित दो खंड हैं :

खंड-अ — इसमें उपांग द्विशाखी (biramous), शृंगिका दो जोड़ी तथा श्वसन मुख्यतः गिल द्वारा (अर्थात् जलीय) होता है। इसके अंतर्गत केवल निम्नलिखित एक श्रेणी आती है :

श्रेणी क्रस्टेशिया (Crustacea) — इस श्रेणी के प्राणी सूक्ष्म से लेकर मध्य माप के जंतु होते हैं, जिनमें सिर और वक्ष युक्त होकर शिरोवक्ष बनाते हैं। कुछ सदस्य प्रौढ़ अवस्था में अपभ्रष्ट परजीवी (parasite) का रूप ले लेते हैं।

खंड-ब — इसमें उपांग अशाखित, शृंगिका एक जोड़ी तथा श्वसन मुख्यतः श्वसननलिकाओं द्वारा होता है। इस खंड के निम्नलिखित तीन उपखंड किए गए हैं :

१. प्रोगोनिएटा (Progoneata) — इस खंड के प्राणियों के जननछिद्र शरीर के अग्रिम तीसरे या चौथे खंड पर स्थित होते हैं। इस उपखंड को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है :

१. डिप्लोपोडा (Diplopoda) — इस श्रेणी के प्राणी औसत से बड़ी माप के जंतु होते हैं, जैसे सहस्रपाद, जिनमें शृंगिका छोटी और अशाखी (unbranched), धड़ के खंड दोहरे तथा दो के

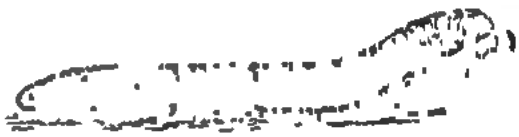

चित्र ३. सहस्रपाद (Julus)

उपांग रहते हैं, पर हृदय और श्वासनलिका अनुपस्थित रहती है।

२. पौरोपोडा (Paurepoda) — इस श्रेणी के प्राणी सूक्ष्म जंतु हैं, जैसे पोरोपस, जिनमें शृंगिका लघु तथा सशाख (branched), धड़खंड दोहरे तथा ९-१० जोड़े उपांग होते हैं, पर हृदय और श्वासनली अनुपस्थित होती है।

३. सिम्फाइला (Symphyla) — इस श्रेणी के प्राणी छोटे जंतु होते हैं। इनमें शृंगिका लंबी और लचीली, धड़ में १२ या

ysis) में अस्थियों के सिरों के बीच में रहनेवाली उपास्थि का शोषण नहीं होता। यह उपास्थि दोनों अस्थियों को एक दूसरे से मिलाए रहती है। उपास्थि के अतिरिक्त कुछ स्नायुएँ भी अस्थियों को जोड़े रहती हैं। इसी कारण इन संधियों में कुछ गति होती है। कशेरुकों के बीच की संधि इसी प्रकार की है।

(३) चल संधियों की गति अबाध होती है। इनमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं : (क) इन संधियों में गतियों की बहुरूपता, जिससे सब दिशाओं, दो दिशाओं, एक दिशा, या केवल अक्षों पर ही गति होती है; (ख) संधि के भीतर स्थित अस्थियों का एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता; (ग) संधि एक कोशिका द्वारा पूर्णतया आच्छादित रहती है, जिसमें दो स्तर होते हैं : (१) तंतु स्तर (fibrous layer) तथा (२) स्नेहक स्तर (Synovial layer); (घ) स्नेहक स्तर संधि को भीतर से पूर्णतया ढके रहता है। केवल उपास्थि-युक्त अस्थियों के सिरे को स्तर छोड़ देता है; (ङ) संधि के भीतर विवर (cavity) होता है, जो तंतु उपास्थि के एक गोल टुकड़े से पूर्णतया, अथवा अपूर्णतया, दो भागों में विभक्त रहता है; (च) कोशिका के बाहर स्नायु उपस्थित रहती हैं, जो संधि को दृढ़ बनाती हैं। संधियों में स्थित अर्ध एवं पूर्णचंद्राकार तंतूपास्थि से अस्थियों की धक्के से रक्षा होती है और यह दोनों अस्थियों के सिरों को आपस की रगड़ से बचाती है।

चल संधियों के भेद — १. कोर संधि (Ginglymus) के संधायक पृष्ठ एक दूसरे के अनुकूल ऐसे बन जाते हैं कि अस्थियाँ केवल एक ही अक्ष पर गति कर सकती हैं, जैसे कुहनी की संधि; २. विवर्तिका संधि (Pivot joint) में एक अस्थि कुंडल की भाँति बन जाती है और दूसरी किवाड़ की चूल की भाँति उसके भीतर बैठकर घूमती है, जैसे अरत्निकांतर संधि (Radio-ulnar joint); ३. द्युलकाय संधि (Condyloid joint) में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और दूसरी अस्थि उन्नतोदर और लंबोतरी सी हो जाती है। यह भाग पहली अस्थि के गड्ढे में रहता है और अस्थियाँ स्नायुओं द्वारा आपस में बँधी रहती हैं, जैसे मणिबंध अर्थात् कलाई की संधि। इनमें आकुंचन (flexion), विस्तार (extension), अभिवर्तन (adduction), अपवर्तन (abduction), पर्यावर्तन (circumduction) इत्यादि क्रियाएँ होती हैं। ४. पर्याण संधि (saddle joint) में एक अस्थि का आकार जीन के समान होता है। यह एक दिशा में अवतल और दूसरी दिशा में उत्तल हो जाती है, जैसे अँगूठे की मणिबंध करभ (cartometacarpal) संधि; ५. कंदुक संधि (Ball and Socket joint) में एक अस्थि में गड्ढा बन जाता है। दूसरी अस्थि का एक प्रांत कुछ गोल पिंड का रूप धारण करके इस गड्ढे में स्थित हो जाता है। संधिविवर तथा स्नायु द्वारा संधि दृढ़ हो जाती है, जिससे संधि की प्रत्येक दिशा में गति हो सकती है और स्वयं अपने अक्ष पर घूम सकती है। स्कंध संधि और नितंब संधि इसके उदाहरण हैं।

सरल संधि (Plain Joint) — इसके पृष्ठ इस प्रकार ढके होते हैं और स्नायु इत्यादि की स्थिति ऐसी होती है कि अस्थियाँ इधर उधर कुछ ही सरक सकती हैं, जैसे मनिबंध संधि।

संधि की रचना — संधियों का प्रयोजन गति है। इसलिये इनकी रचना भी इस प्रकार की है कि अस्थियाँ गति कर सकें और साथ अपने स्थान से च्युत भी न हों। प्रत्येक संधि पर एक तंतुक या स्नायविक कोशिका चढ़ी रहती है, जो संपूर्ण संधियों को ढकती हुई संधि में भाग लेनेवाली अस्थियों के सिरों पर लगी रहती है। इस तंतुस्तर के विशेष भागों का विशेष विकास हो जाता है और वे अधिक दृढ़ हो जाते हैं। इन भागों को स्नायु कहते हैं, जो भिन्न भिन्न संधियों में भिन्न भिन्न संख्या में होती हैं।

तंतुस्तर के भीतर स्नेहकस्तर होता है, जो अस्थियों के ऊपर तक पहुँचकर उन्हें ढक लेता है। जिन संधियों के भीतर संधायक चक्रिका (articular disc) रहती है, वहाँ स्नेहक स्तर की एक परत संधायक चक्रिका के ऊपर भी फैली होती है, जिससे स्नेहक स्तर तथा संधायक चक्रिका के बीच में, स्नेहक कला की खाली में, स्नेहक द्रव्य उपस्थित हो जाता है। यह स्नेहक द्रव्य संधिस्थित अस्थि के भागों को चिकना रखता है और उनको रगड़ से बचाता है।

स्नायु — तंतुमय ऊतक के समांतर सूत्रों के लंबे पट्ट होते हैं। इनसे दो अस्थियों के दोनों सिरे जुड़ते हैं। इनके भी दोनों सिरे दो अस्थियों के अविस्तारी भागों पर लगे रहते हैं। ये स्नायु संधियों के दृढ़ निर्माण के हेतु आपस में बँधी रहती हैं। कुछ स्नायु कोशिका के बाहर स्थित रहती हैं और कुछ भीतर। भीतरी स्नायु की संख्या कम होती है।

श्लेष्मल आवरण (Mucous sheath) — यह पेशियों की स्नायुओं (ligaments) पर चढ़ा रहता है। इन आवरणों की दो परतों के बीच एक द्रव होता है, जो विशेषकर उन स्थानों पर पाया जाता है, जहाँ स्नायु अस्थि के संपर्क में आती हैं। इससे संधि के कार्य के काल में स्नायुओं में कोई क्षति नहीं होने पाती।

स्नेहपुटी (Bursa) — यह भिन्न आकार की झिल्ली होती है, जिसकी स्नेहक कला (synovial membrane) की कोशिका में गाढ़ा स्निग्ध द्रव्य भरा रहता है। यह उन अस्थियों के पृष्ठों के बीच अधिक रहती है, जो एक दूसरे पर रगड़ खाती हैं, या जिन संधियों में केवल सरकने की क्रिया होती है।

संधियों में होनेवाली गतियाँ — प्रत्येक चल संधि में मांसपेशियों की सिकुड़न और प्रसार से निम्नलिखित क्रियाएँ होती हैं (१) आकुंचन, (२) विस्तार, (३) अभिवर्तन, (४) अपवर्तन, (५) पर्यावर्तन, (६) परिभ्रमण (rotation), एवं (७) विसर्पन (gliding) [प्रि० कु० चौ०]

संधिशोथ (Arthritis) संधियों में जब सूजन हो जाती है तब उसे संधिशोथ कहते हैं। संधिशोथ दो प्रकार के होते हैं : (१) तीव्र संक्रामक (acute infective) संधिशोथ, (२) जीर्ण संक्रामक (chronic infective) संधिशोथ।

(१) तीव्र संक्रामक संधिशोथ — किसी भी तीव्र संक्रमण के समय यह शोथ हो सकता है। निम्नलिखित प्रकार के संक्रामक संधिशोथ अधिक व्यापक हैं : (क) तीव्र आमवातिक (rheumatic) ज्वर, (ख) तीव्र स्ट्रेप्टोकॉकेल (streptococcal) संधिशोथ, तीव्र स्टैफिलोकॉकेल (staphylococcal) संधिशोथ,

शरीर तीन भागों में विभक्त होता या अखंडित आकारवाला सिर, खंडित धड़ तथा अखंडित पुच्छ (pygidium)। चारेनिया के विलीन इनमें केवल एक ही जोड़ा श्रृंगिका होती थी तथा अन्य सभी उपांग द्विशाखी होते थे, जैसे कोनोसेफैलाइटिस (Conocephalitis)।

संबंधित समूह — इन समूहों के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनको संधिपाद कहना विवादास्पद है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अन्य किसी संधिपाद में नहीं मिलते। इस समूह को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है :

१. ओनिकोफोरा (Onychophora) — इस श्रेणी के प्राणी रेंगनेवाले जंतुओं की भाँति मुलायम शरीरवाले तथा अँधेरे और नम स्थानों में (जैसे वृक्ष की छाल, सड़ते तनों के कुंदों, या पत्थरों के नीचे) रहनेवाले जंतु होते हैं। यद्यपि इनके शरीर को सिर और धड़

चित्र ८. पेरिपेटस (Peripatus)

में विभक्त कर सकते हैं, फिर भी सिर कुछ अनिश्चित सा होता है और केवल अपने तीन जोड़े उपांगों द्वारा ही पहचाना जा सकता है।

धड़ पर कई जोड़े अखंडित उपांग उपस्थित होते हैं। श्वसन श्वासनली द्वारा होता है, अतः श्वासरंध्र अन्य संधिपादों के प्रतिकूल छितरे होते हैं। अपने मिश्रित गुणों के कारण इन्हें ऐनेलिडा संघ और संधिपाद संघ के बीच जोड़नेवाली कड़ी माना जाता है, जैसे पेरिपेटस (Peripatus)।

२. टार्डिग्रेडा (Tardigrada) — इस श्रेणी के प्राणी अत्यंत सूक्ष्म (१ मिमी० लंबे) जंतु हैं, जो दलदल की काई, अथवा घरों की बद नालियों की छतों, पर पाए जाते हैं। कुछ अलवण जल और कुछ समुद्र में भी मिलते हैं। शरीर अखंडित तथा रेंगनेवाले कीड़ों की भाँति मुलायम होता है। चार जोड़े अत्यंत छोटे ठूँठ जैसे नखर-

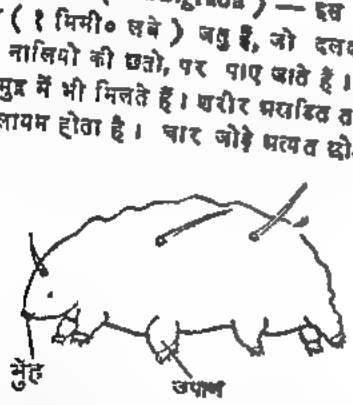

चित्र ९. मैक्रोबायोटस (Macrobiotus)

युक्त उपांग, अपनी स्थिति के कारण, इन सूक्ष्म जंतुओं को चौपाया जैसा रूप दे देते हैं। इससे इन्हें पानी का रीछ भी कहा जाता है,

इस श्रेणी के प्राणी

विशिष्ट नलीनी ग्रंथि होते हैं, जो मालपीगी नलिकाओं (मलिकाएँ, मल आदि) के आगे स्थानों में पाई जाती हैं।

चित्र १०. आर्मिलिफर (Armillifer)

संबंधकार उपांगरहित होता है। मुख उपांगों में केवल दो जोड़े उपस्थित होते हैं। हृदय, श्वासनली तथा मालपीगी अनुपस्थित हैं, जैसे आर्मिलिफर (Armillifer) में। [कृ० प्र० सी०

संधियाँ और स्नायु (Joints and Ligaments)

जहाँ दो अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, वे स्थान संधि कहलाते हैं, जैसे कंधे, कुहनी या घुटने की संधि।

शरीर में विशेषकर तीन प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं : १. अचल संधि, २. अर्धचल संधि तथा ३. चल संधि।

(१) अचल संधियों में अस्थियों के संधिपृष्ठों का संयोग हो जाता है। दोनों अस्थियों के बीच कुछ भी अंतर नहीं होता। इस कारण अस्थियों के संगम स्थान पर किसी प्रकार की गति नहीं हो पाती। दोनों अस्थियाँ तंतु ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इन संधियों में तीन श्रेणियाँ पाई जाती हैं : (क) सीवनी (सूत्रसंधि, Sutures) में अस्थियाँ अपने कोरों द्वारा आपस में मिली रहती हैं। यह केवल कपालास्थियों में पाया जाता है, (ख) दंतमूलसंधि (Gomphosis) में एक अस्थि का नुकीला भाग दूसरी अस्थि के भीतर प्रविष्ट रहता है जैसे हनु में दाँत, (ग) तंतव संधि (Syndesmosis) में अस्थियों के पृष्ठ अस्थ्यावरिक स्नायु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं।

(२) अर्धचल संधि में अस्थियों के बीच में उपास्थि (cartilage) रहती है तथा गति कम होती है। इस श्रेणी में दो भेद पाए जाते हैं : (क) उपास्थि संधि (Synchondrosis) में उपास्थि कुछ समय के बाद अस्थि में परिणत हो जाती है और अस्थियों के सिरे एक दूसरे के साथ पूर्णतया जुड़ जाते हैं। पश्चकपाल के तलभाग के बीच में इसी प्रकार की संधि होती है। इन संधियों में कुछ भी गति नहीं होती। (ख) तनुपास्थि संधि (Sympho-

ाचार 'भूत शुद्धि' प्रकरण में देखना चाहिए। सूर्यार्घ — इस के द्वारा अंजलि में जल लेकर गायत्री मंत्र का पाठ करते ए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह अर्घ तीन बार देना है। यदि सध्या की उपासना का समय बीत चुका हो और ासना विलंब से की जा रही हो तो प्रायश्चित्त के रूप में एक धिक देना चाहिए। किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन के उप- अर्घ देने की परिपाटी प्राचीन काल से चली आती है। इसका ही सूर्यार्घ है। 'सूर्योपस्थान' — इस क्रिया में वैदिक मंत्रों का ते हुए खड़े होकर सूर्य का उपस्थान किया जाता है। प्रात- की सूर्य की किरणें मानव शरीर में प्रविष्ट होकर मानव को तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। इन किरणों में अनेक रोग ने की शक्ति विद्यमान है। विशेषकर हृदयरोग के लिये ये लाभ करनेवाली सिद्ध हुई हैं। इस समय विद्यमान सूर्यकिरण- ता का यही मूल स्रोत है। गायत्रीजप — किसी मंत्र के निरंतर र्तन को जप कहते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक भेदों से तीन प्रकार का कहा गया है। इनमें मानसिक जप उत्तम कहा है। करते हुए मन को एकाग्र और शरीर को निश्चल रखना श्यक है। जप करते समय मंत्र की देवता का ध्यान करते रहने देवता के साथ उपासक की तन्मयता हो जाती है। जप के अनंतर ें देवता को जप का समर्पण करना चाहिए। मंत्र में अपनी उपासना के निमित्त आवाहित देवता का विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार की हुई उपासना को सर्वव्यापी ब्रह्म को अर्पित कर देना चाहिए। इस विधान के अनुसार निरंतर उपासना करते रहने से मानव अपने शरीर में उत्पन्न होनेवाले समस्त रोगों से दूर रहता है, समस्त सुख प्राप्त करता है और अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करता है। [म० ला० द्वि०]

संपत्ति पूर्वी तथा पश्चिमी समाजों द्वारा संपत्ति का प्रयोग सामाजिक संगठन तथा सामाजिक रहन सहन के लिये एक अत्यावश्यक वस्तु के रूप में होता रहा है। संपत्ति शब्द का आशय, इससे संबंधित अन्य विचारों से, जिन्हें 'वस्तु' या 'रेस' (res), 'डोमस' (Domus) तथा 'स्वामी' (प्रोप्राइटर) आदि शब्दों से व्यक्त किया गया, विकसित हुआ।

भाषाविज्ञान के अनुसार संपत्ति शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन क्रियाविशेषण 'प्राप्टर' (propter) से हुई है। इसका विकास 'प्रोप्राइटस' नामक शब्द से हुआ। प्रोप्राइटस शब्द रोमन विधियों द्वारा बौद्धिक स्तर पर प्रयोग में लाया जाने लगा तथा फ्रांस की बोलचाल की भाषा में इसका व्यवहार होने लगा। धीरे धीरे संपत्ति शब्द का उपयोग भूमि, धन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिये होने लगा।

'संपत्ति' के अभिप्राय का विकास — 'संपत्ति' शब्द का अर्थ तब है जब इस शब्द का प्रयोग एक परिवार और उसके ों से संबंधित वस्तुओं का संबंध व्यक्त करने के लिये किया जाने लगा। बाद में सामाजिक परिस्थितियों द्वारा व्यक्तियों की वस्तुओं के अभिग्रहण और संरक्षण की प्रवृत्ति को मान्यता प्राप्त हुई तथा उसके मूल का औचित्य और आवश्यकता देखते ए संपत्ति का समर्थन किया जाने लगा। वह समाज की वस्तु बन गई तथा उसका विकास सामाजिक विशिष्टताओंवाली संस्था के रूप में होने लगा।

आदिम समाज में धर्म के अधिकारी विद्वानों ने कानून को जन्म दिया तथा उस समाज में संपत्ति एवं परिवार दोनों अवि- योज्य शब्द थे क्योंकि दोनों का मूल धर्म ही था तथा दोनों को धर्म से ही मान्यता प्राप्त थी। इस प्रकार संपत्ति, परिवार तथा कानून, आदिम समाज में सजातीय अथवा संबद्ध शब्द थे।

संस्कृत शब्द 'गृह' अर्थात् घर की व्युत्पत्ति, 'ग्रह' शब्द हुई है जिसके अर्थ हैं, ले लेना, स्वीकार करना, छीन लेना अथवा विजय प्राप्त करना। यह स्मरण रखना चाहिए कि बलपूर्वक अथवा युद्ध में जीतकर अधिग्रहण अत्यंत प्राचीन विधि है। मनु के अनुसार, गृह की स्थापना गृहस्थी या परिवार की नींव है। 'घर' तथा 'परिवार' दोनों के लिये प्रयुक्त होनेवाले लैटिन शब्द 'डोमस' का भी अर्थ 'गृह' के सदृश ही है। 'डोमस', 'डोमिनियम' (Dominium) का मूल है, जिसका अर्थ रोमन न्यायशास्त्र में संपत्ति का आशय समझाने के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

न्यायसंहिता (Justinian code) में 'मैनसिपियम' (Mancipium), 'डोमिनियम' तथा 'प्रोप्राइटस' का प्रयोग संपत्ति अथवा 'स्वामित्व' के लिये समान रूप से किया जाता है। मैनसिपियम का अर्थ है अभिग्रहण, अधिकार में करना, विशेषकर भूमि आदि। 'मैनसिपियम' शब्द लगभग संस्कृत के 'ग्रह' शब्द के ही समान है। रोमन में 'डोमिनियम' अथवा 'प्रोप्राइटस' का अर्थ उन सब अधिकारों का समूह है जिससे स्वामित्व का बोध होता है।

समय के साथ साथ 'स्वत्व' का विकास हुआ और धीरे धीरे इसका आशय किसी वस्तु का स्वतंत्र उपयोग और उसे बेचने या दे डालने का अधिकार समझा जाने लगा।

आदिम समाजों में संपत्ति के साथ धार्मिक भावना भी जुड़ी रहती थी। जहाँ भूमि और उसके उत्पादन जीविका के प्रमुख साधन थे तथा भूमि अभिग्रहण की विधि अतिक्रमण और विजय द्वारा प्राप्त करना था, भूमि तथा खेती करने का अधिकार एक प्रकार का धन समझा जाता था और इस प्रकार यह एक जाति अथवा परिवार से संबंधित संपत्ति का प्रमुख अंग था। पारिवारिक संपत्ति उन्हीं के लिये दाय योग्य थी जो अपने पूर्वजों के लिये धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। पूर्वजों के लिये धार्मिक अनुष्ठान करना पर वंशजों का ही प्रथम कर्तव्य समझा जाता था। इसलिये खेती करने, भूमि का भोग करने तथा इसको क्रय विक्रय करने का अधिकार जन्म से प्राप्त हो जाता था।

पुत्र का जन्मतः अधिकार मिताक्षरा ने स्वीकार किया है। विज्ञानेश्वर के अनुसार जन्म ही संपत्ति का कारण है।' हिंदू समाज में कानून की यह विशिष्ट स्थिति है कि पैतृक या पूर्वजों की संपत्ति का स्वत्व जन्म से प्राप्त होता है।

धीरे धीरे संपत्ति का धार्मिक स्वरूप लुप्त होता गया। मिताक्षरा के अनुसार 'संपत्ति इहलौकिक वस्तु है क्योंकि इसका उपयोग सांसारिक लेन देन के लिये होता है।

गॉनोकॉकल (gonococcal) संधिशोथ, (ङ) लोहित ज्वर (scarlet fever), प्रवाहिका (dysentry) अथवा टाइफाइड युक्त संधिशोथ तथा (च) सीरमरोग (serum sickness)।

जीर्ण संक्रामक संधिशोथ — यह शोथ प्रायः शरीर के अनेक अंगों पर होता है। पाइरिया (pyorrhoea), जीर्ण उंडुक शोथ (appendicitis), जीर्ण पित्ताशय शोथ (cholecystitis), जीर्ण वायुकोटर शोथ (sinusitis), जीर्ण टॉसिल शोथ (tonsillitis), जीर्ण ग्रसनी शोथ (pharyngitis) इत्यादि।

संधिशोथ में रोगी को आक्रांत संधि में असह्य पीड़ा होती है, नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, ज्वर होता है, वेगानुसार संधिशूल में भी परिवर्तन होता रहता है। रोगी इसकी उग्रावस्था में एक ही आसन पर स्थित रहता है, स्थानपरिवर्तन तथा आक्रांत भाग को छूने में भी बहुत कष्ट का अनुभव होता है। यदि सामयिक उपचार न हुआ, तो रोगी खंज लुंज होकर रह जाता है। संधिशोथ प्रायः उन व्यक्तियों में अधिक होता है जिनमें रोगरोधी क्षमता बहुत कम होती है। स्त्री पुरुष दोनों को ही समान रूप से यह रोग आक्रांत करता है।

उपचार — संधिशोथ के कारणों को दूर करने तथा संधि की स्थानीय अवस्था ठीक करने के लिये चिकित्सा की जाती है। इसके अतिरिक्त रोगी के लिये पूर्ण शारीरिक और मानसिक विश्राम, पौष्टिक आहार का सेवन, दूर सेवन, हलकी मालिश तथा भौतिक चिकित्सा करना अत्यंत आवश्यक है। [प्रि० कु० चौ०]

संध्या (वैदिक) दिन और रात्रि के, रात्रि और दिन के तथा पूर्वाह्ण और अपराह्ण के संधिकाल में एकाग्रचित्त होकर जो उपासना की जाती है, उसे संध्या कहते हैं। अथवा उपर्युक्त संधिकाल में विहित उपासना में किए जानेवाले कार्यकलाप को भी संध्या कहते हैं। इस प्रकार सायंकाल, प्रातःकाल और मध्याह्नकाल में यह उपासना की जाती है। इन्हीं नामों से तीन संध्याएँ प्रचलित हैं। सूर्यास्त के समय से नक्षत्रोदय पर्यंत सायंकाल की संध्या का, अरुणोदय से सूर्योदय पर्यंत प्रातःकाल की संध्या का और पूर्वाह्ण और अपराह्ण के संधिकाल में मध्याह्नकाल की संध्या का समय प्रशस्त है।

वैदिक निर्णय के अनुसार यह उपासना प्रति दिन करनी चाहिए। द्विजमात्र को इस उपासना का अधिकार है। इस अनुष्ठान से अनजान में भी किए गए पाप का लोप होता है। उपर्युक्त किसी समय का पाप यदि दिन में विहित हो तो सायंकाल की संध्या से दूर होता है। प्रत्येक वेद की संध्या का विधान विविध गृह्यसूत्रों द्वारा प्रतिपादित है। इस अनुष्ठान के द्वारा दिव्यज्योति, सूर्य या ब्रह्म की उपासना की जाती है। इसका प्रारंभ करने से पूर्व उषःकाल में निद्रा का विसर्जन कर उठ बैठना चाहिए। सर्वप्रथम अपने इष्टदेव का स्मरण और वंदन करना चाहिए। अनंतर दैनिक दैहिक कृत्य से निवृत्त होकर सविधि स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे। पवित्र आसन पर बैठकर तिलक लगाये और शिखाबंधन करे। सायंकाल की संध्या पश्चिम दिशा की ओर और प्रातःकाल, मध्याह्नकाल की संध्या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। जिस दिन यज्ञोपवीत होता है उसी दिन से इसका अनुष्ठान प्रारंभ होता है। यह उपासना प्रति दिन और यावज्जीवन अनुष्ठेय है।

इस संध्या की उपासना के प्रकरण में इसके आठ अंग महत्वपूर्ण बतलाए गए हैं। उनके नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं — प्राणायाम, मंत्र आचमन, मार्जन, अघमर्षण, सूर्यार्घ, सूर्योपस्थान, गायत्रीजप और विसर्जन। प्राणायाम एक प्रकार का श्वास का व्यायाम है। इसके तीन अंग बतलाए हैं — पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक करते समय दाहिने हाथ की दो अँगुलियों से नाक के बाएँ छिद्र को बंद करके दाहिने छिद्र से धीरे धीरे श्वास खींचना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। साथ ही अपने नाभिप्रदेश में ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। कुंभक करने के समय दाहिने हाथ की अँगुलियों से नाक के बाएँ छिद्र को और हाथ के अँगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को बंद करके पूरक द्वारा भरे हुए श्वास को अपने शरीर में रोकना चाहिए। साथ साथ अपने हृदयप्रदेश में विष्णु का ध्यान करना चाहिए। रेचक करने में दाहिने हाथ के अँगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को बंद करके बाएँ छिद्र से रोके हुए श्वास को धीरे धीरे अपने शरीर में से बाहर निकालना चाहिए। साथ ही अपने मस्तकप्रदेश में शंकर का ध्यान करना चाहिए। इन तीनों ही क्रियाओं को करते हुए एक बार, कुंभक करते हुए चार बार और रेचक करते हुए दो बार मंत्र का आवर्तन करना चाहिए। इस प्रकार किया हुआ कृत्य प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम करने से शरीर के भीतरी अंगों की शुद्धि तथा पुष्टि होती है। बुद्धि निर्मल होकर शांति मिलती है। इसको करनेवाले सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि लोग इसी प्राणायाम के सेवन से अनेकविध अलौकिक कार्यों को करने में समर्थ हुए थे। मंत्र आचमन — दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर मंत्र का पाठ करके हथेली का जल पीना मंत्र आचमन है। इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि मैंने मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर और जननेंद्रिय के द्वारा जो कुछ पाप किया हो वह सकल पाप नष्ट हो। जल में गंदगी दूर करने की स्वाभाविक शक्ति है। इसमें सकल प्रकार की ओषधियों का जीवन निहित है। अन्न के लिये यही प्राण है। इससे विद्युत् की उत्पत्ति देखी जाती है। दुर्भावना, दुर्वासना एवं हर प्रकार के पाप को यह दूर करता है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर मंत्र विहित है। मार्जन — जिस क्रिया में वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए शारीरिक अंगों पर जल छिड़का जाता है उसे मार्जन कहते हैं। मार्जन करने से शारीरिक अंगों की शुद्धि होती है। अघमर्षण — इसके द्वारा मानव शरीर में विद्यमान दूषित वासनारूपी पापपुरुष को शरीर से पृथक् करना है। इसका विधान इस प्रकार है — दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए पूर्ण दाहिने हाथ को नाक के निकट ले जाना चाहिए। इसके साथ ही यह ध्यान करना चाहिए कि नाक के दक्षिण छिद्र से निकलकर पापपुरुष ने हथेली के जल में प्रवेश किया। इसके अनंतर हाथ का जल अपनी बाईं ओर भूमि पर फेंक देना चाहिए। इस क्रिया से साधक अपने शरीर से पापपुरुष को बाहर निकालकर मन को पवित्र करता और अपने को उपासना करने के योग्य बनाता है। इस विचार

(अ) चल संपत्ति के प्रति अपराध (धारा ३७८-४४०)।

वह वस्तु जिसके प्रति कोई व्यक्ति आधिपत्य (Possession), उपभोग अथवा निर्वर्तन का अधिकार रखता है, संपत्ति कहलाती है। भूमि अथवा भूमि से संलग्न कोई वस्तु या किसी ऐसी वस्तु से स्थायी तौर पर बँधी हुई वस्तु को, जो भूमि से संलग्न हो, छोड़कर सभी प्रकार की मूर्त संपत्ति चल संपत्ति के अंतर्गत आती है। खड़ी फसल या वृक्ष भी (भूमि से अलग होने पर) चल संपत्ति हो जाते हैं।

चल संपत्ति से संबंधित आठ प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं यथा—(१) चोरी, (२) अपकर्षण, (३) लूट और डकैती, (४) संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, (५) आपराधिक विश्वासघात, (६) चोरी की संपत्ति प्राप्त कर रख लेना, (७) धोखा या छल, (८) आरिष्ट या शरारत।

१. चोरी — यह विशिष्ट अपराध अति प्राचीन काल से विश्व-विदित है। चोरी के चार प्रमुख तत्व हैं (धारा ३७८) प्रथम, चल संपत्ति प्राप्त करने के लिये बेईमानी का इरादा। संपत्ति का कुछ आर्थिक मूल्य भी होना चाहिए। द्वितीय, इसका अन्य के आधिपत्य या अधिकार से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में संपत्ति किसी व्यक्ति के आधिपत्य में होनी चाहिए। त्यक्त वस्तु या पशु चोरी का विषय नहीं हो सकता, जैसे आड़ हेतु छोड़ा गया सांड़। आधिपत्य का स्वत्व दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों से संरक्षित है। यह उसी व्यक्ति में निहित होता है जिसका भौतिक या वास्तविक आधिपत्य होता है, चाहे वह कब्जा वैध हो अथवा अवैध। तृतीय, व्यक्ति के आधिपत्य से किसी वस्तु का लिया जाना उसकी इच्छा के बिना हो, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा रेलवे स्टेशन के वरक्षणगृह से बिना शुल्क दिए हुए अपना ही सामान ले जाना चोरी के अंतर्गत आएगा। चतुर्थ, प्राप्त करने की इच्छा से वस्तु का हटाया या ले जाया जाना आवश्यक है। निम्न दशाओं में चोरी का अपराध गुरुतर हो जाता है — (१) उस स्थान के संदर्भ में, जहाँ यह किया जाता है, यथा भवन, तंबू या जलयान में की हुई चोरी (धारा ३८०)। (२) उस व्यक्ति के संदर्भ में जो चोरी का प्रयत्न करता है, यथा लिपिक या सेवक द्वारा की गई चोरी (धारा ३८१)। (३) चोरी करने के संदर्भ में खतरनाक तैयारी, यथा जान लेने या ऐसे ही अन्य कार्य की तैयारी (धारा ३८२)। इस प्रकार के सभी दृष्टांतों में सामान्य से अधिक सजा दी जाती है।

२. अपकर्षण या एक्सटार्शन, (धारा ३८३-३८४) — अपकर्षण का अपराध आंग्ल विधि में प्रज्ञात है, जहाँ इसका स्थान चोरी और लूट के अपराधों के मध्य में है। जब कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति से प्राप्त की जाती है जो अपने लिये या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के लिये खतरा या क्षति पहुँचने की आशंका से स्वीकृति देता है, तो यह कार्य संपत्ति का अपकर्षण या बलपूर्वक ग्रहण (एक्सटार्शन) कहलाता है। इस अपराध के लिये दो तत्व आवश्यक हैं : (१) साभव अभिप्राय तथा २-संपत्ति परिदान के लिये उत्प्रेरित करना। भय लौकिक अथवा पारलौकिक क्षति का हो सकता है तथा यह एक व्यक्ति को पहुँचाई जा सकती है और संपत्ति किसी दूसरे द्वारा ग्रहण की जा सकती है। तीन दशाओं में अपकर्षण का प्रयास भी, यद्यपि वह सफल न हुआ हो, दंडनीय है। वे निम्नलिखित हैं —

(१) जहाँ पर व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का भय तो दिखाया जाता है परंतु जहाँ संपत्ति के उत्प्रेरित परिदान का प्रयास असफल होता है (धारा ३८५) या (२) जहाँ पर अपकर्षण हेतु किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डाला जाता है, या (३) जहाँ पर अपराध का आरोप लगाने का भय दिखाया जाता है। (धारा ३८६)। दी हुई धमकी की गंभीरता के अनुसार अपकर्षण का अपराध गुरुतर हो जाता है; यथा—(१) मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने की धमकी (धारा ३८६) या (२) अपराध का अभियोग लगाने की धमकी (धारा ३८८)। दोनों अवस्थाओं में अधिक सजा दी जाती है।

३. लूट और डकैती (धारा ३९०-४०२) — लूट, चोरी और हिंसा या बलप्रयोग का सम्मिश्रण या तात्कालिक हिंसा का भय या अपकर्षण व तात्कालिक हिंसा का भय है। जहाँ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं वहाँ ऐसा अपराध डकैती कहलाता है। वास्तव में ये दोनों अपराध चोरी या अपकर्षण के ही गुरुतर स्वरूप हैं। अतएव इस अपराध में चोरी या अपकर्षण (एक्सटार्शन) के सभी तत्व अवश्य विद्यमान होने चाहिए। लूट के अधिकतर अपराध आर्थिक रूप से चोरी या अपकर्षण पर आधृत हो सकते हैं। उदाहरणार्थ हरि विमला को पकड़कर जान लेने की धमकी देता है, जब तक वह अपनी संपत्ति दे नहीं देती और अपने आभूषण उतारना प्रारंभ नहीं कर देती। विमला हरि से प्राणदान की भिक्षा माँगती है और खुद आभूषण दे देती है। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि चोरी पर आधृत लूट चल संपत्ति से ही संबंध रखती है। और क्षति का भय अथवा वास्तविक क्षति चोरी के पूर्व या चोरी किए जाने के समय या चोरी की संपत्ति ले जाते समय पहुँचाई जा सकती है। इस प्रकार यदि चोरी की संपत्ति बीच में छोड़ दी जाती है और चोर पकड़े जाने से बचने के लिये चोट पहुँचाता है तो वह चोरी और चोट पहुँचाने का ही अपराधी है, लूट का नहीं।

लूट का अपराध गुरुतर हो जाता है यदि (१) लूट करते समय चोट पहुँचाई जाती है (धारा ३९४); या (२) घातक हथियार से जान लेता या गंभीर चोट पहुँचाता है अथवा पहुँचाने की चेष्टा करता है, या (३) जब यह अपराध घातक हथियार से लैस होकर किया जाता है (धारा ३९८)। डकैती का अपराध बहुत ही संगीन है। इसलिये यह सभी अवस्थाओं में दंडनीय होता है। प्रथम, मंत्रणा की स्थिति में अर्थात् जब कुछ व्यक्ति डकैती करने के उद्देश्य से एकत्र होते हैं (धारा ४०२); द्वितीय, तैयारी की अवस्था में अर्थात् जब व्यक्ति डकैती करने के लिये तैयारी करते हैं (धारा ३९९); तृतीय, डकैती करने का प्रयास करते हैं (धारा ३९७) और अंत में जब यह वास्तव में की जाती है (धारा ३९५)। डकैती का अपराध गुरुतर हो जाता है जब डकैती में आहत किसी एक के द्वारा हत्या कर दी जाती है (धारा ३९६) या जब यह घातक हथियारों से सज्जित होकर की जाती है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि डकैती में आहत हुए व्यक्ति का आहत उसके दूसरे साथियों के समान ही होता है। इस प्रकार

मनुस्मृति के टीकाकारों के मतानुसार आर्यों में संपत्ति का आशय पूरे परिवार से संबद्ध होता था जिसमें पुत्र, पुत्री, पत्नी तथा दास भी सम्मिलित थे। समाज के विकास के साथ पुत्र, पुत्री तथा पत्नी को संपत्ति की वस्तु या संपत्ति का अंग न समझकर उन्हें संपत्ति से पृथक् अस्तित्व की मान्यता दी गई।

संपत्ति का प्रत्यय (concept of property) — भारतीय कानून में संपत्ति का विधिक प्रत्यय वैसा ही होता है जैसा अंग्रेजी न्यायशास्त्र में। अंग्रेजी कानून बहुत कुछ रोमन कानून से प्रभावित है। 'संपत्ति' शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं यथा स्वामित्व या स्वत्व, अर्थात् स्वामी को प्राप्त संपूर्ण अधिकार। कभी कभी इसका अर्थ रोमन 'रेस' होता है जिसके अंतर्गत स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग होता है अर्थात् स्वयं वह वस्तु जो उक्त अधिकार का विषय या पात्र है। 'रेस' अथवा 'वस्तु' का मानव से संबंध बतानेवाला अर्थ संपत्ति के स्वरूप के विकास में सहायक हुआ है। इस प्रकार 'रेस' अथवा 'वस्तु' पर अधिकार का संबोध और स्वयं 'रेस' या 'वस्तु' का संबोध संपत्ति संबंधी प्रत्यय से जटिल तथा गहरे रूप से संबद्ध है अर्थात् दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं।

रोमन में 'रेस' का अर्थ अत्यंत जटिल है। यह अंग्रेजी की तरह अधिकार की ठोस वस्तु है। किंतु 'रेस' का ठीक ठीक अर्थ 'वस्तु' के बिलकुल समान नहीं है, उससे कुछ अधिक है। यद्यपि 'रेस' का मूल अर्थ भौतिक वस्तु है, परंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग ऐसी परिसंपत्ति (assets) को व्यक्त करने के लिये भी होने लगा जो भौतिक तथा स्थूल हो न होकर अमूर्त भी हो सकती थी जैसे बिजली। 'रेस' का प्रयोग विशिष्टाधिकार के लिये भी होता है और ऐसे अधिकारों के लिये भी जो, उदाहरणार्थ, प्रसिद्धि या ख्याति से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इन दो अर्थों के लिये रेस का लगातार प्रयोग होने के कारण 'रेस' के दो अर्थ हो गए. 'रेस पार्थिव' अर्थात् भौतिक वस्तुएँ जो मनुष्य के अधिकारों के अंतर्गत आ सकती हैं तथा 'रेस अपार्थिव' अर्थात् वे अधिकार स्वयं। इस प्रकार अंतिम विश्लेषण के फलस्वरूप 'वस्तु' का आशय 'रेस पार्थिव' से ही लिया जायगा।

रोमन भाषा में 'रेस' संपत्ति की वस्तु तथा अधिकार दोनों के लिये प्रयुक्त होता है परंतु 'बोना' (Bona) शब्द, जो सामान या धन के लिये प्रयुक्त होता है, संस्कृत के 'धन' शब्द के समकक्ष है। अरबी जूरिस्टों (Arabian Jurists) के अनुसार 'माल' शब्द संपत्ति तथा किसी भी ऐसी वस्तु के लिये प्रयुक्त हो सकता है जिसका अरबी कानून (शरियाह) में मूल्य या अर्थ (वैल्यू) हो अथवा जो किसी व्यक्ति के अधिकार में रह सकती हो। 'धन' शब्द भी संपत्ति के लिये बहुधा प्रयुक्त होता है।

संपत्ति के अर्थ में प्रयुक्त होनेवाली वस्तु में स्थायित्व का तथा भौतिक एकत्व का गुण होना आवश्यक है। इकाइयों के एक समूह को जिसकी इकाइयाँ स्वयं पृथक् वस्तु हों और ऐसी एकल इकाइयों के सम्मिलन से बनी वस्तु को भी वस्तु कह सकते हैं, जैसे एक ईंट अथवा ईंटों से निर्मित एक मकान — एक नए अथवा कई भेड़ों से बना एक झुंड। कानून में 'वस्तु' का प्रयोग कुछ अधिकारों एवं कर्तव्यों को व्यक्त करने के लिये भी किया जाता है। भौतिक गुणों के आधार पर 'वस्तु' दो प्रकार की हो सकती है—चल अथवा अचल। लेकिन अंग्रेजी कानून के तकनीकी नियमों के अनुसार वस्तु वास्तविक तथा व्यक्तिगत होती है। रोमन कानून के अनुसार रेस को इसी प्रकार 'मैनसिपेबुल' (mancipable) तथा अमैनसिपेबुल में विभक्त किया गया है। इस प्रकार संपत्ति एक ओर 'रेस' या 'वस्तु' और दूसरी ओर रेस अथवा वस्तु से संबंधित मनुष्य के अधिकारों से संबद्ध है। इसलिये संपत्ति के लिये एक ऐसा संबंध आवश्यक है जो किसी वस्तु पर अपना अधिकार रख सके।

अंतिम विश्लेषण के अनुसार संपत्ति, एक व्यक्ति और एक वस्तु या अधिकार, जिसे वह केवल अपना मानता हो, के बीच स्थापित संबंध को व्यक्त करती है। अपने आधुनिक प्रयोगों में संपत्ति उन सभी वस्तुओं या संपदा (assets) के लिये प्रयुक्त होती है जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो या उस व्यक्ति ने किसी अन्य को समर्पित कर दिया हो परंतु अपने लाभ के लिये उस वस्तु की व्यवस्था करने का अधिकार सुरक्षित रखता हो।

रेस या वस्तु के पार्थिव और अपार्थिव वर्गीकरण तथा वस्तु या अधिकारों के स्वरूप के अनुसार संपत्ति का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से हुआ है जैसे, पार्थिव या अपार्थिव; चल या अचल तथा वास्तविक या व्यक्तिगत। संपत्ति के साथ अन्य विशिष्ट शब्दों जैसे व्यक्तिगत या सार्वजनिक, पैतृक, दायभोग्य, संयुक्त पारिवारिक, समाधिकारिक आदि के संयुक्त कर देने से संपत्ति के स्वरूप के साथ संबंध व्यक्त होता है।

संपत्ति की वैधानिक व्याख्या के अनुसार इसके कई अर्थ हैं। संपत्ति के अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम के फल भी आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी किसी वस्तु के बदले में जो कुछ भी पाता है, जो कुछ भी उसे दिया जाता है और जिसे कानून द्वारा उस व्यक्ति का माना जाता है अथवा उसे प्रयोग करने, भोग करने तथा व्यवस्था करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, यह सब उस व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति कहलाती है। परंतु कानून द्वारा मान्यता न प्राप्त होने पर उसे संपत्ति नहीं कहा जा सकता और तब विधिक परिणाम की दृष्टि से व्यक्ति और वस्तु के बीच कोई संबंध नहीं रह जाता है।

संपत्ति के प्रति अपराध बल प्रयोग आदि के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण हेतु संपत्ति विषयक अपराधों को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ३१, व्यक्तिगत संपत्ति विषयक स्वत्व या अधिपत्य (Possession) को संरक्षण प्रदान करता है। समाजवादी राज्य में, जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति न्यूनतम होती है, इस प्रकार के अपराध निरंतर कम से कम होते हैं। सामान्यतः संपत्ति संबंधी अपराध संपत्ति के तीन स्वरूपों के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, यथा — (अ) चल संपत्ति के प्रति किए गए अपराध, (ब) अचल संपत्ति के प्रति किए गए अपराध, (स) अमूर्त संपत्ति के प्रति किए गए अपराध। इनका क्रमशः विस्तारपूर्वक नीचे किया जा रहा है :

हो, वहाँ अपराध गुरुतर हो जाता है। इसी प्रकार उस व्यक्ति को भी दंड दिया जाता है जो उस व्यक्ति के प्रति छल करता है जिसका हित संरक्षित रखने के लिये वह कर्तव्यतः बाध्य हो (धारा ४१८)।

प्रतिरूपण या छद्मपरिचय का अपराध तब माना जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने को अन्य व्यक्ति बतलाकर छल करता है या जब वह जान बूझकर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है या यह जाहिर करता है कि वह या अन्य व्यक्ति वह व्यक्ति है जो वास्तव में वह नहीं है (धारा ४१६), चाहे वह व्यक्ति, जिसका प्रतिरूपण किया गया हो, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक। प्रतिरूपण द्वारा छल धारा ४१९ के अंतर्गत दंडनीय है।

८ आरिष्ट (mischief, शरारत, धारा ४२५-४४०)— आरिष्ट का अपराध, आंग्ल विधि के संपत्ति को दोषपूर्ण क्षति पहुँचाने के अनुरूप है। जब किसी की चल संपत्ति को हानि पहुँचाई जाती है या उसे विनष्ट किया जाता है, इस आशय से कि उस संपत्ति को दोषपूर्ण हानि या नुकसान पहुँचे या संपत्ति के रूप में हानिकारक परिवर्तन किया जाता है, तब आरिष्ट का अपराध गठित होता है। आरिष्ट ऐसी संपत्ति का किया जा सकता है जो उस कार्य को करनेवाले व्यक्ति की ही हो, या उस व्यक्ति की तथा अन्य व्यक्तियों की संयुक्त रूप से हो, जैसे अ और ब संयुक्त रूप से एक घोड़े के स्वामी हैं। अ, ब को अनुचित रूप से हानि पहुँचाने के आशय से घोड़े को गोली मार देता है। अ ने आरिष्ट का अपराध किया।

आरिष्ट का अपराध चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के प्रति किया जा सकता है। यहाँ संपत्ति का अभिप्राय मूर्त (ध्यक्ष) संपत्ति से है जो परिवर्तित या विनष्ट हो सकती है किंतु सुखाधिकार 'ईजमेंट' इसके अंतर्गत नहीं आता। प्रतिवादी एक परनाले का मालिक है जिससे वादी को अपना घर पानी बहाने का सुखाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी परनाला तोड़ देता है तो वह आरिष्ट का दोषी नहीं है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जब अपराधी के ऊपर चोरी, लूट, अपकर्षण, आपराधिक दुर्विनियोग या छल के गुरुतर अपराध लगाए गए हों तो आरिष्ट का अपराध लगाए जाने की कम ही गुंजाइश रहती है। इस प्रकार यदि कोई भेड़ चुराता है तो उसके ऊपर, यदि वह भेड़ को मोदक के रूप में परिवर्तित कर चुका है, आरिष्ट का अपराध नहीं लगाया जा सकता। जहाँ अपना अधिकार जानते हुए सचाई के साथ दीवाल गिरा दी जाती है तो यह अपराध नहीं गठित होता, क्योंकि मंशा (आशय) इस अपराध का मुख्य तत्त्व है और सच्ची भावना से अधिकार प्रकट करना अनुचित आशय से पृथक् वस्तु है।

आरिष्ट का अपराध गुरुतर हो जाता है—(१) क्षति पहुँचाई हुई संपत्ति के स्वरूप के अनुसार, यथा १०) (दस रुपए) या इससे कम मूल्य के जानवर (धारा ४२७), या दो जानवर, जैसे हाथी, ऊंट इत्यादि जो १०) (पचास रुपए) से अधिक मूल्य के हों (धारा (४२८-४२९); (२) सार्वजनिक संपत्ति के महत्व की दृष्टि से, जैसे पेय जल के जलाशय, सार्वजनिक पुल, नदी आदि को क्षति पहुँचाना (धारा ४३१), या सार्वजनिक जलनिस्सारण में बाधा (धारा ४३२), (३) किए गए कार्य के खतरनाक स्वरूप के अनुसार, यथा अग्नि या विस्फोटक द्वारा कृषिजन्य या ऐसी ही अन्य संपत्ति को क्षति पहुँचाना (धारा ४३५); (४) कार्य के महत्व के अनुसार, यथा प्रकाशस्तंभ आदि (धारा ४३३), या भूमि के सीमाचिह्न को नष्ट करना (धारा ४३४), (५) हानि पहुँचाने हेतु उपयोग में लाए गए पदार्थ के अनुसार (धा० ४३७ व ४३८); या (६) खतरनाक तैयारी के अनुसार, जैसे चोरी या दुर्विनियोग करने के आशय से जलयान को भूमि पर या किनारे से लगाना (धारा ४३९) या मार डालने अथवा चोट पहुँचाने के लिये की गई तैयारी के पश्चात् आरिष्ट करना (धारा ४४०)।

(ब) अचल संपत्ति के प्रति किए गए अपराध

अचल संपत्ति के प्रति होनेवाले अपराध चार प्रकार के हैं—(१) आपराधिक अनधिप्रवेश (अतिचार), (२) गृह अनधिप्रवेश, (३) प्रच्छन्न गृह अनधिप्रवेश, और (४) गृहभेदन (सेंध मारना)।

१ आपराधिक अनधिप्रवेश (धारा ४४१-४४३) — अनधिप्रवेश या अतिचार का अर्थ है अन्य की संपत्ति में अनधिकार प्रवेश, जो सिविल या क्रिमिनल दोनों तरह का हो सकता है। अनधिप्रवेश का अपराध निम्न विधिविरुद्ध कार्यों से होता है — (१) उस भूमि पर, जो दूसरे के कब्जे में है, प्रवेश करना; या (२) इस प्रकार की जमीन पर बने रहना; या (३) उसपर कोई मुख्य प्रवेश रखने का आयोजन करना। वह प्रवेश अवैध है जो विधि द्वारा प्रमाणित न हो, यद्यपि वह शांतिपूर्ण हो सकता है। अपने अधिकार में ईमानदारीपूर्वक विश्वास, यद्यपि वह गलत ही क्यों न हो, अपराध-मुक्ति का एक आधार है। लेकिन इस प्रकार का अनधिप्रवेश सांपत्तिक अनधिप्रवेश होगा, जो शांतिभंग का सांपत्तिक दायित्व उत्पन्न करेगा। वह अनधिप्रवेश है जो घोषित किसी एक अपराध के आशयों से युक्त है, यद्यपि प्रवेश विधिसम्मत हो सकता है।

विधिविरुद्ध प्रवेश या दूसरे के कब्जे की संपत्ति या भूमि पर विधिपूर्वक प्रवेश करके विधिविरुद्ध रूप से इस आशय से बना रहना कि (१) कोई अपराध किया जाय या (२) वहाँ किसी व्यक्ति को संत्रस्त या अपमानित अथवा किसी तरह परेशान करना, आपराधिक अनधिप्रवेश है। प्रवेश का अपराध व्यक्तिगत होता है। इस प्रकार यदि कोई नौकर दूसरे के आधिपत्य की भूमि पर विधिविरुद्ध प्रवेश करता है और उसे छोड़ता है तो उसका इसको आपराधिक अनधिप्रवेश का अपराधी नहीं हो सकता। हाँ, इस अपराध के निमित्त प्रोत्साहित करने के लिये वह उत्तरदायी हो सकता है। संपत्ति शब्द व्यापक है जिसके अंतर्गत नौका या यान (कार) भी आते हैं, लेकिन इसका दूसरे के आधिपत्य में होना आवश्यक है। यह सार्वजनिक संपत्ति या स्थान न हो। विधिवत् का दर्जा आधिपत्य की रक्षा करता है तथा उसका स्वामित्व से कोई संबंध नहीं होता। यदि कोई जमींदार बलपूर्वक अपनी उस संपत्ति अथवा भूमि पर, जिसपर काश्तकार का आधिपत्य है, प्रवेश करता है तो वह

यदि बाहुओं के निरोह के किसी अपराध द्वारा लूटी हुई संपत्ति ले जाते समय किसी की हत्या की जाती है तो अन्य सभी अपराध समान रूप से उसके लिये उत्तरदायी होंगे।

४ संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग (धारा ४०३-४०४) — यह एक प्रकार का नया अपराध है जो चोरी के अपराध का ही एक अंग है। भारतीय विधि में यह अपराध चोरी और मानसिक आदि (सिविल लॉ) के बोध का समझा जाता है। इसमें संपत्ति का आदान पहले ईमानदारी से होता है लेकिन उसका अपने पास रखे रहना या उसे अपने उपयोग में ले आना बेईमानी का कार्य होता है। इस प्रकार यदि अ, ब को भेजा गया पार्सल भूल से प्राप्त कर लेता है, तो इस तरह की प्राप्ति आपराधिक नहीं है किन्तु यदि तदुपरांत वह पोस्ट आफिस को या उस व्यक्ति को वापस नहीं कर दिया जाता जिसके नाम वह भेजा गया था बल्कि वह स्वयं रख लेता है, तब यह आपराधिक दुर्विनियोग है। खोई हुई वस्तु को प्राप्त करनेवाले को उसके स्वामी का पता लगाने के लिये युक्तियुक्त साधनों का उपयोग करना चाहिए और उसको सूचना देनी चाहिए तथा संपत्ति को उचित समय तक अपने पास रखना चाहिए जिससे उसका स्वामी उसकी मांग कर सके। यदि वह सद्भावना-पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह वास्तविक स्वामी का पता नहीं लगा सकता और उसे अपने उपयोग में ले आता है तो वह उत्तरदायी नहीं है। आपराधिक दुर्विनियोग के साधारण मामले धारा ४०३ के अंतर्गत दंडनीय हैं। यदि मृतक की संपत्ति का दुर्विनियोग उसका लिपिक या सेवक करता है तो अपराध गुरुतर हो जाता है और अपराधी कठिन दंड पाता है (धारा ४०४)।

५. आपराधिक न्यास भंग या अमानत में खयानत (धारा ४०१-४०९)—अमानत में खयानत एक व्यक्ति द्वारा उस संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग है जो उसकी अमानत में रखी गई हो। इस अपराध के दो प्रमुख तत्व हैं — (१) संपत्ति पर न्यास या अधिष्ठान तथा (२) इसका बेईमानीपूर्वक भंग या दुर्विनियोग, परिवर्तन या उपयोग। 'न्यास' (ट्रस्ट) शब्द का प्रयोग यहाँ विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ में नहीं किया गया है बल्कि उस व्यापक करार के अर्थ में किया गया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति संपत्ति का व्यवहार करने के लिये अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार, यदि एक सुनार जिसे सोना कंकण बनाने के लिये दिया गया है उसमें तांबा मिला देता है तो वह इस अपराध का अपराधी है।

बेईमानी की मंशा इस अपराध का सार है और यही मुख्य तत्व है। अनुचित लाभ अथवा अनुचित क्षति वास्तव में हुई हो, यह महत्व-हीन है। अमानत में खयानत का अपराध गुरुतर हो जाता है, यदि वह जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे (१) सामान ले जाने-वाले व्यक्ति (वाहक), गोदाम के रक्षक तथा इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति द्वारा (धारा ४०७), या (२) लिपिक अथवा लोकसेवक द्वारा (धारा ४०८), या साहूकार व्यापारी अधिकर्ता (दलाल) या न्यायवादी द्वारा (धारा ४०९)। इस प्रकार [illegible] में अधिक सजा दी जाती है।

दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग से प्राप्त किए [illegible] को संपत्ति मानी जाती है। लेकिन धारा विधि [illegible] प्राप्त संपत्ति, चोरी की संपत्ति नहीं है। यह अमानत [illegible] रूप या आपराधिक न्यासभंग या आपराधिक दु[illegible] में हुआ है अथवा भारत के बाहर। लेकिन यदि इस [illegible] बाद में इसके वास्तविक स्वामी के पास पहुँच [illegible] चोरी की संपत्ति नहीं रह जाती। यदि वह रूपांत[illegible] या उसमें परिवर्तन हो जाता है जिससे उसका [illegible] समाप्त हो गया हो तो वह भी चोरी की संपत्ति [illegible] बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना ही अपराध है (धारा ४११)।

इस अपराध के तीन तत्व हैं : (१) कि संपत्ति चो[illegible] हो, (२) कि वह बेईमानी (बदनीयती) से प्राप्त की हुई [illegible] ली गई हुई हो और (३) यह कि अपराधी यह जान[illegible] उसके लिये यह विश्वास करने का कारण हो कि [illegible] संपत्ति है।

यह अपराध गुरुतर हो जाता है यदि (१) सम्पत्ति [illegible] संपत्ति लेकर रख ली गई हो (धारा ४१२), या (२) [illegible] व्यक्ति आदतन चोरी की संपत्ति का व्यापार करता हो (धा[illegible] या (३) यदि वह संपत्ति को छिपाने, बेचने आदि या लेकर [illegible] स्वेच्छा से सहायक रहा हो (धारा ४१४)।

७ छल (धारा ४१५-४२०) — आज के व्यापारिक तथा [illegible] गिक संसार में यह अपराध चोरी की तुलना में अधिक प्रच[illegible] गया है। इसके तत्व ये हैं—(१) किसी व्यक्ति को धोखा दिया [illegible] (२) जिसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति उत्प्रेरित किया [illegible] कि वह अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति के हाथ सौंप दे या वह [illegible] कर ले कि धोखा देने वाला व्यक्ति उसकी संपत्ति अपने कब्जे में [illegible] या वह कोई ऐसा काम करने से रुक जाय जिससे उसको क्षति [illegible] सकती हो (धारा ४४ में स्पष्टीकृत)। याद रखना चाहिए कि [illegible] धोखा देना कोई अपराध नहीं है जब तक कि वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति [illegible] शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक क्षति पहुँचा[illegible] इरादे से न किया गया हो। जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया [illegible] उसका कोई व्यक्तिविशेष होना आवश्यक नहीं है जिससे [illegible] बहाना या कथन किया गया हो। धोखा और उत्प्रेरण या प्रलो[illegible] का होना संपत्ति हस्तांतरण के पूर्व या किसी कार्य को करने या [illegible] करने से विरत होने के पूर्व आवश्यक है। प्रतिरूपण या धोखा [illegible] का कार्य शब्दों द्वारा ही हो, यह आवश्यक नहीं है। यह क्रिया [illegible] कलाप तथा चरित्र से भी हो सकता है। उदाहरणतः अ एक [illegible] साहूकार ब से अपने बकाया रुपयों की मांग करता है। ब [illegible] बकाया रुपया दे देता है और इस विश्वास में रह जाता है कि [illegible] ज्योंही पूर्ण बकाया वह अदा कर देगा अ उसे देय धन का प्रति-[illegible] (बाँड) वापस कर देगा। अ धन मिल जाने के बाद [illegible]

करने के किसी उपकरण आदि को पास में रखना (धारा ४८५), या नकली व्यापारचिह्न या संपत्तिचिह्न से चिह्नित माल का विक्रय या बिक्री अथवा व्यापार हेतु उसपर कब्जा रखना, उसका बनाना (धारा ४८६), या किसी लोकसेवक को मिथ्या चिह्न से धोखा देना (धारा ४७७, ४८८), या किसी संपत्तिचिह्न को हटाना, उसे विरूपित करना या विनष्ट करना (धारा ४८९) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। [रा० च०मि०]

संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक मासिक या सांवत्सरिक पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना। लेख और पुस्तक के संपादन में भाषा, भाव तथा क्रम के साथ साथ उसमें आए हुए तथ्य एवं पाठ का भी संशोधन और परिष्कार किया जाता है। इस परिष्करण की क्रिया में उचित शीर्षक या उपशीर्षक देकर, अध्याय का क्रम ठीक करके, व्याकरण की दृष्टि से भाषा सुधार कर, शैली और प्रभाव का सामंजस्य स्थापित करके, नाम, घटना, तिथि और प्रसंग का उचित योग देकर, आवश्यकतानुसार विषय, शब्द, वाक्य या उद्धरण बढ़ाकर, उद्धरण जोड़कर, नीचे पादटिप्पणी देकर सुबोध व्याख्या भी जोड़ दी जा सकती है।

सामयिक घटना या विषय पर अग्रलेख तथा संपादकीय लिखना, विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उनकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार उनपर विभिन्न आकार प्रकार के शीर्षक (हेडलाइन, फ्लैश, बैनर) देना, अश्लील, अपमानजनक तथा आपत्तिजनक बातें न लिखते हुए सत्यता, ओज, स्पष्टवादिता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता के साथ अन्याय का विरोध करना, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना, जनता का पथप्रदर्शन करना और लोकमत निर्माण करना दैनिक पत्र के संपादन के अंतर्गत आता है। साप्ताहिक पत्रों में अन्य सब बातें तो दैनिक पत्र जैसी ही होती हैं किंतु उसमें विचारपूर्ण निबंध, कहानियाँ, विवरण, विवेचन आदि सुजनात्मक, पठनीय और मननीय सामग्री भी रहती है। अतः उसके लेखों, साप्ताहिक समाचारों, अन्य मनोरंजक सामग्रियों तथा बालक, महिला आदि विशेष वर्गों के लिये संकलित सामग्री का चुनाव और संपादन उन विशेष वर्गों की योग्यता और अवस्था का ध्यान रखते हुए लोकशील की दृष्टि से करना पड़ता है। इसी प्रकार पाठकों द्वारा प्रेषित प्रश्नों के उत्तर भी लोकशील तथा तथ्य की दृष्टि से परीक्षित करके समाविष्ट करना आवश्यक होता है।

मासिक या सांवत्सरिक पत्र मुख्यतः विचारपत्र होते हैं जिनमें गंभीर तथा शोधपूर्ण लेखों की अधिकता होती है। इनमें आए लेखों का संपादन लेख या पुस्तक के समान होता है। विवादग्रस्त विषयों पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त लेखों का इस प्रकार परीक्षण कर लिया जाता है कि उनमें न तो किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज अथवा धर्म पर किसी प्रकार का व्यंग्यात्मक या आक्रोशपूर्ण आक्षेप हो और न कहीं अपशब्दों या अश्लील (अमंगल, क्रोधजनक तथा ग्राम्य) शब्दों का प्रयोग हो। ऐसे पत्रों में विभिन्न शैलियों में आकर्षक रचनाकौशलों के साथ लिखे हुए पठनीय, मननीय, मनोरंजक, ज्ञानविस्तारक, विचारोत्तेजक, और प्रेरणाशील लेखों का संग्रह करना, उनके साथ आवश्यक संपादकीय टिप्पणी देना, स्पष्टीकरण के लिये पादटिप्पणी, परिचय अथवा व्याख्या आदि जोड़ना और आए हुए लेखों को बोधगम्य तथा स्पष्ट करने के लिये अनावश्यक अंश निकाल देना, आवश्यक अंश जोड़ना, आदि से अंत तक शैली के निर्वाह के लिये भाषा ठीक करना, जिस विशेष कौशल से लेखक ने लिखा हो उस कौशल की प्रकृति के अनुसार भाषा और शैली को व्यवस्थित करना, यदि लेखक ने उचित कौशल का प्रयोग न किया हो तो उचित कौशल के अनुसार लेख को बदल देना, भाषा में प्रयुक्त किए हुए शब्दों और वाक्यों का रूप शुद्ध करना या लेख का प्रभाव बनाए रखने अथवा उसे अधिक प्रभावशील बनाने के लिये शब्दों और वाक्यों का संयोजन करना आदि क्रियाएँ संपादन के अंतर्गत आती हैं।

कविता या काव्य के संपादन में छंद, यति, गति, प्रभाव, मात्रा, शब्दों की उचित योजना, अलंकारों का उचित और प्रभावकारी योग, भाव के अनुसार शब्दों का संयोजन, प्रभाव तथा शैली का निर्वाह, तथा वक्रोक्तियों के उचित प्रयोग आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तात्पर्य यह है कि संपादन के द्वारा किसी भी लेख, पुस्तक या पत्र की सामग्री को उचित अनुपात, रूप, शैली और भाषा में इस प्रकार ढाल दिया जाता है कि वह जिस प्रकार के पाठकों के लिये उद्दिष्ट हो उन्हें वह प्रभावित कर सके, उनकी समझ में आ सके और उनके भावों, विचारों तथा भाषाबोध को परिमार्जित, संशक्त, प्रेरित और प्रबुद्ध कर सके तथा लेखकों का भी पथप्रदर्शन कर सके। [सी० च०]

संपीडित वायु वायु में दबाव होता है। साधारणतया इसकी अनुभूति हमें नहीं होती। यदि हमारे शरीर से किसी अंग से वायु निकाल ली जाय, तब वायु के दबाव की अनुभूति हमें सरलता से हो जाती है। समुद्रतल पर वायु के दबाव की मात्रा प्रति वर्ग इंच १५ पाउंड भार की होती है। जैसे जैसे हम वायु में ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे दबाव कम होता जाता है। यहाँ तक कि कुछ पहाड़ के शिखरों पर दबाव की मात्रा प्रति वर्ग इंच ६ पाउंड भार तक पाई गई है। वायु को दबाया भी जा सकता है। दबाने से उसका दबाव बढ़ जाता है। ऐसी दबी हुई वायु को संपीडित वायु (compressed air) कहते हैं। दबाने की इस क्रिया को संपीडित करना कहते हैं। संपीडन से वायु का आयतन कम हो जाता है और दबाव बढ़ जाता है। इस प्रकार वायु का दबाव काफी ऊँचा बढ़ाया जा सकता है। संपीडित वायु का उपयोग आज बहुत अधिक कामों में हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दो सौ से अधिक कामों में इसका आज उपयोग हो रहा है तथा दिन दिन बढ़ रहा है। इसके उपयोग में कोई खतरा नहीं है। यह मशीनों द्वारा प्रत्येक स्थान में बड़ी सरलता से पहुँचाई जा सकती है। इसकी कुछ मशीनें बड़ी सरल हैं और कुछ जटिल भी हैं। संपीडित वायु का उपयोग दो प्रकार से हो सकता है: (१) मशीनों में संपीडित वायु तैयार कर, कामों में ऐसी वायु सीधे लगाई जा सकती है, अथवा यही सिलिंडरों में भरकर संचित रखी जा सकती है और आवश्यकतानुसार उसे भिन्न भिन्न कामों में लगाया जा सकता है।

आपराधिक अनधि प्रवेश है। आधिपत्य का तात्पर्य यहाँ वास्तविक आधिपत्य से है, न कि कानूनी आधिपत्य से। आपराधिक अनधिप्रवेश का भार आधिपत्यधारी ही प्रस्तुत कर सकता है।

२ गृह में अनधिप्रवेश — (धारा ४४६-४५२) किसी भवन, तंबू या जलयान में जो मानवनिवास के रूप में प्रयुक्त हो या किसी भवन में जो पूजास्थान के रूप में संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया है, आपराधिक अनधिप्रवेश गृह अनधिप्रवेश है। आपराधिक अनधिप्रवेश करनेवाले व्यक्ति के शरीर का यदि कोई भाग भी भवन आदि में घुसता है तो अनधिप्रवेश का अपराध घटित हो जाता है। जिस अभिप्राय से यह अपराध किया जाय, उसके अनुसार यह गुरुतर हो जाता है (धारा ४५३, ४५६-४५१, ४४४)।

३. प्रच्छन्न गृह अनधिप्रवेश — सावधानी बरतने के साथ, गृहस्वामी आदि से छिपाकर, यदि गृह अनधिप्रवेश किया जाता है तो यह प्रच्छन्न गृह अनधिप्रवेश कहलाता है। यह अपराध परिस्थितियों के अनुसार गुरुतर हो जाता है (धारा ४४४, ४५६)।

४. गृहभेदन (धारा ४४५, ४५७, ४६२) — गृहभेदन में व्यक्ति इन छह तरीकों में से किसी द्वारा प्रवेश करता या बाहर निकलता है : (१) ऐसे रास्ते से जिसे स्वयं अभियुक्त ने बनाया है, या (२) ऐसे रास्ते से जो मानव प्रवेश के इरादे से न बनाया गया हो, जैसे खिड़की या रोशनदान द्वारा; या (३) ऐसे रास्ते से जो अभियुक्त द्वारा खोला गया है; या (४) दरवाजे का ताला, ताली से खोलकर, या (५) दरवाजे पर के व्यक्ति पर हमला करके; या (६) ऐसे रास्ते से जिसे अभियुक्त ने खोल दिया है।

यह अपराध उद्देश्य और अभिप्राय के अनुसार गुरुतर होता है और अधिक दंड द्वारा दंडनीय होता है (धारा ४५६--४६२)।

स — अमूर्त संपत्ति के प्रति किए गए अपराध।

अमूर्त संपत्ति के प्रति किए गए अपराध दो तरह के होते हैं (१) दस्तावेजों से संबंधित (२) संपत्तिचिह्नों या व्यापारचिह्नों से संबंधित।

१. दस्तावेजों से संबंधित अपराध (धारा ४६३-४७७) — दस्तावेजों के प्रति किए गए अपराधों में सबसे महत्वपूर्ण कूटरचना या जालसाजी है। यह सबसे बड़ा अपराध है जिसे अपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। लेखनकला के आविष्कार के साथ साथ इस अपराध का आरंभ हुआ। धोखा देने के आशय से मिथ्या दस्तावेज की रचना, कूटरचना (जालसाजी) है। यह अपराध करने के लिये दो तत्व आवश्यक हैं : अ. मिथ्या दस्तावेज रचना, ब. निम्नलिखित पाँच आशयों में से किन्हीं आशय से, (१) जनता या किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने के लिये, (२) किसी हक या दावे के समर्थन के लिये, या (३) किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति छुड़ाने के लिये या (४) कोई अभिव्यक्त तथा विवक्षित संविदा करवाने के लिये या (५) कोई कपट या छल करने के लिये। दूसरे शब्दों में कूट रचना कपटपूर्ण बेईमानी के इस आशय से होनी चाहिए कि किसी को हानि पहुँचाई जाय या स्वयं को अवैधानिक रूप से लाभपहुँचाया जाय। केवल मिथ्या दस्तावेज की रचना स्वयं में कोई अपराध नहीं है, जब तक कि यह न सिद्ध हो जाय कि उसमें से कोई एक या एक से अधिक विद्यमान है। ४६५ के अंतर्गत दंडनीय है।

जालसाजी अर्थात् कूट रचना का अपराध कुछ की प्रकृति के अनुरूप (धारा ४६६-४७७), उद्देश्य के अनुसार, यथा छल करने (४१८) या विश्वास करने (धारा ४६६) से गुरुतर होता है। कूटरचना अथवा यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण कि यह कूटरचित है, उपयोग धारा ४७७ के अंतर्गत दंडनीय है।

कूटरचना या जालसाजी सभी दस्तावेजों में दंडनीय है। प्रकार छल करने के इरादे से कूटरचित मुहर का बनाना या रखना, कूटरचित पोट का रखना या बनाना इत्यादि (धारा ४७२, ४७३) या मूल्यवान प्रतिभूति आदि यह जानते हुए कि यह कूटरचित है (धारा ४७४), या दस्तावेज को बनाने के लिए उपयोग में लाए जानेवाले साधन में जालसाजी करना या कपटपूर्वक दस्तावेज को विरूप या नष्ट अथवा उसका विनष्टीकरण इत्यादि (धारा ४७७) नियुक्त कर्मचारी द्वारा धोखा देने के लिये लेखाओं में करण भी दंडनीय है (धारा ४७७ अ)। इसके लिये आवश्यक नहीं है। सहकारी बैंक के पदाधिकारियों ने एकाउंट (लेखा) में मिथ्या अंक भर दिए, यद्यपि उसमें कोई हानि नहीं हुई किंतु वे दोषी ठहराए गए।

२. व्यापार या संपत्तिचिह्नों के प्रति अपराध (धारा ४८९) — व्यापारचिह्न एक संकेत है, जैसे कोई चिह्न (चिप्पी) या ऊपर लिखे गए शब्द इत्यादि, जो एक व्यापारी माल को दूसरे व्यापारी के उसी प्रकार के माल से भेद के लिये प्रयुक्त होता है। जब कि संपत्तिचिह्न वह चिह्न है जो घोषित करता है एक चल संपत्ति का किसी विशिष्ट व्यक्ति से है। भारत विधि में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। व्यापार संबंधी अधिनियम ५, सन् १९४०, व्यापारचिह्नों का पंजीयन एवं उनकी रक्षा हेतु अन्य प्रभावकारी संरक्षण प्रदान करता है। साधारणतया व्यापारचिह्न का उल्लंघन फौजदारी की बजाय दीवानी अपराध ही है। लेकिन चूँकि दीवानी कार्यवाही में समय व व्यय लग सकता है, अतः कानून ने व्यापारी के सुविधा हेतु, मामले को फौजदारी न्यायालयों में ले जाने का अधिकार प्रदान किया है ताकि शीघ्र निपटारा किया जा सके। ऐसे मामलों में जहाँ दोषियस्त पक्ष अपराध घटित होने के तीन साल के अंदर अथवा पता चलने के एक साल के अंदर, जो भी पहले समाप्त हो बाद प्रस्तुत करता है तो फौजदारी न्यायालय में उत्तर दिया जा सकता है। यदि समय के अंदर ऐसा करने में व्यापारी असफल होता है तो उसे राहत पाने के लिये दीवानी न्यायालय में जाना पड़ेगा।

मिथ्या व्यापारचिह्न या संपत्ति चिह्न का उपयोग करना (धारा ४८०-४८१), या व्यापारचिह्न या संपत्तिचिह्न की नकल करना (धारा ४८३-४८४), इस प्रकार के नकली चिह्नों के तैयार

संपूर्णानंद (देखें पृष्ठ १८८)

प्राप्त करने की मशीनों को 'वायु संपीडक (air compressor)' कहते हैं।

वायु को संपीडित करने का सबसे सरल उपकरण साइकिल या मोटरकार के ट्यूबों में हवा भरने का वायु पंप (air pump) है। पर वायु पंप से अधिक दबाव वाली संपीडित वायु नहीं प्राप्त हो सकती। अधिक दबाव के लिये जटिल वायु संपीडक बने हैं। पहले पहल इनका उपयोग संपीडित वायु द्वारा चालित ड्रिलों से पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाने में हुआ था। पीछे रेल के डब्बों में भी इनका उपयोग शुरू हुआ। सामान्य वायुसंपीडक से प्रति वर्ग इंच ६० से १०० पाउंड की दबाववाली वायु प्राप्त होती है। ऐसे भी संपीडक बने हैं जिनसे हजारों पाउंड दबाव की वायु प्राप्त हो सकती है।

संपीडक में सिलिंडर के अंदर एक पिस्टन होता है। सिलिंडर के एक छोर पर दो वाल्व, एक भीतर की ओर खुलनेवाला और दूसरा बाहर की ओर खुलनेवाला होता है। सिलिंडर के पिस्टन को जब खींचकर ऊपर के छोर पर लाया जाता है, तब सिलिंडर के अंदर की वायु का दबाव कम हो जाता है और वायुमंडल से वायु इस वाल्व द्वारा खींच ली जाती है। जब पिस्टन को नीचे किया जाता है, तब दबाव के बढ़ जाने के कारण अंदर खुलनेवाला वाल्व बंद हो जाता है और बाहर से खुलनेवाला वाल्व खुल जाता है, जिससे सिलिंडर की वायु निकलकर 'वायुकक्ष' में चली जाती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से वायुकक्ष की वायु का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उपयुक्त दबाव की वायु को नल द्वारा निकालकर काम में लाया जा सकता है।

वायु संपीडकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : (१) पस्पाय वायुसंपीडक (Reciprocating Air Compressor), (२) घूर्णी (rotary type) किस्म के संपीडक और (३) टर्बो संपीडक (Turbo Compressor)। पस्पाय वायुसंपीडक अधिक उपयोग में आते हैं। इनका सिद्धांत वैसा ही है जैसा ऊपर वर्णित है।

वायुसंपीडकों के उपयोग — वायु पंप द्वारा ही साइकिल और मोटर गाड़ियों के ट्यूब में हवा भरी जाती है। वायु संपीडकों से प्राप्त संपीडित वायु द्वारा चालित ड्रिलों से पहाड़ों में छेद कर सुरंग बनाई जा सकती है। वायु संपीडक द्वारा ही थियेटर, सिनेमा-घरों, बड़ी बड़ी इमारतों और खानों में संवातन (ventilation) किया जाता है, जिससे अशुद्ध वायु निकलकर उसका स्थान शुद्ध वायु ले लेती है। इसकी सहायता से पिसाई भी हो सकती है। संपीडित वायु से बड़े हथौड़े चलाकर कोयला, पत्थर, बालू, कंकीट आदि तोड़े और पीसे जाते हैं। वायु संपीडक से प्राप्त संपीडित वायु से रिवेट किया जा सकता है और लोहा तथा इस्पात छीले जा सकते हैं। संपीडित वायु की सहायता से बड़े बड़े जहाजों, वायुयानों, मोटरकारों आदि पर पॉलिश की जा सकती है और वार्निश चढ़ाई जा सकती है। घरों की सफाई, दीवारों की सफेदी तथा रंगाई और फर्निचर पर वार्निश चढ़ाई, वायुसंपीडकों से प्राप्त संपीडित वायु की सहायता से कम खर्च में हो जाती है। अनेक सामानों की सफाई तथा मकानों [illegible] इसकी सहायता से [illegible]

होती है। रेल के पेंच संपीडित वायु के बल से [illegible] संपीडित वायु की सहायता से अनेक सामानों, जैसे [illegible] आदि, को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है।

संपीडित वायु की उपयोगिता की पूरी कथा [illegible] यह का यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं है। संपीडित वायु का उपयोग आधुनिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है।

[illegible]

संपूर्णानंद कुशल तथा निर्भीक राजनेता एवं [illegible] वाले साहित्यकार। जन्म वाराणसी में [illegible] जनवरी को हुआ। यहीं के क्वींस कालेज से बी० एस०-सी० उत्तीर्ण कर प्रयाग चले गए और वहाँ से एम० टी० प्राप्त की। इसके बाद आप प्रेम महाविद्यालय (वृं[illegible] बाद में ट्रेनिंग कालेज (बीकानेर) में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। देश की पुकार पर आपने यह नौकरी छ[illegible] फिर काशी के सुप्रसिद्ध देशभक्त (स्वर्गीय) बाबू शि[illegible] के आमंत्रण पर ज्ञानमंडल संस्था में काम करने [illegible] रहकर आपने अंतर्राष्ट्रीय नीति संबंधी अत्यंत महत्व[illegible] 'अंतर्राष्ट्रिय विधान' लिखी और 'मर्यादा' का संप[illegible] संभाल लिया। इसके बाद जब इस संस्था से 'टुडे' नाम[illegible] दैनिक भी निकालने का निश्चय किया गया तो इसका [illegible] आपको ही सौंपा गया जिसे आपने बड़ी योग्यता [illegible] सम्पन्न किया।

श्री संपूर्णानंद में शुरू से ही राष्ट्रसेवा की लगन थी [illegible] महात्मा गांधी द्वारा संचालित स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा [illegible] आतुर रहते थे। इसी से सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार [illegible] हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से [illegible] काशी विद्यापीठ में सेवाकार्य के लिये जब आपको आमंत्रि[illegible] गया तो आपने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। वहाँ अध्याप[illegible] करते हुए आपने कई बार सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लि[illegible] जेल गए। सन् १९२६ में आप प्रथम बार कांग्रेस की ओर[illegible] होकर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सन् १९३७ में [illegible] मंत्रिमंडल की स्थापना होने पर शिक्षामंत्री प्यारेलाल [illegible] त्यागपत्र दे देने पर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री बने [illegible] अपनी अद्भुत कार्यक्षमता एवं कुशलता का परिचय दिया। [illegible] गृह, अर्थ तथा सूचना विभाग के मंत्री के रूप में भी कार्य [illegible] सन् १९५५ में श्री गोविंदवल्लभ पंत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में [illegible] लित हो जाने के बाद दो बार आप उत्तर प्रदेश के मुख्य[illegible] नियुक्त हुए। सन् १९६२ में आप राजस्थान के राज्यपाल [illegible] गए जहाँ से सन् १९६७ में आपने अवकाश ग्रहण किया।

श्री संपूर्णानंद भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता के अ[illegible] समर्थक थे। योग और दर्शन उनके प्रिय विषय थे। वे नियमित रूप से पूजापाठ और संध्या करते थे तथा माथे पर तिलक [illegible] थे। राजनीति में वे समाजवाद के अनुयायी थे किंतु उस[illegible] समाजवाद उसके विदेशी प्रतिरूप से भिन्न भारत की परिस्थिति[illegible]

से उन्हें विशेष प्रेम था पर वे अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू, फारसी के भी अच्छे ज्ञाता तथा भौतिकी, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र के भी पंडित थे। विभिन्न विषयों की प्रभूत पुस्तकें वे निरंतर पढ़ते रहते थे और अपनी मानस मंजूषा में जिन अमूल्य ज्ञानरत्नों का संग्रह किया करते थे, लोकहित के लिये उनके द्वारा उनका दान और उत्सर्ग भी होता रहता था। हिंदी में वैज्ञानिक उपन्यास उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखा। इस प्रकार उन्होंने अध्ययन, मनन से जो कुछ भी इकट्ठा किया उसका बहुलांश 'आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव' इस उक्ति के अनुसार अपनी प्रौढ़ लेखनी द्वारा जनता में पुनः वितरित कर दिया। आपकी कुछ प्रमुख हिंदी रचनाएँ ये हैं : अवतारात्रिय विधान, समाजवाद, चित्रविलास, गणेश, ज्योतिर्विनोद, कुछ स्मृतियाँ, कुछ स्फुट विचार, हिंदू देव परिवार का विकास, ग्रहनक्षत्र। इनके अतिरिक्त सामयिक पत्रों में आपने जो बहुसंख्यक लेख लिखे वे भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इनके कुछ संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में उन्मुक्त कारागार का अद्भुत प्रयोग आपने प्रारंभ किया जो यथेष्ट रूप से सफल हुआ। नैनीताल में वेधशाला स्थापित कराने का श्रेय भी आपको ही है। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हिंदी समिति की स्थापना में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दोनों संस्थाएँ आपकी उत्कृष्ट संस्कृतनिष्ठा एवं हिंदी प्रेम के अद्वितीय स्मारक हैं। कला के क्षेत्र में लखनऊ के मैरिस म्यूजिक कॉलेज को आपने विश्वविद्यालय स्तर का बना दिया। कलाकारों और साहित्यकारों को शासकीय अनुदान देने का आदर्श देश में प्रथम बार आपने ही किया। वृद्धावस्था की पेंशन भी आपने आरंभ की। आपको देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने 'डॉक्टर' की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधि 'साहित्यवाचस्पति' भी आपको मिली थी तथा हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार 'मंगलाप्रसाद पुरस्कार' भी आप प्राप्त कर चुके थे।

आपका निधन १० जनवरी, १९६९ को वाराणसी में हुआ।

[मु०]

संबंध स्वामी प्रसिद्ध नालवारों में एक संबंध स्वामी का जन्म ७वीं शती ईसा के मध्य में मद्रास राज्य के तिरकली में हुआ था। तीन वर्ष की बाल्यावस्था में जब उनके पिता मंदिर के तालाब में स्नान कर रहे थे, वे चिल्लाए 'अम्मे अप्पा' इसपर भगवान् शिव प्रगट हुए और पार्वती ने दिव्य बालक को दूध पिलाया तथा शिवज्ञान प्रस्तुत किया। पिता की वापसी पर बालक ने अपना पहला 'तेवरम' गाया।

अपने पिता के कंधों पर बैठकर संबंदर ने दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों की यात्रा की। मार्ग में वे तेवरम् गाते और चमत्कार दिखाते चलते थे। इस प्रकार तिरकोलक्का में उन्हें स्वर्ण मंजीरा प्राप्त हुआ, तिरनैलवोइल में उन्हें मोती की पालकी तथा छत्र प्राप्त हुआ। तिरपचिलचिरमम् में उन्होंने मुक्कियार की पुत्री को रोग से मुक्त किया। तिरुमहल में उन्होंने सर्पदंश से मृत एक व्यापारी को पुनर्जीवित किया, तिरुवोइमूर में भगवान् को प्रकट कर दिखाया; मदुरै में पांड्य राजा का भयंकर रोग ठीक किया। मदुरै में उन्होंने जैनों को चुनौती दी और उन्हें पराभूत किया।

नल्लुरपेरुमनम में संबंदर ने नंबियंदर नंबि की पुत्री से विवाह किया। नैकासी मूल दिवस पर केवल सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने गाना गाया, तब एक दैवी ज्वाला दृष्टिगोचर हुई जिसमें अपनी पत्नी के साथ प्रविष्ट हुए।

संबंदर शैववाद के शक्तिशाली समर्थक थे। उन्होंने उपदेश दिया कि मुक्ति सत्पुत्र मार्ग से प्राप्त हो सकती है। भक्ति द्वारा ही भगवान के चरणकमल तक पहुँचा जा सकता है जो सर्वोच्च है एवं सुख दुःख तथा अच्छे बुरे से ऊपर है।

संबंदर की रचनाओं की प्रसिद्धि एक हजार गीतों से है जो तीसरी तिरुमुरै में विभक्त है। इसके अंतर्गत केवल ३४८ तेवरम् हैं। संबंदर के तेवरम् अपने उपमा सौंदर्य, अर्थ एवं माधुर्य के कारण बेजोड़ हैं। संबंदर के जीवन तथा रचनाओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी सुंदरार और अप्पार के तेवरमों में और सेक्किलार तथा नंबियंदर नंबी की रचनाओं में मिलती है।

का० सुब्रमनिया पिल्लै और सी० शिवज्ञानम पिल्लै के मूल्यवान शोध कार्यों द्वारा हमें संबंदर तथा उनके काल के संबंध में और भी अधिक बातें ज्ञात हुई हैं।

संबंदर के अन्य नाम अलुंदै पिल्लैयार, पलरावोयार, मुत्तमिल-विरुहर इत्यादि हैं। [एन० वी० रा०]

संबलपुर (Sambalpur) १ जिला, यह भारत के उड़ीसा राज्य का जिला है। इसका क्षेत्रफल ६,७६३ वर्ग मील तथा जनसंख्या १४,९८,२७१ (१९६१) है। महानदी इस जिले को असमान भागों में विभक्त करती है। यह नदी ९० मील तक नौगम्य है। यह जिला तरंगित समतल है, जिसमें नवोन्नत पहाड़ियाँ हैं। इनमें सबसे बड़ी पहाड़ी ३०० वर्ग मील में फैली हुई है। जिले में महानदी के पश्चिमी भाग में सघन खेती होती है और पूर्वी भाग के अधिकांश में जंगल हैं। जिले में हीराकुंड पर बाँध बनाकर सिंचाई के लिये जल एवं उद्योगों के लिये विद्युत् प्राप्त की जा रही है। महानदी और नदी के संगमस्थल के समीप हीराकुंड में स्वर्णबालू एवं हीरा पाया गया है।

२. नगर, स्थिति : २१° ३०' उ० अ० तथा ८४° ३' पू० दे०। यह उपर्युक्त जिले का नगर एवं प्रशासनिक केंद्र है। नगर महानदी के बाएँ किनारे पर स्थित है। नगर में सूती वस्त्र और टसर रेशम के वस्त्र बुनने का कुटीर उद्योग है और अधिकांशतः हथकरघे का ही उपयोग होता है। नगर की पृष्ठभूमि में वनाच्छादित पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनके कारण नगर सुंदर लगता है। नगर की जनसंख्या ३८,९१५ (१९६१) है। [अ० ना० मे०]

संभाजी (जन्म, १६५७; मृत्यु, १६८९) उग्र, उद्धत, तथा अदूरदर्शी संभाजी केवल साहस को छोड़कर अन्य चारित्रिक विशेषताओं में अपने पिता, शिवाजी के विपरीत प्रकृति का था। नौ वर्ष की अवस्था में शिवाजी की प्रसिद्ध आगरा यात्रा में वह साथ गया था। औ[illegible] के बंदीगृह से निकल, शिवाजी के महाराष्ट्र वापस [illegible] मुगलों से समझौते के फलस्वरूप, संभाजी मुगल सम्राट् [illegible] के पद तथा पंचहजारी मनसब से विभूषित हुआ। [illegible]

श्रीअरविंद (देखें पृष्ठ ३२१-२३)

से उन्हें विशेष प्रेम था पर वे अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू, फारसी के भी अच्छे ज्ञाता तथा भौतिकी, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र के भी पंडित थे। विभिन्न विषयों की प्रभूत पुस्तकें वे निरंतर पढ़ते रहते थे और अपनी मानस मंजूषा में जिन अमूल्य ज्ञानरत्नों का संग्रह किया करते थे, लोकहित के लिये उनके द्वारा उनका दान और उत्सर्ग भी होता रहता था। हिंदी में वैज्ञानिक उपन्यास उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखा। इस प्रकार उन्होंने अध्ययन, मनन से जो कुछ भी इकट्ठा किया उसका बहुलांश 'आदानं हि विसर्गाय सता वारिमुचामिव' इस उक्ति के अनुसार अपनी प्रौढ़ लेखनी द्वारा जनता में पुन: वितरित कर दिया। आपकी कुछ प्रमुख हिंदी रचनाएँ ये हैं: अवतारतत्त्व विधान, समाजवाद, चित्रविलास, गणेश, ज्योतिर्विनोद, कुछ स्मृतियाँ, कुछ स्फुट विचार, हिंदू देव परिवार का विकास, ब्रह्मसत्य। इनके अतिरिक्त सामयिक पत्रों में आपने जो बहुसंख्यक लेख लिखे वे भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इनके कुछ संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त कारागार का अद्भुत प्रयोग आपने प्रारंभ किया जो यथेष्ट रूप से सफल हुआ। नैनीताल में वेधशाला स्थापित कराने का श्रेय भी आपको ही है। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हिंदी समिति की स्थापना में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दोनों संस्थाएँ आपकी उत्कृष्ट संस्कृतनिष्ठा एवं हिंदी प्रेम के अद्वितीय स्मारक हैं। कला के क्षेत्र में लखनऊ के मैरिस म्यूजिक कॉलेज को आपने विश्वविद्यालय स्तर का बना दिया। कलाकारों और साहित्यकारों को शासकीय अनुदान देने का आरंभ देश में प्रथम बार आपने ही किया। वृद्धावस्था की पेंशन भी आपने आरंभ की। आपको देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने 'डॉक्टर' की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधि 'साहित्यवाचस्पति' भी आपको मिली थी तथा हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार 'मंगलाप्रसाद पुरस्कार' भी आप प्राप्त कर चुके थे।

आपका निधन १० जनवरी, १९६९ को वाराणसी में हुआ।

[मु०]

संबंध स्वामी प्रसिद्ध नालवारों में एक संबंध स्वामी का जन्म ७वीं शती ईसा के मध्य में मद्रास राज्य के सिरकली में हुआ था। तीन वर्ष की बाल्यावस्था में जब उनके पिता मंदिर के तालाब में स्नान कर रहे थे, वे चिल्लाए 'अम्मे अप्पा' इसपर भगवान् शिव प्रगट हुए और पार्वती ने दिव्य बालक को दूध पिलाया तथा शिवज्ञान प्रस्तुत किया। पिता की वापसी पर बालक ने अपना पहला 'तेवरम्' गाया।

अपने पिता के कंधों पर बैठकर संबंदर ने दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों की यात्रा की। मार्ग में वे तेवरम् गाते और चमत्कार दिखाते चलते थे। इस प्रकार तिरकोलक्का में उन्हें स्वर्ण मंजीरा प्राप्त हुआ, तिरुनेलवोइल में उन्हें मोती की पालकी तथा छत्र प्राप्त हुआ। तिरुपचिलचिरमम् में उन्होंने मुसिया की पुत्री को रोग से मुक्त किया। तिरुमहल में उन्होंने सर्पदंश से मृत एक व्यापारी को पुनर्जीवित किया, तिरुवोट्टियूर में भगवान् को प्रकट कर दिखाया; मदुरै में पांड्य राजा का भयंकर रोग ठीक किया। मदुरै में उन्होंने जैनों को चुनौती दी और उन्हें पराभूत किया।

नल्लुरपेरुमनम में संबंदर ने नंबियंदर नंबि की पुत्री से विवाह किया। वैकासी मूल दिवस पर केवल सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने गाना गाया, तब एक दैवी ज्वाला दृष्टिगोचर हुई जिसमें अपनी पत्नी के साथ प्रविष्ट हुए।

संबंदर शैववाद के शक्तिशाली समर्थक थे। उन्होंने उपदेश दिया कि मुक्ति सत्पथ मार्ग से प्राप्त हो सकती है। भक्ति द्वारा ही भगवान के चरणकमल तक पहुँचा जा सकता है जो सर्वोच्च है एवं सुख दुःख तथा अच्छे बुरे से ऊपर है।

संबंदर की रचनाओं की प्रसिद्धि एक हजार गीतों से है जो तीसरी तिरमुरै में विभक्त हैं। इसके अंतर्गत केवल ३४८ तेवरम् हैं। संबंदर के तेवरम् अपने उपमा सौंदर्य, अर्थ एवं माधुर्य के कारण बेजोड़ हैं। संबंदर के जीवन तथा रचनाओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी सुंदरार और अप्पार के तेवरमों में और सेक्किलार तथा नंबियंदर नंबी की रचनाओं में मिलती है।

का० सुब्रमनिया पिल्लै और सी० शिवज्ञानम पिल्लै के मूल्यवान शोध कार्यों द्वारा हमें संबंदर तथा उनके काल के संबंध में और भी अधिक बातें ज्ञात हुई हैं।

संबंदर के अन्य नाम अलुदै पिल्लैयार, पलराबोयार, मुतमिलविरहर इत्यादि हैं। [एन० वी० रा०]

संबलपुर (Sambalpur) १. जिला, यह भारत के उड़ीसा राज्य का जिला है। इसका क्षेत्रफल ६,७६३ वर्ग मील तथा जनसंख्या १४,९८,२७१ (१९६१) है। महानदी इस जिले को असमान भागों में विभक्त करती है। यह नदी ९० मील तक नौगम्य है। यह जिला तरंगित समतल है, जिसमें यत्रोन्नत पहाड़ियाँ हैं। इनमें से सबसे बड़ी पहाड़ी ३०० वर्ग मील में फैली हुई है। जिले में महानदी के पश्चिमी भाग में सघन खेती होती है और पूर्वी भाग के अधिकांश में जंगल हैं। जिले में हीराकुड पर बाँध बनाकर सिंचाई के लिये जल एवं उद्योगों के लिये विद्युत् प्राप्त की जा रही है। महानदी और इब नदी के संगमस्थल के समीप हीराकुड में स्वर्णबालू एवं हीरा पाया गया है।

२. नगर, स्थिति: २१° ३०′ उ० अ० तथा ८४° ३′ पू० दे०। यह उपर्युक्त जिले का नगर एवं प्रशासनिक केंद्र है। नगर महानदी के बाईं किनारे पर स्थित है। नगर में सूती वस्त्र और टसर रेशम के वस्त्र बुनने का कुटीर उद्योग है और अधिकांशत: हथकरघे का ही उपयोग होता है। नगर की पृष्ठभूमि में वनाच्छादित पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनके कारण नगर सुंदर लगता है। नगर की जनसंख्या ३८,९१५ (१९६१) है। [अ० ना० मे०]

संभाजी (जन्म, १६५७; मृत्यु, १६८९) उग्र, उद्धत, तथा अदूरदर्शी संभाजी केवल साहस को छोड़कर अन्य चारित्रिक विशेषताओं में अपने पिता, शिवाजी से विपरीत प्रकृति का था। नौ वर्ष की अवस्था में शिवाजी की प्रसिद्ध आगरा यात्रा में वह साथ गया था। के बंदीगृह से निकल, शिवाजी के महाराष्ट्र वापस लौट मुगलों से समझौते के फलस्वरूप, संभाजी मुगल सम्राट् औ के पद तथा पंचहजारी मंसब से विभूषित हुआ। औरंग

मुगल छावनी में, मराठा सेना के साथ, उनकी नियुक्ति [illegible] (१६६८)। शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद ही, संभाजी के दुश्चरित्र का प्रमाण पाने पर शिवाजी ने उसे दंडित किया (१६७६)। जब उसपर कोई प्रभाव न पड़ा तो पन्हाला के किले में उसे नजरबंद कर दिया गया (१६७८)। इस नियंत्रण से विद्रोह कर संभाजी पन्हाला से भागकर मुगल सेनानायक दिलेर खाँ से जा मिला (१६ दिसंबर, १६७८)। किंतु दिलेर खाँ के अत्याचार से विमुख होकर वह पुनः पन्हाला आ गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने संभाजी के अनुज राजाराम को सिंहासनासीन करने का प्रयत्न किया। किंतु संभाजी ने राजाराम और उसकी माता को बंदी बनाकर स्वयम् को छत्रपति घोषित कर दिया (२० जुलाई, १६८०)। १० जनवरी, १६८१ को उसका विधिवत् राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण आकर संभाजी का आश्रय ग्रहण किया। फलतः संभाजी और मुगलों का तुमुल संघर्ष छिड़ गया। छह मास अकबर संभाजी के आश्रय में रहा। १६८१ में राजाराम के समर्थकों ने संभाजी की हत्या का विफल षड्यंत्र किया। इसका उसने भीषण प्रतिशोध लिया। अनेक सामंतों के साथ उसने अपनी विमाता की भी हत्या कर दी। १६८१ में उसने पुर्तगालियों को पराजित किया। किंतु जब औरंगजेब ने बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्यों को समाप्त कर पुनः महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, तो संभाजी की स्थिति संकटापन्न हो गई। अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कविकलश के साथ वह बंदी बना लिया गया (१ फरवरी, १६८९)। दोनों को असीम यंत्रणाएँ सहनी पड़ीं। ११ मार्च, १६८९ को दोनों को मृत्युदंड दिया गया। मृत्यु के समय संभाजी ने जिस असीम साहस का परिचय दिया, उससे नैराश्यपूर्ण महाराष्ट्र में नवस्फूर्ति जाग्रत हो गई।

सं० ग्रं० — जी० एस० सरदेसाई : द न्यू हिस्टरी ऑव द मराठाज; जदुनाथ सरकार : शिवाजी, तथा द हाउस ऑव शिवाजी।

[रा० ना०]

संभाव्यता साधारणतः संभाव्यता का संबंध उस घटना से है जिसके न होने की अपेक्षा घटित होने की अधिक आशा है। इस अर्थ में यह शक्य (possible) से भिन्न है। घटना शक्य तब होती है जब उसके घटने में विरोध नहीं होता। 'वंध्या माता' का होना न तो शक्य है और न संभाव्य ही। 'स्वर्ण पर्वत' संभाव्य नहीं है, परंतु शक्य है।

वैज्ञानिक अर्थ में संभाव्यता का संबंध उस घटना से है जो न तो निश्चित है और न असंभव। यदि निश्चित ज्ञान का प्रतीक 'एक' (१) माना जाय और निश्चित ज्ञान के अभाव का 'शून्य' (०), तब संभाव्यता का स्थान इन्हीं '०' और '१' के मध्य निर्धारित किया जा सकता है।

संभाव्यता के आधार होते हैं। जेवन्स ने संभाव्यता के आधार को आत्मगत माना है। उन्होंने विश्वास को (जो आत्मगत है) संभाव्यता का आधार माना है। यह मत दोषयुक्त बताया गया है, क्योंकि संभाव्यता का संबंध परिमाण से है और विश्वास को मात्रा में व्यक्त करना संभव नहीं है। विश्वास को संभाव्यता का [illegible] की गणना होती है और यह गणना विश्वास के [illegible] है। यह इसलिये कि किसी वस्तु में विश्वास होता [illegible] तो अनुभव नहीं होता और कभी कभी एक अनुभव [illegible] व्यक्तियों का विश्वास भिन्न भिन्न हो जाता है।

संभाव्यता का संबंध आगमन से है। आगमन [illegible] परीक्षण पर आधारित है। अतः संभाव्यता को पूर्ण [illegible] कहना उचित नहीं, क्योंकि निरीक्षण और परीक्षण विश्व[illegible]

इन्हीं उपर्युक्त त्रुटियों के कारण कुछ विचारकों ने [illegible] को विषयगत प्रमाणित किया है। संभाव्यता अनुभव [illegible] करती है। अनुभव विषयगत है। अनुभव के आधार पर [illegible] के होने या न होने में हमारा विश्वास होता है। [illegible] आत्मगत है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि संभ[illegible] आधार अनुभव (विषयगत) और विश्वास (आत्मगत) दो[illegible]

संभाव्यता की गणना गणित द्वारा होती है। घटना[illegible] प्रकार की होती हैं। अतः उनकी संभाव्यता की गणना की [illegible] भिन्न भिन्न हैं।

सरल घटना की संभावना निकालने के लिये घटना [illegible] की संभावना की संख्या में घटना के होने की संभावना [illegible] संख्या से भाग देते हैं। ताश की ५२ पत्तियों में इस बा[illegible] से काला पान का बादशाह निकले, इसकी संभावना जानने [illegible] नियम है :

$$\frac{\text{घटनेवाली घटना की संख्या}}{\text{घटने की संपूर्ण संख्या}} \text{ अर्थात् } \frac{१}{५२}$$

अतः काला पान का बादशाह निकलने की संभावना $\frac{१}{५२}$ है।

साथ साथ नहीं घटनेवाली दो घटनाओं में एक घटना [illegible] की संभावना की गणना के लिये उनकी अलग अलग संभ[illegible] को जोड़ देना पड़ता है। ताश की ५२ पत्तियों में गुलाम [illegible] बादशाह (जो साथ साथ नहीं हो सकते) किसी एक के नि[illegible] की संभावना है : $\frac{१}{५२}+\frac{१}{५२}=\frac{१}{२६}$

इसी प्रकार दो स्वतंत्र घटनाओं के साथ साथ होने की संभा[illegible] उनकी अलग अलग संभावनाओं को आपस में गुणा करके निका[illegible] है। इंद्रधनुष (जो तीन दिनों में एक बार दृश्य होता है) तथा [illegible] (जो सात दिनों में एक बार होती है), इन दोनों स्वतंत्र घटना[illegible] के साथ साथ घटित होने की संभावना होगी : $\frac{१}{३}\times\frac{१}{७}=\frac{१}{२१}$

यही नियम अधीन घटनाओं (जैसे—अफवाह) के साथ भी लागू है।

एकत्रित किए हुए प्रमाण की सत्यता की संभावना को जानने के लिये १ (एक) में से उसकी असंभावनाओं के गुणनफल को घटा देते हैं। अन्यान्य गवाहों द्वारा बताई गई घटना के (जो एकत्रित किए हुए प्रमाण हैं) सत्य होने की संभावना इस प्रकार निकाली जा सकती है : एक गवाही में सत्य होने की संभावना जब $\frac{२}{३}$ है तो उसमें सत्य होने की असंभावना $१-\frac{२}{३}=\frac{१}{३}$ होगी। फिर दूसरी गवाही में सत्य होने की संभावना जब $\frac{२}{३}$ है तो उसमें असंभावना भी — $१-\frac{२}{३}=\frac{१}{३}$

इन दोनों की अलग असंभावनाओं के गुणनफल को १ (एक) से घटाने पर उत्तर होगा—$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$

$$= 1 - \frac{1}{18} = \frac{17}{18}$$

इस प्रकार गवाहों द्वारा बताई हुई घटना के सत्य होने की संभावना १७/१८ होगी।

इस प्रकार संभाव्यता की मात्रा संख्या के आधार पर ही निकाली जाती है। अतः संख्या की गणना पूर्ण रूप से नहीं होने पर संभाव्यता की मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती। संभाव्यता की गणना के उपरांत जिस निष्कर्ष की प्राप्ति होती है वह औसत के लिये ही सत्य होता है। दूसरे शब्दों में यह कहें कि संभाव्यता औसत (Average) के लिये सत्य होती है। [ज० न० म०]

संभाव्यता (Probability) गणितीय संभाव्यता के यथार्थ अर्थ के विषय में विशेषज्ञों, दार्शनिकों, गणितज्ञों तथा सांख्यिकीविदों में मतभेद है। संभाव्यता में रुचि के प्रारंभिक कारण बालिज्यबीमा तथा बैंक क्रियाविधि में सट्टेबाजी थे। कला एवं साहित्य के पुनर्जागरण काल के प्रारंभ में इटली के नगरों में बालिज्यबीमा का श्रीगणेश हो गया था। जीवन बीमा की वैज्ञानिक नींव १७ वीं शताब्दी में पड़ी। संभाव्यता-गणित में न्यायिक साक्ष्य के सिद्धांत का १९ वीं सदी के मध्य तक महत्वपूर्ण स्थान रहा। संभोगप्रधान खेलों से संबंधित गणितीय निर्णय पर तूका दी पेसिली, जेरोम कारडान तथा कला एवं साहित्य के पुनर्जागरण काल के अन्य गणितज्ञों ने विचार किया, परंतु अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई। १७वीं सदी में पास्कल तथा अन्य गणितज्ञों ने इस विषय का 'पासक ज्यामिति' के रूप में विकास किया। गणित की शाखा के रूप में संभाव्यता सिद्धांत का जन्मदाता जेकुंबी को माना जा सकता है। माध्यम के कारण संभाव्यता प्रकृति विज्ञान में केवल त्रुटि सिद्धांत के रूप में आई। शीघ्र ही गणितीय संभाव्यता-कलन की सहायता से लोक-वित्त, स्वास्थ्यप्रशासन, चुनाव के संचालन तथा, बीमा के अतिरिक्त, अन्य सामाजिक मामलों से संबंधित सांख्यिकीय सामग्री का वरण होने लगा। १९ वीं सदी के मध्य से संभाव्यता का विकास भौतिक सिद्धांत के एक भाग की भाँति हुआ। इसका सर्वप्रथम आभास ऊष्मा के सिद्धांत में हुआ। तत्पश्चात् संभाव्यता की कल्पना विज्ञान तथा प्रकृति दर्शन का मूल अभिप्राय हो गई। इस कारण इस विचार के अर्थ तथा संरचना के स्पष्टीकरण की आवश्यकता का अनुभव हुआ।

अमूर्त संभाव्यता-कलन — संभाव्यता की अनेक परिभाषाओं के कारण इसके गणित को इन परिभाषाओं पर आधारित करने के लिये, अनेक वैकल्पिक विधियों का प्रयोग किया गया। इन वैकल्पिक कलनों में उनके मूल विचार के अर्थ के लिये भिन्न भिन्न अभिप्राय निहित रहे हैं, परंतु अनेक सीमा तक उनकी तार्किक संरचना समान है। इनके अवलोकन से अमूर्त संभाव्यता-कलन अनेकों क्षेत्र के प्रश्नों के लिये प्रयोगक्षम प्राप्त होता है।

एक प्रकार के अमूर्त कलन का, जिसको बूलियानी (Boolian) कह सकते हैं, आविष्कार जे० एच० केज (१९३१), ई० एस० पेज (१९३२) तथा अन्य लेखकों ने किया। इन तंत्रों में संभाव्य साध्य, अथवा गुण के मध्य अपरिभाषित, संबंधों के रूप में ■ होती है।

कल्पना करें कि किसी निर्दिष्ट a/h h की 'संभाव्यता' संकेत से सूचित किया गया है। यह कहना प्रायः सुविधाजनक रहे है कि a एक 'घटना' और h कोई 'अवस्था' अथवा 'प्रमाण'। यह कल्पना करना आवश्यक नहीं है कि कोई सुगत साध्य (अथ गुण) फलन के एक संख्यात्मक मान को निर्धारित करता। परंतु यदि कोई संख्यात्मक संभाव्यता है, तो उसको निम्नलिखित चार अभिधारणा को संतुष्ट करना चाहिए :

(i) $a/h \geq 0$; (ii) $h/h = 1$

(iii) $a/h + (\text{नहीं} - a)/h = 1$ पूरकता का सूत्रपन; और

(iv) $(a \text{ और } b)/h = a/h \times b/(h \text{ और } a)$, व्यापक गुणनसूत्रपन।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय अभिधारणा से प्रमाणित होता है कि समस्त संभाव्यता मान 0 से 1 तक के अंतराल में स्थित हैं, जब यह मान लिया जाय कि 0 और 1 दोनों अंतराल में संमिलित हैं।

चतुर्थ की सहायता द्वारा तृतीय से व्यापक योग सिद्धांत

$(a \text{ अथवा } b)/h = a/h + b/h - (a \text{ और } b)/h$

को सिद्ध कर सकते हैं।

यदि a और b परस्पर निवारक विकल्प हों, तो उनकी संयुक्त घटना की संभाव्यता शून्य है। इस भाँति परस्पर निवारक a और b के लिये

$$(a \text{ अथवा } b)/h = a/h + b/h.$$

इसको विशेष योग सिद्धांत कहते हैं।

यदि $a/h = a/(h \text{ और } b)$, तो हम कहते हैं कि (संभाव्यता के लिये) a स्वतंत्र है b से (h में)। कलन के आगे के विकास के लिये स्वतंत्रता की कल्पना अति महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अभिधारणा तथा स्वतंत्रता की परिभाषा से प्रमाणित होता है कि स्वतंत्र a और b के लिये अथवा

$$(a \text{ और } b)/h = a/h \times b/h$$

सत्य है। इसको विशेष गुणन सिद्धांत कहते हैं।

संभाव्यता का बारंबारता सिद्धांत — भौतिक भाषा में किसी निर्दिष्ट ■ की संभाव्यता का अर्थ यह संकेत बारंबारता है जिस घटना a घटित होती है, जबकि प्रतिबंध h परिपूर्ण हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी निर्दिष्ट ■ की संभाव्यता जब h की शर्त है, तो a की है।

संभाव्यता का बहुल सिद्धांत — इस सिद्धांत की [illegible] अवस्थाएँ कई में भिन्न प्रकार से की जा सकती हैं :

इस h का वैकल्पिक [illegible] की [illegible] के लिये [illegible] कहते हैं। h परिपूर्ण हो जाता है, तब अर्थ है कि या तो h_1, अथवा अथवा h_2 परिपूर्ण हो जाता है। इसके दो पृथक विकल्प, जाता [illegible] a की घटना का अनुभव करते हैं। इस — a घटना ([illegible]) नहीं की घटना का अनुभव करते हैं। इस

मुगल छावनी में, मराठा सेना के साथ, उसकी नियुक्ति हुई (१६६८)। शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद ही, संभाजी के दुश्चरित्र का प्रमाण पाने पर शिवाजी ने उसे दंडित किया (१६७६)। जब उसका कोई प्रभाव न पड़ा तो पन्हाला के किले में उसे नजरबंद कर दिया गया (१६७८)। इस नियंत्रण से विद्रोह कर संभाजी पन्हाला से भागकर मुगल सेनानायक दिलेर खाँ से जा मिला (१६ दिसंबर, १६७८)। किंतु दिलेर खाँ के अत्याचार से विमुख होकर वह पुन. पन्हाला आ गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने संभाजी के अनुज राजाराम को सिंहासनासीन करने का प्रयत्न किया। किंतु संभाजी ने राजाराम और उसकी माता को बंदी बनाकर स्वयम् को छत्रपति घोषित कर दिया (२० जुलाई, १६८०)। १० जनवरी, १६८१ को उसका विधिवत् राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण आकर संभाजी का आश्रय ग्रहण किया। फलत संभाजी और मुगलों का तुमुल संघर्ष छिड़ गया। छह साल अकबर संभाजी के आश्रय में रहा। १६८१ में राजाराम के समर्थकों ने संभाजी की हत्या का विफल षड्यंत्र किया। इसका उसने भीषण प्रतिशोध लिया। अनेक सामंतों के साथ उसने अपनी विमाता की भी हत्या कर दी। १६८३ में उसने पुर्तगालियों को पराजित किया। किंतु जब औरंगजेब ने बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्यों को समाप्त कर पुनः महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, तो संभाजी की स्थिति संकटापन्न हो गई। अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कविकलश के साथ वह बंदी बना लिया गया (१ फरवरी, १६८९)। दोनों को असीम यंत्रणाएँ सहनी पड़ीं। ११ मार्च, १६८९ को दोनों को मृत्युदंड दिया गया। मृत्यु के समय संभाजी ने जिस असीम साहस का परिचय दिया, उससे नैराश्यपूर्ण महाराष्ट्र में नवस्फूर्ति जाग्रत हो गई।

सं० ग्रं० — जी० एस० सरदेसाई : द न्यू हिस्टरी ऑव द मराठाज; जदुनाथ सरकार : शिवाजी, तथा द हाउस ऑव शिवाजी। [रा० ना०]

संभाव्यता साधारणत. संभाव्यता का संबंध उस घटना से है जिसके न होने की अपेक्षा घटित होने की अधिक आशा है। इस अर्थ में यह शक्य (possible) से भिन्न है। घटना शक्य तब होती है जब उसके घटने में विरोध नहीं होता। 'वंध्या माता' का होना न तो शक्य है और न संभाव्य ही। 'स्वर्ण पर्वत' संभाव्य नहीं है, परंतु शक्य है।

वैज्ञानिक अर्थ में संभाव्यता का संबंध उस घटना से है जो न तो निश्चित है और न असंभव। यदि निश्चित ज्ञान का प्रतीक 'एक' (१) माना जाय और निश्चित ज्ञान के अभाव का 'शून्य' (०), तब संभाव्यता का स्थान इन्हीं '०' और '१' के मध्य निर्धारित किया जा सकता है।

संभाव्यता के आधार होते हैं। बेकन ने संभाव्यता के आधार को आत्मगत माना है। उन्होंने विश्वास को (जो आत्मगत है) संभाव्यता का आधार माना है। यह मत दोषयुक्त बताया गया है, क्योंकि संभाव्यता का संबंध परिमाण से है और विश्वास को मात्रा में व्यक्त करना संभव नहीं है। विश्वास को संभाव्यता का आधार मानना इसलिये भी उचित नहीं जँचता क्योंकि संभाव्यता की गणना होती है और यह गणना विश्वास के साथ [illegible] है। वह इसलिये कि जिस वस्तु में विश्वास होता है [illegible] तो अनुभव नहीं होता और कभी कभी एक अनुभव [illegible] व्यक्तियों का विश्वास भिन्न भिन्न हो जाता है।

संभाव्यता का संबंध आगमन से है। आगमन निरीक्षण परीक्षण पर आधारित है। अतः संभाव्यता को पूर्ण रूप से [illegible] कहना उचित नहीं, क्योंकि निरीक्षण और परीक्षण विषयगत [illegible]

इन्हीं उपर्युक्त त्रुटियों के कारण कुछ विचारकों ने [illegible] को विषयगत प्रमाणित किया है। संभाव्यता अनुभव पर [illegible] करती है। अनुभव विषयगत है। अनुभव के आधार पर ही [illegible] के होने या न होने में हमारा विश्वास होता है। यह [illegible] आत्मगत है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि संभाव्य[illegible] आधार अनुभव (विषयगत) और विश्वास (आत्मगत) दोनों [illegible]

संभाव्यता की गणना गणित द्वारा होती है। घटनाएँ [illegible] प्रकार की होती हैं। अतः उनकी संभाव्यता की गणना की भी [illegible] भिन्न भिन्न हैं।

सरल घटना की संभावना निकालने के लिये घटना घटित [illegible] की संभावना की संख्या में घटना के होने की संभावना की [illegible] संख्या से भाग देते हैं। ताश की ५२ पत्तियों में इस बार [illegible] से काला पान का बादशाह निकले, इसकी संभावना जानने के [illegible] नियम है :

$$\frac{\text{घटनेवाली घटना की संख्या}}{\text{घटने की संपूर्ण संख्या}} \text{ अर्थात् } \frac{१}{५२}$$

अतः काला पान का बादशाह निकलने की संभावना $\frac{१}{५२}$ है।

साथ साथ नहीं घटनेवाली दो घटनाओं में एक घटना [illegible] की संभावना की गणना के लिये उनकी अलग अलग संभा[illegible] को जोड़ देना पड़ता है। ताश की ५२ पत्तियों में [illegible] बादशाह (जो साथ साथ नहीं हो सकते) किसी एक के निकल[illegible] की संभावना है : $\frac{१}{५२}+\frac{१}{५२}=\frac{१}{२६}$

इसी प्रकार दो स्वतंत्र घटनाओं के साथ साथ होने की [illegible] उनकी अलग अलग संभावनाओं को आपस में गुणा करके [illegible] हैं। इंद्रधनुष (जो तीन दिनों में एक बार घटित होता है) [illegible] (जो सात दिनों में एक बार होती है), इन दोनों स्वतंत्र [illegible] के साथ साथ घटित होने की संभावना होगी : $\frac{१}{३}\times\frac{१}{७}=$ [illegible]

यही नियम अधीन घटनाओं (जैसे—अफवाह) के साथ भी लागू है।

एकत्रित किए हुए प्रमाण की सत्यता की संभावना को [illegible] के लिये १ (एक) में से उसकी असंभावनाओं के गुणनफल को [illegible] देते हैं। अन्यान्य गवाहों द्वारा बताई गई घटना के (जो एक[illegible] किए हुए प्रमाण हैं) सत्य होने की संभावना इस प्रकार [illegible] जा सकती है : एक गवाही में सत्य होने की संभावना [illegible] तो उसमें सत्य होने की असंभावना $१-\frac{२}{३}=\frac{१}{३}$ होगी। फिर दूसरे [illegible] गवाही में सत्य होने की संभावना भी $\frac{२}{३}$ है तो उसमें असत्य [illegible] होगी — $१-\frac{२}{३}=\frac{१}{३}$

में वस्तुनिष्ठ संकल्पना से संयुक्त करता है। इसे सर्वप्रथम आर० लेजली एलिस ने १८४३ ई० में समझा तथा निर्णायक रूप से इसकी समालोचना की। तो भी, बेर्नूली के प्रमेय और संभाव्यता के अन्य अनतरवर्ती सिद्धांत (बृहत संख्या के नियम) को बिना तार्किक त्रुटि के संभाव्यता से सांख्यिक बारंबारता को संयुक्त करने में प्रयोग के लिये एक अन्य विधि है। इसको निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं :

कल्पना करें कि बारंबारता के अवलोकन से, अथवा परास के प्रतिफल से, अथवा किसी अन्य स्रोत से, हम किसी घ की संभाव्यता की परिकल्पना करते हैं। इस परिकल्पना से हम परिकलन करते हैं कि यह "लगभग", अथवा बेर्नूली के शब्दों में "नैतिक रूप से", निश्चित है (माना कि ०·९५ तक संभाव्य) कि n परीक्षण की श्रेणी में घटना की सापेक्ष बारंबारता अपनी संभाव्यता से एक भिन्न (माना ०·०१) से कम से विचलित होगी। अब हम एक स्वयं तथ्य ग्रहण कर सकते हैं कि अति असंभाव्य घटनाएँ "लगभग अपवर्जित" हैं अथवा "नैतिक नैश्चित्य" का पूर्ण नैश्चित्य की भाँति उपचार करना चाहिए। इस स्वयं तथ्य का वास्तव में बेर्नूली ने सुझाव दिया था और इस कारण इसको बेर्नूली के दृढ़ निश्चय का नैतिक सिद्धांत कह सकते हैं। इसका ग्रहण करना वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त प्रयोजन में संभाव्यतागणन के वास्तविक प्रयोग में भलीभाँति संवेदन करता प्रतीत होता है। यदि प्रेक्षित बारंबारता नैतिक दृढ़ निश्चय के सिद्धांत के विरोध में हो, तो परिकल्पना में संशोधन कर देते हैं, अथवा उसको अस्वीकृत कर देते हैं। वास्तव में नैतिक दृढ़ निश्चय की सीमा मूल्य-सापेक्ष है और उसका किसी एक, अथवा अन्य मान, पर अनविम रूप से नियत करना प्रत्येक स्थिति के लिये विशिष्ट परिस्थिति के समूह पर निर्भर रहेगा। इन परिस्थितियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन सांख्यिकीय सिद्धांत का बृहत् कार्य है।

क्या संभाव्यता के एक अथवा अनेक अर्थ हैं? संभाव्यता के निम्नलिखित प्रयोग की तुलना करें :

(१) एक सामान्य छह पक्षवाले टप्पे के 'छह' पक्ष के ऊपर आने की संभाव्यता १/६ है।

(२) इस बात की संभाव्यता कि शेक्सपियर ने वह नाटक स्वयं लिखे थे, जो उसके लिखे बताए जाते हैं, बहुत अधिक है।

(३) फ्रेनेल के प्रयोगों ने प्रकाश के उर्मिल सिद्धांत की संभाव्यता में वृद्धि कर दी।

क्या तीनों कथन में संभाव्यता का अर्थ समान है?

बारंबारता सिद्धांत का वर्तमान काल का मुख्य प्रस्ताव करने वाले, हैंस राइनेनबेक, के अनुसार संभाव्यता का केवल वैज्ञानिक अर्थ है। पूर्वोक्त द्वितीय उदाहरण के रूप का कथन, जिसका एक व्यक्तिगत घटना से संबंध है, अवास्तव अर्थहीन है, परन्तु सामान्य परिस्थिति में सामान्यतः स्थिति के कथन के रूप में उसकी पुनः व्याख्या की जा सकती है। तृतीय प्रकार के कथन को, जो संभाव्यता का सामान्य साक्ष्य (प्रकृति के नियम, सिद्धांत, परिकल्पना) से संबंध लगाता है, या तो सफल भविष्यकथन के अनुपात को, अथवा एक वर्ग में सत्य सिद्धांत के अनुपात को, निर्देश करनेवा बारंबारता की व्याख्या दी जा सकती है।

जे० एम० केंज ने भी संभाव्यता का एकार्थक रूप लिया, यद्यपि नितांत भिन्न आधार पर। केंज के अनुसार, पूर्वोक्त द्वितीय और तृतीय उदाहरण के रूप के कथन के द्वारा प्रस्तुत कठिना निदर्शित करती है कि संभाव्यता की कल्पना बारंबारता सिद्धांत की अथवा किसी अन्य सिद्धांत जिसके अनुसार संभाव्यता की माप राशि होना आवश्यक है, संकल्पना से अधिक व्यापक है। व्यापक रूप में संभाव्यता परिमेय विश्वास (जिसका मापक होना आवश्यक नहीं) का एक अंश है।

जिन्होंने संभाव्यता के दोहरे अर्थ की वकालत की है, उन्होंने ऐसा साधारणतः तृतीय प्रकार की स्थिति, अथवा प्रकृति के नियम की संभाव्यता तथा अन्य प्रकार की संभाव्यता, में विषमता दिखाने की इच्छा से किया है। केवल फ्रीडिश फ्रोस ने 'गणितीय संभाव्यता' से भेद करने के लिये 'नियम की संभाव्यता' को दार्शनिक संभाव्यता कहा। यह भेद १९वीं सदी के अनेक तार्किकों एवं दार्शनिकों ने अपनाया। 'दार्शनिक संभाव्यता' सैद्धांतिक रूप में असंबंधात्मक समझी जाती थी।

कार्नाप ने कुछ भिन्न प्रकार की संभाव्यता के दोहरे अर्थ का विकास किया। संभाव्यता की दो कल्पनाओं में से प्रथम (जिसको उसने "पुष्टि की डिग्री" भी कहा) परास सिद्धांत की भावना की संभाव्यता है। दोनों संकल्पनाएँ गणितीय हैं और अनुर्वर कथन की वैकल्पिक व्याख्या समझी जा सकती हैं। कार्नाप ने दोनों सिद्धांतों के विरोधी दावों के समाधान के लिये संभाव्यता की दोनों संकल्पनाओं के प्रयोग के उचित क्षेत्र नियत किए। तो भी कठिनाई की दृष्टि से, जो दोनों सिद्धांतों को संभाव्यता के अस्तावित विश्लेषण में उठानी पड़ती है, यह सरल नहीं समझा जा सकता कि समाधान पूर्णतया संतोषजनक है। [रा० कु०]

संमिश्र संख्याएँ उस संख्या को संमिश्र संख्या (Complex Number) कहते हैं जिसमें $\sqrt{(-1)}$ आता है। $x^2+4=0$ जैसे समीकरणों का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। किंतु यदि हम मान लें कि $\sqrt{(-1)}$ भी कोई संख्या है तो ऐसे समीकरणों के भी मूल निकल आते हैं। इस प्रकार के समीकरणों के हल करने से ही संमिश्र संख्याओं का आरंभ होता है।

$x^2+1=0$ के मूल $\sqrt{(-1)}$ को काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे हम i से निर्दिष्ट करेंगे। यदि हम यह मान लें कि काल्पनिक संख्याएँ भी साधारण संख्याओं के नियमों का पालन करती हैं, तो उपरिलिखित समीकरण का मूल $\sqrt{(-4)}=\sqrt{(4)}\sqrt{(-1)}=2i$। वास्तव काल्पनिक संख्याओं में i निहित रहता है, जैसे

$$\sqrt{(-2)}=\sqrt{(2)}\times\sqrt{(-1)}=i\sqrt{(-1)}=i\sqrt{2}$$
$$\sqrt{(-9)}=\sqrt{(9)}\sqrt{(-1)}=3\sqrt{(-1)}$$
$$\sqrt{(-48)}=\sqrt{(16\times 3)}\sqrt{(-1)}=4i\sqrt{3}$$

संमिश्र संख्याएँ — वह्ते वास्तविक संख्याएँ क + ए ख के रूप की होती हैं, जिसमें क, ख दोनों वास्तविक संख्याएँ हैं और ए = √(−१)

उदाहरणतः ३ + ३ए तथा ७ + √(२१) ए संमिश्र संख्याएँ हैं।

स्पष्ट है कि प्रत्येक संमिश्र संख्या के दो भाग होते हैं : वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। ३ + √(−४) में ३ वास्तविक भाग और √(−४), अर्थात् २ए, काल्पनिक भाग है।

√(−१२) + √(८४) = √(−१) × √(१२ × ७) + √(२१ × ४)
= २ए√७ + २√(२१)।

इस संख्या में २√(२१) वास्तविक भाग है और २ए√७ काल्पनिक भाग।

दो वास्तविक संख्याओं में से हम यह बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। दो काल्पनिक संख्याओं की तुलना भी की जा सकती है। यदि हम तुलना की कसौटी यह मानें कि वह संख्या बड़ी है जिसमें ए का गुणांक बड़ा है, तो स्पष्ट है कि √(−२४) और √(−१६) में दूसरी संख्या बड़ी है। किंतु किसी वास्तविक संख्या की किसी काल्पनिक संख्या से तुलना नहीं की जा सकती। √(२४) और √(−१६) में से हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी, क्योंकि ये दोनों संख्याएँ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, ठीक उसी तरह जैसे यदि कोई यह पूछे कि "एक पुस्तक और १०० रुपयों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा" तो हम कोई उत्तर नहीं दे सकते।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या दो संमिश्र संख्याओं की तुलना की जा सकती है। हमें आरंभ में ही यह नियम बनाना पड़ेगा कि दो संमिश्र संख्याएँ क + ए ख और ग + ए घ तभी बराबर मानी जाएँगी जब क = ग और ख = घ।

यदि हम यह याद रखें कि ए² = −१ तो संमिश्र संख्याओं के जोड़ और गुणा के नियम सरलता से निकल सकते हैं। उदाहरणतः

(क + ए ख) + (ग + ए घ) = क + ग + ए (ख + घ);
(क + ए ख) (ग + ए घ) = क ग − ख घ + ए (क घ + ख ग)।

इन नियमों की सहायता से हम यह सरलता से सिद्ध कर सकते हैं कि संमिश्र संख्याएँ बीजगणित के निम्नलिखित आधारभूत नियमों का पालन करती हैं।

साहचर्य नियम (Association law)

अ + (इ + उ) = (अ + इ) + उ,
अ(इउ) = (अइ) उ।

क्रमविनिमय नियम (Commutation law)

अ + इ = इ + अ,
अइ = इअ।

वितरण नियम (Distribution law)

अ (इ + उ) = अइ + अउ।

उदाहरण के लिये हम क्रमविनिमय नियम का दूसरा खंड लेते हैं।

अ = क + ए ख, इ = ग + ए घ।

तो अइ = (क + ए ख) (ग + ए घ)
= (क ग − ख घ) + ए (क घ + ख ग),

और इअ = (ग + ए घ) (क + ए ख)
= (ग क − घ ख) + ए (ग ख + घ क)
= (क ग − ख घ) + ए (क घ + ख ग) = अइ।

इस किसी भी वास्तविक संख्या ख को इस प्रकार लिख सकते हैं : ख + ०ए। इस प्रकार, समस्त वास्तविक संख्याएँ संमिश्र संख्याओं का ही विशिष्ट रूप बन जाती हैं; केवल उनके काल्पनिक भाग शून्य हैं।

ज्यामितीय निरूपण — वास्तविक संख्याओं को हम चतुर्थ रेखा के बिंदुओं से निरूपित करते हैं। संमिश्र संख्याओं को निरूपित करने के लिए दो अक्ष लिए जाते हैं, जो परस्पर लंब रहते हैं। संख्या के वास्तविक भाग को क अक्ष से और काल्पनिक भाग को ख अक्ष से निरूपित करते हैं। इस पद्धति में, संख्या ३ + ४ए को उस बिंदु से निरूपित करेंगे जिसका भुज ३ हो और कोटि ४। अतः बिंदु (३,४) संख्या ३ + ४ए का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के चित्र को गणितज्ञ आर्गंड के नाम पर आर्गंड रेखा कहते हैं। यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि इस प्रकार के ज्यामितीय निरूपण से संमिश्र संख्याओं द्वारा बीजगणित के आधारभूत नियमों के पालन में कोई असंगति नहीं आती।

सं० ग्रं० — डी० ई० स्मिथ : ए सोर्स बुक इन मैथेमैटिक्स (१९२९); एल० ई० डिक्सन : एलिमेंटरी थ्योरी ऑव इक्वेशन्स; जे० एल० कूलिज : दि ज्योमेट्री ऑव दि कॉम्प्लेक्स डोमेन।

[इ० मो०]

संमिश्रण (Adulteration अपमिश्रण) किसी व्यापारिक वस्तु में किसी अन्य सस्ती वस्तु को मिला देना अथवा उसके वर्ग (grade) को खराब कर देना संमिश्रण या अपमिश्रण कहलाता है। संमिश्रित वस्तु असली या मौलिक वस्तु बनाकर बेची जाती है किंतु वास्तव में यह उसकी नकल मात्र होती है। अतः संमिश्रण में कपट का स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है। व्यापार में अत्यधिक या अधिक लाभ कमाने के लिये संमिश्रण किया जाता है; अतः यह आवश्यक है कि जिस वस्तु का संमिश्रण के लिये प्रयोग हो वह उस वस्तु से सस्ती हो जिसमें उसका संमिश्रण किया जाता है। संमिश्रण से उपभोक्ता या क्रेता को हानि या क्षति होती है, और कभी कभी यह भयानक रूप धारण कर लेती है। द्वितीय महायुद्ध के समय में क्लोरोमाइसीटीन (chloromycetine) नामक औषधि की खाली शीशी में सफेद तरल पदार्थ भरकर बेचना भारत में एक सामान्य सी बात हो चली थी जिससे मोतीझरा (typhoid) के रोगियों को, जिनके लिये यह औषधि अचूक है, बहुधा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता था।

बहुधा खाद्य सामग्रियों, औषधियों एवं कांतिवर्धक पदार्थों (cosmetics) में संमिश्रण किया जाता है; किंतु इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मुनाफाखोर व्यापारी (profiteers) ठेके के व्यवसाय में, सार्वजनिक भवनों के निर्माण में सीमेंट के स्थान पर बालू

युक्त करते पाए जाते हैं; और इसी प्रकार ऊनी माल के निर्माता त मिले कपड़ों को शुद्ध ऊनी माल कहकर बेचते देखे जाते । दूध में से कभी कभी मक्खन निकाल लिया जाता है और कर उसमें इस प्रकार का एक पीला रंग मिलाया जाता है कि ह असल दूध सा प्रतीत होने लगे। सबसे भयानक समिश्रण वह ोता है जब विषैली या सड़ी गली या हानिकारक वस्तु समिश्रण लिये प्रयुक्त की जाती है। इसका एक उदाहरण ऊपर दिया ा चुका है। सड़े गले फलों को अच्छे फलों में मिलाकर उन्हें ीन में बंद करा देना, दोरे में ऊपर से अच्छा और नीचे खराब ाता भर देना, और चीनी में लकड़ी का बुरादा मिला देना इसके अन्य उदाहरण हैं।

समिश्रण का आरंभ पूर्व-ऐतिहासिक काल में हुआ जान पड़ता है क्योंकि सभ्य जगत् के आदिकाल से ही इसके उदाहरण मिलते हैं। विशेषतया मध्यकाल में इसके लिखित प्रमाण पाए जाते हैं। इंग्लैंड में जॉन (John) के राज्य में रोटी के समिश्रण के विरुद्ध सन् १२०३ में सर्वप्रथम अधिनियम बनाया गया। खाद्य सामग्री की शुद्धता को बनाए रखने के लिये फ्रांस तथा जर्मनी में भी १३वीं शताब्दी में अधिनियम बनाए गए। कोटिल्य के अर्थशास्त्र में समिश्रण के विरुद्ध नियम बताए गए हैं।

प्रत्येक सभ्य सरकार समिश्रण (अपमिश्रण) को रोकने का प्रयास विधान बनाकर करती है। समिश्रण की साधारण क्रियाओं पर सब सभ्यों सामान्य विधान (common law) द्वारा रोकथाम की जा सकती है, पर खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के समिश्रण को रोकने के लिये विशेष विधान बनाना आवश्यक होता है। समस्त देशों का यह सामान्य अनुभव है कि समिश्रण की रोकथाम के लिये विधान बनाना सरल है पर उसको सफलतापूर्वक लागू करना कठिन है।

समाजवादियों के मत में समिश्रण पूँजीवादी व्यवस्था के खोखलेपन का उदाहरण है। पूँजीवाद की कड़ी आलोचना करते समय वे इस बात पर बल देते हैं कि समिश्रण व्यापारिक छल का जीता-जागता उदाहरण है और इससे उपभोक्ताओं को जो भयानक हानि पहुँचती है उसकी उपेक्षा की जाती है। उनके अनुसार समाजवाद के अंतर्गत समस्त उत्पादन सरकार के नियंत्रण में होगा और लाभ की भावना का लोप हो जाने के कारण समिश्रण का प्रश्न ही नहीं उठेगा तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध वस्तुएँ मिल सकेंगी। सार्वजनिक उपक्रमों के पक्ष में भी यह युक्ति दी जाती है। [प० ना० स०]

संमोहन (Hypnotism) द्वारा मनुष्य उस अर्धचेतनावस्था में लाया जा सकता है जो समाधि, या स्वप्नावस्था, से मिलती जुलती होती है, किंतु संमोहित अवस्था में मनुष्य की कुछ या सब इंद्रियाँ उसके वश में रहती हैं। वह बोल, चल और लिख सकता है, हिप्नाट लगा सकता है तथा जाग्रतावस्था में उसके लिये जो कुछ संभव है, वह सब कुछ कर सकता है, किंतु यह सब कार्य वह संमोहनकर्ता के सुझाव पर करता है।

भारत में अति प्राचीन काल से संमोहन तथा इसी प्रकार की अन्य रहस्यमय, अद्भुत प्रभावोत्पादक, गुप्त क्रियाएँ प्रचलित हैं। अन्य पूर्वी देशों में भी ये अज्ञात नहीं रही हैं। यह निश्चय है कि यदि स नहीं तो इनमें से अधिकांश ने इन क्रियाओं का ज्ञान भारत से प्र किया, जैसे तिब्बत ने। नटों, साधुओं तथा योगियों में इन क्रियाओं जाननेवाले पाए जाते हैं। इन विशिष्ट मंडलों के लोगों को छोड़क अन्य मनुष्यों में इनका ज्ञान बहुत थोड़ा, या कुछ भी नहीं, रहता अनधिकारी के ज्ञाता होने से अनिष्ट की आशंका समझ, पूर्वी देशों इस विषय के समर्थ लोगों ने इसे सर्वथा गोपनीय रखा। इस कार आज भी इसके संबंध में जो कुछ निश्चित रूप से सिखा जा सकता है वह यूरोप की देन है, जहाँ इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की चेष्टा की गई है।

अठारहवीं सदी के मध्य में फ्रांज ए० मेस्मर नामक वियना के एक चिकित्सक ने सर्वप्रथम संमोहन का अध्ययन प्रारंभ किया। इन्होंने कुछ सफलता तथा बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की, किंतु इस संबंध में जिन सिद्धांतों की इन्होंने कल्पना की वे गलत सिद्ध हुए। जो सिद्धांत आजकल स्वीकृत हैं, उनका विवेचन लीबाल्ट (Liebault) तथा बेर्नहाइम (Bernheim) नामक दो फ्रांसीसी डाक्टरों ने किया था। इनके अनुसार संमोहन का अनिवार्य प्रवर्तक सुझाव या प्रेरणा का संकेत होता है।

स्वरूप — यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि संमोहनकर्ता जादूगर, अथवा वैसी शक्तियों का स्वामी, नहीं होता। मनुष्यों में से अधिकांश प्रेरणा या सुझाव के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई आज्ञा, जैसे "आप खड़े हो जाँय" या "कुर्सी छोड़ दें", हाकिमाना ढंग से दी जाय, तो बहुत से लोग इसका तुरंत पालन करते हैं। यह तो सभी ने अनुभव किया है कि यदि हम किसी को उबासी लेते देखते हैं, तो इच्छा न रहने पर भी स्वयं उबासी लेने लग जाते हैं। दूसरों के हँसने पर स्वयं भी हँसते या मुस्कराते हैं तथा दूसरों को रोते देखकर उदास हो जाते हैं।

जो लोग दूसरों के सुझावों को इच्छा न रहते हुए भी मान लेते हैं, वे सरलता से संमोहित हो जाते हैं। संमोहित व्यक्ति के व्यवहार में निम्नलिखित समरूपता पाई जाती है :

आज्ञाकारिता — कुछ लोगों का मत है कि जो मनुष्य पूर्ण रूप से संमोहित हो जाता है वह संमोहनकर्ता की सभी आज्ञाओं का पालन करता है, किंतु कुछ अन्य का कहना है कि संमोहित व्यक्ति के विश्वासों के अनुसार यदि आज्ञा अनैतिक या अनुचित हुई, तो वह उसका पालन नहीं करता और जाग जाता है।

मिथ्या प्रतीति तथा भ्रम — संमोहनकर्ता यदि कहता है कि दो और दो सात होता है, तो संमोहित व्यक्ति इसे मान लेता है। यदि उसे कहता है कि गुड़ चीड़ा हो, तो वह व्यक्ति हाथों और घुटनों के बल चलने लगता है।

मतिविभ्रम — संमोहित व्यक्ति को ऐसी वस्तुएँ जो उपस्थित नहीं हैं दिखाई तथा सुनाई जा सकती हैं और उनका स्पर्श का अनुभव कराया जा सकता है। इस अवस्था में यह भी अनुभव जा सकता है कि वह वस्तु उपस्थित नहीं है जो वास्तव में उपस्थित है। यदि प्रेरणा दी जाए कि जिस कुर्सी पर संमोहित व्यक्ति बैठा है वह वहाँ नहीं है, तो वह व्यक्ति मुँह के बल जमीन पर गुड़क जाएगा।

ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव — संमोहनकर्ता के सुझाव पर संमोहित व्यक्ति के शरीर का कोई भाग सुन्न हो जा सकता है, यहाँ तक कि उस भाग को जलाने पर भी उसे वेदना न हो। इंद्रियों को तीव्र बनानेवाली प्रेरणा भी कार्यकारी हो सकती है, जिससे संमोहित व्यक्ति असाधारण बल का प्रयोग कर सकता है, या फुसफुसाकर कही हुई बात को भी दूर से सुन सकता है।

परासंमोहन विस्मृति — साधारणतया संमोहनावस्था में हुई सब बातों को संमोहित व्यक्ति भूल जाता है।

संमोहनोत्तर प्रेरणा — व्यक्ति को संमोहनावस्था में दिए हुए सुझावों या आज्ञाओं का, पूर्ण चेतनता प्राप्त करने पर भी, वह पालन करता है। यदि उससे कहा गया है कि चैतन्य होने के दस मिनिट बाद नहाना, तो उतना समय बीतने पर वह अपने आप ऐसा ही करता है।

दैनिक जीवन में संमोहन — प्रति दिन के जीवन में संमोहन के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। राजनीतिक या धार्मिक नेता अपने भाषणों से लोगों को संमोहित कर लेते हैं। आत्मसंमोहन भी संभव है। किसी चमकीली वस्तु पर दृष्टि स्थिर रखकर यह अवस्था उत्पन्न की जा सकती है। अत्यधिक उत्तेजना, भय आदि से मनुष्य संमोहित अवस्था जैसा व्यवहार करने लगता है, या उत्तेजना के क्षण के पहले या बाद की घटनाओं को भूल जाता है। वह कौन है, उसका पिछला जीवन क्या था, यह भी भूल जा सकता है।

आकस्मिक शारीरिक चोट, मानसिक क्षोभ, अथवा उत्तेजना के कारण, हाथ पैर रहते कभी कभी मनुष्य लूले या लँगड़े के सदृश व्यवहार करने लगता है, दृष्टि का लोप हो जाता है, अथवा वह नींद में ही चलने फिरने लग जा सकता है। दृष्टि विभ्रम, या जाग्रत अवस्था में स्वप्न देखने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धार्मिक उत्तेजना से संमोहित होकर कुछ लोग अनजाने अर्धचेतनावस्था में हो जाते हैं और कल्पित दृश्य या वस्तुएँ देखते या सुनते हैं। बाद में उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह सब वास्तविक था।

कुछ लोग संमोहन में कुशल होते हैं। अन्य लोग इनके प्रभाव में आकर, अर्धचेतनावस्था में कुर्सी, मेज आदि इधर उधर हटा देते हैं या हिलाते हैं, अनुपस्थित वस्तु देखते या सुनते हैं। श्रद्धा से रोगमुक्ति का आधार भी संमोहन ही है। भीड़ में दूसरों से प्रभावित होकर मनुष्य संमोहित व्यक्ति के सदृश आचरण करने लगता है। भावातिरेक में भीड़ों के विवेकहीन आचरण का यही कारण है।

उपयोग — संमोहन का उपयोग कुछ रोगों को दूर करने में तथा प्रसव में किया जाता है। कुछ चिकित्सकों ने शल्यचिकित्सा में भी इसे वेदनाहर पाया है। संमोहन की कार्यपद्धति से मानव तथा मानसिक रोगों के अध्ययन में सहायता मिलती है।

[अ० दा० व०]

संयुक्त खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जिला, भारत के असम राज्य में है। यह सुरमा घाटी में स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल [illegible] जनसंख्या ४,१२,१२२ (१९६१) है। जिले के उत्तर में कामरूप, पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ, दक्षिण-कछार तथा पूर्व में संयुक्त मिकिर और उत्तरी कछार पहाड़ियाँ जिले हैं एवं दक्षिण-पश्चिम-दक्षिण में पूर्वी पाकिस्तान है। [illegible] पूर्व और पश्चिम की ओर ढालदार कटकों (ridges) के [illegible] हैं, जिनके मध्य में उठा हुआ पठार है। दक्षिण की ओर घाटी में समुद्रतल से ४,००० से ६,००० फुट ऊँचे पठार हैं। [illegible] में कामरूप की ओर निम्न ऊँचाई के दो पठार हैं। ३,००० फु[illegible] ऊँचाई पर देशज (indigenous) चीड़ के जंगल हैं। ऐसे हिमालय या अन्य जगह नहीं मिलते। ऊँचे कटकों पर चेस्टनट और मैगनोलिया के वृक्ष उपजते हैं। लगभग २५० [illegible] के ऑर्किड (orchid) भी इन पहाड़ियों पर मिलते हैं। [illegible] सुपारी और अनन्नास जिले की आय के स्रोत हैं। आलू की [illegible] जिले में होती है और यह बड़े पैमाने पर जिले के बाहर [illegible] जाता है। इस जिले का प्रशासनिक केंद्र शिलाँग है, जो असम [illegible] राजधानी भी है (देखें शिलाँग)। भारत का सर्वाधिक वर्षा[illegible] स्थान, चेरापूँजी, शिलाँग से २३ मील दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में [illegible] खासी के मूल निवासी खसिया तथा जयंतिया के मूल निवासी सिं[illegible] (Synteng) कहलाते हैं।

[अ० ना० मे[illegible]

संयुक्त राज्य, अमरीका देखें, अमरीका, संयुक्त राज्य।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूनाइटेड नेशंस असेंबली) संयुक्त रा[illegible] महासभा विश्वसंगठन की सर्वांगीण संस्था है, जिसमें संयुक्त रा[illegible] के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। महासभा संयु[illegible] राष्ट्र के घोषणापत्र के अंतर्गत आनेवाले समस्त विषयों पर त[illegible] संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्यपरिधि में आनेवाले प्रश्नों पर विचार करती है और सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद् [illegible] उचित अभिस्ताव कर सकती है। महासभा के प्रमुख विचारणीय विषय हैं — निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्रनियंत्रण के सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रश्न। महासभा को अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास एवं संहिताकरण, मानवमात्र के मौलिक अधिकार आदि विषयों पर अध्ययन की व्यवस्था करके उनपर अभिस्ताव करने का भी अधिकार है। महासभा सुरक्षा परिषद् का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकृष्ट कर सकती है जिनसे शांति एवं सुरक्षा को संकट की आशंका है। उपर्युक्त विषयों पर महासभा के प्रस्ताव आदेशात्मक नहीं हैं परंतु अपने नैतिक बल एवं विश्व जनमत के निर्देशक होने के नाते उनका विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त महासभा सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों और सामाजिक आर्थिक परिषद् एवं न्यासत्व परिषद् के सदस्यों को निर्वाचित करती है और महासचिव एवं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के निर्वाचन में योग देती है। राष्ट्रसंघ के सदस्यों का प्रवेश और निष्कासन भी, सुरक्षा परिषद् की संस्तुति पर, महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा के अन्य कृत्यों में राष्ट्रसंघ के बजट का अनुमोदन, न्याय व्यवस्था का पर्यवेक्षण और अन्य अंगों के कार्यों का संयोजन उल्लेखनीय है।

महासभा का नियमित अधिवेशन प्रति वर्ष सितंबर मास से होता है परंतु अधिकांश सदस्यों अथवा सुरक्षा परिषद् के अनुरोध पर, महासचिव विशेष अधिवेशन बुला सकता है। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिये एक सभापति और सात उपसभापति चुनती है। महासभा का अधिकांश कार्य निम्न सात मुख्य समितियों में होता है जिनमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं (१) राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, (२) आर्थिक एवं वित्तीय समिति, (३) सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, (४) न्यास समिति, (५) प्रशासन एवं बजट समिति, (६) विधि समिति, और (७) विशेष राजनीतिक समिति। महासभा की दो प्रक्रियात्मक समितियाँ भी हैं (१) सामान्य समिति उपर्युक्त समितियों के कार्यों का समन्वय करती है और (२) प्रमाणपत्र समिति प्रतिनिधियों के प्रमाणपत्रों पर विचार करती है। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार प्रयोग से उत्पन्न राष्ट्रसंघ की अकर्मण्यता के निवारण के लिये महासभा ने १९४० में लघु सभा नामक एक अंतरिम समिति की स्थापना की। महासभा के सत्रावसान में महासभा का कार्य लघुसभा कर सकती है और महासभा का अधिवेशन बुला सकती है। महासभा द्वारा १९५० में पास 'शांति के लिये एकता' प्रस्ताव से भी राष्ट्रसंघ में महासभा का महत्व और उत्तरदायित्व विशेष बढ़ गया है। इसके अनुसार, सुरक्षा परिषद् में शांति एवं सुरक्षा के प्रश्नों पर मतैक्य न होने पर, २४ घंटे की सूचना पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है जो सामूहिक उपायों का अभिस्ताव और सैनिक कार्यवाही का निर्देश कर सकता है।

महासभा ने पिछले १५ साल में विश्व की विभिन्न जटिल समस्याओं पर विचार किया और कोरिया, ग्रीस, पैलेस्टाइन, स्पेन आदि के प्रश्न पर उचित कार्यवाही की। १९५६ में ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल द्वारा स्वेज पर किए गए आक्रमण को रोकने में महासभा सफल हुई। महासभा को प्राप्त सफलताओं एवं असफलताओं के आधार पर इसका मूल्यांकन करना उचित न होगा। यद्यपि महासभा के निर्णय सदस्यों के लिये आदेशात्मक नहीं हैं, तथापि विश्व इतिहास की सर्वाधिक प्रतिनिधि संस्था होने के नाते अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की स्थापना के लिये उसका महत्वपूर्ण स्थान निर्विवाद है।

सं० ग्रं० — केल्सन : दी ला ऑव यूनाइटेड नेशंस; गुडरिच तथा हैंब्रू : दी चारटर ऑव यूनाइटेड नेशंस; पाटर : इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन; बार्टले : दी यूनाइटेड नेशंस। [र० कु० मि०]

संयुत्त निकाय सुत्तपिटक का तीसरा ग्रंथ है। २९८९ सुत्त इसके अंतर्गत हैं। यह पाँच वग्गों (वर्गों) और ५६ संयुत्तों में विभक्त है। पाँच वग्गों में क्रमशः ११, १०, १३, १० और १२ संयुत्त संगृहीत हैं। इस निकाय में छोटे और बड़े सुत्तों का समावेश है। तदनुसार नामकरण की बात बताई गई है। लेकिन विषयवार सुत्तों के वर्गीकरण के अनुसार ग्रंथ के नामकरण की सार्थकता को समझना अधिक समीचीन है। अलग अलग संयुत्तों में सुत्तों के वर्गीकरण को मोटे रूप से चार सिद्धांतों के अनुसार समझ सकते हैं : १. धर्मपर्याय, २. भिन्न भिन्न योनियों के जीव, ३. श्रोता, और ४. उपदेशक।

१. पहला वर्गीकरण भगवान् की शिक्षाओं के सारभूत बोधिपक्षीय धर्मों के अनुसार हुआ है, यथा बोज्झंग संयुत्त, बल संयुत्त, इंद्रिय संयुत्त इत्यादि। २ दूसरा वर्गीकरण उनमें संगृहीत सुत्तों में निर्दिष्ट विभिन्न योनियों के जीवों के अनुसार हुआ है, यथा देवपुत्त संयुत्त, गन्धब्ब संयुत्त इत्यादि। ३. तीसरा वर्गीकरण संगृहीत उपदेशों के श्रोताओं के अनुसार हुआ है, यथा राहुल संयुत्त, वच्छगोत्त संयुत्त इत्यादि। ४. चौथा वर्गीकरण संगृहीत सुत्तों के उपदेशकों के अनुसार हुआ है, यथा सारिपुत्त संयुत्त, भिक्खुणी संयुत्त इत्यादि।

संयुत्त निकाय के अधिकांश सुत्त गद्य में हैं, देवता संयुत्त जैसे कतिपय संयुत्त पद्य ही में हैं और कुछ संयुत्त गद्य पद्य दोनों में हैं। एक एक संयुत्त में एक ही विषय संबंधी अनेक सुत्तों के समावेश के कारण इस निकाय में अन्य निकायों से भी अधिक पुनरुक्तियाँ हैं। इसमें देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि मनुष्येतर जीवों का उल्लेख अधिक आया है।

अन्य निकायों की तरह इस निकाय के सुत्तों का भी महत्व धर्म और दर्शन संबंधी भगवान् की शिक्षाओं से है। लेकिन प्रकारांतर से उनमें तत्कालीन अन्य धर्माचार्यों के मतों और विचारों, सामाजिक अवस्था, राजनीति, भूगोल इत्यादि विषयों का भी उल्लेख है। यहाँ पर उन सब की चर्चा संभव नहीं। इसलिये प्रत्येक संयुत्त के मुख्य विषय का निर्देश मात्र करेंगे।

१. सगाथक वग्ग

१. देवता संयुत्त — देवताओं को दिए गए उपदेश। २. देवपुत्त संयुत्त — देवपुत्रों को दिए गए उपदेश। अट्ठकथा के अनुसार प्रकट देव देवता कहलाते हैं और अप्रकट देव देवपुत्र कहलाते हैं। ३. कोसल संयुत्त — प्रसेनजित् के विषय में है। इसमें प्रसेनजित् और अजातशत्रु के बीच हुई लड़ाई का भी उल्लेख है। ४ मार संयुत्त — भगवान् और शिष्यों की मारविजय इसका विषय है। बुद्धत्व के बाद भी मार भगवान् को विचलित करने के प्रयत्न में रहता है। ५. भिक्खुणी संयुत्त—वजिरा, उप्पलवण्णा आदि दस भिक्षुणियों की मारविजय और तत्संबंधी उनके उदान। ६, ब्रह्म संयुत्त — सहंपति आदि ब्रह्मों को दिए गए उपदेश। देवदत्त के अनुयायी कोकालिय की दुर्गति का भी उल्लेख इसमें है। ७. ब्राह्मण संयुत्त — ब्राह्मणों को दिए गए उपदेश। ८. वंगीस संयुत्त — प्रतिभावान् वंगीस द्वारा वासनाओं पर विजय। ९. वन संयुत्त — वनवासी विभुओं को दिए गए उपदेश। १०. यक्ख संयुत्त — सूचिलोम आदि यक्षों को दिए गए उपदेश। तथागत की शिक्षाओं से वे भी विनीत बने। ११. सक्क संयुत्त — देवराज शक्र की सज्जनता की प्रशंसा। पुण्य के फलस्वरूप शक्रपद की प्राप्ति। देवासुर संग्राम की कथा।

२. निदानवग्ग

१. निदान सं० — प्रतीत्य समुत्पाद का विवरण। बारह कड़ियों के अनुसार अनुलोम क्रम से संसार की प्रवृत्ति और प्रतिलोम क्रम से उसकी निवृत्ति २. अभिसमय सं० — आर्यमार्ग की पहली अवस्था

को प्राप्त व्यक्ति को भी प्रमाद न करने की शिक्षा। ३. धातु सं० — अठारह धातुओं का विवरण। धातु शब्द का अन्य अर्थों में भी प्रयोग। ४. अनमतग्ग सं० — अनादि संसार का स्वभाव अनेक उपमाओं द्वारा। ५. कस्सप सं०—यथाप्राप्त भोजनादि प्रत्ययों से संतुष्ट महाकाश्यप के आदर्शमय जीवन की प्रशंसा। ६. लाभसक्कार सं० — लाभसत्कार के पीछे धार्मिक जीवन से पतन। ७. राहुल सं० — अपने पुत्र राहुल को बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश। ८. लक्खण सं० — प्रेतों की कथा। ९. ओपम्म सं० — इस संयुत्त के प्रत्येक सुत्त में उपमा है। इसमें विषयों के प्रलोभन में न पड़कर जागरूक रहने का उपदेश है। १०. भिक्खु सं० — सारिपुत्त, मोग्गल्लान आदि स्थविरों के उपदेश।

३. खंध वग्ग

१. खंध सं० — पाँच स्कंधों की अनित्यता, दुःखता और अनात्मता का विवेचन। इन तीन लक्षणों के बोध से ही वासनाओं का निरोध। २. राध सं० — राध के प्रश्नों को दिए गए भगवान् के उत्तर। ३. दिट्ठि सं० — मिथ्या मतवाद पाँच स्कंधों के अज्ञान पर ही आश्रित। ४. ओक्कतिक सं० — आर्यभूमि में पहुँचने की प्रतिपदा। ५. इद्धिय सं० — इद्धियों के प्रादुर्भाव के साथ साथ दुःख का भी प्रादुर्भाव। ६. किलेस सं० — चित्तमलों की उत्पत्ति का विवरण। ७. सारिपुत्त सं०—आनंद और सूचिमुखी परिव्राजिका को सारिपुत्त के उपदेश। ८. नाग सं० — चार प्रकार की नाग योनियाँ। ९. सुपण्ण सं० — चार प्रकार की सुपर्ण योनियाँ। १०. गंधब्ब सं० — गंधर्व नामक देवताओं का वर्णन। ११. वच्छगोत्त सं० — पाँच स्कंधों के स्वभाव को न जानने के कारण लोग मिथ्या मतवादों में उलझ जाते हैं। १२. झान सं० — ध्यानों का विवरण।

४. सळायतन वग्ग

१. सळायतन सं० — चक्षुरादि इंद्रियों की आसक्ति के निरोध से अहंभाव का निरोध। २. वेदना सं० — तीन प्रकार की वेदनाओं का विवरण। ३. मातुगाम सं० — स्त्रियों के विषय में ४ जंबुखादक सं० — जंबु को सारिपुत्त का उपदेश। राग, द्वेष और मोह का निरोध ही निर्वाण। अष्टांगिक मार्ग से उसकी प्राप्ति। ५. सामंडक सं० — सामंडक परिव्राजक को सारिपुत्त का उपदेश। विषयवस्तु पूर्वसूत्र के समान। ६. मोग्गल्लान सं० — मोग्गल्लायन द्वारा रूप, अरूप और अनिमित्त समाधियों का विवरण। ७. चित्त सं० — चित्त गृहपति का उपदेश। तृष्णा ही बंधन है, न कि इंद्रिय या विषय। ८. समणी सं० — भोगविलास और कामनाओं के दो अंतों को छोड़कर मध्यम मार्ग पर चलने का यह उपदेश कई श्रामणेरियों को दिया गया था। ९. असंखत सं० — असंस्कृत निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग। १०. अब्याकत सं० — अव्याकृत अर्थात् अकथनीय वस्तुओं का निर्देश। [व०]

संयोजकता (Valency) तत्वों की संयोजन शक्ति (combining power) को संयोजकता का नाम दिया गया है। १९वीं शताब्दी के समय मध्यकाल में अंग्रेज रसायनज्ञ फ्रैंकलैंड (Frankland) तथा जर्मन रसायनज्ञ कोल्बे (Kolbe) ने संयोजकता के विषय में अपनी कल्पनाएँ व्यक्त कीं। फ्रैंकलैंड ने प्रदर्शित किया अकार्बनिक (inorganic) यौगिकों में प्रायः एक केंद्रीय तत्व तत्वों के निश्चित गुणांकों से संयोग करता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा आर्सेनिक का एक परमाणु हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के तीन अथवा पाँच परमाणुओं से संयोग करके यौगिक बनाता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त होनेवाले तत्व की संयोजनशक्ति सदैव अन्य परमाणुओं की निश्चित संख्या से संतुष्ट हो सकती है। अतएव यदि हाइड्रोजन को संयोजकता की इकाई मान लिया जाए, तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की उन संख्याओं के बराबर होगी जिनके साथ वह तत्व का परमाणु संयोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, क्लोरीन, ऑक्सीजन तथा कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के क्रमशः एक, दो, तीन तथा चार परमाणुओं से संयोग करता है। इसलिये क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन की संयोजकताएँ क्रमशः एक, दो, तीन तथा चार हैं। कुछ तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते। ऐसे तत्वों की संयोजकता, क्लोरीन या ऑक्सीजन की संयोजकता की क्रमशः एक या दो मानकर, निकाली जा सकती है। उदाहरण के लिये बोरियम का एक परमाणु क्लोरीन के चार तथा ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से संयोग करता है। अतः बोरियम की संयोजकता चार है।

प्रायः तत्वों की संयोजकता को रेखाओं द्वारा दिखलाया जाता है। इन रेखाओं को 'संयोजकता बंधन' (Valency bonds) कहा जा सकता है। इन बंधनों का प्रयोग करते हुए, कुछ सरल यौगिकों के सूत्र नीचे दिखलाए गए हैं :

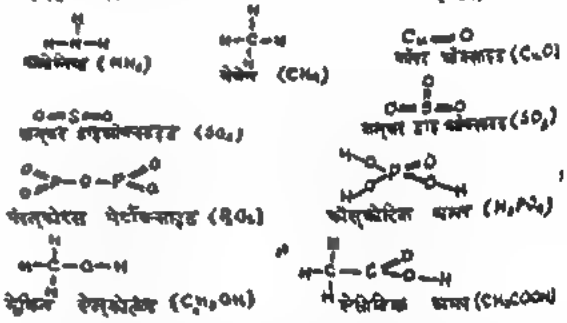

प्रसिद्ध कार्बनिक रसायनज्ञ केकुले (Kekule) के विचार भी फ्रैंकलैंड के विचारों से मिलते जुलते थे। केवल एक बात में दोनों में तीव्र मतभेद था। जैसा उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है, अकार्बनिक यौगिकों में बहुधा एक ही तत्व की संयोजकता विभिन्न यौगिकों में भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिये, PCl_3 तथा PCl_5 यौगिकों में फॉस्फोरस की संयोजकता क्रमशः तीन तथा पाँच है। इसके विपरीत कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की संयोजकता स्थिर, और

। तथा तीन, होती है। इनकी संयोजकताओं में साधारणतया कभी अंतर नहीं होता।

संयोजकता के बारे में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होने से रसायनज्ञों को तत्वों के परमाणुभार निकालने में बहुत सहायता मिली है। किसी भी तत्व का परमाणुभार उसके तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होगा। तत्वों के तुल्यांकी भार प्रयोगों द्वारा सरलता से निकाले जा सकते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे भाग में, जब रूसी महान् वैज्ञानिक मेंडेलीफ़ (Mandeleef) ने आवर्त सारणी (Periodic Table) का वर्णन किया, तो उन्होंने साथ ही साथ उस सारणी में किसी तत्व की स्थिति और उसकी संयोजकता का संबंध भी सुस्पष्ट किया। तत्वों को उनके परमाणुभार के क्रम से रखने पर, प्रत्येक तत्व अपने से आठवें तत्व के साथ भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार निष्क्रिय गैसों के आविष्कार के बाद, वर्तमान आवर्त सारणी नौ समूहों में बँट जाती है। इनमें निष्क्रिय गैसों, जैसे हीलियम, नीयन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन तथा रैडन का समूह शून्य समूह कहलाता है, क्योंकि ये तत्व किसी भी अन्य तत्व के प्रति साधारणतया संयोजनशक्ति नहीं प्रदर्शित करते। अगला समूह ऐलकेली या क्षारीय धातुओं (जैसे लीथियम, सोडियम, पोटैशियम आदि) का प्रथम समूह है और इन सबकी संयोजकता भी हाइड्रोजन, क्लोरीन तथा ऑक्सिजन सब के प्रति एक होती है। इसी प्रकार द्वितीय (मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि), तृतीय (बोरॉन, ऐल्यूमिनियम आदि) तथा चतुर्थ (कार्बन, सिलिकन आदि) समूह के तत्वों की संयोजकता क्रमशः दो, तीन तथा चार है। पाँचवें (नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस आदि), छठे (सल्फ़र, क्रोमियम आदि), सातवें (फ्लुओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि) समूह के तत्व ऑक्सीजन के प्रति तो क्रमशः पाँच, छह तथा सात संयोजकताएँ प्रदर्शित करते हैं, परन्तु हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के प्रति इन समूहों के तत्वों की संयोजकताएँ क्रमशः तीन, दो तथा एक हैं।

२०वीं शताब्दी के आरंभिक काल में वैज्ञानिक सर जे० जे० टॉमसन तथा नील्स बोर ने प्रयोगों तथा अपनी कल्पनाओं द्वारा परमाणुओं की रचना के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि की और रदरफ़र्ड ने परमाणुओं के नाभिक (nucleus) रूप की विवेचना की। इसके अनुसार प्रत्येक परमाणु के केंद्र या नाभि में बहुत सूक्ष्म पिंड होता है, जिसपर धनावेश होता है और इसी धनावेश की बराबर संख्या के इलेक्ट्रॉन (electron) केंद्र के चारों ओर परिधियों में चक्कर लगाया करते हैं। अंतिम परिधि के इलेक्ट्रॉनों को 'संयोजन इलेक्ट्रॉन' का नाम दिया गया है, क्योंकि 'संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत' के अनुसार, यही इलेक्ट्रॉन तत्व की संयोजनशक्ति निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिये, आवर्त तालिका के प्रथम दो समूहों के परमाणुओं की रचना नीचे दी गई है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को काले अंकों से दिखलाया गया है:

						H	He
						1	2
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
2,8,1	2,8,2	2,8,3	2,8,4	2,8,5	2,8,6	2,8,7	2,8,8

उपर्युक्त सारणी में निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं की अंतिम परिधि में (हीलियम को छोड़कर जिसमें २ इलेक्ट्रॉन होते हैं) ८ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विन्यास इतना स्थायी है कि ये स्वयं साधारणतया किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते और अन्य तत्व भी एक, दो, या तीन इलेक्ट्रॉन खोकर, या बढ़ाकर, इन्हीं के विन्यास को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिये, सोडियम $\left(\begin{matrix}Na\\2,8,1\end{matrix}\right)$ का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर और फ्लुओरीन $\left(\begin{matrix}F\\2,7\end{matrix}\right)$ का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करके सोडियम फ्लोराइड बनाते हैं और इस क्रिया से सोडियम (Na^+) तथा फ्लुओराइड दोनों आयन निष्क्रिय गैस नीयॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की संयोजकता को विद्युत् संयोजकता (electrovalency) कहा जाता है और इसके कुछ अन्य उदाहरण भी नीचे दिए गए हैं:

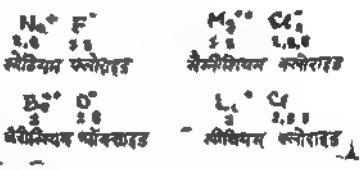

विद्युत्संयोजकता से बने यौगिक साधारणतया उच्च गलनांक और क्वथनांकवाले होते हैं और जल में विलीन होकर आयनित हो जाते हैं। इस प्रकार की विद्युत्संयोजकता की कल्पना सर्वप्रथम जर्मन रसायनज्ञ कॉसेल (Kossel) ने १९१६ में की थी। इसके अतिरिक्त अमरीकी रसायनज्ञ ल्यूइस (Lewis) ने कुछ ही मास बाद कल्पना की कि उपर्युक्त विधि के अतिरिक्त कुछ तत्व एक अन्य विधि से भी निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस कल्पना के अनुसार संयोग करनेवाले दो परमाणु कभी कभी अपने एक, दो, या तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करके दोनों के दोनों निष्क्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के संयोजन को केवल संयोजन इलेक्ट्रॉनों की सहायता से निम्न चित्र में दिखलाया गया है। सुविधा के लिये इनमें भिन्न तत्वों के संयोजन इलेक्ट्रॉनों को भिन्न चिह्नों से दिखला दिया गया है, यद्यपि इन इलेक्ट्रॉनों में परस्पर कोई अंतर नहीं है:

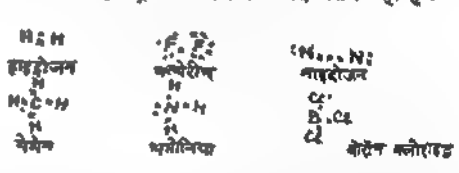

उपर्युक्त प्रकार की संयोजकता को सहसंयोजकता (covalency) का नाम दिया गया है और इसमें बने सहसंयोजक यौगिक साधारणतया निम्न गलनांक तथा क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं और अधिकतर कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं (देखें सहसंयोजकता)।

इन दोनों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की संयोजकता की

कल्पना की गई है, जिसमें एक यौगिक या तत्त्व अपने दो खाली इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे यौगिक या तत्त्व को देकर, दोनों में निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन विन्यास की अवस्था ला देता है। उदाहरण के लिये, अमोनिया अपने दो खाली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन या बोरॉन क्लोराइड को प्रदान करके, उनको क्रमशः हीलियम तथा नीऑन का इलेक्ट्रॉन विन्यास दे देता है।

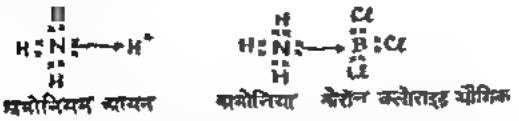

अमोनियम आयन अमोनिया बोरॉन क्लोराइड यौगिक

इस प्रकार की सयोजकता को उपसहसयोजकता (coordinate covalency) कहा गया है, क्योंकि इस प्रकार की सयोजकता की कल्पना उपसहसयोजक यौगिकों, जैसे हेक्साएमीन, कोबाल्टी क्लोराइड तथा पोटैशियम फेरोसायनाइड आदि के गुणों को समझने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है।

सयोजकता का यथार्थ ज्ञान ही समस्त रसायन शास्त्र की नींव है। पिछले ३०-४० वर्षों में द्रव्यों के स्वभाव तथा गुणों का अधिक ज्ञान होने के साथ साथ सयोजकता के ज्ञान में भी वृद्धि हुई है।

[रा० च० मे०]

संयोजी ऊतक (Connective Tissue) गर्भाशय में भ्रूण का जैसे जैसे विकास होता जाता है, एक वर्ग की कोशिकाएँ दूसरे वर्ग की कोशिकाओं से भिन्न होती जाती हैं। प्रत्येक वर्ग की कोशिकाएँ विशेष प्रकार का शारीरिक ऊतक बनाती हैं। इस प्रकार ऊतकों की कोशिकाएँ अचल होती हैं।

ऊतक की रचना — शरीर के अंग, उपांग एवं भित्ति की जिनके द्वारा वे आवृत रहते हैं, रचना स्थूल रूप से पाँच प्रकार के ऊतकों से होती है। ये निम्न हैं: १. उपकला ऊतक, २. संयोजी ऊतक, ३. कंकाली ऊतक, ४. पेशी ऊतक तथा ५. तंत्रिका ऊतक। इनमें से प्रत्येक में अपनी अपनी विशेषताएँ हैं। तंत्रिका ऊतक के अतिरिक्त अन्य ऊतक पुनः प्रकारांतर से अनेक हैं, परंतु अपनी जन्मजात विशेषताएँ प्रत्येक में रहती हैं। संयोजी एवं कंकाली ऊतकों में आकारिकी (morphology) के अनुसार बहुत सी समानताएँ हैं तथा साथ साथ ही रहते हैं, परंतु भौतिक रूप से भिन्न हैं। संयोजी ऊतक मृदु होते हैं, जब कि कंकाली ऊतक कठोर होते हैं।

संयोजी ऊतक — भ्रूणमध्यच्छद स्तर (mesenchyme) से संयोजी ऊतकों का विकास होता है। इसके अंतर्गत अनेक ऊतक हैं, जो विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे आसन में बँधना, अथवा अंगिक संरचनाओं के कार्यों को आश्रय देना। ये आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु आपस में अनेक दृष्टियों से संबंधित हैं।

संयोजी ऊतकों में अनेक कोशिकाएँ होती हैं, जो एक आधारी (matrix), अथवा मृदुर पदार्थ, में अवस्थित होती हैं। इस पदार्थ में तंतु विद्यमान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बहुधा आधारी तथा तंतुओं को मिलाकर अंतराकोशिकी पदार्थ (intercellular substance) कहते हैं। संयोजी ऊतकों में बड़ी मात्रा में अंतराकोशिकी पदार्थ विद्यमान है। उपकला ऊतक की कोशिकाओं के विपरीत संयोजी ऊतक की कोशिकाएँ दूर विद्यमान रहती हैं।

संयोजी ऊतक की कोशिकाएँ मुख्य रूप से छह प्रकार की होती हैं:

१. तंतुपसू (fibroblast), २. हिस्टोसाइट (histocyte), ३. प्लाविका कोशिका (plasma cell), ४. मास्ट कोशिका (mast cells), ५. वसा कोशिकाएँ (fat cells) तथा ६. वर्ण कोशिकाएँ (pigmented cells)।

उपर्युक्त कोशिकाओं के अतिरिक्त, साधारण संयोजी ऊतक में लसीकाणु (lymphocytes), उदासीन रंजी कोशिका (neutrophilic cells) तथा इओसिनरागी बहुरूपकेंद्रक श्वेताणु (eosinophilic polymorpho-neuclear leucocytes) रक्त से निकलकर, इसमें सम्मिलित हो जाते हैं।

कार्यों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में संयोजी ऊतक आकार, संगति तथा संघटन में भिन्न होते हैं। यह भिन्नता कोशिका प्रकार अथवा तंतु, तंतुओं के विन्यास तथा आधारी की राशि एवं गुणों पर आधारित है। इस आधार पर संयोजी ऊतक का निम्न प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं:

१. अवकाशी (areolar) ऊतक, २. वसाऊतक (adipose), ३. प्रत्यास्थ (elastic), ४. जालिका (reticular), ऊतक ५. श्वेततंतुमय (white fibrous) ऊतक, ६. श्लेष्माभ (mucoid) ऊतक, ७ न्यूरॉग्लिया (neuroglia), एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक, जो केंद्रीय तंत्रिकातंत्र (central nervous system) में पाया जाता है, तथा (८), एक परिवर्धित संयोजी ऊतक जो आधार कलाओं (basement membranes) में होता है। यह कला उपकला-कोशिका के स्तरों के नीचे लगी रहती है। उच्च कोटि के जीव के शरीर के प्रत्येक भाग एवं अंगों का एक विशेष कार्य होता है, जो उसे करना होता है। प्रत्येक अंग कोशिकाओं का पुंज है। इन अंगों की विशेषता कोशिकाओं पर निर्भर करती है, अर्थात् जिस प्रकार की कोशिकाओं से वह अंग बना है, उसका कार्य भी उसी के अनुसार होगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर में सभी प्रकार के कार्य, जैसे श्वसन, पाचन, मलत्याग आदि सुचारु रूप से होते रहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं में भिन्नता होती है और कोशिकाएँ कई प्रकार की होती हैं। प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं का एक विशेष कार्य होता है, जिसको उन्हें करना होता है।

संयोजी ऊतक के कार्य — संयोजी ऊतक का कार्य शक्ति देना, एक दूसरे को जोड़ना एवं आश्रय देना है। यह दूसरे प्रकार की कोशिकाओं के समूहों को आपस में बाँधने का कार्य करता है तथा विभिन्न अंगों के लिये एक प्रकार का ढाँचा तैयार करता है, जिससे उनको आश्रय मिलता है। इस प्रकार यह मांसपेशी के तंतुओं के पुंजों को आपस में बाँधता तथा यकृत, वृक्क आदि अंगों के लिये तंतुओं के बने संपुट (capsule) बनाता है और त्वचा के अंदर स्तरों के बनने में साथ देता है। पड़ोसी अंगों एवं भागों के बीच

स्थानों को भरने का भी कार्य इसी ऊतक द्वारा संपन्न होता है। अभिघात अथवा रोग के कारण नष्ट हुए ऊतकों को बदलना भी इस ऊतक का कार्य है।

अस्थि ऊतक भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इस ऊतक में खनिज पदार्थ, अर्थात् कैल्सियम एवं फॉस्फोरस, कैल्सियम फॉस्फेट एवं कैल्सियम कार्बोनेट के रूप में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैग्नीशियम, पलुओरीन, क्लोरीन तथा लोहा भी थोड़ी मात्रा में इस ऊतक में रहता है। शाखाओं की कुछ अस्थियाँ उपास्थि में स्थित खनिज पदार्थों के कारण ही विकसित होती हैं। करोटि (cranium) की अस्थियाँ कला ऊतक (membranous tissue) में स्थित खनिज पदार्थों के कारण विकसित होती हैं।

तंतु ऊतक (Fibrous Tissue) — यह एक विशिष्ट प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसकी विशेषता यह है कि खींचे जाने पर यह खिंच नहीं पाता। इसमें श्वेत तंतुओं के पुंज होते हैं। यही कारण है कि इसके द्वारा पेशियों की स्नायुएँ, संधियों की पुटियाँ (sacs of joints), हृदय का हृदयावरण (pericardium) एवं अनेक प्रसर (sheets) तथा प्रावरणी (fascia) बनती हैं, जिनपर मांसपेशियाँ लगी रहती हैं अथवा अस्थियाँ आपस में बँधी रहती हैं। अभिघात होने पर क्षत (wound) में तंतु ऊतक बनता है। इस ऊतक में संकुचन होता है। इस कारण व्रणचिह्नों (scars) में संकोच हो जाया करते हैं, जो देखने में भद्दे लगते हैं। यदि किसी प्रकार से इस ऊतक पर अधिक खिंचाव डाला जाय, तो यह खिंच भी जाता है। इन तंतुओं में कोलेजन नामक प्रोटीन पदार्थ होता है। यदि इन तंतुओं को पानी में डालकर उबाला जाए, तो यह कोलेजन पदार्थ जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि प्रौढ़ जानवर का मांस, जो कठोर एवं तंतुमय होता है, उबाला जाता है। इस ऊतक को बनानेवाले तंतुपसू अथवा कोशिकाओं की क्रिया के लिये आहार में विटामिन 'सी' का होना अत्यंत आवश्यक है।

अवकाशी ऊतक (Areola Tissue) — यह अत्यंत संयोजी ऊतक है, जिसमें तंतुओं के अतिरिक्त कोशिकाएँ भी होती हैं। तंतु से तंतु ऊतक का विकास होता। हिस्टिओसाइट (Histiocytes) रंजक द्रव्य को ग्रहण करता है। यह शरीर के जालक-अंतःकला-तंत्र (reticulo-endothelial system), महाभक्षक (macrophage) अथवा अपमार्जन तंत्र (scavenging system) से संबंध रखता है। इसमें कणिकामय मास्ट कोशिकाएँ (mast cells) तथा कणिकाविहीन प्लैज्मा कोशिकाएँ (plasma cells) [illegible] ऊतक में पहुँचे हुए जीवाणुओं से [illegible] इन कोशिकाओं [illegible] है। [illegible] अतिरिक्त वर्णक कोशिकाएँ (pigm[illegible] भी [illegible] ती हैं।

[illegible] ऊतक बड़ी [illegible] करते हैं। जब इनमें [illegible] तब उसी को वसा ऊतक कहते हैं। अवकाशी ऊतक में जल का भी संचय होता है जिसके कारण वे फूल जाते हैं।

प्रत्यास्थ ऊतक (Elastic Tissue) — इसमें अल्प मात्रा में पीले रंग के तंतु होते हैं। इन्हीं तंतुओं के कारण इस ऊतक में प्रत्यास्थता होती है। वाहिकाओं की कला में यह ऊतक होता है। फुफ्फुस में ये ऊतक होते हैं। श्वासनली (trachea) तथा श्वसनिकाओं (bronchii) की उपास्थियों (cartilages) में प्रत्यास्थता इसी ऊतक के कारण होती है। मन्यास्नायु (ligamentum nuchi) में, जो करोटि को मेरुदंड से जोड़ती है, यह ऊतक बहुतायत से पाया जाता है। [र० च० ग०]

संरचना इंजीनियरी १९वीं शताब्दी तक सिविल इंजीनियरी का एक विभाग समझा जाता था। इसका काम लकड़ी और लोहे द्वारा सेतु निर्माण करना था, परंतु जैसे जैसे सभ्य समाज की आवश्यकताएँ परिस्थितियों के अनुसार बदलती और बढ़ती गईं, उन्नत प्रकार के लोहे, इस्पात आदि का उत्पादन तथा प्रयोग बढ़ने लगा, वैसे वैसे यंत्र विज्ञान की उन्नति हुई। विविध धातुओं के भौतिक गुणों का ज्ञान बढ़ा, तो कारखानों और आवासगृहों के निर्माण में भी इस्पात का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। स्थान की कमी से इस्पात के ढाँचों की सहायता से अनेक मंजिलों के मकान बनने लगे और थोड़ी जगह में अनेक कमरे बनाने की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ।

आज बड़े बड़े नगरों में बीस बीस मंजिले मकान बनाना तो मामूली बात हो गई है। न्यूयार्क में कुछ मकान ७० और १०२ मंजिलों तक के भी हैं। संरचना इंजीनियरी के सहारे ही ऐसा हो सका है। सेतुनिर्माण में भी संरचना इंजीनियरी से बड़ी सहायता मिली है। स्कॉटलैंड की फोर्थ नदी के प्रसिद्ध पुल में, जो कैंटिलिवरनुमा बना है, नदी के बीच में तीन खंभों के आधार पर दो मेहराब तो पूरे बने हैं, जिनके प्रत्येक खंभे का पाट (span) १,७१० फुट है, और समस्त पुल का पाट, तट से तट तक, ५२१५ फुट है (देखें, फलक)। अमरीका का क्यूबेक पुल तो दुनियाँ भर के कैंटिलिवर पुलों में सबसे बड़ा समझा जाता है। इसके केंद्रीय मेहराब का पाट १,८०० फुट है। इस पुल का निर्माण १९१८ ई० में समाप्त कर, यह यातायात के लिये चालू किया गया था। यह पुल आधुनिक संरचना कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। न्यूयार्क का हेलगेट (Hellgate) नामक पुल केवल एक ही मेहराबवाला है। इसके पाट का विस्तार १,०१७ फुट है। भारत के पुलों में कलकत्ता का हावड़ा पुल और हरद्वार के निकट हृषिकेश का लक्ष्मण झूला नामक पुल इस कला के अच्छे नमूने हैं।

संरचना इंजीनियर को लोहे और इस्पात का ही नहीं, बल्कि लकड़ी, ईंट, पत्थर, चूना और सीमेंट का भी आधुनिकतम ज्ञान तथा यांत्रिक एवं विद्युत् इंजीनियरी के कार्यों में भी दक्ष होना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपने ढाँचे यांत्रिकी तथा भौतिकी के सिद्धांतों के अनुसार निरापद ढंग से बनाने पड़ते हैं। भूमि, जल और वायु की प्रकृति का भी पूर्ण ज्ञान सिविल इंजीनियर के समान ही होना चाहिए।

ढाँचा — प्रत्येक इमारत की बनावट में छत और फर्श के लिये धरनों, कैंचियों, खंभों तथा जमीन पर बनी बुनियाद की आवश्यकता पड़ती है। इनका संयोजन ही मकान का ढाँचा है। ढाँचे चाहे किसी इमारत, पुल अथवा क्रेन आदि यंत्रों के लिये हों, उनकी रचना करते समय यह विचार करना आवश्यक है कि उनके विविध अवयवों पर किस किस प्रकार के तथा किस परिमाण में बाहरी बल भार के रूप में पड़ेंगे। स्थैतिकी के सिद्धांतानुसार उन बलों के कारण, ढाँचे के विविध अवयवों पर आनेवाले प्रतिबलों की गणना भी बड़ी सावधानी से करनी होती है, जिससे ढाँचा सब प्रकार से सुदृढ़ और निरापद बन जाए। ढाँचे को दृढ़ बनाने का अर्थ उसके अवयवों को खूब मोटा तथा भारी बना देना नहीं होता।

ढाँचे की बनावट में बल सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ढाँचा अनेक त्रिभुजों को मिलाकर बनाया जाता है। चतुर्भुजों और पंचभुजों से बने ढाँचे में इतनी क्षमता नहीं होती। त्रिकोण-युक्त ढाँचे को कैंची (ट्रस, Truss) कहते हैं। ये बलों के सहने के दृष्टिकोण से सर्वथा निर्दोष और अवयवों की दृष्टि से स्वतः पूर्ण होती है। ऐसी कैंचियाँ काफी लंबे पाटों के लिये बनाई जा सकती हैं तथा भार पड़ने पर स्वयं संतुलित भी रह सकती हैं।

बड़े पाट की छतें बनाने के लिये दीवारों पर साधारण ठोस प्रकार के लंबे गर्डर रखकर ही क्यों नहीं काम चलाया जाता? त्रिकोणमय कैंचियाँ ही क्यों बनाई जाती हैं? मामूली छोटे पाटों की छतें तो अवश्य ही उचित माप के सादे गर्डर रखकर बनाई जा सकती हैं, परंतु गर्डर बहुत अधिक लंबे होने पर भारी तथा महँगे पड़ते हैं। बड़े पाटों के लिये त्रिकोणयुक्त कैंचियाँ काफी मजबूत होने के साथ ही बहुत हलकी और सस्ती पड़ती हैं।

कैंचियों के जोड़ों को पिनों द्वारा न बनाकर रिवटों द्वारा पक्का कर दिया जाता है। रिवटों में कुछ विशेष प्रकार के बल अधिक आने लगते हैं जिन्हें सहने के लिये इन रिवटों को अधिक मजबूत अवश्य ही बनाया जाता है। समस्त छत के पटाव का भार बर्लों (purlins) के माध्यम से विभाजित होकर कैंचियों के त्रिकोणों के ऊपरी जोड़ों पर आकर, सब कैंचियों पर बराबर बँटकर और इन कैंचियों के भार सहित आधा आधा बँटकर दीवार के टेके पर पड़कर बुनियाद पर जाता है। अतः इन बोझों का अनुमान बड़ी सावधानी से कर लेना होता है। ये बोझे गर्डर एवं से ही बने रहने के कारण अचल भार (dead load) कहलाते हैं। सभी ऊर्ध्वाधर दीवारों तथा छतों पर बहने से चलनेवाली हवा के कारण जो ऊर्ध्वाधर दाब पड़ती है, वह वायु दाब (wind pressure) कहलाती है, और यह चल भार (live load) की श्रेणी में आती है। अनेक मंजिले मकानों की मध्यवर्ती छतों पर वहाँ के निवासियों और उपकरण फर्नीचर का भार ही होता है लेकिन यह अन्य अचल भारों की अपेक्षा चलायमान होता है।

ढाँचों के विभिन्न अवयवों पर पड़नेवाले बलों का परिकलन बल त्रिभुज अथवा बल बहुभुजों के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। इसके लिये ग्राफिकल 'आर्ट मेथड' (Graphic method) प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह [illegible] सरल है। कभी का परिकलन विशुद्ध गणित द्वारा भी स्थैतिकी और [illegible] मिति की सहायता से किया जा सकता है। इस प्रकार से [illegible] करने के लिये, किसी उपयुक्त बिंदु को घूर्णकेंद्र मानते हुए [illegible] के एक भाग को बिलकुल संतुलित अवस्था में मानकर दूसरे भाग पर पड़नेवाले बाहरी बलों के घूर्णों को, ढाँचे के अवयव में पड़नेवाले अज्ञात बल के घूर्ण से समीकृत कर देते हैं।

कैंचियों के अवयवों के विस्तार की सीमा — जितने ही [illegible] बड़े पाट की छत की कैंची अथवा पुल का कैंटीलीवर गर्डर [illegible] जाता है उसमें उतने ही अधिक संख्या में छोटे छोटे [illegible] बनाए जाते हैं। यदि किसी लंबे खंभे पर भार डाला जाए, तो [illegible] सीमा [illegible] आगे चलकर वह खंभा बीच में से झुकने लगता है। [illegible] बात कैंचियों के थामों (struts) पर भी लागू होती है। [illegible] कैंचियों को बल सहन करने योग्य उचित आकार के छोटे [illegible] त्रिकोणों में विभाजित कर बनाते हैं।

ढाँचे पर भार — ढाँचों पर जो बोझ पड़ते हैं उसे भार [illegible] हैं। चल और अचल भार का उल्लेख ऊपर हुआ है। यदि भार [illegible] थोड़ी सी जगह पर केंद्रित है, तो उसे केंद्रित भार (concentrated load) और यदि पूरे अवयवों पर फैला हो, तो उसे विभाजित [illegible] (distributed load) कहते हैं। रेलगाड़ी, मोटर ट्रक आदि चलने वाले वाहनों के भार को चरभार (moving load) और एक [illegible] एक दिशा में और तुरंत बाद दूसरी दिशा [illegible] आनेवाले भार [illegible] प्रत्यावर्ती भार (alternating load) और धमाके साथ आने वाले भार को संघात भार (impact load) कहते हैं। पदार्थों [illegible] प्रतिबल (stress) भी होता है। भार की परिस्थिति और प्रवृत्ति के कारण तनन (tensile), संपीडन (compression), [illegible] (shear), ऐंठन (torque) आदि प्रतिबल हो सकता है। प्रतिबल के प्रभाव से जो परिवर्तन होता है उसे विकृति (strain) कहते हैं।

पदार्थों में प्रत्यास्थता का गुण होता है, किसी में कम और किसी में अधिक। प्रत्यास्थता की सीमा होती है। सीमा से अधिक बल पड़ने पर पदार्थ टूट जाते हैं। हुक ने सन् १६७६ में एक नियम स्थापित किया कि यदि प्रत्येक पदार्थ पर उसकी प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर बल लगाया जाय, तो उसके कारण पड़नेवाला प्रतिबल तथा उस पदार्थ में होनेवाली विकृति में एक विशेष अनुपात सन् १८२६ में डाक्टर यंग ने प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर पड़नेवाले प्रतिबलों के कारण विभिन्न पदार्थों में होनेवाली विकृतियों के अनुपातों का निश्चयात्मक रूप से पता लगाया। इसे यंग का प्रत्यास्थता मापांक (Modulus of Elasticity) कहते हैं। तनन एवं संपीडन संबंधी अनुपातों को E, आकारण संबंधी अनुपातों को C, या G अक्षर, और मरोड़न संबंधी अनुपातों को K अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है:

1. प्रत्यक्ष प्रत्यास्थता मापांक (Modulus of Direct Elasticity)

$$E = \frac{\text{तनन या संपीडन प्रतिबल प्रति वर्ग इंच, पदार्थों में}}{\text{विकृति और इस बढ़ाई में}}$$

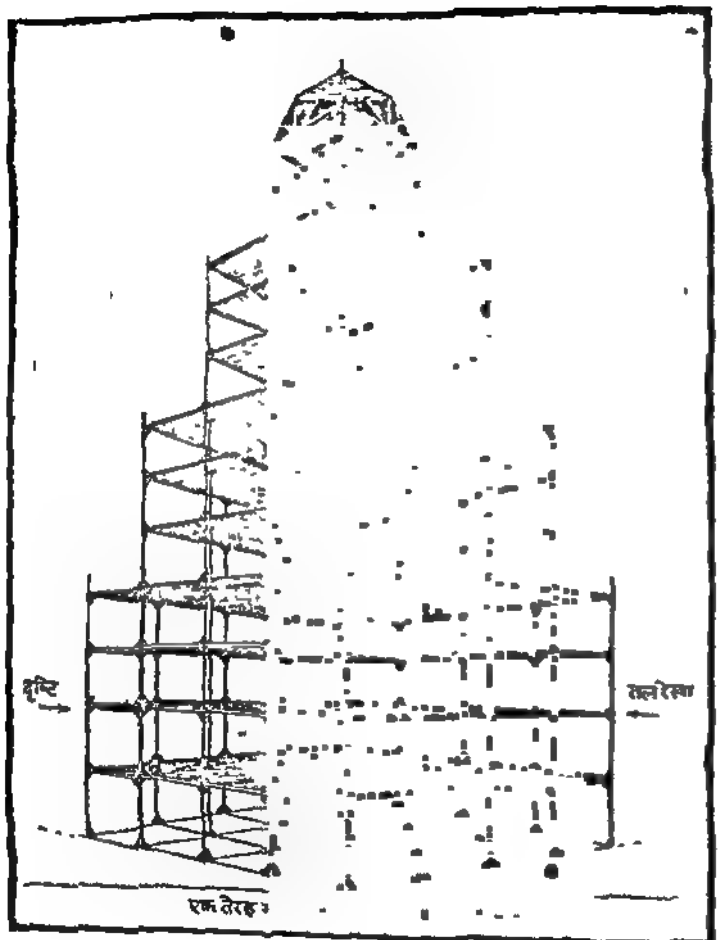

चित्र १. तेरह -

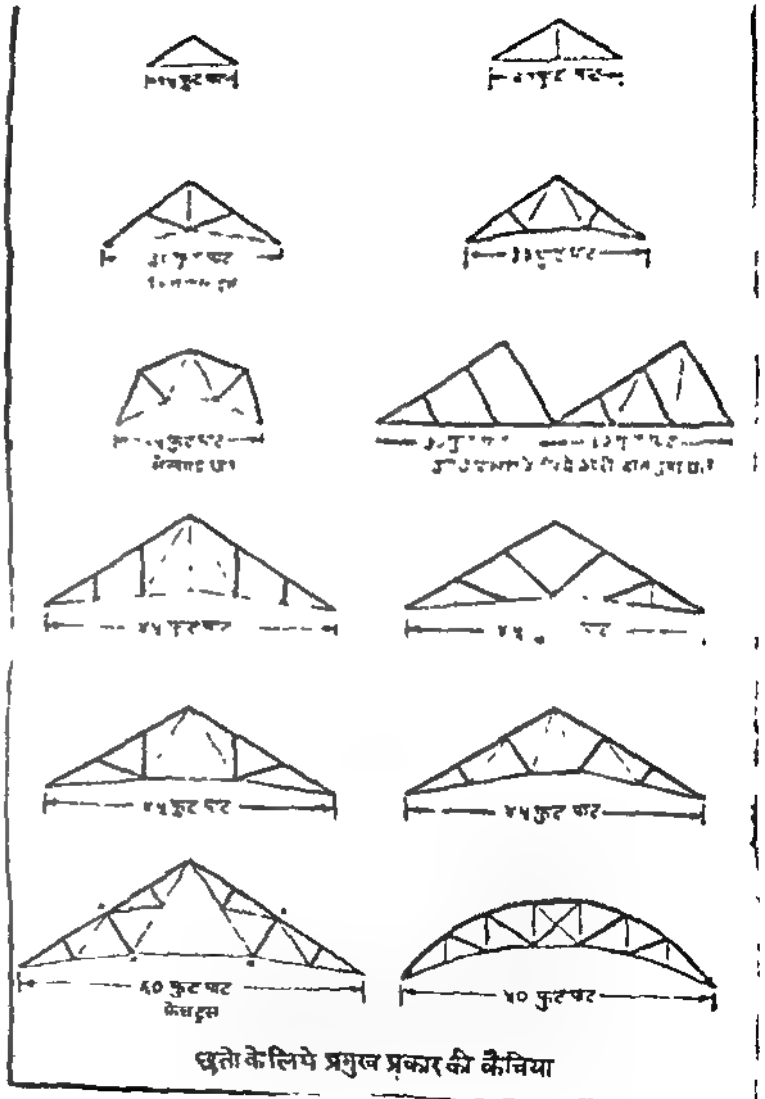

चित्र २ छतों के लिये विभिन्न प्रकार की कैंचियाँ

तानों युक्त समान्तर गर्डर (पुलों के लिये)

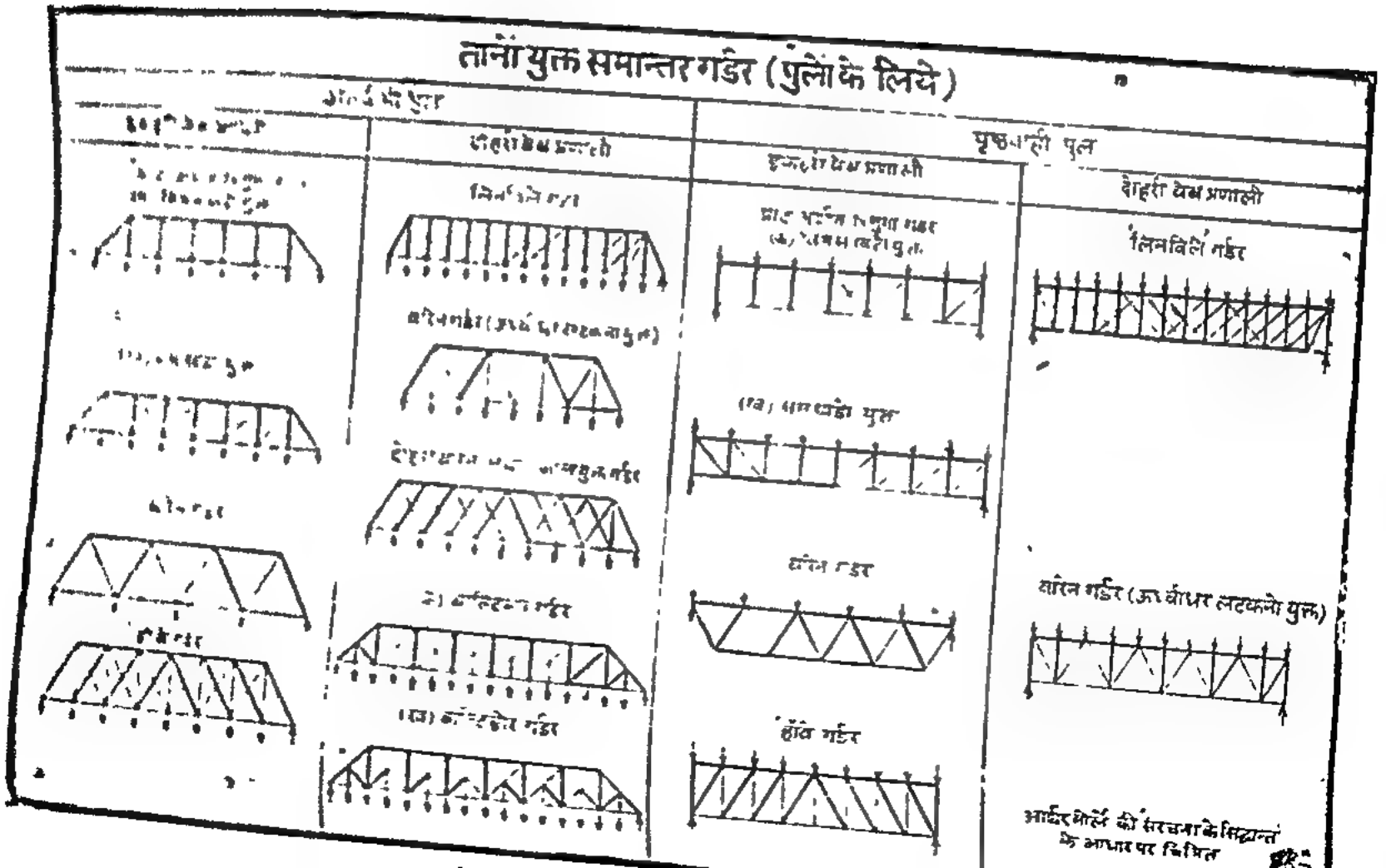

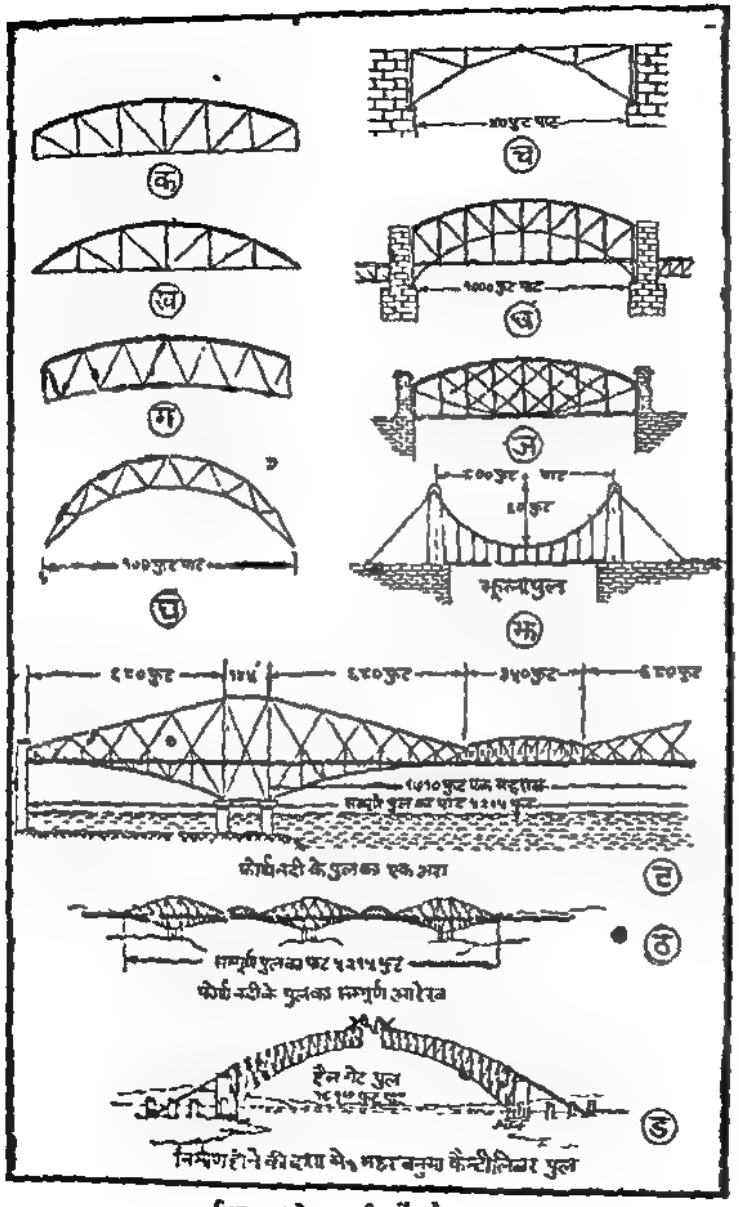

चित्र ४. बड़े पाट की छतें और पुल

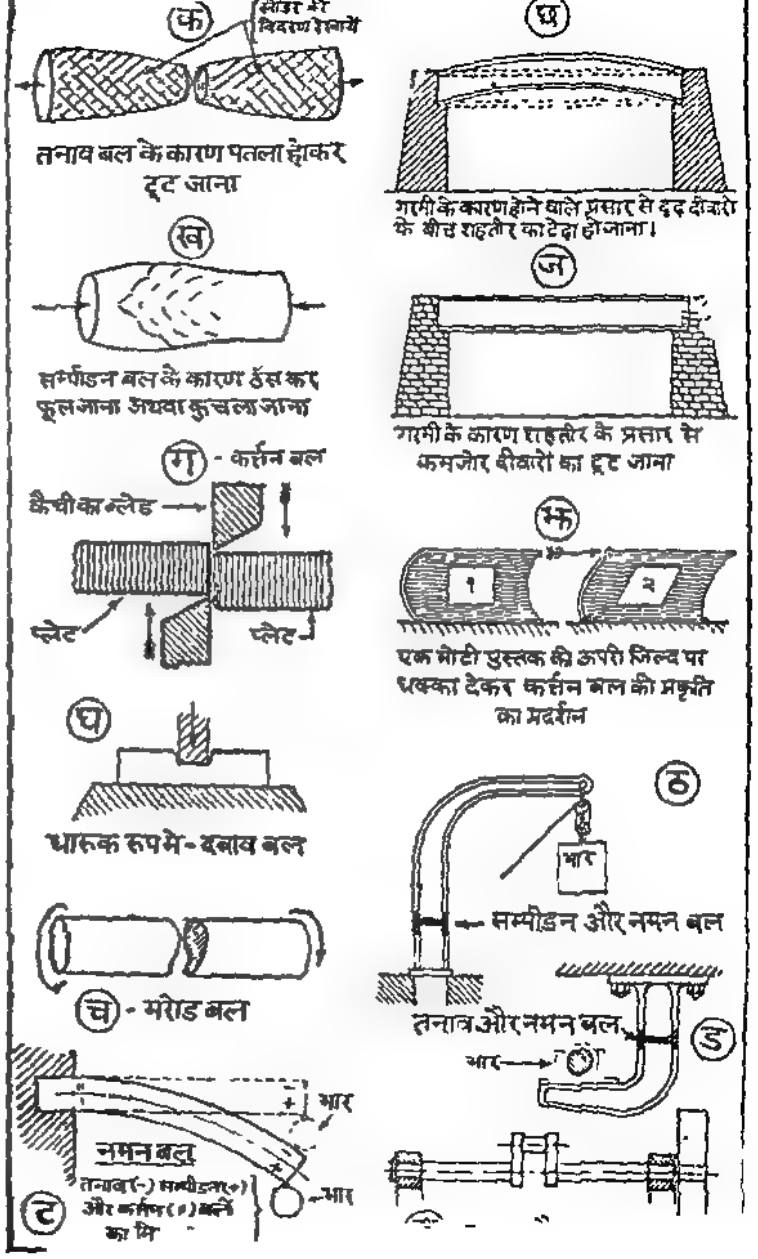

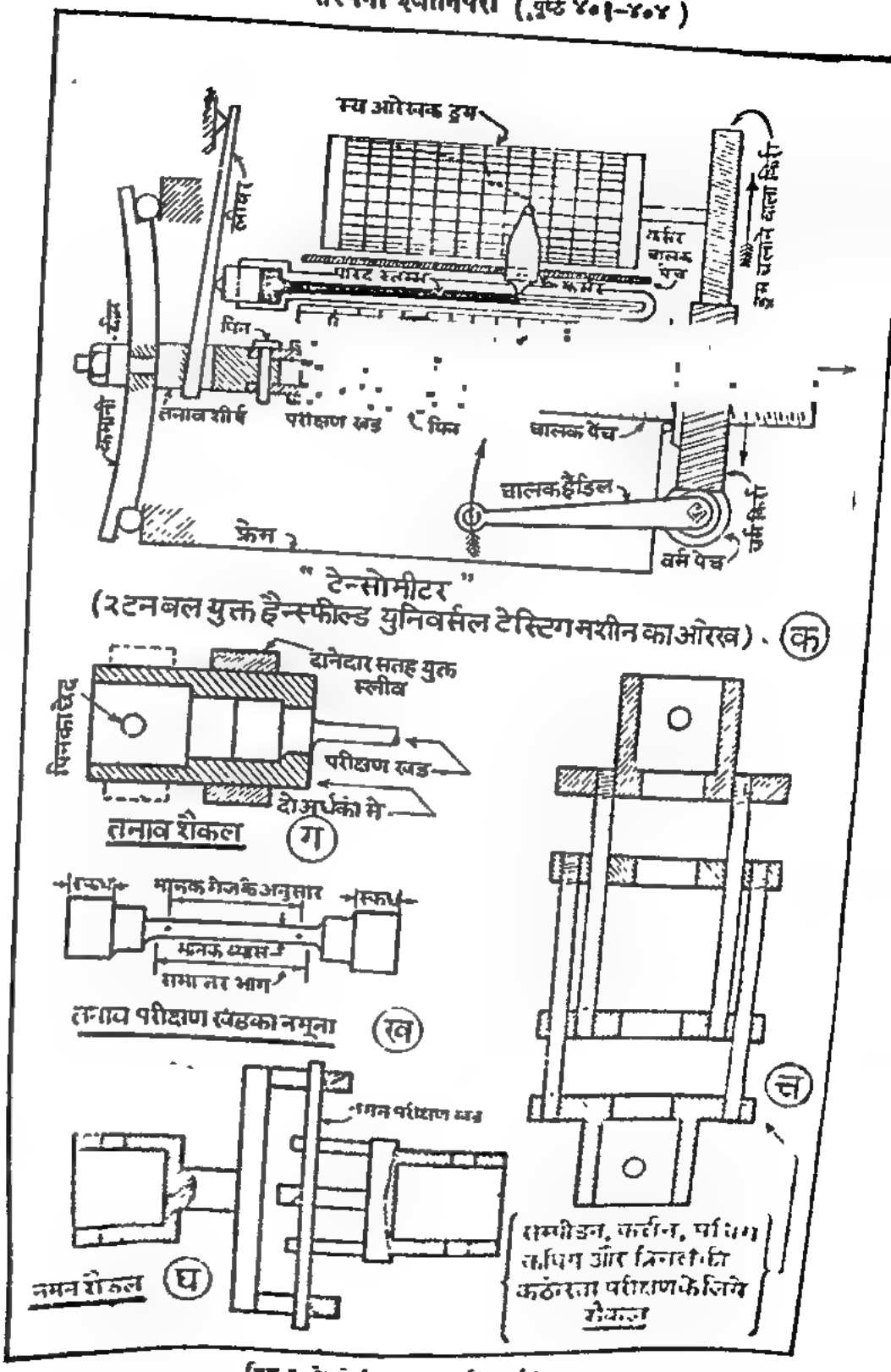

चित्र ६. टेन्सोमीटर नामक परीक्षण यंत्र

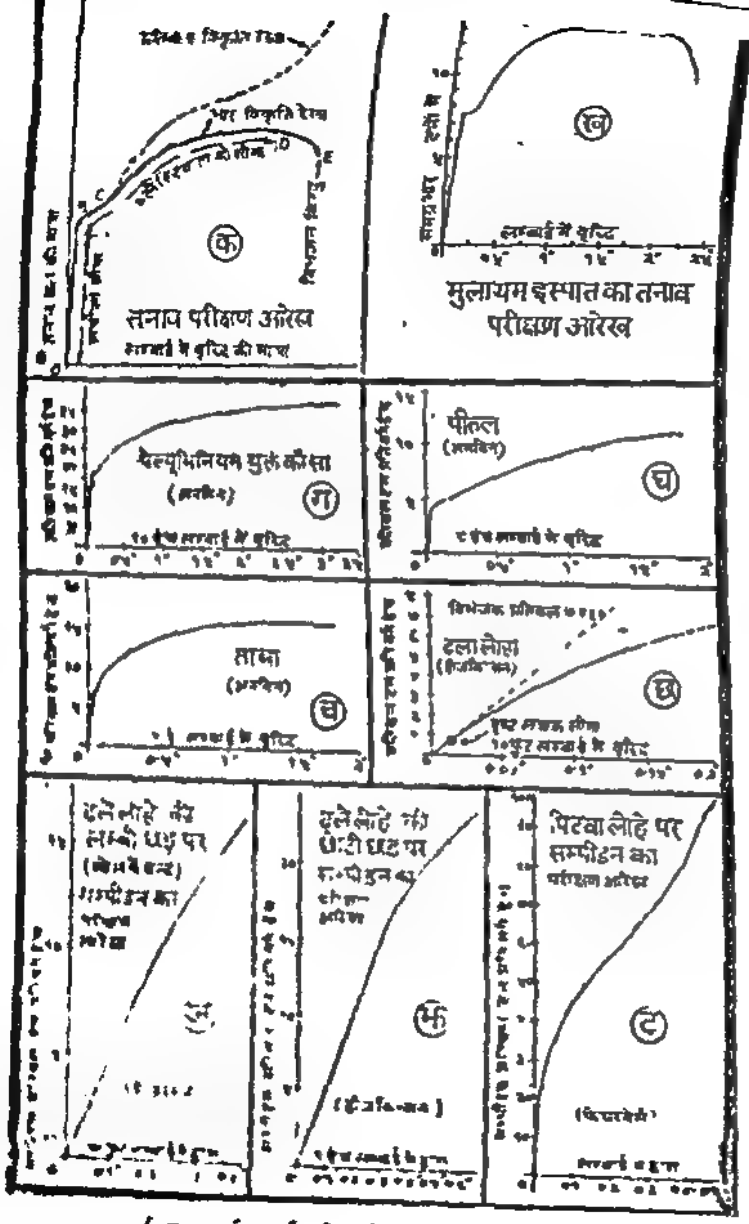

चित्र ७. प्रतिबल विकृति आरेख (तनाव और संपीडन)

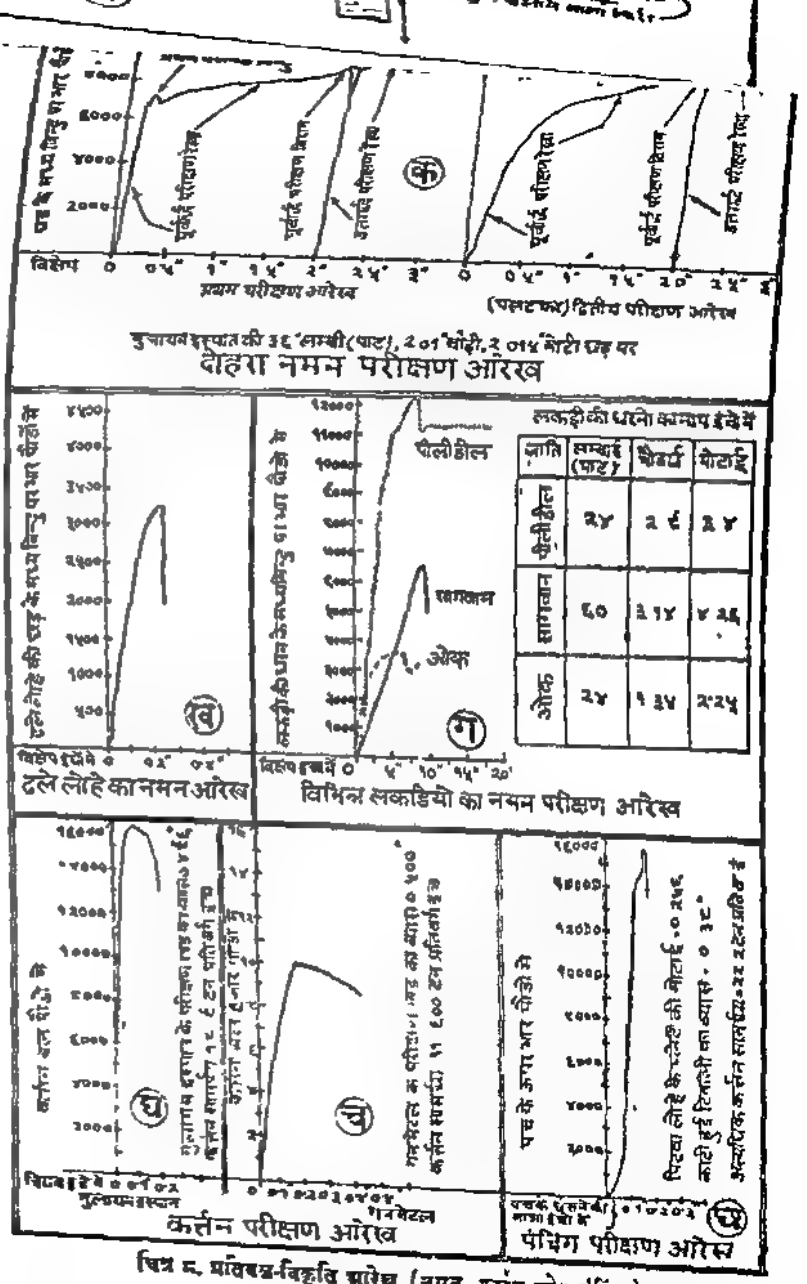

चित्र ८. प्रतिबल-विकृति आरेख (नमन, कर्तन और पंचिंग)

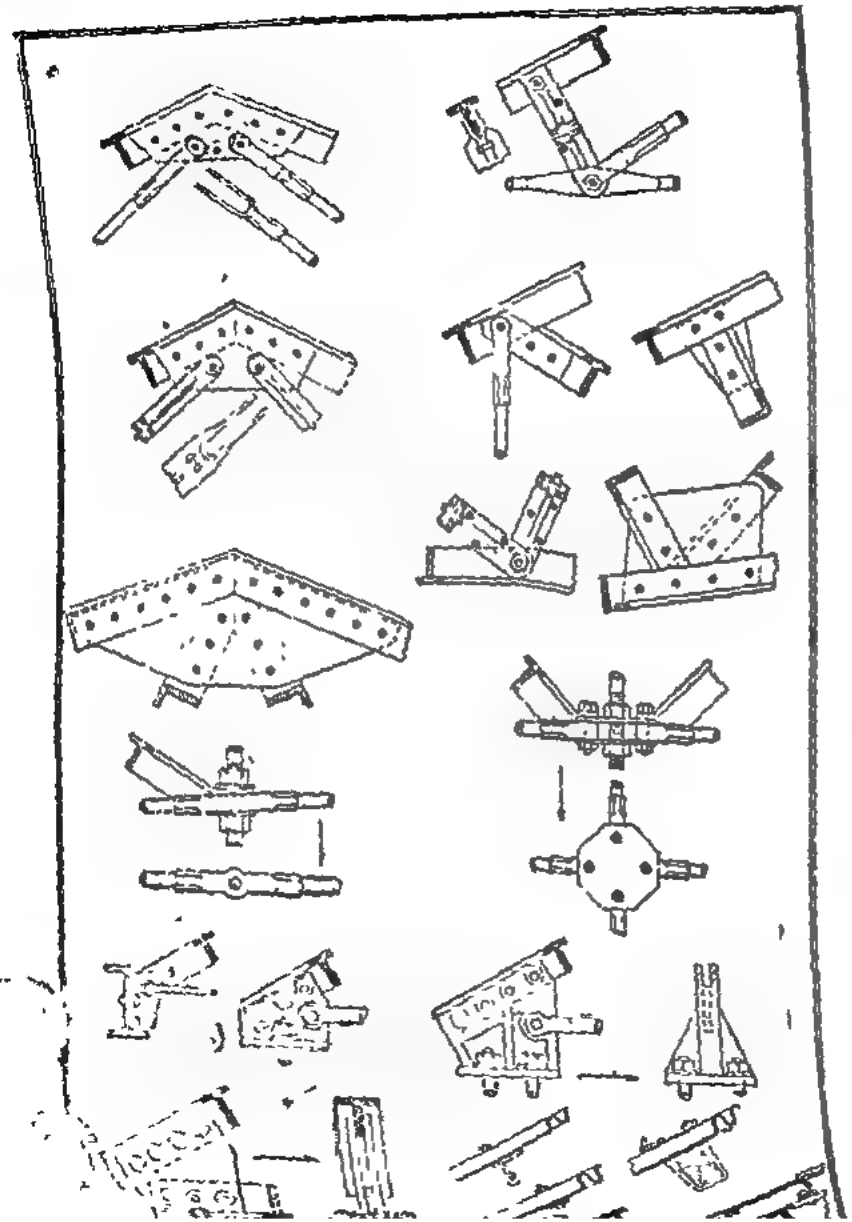

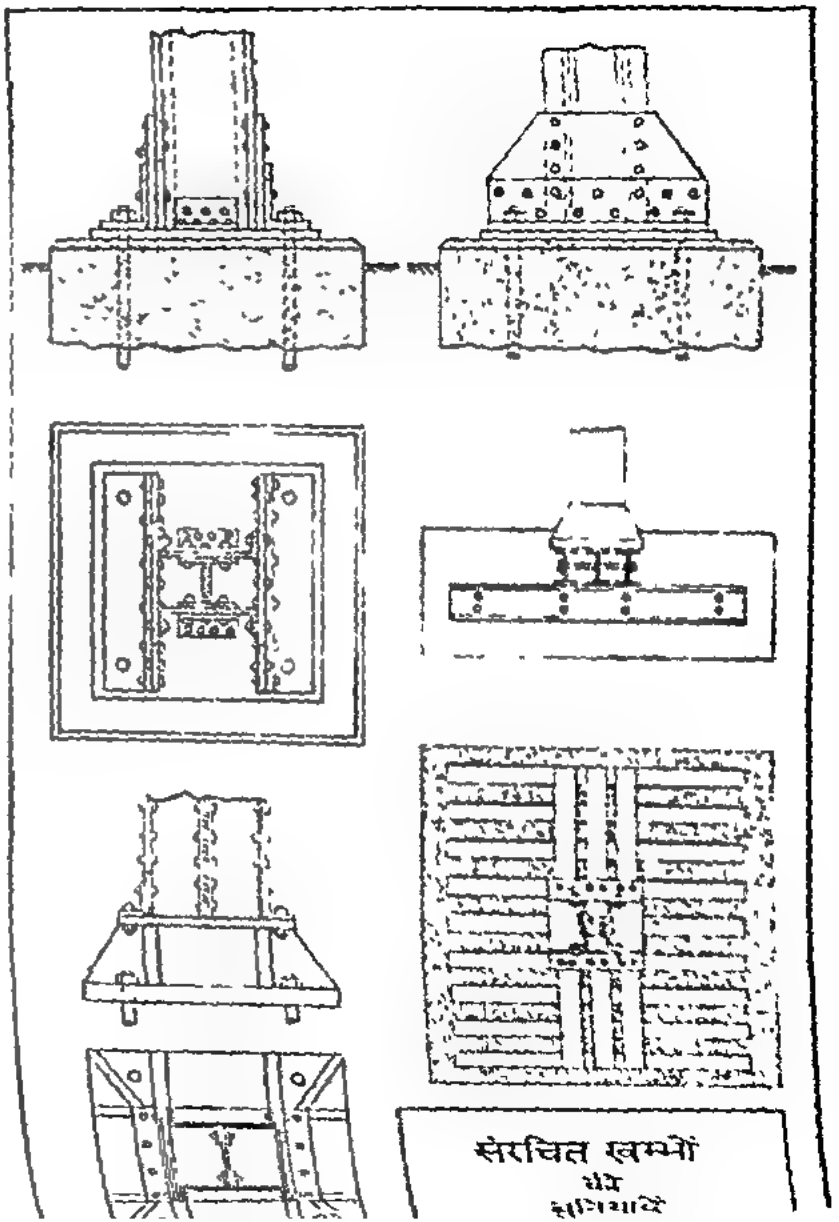

संरचित खम्भों
में
लगियाँ

२. अनुप्रस्थ प्रत्यास्थता मापांक (Modulus of Transverse Elasticity)

$$C \text{ या } G = \frac{\text{अपरूपक प्रतिबल प्रति वर्ग इंच, पाउंडों में}}{\text{अपरूपक विकृति प्रति इंच गहराई में}}$$

३. संपीडन से पदार्थों का आयतन घट जाता है। अतः आयतनी प्रत्यास्थता मापांक (Modulus of Volumetric Elasticity)

$$K = \frac{\text{संपीडन प्रतिबल प्रति वर्ग इंच, पाउंडों में}}{\text{मूल आयतन से परिवर्तित आयतन की कमी के रूप में विकृति}}$$

तापोपचार तथा यंत्रोपचार से प्रत्यास्थता मापांकों में परिवर्तन हो जाया करता है।

प्वासों का अनुपात (Poisson's Ratio) — यदि किसी ठोस छड़ को खींचा जाए, तो हम देखते हैं कि वह बीच में से पतली पड़कर टूट जाती है और यदि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर बल लगाकर खींचा जाए, तो उसकी लंबाई बढ़ने के साथ ही सब जगहों से उसकी पार्श्विक नाप छोटी हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी छड़ को दबाया जाए, तो उसकी पार्श्विक नाप बढ़ जाती है। अतः खिंचाव अथवा दबाव के कारण किसी प्रत्यक्ष ठोस की पार्श्विक नापों में जो परिवर्तन होता है, वह प्वासों के अनुपात के अनुसार होता है। इसे M अक्षर से व्यक्त करते हैं।

प्रत्यक्ष विकृति (लंबाई में) = पार्श्विक विकृति × M

कुछ पदार्थों के प्वासों के अनुपात

पदार्थों के नाम	प्वासों का अनुपात M	पदार्थों के नाम	प्वासों का अनुपात M
इस्पात	३.२५	तांबा	३.६
पिटवां लोहा	३.६	पीतल	३.०
ढलवां लोहा	३.७	कॉर्क (प्लास्टिक हालत में)	३.०

अपरूपक प्रतिबल (Shear Stress) — विशुद्ध अपरूपक प्रतिबल, दो समान तथा एक दूसरे की विरोधी दिशा में काम करनेवाले प्रतिबलों के मिश्रण के रूप में होता है। इन प्रतिबलों में से एक तो तनन तथा दूसरा संपीडन प्रतिबल के रूप में होता है। इनकी क्रिया रेखा भी एक दूसरे से समयोग पर होती है।

[illegible] (Torque) — यदि धुरे का एक छोर दीवार में [illegible] है और उसके दूसरे छोर पर ऐंठन बल लगाया [illegible] हुआ मुड़ जाएगा। मूल रेखा से [illegible] मुड़ता है [illegible] कोण उसका ऐंठन [illegible] सहायता से धुरे का ऐंठन बल निकाला [illegible]

[illegible] का परीक्षण (Testing of the structural material) — इंजीनियरी में काम आने [illegible] का प[illegible] है। जिस परिस्थिति [illegible] का उप[illegible] परिस्थिति में उनको रखकर, उनका परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण दो प्रकार से होता है: एक रासायनिक रीति से और दूसरा भौतिक रीति से। रासायनिक रीति से सामग्रियों के आणविक संगठन का ज्ञान होता है और भौतिक रीति से खींचकर, दबाकर, अपरूपण कर, पेंच से छेदकर, झुका कर तथा मोड़कर देखा जाता है कि उनके सहन करने की क्षमता कैसी है। भौतिक रीति से सामग्रियों का परीक्षण करने के लिये आजकल एक यंत्र बना है जिसे हाउन्सफील्ड टेंसोमीटर (Hounsfield Tensometer) कहते हैं। इसकी कार्यपद्धति बड़ी सरल है और सामान्य व्यक्ति भी थोड़े से प्रशिक्षण से इसका उपयोग कर सकता है। इससे सामग्रियों की सामर्थ्य, भार विकृति, प्रतिबल विकृति, अभिथाति इत्यादि का ज्ञान सरलता से हो जाता है।

अवयांक (Factor of Safety) — जब तक किसी पदार्थ पर पड़नेवाला प्रतिबल उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर रहता है, तब तक विकृति बड़ी सुघन या अस्थायी होती है। भार हटते ही वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। पर यदि प्रतिबल प्रत्यास्थता की सीमा के ऊपर हो, तो विकृति पर्याप्त और अधिक स्थायी होती है। विभंजक भार प्रत्यास्थता की सीमा से काफी अधिक होता है, पर व्यावहारिक और उपयोगिता की दृष्टि से यह भार कम ही रखा जाता है और इस परामर्श बिंदु कहते हैं तथा इसे ही विभंजक भार मान लिया जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा तक सहने योग्य भार से भी काफी कम मात्रा में भार डालने की योजना, अभिकल्पना के समय की जाती है। जब यह व्यावहारिक भार अत्यधिक सहने योग्य भार से जिस अनुपात में कम हो, उस अनुपात को उस पदार्थ का अवयव गुणांक या अवयांक कहते हैं। इसे निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है:

$$\text{निरापद भार अर्थात् प्रतिबल की निरापद मात्रा} = \frac{\text{विभंजक भार अथवा प्रतिबल}}{\text{अवयांक}}$$

भिन्न भिन्न पदार्थों के अवयांक विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न होते हैं। कठोर इस्पात का अवयांक स्थिर भार में ४ तथा चल भार में पेंच से आड़ और प्रत्यावर्ती चल भार में ८ से ११ तक होता है।

पदार्थों की कठोरता — पदार्थों की कठोरता से उनके तनाव, संपीडन, अपरूपण आदि बलों का अनुमान करना सरलता से संभव हो सकता है। कठोरता परीक्षण की आधुनिक विधियाँ, स्थैतिक दृढ़ता (static indentation) और गत्यात्मक दृढ़ता (dynamic indentation) के सिद्धांतों पर आधारित हैं। स्थैतिक दृढ़ता सिद्धांत पर आधारित विधि की कठोरता-परीक्षण विधि है, जिसके अनुसार परीक्षण पदार्थ के एक भाग पर कोई कठोर पदार्थ [illegible] कर उसपर बहुत कठोर इस्पात की, मानक आकार की, एक गेंद को रखकर बलों द्वारा मानक भार [illegible] डालते हैं। इसके पश्चात् [illegible] उस पर मानक विकार [illegible] जाता है। विभंजन का [illegible] विस्मन सूत्र के अनुसार गेंद का कठोरांक (Hardness Number) निकालते हैं:

$$\text{ब्रिनेल का कठोरतांक} = \frac{\text{समग्र भार P किलोग्राम}}{\text{निशान का गोलीय क्षेत्रफल A वर्ग मिमी०}}$$

यदि गोली का व्यास D और निशान का व्यास d मिमी० हो तो

$$\text{ब्रिनेल का कठोरतांक} = \frac{2P}{\pi D\left(D-\sqrt{D^2-d^2}\right)}$$

जो किग्रा० प्रति वर्ग मिमी० में लिखा जाता है।

साधारणतया गोली का व्यास १० मिमी० और लोहे तथा इस्पात के लिये ३,००० किग्रा०, पीतल आदि मुलायम धातुओं के लिये १,००० किग्रा० और सीस आदि बहुत मुलायम धातु के पदार्थों के लिये ५० किग्रा० मानक भार रखा जाता है। साधारणतया भार इतना ही रखा जाता है जिससे निशान का व्यास गोली के व्यास के १/८ से अधिक न हो। परीक्षण किसी भी व्यास की गोली से किया जा सकता है, पर दाब और गोली के व्यास का अनुपात, P/D^2, एक सा रहना चाहिए।

सामान्य कठोरता के लिये इस्पात की गोली और ऊँची कठोरता के लिये हीरे की गोली प्रयुक्त होती है। कठोर पदार्थों पर १५ सेकंड तक और मुलायम पदार्थों पर ३० सेकंड तक भार दिया जाता है। निशान को सूक्ष्मता से मापने की व्यवस्था रहती है।

विकर्स (Vickers) विधि से भी कठोरतांक निकाला जाता है। इसमें गोली के स्थान में चौकोर पिरामिड की आकृति की हीराकनी का प्रयोग होता है। इससे चौकोर गड्ढा बनता है, जिसका विकर्ण (diagonal) और गहराई अधिक यथार्थता से नापी जा सकती है। इससे कठोरतांक इस प्रकार निकाला जाता है :

$$\text{विकर्स का कठोरतांक} = \frac{\text{समग्र भार किलोग्राम में}}{\text{चौकोर पिरामिड का क्षेत्रफल वर्ग मिमी० में}}$$

गत्यात्मक कठोरता पर आधारित अनेक यंत्र बने हैं, जिनमें शोर (Schore) का बनाया हुआ स्कैल स्कोप सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें इस्पात की बेलनाकार हथौड़ी रहती है, जिसका भार लगभग ४० ग्रेन होता। हथौड़ी के नीचेवाली टक्कर पर उत्तल आकृति की हीराकनी लगी रहती है, जिसके छोर का क्षेत्रफल लगभग ०·०१ से ०·०२५ वर्ग इंच तक होता है। हथौड़ी लगभग १० इंच की ऊँचाई से गिराई जाती है, तब वह परीक्ष्य पदार्थ से टकराकर ऊपर उछलती है। नली के सहारे से लगे पैमाने के द्वारा हथौड़ी की उछाल को नापकर, पदार्थ की कठोरता का परिकलन किया जाता है। पैमाने पर १४० निशान लगे रहते हैं। काँच की उछाल १३०, चीड़ की लकड़ी की उछाल ४० और रबर की उछाल २३ के लगभग होती है।

इस यंत्र द्वारा प्राप्त कठोरतांक को छह से गुणा कर ब्रिनेल का कठोरतांक ज्ञात होता है और उसे ६×०·२२=१·३२ से गुणा करने पर पदार्थ की सन्निकट चरम सामर्थ्य, टन प्रति वर्ग इंच में, मालूम की जा सकती है। इसी प्रकार उपयुक्त स्थिरांकों से गुणा कर विभिन्न पदार्थों की सपीडन तथा अपकृषण सामर्थ्य भी मालूम हो सकती है।

ढाँचों पर विभिन्न बल — संरचना इंजीनियरी के कामों में विविध प्रकार के बल देखे जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित छह मुख्य में बाँटा जा सकता है :

१. तान (tie) — खिंचित दंड, रस्सा, जंजीरों आदि पर पड़नेवाला विशुद्ध तनाव।

२. थाम (struts) पर पड़नेवाला विशुद्ध सपीडन।

३. स्तंभ (pillar) पर पड़नेवाला सपीडन।

४. गर्डर, धरन और शहतीर पर पड़नेवाला नमन और अपकृषण बल (shear force)।

५. बुनियादों और आलंबों (fulcrums) पर पड़नेवाला संपीडन बल।

६. रिवट, बोल्ट, पिन और कॉटर (cotter) पर पड़नेवाला बल।

संरचना के विभिन्न अवयव रिवटों द्वारा, अथवा बोल्टों द्वारा, जोड़े जाते हैं। रिवटों द्वारा बने जोड़ स्थायी होते हैं और काटकर ही अलग अलग किए जा सकते हैं, पर बोल्टों द्वारा जोड़े गए जोड़ अस्थायी होते हैं और विभिन्न उपखंडों में खोलकर अलग अलग किए जा सकते हैं।

ढाँचों को खड़ा करने का तरीका — संरचना कार्य में सभी प्रकार के अवयव मुलायम इस्पात के विविध परिच्छेद (section) युक्त छड़ों और प्लेटों से बनाए जाते हैं। छड़ों के परिच्छेद गोल, चपटे, आयताकार, एल (L), टी (T) अथवा एच (H) आदि के आकार के होते हैं। कारखाने में ही बड़ी ढाँचों का निर्माण करते समय उनके समस्त अवयव नक्शे के अनुसार अलग अलग काट छाँटकर बनाए जाते हैं तथा कुछ छोटे छोटे उपखंडों को तो कारखाने में ही समतल भूमि पर रखकर, रिवटों द्वारा यथास्थान जड़ देते हैं; फिर उन जुड़े हुए उपखंडों को क्रेन आदि साधनों से उठाकर यथास्थान बैठाकर, बोल्टों द्वारा कस देते हैं।

तान और थाम (Ties and Struts) — तानों और थामों के अवयवों पर कितना प्रतिबल पड़ता है और इसमें उनके सहने योग्य, प्रति वर्ग इंच निरापद प्रतिबल से भाग देकर, उनका परिच्छेद गणित द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है और उसी के आधार पर उनका निर्माण होता है।

धरन और गर्डर (Beams and Girders) — संरचित ढाँचों में धरनों तथा गर्डरों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्हीं पर चौरस छतों, पुलों, सीढ़ियों तथा शिरोपरिधावन पथों आदि के स्थिर, चर और चल भार लादे जाते हैं। जब किसी सीधे अवयव के दोनों सिरों को किसी मजबूत आधार पर टिकाकर, उसपर भार लादा जाता है, तब वह धरन या गर्डर कहलाता है। धरन पर बोझा रखने से वह बीच में लचक जा सकती है और यदि उसपर बोझा सामर्थ्य से अधिक हो, तो उसकी निचली सतह फटने लगती है। [श्री० ना० श०]

संरस (Amalgam) पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्रधातु को संरस (amalgam) कहते हैं। केवल लोह को छोड़कर प्रायः सभी धातुएँ पारे के साथ मिलकर मिश्रधातु

बनाती है। कुछ समय पूर्व संरसों का व्यवहार स्वर्ण, चाँदी, जस्ता जैसी धातुओं के धातुकर्म में किया जाता था। दाँत के डाक्टरों द्वारा खोखले दाँत भरने के लिये भी संरसों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, किंतु अब अन्य अधिक उपयोगी साधनों के सुलभ होने के कारण सरसों का उपयोग कम होता जा रहा है।

चाँदी, ताँबा, जस्ता तथा राँगे की मिश्रधातु को पारे के साथ संरस बनाकर, दाँत भरने में प्रयुक्त किया जाता है। यह संरस दाँत के खोड़रे में दो मिनट में ही जमकर सख्त हो जाता है।

सरस में मिले पारे की न्यूनता एवं अधिकता के अनुसार ही सरस तरल एवं ठोस होता है। संरस साधारणत चार प्रकार से तैयार किया जा सकता है: (१) किसी धातु को पारे के साथ रगड़कर, (२) जिस धातु का सरस बनाना है उससे बना कैथोड (cathode) पारे के किसी लवण के विलयन में डालकर तथा विद्युत् प्रवाहित कराकर, जैसे नमक के विलयन में पारे का कैथोड डालकर सोडियम सरस बनाकर फिर उस सरस को पानी के साथ क्रिया कराकर, कॉस्टिक सोडा तैयार किया जाता है, (३) किसी धातु को केवल पारे के किसी लवण के साथ क्रिया कराकर, अथवा (४) किसी धातु के लवण के साथ पारे की क्रिया कराकर।

रासायनिक क्रियाओं में संरसों का उपयोग अब भी काफी होता है। [न० द० मि०]

संरेखण (Nomography) अपेक्षतया एक नया विषय है, जो समतल ज्यामिति और लघुगणकों के सरल सिद्धांतों पर है। यह विषय वर्णनात्मक ज्यामिति, अथवा ग्राफिकी (Graphic Statics), के सदृश है। इसका [illegible] ति के क्षेत्र से हुई है। एम० दोकेन इस दिशा में अग्रणी हैं और इन्होंने का प्रवर्तन किया। संरेखण का प्रकार के समस्त प्रश्नों का, हल निकाल लें। यंत्र चालन, आयोजनों में बहुत से दैनिक जिनमें व्यस्त वैज्ञानिकों और हुआ करता था। कर्मचारियों को सौंप देते करते बड़े दक्ष हो charts), निर्देशांक [illegible] संरेखण चार्ट ([illegible] यथार्थ होते हैं।

मान लें कि कोई स दिया है। एक चार्ट ऐसा रेखा खींची जा सके चार्ट जो उक्त समी करें। ऐसे चार्ट को दिए हों, तो उक्त चार्ट

संरेखण चार्ट यथार्थता (

और मापों की अंकन विधि पर विचार करने से निकटतम म निकाला जा सकता है।

रचना विधियाँ — रचना इन बातों पर निर्भर है

(१) ऐसे समीकरण, अथवा एक ही प्रकार के एक घात मद जिनसे दो चरों के पारस्परिक संबंध, निकाले जा सकें, यदि तीसरे चर का मान दिया हो।

(२) चरों के मानों का परास (range)।

(३) इस बात का ज्ञान कि दिया हुआ उदाहरण मानक (standard) रूपों में से कौन से प्रकार का है।

(४) वांछित मापनियों की रचना के लिये उपयुक्त मापांकों (moduli) अथवा मात्रकों (units) का चुनाव।

मापनियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक समान (uniform) मापनी, लघुगणकीय (logarithmic) मापनी, वर्ग मापनी, घन (cube) मापनी, वर्गमूल मापनी इत्यादि। इन मापनियों में दूरियाँ क्रमश इस प्रकार की होती हैं: य, लघु य, य.[illegible] य,[illegible] य √य।

मापांक इस बात पर निर्भर होता है कि प्रश्न में मानों का परास क्या है और कागज पर कितना स्थान प्राप्य है। संरेखण चार्टों में विभिन्न प्रकार की मापनियों के उपविभागों के अंकन और परिकलन (calculation) में जो बहुत समय लगता [illegible] के बदले में हम जोसेफ लिप्का (Joseph Lipka) के [illegible] ए चार्टों [illegible] से सकते हैं। हम विभिन्न पद्धतियों के [illegible] के लिये इनका उपयोग कर सकते हैं।

[illegible] — समानीकरण बिंदु (match- [illegible] (plotting) मापांक।

[illegible] = क (t)

[illegible] क ही अक्ष पर दो मापनियाँ जो फारेनहाइट [illegible] के अनुसारी अंक देती हैं। समीकरण

[illegible] 1·8 C + 32)

[illegible]

[illegible] । फारेनहाइट का परास ०° से [illegible] के लिये दूरी य = म फा०, मापांक है। सेंटीग्रेड मापनी के लिये [x = m (1·8 C + 32)]

[illegible] ०२५ । अतः सेंटीग्रेड मापनी के लिये

[illegible] ०+३२°) = [illegible]

[illegible] य

समानीकरण बिंदु सें० = ०°, फा० = ३२° है। हम मापनियों का आलेखन समानीकरण बिंदु से करते हैं। आलेखन मापांक फा० मापनी के लिये ०·०२५ और से० मापनी के लिये ०·०४५ है।

(२) समीकरण पा+बा = डा, (P+Q=W) के लिये सं रेखण-चार्ट — इसमें तीन समांतर मापनियाँ इस प्रकार अंकित की जाती हैं कि यदि उन में से दो के बिंदुओं को जोड़ा जाय, तो योजक रेखा तीसरी मापनी को एक ऐसे बिंदु पर काटेगी जो चरों के दिए हुए पारस्परिक संबंध को संतुष्ट करे।

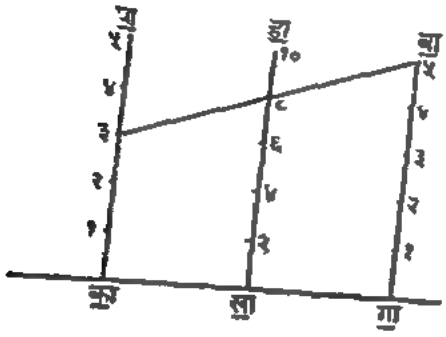

चित्र २.

क ख = ख ग। मापनियों पा तथा बा के मापांक बराबर हैं और डा का मापांक पा के मापांक का दुगना है। पा = ३ और बा = ५ की संयोजक रेखा डा को बिंदु ८ पर काटती है।

इस विधि की यही प्रक्रिया है कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के लिये उपयुक्त मापनियाँ चुननी होती हैं और उनकी मध्यस्थ दूरियाँ भी उचित लेनी होती हैं।

संरेखण चार्टों का हेतु होता है तीन, चार अथवा अधिक चरों का संबंध दर्शाना। कुछ चार्टों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मापनियों के अतिरिक्त त्रिकर्ण और वक्र मापनियाँ भी होती हैं। कभी कभी निर्देशांक और संरेखण चार्टों को मिलाना सुविधाजनक होता है। पाठक मापनियों के अंकन और उचित दूरियों के चुनाव के विषय में मानक ग्रंथों का अवलोकन कर सकते हैं।

विभिन्न प्रकार के संरेखण चार्ट — इन चार्टों की रचना में सारणियों का भी उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के समीकरणों के लिये चार्ट बनाए जा चुके हैं:

(१) समांतर मापनी संरेखण चार्ट

(अ) दो प्रकार के तीन चरों के समीकरण

$$फ_1(क) + फ_2(ख) = फ_3(ग); \quad फ_1(क) \times फ_2(ख) = फ_3(ग)$$
$$[f_1(a) + f_2(b) = f_3(c); \quad f_1(a) \times f_2(b) = f_3(c)]$$

(ब) चार प्रकार के अंकित चरों के समीकरण

$$फ_1(क) + फ_2(ख) + फ_3(ग) + \cdots = फ_n(घ).$$
$$[f_1(a) + f_2(b) + f_3(c) + \cdots = f_n(t)].$$
$$फ_1(क) \times फ_2(ख) \times \cdots \cdots = फ_n(घ)$$
$$[f_1(a) \times f_2(b) \times \cdots \cdots = f_n(t)]$$

(२) ला चार्ट — निम्नलिखित प्रकार के समीकरण

$$\frac{फ_1(क)}{फ_2(ख)} = फ_3(ग), \quad \left[\frac{f_1(a)}{f_2(b)} = f_3(c)\right]$$
$$फ_1(क) = [(फ_2(ख))^{फ_3(ग)}], \quad [f_1(a) = [f_2(b)]$$
$$\frac{फ_1(क)}{फ_2(ख)} = \frac{फ_3(ग)}{फ_4(घ)}, \quad \left[\frac{f_1(a)}{f_1(b)} = \frac{f_3(c)}{f_4(t)}\right]$$

(३) समांतर और संब सूचक (index) रेखाएँ:

$$फ_1(क) + फ_2(ख) = \frac{फ_3(ग)}{फ_4(घ)}$$
$$\left[f_1(a) + f_2(b) = \frac{f_3(c)}{f_4(t)}\right]$$

(४) संगामी (concurrent) मापनियाँ:

$$\frac{1}{फ_1(क)} + \frac{1}{फ_2(ख)} = \frac{1}{फ_3(ग)}$$
$$\left[\frac{1}{f_1(a)} + \frac{1}{f_2(b)} = \frac{1}{f_3(c)}\right]$$

(५) घातवाँ चार:

$$फ_1(क) + फ_2(ख) \times फ_3(ग) = फ_4(घ)$$
$$[f_1(a) + f_2(b) \times f_3(c) = f_4(c)]$$

(६) संयुक्त संरेखण चार्ट:

$$फ_1(क) \times फ_4(घ) + फ_2(ख) \times फ_3(ग) = 1$$
$$[f_1(a) \times f_4(t) + f_2(b) \times f_3(c) = 1]$$
$$\frac{फ_4(घ)}{फ_1(क)} + \frac{फ_3(ग)}{फ_2(ख)} = 1$$
$$\left[\frac{f_4(t)}{f_1(a)} + \frac{f_3(c)}{f_2(b)} = 1\right]$$

[डा० ना० ब०]

संरेखी, या आरेख (Diagram) वह चित्र है जिसमें विभिन्न भागों के परस्पर ज्यामितीय संबंध आरेख से निर्माण वस्तुओं के परस्पर संबंध को स्पष्ट करते हैं तथा उन वस्तुओं को जो चित्र से आरेखी रीति से अभिव्यक्त नहीं होते, चित्र में अंकित संख्याओं अथवा अन्य अभिलिखियों द्वारा दिखाते हैं।

किसी आरेख का अभिप्राय उन मुख्य संबंधों को रेखों के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है जिनपर ध्यान आकर्षित करना हो और कभी कभी आरेख से अभिव्यक्त वस्तु के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियों के यथार्थ संख्यात्मक मान को, चित्र पर मात्रांकित दिखाना है। प्रत्यक्ष की स्पष्टता के कारण, आरेख अनेक प्रकार के विशिष्ट अभिप्राय को व्यक्त करने में आवश्यक होते हैं। कुछ के नाम निम्नलिखित हैं:

(१) बहुलांश आरेख — बहुलांश भागों में आरेखों का प्रयोग किसी के द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि पाठक को एक वस्तु के कई भाग। एक सम्पूर्ण आरेख बहु बनाया जाता है जो प्रत्येक के पूर्ण भागों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके। और संपूर्ण के आरेख का वस्तुतः भागों में इसने स्पष्ट रूप से करते हैं कि पाठक उनका एक को

खींच सकता है। यांत्रिकी में आरेख अधिकतम प्रकार के अभिप्रायों से उपयोग किए जाते हैं। स्थैतिकी में इनका प्रयोग अत्यधिक सुविधाजनक है, क्योंकि किसी स्थैतिक तंत्र के भाग गतिशील नहीं होते।

(२) रसायन में आरेख — जॉन डाल्टन ने परमाणु विन्यास संबंधी अपनी संकल्पना में अनेक सामान्य रासायनिक यौगिकों के आरेख प्रकाशित किए। उस समय से इनका प्रयोग रसायनज्ञों द्वारा बहुत मात्रा में किया जा रहा है। इसी भाँति क्रिस्टलकी में क्रिस्टल संरचना की व्याख्या में आरेखों का प्रयोग बहुधा किया जाता है।

(३) मापक आरेख — आरेख का प्रयोग मापने में भी करते हैं। इस प्रकार के आरेख का अभिप्राय निदर्शन के अतिरिक्त यथार्थ मापन भी होता है।

(४) त्रिविमितीय वस्तु आरेख — किसी दो से अधिक चर राशियों पर निर्भर परिमाणों के कुलक के लेखाचित्र-प्रदर्शन के लिये आरेख पद्धति का प्रयोग सम्भव है। विशेषत. किसी त्रिविमितीय वस्तु के अंगों के परस्पर संबंधों को निरूपित करने के लिये दो अथवा अधिक आरेखों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की आरेख पद्धति में एक ऐसे निश्चित संकेत की आवश्यकता होती है जिससे यह ज्ञात होता है कि आरेख किस प्रकार से पूर्ण संरचना से तथा आपस में पृथक्त संबंधित हैं। इमारत और पुल के मानचित्र इसके उदाहरण हैं। ठोस एवं अन्य त्रिविमितीय आकृति को भी एकल आरेख से निरूपित कर सकते हैं।

(५) अन्य आरेख — कुछ अन्य आरेखों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है.

(क) आर्गंड-चित्र में संमिश्र संख्या $x+iy$ को किसी निर्देशांक पद्धति के निर्देश में समतल बिंदु (x,y) से निरूपित करते हैं।

(ख) स्वचालित आरेख वह है, जो किसी मशीन से स्वतः निर्मित हो जाता है और जो चर राशियों में संबंधित विचरण को दिखाता है; उदाहरणार्थ, दिन पर्यंत के ताप में परिवर्तन।

(ग) ऐंट्रॉपी आरेख किसी ऊष्मागतिक चक्र में ऐंट्रॉपी परिवर्तन दिखाता है।

(घ) क्रेम आरेख में बिंदुओं को बिंदुओं से और जोड़नेवाली कड़ी को रेखा से निरूपित करते हैं।

(च) हेंड्रेज आरेख निर्दिष्ट हवा की मात्रा में ताप, दाब और नमी के परिवर्तन को, जबकि हवा के आयतन में उद्योग परिवर्तन हो रहा है, निरूपित करता है। 'नामोग्राम आरेख' इसी के अनुरूप होता है।

(छ) 'ऑयलर आरेख' तार्किक संबंधों का आलेखी निरूपण करता है। इसमें वृत्त अथवा अन्य चित्रों द्वारा उन राशियों की श्रेणी को सूचित करते हैं जिनपर निर्दिष्ट गुण लागू होते हैं।

(ज) 'विकृति आरेख' एक चित्र है, जो किसी प्रतिबल के परिमाण और उसके कारण उत्पन्न विकृति को निरूपित करता है।

'आरेख' शब्द का अनेकान्य प्रसंगों में प्रयोग करते हैं, जिनमें से बहुत से स्वतः स्पष्ट होते हैं। [रा० कु०]

संविदा-निर्माण (कंट्रैक्ट फार्मेशन) वचनपालन, करार अथवा कौल के निर्वाह को संपूर्ण विश्व में और विशेषतः भारत में बड़ा महत्व दिया गया है। भारतीय इतिहास में वचनपालन के लिए पुत्र को वनवास और स्वयं मृत्यु का वरण करनेवाले दशरथ गाथा लोकप्रसिद्ध है। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास इस उज्ज्वल परंपरा से ओतप्रोत है।

परंतु इस वचनपालन का आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य रहा है, इसके पीछे कानून का हाथ नहीं था और न इसको कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त थी। परंतु धीरे धीरे व्यावसायिक संबंधों में वचनपालन की ओर उसे कानूनी मान्यता देने की आवश्यकता का अनुभव भी जीवनमूल्यों एवं नैतिकता के ह्रास के साथ ही समाज ने किया और इसी कारण नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से वचनपालन जहाँ गौण होता गया, वैधानिक मान्यताप्राप्त व्यावसायिक वचनों के पालन के महत्व को प्रमुखता प्राप्त होती गई।

व्यावसायिक और कानूनी दृष्टि से इस संबंध में रोम का कानूनी इतिहास रोचक है। वहाँ संविदा का प्राचीनतम स्वरूप (nexum) था। अपने मूल रूप में यह उधार वस्तुविक्रय से संबंधित था। धीरे धीरे ऋण के लिये भी इसका प्रयोग होने लगा। इसकी कतिपय औपचारिकताएँ थीं जिनके बिना (nexum) की पूर्णता प्राप्त नहीं होती थी।

भारत में भी नारद और बृहस्पति के ग्रंथों में वस्तुविक्रय, ऋण, साझेदारी और अभिकर्तृत्व (एजेंसी) के संबंधों का उल्लेख है। किंतु वर्तमान संविदा का स्वरूप उससे भिन्न है, यद्यपि उसके विकास की कड़ी उनसे भी जोड़ी जा सकती है।

वर्तमान संविदा की विशेषता उसकी कानूनी मान्यता है। वह प्रत्येक वचन अथवा करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो अथवा जिसका कानून द्वारा पालन कराया जा सके, संविदा है। प्राचीन काल में इस कानूनी मान्यता पर विशेष बल नहीं था बल्कि बल था उसकी औपचारिकता और विधियों (Formalities & Ceremonies) पर। बिना औपचारिकता के कोई वचन, संविदा का रूप ग्रहण नहीं कर सकता था। आवश्यक औपचारिकताओं में से यदि कोई औपचारिकता कम रह जाती थी तो संविदा पूर्ण नहीं होती थी।

यद्यपि अपने विभिन्न रूपों में संविदा का प्रचलन समाज के व्यावसायिक संबंधों में था परंतु 'संविदा' शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। संविदा शब्द बहुत व्यापक है। संविदा के ही अंग विक्रय, ऋण, बंधक, निक्षेप (Bailment), साझेदारी, अभिकर्तृत्व (Agency), विवाह आदि भी हैं। परंतु अपने वर्तमान रूप में संविदा ने नया कानूनी अर्थ ग्रहण कर लिया है। भारतवर्ष में इसका अधिनियम सन् १८७२ ई० में बना और संविदाओं का नियमन उसी भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act 1872) द्वारा होता है। इसलिये भारतीय न्यायालय अब संविदा के मामले में इसी विधिज्ञ कानून का अनुसरण करने को बाध्य हैं। व्यवस्थाओं की व्याख्या के लिये उन्हें इसी अधिनियम का अध्ययन करके उपयुक्त अर्थ और मंतव्य निकालना चाहिए।

भारतीय संविदा अधिनियम विधि संविदा कानून पर आधारित है परन्तु विधि संविदा अधिनियम की सहायता तभी ली जा सकती है जब कि भारतीय संविदा अधिनियम किसी प्रश्न का मौन हो अथवा उसकी स्पष्टता अस्पष्ट हो और विधि कानून भारतीय प्रथाओं और सामाजिक विकास से असंगत न हो।

ऊपर बताया गया है कि आज वर्तमान काल में संविदा एक विधिक वचन या कानून द्वारा प्रवर्तनीय करार है। इसमें दो आवश्यक तत्व हैं - (१) करार और (२) कानून द्वारा उसे प्रभावशील बनाए जाने का गुण। संविदाविधि की प्रकृति और उसकी गहरी संभावनाओं को हृदयंगम करने के लिये कतिपय पारिभाषिक शब्दों की जानकारी आवश्यक होगी। ये परिभाषाएँ भारतीय संविदा अधिनियम में दी गई हैं और उनमें से संबंधित परिभाषाओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

१. करार

जब दो से कम से कम दो व्यक्ति किसी कार्य के करने अथवा उससे विरत रहने के संबंध में एकमत होते हैं तो उसे करार कहा जाता है। करार के लिये कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है। यदि 'अ' ने 'ब' से प्रस्ताव किया कि 'ब' 'अ' के लिये 'अ' का एक चित्र बना दे तो वह 'ब' को इस कार्य हेतु पाँच सौ रुपए देगा। 'अ' के द्वारा यह प्रस्ताव है। यदि 'ब' यह स्वीकार कर ले कि पाँच सौ रुपए में वह 'अ' के लिये उसका चित्र बना देगा तो यह एक ऐसा करार हुआ जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है और उसे प्रभावकारी बनाया जा सकता है अर्थात् एक व्यक्ति अकेला ही कोई करार नहीं कर सकता। करार के लिये करार संबंधी बातों पर उभय पक्ष की मानसिक एकात्मता (consensus and idem) होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि करार संबंधी प्रत्येक बात के संबंध में उभय पक्ष उसका एक ही अर्थ समझें। ऐसा न हो कि एक पक्ष एक अर्थ और दूसरा पक्ष दूसरा अर्थ समझे। 'अ' के पास दो मोटरकारें हैं, एक फोर्ड और दूसरी शेवरलेट। वह अपनी फोर्ड कार पाँच हजार में बेचना चाहता है। उसने अपनी उस कार को बेचने का प्रस्ताव 'ब' से किया। परन्तु 'ब' ने 'शेवरलेट' कार समझकर उसे खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यह करार नहीं होगा क्योंकि 'अ' और 'ब' में मोटरकार के संबंध में मानसिक एकात्मकता नहीं हुई। मोटरकार से 'अ' ने फोर्ड मोटरकार और 'ब' ने शेवरलेट कार समझी।

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव ही स्वीकृति के उपरांत करार बनता है। प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के होते हैं परन्तु साधारणतः उनका वर्गीकरण पाँच श्रेणियों में किया गया है: १. विशिष्ट प्रस्ताव (Specific offer), जब कोई प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से किया जाता है, तब उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। चूँकि प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से किया जाता है, अतः इसमें स्वीकार करनेवाला व्यक्ति, जिसे स्वीकर्ता कहा जायगा, निर्दिष्ट होता है। इसमें स्वीकृति की सूचना स्वीकर्ता द्वारा प्रस्तावक को देना आवश्यक है। २. सामान्य प्रस्ताव (जनरल ऑफर) [illegible] जो निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों से नहीं किया जाता [illegible]। इसी लिये विशिष्ट प्रस्ताव की भाँति इसमें स्वीकृति की सूचना [illegible] को दिया जाना अनिवार्य नहीं होता। प्रस्ताव में [illegible] इच्छित कार्य को करना ही इस प्रस्ताव की स्वीकृति है। [illegible] स्पष्ट प्रस्ताव (ऐक्सप्रेस ऑफर) [illegible] मौखिक या लिखित रूप में — परन्तु स्पष्टतः — किए [illegible] आशयित प्रस्ताव (इम्प्लाइड ऑफर) [illegible] न होकर कार्य द्वारा किए जाते हैं। यात्रियों को [illegible] से दूसरे स्थान को टिकट के बदले में जाने का प्रस्ताव, [illegible] रेलगाड़ी पर जाना ही है। यह सामान्य प्रस्ताव [illegible] भी है क्योंकि इसका स्वीकर्ता सुनिश्चित नहीं है। ३. अनवरत (Continuous offer) इस प्रस्ताव में निश्चित [illegible] कार्यविशेष के लिए जाने का प्रस्ताव होता है जैसे एक [illegible] निश्चित दर से ५००० मन गेहूँ की आपूर्ति का प्रस्ताव। प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत भी एक पक्ष तुरत ही गेहूँ खरीदने को या दूसरा पक्ष बेचने को बाध्य नहीं [illegible] सकता।

स्वीकृति और उसके विभिन्न प्रकार — प्रस्ताव की [illegible] और उसके अनुरूप स्वीकृति की भी विभिन्न प्रणालियाँ हो[illegible] हैं। जहाँ प्रस्तावक स्वीकृति की कोई विशेष विधि या प्रणाली [illegible] रित करता है, वहाँ स्वीकृति का उस विधि या प्रणाली द्वारा [illegible] जाना अनिवार्य है। यदि उस निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा स्वीकृति [illegible] तो प्रस्तावक को उसी प्रणाली द्वारा स्वीकृति देने पर बल [illegible] चाहिए। परन्तु जहाँ स्वीकृति की किसी प्रणाली या विशिष्ट [illegible] का उल्लेख नहीं हो, वहाँ किसी युक्तियुक्त, सगत और उचित प्र[illegible] द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

स्वीकृति भी स्पष्ट अर्थात् शब्दों द्वारा हो सकती है [illegible] सांकेतिक रूप में कार्य द्वारा। टिकट लेकर गंतव्य स्थान को [illegible] वाली रेलगाड़ी पर यात्री का बैठना ही कार्य द्वारा कंपनी के प्र[illegible] की स्वीकृति है। केवल मानसिक स्वीकृति मात्र स्वीकृति [illegible] समझी जा सकती। शब्दों में अथवा कार्य द्वारा उसकी अभिव्य[illegible] भी आवश्यक है।

प्रस्ताव में निर्दिष्ट कार्यों का करना भी कतिपय (साधारण [illegible] उपर्युक्त सामान्य) प्रस्तावों की स्वीकृति मानी जाती है। परन्तु [illegible] आवश्यक है कि स्वीकर्ता इस कार्य को करने के पूर्व से ही प्रस्ता[illegible] की शर्तें जानता हो। यदि स्वीकर्ता प्रस्ताव की बिना जानका[illegible] के ही वह कार्य करता है जो प्रस्ताव में निर्दिष्ट है, तो [illegible] प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। एक व्यक्ति गोरीद[illegible] ने अपने भतीजे की खोज के लिये अपने मुनीम लालमन [illegible] भेजा। लालमन के जाने के उपरांत गोरीदत्त ने अपने भती[illegible] को खोज लानेवाले के लिये ५०१ रुपए पुरस्कार की घोषणा की। लालमन मुनीम गोरीदत्त के भतीजे को खोज लाया और पुरस्का[illegible] की माँग की। निर्णय यह हुआ कि चूँकि लालमन को लड़के की खोज के पूर्व पुरस्कार की शर्तों की सूचना नहीं थी, न पुरस्कार प्राप्ति की बात ही ज्ञात थी, अतः खोए हुए लड़के को खोज लाने का लालमन का कार्य गोरीदत्त के प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता (लालमन बनाम गोरीदत्त)

प्रस्ताव से उत्पन्न लाभ को स्वीकार करना भी उपयुक्त दशाओं में प्रस्ताव की स्वीकृति समझी जाती है। वाराणसी से प्रयाग की बस में बैठकर जाना ही बस मालिक के प्रस्ताव की स्वीकृति है और स्वीकर्ता बस का किराया देने को बाध्य है।

स्वीकृति प्रस्ताव के कायम रहने की दशा में होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव निष्प्रभाव हो चुका है या प्रस्तावक द्वारा खंडित किया या वापस लिया जा चुका है तो स्वीकृति भी निरर्थक और प्रभावहीन होगी।

प्रस्ताव और स्वीकृति का संवहन — प्रस्तावक की सूचना स्वीकर्ता को और प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को मिलना आवश्यक है। प्रस्ताव की सूचना जब उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाय जिसके प्रति प्रस्ताव किया जाता है, तब प्रस्ताव का संवहन या संचार पूर्ण समझा जाता है। 'क' ने अपनी घड़ी १५०) में 'ख' को बेचने का प्रस्ताव पत्र द्वारा 'ख' को प्रेषित किया। ज्योंही 'क' का पत्र 'ख' को प्राप्त होगा, 'क' के प्रस्ताव का संवहन पूर्ण हो जायगा। स्वीकृति के संवहन की पूर्णता का समय प्रस्तावक और स्वीकर्ता के लिये पृथक् पृथक् होता है। जब स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति प्रस्तावक के पास इस प्रकार प्रेषित कर दे कि उसका वापस लेना स्वीकर्ता के वश में न रहे, तो प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूर्ण समझा जायगा परंतु स्वीकर्ता के विरुद्ध नहीं। स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूर्ण होगा जब स्वीकृति प्रस्तावक के पास पहुँच जाय। उपर्युक्त उदाहरण में 'ख' द्वारा अपनी स्वीकृति का पत्र 'क' के नाम डालते ही स्वीकृति की पाबंदी 'क' नामक प्रस्तावक के विरुद्ध हो जाएगी परंतु स्वीकर्ता 'ख' के विरुद्ध नहीं। 'ख' के विरुद्ध संवहन की पूर्णता तब होगी जब उसकी स्वीकृति का पत्र 'क' को प्राप्त हो जाय।

डाक द्वारा संवहन का नियम और प्रस्ताव तथा स्वीकृति का संवहन — जब प्रस्तावक और स्वीकर्ता एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हों तो संवहन में कोई पेचीदगी पैदा नहीं होती परंतु जब दोनों दो स्थानों पर हों तो संवहन का माध्यम डाक — पत्र या तार — होता है। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव का पत्र प्रस्तावक द्वारा छोड़े जाते ही वह पूर्ण नहीं होता वरन् स्वीकर्ता के पास पहुँचने पर ही पूर्ण होता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्ताव का प्रहण उसी काल तक हो सकता है जब तक स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति का पत्र डाक में नहीं छोड़ देता क्योंकि तब स्वीकृति का वापस लिया जाना स्वीकर्ता के वश के बाहर हो जाता है। स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृतिपत्र डाक में छोड़ते ही प्रस्ताव प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि स्वीकृति स्वीकर्ता के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जब प्रस्तावक को प्राप्त हो जाय। प्रस्तावक को प्राप्त होने के पूर्व स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति वापस ले सकता है। विधि कानून में स्वीकृतिपत्र डाकखाने में छोड़े जाते ही स्वीकर्ता के विरुद्ध भी पूर्ण हो जाता है। स्वीकृतपत्र देर से पहुँचने या रास्ते में खो जाने पर भी प्रभावकारी रहता है क्योंकि ऐसा माना गया है कि डाक विभाग की असावधानी या भूल का कोई प्रभाव संविदा के ऊपर पड़ना न्यायसंगत नहीं है। परंतु यदि संवहन के लिये पत्र डाक में न डालकर पोस्टमैन को दे दिया जाय तो यह पर्याप्त संवहन नहीं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पत्र को लेकर डाक में छोड़ना पोस्टमैन के कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है।

(२) करार को कानून द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जाने का गुण

संविदा की दो आवश्यकताओं में से करार पर विचार किया जा चुका है। अब उसे कानून द्वारा प्रभावकारी या प्रवर्तनीय बनाए जानेवाले गुण पर विचार करना शेष है। भारतीय संविदा अधिनियम १८७२ ई० की धारा १० के अनुसार ऐसे सभी करार संविदा माने गए हैं जो (१) करार करने योग्य पक्षों की (२) स्वतंत्र सहमति से किए जायँ, (३) जिनका प्रतिफल और उद्देश्य वैध हो और जो (४) उक्त अधिनियम द्वारा निःसत्व (Void, प्रभावहीन) न घोषित किए गए हों। इसी धारा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उपर्युक्त परिभाषा का प्रभाव ऐसे किसी कानून पर नहीं पड़ेगा, (५) जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित, या पंजीकृत साक्षियों की गवाही के साथ होना आवश्यक है।

योग्य पक्ष — ऐसे सभी व्यक्ति संविदा करने योग्य माने जाते हैं जो वयस्क हों, स्वस्थ मस्तिष्कवाले हों और किसी कानून द्वारा संविदा करने के अयोग्य न ठहराए गए हों। फलतः (१) अवयस्क, (२) विकृत मस्तिष्कवाले व्यक्ति या उन्मत्त (Lunatic), जड़बुद्धि (Idiot) तथा नशे में चूर रहनेवाले, (३) और ऐसे व्यक्ति जो कानून द्वारा संविदा करने के अयोग्य ठहराए गए हों, यथा विदेशी शत्रु, विदेशी सम्राट् अथवा उनके प्रतिनिधि, देश के शत्रु, अपराधी आदि संविदा नहीं कर सकते। अवयस्क व्यक्ति स्वतंत्र बुद्धि से अपने लाभ हानि का निर्णय नहीं कर सकता। अतः वह संविदा करने योग्य नहीं माना गया है। विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों में अगर विकृति अस्थायी हो — यानी कभी मस्तिष्क विकृत और कभी स्वस्थ रहता हो—तो ऐसे व्यक्ति विकृतिकाल में तो नहीं परंतु मस्तिष्क की स्वस्थता के काल में संविदा का योग्य पक्ष हो सकते हैं। अपराधी का दण्डभोग के समय संविदा करने का अधिकार निलंबित हो जाता है परंतु दण्डभोग या समयावधि के पश्चात् उसे संविदा करने की क्षमता पुनः प्राप्त हो जाती है। दिवालिया घोषित व्यक्ति भी संविदा करने की योग्यता से वंचित माना जाता है।

स्वतंत्र सहमति — संविदा के पक्षों की सहमति का स्वतंत्र होना संविदा की एक प्रमुख आवश्यकता है। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो संविदा उत्पन्न प्रभावित होती। सहमति उस दशा में स्वतंत्र मानी जाती है जब वह १—बलप्रयोग या भय (Coercion), २—अनुचित प्रभाव (Undue Influence), ३—छलकपट (Fraud), ४—भ्रांत कथन, या ५—भ्रांति द्वारा प्रेरित नहीं हुई हो और न प्राप्त की गई हो।

(१) बलप्रयोग का शब्द की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम के विधान के आधार पर की गई है। उसके अनुसार बलप्रयोग का अर्थ है—

(क) भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित और दंडनीय कार्य करना; या (ख) करने की धमकी देना, चाहे उस स्थान पर जहाँ यह कार्य किया जाय भारतीय दंड विधान लागू हो या नहीं, (ग) किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अवैध रूप से रोक रखना; अथवा (घ) रोक रखने की धमकी देना। इस बलप्रवर्तन या त्रास का उद्देश्य किसी व्यक्ति को संविदा का पक्ष बनाना ही होना चाहिए।

(२) अयाचित प्रभाव की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा १६ में दी गई है। उसके अनुसार वह संविदा अयाचित प्रभाव द्वारा प्रेरित कही जाती है जिसके पक्षों के संबंध ऐसे हों कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा को प्रभावित कर सके और अनुचित लाभ प्राप्त करने की इच्छा से अपनी उस विशिष्ट स्थिति का प्रयोग करे। माता पिता और बच्चे, अभिभावक और पाल्य (वार्ड), वकील और मुवक्किल, डाक्टर और रोगी, गुरु और शिष्य आदि के संबंध ऐसे ही होते हैं जिनमें प्रथम पक्ष दूसरे की इच्छाओं को अपने विशिष्ट संबंध के कारण प्रेरित करता है। अयाचित प्रभाव सिद्ध करने के लिये यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि वस्तुतः विशिष्ट स्थिति-वाले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अपनी विशेष स्थिति का प्रयोग अपने अनुचित लाभ के लिये किया। यदि यह बात सिद्ध नहीं होती तो केवल विशिष्ट स्थिति के ही कारण कोई संविदा अयाचित प्रभाव द्वारा प्रभावित या परित्याज्य नहीं समझी जायगी।

(३) छलकपट — यह संविदा अधिनियम की धारा १७ में वर्णित है। उसके अनुसार संविदा के किसी पक्ष द्वारा या उसकी साजिश या उसके अभिकर्ता (agent) द्वारा दूसरे पक्ष या उसके अभिकर्ता को धोखा देने या छलने या संविदा में संमिलित होने के लिये प्रेरित करने के हेतु निम्नांकित कार्य छलकपट कहलाएँगे—

क — किसी असत्य बात को, जिसकी सत्यता में उसे विश्वास न हो, तथ्य बतलाना, ख — ऐसे तथ्य को छिपाना जिसका उसे ज्ञान या विश्वास न हो; ग — ऐसा वचन देना जिसे पूरा करने की इच्छा न हो; घ — ऐसा कार्य करना या उससे विरत होना जिसे कानून विशेष रूप से छलकपट घोषित करता हो; ङ — धोखा देने लायक अन्य कार्य करना।

५ भ्रांति — करार के संबंध में विचार करते हुए यह कहा गया है कि उभय पक्ष के बीच मानसिक मतैक्य का होना आवश्यक है। भ्रांति इसी से संबंधित दोष है। इसमें एक पक्ष एक वस्तु या बात और दूसरा पक्ष दूसरी वस्तु या बात समझता है। फलस्वरूप ऊपरी ढंग से देखने में तो संविदा का निर्माण प्रतीत होता है परंतु भ्रांति के कारण वस्तुतः कोई संविदा होती नहीं है। ये भ्रांतियाँ कई प्रकार की होती हैं। विषयसामग्री के संबंध में भ्रांति का उदाहरण पूर्वसंबंध में मेवरलेट और फोर्ड मोटर कारों के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार संविदा के पक्ष की पहचान में भी भ्रांति संभव है। 'क' ने जिसे 'ख' समझकर संविदा की यदि वह वस्तुतः 'ख' नहीं वरन् 'ग' था तो यह पक्ष की पहचान की भ्रांति है। संविदा की प्रकृति या अर्थ संबंधी भी भ्रांति हो सकती है। अगर किसी बाद का एक पक्ष बाद में अवसर लेने का आवेदन-पत्र बनाकर किसी संविदापत्र पर दूसरे पक्ष का हस्ताक्षर है तो दूसरे पक्ष की संविदा के रूप या प्रकृति के विषय होती है। ऐसी दशा में हस्ताक्षर बनानेवाले का मस्ति हस्ताक्षर के साथ नहीं है।

(३) प्रतिफल एवं उद्देश्य वैध होना चाहिए — के लिये प्रतिफल एक आवश्यक तत्व है। बिना प्र कोई प्रसंविदा नहीं हो सकती; और यदि वह हो नि.सत्व या अवैध होती है। प्रतिफल भी वैध होना चाहिए। स्वरूप 'अ', 'ब' को 'स' की हत्या के लिये ५००० रु० देत 'ब' हत्या के लिये वचन देता है। यहाँ यह संविदा नि सत्व इसका प्रतिफल हत्या कानून द्वारा वर्जित है। इस प्रकार नि प्रकार के प्रतिफल अवैध होते हैं —

१ — ऐसे प्रतिफल जो कानून द्वारा वर्जित हैं। यदि फल स्पष्टतया या सांकेतिक रूप से कानून द्वारा वर्जित हो आधार पर निर्मित प्रसंविदा नि.सत्व होती है। यह उपर्यु हरण से स्पष्ट हो जायगा।

२ — यदि कोई ऐसा प्रतिफल हो जिससे किसी की कोई व्यवस्था भंग होती हो या निष्फल होती हो वह अवैध माना जाएगा।

३ — जो प्रतिफल कपटपूर्ण होते हैं, वे अवैध समझे जाते

४ — वह प्रतिफल जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर या को हानि पहुँचती हो अवैध होता है। उदाहरण के लिये समाचारपत्र के संपादक को पाँच सौ रुपया देने का वचन यदि संपादक व के संबंध में अपमानजनक विवरण छापे प्रतिफल अवैध है क्योंकि इससे व की प्रतिष्ठा पर आघात पहुँच

५ — ऐसे प्रतिफल जो अनैतिक होते हैं, अवैध हैं।

६ — लोकनीति के विरुद्ध प्रतिफल अवैध होते हैं, जैसे के साथ व्यापार करना। लोकसेवा को हानि पहुँचाने की रखनेवाली संविदा, दंडनीय अपराधों से संबंधित मुकदमों का घोटनेवाली संविदा नि सत्व होती है। वैधानिक कार्रवाई का प्रयोग करने की प्रवृत्ति रखनेवाली संविदा, ऐसी संविदा जो नैति के विरुद्ध हो, या व्यापारनिरोधक संविदा या किसी वयस्क को शादी करने से रोकने के लिये संविदा, इत्यादि भी लोकनीति विरुद्ध एवं नि सत्व होती हैं।

उद्देश्य एवं प्रतिफल में से एक का भी अवैध होना संविदा नि सत्व कर देता है। यदि संविदा का उद्देश्य अवैध हो भी संविदा नि सत्व हो जाती है, यदि उसके अवैध अंश को वैध से पृथक् न किया जा सके। यदि प्रतिफल या उद्देश्य का अवैध वैध अंश से अलग किया जा सके तो वैध अंश प्रवर्तनीय होगा अवैध अंश नि सत्व होगा। जैसे 'क' ने 'ख' को एक प्रतिज्ञा द्वारा २००० रुपए देने का वचन दिया जिनमें से १५०० रुपए पुराने ऋण था और ५०० रुपए जुए में हारी रकम थी। इसमें वैध भा

४. निःसत्व घोषित न होना — भारतीय संविदा अधिनियम अंतर्गत निःसत्व घोषित करार कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो कते, यद्यपि उनमें संविदा के अन्य तत्व पूर्णतः विद्यमान भी ों। इस कोटि में निम्नांकित करार आते हैं —

१ — त्रुटि या भ्रांति द्वारा प्रभावित करार; २ — [illegible] के ाथ किया गया करार; ३ — प्रतिफलविहीन करार; ४ — वयस्क ा विवाह रोकनेवाला संविदा करार; ५ — व्यापारनिरोधक रार; ६ — वैध कार्रवाई को रोकनेवाला करार; ७ — अनिश्चित करार; ८ — असंभव कार्यों को करने के लिये किया गया रार; ९ — पण विषयक (wagery) करार; १० — असंभव घटनाओं के घटित होने पर संभावित करार; ११ — अवैध प्रतिफल ा उद्देश्यवाले करार।

५. करार का लिखित, पंजीकृत एवं साक्षियों के समक्ष होना। भी करार और संविदाओं के लिये लिखित, पंजीकृत और वाहों की गवाही से युक्त होना आवश्यक नहीं है परंतु ऐसी संविदा न्य सब गुणों के रहते हुए भी इन औपचारिकताओं के अभाव के ारण मान्य नहीं होती।

उपर्युक्त वर्णन से संविदा-निर्माण के आवश्यक तत्वों का ार निम्नलिखित प्रतीत होता है —

१. कम से कम दो पक्षों का होना;
२. प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति;
३. उभय पक्षों की मानसिक एकात्मकता;
४. उभय पक्ष के बीच वैध व निश्चित निर्णय का बंधन;
५. उभय पक्षों की योग्यता;
६. उनकी स्वतंत्र सहमति;
७. वैध प्रतिफल;
८. वैध उद्देश्य;

९. करार का भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा निःसत्व न घोषित होना;

१० आवश्यकतानुसार उसका लिखित, पंजीकृत एवं साक्ष्ययुक्त होना। [कृ० ब० सि०]

संविधान (Constitution) शब्द का प्रयोग साधारणतया संकुचित एवं विस्तृत दो अर्थों में होता है। विस्तृत अर्थ में इसका अभिप्राय किसी राज्य के शासनतंत्र संबंधी सब [illegible] है। इन नियमों में से कुछ लि[illegible] लिए जाते हैं, किंतु कु[illegible] नहीं हुए। [illegible]

का अर्थ अधिक संकुचित रूप में होता है, तथा केवल उन विशेष नियमों के अर्थ में होता है जो शासनप्रबंध के हेतु अधिकारिक लेखपत्रों में आबद्ध कर लिए जाते हैं। अतः संविधान एक प्रकार से किसी देश का वह एक या अधिक लेखपत्र होता है जिसमें उस देश के शासनप्रबंध में प्रयुक्त होनेवाले मूल नियम संकलित हों। इस अर्थ के [illegible] प्रमुख राष्ट्र अमरीका तथा भारत के संविधान हैं।

'संविधान' शब्द का प्रयोग कोई भी करता [illegible] किंतु मुख्य बात यह है कि किसी देश के संविधान का पूर्ण अध्ययन केवल कुछ लिखित नियमों के अवलोकन से संभव नहीं। वस्तुतः, [illegible] ये शासन-प्रबंध संबंधी अनुशासन का एक अंग मात्र होते हैं। संपूर्ण संवैधानिक परिचय शासनतंत्रीय सब अंगों के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। उदाहरणार्थ, बहुधा संविधान संहिता में केवल शासन के मुख्य अंगों — कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका — का ही उल्लेख होता है। किंतु इन अंगों की रचना, पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति इत्यादि की व्यवस्था साधारण विधि द्वारा ही निश्चित होती है। इसी प्रकार कई देशों में निर्वाचन नियम, निर्वाचन क्षेत्र एवं [illegible] के नियमों की रचना तथा न्यायपालिका का संगठन, इन सब महत्वपूर्ण बातों का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं होता. यदि होता भी है तो बहुत साधारण रूप में, इनका विस्तृत विवरण साधारण विधि द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त [illegible] के क्षेत्र में ही सीमित नहीं होती, न्यायपालिका द्वारा कुछ विधि की व्याख्या द्वारा जो नियम प्रतिपादित होते हैं उनके अध्ययन के लिये संवैधानिक अवलोकन आवश्यक रहती है। फिर, शासनतंत्र संबंधी कई एक व्यवहार भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। [illegible] संवैधानिक परिचय पूर्ण नहीं हो सकता है। किंतु [illegible] केवल कुछ [illegible] नियम ही [illegible] सब [illegible] सम्मिलित [illegible] जाते हैं।

संविधान के दो प्रकार हैं — लिखित एवं अलिखित। [illegible] एक लेख (भारतीय संविधान) का [illegible] (जैसे ब्रिटिश संविधान) [illegible] है। [illegible]

(क) भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित और दंडनीय कार्य करना; या (ख) करने की धमकी देना, चाहे उस स्थान पर जहाँ यह कार्य किया जाय भारतीय दंड विधान लागू हो या नहीं, (ग) किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अवैध रूप से रोक रखना; अथवा (घ) रोक रखने की धमकी देना। इस बलप्रवर्तन या त्रास का उद्देश्य किसी व्यक्ति को संविदा का पक्ष बनाना ही होना चाहिए।

(२) अवांछित प्रभाव की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा १६ में दी गई है। उसके अनुसार वह संविदा अवांछित प्रभाव द्वारा प्रेरित कही जाती है जिसके पक्षों के संबंध ऐसे हों कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा को प्रभावित कर सके और अनुचित लाभ प्राप्त करने की इच्छा से अपनी उस विशिष्ट स्थिति का प्रयोग करे। माता पिता और बच्चे, अभिभावक और पाल्य (वार्ड), वकील और मुवक्किल, डाक्टर और रोगी, गुरु और शिष्य आदि के संबंध ऐसे ही होते हैं जिनमें प्रथम पक्ष दूसरे की इच्छाओं को अपने विशिष्ट संबंध के कारण प्रेरित करता है। अवांछित प्रभाव सिद्ध करने के लिये यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि वस्तुतः विशिष्ट स्थिति-वाले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अपनी विशेष स्थिति का प्रयोग अपने अनुचित लाभ के लिये किया। यदि यह बात सिद्ध नहीं होती तो केवल विशिष्ट स्थिति के ही कारण कोई संविदा अवांछित प्रभाव द्वारा प्रभावित या परित्याज्य नहीं समझी जायगी।

(३) छलकपट — यह संविदा अधिनियम की धारा १७ में वर्णित है। उसके अनुसार संविदा के किसी पक्ष द्वारा या उसकी सहमति से या उसके अभिकर्ता (agent) द्वारा दूसरे पक्ष या उसके अभिकर्ता को धोखा देने या छलने या संविदा में संमिलित होने के लिये प्रेरित करने के हेतु निम्नांकित कार्य छलकपट कहलायेंगे—

क — किसी असत्य बात को, जिसकी सत्यता में उसे विश्वास न हो, तथ्य बतलाना, ख — ऐसे तथ्य को छिपाना जिसका उसे ज्ञान या विश्वास न हो; ग — ऐसा वचन देना जिसे पूरा करने की इच्छा न हो; घ — ऐसा कार्य करना या उससे विरत होना जिसे कानून विशेष रूप से छलकपट घोषित करता हो; ङ — धोखा देने लायक अन्य कार्य करना।

४ भ्रांति — करार के संबंध में विचार करते हुए यह कहा गया है कि उभय पक्ष के बीच मानसिक अवैधय का होना आवश्यक है। भ्रांति इसी से संबंधित दोष है। इसमें एक पक्ष एक वस्तु या बात और दूसरा पक्ष दूसरी वस्तु या बात समझता है। फलस्वरूप ऊपरी ढंग से देखने में तो संविदा का निर्माण प्रतीत होता है परन्तु भ्रांति के कारण वस्तुतः कोई संविदा होती नहीं है। ये भ्रांतियाँ कई प्रकार की होती हैं। विषयवस्तु के संबंध में भ्रांति का उदाहरण पूर्वपक्ष में मेवरसेट और कोर्ड मोटर कारों के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार संविदा के पक्ष की पहचान में भी भ्रांति संभव है। 'क' ने जिसे 'ख' समझकर संविदा की यदि वह वस्तुतः 'ख' नहीं वरन् 'ग' था तो यह पक्ष की पहचान की भ्रांति है। संविदा की प्रकृति या अर्थ संबंधी भी भ्रांति हो सकती है। अगर किसी बात का एक पक्ष बात में अवसर लेने का आवेदन-पत्र बताकर किसी संविपत्र पर दूसरे पक्ष का है तो दूसरे पक्ष को संविदा के रूप या प्रकृति में होती है। ऐसी दशा में हस्ताक्षर बनानेवाले के हस्ताक्षर के साथ नहीं है।

(३) प्रतिफल एवं उद्देश्य वैध होना च के लिये प्रतिफल एक आवश्यक तत्व है। कोई प्रसंविदा नहीं हो सकती; और यदि नि.सत्व या अवैध होती है। प्रतिफल भी वैध होना स्वरूप 'अ', 'ब' को 'स' की हत्या के लिये ५००० 'ब' हत्या के लिये वचन देता है। यहाँ यह संविदा इसका प्रतिफल हत्या कानून द्वारा वर्जित है। इस प्रकार के प्रतिफल अवैध होते हैं —

१ — ऐसे प्रतिफल जो कानून द्वारा वर्जित हैं फल स्पष्टतया या सांकेतिक रूप से कानून द्वारा आधार पर निर्मित प्रसंविदा नि.सत्व होती है। हरण से स्पष्ट हो जायगा।

२ — यदि कोई ऐसा प्रतिफल हो जिससे की कोई व्यवस्था भंग होती हो या निष्फल होती है अवैध माना जाएगा।

३ — जो प्रतिफल कपटपूर्ण होते हैं, वे अवैध

४ — वह प्रतिफल जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के को हानि पहुँचती हो अवैध होता है। उदाहरण समाचारपत्र के संपादक को पाँच सौ रुपया देने यदि संपादक ब के संबंध में अपमानजनक विवा प्रतिफल अवैध है क्योंकि इससे ब की प्रतिष्ठा पर आ

५ — ऐसे प्रतिफल जो अनैतिक होते हैं, अवैध

६ — लोकनीति के विरुद्ध प्रतिफल अवैध है के साथ व्यापार करना। लोकसेवा को हानि पहुँ रखनेवाली संविदा, दंडनीय अपराधों से संबंधित घोटनेवाली संविदा नि.सत्व होती है। वैधानिक का पयोग करने की प्रवृत्ति रखनेवाली संविदा, ऐसी सं के विरुद्ध हो, या व्यापारनिरोधक संविदा या वि को बन्दी करने से रोकने के लिये संविदा, इत्यादि विरुद्ध एवं नि.सत्व होती हैं।

उद्देश्य एवं प्रतिफल में से एक का भी नि सत्व कर देता है। यदि संविदा का उद्देश्य भी संविदा नि सत्व हो जाती है, यदि उसके से पृथक् न किया जा सके। यदि प्रतिफल वैध अंश से अलग किया जा सके तो अवैध अंश नि सत्व होगा। जैसे द्वारा २००० रुपए देने का वचन ऋण या और ६०० रुपए पुए को अवैध भाग से पृथक् किया १२०० रुपए के लिये मान्य

कांस्टीट्यूशन; मैथ्यूज : अमरीकन कांस्टीट्यूशनल सिस्टम; वैड एंड फिलिप्स : कांस्टीट्यूशनल लॉ। [सु० कु० अ०]

संविभ्रम (Paranoia) एक गंभीर भावात्मक विकार है और तर्कसंगत, सुसंबद्ध, जटिल तथा प्राय. उत्पीडक विभ्रमों या मिथ्या विश्वासों का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सिलसिला इसका आंतरिक लक्षण है। संविभ्रमी व्यक्ति को अपनी योग्यता, प्रभुता, पद की वरिष्ठता, या निरंतर यातना का भ्रम होता है। यह उन्माद का ही एक रूप है, परंतु इसमें अन्य सभी मानसिक क्रियाएँ बहुधा स्वाभाविक अवस्था में रहती हैं।

कमरे में किसी नए व्यक्ति के प्रविष्ट होते ही उपस्थित मित्रमंडली के एकाएक बातचीत बंद कर देने पर, उस व्यक्ति का यह समझना कि अभी उसी की चर्चा हो रही थी, एक सामान्य प्रतिक्रिया है। किसी जनसंकुल होटल में घुसने पर सभी अपनी ओर देख रहे हैं यह समझना भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, किंतु संविभ्रमी प्रतिक्रिया में ये भाव स्थायी और व्यापक हो जाते हैं।

शुद्ध संविभ्रम दुर्लभ है, कुछ तो इसके अस्तित्व में ही संदेह करते हैं। यह मदिरा या कोकेन के चिरकालिक व्यसनियों में नशे की अवस्था में, अंतरावध (Schizophrenia) जैसे उन्माद से सहचरित स्थिति में, या उत्तेजना संविषाद (manic depressive psychosis) में स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में पाया जाता है।

बुढ़ापे में जटिल विषाद रोग में रोगी के मन में हीनता और अपराध के भावों को जन्म देनेवाले, आत्मपरक उत्पीडक विचार आते हैं। इसमें रोगी अपने पिछले पापों और अपराधों को बहुत विशद रूप से देखता और अपने को अपराधी करार देता है। वह अत्यंत सतर्क हो जाता है और सोचता है कि सभी उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। वह दूर के छोर को अपनी उत्पीड़ित संतान का, जो उसके कुकृत्यों का फल भोग रहे हैं, क्रंदन समझता है, और वह अपने असंख्य अपराधों के कारण प्रलय का होना अवश्यंभावी समझता है। उन्मत्त भव्य कल्पना भी करता है; उदाहरणार्थ, वह समझता है कि उसके हितैषी अपनी समूची शक्ति से उसे उच्च पद पर पहुँचाने की चेष्टा कर रहे हैं।

संविभ्रमी व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, अति संवेदनशीलता और आत्मविश्वास की कमी होती है। अस्थिरता जैसी अनुविधायक शारीरिक त्रुटि संविभ्रमी लक्षणों के विकास में उत्तेजक होती है। किसी ऐसी आदत या परिस्थिति से जिसके साथ लज्जा का भाव सहचरित होता है और जिसे रोगी छिपाना चाहता है, जैसे हस्तमैथुन, विकृत कामाचरण, प्रेमव्यापार, अवैध जन्म, गुप्त सुरापान, से प्रायः संविभ्रम का सिलसिला आरंभ होता है। रहस्य के यथार्थ या कल्पित उद्घाटन से संविभ्रम के लक्षण तेजी से प्रकट होने लगते हैं और रोगी समझता है कि उसका अपराध सबको ज्ञात हो गया है, चारों ओर उससे संबंधित कानाफूसी हो रही है, मित्र और सगे संबंधी उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं और उसके प्रति षड्यंत्र करते हैं। वह अत्यंत उद्दिग्न हो जाता है और दुस्सह ग्लानि, आत्मघाती प्रयत्न, विकृत चेतना या निर्मूल भ्रम की गौण भावात्मक स्थितियाँ उसके मन में उत्पन्न हो जाती हैं। बीमारी, आत्मगौरव पर चोट, पदोन्नति का न होना जबकि अन्य की पदोन्नति हो रही हो, मुकदमे में हार, कारावास में एकांतवास जैसी घटनाओं से संविभ्रम के भी लक्षण उत्तेजित हो जाते हैं। रोगी अपने विचारों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता; उदाहरण के लिए एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामला ले जानेवाले और अपने कानूनी परामर्शदाता तक पर बिगड़ उठनेवाला, संविभ्रमी मुकदमेबाज इस भ्रम में हो सकता है कि वह केवल स्वार्थ के लिये नहीं बल्कि एक बृहत्तर सिद्धांत के लिये संघर्ष कर रहा है।

संविभ्रम के गंभीर रोगियों को छोड़कर साधारण रोगियों में सुसंगत विचार और तर्कशक्ति बनी रहती है, यहाँ तक कि चिकित्सक के लिये भी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि व्यक्ति वास्तव में संविभ्रमी है या नहीं।

समाज में कुछ चिरकालिक मंद संविभ्रमी व्यक्ति सामान्य जीवन-यापन करते हैं और अनावश्यक रूप से सतर्क होने के कारण अपने परिवार और घनिष्ट मित्रों को ही खटकते हैं। इसका उपचार कठिन और श्रमसाध्य है और गंभीर संविभ्रम के उपचार में मस्तिष्क की शल्यचिकित्सा करनी पड़ती है, जिसका परिणाम बहुत ही अनिश्चित सा होता है। [नि० न० गु०]

संवृतबीजी, या आवृतबीजी (Angiosperm) बीज पैदा करनेवाले पौधे दो प्रकार के होते हैं नग्न या विवृतबीजी तथा बंद या संवृतबीजी। संवृतबीजी एक बहुत ही बृहत् और सर्वव्यापी उपवर्ग है। इस उपवर्ग के पौधों के सभी सदस्यों में पुष्प लगते हैं, जिनसे बीज फल के अंदर ढकी हुई अवस्था में बनते हैं। ये वनस्पति जगत् के सबसे विकसित पौधे हैं। मनुष्यों के लिये यह उपवर्ग अत्यंत उपयोगी है। बीज के अंदर एक या दो दल होते हैं। इस आधार पर इन्हें एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री वर्गों में विभाजित करते हैं।

संवृतबीजी के सदस्यों की बनावट कई प्रकार की होती है, परंतु प्रत्येक में जड़, तना, पत्ती या पत्ती के अन्य रूपांतरित अंग, पुष्प, फल और बीज होते हैं। संवृतबीजी पौधों के अंगों की रचना तथा प्रकार निम्नलिखित हैं :

जड़ — पृथ्वी के नीचे का भाग अधिकांशतः जड़ होता है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर (radicle) से निकलता है, उसे ही जड़ कहते हैं। बहुत से पौधों में जड़ें अन्य भागों से भी निकलती हैं। पौधों में प्रथम निकली जड़ जल्दी ही मर जाती है और तने के निचले भाग से रेशेदार जड़ें निकल आती हैं। द्विबीजपत्री में प्रथम जड़, या प्राथमिक जड़, सदा ही रहती है। यह बढ़ती चलती है और द्वितीय, तृतीय श्रेणी की जड़ों की शाखाएँ इसमें से निकलती हैं। ऐसी जड़ को मूसला जड़ कहते हैं (देखें 'मूल')। जड़ों में मूलकोश (root cap) तथा मूल रोम (root hair) होते हैं, जिन के द्वारा पौधे मिट्टी से लवणों का अवशोषण कर बढ़ते हैं। साथ एक पानी प्राप्त करने के अतिरिक्त जड़ पौधों को मिट्टी में पकड़कर भी रखती हैं। कुछ पौधों में अपस्थानिक जड़ें (adventitious roots) भी होती हैं। कुछ पौधों में जड़ें बाहर भी निकल आती हैं। जड़ के अन्य भाग में पतली कोशिका

की स्थिति, इन समस्त विषयों के संबंध में संविधान के अतिरिक्त अलिखित नियम ही लागू होते हैं।

संविधान संबंधी अन्य भेद हैं नमनशील एवं परिदृढ़, बहुधा इन्हें क्रमशः अलिखित एवं लिखित के पर्यायवाची रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। लार्ड ब्राइस ने लिखित के स्थान पर परिदृढ़ तथा अलिखित के स्थान पर नमनशील शब्दों का प्रयोग सहज भाव से किया है। किंतु इस प्रकार का विधित प्रयोग उचित नहीं। वस्तुतः संविधान लिखित किंतु नमनशील हो सकता है और अलिखित किंतु परिदृढ़ रूप का हो सकता है। सिद्धांततः इंग्लैंड की संसद् विधि मात्र में इंग्लैंड के संविधान में मनोनीत परिवर्तन कर सकती है तथा वहाँ का प्रधान मंत्री मंत्रिमंडल को आमंत्रित न कर मंत्रिमंडलीय शासनपद्धति को इतिश्री कर सकता है, किंतु ऐसे आकस्मिक परिवर्तन कभी व्यवहार में क्रियात्मक नहीं होते। यदि इंग्लैंड के इतिहास की ओर दृष्टिपात किया जाए तो प्रतीत होगा कि परिवर्तन सदा क्रमिक विकास के रूप में हुए हैं; आकस्मिकता की वहाँ कोई संभावना नहीं।

मतप्रदान — स्वतंत्रता सुधार, लार्ड सभा की सत्ता के हनन संबंधी नियम, तथा युद्धोपरांत अधिराज्य स्वशासन अधिकार (डोमिनियन अधिकार) इन सबके होते हुए भी एक शताब्दी के अभ्यंतर में इंग्लैंड के संविधान में बहुत क्रमिक और कम परिवर्तन हुए हैं। फलतः इंग्लैंड का संविधान अलिखित होकर भी नमनशील नहीं, परिदृढ़ रूप का है। इसके विपरीत भारतीय संविधान परिदृढ़ कहा जाता है, कारण कि इसकी संशोधनक्रिया बड़ी जटिल है, जहाँ किसी किसी विषय में संशोधन के लिये केवल केंद्रीय संसद् का बहुमत ही पर्याप्त नहीं वरन् समस्त राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत प्राप्त करना भी अनिवार्य है। ऐसी जटिल व्यवस्था के उपरांत भी विगत अनेक वर्षों में भारतीय संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं। इसका कारण यह है कि संविधान परिवर्तन एवं संशोधन का संबंध केवल संशोधनक्रिया की लिखित व्यवस्था से नहीं वरन् देश की प्रमुख प्रभावात्मक राजनीतिक दलबंदियों के संतोष या असंतोष से होता है। यदि वे वैधानिक रूपरेखा और उसके द्वारा राजनीतिक सत्ता के वितरण से संतुष्ट होती हैं तो परिवर्तन नहीं होते, अन्यथा संशोधन, आवर्तन, परिवर्तन अवश्यंभावी हैं। संवैधानिक संशोधनों का कारण कांग्रेसी सरकारें थीं जिनके नियंत्रण में केंद्रीय तथा लगभग समस्त राज्यों के शासन की बागडोर थी।

अतएव किसी संविधान का रूप नमनशील है अथवा परिदृढ़, यह केवल उस देश का संवैधानिक इतिहास ही स्पष्ट कर सकता है। यदि वहाँ परिवर्तन सहज रूप से होते रहे हैं तो उस देश का संविधान नमनशील है, अन्यथा परिदृढ़।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका के उदाहरण के उपरांत अधिकतर देशों में लिखित संविधान की प्रथा प्रचलित हो गई है। लिखित संविधान वहाँ विधायिका द्वारा निर्मित होते हैं जैसे अमरीकन आर्टिकल्स ऑव कान्फडरेशन ने १७८१ में अमरीका में तथा पोलिश हमेरि ने १८६७ में आस्ट्रिया में किया। इच्छा न होते हुए भी कई एवं राजाओं ने भी उन्नीसवीं शताब्दी में अपने देशों में संविधान रचना की। फ्रांस में १८१४ तथा १८३० ई० में तथा १८४८ में सारडीनिया में इसी प्रकार वहाँ के सम्राट्‌द्वारा संविधान घोषित हुए। अन्य संविधान अधिकतर देश की विधानसभा द्वारा ही बने, जैसे १७८७ ई० में अमरीका तथा १९५० ई० में भारत में संविधान की रचना हुई।

अधिकांशतया उन समस्त देशों में जहाँ लिखित संविधान स्थित है, संविधान को देश की अन्य विधियों से अधिक मान्यता दी जाती है। इसका कारण यह है कि संविधान की उत्पत्ति इस भावना से हुई है कि शासनप्रबंध में निरंकुशता को अनुशासित तथा सीमित रखा जा सके। शासनप्रबंध संविधान के अधीन कितना नियंत्रित होगा, अथवा संविधान कितना उच्च माना जाएगा, यह संविधाननिर्माताओं के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह किस विषय में संविधान की कितनी मान्यता एवं सुरक्षा के इच्छुक थे।

भारतीय संविधान की रचना के समय निर्माताओं के समक्ष मूल प्रश्न थे, जैसे नागरिकों के मूल स्वाधिकारों की सुरक्षा, केंद्र एवं राज्यों के कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या जिससे दोनों अपनी निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही विधिव्यवहार सीमित रखें, संविधान का रूप परिदृढ़ रखना, तथा राज्यों में पारस्परिक वाणिज्य व्यवसाय स्वातंत्र्य की रक्षा इत्यादि। देश में कार्यपालिका का विधायिका के समस्त कार्यों की शुद्धता तथा औचित्य इसी पर निर्भर करता है कि वह देश के संवैधानिक उद्देश्य वचनों के अनुकूल है अथवा नहीं, यदि कोई कार्य इन मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल होता है तो वह शक्तिबाह्य कहा जाता है। राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में जहाँ विधि प्रयुक्ति एवं व्याख्या होती है, अधिकांशतः वहीं यह भी निर्धारित होता है कि अमुक विधिनियम शक्तिबाह्य (अल्ट्रा वायर्स) है अथवा नहीं।

अमरीकी संविधान के एक प्रमुख रचयिता हैमिल्टन के अनुसार संविधान वास्तव में मूल विधि है तथा न्यायाधीशों को उसे इस तथ्य को स्वीकार कर मान्यता देनी चाहिए। जब विधानमंडलों द्वारा निर्मित साधारण विधिनियमों तथा संविधान में विरोध उपस्थित हो तो संविधान को उच्च एवं प्राथमिक मानकर अधिक मान्यता देनी चाहिए। कारण यह है कि संविधान स्वयं देश की जनता के आंतरिक उद्देश्यों को अभिव्यक्त है जब कि अन्य विधि उस जनता की प्रतिनिधि सभाओं की भावनाओं की प्रतीक होती है। स्वभावतः संविधान मूल एवं श्रेष्ठ है। अमरीका के प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने १८०३ में मारबरी बनाम मैडिसन का निर्णय इसी नियम के अनुसार किया था।

जहाँ अलिखित संविधान होता है वहाँ शासनप्रबंध पर संवैधानिक नियम की आवश्यकता अवश्य नहीं होती किंतु जनमत के भय से तथा निर्वाचन क्रिया, परंपराओं एवं रूढ़ियों द्वारा इस प्रकार का नियंत्रण एवं अनुशासन सहज रूप से होता रहता है।

धिकारों के प्रवर्तन के लिये ही नहीं, अपितु 'किसी अन्य उद्देश्य के लिये' भी कर सकता है।

इन उपचारों का उद्देश्य मनुष्य के विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये शीघ्रता तथा मितव्ययितापूर्ण उपाय प्रदान करना है जिससे ये अधिकार विधायिका (legislature) तथा कार्यपालिका (executive) के हस्तक्षेप से मुक्त रहें।

संविधान की धारा ३२ तथा २२६ में उल्लिखित आदेशों तक ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के उपचारात्मक अधिकार सीमित नहीं हैं, अपितु वे आवश्यकतानुसार कोई आदेश, निर्देश तथा आदेश भी जारी कर सकते हैं। इस प्रकार ये उपचारात्मक प्रतिबंध (remedial provisos) पर्याप्त व्यापक तथा असीमित हैं। ऐसा अवसर उपस्थित होने पर जबकि उक्त आदेश (writs) राज्य के अवैध कृत्य के विरुद्ध, व्यक्ति के अधिकारों के पुनःस्थापन (enforcement) में असमर्थ हों, तब न्यायालय किसी अन्य आदेश आदेशादि की अवतारणा करने के लिये भी स्वतंत्र है। उपयुक्त मामलों में, यदि न्यायालय उचित समझे तो, वह घोषणाएँ करने के लिये भी स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय सीमा के अंतर्गत किसी भी अधिकारी के नाम आदेश, निर्देश अथवा आदेश जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के अधिकार उसकी क्षेत्रीय सीमा तक ही सीमित हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा निर्गमित (issued) आदेश अथवा आदेश, संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये अथवा 'अन्य किसी उद्देश्य के लिये' जारी किए जाते हैं। 'अन्य किसी उद्देश्य के लिये' इस अंश की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय 'अन्य विधिक अधिकारों' के प्रवर्तन के लिये ही कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि संवैधानिक तथा अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिये उच्च न्यायालय संभवतः अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। फलतः नैतिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।

संविधान की धारा ३२ के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, मूलभूत अधिकारों (fundamental rights) के उपभोग में बाधा प्रमाणित किए जाने के बाद न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये बाध्य है, जबकि दूसरी ओर उच्च न्यायालय संविधान की धारा २२६ के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय की शक्ति उसके विवेक के अधीन है तथा कतिपय अवसरों पर उसका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कथित आपत्तिजन्य अवैध कार्य द्वारा याचिकादाता (petitioner) को कोई प्रत्यक्ष हानि न होती हो तो उच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग न करने के लिये भी स्वतंत्र है। इसी प्रकार यदि याचिकादाता के लिये अन्य उपयुक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं, यदि वह अनयुक्त भावना से (with unclean hands) न्यायालय में उपस्थित होता है अथवा यदि वह अनावश्यक प्रमाद का दोषी है, तो इन दशाओं में साधारणतः न्यायालय याचिकादाता को अनुतोष (relief) प्रदान करना अस्वीकार कर देगा। न्यायालय दशाओं में भी हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर देगा जबकि वांछित हस्तक्षेप के परिणामहीन तथा अनावश्यक होने की संभावना हो। उन अवसरों की विस्तृत तालिका देना सर्वथा असंभव है जिन दशाओं में उच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करना अस्वीकार कर सकता है। प्रत्येक मामले की परिस्थिति, प्रकृति, उद्देश्य तथा शक्ति विस्तार को दृष्टिगत रखकर ही न्यायालय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा।

सामान्यतः मामले से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति ही सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों से उनकी शक्ति के प्रयोग की याचना कर सकता है किंतु यह नियम सर्वथा निरपवाद प्रतीत नहीं होता।

संविधानप्रदत्त मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन के लिये न्यायालय द्वारा जारी किए जानेवाले निर्देश, आदेश अथवा आदेश राज्य के नाम जारी किए जाते हैं। संविधान की धारा (१२) में राज्य की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि संसद् तथा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं राज्य विधान मंडल, भारतीय सीमांतर्गत स्थित अथवा भारतीय शासन के अधीनस्थ कार्य करनेवाले सभी स्थानीय अथवा अन्य अधिकारीगण (इस व्याख्या के अनुसार) राज्य की परिधि में आते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण (उच्च न्यायालय द्वारा) उस व्यक्ति विशेष के नाम भी जारी किया जा सकता है जिसकी अवैध हिरासत में कोई व्यक्ति बंदी हो। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के आधिकारिक कार्यों (official acts) के विरुद्ध कोई निर्देश, आदेश अथवा आदेश जारी नहीं किया जा सकता। संविधान की धारा ३२८ (ब) के अनुसार भारतीय संसद् अथवा राज्य-विधान-मंडल के निर्वाचन से संबंधित अधिकारी की चुनाव संबंधी आज्ञाओं में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी प्रकार संविधान की १२२ तथा २१२वीं धाराओं के अनुसार संसद् तथा विधानमंडलों के विरुद्ध, उनकी आंतरिक गतिविधियों के मार्ग में बाधा उपस्थित कर उनकी आंतरिक कार्यवाहियों की अनियमितता तथा वैधता अवैधता की जाँच के संबंध में कोई आदेश उच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता।

संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायालयों की शक्ति की समाप्ति अथवा उनमें न्यूनता केवल संविधान में संशोधन करने के पश्चात् ही की जा सकती है। अथवा संविधान की धारा ३५२ (१) के अनुसार आपातकालीन घोषणा के पश्चात् धारा ३५९ (१) के अनुसार राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों का न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन स्थगित कर सकता है। सारांश यह कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमणकाल में या देश की अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा खतरे में डालनेवाले किसी गृहसंकट के समय मूलभूत अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन स्थगित किया जा सकता है। पर ऐसे समय में भी उच्च न्यायालयों के अधिकार प्रवर्तन की शक्ति — मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति को छोड़कर — अक्षुण्ण रहती है।

इन आदेशों का नामकरण आंग्ल विधि पर आधारित है। उक्त

वायु को निश्चित करते हैं वे सर्वांगीय संवेदनाहरण कहते हैं। क्लोरोफार्म, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर इत्यादि प्रमाण सर्वांगीय संवेदनाहारी हैं। इनका कई बार कार्य में उपयोग होता है।

२. अवरोधक संवेदनाहरण (Blocking Anaesthesia) — इसमें मुख्यतः स्थानिक विष का निश्चित बनाकर वाया वाल की नसों के निकट तोड़ा इत्यादि की अनुभूति बाद बढ़कर मस्तिष्क तक पहुँच ही नहीं पाती।

संवेदनाहारी पदार्थों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए :

१. इनका सुखदायक प्रभाव कराया जा सके।

२. शीघ्र ही इनका प्रभाव समाप्त होने लगे।

३. कार्य हो चुकने के पश्चात् इनका प्रयोग बंद करने पर शीघ्र ही प्रभाव दूर होने लगे।

४. प्रभाव दूर हो चुकने पर, इनका कोई भी बुरा प्रभाव शरीर पर न रह जाए।

५. इनके द्वारा पूर्ण संवेदनाहरण तथा पेशियों का शिथिलन (relaxation of muscles) उत्पन्न हो।

६. घातक मात्रा (lethal dose) एवं चिकित्सीय मात्रा (therapeutic dose) में पर्याप्त अंतर हो, जिससे घातक प्रभाव होने की संभावना कम से कम रहे। इसी को सुरक्षा सीमा (Margin of safety) कहते हैं।

संवेदनाहारी के प्रयोग के पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :

१. रोगी की सुरक्षा एवं आराम — सर्वांग संवेदनाहरण के पश्चात् सदैव खतरे की संभावना रहती है।

२. रोगी की आयु तथा स्वास्थ्य।

३. शस्त्रकर्म की प्रकृति — जैसे फोड़ा चीरना, अस्थिभंग ठीक करना इत्यादि में स्थानिक संवेदनाहरण ही उपयुक्त है।

४. संवेदनाहरण के प्रयोग के पूर्व रोगी की परीक्षा — इसमें रोगी के हृदय, फुफ्फुस, यकृत तथा अन्य प्रधान अंगों की दशा जाँच लेनी चाहिए।

५. संवेदनाहरण के पूर्व की तैयारी — यदि केवल सर्वांगीय संवेदनाहरण देना हो, तो भोजन इत्यादि पर नियंत्रण करके पूर्व तैयारी की जाती है। अन्य किसी भी प्रकार के संवेदनाहरण में इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती।

भिन्न भिन्न संवेदनाहारी पदार्थ निम्नलिखित हैं :

१ क्लोरोफार्म (Chloroform) — सर्वांगीय संवेदनाहरण के लिये इसका प्रयोग सर्वाधिक रूप से होता चला आ रहा है। यह मीठी मीठी गंधवाला, वाष्पशील, रंगरहित द्रव है, जिसको विशेष उपकरण द्वारा रोगी को सुँघाकर बेहोश किया जाता है। सुँघाने पर यह द्रव श्वासमार्ग से रुधिर में चला जाता है और रुधिर से मस्तिष्क में पहुँचकर एवं वहाँ संचित होकर, अपना प्रभाव दिखाता है। निम्नलिखित चार अवस्थाओं में इसका प्रयोग होता है :

(क) विसंघटित चेतना की अवस्था (disorganised conciousness) में।

(ख) उन्मेष एवं [illegible] ([illegible] delirium) में।

(ग) [illegible] के लिए संवेदनाहरण ([illegible]) में।

(घ) [illegible] ([illegible] paralysis)

(३) नाइट्रस ऑक्साइड (Nitrous oxide) (Laughing gas) — इसका [illegible] में होता है।

(४) ईथर (Ether) — इसका [illegible] द्वारा [illegible] औषधि के रूप में उपयोग होता है।

(५) सोडियम हाइड्रोऑक्साइड (Sodium hydroxide) इसका भी स्थानिक संवेदनाहरण के रूप में प्रयोग होता है।

(६) पेन्टोथेल (Pentothal) तथा सोडियम पेन्टोथेल (Sodium pentothal) का भी स्थानिक संवेदनाहरण [illegible] उपयोग होता है। ([illegible])

संवैधानिक उपचार (Constitutional remedies) विभिन्नता अनेक अधिकार प्राप्त हैं। मनुष्य जाति, सभ्य [illegible] अधिकारों के प्रवर्तन के लिये अनेक विधिक उपायों (legal [illegible] की उद्घोषणा करती आई है। हमारे देश में विधिक [illegible] मूल विभाजन दो श्रेणियों में किया जा सकता है — (१) [illegible] (statutory) तथा (२) संवैधानिक (constitutional) उपचार। संवैधिक उपचार (statutory remedies) [illegible] द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा संवैधानिक उपायों का उद्गमस्थल [illegible] है। यहाँ हमारा विवेचन संवैधानिक उपायों तक सीमित है।

भारतीय संविधान का तृतीय खंड संविधान द्वारा [illegible] व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है। राज्य को [illegible] प्राप्त है कि समाज के कल्याण के लिये वह (राज्य) इन [illegible] उपयोग का विनियमन (regulate) करे। इन [illegible] अधिकारों में से अनेक अधिकार अन्य लिखित संविधानों [illegible] द्वारा भी स्वीकृत हैं। पर हमारा संविधान इस विषय में [illegible] है क्योंकि इन अधिकारों के प्रवर्तन (enforcement) के [illegible] भी उसमें स्पष्टतया निर्दिष्ट हैं। हमारे संविधान की धारा (१) यह उद्घोषणा करती है कि संविधान के तृतीय खंड [illegible] प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के [illegible] निर्धारित नियमानुसार याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। [illegible] प्रकार यह उपचार संविधान द्वारा प्रत्याभूत (guaranteed) [illegible] उक्त धारा की ही उपधारा (२) सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अधिकारों के प्रवर्तन के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश (writ of habeas corpus), परमादेश (mandamus), निषेधादेश (prohibition), अधिकारपृच्छा आदेश (quo warranto) तथा उत्प्रेषणादेश (certiorari) सहित किसी प्रकार का आदेश, निर्देश अथवा आदेश (writs, directions and orders) जारी कर सकता है। संविधान की धारा २२६ [illegible] राज्य के उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह [illegible] आदेश तथा आदेश का निर्गम (issuance) [illegible]

ते हों अथवा विधान के किसी ऐसे भ्रम से दूषित हों जो उनमें आदेशों में) स्पष्ट दिखाई पड़ते हों (apparent on the ce of the rcord) ।

अद्यावधि किसी ऐसी निर्भ्रम परीक्षणविधि की उद्भावना नहीं ो जा सकी है जिसके द्वारा हम कल्प न्यायिक कार्यवाही तथा प्रशा- निक कार्यवाही के बीच कोई विभाजक रेखा खींच सकें। केवल कल्प यायिक कार्यवाहियों से उत्पन्न आदेशों के विरुद्ध ही उत्प्रेषणादेश ारी किया जा सकता है, इसीलिये विभाजन की आवश्यकता उपस्थित ई है। स्थूल आधार पर कहा जा सकता है कि जब एक वर्गविशेष के व्यक्तियों को यह वैध शक्ति प्रदान की जाती है कि वे न्यायिक कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्तिविशेष के अधिकारों का निर्णय करें, उस दशा में उनकी कार्यवाही कल्पन्यायिक होगी (quasi judicial)। इसके विपरीत यदि किसी अधिकारी के निर्णय का मूल्यांकन उसकी नीति के आधार पर किया जाता है, उस दशा में वह कार्यवाही सामान्यतः प्रशासनिक कही जायगी किंतु सबलित अधि- कारी यदि साक्षी द्वारा सबलित प्रस्ताव (proposal) तथा आपत्ति (objection) के ही आधार पर किसी निर्णय पर पहुँचता है उस दशा में यह आवश्यक है कि अधिकारी न्यायिक पद्धति का अवलंबन करे। इस प्रकार की कार्यवाही अंततः कल्प-न्यायिक होगी, भले ही अंतिम निर्णय प्रशासनिक कहा जाय। कोई कार्यवाही कल्प-न्यायिक (quasi judicial) है या नहीं, इसका निर्णय अंततोगत्वा तीन बातों पर निर्भर होता है (१) वाद की प्रकृति, (२) संविधि, (३) अनुविध्यात्मक अधिकारी (Statutory authority) के अधिकार तथा कार्यपद्धति एवं तत्संबंधी अधिकारी के प्रतिष्ठापन से संबद्ध अन्य नियम।

उत्प्रेषण आदेश, किसी अधिकारी द्वारा दिए गए उस आदेश को ध्वस्त (quash) करने के लिये जारी किया जाता है जब कि अधिकारी का वाद विषय में व्यक्तिगत स्वार्थ हो, अथवा वाद विषय के पक्ष या विपक्ष के प्रति उसके मस्तिष्क में पूर्वाग्रह विद्यमान हो। केवल न्याय का होना ही पर्याप्त नहीं है अपितु आवश्यक है कि यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो कि न्याय किया गया। जब कोई आदेश, किसी अधिकारी द्वारा, दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही पारित कर दिया जाता है उस अवस्था में भी उत्प्रेषणादेश जारी किया जाता है।

उत्प्रेषण आदेश उस निर्णय को ध्वस्त करने के लिये भी जारी किया जाता है जिसका दोष उसमें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। "प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने" (manifest on the face of the record) की कोई निश्चित व्याख्या संभव नहीं किंतु इतना तो निश्चित है कि इस कथन की आड़ में न्यायालय अपील न्यायालयवत् आचरण नहीं करेगा।

जो निर्णय साक्षी द्वारा सबलित नहीं हैं, वे भी इस आदेश द्वारा ध्वस्त किए जा सकते हैं।

जहाँ न्यायिक अथवा कल्पन्यायिक (judicial or quasijudicial) अधिकारी, क्षेत्राधिकार तथा किसी दोषपूर्ण धारणा पर अपनी सीमा का बलात् अतिक्रमण कर कोई निर्णय देता है, वहाँ न्यायालय तद्विषयक तथ्यों की उपस्थिति की छानबीन भी कर सकता है अन्य साधारण दशाओं में न्यायालय साक्षी द्वारा संबलित निष्कर्षों हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रकारांतर से उल्लिखित साक्षी को न्यायालय उसी दशा में स्वीकृत करेगा जब यह सिद्ध होगा कि ध्वस्त निर्णय कपट द्वारा प्राप्त (obtained by fraud) था अथवा ऐसा करते हुए अधिकारसीमा का अतिक्रमण किया गया।

यह आदेश प्रकृत्या नहीं किंतु आधिकारिक रूप से जारी किया जाता है और न्याय की पूर्ति के लिये (exdebito justitiae), कार्यसीमा का अतिक्रमण अथवा प्राकृतिक न्यायपद्धति की अवहेलना से पीड़ित पक्ष की याचिका पर जारी किया जाता है। [सु० ना० त्रि०]

संशयवाद (Scepticism) जैसा 'श्री शिवादित्य ने सप्तपदार्थी' नामक ग्रंथ में लिखा है (अनवधारणं ज्ञानं संशयः) संशय अनिश्चित ज्ञान या संदिग्ध अनुभव को कहते हैं। तर्कसंग्रह के अनुसार संशय वह ज्ञान है जिसमें एक ही पदार्थ अनेक विरोधी धर्मों या गुणों से युक्त प्रतीत होता है (एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मावेशिशुद्धाबगाहिज्ञानं संशयः)। उदाहरणार्थ, जब हम अँधेरे में किसी दूरस्थ स्तंभ को देखकर निश्चित रूप से यह नहीं जान पाते कि वह स्तंभ है तो हमारा मन दोलायमान हो जाता है और हम उस एक ही पदार्थ में स्तंभत्व एवं मनुष्यत्व दो विभिन्न धर्मों का आरोप करने लगते हैं। न तो हम निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं कि वह पदार्थ स्तंभ है और न यह कि वह मनुष्य है। मन की ऐसी ही विप्रतिपत्तियुक्त, द्विविधाग्रस्त, निश्चयरहित या विकल्पात्मक अवस्था को संशय कहा जाता है। यह अवस्था न केवल ज्ञानाभाव तथा (रज्जु में सर्प के) भ्रम या विपरीत ज्ञान (विपर्यय) से ही किंतु यथार्थ निश्चित ज्ञान से भी भिन्न होती है। अतः संशयवाद नामक सिद्धांत के अनुसार निश्चित ज्ञान अथवा उसकी संभावना का निषेध किया जाता है। इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से माननेवाले व्यक्तियों के विचारानुसार मानव को कभी भी और किसी भी प्रकार का वास्तविक या निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। संशयवादियों की राय में हमारे मस्तिष्क या मन की बनावट ही ऐसी है कि उसके द्वारा हम कभी भी संसार के या उसके पदार्थों के सही स्वरूप को अवगत कर सकने में समर्थ नहीं हो सकते।

संशयवाद को आंग्ल भाषा में स्कैप्टिसिज्म (Scepticism) कहते हैं। स्कैप्टिसिज्म का श्रीगणेश ईसा के पूर्व सन् ४४० में यूनान देश के सोफिस्ट (Sophists) कहलानेवाले तर्कप्रधान व्यक्तियों से हुआ बतलाया जाता है। परंतु उनका संशयवाद सामान्य कोटि का था। सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में तो इसका प्रारंभ ऐलिस (Elis) के पिरो (Pyrrho) नामक प्रख्यात विचारक से, ईसा के तीन सौ वर्ष पूर्व, हुआ। पिरो ने वास्तविक ज्ञान को स्पष्ट शब्दों में असंभव बतलाया है। फिलियस का टाइमन (Timon of Philius 250 B C) उसका प्रमुख शिष्य था। पिरो के पृष्ठ अनुयायियों ने तो, विशेष सेक्सटस ऐंपरीकस (Sextus Empiricus) का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है, संशयवादी विचार को इस सीमा तक विकसित किया कि वे स्वयं इस बात को भी संशय की दृष्टि से देखने लगे। इस संशयवादियों के अनुसार इन्द्रियों और विवेकों से समुद्भूत हमारे सारे ही दुःखों की उत्पत्ति

आदेशों में सर्वोच्च महत्वपूर्ण है बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश (Writ of Habeas Corpus)। इसका शाब्दिक अर्थ है 'बंदी को व्यक्तिशः न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय'। यह आदेश किसी व्यक्तिविशेष अथवा कारागार की हिरासत में निरुद्ध (detained) बंदी के स्वतंत्र-स्वातंत्र्य की सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण अस्त्र है। इस आदेश द्वारा न्यायालय बंदी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित किए जाने का आदेश देता है और उसके निरोध (detention) के कारणों की सुनवाई करता है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बंदी का निरोध (detention) अवैध तथा अनौचित्यपूर्ण (improper) है, तो उस दशा में उसे निर्मुक्त (free) कर दिया जाता है।

इस आदेश का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण (international extradition) की वैधता की जाँच, समाज द्रोह अथवा कोलेना द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्तियों की निर्मुक्ति, विदेशियों के देश से निष्कासन या निर्वासन को रोकने, तथा कारागार अथवा व्यक्ति विशेष की हिरासत में अवैध रूप से निरुद्ध (detained) व्यक्ति की निर्मुक्ति के लिए होता है।

यह आदेश न्यायालय द्वारा आधिकारिक (as of right) रूप से जारी किया जाता है किन्तु यह इसे प्रत्यक्ष जारी नहीं करता (not as of course)। आदेश के जारी किये जाने की स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है जब कि प्रार्थी हलफनामे (affidavit) द्वारा संबंधित याचिका में यह प्रदर्शित करे कि उसका निरोध अवैध तथा अनुचित है। याचिका स्वयं प्रार्थी द्वारा अथवा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

निरोध की वैधता को छानबीन बंदी के निरोधक (person detaining) द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की विधि की भी जाती है।

परमादेश (mandamus) का अर्थ है 'हमारा आदेश है।' मान्य-देश में परमादेश न्यायालय के 'वरीय बेंच डिवीजन' द्वारा किसी अधिकारी, निगम अथवा नीचे की अदालतों के नाम जारी किया जाता है। इसमें इस बात की स्पष्ट आज्ञा होती है कि 'आदेश में निर्दिष्ट कार्य का यथोचित संपादन किया जाय क्योंकि यही उसका (अधिकारी, निगम या न्यायालय का) नियतकर्म अथवा कर्तव्य है।'

आदेश में निर्दिष्ट आज्ञा किसी कार्य के किए जाने अथवा उससे विरत होने से संबद्ध होती है। यह आदेश एक सामान्य वैधिक कर्तव्य के प्रवर्तन (enforcement) के लिये जारी किया जाता है, और इसका प्रयोग प्रसंविदाजन्य कर्तव्यों (contractual obligations) के प्रवर्तन के लिये नहीं होता। इसका प्रयोग वहाँ भी नहीं किया जाता जहाँ इष्ट कार्य किसी अधिकारी के विवेक (discretion) पर निर्भर होता है। किन्तु उस अवस्था में जब विवेकाधिकार किसी कर्तव्य के साथ संलग्न हो, न्यायालय उसके संपादन के लिये आदेश दे सकता है। किन्तु, यदि अधिकारीविशेष अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय किन्हीं अनावश्यक विषयों पर ध्यान देता है अथवा आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान नहीं देता तो इन दशाओं में न्यायालय उक्त अधिकारी के आदेश को रद्द करते हुए उस विषय पर पुनर्विचार करने का आदेश दे सकता है। परमादेश उस अवस्था में भी जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने [illegible] का अतिक्रमण अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है।

यह आदेश न तो अधिकार जारी किया जाता है और न वैधिक रूप से ही (neither as of right nor as of course)। यह उसी अवस्था में जारी किया जाता है जब कि [illegible] दुष्ट व्यक्ति हलफनामे द्वारा संबंधित याचिका में इसके जारी किए जाने के लिये उपयुक्त कारण निर्दिष्ट करे। यह आदेश उस अवस्था में नहीं किया जाता जब याचिकादाता के समक्ष कोई अन्य तथा वैकल्पिक मार्ग हो। याचिकादाता के लिए यह भी आवश्यक है कि याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व उसने उपयुक्त [illegible] के समक्ष अथवा दावा प्रस्तुत कर अनुतोष के लिये प्रार्थना [illegible] तथा वह दावा या तो अस्वीकार कर दिया गया अथवा उसे [illegible] स्वीकृत हो जाने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस के पालन पर न्यायालय, उस अवस्था में विशेष बल नहीं देता यह समझ कि संबंधित अधिकारी से की गई अनुतोष (relief) की माँग का निष्फल होना अवश्यम्भावी है।

निषेधादेश (Prohibition) निम्नतर न्यायालयों, न्यायाधिकरणों अथवा न्यायिक कल्प अधिकारियों (quasi judicial authorities) के नाम जारी कर उन्हें अपनी अधिकारसीमा के उल्लंघन से [illegible] होने अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों (rules of natural justice) की अवहेलना न करने का आदेश दिया जाता है। उदाहरणार्थ इस आदेश द्वारा किसी न्यायाधीश को उस वाद विशेष की सुनवाई से विरत रहने का आदेश दिया जा सकता है जिसमें न्यायाधीश का व्यक्तिगत स्वार्थ संलग्न हो। निषेधादेश उस अवस्था में भी जारी किया जा सकता है जब याचिकादाता के समक्ष वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी न्यायाधीश द्वारा किया गया सीमोल्लंघन स्पष्ट हो।

अधिकारपृच्छा आदेश (writ of quo warranto), सार्वजनिक अधिकारी के पद पर आसीन व्यक्ति के नाम जारी कर उससे प्रश्न किया जाता है कि किन प्रमाणों के द्वारा वह उस पद पर आसीन रहने के अधिकार का समर्थन करता है, और किन प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित किया जाय कि उस पद पर आसीन रहने का वास्तविक अधिकार उसे प्राप्त है।

यह आदेश प्रत्यक्ष जारी नहीं किया जाता। इसे जारी करने के पूर्व न्यायालय याचिकादाता के चरित्र और लक्ष्य की जाँच भी कर सकता है।

उत्प्रेषणादेश (Certiorari) निषेधादेश की ही भाँति एक अत्यन्त प्राचीन आदेश है जिसके द्वारा आज न्यायालय का 'वरीय बेंच डिवीजन' न्यायाधिकरणों तथा कल्प न्यायाधिकरणों की कार्यवाहियों को नियंत्रित किया करता था। इस विचित्र नामकरण का रहस्य यह है कि इसके लैटिन प्रारूप के लिये यह आवश्यक था कि अन्वेषणीय कार्यवाहियों को सम्राट्‌ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उनका 'वरीय बेंच डिवीजन द्वारा' प्रमाणीकरण हो जाय।

उत्प्रेषणादेश तभी जारी किए जाते हैं जब कि न्यायाधिकरण अथवा कल्प न्यायाधिकरण के आदेश उनकी अधिसीमा का अतिक्रमण करते हों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना

संसद् (पार्लमेंट) संसद् अंग्रेजी के पार्लमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है। पार्लमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत या वादविवाद अथवा वह संस्था या सभा जहाँ सार्वजनिक विषयों पर वादविवाद करके निर्णय किया जाय; परंतु लगभग ७०० वर्षों से यह शब्द एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है, अर्थात् प्रधानतया वह ब्रिटेन के विधानमंडल का नाम बन गया है। जिन देशों ने ब्रिटेन की शासनपद्धति का अनुसरण किया है, उनके विधानमंडलों को भी सामान्यतः पार्लमेंट या संसद् ही कहा जाता है। इस प्रकार फ्रांस, स्वीडन, नारवे आदि के विधानमंडलों को भी पार्लमेंट कहते हैं। भारतीय गणतंत्र का संविधान भी अधिकांश में ब्रिटिश प्रणाली ही का है, अतः यहाँ के सर्वोच्च संघीय विधानमंडल को भी पार्लमेंट या संसद् की संज्ञा दी गई है। संसदीय शासन का मूलभूत लक्षण है कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व, तथा कार्यपालिका के प्रमुख अंग, अर्थात् मंत्रिमंडल में संसद् के सदस्यों ही का सम्मिलित होना। जिन देशों में कार्यपालिका विधानमंडल से स्वतंत्र और अलग होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमरीका में, वहाँ के विधानमंडल को संसद् या पार्लमेंट न कहकर कांग्रेस, असेंबली, सभा या किसी ऐसे ही अन्य नाम से सूचित किया जाता है।

विकास — ब्रिटिश पार्लमेंट या संसद् के विकास का लगभग १००० वर्षों का शृंखलाबद्ध इतिहास है, परंतु भारतीय संसद् अपेक्षाकृत नवीन संस्था है। यों तो वैदिक काल में भी "सभा" और "समिति" नामक राजकीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो उस समय के राज्यों में आजकल की संसद् ही से मिलते जुलते कुछ काम करती थीं, और रामायण तथा महाभारतकाल में पौर और जानपद नामक सभाओं की चर्चा मिलती है जो डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल सरीखे विद्वानों के मतानुसार आजकल की संसदों की भाँति ही कार्य करती थीं, परंतु भारतीय इतिहास के प्राचीन युग के उपरांत इस प्रकार की सभाओं के विकास की शृंखला टूट सी जाती है। मध्यकालीन भारत में राज्य के स्तर पर इस प्रकार की सभाओं का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। फिर तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद से ही भारत के केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विकास प्रारंभ होता है जिसकी परिणति स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत वर्तमान भारतीय संसद् की स्थापना में हुई।

इस विकास के मुख्य मुख्य सोपानों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। १७७३ ई० का रेगुलेटिंग ऐक्ट ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन का नियमन करने का प्रथम प्रयत्न था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को कंपनी के अधिकारगत भारतीय भूभागों का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिये चार सदस्यों की एक समिति स्थापित की गई। गवर्नर जनरल और इस समिति को बंगाल प्रेसीडेंसी के लिये कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया। पर इन कानूनों को 'रेगुलेशन' या नियम कहा जाता था। बंबई और मद्रास के गवर्नरों के साथ भी इसी प्रकार की समितियाँ जुड़ी थीं, और उन भूभागों के लिये कानून या रेगुलेशन उन्हीं के द्वारा बनाए जाते थे। ब्रिटिश काल्पीन भारत में इस प्रकार विधानमंडलों और विधेयन का प्रथम सूत्रपात हुआ। वास्तव में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अथवा गवर्नरों और उनकी काउंसिलों को विधानमंडल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन मुख्य कार्य कार्यपालिका संबंधी थे, परंतु उन्हें 'रेगुलेशन' अर्थात् कानून की ही भाँति के नियम बनाने का अधिकार था, और वा के पृथक् विधानमंडल उन्हीं से विकसित हुए। अतः वर्तमान भारतीय विधानमंडलों का बीज उन्हीं में निहित था, ऐसा मानना पड़ता है।

पिट के इंडिया ऐक्ट (१७८४) के द्वारा गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई। १७९३ और १८१३ ई० के चार्टर ऐक्ट द्वारा इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु १८३३ ई० का चार्टर ऐक्ट भारतीय विधानमंडल के विकास में दो कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान में, इस ऐक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की समिति में एक चतुर्थ सदस्य विधि सदस्य ('ला मेंबर') जोड़ दिया गया जो इसकी बैठकों में कानून बनाने के समय ही भाग लेता था। इस प्रकार कार्यपालिका से विधानमंडल की पृथक्ता का प्रारंभ हुआ। दूसरे, मद्रास और बंबई प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया और गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को समस्त ब्रिटिश भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार मिला। इस प्रकार एक अखिल भारतीय विधानमंडल की नींव पड़ी। १८५३ के चार्टर ऐक्ट द्वारा कानून के निर्माण के लिये गवर्नर जनरल की काउंसिल में छह और सदस्य जोड़ दिए गए, और इस प्रकार १२ सदस्यों की एक विधानपरिषद् बन गई। इसके सभी सदस्य सरकारी कर्मचारी ही होते थे। गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट १८५८ से भारतीय शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सम्राट् को सौंप दिया गया, परंतु इससे विधानपरिषद् के आकार प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इंडियन काउंसिल ऐक्ट १८६१ के द्वारा इस समिति में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रथम तो १८५३ की १२ सदस्योंवाली विधानपरिषद् सरकारी कर्मचारियों से बनी होने पर भी ब्रिटिश पार्लमेंट की ही भाँति शासन का नियंत्रण करने का दावा करने लगी थी। अतः अब यह नियम बना दिया गया कि यह परिषद् विधिनिर्माण के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न कर सके। दूसरे, १८५७ के 'सिपाही विद्रोह' से यह स्पष्ट हो गया था कि सरकारी अफसरों से बनी परिषद् से सरकार को जनता के विचारों तथा गतिविधि का पता नहीं चल सकता। अतः अब विधानपरिषद् में ६ से १२ तक और सदस्य जोड़ दिए जाने की व्यवस्था की गई जिनमें से आधे गैर सरकारी भारतीय भी हो सकते थे। इस प्रकार विधानपरिषद् में भारतीयों के प्रवेश का सूत्रपात हुआ। इसी काल में देश में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ और १८८५ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसने अपने प्रथम अधिवेशन में ही विधानपरिषदों के विस्तार और सुधार की माँग की। फलस्वरूप इंडियन काउंसिल ऐक्ट १८९२ बनाया गया। केंद्रीय विधानपरिषद् के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर १० से १६ तक कर दी गई जिनमें कम से कम १० का गैर सरकारी होना आवश्यक था। ये सदस्य कलकत्ता चेंबर ऑव कामर्स और प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों

पदार्थ विषयक हमारे परामर्शों की प्रमाणिकता से ही होती है। मध्यकालीन पाश्चात्य संशयवादियों में पैस्कल (Pascal) तथा आधुनिक संशयवादियों में ह्यूम (David Hume) अधिक प्रसिद्ध हैं। पैस्कल का कहना था कि संसार सम्बंधी कोई भी निश्चित या संतोषप्रद सिद्धांत बुद्धि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, और ह्यूम महोदय ने हमारे जानने की क्षमता को केवल आनुभविक क्षेत्र तक ही सीमित बतलाया है। उनके अनुसार मनुष्य को अपने ऐंद्रिय अनुभव के बाहर की बात जानने या कहने का कोई अधिकार नहीं। कोई कोई विचारसमीक्षक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट को भी संशयवादियों में शामिल कर लेते हैं; परंतु उन्हें संशयवादी न कहकर अज्ञेयवादी (Agnostic) कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उन्होंने वस्तुओं के वास्तविक या पारमार्थिक स्वरूप (Noumena) को अज्ञेय या बुद्धि द्वारा अगम्य बतलाया है, संदेहास्पद नहीं। और कम से कम कार्यजगत् (phenomena) को समझ सकने की क्षमता तो उन्होंने बुद्धि में मानी ही है।

भारतवर्ष के कुछ संशयवादियों का उल्लेख 'सामञ्ञफलसुत्त' आदि कुछ बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। उदाहरणार्थ, अजितकेसकंबली नामक एक विचारक का कहना था कि यथार्थ ज्ञान कभी संभव नहीं, और गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज में प्रकाशित 'तत्त्वोपप्लवसिंह' नामक पांडुलिपि के लेखक श्री जयराशि ने किसी भी प्रमाण को, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष प्रमाण को भी, असंदिग्ध ज्ञान का साधन नहीं माना। कभी कभी कुछ लोग 'स्यादस्ति स्यान्नास्ति' आदि शब्दों द्वारा प्रतिपादित जैन दर्शन के स्याद्वाद को भी संशयवाद समझने लगते हैं। परंतु वस्तुतः स्याद्वाद प्रतिपादित 'स्यात्' शब्द का प्रयोग तत्तद् वाक्य की संदिग्धता (अथवा असत्यता) का नहीं किंतु उसके सत्य की सापेक्षता का द्योतक है। स्याद्वाद को परामर्शों या निर्णयों का सत्यत्व, परिस्थिति एवं प्रसंगानुकूल, स्वीकार्य है।

चाहे संशयवादी स्वयं कुछ भी कहें, संशय की मानसिक अवस्था कोई सुख की अवस्था नहीं होती ('न सुखं संशयात्मनः' गीता, अ० ४, श्लोक ४०)। और पूर्ण रूप से संशयवादी होना अत्यंत कठिन ही नहीं, किंतु असंभव है।

स्वयं संशयवाद की स्वीकृति ही उसकी मान्यता का खंडन कर देती है। यदि किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता, तो फिर यह निश्चय रूप से कैसे कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान संभव नहीं। या तो संशयवाद की मान्यता असमीचीन है या फिर स्वयं संशयवाद 'वस्तोर्व्याघात दोष' से दूषित सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, हमारे व्यावहारिक जीवन का एक एक कार्य तत्संबंधी पदार्थ या व्यक्ति के निश्चित ज्ञान की मान्यता पर निर्भर रहता है। वह संशयवाद को पूर्णतया मान लेने पर चल ही नहीं सकता। इसीलिये तो श्रीमद्भगवद्गीता में 'ब्रह्मात्मा विनश्यति' आदि शब्दों द्वारा संशयवाद को अशास्त्र ठहराया है। परंतु साथ ही साथ, यह मानने से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अतीन्द्रिय परोक्षतत्त्व मान्यताओं की सत्य [illegible] के विषयों के विषय में वाधा डालती है। अतः कभी [illegible] के कारण उपस्थित शंकाओं को संदेह की दृष्टि [illegible] के लिये घातक हो जाता है जैसा [illegible] आचार्य श्री [illegible] सिद्ध ने कहा है, संशय [illegible] जन्म देता है (विज्ञाता संशयस्य [illegible]) और विज्ञाता के लिये वांछनीय है ही। और कांट महोदय की यह [illegible] के संशयवाद ने मुझे वैचारिक [illegible] की विद्या से बचा [illegible] सत्य को प्रमाणित करती है। परंतु बुद्धि या मन को [illegible] रंग से पूर्णतया रँग लेना और प्रत्येक बात पर संदेह [illegible] वैसा ही है जैसा हाथों में मैल न होने पर भी किसी [illegible] उनका सतत और निरंतर धोया जाना। [रा० सिं०

संशोधन तथा समर्थन विधायिनी सभा में किसी वि[illegible] परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को [illegible] कहते हैं। सभा या समिति के प्रस्ताव के संशोधन की क्रिया के लि[illegible] इस शब्द का प्रयोग होता है। किसी भी देश का संविधान कि[illegible] सावधानी से बना हुआ हो किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सी[illegible] हुई है। भविष्य में आनेवाली और बदलनेवाली सभी परिस्थि[illegible] कल्पना वह संविधान के निर्माणकाल में नहीं कर सकता। राष्ट्रीय परिस्थितियों की गुत्थियों के कारण भी संविधान में [illegible] परिवर्तन करना वांछनीय एवं आवश्यक हो जाता है।

संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिखित सं[illegible] का आवश्यक अंग माना गया है। यार्नर के शब्दों में 'कोई भी लि[illegible] संविधान इस प्रकार के उपबंधों के बिना अपूर्ण है'। सं[illegible] के गुणावगुण परखने की कसौटी भी संशोधन की प्रक्रिया [illegible] प्रक्रिया सरल है अथवा कठोर है। कुछ देशों के संविधान [illegible] संशोधन विधिनिर्माण की साधारण प्रक्रिया के अनुसार ही [illegible] है। ऐसे संविधानों को नमनीय या सरल संविधान कहते [illegible] इस प्रकार के संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड का सं[illegible] है। कुछ संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया के लिये एक वि[illegible] प्रक्रिया का आलंबन किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल एवं [illegible] होती है। ऐसे संविधान जटिल या अनमनीय संविधान कह[illegible] हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान ऐसे संविधानों का सर्वो[illegible] उदाहरण है। भारतीय गणतंत्र संविधान के संशोधन का कुछ [illegible] नमनीय है और कुछ अंश की अनमनीय प्रक्रिया है। इन दो विधियों को ग्रहण करने से देश के मौलिक सिद्धांतों का पोषण हो[illegible] और संविधान में परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होने [illegible] प्रेरणाशक्ति भी होगी।

समर्थन

साधारणतया किसी सभा या समिति में किसी भी सदस्य [illegible] अपना मत प्रकट करने या कोई प्रस्ताव प्रेषित करने का अधिका[illegible] होता है। या जब किसी सभा के सदस्यों को सभा के विभि[illegible] पदों के लिये अलग अलग व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिका[illegible] होता है, तब मनोनीत करनेवाले सदस्य के कार्य की पुष्टि दूसरे सदस्य के द्वारा होना अनिवार्य होता है। अतः एक सदस्य जब किसी प्रस्ताव को प्रेषित करता है या किसी सदस्य को किसी कार्य के लिये मनो[illegible]नीत करता है, तब इस कार्य को संवैधानिक बनाने के लिये दूसरे सदस्य को इस कार्य का समर्थन या अनुमोदन करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उपयुक्त कार्य वैधानिक नहीं माने जायेंगे और वे कार्य शून्य घोषित किए जायेंगे। [मु० वे०]

आवश्यक हो तो जुलाई से अगस्त या सितंबर तक ग्रीष्म सत्र
या जा सकता है।

स्थगन, विसर्जन और विघटन — प्रत्येक दिन की बैठक से दूसरे
बैठक तक काम बंद करने को स्थगन कहते हैं और यह
अध्यक्ष करता है। सत्र के अंत के विराम को विसर्जन तथा
की अवधि पूरी होने या दूसरे कारण से लोकसभा को भंग
को विघटन कहते हैं विघटन के उपरांत पुनः निर्वाचन
। विसर्जन और विघटन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है।

नेक कार्यक्रम — निर्वाचन के उपरांत नई संसद् के सदस्य
को शपथ लेते और सदस्यसूची में अपने हस्ताक्षर करते
पश्चात् लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर नियत
या समय पर दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के भाषण के
कत्र होते हैं। इस भाषण में देश की स्थिति, विदेशी संबंध,
की नीति तथा वर्तमान सत्र में होनेवाले कार्यों का संक्षिप्त
रहता है। इसके उपरांत दूसरे दिन राष्ट्रपति को धन्यवाद
ताव प्रस्तुत होता है और पर्याप्त वादविवाद के उपरांत वह
होता है। यदि वह प्रस्ताव पारित न हो सके तो यह मंत्रि-
अविश्वास का सूचक है।

नेक दिन की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने का है। शासन
क मंत्री या उपमंत्री से उसके विभाग के संबंध का कोई भी
छा जा सकता है। उत्तर पर्याप्त न हो तो पूरक प्रश्न भी पूछे
। प्रश्न के घंटे के बाद कोई भी सदस्य किसी आवश्यक
नेक महत्व के विषय पर वादविवाद के लिये कार्यस्थगन का
उपस्थित कर सकता है। उसके उपरांत कार्यक्रम के अनुसार
स्ताव, विधेयक, वक्तव्य या अन्य कार्य प्रारंभ किए जाते हैं।
का अधिकांश समय विधेयकों के पारित करने में ही लगता है,
दा कदा शासन के नीति संबंधी वक्तव्य या किसी महत्वपूर्ण
र वादविवाद भी होते हैं।

विकांश कार्य सरकारी ही होता है जैसे मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत
क, प्रस्ताव, या अन्य कार्य, परंतु प्रति सत्र में कुछ दिन गैर
री कार्य के लिये भी नियत कर दिए जाते हैं जिनमें
य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों या प्रस्तावों पर विचार
।

विशेषाधिकार तथा विमुक्तियाँ — संसद् में कही गई
लिये किसी सदस्य पर अभियोग नहीं चलाया जा
में और उसके ४० दिन पूर्व और ४० दिन उपरांत
मामले में सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा
बनने या गवाही देने को बाध्य नहीं किया

के अतिरिक्त संसद् के भी विधेया-
तक संसद् अन्यथा निर्णय न करे,
उन मामले सभा के हैं। इनमें के
न की स्वतंत्रता, अपनी बैठकों से
बाहरी लोगों को निकाल बाहर करने का अधिकार, अपने आ
रिक मामलों एवं कार्यवाही के निर्णय करने का अधिकार और
बातों से न्यायालयों के हस्तक्षेप से विमुक्ति (सिवाय अपराध
मामलों में), संसद् में दुर्व्यवहार करनेवालों को दंड देने का अधिका
और अपने विशेषाधिकारों या विमुक्तियों को भंग करनेवाल
को उसी प्रकार दंड देने का अधिकार जैसे न्यायालय अपने अपमान
के लिये दंड देते हैं। ये दंड सदस्यों को भी दिए जाते हैं औ
बाहरी लोगों को भी, और तीन प्रकार के हैं अर्थात् अध्यक्ष द्वारा
डाँट फटकार अथवा बलपूर्वक सदन के समक्ष लाकर फिर डाँट
फटकार, अथवा कैद। कैद के दंड की यदि पहले ही समाप्ति न हो
चुकी हो, तो सत्रावसान पर समाप्ति हो जाती है।

सदनीय विशेषाधिकारों का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, इसके
निर्णय के लिये संसद् के १५ सदस्यों की एक विशेषाधिकार
समिति है।

सदस्यों के वेतन और भत्ते — १९५४ के एक कानून द्वारा
संसद् सदस्यों को ४०० रुपया मासिक वेतन, और २१ रुपया प्रतिदिन
भत्ता मिलता है। भत्ता उन्हीं दिनों का मिलता है जब वे सरकारी
कार्य के लिये दिल्ली में रहे। इनके अतिरिक्त उन्हें रेलयात्रा का
प्रथम श्रेणी का पास भी मिलता है जिससे वे देश में कहीं भी यात्रा
कर सकें।

संसद् और न्यायालय — न्यायालयों के विचाराधीन किसी
विषय पर संसद् में वादविवाद नहीं किया जा सकता और न
संसद् किसी न्यायाधीश के कार्य की आलोचना कर सकती है, सिवाय
उस दशा के जब किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने का प्रश्न उसके
सामने हो। न्यायालय भी संसद् की किसी कार्यवाही को नियम-
विरुद्धता के आधार पर दोषयुक्त नहीं ठहरा सकते, और न अध्यक्ष
आदि के किसी निर्णय पर आपत्ति कर सकते हैं।

संसद् की भाषा — पार्लमेंट की कार्यवाही की दो भाषाएँ
हैं, हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी का प्रयोग प्रथम १५ वर्षों के लिये
ही रखा गया था, परंतु संविधान के १९६३ के एक संशोधन द्वारा
उसकी अवधि अनिश्चित काल के लिये बढ़ा दी गई है। यदि कोई
इन दोनों भाषाओं से अनभिज्ञ हो तो सदन के अध्यक्ष उसे अपनी
मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। विधेयकों, कानूनों,
नियमों आदि की भाषा भी हिंदी और अंग्रेजी ही है।

संसद् की समितियाँ — संसद् के सदन आकार में बड़े होने
के कारण उनमें किसी विषय की विस्तृत छानबीन नहीं हो सकती।
सभी सदस्य सभी विषयों का ज्ञान अथवा उनमें रुचि भी नहीं रखते।
अतः कार्यसंचालन की सुविधा के लिये प्रत्येक संसद् में बहुत सी
अपेक्षाकृत छोटी छोटी समितियाँ होती हैं। भारतीय संसद् की
निम्नलिखित ११ समितियाँ हैं—

१. कार्यवाही परामर्श समिति — लोकसभा का अध्यक्ष इसका
अध्यक्ष होता है। यह सदन के कार्यक्रम को निश्चित करने में
परामर्श देती है। २. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्ताव-
वाली समिति — इसका कार्य गैर सरकारी विधेयकों और प्रस्तावों की

पदार्थ विषयक हमारे परामर्शों की अप्रामाणिकता से ही होती है। मध्यकालीन पाश्चात्य संशयवादियों में पैस्कल (Pascal) तथा आधुनिक संशयवादियों में ह्यूम (David Hume) अधिक प्रसिद्ध हैं। पैस्कल का कहना था कि संसार संबंधी कोई भी निश्चित या संतोषप्रद सिद्धांत बुद्धि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, और ह्यूम महोदय ने हमारी जानने की क्षमता को केवल आनुभविक क्षेत्र तक ही सीमित बतलाया है। उनके अनुसार मनुष्य को अपने ऐंद्रिय अनुभव के बाहर की बात जानने या कहने का कोई अधिकार नहीं। कोई कोई विचारसमीक्षक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट को भी संशयवादियों में शामिल कर लेते हैं; परंतु उन्हें संशयवादी न कहकर अज्ञेयवादी (Agnostic) कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उन्होंने वस्तुओं के वास्तविक या पारमार्थिक स्वरूप (Noumena) को अज्ञेय या बुद्धि द्वारा अगम्य बतलाया है, संदेहास्पद नहीं। और कम से कम कार्यजगत् (phenomena) को समझ सकने की क्षमता तो उन्होंने बुद्धि में मानी ही है।

भारतवर्ष के कुछ संशयवादियों का उल्लेख 'सामञ्ञफलसुत्त' आदि कुछ बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। उदाहरणार्थ, अजितकेसकंबली नामक एक विचारक का कहना था कि यथार्थ ज्ञान कभी संभव नहीं, और गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज में प्रकाशित 'तत्त्वोपप्लवसिंह' नामक पांडुलिपि के लेखक श्री जयराशि ने किसी भी प्रमाण को, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष प्रमाण को भी, असंदिग्ध ज्ञान का साधन नहीं माना। कभी कभी कुछ लोग 'स्यादस्ति स्यात् नास्ति' आदि शब्दों द्वारा प्रतिपादित जैन दर्शन के स्याद्वाद को भी संशयवाद समझने लगते हैं। परंतु वस्तुतः स्याद्वाद प्रतिपादित 'स्यात्' शब्द का प्रयोग तत्तत् वाक्य की संदिग्धता (अथवा असत्यता) का नहीं किंतु उसके सत्य की सापेक्षता का द्योतक है। स्याद्वाद को परामर्शों या निर्णयों का सत्यत्व, परिस्थिति एवं प्रसंगानुकूल, स्वीकार्य है।

चाहे संशयवादी स्वयं कुछ भी कहें, संशय की मानसिक अवस्था कोई सुख की अवस्था नहीं होती ('न सुखं संशयात्मनः' गीता, अ० ४, श्लोक ४०)। और पूर्ण रूप से संशयवादी होना अत्यंत कठिन ही नहीं, किंतु असंभव है।

स्वयं संशयवाद की स्वीकृति ही उसकी मान्यता का खंडन कर देती है। यदि किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता, तो फिर यह निश्चय रूप से कैसे कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान संभव नहीं। या तो संशयवाद की मान्यता असमीचीन है या फिर स्वयं संशयवाद 'वदतोव्याघात दोष' से दूषित सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, हमारे व्यावहारिक जीवन का एक एक कार्य तत्संबंधी पदार्थ या व्यक्ति के निश्चित ज्ञान की मान्यता पर निर्भर रहता है। यह संशयवाद को पूर्णतया मान लेने पर चल ही नहीं सकता। इसीलिये तो श्रीमद्भगवद्गीता में 'संशयात्मा विनश्यति' आदि शब्दों द्वारा संशयवाद को अग्राह्य ठहराया है। परंतु, साथ ही साथ, यह मानने से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपरीक्षित परंपरागत मान्यताओं की अंध स्वीकृति भी विचारों के विकास में बाधा डालती है। अतः कभी कभी सामान्य रूप से स्वीकृत तथाकथित सत्यों को संदेह की दृष्टि से देखना भी ज्ञानवृद्धि के लिये आवश्यक हो जाता है जैसा भामतीकार श्री वाचस्पति मिश्र ने कहा [illegible] जन्म देता है (जिज्ञासा संशयस्य कार्यम्) [illegible] के लिये वांछनीय है ही। और कांट महोद[illegible] के 'संशयवाद ने मुझे वैचारिक रूढ़ियों की [illegible] सत्य को प्रमाणित करती है। परंतु बुद्धि [illegible] रंग से पूर्णतया रँग लेना और प्रत्येक बात [illegible] वैसा ही है जैसा हाथों में मैल न होने पर [illegible] उनका सतत और निरंतर धोया जाना।

संशोधन तथा समर्थन विधायिनी सभा [illegible] परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की [illegible] कहते हैं। सभा या समिति के प्रस्ताव के संशोधन [illegible] इस शब्द का प्रयोग होता है। किसी भी देश का [illegible] सावधानी से बना हुआ हो किंतु मनुष्य की कल्पना [illegible] हुई है। भविष्य में आनेवाली और बदलनेवाली [illegible] कल्पना वह संविधान के निर्माणकाल में नहीं [illegible] राष्ट्रीय परिस्थितियों की त्रुटियों के कारण भी [illegible] परिवर्तन करना वांछनीय एवं आवश्यक हो जाता [illegible]

संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख [illegible] का आवश्यक अंग माना गया है। गार्नर के शब्दों [illegible] संविधान इस प्रकार के उपबंधों के बिना अपू[illegible] के गुणावगुण परखने की कसौटी भी संशोधन [illegible] प्रक्रिया सरल है अथवा कठोर है। कुछ देशों [illegible] संशोधन विधिनिर्माण की साधारण प्रक्रिया के [illegible] है। ऐसे संविधानों को नमनीय या सरल सं[illegible] इस प्रकार के संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्ल[illegible] है। कुछ संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया के लि[illegible] प्रक्रिया का आलंबन किया जाता है। यह प्रक्रिया [illegible] होती है। ऐसे संविधान जटिल या अनमनीय सं[illegible] हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान ऐसे संविधा[illegible] उदाहरण है। भारतीय गणतंत्र संविधान के संशोध[illegible] नमनीय है और कुछ अंश की अनमनीय प्रक्रिया [illegible] विधियों को ग्रहण करने से देश के मौलिक सिद्धांतों [illegible] और संविधान में परिस्थितियों के अनुकूल विक[illegible] प्रेरणाशक्ति भी होगी।

समर्थन

साधारणतया किसी सभा या समिति में किसी [illegible] अपना मत प्रकट करने या कोई प्रस्ताव प्रेषित करने [illegible] होता है। या जब किसी सभा के सदस्यों को स[illegible] पदों के लिये अलग अलग व्यक्तियों को मनोनीत करने [illegible] होता है, तब मनोनीत करनेवाले सदस्य के कार्य की पुष्टि [illegible] द्वारा होना अनिवार्य होता है। अतः एक सदस्य जब [illegible] को प्रेषित करता है या किसी सदस्य को किसी कार्य के [illegible] नीत करता है, तब इस कार्य को संवैधानिक बनाने के [illegible] सदस्य को इस कार्य का समर्थन या अनुमोदन करना [illegible] यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उपयुक्त कार्य संवैधानि[illegible] जायँगे और वे कार्य शून्य घोषित किए जायँगे। [illegible]

सदस्य होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों के लिये निम्नलिखित अयोग्यताएँ हैं — केंद्रीय अथवा राज्यों की सरकारों के किसी ऐसे लाभदायक पद पर होना, जिसके विषय में संसद् के कानून द्वारा छूट नहीं दी गई है, अथवा विकृत मस्तिष्क का होना, दिवालिया होना, विदेशी होना, या संसद् के किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य होना।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष — भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसे राज्यसभा अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती है। अध्यक्ष 'उपराष्ट्रपति' सदन का पारिभाषिक अर्थ में सदस्य नहीं है। किसी प्रश्न के दोनों पक्षों में समान मत होने पर ही वह अधिनिर्धारण के लिये अपना मत दे सकता है अन्यथा नहीं। सभा की बैठकों में अध्यक्ष के वही अधिकार हैं जो साधारणतया ऐसे अध्यक्षों के होते हैं जैसे सदस्यों को बोलने का अवसर देना, प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों का निर्णय आदि।

गणपूर्ति — राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या समस्त सदस्यों की संख्या का १/१० है।

विधायिनी शक्तियाँ — राज्य सभा की शक्तियाँ विधायिनी, वित्तीय, संवैधानिक, प्रशासकीय तथा विविध हैं। विधायिनी शक्तियों में है कि राज्यसभा में वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त कोई भी अन्य विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, और बिना दोनों सदनों की सम्मति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद हो तो राष्ट्रपति उनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है, और उसमें जो कुछ बहुमत से निर्णय हो जाय वही दोनों सदनों का निर्णय माना जाता है। परंतु राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा की आधी है। अतः संयुक्त बैठकों में साधारणतया लोकसभा ही की विजय होती है।

वित्तीय शक्तियाँ — वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ हो सकते हैं। वहाँ पारित होने पर वे राज्यसभा के पास केवल उसके सुझावों के लिये भेजे जाते हैं और ये सुझाव १४ दिन के अंदर ही देना आवश्यक है। ये सुझाव लोकसभा चाहे माने चाहे न माने। सुझाव न भी आए तो १४ दिन के उपरांत वित्तीय विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा नितांत शक्तिहीन है।

संवैधानिक शक्तियाँ — संविधान के संशोधन में भी राज्यसभा का भाग होता है। संशोधन विधेयक का राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के २/३ बहुमत से पारित होना आवश्यक है। पर यहाँ भी दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक में साधारण विधेयक की भाँति ही निर्णय होता है।

प्रशासकीय शक्तियाँ — प्रशासकीय विषयों में मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं, परंतु कुछ मंत्री इस सदन में से भी नियुक्त होते हैं। अन्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि भी समय समय पर इसके समक्ष उपस्थित होते हैं। राज्यसभा को उनसे प्रश्न पूछने या किसी भी बात का स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार है।

विविध शक्तियाँ — इसकी विविध शक्तियों में तीन उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यह सभा राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा उसके विरुद्ध महाभियोग की जाँच तथा निर्णय में लोकसभा के समान ही भाग लेती है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदच्युति में भी उसका वही भाग है। दूसरे, २/३ बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा यह संसद् को राज्यसूची के किसी विषय पर विधिनिर्माण करने अथवा नई अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार दे सकती है। तीसरे, राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणाओं की स्वीकृति या उनकी अवधि बढ़ाने के लिये लोकसभा की ही भाँति राज्यसभा की भी सम्मति आवश्यक है। यदि लोकसभा का विघटन हो चुका हो, तो एकमात्र राज्यसभा ही की सम्मति से काम चल जाता है।

सारांश यह है कि राज्यसभा कोई शक्तिशाली द्वितीय सदन नहीं, परंतु कुछ ऊपर लिखे कार्य उसी के द्वारा सम्पन्न होते हैं। अतः उसे महत्त्वहीन नहीं कह सकते।

लोकसभा

रचना — लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या ५२० तक हो सकती है जिनमें अधिक से अधिक ५०० सदस्य राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं और २० केंद्रीय भूभागों के निर्वाचित या नामांकित प्रतिनिधि। लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या (१९६३ में) ५०५ है जिनमें ४८८ राज्यों के प्रतिनिधि हैं, १५ केंद्रीय भूभागों के और दो ऐंग्लो इंडियन लोगों के जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया गया है। राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या है: आंध्र प्रदेश ४३, असम १३ (जिनमें १ राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित है), बिहार ५३, गुजरात २२, जम्मू और कश्मीर ६, उड़ीसा २०, पंजाब २९, राजस्थान २२, उत्तरप्रदेश ८६ और पश्चिमी बंगाल ३६। केंद्रीय भूभागों के प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार है: दिल्ली ५, हिमाचल प्रदेश ४, मणिपुर २, त्रिपुरा २, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह १, लक्का द्वीप, मिनीकाय और अमीनदिवी १।

निर्वाचनक्षेत्रों का परिसीमन — निर्वाचनक्षेत्रों का परिसीमन एक परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचनक्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन संशोधन किए जाते हैं। अधिकांश संसदीय निर्वाचनक्षेत्र एक सदस्यीय हैं, परंतु अनुसूचित जातियों आदि के लिये स्थान सुरक्षित करने के अभिप्राय से कुछ निर्वाचनक्षेत्र द्विसदस्यीय या बहुसदस्यीय भी रखे जाते हैं।

मताधिकार तथा सदस्यों की योग्यताएँ — लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्येक नागरिक, जिसकी उम्र २१ वर्ष से कम न हो और किसी निर्वाचनक्षेत्र में कम से कम १८० दिन रह चुका हो, उस क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में अपना पंजीयन करा सकता है परंतु उसका अयोग्यताओं से मुक्त होना आवश्यक है। विदेशी, पागल या अपराधी होना, या चुनाव में भ्रष्टाचार के लिये दंडित होना, अथवा निर्वाचनक्षेत्र में १८० दिन से कम का निवासी होना आदि मतदाताओं के लिये अयोग्यताएँ हैं। धर्म,

के परामर्श से गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित किए जाते थे। यों एक प्रकार के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभ हुआ। विधानपरिषदों की शक्तियों में भी वृद्धि हुई और उन्हें आयव्ययक पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने के अधिकार मिले।

विधानपरिषदों के विकास में अगला सोपान तथाकथित मिंटो मार्ले सुधार अथवा इंडियन काउंसिल्स ऐक्ट १९०९ के रूप में आया। इसकी मुख्य बातें चार थीं। प्रथम, केंद्रीय विधानपरिषद् के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या १६ से बढ़ाकर ६० कर दी गई, परंतु बहुमत इसमें सरकारी सदस्यों का ही रखा गया। दूसरे, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के बदले चुनाव होने लगा। यह चुनाव बहुत ही सीमित मताधिकार के आधार पर जमींदारों, व्यापारमंडलों, भारतीय व्यापारियों तथा नगरपालिकाओं और स्थानीय बोर्डों जैसी स्थानिक संस्थाओं द्वारा होता था। तीसरे, मुसलमानों को पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। चौथे, परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब उन्हें वार्षिक आयव्ययक पर न केवल बहस करने, किंतु प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार मिला। सार्वजनिक महत्व के अन्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जा सकते थे और प्रश्नों के अतिरिक्त पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते थे।

विधानमंडलों में अगला परिवर्तन गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट १९१९ के द्वारा हुआ। इसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बना दिया गया जिनमें निचले सदन का नाम विधान सभा ('लेजिस्लेटिव असेंबली') और ऊपरी सदन का नाम राज्यपरिषद् (काउंसिल ऑव स्टेट) रखा गया। विधानसभा में १४४ और राज्यपरिषद् में ६० सदस्य थे, तथा दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। मताधिकार मुख्यतः संपत्ति के आधार पर रखा गया, परंतु उसका विस्तार बहुत सीमित था। मुसलमानों का पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन बना रहा। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों में भी वृद्धि हुई, परंतु फिर भी वे सीमित रहीं, विशेषकर वित्तीय मामलों में। आयव्ययक का लगभग ८० प्रतिशत विधानमंडल के अधिकारक्षेत्र से बाहर था और शेष में भी यदि विधानमंडल कटौती करे तो गवर्नर जनरल उसे पूर्ववत् पारित कर सकता था। विधिनिर्माण में दोनों सदनों के अधिकार बराबर थे, परंतु वित्तीय विधेयक विधानसभा ही में प्रस्तुत किए जा सकते थे। सरकार विधानमंडल के किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं थी।

गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट १९३५ के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संघीय कर देने की व्यवस्था की गई। दोनों सदनों के नाम वही रहे अर्थात् राज्यपरिषद् और विधानसभा सदन। राज्य सभा में २६० सदस्य रखे गए जिनमें १५६ ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के सदस्य होने थे। विधानसभा में ३७५ सदस्यों की व्यवस्था की जिनमें से २५० ब्रिटिश भारत और १२५ राज्यों से आने को थे। राज्यों के प्रतिनिधि नरेशों द्वारा नामांकित और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि निर्वाचित होने को थे, परंतु संघयोजना कार्यान्वित न की जा सकी। अतः केंद्रीय विधानमंडल पूर्ववत् ही बना रहा। परंतु उसकी शक्तियों में अब यह उसका विधि-निर्माण का अधिकार संघीय दिए हुए विषयों पर ही रहा और प्रांतीय सूची प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकार में आ गए।

केंद्रीय विधानमंडल की यही व्यवस्था स्व रही। १९४६ में कैबिनेट मिशन योजना के अनु की संविधानपरिषद् बनाई गई जिसमें २९६ भारत के और ९३ देशी राज्यों के थे। भारतीय १९४७ के बाद, पाकिस्तान की स्थापना के कारण भागों के सदस्य अलग होकर लगभग ३०० सदस्य धान परिषद् का मुख्य कार्य तो स्वतंत्र भारत निर्माण था, परंतु नए संविधान के बनकर आ वही केंद्रीय विधानमंडल का भी कार्य करती थी। २६ जनवरी, १९५० को लागू किया गया और परिषद् के स्थान पर वर्तमान भारतीय संसद् कार्य करने लगी।

भारतीय संसद् की रचना और संगठन — राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा बनी है। राष्ट्रपति इनमें से किसी भी सदन का सदस्य भी वह संसद् का अविभाज्य अंग है और उसकी संबंध में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है।

राज्यसभा

रचना — राज्यसभा संसद् का ऊपरी अथवा है। उसमें अधिकतम २५० सदस्य हो सकते हैं जिनमें पति नामांकित करता है और शेष का संगठन राज्यों सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय अनुसार चुनाव होता है। इस समय (१९६१) राज्यों से की संख्या २२३ है और वह विभिन्न राज्यों और केंद्रीय बटी है—आंध्रप्रदेश १८, असम ७, बिहार २२, गुजरात ९, मध्यप्रदेश १६, मद्रास १७, महाराष्ट्र १६, मैसूर १०, पंजाब ११, राजस्थान १०, उत्तर प्रदेश ३४, पश्चिम १६, जम्मू और कश्मीर ४, दिल्ली ३, हिमाचल प्रदेश २, १, त्रिपुरा १। राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित १२, कला विज्ञान, कला, समाजसेवा आदि विषयों के विशेषज्ञ और व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की कुल प्रकार २३५ है।

अवधि — राज्य सभा स्थायी सदन है। उसका विसर्ज होता, परंतु उसके १/३ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण लेते हैं। इस प्रकार सदस्यों की पद अवधि साधारणतया की होती है।

सदस्यों की योग्यताएँ — सदस्यों की योग्यताएँ या भारत का नागरिक होना, कम से कम ३० वर्ष की उम्र संसद् द्वारा पारित कानून से निश्चित अन्य योग्यताएँ। उदा निश्चित अधिनियम १९५१ के अनुसार राज्यसभा के सदस्य के लिये उसके राज्य के किसी संसदीय निर्वाचन

तक। आवश्यक हो तो जुलाई से अगस्त या सितंबर तक ग्रीष्म सत्र भी बुलाया जा सकता है।

स्थगन, विसर्जन और विघटन — प्रत्येक दिन की बैठक से दूसरे दिन की बैठक तक काम बंद करने को स्थगन कहते हैं और यह स्थगन अध्यक्ष करता है। सत्र के अंत के विराम को विसर्जन तथा पाँच वर्षों की अवधि पूरी होने या दूसरे कारण से लोकसभा को भंग कर देने को विघटन कहते हैं विघटन के उपरांत पुनः निर्वाचन होता है। विसर्जन और विघटन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है।

दैनिक कार्यक्रम — निर्वाचन के उपरांत नई संसद् के सदस्य सदस्यता की शपथ लेते और सदस्यसूची में अपने हस्ताक्षर करते हैं। तत्पश्चात् लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर नियत तिथि तथा समय पर दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के भाषण के लिये एकत्र होते हैं। इस भाषण में देश की स्थिति, विदेशी संबंध, शासन की नीति तथा वर्तमान सत्र में होनेवाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण रहता है। इसके उपरांत दूसरे दिन राष्ट्रपति को धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत होता है और पर्याप्त वादविवाद के उपरांत वह पारित होता है। यदि वह प्रस्ताव पारित न हो सके तो यह मंत्रिमंडल में अविश्वास का सूचक है।

प्रत्येक दिन की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने का है। शासन के प्रत्येक मंत्री या उपमंत्री से उसके विभाग के संबंध का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर पर्याप्त न हो तो पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न के घंटे के बाद कोई भी सदस्य किसी आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर वादविवाद के लिये कार्यस्थगन का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। उसके उपरांत कार्यक्रम के अनुसार अन्य प्रस्ताव, विधेयक, वक्तव्य या अन्य कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। सदनों का अधिकांश समय विधेयकों के पारित करने में ही लगता है, परंतु यदा कदा शासन के नीति संबंधी वक्तव्य या किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर वादविवाद भी होते हैं।

अधिकांश कार्य सरकारी ही होता है जैसे मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत विधेयक, प्रस्ताव, या अन्य कार्य, परंतु प्रति सत्र में कुछ दिन गैर सरकारी कार्य के लिये भी नियत कर दिए जाते हैं जिनमें साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों या प्रस्तावों पर विचार होता है।

संसद् के विशेषाधिकार तथा विमुक्तियाँ — संसद् में कही गई किसी बात के लिये किसी सदस्य पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। सत्रावधि में और उसके ४० दिन पूर्व और ४० दिन उपरांत तक किसी दीवानी मामले में सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को जूरी बनने या गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

सदस्यों के विशेषाधिकार के अतिरिक्त संसद् के भी विशेषाधिकार तथा विमुक्तियाँ हैं। जब तक संसद् अन्यथा निर्णय न करे, ये अधिकार वही हैं जो ब्रिटिश कामन्स सभा के हैं। इनमें के मुख्य मुख्य अधिकार हैं प्रकाशन की स्वतंत्रता, अपनी बैठकों से बाहरी लोगों को निकाल बाहर करने का अधिकार, अपने आंतरिक मामलों एवं कार्यवाही के निर्णय करने का अधिकार और बातों से न्यायालयों के हस्तक्षेप से विमुक्ति (सिवाय अपराध मामलों में), संसद् में दुर्व्यवहार करनेवालों को दंड देने का अधिकार और अपने विशेषाधिकारों या विमुक्तियों को भंग करनेवालों को उसी प्रकार दंड देने का अधिकार जैसे न्यायालय अपने अपमान के लिये दंड देते हैं। ये दंड सदस्यों को भी दिए जाते हैं और बाहरी लोगों को भी, और तीन प्रकार के हैं अर्थात् अध्यक्ष द्वारा डाँट फटकार अथवा बलपूर्वक सदन के समक्ष लाकर फिर डाँट फटकार, अथवा कैद। कैद के दंड की यदि पहले ही समाप्ति न हो चुकी हो, तो सत्रावसान पर समाप्ति हो जाती है।

सदनीय विशेषाधिकारों का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, इसके निर्णय के लिये संसद् के १५ सदस्यों की एक विशेषाधिकार समिति है।

सदस्यों के वेतन और भत्ते — १९५४ के एक कानून द्वारा संसद् सदस्यों को ४०० रुपया मासिक वेतन, और २१ रुपया प्रतिदिन भत्ता मिलता है। भत्ता उन्हीं दिनों का मिलता है जब वे सरकारी कार्य के लिये दिल्ली में रहें। इसके अतिरिक्त उन्हें रेलयात्रा का प्रथम श्रेणी का पास भी मिलता है जिससे वे देश में कहीं भी यात्रा कर सकें।

संसद् और न्यायालय — न्यायालयों के विचाराधीन किसी विषय पर संसद् में वादविवाद नहीं किया जा सकता और न संसद् किसी न्यायाधीश के कार्य की आलोचना कर सकती है, सिवाय उस दशा के जब किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने का प्रश्न उसके सामने हो। न्यायालय भी संसद् की किसी कार्यवाही को नियमविरुद्धता के आधार पर दोषयुक्त नहीं ठहरा सकते, और न अध्यक्ष आदि के किसी निर्णय पर आपत्ति कर सकते हैं।

संसद् की भाषा — पार्लमेंट की कार्यवाही की दो भाषाएँ हैं, हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी का प्रयोग प्रथम १५ वर्षों के लिये ही रखा गया था, परंतु संविधान के १९६३ के एक संशोधन द्वारा उसकी अवधि अनिश्चित काल के लिये बढ़ा दी गई है। यदि कोई इन दोनों भाषाओं से अनभिज्ञ हो तो सदन के अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। विधेयकों, कानूनों, नियमों आदि की भाषा भी हिंदी और अंग्रेजी ही है।

संसद् की समितियाँ — संसद् के सदन आकार में बड़े होने के कारण उनमें किसी विषय की विस्तृत छानबीन नहीं हो सकती। सभी सदस्य सभी विषयों का ज्ञान अथवा उनमें रुचि भी नहीं रखते। अतः कार्यसंचालन की सुविधा के लिये प्रत्येक संसद् में बहुत सी अपेक्षाकृत छोटी छोटी समितियाँ होती हैं। भारतीय संसद् की निम्नलिखित ११ समितियाँ हैं—

१. कार्यवाही परामर्श समिति — लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। यह सदन के कार्यक्रम को निश्चित करने में परामर्श देती है। २. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों की समिति — इसका कार्य गैर सरकारी विधेयकों और प्रस्तावों की

जाति, या लिंग के आधार पर कोई मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

लोकसभा की सदस्यता के लिये भारत का नागरिक होना और कम से कम २५ वर्ष की उम्र का होना आवश्यक है; साथ ही उसे अयोग्यताओं से मुक्त होना चाहिए। अयोग्यताएँ ये हैं: (क) भारत या किसी राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर होना, यदि संसद् ने कानून द्वारा उस पद को अयोग्यता से मुक्त न कर दिया हो। मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव, राजकीय मंत्री आदि के पद इस प्रकार मुक्त हैं; (ख) पागल या दिवालिया होना; (ग) जनप्रतिनिधित्व नियम १९५० के अंतर्गत संसद् ने कुछ और भी अयोग्यताएँ निश्चित कर दी हैं। वे हैं—किसी न्यायालय द्वारा निर्वाचन संबंधी अपराध या भ्रष्टाचार के लिये दंडित होना, किसी अन्य अपराध के लिये दो वर्ष या अधिक समय के लिये कारावास का दंड पाना, सरकारी नौकरी से भ्रष्टाचार या देशद्रोह के लिये पदच्युत किया जाना, किसी सरकारी या अर्धसरकारी निगम का निदेशक या प्रबंधक होना, किसी सरकारी ठेके, लोककर्म या नौकरी में कोई स्वार्थ होना आदि। इन सब बातों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा, अथवा लोकसभा और किसी राज्य के विधानमंडल का एक ही साथ सदस्य नहीं हो सकता।

निर्वाचन आयोग— संसद् और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन के संचालन के लिये एक निर्वाचन आयोग है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त होता है और आवश्यक संख्या में अन्य आयुक्त। आयुक्तों की स्थिति सर्वथा स्वतंत्र बना दी गई है जिससे वे निष्पक्षता के साथ काम कर सकें। निर्वाचन आयोग के चार प्रकार के कार्य हैं अर्थात् १. संसद् और राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव के लिये मतदाताओं की सूची तैयार करना, २. निर्वाचनों का संचालन और अधीक्षण, ३. निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन अधिकरणों को नियुक्त करना, और ४. निर्वाचन के उपरांत किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठे तो उसका निर्णय करना।

निर्वाचन विवाद — जैसा ऊपर कहा गया है, लोकसभा की सदस्यता के निर्वाचन विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। प्रत्येक विवाद के निर्णय के लिये एक पृथक् अधिकरण बनाया जाता है।

लोकसभा की अवधि — लोकसभा की अवधि साधारणतया ५ वर्षों की होती है, परंतु राष्ट्रपति उससे पहले भी किसी समय उसका विघटन कर सकता है। संकटकालीन घोषणाकाल में लोकसभा की अवधि एक एक वर्ष करके कितनी ही बार बढ़ाई जा सकती है, परंतु यह कार्य संसद् की विधि ही के द्वारा हो सकता है, और घोषणाकाल की समाप्ति के छह महीनों के अंदर ही विघटन होना आवश्यक है।

लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि — लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा होता है। प्रत्येक नई लोकसभा नए सिरे से अपना अध्यक्ष चुनती है। वह समस्त सदस्यों के बहुमत के पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को हटा भी सकती है। उसे संसद् द्वारा निश्चित वेतन तथा भत्ता मिलता है। उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष ही की भाँति चुना या हटाया जा सकता है। उपाध्यक्ष उसका आसन ग्रहण करता है। प्रारंभ ही में अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्यों में नामांकित कर देता है और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों तो इनमें से कोई अध्यक्षता करता है।

भारत में ब्रिटेन की भाँति के निर्दलीय स्थापित हो सकी है। यहाँ का लोकसभा बहुमत दल का ही सदस्य रहा है। अध्यक्ष वह अपने दल की सदस्यता नहीं छोड़ता। उसका चुनाव भी निर्विरोध नहीं होता, जैसा सभा के स्पीकर का होता है। तो भी, अध्यक्ष साधारणतया निष्पक्ष रूप से ही काम करता का झुकाव भी उसकी निष्पक्षता की ही ओर निवारण के लिये ही मतदान का अधिकार है, नहीं। इसके अतिरिक्त उसका वेतन संचितनिधि से है जिसपर संसद् का मतदान द्वारा निर्णय इस सब का अभिप्राय यही है कि अध्यक्ष किसी न पड़े।

अध्यक्ष की मुख्य शक्तियाँ हैं — सभा की करना, सदस्यों को बोलने का अवसर देना, प्रश्न निर्णय करना, सदन में व्यवस्था तथा वादविवाद रखना, गड़बड़ी करनेवाले सदस्यों को दंड देना सदस्यों का मत लेना तथा परिणाम घोषित करना भी निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्तीय की प्रक्रिया के नियम (१९५०) उसे अनेक शक्तियाँ भी देते हैं। सदन के कार्य का क्रम उसके होता है। प्रश्नों और स्थगन प्रस्तावों को वह जाने से रोक सकता है। राष्ट्रपति और लोकसभा हार आदि उसी के माध्यम से होता है।

गणपूर्ति — लोकसभा की बैठकों के लिये की संख्या के दशमांश से होती है।

लोकसभा के कार्य — विधिनिर्माण के विषय प्रबल सदन है और वित्तीय मामलों में तो एकमात्र है। मंत्रिमंडल लोकसभा ही के प्रति उत्तरदायी है दृष्टि से लोकसभा जब चाहे तभी अविश्वास प्रस्ताव अपदस्थ कर सकती है। अपनी इस तथा वित्तीय शक्ति सभा समस्त उपाय शासन का नियंत्रण कर सकती प्रत्यक्ष रीति से चुने प्रतिनिधियों से बनी होने के कारण तथा संसद् का सबसे शक्तिशाली अंग है। वास्तव में में यही संसद् है।

संसद् की कार्यवाही

संसद् के सत्र— संसद् के सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए परंतु किन्हीं दो सत्रों के बीच में छह महीने से कम का चाहिए। साधारणतया वर्ष में संसद् के दो सत्र होते हैं, से मार्च या अप्रैल तक और दूसरा सितंबर से दसंबर

प्रतिवेदन सोपान से पारित होकर आया है, पुनः सदन का मत लिया जाता है। इस समय आवश्यक शाब्दिक संशोधन ही किए जा सकते हैं, कोई विषय संबंधी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं। तृतीय वाचन में पारित हो जाने के उपरांत विधेयक उस सदन द्वारा पारित समझा जाता है और अध्यक्ष के इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

छठा सोपान है उसका द्वितीय सदन में पारित होना। वहाँ भी ऊपर लिखी प्रक्रिया दुहराई जाती है अर्थात् प्रथम, द्वितीय वाचन, समिति और प्रतिवेदन सोपान, एवं तृतीय वाचन आदि होते हैं। यदि वह उसी रूप में पारित हो गया तो ठीक है, अन्यथा जैसा ऊपर कहा जा चुका है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराके मतभेद को दूर किया जा सकता है और संयुक्त बैठक में पारित विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

सातवें और अंतिम सोपान में विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिये भेजा जाता है और स्वीकृति मिल जाने पर विधि या कानून बन जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति न देकर विधेयक को पुनर्विचार के लिये भेज दे। उस दशा में यदि पुनर्विचार करके दोनों सदन विधेयक को पुनः पारित कर दें तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है।

वित्तीय प्रक्रिया

वित्तीय विधेयक — ऊपर साधारण विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया इससे भिन्न होती है। वित्तीय विधेयक वे विधेयक हैं जिनमें कर लगाने, ऋण लेने, व्यय के लिये धन की स्वीकृत लेने, लेखापरीक्षण आदि की व्यवस्था हो। किसी विधेयक के वित्तीय होने या न होने के विषय में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम माना जाता है।

संसदीय वित्त व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि संसद् (मुख्यतः लोकसभा) की विधि द्वारा दी हुई सम्मति के बिना न तो एक पाई व्यय ही की जा सकती है और न एक पाई का भी कर लगाया या ऋण लिया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति अर्थात् शासन ही की माँग पर संसद् व्यय स्वीकृत करती या कर लगा सकती है। गैर सरकारी सदस्य व्यय या करों में कमी का प्रस्ताव कर सकते हैं, परंतु नया या अधिक व्यय करने, अथवा नया या अधिक कर लगाने का प्रस्ताव नहीं कर सकते। तीसरा सिद्धांत यह है कि समस्त सरकारी धनराशि, चाहे वह करों से हो या ऋण या किसी अन्य स्रोतों से, भारत की संचितनिधि नामक कोष ही में जमा हो, और समस्त व्यय भी उसी से किए जायँ। आकस्मिक व्ययों के लिये १५ करोड़ रुपयों की एक आकस्मिक निधि या फंड की भी व्यवस्था है। चौथा सिद्धांत यह है कि जनता की प्रतिनिधि लोकसभा का ही वित्तीय मामलों में स्वामित्व है और इस कारण राज्यसभा के वित्तीय अधिकार नाममात्र के हैं और राष्ट्रपति भी वित्तीय विधेयकों पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता।

यों तो छोटे मोटे अनेक वित्तीय विधेयक लोकसभा के सामने आते रहते हैं, पर प्रति वर्ष का प्रधान वित्तीय विधेयक आयव्ययक या बजट होता है। आयव्ययक के दो भाग होते हैं जिसमें प्रथम भाग में वर्ष में होनेवाले सभी विभागों के व्यय का अनुमान रहता है और दूसरे में आय का अनुमान। भारत में दो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं एक रेलों का बजट और दूसरा सामान्य बजट। संविधान में 'बजट' शब्द के बदले 'वार्षिक वित्त विवरण' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

बजट को वित्तमंत्री लोकसभा में एक भाषण के साथ प्रस्तुत करता है। इस भाषण को बजट भाषण कहा जाता है। बजट संबंधी प्रक्रिया के पाँच सोपान हैं, अर्थात् १. लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना, २. उसपर सामान्य वादविवाद, ३ विभिन्न माँगों पर मतदान, ४ माँगों को व्यय विधेयक में एकत्र करके उसे पारित करना और ५. राजस्व विधेयक का पारित होना।

सामान्य वादविवाद के लिये लगभग तीन दिन का समय दिया जाता है और इसमें बजट की मूल नीति पर बहस होती है। इसके उपरांत लोकसभा विभिन्न माँगों की पूर्ति के लिये धनराशियों का मतदान द्वारा निर्णय करती है। साधारणतया प्रत्येक मंत्रालय के व्यय का अनुमान एक अथवा कई माँगों के रूप में प्रस्तुत होता है। प्रतिरक्षा मंत्रालय का व्यय छह माँगों के रूप में रखा जाता है। सामान्य बजट में कुल १०९ माँगें और रेलवे बजट में २३ माँगें होती हैं। लोकसभा को सामान्य बजट की कुल माँगों का निपटारा २६ दिन में करना पड़ता है। सरकार की धनराशि का व्यय इन्हीं २६ दिनों में स्वीकृत हो जाता है। यह स्पष्ट ही है कि इन परिस्थितियों में कोई विस्तृत या गहरा विचार नहीं हो सकता। जब कोई मंत्री अपने विभाग की किसी माँग को प्रस्तुत करता है तो साधारणतया कोई सदस्य एक रुपया या सौ रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता है। इस प्रस्ताव पर जो वादविवाद होता है उसमें वह सदस्य और उसके समर्थक संबंधित विभाग या उपविभाग के शासन की आलोचना करते हैं। मंत्री के स्पष्टीकरण या सुधार के आश्वासन के बाद साधारणतया कटौती प्रस्ताव हटा दिया जाता है, या न भी हटाया जाय तो मंत्रिमंडल का सदन में बहुमत होने के कारण वह गिर जाता है। वास्तव में कटौती प्रस्तावों का उद्देश्य मितव्ययिता न होकर शासन की त्रुटियों की आलोचना करना होता है। मितव्ययिता की दृष्टि से बजट पर पूरा और विस्तृत विचार उसके प्रस्तुत होने के पूर्व ही वित्त मंत्रालय कर लेता है।

व्यय के अनुमान का एक बड़ा भाग संचित निधि पर आरोपित व्ययों का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और निबंधक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन, राष्ट्रीय ऋण के ब्याज और चुकता करने के व्यय, कुछ प्रकार की अवकाशवृत्तियाँ और कुछ अन्य व्यय, संचित निधि पर आरोपित व्यय हैं। इनपर वादविवाद हो सकता है, पर इनको मतदान द्वारा पारित नहीं किया जाता।

जब सब माँगों का निपटारा हो चुकता है तो उन्हें एक व्यय विधेयक में एकत्र किया जाता है। और वह अन्य विधेयकों की भाँति ही लोकसभा में पारित किया जाता है। यह पारित होना

विभिन्न दृष्टिकोणों से जाँच करके यह परामर्श देना है कि उनमें से कौन कौन सदन के सामने प्रस्तुत किए जायँ। ३. विधेयकों पर प्रवर समितियाँ — विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरांत विस्तृत जाँच के लिये वे बहुधा किसी प्रवर समिति के पास भेज दिए जाते हैं। प्रवर समिति का कार्य विधेयक की जाँच करके उचित संशोधनों के सुझावों के साथ प्रतिवेदन या रिपोर्ट देना है। ४ आवेदनपत्र समिति — इसका कार्य संसद् के पास आए आवेदनपत्रों पर विचार करके संसद् को परामर्श देना है। ५. अनुमान समिति — यह केवल लोकसभा की समिति है। इसका अध्यक्ष कोई गैर सरकारी सदस्य होता है। इसके कार्य चार प्रकार के हैं अर्थात् (क) मितव्ययिता, संगठन और शासनदक्षता के विषय में सुझाव देना, (ख) दक्षता और मितव्ययिता के लिये वर्तमान शासननीति का विकल्प अर्थात् उसी उद्देश्य की साधिका किसी अन्य नीति को बतलाना, (ग) धन का वितरण नीति के अनुसार उचित रीति से हुआ है या नहीं, इसकी जाँच करना, और (घ) यह सुझाव देना कि आय व्यय के अनुमान किस रूप में संसद् के समक्ष प्रस्तुत किए जायँ। इन उद्देश्यों से यह समिति प्रतिवर्ष तीन या चार विभागों के आयव्ययक में दिए अनुमानों की जाँच करके रिपोर्ट देती है। इसका कार्य आयव्ययक पारित होने के बाद भी चलता रहता है। ६ सार्वजनिक लेखा समिति — इसका कार्य सरकारी व्यय की जाँच कर यह बतलाना है कि प्रत्येक व्यय संसद् द्वारा पारित आयव्ययक के अनुसार उचित रूप से हुआ है या नहीं। यह समिति अपना कार्य नियंत्रक और मुख्य लेखापरीक्षक की सहायता से करती है और विभागीय कर्मचारियों को भी बुलाकर व्यय के औचित्य के विषय में पूछताछ करती है। इसकी रिपोर्ट लोकसभा के समक्ष जाती है और वहाँ उसपर वादविवाद होता है। ७. विशेषाधिकार समिति — यदि कभी संसद् के विशेषाधिकार के भंग होने का कोई प्रश्न उठे, तो उसकी जाँच करना इस समिति का काम है। ८. प्रदत्त विधेयन समिति — इस समिति का कार्य यह जाँच करना है कि संसद् के कानूनों द्वारा मंत्रियों या विभागीय कर्मचारियों को दिए हुए नियम, उपनियम आदि बनाने के अधिकार का उचित ढंग और उचित सीमा के भीतर प्रयोग हो रहा है या नहीं। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ९ शासकीय आश्वासन समिति — इस समिति का काम यह जाँच करते रहना है कि मंत्रियों द्वारा दिए हुए आश्वासन किस मात्रा में पूरे किए गए हैं। १०. सदस्यों की अनुपस्थिति विषयक समिति — यह संसद् सदस्यों के छुट्टी के लिये दिए हुए आवेदनपत्रों पर विचार करती है और यह भी निर्णय करती है कि यदि कोई सदस्य बिना छुट्टी लिए ६० या अधिक दिन अनुपस्थित रहे, तो उसे क्षमा कर दिया जाय या उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाय। ११. नियम समिति — इसका काम यह है कि कार्यवाही के नियमों में समय समय पर परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता हो तो उसका सुझाव देती रहे।

संसद् के कार्य

संसद् के कार्य मुख्यतः तीन प्रकार के हैं अर्थात् १. विधिनिर्माण, २. वित्तीय कार्य अर्थात् सरकारी व्यय राशियों की स्वीकृति तथा कर लगाना आदि, और ३. प्रश्नों, प्रस्ता अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा शासन का नि

विधिनिर्माण की प्रक्रिया तथा संसद् शक्तियाँ — संसद् नए और समवर्ती सूची के निर्माण कर सकती है और कुछ परिस्थि विषयों पर भी। संकटकालीन घोषणा के सम का कोई भी विधान मूल अधिकारों के विरुद्ध न संविधान की अन्य किसी धारा के विरुद्ध कि भारतीय संसद् ब्रिटिश पार्लमेंट की भाँति है। उसकी शक्तियाँ पृथुल होते हुए भी असीम न

विधिनिर्माण प्रक्रिया के सात सोपान लिये पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है हैं। विधेयक की संसद् में प्रगति के सात सोपान है

प्रथम सोपान है विधेयक का संसद् के किसी किया जाना और उनका प्रथम वाचन। वित्तीय के विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के प्र सकते और वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में विधेयक को प्रस्तुत करते समय सर्वप्रथम सदन जाती है, जो साधारणतया मिल जाती है। इसके विधेयक का शीर्षक पढ़ देता है और आवश्यक हो बातों पर एक छोटा भाषण भी करता है। यही प्र जाता है और इसके बाद विधेयक भारत के गजट दिया जाता है।

दूसरा सोपान है द्वितीय वाचन। नियम विधि प्रस्ताव करता है कि विधेयक को एक प्रवर समि दिया जाय। इसके अतिरिक्त वह यह भी प्रस्ताव क विधेयक पर तुरत विचार किया जाय, अथवा वह एक संयुक्त समिति के पास भेजा जाय, अथवा उसे लिये प्रसारित किया जाय। परंतु अधिकांश विधेयक ही के पास भेजे जाते हैं। इस प्रस्ताव के उपरांत विधे पर वादविवाद होता है और निर्णय किया जाता है कहाँ भेजा जाय। यह द्वितीय वाचन है।

तीसरा है समिति सोपान। प्रवर समिति विधेय विचार करके आवश्यक संशोधनों का सुझाव देते हुए प तैयार करके सदन के पास भेज देती है।

अगला और चौथा प्रतिवेदन सोपान है। अब सदन प्रवर समिति के दिए हुए संशोधनों को ध्यान में रखते अनुच्छेद पर विचार करता है। कोई भी सदस्य किसी खंड पर स्वयं अपने भी संशोधन प्रस्तुत कर सकता है अनुच्छेद और उसके संशोधनों पर वादविवाद के बाद लिए जाते हैं और बहुमत अनुकूल होने पर वह अनुच्छेद जाता है। इसी प्रकार सभी अनुच्छेदों के पारित हो जाने वेदन सोपान समाप्त हो जाता है।

पाँचवाँ सोपान है तृतीय वाचन। इसमें विधेयक पर

प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरे, प्रस्तावों का उद्देश्य सूचना प्राप्त करने का न होकर शासन से कुछ करने की सिफारिश करना होता है। प्रस्तावों के लिये प्रश्नों की अपेक्षा अधिक लंबी पूर्वसूचना की आवश्यकता होती है। यदि शासन किसी प्रस्ताव का विरोध करे तो उसके पारित होने की संभावना नहीं रहती। पारित होने पर भी शासन उसके अनुसार कार्य करने को बाध्य नहीं।

सदन के स्थगन का प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों से अलग ही होता है। यह तभी प्रस्तुत किया जाता है जब सार्वजनिक महत्व की कोई हाल में हुई घटना पर सदन या शासन का ध्यान आकर्षित करना हो। न्यायालयों के विचाराधीन किसी विषय पर ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। यदि स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में ४० सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष उसपर वादविवाद के लिये समय नियत कर देता है। यदि वादविवाद के उपरांत वह पारित हो जाय तो यह मंत्रिमंडल में अविश्वास का सूचक है। अतः मंत्रिमंडल उसे पारित न होने देने की चेष्टा करता है। या तो कुछ आश्वासन देकर वह प्रस्ताव को हटवा देता है, या वादविवाद ही में इतना समय लगा देता है कि उसपर मतदान का अवसर ही नहीं आ पाता। आवश्यक हो तो मंत्रिमंडल सदन में अपने बहुमत के बल से उसे गिरा भी दे सकता है।

वादविवाद — यों तो संसद् में प्रस्ताव, विधेयक आदि किसी न किसी विषय पर सदैव ही वादविवाद चला करता है, परंतु वादविवाद का एक विशिष्ट या पारिभाषिक अर्थ भी है और वह है किसी महत्वपूर्ण सरकारी नीति पर लंबी और सांगोपांग बहस। ऐसे वादविवादों का प्रबंध कभी मंत्रिमंडल स्वयं करता है और कभी विरोधी दल के अनुरोध पर। इस प्रकार के वादविवाद दोनों ही सदनों में होते हैं। इनका महत्व यह है कि वे शासन को अपनी नीतियों का स्पष्टीकरण करने तथा उसपर पुनर्विचार करने को बाध्य करते हैं। इससे विरोधी दल को भी सरकारी नीति की त्रुटियाँ बतलाने तथा अपने सुझाव देने का अवसर मिलता है।

संसद् और राजनीतिक दल

संसदीय शासनप्रणाली के सुचालन के लिये राजनीतिक दल अनिवार्य माने जाते हैं। वे ही मतदाताओं को संगठित करते, उन्हें राजनीतिक शिक्षा देते, निर्वाचनों के लिये अभ्यर्थी खड़े करते, चुनाव लड़ते और बहुमत प्राप्त होने पर मंत्रिमंडल बनाकर शासन का सुचालन करते, अन्यथा विरोध में रहकर शासन की आलोचना करते और उसे पथभ्रष्ट होने से रोकते हैं।

भारत में संगठित राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होता है, परंतु १९१९ के सुधारों तक मताधिकार सीमित एवं निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम होने के कारण कांग्रेस का कार्य अधिकतर संसदीय न होकर विधान मंडलों के बाहर होता था। संसदीय दलपद्धति का प्रारंभ वास्तव में १९२४ से होता है जब कांग्रेस ने पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य दल का संगठन किया। उस समय स्वराज्य दल और अन्य सभी राष्ट्रवादी दल सम्मिलित रूप से विरोधी दल का ही काम करते थे, क्योंकि शासन ब्रिटिश कर्मचारियों के हाथ में था जो न तो किसी प्रकार से विधानमंडल के प्रति और न देश की जनता के प्रति उत्तरदायी थे। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस के अतिरिक्त कुछ अन्य भी थे, जैसे मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना १९०६ में हुई, हिंदू महासभा जिसकी स्थापना मुस्लिम लीग के विरोध में कुछ समय बाद हुई, और उदार दल जो पहले कांग्रेस का ही एक भाग था, पर महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आने के उपरांत १९२० उससे अलग हो गया। इनके अतिरिक्त साम्प्रदायिक अथवा आर्थिक स्वार्थों के आधार पर भी जमींदारों, व्यापारियों, हरिजनों आदि भी कई दल समय समय पर बनते बिगड़ते रहे, परंतु इनका कोई स्थायी महत्व न था।

स्वतंत्रता के बाद दलों की संख्या एवं विविधता में पर्याप्त वृद्धि हुई। १९६२ के चुनावों में निर्वाचन आयोग ने पाँच दलों को अखिल भारतीय दलों के रूप में मान्यता दी। ये हैं कांग्रेस, साम्यवादी दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और स्वतंत्र दल।

स्वतंत्रता के समय से ही अर्थात् गत १६ वर्षों से कांग्रेस का ही लोकसभा तथा राज्यसभा में बहुमत रहा। अन्य दल अपेक्षाकृत बहुत निर्बल रहे हैं। १९६२ के निर्वाचन के बाद लोकसभा के ४८७ निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस के ३५५, साम्यवादियों के २९, प्रजा सोशलिस्ट दल के १२, जनसंघ के १४, और स्वतंत्र दल के १४ सदस्य थे। शेष ५९ निर्दलीय सदस्य थे।

संसद् और मंत्रिमंडल — संसदीय पद्धति में राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधान मंत्री नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। प्रत्येक मंत्री एक या अधिक शासनविभागों का अध्यक्ष होता है और इस प्रकार मंत्रिमंडल ही समस्त शासन का संचालन करता है। प्रत्येक मंत्री संसद् के किसी न किसी सदन का सदस्य होता है। बिना सदस्य हुए कोई व्यक्ति छह महीने से अधिक मंत्रिपद पर नहीं रह सकता।

भारतीय संविधान के ७५वें अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह है कि लोकसभा जब चाहे, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकती है, परंतु वस्तुस्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। अपने प्रचंड बहुमत के कारण मंत्रिमंडल लोकसभा का नेतृत्व करता और उससे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा लेता है। इसके कई कारण हैं। प्रथम स्थान में बहुमत दल के सदस्य दलीय अनुशासन के कारण मंत्रिमंडल का विरोध नहीं कर सकते और न किसी प्रश्न पर उसके विरुद्ध मत दे सकते हैं। यदि वे मंत्रिमंडल के विरुद्ध जायँ तो उन्हें दल से निकाल दिया जायगा और अगले चुनाव में उन्हें दलीय टिकट तथा समर्थन प्राप्त न होगा। आजकल मतदाताओं के मताधिकार के कारण निर्वाचन इतना बड़ा और खर्चीला हो गया है कि जब तक कोई बहुत ही साधनसम्पन्न न हो, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर जीत नहीं सकता। इसलिये बहुमत दल के सदस्य मंत्रिमंडल की नीति से मतभेद रखते हुए भी उसके विरोध में मत नहीं दे पाते। दूसरे, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से अनुरोध करके लोकसभा का किसी भी समय विघटन करवा सकता है, विशेषकर उस दशा में जब उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

अधिकतर औपचारिक मात्र है। इसमें संशोधन आदि नहीं किए जाते। पारित हो जाने के उपरांत लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि यह विधेयक वित्तीय विधेयक है और फिर वह राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है।

राज्यसभा बजट या किसी भी वित्तीय विधेयक पर वादविवाद कर सकती और अपने सुझाव मात्र दे सकती है। लोकसभा उन्हें मानने को बाध्य नहीं है। सुझाव यदि १४ दिन में न आएँ, या आएँ तो उनपर लोकसभा के निर्णयों के साथ विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

व्यय विधेयक के पारित हो जाने के बाद लोकसभा एक राजस्व विधेयक पारित करती है। यह बजट का आय संबंधी भाग है और इसमें अगले वर्ष लगाए जानेवाले करों का विवरण रहता है। प्रत्येक कर प्रति वर्ष नहीं लगाना पड़ता परंतु आयकर की भाँति के कई कर प्रतिवर्ष नए सिरे से लगाने पड़ते हैं। राजस्व विधेयक के पारित होने की भी वही प्रक्रिया है जो ऊपर व्यय विधेयक के विषय में बतला आए हैं।

अग्रिम अनुदान — नया वित्तीय वर्ष भारत में पहली अप्रैल को आरंभ हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि बजट उस समय तक पारित हो जाय, परंतु व्यय तो तुरंत ही आरंभ हो जाता है। पहली अप्रैल और बजट पारित होने की तिथि की बीच की अवधि में व्यय चलाने के लिये लोकसभा शासन को पर्याप्त धन अग्रिम अनुदान के रूप में दे देती है। बजट पारित हो जाने पर यह अग्रिम अनुदान स्वीकृत अनुदानों में से काट लिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यय भी आ पड़ते हैं जिनका ठीक अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता, जैसे किसी आकस्मिक युद्ध का व्यय। इसके लिये लोकसभा एक धनराशि स्वीकृत कर देती है कि उसमें से आवश्यक व्यय होता रहे। इसे प्रत्ययानुदान कहते हैं। लोकसभा विशेष अनुदान भी किसी ऐसे कार्य के लिये दे सकती है जो सामान्य बजट के साधारणतया [illegible] में नहीं आता। किसी भी सेवा या कार्य के लिये बजट में किया हुआ व्यय यदि अपर्याप्त सिद्ध हो तो उसके लिये लोकसभा से पूरक अनुदान माँगना पड़ता है।

भारत की आकस्मिक निधि — यदि ऊपर लिखी रीतियों से काम न चलकर कोई आकस्मिक व्यय की आवश्यकता आ पड़े तो उसे पूरा करने के लिए १५ करोड़ रुपयों की आकस्मिक निधि [illegible] कोष है जो राष्ट्रपति के हाथ में रखा गया है। इसमें से राष्ट्रपति आवश्यकता होने पर शासन को धन दे सकता है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक — [illegible] निधि में न कोई [illegible] के अनुरूप [illegible] न हो सके, [illegible] संसद् [illegible] के लिये नियंत्रक और महालेखापरीक्षक [illegible] पदाधिकारी [illegible] है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु संसद् [illegible] सदनों [illegible] [illegible] है और [illegible] [illegible] पदच्युत [illegible] है [illegible] [illegible] स्वतंत्र और निष्पक्ष

रीति से काम कर सके। वास्तव में नियंत्रक या महाले
वित्तीय मामलों मे संसद् का जागरूक प्रहरी है। व
हिसाब किताब की जाँच कराके यह देखता रहता है
के प्रतिकूल अथवा अनुचित रूप से कोई व्यय न हो
हो तो वह अपने वार्षिक लेखापरीक्षण के प्रतिवेदन
लिख देता है और सार्वजनिक लेखासमिति तथा संसद्
उसका जवाब माँगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अनुमान समिति
व्यय की विभिन्न माँगों में मितव्ययिता का सुझाव देती रहती

संसद् का शासन पर नियंत्रण

भारतीय संघ के शासन का संचालन केंद्रीय मंत्रिमंड
होता है जो अपने कार्यों के लिये लोकसभा के प्रति उ
है। इस उत्तरदायित्व को कार्यान्वित करने का चरम और
साधन है अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में अविश्वास
पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को या तो तुरंत पदत्याग
पड़ता है अथवा राष्ट्रपति से लोकसभा का विघटन
के नया निर्वाचन कराना पड़ता है। परंतु अविश्वास
शासन के विरुद्ध लोकसभा का अंतिम अस्त्र है।
सभा को उस अस्त्र के प्रयोग का अधिकार नहीं। पर
पर दिन-प्रति-दिन के नियंत्रण के लिये संसद् के पास
अन्य और [illegible] साधन भी हैं जो दोनों सदनों के लिये उप
हैं। ये साधन हैं प्रश्न, प्रस्ताव और वादविवाद।

प्रश्न — दोनों सदनों में दैनिक बैठक का पहला घं
पूछने के लिये नियत होता है। विभिन्न मंत्रालयों से संबं
वाले प्रश्नों को पूछने के लिये सप्ताह के भिन्न भिन्न दिन नियत हैं
हर प्रश्न की पूर्वसूचना (साधारणतया दो दिन की) देनी पड़
है। प्रश्न संबंधी कुछ नियम हैं और प्रश्न यदि उनके विरुद्ध हो,
अध्यक्ष उसे पूछने की अनुमति नहीं देता। प्रश्नों के उत्तर संबं
विभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और मंत्री या उन
[illegible] प्रतिनिधि उन उत्तरों को सदन में पढ़ देते हैं। य
उत्तर स्पष्ट या संतोषजनक न हो तो प्रश्नकर्ता या कोई भी सदस्
पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। इनका उत्तर मंत्रियों को बिना पू
तैयारी के देना पड़ता है और इसमें उनकी प्रत्युत्पन्नमति की
परीक्षा होती है।

कभी कभी प्रश्नों का उत्तर देने से इस आधार पर इनकार भी करते हैं कि उत्तर देना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। प्रश्नों का [illegible] अभिप्राय सूचना प्राप्त करना होता है, परंतु वास्तविक अभिप्राय होता है शासन की पोल खोलना या उसकी भूलों की [illegible] [illegible] [illegible] कोई भी [illegible] नहीं जिसपर प्रश्न न पूछा जा सके और [illegible] पूछे जाने की आशंका मंत्रियों और शासन कर्मचारियों को [illegible] और [illegible] रखती है। इस प्रकार प्रश्नों के द्वारा शासन पर संसद् का महत्वपूर्ण अंकुश रहता है।

प्रस्ताव — [illegible]

विचाराधीन हो अथवा किसी कारण से अध्यक्ष उसको आवश्यक नहीं समझता। सामान्य रूप से प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम, अल्पसूचित प्रश्न जिनके सार्वजनिक महत्व के होने के कारण उनका उत्तर अध्यक्ष की व्यवस्थानुसार तुरत ही संबंधित मंत्री को देना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो अध्यक्ष मंत्री को कुछ और समय देने की व्यवस्था दे सकता है। द्वितीय, तारांकित प्रश्न जिनका उत्तर शासन की ओर से मौखिक दिया जाता है। तृतीय, अतारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है। उत्तर अपर्याप्त होने की दशा में अध्यक्ष अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति भी दे सकता है।

सदन का मत प्रस्ताव तथा उसपर मतगणना से भी ज्ञात किया जाता है। मुख्य रूप से प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं। प्रथम मुख्य प्रस्ताव, द्वितीय गौण प्रस्ताव। गौण प्रस्ताव उचित रूप से सूचित एवं अध्यक्ष की अनुज्ञा से उपस्थित किए गए मुख्य प्रस्ताव पर विवाद के समय रखे जाते हैं, जैसे कार्य स्थगित करने के लिये प्रस्ताव। यह प्रस्ताव मुख्य प्रस्ताव को छोड़कर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये प्रेरित करता है। वैधानिक प्रस्ताव का उद्देश्य किसी प्रश्न पर अनावश्यक विवाद को समाप्त करना होता है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर प्रश्न तुरत सदन के समक्ष मतगणना के लिये रख दिया जाता है। मुख्य प्रस्ताव के संशोधन अथवा उसपर विचार करने हेतु निर्धारित समय को बढ़ाने हेतु भी गौण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रकार का प्रस्ताव सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा किसी मंत्री या मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी होता है। इस प्रस्ताव के उचित रूप से सूचित करने के पश्चात् उसपर विचार किया जाता है। प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार के उपरांत मतगणना की जाती है। मतदान का कोई रूप प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे हाथ उठवाकर, प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों को अलग अलग खड़ा करके, एक एक से बात करके अथवा गुप्त मतदान पेटी में मतदान करवा कर। यदि आवश्यक समझा जाय तो प्रथम तथा द्वितीय वाचन के बाद किंतु तृतीय वाचन के पूर्व विधेयक पर पूर्ण विचार करने के लिये प्रवर अथवा अन्य समितियों को विषय सौंप दिया जा सकता है।

सदन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये सदन को संयुक्त रूप से तथा प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से परपरातर्गत कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ सदन में भाषण का अप्रतिबंधित अधिकार, सदन की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित अथवा न प्रकाशित करने, अवरुद्धियों को हटाने, सदन को अपनी संरचना करने एवं प्रक्रिया स्थापित करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी सदस्य सत्र आरंभ के चालीस दिन पहले एवं सत्रांत के चालीस दिन पश्चात् तक बंदी नहीं बनाया जा सकता, यदि उसके ऊपर कोई अपराध करने, निवारक नजरबंदी या न्यायालय अथवा सदन के अवमान का आरोप न हो। यदि किसी सदस्य ने अथवा अन्य किसी ने उपर्युक्त विशेषाधिकारों की अवहेलना की है तो यह सदन के अवमान को (कंटेम्प्ट) का प्रश्न बन जाता है और इसके बदले सदन को स्वयं अथवा विशेषाधिकार समिति के निर्णय पर दोषित व्यक्ति को दंड देने पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है। [सु० कु०

संस्करण संस्कृत की 'कृ' धातु में (जिसका अर्थ है करना) सं उपसर्ग मिलकर यह शब्द बनता है, संस्करोति, जिसका साधारण भाषा में अर्थ है भली प्रकार करना। इसी से संस्कार या संस्करण बना जिनका अर्थ है भली प्रकार किया हुआ कार्य या परिष्कृत कार्य।

प्रकाशन व्यवसाय के संबंध में संस्करण का अर्थ है मुद्रित वस्तु का एक बार प्रकाशन। वास्तव में प्रकाशन व्यवसाय के संदर्भ में भी संस्करण का परिष्कृत कार्यवाला अर्थ सटीक बैठता है। किसी भी पांडुलिपि को जब प्रकाशित किया जाता है तो मुद्रित पुस्तक का रूप पांडुलिपि के रूप से कहीं भिन्न होता है, अधिक सुंदर और आकर्षक तथा अपने समग्र रूप में अधिक परिष्कृत होता है। पांडुलिपि का संपादन होता है आवश्यकतानुसार चित्र बनते हैं, प्रेस में मुद्रण होता है, आकर्षक आवरण में भी ग्रंथ सज्जित किया जाता है, तब कहीं जाकर उसका प्रकाशन होता है। पुस्तक का 'संस्करण' अपने अर्थ को सचमुच सार्थक करता है। संस्करण का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है—जैसे, राज संस्करण, सामान्य संस्करण और अब पाकेट बुक्स (या सस्ता) संस्करण। राज संस्करण में पुस्तक में कागज बढ़िया लगाया जाता है, जिल्दबंदी ऊँचे किस्म की होती है और उसका मूल्य भी अधिक होता है सामान्य संस्करण, जैसा नाम से स्पष्ट है, सामान्य ही होता है और आम खरीदार को ध्यान में रखकर प्रकाशित किया जाता है। बीसवीं सदी में मध्य वर्ग की आमदनी को ध्यान में रखते हुए (क्योंकि मध्य वर्ग ही पुस्तकों का सबसे बड़ा पाठक है) अच्छी, महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तकों के सस्ते संस्करण प्रकाशित करने की प्रथा चल पड़ी है, जो समय के साथ साथ खूब पूसी फली है। विदेशों में जिन पुस्तकों के सामान्य संस्करण की ३०००–१०००० प्रतियाँ बिकती हैं, उन्हीं के सस्ते संस्करण की १००००० से २००००० प्रतियाँ तक आसानी से बिक जाती हैं। लेखक और प्रकाशक दोनों को ही इससे अधिक लाभ होता है। हमारे देश में भी अब पाकेट बुक्स का प्रकाशन प्रारंभ हो गया है और द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। पुस्तकों का यह संस्करण सर्वाधिक उपयोगी है, और पाठक जनता तक इसी की सर्वाधिक पहुँच है, इसीलिये बड़े से बड़े लेखक अपनी पुस्तकों के सस्ते संस्करण प्रकाशित कराने में आनंदित होते हैं।

पहली बार प्रकाशित हो जाने के बाद जब किसी पुस्तक की सारी प्रतियाँ बिक जाती हैं तो कहा जाता है कि पुस्तक का एक संस्करण समाप्त हो गया। यदि पुस्तक की माँग हो तो उसे पुनः प्रकाशित किया जाता है। पुस्तक को बाद ज्यों का त्यों प्रकाशित कर दिया जाय तो उसे 'पुनर्मुद्रण' कहते हैं, किंतु यदि उसे कुछ संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन के साथ प्रकाशित किया जाय तो उसे 'नवीन संस्करण' कहा जाता है।

दैनिक पत्रों के भी संस्करण होते हैं; जैसे, नगर संस्करण, पहला डाक संस्करण, दूसरा डाक संस्करण, सांध्य संस्करण आदि। प्रत्येक संस्करण में पत्र का रूप कुछ बदला हुआ रहता है। नगर

पारित हो गया हो। लोकसभा के सदस्य, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के हों, चाहे विरोधी दल के, असमय विघटन से डरते हैं, क्योंकि पुनः निर्वाचन की झंझटें उठानी पड़ती हैं और कोई नहीं जानता कि उसमें कौन चुना जा सके और कौन रह जाय। तीसरे, मंत्रिमंडल ही संसद् के समय का स्वामी है। सरकारी कार्य को सदैव प्राथमिकता मिलती है। गैर सरकारी कार्य को पहले तो समय ही मिलना कठिन रहता है और यदि मिल भी जाय तो बिना मंत्रिमंडल की सहायता के उसका सफल होना लगभग असंभव है। चौथे, आजकल संसद् के सामने आनेवाले बहुतेरे मामले पेचीदा और कठिन होते हैं। मुद्रा, विनिमय, वित्त, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग आदि की समस्याएँ साधारण सदस्यों की समझ में बहुधा आती ही नहीं। मंत्री लोग विशेषज्ञ सरकारी कर्मचारियों की सहायता से उनका निर्णय करते हैं और ये निर्णय साधारण सदस्यों को ज्यों के त्यों मान लेने पड़ते हैं। उनमें मीनमेख निकालना उनके वश की बात नहीं।

जो हो, इसका यह अर्थ न समझना चाहिए कि संसद् नितांत अशक्त है। जब तब ऐसे प्रश्न आते हैं जब मंत्रिमंडल को लोकसभा की इच्छा के सामने झुकना पड़ता है। ब्रिटेन और भारत दोनों में इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। भारत के कुछ उदाहरण हैं हिंदू कोड विधेयक में परिवर्तन, श्री कृष्ण मेनन का प्रतिरक्षा मंत्री के पद से हटाया जाना, अनिवार्य बचत योजना और स्वर्णनियंत्रण के नियमों में परिवर्तन आदि। यह बात उस समय होती है जब संसद् सदस्य किसी विषय में सबल लोकमत को व्यक्त कर रहे हों। आज मंत्रिमंडल पर वास्तविक अंकुश लोकमत का है और संसद् का गौण रूप से।

विरोधी दल — विरोधी दल संसदीय शासन का आवश्यक अंग माना जाता है। इसी कारण, ब्रिटेन में १९३७ ई० से विरोधी दल के नेता को प्रधान मंत्री की भाँति वेतन मिलता है, और जैसे शासन को सम्राज्ञी का शासन कहा जाता है उसी भाँति विरोधी दल भी सम्राज्ञी का ही विरोधी दल कहलाता है।

विरोधी दल का कार्य है सत्तारूढ़ दल के कामों की निरंतर आलोचना करके उसे सतर्क रखना तथा सत्ता का दुरुपयोग करने से रोकना और यदि सत्तारूढ़ दल अपने कार्यों के कारण जनता का विश्वास खो बैठे तो उसके स्थान पर दूसरा मंत्रिमंडल बनाना। विरोधी दल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता एक मंत्रिमंडल को निर्वाचन द्वारा अपदस्थ करके अपनी पसंद का दूसरा मंत्रिमंडल प्राप्त कर सकती है। विरोधी दल का न होना प्रजातंत्र के लिये खतरे की घंटी है।

परंतु विरोधी दल का कार्य शासन का अकारण विरोध करना नहीं है। वास्तव में राष्ट्रीय महत्व की बातों, जैसे देश की सुरक्षा में उसका शासनारूढ़ दल से मतैक्य होना आवश्यक है। उचित बातों में उसे सत्तारूढ़ दल से सहयोग करना उतना ही आवश्यक है जितना अनुचित बातों में विरोध। यदि विरोधी दल औचित्य का विचार किए बिना सदैव विरोध ही करता रहे तो [illegible]

विरोधी दल के प्रभावशाली रूप से काम करने के लिये आवश्यक है कि वह अशक्त न हो और संसद् में उसकी संख्या सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा बहुत कम न हो। यदि विरोधी दल अशक्त हो और उसके चुनावों में विजयी होकर सत्तारूढ़ होने की संभावना ही न रहे, तो वह अनुत्तरदायी होकर अनर्गल आलोचना और तोड़फोड़ में लग जाता है। भारत में विरोधी दलों की दशा ऐसी ही दशा है। संसद् में कांग्रेस का ७० प्रतिशत से ऊपर बहुमत रहा है और विरोधी दल एक न होकर अनेक हैं और उनकी नीतियाँ इतनी भिन्न हैं कि वे कारगर रूप से संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते।

दलों का संसदीय संगठन — सत्तारूढ़ दल का प्रधान संसदीय संगठन मंत्रिमंडल होता है। उसका नेता प्रधान मंत्री होता है। प्रत्येक विरोधी दल का भी एक नेता होता है जो दल के कुछ अन्य मुख्य सदस्यों के साथ 'छाया मंत्रिमंडल' बनाता है। प्रत्येक दल के एक या एक से अधिक 'सचेतक' होते हैं, जिनका काम दल के नेताओं के आदेशों को सदस्यों तक पहुँचाना, उन्हें सदन में मतदान के समय उपस्थित रखना, और क्या करना या नहीं करना है, इसका निर्देश देते रहना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक को मंत्रिपद प्राप्त है, संसदीय मामलों का मंत्री। केंद्रीय कांग्रेस विधायक दल में प्रधान मंत्री के अतिरिक्त, जो लोकसभा का नेता होता है, दो उपनेता, दो सचिव, और एक कोषाध्यक्ष भी होते हैं।

संसद् से बाहर प्रत्येक दल का एक देशव्यापी संगठन भी होता है जो दल का प्रधान कार्य, धनसंचय, तथा चुनाव लड़ने आदि का कार्य भी करता है। [म० प्र० स०]

संसदीय विधि (पार्लमेंटरी ला) संसदीय विधि संसदीय प्रक्रिया के उन समस्त नियमों का समूह है जो विधायन प्रणाली को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये सामान्य रूप से आवश्यक माने जाते हैं। यद्यपि देशकाल के अनुरूप ऐसे नियम कुछ विषयों में अलग अलग हो सकते हैं किंतु संसदीय विधि का मूल स्रोत इंग्लैंड की संसद् के वे नियम हैं जिनके अनुसार विधिनिर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा आर्थिक विषयों के नियमन हेतु ऐसी प्रक्रियाएँ बनाई जाती हैं जिनसे इन विषयों पर सदन का मत ज्ञात होता है। अतः सर्वप्रथम संसद् के सत्र को राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल आहूत करता है। सत्र आरंभ के पश्चात् सदन का कार्य-संचालन सदन का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष विभिन्न विषयों पर सदन का मत विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, प्रस्तावों तथा उनपर मतगणना के परिणामों से ज्ञात करता है। अतः प्रस्तावों तथा संबंधित प्रश्नों पर समुचित रूप से विचार करने के लिये एक कार्यसूची बनाई जाती है जिसके अनुसार प्रस्तावक अथवा प्रश्नकर्ता के लिये समय नियत किया जाता है।

प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। कार्यपालिका के अनुचित कार्यों अथवा अन्य त्रुटियों पर प्रश्नोत्तर के समय अध्यक्ष अपनी व्यवस्थाएँ देता है। ऐसे समय केवल संसदीय भाषा का प्रयोग अपेक्षित होता है। [illegible] का सदस्य जो व्यवहार के

कई कारणों से उसने यह राय बनाई कि कंपनी को अवध पर अधिकार कर लेना चाहिए। सन् १७९९ में वेलेजली ने सआदत अली को अपनी सेना तोड़ देने की आज्ञा भेजी। बिना सआदत की अनुमति के अवध में अंग्रेजी सेना बढ़ा दी गई और उससे सेना का खर्च देने को कहा गया। जनवरी, १८०१ में उसने सआदत अली को लिखा कि या तो वह अभी तक का अंग्रेजी सेना का खर्च देकर भविष्य के लिये अपना आधा राज्य कंपनी को सौंप दे या पेंशन लेकर राजकार्य से अवकाश ग्रहण कर ले। मजबूर होकर नवंबर, १८०१ में सआदत अली ने कंपनी से संधि कर ली। इस संधि के द्वारा नवाब की सेना घटा दी गई तथा अवध की सीमा पर स्थित चुने हुए जिले कंपनी ने ले लिए। बचे हुए राज्य पर नवाब ने अंग्रेजों की सलाह से शासन करना स्वीकार कर लिया। अब अवध के चारों ओर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया।

सआदत अली एक सुयोग्य शासक था। उसके समय में शासन में कई सुधार किए गए तथा प्रजा प्रसन्न थी। अवध की सीमाओं को भी उसने यथासंभव दृढ़ करने का प्रयत्न किया था तथा राज्य की आमदनी बढ़ा दी थी। उसके मरने पर सरकारी खजाने में बहुत सा धन था। अंग्रेजों के उससे असंतुष्ट होने का कारण यह था कि वह अपने राज्य में उनका बहुत हस्तक्षेप सहन न करता था। सन् १८१४ में उसका देहांत हो गया। [मि० च० पा०]

सआदत खाँ इसका पूरा नाम सआदत अली खाँ था। यह प्रारंभ में खुरासान का निवासी था। बाद में यह भारत आया और इसने अवध के सूबे की नींव डाली। उस समय अवध में आधुनिक क्षेत्रों के अतिरिक्त इलाहाबाद तथा कानपुर के समीपवर्ती कुछ जिले तथा वाराणसी भी सम्मिलित थे। इस समय मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था और मुगलों की केंद्रीय शक्ति जर्जरित हो गई थी। मुगल सम्राट् केवल नाममात्र को ही था। प्रांतीय नवाब दिखावे के लिये ही उसके अधीन होने का अभिनय करते थे। वास्तव में वे स्वतंत्र हो गए थे। इनमें अवध, दक्षिण तथा बंगाल के नवाब मुख्य थे।

सन् १७२४ में सआदत अली खाँ को अवध का नवाब बनाया गया था। वह एक सुयोग्य शासक था। थोड़े ही समय में अपने गुणों के कारण उसने अवध निवासियों के हृदय में घर कर लिया। बनारस जैसे धनी और शक्तिशाली प्रदेश अवध के अधीन थे। इन्हीं कारणों से सआदत खाँ की शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी और उसकी ख्याति देशव्यापी हो गई थी। सन् १७३९ में फारस के नादिरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसी वर्ष सआदत खाँ को दिल्ली में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। वह इसका अर्थ खूब समझता था। अतः उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसका भाजा और दामाद सफदरजंग बंगाल का नवाब हुआ। [मि० चं० पां०]

सआलिबी (Thaalibi) सन् ९६१ में नीशापुर (Nishapur) में उत्पन्न ११वीं शताब्दी पूर्वार्ध का प्रसिद्ध भाषाशास्त्री, कवि और कोशकार जिसका पूरा नाम अबू मंसूर अब्दुल मलिक इब्न मुहम्मद इब्न इस्माएल-सआलिबी था। १०३८ ई० में इसकी मृत्यु हुई। यूरोप की आधुनिक भाषाओं में इसकी कई महत्वपूर्ण कृतियाँ अनूदित होकर प्रकाशित हुई हैं। इसकी पुस्तक यतीमतुद्दहरकी महासिने अहलिल अस्र अरबी साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध है। [ध्या० ति०

सक्खर स्थिति : २७° ४२′ उ० अ० तथा ६८° ५४′ पू० दे०। यह नगर पाकिस्तान के सक्खर जिले का मुख्यालय है और रोहरी नगर के समुख, सिंध नदी के दाहिने किनारे पर, कराची से २२५ मील उत्तर-उत्तर पूर्व में स्थित है। उपर्युक्त दोनों नगरों के मध्य, सक्खर में प्राचीन किले के पत्थर बहुत अधिक संख्या में हैं। यहाँ के पत्थरों का ही उपयोग लैंसडाउन पुल के बनाने में हुआ है। इस पुल पर से उत्तर-पश्चिमी रेल मार्ग नदी को पार करता है। सक्खर में सोंयड बाँध है, जो संसार के प्रसिद्ध सिंचाई बाँधों में से एक है। बोलन दर्रा तथा सिबि नामक निम्न भूमि भी यहीं है। नगर की जनसंख्या १,०३,२१६ (१९६१) है। [अ० ना० मे०]

सक्सिनिक अम्ल (Succinic Acid) सक्सिनिक शब्द लैटिन के सक्सिनम (Succinum) से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऐंबर। ऐंबर में यह अम्ल तीन से चार प्रति शत तक पाया जाता है। आय रेजिनों, लिग्नाइट, काष्ठाश्म और अनेक पेड़ों में यह पाया जाता है। अंगूर, चुकंदर, गूजबेरी तथा रेवंद चीनी के रसों में भी यह रहता है। प्राणी जगत् में भी यह थाइमस ग्रंथि (thymus gland) और प्लीहा (spleen) में पाया जाता है। अनेक पदार्थों से, जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट व कैल्सियम मैंगेनेट के जीवाणु किण्वन से तथा वसा या वसाम्लों के ऑक्सीकरण से भी यह बनता है। एथिलीन गैस से इसका संश्लेषण हुआ है। बेंजीन के ऑक्सीकरण से मैलेइक अम्ल बनता है और मैलेइक अम्ल के ऑक्सीकरण से सक्सिनिक अम्ल प्राप्त हो सकता है।

सक्सिनिक अम्ल द्विक्षारक अम्ल है। इसका संरचनासूत्र निम्नलिखित है :

$$HOOC.\ CH_2\ CH_2.\ COOH$$

यह संतृप्त ठोस अम्ल है। इसका प्रिज्म के आकार का रंगहीन क्रिस्टल बनता है, जो १८३° सें० पर पिघलता है और जिसका क्वथनांक २३५° सें० पर उबलता है। इसमें वक्र शृंखला यौगिक बनने की प्रवृत्ति है। इसके मात्र से जल निकल जाने पर, यह सक्सिनिक ऐनहाइड्राइड बनाता है :

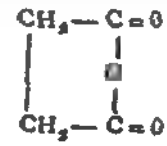

इसके अमोनियम लवण को तपाने से सक्सिनिमाइड प्राप्त होता है :

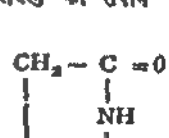

संस्करण में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समाचारों, स्थायी स्तंभों, तथा अन्य प्रमुख समाचारों के साथ साथ स्थानीय समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। डाक संस्करण अलग अलग समय पर निकलते हैं और जिन नगरों या क्षेत्रों को भेजे जाते होते हैं उनसे संबंधित समाचारों पर उनमें जोर दिया जाता है। अनेक पत्रों के प्रातः और सायं संस्करण प्रकाशित होते हैं। पत्रों के संस्करणों में जो समाचार पुराने पड़ते जाते हैं वे पिछले पृष्ठों में क्रमशः डाल दिए जाते हैं, और उनका स्थान नए प्रमुख समाचार लेते चले जाते हैं — यही क्रम चलता जाता है और कोई एक घंटे बाद वह समाचार अखबार से बाहर चला जाता है, बासी हो जाता है। उदाहरणतः यदि एक समाचार प्रातः संस्करण में दिया गया तो अगले दिन प्रातः से पहले के संस्करण तक में ही वह होगा, प्रातः संस्करण में नहीं। अनेक पत्रों के अंतरराष्ट्रीय संस्करण निकलते हैं। ये विशेष पतले कागज पर छापे जाते हैं और आजकल हवाई डाक से भेजे जाते हैं। अनेक दैनिक पत्रों के एक सप्ताह के प्रमुख समाचारों के सार संग्रह में पुनः एक विशेष संस्करण में प्रकाशित करके विक्रीत होते हैं।

साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि पत्रपत्रिकाओं के भी राज्य या सामान्य संस्करण प्रकाशित होते हैं। अनेक के अंतरराष्ट्रीय संस्करण, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रकाशित होते हैं। कभी कभी कोई पत्रिका कई भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होती है, तदनुसार उनके हिंदी संस्करण, मराठी संस्करण आदि होते हैं। अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के विशेष संस्करण कभी कभी एक विशेष देश के लिये ही होते हैं — मसलन, भारतीय संस्करण, पाकिस्तानी संस्करण आदि। ऐसा करने के अनेक कारण हैं, मुद्रा का विनिमय जिनमें प्रमुख है। [वि० ना०]

संस्कार (हिंदू) 'संस्कार' का अर्थ है शुद्ध किया जाना। आर्य जाति में वे कृत्य या विधान संस्कार कहलाते हैं जो जन्म से मृत्यु पर्यंत द्विज वर्णों में आवश्यक माने गए हैं। इन कृत्यों के किए जाने से जीवात्मा की शुद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इनकी संख्या कहीं दस, कहीं बारह और कहीं सोलह मानी गई है। मनु के अनुसार द्वादश संस्कार ये हैं—गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन, केशांत, समावर्तन और विवाह। ये संस्कार या धार्मिक कृत्य क्रमशः इन अवसरों पर किए जाते हैं—१. गर्भाधान के पूर्व, २. स्त्री के गर्भ धारण के तीसरे मास में, ३. गर्भवती स्त्री के (चौथे, छठे अथवा) आठवें मास में; ४. पुत्रजन्म के अवसर पर; ५. बच्चे का नाम रखने के समय; ६. चार महीने के शिशु को पहले पहल घर से बाहर ले जाने के अवसर पर; ७. शिशु को पहली बार अन्न चटाने के समय; ८. बच्चे का पहली बार सिर मुंडाकर चोटी रखने के समय; ९. विद्याभ्यास के लिये प्रथम बार गुरु के पास भेजे जाने के समय; १०. उपनयन और समावर्तन के समय; ११. अध्ययन पूर्ण कर ब्रह्मचारी के घर लौटने के समय; १२. दाम्पत्य सूत्र में आबद्ध होने के अवसर पर (२० उपनयन, विवाह)।

संस्कार (ईसाई) धर्म की बहुसंख्यक धर्मविधियाँ सैक्रामेंट अथवा संस्कार कहलाते हैं। [illegible] प्रारंभ में [illegible] अधिक व्यापक था किंतु बाद ईसाई धर्म की मुख्य धर्मविधियों के लिये प्रयुक्त होने लगा जिनका प्रवर्तन ईसा की आज्ञा से हुआ है, (२) जिनके अनुष्ठान में प्रत्यक्षात्मक वस्तुओं द्वारा ईश्वरीय कृपादान सूचित किया है, और (३) जिनके द्वारा वह कृपा ईसा की इच्छा के विरुद्ध को वास्तव में दी जाती है। उदाहरणार्थ ईसा ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे जल से बपतिस्मा दिया करें, जल द्वारा का प्रक्षालन सूचित किया जाता है और ईसा की इच्छा के वास्तव में क्षमा कर दिए जाते हैं।

चर्च के धर्मपंडितों ने प्रारंभ ही से चली आनेवाली ईसाई विधियों पर चिंतन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उन परिभाषा के अनुसार कुल सात ही ईसाई सैक्रामेंट अथवा संस्कार होते हैं। इनमें से चार के विषय में देखिए 'बपतिस्मा', 'पुष्टीकरण', 'पापस्वीकरण' और 'पौरोहित्य' (दे० पुरोहित)। शेष तीन संस्कार ये हैं — विवाह, रुग्णीकरण (कानफर्मेशन) और रोगी का संस्कार (तैलमर्दन)।

प्रोटेस्टेंट धर्म ने संस्कारों की संख्या को दो ही तक सीमित कर दिया है। उसमें प्रायः बपतिस्मा और यूखारिस्ट को ही संस्कार माना जाता है।

सं० ग्रं० — एम० जे० रोबन : दि मिस्टरीज़ ऑव क्रिस्टेंडम, लंदन, सेंट लुइस, १९४९। [का० पु०

समादत अली अवध के नवाब आसफुद्दौला का ज्येष्ठ पुत्र था। सन् १७९७ में आसफुद्दौला की मृत्यु पर उसका बेटा वजीर अली नवाब बना। बाद में कंपनी के अधिकारियों का उसके नवाब का बेटा होने में संदेह हुआ और गवर्नर जेनरल जॉन शोर ने जनवरी १७९८ में समादत अली से एक संधि करके उसे अवध के सिंहासन पर बिठला दिया। इसके बदले में उसने कंपनी को बारह लाख रुपया दिया। वजीर अली को डेढ़ लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। उपर्युक्त संधि के अनुसार नवाब ने सामरिक महत्व वाले इलाहाबाद के दुर्ग को कंपनी को दे दिया तथा उसकी मरम्मत के लिये आठ लाख रुपया भी दिया। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीयों को अपने राज्य में प्रविष्ट न होने देने का उसने वचन दिया तथा अंग्रेजों को ७६ लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। किसी बाह्य शक्ति से संधि करने का उसे कोई अधिकार नहीं रह गया। नवाब वजीर की अपनी सेना कम करके १५ हजार कर दी गई। सर जॉन शोर समादत अली के साथ मनमाना व्यवहार करता था तथा अवध के शासन में भी हस्तक्षेप करने लगा था। इस प्रकार का हस्तक्षेप अवध के साथ की गई पुरानी संधियों के सर्वथा विपरीत था।

सर जॉन शोर ने अवध में अंग्रेजी सेना काफी बढ़ा दी क्योंकि उस समय अवध पर जमनशाह के आक्रमण का भय था। जमनशाह अहमदशाह दुर्रानी का पौत्र था। भारत पर आक्रमण करके वह लाहौर तक पहुँच गया था। अवध में अंग्रेजी सेना बढ़ाकर नवाब [illegible] को खर्च के लिये दबाया गया।

शोर के बाद लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल हुआ।

पाइरोसोमा नामक जंतु उष्ण महासागरों के जल के थपेड़ों में प्रवाहित होते हुए, जलती हुई मोमबत्ती के सदृश दृष्टिगोचर होते हैं।

संक्षिप्त इतिहास — सर्वप्रथम जगत्प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू (३८४-३२२ ई० पू०) ने एक सामान्य 'ऐसिडियन' (ascidian) का विवरण प्रस्तुत किया था। अरस्तू के बाद लगभग २,००० वर्षों तक इन जंतुओं के विषय में लोगों की अल्पज्ञता रही। लिनियस (Linnaeus) तथा उनके बाद के कुछ प्राणिविज्ञानियों ने कई 'ऐसिडियन' जंतुओं को मस्तकरहित मो स्का (Mollusca) के साथ एक वर्ग में रखा। लामार्क (१८१६ ई०) ने इन्हें मोलस्का से पृथक् कर, इनके समूह का नाम ट्यूनिकेटा (Tunicata, सचोली) प्रदान किया। सन् १८८६ ई० में कॉवलेफस्कि (Kowalevsky) ने एक सामान्य ऐसिडियन की वृद्धि के विषय में अनुसंधान लेख प्रकाशित कर, यह प्रकट किया कि इसके बैंगची डिंभक (tadpole larva) में कॉर्डेटा के प्रमुख गुण वर्तमान होते हैं, तथा बैंगची के वयस्क में कायांतरण (metamorphosis) होने के समय, ये गुण क्रमशः लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के कायांतरण को प्रतिक्रमणी (retrogressive) कायांतरण कहते हैं। इस अनुसंधान ने इस आधुनिक धारणा को जन्म दिया कि सचोली एक प्राचीन कॉर्डेटा के विशेष प्रकार के अवशेष हैं, जिनका विकास प्रमुख कॉर्डेटा से बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हुआ था।

जीवनवृत्त — ऐसिडियन उभयलिंगी जंतु हैं। अधिकांश जंतु अपने ही अंडों को निषेचित कर सकते हैं, परंतु अन्य जंतुओं में यह शक्ति नहीं होती। उनमें परनिषेचन (cross-fertilization) की क्रिया होती है। वृद्धि काल की प्रारंभिक आकृतियाँ प्राचीन कशेरुकी आकृतियों से मिलती जुलती हैं। अंडे, वृद्धि की इन अवस्थाओं के पश्चात्, बैंगची का रूप धारण करते हैं। बैंगची आकार में बहुत छोटे होते हैं, एवं उनमें कुछ समय तक तैरते रहने की शक्ति होती है। प्रत्येक बैंगची में तैरने के लिये एक पुच्छ होती है, जिसके मध्य में कोशिकाओं के द्वारा निर्मित एक पृष्ठरज्जु भी होती है। ऐसिडियन के बैंगची की वृद्धि इस अवस्था के पश्चात् रुक जाती है। पृष्ठरज्जु के दोनों पार्श्वों में पेशीतंतु की एक पट्टी होती है, जिनकी तुलना मछलियों के चलन पेशियों (locomotary muscles) से की जा सकती है। पृष्ठरज्जु के ऊपर, उसकी पूरी लंबाई में, एक संकीर्ण, नालाकार मेरुरज्जु (spinal cord) स्थित होती है। सभी कशेरुकी एवं कॉर्डेटों में उपर्युक्त विशेषताएँ मिलती हैं, जो ऐसिडियन एवं अन्य सचोलियों को विकास की मुख्य पंक्ति के साथ संबद्ध करती हैं। इसी मुख्य पंक्ति के शीर्ष पर स्वयं मनुष्य भी स्थित है।

बैंगची में तंत्रिका नाल (nerve-tube) का अग्र भाग विस्तृत होकर, मस्तिष्क के आशय (vesicle) का निर्माण करता है, जिसमें दो प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ये ज्ञानेंद्रियाँ बैंगची के अभिविन्यास (orientation) को तथा उसे प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं।

इस प्रकार के बैंगची प्रजातियों के सुदूर विस्तार और प्रसार में सहायक होते हैं। कुछ समय के पश्चात् बैंगची में ह (degenerative) परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। बैंगची स तल में डूब जाता है, इसका पुच्छ भाग अचल हो जाता है तथा किसी ठोस वस्तु से, अपनी नासा के निकट स्थित तीन आसंज (adhesive) रचनाओं द्वारा, संबद्ध हो जाता है। इस प्रक बैंगची में कायांतरण की क्रिया प्रारंभ होती है तथा ऐसी अवस्था वृद्धि होती है जिसमें यह सर्वप्रथम भोजन ग्रहण करने योग्य हो जाता है। इस नवीन अवस्था में इसका शरीर नालाकार हो जाता है, तथा इसके अग्र भाग में ऊपर की ओर स्थित कीप के आकार का मु होता है, जिसके द्वारा जल एक विस्तृत ग्रसनी में प्रवाहित होता है ग्रसनी में प्रत्येक ओर गिल छिद्र (gill slits) होते हैं, जिनके द्वार जल एक दूसरे कोष्ठ (chamber) में पहुँचकर, फिर वहाँ से एक दूसरे कीप के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये कीप क्रमशः अंतर्वाही नाल (Inhalent siphon) एवं अपवाही नाल (Exhalent siphon) कहलाते हैं, और ये नाल सचोली वर्ग के जीवों के मुख्य लक्षण हैं।

प्रौढ़ ऐसिडियन में विस्थापित एवं विकसित बैंगची के आवश्यक गुणों के अतिरिक्त कुछ विशेष लक्षण भी मिलते हैं। इनके अंग अधिक विकसित होते हैं एवं आकार अधिक विस्तृत हो जाता है और यौन ग्रंथियाँ भी निर्मित हो जाती हैं। ये जंतु संबद्ध प्रौढ़ावस्था में ह्रासी जंतुओं एवं प्राचीन प्रकार के जंतुओं का निरूपण करते हैं।

संरचना. ऐसिडियन आकृति में एक वृहत् कोशिका जैसा होता है, जिसमें प्रवेशार्थ एक अंतर्वाही नाल होता है। ग्रहण किए जल के छानने की क्रिया कोशिका के प्रत्येक ओर स्थित अनेक गिल छिद्रों के द्वारा होती है। जल वहाँ से बाह्य कोष्ठ में पहुँचकर अपवाही नाल के द्वारा बाहर निकलता है। आहार नाल का शेष संकीर्ण भाग गिल कोष्ठ (gill chamber) के पश्च भाग से प्रारंभ होता है। इसके मुख्य भाग हैं, ग्रसिका (oesophagus), आमाशय तथा शुंडांत्र। शुंडांत्र ऊपर की ओर मुड़कर अपवाही नाल के निकट खुलता है। अंतर्वाही नाल के द्वार के निकट, स्पर्शिकाओं की एक वृत्ताकार रचना होती है, जो इस छिद्र में बहुत बड़े वस्तुओं को नहीं प्रविष्ट होने देती है। शुंडांत्र के मुड़े भाग के मध्य बहुधा उभयलिंगी यौन ग्रंथियाँ स्थित होती हैं तथा पार्श्व में एक हृदय होता है। मस्तिष्क दोनों नालों के मध्य में स्थित होता है।

भोजन साधन (Feeding Mechanism) — भोजन ग्रहण के मुख्यतः दो अंग हैं। एक अंग का कार्य श्लेष्मा (mucus) उत्पन्न करना है, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ के टुकड़े एक साथ श्लेष्मा में लिपटकर एकत्र हो जाते हैं। दूसरे अंग का कार्य जलस्रोत उत्पन्न करना है, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ भीतर प्रविष्ट हो सकें। ये जलस्रोत ग्रसनी की दीवारों में स्थित, अनेक गिल छिद्रों के पक्ष्माभिका (cilia) अस्तरण (lining) के निरंतर स्पंदन (outward beating) के द्वारा उत्पन्न होते हैं, एवं अपवाही नाल के द्वारा भीतर प्रविष्ट होते हैं। गिल छिद्रों के द्वारा जल अपवाही नाल के निकट स्थित

थायोक्सिक्वाइन की आधी की पूर्ण के साथ बनुष बनाने से थाइनोन बनता है। थायोक्सिन आर को ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलाने से थायोनोन बनता है :

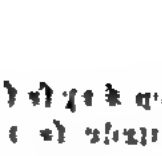

थायोक्सिन पानी में विलेय होता है। इसको क्षारीय धातुओं और क्षारीय मृत्तिका धातुओं के लवण भी जल में विलेय होते हैं। मेथिल अथवा ऐथाइल में अविलेय होता है। सोडा का लवण जल में अविलेय होता है। [ग० क०]

सचवान (Szechwan) चीन का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल ५,४१ वर्ग० मील वर्ग० एवं जनसंख्या ७,२१,६०,००० (१९६५) है। इस प्रदेश का मध्य भाग लाल बेसिन का पठार कहलाता है। यह प्रांत चारों ओर से पहाड़ों द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रांत का अधिकांश भाग पहाड़ी है। चेंगटू मैदान एकमात्र समतल एवं उपजाऊ मैदान है। इस मैदान में जिन नदी की नहरों द्वारा सिंचाई होती है और धान मुख्य उपज है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व २,१९२ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जबकि सीकांग (Sikang) प्रांत की सीमा पर यह घनत्व केवल ११ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। सचवान का अर्थ चार नदियों से है। मिन, तो, फू और क्यालिंग नदियों के मिलने से यांग्त्सीक्यांग बनती है और उत्तर से दक्षिण लाल बेसिन में बहती है।

चारों ओर पर्वतों से घिरे होने के कारण, यहाँ का ताप अधिक नहीं हो पाता। लाल बेसिन के चुंगकिंग नगर का दिसंबर, जनवरी का ताप ९·५° सें० एवं जुलाई अगस्त का औसत ताप २०° से २८° सें० रहता है। वार्षिक वर्षा ४० इंच होती है। सम या मृदु जलवायु के कारण सचवान प्रांत में अनेक प्रकार की कृषि होती है। पहाड़ी ढालों पर, सीढ़ीनुमा खेतों में, साल में दो बीन फसलें उगाई जाती हैं। जाड़े में गेहूँ, जौ, राई, जवार, बाजरा, सोयाबीन और मटर तथा गरमी में धान (विशेषकर चेंगटू के निकट मैदानी भाग में), गन्ना, सन, तिल (sesamum), दलहन, मक्का, आलू, तंबाकू, शहतूत और नारंगी की उपज होती है।

यहाँ पाए जानेवाले मुख्य खनिज कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चाँदी, सीसा, नमक एवं ऐंटिमनी हैं, जो प्रांत के विभिन्न भागों में खोदकर निकाले जाते हैं। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग ट्रकुंग (Tzekung) या ट्रकल्यूजिंग (Tzehutsing) में विकसित हैं। १९३७ ई० के चीन जापान युद्ध के काल से ही इस प्रांत का औद्योगिक विकास हो रहा है, लेकिन अधिकांश नए औद्योगिक केंद्रों को गुप्त ही रखा गया है। यहाँ लोहे, इस्पात, शराब, वस्त्र, दवा, रंजक, विद्युत् एवं मशीन यंत्र तथा वमन भट्ठियों और औद्योगिक मशीन यंत्रों के निर्माण के कारखाने हैं। इस प्रांत से ऊन, चमड़ा, तुंग तेल, रेशम, रैमी (ramie), चाय, तंबाकू और रेवत चीनी (rhubarb) नामक जड़ी का निर्यात होता है। यांग्त्सीक्यांग एवं उसकी सहायक नदियाँ द्वारा यातायात होता है। चुंगकिंग [illegible] बहुत एवं [illegible] बना हुआ है। [illegible] को [illegible] जोड़ने के लिये [illegible] बड़ी बड़ी [illegible]

[illegible]

सपोली (Tunicata) एक प्रकार के [illegible] या [illegible] में, [illegible] के [illegible] विभिन्न [illegible] पाए जाते हैं। इनके अधिकांश प्रकार [illegible] होते हैं एवं [illegible] प्रकार के [illegible] के साथ [illegible] शरीर [illegible] एवं [illegible] होता है। शरीर का आकार [illegible] और [illegible] से लेकर एक [illegible] तक के आकार का होता है। [illegible] एक [illegible] या मोटे चर्म [illegible] आवरण में, जिसे [illegible] (Tunic or Test) कहते हैं [illegible] रहता है। [illegible] ट्यूनिसिन (tunicine) नामक [illegible] पदार्थ का [illegible] है। ट्यूनिसिन [illegible] के अनुरूप एक पदार्थ है। [illegible] सिद्ध या मार्ग होते हैं। एक मार्ग से जल भीतर प्रवेश [illegible] दूसरे से बाहर निकल जाता है।

सपोली [illegible] (vertebrate) प्राणियों के [illegible] कॉर्डेटा (Chordata) वंश (phylum) के एक (sub-division) का निर्माण करते हैं। [illegible] (larval stage) में एक पूर्ण विकसित पृष्ठरज्जु (notochord) की उपस्थिति इनकी मुख्य विशेषता है। पृष्ठरज्जु मुख्यतः पुच्छ भाग में, जो वयस्क अवस्था में क्रमशः लुप्त हो जाता है, होता है।

सपोलियों की कई आकृतियाँ विचित्र एवं विलक्षण [illegible] चतुर्थों में ट्यूनिसिन का बना हुआ खोल (coat) सबसे [illegible] से अकेले जीव हैं। इनका हृदय कुक्कुटों के भ्रूण के हृदय के [illegible] होता है, परंतु हृदय की गति की दिशा समय समय पर [illegible] सकती है, जिससे रुधिर का संचरण विपरीत दिशाओं में भी [illegible] हो जाता है। रुधिर में श्वसन वर्णक (respiratory pigment) नहीं होते हैं। कुछ स्पीशीज़ों (species) की रुधिर कोशिकाओं में वैनेडियम एवं सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में मिलते हैं। [illegible] की विचित्रता यह है कि मूत्रजनित त्याज्य पदार्थ आस्तरों के ढेर के रूप में शरीर के भीतर एक या अनेक [illegible] में एकत्र होते जाते हैं। दूसरे प्रकार की त्याज्य वस्तुओं का उत्सर्जन खोल के बाह्य तल के द्वारा होता है। वयस्क जंतु [illegible] मस्तिष्क, ठोस पृष्ठीय पुच्छिका (ganglion) के रूप में [illegible] एक तंत्रिका ग्रंथि के साथ मिला हुआ होता है। यह [illegible] ग्रंथि कशेरुकी के पीयूष (pituitary body) से समानता रखती है।

सपोली उभयलिंगी (hermaphrodite), अर्थात् वृषण [illegible] अंडाशय, दोनों प्रकार के अंगोंवाले होते हैं। कई जंतुओं में निषेचन [illegible] अंडों, या फिर वयस्कों के किसी भी भाग के ऊतकों की वृद्धि [illegible] पुनःरचना (reconstruction) के द्वारा अंतिम जीव का निर्माण होता है। कुछेक जंतु रात्रि में तीव्र प्रकाश उत्पन्न करते [illegible]

२. थैलिएसिया (Thaliacea) — ये वेलापवर्ती (pelagic) जीव हैं। इनमें अंतर्वाही और अपवाही नाल शरीर के विपरीत छोर पर स्थित होते हैं, तथा इनके गिलछिद्र साधारणतया बड़े होते हैं, छोटे और पक्षिबद्ध नहीं; उदाहरण : पाइरोसोमा (Pyrosoma), डोलाइओलम (Doliolum), सैल्पा (Salpa) आदि।

३. लारवेसिया (Larvacea) — ये क्षुद्र वेलापवर्ती जीव हैं। इनकी पुच्छ स्थायी होती है तथा इनकी आंतरिक रचना साधारण होती है; उदाहरण : ऐपेंडिकुलेरिया (Appendicularia)।

[वि० श० भा०]

सड़क निर्माण यात्रियों और माल असबाब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूनतम चालनशक्ति लगाकर पहुँचाने के लिये सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि बनाने में व्यय भी कम हो और पीछे देखभाल भी बहुत महँगी न हो। सभी देशों में सड़क विकास की प्रारंभिक अवस्था में, जब गाड़ियाँ धीमी गति से चला करती थीं, सड़क के मध्य के पक्के भाग के (जिसे पक्का गोला भी कहा जाता है) संरचनात्मक पहलू पर, उसके ज्यामितिक रूप की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाता था। मोटर गाड़ियों की संख्या और उनकी गति में वृद्धि होने पर, सड़क के डिजाइन में उसके ज्यामितिक रूप का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह उचित भी है, क्योंकि पक्के गोले की रचना में तो यातायात की आवश्यकता के अनुसार बाद में सुधार हो सकता है, पर मोटरों का वेग बढ़ने पर यात्री की सुरक्षा और सुख के अनुसार सड़क के ज्यामितिक रूप को, स्थानीय अवस्थाओं के कारण, बदलना बहुत कठिन हो जाता है, यद्यपि वह व्यय के लिहाज से निषिद्ध न हो।

सड़क निर्माण में कार्य के कई चरण हैं : क्षेत्र सर्वेक्षण, मिट्टी सर्वेक्षण, यातायात सर्वेक्षण, ज्यामितिक डिजाइन, संरचनीय डिजाइन और वास्तविक निर्माण क्षेत्र। सर्वेक्षण के भी तीन अंग हैं : पहला 'टोह' सर्वेक्षण, जिसमें इलाके के प्राकृतिक लक्षण और अन्य स्थानीय अवस्थाओं को इस दृष्टि से देखा जाता है कि कौन कौन से वैकल्पिक मार्ग संभव हैं और उनके क्या हानि लाभ होंगे; दूसरा प्रारंभिक सर्वेक्षण, जिसमें संभावित मार्गों पर प्रभाव डालनेवाले प्राकृतिक लक्षणों को विस्तारपूर्वक देखा जाता है तथा तीसरा 'अंतिम रेखांकन सर्वेक्षण', जिसमें चुनी हुई रेखा का भूमि पर अंकन किया जाता है और आवश्यकतानुसार 'तल' सर्वेक्षण किया जाता है।

'मिट्टी सर्वेक्षण' में उस मार्ग पर मिलनेवाली, निर्माण में काम में आने योग्य मिट्टी और अन्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है।

'यातायात सर्वेक्षण' उस मार्ग पर चलनेवाली गाड़ियों के प्रकार, संख्या, उनके भार आदि का अंदाजा लगाने के लिये किया जाता है।

निर्माण के ज्यामितिक पक्ष हैं : मार्ग की रेखा, सड़क की चौड़ाई, मोड़, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर बाहरी उत्तल, दूसरे मार्गों के साथ संगम तथा दृष्टि दूरी आदि। यातायात की प्रत्याशित संख्या, भार, वेग और अन्य स्थानीय अवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनका डिजाइन तैयार किया जाता है।

संरचनीय डिजाइन पक्के गोले का किया जाता है। पक्के गोले की सतह का मुख्य उद्देश्य यातायात के लिये दृढ़, पक्का और चिकना रास्ता देना और उसपर पड़नेवाले भार और धक्के या संघात को नीचे की अपेक्षा निर्बल भूमि पर बाँटना है। निर्माण में लगाए जानेवाले पदार्थों के अनुसार पक्का गोला दृढ़ या लचीला होता है। सीमेंट कंक्रीट से बना गोला दृढ़ गोले का उदाहरण है, लचीले गोले वे होते हैं जो मिट्टी, बजरी, टूटे पत्थर की रोड़ी, कोलतार, बिटुमेन या अन्य ऐसे ही पदार्थों से बनाए जाते हैं।

भारत में सड़कें हाथों के श्रम से, या यंत्रों से, बनाई जाती हैं। देश में मजदूर बहुतायत से मिलते हैं जिसके कारण शारीरिक श्रम का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है, विशेषकर जब योजनाएँ तुरंत बनाई जानेवाली न हों।

सड़क की कुटाई तो मशीनी रोलरों (बेलनों) से ही की जाती है। पिछले दिनों में बड़ी सड़क योजनाओं को शीघ्रता से निबटाने के लिये मशीनों का बहुत प्रयोग हुआ है। अधिकतर काम में आनेवाली मशीनें हैं : मिट्टी के काम में आनेवाली स्क्रेपर (scraper), समतलक (graders), बुलडोजर, बेलन (rollers), उलटाऊ ठेले (trippers), खनित्र (excavators) आदि। बिटुमेनी सड़क बनाने के लिये स्वचल स्वमापी और मिश्रक तथा बिछाई की मशीनें (spreaders) आजकल बहुत काम में लाई जाती हैं।

सड़क योजनाओं के लिये परीक्षण और नियंत्रण प्रयोगशालाएँ बहुत आवश्यक हैं। ये प्रयोगशालाएँ अल्प व्यय की डिजाइन में ही सहायता नहीं देती हैं, वरन् कार्य को ठीक विशिष्टियों और वांछित गुणों के अनुसार बनाने में भी सहायता देती हैं। अब भारत में सड़क की बड़ी योजनाओं में ऐसी प्रयोगशालाओं का खूब प्रयोग हो रहा है।

[ज० मि० वे०]

सड़क परिवहन किसी देश के आर्थिक विकास के लिये प्रभावशाली परिवहन अनिवार्य है। माल और यात्रियों के ढोने की पर्याप्त सुविधाओं के बिना कोई भी राष्ट्र विकास की उन्नत स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता है।

भारत जैसे देश में, जहाँ लगभग ८० प्रति शत जनता गाँवों में रहती है, वास्तविक प्रगति देहाती क्षेत्रों को पुनर्जीवन प्रदान करने पर ही निर्भर है। इसके लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है गाँवों तक पहुँचने की, अर्थात् परिवहन सुविधाओं के एक सुसंगठित जाल की।

घोड़ागाड़ियों द्वारा माल ढुलाई महँगी होने और बैलगाड़ियाँ अत्यंत मंदगति की होने के कारण अधिक दूर की ढुलाई के निमित्त सड़कों का प्रयोग सीमित था। रेलपथ बनने पर तो सड़कें अधिक दूर की ढुलाई के लिये और भी कम महत्वपूर्ण रह गईं। लगभग सौ वर्ष तक सड़क परिवहन अधिकांशतः स्थानीय ही था और यात्री एवं माल दोनों की ढुलाई के लिये देश में रेलें ही प्रमुख साधन थीं। इसमें संदेह

परिकोष्ठगुहिका (atrial cavity) में एकत्र होता है, तथा पुनः अपवाही नाल के द्वारा, धार के रूप में, प्रबल वेग से कुछ दूर पर जाकर गिरता है, जिससे वह जल मुख के द्वारा पुनः भीतर नहीं प्रविष्ट हो सके। गिल कोष्ठ में प्रविष्ट होनेवाले जल में भोजन योग्य कई प्रकार के सूक्ष्म जीवित पौधे एवं जंतु होते हैं, जो एंडोस्टाइल (endostyle) से स्रवित श्लेष्मा के द्वारा उसमाकर रोक लिए जाते हैं। भोजन की पाचन क्रिया आमाशय के द्वारा स्रावित पाचक एंजाइमों से होती है। अपचित अवशेष अपवाही नाल के मुख के निकट एकत्र होता है। यहाँ से अपवाही जल के तीव्र स्रोत के द्वारा मलपदार्थ समुचित दूरी पर फेंक दिए जाते हैं।

जनन — जनन प्रायः लैंगिक होता है, जिसमें एक अवस्था डिंभ की होती है। कुछ जंतु सजीवप्रजक (viviparous) किस्म के भी होते हैं, जिनमें अंडे एक विशिष्ट प्रकार की भ्रूणधानी में कुछ समय के लिये एकत्र होकर बढ़ते और बैंगची का रूप धारण करते हैं, एवं इसी रूप में बाहर निकलते हैं। कुछ जातियों में अंकुरण के द्वारा भी जनन क्रिया होती है। कई प्रकार के अचर (non-motile) ऐसिडियनों में पौधों की तरह जेमोद्भवन (gemmation) एवं अलैंगिक जनन की क्रिया भी होती है। अधिचर्म (epidermis) के संकुचित होने के फलस्वरूप, भीतरी ऊतकों के कई खंड हो जाते हैं एवं प्रत्येक खंड अंकुरों में परिवर्तित हो जाते हैं। अंकुर शीत ऋतु में नष्ट नहीं होते एवं वसंत के आते ही पुनः नवीन जीवों की वृद्धि करते हैं। कुछ जंतुओं में अंकुर आंशिक रूप में अपने जनक (parent) से जुड़े रहते हैं। ऐसी अवस्था में दोनों की रुधिरवाहक नलिकाएँ एवं अपवाही नाल संयुक्त होते हैं। इस प्रकार अंकुरण की क्रिया के फलस्वरूप अनेक जंतु (व्यक्तिगत रूप में) वेष्टन (tunic) के एक ही पुंज में एकत्र होते हैं, एवं एक जंतुसमूह का निर्माण करते हैं। इन जंतुओं में पुनर्जनन (regeneration) की क्षमता भी असाधारण रूप में होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ जातियों की वृद्धि एकल वयस्क के रूप में होती है, जबकि अन्य जातियों में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन की अवधि एकांतरित रूप में मिलती है।

वासस्थान का चयन — एकल एवं सामूहिक ऐसिडियन कई प्रकार के वासस्थान के अनुकूल परिवर्तित हो गए हैं। साधारणतया एकल ऐसिडियन आकार में कुछ अधिक बड़े होते हैं तथा उन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। ये मुख्यतः या तो चट्टानों, स्तंभों या जहाजों के तल भाग के साथ जुड़े होते हैं, या बालू अथवा कीचड़ के भीतर स्थित होते हैं।

अंकुर उत्पन्न करनेवाले, या संयुक्त ऐसिडियन, उपर्युक्त प्रकार के वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। ये अधिकांशतः उन समतल धरातलों के साथ जुड़े होते हैं, जहाँ स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में, परंतु वेग से नहीं, उपलब्ध होता है। जिन जंतुओं में अंकुरण की क्रिया अधिक सक्रिय होती है, उनका आकार छोटा होता है, परंतु उनकी संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के जंतुसिद्ध (colonies) बहुधा क्षेत्रफल में विस्तृत होते हैं, परंतु इनकी मोटाई अधिक नहीं होती। संयुक्त ऐसिडियन प्रायः संख्या अपेक्षाकृत बड़े आकार के अंडों का निर्माण करते हैं। इन अंडों बैंगचियों की अवस्था में वृद्धि जनक के अलिंद (atrium) या अपवाहिनी (oviduct) में सुरक्षित रूप में होती है।

सामूहिक ऐसिडियन बहुधा पीले, भूरे, लाल, हरे एवं नीले रंगकणों के द्वारा अभिरंजित होते हैं तथा समूह का आकार तारा सदृश, (जैसे बोट्रिलस (Botrylus) में), सीढ़ी की तरह पंक्तिबद्ध, (जैसे बोट्रिलाइड्स (Botrylloids) में), या कुछ अनियमित रूप में, जैसा पोलिक्लिनम (Polyclinum) में, होता है।

आर्थिक महत्व — सचोलियों का प्रत्यक्ष आर्थिक महत्व बहुत ही कम है। कुछ जीव तो जहाजों के भीतर खड़ों को उत्पन्न

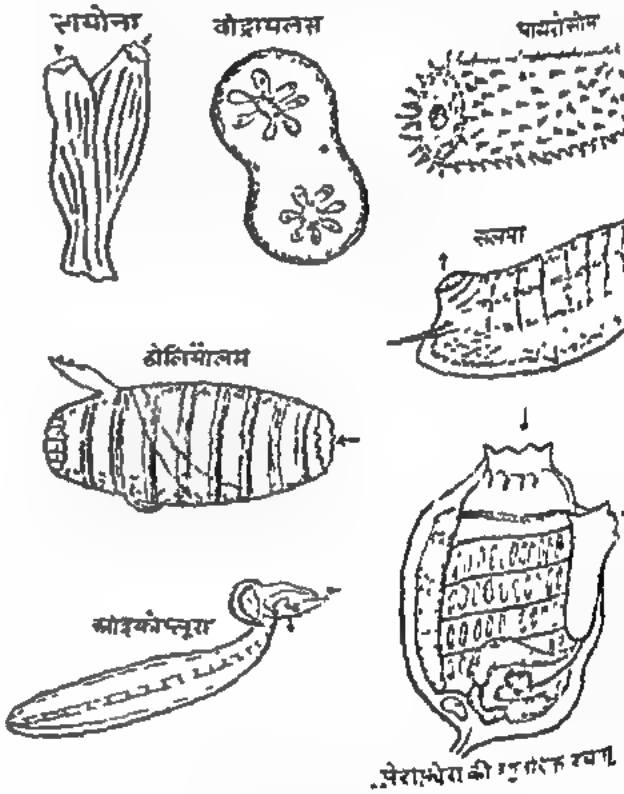

विविध प्रकार के सचोली

करते हैं। सचोलियों के केवल छः प्रकार प्राच्य देशों के मनुष्यों (orientals) के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

वर्गीकरण — इनकी लगभग २,००० जातियाँ ज्ञात हैं, जो निम्नलिखित तीन वर्गों (orders) में विभाजित हैं :

१. ऐसिडिएसिया (Ascidiacea) — ये संलग्न (sessile) होते हैं। पृष्ठतल पर अपवाही तथा जल पक्ष्माभिकामय (ciliated) गिल छिद्रों की अनुपस्थिति इनकी मुख्य विशेषता है; उदाहरण : सायोना (Ciona), मोलगुला (Molgula), बोट्रिलस (Botrylus) आदि।

मिट्टी में ये सब उद्देश्य भली भाँति पूरा करने की सामर्थ्य, संभव है, न हो, अतः संरचना की दृष्टि से उपयुक्त सतह की व्यवस्था करने का बड़ा महत्व है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त होने के अतिरिक्त सड़क की सतह में सर्वाधिक अपेक्षित गुण ये हैं: अशोषकता, उत्तम जल निकास और चलने के लिये चिकना पृष्ठ, जो इतना चिकना न हो कि गाड़ियों के पहिए फिसलने की नौबत आए।

स्थिरीकृत मिट्टीवाली निकृष्ट कोटि से लेकर, सीमेंट और ऐस्फाल्टी कंक्रीट की उत्कृष्ट कोटि तक की विभिन्न प्रकार की सतहें होती हैं। इनके बीच बजरी की, पानीकुटी मैकेडम और हलके बिटुमेनी आवरणवाली सड़कें होती हैं।

स्थिरीकृत मिट्टी, स्थानीय मिट्टी में बाहर से लाई हुई किसी दूसरी श्रेणी की मिट्टी, अथवा चूना, सीमेंट मिलाकर किसी रसायन से उसका उपचार करके तैयार की जाती है। इसके फलस्वरूप एक स्थिर मिश्रण प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य मिट्टी का सामर्थ्य सबधी गुण सुधारना है। किंतु इस प्रकार प्राप्त सामर्थ्य बहुधा भारी बोझ वहन करने के लिये अपर्याप्त होती है। इसलिये स्थिरीकृत मिट्टी की सिफारिश केवल गाँवों की, अथवा हलके यातायातवाली, सड़कों के लिये ही की जाती है।

बजरी डालकर कच्ची सड़क सुधारना और उसे औसत दर्जे के यातायात के योग्य बनाना, कम खर्च का एक तरीका है। इसमें बजरी या मुरम का प्रयोग होता है, जो सड़क की सतह पर तीन से छह इंच मोटी बिछा दी जाती है। ऐसा प्रति वर्ष, अथवा कुछ अधिक कालांतर से किया जाता है। इस प्रकार करते करते काफी स्थिर सतह बन जाती है।

पानी कुटी मैकेडम भारत में सड़कों की परंपरागत सतह रही है। इसमें तोड़े हुए पत्थर या कंकड़ की भली भाँति जमी हुई दो या अधिक तहें होती हैं। निचली तह से लगभग छह छह इंच के पत्थर, या ककड़, या ४½ इंच मोटी ईंटें सावधानीपूर्वक हाथ से जमा दी जाती हैं। ऊपरी तह १½ इंच से २ इंच आप के पत्थर या ककड़ की मिट्टी की होती है। रिक्त स्थान मुरम, बजरी, या अन्य ऐसे ही पदार्थ से भर दिए जाते हैं; तदनंतर पहले सूखी और फिर पानी डालकर कुटाई की जाती है। इसका और अधिक यातायात हो तो पानीकुटी मैकेडम की सतह अच्छा काम देती है, किंतु हवा भरे पहियों वाली तेज गाड़ियों के लिये यह बहुत अच्छी नहीं होती।

जैसे जैसे सड़कों पर तेज चाल का यातायात बढ़ता गया, चलने के लिये धूलरहित, चिकनी सतह वाली सड़कों की आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव हुई। बिटुमेनी सतहें इस समस्या का एक हल हैं। यातायात के अनुरूप ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। सब में साधारण इकहरे या दोहरे आवरणवाली सतह होती है। इकहरे आवरणवाली सतह, भाड़कर भली भाँति साफ की हुई सूखी पानीकुटी मैकेडम पर बिटुमेन छिड़ककर, उसपर पत्थर का जोड़ फैलाकर, रोलर से कूटकर तैयार की जाती है। इस प्रकार बिटुमेन ऊपर की ओर चढ़कर जोड़ को भली भाँति बाँध देता है। पहले की काली सतह पर बाद में आवरण भी इसी प्रकार चढ़ जाते हैं।

बिटुमेनी गच, सड़क पर कुटी हुई मिट्टी के ऊपर पिघला हुआ बिटुमेन फैलाकर तैयार की जाती है। इस प्रकार बिटुमेन मिट्टी अवरालों में घुस जाता है

यद्यपि ऐसी सतहें औसत से लेकर भारी यातायात तक वह कर सकती हैं, फिर भी इनमें एक अंतर्निहित दोष यह होता है कि इनमें बिटुमेन का फैलाव एकसा नहीं होता। यदि सड़क पर फैलाने और कूटने के पहले ही पत्थर का जोड़ और बिटुमेन परस्पर मिला लिए जाएँ, तो यह दोष दूर हो सकता है। इस प्रकार पूर्व-मिश्रण से प्रयोग के लिये अच्छी सतह प्राप्त होती है। भारत में सड़कों के लंबे लंबे भाग इसी प्रकार तैयार हुए हैं।

यदि पत्थर का जोड़ और बिटुमेन के साथ बालू और अत्यंत बारीक भरत भी उचित अनुपात में मिला ली जाती है, तो मिश्रण 'सघन मिश्रण' या 'डामरी' कंक्रीट कहलाता है। डामरी कंक्रीट से उत्कृष्टतम कोटि की बिटुमेनी सतह तैयार होती है, जो भारी यातायात में भी २०-२५ वर्ष तक कोई कष्ट नहीं देती। यह सतह महँगी होती है, अतः इसका औचित्य भारी यातायातवाली सड़कों में या बड़े शहरों में ही हो सकता है।

ऊपर वर्णित सभी प्रकार की सतहें नम्य फर्शों की कोटि में आती हैं। दूसरी कोटि अनम्य फर्शों की होती है, जिसके अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट की सड़कें आती हैं। सीमेंट कंक्रीट से, मुख्यतया उसकी कठोरता और टिकाऊपन के कारण, सड़क की बहुत अच्छी सतह प्राप्त होती है। अपनी उच्च प्रत्यास्थता के कारण सीमेंट कंक्रीट अपने ऊपर आनेवाला भार अपेक्षाकृत बड़े आधारक्षेत्र पर वितरित कर सकती है, फलतः इसके लिये विशेष मजबूत आधार तैयार करना आवश्यक नहीं होता। भली भाँति आकलित और निर्मित सीमेंट कंक्रीट की सतह भारी यातायात वहन करते हुए भी २०-२५ वर्ष तक टिक सकती है।

किसी सड़क के लिये किस प्रकार की सतह उपयुक्त होगी, इसका चुनाव करने में यातायात की प्रगाढ़ता एवं प्रकार, सड़क का महत्व, और धन की उपलब्धता सरीखे घटक ध्यान में रखने चाहिए। आरंभ में सोच विचारकर व्यय किया हुआ धन बाद में पड़ी हुई अनुरक्षण लागत के रूप में भली भाँति वसूल हो सकता है। निवारक उपाय उपचार से उत्तम होता है। यह सड़क के लिये उपयुक्त सतह चुनने के क्षेत्र में भी भली भाँति लागू होता है। [ज० सि० चे०]

सड़क, स्थिरीकृत मिट्टी की भारत एक विशाल देश है। यहाँ सभी मौसमों में प्रयुक्त होनेवाली, सभी लंबी सड़कों की तादाद आवश्यकता है, ताकि देश के आर्थिक विकास के लिये कृषि उत्पाद तथा कच्चे मालों का आवागमन सुचारु रूप से हो सके।

सभी मौसमों में प्रयुक्त होनेवाली, कम लागत की सड़क पानी कुटी मैकेडम (water bound macadam) सड़क है। यदि पत्थर, निर्माणस्थल के समीप उपलब्ध हो, तो ऐसी सड़क का निर्माण-व्यय कम पड़ता है। पर अधिकांश क्षेत्रों में यह आवश्यक सर्वोत्तम

नहीं कि भारी भरकम माल की लंबी दूरी की ढुलाई में रेलों का ऐसा ही योगदान बना रहेगा, किंतु इनके कार्यक्षेत्र का संकुचित होना इनके विस्तृत उपयोग में बाधक होता है। इसके अतिरिक्त रेलों के अतिशय विस्तार के बावजूद, विगत दो दशाब्दियों में उद्योग के द्रुत विकास के कारण रेलों की क्षमता सीमा तक पहुँच चुकी है।

रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के अनेक लाभ हैं। रेल परिवहन में यात्रा के दोनों सिरों पर माल ढुलाई सड़क से करनी पड़ती है, जब कि सड़क परिवहन आत्मनिर्भर है और घर घर पहुँचनेवाली सेवा उपलब्ध करता है। इसमें माल की चढ़ाई उतराई, अथवा स्थानांतरण, अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिये यह सस्ता पड़ता है। उठाईगीरी की संभावना और टूट फूट से हानि भी बहुत कम हो जाती है तथा समय की काफी बचत होती है। सड़क-मोटर-परिवहन की वितरण क्षमता स्पष्ट है। इसमें शक्ति का मितव्यय होता है और इसका कार्यक्षेत्र एवं व्यवस्था संकुचित नहीं है। इसके तथा अन्य लाभों के कारण कीमती और अपेक्षाकृत कम भारी भरकम माल ढोने के लिये सड़क परिवहन अत्यंत लोकप्रिय है। फल, शाकभाजी, मुर्गी, अंडा, दूध और मक्खन आदि के लिये सड़क परिवहन की बड़ी माँग है। केवल स्थूल माल की लंबी दूरी की ढुलाई में ही रेल परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा कुछ अधिक लाभदायी है।

प्रभावशाली कर से रेलपथ से प्रतियोगिता कर सकने के लिये सड़क परिवहन का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि सड़क और उसका आम उपयोग करनेवाले लोग सुरक्षित रह सकें और सड़क परिवहन उद्योग लाभदायी हो सके। सड़क की सुरक्षा गाड़ियों का भार सीमित करने से होती है। सड़क का आम उपयोग करनेवाले लोगों की सुरक्षा सुरक्षा नियमों से होती है, जिनमें पुलों और बसों की चौड़ाई, अधिकतम ऊँचाई, गाड़ियों और सम्मिलित गाड़ियों की लंबाई, गति सीमा तथा गाड़ियों में निश्चित कर से सुरक्षा साधन संबंधी निर्बंधात्मक उल्लेख होते हैं।

सड़क परिवहन उद्योग को लाभदायी बनाने के लिये ऐसे नियमों की आवश्यकता है जिनके सिवा और उचित दरें सुनिश्चित हो सकें और मोटर परिवहनकर्ता मनमानी, अथवा अनावश्यक प्रतियोगिता, न कर सकें।

यद्यपि ऐसे नियमों की आवश्यकता सर्वमान्य है किंतु फिर भी वे सावधानीपूर्वक और विचारकर ही लागू किए जाने चाहिए। रेल परिवहन के लिए जो सड़क परिवहन को अनावश्यकता बनाना, इन नियमों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।

चूँकि [illegible] रेलें अपनी ढुलाई की क्षमता बढ़ाने में असमर्थ हैं, इसलिये निकट भविष्य में आवश्यकता पूरी करने के लिए परिवहन के अन्य साधनों पर और बढ़ता जा रहा है। अतः और अब परिवहन की आवश्यकताएँ होकर हुने के कारण, सड़क और सड़क परिवहन पर भार [illegible] हो रहा है, यद्यपि इसका [illegible] महत्वपूर्ण है।

[illegible] की ओर देखकर, इस के पूर्व [illegible] काफी [illegible] (१९५९-१९६१) सड़क निर्माण [illegible] वह [illegible] २० [illegible]

की है कि देश में सड़कों की लंबाई बढ़ाकर दूनी कर [illegible] जिसमें ५,२०० करोड़ रुपया व्यय होगा। यद्यपि देखने [illegible] निवेश के ये आँकड़े बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं, फिर भी [illegible] मील क्षेत्रफल में, केवल ०.५२ मील लंबी सड़कों का होगा, [illegible] संयुक्त राज्य, अमरीका, में प्रति वर्ग मील में एक मील लंबी, [illegible] में प्रति वर्ग मील में २.०० मील लंबी और फ्रांस में प्रति वर्ग [illegible] ३.०४ मील लंबी सड़कें हैं।

सड़क परिवहन के लिये केवल सड़कों और पुलों का ही [illegible] पर्याप्त नहीं है, वरन् उनका राष्ट्रहित में उपयोग करना [illegible] और भली भाँति उपयोग करना होगा। सारांश यह है कि [illegible] परिवहन उद्योग और पूरक उद्योगों का भी उचित [illegible] होना चाहिए।

अभी अनेक भारी करों के कारण गाड़ियों के चलाने की [illegible] बहुत अधिक आती है। सड़क परिवहन की लागत घटाने [illegible] क्षमता बढ़ाने की दिशा में, एक प्रगतिशील चरण ट्रकों के पीछे [illegible] लगाना तो है ही, किंतु समस्या का दूरगामी समाधान तो [illegible] पर क्रियाविधि संबंधी अवरोधों के रूप में सभी विविध पाबंदियाँ हटाना और भारी करभार घटाना ही हो सकता है। सड़कें [illegible] सुधारनी चाहिए, क्योंकि सड़कों की हालत बुरी होने [illegible] गाड़ियों के चलाने का व्यय बहुत बढ़ जाता है।

अंतरप्रदेशीय यातायात के लिये निश्चित रास्तों के [illegible] पारस्परिक ठहराव तो है, किंतु जारी किए जानेवाले परमिटों [illegible] संख्या नितांत अपर्याप्त है। देश में गाड़ियाँ भी काफी नहीं बनतीं।

देश की परिवहन आवश्यकता पूरी करने के लिये, मोटर परिवहन उद्योग का और भी तेजी से विकास होना चाहिए। बहुधा [illegible] सुना दिया जाता है कि इस उद्योग में बहुत अधिक व्यक्तियों [illegible] काम में लगाने की क्षमता भी है। अनेक बाधाओं के होते हुए भी यह अनुमान है कि इस समय २४ लाख व्यक्ति इस उद्योग [illegible] लगे हैं।

भारत में मोटर गाड़ियों की संख्या
(३१-३-६४ को)

मोटर गाड़ियाँ	[illegible]
इक्कावाले रिक्शे	[illegible]
जीपें	[illegible]
निजी कारें	[illegible]
टैक्सियाँ	[illegible]
बसें	[illegible]
माल ढोनेवाली गाड़ियाँ	[illegible]
विविध	[illegible]
कुल योग	[illegible]

[illegible]

सड़क सतह का निर्माण [illegible]

(ग) जहाँ पत्थर बंध के साथ बिटुमेनी सतह का उपचार करना भी हो :

(१) निचला तह — ४ से ७·५ तक की सुपट्यतासूचक मिट्टी को, जिसमें बालू की मात्रा ५० % से कम न हो, अनुकूलतम नमी पर बिछाकर, लगभग आठ टनवाले रोलर से तब तक दबाई की जाती है, जब तक मुझे डेर का घनत्व १·६ ग्राम प्रति घन सेमी० न हो जाय। एकत्रित मिट्टी में सोडियम सल्फेट की मात्रा, भार में ०·१५ % से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(२) निचले स्तर की ऊपरी तह — ७·५ से ९ तक की सुपट्यतासूचक मिट्टी का, जिसमें बालू की मात्रा ३३ % से कम न हो, दो भाग और ईंट की मिट्टी, कंकड़, मूरम या लेटेराइट के मिलावे के एक भाग को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। मिलावे का आकार ऐसा होना चाहिए जो १·२५ इंच वाली चलनी से चाला जा सके तथा जिसका २० % से अधिक भाग ०·२५ इंच वाली चलनी से न चाला जा सके। मिलावे का सघट्ट मान ४० से ५० % के लगभग होना चाहिए। मिलावे तथा मिट्टी के मिश्रण को अनुकूलतम नमी पर बिछा दिया जाता है और बाद में इसको सात से आठ घन फुट प्रति १०० वर्ग फुट की दर से, एक इंच आकारवाली पत्थर की रोड़ियों से ढँक दिया जाता है। पत्थर की रोड़ी के मिलावे का सघट्ट मान २५ से अधिक नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात् सड़क की दबाई लगभग आठ टनवाले रोलर से तब तक की जाती है जब तक सतह पर कोई निशान न पड़े।

(३) डामर बिछाई — यह दो बार होनी चाहिए। इसके लिये पूर्व मिश्रण का भी प्रयोग किया जाता है। डामर बिछाने के लिये प्रयुक्त होनेवाली कड़ी का कुल सघट्ट मान २५ से कम और डामर छूटने का मान (stripping value) १५ से २० तक होना चाहिए (केंद्रीय सड़क शोध संस्थान के शोधपत्र संख्या १८, 'बिटुमेनी बधकी का छूटना' के अनुसार)। [सी० रा० मे०]

सड़कें (भारत की) एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिये भूपृष्ठ पर बनी रचना को पथ, मार्ग, रथ्या या सड़क कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही मार्गों का निर्माण होता रहा है। संसार के सबसे पुराने साहित्य वेदों में अश्व जुते हुए रथों का उल्लेख है, जो बनाए गए मार्गों पर तीव्र गति से चलते थे। रामायण और महाभारत में भी ऐसे रथों और मार्गनिर्माण की विधियों का वर्णन है। पाणिनि के विख्यात व्याकरण अष्टाध्यायी में अजपथ, हस्तिपथ और रथपथ का उल्लेख है तथा पाणिनि का समय निश्चय ही ईसा पूर्व पाँचवीं शती है। उस समय के मुख्य पथ, पाटलिपुत्र से गंधार तक उत्तर पथ, कौशांबी से प्रतिष्ठान तक दक्षिण पथ और विंध्यपर्वत को पार करते हुए पश्चिमी समुद्र के तटनगर भारुकच्छ तक पूर्व-पश्चिम पथ थे। इन मार्गों पर यात्रियों के सुख के लिये सब सुविधाएँ थीं। भारत से बाहर विदेशों में यद्यपि ईसा से ३,००० वर्ष पूर्व तक सड़कों के होने के संकेत मिले हैं, पर यह निश्चित है कि ईसा से ५०० वर्ष पहले दो बड़ी सड़कें मेडिटेरेनियन (भूमध्य) सागर को फारस की खाड़ी के ऊपरी सिरे से मिलाती थीं। लगभग २०० ईसवी तक रोमन साम्राज्य को चीन से मिलानेवाले रेशम अन्य विलास सामग्री के व्यापार के लिये सार्थवाह मार्ग थे। साम्राज्य की शक्ति बढ़ने पर यूरोप में पत्थर से पटी सड़कों जाल फैल गया। भारत में भी इसी काल में मौर्यसाम्राज्य (पूर्व चौथी शती) और गुप्तकाल (ईसवी पाँचवीं शती तक) निर्माण और उसके प्रबंध में बहुत विकास हुआ।

भारत के प्राचीन साहित्य में भी मार्ग के निर्माण की विधियों वर्णन मिलता है। आचार्य चाणक्य (कौटिल्य) के अर्थशास्त्र में पथ, राजमार्ग, सैनिक स्थान, श्मशान आदि को जानेवाले मार्गों चौड़ाई निश्चित की गई है और कहा है कि वे बीच में कछुए पीठ की तरह उभरे हुए हैं। मानसार वास्तुशास्त्र में लिखा है सड़कों पर कंकड़ कूटी जाए और भवनों के द्वार राजमार्गों पर खुलें, क्योंकि यह यातायात के लिये अत्यावह है। रथ, घोड़े, पैदल आदि के लिये पृथक् पथ हों और नगरों में चौराहों पर प्रकाश प्रबंध हो। सड़कों पर कूड़ा करकट आदि फेंकना जुर्म माना जाता था।

मध्यकाल में सड़कें — सम्राट् हर्ष (आठवीं शताब्दी) पश्चात् केंद्रीय शासन शिथिल हो जाने से मार्गों की दशा बिगड़ने लगी और १२वीं शताब्दी तक ऐसा ही रहा। १३वीं शताब्दी में पठान शासन स्थापित होने पर सड़कों की दशा में फिर सुधार होने लगा। सड़कों के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य बादशाह शेरशाह सूरी के अल्प राजकाल (१५४० से १५४५ ई० तक) में हुआ। उसने बंगाल के सुनारगाँव से पंजाब में रोहतास तक पुराने उत्तर पथ का पुनरुद्धार किया। शेरशाह ने उत्तर पथ पर कंकड़ कुटवाए, पेड़ लगवाए, कुएँ खुदवाए और सराएँ बनवाईं। आगरे से दक्षिण में बुरहानपुर तक और पश्चिम में चित्तौड़ और जोधपुर तक सड़कें बनवाईं। शेरशाह के पश्चात् मुगल काल में अकबर और जहाँगीर ने भी सड़कों का सुधार जारी रखा। आगरे से लाहौर की सड़क पर कोस कोस पर मीनारें बनवाईं, जो दूर से ही कोस के पूरा होने की सूचना देती थीं। अनेक बड़ी बड़ी सराएँ बनवाईं, जिनमें से कुछ के खंडहर अब भी मौजूद हैं। १७५९ ईसवी में राय चतुरमान कायथ की लिखी चहारगुलशन पुस्तक में २४ महान राजमार्गों का उल्लेख है, जिनमें मुख्य ये हैं :

(१) पटना-बनारस-दिल्ली-करनाल-लाहौर-पेशावर।
(२) दिल्ली-अजमेर-अहमदाबाद-सूरत।
(३) दिल्ली-आगरा-ग्वालियर-गोलकुंडा-बीजापुर।
(४) बीजापुर-औरंगाबाद-उज्जैन।
(५) लाहौर-श्रीनगर।

दक्षिण भारत में सातवाहन, चोल और चेर राजवंशों के शासनकाल में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतटों के पत्तनों को जानेवाली अनेक सड़कें बनवाई गईं। चालुक्य राजाओं ने भी सड़कों का बहुत सुधार किया। दक्षिण के मुख्य मार्ग ये थे :

(१) पूना-औरंगाबाद-बाल्ला-विजयवाड़ा (पूर्वी समुद्रतट)।
(२) कालीकट-रामेश्वरम्।

होता है, क्योंकि पनकुटी मैकैडैम के संतोषजनक निर्माण के लिये कठोर पत्थरों को काफी दूर से ले आना पड़ता है।

इसका विकल्प निम्न कोटि के सुलभ पदार्थों, जैसे ककड़, ईंट की मिट्टी, मुरम, लैटेराइट आदि से बनी पनकुटी मैकैडैम सड़क है। उपर्युक्त पदार्थ अधिकांश क्षेत्रों में निर्माण स्थल के समीप ही उपलब्ध होते हैं, परंतु इस सड़क में दोष यह है कि ऐसी पानी कुटी मैकैडैम सड़क के निर्माण में प्रयुक्त होनेवाले निम्न कोटि के पदार्थों के कठोर किनारे, बार बार यातायात भार पड़ने के कारण, सड़क सतह (road crust) के अंदर घिसकर टूट जाते हैं। इससे धीरे धीरे अंतःग्रथन (interlock) कम होता जाता है और अंत में सड़क की सतह कमजोर होकर नष्ट हो जाती है।

दीर्घकालिक अनुसंधान के फलस्वरूप यह पता चला है कि ऐसा ह्रास रोका जा सकता है। इसके लिये उच्च कोटि की मिट्टी में निम्न कोटि का मिलावा मिला दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मैट्रिक्स (matrix) की शक्ति, मिलावे के अंतःग्रथन से न प्राप्त होकर मिट्टी गारे की संसजकता (cohesiveness) से प्राप्त होती है। मिट्टी और मिलावे का अनुपात इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि मिलावे के प्रत्येक कण के चारों ओर काफी मिट्टी रहे। ऐसा केवल मिलावे के कण को घिसने से बचाने के लिये ही नहीं, अपितु संलग्न कणों को एक साथ रखने तथा सहन ढेर को, उस क्षेत्र की विभिन्न आर्द्र परिस्थितियों में, आवश्यक सामर्थ्य प्रदान करने के लिये भी किया जाता है।

उपर्युक्त परिणामों के आधार पर यंत्र द्वारा स्थिरीकृत मिट्टी की सड़क के निर्माण की एक सस्ती विधि का विकास हुआ है, जो दीर्घकाल तक सफल प्रमाणित हुई है।

यह विशिष्ट विधि (specification) पिछली दो दशाब्दियों के अनुसंधान तथा २०० मील से अधिक स्थिरीकृत मिट्टी मार्ग के डिजाइन, निर्माण तथा रख रखाव से प्राप्त अनुभव का परिणाम है।

इस विशिष्ट विधि की सिफारिश निम्नलिखित जलवायु एवं यातायात संबंधी परिस्थितियों के लिये की गई है :

वर्षा — प्रति वर्ष ६० इंच तक हो।

अवभूमि जलस्तर — भूमि तल से छह फुट से कम दूर न हो।

अधिकतम यातायात — कच्ची सड़कों के लिये औसत मिश्रित यातायात अधिक से अधिक लगभग ३० टन प्रति दिन हो।

बिछी सतहवाली सड़कों के लिये, औसत मिश्रित यातायात लगभग २०० टन प्रति दिन हो।

विशिष्ट विधि — (क) जहाँ बिटुमेनी सतह का उपयोग न करना हो :

(१) निचली तह (Course) — ४ से ७.५ तक की सुघट्यतासूचक (plasticity index) मिट्टी, जिसमें बालू की मात्रा ५० % से कम न हो, अनुकूलतम नमी पर बिछाकर, लगभग आठ टन वाले रोलर से तब तक दबाई जाती है जब तक सूखे ढेर का घनत्व १.८ ग्राम प्रति घन सेमी० न हो जाय। एक मिट्टी में सोडियम सल्फेट की मात्रा भार में ०.१५ % से अधिक होनी चाहिए।

(२) ऊपरी तह (Wearing Course) — ७.५ से सुघट्यतासूचक मिट्टी का जिसमें बालू की मात्रा ३३ % से कम दो भाग तथा ईंट मिट्टी, मुरम (moorum), लैटेराइट (laterite) के मिलावे (aggregate) का भाग मिलाकर, मिश्रण तैयार किया जाता है। मिलावे का ऐसा होना चाहिए जो १.२५ इंच वाली चलनी से चल जा जिसका २० % से अधिक भाग ०.२५ इंच वाली चलनी से मिलावे का संघट्ट मान (impact value) ४० से ५० होना चाहिए। मिट्टी तथा मिलावे के मिश्रण को अनुकूलतम (optimum moisture) पर बिछाकर, लगभग आठ टन रोलर से तब तक दबाया जाता है जब तक सतह पर कोई निशान न छोड़े।

(ख) जहाँ बिटुमेनी (bituminous) सतह का उपयोग करना हो :

(१) निचली तह — ४ से ७.५ तक की सुघट्यतासूचक मिट्टी को, जिसमें बालू की मात्रा ५० % से कम न हो, बिछाकर, लगभग आठ टन वाले रोलर से तब तक दबाया जाता है जब तक ढेर का घनत्व १.९ ग्राम प्रति घन सेमी० न हो जाय। एक मिट्टी में सोडियम सल्फेट की मात्रा भार में ०.१५ % से अधिक होनी चाहिए।

(२) निचला स्तर या ऊपरी तह (Base Coat) — ७.५ से ९.५ तक की सुघट्यतासूचक मिट्टी का, जिसमें बालू की मात्रा ३३ % से कम न हो, दो भाग और ईंट, मिट्टी, ककड़, मुरम लैटेराइट के मिलावे का एक भाग मिलाकर, मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। मिश्रण तैयार करने के पूर्व मिलावे का १० % भाग बचा लिया जाता है, जो बाद में मिश्रण के ऊपर, दबाई के पूर्व, डाला जाता है। मिलावे का आकार ऐसा होना चाहिए जो १.२५ इंच वाली चलनी से छाना जा सके तथा जिसका २० % से अधिक भाग ०.२५ वाली चलनी से न छाना जा सके। मिलावे का संघट्ट मान ४० % से ५० % तक होना चाहिए। मिट्टी और मिलावे में इतना पानी रहना चाहिए कि लगभग ८ टन रोलर से दबाने पर तले पर कोई निशान न बने।

(३) डामर बिछाई (Surface Dressing) — निचली तह के कुछ दिनों तक सूखने के बाद निचले स्तर की सतह पर, २० पाउंड प्रति १०० वर्ग फुट क्षेत्र की दर से तोष वर्णक (primer — यह बिटुमेन के ३० भाग तथा आशु तेल के १०० भाग का मिश्रण होता है) डाला जाता है। जब तोष वर्णक सतह द्वारा सोख लिया जाता है, तब सतह पर को बार पुनः डामर अथवा पूर्व मिश्रण (premix) डालकर, सतह को परिष्कृत कर लेते हैं। डामर बिछाई के लिये प्रयुक्त कड़ा (grade) का संघट्ट मान १२ से अधिक नहीं और डामर कूटने का मान (shattering value) १२ से १० होना चाहिए।

सड़कें (भारत की) (पृष्ठ ४४१–४४२)

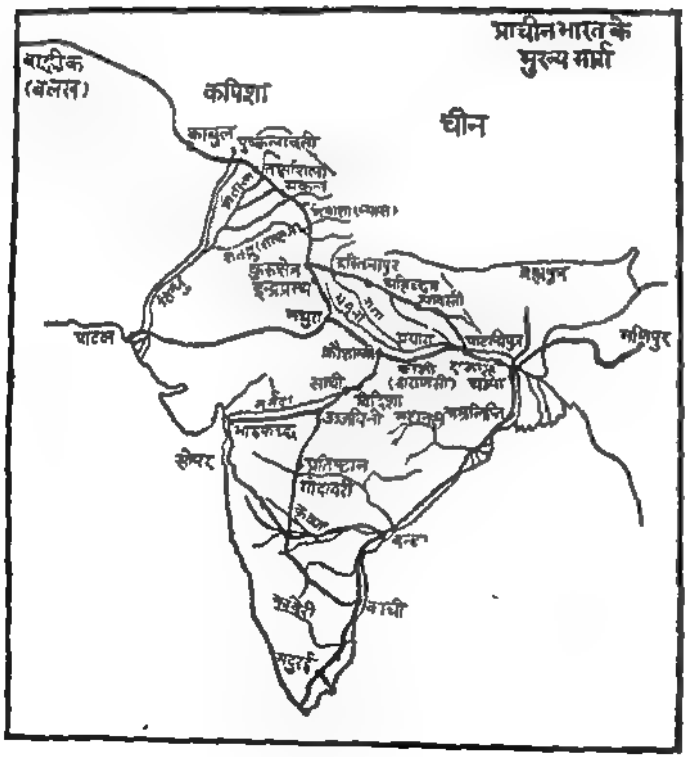

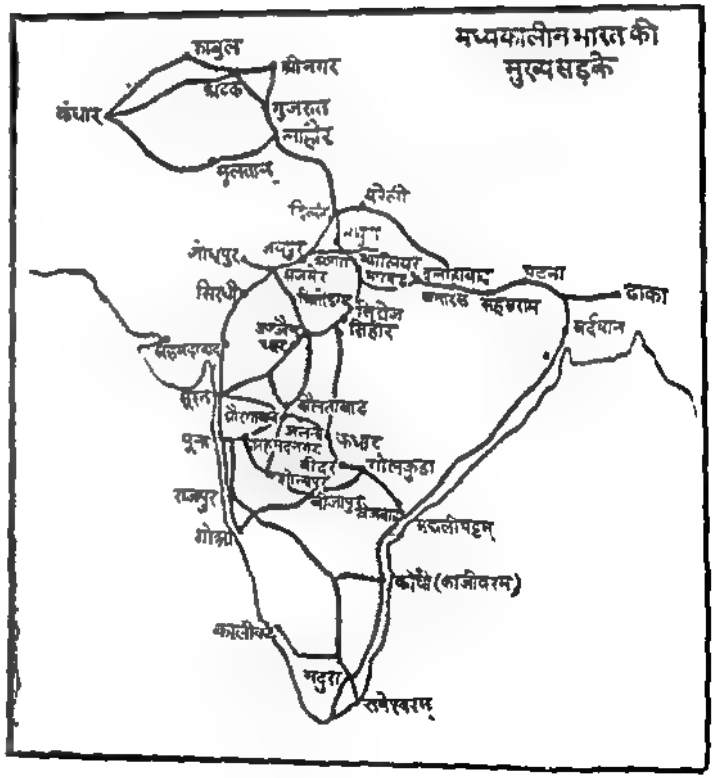

(१) पूना से समुद्री तट के साथ साथ दक्षिण तक।

सड़कों के रास्ते में पड़नेवाली नदियों पर नाव के पुल बनाए जाते थे, जो बरसात में तोड़ दिए जाते थे और यात्री एवं माल नाव से नदी पार जाते थे। छोटे छोटे नालों पर काठदार ईंट या पत्थर के पुल होते थे, जिनमें से कई अब भी मौजूद हैं, जैसे जौनपुर, करनाल और दिल्ली में।

अंग्रेजी शासनकाल में मार्गनिर्माण — अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के शिथिल पड़ जाने और केंद्रीय अनुशासन ढीला होने पर सड़कों की दशा बिगड़ने लगी। उसी शताब्दी में एक ओर तो तीन विदेशी शक्तियाँ, ब्रिटेन, फ्रांस और डच, आपस में भारत पर अधिकार जमाने के लिये बलप्रदर्शन कर रही थीं और विविध प्रदेशीय शासक एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसके कारण केवल सैनिक महत्व की कुछ सड़कों की देखभाल के अतिरिक्त अन्य सड़कें बिगड़ी जा रही थीं। १९वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के भारत में पैर जमाने पर, गवर्नर जनरल लार्ड बेंटिक (१८२८ १८३३), ने सार्वजनिक मार्गनिर्माण की ओर ध्यान दिया। पहले पहल महान् उत्तर पथ, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया, सुधारा गया। कलकत्ते से दिल्ली तक की सड़क को सुधार-कर उसपर ककड़ कुटवाकार पक्का किया गया और जगह जगह नए पुल बनवाए गए। सन् १८३५ तक यह सड़क करनाल तक, जो दिल्ली से ७५ मील दूर लाहौर की ओर है, बन गई थी। आगरे में बंबई की सड़क पर भी काम आरंभ किया गया।

लार्ड डलहौजी (१८४८-१८५६ ई०) का शासनकाल सड़क निर्माण के लिये और भी अधिक महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रत्येक सूबे में सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थापित किया, जिसमें इंग्लैंड के प्रशिक्षित इंजीनियर नियुक्त किए गए। अंबाले से कालका-शिमला तथा तिब्बत तक सीधी सड़कें आरंभ की गईं। लाहौर से पेशावर और खैबर दर्रे तक बिलकुल नई सड़क बनवाई गई, जिसपर पंजाब के चीफ इंजीनियर सर हेनियर और कर्नल एलैक्जैंडर टेलर का कार्य विशेष महत्वपूर्ण रहा।

सन् १८५७ में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारण सड़क निर्माण का कार्य कुछ ढीला पड़ा, पर शीघ्र ही सारे भारत में मार्ग-निर्माण का कार्य चालू हो गया।

रेल मार्गों से स्पर्धा — इस प्रकार मार्गों के निर्माण में तीव्र प्रगति हो रही थी कि सन् १८५२ में बंबई से कल्याण तक भाप के इंजन से खींची जानेवाली प्रथम रेलगाड़ी चली। सन् १८७५ तक सारे देश में रेल की पटरियों का जाल सा बिछ गया। इन रेल मार्गों पर बड़ी से बड़ी नदी और छोटे से छोटे नालों पर पुल बनाए गए। रेल गाड़ी की चाल भी तेज थी, घंटे में चालीस मील तक। इस लिये जिस जिस मार्ग के साथ रेल की पटरी बिछती गई, वहाँ लोगों ने सड़क की यात्रा छोड़कर रेल मार्ग को अपनाना आरंभ किया। उस समय तक सड़क पर तेज चलनेवाला वाहन घोड़ागाड़ी ही थी, जिसकी चाल दस बारह मील प्रति घंटे से अधिक न थी और रास्ते में बिना पुलवाली नदी एवं नाले बाधा थे। माल भी रेलगाड़ी से ढोया जाने लगा। इसलिये जिन मार्गों पर रेल चलने लगी वहाँ सड़क का उपयोग घट गया। उनकी देखभाल से भी ध्यान हट गया और उनकी दशा बिगड़ने लगी।

उधर शासन में भी गवर्नर जनरल, लार्ड रिपन, ने स्थानीय निकायों को सबल बनाने की नीति अपनाई और कुछ महत्वपूर्ण मार्गों को छोड़कर, अन्य सड़कों की देखभाल और नई सड़कों का निर्माण जिला बोर्डों के हवाले कर दिया।

२०वीं शती का प्रथम चौथा भाग — २०वीं शती के प्रथम दशक में ही पेट्रोल से चलनेवाली मोटरगाड़ी का आविष्कार हुआ और उसका प्रयोग बढ़ने लगा। उसकी चाल रेलगाड़ी की तरह थी और उसमें यात्रा सुखदायक भी थी। मोटरगाड़ी के भारत पहुँचने पर, धीरे धीरे उसका प्रयोग बढ़ने लगा और यात्री बस माल ढुलाई के ट्रक व्यवहार में आए। सन् १९१४ से १९१९ तक प्रथम विश्वयुद्ध में सैनिक परिचालन के लिये सड़कों का महत्व बढ़ गया। इसलिये सन् १९१९ के पश्चात् भारत सरकार का ध्यान फिर सड़कों के सुधार की ओर गया और जनता ने भी मोटर गाड़ी चलाने के लिये अच्छे मार्गों की माँग की।

२०वीं शती का दूसरा चौथा भाग — उपर्युक्त माँग की पराकाष्ठा सीमा १९२० ई० में भारतीय धारासभा के दोनों सदनों के एक प्रस्ताव के पारित होने पर हुई जिसमें भारत में सड़क विकास के प्रश्न को जाँचकर रिपोर्ट तैयार कराने का निश्चय था। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार ने श्री एम० आर० जयकर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। इस समिति के सचिव श्री के० जी० मिचल नियुक्त किए गए, जो पंजाब सूबे में सड़कों के इंजीनियर थे और जिन्होंने उस सूबे के सड़कों के, सन् १९२१ के बाद के, विकास में महत्वपूर्ण योग दिया था।

इस समिति ने, जो जयकर समिति कहलाई, एक वर्ष तक सारे देश में भ्रमण करके और जनता के प्रत्येक वर्ग के विचार का पता लगाकर नवंबर, १९२८ ई० में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तरह भारत में भी सड़कों का विकास प्रांतीय सरकारों की शक्ति के बाहर हुआ जा रहा है और वह राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर रहा है तथा वह कुछ सीमा तक केंद्रीय राजस्व पर भार हो सकता है। इस समिति की सिफारिशें सारांश में यह थीं कि खेती की उपज की बेहतर बिक्री और ग्रामीण जनता के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिये, भारत में पूर्ण रूप से सड़क पद्धति का विकास वांछनीय है और, क्योंकि यह कार्य प्रांतीय सरकारों की शक्ति के बाहर है, सड़क विकास के विशिष्ट प्रयोजन के लिये मोटर स्पिरिट पर केंद्र का २ आने (साढ़े बारह पैसे) प्रति गैलन (साढ़े चार लीटर) अतिरिक्त कर लगाना चाहिए और प्राप्त धनराशि एक पृथक् सड़क विकास फंड में जमा कर देनी चाहिए। समिति ने यह भी विचार व्यक्त किया कि फंड में जमा रुपए की प्रत्येक वर्ष के अंत में पूर्ण व्यय नहीं होने [illegible]

की योजना
निधि के [illegible]
प्रांतीय सर
गाड़ियों पर

भारत
और भारती-

१ मार्च, सन् १९३० को केंद्रीय सड़क निधि अस्तित्व में आई। वार्षिक राजस्व की निधि का २० प्रति शत केंद्रीय आरक्षण के रूप में रखा जाता है। निधि के प्रशासन, सड़क अनुसंधान तथा प्रयोग, राज्यों में उपयुक्त सड़क और पुल की योजनाओं, सीमांत राज्यों में अंतर-राज्य सड़क और पुल के लिये भारत सरकार इस आरक्षण अंश से अनुदान देती है। शेष ८० प्रति शत निधि राज्यों को उनके वास्तविक पेट्रोल उपयोग के आधार पर बाँट दी जाती है। सन् १९३१ में यह कर ढाई आना (१६ पैसे) कर दिया गया और वर्ष १९६३-६४ में इससे ४ करोड़ १० लाख रुपए की आय हुई थी और आरंभ से ३१ मार्च, सन् १९६४ तक कुल आय ७९ करोड़ ९२ लाख हुई थी।

केंद्र सरकार में एक सलाहकार समिति इस निधि के ठीक वितरण और उपयोग के लिये बनाई गई और एक केंद्रीय सड़क इंजीनियर की नियुक्ति की गई। पहले सड़क इंजीनियर श्री मिचेल ही नियुक्त हुए। जयकर समिति की सिफारिश के अनुसार, सब प्रांतीय सड़क इंजीनियरों की कांफ्रेंस प्रति वर्ष मार्गविकास की समस्याओं के अध्ययन के लिये बुलाई जाने लगी और इसी कांफ्रेंस ने सन् १९३४ में इंडियन रोड कांग्रेस का रूप ग्रहण किया। इस कांग्रेस का मुख्य कार्य है मार्गनिर्माण की विधियों के मानक नियत करना और वार्षिक अधिवेशन पर मार्गनिर्माण संबंधी विषयों पर लिखे निबंधों पर विचारविमर्श करना। कांग्रेस के इन कार्यों के कारण पिछले तीस वर्षों में मार्गनिर्माण और देखभाल की विधियों में बहुत सुधार हुए हैं।

मार्गनिर्माण विधियों में विकास — प्राचीन काल में सड़कों को कंकड़ या पत्थर कूटकर ही पक्का किया जाता था। बुनियादी तह में ६ इंच मोटा पत्थर, या कंकड़, या साढ़े चार इंच मोटी तह में ईंट बिछाई जाती थी और उसके ऊपर ४½ इंच मोटी तह कंकड़ या पत्थर की होती थी। पहले इन्हें पत्थर के भारी बेलनों से कूटा जाता था, पर २०वीं शताब्दी के आरंभ से भाप इंजन से चलनेवाले भारी लोहे के पहिए के बेलन प्रयोग में आने लगे। इस प्रकार की सड़कें मोटर परिवहन से पहले बहुत अच्छा काम देती रहीं, पर ये प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् मोटर ट्रकों और सवारी गाड़ियों के यातायात से बहुत जल्दी टूटने लगीं। भारी बैलगाड़ियों के पहियों पर चढ़ी तंग लोहे की हाल से सड़क के कंकड़ या पत्थर के बिखरने से, जो धूल बनती थी उसे तेज चलनेवाली मोटरगाड़ी के रबर के पहिए हवा में उड़ाते थे। उससे सड़क टूटने भी जल्दी लगी और धूल के कारण ठीक दिखाई न देने से दुर्घटनाएँ अधिक होने लगीं। इन दुष्परिणामों को दूर करने के लिये सड़क पर कोलतार, या डामर (bitumen asphalt), बिछाने की नई विविध विधियाँ निकाली गईं। जहाँ यातायात बहुत भारी होता है, वहाँ पर सड़कें कंक्रीट की बनाई जाने लगीं। पहले डामर अमरीका से आता था, पर अब देश में ही कई तैलशोधक कारखाने खुल जाने से डामर सस्ता हो गया है और इसका उपयोग बढ़ रहा है।

दसवर्षीय नागपुर योजना — द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३९-१९४५) में भारत में भारी सैनिक यातायात के कारण सड़कें टूटने लगीं और धन की कमी के कारण उनकी देखभाल में भी कमी होने लगी। सामरिक महत्व की नई सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के अलावा भी आपत्कालीन समय में एक अच्छी मुख्य सड़क पद्धति की आवश्यकता का अनुभव किया गया और यह भी विचार किया गया कि ये सड़कें अच्छे स्तर पर तभी रह सकती हैं, जब केंद्र इनके विकास और देखभाल का काम अपने हाथ में संभाल ले। इन समस्याओं पर विचार करने के लिये इंडियन रोड कांग्रेस के सुझाव पर, भारत सरकार ने दिसंबर, सन् १९४३ में नागपुर में प्रांतीय राज्यों के मुख्य इंजीनियरों का एक संमेलन बुलाया।

इस संमेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित थीं :

सड़कों को चार वर्गों में विभाजित किया जाए —

१. राष्ट्रीय मुख्यमार्ग — वे मुख्य सड़कें, जो भारत में मुख्य बंदरगाहों, विदेशी मुख्य मार्गों और राज्यों की राजधानियों को मिलाती हुई चारों ओर जाती हों।

२. राज्य मुख्य मार्ग — वे सड़कें, जो राज्य के जिला केंद्रों और अन्य मुख्य स्थानों को जोड़ें।

३. जिला मार्ग — वे सड़कें, जो जिले के मुख्य कस्बों को मिलाएँ।

४. देहाती मार्ग — जो गाँवों की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करें।

मुख्य ध्येय यह रखा गया कि कोई गाँव किसी मुख्य सड़क से पाँच मील से अधिक दूर न रहे।

नागपुर योजना के अनुसार दस वर्ष में निम्नलिखित सड़कों की लंबाई को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

सड़क का वर्ग		मूल लक्ष्य सारे भारत के लिये, मीलों में	सन् १९४७ में विभाजन के पश्चात् स्थिति मीलों में
राष्ट्रीय मुख्य मार्ग		२५,०००	२०,७५०
राज्य मुख्य मार्ग		६५,०००	५१,६५०
जिला सड़कें	मुख्य	६०,०००	४६,८००
	गौण	१,००,०००	८३,०००
देहाती सड़कें		१,५०,०००	१,३३,५००
कुल जोड़		४,००,०००	३,३३,०००

राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के निर्माण और देखभाल का अधिक दायित्व केंद्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, पर कुछ काम का जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर रखी। चोटी इंजीनियरों की नागपुर कांफ्रेंस ने मार्ग विज्ञान में अनुसंधान की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाया और उनकी सिफारिशों के अनुसार मई १९५० में केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने 'केंद्रीय मार्ग अनुसंधान संस्थान' की स्थापना दिल्ली-मथुरा सड़क पर की। इस संस्थान ने पिछले १६ वर्षों में मूलित्रा सिंथेटिक कंकड़ सड़क

सड़कें (भारत की) (पृष्ठ ४४१-४४५)

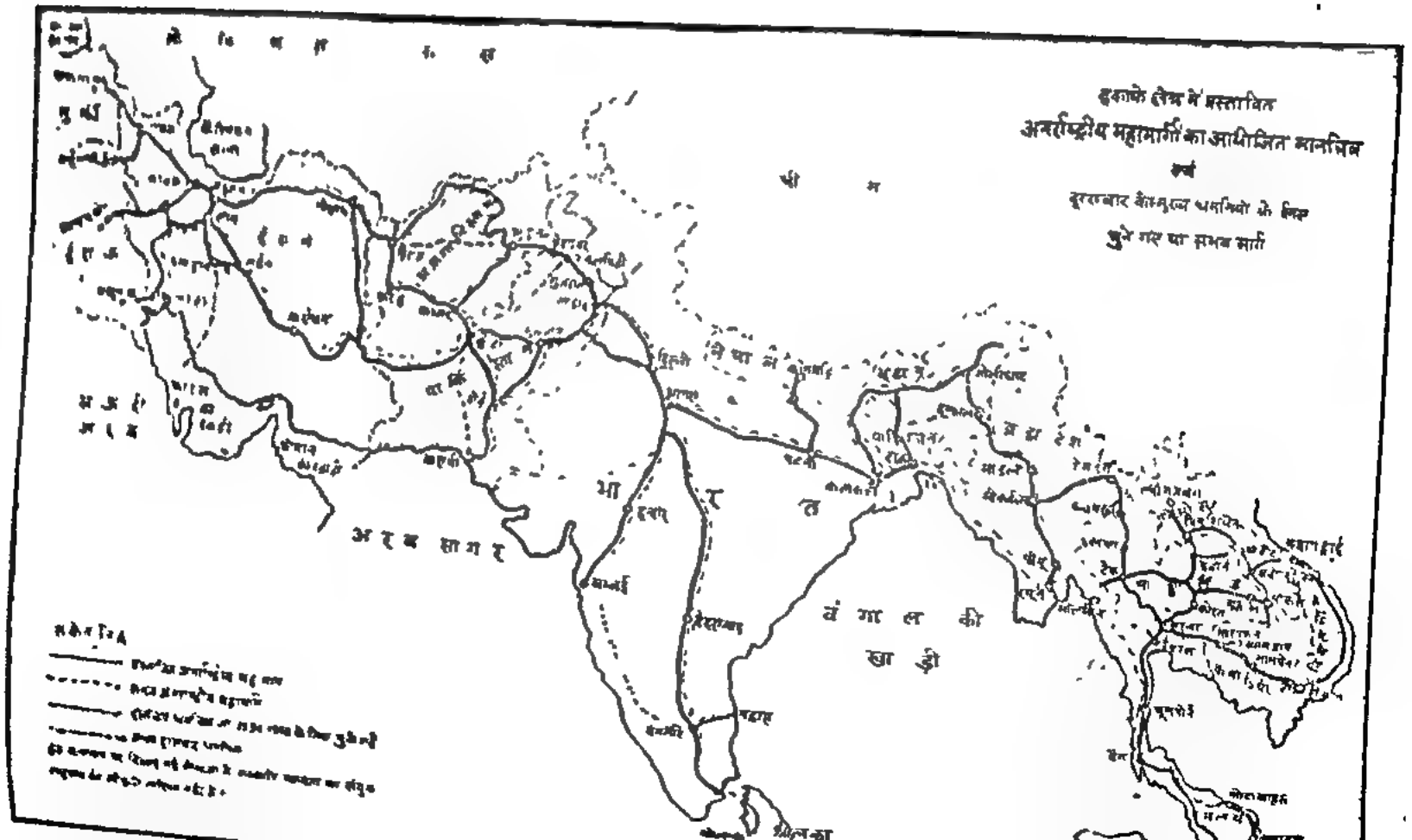

आदि पर लगे करों से ही उसकी आय क्रमशः १४५ और ३५२ करोड़ रुपया थी।

एशियाई महामार्ग — इकाफे (ECAFE), अर्थात् एशिया और सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग, ने उस पुराने महामार्ग का उद्धार और सुधार आरंभ किया है जिसपर ईसा के जन्म के बहुत पहले से एशिया के पश्चिमी किनारे के तुर्की साम्राज्य से पूर्वी किनारे वियतनाम तक ऊँटों और बैलों द्वारा सार्थवाह से व्यापार होता था। सन् १९६५ से इस मार्ग पर इकाफे ने, सबंधित राज्यों से, इस मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ कराया है। मानचित्र में (देखें फलक) इसको मोटी काली रेखा से दिखाया गया है। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग ५५,००० किलोमीटर होगी, जिसमें से ३३,००० किलोमीटर को प्राथमिकता दी गई है। भारत ने अपना भाग लगभग पूरा कर दिया है।

मोटर मार्ग — मोटरगाड़ियों को तीव्र गति से बिना किसी बाधा के चलने के लिये, पहले पहल जर्मनी में हिटलर ने इस शताब्दी के चौथे दशक में मोटर मार्ग का निर्माण कराया। इस मोटर मार्ग के आर पार जानेवाली सभी सड़कों, रेलों और नहरों के लिये सड़क के नीचे या ऊपर पुल बनाए गए, जिससे मोटर गाड़ी तीव्र गति से बिना किसी रुकावट और दुर्घटना के लगातार चल सके (देखें फलक, हि० वि० खंड ४.)। जर्मनी की देखादेखी अमरीका और यूरोप के अनेक देशों में ऐसे मोटर मार्ग बनाए जा रहे हैं। भारत में भी बंबई में पश्चिमी और पूर्वी मोटर मार्ग बनाए गए हैं, जो बंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को दूर रखते हुए, क्रमशः गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर जाते हैं। कलकत्ता में डमडम हवाई अड्डे के लिये ऐसा ही मोटर मार्ग बना है और एक महामार्ग कलकत्ता से दुर्गापुर को बनाया जा रहा है।

परिवहन — पश्चिमी देशों और भारत में भी जनता रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन को अधिक पसंद करने लगी है। नीचे की तालिका से, पिछले १६ वर्षों के दिए आंकड़ों से, यह स्पष्ट होगा :

माल पूर्व यात्री यातायात, रेल और सड़क द्वारा, दस लाख के अंकों में

	माल यातायात			यात्री यातायात		
वर्ष	रेल		सड़क	रेल		सड़क
	टन लदान	टन × किमी०	टन × किमी०	यात्री संख्या	यात्री किमी०	यात्री किमी०
१९५०-५१	९३·०	४४,११७	५,५००	१,२६४	६६,५१७	२३,१३३
१९५५-५६	११५·०	५९,५७६	८,९५०	१,२७५	६२,४००	६,१७७
१९६०-६१	१५९·२	८७,६८०	१७,३००	१,३९४	७७,६६५	४२,०००
१९६५-६६	२०५·०	१,५७,०००	३५,०००	२,०६०	९६,०००	८२,०००

मोटर गाड़ियों की संख्या में भी भारत अन्य विकसित देशों से बहुत पीछे है। ३१ मार्च, १९६५ को भारत में मोटर गाड़ियों की संख्या इस प्रकार थी :

मोटर साइकिल, १,७४,२३९, ऑटोरिक्शा, ११,९१०; जीप ३८,६७६; प्राइवेट गाड़ी, ३,३०,०७९; टैक्सी, ३०,६८०; बस ६२,०१९; मालठेले, २,२०,३९३, अन्य ५२,७१७; कुल, ९,२७,७०३

इस संख्या के अनुसार भारत में प्रति किलोमीटर एक ही मोटर गाड़ी होती है। इसकी तुलना में श्री लंका (सीलोन) में ७, युनाइटेड किंग्डम में २९, इटली में ४१, और अमरीका (युनाइटेड स्टेट्स) में १४९ हैं। इसलिये भारत में हर प्रकार की मोटरगाड़ियों का अधिक से अधिक बनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे माल और सवारियों की बढ़ती संख्या को ढो सकें।

सड़क दुर्घटनाएँ — सड़क विकास और सुधार तथा बढ़ती परिवहन की समस्या के साथ साथ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। सड़क यातायात की दृष्टि के अनुसार ही मार्गों का उपयुक्त सुधार नहीं हुआ है। धीरे और तेज चलनेवाली गाड़ियाँ सड़क पर साथ साथ ही चलती हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्राण खोनेवाले व्यक्तियों की संख्या १९५६ में २,७३४ से सन् १९६३ में ६,९५९ हो गई, और जख्मी होनेवालों की संख्या सन् १९५६ में २५,८८६ से सन् १९६३ में ४१,१२७ हो गई। विदेशों में किए हुए प्रयोगों से प्रमाणित हुआ है कि सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने और उनके मोड़ों की गोलाइयों को सुधारने से दुर्घटनाओं में बहुत कमी हो जाती है। भारी यातायात के मार्गों पर धीरे और तेज चलनेवाली गाड़ियों के लिये पृथक् मार्ग बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। सड़कों की सतह भी न फिसलनेवाली बननी चाहिए। यद्यपि भारत में मार्गों की लंबाई बढ़ रही है, तथापि ऊपर सुझाए सुधारों का करना भी आवश्यक है।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सड़क पर विविध संकेतपट लगाए जाते हैं। ये संकेतपट चार प्रकार के होते हैं : (१) चेतावनी संकेत, (२) निर्देशक संकेत, (३) नियामक संकेत तथा (४) निर्माण और देखभाल संकेत। यदि यान चालक इन संकेतों का पूरी तरह से पालन करें, तो दुर्घटनाओं में बहुत कमी हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्ग संमेलन यह प्रयत्न कर रहा है कि इन संकेतों के अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित किए जाएँ, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा रहे। भारत के लिये मानक संकेत इंडियन रोड कांग्रेस ने नियत कर दिए हैं जिनका सब प्रदेशों में व्यवहार होता है।

ग्रं० सू० — हिस्ट्री ऑव रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट, दिल्ली; भारत में मार्गविकास का इतिहास, केंद्रीय मार्ग अनुसंधान संस्थान, दिल्ली; ब्रजमोहन लाल : भारत में राज्य-मार्ग-निर्माण की कथा, इंस्टिट्यूशन ऑव इंजीनियर्स (इंडिया) जरनल का हिंदी संस्करण, सितंबर १९५२; भारतीय पुल सड़क आंकड़े १९६४; डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल : पाणिनि कालीन भारतवर्ष; डा० मोतीचंद : सार्थवाह। [व० मो० भा०]

सतत भिन्न (Continued Fractions) कोई पद संहति

$$k_0 + \cfrac{a_1}{k_1 + \cfrac{a_2}{k_2 + \cfrac{a_3}{k_3 + \cdots}}}$$

और लचीली डामर सड़क, मार्ग यातायात-नियंत्रण आदि पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में मार्ग-अनुसंधान-शाला स्थापित हो गई है और केंद्रीय अनुसंधानशाला इन सबके कार्यों का समन्वय करती है।

सन् १९३० में केंद्र में जिस केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी, उसका कार्य इतना बढ़ गया है कि अब परिवहन मंत्रालय में एक पृथक् सड़क पक्ष है, जिसमें एक मुख्य निदेशक और कई अन्य निदेशक सड़कों और पुलों के लिये हैं तथा उनके अधीन अनेक इंजीनियर हैं। इस विभाग का कार्य सब राज्यों की मार्ग और पुल निर्माण में सलाह देना और उनके संबंध में मानक स्थापित करना है।

बीस वर्षीय सड़क विकास योजना (सन् १९४१-१९६०) — नागपुर योजना का लक्ष्य दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग पूरा हो जाना था। इसलिये सन् १९५७ में संसद ने भारत की विकसित आर्थिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, अगले २५ वर्षों के लिये मार्ग-विकास-योजना बनाने के लिये परिवहन मंत्रालय को सुझाव दिया। इसलिये चीफ इंजीनियरों की कमेटी ने जनवरी, सन् १९५८ में हैदराबाद में एक कांफ्रेंस करके, एक बीस वर्षीय योजना तैयार की, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ आरंभ हो। इस योजना को बनाने में कमेटी ने निम्नलिखित उद्देश्य ध्यान में रखे :

१. प्रत्येक विकसित और कृषिक्षेत्र में कोई गाँव पक्की सड़क से चार मील से अधिक दूर न हो और अन्य सड़कों से डेढ़ मील दूर।

२. अर्धविकसित क्षेत्र में कोई गाँव पक्की सड़क से आठ मील से अधिक दूर न हो और अन्य सड़कों से तीन मील से अधिक दूर न हो।

३. अविकसित क्षेत्र में कोई गाँव पक्की सड़क से १२ मील से अधिक दूर न हो और अन्य सड़क से पाँच मील से अधिक दूर न हो।

इस योजना में सारे देश में ६,५०,००० मील लंबी सड़कें पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और २० वर्षों में इस योजना पर ५,३०० करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। तब देश में प्रति १०० वर्ग मील क्षेत्र में ५२ मील लंबी सड़कें हो जाएँगी और इसमें ४० प्रति शत लंबाई पक्की सड़कों की होगी। इनका विविध वर्गों में विभाजन इस प्रकार है।

मुख्य मार्ग	लंबाई
राष्ट्रीय मुख्यमार्ग	३२,००० मील
राज्य मुख्यमार्ग	७०,००० मील
मुख्य जिला मार्ग	१,५०,००० मील
गौण जिला मार्ग	१,८०,००० मील
देहाती मार्ग	२,२५,००० मील
कुल योग	६,२७,००० मील

देहाती मार्ग भी ऐसे स्तर के बनाए जाएँगे कि वे सब ऋतुओं में उपयोग के योग्य हों, अर्थात् ऊँचे बाँध हों और जल की निकासी का उचित प्रबंध हो। इन सब मार्गों पर सब बड़ी नदियों पर पुल बनाए जाएँगे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़क निर्माण योजना बीस वर्षीय योजना के अनुसार रखी गई और मार्च, १९६६ ई० तक सड़कों की लंबाई निम्नलिखित थी :

पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	कुल लंबाई, किलोमीटर में
२,८५,०००	६,७८,०००	९,६३,०००

तीसरी योजना में सड़क निर्माण पर कुल ४५० करोड़ रुपया व्यय हुआ। चौथी योजना में ८५० करोड़ रुपया व्यय करने की योजना है। इतना विकास होने पर भी, भारत अन्य विकसित देशों से क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बहुत पिछड़ा हुआ है, जैसा नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट होता है :

विभिन्न देशों की सड़क की लंबाई किलोमीटरों में, सन् १९६१ में

	१०० वर्ग किलोमीटर में		एक लाख जनसंख्या पर	
देश	पक्की सड़कें	कुल सड़कें	पक्की सड़कें	कुल सड़कें
दक्षिण अफ्रीका संघ	७·४	२७·२	३१२	[illegible]
सीलोन (लंका)	२५·६	३१·१	१६०	[illegible]
भारत	८·०	२४·३	३६	[illegible]
पाकिस्तान	३·२	४·२	१२	[illegible]
फिलिपीन	१४·३	१२·४	१४२	[illegible]
फ्रांस	१३७·१	२६१·४	[illegible]	[illegible]
पश्चिमी जर्मनी	१५२·१	१५२·१	[illegible]	[illegible]
युनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड)	१४०·०	१४०·०	[illegible]	[illegible]
कैनाडा	४·८	८·१	[illegible]	[illegible]
संयुक्त राज्य (अमरीका)	४६·३	९२·२	[illegible]	[illegible]

सड़कों के निर्माण और देखभाल पर व्यय — सारे संसार में सड़कों के निर्माण और उनकी देखभाल पर सन् १९६० में १९,००० करोड़ रुपया और सन् १९६५ में २०,००० करोड़ रुपया व्यय हुआ। इसमें से युनाइटेड स्टेट्स और अमरीका का भाग क्रमशः [illegible] करोड़ और ९,९०० करोड़ था। पर भारत ने केवल [illegible] करोड़ रुपया व्यय किया, जबकि [illegible]

$$= ३ + \cfrac{१}{३ + \cfrac{\sqrt{११} - ३}{२}}$$

$$= ३ + \cfrac{१}{३ + \cfrac{\sqrt{११} - ३}{२} + \cfrac{\sqrt{११} + ३}{\sqrt{११} + ३}}$$

$$= ३ + \cfrac{१}{३ + \cfrac{१}{\sqrt{११} + ३}}$$

$$= ३ + \cfrac{१}{३ + \cfrac{१}{६ + \sqrt{११} - ३}}$$

$$= ३ + \cfrac{१}{३ + \cfrac{१}{६ + \cfrac{१}{३ + \cfrac{१}{६ + \sqrt{११} - ३}}}}$$

$$= ३ + \cfrac{१}{३ + \cfrac{१}{६ + \cfrac{१}{३ + \cfrac{१}{६ + \cfrac{१}{३ + \cdots}}}}}$$

$$= ३ + \cfrac{१}{३ + \cfrac{१}{६}}$$

अंतिम दो अवयव बार बार आते हैं। अतः यह आवर्ती सतत भिन्न है।

एक अपरिमेय संख्या, जो वास्तव में वर्गकरणी नहीं है, जैसे π और ग, एक अनंत सतत भिन्न के रूप में, जो आवर्ती नहीं होगा, दर्शाई जा सकती है।

$$e = २.७१८२८\ldots\ldots$$

$$= २ + \frac{१}{१} + \frac{१}{२} + \frac{१}{१} + \frac{१}{१} + \frac{१}{४} + \frac{१}{१} + \frac{१}{१} + \frac{१}{६} + \frac{१}{१} + \frac{१}{१} + \frac{१}{८} + \ldots$$

और $\pi = ३.१४१५९$

$$= ३ + \frac{१}{७} + \frac{१}{१५} + \frac{१}{१} + \frac{१}{२९२} + \frac{१}{१} + \frac{१}{१} + \frac{१}{१} + \frac{१}{२} + \frac{१}{१} + \frac{१}{३} \ldots\ldots$$

बादवाले सतत भिन्न में निर्माण का कोई नियम स्पष्ट नहीं है।

यदि ट और ठ धनात्मक हों और $\frac{ट}{ठ}$ पूर्ण वर्ग न हो तो $\sqrt{\frac{ट}{ठ}}$ के रूप की कोई भी संख्या एक साधारण अनंत सतत भिन्न के रूप में दर्शाई जा सकती है।

$\sqrt{\frac{ट}{ठ}} = \frac{\sqrt{टठ}}{ठ}$, जो $\frac{\sqrt{न} + ख}{र}$ के रूप की एक संख्या है, पूर्व वर्णित रीति द्वारा सतत भिन्न के रूप में दर्शाई जा सकती है।

इसके विस्तार में केवल एक अनावर्ती (nonrecurring) अवयव $क_१$ होता है। चक्र का अंतिम अवयव २ $क_१$ और प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं। इस प्रकार

$$\sqrt{\frac{ट}{ठ}} = क_१ + \frac{१}{क_२ +} \frac{१}{क_३ +} \frac{१}{क_४ +} \cdots \frac{१}{क_४ +} \frac{१}{क_३ +} \frac{१}{क_२ +} \frac{१}{२ क_१}$$

अनुक्रम $क_२, क_३, क_४, \ldots क_४, क_३ क_२$ अवयवों के चक्र का भाग कहलाता है।

यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि प्रत्येक आवर्ती सतत भिन्न एक वर्गकरणी के तथा अनंत साधारण सतत भिन्न एक अपरिमेय संख्या के तुल्य होता है।

अभिसरक (convergents) क्रमशः एकांतरतः (alternately) सतत भिन्न से छोटे और बड़े होते हैं। यदि $\sqrt{११}$ का सतत भिन्न के रूप में विस्तार देखें, तो ज्ञात होगा कि अभिसरक क्रमशः एकांतरतः $३, \frac{१०}{३}, \frac{६३}{१९}, \frac{१९९}{६०}$, इत्यादि हैं। ये क्रमशः एकांतरतः $\sqrt{११}$ से छोटे और बड़े हैं।

विषम अभिसरक एक वर्धी अनुक्रम और सम अभिसरक एक ह्रासी अनुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक विषम अभिसरक सम अभिसरक से छोटा होता है, अर्थात् प्रत्येक विषम अभिसरक पूर्व अभिसरक की अपेक्षा सतत भिन्न के मान के निकट पहुँचता जाता है।

एक साधारण सतत भिन्न, जिसमें प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर हों, सममित सतत भिन्न (Symmetric Continued Fraction) कहलाता है।

$$३ + \frac{१}{४ +} \frac{१}{१ +} \frac{१}{४ +} \frac{१}{३} = \frac{२४७}{७७}$$

$$\text{और } ३ + \frac{१}{४ +} \frac{१}{१ +} \frac{१}{१ +} \frac{१}{४ +} \frac{१}{३} = \frac{४२५}{१३२}$$

सममित सतत भिन्न के उदाहरण हैं, जिनमें से पहले में अवयवों की संख्या विषम तथा दूसरे में सम है।

इस प्रकार के सतत भिन्न की, जिसमें अवयवों की संख्या सम हो, एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित है :

$$\text{माना } \frac{प}{फ} = क_१ + \frac{१}{क_२ +} \frac{१}{क_३ +} \cdots \cdots \frac{१}{क_n}$$

$$\text{तथा } \frac{प'}{फ'} = क_१ + \frac{१}{क_२ +} \frac{१}{क_३ +} \cdots \frac{१}{क_n +} \frac{१}{क_n +} \frac{१}{क_{n-१} +} \cdots \frac{१}{क_२}$$

जिसमें प/फ और प'/फ' अपने न्यूनतम पदों में हों (be in their lowest terms) तथा प', फ' और प'/फ', प/फ और प/फ के ठीक पहले के अभिसरक हों तो

$$प'^२ = प^२ + प'^२; \quad फ'^२ = फ^२ + फ'^२$$

$$\text{और } फ^२ + १ = प फ'$$

यह सिद्ध किया जा सकता है कि कोई भी साधारण आवर्ती सतत भिन्न, परिमेय गुणकवाले एक वर्ग वर्गकरणी का एक मूल है और इसका दूसरा मूल भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न प्रकार होगा :

(१) यदि सतत भिन्न में कोई भी अवयव ऋण नहीं है, तो यह ० और − १ के बीच होगा।

(२) यदि सतत भिन्न में अवयव ऋण है और वह एक अवयव का $\frac{1}{2}$ तो यह − १ से छोटा का मूल के बड़ा होगा।

जिसमें क$_1$ को छोड़कर, जो शून्य भी हो सकता है, सब क और ख धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ हों, सतत भिन्न कहलाती है। इसको संकेत में

$$क_1 + \frac{ख_2}{क_2 +} \; \frac{ख_3}{क_3 +} \; \frac{ख_4}{क_4 +} \cdots$$

द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें क$_1$, क$_1 + \frac{ख_2}{क_2}$, क$_1 + \frac{ख_2}{क_2 + \frac{ख_3}{क_3}}$ इत्यादि को सतत भिन्न का प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि अभिसरक (convergent) कहते हैं।

यदि $य_n = \frac{प_n}{फ_n}$, नवाँ अभिसरक हो, तो $प_n = क_n\, प_{n-1} + ख_n\, प_{n-2}$ और $फ_n = क_n\, फ_{n-1} + ख_n\, फ_{n-2}$ होगा, जबकि $प_0 = 1$, $फ_0 = 0$, $प_1 = क_1$, $फ_1 = 1$। सतत भिन्न में अवयवों की संख्या सीमित होने पर उसे सांत (terminating) सतत भिन्न तथा अवयवों की संख्या अनंत होने पर, उसे अनंत सतत भिन्न कहते हैं। $\frac{प_1}{फ_1}$, $\frac{प_2}{फ_2}$, $\frac{प_3}{फ_3}$ ..... अनंत सतत भिन्न, $\frac{प_n}{फ_n}$..... का अनुक्रम (sequence) माना जा सकता है, जो अभिसारी (convergent), अपसारी (divergent), या दोलक (oscillating) तब होगा जब उक्त अनुक्रम क्रमशः अभिसारी, अपसारी या दोलक होगा।

सतत भिन्न अभिसारी होने पर उसका मान होगा।

$$\underset{n \to \infty}{\text{सीमा}} \; \frac{प_n}{फ_n}$$

सतत भिन्न $क_1 + \frac{ख_2}{क_2 +} \; \frac{ख_3}{क_3 +} \cdots$ ..... में प्रत्येक 'ख' के स्थान पर '१' रखने से प्राप्त सतत भिन्न

$$क_1 + \frac{1}{क_2 +} \; \frac{1}{क_3 +} \; \frac{1}{क_4 +} \cdots \cdots \cdots$$

साधारण सतत भिन्न कहलाता है। एक साधारण सतत भिन्न सर्वदा अभिसारी (divergent) होता है।

यदि $\frac{प_n}{फ_n}$ साधारण सतत भिन्न का नवाँ अभिसरक हो, तो

$$प_n\, फ_{n-1} - प_{n-1}\, फ_n = (-1)^n$$

यदि किसी अनंत साधारण सतत भिन्न में कुछ अवयवों के बाद के अवयव बार बार उसी क्रम में आते हों, तो सतत भिन्न को आवर्ती (recurring) सतत भिन्न कहेंगे। बार बार उसी क्रम में आनेवाले अवयवों को 'चक्रीय (cyclic) भाग' या 'चक्र' तथा बार बार न आनेवालों को 'अचक्रीय' (noncyclic) भाग कहा जाता है। 'चक्रीय भाग' दर्शाने के लिये, इसके प्रथम और अंतिम अवयवों के नीचे तारे का निशान लगा देते हैं।

सतत भिन्न $\frac{1}{५+} \; \frac{1}{१+} \; \frac{1}{२+} \; \frac{1}{३+} \; \frac{1}{२+} \; \frac{1}{३+} \; \frac{1}{२+} \; \frac{1}{३+} \cdots$ को $\frac{1}{५+} \; \frac{1}{१+} \; \frac{1}{\underset{*}{२+}} \; \frac{1}{\underset{*}{३+}}$ द्वारा दर्शाते हैं, जहाँ $\frac{1}{५+} \; \frac{1}{१+}$ अचक्रीय भाग और $\frac{1}{२+} \; \frac{1}{३+}$ चक्रीय भाग हैं।

किसी वास्तविक संख्या को साधारण सतत भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह सतत भिन्न उसी हालत में समाप्त (terminate) होगा, जब वह संख्या परिमेय (rational) हो।

किसी परिमेय संख्या $\frac{37}{10}$ को साधारण सतत भिन्न के रूप में निम्न क्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है :

$$\frac{37}{10} = 3 + \frac{7}{10} = 3 + \frac{1}{\frac{10}{7}}$$

$$= 3 + \frac{1}{1 + \frac{3}{7}} = 3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{7}{3}}}$$

$$= 3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}$$

वे वीजीय संख्याएँ, जो वर्गकरणी $\left[\frac{\pm(\sqrt{न} \pm ख)}{र}\right.$, इस प्रकार की संख्या को वर्गकरणी कहते हैं, जिसमें न पूर्ण नहीं है और ख शून्यसहित कोई भी संख्या हो सकती है। अपरिमेय संख्या वर्गकरणी की एक विशेष स्थिति (particular case) है, जब ख शून्य हो जाता है।] या अपरिमेय (irrational) है, एक आवर्ती सतत भिन्न के रूप में दर्शाई जा सकती हैं। e और π इस नियम के अपवाद हैं।

एक वर्गकरणी च को आवर्ती सतत भिन्न के रूप में निम्न प्रकार के समीकरण बनाकर दर्शाया जा सकता है :

$$च = क_1 + च_1 \qquad (0 < च_1 < 1)$$

$$= क_1 + \frac{1}{\frac{1}{च_1}}$$

तथा $\frac{1}{च_n} = क_{n+1} + \frac{1}{\frac{1}{च_{n+1}}}$ $(n = 1, 2, 3 \ldots), (0 < च < 1)$

जब क$_1$ या क$_{n+1}$ क्रमशः वे सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएँ हैं जो च या $\frac{1}{च_n}$ से छोटी हैं।

यदि त कोई संख्या हो जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो $\sqrt{त}$ के रूप की संख्याओं का विस्तार जानने के लिये $\sqrt{11}$ लेंगे। इसको सतत भिन्न के रूप में निम्न क्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है :

$$\sqrt{11} = 3 + (\sqrt{11} - 3) \quad [\text{ ३ वह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है जो } \sqrt{11} \text{ से छोटी है]}$$

$$= 3 + \frac{(\sqrt{11} - 3)}{1} \times \frac{\sqrt{11} + 3}{\sqrt{11} + 3}$$

$$= 3 + \frac{2}{\sqrt{11} + 3}$$

$$= 3 + \frac{1}{\frac{\sqrt{11} + 3}{2}}$$

हादेव श्रेणी पूर्व से दक्षिणपूर्व में फैली हुई है। जिले मे नदियों के दो समूह हैं: भीमा समूह और कृष्णा समूह। भीमा समूह की नदियाँ जिले के उत्तर एवं उत्तर-पूर्व के कुछ भागों मे बहती और कृष्णा समूह की नदियाँ जिले के शेष भाग में बहती हैं। यहाँ के जंगल इमारती एवं जलावन लकड़ियों के भंडार हैं। यहाँ की भूमि कैल्सियम कार्बोनेट से युक्त, काली चिकनी मिट्टी से बनी है, जो अच्छी सिंचाई की जाने पर बड़ी उपजाऊ हो जाती है। सतारा के कुछ पश्चिमी भागों में औसत वार्षिक वर्षा १०० इंच से भी अधिक होती है, पर पूर्वी भाग मे अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। यहाँ की प्रमुख फसलें दलहन, तिलहन, गन्ना एवं मोटे अनाज हैं। पीतल के बरतनों का उद्योग और सूती वस्त्र एवं कंबल उद्योग यहाँ हैं।

२. नगर, स्थिति: १७° ४१' उ० अ० तथा ७४° ०' पू० दे०। यह नगर उपर्युक्त जिले का प्रशासनिक केंद्र है और कृष्णा एवं वेन नदियों के संगम पर, पूना से ५६ मील, दक्षिण में स्थित है। डालवी पहाड़ी की चोटी पर सतारा का दृढ़ किला स्थित है और इस किले के नीचे नगर फैला हुआ है। ऐसा अनुमान है कि संभवतः किले मे १७ दीवारें, मीनारें एवं द्वार थे, जिनके आधार पर नगर का नाम उतारा पड़ा है। नगर समुद्रतल से २,३२० फुट की ऊँचाई पर स्थित है, जिसके कारण नगर की जलवायु अच्छी है। नगर की जनसंख्या १८,७०९ (१९५१) है। मराठा इतिहास मे नगर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और १८४८ ई० तक शिवाजी के वंशजों द्वारा यह नगर शासित था। इन वंशजों के हथियार सतारा के किले में रखे हुए हैं। [अ० ना० पे०]

सत्य न्याय दर्शन में प्रमुख रूप में प्रत्येक निर्णय और अनुमान पर विचार होता है। इन तीनों में निर्णय का स्थान केंद्रीय है। निर्णय का शाब्दिक प्रकाशन वाक्य है। जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं, तो उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं; स्वीकार और अस्वीकार में निश्चय न कर सकने की अवस्था संदेह कहलाती है। प्रत्येक निर्णय सत्य होने का दावा करता है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो इसके दावे को सत्य मानते हैं; अस्वीकार करने में उसे असत्य कहते हैं। विश्वास हमारी साधारण मानसिक अवस्था है। जब किसी विश्वास में त्रुटि दिखाई देती है, तो हम इसका स्थान किसी अन्य विश्वास को देना चाहते हैं। किसी एक विश्वास से अन्य विश्वास तक जाने की मानसिक क्रिया ही चिंतन है। विश्वास, सत्य हो या असत्य, क्रिया का आधार है, यही जीवन में इसे महत्वपूर्ण बनाता है। न्याय का काम निर्णय या वाक्य के सत्यासत्य की जाँच करना है; इसके लिये यह बात अलग है कि कोई इसे वास्तव में सत्य मानता है या नहीं।

सत्य के संबंध में दो प्रश्न विचार के योग्य हैं — किसी निर्णय या वाक्य को सत्य कहने में हमारा अभिप्राय क्या होता है।

सत्य और असत्य में भेद करने का मानक साधन क्या है? हमारे ज्ञान के विषयों में प्रमुख ये हैं — हमारी अपनी चेतना अवस्थाएँ, प्राकृतिक पदार्थ, तथा चेतना के अन्य केंद्र, या दूसरों के मन।

मैं कहता हूँ कि मुझे दाँत मे दर्द हो रहा है। इसका अर्थ है? मेरा अनुभव एक धारा है जिसमें निरंतर गति होती रहती मैं कहता हूँ कि धारा का जो भाग वर्तमान में ज्ञात है, दुःख अनुभूति उसमे प्रमुख पक्ष है। मेरे लिये यह स्पष्ट अनुभव है मैं इसमें संदेह कर ही नहीं सकता। मेरे लिये इसे जाँचने को दूसरा मापक न है, न हो सकता है। स्पष्ट बोध से अधिक प्रमाण कि अन्य अनुभव का नहीं।

अन्य चेतनों का हमे स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अनुरूपता के आधार पर हम उनके अस्तित्व में विश्वास करते हैं। परंतु ऐसा अनुमान करने की योग्यता प्राप्त होने से पहले ही बच्चा ऐसा विश्वास करता है। संभवतः वह सभी पदार्थों को अपने जैसा समझता है, और पीछे कुछ वस्तुओं को अपने समान पाकर अचेतन समझने लगता है।

निर्णयों के सत्य असत्य का प्रश्न प्रायः प्राकृतिक तथ्यों के संबंध मे उठता है। मैं कहता हूँ 'मेज पर पुस्तक पड़ी है' इस वाक्य के यथार्थ होने का अर्थ क्या है?

मैं ख्याल करता हूँ कि मुझसे अलग, बाहर, मेज और पुस्तक विद्यमान हैं और उनमें एक विशेष संबंध है। यदि स्थिति वास्तव में ऐसी ही है तो मेरा वाक्य सत्य है; ऐसा न होने की हालत में असत्य है। यह 'सत्य का अनुरूपता सिद्धांत' है।

अनुरूपता का सिद्धांत वस्तुवाद से संबंधित है, और सर्वमान्य सा है। भारत के दर्शन में प्रत्यक्ष को प्रथम प्रमाण का पद दिया गया है। प्रत्यक्ष 'इंद्रिय और उनके विषय के सामीप्य का फल है'। यह सामीप्य दो प्रकार से हो सकता है: या तो पदार्थ इंद्रिय के पास आए, या मन इंद्रिय द्वार से गुजरकर पदार्थ तक पहुँचे। दूसरी घटना घटती है और मन विषय का रूप ग्रहण करता है। यह अनुरूपता सिद्धांत का स्पष्ट समर्थन है।

अनुरूपता सिद्धांत के अनुसार हम अपने विचार और बाह्य स्थिति में समानता देखते हैं। अपने विचारों का तो हमें स्पष्ट बोध होता है, पर बाहर की स्थिति को हम कैसे जानते हैं? हम विचारों को साथ रखकर उनकी समानता असमानता की बात कह सकते हैं, परंतु बाह्य पदार्थ तो हमारी चेतना में प्रविष्ट ही नहीं हो सकता। उसकी तुलना किसी विचार से कैसे करेंगे? अनुरूपतावाद में यह मान लिया जाता है कि बाह्य स्थिति का ज्ञान हमें पहले से ही है। यदि पहले ही ऐसा ज्ञान हो तो निर्णय के सत्य असत्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी स्थिति ऐसे मनुष्य की स्थिति है जिसने ताजमहल के चित्र देखे हैं, परंतु ताजमहल को नहीं देखा, और जानना चाहता है कि ये चित्र ताजमहल को वास्तविक रूप में दिखाते हैं या नहीं।

अध्यात्मवाद कहता है कि वस्तुवाद के पास इस आपत्ति से बचने का कोई साधन नहीं। सत्य के मानक की खोज स्वयं अनुभव में करनी चाहिए। अनुभव मे 'आंतरिक अविरोध' सत्य की कसौटी है। अपने पिछले दृष्टांत को फिर लें: 'पुस्तक मेज पर पड़ी है', मैं यह कैसे जानता हूँ? आँख ऐसा बताती है। यह एक अनुभव है। परंतु

(१) यदि [illegible] एक से अधिक [illegible] का है, [illegible]

[illegible]

$$[illegible]$$

[illegible]

हिंदी साहित्य में [illegible] [illegible] 'बिहारी सतसई' [illegible]

[illegible]

ही भ्रांति में पड़े हैं; वे विवेक को उचित महत्त्व नहीं देते। नीति को एक नहीं अनेक नियमों को, एक नहीं अनेक साध्यों को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें हर हालत में वर्तमान कठिनाई को दूर करना होता है; जो क्रिया इसमें अधिक से अधिक सहायक हो, वही उस स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। कोई मनुष्य कहीं भी स्थित हो, वह अच्छा मनुष्य है यदि वह आगे बढ़ रहा है, बुरा मनुष्य है यदि पीछे हट रहा है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य उत्थान या वृद्धि है; पूर्णता नहीं, अपितु पूर्णता की ओर निरंतर गति है।

यह गति ही शिक्षा है। नैतिक जीवन और शिक्षा एक ही वस्तु है। प्रचलित विचार के अनुसार शिक्षाकाल तैयारी का समय है; यह व्यक्ति को पराधीनता से विमुक्त करके स्वाधीन बना देता है। यदि ऐसा ही है, तो शिक्षाकाल की समाप्ति पर शिक्षा की आवश्यकता भी नहीं रहती। डिवूई कहता है कि वृद्धि का यत्न तो जीवन के अंत तक जारी रहना चाहिए, सारा जीवन ही शिक्षाकाल है। जो कुछ स्कूलों कालेजों में पढ़ाया जाता है, उसमें साहित्य और भाषाओं के ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान को अधिक महत्त्व मिलना चाहिए। विज्ञान में भी जो भाग पुस्तकों से प्राप्त होता है, उससे अधिक मूल्य उस भाग का है जो विद्यार्थी अपनी क्रिया से सीखता है। मनुष्य का दिमाग ज्ञान का नहीं, क्रिया का यंत्र है।

निष्कर्ष — वास्तव में अनुकरणवाद, अविरोधवाद और व्यवहारवाद एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं। दो प्रश्न उत्तर की मांग करते हैं — सत्य से क्या अभिप्रेत है? सत्य और असत्य में भेद करने की कसौटी क्या है? अनुकरणवाद पहले प्रश्न का उत्तर देता है; अविरोधवाद और व्यवहारवाद दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जेम्स ने कहा है कि व्यवहार की दृष्टि से जब कोई विश्वास सत्य सिद्ध होता है, तो उसके लिये आवश्यक है कि वह उसी प्रकार के सत्यों से युक्त हो सके। यह धारणा व्यवहारवाद को अविरोधवाद के निकट ले आती है। तीनों विचार एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। [दी० च०]

सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य जिनकी माता जबाला थी और जिनकी कथा छांदोग्य उपनिषद् में दी गई है। सत्यकाम जब गुरु के पास गए तो नियमानुसार गौतम ने उनसे उनका गोत्र पूछा। सत्यकाम ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अपने गोत्र का पता नहीं, मेरी माता का नाम जबाला और मेरा नाम सत्यकाम है। मेरे पिता युवावस्था में ही मर गए और घर में नित्य अतिथियों के आधिक्य से माता को बहुत काम करना पड़ता था जिससे उन्हें इतना भी समय नहीं मिलता था कि वे पिता जी से उनका गोत्र पूछ सकतीं। गौतम ने शिष्य की इस सीधी सच्ची बात पर विश्वास करके सत्यकाम को ब्राह्मणपुत्र मान लिया और उसे शीघ्र ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। [रा० द्वि]

सत्यभामा सत्राजित की कन्या और कृष्ण की चार मुख्य स्त्रियों में से एक। इनसे कृष्ण को दस पुत्र हुए जिनके नाम भानु, भुमानु, स्वरभानु आदि थे। सूर्य ने जो स्यमंतक मणि सत्यभामा के पिता को दी थी उसे शतधन्वन ने सत्राजित की हत्या करके छीन लिया। अंत में यह मणि अक्रूर के पास निकली और उसके अधिकारियों से सत्यभामा भी एक थीं। परंतु निर्णय हुआ कि अक्रूर ही इस मणि को अपने पास रखें। [रा० द्वि]

सत्ययुग चार प्रसिद्ध युगों में सत्य या कृतयुग प्रथम माना गया है। यद्यपि प्राचीनतम वैदिक ग्रंथों में सत्यत्रेतादि युगविभाग निर्देश स्पष्टतया उपलब्ध नहीं होता, तथापि स्मृतियों एवं विशेष पुराणों में चार युगों का सविस्तार प्रतिपादन मिलता है।

पुराणादि में सत्ययुग के विषय में निम्नोक्त विवरण मिलता है — वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया रविवार को इस युग की उत्पत्ति हुई थी। इसका परिमाण १७,२८,००० वर्ष है। इस युग में भगवान् मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह ये चार अवतार हुए थे। इस काल में स्वर्णमय व्यवहारपात्रों की प्रचुरता थी। मनुष्य अत्यंत दीर्घाकृति व अतिदीर्घ आयुवाले होते थे। इस युग का प्रधान तीर्थ कुरुक्षेत्र था।

इस युग में ज्ञान, ध्यान या तप का प्राधान्य था। प्रत्येक प्रजा पुरुषार्थसिद्धि कर कृतकृत्य होती थी, अतः यह 'कृतयुग' कहलाता है। धर्म चतुष्पाद (सर्वत पूर्ण) था। मनु का धर्मशास्त्र इस युग में एकमात्र अवलंबनीय शास्त्र था। महाभारत में इस युग के विषय में यह विशिष्ट मत मिलता है कि कलियुग के बाद कल्की द्वारा इस युग की पुनः स्थापना होगी (वन पर्व १९१/१ – १४)। वन पर्व १४९/११ – २५) में इस युग के धर्म का वर्णन द्रष्टव्य है। [रा० श० भ०]

सत्यवती राजा वसु की एक कन्या जो ऋचीक नामक ब्राह्मण से ब्याही गई। यह जमदग्नि की माता और परशुराम की मातामही थी।

इनकी माता अद्रिका नाम अप्सरा थी। यही व्यास द्वैपायन की माता है जिनके नाम गंधवती, कालागनी तथा गंधकाली भी हैं। पराशर ऋषि इन्हें यमुना पार करते समय मिले थे और बाद को इनका ब्याह राजा शांतनु से हुआ जिनसे चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए (दे० मत्स्यगंधा)। [रा० द्वि०]

सत्यवान अश्वपति राजा की कन्या सावित्री का पति जिसकी मृत्यु की भविष्यवाणी एक ऋषि ने विवाह के पूर्व ही कर दी थी। जब लकड़ी काटते समय सत्यवान गिरकर मरने लगा तो सावित्री वहाँ थी और उसने यमराज को देखकर उनका पीछा किया। अंत में यम उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और सत्यवान के जीवन का वरदान सावित्री को प्राप्त हो गया। [रा० द्वि०]

सत्यशरण रतूड़ी 'बचरोक' जन्म तोदी (टिहरी) में हुआ द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में माने जाते हैं। उनकी कविताएँ प्रायः 'सरस्वती' में प्रकाशित होती थीं। वे अत्यंत भावुक और सहृदय कवि थे। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपने एक पत्र में (२ मार्च, १९३८ को श्यामचंद नेगी को लिखित) इन शब्दों में उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया था: 'स्वर्गवासी पं० सत्यशरण जी रतूड़ी सुकवि थे। भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी वाणी में रस

आँख कभी कभी धोखा भी दे देती है। मैं हाथ से पुस्तक और मेज को छूता हूँ। यह दूसरा अनुभव पहले अनुभव की पुष्टि करता है। हाथ से खटखटाता हूँ तो जो शब्द सुनाई देता है, वह पुस्तक और मेज से निकला प्रतीत होता है। तीसरा अनुभव पहले दोनों अनुभवों की पुष्टि करता है दूसरे भी पुस्तक को मेज पर पड़ा देखते हैं। अनुरूपता सत्य का चिह्न है, परंतु यह अनुरूपता विचार और बाह्य पदार्थ के दरमियान नहीं, अनुभव के विविध भागों के दरमियान होती है। आकर्षणनियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थों से आकृष्ट होता है, और उन्हें खींचता भी है। इसी तरह सत्य ज्ञान के सभी भाग एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो निर्णय इस तरह शेष अनुभव से युक्त हो सकता है, वह सत्य है; जिसमें यह योग्यता नहीं वह असत्य है।

इस विवरण से ऐसा लगता है कि सत्य अनेक सत्य वाक्यों का समुदाय है, और इस समुदाय में प्रत्येक सत्य की अपनी स्वतंत्र स्थिति है। अविरोधवाद इस विचार को स्वीकार नहीं करता। सत्य समुदाय नहीं अपितु समग्र है जिसका तत्त्व आंशिक सत्यों के रूप को निश्चित करता है। वास्तव में सत्य एक ही है, बहुवचन में सत्यों का वर्णन करना अनुचित है। समूह में कुछ एकाध असत्य हो जाए तो दूसरों की स्थिति में भेद नहीं पड़ता। ईंटों के ढेर में से कोई चार ईंटें उठा ले जाए, तो बाकी ईंटों को इसमें आपत्ति नहीं होती। शरीर के एक अंग पर चोट लगे, तो सारा शरीर दुःखी होता है। आंशिक सत्यों में हर एक अंश समग्र को किसी पक्ष में दरसाता है, और इस विषय में सभी अंशों का मूल्य एक नहीं होता। अविरोधवाद के अनुसार सत्यों में परिमाण का भेद होता है।

जिन वाक्यों को हम सत्य कहते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं— वैज्ञानिक नियम संबंधी और तथ्य संबंधी। 'दो और दो चार होते हैं,' 'यदि किसी त्रिकोण के भुज बराबर हों, तो उसके कोण भी बराबर होंगे'। — यह वाक्य हर कहीं और सदा सत्य हैं; देश और काल का भेद उनके सत्य होने से असंगत है। 'भारत १९४७ ई० में स्वाधीन हुआ।' १९४७ ई० से पहले यह वाक्य कहा ही नहीं जा सकता था, परंतु अब यह भी सदा के लिये सत्य है।

सत्य का तीसरा सिद्धांत 'व्यवहारवाद' या 'पैग्मेटिज्म' के नाम से प्रसिद्ध है। अपने आधुनिक रूप में यह अमरीका की देन है। वास्तव में व्यवहारवाद कोई सिद्धांत नहीं, एक मनोवृत्ति है जो सामान्य से विशेष को, स्थिरता से परिवर्तन को, चिंतन से क्रिया को अधिक महत्त्व देती है। इस विचार के प्रसार में चार्ल्स पीअर्स, विलियम जेम्स और जान डिवूई का विशेष भाग है। पीअर्स वैज्ञानिक था, जेम्स मनोवैज्ञानिक था, डिवूई को अभिरुचि नीति और राजनीति में थी। पीअर्स ने प्रत्ययों के 'अर्थ' को स्पष्ट करने में व्यवहारवाद की विधि का प्रयोग किया, जेम्स ने सत्य का स्वरूप निर्णीत करने में इसे बरता, डिवूई ने 'अर्थ' पर इसे लागू किया। इस तरह वे ज्ञान, नीतिशास्त्र और नीति को व्यवहारवाद के निकट ले आए।

पीअर्स ने अपने विचार को 'प्रैग्मेटिज्म' का नाम दिया। उनकी यह धारणा थी कि दर्शन को विज्ञान के दृष्टिकोण और उसकी विधि को अपनाना चाहिए। दर्शन के लिये कोई ज्ञान विशेष या समग्र का दोषरहित ज्ञान है; विज्ञान की दृष्टि में ऐसा ज्ञान मनुष्य के लिये अप्राप्य है। हमें सापेक्ष ज्ञान से संतुष्ट होना चाहिए, हमारे लिये काम की वस्तु है। दर्शन का प्रमुख काम मान्यताओं को सिद्ध करना रहा है, विज्ञान के लिये आगमन प्रमुख है। नवीन वैज्ञानिक विधि में आगमन और निगमन का समन्वय होता है। कुछ उदाहरणों की नींव पर धारणा बनाई जाती है, उसे सत्य मानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और यह देखा जाता है कि अनुभव इनकी पुष्टि करता है या नहीं। प्रतिज्ञा की ऐसी पुष्टि ही उसकी सत्यता है। प्रत्येक सत्य की स्थिति सामयिक प्रतिज्ञा की स्थिति है। प्राकृतिक नियम भी स्थायी नहीं, वे भी विकासाधीन हैं। आकर्षणनियम का क्षेत्र अब पहले से अधिक विस्तृत है और भविष्य में वर्तमान से भी अधिक विस्तृत हो जाएगा। नियम भी आदतों की तरह पुष्ट होते जाते हैं।

जेम्स ने अमूर्त सत्य को नहीं, अपितु विशेष विश्वासों के रूप को अपने विवेचन का विषय बनाया। उसके विचारानुसार सत्य कोई स्थायी वस्तु नहीं जिसे देखना ही हमारा काम है, यह तो विश्वास में बनता है। अपनी पुस्तक 'व्यवहारवाद' में वह कहता है—

'व्यवहारवाद, मूल रूप में, उन दार्शनिक विवादों को निपटाने का नियम है जो इसके बिना अंतरहित होते। जगत् एक है या अनेक? स्वाधीन है या पराधीन? प्राकृतिक है या आध्यात्मिक? ये विचार ऐसे हैं जिनमें एक या दूसरा सत्य या असत्य हो सकता है, और ऐसे विचारों पर विवादों का कोई अंत नहीं। व्यवहारवाद की विधि इन विषयों के संबंध में यह है कि हम प्रत्येक प्रत्यय का समाधान इसके व्यावहारिक परिणामों के परीक्षण से करें। यदि कोई प्रत्यय दूसरे प्रत्यय के स्थान में सत्य होता, तो इससे किसी अनुभव के लिये व्यावहारिक भेद क्या पड़ता? यदि कोई व्यावहारिक भेद दिखाई न दे तो व्यवहार में दोनों पक्षांतर एक ही हैं और सारा विवाद व्यर्थ है। जब कोई विवाद गंभीर हो तो हमें यह दिखाने के योग्य होना चाहिए कि दोनों पक्षों में एक या दूसरे के सत्य होने पर कोई व्यावहारिक भेद होता है'।

जेम्स से बहुत पहले इसी भाव को प्रकट करते हुए रामानुज ने कहा था—'व्यवहार योग्यता सत्यम्'।

व्यवहारवाद ज्ञानमीमांसा में उपयोगितावाद है: 'जो हमें विश्वास के संबंध में अपने आपको मूल्यवान् सिद्ध करता है, वह सत्य है। व्यवहारवाद बिना झिझक के यह मान लेता है कि जो विश्वास एक के लिये सत्य है, वह दूसरे के लिये असत्य हो सकता है।

ऊपर कहा गया है कि व्यवहारवाद सामान्य से विशेष को और स्थिरता से परिवर्तन को अधिक महत्त्व देता है। डिवूई की शिक्षा में हम इसे स्पष्ट देखते हैं।

राजनीति में राजतंत्र, अभिजाततंत्र और प्रजातंत्र शासनों में भेद किया जाता है। राजतंत्र और अभिजाततंत्र अधिक प्रबल हों, तो भी प्रजातंत्र उनसे अच्छा है, क्योंकि वह व्यक्ति के गुण को स्वीकार करता है। नीति में कुछ विद्यार्थियों को और कुछ अंक की विधि को महत्त्व देते हैं। डिवूई के अनुसार दोनों पक्ष

भाऊ ने दिल्ली पर अधिकार किया। १० अक्टूबर को शाह आलम को दिल्ली का सम्राट् घोषित किया। फिर, १७ अक्टूबर को कुंजपुरा विजय कर, ३१ अक्टूबर को वह पानीपत पहुँच गया। ४ नवंबर को विपक्षी सेनाएँ आमने सामने खड़ी हो गईं। प्रायः ढाई महीने की मोर्चाबंदी के बाद, १४ जनवरी, १७६१ के दिन समूचे भारतीय इतिहास के घोरतम युद्धों में से एक, पानीपत का युद्ध प्रारंभ हुआ। सैनिक योग्यता में दुर्रानी से निम्नतर होने के अतिरिक्त भाऊ निस्संदेह प्रतिकूल परिस्थितियों से विवश हो गया था। इस भीषण युद्ध में नानासाहब पेशवा के पुत्र विश्वासराव तथा भाऊ के अतिरिक्त अनेक मुख्य सामंतों के साथ प्रायः एक लाख मराठा सैनिक तथा असैनिक खेत रहे। कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति ने भाऊ होने का छल रचा, किंतु अपराध प्रमाणित होने पर उसे मृत्युदंड दे दिया गया।

सं० ग्रं० — ग्रांट डफ : हिस्ट्री ऑव द मराठाज; सरदेसाई : न्यू हिस्ट्री ऑव मराठाज; जदुनाथ सरकार : राइज ऐंड फॉल ऑव द मुग़ल एंपायर; त्र्यंबक शंकर शेजवाल्कर (Shejwalker : पानीपत (१७६१); गैंडासिंह : अहमदशाह दुर्रानी। मराठी ग्रंथ :— काशीराज बखर; भाऊ साहेब की बखर; पुरंदरे दफ्तर; मराठ्यांचा इतिहासाची साधने। [रा० ना०]

सदिश विश्लेषण (Vector Analysis) गणित की वह शाखा है जो सदिश बीजगणित तथा अदिश बिंदु फलनों और सदिश क्षेत्रों के दिक् या काल परिवर्तन दर की व्याख्या करती है। सदिश (vector) एक सत्ता है, जो एक दिष्ट परिमाण (directed magnitude) को, जैसे बल या वेग को, निरूपित करती है और जिसे बराबर तथा समांतर रेखाखंडों की किसी पद्धति से निरूपित किया जाता है।

सामान्य रूप से सदिशों को क्लैरेंडन टाइप के अक्षरों से जताया जाता है और उसके परिमाण सामान्य टाइप के उन्हीं अक्षरों से जताए जाते हैं : अ, ब, स, ··· म, ब, स, (A, B, C ···, a, b, c, ...) रेखा सदिश, जो सबसे सरल सदिश है दो बिंदुओं म, प (OP) से निर्धारित होता है। ये बिंदु इस प्रकार के होते हैं कि सदिश का परिमाण सरल रेखा म प की लंबाई होती है और दिशा म प की ओर। यह सदिश संकेत रूप में म प द्वारा बताया जाता है। जिस सदिश का गुणांक (modulus) इकाई होता है, उसे एकांक सदिश (unit vector) कहते हैं। यदि दो सदिशों की लंबाई और दिशा एक हो, तो वे आपस में बराबर होते हैं।

सदिश योग — कतिपय सदिशों के ज्यामितीय योग ज्ञात करने की प्रक्रिया को सदिश योग कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सदिशों के तुल्यमान का एक सदिश निर्धारित किया जाता है। सदिशों का योग ज्ञात करने के लिये, उन्हें निरूपित करनेवाली रेखाएँ एकरेखीय श्रेणी में, बिना दिशा बदले, इस प्रकार रखी जाती हैं कि पहली रेखा के बाद हर रेखा उस बिंदु से शुरू होती है जिसपर उसके पहले वाली रेखा समाप्त होती है। पहले सदिश के आरंभ बिंदु और अंतिम सदिश के अंतिम बिंदु को मिलानेवाली रेखा सदिशों का योग होती है। इन राशियों को त्रिभुज नियम के अनुसार संयोजित किया है। इसके अनुसार यदि तीन बिंदु म, प और र इस प्रकार हों कि $\overrightarrow{\text{मप}}$ = अ और $\overrightarrow{\text{पर}}$ = ब, तो सदिश $\overrightarrow{\text{मर}}$, अ और ब का योग कहलाता है। यदि इस योग को स माना जाय, तो स = अ + ब। स्पष्ट है कि दो सदिशों अ = $\overrightarrow{\text{मप}}$ तथा ब = $\overrightarrow{\text{पर}}$ का योग सदिश

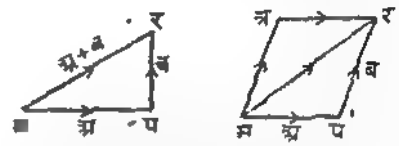

है, जो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से निर्धारित होता जिसकी भुजाएँ मप और मर हैं। क्रमविनिमेयता (commutativity) और साहचर्य (associativity) के नियम सदिशों को जोड़ने में लागू होते हैं, सदिशों की संख्या चाहे जितनी हो। योग परिणाम के क्रम (order) और समूहन (grouping) से निरपेक्ष होता है। यदि किसी सदिश के साथ ऋण चिह्न पूर्वलग्न हो, तो वह एक ऐसे सदिश को निरूपित करता है जिसका परिमाण तो मूल सदिश के बराबर हो किंतु दिशा विपरीत हो।

किसी वास्तविक संख्या त और किसी सदिश अ का गुणनफल त. अ द्वारा जताया जाता है। यह एक ऐसा सदिश होता है जिसकी लंबाई अ की। त। गुनी होती है और दिशा अ की ओर होती है, या अ के विपरीत होती है। यह त के धनात्मक या ऋणात्मक होने पर निर्भर करती है।

दो सदिशों का अदिश गुणनफल — दो सदिशों अ और ब का अदिश गुणनफल अ. ब, या ब. अ, द्वारा जताया जाता है और

अ . ब = ब . अ = ब ब कोज्या (अ, ब),

होता है, जिसमें कोज्या (अ, ब), अ और ब के बीच के कोण को निरूपित करता है। यदि सदिश अ और ब एक दूसरे पर लंब हों तो अ ब = ०

दो सदिशों का सदिश गुणनफल — सदिशों अ और ब के सदिश गुणनफल को अ × ब द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और परिभाषा के अनुसार

अ × ब = − ब × अ = न अ ब ज्या (अ, ब)

यहाँ न, अ और ब पर लंब, ऐसा एकांक सदिश है कि यदि अ, न के चारों ओर ब के अभिमुख घूर्णन करे, तो न और घूर्णन की दिशा में वही संबंध होगा जो दक्षिणावर्ती पेंच (right handed screw) के प्रणोद (thrust) और ऐंठन (twist) में होता है।

अदिश त्रिगुण गुणनफल — अ.ब × स इसका उदाहरण है। जाहिर है कि

अ . ब × स = अ न ब स ज्या (ब, स)
= ब ब स कोज्या (अ, न) ज्या (ब, स)

गुणनफल का मान सदिशों के चक्रीय क्रम पर निर्भर करता है और बिंदु या कोट की स्थिति से निरपेक्ष है। यदि कोई एक अवयव

था। उनकी कविताएँ सरल, सरस और भावमयी होती थीं। इससे मैं उन्हें 'सरस्वती' में स्थान देता था।' उनकी कविताएँ विश्वम्भरदत्त उपाध्याय द्वारा सम्पादित 'सत्य कुसुमांजलि' में गृहीत हैं। उनकी 'शांतिमयी धैर्य्या' कविता रामनरेश त्रिपाठी की 'कविताकौमुदी' में मिलती है।

सत्यार्थप्रकाश समाजसुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की इस रचना (सन् १८७५) का मुख्य प्रयोजन "सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादन करना" है। इसमें इन विषयों पर विचार किया गया है — बालशिक्षा, अध्ययन अध्यापन, विवाह एवं गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, राजधर्म, ईश्वर, सृष्टि उत्पत्ति, बंधमोक्ष, आचार अनाचार, आर्यावर्तदेशीय मतमतांतर, ईसाई मत तथा इस्लाम। इसकी भाषा के संबंध में स्वयं लेखक ने सन् १८८२ में यह लिखा—"जिस समय मैंने यह ग्रंथ बनाया था, उस समय···संस्कृत-भाषण करने···और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा (हिंदी) का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब···इसको भाषा-व्याकरण-अनुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है।"

यद्यपि हिंदू जीवन व्यक्ति और समाज, दोनों को समता रखकर चलता है, तो भी हिंदुओं में प्रायः देखा जाता है कि समष्टिवादी की अपेक्षा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अधिक है। ध्यान में मग्न उपासक के समीप इसी समाज का कोई व्यक्ति तड़प रहा हो तो वह उसे ध्यान-भंग का कारण समझेगा — यह नहीं कि वह भी राम या कृष्ण ही है। फिर उन्नीसवीं शती में अँगरेजी सभ्यता का बहुत प्राबल्य था। अँगरेजी प्रचार के परिणामस्वरूप हिंदू ही अपनी संस्कृति को हेय मानने और पश्चिम का अंधानुकरण करने में गर्व समझने लगे थे। भारतीयों को भारतीयता से भ्रष्ट करने की मैकाले की योजना के अनुसार हिंदुओं को पतित करने के लिये अँगरेजी शिक्षाप्रणाली का जोर था। विदेशी सरकार तथा अँगरेजी समाज अपने एजेंट पादरियों द्वारा 'ईसा का झंडा' देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। हिंदू अपना धार्मिक एवं राष्ट्रीय गौरव खो चुके थे। १४४ हिंदू प्रति दिन मुसलमान बन जाते; ईसाई इससे कहीं अधिक। पादरी 'रंगीला कृष्ण', 'सीता का छिनाला' आदि सैकड़ों गंदी पुस्तिकाएँ बाँट रहे थे। इन निराधार गल्पों का उत्तर देने के स्थान में ब्राह्म समाजवालों ने उलटे राष्ट्रीयता का विरोध किया। वेद आदि की प्रतिष्ठा करना तो दूर रहा, वेद भर उनकी निंदा की।

स्वामी दयानंद ने आर्यसमाज और सत्यार्थप्रकाश के द्वारा इन घातक प्रवृत्तियों को रोका। उन्होंने यहाँ तक लिखा, "स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए (व्यक्ति)···मंत्री" होने चाहिएँ। "परमात्मा हमारा राजा है···, वह कृपा करके···हमको राज्याधिकारी करे।" इसके साथ ही उन्होंने आर्य सभ्यता एवं संस्कृति से प्रखर प्रेम और वेद, उपनिषद् आदि आर्य सत्साहित्य तथा भारत की परंपराओं के प्रति श्रद्धा पर बल दिया। स्वसमाज, स्वधर्म, स्वभाषा तथा स्वराष्ट्र के प्रति भक्ति जगाने तथा तर्कप्रधान बातें करने के कारण उत्तर भारत के गढ़े लिये हिंदू धीरे धीरे इधर खिंचे चले आए जिससे आ समाज सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ।

बारह विभिन्न भाषाओं में इस ग्रंथ की साठ लाख से अधि प्रतियाँ छप चुकी हैं। [ब० दी०

सदानंद भिन्डियाल (१८९८–१९२८) जन्म बहुनखू गाँव (टेहरी में हुआ। वे आयुर्वेद के विद्वान् ही नहीं शुद्ध साहित्यिक भी थे। उनका 'प्रायश्चित्त' शीर्षक हिंदी नाटक तथा 'आत्मकुसुमांजलि' शीर्षक अप्रकाशित कविताएँ उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। विशुद्ध साहित्यसाधना के अतिरिक्त उन्होंने आयुर्वेद के कई ग्रंथों पर टीकाएँ लिखीं तथा 'रसतरंगिणी' नामक आयुर्वेद विषयक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत की कोमल कांत पदावली में लिखे इस ग्रंथ की विद्वानों ने भूरि भूरि प्रशंसा की है।

सदाशिवराव भाऊ बाजीराव पेशवा के भाई चिमनाजी अप्पा के पुत्र सदाशिवराव भाऊ को देशी राज्यों के विरुद्ध सैनिक सफलताओं के कारण असाधारण सेनानी समझा गया, और पानीपत में मराठों की भीषण पराजय का आवश्यकता से अधिक दोषी भी। अनुकूल प्रकृति होते हुए भी महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होने से, वह अधिकतर लालची, घमंडी और हठी ठहराया गया। रामचंद्र बाबा की दीक्षा और प्रेरणा से भाऊ ने शासनप्रबंध में असाधारण दक्षता प्राप्त की; किंतु वही भाऊ और पेशवा में मनो-मालिन्य बढ़ाने का भी कारण बना।

भाऊ का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य पश्चिमी कर्नाटक में मराठा आधिपत्य स्थापित करना था (१७४६)। फिर, विद्रोही यामाजी शिवदेव को पराजित कर उसने सगोला का किला हस्तगत किया (१७५०)। यहाँ, रामचंद्र बाबा की प्रेरणा से नई योजना कार्यान्वित कर, उसने मराठा शासन में वैधानिक क्रांति स्थापित कर दी। किंतु भाऊ के कुछ कार्यों को अपने स्वत्वाधिकारों का अपहरण समझ पेशवा उससे और बाबा से रुष्ट हो गया। तब बाबा से प्रोत्साहित हो भाऊ ने पेशवा से शासनसंचालन का पूर्णाधिकार माँगा, वही पद जो विगत पेशवा के समय से उसके पिता का था। पेशवा की अस्वीकृति पर भाऊ ने कोल्हापुर के राजा के पेशवा-पद को ग्रहण करने की धमकी दी। किंतु अंततः महादोबा पुरंदरे के पदत्याग के कारण दोनों में समझौता हो गया, जिससे महाराष्ट्र में गृहयुद्ध की आशंका टल गई। १७५१ से १७५६ तक, यद्यपि भाऊ ने पेशवा के साथ कुछ सफल सैनिक अभियानों में भाग लिया, किंतु मुख्यतः उसका कार्यक्षेत्र शासनप्रबंध ही रहा, जिसमें उसने पूर्ण योग्यता का परिचय दिया। १७६० भाऊ की ख्याति का चरमोत्कर्ष था, जब ऊदगिर के युद्ध में निजाम को पूर्णरूपेण परास्त कर उसने महाराष्ट्र साम्राज्य का सीमाविस्तार किया। किंतु तभी महाराष्ट्र के भावी अनिष्ट की पूर्व-सूचना के रूप में पेशवा को अहमदशाह दुर्रानी के हाथों करारघाट में दत्ताजी सि
तब पेशवा ने
का गतिरोध

सनाउल्ला पानीपती देखिए अबाबुद्दीन पानीपती के वंशज थे। ७ वर्ष की वय में कुरान हिफ्ज (कंठस्थ) किया और १६ वर्ष की अवस्था में शिक्षा से निवृत्त हुए। सर्वप्रथम सैयद मतुल मुहम्मद आरिफ मुजाजी बरकती मुजद्दी से दीक्षित हुए तथा उनकी शिक्षाओं द्वारा अध्यात्मवाद की 'नशा' की प्याली को प्राप्त किया। अध्यात्म पथ के स्वर्गवास के उपरांत मिर्जा मजहर जानजाना से दीक्षा ली। यह चारों पंथों, निरंजन तथा तरीकों के। मिर्जा मजहर से निर्वाण का अवसर प्राप्त करके अपनी जन्मभूमि पानीपत में एक खानकाह स्थापित की, अध्यात्म के बारे में मशगूल हो गए और हजारों व्यक्तियों को ईश्वरदर्शन का मार्ग दिखाया। मिर्जा मजहर ने इन्हें 'हासुल हुदा' की उपाधि से संबोधित किया था। मिर्जा को अपने इस शिष्य के प्रति इतना अनुराग था कि एक अवसर पर उन्होंने कहा कि महाप्रलय के दिन जब ईश्वर मुझसे पूछेगा कि मेरे लिए क्या लाए हो तो कह दूँगा कि सनाउल्ला पानीपती को लाया हूँ। यह महान् पथप्रदर्शक थे तथा अनेक रचनाओं का श्रेय उन्हें प्राप्त है। उदाहरणार्थ ७ भागों में तफसीरे मजहरी, मैकुल मा फुल, इर्शादुत्तालिबीन, माना बरमहना, हुस्नुल इस्लाम, जहरुल आरिफ इत्यादि। कोई १० से अधिक पुस्तकें और लिखीं उन्होंने लिखे। १२१२ (१८१० ई०) में स्वर्गवास हुआ। पानीपत में उनकी उपाधि है। [मु० उ०]

सनातन गोस्वामी यह कर्णाट क्षत्रिय पंचद्रविड़ भारद्वाज गोत्रीय बंगुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज कर्णाट राजवंश के थे और उसके पुत्र कपेश्वर बंगाल में आकर गंगातटवर्ती बारीसाल में बस गए। इनके पौत्र मुकुंददेव बंगाल के नवाब के दरबार में राजकर्मचारी नियत हुए तथा गौड़ के पास रामकेलि ग्राम में रहने लगे। इनके पुत्र कुमारदेव तीन पुत्रों अमरदेव, संतोषदेव तथा वल्लभ को छोड़कर दुर्भाग्यवश ही में परलोक सिधार गए जिनसे मुकुंददेव ने तीनों पौत्रों का पालन कर उन्हें उचित शिक्षा दिलाई। इन्हीं तीनों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रमशः सनातन, रूप तथा अनुपम नाम दिया। सनातन का जन्म सं० १५२३ के लगभग हुआ था तथा संस्कृत के साथ फारसी अरबी की भी अच्छी शिक्षा पाई थी। सन् १४७३ ई० में विद्याबुद्धि की मृत्यु पर अठारह वर्ष की अवस्था में यह उन्हीं के पद पर नियत किए गए और बड़ी योग्यता से कार्य संभाल लिया। हुसैन शाह के समय में यह प्रधान मंत्री हो गए तथा इन्हें दबीर खास उपाधि मिली। राजकार्य करते हुए भी तीनों भाई परम भक्त, विरक्त तथा सत्संग प्रेमी थे। इन्होंने 'बानाई नाट्यशाला' बनवाई थी, जिसमें कृष्णलीला संबंधी बहुत सी मूर्तियों का संग्रह था। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकाश हुआ तब यह भी उनके दर्शन के लिये उतावले हुए, पर राजकार्य से छुट्टी नहीं मिली। इसलिये उन्हें पत्र लिखकर रामकेलि ग्राम में आने का आग्रह किया। श्री चैतन्य जब वृंदावन जाते समय रामकेलि ग्राम में आए तब इन तीनों भाइयों ने उनके दर्शन किए और सभी ने सांसारिक जंजाल से मुक्ति पाने का दृढ़ संकल्प किया। सभी राजपद पर थे। पर सनातन इनमें सबसे बड़े और मंत्रीपद पर थे अतः पहले श्री रूप तथा अनुपम सारे कुटुंब को स्वजन्मस्थान फतेहाबाद बारसा में सुरक्षित रख आए और राम दास में सनातन जी के लिये दुर्समय में काम आने को धन एक विश्वसनीय पुरुष के पास रखकर वृंदावन को चले गए। जब सनातन जी ने राजकार्य से हटने का प्रयत्न किया तब नवाब ने इन्हें कारागार में बंद करा दिया। अपने देश यह जंजीरों से भागे और काशी पहुँच गए। सं० १५ में यहीं श्रीगौरांग से भेंट हुई। और दो मास तक वैष्णव धर्म पर उपदेश देकर इन्हें वृंदावन भेज दिया कि वहाँ के तीर्थों का उद्धार, भक्तिशास्त्र की रचना तथा प्रेमभक्ति एवं संकीर्तन का प्रचार करें। यह वृंदावन चले गए पर कुछ दिन बाद श्रीगौरांग के दर्शन की प्रबल इच्छा से जगदीशपुरी आया करते थे। वहाँ कुछ दिन रहकर यह पुनः वृंदावन लौट आए और आदित्यटीला पर अंत तक यहीं रहे। मथुरा में यह नित्य यमुना जाते थे और वहीं उन्होंने श्री अद्वैताचार्य द्वारा प्रकटित श्री मदनगोपाल जी के विग्रह का दर्शन किया। यह उक्त मूर्ति को वृंदावन लाए और आदित्यटीला पर प्रतिष्ठापित कर सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद एक मंदिर बन गया और सं० १५६१ से सेवा की व्यवस्था ठीक रूप से चलने लगी। इसी प्रकार अनेक विग्रहों को खोजकर उनकी सेवा का प्रबंध किया, अनेक लुप्त तीर्थों का उद्धार किया तथा कई ग्रंथ लिखे। यह श्रीगौरांग के प्रमुख शिष्यों तथा पार्षदों में थे। इनकी रचनाएँ हैं — श्री बृहत् भागवतामृत, वैष्णवतोषिणी तथा श्रीकृष्णलीलास्तव। हरिभक्तिविलास तथा भक्तिरसामृतसिंधु की रचना में भी इनका सहयोग था। [ब० र० दा०]

सनातनानंद सकलानी 'सरकविदास' का जन्म श्रीनगर में हुआ रतूड़ी जी की ही भाँति गढ़वाली और हिंदी दोनों भाषाओं में कविता करते थे। उनकी कुछ कविताएँ 'गढ़वाली' में प्रकाशित भी हुई थीं। हिंदी में उनकी कविताएँ 'सरस्वती', 'माधुरी' और 'बंगवासी' में छपती रहती थीं। वे हिंदी के उन गिने चुने कवियों में थे, जिनका अभ्युदय 'सरस्वती' के प्रकाशन के साथ हुआ था। १९०५ से १९२४ तक वे सरस्वती में लिखते रहे।

सनिधातृ कौटिल्य अर्थशास्त्र में वित्त संबंधित दो प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख है जिनके नाम 'समाहर्तृ' अथवा 'समाहर्ता' तथा 'सनिधातृ' अथवा सनिधाता हैं। उनके कर्तव्यों का भी इसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में भी 'संगृहीतृ' तथा 'भाग दुघ' नामक पदाधिकारी वित्त तथा आय का लेखा जोखा रखते थे। यह संभव है कि वैदिक संगृहीतृ तथा कौटिल्य के सनिधातृ का कार्यक्षेत्र एक ही रहा हो। कौटिल्य के अनुसार 'सनिधातृ' का कार्य राजकीय आयकर की विधिवत् वसूली तथा उसे राजकोष में जमा करना था। इस मुख्य कर्तव्य के अतिरिक्त बहुमूल्य मणि तथा स्वर्ण भंडार तथा धान्यकोष भी उसके संरक्षण में थे। इनके कर्मचारी 'सनिधातृ' से आदेश लेते थे। आयुधागार (शस्त्रों के रखने का स्थान), कारागार तथा न्यायालय पर भी इसका नियंत्रण था। यह प्रतीत होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का यह अधिकारी, जिसका संबंध कदाचित् मौर्य शासनव्यवस्था से हो सकता है, केंद्रीय या

अंतर्विनिमय किया जाय, तो गुणनफल का चिह्न बदल जाता है। गुणनफल का परिमाण अ, ब, स द्वारा निर्धारित रेखा खंडों पर निर्मित समांतर चतुर्भुज के आयतन के गुणनफल के होता है।

सदिश त्रिगुण गुणनफल — अ × (ब × स) एक उदाहरण है और

अ × (ब × स) = ब (अ.स) − स (अ.ब)।

तीन से अधिक सदिशों के गुणनफल की आवश्यकता विरले ही होती है।

एकांक सदिशों को इ = अ = उ (i, j k) कहते — यदि इ, ज, उ तीन एकांक रेखा सदिश अ, र, स अक्षों की धनात्मक दिशा में हों, तो

इ.इ = ज.ज = उ.उ = १

इ.ज = ज.उ = उ.इ = ०

इ×इ = ज × ज = उ×उ = ०

इ×ज = उ, ज×उ = इ, उ×इ = ज

और यदि

अ = अ₁ इ + अ₂ ज + अ₃ उ

ब = ब₁ इ + ब₂ ज + ब₃ उ

तो

अ+ब = (अ₁+ब₁)इ + (अ₂+ब₂) ज + (अ₃+ब₃) उ

अ.ब = अ₁ ब₁ + अ₂ ब₂ + अ₃ ब₃

और अ×ब = $\begin{vmatrix} अ_1 & अ_2 & अ_3 \\ ब_1 & ब_2 & ब_3 \\ इ & ज & उ \end{vmatrix}$

सदिश क्षेत्र — यदि दिक् का प्रत्येक बिंदु किसी सदिश से सहचरित हो, तो दिक् को सदिश क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वीय, चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। मान लीजिए कि बिंदु प (य, र, ल) से सहचरित एक सदिश ब निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है :

ब = ब₁ इ + ब₂ ज + ब₃ उ

और य + ताय, र + तार, ल + ताल किसी प्रतिवेशी (neighbouring) बिंदु ≡ निर्देशांक हों, जिसमें ताय, तार, ताल; य, र, ल में अनंतसूक्ष्म वृद्धि के सूचक हैं, फिर यदि सदिश ब में संगत वृद्धि को ता ब द्वारा जताया जाता है तो

ताब = इ ताब₁ + ज ताब₂ + उ ताब₃

जहाँ $ताब_1 = \frac{\delta ब_1}{\delta य} ताय + \frac{\delta ब_1}{\delta र} तार + \frac{\delta ब_1}{\delta ल} ताल$

$ताब_2 = \frac{\delta ब_2}{\delta य} ताय + \frac{\delta ब_2}{\delta र} तार + \frac{\delta ब_2}{\delta ल} ताल$

$ताब_3 = \frac{\delta ब_3}{\delta य} ताय + \frac{\delta ब_3}{\delta र} तार + \frac{\delta ब_3}{\delta ल} ताल$

सदिश का डाइवर्जेंस और कर्ल — किसी भी सदिश फलन ब से दो अन्य बिंदु फलन व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। इनमें से एक अदिश और दूसरा सदिश होता है। इनका सदिश विश्लेषण में बहुत महत्व है। इनमें से पहला ब का डाइवर्जेंस कहलाता है और इसकी परिभाषा निम्नलिखित होती है :

$डाइव\ ब = इ \frac{\delta ब}{\delta य} + ज \frac{\delta ब}{\delta र} + उ \frac{\delta ब}{\delta ल}$

$= \frac{\delta ब_1}{\delta य} + \frac{\delta ब_2}{\delta र} + \frac{\delta ब_3}{\delta ल}$

और दूसरा ब का कर्ल कहलाता है जिसकी परिभाषा

$कर्ल\ ब = इ \times \frac{\delta ब}{\delta य} + ज \times \frac{\delta ब}{\delta र} + उ \times \frac{\delta ब}{\delta ल}$

$\begin{array}{ccc} \partial/\partial य & \partial/\partial र & \partial/\partial ल \\ ब_1 & ब_2 & ब_3 \\ इ & ज & उ \end{array}$

होती है। इसके मान यत्नों के संदर्भ में निरचर होते हैं।

निम्नलिखित प्रकार सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं :

डाइव (अ ब) = ∆अ . ब + अ डाइव ब

कर्ल (अ ब) = ∆अ × ब + अ कर्ल ब

डाइव (अ × ब) = ब . कर्ल अ − अ . कर्ल ब

कर्ल (अ × ब) = ब ∇अ − अ.∆ब + अ डाइव ब − ब डाइव अ

ग्रेड (अ ब) = ब ∆अ + अ.∆ब + ब × कर्ल अ + अ × कर्ल ब

कर्ल ग्रेड ब = ०

डाइव कर्ल ब = ०

डाइव ग्रेड ब = ∇^2 ब

जिसमें ∇^2 लाप्लास परिचालक है।

गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय — इसका सदिशीय रूप निम्नलिखित है

∫ फ.न ता द = ∫ डाइव फ ताव

जिसका तात्पर्य यह है कि किसी बंद क्षेत्र की सीमा पर फलन फ का अभिलंब पृष्ठ समाकल (normal surface integral) समूचे परिबद्ध दिक् में लिए हुए फ के डाइवर्जेंस के दिक् समाकल के बराबर होता है।

स्टोक का प्रमेय — यह निम्नलिखित है :

∫ फ. ता प्र = ∫ न. कर्ल फ ता ब [प्र = इ य + ज र + उ ल]

जिसका तात्पर्य यह है कि किसी सादेश फलन फ के लिये, जो अपने व्युत्पन्न के साथ किसी भी दिशा में एकसमान, (uniform) सांत (finite) और अविच्छिन्न (continuous) है, बंद वक्र स के चारों ओर फ का स्पर्शीय रेखा समाकल, द पर कर्ल फ के अभिलंब पृष्ठ समाकल के बराबर होता है।

ग्रीन का प्रमेय — इसे यों व्यक्त किया जाता है :

∫ (अ∇ब − ब∆अ).न ताद = ∫ (अΔ^2 ब − ब ∇^2 अ) ताव

यदि किसी सदिश अ का कर्ल लुप्त हो जाता है तो उसे स्वरित या अघूर्ण सदिश कहते हैं। यदि डाइव अ = ०, तो सदिश अ को परिनालिकीय सदिश कहते हैं।

सदिश विश्लेषण का अनुप्रयोग अनेक ज्यामितियों, बीजगणित, क्वांटम यांत्रिकी, आपेक्षिकता सिद्धांत, टेंसर विश्लेषण आदि गणित की अनेक शाखाओं में होता है। [ए० घो०]

ने उन्हें अपनी प्रीवी काउंसिल का सदस्य बनाया। १९३५ के गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट के बनाने में उन्होंने विशेष योग दिया।

कांग्रेस के असहयोग आंदोलनों के समय उन्होंने अपने सहयोगी डा० एम० आर० जयकर के साथ संघर्ष को सुलझाने में बराबर प्रयत्न किया। १९३४-१९३५ में वे उत्तर प्रदेशीय अनएम्प्लायमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे।

१९३९ में जब प्रांतों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दिया तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने और निर्दलीय नेताओं की समिति द्वारा, जिसकी १९४१ में उन्होंने अध्यक्षता की, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में समझौता कराने का उन्होंने विशेष प्रयत्न किया।

१९४२ में और उसके पश्चात् भी भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने देश की आकांक्षाओं का सर्वदा प्रतिनिधित्व किया। भारत जब स्वाधीन हुआ तो वे अपनी ख्याति के शिखर पर थे। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहता तो भारत के संविधान बनाने में उनका प्रमुख हाथ रहता।

२१ जनवरी, १९४९ को प्रयाग में उनका देहांत हुआ।

आंतरिक उदासीनता रखते हुए भी उनका बाह्य जीवन बड़ी शान और राजसी ठाठ से युक्त था। उनके अंतिम काल तक उनका प्रयाग का निवासस्थान १९, एलगिन रोड, साहित्यिकों तथा सामाजिक और राजनीतिक नेताओं का केंद्र बना रहा। [शि० ना० का०]

सप्रे, माधवराव का जन्म १८७१ ई० में पथरिया (जिला दमोह) मध्य प्रदेश में हुआ। विद्यार्थी जीवन में ही सरकारी नौकरी न करने तथा मराठी और हिंदी की सेवा का व्रत लिया। १८९८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा पास की। पेंड्रा (बिलासपुर) के महाराजकुमार के अंग्रेजी ट्यूटर नियुक्त हुए। १९०० ई० में पेंड्रा से 'छत्तीसगढ़ मित्र' नामक समालोचना-प्रधान हिंदी मासिक पत्र प्रकाशित किया जो कुछ समय रायपुर से प्रकाशित होकर १९०३ ई० में आर्थिक कठिनाई से बंद हो गया। आलोचनात्मक पत्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि हुई। नए लेखकों के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में तथा हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार में इसने बड़ा योगदान किया। सप्रे जी नागपुर आकर देशसेवा प्रेस में काम करने लगे। वहीं १९०५ ई० में हिंदी में श्रेष्ठ ग्रंथों के प्रकाशन के उद्देश्य से 'ग्रंथमाला' नाम का मासिक पत्र प्रकाशित किया। इसमें हर मास उच्च कोटि की अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के साथ ही कविता, निबंध, आलोचनात्मक टिप्पणी और ऐतिहासिक साहित्यिक तथा राजनीतिक विषयों के लेख छपते थे। मराठी 'केसरी' के ढंग पर साप्ताहिक 'हिंदी केसरी' आपने १९०७ ई० में प्रकाशित किया जिसमें समाचारों के साथ सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर उग्र और क्रांतिकारी स्वर के लेख छपते थे। फलतः १९०८ ई० में आप गिरफ्तार किए गए और कुछ समय जेल में रहकर छूटे। १९२० ई० में आपकी प्रेरणा से साप्ताहिक 'कर्मवीर' प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन के आप सभापति बनाए गए। 'दास बोध' और 'गीता रहस्य' मराठी से हिंदी अनुवाद के अतिरिक्त आपने 'रामचरित्र' 'एकनाथचरित्र' ग्रंथों की रचना की। २३ अप्रैल, १९२६ को आप मृत्यु हुई। [ब० प्र०]

सफक (Suffolk) इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक काउंटी है, जिसका क्षेत्रफल १४८१·७ वर्ग मील एवं जनसंख्या ४,७२,९ (१९६१) है। यह लगभग समतल भाग है, जो पश्चिम खड़िया (chalk) की पहाड़ियों की ओर कुछ ऊँचा हो गया है। इस काउंटी में गेहूँ, जौ एवं तरकारियाँ उगाई जाती हैं। सूअर, और घोड़ों का पालना एवं दुग्ध उद्योग प्रधान व्यवसाय हैं। उत्तर सागर में लोवस्टाफ (Lowestoft) नामक स्थान मछली मारने का प्रसिद्ध केंद्र है। आरफर्ड और आरवेल नदियों के संगम आयस्टर मछलियाँ मारी जाती हैं। उर्वरक, रंजक, प्लास्टिक, वस्त्र एवं मुद्रण उद्योग तथा कृषि-यंत्र-निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं। बर्ग (Burgh) नामक किले एवं कई अन्य चिह्नों से ऐसा प्रतीत होता है कि कभी सफक रोमन शासन के अधीन रहा था। इप्सविच लोवस्टाफ, फ्रीलिंगहैम, सडबरी, न्यूमार्केट एवं फेलिक्सस्टो महत्वपूर्ण नगर हैं।

प्रशासकीय कार्यों के लिये सफक को दो विभागों में विभक्त कर दिया गया है: पूर्वी सफक एवं पश्चिमी सफक। पूर्वी सफक का क्षेत्रफल ८७०·९ वर्ग मील तथा जनसंख्या ३,४१,९९९ (१९६१) एवं पश्चिमी सफक का क्षेत्रफल ६१०·८ वर्ग मील एवं जनसंख्या १,२९,९९९ (१९६१) है। [रा० प्र० सिं०]

सफेदी (पुताई) दीवारों और छतगीरी आदि में चूने की पुताई सफेदी कहलाती है। सफेदी से सतह पर सफाई और दर्शनीयता आती है और किसी सीमा तक यह कीटाणुनाशक भी होती है। सफेदी करने के लिये सतह भली भाँति साफ और सूखी होनी चाहिए। यदि सतह बहुत चिकनी है, तो उसे रेगमाल से थोड़ा घिस देना चाहिए नहीं तो उसपर सफेदी नहीं लगेगी। पुरानी सफेदी पर पुनः सफेदी करनी हो, तो पुरानी परतें साफ कर देनी चाहिए।

सामग्री — ताजा साफ अनबुझा चूना एक मन में डालकर, ऊपर से बहुत सा स्वच्छ पानी मिलाकर, मलाई जैसा पतला कर लेना चाहिए। फिर इसे छन्नर में से छानकर, प्रति पन्न कुछ द्रव में १ पाउंड कोकर की गोंद या सरेस पानी में घुलाकर, अथवा एक पाउंड चावल की गोंद बनाकर, मिला देना चाहिए। थोड़ा सा नील या तूतिया मिलाने से सफेदी अच्छी खिलती है, चौंध नहीं देती और देखने में भली लगती है। इसी में भाँति भाँति के रंग मिलाने से सतह पर रंग भी आ जाता है। यह रंगपुताई कहलाती है।

सफेदी कूँची से दो बार में करनी चाहिए, एक बार खड़ी और दूसरी बार पड़ी। पहिली बार की पुताई सूख जाने पर ही दूसरी बार करनी चाहिए। नए काम पर तथा खुरची हुई सतह पर तीन बार करना आवश्यक होता है। वार्षिक पुताई हो तो केवल एक

तथा उसका संरक्षण और कार्यक्षेत्र वित्त के अतिरिक्त अन्य विषयों से भी था। 'सन्निधातृ' को राजकीय आय तथा व्यय का प्राथमिक ज्ञान था। वह प्रति वर्ष बजट बनाता था, तथा उसके कार्यालय में १०० वर्ष तक के वित्त आँकड़े रहते थे। शुक्रनीति शास्त्र में 'सन्निधातृ' को सुमंत्रा तथा 'समाहर्तृ' को अमात्य लिखा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसी भी भारतीय राज्यतंत्र की शासनव्यवस्था में सन्निधातृ का उल्लेख नहीं मिलता। हो सकता है, यह केवल उपर्युक्त ग्रंथों तक ही सीमित रह गया हो। 'सन्निधातृ' के साथ समाहर्तृ का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। उसका क्षेत्र गढ़, खान, कृषि, वन तथा मार्ग और पशु विभाग तक ही सीमित था। ये दोनों पदाधिकारी विभिन्न विभागों से मुख्यतया वित्त तथा राजकर से—संबंधित प्रतीत होते हैं।

सं० ग्रं० — रामशास्त्री : कौटिल्य अर्थशास्त्र, दीक्षितार : ऐडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन्स तथा मौर्यन पॉलिटी, नारायणचंद्र बनर्जी—'कौटिल्य'।

[वै० पु०]

सपीर, एडवर्ड (१८८४–१९३९ ई०) अमरीका के प्रसिद्ध नृतात्विक भाषाशास्त्री। जन्म २६ जनवरी, १८८४ ई० को जर्मनी में हुआ। पाँच वर्ष की अवस्था में माता पिता के साथ अमरीका में आकर बस गए। १९०६ ई० में पुलिट्ज़र फेलोशिप लेकर 'जरमानिक्स' में एम० ए० तथा १९०९ में पी-एच० डी० डिग्री प्राप्त की। सन् १९१० में जियोलॉजिकल सर्वे ऑव कैनाडा के नृतत्व विभाग के अध्यक्ष होकर ओटवा गए। कैनाडा में बिताए गए १५ वर्षों में सपीर ने नूत्का, अथापास्कन, नवाहो, सार्सी, टिनगिट और कुचिन आदि अनेक (रेड) इंडियन भाषाओं का क्षेत्रीय कार्य किया।

सन् १९२६ में वे शिकागो आए और १९२७ से १९३२ ई० तक शिकागो विश्वविद्यालय में सामान्य भाषाशास्त्र एवं नृतत्व के प्रोफेसर रहे। इसी वर्ष येल विश्वविद्यालय के आग्रह पर वे न्यू हैवेन आए, जहाँ जीवन के अंतिम वर्षों तक वे नृतत्व एवं भाषाशास्त्र के प्रोफेसर रहे। अब तक सपीर अमरीकन नृतत्व के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके थे। सन् १९२९ में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० एस-सी० की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के बल पर ही ये अमरीकन ऐंथ्रपालॉजिकल एसोसिएशन और लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑव अमरीका के प्रेसिडेंट भी चुने गए। न्यू हैवेन की प्रशासकीय और अध्यापन संबंधी व्यस्तताओं ने सपीर को इतना झकझोर डाला कि ४ फरवरी, सन् १९३९ ई० को हृदय की गति रुक जाने से इनका निधन हो गया।

भाषाशास्त्र के अमरीकन स्कूल के उन्नायकों में फ्रैंज बोज, सपीर और ब्लूमफील्ड का नाम प्रमुख है। सपीर के समय तक अमरीकन लोग भाषातत्व और नृतत्व में काफी आगे बढ़ चुके थे। एक ओर ब्लूमफील्ड जैसे शुद्ध भाषाशास्त्री थे तो दूसरी ओर फ्रैंज बोज जैसे नृतत्वविद्। सपीर ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए इन दोनों के समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। रेड इंडियनों की अज्ञात भाषाओं का वैज्ञानिक विवरण देकर सपीर ने लोकसंस्कृति और नृतत्व के अनेक नए आयाम उद्घाटित किए, साथ ही संस्कृति का अनोखा विश्लेषण भी किया। संस्कृति के साथ व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, रिवाज, फैशन और भाषा के विविध अंतरावलंबनों का अध्ययन कर सपीर ने नृतात्विक भाषाशास्त्र (Ethno Linguistics) को सुदृढ़ बनाया। इस प्रकार नृतात्विक भाषाशास्त्र को व्यवस्थित कर देने, अमरीकन भाषाओं का वैज्ञानिक विवरण करने और सामान्य भाषा तथा नृतत्व के अंतरावलंबन का प्रचार करनेवालों में सपीर ने प्रकाशस्तंभ का काम किया। उनकी महत्ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ३१ के लेखनकाल में उन्होंने लगभग ३५० वैज्ञानिक निबंध और कविताएँ भी लिखी। इनकी प्रसिद्ध कृति लैंग्वेज के अतिरिक्त विविध निबंधों का एक संग्रह भी 'सेलेक्टेड राइटिंग्ज ऑव एडवर्ड सपीर' के नाम से प्रकाशित है।

[र० ना० स०]

सप्रू, सर तेजबहादुर जन्म ८ दिसंबर, १८७५ ई० को अलीगढ़ नगर में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा आगरे में हुई और उन्होंने एम० ए० और एल-एल० बी० की उपाधियाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त कीं। उन्होंने मुरादाबाद में वकालत शुरू की और लगभग दो वर्ष बाद १८९८ ई० में इलाहाबाद चले आए। यहाँ उन्होंने हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। उन्होंने १९०२ में प्रयाग विश्वविद्यालय से कानून की सर्वोच्च डिग्री एल-एल० डी० प्राप्त की और १९०६ में वे इलाहाबाद हाइकोर्ट के ऐडवोकेट बन गए। शीघ्र ही उनकी ख्याति प्राप्त और देश के प्रमुख वकीलों में हो गई। उन्हें साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में रुचि थी। कुछ काल तक उन्होंने उर्दू मासिक पत्र 'काश्मीरदर्पण' का संपादन भी किया।

१९१३ से १९१६ तक वे संयुक्त प्रांत की धारासभा के सदस्य और फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के भी सदस्य रहे। १९१८-१९१९ में वे फ़ाज़ल कमेटी के सदस्य थे जिसके अध्यक्ष लार्ड सायडनहैम थे। १९१९ ई० में वे नरम दल के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बनकर लंदन गए और लार्ड सेल्बोर्न की कमेटी के समक्ष गवाही दी।

वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी (१९०६ से १९१७ तक) सदस्य रहे। १९१३ में उन्होंने यू० पी० सोशल कांफ्रेंस की और १९१५ में यू० पी० राजनीतिक कांफ्रेंस की अध्यक्षता की। १९१८ से १९२० तक वे यू० पी० लिबरल लीग के अध्यक्ष रहे। १९१० से १९२० तक वे प्रयाग विश्वविद्यालय के फेलो थे और हिंदू विश्वविद्यालय काशी के कोर्ट और सिनेट के भी कई साल तक सदस्य रहे। १९२० में वे भारत की केंद्रीय सरकार के 'ला मेंबर' नियुक्त हुए परंतु १९२३ में उस पद को त्यागकर वे [illegible] हाईकोर्ट

१९२
प्रतिनिधि
पर एक भ

१९२
उपाधि से
लिबरल

के यंत्र को घड़ी अथवा घटीयंत्र कहते हैं। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि समय वह भौतिक तत्व है जिसे घटीयंत्र से नापा जाता है। सापेक्षवाद के अनुसार समय दिग्देश के सापेक्ष है। अतः [illegible] लेख में समयमापन पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति से उत्पन्न दिग्देश के सापेक्ष समय से लिया जायगा। समय को नापने के लिये सुगम घटीयंत्र पृथ्वी ही है, जो अपने अक्ष तथा कक्षा में घूमकर हमें समय का बोध कराती है; किंतु पृथ्वी की गति हमें दृश्य नहीं है। पृथ्वी की गति के सापेक्ष हमें सूर्य की दो प्रकार की गतियाँ दृश्य होती हैं, एक तो पूर्व से पश्चिम की तरफ पृथ्वी की परिक्रमा तथा दूसरी पूर्व बिंदु से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाकर, कक्षा का भ्रमण। अतएव व्यावहारिक दृष्टि से हम सूर्य से ही काल का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

अति प्राचीन काल में मनुष्य ने सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर प्रातः, दोपहर, संध्या एवं रात्रि की कल्पना की। ये समय स्थूल रूप से प्रत्यक्ष हैं। तत्पश्चात् उसने काल के सूक्ष्म विभाजन के लिये प्रहरों, तथा तत्पश्चात् घटी पल की, कल्पना की होगी। इसी प्रकार उसने सूर्य की कक्षागतियों से पक्षों, महीनों, ऋतुओं तथा वर्षों की कल्पना की होगी। समय को सूक्ष्म रूप से नापने के लिये पहले शंकुयंत्र तथा छायाघड़ियों का प्रयोग हुआ। रात्रि के समय का ज्ञान नक्षत्रों से किया जाता था। तत्पश्चात् पानी तथा बालू के घटीयंत्र बनाए गए। ये भारत में अति प्राचीन काल से प्रचलित थे। इनका वर्णन ज्योतिष की अति प्राचीन पुस्तकों में, जैसे पंचसिद्धांतिका तथा सूर्यसिद्धांत में, मिलता है। पानी का घटीयंत्र बनाने के लिये किसी पात्र में छोटा सा छेद कर दिया जाता था, जिससे पात्र एक घटी में पानी में डूब जाता था। उसके बाहरी भाग पर पल अंकित कर दिए जाते थे। इसलिये पलों को पानीय पल भी कहते हैं। बालू का घटीयंत्र भी पानी के घटीयंत्र सरीखा था, जिसमें छिद्र से बालू के गिरने से समय ज्ञात होता था ([illegible] रेतघड़ी)। किंतु ये सभी घटीयंत्र सूक्ष्म न थे तथा इनमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। विज्ञान के प्रादुर्भाव के साथ लोलक घड़ियाँ तथा तत्पश्चात् नई घड़ियाँ, जिनका हम आज प्रयोग करते हैं, अविष्कृत हुईं।

जैसा पहले बता दिया गया है, समय का ज्ञान सूर्य की दृश्य स्थितियों से किया जाता है। सामान्यतः सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन तथा सूर्यास्त से पुनः सूर्योदय तक रात्रि होती है, किंतु विभिन्नता के लिये दिन रात मिलकर दिन कहलाते हैं। किसी स्थान पर सूर्य द्वारा याम्योत्तर वृत्त के अधोबिंदु की एक परिक्रमा को एक दृश्य दिन कहते हैं, तथा सूर्य की किसी स्थिर नक्षत्र के सापेक्ष एक परिक्रमा को नाक्षत्र दिन कहते हैं। यह नक्षत्र कवि के अनुसार मेष का आदि बिंदु (first point of Aries, i. e. γ), अर्थात् क्रांतिवृत्त तथा विषुवत् वृत्त का वसंत संपात बिंदु लिया जाता है। यद्यपि नाक्षत्र दिन स्थिर है, तथापि यह हमारे व्यवहार के लिये उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह दृश्य दिन से ३ मिनट ५६ सेकंड कम है। दृश्य दिन का मान सदा एक सा नहीं रहता। अतः किसी घड़ी से दृश्य सूर्य के समय का बताया जाना कठिन है। इसके दो कारण हैं: एक तो सूर्य की स्पष्ट गति सदा एक सी नहीं रहती, दूसरे स्पष्ट सूर्य क्रांतिवृत्त में चलता दिखाई देता है। हमें समयसूचक यंत्र बनाने के लिये ऐसे सूर्य की आवश्यकता होती है, जो मध्यम गति से सदा विषुवत्वृत्त में चले। सूर्य को ज्योतिषी लोग ज्योतिष माध्य-सूर्य (Mean Astronomic Sun) अथवा केवल माध्य सूर्य कहते हैं। विषुवत्वृत्त के मध्य सूर्य तथा क्रांतिवृत्त के मध्यम सूर्य के अंतर को भास्कराचार्य उदयांतर तथा क्रांतिवृत्तीय मध्यम सूर्य तथा स्पष्ट सूर्य के अंतर को भुजांतर कहा है। यदि ज्योतिष-माध्य सूर्य में उदयांतर व भुजांतर संस्कार कर दें, तो वह दृश्य सूर्य हो जायगा। आधुनिक पंचांगों में उदयांतर तथा भुजांतर के एक साथ संस्कार को समय संशोधन (Equation of time) कहते हैं। यह हमारी घड़ियों के समय (माध्य-सूर्य समय) तथा दृश्य सूर्य के समय के अंतर के तुल्य होता है। समय संशोधन का प्रति दिन का मान गणित द्वारा निकाला जा सकता है। आजकल प्रकाशित होनेवाले नाविक पंचांग (nautical almanac) में, इसका प्रति दिन का मान दिया रहता है। इस प्रकार हम अपनी घड़ियों से जब चाहें दृश्य सूर्य का समय ज्ञात कर सकते हैं। इसका ज्योतिष में बहुत उपयोग होता है। विलोमतः हम सूर्य के ऊर्ध्व याम्योत्तर बिंदु के संक्रमण का वेध करके, उसमें समय संशोधन को जोड़ या घटाकर, वास्तविक माध्य-सूर्य का समय ज्ञात करके अपनी घड़ियों के समय को ठीक कर सकते हैं।

जब हमने समय नापने के लिये आधुनिक घड़ियाँ बनाईं, तब यह पाया गया कि सर्दी तथा गर्मी के कारण घड़ियों के आधुनिक पुर्जों के सिकुड़ने तथा फैलने के कारण ये घड़ियाँ ठीक समय नहीं देतीं। अब हमारे सामने यह समस्या थी कि हम अपनी नाविक घड़ियों को सुसम शुद्धियों को कैसे जानें? यद्यपि सूर्य के ऊर्ध्व याम्योत्तर संक्रमण की विधि से हम अपनी घड़ियों की शुद्धि जान सकते थे, तथापि सूर्य के ऊर्ध्व याम्योत्तर संक्रमण का वेध स्वयं कुछ विषम है तथा सूर्य के बिंब के विशाल होने के कारण उसमें वेधकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि (personal error) की अधिक संभावना है। दूसरी कठिनाई यह थी कि हमारी माध्य-सूर्य-घड़ी के समय का आकाशीय पिंडों की स्थिति से कोई प्रत्यक्ष संबंध न था। इसी कमी की पूर्ति के लिये नाक्षत्र घड़ी (sidereal clock) का निर्माण किया गया, जो नाक्षत्र समय बताती थी। इसके २४ घंटे पृथ्वी की अपने अक्ष की एक परिक्रमा के, अथवा वसंतसंपात बिंदु के ऊर्ध्व याम्योत्तर बिंदु की एक परिक्रमा के, समय के तुल्य होते हैं। २१ मार्च के अवसर, वसंतसंपात बिंदु हमारे दृश्य-सूर्य के साथ ऊर्ध्व याम्योत्तर संक्रमण करता है। उस समय नाक्षत्र घड़ी का समय शून्य घंटा, शून्य मिनट, शून्य सेकंड होता है। हमारी घड़ियों में उस समय १२ बजते हैं। दूसरे दिन दोपहर को नाक्षत्र घड़ी का समय [illegible] मिनट होता है। [illegible] किसी भी निश्चित दिन माध्य-सूर्य के समय को हम [illegible] के नाक्षत्र समय में, या नाक्षत्र समय को माध्य सूर्य के समय में, परिवर्तित कर सकते हैं। नाविक पंचांगों में इस प्रकार के रूपांतरित्रों की तालिकाएँ दी रहती हैं। इस प्रकार यदि हमें किसी प्रकार शुद्ध समय देनेवाली नाक्षत्र घड़ी मिल जाय, तो हम अपनी नाक्षत्र घड़ी के समय का शुद्धि कर सकते हैं। यद्यपि नाक्षत्र घड़ी की शुद्धि हो गयी है तथा उसमें भी त्रुटि हो जाती है, तथापि इस प्रकार शुद्धि किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आकाशीय पिंडों की स्थिति

बार, अर्थात् कहिये नहीं और अगर सुनत नहीं, तुँको अपना प्रयोग होता है। [वि० प० पु०]

सबद का शब्द का प्रयोग हिंदी के संत साहित्य में बहुधा हुआ है। बड़थ्वाल ने मनोवैज्ञान के आधार पर लिखा है कि 'शब्द, गुरु की शिक्षा, निर्गुण, पहेली, साखी, बानी, आवाज, विवेकवाणी, अनहद बाजा, अनहदा और कलमा के रूप में प्रयुक्त हुआ है।'

'सबद' का 'शब्द' शब्द ध्वनि होते हैं। संत सब रागिनियों में बँधे पद 'सबद' का शब्द कहे जाते रहे हैं। सिद्धों से लेकर निर्गुणी, सगुणी सभी संप्रदाय के संत कवियों ने विविध राग रागिनियों में पदरचना की है। परंतु प्रत्येक पद पर सबद नहीं कहा जाता। संतों की अनुभूति 'सबद' कहलाती है। कबीर की रचनाओं में 'सबद' का बहुत प्रयोग हुआ है और भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'हिंदी साहित्य का आदिकाल' शीर्षक ग्रंथ में लिखा है, 'आदि ग्रंथ की लिखी हुई एक प्रति में संगृहीत और गोरखबानी में उद्धृत पदों को 'सबदी' कहा गया है। कबीर ने संभवतः यहीं से 'सबद' ग्रहण किया होगा।'

नाथों का व्यापक प्रभाव केवल उनके मत या विचारों तक ही सीमित नहीं रहा, उनकी अभिव्यक्ति के विविध प्रकारों ने भी उनके परवर्ती हिंदी संतों को प्रभावित किया है। संत तो प्रायः जनता में प्रचलित भावप्रकाश की शैली को और भाषारूप को अपनाया करते हैं जिससे उनके विचार शीघ्र ही उसमें संचरित हो सकें। नाथों ने सिद्धों से और विभिन्न संप्रदायी संतों ने नाथों से यदि 'सबद' या पद शैली ग्रहण की तो यह स्वाभाविक ही था। निर्गुणी संतों के 'साखी' और 'सबद' अत्यधिक प्रचलित हुए। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची बनकर भी व्यवहृत होते रहे। बड़थ्वाल का मत है कि 'विषय की दृष्टि से इन दोनों में बहुधा कुछ अंतर लक्षित होता है। 'सबद' का प्रयोग भीतरी तथा अनुभव आह्लाद के व्यक्तीकरण के लिये किया जाता है और साखी का प्रयोग दैनिक जीवन में लक्षित होनेवाले व्यावहारिक अनुभव को स्पष्ट करने में हुआ करता है।' इसका अर्थ यह हुआ कि 'सबद' आत्मानुभूति और साखी बाह्यानुभूति। परंतु संत वाङ्मय के अनुशीलन से 'साखी' और 'सबद' का यह भेद सदा परिलक्षित नहीं होता। स्वयं बड़थ्वाल ने भी एक स्थल पर स्वीकार किया है कि 'कभी कभी इनमें से एक दूसरे की जगह भी व्यवहृत हुआ देखा जाता है। 'सबद के संबंध में एक बात निश्चित है कि उन्हें राग रागिनियों में कहने की पुरानी परिपाटी रही है। इसी से कबीर के 'सबद' विषयों के अनुसार विभाजित न होकर राग रागिनियों के अनुसार अधिक विभाजित पाए जाते हैं।

सं० ग्रं० — हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिंदी साहित्य का आदिकाल; बड़थ्वाल : हिंदी काव्य की निर्गुण परंपरा। [वि० मो० प०]

सभा वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी। सभा के साथ ही एक दूसरी संस्था थी, समिति, और अथर्ववेद (सातवाँ, १३.१) में उन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैदिक समाज को ये संस्थाएँ अपने विकसित रूप में प्राप्त हुई थीं। संभवतः इनमें सभा स्थान और सभ्य की दृष्टि, दोनों ही से था। ऋग्वेद के अनुसार [illegible] है कि सभा और समिति का अलग अलग [illegible] था। सभा में [illegible], अधिकतर [illegible] और बड़े बूढ़े लोगों का और साधारण व्यक्तियों से अधिक अधिक [illegible] उनके पदों को सुरक्षा [illegible] कहा गया है (ऋग्वेद, [illegible] १.४)। अथर्ववेद संहिता (अथर्व [illegible]) के एक मंत्र से प्रकट होता है कि सभा की सदस्यता सिर्फ के लिये उपयुक्त नहीं थी। कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप से सभा का [illegible] बड़ा अधिकार था। उसके सदस्यों का सभापति, अध्यक्ष को सभापति और [illegible] को सभाचर [illegible] थे। सभासदों की बड़ी प्रतिष्ठा होती थी, किंतु वह अनियंत्रित स्वेच्छाचारी न थी और सभासदों की योग्यताएँ विहित थीं। एक बौद्ध जातक के अनुसार वह सभा सभा नहीं, वहाँ सत्य न हो और वे सत्य नहीं जो धर्म का आश्रय न करते हों। पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ भी सभा के अधिकारी थे, जो राग, द्वेष (अथवा दोष - पाप) और मोह को छोड़कर धर्म का आश्रय करते हों — 'न सा सभा यत्र न सन्ति सन्तो, न ते सन्तो ये न भणन्ति धर्मम्। राग च दोषं च तहाय मोहं धर्मं भणन्ता व भवन्ति सन्तो।' (जातक, फाउसबोल का रोमन लिपि संस्करण, जिल्द ३, पृष्ठ ३०६)। सभासदों के लिये ये गुण अत्यंत अपेक्षित थे और कुछ हेर फेर के साथ वाल्मीकि रामायण (उत्तर कांड, १.११) तथा महाभारत में भी उन्हें गिनाया गया है, यथा—'न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्। नाधर्मो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्॥' न्याय का इच्छुक व्यक्ति समाचर और सभा से लौटा हुआ अभियुक्त दोषमुक्त, प्रसन्न और सानंद कहा गया है। न्याय वितरण के अतिरिक्त सभा में आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों पर भी विचार होते थे। कभी कभी लोग वहीं इकट्ठे होकर जुए के खेल द्वारा अपना मनोरंजन भी किया करते थे।

सभा का यह स्वरूप उत्तर वैदिककाल का अंत होते होते (६००ई० पू०) समाप्त हो गया। राज्यों की सीमाएँ बढ़ीं और राजाओं के अधिकार विस्तृत होने लगे। उसी क्रम में सभा ने राजसभा अर्थात् राजा के दरबार का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे उसकी नियंत्रणात्मक शक्ति जाती रही और साथ ही साथ उसके जनतंत्रात्मक स्वरूप का भी अंत हो गया। राजसभा में अब केवल राजपुरोहित, राज्याधिकारी, कुछ मंत्री और राजा अथवा राज्य के कुछ कृपापात्र मात्र बच रहे।

सं० ग्रं० — डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल : हिंदू राजतंत्र; डॉ० अ० स० अल्तेकर : प्राचीन भारतीय शासनपद्धति; डॉ० कीथ और डॉ० मैकडानेल : वैदिक इंडेक्स्, जिल्द २, पृष्ठ ४२६-४३१। [विशु० पा०]

समयमापन जब समय बीतता है, तब घटनाएँ घटित होती हैं तथा चलबिंदु स्थानांतरित होते हैं। इसलिये दो लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल (प्रतीक्षानुभूति) को समय कहते हैं। समय नापने

बागवानी, धातु एवं मिट्टी के बरतनों का निर्माण और कपड़ा, रेशम, गेहूँ, चावल, घोड़ा, खच्चर, फल इत्यादि का व्यापार है। शहर के बीच रिगिस्तान नामक एक चौराहा है, जहाँ पर विभिन्न रंगों के पत्थरों से निर्मित कलात्मक इमारतें विद्यमान हैं। शहर की चार-दीवारी के बाहर तैमूर के प्राचीन महल हैं। ईसा पूर्व ३२९ में सिकंदर महान् ने इस नगर का विनाश किया था। १२२१ ई० में इस नगर की रक्षा के लिये १,१०,००० आदमियों ने चंगेज खाँ का मुकाबला किया। १३६९ ई० में तैमूर ने इसे अपना निवासस्थान बनाया। १८ वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह चीन का भाग रहा। फिर बुखारा के अमीर के अंतर्गत रहा और अंत में सन् १८६८ ई० में रूस का भाग बन गया। [स० सि० द०]

समवाय (कंपनी) कोश में समवाय या कंपनी शब्द का अर्थ है व्यक्तियों का समूह जो किसी अभिप्राय से इकट्ठा होता है। तदनुसार इस शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के संगठनों के प्रतिनिधित्व के अर्थ में होता है, चाहे वह व्यापारिक हो अथवा अन्य कोई। इस लेख का संबंध खासकर उन समवायों से है जो समवायों के अधिनियम के अंतर्गत निर्मित होते हैं। संयुक्त स्कंध समवायों (Joint Stock Companies) का जन्म ब्रिटेन में व्यापारिक क्रांति के समय हुआ। १७ वीं और १८ वीं शताब्दी में संयुक्त स्कंध समवाय के रूप में समामेलन तभी हो सकता था जब उसके लिये राजलेख उपलब्ध हो अथवा संसद् द्वारा कोई विशेष अधिनियम बना हो। ये दोनों ही तरीके अत्यधिक व्ययसाध्य तथा विलंबकारी थे। राष्ट्र की बढ़ती हुई व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बड़ी बड़ी अनियमित भागिताएँ (unincorporated partnerships) अस्तित्व में आईं। जो कुछ भी हो, व्यापार ने एक समामेलन का रूप ग्रहण किया, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जिसमें अधिकतम पूँजी के संकलन के साथ साथ खतरे की भी बहुत कम गुंजाइश थी। ऐसी प्रत्येक व्यापारसंस्था की सदस्यता चूँकि बहुत अधिक रहती थी, इसलिये व्यापार का भार कुछ इने गिने प्रन्यासियों पर छोड़ दिया जाता था जिसके फलस्वरूप प्रबंध और स्वामित्व में विलगाव हो जाता था। इस विलगाव के साथ ही इस संबंध की समुचित विधियों के अभाव से धूर्त प्रवर्तकों के द्वारा जनता के धन का शोषण होने लगा। जैसे पानी के बबूले उठते और गायब होते हैं, उसी तरह समवाय खड़े होते और फिर विलुप्त हो जाते। आतंकग्रस्त ब्रिटिश संसद् ने सन् १७२० ई० में 'बबल्स ऐक्ट' पारित किया। इस अधिनियम ने धूर्ततापूर्ण समवायों के संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बजाय समवायों के प्रवर्तन के व्यवसाय को ही अवैध करार दे दिया। यद्यपि सन् १८२५ ई० में इस अधिनियम का विखंडन हो गया तथापि सन् १८४४ ई० में ही जाकर बड़ी भागिताओं का पंजीकरण एवं समामेलन अनिवार्य किया जा सका। सीमित देयता (Limited Liability) सन् १८३५ में स्वीकृत की गई तथा तत्संबंधी पूरी विधि को सन् १८५६ ई० में ठोस रूप दिया गया। तब से समवायों के अधिनियमों में यथेष्ट संशोधन और सुधार होते रहे जबकि सन् १९४८ ई० में हमें नवीनतम अधिनियम प्राप्त हुआ। इस अवधि में समवायों का संयुक्त रूप से उन्नयन होता रहा। इसको खोलनेवाली चाभी सीमित देयता रही है। भारत में पहला समवाय अधिनियम सन् १८५० ई० में पारित हुआ और सबसे अंतिम १९५६ ई० में।

कंपनी या समवाय के रूप में व्यवसाय करने में अनेक सुविधाएँ हैं। समामेलन के फलस्वरूप विधि में समवाय का रूप 'एक व्यक्ति' का है। यह एक विधियुक्त सत्ता हो गया। इसका अस्तित्व सर्व सदस्यों से अलग तथा पूर्ण स्वतंत्र हो गया। सोलोमन बनाम सोलोमन और समवाय, १८९७ ए० सी० २२ में ब्रिटेन की सरदार सभा ने (House of Lords) समवाय के स्वतंत्र समामेलन अस्तित्व पर बल दिया। श्री सोलोमन नामक एक व्यक्ति ने एक समवाय का संगठन किया और उसने उस समवाय के हाथ अपना व्यवसाय ४० हजार पौंड में बेच दिया। उसने भुगतान लेने के बदले २० हजार पौंड मूल्य के अंश तथा १० हजार पौंड मूल्य के ऋणपत्र ले लिये। चूँकि अधिनियम में इस बात की व्यवस्था रही है कि कम से कम सात व्यक्ति मिलकर ही कोई लोकसमवाय का संगठन कर सकते हैं इसलिये एक व्यक्ति के परिवार के शेष छह व्यक्तियों को अंश दिया जाता था। अतः एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित समवाय को बुरे दिन देखने पड़ते थे और अंत में वह समवाय लड़खड़ा जाता था। समापन (liquidation) के समय उस समवाय की स्थिति इस प्रकार थी —

प्रतिभूत उत्तमर्ण (स्वयं श्री सोलोमन)—१० हजार पौंड।
अप्रतिभूत सामान्य उत्तमर्ण.....७ हजार पौंड।
शेष सकल संपत्ति केवल ६ हजार पौंड मूल्य की।

अप्रतिभूत उत्तमर्णों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि समवाय समामेलित रहा है तथापि समवाय का कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा है। वह समवाय क्या था, स्वयं सोलोमन एक दूसरे नाम से मौजूद थे। व्यवसाय पूर्णतः उसका ही था, इसलिये वह अपने लिये उत्तमर्ण कैसे हो सकता था। वह समवाय कृत्रिम और धोखे का पुतला था। उत्तमर्ण चाहते थे कि समवाय के ऋणों के लिये सोलोमन दायी हो। जो कुछ भी हो, न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 'जब ज्ञापक पत्र समुचित रूप से हस्ताक्षरित और पंजीकृत हो जाता है और यद्यपि सात ही अंश लिए जाते हैं, तथापि अभिदाता समामेलित संगठन है और उसने तत्काल समामेलित समवाय के सभी कर्तव्यों के प्रयोग की क्षमता समाहित हो जाती है। यह समझना कठिन है कि परिनियम द्वारा इस प्रकार गठित निगम निकाय किस प्रकार केवल एक व्यक्ति को पूँजी का अधिकांश देकर अपने अस्तित्व को खो देता है। विधि की दृष्टि में "समवाय एक पृथक् व्यक्ति होता है जो ज्ञापकपत्र के अभिदाताओं से सर्वथा भिन्न होता है", तदनुसार सोलोमन समवाय का उत्तमर्ण माना गया और चूँकि वह प्रतिभूत उत्तमर्ण था, उसको अन्य उत्तमर्णों की अपेक्षा प्राथमिकता का अधिकार था।

दूसरी बात यह कि एकमात्र समामेलित निकाय ही शेयरों को सीमित देयता के साथ व्यवसाय करने की क्षमता प्रदान करता है। अंशदाता समवाय के ऋणों के उत्तरदायित्व के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह अपने अंश धन का भुगतान नहीं करता है तो वह केवल उस

से प्रत्यक्ष संबंध है। वह इस प्रकार है: कोई ग्रह व तारा ऊर्ध्व याम्योत्तर बिंदु से पश्चिम की ओर खगोलीय ध्रुव पर जो कोण बनाता है, उसे कालकोण कहते हैं। इस प्रकार नक्षत्र समय वसंतपात का कालकोण है। किसी तारा या ग्रह का विषुवांश वसंतपात से उसकी विषुवद्वृत्तीय दूरी (अर्थात् ग्रह या तारे पर ध्रुव से जाने-वाला वृहद्वृत्त जहाँ विषुवद्वृत्त को काटे, वहाँ से वसंतपात तक की दूरी, होती है। चूँकि कालकोण विषुवद्वृत्त के चाप द्वारा ही जाना जाता है, इसलिये जब ग्रह या तारा ऊर्ध्व याम्योत्तर बिंदु पर होगा, उस समय उसका विषुवांश नाक्षत्र समय के तुल्य होगा।

नाक्षत्र घड़ी को ठीक करने की विधि — नाक्षत्र घड़ी की अशुद्धि को जानने के लिये याम्योत्तर यंत्र (transit instrument) द्वारा सूर्य अथवा तारों का वेध करके, क्रोनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से, उनके याम्योत्तर लंघन का नाक्षत्र समय जान लिया जाता है।

नाक्षत्र घड़ी से मिलाकर, याम्योत्तर यंत्र के दूरदर्शी में ग्रह या तारे के वेध के नाक्षत्र समय को क्रोनोमीटर का स्विच दबाकर जान लिया जाता है। इस समय से यांत्रिक अशुद्धियों को निकाल देने पर जो समय प्राप्त होता है, वही ग्रह या तारे के याम्योत्तर के ऊर्ध्व बिंदु के लंघन का समय होता है। यदि नाक्षत्र घड़ी ठीक है, तो यह ग्रह या तारे के विषुवांश के तुल्य होगा और अंतर घड़ी की अशुद्धि है। इस प्रकार नाक्षत्र घड़ी को शुद्ध रख-कर उससे माध्य सूर्य घड़ियों को शुद्ध किया जाता है। याम्यो-त्तर यंत्र द्वारा वेध करने में व्यक्तिगत अशुद्धि की अधिक संभावना है। इसलिये तारों के याम्योत्तर लंघन के नाक्षत्र समय को कैमरा लगे समध्य दूरदर्शकों (zenith tubes) से भी जाना जाता है।

इस प्रकार यद्यपि माध्य समय की घड़ियों को ठीक रखा जाता है, तथापि उनमें दैनिक संशोधन करना एक समस्या थी। इसलिये आजकल घड़ियों के सेकंड सूचक उपकरण क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों (quartz crystals) से बनाए जाते हैं। क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों पर उष्णता का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अतएव ये घड़ियाँ बहुत शुद्ध समय देती हैं। इनमें सेकंड के हजारवें भाग तक की अशुद्धि जानी जा सकती है। साथ ही इनमें रेडियो रिसीवर तथा ट्रांसमीटर सेट लगे रहते हैं। इससे इस घड़ी को अन्य तरह की दूसरे स्टेशनों पर रखी घड़ियों के समय संकेतक, पिप्, को सुनकर, मिलाया जा सकता है तथा इससे समय संकेतक (time signals) पिप् भेजे भी जा सकते हैं। इस प्रकार की एक घड़ी काशी की प्रस्तावित, राजकीय संस्कृत कालेज वेधशाला के लिये सन् १९५३ में मँगवाई गई थी, जो अब राजकीय वेधशाला नैनीताल में है। इस प्रकार की घड़ियों से देश की मुख्य घड़ियों को ठीक करके, रेडियो के समय संकेतक 'पिप्' से सब माध्य सूर्य घड़ियाँ ठीक रखी जाती हैं।

आजकल प्रत्येक देश में मध्यरात्रि के समय को शून्य मानकर, वहीं से दिन का प्रारंभ मानते हैं। दिन रात के २४ घंटों को दो १२ घंटों में, (१) रात के बारह बजे से १२ घंटों तक पूर्वाह्न-काल तक तथा (२) दिन के १२ बजे से रात्रि के १२ बजे तक अपराह्नकाल में, बाँट दिया जाता है। हमारी घड़ियाँ यह समय बतलाती हैं। इन २४ घंटों को नागरिक दिन कहते हैं। दिन में २४ घंटे, १ घंटे में ६० मिनिट तथा एक मिनट में ६० सेकंड होते हैं। विज्ञान की अंगरेजी मापन प्रणाली फुट सेकंड में तथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में सेकंड ही समान है।

मानक समय (Standard Time) — समय का संबंध किसी निश्चित स्थान के याम्योत्तरवृत्त से रहता है। अतः वह उस स्थान का स्थानीय समय होगा। किसी बड़े देश में एक जैसा समय रखने के लिये, देश के बीचोबीच स्थित किसी स्थान के याम्योत्तर वृत्त को मानक याम्योत्तर वृत्त (standard meridian) मान लिया जाता है। इसके सापेक्ष माध्य-सूर्य का समय उस देश का मानक समय कहलाता है।

विश्व-समय-मापन — विश्व का समय नापने के लिये ग्रिनिच के याम्योत्तर वृत्त को मानक याम्योत्तर मान लेते हैं। इससे पूर्व में स्थित देशों का समय ग्रिनिच से, उनके देशांतर के प्रति १५° पर एक घंटे के हिसाब से, आगे होगा तथा पश्चिम में पीछे। इस प्रकार भारत का मापक याम्योत्तर ग्रिनिच के याम्योत्तरवृत्त से पूर्व देशांतर ८२½° है। अतः भारत का माध्य समय ग्रिनिच के माध्य समय से ५ घंटे ३० मिनिट अधिक है। इसी प्रकार क्षेत्रीय समय भी मान लिए गए हैं। ग्रिनिच के १८०° देशांतर की रेखा तिथिरेखा है। इसके आरपार समय में १ दिन का अंतर मान लिया जाता है। तिथिरेखा सुविधा के लिये सीधी न मानकर टेढ़ी मेढ़ी मानी गई है।

वर्ष तथा कैलेंडर — पृथ्वी की गति के कारण जब सूर्य वसंत-पात की एक परिक्रमा कर लेता है, तब उसे एक आर्तव वर्ष कहते हैं। यह ३६५·२४२१९८७९ दिन का होता है। यदि हम वसंतपात पर स्थित किसी स्थिर बिंदु अथवा तारे से इस परिक्रमा को मानें, तो यह नाक्षत्र वर्ष होगा। यह आर्तव वर्ष से कुछ बड़ा है। ऋतुओं से ताल मेल रखने के लिये संसार में आर्तव वर्ष प्रचलित है। संसार में आजकल ग्रेगोरियनी कैलेंडर प्रचलित है, जिसे पोप ग्रेगोरी त्रयोदश ने १५८२ ई० में संशोधित किया [illegible] इसमें फरवरी को छोड़कर सभी महीनों के दिन स्थिर [illegible] वर्ष ३६५ दिन का होता है। लीप वर्ष (फरवरी [illegible] दिन का होता है [illegible] जो ईस्वी सन् की शताब्दी के [illegible] है। ४०० से पूरे कट [illegible] शेष शताब्दी वर्ष लीप वर्ष [illegible] ज्योतिष संबंधी गणना [illegible] umbers) प्रचलित है [illegible] से प्रारंभ होते हैं।

समरकंद स्थिति: यह नगर सोवियत वादी गणतंत्र में स्थि[illegible] रहा। समरकंद समुद्र-उपजाऊ घाटी में [illegible]

अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि सामान्य निऑन गैस दो समस्थानिकों का संमिश्रण है, जिनमें से एक का परमाणुभार २० और दूसरे का २२ है। इनका संमिश्रण इस अनुपात में था कि सामान्य निऑन का परमाणुभार २०·१८ निकलता था। तत्पश्चात् अत्यंत सम्यक् प्रयोगों से प्रमाणित हुआ कि निऑन में २१ परमाणुभार का एक अन्य समस्थानिक भी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में संमिश्रित रहता है। इसी समय ऐस्टन ने संहति, या द्रव्यमान, स्पेक्ट्रमलेखी (mass spectrograph) का निर्माण किया (देखें स्पेक्ट्रमी संहति), जिसके द्वारा समस्थानिक सरलता से पृथक् किए जा सकते थे और उनके भार का अनुमान अत्यंत सूक्ष्मता से ज्ञात हो सका था। अपने इस नए उपकरण द्वारा ऐस्टन ने ज्ञात किया कि अधिकतर तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के संमिश्रण हैं। इसके पश्चात् हेंपटर तथा अन्य वैज्ञानिकों ने अधिक उपयोगी द्रव्यमान स्पेक्ट्रमलेखी बनाए, जिनके प्रयोगों द्वारा प्राकृतिक तत्वों के लगभग ३०० से अधिक समस्थानिक ज्ञात हो चुके हैं। केवल निम्नलिखित २२ तत्वों का एक ही समस्थानिक प्राप्त है :

बेरिलियम (Be^9), फ्लुओरीन (F^{19}), सोडियम (Na^{23}), ऐलुमिनियम (Al^{27}), फॉस्फोरस (P^{31}), स्कैंडियम (Sc^{45}) मैंगनीज (Mn^{55}), कोबाल्ट (Co^{59}), आर्सेनिक (As^{75}), इट्रियम (Y^{89}), नायोबियम (Nb^{93}), रोडियम (Rh^{103}) आयोडीन (I^{127}), सीजियम (Cs^{133}), लेथेनम (La^{139}), प्रेजियोडिमियम (Pr^{141}), टर्बियम (Tb^{159}), होल्मियम (Ho^{165}), टैंटेलम (Ta^{181}) स्वर्ण (Au^{197}) और बिस्मथ (Bi^{209})।

सन् १९३४ में फ्रेडरिक जोलियो एवं आइरीन क्यूरी ने कुछ हलके तत्वों पर ऐल्फा कणों द्वारा आक्रमण के प्रयोग किए, जिनके द्वारा स्थिर तत्वों के भी रेडियोऐक्टिव समस्थानिक बनाए गए। अब हमें यह ज्ञात है कि सारे तत्वों के रेडियोऐक्टिव समस्थानिक बन सकते हैं। इस क्रिया के लिये स्थिर तत्वों पर विभिन्न कणों के आक्रमण किए जाते हैं, जिनमें ऐल्फा कण (He^4), ड्यूट्रान (D^2), प्रोटान (H^1) और न्यूट्रान (n^0) मुख्य हैं। कभी कभी गामा विकिरण द्वारा भी यह क्रिया संभव हुई है। अब तक ५०० से अधिक रेडियोऐक्टिव समस्थानिक बनाए जा चुके हैं, जिनसे अनेक प्रकार के विकिरण मुक्त होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन (e^-), पॉजिट्रॉन (e^+), गामा विकिरण (γ) और ऐल्फा कण (α, or He^4)। कुछ समस्थानिक के – इलेक्ट्रॉन ग्रहण (K-electron capture) क्रिया द्वारा भी रूपांतरित होते देखे गए हैं। इनके अर्ध जीवन (half life) की अवधियों में बहुत असमानता दिखाई देती है (10^{10} वर्ष से 10^{-8} सेकंड तक)।

समस्थानिकों की खोज के साथ परमाणु की संरचना पर भी प्रकाश पड़ा। हमें अब यह ज्ञात है कि परमाणु के मध्य में एक नाभिक (nucleus) स्थित है, जिसमें परमाणु का अधिकांश भार रहता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। नाभिक संरचना के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उसमें दो प्रकार के मूलभूत कण स्थित रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से ही तत्व की परमाणुसंख्या (atomic number) नियत होती है, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि एक तत्व के समस्त परमाणुओं के नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, जैसे हाइड्रोजन नाभिक में १ प्रोटॉन, हीलियम नाभिक में २ प्रोटॉन व यूरेनियम नाभिक में ९२ प्रोटॉन हैं। इसके अतिरिक्त, नाभिक उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, उसकी द्रव्यमान संख्या (mass number) होगी। इस प्रकार किसी एक तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी, पर न्यूट्रॉनों की संख्या विभिन्न होगी, यथा लीथियम-७ के नाभिक में प्रोटॉन और ४ न्यूट्रॉन होंगे और लीथियम-६ में ३ प्रोटॉन और ३ न्यूट्रॉन होंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस लीथियम के दोनों नाभिकों में तीन ही इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि समस्थानिकों की बाह्य संरचना एक सी होती है।

कभी कभी ऐसा भी संभव हो सकता है कि दो विभिन्न तत्वों के नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग समान हो, यद्यपि दोनों कणों की व्यक्तिगत संख्याएँ समान, हों। बोरॉन के १० द्रव्यमानवाले समस्थानिक (B^{10}) में ५ प्रोटॉन और ५ न्यूट्रान होंगे और बेरिलियम के १० द्रव्यमान समस्थानिक (Be^{10}) में ४ प्रोटॉन और ६ न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे परमाणुओं को समभारिक (Isobars) कहते हैं।

द्रव्यमान स्पेक्ट्रमलेखी (mass spectrograph) द्वारा किए गए सम्यक् अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि तत्वों के किसी परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रानों के संमिलित द्रव्यमान के बराबर न होकर, उससे कम होता है। इसका कारण यह है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतनी निकटतम अवस्था में रहते हैं कि उनकी मात्रा के कुछ भाग का क्षय हो जाता है। किसी नाभिक में उपस्थित कणों के परिकलित भार और उसके प्रयोगात्मक भार के अंतर को आइंस्टाइन के सापेक्षवाद (theory of relativity) के अनुसार ऊर्जा में परिणत कर सकते हैं और प्राप्त ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा (binding energy) कहेंगे। इसे नाभिक में उपस्थित कणों (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन) की संख्या से भाग देने पर, प्रति कण की बंधन ऊर्जा प्राप्त होगी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह मात्रा स्थिर न होकर, प्रत्येक तत्व के साथ बदलती रहती है। आवर्त सारणी के मध्य में स्थित तत्वों में यह सबसे अधिक और आरंभ तथा अंत के तत्वों में कम रहती है। उच्च बंधन ऊर्जा तत्व की स्थिरता का सूचक है। इसी नियम के अनुसार यूरेनियम खंडित होकर और हाइड्रोजन संगलित होकर अधिक स्थिरता को प्राप्त होते हैं।

समस्थानिकों की रचना पर विचार करने से हमें ज्ञात हुआ कि विषम परमाणु संख्या के तत्वों के स्थिर समस्थानिकों की संख्या कम होती है। पृथ्वी की सतह पर उनकी मात्रा भी कम ज्ञात होती है। इसके विपरीत सम परमाणु संख्या के तत्वों के अधिक स्थिर समस्थानिक प्राप्त हैं। लगभग समस्त स्थिर समस्थानिकों के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की सम संख्या होती है।

अभी तक समस्थानिकों के द्रव्यमान की गणना भौतिक प्रतिमान द्वारा होती थी, जिसमें ऑक्सीजन के १६ परमाणुभारवाले

[illegible]

[illegible]

समवाय संबंध वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत सात पदार्थों में छठा पदार्थ। सबध नित्य और अनित्य होते हैं। प्रयोग अनित्य सबध है जैसे कलश का काष्ठ से। पर कलश का कलश के रूप से नित्य सबध है। अतः ऐसे सबध को जिसके बिना वस्तु की सत्ता ही न रहे समवाय संबंध कहते हैं। द्रव्य का गुण से, द्रव्य का क्रिया से, अवयव का अवयवी से, जाति का व्यक्ति से तथा नित्य द्रव्य का विशेष से समवाय सबंध होता है। गुण, क्रिया आदि से विशिष्ट वस्तु का ज्ञान विशेषण और विशेष्य के सबध के ज्ञान से होता है, अतः गुण, क्रिया आदि का गुणी, क्रियावान् आदि से कोई सबध अवश्य होगा। यह सबध सयोग से भिन्न है अतः इसको अलग पदार्थ माना गया।

समूह वस्तु गुण और द्रव्य का, अवयवी अवयवों का समूह मात्र नहीं है। यह उनके समूह से विशिष्ट है। यह वैशिष्ट्य समवाय सबध के कारण है। बौद्ध तथा मीमांसा दर्शनों में अवयवी को अवयवों का समूह मात्र माना गया है अतः समवाय का खडन किया गया है। न्याय दर्शन ने समवाय को तार्किक दृष्टि से पुष्ट किया।

[स० प० पां०]

समस्तीपुर स्थिति : २५° २८′ एवं २६° ५′ उ० अ० तथा ८५° ३१′ एवं ८६° १′ पू० दे०। बिहार राज्य के दरभगा जिले का एक उपमंडल है। इसका क्षेत्रफल ७७८ वर्ग मील है।

बागमती और बूढ़ी गंडक के दोआब को छोड़कर, उपमंडल का शेष भाग विस्तृत बांगर है, जिसमें एकाध चोर हैं। यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ सरीफ तथा भदई फसलें उपजती हैं।

२. नगर, समस्तीपुर उपर्युक्त उपमंडल का मुख्य नगर है, जो बूढ़ी गंडक के दाहिने किनारे पर बसा है। इसकी जनसंख्या २५,७२६

[illegible]

[illegible]

[illegible]

टॉमसन ने धन किरणों (positive rays) के सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि स्थायी तत्वों में भी [illegible] हैं। टॉमसन ने अपनी परवलय (parabola) [illegible] (Ne) गैस का विश्लेषण किया। इस विधि में आवेश और संहति का अनुपात (e/m) [illegible]

किया । वह न केवल संपत्ति के समान और सामूहिक प्रयोग के पक्ष में था वरन् व्यक्तिगत कौटुंबिक प्रथा का अंत कर स्त्रियों और बच्चों का भी समाजीकरण करना चाहता था। उसके साम्यवाद का आधार गुलाम प्रथा थी और वह केवल संकुचित शासक वर्ग तक सीमित था, अतः उसको अभिजाततंत्रीय समाजवाद कहा जाता है। मध्यकालीन विचारों में भी साम्य संबंधी धारणाएँ मिलती हैं, परंतु उस समय के विद्रोहों का आधार नैतिक और धार्मिक था।

आधुनिक काल के प्रथम चरण से विचारस्वातंत्र्य के कारण धर्मनिरपेक्ष चिंतन आरंभ हुआ और इस काल में टामस मोर (Thomas More, यूटोपिया, १५१६) और कपानेला (Campanella, 'सूर्यनगर' १६२३) जैसे विचारकों ने साम्य के आधार पर समाज की कल्पना की, परंतु औद्योगिक क्रांति के पूर्व आधुनिक समाजवादी विचारों के लिये भौतिक आधार — पूँजीवादी शोषण और सर्वहारा वर्ग — संभव नहीं था। औद्योगिक क्रांति के साथ विज्ञानों का विकास हुआ और प्राचीन मान्यताओं तथा धार्मिक अंधविश्वासों का ह्रास होने लगा। इन परिस्थितियों में आधुनिक समाजवादी चिंतन का उदय हुआ।

इस काल का प्रथम समाजवादी विचारक फ्रांस-निवासी बाबूफ (Babeuf, १७६४-९७) था। वह भूमि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था तथा अपने ध्येय की प्राप्ति क्रांति द्वारा करना चाहता था। अठारहवीं शताब्दी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ के अन्य प्रमुख फ्रांसीसी समाजवादी विचारक सां सीमों (Saint Simon १७६०-१८२५) और फ़ोरिए (Fourier १७७२-१८३७) हैं। सां सीमों संपत्ति पर सामाजिक अधिकार स्थापित करना चाहता था परंतु वह सबको समान वरन् श्रम के अनुसार वेतन के पक्ष में था। फ़ोरिए के विचार सां सीमों से मिलते जुलते हैं, परंतु वह सहकारी संगठनों की कल्पना भी करता है।

उपर्युक्त फ्रांसीसी समाजवादियों के विचारों से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका भी प्रभावित हुए। ब्रिटेन का तत्कालीन प्रमुख समाजवादी विचारक रॉबर्ट ओवेन (Robert Owen, १७७१-१८५८) था। वह स्वयं एक मजदूर और बाद में सफल पूँजीपति, समाज-सुधारक, और मजदूर तथा सहकारी आंदोलनों का प्रवर्तक हुआ। उसका कथन था कि मनुष्य का स्वभाव परिस्थितियों से प्रभावित होता है। वह शिक्षा, प्रचार और समाज सुधार द्वारा पूँजीवादी शोषण का अंत करना चाहता था। अपने विचारों के अनुसार उसने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा; तथापि [illegible] स्थापित किए परंतु उसके प्रयत्न भी सफल न हो सके।

ओवेन के बाद ब्रिटेन में मजदूरों के अंदर चार्टिस्ट, (Chartist) विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। यह आंदोलन मताधिकार प्राप्त कर संसद् पर अधिकार स्थापित करना, और इस प्रकार राज्यशक्ति प्राप्त करने के बाद आर्थिक तथा सामाजिक सुधार करना चाहता था। आगे चलकर फेबियन तथा अन्य समाजवादियों ने इस सर्वथा मार्ग का आश्रय लिया। परंतु फ्रांसीसी समाजवादी लुई ब्लां (Louis Blanc, १८११-१८८२) क्रांतिकारी था। वह उद्योगों के समाजीकरण ही नहीं, मजदूरों के काम करने के अधिकार भी समर्थक था। "प्रत्येक अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करे और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति हो" उसने इस साम्यवादी विचार का प्रचार किया।

कार्ल मार्क्स (१८१८-८३) के साथी एंगिल्स ने उपर्युक्त आधुनिक समाजवादी विचारों को काल्पनिक समाजवाद का नाम दिया इन विचारों का आधार भौतिक और वैज्ञानिक नहीं, नैतिक था; इनके विचारक ध्येय की प्राप्ति के सुधारवादी साधनों में विश्वास करते थे, और भावी समाज की विस्तृत परंतु अवास्तविक कल्पना करते थे।

मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद — मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। मार्क्स जर्मन देश के एक राज्य का रहनेवाला था और जर्मनी १८७१ ई० के पूर्व राजनीतिक रूप से कई राज्यों में विभाजित, तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। अतः यहाँ पर समाजवादी विचारों का प्रचार देर से हुआ। यद्यपि जोहान फिख्टे (Johann Fichte, १७६२-१८१४) के विचारों में समाजवाद की झलक है, परंतु जर्मनी का सर्वप्रथम और प्रमुख समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स ही माना जाता है। मार्क्स के विचारों पर हीगेल के आदर्शवाद, फ़ोरबाख (Feuerbach) के भौतिकवाद, ब्रिटेन के शास्त्रीय अर्थशास्त्र, तथा फ्रांस की क्रांतिकारी राजनीति का प्रभाव है। मार्क्स ने अपने पूर्वगामी और समकालीन समाजवादी विचारों का समन्वय किया है। उसके अभिन्न मित्र और सहकारी एंगिल्स ने भी समाजवादी विचार प्रतिपादित किए हैं, परंतु उनमें अधिकांशतः मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या है, अतः उसके लेख मार्क्सवाद के ही [illegible] माने जाते हैं।

मार्क्स के दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical materialism) कहा जाता है। मार्क्स के लिये वास्तविकता विचार मात्र नहीं, भौतिक सत्य है; विचार स्वयं पदार्थ का विकसित रूप है। उसका भौतिकवाद विकासवान् है परंतु यह विकास द्वंद्वात्मक प्रकार से होता है। इस प्रकार मार्क्स हीगल के विचारवाद का विरोधी है परंतु उसकी द्वंद्वात्मक प्रणाली को स्वीकार करता है।

मार्क्स के विचारों की दूसरी विशेषता उसका ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical materialism) है। कुछ लेखक इसको इतिहास की अर्थशास्त्रीय व्याख्या भी कहते हैं। मार्क्स ने सिद्ध किया कि सामाजिक परिवर्तनों का आधार उत्पादन के साधन और उससे प्रभावित उत्पादन संबंधों में परिवर्तन है। अपनी प्रतिभा के अनुसार मनुष्य सदैव ही उत्पादन के साधनों में उन्नति करता है, परंतु एक स्थिति आती है जब इस कारण उत्पादन संबंधों पर भी असर पड़ने लगता है और उत्पादन के साधनों के स्वामी—शोषक—और इन साधनों का प्रयोग करनेवाले शोषित वर्ग में संघर्ष आरंभ हो जाता है। स्वामी पुरानी व्यवस्था को कायम रखकर शोषण का क्रम जारी रखना

समस्थानिक को १६·०००० माना गया। यह प्रतिमान रासायनिक प्रतिमान से भिन्न था। रासायनिक प्रतिमान द्वारा प्राप्त परमाणु-भार भौतिक प्रतिमान से कुछ भिन्न थे। १९६२ ई० मे दोनों प्रतिमानों के स्थान पर एक अन्य प्रतिमान स्थापित किया गया है, जो भौतिक तथा रासायनिक दोनों क्रियाओं में उपयोगी है। इसके अनुसार कार्बन के १२ द्रव्यमान संख्या-वाले समस्थानिक का भार १२·०००० माना गया, जिसके फल-स्वरूप प्रोटॉन का भार १·००७५९५, न्यूट्रान का भार १·००८६८२, ड्यूट्रान का भार २·०१४१८ और ट्राइटॉन (ट्राइटियम का नाभिक) का भार ३·०१६५० मान्य है।

एक तत्व के समस्थानिकों के अनेक भौतिक गुणों में भिन्नता रहती है। स्पेक्ट्रमी (spectral) गुणों में यह भिन्नता देखी जा सकती है। पट्ट स्पेक्ट्रम के अध्ययन द्वारा समस्थानिकों की उपस्थिति सरलता से ज्ञात हो जाती है और इनके द्वारा अनेक प्रयोगों में द्रव्य-मान स्पेक्ट्रमलेखी (mass spectrograph) अनुमानों से प्राप्त परिणामों की पुष्टि हुई है।

समस्थानिकों का पृथक्करण — समस्थानिकों को रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इस कार्य के लिये भौतिक गुणों की भिन्नता का सहारा लेना पड़ता है। द्रव्यमान-स्पेक्ट्रममापी मे समस्थानिकों का पूर्णतया पृथक्करण संभव है और सर्वप्रथम इसी विधि से यूरेनियम के समस्थानिक पृथक् किए गए थे, परंतु इस विधि द्वारा प्राप्त समस्थानिकों की मात्रा बहुत न्यून और शिथिलता से प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त समस्थानिकों को पृथक् करने की अन्य विधियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं। एक विधि के अनुसार किसी तत्व के वाष्प, अथवा उसके वाष्प यौगिक, का सरंध्र (porous) पदार्थ द्वारा मुक्त विसरण (free diffusion) कर, उसे समस्थानिकों मे पृथक् करते हैं। वाष्प की विसरण गति उसके भार के वर्गमूल के विलोमानुपाती (inversely proportional) होती है। इस कारण मिश्रित समस्थानिक वाष्प के समुचित आयतन का सरंध्र पदार्थ द्वारा विसरण करने पर, विसरित वाष्प में हलके समस्थानिक का और बचे वाष्प में भारी समस्थानिक का प्रति शत बढ़ जाएगा। इस क्रिया को अनेक बार दोहराने से समस्थानिकों के प्रति शत में बहुत अंतर आ सकता है। एक दूसरी विधि द्वारा न्यून दबाव पर द्रव सतह के ऊपर वाष्पीकरण द्वारा समस्थानिकों के संघटन मे अंतर आ जाता है। इनके अतिरिक्त आसवन (distillation), विद्युत् अपघटन (electrolysis), अपकेंद्रन (centrifugation) तथा विनिमयी अभिक्रिया (exchange reaction) द्वारा भी समस्थानिक पृथक् किए जाते हैं। इनकी क्रियाएँ अधिकतर गोपनीय रखी गई हैं।

यह आश्चर्यजनक बात है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पाए जानेवाले किसी भी तत्व का समस्थानिक प्रति शत समान रहता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभिक काल मे हर तत्व का निर्माण या तो एक स्थान पर हुआ, या इस विधि से हुआ कि उसका [illegible] स्थान पर समस्थानिक संघटन स्थिर हो गया। [र० च० क०]

समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द 'सोशलिज्म' का रूपांतर है। १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस शब्द का व्यक्तिवाद के विरोध में और उन विचारों के समर्थन में किया था जिनका लक्ष्य समाज के आर्थिक और नैतिक आधार को [illegible] था और जो जीवन में व्यक्तिगत नियंत्रण की जगह सामूहिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे।

समाजवाद शब्द का प्रयोग अनेक और कभी कभी परस्पर विरोधी प्रसंगों में किया जाता, जैसे समूहवाद, अराजकतावाद, आदिकालीन कबायली साम्यवाद, ईसाई साम्यवाद, ईसाई समाजवाद, सहकारितावाद, आदि — यहाँ तक कि नात्सी दल का भी पूरा नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल था। आदिकालीन साम्यवादी समाज में मनुष्य पारस्परिक सहयोग द्वारा आवश्यक चीजों की प्राप्ति, और प्रत्येक सदस्य के आवश्यकतानुसार उनका आपस में बँटवारा करते थे। परंतु यह साम्यवाद प्राकृतिक था; मनुष्य की सचेत कल्पना पर आधारित नहीं था। आरंभ के ईसाई पादरियों की रहन सहन का ढंग बहुत कुछ साम्यवादी था, वे एक साथ और समान रूप से रहते थे, परंतु उनकी आय का स्रोत धर्मावलंबियों का दान था और उनका आदर्श जनसाधारण के लिये नहीं, वरन् केवल पादरियों तक सीमित था। उनका उद्देश्य भी आध्यात्मिक था, भौतिक नहीं। यही बात मध्यकालीन ईसाई साम्यवाद के संबंध मे भी सही है। पीरू (Peru) देश की प्राचीन इंका (Inka) सभ्यता को ईसाई साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है, परंतु उसका आधार ईसा [illegible] था और वह व्यवस्था शासक वर्ग का हितसाधन करती थी। नगर-पालिकाओं द्वारा लोकसेवाओं के साधनों को प्राप्त करना, अथवा देश की उन्नति के लिये आर्थिक योजनाओं के प्रयोग आदि को समाजवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि इनके द्वारा पूँजीवाद को ठेस पहुँचे। नात्सी दल ने बैंकों का राष्ट्रीकरण किया था परंतु पूँजीवादी व्यवस्था अक्षुण्ण रही।

समाजवाद की परिभाषा करना कठिन है। यह सिद्धांत तथा आंदोलन, दोनों ही है, और यह विभिन्न ऐतिहासिक और स्थानीय परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण करता है। मूलतः यह वह आंदोलन है जो कि उत्पादन के मुख्य साधनों के समाजीकरण पर आधारित वर्गविहीन समाज स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है और जो मजदूर वर्ग को इसका मुख्य आधार बनाता है, क्योंकि यह इस वर्ग को शोषित वर्ग मानता है जिसका ऐतिहासिक कार्य वर्गव्यवस्था का अंत करना है।

समाजवाद के अनेक प्रकार हैं और उनकी विभिन्नता का आधार उनकी न्याय की कल्पना, राज्य के प्रति उनका रुख और लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं।

काल्पनिक समाजवाद

यद्यपि समाजवादी आंदोलन और समाजवादी शब्द का प्रयोग उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध से आरंभ हुआ तथापि ईसा से ५०० वर्ष पूर्व भी समाजवादी विचारों का वर्णन मिलता है, परंतु [illegible] प्रथम दार्शनिक है जिसने इन विचारों को स्पष्ट रूप से [illegible]

आलोचना की और मजदूरों में सहकारी आंदोलन का प्रचार किया। उन्होंने उत्पादक तथा भोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना भी की। ईसाई समाजवाद का प्रभाव ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अतिरिक्त आस्ट्रिया तथा बेल्जियम में भी था।

फेबियनवाद — ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना सन् १८८१-८४ ई० में हुई। राबर्ट ओवेन तथा चार्टिस्ट आंदोलन के प्रभाव से यहाँ स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी, फेबियन सोसाइटी ने इस आंदोलन को दर्शन दिया। इस सभा का नाम फेबियस कन्क्टेटर (Fabius Cunctator) के नाम से लिया गया है। फेबियस प्राचीन रोम का एक सेनानी था जिसने कार्थेज के प्रसिद्ध सेनानायक हन्नीबल (Hannibal) के विरुद्ध संघर्ष में धैर्य के साथ लिया और गुरिल्ला नीति द्वारा उसको कई वर्षों में परास्त किया। इसी प्रकार फेबियन समाजवादियों का विचार है कि पूँजीवाद को केवल एक मुठभेड़ में क्रांतिकारी मार्ग द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। इसके लिये पर्याप्त काल तक सोच विचार और तैयारी की आवश्यकता है। इनका तरीका विकास और सुधारवादी है। स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना के पूर्व ये ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रवेश कर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। इनका मुख्य ध्येय चरम नैतिक समाधानों के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण था। ये राज्य को वर्गशासन का यंत्र न मानकर एक सामाजिक यंत्र मानते हैं जिसके द्वारा समाजकल्याण और समाजवाद की स्थापना संभव है। इन विचारकों ने न केवल संसद् बल्कि नगरपालिका, और ग्रामीण क्षेत्रीय परिषदों द्वारा भी समाजवादी प्रयोगों का कार्यक्रम अपनाया। अतः इनके विचारों को लोकतंत्रीय, संसदीय, वैलट वाद, पूँजी, विकास अथवा सुधारवादी समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। इन विचारकों में प्रमुख सिडनी वेब (Sydney Webb), आर्थर बर्नार्ड शॉ, कोल (G. D. H. Cole), ऐनी बेसेंट (Anne Besant), ग्राहम वालस (Graham Wallace) इत्यादि हैं। इन विचारकों पर ब्रिटिश परंपरा, उपयोगितावाद, राबर्ट ओवेन, ईसाई समाजवाद, और चार्टिस्ट आंदोलन तथा जान स्टुआर्ट मिल के अर्थशास्त्रीय विचारों का गहरा प्रभाव है।

जर्मनी का पुनरावृत्तिवाद — जर्मनी का पुनरावृत्तिवाद ब्रिटेन के फेबियनवाद तथा जर्मनी की परिवर्तित परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था। जर्मनी और पूर्व यूरोपीय समाज का स्वरूप सामंतवादी तथा राज्य का अप्रजातांत्रिक और निरंकुश था, अतः १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यहाँ के समाजवादी विचार उग्र क्रांतिकारी तथा संगठन षड्यंत्रकारी थे। इन देशों पर मार्क्स के विचारों का प्रभाव था। परंतु १९ वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में भी औद्योगिक उन्नति हुई और राज्य ने कुछ व्यक्तिगत तथा राजनीतिक अधिकार स्वीकार किए। फलतः मजदूरों का जीवनस्तर ऊँचा हुआ तथा उनके राजनीतिक दल — सामाजिक लोकतंत्रवादी पार्टी (Social democratic party) का प्रभाव भी बढ़ा। उसके अनेक सदस्य संसद् के सदस्य बन गए। इस स्थिति में यह दल सिद्धांततः मार्क्स के क्रांतिकारी मार्ग को स्वीकार करते [illegible] भी व्यवहार में सुधारवादी हो गया। एडुआर्ड बर्नस्टाइन (Eduard Bernstein १८५०–१९३२) इस वास्तविकता के आधार पर मार्क्सवाद के संशोधन का प्र[illegible] किया। बर्नस्टाइन सामाजिक लोकतंत्रवादी पार्टी का प्रमुख दार्श[illegible] और एंगिल्स का निकट शिष्य था। वह ब्रिटेन में कई वर्ष[illegible] निर्वासित रहा और वहाँ फेबियनवाद से प्रभावित हुआ।

मार्क्स का कथन था कि परस्पर प्रतियोगिता और आ[illegible] संकटों के कारण पूँजीवादी तथा मध्यमवर्ग संकुचित हो[illegible] जायगा और मजदूर वर्ग निर्धन, विस्तृत, संगठित तथा का[illegible]कारी बनता जाएगा जिससे शीघ्र ही समाजवाद की स्थाप[illegible] संभव हो सकेगी। स्थिति इसके विपरीत थी, जिसको ब[illegible]स्टाइन ने स्वीकार किया और इस आधार पर उसने क्रांतिका[illegible] कार्यक्रम के स्थान में तात्कालिक समाजसुधार और समाजवा[illegible] की सफलता के लिये वर्गसंघर्ष के स्थान में श्रेणीसहयोग तथ[illegible] संसदात्मक और संवैधानिक मार्ग पर जोर दिया। वह मार्क्स [illegible] ऐतिहासिक भौतिकवाद के स्थान पर नैतिक तथा अनार्थि[illegible] (non economic) तत्वों के प्रभाव को भी स्वीकार करने[illegible] लगा। बर्नस्टाइन के विचारों को पुनरावृत्तिवाद का नाम दिया[illegible] गया। यद्यपि जर्मन मजदूर आंदोलन व्यवहार में सुधारवादी[illegible] रहा तथापि कार्ल कौटस्की (Karl Kautsky १८५४–१९३८) के नेतृत्व में उसने बर्नस्टाइन के संशोधनों को अस्वीकार करके मार्क्स के विचारों में विश्वास प्रकट किया।

समूहवाद बनाम अराजकतावाद — फेबियनवादी और पुनरावृत्तिवादी विचारक समाजवाद की स्थापना के लिये राज्य को आवश्यक समझते हैं। साम्यवादी विचारक भी संक्रमण काल के लिये ऐसे की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। अतः इनको समूहवादी (Collectivist) कहा जाता है। अराजकतावादी विचारक भी पूँजीवाद विरोधी और समाजवाद के समर्थक हैं, परंतु वे राज्य, राजनीति और धर्म को शोषणव्यवस्था का समर्थक मानते हैं और आरंभ से ही इनका अंत कर देना चाहते हैं। अराजकतावाद जीवन और आचरण का एक सिद्धांत है जो शासनविहीन समाज की कल्पना करता है। यह समाज के ऐक्य की स्थापना शासन और कानून द्वारा नहीं, वरन् व्यक्ति तथा स्थानीय और व्यावसायिक समूहों के स्वतंत्र समझौतों द्वारा करना चाहता है। इस विचार के अनुसार उपर्युक्त समूहों द्वारा उत्पादन, वितरण आदि की अनेक मानव आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं।

अराजकता शब्द के फ्रांसीसी रूपांतर का प्रयोग पहली बार फ्रांसीसी क्रांति के समय (१७८९) उन क्रांतिकारियों के लिये किया गया था जो सामंतों की जमीन को जब्त करके किसानों में बाँटना और धनिकों की आय को सीमित करना चाहते थे। तत्पश्चात् सन् १८४० में फ्रांसीसी विचारक प्रूधों (Proudhon) ने अपनी पुस्तक "संपत्ति क्या है?" में इस शब्द का प्रयोग किया। सन् १८७१ के बाद जब अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ में फूट पड़ी तब मार्क्स के संघवादी विरोधियों को अराजकतावादी कहा गया। आए दिन की भाषा में आतंकवाद और अराजकतावाद पर्यायवाची शब्द हैं; परंतु वस्तुतः दार्शनिक अराजकतावादी केवल राजकीय दमन के विरुद्ध ही आतंक और क्रांतिकारी उपायों के पक्ष में हैं।

चाहता है, परन्तु शोषित वर्ग का और समाज का हित तब उत्पादन अवश्य स्थापित कर नए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने में होता है। अतः शोषक और शोषित के बीच वर्गसंघर्ष शांति का रूप धारण करता है और उसके द्वारा एक नए समाज का जन्म होता है। इसी प्रक्रिया द्वारा समाज आदिकालीन कबायली साम्यवाद, प्राचीन गुलामी, मध्यकालीन सामंतवाद और आधुनिक पूँजीवाद, इन अवस्थाओं से गुजरा है। अभी तक का इतिहास वर्गसंघर्ष का इतिहास है, आज भी पूँजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच यह संघर्ष है, जिसका अंत सर्वहारा क्रांति द्वारा समाजवाद की स्थापना से होगा। भावी साम्यवादी अवस्था इस समाजवादी समाज का ही एक श्रेष्ठ रूप होगी।

मार्क्स ने पूँजीवादी समाज का गूढ़ और विस्तृत विश्लेषण किया है। उसकी प्रमुख पुस्तक का नाम पूँजी (Capital) है। इस संबंध में उसके मूल्य (Value) और अतिरिक्त मूल्य (Surplus value) संबंधी सिद्धांत मुख्य हैं। उसका कहना है कि पूँजीवादी समाज की विशेषता अधिकांशतः पण्यों (Commodities) की पैदावार है। पूँजीपति अधिकतर चीजें बेचने के लिये बनाता है, अपने प्रयोग मात्र के लिये नहीं। पण्य वस्तुएँ अपने मूल्य के आधार पर खरीदी बेची जाती हैं। परंतु पूँजीवादी समाज में मजदूर की श्रमशक्ति भी पण्य बन जाती है और वह भी अपने मूल्य के आधार पर बेची जाती है। प्रत्येक चीज के मूल्य का आधार उसके अंदर प्रयुक्त सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम है जिसका मापदंड समय है। मजदूर अपनी श्रमशक्ति द्वारा पूँजीपति के लिये बहुत सामग्री (पण्य) पैदा करता है, परंतु उसकी श्रमशक्ति का मूल्य बहुत कम होता है। इन दोनों का अंतर अतिरिक्त मूल्य है और यह अतिरिक्त मूल्य जिसका आधार मजदूर का श्रम है पूँजीवादी मुनाफे, सूद, कमीशन आदि का आधार है। सारांश यह कि पूँजी का स्रोत श्रमशोषण है। मार्क्स का यह विचार वर्गसंघर्ष को प्रोत्साहन देता है। पूँजीवाद की विशेषता है कि इसमें स्पर्धा होती है और बड़ा पूँजीपति छोटे पूँजीपति को परास्त कर उसका नाश कर देता है तथा उसकी पूँजी का स्वयं अधिकारी हो जाता है। वह अपनी पूँजी और उसके लाभ को भी फिर से उत्पादन के क्रम में लगा देता है। इस प्रकार पूँजी और पैदावार दोनों की वृद्धि होती है। परंतु क्योंकि इसके अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ती, अतः श्रमिक वर्ग इस पैदावार को खरीदने में असमर्थ होता है और इस कारण समय समय पर पूँजीवादी व्यवस्था आर्थिक संकटों की शिकार होती है जिसमें अतिरिक्त पैदावार और बेकारी तथा भुखमरी एक साथ पाई जाती है। इस अवस्था में पूँजीवादी समाज उत्पादनशक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने में असमर्थ होता है। अतः पूँजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच वर्गसंघर्ष बढ़ता है और अंत में समाज के पास सर्वहारा क्रांति (Proletarian Revolution) तथा समाजवाद की स्थापना के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। सामाजिक पैमाने पर उत्पादन परंतु उसके ऊपर व्यक्तिगत स्वामित्व, मार्क्स के अनुसार यह पूँजीवादी व्यवस्था की असंगति है जिसे सामाजिक स्वामित्व की स्थापना कर समाजवाद दूर करता है।

[illegible] मार्क्स की धारणा थी कि यह शोषक वर्ग का शासन का अथवा दमन का यंत्र है। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये प्रत्येक शासकवर्ग इसका प्रयोग करता है। पूँजीवाद के अन्तर्विरोधों के अंत तथा समाजवादी व्यवस्था की जड़ों को मजबूत बनाने के लिये एक संक्रामक काल के लिये सर्वहारा वर्ग भी इस यंत्र का प्रयोग करेगा, अतः कुछ समय के लिये सर्वहारा तानाशाही की आवश्यकता होगी। परंतु पूँजीवादी राज्य मुट्ठी भर शासकवर्ग की बहुमत शोषित जनता के ऊपर तानाशाही है जब कि सर्वहारा का शासन बहुमत जनता की, केवल नगण्य अल्पमत के ऊपर, तानाशाही है। समाजवादियों का विश्वास है कि समाजवादी व्यवस्था उत्पादन की शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग करके पैदावार को इतना बढ़ाएगी कि समस्त जनता की सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँगी। कालांतर में मनुष्यों को काम करने की आदत पड़ जाएगी और वे पूँजीवादी समाज को भूलकर समाजवादी व्यवस्था के आदी हो जाएँगे। इस स्थिति में वर्गभेद मिट जाएगा और शोषण की आवश्यकता न रह जाएगी, अतः शोषणयंत्र—राज्य — भी अनावश्यक हो जाएगा। समाजवाद की इस उच्च अवस्था को मार्क्स साम्यवाद कहता है। इस प्रकार का राज्यविहीन समाज अराजकतावादियों का भी आदर्श है।

मार्क्स ने अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिये अंतर-राष्ट्रीय श्रमजीवी समाज (१८६४) की स्थापना की जिसकी सहायता से उसने अनेक देशों में क्रांतिकारी मजदूर आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। मार्क्स अंतरराष्ट्रवादी था। उसका विचार था कि पूँजीवाद ही अंतर्देशीय संघर्ष और युद्धों की जड़ है, समाजवाद की स्थापना के बाद उनका अंत हो जाएगा और विश्व का सर्वहारा वर्ग परस्पर सहयोग तथा शांतिमय ढंग से रहेगा।

मार्क्स ने सन् १८४८ में अपने 'साम्यवादी घोषणापत्र' में जिस क्रांति की भविष्यवाणी की थी वह अक्षरशः सत्य हुई और उस वर्ष और उसके बाद कई वर्ष तक यूरोप में क्रांति की ज्वाला फैलती रही; परंतु जिस समाजवादी व्यवस्था की उसको आशा थी वह स्थापित न हो सकी, प्रत्युत क्रांतियाँ दबा दी गईं और पतन के स्थान में पूँजीवाद का विकास हुआ। फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध (१८७१) के समय पराजय के कारण पेरिस में प्रथम समाजवादी शासन (पेरिस कम्यून) स्थापित हुआ परंतु कुछ ही दिनों में उसको भी दबा दिया गया। पेरिस कम्यून की प्रतिक्रिया हुई और मजदूर आंदोलनों का दमन किया जाने लगा जिसके फलस्वरूप मार्क्स द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ भी तितर बितर हो गया। मजदूर आंदोलनों के सामने प्रश्न था कि वे समाजवाद की स्थापना के लिये क्रांतिकारी मार्ग अपनाएँ अथवा सुधारवादी मार्ग ग्रहण करें। इन परिस्थितियों में कतिपय सुधारवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। इनमें ईसाई समाजवाद, फेबियनवाद और पुनरावृत्तिवाद मुख्य हैं।

ईसाई समाजवाद के मुख्य प्रचारक ब्रिटेन के जान मेलकम लुडलो (John Malcolm Ludlow १८२१–१९११), फ्रांस के क्लाड फोशे (Claude Fauchet) और जर्मनी के विक्टर आइमे ह्यूबर (Victor Aime Huber) हैं। पूँजीवादी शोषण द्वारा मजदूरों की दुर्दशा देखकर इन विचारकों ने इस व्यवस्था की

आलोचना की और मजदूरों में सहकारी आंदोलन का प्रचार किया। उन्होंने उत्पादक तथा भोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना भी की। ईसाई समाजवाद का प्रभाव ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अतिरिक्त आस्ट्रिया तथा बेल्जियम में भी था।

फेबियसवाद — ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना सन् १८८३-८४ ई० में हुई। रॉबर्ट ओवेन तथा चार्टिस्ट आंदोलन के प्रभाव से यहाँ स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी, फेबियन सोसाइटी ने इस आंदोलन को दर्शन दिया। इस सभा का नाम फेबियस कंक्टेटर (Fabius Cunctator) के नाम से लिया गया है। फेबियस प्राचीन रोम का एक सेनानी था जिसने कार्थेज के प्रसिद्ध सेनानायक हन्नीबल (Hannibal) के विरुद्ध संघर्ष में धैर्य से काम लिया और गुरीला नीति द्वारा उसको कई वर्षों में परास्त किया। इसी प्रकार फेबियन समाजवादियों का विचार है कि पूँजीवाद को केवल एक मुठभेड़ में क्रांतिकारी मार्ग द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। इसके लिये पर्याप्त काल तक सोच विचार और तैयारी की आवश्यकता है। इनका तरीका विकास और सुधारवादी है। स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना के पूर्व ये ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रवेश कर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। इनका मुख्य ध्येय चरम नैतिक समानताओं के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण था। ये राज्य को वर्गशासन का यंत्र न मानकर एक सामाजिक यंत्र मानते हैं जिसके द्वारा समाजकल्याण और समाजवाद की स्थापना संभव है। इन विचारकों ने न केवल संसद् वरन् नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रीय परिषदों द्वारा भी समाजवादी प्रयोगों का कार्यक्रम अपनाया। अत: इनके विचारों को लोकतंत्रीय, संसदीय, बैलट बक्स, चुंगी, विकास अथवा सुधारवादी समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। इन विचारकों में प्रमुख सिडनी वेब (Sydney Webb), जार्ज बर्नार्ड शॉ, कोल (G. D. H. Cole), ऐनी बेसेंट (Anne Besant), [illegible] raham Wallace) इत्यादि हैं। [illegible] परम्परा, उपयोगितावाद, रॉबर्ट ओ[illegible] आंदोलन तथा जान [illegible] प्रभाव है।

फेबियसवाद [illegible]
हुआ था [illegible]
अतः [illegible]
पर [illegible]
धंध [illegible]
का [illegible]
बद [illegible]

एडुआर्ड बर्नस्टाइन (Eduard Bernstein १८५०-१९३२) इस वास्तविकता के आधार पर मार्क्सवाद के संशोधन का प्रय किया। बर्नस्टाइन सामाजिक लोकतंत्रवादी पार्टी का प्रमुख दार्शनि और एंगिल्स का निकट शिष्य था। वह ब्रिटेन में कई वर्ष त निर्वासित रहा और वहाँ फेबियसवाद से प्रभावित हुआ।

मार्क्स का कथन था कि परस्पर प्रतियोगिता और आर्थि संकटों के कारण पूँजीवादी तथा मध्यमवर्ग संकुचित हो जायगा और मजदूर वर्ग निर्धन, विस्तृत, संगठित तथा क्रांतिकारी बनता जाएगा जिससे शीघ्र ही समाजवाद की स्थापना संभव हो सकेगी। स्थिति इसके विपरीत थी, जिसको बर्नस्टाइन ने स्वीकार किया और इस आधार पर उसने क्रांतिकारी कार्यक्रम के स्थान में तात्कालिक समाजसुधार और समाजवाद की सफलता के लिये वर्गसंघर्ष के स्थान में श्रेणीसहयोग तथा संसदात्मक और संवैधानिक मार्ग पर जोर दिया। वह मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के स्थान पर नैतिक तथा अनार्थिक (non-economic) तत्वों के प्रभाव को भी स्वीकार करने लगा। बर्नस्टाइन के विचारों को पुनरावृत्तिवाद का नाम दिया गया। यद्यपि जर्मन मजदूर आंदोलन व्यवहार में सुधारवादी रहा तथापि कार्ल कौटस्की (Karl Kautsky १८५४-१९३८) के नेतृत्व में उसने बर्नस्टाइन के संशोधनों को अस्वीकार करके मार्क्स के विचारों में विश्वास प्रकट किया।

समूहवाद बनाम अराजकतावाद — सिंडिकलवादी और [illegible] वादी विचारक समाजवाद की स्थापना के लिये राज्य को [illegible] समझते हैं। साम्यवादी विचारक भी संक्रमण काल के [illegible] शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। अतः इनको [illegible] tivist) कहा जाता है। अराजकतावादी [illegible] के [illegible] विरोधी और समाजवाद के समर्थक हैं, [illegible] वर्ग को शोषणव्यवस्था का समर्थक [illegible] इसका अंत कर देना चाहते हैं। [illegible] का एक सिद्धांत है जो [illegible] समाज के ऐक्य को [illegible] तथा स्थानीय और [illegible] है। [illegible]

[illegible] १९०
[illegible] और
[illegible] था।
[illegible]
[illegible] का
[illegible] सके
[illegible] कहा
[illegible] के
[illegible]
[illegible]

विचारकों ने [illegible] समाजवादी पार्टी का

संसार का प्रथम अराजकतावादी विचारक चीनी दार्शनिक लाओ त्से (Lao Tse) माना जाता है। प्राचीन यूनान के विचारक अरिस्टीप्पस (Aristippus) और जीनो (Zeno) के दर्शन में भी इन विचारों का पुट है। ब्रिटेन का गोडविन (Godwin) और फ्रांसीसी प्रूधों राज्य और उसकी शासनसंस्थाओं—न्यायालय आदि का विरोध करते थे। प्रूधों के अनुसार सम्पत्ति चोरी का माल है। यह श्रम के आधार पर वस्तु विनिमय, और लेनदेन में एक प्रतिशत सूद की दर के पक्ष में था। (दे० अराजकतावाद)

इस संबंध में रूस के तीन अराजकतावादियों के विचार महत्वपूर्ण हैं। बाकूनिन (Bakunin) क्रांतिकारी अराजकतावादी था, प्रिंस क्रॉपोटकिन (Kropotkin (१८४२–१९२१) वैज्ञानिक अराजकतावादी तथा लिओ टाल्सटाय (Leo Tolstoy) ईसाई अराजकतावादी। बाकूनिन राज्य को एक आवश्यक दुर्गुण और विद्वेषपूर्ण चिह्न तथा सम्पत्ति और शोषण का पोषक मानता था। राज्य व्यक्ति की स्वाधीनता, उसकी प्रतिभा और व्यक्तित्व, उसके विवेक और नैतिकता को सीमित करता है। इस प्रकार अराजकतावाद व्यक्तिवाद की चरम सीमा है। बाकूनिन क्रांतिकारी मार्ग द्वारा राज्य और उसकी संस्थाओं पुलिस, जेल, न्यायालय आदि का अंत कर स्वतंत्र स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के पक्ष में था। ये समुदाय पारस्परिक सहयोग के लिये अपना राष्ट्रीय संघ स्थापित कर सकते थे। रूसो और काट (Kant) भी इसी प्रकार के स्वतंत्र समुदायों और संघों के समर्थक थे।

क्रॉपोटकिन ने वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा यह सिद्ध किया कि समाज का विकास स्वतंत्र सहयोग की ओर है। शिल्पिक उन्नति के कारण मनुष्य बहुत कम श्रम द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा और शेष समय स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। मनुष्य स्वभावतः सामाजिक, अतः सहयोगी प्राणी है। स्वतंत्रता और सहयोग की वृद्धि के साथ साथ राज्य की आवश्यकता कम हो जाएगी।

टाल्सटाय भी राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी था, परंतु वह हिंसात्मक तथा क्रांतिकारी मार्ग का पोषक नहीं वरन् ईसाई और अहिंसात्मक तरीकों का समर्थक था। वह बुद्धिसंगत ईसाई था, अंधविश्वासी नहीं। गांधीजी के विचारों पर टाल्सटाय की गहरी छाप है।

अराजकतावादियों का विचार है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है और यदि उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण न रहे तो वह समाज में शांतिपूर्वक रह सकता है। राज्य के रहते हुए मनुष्य का बौद्धिक, नैतिक और रागात्मक विकास संभव नहीं। इनके अनुसार राजकीय समाजवाद (समूहवाद) नौकरशाहीवाद और राजकीय पूँजीवाद है। ये युद्ध और सैन्यवाद (militarism) के विरोधी और विकेंद्रीकरण के पक्ष में [illegible]।

अराजकतावाद से बुद्धिजीवी और मजदूर, दोनों ही प्रभावित [illegible] हैं। अनेक लेखक और दार्शनिकों ने स्वाधीनता संबंधी विचारों को स्वीकार किया है। इनमें जॉन स्टुअर्ट मिल, हरबर्ट स्पेंसर, हैरोल्ड लास्की, और बर्ट्रेंड रसल के नाम मुख्य हैं। इस विचारधारा के बुद्धिजीवी समर्थक फ्रांस, स्पेन, इटली, रूस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका आदि अनेक देशों में पाए जाते थे, परंतु इन और विभिन्न देशों के मजदूर आंदोलनों ने भी इन विचारों को संशोधित रूप में स्वीकार किया। इसके फ्रांसीसी स्वरूप का नाम सिंडिकवाद (Syndicalism) और ब्रिटेन का गिल्ड समाजवाद (Guild Socialism) है।

सिंडिकवाद और गिल्ड समाजवाद का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं के आरंभ में हुआ। उस समय तक मजदूरों का विश्वास पार्लियामेंट और पुनरावृत्तिवाद में कम होने लगा था। शोषित मजदूरों की समस्याएँ सुलझाने में असफल रहा, श्रमिक उग्र विकट रूप धारण करने लगा और युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। साथ ही मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई, उनका संगठन मजबूत हुआ और वे अपनी माँगों को पूरा कराने के लिये बड़े पैमाने पर हड़ताल करने लगे। इन परिस्थितियों में संसदात्मक और संवैधानिक तरीकों के स्थान में मजदूर वर्ग को सक्रिय विरोध के सिद्धांतों की आवश्यकता हुई। इस कमी को उपर्युक्त विचारधाराओं ने पूरा किया।

सिंडिकवाद अन्य समाजवादियों की भाँति समाजवादी व्यवस्था के पक्ष में है परंतु अराजकतावादियों की तरह वह राज्य का अंत कर स्थानीय समुदायों के हाथ में सामाजिक नियंत्रण चाहता है। वह इस नियंत्रण को केवल उत्पादक वर्ग (मजदूर) तक ही सीमित रखना चाहता है। अराजकतावादियों की भाँति सिंडिकवादी भी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संघों के समर्थक और राज्य, राजनीतिक दल, युद्ध और सैन्यवाद के विरोधी हैं।

ध्येय की प्राप्ति का सिंडिकवादी मार्ग क्रांति है, परंतु इस क्रांति के लिये भी वह राजनीतिक दल को अनावश्यक समझता है क्योंकि इसके द्वारा मजदूरों की क्रांतिकारी इच्छा के कमजोर हो जाने का भय है। इसका हड़तालों में अटूट विश्वास है। सोरेल के अनुसार ईसाई पौराणिक पुनरुत्थान (Resurrection) की भाँति यह भी मजदूरों पर जादू का असर करती है और उनके अंदर ऐक्य और क्रांति की भावनाओं को प्रोत्साहन देती है। ये विचारक मशीनों को तोड़फोड़, नाइकाट, पूँजीपति की पैदावार को बदनाम करना, काम टालना आदि के पक्ष में भी हैं। अंत में एक आम हड़ताल द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था का अंत कर ये सिंडिकवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं।

इन विचारों से अनेक लातीनी (Latin) देश फ्रांस, इटली, स्पेन, मध्य और दक्षिण अमरीका प्रभावित हुए हैं। इनका असर संयुक्त राज्य अमरीका में भी था, परंतु वहाँ विकेंद्रीकरण पर जोर नहीं दिया गया क्योंकि उस देश में बड़े पैमाने के उद्योग एक वास्तविकता थे। रूसी विचारक प्रिंस क्रॉपोटकिन ने इसके प्रेरणा प्राप्त की और ब्रिटेन ने इसको संशोधित रूप में स्वीकार किया।

गिल्ड (संघ) समाजवाद — गिल्ड समाजवाद सिंडिकवाद की प्रतिलिपि मात्र नहीं, उसका ब्रिटिश परिस्थितियों में अनुकूलन (adaptation) है। गिल्ड समाजवाद के ऊपर स्वाधीनता की परंपरा और फेबियनवाद का भी प्रभाव है। इसका नाम यूरोप के मध्यकालीन व्यावसायिक संघ (गिल्ड) संगठनों से लिया गया है। उस समय ये संघ आर्थिक और सामाजिक जीवन पर हावी थे और विभिन्न संघों के प्रतिनिधि नगरों का शासन चलाते थे। गिल्ड

समाजवादी उपर्युक्त संघ व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण करते थे। वे राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग धंधों में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत और स्वायत्तशासन स्थापित करना चाहते थे। ये विचारक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से संतुष्ट नहीं क्योंकि इससे नौकरशाही का भय है परंतु वे राज्य का अंत भी नहीं करना चाहते। राज्य को अधिक लोकतंत्रात्मक और विकेंद्रित करने के बाद वे उसको देशरक्षा और भोक्ता (consumer) के हितसाधन के लिये रखना चाहते हैं। उनके अनुसार राजकीय संसद् में केवल क्षेत्रीय ही नहीं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। ये राज्य और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण चाहते हैं अतः सिंडिकवाद के निकट हैं, परंतु राज्य-विरोधी न होने के कारण इनका झुकाव समूहवाद की ओर भी है। ये असफलता के भय से क्रांतिकारी मार्ग को स्वीकार नहीं करते लेकिन केवल वैधानिक मार्ग को भी अपर्याप्त समझते हैं, और मजदूरों के सक्रिय आंदोलन, हड़ताल आदि का भी समर्थन करते हैं।

प्रथम महायुद्ध के पूर्व और उसके बीच में इस विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। युद्ध के समय मजदूरों ने रक्षा-उद्योगों पर नियंत्रण की मांग की और उसके बाद मजदूर संघों ने स्वयं मकान बनाने के लिए, परंतु कुछ काल बाद सरकारी सहायता न मिलने पर ये प्रयोग असफल हुए। गिल्ड समाजवाद के प्रमुख समर्थकों में आर्थर पेंटी (Arther Penty), हाब्सन (Hobson), ऑरेंज (Orange) और कोल (Cole) के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रिटेन का मजदूर दल और मजदूर आंदोलन इस विचारधारा से विशेष प्रभावित हुए हैं।

साम्यवाद — प्रथम महायुद्ध संसार के समाजवादी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक ओर तो इसके आरंभ होते ही समाजवादी आंदोलन और उनका अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रायः छिन्न-भिन्न हो गया और दूसरी ओर इसके बीच रूस में बोल्शेविक (अक्टूबर—नवंबर १९१७) क्रांति हुई और संसार में प्रथम सफल समाजवादी राज्य की नींव पड़ी जिसका संसार के समाजवादी आंदोलन पर गहरा असर पड़ा। प्रथम महायुद्ध के पूर्व समाजवादी दलों का मत था कि पूँजीवादी व्यवस्था ही युद्धों के लिये उत्तरदायी है और यदि विश्वयुद्ध आरंभ हुआ तो प्रत्येक समाजवादी दल का कर्तव्य होगा कि वह अपनी पूँजीवादी सरकार की युद्धनीति का विरोध करे और गृहयुद्ध द्वारा समाजवाद की स्थापना के लिये प्रयत्नशील हो। परंतु ज्यों ही युद्ध आरंभ हुआ, रूस और इटली के समाजवादी दलों को छोड़कर शेष सब दलों के बहुमत ने अपनी सरकारों की नीति का समर्थन किया। समाजवादियों के केवल एक नगण्य अल्पमत ने ही युद्ध का विरोध किया और आगे चलकर इनमें से कुछ लेनिन और उसके साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय संगठन के समर्थक बने। परंतु विभिन्न देशों के समाजवादी आंदोलनों की परस्पर विरोधी युद्धनीति के कारण उनका ऐक्य खत्म हो गया।

बोल्शेविक दल रूस के कई समाजवादी दलों में से एक था। १९१७ की विशेष परिस्थितियों में इसको सफलता प्राप्त हुई। रूसी समाजवाद की पार्श्वभूमि अन्य यूरोपीय समाजवादी की स्थिति से भिन्न थी। रूसी साम्राज्य यूरोप के अग्रणी देशों से उद्योग धंधों में पिछड़ा हुआ था, अतः यहाँ मजदूर वर्ग बहुसंख्यक और अधिक प्रभावशाली न हो सका। यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन और व्यक्तिगत स्वाधीनताओं का भी अभाव था। रूसी बुद्धिजीवी और मध्यमवर्ग इनके लिये इच्छुक था पर जारशाही दमननीति के कारण इनकी प्राप्ति का संवैधानिक मार्ग अवरुद्धप्राय था। इन परिस्थितियों से प्रभावित वहाँ के प्रथम समाजवादी रूस के ग्रामीण कम्यून (समुदाय) को अपने विचारों का आधार मानते थे तथा क्रांतिकारी मार्ग द्वारा जारशाही का नाश लोकतंत्रवाद की सफलता के लिये प्रथम सोपान समझते थे। उन विचारकों में हर्जेन (Herzen), लावरोव (Lavrov), चर्नीशेव्स्की (Chernishevrzky) और बाकुनिन (Bakunin) मुख्य हैं। इनसे प्रभावित होकर अनेक बुद्धिजीवी क्रांति की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार नरोदनिक (Narodnik) जन आंदोलन की नींव पड़ी तथा नारोदन्या वोल्या (Narodnya Volya, जनेच्छा) संगठन बना। सन् १८०१ में इसका नाम सामाजिक क्रांतिकारी दल (Social Revolutionary Party) रखा गया। सन् १९१७ की बोल्शेविक क्रांति के समय तक यह रूस का सबसे बड़ा समाजवादी दल था, परंतु इसका प्रभावक्षेत्र अधिकांशतः ग्रामीण जनता थी। इसके वाम पक्ष ने बोल्शेविक क्रांति का समर्थन किया।

दूसरी समाजवादी विचारधारा, जिसमें बोल्शेविक दल भी सम्मिलित था, रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूरदल (Russian Social Democratic Labour Party, R. S. D. L. P.) के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रभाव मुख्यतः नागरिक मजदूर वर्ग में था। रूस में उद्योग कम थे, परंतु बड़े पैमाने के थे और अपेक्षया अधिक मजदूरों को नौकर रखते थे। अतः इन मजदूरों में राजनीतिक चेतना और संगठन अधिक था। लोकतंत्र के अभाव में मजदूरों का संघर्ष करना कठिन था, इसलिये मजदूर वर्ग क्रांतिकारी प्रभाव में आ गया और जर्मनी जैसी परिस्थितियों के कारण यहाँ के अधिकांश मजदूर नेता भी मार्क्सवादी तथा जर्मनी के सामाजिक लोकतंत्रवादी दल से प्रभावित [illegible]। सन् १८७० के लगभग एक्सलरोद (Axelrod) और प्लेखानोव (Plekhanov) ने पीटर्सबर्ग (बाद में लेनिनग्राद) में प्रथम मजदूर समूह स्थापित किए जो आगे चलकर १८९८ में रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर पार्टी का आधार बने।

रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर पार्टी के नेता कट्टर मार्क्सवादी थे, अतः उन्होंने पुनरावृत्तिवाद को अस्वीकार किया और मार्क्सवाद को विकसित कर रूसी परिस्थितियों में लागू किया। मजदूरों की रहन सहन के स्तर में उन्नति हुई थी, इस बात को न मानना कठिन था, परंतु प्लेखानोव ने सिद्ध किया कि नई मशीनों के प्रयोग और मजदूरों में अपेक्षया वृद्धि न होने के कारण पूँजीवादी शोषण की दर बढ़ती जा रही है। बुखारिन (Bukharin) का तर्क था कि साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों के शोषण द्वारा अपने श्रमजीवी वर्ग को संतुष्ट रख पाते हैं। ट्राटस्की आदि ने कहा कि पूँजीवाद का संकट सर्वव्यापी हो गया है और इस स्थिति में यह संभव है कि क्रांति पश्चिम यूरोप के अग्रणी देशों में न होकर अपेक्षाकृत पिछड़े देशों में, जहाँ साम्राज्यवादी शोषण कम [illegible] हो। कुछ विचारकों ने सर्वप्रथम समाजवादी क्रांति का

स्थान रूस को बतलाया। ट्राटस्की और लेनिन का मत था कि समाजवादी क्रांति उसी समय सफल हो सकती है जब वह कई देशों में एक साथ फैले, स्थायी क्रांति के बिना केवल एक देश में समाजवाद की स्थापना कठिन है। बाद में लेनिन और स्टालिन ने इस सिद्धांत में संशोधन कर एकदेशीय समाजवाद के आधार पर सोवियत सत्ता का निर्माण किया। निकोलाई लेनिन ने उपर्युक्त विचारों का समन्वय करके बोल्शेविक दल का संगठन और अक्टूबर (नवंबर) क्रांति का नेतृत्व किया।

सन् १९०३ की लंदन कांफ्रेंस में रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर दल ने अपने समाजवादी आदर्श को स्पष्ट किया, परंतु इसी वर्ष दल के अंदर दो विचारधाराएँ सामने आईं और कालांतर में उन्होंने दो दलों का रूप धारण किया। इस कांफ्रेंस में उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन, उपनिवेशों का आत्मनिर्णय का अधिकार, ध्येय की प्राप्ति का क्रांतिकारी मार्ग और क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही—इस नीति को स्वीकार किया गया, परंतु दल के संगठन के संबंध में नेताओं में मतभेद हो गया। प्रश्न था कि दल की सदस्यता केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित हो अथवा आदर्शों को स्वीकार करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकारी हो और क्या केंद्रीय समिति को दल की शाखाओं के भंग करने और उनके स्थान में नई शाखाओं की नियुक्ति करने का अधिकार हो? लेनिन एक फौजी अनुशासनवाले सुव्यवस्थित दल के पक्ष में था और कांफ्रेंस में उसका बहुमत था, अतः इस धारा का नाम बोल्शेविक (बहुमत) पड़ा, और दूसरी धारा मेन्शेविक (अल्पमत) कहलाई। आगे चलकर इन दलों के बीच और भी मतभेद उपस्थित हुए। मेंशेविक दल पहले जारशाही का अंत कर पूँजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति करना चाहता था और इस क्रांति में वह पूँजीवादी दलों के वाम पक्ष से सहयोग करना चाहता था, परंतु १९०५ की क्रांति के बाद लेनिन और उसके साथी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समाजवादी क्रांति के भय के कारण पूँजीवाद प्रतिक्रियावादी हो गया है, अतः वह पूँजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति का नेतृत्व करने में भी असमर्थ है। इसलिये इस क्रांति का नेतृत्व भी केवल सर्वहारा वर्ग ही कर सकता है और इस क्रांति को सर्वहारा क्रांति के साथ मिलाकर जारशाही के बाद एकदम समाजवाद की स्थापना संभव है। क्रांति में किसानों का सहयोग प्राप्त करने के लिये लेनिन सामंतवादी जमीन को किसानों में बाँटने के पक्ष में था, मेंशेविक उसका तुरंत समाजीकरण करना चाहते थे। बोल्शेविक दल ने प्रथम महायुद्ध का विरोध किया और समाजवाद की स्थापना के लिये गृहयुद्ध का नारा दिया। युद्ध से त्रस्त जनता और विशेषकर रूसी सैनिकों ने इस नीति का स्वागत किया, परंतु मेंशेविकों ने युद्ध का विरोध नहीं किया और फरवरी मार्च (१९१७) की क्रांति के बाद उन्होंने सरकार में शामिल होकर युद्ध जारी रखा। सन् १९१७ की अक्टूबर क्रांति में लेनिन के विचारों और बोलशेविक संगठन की विजय हुई।

की स्थापना हुई। इस राज्य में उत्पादन के साधनों—उद्योग, व्यापार, विनिमय, भूमि आदि—का राष्ट्रीयकरण किया गया और शोषक वर्ग को आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का अंत कर दिया गया। देश के अंदर, प्रारंभ में किसान, मजदूर और सैनिकों के प्रतिनिधियों की विभिन्न सोवियतों के हाथ में शासन था, परंतु सन् १९३६ के संविधान के अनुसार एक द्विसदनात्मक संसद् की स्थापना हुई। इसके ऊपरी सदन का चुनाव सोवियत देश के विभिन्न गणराज्यों द्वारा होता है तथा निम्न सदन के सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं। परंतु सोवियत देश एकदलीय राज्य है, यहाँ राजकीय शक्ति साम्यवादी दल के हाथ में है। किसी दूसरे दल को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं।

अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक दल ने अपना नाम साम्यवादी दल रखा और सन् १९१९ में उसने एक दूसरा साम्यवादी घोषणापत्र (प्रथम घोषणापत्र मार्क्स और एंगिल्स ने सन् १८४७-४८ में लिखा था) प्रकाशित किया जिसके आधार पर एक नए अंतरराष्ट्रीय आंदोलन—साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय—की स्थापना हुई और उसकी सहायता से विभिन्न देशों में साम्यवाद का प्रचार आरंभ हुआ।

लेनिन के विचारों को साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है परंतु लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन (Joseph Stalin) माओत्सेतुंग (Mao Tse tung) निकीता ख्रुश्चोव (Nikita Khrushchov) तथा विभिन्न देशों के साम्यवादी नेताओं ने इन विचारों की व्याख्या और उनका विकास किया है। ये सभी विचार साम्यवाद की कोटि में आते हैं। स्टालिन के विचारों में उसका उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार, नियोजित अर्थव्यवस्था अर्थात् पंचवर्षीय आदि योजनाएँ तथा सामूहिक और राजकीय स्वामित्व में खेती मुख्य हैं।

द्वितीय महायुद्ध के बीच और उसके बाद सोवियत सेनाओं की सफलता तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण संसार में समाजवाद (साम्यवाद सहित) का प्रभाव बढ़ा है। युद्ध का अंत होने तक न केवल पूर्वी यूरोप सोवियत प्रभावक्षेत्र बन गया, वरन् सन् १९४८ ई० तक इनमें से अधिकांश देशों में साम्यवादी राज्य स्थापित हो गए। एशिया में भी चीन जैसे विशाल देश में साम्यवाद सफल हुआ, और सोवियत तथा जनवादी चीनी गणराज्य के प्रभाव से उत्तरी एशिया और उत्तरी वियतनाम के शासन साम्यवादी प्रभाव में आ गए। साम्यवाद का असर सभी देशों में बढ़ा है। फ्रांस, इटली और हिंदएशिया जैसे देशों में शक्तिशाली साम्यवादी दल हैं। परंतु साम्यवाद के प्रसार ने उस आंदोलन के सामने कई सैद्धांतिक और व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं—

(i) मार्क्सवाद लेनिनवाद की धारणा थी कि साम्यवादी स्थापना क्रांति द्वारा ही संभव है परंतु युगोस्लाविया और अल्बानिया को छोड़ कर शेष पूर्वीय यूरोप में युद्धकाल में साम्यवादी दलों का अस्तित्व नहीं के बराबर था और बाद में भी चेकोस्लोवाकिया को छोड़ कदाचित् किसी भी देश में इनका बहुमत नहीं था। पूर्वी और उत्तरी कोरिया में ये अधिकांश देशों में साम्यवादी स्थापना क्रांति द्वारा नहीं, सोवियत प्रभाव द्वारा हुई।

(ii) दूसरी समस्या साम्यवादी आंदोलन के नेतृत्व और साम्यवादी देशों के पारस्परिक संबंधों की थी। साम्यवादी विचारकों का साम्यवाद की विश्वव्यापकता में विश्वास है। जब तक साम्यवाद केवल एक देश तक सीमित था, साम्यवादी आंदोलन साधारणतः सोवियत नेतृत्व को स्वीकार करता रहा। उस समय भी माओ जैसे विचारकों का स्टालिन से मतभेद था परंतु अधिकांशतः साम्यवादी दल और नेता साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय के अनन्य भक्त थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह एकता संभव न हो सकी।

साम्यवादी यूगोस्लाविया का शासक जोसिप ब्रोजोविच टीटो (Josip Brozovich Tito, १८९२) और उसके अन्य साम्यवादी साथी सोवियत नेतृत्व को चुनौती देने में प्रथम थे। यूगोस्लाविया स्वतः कुछ अपने प्रयत्नों से स्वतंत्र हुआ था अतः उसके अंदर स्वाभिमान की भावना थी। वह पूर्व यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों की भांति सोवियत प्रभाव से घिरा हुआ भी न था। यूगोस्लाव पक्ष का कहना था कि सोवियत सरकार उनकी औद्योगिक उन्नति में बाधक है तथा उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती है। उनके ये आक्षेप बाद में सत्य सिद्ध हुए परंतु उस समय टीटोवाद को ट्रावूसिवाद, ट्राटस्कीवाद अथवा साम्राज्यवाद का पिट्ठू कहा गया। सिद्धांत के स्तर पर टीटोवाद ने राष्ट्रीय साम्यवाद, शक्ति विकेंद्रीकरण, किसानों द्वारा भूमि का निजी स्वामित्व, राज्य पर नौकरशाही के स्थान में उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण तथा साम्यवादी दल और देश के अंदर अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीनता पर बल दिया। टीटो के इन विचारों का प्रभाव पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों पर भी पड़ा है।

साम्यवादी देशों के बीच समानता की नीति को स्वीकार करके ख्रुश्चोव ने टीटोवाद को अंशतः स्वीकार किया, परंतु साथ ही उसने लेनिन स्टालिनवाद में भी कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। लेनिन का विचार था कि जब तक साम्राज्यवाद का अंत नहीं होता संसार में युद्ध होते रहेंगे, परंतु ख्रुश्चोव के अनुसार इस समय प्रगतिशील शक्तियां इतनी मजबूत हैं कि विश्वयुद्ध को रोका जा सकता है और पूंजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्थाओं के बीच शांतिमय अस्तित्व संभव है। वह यह भी कहता है कि इन परिस्थितियों में समाजवाद की स्थापना का केवल क्रांतिकारी मार्ग ही नहीं है, वह विभिन्न देशों में अलग अलग समाजवादी दलों द्वारा विकासवादी और शांतिमय तरीकों से भी उसकी स्थापना संभव है। सोवियत साम्यवाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय श्रमविभाजन की ओर बढ़ रहा है और राज्य के संघटन पर भी जोर नहीं देता।

अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद पर उपर्युक्त विचारपरिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ा है। टीटो के विद्रोह के बाद पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों ने भी सोवियत प्रभाव से स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया है। चीनी साम्यवादी ख्रुश्चोव के सुझावों को अस्वीकार करते हैं और सोवियत तथा चीन के बीच सैद्धांतिक ही नहीं क्षेत्र संघर्ष भी विकट रूप धारण करता जा रहा है। संसार के अनेक साम्यवादी दल सोवियत और चीनी विचारधाराओं के आधार पर विभक्त होते जा रहे हैं। कुछ विचारक राष्ट्रीय साम्यवादी दलों की सैद्धांतिक और संगठनात्मक स्वतंत्रता पर भी जोर देते हैं। इस प्रकार साम्यवादी विचारों और आंदोलन की एकता भी अंतरराष्ट्रीयता का ह्रास हो रहा है।

प्रथम महायुद्ध के बाद साम्यवाद की ही नहीं लोकतंत्रात्मक समाजवाद की भी प्रगति हुई है। दो महायुद्धों के बीच ब्रिटेन में अल्पकाल के लिये दो बार मजदूर सरकारें बनीं। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी और आस्ट्रिया में समाजवादी शासन स्थापित हुए; फ्रांस और स्पेन आदि देशों में समाजवादी दलों की शक्ति बढ़ी। परंतु शीघ्र ही इनकी प्रतिक्रिया भी आरंभ हुई। सन् १९२२ में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट शासन स्थापित किया। फासिज्म मजदूर और समाजवादी आंदोलनों का शत्रु और युद्ध और साम्राज्यवाद का समर्थक है। वह पूंजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं करता। नात्सीवाद के मूल सिद्धांत फासिज्म से मिलते जुलते हैं। इस विचारधारा का प्रचारक एडोल्फ हिटलर था। सन् १९२९ के आर्थिक संकट के बाद सन् १९३३ में जर्मनी में नात्सी शासन स्थापित हो गया और उसके बाद इस विचारधारा का प्रभाव स्पेन, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और अन्य आदि देशों में फैल गया।

द्वितीय महायुद्ध के बीच फासिस्ट विचारों का ह्रास तथा समाजवादी विचारों और आंदोलनों की प्रगति हुई है। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासनों के अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप में कुछ काल के लिये कई देशों में समाजवादी और साम्यवादी दलों के सहयोग से संमिलित शासन बने। यूरोप के कुछ अन्य देशों जैसे (ब्रिटेन, स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड) तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों में समय समय पर समाजवादी सरकारें बनती रही हैं। इस काल में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के देशों में भी समाजवादी शासन स्थापित हो चुके हैं। इनमें चीन, बर्मा, हिंद एशिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना, गयूना और इजरायल मुख्य हैं।

भारतीय समाजवाद — भारतवर्ष में आधुनिक काल के प्रथम प्रमुख समाजवादी महात्मा गांधी हैं, परंतु उनका समाजवाद एक विशेष प्रकार का है। गांधी जी के विचारों पर हिंदू, जैन, ईसाई आदि धर्म और रस्किन, टालस्टाय और थोरो जैसे दार्शनिकों का प्रभाव स्पष्ट है। वे औद्योगीकरण के विरोधी थे क्योंकि वे उसको आर्थिक असमानता, शोषण, बेकारी, राजनीतिक साम्राज्यवाद आदि का कारण समझते थे। शोषणमुक्ति के दृष्टिकोण से गांधी इंडियों और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर त्याग द्वारा एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना चाहते थे। प्राचीन भारत के स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्रामराज्य गांधी जी के आदर्श थे। विश्वधर्म, देश, राष्ट्र और आध्यात्मिक प्रवृत्ति — इनमें शोषक और शोषित के लिये कोई स्थान नहीं। यदि किसी के पास कोई संपत्ति है तो वह समाज की धरोहर मात्र है। भेद की शक्ति के लिए गांधी जी ने केवल चार — सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य—पर जोर दिया है, हिंसात्मक क्रांति पर नहीं। गांधी जी ने जैसे द्वारा समाज का हृदयपरिवर्तन करना चाहा है, हिंसा और द्वेष द्वारा

स्थान क्रम को बतलाया। ट्रॉटस्की और लेनिन का मत था कि समाजवादी क्रांति उसी समय सफल हो सकती है जब वह कई देशों में एक साथ फैले, स्थायी क्रांति के बिना केवल एक देश में समाजवाद की स्थापना संदिग्ध है। बाद में लेनिन और स्टालिन ने इस सिद्धांत में संशोधन कर एकदेशीय समाजवाद के आधार पर सोवियत सत्ता का निर्माण किया। निकोलाई लेनिन ने अरुचिकर विचारों का समन्वय करके बोल्शेविक दल का संगठन और अक्टूबर (नवंबर) क्रांति का नेतृत्व किया।

सन् १९०३ की लंदन कांग्रेस में रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर दल ने अपने समाजवादी आदर्श को स्पष्ट किया, परंतु इसी वर्ष दल के अंदर दो विचारधाराएँ सामने आईं और कालांतर में उन्होंने दो दलों का रूप धारण किया। इस कांग्रेस में उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन, उपनिवेशों का आत्मनिर्णय का अधिकार, श्रेय की प्राप्ति का क्रांतिकारी मार्ग और क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही—इस नीति को स्वीकार किया गया, परंतु दल के संगठन के संबंध में नेताओं में मतभेद हो गया। प्रश्न था कि दल की सदस्यता केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित हो अथवा आदर्शों को स्वीकार करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकारी हो और क्या केंद्रीय समिति को दल की शाखाओं के भंग करने और उनके स्थान में नई शाखाओं की नियुक्ति करने का अधिकार हो? लेनिन एक फौजी अनुशासनवाले सुव्यवस्थित दल के पक्ष में था और कांग्रेस में उसका बहुमत था, अतः इस धारा का नाम बोल्शेविक (बहुमत) पड़ा, और दूसरी धारा मेन्शेविक (अल्पमत) कहलाई। आगे चलकर इन दलों के बीच और भी मतभेद उपस्थित हुए। मेन्शेविक दल पहले जारशाही का अंत कर पूँजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति करना चाहता था और इस क्रांति में वह पूँजीवादी दलों के वाम पक्ष से सहयोग करना चाहता था, परंतु १९०५ की क्रांति के बाद लेनिन और उसके साथी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समाजवादी क्रांति के भय के कारण पूँजीवाद प्रतिक्रियावादी हो गया है, अतः वह पूँजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति का नेतृत्व करने में भी असमर्थ है। इसलिये इस क्रांति का नेतृत्व भी केवल सर्वहारा वर्ग ही कर सकता है और इस क्रांति को सर्वहारा क्रांति के साथ मिलाकर जारशाही के बाद एकदम समाजवाद की स्थापना संभव है। क्रांति में किसानों का सहयोग प्राप्त करने के लिये लेनिन सामंतवादी जमीन को किसानों में बाँटने के पक्ष में था, मेन्शेविक उसका तुरंत समाजीकरण करना चाहते थे। बोल्शेविक दल ने प्रथम महायुद्ध का विरोध किया और समाजवाद की स्थापना के लिये गृहयुद्ध का नारा दिया। युद्ध से त्रस्त जनता और विशेषकर रूसी सैनिकों ने इस नीति का स्वागत किया, परंतु मेन्शेविकों ने युद्ध का विरोध नहीं किया और फरवरी मार्च (१९१७) की क्रांति के बाद उन्होंने सरकार में शामिल होकर युद्ध जारी रखा। सन् १९१७ की अक्टूबर क्रांति में लेनिन के विचारों और बोल्शेविक संगठन की विजय हुई।

सन् १८७१ की पेरिस कम्यून के बाद सन् १९१७ में प्रथम स्थायी समाजवादी राज्य—सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना हुई। इस राज्य में उत्पादन के साधनों—उद्योग धंधे, व्यापार, विनिमय, भूमि आदि—का राष्ट्रीयकरण किया गया और शासक वर्ग को आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का नष्ट कर दिया गया। देश के संघर्ष, भारत से विभिन्न, कजाख और ईरानों के राष्ट्रीयताओं की विभिन्न कोशिशों के हाथ में शासन था, परंतु सन् १९३६ के संविधान के अनुसार एक विकेन्द्रीकृत संघ की स्थापना हुई। इसके प्रधान सदन का चुनाव सोवियत देश के विभिन्न मतदाताओं द्वारा होता है तथा विभिन्न सदन के सदस्य प्रेसीडियम प्रेसीडियम द्वारा चुने जाते हैं। परंतु सोवियत देश एकदलीय राज्य है और राजकीय शक्ति साम्यवादी दल के हाथ में है। किसी दूसरे दल को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं।

अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक दल ने अपना नाम साम्यवादी दल रखा और सन् १९१९ में उसने एक दूसरा साम्यवादी घोषणा-पत्र (प्रथम घोषणापत्र मार्क्स और एंगिल्स ने सन् [illegible] में लिखा था) प्रकाशित किया जिसके आधार पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन—साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय—की स्थापना हुई और उसकी सहायता से विभिन्न देशों में साम्यवाद का प्रचार आरंभ हुआ।

लेनिन के विचारों को साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है, परंतु लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन (Joseph Stalin) माओसेतुंग (Mao Tse tung) निकीता ख्रुश्चेव (Nikita Khrushchov) तथा विभिन्न देशों के साम्यवादी नेताओं ने विचारों की व्याख्या और उनका विकास किया है। ये सभी विचार साम्यवाद की कोटि में आते हैं। स्टालिन के विचारों में उसका उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार, नियोजित अर्थव्यवस्था अर्थात् पंचवर्षीय आदि योजनाएँ तथा सामूहिक और राजकीय स्वामित्व में खेती मुख्य हैं।

द्वितीय महायुद्ध के बीच और उसके बाद सोवियत सेनाओं की सफलता तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण संसार में समाजवाद (साम्यवाद सहित) का प्रभाव बढ़ा है। युद्ध का अंत होने तक न केवल पूर्वी यूरोप सोवियत प्रभावक्षेत्र बन गया, वरन् सन् १९४८ ई० तक इनमें से अधिकांश देशों में साम्यवादी राज्य स्थापित हो गए। एशिया में भी चीन जैसे विशाल देश में साम्यवाद सफल हुआ, और सोवियत तथा जनवादी चीनी गणराज्य के प्रभाव से उत्तरी एशिया और उत्तरी वियतनाम के शासन साम्यवादी प्रभाव में आ गए। साम्यवाद का असर सभी देशों में बढ़ा है। फ्रांस, इटली और हिंदएशिया जैसे देशों में शक्तिशाली साम्यवादी दल हैं। परंतु साम्यवाद के प्रसार ने उस आंदोलन के सामने कई सैद्धांतिक और व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं—

(i) मार्क्सवाद लेनिनवाद की धारणा थी कि साम्यवादी स्थापना क्रांति द्वारा ही संभव है परंतु यूगोस्लाविया और अल्बानिया को छोड़ कर शेष पूर्वी यूरोप में युद्धकाल में साम्यवादी दलों का अस्तित्व नहीं के बराबर था और बाद में भी चेकोस्लोवाकिया को छोड़ कदाचित् [illegible] देश में [illegible] नहीं था। पूर्वी यूरोप और उत्तरी [illegible] से [illegible] शासनों की स्थापना [illegible]

works. जी० डी० एच० कोल, The Meaning of Marxism-गांधीनाथ धावन Political Philosphy of Mahatma Gandhi.

[आ० रा०]

समाजवादी इंटरनैशनल दुनिया के लोकतांत्रिक समाजवादी दलों का संघ है जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में है। इसका मूल ध्येय मनुष्य द्वारा मनुष्य के तथा राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषण का अंत करना और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सभी महाद्वीपों के मजदूर तथा लोकतांत्रिक समाजवादी दल इसमें हैं और अपनी अपनी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय नीति में स्वाधीन हैं तथा किसी एक मतवाद अथवा पंथ के अनुयायी नहीं हैं। यह इंटरनैशनल अपने सदस्यों में पारस्परिक संबंधों को दृढ़ करने और सहमति के आधार पर उनकी राजनीतिक अभिवृत्तियों को समन्वित करने का प्रयत्न करता है और साम्राज्य-विरोधी तथा पूँजीवाद विरोधी होने के साथ साम्यवाद विरोधी भी है। प्रथम और द्वितीय इंटरनैशनल के उत्तराधिकारी के रूप में इसने सन् १९६४ में अपनी जन्मशती मनाई।

प्रथम इंटरनैशनल — यूरोप में मशीनी उद्योग तथा पूँजीवाद के उदय के साथ औद्योगिक मजदूरों के संघ और समाजवादी विचार-धारा का उदय हुआ और वहाँ के अनेक समाजवादी विचारकों तथा मजदूर नेताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समाजवादी संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई। सन् १८४७ में कम्युनिस्ट लीग की स्थापना एक ऐसे ही प्रयास का फल थी। इतिहास प्रसिद्ध 'कम्युनिस्ट [illegible] और ब्रिटेन के मजदूर नेता लंदन में इकट्ठे हुए। उनकी चिंता यह थी कि यूरोप की कुछ सरकारों ने मजदूर हड़तालों को तोड़ने के लिये विदेशी मजदूरों का इस्तेमाल किया था। यहाँ उन्होंने फैसला किया कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। फलतः सन् १८६४ में लंदन में एकत्र हुए यूरोपीय देशों के मजदूर नेताओं तथा समाजवादी विचारकों के एक सम्मेलन में अधिक अंतरराष्ट्रीय संघ (अधिक सेंट इंटरनैशनल असोसिएशन) स्थापित हुआ जिसे सामान्यतः प्रथम इंटरनैशनल के नाम से जाना जाता है।

प्रथम इंटरनैशनल की शाखाएँ जल्दी ही यूरोप के विभिन्न देशों में स्थापित हो गईं। इस इंटरनैशनल के उद्देश्य और नियम कार्ल मार्क्स ने तैयार किए थे और जान बूझकर इसमें [illegible] कर दिए थे कि संगठन को व्यापक बना दिया जा सके। सन् १८७१ में पेरिस कम्यून का विस्फोट हुआ जिसका प्रथम इंटरनैशनल के [illegible] नेताओं ने जोरदार [illegible] [illegible] इंटरनैशनल तथा [illegible] मार्क्स के [illegible] और [illegible] के कारण इंटरनैशनल [illegible] कमजोर हो गया था और अंत में सन् १८७६ में सन् [illegible] गया।

द्वितीय इंटरनैशनल — सन् १८८९ में 'समाजवादी इंटरनैशनल' के नाम से स्थापित हुआ, किंतु इसका विधिवत् संगठन सन् १९० में हुआ। इसे आम तौर से द्वितीय इंटरनैशनल के नाम से जाना जाता है। द्वितीय इंटरनैशनल के नियामक घटक समाजवादी तथा मजदूर (राजनीतिक) दल थे जो [illegible] यूरोप के अनेक देशों में गठित हो गए थे। समाजवादी इंटरनैशनल समान हित तथा रुचि के मसलों पर विचार करनेवाला एक मंच था जिसके सदस्य अपनी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय नीतियों में पूर्णतः स्वाधीन थे और इंटरनैशनल द्वारा नियंत्रित नहीं थे। युद्ध रोकना और दो राष्ट्रों में युद्ध छिड़ जाने की दशा में अपने अपने देश में क्रांतिकारी संघर्ष तथा विप्लव द्वारा सत्ता हस्तगत करना, सन् १९१४ तक इंटरनैशनल के विचार का मुख्य विषय बना हुआ था। फिर भी यह इंटरनैशनल [illegible] संगठन के कारण कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सका। उसके सदस्य प्रस्ताव युद्ध रोकने तथा शांति बनाए रखने के संबंध तक सीमित रहे। जब प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ तो यूरोप के अधिकांश समाजवादी दलों ने युद्ध में अपनी अपनी सरकारों का साथ दिया। युद्धकाल में द्वितीय इंटरनैशनल निष्क्रिय रहा। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सन् १९१९ में जब द्वितीय इंटरनैशनल को मजदूर तथा समाजवादी इंटरनैशनल के नाम से पुनर्गठित किया गया तो लेनिनवादी मार्क्सवादी दल उसमें शामिल नहीं हुए और उन्होंने लेनिन के नेतृत्व में तृतीय इंटरनैशनल कायम किया। सन् १९३९ में दूसरा विश्वयुद्ध शुरू होने पर द्वितीय इंटरनैशनल फिर निष्क्रिय हो गया। युद्ध समाप्त होने पर, [illegible] के प्रसार में बाद यूरोप के समाजवादी दलों की विषम स्थिति के कारण, द्वितीय इंटरनैशनल को पुनरुज्जीवित नहीं किया गया और सन् १९५६ में इसे भंग कर दिया गया। इसके बाद सन् १९५७ में 'कांग्रेस' नाम से लोकतांत्रिक समाजवादी दलों का एक नया समाजवादी अंतरराष्ट्रीय मंच बना जिसे सन् १९६९ में समाजवादी इंटरनैशनल' में बदल दिया गया।

तृतीय इंटरनैशनल — प्रथम विश्वयुद्ध में यूरोप के [illegible] समाजवादी दलों ने अपनी युद्धकालीन सरकारों के साथ सहयोग किया था जिससे [illegible] युद्धकाल में ही [illegible] दलों के अपनी युद्धकालीन सरकारों के विरुद्ध [illegible] विद्रोह करने का आह्वान किया था। सन् १९१७ के [illegible] क्रांति हो गई। [illegible] सन् १९१९ में विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने पर लेनिन के नेतृत्व में एक नया इंटरनैशनल [illegible] इंटरनैशनल (कमिंटर्न) नाम [illegible] [illegible] इंटरनैशनल सन् १९२३ तक [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] इंटरनैशनल [illegible] राष्ट्रों के [illegible] [illegible] इंटरनैशनल को सन् १९४३ में [illegible] किया गया।

चतुर्थ इंटरनैशनल — द्वितीय विश्वयुद्ध [illegible] १९१७

उसका विनाश नहीं। गांधीवाद धार्मिक अराजकतावाद है। इस समय विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण गांधीवाद की व्याख्या और उसका प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने श्रम, भू, ग्राम, संपत्ति आदि के दान द्वारा अहिंसात्मक ढंग से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न किया है।

भारतवर्ष में दूसरी प्रमुख समाजवादी विचारधारा मार्क्सवादी है। निरंकुश शासन बहुधा राज्यविरोधी, अराजकतावादी और क्रांतिकारी विचारों के पोषक होते हैं। भारतवर्ष में मार्क्सवाद के प्रमुख प्रचारक मानवेंद्रनाथ राय थे। बोल्शेविक क्रांति के बाद तुरंत ही आप साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय के संपर्क में आए और उसकी ओर से विदेश से ही भारत में साम्यवादी आंदोलन का निर्देशन करने लगे। साम्यवादी आंदोलन पूँजीवाद और उसकी उच्चतम अवस्था साम्राज्यवाद को अपना प्रमुख शत्रु समझता है और उपनिवेशों के स्वाधीनता संग्रामों को प्रोत्साहित करके उसको कमजोर करना चाहता है।

औपनिवेशिक स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में मानवेंद्रनाथ राय के अपने विचार थे। उनका मत था कि भावी समाजवादी क्रांति में औपनिवेशिक क्रांतियों का प्रमुख स्थान होगा। चीनी साम्यवादियों का भी आज यही मत है, परंतु सोवियत विचारकों ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। राय की यह भी धारणा थी कि औपनिवेशिक पूँजीवाद ने साम्राज्यशाही से गठबंधन कर लिया है अतः वह प्रतिक्रियावादी है और क्रांतिकारी दल उसके साथ संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते। यद्यपि साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय ने इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया, तथापि भारतीय साम्यवादियों ने अधिकांशतः इस नीति का अनुसरण किया और बहुधा राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग रहे।

बोल्शेविक क्रांति के बाद शीघ्र ही भारत के बड़े नगरों में साम्यवादियों के स्वतंत्र संगठन बने, एक किसान मजदूर पार्टी की स्थापना हुई और सन् १९२४ तक एक अखिल भारतीय साम्यवादी दल का संगठन भी हुआ, परंतु यह दल शीघ्र ही अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद सन् १९३६ से इसकी शक्ति बढ़ी और इस समय यह भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से है।

दूसरा समाजवादी दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी। इसकी स्थापना सन् १९३४ में हुई। भारतीय समाजवादी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, आदि नेता प्रथम महायुद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। परंतु भद्र अवज्ञा आंदोलन (१९३०-३१) की असफलता और सन् १९२९ के आर्थिक संकट के समय पूँजीवादी देशों की दुर्गति तथा इन देशों में फासिजम की विजय और दूसरी ओर सोवियत देश की आर्थिक संकट से मुक्ति तथा उसकी सफलता, इन सब कारणों से अनेक राष्ट्रभक्त समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। इनमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्रदेव, मीनू मसानी, डा० राममनोहर लोहिया, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, युसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता उल्लेखनीय हैं। इनका उद्देश्य कांग्रेस मंच द्वारा समाजवादी दल से स्वराज्यप्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना था।

स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय शक्तियों का संयुक्त मोर्चा न रहकर एक राजनीतिक दल बन गई, अतः अन्य स्थापित और संगठित दलों को कांग्रेस से निकलना पड़ा। इनमें कांग्रेस समाजवादी दल भी था। उसने कांग्रेस शब्द को अपने नाम से हटा दिया। बाद में आचार्य कृपालानी द्वारा संगठित कृषक मजदूर प्रजा पार्टी इसमें मिल गई और इसका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गया, परंतु डाक्टर राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी दल का एक अंग इससे अलग हो गया और उसने एक समाजवादी पार्टी बना ली। इस समय प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। किंतु संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वाराणसी अधिवेशन (१९६५) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अलग होकर पुनः अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिया। उसी समय अशोक मेहता के नेतृत्व में कुछ प्रजा सोशलिस्ट कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह समाजवादी विचारधारा सोवियत तानाशाही का विरोध करती है तथा अपने को पाश्चात्य देशों के लोकतंत्रात्मक और विकासवादी समाजवाद के निकट पाती है।

समय समय पर समाजवादी विचारों को स्वीकार करनेवाले कई और दल भी भारत में रहे हैं। साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय से संबंध विच्छेद के बाद एम० एन० राय के समर्थक भारतीय साम्यवादी दल से अलग हो गए। भारतीय बोल्शेविक पार्टी, सुभाषचंद्र बोस का [illegible]

[illegible]

स्वराज्यप्राप्ति के बाद भारतीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से समाजवाद को स्वीकार किया है। उसके पूर्व वह समाजवादी और उसके विरोधी सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं का एक संयुक्त मोर्चा थी, परंतु उस समय भी वह समाजवादी विचारों से प्रभावित थी। एक प्रकार से उसने कराची प्रस्ताव (१९३१) में कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्वीकार किया था, कांग्रेस मंत्रिमंडलों (१९३७) के बनने के बाद (सुभाषचंद्र बोस की अध्यक्षता में) एक योजना समिति की नियुक्ति की गई थी; और स्वराज्यप्राप्ति के बाद तुरंत ही वर्गविहीन समाज का विचार सामने आ गया। स्वराज्य के बाद यद्यपि संगठित समाजवादी दल कांग्रेस से अलग हो गए, तथापि उसके अंदर समाजवादी तत्व, विशेषकर उसके सर्वप्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, प्रभावशील रहे, अतः कांग्रेस के आवडी अधिवेशन (१९५७) में 'समाजवादी ढंग का समाज' और भुवनेश्वर अधिवेशन (१९६४) में लोकतंत्रात्मक समाजवाद का लक्ष्य स्वीकार किया गया। उसका नियोजित अर्थव्यवस्था, समाजसुधार, कल्याण राज्य और लोकतंत्र में विश्वास है और उसकी परराष्ट्र नीति पाश्चात्य तथा पूर्वी गुटों के अधिक संपर्क से अलग रहकर शांति की अभिलाषा

सं० ग्रं० — कार्लमार्क्स, एसेज़ इन फेबियन (Fabian Essays); [illegible] Movements); [illegible]

rks. जी० डी० एच० कोल, The Meaning of Marxism; [illegible] Political Ph losphy of Mahatma Gandhi.

[द्वा० ना०]

समाजवादी इंटरनैशनल दुनिया के लोकतांत्रिक समाजवादी [illegible] का संघ है जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में है। इसका मूल ध्येय [illegible] द्वारा मनुष्य के तथा राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषण का [illegible] और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय की [illegible] करना है। सभी महाद्वीपों के मजदूर तथा लोकतांत्रिक समाजवादी दल इसमें हैं और अपनी अपनी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय नीति में स्वाधीन हैं तथा किसी एक सम्बद्ध दल या पक्ष के [illegible] नहीं हैं। यह इंटरनैशनल अपने सदस्यों के पारस्परिक [illegible] को दूर करने और सहमति के आधार पर उनकी राजनीतिक [illegible] को समन्वित करने का प्रयत्न करता है और [illegible] विरोधी तथा पूँजीवाद विरोधी होने के साथ साम्यवाद विरोधी भी [illegible]। प्रथम और द्वितीय इंटरनैशनल के उत्तराधिकारी के रूप में [illegible] सन् १९६४ में अपनी शताब्दी मनाई।

प्रथम इंटरनैशनल — यूरोप में मशीनी उद्योग तथा पूँजीवाद [illegible] उदय के साथ औद्योगिक मजदूरों के संघ और समाजवादी विचार[illegible] का उदय हुआ और वहाँ के अनेक समाजवादी विचारकों तथा मजदूर नेताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर [illegible] समाजवादी आंदोलन [illegible] की जरूरत महसूस हुई। [illegible] में [illegible] [illegible] एक ऐसे ही प्रयास का [illegible] कार्ल मार्क्स और [illegible] तैयार किया था। किंतु [illegible] के साथ यह [illegible] और [illegible] की कि यूरो[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] देशों के [illegible] स्थापित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

द्वितीय इंटरनैशनल — सन् १८८९ में 'समाजवादी इंटर[illegible]' के नाम से स्थापित हुआ, किंतु इसका विधिवत् संगठन [illegible] में हुआ। इसे आम तौर से द्वितीय इंटरनैशनल के नाम से जाना है। द्वितीय इंटरनैशनल के निर्माता घटक समाजवादी तथा [illegible] (राजनीतिक) दल थे जो [illegible] यूरोप के अनेक देशों में [illegible] हो गए थे। समाजवादी इंटरनैशनल [illegible] [illegible] के [illegible] विचार करनेवाला एक मंच था जिसके सदस्य अपनी [illegible] तथा अंतरराष्ट्रीय नीतियों में पूर्णत: स्वाधीन थे और इंटरनैशनल द्वारा नियंत्रित नहीं थे। युद्ध रोकना और [illegible] राष्ट्रों में युद्ध हो जाने की दशा में अपने अपने देश में [illegible] [illegible] तथा [illegible] द्वारा [illegible] हस्तक्षेप करना, सन् १९१४ तक इंटरनैशनल के [illegible] [illegible] [illegible] बना हुआ था। फिर भी यह इंटरनैशनल [illegible] के कारण कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सका। [illegible] [illegible] युद्ध रोकने तथा शांति बनाए रखने के [illegible] [illegible] रहे। जब प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ तो यूरोप के अधिक [illegible] समाजवादी दलों ने युद्ध में अपनी अपनी सरकारों का साथ दिया [illegible] द्वितीय इंटरनैशनल [illegible] [illegible] [illegible]। युद्ध [illegible] हो जाने के बाद, सन् १९१९ में जब द्वितीय इंटरनैशनल को [illegible] [illegible] समाजवादी इंटरनैशनल के नाम से पुनर्गठित किया गया। लेनिनवादी मार्क्सवादी दल इसमें शामिल नहीं हुए और उन्होंने [illegible] के नेतृत्व में तृतीय इंटरनैशनल कायम किया। सन् १९३[illegible] में दूसरा विश्वयुद्ध शुरू होने पर द्वितीय इंटरनैशनल फिर [illegible] हो गया। युद्ध समाप्त होने पर, [illegible] के [illegible] में [illegible] यूरोप के समाजवादी दलों की [illegible] के कारण, द्वितीय इंटरनैशनल को पुनर्जीवित नहीं किया गया और सन् १९[illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] कर दिया गया। इसके बाद सन् १९[illegible] में '[illegible]' नाम से लोकतांत्रिक समाजवादी दलों का एक [illegible] समाजवादी अंतरराष्ट्रीय [illegible] [illegible] [illegible] सन् १९५१ में समाजवादी इंटरनैशनल' के [illegible]

[illegible] — प्रथम विश्वयुद्ध में यूरोप के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] विश्वयुद्ध [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

में रूस के नेतृत्व में यूरोप के कम्युनिस्ट दलों का एक नया अंतर-राष्ट्रीय मंच 'कोमिनफार्म' के नाम से बना जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के कम्युनिस्ट दलों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। किंतु हंगरी के आंतरिक विद्रोह के बाद सन् १९५६ में 'कोमिनफार्म' विघटित कर दिया गया। [स० प्र० मि०]

समाजशास्त्र आधुनिक समाजविज्ञानों की शृंखला में समाजशास्त्र यद्यपि सबसे नई कड़ी है किंतु उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। समाज के संबंध में मनुष्य ने हमेशा चिंतन किया है। समाज संबंधी गहन मननचिंतन का भंडार भारतीय, चीनी, मिस्री, यूनानी, अरबी, आदि सभी प्राचीन संस्कृतियों के वाङ्मयों में विद्यमान है और उसके अनुशीलन से आज भी समाजशास्त्री प्रेरणा ग्रहण करते हैं। किंतु ज्ञान की विशिष्ट शाखा के रूप में समाजशास्त्र का उदय तभी संभव हुआ जब अट्ठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतिकारी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण समाज में सुव्यवस्था एवं सुधार की आवश्यकता तीव्रतर होती गई; जब प्राकृतिक विज्ञानों, विशेषकर जैवकीय विज्ञानों का, प्रभाव काफी बढ़ गया; और जब समाजदर्शन, राजदर्शन एवं इतिहास ■ दर्शन के क्षेत्रों में नई दिशाएँ खोजी जाने लगीं। इन सभी शक्तियों ने मिलकर ऐसी भूमि तैयार की जो समाजशास्त्र के उद्भव के लिये उपयुक्त थी। इस भूमि में आधुनिक समाजशास्त्र के पौधे का विधिवत् रोपण करने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक आगुस्त कोंत (१७९८-१८५७) को है जिन्होंने विज्ञानों के स्वनिर्मित पदक्रम में समाजशास्त्र नामक नए विज्ञान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। तब से समाजशास्त्र निरंतर प्रगति करता रहा है और आज वह अत्यंत व्यापक तथा प्रभावशाली विज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है। यद्यपि समाजशास्त्र की नींव यूरोप में प्रधानतया फ्रांस, इंग्लैंड तथा जर्मनी में डाली गई थी किंतु उसका विकास तेजी से बीसवीं शती के दूसरे तथा तीसरे दशक से अमरीका में हुआ। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् समाजशास्त्र का प्रसार अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर होने लगा और अब शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन को महत्व न दिया जाता हो। भारत में भी यद्यपि समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत इस शती के दूसरे और तीसरे दशक के दौरान बंबई, कलकत्ता, लखनऊ तथा बनारस में की जा चुकी थी तथापि विश्वविद्यालयों में उसका तीव्र गति से प्रसार, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही संभव हुआ।

समाजशास्त्र के अर्थ, प्रकृति तथा विषयक्षेत्र के संबंध में समाजशास्त्रियों में कभी मतैक्य नहीं रहा। जबकि एक ओर समाजशास्त्र को 'समाज का वैज्ञानिक अध्ययन' कहकर एक सर्वोत्तम परिभाषा प्रदान की गई है तो दूसरी ओर उसे 'सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं तथा उनके अंत:संबंधों का अध्ययन' मानकर एक जटिल संभावनाओं से युक्त परिभाषा में बाँधने का प्रयत्न भी किया गया है। पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों में दुर्खेम या होबहाउस ने समाजशास्त्र को एक सीमांकित संकुचित सामाजिक विज्ञान की भाँति चित्रित करने का प्रयास किया तो विवेक या स्पेंसर ने उसे सीमित किंतु पूर्ण सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा। परवर्ती समाजशास्त्रियों में सोरोकिन ■ मूर जबकि उच्चस्तरीय समन्वयात्मक अथवा सकल मानवजाति के विश्वात्मक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो पार्सन्स सामाजिक क्रिया द्वारा गठित सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतःसंबंधों के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों के रूप में समाजशास्त्र को विकसित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इसी कारण समाजशास्त्र के विषय में अपनी धारणा के अनुसार प्रत्येक प्रमुख समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के विषयक्षेत्र का भी निर्धारण किया है तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्नता स्थापित करनेवाली उसकी विशिष्ट प्रकृति की रूपरेखाएँ प्रस्तुत की हैं। अतएव समाजशास्त्र की प्रकृति संबंधी स्थापनाओं की विविधताओं के कारण समाजशास्त्र की परिभाषा तथा विषयक्षेत्र के निर्धारण की दिशा में कोई अंतिम, सर्वमान्य तथा सर्वग्राही दृष्टिकोण उपस्थित करना संभव नहीं है। समाजशास्त्र की मूलभूत संप्रत्यात्मक तथा विधिशास्त्रीय समस्याओं संबंधी विचारमंथन की तीव्रता में कभी कमी नहीं आई है। इस स्थिति के बावजूद समाज के अध्ययन से संबंधित अन्य समाजविज्ञानों से समाजशास्त्र की भिन्नता और विशिष्टता को स्पष्टतया इंगित किया जा सकता है।

अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र की यह विशिष्टता है कि वह सामाजिक जीवन का अध्ययन एक समष्टि के रूप में करता है। वह समाज के किसी एक पक्ष या संस्था मात्र पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। वह सामाजिक जीवन को एक पूर्णत्व के रूप में देखता है। अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, या विधिशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों का दृष्टिबिंदु प्रधानतया समाज के किसी पहलू में ही केंद्रित रहा है। किंतु समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पहलुओं तथा उनके अंत:संबंधों के स्वरूपों, प्रकारों तथा प्रतिफलों के अध्ययन में संलग्न होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि के अंतर्गत समाज के विभिन्न संस्थात्मक पक्ष अन्योन्याश्रित रूप से अंत:संबंधित हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा उनके अंत:संबंधों की समग्रता पर समाजशास्त्र जोर देता है। अतः समाजशास्त्र समाज का अध्ययन एक समग्र संरचना के रूप में करता है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक संरचना के ■■ अध्ययन में समाजशास्त्र समाज के विभिन्न संस्थात्मक पहलुओं के विशिष्ट अध्ययन को महत्व नहीं देता। विशेषीकृत अध्ययन तो समाजशास्त्र ■ लिये अनिवार्य है ही। इसी आधार पर समाजशास्त्र की अनेक शाखाएँ — यथा परिवार का समाजशास्त्र, आर्थिक जीवन का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र — विकसित हुई हैं। वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन कर उनके विश्लेषण की आवश्यकता सिद्ध की है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसे विशेषीकृत अध्ययनों को एकांगी एवं असंबद्ध संस्थाओं का विवेचन मात्र न मानकर उन्हें सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों में स्थित सामाजिक रचनाओं के अंगों के रूप में देखा जाता है।

समाजशास्त्र के स्वरूप को समझने के लिये इतना ही रहना [illegible] यथेष्ट नहीं है कि वह समाज को [illegible] देखता है। वह इस संरचना के [illegible]

गतिशीलता प्रदान करनेवाली प्रक्रियाओं का तथा उसमें परिवर्तन लानेवाले तत्वों का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाना स्वाभाविक है क्योंकि ये ही प्रक्रियाएँ संरचना के गतिदायक तत्व हैं। समाजशास्त्रियों का एक प्रमुख वर्ग, जिसका नेतृत्व जर्मन समाजशास्त्रियों ने किया है, इन प्रक्रियाओं के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का प्रधान लक्ष्य मानता है। स्तरीकरण, संघर्ष, सहयोग, श्रेष्ठता, अधीनता आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन कोई दूसरा सामाजिक विज्ञान नहीं करता। समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख शाखाएँ भी इसी आधार पर विकसित हुई हैं, जैसे, स्तरीकरण का समाजशास्त्र, परिष्णुता का समाजशास्त्र, संघर्ष का समाजशास्त्र, आदि।

इस प्रकार समाजशास्त्र समाजरूपी समग्र संरचना का एक विशिष्ट प्रकार के व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन तथा विश्लेषण करता है। वह समाज का इस दृष्टि से अध्ययन करता है कि जटिलताओं के होते हुए और उसके सदस्यों की जन्ममृत्यु के आवागमन क्रम के बावजूद उसमें व्यवस्था किस प्रकार कायम रहती है तथा कौन सी प्रक्रियाएँ इस व्यवस्था की निरंतरता को कायम रखती हैं; समाज के सदस्यों के व्यवहार तथा उनकी क्रियाओं का स्वरूप क्या होता है और इन क्रियाओं के विभिन्न पुंजों में संगठित होने की प्रवृत्ति के नियम क्या हैं, समाज की व्यवस्था कब और कैसे विभिन्न मात्राओं में संकटग्रस्त होती है, और सर्वोपरि, किस रूप तथा दिशा में किन कारकों से प्रभावित होकर यह व्यवस्था परिवर्तित होती है। अतः समाजशास्त्र की दृष्टि में समाज केवल एक स्थिर संरचनामात्र नहीं है वरन् विभिन्न प्रक्रियाओं के गत्यात्मक संबंधों की व्यवस्था भी है और ऐसी व्यवस्था जो कालप्रवाह में रहती है, फिर नवीन स्थितियों से गुजरती जाती है। उपर्युक्त दृष्टि से समाजशास्त्र जहाँ एक ओर समाजव्यवस्था के आधारभूत तत्वों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करनेवाला सामाजिक विज्ञान है, वहाँ दूसरी ओर वह उस व्यवस्था के परिवर्तन के रूपों, प्रतिमानों और कारकों की व्याख्या करनेवाला सामाजिक विज्ञान भी है।

विश्लेषण तथा अध्ययन की दृष्टि से समाजशास्त्र का विषयक्षेत्र अनेक स्तरों में बँटा हुआ है। अब तक के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में लघुतम तथा सरलतम स्तर समाज के सदस्यों की एकाकी सामाजिक क्रियाओं का स्तर है। इसके बाद का अगला स्तर सामाजिक क्रियाओं के व्यवस्थित संपुंजन से निर्मित सामाजिक संबंधों का स्तर है। इस स्तर से ऊपर अधिक व्यापक तथा जटिल स्तर सामाजिक संबंधों के संगठन से बनी सामाजिक संस्थाओं का स्तर है। तदुपरांत विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की अंतर्संबंधित संरचना के पूर्णत्व के रूप में समाजरूपी व्यवस्था का स्तर अपने दीर्घ तथा जटिल रूप में देखा जाता है। अंत में देश तथा काल की सीमाओं से आबद्ध विश्व की सभी समाज व्यवस्थाओं की समष्टि समाजशास्त्रीय विश्लेषण का सबसे दीर्घकाय तथा जटिलतम स्तर है। इन सभी स्तरों के विश्लेषण के दौरान समाजशास्त्री उनकी अन्योन्याश्रित एकात्मक प्रकृति को कभी नजरअंदाज नहीं करता। साथ ही वह इन स्तरों के पूर्णत्व को किसी अनेक मंजिलोंवाली मीनार या स्थिर इमारती ढाँचे की भाँति भी नहीं देखता। इस प्रकार का स्तरात्मक विभा तो विश्लेषणात्मक सुविधा के हेतु किया जाता है, न कि का कलाशास्त्र की संरचनात्मक अवधारणा की भाँति। सम के लिये यह कहा जा सकता है कि समाज नदी की धारा भाँति है। नदी का जो पानी किसी एक क्षण किसी तट छूता है, वह दूसरे क्षण वहाँ नहीं रहता किंतु साथ ही नदी के क्षण के जल के अंश को अगले क्षण के जल के अंश से अलग करना कठिन है। यदि ऐसा किया जा सकता है तो वह नदी न रह जायगी, वह तो स्थिर जल रह जायगा। जल का अंश, तथा तट का भेद हमारे समझने के लिये है, वरना नदी तो पूर्ण वस्तु है—प्रवहमान पूर्ण वस्तु। इसी भाँति यह कहा सकता है कि समाज भी एक पूर्ण वस्तु या पूर्णत्व है, प्रवहम पूर्णत्व। इस सत्य को ध्यान में रखते हुए ही समाजशास्त्र बहुस्तरीय तथा बहुमुखी विश्लेषण सार्थकता तथा विशिष्टता प्र करता है।

समाजशास्त्र ने अपने पिछले एक शताब्दी से अधिक के इतिहा में निःसंदेह यथेष्ट प्रगति की है। जैसे जैसे कोई ज्ञान या विज्ञा प्रगति करता है उसके अंतर्गत व्यापकता, गहनता तथा सूक्ष्मत बढ़ते हुए विशेषीकरण के रूप में प्रकट होती है। विषय के अंद नई शाखाएँ तथा उपशाखाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। समाजशास्त्र भी ज्ञान के विकास के इस सामान्य नियम से बाहर नहीं है और उसकी भी अनेक शाखाएँ तथा उपशाखाएँ बनती तथा पनपती हैं आज समाजशास्त्र की शाखाओं तथा उपशाखाओं की सूची काफी लंबी हो चुकी है। सुविधा की दृष्टि से उनको निम्न मुख्य वर्गों में रखा सकता है: (१) सैद्धांतिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण — इसके अंतर्गत समाजशास्त्र की सैद्धांतिक, अवधारणात्मक तथा पद्धतिशास्त्रीय पक्षों से संबंधित शाखाएँ आती हैं; (२) संस्थाओं का समाजशास्त्र विश्लेषण — इसके अंतर्गत पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आदि प्रत्येक संस्था से संबंधित समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखाएँ संमिलित हैं; (३) सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण—इस वर्ग में विभिन्नीकरण, स्तरीकरण, परिष्णुता, सहयोग, संघर्ष, समाजीकरण, परिवर्तन आदि प्रक्रियाओं से संबंधित समाजशास्त्र की शाखाएँ संमिलित हैं; (४) सामाजिक जीवन के विभिन्न स्तरों का विश्लेषण — इसके अंतर्गत सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध, व्यक्तित्व, समूह, समिति, तथा समुदाय आदि सामाजिक जीवन की प्रमुख इकाइयों का अध्ययन करनेवाली शाखाएँ आती हैं; (५) सांस्कृतिक तत्वों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण —इसमें मूल्यों ज्ञान विज्ञान, भाषा एवं प्रतीकों, कला आदि का विश्लेषण करनेवाली शाखाएँ संमिलित हैं; तथा (६) सामाजिक विघटन तथा विघटन का विश्लेषण—इसमें वैयक्तिक विघटन, संस्थात्मक एवं सामूहिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन, अपराधशास्त्र आदि शाखाएँ संमिलित हैं।

समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाओं के उपर्युक्त वर्गीकरण से आज समाजशास्त्र के क्षेत्र तथा प्रगति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह संभव है कि भविष्य में इनमें से कुछ शाखाएँ इतनी विकसित हो जायँ कि वह समाजशास्त्र से बाहर निकलकर स्वतंत्र शास्त्र

में रूस के नेतृत्व में यूरोप के कम्युनिस्ट दलों का एक नया अंतर-राष्ट्रीय मंच 'कोमिनफार्म' के नाम से बना जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के कम्युनिस्ट दलों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। किंतु हंगरी के आंतरिक विद्रोह के बाद सन् १९५६ में 'कोमिनफार्म' विघटित कर दिया गया। [स० प्र० मि०]

समाजशास्त्र आधुनिक समाजविज्ञानों की शृंखला में समाजशास्त्र यद्यपि सबसे नई कड़ी है किंतु उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। समाज के संबंध में मनुष्य ने हमेशा चिंतन किया है। समाज संबंधी बहुत मननचिंतन का भंडार भारतीय, चीनी, मिस्री, यूनानी, अरबी, आदि सभी प्राचीन संस्कृतियों के वाङ्मयों में विद्यमान है और उसके अनुशीलन से आज भी समाजशास्त्री प्रेरणा ग्रहण करते हैं। किंतु ज्ञान की विशिष्ट शाखा के रूप में समाजशास्त्र का उदय तभी संभव हुआ जब अट्ठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतिकारी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण समाज में सुव्यवस्था एवं सुधार की आवश्यकता तीव्रतर होती गई; जब प्राकृतिक विज्ञानों, विशेषकर जैवकीय विज्ञानों का, प्रभाव काफी बढ़ गया; और जब समाजदर्शन, राजदर्शन एवं इतिहास के दर्शन के क्षेत्रों में नई दिशाएँ खोजी जाने लगीं। इन सभी शक्तियों ने मिलकर ऐसी भूमि तैयार की जो समाजशास्त्र के उद्भव के लिये उपयुक्त थी। इस भूमि में आधुनिक समाजशास्त्र के पौधे का विधिवत् रोपण करने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक आगुस्त कोंत (१७९८-१८५७) को है जिन्होंने विज्ञानों के स्वनिर्मित पदक्रम में समाजशास्त्र नामक नए विज्ञान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। तब से समाजशास्त्र निरंतर प्रगति करता रहा है और आज वह अत्यंत व्यापक तथा प्रभावशाली विज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है। यद्यपि समाजशास्त्र की नींव यूरोप में प्रधानतया फ्रांस, इंग्लैंड तथा जर्मनी में डाली गई थी किंतु उसका विकास तेजी से बीसवीं सदी के दूसरे तथा तीसरे दशक से अमरीका में हुआ। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् समाजशास्त्र का प्रसार अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर होने लगा और अब शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन को महत्व न दिया जाता हो। भारत में भी यद्यपि समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत इस सदी के दूसरे और तीसरे दशक के दौरान बंबई, कलकत्ता, लखनऊ तथा बनारस में की जा चुकी थी तथापि विश्वविद्यालयों में उसका तीव्र गति से प्रसार, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही संभव हुआ।

समाजशास्त्र के अर्थ, प्रकृति तथा विषयक्षेत्र के संबंध में समाजशास्त्रियों में कभी मतैक्य नहीं रहा। जबकि एक ओर समाजशास्त्र को 'समाज का वैज्ञानिक अध्ययन' कहकर एक सटीक परिभाषा प्रदान की गई है तो दूसरी ओर उसे 'सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं तथा उनके अंतःसंबंधों का अध्ययन' मानकर एक जटिल संभावनाओं से युक्त परिभाषा में बाँधने का प्रयत्न भी किया गया है। पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों में दुर्खेम या होबहाउस ने समाजशास्त्र को एक सीमांत संश्लिष्ट सामाजिक विज्ञान की भाँति विकसित करने का प्रयास किया तो विलेम या फिचरकांत ने उसे सीमित किंतु शुद्ध तात्विक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा। परवर्ती समाजशास्त्रियों में सोरोकिन या मूर जबकि उच्चस्तरीय समन्वयात्मक अथवा सकल मानवजाति के विश्वात्मक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो पार्सन्स सामाजिक क्रिया द्वारा गठित सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतःसंबंधों के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों के रूप में समाजशास्त्र को विकसित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इसी कारण समाजशास्त्र के विषय में अपनी धारणा के अनुसार अनेक प्रमुख समाजशास्त्रों ने समाजशास्त्र के विषयक्षेत्र का भी निर्धारण किया है तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्नता स्थापित करनेवाली उसकी विशिष्ट प्रकृति की रूपरेखाएँ प्रस्तुत की हैं। अलग समाजशास्त्र की प्रकृति संबंधी स्थापनाओं की विविधताओं के कारण समाजशास्त्र की परिभाषा तथा विषयक्षेत्र के निर्धारण की दिशा में कोई अंतिम, सर्वमान्य तथा सर्वग्राही दृष्टिकोण उपस्थित करना संभव नहीं है। समाजशास्त्र की सुनिश्चित सैद्धांतिक तथा विधिशास्त्रीय समस्याओं संबंधी विचारमंथन की तीव्रता में कभी कमी नहीं आई है। इस स्थिति के बावजूद समाज के अध्ययन से संबंधित अन्य समाजविज्ञानों से समाजशास्त्र की भिन्नता और विशिष्टता को स्पष्टतया इंगित किया जा सकता है।

अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र की यह विशिष्टता है कि वह सामाजिक जीवन का अध्ययन एक समग्र के रूप में करता है। वह समाज के किसी एक पक्ष या संस्था मात्र पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। वह सामाजिक जीवन को एक पूर्णत्व के रूप में देखता है। अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, या विधिशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों का दृष्टिबिंदु प्रधानतया समाज के किसी पहलू में ही केंद्रित रहा है। किंतु समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पहलुओं तथा उनके अंतःसंबंधों के स्वरूपों, प्रकारों तथा प्रतिफलों के अध्ययन में संलग्न होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि के अंतर्गत समाज के विभिन्न संस्थात्मक पक्ष अन्योन्याश्रित रूप से अंतःसंबंधित हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा उनके अंतःसंबंधों की समग्रता पर समाजशास्त्र जोर देता है। अतः समाजशास्त्र समाज का अध्ययन एक समग्र संरचना के रूप में करता है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक संरचना के इस अध्ययन में समाजशास्त्र समाज के विभिन्न संस्थात्मक पहलुओं के विशिष्ट अध्ययन को महत्व नहीं देता। विशेषीकृत अध्ययन तो समाजशास्त्र के लिये अनिवार्य है ही। इसी आधार पर समाजशास्त्र की अनेक शाखाएँ — यथा परिवार का समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र — विकसित हुई हैं। वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन कर विश्लेषण की आवश्यकता सिद्ध की है। किंतु है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसे विशेषीकृत एवं असंबद्ध तथ्यों का विवेचन मात्र न मानकर एवं ऐतिहासिक संदर्भों में स्थित सामाजिक रचना में देखा जाता है।

समाजशास्त्र के स्वरूप को समझने के यथेष्ट नहीं है कि वह समाज को एक समग्र देखता है। वह इस संरचना के क्रियाशील

दे सकता है। मुख्यतः प्रबंध में गतिरोध उत्पन्न होना, कंपनी का आधार समाप्त होना तथा कंपनी के बहुमत अंशधारियों के अल्पमत अंशधारियों के प्रति दमन व कपट करने की स्थिति में कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण माना गया है।

न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन समापन के लिये याचिका के प्रस्तुत करने के समय से ही समझा जाता है। याचिका चाहे किसी ने भी दी हो, समापन का आदेश सभी ऋणदाताओं तथा धनदाताओं के प्रति इस प्रकार लागू होता है जैसे यह उन सबकी संयुक्त याचिका हो।

कंपनी के संबंध में समापन आदेश होने पर सरकारी समापक इसका मापक बन जाता है। वह इसकी संपत्तियाँ बेचकर ऋणदाताओं का ठीक क्रम में भुगतान करके शेष को अंशधारियों के अधिकारानुसार वितरण करता है।

कंपनी का ऐच्छिक समापन निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है—

(क) अंतर्नियमों में निर्धारित अवधि समाप्त होने पर अथवा उनमें निर्दिष्ट वह घटना घटित होने पर जिसके घटित होने से कंपनी का समापन करना निश्चित किया गया हो। ऐसी दशा में कंपनी के सदस्य साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव पास करके उसके ऐच्छिक समापन का निर्णय कर सकते हैं।

(ख) अन्य किसी परिस्थिति में कंपनी की साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पास करके ऐच्छिक समापन का निर्णय किया जा सकता है।

ऐच्छिक समापन दो प्रकार का होता है — सदस्यों का अथवा ऋणदाताओं का।

जब कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ हो और उसके सदस्य समापन का निश्चय करें तो यह सदस्यों का ऐच्छिक समापन कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी के संचालकों को यह घोषणा करनी पड़ती है कि कंपनी में अपने ऋणों का भुगतान करने की समर्थता है। ऐसे समापन में कंपनी की साधारण सभा में एक या अधिक समापकों की नियुक्ति की जा सकती है तथा उनका पारिश्रमिक भी निर्धारित किया जाता है। समापक की नियुक्ति पर संचालक मंडल, प्रबंध अभिकर्ता या मैनेजर, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधकों के सभी अधिकारों का अंत हो जाता है, वह केवल रजिस्ट्रार को समापक की नियुक्ति तथा उसके स्थान की रिक्ति की सूचना देने का कार्य अथवा साधारण सभा या समापक द्वारा अधिकृत कार्यों को कर सकते हैं।

किंतु जब कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो तथा संचालक इसकी योग्यता की घोषणा न कर सकें, ऐसी परिस्थिति में किए जानेवाले समापन को ऋणदाताओं का ऐच्छिक समापन कहते हैं। ऐसे समापन में यह आवश्यक है कि जिस दिन समापन संबंधी प्रस्ताव पास करने के लिए साधारण सभा बुलाई जाए उसी दिन या उसके अगले दिन ऋणदाताओं की सभा बुलाई जाए। कंपनी के सदस्य एवं ऋणदाता अपनी अपनी सभाओं में समापक का मनोनयन कर सकते हैं। यदि सदस्यों तथा ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति भिन्न भिन्न हों तो ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही कंपनी का समापक नियुक्त किया जाता है। ऋणदाता अपनी उक्त सभा या किसी आगामी सभा में पाँच सदस्यों तक की एक निरीक्षण समिति नियुक्त कर सकते हैं। समापक का पारिश्रमिक निरीक्षण समिति द्वारा, इसके अभाव में ऋणदाताओं द्वारा तथा ऋणदाताओं के भी अभाव में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

न्यायालय के निर्देशन के अंतर्गत समापन — कंपनी द्वारा ऐच्छिक समापन के प्रस्ताव पास किए जाने के पश्चात् न्यायालय इस प्रकार के समापन का आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश से कंपनी का समापन तो ऐच्छिक ही रहता है किंतु वह न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसका उद्देश्य कंपनी, ऋणदाताओं तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा करना है। न्यायालय के निर्देशन के अंतर्गत समापन की याचिका का प्रभाव यह होता है कि न्यायालय को सभी वादों तथा वैध कार्यवाहियों पर उसी प्रकार अधिकारक्षेत्र प्राप्त हो जाता है जैसे न्यायालय द्वारा समापन की याचिका पर। निर्देशन आदेश के पश्चात् न्यायालय को समापक के पदच्युत करने, उसकी रिक्ति की पूर्ति करने तथा अतिरिक्त समापक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

समावयवता रासायनिक यौगिकों का जब सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया, तब देखा गया कि यौगिकों के गुण उनके संगठन पर निर्भर करते हैं। जिन यौगिकों के गुण एक से होते हैं उनके संगठन भी एक से ही होते हैं और जिनके गुण भिन्न होते हैं उनके संगठन भी भिन्न होते हैं। पीछे देखा गया कि कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जिनके संगठन, अणुभार तथा अणुसूत्र एक होते हुए भी, उनके गुणों में विभिन्नता है। ऐसे विशिष्ट यौगिकों को समावयवी (Isomer, Isomeride) संज्ञा दी गई और इस तथ्य का नाम समावयवता (Isomerism) रखा गया।

समावयवता प्रधानतया दो प्रकार की होती है: एक को संरचना समावयवता (Structural isomerism) और दूसरे को त्रिविम समावयवता (Stereo-isomerism) कहते हैं।

संरचना समावयवता — यदि दो यौगिकों के अणुभार और अणुसूत्र एक ही हों, पर उनके गुणों में विभिन्नता हो, तो इसका यही कारण हो सकता है कि उनके अणु की संरचनाओं में विभिन्नता है। ऐसे दो संरचनात्मक यौगिक एथिल ऐल्कोहॉल और डाइमेथिल ईथर हैं, जिनका अणुभार तथा अणुसूत्र, C_2H_6O, एक ही है, पर इनकी संरचनासूत्र भिन्न हैं —

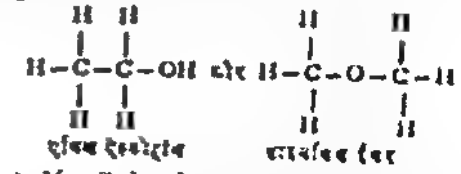

एथिल ऐल्कोहॉल डाइमेथिल ईथर

पहले यौगिक में दो कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए, हाइड्रोजन अणु से युक्त हैं और दूसरे यौगिक में दो कार्बन परमाणु

का रूप ग्रहण करने लगें। यह भी संभव है कि कुछ नई शाखाएँ उत्पन्न हो जायँ तथा कुछ पुरानी शाखाएँ महत्वहीन होकर अन्य शाखाओं में विलीन हो जायँ।

अपनी उत्पत्ति की सामाजिक सुधार तथा पुनर्निर्माणवाली पृष्ठभूमि के कारण आधुनिक समाजशास्त्र की व्यावहारिक उपादेयता की चर्चा प्रारंभ से ही होती रही है। समाजशास्त्र के उत्थान तथा विकास के अन्य बातों के अलावा इस धारणा का भी महत्व रहा है कि वह समाज का ऐसा विज्ञान बने, जिसकी उपलब्धियों का व्यावहारिक लाभ उठाया जा सके। स्वयं कॉंत ने समाजशास्त्र को सामाजिक पुनर्निर्माण के संदर्भ में विशेष महत्व दिया था। समाजशास्त्र की प्रकृति तथा उसकी अब तक की प्रगति को देखते हुए यह दावा करना एकदम गलत है कि वह सामाजिक समस्याओं के निराकरण में उसी प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है जिस प्रकार अनेक व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिये प्राकृतिक या जैवकीय विज्ञानों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्री न तो समाज का डाक्टर बन सकता है और न इंजीनियर। किंतु सामाजिक समस्याओं को समझने तथा सुलझाने में तथा सामाजिक नियोजन के सिलसिले में समाजशास्त्र निस्संदेह बहुत सहायक हो सकता है। आधुनिक औद्योगिक समाजों में सामाजिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों के निर्माण, संगठन तथा कार्यान्वयन में समाजशास्त्र की उपयोगिता बढ़ती जा रही है और समाजशास्त्र के तेजी से होनेवाले प्रसार का यह एक प्रमुख कारण है। परिवार, शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, प्रशासकीय प्रशिक्षण, जनसंख्या-नियोजन, नगर-नियोजन, ग्रामीण पुनर्निर्माण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग आदि अनेक क्षेत्रों से संबंधित मामलों में समाजशास्त्रियों से मूल्यवान सहायता ली जा रही है। वास्तव में समाजशास्त्र का ज्ञान समस्याओं का विश्लेषण गहराई में करता है तथा उनको व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में रखकर निदान की दिशाएँ इंगित करता है। स्थितियों को विभिन्न अंतःसंबंधित तथा अन्योन्याश्रित कारकों के संदर्भ में देखना समाजशास्त्र की बुनियादी विशेषता है। इसी कारण वह ऊपर से सरल तथा एकांगी दिखनेवाली समस्याओं का निदान करने में तथा उनसे निस्तार की दिशाएँ ढूँढ़ने में, अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा, अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आधुनिक बृहदाकार तथा परिवर्तनशील जटिल समाजव्यवस्थाओं तथा उनसे संबंधित समस्याओं का, समाजशास्त्रीय दृष्टि से, विश्लेषण करना अधिकाधिक आवश्यक होता जा रहा है। सामाजिक नियोजन तथा सामाजिक नीतिनिर्धारण के मामलों में समाजशास्त्र का बढ़ता हुआ महत्व इस बात का द्योतक है कि इस दिशा में समाजशास्त्र की उपादेयता निरंतर बढ़ती जायगी।

समाजशास्त्र वर्तमान युग में तेजी के साथ वैचारिक एवं बौद्धिक जगत् में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है। आधुनिक समाजव्यवस्थाओं तथा उनमें स्थित व्यक्तियों का संबंधित विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों में विश्लेषण करने तथा उनको समग्र रूप में समझने में समाजशास्त्र मनुष्य की सहायता करता है। इससे मनुष्य की दृष्टि सीमित, एकांगी और दुराग्रही होने से बच जाती है। आज के युग में जटिल वास्तविकताओं को समझने और बड़े दूर प्रभावों को घटाने में ऐसे संतुलित और पुष्ट दृष्टिकोण का विकास और प्रसार आवश्यक भी है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हमको अपने चारों ओर की बातों को समझने और परखने के लिये एक वैचारिक कसौटी प्रदान करता है। उसकी सहायता से यथास्थितिवादी और अंधभक्त प्रतिवादी दृष्टिकोणों से ऊपर उठकर चीजों को देखा जा सकता है। इस सबके अलावा आधुनिक समाजशास्त्र की यह भी विशेषता है कि वह समकालीन स्थिति का स्पष्टतम आभास कराता है। सम-कालीनता की संवेदनशील अनुभूति तथा परख दोनों में समाजशास्त्र विशेषकर सहायक होता है। वास्तव में यह बीसवीं सदी के पेचीदा मानवसमाज में रहनेवाले मनुष्यों को आवश्यक दृष्टि देनेवाला तथा उनके लिये अपेक्षित बौद्धिक धरातल निर्मित करनेवाला विज्ञान है और इसके विकास की संभावनाओं का क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है।

सं० ग्रं० — लियोनार्ड ब्रूम ऐंड फिलिप सेल्जनिक : सोशियालाजी ए टेक्स्ट विथ एडाप्टेड रीडिंग्ज, न्यूयार्क, १९५५; मार्गरेट ग्रीन : सोशियालाजी ऐन ऐनेलसिस ऑव लाइफ इन मॉडर्न सोसायटी, मैकग्राहिल, न्यूयार्क, १९५६; जॉन मार्टिन डेल : नेचर ऐंड टाइप्स ऑव सोशियालाजिकल थियरी, रटलेज ऐंड केगन पॉल, लंदन, १९६१; किंग्सले डेविस : ह्यूमन सोसायटी, मैकमिलन, न्यूयार्क, १९४९; अलेक्स इकेलेस : ह्वाट इज सोशियालाजी, मिटिल हाल, एगलवुड क्लिफ्स, १९६४; टी० बी० बोट्टोमोर : सोशियालाजी, जार्ज ऐलेन ऐंड अनविन, लंदन, १९६२; टैलकट पार्सन्स तथा अन्य (सं०) : थियोरीज ऑव सोसायटी (दो खंड) फ्री प्रेस, ग्लेनको, १९६१; मर्टन ब्रूम ऐंड काट्रेल (सं०) : सोशियालाजी टुडे : प्राब्लम्स ऐंड प्रास्पेक्ट्स, बेसिक बुक्स, न्यूयार्क, १९५९।

[र० प० ति०]

समापन (Liquidation or winding up, कंपनियों का) समापन एक ऐसी कार्यवाही है जिससे कंपनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसमें कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है तथा शेष धन का अंशधारियों के बीच वितरण कर दिया जाता है।

कंपनी का समापन तीन प्रकार का हो सकता है :—

(क) न्यायालय द्वारा अथवा अनिवार्य समापन;

(ख) ऐच्छिक समापन (voluntary winding up);

(ग) न्यायालय के निर्देशन के अंतर्गत समापन (winding up under the supervision of the court)।

न्यायालय द्वारा समापन के लिये आदेशपत्र देने का अधिकार स्वयं कंपनी, उसके ऋणदाताओं, अंशदाताओं (contributories) तथा कुछ स्थितियों में रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होता है।

न्यायालय द्वारा समापन के मुख्य कारण हैं : कंपनी के अंशदानों की संख्या में कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित निम्नतम संख्या से कमी तथा ऋणों के भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता। न्यायालय [illegible] धन को समापन के लिए अधिकार प्राप्त है [illegible] कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण [illegible]

दे सकता है। मुख्यतः प्रबंध में गतिरोध उत्पन्न होना, कंपनी का व्यापार समाप्त होना तथा कंपनी के बहुमत अंशधारियों के अल्पमत अंशधारियों के प्रति दमन व कपट करने की स्थिति में कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण माना गया है।

न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन समापन के लिये याचिका के प्रस्तुत करने के समय से ही समझा जाता है। याचिका चाहे किसी ने भी दी हो, समापन का आदेश सभी ऋणदाताओं तथा धनदाताओं के प्रति इस प्रकार लागू होता है जैसे यह उन सबकी संयुक्त याचिका हो।

कंपनी के संबंध में समापन आदेश होने पर सरकारी समापक इसका आपक बन जाता है। वह इसकी संपत्तियाँ बेचकर ऋणदाताओं का ठीक क्रम में भुगतान करके शेष को अंशधारियों के अधिकारानुसार वितरण करता है।

कंपनी का ऐच्छिक समापन निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है—

(क) अंतर्नियमों में निर्धारित अवधि समाप्त होने पर अथवा उनमें निर्दिष्ट वह घटना घटित होने पर जिसके घटित होने से कंपनी का समापन करना निश्चित किया गया हो। ऐसी दशा में कंपनी के सदस्य साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव पास करके उसके ऐच्छिक समापन का निर्णय कर सकते हैं।

(ख) अन्य किसी परिस्थिति में कंपनी की साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पास करके ऐच्छिक समापन का निर्णय किया जा सकता है।

ऐच्छिक समापन दो प्रकार का होता है — सदस्यों का अथवा ऋणदाताओं का।

जब कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ हो और उसके सदस्य समापन का निश्चय करें तो यह सदस्यों का ऐच्छिक समापन कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी के संचालकों को यह घोषणा करनी पड़ती है कि कंपनी में अपने ऋणों का भुगतान करने की समर्थता है। ऐसे समापन में कंपनी की साधारण सभा में एक या अधिक समापकों की नियुक्ति की जा सकती है तथा उनका पारिश्रमिक भी निर्धारित किया जाता है। समापक की नियुक्ति पर संचालक मंडल, प्रबंध अभिकर्ता या एजेंट, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधकों के सभी अधिकारों का अंत हो जाता है, वह केवल रजिस्ट्रार को समापक की नियुक्ति तथा उसके स्थान की रिक्ति की सूचना देने का कार्य अथवा साधारण सभा या समापक द्वारा अधिकृत कार्यों को कर सकते हैं।

किंतु जब कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो तथा संचालक इसकी शोचनीयता की घोषणा न कर सकें, ऐसी परिस्थिति में किए जानेवाले समापन को ऋणदाताओं का ऐच्छिक समापन कहते हैं। ऐसे समापन में यह आवश्यक है कि जिस दिन समापन संबंधी प्रस्ताव पास करने के लिए साधारण सभा बुलाई जाए उसी दिन या उसके अगले दिन ऋणदाताओं की सभा बुलाई जाए। कंपनी के संचालक एवं ऋणदाता अपनी अपनी सभाओं में समापक का मनोनयन कर सकते हैं। यदि सदस्यों तथा ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति भिन्न भिन्न हों तो ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही कंपनी का समापक नियुक्त किया जाता है। ऋणदाता अपनी उक्त सभा या किसी आगामी सभा में पाँच सदस्यों तक की एक निरीक्षण समिति नियुक्त कर सकते हैं। समापक का पारिश्रमिक निरीक्षण समिति द्वारा, इसके अभाव में ऋणदाताओं द्वारा तथा ऋणदाताओं के भी अभाव में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

न्यायालय के निर्देशन के अंतर्गत समापन — कंपनी द्वारा ऐच्छिक समापन के प्रस्ताव पास किए जाने के पश्चात् न्यायालय इस प्रकार के समापन का आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश से कंपनी का समापन तो ऐच्छिक ही रहता है किंतु वह न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसका उद्देश्य कंपनी, ऋणदाताओं तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा करना है। न्यायालय के निर्देशन के अंतर्गत समापन की याचिका का प्रभाव यह होता है कि न्यायालय को सभी वादों तथा वैध कार्यवाहियों पर उसी प्रकार अधिकारक्षेत्र प्राप्त हो जाता है जैसे न्यायालय द्वारा समापन की याचिका पर। निर्देशन आदेश के पश्चात् न्यायालय को समापक के पदच्युत करने, उसकी रिक्ति की पूर्ति करने तथा अतिरिक्त समापक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

समावयवता रासायनिक यौगिकों का जब सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया, तब देखा गया कि यौगिकों के गुण उनके संघटन पर निर्भर करते हैं। जिन यौगिकों के गुण एक से होते हैं उनके संघटन भी एक से ही होते हैं और जिनके गुण भिन्न होते हैं उनके संघटन भी भिन्न होते हैं। पीछे देखा गया कि कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जिनके संघटन, अणुभार तथा अणुसंघटन एक होते हुए भी, उनके गुणों में विभिन्नता है। ऐसे विशिष्ट यौगिकों को समावयवी (Isomer, Isomeride) कहा गया और इस तथ्य का नाम समावयवता (Isomerism) रखा गया।

समावयवता प्रधानतया दो प्रकार की होती है: एक को संरचना समावयवता (Structural isomerism) और दूसरे को त्रिविम समावयवता (Stereo-isomerism) कहते हैं।

संरचना समावयवता — यदि दो यौगिकों के अणुभार और अणुसूत्र एक ही हों, पर उनके गुणों में विभिन्नता हो, तो इसका यही कारण हो सकता है कि उनके अणु की संरचनाओं में विभिन्नता है। ऐसे दो संरचनात्मक यौगिक एथिल ऐल्कोहॉल और डाइमेथिल ईथर हैं, जिनका अणुभार तथा अणुसूत्र, C_2H_6O, एक ही है, पर इनके संरचनासूत्र भिन्न हैं —

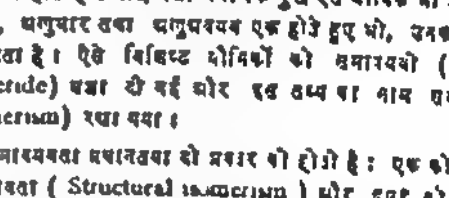

एथिल ऐल्कोहॉल डाइमेथिल ईथर

पहले यौगिक में दो कार्बन परमाणु परस्पर बंधे हुए हैं, एथिलीन अणु के अनुरूप हैं और दूसरे यौगिक में दो कार्बन परमाणु

ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक दूसरे से संबद्ध हैं। पहले यौगिक को एथिल ऐल्कोहॉल और दूसरे को डाइमेथिल ईथर कहते हैं। दोनों के गुणों में बहुत भिन्नता है। उनकी क्रिया से विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है। एथिल ऐल्कोहॉल पर HI की क्रिया से एथिल आयोडाइड, C_2H_5I, बनता है, जबकि डाइमेथिल ईथर से मेथिल आयोडाइड, (CH_3I) बनता है। अन्य अभिकर्मकों के साथ भी ऐसी भिन्न क्रियाएँ होती हैं।

यदि ऐसे यौगिकों की समावयवता एक ही श्रेणी के यौगिकों के बीच हो, तो ऐसी समावयवता को मध्यावयवता (Metamerism) कहते हैं। इसका उदाहरण डाइएथिल ईथर ($C_2H_5OC_2H_5$) और मेथिल प्रोपिल ईथर ($CH_3OC_3H_7$) हैं। पैराफिन श्रेणी के हाइड्रोकार्बनों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पेंटेन (C_5H_{12}) के तीन समावयव होते हैं नार्मल पेंटेन, आइसो-पेंटेन और नियो-पेंटेन। इनकी संरचनाएँ इस प्रकार हैं :

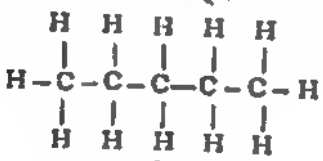

नार्मल पेंटेन

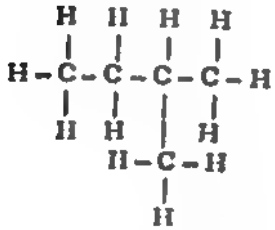

आइसोपेंटेन

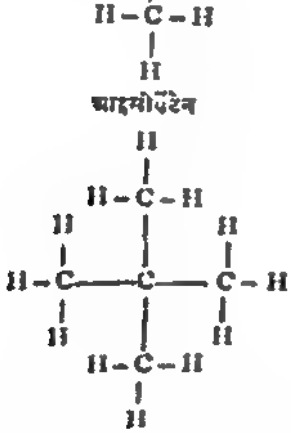

नियोपेंटेन

ऐसी समावयवता को शृंखला समावयवता (Chain isomerism) भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शृंखला में ही अंतर होने के कारण विभिन्नता है।

इसी समावयवता से जिसको जुड़ती एक दूसरी समावयवता है, जिसे स्थान-समावयवता (Position isomerism) कहते हैं, इसका सरलतम उदाहरण प्रोपिल क्लोराइड (CH_3 CH_2 CH_2Cl) और आइसोप्रोपिल क्लोराइड (CH_3 $CHCl$ CH_3) है, जिनमें अंतर केवल क्लोरीन परमाणु के स्थान के कारण

क्लोरीन अंत के एक कार्बन परमाणु से संबद्ध है और दूसरे में क्लोरीन मध्य के कार्बन से संबद्ध है। इसी प्रकार की समावयवता डाइक्लोरोबेंजीन में भी है।

त्रिविम समावयवता — यौगिकों के अणुभार और संरचना के एक रहते हुए भी परमाणुओं के विभिन्न दिशाओं में व्यवस्थित रहने के कारण यौगिक में समावयवता हो सकती है। ऐसी समावयवता को त्रिविम समावयवता (Stereo-isomerism) कहते हैं। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है : (१) प्रकाशिक समावयवता (Optical isomerism) और (२) ज्यामितीय समावयवता (Geametrical Isomerism)। लैक्टिक अम्ल के अध्ययन से देखा गया है कि लैक्टिक अम्ल तीन प्रकार का होता है, दो प्रकाशतः सक्रिय और एक प्रकाशतः निष्क्रिय। इसी प्रकार टार्टेरिक अम्ल भी चार प्रकार का होता है, दो प्रकाशतः सक्रिय और दो प्रकाशतः निष्क्रिय। इनकी उपस्थिति की संतोषप्रद व्याख्या उस समय तक ज्ञात सिद्धांतों से नहीं हो सकती थी। इनकी व्याख्या के लिये जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, उसे त्रिविम समावयवता का सिद्धांत कहते हैं और इससे रसायन की एक नई शाखा की नींव रखी है, जिसे त्रिविम रसायन कहते हैं (देखें विन्यास रसायन)। इस नए सिद्धांत के प्रतिपादक डच रसायनज्ञ, वान हॉफ (Van't Hoff), और दूसरे फ्रांसीसी रसायनज्ञ, ल बेल (Le Bel), थे। दोनों ने स्वतंत्र रूप से प्रायः एक ही समय १७७४ ईसवी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दोनों रसायनज्ञों के मूल सिद्धांत प्रायः एक ही हैं, यद्यपि विस्तार में कुछ अंतर है। इस सिद्धांतानुसार त्रिविमीय चतुष्फलक के केंद्र में कार्बन परमाणु स्थित रहता है और इसकी चारों संयोजकताएँ चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर अभिमुख होती हैं। यदि इन चारों संयोजकताओं के साथ चार विभिन्न समूह संबंधित हों, तो वे ऐसी अवस्थाएँ उपस्थित करते हैं जिनकी व्यवस्था दो प्रकार से हो सकती है। यदि चारों समूह H, OH, COOH और CH_3 हों, जैसे लैक्टिक अम्ल में होते हैं, तो उनकी व्यवस्था दक्षिणावर्त (H, OH, COOH, CH_3)

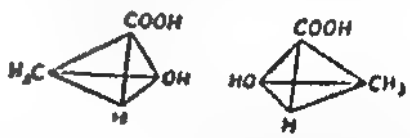

और दूसरे में वामावर्त (H, CH_3, COOH, OH) हो सकती है। ये दोनों रूप वैसे ही हैं जैसे कोई एक वस्तु और उसका प्रतिबिंब होता है। एक व्यवस्था प्रकाश को एक ओर विचलित घुमाती है दूसरी व्यवस्था प्रकाश को विपरीत दिशा में उतना ही घुमाएगी। इस प्रकार ऐसे यौगिक के दो समावयव हो सकते हैं। यदि ये दोनों रूप बराबर में किसी मिश्रण में विद्यमान हों, तो ऐसा मिश्रण प्रकाशतः निष्क्रिय होगा। वस्तुतः निष्क्रिय लैक्टिक अम्ल इसी प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि यह केवल मिश्रण को दक्षिण लैक्टिक अम्ल से विभाजित किया जा सकता है।

ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक दूसरे से संबद्ध हैं। पहले यौगिक को एथिल ऐल्कोहॉल और दूसरे को डाइमेथिल ईथर कहते हैं। दोनों के गुणों में बहुत भिन्नता है। उनकी क्रिया से विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है। एथिल ऐल्कोहॉल पर HI की क्रिया से एथिल आयोडाइड, C_2H_5I, बनता है, जबकि डाइमेथिल ईथर से मेथिल आयोडाइड, (CH_3I) बनता है। अन्य अभिकर्मकों के साथ भी ऐसी भिन्न क्रियाएँ होती हैं।

यदि ऐसे यौगिकों की समावयवता एक ही श्रेणी के यौगिकों के बीच हो, तो ऐसी समावयवता को मध्यावयवता (Metamerism) कहते हैं। इसका उदाहरण डाइएथिल ईथर ($C_2H_5OC_2H_5$) और मेथिल प्रोपिल ईथर ($CH_3OC_3H_7$) हैं। पैराफिन श्रेणी के हाइड्रोकार्बनों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पेंटेन (C_5H_{12}) के तीन समावयव होते हैं, नार्मल पेंटेन, आइसो-पेंटेन और नियो-पेंटेन। इनकी संरचनाएँ इस प्रकार हैं :

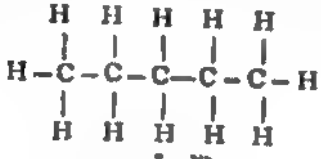

नार्मल पेंटेन

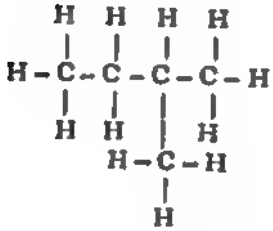

आइसोपेंटेन

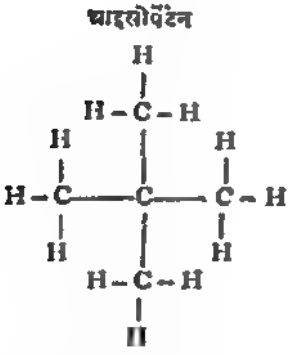

नियोपेंटेन

ऐसी समावयवता को शृंखला समावयवता (Chain isomerism) भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शृंखला में ही अंतर होने के कारण विभिन्नता है।

इसी समावयवता से मिलती जुलती एक दूसरी समावयवता है, जिसे स्थान-समावयवता (Position isomerism) कहते हैं, इसका सरलतम उदाहरण प्रोपिल क्लोराइड ($CH_3\ CH_2\ CH_2Cl$) और आइसोप्रोपिल क्लोराइड ($CH_3.\ CHCl.\ CH_3$) हैं, जिनमें अंतर केवल क्लोरीन परमाणु के स्थान से संबंध रखता है। एक में क्लोरीन अंत के एक कार्बन परमाणु से संबद्ध है और दूसरे में क्लोरीन मध्य के कार्बन से संबद्ध है। इसी प्रकार की समावयवता डाइक्लोरोबेंज़ीन में भी है।

त्रिविम समावयवता — यौगिकों के अणुभार और संरचना के एक रहते हुए भी परमाणुओं के विभिन्न दिशाओं में अवस्थित रहने के कारण यौगिक में समावयवता हो सकती है। ऐसी समावयवता को त्रिविम समावयवता (Stereo-isomerism) कहते हैं। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है : (१) प्रकाशिक समावयवता (Optical isomerism) और (२) ज्यामितीय समावयवता (Geometrical Isomerism)। लैक्टिक अम्ल के अध्ययन में देखा गया है कि लैक्टिक अम्ल तीन प्रकार का होता है, दो प्रकाशत सक्रिय और एक प्रकाशतः निष्क्रिय। इसी प्रकार टार्टरिक अम्ल भी चार प्रकार का होता है, दो प्रकाशतः सक्रिय और दो प्रकाशतः निष्क्रिय। इनकी उपस्थिति की संतोषप्रद व्याख्या उस समय तक ज्ञात सिद्धांतों से नहीं हो सकती थी। इनकी व्याख्या के लिये जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, उसे त्रिविम समावयवता का सिद्धांत कहते हैं और इससे रसायन की एक नई शाखा की नींव रखी है, जिसे त्रिविम रसायन कहते हैं (देखें विन्यास रसायन)। इस नए सिद्धांत के प्रतिपादक डच रसायनज्ञ, वांत हॉफ़ (Van't Hoff), और दूसरे फ्रांसीसी रसायनज्ञ, ल बेल (Le Bel), थे। दोनों ने स्वतंत्र रूप से प्रायः एक ही समय १७७४ ईसवी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दोनों रसायनज्ञों के मूल सिद्धांत प्रायः एक ही हैं, यद्यपि विस्तार में कुछ अंतर है। इस सिद्धांतानुसार त्रिविमीय चतुष्फलक के केंद्र में कार्बन परमाणु स्थित रहता है और इसकी चारों संयोजकताएँ चतुष्फलक के चारों छोरों की ओर अभिमुख होती हैं। यदि इन चारों संयोजकताओं के साथ चार विभिन्न समूह संबंधित हों, तो ये ऐसी अवस्थाएँ उपस्थित करते हैं जिनकी व्यवस्था दो प्रकार से हो सकती है। यदि चारों समूह H, OH, COOH और CH_3 हों, जैसे लैक्टिक अम्ल में होते हैं, तो उनकी व्यवस्था दक्षिणावर्त (H, OH, COOH, CH_3)

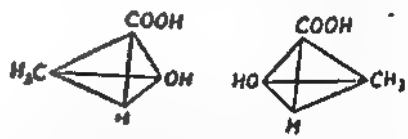

और दूसरे में वामावर्त (H, CH_3, COOH, OH) हो सकती है। ये दोनों रूप वैसे ही हैं जैसे कोई एक वस्तु और उसका प्रतिबिंब होता है। एक व्यवस्था प्रकाश को एक ओर घुमाती है, दूसरी व्यवस्था प्रकाश को विपरीत दिशा में उतना ही घुमाएगी। इस प्रकार ऐसे यौगिक के दो प्रकाशीय रूप हो सकते हैं। यदि ये दोनों रूप सममात्रा में किसी मिश्रण में विद्यमान हों, तो ऐसा मिश्रण प्रकाशतः निष्क्रिय होगा। वस्तुतः निष्क्रिय लैक्टिक अम्ल ऐसा ही मिश्रण है, क्योंकि यह अनेक विधियों से दो सक्रिय लैक्टिक अम्लों में विभेदित किया जा सकता है

coefficient) है। यदि फ(य) और फ'(य) का महत्तम समापवर्तक व(य) हो, तो समीकरण व(य) = ० के एक म-बहुकता का मूल समीकरण फ (य) = ० का (म+१) बहुकता का मूल होगा। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होता है। इसकी सहायता से फ (य) = ० के बहु मूल निकाले जा सकते हैं।

यदि गुणांक $क_0, क_1, क_2, \ldots$ सब वास्तविक हो, तो समीकरण को वास्तविक कहते हैं। यदि इनमें से कुछ या सब काल्पनिक हों, तो समीकरण काल्पनिक कहलाता है। यदि फ (य) = ० काल्पनिक हो, तो उसका हल एक वास्तविक समीकरण के हल द्वारा निकाला जा सकता है, क्योंकि हम फ (य) को $व_1$ (य) + ए $व_2$(य) के रूप में डाल सकते हैं, जिसमें $व_1$ और $व_2$ के गुणांक वास्तविक हों और ए = $\sqrt{-१}$। तत्पश्चात् समीकरण $व_1$(य) + ए $व_2$(य) = ० को उसके संयुग्मित (conjugate) समीकरण $व_1$ (य) − ए $व_2$(य) = ० से गुणा करने पर एक वास्तविक समीकरण प्राप्त होगा, जिसके मूलों में फ (य) = ० के समस्त मूल समाविष्ट होंगे।

फ (य) = ० के ऋण मूल, फ (−य) = ० के धन मूल ही हो सकते हैं।

मूलों की स्थिति का निश्चयन (Location of Roots) — किसी समीकरण के मूलों की प्रकृति जानने के लिये इस बात का पता चलाना पड़ता है कि उस समीकरण के कितने मूल वास्तविक और कितने काल्पनिक। इसके लिये सबसे पहले मूलों का पृथक्करण (isolation) करना पड़ता है। मान लीजिए कि क वास्तविक मूल य है। यदि हम दो संख्याएँ क, ख, ऐसी प्राप्त कर सकें जिनके बीच में य स्थित हो और कोई अन्य न स्थित न हो, तो हम कहेंगे कि मूल य वियोजित हो गया। डेकार्त (Descartes) के नियम द्वारा अधिकांश स्थितियों में हमें वास्तविक मूलों की पूर्ण संख्या का पता चल जाता है। दिए हुए समीकरण में जितने अशून्य गुणांक हों, उनके चिह्न उसी क्रम में लिख डालिए जिस क्रम में वे समीकरण में आते हैं। यदि + से − हो जाय, अथवा − से + हो जाय, तो उसे हम चिह्न-परिवर्तन कहते हैं। अब चिह्नपरिवर्तनों की संख्या गिन लीजिए। इस क्रम

+ + − − + −

तीन परिवर्तन हैं। डेकार्त का नियम बताता है कि समीकरण (य) = ० में जितने चिह्न परिवर्तन होंगे या तो उस समीकरण उतने ही वास्तविक धनमूल होंगे, या यदि उससे कम हुए, तो उस अंतर की संख्या एक विषम संख्या होगी। यह तो रहा धन मूलों के संबंध में। ऋण मूलों की संख्या जानने के लिये यही नियम समीकरण फ (− य) = ० पर लगाइए।

सन् १८२९ में स्टर्म (Sturm) और फूर्ये (Fourier) ने मूलों के विभाजन के लिये एक निश्चयात्मक विधि निकाली थी। उनका नियम सुविधाजनक तो अवश्य है, किंतु अपूरा है। स्टर्म का नियम मूलों का निश्चित रूप से पृथक्करण कर देता है, किंतु उसकी विधि श्रमसाध्य है।

स्टर्म की विधि — फ (य) के स्थान पर फ, फ' (य) के स्थान पर फ'·· लिखिए। फ और फ' का महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि से चलिए। मान लीजिए, पहले पग पर भजनफल $म_1$ और शेष $श_1$ आता है, तो

फ = $म_1$ फ' + $श_1$।

$श_1$ को अगला भाजक मानने से पहिले उसका चिह्न बदल दीजिए और − $श_1$ = $फ_2$ लिखिए। इस प्रकार

फ = $म_1$ फ' − $फ_2$

अब फ' को $फ_2$ से भाग दीजिए और शेष का चिह्न बदलकर उसे $फ_3$ से निरूपित कीजिए। इसी प्रकार बढ़ते चलिए।

पहले पहल मान लीजिए कि फ = ० के कोई दो मूल समान नहीं हैं। अंतिम चिह्न परिवर्तित शेष $फ_n$ एक अचर (constant) होगा। चिह्न परिवर्तित शेषों में फ और फ' मिला देने से निम्न लिखित अनुक्रम (sequence) प्राप्त होगा :

फ, फ', $फ_2$, $फ_3$, ·····$फ_n$।

इस अनुक्रम को फ (य) के स्टर्म फलनों का समुच्चय [Set of Sturm functions for f (x)] कहते हैं।

अब मान लीजिए कि क, ख दो वास्तविक संख्याएँ हैं, जिनमें से कोई भी फ (य) = ० का मूल नहीं है और क<ख। अब स्टर्म फलनों में य = क रखकर देखिए कि कितने चिह्न परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार य = ख रखकर भी देखिए कि चिह्न परिवर्तनों की संख्या कितनी आती है। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाइए। जितनी संख्या आए, फ (य) = ० के उतने ही वास्तविक मूल क और ख के बीच में स्थित होंगे।

यदि समीकरण के कुछ बहुमूल भी हों, तो ऐसे प्रत्येक मूल को गिनती के लिये केवल एक ही मूल मानिए। इस प्रकार यदि कोई मूल तीन बार आवृत्त होता है, तो उन तीनों मूलों का एक ही मूल माना जायगा।

फूर्ये की विधि इससे सरल है। स्टर्म फलनों के स्थान पर फ, फ', फ''.....लिखिए, जिनमें फ', फ का द वाँ अवयव गुणांक है। यदि कोई मूल त बार आए, तो उसके अलग अलग त मूल लिखिए। उपर्युक्त अनुक्रम में जितने चिह्न परिवर्तन होंगे, या तो उतने ही वास्तविक मूल क और ख के बीच में स्थित होंगे, या यदि उससे कम हुए, तो दोनों का अंतर एक पूर्णांक होगा।

मूलों का परिकलन (Computation of Roots) — जब कोई मूल वियोजित हो चुकता है तब उसका परिकलन दशमलव रूप में हॉर्नर (Horner) की विधि (१८१९) द्वारा किया जा सकता है, जिसमें एक एक करके दशमलव स्थान मिलते चले जाते हैं। उक्त विधि में क्रमशः मूल के पीछे पीछे चला जाता है। प्रत्येक पग पर मूलों की वास्तविक धन संख्याओं के उत्तरोत्तर जोड़ों में से छोटी संख्या को घटाते जाते हैं। मान लीजिए कि कोई वास्तविक मूल २०० और ३०० के बीच में स्थित है। एक समीकरण $फ_1$ (य) = ० ऐसा बनाइए जिसके मूल फ (य) = ० के मूलों से क्रमशः

य और र के समस्त मानों के लिये सत्य है। अतः यह एक सर्व-समिका है, जिसके लिये चिह्न ≡ प्रयोग किया जाता है।

समीकरणों का सबसे प्राचीन उल्लेख मिस्र के राइंड पपाइरस (Rhind papyrus) में मिलता है, जिसका रचनाकाल १६५० ई० पू० के लगभग है। यूनानियों ने भी समीकरणों का थोड़ा बहुत प्रयोग किया था। हिंदुओं ने इस दिशा में कुछ प्रगति दिखाई थी। वे अज्ञात राशि को 'यावत' कहते थे और उसे संकेतों से निरूपित करते थे। उन्होंने वर्ग समीकरणों को भी हल किया और अनिर्णीत समीकरणों के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर दिखाया; किंतु उन्होंने विषय के सिद्धांत के अमूर्त रूप का कोई विकास नहीं किया। इटलीवासियों ने इस दिशा में बहुत उन्नति की और तृतीय तथा चतुर्थ घात के सार्विक समीकरणों के हल निकाले। सन् १७७१ में लाग्रांज (Lagrange) ने सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, किंतु उक्त सिद्धांत में तीव्र गति गाल्वा (Galois) की गवेषणाओं से ही आई।

प्रमुख समस्या — समीकरण सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित प्रकार के बीजगणितीय समीकरण के गुणों से है :

$$फ(य) = क_0 य^n + क_1 य^{n-1} + क_2 य^{n-2} + \ldots + क_{n-1} य + क_n = 0,$$

जिसमें स एक धन पूर्ण संख्या है, गुणांक दी हुई संख्याएँ हैं, जो वास्तविक अथवा काल्पनिक हो सकती हैं और $क_0 \neq 0$। इस समीकरण का घात स है। पहली समस्या यह है कि यदि गुणांक ज्ञात हों, तो य के ऐसे समस्त मान, जिन्हें मूल कहते हैं तथा जो समीकरण को संतुष्ट करते हों, ज्ञात करना। अगली समस्या यह पता चलाना है कि उक्त समीकरण के मूल किन प्रतिबंधों में गुणांकों के पदों में सांत संख्या की बीजगणितीय क्रियाओं (जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मूल निकालना) द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। ऐसे हल को बीजगणितीय हल (Algebraic solution) कहते हैं। यदि गुणांक संख्यात्मक हों, तो मूलों का किसी भी सीमा तक निकटतम मान निकाला जा सकता है। यदि गुणांक संख्यात्मक न हों, तो हम प्रयत्न करते हैं कि गुणांकों का ऐसा सरलतम फलन (function) निकालें जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। सन् १८२४ में आबेल (Abel) ने २२ वर्ष की अवस्था में यह प्रायः सिद्ध कर दिया था कि चौथे से ऊपर के घात के किसी समीकरण के मूलों को मूल चिह्नों (Radical signs) द्वारा व्यंजित करना असंभव है। आबेल की उपपत्ति में कुछ अशुद्धियाँ थीं, जिनका शोधन गाल्वा सिद्धांत ने कर दिया है; तथापि यह मानना पड़ेगा कि आबेल ही पहला व्यक्ति था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि पंचघात समीकरण का हल बीजगणितीय विधियों से नहीं ज्ञात हो सकता। सर्वप्रथम सन् १८३८ में एरमीट (Hermite) ने सार्विक पंचघात समीकरण का हल दीर्घवृत्तीय फलनों (elliptic functions) द्वारा निकाला। आधुनिक समय में, जिसका आरंभ १८८० ई० में प्वैंकारे (Poincare) से होता है, सर्व घात के सार्विक समीकरण का हल फुक्सी फलनों (Fuchsion functions) द्वारा निकाला गया है। आजकल के गवेषणा कार्य में इस समस्या के लिये प्रतिस्थापन समूहों (substitu- [illegible] मिश्र और संमिश्र चर (complex

मूलभूत प्रमेय — यह है कि सर्व घात के किसी समीकरण के ठीक स मूल ही होते हैं। इस प्रमेय को सबसे पहले कोशी (Cauchy) ने सिद्ध किया था, किंतु प्रथम संतोषजनक उपपत्ति १७९९ ई० में गाउस (Gauss) ने दी थी।

सममित फलन (Symmetric Function) — ये फलन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किसी परिमेय (rational) फलन $फ(य_1, य_2, \ldots, य_n)$ को य-यों में तब सममित कहते हैं, जब वह इस प्रकार का हो कि य-यों में से किन्हीं दो का हेरफेर करने से उसमें कोई परिवर्तन न हो। इस प्रकार $य_1 य_2 + य_2 य_3 + य_3 य_1$ एक सममित फलन है। $य_1, य_2, \ldots$ का ज-वाँ प्रारंभिक (elementary) सममित फलन (जिसमें ज = १, २, ३,...स) ऐसे समस्त समय गुणनफलों का जोड़ होता है जिनमें से प्रत्येक में य-यों में से ज विभिन्न चर चुने जाएँ। इस प्रकार, यदि ज = ३, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रारंभिक सममित फलन क्रमशः ये होंगे :

$$य_1 + य_2 + य_3; \quad य_1 य_2 + य_2 य_3 + य_3 य_1; \quad य_1 य_2 य_3।$$

स्पष्ट है कि प्रारंभिक सममित फलनों के अतिरिक्त अनगिनत सममित फलन और भी हो सकते हैं, जैसे ज = १ के लिये $य_1^2 + य_2^2 + य_3^2$ एक सममित फलन है, किंतु इसे हम प्रारंभिक सममित फलनों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि

$$\Sigma य_1^2 = (\Sigma य_1)^2 - 2 \Sigma य_1 य_2।$$

हम मूलों के प्रारंभिक सममित फलनों, को गुणांकों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे यदि समीकरण

$$य^n + प_1 य^{n-1} + प_2 य^{n-2} + \ldots प_{n-1} य + प^n = 0$$

के मूल $य_1, य_2, य_3, \ldots$ हों, तो

$$\Sigma य_1 = -प_1, \quad \Sigma य_1 य_2 = प_2, \ldots$$

मूलों का कोई भी सममित फलन गुणांकों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। मूलों के किसी सममित फलन में किसी मूल का जो उच्चतम घातांक होता है, उसे फलन का घात (order) कहते हैं। $\Sigma य_1^2 य_2$ का घात ३ और $\Sigma य_1 य_2 य_3$ का घात १ है। किसी सममित फलन में जो चरों का घात होता है, उसे फलन का भार (Weight) कहते हैं। $\Sigma य_1^3 य_2$ का भार ४ है और $\Sigma य_1 य_2 य_3$ का भार ३ है।

वास्तविक समीकरणों के गुण — निम्नलिखित गुण सुगमता से सिद्ध किए जा सकते हैं। काल्पनिक मूल सदैव जोड़ों में रहते हैं। यदि घात स विषम हो, तो समीकरण का कम से कम एक मूल वास्तविक होगा। यदि फ(य), य का कोई वास्तविक संतत (continuous) फलन हो और फ (ट) और फ (ठ), जिनमें ट, ठ वास्तविक हों और विपरीत चिह्नों के हों, तो वक्र र = फ (य), य-अक्ष को ट ठ के बीच में विषम बार काटेगा। यदि स मूलों में स स मूल ऐसे हों जो सब अ के बराबर हों, तो अ को बहुलता (multiplicity) स का मूल कहते हैं। रॉल (Rolle) ने सिद्ध किया है कि समीकरण फ (य) = ० के दो क्रमागत (consecutive) वास्तविक मूलों के बीच में फ' (य) = ० के वास्तविक मूलों की संख्या विषम होगी।

सिद्धांत की नींव दिखाई पड़ती है, जिसमें प्रतिस्थापन समूहों (substitution groups) का प्रयोग किया जाता है। [शा० ना० म०]

समुच्चय सिद्धांत (Theory of Aggregates, or Sets) किसी भी प्रकार के अवयवों (वस्तुओं, विचारों या संकल्पनाओं) के समूह को समुच्चय कहते हैं। स्थूल रूप से अंग्रेजी समुच्चय के पर्याय सेट (set), ऐग्रिगेट (aggregate), क्लास (class), डोमेन (domain) तथा टोटैलिटी (totality) हैं। समुच्चय में अवयवों का विभिन्न होना आवश्यक है। यदि x समुच्चय A का कोई अवयव है, तो हम लिखते हैं : $x \in A$। सभी अवयवों का ब्योरा न देकर, उन्हें नियम द्वारा भी बताया जा सकता है, जैसे विषम संख्याओं का समुच्चय। B को A का उपसमुच्चय (Subset) तब कहते हैं, जब B का प्रत्येक अवयव A का सदस्य हो और इसे इस प्रकार लिखते हैं : $B \subset A$ अथवा $A \supset B$, इसे यों भी पढ़ते हैं : B, A में समाविष्ट है। यदि A में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो B का सदस्य नहीं है और B, A का उपसमुच्चय है, तो B को A का वास्तविक (proper) उपसमुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय को, जिसका एक भी अवयव न हो, शून्य (null) समुच्चय कहते हैं और इसे ϕ से प्रकट करते हैं। शून्य समुच्चय सैद्धांतिक विवेचन में उपयोगी होते हैं। समुच्चयों पर मूल क्रियाएँ ये हैं : तार्किक (logical) योग, तार्किक गुणन, तार्किक व्यवकलन। दो समुच्चयों का योग $A + B$, जिसे $A \cup B$, अर्थात् A और B का संघ (union) भी कहते हैं, उन सभी अवयवों का, जो A और B दोनों में या किसी एक में हों, समुच्चय है। दो समुच्चयों का गुणनफल $A \cdot B$, जिसे $A \cap B$ भी लिखते हैं और जिसे A तथा B का सर्वनिष्ठ (intersection) कहते हैं, उन सभी अवयवों का, जो A तथा B दोनों के सदस्य हैं, समुच्चय है। अंतर $A - B$ उन अवयवों का, जो A में हैं किंतु B में नहीं हैं, समुच्चय है। यदि $B \subset A$, तो $A - B$ को A के प्रति B का संपूरक (complement), कहते हैं। तार्किक योग और गुणन सामान्य बीजगणित के साहचर्य (associative), क्रमविनिमेय (commutative) और वितरण (distributive) नियमों के अतिरिक्त एक नये वितरण नियम का पालन करते हैं : $A + BC = (A + B)(A + C)$ और $(A - B)(A - C) = A - (B + C)$, किंतु $(A + B) - C$ कभी कभी $A + (B - C)$ से भिन्न हो सकता है।

दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल $A \times B$ उन सभी युग्मों (x, y) का समुच्चय है, जिनमें पहला अवयव x, A का है और दूसरा अवयव y, B का समुच्चय है। हम देखेंगे कि $A \times B \neq B \times A$, किंतु $(A + B) \times C = (A \times C) + (B \times C)$, $(AB) \times C = (A \times C)(B \times C)$, अर्थात् कार्तीय गुणनफल, क्रमविनिमेय नियम का नहीं, वितरण नियम का पालन करता है। समुच्चयों के परिमाणों की तुलना एकैक संगतता (one to one correspondence) की संकल्पना पर आधारित है। अनंत समुच्चय की यह विशेषता है कि इसके अवयवों की एकैक संगति एक उसके कुछ वास्तविक उपसमुच्चयों स्थापित की जा सकती है (देखें संख्या)।

समुच्चय सिद्धांत सारे गणित का आधार है। इसका विवेचन सर्वप्रथम जॉर्ज कैंटर ने किया था और १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका विशेष विकास हुआ।

स० ग्रं० — जॉर्ज कैंटर : कंट्रीब्यूशंस टु दि थ्योरी ऑव ट्रांसफाइनाइट नंबर्स; जे० ई० लिटिलवुड : एलिमेंट्स ऑव दि थ्योरी ऑव रीयल फंक्शंस (१९२८); ई० डब्ल्यू० हॉब्सन : दि थ्योरी ऑव फंक्शंस ऑव ए रीयल वैरिएबिल, खंड १ (१९२७)।

[हृ० चं० गु०]

समुद्री जीवविज्ञान के अंतर्गत महासागरों, सागरों एवं उनके तटों के पादप एवं प्राणियों की संरचना, जीवनवृत्त तथा उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन वैज्ञानिक तथा आर्थिक महत्व के होते हैं, जैसे खाद्य मछलियों के प्रवास (migration) का अध्ययन। समुद्री जीवविज्ञान के अध्ययन से समुद्री जीवों के जीवनवृत्त पर विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक कारकों (जैसे ताप, दाब, प्रकाश, धारा, पादप पोषक, लवणता आदि) के विभिन्न प्रभावों को जानने में सहायता मिलती है।

समुद्री जीवों की किस्में — समुद्री जीव दो प्रकार के होते हैं : पौधे तथा प्राणी। समुद्र में केवल आदिम समूह थैलोफ़ाइटा (Thallophyta) और कुछ आवृतबीजी (Angiosperm) पौधे ही पाए जाते हैं। समुद्री में मॉस ([illegible] हरिता) तथा पर्णांग (moss and fern) बिल्कुल नहीं पाए जाते। अधिकांश समुद्री पौधे हरे, भूरे तथा लाल शैवाल (algae) हैं (देखें शैवाल)। शैवाल आधार से संलग्नक द्वारा जुड़े रहते हैं। ये ५० मीटर से कम की गहराई में पाए जाते हैं। समुद्री पौधों में वास्तविक जड़ें तथा वाहिनीतंत्र नहीं होते, अतः ये पौधे अपनी सामान्य सतह से भोजन अवशोषित करते हैं। इन पौधों में जनन सूक्ष्म बीजाणुओं (spores) द्वारा होता है। इनके बीजाणु अस्पष्ट नर या मादा पौधे में, जिसे युग्मकोद्भिद पीढ़ी (gametophyte generation) कहते हैं, परिवर्धित हो जाते हैं। यह पीढ़ी फिर बीजाणु उत्पन्न करनेवाली बीजाणुउद्भिद पीढ़ी (sporophytic generation) पैदा करती है। तैरते हुए परागकणों द्वारा निषेचन फूलों का परागण होता है, जिससे वास्तविक बीज बनते हैं। समुद्री प्राणियों द्वारा संलग्न पौधों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। प्रमुख खाद्य सामग्री के रूप में सूक्ष्म उत्प्लावक, डायटम (diatom), पादप समभोजी (holophytes) तथा डाइनोफ्लैजिलेट्स (dinoflagellates) ही प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनका जनन भी सरलता से होता है। समुद्र में जीवाणुओं (bacteria) की संख्या भी अत्यधिक होती है, परंतु इनका महत्व केवल कार्बनिक वस्तुओं के क्षय (decay) तक ही सीमित है।

समुद्र में प्राणिजगत् का असाधारण विकास हुआ है। सभी बड़े संघों के प्रतिनिधि और कुछ वर्ग, जैसे

२००, २०० धन हों। तब $फ_1 (य) = ०$ का केवल एक मूल ० और १०० के बीच में स्थित होगा। उपर्युक्त दोनों विधियों में से किसी विधि से यह पता चलाइए कि यह मूल किस दशक में स्थित है। मान लीजिए कि मूल ६० और ७० के बीच में स्थित है, तो इतना पता चल गया कि $फ (य) = ०$ का मूल २६० और २७० के बीच में स्थित होगा। अब एक समीकरण $फ_2 (य) = ०$ ऐसा बनाइए जिसके मूल $फ_1 (य) = ०$ के मूलों से ६०, ६० कम हों। मान लीजिए कि $फ_2 (य) = ०$ का मूल ५ और ६ के बीच में स्थित है, तो अब इतना पता चल गया कि $फ (य) = ०$ का मूल २६५ और २६६ के बीच में स्थित होगा। इसी प्रक्रम (process) को बार बार दुहराइए। इस प्रकार किसी भी दशमलव स्थान तक मूल का मान निकाला जा सकता है।

एक विधि न्यूटन ने भी दी है। यह विधि ऐसे समीकरणों पर जो बीजगणितीय न हों लगाई जा सकती है। न्यूटन का ही दिया हुआ उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। समीकरण

$$य^3 - २ य - ५ = ०$$

का एक मूल २ और ३ के बीच में स्थित है। उसका मान निकालने के लिये य के स्थान पर २+ट रखें, जिसमें ट<१। $ट^2$ और $ट^3$ की उपेक्षा करने से, हमें ट = ·१ प्राप्त होता है। अतः मूल का स्थूल मान २·१ हुआ। अब ट समीकरण में ट के स्थान पर ·१+ट रखने से ट का निकटतम −०·००३४ प्राप्त होता है। इस प्रकार मूल का मान लगभग २·०६५६ प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रम को बार बार करने से मूल का जितना चाहें उतना निकटतम मान प्राप्त किया जाता है। इस नियम का सिद्धांत यह है कि टेलर प्रसार (Taylor expansion) में से केवल पहले दो पद ले लिए जायँ, शेष की उपेक्षा की जाय। इस प्रकार, यदि निम्न सीमा व है, तो

$$फ (व+ट) = फ (व) + ट फ' (व),$$

$$अर्थात् ट = -\frac{फ (व)}{फ' (व)}$$

द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ घात समीकरणों के बीजगणितीय हल — इस प्रक्रम में पहला काम तो यह किया जाता है कि समीकरण को एक दूसरे समीकरण में परिणत कर देते हैं, जिससे अज्ञात राशि के पदों की संख्या कम हो। विशेषकर, द्वितीय उच्चतम घातवाले पद को हटा दिया जाता है। समीकरण

$$क_0 य^n + क_1 य^{n-1} + \ldots + क_n = ०$$

में $य = र + ट$ रखने से $र^{n-1}$ का गुणांक $न ट क_0 + क_1$ हो जाता है। अतः यदि $ट = -क_1/न क_0$ लिया जाए, तो नव समीकरण में द्वितीय पद नहीं रहेगा। यदि र – समीकरण को हल कर लिया जाए, तो मौलिक समीकरण के मूल निकल आएँगे। इस प्रकार, वर्ग समीकरण

$$क य^2 + ख य + ग = ०$$

के लिये $ट = -ख/२क$ और र – समीकरण होगा $र^2 = ख$,

जिसमें $ख = \frac{ख^2 - ४ क ग}{४ क^2}$ और $य = \frac{-ख \pm \sqrt{ख^2 - ४ क ग}}{२ क}$

घन समीकरण

$$क_0 य^3 + क_1 य^2 + क_2 य + क_3 = ०$$

के लिये $ट = -क_1/३ क_0$ और स्थानापन्न $र = य - क_1/३ क_0$ से समीकरण

$$र^3 + प र + क = ० \qquad (अ)$$

प्राप्त होगा, जिसमें प और क, क – ओं के पदों में होंगे। यदि इस समीकरण के मूल $र_1, र_2, र_3$ हों, तो य के मान निकाले जा सकते हैं।

समीकरण (अ) के मूल वीटा (Vieta) ने निकाले थे। उसने $र = ख - प/३ ख$ स्थानापन्न करके $ख^3$ का वर्ग समीकरण

$$ख^6 + क ख^3 - प^3/२७ = ०$$

प्राप्त किया था। आजकल कार्डन (Cardan) द्वारा दिए गए संशोधित रूप का प्रयोग किया जाता है। यदि समस्त मूल वास्तविक हों, तो अनपवर्तनीय दशा (Irreducible case) प्राप्त होती है और उपर्युक्त विधि अनुपयुक्त हो जाती है। ऐसी दशा में समीकरण (अ) में $र = त ख$ रखकर, परिणामी समीकरण की तुलना

$$कोज्या ३ च = ४ कोज्या^3 च - ३ कोज्या च$$

से की जाती है। इस प्रकार, प्राप्त होता है

$$ख = कोज्या च, त = \sqrt{\frac{-४ प}{३}}, कोज्या ३ च = -\frac{क}{२\sqrt{\frac{-प^3}{२७}}}।$$

अतः ख के तीन मान निकल आते हैं:

कोज्या च, कोज्या (च + १२०), कोज्या (च + २४०)।

सार्विक चतुर्घात समीकरण

$$य^4 + क_1 य^3 + क_2 य^2 + क_3 य + क_4 = ०$$

का हल फेररी (Ferrari) ने निकाला था। इसके लिये उसने समीकरण के दोनों ओर $(म य + ख)^2$ जोड़ दिया था और समीकरण के बाएँ पक्ष की तुलना

$$(य^2 + क_1 य/२ + ठ)^2$$

से करके, ठ का मान निकाला था। गुणांकों की तुलना और तत्पश्चात् म का विलोपन (elimination) करने से, ठ के लिये एक घन समीकरण प्राप्त होता है। उक्त घन समीकरण को लघुकारक त्रिघाती (Reducing Cubic), अथवा विश्लेषक त्रिघाती (Resolvent Cubic) समीकरण कहते हैं और इसके मूल निकालने से म और ख के मान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चतुर्घात समीकरण का हल दो वर्ग समीकरणों के हल पर आश्रित होता है और चार मूल प्राप्त होते हैं।

त्रिघात और चतुर्घात समीकरणों पर बहुत सा साहित्य उपलब्ध है, किंतु अब उसका विशेष मूल्य नहीं रह गया है। सन् १७७० से एक नया युग प्रारंभ हो गया, जब लाग्रांज (Lagrange) ने यह उक्ति दी कि किसी बीजगणितीय समीकरण का मूल चिह्नों द्वारा हल एक अन्य समीकरण के, जिसे विश्लेषक कहते हैं, हल पर आश्रित किया जा सकता है। किंतु यह संभव है कि उक्त समीकरण को हल करना भी उतना ही कठिन हो जितना मौलिक समीकरण को हल करना। विश्लेषक के मूल मौलिक समीकरण के मूलों के फलन होते हैं। उक्त गवेषणा कार्य में आधुनिक मानव

को बनाए रखने में उत्सर्जन अंगों को सहायता पहुँचाता है। इसी कारण इन प्राणियों में अभेद्य कला की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह अलवण जल के प्राणियों की अतिपरासारी (hypertonic) दशा से सर्वथा भिन्न है, जिसमें देह तरल बाह्य वातावरण की अपेक्षा अधिक सांद्र होने के कारण परासरण द्वारा क्षतु होता रहता है।

सामान्यतः समुद्री जल क्षारीय होता है और उसकी बफर (buffer) क्षमता के कारण समुद्री जल के पीएच आयन सांद्रता (pH-ion concentration) में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। यह कैल्सियम अवक्षेपक प्राणियों के लिये वरदान सदृश है।

समुद्री जल का घनत्व अकवचित प्राणियों को, जैसे जेली फिश, सी ऐनीमोन (sea anemone) तथा शैल पौधों को, यांत्रिक सहायता पहुँचाता है और सभी वेलापवर्ती जीवों के उत्प्लावन में सहायक होता है।

(ख) ताप — समुद्री वातावरण का ताप – २° से ३०° सें० के मध्य रहता है। जैविक क्रियाओं का ताप द्वारा नियंत्रित होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण कैल्सियम अवक्षेपण में मिलता है। गरम जल में कैल्सियम लवण का अवक्षेपण ठंडे जल की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से होता है। इसी कारण भारी कवचित प्राणियों का उष्ण कटिबंधी जल में बाहुल्य है। भित्ति (reef) उत्पादित करनेवाले प्रवालों (corals) की वृद्धि के लिये २०° सें०, या इससे ऊपर, का ताप उपयुक्त होता है। इस कारण ये प्रवाल कम अक्षांश के उथले जल में ही पाए जाते हैं।

उष्ण कटिबंधी सागरों में पाए जाने वाले प्राणियों के स्पीशीज की संख्या ठंडे समुद्रों की अपेक्षा अधिक है, पर जनसंख्या का घनत्व साधारणतया कम है। ठंडे जल के प्राणियों का आकार उसी जाति के गरम जल में पाए जानेवाले प्राणियों से बड़ा होता है। प्लवकों के बारे में यह कहा जा सकता है कि ठंडे जल की अधिक श्यानता (viscosity) इसके लिये अंशतः उत्तरदायी है, क्योंकि अधिक श्यानता के कारण बड़े आकार के जीव कम ऊर्जा व्यय करने के बाद भी अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। २५° सें० से ०° सें० ताप हो जाने पर श्यानता दुगनी हो जाती है। यह परिवर्तन तैरनेवाले जीवों के लिये, जिनका घनत्व इस प्रकार के जल के समान होता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठंडे जल के जीवों में लैंगिक परिपक्वता के पूर्व का वर्धनसमय लंबा होता है और संभव है कि इसी कारण इन जीवों का आकार तथा आयु बड़ी होती हो।

(ग) ऑक्सीजन — समुद्री जल में ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा केवल दो मिली० प्रति लीटर होती है, जबकि हवा में यह मात्रा २०० मिली० प्रति लीटर होती है। महासागरों के मध्य गहराई में न्यूनतम ऑक्सीजन स्तर (minimum oxygen layer) पाया जाता है। तल पर या इसके पास कई साइटों में ऑक्सीजन या तो बहुत कम, या नहीं हो पाया जाता है। इस कारण तल के अधिकांश जीव परायणी होते हैं। समुद्री प्राणियों में प्राय. ऑक्सीजन की निम्न मात्रा के प्रति सहन शक्ति की अधिकतम क्षमता होती है। इसका प्रमाण कैलेनस (Calanus) का, ७०° सें० तापवाले जल से, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा एक मिली० प्रति लीटर से भी कम थी, प्राप्त होना है।

मृदगामी नितलस्थ प्राणी कभी कभी अत्यधिक न्यून मात्रा वाले तलीय कीचड़ में पाए जाते हैं। जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है वहाँ केवल अनॉक्सी जीवाणु (anaerobic bacteria) ही जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजनहीन बहुत से वातावरण हैं, उदाहरण के लिये कृष्ण सागर का गहरा जल। साधारणतः महासागरों में प्राणी के श्वसन के लिये प्रचुर ऑक्सीजन पाया जाता है।

(घ) प्रकाश — यह पौधों के प्रकाशसंश्लेषण (photosynthesis) में प्रयुक्त होनेवाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश का प्राणियों की संरचना एवं उनके व्यवहार के साथ भी घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकाश वेलापवर्ती प्राणियों के दैनिक प्रवास (migration) के नियंत्रण में उद्दीपन का कार्य करता है। यह कार्य विशेषतया ४० से ३०० मी० तक गहराई में पाए जानेवाले प्लवकों के दैनिक प्रवास में होता है।

सूर्य के प्रकाश में कोपिपोडा (Copepoda) तथा कीटोग्नाथा (Chaetognatha) समूह के प्राणी समुद्री सतह से दूर अंदर की ओर चले जाते हैं, परंतु सूर्यास्त के समय धीरे धीरे सतह की ओर आने लगते हैं। इन दोनों समूहों के प्राणियों की संख्या समुद्र की सतह पर सूर्यास्त से मध्य रात्रि तक अधिक रहती है।

३०० से १००० मी० तक की गहराई में सूर्य के प्रकाश की कमी तथा वितलीय गहराई में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण वहाँ के प्राणियों में विविध रूपांतरण एवं अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे एक-समान शारीरिक रंग, प्रकाशोत्पादक रचनाएँ आदि। प्रकाशोत्पादक रचनाओं सहित विभिन्न प्रकार के स्पर्शक अंग (tentacular organs) इन प्राणियों की विशिष्टता है।

(च) पादप पोषक — समुद्री जल में, इसके लवणों के लिये आवश्यक लवणों के अतिरिक्त, कुछ पोषक लवण, जैसे नाइट्रेट (nitrates), फॉस्फेट (phosphates), सीलिका आदि, भी होते हैं। लवणता की तरह पोषक लवणों की सांद्रता पादप प्लवकों के अनियमित प्रयोग के कारण बदलती रहती है।

(छ) जल परिसंचरण — यह पौधों की वृद्धि के लिए एक मुख्य कारक है। आरोही जलधारा, या मंद गति विसरण (diffusion), द्वारा ही पादप पोषकों का परिवहन गहरे स्तर से ऊपरी सतह पर होता है। उथले जल में परिसंचरण पर्याप्त गहरा होता है, ताकि वहाँ पर पोषक तत्व इसके साथ मिलकर ऊपर आ सकें। इसलिये तटीय क्षेत्र में समुद्री जीव प्रचुरता से पाए जाते हैं।

प्राणियों के साथ जल संचरण का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितिकारक ही होता है। जल संचरण के साथ जल का वायु परिसंचरण भी होता है।

२ जैव कारक (Organic factors)

इसके अंतर्गत जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये मुख्यतः पोषण संबंधी होते हैं। इन संबंधों की मूल अभिमुखता (fundamental aspect) को समझने के लिए इन

(Ctenophora), इकाइनोडर्मेटा (Echinodermata), फोरोनिडी (Phoronidea), ब्रैकियोपोडा (Brachiopoda) तथा कीटोग्नेथा (Chaetognatha), के समस्त प्राणी केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं। अलवण जल की मछलियों का विकास समुद्री मछलियों से ही हुआ है। सरीसृप (reptilia) समूह के साँप तथा कछुए, स्तनपायी (mammalia) समूह के ह्वेल, समुद्री गाएँ (sea cows), सील (seal) तथा शिशुक (porpoise) आदि प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं।

समुद्री जीव प्रदेश — समुद्री जीव-विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिये समुद्री वातावरण को विभिन्न खंडों एवं प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। यह विभाजन संयुक्त भौतिक एवं जैविक (physical and biological) निष्कर्ष पर आधारित है। प्रधानतः दो मुख्य प्रदेश होते हैं (१) नितलस्थ (Benthic) और (२) वेलापवर्ती (Pelagic)। नितलस्थ प्रदेश में तलीय प्राणी तथा वेलापवर्ती प्रदेश में तल से लेकर समुद्र की सतह तक के प्राणी आते हैं। ये दोनों प्रदेश एक दूसरे से सरलता से विभेदित किए जा सकते हैं। इनके कई उपखंड भी किए गए हैं।

नितलस्थ प्रदेश के ऊपरी भाग को वेलाचली (Littoral) भाग कहते हैं। वेलाचली भाग पुनः दो उपखंडों, यूलिटोरल (Eulittoral) तथा सबलिटोरल (sublittoral), में विभक्त किया गया है। गहरा समुद्री नितलस्थ निकाय (deep sea benthic system) भी दो क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, पूर्व नितलस्थ (२०० से १,००० मीटर) तथा वितलीय नितलस्थ क्षेत्र (१,००० मीटर से समुद्र तल तक)। वेलाचली क्षेत्र के अंदर एक ज्वारांतर क्षेत्र भी होता है, जिसमें समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र ज्वार से आच्छादित तथा अनाच्छादित होता रहता है। इस क्षेत्र के संलग्न पादप साधारणतया धीमी गति से बढ़नेवाले तथा लचीले होते हैं, ताकि ये समुद्री लहरों से अपना बचाव कर सकें। ज्वारांतर क्षेत्र के प्राणियों की किस्म इस क्षेत्र के रेतीले अथवा चट्टानी किस्म पर निर्भर करती है। साधारणतः अनाच्छादित चट्टानी तट के प्राणी हृष्ट पुष्ट होते हैं। बहुधा इन प्राणियों के ऊपर भारी धारारेखित कवच (stream lined shells) और चूषक सदृश रचनाएँ होती हैं। ये रचनाएँ बंद आवर्जित कवच को चट्टानों से चिपकाए रखती हैं। इस प्रकार ये प्राणी समुद्री लहरों के प्रभाव से बचे रहते हैं और भाटा के समय अपने अंदर कुछ पानी रोक भी लेते हैं। बहुत से मोलस्का (Mollusca), नलिका कृमि (Tube worms) तथा बॉरनेकिल (Bornacles) स्थायी रूप से चट्टानों से जुड़े रहते हैं।

गहरे वेलांचली क्षेत्र में समग्र पौधे अधिकता से पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के केल्प बेड (Kelp beds) में १०० फुट लंबे मैक्रोसिस्टिस (Macrocystis) तथा नेरिओसिस्टिस (Nereocystis) पाए जाते हैं, यद्यपि अधिकांश शैवाल छोटे होते हैं। इस क्षेत्र में आकर्षक लाल शैवाल पाए जाते हैं। इनका उपयोग ऐगार (agar) के उत्पादन में होता है।

सूर्य का प्रकाश गंभीर समुद्री नितलस्थ निकाय के केवल उथले क्षेत्र में ही संपूरित हो सकता है। वितलीय क्षेत्र में घोर अंधकार रहता है। इस क्षेत्र का पानी एक सा ठंडा रहता है। इस क्षेत्र में मुख्य भोजन का उत्पादन नहीं होता। इस प्रकार भोजन की कमी के कारण यहाँ पर प्राणियों की संख्या भी कम होती है।

वेलापवर्ती क्षेत्र में प्लवक (plankton) तथा तरणक (nekton) अधिक पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में समुद्रतट के ऊपर का सारा पानी आता है। तटीय जल से २०० मीटर तक के जल क्षेत्र को नेरेटिक प्रदेश (Neretic province) तथा इससे अधिक गहरे जल के क्षेत्र को महासागरी प्रदेश कहते हैं। यद्यपि इन दोनों प्रदेशों को एक दूसरे से अलग करनेवाली सीमा स्पष्ट नहीं होती, फिर भी इनमें अलग अलग किस्म के प्लवक तथा तरणक होते हैं। उदाहरण के लिये, तलीय प्राणियों के अंडे तथा बच्चे और जेली फिश (jelly fish) की एकत्र आबादी नेरेटिक क्षेत्र के विशिष्ट अस्थायी प्लवक हैं। नेरेटिक प्लवक अधिकांशतः सुप्त बीजाणु (resting spores) उत्पन्न करते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में डूबकर तल में चले जाते हैं। महासागरी प्रदेश में अपेक्षाकृत अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। अतः इस क्षेत्र के पौधे नेरेटिक क्षेत्र की तरह सुप्त बीजाणु नहीं पैदा करते। महासागरी सतह के प्राणी नीले रंग के होते हैं। महासागरी क्षेत्र के गहरे जल में जहाँ सूर्य का प्रकाश या तो कम रहता है या रहता ही नहीं, प्राणियों का रंग बहुधा लाल, भूरा, बैंगनी काला, अथवा काला होता है। ३०० से ३५० मीटर तक की गहराई में पाए जानेवाले प्राणियों में, विशेषकर मछलियों में, प्रकाशोत्पादक अंग पाए जाते हैं। ये अंग विशिष्ट प्रतिरूपों में व्यवस्थित रहते हैं (देखें, मत्स्य)। संभवतः इससे अन्य प्राणियों को पहचानने में सुविधा होती है। मध्यवर्ती गहराई के नीचे अंधी मछलियाँ (blind fishes) तथा स्क्विड (squid) पाए जाते हैं। इनमें प्रकाशोत्पादक अंग नहीं होते। तलीय मछलियों (bottom living fishes) को आँखें होती हैं। संभवतः इनका उपयोग वे प्रकाशोत्पादक अंग द्वारा उत्पन्न प्रकाश में करती हैं।

समुद्र के मूल पारिस्थितिक कारक (Ecological Factors) — ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं : (१) भौतिक रसायनिक कारक तथा (२) जैव कारक।

१. भौतिक-रसायनिक कारक

जैविक महत्व के भौतिक-रसायनिक कारक साधारणतया परस्पर प्रभावशील होते हैं। ये कारक विभिन्न एवं जटिल तरीकों से जीवों के ऊपर प्रभाव डालते हैं।

समुद्री जल की लवणता और अधिकांश समुद्री जीवों के, [illegible] अपृष्ठवंशियों के, देह तरल (body fluid) की लवणता समान होती है। इससे बाह्य वातावरण और आंतरिक देह [illegible] के मध्य अनुकूल परावरण संबंध बना रहता है। यह संबंध (isotonic relationship) देह में तरल की

पहले सूक्ष्म जीवों (पादप प्लवक तथा प्राणि प्लवक) का वर्णन करेंगे।

(क) वेलापवर्ती* जीव — समुद्रतल के केवल २ प्रति शत भाग में ही, सतत पौधों की वृद्धि के लिये, सूर्य का यथेष्ट प्रकाश पहुँच पाता है और इसका भी अधिकांश पौधों के लिये उपयोगी नहीं होता। विपुल पादप पोषकों के उपयोग के लिये समुद्र की सतह से ५० मीटर की गहराई तक डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट् तथा दूसरे सूक्ष्म पादपों ने अपना निष्क्रिय प्लवमान अस्तित्व बना लिया है। इन पादपों के प्लवमान होने का एक प्रमुख कारण इनका छोटा आकार है। मूल परिवर्धन तथा कोशिकाओं द्वारा माला निर्माण इन पौधों के अतिरिक्त अनुकूलन हैं। इन सभी कारणों से इन पौधों की जनसंख्या में यथेष्ट वृद्धि हुई। अन्य कई विशेष कारणों से केवल ये ही पौधे अपना एकाधिकार बनाए हुए हैं। सैरागोसा (Saragossa) समुद्र में मुक्त रूप से पाए जानेवाले सैरागोसम के अपतृण (Saragossam weed) इसका अपवाद हैं। यह एक वेलांचली शैवाल (littoral algae) है, जो समुद्री धाराओं के साथ इस क्षेत्र में आ गया है।

प्रकीर्णित एवं सूक्ष्म पादपों के विपुल संभरण के उपयोग के लिये, विशेष प्रकार के पादपभोजी जीवों की आवश्यकता पड़ी। इस माँग की पूर्ति के लिये शाकाहारी 'फिल्टर फीडरों' (Filter feeders) का एक प्लवकीय समूह, जिसमें मुख्यत कोपिपोडा (Copepoda) समुद्र के छोटे छोटे प्राणी (०·०२ से ८ मिमी०) हैं, उत्पन्न हुआ। इन समूहों की संख्या अत्यधिक है। इनके अतिरिक्त प्रोटोज़ोआ (Protozoa), नितलस्थ अपृष्ठवंशियों की अनेक अवस्थाएँ तथा कुछ विशेष मछलियाँ भी छोटे छोटे पादपभोजी हैं।

इन छोटे छोटे पादपभोजियों के दो मुख्य कार्य हैं, (१) सूक्ष्म कार्बनिक पोषकों का उपयोग तथा (२) कार्बनिक पोषकों का प्राणी पोषक में परिवर्तन। इस परिवर्तित भोजन का उपयोग प्लवकभोजी मछलियाँ, जैसे हेरिंग (Herring), मैकरल (Mackeral) आदि, करती हैं। [illegible] अन्य प्लवकों को भी खाती हैं। [illegible] समुद्र का एक प्रमुख प्लवकभोजी ह्वेल-बोन ह्वेल (whale bone Whale) है। यह सबसे बड़ा ज्ञात प्राणी है।

[illegible] प्राणियों के [illegible] है। स्पर्म ह्वेल (sperm whale) [illegible] है। [illegible] किलर ह्वेल (Killer Whale) है।

नितलस्थ [illegible] — समुद्र तल के [illegible] प्राणियों को [illegible] (barnacle), [illegible] (crab), [illegible] (sponges), [illegible] (boring animals) [illegible] (suspension feeders) [illegible] (worms), [illegible] (bivalves),

तलीय मछलियाँ, सेफैलोपॉड (Cephalopods), सी स्टार (sea star) आदि अपृष्ठवंशियों, प्लवकों तथा स्वयं एक दूसरे को खाते हैं।

बहुत से नितलस्थ प्राणी विशिष्ट समुदायों में रहते हैं। एक समुदाय के विभिन्न प्राणियों में एक ही प्रकार की आवश्यकताएँ तथा खारेपन की एक ही सहनक्षमता होती है। ऐसे प्राणी वातावरण को ऐसा बना सकते हैं ताकि उनके समान अन्य प्राणी भी उनके समुदाय में संमिलित हो सकें। ऐसा वे आगंतुक प्राणियों को अपने समुदाय में भोजन, शरण तथा आवश्यक पदार्थों को देकर करते हैं। समुद्री प्राणियों में सहवास भी पाया जाता है। समुदाय के अंदर रहनेवाले प्राणियों में अन्य ऐच्छिक तथा घनिष्ठ संबंध, जैसे सहभोजिता (commensalism), सहजीवन, परजीविता आदि, भी पाए जाते हैं।

समुद्री जीवविज्ञान के अध्ययन के तरीके — किसी भी क्षेत्र के समुद्री जीवों की खोज की प्रारंभिक प्रक्रिया वर्णनात्मक होती है। इसमें उस क्षेत्र के पादप तथा प्राणियों की पहचान, उनका आकार तथा उनकी स्थिति आदि का उल्लेख किया जाता है। यह कार्य किसी नए क्षेत्र के लिये अत्यंत कठिन होता है। इसके लिये जीवविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इन विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित सूचना में प्रत्येक स्पीशीज का वर्णन संगृहीत रहता है। ये सूचनाएँ बाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन करनेवाले खोजकर्ताओं के लिये लाभप्रद होती हैं।

जीवों के संग्रह और विश्लेषण करने के तरीके तथा संगृहीत करने के बाद इनका अध्ययन खोजकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ये उद्देश्य वर्गिकी (Taxonomy), पारिस्थितिकी (Ecology), भ्रूण विज्ञान आदि से संबंधित हो सकते हैं। इन उद्देश्यों के साथ साथ जीवों के प्रकार तथा उनके वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है। 'चैलेंजर' [illegible] खोज यात्रा के बाद से अनेक [illegible] के खोज में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों (equipments) तथा प्रविधियों में काफी उन्नति हो गई है। समुद्र में किसी भी गहराई का ताप [illegible] के लिये प्रतिवर्ती तापमापी का उपयोग किया जाता है। बैथीथर्मोग्राफ (Bathy thermograph) द्वारा समुद्र की सतह से लेकर [illegible] तक के ताप का निरंतर अभिलेख प्राप्त हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता प्रकाश-वैद्युत यंत्र (photoelectric apparatus) से नापी जाती है। रासायनिक [illegible] का [illegible], [illegible] तथा अन्य सूक्ष्म [illegible] का अध्ययन किया जाता है।

पारिस्थितिक [illegible] के लिये किसी क्षेत्र के एक [illegible] ([illegible]) में [illegible]

[illegible] ग्रहण करने के बाद दो साल के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय के अवैतनिक उपकुलपति रहे। १९२३ में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सी० आई० ई० और १९२९ में 'सर' की पदवी प्रदान की। १९४१ तक उन्होंने दार्जिलिंग और तत्पश्चात् कलकत्ता को अपना निवासस्थान बनाया, जहाँ १९५८ में उनकी मृत्यु हो गई।

यदुनाथ सरकार की पहली पुस्तक 'इंडिया ऑव औरंगजेब, टॉपोग्राफी, स्टेटिस्टिक्स ऐंड रोड्स' (India of Aurangzeb : Topography, Statistics and Roads) १९०१ में प्रकाशित हुई। 'औरंगजेब का इतिहास' (History of Aurangzeb) के प्रथम दो खंड १९१२ में छपे। इस पुस्तक का तृतीय खंड १९१६ में, चतुर्थ खंड १९१९ में और पाँचवाँ तथा अंतिम खंड १९२४ में छपा। उनकी पुस्तक 'शिवाजी ऐंड हिज टाइम्स (Shivaji and His Times) १९१९ में प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों में फारसी, मराठी, राजस्थानी और यूरोपीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्री का सावधानी से उपयोग कर सरकार ने ऐतिहासिक खोज का महत्वपूर्ण कार्य किया और मूलभूत सामग्री के आधार पर खोज करने की परंपरा को दृढ़ किया। विशेष रूप से जयपुर राज्य में सुरक्षित फारसी अखबारात और अन्य अभिलेखों की ओर ऐतिहासिकों का ध्यान आकर्षित करने और उनको खोज कार्य के लिये उपलब्ध कराने का महान् कार्य सरकार ने किया। उनकी दृष्टि में औरंगजेब एक महान् विभूति था जिसने भारत को राजनीतिक एकतंत्र में बाँधने का प्रयास किया, किंतु अपनी योग्यता और अथक परिश्रम के बावजूद अपने दृष्टिकोण की संकीर्णता के कारण असफल रहा। शिवाजी ने भी एक नए दर्शन की नींव डाली, किंतु मराठा समाज की जातिव्यवस्था की विषमता को वह दूर न कर सके। अन्य मराठी नेताओं ने भी महाराष्ट्र के बाहर रहनेवाले हिंदुओं को खुलकर संकीर्णता का सहारा दिया। स्पष्ट है कि सरकार सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता को भारत के राजनीतिक ऐक्य का सबसे बड़ा शत्रु समझते थे।

उत्तर मुगलकालीन भारत की ओर यदुनाथ सरकार का ध्यान विलियम इरविन कृत 'लेटर मुगल्स १७०७-१७३९' का संपादन करते समय (१९२२) आकर्षित हुआ। १७३९ से १८०१ तक मुगल साम्राज्य के विघटन और मुसलमान रियासतों के उत्थान का इतिहास उन्होंने चार खंडों में १९१२ और १९५० के बीच (हिस्ट्री ऑव औरंगजेब का पतन, १९५१) प्रकाशित किया। ऐतिहासिक कला की दृष्टि से यह उनकी श्रेष्ठतम रचना है। यदुनाथ सरकार की कला समालोचकों और सारगर्भित होते हुए भी बोझिल नहीं होती। ऐतिहासिक घटनाओं के नैतिक निष्कर्ष भी वे स्थान स्थान पर निकालते हैं।

यदुनाथ सरकार की अन्य कृतियों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं —

'एनेकडोट्स ऑव औरंगजेब' (१९१२, शोधपूर्ण संकलित संस्करण, १९४९), 'चैतन्याज लाइफ ऐंड टीचिंग' (१९२२, दूसरा संस्करण १९१२), 'स्टडीज इन मुगल इंडिया' (१९१९) 'मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन', (दोनों खंड १९२२); 'बेगम समरू' (१९२५), 'इंडिया थ्रू दी एजेज' (१९२७); 'ए शार्ट हिस्ट्री ऑव औरंगजेब' (१९३०); 'बिहार ऐंड उड़ीसा इंडर्दि द लास्ट ऑव द मुगल एंपायर' (१९३२), हाउस ऑव शिवाजी' (१९४०), 'मआसिर – ए – आलमगीरी' (अंग्रेजी अनुवाद, १९४०), 'हिस्ट्री ऑव बंगाल' (दूसरा भाग, संपा०, १९४८), 'पूना रेजीडेंसी कारेस्पांडेंस' (Poona Residency correspondence) जिल्द १, ८ व १४ संपादित १९३०, १९४५, १९४९) 'आईन - ए - अकबरी' (जैरेट कृत अनुवाद का संशोधित संस्करण, (१९४८-१९५०); 'देहली अफेयर्स, १७६१-१७८८' (१९५१); 'मिलिटरी हिस्ट्री ऑव इंडिया' (१९६०)।

सरकार ने जयपुर राज्य का इतिहास भी लिखा। [म० चं०]

सरकेशिया (Circassia) सोवियत संघ में, उत्तर पश्चिमी कोकेशस पर्वतक्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से दो स्वशासित भागों में विभाजित है : अदिगेइ (Adygei) और चेरकेस (Cherkess)। अदिगेइ क्षेत्र का क्षेत्रफल ४,४२० वर्ग किलोमीटर है, जो कुबान (Kuban) नदी की [illegible] बेलाया (Belaya) नदी की घाटी में स्थित है। माइकोप (Maikop) इसकी राजधानी है। पूर्व में चेरकेस क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल ४,००४ वर्ग किलोमीटर है। चेरकेस्क (Cherkesk) इसकी राजधानी है। जिसके क्षेत्रों की मुख्य [illegible] और पूर्वमुखी हैं तथा पर्वतीय भागों में लकड़ी काटना व पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। अन्य युग में सरकेशियावासी काकेशस पर्वतों में रहते थे। १० वीं से १३ वीं शताब्दी तक काकेशिया जार्जिया के शासन के अंतर्गत रहा, फिर कई शताब्दियों तक सरकेशिया स्वतंत्र रहा। [illegible] १८२९ ई० में सरकेशिया पर रूस का पूर्ण शासन कायम हुआ। [illegible] सरकेशियावासी टर्की और सरकेशिया चले गए और शेष केवल ३३,००० (१९५०) सरकेशियावासी रह गए हैं। इस क्षेत्र के निवासी सरकेशियावासी ही अन्य जातियों से अलग और काकेशियन जातियाँ हैं।

इनके वर्ग के सरकेशियावासी मुसलमान हैं। काकेशियावासी स्त्रियाँ सुंदरता के लिये प्रसिद्ध हैं और एक समय सरकेशियों के हरम के लिये इनकी बड़ी माँग थी। [म० सि० ख०]

सरगुजा जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला तथा मध्य प्रदेश का रीवाँ जिला, पश्चिम में बहराइच जिला, दक्षिण में जिला बस्तर जिला, दक्षिण-पूर्व में पालकोट जिला और पूर्व में [illegible] जिला स्थित है। इस जिले का क्षेत्रफल [illegible] वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या १०,११,०३० (१९६१) है। जिले के मुख्य नगर अंबिकापुर, जिशपुर तथा [illegible] हैं। जिले की [illegible] बलरामपुर, रीहंद और [illegible] हैं। [illegible]

$य_2$ के स्थान पर $य_3$ और $य_3$ के स्थान पर $य_2$। इसी प्रकार दूसरे कोष्ठक का अर्थ यह है कि $य_2$ के स्थान पर $य_4$ रखो और $य_4$ के स्थान पर $य_2$। यदि हम अपनी संकेत लिपि को और भी संक्षिप्त करना चाहें, तो उक्त प्रतिस्थापन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं : (१ ४ ३) (२ ६)। प्रत्येक कोष्ठक के अंदर एक प्रतिस्थापन चक्र (cycle) पूरा हो जाता है।

यदि किसी समुच्चय के अक्षरों पर प्रतिस्थापन प लगाया जाय और फिर नए रूप पर प्रतिस्थापन फ लगाया जाय, तो इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर प्रतिस्थापन फप कहेंगे। यह प्रतिस्थापन क्रिया व्यत्ययशील नहीं है। उदाहरण के लिये मान लें कि प = ($य_1$ $य_2$ $य_3$) और फ = ($य_1$ $य_2$), तो प का फल होगा $य_2$ $य_3$ $य_1$। इस पर प्रतिस्थापन फ लगाने का फल होगा $य_1$ $य_2$ $य_3$। अब देखना चाहिए कि प्रतिस्थापन फप का क्या परिणाम निकलता है। समुच्चय $य_1$ $य_2$ $य_3$ पर फ लगाने का फल होगा $य_2$ $य_1$ $य_3$, और इस फल पर प लगाने का परिणाम होगा $य_1$ $य_3$ $य_2$। स्पष्ट है कि यह फल प फ के फल से भिन्न है। अतः प फ ≠ फ प। जिस प्रतिस्थापन में केवल दो अक्षरों का एक चक्र हो, उसे पल्लातरण (Transposition) कहते हैं।

यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि प्रतिस्थापनों का गुणन सहचरणशील (associative) है। अतः प(फ क) = (प फ)क।

अमूर्त (Abstract) समूह — यदि किसी समूह की ऐसी परिभाषा दी जाए जिसका उक्त समूह के तत्वों के गुणों से कोई संबंध न हो, तो ऐसे समूह को अमूर्त समूह कहते हैं। साधारणतया अमूर्त समूह निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं :

(१) समुच्चय के किन्हीं दो तत्वों क, ख का गुणनफल एक तीसरा तत्व ग होगा, जो उसी समुच्चय का एक तत्व होगा, अर्थात् क ख = ग।

(२) तत्व सहचरणशील होते हैं, अर्थात्

क (ख ग) = क ख ग = (क ख) ग।

(३) समुच्चय में एक तत्व ऐ ऐसा भी होता है कि प्रत्येक तत्व क के लिये क ऐ = ऐ क = क। उक्त तत्व को सर्वसम तत्व (Indentical element) कहते हैं।

(४) समुच्चय के प्रत्येक तत्व क का एक व्युत्क्रम तत्व $क^{-1}$ ऐसा होता है कि क $क^{-1}$ = $क^{-1}$ क = ऐ

सं० ग्रं० — एच० हिन्टन : ऐन इंट्रोडक्शन टु दि थियोरी ऑव ग्रूप्स ऑव फाइनाइट ऑर्डर (१९०८); एल० ई० डिक्सन : लीनियर ग्रूप्स विद ऐन एक्सपोजिशन ऑव दि गालवा फील्ड थियोरी (लाइप्जिग) १९०१; डब्लू बर्नसाइड : थियोरी ऑव ग्रूप्स ऑव फाइनाइट ऑर्डर (द्वितीय संस्करण १९१७)। [ब० मो०]

सम्राट् प्राचीन भारतीय कृतियों राजाओं का एक पद था। वैदिक युग के उत्तरार्ध से प्रत्येक शक्तिशाली राजा साम्राज्य पद पाने का प्रयत्न करने लगा। ऐतरेय ब्राह्मण (अष्टम, १४.२.३) में विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के राज्यों का वर्णन आता है और कहा गया है कि प्राची दिशा के राजा सम्राट् पद के लिये अभिषिक्त होते थे। मगध में प्रथम भारतीय साम्राज्य का विकास इतिहास से भी ज्ञात है। आगे चलकर सम्राट् के लिये चक्रवर्ती, सार्वभौम और एकराट् आदि विरुदों का भी प्रयोग होने लगा। वास्तव में ये सभी शब्द उस शासक के बोधक होते थे, जिसे स्वयं पूर्ण प्रभुसत्तात्मक शक्ति प्राप्त हो और जो अपने से बड़े किसी दूसरे राजा की अधिसत्ता न स्वीकार करता हो। अमरकोश (क्षत्रिय वर्ग ८) में सम्राट् उसे कहा गया है जो राजसूय का कर्ता, अन्य राजाओं का नियंत्रक और मंडलेश्वर अर्थात् द्वादश राजमंडल का केंद्र (विजिगीषु) हो। कुछ काल बाद लिखी जानेवाली शुक्रनीति में (१.१८२ और आगे) अनेक प्रकार के शासकों का वर्गीकरण उनकी आय के आधार पर किया गया है। उस रूप में सामंत, माडलिक, राजा, महाराजा और स्वराट् से बड़ा सम्राट् होता था जिसकी आय १ से १० करोड़ कार्षापण के बीच होती। सम्राट् के ऊपर विराट् और सार्वभौम रखे गए हैं। परंतु सम्राट् पद और साम्राज्य का आधार आर्थिक था, यह स्वीकार्य नहीं प्रतीत होता। वास्तव में उसका आधार राजनीतिक शक्ति थी। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में (गा० ओ० सीरीज, पृष्ठ ९२) सम्राट् उस विजेता को कहा है जो दक्षिण समुद्र से हिमालय तक की सारी भूमि का विजय कर ले। किंतु वहीं वह स्वयं चक्रवर्ती क्षेत्र भी कहा गया है। स्पष्ट है कि सम्राट् और चक्रवर्ती पर्यायवाची पद के रूप में व्यवहृत होते थे। कई शताब्दियों पूर्व कौटिल्य ने भी आसेतु हिमालय क्षेत्र को चक्रवर्ती क्षेत्र माना था (अर्थ०, नवम, १)। वायु (४५.८०-८७) और मत्स्य (११३.९-१५) में भी साम्राज्य क्षेत्र का यही विस्तार मिलता है। किंतु यह आदर्श मात्र था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे कुछ ही सम्राट् प्राप्त कर सके थे। गुप्तोत्तरकाल के सम्राट् पदधारी अनेकानेक शासकों में कोई भी उस आदर्श को पूर्णतः नहीं प्राप्त कर सका। [व० पा०]

सरकार, यदुनाथ (जदुनाथ) (१८७०-१९५८) का जन्म १० दिसंबर १८७० को राजशाही (पू० पाकिस्तान) से ८० मील उत्तर-पूर्व करचुपरिया गाँव के एक अत्यंत कायस्थ घराने में हुआ। शिक्षा राजशाही और कलकत्ते में हुई। १८९२ में एम० ए० की परीक्षा अंग्रेजी साहित्य में प्रेसीडेंसी कालेज से प्रथम श्रेणी में पास की और न केवल सर्वप्रथम रहे, किंतु अपने प्राप्तांकों द्वारा एक नया रेकार्ड स्थापित किया। रिपन कालेज और विद्यासागर कालेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक का कार्य करने के पश्चात् १८९८ में प्रांतीय शिक्षा सेवा में चुन लिए गए और कलकत्ता, पटना तथा उत्कल में क्रमशः अंग्रेजी साहित्य व इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। सबसे लंबा काल पटना में (१९०२-१९१७, १९२३-१९२६) अध्यक्ष किया और वहीं से १९२६ में अवकाश ग्रहण किया। १९१७ में उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष के पद पर हुई, किंतु अपने साथ किन्हीं कारणों से उन्हें छोड़ कर रेवेंशा कालेज, उत्कल चले गए। [illegible] सरकार के इतने योग्यता पहिचान [illegible]

१९६४) में छपा। यह ग्रंथ मराठा इतिहास की पुरानी और नवीन अध्ययनपद्धति के बीच की कड़ी है।

इन्दु पूना के पास अपने निवासस्थान कमलेट में हुई। [स० चं०]

सरस्वती १. ब्रह्मा की मानसपुत्री जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इनका नामांतर शतरूपा भी है। इनके अन्य पर्याय हैं, वाणी, वाग्देवता, भारती, शारदा, वागीश्वरी इत्यादि। ये शुक्लवर्णा, श्वेत वस्त्रधारिणी, वीणावादनतत्परा तथा श्वेतपद्मासना कही गई हैं। इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान् बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी को इनकी पूजा की परिपाटी चली आ रही है। देवी भागवत के अनुसार ये ब्रह्मा की स्त्री हैं।

२. एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है। ऋग्वेद (२।४१।१६-१८) में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती थी। कहते हैं, यह नदी पंजाब में सिरमूर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला तथा कुरुक्षेत्र होती हुई कर्नाल जिला और पटियाला राज्य में प्रविष्ट होकर सिरसा जिले की घग्घरा (कागार) नदी में मिल गई थी। प्राचीन काल में इस सम्मिलित नदी ने राजपूताना के अनेक स्थलों को जलसिक्त कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकार यह गंगा तथा यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई थी। कालांतर में यह इन सब स्थानों से तिरोहित हो गई, फिर भी लोगों की धारणा है कि प्रयाग में यह अब भी अंतःसलिला होकर बहती है। मनुस्मृति से स्पष्ट है कि सरस्वती और दृषद्वती के बीच का भूभाग ही ब्रह्मावर्त कहलाता था। [मु०]

सरस्वतीकंठाभरण काव्यतत्त्व का विवेचन करनेवाला सरस्वतीकंठाभरण संस्कृत-साहित्य-शास्त्र का एक माननीय ग्रंथ है। यह धारेश्वर महाराज भोजदेव की कृति है। महाराज भोजदेव का समय ईसवी सन् १०१०-१०५५ तक इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतएव सरस्वतीकंठाभरण का रचनाकाल ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य माना जा सकता है। इसके प्रणेता काव्यप्रकाश के रचयिता मम्मट (ई० सन् ११०० के लगभग) से किंचित् पूर्ववर्ती हैं। यद्यपि आनंदवर्धन द्वारा ध्वनिसिद्धांत की स्थापना हो चुकी थी तथापि उस समय तक काव्यात्मा के रूप में ध्वनि की मान्यता विवादग्रस्त सी ही थी; अतएव साक्षात् रूप से ध्वनि को काव्य की परिभाषा में आत्मा के रूप में स्थान देने की दृढ़ता न भोजदेव ने ही बरती और न भट्ट मम्मट ने ही। दोनों आचार्यों ने काव्य में दोषाभाव तथा गुणवत्ता को प्रधानता दी है। भोजदेव की यह विशेषता है कि उन्होंने अलंकारों की उपादेयता कंठतः स्वीकार की है तथा काव्य के लिये रसान्वित होना आवश्यक समझा है। यों भोजदेव के सरस्वतीकंठाभरण ने अंशतः मम्मट को एवं विश्वनाथ को प्रभावित किया है। सरस्वतीकंठाभरण एक दीर्घकाय ग्रंथ है जिसमें पाँच परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में रचयिता ने काव्यसामान्य की परिभाषा देने के पश्चात् सर्वप्रथम काव्य के दोष एवं गुण का विवेचन किया है। इसी संदर्भ में भोजदेव ने पद, वाक्य एवं वाक्यार्थगत दोष बताए हैं। हर प्रकार के दोषों की संख्या सोलह है। भोजदेव के अनुसार गुण, शब्दगत और वाक्यार्थ गत होते हैं और प्रत्येक के चौबीस भेद हैं। प्रथम परिच्छेद के अंत में कतिपय दोष कहीं कहीं गुण बन जाते हैं, इस काव्यतत्त्व को उदाहरण द्वारा समझाते हुए उन्होंने काव्यदोषों का नित्यानित्यत्व स्वीकृत किया है। द्वितीय परिच्छेद में शब्दालंकार का निर्णय करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम औचित्य पर बल दिया तथा जाति, गति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, भणिति, गुंफना, शय्या एवं पठिति का सोदाहरण विवेचन किया है। इन बारह तत्त्वों में से रीति को छोड़ शेष तत्त्वों का विशद विवेचन संस्कृत के किसी अन्य उपलब्ध साहित्यग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। बाणभट्ट ने काव्यसौष्ठव के विशेष तत्त्व, शय्या का उल्लेख किया है परंतु उसकी परिभाषा केवल सरस्वतीकंठाभरण में ही उपलब्ध होती है। तत्पश्चात् यमक, श्लेष, अनुप्रास, चित्र, प्रहेलिका, गूढ़ एवं प्रश्नोत्तर अलंकारों के भूरि भेदोपभेदों का सोदाहरण विवरण दिया गया है। इस अंश में भी सरस्वतीकंठाभरण की सर्वथा निजी विशेषता है। तदनंतर भोजदेव काव्यव्युत्पत्ति के कारणों का विवेचन कर काव्य के तीन भेदों को श्रव्य, दृश्य एवं चित्राभिनय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दृश्यकाव्य के अंतर्गत उन्होंने दशरूपकों का उल्लेख नहीं किया है वरन् वृत्त एवं नृत्य पर ही उनका विभाजन सीमित है। तीसरे परिच्छेद में अर्थालंकारों के स्वरूप एवं प्रकार भेद का विवेचन है जो इतर साहित्याचार्यों की अपेक्षा भिन्न स्वरूप को लिए हुए हैं। चौथे परिच्छेद में उभयालंकारों का विवेचन है जिसमें उपमा आदि अलंकारों के भेदोपभेदों को सविस्तार समझाया है। अंतिम परिच्छेद है रसविवेचन। इसमें नायकादि का तथा विभावों, भावों एवं अनुभावों का विस्तारपूर्वक स्वरूप निर्णय किया गया है; साथ ही साथ काव्यपाक, विविध रतिराग के स्वरूप का भी निर्देश है। अंत में भारती, कैशिकी आदि वृत्तियों के विवेचन के साथ ग्रंथोपसंहार होता है। सरस्वतीकंठाभरण में रससिद्धांत की विवेचना प्रायः विषय पर एक विहंगम दृष्टिमात्र है। काव्यगत रस गंभीर विषय है जिसकी गरिमा के साथ पूर्णतः न्याय करने की दृष्टि से भोज ने एक शृंगारप्रकाश नामक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना कर रसविवेचन के अध्याय की पूर्ति की है।

सरस्वतीकंठाभरण की विशेषता यह है कि यह इतर साहित्यशास्त्रीय ग्रंथों की अपेक्षा व्यापक एवं व्युत्पादक ग्रंथ है। इसके रचयिता भोजदेव ग्रंथविस्तार के भय से भीत होनेवाले नहीं हैं, उदाहरण दे देकर अनेक सूक्ष्म भेद एवं उपभेदों को समझाने का सदा वे उदार प्रयास करते हैं। यद्यपि उनके द्वारा उपस्थापित भेदोपभेदों की मान्यता परवर्ती ग्रंथकारों ने स्वीकृत नहीं की है तथापि उनके तात्त्विक विवेचन से सहसा असहमत होने की दृढ़ता भी कुंठित दृष्टिगोचर नहीं होती।

इस ग्रंथ पर आद्योपांत किसी टीका की रचना नहीं मिलती। पहले तीन परिच्छेदों पर रत्नेश्वर रामसिंहकृत दर्पण टीका तथा चौथे परिच्छेद पर प्रसिद्ध टीकाकार जगद्धर की विवरण नामक टीका उपलब्ध हैं, पंचम परिच्छेद पर टीका नहीं है। यह ग्रंथ निर्णयसागर द्वारा प्रकाशित है। इसका अनुवाद अभी तक नहीं हुआ है। सरस्वतीकंठाभरण में उद्धृत उदाहरण श्लोकों की पूर्ति और उनके

नाल नदी दक्षिण की ओर बहकर इन्द्रावती नदी में मिल जाती है। उपर्युक्त नदियों में से कोई भी नौगम्य नहीं है। जिले का पूर्वी पठार और पर्वतश्रेणियाँ वायुवाहित जीवों से निर्मित हैं तथा जिले एवं छोटा नागपुर के मध्य रोध का कार्य करती हैं। जिले के पहाड़ी जंगलों में प्रमुख मूल्य साल है। बाँस, बीजा, आसन, जंगली भेड़, रूमाल और हरिण यहाँ पाए जाते हैं। माहसान (४,०२४ फुट ऊँची) तथा जाम (३,८२७ फुट ऊँची) प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। इमारती लकड़ियों के अतिरिक्त, बाँस, साल तथा इमार वेतम आदि जंगली उत्पाद हैं। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र है और अनुमान लगाया गया है कि यह क्षेत्र लगभग ४०० वर्ग मील में विस्तृत है। चिरमिरी की कोयला खानों से कोयला निकाला जाता है। धान जिले की प्रमुख फसल है। धान के अतिरिक्त मकई, मडुआ, कोदो, तेलहन, कपास, सन, जौ एवं गेहूँ की फसल उपजाई जाती है। जिले में विस्तृत चरागाह हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर और बिहार के पालामऊ जिलों के पशु चरने के लिये भेजे जाते हैं। [प० ना० म०]

सरदार कवि ये काशिराज श्री ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने अपने को ललितपुर के निवासी हरिजन कवीश्वर का आत्मज लिखा है। इनके पिता ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। बहुजन कविवर सरदार का रचनाकाल संवत् १९०२ से १९४० तक माना गया है। ब्रजभाषा की पुरानी परिपाटी पर काव्य-रचना करनेवालों में ये अपने समय के वस्तुत सरदार थे। इनकी शृंगार तथा भक्ति विषयक रचनाओं में पर्याप्त माधुर्य है। शृंगार के क्षेत्र में इनकी अन्तर्दृष्टि अधिक रमी हुई दीख पड़ती है जिसके कारण नायिकाभेद एवं ऋतुवर्णन में इन्हें अच्छी सफलता मिली है। इनकी भाषा आलंकारिक एवं अनुप्रासयुक्त है। सरदार कवि की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि प्राचीन काव्यों की इनकी सरस टीकाएँ सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। टीकाओं में इन्होंने अपने प्रिय शिष्य कविवर नारायण से भी सहायता ली है जिसका उल्लेख कई स्थलों पर है। यह इनके हृदय की विशालता का परिचायक है। आश्रयदाता के प्रशस्तिवर्णन में इन्होंने भी परंपरानुसार अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। काशिराज से इन्हें काफी सम्मान और धन प्राप्त हुआ था।

कृतियाँ — साहित्यसरसी, हनुमतभूषण, मानसभूषण, तुलसी-भूषण, व्यंग्यविलास, षट्ऋतुवर्णन, रामायणरत्नाकर, साहित्य-सुधाकर, रामलीलाप्रकाश आदि। टीकाएँ — सुखविलासिका, दूसरा नाम काशिराजप्रकाशिका (रसिकप्रिया की टीका), कविप्रिया का तिलक, सूरकृत दृष्टिकूट का तिलक, बिहारी सतसई का तिलक। शृंगारसंग्रह (प्राचीन काव्यसंग्रह)।

सं० ग्रं० — खोजविवरण १९०९-११; आचार्य रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास। [राम० पा०]

सरदेसाई, गोविंद सखाराम (१८६५-१९५९) का मराठी के अर्वाचीन इतिहासकारों में अग्रगण्य स्थान है। जन्म १७ मई १८६५ को कोंकण, महाराष्ट्र, के गोविल ग्राम में। वह कर्हाड ब्राह्मण थे और इनके पितामह ने छत्रपति शिवाजी, पेशवा, प्रतिनिधि इत्यादि की सेवा की। बाद में आर्थिक स्थिति गिर जाने के कारण पिता [illegible] महादेव ने खेती की। गोविंद सखाराम का बाल्यकाल [illegible] बड़ौदा में बीता। विद्या समाप्ति, फर्ग्युसन कॉलेज पूना, और एलफिंस्टन कॉलेज बंबई, में प्राप्त की। १८८८ में बी० ए० की डिग्री प्राप्त करने के बाद बड़ौदा रियासत के महकमा काम में उनकी नियुक्ति हो गई और अगले ३७ वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा में रहे तथा गायकवाड़ों के महलों और महाराजकुमार को शिक्षा देने का कार्य भी करते रहे। १८९२ और १९११ के बीच वे दो बार गंगाधरराव गायकवाड़ के साथ कई बार यूरोप गए। गोविंद सखाराम को पारिवारिक सुख न मिल सका। उनके दोनों पुत्र-[illegible] पुत्र दुर्घटनावश में ही अकाल के शिकार हो गए। १९२६ में उन्होंने राज्य से मतभेद के कारण एक छोटी पेंशन पर अवकाश ग्रहण किया।

उन्हें बाल्यकाल से ही इतिहास की ओर रुचि थी। उन्होंने विविध विषयों पर पुस्तकें लिखीं और मराठी में अनुवाद किया। १८९९ में 'पूनवैभवानी रियासत' प्रकाशित की (संशोधित संस्करण १९२७-२८)। तीन वर्ष बाद 'मराठी रियासत' का प्रथम खंड छपा। यह रचना ९ खंडों में अपने तीस वर्षों में पूरी हुई, और इसी बीच विविध खंडों के कई संशोधित खंड भी प्रकाशित हुए। यदुनाथ सरकार से उनका संपर्क १९०४ में प्रारंभ हुआ और एक आजीवन मैत्री में परिणत हो गया। यदुनाथ सरकार से ऐतिहासिक विषयों पर उनका पत्रव्यवहार १९५७ में दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ (Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar, ed H. R. Gupta)। अवकाश ग्रहण करने के बाद उनका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य पेशवा दफ्तर के अभिलेखों का ४५ जिल्दों में बंबई सरकार के तत्त्वावधान में प्रकाशन था (पेशवे दफ्तर निवडक कागदपत्र, Selections from the Peshwa Daftar; 1930-1934)। मराठी इतिहास के लिये और १८वीं शती के इतिहास के लिये यह ग्रंथ बहुमूल्य है, यद्यपि पैसों की तंगी, सरकार की जल्दबाजी इत्यादि के कारण संपादकीय दृष्टि से इसमें बहुत सी त्रुटियाँ हैं।

सरदेसाई के अन्य प्रकाशनों में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण हैं — 'सरदेसाई घराण्या चा इतिहास' (रचि० १९२५-१९२६), 'न्यू करेंट्स ऑव मराठा हिस्टरी' (१९२५, संशोधित २ रा संस्करण १९४८); हैंडबुक टु द रेकार्ड्स इन द एलिएनेशन ऑफिस पूना (Handbook to the Records in the Alienation Office, Poona); 'ऐतिहासिक पत्रव्यवहार' (१९३३); 'स्वातंत्र्याचे पर्व' (१९३४); शाहूजी, शिवाजी, संभाजी, राजाराम की जीवनियाँ (१९३५-१९३६); 'पूना अफेयर्स' (संपादित, मैलेट, पामर, क्लोज तथा एलफिंस्टन की एंबेसियाँ १९१६, १९४०, १९५०, १९५८) (Poona Affairs. Embassies of Mallet, Palmer, close and Elphinstone)।

मराठा इतिहास के अपने लंबे अध्ययन का निचोड़ सरदेसाई ने अपनी पुस्तक 'न्यू हिस्टरी ऑव द [illegible] of the Marathas, हि०,

शूक अधर भाग में मुँह के थोड़ा पीछे स्थित होते हैं। एकियूरस में एक या दो पंक्ति साकुश शूक (hooked setae) देह के पश्च (posterior) भाग में भी होते हैं। इन्हें गुदा शूक (Analsetae) कहते हैं।

सर्पपुच्छ सामान्यतः केवल समुद्र में रहते हैं और अधिकतर उष्ण-कटिबंधी (tropical) और उपोष्णकटिबंधी (subtropical) प्रदेश में समुद्रतल पर चट्टानों के सुराख में और पत्थरों के बीच पतली पंक में छिपे रहते हैं। एकियूरस बालू या कीचड़ में दो मुँह वाली नलियों का निर्माण करता है और उसी में रहता है। सर्पपुच्छों की आदत है कि वे अपना निवासस्थान बारबार बदलते रहते हैं।

सर्पपुच्छ वर्ग तीन गणों में विभाजित है : (१) एकियूरोइनिया (Echiuroinea), (२) क्सेनोप्नूस्त (Xenopneusta) तथा (३) हिटरोमायोटा (Heteromyota)। एकियूरोइनिया में २३ वंश (genus) और ६७ जातियाँ हैं। क्सेनोप्नूस्त में चार जातियाँ हैं और हिटरोमायोटा में केवल एक जाति है।

देहभित्ति की मांसपेशियाँ एक पत्तर के समान होती हैं, या कई पुंजों (bundles) में संगृहीत रहती हैं। त्वचा पर अनेक छोटे छोटे पैपिला (papillae) होते हैं। देह गुहा के पश्च छोर में दो विशिष्ट रचनाएँ होती हैं, जिन्हें गुदा आशय (anal vesicles) कहते हैं। गुदा आशय लंबी नलियों के आकार के होते हैं और कई शाखाओं में विभक्त रहते हैं। ये गुदा आशय देहगुहा में फैले रहते हैं और उत्सर्जन अंगों का काम करते हैं। गुदा आशय की भित्ति में अनेक पक्ष्माभिकामय छिद्र होते हैं, जो देहगुहा में खुलते हैं। दोनों गुदा आशय मलाशय में दोनों तरफ खुलते हैं। इन्हें परिमित वृक्कक (nephridia) माना जाता है।

देहगुहा में कोई विशेष आंत्र योजनी (mesentery) नहीं होती, परन्तु देहभित्ति के प्रत्येक भाग से ऊतक सूत्र (strands of tissue) देहगुहा में एक तरफ से दूसरी तरफ फैले रहते हैं और बाहर नली की भित्ति से जुड़े रहते हैं। देहगुहा विस्तीर्ण होती है और इसमें तरल होता है, जिसमें बहुत से कण होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि इन कणों में हीमोग्लोबिन होता है।

सर्पपुच्छों की आहारनली एक लंबी ऐंठी हुई नली की तरह होती है और कई पृथक् भागों में विभाजित रहती है। एक सहायक आंत्र (accessory intestine) या साइफन भी होता है। सहायक आंत्र आहारनली के अग्रभाग (anterior) से निकलती है और आंत्र के पश्चभाग में खुलती है। मलाशय की भीतरी उपकला (epithelium) में अनेक एककोशिक ग्रंथियाँ होती हैं। दोनों गुदा आशय मलाशय के दोनों तरफ खुलते हैं। गुदा देह के अंतिम भाग में होती है।

रुधिर तंत्र (vascular system) में एक पृष्ठवाहिका (dorsal vessel) आहारनली के अग्र भाग में होती है और एक अधर तंत्रिकीय वाहिका (ventral supra-neural vessel) होती है। इन दोनों वाहिकाओं में अग्र भाग और पिछले भाग में संबंध रहता है।

एकियूरस में लिंग पृथक् होते हैं। नर और मादा बाहर से समरूप होते हैं। बोनेलिया में नर और मादा का बाह्य स्वरूप बहुत भिन्न होता है। बोनेलिया में नर बहुत छोटे होते हैं और वे मादा के शरीर पर, या शरीर के अंदर, परजीवी की तरह रहते हैं। नर के शुक्राणु (spermatozoa), देहगुहा की उपकला के आस्तर (epithelial lining) के उस भाग से जो अधर अधिवृक्कीय वाहिका के ऊपर रहता है, उत्पन्न या उद्भूत होते हैं। ये युग्मक (gametes) देहगुहा में स्फुटित होते हैं, जहाँ वे परिपक्व होते हैं, और अग्र वृक्कक के रास्ते बाहर निकलते हैं। अग्र वृक्कक शरीर के अगले भाग में सुराख द्वारा बाहर खुलते हैं। नर की आहार नली बाहर नहीं खुलती। बोनेलिया का रंग हरा होता है। यह हरा रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसको बोनेलिन कहते हैं। बोनेलिन क्लोरोफिल से बहुत भिन्न होता है।

सर्पपुच्छों की केंद्रीय तंत्रिका में एक अधर तंत्रिका रज्जु (ventral nerve cord) होती है, जो पूर्णांक से देहभित्ति के भीतर होती है। अग्र भाग में यह रज्जु दो भागों में विभाजित हो जाती है और दोनों भाग ग्रासनली (oesophagus) को घेरकर मुंड के अग्र भाग में जुड़ जाते हैं। तंत्रिकाओं की विशेषता यह होती है कि इनमें गुच्छिका शोथ (ganglionic swellings) नहीं होते हैं और तंत्रिका कोशिकाएँ (nerve cells) पूरे तंत्र में एक रूप से वितरित रहती हैं। रज्जु के अधर भाग में एक पश्चमी नली होती है। यह नली रज्जु के पश्च भाग और अधिग्रसिका गुच्छिका (supra oesophageal ganglion) में नहीं होती है। सर्पपुच्छ में कोई विशेष ज्ञानेंद्रिय नहीं होती।

एकियूरोइडिया और साइपनकुलोइडिया में कुछ समानताओं के कारण दोनों समूहों को मिलाकर एक वर्ग (class), फ़ाइलिया (Gephyrea), बना दिया गया था। इन दोनों समूहों की समानताएँ, विशेष कर से वृक्कों की रचना, देहगुहा के विस्तीर्ण मलाशय और अधर तंत्रिका रज्जु के अध्ययन में, हैं। परन्तु ऊपर दी हुई समानताओं के बावजूद कई बहुत असमानताएँ भी हैं, जैसे साइपनकुलोइडिया में मुखपूर्वी नालि तथा गुदा आशय और सांकुश शूक का पूर्ण अभाव। एकियूरोइडिया और साइपनकुलोइडिया में गुदा की स्थिति में भी बहुत अंतर है और साइपनकुलोइडिया में सिर और धड़ दोनों में खंडीभवन का पूर्ण अभाव होता है। इन बातों के होते हुए इन को एक वर्ग में रखना उचित नहीं है और बहुत से लेखकों ने साइपनकुलोइडिया को एक अलग वर्ग माना है। [अ० ना० ब०]

सर्पमीन (Eel) वे स्थायित्व मीनों के एपोडेस वर्ग (order Apodes) के स्यूडोबिरी कुल (family Murenidae) की लगभग मछलियाँ हैं, जिनका जीवनचक्र बहुत जटिल होता है। ये मानो बहुमुखी हैं। इनकी कई जातियाँ [illegible] का सिर [illegible], मुखाग्र लंबा, [illegible], [illegible] के [illegible] भाग के [illegible] में [illegible] हुई हैं। [illegible]

रचयिताओं की खोज कर एक सूची कर्नल वेकर ने बनाई है, जो इंडिया ऑफिस लायब्रेरी, लंदन में सुरक्षित है। [गु० ना० शा०]

सरस्वती, कवींद्राचार्य ईसा की सत्रहवीं शताब्दी में भारत में जो श्रेष्ठ तथा दिग्गज आचार्य हुए उनमें कवींद्राचार्य सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये मूलतः महाराष्ट्रांतर्गत गोदावरी नदी के तीरस्थ किसी नगर के निवासी थे। यह स्थान प्रतिष्ठान (संप्रति भैठण) कहा गया है। कवींद्राचार्य आश्वलायन शाखा के ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था में उन्हें सांसारिक विषयों से विरक्ति हुई थी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने बचपन ही में संन्यासाश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने जीवन के प्रारंभिक दिनों में वेद, वेदांग, काव्यशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। उनके मूल नाम के संबंध में कोई प्रामाणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता।

सन् १६३२ ई० के आस पास वे सदा के लिये काशी में आकर बस गए। काशी में तत्कालीन पंडितों में उनका विशेष आदर था। वहाँ उनके पास एक उत्कृष्ट अनुपम पुस्तकालय था। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, व्याकरण, न्याय, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक, ज्योतिष वैद्यक, मंत्र तंत्र, पुराण, काव्य, अलंकार, नाटक, शिल्प इत्यादि विविध विषयों के लगभग २२०० ग्रंथ थे। इस पुस्तकालय की पुस्तकों पर कवींद्राचार्य सरस्वती की छाप है। संप्रति ये पुस्तकें बनारस, पूना, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कलकत्ता आदि स्थानों पर बिखर गई हैं। काशी में अध्ययन करनेवाले अकिंचन छात्र इसका उपयोग करते थे।

कवींद्राचार्य सरस्वती संस्कृत तथा हिंदी के प्रकांड पंडित थे। विद्या की प्रत्येक शाखा में पारंगत थे और इसी के फलस्वरूप शाहजहाँ ने उन्हें 'सर्वविद्यानिधान' पदवी से विभूषित किया था। उनके संस्कृत ग्रंथों में कवींद्रकल्पद्रुम, जगद्विजयचंद्र, पदचंद्रिका, योगभास्कर, शतपथ ब्राह्मणभाष्य, ऋग्वेदभाष्य, तथा हिंदी ग्रंथों में कवींद्र कल्पलता, ज्ञानसार, समरसार आदि उल्लेखनीय हैं।

प्रकांड पंडित के अतिरिक्त कवींद्राचार्य सरस्वती हिंदुओं के सांस्कृतिक नेता के रूप में भी विशेष प्रसिद्ध हैं। मुगल सम्राट् शाहजहाँ के शासनकाल में काशी, प्रयाग आदि पवित्र स्थानों पर हिंदुओं से अत्यंत अमानुषिक रीति से यात्राकर वसूल किया जाता था। इस अन्यायमूलक एवं कष्टकारक यात्राकर को हटाने के लिये अनेक राजा महाराजाओं ने प्रयत्न किए परंतु सफलता नहीं मिली। अंत में काशी के पंडितों ने शाहजहाँ के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसका नेतृत्व कवींद्राचार्य सरस्वती को सौंपा गया। कवींद्राचार्य ने मुगल दरबार में यात्राकर से परेशान हिंदू जनता की दुःखगाथा का वर्णन ऐसे प्रभावकारी और करुण शब्दों में किया कि उसे सुनकर दरबार के विदेशी राजदूत विस्मय-चकित हुए और शाहजहाँ तथा दाराशिकोह की आँखों में आँसू छलक पड़े। उन्होंने तत्काल यात्रा-कर-मुक्ति की घोषणा कर कवींद्राचार्य का संमान किया।

यात्रा-कर-मुक्ति की घटना भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अन्यायमूलक यात्राकर के हटने से सारा हिंदू समाज हर्षित हुआ और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिये तत्कालीन पंडितों ने उनके लिये दो अभिनंदनपत्र समर्पित किए। संस्कृत ग्रंथ का नाम कवींद्रचंद्रोदय और हिंदी ग्रंथ का नाम है कवींद्रचंद्रिका। कवींद्राचार्य सरस्वती का स्वर्गवास अनुमानतः सन् १६६० ई० में हुआ था। [कृ० दि०]

सरी सक़ती (शैख़) सरी बिन मुग़लिस सक़ती (उपनाम हबीब सरी) जिन्न मन मुग़लिस सुन्नी सम्प्रदाय के एक सूफ़ी थे। जुनैद बग़दादी के चाचा होते थे। सूरी, सरीह तथा सैर नस्साज से दीक्षित थे। अपने समय के महान् सूफ़ी, सृष्टि के पथप्रदर्शक और बड़े आलिम (धर्मपंडित) समझे जाते थे। आध्यात्मिक सिद्धांतों में अब मुहासबी के अनुयायी थे। उनके कथनानुसार ईश्वर और मानव प्रेमसूत्र में संबद्ध हैं, और सच्चे प्रेमी को शारीरिक उत्पात सहन नहीं करना पड़ता। मर्द (पुरुष) वह है जो बाजार में भी ईश्वर के गुणगान में संलग्न रहे। महाबली तथा मस्त वह है जो अपनी दुरभिलाषाओं को अपने वश में कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि जब हृदय में और कोई वस्तु होती है तो यह पाँच बातें वहाँ नहीं होतीं — ईश्वरभय, आशा, प्रेम, लज्जा तथा अनुकंपा। पुरुष वह है जिससे सृष्टि को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। जुनैद बग़दादी के कथनानुसार सरी सक़ती चिंतन तथा ईश्वर गुणगान में अद्वितीय थे। ९८ वर्षों तक कभी धरती पर नहीं बैठे। इब्ने हरब ने उनके इस मत का खंडन किया है कि क़ुरान के अक्षर अनुप्रास रचित हैं। व्यापार करते थे। ९८ वर्ष की आयु में २८ रमज़ान २५० (८७० ई०) अथवा २५३ (८६७ ई०) को स्वर्गवास हुआ। समाधि बग़दाद में है।

सं० ग्रं० — इब्न अल जौज़ी : सफ़ीनतुल औलिया (मिस्र, १३४०) १८०-१९७; ख़्वाजा फ़रीदुद्दीन अत्तार, तज़किरतुल औलिया (निकलसन द्वारा संपादित) १,१७४-८४; मौलाना अब्दुर्रहमान जामी : नफ़हातुल उंस (नवलकिशोर, लखनऊ १३२१) ५५-५७; दारा शिकोह : सक़ीनतुल औलिया (उर्दू अनुवाद, कराची, १९६१) ५८-५९; Encyclopaedia of Islam (London १९३४) ४,१९१। [मु० उ०]

सर्पपुच्छ या एकियूरिडा (Echiurida) यह ऐनेलिडा वर्ग (phylum Annelida) का एक छोटा विपथी (aberrant) वर्ग (class) है, जिसके जंतु कृमि के रूप के होते हैं। सर्पपुच्छों में एक विशिष्ट मुखपूर्वी पालि (preoral lobe) होती है, परंतु खंडीभवन (segmentation) के केवल चार शेष चिह्न रहते हैं। इनका शरीर रंगीन, थैलीनुमा या बेलनाकार होता है। शरीर के अग्रिम मुखपूर्वी भाग में एक अत्यधिक संकुचनशील शुंड (proboscis) होता है, जो आसानी से खंडयुक्त हो जाता है। शुंड के अधर (ventral) भाग में एक रोमाभ खाँच (ciliated groove) होती है, जिसके पिछले भाग में उस स्थान पर जहाँ से शुंड देह से निकलता है, मुखद्वार होता है। बोनेलिया (Bonellia) में यह शुंड लंबा होता है और छोर पर दो फाँकों में बँटा होता है। एकियूरस (Echiurus) में शुंड छोटा और लटकता हुआ होता है। सामान्यतः एक जोड़ा ऐंठे हुए वृक्क

मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिये [illegible] प्रयास किया गया था और प्रथम महायुद्ध के बाद नये यूरोपीय राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का भी प्रयास किया गया था। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ में जहाँ एक ओर नात्सी और फासिस्ट देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों का उपहास कर रहे थे उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों की ओर से समस्त देशों के नागरिकों के मौलिक, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के आश्वासन दिए जा रहे थे। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तो सन् १९४१ में अमरीकी कांग्रेस को भेजे गए अपने संदेश में चार प्रकार के मौलिक, नागरिक अधिकारों की चर्चा की थी जिनमें, भाषण और अभिव्यक्ति, धर्माराधना, आर्थिक अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति शामिल है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद उसकी आर्थिक और सामाजिक परिषद् की पहली बैठक में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का काम १० जून सन् १९४८ को समाप्त हो गया और १० दिसंबर सन् १९४८ को सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी घोषणा में कहा है कि सभी देशों और सभी राष्ट्रों में प्रत्येक मनुष्य और समाज की प्रत्येक संस्था के अधिकारों और उनकी प्रतिष्ठा का समान समान आधार पर किया जाएगा। सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकारपत्र को ध्यान में रखकर सभी देशों और सभी स्थानों में सभी मनुष्यों के लिये इन अधिकारों की व्यवस्था राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आधार पर की जाएगी। इनका प्रचार और प्रसार किया जाएगा।

सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकारपत्र की धारा १ तथा २ में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा और अधिकार समान हैं अतः प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पाने का अधिकारी है। उनमें किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा अभिमत, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म, पद आदि का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आगे की धाराओं में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने, स्वतंत्रता का उपभोग करने तथा अपने आपको निरापद बनाने का अधिकार है (३)। किसी व्यक्ति को दास बनाकर नहीं रखा जा सकेगा, दासता और दासों के सभी प्रकार के क्रय विक्रय पर कानूनी प्रतिबंध रखा जाएगा (४)। किसी व्यक्ति को शारीरिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी और न क्रूरतापूर्ण तथा अमानवीय बर्ताव ही किया जाएगा। किसी व्यक्ति का न तो अपमान किया जाएगा और न उसे अपमानजनक दंड ही दिया जाएगा (५)। प्रत्येक व्यक्ति को संसार के प्रत्येक भाग में कानून की दृष्टि में समान मनुष्य समझे जाने का अधिकार है (६)। कानून की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और बिना किसी प्रकार के भेदभाव के उन्हें कानून का समान संरक्षण पाने का अधिकार है। इस घोषणापत्र का उल्लंघन होने और भेदभाव किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा (७)। विधान या कानून से प्राप्त मौलिक अधिकारों का अपहरण होने की स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारसंपन्न राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा परित्राण पाने का अधिकार है (८)। किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार और नजरबंद न किया जा सकेगा और न उसको निर्वासित किया जा सकेगा (९)। आरोप और अभियोगों की जाँच तथा अधिकार और कर्तव्यों का निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधीशों द्वारा उचित और खुले रूप से कराने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा (१०)। खुली अदालत में मुकदमा चलाकर सजा मिले बिना, जिसमें उसे अपने बचाव की सभी आवश्यक सुविधाएँ दी गई हों, प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष समझा जाएगा, किसी भी ऐसे कार्य या गलती के लिये किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराया जायगा जो उस समय अपराध न माना जाता रहा हो जब वह कार्य या गलती हुई हो, और न उससे अधिक सजा दी जा सकेगी जो उस समय कानून के अनुसार मिल सकती हो जब वह कार्य या गलती हुई थी (११)। किसी के एकांत जीवन, परिवार, घर या पत्रव्यवहार के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न किया जाएगा और न उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर ही किसी प्रकार का आघात किया जाएगा और अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी संरक्षण का अधिकार रहेगा (१२)। प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य की सीमा के अंदर स्वेच्छापूर्वक आने जाने और मनचाहे स्थान पर बसने का अधिकारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने और वहाँ से लौटने का अधिकार है (१३)। प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से परित्राण पाने के लिए दूसरे देशों में जाने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा जो अराजनीतिक मामलों के कानूनी अपराधी होंगे। जो लोग संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य और सिद्धांतों के प्रतिकूल होंगे उन्हें भी यह अधिकार नहीं मिलेगा (१४)। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक बनने का अधिकार है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीयता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और न राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार ही उससे छीना जा सकता है (१५)। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को राष्ट्र, राष्ट्रीयता और धर्म के प्रतिबंध के बिना विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को विवाह करने, वैवाहिक जीवन में और विवाह सर्वविच्छेद के मामलों में समान अधिकार है। परिवार को समाज और राज्य संरक्षण प्राप्त होगा (१६)। प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति पर स्वामित्व करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा (१७)। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतःकरण, धर्माराधना की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें धर्मपरिवर्तन, धर्मोपदेश व्यवहार, पूजा और अनुष्ठान की स्वतंत्रता अधिकृत है (१८)। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सूचना प्राप्त करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है (१९)। प्रत्येक व्यक्ति को शांतिमय सभा करने और संगठन बनाने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को किसी संगठन में रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता (२०)।

मानव अधिकारपत्र की २१वीं धारा में कहा गया है कि प्रत्येक

ऐंग्विला ऐंग्विला (A. anguilla) मैक्सिको के पास बरम्यूडा सागर में अंडे देती हैं, जिनमें से छोटे छोटे चपटे पारदर्शी बच्चे निकलते हैं। ये अनगिनत बच्चे अंडे से बाहर आते ही पूर्व दिशा की ओर चल पड़ते हैं और समुद्र की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। तीन चार वर्षों तक बराबर चलकर, ये तीन हजार मील का सफर पूरा कर लेते हैं और तब इनका शरीर गोल और तीन इंच तक का हो जाता है। कुछ समय और बीतने पर इनका शरीर पतला और सूच्याकार हो जाता है। ये सिकुड़कर कुछ छोटे हो जाते हैं और उनकी आकृति बामी जैसी हो जाती है। इस परिवर्तन के बाद वे मीठे पानी के लिये आतुर हो उठते हैं और समुद्र से उनके झुंड के झुंड नदियों, झीलों और तालतलैयों में घुस जाते हैं, जहाँ नर १२ से २० इंच तक लंबे और मादा १४ से २६ इंच तक लंबी हो जाती है। इस प्रकार आठ नौ वर्षों का जीवन बिताने के बाद, सहसा उनमें फिर परिवर्तन होता है। उनका पूरा शरीर रुपहला हो जाता है, आँखें बड़ी हो जाती हैं और यौवन नुकीला हो जाता है। वे एकदम खाना पीना बंद करके, फिर समुद्र की ओर लौटकर पश्चिम की ओर लौट पड़ती हैं। इस प्रकार निरंतर चलकर, वे फिर अपने जन्मस्थान में पहुँच जाती हैं और वहीं अंडे देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।

बामी देखने में साँप सी लगती है। इनका शरीर लंबा, सुफने मुलायम और शरीर चिकना रहता है। पसलियों की जगह इनके दोनों बगल जिगाफ-सी कटी रहती हैं और मुँह में तेज दाँत रहते हैं। पृष्ठीय पक्ष (dorsal Fin) और गुह्य पक्ष (anal Fin) लंबा और पुच्छपक्ष (candal Fin) छोटा रहता है। शरीर का ऊपरी भाग हरछौंह भूरा और बगल का पिलछौंह रहता है।

बामी समुद्रों, नदियों, तालाबों तथा कीचड़ और दलदलों में रहती है। ये अक्सर दिन में खाने को कीचड़ में गाड़ लेती हैं और रात में भोजन के लिये इधर उधर फिरने लगती है। ये सर्वभक्षी मछलियाँ हैं, जिनकी कोई कोई जाति पाँच फुट तक लंबी होती है और वजन में १० सेर तक पहुँच जाती है। [मु० सि०]

सर्पविद्या सर्पों से मनुष्य आदि काल से ही डरता आया है। उस समय मनुष्य नहीं समझते थे कि सभी सर्प विषधर नहीं होते। अतः सर्प के काटने पर मंत्र का प्रयोग किया जाता था। जब किसी सर्प के काटने से विष नहीं चढ़ता था तो समझा जाता था कि यह मंत्र का प्रभाव है। साँप के काटे पर मंत्र का प्रयोग करना बड़ी उपयोगी विद्या मानी जाती है। वैदिक युग में सर्पविद्या की भी गणना मन्त्र विद्याओं में की जाती थी। सर्पों को प्रसन्न करने के लिये मंत्र जपे जाते थे और उनके विष का निवारण करने के लिये भी मंत्र का प्रयोग होता था। इस समय भी सर्पदंश के विष को दूर करने के लिये कई प्रकार के मंत्र काम में लाए जाते हैं।

हिंदू लोग आवश्यकता पर मंत्रों को पूजा करते हैं। साँप के काटने पर जब मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो काटा हुआ मनुष्य प्रभावित होकर कभी कभी बात करने लगता है। यह संभव है कि ऐसे मनुष्य को विषहीन सर्प ने काटा हो। उस मनुष्य को बात करते की बात मानी जाती है और मंत्रप्रयोक्ता उससे आग्रह करता है कि वह उस मनुष्य को छोड़ दे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंत्रशक्ति से काटनेवाला सर्प वहाँ आ जाता है और कभी कभी अपने विष को वापिस चूस लेता है। परंतु इसमें तथ्य कितना है, कहना कठिन है। सर्पदंश पर मंत्रप्रयोग की कई विधियाँ हैं। कोई नीम के झोरे से, कोई झाड़ू से और कोई शस्त्र के द्वारा या अन्य विधि से मंत्र बोलकर विष उतारता है। [म० ला० ड०]

सर्वजीववाद या जड़समीहावाद (Animatism) कुछ व्यक्ति जड़ प्रपंच अथवा प्राकृतिक पदार्थों में आत्माओं (spirits) या जीवात्माओं (souls) का तो अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, परंतु उनमें भी एक प्रकार का व्यक्तित्व और इच्छाशक्ति या समीहा (will) मानते हैं। उदाहरणार्थ, वे यह तो नहीं कहेंगे कि कीट पतंगों, पेड़ पौधों, ग्रह उपग्रहों या तारागण आदि में मनुष्य की जैसी आत्माएँ हैं, परंतु वे यह विश्वास अवश्य करते हैं कि इस प्रकार के पदार्थों में भी इच्छाशक्ति या समीहा होती है। मानवों की ऐसी आस्था को सर्वजीववाद या जड़समीहावाद कहते हैं। दार्शनिक भाषा में सर्वजीववाद या जड़समीहावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार भौतिक पदार्थों एवं प्राकृतिक घटनाओं के अंतस्थल में भी (जिन्हें व्याख्या वैज्ञानिक व्यक्ति एकमात्र नैसर्गिक नियमों के अन्वेषण एवं प्रतिपादन द्वारा करते हैं) इच्छाशक्ति के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है।

कुछ विचारकों एवं आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में सर्वजीववाद या जड़समीहावाद मानव का एक प्रारंभिक विश्वासमात्र है, प्रमाणपुष्ट सिद्धांत नहीं। उनके अनुसार यह मनुष्य के उन मानसिक प्रयत्नों में से एक है जो उसने अपने बौद्धिक जीवन के शैशवकाल में जड़ जगत् के क्रियाकलाप को समझने के लिये किए। चूँकि उसने अपनी अनेक शारीरिक क्रियाओं को अपनी व्यक्तिगत समीहा से समुद्भूत या संचालित होती हुई अनुभव किया था, अतः यह उसके लिये स्वाभाविक ही था कि वह समय समय पर घटनेवाली या संघटित होनेवाली प्राकृतिक घटनाओं का भी उद्गम एक प्रकार की व्यक्तिगत समीहा या इच्छाशक्ति को ही माने। परंतु उसकी यह मान्यता या आस्था मानवीय क्रियाओं और प्राकृतिक घटनाओं के अन्योन्य एवं केवल बाह्य सादृश्य पर ही आधारित होने के कारण तार्किक दृष्टि से समीचीन नहीं समझी जाती, और उसे आवश्यक एवं अनिवार्य तथ्यों के निरीक्षण न करने के दोष से युक्त भी कहा जा सकता है। जब स्वयं मनुष्य के शरीर की भी अनेक क्रियाएँ, जैसे हृदय की गति, रक्त का संचरण, पाचनक्रिया आदि, उसकी ऐच्छिक क्रियाएँ नहीं कही जा सकतीं, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि पृथ्वी के विकास एवं ग्रहों के भ्रमणादि की क्रियाएँ यथाकथंचित् ऐच्छिक होती हैं? [रा० सि० श०]

सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार के घोषणापत्र की चर्चा संयुक्तराष्ट्रसंघ के घोषणापत्र के विषय में है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के बगैर सभी मनुष्यों के

इन सबके अलावा वे आदतन खादीधारी और नियमित कताई करें, यह भी आवश्यक है।

प्रवृत्तियाँ — सर्वसेवासंघ के द्वारा नीचे लिखी प्रवृत्तियाँ चलाई जाती हैं :

१. सर्वोदय संमेलन — सर्वोदय विचार में निष्ठा रखनेवालों का एक संमेलन हर दूसरे वर्ष संघ आयोजित करता है।

२. साहित्य प्रकाशन — गांधी, विनोबा, तथा सर्वोदय विचार के साहित्य का प्रकाशन और प्रसार करने के लिये संघ की ओर से एक 'प्रकाशन समिति' बनी है। इसके द्वारा अब तक देश-विदेश की १६ विभिन्न भाषाओं में लगभग ६०० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

३. शांति सेना-मंडल — शांतिसेना का संगठन, संयोजन तथा शांति संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये शांति सेना-मंडल बना है। इस समय देश भर में लगभग ८,००० शांति सैनिक और २,००० शांतिकेंद्र काम कर रहे हैं।

४. खादी ग्रामोद्योग ग्रामस्वराज्य समिति — खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के मार्फत देशभर में जो खादी ग्रामोद्योग का कार्य चल रहा है, उसकी नीति तथा कार्यक्रम में सर्वोदय विचार के आधार पर निर्देशन, समन्वय आदि काम के लिये यह समिति बनी है।

५. कृषि गोसेवा समिति — गोवंश को, विशेषतः गाय को, समाज में योग्य स्थान पर प्रतिष्ठित करने तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाने का राष्ट्रव्यापी आयोजन करना इस समिति का उद्देश्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये गोसंवर्धन केंद्र, नंदीशाला, गोसदन, गोरस भंडार, गोशाला, चरागाह, चारे की खेती तथा अन्य कृषिसुधार के कार्य समिति कर रही है। भारत सरकार द्वारा स्थापित गोसंवर्धन कौंसिल भी इस समिति का सहयोग लेती है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। पता, ठक्करबापा स्मारक सदन, [illegible] रोड, झंडेवालान, नई दिल्ली।

६. खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति — कताई, बुनाई, कृषि तथा अन्य ग्रामोद्योगों के औजारों में शोध, अन्वेषण, सुधार आदि की दृष्टि से इस समिति का गठन हुआ है।

७. इन स्थायी प्रवृत्तियों के अलावा नई तालीम, सेवाग्राम आश्रम आदि का आयोजन संघ के मार्फत होता है। चंबल घाटी की बागी समस्या, पंचायत राज्य, कश्मीर समस्या आदि तात्कालिक प्रश्नों को सर्व-सेवा-संघ अपने विचार के आधार पर हल ढूंढने और सुधार कार्य करने का प्रयत्न करता रहता है।

['सर्वसेवासंघ' से प्राप्त]

सर्वांगशोथ, या देहशोथ (Anasarca) शरीर की एक विशिष्ट [illegible] शोथयुक्त अवस्था है, जिसके अंतर्गत समूचे अधस्त्वचीय [illegible] में शोथ (oedema) के कारण तरल पदार्थ का संचय [illegible] जाता है। इसके कारण शरीर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है [illegible] उसकी एक विशेष प्रकार की आकृति हो जाती है।

देहशोथ का मुख्य कारण अत्यधिक शिरागत शिराचार है, जो मुख्यतः स्थानिक शिरागत अवरोध से होता है, जैसे शिरागत बाह्य कारण से दबाव, अर्बुद, थ्रॉम्बोसिस इत्यादि। कभी कभी यह हृदयकपाटों के विकारों से उत्पन्न होता है। हृदय के कार्य में शिथिलता से भी यह अवस्था उत्पन्न होती है। हृदयकपाट के इस प्रकार के विकार में धमनीगत रक्तिसंचार घट जाता है और रक्तसंचार में शिथिलता आ जाती है। उग्र शिरागत चाप से शिराएँ फूल जाती हैं तथा उनके वाल्व (valve) के कार्य में शिथिलता आ जाती है। शिराओं में संचित रक्त गुरुत्वाकर्षण से स्थानिक केशिकाओं पर दबाव डालता है और इसी के फलस्वरूप केशिकाओं से तरल पदार्थ छनकर अधस्त्वचा में संचित हो जाता है तथा अधस्त्वचीय ऊतक में शोथ उत्पन्न कर देता है। उपतीव्र गुर्दाशोथ (subacute nephritis) में शोथ का कारण शरीर से अत्यधिक मात्रा में ऐल्बूमिन का परित्याग है। मूत्र द्वारा निकला ऐल्बूमिन प्लेस्मा (plasma) से आता है। इतना ऐल्बूमिन बाहर जाता है कि प्लेस्मा में उसकी मात्रा केवल ५०% रह जाती है। रक्त में दो प्रोटीन रहते हैं : ऐल्बूमिन और ग्लोबूलिन। इनका अनुपात ३:१ रहता है। ऐल्बूमिन के निकल जाने पर ग्लोबूलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे कोलॉइड परिसरण दबाव कम हो जाने से, जल का संचय बढ़ जाता है और ऐल्बूमिन के मूत्र द्वारा निकल जाने से जल का संचय अधिक होकर शोथ बढ़ जाता है। शरीर के फूले रहने पर भी ऐल्बूमिन की कमी से रोगी में बल की कमी हो जाती है।

शरीर के ऊतकों में जल भर जाने से, विशेष करके महास्रोतीय भाग में जल की मात्रा बढ़ने से तथा वृक्क में इस जल के निकालने की सामर्थ्य न रहने से, वमन और अतिसार प्रारंभ होता है। गुर्दाशोथ में ऐल्बूमिन का अनुपात १:१ (३.१ के स्थान में) हो जाता है। शोथ और रक्ताल्पता के कारण रोगी के चेहरे तथा शरीर का आकार बहुत बड़ा तथा पांडु हो जाता है। इसे शरीर की एक विशेष आकृति हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की विशेष कमी हो जाती है। मूत्र की मात्रा में कमी होकर उसका विशिष्ट घनत्व बढ़ जाता है। रोगी को विशेष आराम का अनुभव होता है तथा पाचन क्रिया में विकार उत्पन्न हो जाता है, परंतु इसके कारण रक्तचाप में कोई वृद्धि नहीं होती।

जीर्ण संतत मलेरिया में देहशोथ बहुधा, इस रोग में दिखाई देता है। १९३० ई० में [illegible] में यह दिखाई दिया था। विकपाटुरिया (Wickramasuriya) ने ३५० रोगियों में से ४० प्रति शत में देहशोथ देखा था, जो पुरुष रूप में प्रमुख स्त्रियों में अधिक दिखाई दिया था। इस प्रकार के मलेरिया में उत्पन्न होकर देहशोथ के होने का कारण मूत्रस्थ प्लेस्मा प्रोटीन की न्यूनता है। अधिक उपचार से ऐसा शोथ सुप्त भी हो जाता है।

कभी कभी [illegible] में भी [illegible] देहशोथ देखा जाता है। कुछ

व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने का समान अधिकार प्राप्त है। प्रशासन का संचालन जनता के इच्छानुसार होगा और जनता की इच्छा, समय समय पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और गुप्त या प्रकट मतदान के आधार पर हुए निर्वाचनों से प्रकट होगी। समाज के सदस्य की हैसियत से प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है (२२)। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, स्वतंत्रतापूर्वक पेशा चुनने, काम करने के लिये न्यायसंगत एवं अनुकूल परिस्थितियों तथा बेकारी से संरक्षण का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समान कार्य के लिये समान वेतन पाने का अधिकारी है। उसे उचित पारिश्रमिक पाने और मजदूर संघ बनाने का अधिकार है (२३)। प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य तथा हितवर्धन के लिये अपेक्षित जीवनस्तर प्राप्त करने का, भोजन, वस्त्र, निवास, उपचार और आवश्यक सामाजिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है (२४)। माता और बच्चे की देखभाल और सहायता पाने का भी वह अधिकारी है (२५)। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य एवं नि शुल्क होनी चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं एवं मानव अधिकारों के प्रति संमान में वृद्धि करना होगा। इसके द्वारा सब राष्ट्रों और जातीय या धार्मिक समुदायों के बीच विचारों के सामंजस्य, सहिष्णुता और मैत्री को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा शांतिरक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से होनेवाले कार्यों में सहायता प्रदान की जाएगी। बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाय, इसका अधिकार उनके मातापिता को है (२६)। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है। वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कला कृति से मिलनेवाली ख्याति तथा उसके भौतिक लाभ की रक्षा का भी उसे अधिकार है (२७)।

मानव अधिकारपत्र की २८, २९ और ३० वीं धाराओं में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिकारपत्र के अनुरूप सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हुए समाज के प्रति उत्तरदायी है और उसका कर्तव्य है कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का समान करे। दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा, नैतिकता, सार्वजनिक शांति और जनतांत्रिक समाज के सामान्य हितों के लिये कानून द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी दशा में संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत नहीं हो सकेगा। इस घोषणा का यह भी अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा कि किसी राज्य, व्यक्ति, समुदाय अथवा व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य में संलग्न होने या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य इस घोषणा में निहित अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं में से किसी का भी उन्मूलन कर

[चं० दी०]

सर्व-सेवा संघ गांधी जी द्वारा या उनकी प्रेरणा से स्थापित रचनात्मक संस्थाओं तथा संघों का मिला जुला संगठन है। सर्वोदय नियमों के संदर्भ में यह देश भर में फैले हुए 'लोकसेवकों का एक संयोजक संघ' भी बन गया है।

उद्देश्य और नीति — सर्व-सेवा-संघ का उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है, जिसका आधार सत्य और अहिंसा हो, जहां कोई किसी का शोषण न करे और जो शासन की अपेक्षा न रखता हो।

सर्व सेवा-संघ शांति, प्रेम, मैत्री और करुणा की भावनाओं को जाग्रत करते हुए साम्ययोगी अहिंसक क्रांति के लिये स्वतंत्र जन शक्ति का निर्माण तथा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहता है।

समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना और समग्र मानव व्यक्तित्व का विकास करना संघ की बुनियादी नीति होगी। इसके लिये संघ का प्रयत्न रहेगा कि समाज में जाति, वर्ण, लिंग आदि तत्वों के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव निर्मूल हो, वर्गसंघर्ष के स्थान पर वर्गनिराकरण और स्वेच्छा से परस्पर सहकार करने की वृत्ति बढे तथा खादी तथा विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से कृषि, उद्योग आदि के क्षेत्र में आर्थिक विषमता का निरसन हो।

सर्वसेवासंघ की बुनियादी इकाई 'प्राथमिक सर्वोदय मंडल' है, जो दस 'लोकसेवकों' को लेकर बनता है। इससे संबद्ध देश के कुल ३३३ जिलों में से २०३ जिलों में जिला सर्वोदय मंडल बने हैं। इस समय कुल १२ प्रादेशिक सर्वोदय मंडल हैं।

हर एक जिला सर्वोदय मंडल अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। ऐसे प्रतिनिधियों को मिलाकर संघ की 'ग्रामसभा' बनती है। ऐसे सदस्यों के अलावा संघ के अध्यक्ष कुछ लोगों को संघ के सदस्य के रूप में नामजद भी करते हैं। इस समय १६० निर्वाचित सदस्य तथा ६० नामजद सदस्य हैं।

प्रबंध समिति — सर्व-सेवा-संघ सर्वानुमति से तीन साल के लिये अपना एक अध्यक्ष चुनता है और वह अध्यक्ष संघ का काम चलाने के लिये कम से कम ११ और अधिक से अधिक २५ लोगों की एक प्रबंध समिति गठित करता है, जिसमें से मंत्री, सभामंत्री आदि की नियुक्ति भी अध्यक्ष ही करता है।

सर्व-सेवा-संघ का कार्यालय इस समय राजघाट, वाराणसी में है।

सदस्यता के नियम — सर्व-सेवा-संघ के सदस्य और लोकसेवक वे ही हो सकते हैं, जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और शरीरश्रम में निष्ठा और तदनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हों; लोकनीति के द्वारा ही सच्ची स्वतंत्रता संभव है — इस मान्यता के आधार पर दलगत राजनीति तथा सत्ता की राजनीति से अलग रहते हों और किसी राजनीतिक पक्ष के सदस्य न हों। जाति, वर्ण या पंथ आदि किसी प्रकार के भेद को जीवन में स्थान न देते हों; तथा अपना पूरा समय और मुख्य चिंतन मूलानुसारक ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक क्रांति के काम में लगाते हों।

महाभाष्यकार पतंजलि से पूर्ववर्ती कात्यायन थे। इस संबंध में षड्गुरुशिष्य लिखते हैं—

'वाजिनां सूत्रकृत्साम्नामुपग्रन्थस्य कारकः।
स्मृतेश्च कर्त्ता श्लोकानां भाजनाम्नाञ्च कारकः॥
महावार्तिककारः पाणिनीयमहार्णवे।
योगाचार्यः स्वयं कर्त्ता योगशास्त्रनिदानयोः॥
एवंगुणगणैर्युक्तः कात्यायनमहामुनिः।
तपोयोगाग्निधर्मे यः सर्वानुक्रमणीमिमाम्'॥

सर्वानुक्रमणी का रचनाकाल सूत्रयुग के अंतिम चरण में हो माना जा सकता है। सूत्रयुग का कालनिर्णय पाश्चात्य इतिहासकारों ने ईसापूर्व ६०० से २०० तक का स्वीकार किया है।

ऋग्वेद संबंधी सर्वानुक्रमणी सूत्र शैली में रचित एक बड़ा ग्रंथ है। मुद्रित रूप में इसका आयाम लगभग ४६ पृष्ठ का है। इसके पहले १२ अध्यायों में प्रास्ताविक चर्चा है जिनमें से ९ अध्यायों में वैदिक छंदों के स्वरूप और रचनापद्धति पर परिचयात्मक निबंध हैं। सर्वानुक्रमणी के प्रणेता कात्यायन ने ग्रंथारंभ में 'यथोपदेशं ऋग्वेद की ऋचाओं के प्रतीक आदि की अनुक्रमणी प्रस्तुत करता हूँ' ऐसी प्रतिज्ञा की है। यथोपदेश से यह संकेत है कि यह रचना तत्पूर्व शौनकप्रणीत विविध छंदोबद्ध अनुक्रमणियों के आधार पर की गई है। क्योंकि सर्वानुक्रमणी में कतिपय गद्यात्मक वृत्तमयी हैं और शौनकीय आर्षानुक्रमणी और बृहद्देवता में प्रयुक्त कतिपय पद स्वरूपतः परिगृहीत हैं। कात्यायन प्रणीत ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी का संपादन आचार्य मैक्डोनल ने किया है जो ऑक्सफर्ड से सन् १८८६ ईसवी में प्रकाशित है। इसमें अनुवाकानुक्रमणी तथा षड्गुरुशिष्य का भाष्य भी परिशिष्ट में मुद्रित है।

कात्यायनप्रणीत शुक्लयजुर्वेदीय सर्वानुक्रमणी में केवल पाँच ही अध्याय हैं। पहले चार अध्यायों में याजुष मंत्रों के द्रष्टा ऋषियों, देवताओं और छंदों की नामतः गणना है। इसकी एक और विशेषता यह है कि संहिताकाल से उत्तरवर्ती युग के नए ऋषियों के भी नाम संगृहीत हैं जिनमें से कतिपय शतपथ ब्राह्मण से संबंध रखनेवाले भी हैं। इसके अंतिम अध्याय में वाजसनेयि संहिता के मंत्रों का संक्षिप्त विवरण भी दिया है। शुक्लयजुर्वेदीय सर्वानुक्रमणी का प्रकाशन वेबर द्वारा संपादित यजुर्वेद के संस्करण में परिशिष्ट रूप से संगृहीत है, तथा स्वतंत्र रूप से यह ग्रंथ सभाष्य बनारस संस्कृत सीरीज के अंतर्गत ईसवी सन् १८९३-९४ में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ मिलता है। ग्रंथ का नाम 'कात्यायनप्रणीत शुक्ल यजु. सर्वानुक्रमसूत्र-याज्ञिकानन्तदेव कृत भाष्य सहित' दिया है।

[मु० शा०]

सर्बिया स्थिति : ४३° ३०' उ० अ० तथा २१° ०' पू० दे०। यह संघीय यूगोस्लाविया का एक गणतंत्र है। इसका क्षेत्रफल ८८,३६१ वर्ग किमी० तथा जनसंख्या १,८५,३८,१३० (१९६१) है। अतः यहाँ प्रति वर्ग किमी० जनसंख्या का घनत्व ७२·४ व्यक्ति है। इस गणतंत्र के उत्तर में हंगरी और पूर्व में रोमानिया तथा बल्गेरिया, दक्षिण में [illegible] है। यहाँ का जलवायु महाद्वीपी है।

सर्बिया पूर्णतः एक कृषिप्रधान देश है। कृषि उत्पादनों में गेहूँ, जौ, राई तथा तंबाकू मुख्य हैं। यहाँ फलों का भी उत्पादन किया जाता है।

ब्योगार्ड (Beogard) यहाँ की राजधानी है, जिसकी जनसंख्या ९५,००० (१९६१) है। अन्य नगरों में नीश (Nis, जनसंख्या ८१,०७३), क्रगुजेवाक (जनसंख्या ५२,४९१) तथा लेसकोवाक (जनसंख्या ३३,९४१) प्रमुख हैं। [मु० का० रा०]

सर्वेक्षण (Surveying) उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर, किसी पैमाने पर आलेखन (plotting) करके, उनकी सापेक्ष क्षैतिज और ऊर्ध्व दूरियों का कागज या दूसरे माध्यम पर सही सही ज्ञान कराया जा सके। इस प्रकार का अंकित माध्यम लेखाचित्र या मानचित्र कहलाता है। ऐसी आलेखन क्रिया की संपन्नता और सफलता के लिये रैखिक और कोणीय, दोनों ही माप लेना आवश्यक होता है। सिद्धांततः आलेखन क्रिया के लिये रैखिक माप का होना ही पर्याप्त है। मगर बहुधा ऊँची नीची भग्न भूमि पर सीधे रैखिक माप प्राप्त करना या तो असंभव होता है, या इतना जटिल होता है कि उसकी यथार्थता संदिग्ध हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में कोणीय माप रैखिक माप के सहायक अंग बन जाते हैं और गणितीय विधियों से अप्राप्त रैखिक माप ज्ञात करना संभव कर देते हैं।

सर्वेक्षण क्रिया की उत्पत्ति की कहानी आदिकाल से आज तक के मानव समाज के विकास की कहानी, प्रधानतः सुख और समृद्धि के लिये भ्रमण और भूमि पर प्रभुसत्ता की प्राप्ति से, जुड़ी हुई है। भ्रमण के लिये स्थानों के बीच की दूरियों और दिशाओं का ज्ञान और प्रभुसत्ता के लिये सीमाओं और क्षेत्रफल का जानना आवश्यक था। ऐसा ज्ञान होने के प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में राज्यों के विस्तार, दिशाओं के विवरण और दूरी के लिये योजन आदि के उल्लेख से मिलते हैं। प्राचीन काल में दिशाओं, योजनों, ताम्रपत्र और कागज के प्रयोग से पूर्व, स्थानों के बीच की दूरी, दिशाएँ पहचानने का ज्ञान तथा अधिकार सीमाएँ मानव के स्मृतिपटल पर अंकित रहती होंगी। युद्ध और कलह का भय उत्पन्न होने पर, उस स्मृति और लिए गए मार्गों को किसी माध्यम पर प्रदर्शित करने की क्रिया का जन्म हुआ होगा, जिसे बाद में सर्वेक्षण की संज्ञा दी गई। इस प्रकार मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं और सर्वेक्षण का पहला संबंध होने के कारण सर्वेक्षणक्रिया निरंतर उन्नति करती गई।

ऐसे प्रयासों का सबसे प्राचीन प्रमाण ईसा से ३०० वर्ष पूर्व का मिला है, जो टसूरिन के अजायबघर में आज भी सुरक्षित है। यूनान और मिस्र में भी शिलाओं और लकड़ी के तख्तों पर सर्वेक्षण के प्राचीन आलेख मिले हैं। ऑस्ट्रिया में ईसापूर्व काल के कुछ ऐसे चिह्न मिले हैं जिनसे पता चलता है कि रोम साम्राज्य में सर्वेक्षण का प्रचलन था। उन्होंने मार्गों को सीधे बांधने के लिए आज जैसे अक्षदण्ड, सर्वेक्षण पट्ट (plane table) और दूरी मापने के लिये अंकित पहिये

कृमि जन्य लक्षणों के अंतर्गत रक्ताल्पता, शारीरिक कृशता के साथ शोथ तथा सामान्य देहशोथ का होना बहुत ही स्वाभाविक है। इस रोग में चेहरे और पैर में, अन्य स्थानों की अपेक्षा, अधिक सूजन दिखाई देती है। [प्रि० कु० चौ०]

सर्वात्मवाद (Animism) आत्मा (Spirit), जीवात्मा या जीव (soul) के विषय में मनुष्यों में प्रायः तीन प्रकार के विश्वास या विचार प्रचलित रहे हैं। कुछ लोग तो चार्वाक के अनुयायियों की तरह, शरीरों से स्वतंत्र या पृथक् जीवों या आत्माओं की कोई सत्ता ही नहीं मानते। उनके अनुसार चेतना जड़ मस्तिष्क की क्रियाओं के परिणामस्वरूप उसी प्रकार उत्पन्न हो जाती है जिस प्रकार कि यकृत से पित्त; वह किसी जीव या आत्मा नामक अभौतिक तत्व या पदार्थ का गुण या स्वरूप नहीं। इसके विरुद्ध कुछ लोगों के विचार में चेतना भौतिक तत्वों से उत्पन्न नहीं होती, किंतु भौतिक पदार्थों से विलक्षण आत्मा या जीव का गुण है। उदाहरण के लिये, जैन विचारकों ने जीवों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जीव की परिभाषा 'चेतनालक्षणो जीव' इन शब्दों में की है। परंतु आत्मा या जीव की सत्ता स्वीकार करनेवाले सब व्यक्ति एक मत के नहीं। उन्हें स्थूल रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे जो केवल मनुष्यों और कुछ उच्च कोटि के पशुपक्षियों में ही आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं और दूसरे वे जो न केवल मनुष्यों और पशुपक्षियों में ही अपितु कीट पतंगों और पेड़ पौधों आदि में भी, जिन्हें दूसरे लोग जड़ समझते हैं, आत्मा या जीव के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। मानवों के इसी प्रकार के विश्वास या विचार को सर्वात्मवाद नाम दिया जाता है। तात्त्विक भाषा में सर्वात्मवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार तथाकथित जड़ पदार्थों में भी आत्मा या जीवात्मा नामवाले एक अभौतिक तत्व या शक्ति का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है और उसे न केवल बुद्धिजीवी प्राणियों के बौद्धिक जीवन का अपितु शारीरिक अथवा भौतिक क्रियाओं का भी मूलाधार माना जाता है।

जैसा कठोपनिषद् की 'योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् (२-२-७)' इस श्रुति से एवं जीवन्मुक्तावस्था के अनंतर 'पेशिषु तदभिनिविष्टेषु प्राणो हि जीवमुत्क्रामति तं तं (११-३-१६)' इस श्लोक से तथा श्री उमास्वामी के तत्त्वार्थाधिगमसूत्र (२-२२) के 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इस वाक्य से विदित होता है, भारतीय आस्तिक विचारक तथा जैन तत्त्वविद् दोनों ही वनस्पत्यादि स्थावर तथा पृथिवी आदि अन्य जड़ पदार्थों में भी आत्मा का अस्तित्व मानते रहे हैं। अतः उन्हें सर्वात्मवादी विचार का वर्ग कहा जा सकता है।

वस्तुतः वृक्ष, वह, जलवृष्टि आदिवत् पदार्थों में भी आत्मा या जीव को वश पर आत्मा रखनेवाले व्यक्ति मंत्र भी संसार के कारण आदि अनेक देवों के चार करते हैं जो अतः न केवल देवताओं को, विशेषतया अपने इष्ट देवों को, अपितु देवी आत्माओं को भी पूजा करते हैं जिन्हें वे या तो किसी भी शरीर या वस्तु विशेष के अधिष्ठित नहीं समझते या फिर आकृतिक शक्तियों के अधिष्ठाता अथवा अभिमानी देवताओं के रूप में स्वीकार करते हैं।

आधुनिक युग के अधिकांश विचारक सर्वात्मवाद को न केवल बहु-ईश्वरवाद का ही किंतु सुसभ्य मानव के धार्मिक एकेश्वरवाद का भी आधारभूत विश्वास समझते हैं और उसकी गणना असभ्य या अर्धसभ्य जातियों के धर्म या दर्शन में करते हैं। उनके अनुसार सर्वात्मवाद मानव की एक अवैज्ञानिक आस्था मात्र है। वे उसे विश्व के तथ्यों की व्याख्या करने का एक बौद्धिक प्रयत्न तो मानते हैं; परंतु केवल प्रारंभिक या अपरिपक्व प्रयत्न ही। [रा० कि० त्रि०]

सर्वानुक्रमणी संस्कृत वाङ्मय में सूत्रसाहित्य के अंतर्गत वह वेदांगों के अतिरिक्त अनुक्रमणियों का भी समावेश है। वेदराशि की सुरक्षा के लिये तथा मंत्रों की आर्ष परंपरा को सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से प्राचीन महर्षियों ने प्रत्येक वैदिक संहिता के विविध विषयों की अनुक्रमणी बनाई है। ऐसी अनुक्रमणियाँ अनेक हैं, जिनमें वैदिक संहिताओं के सकल सूक्त, उनमें प्रयुक्त पद, प्रत्येक मंत्र के द्रष्टा ऋषि, प्रत्येक ऋचा के छंद और देवता क्रमबद्ध रूप से अनुसूचित हैं। संकलित विषय के अनुसार इनकी पृथक् पृथक् संज्ञाएँ हैं—जैसे अनुवाकानुक्रमणी जिसमें प्रत्येक अनुवाक का प्रकारादि क्रम से संकलन है; आर्षानुक्रमणी में ऋषिगण और उनकी कुलपरंपरा की सूची है; छंदोऽनुक्रमणी में वैदिक मंत्रों के छंद का नामनिर्देश है। इसी तरह मंत्रसांतानुक्रम और देवानुक्रम भी है। बृहद्देवता में देवताओं की अनुक्रमणी है। मंत्रानुक्रम में संहिता के अंतर्गत मंत्रों का क्रमशः उल्लेख है। इस प्रकार किसी भी वैदिक मंत्र का ऋषि, छंद या देवता कौन है अथवा वह मंत्र किस मंडल, अनुवाक या सूक्त का है यह जानने के लिये तत्संबंधी अनुक्रमणी का अवलोकन सहायक होता है। वस्तुतः ये अनुक्रमणियाँ कोश की भाँति विषयानुसंधान में सहायक ही न थीं, अपितु इनका लक्ष्य सूक्त एवं अनुवाकों के यथावत् स्वरूप तथा मंत्रों के पाठ को भ्रष्ट न होने देने का अमूर्त साधन है। उदाहरणार्थ किसी भी एक मंत्र के संबंध में उसके छंद, देवता आदि के ज्ञान के लिये अनेक अनुक्रमणियाँ देखनी पड़ती थीं; कारण, तत्संबंधी सकल ज्ञातव्य विषय एकत्र उपलब्ध न था। इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से महर्षि कात्यायन ने एक ऐसी अनुक्रमणी की रचना की जिसमें संहिता के अंतर्गत समस्त मंत्रों के संबंध में सकल ज्ञेय वस्तु की एकत्र उपलब्धि हो जाय। इसमें प्रत्येक मंत्र का द्रष्टा, देवता, ऋषि, मंडल, सूक्त, एवं अनुवाक का विवरण पूर्ण रूप से एक ही स्थान पर दिया हुआ मिलता है। कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणी को कल्प का निर्वचन किया है—'सर्वमेवार्थं सर्वानुक्रमणीकल्पं निर्वर्तयति विविधम्'। कात्यायन ने एक सर्वानुक्रमणी ऋग्वेद की शाकल एवं बाष्कल संहिता की बनाई, और दूसरी शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता की। कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणी पर 'वेदार्थदीपिका' नामक एक सुंदर व्याख्या षड्गुरुशिष्य द्वारा लिखी गई जो अत्यंत प्रामाणिक मानी जाती है। विषय विभाग की दृष्टि से कोशकार द्वारा प्रणीत कल्प अनुक्रमणियाँ पाँच हैं; कात्यायन की दोनों ही सर्वानुक्रमणियाँ पद्यात्मक हैं और वे सब गुरुपरंपरा के विरुद्ध हैं। सर्वानुक्रमणी के अतिरिक्त आत्रेय ने भी विभिन्न सर्वानुक्रमणियों की

यह कठिनाई होगी कि विस्तृत क्षेत्र में यदि किन्हीं भिन्न भिन्न दो या अधिक स्थलों से, स्वतंत्र रूप से दो दो बिंदु लेकर सर्वेक्षण आरंभ किए जाएँ, तो उनका उभयनिष्ठ रेखा पर ठीक मिलान होना अवश्यंभावी नहीं है। क्योंकि ऐसे सर्वेक्षणों के प्रारंभिक आधारों के आलेखों की एक

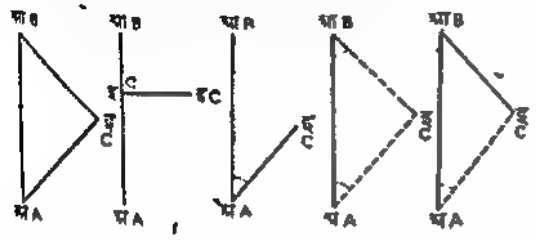

चित्र १.

समान दिशाएँ रखने की कोई निश्चित सुविधा और सिद्धांत नहीं है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिये, सर्वेक्षक सर्वेक्षण हेतु संपूर्ण विस्तृत प्रदेश में व्यवस्थित और आयोजित रूप से प्रमुख बिंदु चुनकर उनमें एक मूलबिंदु (origin) मान लेता है। फिर मूलबिंदु से क्रमश: अन्य बिंदुओं की दूरियाँ और उत्तर दिशा से कोण ज्ञात कर लेता है, और इन अवयवों से सर्वेक्षक उन बिंदुओं के निर्देशांक (co-ordinates) निकाल लेता है। उदाहरणार्थ, चित्र २. में अ, आ, इ...चुने हुए बिंदु हैं और अ मूलबिंदु है, तो आ के निर्देशांक (अ आ = द) द कोज्या क

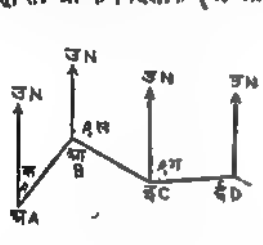

चित्र २.

[$l_1 \cos \beta_1$] और द ज्या क [$l_1 \sin \beta_1$] होंगे। इसी प्रकार इ [illegible] कोज्या क [illegible] $\sin \beta_1$ [illegible] क निकाले जा सकते हैं।

इस क्रिया की सफलता के लिये सर्वेक्षक के लिये निम्नलिखित तीन समस्याओं का हल निकालना आवश्यक होता है: (१) कोण नापने की, (२) दो क्रमानुगत बिंदुओं के बीच दूरी नापने की तथा (३) पर्वतीय प्रदेशों और ऊँची नीची भूमि पर दूरी नापने की।

पहली समस्या का हल सर्वेक्षक ने चुंबक की सूई के गुण का, जो सर्वत्र विदित हैं, लाभ उठाकर और थियोडोलाइट (देखें थियोडोलाइट) का आविष्कार करके किया। दूसरी समस्या का हल फीता, जरीब आदि कई प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से किया, जो सर्वसाधारण को विदित है। समतल या लगभग चौरस भूमि के प्रदेशों में इन दो समस्याओं के समाधान से एक सर्वेक्षण विधि को जन्म मिला, जिससे चुने [illegible] बिंदुओं के निर्देशांक निकाले जा सकते [illegible] इस विधि को थियोडोलाइट चंक्रमण (Theodolite traversing), या केवल चक्रमण (Traversing), कहते हैं।

यह विधि बहुत कुछ चित्र ३. [illegible] स्पष्ट है। अ, आ, इ, [illegible] आदि क्रमानुगत बिंदुओं के बीच क्रमश दूरी नापते हैं और पीछे के बिंदु पर आगे के बिंदु को मिलानेवाली रेखा का पीछे के बिंदु पर उत्तर दिशा से कोण ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें थियोडोलाइट का प्रयोग होता है। इस उत्तर दिशा से नापे कोण को दिगंश (Azimuth) कहते हैं। क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी और दिगंश ज्ञात होने से, निर्देशांक सरलता से निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण हेतु संपूर्ण क्षेत्र में बिंदु स्थापित कर दिए जाते हैं। इन बिंदुओं को सर्वेक्षण नियंत्रण बिंदु, या केवल नियंत्रण बिंदु (Control points), कहते हैं। दिगंश निकालने के लिये ध्रुवतारे (Polaris) या सूर्य के प्रेक्षण किए जाते हैं, जिनसे समुचित गणितीय सूत्रों के हल से वांछित दिगंश निकल आता है।

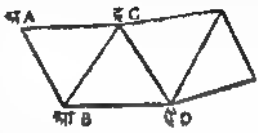

चित्र ३

मगर जहाँ भूमि टूटी फूटी, या ऊँची नीची हो, जिसपर चुने गए क्रमानुगत बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी फीते या जरीब से न नापी जा सके, तो चक्रमण की विधि सफल नहीं होगी। ऐसी दशा में सर्वेक्षक त्रिभुजन (triangulation) की विधि अपनाता है। इस विधि की यह विशेषता है कि सर्वेक्षक गणितीय सूत्रों के प्रयोग से बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकता है। अतः सर्वेक्षक ऊँचे नीचे पर्वतीय प्रदेश में लंबी लंबी दूरी तक दृष्टिगोचर प्रमुख बिंदुओं को इस प्रकार चुनता है कि वे त्रिभुजों की सुगठित जाली के शीर्ष बिंदु बन जाएँ। ऐसी त्रिभुजमाला में बने प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोण थियोडोलाइट से नाप लिए जाते हैं। उनमें से एक त्रिभुज ऐसा बनाया जाता है जिसकी एक भुजा भूमि पर सही सही नाप ली जाती है। उस भुजा का एक सिरे के बिंदु पर दिगंश भी ज्ञात कर लिया जाता है। तदुपरांत निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सूत्र

$$\frac{\text{ज्या अ}}{\text{आ इ}} = \frac{\text{ज्या इ}}{\text{अ आ}} = \frac{\text{ज्या आ}}{\text{अ इ}} \left[\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \right]$$

से अन्य त्रिभुजों की सारी भुजाओं की लंबाइयाँ निकाली जा सकती हैं; जैसे चित्र में अआ नापी हुई भुजा हो, तो उपर्युक्त सूत्र से

$$\text{आइ (भुजा)} = \frac{\text{अआ ज्या अ}}{\text{ज्या इ}}$$

होगी। इस सूत्र में अआ नापी हुई भुजा, और अ और इ नापे हुए कोण हैं। फलतः आइ भुजा ज्ञात हो जाएगी, जिससे आगे का त्रिभुज आइई हल हो सकता। इसी प्रकार क्रमानुगत सभी त्रिभुज हल हो जाते हैं, फिर अ या आ के निर्देशांकों के ज्ञात होने से, आगे के बिंदुओं की दूरी और दिगंश से निर्देशांक निकाल लिए जाते हैं।

इस प्रकार का त्रिभुजन संपूर्ण प्रदेश पर किया जाता है। भुजाओं की लंबाई १० से ५० मील तक होती है और निर्देशांकों

का प्रयोग किया था। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि ३०० वर्ष ईसापूर्व भारत पर आक्रमण के समय, यूनानियों ने सिंध से फारस की खाड़ी तक समुद्रतट नापकर लेखाचित्र तैयार किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बाणभट्ट के हर्षचरित् में राजस्व के निर्धारण के सिलसिले में भूमि की नाप आदि के उल्लेख मिलते हैं। १४५० ई० में अरबवासियों ने कई समुद्री यात्राएँ की और समुद्रतटों के लेखाचित्र तैयार किए। १४९८ ई० में वास्को डा गामा के भारत आने पर एक गुजराती पंडित ने उसे समुद्रतट का एक रेखाचित्र भेंट किया था। इससे विदित होता है कि सभ्यता के मार्ग पर बढ़े हुए सभी देशों में सर्वेक्षण का महत्व निरंतर बढ़ता रहा और कृषि, राजस्व, भूमि के अधिकार की सीमाओं के निर्धारण और यात्राओं में मार्गों के लेखाचित्र बनाने में सर्वेक्षण का अभ्यास एवं प्रयोग होता रहा है। मगर १६वीं शताब्दी के समाप्त होते होते तो सर्वेक्षणक्रिया का महत्व आशातीत बढ़ा। मार्को पोलो, वास्को डा गामा, कोलंबस और कैप्टन कुक के भ्रमणों से यूरोप निवासियों को संसार के विस्तार और उसपर स्थित समृद्ध देश तथा उपजाऊ भूमि का पता लगा, तो वे बहुत तादाद में अपनी भाग्यपरीक्षा के लिये निकल पड़े। भूमि पर आधिपत्य करने में उनमें स्पर्धा जागी, जिससे सर्वेक्षणक्रियाओं को नई स्फूर्ति और तीव्र गति मिली। उस समय का बना हुआ भारत और अरब का मानचित्र ब्रिटिश अजायबघर में आज भी सुरक्षित है। नक्शे से पता लगता है कि यह फेरडो बटोली द्वारा १५६५ ई० में बनाया गया था। इसके बाद १६१२ ई० में गेरार्डस मर्केटर द्वारा बनाया भारत का मानचित्र, उस समय का अथक प्रयास, भी थाती के रूप में सुरक्षित है।

वर्गीकरण — शनै: शनै अधिकार की रक्षा के साथ साथ देशों में विकास के प्रति भी रुचि जागी। संपूर्ण देश, अमुक साम्राज्य, संपूर्ण संसार एक साथ देखने की जिज्ञासा बढ़ी। इसकी पूर्ति का साधन मानचित्र ही हो सकता था। इस कारण सर्वेक्षण में इतनी नई नई खोजें हुईं कि उनके आधार पर सर्वेक्षणक्रिया दो दो प्रमुख वर्गों में बँट गई: (१) भूगणितीय सर्वेक्षण (geodetic surveying) और (२) पट्ट सर्वेक्षण (plane surveying)। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार पृथ्वी का आकार है। जिस सर्वेक्षण में पृथ्वी के आकार को गोलाभ (spheroid) मानकर, उसकी सतह पर लिए गए नापों का प्रयोग करने से पहले पृथ्वी की वक्रता के लिये शोधन करते हैं, उसे भूगणितीय सर्वेक्षण कहते हैं। यह कठिन प्रक्रिया होती है। मगर पृथ्वी की गोल या वक्र सतह पर नापी दूरियाँ यदि अधिक लंबी न हों, तो उन्हें वक्र न मानकर ऋजु (सीधा) ही मान लिया जाए, तो कोई विशेष त्रुटि नहीं होगी। उदाहरणार्थ, पृथ्वी की वक्र सतह पर ११.५ मील लंबी रेखा नापने पर उसमें पृथ्वी की वक्रता के कारण केवल ०·०५ फुट की त्रुटि होगी। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह पर किन्हीं भी तीन बिंदुओं द्वारा ७५ वर्ग मील क्षेत्रफल के त्रिभुज को समतल सतह पर सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो उनके कोणों के योग और उसी त्रिभुज की वक्र सतह पर बने कोणों के योग में केवल एक सेकंड का अंतर होगा। इस कारण यदि छोटे छोटे [illegible] के नक्शे तैयार किए जाएँ, तो पृथ्वी की सतह पर जो कई नाप की सीधी रेखाओं से समतल पर प्रदर्शित करने से कोई खटकनेवाली गलती नहीं होगी। इसलिये पृथ्वी के छोटे क्षेत्र को समतल मानकर, उस पर ली गई नापों को बिना वक्रता के शोधन के किसी पैमाने पर समतल कागज पर अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण को पट्ट सर्वेक्षण कहते हैं।

सामान्य व्यवहार में आनेवाले सर्वेक्षण समतलीय सर्वेक्षण ही होते हैं। भिन्न उद्देश्यों की सिद्धि के लिये सर्वेक्षणों की प्रक्रिया, उपकरण, पैमाना आदि में भी कुछ अंतर पैदा हो जाता है। इन कारणों से पट्ट सर्वेक्षण के भी कई वर्ग बन गए हैं: (१) पैमाने के आधार पर १:५०,०००; १:२५,०००; १:५,०००; १:१,००० सर्वेक्षण (इस प्रकार से बताए पैमाने का अर्थ है कि मानचित्र पर एक इकाई लंबी रेखा भूमि पर क्रमश: ५०,०००; २५,०००; ५,००० १,००० इकाई लंबाई के बराबर होगी), (२) किसी मंतव्य या कार्य विशेष के लिये किया गया सर्वेक्षण, जैसे स्थलाकृतिक (topographical), इंजीनियरी, राजस्व (revenue) तथा खनिज (mineral) सर्वेक्षण, तथा (३) प्रयुक्त प्रमुख यंत्रों के नाम पर, जैसे जरीब सर्वेक्षण, टैकोमीटर (tachometer) सर्वेक्षण आदि।

यदि ऐसे समतलीय सर्वेक्षणों से भारत जैसे विस्तृत देश या महाद्वीप के मानचित्र संकलित (compile) किए जा सकें, तो पट्ट सर्वेक्षणों का महत्व आशातीत बढ़ जाता है। यह तभी संभव होगा, जब पट्ट सर्वेक्षणों की आधारशिला भूगणितीय सर्वेक्षण पर हो। आधारशिला का उल्लेख तभी ग्राह्य हो सकेगा, जब उसकी कुछ संक्षिप्त व्याख्या कर दी जाए।

सर्वेक्षण के आधारभूत सिद्धांत — ये सिद्धांत बड़े ही सरल हैं। पृथ्वी की सतह पर बड़ी सरलता से दो ऐसे बिंदु चुने जा सकते हैं जो एक दूसरे की स्थिति से देखें जा सकें और उनके बीच की दूरी नापी जा सके। इन्हें किसी भी वांछित पैमाने पर कागज पर ऐसे लगाया जा सकता है कि उनके निकटवर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण कागज पर बना सके। इसके बाद इन दो बिंदुओं से किसी भी तीसरे बिंदु की दूरी नापकर उसी पैमाने से कागज पर उसकी सापेक्ष स्थिति अंकित कर सकते हैं। इस प्रकार अंकित किन्हीं भी दो बिंदुओं से किसी तीसरे अज्ञात बिंदु की दूरी निकालकर तथा क्रमानुगत अंकित करके, पूरे क्षेत्र का मानचित्र बनाया जा सकता है।

दूसरे शब्दों में सर्वेक्षण की विधि त्रिभुज की रचना है। ऊपर तो त्रिभुज की एक ही रचना का उल्लेख किया गया है, जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात हैं। त्रिभुज की अन्य रचना विधियाँ भी सर्वेक्षण में प्रयुक्त होती हैं, जो उपर्युक्त विधि के साथ आगे चित्र १. में दिखाई गई हैं।

उपर्युक्त रचना विधियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वेक्षण के लिये दो बिंदु ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे तीसरे बिंदु की सापेक्ष स्थिति का पता लगना संभव हो सके। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसे सर्वेक्षण में बिंदुओं की सापेक्ष स्थितियाँ नहीं होने पर, उनकी दिशाओं का ज्ञान नहीं हो सकता। जो हो भी सकता है वह केवल मूलबिंदु की यथार्थता तक ही सीमित रहेगा। इससे

projection) स्थितियों से हटे हुए चित्रित होते हैं, (२) बिंदुओं की जितनी ही अधिक ऊँचाई या गहराई होगी उनका हटाव भी उतना ही अधिक होगा, (३) यह हटाव फोटो के केंद्रबिंदु से अरीय या अनुत्रिज्य (radial) होता है। अतः पृथ्वी की सतह पर किन्हीं भी दो बिंदुओं द्वारा फोटो केंद्र की भौमिक स्थिति पर बना कोण फोटो के संगति (corresponding) कोण के बराबर होगा, (४) प्रत्येक फोटो पर आगे और पीछे के फोटो के ६० % भाग के अतिव्यापन (overlapping) से उनके केंद्रीय बिंदु भी बीचवाले फोटो पर चित्रित होंगे। इन केंद्रीय बिंदुओं को प्रधान बिंदु या मुख्य आधार बिंदु (Principal point) और फोटो पर उन्हें जोड़नेवाली रेखा को आधार (Base) कहते हैं।

फोटो पर इन ज्यामितीय संबंधों का लाभ उठाकर, सर्वेक्षक उनसे मानचित्र बनाने में सफल होता है। वह पहले उस क्षेत्र में स्थित नियंत्रण बिंदुओं को फोटो पर पहचानकर चिह्नित करता है। फिर फोटो से नियंत्रणबिंदु और प्रधान बिंदुओं के साथ साथ एक ऐसा आलेख पत्र तैयार करता जिसमें सभी बिंदु वांछित पैमाने पर अपनी सही सापेक्ष स्थितियों में बैठे होते हैं। ऐसा आलेखपत्र वह पारदर्शी कागज पर बनाता है। फिर वह प्रत्येक फोटो को क्रमशः आलेख पर अंकित उसके प्रधान बिंदु के नीचे इस प्रकार रखता है कि आलेख पर बने सन्निकट आधार, फोटो पर बने संगति आधारों पर, समाओ हों। [illegible] प्रकार का दिक्स्थापन होने पर, सर्वेक्षक मानचित्र में दर्शाने योग्य, उस अमुक फोटो में चित्रित, बिंदुओं को प्रधान बिंदु से किरणें खींच देता है। यही क्रिया सभी आगे और पीछे के फोटो पर होने से, स-बिंदुगामी किरणों के छेदन पर, बिंदुओं की सही सापेक्ष स्थितियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनकी सहायता से पटलचित्रण की भाँति मानचित्र तैयार हो जाता है। इस क्रिया को हवाई सर्वेक्षण (Airsurvey) कहते हैं।

यदि हवाई फोटोग्राफ, कैमरा के अक्ष को ऊर्ध्वाधर दिशा से झुका हुआ रखकर, लिए जाएँ, तो भी सर्वेक्षक उनसे मानचित्र तैयार कर सकता है। इस प्रकार से लिए चित्र तिर्यक फोटोग्राफ (Oblique photographs) कहलाते हैं। [यु० ना० दु०]

सर्वेश्वरवाद कारण और कार्य को अभिन्न मानता है। इसकी प्रमुख प्रतिज्ञा यह है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड एक ही वस्तु है। नवीन काल में स्पीनोजा इस सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक समझा जाता है। उसके विचारानुसार यथार्थ सत्ता एकमात्र द्रव्य, ईश्वर, की है, सारे चेतन उसके चिंतन के आकार हैं, सारे भौतिक पदार्थ उसके विस्तार के आकार हैं।

सर्वेश्वरवाद वैज्ञानिक और धार्मिक मनोवृत्तियों के लिये विशेष आकर्षण रखता है। विज्ञान के लिये किसी घटना को समझने का अर्थ यही है कि उसे अन्य घटनाओं से संबद्ध किया जाए, अनुवेषण का लक्ष्य बहुत्व में एकत्व को देखना है। सर्वेश्वरवाद इस प्रवृत्ति को इसके चरम बिंदु तक ले जाता है और कहता है कि बहुत्व की वास्तविक सत्ता है ही नहीं, वह आभासमात्र है। धार्मिक मनोवृत्ति में अतिभाव केंद्रीय तत्त्व है। भक्त का अंतिम लक्ष्य अपने आपको उपास्य में खो देना है। अति निकट संपर्क और एकरूपता में बहुत अंतर नहीं। भक्त समझने लगता कि उसका काम इस भ्रम से छूटना है कि उपास्य और उपास एक दूसरे से भिन्न हैं।

मनोवैज्ञानिक और नैतिक मनोवृत्तियों के लिये इस सिद्ध में अजेय कठिनाइयाँ हैं। हम बाहरी जगत् को वास्तविक क्षेत्र के रूप में देखते हैं, इसे छायामात्र नहीं समझ सकते नैतिक भाव समस्या को और भी जटिल बना देता है। यदि मनु स्वाधीन सत्ता ही नहीं तो उत्तरदायित्व का भाव भ्रम मात्र है जीवन में पाप, दुःख और अनेक त्रुटियाँ मौजूद हैं, सर्वेश्वरवाद पास इसका कोई समाधान नहीं। [दी० चं०

सलफ्यूरिक अम्ल (Sulphuric Acid) प्राचीनकाल के कीमि यागर एवं रसविद् आचार्यों को सल्फ्यूरिक अम्ल के संबंध में बहु समय से पता था। उस समय हरे कसीस को गरम करने से यह अम्ल प्राप्त होता था। बाद में फिटकरी को तेज आँच पर गरम करने भी यह अम्ल प्राप्त होने लगा। प्रारंभ में सलफ्यूरिक अम्ल चूँकि हरे कसीस से प्राप्त होता था, अतः इसे 'कसीस का तेल' कहा जाता था तेल शब्द का प्रयोग इसलिये हुआ कि इस अम्ल का प्रकृत स्वरूप तेल सा है।

प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में सलफ्यूरिक अम्ल अत्यावश्यक होता है। अतः ऐसा माना जाता है कि किसी देश द्वारा सलफ्यूरिक अम्ल का उपभोग उस देश के औद्योगीकरण का सूचक है। सलफ्यूरिक अम्ल के विपुल उपभोगवाले देश अधिक समृद्ध माने जाते हैं।

प्रयोगशालाओं में निम्नांकित तीन रीतियों से अल्प मात्रा में सलफ्यूरिक अम्ल तैयार किया जा सकता है: (१) सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घुलाने से, (२) वायु के संसर्ग में सलफ्यूरस अम्ल के विलयन के मंद ऑक्सीकरण से और (३) सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन परॉक्साइड की सीधी क्रिया से। औद्योगिक स्तर पर सीस-कक्ष-विधि (lead chamber process) तथा संस्पर्श विधि (contact process) से अम्ल का उत्पादन होता है। सीस कक्ष विधि में जल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। यह क्रिया बड़े बड़े सीस कक्षों में सम्पन्न होती है अतः इसका नाम सीस-कक्ष-विधि पड़ा है। संस्पर्श विधि में सल्फर अथवा आयरन सल्फाइड सल्फ किसी सल्फाइड के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड पहले बनता है और यह प्लेटिनम धातुयुक्त ऐस्बेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिणत हो जाता है, जो जल में घुलकर सलफ्यूरिक अम्ल बनता है।

व्यापारिक सलफ्यूरिक अम्ल शुद्ध नहीं होता। धार्मिक कोटि अम्ल के प्रभावित क्विस्टलन से शुद्ध अम्ल प्राप्त होता है। सलफ्यूरिक अम्ल जल के साथ मिलकर अनेक हाइड्रेट बनाता है, जिनमें सलफ्यूरिक मोनोहाइड्रेट अत्यधिक स्थायी होता है। इस गुण के कारण सांद्र सलफ्यूरिक अम्ल उत्तम शुष्ककारक होता है। यह वायु के ही जल को नहीं खींचता वरन् वास्तविक पदार्थों से भी जल का अंश खींच लेता है। जल के अवशोषण में वास्तविक ऊष्मा का [illegible] होता है जिससे अम्ल का विलयन बहुत गरम [illegible]

की गणना पृथ्वी की वक्रता का ध्यान रखकर की जाती है। इस प्रकार का सर्वेक्षण भूगणितीय सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है।

इसके बाद ऐसे प्रदेश के छोटे छोटे भूभागों का पट्ट सर्वेक्षण करने के लिये भूगणितीय सर्वेक्षण से स्थापित नियंत्रण बिंदु काम में आते हैं। यदि भूगणितीय सर्वेक्षण से प्राप्त नियंत्रण बिंदु पट्ट सर्वेक्षण के लिये पर्याप्त नहीं होते हैं, तो सर्वेक्षक स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिये भूगणितीय नियंत्रण बिंदुओं पर आधारित एक छोटा सा त्रिभुजन कर लेता है, जिससे पर्याप्त नियंत्रण बिंदु मिल जाते हैं।

ऐसे बिंदु पाकर सर्वेक्षक एक वर्गांकित कागज पर उनका आलेख बनाता है। इस प्रकार नियामकों की सहायता से सारे बिंदु अपनी सही सापेक्ष स्थितियों में बैठ जाते हैं। इन बिंदुओं से मानचित्र पर दिखाए जानेवाले अन्य बिंदुओं की दिशाओं और दूरियों को नापकर सर्वेक्षक उन्हें मानचित्र पर दर्शाता है। इस विवरण से यह एक सही धारणा बनेगी कि इस प्रकार के सर्वेक्षण में, तो बहुत समय नष्ट होगा। इस दुर्बलता पर विजय पाने के लिये सर्वेक्षक पटलचित्रण (plane-tabling) की प्रक्रिया अपनाता है।

पटलचित्रण में वर्गांकित पत्र पर नियंत्रणबिंदुओं के बने आलेख को सर्वेक्षक लकड़ी के एक समतल पटल पर स्थिर रूप से बैठा लेता है। ऐसा पटल एक तिपाई पर पेंच द्वारा ऐसे कस दिया जाता है कि आवश्यकता होने पर पटल पेंच की स्थिति पर घुमाया जा सके और मनचाही अवस्था में कसा जा सके। ऐसे पटल के साथ एक और उपकरण प्रयुक्त होता है, जिसे दर्शरेखनी (sight rule) कहते हैं। ६० या ७५ सेंटीमीटर लंबी, एक सेंटीमीटर मोटी और पांच सेंटीमीटर चौड़ी, धातु या लकड़ी की पट्टी की दर्शरेखनी बनी होती है। लंबे दोनों किनारे एकदम सीधे और एक ओर को ढालू होते हैं, जिससे सीधी और सही रेखा खींची जा सके। रेखा खींचने के किनारे कागज पर रहते हैं। ऊपरवाले तल पर दो दृश्य वेधिकाएँ (sight vanes) ऊर्ध्ववर्ती खड़ी रहती हैं। सर्वेक्षक आलेखमंडित पटल को आलेख पर अंकित किसी एक बिंदु की भौमिक स्थिति (ground position) पर रखता है। तदुपरांत दर्शरेखनी को एक किनारे उपर्युक्त बिंदु और उससे दृष्टिगोचर किसी दूसरे अंकित बिंदु पर स्पर्शरेखीय रखता है। तब वह दर्शरेखनी को बिना हिलाए, दृश्य वेधिकाओं से देखते हुए, पटल को ऐसे घुमाकर स्थिर करता है जिससे दोनों स्पर्शी बिंदुओं को मिलानेवाली भौमिक रेखा पटल पर अंकित उनकी स्थितियों को मिलानेवाली रेखा के समांतर हो जाए। इस दशा में पटल पर, किन्हीं भी दो अंकित बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर जोड़नेवाली रेखा समांतर भौमिक रेखा के समांतर होगी। दूसरे शब्दों में पटल आलेख सही दिशाओं में स्थिर हो गया। इसके बाद सर्वेक्षक आलेख पर बनी अपनी स्थिति से, मानचित्र पर दर्शाए जानेवाले अन्य बिंदुओं को दर्शरेखिका से देखकर, क्रमिक रूप से दिशारेखाएँ खींच देता है। तदुपरांत वह आलेख पर आज किसी दूसरी भौमिक स्थिति पर खड़ा होकर, पटल को पहले की भाँति ही सही दिशाओं में स्थिर करता है। इस प्रक्रिया को पटल का दिक्-स्थापन (Orientation of pl

बिंदुओं की दिशारेखाएँ, जिन्हें किरण (ray) कहते हैं, खींची जाती हैं। ये किरणें अपनी पहली संगति किरणों पर छेदन बिंदु देकर, आलेख पर उन बिंदुओं की सही सापेक्ष स्थितियाँ स्थापित कर देती हैं। इसी प्रकार सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण हो जाता है। सर्वेक्षक बिंदुओं को प्राप्त कर, उनसे पृथ्वी की सतह पर स्थित प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं को संकेत चिह्नों द्वारा आलेख पर बना देता है। इस क्रिया को पटलचित्रण (Plane tabling) कहते हैं।

पटलचित्रण से प्राप्त मानचित्र की मुद्रण द्वारा कई प्रतियाँ बनाई जा सकती हैं। एक ही आलेख पर कई महीनों तक सर्वेक्षक काम करता है, जिससे सर्वेक्षण हेतु संपूर्ण क्षेत्र का मानचित्र बन सके। इससे पटलचित्र कुछ गंदा और भद्दा हो जाता है। साफ और सुंदर मानचित्र प्राप्त करने की दृष्टि से सर्वेक्षक अपने पटलचित्र की, नीले रंग में अंकित मानचित्र से, बड़े पैमाने पर प्रतिलिपि तैयार करता है। उसपर पुन वस्तुओं का साफ और सुंदर आरेखन (drawing) करता है और फोटोग्राफी से घटाकर सही पैमाने का मानचित्र प्राप्त करता है (देखें फ्लेव टेबुल सर्वेक्षण)।

सन् १९१४ के महायुद्ध ने सर्वेक्षण की एक नई विधि को जन्म दिया है। इस विधि के अंतर्गत वायुयान से सर्वेक्षण हेतु क्षेत्र के शृंखलाबद्ध फोटो ले लिए जाते हैं। फोटो लेते समय कैमरा का अक्ष (लेंस से फोटो लेने की दिशा) एकदम ऊर्ध्वाधर (vertical) रहता है। इस कारण इस प्रकार लिए फोटो ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ कहलाते हैं। फोटो लेते समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक क्रमानुगत फोटोग्राफ में उससे सन्निकट पीछे के फोटोग्राफ का ६० % भाग उभयनिष्ठ हो और सन्निकट दाएँ और बाएँ फोटोग्राफों में २५ % के लगभग भाग उभयनिष्ठ हो।

चित्रण के समय पृथ्वी की सतह से शंक्वाकार प्रकाश की किरणें कैमरा के लेंस से होकर फोटो प्लेट पर पड़ती [redacted] जिससे प्रतिबिंब बनते हैं। चित्र ४. में इन्हीं किरणों में से तीन किरणें लेकर दिखाई गई हैं। एक जो चित्र के केंद्र पर पड़ती है, दूसरी एक पहाड़ की चोटी से, तीसरी एक नदी के गहरे तल से। इस चित्र के देखने से

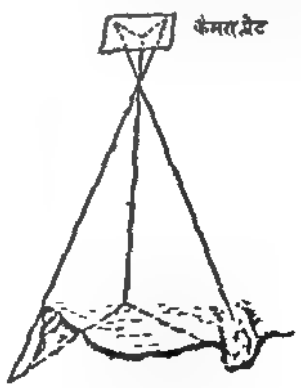

चित्र ४.

स्पष्ट हो जायेगा कि (१) [illegible] ऊर्ध्वाधर [illegible] (vertical

के-तुर्क स्तम्भ में प्रवेश करती है। इनमें प्रधानतया नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं। ये तुर्क स्तम्भ कोक या पत्थर के टुकड़ों से भरा रहता है। ऊपर से सल्फ़ुरिक अम्ल टपकता है और साथ के साथ धीरे धीरे विरक्त, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को अवशोषित कर, नाइट्रोसिल सल्फ़ुरिक अम्ल बनता है और नीचे स्तम्भ में प्रमुक्त होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की क्षति बचाई जाती है। नीचे कक्ष से प्राप्त अम्ल अशुद्ध होता है। अशुद्धियों में कार्बनिक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा शुद्ध लवण रहते हैं। ऐसा अम्ल प्रायःतया उर्वरक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके लिये शुद्ध अम्ल आवश्यक नहीं है। ऐसा अम्ल सस्ता होता है।

अम्ल निर्माण की दूसरी रीति सम्पर्क विधि है। इस विधि से प्राप्त अम्ल अधिक शुद्ध और सांद्र होता है। इसका विकास १८६८-१८७० में नाइड्रू नामक वैज्ञानिक ने किया था। जर्मनी की बॉयर्से एनिलिन ऐंड सोडा फ़ैबरिक कम्पनी ने इस विधि से सर्व-प्रथम अम्ल तैयार किया, अतः इसे बॉयर्से विधि, अथवा बॉयर्से प्रक्रम भी कहते हैं। संसार के अधिकांश सल्फ़ुरिक अम्ल का निर्माण आजकल संपर्क विधि से ही होता है। इससे किसी भी सांद्रता का अम्ल प्राप्त हो सकता है। इस विधि में गंधक को जलाकर, अथवा आयरनपाइराइट्स को उत्तप्त कर, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे वायु के साथ मिलाकर उत्प्रेरक पर ले जाया जाता है, जहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड वायु के ऑक्सीजन से संयुक्त होकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को सांद्र सल्फ़ुरिक अम्ल में अवशोषित कराने से 'ओलियम' प्राप्त होता है। ओलियम को जल के साथ मिला के वांछित सांद्रता के अम्ल को प्राप्त किया जाता है।

उत्प्रेरक के रूप में पहले सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम प्रयुक्त होता था। यह बहुत महँगा पड़ता था। अब प्लेटिनम के स्थान में वैनेडियम पेंटॉक्साइड प्रयुक्त होता है, जो प्लेटिनम की अपेक्षा सस्ता होता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम न हो जाय, इसके लिये आवश्यक है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड आर्सेनिक, राख तथा धूल कणों से बिल्कुल मुक्त हो। अतः सल्फ़र डाइऑक्साइड के छानने का प्रबंध रहता है और उसे ऐसे पदार्थों से परिष्कृत किया जाता है जिनसे आर्सेनिक पूर्णतया निकल जाय। यदि गैस को शुद्ध न कर लिया जाय, तो उत्प्रेरक की सक्रियता जल्द नष्ट हो सकती है। उत्प्रेरक कक्ष में जो गैसें प्रवेश करती हैं, उनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहते हैं। ऊर्ध्वाधर पात्रों में उत्प्रेरक रखा रहता है। यहाँ क्रिया सम्पन्न कर निकलती गैस को सांद्र सल्फ़ुरिक अम्ल में अवशोषित कराया जाता है। इससे ओलियम प्राप्त होता है। ओलियम में सत प्रति सत सल्फ़ुरिक अम्ल के अतिरिक्त ४० प्रतिशत तक अधिक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड अवशोषित रह सकता है। आवश्यक मात्रा में पानी डालकर, इससे वांछित सांद्रता का अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। सम्पर्क विधि से अम्ल निर्माण के संयंत्र बने हैं, जिनसे अधिक शुद्ध और कम खर्च में अम्ल प्राप्त होता है। ऐसे संयंत्र अब बने हैं, जिनमें २४ घंटे में ६०० टन अम्ल तैयार हो सके। इनकी देखभाल के लिये कुछ ही व्यक्ति पर्याप्त होते हैं। प्रति टन अम्ल के लिये एक टन से अधिक ऊँची दाब वाली संतृप्त भाप, या अति तप्त भाप, की आवश्यकता पड़ती है। प्रति टन १०० % अम्ल की प्राप्ति के लिये ३५ किलोवाट बिजली और ४,००० गैलन ठंडे जल की आवश्यकता पड़ती है। [म० सि०]

सल्फ़ोनिक अम्ल अनेक कार्बनिक यौगिक सल्फ़ोनिक अम्ल संघात बनाते हैं। ये ऐलिफ़ैटिक (aliphatic) हो सकते हैं या ऐरोमैटिक (aromatic)। ऐलिफ़ैटिक सल्फ़ोनिक अम्ल कठिनता से बनते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से किसी महत्व के नहीं हैं। ऐरोमैटिक सल्फ़ोनिक अम्ल सरलता से बनते हैं और महत्व के हैं। इनकी सहायता से अनेक कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं और अविलेय कार्बनिक यौगिक जल में विलेय बनाए जाते हैं। इनका व्यावहारिक उपयोग जल अविलेय रंजकों को जल विलेय रंजकों में परिवर्तित करने में होता है।

सल्फ़ोनिक अम्ल बनाने के लिये सामान्य सल्फ़ुरिक अम्ल, संतृप्त सल्फ़ुरिक अम्ल (ओलियम oleum), सल्फ़ोनिल क्लोराइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फ़ाइट आदि, प्रयुक्त हुए हैं। बेंज़ीन से बेंज़ीन मोनोसल्फ़ोनिक अम्ल, बेंज़ीन डाइसल्फ़ोनिक अम्ल तथा बेंज़ीन ट्राइसल्फ़ोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। बेंज़ीन केंद्रक में तीन से अधिक सल्फ़ोनिक समूह नहीं प्रविष्ट करते। ऐनिलीन से सल्फ़ोनिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सल्फ़ऐनिल अम्ल कहते हैं। यह रंजकों के निर्माण में काम आता है। नैफ़्थेलीन से निम्न ताप (लगभग ८०° सें०) पर नैफ़्थेलीन ऐल्फ़ा-सल्फ़ोनिक अम्ल और उच्च ताप (लगभग १६०° सें०) पर नैफ़्थेलीन बीटा-सल्फ़ोनिक अम्ल बनते हैं। ऐंथ्रासीन से ऐंथ्रासीन सल्फ़ोनिक अम्ल बनता है।

सल्फ़ोनिक अम्ल क्रिस्टलीय ठोस, आर्द्रताग्राही, जल में विलेय तथा प्रबल अम्लीय होते हैं और धातुओं से अच्छे क्रिस्टलीय लवण बनाते हैं। क्षारीय धातुओं के लवण जल में अति विलेय होते हैं, पर अन्य धातुओं के लवण न्यूनाधिक अविलेय होते हैं। कार्बनिक सल्फ़ोनिक अम्लों को दाहक क्षार के साथ तपाने से, सल्फ़ोनिक समूह का स्थान हाइड्रॉक्सिल समूह ले लेता है और इस प्रकार ऐरोमैटिक सल्फ़ोनिक अम्लों से फ़ीनोल प्राप्त होते हैं। पोटैशियम सायनाइड के साथ तपाने से नाइट्राइल बनते हैं और तनु सल्फ़ुरिक अम्ल के उपचार से, सल्फ़ोनिक अम्ल समूह, हाइड्रोजन से विस्थापित हो जाता है। बेंज़ीन सल्फ़ोनिक अम्ल को फ़ॉस्फ़ोरस क्लोराइड के साथ उपचारित करने से बेंज़ीन-सल्फ़ोनिक क्लोराइड बनता है, जिसका अमोनिया के साथ उपचार करने से बेंज़ीन सल्फ़ोनेमाइड प्राप्त होता है। ऐसे ही अनेक संघात आजकल सल्फ़ा-ड्रग के नाम से प्रसिद्ध हैं और अनेक रोगों के लिये प्रयुक्त औषधि के रूप में प्रसिद्धि पा चुके हैं। [स० व०]

सल्फ़ोनेमाइड (Sulfonamides) द्रव्यों का एक वर्ग, जिसमें पैरा-ऐमिनो-बेंज़ीन सल्फ़ोनेमाइड का मूल-रचना-सूत्र विद्यमान है, सल्फ़ोनेमाइड कहलाता है। पैराऐमिनो बेंज़ीन सल्फ़ोनेमाइड को सल्फ़ोनिल ऐमाइड भी कहते हैं और इस यौगिक में सल्फ़ोनेमाइड मूलक ($-SO_2NH_2$) के हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान

सलफ़्यूरिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीजन के निकल जाने से यह सलफ़्यूरस अम्ल बनता है, जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है। अनेक धातुओं पर सलफ़्यूरिक अम्ल की क्रिया से सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होता है।

सलफ़्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र H_2SO_4 (H_2SO_4) है। यह रंगहीन तेल सदृश गाढ़ा द्रव होता है। शुद्ध अवस्था में २५° सें० ताप पर इसका घनत्व १.८३४ है। इसका हिमांक १०.५° सें० है। सलफ़्यूरिक अम्ल का प्रयोग अनेक उद्योगों में होता है जिनमें से निम्नांकित प्रमुख हैं (१) उर्वरक उद्योगों में, जैसे सुपरफ़ास्फ़ेट, अमोनियम सल्फ़ेट आदि के निर्माण में, (२) पेट्रोलियम तथा खनिज तेल के परिष्कार में, (३) विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, (४) कृत्रिम तन्तुओं, जैसे रेयन तथा अन्य सूतों, के उत्पादन में, (५) पेंट, वर्णक, रंजक इत्यादि के निर्माण में, (६) फ़ॉस्फ़ोरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, धावन सोडा तथा अन्य रसायनों के निर्माण में, (७) इनैमल उद्योग, धातुओं पर जस्ता चढ़ाना तथा धातुकर्म उद्योगों में, (८) बैटरी बनाने में, (९) औषधियों के निर्माण में, (१०) लोहा एवं स्टील, प्लास्टिक तथा अन्य रासायनिक उद्योगों में। प्रयोगशालाओं में सल्फ़्यूरिक अम्ल का प्रयोग विलायकों, निर्जलीकारकों (desiccating agent) तथा विश्लेषिक अभिकर्मकों के रूप में होता है। सल्फ़्यूरिक अम्ल इतने अधिक एवं विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होता है कि उन सभी का उल्लेख यहाँ संभव नहीं है।

सलफ़्यूरिक अम्ल का जल में आयनीकरण होता है। इससे विलयन में हाइड्रोजन धनायन, बाइसल्फ़ेट तथा सल्फ़ेट ऋणायन बनते हैं। रासायनिक विश्लेषण की सामान्य रीतियों से सल्फ़्यूरिक अम्ल में गंधक, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की उपस्थिति जानी जा सकती है। सलफ़्यूरिक अम्ल का संरचनासूत्र सामान्यतः निम्नांकित रूप में लिखा जाता है :

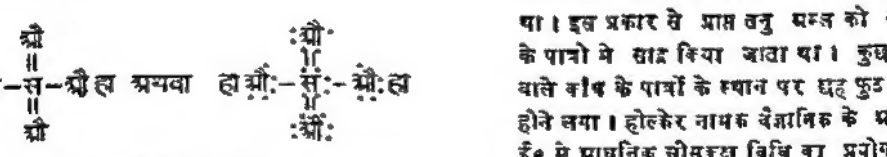

(स = गं, अर्थात् गंधक)

आधुनिक विचारधारा के अनुसार सल्फ़्यूरिक अम्ल के अणु की संरचना चतुष्फलक (tetrahedron) होती है, जिसमें गंधक का एक परमाणु केंद्र में और दो हाइड्रॉक्सी समूह तथा दो ऑक्सीजन के परमाणु चतुष्फलक के कोणों पर स्थित हैं। अम्ल के अणु की संरचना में गंधक-ऑक्सीजन बंध का अंतर १.५१ ऐं० (ऐंग्स्ट्रॉम इकाई) होता है। शत प्रति शत शुद्ध सल्फ़्यूरिक अम्ल का घनत्व १५° सें० पर १.८३८४ ग्राम प्रति मिलिलिटर होता है। सल्फ़्यूरिक अम्ल को गरम करने से उससे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का वाष्प निकलने लगता है तथा अम्ल का २९०° सें० से क्वथन प्रारंभ हो जाता है। क्वथनांक में तब तक वृद्धि होती जाती है, जब तक ताप ३१७° सें० नहीं पहुँच जाता। इस ताप पर सलफ़्यूरिक अम्ल ९८.५४ प्रति शत रह जाता है। उच्च ताप पर सलफ़्यूरिक अम्ल का विघटन पूर्ण हो जाता है और जैसे जैसे ताप ऊपर उठता है विघटन बढ़ता जाता है। सांद्र सल्फ़्यूरिक अम्ल के साथ सलफ़्यूरिक अम्ल मोनोहाइड्रेट, गलनांक ८.५° सें०, सलफ़्यूरिक अम्ल डाइहाइड्रेट, गलनांक —३९.४६° सें० तथा सलफ़्यूरिक अम्ल टेट्राहाइड्रेट, गलनांक —२८.२५° सें०, बनाता है। जल के साथ क्रिया के फलस्वरूप प्रति ग्राम सांद्र अम्ल २०५ कैलोरी ऊष्मा का उत्पादन करता है। सांद्र अम्ल कार्बनिक पदार्थों, लकड़ी तथा प्राणियों के ऊतकों से जल खींच लेता है, जिसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाता है और अंगार के रूप में कोयला रह जाता है। सलफ़्यूरिक अम्ल लवण बनाता है, जिसे सल्फ़ेट कहते हैं। सल्फ़ेट सामान्य या उदासीन लवण होते हैं, जैसे सामान्य सोडियम सल्फ़ेट (Na_2SO_4) या अम्लीय सोडियम बाइसल्फ़ेट ($NaHSO_4$)। अम्लीय इसलिये कि इसमें अब भी एक हाइड्रोजन रहता है, जो धातुओं से प्रतिस्थापित हो सकता है। धातुओं, धातुओं के ऑक्साइडों, हाइड्रॉक्साइडों, कार्बोनेटों या अन्य लवणों पर अम्ल की क्रिया से सल्फ़ेट बनते हैं। अधिकांश सल्फ़ेट जलविलेय होते हैं। केवल कैल्सियम, बेरियम, स्ट्रॉनशियम और सीस के लवण जल में अविलेय या बहुत कम विलेय होते हैं। अनेक लवण औद्योगिक महत्व के हैं। बेरियम और सीस सल्फ़ेट वर्णक के रूप में, सोडियम सल्फ़ेट काच निर्माण में, कॉपर सल्फ़ेट कीटनाशक के रूप में और कैल्सियम सल्फ़ेट प्लास्टर ऑव पैरिस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सीस और इस्पात पर सांद्र अम्ल की कोई क्रिया नहीं होती। अतः अम्ल के निर्माण में तथा अम्ल को रखने के लिये सीस तथा इस्पात के पात्र प्रयुक्त होते हैं।

बड़े पैमाने पर सलफ़्यूरिक अम्ल के निर्माण का पहला कारखाना १७४० ई० में लंदन के समीप रिचमंड में वार्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित किया गया था। निर्माण के लिये गंधक तथा शोरे के मिश्रण को लोहे के पात्र में गरम किया जाता था और अम्ल के वाष्प को काँच के पात्रों में, जिनमें जल भरा रहता था, एकत्र किया जाता था। इस प्रकार से प्राप्त तनु अम्ल को वायु ऊष्मक के ऊपर के पात्रों में सांद्र किया जाता था। कुछ समय पश्चात् काँच वाले काँच के पात्रों के स्थान पर छह फुट चौड़े सीस कक्षों का प्रयोग होने लगा। होल्कर नामक वैज्ञानिक के अथक परिश्रम द्वारा १८०० ई० में आधुनिक सीसकक्ष विधि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। १८ से सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्राप्ति के लिये कच्चे माल के स्थान पर पाइराइटीज नामक खनिज का प्रयोग होने लगा। १८१० ई० में गे-लुसैक स्तंभ तथा १८५९ ई० में ग्लोवर स्तंभ के द्वारा सीस-कक्ष-विधि का आधुनिकीकरण हुआ। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड तथा वायु को कक्ष में प्रवेश कराया जाता है। ऐसे गैस मिश्रण को २५ फुट ऊँचे ग्लोवर स्तंभ में प्रवेश कराया जाता है। इस स्तंभ में ऊपर से गे-लुसैक स्तंभ से सल्फ़्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोसिल सलफ़्यूरिक अम्ल का मिश्रण आता है। स्तंभ से निकलकर गैस मिश्रण सीस कक्ष में प्रवेश करता है। साधारणतया सीस कक्ष तीन रहते हैं। यहाँ कक्ष में भाप भी प्रवेश करता है। गैस मिश्रण और भाप के बीच क्रिया होकर, सल्फ़्यूरिक अम्ल बनकर, कक्ष के पेंदे में इकट्ठा होता है। अवशिष्ट गैस

पर विभिन्न यौगिकों के मूलक प्रतिस्थापित करके, अनेक यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनका सामूहिक नाम सल्फ़ोनेमाइड है।

औषधि विज्ञान में इस वर्ग की औषधियों की अपेक्षा संभवतः किसी अन्य वर्ग की औषधियाँ अधिक लाभप्रद नहीं सिद्ध हुईं। इसका कारण यह है कि इनकी सहायता से अनेक जानें बचाई जा सकी हैं। बीमारी की अवधि काफ़ी घटाई जा सकी तथा कुछ बीमारियों से बचाव की व्यवस्था भी की जा सकी है।

सन् १९०८ ई० में पी० गेल्मो (P. Gelmo) ने पैरा-ऐमिनो बेंज़ीन सल्फ़ोनेमाइड का संश्लेषण रंजक उद्योग में एक द्रव्य के लिये किया था और इसकी सहायता से कुछ ऐज़ो रंजक (azo dyes) बनाए गए। बाद में पता चला कि इन रंजकों में कुछ प्रतिजीवाणविक (antibacterial) प्रभाव भी है, परंतु इस ओर कुछ विशेष ध्यान न दिया गया। सन् १९३२ में जर्मनी में फ़्रिट्ज़ मीट्ज़ (Fritz Mietzsch) तथा जोज़ेफ़ क्लेरर (Josef Klarer) ने प्रांटोसिल (prontosil) तथा अन्य सल्फ़ोनेमाइड युक्त ऐज़ो रंजकों का पेटेंट कराया और सन् १९३५ में गेरहार्ट डोमाक (Gerhard Domagk) ने अपने एक शोध निबंध द्वारा यह घोषणा की कि उसने प्रांटोसिल का उपयोग चूहों में स्ट्रेप्टोकॉकस (Streptococcus) संक्रमण की चिकित्सा के लिये किया तथा यह ज्ञात किया कि प्रांटोसिल की जीव-विषाक्तता बहुत कम है और स्ट्रेप्टोकॉकस से संक्रमित चूहों पर इसके उपयोग से उनकी मृत्यु होनी रुक गई या कम हो गई। बाद में खरगोशों पर भी इसका प्रयोग करने से वही फल प्राप्त हुए। डोमाक ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि प्रांटोसिल केवल जीवधारियों के अंदर ही जीवाणुनाशक का कार्य कर सकता है, बाहर परीक्षण नली में उपस्थित जीवाणुओं में नहीं।

इसके पश्चात् फ्रांस में ए० जिरार्द (A Girard) ने प्रांटोसिल का संश्लेषण करके उसका नाम रूबियारॉल (Rubiarol) रखा तथा जीवों में इसका प्रयोग करके डोमाक के फलों की पुष्टि की। जे० ट्रेफ़ूएल (J. Trefouel), एफ़० निथ (F. Nith) तथा डी० बोवेट (D. Bovet) ने यह प्रदर्शित किया कि शरीर के ऊतक (body tissue) में यह ऐज़ो रंजक ऐज़ो मूलक पर (–N=N–) विखंडित होकर, पैरा-ऐमिनो-बेंज़ीन सल्फ़ोनेमाइड बनाते हैं और वास्तव में प्रांटोसिल या इसी प्रकार के ऐज़ो रंजकों की संक्रमण नाशन क्रिया इसी यौगिक, पैरा ऐमिनो-बेंज़ीन सल्फ़ोनेमाइड, ही के कारण है। इस विचारधारा की शीघ्र ही पुष्टि हुई। इंग्लैंड तथा अमरीका में भी इस प्रकार के प्रयोग हुए और वही फल प्राप्त हुए। इनके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि हुई कि स्ट्रेप्टोकॉकस संक्रमण में सल्फ़ोनेमाइड का प्रयोग हो सकता है। कुछ समय बाद यह पता चला कि न्युमोनिया में इसका उपयोग नहीं हो सकता, पर मैनिंजाइटिस तथा बच्चा पैदा होने के पश्चात् के संक्रमणों में यह बहुत उपयोगी है।

इसके पश्चात् वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया कि सल्फ़ोनेमाइड मूलक (–SO_2NH_2) के हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर अन्य यौगिकों के मूलक प्रतिस्थापित करने से अन्य यौगिक, जो कुछ विशेष संक्रमणों में लाभप्रद हैं, प्राप्त हो सकते हैं। [illegible] ए० जे० इविंस (A. J. Ewins) तथा एम० ए० [illegible] ने सल्फ़ा-पिरिडीन बनाया, जो न्युमोनिया के संक्रमण के लिये विशिष्ट था। सन् १९३९ तथा सन् १९४३ के बीच में इस प्रकार के अनेक यौगिकों का संश्लेषण हुआ और इनमें से कई अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध में सैनिकों में इनका उपयोग बहुत हुआ, जिसके फलस्वरूप अनेक जानें बचाई जा सकीं। प्रत्येक सिपाही के पास सल्फ़ोनेमाइड पाउडर तथा गोलियाँ रहती थीं तथा उनको इनके उपयोग की विधि बता दी जाती थी, ताकि घायल होने पर वह स्वयं इनका प्रयोग कर सकें।

इस वर्ग के कुछ यौगिकों के रचनासूत्र तथा उनके नाम

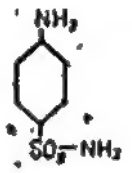

सल्फ़ोनेमाइड

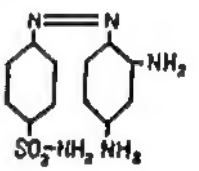

प्रांटोसिल

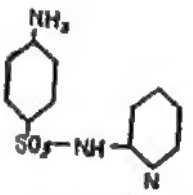

सल्फ़ा-पिरिडीन
M. B. 693
(न्युमोनिया में उपयोगी)

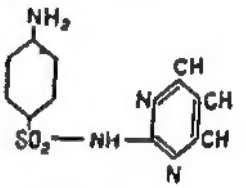

सल्फ़ाडायज़ीन

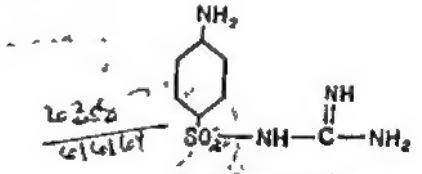

सल्फ़ाग्वेनिडीन
(पेचिश के लिये)

इनकी क्रिया विधि (mode of action) के संबंध में यह स्पष्ट है कि ये औषधियाँ जीवाणुओं को नष्ट नहीं करतीं वरन् उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार यह जीवाणुओं को मार सकनेवाली जीवाणुनाशक (bactericidal) औषधियों से भिन्न हैं।

इस वर्ग की औषधियों का मनुष्य पर कुछ विषैला प्रभाव भी पड़ता है और कुछ लोग इनके लिये बहुत ही सवेदी (sensitive) होते हैं, अतः बिना चिकित्सक की सलाह के इनका प्रयोग करना उचित नहीं है। इनसे उलटी, चक्कर, मानसिक संभ्रांति आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी रक्ताल्पता (anaemia), पेशाब में रुकावट, गुर्दे में कुछ शोथ आदि भी हो जाते हैं। कभी कभी चिकित्सक इन औषधियों के साथ कुछ अन्य औषधियाँ मिलाकर देते हैं, जिससे ऊपर लिखी व्याधियाँ न उत्पन्न होने पाएँ। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में सल्फ़ा दवाओं का स्थान प्रतिजैविक पदार्थों (antibiotics) से किसी प्रकार कम नहीं है। [रा० दा० ति०]